Maktab_e_Ashraf
पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों
की तादाद में प्रकाशित होकर क़ुरआनी उलूम को
बेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर
मआरिफ़ुल क़ुरआन
8
तफ़सीर
हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह.
(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

पिछले चालीस सालों से उर्दू भाषा में लाखों की तादाद में प्रकाशित होकर क़ुरआनी उलूम को बेशुमार अफ़राद तक पहुँचाने वाली बेनज़ीर तफ़सीर

मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन

जिल्द (8)

उर्दू तफ़सीर

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी देवबन्दी रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान व दारुल-उलूम देवबन्द)

हिन्दी अनुवादक

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)

रीडर अ़ल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कॉलेज मुज़फ़्फ़र नगर (उ.प्र.)

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज

नई दिल्ली-110002

****

तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन

हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब रह.

(मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान)

हिन्दी अनुवाद

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी एम. ए. (अलीग.)

मौहल्ला महमूद नगर, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 09456095608

जिल्द (8) सूरः मुहम्मद —— सूरः नास

(पारा 26 रुकूअ़ 5 से पारा 30 रुकूअ़ 39, यानी आख़िरे क़ुरआन तक)

10 नवम्बर 2014

प्रकाशक

फ़रीद बुक डिपो (प्रा.) लि.

2158, एम. पी. स्ट्रीट, पटौदी हाऊस, दरिया गंज, नई दिल्ली-110002

بسم الله الرحمن الرحيم

WA'A TASIMOO BIHAB LILLAHI JAMEE-'AN WA LAA TAFARRAQOO

समर्पित

❂ अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला के कलाम क़ुरआन मजीद के प्रथम व्याख्यापक, हादी-ए-आ़लम, आख़िरी पैग़म्बर, तमाम नबियों में अफ़ज़ल हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नाम, जिनका एक-एक क़ौल व अ़मल कलामे रब्बानी और मन्शा-ए-इलाही की अ़मली तफ़सीर था।

❂ दारुल-उलूम देवबन्द के नाम, जो क़ुरआन मजीद और उसकी तफ़सीर (हदीसे पाक) की अज़ीमुश्शान ख़िदमत और दीनी रहनुमाई के सबब पूरी इस्लामी दुनिया में एक मिसाली संस्था है। जिसके इल्मी फ़ैज़ से मुस्तफ़ीद (लाभान्वित) होने के सबब इस नाचीज़ को इल्मी समझ और क़ुरआन मजीद की इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब हुई।

❂ उन तमाम नेक रूहों और हक़ के तलाश करने वालों के नाम, जो हर तरह के पक्षपात से दूर रहकर और हर प्रकार की कठिनाईयों का सामना करके अपने असल मालिक व ख़ालिक़ के पैग़ाम को क़ुबूल करने वाले और दूसरों को कामयाबी व निजात के रास्ते पर लाने के लिये प्रयासरत हैं

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

दिल की गहराईयों से शुक्रिया

◎ मोहतरम जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ साहिब (मालिक फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) का, जिनकी मुहब्बतों, इनायतों, क़द्रदानियों और मुझे अपने इदारे से जोड़े रखने के सबब क़ुरआन मजीद की यह अहम ख़िदमत अन्जाम पा सकी।

◎ मेरे उन बच्चों का जिन्होंने इस तफ़सीर की तैयारी में मेरा भरपूर साथ दिया, तथा मेरे सहयोगियों, सलाहकारों, शुभ-चिन्तकों और हौसला बढ़ाने वाले हज़रात का, अल्लाह तआ़ला इन सब हज़रात को अपनी तरफ़ से ख़ास जज़ा और बदला इनायत फ़रमाये। आमीन या रब्बल्-आ़लमीन।

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋❋

प्रकाशक के क़लम से

अल्लाह तआला का लाख-लाख शुक्र व एहसान है कि उसने मुझे और मेरे इदारे (फ़रीद बुक डिपो नई दिल्ली) को इस्लामी, दीनी और तारीख़ी किताबों के प्रकाशन के ज़रिये दीनी व दुनियावी उलूम की ख़िदमत की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई।

अल्हम्दु लिल्लाह हमारे इदारे से क़ुरआन पाक, हदीस मुबारक और दीनी विषयों पर बेशुमार किताबें शाया हो चुकी हैं। बल्कि अगर यह कहा जाये कि आज़ाद हिन्दुस्तान में हर इल्म व फ़न के अन्दर जिस क़द्र किताबें **फ़रीद बुक डिपो देहली** को प्रकाशित करने का सौभाग्य नसीब हुआ है उतना किसी और इदारे के हिस्से में नहीं आया तो यह बेजा न होगा। कोई इदारा फ़रीद बुक डिपो के मुक़ाबले में पेश नहीं किया जा सकता। यह सब कुछ अल्लाह के फ़ज़्ल व करम और उसकी इनायतों का फल है।

फ़रीद बुक डिपो देहली ने उर्दू, अ़रबी, फ़ारसी, गुजराती, हिन्दी और बंगाली अनेक भाषाओं में किताबें पेश करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। हिन्दी ज़बान में अनेक किताबें इदारे से शाया हो चुकी हैं। हिन्दी भाषा हमारी मुल्की ज़बान है। पढ़ने वालों की माँग और तलब देखते हुए तफ़सीरे क़ुरआन के उस अहम ज़ख़ीरे को हिन्दी ज़बान में लाने का फ़ैसला किया गया जो पिछले कई दशकों से इल्मी जगत में धूम मचाये हुए है। मेरी मुराद **तफ़सीर मआरिफ़ुल-क़ुरआन** से है। इस तफ़सीर के परिचय की आवश्यकता नहीं, दुनिया भर में यह एक मोतबर और विश्वसनीय तफ़सीर मानी जाती है।

मौलाना मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी ने फ़रीद बुक डिपो के लिये बहुत सी मुफ़ीद और कारामद किताबों का हिन्दी में तर्जुमा किया है। हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी के **इस्लाही ख़ुतबात** की 15 जिल्दें और **तफ़सीर तौज़ीहुल-क़ुरआन** उन्होंने हिन्दी में मुन्तक़िल की हैं जो इदारे से छपकर मक़बूल हो चुकी हैं। उन्हीं से यह काम करने का आग्रह किया गया जिसे उन्होंने क़ुबूल कर लिया और अब अल्हम्दु लिल्लाह यह शानदार तफ़सीर आपके हाथों में पहुँच रही है। हिन्दी भाषा में क़ुरआनी ख़िदमत की यह अहम कड़ी आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको पसन्द आयेगी और क़ुरआन पाक के पैग़ाम को समझने और उसको आ़म करने में एक अहम रोल अदा करेगी।

मैं अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ़ करता हूँ कि वह इस ख़िदमत को क़ुबूल फ़रमाये और हमारे लिये इसे ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत और रहमत व बरकत का सबब बनाये आमीन।

ख़ादिम-ए-क़ुरआन
मुहम्मद नासिर ख़ान
मैनेजिंग डायरेक्टर, फ़रीद बुक डिपो, देहली

अनुवादक की ओर से

الحمد لله رب العالمين. والصلوة والسلام على رسوله الكريم. وعلى آله وصحبه اجمعين.

برحمتك ياارحم الراحمين.

तमाम तारीफ़ों की असल हक़दार अल्लाह तआ़ला की पाक ज़ात है जो तमाम जहानों की पालनहार है। वह बेहद मेहरबान और बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला है। और बेशुमार दुरूद व सलाम हों उस ज़ाते पाक पर जो अल्लाह तआ़ला की तमाम मख़्लूक़ में सब से बेहतर है, यानी हमारे आक़ा व सरदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम। और आपकी आल पर और आपके सहाबा किराम पर और आपके तमाम पैरोकारों पर।

अल्लाह करीम का बेहद फ़ज़्ल व करम है कि उसने मुझ नाचीज़ को अपने पाक कलाम की एक और ख़िदमत की तौफ़ीक़ बख़्शी। उसकी ज़ात तमाम ख़ूबियों, कमालात, तारीफ़ों और बन्दगी की हक़दार है।

इससे पहले सन् 2003 ईसवी में नाचीज़ ने **हकीमुल-उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह.** का तर्जुमा हिन्दी भाषा में पेश किया जिसको काफ़ी मक़बूलियत मिली, यह तर्जुमा इस्लामिक बुक सर्विस देहली ने प्रकाशित किया। उसके बाद **तफ़सीर इब्ने कसीर मुकम्मल** हिन्दी भाषा में पेश करने की सआ़दत नसीब हुई, जो रमज़ान (अगस्त 2011) में प्रकाशित होकर मन्ज़रे आ़म पर आ चुकी है। इसके अ़लावा **फ़रीद बुक डिपो** ही से मौजूदा ज़माने के मशहूर आ़लिम **शैख़ुल-इस्लाम हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद तक़ी उस्मानी** दामत बरकातुहुम की मुख़्तसर तफ़सीर **तौज़ीहुल-क़ुरआन** शाया होकर पाठकों तक पहुँच रही है।

उर्दू भाषा में जो मक़बूलियत क़ुरआनी तफ़सीरों में तफ़सीर मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन के हिस्से में आयी शायद ही कोई तफ़सीर उस मक़ाम तक पहुँची हो। यह तफ़सीर हज़ारों की संख्या में हर साल छपती और पढ़ने वालों तक पहुँचती है, और यह सिलसिला तक़रीबन चालीस सालों से चल रहा है मगर आज तक कोई तफ़सीर इतनी मक़बूलियत हासिल नहीं कर सकी।

हिन्द महाद्वीप की जानी-मानी इल्मी शख़्सियत **हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब** देवबन्दी (मुफ़्ती-ए-आज़म पाकिस्तान) की यह तफ़सीर क़ुरआनी तफ़सीरों में एक बड़ा क़ीमती सरमाया है। दिल चाहता था कि हिन्दी जानने वाले हज़रात तक भी यह उलूम और क़ुरआनी मतालिब पहुँचें मगर काम इतना बड़ा और अहम था कि शुरू करने की हिम्मत न होती थी।

जो हज़रात इल्मी काम करते हैं उनको मालूम है कि एक ज़बान से दूसरी ज़बान में तर्जुमा करना कितना मुश्किल काम है, और सही बात तो यह है कि इस काम का पूरा हक़ अदा होना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि इबारत का मफ़्हूम व मतलब तर्जुमे में उतर आये। कहीं-कहीं ब्रेकिट बढ़ाकर भी इबारत को आसान बनाने की कोशिश की है। तर्जुमे में जहाँ तक संभव हुआ कोई छेड़छाड़ नहीं की गयी क्योंकि उलेमा-ए-मुहक़्क़िक़ीन ने इस तर्जुमे को इल्हामी तर्जुमा क़रार

दिया है। जहाँ बहुत ही ज़रूरी महसूस हुआ वहाँ आसानी के लिये कोई लफ़्ज़ बदला गया या ब्रेकिट के अन्दर मायनों को लिख दिया गया।

अरबी और फ़ारसी के शे'रों का मफ़्हूम अगर मुसन्निफ़ की इबारत में आ गया है और हिन्दी पाठकों के लिये ज़रूरी न समझा तो कुछ अश्आर को निकाल दिया गया है, और जहाँ ज़रूरत समझी वहाँ अरबी, फ़ारसी शे'रों का तर्जुमा लिख दिया है। ऐसे मौक़ों पर अहक़र ने उस तर्जुमे के अपनी तरफ़ से होने की वज़ाहत कर दी है ताकि अगर तर्जुमा करने में ग़लती हुई हो तो उसकी निस्बत साहिबे तफ़सीर की तरफ़ न हो बल्कि उसे मुझ नाचीज़ की इल्मी कोताही गरदाना जाये।

हल्ले लुग़ात और किराअतों का इख़्तिलाफ़ चूँकि इल्मे तफ़सीर पर निगाह न रखने वाले, किराअतों के फ़न से ना-आशना और अरबी ग्रामर से नावाक़िफ़ शख़्स एक हिन्दी जानने वाले के लिये कोई फ़ायदे की चीज़ नहीं, बल्कि बहुत सी बार कम-इल्मी के सबब इससे उलझन पैदा हो जाती है लिहाज़ा तफ़सीर के इस हिस्से को हिन्दी अनुवाद में शामिल नहीं किया गया।

हिन्दी जानने वाले हज़रात के लिये यह हिन्दी तफ़सीर एक नायाब तोहफ़ा है। अगर ख़ुद अपने मुताले से वह इसे पूरी तरह न समझ सकें तब भी कम से कम इतना मौक़ा तो है कि किसी आ़लिम से सबक़न् सबक़न् इस तफ़सीर को पढ़कर लाभान्वित हो सकते हैं। जिस तरह उर्दू तफ़सीरें भी सिर्फ़ उर्दू पढ़ लेने से पूरी तरह समझ में नहीं आतीं बल्कि बहुत सी जगह किसी आ़लिम से रुजू करके पेश आने वाली मुश्किल को हल किया जाता है, इसी तरह अगर हिन्दी जानने वाले हज़रात पूरी तरह इस तफ़सीर से फ़ायदा न उठा पायें तो हिम्मत न हारें, हिन्दी की इस तफ़सीर के ज़रिये उन्हें क़ुरआन पाक के तालिब-इल्म बनने का मौक़ा तो हाथ आ ही जायेगा। जो बात समझ में न आये वह किसी मोतबर आ़लिम से मालूम कर लें और इस तफ़सीरी तोहफ़े से अपनी इल्मी प्यास बुझायें। अल्लाह का शुक्र भेजिये कि आप तफ़सीर के तालिब-इल्म बनने के अहल हो गये वरना उर्दू न जानने की हालत में तो आप इस मौक़े से भी मेहरूम थे।

फ़रीद बुक डिपो से मेरी वाबस्तगी पच्चीस सालों से है। इस दौरान बहुत सी किताबें लिखने, प्रूफ़ रीडिंग करने और हिन्दी में तर्जुमा करने का मुझ नाचीज़ को मौक़ा मिला है। इदारे के संस्थापक **जनाब मुहम्मद फ़रीद ख़ाँ मरहूम** से लेकर मौजूदा मालिक और मैनेजिंग डायरेक्टर **जनाब अल-हाज मुहम्मद नासिर ख़ाँ** तक सब ही की ख़ास इनायतें मुझ नाचीज़ पर रही हैं। मैंने इस इदारे के लिये बहुत सी किताबों का हिन्दी तर्जुमा किया है, हज़रत **मौलाना क़ारी मुहम्मद तय्यिब साहिब** मोहतमिम दारुल-उलूम देवबन्द की किताबों और मज़ामीन पर किया हुआ मेरा काम सात जिल्दों में इसी इदारे से प्रकाशित हुआ है, इसके अ़लावा **"मालूमात का समन्दर"** और **"तज़किरा अ़ल्लामा मुहम्मद इब्राहीम बलियावी"** वग़ैरह किताबें भी यहीं से शाया हुई हैं। जो किताबें मैंने उर्दू से हिन्दी में इस इदारे के लिये की हैं उनकी तायदाद भी पचास से अधिक है, इसी सिलसिले में एक और कड़ी यह जुड़ने जा रही है।

इस तफ़सीर को उर्दू से मिलती-जुलती हिन्दी भाषा (यानी हिन्दुस्तानी ज़बान) में पेश करने की कोशिश की गयी, हिन्दी के संस्कृत युक्त अलफ़ाज़ से परहेज़ किया गया है। कोशिश यह की है कि मजमूई तौर पर मज़मून का मफ़्हूम व मतलब समझ में आ जाये। फिर भी अगर कोई लफ़्ज़ या

किसी जगह का कोई मज़मून समझ में न आये तो उसको नोट करके किसी आ़लिम से मालूम कर लेना चाहिये।

तफ़सीर की यह आठवीं (यानी आख़िरी) जिल्द आपके हाथों में है अल्लाह तआ़ला बेहद शुक्र व एहसान है इस नाचीज़ को इस ख़िदमत की तौफ़ीक़ मिली। इस तफ़सीर की तैयारी में कितनी मेहनत से काम लिया गया है इसका कुछ अन्दाज़ा उसी वक़्त हो सकता है जबकि उर्दू तफ़सीर को सामने रखकर मुक़ाबला किया जाये। तब मालूम होगा कि पढ़ने वालों के लिये इसे कितना आसान करने की कोशिश की गयी है। अल्लाह तआ़ला हमारी इस मेहनत को क़ुबूल फ़रमाये और अपने बन्दों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये आमीन।

इस तफ़सीर से फ़ायदा उठाने वालों से आ़जिज़ी और विनम्रता के साथ दरख़्वास्त है कि वे मुझ नाचीज़ के ईमान पर ख़ात्मे और दुनिया व आख़िरत में कामयाबी के लिये दुआ़ फ़रमायें। अल्लाह करीम इस ख़िदमत को मेरे माँ-बाप और उस्ताज़ों के लिये भी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाये, आमीन।

आख़िर में बहुत ही आ़जिज़ी के साथ अपनी कम-इल्मी और सलाहियत के अभाव का एतिराफ़ करते हुए यह अ़र्ज़ है कि बेऐब अल्लाह तआ़ला की ज़ात है। कोई भी इनसानी कोशिश ऐसी नहीं जिसके बारे में सौ फ़ीसद यक़ीन के साथ कहा जा सके कि उसके अन्दर कोई ख़ामी और कमी नहीं रह गयी है। मैंने भी यह एक मामूली कोशिश की है, अगर मुझे इसमें कोई कामयाबी मिली है तो यह महज़ अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल व करम, उसके पाक नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़रिये लाये हुए पैग़ाम (क़ुरआन व हदीस) की रोशनी का फ़ैज़, अपनी मादरे इल्मी दारुल-उलूम देवबन्द की निस्बत और मेरे असातिज़ा हज़रात की मेहनत का फल है, मुझ नाचीज़ का इसमें कोई कमाल नहीं। हाँ इन इल्मी जवाहर-पारों को समेटने, तरतीब देने और पेश करने में जो ग़लती, ख़ामी और कोताही हुई हो वह यक़ीनन मेरी कम-इल्मी और नाक़िस सलाहियत के सबब है। अहले नज़र हज़रात से गुज़ारिश है कि अपनी राय, मश्विरों और नज़र में आने वाली ग़लतियों व कोताहियों से मुत्तला फ़रमायें ताकि आईन्दा किये जाने वाले इल्मी कामों में उनसे लाभ उठाया जा सके। वस्सलाम

(पहली और दूसरी जिल्द प्रकाशित होकर मुल्क में फैली तो अल्हम्दु लिल्लाह उसे क़द्र व पसन्दीदगी की निगाह से देखा गया। मुझ नाचीज़ का दिल बेहद ख़ुश हुआ कि मुल्क के कई शहरों से मुझे फ़ोन करके मेरी इस मेहनत को सराहा गया और मुबारकबाद दी गयी। मैं उन सभी हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ और अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझ गुनाहगार को अपने कलाम की एक अदना ख़िदमत करने की तौफ़ीक़ बख़्शी, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, उसी करीम का एहसान व तौफ़ीक़ है।)

तालिबे दुआ़

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)

79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001

रीडर अ़ल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कालेज, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.)

(10 नवम्बर 2014) फ़ोनः- 09456095608, 09012122788

E-mail: imranqasmialig@yahoo.com, imranqasmi1985@gmail.com

एक अहम बात

क़ुरआन मजीद के मतन को अ़रबी के अ़लावा हिन्दी या किसी दूसरी भाषा के रस्मुलख़त (लिपि) में बदलने पर उलेमा की राय और फ़तवा इसके विरोध में है। उलेमा हज़रात का ख़्याल है कि इस तरह करने से क़ुरआन मजीद के हर्फ़ों की अदायगी में तहरीफ़ (कमी-बेशी और रद्दोबदल) हो जाती है और उनको भय (डर) है कि जिस तरह इन्जील और तौरात तहरीफ़ का शिकार हो गईं वैसे ही ख़ुदा न करे इसका भी वही हाल हो। यह तो ख़ैर नामुम्किन है, इसकी हिफ़ाज़त का वायदा अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद किया है और करोड़ों हाफ़िज़ों को क़ुरआन मजीद मुँह-ज़बानी याद है।

इस सिलसिले में नाचीज़ **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी** (इस तफ़सीर का हिन्दी अनुवादक) अ़र्ज़ करता है कि हक़ीक़त यह है कि अ़रबी रस्मुल्ख़त के अ़लावा दूसरी किसी भी भाषा में क़ुरआन मजीद को क़तई तौर पर सौ फ़ीसद सही नहीं पढ़ा जा सकता। इसलिए कि हर्फ़ों की बनावट के एतिबार से भी किसी दूसरी भाषा में यह गुंजाईश नहीं कि वह अ़रबी ज़बान के तमाम हुरूफ़ का मुतबादिल (विकल्प) पेश कर सके। फिर अगर किसी तरह कोई निशानी मुक़र्रर करके इस कमी को पूरा करने की कोशिश भी की जाए तो **'मख़ारिजे हुरूफ़'** यानी हुरूफ़ के निकालने का जो तरीक़ा, मक़ाम और इल्म है वह उस वैकल्पिक तरीक़े से हासिल नहीं किया जा सकता। जबकि यह सब को मालूम है कि सिर्फ़ अलफ़ाज़ के निकालने में फ़र्क़ होने से अ़रबी ज़बान में मायने बदल जाते हैं। इसलिये अ़रबी मतन की जो हिन्दी दी गयी है उसको सिर्फ़ यह समझें कि वह आपके अन्दर अ़रबी क़ुरआन पढ़ने का शौक़ पैदा करने के लिये है। तिलावत के लिये अ़रबी ही पढ़िये और उसी को सीखिये। वरना हो सकता है कि किसी जगह ग़लत उच्चारण के सबब पढ़ने में सवाब के बजाय अ़ज़ाब के हक़दार न बन जायें। हिन्दी लिपि में जो अ़रबी दी गयी है उससे न क़ुरआन की तिलावत मुम्किन है और न सवाब मिलेगा, अ़रबी भाषा और ख़ास तौर पर क़ुरआन को सीखना बहुत आसान है तिलावत अ़रबी सीखकर ही करें।

मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि जितना मुझसे हो सके इस तफ़सीर को आसान बनाऊँ मगर फिर भी बहुत से मक़ामात पर ऐसे इल्मी मज़ामीन आये हैं कि उनको पूरी तरह आसान नहीं किया जा सका, मगर ऐसी जगहें बहुत कम हैं, उनके सबब इस अहम और क़ीमती सरमाये से मुँह नहीं मोड़ा जा सकता। अगर कोई मक़ाम समझ में न आये तो उस पर निशान लगाकर बाद में किसी आ़लिम से मालूम कर लें। तफ़सीर पढ़ने के लिये

यक्सूई और इत्मीनान का एक वक़्त मुक़र्रर करना चाहिये, चाहे वह थोड़ा सा ही हो। अगर इस लगन के साथ इसका मुताला जारी रखा जायेगा तो उम्मीद है कि आप इस क़ीमती ख़ज़ाने से इल्म व मालूमात का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर सकेंगे। यह बात एक बार फिर अर्ज़ किये देता हूँ कि असल मतन को अ़रबी ही में पढ़िये तभी आप उसका किसी क़द्र हक़ अदा कर सकेंगे। यह ख़ालिक़े कायनात का कलाम है अगर इसको सीखने में थोड़ा वक़्त और पैसा भी ख़र्च हो जाये तो इस सौदे को सस्ता और लाभदायक समझिये। कल जब आख़िरत का आ़लम सामने होगा और क़ुरआन पाक पढ़ने वालों को इनामात व सम्मान से नवाज़ा जायेगा तो मालूम होगा कि अगर पूरी दुनिया की दौलत और तमाम उम्र ख़र्च करके भी इसको हासिल कर लिया जाता तो भी इसकी क़ीमत अदा न हो पाती।

हमने रुकूअ़, पाव, आधा, तीन पाव और सज्दे के निशानात मुक़र्रर किये हैं इनको ध्यान से देख लीजिये।

रुकूअ़	✿	पाव	❖
आधा	●	तीन पाव	▲
सज्दा	◎		

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (मुज़फ़्फ़र नगर, उ. प्र.)

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

पेश-लफ़्ज़

वालिद माजिद हज़रत मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद शफ़ी साहिब मद्द ज़िल्लुहुम की तफ़सीर 'मआरिफ़ुल्-क़ुरआन' को अल्लाह तआ़ला ने अ़वाम व ख़्वास में असाधारण मक़बूलियत अ़ता फ़रमाई, और जिल्दे अव्वल का पहला संस्करण हाथों हाथ ख़त्म हो गया। दूसरे संस्करण की छपाई के वक़्त हज़रत मुसन्निफ़ मद्द ज़िल्लुहुम ने पहली जिल्द पर मुकम्मल तौर से दोबारा नज़र डाली और उसमें काफ़ी तरमीम व इज़ाफ़ा अ़मल में आया। इसी के साथ हज़रते वाला की इच्छा थी कि दूसरी बार छपने के वक़्त पहली जिल्द के शुरू में क़ुरआनी उलूम और उसूले तफ़सीर से मुताल्लिक़ एक मुख़्तसर मुक़द्दिमा भी तहरीर फ़रमायें, ताकि तफ़सीर के मुताले (अध्ययन) से पहले पढ़ने वाले हज़रात उन ज़रूरी मालूमात से लाभान्वित हो सकें, लेकिन लगातार बीमारी और कमज़ोरी की बिना पर हज़रत के लिये बज़ाते ख़ुद मुक़द्दिमे का लिखना और तैयार करना मुश्किल था, चुनाँचे हज़रते वाला ने यह ज़िम्मेदारी अहक़र के सुपुर्द फ़रमाई।

अहक़र ने हुक्म के पालन में और इस सौभाग्य को प्राप्त करने के लिये यह काम शुरू किया तो यह मुक़द्दिमा बहुत लम्बा हो गया, और क़ुरआनी उलूम के विषय पर ख़ास मुफ़स्सल किताब की सूरत बन गई। इस पूरी किताब को 'मआरिफ़ुल-क़ुरआन' के शुरू में बतौर मुक़द्दिमा शामिल करना मुश्किल था, इसलिये हज़रत वालिद साहिब के इशारे और राय से अहक़र ने इस मुफ़स्सल किताब का ख़ुलासा तैयार किया और सिर्फ़ वे चीज़ें बाक़ी रखीं जिनका मुताला तफ़सीर मआरिफ़ुल-क़ुरआन के मुताला करने वाले के लिये ज़रूरी था, और जो एक आ़म पाठक के लिये दिलचस्पी का सबब हो सकती थी। उस बड़े मज़मून का यह ख़ुलासा 'मआरिफ़ुल-क़ुरआन' पहली जिल्द के इस संस्करण में मुक़द्दिमे के तौर पर शामिल किया जा रहा है, अल्लाह तआ़ला इसे मुसलमानों के लिये नाफ़े और मुफ़ीद (लाभदायक) बनाये और इस नाचीज़ के लिये आख़िरत का ज़ख़ीरा साबित हो।

इन विषयों पर तफ़सीली इल्मी मबाहिस (बहसें) अहक़र की उस विस्तृत और तफ़सीली किताब में मिल सकेंगे जो इन्शा-अल्लाह तआ़ला जल्द ही एक मुस्तक़िल किताब की सूरत में प्रकाशित होगी (अब यह किताब 'उलूमुल-क़ुरआन' के नाम से प्रकाशित हो चुकी है)। लिहाज़ा जो हज़रात तहक़ीक़ और तफ़सील के तालिब हों वे उस किताब की तरफ़ रुजू फ़रमायें। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह, अ़लैहि तवक्कल्तु व इलैहि उनीब।

अहक़र
मुहम्मद तक़ी उस्मानी
दारुल-उलूम कोरंगी, कराची- 14
23 रबीउल-अव्वल 1394 हिजरी

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर के बारे में एक ज़रूरी तंबीह

"मआरिफ़ुल-क़ुरआन" में ख़ुलासा-ए-तफ़सीर सय्यिदी हकीमुल-उम्मत हज़रत थानवी क़ुद्दि-स सिर्रुहू की तफ़सीर "बयानुल-क़ुरआन" से जूँ-का-तूँ लिया गया है। लेकिन उसके कुछ मौक़ों में ख़ालिस इल्मी इस्तिलाहात आई हैं जिनका समझना अ़वाम के लिये मुश्किल है, नाचीज़ ने अ़वाम की रियायत करते हुए ऐसे अलफ़ाज़ को आसान करके लिख दिया है, और जो मज़मून ख़ालिस इल्मी था उसको "मआरिफ़ व मसाईल" के उनवान में लेकर आसान अन्दाज़ में लिख दिया है। वल्लाहुल्-मुस्तआ़न।

बन्दा मुहम्मद शफ़ी

मुख़्तसर विषय-सूची

मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द नम्बर (8)

उनवान	पेज
किसी ख़ास शख़्स पर लानत का हुक्म और यज़ीद पर लानत भेजने की बहस	71
आयत नम्बर 32-38 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	74
मआरिफ़ व मसाईल	76
सूरः फ़तह	**82**
आयत नम्बर 1-3 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	82
मआरिफ़ व मसाईल	84
वाक़िआ-ए-हुदैबिया	85
पहला भाग- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़्वाब	85
दूसरा भाग- आपका सहाबा किराम और देहात के मुसलमानों को साथ चलने के लिये बुलाना और कुछ लोगों का इनकार करना	85
तीसरा भाग- मक्का की तरफ़ रवानगी	86
चौथा भाग- मक्का वालों की मुक़ाबले के लिये तैयारी	86
ख़बर भेजने का एक अ़जीब सादा तरीक़ा	86
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़बर पहुँचाने वाले	86
पाँचवाँ भाग- नबी करीम सल्ल. की ऊँटनी का रास्ते में बैठ जाना	87
छठा भाग- हुदैबिया के स्थान में एक मोजिज़ा	88
सातवाँ भाग- मक्का वालों के साथ प्रतिनिधि मण्डलों के ज़रिये बातचीत	88
आठवाँ भाग- हज़रत उस्मान रज़ि. को मक्का वालों के लिये पैग़ाम देकर भेजना	90
नवाँ भाग- मक्का वालों और मुसलमानों में टकराव और मक्का वालों के साठ आदमियों की गिरफ़्तारी	91
दसवाँ भाग- बैअ़त-ए-रिज़्वान का वाक़िआ	91
ग्यारहवाँ भाग- हुदैबिया का वाक़िआ	92
सुलह की शर्तों से आ़म सहाबा की नाराज़ी और रंज	94
एक और घटना और समझौते की पाबन्दी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का बेनज़ीर अ़मल	95
एहराम खोलना और क़ुरबानी के जानवर ज़िबह करना	96
सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के ईमान और इताअ़ते रसूल का एक और इम्तिहान और उनकी बेनज़ीर ईमानी ताक़त	97
सुलह हुदैबिया के परिणामों और बरकतों का ज़हूर	97
आयत नम्बर 4-7 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	101
मआरिफ़ व मसाईल	103

उनवान	पेज

उनवान	पेज
✪ मआरिफ़ व मसाईल	180
✪ सूरः क़ाफ़ की ख़ुसूसियतें	180
✪ क्या आसमान नज़र आता है?	181
✪ मरने के बाद ज़िन्दा होने पर मशहूर शुब्हे का जवाब	181
✪ अस्हाबुर्रस्स कौन लोग हैं?	183
✪ आयत नम्बर 16-29 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	185
✪ मआरिफ़ व मसाईल	188
✪ अल्लाह तआ़ला इनसान से उसकी मुख्य रग से भी ज़्यादा क़रीब हैं, इसकी तहक़ीक़	188
✪ हर इनसान के साथ दो फ़रिश्ते	190
✪ आमाल नामा लिखने वाले फ़रिश्ते	191
✪ इनसान का हर क़ौल रिकॉर्ड किया जाता है	192
✪ मौत की सख़्ती	192
✪ इनसान को मैदाने हश्र में लाने वाले दो फ़रिश्ते	193
✪ मरने के बाद आँखें वह सब कुछ देखेंगी जो ज़िन्दगी में न देख सकती थीं	194
✪ आयत नम्बर 30-35 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	196
✪ मआरिफ़ व मसाईल	197
✪ अव्वाब कौन लोग हैं?	197
✪ आयत नम्बर 36-40 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	199
✪ मआरिफ़ व मसाईल	200
✪ इल्म हासिल करने के दो तरीक़े	201
✪ आयत नम्बर 41-45 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	203
✪ मआरिफ़ व मसाईल	203
सूरः अज़्ज़ारियात	**206**
✪ आयत नम्बर 1-23 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	207
✪ मआरिफ़ व मसाईल	210
✪ इबादत में रात को जागना और उसकी तफ़सील	211
✪ रात के आख़िरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार की बरकतें व फ़ज़ाईल	213
✪ सदक़ा व ख़ैरात करने वालों को ख़ास हिदायत	214
✪ कायनात और इनसान की ज़ात दोनों में क़ुदरत की निशानियाँ	214
✪ आयत नम्बर 24-46 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	219

उनवान	पेज

सत्ताईसवाँ पारह (क़ा-ल फ़मा ख़त्बुकुम)

सूरः अत्तूर 230

सूरः अन्नज्म 248

उनवान	पेज
✪ मआरिफ़ व मसाईल	273
✪ 'ज़न' की अनेक क़िस्में और उनके अहकाम	274
✪ आयत नम्बर 29-32 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	275
✪ मआरिफ़ व मसाईल	277
✪ ज़रूरी तंबीह	277
✪ सग़ीरा और कबीरा गुनाह की परिभाषा	278
✪ शाने नुज़ूल	281
✪ आयत नम्बर 33-62 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	282
✪ मआरिफ़ व मसाईल	284
✪ हज़रत इब्राहीम की ख़ास सिफ़त अ़हद व वायदे को पूरा करने की कुछ तफ़सील	285
✪ मूसा व इब्राहीम अ़लैहिमस्सलाम के सहीफ़ों की ख़ास हिदायतें व तालीमात	286
✪ एक के गुनाह में दूसरा नहीं पकड़ा जायेगा	287
✪ ईसाले सवाब का मसला	288
सूरः अल्-क़मर	**293**
✪ आयत नम्बर 1-8 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	294
✪ मआरिफ़ व मसाईल	295
✪ चाँद के टुकड़े होने का मोजिज़ा	295
✪ चाँद के टुकड़े होने के वाक़िए पर कुछ शुब्हात और जवाब	297
✪ आयत नम्बर 9-17 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	300
✪ मआरिफ़ व मसाईल	301
✪ हिफ़्ज़ करने के लिये क़ुरआन को आसान किया गया है न कि इज्तिहाद और इससे अहकाम को निकालने के लिये	302
✪ आयत नम्बर 18-42 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	305
✪ मआरिफ़ व मसाईल	307
✪ कुछ लुग़ात की तशरीह	307
✪ आयत नम्बर 43-55 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	309
✪ मआरिफ़ व मसाईल	311
✪ कुछ अलफ़ाज़ की वज़ाहत	311
सूरः अर्-रहमान	**313**
✪ इस सूरत के मज़ामीन का पीछे से संबन्ध और जुमला 'फ़बि-अय्यि आला-इ	

उनवान	पेज
रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान' को बार-बार लाने की हिक्मत	315
✪ आयत नम्बर 1-25 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	316
✪ मआरिफ़ व मसाईल	317
✪ आयत नम्बर 26-45 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	326
✪ मआरिफ़ व मसाईल	329
✪ जो फ़िज़ाई सफ़र आजकल निर्मित उपग्रहों और रॉकेटों से हो रहे हैं उनका इस आयत से कोई जोड़ नहीं	333
✪ आयत नम्बर 46-78 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	337
✪ मआरिफ़ व मसाईल	340
सूरः अल्-वाकिआ	**344**
✪ आयत नम्बर 1-56 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	347
✪ मआरिफ़ व मसाईल	351
✪ सूरः वाकिआ की ख़ुसूसी फ़ज़ीलत, मौत की बीमारी में अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की सबक़ लेने वाली हिदायतें	351
✪ मैदाने हश्र में हाज़िर लोगों की तीन क़िस्में	352
✪ 'अव्वलीन' व 'आख़िरीन' से क्या मुराद है	353
✪ आयत नम्बर 57-74 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	363
✪ मआरिफ़ व मसाईल	364
✪ आयत नम्बर 75-96 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	369
✪ मआरिफ़ व मसाईल	371
सूरः अल्-हदीद	**378**
✪ आयत नम्बर 1-6 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	379
✪ मआरिफ़ व मसाईल	380
✪ सूरः हदीद की कुछ ख़ुसूसियतें	380
✪ शैतानी ख़्यालात का इलाज	380
✪ आयत नम्बर 7-11 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	383
✪ मआरिफ़ व मसाईल	385
✪ फ़त्हे-मक्का को सहाबा किराम के दर्जे मुतैयन करने के लिये हद्दे-फ़ासिल क़रार देने की हिक्मत	387

उनवान	पेज

उनवान	पेज

उनवान	पेज

उनवान	पेज

उनवान	पेज
✪ सूरः मुनाफ़िक़ून के नाज़िल होने का तफ़सीली वाक़िआ	564
✪ वतनी या नसबी क़ौमियत की बुनियाद पर सहयोग व मदद कुफ़ व जाहिलीयत का नारा है	565
✪ इस वाक़िए में अहम हिदायतें और फ़ायदे	570
✪ इस्लामी सियासत का असल मक़सद	570
✪ सहाबा-ए-किराम की इस्लामी उसूल पर बेनज़ीर साबित-क़दमी और ऊँचा मक़ाम	572
✪ मुसलमानों की उमूमी मस्लेहतों की रियायत और उनको ग़लत-फ़हमी से बचाने का एहतिमाम	573
✪ आयत नम्बर 9-11 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	575
✪ मआरिफ़ व मसाईल	576
सूरः अत्-तग़ाबुन	**578**
✪ आयत नम्बर 1-10 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	580
✪ मआरिफ़ व मसाईल	581
✪ दो क़ौमी नज़रिये	582
✪ क़ियामत को 'तग़ाबुन का दिन' कहने की वजह	584
✪ आयत नम्बर 11-18 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	587
✪ मआरिफ़ व मसाईल	589
✪ गुनाहगार बीवी-बच्चों से बेज़ारी और नफ़रत नहीं रखना चाहिये	590
✪ माल व औलाद इनसान के लिये बड़ा फ़ितना हैं	590
सूरः अत्-तलाक़	**592**
✪ आयत नम्बर 1-7 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	595
✪ मआरिफ़ व मसाईल	598
✪ निकाह व तलाक़ की शरई हैसियत और उनका हकीमाना निज़ाम	598
✪ पहला हुक्म	601
✪ दूसरा हुक्म	603
✪ तीसरा हुक्म	603
✪ चौथा हुक्म	603
✪ तलाक़ के मुताल्लिक़ पाँचवाँ हुक्म	606
✪ छठा हुक्म	606

उनवान	पेज

उनवान	पेज

उन्तीसवाँ पारह् (तबा-रकल्लज़ी)

सूरः अल्-मुल्क 638

सूरः अल्-क़लम 657

सूरः अल्-हाक़्क़ह् 681

सूरः अल्-मआ़रिज 694

उनवान	पेज
✪ अल्लाह और बन्दों के तमाम हुक़ूक़ अमानत में दाख़िल हैं	706
सूरः नूह	**708**
✪ आयत नम्बर 1-28 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	711
✪ मआरिफ़ व मसाईल	714
✪ इनसान की उम्र में कमी-ज़्यादती की बहस	715
✪ क़ब्र में अ़ज़ाब होना क़ुरआन से साबित है	719
सूरः अल्-जिन्न	**720**
✪ आयत नम्बर 1-28 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	724
✪ इन आयतों के उतरने का मौक़ा व सबब	724
✪ पहला वाक़िआ	724
✪ दूसरा वाक़िआ	724
✪ तीसरा वाक़िआ	724
✪ चौथा वाक़िआ	724
✪ मआरिफ़ व मसाईल	729
✪ जिन्नात की हक़ीक़त	729
✪ सूरः जिन्न नाज़िल होने के वाक़िए की तफ़सील	729
✪ अबू तालिब की वफ़ात और नबी करीम सल्ल. का तायफ़ का सफ़र	730
✪ एक जिन्न सहाबी का वाक़िआ	732
✪ जिन्नात के हज़रत राफ़ेअ़ बिन उमैर का इस्लाम लाना	734
✪ जिन्नात आसमानी ख़बरें सुनने के लिये सिर्फ़ बादलों तक जाते थे आसमान तक नहीं	735
✪ 'शिहाबे साक़िब' हुज़ूरे पाक की नुबुव्वत से पहले भी थे मगर उनके ज़रिये शैतानों को दफ़ा करने का काम आपके ज़माने से हुआ	736
✪ इल्मे ग़ैब और ग़ैबी ख़बरों में फ़र्क़	738
सूरः अल्-मुज़्ज़म्मिल	**740**
✪ आयत नम्बर 1-20 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	743
✪ मआरिफ़ व मसाईल	746
✪ तहज्जुद की नमाज़ के अहकाम और उनमें तब्दीली	747
✪ क़ुरआन की तरतील का मतलब	748

उनवान	पेज
सूरः अल्-मुर्सलात	**816**
✪ आयत नम्बर 1-50 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	819
✪ मआरिफ़ व मसाईल	822
पारा नम्बर तीस (अ़म्-म य-तसा-अलून)	
सूरः अन्-नबअ्	**827**
✪ आयत नम्बर 1-40 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	830
✪ मआरिफ़ व मसाईल	832
✪ नींद बहुत बड़ी नेमत है	833
✪ जहन्नम के हमेशा बाक़ी रहने पर शुब्हा और उसका जवाब	837
सूरः अन्-नाज़िआ़त	**842**
✪ आयत नम्बर 1-46 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	845
✪ मआरिफ़ व मसाईल	847
✪ क़ब्र में सवाब व अ़ज़ाब	849
✪ नफ़्स और रूह के मुताल्लिक़ हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह रह. की मुफ़ीद तहक़ीक़	849
✪ नफ़्स की मुख़ालफ़त के तीन दर्जे	851
✪ नफ़्स के फ़रेब	852
सूरः अ़-ब-स	**855**
✪ आयत नम्बर 1-42 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	857
✪ इन आयतों का शाने नुज़ूल	857
✪ मआरिफ़ व मसाईल	860
✪ तब्लीग़ व तालीम के लिये एक अहम क़ुरआनी उसूल	862
सूरः अत्-तक्वीर	**867**
✪ आयत नम्बर 1-29 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	868
✪ मआरिफ़ व मसाईल	871
✪ एक अहम फ़ायदा	873

उनवान	पेज

उनवान	पेज
✪ नुबुव्वत की वही की शुरूआ़त और सबसे पहली वही	1004
✪ तालीम का सबसे पहला और अहम ज़रिया क़लम और लिखाई है	1009
✪ क़लम की तीन क़िस्में	1009
✪ लिखने का इल्म सबसे पहले दुनिया में किसको दिया गया	1010
✪ 'ख़त व किताबत' (पत्राचार) अल्लाह तआ़ला की बड़ी नेमत है	1010
✪ पहले और बाद के उलेमा ने हमेशा ख़त व किताबत का बहुत एहतिमाम किया है	1010
✪ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को लिखने की तालीम न देने का राज़	1011
✪ इल्म का ज़रिया सिर्फ़ क़लम नहीं बल्कि बेशुमार माध्यम व साधन हैं	1011
✪ सज्दे की हालत में दुआ़ की क़ुबूलियत	1015
सूरः अल्-क़द्र	**1016**
✪ आयत नम्बर 1-5 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1016
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1017
✪ शाने नुज़ूल	1017
✪ शबे-क़द्र का निर्धारण	1018
✪ शबे-क़द्र के कुछ फ़ज़ाईल और उस रात की ख़ास दुआ़	1019
✪ तमाम आसमानी किताबें रमज़ान ही में नाज़िल हुई हैं	1020
सूरः अल्-बय्यिनह्	**1022**
✪ आयत नम्बर 1-8 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1023
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1024
सूरः अज़्-ज़िल्ज़ाल	**1029**
✪ आयत नम्बर 1-8 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1029
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1030
सूरः अल्-आ़दियात	**1032**
✪ आयत नम्बर 1-11 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1033
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1033
सूरः अल्-क़ारिअ़ह्	**1037**
✪ आयत नम्बर 1-11 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1037

उनवान	पेज
✪ एक बड़ा फ़ायदा	1060
सूरः अल्-माऊ़न	**1061**
✪ आयत नम्बर 1-7 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1061
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1062
सूरः अल्-कौसर	**1063**
✪ आयत नम्बर 1-3 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1064
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1064
✪ शाने नुज़ूल	1064
✪ हौज़-ए-कौसर	1065
✪ नसीहत लेने वाली बात	1068
सूरः अल्-काफ़िरून	**1068**
✪ आयत नम्बर 1-6 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1069
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1069
✪ इस सूरत के फ़ज़ाईल और विशेषतायें	1069
✪ शाने नुज़ूल	1070
✪ काफ़िरों से सुलह के मुआ़हदे की बाज़ी सूरतें जायज़ हैं बाज़ी नाजायज़	1072
सूरः अन्-नस्र	**1074**
✪ आयत नम्बर 1-3 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1074
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1075
✪ क़ुरआन मजीद की आख़िरी सूरत और आख़िरी आयतें	1075
✪ जब मौत क़रीब महसूस हो तो तस्बीह व इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिये	1077
सूरः अल्-लहब्	**1077**
✪ आयत नम्बर 1-5 मय ख़ुलासा-ए-तफ़सीर	1078
✪ मआ़रिफ़ व मसाईल	1078
✪ शाने नुज़ूल	1078
✪ चुग़लख़ोरी सख़्त और बड़ा गुनाह है	1081

✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪✪

* सूरः मुहम्मद *

(सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)

यह सूरत मदनी है। इसमें 38 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

सूरः मुहम्मद
(सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)

सूरः मुहम्मद मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 38 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ۳۸ (۴۷) سُوْرَةُ مُحَمَّدٍ مَّدَنِیَّةٌ (۹۵) رُکُوْعَاتُهَا ۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلَّذِیْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِیْلِ اللّٰهِ اَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۙ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَیِّاٰتِهِمْ وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ الَّذِیْنَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَاَنَّ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَّبِّهِمْ ؕ كَذٰلِكَ یَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ اَمْثَالَهُمْ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्लज़ी-न क-फ़रू व सद्दू अ़न् सबीलिल्लाहि अज़ल्-ल अअ़्मालहुम् (1) वल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति व आमनू बिमा नुज़्ज़ि-ल अ़ला मुहम्मदिंव्-व हुवल्-हक़्क़ु मिर्रब्बिहिम् कफ़्फ़-र अ़न्हुम् सय्यिआतिहिम् व अस्ल-ह बालहुम् (2) ज़ालि-क बिअन्नल्लज़ी-न क-फ़रुत्त-बअ़ुल्-बाति-ल व अन्नल्लज़ी-न आमनुत्त-बअ़ुल्-हक़्-क़ मिर्रब्बिहिम्, कज़ालि-क यज़्रिबुल्लाहु लिन्नासि अम्सालहुम् (3)	जो लोग कि मुन्किर हुए और रोका औरों को अल्लाह की राह से खो दिये अल्लाह ने उनके किये काम (1) और जो यक़ीन लाये और किये भले काम और माना उसको जो उतरा मुहम्मद पर और वही है सच्चा दीन उनके रब की तरफ़ से, उन पर से उतारीं उनकी बुराईयाँ और संवारा उनका हाल (2) यह इसलिये कि जो मुन्किर हैं वे चले झूठी बात पर और जो यक़ीन लाये उन्होंने मानी सच्ची बात अपने रब की तरफ़ से, यूँ बतलाता है अल्लाह लोगों को उनके अहवाल। (3)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जो लोग (ख़ुद भी) काफ़िर हुए और (दूसरों को भी) अल्लाह के रास्ते से रोका (जैसा कि काफ़िरों के सरदारों की आदत थी कि जान व माल से हर तरह की कोशिश इस्लाम का रास्ता रोकने में करते थे, सो) ख़ुदा ने उनके आमाल ज़ाया कर दिये (यानी जिन कामों को वे नेक समझ रहे हैं ईमान न होने की वजह से वो मक़बूल नहीं बल्कि उनमें से बाज़े काम और उल्टे नाराज़गी व सज़ा को वाजिब करने वाले हैं, जैसे अल्लाह के रस्ते पर चलने से रोकने में ख़र्च करना। जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमायाः

فَسَيُنْفِقُوْنَهَاثُمَّ تَكُوْنُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً........ الخ)

और (उनके विपरीत) जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये और (उनके ईमान की तफ़सीली हालत यह है कि) वे उस सब पर ईमान लाये जो मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर नाज़िल किया गया है और वह (जो नाज़िल किया गया है वह) उनके रब के पास से (आया हुआ) हक़ चीज़ (भी) है (जिसका मानना है भी ज़रूरी, सो) अल्लाह तआ़ला उनके गुनाह उन पर से उतार देगा (यानी माफ़ कर देगा) और (दोनों जहान में) उनकी हालत दुरुस्त रखेगा (दुनिया में तो इस तरह कि उनको नेक आमाल की तौफ़ीक़ बढ़ती जायेगी और आख़िरत में इस तरह कि उनको अ़ज़ाब से निजात और जन्नत में दाख़िला मिलेगा। और) यह (जो मोमिनों की ख़ुशहाली और काफ़िरों की बदहाली बयान की गई) इस वजह से है कि काफ़िर तो ग़लत रास्ते पर चले और ईमान वाले सही रास्ते पर चले जो उनके रब की तरफ़ से (आया) है, (और ग़लत रास्ते का नाकामी का सबब होना और सही रास्ते का कामयाबी का ज़रिया होना ज़ाहिर है इसलिये वे नाकाम हुए और ये कामयाब हुए। और अगर इस्लाम के सही रास्ता होने में कोई शुब्हा हो तो **मिन् रब्बिहिम** (उनके रब की तरफ़ से) से इसका जवाब हो गया, कि इसके सही होने की दलील यह है कि वह अल्लाह की जानिब से है और अल्लाह की जानिब से होना तमाम नबवी मोजिज़ों से ख़ासकर क़ुरआन के बेमिसाल व मोजिज़ा होने से साबित है, और) अल्लाह तआ़ला इसी तरह (जैसे यह हालत बयान फ़रमाई) लोगों के (नफ़े व हिदायत के) लिये उन (ज़िक्र हुए लोगों) के हालात बयान फ़रमाता है (ताकि शौक़ दिलाने और डराने के दोनों तरीक़ों से हिदायत की जाये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) का दूसरा नाम सूरः क़िताल भी है, क्योंकि जिहाद व क़िताल के अहकाम इसमें बयान हुए हैं। मदीना की हिजरत के फ़ौरन बाद ही यह सूरत नाज़िल हुई यहाँ तक कि इसकी एक आयतः

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ.........الخ

(यानी आयत नम्बर 13) के मुताल्लिक़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह मन्क़ूल है कि वह मक्की आयत है क्योंकि उसका नुज़ूल (उतरना) उस वक़्त हुआ है जबकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हिजरत की नीयत से मक्का मुअ़ज़्ज़मा से निकले और मक्का मुकर्रमा की बस्ती और बैतुल्लाह पर नज़र करके आपने फ़रमाया कि सारी दुनिया के शहरों में मुझे तू ही महबूब है, अगर मक्का वाले मुझे यहाँ से न निकालते तो मैं ख़ुद अपने इख़्तियार से मक्का मुकर्रमा को न छोड़ता। और मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) की इस्तिलाह के मुताबिक़ जो आयतें मदीना की हिजरत के सफ़र के दौरान नाज़िल हुई हैं वे मक्की कहलाती हैं। ख़ुलासा यह है कि यह सूरत मदीना की हिजरत के फ़ौरन बाद नाज़िल हुई है और यहीं पहुँचकर काफ़िरों से जिहाद व क़िताल के अहकाम नाज़िल हुए हैं।

صَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ.

सबीलिल्लाह (अल्लाह के रास्ते) से मुराद इस्लाम है। 'अज़ल्-ल अअ़्मालहुम' में उन काफ़िरों के वे आमाल मुराद हैं जो अपनी ज़ात के एतिबार से नेक काम हैं जैसे ग़रीबों की मदद व सहयोग, पड़ोसी की हिमायत व हिफ़ाज़त, दान-पुन और सदक़ा-ख़ैरात वग़ैरह, कि ये आमाल अगरचे अपनी ज़ात में नेक और अच्छे अ़मल हैं लेकिन आख़िरत में इनका फ़ायदा ईमान लाने के साथ मशरूत है, काफ़िरों के ऐसे नेक आमाल आख़िरत में उनके कुछ काम न आयेंगे अलबत्ता दुनिया ही में उनको उनके नेक कामों के बदले में राहत व आराम दे दिया जाता है।

وَاٰمَنُوْا بِمَا نُزِّلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ.

अगरचे पहले जुमले में ईमान और नेक अ़मल का ज़िक्र आ चुका है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत और आप पर नाज़िल होने वाली वही भी शामिल है मगर इस दूसरे में इसको स्पष्ट रूप ज़िक्र करने में यह बतलाना मन्ज़ूर है कि ईमान की असल बुनियाद इस पर है कि ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तमाम तालीमात को सच्चे दिल से क़ुबूल किया जाये।

وَاَصْلَحَ بَالَهُمْ۝

लफ़्ज़ **बाल** कभी शान और हाल के मायने में आता है और कभी दिल के मायने में, यहाँ दोनों मायने लिये जा सकते हैं। पहले मायने लिये जायें तो आयत का मतलब यह होगा कि अल्लाह तआ़ला ने उनके हाल को यानी दुनिया व आख़िरत के तमाम कामों को दुरुस्त कर दिया, और दूसरी सूरत में मायने ये होंगे कि अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों को दुरुस्त कर दिया, हासिल इसका भी वही होगा कि तमाम काम दुरुस्त कर दिये, क्योंकि कामों की दुरुस्ती दिलों की दुरुस्ती के साथ जुड़ी हुई है।

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ۭ حَتّٰٓى اِذَآ
اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ ڎ فَاِمَّا مَنًّۢا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۗءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ڟ

फ़-इज़ा लक़ीतुमुल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ज़र्बर्रिक़ाबि, हत्ता इज़ा अस्ख़न्तुमूहुम् फ़शुद्दुल्-वसा-क़ फ़-इम्मा मन्नम्-बअ्दु व इम्मा फ़िदाअन् हत्ता त-ज़अ़ल्-हर्बु औज़ा-रहा,	सो जब तुम मुक़ाबिल हो मुन्किरों के तो मारो गर्दनें यहाँ तक कि जब ख़ूब क़त्ल कर चुको उनको तो मज़बूत बाँध लो क़ैद फिर या एहसान कीजियो और या मुआवज़ा लीजियो जब तक कि रख दे लड़ाई अपने हथियार।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऊपर की आयतों में ईमान वालों का मुस्लेह "यानी सुधारक" होना और काफ़िरों का मुफ़सिद "यानी बिगाड़ फैलाने वाला" होना बयान हुआ है। इसकी मुनासबत से कुफ़्र व काफ़िरों का फ़साद दूर करने के लिये इस आयत में जिहाद के अहकाम का ज़िक्र है) सो जब तुम्हारा काफ़िरों से मुक़ाबला हो जाये तो उनकी गर्दनें मारो यहाँ तक कि जब तुम उनका ख़ूब ख़ून बहा चुको (जिसकी हद यह है कि काफ़िरों का रौब व दबदबा और क़ुव्वत टूट जाये और क़िताल बन्द करने से मुसलमानों के नुक़सान या काफ़िरों के ग़लबे का ख़ौफ़ न रहे) तो (उस वक़्त काफ़िरों को क़ैद करके) ख़ूब मज़बूत बाँध लो। फिर उसके बाद (तुमको दो बातों का इख़्तियार है) या तो मुआवज़े के बग़ैर छोड़ देना और या मुआवज़ा लेकर छोड़ देना (और यह क़ैद और क़त्ल का हुक्म उस वक़्त तक है) जब तक कि लड़ने वाले (दुश्मन) अपने हथियार न रख दें (इससे मुराद इस्लाम लाना या फ़रमाँबरदारी व मातहती क़ुबूल करना है, यानी या तो इस्लाम क़ुबूल कर लें या मुसलमानों का ज़िम्मी होकर रहना क़ुबूल कर लें, तो फिर न क़त्ल करना जायज़ है न क़ैद करना)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस आयत से दो बातें साबित हुईं- अव्वल यह कि जब क़िताल (जंग व जिहाद) के ज़रिये काफ़िरों की शान व दबदबा और ताक़त टूट जाये तो अब बजाय क़त्ल करने के उनको क़ैद कर लिया जाये, फिर उन जंगी क़ैदियों के मुताल्लिक़ मुसलमानों को दो इख़्तियार दिये गये- एक यह कि उन पर एहसान किया जाये बग़ैर किसी फ़िदये और मुआवज़े के छोड़ दिया जाये, दूसरे यह कि उनसे कोई फ़िदया लेकर छोड़ा जाये। फ़िदया यह भी हो सकता है कि हमारे कुछ मुसलमान उनके हाथ में क़ैद हों तो उनसे तबादला कर लिया जाये, और यह भी हो सकता है कि कुछ माल का फ़िदया लेकर छोड़ा जाये। यह हुक्म बज़ाहिर उस हुक्म के ख़िलाफ़ है जो सूरः अनफ़ाल की आयत में गुज़र चुका है जिसमें ग़ज़वा-ए-बदर के क़ैदियों को मुआवज़ा लेकर छोड़ देने की

राय पर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाराज़गी का इज़हार हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हमारे इस अ़मल पर अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब क़रीब आ गया था, अगर यह अ़ज़ाब आता तो उससे सिवाय उमर बिन ख़त्ताब और सअ़द बिन मुआ़ज़ के कोई न बचता, क्योंकि उन्होंने फ़िदया लेकर छोड़ने की राय से इख़्तिलाफ़ (मतभेद) किया था, जिसकी पूरी तफ़सील मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द चार में सूरः अनफ़ाल की आयत 67-69 की तफ़सीर में लिखी गई है।

ख़ुलासा यह है कि सूरः अनफ़ाल की आयत ने बदर के क़ैदियों को फ़िदया लेकर छोड़ना भी ममनू (वर्जित) कर दिया तो बिना मुआ़वज़े के छोड़ना और भी ज़्यादा मना होगा। और सूरः मुहम्मद की उक्त आयत ने इन दोनों चीज़ों को जायज़ क़रार दिया है इसलिये अक्सर सहाबा और फ़क़ीह इमामों ने फ़रमाया कि सूरः मुहम्मद की इस आयत ने सूरः अनफ़ाल की आयत को मन्सूख़ कर दिया (यानी उसके हुक्म को बदल दिया)। तफ़सीरे मज़हरी में है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हसन और अ़ता और अक्सर सहाबा व जमहूर फ़ुक़हा का यही क़ौल है, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जंगे बदर के मौक़े पर मुसलमानों की क़िल्लत (कम संख्या) थी उस वक़्त एहसान या फ़िदये की मनाही आई और फिर जब मुसलमानों की शान व ताक़त और तायदाद बढ़ गई तो सूरः मुहम्मद में एहसान व फ़िदये की इजाज़त दे दी गई। तफ़सीरे मज़हरी में हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह रह. ने इसको नक़ल करके फ़रमाया कि यही क़ौल सही और पसन्दीदा है, क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस पर अ़मल फ़रमाया और आपके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन ने इस पर अ़मल फ़रमाया, इसलिये यह आयत सूरः अनफ़ाल की आयत के लिये नासिख़ (उसके हुक्म को निरस्त करने वाली) है। वजह यह है कि सूरः अनफ़ाल की आयत ग़ज़वा-ए-बदर के वक़्त नाज़िल हुई जो हिजरत के दूसरे साल में हुआ है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सन् 6 हिजरी ग़ज़वा-ए-हुदैबिया में जिन क़ैदियों को बिना मुआ़वज़े के आज़ाद फ़रमाया है वह सूरः मुहम्मद की इस ज़िक्र हुई आयत के मुताबिक़ है।

सही मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि मक्का वालों में से अस्सी आदमी अचानक तनईम पहाड़ से उतरे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बेख़बर पाकर क़त्ल करने का इरादा कर रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको ज़िन्दा गिरफ़्तार कर लिया, फिर बिना किसी मुआ़वज़े के आज़ाद कर दिया, इसी पर सूरः फ़तह की यह आयत नाज़िल हुईः

وَهُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ.

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. का मशहूर मज़हब उनकी एक रिवायत के मुताबिक़ यह है कि जंगी क़ैदियों को बिना मुआ़वज़े के या मुआ़वज़ा लेकर आज़ाद करना जायज़ नहीं, इसी लिये उलेमा-ए-हनफ़िया ने सूरः मुहम्मद की उक्त आयत को इमामे आज़म के नज़दीक मन्सूख़ और

सूरः अनफ़ाल की आयत को नासिख़ क़रार दिया है, मगर तफ़सीरे मज़हरी ने यह स्पष्ट कर दिया कि सूरः अनफ़ाल की आयत पहले और सूरः मुहम्मद की आयत बाद में नाज़िल हुई है इसलिये वही नासिख़ और अनफ़ाल की आयत मन्सूख़ है, और इमामे आज़म का मुख़्तार मज़हब भी सहाबा व फ़ुक़हा की अक्सरियत के मुताबिक़ आज़ाद कर देने के जायज़ होने का नक़ल किया है जबकि मुसलमानों की मस्लेहत इसमें हो, और फ़रमाया कि यही असल और मुख़्तार (पसन्दीदा) है। हनफ़ी उलेमा में से अ़ल्लामा इब्ने हुम्माम फ़त्हुल-क़दीर में इसी तरफ़ माईल हैं। उन्होंने लिखा है कि क़ुदूरी और हिदाया की रिवायत के मुताबिक़ इमामे आज़म के नज़दीक क़ैदियों को फ़िदया लेकर आज़ाद नहीं किया जा सकता, और यह एक रिवायत है इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. से, मगर उन्हीं से दूसरी रिवायत सियर-ए-कबीर में जमहूर के क़ौल के मुताबिक़ जायज़ होने की मन्क़ूल है, और यही इन दोनों रिवायतों में ज़्यादा ज़ाहिर है, और इमाम तहावी ने मआ़नियुल-आसार में इसी को इमाम अबू हनीफ़ा रह. का मज़हब क़रार दिया है।

खुलासा यह है कि सूरः मुहम्मद और सूरः अनफ़ाल की दोनों आयतें सहाबा व इमामों की अक्सरियत और बड़ी जमाअ़त के नज़दीक मन्सूख़ (निरस्त) नहीं, मुसलमानों के हालात और ज़रूरत के अनुसार मुसलमानों के इमाम व हाकिम को इख़्तियार है कि इनमें से जिस सूरत को मुनासिब समझे इख़्तियार कर ले। इमाम क़ुर्तुबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के अ़मल से यह साबित किया है कि जंगी क़ैदियों को कभी क़त्ल किया गया है और कभी ग़ुलाम बनाया गया और कभी फ़िदया लेकर छोड़ा गया और कभी बग़ैर फ़िदये के आज़ाद कर दिया गया। फ़िदया लेने में यह भी दाख़िल है कि उनके बदले में मुसलमान क़ैदी आज़ाद करा लिये जायें, और यह भी कि उनसे कुछ माल लेकर छोड़ा जाये, दोनों क़िस्म की सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के अ़मल से साबित हैं। इस तफ़सील को नक़ल करने के बाद उन्होंने फ़रमाया कि इससे मालूम हुआ कि इस मामले में जिन आयतों को नासिख़ (हुक्म को निरस्त करने वाली) मन्सूख़ (हुक्म के एतिबार से निरस्त होने वाली) कहा गया दर हक़ीक़त वो सब मोहकम हैं, उनमें से कोई मन्सूख़ नहीं, इसलिये कि जब काफ़िर क़ैद होकर हमारे क़ब्ज़े में आयें तो मुसलमानों के इमाम को चार चीज़ों का इख़्तियार है- मुनासिब समझे तो क़त्ल कर दे और मुसलमानों की मस्लेहत समझे तो उनको ग़ुलाम और बाँदी बना ले, और फ़िदया (मुआवज़ा व बदला) लेकर छोड़ने में मस्लेहत हो तो फ़िदया माल का या मुसलमान क़ैदियों का लेकर छोड़ दे, या बग़ैर किसी मुआवज़े के आज़ाद कर दे। इमाम क़ुर्तुबी रह. ने यह तफ़सील नक़ल करके लिखा है:

وَهٰذا القول يروىٰ من اهل المدينة والشّافعى وابى عبيد وحكاه الطحاوى مذهبا عن ابى حنيفة والمشهور ماقد مناه.

यानी मदीना के उलेमा का यही क़ौल है और यही क़ौल इमाम शाफ़ई रह. और अबू उबैद रह. का है, और इमाम तहावी रह. ने इमाम अबू हनीफ़ा रह. का भी यही क़ौल नक़ल किया है

अगरचे मशहूर मज़हब उनका इसके ख़िलाफ़ है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी पेज 228 जिल्द 16)

जंगी क़ैदियों के मुताल्लिक़ मुसलमानों के इमाम को चार इख़्तियार

ऊपर बयान हुई तफ़सील से वाज़ेह हो गया कि जंगी क़ैदियों के क़त्ल और ग़ुलाम बना लेने का जो मुसलमानों के इमाम व हाकिम को इख़्तियार है इस पर तो तमाम उम्मत का इजमा (एकमत) है और फ़िदया लेकर या बिना मुआवज़े के आज़ाद करने में अगरचे कुछ इख़्तिलाफ़ (मतभेद) हैं मगर जमहूर (बड़ी जमाअ़त व अक्सरियत) के नज़दीक ये दोनों सूरतें भी जायज़ हैं।

इस्लाम में ग़ुलामी की बहस

यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि जंगी क़ैदियों को आज़ाद छोड़ देने में तो फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर उलेमा) का कुछ इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है भी, क़त्ल करने और ग़ुलाम बनाने की इजाज़त में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, सब का इजमा (एक राय) है कि ये दोनों सूरतें जायज़ हैं। फिर क़ुरआने करीम में इन दो सूरतों का ज़िक्र क्यों नहीं किया गया, और सिर्फ़ आज़ाद छोड़ने की दो सूरतों ही का बयान क्यों किया गया है? इस सवाल का जवाब इमाम राज़ी रह. ने तफ़सीरे कबीर में यह दिया है कि यहाँ सिर्फ़ उन दो सूरतों का ज़िक्र किया गया है जो हर जगह और हर वक़्त जायज़ हों, ग़ुलाम बनाने का ज़िक्र इसलिये नहीं किया गया कि अ़रब के जंगी क़ैदियों को ग़ुलाम बनाने की इजाज़त नहीं है और क़त्ल भी अपाहिजों वग़ैरह का जायज़ नहीं, इसके अ़लावा क़त्ल का ज़िक्र ऊपर भी आ चुका है। (तफ़सीरे कबीर पेज 508 जिल्द 7)

दूसरी बात यह है कि जहाँ तक क़त्ल करने और ग़ुलाम बनाने का ताल्लुक़ है इसका जवाज़ बहुत परिचित व मशहूर था, सब को मालूम था कि ये दोनों सूरतें जायज़ हैं, इसके उलट आज़ाद छोड़ देने को जंगे बदर के मौक़े पर ममनू (वर्जित) कर दिया गया था, अब इस मक़ाम पर आज़ाद छोड़ने की इजाज़त देना ही मक़सूद था इसलिये इसी की दो सूरतों यानी एहसान करने और मुआवज़ा ले लेने का ज़िक्र कर दिया गया, और जो सूरतें पहले से जायज़ थीं उन्हें इस मौक़े पर बयान करने की कोई ज़रूरत नहीं थी इसलिये इन आयतों में उनसे ख़ामोशी इख़्तियार की गई। लिहाज़ा इन आयतों से यह नतीजा निकालना किसी तरह दुरुस्त नहीं है कि इन आयतों के नाज़िल होने के बाद क़त्ल करने या ग़ुलाम बनाने की इजाज़त मन्सूख़ (रद्द और निरस्त) कर दी गई है, वरना अगर ग़ुलाम बनाने का हुक्म मन्सूख़ हो गया होता तो क़ुरआन व हदीस में किसी एक जगह तो उसकी मनाही ज़िक्र होती, और अगर यह आयत ही मनाही के क़ायम-मक़ाम थी तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके बाद क़ुरआन व हदीस पर जान देने वाले सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने बेशुमार इस्लामी जंगों में जंगी क़ैदियों को ग़ुलाम क्यों बनाया? हदीस की रिवायतों व तारीख़ में ग़ुलाम बनाने का ज़िक्र इस कसरत और मानवी निरंतरता के साथ आया है कि उसका इनकार झगड़ा और मुक़ाबला करने के सिवा कुछ नहीं।

रहा यह इश्काल कि इस्लाम जो इनसानी हुक़ूक़ का सबसे बड़ा मुहाफ़िज़ है उसने ग़ुलामी

की इजाज़त क्यों दी? सो दर हक़ीक़त यह इश्काल इस वजह से पैदा होता है कि इस्लाम की जायज़ की हुई ग़ुलामी को दूसरे मज़हबों और क़ौमों की ग़ुलामी पर क़ियास (तुलना व अन्दाज़ा) कर लिया गया है, हालाँकि इस्लाम ने ग़ुलामों को जो हुक़ूक़ अ़ता किये और समाज में उनको जो मक़ाम दिया उसके बाद वह सिर्फ़ नाम की ग़ुलामी रह गई वरना हक़ीक़त में वह भाईचारा बन गया है, और अगर इसकी हक़ीक़त और रूह पर नज़र की जाये तो बहुत सी सूरतों में जंगी क़ैदियों के साथ इससे बेहतर सुलूक मुम्किन नहीं। मशहूर पूर्वी भाषाओं के माहिर मोसियो गस्ताव लेबान अपनी किताब 'तमद्दुन-ए-अ़रब' में लिखता है:

"ग़ुलाम का लफ़्ज़ जब किसी ऐसे यूरोपियन शख़्स के सामने बोला जाता है जो तीस साल के दौरान लिखी हुई अमेरिकी रिवायतों को पढ़ने का आ़दी है तो उसके दिल में उन मिस्कीनों का तसव्वुर (तस्वीर व ख़्याल) आ जाता है जो ज़न्जीरों में जकड़े हुए हैं, उनके गलों में तौक़ पड़े हैं और उन्हें कोड़े मार-मारकर हंकाया जा रहा है। उनकी ग़िज़ा उनकी ज़िन्दगी बाक़ी रखने के लिये भी काफ़ी नहीं और उन्हें रहने के लिये अंधेरी कोठरियों के सिवा कुछ मयस्सर नहीं। मुझे यहाँ इससे बहस नहीं कि यह तस्वीर किस हद तक दुरुस्त है और अंग्रेज़ों ने चन्द सालों से अमेरिका में जो कुछ किया है ये बातें उस पर फ़िट बैठती हैं या नहीं? लेकिन यह बिल्कुल यक़ीनी बात है कि मुसलमानों के यहाँ ग़ुलाम का तसव्वुर ईसाईयों के यहाँ ग़ुलाम के तसव्वुर से बिल्कुल अलग और भिन्न है।"

(मन्क़ूल अज़ दायरतु मआरिफ़ुल-क़ुरआन, फ़रीद वजदी, पेज 279 जिल्द 4 माद्दा "इस्तिरक़ाक़")

हक़ीक़त यह है कि बहुत सी सूरतें ऐसी होती हैं जिनमें क़ैदियों को ग़ुलाम बनाने से बेहतर कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, क्योंकि अगर ग़ुलाम न बनाया जाये तो तीन ही सूरतें अ़क़्ली तौर पर मुम्किन हैं- या तो क़त्ल कर दिया जाये या आज़ाद छोड़ दिया जाये या हमेशा का क़ैदी बनाकर रखा जाये। और कई बार ये तीनों सूरतें मस्लेहत के ख़िलाफ़ होती हैं, क़त्ल करना इसलिये मुनासिब नहीं होता कि क़ैदी अच्छी सलाहियतों का मालिक होता है, आज़ाद छोड़ देने में बाज़ मर्तबा यह ख़तरा होता है कि दारुल-हरब (कुफ़्रिस्तान) में पहुँचकर वह मुसलमानों के लिये दोबारा बड़ा ख़तरा बन जाये। अब दो ही सूरतें रह जाती हैं- या तो उसे हमेशा के लिये क़ैदी बनाकर आजकल की तरह किसी अलग-थलग टापू में डाल दिया जाये या फिर ग़ुलाम बनाकर उसकी सलाहियतों से काम लिया जाये और उसके इनसानी हुक़ूक़ की पूरी हिफ़ाज़त की जाये। हर शख़्स सोच सकता है कि इनमें से बेहतर सूरत कौनसी है? ख़ासकर जबकि ग़ुलामों के बारे में इस्लाम का नुक़्ता-ए-नज़र वह है जो एक मशहूर हदीस में सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन अलफ़ाज़ में बयान फ़रमाया है:

اخوانكم جعلهم الله تحت ايديكم فمن كان اخوه تحت يديه فليطعمه مما ياكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلّفهٗ ما يغلبه فان كلّفهٗ مايغلبه فليعنهٗ. (بخاری، مسلم، ابو داوٗد وغیرہ)

यानी तुम्हारे ग़ुलाम तुम्हारे भाई हैं जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारे हाथ के नीचे कर दिया है

पस जिसका भाई उसके ताबे और उसके क़ब्ज़े में हो उसे चाहिये कि उसको भी उसी में से खिलाये जो वह ख़ुद खाता है और उसी में से पहनाये जिसमें से वह ख़ुद पहनता है, और उसको ऐसे काम की ज़हमत (तकलीफ़ व ज़िम्मेदारी) न दे जो उसके लिये नाक़ाबिले बरदाश्त हो, और अगर उसे ऐसे काम की तकलीफ़ दे तो ख़ुद भी उसकी मदद करे।

सामाजिक और रहन-सहन के हुक़ूक़ के एतिबार से इस्लाम ने ग़ुलामों को जो मर्तबा अ़ता किया वह आज़ाद अफ़राद के क़रीब-क़रीब बराबर है, चुनाँचे दूसरी क़ौमों के उलट इस्लाम ने ग़ुलामों को निकाह की न सिर्फ़ इजाज़त दी बल्कि उनके आक़ाओं (मालिकों) को 'अन्किहुल् अयामा मिन्कुम्' वाली आयत (यानी सूरः नूर की आयत 32) के ज़रिये इसकी ताकीद की गई है, यहाँ तक कि वह आज़ाद औरतों से भी निकाह कर सकता है, माले ग़नीमत में उसका हिस्सा आज़ाद मुजाहिदों के बराबर है और दुश्मन को अमान देने में उसका क़ौल इसी तरह मोतबर है जिस तरह आज़ाद अफ़राद का। क़ुरआन व हदीस में उनके साथ अच्छा सुलूक करने के इतने अहकाम आये हैं कि उनको जमा करने से एक मुस्तक़िल किताब बन सकती है, यहाँ तक कि हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु का इरशाद है कि सरकारे दो आ़लम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के जो अलफ़ाज़ आख़िरी वक़्त तक ज़बाने मुबारक पर जारी थे और जिसके बाद आप ख़ालिके हक़ीक़ी से जा मिले, वो अलफ़ाज़ ये थे:

اَلصَّلٰوۃُ اَلصَّلٰوۃُ، اِتَّقُوا اللّٰہَ فِیْمَا مَلَکَتْ اَیْمَانُکُمْ.

तर्जुमाः नमाज़ का ख़्याल रखो, नमाज़ का ख़्याल रखो। अपने हाथ के नीचे वालों (यानी ग़ुलामों) के बारे में अल्लाह से डरो। (अबू दाऊद, बाब फ़ी हक़्क़िल-मम्लूक)

ग़ुलामों के लिये तालीम व तरबियत के जो मौक़े इस्लाम ने दिये हैं उनका अन्दाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अ़ब्दुल-मलिक बिन मरवान के ज़माने में इस्लामी हुकूमत के तक़रीबन तमाम सूबों में इल्म व फ़ज़्ल के तमाम बड़े उलेमा ग़ुलामों में से थे जिसका वाक़िआ़ कई तारीख़ी किताबों में मज़कूर है। फिर इस नाम की ग़ुलामी को भी धीरे-धीरे ख़त्म या कम करने के लिये ग़ुलामों को आज़ाद करने के इतने फ़ज़ाईल क़ुरआन व हदीस में बयान हुए हैं कि शायद ही कोई नेकी उसकी बराबरी कर सके। विभिन्न फ़िक़्ही अहकाम में ग़ुलामों को आज़ाद करने के लिये बहाने ढूँढे गये हैं। रोज़े का कफ़्फ़ारा, क़त्ल का कफ़्फ़ारा, ज़िहार का कफ़्फ़ारा, क़सम का कफ़्फ़ारा, इन तमाम सूरतों में सबसे पहला हुक्म यह मज़कूर है कि कोई ग़ुलाम आज़ाद किया जाये, यहाँ तक कि हदीस में यह भी फ़रमाया गया है कि अगर किसी ने ग़ुलाम को नाहक़ थप्पड़ मार दिया तो उसका कफ़्फ़ारा यह है कि उसे आज़ाद कर दिया जाये।

(सही मुस्लिम, बाब सोहबतुल-ममालीक)

चुनाँचे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम जिस कसरत के साथ ग़ुलाम आज़ाद किया करते थे उसका अन्दाज़ा इस बात से हो सकता है कि 'अन्नजमुल्-वह्हाज' के लेखक ने कुछ सहाबा किराम के आज़ाद किये हुए ग़ुलामों की यह तादाद नक़ल की है।

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 69।

हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु 70।

हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु 100।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु 1000।

हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु 20।

हज़रत ज़ुलकलाअ़ हमीरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु 8000 (सिर्फ़ एक दिन में)।

हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु 30,000।

(फ़तहुल-अ़ल्लाम शरह बुलूग़ुल-मराम, अज़ नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान, पेज 232 जिल्द 2 किताबुल-इत्क़)

जिससे मालूम होता है कि सिर्फ़ सात सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने उन्तालीस हज़ार दो सौ उनसठ (39,259) ग़ुलाम आज़ाद किये, और ज़ाहिर है कि दूसरे हज़ारों सहाबा किराम के आज़ाद किये हुए ग़ुलामों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा होगी। ग़र्ज़ कि इस्लाम ने ग़ुलामी के निज़ाम में जो चौतरफ़ा सुधार किया जो शख़्स भी उन्हें इन्साफ़ की नज़र से देखेगा वह इस नतीजे पर पहुँचे बग़ैर नहीं रह सकता कि उसे दूसरी क़ौमों के ग़ुलामी के अहकाम पर क़ियास करना बिल्कुल ग़लत है, और इन सुधारों के बाद जंगी क़ैदियों को ग़ुलाम बनाने की इजाज़त उन पर एक बड़ा एहसान बन गई है। यहाँ यह भी याद रखना चाहिये कि जंगी क़ैदियों को ग़ुलाम बनाने का हुक्म सिर्फ़ जायज़ व मुबाह होने की हद तक है, यानी अगर इस्लामी हुकूमत मस्लेहत व बेहतर समझे तो उन्हें ग़ुलाम बना सकती है, ऐसा करना अच्छा या वाजिब फ़ेल नहीं है बल्कि क़ुरआन व हदीस के मजमूई इरशादात से आज़ाद करने का अफ़ज़ल होना समझ में आता है, और यह इजाज़त भी उस वक़्त तक के लिये है जब तक इसके ख़िलाफ़ दुश्मन से कोई समझौता न हो, और अगर दुश्मन से यह समझौता हो जाये कि न वे हमारे क़ैदियों को ग़ुलाम बनायेंगे न हम उनके क़ैदियों को तो फिर उस समझौते की पाबन्दी लाज़िम होगी। हमारे ज़माने में दुनिया के बहुत से मुल्कों ने ऐसा समझौता किया हुआ है लिहाज़ा जो इस्लामी मुल्क उस समझौते में शरीक हैं उनके लिये ग़ुलाम बनाना उस वक़्त तक जायज़ नहीं जब तक वह समझौता क़ायम है।

ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ
بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ۝ وَ
يُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ ۝
وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَتَعْسًا لَّهُمْ وَاَضَلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَرِهُوْا مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۝
اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ دَمَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ ۫ وَلِلْكٰفِرِيْنَ
اَمْثَالُهَا ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ۝

ज़ालि-क, व लौ यशा-उल्लाहु लन्त-स-र मिन्हुम् व लाकिल्-लियब्लु-व बअ्-ज़कुम् बिबअ्ज़िन्, वल्लज़ी-न क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़-लंय्युज़िल्-ल अअ्मालहुम् (4) स-यह्दीहिम् व युस्लिहु बा-लहुम (5) व युद्ख़िलुहुमुल्-जन्न-त अ़र्र-फ़हा लहुम् (6) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् तन्सुरुल्ला-ह यन्सुर्कुम् व युसब्बित् अक़्दामकुम् (7) वल्लज़ी-न क-फ़रू फ़-तअ्सल्-लहुम् व अज़ल्-ल अअ्मालहुम (8) ज़ालि-क बिअन्नहुम् करिहू मा अन्ज़लल्लाहु फ़-अह्ब-त अअ्मालहुम (9) अ-फ़लम् यसीरू फ़िल्अर्ज़ि फ़यन्ज़ुरू कै-फ़ का-न आ़क़ि-बतुल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्, दम्मरल्लाहु अ़लैहिम् व लिल्काफ़िरी-न अम्सालुहा (10) ज़ालि-क बि-अन्नल्ला-ह मौलल्-लज़ी-न आमनू व अन्नल्-काफ़िरी-न ला मौला लहुम (11) ❁

यह सुन चुके, और अगर चाहे अल्लाह तो बदला ले उनसे पर जाँचना चाहता है तुम्हारे एक से दूसरे को, और जो लोग मारे गये अल्लाह की राह में तो न ज़ाया करेगा वह उनके किये काम। (4) उनको राह देगा और संवारेगा उनका हाल। (5) और दाख़िल करेगा उनको जन्नत में जो मालूम करा दी है उनको। (6) ऐ ईमान वालो! अगर तुम मदद करोगे अल्लाह की तो वह तुम्हारी मदद करेगा और जमा देगा तुम्हारे पाँव। (7) और जो लोग कि मुन्किर हुए वे गिरे मुँह के बल और खो दिये उनके किये काम। (8) यह इसलिये कि उनको पसन्द न हुआ जो उतारा अल्लाह ने, फिर अकारत कर दिये उनके किये काम। (9) क्या वे फिरे नहीं मुल्क में कि देखें कैसा हुआ अन्जाम उनका जो उनसे पहले थे, हलाकी (तबाही) डाली अल्लाह ने उन पर और मुन्किरों को मिलती रहती हैं ऐसी चीज़ें, (10) यह इस लिये कि अल्लाह रफ़ीक़ (साथी) है उनका जो यक़ीन लाये, और यह कि जो मुन्किर हैं उनका रफ़ीक़ नहीं कोई। (11) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

यह (जिहाद का) हुक्म (जो ज़िक्र किया गया) इस पर अ़मल करना और (जो कुछ सूरतों में काफ़िरों से इन्तिक़ाम लेने के लिये जिहाद का तरीक़ा मुक़र्रर किया यह ख़ास हिक्मत की वजह से है, वरना) अगर अल्लाह चाहता तो उनसे (ख़ुद ही आसमानी और ज़मीनी अ़ज़ाबों के ज़रिये)

इन्तिक़ाम ले लेता (जैसे पिछली उम्मतों से इसी तरह इन्तिक़ाम लिया, किसी पर पत्थर बरसे किसी पर हवा का तूफ़ान आया, किसी को ग़र्क़ किया गया, अगर ऐसा होता तो तुमको जिहाद न करना पड़ता) लेकिन (तुमको जिहाद करने का हुक्म इसलिये दिया) ताकि तुम में एक का दूसरे के ज़रिये से इम्तिहान करे, (मुसलमानों का इम्तिहान यह कि कौन अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान को तरजीह देता है, और काफ़िरों का इम्तिहान यह कि क़िताल व जिहाद की मुसीबत से सचेत होकर कौन हक़ को क़ुबूल करता है)। और (जिहाद में जैसे काफ़िरों को क़त्ल करना कामयाबी है इसी तरह मक़्तूल होना भी नाकामी नहीं, क्योंकि) जो लोग अल्लाह की राह (यानी जिहाद) में मारे जाते हैं अल्लाह तआ़ला उनके आमाल को (जिनमें यह जिहाद का अ़मल भी दाख़िल है) हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा (जैसा कि ज़ाहिर में समझा जाता है कि जब वह काफ़िरों पर ग़ालिब न आ सका और ख़ुद मक़्तूल हो गया तो गोया उसका अ़मल बेकार गया, मगर हक़ीक़त यूँ नहीं, क्योंकि उसके इस अ़मल पर दूसरा नतीजा जो ज़ाहिरी कामयाबी से कहीं ज़्यादा बढ़ा हुआ है उसको हासिल हो गया, वह यह कि) अल्लाह तआ़ला उनको (मन्ज़िले) मक़सूद तक (जिसका बयान आगे आता है) पहुँचा देगा और उनकी हालत (क़ब्र और हश्र और पुलसिरात और आख़िरत के तमाम मौक़ों में) दुरुस्त रखेगा, (कहीं कोई ख़राबी और नुक़सान उनको न पहुँचेगा) और (इस मन्ज़िले मक़सूद तक पहुँचने का बयान यह है कि) उनको जन्नत में दाख़िल करेगा जिसकी उनको पहचान करा देगा (कि हर जन्नती अपने-अपने तयशुदा मकान पर बग़ैर किसी तलाश व तफ़तीश के बेतकल्लुफ़ जा पहुँचेगा। इससे साबित हुआ कि जिहाद में ज़ाहिरी नाकामी यानी ख़ुद मक़्तूल हो जाना भी बड़ी कामयाबी है।

आगे जिहाद के दुनियावी फ़ायदे व फ़ज़ाईल का ज़िक्र करके उसकी तरफ़ तवज्जोह और शौक़ दिलाया गया है कि) ऐ ईमान वालो! अगर तुम अल्लाह (के दीन) की मदद करोगे तो वह तुम्हारी मदद करेगा (जिसका नतीजा दुनिया में भी दुश्मनों पर ग़ालिब आना है चाहे शुरू में ही या कुछ अ़रसे के बाद अन्जामकार में, और बाज़ मोमिनों का मक़्तूल हो जाना या किसी लड़ाई और मुक़ाबले में वक़्ती तौर पर मग़लूब हो जाना इसके विरुद्ध नहीं), और (इसी तरह दुश्मनों के मुक़ाबले में) तुम्हारे क़दम जमा देगा (इसी तरह का मतलब यह है चाहे शुरू ही से या वक़्ती और अस्थायी हार और मग़लूब होने के बाद अन्त में साबित क़दम रखकर काफ़िरों पर ग़ालिब करेगा जैसा कि बार-बार इसका नज़ारा दुनिया में हो चुका है। यह तो मुसलमानों का हाल बयान किया गया) और जो लोग काफ़िर हैं उनके लिये (दुनिया में जबकि मोमिनों से मुक़ाबला करें) तबाही (और पस्त होना) है, और (आख़िरत में) उनके आमाल को ख़ुदा तआ़ला बेकार कर देगा (जैसा कि सूरत के शुरू में बयान हुआ। ग़र्ज़ कि काफ़िर दोनों जहान में ख़सारे में रहे और) यह (काफ़िरों का ख़सारा और आमाल की बरबादी) इस सबब से हुआ कि उन्होंने अल्लाह के उतारे हुए अहकाम को नापसन्द किया (अ़क़ीदे के एतिबार से भी और अ़मली तौर पर भी), सो अल्लाह ने उनके आमाल को (शुरू ही से) अकारत कर दिया (क्योंकि कुफ़्र का जो आला दर्जे की बग़ावत है यही असर है और ये लोग जो अल्लाह के अ़ज़ाब से नहीं डरते) क्या ये लोग

मुल्क में चले-फिरे नहीं? और इन्होंने देखा नहीं कि जो लोग इनसे पहले हो गुज़रे हैं उनका अन्जाम कैसा हुआ कि अल्लाह ने उन पर कैसी तबाही डाली (जो उनके उजड़े हुए महलों व मकानात से ज़ाहिर है, तो इनको भी इससे बेफ़िक्र न होना चाहिये कि अपने कुफ़्र से बाज़ न आये तो) इन काफ़िरों के लिये भी इसी क़िस्म के मामलात होने को हैं। (आगे दोनों फ़रीक़ों के हाल का मुख़्तसर ज़िक्र है कि) यह (मुसलमानों की कामयाबी और काफ़िरों की तबाही) इस सबब से है कि अल्लाह मुसलमानों का कारसाज़ है और काफ़िरों का कोई (ऐसा) कारसाज़ नहीं (कि ख़ुदा के मुक़ाबले में उनके काम बना सके, इसलिये वे दोनों जहान में नाकाम रहते हैं, और मुसलमानों को अगर कभी दुनिया में वक़्ती नाकामी भी हो जाये तो अन्जामकार कामयाबी होगी और आख़िरत की फ़लाह तो ज़ाहिर ही है, इसलिये मुसलमान हमेशा कामयाब और काफ़िर नाकाम रहता है)।

मआरिफ़ व मसाईल

शरीअ़त में जिहाद का हुक्म किये जाने की एक हिक्मत

وَلَوْ يَشَآءُ اللّٰهُ لَا نْتَصَرَ مِنْهُمْ

इस आयत में हक़ तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया कि इस उम्मत में काफ़िरों से जिहाद व क़िताल का हुक्म होना दर हक़ीक़त एक रहमत है, क्योंकि वह आसमानी अ़ज़ाबों के क़ायम-मक़ाम है। क्योंकि कुफ़्र व शिर्क और अल्लाह से बग़ावत की सज़ा पिछली क़ौमों को आसमानी और ज़मीनी अ़ज़ाबों के ज़रिये दी गई है, उम्मते मुहम्मदिया में ऐसा हो सकता था मगर रहमतुल्-लिल्आ़लमीन की बरकत से इस उम्मत को ऐसे आ़म अ़ज़ाबों से बचा लिया गया, उसके क़ायम-मक़ाम शरई जिहाद को कर दिया गया जिसमें उमूमी अ़ज़ाब होने के मुक़ाबले में बड़ी सहूलतें और मस्लेहतें हैं। अव्वल तो यह कि आ़म अ़ज़ाब में पूरी क़ौमें मर्द, औ़रत, बच्चे सब तबाह होते हैं और जिहाद में औ़रतें बच्चे तो सुरक्षित हैं ही, मर्द भी सिर्फ़ वही उसकी चपेट में आते हैं जो अल्लाह के दीन की हिफ़ाज़त करने वालों के मुक़ाबले पर जंग के लिये आ खड़े हों, फिर उसमें भी सब मक़्तूल नहीं होते, उनमें बहुत से लोगों को इस्लाम व ईमान की तौफ़ीक़ नसीब हो जाती है। साथ ही जिहाद का शरई हुक्म होने का एक फ़ायदा यह भी है कि इसके ज़रिये जिहाद व क़िताल के दोनों फ़रीक़ मुसलमान और काफ़िर का इम्तिहान हो जाता है कि कौन अल्लाह के हुक्म पर अपनी जान व माल क़ुरबान करने को तैयार हो जाता है और कौन सरकशी और कुफ़्र पर जमा रहता है, या इस्लाम की खुली दलीलों को देखकर इस्लाम क़ुबूल कर लेता है।

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ○

सूरत के शुरू में ज़िक्र था कि जो लोग कुफ़्र व शिर्क पर जमा होते हैं और दूसरों को भी इस्लाम से रोकते हैं अल्लाह तआ़ला ने उनके नेक आमाल को भी बरबाद और ज़ाया कर दिया

यानी सदका ख़ैरात और जन कल्याण के नेक काम जो वे करते हैं कुफ़्र व शिर्क की वजह से अल्लाह के नज़दीक आख़िरत में उनका कोई सवाब नहीं। इसके मुक़ाबले में इस आयत में फ़रमाया कि जो लोग अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उनके आमाल ज़ाया नहीं होते, यानी अगर उन्होंने कुछ गुनाह भी किये हों तो उनके गुनाहों की वजह से उनके नेक आमाल पर कोई असर नहीं पड़ता बल्कि कई बार उनके नेक आमाल उनके गुनाहों का कफ़्फ़ारा बन जाते हैं।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۝

इसमें अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों के लिये दो नेमतों का ज़िक्र है- एक यह कि अल्लाह उनको हिदायत कर देगा, दूसरे उनके सब हालात दुरुस्त कर देगा। हालात से मुराद दुनिया व आख़िरत दोनों जहान के हालात हैं, दुनिया में तो यह कि जो शख़्स जिहाद में शरीक हुआ अगरचे वह शहीद न हुआ सलामत रहा, वह भी शहीद के सवाब का हक़दार हो गया, और आख़िरत में यह कि वह क़ब्र के अ़ज़ाब से मेहशर की परेशानियों से निजात पायेगा। और अगर कुछ लोगों के हुक़ूक़ उसके ज़िम्मे रह गये हैं तो अल्लाह तआ़ला हक़ वालों को उससे राज़ी करके छुटकारा दिला देंगे। (जैसा कि अबू नुऐम, बज़्ज़ार और बैहक़ी की हदीस में है और तफ़सीरे मज़हरी में इसको नक़ल किया है) और मौत के बाद हिदायत कर देने से मुराद उनकी मन्ज़िले मक़सूद यानी जन्नत पर पहुँचा देना है जैसा कि क़ुरआन में जन्नत वालों के बारे में आया है कि जन्नत में पहुँचकर कहेंगे 'अल्हम्दु लिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा'।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۝

यह एक तीसरा इनाम है कि उनको सिर्फ़ यही नहीं कि जन्नत में पहुँचा दिया जायेगा बल्कि उनके दिलों में ख़ुद-बख़ुद जन्नत के अपने-अपने मक़ाम (ठिकाने) और उसमें मिलने वाली नेमतों हूरों और महलों वग़ैरह से ऐसी वाक़फ़ियत पैदा कर दी जायेगी जैसे वे हमेशा से उन्हीं में रहते और उनसे मानूस थे, अगर ऐसा न होता तो जन्नत एक नया जहान था, उसमें अपना मक़ाम तलाश करने में वहाँ की चीज़ों से मुनासबत और ताल्लुक़ क़ायम होने में वक़्त लगता और एक मुद्दत तक अजनबियत के एहसास से दिल मुत्मईन न होता।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़सम है उस ज़ात की जिसने मुझे दीने हक़ देकर भेजा है कि तुम दुनिया में जिस तरह अपनी बीवियों और घरों से वाक़िफ़ और मानूस हो इससे भी ज़्यादा अपने जन्नत के मक़ाम (ठिकाने) और वहाँ की बीवियों से वाक़िफ़ और मानूस हो जाओगे। (तफ़सीरे मज़हरी, इब्ने जरीर, तबरानी, अबू यअ़ला और बैहक़ी के हवाले से) और कुछ रिवायतों में है कि एक फ़रिश्ता हर एक जन्नती के लिये मुक़र्रर कर दिया जायेगा जो उनका अपने जन्नत के मक़ाम और वहाँ की बीवियों से तआ़रुफ़ (परिचय) करायेगा। वल्लाहु आलम

وَلِلْكٰفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا.

यहाँ काफ़िरीन का लफ़्ज़ आ़म काफ़िरों के लिये नहीं बल्कि ख़ास मक्का के काफ़िर मुराद

हैं। मक़सद उनको डराना है कि जिस तरह पिछली उम्मतों पर अ़ज़ाब आये हैं तुम पर भी आ सकते हैं, बेफ़िक्र न रहना चाहिये।

وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ۝

लफ़्ज़ मौला बहुत से मायने के लिये इस्तेमाल होता है, एक मायने कारसाज़ के हैं जो इस जगह मुराद हैं और एक मायने मालिक के हैं। क़ुरआन में एक दूसरी जगह काफ़िरों के बारे में आया है:

رُدُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ مَوْلٰىهُمُ الْحَقِّ.

इसमें अल्लाह तआ़ला को काफ़िरों के लिये भी मौला क़रार दिया है, क्योंकि मौला के मायने मालिक के हैं और अल्लाह तआ़ला का मालिक होना आ़म है, मोमिन काफ़िर कोई उससे ख़ारिज (बाहर) नहीं।

اِنَّ اللّٰهَ يُدْخِلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۚ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَاْكُلُوْنَ كَمَا تَاْكُلُ الْاَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ ۝ وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِيَ اَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِيْٓ اَخْرَجَتْكَ ۚ اَهْلَكْنٰهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝ اَفَمَنْ كَانَ عَلٰى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَّبِّهٖ كَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۝ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِيْ وُعِدَ الْمُتَّقُوْنَ ۚ فِيْهَآ اَنْهٰرٌ مِّنْ مَّآءٍ غَيْرِ اٰسِنٍ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهٗ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشّٰرِبِيْنَ ۚ وَاَنْهٰرٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ۚ وَلَهُمْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَّبِّهِمْ ۚ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوْا مَآءً حَمِيْمًا فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ ۝

इन्नल्ला-ह युद्ख़िलुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारु, वल्लज़ी-न क-फ़रू य-तमत्तअ़ू-न व यअ्कुलू-न कमा तअ्कुलुल्-अन्अ़ामु वन्नारु मस्वल्-लहुम (12) व क-अय्यिम् मिन् क़र्यतिन् हि-य अशद्दु क़ुव्वतम्-मिन् क़र्यतिकल्लती अख़्र-जत्-क	यक़ीनन अल्लाह दाख़िल करेगा उनको जो यक़ीन लाये और किये भले काम बाग़ों में जिनके नीचे बहती हैं नहरें। और जो लोग मुन्किर हैं बरत रहे हैं और खाते हैं जैसे कि खायें चौपाये, और आग है उन का घर। (12) और कितनी थीं बस्तियाँ जो ज़्यादा थीं ज़ोर में इस तेरी बस्ती से जिसने तुझको निकाला, हमने उनको ग़ारत

अह्लक्नाहुम् फ़ला नासि-र लहुम (13) अ-फ़मन् का-न अ़ला बय्यि-नतिम् मिर्रब्बिही क-मन् ज़ुय्यि-न लहू सू-उ अ़-मलिही वत्त-बअ़ू अह्वा-अहुम (14) म-सलुल्-जन्नतिल्लती वुअ़िदल्-मुत्तक़ू-न, फ़ीहा अन्हारुम्-मिम्मा-इन् ग़ैरि आसिनिन् व अन्हारुम् मिल्ल-बनिल्-लम् य-तग़य्यर् तअ़्मुहू व अन्हारुम्-मिन् ख़म्रिल्लज़्ज़तिल्-लिश्शारिबी-न व अन्हारुम्-मिन् अ़-सलिम् मुसफ़्फ़न्, व लहुम् फ़ीहा मिन् कुल्लिस-समराति व मग़्फ़ि-रतुम् मिर्रब्बिहिम्, क-मन् हु-व ख़ालिदुन् फ़िन्नारि व सुक़ू माअन् हमीमन् फ़-क़त्त-अ़ अम्आ-अहुम (15)	कर दिया फिर कोई नहीं उनका मददगार। (13) भला एक जो चलता है स्पष्ट रास्ते पर अपने रब के बराबर है उसके जिसको भला दिखलाया उसका बुरा काम? और चलते हैं अपनी इच्छाओं पर। (14) उस जन्नत के हालात जिसका वायदा हुआ है डरने वालों से, उसमें नहरें हैं पानी की जो बू (गंध) नहीं कर गया और नहरें हैं दूध की जिसका मज़ा नहीं फिरा, और नहरें हैं शराब की जिसमें मज़ा है पीने वालों के वास्ते, और नहरें हैं शहद की झाग उतारा हुआ, और उनके लिये वहाँ सब तरह के मेवे हैं और माफ़ी है उनके रब से, (क्या) यह बराबर है उसके जो हमेशा रहे आग में और पिलाया जाये उनको खौलता पानी तो काट निकाले उनकी आँतें। (15)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक अल्लाह तआ़ला उन लोगों को जो ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। और जो लोग काफ़िर हैं वे (दुनिया में) ऐश कर रहे हैं और इस तरह (आख़िरत से बेफ़िक्र होकर) खाते (पीते) हैं जिस तरह चौपाये (यानी जानवर) खाते-पीते हैं (कि वो नहीं सोचते कि हमको क्यों खिलाया-पिलाया जाता है और हमारे ज़िम्मे इसका क्या हक़ वाजिब है) और जहन्नम उन लोगों का ठिकाना है (और जो ऊपर काफ़िरों के दुनिया में ऐश करने का ज़िक्र हुआ इससे आपके मुख़ालिफ़ों को धोखा न खाना चाहिये और न आपको उनकी उस ग़फ़लत पर कुछ रंज व ग़म होना चाहिये जो उनकी मुख़ालफ़त का सबब बनी हुई है यहाँ तक कि उन्होंने आपको तंग करके मक्का में भी नहीं रहने दिया क्योंकि) बहुत-सी बस्तियाँ ऐसी थीं जो (जिस्म और माल व शान की) क़ुव्वत में आपकी

इस बस्ती से बढ़ी हुई थीं जिसके रहने वालों ने आपको घर से बेघर कर दिया, कि हमने उनको (अ़ज़ाब से) हलाक कर दिया, सो उनका कोई मददगार न हुआ (तो ये बेचारे क्या चीज़ हैं, इनको घमंड नहीं करना चाहिये, क्योंकि जब अल्लाह तआ़ला चाहें इनकी सफ़ाई कर सकते हैं। और आप इनके चन्द दिन के ऐश से रंजीदा व दुखी न हों क्योंकि अल्लाह तआ़ला अपने मुक़र्ररा वक़्त पर इनको भी सज़ा देने वाले हैं)।

तो जो लोग अपने परवर्दिगार के स्पष्ट (दलील से साबित) रास्ते पर हों क्या वे उन शख़्सों की तरह हो सकते हैं जिनके बुरे आमाल उनको अच्छे मालूम होते हों और जो अपनी नफ़्सानी इच्छाओं पर चलते हों? (यानी जब इन दो फ़रीक़ के आमाल में फ़र्क़ है तो इनके अन्जाम में भी फ़र्क़ ज़रूरी है, और हक़ रास्ते वाले सवाब के और बातिल पर चलने वाले अ़ज़ाब व सज़ा के मुस्तहिक़ हैं, जिसका बयान यह है कि) जिस जन्नत का परहेज़गारों से वायदा किया जाता है उसकी कैफ़ियत यह है कि उसमें बहुत-सी नहरें तो ऐसे पानी की हैं जिसमें ज़रा भी बदलाव न होगा (न बू में न रंग में न मज़े में), और बहुत-सी नहरें दूध की हैं जिनका ज़ायक़ा ज़रा बदला हुआ न होगा, और बहुत-सी नहरें शराब की हैं जो पीने वालों को बहुत मज़ेदार मालूम होगी, और बहुत-सी नहरें शहद की हैं जो (मैल-कुचैल से) पूरी तरह (पाक) साफ़ होगा, और उनके लिये वहाँ हर क़िस्म के फल होंगे और (उसमें दाख़िल होने से पहले) उनके रब की तरफ़ से (गुनाहों की) बख़्शिश होगी। क्या ऐसे लोग उन जैसे हो सकते हैं जो हमेशा दोज़ख़ में रहेंगे और खौलता हुआ पानी उनको पीने को दिया जायेगा सो वह उनकी अंतड़ियों को टुकड़े-टुकड़े कर देगा।

मआ़रिफ़ व मसाईल

चूँकि दुनिया का पानी कभी रंग में कभी बू में कभी ज़ायक़े में बदल जाता है, इसी तरह दुनिया का दूध ख़राब हो जाता है, इसी तरह दुनिया की शराब बदमज़ा व तल्ख़ हो जाती है सिर्फ़ कुछ फ़ायदों की ख़ातिर पी जाती है, जैसे तम्बाकू कड़वा होने के बावजूद खाया जाता है फिर आ़दत पड़ जाती है। जन्नत के पानी, दूध और शराब के बारे में बतला दिया गया कि वो सब इन तब्दीलियों और बदमज़गी की आफ़तों से ख़ाली हैं। और जन्नत का दूसरी ख़राबियों और नुक़सानात से ख़ाली होना सूरः साफ़्फ़ात की आयत में इस तरह बयान हुआ हैः

لَا فِيْهَا غَوْلٌ وَّلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُوْنَ ○

इसी तरह दुनिया के शहद में मोम और मैल-कुचैल मिला होता है, जन्नत की नहर में शहद का पाक-साफ़ होना बतलाया गया है। सही बात यह है कि जन्नत की नहरों की चार क़िस्में- पानी, दूध, शराब, शहद अपने असली मायने में हैं, बिला वजह इनके दूसरे मायने लेने की ज़रूरत नहीं, अलबत्ता यह बात खुली हुई है कि जन्नत की चीज़ों को दुनिया की चीज़ों पर क़ियास (तुलना और अन्दाज़ा) नहीं किया जा सकता, वहाँ की हर चीज़ की लज़्ज़त व कैफ़ियत कुछ और ही होगी जिसकी दुनिया में कोई नज़ीर नहीं।

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَمِعُ اِلَيْكَ ۚ حَتّٰٓى اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوْا
لِلَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ اٰنِفًا ۣ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ ۝
وَالَّذِيْنَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَّاٰتٰىهُمْ تَقْوٰىهُمْ ۝ فَهَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّا السَّاعَةَ اَنْ تَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۚ
فَقَدْ جَآءَ اَشْرَاطُهَا ۚ فَاَنّٰى لَهُمْ اِذَا جَآءَتْهُمْ ذِكْرٰىهُمْ ۝

व मिन्हुम् मंय्यस्तमिअु इलै-क हत्ता इज़ा ख़-रजू मिन् अिन्दि-क क़ालू लिल्लज़ी-न ऊतुल्-अिल्-म माज़ा क़ा-ल आनिफ़न्, उलाइ-कल्लज़ी-न त-बअ़ल्लाहु अ़ला क़ुलूबिहिम् वत्त-बअ़ू अह्वा-अहुम (16) वल्लज़ीनह्तदौ ज़ा-दहुम् हुदंव्-व आताहुम् तक़्वाहुम (17) फ़-हल् यन्ज़ुरू-न इल्लस्सा-अ़-त अन् तअ्ति-यहुम् बग़्-ततन् फ़-क़द् जा-अ अश्रातुहा फ़-अन्ना लहुम् इज़ा जा-अत्हुम् ज़िक्राहुम (18)

और बाज़े उनमें हैं कि कान रखते हैं तेरी तरफ़ यहाँ तक कि जब निकलें तेरे पास से कहते हैं उनको जिनको इल्म मिला है- क्या कहा था उस शख़्स ने अभी? ये वही हैं जिनके दिलों पर मोहर लगा दी है अल्लाह ने और चले हैं अपनी इच्छाओं पर। (16) और जो लोग राह पर आये हैं उनको और बढ़ गयी उससे सूझ (यानी इल्म व हिदायत) और उनको उससे मिला बचकर चलना। (17) अब यही इन्तिज़ार करते हैं क़ियामत का कि आ खड़ी हो उन पर अचानक, सो आ चुकी हैं उसकी निशानियाँ, फिर कहाँ नसीब होगा उनको जब वह आ पहुँचे उन पर समझ पकड़ना। (18)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) बाज़े आदमी ऐसे हैं (इससे मुराद मुनाफ़िक़ लोग हैं) कि वे (आपकी तब्लीग़ व तालीम के वक़्त ज़ाहिर में तो) आपकी तरफ़ कान लगाते हैं (लेकिन दिल से बिल्कुल मुतवज्जह नहीं होते) यहाँ तक कि जब वे लोग आपके पास से (उठकर मजलिस से) बाहर जाते हैं तो दूसरे इल्म वाले (सहाबा) से कहते हैं कि हज़रत ने अभी (जब हम मजलिस में थे) क्या बात फ़रमाई थी? (उनका यह कहना भी एक क़िस्म का मज़ाक़ ही था कि इससे यह जतलाना था कि हम आपकी बातचीत को ध्यान देने के क़ाबिल नहीं समझते। यह भी निफ़ाक़ ही का एक शोबा था) ये वे लोग हैं कि हक़ तआ़ला ने इनके दिलों पर मोहर कर दी है (हिदायत से दूर हो गये) और ये अपनी नफ़्सानी इच्छाओं पर चलते हैं। और (उन्हीं की क़ौम में

से) जो लोग राह पर हैं (यानी मुसलमान हो चुके हैं) अल्लाह तआ़ला उनको (अहकाम सुनने के वक़्त) और ज़्यादा हिदायत देता है (कि वे नये अहकाम पर भी ईमान लाते हैं यानी उनकी ईमान की बातों की तादाद बढ़ गई, या यह कि उनके ईमान को और ज़्यादा मज़बूत और पुख़्ता कर देते हैं जो नेक अ़मल की ख़ासियत है कि उससे ईमान में और ज़्यादा पुख़्तगी पैदा होती है) और उनको उनके तक़्वे की तौफ़ीक़ देता है।

(आगे उन मुनाफ़िक़ों के लिये वईद और धमकी है कि ये जो क़ुरआन और अल्लाह के अहकाम सुनकर भी मुतास्सिर नहीं होते) सो (मालूम होता है कि) ये लोग बस क़ियामत का इन्तिज़ार कर रहे हैं कि वह इन पर अचानक आ पड़े (यह डाँट-डपट के तौर पर फ़रमाया कि अब भी मुतास्सिर नहीं होते तो क्या क़ियामत में समझ और हिदायत हासिल करेंगे) सो (याद रखो कि क़ियामत भी नज़दीक है, चुनाँचे) उसकी (अनेक) निशानियाँ तो आ चुकी हैं (चुनाँचे हदीस के मुताबिक़ ख़ुद ख़ातमुल-अम्बिया का तशरीफ़ लाना और आपकी नुबुव्वत भी क़ियामत की निशानियों में से है, और चाँद का टुकड़े होना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मोजिज़ा होने के अ़लावा क़ियामत की निशानियों में से भी है। ये सब निशानियाँ क़ुरआन के नाज़िल होने के ज़माने में मौजूद हो चुकी थीं। आगे इसका बयान है कि ईमान लाने और हिदायत पाने में क़ियामत का इन्तिज़ार करना महज़ जहालत है, क्योंकि वह वक़्त समझने और अ़मल करने का नहीं होगा। फ़रमाया) तो जब क़ियामत उनके सामने आ खड़ी हुई उस वक़्त उनको समझना कहाँ मयस्सर होगा? (यानी कुछ फ़ायदा नहीं होगा)

मआ़रिफ़ व मसाईल

अश्रात के मायने निशानियों के हैं और क़ियामत की निशानियों की शुरूआ़त ख़ुद ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने और आपकी नुबुव्वत से हो जाती है, क्योंकि नुबुव्वत का ख़त्म होना भी क़ियामत के क़रीब होने की अ़लामत है। इसी तरह चाँद के टुकड़े होने के मोजिज़े को भी क़ुरआन में क़ियामत के क़रीब होने के साथ फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि यह भी क़ियामत की निशानियों में से है। ये तो शुरूआ़ती निशानियाँ हैं जो ख़ुद क़ुरआन के उतरने के वक़्त में ज़ाहिर हो चुकी थीं, दूसरी क़रीबी निशानियाँ सही हदीसों में साबित हैं, उनमें से एक हदीस हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि क़ियामत की निशानियाँ ये हैं:

1. इल्म उठ जायेगा। 2. जहालत बढ़ जायेगी। 3. ज़िना की कसरत होगी। 4. शराब ख़ोरी की कसरत होगी। 5. मर्द कम रह जायेंगे। 6. औ़रतें बढ़ जायेंगी, यहाँ तक कि पचास औ़रतों का कफ़ील (ज़िम्मेदार) एक मर्द होगा। और एक रिवायत में है कि इल्म घट जायेगा और जहल (अज्ञानता) फैल जायेगा। (बुख़ारी व मुस्लिम)

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब माले ग़नीमत को निजी और व्यक्तिगत दौलत समझ लिया जाये और

अमानत को माले ग़नीमत क़रार दे लिया जाये (कि हलाल समझकर खा जाये) और ज़कात को तावान (जुर्माना) समझा जाये (यानी उसकी अदायेगी में दिल में तंगी महसूस करे) और इल्मे दीन दुनियावी ग़र्ज़ और फ़ायदे के लिये हासिल किया जाने लगे और मर्द अपनी बीवी की फ़रमाँबरदारी और माँ की नाफ़रमानी करने लगे और दोस्त को अपने क़रीब करे और बाप को दूर कर दे और मस्जिदों में शोर-शराबा होने लगे और क़ौम का सरदार उन सब में का फ़ासिक़ बदकार आदमी हो जाये, और क़ौम का नुमाईन्दा उन सब में का घटिया हो जाये और शरीर आदमी का सम्मान सिर्फ़ इसलिये करना पड़े कि इसका सम्मान न करेंगे तो यह सतायेगा और गाने वाली औरतों का गाना आम हो जाये और बाजे-गाजे के सामान फैल जायें और शराबें पी जाने लगें और इस उम्मत के आख़िरी लोग अपने पहले के बुज़ुर्गों पर लानत करने लगें तो उस वक़्त तुम लोग इन्तिज़ार करें एक सुर्ख़ आँधी का और ज़लज़ले का और लोगों के ज़मीन में धंस जाने का और सूरतें बिगड़ जाने का और आसमान से पत्थर बरसने का और दूसरी क़ियामत की निशानियों का जो एक के बाद एक इस तरह आयेंगी जैसे मोतियों की लड़ी को काट दिया जाये और मोती एक-एक करके नीचे आ गिरते हैं।

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰىكُمْ ۟

ع ٨ ٢

फ़अ्लम् अन्नहू ला इला-ह इल्लल्लाहु वस्तग़्फ़िर् लि-ज़म्बि-क व लिल्मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति, वल्लाहु यअ्लमु मु-तक़ल्ल-बकुम् व मस्वाकुम् (19) ❁	सो तू जान ले कि किसी की बन्दगी नहीं सिवाय अल्लाह के, और माफ़ी माँग अपने गुनाह के वास्ते और ईमान वाले मर्दों और औरतों के लिये और अल्लाह को मालूम है तुम्हारा चलना-फिरना और तुम्हारा ठिकाना (घर)। (19) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब आप ख़ुदा तआ़ला के आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार बन्दों और सरकशों दोनों का हाल व अन्जाम सुन चुके) तो आप इसका (और ज़्यादा मुकम्मल तरीक़े पर) यक़ीन रखिये कि अल्लाह तआ़ला के सिवा और कोई इबादत के क़ाबिल नहीं (इसमें दीन के तमाम उसूल व अहकाम आ गये, क्योंकि इल्म से मुराद कामिल और आला दर्जे का कामिल इल्म है और कामिल इल्म के लिये लाज़िम है कि अल्लाह के तमाम अहकाम पर पूरा अ़मल हो। हासिल यह है कि अल्लाह के तमाम अहकाम पर हमेशगी व पाबन्दी रखो) और (अगर कभी कोई ख़ता व चूक हो जाये जो आपकी नुबुव्वत के ज़रिये होने वाली हिफ़ाज़त की बिना पर दर हक़ीक़त गुनाह नहीं बल्कि सिर्फ़

अफ़ज़ल व बेहतर सूरत का छूटना ही होगा मगर आपकी बुलन्द शान के एतिबार से ख़ता की शक्ल व सूरत है इसलिये) आप अपनी (उस ज़ाहिरी) ख़ता की माफ़ी माँगते रहिये और सब मुसलमान मर्दों और सब मुसलमान औरतों के लिये भी (बख़्शिश की दुआ माँगते रहिये)। और (यह भी याद रहे कि) अल्लाह तआला तुम्हारे चलने-फिरने और रहने-सहने (यानी सब आमाल व हालात) की ख़बर रखता है।

मआरिफ़ व मसाईल

इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुख़ातब करके फ़रमाया कि आप समझ लीजिये कि अल्लाह के सिवा और कोई क़ाबिले इबादत नहीं, और ज़ाहिर है कि यह इल्म तो हर मोमिन मुसलमान को भी हासिल है, तमाम नबियों के सरदार को क्यों हासिल न होता, फिर इस इल्म के हासिल करने का हुक्म देना या तो इस पर साबित-क़दम रहने के मायने में है और या इसके तक़ाज़ों पर अ़मल करना मुराद है जैसा कि इमाम क़ुर्तुबी ने नक़ल किया है कि सुफ़ियान बिन उयैना रह. से किसी ने इल्म की फ़ज़ीलत का सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया- क्या तुमने क़ुरआन का इरशाद नहीं सुनाः

فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَآ اِلٰـهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْۢبِكَ.

कि इसमें इल्म के बाद अ़मल का हुक्म दिया है। इसी तरह दूसरी जगह फ़रमायाः

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ.

और फिर फ़रमायाः

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ

इसी तरह सूरः अनफ़ाल में फ़रमायाः

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ.

और सूरः तग़ाबुन में फ़रमायाः

فَاحْذَرُوْهُمْ.

इन सब मक़ामात (स्थानों) में पहले इल्म फिर उसके तक़ाज़े पर अ़मल की तालीम व हिदायत फ़रमाई गई है, यहाँ उक्त आयत में भी अगरचे इल्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को पहले से हासिल था मगर इससे मक़सूद उसके तक़ाज़े पर अ़मल है, इसी लिये इसके बाद 'वस्तग़फ़िर्' का हुक्म दिया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अगरचे नुबुव्वत के सबब आपकी हिफ़ाज़त होने से इसके ख़िलाफ़ करने का एहतिमाल (शुब्हा व गुमान) नहीं था मगर अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम से मासूम (गुनाहों व ग़लतियों से सुरक्षित) होने के बावजूद कई बार इज्तिहाद (सोच-विचार और राय क़ायम करने) में ख़ता (चूक) हो जाती है और इज्तिहादी ख़ता शरीअ़त के क़ानून में गुनाह नहीं बल्कि उस पर भी अज्र मिलता है, मगर

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को उस ख़ता पर सचेत ज़रूर कर दिया जाता है और उनकी बुलन्द शान के एतिबार से उसको लफ़्ज़ ज़म्ब (गुनाह और ख़ता) से भी ताबीर कर दिया जाता है जैसा कि सूरः अ़-ब-स में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर एक क़िस्म का इताब (नापसन्दीदगी का इज़हार) नाज़िल हुआ वह भी इसी इज्तिहादी ख़ता (वैचारिक चूक) की एक मिसाल थी, जिसकी तफ़सील सूरः अ़-ब-स में आयेगी कि वह इज्तिहादी ख़ता अगरचे कोई गुनाह न था बल्कि एक अज्र उस पर भी मिलने का वायदा था मगर आपकी बुलन्द शान के लिये उसको पसन्द नहीं किया गया और ना-पसन्दीदगी का इज़हार किया गया। ऊपर ज़िक्र हुई आयत में इसी तरह का गुनाह मुराद हो सकता है।

फ़ायदाः हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' और 'इस्तिग़फ़ार' की कसरत किया करो क्योंकि इब्लीस (शैतान) कहता है कि मैंने लोगों को गुनाहों में मुब्तला करके हलाक किया तो उन्होंने मुझे कलिमा 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' कहकर हलाक कर दिया। जब मैंने यह देखा तो मैंने उनको ऐसे बातिल ख़्यालात के पीछे लगा दिया जिनको वे नेकी समझकर करते हैं जैसे आ़म बिद्अ़तों का यही हाल है उससे उनको तौबा की भी तौफ़ीक़ नहीं होती।

مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوٰكُمْ ۝

मु-तक़ल्लब के लफ़्ज़ी मायने लौट-पोट होने या उलट-पुलट होने के और **मसवा** के मायने क़रार पकड़ने की जगह के हैं। इसकी मुराद में विभिन्न संभावनायें हो सकती हैं, इसी लिये मुफ़स्सिरीन हज़रात ने मुख़्तलिफ़ मायने बयान किये हैं, और हक़ीक़त यह है कि वे सब ही मुराद हैं, क्योंकि हर इनसान पर दो क़िस्म के हालात आते हैं- एक वो जिनमें अस्थायी और वक़्ती तौर पर मशग़ूलियत (व्यस्तता) होती है, दूसरे वो जिनको वह मुस्तक़िल अपना मश्ग़ला समझता है। इसी तरह कुछ मकानात (जगहों) में इनसान का रहना और ठहरना वक़्ती और अस्थायी होता है कुछ में मुस्तक़िल और स्थायी, तो आयत में वक़्ती ठहरने की जगह को **मुतक़ल्लब** के लफ़्ज़ से और मुस्तक़िल को **मसवा** के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है, इस तरह तमाम हालतों का अल्लाह तआ़ला के इल्म में होना इस आयत का मफ़्हूम है।

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ ۚ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ
وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ ۙ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ
الْمَوْتِ ۖ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ ۝ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ ۚ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا
لَهُمْ ۝ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ۝ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ ۝ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ۝ إِنَّ
الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى ۙ الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۝

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لِلَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِيْ بَعْضِ الْاَمْرِ ۚ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِسْرَارَهُمْ ۞ فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ۞ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمُ اتَّبَعُوْا مَآ اَسْخَطَ اللّٰهَ وَكَرِهُوْا رِضْوَانَهٗ فَاَحْبَطَ اَعْمَالَهُمْ ۞ اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ ۞ وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ ۭ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِيْ لَحْنِ الْقَوْلِ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اَعْمَالَكُمْ ۞ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ ۙ وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ ۞

व यक़ूलुल्लज़ी-न आमनू लौ ला नुज़्ज़िलत् सू-रतुन् फ़-इज़ा उन्ज़िलत् सू-रतुम् मुह्क-मतुंव्-व ज़ुकि-र फ़ीहल्-क़ितालु रऐतल्लज़ी-न फ़ी क़ुलूबिहिम् म-रज़ुंय्यन्ज़ुरू-न इलै-क न-ज़रल्-मग़्शिय्यि अलैहि मिनल्-मौति, फ़-औला लहुम (20) ता-अतुंव्-व क़ौलुम्-मअ्रूफ़ुन्, फ़-इज़ा अ-ज़मल्-अम्रु फ़लौ स-दक़ुल्ला-ह लका-न ख़ैरल्-लहुम (21) फ़-हल् असैतुम् इन् तवल्लैतुम् अन् तुफ़्सिदू फ़िल्अर्ज़ि व तुक़त्तिअू अर्हा-मकुम (22) उलाइकल्लज़ी-न ल-अ-नहुमुल्लाहु फ़-असम्महुम् व अअ्मा अब्सा-रहुम (23) अ-फ़ला य-तदब्बरूनल्-क़ुरआ-न अम् अला क़ुलूबिन् अक़्फ़ालुहा (24) इन्नल्लज़ीनर्तद्दू अला अद्बारिहिम्	और कहते हैं ईमान वाले- क्यों न उतरी एक सूरत? फिर जब उतरी एक सूरत जाँची हुई और ज़िक्र हुआ उसमें लड़ाई का तो तू देखता है उनको जिनके दिल में रोग है, तकते हैं तेरी तरफ़ जैसे तकता है कोई बेहोश पड़ा हुआ मरने के वक़्त, सो ख़राबी है उनकी। (20) हुक्म मानना है और भली बात कहना, फिर जब ताकीद हो काम की तो अगर सच्चे रहें अल्लाह से तो उनका भला है। (21) फिर तुमसे यह भी उम्मीद है कि अगर तुमको हुकूमत मिल जाये तो ख़राबी डालो मुल्क में और काट डालो अपनी रिश्तेदारियाँ। (22) ऐसे लोग हैं जिन पर लानत की अल्लाह ने फिर कर दिया उनको बहरा और अंधी कर दीं उनकी आँखें। (23) क्या ध्यान नहीं करते क़ुरआन में या उनके दिलों पर लग रहे हैं ताले। (24) बेशक जो लोग उल्टे फिर गये अपनी पीठ पर

मिम्बअ्दि मा तबय्य-न लहुमुल्-हुदश्-शैतानु सव्व-ल लहुम्, व अम्ला लहुम (25) ज़ालि-क बि-अन्नहुम् क़ालू लिल्लज़ी-न करिहू मा नज़्ज़-लल्लाहु सनुतीअुकुम् फ़ी बअ्ज़िल्-अम्रि वल्लाहु यअ्लमु इस्रा-रहुम (26) फ़कै-फ इज़ा तवफ़्फ़तहुमुल्-मलाइ-कतु यज़्रिबू-न वुजू-हहुम् व अद्बारहुम (27) ज़ालि-क बिअन्नहुमुत्त-बअू मा अस्ख़तल्ला-ह व करिहू रिज़्वानहू फ़-अह्ब-त अअ्मालहुम (28) ❁

इसके बाद कि ज़ाहिर हो चुकी उन पर सीधी राह, शैतान ने बात बनाई उनके दिल में और देर के वायदे किये। (25) यह इस वास्ते कि उन्होंने कहा उन लोगों से जो बेज़ार हैं अल्लाह की उतारी हुई किताब से- हम तुम्हारी बात भी मानेंगे बाज़े कामों में और अल्लाह जानता है उनका मश्विरा करना। (26) फिर कैसा होगा हाल जबकि फ़रिश्ते जान निकालेंगे उनकी, मारते जाते हों उनके मुँह पर और पीठ पर। (27) यह इसलिये कि वे चले उस राह पर जिस से अल्लाह बेज़ार है और नापसन्द की उसकी ख़ुशी, फिर उसने अकारत (बरबाद) कर दिये उनके किए हुए काम। (28) ❁

अम् हसिबल्लज़ी-न फ़ी क़ुलूबिहिम् म-रज़ुन् अल्लंय्युख़्रिजल्लाहु अज़्ग़ानहुम (29) व लौ नशा-उ ल-अरैना-कहुम् फ़-ल-अ़रफ़्तहुम् बिसीमाहुम्, व ल-तअ्रिफ़न्नहुम् फ़ी लह्निल्-क़ौलि, वल्लाहु यअ्लमु अअ्मालकुम (30) व ल-नब्लुवन्नकुम् हत्ता नअ्-लमल्-मुजाहिदी-न मिन्कुम् वस्साबिरी-न व नब्लु-व अख़्बा-रकुम (31)

क्या ख़्याल रखते हैं वे लोग जिनके दिलों में रोग है कि अल्लाह ज़ाहिर न कर देगा उनके कीने? (29) और अगर हम चाहें तुझको दिखला दें वे लोग, सो तू पहचान तो चुका है उनको उनके चेहरे से और आगे पहचान लेगा बात के अन्दाज़ से, और अल्लाह को मालूम है तुम्हारे सब काम, (30) और हम ज़रूर तुमको जाँचेंगे ताकि मालूम कर लें जो तुम में लड़ाई करने वाले हैं और क़ायम रहने वाले, और तहक़ीक़ कर लें तुम्हारी ख़बरें। (31)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जो लोग ईमान वाले हैं वे (तो हमेशा इस बात के इच्छुक रहते हैं कि अल्लाह का कलाम और नाज़िल हो ताकि ईमान ताज़ा हो और नये अहकाम आयें तो उनका सवाब भी हासिल करें, और अगर पहले के अहकाम की ताकीद हो तो और ज़्यादा मज़बूती और जमाव

हासिल हो, और इस शौक़ व इच्छा में) कहते रहते हैं कि कोई (नई) सूरत क्यों न नाज़िल हुई (अगर नाज़िल हो तो तमन्ना पूरी हो) सो जिस वक़्त कोई साफ़-साफ़ (मज़मून की) सूरत नाज़िल होती है और (इत्तिफ़ाक़ से) उसमें जिहाद का भी (साफ़-साफ़) ज़िक्र होता है तो जिन लोगों के दिलों में (निफ़ाक़ की) बीमारी है आप उन लोगों को देखते हैं कि वे आपकी तरफ़ इस तरह (भयानक निगाहों से) देखते हैं जैसे किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो (इस तरह देखने का सबब ख़ौफ़ और बुज़दिली है कि अब अपने ईमान के दावे को निभाने के लिये जिहाद में जाना पड़ा और मुसीबत आई, और वे जो इस तरह ख़ुदा के हुक्म से जी चुराते हैं) सो (असल यह है कि) जल्द ही उनकी कमबख़्ती आने वाली है (चाहे दुनिया में भी किसी वबाल में गिरफ़्तार हों वरना मौत के बाद तो ज़रूरी ही है, और अगरचे फ़ुर्सत में ये बहुत बातें इताअ़त और ख़ुशामद की बनाया करते हैं लेकिन) इनकी फ़रमाँबरदारी और बातचीत (की हक़ीक़त) मालूम है (जिसका अब जिहाद का हुक्म नाज़िल होने के वक़्त उनकी हालत से सब ही पर ज़हूर हो गया), फिर (जिहाद का हुक्म नाज़िल होने के बाद) जब सारा काम (और लड़ाई का सामान) तैयार ही हो जाता है तो (उस वक़्त भी) अगर ये लोग (अल्लाह पर ईमान के दावे में) अल्लाह से सच्चे रहते (यानी ईमान के दावे के तक़ाज़े पर अ़मल करते जिसमें शरीअ़त के तमाम अहकाम उमूमन और जिहाद का हुक्म ख़ुसूसन शामिल है और सच्चे दिल से जिहाद करते) तो इनके लिये बहुत ही बेहतर होता (यानी शुरू में अगर मुनाफ़िक़ थे तो आख़िर ही में निफ़ाक़ से तौबा करने वाले हो जाते तब भी ईमान मक़बूल हो जाता, और आख़िरी हद को इसमें सीमित न समझा जाये क्योंकि वक़्ते मौत तक सच्चे दिल से तौबा मक़बूल है। आगे जिहाद की ताकीद और उससे पीछे रहने वालों को ख़िताब करके जिहाद के छोड़ने पर बयान फ़रमाते हैं कि तुम लोग जो जिहाद से नागवारी करते हो) सो (इसमें एक दुनियावी नुक़सान भी है चुनाँचे) अगर तुम (और इसी तरह सब जिहाद से) किनारा करने वाले रहे तो आया तुमको यह अन्देशा भी है (यानी होना चाहिये) कि तुम (यानी तमाम आदमी) दुनिया में फ़साद मचा दो, और आपस में ताल्लुक़ तोड़ दो। (यानी जिहाद से बड़ा फ़ायदा इन्साफ़ व अमन और सुधार को क़ायम करना है, अगर इसको छोड़ दिया जाये तो फ़सादी लोगों का ग़लबा हो जाये और कोई इन्तिज़ाम जिसमें तमाम लोगों की मस्लेहतों की हिफ़ाज़त हो, न रहे। और ऐसे इन्तिज़ाम न होने के लिये फ़साद यानी ख़राबी और बिगाड़ आ़म और हुक़ूक़ का ज़ाया करना लाज़िम है, पस जिस जिहाद में दुनियावी फ़ायदा भी हो उससे पीछे हटना और भी अ़जीब है)।

(आगे इन ज़िक्र हुए मुनाफ़िक़ों की बुराई व निंदा है कि) ये वे लोग हैं जिनको ख़ुदा ने अपनी रहमत से दूर कर दिया (इसलिये उसके अहकाम पर अ़मल की तौफ़ीक़ न रही), फिर (रहमत से दूर करने पर यह नतीजा सामने आया कि) उनको (क़ुबूल करने की नीयत से अल्लाह के अहकाम सुनने से) बहरा कर दिया और (हक़ राह के देखने से) उनकी (अन्दर की) आँखों को अन्धा कर दिया। (आगे उन पर डाँट-डपट है कि इसके बावजूद कि क़ुरआन में जिहाद और दूसरे अहकाम का वाजिब होना तथा क़ुरआन का दलीलों से हक़ होना और उन अहकाम की

आख़िरत की मस्लेहतें व फ़ायदे लाज़िमी तौर पर और कहीं-कहीं दुनियावी फ़ायदे भी, और उन अहकाम की मुख़ालफ़त पर सज़ा की धमकी और वायदे ज़िक्र हुए हैं, फिर ये लोग जो इस वक़्त तवज्जोह नहीं करते) तो क्या ये लोग क़ुरआन (के बेमिसाल होने और उसके मज़ामीन) में ग़ौर नहीं करते (इसलिये इन पर ये बातें खुलतीं)? या (ग़ौर करते हैं मगर) दिलों पर (ग़ैबी) ताले लग रहे हैं? (यानी इन दोनों में से एक बात का होना ज़रूरी है, और दोनों जमा हों यह भी हो सकता है, और वास्तव में यहाँ दोनों बातें जमा हैं, अव्वल उनकी तरफ़ से एक काम हुआ यानी इनकार की वजह से क़ुरआन में ग़ौर न करना फिर उसके वबाल में ताला लग गया जिसको तब्अ़ और ख़तम "यानी मुहर लगा देना" भी कहा गया है, और दलील इस तरतीब की यह आयत है:

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ

और इन दोनों के एक साथ जमा होने पर:

فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ○

मुरत्तब "यानी परिणाम के तौर पर सामने आना" है)।

(आगे इस ग़ौर व फ़िक्र न करने की वजह बयान फ़रमाते हैं कि) जो लोग (हक़ से) पीठ फेरकर हट गये इसके बाद कि सीधा रास्ता उनको (अ़क़्ली दलीलों जैसे क़ुरआन के मोजिज़ा व बेनज़ीर होने और किताबी व रिवायती दलीलों जैसे पिछली किताबों की भविष्यवाणी से) साफ़ मालूम हो गया, शैतान ने उनको चकमा दिया है और उनको दूर-दूर की सुझाई है (कि ईमान लाने से फ़ुलाँ-फ़ुलाँ मौजूदा या आगे आने वाली अपेक्षित मस्लेहतें और फ़ायदे हाथ से जाते रहेंगे। हासिल यह हुआ कि इस न सोचने-समझने की वजह दुश्मनी व बैर है कि हिदायत के स्पष्ट सुबूत के बाद फिर ये उल्टे पाँव लौटे जा रहे, और इस दुश्मनी व मुख़ालफ़ के बाद शैतान का बात बनाना और बहकाना हुआ, यानी शैतान ने उनकी नज़रों में इस ग़लत और तबाह कर देने वाले अ़मल को अच्छा बनाकर दिखलाया और उस बहकाने और ग़लत राह सुझाने से सोच-समझ से काम न लेने का मामला पेश आया, और सोच-समझ से काम न लेने से दिलों पर मुहर हुई, फिर) यह (हिदायत सामने आ जाने के बावजूद उससे लौटना और दूर होना) इस सबब से हुआ कि उन लोगों ने ऐसे लोगों से जो कि ख़ुदा के उतारे हुए अहकाम को (जलन में) नापसन्द करते हैं (इससे मुराद यहूदियों के सरदार हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हसद करते थे और असल हक़ को पहचानने के बावजूद पैरवी करने से अपनी तौहीन समझते थे। हासिल यह कि उन मुनाफ़िक़ों ने यहूदियों के सरदारों से) यह कहा कि बाज़ी बातों में हम तुम्हारा कहना मान लेंगे (यानी तुम जो हमको मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी करने और बात मानने से मना करते हो उसके दो भाग हैं- एक पैरवी न करना ज़ाहिर में, दूसरा पैरवी न करना दिल से, सो पहले हिस्से में तो हम मस्लेहत के तहत तुम्हारा कहना नहीं मान सकते लेकिन दूसरे हिस्से में मान लेंगे, क्योंकि अ़क़ीदों में हम तुम्हारे साथ हैं, जैसा कि उन्होंने कहा 'इन्ना म-अ़कुम्'।

मतलब यह हुआ कि हक़ से फिरने का सबब क़ौमी तास्सुब और अन्धी तक़लीद है। ग़र्ज़ कि सिलसिले की शुरूआत इससे है और इन्तिहा दिलों पर मुहर लग जाने पर) और (अगरचे इस क़िस्म की बातें ये मुनाफ़िक़ ख़ुफ़िया करते हैं मगर) अल्लाह तआ़ला उनके ख़ुफ़िया बातें करने को (ख़ूब) जानता है (और बाज़ी बातों पर वही के ज़रिये आपको बाख़बर कर देता है। आगे धमकी और वईद है जो कि 'उनकी ख़राबी' को बयान करने के तौर पर हो सकती है, यानी ये जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं) सो इनका क्या हाल होगा जबकि फ़रिश्ते इनकी जान क़ब्ज़ करते होंगे और इनके मुँहों पर और पीठों पर मारते जाते होंगे। (और) यह (सज़ा) इस सबब से (होगी) कि जो तरीक़ा ख़ुदा की नाराज़ी को वाजिब करने वाला था ये उसी पर चले और उसकी रज़ा (यानी रज़ा वाले आमाल) से नफ़रत करते रहे, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने इनके सब (नेक) आमाल (शुरूआत ही से) ज़ाया और बरबाद कर दिये (पस इस सज़ा के हक़दार हो गये और किसी के पास कोई मक़बूल अ़मल हो तो उसकी बरकत से सज़ा में कुछ तो कमी हो जाती है। आगे 'वल्लाहु यअ़्लमु इसरारहुम' के मज़मून की शरह के तौर पर है कि) जिन लोगों के दिल में रोग (निफ़ाक़) है (और वे उसको छुपाने की कोशिश करते हैं) क्या ये लोग यह ख़्याल करते हैं कि अल्लाह तआ़ला कभी उनकी दिली दुश्मनियों को ज़ाहिर न करेगा? (यानी यह उनको कैसे इत्मीनान हो गया जबकि हक़ तआ़ला का आ़लिमुल-ग़ैब होना साबित और मुसल्लम है)। और हम (तो) अगर चाहते तो आपको उनका पूरा पता बता देते, सो आप उनको हुलिये से पहचान लेते (पूरे पते का मतलब यही है कि हर एक का पूरा हुलिया बता देते) और (अगरचे मस्लेहत के तहत हमने इस तरह नहीं बतलाया लेकिन) आप उनको बात करने के अन्दाज़ से (अब भी) ज़रूर पहचान लेंगे (क्योंकि उनका कलाम सच्चाई पर आधारित नहीं और आपको समझ के नूर से अल्लाह तआ़ला ने सच और झूठ की पहचान दी थी कि सच का असर दिल पर और होता था और झूठ का और, जैसा कि हदीस में है कि सच इत्मीनान-बख़्श होता है और झूठ दिल में शक पैदा करता है)।

और (आगे मोमिनों व मुनाफ़िक़ों सब को ख़िताब में जमा करके शौक़ दिलाने और डपटने व डराने के तौर पर फ़रमाते हैं कि) अल्लाह तआ़ला तुम सब के आमाल को जानता है (पस मुसलमानों को उनके इख़्लास पर जज़ा और मुनाफ़िक़ों को उनके निफ़ाक़ और धोखे पर सज़ा देगा)। और (आगे सख़्त व भारी अहकाम जैसे जिहाद वग़ैरह की एक हकीमाना हिक्मत इरशद है जैसा कि ऊपर 'फिर तुमसे यह भी उम्मीद है.........' में एक हकीमाना हिक्मत इरशाद फ़रमाई थी, यानी) हम (ऐसे सख़्त और मशक़्क़त वाले मामलात का हुक्म देकर) ज़रूर तुम सब के आमाल की आज़माईश करेंगे, ताकि हम (ज़ाहिरी तौर पर भी) उन लोगों को मालूम (और दूसरों से अलग) कर लें जो तुम में जिहाद करने वाले हैं और जो (जिहाद में) साबित-क़दम "यानी अड़िग" रहने वाले हैं, और ताकि तुम्हारी हालतों की जाँच कर लें (यह इसलिये बढ़ा दिया कि जिहाद के हुक्म के अ़लावा दूसरे अहकाम भी दाख़िल हो जायें, और मेहनत व सब्र की हालत के अ़लावा दूसरे हालात भी दाख़िल हो जायें)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

سُوْرَةٌ مُّحْكَمَةٌ

'मुह्कमा' के लफ़्ज़ी मायने मज़बूत व स्थिर के हैं। इस लुग़वी मायने के एतिबार से तो क़ुरआन की हर सूरत मुह्कमा है लेकिन शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में मुह्कम मन्सूख़ के मुक़ाबले में इस्तेमाल होता है। यहाँ सूरत के साथ मुह्कम की क़ैद का इज़ाफ़ा इसलिये है कि अ़मल का शौक़ तो तभी पूरा हो सकता है जबकि वह सूरत मन्सूख़ (रद्द और निरस्त) न हो। और इमाम क़तादा रह. ने फ़रमाया कि जितनी सूरतों में जंग व जिहाद के अहकाम आये हैं वो सब मुह्कमा हैं। यहाँ चूँकि असल मक़सूद जिहाद का हुक्म और उस पर अ़मल है इसलिये सूरत के साथ मुह्कम का लफ़्ज़ बढ़ाकर जिहाद के ज़िक्र की तरफ़ इशारा कर दिया जिसकी आगे वज़ाहत व तफ़सील आ रही है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اَوْلٰى لَهُمْ

के मायने इमाम अस्मई के क़ौल के मुताबिक़ यह हैं कि उसकी तबाही के असबाब क़रीब आ चुके हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْٓا اَرْحَامَكُمْ ○

लफ़्ज़ तवल्ला के लुग़त के एतिबार से दो मायने हो सकते हैं- एक मुँह मोड़ना दूसरे किसी क़ौम व जमाअ़त पर हुकूमती इख़्तियार। इस आयत में मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने पहले मायने लिये हैं जिसको ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखा गया है। अबू हय्यान ने 'बहरे मुहीत' में इसी को तरजीह दी है। इस मायने के एतिबार से आयत का मतलब यह है कि अगर तुमने अल्लाह की शरीअ़त के अहकाम से मुँह मोड़ा जिनमें जिहाद का हुक्म भी शामिल है तो इसका असर यह होगा कि तुम जाहिलीयत के पुराने तरीक़ों पर पड़ जाओगे, जिसका लाज़िमी नतीजा ज़मीन में फ़साद (बिगाड़ व ख़राबी) और रिश्तों को काटना और तोड़ना है जैसा कि जाहिलीयत (इस्लाम से पहले के दौर) के हर काम में इसको देखा जाता था कि एक क़बीला दूसरे क़बीले पर चढ़ाई और क़त्ल व ग़ारत करता था, अपनी औलाद को ख़ुद अपने हाथों ज़िन्दा दफ़न कर देते थे, इस्लाम ने इन तमाम जाहिली रस्मों को मिटाया और इसके मिटाने के लिये जिहाद का हुक्म जारी फ़रमाया, जो अगरचे ज़ाहिर में ख़ून बहाना है मगर हक़ीक़त में इसका हासिल सड़े हुए हिस्सों (अंगों) को जिस्म से अलग कर देना है, ताकि बाक़ी जिस्म सालिम (बचा) रहे।

जिहाद के ज़रिये अ़दल व इन्साफ़ और ताल्लुक़ात व रिश्तों का एहतिराम क़ायम होता है। और तफ़सीर 'रूहुल-मआ़नी' व 'क़ुर्तुबी' वग़ैरह में इस जगह तवल्ला के मायने हुकूमत व सरदारी के लिये हैं, तो आयत का मतलब यह होगा कि तुम्हारे हालात जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है उनका तक़ाज़ा यह है कि अगर तुम्हारी मुराद पूरी हो यानी इसी हालत में तुम्हें मुल्क व क़ौम की सरदारी व हुकूमत हासिल हो जाये तो नतीजा इसके सिवा नहीं होगा कि तुम ज़मीन में फ़साद

(ख़राबी और बुराई) फैलाओगे और रिश्तों नातों को तोड़ डालोगे।

सिला-रहमी की सख़्त ताकीद

और लफ़्ज़ 'अरहाम' रहम की जमा (बहुवचन) है जो माँ के पेट में इनसान की बनावट और पैदाईश का मक़ाम (स्थान) है, चूँकि आम रिश्तों और निकट संबन्धों की बुनियाद वहीं से चलती है इसलिये मुहावरों में 'रहम' क़राबत और रिश्ते के मायने में इस्तेमाल किया जाता है। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इस जगह इस पर तफ़सीली बहस की है कि 'ज़विल्-अरहाम' और 'अरहाम' का लफ़्ज़ किन-किन रिश्तों को शामिल है। इस्लाम ने रिश्तेदारी और क़राबत (क़रीबी ताल्लुक़) के हुक़ूक़ पूरे करने की बड़ी ताकीद फ़रमाई है। सही बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु और दूसरे दो सहाबा से इस मज़मून की हदीस नक़ल की है कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि जो शख़्स सिला-रहमी करेगा अल्लाह तआ़ला उसको अपने क़रीब करेंगे, और जो रिश्ते के ताल्लुक़ को ख़त्म करे और तोड़ेगा अल्लाह तआ़ला उसको काट (ख़त्म कर) देंगे, जिससे मालूम हुआ कि क़रीबी लोगों और रिश्तेदारों के साथ बातचीत, मामलात और माल के ख़र्च करने में एहसान का सुलूक करने का ताकीदी हुक्म है। उक्त हदीस में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने क़ुरआन की इस आयत का हवाला भी दिया कि अगर चाहो तो यह आयत पढ़ लो। और एक हदीस में इरशाद है कि कोई ऐसा गुनाह जिसकी सज़ा अल्लाह तआ़ला दुनिया में भी देता है और आख़िरत में इसके अ़लावा, ज़ुल्म और रिश्ता तोड़ने के बराबर नहीं। (अबू दाऊद व तिर्मिज़ी, इब्ने कसीर) और हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स चाहता हो कि उसकी उम्र ज़्यादा हो और रिज़्क़ में बरकत हो उसको चाहिये कि सिला-रहमी करे यानी रिश्तेदारों के साथ एहसान का मामला करे। सही हदीसों में यह भी है कि क़राबत (रिश्ते व क़रीबी ताल्लुक़) के हक़ के मामले में दूसरी तरफ़ से बराबरी का ख़्याल न करना चाहिये, अगर दूसरा भाई ताल्लुक़ तोड़े और नामुनासिब सुलूक भी करता है तब भी तुम्हें अच्छे सुलूक का मामला करना चाहिये।

सही बुख़ारी में है:

ليس الواصل بالمكافى ولٰكنّ الواصل الذى اذا قطعت رحمه وصلها.

यानी वह शख़्स सिला-रहमी करने वाला नहीं जो सिर्फ़ बराबर का बदला दे, बल्कि सिला रहमी करने वाला वह है कि जब दूसरी तरफ़ से ताल्लुक़ तोड़ने का मामला किया जाये तो यह मिलाने और जोड़ने का काम करे। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

أُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ.

यानी ऐसे आदमी जो ज़मीन में फ़साद फैलायें और रिश्तों क़राबतों को तोड़ें और ख़त्म करें उन पर अल्लाह तआ़ला ने लानत फ़रमाई है, यानी उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया है। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसी आयत से 'उम्मुल-वलद' की बै (बेचने) को हराम क़रार दिया, यानी अपनी मिल्क की वह बाँदी जिससे कोई औलाद पैदा हो चुकी हो उसको

फ़रोख़्त करना औलाद से रिश्ता तोड़ने का सबब है जो लानत का सबब है, इसलिये उम्मुल-वलद के बेचने को हराम करार दिया। (हाकिम, इब्नुल-मुन्ज़िर हज़रत बरीदा की रिवायत से)

किसी ख़ास शख़्स पर लानत का हुक्म और यज़ीद पर लानत भेजने की बहस

हज़रत इमाम अहमद के साहिबज़ादे अ़ब्दुल्लाह ने उनसे यज़ीद पर लानत करने की इजाज़त के मुताल्लिक़ सवाल किया तो फ़रमाया कि उस शख़्स पर क्यों न लानत की जाये जिस पर अल्लाह ने अपनी किताब में लानत की है। बेटे ने अ़र्ज़ किया कि मैंने तो क़ुरआन को पूरा पढ़ा उसमें कहीं यज़ीद पर लानत नहीं आई? आपने यह आयत पढ़ी और फ़रमाया कि यज़ीद से ज़्यादा कौन रिश्तों और ताल्लुक़ात को तोड़ने व ख़त्म करने का मुजरिम होगा जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के रिश्ते व क़राबत की भी रियायत नहीं की। मगर उम्मत की अक्सरियत और बड़ी जमाअ़त के नज़दीक किसी निर्धारित और ख़ास शख़्स पर लानत करना जायज़ नहीं जब तक कि उसका कुफ़्र पर मरना यक़ीनी तौर पर साबित न हो। हाँ आ़म सिफ़त को ज़िक्र करके लानत करना जायज़ है जैसे 'अल्लाह की लानत हो झूठों पर' 'अल्लाह की लानत हो फ़साद फैलाने वालों पर' 'अल्लाह की लानत हो रिश्तों को तोड़ने और उनका लिहाज़ न रखने वालों पर' वग़ैरह। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इस जगह इस मसले पर विस्तार से बहस की है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी पेज 72 जिल्द 26)

اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالُهَا○

दिल पर ताला लग जाने के वही मायने हैं जिसको दूसरी आयतों में मोहर लग जाने से ताबीर किया गया, और मुराद इससे दिल का सख़्त और ऐसा बेहिस हो जाना है कि अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा समझने लगे। बेपरवाई के साथ लगातार गुनाहों में लगा रहना उमूमन इसका सबब होता है। नऊज़ु बिल्लाह

اَلشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمْلٰى لَهُمْ○

इसमें शैतान की तरफ़ दो कामों की निस्बत की गई- एक तस्वील जिसके मायने बनाने-संवारने के हैं कि बुरी चीज़ या बुरे अ़मल को किसी की नज़रों में अच्छा बना और सजा दे। दूसरा इमला जिसके मायने ढील और मोहलत देने के हैं, मुराद यह है कि शैतान ने अव्वल तो उनके बुरे आमाल को उनकी नज़रों में अच्छा और सजावटी करके दिखलाया फिर उनको ऐसी लम्बी आरज़ुओं और उम्मीदों में उलझा दिया जो पूरी होने वाली नहीं।

اَمْ حَسِبَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ اَنْ لَّنْ يُّخْرِجَ اللّٰهُ اَضْغَانَهُمْ○

अज़्ग़ान ज़िग़्न का बहुवचन है जिसके मायने छुपी दुश्मनी और कपट व जलने के हैं। मुनाफ़िक़ लोग जो इस्लाम का दावा और ज़ाहिर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से

मुहब्बत का इज़हार और दिल में दुश्मनी व कीना रखते थे उनके बारे में नाज़िल हुआ कि ये लोग अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन को आ़लिमुल-ग़ैब जानते हुए इस बात से क्यों बेफ़िक्र हैं कि अल्लाह तआ़ला उनके बातिनी (दिल के) राज़ और छुपी दुश्मनी को लोगों पर ज़ाहिर कर दें। इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने सूरः बराअत में उनके ऐसे आमाल व कामों और हरकतों का पता दे दिया जिनसे मुनाफ़िक़ों के निफ़ाक़ (ईमानी खोट) का पता चल जाये और वे पहचाने जायें, इसी लिये सूरः बराअत को फ़ाज़िहा भी कहा जाता है यानी रुस्वा करने वाली, क्योंकि उसने मुनाफ़िक़ों की ख़ास-ख़ास निशानियाँ ज़ाहिर कर दी हैं।

وَلَوْ نَشَآءُ لَاَرَيْنٰكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيْمٰهُمْ

यानी अगर हम चाहें तो आपको मुतैयन करके मुनाफ़िक़ों को दिखला दें और उनका ऐसा हुलिया बतला दें जिससे आप हर एक मुनाफ़िक़ को व्यक्तिगत तौर पर पहचान लें। क़ुरआन ने इस मज़मून को 'लौ' हर्फ़ से बयान किया है जिसका इस्तेमाल ऐसी शर्त के लिये होता है जिसका ज़हूर न हुआ हो, इसलिये आयत के मायने ये होते हैं कि अगर हम चाहते तो हर मुनाफ़िक़ लोगों को आपको व्यक्तिगत तौर पर मुतैयन करके बतला देते मगर हमने हिक्मत व मस्लेहत के सबब अपने हिल्म व बुर्दबारी से उनको इस तरह रुस्वा करना पसन्द नहीं किया ताकि यह उसूल क़ायम रहे कि तमाम मामलात को उनके ज़ाहिर पर महमूल किया जाये और अन्दर के हालात और दिल के छुपे मामलात को सिर्फ़ अ़लीम व ख़बीर अल्लाह तआ़ला के सुपुर्द किया जाये, अलबत्ता आपको ऐसी बसीरत (इल्म व समझ) हमने दे दी है कि आप मुनाफ़िक़ को ख़ुद उन्हीं के कलाम से पहचान लें, 'व ल-तअ़रिफ़न्नहुम् फ़ी लह्निल् क़ौलि' का यही मतलब है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

हज़रत उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जो शख़्स कोई चीज़ अपने दिल में छुपाता है अल्लाह तआ़ला उसको उसके चेहरे से और बिना इरादे के ज़बान पर आने से ज़ाहिर कर देते हैं, यानी बातचीत के दौरान उससे कुछ ऐसे कलिमात निकल जाते हैं जिससे उसका दिली राज़ ज़ाहिर हो जाये। ऐसी ही एक हदीस में इरशाद है कि जो शख़्स अपने दिल में कोई बात छुपाता है अल्लाह तआ़ला उसके वजूद पर उस चीज़ की चादर उढ़ा देते हैं। अगर वह चीज़ कोई अच्छी भली है तो वह ज़ाहिर होकर रहती है और बुरी है तो वह ज़ाहिर होकर रहती है। और हदीस की कुछ रिवायतों में यह भी आया है कि मुनाफ़िक़ों की एक जमाअ़त का आपको ज़ाती तौर पर भी इल्म दे दिया गया था जैसा कि मुस्नद अहमद में उक़्बा बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक ख़ुतबे (संबोधन) में ख़ास-ख़ास मुनाफ़िक़ों के नाम लेकर उनको मजलिस से उठा दिया, उसमें छत्तीस आदमियों के नाम गिनाये गये हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ

अल्लाह तआ़ला को तो कायनात के पहले दिन से हर शख़्स के आमाल व कामों का शुरू

से आख़िर तक का मुकम्मल इल्म है, यहाँ इल्म से मुराद ज़हूर और सामने आना है, यानी जो चीज़ अल्लाह तआला के इल्म में पहले से थी उसका वाक़े व ज़ाहिर होकर वाक़िआती इल्म हो जाये। (तफ़सीर इब्ने कसीर) वल्लाहु आलम

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَشَاقُّوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَن يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۝ فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۝ إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۝ إِن يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۝ هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنكُم مَّن يَبْخَلُ وَمَن يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَن نَّفْسِهِ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُم ۝

ع ٤ ٨

इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व सद्दू अ़न् सबीलिल्लाहि व शाक़्क़ुर्रसू-ल मिम्बअ़्दि मा तबय्य-न लहुमुल्-हुदा लंय्यज़ुर्रुल्ला-ह शैअन्, व स-युह्बितु अअ़्मालहुम (32) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू अतीअुल्ला-ह व अतीअुर्रसू-ल व ला तुब्तिलू अअ़्मालकुम (33) इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू व सद्दू अ़न् सबीलिल्लाहि सुम्-म मातू व हुम् कुफ़्फ़ारुन् फ़-लंय्यग़्फ़िरल्लाहु लहुम (34) फ़ला तहिनू व तद्अ़ू इलस्सल्मि व अन्तुमुल्-अअ़्लौ-न वल्लाहु म-अ़कुम् व लंय्यति-रकुम्	जो लोग इनकारी हुए और रोका उन्होंने अल्लाह की राह से और मुख़ालिफ़ हो गये रसूल से इसके बाद कि ज़ाहिर हो चुकी उन पर सीधी राह, न बिगाड़ सकेंगे अल्लाह का कुछ और वह बेकार कर देगा उनके सब काम। (32) ऐ ईमान वालो! हुक्म पर चलो अल्लाह के और हुक्म पर चलो रसूल के और ज़ाया मत करो अपने किये हुए काम। (33) जो लोग इनकारी हुए और रोका लोगों को अल्लाह की राह से फिर मर गये और वे इनकारी ही रहे तो हरगिज़ न बख़्शेगा उनको अल्लाह। (34) सो तुम बोदे न हुए जाओ और लगो पुकारने सुलह, और तुम ही रहोगे ग़ालिब और अल्लाह तुम्हारे साथ है, और नुक़सान

अअ्मालकुम (35) इन्नमल्-हयातुद्-दुन्या लअिबुंव्-व लह्वुन्, व इन् तुअ्मिनू व तत्तक़ू युअ्तिकुम् उजू-रकुम् व ला यस्अल्कुम् अम्वालकुम (36) इंय्यस्अल्कुमूहा फ़-युह्फ़िकुम् तब्ख़लू व युख़्रिज् अज़्ग़ा-नकुम (37) हा-अन्तुम् हा-उला-इ तुद्औ-न लितुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि फ़-मिन्कुम् मंय्यब्ख़लु व मंय्यब्ख़ल् फ़-इन्नमा यब्ख़लु अन्-नफ़्सिही, वल्लाहुल्-ग़निय्यु व अन्तुमुल्फ़ु-क़रा-उ व इन् त-तवल्लौ यस्तब्दिल् क़ौमन् ग़ैरकुम् सुम्-म ला यकूनू अम्सालकुम (38) ✿	न देगा तुमको तुम्हारे कामों में। (35) यह दुनिया का जीना तो खेल है और तमाशा, और अगर तुम यक़ीन लाओगे और बचकर चलोगे देगा तुमको तुम्हारा बदला और न माँगेगा तुम से तुम्हारे माल। (36) अगर माँगे तुम से वह माल फिर तुमको तंग करे तो बुख़्ल (कन्जूसी) करने लगो और ज़ाहिर कर दे तुम्हारे दिल की नाराज़गियाँ। (37) सुनते हो तुम लोग! तुमको बुलाते हैं कि ख़र्च करो अल्लाह की राह में फिर तुम में कोई ऐसा है कि नहीं देता और जो कोई न देगा सो न देगा (अपने) आपको, और अल्लाह बेनियाज़ है और तुम मोहताज हो, और अगर तुम फिर जाओगे तो बदल लेगा दूसरे लोग तुम्हारे अ़लावा, फिर वे न होंगे तुम्हारी तरह के। (38) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक जो लोग काफ़िर हुए और उन्होंने (औरों को भी) अल्लाह के रास्ते (यानी दीने हक़) से रोका और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की मुख़ालफ़त की इसके बाद कि उनको (दीन का) रास्ता (अ़क़्ली दलीलों से मुश्रिकों के लिये और किताबी व रिवायती दलीलों से भी अहले किताब के लिये) नज़र आ चुका था, ये लोग अल्लाह (के दीन) को कुछ नुक़सान न पहुँचा सकेंगे (बल्कि यह दीन हर हाल में पूरा होकर रहेगा, चुनाँचे हुआ)। और अल्लाह उनकी कोशिशों को (जो दीने हक़ के मिटाने के लिये अ़मल में ला रहे हैं) मिटा देगा।

ऐ ईमान वालो! अल्लाह की इताअ़त करो और (चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह ही का हुक्म बतलाते हैं चाहे ख़ास तौर पर अल्लाह की वही में उसका हुक्म हुआ हो या अल्लाह की वही में उसका कुल्ली ज़ाब्ता बयान फ़रमाया गया हो, और उस ख़ास हुक्म को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस ज़ाब्ते में दाख़िल होने की बिना पर हुक्म दिया हो इसलिये) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की (भी) इताअ़त करो, और (काफ़िरों की तरह अल्लाह और रसूल की मुख़ालफ़त करके) अपने आमाल को बरबाद मत करो

(इसकी तफ़सील 'मआरिफ़ व मसाईल' में अभी आगे आयेगी)। बेशक जो लोग काफ़िर हुए और उन्होंने अल्लाह के रास्ते से रोका, फिर वे काफ़िर ही रहकर मर (भी) गये, सो ख़ुदा तआ़ला उनको कभी न बख़्शेगा (मग़फ़िरत न होने के लिये कुफ़्र के साथ 'अल्लाह के रास्ते से रोकना' शर्त नहीं, बल्कि सिर्फ़ 'मौत के वक़्त तक काफ़िर रहने' का यही असर है, लेकिन बुराई की ज़्यादती के लिये उनमें मौजूद यह क़ैद बढ़ा दी कि उस वक़्त के काफ़िरों के सरदारों में यह चीज़ भी मौजूद थी)।

आगे मोमिनों की तारीफ़ों व अच्छाईयों और काफ़िरों की बुराईयों पर नतीजे को बयान करने के लिये फ़रमाते हैं कि जब मालूम हो गया कि मुसलमान ख़ुदा के महबूब और काफ़िर नापसन्दीदा हैं) तो (ऐ मुसलमानो!) तुम (काफ़िरों के मुक़ाबले में) हिम्मत मत हारो और (हिम्मत हारकर उनको) सुलह की तरफ़ मत बुलाओ, और तुम ही ग़ालिब रहोगे (और वे मग़लूब होंगे कि तुम महबूब हो और वे नापसन्दीदा हैं) और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे साथ है (यह तो तुमको दुनिया की कामयाबी हुई) और (आख़िरत में यह कामयाबी होगी कि अल्लाह तआ़ला) तुम्हारे आमाल (के सवाब) में हरगिज़ कमी न करेगा (यह तो हिम्मत बढ़ा करके जिहाद की तरफ़ शौक़ व तवज्जोह दिलाना था आगे दुनिया के फ़ानी होने का ज़िक्र करके जिहाद में रुचि लेना और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की भूमिका बाँधी है कि) यह दुनियावी ज़िन्दगी तो सिर्फ़ एक खेल-तमाशा है (अगर इसमें जान और माल को अपने फ़ायदे के लिये बचाना चाहे तो वह फ़ायदा ही कितने दिन का है और क्या उसका हासिल) और अगर तुम ईमान और नेकी व परहेज़गारी इख़्तियार करो (जिसमें जान और माल का जिहाद भी आ गया) तो (तुमको तो अपने पास से नफ़ा पहुँचायेगा इस तरह कि) अल्लाह तुमको तुम्हारे अज्र अ़ता करेगा, और (तुम से किसी नफ़े का तालिब न होगा, चुनाँचे) तुमसे तुम्हारे माल (तक भी जो कि जान से हल्के हैं अपने नफ़े के लिये) तलब न करेगा (जब तुम से ऐसी चीज़ नहीं तलब करता जिसका देना आसान है तो जान जिसका देना मुश्किल है वह तो क्यों तलब करेगा। चुनाँचे ज़ाहिर है कि हमारे जान व माल के ख़र्च करने से अल्लाह तआ़ला का कोई नफ़ा नहीं और न यह मुम्किन है क्योंकि अल्लाह तआ़ला ही सब को खिलाता है उसे किसी के खाने की ज़रूरत नहीं। चुनाँचे) अगर (इम्तिहान के तौर पर) तुमसे तुम्हारे माल तलब करे फिर आख़िरी दर्जे तक तुमसे तलब करता रहे (यानी सब माल तलब करने लगे) तो तुम (यानी तुम में से अक्सर) कन्जूसी करने लगो (यानी देना गवारा न करो), और (उस वक़्त) अल्लाह तआ़ला तुम्हारी नागवारी ज़ाहिर कर दे (यानी न देने से जो कि ज़ाहिरी अ़मल है अन्दर की नागवारी खुल जाये, इसलिये यह संभव सूरत भी ज़ाहिर नहीं की गई)।

(और) हाँ! तुम लोग ऐसे हो कि तुमको अल्लाह की राह में (जिसका नफ़ा तुम्हारी तरफ़ लौटना यक़ीनी है थोड़ा सा हिस्सा माल का) ख़र्च करने के लिये बुलाया जाता है (और बक़िया अक्सर तुम्हारे क़ब्ज़े में छोड़ दिया जाता है), सो (इस पर भी) बाज़े तुम में से वे हैं जो कन्जूसी करते हैं। और (आगे इस ज़ाहिर होने वाली सूरत पर कन्जूसी की निंदा है कि) जो शख़्स (ऐसी

जगह ख़र्च करने से) कन्जूसी करता है तो वह (हक़ीक़त में) ख़ुद अपने से कन्जूसी करता है (यानी अपने ही को उसके हमेशा बाक़ी रहने वाले नफ़े से मेहरूम रखता है) और (नहीं तो) अल्लाह तो किसी का मोहताज नहीं (कि उसके नुक़सान का गुमान व संभावना हो) और (बल्कि) तुम सब (उसके) मोहताज हो। (और तुम्हारे इस ज़रूरत मन्द होने की रियायत से तुमको ख़र्च करने का हुक्म किया गया, क्योंकि आख़िरत में तुमको सवाब की ज़रूरत होगी और रास्ता उसका यही आमाल हैं, और) अगर तुम (हमारे अहकाम से) नाफ़रमानी करोगे तो ख़ुदा तआ़ला तुम्हारी जगह दूसरी क़ौम पैदा कर देगा (और) फिर वे तुम जैसे (नाफ़रमानी करने वाले) न होंगे (बल्कि बहुत ही फ़रमाँबरदार होंगे। यह काम उनसे लिया जायेगा और इस तरह वह हिक्मत पूरी हो जायेगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

यह आयत भी मुनाफ़िक़ों और बनू क़ुरैज़ा व बनू नज़ीर के यहूदियों के बारे में नाज़िल हुई है और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह उन मुनाफ़िक़ों के बारे में है जिन्होंने ग़ज़वा-ए-बदर के मौक़े पर क़ुरैश के काफ़िरों की इमदाद इस तरह की कि उनमें से बारह आदमियों ने उनके पूरे लश्कर का खाना अपने ज़िम्मे ले लिया था, हर रोज़ उनमें से एक आदमी काफ़िरों के लश्कर के खाने का इन्तिज़ाम करता था।

وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ ○

यहाँ आमाल के बेकार करने से मुराद यह भी हो सकता है कि उनकी इस्लाम के ख़िलाफ़ कोशिशों को कामयाब न होने दे बल्कि अकारत कर दे जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखा गया है, और ये मायने भी हो सकते हैं कि उनके कुफ़्र व निफ़ाक़ की वजह से उनके नेक अ़मल जैसे सदक़ा ख़ैरात वग़ैरह सब अकारत हो जायेंगे, क़ाबिले क़ुबूल न होंगे।

لَا تُبْطِلُوْٓا اَعْمَالَكُمْ ○

क़ुरआने करीम ने इस जगह आमाल 'हब्त' (अकारत) करने के बजाय आमाल के 'बातिल' (ज़ाया) करने का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है जिसका मफ़्हूम बहुत आ़म है, क्योंकि बातिल करने की एक तो वह सूरत है जो कुफ़्र की वजह से पेश आती है जिसको ऊपर आयत में आमाल के हब्त होने के लफ़्ज़ से ताबीर फ़रमाया है, क्योंकि असली काफ़िर का तो कोई अ़मल कुफ़्र की वजह से मक़बूल ही नहीं, और जो इस्लाम लाने के बाद मुर्तद हो गया (यानी इस्लाम छोड़कर फिर काफ़िर हो गया) तो इस्लाम के ज़माने के आमाल अगरचे लायक़े क़ुबूल थे मगर उसके कुफ़्र व मुर्तद होने ने उन आमाल को बरबाद कर दिया।

दूसरी सूरत आमाल के बातिल होने की यह भी है कि बाज़े नेक आमाल के लिये कुछ दूसरे नेक आमाल शर्त हैं, तो जिस शख़्स ने उस शर्त को ज़ाया कर दिया तो उसका यह नेक अ़मल

भी ज़ाया हो गया जो उस शर्त के साथ मशरूत था। जैसे हर नेक अ़मल के क़ुबूल होने की शर्त यह है कि वह ख़ालिस अल्लाह के लिये हो, रिया व शोहरत हासिल करना उसमें न हो, यानी महज़ लोगों को दिखाने या सुनाने के लिये वह अ़मल न किया हो, क़ुरआने करीम का इरशाद हैः

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.

और दूसरी जगह फ़रमायाः

اَلَا لِلّٰهِ الدِّيْنُ الْخَالِصُ

तो जिस शख़्स के नेक आमाल दिखावे और नाम पाने के लिये हों वह अ़मल अल्लाह के नज़दीक बातिल हो जायेगा। इसी तरह सदक़ों के बारे में ख़ुद क़ुरआन ने वज़ाहत फ़रमा दीः

لَا تُبْطِلُوْا صَدَقٰتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْاَذٰى

यानी अपने सदक़ों को एहसान जतलाकर या ग़रीब को तकलीफ़ देकर बातिल न करो।

मालूम हुआ कि जिसने सदक़ा देकर ग़रीब पर एहसान जतलाया या उसे कोई और तकलीफ़ पहुँचाई उसका सदक़ा बातिल है, यही मतलब हो सकता है हज़रत हसन बसरी के क़ौल का जो उन्होंने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि अपनी नेकियों को गुनाहों के ज़रिये बातिल न करो जैसा कि इमाम इब्ने जुरैज का क़ौल है यानी 'लोगों को दिखाने और सुनाने' के लिये।

और मुक़ातिल वग़ैरह ने फ़रमाया 'बिल्‌मिन्न', क्योंकि तमाम अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि कुफ़्र व शिर्क के अ़लावा कोई गुनाह अगरचे वह बड़ा गुनाह हो ऐसा नहीं जो मोमिन के तमाम नेक आमाल को बेकार और ज़ाया कर दे। जैसे किसी शख़्स ने चोरी कर ली और वह नमाज़ रोज़े का पाबन्द है तो शरई तौर पर उसको यह नहीं कहा जायेगा कि तेरी नमाज़ और रोज़ा भी बातिल हो गये उसकी क़ज़ा कर। इसलिये नेक आमाल के गुनाहों से बातिल होने से मुराद वही गुनाह होंगे जिनके न करने पर अ़मल की मक़बूलियत का मदार है जैसे दिखावा और शौहरत चाहना, कि इनका न होना हर नेक अ़मल की मक़बूलियत की शर्त है, और यह भी मुम्किन है कि हज़रत हसन बसरी रह. के क़ौल में आमाल के बातिल होने से मुराद नेक आमाल की बरकतों से मेहरूमी हो, ख़ुद अ़मल का ज़ाया हो जाना मुराद न हो, तो यह तमाम गुनाहों और बुराईयों के लिये शर्त है। जिस शख़्स के आमाल में बुराईयों और गुनाहों का ग़लबा हो तो उसके थोड़े से नेक आमाल में भी वह बरकत नहीं होती कि अ़ज़ाब से बचा ले बल्कि वह अपने आमाल की सज़ा क़ायदे के मुताबिक़ भुगतेगा मगर आख़िरकार अपने ईमान की बरकत से सज़ा भुगतने के बाद निजात पायेगा।

मसलाः- तीसरी सूरत अ़मल के बातिल और ज़ाया होने की यह भी है कि कोई नेक अ़मल करके उसको जान-बूझकर फ़ासिद (ख़राब) कर दे, जैसे नफ़िल नमाज़ या रोज़ा शुरू करे फिर बग़ैर किसी उज़्र और मजबूरी के उसको इरादा करके फ़ासिद कर दे, यह भी इस आयत के ज़रिये नाजायज़ क़रार पाया। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. का यही मज़हब है कि जो नेक आमाल शुरू में फ़र्ज़ या वाजिब नहीं थे मगर किसी ने उनको शुरू कर दिया तो अब उनका पूरा

करना इस आयत के बयान के मुताबिक वाजिब हो गया, ताकि अ़मल को बरबाद व ज़ाया करने का करने वाला न हो। अगर किसी ने ऐसा अ़मल शुरू करके बिना किसी उज़्र के छोड़ दिया या जान-बूझकर अपने इरादे से फ़ासिद कर दिया तो वह गुनाहगार भी हुआ और उसके ज़िम्मे कज़ा भी लाज़िम है। इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक न तो कज़ा लाज़िम है और न उसके फ़ासिद करने से गुनाहगार होगा, क्योंकि जब शुरू में अ़मल फ़र्ज़ या वाजिब नहीं था तो बाद में भी फ़र्ज़ या वाजिब नहीं जिसके छोड़ने या फ़ासिद करने से गुनाह लाज़िम आये, मगर हनफ़ी हज़रात के नज़दीक उक्त आयत के अलफ़ाज़ आ़म हैं जो हर नेक अ़मल को शामिल हैं, चाहे पहले फ़र्ज़ व वाजिब हो या नफ़्ली तौर पर करना शुरू कर दिया हो, तो शुरू करने से वह नफ़्ली अ़मल भी वाजिब हो गया। तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह बहुत सारी हदीसों के साथ इस बहस को विस्तार से लिखा गया है।

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ.

इन्हीं अलफ़ाज़ के साथ एक हुक्म अभी पहले आया है, दोबारा ज़िक्र या तो इसलिये है कि पहली आयत में काफ़िरों के दुनियावी ख़सारे का बयान हुआ है और इस आयत में उनका आख़िरत का नुकसान बतलाना मन्ज़ूर है जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में नकल किया गया है, और यह भी हो सकता है कि पहली आयत में तो आ़म काफ़िरों का ज़िक्र था जिनमें वे लोग भी शामिल थे जो बाद में मुसलमान हो गये, उनका हुक्म तो यह आया कि जो नेक आमाल उन्होंने कुफ़्र की हालत में किये थे वो सब बेकार गये, इस्लाम लाने के बाद भी उनका सवाब नहीं मिलेगा, और इस आयत में ऐसे काफ़िरों का ख़ास ज़िक्र है जो मरते दम तक कुफ़्र व शिर्क ही पर जमे रहे कि उनका हुक्म यह है कि आख़िरत में उनकी हरगिज़ मग़फ़िरत (बख़्शिश) नहीं होगी। वल्लाहु आलम

فَلَا تَهِنُوْا وَتَدْعُوْٓا اِلَى السَّلْمِ

इस आयत में काफ़िरों को सुलह की दावत देने की मनाही की गई है और क़ुरआने करीम में दूसरी जगह इरशाद है:

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا

यानी अगर काफ़िर सुलह की तरफ़ माईल हों तो आप भी माईल हो जाईये। जिससे सुलह की इजाज़त मालूम होती है, इसलिये कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इजाज़त वाली आयत इस शर्त के साथ है कि काफ़िरों की तरफ़ से सुलह करने की शुरूआत हो, और इस आयत में जिसको मना किया गया है वह यह है कि मुसलमानों की तरफ़ से सुलह की दरख़्वास्त की जाये। इसलिये दोनों आयतों में कोई टकराव नहीं, मगर सही यह है कि मुसलमानों के लिये शुरूआत में सुलह कर लेना भी जायज़ है जबकि मस्लेहत मुसलमानों की उसमें देखी जाये, महज़ बुज़दिली और ऐश में पड़ना उसका सबब न हो। और इस आयत ने शुरू में 'फ़ला तहिनू' कहकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि वर्जित (मना की गयी) वह सुलह है जिसका मंशा बुज़दिली और अल्लाह की राह

में जिहाद करने से भागना हो, इसलिये इसमें भी कोई टकराव और विरोधाभास नहीं कि 'व इन् ज-नहू लिस्सल्मि' की आयत के हुक्म को उस सूरत के साथ सशर्त किया जाये जिसमें सुलह चाहने का सबब बोदापन और सुस्ती व बुज़दिली न हो, बल्कि ख़ुद मुसलमानों की मस्लेहत का तक़ाज़ा हो। वल्लाहु आलम

وَلَنْ يَّتِرَكُمْ اَعْمَالَكُمْ ○

यानी अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आमाल की जज़ा में कोई कमी नहीं करेगा। इशारा इस तरफ़ है कि दुनिया में कोई तकलीफ़ भी पहुँच गई तो उसका बड़ा अज्र आख़िरत में मिलने वाला है इसलिये मोमिन तकलीफ़ की हालत में भी नाकाम नहीं।

اِنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا

चूँकि जिहाद से रोकने वाली चीज़ इनसान के लिये दुनिया की मुहब्बत ही हो सकती है जिसमें अपनी जान की मुहब्बत, बाल-बच्चों और घर वालों की मुहब्बत, माल व दौलत की मुहब्बत सब दाख़िल हैं। इस आयत में यह बतला दिया गया है कि ये चीज़ें बहरहाल ख़त्म और फ़ना होने वाली हैं, इस वक़्त इनको बचा भी लिया तो फिर क्या, दूसरे वक़्त ये चीज़ें हाथ से निकलेंगी। इसलिये इन फ़ानी और नापायेदार चीज़ों की मुहब्बत को आख़िरत की हमेशा की पायेदार नेमतों की मुहब्बत पर ग़ालिब न आने दो।

وَلَا يَسْئَلْكُمْ اَمْوَالَكُمْ ○

इस आयत का ज़ाहिरी मफ़्हूम यह है कि अल्लाह तआ़ला तुम से तुम्हारे माल तलब नहीं करता, मगर पूरे क़ुरआन में ज़कात व सदक़ात के अहकाम और अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने के बेशुमार मौक़े आये हैं, और ख़ुद इसके बाद ही दूसरी आयत में अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की ताकीद आ रही है, इसलिये बज़ाहिर इन दोनों में टकराव मालूम होता है, इसलिये कुछ हज़रात ने 'ला यस्अल्कुम्' का मफ़्हूम यह क़रार दिया है कि अल्लाह तआ़ला तुम्हारे माल तुम से अपने किसी नफ़े के लिये नहीं माँगता बल्कि तुम्हारे ही फ़ायदे के लिये माँगता है, जिसका ज़िक्र इसी आयत में भी 'युअ्तिकुम् उजूरकुम्' के अलफ़ाज़ से कर दिया गया है कि तुम से जो कुछ अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिये कहा गया वह इसलिये है कि आख़िरत में जहाँ तुम्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत नेकियों की होगी उस वक़्त यह ख़र्च करना तुम्हारे काम आये, वहाँ तुम्हें इसका अज्र मिले। उपरोक्त ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी मफ़्हूम को इख़्तियार किया गया है, इसकी नज़ीर यह आयतः

مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ○

(यानी सूरः ज़ारियात की आयत 57) है, यानी अल्लाह तआ़ला फ़रमाते हैं कि हम तुम से अपने लिये कोई रिज़्क़ नहीं लेते न इसकी हमें हाजत है। और कुछ हज़रात ने इस आयत का मतलब यह क़रार दिया है कि 'ला यस्अल्कुम्' (तुम से नहीं माँगते) से मुराद पूरा माल तलब कर लेना है। (यह इमाम इब्ने उयैना का क़ौल है जो तफ़सीरे क़ुर्तुबी में नक़ल किया गया है) इसका

करीना अगली आयत है जिसमें फ़रमाया हैः

إِنْ يَسْئَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ

क्योंकि 'युहफ़ि' इहफ़ा से निकला है जिसके मायने मुबालग़े और किसी काम में आख़िर तक पहुँच जाने के हैं। इस दूसरी आयत का मफ़्हूम सब के नज़दीक यह है कि अगर अल्लाह तआ़ला तुमसे तुम्हारे माल पूरे तलब करता तो तुम बुख़्ल (कन्जूसी) करने लगते और इस हुक्म की तामील तुम्हें नागवार होती, यहाँ तक कि अदायेगी के वक़्त तुम्हारी यह नागवारी ज़ाहिर हो जाती। ख़ुलासा यह है कि पहली आयत में 'ला यस्अल्कुम' से मुराद यही है जो दूसरी आयत में 'फ़युहफ़िकुम' की कैद (शर्त) के साथ आया है। तो मतलब इन दोनों आयतों का यह हुआ कि अल्लाह तआ़ला ने जो कुछ माली फ़राईज़ ज़कात वग़ैरह तुम पर आ़यद किये हैं अव्वल तो वे ख़ुद तुम्हारे ही फ़ायदे के लिये हैं, अल्लाह तआ़ला का कोई अपना फ़ायदा नहीं, दूसरे फिर उन फ़राईज़ में अल्लाह तआ़ला ने अपनी रहमत से तुम्हारे माल का इतना थोड़ा सा हिस्सा और भाग फ़र्ज़ किया है जो किसी तरह तबीयत पर बोझ न बनना चाहिये।

ज़कात में चालीसवाँ हिस्सा, ज़मीन की पैदावार में दसवाँ हिस्सा या बीसवाँ हिस्सा, सौ बकरियों में से एक बकरी, तो मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे पूरे माल तो तलब नहीं किये जिनका देना नागवार और तबई तौर पर दिल पर बोझ होता बल्कि उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा तलब फ़रमाया है, इसलिये तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उसको दिल की ख़ुशी के साथ अदा किया करो। और इस दूसरी आयत में जो इरशाद हैः

يُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ○

(ज़ाहिर कर दे तुम्हारे दिल की नाराज़गियाँ) इसमें अज़्ग़ान ज़िग़िन का बहुवचन है जिसके मायने छुपे कीने और छुपी नागवारी के हैं। इस जगह भी छुपी नागवारी और बुरा समझना मुराद है। यानी तबई तौर पर इनसान को अपना पूरा माल दे देना नागवार होता है जिसको वह ज़ाहिर भी न करना चाहे तो अदायेगी के वक़्त टाल-मटोल वग़ैरह से वह नागवारी खुल ही जाती है। तो इरशाद का हासिल यह है कि अगर अल्लाह तआ़ला तुम से पूरे मालों का मुतालबा कर लेता तो तुम बुख़्ल (कन्जूसी) करने लगते और बुख़्ल की वजह से जो नागवारी और बुरा समझना तुम्हारे दिलों में होता वह लाज़िमी तौर पर ज़ाहिर हो जाता। इसलिये उसने तुम्हारे मालों में से एक मामूली और थोड़ा सा हिस्सा तुम पर फ़र्ज़ किया है, तुम उसमें भी बुख़्ल करने लगे। इसी का बयान आख़िरी आयत में इस तरह फ़रमाया है किः

تُدْعَوْنَ لِتُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَّنْ يَّبْخَلُ

यानी तुमको तुम्हारे मालों का कुछ हिस्सा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की तरफ़ दावत दी जाती है तो तुम में से बाज़े उसमें भी बुख़्ल करने (कन्जूसी करने और हाथ सिकोड़ने) लगते हैं। इसके बाद फ़रमाया किः

وَمَنْ يَّبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَّفْسِهٖ

यानी जो शख़्स इसमें भी बुख़्ल करता है वह अल्लाह का कुछ नुक़सान नहीं करता बल्कि ख़ुद अपनी जान का नुक़सान उस बुख़्ल के ज़रिये करता है, कि आख़िरत के सवाब से मेहरूमी और फ़र्ज़ के छोड़ने का वबाल है। फिर इसी बात को ज़्यादा वज़ाहत से बयान फ़रमा दियाः

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمُ الْفُقَرَآءُ.

यानी अल्लाह तो ग़नी है तुम ही ज़रूरत मन्द हो, अल्लाह की राह में ख़र्च करना ख़ुद तुम्हारी हाजत का पूरा करना है।

وَاِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُوْنُوْٓا اَمْثَالَكُمْo

इस आयत में हक़ तआला के ग़नियों के ग़नी (यानी पूरी तरह हर चीज़ से बेपरवाह) होने को इस तरह स्पष्ट किया है कि अल्लाह को तुम्हारे मालों की तो क्या ख़ुद तुम्हारे वजूद की भी कोई ज़रूरत नहीं, अगर तुम सब के सब हमारे अहकाम की तामील छोड़ दो तो जब तक हमें दुनिया को और इसमें इस्लाम को बाक़ी रखना है हम अपने दीने हक़ की हिफ़ाज़त और अपने अहकाम की तामील के लिये दूसरी ऐसी क़ौम पैदा कर देंगे जो तुम्हारी तरह शरीअ़त के अहकाम से गुरेज़ और मुँह मोड़ना न करेगी बल्कि हमारी मुकम्मल इताअ़त करेगी।

हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि इससे मुराद अ़जमी (अ़रब से बाहर के) लोग हैं। और हज़रत इक्रिमा रह. ने फ़रमाया कि इस से मुराद फ़ारस और रूम हैं, और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तिलावत सहाबा किराम के सामने फ़रमाई तो सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! वह ऐसी कौनसी क़ौम है कि अगर हम (ख़ुदा न ख़्वास्ता) दीन के अहकाम से मुँह फेरने लगें तो वह हमारे बदले में लाई जायेगी और फिर वह हमारी तरह अहकाम से मुँह नहीं मोड़ेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु (जो मजलिस में मौजूद थे) की रान पर हाथ मारकर फ़रमाया कि यह और इसकी क़ौम। और अगर (फ़र्ज़ करो) दीने हक़ सुरैया सितारे पर भी होता (जहाँ लोगों की पहुँच मुश्किल होती) तो फ़ारस के कुछ लोग वहाँ भी पहुँचकर दीन को हासिल करते और उस पर अ़मल करते। (यह हदीस इमाम तिर्मिज़ी व हाकिम ने नक़ल की और इसको सही क़रार दिया है। मज़हरी)

शैख़ जलालुद्दीन सुयूती रह. ने अपनी किताब जो इमाम अबू हनीफ़ा रह. की ख़ूबियों और तारीफ़ में लिखी है उसमें फ़रमाया है कि इससे मुराद अबू हनीफ़ा और उनके साथी हैं, क्योंकि फ़ारस के लोगों में कोई जमाअ़त इल्म के उस मर्तबे पर नहीं पहुँची जिस पर अबू हनीफ़ा और उनके अस्हाब (साथी) पहुँचे हैं। (हाशिया तफ़सीरे मज़हरी)

अल्लाह का शुक्र है कि आज दिनाँक 14 शाबान सन् 1392 हिजरी शनिवार के दिन अ़सर के बाद सूरः मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा पूरा हुआ।

सूरः अल्-फ़तह

सूरः अल्-फ़तह मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 29 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

ركوعاتها ٤ (١١١) سُورَةُ الْفَتْحِ مَدَنِيَّةٌ (٤٨) اٰياتها ٢٩

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا ۙ لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهٗ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۙ وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इन्ना फ़-तह्ना ल-क फ़त्हम्-मुबीना (1) लि-यग़्फ़ि-र लकल्लाहु मा तक़द्द-म मिन् ज़म्बि-क व मा त-अख़्ख़-र व युतिम्-म निअ़्-म-तहू अ़लै-क व यह्दि-य-क सिरातम् मुस्तक़ीमा (2) व यन्सु-रकल्लाहु नस्रन् अ़ज़ीज़ा (3)	हमने फ़ैसला कर दिया तेरे वास्ते खुला फ़ैसला (1) ताकि माफ़ करे तुझको अल्लाह जो आगे हो चुके तेरे गुनाह और जो पीछे रहे, और पूरा कर दे तुझ पर अपना एहसान और चलाये तुझको सीधी राह, (2) और मदद करे तेरी अल्लाह ज़बरदस्त मदद। (3)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक हमने (सुलह हुदैबिया में) आपको एक खुल्लम-खुल्ला फ़तह दी (यानी सुलह हुदैबिया से यह फ़ायदा हुआ कि वह सबब हो गई एक मतलूबा फ़तह यानी मक्का के फ़तह होने का। इस लिहाज़ से यह सुलह ही फ़तह हो गई, और फ़तहे-मक्का को फ़तहे-मुबीन (खुली फ़तह) इसलिये कहा गया कि फ़तह से मक़सूद इस्लामी शरीअ़त में कोई हुक्मरानी नहीं बल्कि दीने इस्लाम का ग़लबा मक़सूद होता है, और फ़तहे-मक्का से यह मक़सूद (उद्देश्य) बड़ी हद तक हासिल हो गया, क्योंकि अ़रब के तमाम क़बीले इस बात के मुन्तज़िर थे कि अगर आप (सल्ल.)

अपनी क़ौम पर ग़ालिब आ गये तो हम भी इताअ़त कर लेंगे। जब मक्का फ़तह हुआ तो चारों तरफ़ से अ़रब के क़बीले उमड़ पड़े और ख़ुद या अपने वफ़्दों (प्रतिनिधि मण्डलों) के माध्यम से इस्लाम लाना शुरू किया "जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अ़मर बिन सलमा की रिवायत से बयान हुआ है" चूँकि इस्लाम के ग़ालिब आने के बड़े आसार मक्का फ़तह होने से नुमायाँ हुए इसलिये इसको ख़ुली फ़तह फ़रमाया गया, और सुलह हुदैबिया इस फ़तहे-मक्का का सबब और ज़रिया इस तरह हो गई कि मक्का वालों से आये दिन लड़ाई रहा करती थी जिसकी वजह से मुसलमानों को अपनी क़ुव्वत और सामान बढ़ाने की मोहलत व फ़ुर्सत न मिलती थी, हुदैबिया के वाक़िए में जो सुलह हो गई तो इत्मीनान के साथ मुसलमानों ने कोशिश की जिससे बहुत से नये आदमी मुसलमान हो गये और मुसलमानों का मजमा बढ़ गया और ख़ैबर वग़ैरह के फ़तह होने से सामान भी दुरुस्त हो गया और ऐसे हो गये कि दूसरों पर दबाव पड़ सके।

फिर क़ुरैश की तरफ़ से अ़हद यानी समझौते को तोड़ा गया तो आप दस हज़ार सहाबा किराम के साथ मुक़ाबले के लिये चले। मक्का वाले इस क़द्र मरऊब हुए कि ज़्यादा लड़ाई भी नहीं हुई और इताअ़त क़ुबूल कर ली और जो लड़ाई हुई भी तो इतनी कम और हल्की सी कि उलेमा का इसमें मतभेद हो गया कि मक्का मुकर्रमा सुलह के साथ फ़तह हुआ या जंग से। ग़र्ज़ कि इस तरह यह सुलह फ़तह का सबब हो गई, इसलिये इस सुलह को भी फ़तह फ़रमा दिया गया, जिसमें फ़तहे-मक्का की भविष्यवाणी भी है।

आगे इस फ़तह के दीनी और दुनियावी परिणाम व फल और बरकतों का बयान है कि यह फ़तह इसलिये मयस्सर हुई) ताकि (दीन की तब्लीग़ और हक़ की दावत में आपकी कोशिशों का नतीजा इस तरह ज़ाहिर हो कि कसरत से लोग इस्लाम में दाख़िल हों और इससे आपका अज्र बहुत बढ़ जाये, और अज्र की कसरत और अल्लाह की निकटता की बरकत से) अल्लाह तआ़ला आपकी सब अगली पिछली ख़ताएँ (जो अपनी शक्ल के एतिबार से ख़ता और ग़लती दिखाई दें) माफ़ फ़रमा दे, और आप पर (जो अल्लाह तआ़ला) अपने एहसानात (करता आता है जैसे आपको नुबुव्वत दी, क़ुरआन दिया, बहुत से उलूम दिये, बहुत से आमाल का सवाब दिया, उन एहसानों) को (और ज़्यादा) पूरा कर दे (इस तरह कि आपके हाथ पर बहुत से लोग इस्लाम में दाख़िल हों जिससे आपका अज्र और निकटता का मक़ाम और बुलन्द हो। ये दो नेमतें तो आख़िरत से संबन्धित हैं) और (दो नेमतें दुनियावी हैं एक यह कि) आपको (बग़ैर किसी रोक-टोक के) सीधे रास्ते पर ले चले (और अगरचे आपका सही और सीधे रास्ते पर चलना पहले से यक़ीनी है मगर उसमें काफ़िरों से रुकावट होता थी अब यह टकराव और रुकावट नहीं रहेगी)। और (दूसरी दुनियावी नेमत यह है कि) अल्लाह आपको ऐसा ग़लबा दे जिसमें इ़ज़्ज़त ही इ़ज़्ज़त हो (यानी जिसके बाद आपको कभी किसी से दबना न पड़े। चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि अ़रब के तमाम ख़ित्ते और इलाक़े पर आपका ग़लबा व क़ब्ज़ा हो गया)।

मआरिफ़ व मसाईल

सहाबा व ताबिईन और तफ़सीर के इमामों की बड़ी जमाअ़त और अक्सरियत के नज़दीक सूरः फ़तह सन् 6 हिजरी में उस वक़्त नाज़िल हुई जबकि आप सहाबा की जमाअ़त के साथ उमरा के इरादे से मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ ले गये और हरमे मक्का के क़रीब हुदैबिया के मक़ाम तक पहुँचकर पड़ाव डाला, मगर मक्का के क़ुरैश ने आपको मक्का में दाख़िल होने से मना किया फिर इस पर सुलह करने के लिये तैयार हुए कि इस साल तो आप वापस चले जायें, अगले साल इस उमरे की क़ज़ा कर लें। बहुत से सहाबा किराम ख़ासकर हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस तरह की सुलह से नाराज़ थे मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह की तरफ़ से होने वाले इशारों से इस सुलह को अन्जामकार मुसलमानों के लिये कामयाबी का ज़रिया समझकर क़ुबूल फ़रमा लिया, जिसकी तफ़सील आगे आती है।

जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना एहराम खोल दिया और हुदैबिया से वापस रवाना हुए तो रास्ते में यह सूरत पूरी नाज़िल हुई जिसमें बतला दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़्वाब सच्चा है, ज़रूर ज़ाहिर होगा, मगर उसका यह वक़्त नहीं बाद में फतह के वक़्त होगा। और इस सुलह हुदैबिया को खुली फतह से ताबीर फ़रमाया क्योंकि यह सुलह ही दर हक़ीक़त मक्का के फ़तह होने का सबब बनी। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु और कुछ दूसरे सहाबा किराम ने फ़रमाया है कि तुम लोग तो मक्का की फ़तह को फ़तह कहते हो और हम सुलह हुदैबिया को फ़तह समझते हैं। इसी तरह जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हम सुलह हुदैबिया को फ़तह समझते हैं, और हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि तुम लोग तो मक्का के फ़तह होने ही को फ़तह समझते हो और कोई शक नहीं कि वह फ़तह है लेकिन हम तो हुदैबिया के वाक़िए के वक़्त बैअ़ते रिज़वान को असली फ़तह समझते हैं जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उस वक़्त मौजूद सहाबा से जिनकी तादाद चौदह सौ थी एक पेड़ के नीचे जिहाद करने पर बैअ़त ली थी जैसा कि इसी सूरत में उस बैअ़त का ज़िक्र भी आगे आ रहा है। (इब्ने कसीर से, संक्षिप्तता के साथ)

और जबकि यह मालूम हो गया कि यह सूरत हुदैबिया के वाक़िए में नाज़िल हुई है और इस वाक़िए के बहुत से हिस्सों का ख़ुद इस सूरत में तज़किरा भी है इसलिये मुनासिब मालूम हुआ कि इस वाक़िए को पहले ज़िक्र कर दिया जाये। तफ़सीर इब्ने कसीर में इसकी बड़ी तफ़सील है और उससे ज़्यादा तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह चौदह पेजों में यह क़िस्सा अव्वल से आख़िर तक तफ़सील के साथ मुरत्तब अन्दाज़ में मोतबर हदीस की किताबों के हवालों से बयान किया गया है, जो बहुत से मोजिज़ों व नसीहतों और इल्मी, दीनी, सियासी फ़ायदों व हिक्मतों पर मुश्तमिल है, उसमें से यहाँ इस क़िस्से के सिर्फ़ वो हिस्से (भाग) लिखे जाते हैं जिनका ज़िक्र ख़ुद इस सूरत में किया गया है या जिनसे इसका गहरा ताल्लुक़ है ताकि आगे उन आयतों की तफ़सीर समझना आसान हो जाये जो इस क़िस्से से संबन्धित हैं, और यह सब बयान तफ़सीरे

मज़हरी से लिया गया है, और जो किसी दूसरी तफ़सीर से लिया है उसका हवाला दे दिया है।

वाक़िआ-ए-हुदैबिया

हुदैबिया एक मक़ाम (जगह) मक्का मुकर्रमा से बाहर हरम की हदों के बिल्कुल क़रीब है जिसको आजकल शमीसा कहा जाता है, यह वाक़िआ उस मक़ाम पर पेश आया है।

पहला भाग- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़्वाब

इस वाक़िए का एक हिस्सा अ़ब्द बिन हुमैद, इब्ने जरीर और बैहक़ी वग़ैरह की रिवायत के मुताबिक़ यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मदीना तय्यिबा में यह ख़्वाब देखा कि आप मक्का मुकर्रमा में मय सहाबा किराम के अमन व इत्मीनान के साथ दाख़िल हुए और एहराम से फ़ारिग़ होकर कुछ लोगों ने क़ायदे के मुताबिक़ सर को मुंडाया, कुछ ने बाल कटवा लिये, और यह कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बैतुल्लाह में दाख़िल हुए और बैतुल्लाह की चाबी आपके हाथ आई। यह इस वाक़िए का एक हिस्सा है जिसका ज़िक्र इसी सूरत में आने वाला है। (अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का ख़्वाब वही होता है इसलिये इस सूरत का ज़ाहिर व उत्पन्न होना यक़ीनी हो गया, मगर ख़्वाब में इस वाक़िए के लिये कोई साल या महीना मुतैयन नहीं किया गया और हक़ीक़त में यह ख़्वाब फ़तहे-मक्का के वक़्त पूरा होने वाला था मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा किराम को ख़्वाब सुनाया तो वे सब के सब मक्का मुकर्रमा जाने और बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वग़ैरह के ऐसे मुश्ताक़ (शौक़ रखते) थे कि उन हज़रात ने फ़ौरन ही तैयारी शुरू कर दी और जब सहाबा किराम का एक मजमा तैयार हो गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी इरादा फ़रमा लिया क्योंकि ख़्वाब में कोई ख़ास साल या महीना मुतैयन नहीं था तो संभावना और गुमान यह भी था कि अभी यह मक़सद हासिल हो जाये। (बयानुल-क़ुरआन, रूहुल-मआ़नी के हवाले से)

दूसरा भाग- आपका सहाबा किराम और देहात के मुसलमानों को साथ चलने के लिये बुलाना और कुछ लोगों का इनकार करना

इब्ने सअ़द वग़ैरह की रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम ने उमरे का इरादा फ़रमा लिया तो आपको यह ख़तरा सामने था कि मक्का के क़ुरैश मुम्किन है कि हमें उमरा करने से रोकें और मुम्किन है कि उनसे हिफ़ाज़त के लिये जंग की सूरत पेश आ जाये, इसलिये आपने मदीना तय्यिबा के क़रीबी देहात में ऐलान करके उन लोगों को साथ चलने की दावत दी, उनमें से बहुत से देहातियों ने साथ चलने से उज़्र कर दिया और कहने लगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और उनके साथी हमें मक्का के क़ुरैश से लड़वाना चाहते हैं जो हथियारों से लैस और ताक़तवार हैं, इनका अन्जाम तो यह होना है कि ये इस सफ़र से ज़िन्दा वापस न लौटेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

तीसरा भाग- मक्का की तरफ़ रवानगी

इमाम अहमद व बुख़ारी, अबू दाऊद व नसाई वग़ैरह की रिवायत के मुताबिक़ रवानगी से पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ग़ुस्ल फ़रमा लिया और नया लिबास पहना और अपनी ऊँटनी क़सवा पर सवार हुए। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को साथ लिया और आपके साथ मुहाजिर व अन्सार सहाबा और देहात के आने वालों का बड़ा मजमा था जिनकी तादाद अक्सर रिवायतों में चौदह सौ बयान की गई है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़्वाब की वजह से उनमें से किसी को शक नहीं था कि मक्का इसी वक़्त फ़तह हो जायेगा, हालाँकि सिवाय तलवारों के उनके साथ और कुछ असलेहा न था। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा किराम के साथ ज़ीक़ादा महीने के शुरू में पीर के दिन रवाना हुए और ज़ुल-हुलैफ़ा में पहुँचकर एहराम बाँधा। (तफ़सीरे मज़हरी, संक्षिप्तता के साथ)

चौथा भाग- मक्का वालों की मुक़ाबले के लिये तैयारी

दूसरी तरफ़ जब मक्का वालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा की एक बड़ी जमाअ़त के साथ मक्का के लिये रवाना होने की ख़बर मिली तो जमा होकर आपस में मश्विरा किया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अपने साथियों के साथ उमरे के लिये आ रहे हैं, अगर हमने उनको मक्का में आने दिया तो तमाम अ़रब में यह शोहरत हो जायेगी कि वे हम पर ग़लबा पाकर मक्का मुकर्रमा पहुँच गये, हालाँकि हमारे और उनके दरमियान कई जंगें हो चुकी हैं। सब ने अ़हद किया कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे और आपको रोकने के लिये ख़ालिद बिन वलीद (जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे) के नेतृत्व में एक जमाअ़त को मक्का से बाहर कुराउल-ग़मीम के मक़ाम पर भेज दिया और आस-पास के देहात वालों को भी साथ मिला लिया और ताइफ़ का क़बीला बनू सक़ीफ़ भी उनके साथ लग गया, उन्होंने बल्दह् के स्थान पर अपना पड़ाव डाल लिया, इन सब ने आपस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मक्का में दाख़िल होने से रोकने और आपके मुक़ाबले में जंग करने का अ़हद कर लिया।

ख़बर भेजने का एक अ़जीब सादा तरीक़ा

उन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हालात से बाख़बर रहने के लिये यह इन्तिज़ाम किया कि बल्दह के मक़ाम से लेकर उस मक़ाम तक जहाँ आप पहुँच चुके थे पहाड़ों की चोटियों पर कुछ आदमी बैठा दिये ताकि आपके पूरे हालात देखकर आपके पास वाले पहाड़ का आदमी बुलन्द आवाज़ से दूसरे पहाड़ वाले तक वह तीसरे तक वह चौथे तक पहुँचा दे इस तरह चन्द मिन्टों में आपकी हर गतिविधि का बल्दह् वालों को इल्म हो जाता था।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़बर पहुँचाने वाले

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बिश्र इब्ने सुफ़ियान को आगे मक्का मुकर्रमा

भेज दिया था कि यह ख़ुफ़िया तौर पर मक्का वालों के हालात जाकर देखें और आपको इत्तिला कर दें। वह मक्का से वापस आये तो मक्का वालों की उन जंगी तैयारियों और मुकम्मल टकराव के वाकिआत की ख़बर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अफ़सोस है क़ुरैश पर कि कई जंगों ने उनको खा लिया है फिर भी वे जंग से बाज़ नहीं आते, उनके लिये तो अच्छा मौका था कि वे मुझे और दूसरे अ़रब वालों को आज़ाद छोड़ देते, अगर ये अ़रब के लोग मुझ पर ग़ालिब आ जाते तो उनकी मुराद घर बैठे हासिल थी, और मैं उन पर ग़ालिब आ जाता तो या तो फिर वे भी इस्लाम में दाख़िल हो जाते और यह न करते और जंग ही करने का इरादा होता तो वे ताज़ा दम और मज़बूत होते और फिर वे मेरे मुक़ाबले पर आ जाते। मालूम नहीं कि ये क़ुरैश क्या समझ रहे हैं, क़सम है अल्लाह की कि मैं उस हुक्म पर जो अल्लाह ने मुझे देकर भेजा है हमेशा इनके ख़िलाफ़ जिहाद करता रहूँगा यहाँ तक कि तन्हा मेरी गर्दन रह जाये।

पाँचवाँ भाग- नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ऊँटनी का रास्ते में बैठ जाना

इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लोगों को जमा करके ख़ुतबा दिया और मश्विरा लिया कि अब हमें यहीं से उन अ़रब वालों के ख़िलाफ़ जिहाद शुरू कर देना चाहिये या हम बैतुल्लाह की तरफ़ बढ़ें, फिर जो हमें रोके उससे जंग करें। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु और दूसरे सहाबा ने मश्विरा दिया कि आप बैतुल्लाह के इरादे से निकले हैं किसी से जंग करने के लिये नहीं निकले, इसलिये आप अपने इरादे पर रहें। हाँ अगर कोई हमें मक्का से रोकेगा तो हम उससे जंग करेंगे। इसके बाद हज़रत मिक़्दाद बिन अस्वद रज़ियल्लाहु अ़न्हु उठे और अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! हम बनी इस्राईल क़ौम की तरह नहीं कि आप से यह कह दें:

اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ○

(यानी जाईये आप और आपका रब लड़भिड़ लीजिये, हम तो यहाँ बैठे हैं) बल्कि हम हर हाल में आपके साथ क़िताल (लड़ाई और जंग) करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह सुनकर फ़रमाया बस अब अल्लाह के नाम पर मक्का की तरफ़ चलो। जब आप मक्का मुकर्रमा के क़रीब पहुँचे और ख़ालिद बिन वलीद और उनके साथियों ने आपको मक्का की तरफ़ बढ़ते हुए देखा तो अपने लश्कर की सफ़ों को क़िब्ले की तरफ़ मज़बूत करके खड़ा कर दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अ़ब्बाद बिन बिश्र को फ़ौज के एक दस्ते का अमीर बनाकर आगे किया, उन्होंने ने ख़ालिद बिन वलीद के लश्कर के मुक़ाबिल में सफ़ें बना लीं, उसी हालत में नमाज़े ज़ोहर का वक़्त आ गया, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अज़ान कही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तमाम सहाबा किराम को नमाज़ पढ़ाई। ख़ालिद बिन वलीद और उनके सिपाही देखते रहे, बाद में ख़ालिद बिन वलीद ने कहा कि हमने बड़ा अच्छा

मौक़ा ज़ाया कर दिया, जब ये सब लोग नमाज़ में थे उस वक़्त हम इन पर टूट पड़ते, मगर कुछ बात नहीं, अब इनकी दूसरी नमाज़ का वक़्त आने वाला है उसका इन्तिज़ार करो मगर जिब्राईल अलैहिस्सलाम 'ख़ौफ़ की नमाज़' के अहकाम लेकर नाज़िल हो गये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को उनके इरादों से बाख़बर करके नमाज़ के वक़्त लश्कर को दो हिस्सों में तक़सीम करने का तरीक़ा बतला दिया और उनके शर (बुराई) से महफ़ूज़ रहे।

छठा भाग- हुदैबिया के स्थान में एक मोजिज़ा

मगर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम हुदैबिया के क़रीब पहुँचे तो आपकी ऊँटनी का हाथ फिसल गया, वह बैठ गई, सहाबा किराम ने उठाना चाहा तो न उठी, लोगों ने कहा कि क़सवा बिगड़ गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया- क़सवा का कोई क़सूर नहीं, न उसकी ऐसी आदत है बल्कि उसको तो उस ज़ात ने रोक दिया है जिसने हाथी वालों को रोक दिया था (ग़ालिबन उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह अन्दाज़ा हो गया कि जो वाक़िआ ख़्वाब में दिखलाया गया है उसका यह वक़्त नहीं है) आपने यह देखकर फ़रमाया कि क़सम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है, आज के दिन क़ुरैश मुझसे जो भी बात ऐसी कहेंगे जिसमें अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम (सम्मान) हो तो मैं उसको ज़रूर मान लूँगा। फिर आपने ऊँटनी पर एक आवाज़ लगाई तो वह उठ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने ख़ालिद बिन वलीद की जानिब से हटकर हुदैबिया की दूसरी जानिब क़ियाम फ़रमाया जहाँ पानी बहुत ही कम था। पानी के स्थान पर ख़ालिद बिन वलीद और बल्दह वाले क़ाबिज़ हो चुके थे, यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का यह मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ कि एक कुआँ जिसमें पानी कुछ-कुछ रिसता था उसमें आपने कुल्ली कर दी और अपना एक तीर दिया कि उसके अन्दर गाड़ दो, यह अमल होते ही उसका पानी जोश मारकर कुएँ की मन के क़रीब पहुँच गया। कुएँ के ऊपर वालों ने अपने बरतनों से पानी निकाला और सैराब हो गये।

सातवाँ भाग- मक्का वालों के साथ प्रतिनिधि मण्डलों के ज़रिये बातचीत

इस तरह सब सहाबा मुत्मईन होकर यहाँ मुक़ीम हुए और मक्का वालों से प्रतिनिधि मण्डलों के द्वारा बातचीत शुरू हुई। पहले बुदैल बिन वरक़ा (जो बाद में मुसलमान हो गये) अपने साथियों के साथ हाज़िर हुए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से ख़ैरख़्वाही से अर्ज़ किया कि मक्का के क़ुरैश पूरी क़ुव्वत के साथ मुक़ाबले के लिये निकल आये हैं और पानी की जगहों पर उन्होंने क़ब्ज़ा कर लिया है, वे हरगिज़ आपको न छोड़ेंगे कि आप मक्का में दाख़िल हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हम किसी से जंग करने नहीं आये अलबत्ता अगर कोई हमें उमरा करने से रोकेगा तो हम उससे लड़ेंगे, फिर आपने उसी बात

को दोहराया जो पहले जासूस बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने कही थी कि क़ुरैश को कई जंगों ने कमज़ोर कर दिया है, अगर वे चाहें तो किसी तयशुदा मुद्दत तक के लिये हम से सुलह कर लें ताकि वे बेफ़िक्र होकर अपनी तैयारी में लग जायें और हमें और बाक़ी अ़रब को छोड़ दें, अगर वे मुझ पर ग़ालिब आ गये तो उनकी मुराद घर बैठे पूरी हो जायेगी, और अगर हम ग़ालिब आ गये और वे इस्लाम में दाख़िल होने लगे तो उनको इख़्तियार होगा कि वे भी इस्लाम में दाख़िल हो जायें या हमारे ख़िलाफ़ जंग करें, और इस मुद्दत में वे अपनी ताक़त महफ़ूज़ रखकर बढ़ चुके होंगे, और अगर क़ुरैश इस बात से इनकार करें तो ख़ुदा की क़सम हम अपने मामले पर उन पर जिहाद करते रहेंगे जब तक कि मेरी तन्हा गर्दन बाक़ी है। बुदैल यह कहकर वापस हो गये कि मैं जाकर क़ुरैशी सरदारों से आपकी बात कह देता हूँ। वहाँ पहुँचे तो कुछ लोगों ने उनकी बात ही को सुनना न चाहा बल्कि जंग के जोश में रहे, फिर कुछ लोगों ने कहा कि बात तो सुन लें, यह कहने वाले उरवा बिन मसऊद अपनी क़ौम के सरदार थे, जब बात सुनी तो उरवा बिन मसऊद ने क़ुरैशी सरदारों से कहा कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने जो बात पेश की है वह दुरुस्त है, उसको क़ुबूल कर लो और मुझे इजाज़त दो कि मैं जाकर उनसे बात करूँ। चुनाँचे दूसरी मर्तबा उरवा बिन मसऊद बातचीत के लिये हाज़िर हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि आप अगर हमारी क़ौम क़ुरैश का सफ़ाया ही कर दें तो यह कौनसी अच्छी बात होगी, कभी दुनिया में आपने सुना है कि कोई शख़्स अपनी ही क़ौम को हलाक कर दे। फिर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से उनकी नरम-गरम बातें होती रहीं, इसी हाल में उरवा सहाबा किराम के हालात पर ध्यान लगाये रहे कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने थूका भी तो सहाबा ने उसको अपने हाथों में लेकर अपने चेहरों पर मल लिया, और जब आपने वुज़ू किया तो वुज़ू के गिरने वाले पानी पर सहाबा किराम टूट पड़ते और अपने चेहरों को मलते थे, और जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बातचीत फ़रमाते तो सब अपनी आवाज़ें पस्त कर लेते।

उरवा ने वापस जाकर क़ुरैशी सरदारों से यह हाल बयान किया कि मैं बड़े-बड़े शाही दरबारों में क़ैसर व किसरा और नजाशी के पास जा चुका हूँ, ख़ुदा की क़सम! मैंने कोई बादशाह ऐसा नहीं देखा जिसकी क़ौम उस पर इस तरह फ़िदा हो जैसे मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के साथी उन पर फ़िदा हैं और वे एक सही बात कह रहे हैं, मेरा मश्विरा यह है कि तुम उनकी बात मान लो, मगर लोगों ने कहा- हम यह बात नहीं मान सकते सिवाय इसके कि इस साल तो आप लौट जायें फिर अगले साल आ जायें।

जब उरवा की बात न मानी गई तो वह अपनी जमाअ़त को साथ लेकर वापस हो गये, उसके बाद एक साहिब जलीस बिन अ़ल्क़मा जो देहातियों के सरदार थे वे आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए और सहाबा किराम को एहराम की हालत में क़ुरबानी के जानवर साथ लिये देखा तो वापस होकर उसने भी अपनी क़ौम को समझाया कि ये लोग बैतुल्लाह के उमरे के लिये आये हैं, उनको रोकना किसी तरह दुरुस्त नहीं। लोगों ने उसका कहना न सुना तो वह भी अपनी

जमाअ़त को लेकर वापस हो गया। फिर एक चौथा आदमी आप से बात करने के लिये आया और आप से बातचीत की तो आपने अपनी वही बात पेश कर दी जो इससे पहले बुदैल और उरवा इब्ने मसऊद के सामने पेश की थी, उसने जाकर आपका जवाब क़ुरैश को सुना दिया।

आठवाँ भाग- हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु को मक्का वालों के लिये पैग़ाम देकर भेजना

इमाम बैहक़ी ने हज़रत उरवा से रिवायत की है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुदैबिया में पहुँचकर क़ियाम फ़रमाया तो क़ुरैश घबरा गये तो आपने इरादा किया कि उनके पास अपना कोई आदमी भेजकर बतला दें कि हम जंग करने नहीं, उमरा करने आये हैं, हमारा रास्ता न रोको। इस काम के लिये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को बुलाया, उन्होंने अ़र्ज़ किया कि ये क़ुरैश मेरे सख़्त दुश्मन हैं, क्योंकि उनको मेरी दुश्मनी व सख़्ती का हाल मालूम है और मेरे क़बीले का कोई आदमी ऐसा मक्का में नहीं जो मेरी हिमायत करे, इसलिये मैं आपके सामने एक ऐसे शख़्स का नाम पेश करता हूँ जो मक्का मुकर्रमा में अपने क़बीले वग़ैरह की वजह से ख़ास ताक़त व इ़ज़्ज़त रखते हैं यानी उस्मान बिन अ़फ़्फ़ान। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु को इस काम के लिये मामूर फ़रमाकर भेज दिया और यह भी फ़रमाया कि कमज़ोर व ज़ईफ़ मुसलमान मर्द और औ़रतें मक्का मुकर्रमा से हिजरत नहीं कर सके और मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उनके पास जाकर तसल्ली दें कि परेशान न हों इन्शा-अल्लाह मक्का मुकर्रमा फ़तह होकर तुम्हारी मुश्किलों के ख़त्म होने का वक़्त आ गया है। हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु पहले उन लोगों के पास पहुँचे जो मक़ामे बल्दह में हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का रास्ता रोकने और मुक़ाबले के लिये जमा हुए थे, उनसे जाकर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वही बात सुना दी जो आपने बुदैल और उरवा वग़ैरह के सामने कही थी, उन लोगों ने कहा कि हमने पैग़ाम सुन लिया, आप जाकर अपने बुज़ुर्ग से कह दो कि यह बात हरगिज़ क़ुबूल नहीं होगी।

उन लोगों का जवाब सुनकर आप मक्का मुकर्रमा के अन्दर जाने लगे तो अबान बिन सईद की (जो बाद में मुसलमान हो गये थे) उनसे मुलाक़ात हुई उन्होंने हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी पनाह में लेकर उनसे कहा कि मक्का में अपना पैग़ाम लेकर जहाँ चाहें जा सकते हैं, इसमें आप कोई फ़िक्र न करें। फिर अपने घोड़े पर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु को सवार करके मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुए क्योंकि उनका क़बीला बनू सईद मक्का मुकर्रमा में बहुत ताक़तवर और इ़ज़्ज़तदार था, यहाँ तक कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु मक्का मुकर्रमा में क़ुरैश के एक-एक सरदार के पास पहुँचे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का पैग़ाम पहुँचाया कि हम किसी से लड़ने के लिये नहीं आये, उमरा करके वापस चले जायेंगे, हाँ अगर कोई हमारा रास्ता रोकेगा तो लड़ेंगे और क़ुरैश ख़ुद जंगों से बदहाल हो चुके हैं, उनके लिये मुनासिब यह है कि हमें और दूसरे अ़रब वालों को छोड़

दें क़ुरैश हमारे मुक़ाबले पर न आयें, फिर देखें कि अगर अरब हम पर ग़ालिब आ गये तो उनकी मुराद पूरी हो जायेगी और हम ग़ालिब आये तो उन्हें फिर भी इख़्तियार बाक़ी होगा, उस वक़्त जंग कर सकते हैं, और इस समय में उनको अपनी ताक़त बढ़ाने और महफ़ूज़ रखने का मौक़ा भी मिल जायेगा, मगर उन सब ने आपकी बात को रद्द कर दिया।

फिर उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु कमज़ोर मुसलमानों से मिले, उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का पैग़ाम पहुँचाया, वे बहुत ख़ुश हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सलाम भेजा। जब हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का पैग़ाम पहुँचाने से फ़ारिग़ हुए तो मक्का वालों ने उनसे कहा कि अगर आप चाहें तो तवाफ़ कर सकते हैं। हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं उस वक़्त तक तवाफ़ न करूँगा जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तवाफ़ न करें। उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु मक्का में तीन रात रहे और क़ुरैश के सरदारों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बात मानने की तरफ़ दावत देते रहे।

नवाँ भाग- मक्का वालों और मुसलमानों में टकराव और मक्का वालों के साठ आदमियों की गिरफ़्तारी

इसी अ़रसे में क़ुरैश ने अपने पचास आदमी इस काम पर लगाये कि वे नबी करीम हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़रीब पहुँचकर मौक़े का इन्तिज़ार करें और मौक़ा मिलने पर (मआ़ज़ल्लाह) आपका क़िस्सा ख़त्म कर दें। ये लोग इसी ताक में थे कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हिफ़ाज़त व निगरानी पर लगे हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उन सब को गिरफ़्तार कर लिया और आपकी ख़िदमत में क़ैद करके हाज़िर कर दिया। दूसरी तरफ़ हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु जो मक्का में थे और उनके साथ तक़रीबन दस मुसलमान और मक्का मुकर्रमा में पहुँच गये थे, क़ुरैश ने जब अपने पचास आदमियों की गिरफ़्तारी का हाल सुना तो हज़रत उस्मान समेत उन सब मुसलमानों को रोक लिया और क़ुरैश की एक जमाअ़त मुसलमानों के लश्कर की तरफ़ निकली और मुसलमानों की जमाअ़त पर तीर और पत्थर फेंके, इसमें मुसलमानों में से एक सहाबी इब्ने ज़नीम रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद हो गये और मुसलमानों ने उन क़ुरैशियों के दस सवारों को गिरफ़्तार कर लिया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी ने यह ख़बर पहुँचाई कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु क़त्ल कर दिये गये।

दसवाँ भाग- बैअ़त-ए-रिज़वान का वाक़िआ़

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह ख़बर सुनकर सहाबा किराम को एक दरख़्त के नीचे जमा किया कि सब जमा होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ पर जिहाद के लिये बैअ़त करें। सब सहाबा ने आपके हाथ पर बैअ़त की जिसका ज़िक्र आगे इस

सूरत में आना है, सही हदीसों में उन लोगों की बड़ी फ़ज़ीलत आई है जो इस बैअ़त में शरीक थे और हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु चूँकि आपके हुक्म से मक्का गये हुए थे इसलिये उनकी तरफ़ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुद अपने हाथ पर दूसरा हाथ मारकर फ़रमाया कि यह उस्मान की बैअ़त है, यह ख़ुसूसी फ़ज़ीलत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु की थी कि आपने अपने ही हाथ को उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु का हाथ क़रार देकर उनकी तरफ़ से बैअ़त कर ली।

ग्यारहवाँ भाग- हुदैबिया का वाक़िआ़

दूसरी तरफ़ मक्का वालों पर अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों का रौब मुसल्लत कर दिया और ख़ुद समझौते पर आमादा होकर उन्होंने अपने तीन आदमी सुहैल बिन अ़मर, हुवैतब बिन अ़ब्दुल-उ़ज़्ज़ा और मिकरज़ बिन हफ़्स को उज़्र-माज़िरत के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास भेजा, उनमें से पहले दो हज़रात बाद में मुसलमान भी हो गये। सुहैल बिन अ़मर ने आकर अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! आप तक जो ख़बर पहुँची है कि उस्मान और उनके साथी क़त्ल कर दिये गये यह बिल्कुल ग़लत है, हम उनको आपके पास भेजते हैं, हमारे क़ैदियों को आज़ाद कर दीजिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया। मुस्नद अहमद और मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि इस सूरत में जो आगे आयत आने वाली है:

هُوَالَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ

यह इसी वाक़िए से सम्बन्धित है। अब सुहैल और उनके साथियों ने जाकर बैअ़ते रिज़्वान में सहाबा किराम की गर्मजोशी और जाँनिसारी के अ़जीब व ग़रीब मन्ज़र का हाल क़ुरैश के सामने बयान किया तो क़ुरैश के समझदार लोगों ने आपस में कहा कि इससे बेहतर कोई बात नहीं है कि हम मुहम्मद से इस बात पर सुलह कर लें कि वह इस साल तो वापस चले जायें ताकि पूरे अ़रब में यह शोहरत न हो जाये कि हमने उनको रोकना चाहा और वे ज़बरदस्ती मक्का में दाख़िल हो गये, और अगले साल उमरे लिये आ जायें और तीन दिन मक्का में क़ियाम करें, इस वक़्त अपने जानवर क़ुरबानी के ज़िबह कर डालें और एहराम खोल दें। चुनाँचे यही सुहैल बिन अ़मर यह पैग़ाम लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए, आपने इनको देखते ही फ़रमाया कि अब मालूम होता है कि इस क़ौम ने सुलह का इरादा कर लिया है कि सुहैल को फिर भेजा है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम चहार ज़ानू (आलती-पालती मारकर) बैठ गये और सहाबा में से अ़ब्बाद बिन बिश्र और सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा हथियारों से लैस आपके पास हिफ़ाज़त के लिये खड़े हो गये। सुहैल हाज़िर हुए तो अदब के साथ हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने बैठ गये और क़ुरैश का पैग़ाम आपको पहुँचाया। सहाबा किराम उमूमन इस पर राज़ी न थे कि इस वक़्त अपने एहराम बग़ैर उमरा किये खोल दें, उन्होंने सुहैल से सख़्त

गुफ़्तगू की, बातचीत की आवाज़ें कभी बुलन्द हुईं कभी पस्त हुईं, अब्बाद बिन बिश्र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुहैल को डाँटा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने आवाज़ बुलन्द न कर, लम्बी बातचीत के बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस शर्त को क़ुबूल करके सुलह कर लेने पर राज़ी हो गये। सुहैल ने कहा कि लाईये हम अपने और आपके बीच सुलह नामा लिख लें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फ़रमाया- लिखोः-

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहैल ने यहीं से बहस शुरू कर दी और कहा कि लफ़्ज़ **रहमान** और **रहीम** हमारे मुहावरों में नहीं है, आप यहाँ वही लफ़्ज़ लिखें जो पहले लिखा करते थे यानी 'बिस्मिकल्लाहुम्-म' आपने इसको भी मान लिया और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़रमाया कि ऐसा ही लिख दो। इसके बाद आपने अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु को फ़रमाया कि यह लिखो कि यह वह अ़हद नामा है जिसका फ़ैसला मुहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। सुहैल ने इस पर भी ज़िद की कि अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो हरगिज़ बैतुल्लाह से नहीं रोकते (सुलह नामे में ऐसा कोई लफ़्ज़ नहीं होना चाहिये जो किसी फ़रीक़ के अ़क़ीदे के ख़िलाफ़ हो), आप सिर्फ़ मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह लिखवायें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको भी मन्ज़ूर फ़रमाकर हज़रत अ़ली से फ़रमाया कि जो लिखा है उसको मिटाकर मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह लिख दो। हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बावजूद इसके कि आप पूरी तरह हुज़ूरे पाक के फ़रमाँबरदार थे, अ़र्ज़ किया कि मैं तो यह नहीं कर सकता कि आपके नाम को मिटा दूँ। मौजूद हज़रात में से हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु और सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु का हाथ पकड़ लिया कि इसको न मिटायें और सिवाय मुहम्मद रसूलुल्लाह के और कुछ न लिखें, अगर ये लोग नहीं मानते तो हमारे और इनके बीच तलवार फ़ैसला कर देगी, और कुछ आवाज़ें हर तरफ़ से बुलन्द होने लगीं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सुलह नामे का काग़ज़ ख़ुद अपने हाथ मुबारक में ले लिया और बावजूद इसके कि आप उम्मी थे पहले कभी लिखा नहीं था मगर उस वक़्त ख़ुद अपने क़लम से आपने यह लिख दियाः

هذا ما قاضى محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو اصلحا على وضع الحرب عن النّاس عشر سنين يأمن فيه النّاس ويكفّ بعضهم عن بعض.

यानी यह वह फ़ैसला है जो मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह और सुहैल बिन अ़मर ने दस साल के लिये आपस में जंग न करने का किया है, जिसमें सब लोग मामून रहें, एक दूसरे पर चढ़ाई और जंग से परहेज़ करें।

फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हमारी एक शर्त यह है कि इस वक़्त हमें तवाफ़ करने से न रोका जाये। सुहैल ने कहा कि ख़ुदा की क़सम! यह नहीं हो सकता। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको भी क़ुबूल फ़रमा लिया, इसके बाद सुहैल ने

अपनी एक शर्त यह लिखी कि जो शख़्स मक्का वालों में से अपने वली की इजाज़त के बग़ैर आपके पास जायेगा उसको आप वापस कर देंगे अगरचे वह आप ही के दीन पर हो, और मुसलमानों में से जो कोई क़ुरैश के पास मक्का चला आये उसको हम वापस नहीं करेंगे। इस पर आम मुसलमानों की आवाज़ उठी सुब्हानल्लाह! यह कैसे हो सकता है कि हम अपने मुसलमान भाई को मुश्रिकों की तरफ़ लौटा दें? मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको भी क़ुबूल फ़रमा लिया और यह फ़रमाया कि हम में से कोई आदमी अगर इनके पास गया तो उसको अल्लाह ही ने हमसे दूर कर दिया, उसकी हम क्यों फ़िक्र करें। और इनमें का कोई आदमी हमारे पास आया और हमने लौटा भी दिया तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये सहूलत का रास्ता निकाल देंगे। हज़रत बरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस सुलह नामे का ख़ुलासा तीन शर्तें बयान किया है- एक यह कि उनका कोई आदमी हमारे पास आ जायेगा तो हम उसको वापस कर देंगे। दूसरे यह कि हमारा कोई आदमी उनके पास चला जायेगा तो वे वापस न करेंगे। तीसरे यह कि अब आईन्दा साल उमरे के लिये आयेंगे और तीन रोज़ मक्का में ठहरेंगे और ज़्यादा हथियार लेकर नहीं आयेंगे, और आख़िर में लिखा गया कि यह अ़हद नामा मक्का वालों और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरमियान एक महफ़ूज़ दस्तावेज़ है जिसकी कोई ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) न करेगा और बाक़ी सब अ़रब वाले आज़ाद हैं जिसका जी चाहे मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अ़हद (समझौते) में दाख़िल हो जाये और जिसका जी चाहे क़ुरैश के अ़हद में दाख़िल हो जाये। यह सुनकर क़बीला ख़ुज़ाआ़ उछल पड़ा और कहा कि हम मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के समझौते में दाख़िल हैं और बनू बक्र ने आगे बढ़कर कहा कि हम क़ुरैश के बन्धन व समझौते में दाख़िल हैं।

सुलह की शर्तों से आ़म सहाबा की नाराज़ी और रंज

जब सुलह की ये शर्तें तय हो गईं तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रहा न गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? आपने फ़रमाया क्यों नहीं। फिर हज़रत उमर ने कहा कि क्या हम हक़ पर और वे लोग बातिल पर नहीं हैं? आपने फ़रमाया क्यों नहीं। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया कि क्या हमारे क़त्ल होने वाले जन्नत और उनके क़त्ल होने वाले जहन्नम में नहीं हैं? आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया क्यों नहीं। इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया तो फिर हम क्यों इस ज़िल्लत को क़ुबूल करें कि बग़ैर उमरा किये वापस चले जायें, जब तक जंग के साथ अल्लाह तआ़ला कोई फ़ैसला न कर दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "मैं अल्लाह का बन्दा और उसका रसूल हूँ हरगिज़ उसके हुक्म के ख़िलाफ़ न करूँगा, और अल्लाह तआ़ला मुझे ज़ाया न फ़रमायेगा वह मेरा मददगार है।" हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! क्या आपने हम से यह नहीं फ़रमाया कि हम बैतुल्लाह के पास जायेंगे और तवाफ़ करेंगे? आपने फ़रमाया कि

बेशक यह कहा था मगर क्या मैंने यह भी कहा था कि यह काम इसी साल होगा? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि यह तो आपने नहीं फ़रमाया था, तो आपने फ़रमाया कि बस यह वाक़िआ जैसा कि मैंने कहा था होकर रहेगा कि हम बैतुल्लाह के पास जायेंगे और तवाफ़ करेंगे।

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ख़ामोश हो गये मगर ग़म व ग़ुस्सा नहीं गया, आपके पास से हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गये और उसी बातचीत को दोहराया जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने कही थी। हज़रत अबू बक्र ने फ़रमाया ख़ुदा के बन्दे मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और वह अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ कोई काम न करेंगे और अल्लाह उनका मददगार है, इसलिये तुम मरते दम तक आपकी रकाब थामे रहो ख़ुदा की क़सम! वह हक़ पर हैं। ग़र्ज़ कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु को इन सुलह की शर्तों से सख़्त रंज व ग़म पहुँचा, ख़ुद उन्होंने फ़रमाया कि अल्लाह की क़सम जब से मैंने इस्लाम क़ुबूल किया मुझे कभी शक नहीं आया सिवाय इस वाक़िए के। (बुख़ारी शरीफ़) हज़रत अबू उबैदा ने समझाया और फ़रमाया कि शैतान के शर से पनाह माँगो। फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा मैं शैतान से अल्लाह की पनाह माँगता हूँ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि जब मुझे अपनी ग़लती का एहसास हुआ तो मैं बराबर सदक़ा ख़ैरात करता और रोज़े रखता और ग़ुलाम आज़ाद करता रहा कि मेरी यह ख़ता माफ़ हो जाये।

एक और घटना और समझौते की पाबन्दी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का बेनज़ीर अ़मल

अभी-अभी सुलह की ये शर्तें तय हुई थीं और सहाबा किराम की नागवारी इस पर हो ही रही थी कि अचानक उसी सुहैल बिन अ़मर का जो क़ुरैश की तरफ़ से सुलह नामे का फ़रीक़ था बेटा अबू जन्दल जो मुसलमान हो चुका था और बाप ने उसको क़ैद कर रखा था और सख़्त तकलीफ़ें उसको देता था, वह किसी तरह भागकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँच गया और आप से पनाह तलब की। कुछ मुसलमान आगे बढ़े और उसको अपनी पनाह में ले लिया, मगर सुहैल चिल्ला उठा कि यह अ़हद नामे की पहली ख़िलाफ़वर्ज़ी हो रही है, अगर इसको वापस न किया गया तो मैं सुलह की किसी शर्त को न मानूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अ़हद करके पाबन्द हो चुके थे इसलिये अबू जन्दल रज़ियल्लाहु अन्हु को आवाज़ देकर फ़रमाया कि ऐ अबू जन्दल! तुम चन्द रोज़ और सब्र करो, अल्लाह तआ़ला तुम्हारे लिये और कमज़ोर मुसलमानों के लिये जो मक्का में घिरे हुए हैं जल्द रिहाई और आसानी का इन्तिज़ाम करने वाला है।

मुसलमानों के दिलों पर अबू जन्दल के इस वाक़िए ने और ज़्यादा नमक छिड़क दिया, वे तो यक़ीन करके आये थे कि इसी वक़्त मक्का फ़तह होगा और यहाँ ये हालात देखे तो उनके

रंज व ग़म की इन्तिहा न रही, क़रीब था कि वे तबाही में पड़ जाते मगर सुलह का मुआहदा मुकम्मल हो चुका था, इस सुलह नामे पर मुसलमानों की तरफ़ से हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर, हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सुहैल बिन उमर, हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत मुहम्मद बिन मस्लमा और हज़रत अ़ली बिन अबी तालिब वग़ैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के दस्तख़त हुए। इसी तरह मुश्रिकों की तरफ़ से सुहैल के साथ चन्द दूसरे लोगों के भी दस्तख़त हो गये।

एहराम खोलना और क़ुरबानी के जानवर ज़िबह करना

जब सुलह नामे के लिखने से फ़ारिग़ हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि (सुलह की तजवीज़ के मुताबिक़ अब हमें वापस जाना है) सब लोग अपनी क़ुरबानी के जानवर जो साथ हैं उनकी क़ुरबानी कर दें और सर के बाल मुंडवाकर एहराम खोल दें। सहाबा किराम की मुसलसल रंज व ग़म की वजह से यह हालत हो गई थी कि आपके फ़रमाने के बावजूद कोई इस काम के लिये नहीं उठा जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ग़मगीन हुए और उम्मुल-मोमिनीन हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास तशरीफ़ ले गये और अपने इस रंज का ज़िक्र किया। उम्मुल-मोमिनन रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने बहुत मुनासिब और अच्छा मश्विरा दिया कि आप सहाबा किराम को इस पर कुछ न कहें, उनको इस वक़्त सख़्त सदमा और रंज सुलह की शर्तों और बग़ैर उमरे के वापसी की वजह से पहुँचा हुआ है, आप सब के सामने हज्जाम को बुलवाकर ख़ुद अपना हलक़ करके (यानी बाल मुंडवाकर) एहराम खोल दें और अपनी क़ुरबानी कर दें। आपने मश्विरे के मुताबिक़ ऐसा ही किया, सहाबा किराम ने जब यह देखा तो सब खड़े हो गये, एक दूसरे का हलक़ करने लगे और क़ुरबानी के जानवरों की क़ुरबानी करने लगे, आपने सब के लिये दुआ फ़रमाई।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुदैबिया के इस मक़ाम में उन्नीस और कुछ रिवायतों के एतिबार से बीस दिन कियाम फ़रमाया था, अब यहाँ से वापसी शुरू हुई और आप सहाबा किराम के मजमे के साथ पहले मर्रे ज़हरान फिर अ़स्फ़ान पहुँचे। यहाँ पहुँचकर सब मुसलमानों का सफ़र का खाने का सामान तक़रीबन ख़त्म हो चुका था, खाने के लिये बहुत कम सामान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक दस्तरख़्वान बिछाया और सब को हुक्म दिया कि जिसके पास जो कुछ है लाकर यहाँ जमा कर दे, इस तरह जो कुछ बाक़ी बचा हुआ खाने का सामान था सब उस दस्तरख़्वान पर जमा हो गया। चौदह सौ हज़रात का मजमा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दुआ फ़रमाई और सब को खाना शुरू करने का हुक्म दिया। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का बयान है कि पूरे चौदह सौ हज़रात ने ख़ूब पेट भरकर खाना खाया फिर अपने बर्तनों में भर लिया, उसके बाद भी उतना ही खाना बाक़ी था। इस मक़ाम पर यह दूसरा मोजिज़ा ज़ाहिर हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इसको देखकर बहुत ख़ुश हुए।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के ईमान और इताअ़ते रसूल का एक और इम्तिहान और उनकी बेनज़ीर ईमानी ताक़त

ऊपर मालूम हो चुका है कि सहाबा किराम पर सुलह की इन शर्तों और बग़ैर उमरा और जंग में अपने हौसले निकालने के वापसी सख़्त भारी और नागवार थी, यह उन्हीं का ईमान था कि इन सब हालात में ईमान और रसूले पाक की इताअ़त पर जमे रहे। हुदैबिया से वापसी पर जब आप कुराअ़े ग़मीम के स्थान पर पहुँचे तो आप पर यह सूरः फ़तह नाज़िल हुई। आपने सहाबा किराम को पढ़कर सुनाया, सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के दिल इस तरह की शर्तों और बग़ैर उमरे के वापसी से ज़ख़्म खाये हुए पहले ही से थे, अब इस सूरत ने यह बतलाया कि यह खुली फ़तह हासिल हुई है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु फिर सवाल कर बैठे कि या रसूलल्लाह! क्या यह फ़तह है? आपने फ़रमाया क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है, यह खुली फ़तह है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इस पर भी सरे तस्लीम झुका दिया और इन सब चीज़ों को खुली फ़तह यक़ीन किया।

सुलह हुदैबिया के परिणामों और बरकतों का ज़हूर

सबसे पहली बात तो इस वाक़िए में यह हुई कि मक्का के क़ुरैश और उनके बहुत से ताबेदारों पर उनकी ज़िद और हठधर्मी स्पष्ट होकर ख़ुद उनमें फूट पड़ी। बुदैल इब्ने वरक़ा अपने साथियों को लेकर उनसे अलग हो गये, फिर उरवा इब्ने मसऊद अपनी जमाअ़त को लेकर अलग हो गये। दूसरे सहाबा किराम की बेनज़ीर जाँनिसारी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बेमिसाल इताअ़त व मुहब्बत व अ़ज़मत देखकर क़ुरैशे मक्का का मरऊब हो जाना और सुलह की तरफ़ माईल होना, हालाँकि उनके लिये मुसलमानों का सफ़ाया कर देने का इससे बेहतर कोई मौक़ा न था, क्योंकि वे अपने घरों में मुत्मईन थे, मुसलमान सफ़र की हालत में थे, क़ुरैश ने पानी की जगहों पर क़ब्ज़ा किया हुआ था, ये बिना पानी दाने के जंगल में थे, उनकी पूरी ताक़त मौजूद थी मुसलमानों के पास कुछ ज़्यादा असलेहा भी नहीं था, मगर अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों में रौब डाला और उनकी जमाअ़त के बहुत से अफ़राद को आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मुलाक़ात और मिलने-जुलने के मौक़े मिलकर उनमें से बहुत से लोगों के दिलों में ईमाम व इस्लाम जड़ पकड़ गया और वे बाद में मुसलमान हो गये।

तीसरे सुलह व अमान की वजह से रास्ते मामून (शान्ति वाले) हो गये, इस्लाम की दावत के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम के वास्ते रास्ते खुल गये, अ़रब के प्रतिनिधि मण्डलों को आपकी ख़िदमत में हाज़िरी का मौक़ा मिला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा ने कोने-कोने में इस्लाम की दावत को फैलाया, दुनिया के बादशाहों को इस्लाम की दावत देने के लिये पत्र भेजे गये, उनमें से चन्द बड़े-बड़े बादशाह

मुतास्सिर हुए जिसका हासिल यह निकला कि हुदैबिया के वाक़िए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दावते आम और सब को उमरे के लिये निकलने की ताकीद के बावजूद डेढ़ हज़ार से ज़्यादा मुसलमान साथ नहीं थे, और सुलह हुदैबिया के बाद गिरोह के गिरोह लोग इस्लाम में दाख़िल हुए।

इसी अ़रसे में सन् 7 हिजरी में ख़ैबर फ़तह होकर मुसलमानों को सामान बड़ी मात्रा में मिल गया और उनकी माद्दी ताक़त मज़बूत हो गई, और इस सुलह पर दो साल गुज़रने न पाये थे कि मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा हो गई जो इससे पहले तमाम पिछली मुद्दत में नहीं थी। इसी का नतीजा यह हुआ कि जब मक्का के क़ुरैश ने इस समझौते की ख़िलाफ़वर्ज़ी करके मुआ़हदा तोड़ डाला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का फ़तह करने की ख़ुफ़िया तैयारी शुरू की तो इस सुलह नामे पर सिर्फ़ बीस इक्कीस महीने गुज़रे थे कि फ़तहे मक्का के लिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जाने वाले जाँनिसार सिपाही दस हज़ार थे, मक्का के क़ुरैशियों को ख़बर लगी तो घबराकर अबू सुफ़ियान को उज़्र-माज़िरत करके समझौते को नये सिरे से करने पर आमादा करने के लिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में भेजा। आपने मुआ़हदे को आगे न बढ़ाया और आख़िरकार दस हज़ार के इस ख़ुदाई गिरोह के साथ आप मक्का मुकर्रमा की तरफ़ रवाना हुए। क़ुरैश के काफ़िर ऐसे मग़लूब व मरऊब हो चुके थे कि मक्का मुकर्रमा में कुछ ज़्यादा लड़ाई की नौबत भी नहीं आई, कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हकीमाना सियासत ने जंग न होने का यह इन्तिज़ाम कर दिया कि आपने मक्का मुकर्रमा में ऐलान करा दिया कि जो शख़्स अपने घर का दरवाज़ा बन्द कर ले वह मामून (अमन में) है, जो मस्जिद में दाख़िल हो जाये वह मामून, जो अबू सुफ़ियान के घर में चला जाये वह मामून है। इस तरह सब लोगों को अपनी-अपनी फ़िक्र पड़ गई और जंग व क़त्ल की ज़्यादा नौबत नहीं आई। इसी लिये फ़क़ीह इमामों में यह इख़्तिलाफ़ हो गया कि मक्का मुकर्रमा सुलह से फ़तह हुआ या जंग से।

बहरहाल! बड़ी सहूलत के साथ मक्का मुकर्रमा फ़तह हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़्वाब वाक़िआ़ बनकर सब के सामने आ गया, सहाबा किराम ने बेख़तर होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर सर मुण्डाये या बाल कटवाये, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा बैतुल्लाह में दाख़िल हुए। बैतुल्लाह की चाबी आपके हाथ आई उस वक़्त आपने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को ख़ुसूसन और सब सहाबा को उमूमन ख़िताब करके फ़रमाया कि यह है वह वाक़िआ़ जो मैंने आप से कहा था, फिर हज्जतुल-विदा के मौक़े पर आपने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़िताब करके फ़रमाया कि यह था वह वाक़िआ़ जो मैंने तुमसे कहा था। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि बेशक कोई फ़तह सुलह हुदैबिया से ज़्यादा बेहतर और बड़ी नहीं है। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु तो पहले से फ़रमाते थे कि इस्लाम में कोई फ़तह सुलह हुदैबिया के बराबर नहीं है, लेकिन लोगों की राय और निगाह वहाँ तक न पहुँची जो अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल के दरमियान एक तयशुदा हक़ीक़त थी।

ये लोग जल्द बाज़ी करना चाहते थे और अल्लाह तआ़ला अपने बन्दों की जल्द बाज़ी से मुतास्सिर होकर जल्दी नहीं करता बल्कि हिक्मत व मस्लेहत के साथ हर काम अपने सही वक़्त पर अन्जाम पाता है, इसलिये सूरः फ़तह में हक़ तआ़ला ने हुदैबिया के वाक़िए को खुली फ़तह फ़रमाया। हुदैबिया के वाक़िए के ये अहम भाग और अंश थे जिनसे अगली आयतों के समझने में सहूलत मिलेगी। अब आयतों की तफ़सीर देखिये।

لِيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْۢبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ

इसमें लियग़्फ़ि-र का लाम अगर इल्लत और सबब बयान करने के लिये लिया जाये तो हासिल इसका यह है कि यह खुली फ़तह आपको इसलिये दी गई है ताकि आपको ये तीन कमालात हासिल हो जायें जिनका इस आयत में ज़िक्र है। उनमें से पहली चीज़ तमाम अगली पिछली चूक और ख़ताओं की माफ़ी है। इससे पहले सूरः मुहम्मद में यह मालूम हो चुका है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम गुनाहों से मासूम (महफ़ूज़ व सुरक्षित) होते हैं, उनकी तरफ़ क़ुरआन में जहाँ कहीं गुनाह या नाफ़रमानी व ख़ता वग़ैरह के अलफ़ाज़ मन्सूब किये गये वे उनके बुलन्द मक़ाम की मुनासबत से ऐसे कामों के लिये इस्तेमाल किये गये जो कोई नामुनासिब काम था मगर नुबुव्वत के बुलन्द मक़ाम के एतिबार से ग़ैर-अफ़ज़ल पर अ़मल करना भी ऐसी चूक और ख़ता है जिसको क़ुरआन ने तंबीह के तौर पर गुनाह व ख़ता से ताबीर किया है। और 'पहले हो चुके' से मुराद वो ख़तायें और चूक हैं जो नुबुव्वत से पहले हुईं और 'जो बाद में हों' से मुराद वो ख़तायें और चूक हैं जो रिसालत व नुबुव्वत के बाद सादिर हुईं। (तफ़सीरे मज़हरी)

और खुली फ़तह का इस मग़फ़िरत के लिये सबब होने की वजह यह है कि इस खुली फ़तह से बहुत लोग गिरोह के गिरोह (यानी भारी तायदाद में) इस्लाम में दाख़िल होंगे और इस्लाम की दावत का आ़म हो जाना आपकी ज़िन्दगी का अ़ज़ीम मक़सद और आपके अज्र व सवाब को बहुत बढ़ाने वाला है, और अज्र व सवाब की ज़्यादती सबब होती है कि ख़ताओं और कमियों का कफ़्फ़ारा बने। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝

यह दूसरी नेमत है जो इस खुली फ़तह पर मुरत्तब हुई। यहाँ यह सवाल होता है कि सिराते मुस्तक़ीम (सीधे रास्ते) पर तो आप पहले ही से हैं, और न सिर्फ़ ख़ुद सिराते मुस्तक़ीम पर हैं बल्कि दुनिया को इसी सिराते मुस्तक़ीम की दावत देना आपका रात-दिन का मश्ग़ला है, तो हिजरत के छठे साल खुली फ़तह के ज़रिये सिराते मुस्तक़ीम की हिदायत के क्या मायने हैं? इसका जवाब सूरः फ़ातिहा की तफ़सीर लफ़्ज़ हिदायत की तहक़ीक़ में गुज़र चुका है कि हिदायत एक ऐसा आ़म मफ़्हूम (मतलब) है कि जिसके दर्जे असीमित हैं, वजह यह है कि हिदायत के मायने मन्ज़िले मक़सूद का रास्ता दिखलाना या उस पर पहुँचाना है, और असल मन्ज़िले मक़सूद हर इनसान की हक़ तआ़ला की रज़ा और निकटता हासिल करना है, और उस रज़ा व नज़दीकी के अलग-अलग बेशुमार दर्जे हैं, एक दर्जा हासिल होने के बाद दूसरे और तीसरे

दर्जे की ज़रूरत बाक़ी रहती है जिससे कोई बड़े से बड़ा वली बल्कि नबी व रसूल भी बेनियाज़ (ग़ैर-ज़रूरत मन्द) नहीं हो सकता, इसी लिये 'इह्दिनस्सिरातल् मुस्तक़ी-म' की दुआ़ नमाज़ की हर रक्अ़त में करने की तालीम जैसे उम्मत को है ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी है, जिसका हासिल सिराते मुस्तक़ीम की हिदायत यानी अल्लाह तआ़ला की निकटता व रज़ा के दर्जों में तरक़्क़ी हासिल करना है। इस खुली फ़तह पर हक़ तआ़ला ने इसी निकटता व रज़ा का कोई बहुत आला मक़ाम आपको अ़ता फ़रमाया जिसको 'यह्दिय-क' के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है।

وَيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا ۝

यह तीसरी नेमत है जो इस खुली फ़तह पर मुरत्तब हुई कि हक़ तआ़ला की इमदाद व इआ़नत जो आपको हमेशा हासिल रही है इस वक़्त उस मदद का एक बड़ा दर्जा आपको दिया गया।

هُوَ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ ۭ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝ لِّيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ۭ وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا ۝ وَّيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّاۗنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ۭ عَلَيْهِمْ دَاۗىِٕرَةُ السَّوْءِ ۚ وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ۭ وَسَاۗءَتْ مَصِيْرًا ۝ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ۝

हुवल्लज़ी अन्ज़लस्सकि-न-त फ़ी क़ुलूबिल्-मुअ्मिनी-न लि-यज़्दादू ईमानम् म-अ़ ईमानिहिम्, व लिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वल्अर्ज़ि, व कानल्लाहु अ़लीमन् हकीमा (4) लियुद्ख़िलल्- मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा व युकफ़्फ़ि-र अ़न्हुम् सय्यिआतिहिम्,	वही है जिसने उतारा इत्मीनान दिल में ईमान वालों के ताकि और बढ़ जाये उनको ईमान अपने ईमान के साथ, और अल्लाह के हैं सब लश्कर आसमान के और ज़मीन के, और अल्लाह है ख़बर रखने वाला, हिक्मत वाला (4) ताकि पहुँचा दे ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को बाग़ों में, उनके नीचे बहती हैं नहरें, हमेशा रहें उनमें और उतार दे उन पर से उनकी बुराईयाँ,

व का-न ज़ालि-क अिन्दल्लाहि फ़ौज़न् अज़ीमा (5) व युअ़ज़्ज़िबल्-मुनाफ़िक़ी-न वल्-मुनाफ़िक़ाति वल्मुश्रिकी-न वल्मुश्रिकातिज़्ज़ान्नी-न बिल्लाहि ज़न्नस्सौइ, अ़लैहिम् दाइ-रतुस्सौइ व ग़ज़िबल्लाहु अ़लैहिम् व ल-अ़-नहुम् व अ-अ़द्-द लहुम् जहन्न-म, व साअत् मसीरा (6) व लिल्लाहि जुनूदुस्समावाति वल्अर्ज़ि, व कानल्लाहु अ़ज़ीज़न् हकीमा (7)	और यह है अल्लाह के यहाँ बड़ी मुराद मिलनी (5) और ताकि अज़ाब करे दग़ाबाज़ मर्दों को और दग़ाबाज़ औरतों को, और शिर्क वाले मर्दों को और शिर्क वाली औरतों को जो अटकलें करते हैं अल्लाह पर बुरी अटकलें, उन्हीं पर पड़े फेर मुसीबत का, और गुस्सा हुआ अल्लाह उन पर और लानत की उनको और तैयार की उनके वास्ते दोज़ख़, और बुरी जगह पहुँचे। (6) और अल्लाह के हैं सब लश्कर आसमानों के और ज़मीन के, और है अल्लाह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला। (7)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

वह ख़ुदा ऐसा है कि जिसने मुसलमानों के दिलों में बरदाश्त पैदा की है (जिसके दो असर हैं- एक जिहाद की बैअ़त के वक़्त उसकी तरफ़ एक दूसरे से आगे बढ़ना और हिम्मत व इरादा जैसा कि बैअ़ते रिज़वान के वाक़िए में ऊपर ज़िक्र आ चुका है, और दूसरा असर काफ़िरों की बेजा ज़िद के वक़्त अपने जोश और ग़ुस्से व आक्रोश को क़ाबू में रखना, जिसका ज़िक्र इस वाक़िए के भाग दस में तफ़सील के साथ आ चुका है। आगे भी इसी सूरत की आयत नम्बर 26 में 'फ़-अन्ज़लल्लाहु सकीन-तहू अ़ला रसूलिही.........' में आयेगा) ताकि उनके पहले ईमान के साथ उनका ईमान और ज़्यादा हो (क्योंकि दर असल रसूल की इताअ़त ज़रिया है ईमान के नूर में इज़ाफ़े का, और इस वाक़िए में हर पहलू से मुकम्मल इताअ़ते रसूल का इम्तिहान हो गया कि जब रसूल ने जिहाद की दावत के लिये बुलाया और बैअ़त ली तो बड़ी ख़ुशदिली से और बढ़-चढ़कर सब ने बैअ़त की और जिहाद के लिये तैयार हो गये, और जब हिक्मत व मस्लेहत के पेशे नज़र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जंग से रोका और सब सहाबा जिहाद के जोश में जंग के लिये बेक़रार थे मगर इताअ़ते रसूल में सर झुका दिया और जंग से बाज़ रहे)।

और आसमान व ज़मीन का सब लश्कर (जैसे फ़रिश्ते और सब मख़्लूक़ात) अल्लाह ही के (लश्कर) हैं (इसलिये काफ़िरों की शिकस्त और दीने इस्लाम की सरबुलन्दी के लिये अल्लाह तआ़ला तुम्हारे क़िताल (जंग करने) व जिहाद का मोहताज नहीं, वह अगर चाहे तो अपने फ़रिश्तों के लश्कर भेज दे जैसा कि जंगे बदर, जंगे अहज़ाब और जंगे हुनैन के मौक़ों पर इसको खुली आँखों देखा जा चुका, और यह लश्कर भेजना भी मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाने के लिये है

वरना एक फ़रिश्ता भी सब के लिये काफ़ी है, इसलिये तुम लोगों को न तो काफ़िरों की अधिकता देखकर जिहाद व क़िताल में कोई दुविधा और परेशानी होनी चाहिये और न जिस वक़्त अल्लाह व रसूल का हुक्म जंग व क़िताल को छोड़ने का हो उस वक़्त लड़ाई और जंग से रुकने में भी कोई दुविधा व शंका न होनी चाहिये कि अफ़सोस सुलह हो गई और काफ़िर बच गये, उनको सज़ा न हुई। और जंग करने या जंग को न करने के नतीजे और परिणामों को अल्लाह तआ़ला ही ज़्यादा जानता है, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला (मस्लेहतों का) बड़ा जानने वाला, बड़ी हिक्मत वाला है (जब जंग व जिहाद में हिक्मत होती है उसका हुक्म देता है और जब जंग व जिहाद के न करने में मस्लेहत होती है तो उसका हुक्म फ़रमाता है। इसलिये मुसलमानों को चाहिये कि दोनों हालतों में अपने जज़्बात को रसूल के हुक्म के ताबे रखें जो सबब है ईमान में ज़्यादती होने का। आगे ईमान के ज़्यादा होने के फल का बयान है, यानी) ताकि अल्लाह तआ़ला (इस इताअ़त की बदौलत) मुसलमान मर्दों और मुसलमान औ़रतों को ऐसी जन्नतों में दाख़िल करे जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें हमेशा-हमेशा के लिये रहेंगे, और ताकि (इस इताअ़त की बदौलत) उनके गुनाह दूर कर दे (क्योंकि इताअ़ते रसूल में गुनाहों से तौबा और नेक आमाल सब दाख़िल हैं जो तमाम बुराईयों और गुनाहों का कफ़्फ़ारा होते हैं) और यह (जो कुछ बयान हुआ) अल्लाह के नज़दीक बड़ी कामयाबी है।

(इस आयत में पहले मोमिनों के दिलों पर सुकून व इत्मीनान और बरदाश्त नाज़िल करने का इनाम ज़िक्र फ़रमाया, फिर यह इनाम रसूल की फ़रमाँबरदारी के ज़रिये ईमान की ज़्यादती का सबब बना और इताअ़ते रसूल जन्नत में दाख़िल होने का सबब बनी, इसलिये ये सब चीज़ें मोमिनों के दिलों में इत्मीनान व सुकून नाज़िल होने पर मुरत्तब हुईं। आगे इसी सुकून व इत्मीनान पर मुरत्तब करके मुनाफ़िक़ों की इससे मेहरूमी) और (उस मेहरूमी के सबब से अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होना बयान फ़रमाते हैं, यानी यह सुकून व इत्मीनान मुसलमानों के दिलों पर नाज़िल फ़रमाया और काफ़िरों के दिलों पर नहीं फ़रमाया) ताकि अल्लाह तआ़ला मुनाफ़िक़ मर्दों और मुनाफ़िक़ औ़रतों और मुश्रिक मर्दों और मुश्रिक औ़रतों को (उनके कुफ़्र की वजह से) अ़ज़ाब दे जो कि अल्लाह के साथ बुरे-बुरे गुमान रखते हैं (इस बुरे गुमान से मुराद पहले गुज़रे मज़मून के मुताबिक़ उन लोगों का गुमान है जिनको उमरे के लिये हुदैबिया के सफ़र की दावत दी गई और उन्होंने इनकार कर दिया और आपस में यह कहा कि ये लोग मक्का वालों से हमें लड़ाना चाहते हैं, इनको जाने दो, ये उनके हाथ से बचकर नहीं आयेंगे। ऐसा कहने वाले लोग मुनाफ़िक़ ही हो सकते हैं, और अपने आ़म मफ़्हूम के एतिबार से कुफ़्र व शिर्क के सारे अ़क़ीदे इसी बुरे गुमान में दाख़िल हैं, उन सब के लिये वईद और धमकी है कि दुनिया में) उन पर बुरा वक़्त पड़ने वाला है (चुनाँचे चन्द ही दिन के बाद क़त्ल हुए और गिरफ़्तार हुए और मुनाफ़िक़ों की तमाम उम्र हसरत व परेशानी में कटी कि इस्लाम बढ़ता था और वे घटते जाते थे। यह तो दुनिया में हुआ) और (आख़िरत में) अल्लाह तआ़ला उन पर ग़ज़बनाक होगा और उनको रहमत से दूर कर देगा, और उनके लिये उसने दोज़ख़ तैयार कर रखी है, और वह बहुत ही बुरा ठिकाना है।

और (आगे इस सज़ा की धमकी और वईद की ताकीद है कि) आसमान व ज़मीन के सब लश्कर अल्लाह ही के हैं, और अल्लाह तआ़ला ज़बरदस्त (यानी पूरी क़ुदरत वाला है अगर चाहता अपने किसी भी लश्कर से इन सब की एक दम सफ़ाई कर देता कि ये इसके मुस्तहिक़ हैं, लेकिन चूँकि वह) हिक्मत वाला है (इसलिये मस्लेहत के तहत सज़ा में मोहलत देता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरत की शुरू की तीन आयतों में उन ख़ास इनामात का ज़िक्र है जो इस खुली फ़तह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर हुए। कुछ सहाबा जो हुदैबिया के सफ़र में साथ थे उन्होंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! ये इनामात तो आपके लिये हैं अल्लाह आपको मुबारक फ़रमाये, हमारे लिये क्या है? इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। इनमें हुदैबिया के मौक़े पर और बैअ़ते रिज़वान में हाज़िर हज़रात के लिये डायरेक्ट तौर पर इनामात का ज़िक्र है, और चूँकि वे इनामात ईमान और रसूल की इताअ़त के सबब मिले इस हैसियत से सब मोमिनों को भी शामिल है, कि जो भी ईमान और इताअ़त में कामिल होगा वह इन इनामों का हक़दार होगा।

إِنَّآ أَرْسَلْنَٰكَ شَٰهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ ۚ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ۚ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِۦ ۖ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَٰهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ۝

इन्ना अर्सल्ना-क शाहिदंव्-व मुबश्शिरंव्-व नज़ीरा (8) लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही व तुअ़ज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, व तुसब्बिहूहु बुक्र-तंव् -व असीला (9) इन्नल्लज़ी-न युबायिअ़ून-क इन्नमा युबायिअ़ूनल्ला-ह, यदुल्लाहि फ़ौ-क़ ऐदीहिम् फ़-मन् न-क-स फ़-इन्नमा यन्कुसु अ़ला नफ़्सिही व मन् औफ़ा बिमा आ़ह-द अ़लैहुल्ला-ह फ़-सयुअ्तीहि अज्रन् अ़ज़ीमा (10) ✿	हमने तुझको भेजा अहवाल बताने वाला और ख़ुशी और डर सुनाने वाला (8) ताकि तुम लोग यक़ीन लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उसकी मदद करो और उसकी अज़मत रखो, और उस की पाकी बोलते रहो सुबह और शाम। (9) बेशक जो लोग बैअ़त करते हैं तुझसे वे बैअ़त करते हैं अल्लाह से, अल्लाह का हाथ है ऊपर उनके हाथ के, फिर जो कोई क़ौल तोड़े सो तोड़ता है अपने नुक़सान के लिये और जो कोई पूरा करे उस चीज़ को जिस पर इक़रार किया अल्लाह से तो वह उसको देगा बदला बहुत बड़ा। (10) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) हमने आपको (उम्मत के आमाल पर क़ियामत के दिन) गवाही देने वाला (उमूमन) और (दुनिया में ख़ुसूसन मुसलमानों के लिये) ख़ुशख़बरी देने वाला और (काफ़िरों के लिये) डराने वाला करके भेजा है। (और ऐ मुसलनमानो! हमने उनको इसलिये रसूल बनाकर भेजा है) ताकि तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और उस (के दीन) की मदद करो और उसकी क़द्र व इ़ज़्ज़त करो (अ़क़ीदे में भी कि अल्लाह तआ़ला को तमाम कमालात वाला और तमाम नुक़्सों और ऐबों से पाक समझो, और अ़मली तौर पर भी उसकी इताअ़त करो) और सुबह व शाम उसकी तस्बीह (व पाकीज़गी) में लगे रहो (अगर इस तस्बीह की तफ़सीर नमाज़ से की जाये तो सुबह शाम की फ़र्ज़ नमाज़ें मुराद होंगी वरना मुतलक़ ज़िक्र अगरचे मुस्तहब ही हो वह मुराद होगा। आगे बाज़े ख़ास हुक़ूक़ के मुताल्लिक़ इरशाद है कि) जो लोग आप से (हुदैबिया के दिन इस बात पर) बैअ़त कर रहे हैं (यानी बैअ़त कर चुके हैं कि जिहाद से भागेंगे नहीं) तो वे (हक़ीक़त में) अल्लाह तआ़ला से बैअ़त कर रहे हैं (क्योंकि मक़सूद आप से इस पर बैअ़त करना है कि अल्लाह तआ़ला के अहकाम पर अ़मल करेंगे, और जब यह बात है तो गोया) ख़ुदा का हाथ उनके हाथों पर है। फिर (बैअ़त के बाद) जो शख़्स अ़हद तोड़ेगा (यानी बजाय फ़रमाँबरदारी के मुख़ालफ़त करेगा) सो उसके अ़हद तोड़ने का वबाल उसी पर पड़ेगा, और जो शख़्स उस बात को पूरा करेगा जिस पर (बैअ़त में) ख़ुदा से अ़हद किया है, सो जल्द ही ख़ुदा उसको बड़ा अज्र देगा।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में अल्लाह तआ़ला के उन इनामों का ज़िक्र था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपकी उम्मत पर ख़ासकर बैअ़ते रिज़वान के शरीकों पर फ़रमाये और चूँकि इन इनामों का अ़ता करने वाला अल्लाह और अ़ता होने का वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं इसकी मुनासबत से उक्त आयतों में उनके हुक़ूक़ और ताज़ीम व तकरीम का ज़िक्र है। अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब करके आपकी तीन सिफ़तें बयान फ़रमाईं- शाहिद, बशीर, नज़ीर। शाहिद के मायने गवाह के हैं इससे मुराद वही है जो सूरः निसा की आयतः

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ○

की तफ़सीर में मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द दो (यानी सूरः निसा की आयत 41) में गुज़र चुकी है कि हर नबी अपनी उम्मत के बारे में इस बात की गवाही देगा कि उसने अल्लाह का पैग़ाम उम्मत को पहुँचा दिया, फिर किसी ने इताअ़त की किसी ने नाफ़रमानी। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी उम्मत के बारे में गवाही देंगे। सूरः निसा की आयत

की तफ़सीर में इमाम क़ुर्तुबी ने लिखा है कि अम्बिया की यह गवाही अपने ज़माने के मौजूद लोगों के बारे में होगी कि उनकी हक़ की दावत को किसने क़ुबूल किया और किसने नाफ़रमानी की। इसी तरह रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की यह गवाही अपने ज़माने के लोगों के बारे में होगी। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह गवाही तमाम उम्मत के अच्छे बुरे आमाल पर होगी, क्योंकि कुछ रिवायतों के मुताबिक़ उम्मत के आमाल सुबह व शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने फ़रिश्ते पेश करते हैं इसलिये आप तमाम उम्मत के आमाल से बाख़बर होंगे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, सईद बिन मुसैयब रह. की रिवायत से) और बशीर के मायने बशारात देने वाला, नज़ीर के मायने डराने वाला। मुराद यह है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उम्मत के मोमिनों और इताअ़त करने वालों को जन्नत की बशारत (ख़ुशख़बरी) देने वाले हैं और काफ़िरों बदकारों को अ़ज़ाब से डराने वाले हैं। आगे रसूल को भेजने का मक़सद यह बतलाया गया कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आओ और ईमान के साथ मज़ीद तीन सिफ़तों का ज़िक्र फ़रमाया है जो मोमिनों में होनी चाहियें:

تُعَزِّرُوْهُ، تُوَقِّرُوْهُ، تُسَبِّحُوْهُ.

'तुअ़ज़्ज़िरूहु' ताज़ीर से निकला है जिसके मायने मदद करने के हैं, और सज़ा को जो ताज़ीर कहा जाता है वह भी इसलिये कि मुजरिम की असली मदद इसमें है कि उस पर सज़ा जारी की जाये। (मुफ़रदातुल-क़ुरआन, राग़िब) और 'तुवक़्क़िरूहु' तौक़ीर से निकला है जिसके मायने हैं ताज़ीम, और 'तुसब्बिहूहु' तस्बीह से निकला है जिसके मायने पाकी बयान करने के हैं। इनमें आख़िरी लफ़्ज़ तो मुतैयन है कि अल्लाह ही के लिये हो सकता है इसलिये 'तुसब्बिहूहु' की ज़मीर (सर्वनाम) में सिवाय इसके कोई एहतिमाल (संभावना) नहीं कि हक़ तआ़ला की तरफ़ लौटे, इसी लिये अक्सर हज़रात ने पहले दोनों जुमलों की ज़मीरें भी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ लौटाकर मायने यह क़रार दिये हैं कि ईमान लाओ और अल्लाह की यानी उसके दीन और रसूल की मदद करो और उसकी ताज़ीम (अदब व सम्मान) करो और उसकी तस्बीह करो।

और कुछ हज़रात ने पहले दो जुमलों की ज़मीर (सर्वनाम) रसूल की तरफ़ लौटाकर मतलब यह क़रार दिया कि रसूल की मदद करो और ताज़ीम करो और अल्लाह तआ़ला की तस्बीह करो, मगर कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि इसमें ज़मीरों को बिखेरना और अलग-अलग करना लाज़िम आता है जो बलाग़त (कलाम की उम्दगी और बुलन्द मेयार) के ख़िलाफ़ है। वल्लाहु आलम।

इसके बाद उस बैअ़त का ज़िक्र है जिसका वाक़िआ़ हुदैबिया के क़िस्से के दूसरे हिस्से (भाग) में गुज़र चुका है। इस बैअ़त के मुताल्लिक़ हक़ तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया कि जिन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ पर यह बैअ़त की चूँकि मक़सूद उससे अल्लाह के हुक्म की तामील और रज़ा तलब करना है इसलिये गोया ख़ुद अल्लाह तआ़ला से बैअ़त की, और जब उन्होंने रसूल के हाथ में हाथ दिया तो गोया अल्लाह के हाथ पर बैअ़त कर ली। अल्लाह का हाथ मुतशाबिहात में से है जिसकी कैफ़ियत और हक़ीक़त न किसी को मालूम

है न मालूम करने की फ़िक्र में रहना दुरुस्त है। इस बैअ़त की फ़ज़ीलत आगे भी आ रही है।

लफ़्ज़ बैअ़त दर असल किसी ख़ास काम पर अ़हद लेने का नाम है। इसका पुराना और मस्नून तरीक़ा आपस में अ़हद करने वालों का हाथ पर हाथ रखना है अगरचे हाथ पर हाथ रखना शर्त और ज़रूरी नहीं। बहरहाल! जिस काम का किसी से अ़हद किया जाये उसकी पाबन्दी शरई तौर पर वाजिब व ज़रूरी है और ख़िलाफ़वर्ज़ी हराम है, इसी लिये आगे फ़रमाया कि जो शख़्स इस बैअ़त के अ़हद को तोड़ेगा तो कुछ अपना ही नुक़सान करेगा अल्लाह और उसके रसूल को उससे कोई नुक़सान नहीं पहुँचता, और जो इस अ़हद को पूरा करेगा तो उसको अल्लाह तआ़ला बड़ा अज्र देने वाले हैं।

سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ۚ يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ۚ بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝ بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَٰلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

स-यक़ूलु ल-कल्-मुख़ल्लफ़ू-न मिनल्-अअ़्राबि श-ग़लत्ना अम्वालुना व अह्लूना फ़स्तग़्फ़िर् लना यक़ूलू-न बि-अल्सि-नतिहिम् मा लै-स फ़ी क़ुलूबिहिम्, क़ुल् फ़-मंय्यम्लिकु लकुम् मिनल्लाहि शैअन् इन् अरा-द बिकुम् ज़र्रन् औ अरा-द बिकुम् नफ़्अ़न्, बल् कानल्लाहु बिमा तअ़्मलू-न ख़बीरा (11) बल् ज़नन्तुम् अल्लंय्यन्क़लिबर्-रसूलु वल्मुअ्मिनू-न इला अह्लीहिम् अ-बदंव्-व ज़ुय्यि-न ज़ालि-क फ़ी

अब कहेंगे तुझसे पीछे रह जाने वाले देहाती- हम काम में लगे रह गये अपने मालों के और घर वालों के, सो हमारा गुनाह बख़्शवा, वे कहते हैं अपनी ज़बान से जो उनके दिल में नहीं, तू कह किसका कुछ बस चलता है अल्लाह से तुम्हारे वास्ते अगर वह चाहे तुम्हारा नुक़सान या चाहे तुम्हारा फ़ायदा, बल्कि अल्लाह है तुम्हारे सब कामों से ख़बरदार। (11) कोई नहीं! तुमने तो ख़्याल किया था कि फिरकर न आयेगा रसूल और मुसलमान अपने घर कभी और ख़ुब गया तुम्हारे

क़ुलूबिकुम् व ज़नन्तुम् ज़न्नस्सौइ व कुन्तुम् क़ौमम्-बूरा (12) व मल्लम् युअ्मिम्-बिल्लाहि व रसूलिही फ़-इन्ना अअ्तद्ना लिल्काफ़िरी-न सअ़ीरा (13) व लिल्लाहि मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, यग्फ़िरु लिमंय्यशा-उ व युअ़ज़्ज़िबु मंय्यशा-उ, व कानल्लाहु ग़फ़ूरर्-रहीमा (14)	दिल में यह ख़्याल, और अटकल की तुम ने बुरी अटकलें और तुम लोग थे तबाह होने वाले। (12) और जो कोई यक़ीन न लाये अल्लाह पर और उसके रसूल पर तो हमने तैयार कर रखी है मुन्किरों के वास्ते दहकती आग। (13) और अल्लाह के लिये है हुकूमत आसमानों की और ज़मीन की बख़्शे जिसको चाहे और अ़ज़ाब में डाले जिसको चाहे, और है अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान। (14)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जो देहाती (इस हुदैबिया के सफ़र से) पीछे रह गये (सफ़र में शरीक नहीं हुए) वे जल्द ही (जबकि आप मदीना पहुँचेंगे) आप से (बात बनाने के तौर पर) कहेंगे कि (हम जो आपके साथ शरीक नहीं हुए वजह इसकी यह हुई कि) हमको हमारे माल और बाल-बच्चों ने फ़ुर्सत न लेने दी (यानी उनकी ज़रूरतों में मश़गूल रहे) तो हमारे लिये (इस कोताही की) माफ़ी की दुआ़ माँगिये। (आगे हक़ तआ़ला उनको झुठलाते हैं कि) ये लोग अपनी ज़बान से वो बातें कहते हैं कि जो उनके दिल में नहीं हैं (आगे आपको तालीम व हिदायत है कि ये लोग जब आप से यह उज़्र पेश करें तो) आप कह दीजिये कि (पहले तो यह उज़्र अगर सच्चा भी होता तो अल्लाह व रसूल के हुक्म के मुक़ाबले में बिल्कुल बेकार और न चलने वाला होता) सो (हम पूछते हैं कि) वह कौन है जो ख़ुदा के सामने तुम्हारे लिये (नफ़े व नुक़सान में) किसी चीज़ का इख़्तियार रखता हो? अगर अल्लाह तआ़ला तुमको कोई नुक़सान या कोई नफ़ा पहुँचाना चाहे (यानी तुम्हारी ज़ात या तुम्हारे माल और बाल-बच्चों में जो नफ़ा या नुक़सान तक़दीरे इलाही में मुक़द्दर हो चुका है उसके ख़िलाफ़ करने का किसी को इख़्तियार नहीं। अलबत्ता इस्लामी शरीअ़त ने बहुत से मौक़ों पर इस तरह के ख़तरों का उज़्र क़ुबूल करके छूट व रियायत दे दी है बशर्तेकि वह उज़्र सही और वास्तविक हो, और जहाँ शरीअ़त ने इस उज़्र को क़ुबूल नहीं किया और रियायत व छूट नहीं दी बल्कि निश्चित तौर पर हुक्म कर दिया जैसा कि इस ज़ेरे-बहस मसले में है कि हुदैबिया के सफ़र के लिये अल्लाह व रसूल ने घर-बार के मश़गलों को क़ाबिले क़ुबूल उज़्र क़रार नहीं दिया अगरचे वह वास्तविक हो। दूसरे यह उज़्र जो तुम कर रहे हो वास्तविक और सच्चा भी नहीं जैसा कि आगे आता है, और तुम समझते होगे कि मुझको इस झूठ की ख़बर नहीं हुई) बल्कि (हक़ीक़त यह है कि) अल्लाह तआ़ला (ने जो कि) तुम्हारे सब आमाल की ख़बर रखता है (मुझको वही के

ज़रिये इत्तिला कर दी है कि तुम्हारी ग़ैर-हाज़िरी की वजह वह नहीं जो तुम बयान कर रहे हो) बल्कि (असल वजह यह है कि) तुमने यूँ समझा कि रसूल और (उनके साथी) मोमिन लोग अपने घर वालों में कभी लौटकर न आएँगे (बल्कि मुश्रिक लोग सब की सफ़ाई कर देंगे)। और यह बात तुम्हारे दिलों में अच्छी भी मालूम हुई थी (अल्लाह व रसूल की दुश्मनी की वजह से तुम्हारी दिली तमन्ना भी थी) और तुमने बुरे-बुरे गुमान किये, और तुम (उन बुरे गुमानों की वजह से जो कि कुफ़्रिया ख़्यालात हैं) बरबाद होने वाले लोग हो गये।

और (अगर इन वईदों 'यानी सज़ा की धमकियों' को सुनकर तुम अब भी दिल से ईमान ले आओ तो ख़ैर, वरना) जो शख़्स अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान न लायेगा तो हमने काफ़िरों के लिये दोज़ख़ तैयार कर रखी है। और (मोमिन व ग़ैर-मोमिन के लिये मज़कूरा क़ानून मुक़र्रर करने से ताज्जुब न किया जाये क्योंकि) तमाम आसमान व ज़मीन की हुकूमत अल्लाह ही की है, वह जिसको चाहे बख़्श दे और जिसको चाहे सज़ा दे, और (काफ़िर अगरचे अ़ज़ाब का हक़दार होता है लेकिन) अल्लाह तआ़ला बड़ा माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है (कि वह भी सच्चे दिल से ईमान ले आयें तो उनको भी बख़्श देता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

यह मज़मून जो ऊपर बयान हुआ उन देहातियों के बारे में है जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हुदैबिया के सफ़र में साथ चलने का हुक्म किया था मगर उन्होंने बहानेबाज़ी से काम लिया जिसका बयान हुदैबिया के क़िस्से के पहले भाग में हो चुका है। कुछ रिवायतों से मालूम होता है कि उनमें बाज़े हज़रात बाद में तौबा करने वाले और सच्चे मोमिन हो गये थे।

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ۖ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلَامَ اللَّهِ ۚ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونَا كَذَٰلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ ۖ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ۖ فَإِنْ تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا ۖ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ ۗ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ وَمَنْ يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

स-यक़ूलुल्-मुख़ल्लफ़ू-न इज़न्तलक़्तुम् इला मग़ानि-म लितअ्ख़ुज़ूहा ज़रूना	अब कहेंगे पीछे रह गये हुए जब तुम चलोगे ग़नीमतें लेने को, छोड़ो हम भी

नत्तबिअ्कुम् युरीदू-न अंय्युबद्दिलू कलामल्लाहि, क़ुल्-लन् तत्तबिअूना कज़ालिकुम् क़ालल्लाहु मिन् क़ब्लु फ़-स-यक़ूलू-न बल् तह्सुदू-नना बल् कानू ला यफ़्क़हू-न इल्ला क़लीला (15) क़ुल् लिल्-मुख़ल्लफ़ी-न मिनल्-अअ्राबि स-तुद्औ़-न इला क़ौमिन् उली बअ्सिन् शदीदिन् तुक़ातिलूनहुम् औ युस्लिमू-न फ़-इन् तुतीअ़ू युअ्तिकुमुल्लाहु अज्रन् ह-सनन् व इन् त-तवल्लौ कमा तवल्लैतुम् मिन् क़ब्लु युअ़ज़्ज़िब्कुम् अ़ज़ाबन् अलीमा (16) लै-स अ़लल्-अअ्मा ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-अअ्रजि ह-रजुंव्-व ला अ़लल्-मरीज़ि ह-रजुन्, व मंय्युतिअ़िल्ला-ह व रसूलहू युद्ख़िल्हु जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु व मंय्य-तवल्-ल युअ़ज़्ज़िब्हु अ़ज़ाबन् अलीमा (17) ✿ ●

चलें तुम्हारे साथ, चाहते हैं कि बदल दें अल्लाह का कहा, तू कह दे- तुम हमारे साथ हरगिज़ न चलोगे, यूँ ही कह दिया अल्लाह ने पहले से, फिर अब कहेंगे नहीं, तुम तो जलते हो हमारे फ़ायदे से, कोई नहीं, पर वे नहीं समझते हैं मगर थोड़ा सा। (15) कह दे पीछे रह जाने वाले देहातियों से आईन्दा तुमको बुलायेंगे एक क़ौम पर बड़े सख़्त लड़ने वाले तुम उनसे लड़ोगे या वे मुसलमान होंगे, फिर अगर हुक्म मानोगे देगा तुमको अल्लाह बदला अच्छा, और अगर पलट जाओगे जैसे पलट गये थे पहली बार देगा तुमको एक दर्दनाक अ़ज़ाब। (16) अंधे पर तकलीफ़ नहीं और न लंगड़े पर तकलीफ़ और न बीमार पर तकलीफ़, और जो कोई हुक्म माने अल्लाह का और उसके रसूल का उसको दाख़िल करेगा बाग़ों में जिनके नीचे बहती हैं नहरें, और जो कोई पलट जाये उसको देगा दर्दनाक अ़ज़ाब। (17) ✿ ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जो लोग (हुदैबिया के सफ़र से) पीछे रह गये थे वे जल्दी ही जब तुम (ख़ैबर की) ग़नीमतें "यानी जंग में फ़तह के बाद हासिल होने वाले माल" लेने चलोगे (मतलब यह है कि ख़ैबर फ़तह करने के लिये चलोगे जहाँ ग़नीमत मिलने वाली है तो ये लोग तुम से) कहेंगे कि हमको भी इजाज़त दो कि हम तुम्हारे साथ चलें (वजह इस दरख़्वास्त की माले ग़नीमत का लालच था जिसका हासिल होना हालात और अन्दाज़ों से उनको मालूम और अपेक्षित था, बख़िलाफ़ सफ़रे हुदैबिया के कि उसमें तकलीफ़ व परेशानी बल्कि तबाही ज़्यादा यक़ीनी थी, इसके मुताल्लिक़

अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि) वे लोग यूँ चाहते हैं कि ख़ुदा के हुक्म को बदल डालें (यानी हुक्म अल्लाह का यह था कि इस जंग व मुक़ाबले में सिर्फ़ वे लोग जायें जो हुदैबिया और बैअ़ते रिज़वान में शरीक हुए उनके सिवा और कोई न जाये, ख़ुसूसन उन लोगों में से जिन्होंने सफ़रे हुदैबिया में साथ चलने में नाफ़रमानी की और पीछे रह गये और बहानेबाज़ी की सो) आप कह दीजिए कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं चल सकते (यानी तुम्हारी यह दरख़्वास्त हम मन्ज़ूर नहीं कर सकते क्योंकि इसमें अल्लाह तआ़ला के हुक्म की तब्दीली का गुनाह है क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ने पहले से यूँ ही फ़रमा दिया है (यानी हुदैबिया से वापसी ही में अल्लाह तआ़ला ने यह हुक्म दे दिया था कि ग़ज़वा-ए-ख़ैबर में हुदैबिया वालों के सिवा कोई न जायेगा और अल्लाह का यह हुक्म बज़ाहिर क़ुरआन में मज़कूर नहीं, इससे मालूम हुआ कि यह हुक्म तिलावत न होने वाली वही के ज़रिये आपको मिला था जो हदीसों के ज़रिये बयान की जाती है, और यह भी मुम्किन है कि हुदैबिया से वापसी में जो सूरः फ़तह नाज़िल हुई और उसमें आगे आ रही आयत नम्बर 18 (व असाबहुम् फ़त्हन् क़रीबा) नाज़िल हुई इस क़रीबी फ़तह से मुराद ख़ैबर ही की फ़तह है तो इस आयत ने इशारा कर दिया कि ख़ैबर की यह फ़तह इन्हीं हुदैबिया वालों को नसीब होगी। और जब आप उनको यह जवाब देंगे) तो वे लोग कहेंगे (ज़ाहिर यह है कि आपके सामने कहना मुराद नहीं बल्कि औरों से कहेंगे कि हमें साथ न लेने को जो ख़ुदा का हुक्म बतलाया जाता है बात यह नहीं) बल्कि तुम लोग हम से जलते हो (इसलिये हमारा शरीक होना गवारा नहीं, हालाँकि मुसलमानों में जलने का कोई मामूली शुब्हा तक नहीं) बल्कि ख़ुद ये लोग बहुत कम बात समझते हैं (अगर समझ पूरी होती तो अल्लाह के इस हुक्म की हिक्मत आसानी से समझ सकते थे कि हुदैबिया में उन हज़रात ने एक बहुत बड़े ख़तरे और बड़े इम्तिहान का सामना कामयाबी के साथ किया, मुनाफ़िक़ों ने अपनी दुनियावी ग़र्ज़ों को आगे रखा, यह वजह उनके ख़ास करने और उनकी मेहरूमी की है। यहाँ तक मज़मून ख़ैबर के मुताल्लिक़ था आगे एक दूसरे वाक़िए के मुताल्लिक़ बातचीज के लिये इरशाद होता है)।

आप इन पीछे रहने वाले देहातियों से (यह भी) कह दीजिये कि (अगर एक ख़ैबर में न गये तो न सही सवाब हासिल करने के और भी मौक़े आने वाले हैं, चुनाँचे) जल्द ही तुम लोग ऐसे लोगों (से लड़ने) की तरफ़ बुलाये जाओगे जो बहुत सख़्त लड़ने वाले होंगे (मुराद इससे फ़ारस व रूम की जंगें हैं जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से है, क्योंकि उनकी फ़ौजें ट्रेनिंग याफ़्ता और सामान व हथियार से लैस थीं कि) या तो उनसे लड़ते रहो या वे (इस्लाम के) फ़रमाँबरदार हो जाएँ (चाहे इस्लाम क़ुबूल करके या इस्लामी हुकूमत की इताअ़त और जिज़या देना क़ुबूल करके। मतलब यह कि तुम इस काम के लिये बुलाये जाओगे) सो (उस वक़्त) अगर तुम इताअ़त करोगे (और उनसे जिहाद करोगे) तो तुमको अल्लाह तआ़ला नेक बदला (यानी जन्नत) देगा, और अगर तुम (उस वक़्त भी) मुँह मोड़ोगे जैसा कि इससे पहले (हुदैबिया वग़ैरह में) मुँह मोड़ चुके हो तो वह दर्दनाक अ़ज़ाब की सज़ा देगा (अलबत्ता जिहाद की दावत से माज़ूर लोग बरी हैं, चुनाँचे) न अंधे पर कोई गुनाह है और न लंगड़े पर कोई गुनाह

है और न बीमार पर कोई गुनाह है, और (ऊपर जो मुजाहिदों के लिये जन्नत व नेमत के वायदे और जिहाद से जान चुराने वालों के लिये सज़ा की धमकियाँ और वायदे बयान हुए हैं उनमें कुछ इन्हीं लोगों की विशेषता नहीं बल्कि क़ायदा कुल्लिया यह है कि) जो शख़्स अल्लाह व रसूल का कहना मानेगा उसको ऐसी जन्नतों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और जो शख़्स (हुक्म से) मुँह मोड़ेगा उसको दर्दनाक अ़ज़ाब की सज़ा देगा।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में उस वाक़िए का ज़िक्र है जो हुदैबिया से वापसी के बाद सन् 7 हिजरी में पेश आया कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ग़ज़्वा-ए-ख़ैबर का इरादा फ़रमाया तो सिर्फ़ उन लोगों को साथ लिया जो हुदैबिया के सफ़र और बैअ़ते रिज़्वान में शरीक थे, और अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़ैबर की फ़तह और वहाँ से माले ग़नीमत मिलने का वायदा फ़रमाया था, उस वक़्त देहात के वे लोग जो हुदैबिया के सफ़र में बावजूद बुलाने के उज़्र (बहाना) करके पीछे रह गये थे उन लोगों ने भी ख़ैबर के जिहाद में साथ चलने का इरादा किया, चाहे इस तरह से कि उनको हालात और अन्दाज़े से ख़ैबर का फ़तह होना और वहाँ माले ग़नीमत मिलने की उम्मीद थी और या मुसलमानों के साथ अल्लाह तआ़ला के मामलात और सुलह हुदैबिया की कुछ बरकतें देखकर उनको जिहाद से पीछे रहने पर शर्मिन्दगी और पछतावा हुआ और अब जिहाद में शिर्कत का इरादा किया। उनके जवाब में क़ुरआने करीम ने फ़रमाया कि ये लोग अल्लाह के कलाम यानी उसके हुक्म को बदलना चाहते हैं (युरीदू-न अंय्युबद्दिलू कलामल्लाहि)।

और मुराद इस हुक्म से ख़ैबर की मुहिम और उसकी ग़नीमतों का सिर्फ़ हुदैबिया वालों के साथ मख़्सूस होना है और इसके बाद 'कज़ालिकुम् क़ालल्लाहु मिन् क़ब्लु' में भी यही हुदैबिया वालों को ख़ास करने का क़ौल है। मगर यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि क़ुरआने करीम में तो कहीं इस ख़ास करने का ज़िक्र है नहीं फिर इस ख़ास करने के वायदे को अल्लाह का कलाम और अल्लाह का कहना कैसे सही हुआ?

अल्लाह की 'वही' सिर्फ़ क़ुरआन में सीमित नहीं

अल्लाह की वही सिर्फ़ क़ुरआन में सीमित नहीं, क़ुरआन के अ़लावा भी वही के ज़रिये अहकाम आये हैं और रसूले पाक की हदीसें भी कलामुल्लाह के हुक्म में हैं।

उलेमा ने फ़रमाया कि यह हुदैबिया वालों को ख़ास करने का वायदा जो अल्लाह तआ़ला ने ज़िक्र फ़रमाया है इसका क़ुरआन में कहीं स्पष्ट रूप से ज़िक्र नहीं बल्कि हुदैबिया वालों को यह ख़ास करने का वायदा अल्लाह तआ़ला ने तिलावत न होने वाली वही के ज़रिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हुदैबिया के सफ़र में फ़रमाया था। इसी को इस जगह कलामुल्लाह और क़ालल्लाह के अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमाया है। इससे मालूम हुआ कि क़ुरआन

के अहकाम के अलावा जो अहकाम सही हदीसों में मज़कूर हैं वे भी इस आयत की वज़ाहत के मुताबिक़ अल्लाह के कलाम और अल्लाह के क़ौल में दाख़िल हैं। जो बेदीन लोग रसूले पाक सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की हदीसों को दीन की हुज्जत नहीं मानते ये आयतें उनकी गुमराही और बेदीनी को खोलने के लिये काफ़ी हैं। रहा यह मामला कि इसी सूरत में जो हुदैबिया के सफ़र के शुरू में नाज़िल हुई है ये अलफ़ाज़ क़ुरआन में मौजूद हैं:

اَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا○

और तमाम मुफ़स्सिरीन का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि यहाँ 'क़रीबी फ़तह' से ख़ैबर की फ़तह मुराद है, तो इस तरह क़ुरआन में ख़ैबर की फ़तह और उसकी ग़नीमतें हुदैबिया वालों को मिलने का वायदा आ गया, वही इस लफ़्ज़ कलामुल्लाह और क़ालल्लाह की मुराद हो सकती है, तो हक़ीक़त यह है कि इस आयत में ग़नीमत का वायदा तो है मगर इसका कहीं ज़िक्र नहीं कि यह ग़नीमत हुदैबिया वालों के साथ ख़ास होगी, दूसरे उसमें शरीक न हो सकेंगे, यह ख़ास करना तो बिला शुब्हा हदीसे रसूल ही से मालूम हुआ है, वही कलामुल्लाह और क़ालल्लाह का मिस्दाक़ है। और कुछ हज़रात ने जो सूरः तौबा की आयत को इसका मिस्दाक़ क़रार दिया है यानीः

فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِيَ اَبَدًا وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِيَ عَدُوًّا، اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ.

(यानी सूरः तौबा आयत 83) तो यह इसलिये सही नहीं कि ये आयतें ग़ज़वा-ए-तबूक के बारे में आई हैं और वह ग़ज़वा-ए-ख़ैबर के बाद सन् 9 हिजरी में हुआ है। (क़ुर्तुबी वग़ैरह)

قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا

इसमें जो ताकीदी तौर पर हुदैबिया में पीछे रह जाने वालों से यह फ़रमाया है कि तुम हरगिज़ हमारे साथ नहीं हो सकते यह सिर्फ़ ग़ज़वा-ए-ख़ैबर के साथ ख़ास है, आगे किसी और जिहाद में शरीक न हो सकें यह इससे लाज़िम नहीं आता। यही वजह है कि उन हुदैबिया में शरीक न होने वालों में से मुज़निया और जुहैना के क़बीले बाद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ ग़ज़वों (इस्लामी जंगों) में शरीक हुए। (जैसा कि रूहुल-मआ़नी में है)

हुदैबिया में पीछे रह जाने वालों में से कुछ लोग बाद में तौबा करके सच्चे मुसलमान हो गये

ग़ज़वा-ए-ख़ैबर (ख़ैबर की जंग) के वक़्त जितने पीछे रह जाने वाले थे सभी को इस जिहाद की शिर्कत से रोक दिया गया था हालाँकि उनमें सारे मुनाफ़िक़ नहीं बाज़े मुसलमान भी थे, और बाज़े अगरचे उस वक़्त मुनाफ़िक़ थे मगर बाद में सच्चे ईमान की उनको तौफ़ीक़ हो गई थी इसलिये ऐसे लोगों की दिलजोई के लिये अगली आयतें नाज़िल हुईं जिनमें उनको तसल्ली दी गई है कि अगरचे ग़ज़वा-ए-ख़ैबर अल्लाह के वायदे के मुताबिक़ हुदैबिया वालों के लिये मख़्सूस कर दिया गया मगर जो पक्के-सच्चे मुसलमान हैं और दिल से जिहाद में शरीक होना चाहते हैं उनके

लिये दूसरे मौक़े आने वाले हैं, उन मौक़ों को क़ुरआने करीम एक ख़ास भविष्यवाणी की सूरत में बयान फ़रमाता है जिसका ज़हूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद होने वाला है। इरशाद फ़रमायाः

سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ.

यानी एक ऐसा वक़्त आने वाला है जबकि तुम्हें जिहाद की दावत दी जायेगी और यह जिहाद एक बड़ी सख़्त लड़ाकू क़ौम के साथ होगा, और इस्लामी तारीख़ गवाह है कि यह वाक़िआ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में पेश नहीं आया क्योंकि पहली बात तो यह कि उसके बाद देहातियों को किसी ग़ज़वे (जंग व जिहाद) में शरीक होने की दावत देना साबित नहीं, दूसरे यह कि इसके बाद किसी ऐसी क़ौम से मुक़ाबला भी नहीं हुआ जिसके बहादुर और सख़्त होने का क़ुरआन ने ज़िक्र फ़रमाया है, क्योंकि ग़ज़वा-ए-तबूक में अगरचे मुक़ाबला ऐसी क़ौम से था मगर न उस ग़ज़वें में देहात वालों को दावत देना साबित है और न उसमें लड़ाई की नौबत आई, क्योंकि मुक़ाबिल आदमियों पर अल्लाह ने रौब डाल दिया, वे मुक़ाबले पर नहीं आये। आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा बग़ैर लड़ाई और जंग के वापस आये और ग़ज़वा-ए-हुनैन में भी न उनको दावत देना साबित है और न उस वक़्त मुक़ाबले में कोई ऐसी क़ौम थी जो सख़्त और सामान व हथियारें से लैस हो, इसलिये तफ़सीर के इमामों में से कुछ हज़रात ने फ़रमाया है कि इससे मुराद फ़ारस और रूम यानी किसरा व क़ैसर की क़ौमें हैं जिनके साथ जिहाद हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में हुआ है (जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी में हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, इमाम अ़ता, मुजाहिद, इब्ने अबी यअ़ला और हसन बसरी का क़ौल नक़ल किया गया है)।

और हज़रत राफ़ेअ़ बिन ख़दीज रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि हम क़ुरआन की यह आयत पढ़ते थे और हमें मालूम न था कि इस क़ौम से कौनसी क़ौम मुराद है यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बाद सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी ख़िलाफ़त के ज़माने में हमें बनू हनीफ़ा यमामा वालों यानी मुसैलमा कज़्ज़ाब की क़ौम के साथ जिहाद करने की दावत दी, उस वक़्त हम समझे कि यही क़ौम इस आयत में मुराद थी। मगर इन दोनों क़ौलों में कोई विरोधाभास और टकराव नहीं, हो सकता है कि ये सभी क़ौमें इसमें दाख़िल हों।

इमाम क़ुर्तुबी ने इसको नक़ल करके फ़रमाया कि यह आयत इसकी दलील है कि हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु और फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िलाफ़त हक़ के मुताबिक़ थी, उनकी दावत का ज़िक्र ख़ुद क़ुरआन ने उक्त आयत में फ़रमाया है।

تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ

हज़रत उबई रज़ियल्लाहु अन्हु की किराअत में 'औ युस्लिमू' बग़ैर नून के आया है, इसलिये इमाम क़ुर्तुबी ने इसके मुताबिक़ हर्फ़ अव को 'हत्ता' (यहाँ तक) के मायने में लिया है, यानी उस क़ौम से जंग उस वक़्त तक होती रहेगी जब तक कि वे ताबेदार व फ़रमाँबरदार न हो जायें, चाहे

इस्लाम क़ुबूल करके या इस्लामी हुकूमत की इताअ़त में रहना क़ुबूल करके।

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمٰى حَرَجٌ

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जब ऊपर की आयतों में जिहाद की शिर्कत से हटने वालों के लिये अ़ज़ाब की वईद (धमकी) आईः

اِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

तो कुछ माज़ूर लोग जो सहाबा किराम में थे उनको फ़िक्र हुई कि हम तो जिहाद में शरीक होने के काबिल नहीं, कहीं हम भी इस वईद (अ़ज़ाब की धमकी) में शामिल न हों, इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसमें अंधे, लंगड़े और बीमार को जिहाद के हुक्म से बरी कर दिया गया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿۱۸﴾ وَّمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا ﴿۱۹﴾ وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ۚ وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ﴿۲۰﴾ وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ﴿۲۱﴾

ल-क़द् रज़ियल्लाहु अ़निल्-मुअ्मिनी-न इज़् युबायिअ़ू-न-क तह़्तश्श-ज-रति फ़-अलि-म मा फ़ी क़ुलूबिहिम् फ़-अन्ज़-लस्सकी-न-त अ़लैहिम् व असाबहुम् फ़त्हन् क़रीबा (18) व मग़ानि-म कसी-रतंय्-यअ्ख़ुज़ूनहा, व कानल्लाहु अ़ज़ीज़न् हकीमा (19) व-अ़-द-कुमुल्लाहु मग़ानि-म कसी-रतन् तअ्ख़ुज़ूनहा फ़-अ़ज्ज-ल लकुम् हाज़िही व कफ़्-फ़ ऐदियन्नासि अ़न्कुम् व लितकू-न आ-यतल्-लिल्-	तहक़ीक़ अल्लाह ख़ुश हुआ ईमान वालों से जब बैअ़त करने लगे तुझसे उस दरख़्त के नीचे फिर मालूम किया जो उनके जी में था, फिर उतारा उन पर इत्मीनान और इनाम दिया उनको एक नज़दीकी फ़तह (18) और बहुत ग़नीमतें जिनको वे लेंगे, और है अल्लाह ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (19) वायदा किया है तुम से अल्लाह ने बहुत ग़नीमतों का कि तुम उनको लोगे सो जल्दी पहुँचा दी तुमको यह ग़नीमत और रोक दिया लोगों के हाथों को तुम से और ताकि एक नमूना हो क़ुदरत का

मुअ्मिनी-न व यह्दि-यकुम् सिरातम्-मुस्तक़ीमा (20) व उख़्रा लम् तक़्दिरू अ़लैहा क़द् अहातल्लाहु बिहा, व कानल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीरा (21)	मुसलमानों के वास्ते और चलाये तुमको सीधी राह (20) और एक फ़तह और जो तुम्हारे बस में न आई वह अल्लाह के क़ाबू में है, और अल्लाह हर चीज़ कर सकता है। (21)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

तहक़ीक़ी बात है कि अल्लाह तआ़ला उन मुसलमानों से (जो आपके हम-सफ़र हैं) ख़ुश हुआ जबकि ये लोग आप से (बबूल के) पेड़ के नीचे (जिहाद में साबित-क़दम रहने पर) बैअ़त कर रहे थे, और उनके दिलों में जो कुछ (इख़्लास और अ़हद को पूरा करने का पुख़्ता इरादा) था अल्लाह तआ़ला को वह भी मालूम था। और (उस वक़्त) अल्लाह तआ़ला ने उन (के दिलों) में इत्मीनान पैदा कर दिया (जिससे उनको ख़ुदा का हुक्म मानने में ज़रा पसोपेश या दुविधा नहीं हुई, ये तो मानवी और अन्दरूनी नेमतें हुई) और (इसके साथ कुछ महसूस यानी ज़ाहिरी नेमतें भी दी गईं जिनमें मानवी नेमतें भी शामिल थीं, चुनाँचे) उनको लगे हाथ एक फ़तह दे दी (इस फ़तह से ख़ैबर की फ़तह मुराद है)। और (उस फ़तह में) बहुत-सी ग़नीमतें भी (दीं) जिनको ये लोग ले रहे हैं, और अल्लाह तआ़ला बड़ा ज़बरदस्त (और) बड़ा हिक्मत वाला है (कि अपनी क़ुदरत और हिक्मत से जिस वक़्त जिसके लिये मुनासिब समझता है फ़तह दे देता है। और कुछ इसी ख़ैबर की फ़तह पर बस नहीं बल्कि) अल्लाह तआ़ला ने तुमसे (और भी) बहुत-सी ग़नीमतों का वायदा कर रखा है जिनको तुम लोगे। सो (उनमें से) फ़िलहाल तुमको यह दे दी है और (इसके देने के लिये ख़ैबर और ख़ैबर वालों के साथियों के) लोगों के हाथ तुमसे रोक दिये (यानी सब के दिलों पर रौब डाल दिया कि उनको ज़्यादा हाथ-पाँव फैलाने की हिम्मत न हुई और इससे तुम्हारा दुनियावी नफ़ा भी मक़सूद था ताकि आराम और फ़राग़त मिले) और (दीनी नफ़ा भी था) ताकि यह (वाक़िआ़) ईमान वालों के लिये (दूसरे वायदों के सच्चे होने का) एक नमूना हो जाये (यानी ख़ुदा के वायदों के सच्चा होने पर और ज़्यादा ईमान पुख़्ता हो जाये) और ताकि (इस नमूने के ज़रिये) तुमको (आईन्दा के लिये हर काम में) एक सीधे रास्ते पर डाल दे (मुराद इस रास्ते से तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसा है, यानी हमेशा के लिये इस वाक़िए को सोचकर अल्लाह पर एतिमाद से काम लिया करो, इस तरह दीनी नफ़े दो हो गये एक इल्मी और एतिक़ादी, जिसको 'व लि-तकू-न' से बयान फ़रमाया है दूसरा अ़मली व अख़्लाक़ी जिसको 'यहदि-यकुम' के अलफ़ाज़ से इरशाद फ़रमाया है)। और एक फ़तह और भी (वायदा की गयी) है जो (उस वक़्त तक) तुम्हारे क़ाबू में नहीं आई (इससे मुराद फ़तहे-मक्का है जो अब तक ज़ाहिर नहीं हुई थी, मगर) ख़ुदा तआ़ला उसको (क़ुदरत के) घेरे में लिये हुए है (जब चाहेगा तुमको

अ़ता कर देगा) और (उसी की क्या ख़ुसूसियत है) अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

इस बैअ़त से मुराद बैअ़ते हुदैबिया है जिसका ज़िक्र इससे पहले भी पीछे गुज़री आयत नम्बर 10 में आ चुका है। यह आयत भी उसी से मुताल्लिक़ और उसकी ताकीद है। इस आयत में हक़ तआ़ला ने उस बैअ़त में शरीक होने वालों से अपनी रज़ा का ऐलान फ़रमा दिया है, इसी लिये इसको बैअ़ते रिज़्वान भी कहा जाता है। और मक़सूद इससे बैअ़त में शरीक उन लोगों की तारीफ़ और उनको इस अ़हद के पूरा करने की ताकीद है। बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि हुदैबिया के दिन हमारी तादाद चौदह सौ अफ़राद की थी हम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

انتم خير اهل الارض

यानी तुम लोग रू-ए-ज़मीन के इनसानों से बेहतर हो। और सही मुस्लिम में उम्मे बिश्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मरफ़ूअ़न रिवायत है किः

لا يدخل النار احد ممن بايع تحت الشّجرة

यानी जिन लोगों ने इस दरख़्त के नीचे बैअ़त की है उनमें से कोई जहन्नम में नहीं जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी) इसलिये इस बैअ़त में शरीक होने वालों की मिसाल जंगे बदर में शरीक होने वालों के जैसी है जैसा उनके बारे में क़ुरआन व हदीस में अल्लाह की रज़ा और जन्नत की ख़ुशख़बरियाँ हैं इसी तरह बैअ़ते रिज़्वान में शरीक होने वालों के लिये भी यह बशारत आई है।

ये बशारतें (ख़ुशख़बरियाँ) इस पर सुबूत हैं कि उन सब हज़रात का ख़ात्मा ईमान और नेक व अल्लाह की मर्ज़ी वाले आमाल पर होगा, क्योंकि अल्लाह की रज़ा का यह ऐलान इसकी ज़मानत दे रहा है।

सहाबा किराम पर ताने मारने और उनकी ख़ताओं पर बहस करने से यह आयत रोकती है

तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि उम्मत के जिन बेहतरीन अफ़राद के बारे में अल्लाह तआ़ला ने मग़फ़िरत और अपनी रज़ा का यह ऐलान फ़रमा दिया है अगर उनसे कोई ख़ता या गुनाह हुआ भी है तो यह आयत उसकी माफ़ी का ऐलान है। फिर उनके ऐसे मामलात को जो अच्छे और भले नज़र न आयें ग़ौर व फ़िक्र और बहस व मुबाहसे का मैदान बनाना बदबख़्ती और बज़ाहिर इस आयत की मुख़ालफ़त है। यह आयत राफ़ज़ियों के क़ौल की खुली तरदीद है जो हज़रत अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और दूसरे सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर

कुफ़्र व निफ़ाक़ के इल्ज़ाम लगाते हैं।

बैअ़ते रिज़्वान वाला पेड़

जिस पेड़ का ज़िक्र इस आयत में आया है वह बबूल का दरख़्त था और मशहूर यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद कुछ लोग वहाँ चलकर जाते और उस दरख़्त के नीचे नमाज़ें पढ़ते थे। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु को ख़तरा हुआ कि कहीं आगे चलकर आने वाले जाहिल इसी दरख़्त की पूजा न शुरू कर दें जैसे पिछली उम्मतों में इस तरह के वाक़िआ़त हुए हैं, इसलिये उस दरख़्त को कटवा दिया। मगर बुख़ारी व मुस्लिम में है, हज़रत तारिक़ बिन अ़ब्दुर्रहमान फ़रमाते हैं कि मैं एक मर्तबा हज के लिये गया तो रास्ते में मेरा गुज़र ऐसे लोगों पर हुआ जो एक जगह पर जमा थे और नमाज़ पढ़ रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि यह कौनसी मस्जिद है? उन्होंने कहा कि यह वह दरख़्त है जिसके नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बैअ़ते रिज़्वान ली थी, मैं उसके बाद हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. के पास हाज़िर हुआ और इस वाक़िए की ख़बर उनको दी, उन्होंने फ़रमाया कि मेरे वालिद उन लोगों में से थे जो उस बैअ़ते रिज़्वान में शरीक हुए। उन्होंने मुझसे फ़रमाया कि हम जब अगले साल मक्का मुकर्रमा हाज़िर हुए तो हमने वह दरख़्त तलाश किया, हमें भूल हो गई उसका पता नहीं लगा। फिर सईद बिन मुसैयब रह. ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा जो ख़ुद उस बैअ़त में शरीक थे उनको तो पता नहीं लगा, तुम्हें वह मालूम हो गया? अ़जीब बात है क्या तुम उनसे ज़्यादा वाक़िफ़ हो? (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

इससे मालूम हुआ कि बाद में लोगों ने महज़ अपने गुमान और अन्दाज़े से किसी दरख़्त को मुतैयन कर लिया और उसके नीचे हाज़िर होना और नमाज़ें पढ़ना शुरू कर दिया, फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु को यह भी मालूम था कि यह वह दरख़्त नहीं, फिर ख़तरा शिर्क में मुब्तला होने का लग गया इसलिये उसको कटवा दिया हो क्या बईद है।

ख़ैबर की फ़तह

ख़ैबर हक़ीक़त में एक सूबे (राज्य) का नाम है, इसमें बहुत सी बस्तियाँ, क़िले और बाग़ात शामिल हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

इस क़रीबी फ़तह से मुराद सब के नज़दीक ख़ैबर की फ़तह है जो हुदैबिया से वापस आने के बाद वाक़े हुई है। कुछ रिवायतों के मुताबिक़ तो हुदैबिया से वापसी के बाद आपका क़ियाम मदीना मुनव्वरा में सिर्फ़ दस रोज़ और दूसरी रिवायत के मुताबिक़ बीस रोज़ रहा, उसके बाद ख़ैबर के लिये रवाना हो गये। और इब्ने इस्हाक़ की रिवायत के मुताबिक़ आप ज़िलहिज्जा में मदीना तय्यिबा वापस तशरीफ़ लाये और मुहर्रम सन् 7 हिजरी में आप ग़ज़वा-ए-ख़ैबर के लिये तशरीफ़ ले गये, और सफ़र के महीने में सन् 7 हिजरी में ख़ैबर फ़तह हुआ। वाक़िदी के मग़ाज़ी

में यही लिखा है और हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने फ़रमाया कि यही ज़्यादा सही और वरीयता प्राप्त है। (तफ़सीरे मज़हरी)

बहरहाल! यह साबित हुआ कि यह वाक़िआ ख़ैबर की फ़तह और हुदैबिया के सफ़र से काफ़ी दिनों के बाद पेश आया है। और सूरः फ़तह का हुदैबिया के सफ़र के दौरान नाज़िल होना सब के नज़दीक मुत्तफ़क़ अ़लैहि है, अलबत्ता इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि पूरी सूरत उस वक़्त नाज़िल हुई या कुछ आयतें बाद में आईं। अगर पहली सूरत वरीयत प्राप्त हो तो इन आयतों में ख़ैबर के वाक़िए का बयान भविष्यवाणी के तौर पर है और इसको माज़ी (भूतकाल) के निश्चित और यक़ीनी होने की बिना पर ताबीर किया गया, और अगर दूसरा क़ौल ज़्यादा सही हो तो यह हो सकता है कि ये आयतें ख़ैबर की फ़तह होने के बाद नाज़िल हुई हों। वल्लाहु तआ़ला आलम

وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا

इससे मुराद ख़ैबर का माले ग़नीमत है जिससे मुसलमानों को सहूलत और ख़ुशहाली हासिल हुई।

وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ

इससे मुराद तमाम इस्लामी फ़ुतूहात और उनकी ग़नीमतें (हाथ आने वाले माल व दौलतें) हैं जो क़ियामत तक हासिल होने वाली हैं। पहली ग़नीमतें हुदैबिया वालों के लिये अल्लाह तआ़ला के हुक्म से ख़ास कर दी गयी थीं, ये सब के लिये आ़म हैं। इसी से मालूम होता है कि ख़ास करने का हुक्म इन आयतों में ज़िक्र नहीं किया गया बल्कि वह अलग से दूसरी वही के ज़रिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बतलाया गया है, आपने उस पर अ़मल किया और सहाबा किराम को बतलाया।

وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ

इससे मुराद ख़ैबर के काफ़िर हैं कि उनको इस जिहाद में कुछ ज़्यादा ज़ोर दिखाने का मौक़ा अल्लाह तआ़ला ने नहीं दिया। इमाम बग़वी ने फ़रमाया कि क़बीला ग़तफ़ान ख़ैबर के यहूदियों का साथी था, जब इस क़बीले ने ख़बर सुनी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ैबर पर चढ़ाई की है तो ये लोग यहूदियों की मदद के लिये बड़ी तैयारी और सामान के साथ निकले मगर अल्लाह तआ़ला ने इनके दिलों में रौब डाल दिया और ये इस फ़िक्र में पड़ गये कि अगर हम उस तरफ़ गये तो हो सकता है कि मुसलमानों का कोई लश्कर हमारे पीछे हमारे घरों पर हमला कर दे, इसलिये सब ठंडे होकर बैठ गये। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا

'सिराते मुस्तक़ीम' (सीधे रास्ते) की असल हिदायत तो उन हज़रात को पहले से हासिल थी मगर जैसा कि पहले लिखा गया है कि हिदायत के दर्जे बेशुमार हैं, यहाँ वह दर्जा मुराद है जो पहले से हासिल न था, यानी अल्लाह पर भरोसा और ईमानी क़ुव्वत की ज़्यादती।

وَّاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا

यानी अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों से और बहुत सी फ़ुतूहात का वायदा किया है जिस पर अभी उनको क़ुदरत नहीं। इन फ़ुतूहात में चूँकि सबसे पहले मक्का मुकर्रमा की फ़तह है इसलिये कुछ हज़रात ने इससे मक्के का फ़तह होना मुराद लिया है मगर अलफ़ाज़ आ़म हैं, क़ियामत तक होने वाली फ़ुतूहात इसमें शामिल हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا ۝ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا ۝ وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْۢ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا ۝ هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ۭ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاۗءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ تَطَـُٔــوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۚ لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاۗءُ ۚ لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِــيْمًا ۝ اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰي رَسُوْلِهٖ وَعَلَي الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ۭ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِــيْمًا ۝

व लौ क़ा-त-लकुमुल्लज़ी-न क-फ़रू ल-वल्लवुल्-अद्बा-र सुम्-म ला यजिदू-न वलिय्यंव्-व ला नसीरा (22) सुन्नतल्लाहिल्लती क़द् ख़-लत् मिन् क़ब्लु व लन् तजि-द लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला (23) व हुवल्लज़ी कफ़्-फ़ ऐदि-यहुम् अ़न्कुम् व ऐदि-यकुम् अ़न्हुम् बि-बत्नि मक्क-त मिम्बअ़्दि अन् अज़्फ़-रकुम् अ़लैहिम्, व कानल्लाहु बिमा तअ़्मलू-न बसीरा (24) हुमुल्लज़ी-न क-फ़रू व	और अगर लड़ते तुम से काफ़िर तो फेरते पीठ फिर न पाते कोई हिमायती और न मददगार। (22) रस्म पड़ी हुई अल्लाह की जो चली आती है पहले से, और तू हरगिज़ न देखेगा अल्लाह की रस्म (दस्तूर) को बदलते (23) और वही है जिसने रोक रखा उनके हाथों को तुमसे और तुम्हारे हाथों को उनसे बीच शहर मक्का के इसके बाद कि तुम्हारे हाथ लगा दिया उनको, और है अल्लाह जो कुछ तुम करते हो देखता। (24) ये वही लोग हैं जो इनकारी हुए और रोका

सद्दूकुम् अ़निल्-मस्जिदिल्-हरामि वल्-हद्-य मअ़्कूफ़न् अंय्यब्लु-ग़ महिल्-लहू, व लौ ला रिजालुम्-मुअ्मिनू-न व निसाउम् मुअ्मिनातुल्-लम् तअ़्लमूहुम् अन् त-तऊहुम् फ़तुसी-बकुम् मिन्हुम् म-अ़र्रतुम्-बिग़ैरि ज़िल्मिन् लियुद्ख़िलल्लाहु फ़ी रह्मतिही मंय्यशा-उ लौ तज़य्यलू ल-अ़ज़्ज़ब्नल्लज़ी-न क-फ़रू मिन्हुम् अ़ज़ाबन् अलीमा (25) इज़् ज-अ़लल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ी क़ुलूबिहिमुल्-हमिय्य-त हमिय्यतल्-जाहिलिय्यति फ़-अन्ज़लल्लाहु सकी-न-तहू अ़ला रसूलिही व अ़लल्-मुअ्मिनी-न व अल्ज़-महुम् कलि-मतत्तक़्वा व कानू अ-हक़्-क़ बिहा व अह्लहा, व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीमा (26) ✿	तुमको मस्जिदे हराम से, और नियाज़ की क़ुरबानी को भी, बन्द पड़ी हुई इस बात से कि पहुँचे अपनी जगह तक, और अगर न होते कितने एक मर्द ईमान वाले और कितनी औरतें ईमान वालियाँ जो तुमको मालूम नहीं, यह ख़तरा कि तुम उनको पीस डालते फिर तुम पर उनकी वजह से ख़राबी पड़ जाती बेख़बरी से, कि अल्लाह को दाख़िल करना है अपनी रहमत में जिसको चाहे, अगर वे लोग एक तरफ़ हो जाते तो आफ़त डालते हम मुन्किरों पर दर्दनाक अज़ाब की। (25) जब रखी मुन्किरों ने अपने दिलों में ज़िद नादानी की ज़िद, फिर उतारा अल्लाह ने अपनी तरफ़ का इत्मीनान अपने रसूल पर और मुसलमानों पर और क़ायम रखा उनको अदब की बात पर और वही थे उसके लायक़ और इस काम के, और है अल्लाह हर चीज़ से ख़बरदार। (26) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (चूँकि उन काफ़िरों के हारने और पस्त होने के हालात और तक़ाज़े मौजूद थे जो आगे आते हैं इसलिये) अगर (तुम में यह सुलह न होती बल्कि) तुमसे ये काफ़िर लड़ते तो (उन तक़ाज़ों और हालात की वजह से वे) ज़रूर पीठ फेरकर भागते, फिर न उनको कोई यार मिलता और न मददगार। (और) अल्लाह तआ़ला ने (काफ़िरों के लिये) यही दस्तूर कर रखा है जो पहले से चला आता है (कि मुक़ाबले में अहले हक़ ग़ालिब और अहले बातिल मग़लूब रहे हैं, और कभी किसी वक़्त किसी मस्लेहत व हिक्मत से इसमें देरी होना इसके विरुद्ध नहीं) और आप ख़ुदा के दस्तूर में (किसी शख़्स की तरफ़ से) रद्दोबदल न पाएँगे (कि ख़ुदा तआ़ला कोई काम

करना चाहे और कोई उसको न होने दे)।

और वह ऐसा है कि उसने उनके हाथ तुमसे (यानी तुमको क़त्ल करने से) और तुम्हारे हाथ उन (के क़त्ल) से ऐन मक्का (के निकट) में (यानी हुदैबिया में) रोक दिये, इसके बाद कि तुमको उन पर क़ाबू दे दिया था (यह इशारा उस वाक़िए की तरफ़ है जो हुदैबिया के क़िस्से के भाग आठ में शुरू में बयान हो चुका है कि क़ुरैश के पचास आदमियों को सहाबा किराम ने गिरफ़्तार कर लिया था और फिर कुछ लोग भी गिरफ़्तार होकर मुसलमानों के क़ब्ज़े में आ गये थे, उस वक़्त अगर मुसलमान उनको क़त्ल कर देते तो दूसरी तरफ़ मक्का में हज़रत उस्मान ग़नी और उनके चन्द साथी रोक लिये गये थे वे उनको शहीद कर देते, इसका लाज़िमी नतीजा मुकम्मल तौर पर जंग छिड़ जाना था। और अगरचे ऊपर दर्ज आयतों में की पहली आयत में हक़ तआ़ला ने यह भी वाज़ेह फ़रमा दिया है कि अगर जंग भी हो जाती तो फ़तह मुसलमानों ही की होती लेकिन अल्लाह तआ़ला के इल्म में मुसलमानों की बड़ी मस्लेहत इसमें थी कि इस वक़्त जंग न हो इसलिये इस तरफ़ मुसलमानों के दिल में यह बात डाल दी कि उनके क़ैदियों को क़त्ल न करें इस तरह मुसलमानों के हाथ उनके क़त्ल से रोक दिये गये, दूसरी तरफ़ क़ुरैश के दिलों पर अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों का रौब डाल दिया कि उन्होंने सुलह की तरफ़ झुक कर सुहैल को आपकी ख़िदमत में भेजा, इस तरह हक़ तआ़ला की हिक्मत ने दो तरफ़ा इन्तिज़ाम जंग न होने का कर दिया) और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे कामों को (उस वक़्त) देख रहा था (और उन कामों के नतीजों को जानता था इसलिये ऐसा काम नहीं होने दिया जिस से जंग छिड़ जाये। आगे इसका बयान है कि अगर जंग हो जाती तो काफ़िरों की हार और शिकस्त किस तरह और क्यों होती)।

ये वे लोग हैं जिन्होंने कुफ़्र किया और तुमको (उमरा करने के लिये) मस्जिदे हराम से रोका (मुराद मस्जिदे हराम और सफ़ा मरवा के दरमियान का मैदान जहाँ सई होती है दोनों ही हैं, मगर चूँकि तवाफ़ असल और अव्वल है और वह मस्जिदे हराम में होता है इसलिये उससे रोकने के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा किया गया) और क़ुरबानी के जानवर को जो (हुदैबिया में) रुका हुआ रह गया उसके मौक़े में पहुँचने से रोका (जानवरों की क़ुरबानी का मौक़ा मिना है, उन लोगों ने जानवरों को मिना तक जाने नहीं दिया, उनके इन जुर्मों) और (सम्मानित हरम में बैठकर ऐसा ज़ुल्म करने का तक़ाज़ा यह था कि मुसलमानों को जंग का हुक्म देकर उनको मग़लूब कर दिया जाता लेकिन कुछ हिक्मतें इस तक़ाज़े को पूरा करने से रुकावट और बाधा हो गईं, उन हिक्मतों में से एक यह है कि उस वक़्त मक्का में बहुत से मुसलमान काफ़िरों के हाथों बन्दी बने हुए और मज़लूम थे जैसा कि हुदैबिया के क़िस्से के भाग दस में इसका ज़िक्र आया है, और उनमें से अबू जन्दल का हुज़ूरे पाक की ख़िदमत में पहुँचकर फ़रियाद करना बयान हो चुका है, अगर उस वक़्त जंग छिड़ जाती तो ग़ैर-महसूस तरीक़े पर उन मुसलमानों को भी नुक़सान पहुँच जाता और मुम्किन था कि इनके हाथ से ही वे क़त्ल हो जाते और आ़म मुसलमानों को फिर इस पर शर्मिन्दगी व अफ़सोस होता, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने ऐसे हालात पैदा फ़रमा दिये कि जंग न

हो। इसी मज़मून को आगे फ़रमाया है कि) अगर (मक्का में उस वक़्त) बहुत-से मुसलमान मर्द और बहुत-सी मुसलमान औरतें न होतीं जिनकी तुमको ख़बर भी न थी, यानी उनके पिस जाने का अन्देशा न होता, जिस पर उनकी वजह से तुमको भी बेख़बरी से (रंज व अफ़सोस का) नुक़सान पहुँचता (अगर यह बात न होती) तो सब क़िस्सा तय कर दिया जाता, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया गया ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहे दाख़िल कर दे (चुनाँचे जंग न होने से उन मुसलमानों की जान बची और तुम उनके क़त्ल के गुनाह और फिर उस पर रंज व अफ़सोस से बचे अलबत्ता) अगर यह (ज़िक्र हुए मुसलमान मक्का से कहीं) टल गये होते तो इन (मक्का वालों) में जो काफ़िर थे हम उनको (मुसलमानों के हाथ से) दर्दनाक सज़ा देते।

(और उन काफ़िरों के मग़लूब व मक़्तूल होने का एक तक़ाज़ा और भी था) जबकि उन काफ़िरों ने अपने दिलों में शर्म "और ग़ैरत" को जगह दी, और शर्म भी जाहिलियत की (इस शर्म व ग़ैरत से वह ज़िद मुराद है जो बिस्मिल्लाह और लफ़्ज़ रसूलुल्लाह के लिखने पर उन्होंने विरोध किया जैसा कि ऊपर हुदैबिया के सुलह नामे के बयान में इसका ज़िक्र आ चुका है) सो (इसका तक़ाज़ा यह था कि मुसलमान जोश में आकर लड़ पड़ते मगर) अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल और मोमिनों को अपनी तरफ़ से तहम्मुल "संयम" अ़ता किया (जिसकी वजह से उन्होंने इस कलिमे के लिखने पर ज़िद छोड़ दी और सुलह हो गई)। और (उस वक़्त) अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों को तक़्वे की बात पर जमाये रखा (तक़्वे की बात से मुराद कलिमा-ए-तय्यिबा यानी तौहीद व रिसालत का इक़रार है और मतलब इस पर जमाये रखने का यह है कि तौहीद व रिसालत के एतिक़ाद का तक़ाज़ा इताअ़त है अल्लाह और रसूल की, और मुसलमानों का यह सब्र व बरदाश्त अपने जज़्बात के ख़िलाफ़ सिर्फ़ इस वजह से था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सब्र व संयम का हुक्म फ़रमाया था, ऐसे सख़्त मरहले में अपने जज़्बात के ख़िलाफ़ रसूल की इताअ़त ही का नाम तक़्वे के कलिमे पर जमना है), और वे (मुसलमान) उस (तक़्वे के कलिमे) के (दुनिया में भी) ज़्यादा हक़दार हैं (क्योंकि उनके दिलों में हक़ की तलब है और यह तलब ही ईमान तक पहुँचाती है) और (आख़िरत में भी) उस (के सवाब) के पात्र हैं, और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ को ख़ूब जानता है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

بِبَطْنِ مَكَّةَ

इस लफ़्ज़ के असली मायने मक्का ही के हैं मगर यहाँ इससे मुराद हुदैबिया का स्थान है इसको मक्का मुकर्रमा से बहुत मिला हुआ और क़रीब होने की बिना पर 'बतने मक्का' से ताबीर कर दिया गया है। और इससे उस बात की ताईद होती है जो हनफ़ी हज़रात ने इख़्तियार की है कि हुदैबिया का कुछ हिस्सा हरम में दाख़िल है।

اَنْ يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ

इससे मालूम होता है कि जिसको एहराम बाँधने के बाद किसी वजह से मक्का में दाख़िल होने से रोक दिया गया हो उस पर सब के नज़दीक यह तो लाज़िम है कि क़ुरबानी करके एहराम से हलाल हो, लेकिन इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि यह क़ुरबानी उसी जगह हो सकती है जहाँ वह रोक दिया गया है या दूसरी क़ुरबानियों की तरह उसके लिये भी हरम की हदों के अन्दर होना शर्त है। हनफ़ी हज़रात के नज़दीक उसके लिये भी हरम की हदें शर्त हैं, इस आयत से उन्होंने दलील दी है कि यहाँ इस क़ुरबानी के लिये क़ुरआने करीम ने एक ख़ास महल (जगह) क़रार दिया है जिससे काफ़िरों ने मुसलमानों को रोक दिया था, इससे मालूम हुआ कि उस क़ुरबानी के लिये हरम की हदों में होना शर्त है। रहा यह मामला कि ख़ुद हनफ़ी हज़रात ही का यह क़ौल भी है कि हुदैबिया के कुछ हिस्से हरम में दाख़िल हैं तो फिर हरम से रोकना कैसे साबित हुआ, तो जवाब यह है कि अगरचे उस क़ुरबानी का हरम की हदों में किसी भी जगह कर देना शरई तौर पर काफ़ी है मगर उस ख़ास जगह में जो मिना के अन्दर क़ुरबानी करने के स्थान के नाम से मुतैयन है उसमें होना अफ़ज़ल है। मक्का के काफ़िरों ने उस वक़्त मुसलमानों को इस अफ़ज़ल मक़ाम तक क़ुरबानी का जानवर ले जाने से रोक दिया था।

فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ ۢ بِغَيْرِ عِلْمٍ

लफ़्ज़ 'मअ़र्रा' के मायने कुछ हज़रात ने गुनाह के बयान किये हैं और कुछ हज़रात ने ख़ाली नुक़सान के और कुछ ने ऐब के बयान किये हैं। इस जगह पर ज़ाहिर यही आख़िरी मायने हैं कि अगर जंग छिड़ जाती और बेख़बरी की हालत में मुसलमानों के हाथ से मक्का में घिरे हुए मुसलमान क़त्ल हो जाते तो यह एक ऐब और शर्म की बात भी थी कि काफ़िर लोग उनको शर्म दिलाते कि अपने ही दीनी भाईयों को मार डाला और नुक़सान भी। क़त्ल होने वाले मुसलमानों का नुक़सान तो ज़ाहिर ही है, क़त्ल करने वाले मुसलमानों को जब ख़बर होती तो उनको सख़्त पछतावा और अफ़सोस होता, यह नुक़सान आ़म मुसलमानों को पहुँचता।

सहाबा किराम को ग़लती और ऐब से बचाने का क़ुदरती इन्तिज़ाम

इमाम क़ुर्तुबी रह. ने फ़रमाया कि बग़ैर इल्म के अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान के हाथ से मारा जाये वह गुनाह तो नहीं मगर एक ऐब, शर्म और शर्मिन्दगी व अफ़सोस का सबब ज़रूर है, और ग़लती से होने वाले क़त्ल पर दियत (ख़ून के बदले माल) वग़ैरह देने के भी अहकाम हैं। अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल के सहाबा की इससे भी हिफ़ाज़त फ़रमाई। इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम के साथ हक़ तआ़ला का मामला यह है कि वे अगरचे नबियों की तरह मासूम (ख़ता और चूक से सुरक्षित) तो नहीं मगर आ़म तौर पर उनको ख़ताओं और ऐबों से बचाने का क़ुदरती इन्तिज़ाम हो जाता है।

لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِىْ رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ

यानी हक् तआ़ला ने इस मौके पर मुसलमानों के दिलों में तहम्मुल (सब्र व बरदाश्त) पैदा करके जंग न होने का इन्तिज़ाम इसलिये फ़रमाया कि उनमें से बहुत से लोगों का आईन्दा इस्लाम क़ुबूल कर लेना अल्लाह तआ़ला जानता था, उन पर रहमत करने के लिये तथा जो मुसलमान वहाँ घिरे हुए थे उन पर रहमत के लिये यह सारा सामान किया गया।

لَوْ تَزَيَّلُوْا

'तज़य्युल' के मायने असल में 'तफ़र्रुक़' के हैं। मतलब यह है कि मक्का में घिरे हुए मुसलमान अगर काफ़िरों से अलग और नुमायाँ होते कि मुसलमान उनको पहचान कर तकलीफ़ से बचा लेते तो उन काफ़िरों के हालात का तकाज़ा यही था कि उसी वक़्त उनको मुसलमानों के हाथों सज़ा दिलवा दी जाती, मगर चूँकि घिरे हुए ज़ईफ़ मुसलमान मर्द और औरतें उन्हीं के अन्दर मिलेजुले थे, अगर जंग और लड़ाई होती तो उनको बचाने की सूरत न बनती, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने इस जंग को न होने दिया।

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا

'कलिमा-ए-तक़वा' से मुराद तक़वे वालों का कलिमा है, यानी कलिमा-ए-तौहीद व रिसालत। इसको कलिमा-ए-तक़वा इसलिये कहा गया कि यह कलिमा ही तक़वे की बुनियाद है। और सहाबा किराम को इस कलिमे का ज़्यादा हक़दार और पात्र फ़रमाकर अल्लाह तबारक व तआ़ला ने उन लोगों की रुस्वाई वाज़ेह कर दी जो इन हज़रात पर कुफ़्र व निफ़ाक़ का इल्ज़ाम लगाते हैं कि अल्लाह तआ़ला तो उनको इस्लाम के कलिमे का अहल और ज़्यादा हक़दार फ़रमाये और ये बदबख़्त उन पर तबर्रा करें (यानी बुरा-भला कहें। इससे राफ़ज़ी लोग मुराद हैं)।

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ۚ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَآءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ ۙ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ ۙ لَا تَخَافُوْنَ ۗ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ﴿٢٧﴾ هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهُ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا ﴿٢٨﴾ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۗ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰىهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ۖ سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ۗ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ ۖ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ ۚ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْـَٔهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ۗ وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

ع ۴ ۱۲

ल-क़द् स-दक़ल्लाहु रसू-लहुर्रुअ्या बिल्हक़्क़ि ल-तद्ख़ुलुन्नल्-मस्जिदल्-	अल्लाह ने सच दिखलाया अपने रसूल को सपना तहक़ीक़ी कि तुम दाख़िल हो रहोगे

हरा-म इन् शा-अल्लाहु आमिनी-न मुहल्लिक़ी-न रुऊ-सकुम् व मुक़स्सिरी-न ला तख़ाफ़ू-न, फ़-अ़लि-म मा लम् तअ़्लमू फ़-ज-अ़-ल मिन् दूनि ज़ालि-क फ़त्हन् क़रीबा (27) हुवल्लज़ी अर्स-ल रसूलहू बिल्हुदा व दीनिल्-हक़्क़ि लियुज़्हि-रहू अ़लद्दीनि कुल्लिही, व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा (28) मुहम्मदुर्- रसूलुल्लाहि, वल्लज़ी-न म-अ़हू अशिद्दा-उ अ़लल्-कुफ़्फ़ारि रु-हमा-उ बैनहुम् तराहुम् रुक्क-अ़न् सुज्ज-दंय्यब्तग़ू-न फ़ज़्लम्-मिनल्लाहि व रिज़्वानन् सीमाहुम् फ़ी वुजूहिहिम्-मिन् अ-सरिस्सुजूदि, ज़ालि-क म-सलुहुम् फ़ित्तौराति, व म-सलुहुम् फ़िल्-इन्जीलि, क-ज़र्अ़िन् अख़्र-ज शत्-अहू फ़आ-ज़-रहू फ़स्तग़्ल-ज़ फ़स्तवा अ़ला सूक़िही युअ़्जिबुज़्-ज़ुर्रा-अ़ लि-यग़ी-ज़ बिहिमुल्-कुफ़्फ़ा-र, व-अ़दल्लाहुल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति मिन्हुम् मग़्फ़ि-रतंव्-व अज्रन् अ़ज़ीमा (29) ❁

मस्जिदे हराम में अगर अल्लाह ने चाहा आराम से बाल मूँडते हुए अपने सरों के और कतरते हुए बेखटके, फिर जाना वह जो तुम नहीं जानते, फिर मुक़र्रर कर दी उससे पहले एक फ़तह नज़दीक। (27) वही है जिसने भेजा अपना रसूल सीधी राह पर और सच्चे दीन पर ताकि ऊपर रखे उसको हर दीन से, और काफ़ी है अल्लाह हक़ साबित करने वाला। (28) मुहम्मद रसूल अल्लाह का और जो लोग उसके साथ हैं ज़ोरावर हैं काफ़िरों पर नरम-दिल हैं आपस में, तू देखे उनको रुकूअ़ में और सज्दे में ढूँढते हैं अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी ख़ुशी, निशानी उनकी उनके मुँह पर है सज्दे के असर से, यह शान है उनकी तौरात में और मिसाल उनकी इंजील में, जैसे खेती ने निकाला अपना पट्ठा (कोंपल) फिर उसकी कमर मज़बूत की, फिर मोटा हुआ फिर खड़ा हो गया अपनी नाल पर, अच्छा लगता है खेती वालों को ताकि जलाये उनसे जी काफ़िरों का, वायदा किया है अल्लाह ने उनसे जो यक़ीन लाये हैं और किये हैं भले काम माफ़ी का और बड़े सवाब का। (29) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल को सच्चा ख़्वाब दिखलाया है जो हक़ीक़त के मुताबिक़ है कि तुम लोग मस्जिदे हराम (यानी मक्का) में इन्शा-अल्लाह ज़रूर जाओगे अमन व शान्ति के साथ, कि तुम में कोई सर मुंडाता होगा और कोई बाल कतरवाता होगा, तुमको किसी तरह का अन्देशा न होगा (चुनाँचे अगले साल ऐसा ही हुआ और इस साल से पीछे हटने की वजह यह है कि) सो अल्लाह तआ़ला को वे बातें (और हिक्मतें) मालूम हैं जो तुमको मालूम नहीं (उन हिक्मतों में से एक यह भी है कि) फिर उस (ख़्वाब के ज़ाहिर होने) से पहले एक क़रीबी फ़तह (ख़ैबर की) दे दी (ताकि उससे मुसलमानों को क़ुव्वत और सामान हासिल हो जाये और वे पूरे इत्मीनान के साथ उमरा अदा करें जैसा कि ऐसा ही हुआ)।

वह अल्लाह ऐसा है कि उसने अपने रसूल को हिदायत (का सामान यानी क़ुरआन) और सच्चा दीन (यानी इस्लाम) देकर भेजा है, ताकि उस (दीन) को तमाम दीनों पर ग़ालिब करे (यह ग़लबा हुज्जत व दलील के एतिबार से तो हमेशा ही रहेगा और शौकत व सल्तनत के एतिबार से भी ग़लबा रहेगा मगर एक शर्त के साथ, वह यह कि अहले दीन यानी मुसलमान सलाहियत वाले हों। जब यह शर्त नहीं होगी तो ज़ाहिरी ग़लबे का वायदा नहीं, और चूँकि सहाबा किराम में यह शर्त मौजूद थी जैसा कि अगली आयतों में जो सहाबा के बारे में आ रही हैं उनमें इस सलाहियत का ज़िक्र है इसलिये इस आयत में जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत की ख़ुशख़बरी है ऐसे ही सहाबा किराम के लिये फ़ुतूहात और कामयाबियों की ख़ुशख़बरी है जैसा कि सबने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात पर पच्चीस साल गुज़रने न पाये थे कि इस्लाम और क़ुरआन दुनिया के गोशे-गोशे में फ़ातिहाना तौर पर पहुँच गया)।

और (जाहिली ग़ैरत वाले अगर आपके नाम के साथ रसूल का लफ़्ज़ लिखने से गुरेज़ करते हैं तो आप ग़मगीन न हों क्योंकि आपकी रिसालत पर) अल्लाह काफ़ी गवाह है (जिसने आपकी रिसालत को स्पष्ट दलीलों और खुले हुए मोजिज़ों से साबित कर दिखाया, जिससे साबित हो गया कि) मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं (इस जगह मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह का पूरा जुमला लाने से इस तरफ़ इशारा है कि जाहिलीयत की ग़ैरत दिखाने वालों ने उनके नाम के साथ रसूलल्लाह लिखना गवारा न किया तो क्या परवाह है, अल्लाह ने यह कलिमा आपके नाम के साथ लिख दिया जो क़ियामत तक पढ़ा जायेगा। आगे आपकी ताबेदारी व पैरवी करने वाले यानी सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के फ़ज़ाईल और उनके लिये ख़ुशख़बरियाँ बयान हुई हैं कि) और जो लोग आपकी सोहबत पाये हुए हैं (यह लफ़्ज़ तमाम सहाबा किराम को शामिल है चाहे उनको सोहबत लम्बी मुद्दत तक हासिल रही हो या थोड़े समय, और जो सहाबा हुदैबिया में आपके साथ थे वे ख़ास तौर पर इसके मिस्दाक़ हैं, हासिल यह है कि सब सहाबा किराम इन कमाली सिफ़तों को अपने अन्दर रखते हैं कि) वे काफ़िरों के मुक़ाबले में तेज़ हैं (और) आपस

में मेहरबान हैं। (और) ऐ मुख़ातब! तू उनको देखेगा कि कभी रुकूअ़ कर रहे हैं, कभी सज्दा कर रहे हैं (और) अल्लाह के फ़ज़्ल और रज़ामन्दी (यानी सवाब और निकटता) की तलाश में लगे हुए हैं। उन (की बन्दगी) के आसार (उनके) सज्दे की तासीर की वजह से उनके चेहरों पर नुमायाँ हैं (मुराद इन आसार से अल्लाह के सामने आ़जिज़ी व इन्किसारी और डरने व झुकने के अनवार हैं जो मोमिन मुत्तक़ी के चेहरे में उमूमन नज़र आते हैं)।

उनकी ये (ज़िक्र हुई) सिफ़तें तौरात में हैं और इन्जील में, उनकी यह सिफ़त (बयान हुई) है कि जैसे खेती कि उसने (पहले ज़मीन से) अपनी सूई निकाली, फिर उसने (मिट्टी पानी हवा वग़ैरह से ग़िज़ा पाकर अपनी) उस (सूई) को मज़बूत किया (यानी वह खेती ताक़तवर हो गई)। फिर वह खेती और मोटी हुई, फिर अपने तने पर सीधे खड़ी हो गई कि (अपने हरे-भरे होने से) किसानों को भली मालूम होने लगी (इसी तरह सहाबा में पहले कमज़ोरी थी फिर रोज़ाना ताक़त बढ़ती गई और अल्लाह तआ़ला ने सहाबा किराम को यह तरक़्क़ी व बढ़ोतरी इसलिये दी) ताकि उन (की इस हालत) से काफ़िरों को (हसद में) जलाये, और (आख़िरत में) अल्लाह तआ़ला ने उन हज़रात से जो कि ईमान लाये हैं और नेक काम कर रहे हैं (गुनाहों की) मग़फ़िरत और (नेकियों पर) बड़े अज्र का वायदा कर रखा है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

जब सुलह हुदैबिया मुकम्मल हो गई और यह बात तय हो गई कि इस वक़्त बग़ैर मक्का में दाख़िल हुए और उमरा अदा किये बग़ैर वापस मदीना जाना है और सहाबा किराम का यह उमरे का इरादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़्वाब की बिना पर हुआ था जो एक तरह की वही थी, अब बज़ाहिर उसके ख़िलाफ़ होता हुआ देखकर कुछ सहाबा किराम के दिलों में खुद यह शक पैदा होने लगे कि (मआ़ज़ल्लाह) आपका ख़्वाब सच्चा न हुआ। दूसरी तरफ़ काफ़िरों व मुनाफ़िक़ों ने मुसलमानों को ताना दिया कि तुम्हारे रसूल का ख़्वाब सही नहीं हुआ, इस पर यह आयत नम्बर 27 नाज़िल हुई। (बैहक़ी वग़ैरह, मुजाहिद रह. की रिवायत से)

لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ

लफ़्ज़ 'सिद्क़' 'किज़्ब' के मुक़ाबले में अक़वाल में इस्तेमाल होता है। जो क़ौल हक़ीक़त के मुताबिक़ हो उसको सिद्क़ (सच) जो असलियत के मुताबिक़ न हो उसको 'किज़्ब' (झूठ) कहा जाता है। और कई बार यह लफ़्ज़ कामों के लिये भी बोला जाता है तो उस वक़्त इसके मायने किसी काम को सही और हक़ साबित करने के होते हैं जैसा कि क़ुरआन में है:

رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ

यानी वे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुआ़हदे को पूरा कर दिखाया। उस वक़्त लफ़्ज़ सिद्क़ के दो 'मफ़ऊ़ल' (कर्म) होते हैं जैसा कि इस आयत में लफ़्ज़ सिद्क़ का पहला 'मफ़ऊ़ल' 'रसू-लहू' और दूसरा 'रुऊया' है। और आयत के मायने ये हैं कि अल्लाह ने अपने रसूल को

उनके ख़्वाब में सच्चा कर दिखाया। (तफ़सीरे बैज़ावी) और अगरचे यह सच्चा कर दिखाने का वाक़िआ आगे आने वाला था मगर इसको भूतकाल के लफ़्ज़ ताबीर करके इसके निश्चित और यक़ीनी होने की तरफ़ इशारा कर दिया। चुनाँचे आगे भविष्यकाल के लफ़्ज़ से फ़रमाया गया कि:

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

यानी आपने जो ख़्वाब (सपने) में देखा था कि हम मस्जिदे हराम में दाख़िल हुए यह ज़रूर होकर रहेगा, मगर इस साल नहीं बल्कि इसके बाद होगा। ख़्वाब में उसका वक़्त निर्धारित नहीं था, सहाबा किराम ने अपने बढ़े हुए शौक़ की वजह से इसी साल सफ़र का इरादा कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनकी मुवाफ़कत फ़रमाई जिसमें अल्लाह तआ़ला की बड़ी हिक्मतें थीं जिनका ज़हूर सुलह हुदैबिया के वक़्त हुआ जैसा कि सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने शुरू ही में हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के जवाब में फ़रमाया था कि आपको शक में नहीं पड़ना चाहिये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़्वाब में कोई वक़्त और साल तय नहीं था, अगर इस वक़्त नहीं तो फिर होगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

आईन्दा होने वाले कामों के लिये 'इन्शा-अल्लाह' कहने की ताकीद

इस आयत में हक़ तआ़ला ने आईन्दा होने वाले मस्जिदे हराम में दाख़िले के साथ इन्शा-अल्लाह का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया, हालाँकि अल्लाह तआ़ला तो ख़ुद अपनी मर्ज़ी के आ़लिम (जानने वाले) हैं उनको इसके कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अपने रसूल और सब बन्दों को तालीम देने के लिये इस जगह हक़ तआ़ला ने भी लफ़्ज़ इन्शा-अल्लाह इस्तेमाल फ़रमाया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ

सही बुख़ारी में है कि अगले साल क़ज़ा उमरे में हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाल मुबारक कैंची से तराशे थे। यह वाक़िआ क़ज़ा उमरे ही का है क्योंकि हज्जतुल-विदा में तो आपने हलक़ फ़रमाया (सर मुंडवाया) है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا

यानी अल्लाह की क़ुदरत में तो यह भी था कि इसी साल तुम्हें मस्जिदे हराम में दाख़िला और उमरा नसीब हो जाता मगर अगले साल तक पीछे हटाने में बड़ी मस्लेहतें थीं जो अल्लाह को मालूम थीं तुम उनको न जानते थे। उन मस्लेहतों में से एक यह भी थी कि अल्लाह तआ़ला ने चाहा कि इससे पहले ख़ैबर फ़तह होकर मुसलमानों की क़ुव्वत और सामान में इज़ाफ़ा हो जाये और वे फ़राग़त व इत्मीनान के साथ उमरा अदा करें, इसलिये फ़रमायाः

فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا ۝

'दू-न ज़ालि-क' से मुराद 'दू-न रुअ्या' है। यानी उस ख़्वाब के ज़ाहिर होने से पहले ख़ैबर की क़रीबी फ़तह मुसलमानों को हासिल हो जाये, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इस क़रीबी फ़तह से मुराद ख़ुद सुलह हुदैबिया है कि वह फ़तहे-मक्का और दूसरी तमाम फ़ुतूहात का आग़ाज़ थी और बाद में तो सभी सहाबा ने उसको तमाम फ़ुतूहात से बड़ी फ़तह क़रार दिया है, तो अब आयत का मतलब यह होगा कि इस साल तुम्हारा सफ़र का इरादा करने और फिर उसके नाकाम होने और सुलह होने में जो हिक्मतें और मस्लहतें थीं वो तुम्हारे इल्म में नहीं थीं लेकिन अल्लाह तआ़ला सबसे वाक़िफ़ था, वह चाहता था कि तुमको इस ख़्वाब के वाक़िए से पहले सुलह हुदैबिया के ज़रिये एक क़रीबी फ़तह नसीब फ़रमा दे, इसी क़रीबी फ़तह का यह नतीजा सब ने देख लिया कि सहाबा किराम जिनकी तादाद हुदैबिया के सफ़र में डेढ़ हज़ार से ज़्यादा न थी उसके बाद दस हज़ार तक पहुँच गई। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

هُوَ الَّذِىٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ.

पहले की आयतों में जो फ़ुतूहात व कामयाबियों और ग़नीमतों के वायदे और हुदैबिया वालों के ख़ुसूसन और तमाम सहाबा के उमूमन फ़ज़ाईल और ख़ुशख़बरियाँ ज़िक्र हुई हैं अब सूरत के ख़त्म पर उन मज़ामीन का ख़ुलासा और ताकीद है, और चूँकि ये सब नेमतें और ख़ुशख़बरियाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इताअ़त और तस्दीक़ की बिना पर हुईं इसलिये इस तस्दीक़ व इताअ़त की और अधिक ताकीद के लिये तथा रिसालते मुहम्मदी के इनकारियों पर रद्द करने के लिये और सुलह हुदैबिया के वक़्त मुसलमानों के दिलों में जो कुछ शक पैदा हो गये थे उनको दूर करने के लिये इन आयतों में आपकी रिसालत का सुबूत बल्कि सारी दुनिया के दीनों पर आपके दीन को ग़ालिब करने की ख़ुशख़बरी दी गई है।

مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ.

पूरे क़ुरआन में ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम मुबारक लेने के बजाय उमूमन आपका ज़िक्र सिफ़तों और अलक़ाब के साथ किया गया, ख़ुसूसन मुख़ातब करने के मौक़े पर 'या अय्युहन्नबिय्यु' या अय्युहर्रसूलु' या अय्युहल्-मुज़्ज़म्मिलु' वग़ैरह, बख़िलाफ़ दूसरे नबियों के कि उनके नाम के साथ संबोधन किया गया- 'या इब्राहीमु' 'या मूसा' 'या ईसा' पूरे क़ुरआन में सिर्फ़ चार जगह आपका नामे मुबारक 'मुहम्मद' ज़िक्र फ़रमाया है, जहाँ इस नाम के ज़िक्र ही में कोई मस्लेहत थी। इस मक़ाम पर मस्लेहत यह थी कि हुदैबिया के सुलह नामे में आपके नाम के साथ जब हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा तो क़ुरैश के काफ़िरों ने उसको मिटाकर मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह लिखने पर इसरार किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अल्लाह के हुक्म से उसको मन्ज़ूर कर लेना क़ुबूल किया। हक़ तआ़ला ने इस मक़ाम पर ख़ुसूसियत से आपके नामे मुबारक के साथ 'रसूलुल्लाह' का लफ़्ज़ क़ुरआन में लाकर इसको हमेशा रहने वाला बना दिया जो क़ियामत तक इसी तरह पढ़ा और लिखा जायेगा।

وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ

यहाँ से आपके सहाबा किराम के फ़ज़ाईल का बयान है। अगरचे इसके पहले मुख़ातब वे हज़राते सहाबा हैं जो हुदैबिया और बैअ़ते रिज़वान में शरीक थे लेकिन अलफ़ाज़ के उमूम में सभी सहाबा किराम शामिल हैं क्योंकि सोहबत व साथ सब को हासिल है।

सहाबा किराम के गुण, ख़ूबियाँ, फ़ज़ाईल और ख़ास निशानियाँ

इस मक़ाम पर हक़ तआ़ला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत और आपके दीन को सब दीनों पर ग़ालिब करने का बयान फ़रमाकर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम अज्मईन के औसाफ़ व फ़ज़ाईल और ख़ास निशानियों का ज़िक्र तफ़सील के साथ फ़रमाया है। इसमें उनके उस सख़्त इम्तिहान का इनाम भी है जो सुलह हुदैबिया के वक़्त लिया गया था कि उनके दिली यक़ीन और दिली जज़्बात के ख़िलाफ़ सुलह होकर बग़ैर मक्का में दाख़िल हुए वग़ैरह नाकाम वापसी के बावजूद उनके क़दम नहीं लड़खड़ाये और बेनज़ीर इताअ़ते रसूल और क़ुव्वते ईमानी का सुबूत दिया।

साथ ही सहाबा किराम के फ़ज़ाईल और निशानियों की तफ़सील बयान फ़रमाने में यह हिक्मत भी हो तो बईद नहीं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद कोई और नबी व रसूल तो आने वाला नहीं था, आपने अपने बाद उम्मत के लिये किताबुल्लाह के साथ अपने सहाबा ही को बतौर नमूने के छोड़ा है और उनकी पैरवी व इत्तिबा के अहकाम दिये हैं, इसलिये क़ुरआन ने भी उनके कुछ फ़ज़ाईल और निशानात का बयान फ़रमाकर मुसलमानों को उनकी पैरवी की तरग़ीब व ताकीद फ़रमा दी है। इस मक़ाम पर सहाबा किराम की सबसे पहली सिफ़त तो यह बतलाई गयी है कि वे काफ़िरों के मुक़ाबले में सख़्त और आपस में मेहरबान हैं। काफ़िरों के मुक़ाबले में सख़्त होना उनका हर मौक़े पर साबित होता रहा है कि नसबी रिश्ते-नाते सब इस्लाम पर क़ुरबान कर दिये, और हुदैबिया के मौक़े पर ख़ुसूसियत से इसका इज़हार हुआ। और आपस में मेहरबान और एक दूसरे के लिये क़ुरबानी देने वाले होना सहाबा किराम का उस वक़्त ख़ुसूसियत से ज़ाहिर हुआ जबकि मुहाजिरीन व अन्सार में भाईचारा क़ायम हुआ और अन्सार ने अपनी सब चीज़ों में मुहाजिरों को शरीक होने की दावत दी। क़ुरआन ने सहाबा किराम के इस वस्फ़ (ख़ूबी और गुण) को सबसे पहले बयान फ़रमाया क्योंकि दर हक़ीक़त इसका हासिल यह है कि उनकी दोस्ती और दुश्मनी, मुहब्बत या अ़दावत कोई चीज़ अपने नफ़्स के लिये नहीं बल्कि सब अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल के लिये होती है, और यही वह चीज़ है जो कामिल ईमान का ऊँचा मक़ाम है। सही बुख़ारी वग़ैरह की हदीस में है कि:

مَنْ اَحَبَّ لِلّٰهِ وَاَبْغَضَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ اِيْمَانَهٗ.

यानी जो शख़्स अपनी मुहब्बत और नफ़रत व दुश्मनी दोनों को अल्लाह की मर्ज़ी के ताबे कर दे उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। इसी से यह भी साबित हो गया कि सहाबा

किराम के काफ़िरों के मुकाबले पर सख़्त होने का यह मतलब नहीं कि वे कभी किसी काफ़िर पर रहम नहीं करते बल्कि मतलब यह है कि जिस मौके पर अल्लाह व रसूल का हुक्म काफ़िरों पर सख़्ती करने का होता है वहाँ उनको अपने रिश्ते-नाते या दोस्ती वग़ैरह के ताल्लुक़ात उस काम में रोक और बाधा नहीं, और जहाँ तक उनके रहम व करम के मामले का ताल्लुक़ है वह तो ख़ुद क़ुरआन ने इसका फ़ैसला कर दिया है कि:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ.

(सूरः मुम्तहिना आयत 8)

यानी जो काफ़िर लोग मुसलमानों को तकलीफ़ देने और उनसे जंग करने वाले नहीं उनके साथ एहसान व सुलूक करने से अल्लाह तआ़ला मना नहीं करता। चुनाँचे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा किराम के बेशुमार वाकिआत हैं जिनमें कमज़ोर व मजबूर या ज़रूरतमन्द काफ़िरों के साथ एहसान व करम के मामले किये गये हैं और उनके मामले में अ़दल व इन्साफ़ को बरक़रार रखना तो इस्लाम का आ़म हुक्म है, ऐन लड़ाई और जिहाद के मैदान में भी अ़दल व इन्साफ़ के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई जायज़ नहीं।

दूसरी सिफ़त सहाबा किराम की यह बयान की गयी है कि उनका आ़म हाल यह है कि वे रुकूअ़ व सज्दे और नमाज़ में मश्ग़ूल रहते हैं, उनको देखने वाले अक्सर उनको इसी काम में मश्ग़ूल पाते हैं। पहली सिफ़त ईमान के कामिल होने की निशानी थी, दूसरी सिफ़त अ़मल के कामिल होने का बयान है, क्योंकि आमाल में सबसे अफ़ज़ल नमाज़ है।

سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ

यानी नमाज़ उनका ऐसा वज़ीफ़ा-ए-ज़िन्दगी बन गया है कि नमाज़ और सज्दे के मख़्सूस आसार (निशानात) उनके चेहरों से नुमायाँ होते हैं। मुराद इन आसार से वे अनवार हैं जो बन्दगी और ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ (अल्लाह के सामने आ़जिज़ी व झुकाव) से हर मुत्तक़ी इबादतगुज़ार के चेहरे पर देखे जाते हैं, माथे पर जो निशान सज्दे का पड़ जाता है वह मुराद नहीं। ख़ास तौर पर तहज्जुद की नमाज़ का यह असर बहुत ज़्यादा वाज़ेह होता है जैसा कि इब्ने माजा में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

من كثر صلوته بالّيل حسن وجهه بالنهار

यानी जो शख़्स रात में नमाज़ की कसरत करता है दिन में उसका चेहरा हसीन पुरनूर नज़र आता है। और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि इससे मुराद नमाज़ियों के चेहरों का वह नूर है जो क़ियामत में नुमायाँ (ज़ाहिर) होगा।

ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْاِنْجِيْلِ كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْئَهٗ.

सहाबा किराम की जो निशानी ऊपर बयान फ़रमाई है कि सज्दों और नमाज़ों का नूर उनकी पेशानियों की अ़लामत है, इस आयत में फ़रमाया कि उनकी यही मिसाल तौरात में बयान की

गई है, फिर फ़रमाया कि इन्जील में उनकी एक और मिसाल यह दी गई है कि वे ऐसे हैं जैसे कोई काश्तकार ज़मीन में बीज बोये तो अव्वल वह एक कमज़ोर सी सूई की शक्ल में निकलता है फिर उसमें शाख़ें निकलती हैं, फिर वह और मज़बूत होता है, फिर उसका मज़बूत तना बन जाता है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सहाबा शुरू में बहुत कम थे, एक वक़्त ऐसा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के सिवा सिर्फ़ तीन मुसलमान थे- मर्दों में सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, औरतों में हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, बच्चों में हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु। फिर धीरे-धीरे उनकी ताक़त बढ़ती रही यहाँ तक कि हज्जतुल-विदा के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के साथ हज में शरीक होने वालों की तादाद डेढ़ लाख के क़रीब बतलाई गई है। इस आयत में तीन एहतिमाल हैं- एक यह कि 'फ़ित्तौराति' पर वक़्फ़ किया (यानी ठहरा) जाये और पिछली मिसाल यानी चेहरों का नूर, यह निशानी तौरात के हवाले से बयान हुई, आगे 'म-सलुहुम् फ़िल्-इन्जीलि' पर वक़्फ़ न करें बल्कि मिलाकर पढ़ें तो मायने ये होंगे कि सहाबा की मिसाल इन्जील में उस खेती या दरख़्त की है जो शुरू में बहुत ही कमज़ोर होता है फिर धीरे-धीरे मज़बूत व ताक़तवर हो जाता है।

दूसरा एहतिमाल (संभावना) यह है कि 'फ़ित्तौराति' पर वक़्फ़ न हो बल्कि 'फ़िल्-इन्जीलि' पर वक़्फ़ किया जाये, तो मायने ये होंगे कि पहली निशानी चेहरों के नूर की तौरात में भी है इन्जील में भी, और आगे 'जैसे खेती' की मिसाल को एक अलग मिसाल क़रार दिया जाये।

तीसरा एहतिमाल यह है कि 'फ़ित्तौराति' पर कलाम ख़त्म हो न 'फ़िल्-इन्जीलि' पर, और लफ़्ज़ 'ज़ालि-क' अगली मिसाल की तरफ़ इशारा हो तो मायने ये होंगे कि तौरात व इन्जील दोनों में सहाबा किराम की मिसाल खेती की दी गई है। अगर इस ज़माने में तौरात व इन्जील अपनी असली हालत में होतीं तो उनको देखकर क़ुरआनी मुराद मुतैयन हो जाती लेकिन उनमें रद्दोबदल और कमी-बेशी करने का सिलसिला बेहद व बेशुमार रहा है इसलिये कोई यक़ीनी फ़ैसला नहीं हो सकता, मगर अक्सर हज़राते मुफ़स्सिरीन ने पहले एहतिमाल को तरजीह दी है जिसमें पहली मिसाल तौरात में और दूसरी इन्जील में होना मालूम है। इमाम बग़वी रह. ने फ़रमाया कि सहाबा किराम की यह मिसाल इन्जील में है कि शुरू में थोड़े होंगे फिर बढ़ेंगे और ताक़तवर होंगे जैसा कि हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि सहाबा किराम की यह मिसल इन्जील में लिखी हुई है कि "एक क़ौम ऐसी निकलेगी जो खेती की तरह बढ़ेगी और वह नेक कामों का हुक्म और बुरे कामों से मना किया करेगी।" (तफ़सीरे मज़हरी)

मौजूदा ज़माने की तौरात व इन्जील में भी बेशुमार तब्दीलियों के बावजूद इस भविष्यवाणी के निम्नलिखित अलफ़ाज़ मौजूद हैं। तौरात बाब इस्तिसना 123, 1 से 3 के ये अलफ़ाज़ हैं:

"ख़ुदावन्द सीना से आया और शईर से उन पर ज़ाहिर हुआ, वह फ़ारान के पहाड़ से जलवागर हुआ, दस हज़ार मुक़द्दसों (पवित्र लोगों) के साथ आया और उसके दाहिने हाथ में एक आतिशीं (आग वाली यानी सख़्त) शरीअ़त उनके लिये थी, वह अपने लोगों से बड़ी मुहब्बत रखता है, उसके सारे मुक़द्दस तेरे हाथ हैं और वे तेरे क़दमों के पास बैठे हैं तेरी

बात मानेंगे।"

यह पहले मालूम हो चुका है कि फ़तहे-मक्का के वक़्त सहाबा किराम की संख्या दस हज़ार थी जो फ़ारान से ज़ाहिर होने वाले इस नूरानी पैकर (यानी नबी करीम सल्ल.) के साथ शहरे ख़लील (यानी मक्का) में दाख़िल हुए थे। उसके हाथ में आतिशीं शरीअत होगी के लफ़्ज़ से 'काफ़िरों पर सख़्त होने' की तरफ़ इशारा पाया जाता है। वह अपने लोगों से मुहब्बत करेगा के लफ़्ज़ से 'आपस में नर्मी करने वाला' होने का मज़मून समझा जाता है। इसकी पूरी तफ़सील मय दूसरे हवालों के किताब 'इज़्हारुल्-हक़ जिल्द तीन बाब छह पेज 256' में है, यह किताब ईसाईयत की हक़ीक़त को स्पष्ट करने के लिये मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी रह. ने पादरी फ़ण्डर के मुक़ाबले पर तहरीर फ़रमाई थी। इस किताब में इन्जील में मिसाल दिये जाने का इस तरह ज़िक्र है। इन्जील मत्ता बाब 13 आयत 31 में ये अलफ़ाज़ हैं:-

"उसने एक और मिसाल उनके सामने पेश करके कहा कि आसमान की बादशाही उस राई के दाने की मानिंद है जिसे किसी आदमी ने लेकर अपने खेत में बो दिया, वह सब बीजों से छोटा तो है मगर जब बढ़ता है तो सब तरकारियों से बड़ा और ऐसा दरख़्त हो जाता है कि हवा के परिन्दे आकर उसकी डालियों पर बसर करते हैं।"

और इन्जील मर्क़स 4:26 के ये अलफ़ाज़ हैं जो क़ुरआनी अलफ़ाज़ के ज़्यादा क़रीब हैं:-

"उसने कहा कि ख़ुदा की बादशाही ऐसी है जैसे कोई आदमी ज़मीन में बीज डाले और रात को सोये दिन को जागे और वह बीज इस तरह उगे और बढ़े कि वह न जाने ज़मीन अपने आप फल लाती है, पहले पत्ती फिर बालें फिर बालों में तैयार दाने, फिर जब अनाज पक चुका तो वह फ़ौरन दराँती लगाता है, क्योंकि काटने का वक़्त आ पहुँचा।"

(इज़्हारुल्-हक़ जिल्द 3, बाब छह पेज 310)

आसमान की बादशाही से नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ का मुराद होना इन्जील के अनेक मक़ामात से ज़ाहिर होता है। वल्लाहु आलम

لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

यानी अल्लाह तआ़ला ने सहाबा किराम को कमाल वाली इन सिफ़ात से नवाज़ा और उनको कमज़ोरी के बाद ताक़त, कमी के बाद कसरत बख़्शी। यह सब काम इसलिये हुआ ताकि उनको देखकर काफ़िरों को ग़ैज़ हो (नाराज़गी हो औ ग़ुस्सा आये) और वे हसद की आग में जलें। हज़रत अबू उरवा ज़ुबैरी रह. फ़रमाते हैं कि हम हज़रत इमाम मालिक रह. की मजलिस में हाज़िर थे एक शख़्स ने बाज़ सहाबा किराम की शान में कमी और हल्केपन के कुछ कलिमात कहे तो इमाम मालिक रह. यह आयत पूरी तिलावत करके जब 'लि-यग़ी-ज़ बिहिमुल्-कुफ़्फ़ा-र' पर पहुँचे तो फ़रमाया कि जिस शख़्स के दिल में सहाबा किराम में से किसी के साथ ग़ैज़ (नाराज़गी व बदगुमानी) हो तो इस आयत की वईद (बयान हुई सज़ा) उसको मिलेगी। (क़ुर्तुबी) हज़रत इमाम मालिक रह. ने यह तो नहीं फ़रमाया कि वह काफ़िर हो जायेगा मगर यह फ़रमाया कि यह वईद

उसको भी पहुँचेगी। मतलब यह है कि वह काफ़िरें जैसा काम करने वाला हो जायेगा।

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا۝

'मिन्हुम' का हर्फ़ 'मिन्' इस जगह तमाम मुफ़स्सिरीन के नज़दीक बयानिया है, और मायने यह हैं कि ये लोग जो ईमान और नेक अ़मल के जामे हैं अल्लाह तआ़ला ने इनसे मग़फ़िरत और बड़े अज्र का वायदा फ़रमाया है। इससे एक तो यह मालूम हुआ कि सब सहाबा किराम ईमान और नेक अ़मल के जामे (यानी दोनों चीज़ें उनके अन्दर जमा) हैं, दूसरे यह कि उन सबसे मग़फ़िरत और बड़े अज्र का वायदा है। और यह 'मिन' बयानिया क़ुरआन में बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है जैसे एक जगह इरशाद है:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ

तो 'मिनल्-औसानि' बयान है लफ़्ज़ 'रिज्स' का। इसी तरह यहाँ 'मिन्हुम' बयान है 'अल्लज़ी-न आमनू' का। और राफ़ज़ी (शिया) लोगों ने जो इस जगह हर्फ़ मिन् को 'तब्ईज़' (यानी कुछ हिस्सा बयान करने) के लिये यह कहकर मतलब निकाला है कि उनमें से जो बाज़े लोग ईमान व नेक अ़मल पर हैं उनसे यह वायदा है, यह सरासर कलाम के मतलब और ऊपर की आयतों के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इस आयत के मफ़्हूम में वे सहाबा किराम तो बिला शुब्हा दाख़िल और आयत के पहले मिस्दाक़ हैं जो हुदैबिया के सफ़र और बैअ़ते रिज़वान में शरीक थे, उन सब के बारे में ऊपर की आयतों में हक़ तआ़ला ने अपनी रज़ा और ख़ुशनूदी का ऐलान फ़रमा दिया है, जैसा कि इरशाद है:

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

और अल्लाह की रज़ा का यह ऐलान इसकी ज़मानत है कि ये सब मरते दम तक ईमान व नेक अ़मल पर क़ायम रहेंगे, क्योंकि अल्लाह तो अ़लीम व ख़बीर है, अगर किसी के बारे में उसको यह मालूम हो कि यह किसी वक़्त ईमान से फिर जाने वाला है तो उससे अपने राज़ी होने का ऐलान नहीं फ़रमा सकते। इब्ने अ़ब्दुल-बर्र ने मुक़द्दिमा 'इस्तीआ़ब' में इसी आयत को नक़ल करके लिखा है कि:

ومن رضى الله عنه لم يسخط عليه ابدا

यानी अल्लाह जिससे राज़ी हो जाये फिर उस पर कभी नाराज़ नहीं होता। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसी आयत की बिना पर इरशाद फ़रमाया कि बैअ़ते रिज़वान में शरीक होने वालों में से कोई आग में नहीं जायेगा, तो यह वायदा जो डायरेक्ट तौर पर उन्हीं के लिये किया गया है उनमें से कुछ का अलग होना क़तई बातिल है, इसी लिये उम्मत का इस पर इजमा (सर्वसम्मति) है कि सहाबा किराम सब के सब मोतबर व विश्वसनीय हैं।

सहाबा सब के सब जन्नती हैं

सहाबा-ए-किराम सब के सब जन्नती हैं, उनकी ख़तायें अल्लाह के यहाँ माफ़ शुदा हैं, उनकी

बुराई करना और कमी निकालना ज़बरदस्त गुनाह है। क़ुरआन मजीद की बहुत सी आयतों में इसकी वज़ाहतें हैं जिनमें से चन्द आयतें तो इसी सूरत में आ चुकी हैं:

لَقَدْ رَضِیَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِیْنَ

(तहक़ीक़ अल्लाह ख़ुश हुआ ईमान वालों से) और:

اَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰی وَكَانُوْٓا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا

(और क़ायम रखा उनको अदब की बात पर और वही थे इसके लायक़ और इसक काम के) इनके अ़लावा और बहुत सी आयतों में यह मज़मून बयान हुआ है जैसे:

یَوْمَ لَا یُخْزِی اللّٰهُ النَّبِیَّ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ. (سورۃ التحریم جزء آیت ۸)

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِیْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِیْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِیْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ. (سورۃ التوبۃ آیت ۱۰۰)

और सूरः हदीद में हक़ तआ़ला ने सहाबा किराम के बारे में फ़रमाया है:

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰی

यानी उन सबसे अल्लाह ने हुस्ना का वायदा किया है। फिर सूरः अम्बिया में हुस्ना के बारे में फ़रमाया:

اِنَّ الَّذِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰٓی اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ۝

यानी जिन लोगों के लिये हमारी तरफ़ से 'हुस्ना' का फ़ैसला पहले हो चुका है वे जहन्नम की आग से दूर रखे जायेंगे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

خیر الناس قرنی ثم الّذین یلونهم ثمّ اللذین یلونهم (بخاری)

"यानी तमाम ज़मानों में मेरा ज़माना बेहतर है उसके बाद उस ज़माने के लोग बेहतर हैं जो मेरे ज़माने के मिले हुए हैं, फिर वे जो उनके क़रीब हैं।"

और एक हदीस में इरशाद है कि मेरे सहाबा को बुरा न कहो क्योंकि (उनकी ईमानी क़ुव्वत की वजह से उनका हाल यह है कि) अगर तुम में से कोई शख़्स अल्लाह की राह में उहुद पहाड़ के बराबर सोना ख़र्च कर दे तो वह उनके ख़र्च किये हुए के एक मुद्द के बराबर भी नहीं हो सकता, और न आधे मुद्द के बराबर। मुद्द अ़रब का एक पैमाना है जो तक़रीबन हमारे आधे सैर के बराबर होता है। (बुख़ारी) और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने मेरे सहाबा को सारे जहान में से पसन्द फ़रमाया (यानी चुना) है, फिर मेरे सहाबा में मेरे लिये चार को पसन्द फ़रमाया है- अबू बक्र, उमर, उस्मान, अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हुम। (बज़्ज़ार, सनद सही) और एक हदीस में इरशाद है:

اللّٰه اللّٰه فی اصحابی لا تتّخذ وهم غرضًا من م بعدی فمن احبهم فبحُبّی احبّهم ومن ابغضهم فبُغضی ابغضهم ومن اٰذاهم فقد اٰذانی ومن اٰذانی فقد اٰذی اللّٰه ومن اٰذی اللّٰه فیوشك ان یاخذه. (رواه الترمذی عن

عبداللہ بن المغفل از جمع الفوائد)

यानी अल्लाह से डरो अल्लाह से डरो मेरे सहाबा के मामले में, मेरे बाद उनको ताने तशने का निशाना मत बनाओ क्योंकि जिस शख़्स ने उनसे मुहब्बत की तो मेरी मुहब्बत के साथ उनसे मुहब्बत की, और जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा तो मेरे बुग़्ज़ के साथ उनसे बुग़्ज़ रखा, और जिसने उनको तकलीफ़ पहुँचाई उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई, और जिसने मुझे तकलीफ़ दी उसने अल्लाह को तकलीफ़ दी और जो अल्लाह को तकलीफ़ पहुँचाने का इरादा करे तो क़रीब है कि अल्लाह उसको अ़ज़ाब में पकड़ेगा।

क़ुरआनी आयतें और हदीसें इसके मुताल्लिक़ बहुत हैं जिनको अहक़र ने अपनी किताब 'मक़ामे सहाबा' में जमा कर दिया है। यह किताब (उर्दू में) प्रकाशित हो चुकी है। तमाम सहाबा किराम के मोतबर व आ़दिल होने पर पूरी उम्मत का इजमा (एक राय) है, और सहाबा किराम के दरमियान जो इख़्तिलाफ़ात (मतभेद और विवाद) जंग व क़िताल तक पहुँचे उनके बारे में बहस व खोद-कुरेद और आलोचना व तहक़ीक़ या ख़ामोश रहने का मसला भी इस किताब में तफ़सील के साथ लिख दिया गया है, और उसमें से बक़द्रे ज़रूरत सूरः मुहम्मद की तफ़सीर में आ चुका है उसको देख लिया जाये। और अल्लाह ही है मददगार और उसी पर भरोसा है।

अल्लाह का शुक्र है कि आज दिनाँक 29 शाबान सन् 1392 हिजरी शनिवार के दिन सूरः फ़तह की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-हुजुरात

सूरः अल्-हुजुरात मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 18 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ١٨ (٤٩) سُوْرَةُ الْحُجُرٰتِ مَدَنِيَّةٌ (١٠٦) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّوْنَ اَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ امْتَحَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى ۭ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ ○ اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَاۗءِ الْحُجُرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ○ وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुक़द्दिमू बै-न य-दयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह समीअुन् अ़लीम (1) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम् फ़ौ-क़ सौतिन्-नबिय्यि व ला तज्हरू लहू बिल्क़ौलि क-जह्रि बअ्ज़िकुम् लि-बअ्ज़िन् अन् तह्ब-त अअ्मालुकुम् व अन्तुम् ला तश्अुरून (2)	ऐ ईमान वालो आगे न बढ़ो अल्लाह से और उसके रसूल से और डरते रहो अल्लाह से, अल्लाह सुनता है जानता है। (1) ऐ ईमान वालो बुलन्द न करो अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से ऊपर और उससे न बोलो तड़ख़ कर जैसे तड़ख़ते हो एक दूसरे पर, कहीं अकारत न हो जायें तुम्हारे काम और तुमको ख़बर भी न हो। (2)

इन्नल्लज़ी-न यग़ुज़्ज़ू-न अस्वातहुम् अिन्-द रसूलिल्लाहि उलाइ-कल्-लज़ीनम्-त-हनल्लाहु क़ुलू-बहुम् लित्तक़्वा, लहुम्-मग़्फ़ि-रतुंव्-व अज्रुन् अज़ीम (3) इन्नल्लज़ी-न युनादून-क मिंव्वरा-इल्- हुजुराति अक्सरुहुम् ला यअ्क़िलून (4) व लौ अन्नहुम् स-बरू हत्ता तख़्रु-ज इलैहिम् लका-न ख़ैरल्-लहुम्, वल्लाहु ग़फ़ूरुर्रहीम (5)	जो लोग दबी आवाज़ से बोलते हैं रसूलुल्लाह के पास वही हैं जिनके दिलों को जाँच लिया है अल्लाह ने अदब के वास्ते, उनके लिये माफ़ी है और बड़ा सवाब। (3) जो लोग पुकारते हैं तुझको दीवार के पीछे से वे अक्सर अक़्ल नहीं रखते। (4) और अगर वे सब्र करते जब तक तू निकलता उनकी तरफ़ तो उनके हक़ में बेहतर होता, और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (5)

इस सूरत के मज़ामीन का पिछली सूरत से ताल्लुक़ व शाने नुज़ूल

इससे पहली दो सूरतों में जिहाद के अहकाम थे जिससे दुनिया जहान की इस्लाह (सुधार व बेहतरी) मक़सद है। इस सूरत में नफ़्स की इस्लाह के अहकाम व आदाब बयान हुए हैं, ख़ास तौर पर वो अहकाम जो आपसी रहन-सहन और सामाजिक तौर-तरीक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं। इन आयतों के नाज़िल होने का क़िस्सा यह है कि एक मर्तबा क़बीला बनू तमीम के लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और विचार इस पर चल रहा था कि इस क़बीले पर हाकिम किसको बनाया जाये। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने क़अ़क़ाअ़ इब्ने मअ़बद् के बारे में राय दी और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अक़्रअ़ बिन हाबिस के मुताल्लिक़ राय दी, इस मामले में हज़रत अबू बक्र व उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा के बीच आपकी मजलिस में बातचीत हो गई और बातचीत बढ़कर दोनों की आवाज़ें बुलन्द हो गईं, इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं। (बुख़ारी शरीफ़)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! अल्लाह और रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इजाज़त) से पहले तुम (किसी बात या काम में) आगे मत बढ़ा करो (यानी जब तक प्रबल इशारों से या स्पष्ट रूप से गुफ़्तगू की इजाज़त न हो बातचीत मत करो जैसा कि उक्त वाक़िआ जो इन आयतों के नाज़िल होने का सबब हुआ उसमें इन्तिज़ार करना चाहिये था कि या तो आप ख़ुद कुछ फ़रमाते या आप मजलिस में मौजूद लोगों से पूछते, बिना इन्तिज़ार के अपने आप बातचीत शुरू कर देना दुरुस्त नहीं था, क्योंकि बातचीत का जायज़ होना शरई इजाज़त पर मौक़ूफ़ था चाहे यह इजाज़त क़तई व स्पष्ट रूप से हो या हालात व अन्दाज़ों के प्रबल इशारों के ज़रिये। ग़लती यह हुई कि

इन्तिज़ार नहीं किया इस पर यह आयत नाज़िल हुई) और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह तआ़ला (तुम्हारी सब बातों को) सुनने वाला और (तुम्हारे सब कामों को) जानने वाला है।

(और) ऐ ईमान वालो! तुम अपनी आवाज़ें पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की आवाज़ से ऊँची मत किया करो और न उनसे ऐसे खुलकर बोला करो जैसे तुम आपस में एक-दूसरे से खुलकर बोला करते हो (यानी न बुलन्द आवाज़ से बोलो जबकि आपके सामने आपस में कोई बात करनी हो और न बराबर की आवाज़ से बोलो जबकि ख़ुद आप से ख़िताब करना हो) कभी तुम्हारे आमाल बरबाद हो जाएँ और तुमको ख़बर भी न हो। (इसका मतलब यह है कि आवाज़ का बुलन्द करना जो देखने में और ज़ाहिरी एतिबार से बेबाकी और बेपरवाई है और बुलन्द आवाज़ से इस तरह बातें करना जैसे आपस में एक दूसरो से बेतकल्लुफ़ बातें करते हैं यह एक क़िस्म की गुस्ताख़ी है, अपने मातहत और ख़ादिम से इस तरह की बातचीत नागवार और तकलीफ़देह हो सकती है और अल्लाह के रसूल को तकलीफ़ पहुँचाना तमाम नेक आमाल को बरबाद कर देने वाला है। अलबत्ता कभी-कभार जबकि तबीयत में ज़्यादा ताज़गी हो और बेतकल्लुफ़ी का मूड हो तो ये चीज़ें नागवार नहीं होतीं उस वक़्त रसूल को तकलीफ़ न पहुँचने की वजह से यह बातचीत आमाल के बरबाद व ज़ाया होने का सबब नहीं होगी, लेकिन कलाम करने वाले को यह मालूम करना कि इस वक़्त हमारी ऐसी बातचीत दिल को नागवार और तकलीफ़ का सबब नहीं होगी आसान नहीं। हो सकता है कि कलाम करने वाला तो यह समझकर कलाम करे कि इससे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ नहीं होगी मगर हक़ीक़त में उससे तकलीफ़ पहुँच जाये तो वह बातचीत उसके आमाल को ज़ाया और बरबाद कर देगी अगरचे उसको गुमान भी न होगा कि मेरी इस बातचीत से मुझे कितना बड़ा ख़सारा हो गया, इसलिये आवाज़ बुलन्द करने और ज़ोर से बात कहने को बिल्कुल ही ममनू (वर्जित) कर दिया गया, क्योंकि कुछ गुफ़्तगूयें और बातचीत अगरचे तकलीफ़ देने और आमाल के बरबाद होने का सबब नहीं होंगी मगर इसको कैसे मुतैयन किया जायेगा, इसलिये ज़ोर से बात करने को बिल्कुल छोड़ देना चाहिये। यहाँ तक तो आवाज़ बुलन्द करने से डराया गया है आगे आवाज़ पस्त "धीमी और नीची" करने की तरग़ीब है)।

बेशक जो लोग अपनी आवाज़ों को रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के सामने पस्त रखते हैं, ये लोग वे हैं जिनके दिलों को अल्लाह तआ़ला ने तक़वे (नेकी व परहेज़गारी) के लिए ख़ास कर दिया है (यानी उनके दिलों में तक़वे के ख़िलाफ़ कोई चीज़ आती ही नहीं। मतलब यह मालूम होता है कि इस ख़ास मामले में ये हज़रात तक़वे का आला मक़ाम पाने वाले हैं क्योंकि तिर्मिज़ी की एक मरफ़ूअ़ हदीस में तक़वे के बुलन्द मक़ाम का बयान इन अलफ़ाज़ में आया है:

لايبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع مالا باس به حذرًا لمابه باس.

यानी बन्दा तक़वे के कामिल मक़ाम को उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकता जब तक कि वह

कुछ ऐसी चीज़ों को जिनमें कोई गुनाह नहीं इस एहतियात की बिना पर छोड़ दे कि यह जायज़ काम कहीं मुझे किसी नाजायज़ काम में मुब्तला न कर दे।

मुराद वो संदिग्ध चीज़ें और बातें हैं जिनमें गुनाह का ख़तरा और शुब्हा हो, जैसा कि आवाज़ बुलन्द करने की एक किस्म ऐसी है जिसमें गुनाह नहीं यानी वह जिसमें मुख़ातब को तकलीफ़ न हो, और एक किस्म वह है जिसमें गुनाह है यानी जिससे तकलीफ़ पहुँचे, तो तक़्वे व परहेज़गारी का आला मकाम इसमें है कि आदमी बिल्कुल आवाज़ बुलन्द करने को छोड़ दे। आगे उनके अ़मल के आख़िरत वाले फ़ायदे का बयान है) उन लोगों के लिये मग़फ़िरत और बड़ा अज्र है।

(अगली आयतों का किस्सा यह है कि वही बनू तमीम आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बाहर मौजूद न थे बल्कि अपनी पाक बीवियों में से किसी के हुजरे में थे। ये लोग बेतहज़ीब गाँव वाले थे, बाहर ही से खड़े होकर आपका नाम लेकर पुकारने लगे कि 'या मुहम्मद उख़्रुज् इलैना' यानी ऐ मुहम्मद! हमारे लिये बाहर आईये, इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने इस्हाक़ के हवाले से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत नक़ल की गयी है)। जो लोग हुजरों के बाहर से आपको पुकारते हैं उनमें अक्सरों को अ़क्ल नहीं है (कि अ़क्ल होती तो आपका अदब करते, इस तरह नाम लेकर बाहर से पुकारने की जुर्रत न करते। और "उनमें से अक्सर" फ़रमाने की वजह या तो यह है कि पुकारने वालों में कुछ लोग अपनी ज़ात से इस जुर्रत करने वाले न होंगे, दूसरों के साथ देखा-देखी लग गये, इस तरह उनसे भी यह ग़लती हो गई। और या अगरचे सब एक ही तरह के हों मगर 'अक्स-रहुम' का लफ़्ज़ फ़रमाने से किसी को ग़ुस्सा व आक्रोश नहीं होगा क्योंकि हर शख़्स यह ख़्याल कर सकता है कि शायद मुझको कहना मक़सूद न हो। वअ़ज़ व नसीहत का यही तरीक़ा है कि ऐसी बातों से एहतियात की जाये जिनसे मुख़ातब को ग़ुस्सा आये)। और अगर ये लोग (ज़रा) सब्र (और इन्तिज़ार) करते, यहाँ तक कि आप ख़ुद बाहर उनके पास आ जाते तो यह उन लोगों के लिये बेहतर होता (क्योंकि यह अदब की बात थी)। और (अगर अब भी तौबा कर लें तो माफ़ हो जाये क्योंकि) अल्लाह तआ़ला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों के नाज़िल होने के बारे में हदीस की रिवायतों में बक़ौल इमाम क़ुर्तुबी छह वाकिआ़त नक़ल किये हैं, और क़ाज़ी अबू बक्र बिन अ़रबी ने फ़रमाया कि सब वाक़िआ़त सही हैं क्योंकि वो सब वाक़िआ़त आयतों के मफ़्हूम के आ़म होने में दाख़िल हैं, उनमें से एक वाक़िआ़ वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बुख़ारी शरीफ़ के हवाले से ज़िक्र किया गया है।

لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ

'बैनल्-यदैनि' के असल मायने दो हाथों के दरमियान के हैं, इससे मुराद सामने की दिशा है

यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने क़दम आगे न बढ़ाओ। किस चीज़ में आगे क़दम बढ़ाने को मना फ़रमाया है क़ुरआने करीम ने इसको ज़िक्र नहीं किया, जिसमें इशारा आ़म होने की तरफ़ है कि किसी बात और किसी काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से आगे बढ़ना न करो बल्कि इन्तिज़ार करो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क्या जवाब देते हैं, हाँ! आप ही किसी को जवाब के लिये मामूर फ़रमा दें तो वह जवाब दे सकता है। इसी तरह अगर आप चल रहे हैं तो कोई आप से आगे न बढ़े, खाने की मजलिस है तो आप से पहले खाना शुरू न करे मगर यह कि आपकी स्पष्ट या प्रबल अन्दाज़े व इशारे से यह साबित हो जाये कि आप ख़ुद ही किसी को आगे भेजना चाहते हैं जैसे सफ़र और जंग में कुछ लोगों को आगे चलने पर मामूर किया जाता था।

उलेमा-ए-दीन और धर्मगुरुओं के साथ भी यही अदब ध्यान में रखना चाहिये

कुछ उलेमा ने फ़रमाया है कि उलेमा और दीनी बुज़ुर्गों का भी यही हुक्म है क्योंकि वे अम्बिया के वारिस हैं, और दलील इसकी यह वाक़िआ़ है कि एक दिन हज़रत अबू दर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने देखा कि हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु के आगे चल रहे हैं तो आपने तंबीह फ़रमाई और फ़रमाया कि क्या तुम ऐसे शख़्स के आगे चलते हो जो दुनिया व आख़िरत में तुम से बेहतर है, और फ़रमाया कि दुनिया में सूरज का निकलना व ग़ुरूब होना किसी ऐसे शख़्स पर नहीं हुआ जो नबियों के बाद अबू बक्र से बेहतर व अफ़ज़ल हो। (तफ़सीर रूहुल-बयान, कशफ़ुल-असरार के हवाले से) इसलिये उलेमा ने फ़रमाया कि अपने उस्ताद और मुर्शिद के साथ भी यही अदब ध्यान में रखना चाहिये।

لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

मजलिसे नबवी का यह दूसरा अदब बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने आपकी आवाज़ से ज़्यादा बुलन्द आवाज़ करना या बुलन्द आवाज़ से इस तरह बातचीत करना जैसे आपस में एक दूसरे से बेरोक-टोक किया करते हैं एक क़िस्म की बेअदबी व गुस्ताख़ी है। चुनाँचे इस आयत के उतरने के बाद सहाबा किराम का यह हाल हो गया कि हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मुझे क़सम है कि अब मरते दम तक आप से इस तरह बोलूँगा जैसे कोई किसी से चुपके से बातें करता हो। (दुर्रे मन्सूर, बैहक़ी के हवाले से) और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस क़द्र आहिस्ता बोलने लगे कि बहुत सी बार दोबारा पूछना पड़ता था (जैसा कि हदीस की किताबों में है)। और हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अ़न्हु तबई तौर पर बहुत बुलन्द आवाज़ वाले थे, यह आयत सुनकर वह बहुत डरे और रोये और अपनी आवाज़ को घटाया। (बयानुल-क़ुरआन, दुर्रे मन्सूर के हवाले से)

रौज़ा-ए-पाक के सामने भी बहुत बुलन्द आवाज़ से सलाम व कलाम करना मना है

क़ाज़ी अबू बक्र इब्ने अ़रबी ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताज़ीम (सम्मान) और अदब आपकी वफ़ात के बाद भी ऐसा ही वाजिब है जैसा ज़िन्दगी में था, इसी लिये कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि आपकी क़ब्र शरीफ़ के सामने भी ज़्यादा बुलन्द आवाज़ से सलाम व कलाम करना अदब के ख़िलाफ़ है। इसी तरह जिस मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीसें पढ़ी या बयान की जा रही हों उसमें भी शोर व शग़ब करना बेअदबी है, क्योंकि आपका कलाम जिस वक़्त आपकी ज़बाने मुबारक से अदा हो रहा है उस वक़्त सब के लिये ख़ामोश होकर उसका सुनना वाजिब व ज़रूरी था, इसी तरह वफ़ात के बाद भी जिस मजलिस में आपका कलाम सुनाया जाता हो वहाँ शोर-शराबा करना बेअदबी है।

मसला: जिस तरह नबी के सामने आगे बढ़ने की मनाही में उलेमा-ए-दीन नबियों के वारिस होने की हैसियत से दाख़िल हैं इसी तरह आवाज़ ऊँची करने का भी यही हुक्म है कि उलेमा व बुज़ुर्गों की मजलिस में इतनी बुलन्द आवाज़ से न बोले जिससे उनकी आवाज़ दब जाये। (क़ुर्तुबी)

اَنْ تَحْبَطَ اَعْمَالُكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تَشْعُرُوْنَ○

मतलब यह है कि अपनी आवाज़ को नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आवाज़ पर बुलन्द न करो इस ख़तरे और ख़ौफ़ के सबब कि कहीं तुम्हारे आमाल ज़ाया न हो जायें और तुम्हें ख़बर भी न हो। इस जगह शरई क़वाईद और माने हुए उसूल के एतिबार से चन्द सवालात पैदा होते हैं- एक यह कि नेक आमाल को ज़ाया कर देने वाली चीज़ तो अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त के यहाँ इत्तिफ़ाक़े राय से सिर्फ़ कुफ़्र है, किसी एक नाफ़रमानी और गुनाह से दूसरे नेक आमाल ज़ाया नहीं होते, और यहाँ ख़िताब मोमिनों और सहाबा किराम को है और लफ़्ज़ 'या अय्युहल्लज़ी-न आमनू' के साथ है जिस से इस फ़ेल (काम) का कुफ़्र न होना साबित होता है, तो आमाल का ज़ाया होना कैसे हुआ। दूसरे यह कि जिस तरह ईमान एक इख़्तियारी काम है जब तक कोई शख़्स अपने इख़्तियार से ईमान न लाये मोमिन नहीं होता इसी तरह कुफ़्र भी इख़्तियारी मामला है जब तक कोई शख़्स अपने इरादे से कुफ़्र को इख़्तियार न करे वह काफ़िर नहीं हो सकता, और यहाँ आयत के आख़िर में यह वज़ाहत है कि 'अन्तुम् ला तश्अुरून' यानी तुम्हें ख़बर भी न हो, तो आमाल का ज़ाया व बरबाद होना जो ख़ालिस कुफ़्र की सज़ा है वह कैसे जारी हुई?

सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी) रह. ने बयानुल-क़ुरआन में इसकी ऐसी वज़ाहत बयान फ़रमाई है जिससे ये सब इश्कालात व सवालात ख़त्म हो जाते हैं, वह यह है कि आयत के मायने यह हैं कि मुसलमानो! तुम रसूलुल्लाह की आवाज़ से अपनी आवाज़ बुलन्द करने और बेखटके ज़ोर से बोलने से बचो, क्योंकि ऐसा करने में ख़तरा है कि तुम्हारे

आमाल बरबाद और ज़ाया हो जायें और वह ख़तरा इसलिये है कि रसूल से आगे बढ़ना या उनकी आवाज़ पर अपनी आवाज़ को बुलन्द करके ग़ालिब करना एक ऐसा मामला है जिससे रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान में गुस्ताख़ी और बेअदबी होने का भी डर और संभावना है जो सबब है रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकलीफ़ का। अगरचे सहाबा किराम के बारे में यह वहम भी नहीं हो सकता कि वे इरादे से कोई ऐसा काम करें जो आपकी तकलीफ़ का सबब बने लेकिन बाज़े आमाल व हरकतें जैसे आगे बढ़ना और आवाज़ बुलन्द करना अगरचे तकलीफ़ पहुँचाने के इरादे से न हों फिर भी उनसे तकलीफ़ पहुँचने का शुब्हा व संभावना है, इसी लिये उनको पूरी तरह वर्जित (ममनू) और नाफ़रमानी क़रार दिया है और बाज़े गुनाह व नाफ़रमानियों की ख़ासियत यह होती है कि उसके करने वाले से तौबा और नेक आमाल की तौफ़ीक़ छिन जाती है और वह शख़्स गुनाहों में मुब्तला होकर अन्जामकार कुफ़्र तक पहुँच जाता है, जो सबब है आमाल के बरबाद होने का।

किसी अपने दीनी मुक़्तदा (धर्मगुरु) उस्ताद या मुर्शिद को तकलीफ़ देना व सताना ऐसी ही मासियत (गुनाह व नाफ़रमानी) है जिस से तौफ़ीक़ के छिन जाने का ख़तरा होता है, इस तरह ये काम यानी नबी से आगे बढ़ना और आवाज़ को ऊँची करना ऐसी मासियत (गुनाह व ख़ता) क़रार पाईं कि जिनसे ख़तरा है कि तौफ़ीक़ छिन जाये, और यह नुक़सान व मेहरूमी आख़िरकार कुफ़्र तक पहुँचा दे जिससे तमाम नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं, और करने वाले ने चूँकि तकलीफ़ का इरादा न किया था इसलिये उसको इसकी ख़बर भी न होगी कि इस कुफ़्र में मुब्तला होने और आमाल के ज़ाया होने का असली सबब क्या था।

कुछ उलेमा ने फ़रमाया है कि अगर किसी नेक बुज़ुर्ग को किसी ने अपना मुर्शिद बनाया हो तो उसके साथ गुस्ताख़ी व बेअदबी का भी यही हाल है कि बहुत सी बार वह तौफ़ीक़ छिन जाने और बेयार व मददगार होने का सबब बन जाती है जो अन्जामकार ईमान की दौलत को भी ज़ाया कर देती है। नऊज़ु बिल्लाह

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْحُجُرَٰتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝

इस आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का एक तीसरा अदब सिखलाया गया है कि जिस वक़्त आप अपने मकान और आराम करने की जगह में तशरीफ़ रखते हों उस वक़्त बाहर खड़े होकर आपको पुकारना, ख़ुसूसन गंवारपन के साथ कि नाम लेकर पुकारा जाये यह बेअदबी है, अ़क़्ल वालों के यह काम नहीं। हुजुरात, हुजरे की जमा (बहुवचन) है असल लुग़त में हुजरा एक चार दीवारी से घिरे हुए मकान को कहते हैं जिसमें कुछ आँगन हो कुछ छत वाली (यानी छपी हुई) इमारत हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियाँ मदीना तय्यिबा में नौ थीं उनमें से हर एक के लिये एक हुजरा अलग था जिनमें आप बारी-बारी तशरीफ़ फ़रमा होते थे।

उम्महातुल-मोमिनीन के हुजरे (कमरे)

इब्ने सअ़द ने अ़ता ख़ुरासानी की रिवायत से लिखा है कि ये हुजरे खजूर की शाख़ों (टहनियों) से बने हुए थे और उनके दरवाज़ों पर मोटे सियाह ऊन के पर्दे पड़े हुए थे। इमाम बुख़ारी ने 'अदबुल-मुफ़रद' में और इमाम बैहक़ी ने दाऊद बिन क़ैस से रिवायत किया है कि वह कहते हैं कि मैंने उन हुजरों की ज़ियारत की है, मेरा गुमान यह है कि हुजरे के दरवाज़े से घर का छपा हुआ हिस्सा छह-सात हाथ होगा और कमरा दस हाथ और छत की ऊँचाई सात-आठ हाथ होगी। उम्महातुल-मोमिनीन (नबी करीम सल्ल. की पाक बीवियों) के ये हुजरे वलीद बिन अ़ब्दुल-मलिक की हुकूमत में उनके हुक्म से मस्जिदे नबवी में शामिल कर दिये गये। मदीने में उस रोज़ लोग बहुत रोये और ग़मज़दा हुए।

इस आयत के नाज़िल होने का सबब

इमाम बग़वी रह. ने क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से ज़िक्र किया है कि क़बीला बनू तमीम के लोग जो आपकी ख़िदमत में हाज़िर हुए थे जिनका ऊपर ज़िक्र आया है। ये दोपहर के वक़्त मदीना में पहुँचे जबकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी हुजरे में आराम फ़रमा रहे थे। ये लोग देहाती और समाज की सभ्यताओं व आदाब से नावाक़िफ़ थे, इन्होंने हुजरों के बाहर ही से पुकारना शुरू कर दिया 'उख़रुज् इलैना या मुहम्मद' इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसमें इस तरह पुकारने की मनाही और इन्तिज़ार करने का हुक्म दिया गया। मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी वग़ैरह में भी यह रिवायत मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ से आई है। (तफ़सीरे मज़हरी)

तंबीह

सहाबा व ताबिईन ने अपने उलेमा व बुज़ुर्गों के साथ भी इसी अदब का इस्तेमाल किया है। सही बुख़ारी वग़ैरह में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि जब मैं किसी आ़लिम सहाबी से कोई हदीस पूछना चाहता तो उनके मकान पर पहुँचकर उनको आवाज़ या दरवाज़े पर दस्तक देने से परहेज़ करता और दरवाज़े के बाहर बैठता था कि जब वह ख़ुद ही बाहर तशरीफ़ लायेंगे उस वक़्त उनसे पूछ लूँगा। वह मुझे देखकर फ़रमाते कि ऐ रसूलल्लाह के चचाज़ाद भाई! आपने दरवाज़े पर दस्तक देकर क्यों न इत्तिला कर दी तो इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि आ़लिम अपनी क़ौम में नबी की तरह होता है और अल्लाह तआ़ला ने नबी की शान में यह हिदायत फ़रमाई है कि उनके बाहर आने का इन्तिज़ार किया जाये। हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने कभी किसी आ़लिम के दरवाज़े पर जाकर दस्तक नहीं दी बल्कि इसका इन्तिज़ार किया कि वह ख़ुद ही बाहर तशरीफ़ लायेंगे उस वक़्त मुलाक़ात करूँगा। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

मसलाः ऊपर दर्ज हुई आयत में 'हत्ता तख़्रु-ज इलैहिम्' में 'इलैहिम' की क़ैद बढ़ाने से यह साबित हुआ कि सब्र व इन्तिज़ार उस वक़्त तक करना है जब तक कि आप लोगों से मुलाक़ात

व बातचीत के लिये बाहर तशरीफ़ लायें। इससे मालूम हुआ कि आपका बाहर तशरीफ़ लाना किसी दूसरी ज़रूरत से हो तो उस वक़्त भी आप से अपने मतलब की बात करना मुनासिब नहीं बल्कि इसका इन्तिज़ार करें कि जब आप उनकी तरफ़ मुतवज्जह हों उस वक़्त बात करें।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْٓا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًاۢ بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ ○

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन् जा-अकुम् फ़ासिक़ुम् बि-न-बइन् फ़-तबय्यनू अन् तुसीबू क़ौमम्-बि-जहालतिन् फ़तुस्बिहू अ़ला मा फ़-अ़ल्तुम् नादिमीन (6)	ऐ ईमान वालो! अगर आये तुम्हारे पास कोई गुनाहगार ख़बर लेकर तो तहक़ीक़ कर लो, कहीं जा न पड़ो किसी क़ौम पर नादानी से फिर कल को अपने किये पर लगो पछताने। (6)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! अगर कोई शरीर आदमी तुम्हारे पास कोई ख़बर लाये (जिसमें किसी की शिकायत हो) तो (बिना तहक़ीक़ के उस पर अ़मल न किया करो बल्कि अगर अ़मल करना मक़सूद हो तो) ख़ूब तहक़ीक़ कर लिया करो, कभी किसी क़ौम को नादानी से कोई नुक़सान पहुँचा दो फिर अपने किये पर पछताना पड़े।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस आयत का शाने नुज़ूल

इस आयत के नुज़ूल का (उतरने का) वाक़िआ़ इब्ने कसीर ने मुस्नद अहमद के हवाले से यह नक़ल किया है कि क़बीला बनी मुस्तलिक़ के सरदार हारिस बिन ज़िरार बिन अबी ज़िरार जिनकी बेटी हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा बिन्ते हारिस उम्महातुल-मोमिनीन में से हैं, यह फ़रमाते हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने मुझे इस्लाम की दावत दी और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया, मैंने इस्लाम को क़ुबूल किया और ज़कात अदा करने का इक़रार किया और अ़र्ज़ किया कि अब मैं अपनी क़ौम में जाकर उनको भी इस्लाम और ज़कात अदा करने की तरफ़ दावत दूँगा। जो लोग मेरी बात मान लेंगे और ज़कात अदा करेंगे मैं उनकी ज़कात जमा कर लूँगा, और आप फ़ुलाँ महीने की फ़ुलाँ तारीख़ तक अपना कोई क़ासिद मेरे पास भेज दें ताकि जो रक़म ज़कात की मेरे पास जमा हो जाये वो उसके सुपुर्द कर दूँ।

फिर जब हारिस ने वायदे के मुताबिक़ ईमान लाने वालों की ज़कात जमा कर ली और वह महीना और तारीख़ जो क़ासिद भेजने के लिये तय हुई थी गुज़र गई और आपका कोई क़ासिद न पहुँचा तो हारिस को यह ख़तरा पैदा हुआ कि शायद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हम से किसी बात पर नाराज़ हैं वरना यह मुम्किन नहीं था कि आप वायदे के मुताबिक़ अपना आदमी न भेजते। हारिस ने इस ख़तरे का ज़िक्र इस्लाम क़ुबूल करने वालों के सरदारों से किया और इरादा किया कि ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो जायें। उधर यह वाक़िआ हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुक़र्ररा तारीख़ पर वलीद बिन उक़्बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अपना क़ासिद बनाकर ज़कात वसूल करने के लिये भेज दिया था मगर वलीद बिन उक़्बा को रास्ते में यह ख़्याल आया कि उस क़बीले के लोगों से मेरी पुरानी दुश्मनी है कहीं ऐसा न हो कि वे मुझे क़त्ल कर डालें, इस ख़ौफ़ के सबब वह रास्ते ही से वापस हो गये और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से जाकर यह कहा कि उन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और मेरे क़त्ल का इरादा किया इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को गुस्सा आया और हज़रत ख़ालिद बिन वलीद की सरदारी में एक दस्ता मुजाहिदों का रवाना किया। इधर यह दस्ता मुजाहिदों का रवाना हुआ उधर से हारिस मय अपने साथियों के हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िरी के लिये निकले, मदीना के क़रीब दोनों की मुलाक़ात हुई, हारिस ने उन लोगों से पूछा कि आप किन लोगों की तरफ़ भेजे गये हो, उन लोगों ने कहा कि हम तुम्हारी तरफ़ भेजे गये हैं। हारिस ने सबब पूछा तो उनको वलीद बिन उक़्बा के भेजने का और उनकी वापसी का वाक़िआ बतलाया गया और यह कि वलीद बिन उक़्बा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने यह बयान दिया है कि बनी मुस्तलिक़ ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और मेरे क़त्ल का मन्सूबा बनाया।

हारिस ने यह सुनकर कहा कि क़सम है उस ज़ात की जिसने मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सच्चा रसूल बनाकर भेजा है, मैंने वलीद बिन उक़्बा को देखा तक नहीं और न वह मेरे पास आये। इसके बाद हारिस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने फ़रमाया कि क्या तुमने ज़कात देने से इनकार किया और मेरे क़ासिद को क़त्ल करने का इरादा किया था? हारिस ने कहा कि हरगिज़ नहीं, क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको पैग़ामे हक़ देकर भेजा है, न वह मेरे पास आये न मैंने उनको देखा। फिर जब मुक़र्ररा वक़्त पर आपका क़ासिद न पहुँचा तो मुझे ख़तरा हुआ कि शायद मुझसे कोई क़ुसूर हुआ जिस पर हुज़ूर नाराज़ हुए इसलिये मैं हाज़िरे ख़िदमत हुआ। हारिस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि इस पर सूरः हुजुरात की आयत नाज़िल हुई। (इब्ने कसीर)

और कुछ रिवायतों में है कि वलीद बिन उक़्बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु हुक्म के मताबिक़ बनी मुस्तलिक़ में पहुँचे, उस क़बीले के लोगों को चूँकि यह मालूम था कि इस तारीख़ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का क़ासिद आयेगा वे ताज़ीम (सम्मान व स्वागत) के तौर पर बस्ती से बाहर निकले कि उनका स्वागत करें। वलीद बिन उक़्बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को शुब्हा हो गया

कि ये शायद पुरानी दुश्मनी की वजह से मुझे कत्ल करने आये हैं, यहीं से वापस हो गये और जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अपने गुमान के मुताबिक़ यह अ़र्ज़ कर दिया कि वे लोग ज़कात देने के लिये तैयार नहीं बल्कि मेरे क़त्ल के पीछे पड़े हैं। इस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु को भेजा और यह हिदायत फ़रमाई कि ख़ूब तहक़ीक़ कर लें उसके बाद कोई क़दम उठायें। ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने बस्ती से बाहर रात को पहुँचकर क़ियाम किया और हालात की तहक़ीक़ के लिये चन्द आदमी बतौर जासूस के ख़ुफ़िया भेज दिये। उन लोगों ने आकर ख़बर दी कि ये सब लोग इस्लाम व ईमान पर क़ायम, नमाज़ व ज़कात के पाबन्द हैं और कोई बात ख़िलाफ़े इस्लाम नहीं पाई गई, ख़ालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने वापस आकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह सारा वाक़िआ़ बतलाया इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (यह इब्ने कसीर की अनेक रिवायतों का ख़ुलासा है)

इस आयत से यह साबित हुआ कि कोई शरीर व ग़ैर-मोतबर आदमी अगर किसी शख़्स या क़ौम की शिकायत करे, उन पर कोई इल्ज़ाम लगाये तो उसकी ख़बर या गवाही पर बग़ैर मुकम्मल तहक़ीक़ के अ़मल करना जायज़ नहीं।

आयत से संबन्धित अहकाम व मसाईल

इमाम जस्सास रह. ने 'अहकामुल-क़ुरआन' में फ़रमाया कि इस आयत से साबित हुआ कि किसी फ़ासिक़ (बदकार व ग़ैर-मोतबर) की ख़बर को क़ुबूल करना और उस पर अ़मल करना उस वक़्त तक जायज़ नहीं जब तक दूसरे सूत्रों से तहक़ीक़ करके उसकी सच्चाई साबित न हो जाये। क्योंकि इस आयत में एक क़िराअत तो 'फ़-तसब्बितू' की है जिसके मायने हैं कि उस पर अ़मल करने और कोई क़दम उठाने में जल्दी न करो बल्कि साबित-क़दम रहो जब तक दूसरे माध्यमों और सूत्रों से उसकी सच्चाई साबित न हो जाये। और जब फ़ासिक़ की ख़बर को क़ुबूल करना जायज़ न हुआ तो गवाही को क़ुबूल करना और भी ज़्यादा नाजायज़ होगा, क्योंकि हर गवाही एक ख़बर होती है जो हलफ़ व क़सम के साथ मज़बूत की जाती है, इसी लिये उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक फ़ासिक़ की ख़बर या गवाही शरई तौर पर मक़बूल नहीं। अलबत्ता कुछ मामलात और हालात में फ़ासिक़ की ख़बर और गवाही को भी क़ुबूल कर लिया जाता है वो इस हुक्म से अलग और बाहर हैं, क्योंकि क़ुरआन की आयत में इस हुक्म की एक ख़ास इल्लत (सबब और वजह) बयान की गयी है यानीः

اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ

तो जिन मामलात में यह इल्लत मौजूद नहीं वो इस आयत के हुक्म में दाख़िल नहीं, इससे अलग हैं। जैसे यह कि कोई फ़ासिक़ बल्कि काफ़िर भी कोई चीज़ लाये और यह कहे कि फ़ुलाँ शख़्स ने यह आपको हदिया भेजा है तो उसकी ख़बर पर अ़मल जायज़ है, इसकी मज़ीद तफ़सील मिसाईल की किताबों 'मुईनुल-हुक्काम' वग़ैरह में है और अहक़र ने 'अहकामुल-क़ुरआन'

अ़रबी भाग छह में इसकी तफ़सील लिख दी है, उलेमा हज़रात उसमें देख सकते हैं।

एक अहम सवाल व जवाब सहाबा के मोतबर व भरोसेमन्द होने के बारे में

इस आयत का वलीद बिन उक़्बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बारे में नाज़िल होना सही रिवायतों से साबित है और आयत में उनको फ़ासिक़ कहा गया है, इससे बज़ाहिर यह मालूम होता है कि सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम में कोई फ़ासिक़ भी हो सकता है। और यह इस माने हुए और मुत्तफ़क़ा उसूल के ख़िलाफ़ है कि:

الصَّحابة كلّهم عدول

यानी सहाबा किराम सब के सब सिक़ा (मोतबर) हैं। उनकी किसी ख़बर व गवाही पर कोई गिरफ़्त नहीं की जा सकती। अ़ल्लामा आलूसी ने रूहुल-मआ़नी में फ़रमाया कि इस मामले में हक़ बात वह है जिसकी तरफ़ उलेमा की अक्सरियत गयी है कि सहाबा किराम मासूम (ख़ताओं से बरी) नहीं, उनसे बड़ा गुनाह भी सर्ज़द हो सकता है जो फ़िस्क़ है, और उस गुनाह के वक़्त उनके साथ वही मामला किया जायेगा जिसके वे हक़दार हैं यानी शरई सज़ा जारी की जायेगी, और अगर झूठ साबित हुआ तो उनकी ख़बर और गवाही रद्द कर दी जायेगी, लेकिन अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त का क़ुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों की बिना पर अ़क़ीदा यह है कि सहाबी से गुनाह तो हो सकता है कि मगर कोई सहाबी ऐसा नहीं जो गुनाह से तौबा करके पाक न हो गया हो। क़ुरआने करीम ने उमूमी तौर पर उनके बारे में अल्लाह तआ़ला की रज़ा का फ़ैसला सादिर फ़रमा दिया है यानी- 'रज़ियल्लाहु अ़न्हुम् व रज़ू अ़न्हु........' और अल्लाह की रज़ा गुनाहों की माफ़ी के बग़ैर नहीं होती जैसा कि क़ाज़ी अबू यअ़ला ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला की रज़ा एक क़दीम सिफ़त है, वह अपनी रज़ा का ऐलान सिर्फ़ उन्हीं के लिये फ़रमाते हैं जिनके बारे में वह जानते हैं कि उनकी वफ़ात रज़ा वाले आमाल ही पर होगी। (जैसा कि इमाम इब्ने तैमिया की किताब 'अस्सारिमुल-मस्लूल' में बयान किया गया है)

ख़ुलासा यह है कि सहाबा किराम की अ़ज़ीमुश्शान जमाअ़त में से गिने-चुने चन्द आदमियों से कभी कोई गुनाह सर्ज़द भी हुआ है तो उनको फ़ौरन तौबा नसीब हुई है, हक़ तआ़ला ने उनको रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत की बरकत से ऐसा बना दिया था कि शरीअ़त उनकी तबीयत बन गई थी, ख़िलाफ़े शरीअ़त कोई काम या गुनाह सर्ज़द होना बहुत कम या न होने के बराबर था, उनके नेक आमाल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और इस्लाम पर अपनी जानें क़ुरबान करना और हर काम में अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की पैरवी को अपनी ज़िन्दगी का वज़ीफ़ा बनाना और उसके लिये ऐसे मुजाहदे करना जिनकी नज़ीर पिछली उम्मतों में नहीं मिलती, इन बेशुमार नेक आमाल और फ़ज़ाईल व कमालात के मुक़ाबले में उम्र भर में किसी गुनाह का सर्ज़द हो जाना उसको ख़ुद ही ख़त्म कर देता है, दूसरे अल्लाह

तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुहब्बत व अ़ज़मत और अदना से गुनाह के वक़्त उनका अल्लाह से डर व ख़ौफ़ और फ़ौरन तौबा करना बल्कि अपने आपको सज़ा के लिये ख़ुद पेश कर देना, कहीं अपने आपको मस्जिद के सुतून से बाँध देना वग़ैरह हदीस की रिवायतों में परिचित व मशहूर है, और हदीस के हुक्म के मुताबिक़ गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा हो जाता है जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। तीसरे क़ुरआनी इरशाद के मुताबिक़ नेक आमाल और अच्छाईयाँ ख़ुद भी गुनाहों का कफ़्फ़ारा हो जाते हैं। चुनाँचे इरशाद है:

إِنَّ الْحَسَنَٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـَٔاتِ

ख़ुसूसन जबकि उनकी नेकियाँ आ़म लोगों की तरह नहीं बल्कि उनका हाल वह है जो अबू दाऊद व तिर्मिज़ी ने हज़रत सईद बिन ज़ैद से नक़ल किया है कि:

والله لمشهد رجل منهم مع النبی صلی الله علیه وسلم یغبر فیه وجهه خیر من عمل احدکم ولو عمر عمر نوح.

यानी ख़ुदा की क़सम! उनमें से किसी शख़्स का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ किसी जिहाद में शरीक होना जिसमें उनके चेहरे पर ग़ुबार पड़ गया हो तुम्हारी उम्र भर की नेकी व इबादत से अफ़ज़ल है अगरचे उसको नूह अ़लैहिस्सलाम की (यानी बहुत लम्बी) उम्र दे दी गई हो।

इसलिये उनसे गुनाह ज़ाहिर होने के वक़्त अगरचे सज़ा वग़ैरह में मामला वही किया गया जो उस जुर्म के लिये मुक़र्रर था मगर इसके बावजूद बाद में किसी के लिये जायज़ नहीं कि उनमें से किसी को फ़ासिक़ (गुनाहगार व बुरा) क़रार दे, इसलिये अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दौर में किसी सहाबी से कोई गुनाह फ़िस्क़ वाला सर्ज़द भी हुआ और उस वक़्त उनको फ़ासिक़ कहा भी गया तो इससे यह जायज़ नहीं हो जाता कि फ़िस्क़ (बुराई) को उनके लिये हमेशा के लिये समझकर मआ़ज़ल्लाह फ़ासिक़ कहा जाये। (रूहुल-मआ़नी)

और ऊपर ज़िक्र हुई आयत में तो क़तई तौर पर यह ज़रूरी नहीं कि वलीद बिन उक़्बा को फ़ासिक़ कहा गया हो, आयत के नाज़िल होने का सबब चाहे उनका मामला ही सही मगर लफ़्ज़ 'फ़ासिक़' उनके लिये इस्तेमाल किया गया हो यह ज़रूरी नहीं। वजह यह है कि इस वाक़िए से पहले तो वलीद बिन उक़्बा से कोई ऐसा काम हुआ न था जिसके सबब उनको फ़ासिक़ (गुनाहगार) कहा जाये, और इस वाक़िए में भी जो उन्होंने बनू मुस्तलिक़ के लोगों की तरफ़ एक बात ग़लत मन्सूब की वह भी अपने ख़्याल के मुताबिक़ सही समझकर की, अगरचे वास्तव में ग़लत थी, इसलिये आयते मज़कूरा का मतलब बेतकल्लुफ़ वह बन सकता है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऊपर गुज़रा है कि इस आयत ने फ़ासिक़ की ख़बर के नामक़बूल होने के बारे में एक क़ायदा कुल्लिया (एक मुस्तक़िल उसूल) बयान किया है और उक्त वाक़िए पर इस आयत के नाज़िल होने से इसकी मज़ीद ताकीद इस तरह हो गई कि वलीद बिन उक़्बा अगरचे फ़ासिक़ न थे मगर उनकी ख़बर प्रबल अन्दाज़ों और इशारों के एतिबार से नाक़ाबिले क़ुबूल नज़र आई तो

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने महज़ उनकी ख़बर पर किसी तरह का क़दम उठाने और फ़ैसला लेने से गुरेज़ करके ख़ालिद बिन वलीद को तहक़ीक़ात पर मामूर फ़रमा दिया। तो जब एक सिक़ा (मोतबर) और नेक आदमी की ख़बर में हालात के इशारों की बिना पर शुब्हा हो जाने का मामला यह है कि उस पर तहक़ीक़ से पहले अ़मल नहीं किया गया तो फ़ासिक़ की ख़बर को क़ुबूल करना और उस पर अ़मल न करना और ज़्यादा स्पष्ट है। सहाबा के आ़दिल व मोतबर होने की मुकम्मल बहस अहक़र ने अपनी उर्दू किताब 'मक़ामे सहाबा' में बयान कर दी जो प्रकाशित हो चुकी है और उसका कुछ हिस्सा अगली आयत नम्बर 9:

وَاِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ.......... الآية

के तहत भी आ जायेगा।

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ فِيْكُمْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ۭ لَوْ يُطِيْعُكُمْ فِيْ كَثِيْرٍ مِّنَ الْاَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ حَبَّبَ اِلَيْكُمُ الْاِيْمَانَ وَزَيَّنَهٗ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَكَرَّهَ اِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوْقَ وَالْعِصْيَانَ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الرّٰشِدُوْنَ ۙ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَنِعْمَةً ۭ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝

वअ़्लमू अन्-न फ़ीकुम् रसूलल्लाहि, लौ युतीअुकुम् फ़ी कसीरिम् मिनल्-अम्रि ल-अनित्तुम् व लाकिन्नल्ला-ह हब्ब-ब इलैकुमुल्-ईमा-न व ज़य्य-नहू फ़ी क़ुलूबिकुम् व कर्र-ह इलैकुमुल्-कुफ़्-र वल्फ़ुसू-क़ वल्-अिस्या-न, उलाइ-क हुमुर्-राशिदून (7) फ़ज़्लम्-मिनल्लाहि व निअ़्-मतन्, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम (8)	और जान लो कि तुम में रसूल है अल्लाह का, अगर वह तुम्हारी बात मान लिया करे बहुत कामों में तो तुम पर मुश्किल पड़े पर अल्लाह ने मुहब्बत डाल दी तुम्हारे दिल में ईमान की और ख़ुबा (पसन्दीदा बना) दिया उसको तुम्हारे दिलों में, और नफ़रत डाल दी तुम्हारे दिल में कुफ़्र और गुनाह और नाफ़रमानी की वे लोग वही हैं नेक राह पर (7) अल्लाह के फ़ज़्ल और एहसान से, और अल्लाह सब कुछ जानता है हिक्मतों वाला। (8)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और जान लो कि तुम में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ रखते) हैं (जो ख़ुदा की बड़ी नेमत हैं जैसा कि एक जगह अल्लाह तआ़ला का इरशाद है 'लक़द् मन्नल्लाहु अ़लल्-मुअ्मिनी-न........' इस नेमत का शुक्र यह है कि किसी बात में तुम आपके ख़िलाफ़ मत करो चाहे वह बात दुनियावी ही क्यों न हो, और इस फ़िक्र में मत पड़ो कि दुनियावी मामलात में

खुद हुज़ूरे पाक हमारी राय की मुवाफ़कत फ़रमाया करें, क्योंकि) बहुत-सी बातें ऐसी होती हैं कि अगर वह उसमें तुम्हारा कहना माना करें तो तुमको बड़ा नुकसान पहुँचे (क्योंकि वह मस्लेहत के ख़िलाफ़ हो तो ज़रूर उसके मुवाफ़िक अमल करने में नुकसान हो, बख़िलाफ़ इसके कि आपकी राय पर अमल किया जाये, क्योंकि दुनियावी मामला होने के बावजूद उसमें ख़िलाफ़े मस्लेहत होने का शुब्हा व संभावना अगरचे अपने आप में मुहाल और शाने नुबुव्वत के ख़िलाफ़ नहीं लेकिन अव्वल तो ऐसे मामलात जिनमें ऐसा शुब्हा व संभावना हो बहुत कम और न होने के बराबर होंगे, फिर अगर हों भी और उनमें मस्लेहत ख़त्म हो भी जाये तो यह कितनी बड़ी बात है कि उस मस्लेहत का उससे अच्छा बदल यानी रसूल की इताअ़त का अज्र व सवाब ज़रूर ही मयस्सर होगा, बख़िलाफ़ इसके कि तुम्हारी राय पर अमल हो कि अगरचे बहुत ही कम ऐसे मामलात भी निकलेंगे जिनमें मस्लेहत तुम्हारी राय के मुवाफ़िक हो लेकिन मुतैयन तो हैं नहीं और फिर बहुत ही कम होंगे, ज़्यादा शुब्हा व गुमान नुकसान ही का है, फिर उस नुकसान की कोई भरपाई नहीं। और इस तकरीर से 'कसीर' यानी बहुत लफ़्ज़ की कैद लगाने का फ़ायदा भी मालूम हो गया। बहरहाल अगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तुम लोगों की मुवाफ़कत करते तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ते) लेकिन अल्लाह तआ़ला ने (तुमको मुसीबत से बचा लिया इस तरह से कि) तुमको (कामिल) ईमान की मुहब्बत दी, और उस (के हासिल करने) को तुम्हारे दिलों में पसन्दीदा कर दिया, और कुफ़्र और फ़िस्क (यानी बड़े गुनाह) और (हर) नाफ़रमानी (यानी छोटे गुनाह) से तुमको नफ़रत दे दी (जिससे तुमको हर वक़्त रसूले पाक की रज़ा की जुस्तजू रहती है और जिससे तुम उन अहकाम को मान लेते हो जो रसूल को ख़ुश करने का ज़रिया हैं, चुनाँचे जब तुमको यह मालूम हो गया कि दुनियावी मामलात में भी रसूल की इताअ़त वाजिब है और बिना कामिल इताअ़त व फ़रमाँबरदारी के ईमान कामिल नहीं होता और कामिल ईमान के हासिल करने की रग़बत पहले से मौजूद है, पस तुमने फ़ौरन इस हुक्म को भी क़ुबूल कर लिया और क़ुबूल करके ईमान को और कामिल कर लिया)। ऐसे लोग (जो कि ईमान को कामिल करने को पसन्द करते हैं) ख़ुदा तआ़ला के फ़ज़्ल और इनाम से सही रास्ते पर हैं और अल्लाह तआ़ला (ने जो ये अहकाम फ़रमाये हैं तो वह उनकी मस्लेहतों को) जानने वाला (है, और चूँकि) हिक्मत वाला है (इसलिये इन अहकाम को वाजिब कर दिया है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इससे पहली आयत में हज़रत वलीद बिन उक़्बा और क़बीला बनी मुस्तलिक़ का वाक़िआ़ बयान हुआ था, जिसमें वलीद बिन उक़्बा ने बनी मुस्तलिक़ के बारे में यह ख़बर दी थी कि वे मुर्तद हो गये (यानी इस्लाम से फिर गये) और ज़कात देने से इनकार कर दिया, इस पर सहाबा किराम में भी गुस्सा व आक्रोश पैदा हुआ, उनकी राय यह थी कि उन लोगों पर जिहाद के लिये मुजाहिदों को भेज दिया जाये मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वलीद बिन उक़्बा की ख़बर को प्रबल इशारात और अन्दाज़ों के ख़िलाफ़ समझकर क़ुबूल न किया और तहक़ीक़ात

के लिये हज़रत ख़ालिद बिन वलीद को मामूर फ़रमा दिया।

पिछली आयतों में क़ुरआने करीम ने इसको क़ानून बना दिया कि जिस शख़्स की ख़बर में मज़बूत इशारात और हालात से कोई शुब्हा हो जाये तो तहक़ीक़ से पहले उस पर अमल जायज़ नहीं। इस आयत में सहाबा किराम को एक और हिदायत की गई है कि अगरचे बनी मुस्तलिक़ के बारे में मुर्तद होने की ख़बर सुनकर तुम्हारा जोश दीनी ग़ैरत के सबब था मगर तुम्हारी राय सही न थी, अल्लाह तआला के रसूल ने जो सूरत इख़्तियार की वही बेहतर थी। (मज़हरी)

मक़सद यह है कि मश्विरे वाले मामलात में कोई राय दे देना तो दुरुस्त है लेकिन यह कोशिश करना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम्हारी राय के मुताबिक़ ही अमल करें यह दुरुस्त नहीं, क्योंकि दुनियावी मामलात में अगरचे कभी इत्तिफ़ाक़ से ही रसूल की राय का मस्लेहत के ख़िलाफ़ होने की संभावना ज़रूर है जो शाने नुबुव्वत के ख़िलाफ़ नहीं लेकिन हक़ तआला ने जो सूझबूझ और अक़्ल व दानिश अपने रसूल को इनायत फ़रमाई है वह तुम्हें हासिल नहीं है, इसलिये अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम तुम्हारी राय पर चला करें तो तुम बहुत से मामलात में नुक़सान व मुसीबत में पड़ जाओगे, और कहीं इत्तिफ़ाक़ से कभी तुम्हारी राय ही में मस्लेहत हो और तुम इताअ़ते रसूल के लिये अपनी राय को छोड़ दो जिससे तुम्हें कुछ दुनियावी नुक़सान भी पहुँच जाये तो इसमें इतना नुक़सान नहीं जितना तुम्हारी राय के ताबे होकर चलने में है, क्योंकि उस सूरत में अगर कुछ दुनियावी नुक़सान हो भी गया तो रसूल की इताअ़त व फ़रमाँबरदारी का अज्र व सवाब उसका बेहतर बदल मौजूद है। और लफ़्ज़ 'अ़नित्तुम' 'अ़-न-त' से निकला है जिसके मायने गुनाह के भी आते हैं और किसी मुसीबत में मुब्तला होने के भी, यहाँ दोनों मायने मुराद हो सकते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَإِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْۢ بَغَتْ إِحْدٰىهُمَا عَلَى الْأُخْرٰى فَقٰتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتّٰى تَفِيْٓءَ إِلٰٓى أَمْرِ اللّٰهِ ۚ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا ۚ إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۝

व इन् ताइ-फ़तानि मिनल्-मुअ्मिनीनक़्त-तलू फ़-अस्लिहू बैनहुमा फ़-इम् ब-ग़त् इह्दाहुमा अ़लल्-उख़्रा फ़क़ातिलुल्लती तब्ग़ी हत्ता तफ़ी-अ इला अम्रिल्लाहि फ़-इन् फ़ाअत् फ़-अस्लिहू बैनहुमा	और अगर दो फ़रीक़ मुसलमानों के आपस में लड़ पड़ें तो उनमें मिलाप करा दो, फिर अगर चढ़ा चला जाये एक उनमें से दूसरे पर तो तुम सब लड़ो उस चढ़ाई वाले से यहाँ तक कि फिर आये अल्लाह के हुक्म पर, फिर अगर फिर आया तो मिलाप

बिल्अद्लि व अक़्सितू, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्-मुक़्सितीन (9) इन्नमल्-मुअ्मिनू-न इख़्वतुन् फ़-अस्लिहू बै-न अ-ख़वैकुम् वत्तक़ुल्ला-ह लअ़ल्लकुम् तुर्हमून (10) ✿ ▲

करा दो उनमें बराबर और इन्साफ़ करो, बेशक अल्लाह को पसन्द आते हैं इन्साफ़ वाले। (9) मुसलमान जो हैं सो भाई हैं, सो मिलाप करा दो अपने दो भाईयों में और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम पर रहम हो। (10) ✿ ▲

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और अगर मुसलमानों में दो गिरोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान इस्लाह कर दो (यानी झगड़े की बुनियाद को ख़त्म करके लड़ाई बन्द करा दो)। फिर अगर (इस्लाह की कोशिश के बाद भी) उनमें का एक गिरोह दूसरे पर ज़्यादती करे (और लड़ाई बन्द न करे) तो उस गिरोह से लड़ो जो ज़्यादती करता है, यहाँ तक कि वह ख़ुदा के हुक्म की तरफ़ रुजू हो जाये (ख़ुदा के हुक्म से मुराद लड़ाई बन्द करना है)। फिर अगर वह (ज़्यादती करने वाला गिरोह अल्लाह के हुक्म की तरफ़) रुजू हो जाये (यानी लड़ाई बन्द कर दे) तो उन दोनों के दरमियान इन्साफ़ के साथ इस्लाह कर दो (यानी शरई हदों के मुवाफ़िक़ उस मामले को तय कर दो महज़ लड़ाई बन्द करने पर बस न करो, अगर सुलह-समझौता न हुआ तो फिर भी लड़ाई का संदेह व संभावना रहेगी) और इन्साफ़ का ख़्याल रखो (यानी किसी नफ़्सानी ग़र्ज़ को ग़ालिब न होने दो) बेशक अल्लाह इन्साफ़ वालों को पसन्द करता है। (और आपसी इस्लाह का हुक्म इसलिये दिया गया है कि) मुसलमान तो सब (दीन में शरीक होने के सबब जो रूहानी और मानवी रिश्ता है उस रिश्ते से एक दूसरे के) भाई हैं, इसलिये अपने दो भाईयों के दरमियान इस्लाह कर दिया करो (ताकि यह इस्लामी भाईचारा क़ायम रहे) और (इस्लाह के वक़्त) अल्लाह से डरते रहा करो (यानी शरीअ़त की हदों की रियायत रखा करो) ताकि तुम पर रहमत की जाये।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इन आयतों के मज़मून का पीछे से संबन्ध

इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक़ूक़ और आदाब और ऐसे आमाल से परहेज़ का बयान था जिनसे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचे, आगे आ़म रहन-सहन और सामाजिक ज़िन्दगी के आदाब व अहकाम हैं जिनमें सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के आदाब और आपसी हुक़ूक़ का बयान है और सब में जो एक चीज़ संयुक्त और साझा तौर पर पाई जाती है वह दूसरों को तकलीफ़ पहुँचाने से बचना और परहेज़ करना है।

इन आयतों के नाज़िल होने का सबब

इन आयतों के नाज़िल होने के सबब में मुफ़स्सिरीन ने अनेक वाक़िआत बयान फ़रमाये हैं जिनमें ख़ुद मुसलमानों के दो गिरोहों में आपसी टकराव हुआ और कोई बईद नहीं कि ये सभी वाक़िआत का मजमूआ इन आयतों के उतरने का सबब हुआ हो, या इनका उतरना किसी एक वाक़िए में हुआ, दूसरे वाक़िआत को उसके मुताबिक़ पाकर उनको भी नाज़िल होने के सबब में शरीक कर दिया गया। इस आयत के असल मुख़ातब वे हाकिम व बादशाह और बा-इख़्तियार लोग हैं जिनको जंग व जिहाद के असबाब व साधन हासिल हैं (जैसा कि अबू हय्यान ने तफ़सीर 'बहरे मुहीत' में फ़रमाया है और तफ़सीर रूहुल-मआनी में इसी को इख़्तियार किया गया है) और प्रत्यक्ष रूप से तमाम मुसलमान इसके मुख़ातब हैं कि वे इस मामले में हाकिम व बा-इख़्तियार लोगों की मदद व सहयोग करें। और जहाँ कोई इमाम व अमीर या बादशाह सरदार नहीं वहाँ हुक्म यह है कि जहाँ तक मुम्किन हो दोनों को तंबीह करके और समझा-बुझाकर लड़ने-झगड़ने से बाज़ रहने पर आमादा किया जाये, और दोनों न मानें तो दोनों लड़ने वाले फ़िर्क़ों से अलग रहे न किसी की मुख़ालफ़त करे न मुवाफ़क़त। जैसा कि तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में फ़रमाया है।

संबन्धित मसाईल

मुसलमानों के दो गिरोहों की आपसी लड़ाई की चन्द सूरतें होती हैं- एक यह कि दोनों जमाअतें मुसलमानों के इमाम व हाकिम की हुकूमत व सरदारी के मातहत हैं, या दोनों नहीं, या एक है एक नहीं। पहली सूरत में आम मुसलमानों पर लाज़िम है कि डाँट-डपट करके उनको आपस में लड़ने से रोकें। अगर समझाने और डाँट-डपट से बाज़ न आयें तो मुसलमानों के इमाम व हाकिम पर इस्लाह करना वाजिब है, अगर इस्लामी हुकूमत के हस्तक्षेप से दोनों फ़रीक़ जंग से बाज़ आ गये तो क़िसास व दियत के अहकाम जारी होंगे, और बाज़ न आयें तो दोनों फ़रीक़ों के साथ बाग़ियों के जैसा मामला किया जाये। और एक बाज़ आ गया दूसरा ज़ुल्म व ज़्यादती पर जमा रहा तो दूसरा फ़रीक़ बाग़ी है उसके साथ बाग़ियों का मामला किया जाये और जिसने इताअ़त क़ुबूल कर ली वह इन्साफ़-पसन्द फ़रीक़ कहलायेगा। और बाग़ियों के अहकाम की तफ़सील फ़िक़्हा (मसाईल) की किताबों में देखी जा सकती है, और मुख़्तसर जामे हुक्म यह है कि लड़ाई से पहले उनके हथियार छीन लिये जायेंगे और उनको गिरफ़्तार करके तौबा करने के वक़्त तक क़ैद रखेंगे, और ऐन लड़ाई और जंग की हालत में और लड़ाई के बाद उनकी नस्ल व ख़ानदान को ग़ुलाम या बाँदी न बनायेंगे और उनका माल 'माले ग़नीमत' नहीं होगा, अलबत्ता तौबा करने तक मालों को क़ब्ज़े में करके रखा जायेगा, तौबा के बाद वापस दे दिया जायेगा। उक्त आयतों में जो यह इरशाद हुआ है:

فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا

यानी अगर बग़ावत करने वाला फ़िर्क़ा बग़ावत और जंग से बाज़ आ जाये तो सिर्फ़ जंग

बन्द कर देने पर बस न करो बल्कि जंग के असबाब और आपसी शिकायतों को दूर करने की फ़िक्र करो ताकि दिलों से बुग़्ज़ व दुश्मनी निकल जाये और हमेशा के लिये भाईचारे की फ़िज़ा क़ायम हो जाये। और चूँकि ये लोग मुसलमानों के इमाम व हाकिम के ख़िलाफ़ भी जंग कर चुके हैं इसलिये हो सकता था कि इनके बारे में पूरा इन्साफ़ न हो इसलिये क़ुरआने करीम ने ताकीद फ़रमा दी कि दोनों फ़रीक़ों के हुक़ूक़ में अ़दल व इन्साफ़ की पाबन्दी की जाये (यह सब तफ़सील तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन से ली गई है और उसमें हिदाया के हवाले से है)।

मसला: अगर मुसलमानों की कोई बड़ी ताक़तवर जमाअ़त मुसलमानों के इमाम व हाकिम की इताअ़त से निकल जाये तो मुसलमानों के इमाम पर लाज़िम है कि अव्वल उनकी शिकायतें सुने, उनको कोई शुब्हा या ग़लत-फ़हमी पेश आई है तो उसको दूर करे, और अगर वे अपनी मुख़ालफ़त के ऐसे कारण और वुजूहात पेश करें जिनकी बिना पर किसी इमाम व अमीर की मुख़ालफ़त शरई तौर पर जायज़ है यानी जिनसे ख़ुद मुसलमानों के इमाम का ज़ुल्म व ज़्यादती साबित हो तो आ़म मुसलमानों पर लाज़िम है कि वे उस जमाअ़त की मदद करें ताकि इमाम अपने ज़ुल्म से बाज़ आ जाये, बशर्तेकि उसके ज़ुल्म का सुबूत यक़ीनी बिना किसी शक व शुब्हे के साबित हो जाये। (जैसा कि इमाम इब्ने हम्माम ने फ़रमाया है, मज़हरी) और अगर कोई ऐसे स्पष्ट कारण और वुजूहात अपनी बग़ावत और फ़रमाँबरदारी न करने की बयान न कर सकें और मुसलमानों के इमाम के ख़िलाफ़ जंग के लिये तैयार हो जायें तो मुसलमानों को उनसे क़िताल (जंग) करना हलाल है और इमाम शाफ़ई रह. ने फ़रमाया कि जब तक वे ख़ुद क़िताल शुरू न कर दें उस वक़्त तक मुसलमानों को उनसे क़िताल (जंग और लड़ाई) की शुरूआ़त करना जायज़ नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी) यह हुक्म उस वक़्त है जबकि उस जमाअ़त का बाग़ी और ज़ालिम होना बिल्कुल यक़ीनी और स्पष्ट हो, और अगर सूरत ऐसी है कि दोनों फ़रीक़ कोई शरई दलील रखते हैं और यह मुतैयन करना मुश्किल है कि उनमें कौन बाग़ी है कौन इन्साफ़ की राह पर तो वहाँ जिस शख़्स को किसी एक के आ़दिल (इन्साफ़ परस्त और सही) होने का ग़ालिब गुमान हो वह उसकी मदद कर सकता है और जिसको किसी जानिब रुझान न हो वह दोनों से अलग रहे जैसा कि सहाबा किराम के आपसी विवाद व झगड़े के वक़्त जंगे-जमल और सिफ़्फ़ीन में पेश आया।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के आपसी झगड़े और विवाद

इमाम अबू बक्र बिन अ़रबी ने फ़रमाया कि यह आयत मुसलमानों के बीच जंग व लड़ाई की तमाम सूरतों को हावी और शामिल है, इसमें वह सूरत भी दाख़िल है जिसमें दोनों फ़रीक़ किसी शरई हुज्जत के तहत जंग के लिये आमादा हो जाते हैं। सहाबा किराम के आपसी इख़्तिलाफ़ात (विवाद) इसी क़िस्म में दाख़िल हैं। इमाम क़ुर्तुबी ने इब्ने अ़रबी का यह क़ौल नक़ल करके इस जगह सहाबा के इख़्तिलाफ़ात- जंगे जमल और सिफ़्फ़ीन वग़ैरह की असल हक़ीक़त बयान की है और सहाबा किराम के झगड़ों और विवादों के बारे में बाद के आने वाले मुसलमानों के अ़मल के मुताल्लिक़ हिदायतें दी हैं। अहक़र ने ये सब मज़ामीन अहकामुल-क़ुरआन के अन्दर

अ़रबी भाषा में और अपने रिसाले 'मक़ामे सहाबा' में उर्दू भाषा में तफ़सील के साथ लिख दिये हैं यहाँ उसका ख़ुलासा जो तफ़सीरे क़ुर्तुबी के पेज 322 जिल्द 61 के हवाले से इस रिसाले में दिया गया है नक़ल करने पर इक्तिफ़ा किया जाता है।

"यह जायज़ नहीं है कि किसी भी सहाबी की तरफ़ निश्चित और यक़ीनी तौर पर ग़लती मन्सूब की जाये, इसलिये कि उन सब हज़रात ने अपने-अपने अ़मली तरीक़े में इज्तिहाद से काम लिया था और सब का मक़सद अल्लाह की ख़ुशनूदी थी। ये सब हज़रात हमारे पेशवा हैं और हमें हुक्म है कि उनके आपसी इख़्तिलाफ़ात (झगड़ों और विवादों) से ज़बान को बन्द रखें और हमेशा उनका ज़िक्र बेहतरीन तरीक़े पर करें, क्योंकि सहाबी होना बड़ी इज़्ज़त व सम्मान की चीज़ है और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको बुरा कहने से मना फ़रमाया है, और यह ख़बर दी है कि अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर रखा है और उनसे राज़ी है।"

इसके अ़लावा कई सनदों से यह हदीस साबित है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बारे में फ़रमायाः

ان طلحة شهيد يمشي على وجه الارض

यानी तल्हा रू-ए-ज़मीन पर चलने वाले शहीद हैं।

अब अगर हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ख़िलाफ़ हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु का जंग के लिये निकलना खुला गुनाह और नाफ़रमानी थी तो इस जंग में मक़्तूल होकर वह हरगिज़ शहादत का रुतबा हासिल न करते। इसी तरह हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह अ़मल तावील (मतलब समझने) की ग़लती और वाजिब को अदा करने में कोताही क़रार दिया जा सकता था तो भी आपको शहादत का मक़ाम हासिल न होता, क्योंकि शहादत तो सिर्फ़ उस वक़्त हासिल होती है जब कोई शख़्स अल्लाह की इताअ़त में क़त्ल हुआ हो। लिहाज़ा उन हज़रात के मामले में इसी अ़क़ीदे पर महमूल करना ज़रूरी है जिसका ऊपर ज़िक्र किया गया है।

इस बात की दूसरी दलील वो सही और मारूफ़ व मशहूर हदीसें हैं जो ख़ुद हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल की गयी हैं और जिनमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि "ज़ुबैर का क़ातिल जहन्नम में है।"

और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को फ़रमाते हुए सुना है कि "सफ़िया के बेटे के क़ातिल को जहन्नम की ख़बर दे दो।" जब यह बात है तो साबित हो गया कि हज़रत तल्हा रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस लड़ाई की वजह से ख़ताकार और गुनाहगार नहीं हुए, अगर ऐसा न होता तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हज़रत तल्हा को शहीद न फ़रमाते और हज़रत ज़ुबैर के क़ातिल के बारे में जहन्नम की पेशीनगोई न करते। साथ ही उनका शुमार अशरा-ए-मुबश्शरा में है जिनके जन्नती होने की गवाही तक़रीबन निरंतर है।

इसी तरह जो हज़राते सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इन जंगों से अलग-थलग रहे उन्हें भी तावील (यानी अपने ज़ेहन के एतिबार से कोई राय क़ायम कर लेने) में ख़ताकार नहीं कहा जा सकता, बल्कि उनका तरीक़ा और अ़मल भी इस लिहाज़ से दुरुस्त था कि अल्लाह ने उनको इज्तिहाद (दीनी मामलात को समझने और राय क़ायम करने) में उसी राय पर क़ायम रखा। जब यह बात है तो इस वजह से उन हज़रात पर लान-तान करना, उनसे बराअत का इज़हार करना और उन्हें फ़ासिक़ (गुनाहगार) क़रार देना, उनके फ़ज़ाईल व मुजाहदात और उन अ़ज़ीम दीनी मक़ामात को नकार देना किसी तरह दुरुस्त नहीं। बाज़ उलेमा से पूछा गया कि उस ख़ून के बारे में आपकी क्या राय है जो सहाबा किराम के आपसी झगड़ों और विवादों में बहाया गया तो उन्होंने जवाब में यह आयत पढ़ दी कि:

تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْئَلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ○

यह एक उम्मत थी जो गुज़र गई, उसके आमाल उसके लिये हैं और तुम्हारे आमाल तुम्हारे लिये हैं, और तुम से उनके आमाल के बारे में सवाल नहीं किया जायेगा।

किसी और बुज़ुर्ग से यही सवाल किया गया तो उन्होंने कहा "ऐसे ख़ून हैं कि अल्लाह ने मेरे हाथों को उन (में रंगने) से बचाया, अब मैं अपनी ज़बान को उनसे आलूदा नहीं करूँगा।" मतलब यही था कि मैं किसी एक फ़रीक़ को किसी एक मामले में यक़ीनी तौर पर ख़ताकार ठहराने की ग़लती में मुब्तला नहीं होना चाहता।

अ़ल्लामा इब्ने फ़ोरक रह. फ़रमाते हैं:

"हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के दरमियान जो झगड़े व इख़्तिलाफ़ात हुए उनकी मिसाल ऐसी है जैसे हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम और उनके भाईयों के बीच पेश आने वाले वाक़िआ़त की, वे हज़रात आपस के उन इख़्तिलाफ़ात के बावजूद विलायत और नुबुव्वत की हदों से ख़ारिज नहीं हुए। बिल्कुल यही मामला सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दरमियान पेश आने वाले वाक़िआ़त का भी है।"

और हज़रत मुहासबी रह. फ़रमाते हैं कि:

"जहाँ तक उस ख़ूनरेज़ी (जंग व लड़ाई) का मामला है तो उसके बारे में हमारा कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि इसमें ख़ुद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बीच इख़्तिलाफ़ था।"

और हज़रत हसन बसरी रह. से सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के आपसी झगड़ों और लड़ाई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया कि:

"ऐसी लड़ाई थी जिसमें सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम मौजूद थे और हम ग़ायब, वे पूरे हालात को जानते थे और हम नहीं जानते, जिस मामले पर तमाम सहाबा किराम का इत्तिफ़ाक़ है हम उसमें उनकी पैरवी करते हैं, और जिस मामले में उनके बीच इख़्तिलाफ़ (मतभेद व विवाद) है उसमें ख़ामोशी इख़्तियार करते हैं।"

हज़रत मुहासबी फ़रमाते हैं कि हम भी वही बात कहते हैं जो हसन बसरी रह. ने फ़रमाई।

हम जानते हैं कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जिन चीज़ों में दख़ल दिया उनसे वे हम से कहीं बेहतर तरीक़े पर वाक़िफ़ थे, लिहाज़ा हमारा काम यही है कि जिस पर वे सब हज़रात मुत्तफ़िक़ (एक राय) हों उसकी पैरवी करें और जिसमें उनका इख़्तिलाफ़ हो उसमें ख़ामोशी इख़्तियार करें और अपनी तरफ़ से कोई नई राय पैदा न करें, हमें यक़ीन है कि उन सब ने इज्तिहाद (ग़ौर व फ़िक्र और दीनी कोशिश) से काम लिया था और अल्लाह तआ़ला की ख़ुशनूदी चाही थी, इसलिये कि दीन के मामले में वे सब हज़रात शक व शुब्हे से ऊपर हैं।

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُونُواْ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مِّن نِّسَآءٍ عَسَىٰٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوٓاْ أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَٰبِ ۖ بِئْسَ ٱلِٱسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلْإِيمَٰنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُوْلَٰٓئِكَ هُمُ ٱلظَّٰلِمُونَ ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला यस्ख़र् क़ौमुम्-मिन् क़ौमिन् अ़सा अंय्यकूनू ख़ैरम्-मिन्हुम् व ला निसा-उम् मिन्-निसाइन् अ़सा अंय्यकुन्-न ख़ैरम्-मिन्हुन्-न व ला तल्मिज़ू अन्फ़ु-सकुम् व ला तनाबज़ू बिल्-अल्क़ाबि, बिअ्-स लिस्मुल्-फ़ुसूक़ु बअ्दल्-ईमानि व मल्लम् यतुब् फ़-उलाइ-क हुमुज़्ज़ालिमून (11)	ऐ ईमान वालो! ठट्ठा न करें एक लोग दूसरे से शायद वे बेहतर हों उनसे, और न औरतें दूसरी औरतों से शायद वे बेहतर हों उनसे, और ऐब न लगाओ एक दूसरे को और नाम न डालो चिढ़ाने को एक दूसरे के, बुरा नाम है गुनाहगारी बाद ईमान के, और जो कोई तौबा न करे तो वही हैं बेइन्साफ़। (11)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! न तो मर्दों को मर्दों पर हंसना चाहिए क्या अ़जब है कि (जिन पर हंसते हैं) वे उन (हंसने वालों) से (ख़ुदा के नज़दीक) बेहतर हों (फिर वे अपमान कैसे करते हैं)। और न औरतों को औरतों पर हंसना चाहिए, क्या अ़जब है कि (जिन पर हंसती हैं) वे उन (हंसने वालियों) से (ख़ुदा के नज़दीक) बेहतर हों (फिर वे अपमान कैसे करती हैं)। और न एक-दूसरे को ताना दो, और न एक-दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारो (क्योंकि ये सब बातें गुनाह की हैं और) ईमान लाने के बाद (मुसलमान पर) गुनाह का नाम लगना (ही) बुरा है (यानी यह गुनाह करके तुम्हारी शान में यह कहा जा सकना कि फ़ुलाँ मुसलमान जिस से तुम मुराद हो गुनाह यानी ख़ुदा की नाफ़रमानी करता है नफ़रत की बात है, तो इससे बचो)। और जो लोग (इन हरकतों से)

बाज़ न आएँगे तो वे ज़ुल्म करने वाले (और बन्दों के हुक़ूक़ को बरबाद करने वाले) हैं (जो सज़ा ज़ालिमों को मिलेगी वही उनको मिलेगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः हुजुरात के शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हुक़ूक़ और आदाब का बयान आया, फिर आ़म मुसलमानों के आपसी हुक़ूक़ व सामाजिक और रहन-सहन के आदाब का बयान शुरू हुआ, इनसे पहले की दो आयतों में उनकी सामूहिक और जमाअ़ती इस्लाह के अहकाम बयान हुए, अब इस ऊपर बयान हुई आयत में व्यक्तियों व अफ़राद के आपसी हुक़ूक़ व रहन-सहन के सामाजिक आदाब का ज़िक्र है। इनमें तीन चीज़ों की मनाही फ़रमाई गई है- एक किसी मुसलमान के साथ मज़ाक़ करना, दूसरे किसी पर ताना मारना, तीसरे किसी को ऐसे लक़ब (उपनाम) से ज़िक्र करना जिससे उसकी तौहीन होती हो या वह उससे बुरा मानता हो।

पहली चीज़ हंसना या मज़ाक़ उड़ाना है। इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि किसी शख़्स के अपमान व तौहीन के लिये उसके किसी ऐब को इस तरह ज़िक्र करना जिससे लोग हंसने लगें इसको 'सिख़्रिया या तमस्ख़ुर' कहा जाता है, और यह जैसे ज़बान से होता है ऐसे ही हाथ-पाँव वग़ैरह से उसकी नक़ल उतारने या इशारा करने से भी होता है, और इस तरह भी कि उसका कलाम सुनकर बतौर मज़ाक़ उड़ाने और बेइज़्ज़ती करने के हंसी उड़ाई जाये। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि 'तमस्ख़ुर' (मज़ाक़ उड़ाना) किसी शख़्स के सामने उसका ऐसी तरह ज़िक्र करना है कि उससे लोग हंस पड़ें और ये सब चीज़ें क़ुरआनी बयान व वज़ाहत के मुताबिक़ हराम हैं।

'मज़ाक़ उड़ाने' की मनाही का क़ुरआने करीम ने इतना एहतिमाम फ़रमाया कि इसमें मर्दों को अलग मुख़ातब फ़रमाया औ़रतों को अलग, मर्दों को लफ़्ज़ क़ौम से ताबीर फ़रमाया क्योंकि असल में यह लफ़्ज़ मर्दों ही के लिये मुक़र्रर किया गया है अगरचे असल मौक़े से हटाकर और इसमें विस्तार से काम लेते हुए औ़रतों को अक्सर शामिल हो जाता है, और क़ुरआने करीम ने उमूमन लफ़्ज़ क़ौम मर्दों-औ़रतों दोनों ही के लिये इस्तेमाल किया है मगर यहाँ लफ़्ज़ क़ौम ख़ास मर्दों के लिये इस्तेमाल फ़रमाया। इसके मुक़ाबले में औ़रतों का ज़िक्र लफ़्ज़ निसा से फ़रमाया और दोनों में यह हिदायत फ़रमाई कि जो मर्द किसी दूसरे मर्द के साथ दिल्लगी व मज़ाक़ करता है उसको क्या ख़बर है कि शायद वह अल्लाह के नज़दीक मज़ाक़ बनाने वाले से बेहतर हो, इसी तरह जो औ़रत किसी दूसरी औ़रत के साथ मज़ाक़ उड़ाने और दिल्लगी का मामला करती है उसको क्या ख़बर है शायद वही अल्लाह के नज़दीक उससे बेहतर हो। क़ुरआन में मर्दों का मर्दों के साथ और औ़रतों का औ़रतों के साथ मज़ाक़ करने और इसके हराम होने का ज़िक्र फ़रमाया हालाँकि कोई मर्द किसी औ़रत के साथ या कोई औ़रत किसी मर्द के साथ मज़ाक़ करे तो वह भी इस हराम होने में दाख़िल है, मगर इसका ज़िक्र न करने से इशारा इस तरफ़ है कि औ़रतों और मर्दों का मेल-मिलाप और घुलना-मिलना ही शरई तौर पर वर्जित और बुरा है, जब

मेल-मिलाप ही नहीं तो मज़ाक़ व दिल्लगी का वजूद ही नहीं होगा। आयत का हासिल यह है कि अगर किसी शख़्स के बदन या सूरत या क़द व क़ामत वग़ैरह में कोई ऐब नज़र आये तो किसी को उस पर हंसने या मज़ाक़ बनाने की जुर्रत न करनी चाहिये क्योंकि उसे मालूम नहीं कि शायद वह अपनी नेकी व इख़्लास वग़ैरह के सबब अल्लाह के नज़दीक उससे बेहतर और अफ़ज़ल हो।

इस आयत को सुनकर पहले बुज़ुर्गों का हाल यह हो गया था कि उमर बिन शुरहबील ने फ़रमाया कि मैं अगर किसी शख़्स को बकरी के थनों से मुँह लगाकर दूध पीते देखूँ और उस पर मुझे हंसी आ जाये तो मैं डरता हूँ कि कहीं मैं भी ऐसा ही न हो जाऊँ। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं अगर किसी कुत्ते के साथ भी मज़ाक़ करूँ तो मुझे डर होता है कि मैं ख़ुद कुत्ता न बना दिया जाऊँ। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला मुसलमानों की सूरतों और उनके माल व दौलत पर नज़र नहीं फ़रमाता बल्कि उनके दिलों और आमाल को देखता है। इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि इस हदीस से एक नियम और असल यह मालूम हुई कि किसी शख़्स के मामले में उसके ज़ाहिरी हाल को देखकर कोई निश्चित हुक्म लगा देना दुरुस्त नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जिस शख़्स के ज़ाहिरी आमाल व कामों को हम बहुत अच्छा समझ रहे हैं अल्लाह तआ़ला जो उसके बातिनी हालात और दिली कैफ़ियतों को जानता है वह उसके नज़दीक बुरा हो, और जिस शख़्स के ज़ाहिरी हाल और आमाल बुरे हैं हो सकता है कि उसके बातिनी हालात और दिली कैफ़ियतें उसके बुरे आमाल का कफ़्फ़ारा बन जायें, इसलिये जिस शख़्स को बुरी हालत या बुरे आमाल में मुब्तला देखो तो उसकी उस हालत को तो बुरा समझो मगर उस शख़्स को हक़ीर व ज़लील समझने की इजाज़त नहीं।

दूसरी चीज़ जिसकी मनाही इस आयत में की गई है वह 'लमूज़' है। लमूज़ के मायने किसी में ऐब निकालने और ऐब ज़ाहिर करने या ऐब पर ताना देने के हैं। आयत में इरशाद फ़रमायाः

وَلَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

यानी तुम अपने ऐब न निकाले। यह इरशाद ऐसा ही है जैसे क़ुरआने करीम में हैः

لَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

जिसके मायने यह हैं कि तुम अपने आपको क़त्ल न करो। दोनों जगह अपने आपको क़त्ल करने या अपने ऐब निकालने से मुराद यह है कि तुम आपस में एक दूसरे को क़त्ल न करो, एक दूसरे को ताना न दो। और इस उनवान से ताबीर करने में यह हिक्मत बतलाना है कि किसी दूसरे को क़त्ल करना एक हैसियत से अपने आप ही को क़त्ल करना है, क्योंकि अक्सर तो ऐसा वाक़े हो ही जाता है कि एक ने दूसरे को क़त्ल किया दूसरे के हिमायती लोगों ने उसको क़त्ल कर दिया, और अगर यह भी न हो तो असल बात यह है कि मुसलमान सब भाई-भाई हैं अपने भाई को क़त्ल करना गोया ख़ुद अपने आपको क़त्ल करना और बेसहारा बनाना है, यही

मायने यहाँ 'ला तल्मिज़ू अन्फ़ु-सकुम्' में हैं कि तुम जो दूसरों के ऐब निकालो और ताना दो तो याद रखो कि ऐब से तो कोई इनसान आदतन ख़ाली नहीं होता, तुम उसके ऐब निकालोगे तो वह तुम्हारे ऐब निकालेगा जैसा कि कुछ उलेमा ने फ़रमाया किः

وَفِيْكَ عُيُوْبٌ وَّلِلنَّاسِ اَعْيُنٌ

यानी तुम में भी कुछ ऐब हैं और लोगों की आँखें हैं जो उनको देखती हैं। तुम किसी के ऐब निकालोगे और ताना मारोगे तो वे तुम पर यही अ़मल करेंगे। और फ़र्ज़ करो अगर उसने सब्र भी किया तो बात वही है कि अपने भाई की बदनामी और अपमान पर ग़ौर करें तो अपनी ही ज़िल्लत व अपमान है।

उलेमा ने फ़रमाया है कि इनसान की सआ़दत (नेकबख़्ती) और ख़ुशनसीबी इसमें है कि अपने ऐबों पर नज़र रखे, उनके सही करने की फ़िक्र में लगा रहे, और जो ऐसा करेगा उसको दूसरे के ऐब निकालने और बयान करने की फ़ुर्सत ही न मिलेगी। हिन्दुस्तान के आख़िरी मुसलमान बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र ने ख़ूब फ़रमाया हैः

न थी हाल की जब हमें अपने ख़बर रहे देखते लोगों के ऐब व हुनर
पड़ी अपनी बुराईयों पर जो नज़र तो जहान में कोई बुरा न रहा

तीसरी चीज़ जिससे आयत में मनाही की गई है वह किसी दूसरे को बुरे लक़ब से पुकारना है, जिससे वह नाराज़ होता हो। जैसे किसी को लंगडा, लूला या अंधा काना कहकर पुकारना या इस लफ़्ज़ से उसका ज़िक्र करना, इसी तरह जो नाम किसी शख़्स की बुराई व अपमान के लिये इस्तेमाल किया जाता हो उस नाम से उसको पुकारना। हज़रत अबू जुबैरा अन्सारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह आयत हमारे बारे में नाज़िल हुई है क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना में तशरीफ़ लाये तो हम में अक्सर आदमी ऐसे थे जिनके दो या तीन नाम मशहूर थे, और उनमें से बाज़े नाम ऐसे थे जो लोगों ने उसको शर्म दिलाने और अपमान व तौहीन के लिये मशहूर कर दिये थे। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह मालूम न था बाज़ मर्तबा वही बुरा नाम लेकर आप उसको ख़िताब करते तो सहाबा अ़र्ज़ करते या रसूलल्लाह! वह इस नाम से नाराज़ होता है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई।

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि आयत में बुरे लक़ब से पुकारने और नाम लेने से मुराद यह है कि किसी शख़्स ने कोई गुनाह या बुरा अ़मल किया हो और फिर उस से तौबा कर ली हो, उसके बाद उसको उस बुरे अ़मल के नाम से पुकारना, जैसे चोर या ज़ानी या शराबी वग़ैरह जिसने चोरी ज़िना शराब से तौबा कर ली हो उसको उस पिछले अ़मल से शर्म दिलाना और अपमान करना हराम है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि जो शख़्स किसी मुसलमान को ऐसे गुनाह पर शर्म दिलाये जिस से उसने तौबा कर ली है तो अल्लाह तआ़ला ने अपने ज़िम्मे लिया है कि उसको उसी गुनाह में मुब्तला करके दुनिया व आख़िरत में रुस्वा करेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

बाज़े अलक़ाब का इस हुक्म से बाहर होना

बाज़े लोगों के ऐसे नाम मशहूर हो जाते हैं जो अपने आप में बुरे हैं मगर वह बग़ैर उस लफ़्ज़ के पहचाना ही नहीं जाता तो उसको उस नाम से ज़िक्र करने की इजाज़त पर उलेमा का इत्तिफ़ाक़ है बशर्तेकि ज़िक्र करने वाले का इरादा उससे अपमान व ज़लील करने का न हो जैसे बाज़े मुहद्दिसीन के नाम के साथ आरज (लंगड़ा) या अह्दब (कुबड़ा) मशहूर है, और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक सहाबी को जिसके हाथ औरों के मुक़ाबले में ज़्यादा लम्बे थे ज़ुलयदैन के नाम से ताबीर फ़रमाया है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक रह. से पूछा गया कि हदीस की सनदों में बाज़े नामों के साथ कुछ ऐसे अलक़ाब आते हैं जैसे हमीद अत्तवील, सुलैमान आमश, मरवान अल्‌अस्फ़र वग़ैरह तो क्या इन अलक़ाब के साथ ज़िक्र करना जायज़ है? आपने फ़रमाया कि जब तुम्हारा इरादा उसका ऐब बयान करने का न हो बल्कि उसकी पहचान पूरी करने का हो तो जायज़ है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

सुन्नत यह है कि लोगों को अच्छे अलक़ाब से याद किया जाये

हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन का हक़ दूसरे मोमिन पर यह है कि उसका नाम ऐसे नाम व लक़ब से ज़िक्र करे जो उसको ज़्यादा पसन्द हो इसी लिये अ़रब में कुन्नियत (यानी बाप या औलाद की तरफ़ निस्बत करके नाम लेने) का रिवाज आ़म था और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने भी इसको पसन्द फ़रमाया। ख़ुद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ास-ख़ास सहाबा को कुछ लक़ब दिये हैं, सिद्दीक़े अकबर को अ़तीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु को फ़ारूक़ और हज़रत हमज़ा को असदुल्लाह और ख़ालिद बिन वलीद को सैफ़ुल्लाह फ़रमाया है।

(देखिये मज्मउज़्ज़वाईद पेज 396 जिल्द 2। महमूद अशरफ़ उस्मानी)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ ۡ اِنَّ

بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۭ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ

اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ۭ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुज्तनिबू कसीरम् मिनज़्ज़न्नि इन्-न बअ्ज़ज़्-ज़न्नि इस्मुंव्-व ला तजस्स-सू व ला यग़्तब् बअ्ज़ुकुम् बअ्ज़न्, अ-युहिब्बु अ-हदुकुम् अंय्यअ्कु-ल लह्-म अख़ीहि	ऐ ईमान वालो! बचते रहो बहुत तोहमतें करने से, बेशक बाज़ी तोहमत गुनाह है, और भेद न टटोलो किसी का और बुरा न कहो पीछे एक दूसरे को, भला अच्छा लगता है तुम में किसी को कि खाये गोश्त अपने भाई का जो मुर्दा हो? सो

मैतन् फ़-करिह्तुमूहु, वत्तक़ुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह तव्वाबुर्रहीम (12)	घिन आती है तुमको इससे, और डरते रहो अल्लाह से, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है मेहरबान। (12)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! बहुत-से गुमानों से बचा करो, क्योंकि बाज़े गुमान गुनाह होते हैं (इसलिये ज़न व गुमान की जितनी किस्में हैं उन सब किस्मों के अहकाम की तहक़ीक़ कर लो कि कौनसा गुमान जायज़ है कौनसा नाजायज़, फिर जायज़ की हद तक रहो)। और (किसी के ऐब का) सुराग़ मत लगाया करो। और कोई किसी की ग़ीबत भी न किया करे (आगे ग़ीबत की निंदा व बुराई है कि) क्या तुम में से कोई इस बात को पसन्द करता है कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाये? इसको तो तुम (ज़रूर) नागवार समझते हो (तो समझ लो कि किसी भाई की ग़ीबत भी इसी के जैसी है)। और अल्लाह से डरते रहो (ग़ीबत छोड़ दो तौबा कर लो), बेशक अल्लाह बड़ा तौबा क़ुबूल करने वाला, मेहरबान है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

यह आयत भी आपसी हुक़ूक़ और साथ रहन-सहन (समाज में ज़िन्दगी गुज़ारने और एक दूसरे के साथ मामला व बर्ताव करने) के आदाब के बारे में अहकाम पर आधारित है। इसमें भी तीन चीज़ों को हराम क़रार दिया है- अव्वल गुमान जिसकी तफ़सील आगे आती है। दूसरे तजस्सुस यानी किसी पोशीदा ऐब का सुराग़ लगाना, तीसरे ग़ीबत यानी किसी ग़ैर-मौजूद आदमी के बारे में कोई ऐसी बात कहना जिसको अगर वह सुनता तो उसको नागवार होता।

पहली चीज़ यानी ज़न (गुमान) के मायने ग़ालिब गुमान के हैं। इसके बारे में क़ुरआने करीम ने पहले तो यह इरशाद फ़रमाया कि "बहुत से गुमानों से बचा करो" फिर उसकी वजह यह बयान फ़रमाई कि "बाज़े गुमान गुनाह होते हैं" जिस से मालूम हुआ कि हर गुमान गुनाह नहीं तो यह इरशाद सुनने वालों पर इसकी तहक़ीक़ वाजिब हो गई कि कौनसे गुमान गुनाह हैं ताकि उनसे बचें, और जब तक किसी गुमान का जायज़ होना मालूम न हो जाये उसके पास न जायें। उलेमा व फ़ुक़हा ने इसकी तफ़सीलात बयान फ़रमाई हैं। इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया है कि गुमान से मुराद इस जगह तोहमत है, यानी किसी शख़्स पर बग़ैर किसी मज़बूत दलील के कोई इल्ज़ाम ऐब या गुनाह का लगाना। इमाम अबू बक्र जस्सास ने अहकामुल-क़ुरआन में एक जामे तफ़सील इस तरह लिखी है कि गुमान की चार किस्में हैं- एक हराम है, दूसरी वह है जिसका हुक्म है और वाजिब है, तीसरी मुस्तहब और पसन्दीदा है, चौथी मुबाह और जायज़ है। हराम गुमान यह है कि अल्लाह तआ़ला के साथ बदगुमानी रखे कि वह मुझे अ़ज़ाब ही देगा या मुसीबत ही में रखेगा, इस तरह कि अल्लाह की मग़फ़िरत और रहमत से गोया मायूस है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु

अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لايموتن احدكم الاوهويحسن الظن بالله

तुम में से किसी को इसके बग़ैर मौत न आनी चाहिये कि उसका अल्लाह के साथ अच्छा गुमान हो।

और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इरशाद आया है कि हक़ तआ़ला फ़रमाता है किः

أنا عند ظنّ عبدی بی

यानी मैं अपने बन्दे के साथ वैसा ही बर्ताव करता हूँ जैसा वह मेरे साथ गुमान रखता है अब उसको इख़्तियार है कि मेरे साथ जो चाहे गुमान रखे। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के साथ अच्छा गुमान रखना फ़र्ज़ है और बदगुमानी हराम है। इसी तरह ऐसे मुसलमान जो ज़ाहिरी हालत में नेक देखे जाते हैं उनके मुताल्लिक़ बिना किसी मज़बूत दलील के बदगुमानी करना हराम है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث

यानी गुमान से बचो क्योंकि गुमान झूठी बात है। यहाँ गुमान से मुराद सब के नज़दीक किसी मुसलमान के साथ बिना किसी मज़बूत दलील और ठोस आधार के बदगुमानी करना है और जो काम ऐसे हैं कि उनमें किसी जानिब पर अ़मल करना शरई तौर पर ज़रूरी है और उसके मुताल्लिक़ क़ुरआन व सुन्नत में कोई स्पष्ट दलील मौजूद नहीं, वहाँ पर ग़ालिब गुमान पर अ़मल करना वाजिब है जैसे आपसी झगड़ों व मुक़द्दमों के फ़ैसले में मोतबर गवाहों की गवाही के मुताबिक़ फ़ैसला देना, क्योंकि हाकिम और क़ाज़ी जिसकी अ़दालत में मुक़द्दमा दायर है उस पर उसका फ़ैसला देना वाजिब व ज़रूरी है, और उस ख़ास मामले के लिये क़ुरआन व हदीस में कोई ख़ास वज़ाहत मौजूद नहीं, तो मोतबर आदमियों की गवाही पर अ़मल करना उसके लिये वाजिब है अगरचे यह संभावना व शुब्हा वहाँ भी है कि शायद किसी मोतबर आदमी ने उस वक़्त झूठ बोला हो, इसलिये उसका सच्चा होना सिर्फ़ ग़ालिब गुमान है और उसी पर अ़मल वाजिब है। इसी तरह जहाँ क़िब्ले का रुख़ मालूम न हो और कोई ऐसा आदमी भी न हो जिससे मालूम किया जा सके वहाँ अपने ग़ालिब गुमान पर अ़मल ज़रूरी है। इसी तरह किसी शख़्स पर किसी चीज़ का ज़िमान (जुर्माना व तावान) देना वाजिब हुआ तो उस ज़ाया होने वाली चीज़ की क़ीमत में ग़ालिब गुमान ही पर अ़मल करना वाजिब है। और मुबाह गुमान ऐसा है जैसे नमाज़ की रक्अ़तों में शक हो जाये कि तीन पढ़ी हैं या चार तो अपने ग़ालिब गुमान पर अ़मल करना जायज़ है। और अगर वह ग़ालिब गुमान को छोड़कर यक़ीनी बात पर अ़मल करे यानी तीन रक्अ़त क़रार देकर चौथी पढ़ ले तो यह भी जायज़ है, और मुस्तहब व पसन्दीदा गुमान यह है कि हर मुसलमान के साथ नेक गुमान रखे कि इस पर सवाब मिलता है। (जस्सास, संक्षिप्त रूप से)

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि क़ुरआने करीम का इरशाद है:

لَوْلَآ اِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا

इसमें मुसलमानों के साथ अच्छे गुमान की ताकीद आई है। और जो यह मशहूर है कि:

ان من الحزم سوء الظن

यानी एहतियात की बात यह है कि हर शख़्स से बदगुमानी रखे। इसका मतलब यह है कि मामला ऐसा करे जैसे बदगुमानी की सूरत में किया जाता है कि बिना मज़बूत एतिमाद के अपनी चीज़ किसी के हवाले न करे, न यह कि उसको चोर समझे और उसका अपमान करे। ख़ुलासा यह है कि किसी शख़्स को चोर या ग़द्दार समझे बग़ैर अपने मामले में एहतियात बरते। शैख़ सअ़दी रह. के इस क़ौल का भी यही मतलब है:

निगह दारद आँ शौख़ दर कीसा दुर्र   कि दानद हमा ख़ल्क़ रा कीसा बुर

तर्जुमाः यानी वह अपनी थीली के अन्दर रखे क़ीमती मोती पर हर वक़्त निगाह रखे हुए है, उसे डर है कि कोई उसकी थेली न ले उड़े। यानी वह हर एक को शक की निगाह से देखता है जैसे सारी ही पब्लिक चोर हो। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

दूसरी चीज़ जिस से इस आयत में मना किया गया है वह तजस्सुस यानी किसी के ऐब की तलाश और सुराग़ लगाना है। इसमें क़िराअतें दो हैं एक 'ला तजस्स-सू' दूसरे 'ला तहस्स-सू' और सही हदीसों में जो हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है ये दोनों लफ़्ज़ आये हैं इरशाद है:

لا تجسسوا ولا تحسسوا

और इन दोनों लफ़्ज़ों के मायने एक दूसरे के क़रीब-क़रीब हैं। इमाम अख़्फ़श ने दोनों में यह फ़र्क़ बयान किया है कि तजस्सुस किसी ऐसे मामले की जुस्तजू और तलाश को कहा जाता है जिसको लोगों ने ख़ुद से छुपाया हो, और तहस्सुस मुतलक़ तलाश और जुस्तजू के मायने में आता है। सूरः यूसुफ़ में:

تَحَسَّسُوْا مِنْ يُّوْسُفَ وَاَخِيْهِ

इसी मायने के लिये आया है और आयत के मायने यह हैं कि जो चीज़ तुम्हारे सामने आ जाये उसको पकड़ सकते हो और किसी मुसलमान का जो ऐब ज़ाहिर न हो उसकी जुस्तजू और तलाश करना जायज़ नहीं। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فان من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. (قرطبی)

तर्जुमाः मुसलमानों की ग़ीबत न करो और उनके ऐबों की जुस्तजू न करो, क्योंकि जो शख़्स मुसलमानों के ऐबों की तलाश करता है अल्लाह तआ़ला उसके ऐब की तलाश करता है, और जिसके ऐब की तलाश अल्लाह तआ़ला करे उसको उसके घर के अन्दर भी रुस्वा

कर देता है।

तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में है कि छुपकर किसी की बातें सुनना या अपने को सोता हुआ बनाकर बातें सुनना भी तजस्सुस में दाख़िल है, अलबत्ता अगर किसी से नुक़सान पहुँचने का शुब्हा व संभावना हो और अपनी या दूसरे किसी मुसलमान की हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से नुक़सान पहुँचाने वाले की ख़ुफ़िया तदबीरों और इरादों का तजस्सुस करे तो जायज़ है। तीसरी चीज़ जिससे इस आयत में मना फ़रमाया गया है वह किसी की ग़ीबत करना है, यानी उसकी ग़ैर मौजूदगी में उसके बारे में कोई ऐसी बात कहना जिसको वह सुनता तो उसको तकलीफ़ होती अगरचे वह सच्ची बात ही हो, क्योंकि जो ग़लत इल्ज़ाम लगाये वह तोहमत है जिसका हराम होना अलग क़ुरआने करीम से साबित है, और ग़ीबत की परिभाषा में उस शख़्स की ग़ैर-मौजूदगी की क़ैद से यह न समझा जाये कि मौजूदगी की हालत में ऐसी रंज देने वाली बात कहना जायज़ है, क्योंकि वह ग़ीबत तो नहीं मगर लमूज़ में दाख़िल है जिसकी हुर्मत (हराम होना) इससे पहली आयत में आ चुकी है।

اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا.

इस आयत ने किसी मुसलमान की आबरू रेज़ी और तौहीन व अपमान को उसका गोश्त खाने के जैसा क़रार दिया है। अगर वह शख़्स उसके सामने हो तो ऐसा है जैसे किसी ज़िन्दा इनसान का गोश्त नोचकर खाया जाये, इसको क़ुरआन में लमूज़ के लफ़्ज़ से ताबीर करके हराम क़रार दिया है जैसा कि अभी गुज़राः

لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ

और आगे तीसवें पारे में आयेगाः

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۝

और अगर वह आदमी ग़ायब हो उसके पीछे उसके बारे में ऐसी बात कहना जिससे उसकी आबरू में ख़लल आये और उसकी बेइज़्ज़ती हो यह ऐसा है जैसे किसी मुर्दा इनसान का गोश्त खाया जाये, कि जैसे मुर्दे का गोश्त खाने से मुर्दे को कोई जिस्मानी तकलीफ़ नहीं होती ऐसे ही उस ग़ायब को जब तक ग़ीबत की ख़बर नहीं होती उसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होती, मगर जैसे किसी मुर्दा मुसलमान का गोश्त खाना हराम और बड़े कमीनेपन का काम है इसी तरह ग़ीबत हराम भी है और कमीनापन व घटिया हरकत भी, पीठ पीछे किसी को बुरा कहना कोई बहादुरी का काम नहीं।

इस आयत में गुमान और तजस्सुस (जासूसी करना) और ग़ीबत तीन चीज़ों की हुर्मत (हराम होने) का बयान है, मगर ग़ीबत की हुर्मत का ज़्यादा एहतिमाम फ़रमाया कि इसको किसी मुर्दा मुसलमान का गोश्त खाने से मिसाल देकर उसकी हुर्मत और घटियापन को वाज़ेह फ़रमाया। हिक्मत इसकी यह है कि किसी के सामने उसके ऐबों को ज़ाहिर करना भी अगरचे तकलीफ़ पहुँचाने की बिना पर हराम है मगर उसका बचाव वह आदमी ख़ुद भी कर सकता है और बचाव

व रक्षा के ख़तरे से हर एक की हिम्मत भी नहीं होती, और वह आ़दतन ज़्यादा देर रह भी नहीं सकता, बख़िलाफ़ ग़ीबत के कि वहाँ कोई बचाव करने और सफ़ाई देने वाला नहीं, हर छोटे से छोटा आदमी बड़े से बड़े की ग़ीबत कर सकता है, और चूँकि कोई बचाव और रुकावट डालने वाला नहीं होता इसलिये इसका सिलसिला भी उमूमन लम्बा होता है, और इसमें लिप्तता भी ज़्यादा है, इसलिये ग़ीबत की हुर्मत ज़्यादा ताकीद व मज़बूती के साथ की गई और आ़म मुसलमानों पर लाज़िम किया गया कि जो सुने वह अपने ग़ायब भाई की तरफ़ से बशर्तेकि बचाव और बात को रद्द करने की क़ुदरत रखता हो बचाव करे, अगर बचाव पर क़ुदरत न हो तो कम से कम उसके सुनने से परहेज़ करे, क्योंकि ग़ीबत का अपने इख़्तियार व इरादे से सुनना भी ऐसा ही है जैसे ख़ुद ग़ीबत करना।

ग़ीबत के बारे में मसाईल

हज़रत मैमून रह. ने फ़रमाया कि एक दिन ख़्वाब (सपने) में मैंने देखा कि एक ज़ंगी शख़्स का मुर्दा जिस्म है और कोई कहने वाला उनको मुख़ातब करके यह कह रहा है कि इसको खाओ। मैंने कहा कि ऐ ख़ुदा के बन्दे! मैं इसको क्यों खाऊँ? तो उस शख़्स ने कहा इसलिये कि तूने फ़ुलाँ शख़्स के ज़ंगी ग़ुलाम की ग़ीबत की है। मैंने कहा कि ख़ुदा की क़सम मैंने तो उसके बारे में कोई अच्छी बुरी बात की ही नहीं, तो उस शख़्स ने कहा कि हाँ, लेकिन तूने उसकी ग़ीबत सुनी तो है और तू उस पर राज़ी रहा। हज़रत मैमून का हाल इस ख़्वाब के बाद यह हो गया कि न ख़ुद कभी किसी की ग़ीबत करते और न किसी को अपनी मजलिस में किसी की ग़ीबत करने देते थे।

हदीस में हज़रत अनस बिन मालिक की रिवायत है कि मेराज की रात वाली हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे ले जाया गया तो मेरा गुज़र एक ऐसी क़ौम पर हुआ जिनके नाख़ुन ताँबे के थे और वे अपने चेहरों और बदन का गोश्त नोच रहे हैं। मैंने जिब्रीले अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं? आपने फ़रमाया कि ये वे लोग हैं जो अपने भाई की ग़ीबत करते और उनकी बेइज़्ज़ती करते थे। (बग़वी, मज़हरी) और हज़रत सईद और जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اَلْغِيْبَةُ اَشَدُّ مِنَ الزِّنَا

यानी ग़ीबत ज़िना से भी ज़्यादा सख़्त गुनाह है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया कि यह कैसे? तो आपने फ़रमाया कि एक शख़्स ज़िना करता है फिर तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह माफ़ हो जाता है, और ग़ीबत करने वाले का गुनाह उस वक़्त तक माफ़ नहीं होता जब तक वह शख़्स माफ़ न करे जिसकी ग़ीबत की गई है। (तफ़सीरे मज़हरी, तिर्मिज़ी व अबू दाऊद के हवाले से)

इस हदीस से साबित हुआ कि ग़ीबत एक ऐसा गुनाह है जिसमें अल्लाह के हक़ की भी मुख़ालफ़त है और बन्दे का हक़ भी ज़ाया होता है, इसलिये जिसकी ग़ीबत की गई है उससे माफ़

कराना ज़रूरी है, और कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि ग़ीबत की ख़बर जब तक ग़ीबत वाले को न पहुँचे उस वक़्त तक वह बन्दे का हक़ नहीं होती इसलिये उससे माफ़ी की ज़रूरत नहीं। (रूहुल-मआ़नी, हसन, ख़याती, इब्ने सब्बाग़, नववी, इब्ने सलाह, ज़रकशी, इब्ने अ़ब्दुल-बर्र के हवाले और इब्ने मुबारक की रिवायत से) मगर तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में इसको नक़ल करके फ़रमाया है कि इस सूरत में अगरचे उस शख़्स से माफ़ी माँगना ज़रूरी नहीं मगर जिस शख़्स के सामने यह ग़ीबत की थी उसके सामने अपनी बात झुठलाना या अपने गुनाहों का इक़रार करना ज़रूरी है, और अगर वह शख़्स मर गया है या उसका पता नहीं तो उसका कफ़्फ़ारा हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

ان من كفارة الغيبة ان يستغفر لمن اغتابه تقول اللّٰهمّ اغفرلنا وله. (رواه البيهقى، مظهرى)

यानी कफ़्फ़ारा ग़ीबत का यह है कि जिसकी ग़ीबत की गई है उसके लिये अल्लाह तआ़ला से दुआ़-ए-मग़फ़िरत करे और यूँ कहे कि या अल्लाह! हमारे और उसके गुनाहों को माफ़ फ़रमा।

मसलाः बच्चे, मजनूँ (पागल) और काफ़िर ज़िम्मी की ग़ीबत भी हराम है क्योंकि उनको तकलीफ़ देना भी हराम है, और जो काफ़िर हरबी हैं (जिनसे मुसलमानों की दुश्मनी व लड़ाई जारी है) अगरचे उनको तकलीफ़ देना हराम नहीं मगर अपना वक़्त ज़ाया करने की वजह से फिर भी ग़ीबत मक्रूह है।

मसलाः ग़ीबत जैसे क़ौल और कलाम (यानी बात और ज़ुबान) से होती है ऐसे ही हरकत या इशारे से भी होती है, जैसे किसी लंगड़े की चाल बनाकर चलना जिससे उसका अपमान हो।

मसलाः कुछ रिवायतों से साबित है कि आयत में जो ग़ीबत की आ़म हुर्मत का हुक्म है कुछ सूरतों में इसकी इजाज़त हुई है जैसे किसी शख़्स की बुराई किसी ज़रूरत या मस्लेहत से करनी पड़े तो वह ग़ीबत में दाख़िल नहीं, बशर्तेकि वह ज़रूरत व मस्लेहत शरई तौर पर मोतबर हो, जैसे किसी ज़ालिम की शिकायत किसी ऐसे शख़्स के सामने करना जो ज़ुल्म को दूर कर सके, या किसी की औलाद या बीवी की शिकायत उसके बाप और शौहर से करना जो उनकी इस्लाह (सुधार) कर सके, या किसी वाक़िए के मुताल्लिक़ फ़तवा हासिल करने के लिये वाक़िए की सूरत का इज़हार या मुसलमानों को किसी शख़्स के दीनी या दुनियावी शर (बुराई) से बचाने के लिये किसी का हाल बतलाना, या किसी मामले के मुताल्लिक़ मश्विरा लेने के लिये उसका हाल ज़िक्र करना, या जो शख़्स सब के सामने खुल्लम-खुल्ला गुनाह करता है और अपनी बुराई व बदकारी को ख़ुद ज़ाहिर करता फिरता है उसके बुरे आमाल का ज़िक्र भी ग़ीबत में दाख़िल नहीं, मगर बिना ज़रूरत अपने वक़्त को ज़ाया करने की बिना पर मक्रूह (बुरा और नापसन्दीदा) है। (ये सब मसाईल बयानुल-क़ुरआन में तफ़सीर रूहुल-मआ़नी के हवाले से बयान किये गये हैं) और इन सब में जो बात एक जैसी है वह यह कि किसी की बुराई और ऐब ज़िक्र करने से मक़सद उसका अपमान व ज़लील करना न हो बल्कि किसी ज़रूरत व मजबूरी से ज़िक्र किया गया हो।

يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوْا ۭ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ۝

या अय्युहन्नासु इन्ना ख़ालक्नाकुम् मिन् ज़-करिंव् व उन्सा व ज-अ़ल्नाकुम् शुअूबंवू-व क़बाइ-ल लि-तआ़-रफ़ू, इन्-न अक्र-मकुम् अ़िन्दल्लाहि अत्क़ाकुम्, इन्नल्ला-ह अ़लीमुन् ख़बीर (13)	ऐ आदमियो! हमने तुमको बनाया एक मर्द और एक औरत से और रखीं तुम्हारी ज़ातें और क़बीले ताकि आपस की पहचान हो, तहक़ीक़ इज़्ज़त अल्लाह के यहाँ उसी को बड़ी जिसको अदब बड़ा, अल्लाह सब कुछ जानता है, ख़बर रखता है। (13)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ लोगो! हमने तुम (सब) को एक मर्द और एक औरत (यानी आदम व हव्वा) से पैदा किया है (इसलिये इसमें तो सब इनसान बराबर हैं), और (फिर जिस बात में फ़र्क़ रखा है कि) तुमको मुख़्तलिफ़ क़ौमें और (फिर उन क़ौमों में) मुख़्तलिफ़ ख़ानदान बनाया (यह महज़ इसलिये) ताकि एक-दूसरे को पहचान सको (जिसमें बहुत सी मस्लेहतें हैं, न इसलिये कि एक दूसरे पर बड़ाई जताओ, क्योंकि) अल्लाह के नज़दीक तुम सब में बड़ा शरीफ़ वही है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हो (और परहेज़गारी ऐसी चीज़ है जिसका पूरा हाल किसी को मालूम नहीं बल्कि उसके हाल को महज़) अल्लाह तआ़ला ख़ूब जानने वाला, पूरा ख़बर रखने वाला है (इसलिये किसी नसब और क़ौमियत पर फ़ख़्र न करो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर की आयतों में इनसानी और इस्लामी हुक़ूक़ और ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब की तालीम के सिलसिले में छह चीज़ों को हराम व ममनू किया गया है जो आपस की नफ़रत और दुश्मनी का सबब होती हैं। इस आयत में एक जामे तालीम इनसानी बराबरी की है कि कोई इनसान दूसरे को कमतर या रज़ील (घटिया) न समझे और अपने नसब और ख़ानदान या माल व दौलत वग़ैरह की बिना पर फ़ख़्र न करे क्योंकि ये चीज़ें दर हक़ीक़त बड़ाई जताने और इतराने की नहीं हैं। फिर इस बड़ाई जताने से आपस में नफ़रत व दुश्मनी की बुनियादें पड़ती हैं इसलिये फ़रमाया कि तमाम इनसान एक ही माँ-बाप की औलाद होने की हैसियत से भाई-भाई हैं और ख़ानदान और क़बीले या माल व दौलत के एतिबार से जो फ़र्क़ अल्लाह तआ़ला ने रखा है वह एक का दूसरे पर बड़ाई जताने और तकब्बुर करने के लिये नहीं बल्कि पहचान और परिचय के

लिये है।

इस आयत का शाने नुज़ूल

यह आयत मक्का फ़तह होने के मौक़े पर उस वक़्त नाज़िल हुई जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत बिलाल हब्शी रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अज़ान का हुक्म दिया तो क़ुरैशे मक्का जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे उनमें से एक ने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि मेरे वालिद पहले ही वफ़ात पा गये, उनको यह बुरा दिन देखना नहीं पड़ा। और हारिस बिन हिशाम ने कहा कि क्या मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को इस काले कौए के सिवा कोई आदमी नहीं मिला कि जो मस्जिदे हराम में अज़ान दे। अबू सुफ़ियान बोले कि मैं कुछ नहीं कहता क्योंकि मुझे ख़तरा है कि मैं कुछ कहूँगा तो आसमानों का मालिक उनको ख़बर कर देगा, चुनाँचे जिब्रीले अमीन तशरीफ़ लाये और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इस तमाम बातचीत की इत्तिला दी। आपने उन लोगों को बुलाकर पूछा कि तुमने क्या कहा था? उन्होंने इक़रार कर लिया, इसी पर यह आतय नाज़िल हुई जिसने बतलाया कि फ़ख़्र व इज़्ज़त की चीज़ हक़ीक़त में ईमान और तक़वा है जिससे तुम लोग ख़ाली और हज़रत बिलाल सजे हुए हैं इसलिये वह तुम सबसे अफ़ज़ल व सम्मानित हैं। (तफ़सीरे मज़हरी, बग़वी के हवाले से)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि मक्का फ़तह होने के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी ऊँटनी पर सवार होकर तवाफ़ फ़रमाया (ताकि सब लोग देख सकें) तवाफ़ से फ़ारिग़ होकर आपने यह ख़ुतबा दियाः

الحمد لله الذى اذهب عنكم عبية الجاهلية وتكبرها. الناس رجلان برّ تقىّ كريم على الله و فاجر شقىّ هين على الله ثم تلا: يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ...... الآية. (ترمذى وبغوى)

शुक्र है अल्लाह का जिसने जाहिलीयत के घमण्ड को और उसके तकब्बुर को तुम से दूर कर दिया, अब तमाम इनसानों की सिर्फ़ दो क़िस्में हैं- एक नेक और मुत्तक़ी वह अल्लाह के नज़दीक शरीफ़ और इज़्ज़त वाला है। दूसरा बदकार व बदबख़्त वह अल्लाह के नज़दीक ज़लील व हक़ीर है, इसके बाद इस आयत की तिलावत फ़रमाई जो ऊपर ज़िक्र हुई है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि दुनिया के लोगों के नज़दीक इज़्ज़त माल व दौलत का नाम है और अल्लाह के नज़दीक तक़वे (नेकी व परहेज़गारी) का।

شُعُوْبًا وَّقَبَآئِلَ

शुऊब शिअ़ब की जमा (बहुवचन) है, बहुत बड़ी जमाअ़त को शिअ़ब कहते हैं जो किसी एक असल पर जमा हों, फिर उनमें मुख़्तलिफ़ क़बीले और ख़ानदान होते हैं, फिर ख़ानदानों में भी बड़े ख़ानदान और उसके मुख़्तलिफ़ हिस्सों के अ़रबी भाषा में अलग-अलग नाम हैं। सबसे बड़ा हिस्सा शिअ़ब और सबसे छोटा हिस्सा अ़शीरा कहलाता है। और अबू रवाक़ का क़ौल है कि **शिअ़ब** और **शुऊब** अ़जमी (अ़रब से बाहर की) क़ौमों के लिये बोला जाता है जिनके नसब

नामे महफ़ूज़ नहीं, और क़बाईल अ़रब के लोगों के लिये जिनके नसब नामे महफ़ूज़ चले आते हैं, और अस्बात बनी इस्राईल के लिये।

नसबी और वतनी या भाषाई भेद में हिक्मत व मस्लेहत पहचान व परिचय की है

क़ुरआने करीम ने इस आयत में वाज़ेह कर दिया कि हक् तआ़ला ने अगरचे सब इनसानों को एक ही बाप और माँ से पैदा करके सब को भाई-भाई बना दिया है मगर फिर उसकी तक़सीम मुख़्तलिफ़ क़ौमों क़बीलों में जो हक् तआ़ला ही ने फ़रमाई है इसमें हिक्मत यह है कि लोगों का परिचय और पहचान आसान हो जाये, जैसे एक नाम के दो शख़्स हैं तो ख़ानदान के अलग-अलग होने से उनमें फ़र्क़ व पहचान हो सकती है, और इससे दूर और क़रीब के रिश्तों का इल्म हो सकता है, और नसबी निकटता व दूरी का अन्दाज़ा होने पर उनके शरई हुक़ूक़ अदा किये जाते हैं। अ़सबात का दूर व क़रीब होना मालूम होता है जिसकी ज़रूरत मीरास की तक़सीम में पेश आती है। ख़ुलासा यह है कि नसबी फ़र्क़ को पहचान और परिचय के लिये इस्तेमाल करो बड़ाई जताने के लिये नहीं।

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۭ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۭ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْــــًٔا ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ قُلْ اَتُعَلِّمُوْنَ اللّٰهَ بِدِيْنِكُمْ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ يَمُنُّوْنَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلَمُوْا ۭ قُلْ لَّا تَمُنُّوْا عَلَيَّ اِسْلَامَكُمْ ۚ بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ اَنْ هَدٰىكُمْ لِلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۭ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

क़ालतिल्-अअ़्राबु आमन्ना, क़ुल् लम् तुअ्मिनू व लाकिन् क़ूलू अस्लम्ना व लम्मा यद्ख़ुलिल्-ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम्, व इन् तुतीअुल्ला-ह	कहते हैं गंवार कि हम ईमान लाये, तू कह तुम ईमान नहीं लाये पर तुम कहो हम मुसलमान हुए और अभी नहीं घुसा ईमान तुम्हारे दिलों में, और अगर हुक्म

व रसूलहू ला यलित्कुम् मिन् अअ्मालिकुम् शैअन्, इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्रहीम (14) इन्नमल्-मुअ्मिनूनल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्-म लम् यर्ताबू व जा-हदू बिअम्वालिहिम् व अन्फ़ुसिहिम् फ़ी सबीलिल्लाहि, उलाइ-क हुमुस्सादिक़ून (15) क़ुल् अ-तुअ़ल्लिमूनल्ला-ह बिदीनिकुम्, वल्लाहु यअ्लमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (16) यमुन्नू-न अ़लै-क अन् अस्लमू, क़ुल्-ला तमुन्नू अ़लय्-य इस्लामकुम् बलिल्लाहु यमुन्नु अ़लैकुम् अन् हदाकुम् लिल्ईमानि इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (17) इन्नल्ला-ह यअ्लमु ग़ैबस्समावाति वल्अर्ज़ि, वल्लाहु बसीरुम्-बिमा तअ्मलून (18) ✿

पर चलोगे अल्लाह के और उसके रसूल के काट न लेगा तुम्हारे कामों में से कुछ, अल्लाह बख़्शता है मेहरबान है। (14) ईमान वाले वे लोग हैं जो ईमान लाये अल्लाह पर और उसके रसूल पर, फिर शुब्हा न लाये और लड़े अल्लाह की राह में अपने माल और अपनी जान से, वे लोग जो हैं वही हैं सच्चे। (15) तू कह क्या तुम जतलाते हो अल्लाह को अपनी दीनदारी और अल्लाह को तो ख़बर है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में, और अल्लाह हर चीज़ को जानता है। (16) तुझ पर एहसान रखते हैं कि मुसलमान हुए तू कह मुझ पर एहसान न रखो अपने इस्लाम लाने का बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमको राह दी ईमान की अगर सच कहो। (17) अल्लाह जानता है छुपे भेद आसमानों के और ज़मीन के, और अल्लाह देखता है जो तुम करते हो। (18) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ये (बनू असद वग़ैरह के बाज़े) गंवार (आपके पास आकर जो ईमान लाने के दावेदार होते हैं ये इसमें कई गुनाहों के करने वाले होते हैं- एक तो झूठ कि बिना दिल की तस्दीक़ के महज़ ज़बान से) कहते हैं कि हम ईमान ले आये। आप फ़रमा दीजिये कि तुम ईमान तो नहीं लाये (क्योंकि वह मौक़ूफ़ है दिल की तस्दीक़ पर, और वह मौजूद नहीं जैसा कि अभी आगे आता है 'और अभी नहीं घुसा ईमान तुम्हारे दिलों में') लेकिन (हाँ) यूँ कहो कि हम (मुख़ालफ़त छोड़कर) फ़रमाँबरदार हो गये (और इताअ़त मुख़ालफ़ात छोड़ने के मायने में महज़ ज़ाहिरी मुवाफ़क़त से भी साबित हो जाती है) और (बाक़ी) अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाख़िल नहीं हुआ

(इसलिये ईमान का दावा मत करो)। और (अगरचे अब तक तुम ईमान नहीं लाये लेकिन अब भी) अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का (सब बातों में) कहना मान लो (जिसमें यह भी दाख़िल है कि दिल से ईमान ले आओ) तो अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आमाल में से (जो कि ईमान के बाद होंगे महज़ इस वक़्त के कुफ़्र व झूठ बोलने की वजह से जो कि उस वक़्त के एतिबार से एक गुज़री हुई बात होगी) ज़रा भी कमी न करेगा (बल्कि सब का पूरा-पूरा सवाब देगा क्योंकि) बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला और रहम करने वाला है।

(अब हम से सुनो कि कामिल मोमिन कौन हैं ताकि अगर तुमको मोमिन बनना है तो वैसे बनो, सो) पूरे मोमिन वे हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाये, फिर (ईमान पर जमे भी रहे यानी उम्र भर कभी) शक नहीं किया, और अपने माल और जान से ख़ुदा के रास्ते में (यानी दीन के लिये) मेहनत उठाई (जिसमें जिहाद वग़ैरह सब आ गया, सो) ये लोग हैं सच्चे (यानी पूरे सच्चे, और यूँ अगर सिर्फ़ तस्दीक़ ही हो तब भी सच्चा होना तो तब भी हो जायेगा, बख़िलाफ़ तुम्हारे कि अदना दर्जे का ईमान जो कि तस्दीक़ है वह तक हासिल नहीं और दावा करते हैं कामिल ईमान का। पस एक बुरी बात तो उनसे यह सादिर हुई यानी झूठ, जैसा कि एक दूसरी जगह पर अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ○

(सूरः ब-क़रह आयत नम्बर 8) और दूसरा बुरा काम यह है कि ये धोखा देते हैं, जैसा कि सूरः ब-क़रह में अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है 'युख़ादिऊ़नल्ला-ह' सो) आप (उनसे) फ़रमा दीजिये कि क्या ख़ुदा तआ़ला को अपने दीन (क़ुबूल करने) की ख़बर देते हो (यानी अल्लाह तआ़ला तो जानते हैं कि तुमने ईमान क़ुबूल नहीं किया, इसके बावजूद जो तुम दावा क़ुबूल करने का करते हो तो लाज़िम आता है कि अल्लाह तआ़ला के इल्म के ख़िलाफ़ अल्लाह तआ़ला को एक बात बतलाते हो) हालाँकि (यह मुहाल है, क्योंकि) अल्लाह को तो आसमानों और ज़मीन की सब चीज़ों की (पूरी) ख़बर है, और (अ़लावा आसमानों व ज़मीन के) अल्लाह (और भी) सब चीज़ों को जानता है (तो उसको कोई क्या बतलायेगा। इससे मालूम हुआ कि हक़ तआ़ला को जो तुम्हारे मुताल्लिक़ इल्म है कि तुम ईमान नहीं लाये वही सही है)।

(और तीसरी बुरी बात जिसके ये दोषी होते हैं यह है कि) ये लोग अपने इस्लाम लाने का आप पर एहसान रखते हैं (जो बहुत बड़ी गुस्ताख़ी है कि देखिये हम न लड़े न भिड़े मुसलमान हो गये और दूसरे लोग बहुत परेशान कर-करके मुसलमान हुए हैं, सो) आप कह दीजिये कि मुझ पर अपने इस्लाम लाने का एहसान न रखो (इसलिये कि गुस्ताख़ी भी छोड़ दो तो तुम्हारे इस्लाम से मेरा क्या नफ़ा हो गया, और इस्लाम न लाने से मेरा क्या नुक़सान हो गया अगर तुम सच्चे होते तो तुम्हारी ही आख़िरत का नफ़ा था और झूठे होने में भी तुम्हारा ही दुनिया का नफ़ा है कि क़त्ल व क़ैद होने से बच गये, सो मुझ पर एहसान रखना ख़ालिस जहालत है) बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुमको ईमान की हिदायत दी बशर्ते कि तुम (इस ईमान के

दावे में) सच्चे हो (क्योंकि ईमान बड़ी नेमत है और बिना अल्लाह तआ़ला की तालीम व तौफ़ीक़ के नसीब नहीं होता, तो अल्लाह तआ़ला की इनायत है कि ऐसी बड़ी नेमत अ़ता फ़रमा दी, पस धोखा देने और एहसान जतलाने से बाज़ आओ और यह याद रखो कि) अल्लाह तआ़ला आसमान और ज़मीन की छुपी बातों को जानता है, और (इसी हर तरह के कामिल व मुकम्मल इल्म की वजह से) तुम्हारे सब आमाल को भी जानता है (और उन्हीं के मुवाफ़िक़ तुमको जज़ा देगा, फिर उसके सामने बातें बनाने से क्या फ़ायदा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में बतलाया गया है कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक इज़्ज़त व शराफ़त का मदार तक़वे पर है जो एक बातिनी (अन्दरूनी और छुपी) चीज़ है, अल्लाह तआ़ला ही उसको जानते हैं, किसी शख़्स के लिये अपनी पाकीज़गी का दावा करना जायज़ नहीं। उपरोक्त आयतों में एक ख़ास वाक़िए की बिना पर यह बतलाया गया है कि ईमान का असल मदार दिल की तस्दीक़ पर है, उसके बग़ैर सिर्फ़ ज़बान से अपने को मोमिन कहना सही नहीं। इस पूरी सूरत में अव्वल नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अदब व सम्मान के हुक़ूक़ का फिर आपसी हुक़ूक़ और रहन-सहन के आदाब का ज़िक्र आया है, सूरत के ख़त्म पर यह बतलाया गया कि आख़िरत में सब आमाल की मक़बूलियत का मदार ईमान और दिल के यक़ीन व तस्दीक़ और अल्लाह व रसूल की इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) पर है।

शाने नुज़ूल

इन आयतों के नाज़िल होने का वाक़िआ़ इमाम बग़वी रह. की रिवायत के मुताबिक़ यह है कि क़बीला बनू असद के चन्द आदमी मदीना तय्यिबा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक सख़्त सूखे और अकाल के ज़माने में हाज़िर हुए। ये लोग दिल से तो मोमिन थे नहीं, सदक़े हासिल करने के लिये अपने इस्लाम लाने का इज़हार किया और चूँकि वास्तव में मोमिन न थे इस्लामी अहकाम व आदाब से बेख़बर और ग़ाफ़िल थे, उन्होंने मदीना के रास्तों पर गन्दगी व नापाकी फैला दी और बाज़ारों में ज़रूरत की चीज़ों की क़ीमत बढ़ा दी और हुज़ूरे पाक सल्ल. के सामने एक तो ईमान लाने का झूठा दावा किया, दूसरे आपको धोखा देना चाहा, तीसरे आप पर एहसान जतलाया कि दूसरे लोग तो एक ज़माने तक आप से लड़ाई और मुक़ाबला करते रहे, आपके ख़िलाफ़ जंगें लड़ीं फिर मुसलमान हुए हम बग़ैर किसी जंग के ख़ुद आपके पास हाज़िर होकर मुसलमान हो गये, इसलिये हमारी क़द्र करनी चाहिये जो शाने रिसालत में एक तरह की गुस्ताख़ी भी थी कि अपने मुसलमान हो जाने का एहसान आप पर जतलाया और मक़सद इसके सिवा कुछ न था कि मुसलमानों के सदक़ों से अपनी ग़रीबी व तंगदस्ती दूर करें। और अगर ये हक़ीक़त में और सच्चे मुसलमान हो ही जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर क्या एहसान था, ख़ुद अपना ही नफ़ा था, इस पर ऊपर दर्ज हुई आयतें नाज़िल हुईं जिनमें

उनके झूठे दावे को झुठलाया गया और एहसान जतलाने पर मज़म्मत (निंदा) की गई है।

وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا

चूँकि उनके दिलों में ईमान न था, झूठा दावा सिर्फ़ ज़ाहिरी कामों की बिना पर कर रहे थे इसलिये क़ुरआन ने उनके ईमान की नफ़ी और ईमान के दावे के ग़लत होने को बयान करके यह फ़रमाया कि तुम्हारा आमन्ना कहना तो झूठ है तुम ज़्यादा से ज़्यादा अस्लम्ना कह सकते हो क्योंकि इस्लाम के लफ़्ज़ी मायने ज़ाहिरी कामों को अन्जाम देने में इताअ़त करने के हैं, और ये लोग अपने ईमान के दावे को सच्चा साबित करने के लिये कुछ आमाल मुसलमानों जैसे करने लगे थे, इसलिये लफ़्ज़ी एतिबार से एक दर्जे की इताअ़त हो गई, इसलिये लुग़वी मायने के एतिबार से अस्लम्ना कहना सही हो सकता है।

इस्लाम और ईमान एक हैं या कुछ फ़र्क़ है?

ऊपर की तक़रीर से मालूम हो गया कि इस आयत में इस्लाम के लुग़वी मायने मुराद हैं इस्तिलाही मायने मुराद ही नहीं, इसलिये इस आयत से इस्लाम और ईमान में इस्तिलाही फ़र्क़ पर कोई दलील नहीं ली जा सकती। और इस्तिलाही ईमान और इस्तिलाही इस्लाम अगरचे मफ़्हूम व मायने के एतिबार से से अलग-अलग हैं कि ईमान शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में दिल की तस्दीक़ (यक़ीन व पुष्टि) का नाम है, यानी अपने दिल से अल्लाह तआ़ला की तौहीद और रसूल की रिसालत को सच्चा मानना। और इस्लाम नाम है ज़ाहिरी आमाल में अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की इताअ़त करने का, लेकिन शरीअ़त में दिल की तस्दीक़ उस वक़्त तक क़ाबिले एतिबार नहीं जब तक उसका असर बदनी अंगों के आमाल व कामों तक न पहुँच जाये, जिसका मामूली दर्जा यह है कि ज़बान से इस्लाम के कलिमे का इक़रार करे। इसी तरह इस्लाम अगरचे ज़ाहिरी आमाल का नाम है लेकिन शरीअ़त में वह उस वक़्त तक मोतबर नहीं जब तक कि दिल में तस्दीक़ न आ जाये, वरना वह निफ़ाक़ (यानी ज़ाहिर में कुछ और दिल में कुछ और) है।

इस तरह इस्लाम व ईमान अपने शुरू और आख़िर के दर्जे के एतिबार से तो अलग-अलग हैं कि ईमान बातिन और दिल से शुरू होकर ज़ाहिरी आमाल तक पहुँचता है और इस्लाम ज़ाहिरी कामों से शुरू होकर बातिन की तस्दीक़ तक पहुँचता है, मगर मिस्दाक़ के एतिबार से इन दोनों में एक गहरा ताल्लुक़ है, एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है कि ईमान इस्लाम के बग़ैर मोतबर नहीं और इस्लाम ईमान के बग़ैर शरई तौर पर मोतबर नहीं। शरीअ़त में यह नहीं हो सकता कि एक शख़्स मुस्लिम तो हो मोमिन न हो, या मोमिन हो तो मुस्लिम न हो, मगर यह कलाम इस्तिलाही (पारिभाषिक) ईमान व इस्लाम में है, लुग़वी मायने के एतिबार से हो सकता है कि एक शख़्स मुस्लिम हो मोमिन न हो जैसे तमाम मुनाफ़िक़ों का हाल यही था कि अहकाम में ज़ाहिरी इताअ़त की बिना पर मुस्लिम कहलाते थे मगर दिल में ईमान न होने के सबब मोमिन न थे। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह का शुक्र है कि आज 8 शाबान सन् 1392 हिजरी रविवार को इस सूरत की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः काफ़

सूरः काफ़ मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 45 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

آياتها ٤٥ (٥٠) سُوْرَةُ قٓ مَكِّيَّةٌ (٣٤) ركوعاتها ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

قٓ ۚ وَالْقُرْاٰنِ الْمَجِيْدِ ۝ بَلْ عَجِبُوْٓا اَنْ جَآءَهُمْ مُّنْذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا شَيْءٌ عَجِيْبٌ ۝ ءَاِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ۚ ذٰلِكَ رَجْعٌۢ بَعِيْدٌ ۝ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ ۚ وَعِنْدَنَا كِتٰبٌ حَفِيْظٌ ۝ بَلْ كَذَّبُوْا بِالْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُمْ فَهُمْ فِيْٓ اَمْرٍ مَّرِيْجٍ ۝ اَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا اِلَى السَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنٰهَا وَزَيَّنّٰهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ ۝ وَالْاَرْضَ مَدَدْنٰهَا وَاَلْقَيْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ وَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍۢ بَهِيْجٍ ۝ تَبْصِرَةً وَّذِكْرٰى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيْبٍ ۝ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَآءِ مَآءً مُّبٰرَكًا فَاَنْۢبَتْنَا بِهٖ جَنّٰتٍ وَّحَبَّ الْحَصِيْدِ ۝ وَالنَّخْلَ بٰسِقٰتٍ لَّهَا طَلْعٌ نَّضِيْدٌ ۝ رِّزْقًا لِّلْعِبَادِ ۙ وَاَحْيَيْنَا بِهٖ بَلْدَةً مَّيْتًا ۚ كَذٰلِكَ الْخُرُوْجُ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ وَّاَصْحٰبُ الرَّسِّ وَثَمُوْدُ ۝ وَعَادٌ وَّفِرْعَوْنُ وَاِخْوَانُ لُوْطٍ ۝ وَّاَصْحٰبُ الْاَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۚ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيْدِ ۝ اَفَعَيِيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ ۚ بَلْ هُمْ فِيْ لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۝

المنزل السابع (٧) ع ١٥

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

काफ़्। वल्क़ुरआनिल्-मजीद (1) बल् अ़जिबू अन् जा-अहुम् मुन्ज़िरुम्-मिन्हुम् फ़क़ालल्-काफ़िरू-न हाज़ा शैउन् अ़जीब (2) अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबन् ज़ालि-क रज्अुम्-	काफ़। क़सम है इस क़ुरआन बड़ी शान वाले की। (1) बल्कि उनको ताज्जुब हुआ कि आया उनके पास डर सुनाने वाला उन्हीं में का, तो कहने लगे मुन्किर यह ताज्जुब की चीज़ है। (2) क्या जब हम मर चुकें और हो जायें मिट्टी, यह फिर

बअ़ीद (3) क़द् अ़लिम्ना मा तन्क़ुसुल्-अर्ज़ु मिन्हुम् व अ़िन्दना किताबुन् हफ़ीज़ (4) बल् कज़्ज़बू बिल्-हक़्क़ि लम्मा जा-अहुम् फ़हुम् फ़ी अम्रिम्-मरीज (5) अ-फ़ लम् यन्ज़ुरू इलस्समा-इ फ़ौक़हुम् कै-फ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन् फ़ुरूज (6) वल्अर्-ज़ मदद्नाहा व अल्क़ैना फ़ीहा रवासि-य व अम्बत्ना फ़ीहा मिन् कुल्लि ज़ौजिम्-बहीज (7) तब्सि-रतंव्-व ज़िक्रा लिकुल्लि अ़ब्दिम्-मुनीब (8) व नज़्ज़ल्ना मिनस्समा-इ मा-अम् मुबा-रकन् फ़-अम्बत्ना बिही जन्नातिंव्-व हब्बल्-हसीद (9) वन्नख़्-ल बासिक़ातिल्-लहा तल्अुन्-नज़ीद (10) रिज़्क़ल्-लिल्अ़िबादि व अह्यैना बिही बल्द-तम् मैतन्, कज़ालिकल्-ख़ुरूज (11) कज़्ज़बत् क़ब्लहुम् क़ौमु नूहिंव्-व अस्हाबुर्रस्सि व समूद (12) व आ़दुंव्-व फ़िर्औनु व इख़्वानु लूत (13) व अस्हाबुल्-ऐ-कति व क़ौमु तुब्बअ़िन्, कुल्लुन् कज़्ज़-बर्-रुसु-ल फ़-हक़्-क़ वअ़ीद (14)

आना बहुत दूर है। (3) हमको मालूम है जितना घटाती है ज़मीन उनमें से और हमारे पास किताब है जिसमें सब कुछ महफ़ूज़ है। (4) कोई नहीं, पर झुठलाते हैं सच्चे दीन को जब उन तक पहुँचा, सो वे पड़ रहे हैं उलझी हुई बात में। (5) क्या नहीं देखते आसमान को अपने ऊपर कैसा हमने उसको बनाया और रौनक़ दी और उसमें नहीं कोई सुराख़। (6) और ज़मीन को फैलाया और डाले उसमें बोझ और उगाई उसमें हर-हर तरह की रौनक़ की चीज़ (7) समझाने को और याद दिलाने को उस बन्दे के लिये जो रुजू करे। (8) और उतारा हमने आसमान से पानी बरकत का, फिर उगाये हमने उससे बाग़ और अनाज जिसका खेत काटा जाता है (9) और खजूरें लम्बी, उनका ख़ोशा (गुच्छा) है तह पर तह (10) रोज़ी देने को बन्दों के, और ज़िन्दा किया हमने उस से एक मुर्दा देस को, यूँ ही होगा निकल खड़े होना। (11) झुठला चुके हैं इनसे पहले नूह की क़ौम और कुएँ वाले और समूद (12) और आ़द और फ़िरऔन और लूत के भाई (13) और बन के रहने वाले और तुब्बा की क़ौम, इन सब ने झुठलाया रसूलों को फिर ठीक पड़ा मेरा डराना। (14)

अ-फ़-अयीना बिल्ख़ल्क़िल्-अव्वलि, बल् हुम् फ़ी लब्सिम्-मिन् ख़ल्क़िन् जदीद (15) ✿	अब क्या हम थक गये पहली बार बनाकर? कोई नहीं, उनको धोखा है एक नये बनाने में। (15) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़ाफ़ (इसके मायने अल्लाह को मालूम हैं)। क़सम है क़ुरआन मजीद की (यानी जिसको दूसरी किताबों पर फ़ज़ीलत व शर्फ़ है कि हमने आपको क़ियामत के अ़ज़ाब से डराने के लिये भेजा है मगर इन लोगों ने न माना) बल्कि इनको इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इनके पास इन्हीं (की जाति) में से (यानी इनसानों में से) एक डराने वाला (पैग़म्बर) आ गया (जिसने इनको क़ियामत के दिन से डराया)। सो (इस पर) काफ़िर लोग कहने लगे कि (अव्वल तो ख़ुद) यह (एक) अ़जीब बात है (कि इनसान पैग़म्बर हो, दूसरे फिर दावा भी अ़जीब बात का करे कि दोबारा ज़िन्दा होंगे, भला) जब हम मर गये और मिट्टी हो गये तो क्या दोबारा ज़िन्दा होंगे? यह दोबारा ज़िन्दा होना (संभावना से) बहुत ही दूर की बात है। (ख़ुलासा यह है कि अव्वल तो वह हम जैसे इनसान हैं उनको पैग़म्बरी का दावा करने का हक़ नहीं, फिर वह अपने दावे में एक मुहाल चीज़ का दावा करते हैं कि मरने और मिट्टी होने के बाद दोबारा ज़िन्दा किये जायेंगे। इसके जवाब में हक़ तआ़ला मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने की संभावना साबित करके उनके मुहाल कहने को रद्द फ़रमाते हैं जिसका हासिल यह है कि दोबारा ज़िन्दा होने को तुम जो ग़ैर-मुम्किन कहते हो इसकी दो वजह हो सकती हैं- या तो यह कि जिन चीज़ों के ज़िन्दा होने को कहा गया है उनमें ज़िन्दा होने की सलाहियत ही न हो, यह तो देखने और अनुभव से ग़लत है, क्योंकि वे इस वक़्त तुम्हारे सामने ज़िन्दा मौजूद हैं, अगर ज़िन्दगी की सलाहियत ही न होती तो इस वक़्त कैसे ज़िन्दा हैं। दूसरी वजह यह हो सकती है कि करने वाले यानी अल्लाह तआ़ला को दोबारा ज़िन्दा करने की क़ुदरत इसलिये न हो कि मरने वाले के जो अंग और हिस्से मिट्टी होकर बिखर गये वो उसको मालूम न हों कि कहाँ बिखरे हैं, तो इसके जवाब में फ़रमाया कि हमारे इल्म की तो यह शान है कि) हम उनके उन हिस्सों को जानते हैं जिनको मिट्टी (खाती और) कम करती है। और (यह नहीं कि आज से जानते हैं बल्कि हमारा इल्म तो क़दीम है यहाँ तक कि हमने वाक़े और ज़ुहूर में आने से पहले ही सब चीज़ों के सब हालात अपने क़दीम इल्म से एक किताब यानी लौह-ए-महफ़ूज़ में लिख दिये थे, और अब तक) हमारे पास (वह) किताब (यानी लौहे) महफ़ूज़ (मौजूद) है (जिस में उन बिखरे हुए हिस्सों की जगह और हालत व मात्रा और सिफ़त सब कुछ है, सो अगर क़दीम इल्म किसी की समझ में न आये तो यूँ ही समझ ले कि वह दफ़्तर जिसमें सब कुछ है हक़ तआ़ला के सामने हाज़िर है, मगर ये लोग फिर भी बिना वजह के ताज्जुब ही में हैं और सिर्फ़ ताज्जुब ही नहीं) बल्कि सच्ची बात को (जिसमें

मसला-ए-नुबुव्वत और आख़िरत की दोबारा ज़िन्दगी भी है) जबकि वह उनको पहुँचती है तो झुठलाते हैं। ग़र्ज़ यह कि वे एक डाँवाडोल हालत में हैं (कि कभी ताज्जुब है कभी झुठलाना है। यह असल बयान हो रहे मज़मून से हटकर दरमियान में एक बात थी आगे बयान है क़ुदरत का)।

क्या उन लोगों (को हमारी क़ुदरत का इल्म नहीं है और क्या उन्होंने) ने अपने ऊपर की तरफ़ आसमान को नहीं देखा कि हमने उसको कैसा (ऊँचा और बड़ा) बनाया, और (सितारों से) उसको सजा दिया, और उसमें (मुकम्मल मज़बूती की वजह से) कोई रख़्ना "यानी छेद, नुक़्स और फटन" तक नहीं (जैसा कि अक्सर तामीरों में लम्बा समय गुज़रने के बाद रख़्ना पड़ जाया करता है। यह तो आसमान में हमारी क़ुदरत नुमायाँ है) और ज़मीन (में यह क़ुदरत ज़ाहिर है कि उस) को हमने फैलाया और उसमें पहाड़ों को जमा दिया, और उसमें हर क़िस्म की अच्छी दिखने वाली चीज़ें उगाईं जो ज़रिया है देखने और समझने का (यानी हमारी क़ुदरत को पहचानने का) हर रुजू होने वाले बन्दे के लिये (यानी ऐसे शख़्स के लिये जो इन चीज़ों को इस नज़र से देखे कि इनको किसने बनाया है)।

और (हमारी क़ुदरत इससे ज़ाहिर है कि) हमने आसमान से बरकत (यानी नफ़े) वाला पानी बरसाया, फिर उससे बहुत-से बाग़ उगाये और खेती का ग़ल्ला और लम्बी-लम्बी खजूर के पेड़ जिनके गुच्छे ख़ूब गुंधे हुए होते हैं बन्दों को रिज़्क़ देने के लिये, और (दूसरे पेड़-पौधे जैसे घास वग़ैरह के जमाने के लिये भी) हमने उस (बारिश) के ज़रिये मुर्दा ज़मीन को ज़िन्दा किया (पस) इसी तरह (समझ लो कि मुर्दों का) ज़मीन से निकलना होगा (क्योंकि ज़ाती क़ुदरत के एतिबार से क़ुदरत में आने वाली तमाम चीज़ें बराबर हैं बल्कि जो ज़ात बड़ी चीज़ों पर क़ादिर है उसका छोटी चीज़ों पर क़ादिर होना और ज़्यादा ज़ाहिर है, इसी लिये आसमान व ज़मीन का यहाँ ज़िक्र किया गया कि उनका बनाना एक मुर्दे को दोबारा ज़िन्दा करने से बहुत बड़ी बात है जैसा कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

لَخَلْقُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَكْبَرُ

तो जब इन बड़े बड़े कामों पर अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत साबित हो गई तो मुर्दे को ज़िन्दा कर देने पर क्यों न होगी। तो मालूम हुआ कि मुर्दों को ज़िन्दा करना मुहाल नहीं, मुम्किन है। और ज़िन्दा करने वाला, अपने इख़्तियार से काम करने वाला बड़ी क़ुदरत वाला है, फिर इसमें ताज्जुब करने या झुठलाने की क्या बात है। आगे झुठलाने वालों को डराने के लिये पिछली उम्मतों के वाक़िआ़त बतलाकर वईद की "सज़ा की धमकी दी" गई है कि जिस तरह ये लोग क़ियामत के इनकार से रसूल को झुठलाते हैं उसी तरह) इनसे पहले क़ौमे नूह और कुएँ वालों और समूद और आ़द और फ़िरऔ़न और क़ौमे लूत और ऐका वालों और क़ौमे तुब्बा ने झुठलाया, (यानी) सब ने पैग़म्बरों को (यानी अपने-अपने पैग़म्बर को तौहीद और रिसालत और क़ियामत के मामले में) झुठलाया, सो मेरी वईद (उन पर) साबित हो गई (कि उन सब पर अ़ज़ाब नाज़िल हुआ, इसी तरह इन झुठलाने वालों पर अ़ज़ाब आयेगा, चाहे दुनिया में भी या

सिर्फ़ आख़िरत में।

(वईद "सज़ा व अ़ज़ाब के वायदे" के बाद फिर पहले से चल रहे मज़मून की तरफ़ दूसरे अन्दाज़ से वापसी है कि) क्या हम पहली बार पैदा करने में थक गये (कि दोबारा ज़िन्दा न कर सकें? यानी एक रुकावट यह भी हो सकती है कि काम भी मुम्किन हो और करने वाले को क़ुदरत भी पूरी हो मगर कोई वक़्ती व अस्थायी रुकावट पेश आ जाये जैसे करने वाला थक गया हो इसलिये यह काम नहीं कर सका, इस आयत में इसकी भी नफ़ी फ़रमा दी कि अल्लाह तआ़ला इस तरह के ऐबों से पाक है, वह किसी चीज़ से मुतास्सिर नहीं होता, न उसको थकान होने का कोई इमकान है इसलिये क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होना दलीलों से साबित हो गया और ये लोग जो इनकार कर रहे हैं इनके पास कोई दलील नहीं है) बल्कि ये लोग नये सिरे से पैदा करने की तरफ़ से (महज़ बिना दलील के) शुब्हे में (पड़े हुए) हैं (जो दलीलों के होते हुए किसी तरह क़ाबिले तवज्जोह और ध्यान देने वाली चीज़ नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः काफ़ की ख़ुसूसियतें

सूरः काफ़ में ज़्यादातर मज़ामीन आख़िरत, क़ियामत, मुर्दों के ज़िन्दा होने और हिसाब व किताब से मुताल्लिक़ हैं, और यही मुनासबत है इसको इससे पहली सूरत यानी सूरः हुजुरात से कि उसके आख़िर में इन्हीं मज़ामीन का ज़िक्र था।

सूरः काफ़ की एक ख़ास अहमियत इस हदीस से मालूम होती है कि उम्मे हिशाम बिन्ते हारिसा बिन नौमान कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बहुत क़रीब मेरा मकान था, दो साल के क़रीब हमारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तन्दूर (जिसमें रोटी पकती थी) एक ही था। मुझे सूरः काफ़ पूरी इस तरह हिफ़्ज़ हुई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम यह सूरत हर जुमे को मिम्बर पर ख़ुतबे में तिलावत फ़रमाते थे।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी, मुस्लिम के हवाले से)

और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अबू वाक़िद लैसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मालूम किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ईदैन की नमाज़ों में कौनसी सूरत पढ़ा करते थे? तो उन्होंने फ़रमाया 'क़ाफ़ वल्क़ुरआनिल् मजीदि' और 'इक़्त-र-बतिस्साअ़तु'। और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुबह की नमाज़ में सूरः काफ़ बहुत ज़्यादा तिलावत फ़रमाते थे (यह सूरत अच्छी-ख़ासी बड़ी है) मगर इसके बावजूद नमाज़ हल्की रहती थी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपकी तिलावत का ख़ास असर था कि बड़ी से बड़ी सूरत और लम्बी से लम्बी नमाज़ भी पढ़ने वालों पर हल्की रहती थी।

क्या आसमान नज़र आता है?

أَفَلَمْ يَنْظُرُوْٓا إِلَى السَّمَآءِ

आयत के इस टुकड़े से बज़ाहिर यह मालूम होता है कि आसमान नज़र आता है और मशहूर यह है कि यह नीलगूँ रंग जो नज़र आता है यह हवा का रंग है, मगर इसकी नफ़ी की भी कोई दलील नहीं कि यही रंग आसमान का भी हो। इसके अ़लावा आयत में नज़र से मुराद ग़ौर व फ़िक्र और अ़क्ल से काम लेने वाली नज़र भी मुराद हो सकती है। (बयानुल-क़ुरआन)

मरने के बाद ज़िन्दा होने पर मशहूर शुब्हे का जवाब

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ

काफ़िर व मुश्रिक लोग जो क़ियामत में मुर्दों के ज़िन्दा होने का इनकार करते हैं उनकी सबसे बड़ी दलील यह ताज्जुब है कि मरने के बाद इनसान के जिस्म के अक्सर हिस्से मिट्टी हो जाते हैं, फिर वह मिट्टी बिखरकर दुनिया में फैल जाती है पानी और हवा उसके ज़र्रे कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा करने के लिये सारी दुनिया में बिखरे हुए अजज़ा (हिस्सों) को मालूम रखना कि यह हिस्सा फ़ुलाँ का है, यह फ़ुलाँ का, और फिर हर एक के हिस्सों को अलग-अलग जमा कर देना किसके बस की बात है? क़ुरआने करीम ने इसका जवाब दिया कि इनसान अपने सीमित इल्म व समझ पर अल्लाह तआ़ला के असीमित व बेहद व हिसाब इल्म को अन्दाज़ा और तुलना करके इस गुमराही में पड़ता है।

قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ

अल्लाह तआ़ला का इल्म तो इतना बड़ा और हर चीज़ को अपने घेरे में लिये हुए है कि मरने के बाद इनसान का एक-एक हिस्सा और अंग उसकी नज़र में है, वह जानता है कि मुर्दे के किस-किस हिस्से को ज़मीन ने खा लिया है, क्योंकि उसकी कुछ हड्डियाँ तो अल्लाह तआ़ला ने ऐसी बनाई हैं कि उनको ज़मीन नहीं खाती, और जिनको ज़मीन खाकर मिट्टी कर देती है फिर वह मिट्टी दुनिया जहान के जिस गोशे में पहुँचती है वह सब कुछ अल्लाह तआ़ला की नज़र में है, जब वह चाहेगा सब को एक जगह जमा कर देगा। और ज़रा ग़ौर करो तो इस वक़्त हर इनसान का जिस्म जिन हिस्सों और अंगों से तैयार होकर चलता-फिरता नज़र आता है उसमें भी तो सारी दुनिया के मुख़्तलिफ़ गोशों के हिस्से जमा हैं, कोई ग़िज़ा की सूरत से कोई दवा की सूरत में सारे आ़लम के मुख़्तलिफ़ शहरों और जंगलों के अजज़ा ही तो हैं जिनसे यह मौजूदा जिस्म तैयार हुआ है, फिर उसके लिये क्या दुश्वार है कि दोबारा इन हिस्सों को दुनिया में बिखर जाने के बाद फिर एक जगह जमा कर दे, और सिर्फ़ यही नहीं कि अब मरने और मिट्टी होने के बाद इनसान के ये हिस्से उसके इल्म में आये हों बल्कि इनसान के पैदा करने से पहले ही इसकी ज़िन्दगी का हर-हर लम्हा और उसमें पैदा होने वाली तब्दीलियाँ और फिर मरने के बाद उस पर क्या-क्या हालात पेश आयेंगे वो सब कुछ अल्लाह तआ़ला के पास पहले से लिखा हुआ

लौह-ए-महफ़ूज़ में मौजूद है।

फिर जो ऐसा अ़लीम व बसीर (सब कुछ जानने और देखने वाला) है और जिसकी क़ुदरत इतनी कामिल और सब चीज़ों पर हावी है उसके मुताल्लिक़ यह ताज्जुब करना ख़ुद क़ाबिले ताज्जुब है।

'मा तन्क़ुसुल्-अर्ज़ु' की यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और मुजाहिद रह. और मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअ़त से मन्क़ूल है। (तफ़सीर बहरे मुहीत)

فِیْٓ اَمْرٍ مَّرِیْجٍO

लफ़्ज़ मरीज के मायने लुग़त में ख़ल्त-मल्त हो जाने वाली चीज़ के हैं जिसमें मुख़्तलिफ़ चीज़ों का एक दूसरे के साथ मिल जाना हो, और ऐसी चीज़ उमूमन फ़ासिद (ख़राब व बेकार) होती है इसी लिये हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मरीज का तर्जुमा फ़ासिद से फ़रमाया और इमाम ज़ह्हाक, इमाम क़तादा और इमाम हसन बसरी वग़ैरह ने एक-दूसरे में मिल जाने और बेपहचान हो जाने से फ़रमाया है। मुराद यह है कि ये काफ़िर और रिसालत के इनकारी लोग अपने इनकार में भी किसी एक बात पर नहीं जमते, कभी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को साहिर व जादूगर बताते हैं कभी शायर कहते हैं कभी काहिन व नजूमी कहते हैं, इनका कलाम ख़ुद गड्मड्, संदिग्ध, ग़ैर-वाज़ेह और फ़ासिद है, जवाब किसका दिया जाये।

आगे हक़ तआ़ला की कामिल और असीमित क़ुदरत का बयान है जो आसमान व ज़मीन और इनके अन्दर पैदा होने वाली बड़ी-बड़ी चीज़ों के बनाने के हवाले से किया गया है, इसमें आसमान के बारे में फ़रमायाः

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوْجٍ

फ़ुरूज फ़ुर्ज की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने फटने के आते हैं, मुराद यह है कि आसमान का इतना बड़ा अ़ज़ीमुश्शान कुर्रा हक़ तआ़ला ने बनाया है अगर इनसान की बनाई हुई चीज़ होती तो इसमें हज़ार जोड़ व पैवन्द और फटने व टुकड़े होने के निशानात पाये जाते, मगर तुम आसमान को देखते हो उसमें न कोई पैवन्द लगा हुआ है न किसी जगह से जुड़ाई और सिलाई के निशान नज़र आते हैं। इससे इसकी नफ़ी नहीं होती कि आसमान में अल्लाह तआ़ला ने दरवाज़े बनाये हैं, दरवाज़े को फटन और सुराख़ नहीं कहा जाता।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों के रिसालत व आख़िरत को झुठलाने का ज़िक्र था जिस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचना ज़ाहिर है, इस आयत में हक़ तआ़ला ने आपकी तसल्ली के लिये पिछले अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और उनकी उम्मतों के हालात बतलाये हैं कि हर पैग़म्बर को इनकारी और काफ़िर लोगों की तरफ़ से ऐसी तकलीफ़ें पेश आती हैं, यह नबियों की सुन्नत है, इससे आप हिम्मत न हारें और ग़मज़दा न हों, क़ौमे नूह का किस्सा क़ुरआने करीम में बार-बार आया है कि साढ़े नौ सौ साल नूह अ़लैहिस्सलाम उनकी

इस्लाह (सुधार) की कोशिश करते रहे मगर उनकी तरफ़ से न सिर्फ़ इनकार बल्कि तरह-तरह की तकलीफ़ें पहुँचती रहीं।

अस्हाबुर्रस्स कौन लोग हैं?

अस्हाबुर्रस्सि लफ़्ज़ रस्स अ़रबी भाषा में मुख़्तलिफ़ मायने के लिये आता है, मशहूर मायने यह हैं कि कच्चे कुएँ को रस्स कहा जाता है जो ईंट पत्थर वग़ैरह से पुख़्ता न किया गया हो। अस्हाबे-रस्स से मुराद क़ौमे समूद के बाक़ी बचे लोग हैं जो अ़ज़ाब के बाद बाक़ी रहे, इमाम ज़स्हाक वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने उनका क़िस्सा यह लिखा है कि जब हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम पर अ़ज़ाब आया तो उनमें से चार हज़ार आदमी जो हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे वे अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रहे, ये लोग अपने मक़ाम से मुन्तक़िल होकर हज़्रे-मौत में जाकर बस गये, हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम भी उनके साथ थे। एक कुएँ पर जाकर ये लोग ठहर गये और हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम की वफ़ात हो गई, इसी लिये इस जगह का नाम हज़्र-मौत (यानी मौत हाज़िर हो गई) है, ये लोग यहीं रह पड़े फिर इनकी नस्ल में बुत परस्ती शुरू हो गई, इनकी इस्लाह के लिये हक़ तआ़ला ने एक नबी को भेजा जिसको इन्होंने क़त्ल कर डाला, इन पर ख़ुदा तआ़ला का अ़ज़ाब आया, इनका कुआँ जिस पर इनकी ज़िन्दगी निर्भर थी वह बेकार हो गया और इमारतें वीरान हो गईं। क़ुरआने करीम ने इसी का ज़िक्र इस आयत में फ़रमाया है:

وَبِئْرٍ مُّعَطَّلَةٍ وَّقَصْرٍ مَّشِيْدٍ○

यानी सबक़ लेने की निगाह से देखने वालों के लिये उनका बेकार पड़ा हुआ कुआँ और पुख़्ता बने हुए महल वीरान पड़े हुए सबक़ लेने के लिये काफ़ी हैं।

समूद- हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम की उम्मत हैं इनका वाक़िआ़ क़ुरआन में बार-बार पहले गुज़र चुका है।

आ़द- क़ौम अपने डीलडोल और क़ुव्वत व बहादुरी में मशहूर और एक मिसाल थी। हज़रत हूद अ़लैहिस्सलाम उनकी तरफ़ भेजे गये, इनको सताया, इनकी नाफ़रमानी की आख़िरकार हवा के तूफ़ान का अ़ज़ाब आया और सब फ़ना हुए।

फ़िरऔन- बहुत ही चर्चित व मशहूर मिस्र के बादशाह का नाम है।

इख़्वानु लूत- हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम की उम्मत है जिनका क़िस्सा कई मर्तबा पहले गुज़र चुका है।

अस्हाबुल्-ऐका- ऐका घने जंगल और वन को कहते हैं। ये लोग ऐसे ही मक़ाम पर आबाद थे, हज़रत शुऐब अ़लैहिस्सलाम इनकी तरफ़ नबी बनाकर भेजे गये, इन्होंने नाफ़रमानी की, आख़िरकार अल्लाह के अ़ज़ाब से तबाह व बरबाद हुए।

क़ौमे-तुब्बा- तुब्बा यमन के एक बादशाह का लक़ब (उपनाम) है, जिसकी ज़रूरी तहक़ीक़ सातवीं जिल्द में सूरः दुख़ान के तहत गुज़र चुकी है।

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهٖ نَفْسُهٗ ۚ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ ۝ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۝ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌ ۝ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ۚ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ ۝ وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ ۚ ذٰلِكَ يَوْمُ الْوَعِيْدِ ۝ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَّشَهِيْدٌ ۝ لَقَدْ كُنْتَ فِيْ غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ۝ وَقَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ۝ أَلْقِيَا فِيْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيْدٍ ۝ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيْبٍ ۝ الَّذِيْ جَعَلَ مَعَ اللّٰهِ إِلٰهًا اٰخَرَ فَأَلْقِيٰهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيْدِ ۝ قَالَ قَرِيْنُهٗ رَبَّنَا مَا أَطْغَيْتُهٗ وَلٰكِنْ كَانَ فِيْ ضَلٰلٍ بَعِيْدٍ ۝ قَالَ لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيْدِ ۝ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيْدِ ۝

व ल-क़द् ख़लक़्नल्-इन्सा-न व नअ़्लमु मा तुवस्विसु बिही नफ़्सुहू व नह्नु अक़्रबु इलैहि मिन् हब्लिल्-वरीद (16) इज़् य-तलक़्क़ल्-मु-तलक़्क़ियानि अ़निल्-यमीनि व अ़निश्शिमालि क़अ़ीद (17) मा यल्फ़िज़ु मिन् क़ौलिन् इल्ला लदैहि रक़ीबुन् अ़तीद (18) व जाअत् सक्रतुल्-मौति बिल्हक़्क़ि, ज़ालि-क मा कुन्-त मिन्हु तहीद (19) व नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि, ज़ालि-क यौमुल्-वअ़ीद (20) व जाअत् कुल्लु नफ़्सिम्-म-अ़हा सा-इक़ुंव्-व शहीद (21) ल-क़द् कुन्-त फ़ी ग़फ़्लतिम्-मिन् हाज़ा फ़-कशफ़्ना अ़न्-क ग़िता-अ-क	और अलबत्ता हमने बनाया इनसान को और हम जानते हैं जो बातें आती रहती हैं उसके जी में, और हम उस से नज़दीक हैं धड़कती रग से ज़्यादा। (16) जब लेते जाते हैं दो लेने वाले दाहिने बैठा और बायें बैठा (17) नहीं बोलता कुछ बात जो नहीं होता उसके पास एक राह देखने वाला तैयार। (18) और वह आई बेहोशी मौत की तहक़ीक़, यह वह है जिस से तू टलता रहता था। (19) और फूँका गया सूर यह है दिन डराने का (20) और आया हर एक जी, उसके साथ है एक हाँकने वाला और एक अहवाल बतलाने वाला। (21) तू बेख़बर रहा इस दिन से अब खोल दी हमने तुझ पर से तेरी अंधेरी

फ़-ब-सरुकल्-यौ-म हदीद (22) व क़ा-ल क़रीनुहू हाज़ा मा ल-दय्-य अतीद (23) अल्क़िया फ़ी जहन्न-म कुल्-ल कफ़्फ़ारिन् अनीद (24) मन्नाअ़िल्-लिल्ख़ैरि मुअ़्तदिम्-मुरीब (25) अल्लज़ी ज-अ़-ल मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख़-र फ़-अल्क़ियाहु फ़िल्-अ़ज़ाबिश्-शदीद (26) क़ा-ल क़रीनुहू रब्बना मा अत्ग़ैतुहू व लाकिन् का-न फ़ी ज़लालिम्-बअ़ीद (27) क़ा-ल ला तख़्तसिमू ल-दय्-य व क़द् क़द्दम्तु इलैकुम् बिल्-वअ़ीद (28) मा युबद्दलुल्-क़ौलु ल-दय्-य व मा अ-न बिज़ल्लामिल्-लिल्-अ़बीद (29) ✿

सो तेरी निगाह आज तेज़ है। (22) और बोला (फ़रिश्ता) उसके साथ वाला- यह है जो मेरे पास था हाज़िर। (23) डाल दो तुम दोनों दोज़ख़ में हर नाशुक्रे मुख़ालिफ़ को (24) नेकी से रोकने वाला हद से बढ़ने वाला, शुब्हा डालने वाला (25) जिसने ठहराया अल्लाह के साथ और को पूजना, सो डाल दो उसको सख़्त अ़ज़ाब में। (26) बोला (शैतान) उसका साथी ऐ हमारे रब! मैंने इसको शरारत में नहीं डाला पर यह था राह को भूला दूर पड़ा हुआ। (27) फ़रमाया झगड़ा न करो मेरे पास और मैं पहले ही डरा चुका था तुमको अ़ज़ाब से। (28) बदलती नहीं बात मेरे पास और मैं ज़ुल्म नहीं करता बन्दों पर। (29) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऊपर क़ियामत में मुर्दों के ज़िन्दा होने का इमकान साबित हो चुका है आगे उसके वाक़े और ज़ाहिर होने का बयान है, और वाक़े होना मौक़ूफ़ है कामिल इल्म और कामिल क़ुदरत पर, इसलिये अव्वल इसको बतलाते हैं कि) और हमने इनसान को पैदा किया है (जो आला दर्जे की दलील है क़ुदरत पर) और उसके जी में जो ख़्यालात आते हैं हम उन (तक) को (भी) जानते हैं (तो जो काम उसके हाथ-पाँव और ज़बान से सादिर हों उनको जानना तो कहीं ज़्यादा है) और (बल्कि हमको तो उसके अहवाल का ऐसा इल्म है कि उसको ख़ुद भी अपने अहवाल का ऐसा इल्म नहीं, पस इल्म के एतिबार से) हम इनसान के इस क़द्र क़रीब हैं कि उसकी गर्दन की रग से भी ज़्यादा (जिसके कट जाने से इनसान मर जाता है, और चूँकि लोगों की आ़म आ़दत में जानवर की रूह निकालने के लिये गर्दन काटने ही का तरीक़ा राईज है इसलिये यह ताबीर इख़्तियार की गई, और ये गर्दन की रगें 'वरीद' और शिरयान' "यानी ख़ून व रूह की मोटी और

बारीक रगें" दोनों ही हो सकती हैं, मगर शिरयान मुराद लेना ज़्यादा मुनासिब है क्योंकि उनमें रूह ग़ालिब और ख़ून मग़लूब रहता है, और वरीद में इसका उल्टा है, और यहाँ जिसको रूह में ज़्यादा दख़ल हो उसका मुराद लेना मुनासिब है। और सूरः हाक़्क़ा में लफ़्ज़ 'वतीन' दिल की रग से ताबीर करना इसकी ताईद करता है क्योंकि जो रगें दिल से निकलती हैं वे शिरयान हैं, और अगरचे क़ुरआन में लफ़्ज़ वरीद है मगर इसके लुग़वी मायने आम हैं, जिसमें दिल से निकलने वाली रगें 'शिरयान' भी दाख़िल हैं और जिगर से निकलने वाली रगें वरीद भी। पस मतलब यह हुआ कि हम इल्म के एतिबार से उसकी रूह और नफ़्स से भी ज़्यादा नज़दीक हैं, यानी जैसा इल्म इनसान को अपने अहवाल का है हमको उसका इल्म ख़ुद उससे भी ज़्यादा है। चुनाँचे इनसान को अपनी बहुत सी हालतों का तो इल्म ही नहीं होता और जिनका इल्म होता है उनमें भी कई बार भूल या ज़ेहन से उतर जाना हो जाता है, और हक़ तआ़ला में इन शुब्हात की गुंजाईश ही नहीं। और ज़ाहिर है कि जो इल्म हर हालत में हो उसका ताल्लुक़ उसके मुक़ाबले में जो कि एक हालत में हो ज़्यादा होगा। ग़र्ज़ कि अल्लाह के इल्म का तमाम इनसानी हालात के साथ मुताल्लिक़ होना भी साबित हो गया। आगे इसकी मज़ीद ताकीद के लिये यह बयान फ़रमाया कि इनसान के आमाल व अहवाल सिर्फ़ यही नहीं कि अल्लाह तआ़ला के इल्म में महफ़ूज़ हों बल्कि ज़ाहिरी हुज्जत पूरी करने के लिये वो आमाल फ़रिश्तों के ज़रिये लिखवाकर भी महफ़ूज़ किये गये। इरशाद है) जब दो लेने वाले फ़रिश्ते (इनसान के आमाल को जब वे उससे सादिर होते हैं) लेते रहते हैं, जो कि दाईं और बाईं तरफ़ बैठे रहते हैं (और बराबर हर अ़मल को लिखते रहते हैं, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُوْنَ مَا تَمْكُرُوْنَ٥

और एक जगह फ़रमायाः

إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ٥

यहाँ तक कि सब आमाल में हल्का इनसान की बातचीत और कलाम है, मगर उसकी यह कैफ़ियत है कि) वह कोई लफ़्ज़ मुँह से निकालने नहीं पाता मगर उसके पास ही एक ताक लगाने वाला तैयार (मौजूद होता) है (अगर वह नेकी का कलाम हो तो दाहिने वाला उसको महफ़ूज़ करता और लिख लेता है अगर बदी का कलाम हो तो बायें वाला। और जब ज़बान से निकलने वाला एक-एक कलिमा महफ़ूज़ व लिखा हुआ है तो दूसरे आमाल क्यों न होंगे)।

और (चूँकि आख़िरत की ज़िन्दगी और आमाल की जज़ा व सज़ा सब की पहली सीढ़ी मौत है इसलिये इनसान को सचेत करने के लिये आगे उसका ज़िक्र है, क्योंकि क़ियामत से इनकार दर हक़ीक़त मौत से ग़फ़लत ही का नतीजा होता है। इरशाद है कि तो होशियार हो जाओ) मौत की सख़्ती (नज़दीक) आ पहुँची (यानी हर शख़्स की मौत क़रीब है, चुनाँचे ज़ाहिर है) यह (मौत) वह चीज़ है जिस से तू बिदकता (और भागता) था, (मौत से भागना तबई तौर पर तो हर नेक व बद में बराबर है और काफ़िर व बदकार का मौत से भागना दुनिया की मुहब्बत की वजह से

और भी ज़्यादा स्पष्ट है, किसी ख़ास बन्दे पर अल्लाह से मिलने के शौक़ का ग़लबा होकर मौत का मज़ेदार और पसन्दीदा हो जाना इसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि वह आ़म इनसानी आ़दत से ऊपर की हालत है)। और (इस मुक़द्दमे यानी ज़िक्रे मौत के बाद अब क़ियामत के आने का बयान है जो कि मक़सूद था, यानी क़ियामत के दिन दोबारा) सूर फूँका जायेगा (जिस से सब ज़िन्दा हो जायेंगे)। यही दिन होगा वईद का (जिस से लोगों को डराया जाता था)।

(आगे क़ियामत के हौलनाक वाक़िआ़त और हालात का बयान है) और हर शख़्स (क़ियामत के मैदान में) इस तरह आयेगा कि उसके साथ (दो फ़रिश्ते होंगे जिनमें) एक (तो मैदाने क़ियामत की तरफ़) उसको अपने साथ लायेगा, और एक (उसके आमाल का) गवाह होगा (हदीसे मरफ़ूअ़ में है कि ये लाने वाला और गवाह वही दो फ़रिश्ते होंगे जो ज़िन्दगी में इनसान के दायें और बायें उसके आमाल को लिखते थे (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) और अगर यह हदीस मुहद्दिसीन की शर्तों के मुताबिक़ मज़बूत न हो तो गुमान व संभावना है कि दो फ़रिश्ते और हों जैसा कि कुछ हज़रात इसके क़ायल हैं अगरचे उस सूरत में भी हदीस की मुवाफ़क़त की वजह से वरीयता प्राप्त पहली ही सूरत होगी, और जब वे क़ियामत के मैदान में हाज़िर होंगे तो उनमें जो काफ़िर होंगे उनसे ख़िताब होगा कि) तू इस दिन से बेख़बर था (यानी इसका क़ायल न था) सो अब हमने तेरे ऊपर से तेरा वह (ग़फ़लत और इनकार का) पर्दा हटा दिया (और क़ियामत का मुआ़यना करा दिया) सो आज (तो) तेरी निगाह बड़ी तेज़ है (कि कोई चीज़ इस तक पहुँचने में रुकावट नहीं, काश! तू दुनिया में भी ग़फ़लत की इस रुकावट को दूर कर देता तो तेरे दिन भले होते)।

और (उसके बाद आमाल लिखने वाला) फ़रिश्ता जो उसके साथ रहता था (और अब भी एक क़ौल के मुताबिक़ लाने वाला या गवाह बनकर आया है, आमाल नामा हाज़िर करके) अ़र्ज़ करेगा कि यह वह (रोज़नामचा) है जो मेरे पास तैयार है (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इसकी वज़ाहत है) चुनाँचे उस रोज़नामचे के मुवाफ़िक़ काफ़िरों के बारे में दो फ़रिश्तों को चाहे वे उसको लाने वाले व गवाह हों जिनका ज़िक्र आ चुका या दूसरे दो फ़रिश्ते हों, हुक्म होगा कि) हर ऐसे शख़्स को जहन्नम में डाल दो जो कुफ़्र करने वाला हो और (हक़ से) ज़िद रखता हो, और नेक काम से रोकता हो, और (बन्दगी की) हद से बाहर जाने वाला हो, (और दीन में) शुब्हा पैदा करने वाला हो, जिसने ख़ुदा के साथ दूसरा माबूद तजवीज़ किया हो, सो ऐसे शख़्स को सख़्त अ़ज़ाब में डाल दो। (जब काफ़िरों को मालूम होगा कि अब हमेशा के ख़सारे में पड़ने वाले हैं उस वक़्त अपने बचाव के वास्ते गुमराह करने वालों के ज़िम्मे इल्ज़ाम रखेंगे कि हमारा क़ुसूर नहीं हमें तो दूसरों ने गुमराह किया है, और चूँकि उन गुमराह करने वालों में शयातीन भी दाख़िल हैं इसलिये फ़रमाया कि) वह शैतान जो उसके साथ रहता था, कहेगा कि ऐ हमारे परवर्दिगार! मैंने इसको (ज़बरदस्ती) गुमराह नहीं किया था (जैसा कि इसके इल्ज़ाम रखने से समझ में आता है कि इसके अपने इख़्तियार को बिल्कुल दख़ल न हो) लेकिन (बात यह है कि) यह ख़ुद दूर-दराज़ की गुमराही में (अपने इख़्तियार से) था (अगरचे बहकाया मैंने भी था जिसमें कोई ज़ोर-ज़बरदस्ती न थी, इसलिये

इसकी गुमराही का असर मुझ पर न होना चाहिये)। इरशाद होगा- मेरे सामने झगड़े की बातें मत करो (कि बेफ़ायदा है) और मैं तो पहले ही तुम्हारे पास वईद भेज चुका था (कि जो कुफ़्र करेगा अपने आप या किसी के बहकाने और गुमराह करने से और जो कुफ़्र का हुक्म करेगा चाहे अपनी मर्ज़ी से या किसी के मजबूर करने से सब को जहन्नम की सज़ा उनके दर्जों और जुर्म के हिसाब से दूँगा)। सो मेरे यहाँ (ज़िक्र हुई सज़ा की धमकी की वह) बात नहीं बदली जायेगी (बल्कि तुम सब दोज़ख़ में झोंके जाओगे) और मैं (इस तजवीज़ में) बन्दों पर ज़ुल्म करने वाला नहीं हूँ (बल्कि बन्दों ने ख़ुद ऐसे ग़लत और बेहूदा काम किये जिसकी सज़ा आज भुगत रहे हैं)।

मआरिफ़ व मसाईल

पिछली आयतों में क़ियामत के आने का इनकार करने वालों और मुर्दों के ज़िन्दा होने को अ़क़्ल व गुमान से दूर की बात कहने वालों के शुब्हात को इस तरह दूर किया था कि तुमने हक़ तआ़ला के इल्म को अपने इल्म व समझ पर अन्दाज़ा कर रखा है इसलिये यह शुब्हा है कि मुर्दे के बदनी हिस्से मिट्टी होकर दुनिया में बिखरने के बाद उनको किस तरह जमा किया जा सकता है, मगर हक़ तआ़ला ने बतलाया कि कायनात का ज़र्रा-ज़र्रा हमारे इल्म में है, हमारे लिये उन सब को जब चाहें जमा कर देना क्या मुश्किल है। ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में भी अल्लाह के इल्म की वुस्अ़त और हर चीज़ को हावी होने का बयान है कि इनसान के बिखरे हुए बदनी हिस्सों का इल्म होने से भी ज़्यादा बड़ी बात तो यह है कि हम हर इनसान के दिल में आने वाले ख़्यालात को भी हर वक़्त हर हाल में जानते हैं, और इसकी वजह दूसरी आयत में यह बयान फ़रमाई कि हम इनसान से इतने क़रीब हैं कि उसकी गर्दन की रग जिस पर उसकी ज़िन्दगी का मदार है वह भी उतनी क़रीब नहीं, इसलिये हम उसके हालात को ख़ुद उससे भी ज़्यादा जानते हैं।

अल्लाह तआ़ला इनसान से उसकी मुख्य रग से भी ज़्यादा क़रीब हैं, इसकी तहक़ीक़

نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيْدِ٥

इस आयत का मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने यही मतलब क़रार दिया है कि क़रीब होने से मुराद इल्मी और जानकारी के घेरे में होने की निकटता है लम्बाई और नापने की निकटता मुराद नहीं।

लफ़्ज़ वरीद अ़रबी भाषा में हर जानदार की वो रगें हैं जिनसे ख़ून का बहाव तमाम बदन में होता है, तिब्बी इस्तिलाह में ये दो क़िस्म की रगें हैं- एक वो जो जिगर से निकलती हैं और ख़ालिस ख़ून सारे इनसानी बदन में पहुँचाती हैं, तिब्बी इस्तेलाह में सिर्फ़ इन्हीं रगों को वरीद कहा जाता है जिसका बहुवचन 'औरदा' आता है। दूसरी क़िस्म वो रगें जो जानदार के दिल से

निकलती हैं और ख़ून की वह लतीफ़ भाप जिसको तिब्बी इस्तिलाह में रूह कहा जाता है वह इसी तरह तमाम इनसानी बदन में फैलाती और पहुँचाती हैं उनको शिरयान और शराईन कहा जाता है। पहली किस्म की रगें मोटी और दूसरी बारीक होती हैं।

उक्त आयत में यह ज़रूरी नहीं कि वरीद का लफ़्ज़ तिब्बी इस्तिलाह के मुताबिक़ उस रग के लिये लिया जाये जो जिगर से निकलती है, बल्कि दिल से निकलने वाली रग को भी लुग़त के एतिबार से वरीद कहा जा सकता है, क्योंकि उसमें भी एक क़िस्म का ख़ून ही दौरान करता है और इस जगह चूँकि आयत का उद्देश्य इनसान के दिली ख़्यालात और हालात से बाख़बर होना है इसलिये वह ज़्यादा मुनासिब है। बहरहाल! चाहे वरीद तिब्बी इस्तिलाह के मुताबिक़ जिगर से निकलने वाली रग के मायने में हो या दिल से निकलने वाली शिरयान के मायने में हर सूरत में जानदार की ज़िन्दगी उस पर टिकी है। ये रगें काट दी जायें तो जानदार की रूह निकल जाती है तो ख़ुलासा यह हुआ कि जिस चीज़ पर इनसान की ज़िन्दगी मौक़ूफ़ (टिकी) है हम उस चीज़ से भी ज़्यादा उसके क़रीब हैं, यानी उसकी हर चीज़ का इल्म रखते हैं।

और सूफ़िया-ए-किराम के नज़दीक क़रीब होने से मुराद इस जगह सिर्फ़ इल्म और जानकारी के एतिबार से क़रीब होना ही नहीं बल्कि एक ख़ास क़िस्म की निकटता है जिसकी हक़ीक़त और कैफ़ियत तो किसी को मालूम नहीं हो सकती मगर यह निकटता और मिलाप बिना कैफ़ियत के मौजूद ज़रूर है। क़ुरआने करीम की अनेक आयतें और सही हदीसें इस पर सुबूत हैं। हक़ तआ़ला का इरशाद है:

وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ○

"यानी सज्दा करो और हमारे क़रीब हो जाओ।" और हिजरत के वाक़िए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु से फ़रमायाः

اللّٰهُ مَعَنَا

"यानी अल्लाह हमारे साथ है।" और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल से फ़रमायाः

اِنَّ مَعِیَ رَبِّیْ

"यानी मेरा रब मेरे साथ है।" और हदीस में है कि इनसान अल्लाह तआ़ला की तरफ़ सबसे ज़्यादा क़रीब उस वक़्त होता है जबकि वह सज्दे में हो। इसी तरह हदीस में है कि हक़ तआ़ला ने फ़रमाया है कि "मेरा बन्दा मेरे साथ नफ़्ली इबादतों के साथ निकटता हासिल करता रहता है।"

यह निकटता और ख़ास बनना जो इबादात के ज़रिये हासिल किया जाता है और इनसान के अपने अ़मल और मेहनत का नतीजा होता है यह सिर्फ़ मोमिन के लिये ख़ास है और ऐसे मोमिन अल्लाह के वली कहलाते हैं जिनको हक़ तआ़ला के साथ यह नज़दीकी और साथ हासिल हो यह निकटता और साथ उस निकटता के अ़लावा है जो हक़ तआ़ला को हर इनसान मोमिन व

काफ़िर की जान के साथ बराबर तौर पर है। ग़र्ज़ कि उक्त आयतें व रिवायतें इस पर सुबूत व गवाह हैं कि इनसान को अपने ख़ालिक़ व मालिक के साथ एक ख़ास किस्म की निकटता व ताल्लुक़ हासिल है अगरचे हम उसकी हक़ीक़त और कैफ़ियत को न समझ सकें। मौलाना रूमी ने इसी को फ़रमाया है:

इत्तिसाले बेमिसाल व बे-क़यास हस्त रब्बुन्नास रा बा जाने नास

यानी एक ख़ास किस्म का ताल्लुक़ और निकटता अल्लाह तआ़ला को तमाम इनसानों के साथ हासिल है जिसको न किसी मिसाल से वाज़ेह किया जा सकता है न ही उसकी किसी चीज़ से तुलना की जा सकती है। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

यह निकटता व ताल्लुक़ आँख से नहीं देखा जा सकता बल्कि ईमानी नूर से मालूम किया जा सकता है। तफ़सीरे मज़हरी में इसी निकटता व ताल्लुक़ को इस आयत का मफ़्हूम करार दिया है और मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत का क़ौल पहले मालूम हो चुका है कि ताल्लुक़ व निकटता से मुराद इल्मी निकटता है, और इमाम इब्ने कसीर ने इन दोनों मायने से अलग एक तीसरी तफ़सीर यह इख़्तियार की है कि आयत में लफ़्ज़ 'नहनु' (हम) से ख़ुद हक़ तआ़ला की ज़ात मुराद नहीं बल्कि उसके फ़रिश्ते मुराद हैं जो इनसान के साथ हर वक़्त रहते हैं, वे इनसान की जान से इतने बाख़बर होते हैं कि ख़ुद इनसान भी अपनी जान से उतना बाख़बर नहीं होता। वल्लाहु आलम

हर इनसान के साथ दो फ़रिश्ते

إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيٰنِ

तलक़्क़ा के लुग़वी मायने अख़्ज़ करने, ले लेने और हासिल कर लेने के आते हैं। जैसे एक आयत में आया है:

فَتَلَقّٰى اٰدَمُ مِنْ رَّبِّهٖ كَلِمٰتٍ

"यानी ले लिये और हासिल कर लिये आदम (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने रब से चन्द कलिमात।" इस आयत में 'मु-तलक़्क़ियान' से मुराद वे दो फ़रिश्ते हैं जो हर इनसान के साथ उसके आमाल लिखने के लिये हर वक़्त उसके साथ रहते हैं, और उसके आमाल को अपने सहीफ़ों (रजिस्टरों) में लिखते रहते हैं।

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۝

"यानी उनमें एक उसके दाहिने तरफ़ रहता है (जो उसके नेक आमाल को लिखता है) दूसरा उसके बायें तरफ़ (जो उसकी बुराईयों को लिखता है)। 'क़ईद' 'क़ाअ़िद' के मायने में है, एक या एक से ज़्यादा सब के लिये लफ़्ज़ 'क़ईद' इस्तेमाल होता है। अगरचे क़ईद 'क़ाअ़िद' के मायने में है जैसे 'जलीस' जालिस के मायने में, मगर एक फ़र्क़ यह है कि क़ाअ़िद और जालिस तो सिर्फ़ बैठने की हालत में बोला जाता है और क़ईद व जलीस आ़म है जो किसी के साथ हो चाहे बैठे

हुए या खड़े हुए या चलते फिरते हुए उनको क़ईद व जलीस कहेंगे। उन दोनों फ़रिश्तों का यही हाल है कि वे हर वक़्त हर हाल में इनसान के साथ रहते हैं, वह बैठा हो या खड़ा, चलता फिरता हो या सो रहा हो, सिर्फ़ ऐसी हालत में जबकि यह पेशाब, पाख़ाना या हमबिस्तरी की ज़रूरत से सतर खोले होता है तो ये फ़रिश्ते हट जाते हैं, मगर अल्लाह ने उनको यह कमाल व सिफ़त दे दी है कि उस हालत में भी इनसान कोई गुनाह करे तो उनको मालूम हो जाता है।

इमाम इब्ने कसीर ने अहनफ़ बिन क़ैस की रिवायत से लिखा है कि इन दो फ़रिश्तों में से दायें वाला नेक आमाल लिखता है और वह बायें वाले फ़रिश्ते का भी निगराँ व अमीन है, अगर इनसान कोई गुनाह करता है तो दायें वाला बायें वाले से कहता है कि अभी इसको अपने सहीफ़े (रजिस्टर) में न लिखो, इसको मोहलत दो अगर तौबा कर ले तो रहने दो वरना फिर आमाल नामे में दर्ज करो। (इब्ने अबी हातिम)

आमाल नामा लिखने वाले फ़रिश्ते

हज़रत हसन बसरी रह. ने उक्त आयतः

عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيْدٌ ۝

तिलावत फ़रमाकर कहाः

"ऐ आदम के बेटे! तेरे लिये नामा-ए-आमाल बिछा दिया गया है और तुझ पर दो सम्मानित फ़रिश्ते मुक़र्रर कर दिये गये हैं, एक तेरी दाहिनी तरफ़ दूसरा बाईं तरफ़। दाहिनी जानिब वाला तेरी नेकियों को लिखता है और बाईं जानिब वाला तेरी बुराईयों और गुनाहों को। अब इस हक़ीक़त को सामने रखकर जो तेरा जी चाहे अ़मल कर, और कम कर या ज़्यादा कर, यहाँ तक कि जब तू मरेगा तो यह सहीफ़ा यानी आमाल नामा लपेट दिया जायेगा और तेरी गर्दन में डाल दिया जायेगा जो तेरे साथ क़ब्र में जायेगा और रहेगा यहाँ तक कि जब तू क़ियामत के दिन क़ब्र से निकलेगा तो उस वक़्त हक़ तआ़ला फ़रमायेगाः

وَكُلَّ اِنْسَانٍ اَلْزَمْنٰهُ طٰٓئِرَهٗ فِیْ عُنُقِهٖ وَنُخْرِجُ لَهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا ۝ اِقْرَاْ كِتٰبَكَ كَفٰى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيْبًا ۝

यानी हमने हर इनसान का आमाल नामा उसकी गर्दन में लगा दिया है और क़ियामत के रोज़ वह उसको खुला हुआ पायेगा, अब अपना नामा आमाल ख़ुद पढ़ ले तू ख़ुद ही अपना हिसाब लगाने के लिये काफ़ी है।"

फिर हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि ख़ुदा की क़सम! उस ज़ात ने बड़ा अ़दल व इन्साफ़ किया जिसने ख़ुद तुझको ही तेरे आमाल नामे का हिसाब लेने वाला बना दिया। (इब्ने कसीर) यह ज़ाहिर है कि आमाल नामा कोई दुनियावी काग़ज़ तो है नहीं जिसके क़ब्र में साथ जाने और क़ियामत तक बाक़ी रहने पर कोई शुब्हा हो, एक मानवी चीज़ है जिसकी हक़ीक़त हक़ तआ़ला ही जानते हैं, इसलिये उसका हर इनसान के गले का हार बनना और क़ियामत तक

बाक़ी रहना कोई ताज्जुब की चीज़ नहीं।

इनसान का हर क़ौल रिकॉर्ड किया जाता है

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيْبٌ عَتِيْدٌo

यानी इनसान कोई कलिमा ज़बान से नहीं निकालता जिसको यह निगराँ फ़रिश्ता महफ़ूज़ न कर लेता हो। हज़रत हसन बसरी और क़तादा रह. ने फ़रमाया कि ये फ़रिश्ते उसका एक-एक लफ़्ज़ लिखते हैं चाहे उसमें कोई गुनाह या सवाब हो या न हो। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि सिर्फ़ वो कलिमात लिखे जाते हैं जिन पर कोई सवाब या अ़ज़ाब हो। इब्ने कसीर रह. ने ये दोनों क़ौल नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि क़ुरआन की आयत के आ़म होने से पहली ही बात की तरजीह मालूम होती है कि हर-हर लफ़्ज़ लिखा जाता है। फिर अ़ली बिन अबी तल्हा रह. की एक रिवायत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही से ऐसी नक़ल फ़रमाई जिस में ये दोनों क़ौल हो जाते हैं, उस रिवायत में यह है कि पहले तो हर कलिमा लिखा जाता है चाहे गुनाह व सवाब उसमें हो या न हो, मगर हफ़्ते में जुमेरात के दिन उस पर फ़रिश्ते दोबारा नज़र करके सिर्फ़ वो रख लेते हैं जिनमें सवाब या अ़ज़ाब हो, यानी ख़ैर या शर हो, बाक़ी को नज़र अन्दाज़ कर देते हैं। क़ुरआने करीम में:

يَمْحُوا اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِo

(यानी सूरः रअ़द की आयत 39) के मफ़्हूम में यह मिटाना और बाक़ी रखना भी दाख़िल है।

इमाम अहमद रह. ने हज़रत बिलाल बिन हारिस मुज़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"कभी-कभी इनसान कोई ख़ैर का कलिमा बोलता है जिस से अल्लाह तआ़ला राज़ी होता है मगर वह उसको मामूली बात समझकर बोलता है, उसको पता भी नहीं होता कि उसका सवाब कहाँ तक पहुँचा कि अल्लाह तआ़ला उसके लिये अपनी हमेशा की रज़ा क़ियामत तक लिख देते हैं। इसी तरह इनसान कोई कलिमा अल्लाह की नाराज़ी का (मामूली समझकर) ज़बान से निकाल देता है, उसको गुमान भी नहीं होता कि उसका गुनाह और वबाल कहाँ तक पहुँचेगा, अल्लाह तआ़ला उसकी वजह से उस शख़्स से अपनी हमेशा की नाराज़ी क़ियामत तक के लिये लिख देते हैं। (इब्ने कसीर)

हज़रत अ़ल्क़मा रह. हज़रत बिलाल बिन हारिस की यह हदीस नक़ल करने के बाद फ़रमाते हैं कि इस हदीस ने मुझे बहुत सी बातें ज़बान से निकालने से रोक दिया है। (इब्ने कसीर)

मौत की सख़्ती

وَجَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُo

'सक्रतुल-मौत' के मायने मौत की सख़्ती और बेहोशी जो मौत के वक़्त पेश आती है। अबू बक्र बिन अंबारी रह. ने अपनी सनद के साथ हज़रत मसरूक़ से रिवायत की है कि जब हज़रत

सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर मौत के आसार शुरू हुए तो सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को बुलाया, वह पहुँचीं तो यह हालत देखकर बेसाख़्ता एक शे'र ज़बान से निकला:

إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الصَّدْرُ

"यानी जब रूह एक दिन बेक़रार होगी और सीना उससे तंग हो जायेगा।"

हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सुना तो फ़रमाया कि तुमने बेकार ही यह शे'र पढ़ा, यूँ क्यों न कहा:

جَآءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ٥

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब यह हालत पेश आई तो आप पानी में हाथ डालकर चेहरा-ए-मुबारक पर मलते और फ़रमाते थे:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٌ

यानी कलिमा तय्यिबा पढ़ते हुए फ़रमाया कि मौत की बड़ी सख़्तियाँ होती हैं।

'बिल्-हक़्क़ि' इसके मायने यह हैं कि ले आई मौत की सख़्ती हक़ बात को, यानी मौत की सख़्ती ने वो चीज़ें सामने कर दीं जो हक़ व साबित हैं, और किसी को उनसे बचकर निकलने और भागने की गुंजाईश नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

ذٰلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيْدُ٥

तहीद हैद से निकला है जिसके मायने माईल होने, जगह से हट जाने और इक़रार करने के हैं। आयत के मायने ये हैं कि मौत वह चीज़ है जिस से तू बिदकता और भागता था।

ज़ाहिर यह है कि यह ख़िताब आ़म इनसान को है, मौत से बिदकना और भागना तबई तौर पर पूरी इनसानी नस्ल में पाया जाता है, हर शख़्स ज़िन्दगी को अच्छा और पसन्दीदा और मौत को आफ़त व मुसीबत समझकर उससे बचने की तदबीरें करता है, जो शरई एतिबार से कोई गुनाह भी नहीं, लेकिन आयत में बतलाना यह मन्ज़ूर है कि इनसान की यह तबई और फ़ितरी इच्छा मुकम्मल तौर पर हरगिज़ पूरी नहीं हो सकती, एक न एक दिन तो बहरहाल मौत आनी ही है चाहे तुम उससे कितना ही भागना चाहो।

इनसान को मैदाने हश्र में लाने वाले दो फ़रिश्ते

وَجَآءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَآئِقٌ وَّشَهِيْدٌ٥

इस आयत से ऊपर क़ियामत क़ायम होने का ज़िक्र है, इस आयत में मैदाने हश्र में तमाम इनसानों के हाज़िर होने की एक ख़ास कैफ़ियत बयान की गई है कि हर इनसान के साथ एक 'साइक़' (चलाने वाला) होगा। साइक़ कहते हैं उस शख़्स को जो जानवरों के या किसी जमाअ़त के पीछे रहकर उसको किसी ख़ास जगह पर पहुँचाना चाहता है, और शहीद के मायने गवाह के हैं। साइक़ का फ़रिश्ता होना तो रिवायतों से इत्तिफ़ाक़े राय से साबित है, शहीद के बारे में तफ़सीर के उलेमा के अक़वाल मुख़्तलिफ़ हैं, बाज़ों के नज़दीक वह भी एक फ़रिश्ता ही होगा

इस तरह साइक़ और शहीद दो फ़रिश्ते हो गये, एक का काम उसको मैदाने हश्र में पहुँचाना है दूसरे का काम यह है कि जब उसके आमाल पेश हों तो वह उस पर गवाही दे। ये दो फ़रिश्ते वे भी हो सकते हैं जो इनसान के दाहिने और बायें आमाल को लिखने के लिये हर वक़्त दुनिया में साथ रहते हैं, यानी 'किरामे कातिबीन' और यह भी मुम्किन है कि उनके अ़लावा और दो हों।

और शहीद के बारे में जो कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि वह इनसान का अ़मल होगा और बाज़ों ने ख़ुद उसी इनसान को शहीद (गवाह) फ़रमाया, इमाम इब्ने कसीर रह. फ़रमाते हैं कि आयत से यही ज़ाहिर है कि वह भी एक फ़रिश्ता ही होगा जो उसके आमाल पर गवाही देगा। हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ख़ुतबे में यह आयत तिलावत फ़रमाकर यही तफ़सीर फ़रमाई है और हज़रत मुजाहिद, क़तादा, इब्ने ज़ैद मुफ़स्सिरीन से भी यही मन्क़ूल है। इमाम इब्ने जरीर ने इसी को तरजीह दी (यानी ज़्यादा सही क़रार दिया) है।

मरने के बाद आँखें वह सब कुछ देखेंगी जो ज़िन्दगी में न देख सकती थीं

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ ٥

(यानी हमने तुम्हारी आँखों से पर्दा हटा दिया, आज तुम्हारी निगाह बड़ी तेज़ है) इसका मुख़ातब कौन है इसमें भी मुफ़स्सिरीन के क़ौल अलग-अलग हैं, मगर वरीयता प्राप्त यही है कि आ़म इनसान मुख़ातब हैं जिनमें मोमिन, काफ़िर मुत्तक़ी, फ़ासिक़ सब दाख़िल हैं। इसी तफ़सीर को इमाम इब्ने जरीर और इमाम इब्ने कसीर वग़ैरह ने इख़्तियार फ़रमाया है और मायने आयत के ये हैं कि दुनिया की मिसाल ख़्वाब जैसी ज़िन्दगी की है, और आख़िरत की मिसाल बेदारी (जागने) की, जैसे ख़्वाब में आदमी की आँखें बन्द होती हैं कुछ नहीं देखता इसी तरह इनसान उन हक़ीक़तों को जिनका ताल्लुक़ आख़िरत के जहान से है दुनिया में आँखों से नहीं देखता, मगर ये ज़ाहिरी आँखें बन्द होते ही वह ख़्वाब का आ़लम ख़त्म होकर बेदारी का आ़लम आता है जिसमें वो सारे तथ्य और हक़ीक़तें सामने आ जाती हैं, इसी लिये कुछ उलेमा ने फ़रमायाः

اَلنَّاسُ نِيَامٌ فَاِذَا مَاتُوْا انْتَبَهُوْا

यानी आजकी दुनिया की ज़िन्दगी में सब इनसान सो रहे हैं, जब मरेंगे उस वक़्त जागेंगे।

قَالَ قَرِيْنُهٗ هٰذَا مَا لَدَيَّ عَتِيْدٌ ٥

यहाँ क़रीन से मुराद वह फ़रिश्ता है जो इनसान के साथ उसके आमाल लिखने के लिये रहता था, और पहले मालूम हो चुका है कि आमाल के लिखने वाले दो फ़रिश्ते होते हैं, मगर क़ियामत में इनसान की हाज़िरी के वक़्त एक को साइक़ और दूसरे को शहीद (गवाह) इससे पहली आयत में फ़रमाया है, इसलिये कलाम की तरतीब से यह समझ में आता है कि आमाल के लिखने वाले दो फ़रिश्तों को मैदाने हश्र में उसकी हाज़िरी के वक़्त दो काम सुपुर्द कर दिये

गये हैं, एक के ज़िम्मे उसके पीछे रहकर उसको मैदाने हश्र में पहुँचाना लगाया गया जिसको आयत में साइक़ का नाम दिया गया है, दूसरे के सुपुर्द उसके नामा-ए-आमाल कर दिये गये जिसको शहीद के नाम से ताबीर किया गया, तो मैदाने हश्र में पहुँचने के बाद आमाल नामे वाला फ़रिश्ता यानी शहीद यह अ़र्ज़ करेगाः

هٰذَا مَا لَدَیَّ عَتِیْدٌ○

यानी इसके आमाल मेरे पास लिखे हुए मौजूद हैं। और इमाम इब्ने जरीर ने अपनी तफ़सीर में फ़रमाया कि यहाँ लफ़्ज़ "क़रीन" साइक़ और शहीद दोनों को शामिल है।

اَلْقِیَا فِیْ جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِیْدٍ○

लफ़्ज़ 'अल्क़िया' तस्निया का कलिमा है जो दो शख़्सों के लिये बोला जाता है। इस आयत में जिन दो फ़रिश्तों को ख़िताब है वे कौन हैं, ज़ाहिर यह है कि यही दो फ़रिश्ते जिनको पहले साइक़ और शहीद कहा गया है इसके मुख़ातब हैं। कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने दूसरे मतलब भी लिखे हैं। (देखिये तफ़सीर इब्ने कसीर)

قَالَ قَرِیْنُهٗ رَبَّنَا مَاۤ اَطْغَیْتُهٗ

लफ़्ज़ क़रीन के असली मायने पास रहने वाले और मिले हुए के हैं। इस मायने के एतिबार से पिछली आयत में क़रीन से मुराद वह फ़रिश्ता या फ़रिश्ते लिये गये हैं जो इनसान के आमाल लिखते हैं और इनसान के साथ जैसे दो फ़रिश्ते क़रीन बनाये गये हैं इसी तरह एक शैतान भी हर इनसान का क़रीन रहता है जो उसको गुमराही और गुनाहों की तरफ़ बुलाता है। इस आयत में क़रीन से यही शैतान मुराद है। जब उस शख़्स को जहन्नम में डालने का हुक्म हो जायेगा तो यह शैतान उससे अपने बरी होने का इज़्हार करेगा कि इसको मैंने गुमराह नहीं किया बल्कि यह ख़ुद गुमराह था कि गुमराही की बात को क़ुबूल करता और नेक बात पर कान न धरता था। कलाम के ज़ाहिर से ऐसा मालूम होता है कि जहन्नम में जाने वाला उस वक़्त यह उज़्र करेगा कि मुझे तो इस शैतान ने बहकाया था वरना मैं नेक काम करता, उसके जवाब में शैतान अपनी बराअत ज़ाहिर करेगा। इन दोनों के झगड़े के जवाब में हक़ तआ़ला का इरशाद होगाः

لَا تَخْتَصِمُوْا لَدَیَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ اِلَیْكُمْ بِالْوَعِیْدِ○

"यानी मेरे सामने झगड़ा न करो, मैं तो पहले ही अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के ज़रिये तुम्हारे फ़ुज़ूल उज़्र (बेकार के बहाने) का जवाब दे चुका हूँ और आसमानी किताबों के ज़रिये दलीलें स्पष्ट कर चुका हूँ। यह फ़ुज़ूल की बहाने बाज़ी और झगड़ा आज न चलेगा।"

مَا یُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَیَّ وَمَاۤ اَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِیْدِ○

"मेरे पास क़ौल बदला नहीं करता, जो फ़ैसला कर दिया है वह नाफ़िज़ होगा, और हमने किसी पर कोई ज़ुल्म नहीं किया, पूरी तरह इन्साफ़ का फ़ैसला है।

يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدٍ ۝ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۝ هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۝ مَّنْ خَشِيَ الرَّحْمَٰنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ۝ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ ۖ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ۝ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۝

यौ-म नक़ूलु लि-जहन्न-म हलिम्त-लअ्ति व तक़ूलु हल् मिम्-मज़ीद (30) व उज़्लि-फ़तिल्-जन्नतु लिल्मुत्तक़ी-न ग़ै-र बअ़ीद (31) हाज़ा मा तू-अ़दू-न लिकुल्लि अव्वाबिन् हफ़ीज़ (32) मन् ख़ाशियर्रह्मा-न बिल्ग़ैबि व जा-अ बिक़ल्बिम्-मुनीब (33) उद्ख़ुलूहा बि-सलामिन्, ज़ालि-क यौमुल्-ख़ुलूद (34) लहुम्-मा यशाऊ-न फ़ीहा व लदैना मज़ीद (35)	जिस दिन हम कहें दोज़ख़ को- तू भर भी चुकी? और वह बोले कुछ और भी है? (30) और नज़दीक लाई जाये जन्नत डरने वालों के वास्ते दूर नहीं। (31) यह है जिसका वायदा हुआ था तुम से हर एक रुजू रहने वाले याद रखने वाले के वास्ते। (32) जो डरा रहमान से बिन देखे और लाया दिल रुजू होने वाला। (33) चले जाओ इसमें सलामत, यह दिन है हमेशा रहने का। (34) उनके वास्ते है वहाँ जो वे चाहें और हमारे पास है कुछ ज़्यादा भी। (35)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(यहाँ से मेहशर के बाक़ी वाक़िआ़त का बयान है कि वह दिन लोगों को याद दिलाईये) जिस दिन कि हम दोज़ख़ से (काफ़िरों को उसमें दाख़िल करने के बाद) कहेंगे कि तू भर भी गई? और वह कहेगी कि कुछ और भी है (यह पूछना शायद काफ़िरों को और ज़्यादा डराने के लिये हो कि जवाब सुनकर उनके दिल में दोज़ख़ की और भी ज़्यादा हौल पैदा हो जाये कि हम कैसे ग़ज़ब के ठिकाने पर पहुँचे हैं जो सब को खाना चाहता है और जहन्नम की तरफ़ से "कुछ और भी है" का जवाब भी ग़ालिबन उसी नाराज़गी व ग़ज़ब का मुज़ाहरा है जो जहन्नम को ख़ुदा के दुश्मन काफ़िरों के साथ है, जिसका ज़िक्र सूरः मुल्क में इन अलफ़ाज़ से आया है:

وَهِيَ تَفُورُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ.

जहन्नम ने जवाब में यह नहीं कहा कि मेरा पेट नहीं भरा बल्कि कुछ और की फ़रमाईश ग़ुस्से व नाराज़गी के तौर पर की। इसलिये क़ुरआन में एक दूसरी जगह जो हक़ तआ़ला ने फ़रमाया है:

لَأَمْلَئَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ٥

"यानी मैं भर दूँगा जहन्नम को जिन्नात और इनसानों से" यह इसके ख़िलाफ़ नहीं, और मायने आयत के ये हैं कि अल्लाह तआ़ला अपने पिछले वायदे "मैं भर दूँगा" के लिये जिन्नात और इनसानों को जहन्नम में डालते जायेंगे और वह यही कहता रहेगा कि कुछ और भी है? (इब्ने कसीर) और (जन्नत का बयान यह है कि वह) जन्नत मुत्तक़ियों के क़रीब लाई जायेगी कि कुछ दूर न रहेगी (और मुत्तक़ियों से कहा जायेगा कि) यह है वह चीज़ जिसका तुमसे (इस उनवान से) वायदा किया जाता था कि वह हर ऐसे शख़्स के लिये है जो (ख़ुदा की तरफ़ दिल से) रुजू होने वाला (और रुजू होकर आमाल व नेकियों की) पाबन्दी करने वाला हो। (ग़र्ज़ यह कि) जो शख़्स ख़ुदा तआ़ला से बेदेखे डरता होगा और (अल्लाह के पास) रुजू होने वाला दिल लेकर आयेगा (उनको हुक्म होगा कि) इस जन्नत में सलामती के साथ दाख़िल हो जाओ, यह दिन है हमेशा रहने (के लिये हुक्म होने) का। उनको जन्नत में सब कुछ मिलेगा जो-जो चाहेंगे, और हमारे पास (उनकी चाही हुई चीज़ों से) और भी ज़्यादा (नेमत है) (कि वहाँ तक जन्नती का ज़ेहन भी न पहुँचेगा जैसा कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जन्नत की नेमतों के बारे में फ़रमाया कि वो ऐसी हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी बशर के दिल में उनका ख़्याल आया। उन नेमतों में से एक नेमत हक़ तआ़ला का दीदार है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

अव्वाब कौन लोग हैं?

لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ٥

यानी जन्नत का वायदा हर उस शख़्स के लिये है जो अव्वाब और हफ़ीज़ हो। अव्वाब के मायने रुजू होने वाले के हैं, मुराद वह शख़्स है जो गुनाहों और बुराईयों से अल्लाह की तरफ़ रुजू करने वाला हो।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु और शअ़बी व मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि अव्वाब वह शख़्स है जो तन्हाई में अपने गुनाहों को याद करे और उनसे इस्तिग़फ़ार करे, और हज़रत उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अव्वाब वह शख़्स है जो अपनी हर मजलिस और हर बैठक में अल्लाह से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत माँगे, और फ़रमाया कि हमें यह बतलाया गया है कि अव्वाब और हफ़ीज़ वह शख़्स है जो अपनी हर मजलिस से उठने के वक़्त यह दुआ़ पढ़ेः

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْتَغْفِرُكَ مِمَّا أَصَبْتُ فِي مَجْلِسِي هٰذَا.

(पाक है अल्लाह और उसी की तारीफ़ है। या अल्लाह! मैं मग़फ़िरत माँगता हूँ उस बुराई से

जो मैंने इस मजलिस में की हो।)

और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स अपनी मजलिस से उठने के वक़्त यह दुआ़ पढ़े अल्लाह तआ़ला उसके वो सब गुनाह माफ़ फ़रमा देंगे जो उस मजलिस में हुए। दुआ़ यह है:

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِكَ لَآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

सुब्हानकल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क ला इला-ह इल्ला अन्-त अस्तग़्फ़िरु-क व अतूबु इलै-क। (यानी या अल्लाह तू पाक है और तेरी तारीफ़ व सना है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, मैं तुझसे मग़फ़िरत माँगता हूँ और तौबा करता हूँ।)

और हफ़ीज़ के मायने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह बतलाये कि जो शख़्स अपने गुनाहों को याद रखे ताकि उनसे रुजू करके तलाफ़ी करे, और उनसे एक रिवायत में हफ़ीज़ के मायने "हुवल-हाफ़िज़ु लि-अम्रिल्लाहि" के भी मन्क़ूल हैं, यानी जो शख़्स अल्लाह तआ़ला के अहकाम को याद रखे। और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- जो शख़्स शुरू दिन में चार रक्अ़तें (इशराक़ की) पढ़ ले वह अव्वाब और हफ़ीज़ है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَجَآءَ بِقَلْبٍ مُّنِيْبٍ ۝

अबू बक्र वर्राक़ रह. फ़रमाते हैं कि मुनीब की अ़लामत यह है कि वह हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू के अदब को हर वक़्त ध्यान में रखे, और उसके सामने तवाज़ो और आ़जिज़ी से रहे, और अपने नफ़्स की इच्छाओं को छोड़ दे।

لَهُمْ مَّا يَشَآءُوْنَ فِيْهَا.

(यानी जन्नत वालों को जन्नत में हर वह चीज़ मिलेगी जिसकी वे इच्छा करेंगे।)

यानी जन्नत वाले जिस चीज़ की इच्छा करेंगे वह फ़ौरन हाज़िर तैयार मिलेगी, देर व इन्तिज़ार की ज़हमत न होगी। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में अगर किसी शख़्स को औलाद की इच्छा होगी तो हमल (गर्भ) और बच्चे की पैदाईश, फिर बच्चे का बढ़ना यह सब एक घड़ी में हो जायेगा। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَلَدَيْنَا مَزِيْدٌ ۝

यानी हमारे पास ऐसी नेमतें भी हैं जिनकी तरफ़ इनसान का वहम व ख़्याल भी नहीं जा सकता इसलिये वह उनकी इच्छा भी नहीं कर सकता। हज़रत अनस और हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि यह मज़ीद नेमत हक़ तआ़ला की बिना कैफ़ियत की ज़ियारत है जो जन्नत वालों को हासिल होगी। इस मज़मून की हदीसें ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से भी आयतः

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوا الْحُسْنٰى وَزِيَادَةٌ.

(यानी सूरः यूनुस की आयत 26) की तफ़सीर में रिवायत की गयी हैं, और कुछ रिवायतों में है कि जन्नत वालों को हक़ तआ़ला की ज़ियारत जुमे के रोज़ हुआ करेगी। (क़ुर्तुबी)

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّحِيصٍ ۝ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ۝ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُّغُوبٍ ۝ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ ۝

व कम् अह्लक्ना क़ब्लहुम् मिन् क़र्निन् हुम् अशद्दु मिन्हुम् बत्शन् फ़-नक़्क़बू फ़िल्-बिलादि, हल् मिम्-महीस (36) इन्-न फ़ी ज़ालि-क लज़िक्रा लिमन् का-न लहू क़ल्बुन् औ अल्क़स्सम्-अ़ व हु-व शहीद (37) व ल-क़द् ख़लक़्नस्समावाति वल्अर्-ज़ व मा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्यामिंव्-व मा मस्सना मिल्लुग़ूब (38) फ़स्बिर् अ़ला मा यक़ूलू-न व सब्बिह् बिहम्दि रब्बि-क क़ब्-ल तुलूअ़िश्शम्सि व क़ब्लल्-ग़ुरूब (39) व मिनल्लैलि फ़-सब्बिह्हु व अद्बारस्सुजूद (40)	और कितनी तबाह कर चुके हम इनसे पहले जमाअ़तें कि उनकी क़ुव्वत ज़बरदस्त थी इनसे, फिर लगे कुरेदने शहरों में, कहीं है भाग जाने को ठिकाना। (36) इसमें सोचने की जगह है उसको जिसके अन्दर दिल है या लगाये कान दिल लगाकर। (37) और हमने बनाये आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है छह दिन में, और हमको न हुई कुछ थकान। (38) सो तू सहता रह जो कुछ वे कहते हैं और पाकी बोलता रह ख़ूबियाँ अपने रब की सूरज के निकलने से पहले और डूबने से पहले। (39) और कुछ रात में बोल उसकी पाकी और पीछे सज्दे के। (40)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हम इन (मक्का वालों) से पहले बहुत-सी उम्मतों को (उनके कुफ़्र की शामत से) हलाक कर चुके हैं जो क़ुव्वत में इनसे (कहीं) ज़्यादा थे, और (दुनिया का सामान बढ़ाने के लिये) तमाम शहरों को छानते फिरते थे (यानी क़ुव्वत के साथ रोज़गार और ज़िन्दगी गुज़ारने के साधनों में भी बड़ी तरक़्क़ी की थी, लेकिन जब हमारा अ़ज़ाब नाज़िल हुआ तो उनको) कहीं

भागने की जगह भी न मिली (यानी किसी तरह बच न सके)। (हलाकत व तबाही के) इस (वाक़िए) में उस शख़्स के लिये बड़ी इब्रत है जिसके पास (समझने वाला) दिल हो, या (अगर समझने वाला न हो तो कम-से-कम यही हो कि) वह (दिल से) मुतवज्जह होकर (बात की तरफ़) कान ही लगा देता हो (और सुनने के बाद संक्षिप्त रूप से उसके हक़ होने का यक़ीन रखने वाला होकर उस बात को क़ुबूल कर लेता हो)। और (अगर क़ियामत का इनकार इस बिना पर है कि तुम अल्लाह की क़ुदरत को उससे कम समझते हो तो वह इसलिये बातिल है कि हमारी क़ुदरत ऐसी है कि) हमने आसमानों को और ज़मीन को और जो कुछ उनके बीच में है उस सब को छह दिन (के बराबर समय) में पैदा किया, और हमको थकान ने छुआ तक नहीं (फिर आदमी का दोबारा पैदा करना क्या मुश्किल है। जैसा कि इसी तरह का मज़मून सूरः अहक़ाफ़ के अन्दर अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया है:

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَلَمْ يَعْىَ بِخَلْقِهِنَّ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْىِۦَ الْمَوْتٰى.

और शुब्हात को ख़त्म कर देने वाले इन जवाबों के बावजूद ये लोग फिर इनकार ही पर अड़े हैं) सो इनकी बातों पर सब्र कीजिये (यानी रंज न कीजिये) और (चूँकि बिना इसके कि किसी तरफ़ दिल को मशग़ूल किया जाये वह ग़म की बात दिल से नहीं निकलती, और बार-बार याद आकर दिल को ग़मगीन करती है इसलिये इरशाद फ़रमाते हैं कि) अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ करते रहिये (इसमें नमाज़ भी दाख़िल है) सूरज निकलने से पहले (जैसे सुबह की नमाज़) और (उसके) छुपने से पहले (जैसे ज़ोहर और अ़सर) और रात में भी उसकी तस्बीह (व तारीफ़) किया कीजिये (इसमें मग़रिब और इशा आ गई) और (फ़र्ज़) नमाज़ों के बाद भी (इसमें नवाफ़िल और वज़ीफ़े आ गये। हासिल यह हुआ कि अल्लाह के ज़िक्र में और उसकी फ़िक्र में लगे रहिये ताकि उनकी कुफ़्र भरी बातों की तरफ़ ध्यान ही न हो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

نَقَّبُوْا فِى الْبِلَادِ، هَلْ مِنْ مَّحِيْصٍo

'नक़्क़बू' 'तन्क़ीब' से निकला है, इसके असली मायने सुराख़ करने और फाड़ने के हैं, मुहावरों में ज़मीन में दूर-दराज़ मुल्कों तक चलने-फिरने के मायने में इस्तेमाल होता है। (जैसा कि क़ामूस में इसके यह मायने बयान हुए हैं)

और महीस के मायने पनाह की जगह के हैं। आयत के मायने ये हैं कि अल्लाह तआ़ला ने तुमसे पहले कितनी क़ौमों और जमाअ़तों को हलाक कर दिया है जो क़ुव्वत व ताक़त में तुमसे कहीं ज़्यादा थीं, और जो मुख़्तलिफ़ मुल्कों और ख़ित्तों में तिजारत वग़ैरह के लिये फिरती रहीं, मगर देखो कि अन्जामकार उनको मौत आई और हलाक हुईं। ज़मीन का कोई ख़ित्ता या स्थान उनको मौत से पनाह न दे सका।

इल्म हासिल करने के दो तरीक़े

لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ.

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यहाँ क़ल्ब से मुराद अ़क़्ल है, चूँकि अ़क़्ल का केन्द्र दिल ही है इसलिये इसको क़ल्ब (दिल) से ताबीर कर दिया गया। मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यहाँ क़ल्ब (दिल) से मुराद हयात (ज़िन्दगी) है, वह भी इसी लिये कि हयात का मदार दिल है, आयत के मायने ये हुए कि क़ुरआन की इस सूरत में जो कुछ बयान किया गया है उससे नसीहत व इब्रत (सीख लेने) का फ़ायदा उसी शख़्स को पहुँच सकता है जिसमें अ़क़्ल हो या ज़िन्दगी हो, बेअ़क़्ल या मुर्दे को क्या फ़ायदा पहुँचेगा।

اَوْاَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيْدٌ ○

'इल्क़ा-ए-समअ़' के मायने किसी बात की तरफ़ कान लगाने के आते हैं, शहीद हाज़िर के मायने में है, मायने ये हैं कि उक्त आयतों का फ़ायदा दो शख़्सों को पहुँचता है- एक वह जो ख़ुद अ़क़्ल रखता है, अपनी अ़क़्ल से इन सब मज़ामीन की तस्दीक़ करता है, या फिर वह आदमी जो अल्लाह की आयतों को कान लगाकर सुने और इस तरह सुने कि वह ख़ुद हाज़िर भी हो, यानी ऐसा न हो कि कान तो सुन रहे हैं दिल हाज़िर नहीं है। तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि पहली क़िस्म उम्मत के कामिल हज़रात की है और दूसरी उनके ताबिईन (अनुसरण करने वालों) और सच्चे मुरीदों की, जो उनके एतिक़ाद से दीन की बातें मान लेते हैं।

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ.

सब्बिह तस्बीह से निकला है, इसके असली मायने अल्लाह की तस्बीह करना यानी पाकी बयान करना है, वह ज़बानी तस्बीह को भी शामिल है और नमाज़ की इबादत को भी, इसी लिये कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि सूरज निकलने से पहले तस्बीह से मुराद फ़जर की नमाज़ है, और सूरज छुपने से पहले तस्बीह से मुराद अ़सर की नमाज़ है। हज़रत जरीर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (एक लम्बी हदीस के तहत में) फ़रमायाः

اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ لَا تُغْلَبُوْا عَلٰى صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوْبِهَا، يَعْنِى الْعَصْرَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ قَرَأَ جَرِيْرٌ "وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوْبِ○" (بخاری ومسلم واللفظ لمسلم)

"कोशिश करो कि तुमसे सूरज निकलने और सूरज छुपने से पहले की नमाज़ें छूटने न पायें, यानी फ़जर और अ़सर की नमाज़, और उन्होंने इस पर दलील पकड़ते हुए उक्त आयत तिलावत फ़रमाई।" (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और आयत के मफ़्हूम में वो आ़म तस्बीहें भी दाख़िल हैं जिनके सुबह शाम पढ़ने की तरग़ीब (तवज्जोह व रुचि दिलाना) सही हदीसों में बयान हुआ है। सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने

फ़रमाया कि जो शख़्स सुबह के वक़्त और शाम के वक़्त सौ-सौ मर्तबा सुब्हानल्लाह पढ़ा करे क़ियामत के रोज़ कोई आदमी उससे बेहतर अ़मल लेकर नहीं आयेगा सिवाय उसके कि वह भी यह तस्बीह इतनी या इससे ज़्यादा पढ़ता हो। और सही बुख़ारी व मुस्लिम ही की एक रिवायत हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही से यह भी है कि जिस शख़्स ने दिन में सौ मर्तबा 'सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही' पढ़ा उसके गुनाह माफ़ कर दिये जायेंगे अगरचे वो समुद्र की मौजों से भी ज़्यादा हों। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاَدْبَارَ السُّجُوْدِ ○

हज़रत मुजाहिद रह. ने इसकी तफ़सीर में फ़रमाया कि सुजूद से मुराद फ़र्ज़ नमाज़ें हैं, और 'अदबारस्सुजूद' से मुराद वो तस्बीहात पढ़ना है जिसकी फ़ज़ीलत हर नमाज़ के बाद मरफ़ूअ़ हदीस में आई है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स हर फ़र्ज़ नमाज़ के बादः-

33 मर्तबा सुब्हानल्लाह 33 मर्तबा अल्हम्दु लिल्लाह 33 मर्तबा अल्लाहु अक्बर और एक मर्तबा ला इला-ह इल्लल्लाहु वह्दहू ला शरीक लहू लहुल-मुल्कु व लहुल-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन क़दीर।

पढ़ लिया करे तो उसकी ख़तायें माफ़ कर दी जायेंगी अगरचे वो दरिया की मौजों के बराबर हों। (बुख़ारी व मुस्लिम) और 'अदबारस्सुजूद' से मुराद वो सुन्नतें भी हो सकती हैं जो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद सही हदीसों में आई हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ ۝ يَوْمَ يَسْمَعُوْنَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ۗ ذٰلِكَ يَوْمُ الْخُرُوْجِ ۝ اِنَّا نَحْنُ نُحْيٖ وَنُمِيْتُ وَاِلَيْنَا الْمَصِيْرُ ۝ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ۗ ذٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيْرٌ ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَقُوْلُوْنَ وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ ۗ فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

वस्तमिअ़् यौ-म युनादिल्-मुनादि मिम्-मकानिन् क़रीब (41) यौ-म यस्मअ़ूनस्सै-ह-त बिल्हक़्क़ि, ज़ालि-क यौमुल्-ख़ुरूज (42) इन्ना नह्नु नुह्यी व नुमीतु व इलैनल्-मसीर (43) यौ-म त-शक़्क़-क़ुल्-अर्ज़ु अ़न्हुम्	और कान रख जिस दिन पुकारे पुकारने वाला नज़दीक की जगह से। (41) जिस दिन सुनेंगे चिंघाड़ यक़ीनन, वह है दिन निकल पड़ने का। (42) हम हैं जिलाते और मारते और हम तक है सब को पहुँचना। (43) जिस दिन ज़मीन फटकर निकल पड़ें वे सब दौड़ते हुए, यह इकट्ठा

सिराअ़न्, ज़ालि-क हश्रुन् अ़लैना यसीर (44) नह्नु अअ्लमु बिमा यक़ूलू-न व मा अन्-त अ़लैहिम् बि-जब्बारिन् फ़-ज़क्किर् बिल्-क़ुरआनि मंय्यख़ाफ़ु वअ़ीद (45) ✿	करना हमको आसान है। (44) हम ख़ूब जानते हैं जो कुछ वे कहते हैं और तू नहीं है उन पर ज़ोर करने वाला, सो तू समझा क़ुरआन से उसको जो डरे मेरे डराने से। (45) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और (ऐ मुख़ातब! तो इस अगली बात को तवज्जोह से) सुन ले कि जिस दिन एक पुकारने वाला (फ़रिश्ता यानी इस्राफ़ील अ़लैहिस्सलाम सूर फूँकने के ज़रिये मुर्दों को क़ब्रों से निकलने के लिये) पास ही से पुकारेगा (पास का मतलब यह है कि वह आवाज़ सब को बेतकल्लुफ़ पहुँचेगी गोया पास से ही कोई पुकार रहा है, और जैसे अक्सर दूर की आवाज़ किसी को पहुँचती है किसी को नहीं पहुँचती ऐसा न होगा)। जिस दिन उस चीख़ने को यक़ीनन सब सुन लेंगे, यह दिन होगा (क़ब्रों से) निकलने का। हम ही (अब भी) जिलाते हैं और हम ही मारते हैं, और हमारी ही तरफ़ फिर लौटकर आना है (इसमें भी मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा करने पर क़ुदरत की तरफ़ इशारा है)। जिस दिन ज़मीन उन (मुर्दों) पर से खुल जायेगी, जबकि वे (निकलकर मैदाने क़ियामत की तरफ़) दौड़ते होंगे। यह (जमा कर लेना) हमारे नज़दीक एक आसान जमा कर लेना है (ग़र्ज़ कि बार-बार क़ियामत का इमकान और वाक़े होना सब साबित हो चुका मगर इस पर भी जो लोग न मानें तो आप ग़म न कीजिये क्योंकि) जो-जो कुछ ये लोग (क़ियामत वग़ैरह के बारे में) कह रहे हैं हम ख़ूब जानते हैं (हम ख़ुद समझ लेंगे) और आप उन पर (अल्लाह की तरफ़ से) ज़बरदस्ती करने वाले (करके) नहीं (भेजे गये) हैं (बल्कि सिर्फ़ डराने वाले और बात को पहुँचाने वाले हैं, जब यह बात है) तो आप क़ुरआन के ज़रिये से (आ़म समझाने और ख़िताब से सब को और ख़ास समझाने और नफ़ा देने वाले ख़िताब से सिर्फ़) ऐसे शख़्स को नसीहत करते रहिये जो मेरी वईद से डरता हो (इस डरने वाले की क़ैद लगाकर इस तरफ़ इशारा हो गया कि आप अगरचे नसीहत और तब्लीग़ आ़म करते हैं जैसा सामने है लेकिन फिर भी 'मंय्यख़ाफ़ु वअ़ीदि' "यानी अल्लाह की वईद से डरने वाला" कोई-कोई होता है, पस साबित हुआ कि यह आपके इख़्तियार में नहीं, जब आपके इख़्तियार में नहीं तो फिर बेइख़्तियार बात की फ़िक्र क्या)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيْبٍ٥

(यानी जिस दिन एक पुकारने वाला फ़रिश्ता पास ही से पुकारेगा) इब्ने असाकिर ने ज़ैद

बिन जाबिर शाफ़ई से रिवायत किया है कि यह फ़रिश्ता इस्राफ़ील होगा, जो बैतुल-मुक़द्दस के सख़रा पर खड़ा होकर सारी दुनिया के मुर्दों को यह ख़िताब करेगा किः

"ऐ गली-सड़ी हड्डियो! और रेज़ा-रेज़ा हो जाने वाली खालो! और बिखर जाने वाले बालो! सुन लो- तुमको अल्लाह तआ़ला यह हुक्म देता है कि हिसाब के लिये जमा हो जाओ।" (तफ़सीरे मज़हरी)

यह क़ियामत के दूसरा सूर फूँकने का बयान है जिस से दोबारा आ़लम को ज़िन्दा किया जायेगा, और 'नज़दीक की जगह' से मुराद यह है कि उस वक़्त उस फ़रिश्ते की आवाज़ पास और दूर के सब लोगों को इस तरह पहुचेंगी कि गोया पास ही से पुकार रहा है। हज़रत इक्रिमा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह आवाज़ इस तरह सुनी जायेगी जैसे कोई हमारे कान में आवाज़ दे रहा है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि 'नज़दीक की जगह' से मुराद बैतुल-मुक़द्दस का सख़रा है, क्योंकि वह ज़मीन का बीच है, सब तरफ़ से उसकी लम्बाई और दूरी बराबर है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

يَوْمَ تَشَقَّقُ الْاَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا.

(यानी जब ज़मीन फटकर ये सब मुर्दे निकल आयेंगे और दौड़ते होंगे) हदीस से मालूम होता है कि यह दौड़ना मुल्के शाम की तरफ़ होगा, जहाँ बैतुल-मुक़द्दस के सख़रा पर इस्राफ़ील अ़लैहिस्सलाम निदा (आवाज़) करते होंगे।

जामे तिर्मिज़ी में हज़रत मुआ़विया बिन हैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु व सल्लम ने हाथ मुबारक से मुल्के शाम की तरफ़ इशारा करते हुए फ़रमायाः

مِنْ هٰهُنَا اِلٰى هٰهُنَا تُحْشَرُوْنَ رُكْبَانًا وَّمُشَاةً وَّتُجَرُّوْنَ عَلٰى وُجُوْهِكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ. الحديث (از قرطبی)

"यहाँ से उस तरफ़ (यानी मुल्क शाम की तरफ़) तुम सब उठाये जाओगे कुछ लोग सवार कुछ पैदल और बाज़ों को चेहरों के बल घसीटकर क़ियामत के दिन उस मैदान में लाया जायेगा।"

فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ ۝

(यानी आप वअ़ज़ व नसीहत फ़रमाईये क़ुरआन से उस शख़्स को जो मेरी वईद और डराने से डरता है।)

मतलब यह है कि आपकी तब्लीग़ और वअ़ज़ व नसीहत अगरचे आ़म ही होगी, सभी मख़्लूक़ उसकी मुख़ातब और पाबन्द होगी, मगर उसका असर क़ुबूल वही करेगा जो अल्लाह के अ़ज़ाब और वईद से डरता है।

हज़रत क़तादा रह. इस आयत को पढ़कर यह दुआ़ माँगते थेः

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يَّخَافُ وَعِيْدَكَ وَيَرْجُوْا مَوْعُوْدَكَ يَابَارُّ يَارَحِيْمُ.

"यानी या अल्लाह! हमें उन लोगों में दाख़िल फ़रमा दीजिये जो आपकी अ़ज़ाब की

वईद (डरावे) से डरते हैं और आपके वायदे के उम्मीदवार हैं। ऐ वायदा पूरे करने वाले ऐ रहमत वाले।"

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः क़ाफ़ की तफ़सीर सोलह दिन में आज दिनाँक 17 रबीउल-अव्वल सन् 1391 हिजरी जुमेरात के दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः क़ाफ़ की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अज़्ज़ारियात

सूरः अज़्ज़ारियात मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 60 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

آياتها ٦٠ (٥١) سُوْرَةُ الذّٰرِيٰتِ مَكِّيَّةٌ (٦٧) رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا ۙ فَالْحٰمِلٰتِ وِقْرًا ۙ فَالْجٰرِيٰتِ يُسْرًا ۙ فَالْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا ۙ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۙ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۗ وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۙ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۙ يُّؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ اُفِكَ ۗ قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ غَمْرَةٍ سَاهُوْنَ ۙ يَسْـَٔلُوْنَ اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ ۗ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُوْنَ ۝ ذُوْقُوْا فِتْنَتَكُمْ ۭ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۝ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ اٰخِذِيْنَ مَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۭ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُحْسِنِيْنَ ۭ كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝ وَبِالْاَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝ وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآىِٕلِ وَالْمَحْرُوْمِ ۝ وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ ۙ وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ ۭ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۝ وَفِي السَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُوْنَ ۝ فَوَرَبِّ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِنَّهٗ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ اَنَّكُمْ تَنْطِقُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वज़्ज़ारियाति ज़र्वन् (1) फ़ल्-हामिलाति विक्रन् (2) फ़ल्-जारियाति युस्रन् (3) फ़ल्-मुक़स्सिमाति अम्रन् (4) इन्नमा तू-अ़दू-न लसादिक़ुंव्- (5) व इन्नद्-दी-न ल-वाक़िअ़् (6) वस्समा-इ ज़ातिल्-हुबुकि (7) इन्नकुम् लफ़ी क़ौलिम्-मुख़्तलिफ़ (8) युअ्फ़कु	क़सम है उन हवाओं की जो बिखेरती हैं उड़ाकर (1) फिर उठाने वालियाँ बोझ को (2) फिर चलने वालियाँ नर्मी से (3) फिर बाँटने वालियाँ हुक्म से (4) बेशक जो वायदा किया है तुम से सो सच है (5) और बेशक इन्साफ़ होना ज़रूरी है। (6) क़सम है आसमान जालदार की (7) तुम पड़ रहे हो एक झगड़े की बात में (8) उससे बाज़

अन्हु मन् उफ़िक् (9) क़ुतिलल्-ख़र्रासून (10) अल्लज़ी-न हुम् फ़ी ग़म्-रतिन् साहून (11) यस्अलू-न अय्या-न यौमुद्दीन (12) यौ-म हुम् अलन्नारि युफ़्तनून (13) ज़ूक़ू फ़ित्न-तकुम्, हाज़ल्लज़ी कुन्तुम् बिही तस्तअ्जिलून (14) इन्नल्-मुत्तक़ी-न फ़ी जन्नातिंव्-व अ़ुयून (15) आख़िज़ी-न मा आताहुम् रब्बुहुम्, इन्नहुम् कानू क़ब्-ल ज़ालि-क मुह्सिनीन (16) कानू क़लीलम्-मिनल्लैलि मा यह्-जअ़ून (17) व बिल्-अस्हारि हुम् यस्तग़्फ़िरून (18) व फ़ी अम्वालिहिम् हक़्क़ुल्-लिस्सा-इलि वल्-मह्रूम (19) व फ़िल्अर्ज़ि आयातुल्-लिल्मूक़िनीन (20) व फ़ी अन्फ़ुसिकुम् अ-फ़ला तुब्सिरून (21) व फ़िस्समा-इ रिज़्क़ुकुम् व मा तू-अ़दून (22) फ़-वरब्बिस्समा-इ वल्अर्ज़ि इन्नहू ल-हक़्क़ुम् मिस्-ल मा अन्नकुम् तन्तिक़ून (23) ✿	रहे वही जो फेरा गया। (9) मारे गये अटकल दौड़ाने वाले (10) वे जो ग़फ़लत में हैं भूल रहे (11) पूछते हैं कब है दिन इन्साफ़ का (12) जिस दिन वे आग पर उल्टे सीधे पड़ेंगे (13) चखो मज़ा अपनी शरारत का, यह है जिसकी तुम जल्दी करते थे। (14) अलबत्ता डरने वाले (लोग) बाग़ों में हैं और चश्मों में (15) लेते हैं जो दिया उनको उनके रब ने, वे थे इससे पहले नेकी वाले। (16) वे थे रात को थोड़ा सोते (17) और सुबह के वक़्तों में माफ़ी माँगते (18) और उनके माल में हिस्सा था माँगने वालों का और हारे हुए का। (19) और ज़मीन में निशानियाँ हैं यक़ीन लाने वालों के वास्ते (20) और ख़ुद तुम्हारे अन्दर, सो क्या तुमको सूझता नहीं। (21) और आसमान में है रोज़ी तुम्हारी और जो तुमसे वायदा किया गया (22) सो क़सम है आसमान और ज़मीन के रब की कि यह बात तहक़ीक़ (यक़ीनी और सच्ची) है जैसे कि तुम बोलते हो। (23) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है उन हवाओं की जो ग़ुबार वग़ैरह को उड़ाती हैं, फिर उन बादलों की जो बोझ

(यानी बारिश) को उठाते हैं, फिर उन कश्तियों की जो नरमी से चलती हैं, फिर उन फ़रिश्तों की जो (हुक्म के मुवाफ़िक़ ज़मीन वालों में) चीज़ें बाँटते हैं (जैसे जहाँ जिस क़द्र बारिश का हुक्म होता है जो माद्दा है रिज़्क़ का वहाँ बादलों के ज़रिये से उसी क़द्र पहुँचाते हैं, इसी तरह हदीस के अनुसार माँ के पेट में बच्चे की सूरत में पुल्लिंग यां स्त्रीलिंग पूछकर बनाते हैं, और सुकून व इत्मीनान और रौब भी तक़सीम करते हैं। आगे इन क़समों का जवाब है कि) तुम से जिस (यानी क़ियामत) का वायदा किया जाता है वह बिल्कुल सच है, और (आमाल की) जज़ा (और सज़ा) ज़रूर होने वाली है। (इन क़समों में इशारा है इस तरफ़ कि अल्लाह की क़ुदरत के ये सब अ़जीब व ग़रीब उलट-फेर उसकी ताक़त व क़ुदरत के अ़ज़ीम होने की दलील हैं, फिर ऐसी ज़बरदस्त और अ़ज़ीम क़ुदरत वाली ज़ात को क़ियामत का क़ायम करना क्या मुश्किल है।

ऊपर आयतों में बयान हुए वो कलिमात जिनकी क़सम खाई गयी है इनकी तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हदीसे मरफ़ूअ़ से इसी तरह नक़ल की है जो आगे आती है, और इन चीज़ों का "क़सम के लिये" ख़ास करना शायद इसलिये हो कि इसमें इशारा हो गया मख़्लूक़ की विभिन्न क़िस्मों और जातियों की तरफ़, चुनाँचे फ़रिश्ते आसमानी मख़्लूक़ में से हैं और हवायें व कश्तियाँ ज़मीनी मख़्लूक़ात में से, और बादल फ़िज़ाई मख़्लूक़ात में से, और ज़मीनी चीज़ों में दो चीज़ें जिनमें एक आँख से नज़र आती है दूसरी नज़र नहीं आती शायद इसलिये आई हों कि क़ियामत के मुताल्लिक़ एक मज़मून पर ख़ुद आसमान की क़सम है जैसा कि ऊपर फ़रमाया, यानी) क़सम है आसमान की जिसमें (फ़रिश्तों के चलने के) रास्ते हैं (जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह का इरशाद है— 'व लक़द् ख़लक़्ना फ़ौक़कुम् सब्-अ तराइ-क़' आगे क़सम का जवाब है) कि तुम (यानी सब) लोग (क़ियामत के बारे में) मुख़्तलिफ़ गुफ़्तगू में हो (कोई पुष्टि करता है कोई झुठलाता और इनकार करता है, जैसा कि तीसवें पारे की पहली आयत में इसका ज़िक्र है और दुर्रे मन्सूर में इसकी तफ़सीर इसी मज़मून यानी तस्दीक़ करने और झुठलाने से की गयी है। और आसमान की क़सम से शायद इस तरफ़ इशारा हो कि जन्नत आसमान में है और आसमान में रास्ता भी है, मगर जो हक़ में इख़्तिलाफ़ करेगा उसके लिये राह बन्द हो जायेगी, और उन इख़्तिलाफ़ वालों में) इस (क़ियामत के क़ायम होने और जज़ा के एतिक़ाद) से वही फिरता है जिसको (बिल्कुल ख़ैर व नेकबख़्ती ही से) फिरना होता है (जैसा कि हदीस में है कि "जो शख़्स इससे मेहरूम रहा वह हर ख़ैर से मेहरूम रहा।" और इख़्तिलाफ़ वालों के दूसरे फ़रीक़ का यानी तस्दीक़ करने वालों का हाल इसी के मुक़ाबले से मालूम हो गया कि वे ख़ैर व नेकबख़्ती से फिरे हुए नहीं। अब आगे उन फिरने वालों की निंदा व बुराई है कि) ग़ारत हो जाएँ बे-सनद बातें करने वाले (यानी जो क़ियामत का इनकार करते हैं बिना इसके कि उनके पास कोई उसकी दलील हो) जो कि जहालत में भूले हुए हैं (भूलने से मुराद इख़्तियारी ग़फ़लत है और वे लोग मज़ाक़ उड़ाने और जल्द लाने का मुतालबा करने के तौर पर) पूछते हैं कि बदले का दिन कब होगा? (आगे जवाब है कि वह उस दिन होगा) जिस दिन (कि) वे लोग आग पर रखे जाएँगे (और कहा जायेगा कि) अपनी इस सज़ा का मज़ा चखो, यही है जिसकी तुम जल्दी मचाया करते

थे। (यह जवाब 'जिस दिन वे आग पर उल्टे-सीधे पड़ेंगे' इस तर्ज़ का है जैसे किसी मुजरिम के लिये फाँसी का हुक्म हो जाये, मगर वह अहमक़ सुबूतों और दलीलों के क़ायम होने के बावजूद महज़ इस वजह से कि उसको तारीख़ नहीं बतलाई गयी झुठलाता ही रहे और कहे जाये कि अच्छा वह दिन कब आयेगा? चूँकि यह सवाल ख़ालिस बेअ़क़्ली के सबब है इसलिये जवाब में बजाय तारीख़ बतलाने के यह कहना निहायत मुनासिब होगा कि वह दिन उस वक़्त आयेगा जब तुम फाँसी पर लटका दिये जाओगे)।

(आगे दूसरे फ़रीक़ यानी मोमिनों और आख़िरत की तस्दीक़ करने वालों के सवाब का ज़िक्र है कि) बेशक मुत्तक़ी लोग जन्नतों में और चश्मों में होंगे। (और) उनके रब ने उनको जो (सवाब) अ़ता किया होगा वह उसको (ख़ुशी-ख़ुशी) ले रहे होंगे (और क्यों न हो) वे लोग इससे पहले (यानी दुनिया में) नेक काम करने वाले थे (पस जैसे कि वायदा है कि नेकी के बदले नेकी है' तो उनके साथ यह मामला किया गया। आगे उनके नेक काम करने की थोड़ी तफ़सील है कि) वे लोग (फ़राईज़ व वाजिबात से तरक़्क़ी करके नवाफ़िल और मुस्तहब्बात व तस्बीहात की ऐसी पाबन्दी करने वाले थे कि) रात को बहुत कम सोते थे (यानी रात का ज़्यादा हिस्सा इबादत में ख़र्च करते थे) और (फिर बावजूद इसके अपनी इबादत पर नज़र न करते थे बल्कि) रात के आख़िर में (अपने को इबादत में कोताही करने वाला समझकर) इस्तिग़फ़ार किया करते थे।

(यह तो बदनी इबादत में उनकी हालत थी) और (माली इबादत की यह कैफ़ियत थी कि) उनके माल में सवाली और ग़ैर-सवाली (सब) का हक़ था। (यानी ऐसे एहतिमाम और पाबन्दी से देते थे जैसे उनके ज़िम्मे उनका कुछ आता हो, इससे ज़कात के अ़लावा देना मुराद है (दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास, मुजाहिद और इब्राहीम से यही रिवायत बयान की गयी है)। और यह मतलब नहीं है कि बाग़ों और चश्मों का मिलना नवाफ़िल पर मौक़ूफ़ है, बल्कि यहाँ बुलन्द दर्जों वालों का ज़िक्र फ़रमाया गया है) और (चूँकि काफ़िर क़ियामत के सही होने यानी आने का इनकार करते थे इसलिये आगे उसकी दलील की तरफ़ इशारा है कि) यक़ीन लाने (की कोशिश और तलब करने) वालों के लिये (क़ियामत के मुम्किन और वाक़े होने पर) ज़मीन (की कायनात) में बहुत-सी निशानियाँ (और दलीलें) हैं और ख़ुद तुम्हारी ज़ात में भी (यानी तुम्हारे ज़ाहिरी व बातिनी विभिन्न अहवाल भी दलीलें हैं क़ियामत के मुम्किन होने की, क्योंकि कायनात और इनसानों की ज़ात के मामलात व हालात यक़ीनन क़ुदरत के मातहत हैं और ज़ाती क़ुदरत की निस्बत तमाम मुम्किन चीज़ों के साथ बराबर है, और जबकि क़ियामत के नामुम्किन होने की कोई दलील नहीं तो क़ियामत भी मुम्किन चीज़ों में से है, पस वह भी अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत में है, और चूँकि इन दलीलों की दलालत बहुत स्पष्ट थी इसलिये डाँटने और डराने के तौर पर फ़रमाते हैं कि जब ऐसी दलीलें मौजूद हैं) तो क्या तुमको (मतलूब फिर भी) दिखाई नहीं देता। (रहा उसके आने के वक़्त को मुतैयन करना जिसके निर्धारित न होने से वे उसके न आने पर दलील पकड़ते थे, सो उसके बारे में यह है कि) और तुम्हारा रिज़्क़ और जो तुमसे (क़ियामत के मुताल्लिक़) वायदा किया जाता है (उन) सब का (मुतैयन वक़्त) आसमान में (जो लौहे

महफ़ूज़ है उसमें दर्ज) है, (ज़मीन पर उसका यक़ीनी इल्म किसी मस्लेहत के सबब नाज़िल नहीं किया गया। चुनाँचे 'और वही बारिश बरसाता है' में भी नहीं बतलाया गया, और देखा भी जाता है कि यक़ीनी निर्धारण किसी को नहीं मालूम, लेकिन जब बावजूद निर्धारित वक़्त का इल्म न होने के रिज़्क़ का वजूद यक़ीनी है फिर क़ियामत की इस तारीख़ के मुतैयन न होने से क़ियामत का क़ायम न होना कैसे लाज़िम आ गया, और ऐसे दलील लेने की तरफ़ इशारा करने के लिये "मा तू-अदू-न" के साथ 'रिज़्क़ुकुम' बढ़ा दिया। आगे इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फ़रमाते हैं कि जब न होने की कोई दलील नहीं और होने की दलील है) तो क़सम है आसमान और ज़मीन के परवर्दिगार की कि वह (बदले का दिन) बरहक़ (और ऐसा यक़ीनी) है जैसे कि तुम बातें कर रहे हो (कभी इसमें शक नहीं होता, इसी तरह उसको यक़ीनी समझो)।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरः ज़ारियात में भी इससे पहली सूरत सूरः क़ॉफ़ की तरह ज़्यादातर मज़ामीन आख़िरत व क़ियामत और उसमें मुर्दों के ज़िन्दा होने, हिसाब-किताब और सवाब व अज़ाब से संबन्धित हैं।

पहली चन्द आयतों में अल्लाह तआ़ला ने चन्द चीज़ों की क़सम खाकर फ़रमाया है कि क़ियामत के मुताल्लिक़ जिन चीज़ों का वायदा किया गया है वह सच्चा वायदा है, जिन चीज़ों की क़सम खाई है वो चार हैं:

الذّٰرِيٰتِ ذَرْوًا، الْحٰمِلٰتِ وِقْرًا، الْجٰرِيٰتِ يُسْرًا، الْمُقَسِّمٰتِ اَمْرًا.

एक मरफ़ूअ़ हदीस में जिसको इमाम इब्ने कसीर ने ज़ईफ़ (कमज़ोर) कहा है, और हज़रत फ़ारूक़े आज़म और हज़रत अ़ली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मौक़ूफ़न इन चारों चीज़ों के मायने और मफ़्हूम यह बतलाया गया है कि 'ज़ारियात' से मुराद वो हवायें हैं जिनके साथ ग़ुबार होता है, और "हामिलाते विक्रन्" के लफ़्ज़ी मायने बोझ उठाने वाले के हैं, इससे मुराद बादल हैं जो पानी का बोझ उठाये होते हैं, और "जारियाति युस्रन्" से मुराद किश्तियाँ हैं जो पानी में आसानी के साथ चलती हैं, और 'मुक़स्सिमाति अम्रन्' से मुराद वे फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से आ़म मख़्लूक़ात में रिज़्क़ और बारिश का पानी और तकलीफ़ व राहत की मुख़्तलिफ़ क़िस्में तक़दीरे इलाही के मुताबिक़ तक़सीम करते हैं, तफ़सीर इब्ने कसीर, तफ़सीरे क़ुर्तुबी और तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में ये मरफ़ूअ़ और मौक़ूफ़ रिवायतें बयान हुई हैं।

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْحُبُكِ ۝ اِنَّكُمْ لَفِيْ قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ ۝

"हुबुक" हबीका की जमा (बहुवचन) है, कपड़े की बनावट में जो धारियाँ हो जाती हैं उनको हुबुक कहा जाता है, वो चूँकि रास्ते और सड़क के जैसी होती हैं इसलिये रास्तों को भी हुबुक कह दिया जाता है। बहुत से हज़राते मुफ़स्सिरीन ने इस जगह यही मायने मुराद लिये हैं कि क़सम है आसमान की जो रास्तों वाला है, रास्तों से वो रास्ते भी मुराद हो सकते हैं जिनसे फ़रिश्ते आते-जाते हैं, और इससे मुराद सितारों और सय्यारों (ग्रहों) के रास्ते और उनके मदार

(घूमने के दायरे) भी हो सकते हैं, जो देखने वालों को आसमान में नज़र आते हैं।

और चूँकि ये बनावट की धारियाँ कपड़े की ज़ीनत और हुस्न भी होती हैं, इसलिये कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने यहाँ 'हुबुक' के मायने ज़ीनत और हुस्न के लिये हैं कि क़सम है आसमान की जो हुस्न व ज़ीनत वाला (यानी सजा हुआ) है, यह क़सम जिस मज़मून के लिये आई है वह 'इन्नकुम् लफ़ी क़ौलिम् मुख़्तलिफ़िन्' में मज़कूर है, बज़ाहिर इसके मुख़ातिब मक्का के मुश्रिक लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में विभिन्न, अलग-अलग तरह की और विपरीत क़िस्म की बातें कहा करते थे, कभी मजनूँ, कभी जादूगर, कभी शायर वग़ैरह के बेहूदा ख़िताब देते थे, और एक गुमान व संभावना यह भी है कि इसके मुख़ातब आ़म उम्मत के मुस्लिम व काफ़िर सब लोग हों, और 'क़ौले मुख़्तलिफ़' यानी झगड़े और अलग-अलग तरह की बात से मुराद यह हो कि बाज़े तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाते और तस्दीक़ करते हैं, बाज़े इनकार व मुख़ालफ़त से पेश आते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ٥

'उफ़िक' के लफ़्ज़ी मायने फिर जाने, विमुख हो जाने के हैं। और 'अन्हु' की ज़मीर में दो संभावनायें हैं- दोनों के मायने अलग-अलग हैं, एक शुब्हा व संभावना तो यह है कि ज़मीर (इशारा) क़ुरआन और रसूल की तरफ़ लौट रही हो, और मायने यह हों कि क़ुरआन और रसूल से वही बदनसीब विमुख होता और फिरता है जिसके लिये मेहरूमी मुक़द्दर हो चुकी है। और दूसरा एहतिमाल (शुब्हा व संभावना) यह है कि यह ज़मीर 'क़ौले मुख़्तलिफ़' की तरफ़ लौट रही हो और मायने यह हों कि तुम्हारे विभिन्न, अलग-अलग और एक दूसरे के विपरीत क़ौलों की वजह से वही शख़्स क़ुरआन व रसूल का मुन्किर होता है जो बदनसीब मेहरूम ही हो।

قُتِلَ الْخَرّٰصُوْنَ٥

'ख़र्रास' के लफ़्ज़ी मायने अन्दाज़ा लगाने वाले और गुमान व तख़्मीने से बात करने वाले के हैं। इससे मुराद वे 'क़ौले मुख़्तलिफ़' (अलग-अलग तरह की बातें करने) वाले काफ़िर व इनकारी लोग हैं जो बग़ैर किसी दलील और वजह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में अलग-अलग तरह की और विरोधाभासी बातें कहते हैं, इसलिये यहाँ ख़र्रासून का तर्जुमा कज़्ज़ाबून (झूठ बोलने वालों) से भी कर दिया जाये तो बईद नहीं, उनके लिये इस जुमले में बद्दुआ़ है, जो हक़ीक़त में लानत के मायने में है (तफ़सीरे मज़हरी)। काफ़िरों के ज़िक्र के बाद मुत्तक़ी मोमिनों का ज़िक्र कई आयतों में आया है।

इबादत में रात को जागना और उसकी तफ़सील

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ٥

'यह्जऊ़न' हजूअ़ से निकला है जिसके मायने रात को सोने के आते हैं। इसमें नेक व मुत्तक़ी मोमिनों की यह सिफ़त बयान फ़रमाई है कि वे रात को अल्लाह तआ़ला की इबादत में

गुज़ारते हैं, सोते कम हैं जागते ज़्यादा हैं, और वक़्त नमाज़ व इबादत में गुज़ारते हैं। यह तफ़सीर इमाम इब्ने जरीर ने इख़्तियार की है, और हज़रत हसन बसरी रह. से यही मन्क़ूल है कि मुत्तक़ी हज़रात रात को जागने और इबादत करने की मशक़्क़त उठाते हैं और बहुत कम सोते हैं। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, क़तादा, मुजाहिद वग़ैरह तफ़सीर के इमामों ने इस जुमले का मतलब हर्फ़ मा को इसमें नफ़ी के लिये क़रार देकर यह बतलाया है कि रात को थोड़ा सा हिस्सा उन पर ऐसा भी आता है जिसमें वे सोते नहीं बल्कि नमाज़ वग़ैरह की इबादत में मशग़ूल रहते हैं। इस मफ़्हूम के एतिबार से वे सब लोग इसका मिस्दाक़ हो जाते हैं जो रात के किसी भी हिस्से में इबादत कर लें, चाहे शुरू में या आख़िर में या दरमियान में, इसी लिये हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु और अबुल-आ़लिया रह. ने इसका मिस्दाक़ उन लोगों को क़रार दिया जो मग़रिब व इशा के बीच नमाज़ पढ़ते हैं, और इमाम अबू जाफ़र बाक़र रह. ने फ़रमाया कि जो लोग इशा की नमाज़ से पहले न सोयें वे भी इसमें दाख़िल हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

हज़रत हसन बसरी रह. ने अह्नफ़ बिन क़ैस से नक़ल किया है कि वह फ़रमाते थे कि मैंने अपने अ़मल की जन्नत वालों के आमाल से तुलना की तो यह देखा कि वह एक ऐसी क़ौम है जो हमसे बहुत बुलन्द व बाला और विशेष व नुमायाँ है, वह एक ऐसी क़ौम है कि हमारे आमाल उनके दर्जे तक नहीं पहुँचते क्योंकि वे लोग रातों में सोते कम हैं इबादत ज़्यादा करते हैं। फिर मैंने अपने आमाल की जहन्नम वालों के आमाल से तुलना की तो देखा कि वे अल्लाह व रसूल को झुठलाने वाले और क़ियामत का इनकार करने वाले हैं (जिन चीज़ों से अल्लाह तआ़ला ने हमें महफ़ूज़ रखा) इसलिये हमारे आमाल तुलना के वक़्त न असल जन्नत वालों के दर्जे को पहुँचते हैं और न (अल्लाह का शुक्र है) जहन्नम वालों के साथ मिलते हैं, तो मालूम हुआ कि हमारा दर्जा अ़मल के एतिबार से वह है जिनका क़ुरआने करीम ने इन अलफ़ाज़ से ज़िक्र फ़रमाया है:

خَلَطُوْا عَمَلًا صَالِحًا وَّاٰخَرَ سَيِّئًا.

यानी वे लोग जिन्होंने अच्छे-बुरे आमाल मिला-जुलाकर कर रखे हैं, तो हम में बेहतर आदमी वह है जो कम से कम इस तबक़े की हदों में रहे।

और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन ज़ैद बिन असलम रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि बनू तमीम के एक शख़्स ने मेरे वालिद से कहा कि ऐ अबू उसामा! हम अपने अन्दर वह सिफ़त नहीं पाते जो अल्लाह तआ़ला ने मुत्तक़ी लोगों के लिये ज़िक्र फ़रमाई है, यानी:

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ○

क्योंकि हमारा हाल तो यह है कि:

قَلِيْلًا مِّنَ الَّيْلِ مَا نَقُوْمُ.

"यानी रात में बहुत कम जागते और इबादत करते हैं। मेरे वालिद ने इसके जवाब में फ़रमाया:

طوبی لمن رَقد اذا نعس واتقی اللہ اذا استیقظ. (ابن کثیر)

"ख़ुशख़बरी है उस शख़्स के लिये जिसको नींद आये तो सो जाये मगर जब बेदार हो तो तक़वा (नेकी व परहेज़गारी) इख़्तियार करे, यानी शरीअ़त के ख़िलाफ़ कोई काम न करे।"

मतलब यह है कि अल्लाह के यहाँ मक़बूलियत सिर्फ़ रात को बहुत जागने में मुन्हसिर नहीं, जो शख़्स नींद से मजबूर हो और रात में ज़्यादा न जागे मगर जागने की हालत में गुनाह व नाफ़रमानी से बचे वह भी मुबारकबाद के क़ाबिल है।

हदीस में अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद यह मन्क़ूल है:

يَآ اَيُّهَا النَّاسُ اَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْاَرْحَامَ وَاَفْشُوا السَّلَامَ وَصَلُّوْا بِالَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ.

(ابن کثیر)

"ऐ लोगो! तुम लोगों को खाना खिलाओ, रिश्तेदारों से सिला-रहमी करो, और सलाम हर शख़्स मुसलमान को करो और रात को उस वक़्त नमाज़ पढ़ो जब लोग सो रहे हों तो सलामती के साथ जन्नत में दाख़िल हो जाओगे।"

रात के आख़िरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार की बरकतें व फ़ज़ाईल

وَبِالْاَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ○

(यानी तक़्वे वाले मोमिन हज़रात रात के आख़िरी हिस्से (यानी सहर के वक़्त में) अपने गुनाहों से इस्तिग़फ़ार करते हैं। अस्हार सहर की जमा (बहुवचन) है, रात के आख़िरी छठे हिस्से को सहर कहा जाता है) रात के इस आख़िरी हिस्से में इस्तिग़फ़ार करने की फ़ज़ीलत इस आयत में भी है, और एक दूसरी आयत 'वल्-मुस्तग़्फ़िरी-न बिल्-अस्हार' में भी। हदीस की मशहूर बड़ी और सही किताबों में यह हदीस बयान हुई है कि अल्लाह तआ़ला हर रात को आख़िरी तिहाई हिस्से में दुनिया वाले आसमान पर अपनी तवज्जोह नाज़िल फ़रमाते हैं (जो उनकी शान के मुनासिब है, उसकी हक़ीक़त किसी को मालूम नहीं) और ऐलान फ़रमाते हैं कि है कोई तौबा करने वाला जिसकी मैं तौबा क़ुबूल करूँ? है कोई इस्तिग़फ़ार करने वाला कि मैं उसकी मग़फ़िरत करूँ? (तफ़सीर इब्ने कसीर)

यहाँ यह बात ग़ौर करने के क़ाबिल है कि इस रात के आख़िरी हिस्से के इस्तिग़फ़ार में उन मुत्तक़ी लोगों का बयान हो रहा है जिनका हाल इससे पहली आयत में यह बतलाया गया है कि रात को अल्लाह की इबादत में मशग़ूल रहते हैं, बहुत कम सोते हैं, इन हालात में इस्तिग़फ़ार करने का बज़ाहिर कोई जोड़ मालूम नहीं होता, क्योंकि मग़फ़िरत तो गुनाह से तलब की जाती है, जिन लोगों ने सारी रात इबादत में गुज़ार दी वे आख़िर में इस्तिग़फ़ार किस गुनाह से करते हैं?

जवाब यह है कि उन हज़रात को चूँकि हक़ तआ़ला की मारिफ़त (पहचान) हासिल है अल्लाह तआ़ला की शान की बड़ाई को पहचानते हैं और अपनी सारी इबादत को उसकी शायाने

शान नहीं देखते, इसलिये अपनी इस कोताही व कमी से इस्तिग़फ़ार करते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

सदक़ा व ख़ैरात करने वालों को ख़ास हिदायत

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ○

साईल से मुराद वह ग़रीब हाजत मन्द है जो अपनी हाजत (ज़रूरत) लोगों के सामने ज़ाहिर कर देता है और लोग उसकी मदद करते हैं, और महरूम से मुराद वह शख़्स है कि फ़क़ीर व मुफ़लिस और ज़रूरत मन्द होने के बावजूद अपनी तबीयत की शराफ़त के सबब अपनी हाजत किसी पर ज़ाहिर नहीं करता, इसलिये लोगों की इमदाद से मेहरूम रहता है। इस आयत में मुत्तक़ी मोमिनों की यह सिफ़त बतलाई गई कि वह अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने के वक़्त सिर्फ़ साईल लोगों यानी अपनी हाजतें ज़ाहिर करने वालों ही को नहीं देते बल्कि ऐसे लोगों पर भी नज़र रखते और हालात की तहक़ीक़ से बाख़बर रहते हैं जो अपनी हाजत (ज़रूरत) किसी से कहते नहीं।

और ज़ाहिर है कि आयत का मक़सद यह है कि यह मोमिन मुत्तक़ी हज़रात सिर्फ़ बदनी इबादत नमाज़ और रात को जागने पर इक्तिफ़ा नहीं करते बल्कि माली इबादत में भी उनका बड़ा हिस्सा रहता है, कि माँगने वालों के अलावा ऐसे लोगों पर भी नज़र रखते हैं जो शराफ़त के सबब अपनी हाजत किसी पर ज़ाहिर नहीं करते, मगर इस माली इबादत का ज़िक्र क़ुरआने करीम ने इस उनवान से फ़रमाया है:

وَفِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ.

यानी ये लोग जिन ग़रीबों व मिस्कीनों पर ख़र्च करते हैं उन पर कोई एहसान नहीं जतलाते, बल्कि यह समझकर देते हैं कि ख़ुदा के दिये हुए हमारे मालों में उनका भी हक़ है, और हक़दार का हक़ उसको पहुँचा देना कोई एहसान नहीं हुआ करता, बल्कि एक हक़ और ज़िम्मेदारी से अपनी फ़रागत (फ़ारिग़ व हल्का होना) होता है।

कायनात और इनसान की ज़ात दोनों में क़ुदरत की निशानियाँ

وَفِي الْاَرْضِ اٰيٰتٌ لِّلْمُوْقِنِيْنَ○

(यानी ज़मीन में क़ुदरत की बहुत निशानियाँ हैं यक़ीन करने वालों के लिये) पिछली आयतों में अव्वल काफ़िरों व इनकारी लोगों का हाल और बुरा अन्जाम बतलाया गया है, फिर मुत्तक़ी मोमिनों के हालात व सिफ़ात और उनके बुलन्द दर्जों का ज़िक्र फ़रमाया, अब फिर काफ़िरों और क़ियामत का इनकार करने वालों के हाल की तरफ़ ग़ौर और अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरत की निशानियाँ उनके सामने करके इनकार से बाज़ आ जाने की हिदायत है। तो इस जुमले का ताल्लुक़ पहले गुज़रे जुमले (इन्नकुम् लफ़ी क़ौलिम् मुख़्तलिफ़िन्) से हुआ, जिसमें क़ुरआन व रसूल से इनकार का ज़िक्र है।

और तफ़सीरे मज़हरी में इसको भी मुत्तक़ी मोमिनों ही की सिफ़ात में दाख़िल किया है, और

मूक़िनीन से मुराद वही मुत्तक़ी हज़रात हैं, और इसमें उनका यह हाल बतलाया गया है कि वे अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत की निशानियाँ जो ज़मीन व आसमान में फैली हुई हैं उनमें ग़ौर व फ़िक्र और सोच-विचार से काम लेते हैं जिसके नतीजे में उनका ईमान व यक़ीन बढ़ता है, जैसा कि एक दूसरी आयत में उनके बारे में इरशाद है:

وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.

और ज़मीन में क़ुदरत की जिन निशानियों का ज़िक्र फ़रमाया है वो बेशुमार हैं। ज़मीन में पेड़-पौधों और बाग़ों ही को देखो, उनकी क़िस्में व प्रजातियाँ, उनके रंग व बू, एक-एक पत्ते की पैदाईश में हुस्न व ख़ूबसूरती का कमाल, फिर उनमें से हर एक की ख़ासियतों व आसार में विविधता और भिन्नता की हज़ारों क़िस्में। इसी तरह ज़मीन में नहरें, कुएँ और पानी के दूसरे स्रोत व केन्द्र और उनसे तैयार होने वाली लाखों क़िस्म की मख़्लूक़ात, ज़मीन के पहाड़ और ग़ार, ज़मीन में पैदा होने वाले जानवर और उनकी अनगिनत क़िस्में व प्रजातियाँ, हर एक के हालात और फ़ायदे अलग-अलग। ज़मीन में पैदा होने वाले इनसानों के हालात अलग-अलग, क़बीलों और विभिन्न ख़ित्तों के इनसानों में रंग और भाषा का भेद व फ़र्क़, अख़्लाक़ व आ़दतों का अलग-अलग व भिन्न होना वग़ैरह जिनमें आदमी ग़ौर करे तो एक-एक चीज़ में अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत व हिक्मत के इतने मज़ाहिर (निशानात) पायेगा कि गिन पाना भी मुश्किल है।

وَفِيْٓ اَنْفُسِكُمْ، اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ۝

इस जगह क़ुदरत की निशानियों के बयान में आसमान और फ़िज़ाई मख़्लूक़ात का ज़िक्र छोड़कर सिर्फ़ ज़मीन का ज़िक्र फ़रमाया है जो इनसान के बहुत क़रीब है, जिस पर इनसान बसता और चलता फिरता है। इस आयत में इससे भी ज़्यादा क़रीब यानी ख़ुद इनसान की ज़ात की तरफ़ तवज्जोह दिलाई कि ज़मीन और ज़मीन की मख़्लूक़ात को भी छोड़ो ख़ुद अपने वजूद अपने जिस्म और इसके अंगों व बदनी हिस्सों ही में ग़ौर कर लो तो एक-एक अंग व हिस्से को हक़ तआ़ला की हिक्मत का एक दफ़्तर पाओगे, और समझ लोगे कि सारे आ़लम में जो हक़ तआ़ला की क़ुदरत की निशानियाँ हैं इनसान के अपने छोटे से वजूद में वो सब गोया सिमट आई हैं, इसी लिये इनसान के वजूद को एक छोटी दुनिया कहा जाता है कि सारे आ़लमे दुनिया की मिसालें इनसान के वजूद में मौजूद हैं। इनसान अगर अपनी पैदाईश की शुरूआत से लेकर मौत तक के पेश आने वाले हालात में ही ग़ौर व विचार करने लगे तो उसको हक़ तआ़ला गोया अपने सामने नज़र आने लगें, कि किस तरह एक इनसानी नुत्फ़ा (वीर्य का क़तरा) दुनिया के मुख़्तलिफ़ और विभिन्न ख़ित्तों की ग़िज़ाओं और दुनिया में बिखरे हुए लतीफ़ हिस्सों का ख़ुलासा बनकर माँ के पेट में तैयार हुआ, फिर किस तरह नुत्फ़े से एक जमा हुआ ख़ून बना, फिर उस जमे हुए ख़ून से गोश्त का टुकड़ा बना, फिर किस तरह उसमें हड्डियाँ बनाई गयीं, फिर उन पर गोश्त चढ़ाया गया, फिर किस तरह इस बेजान पुतले में जान डाली गयी और इसकी पैदाईश को पूरा करके इस दुनिया में लाया गया। फिर किस तरह धीरे-धीरे तरक़्क़ी करके एक बेइल्म

बेशऊर बच्चे से एक अ़क्लमन्द और सक्रिय इनसान बनाया गया, और किस तरह उनकी सूरतें और शक्लें अलग-अलग बनाई गयीं कि अरबों पदमों इनसानों में एक का चेहरा दूसरे से बिल्कुल अलग और नुमायाँ नज़र आता है। इस चन्द इंच के रक़बे में ऐसे फ़र्क़ और ख़ास फ़र्क़ रखना किसके बस की बात है, फिर उनकी तबीयतों और मिज़ाजों में भिन्नता और विविधता और उस भिन्नता और अलग-अलग होने के बावजूद एक तरह की समानता, यह सब उस कामिल क़ुदरत की करिश्मा साज़ी है जो बेमिस्ल और बेमिसाल है, वाक़ई क्या बड़ी शान है अल्लाह की जो सबसे बेहतर बनाने वाला है।

ये वो चीज़ें हैं जिनको हर इनसान कहीं बाहर और दूर नहीं ख़ुद अपने ही वजूद में दिन-रात देखता और अनुभव करता है इसके बावजूद भी अगर वह अल्लाह जल्ल शानुहू और उनकी कामिल क़ुदरत को स्वीकार न करे और इक़रार न करे तो कोई अन्धा ही हो सकता है जिसको कुछ न सूझे, इसी लिये आख़िर में फ़रमायाः

أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۝

"यानी क्या तुम देखते नहीं।"

इशारा इस तरफ़ है कि इसमें कुछ ज़्यादा अ़क्ल व समझ का भी काम नहीं, निगाह ही दुरुस्त हो तो इस नतीजे पर पहुँच सकता है।

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ۝

(यानी आसमान में है तुम्हारा रिज़्क़ और जो कुछ तुमसे वायदा किया जाता है।)

इसकी स्पष्ट और बेतकल्लुफ़ तफ़सीर वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इख़्तियार की गयी, यानी आसमान में होने से मुराद आसमान में लौह-ए-महफ़ूज़ के अन्दर लिखा होना मुराद है, और यह ज़ाहिर है कि हर इनसान का रिज़्क़ और जो कुछ उससे वायदे किये गये और उसका जो कुछ अन्जाम होना है वह सब लौह-ए-महफ़ूज़ में लिखा हुआ है।

हदीस में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर तुम में से कोई शख़्स अपने तयशुदा रिज़्क़ से बचने और भागने की भी कोशिश करे तो रिज़्क़ उसके पीछे-पीछे भागेगा, जैसे मौत से इनसान भाग नहीं सकता ऐसे ही रिज़्क़ से भी फ़रार मुम्किन नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि रिज़्क़ से मुराद बारिश है, इस सूरत में इसका आसमान में होना इस सूरत से होगा कि आसमान से मुराद यहाँ आसमानों का जिस्म न हो बल्कि ऊपर का हिस्सा मुराद हो जिसमें आसमानी फ़िज़ा भी दाख़िल है, तो बारिश जो बादलों से बरसती है उसको भी आसमान में कहा जा सकता है, और 'जो तुमसे वायदा किया जाता है' से मुराद जन्नत और उसकी नेमतें हैं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला अअ़्लम

إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ۝

(यानी जिस तरह तुम्हें अपने-अपने कलाम करने में कोई शुब्हा नहीं होता इसी तरह

क़ियामत का आना भी ऐसा ही वाज़ेह और खुला हुआ है, इसमें किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं) इनसान जिन चीज़ों को महसूस करता है उनका ताल्लुक़ देखने, सुनने, चखने, छूने और सूँघने से है, उन सब में से इस जगह नुत्क़ यानी बोलने को ख़ास तौर से शायद इसलिये चुना गया कि मज़कूरा सब महसूस की गयी चीज़ों में कभी-कभी किसी बीमारी वग़ैरह के सबब से धोखा व संदेह हो जाता है, देखने सुनने में फ़र्क़ हो जाना परिचित है, बीमारी में कई बार ज़ायक़ा ख़राब होकर मीठे को कड़वा बतलाने लगता है, मगर बोलना और बात करना ऐसी चीज़ है कि इसमें किसी धोखे और भ्रम का शुब्हा तक नहीं हो सकता। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

هَلْ أَتٰىكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرٰهِيمَ الْمُكْرَمِينَ ۝24 إِذْ دَخَلُوا
عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلٰمًا ۖ قَالَ سَلٰمٌ ۚ قَوْمٌ مُّنْكَرُونَ ۝25 فَرَاغَ إِلٰىٓ أَهْلِهٖ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ۝26 فَقَرَّبَهٗٓ إِلَيْهِمْ
قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ ۝27 فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً ۖ قَالُوا لَا تَخَفْ ۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلٰمٍ عَلِيمٍ ۝28 فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهٗ فِي
صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ ۝29 قَالُوا كَذٰلِكِ ۖ قَالَ رَبُّكِ ۖ إِنَّهٗ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ۝30
قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۝31 قَالُوٓا إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۝32 لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً
مِّنْ طِينٍ ۝33 مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ۝34 فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۝35 فَمَا
وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ۝36 وَتَرَكْنَا فِيهَآ اٰيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۝37
وَفِي مُوسٰىٓ إِذْ أَرْسَلْنٰهُ إِلٰى فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۝38 فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ وَقَالَ سٰحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ ۝39
فَأَخَذْنٰهُ وَجُنُودَهٗ فَنَبَذْنٰهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ ۝40 وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ ۝41 مَا
تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ ۝42 وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتّٰى حِينٍ ۝43 فَعَتَوْا
عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصّٰعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝44 فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَّمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ۝45
وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فٰسِقِينَ ۝46

हल् अता-क हदीसु ज़ैफ़ि इब्राहीमल्-मुक्रमीन। (24) इज़् द-ख़लू अ़लैहि फ़क़ालू सलामन्, क़ा-ल सलामुन् क़ौमुम्-मुन्करून (25) फ़रा-ग़ इला अह़्लिही फ़जा-अ बिअ़िज्लिन् समीन (26) फ़-क़र्र-बहू इलैहिम् क़ा-ल	क्या पहुँची है तुझको बात इब्राहीम के मेहमानों की जो इज़्ज़त वाले थे। (24) जब अन्दर पहुँचे उसके पास तो बोले सलाम, वह बोला सलाम है, ये लोग हैं ओपरे। (25) फिर दौड़ा अपने घर को तो ले आया एक बछड़ा घी में तला हुआ (26) फिर उनके सामने रखा, कहा तुम

अला तअ्कुलून (27) फ़औज-स मिन्हुम् ख़ी-फ़तन्, क़ालू ला तख़फ़्, व बश्श-रूहु बिग़ुलामिन् अ़लीम (28) फ़-अक़्ब-लतिम्-र-अतुहू फ़ी सर्रतिन् फ़-सक्कत् वज्हहा व क़ालत् अ़जूज़ुन् अ़क़ीम (29) क़ालू कज़ालिकि क़ा-ल रब्बुकि, इन्नहू हुवल् हकीमुल्-अ़लीम (30)

क़ा-ल फ़मा ख़त्बुकुम् अय्युहल्-मुर्सलून (31) क़ालू इन्ना उर्सिल्ना इला क़ौमिम्-मुज्रिमीन (32) लिनुर्सि-ल अ़लैहिम् हिजा-रतम् मिन् तीन (33) मुसव्व-मतन् अ़िन्-द रब्बि-क लिल्-मुस्रिफ़ीन (34) फ़-अख़्रज्ना मन् का-न फ़ीहा मिनल्-मुअ्मिनीन (35) फ़मा वजद्ना फ़ीहा ग़ै-र बैतिम्-मिनल्-मुस्लिमीन (36) व तरक्ना फ़ीहा आ-यतल्-लिल्लज़ी-न यख़ाफ़ूनल्-अ़ज़ाबल्-अलीम (37) व फ़ी मूसा इज़् अर्सल्नाहु इला फ़िर्औ-न बिसुल्तानिम्-मुबीन (38) फ़-तवल्ला बिरुक्निही व क़ा-ल साहिरुन् औ मज्नून (39) फ़-अख़ज़्नाहु व जुनू-दहू फ़-नबज़्नाहुम् फ़िल्यम्मि व हु-व मुलीम (40) व फ़ी आ़दिन्

खाते क्यों नहीं? (27) फिर जी में घबराया उनके डर से, बोले तू मत डर और ख़ुशख़बरी दी उसको एक होशियार लड़के की। (28) फिर सामने से आई उसकी औरत बोलती हुई फिर पीटा अपना माथा और कहने लगी कहीं बुढ़िया बाँझ (29) वे बोले यूँ ही कहा तेरे रब ने, वह जो है वही है हिक्मत वाला ख़बर रखने वाला। (30)

बोला फिर क्या मतलब है तुम्हारा ऐ भेजे हुओ। (31) वे बोले हमको भेजा गया है एक गुनाहगार क़ौम पर (32) कि छोड़ें हम उन पर पत्थर मिट्टी के (33) निशान पड़े हुए तेरे रब के यहाँ से हद से निकल चलने वालों के लिये। (34) फिर बचा निकाला हमने जो था वहाँ ईमान वाला (35) फिर न पाया हमने उस जगह सिवाय एक घर के मुसलमानों से (36) और बाक़ी रखा हमने उसमें निशान उन लोगों के लिये जो डरते हैं दर्दनाक अ़ज़ाब से। (37) और निशानी है मूसा (के हाल) में जब भेजा हमने उसको फ़िरऔन के पास देकर खुली सनद (38) फिर उसने मुँह मोड़ लिया अपने ज़ोर पर और बोला यह जादूगर है या दीवाना। (39) फिर पकड़ा हमने उसको और उसके लश्करों को फिर फेंक दिया उनको दरिया में और उस पर लगा इल्ज़ाम। (40) और निशानी है आ़द में

इज़् अर्सल्ना अ़लैहिमुर्-रीहल्-अ़क़ीम (41) मा त-ज़रु मिन् शैइन् अतत् अ़लैहि इल्ला ज-अ़लत्हु कर्-रमीम (42) व फ़ी समू-द इज़् क़ी-ल लहुम् त-मत्तअ़ू हत्ता हीन (43) फ़-अ़तौ अ़न् अम्रि रब्बिहिम् फ़-अ-ख़ज़त्हुमुस्-साअ़ि-क़तु व हुम् यन्ज़ुरून (44) फ़मस्तताअ़ू मिन् क़ियामिंव्-व मा कानू मुन्तसिरीन (45) व क़ौ-म नूहिम्-मिन् क़ब्लु, इन्नहुम् कानू क़ौमन् फ़ासिक़ीन (46) ✿	जब भेजी हमने उन पर हवा ख़ैर से ख़ाली (41) नहीं छोड़ती किसी चीज़ को जिस पर गुज़रे कि न कर डाले उसको जैसे चूरा। (42) और निशानी है समूद में जब कहा उनको बरत लो एक वक़्त तक (43) फिर शरारत करने लगे अपने रब के हुक्म से, फिर पकड़ा उनको कड़क ने और वे देखते थे (44) फिर न हो सका उनसे कि उठें और न हुए कि बदला लें (45) और हलाक किया नूह की क़ौम को इस से पहले, तहक़ीक़ वे थे नाफ़रमान लोग। (46) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) क्या इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के मुअ़ज़्ज़ज़ "यानी सम्मानित" मेहमानों की हिकायत आप तक पहुँची है? (मुअ़ज़्ज़ज़ या तो इसलिये कहा कि वे फ़रिश्ते थे जिनकी शान में है 'बल् अ़िबादुम् मुक्रमून' और या इसलिये कहा कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने अपनी आ़दत के मुवाफ़िक़ उनका सम्मान किया था, और मेहमान कहना उस ज़ाहिरी हालत की बिना पर है कि वे इनसान की शक्ल में आये थे, और यह क़िस्सा उस वक़्त हुआ था) जबकि वे (मेहमान) उनके पास आये फिर उनको सलाम किया, (हज़रत) इब्राहीम ने भी (जवाब में) कहा- सलाम, (और कहने लगे कि) अनजान लोग (मालूम होते) हैं। (ज़ाहिर तो यही है कि दिल में सोचा, इशारा इसका यह है कि आगे फ़रिश्तों का जवाब ज़िक्र नहीं हुआ, और एक दूर की संभावना यह भी है कि पूछने के तौर पर उन्हीं से कह दिया हो कि आप लोगों को पहचाना नहीं, और उन्होंने जवाब न दिया हो और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जवाब का इन्तिज़ार न किया हो, ग़र्ज़ कि सलाम व कलाम होकर) फिर अपने घर की तरफ़ चले और एक मोटा-ताज़ा बछड़ा (तला हुआ जैसा कि अल्लाह तआ़ला के क़ौल 'बिअ़िज्लिन् हनीज़' से मालूम होता है) लाये और उसको उनके पास (यानी सामने लाकर) रखा। (चूँकि वे फ़रिश्ते थे, क्यों खाते, उस वक़्त इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को शुब्हा हुआ और) कहने लगे- आप लोग खाते क्यों नहीं? (जब फिर भी न खाया) तो उनसे दिल में डरे (कि ये लोग कहीं मुख़ालिफ़ों और दुश्मनों

में से न हों, जैसा कि सूरः हूद में गुज़र चुका है) उन्होंने कहा कि तुम डरो मत (हम आदमी नहीं हैं फ़रिश्ते हैं) और (यह कहकर) उनको एक लड़के की ख़ुशख़बरी दी, जो बड़ा आ़लिम (यानी नबी) होगा (क्योंकि मख़्लूक़ में सबसे ज़्यादा इल्म अम्बिया को होता है और इससे मुराद इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम हैं। यह गुफ़्तगू उनसे हो रही थी कि) इतने में उनकी बीवी (हज़रत सारा अ़लैहस्सलाम जो कहीं खड़ी सुन रही थीं जैसा कि क़ुरआन पाक की एक दूसरी आयत में उनके खड़े होने का ज़िक्र है 'वमूर-अतुहू क़ा-इ-मतुन' औलाद की ख़बर सुनकर) बोलती हुई आईं।

फिर (जब फ़रिश्तों ने उनको भी यह ख़बर सुनाई जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है "फ़बश्शरनाहा बिइस्हा-क़" तो ताज्जुब से) माथे पर हाथ मारा और कहने लगीं कि (पहले तो) बुढ़िया (फिर) बाँझ (इस वक़्त बच्चा पैदा होना भी अ़जीब बात है) फ़रिश्ते कहने लगे कि (ताज्जुब मत करो) तुम्हारे परवर्दिगार ने ऐसा ही फ़रमाया है (और) कुछ शक नहीं कि वह बड़ा हिक्मत वाला, जानने वाला है (यानी अगरचे अपने आप में यह बात ताज्जुब की है मगर तुम ख़ानदाने नुबुव्वत में रहती हो और इल्म व समझ तुम्हें हासिल है, यह मालूम करके कि ख़ुदा का इरशाद है ताज्जुब न रहना चाहिये)।

सत्ताईसवाँ पारह (क़ा-ल फ़मा ख़त्बुकुम)

इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) (को नुबुव्वत के इल्म व समझ से यह भी मालूम हुआ कि ख़ुशख़बरी के अ़लावा इनके आने का और भी कुछ मक़सद है तो उनसे) कहने लगे (कि) अच्छा तो (यह बतलाओ कि) तुमको बड़ी मुहिम क्या पेश आई है ऐ फ़रिश्तो! फ़रिश्तों ने कहा कि हम एक मुजरिम क़ौम (यानी लूत अ़लैहिस्सलाम की क़ौम) की तरफ़ भेजे गये हैं, ताकि हम उन पर कंकर के पत्थर बरसायें, जिन पर आपके रब के पास (यानी आ़लम-ए-ग़ैब में) ख़ास निशानियाँ भी हैं (जिसका बयान सूरः हूद में हुआ है, और वो) हद से गुज़रने वालों के लिये (हैं। आगे हक़ तआ़ला का इरशाद है कि जब उन बस्तियों पर अ़ज़ाब का वक़्त क़रीब आया) और हमने जितने ईमान वाले थे उनको वहाँ से निकालकर अलग कर दिया, सो मुसलमानों के एक घर के अ़लावा और कोई घर (मुसलमानों का) हमने नहीं पाया, (यह इशारा है इस बात की तरफ़ कि वहाँ कोई और घर मुसलमानों का था ही नहीं, क्योंकि जिस चीज़ का वजूद अल्लाह के इल्म में न हो वह मौजूद हो ही नहीं सकती) और हमने इस वाक़िए में (हमेशा के वास्ते) ऐसे लोगों के लिये इब्रत रहने दी जो दर्दनाक अ़ज़ाब से डरते हैं।

और (आगे मूसा अ़लैहिस्सलाम और फ़िरऔ़न का क़िस्सा सुनो कि) मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के क़िस्से में भी इब्रत है जबकि हमने उनको फ़िरऔ़न के पास एक खुली हुई दलील (यानी मोजिज़ा) देकर भेजा। सो उसने अपनी हुकूमत के सरदारों और कारकुनों सहित सरकशी की और कहने लगा कि यह जादूगर है या मजनूँ। सो हमने उसको और उसके लश्कर को पकड़कर दरिया में फेंक दिया (यानी ग़र्क़ कर दिया) और उसने काम ही मलामत का किया था।

और (आगे आद का किस्सा सुनो कि) आद के किस्से में भी इब्रत है, जबकि हमने उन पर नामुबारक आँधी भेजी, जिस चीज़ पर गुज़रती थी (यानी उन चीज़ों में से कि जिनके हलाक करने का हुक्म था) उसको ऐसा कर छोड़ती थी जैसे कोई चीज़ गलकर रेज़ा-रेज़ा हो जाती है। और (आगे समूद का किस्सा सुनो) समूद के किस्से में भी इब्रत (सबक़ और नसीहत) है, जबकि उनसे कहा गया (यानी सालेह अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया कि) और थोड़े दिनों चैन-सुकून ले लो (यानी कुफ़्र से बाज़ नहीं आओगे तो जल्दी ही हलाक होगे)। सो (इस डराने पर भी) उन लोगों ने अपने रब के हुक्म से सरकशी की, सो उनको अज़ाब ने आ पकड़ा और वे (उस अज़ाब के आसार को) देख रहे थे (यानी वह अज़ाब खुले तौर पर आया), सो न तो खड़े ही हो सके (बल्कि औंधे मुँह गिर गये जैसा कि अल्लाह तआला का क़ौल है "जासिमीन") और न (हम से) बदला ले सके। और उनसे पहले नूह (अलैहिस्सलाम) की क़ौम का यही हाल हो चुका था (यानी इस सबब से कि) वे बड़े नाफ़रमान लोग थे (उनको भी हलाक किया था)।

मआरिफ़ व मसाईल

यहाँ से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये गुज़री हुई उम्मतों में से चन्द नबियों के वाक़िआत बयान किये गये हैं।

فَقَالُوْا سَلٰمًا، قَالَ سَلٰمٌ

फ़रिश्तों ने सलामन् कहा था, ख़लीलुल्लाह ने जवाब में 'सलामुन' कहा, क्योंकि मरफ़ूअ़ होने की सूरत में यह जुमला इस्मिया बिना, जिसमें हमेशगी व निरंतरता और क़ुव्वत ज़्यादा है, तो जैसा क़ुरआने करीम में हुक्म है कि सलाम का जवाब सलाम करने वाले के अलफ़ाज़ से बेहतर अलफ़ाज़ में हो उसकी तामील फ़रमाई।

قَوْمٌ مُّنْكَرُوْنَ۝

'मुन्कर' ओपरे और अजनबी को कहा जाता है। चूँकि गुनाह के काम भी इस्लाम में ओपरे और अजनबी होते हैं इसलिये गुनाह को भी मुन्कर कह दिया जाता है, मुराद जुमले की यह है कि ये हज़रात फ़रिश्ते इनसानी शक्ल में आये थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इनको पहचाना नहीं इसलिये अपने दिल में यह कहा कि ये अजनबी लोग हैं जिनको हम नहीं पहचानते, और मुम्किन है कि ख़ुद मेहमानों के सामने ही इसका ज़िक्र पूछने के तौर पर कर दिया हो, और मक़सद उनका परिचय मालूम करना हो।

فَرَاغَ اِلٰۤى اَهْلِهٖ

'रा-ग़' रौग़ से निकला है जिसके मायने किसी जगह से खिसक जाने और ख़ुफ़िया तौर पर चले जाने के हैं। मतलब यह है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम मेहमानों के लिये खाने का इन्तिज़ाम करने के लिये घर में इस तरह गये कि मेहमानों को उनके उठ जाने की ख़बर न हो, वरना वे खाना और मेहमानी लाने से इनकार करते।

मेहमानी के आदाब

इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि इस आयत में मेहमान के लिये मेज़बानी के चन्द आदाब की तालीम है। पहली बात तो यह है कि पहले मेहमानों से पूछा नहीं कि मैं आपके लिये खाना लाता हूँ, बल्कि चुपके से खिसक गये और उनकी मेहमानी के लिये अपने पास जो सबसे अच्छी चीज़ खाने की थी यानी बछड़ा ज़िबह किया, उसको भूना और ले आये, और दूसरे यह कि लाने के बाद मेहमानों को इसकी तकलीफ़ नहीं दी कि उनको खाने की तरफ़ बुलाते, बल्कि जहाँ वे बैठे थे वहीं लाकर उनके सामने पेश कर दिया 'फ़-क़र्र-बहू इलैहिम'। तीसरे यह कि मेहमानी पेश करने के वक़्त अन्दाज़े गुफ़्तगू में खाने पर इसरार (ज़ोर) न था बल्कि फ़रमाया 'अ-ला तअ्कुलून' (क्या आप खायेंगे नहीं?) इशारा इस तरफ़ हुआ कि अगरचे आपको खाने की ज़रूरत व इच्छा न हो मगर हमारी ख़ातिर से कुछ खाईये।

فَاَوْجَسَ مِنْهُمْ

यानी इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उनके खाना न खाने की वजह से उनसे ख़तरा महसूस करने लगे, जिसकी वजह यह थी कि उस वक़्त शरीफ़ों और बड़े लोगों का तरीक़ा यह था कि मेहमान कुछ न कुछ मेहमानी क़ुबूल करता और खाता था, जो मेहमानी इतनी भी क़ुबूल न करे उससे ख़तरा होता था कि यह शायद कोई दुश्मन न हो जो तकलीफ़ पहुँचाने आया हो, उस वक़्त के चोरों ज़ालिमों में भी यह शराफ़त थी कि जिसका कुछ खा लिया फिर उसको नुक़सान नहीं पहुँचाते थे, इसलिये न खाना ख़तरे का सबब बनता था।

فَاَقْبَلَتِ امْرَاَتُهٗ فِيْ صَرَّةٍ

सर्रतुन् के मायने ग़ैर-मामूली (असाधारण) आवाज़ के हैं, सरीर क़लम से निकलने वाली आवाज़ को कहा जाता है। मुराद यह है कि हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने जब सुना कि फ़रिश्ते इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को बच्चे की पैदाईश की ख़ुशख़बरी दे रहे हैं और यह ज़ाहिर था कि बच्चा बीवी से पैदा होता है, बीवी हज़रत सारा ही थीं, तो समझीं कि यह ख़ुशख़बरी हम दोनों ही के लिये है, तो ग़ैर-इख़्तियारी तौर पर उनके मुँह से कुछ अलफ़ाज़ हैरत व ताज्जुब के निकले, और कहा 'अ़जूज़ुन् अ़क़ीम' कि अव्वल तो मैं बुढ़िया फिर बाँझ, यानी जवानी में भी औलाद के क़ाबिल नहीं थी अब बुढ़ापे में यह कैसे होगा। जिसके जवाब में फ़रिश्तों ने फ़रमाया 'कज़ालिकि' यानी अल्लाह तआ़ला को सब क़ुदरत है, यह काम यूँ ही होगा। चुनाँचे जिस वक़्त इस ख़ुशख़बरी के मुताबिक़ हज़रत इस्हाक़ अ़लैहिस्सलाम पैदा हुए तो हज़रत सारा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की उम्र निन्नानवे साल और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की उम्र सौ साल की थी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इस गुफ़्तगू में जब हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को यह मालूम हो गया कि ये मेहमान अल्लाह के फ़रिश्ते हैं तो पूछा कि आप किस मुहिम पर तशरीफ़ लाये हैं। उन्होंने हज़रत लूत

अ़लैहिस्सलाम की क़ौम पर अ़ज़ाब नाज़िल करने का तज़किरा किया कि उनकी क़ौम पर पथराव किया जायेगा और पथराव भी कुछ बड़े-बड़े पत्थरों से नहीं बल्कि मिट्टी से बनी हुई कंकरियों से होगा 'मुसव्व-मतन् अ़िन्-द रब्बि-क' यानी कंकरियाँ अल्लाह की तरफ़ से ख़ास निशानी लगी हुई होंगी। कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि हर कंकरी पर उस शख़्स का नाम लिखा था जिसको हलाक करने के लिये वह भेजी गयी थी, और वह जिस तरफ़ भागा उस कंकरी ने उसका पीछा किया। और एक दूसरी आयात में जो उस क़ौम का अ़ज़ाब यह ज़िक्र किया गया है कि जिब्रीले अमीन ने उस पूरे शहर को उठाकर पलट दिया तो यह उसके ख़िलाफ़ नहीं कि पहले यह पथराव किया गया हो उसके बाद पूरी ज़मीन का तख़्ता उल्टा गया हो।

क़ौमे लूत के बाद मूसा अ़लैहिस्सलाम की क़ौम और फ़िरऔ़न वग़ैरह का ज़िक्र फ़रमाया, इसमें फ़िरऔ़न को जब मूसा अ़लैहिस्सलाम ने पैग़ामे हक़ दिया तो फ़िरऔ़न का अ़मल यह ज़िक्र फ़रमायाः

فَتَوَلّٰى بِرُكْنِهٖ

यानी फ़िरऔ़न मूसा अ़लैहिस्सलाम की तरफ़ से रुख़ फेरकर अपनी क़ुव्वत यानी अपनी फ़ौज और हुकूमत के कारिन्दों व सरदारों की तरफ़ मुतवज्जह हो गया। रुक्न के लफ़्ज़ी मायने क़ुव्वत के हैं, हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम के कलाम मेंः

اَوْ اٰوِیْٓ اِلٰی رُكْنٍ شَدِیْدٍ۝

इसी मायने के लिये आया है।

इसके बाद क़ौमे आ़द व समूद और आख़िर में क़ौमे नूह का वाक़िआ़ बयान फ़रमाया, ये वाक़िआ़त इससे पहल कई मर्तबा गुज़र चुके हैं।

وَالسَّمَآءَ بَنَيْنٰهَا بِاَيْىدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ ۝ وَالْاَرْضَ فَرَشْنٰهَا فَنِعْمَ الْمٰهِدُوْنَ ۝ وَمِنْ كُلِّ شَیْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ ۝ فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَلَا تَجْعَلُوْا مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ ؕ اِنِّیْ لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ كَذٰلِكَ مَآ اَتَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا قَالُوْا سَاحِرٌ اَوْ مَجْنُوْنٌ ۝ اَتَوَاصَوْا بِهٖ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَآ اَنْتَ بِمَلُوْمٍ ۝ وَّذَكِّرْ فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

वस्समा-अ बनैनाहा बिऐदिंव्-व इन्ना ल-मूसिअ़ून (47) वल्अर्-ज़ फ़रश्नाहा फ़निअ़्मल्-माहिदून (48) व मिन् कुल्लि शैइन् ख़लक़्ना ज़ौजैनि	और बनाया हमने आसमान हाथ के बल से और हमको सब मक़दूर (क़ुदरत व ताक़त) है। (47) और ज़मीन को बिछाया हमने सो क्या ख़ूब बिछाना जानते हैं हम। (48) और हर चीज़ के बनाये हमने

लअ़ल्लकुम् तज़क्करून (49) फ़-फ़िर्रू इलल्लाहि, इन्नी लकुम् मिन्हु नज़ीरुम्-मुबीन (50) व ला तज्अ़लू मअ़ल्लाहि इलाहन् आ-ख़-र, इन्नी लकुम् मिन्हु नज़ीरुम्-मुबीन (51) कज़ालि-क मा अतल्लज़ी-न मिन् कब्लिहिम् मिर्रसूलिन् इल्ला क़ालू साहिरुन् औ मज्नून (52) अ-तवासौ बिही बल् हुम् कौमुन् ताग़ून (53) फ़-तवल्-ल अ़न्हुम् फ़मा अन्-त बि-मलूम (54) व ज़क्किर् फ़-इन्नज़्ज़िक्रा तन्फ़अुल्-मुअ्मिनीन (55)	जोड़े ताकि तुम ध्यान करो। (49) सो भागो अल्लाह की तरफ़, मैं तुमको उसकी तरफ़ से डर सुनाता हूँ खोलकर। (50) और मत ठहराओ अल्लाह के साथ और किसी को माबूद, मैं तुमको उसकी तरफ़ से डर सुनाता हूँ खोलकर। (51) इसी तरह इनसे पहले लोगों के पास जो रसूल आया उसको यही कहा कि जादूगर है या दीवाना (52) क्या यही वसीयत कर मरे हैं एक दूसरे को? कोई नहीं! पर ये लोग शरीर हैं। (53) सो तू लौट आ उनकी तरफ़ से अब तुझ पर नहीं है इल्ज़ाम (54) और समझाता रह कि समझाना काम आता है ईमान वालों को। (55)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने आसमानों को (अपनी) क़ुदरत से बनाया और हम बड़ी क़ुदरत वाले हैं। और हमने ज़मीन को फ़र्श (के तौर पर) बनाया, सो हम (कैसे) अच्छे बिछाने वाले हैं (यानी इसमें कैसे-कैसे मुनाफ़े रखे हैं) और हमने हर चीज़ को दो-दो क़िस्म का बनाया (इस क़िस्म से मुराद मुक़ाबिल है, सो ज़ाहिर है कि हर चीज़ में कोई न कोई उसकी ज़ाती या किसी दूसरी चीज़ के वास्ते से सिफ़त ऐसी मोतबर होती है जिससे दूसरी चीज़ जिसमें उस सिफ़त की ज़िद यानी उसके उलट हो वह उसके मुक़ाबिल शुमार की जाती है। जैसे आसमान व ज़मीन, जौहर व अ़र्ज़, गर्मी व सर्दी, मीठा व कड़वा, छोटी व बड़ी, ख़ुशनुमा व बदनुमा, सफ़ेदी व सियाही, रोशनी व अंधेरा और इसी तरह की दूसरी चीज़ें) ताकि तुम (उन बनाई हुई चीज़ों से तौहीद को) समझो।

(और ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम! उनसे फ़रमा दीजिये कि जब ये चीज़ें और कारीगरी के नमूने किसी एक बनाने वाले पर दलालत कर रहे हैं) तो तुम (को चाहिये कि इनसे दलील लेकर) अल्लाह ही की (तौहीद की) तरफ़ दौड़ो, (और अव्वल तो उक्त दलीलों के सबब ख़ुद अ़क्ल ही तौहीद के एतिक़ाद को ज़रूरी बतला रही है, फिर ऊपर से) मैं (भी) तुम्हारे (समझाने के) वास्ते अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से खुला डराने वाला (होकर आया) हूँ (कि तौहीद के इनकारी को अ़ज़ाब होगा। पस अ़ज़ाब के ख़ौफ़ के एतिबार से तौहीद का एतिक़ाद और भी

ज़रूरी हो गया) और (फिर और ज़्यादा स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि) ख़ुदा के साथ कोई और माबूद मत क़रार दो (फिर उनवान बदलकर तौहीद के मज़मून की वजह से डराने की फिर ताकीद है कि) मैं तुम्हारे (समझाने के) वास्ते अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से खुला डराने वाला (होकर आया) हूँ।

(आगे हक़ तआ़ला का इरशाद है कि आप हक़ीक़त में बिला शुब्हा खुले डराने वाले हैं जैसा कि अभी मज़कूर हुआ, लेकिन ये आपके मुख़ालिफ़ लोग ऐसे जाहिल हैं कि नऊज़ु बिल्लाह आपको कभी जादूगर कभी मजनूँ बतलाते हैं, सो आप सब्र कीजिये क्योंकि जिस तरह ये आपको कह रहे हैं) इसी तरह जो (काफ़िर) लोग इनसे पहले हो गुज़रे हैं उनके पास कोई पैग़म्बर ऐसा नहीं आया जिसको उन्होंने (यानी सब ने या कुछ ने) जादूगर या मजनूँ न कहा हो।

(आगे काफ़िरों के इस क़ौल "साहिरुन् औ मजनून" पर एक राय होने से ताज्जुब दिलाते हैं कि) क्या इस बात की एक-दूसरे को वसीयत करते चले आते हैं (यानी यह एक ही चलन पर जमा होना तो ऐसा हो गया जैसे एक दूसरे को कहते चले आये हों कि देखो जो रसूल आये तुम भी हमारी तरह कहना। आगे असल वाक़िए की हक़ीक़त बयान फ़रमाते हैं कि यह वसीयत करने वाली बात वाक़े न हुई थी, क्योंकि बाज़ी क़ौमें बाज़ी क़ौमों से मिली भी नहीं) बल्कि (इस एक ही बात पर जमा होने की वजह यह हुई कि) ये सब-के-सब सरकश लोग हैं (यानी इस कहने का सबब सरकशी है, चूँकि वह उन सब में साझा और संयुक्त रूप से पाया जाता है इसलिये क़ौल भी एक जैसा हो गया) सो (जब पहले लोग भी ऐसे गुज़रे हैं और इसका सबब मालूम हो गया कि उन्हीं की सरकशी है तो) आप उनकी तरफ़ तवज्जोह न कीजिये (यानी उनके झुठलाने की परवाह और ग़म न कीजिये) क्योंकि आप पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं (जैसा कि एक आयत में अल्लाह तआ़ला का क़ौल है कि आप से जहन्नम वालों के बारे में कोई सवाल नहीं होगा) और (इत्मीनान के साथ अपने नुबुव्वत के काम में लगे रहिये, सिर्फ़) समझाते रहिये कि समझाना (जिनकी क़िस्मत में ईमान नहीं उन पर तो हुज्जत का पूरा करना होगा और जिनकी क़िस्मत में ईमान है उन) ईमान (लाने) वालों को (भी और जो पहले मोमिन हैं उनको भी) नफ़ा देगा। (बहरहाल समझाने और याद दिलाने में आ़म फ़ायदे और हिक्मतें सब के एतिबार से हैं, आप इसको किये जाईये और किसी के ईमान न लाने का ग़म न कीजिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में क़ियामत व आख़िरत का बयान और उसको न मानने वालों पर अज़ाब का ज़िक्र था। इन आयतों में भी हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत का बयान है जिससे क़ियामत और उसमें मुर्दों के दोबारा ज़िन्दा होने पर जो इनकार करने वालों की तरफ़ से ताज्जुब किया जाता है उसको दूर किया है, साथ ही तौहीद को साबित किया गया और रिसालत पर ईमान लाने की ताकीद है।

بَنَيْنٰهَا بِاَيْدٍ وَّاِنَّا لَمُوْسِعُوْنَ۝

लफ़्ज़ 'ऐद' क़ुव्वत व क़ुदरत के मायने में आता है, इस जगह हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ऐद की यही तफ़सीर फ़रमाई है।

فَفِرُّوْٓا اِلَى اللّٰهِ

"यानी दौड़ो अल्लाह की तरफ़।"

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया- मुराद यह है कि अपने गुनाहों से भागो अल्लाह की तरफ़ तौबा के ज़रिये। अबू बक्र वर्राक़ और जुनैद बग़दादी रह. ने फ़रमाया कि नफ़्स व शैतान गुनाह और नाफ़रमानी की तरफ़ दावत देने वाले और बहकाने वाले हैं, तुम उनसे भागकर अल्लाह की तरफ़ पनाह लो तो वह तुम्हें उनके शर (बुराई) से बचा लेंगे। (क़ुर्तुबी)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝ مَآ اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ وَّمَآ اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ ۝ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ ۝ فَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا ذَنُوْبًا مِّثْلَ ذَنُوْبِ اَصْحٰبِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُوْنِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ يَّوْمِهِمُ الَّذِيْ يُوْعَدُوْنَ ۝

व मा ख़लक़्तुल्-जिन्-न वल्-इन्-स इल्ला लि-यअ़्बुदून (56) मा उरीदु मिन्हुम् मिर्रिज़्क़िंव्-व मा उरीदु अंय्युत्अ़िमून (57) इन्नल्ला-ह हुवर्-रज़्ज़ाक़ु ज़ुल्-क़ुव्वतिल्-मतीन (58) फ़-इन्-न लिल्लज़ी-न ज़-लमू ज़नूबम्-मिस्-ल ज़नूबि-अस्हाबिहिम् फ़ला यस्तअ़्जिलून (59) फ़वैलुल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू मिंय्यौमि-हिमुल्लज़ी यू-अ़दून (60) ✿	और मैंने जो बनाये जिन्न और आदमी सो अपनी बन्दगी को (56) मैं नहीं चाहता उनसे रोज़ीना और नहीं चाहता कि मुझ को खिलायें। (57) अल्लाह जो है वही है रोज़ी देने वाला ज़ोरावर मज़बूत (58) सो उन गुनाहगारों का भी डोल भर चुका है जैसे डोल भरा उनके साथियों का, अब मुझसे जल्दी न करें। (59) सो ख़राबी है मुन्किरों को उनके इस दिन से जिसका उनसे वायदा हो चुका है। (60) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और मैंने जिन्न और इनसान को (दर असल) इसी वास्ते पैदा किया है कि मेरी इबादत किया करें (और इसके तहत होकर और इबादत की तकमील जिन्नात व इनसाना की पैदाईश पर दूसरे फ़ायदों का मुरत्तब होना इसके विरुद्ध नहीं, और इसी तरह कुछ इनसानों और जिन्नात से इबादत का सादिर न होना भी इस मज़मून के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि हासिल इस 'लियअ़्बुदूनि'

का उनको इबादत का हुक्म देना है न कि इबादत पर मजबूर करना। और जिन्नात व इनसानों को ख़ास करना इसलिये है कि इबादत से मुराद आज़माईश व इख़्तियार के साथ इबादत है और फ़रिश्तों में अगरचे इबादत है आज़माईश नहीं, और दूसरी मख़्लूक़ात हैवानात और पेड़-पौधों वग़ैरह में इख़्तियार नहीं। हासिल इरशाद का यह है कि मुझको शरई तौर पर उनसे इबादत कराना मतलूब है बाक़ी) मैं उनसे (मख़्लूक़ को) रिज़्क़ पहुँचाने की दरख़्वास्त नहीं करता, और न यह दरख़्वास्त करता हूँ कि वे मुझको खिलाया करें। अल्लाह ख़ुद ही सब को रिज़्क़ पहुँचाने वाला है (तो हमको इसकी ज़रूरत ही क्या थी कि हम मख़्लूक़ात की रोज़ी पहुँचाना उनके मुताल्लिक़ करते और वह) ताक़त वाला, निहायत क़ुव्वत वाला है (कि उसमें कमज़ोरी व असमर्थता और किसी क़िस्म की हाजत होने का अ़क़्ली शुब्हा व गुमान भी नहीं तो उनसे खाना माँगने की कोई संभावना ही नहीं, यह रुचि दिलाना हो गया, आगे डरावा है कि जब इबादत का ज़रूरी व वाजिब होना साबित हो गया और इबादत का अहम रुक्न ईमान है तो अगर ये लोग अब भी शिर्क व कुफ़्र पर अड़े और जमे रहेंगे) तो (सुन लें कि) इन ज़ालिमों के लिये (अल्लाह के इल्म में सज़ा की) भी बारी मुक़र्रर है, जैसे (पहले गुज़र चुके) इन्हीं जैसे चलन वाले लोगों की बारी (मुक़र्रर) थी, (यानी हर मुजरिम ज़ालिम के लिये अल्लाह के इल्म में ख़ास-ख़ास वक़्त मुक़र्रर है, इस तरह बारी-बारी हर मुजरिम का नम्बर आता है तो वह अ़ज़ाब में पकड़ा जाता है, कभी दुनिया व आख़िरत दोनों में और कभी सिर्फ़ आख़िरत में) सो मुझसे (अ़ज़ाब) जल्दी तलब न करें (जैसा कि इनकी आ़दत है कि अ़ज़ाब की धमकी सुनकर झुठलाने के तौर पर जल्दी करने लगते हैं)। ग़र्ज़ कि (जब वो बारी के दिन आयें जिनमें सबसे सख़्त दिन वह है जिसका वायदा किया गया यानी क़ियामत तो) इन काफ़िरों के लिये उस दिन के आने से बड़ी ख़राबी होगी जिसका इनसे वायदा किया जाता है (चुनाँचे इस सूरत की शुरू की आयतों में भी इसी वायदे का ज़िक्र है:

اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَصَادِقٌ ۝ وَّاِنَّ الدِّيْنَ لَوَاقِعٌ ۝

और इससे सूरत की शुरूआ़त और समापन की ख़ूबी व हुस्न ज़ाहिर है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

जिन्नात व इनसानों की पैदाईश का मक़सद

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ۝

"यानी हमने जिन्नात और इनसान को इबादत के सिवा किसी काम के लिये नहीं पैदा किया। इसमें दो इश्काल (शुब्हात) ज़ाहिरी नज़र में पैदा होते हैं- अव्वल यह कि जिस मख़्लूक़ को अल्लाह तआ़ला ने किसी ख़ास काम के लिये पैदा किया है और उसका इरादा यही है कि यह मख़्लूक़ इस काम को करे तो अ़क़्ली तौर पर यह नामुम्किन व मुहाल होगा कि फिर वह

मख़्लूक़ उस काम से मुँह मोड़ सके, क्योंकि अल्लाह तआ़ला के इरादे व चाहत के ख़िलाफ़ कोई काम मुहाल है। दूसरा इश्काल यह है कि इस आयत में इनसान और जिन्न की पैदाईश को सिर्फ़ इबादत में सीमित कर दिया गया है हालाँकि इनकी पैदाईश में इबादत के अ़लावा दूसरे फ़ायदे और हिक्मतें भी मौजूद हैं।

पहले इश्काल (शुब्हे) के जवाब में कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस मज़मून को सिर्फ़ मोमिनों के साथ मख़्सूस क़रार दिया है, यानी हमने मोमिन जिन्नात और मोमिन इनसानों को सिवाय इबादत के और किसी काम के लिये नहीं बनाया, और ज़ाहिर है कि मोमिन हज़रात इबादत से कम व बेश पाबन्द होते हैं, यह क़ौल इमाम ज़ह्हाक और सुफ़ियान वग़ैरह का है, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास की एक क़िराअत में उक्त आयत में लफ़्ज़ 'मुअ्मिनीन' ज़िक्र हुआ भी है, और क़िराअत इस तरह है:

وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ○

इस क़िराअत से भी इसकी ताईद होती है कि यह मज़मून सिर्फ़ मोमिनों के हक़ में आया है। और ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इस इश्काल को दूर करने के लिये यह कहा गया है कि इस आयत में अल्लाह के इरादे से मुराद बनाने का इरादा नहीं है जिसके ख़िलाफ़ होना मुहाल होता है, बल्कि क़ानून व शरई इरादा है, यानी यह कि हमने उनको सिर्फ़ इसलिये पैदा किया है कि हम उनको इबादत के लिये मामूर (हुक्म का पाबन्द) करें, अल्लाह का हुक्म चूँकि इनसानी इख़्तियार के साथ मशरूत रखा गया है, उसके ख़िलाफ़ का ज़ाहिर होना मुहाल नहीं, यानी अल्लाह तआ़ला ने तो इबादत का हुक्म सब को दिया है मगर साथ ही इख़्तियार भी दिया है इसलिये किसी ने ख़ुदा के दिये हुए अपने इख़्तियार को सही इस्तेमाल किया, इबादत में लग गया, किसी ने इस इख़्तियार को ग़लत इस्तेमाल किया, इबादत से मुँह मोड़ लिया। यह क़ौल हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से इमाम बग़वी रह. ने नक़ल किया है, और ज़्यादा बेहतर और बेगुबार तौजीह वह है जो तफ़सीरे मज़हरी में की गयी है कि आयत की मुराद यह है कि हमने उनकी तख़्लीक़ (पैदाईश) इस अन्दाज़ पर की है कि उनमें इबादत करने की इस्तेदाद और सलाहियत हो, चुनाँचे हर जिन्न व इनसान की फ़ितरत में यह क़ुदरती सलाहियत मौजूद है, फिर कोई उस सलाहियत को सही जगह में ख़र्च करके कामयाब होता है, कोई उस सलाहियत को अपनी नाफ़रमानी, गुनाहों और नफ़्स की इच्छाओं में ज़ाया कर देता है, और इस मज़मून की मिसाल वह हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَاَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ اَوْ يُمَجِّسَانِهٖ.

(यानी हर पैदा होने वाला बच्चा फ़ितरत पर पैदा होता है फिर उसके माँ-बाप उसको उस फ़ितरत से हटाकर कोई यहूदी बना देता है कोई मजूसी) फ़ितरत पर पैदा होने से मुराद अक्सर उलेमा के नज़दीक दीने इस्लाम पर पैदा होना है। तो जिस तरह इस हदीस में यह बतलाया गया है कि हर इनसान में फ़ितरी और पैदाईशी तौर पर इस्लाम व ईमान की योग्यता व सलाहियत

रखी जाती है, फिर कभी उसके माँ-बाप उस सलाहियत को ज़ाया करके कुफ़्र के तरीक़ों पर डालते हैं, इसी तरह इस आयत में 'इल्ला लियअ्बुदून' का यह मफ़्हूम हो सकता है कि जिन्नात व इनसानों में के हर फ़र्द में अल्लाह तआ़ला ने योग्यता और सलाहियत इबादत की रखी है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

और दूसरे इश्काल का जवाब ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुका है कि किसी मख़्लूक़ को इबादत के लिये पैदा करना उससे दूसरे मुनाफ़ों और फ़ायदों की नफ़ी नहीं करता।

مَا أُرِيْدُ مِنْهُمْ مِّنْ رِّزْقٍ.................الخ

यानी मैं जिन्नात व इनसानों को पैदा करके उनसे आ़म इनसानों की आ़दत के मुताबिक़ अपना कोई नफ़ा नहीं चाहता, कि वे रिज़्क़ पैदा करें मेरे लिये या अपने लिये या मेरी दूसरी मख़्लूक़ के लिये, और या यह कि वे मुझे कमाकर खिलायें। यह सब कलाम इनसान की आ़म आ़दत पर किया गया है, क्योंकि बड़े से बड़ा इनसान जो गुलाम ख़रीदता और उस पर ख़र्च करता है तो उसका मक़सद उन गुलामों से अपने काम लेना अपनी ज़रूरतों और कामों में मदद लेना और कमाई करके आक़ा को देना होता है, हक़ तआ़ला इन सब चीज़ों से पाक और बरतर हैं, इसलिये फ़रमाया कि उनको पैदा करने से मेरा अपना कोई नफ़ा मक़सूद नहीं।

"ज़नूबन्" लफ़्ज़ ज़नूब असल में बड़े डोल को कहा जाता है, और बस्ती के आम कुओं पर पानी भरने के लिये सहूलत की ग़र्ज़ से भरने वालों के नम्बर और बारी मुक़र्रर कर ली जाती है, हर एक पानी भरने वाला अपनी बारी में पानी भरता है, इसलिये यहाँ लफ़्ज़ ज़नूब के मायने बारी और हिस्से के लिये गये हैं, मुराद यह है कि जिस तरह पिछली उम्मतों को अपने-अपने वक़्त में अ़मल करने का मौक़ा और बारी दी गयी, जिन लोगों ने अपनी बारी में काम नहीं किया वे हलाक व बरबाद और अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हुए, इसी तरह मौजूदा मुश्रिक लोगों की भी बारी और वक़्त मुक़र्रर है, अगर उस वक़्त तक ये अपने कुफ़्र से बाज़ न आये तो ख़ुदा का अ़ज़ाब इनको कभी तो इसी दुनिया में और नहीं तो आख़िरत में ज़रूर पकड़ेगा, इसलिये इनको फ़रमा दीजिये कि अपनी जल्दबाज़ी से बाज़ आ जाओ। यानी यह काफ़िर जो झुठलाने और इनकार करने के तौर पर यह कहते हैं कि अगर हम वाक़ई मुजरिम हैं और मुजरिमों पर अ़ज़ाब आना आपके क़ौल से साबित है तो फिर हम पर अ़ज़ाब क्योंकि नहीं आ जाता? उनका जवाब यह है कि अ़ज़ाब अपने मुक़र्ररा वक़्त पर और अपनी बारी पर आता है, तुम्हारी बारी भी आने वाली है जल्दबाज़ी न करो।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः ज़ारियात की तफ़सीर आज दिनाँक 21 रबीउल-अव्वल सन् 1391 हिजरी पीर के दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः ज़ारियात की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अत्तूर

सूरः अत्तूर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 49 आयतें और 2 रुकूअ हैं।

اٰيَاتُهَا ٤٩ (٥٢) سُوْرَةُ الطُّوْرِ مَكِّيَّةٌ (٧٦) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالطُّوْرِ ۙ وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍ ۙ فِيْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍ ۙ وَّالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِ ۙ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوْعِ ۙ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِ ۙ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۙ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ ۙ يَّوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا ۙ وَّتَسِيْرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ؕ فَوَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ خَوْضٍ يَّلْعَبُوْنَ ۘ يَوْمَ يُدَعُّوْنَ اِلٰى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًّا ؕ هٰذِهِ النَّارُ الَّتِيْ كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُوْنَ ۞ اَفَسِحْرٌ هٰذَآ اَمْ اَنْتُمْ لَا تُبْصِرُوْنَ ۚ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوْٓا اَوْ لَا تَصْبِرُوْا ۚ سَوَآءٌ عَلَيْكُمْ ؕ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۞ اِنَّ الْمُتَّقِيْنَ فِيْ جَنّٰتٍ وَّنَعِيْمٍ ۙ فٰكِهِيْنَ بِمَآ اٰتٰىهُمْ رَبُّهُمْ ۚ وَوَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ ۞ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۙ مُتَّكِـِٕيْنَ عَلٰى سُرُرٍ مَّصْفُوْفَةٍ ۚ وَزَوَّجْنٰهُمْ بِحُوْرٍ عِيْنٍ ۞ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ۞ وَاَمْدَدْنٰهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَّلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ۞ يَتَنَازَعُوْنَ فِيْهَا كَاْسًا لَّا لَغْوٌ فِيْهَا وَلَا تَاْثِيْمٌ ۞ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَاَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُوْنٌ ۞ وَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَسَآءَلُوْنَ ۞ قَالُوْٓا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ۞ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَوَقٰىنَا عَذَابَ السَّمُوْمِ ۞ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوْهُ ؕ اِنَّهٗ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيْمُ ۞

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वत्तूरि (1) व किताबिम्-मस्तूरिन् (2) फ़ी रक़्क़िम्-मन्शूरिंव्- (3) -वल्-बैतिल्-मअ्मूर (4) वस्सक़्फ़िल्-	क़सम है तूर की (1) और लिखी हुई किताब की (2) खुले हुए वरक़ में (3) और आबाद घर की (4) और ऊँची छत

मर्फ़ूअि (5) वल्बह्रिल्-मस्जूर (6) इन्-न अ़ज़ा-ब रब्बि-क लवाक़िअ़ (7) मा लहू मिन् दाफ़िअिंय्- (8) -यौ-म तमूरुस्समा-उ मौरंव्- (9) -व तसीरुल्-जिबालु सैरा (10) फ़वैलुंय्-यौ-मइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (11) अल्लज़ी-न हुम् फ़ी ख़ौज़िंय्यल्अ़बून। (12) यौ-म युदअ़्अ़ू-न इला नारि जहन्न-म दअ़्अ़ा (13) हाज़िहिन्-नारुल्लती कुन्तुम् बिहा तुकज़्ज़िबून (14) अ-फ़सिह्रुन् हाज़ा अम् अन्तुम् ला तुब्सिरून (15) इस्लौहा फ़स्बिरू औ ला तस्बिरू सवाउन् अ़लैकुम्, इन्नमा तुज्ज़ौ-न मा कुन्तुम् तअ़्मलून (16) इन्नल्-मुत्तक़ी-न फ़ी जन्नातिंव्-व नअ़ीम (17) फ़ाकिही-न बिमा आताहुम् रब्बुहुम् व वक़ाहुम् रब्बुहुम् अ़ज़ाबल्-जहीम (18) कुलू वश्रबू हनीअम्-बिमा कुन्तुम् तअ़्मलून (19) मुत्तकिई-न अ़ला सुरुरिम्-मस्फ़ू-फ़तिन् व ज़व्वज्नाहुम् बिहूरिन् अ़ीन (20) वल्लज़ी-न आमनू वत्त-बअ़त्हुम् ज़ुर्रिय्यतुहुम् बिईमानिन् अल्हक़्ना

की (5) और उबलते हुए दरिया की (6) बेशक तेरे रब का अज़ाब होकर रहेगा (7) उसको कोई नहीं हटाने वाला (8) जिस दिन लरज़े आसमान कपकपाकर (9) और फिरें पहाड़ चलकर, (10) सो ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों को (11) जो बातें बनाते हैं खेलते हुए। (12) जिस दिन कि धकेले जायें दोज़ख़ की तरफ़ धकेलकर। (13) यह है वह आग जिसको तुम झूठ जानते थे (14) अब भला यह जादू है या तुमको नहीं सूझता (15) चले जाओ उसके अन्दर फिर तुम सब्र करो या न सब्र करो तुमको बराबर है, वही बदला पाओगे जो कुछ तुम करते थे। (16) जो डरने वाले हैं वे बाग़ों में हैं और नेमत में (17) मेवे खाते हुए जो उनको दिये उनके रब ने, और बचाया उनको उनके रब ने दोज़ख़ के अ़ज़ाब से। (18) खाओ और पियो रचता हुआ बदला उन कामों का जो तुम करते थे (19) तकिया लगाये बैठे तख़्तों पर बराबर बिछे हुए क़तार बाँधकर और ब्याह दीं हमने उनको हूरें बड़ी आँखों वालियाँ। (20) और जो लोग यक़ीन लाये और उनकी राह पर चली उनकी औलाद ईमान से, पहुँचा दिया हम

बिहिम् ज़ुर्रिय्य-तहुम् व मा अलत्नाहुम् मिन् अ-मलिहिम् मिन् शैइन्, कुल्लुम्-रिइम् बिमा क-स-ब रहीन (21) व अम्दद्नाहुम् बिफ़ाकि-हतिंव्-व लह्मिम्-मिम्मा यश्तहून (22) य-तनाज़अ़ू-न फ़ीहा कअ्सल्-ला लग़्वुन् फ़ीहा व ला तअ्सीम (23) व यतूफ़ु अ़लैहिम् ग़िल्मानुल्-लहुम् क-अन्नहुम् लुअ्लुउम्-मक्नून (24) व अक़्ब-ल बअ्ज़ुहुम् अ़ला बअ्ज़िंय्य-तसाअलून (25) क़ालू इन्ना कुन्ना क़ब्लु फ़ी अह्लिना मुश्फ़िक़ीन (26) फ़-मन्नल्लाहु अ़लैना व वक़ाना अ़ज़ाबस्-समूम (27) इन्ना कुन्ना मिन् क़ब्लु नद्अ़ूहु, इन्नहू हुवल् बर्रुर्-रहीम (28) ✿

ने उन तक उनकी औलाद को, और घटाया नहीं हमने उनसे उनका किया (हुआ) ज़रा भी, हर आदमी अपनी कमाई में फंसा है। (21) और तार लगा दिया हमने उन पर मेवों का और गोश्त का जिस चीज़ को चाहें (22) झपटते हैं वहाँ प्याला, न बकना है उस शराब में और न गुनाह में डालना। (23) और फिरते हैं उनके पास छोकरे उनके गोया वे मोती हैं अपने गिलाफ़ के अन्दर। (24) और मुँह किया बाज़ों ने दूसरों की तरफ़ आपस में पूछते हुए (25) बोले हम भी थे इससे पहले अपने घरों में डरते रहते (26) फिर एहसान किया अल्लाह ने हम पर और बचा दिया हमको लू के अ़ज़ाब से। (27) हम पहले से पुकारते थे उसको, बेशक वही है नेक सुलूक वाला मेहरबान। (28) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और क़सम है तूर (पहाड़) की और उस किताब की जो लिखी है खुले हुए काग़ज़ में (इससे मुराद नामा-ए-आमाल है जिसके बारे में एक दूसरी आयत में आया है:

كِتٰبًا يَّلْقٰهُ مَنْشُوْرًا۝

और जिस चीज़ में वह लिखा हुआ है उसको मिसाल देते हुए काग़ज़ कह दिया) और (क़सम है) बैतुल-मामूर की (जो कि सातवें आसमान में इबादत ख़ाना है फ़रिश्तों का, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) और (क़सम है) ऊँची छत की (मुराद आसमान है, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْظًا۝ وقال تعالیٰ: اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ، وصرّح بهذا التفسير عن علیّ بسند

صحيح كنز العمال عن مستدرك الحاكم.

और (क़सम है) नमकीले पानी के दरिया की जो (पानी से) भरा हुआ है।

(आगे क़सम का जवाब है) कि बेशक आपके रब का अ़ज़ाब ज़रूर होकर रहेगा, कोई उसको टाल नहीं सकता। (और यह उस दिन ज़ाहिर होगा) जिस दिन आसमान थरथराने लगेगा और पहाड़ (अपनी जगह से) हट जाएँगे (मुराद क़ियामत का दिन है, और थर्राना या तो ज़ाहिरी मायने के एतिबार से हो, या इससे उनका फटना मुराद हो जो दूसरी आयत में ज़िक्र हुआ है:

فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ.

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से दोनों तफ़सीरें नक़ल की हैं और दोनों में कोई टकराव नहीं। आगे पीछे दोनों चीज़ों का ज़हूर हो सकता है, और यहाँ पहाड़ों का हटना मज़कूर है और दूसरी आयतों में रेज़ा-रेज़ा होना फिर उड़ जाना बयान हुआ है जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

يَنْسِفُهَا رَبِّيْ.

بُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَآءً.

और इन क़समों में उस मक़सद को ज़ेहन के क़रीब लाना है जिसके लिये क़सम खाई गयी और वह यह कि क़ियामत के वाक़े होने की असल वजह जज़ा व सज़ा है, और बदला देने में काम का मदार शरई अहकाम हैं, पस तूर की क़सम खाने में इशारा हो गया कि अल्लाह तआ़ला कलाम व अहकाम वाला है, फिर उन अहकाम की मुख़ालफ़त या मुवाफ़क़त आधार है बदला मिलने का। नामा-ए-आमाल की क़सम खाने में इशारा हो गया उस मुवाफ़क़त या मुख़ालफ़त के महफ़ूज़ व लिखे जाने की तरफ़, बदला दिया जाना इस पर भी मौक़ूफ़ है कि अल्लाह के अहकाम की इताअ़त ज़रूरी हो। बैतुल-मामूर की क़सम में इशारा हो गया कि इबादत ऐसा ज़रूरी काम है कि फ़रिश्तों को भी बावजूद इसके कि उनके लिये जज़ा व सज़ा नहीं इससे नहीं छोड़ा गया। फिर बदला दिये जाने का नतीजा दो चीज़ें हैं- जन्नत और दोज़ख़। आसमान की क़सम में इशारा हो गया कि जन्नत ऐसी ही बुलन्दी का मकान है जैसे आसमान। और भरे हुए दरिया की क़सम में इशारा हो गया कि दोज़ख़ भी ऐसी ही ख़ौफ़नाक चीज़ है जैसे समन्दर। क़समों की तक़सीम को ख़ास करने की यह वजह हो सकती है, और जहाँ तक क़सम की बात है तो इसकी वज़ाहत सूरः हिज्र की आयत 'ल-अ़म्रु-क........' के तहत में और ग़र्ज़ व उद्देश्य सूरः साफ़्फ़ात के शुरू में गुज़र चुका है। आगे उस दिन के कुछ वाक़िआ़त इरशाद फ़रमाते हैं कि जब यह साबित हुआ कि अ़ज़ाब के हक़दारों के लिये अ़ज़ाब ज़रूर वाक़े होगा) तो जो लोग (क़ियामत के और दूसरे हक़ मामलात जैसे तौहीद व रिसालत वग़ैरह के) झुठलाने वाले हैं (और) जो (झूठ के) मश्ग़ले में बेहूदगी के साथ लग रहे हैं (जिस से वे अ़ज़ाब के हक़दार व पात्र हो गये हैं) उनकी उस दिन कमबख़्ती आयेगी, जिस दिन कि उनको दोज़ख़ की आग की तरफ़ धक्के देकर लाएँगे (क्योंकि ख़ुशी से ऐसी जगह कौन आता है। फिर जब उनके डालने का वक़्त

होगा तो उनको सर और पैरों से पकड़कर डाल दिया जायेगा और उनको दोज़ख़ दिखलाकर डाँट-डपट के तौर पर कहा जायेगा कि) यह वही दोज़ख़ है जिसको तुम झुठलाया करते थे (यानी जिन आयतों में इसकी ख़बर थी उनको झुठलाते थे और साथ ही उन आयतों को जादू कहा करते थे। ख़ैर वह तो तुम्हारे नज़दीक जादू था) तो क्या यह (भी) जादू है (देखकर बतलाओ)? या यह कि तुमको (अब भी) नज़र नहीं आता (जैसा कि दुनिया में नज़र न आने की वजह से इनकारी हो गये थे। अच्छा तो अब) इसमें दाख़िल हो, फिर चाहे (इसकी) सहार करना या सहार न करना, तुम्हारे हक़ में दोनों बराबर हैं (न यही होगा कि तुम्हारी हाय-वावेला से निजात हो जाये और न यही होगा कि तुम्हारी मानने व सर झुका देने और चुप रहने पर रहम करके निकाल दिया जाये, बल्कि हमेशा इसी में रहना होगा और) जैसा तुम करते थे वैसा ही बदला तुमको दिया जायेगा (तुम कुफ़्र किया करते थे जो सबसे बड़ी नाफ़रमानी और अल्लाह तआ़ला के हुक़ूक़ और असीमित कमालात की नाशुक्री है, पस बदले में दोज़ख़ में हमेशा का रहना नसीब होगा जो कि सख़्त और असीमित अ़ज़ाब है)।

(आगे इनके उलट और विपरीत आमाल वाले लोगों का बयान है यानी) बेशक मुत्तक़ी लोग (जन्नत के) बाग़ों और ऐश के सामान में होंगे (और) उनको जो चीज़ें (ऐश व आराम की) उनके परवर्दिगार ने दी होंगी उनसे दिल से ख़ुश होंगे, और उनका परवर्दिगार उनको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखेगा (और जन्नत में दाख़िल करके फ़रमायेगा कि) ख़ूब खाओ और पियो मज़े के साथ, अपने (उन नेक) आमाल के बदले में (जो दुनिया में किया करते थे) तकिया लगाये हुए तख़्तों पर जो बराबर-बराबर बिछाये हुए हैं, और हम उनका गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी आँखों वालियों (यानी हूरों) से विवाह कर देंगे। (यह हाल तो सब ईमान वालों का हुआ) और (आगे उन ख़ास मोमिनों का ज़िक्र है जिनकी औलाद भी ईमान वाली थी, पस इरशाद है कि) जो लोग ईमान लाये और उनकी औलाद ने भी ईमान में उनका साथ दिया (यानी वे भी ईमान लाये अगरचे आमाल में वे अपने माँ-बाप के रुतबे को नहीं पहुँचे, जैसा कि आमाल का ज़िक्र करने से इस तरफ़ इशारा है, और साथ ही हदीसों में इसकी वज़ाहत है:

كَانُوْا دُوْنَهٗ فِى الْعَمَلِ، وَكَانَتْ مَنَازِلُ آبَائِهِمْ اَرْفَعَ، وَلَمْ يَبْلُغُوْا دَرَجَتَكَ وَعَمَلَكَ، رواها فى الدر المنثور.

तो अगरचे उनके अ़मल में कमी का तक़ाज़ा यह था कि उनका दर्जा भी कम हो, लेकिन उन ईमान वाले माँ-बाप के सम्मान और उनको ख़ुश करने के लिये) हम उनकी औलाद को भी (दर्जे में) उनके साथ शामिल कर देंगे, और (इस शामिल करने के लिये) हम उन (जन्नतियों जिनकी पैरवी की गयी थी) के अ़मल में से कोई चीज़ कम नहीं करेंगे (यानी यह न करेंगे कि उन बड़ों के कुछ आमाल लेकर उनकी औलाद को देकर दोनों को बराबर कर दें, जैसे मसलन एक शख़्स के पास छह सौ रुपये हों और एक के पास चार सौ और दोनों का बराबर करना मक़सद हो तो इसकी एक सूरत तो यह हो सकती है कि छह सौ रुपये वाले से एक सौ रुपये लेकर उस चार सौ वाले को दे दिये जायें कि दोनों के पास पाँच-पाँच सौ हो जायें, और दूसरी

सूरत जो बड़े लोगों की शान के लायक़ है यह है कि छह सौ वाले से कुछ न लिया जाये बल्कि उस चार सौ वाले को दो सौ रुपये अपने पास से दे दें और दोनों को बराबर कर दें। पस मतलब यह है कि वहाँ पहली सूरत सामने न आयेगी जिसका असर यह होता कि जिसकी पैरवी की गयी है उसको आमाल के कम हो जाने की वजह से उसके दर्जे से कुछ नीचे लाते, और ताबेदारी करने वाले को कुछ ऊपर ले जाते, और दोनों एक दरमियानी दर्जे में रहते, यह न होगा बल्कि दूसरी सूरत वाक़े होगी और मतबूअ़ यानी जिसकी पैरवी की गयी है वह अपने ऊँचे दर्जों में बदस्तूर रहेगा और ताबे यानी पैरवी करने वाले को वहाँ पहुँचा दिया जायेगा, और मतबूअ़ और नस्ल व औलाद में ईमान की शर्त इसलिये है कि अगर वह औलाद मोमिन नहीं तो ईमान वाले माँ-बाप के साथ उसको नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि काफ़िरों में से) हर शख़्स अपने (कुफ़्र वाले) आमाल में (दोज़ख़ में) क़ैद रहेगा। (जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

كُلُّ نَفْسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ

इसकी यही तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में नक़ल की गयी है। यानी निजात की कोई सूरत नहीं, लिहाज़ा उनको उनके ईमान वाले माँ-बाप के साथ नहीं मिलाया जा सकता। इसलिये साथ मिलाने और जोड़ने में औलाद व नस्ल का ईमान भी शर्त है)। और (आगे फिर ईमान वालों और जन्नतियों का उमूमी बयान है कि) हम उनको मेवे और गोश्त जिस क़िस्म का उनको पसन्द हो दिन-प्रतिदिन बढ़ने वाला देते रहेंगे। (और) वहाँ आपस में (दिल्लगी के तौर पर) शराब के जाम में छीना-झपटी भी करेंगे, उस (शराब) में न बक-बक लगेगी (क्योंकि नशा न होगा) और न कोई बेहूदा बात (अ़क़्ल व संजीदगी के ख़िलाफ़) होगी। और उनके पास (फल वग़ैरह लाने के लिये) ऐसे लड़के आएँ-जायेंगे (ये लड़के कौन होंगे इसकी तहक़ीक़ सूरः वाक़िआ़ की तफ़सीर में आयेगी) जो ख़ास उन्हीं (की ख़िदमत) के लिये होंगे (और इतने ज़्यादा हसीन व ख़ूबसूरत होंगे कि) गोया वे हिफ़ाज़त से रखे हुए मोती हैं (कि उन पर ज़रा भी गर्द व ग़ुबार नहीं होता, और चमक-दमक आला दर्जे की होती है)। और (उनको रूहानी ख़ुशी भी होगी, चुनाँचे उसमें से एक का बयान यह है कि) वे एक-दूसरे की तरफ़ मुतवज्जह होकर बातचीत करेंगे (और गुफ़्तगू के दौरान में) यह भी कहेंगे कि (भाई) हम तो इससे पहले अपने घर (यानी दुनिया में अपने अन्जाम से) बहुत डरा करते थे, सो ख़ुदा ने हम पर बड़ा एहसान किया और हमको दोज़ख़ के अ़ज़ाब से बचा लिया। (और) हम इससे पहले (यानी दुनिया में) उससे दुआ़एँ माँगा करते थे (कि हमको दोज़ख़ से बचाकर जन्नत में ले जाये सो अल्लाह ने दुआ़ क़ुबूल कर ली) वाक़ई वह बड़ा एहसान करने वाला, मेहरबान है (और इस मज़मून से ख़ुशी होना ज़ाहिर है। और चूँकि यह बात दो हैसियत से नेमत थी- एक तो अ़ज़ाब से बचाना, दूसरे हम नाकारों की नाचीज़ दरख़्वास्त क़ुबूल कर लेना, इसलिये दो उनवानों से ताबीर किया गया)।

मआरिफ़ व मसाईल

'वत्तूरि' तूर के मायने इबरानी भाषा में पहाड़ के हैं जिस पर दरख़्त उगते हों। यहाँ तूर से मुराद वह तूरे सीनीन है जो मद्यन के इलाक़े में स्थित है, जिस पर हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को हक़ तआ़ला से हमकलामी का सम्मान नसीब हुआ। हदीस की कुछ रिवायतों में है कि दुनिया में चार पहाड़ जन्नत के हैं उनमें से एक तूर है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) तूर की क़सम खाने में उसका ख़ास सम्मान व बड़ाई की तरफ़ भी इशारा है और इसकी तरफ़ भी कि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से बन्दों के लिये कुछ कलाम और अहकाम आये हैं जिनकी पाबन्दी उन पर फ़र्ज़ है।

وَكِتٰبٍ مَّسْطُوْرٍo فِىْ رَقٍّ مَّنْشُوْرٍo

लफ़्ज़ **रक़्क़** दर असल पतली बारीक खाल के लिये बोला जाता है जो लिखने के वास्ते काग़ज़ की जगह बनाई जाती थी, इससे मुराद वह चीज़ है जिस पर लिखा गया हो, इसलिये इसका तर्जुमा काग़ज़ से कर दिया जाता है। और किताबे मस्तूर से मुराद या तो इनसान का नामा-ए-आमाल है जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखा गया है और कुछ मुफ़स्सिरीन ने इससे मुराद क़ुरआने करीम क़रार दिया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

आसमानी काबा बैतुल-मामूर

وَالْبَيْتِ الْمَعْمُوْرِo

बैतुल-मामूर आसमान में फ़रिश्तों का काबा है, दुनिया के काबे की बिल्कुल सीध में है। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीसों में साबित है कि मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब सातवें आसमान पर पहुँचे तो आपको बैतुल-मामूर की तरफ़ लेजाया गया, जिसमें हर रोज़ सत्तर हज़ार फ़रिश्ते इबादत के लिये दाख़िल होते हैं, फिर कभी उनको दोबारा यहाँ पहुँचने की नौबत नहीं आती (क्योंकि हर रोज़ दूसरे नये फ़रिश्तों का नम्बर होता है। इब्ने कसीर)।

बैतुल-मामूर सातवें आसमान के रहने वाले फ़रिश्तों का काबा है, इसी लिये मेराज की रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब बैतुल-मामूर पर पहुँचे तो देखा कि हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम उसकी दीवार से टेक लगाये बैठे हैं, चूँकि वह दुनिया के काबे के बानी (तामीर करने वाले) थे, अल्लाह तआ़ला ने उसकी जज़ा में आसमान के काबे से भी उनका ख़ास ताल्लुक़ क़ायम कर दिया। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

وَالْبَحْرِ الْمَسْجُوْرِo

बहर से मुराद समन्दर और **मस्जूर** सजर से निकला है जो कई मायनों के लिये इस्तेमाल होता है। एक मायने आग भड़काने के हैं, कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस जगह यही मायने लिये कि क़सम है समन्दर की जो आग बना दिया जायेगा। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि क़ियामत के रोज़ सारा समन्दर आग बन जायेगा, जैसा कि एक दूसरी आयत में है:

وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ○

यानी चारों तरफ़ के समन्दर आग बनकर मैदाने हश्र में जमा होने वाले इनसानों को घेर लेंगे। यही मायने हज़रत सईद बिन मुसैयब रह. ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किये हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और सईद बिन मुसैयब, मुजाहिद, उबैदुल्लाह बिन उमैर रह. ने भी यही तफ़सीर की है। (इब्ने कसीर)

हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु से किसी यहूदी ने पूछा कि जहन्नम कहाँ हैं? तो आपने फ़रमाया समन्दर है। यहूदी ने भी जो पहली आसमानी किताबों का आ़लिम था इसकी तस्दीक़ की (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)। और हज़रत क़तादा रह. वग़ैरह ने मस्जूर के मायने "मम्लू" के किये हैं यानी पानी से भरा हुआ। इमाम इब्ने जरीर ने इसी मायने को इख़्तियार किया है (इब्ने कसीर) यही मायने ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुए हैं।

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ○ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ○

(बेशक आपके रब का अ़ज़ाब वाक़े होकर रहेगा, उसको कोई दूर करने वाला नहीं।)

यह क़सम का जवाब है। ऊपर तूर, आमाल नामों, बैतुल-मामूर, आसमान, समन्दर की जिस मज़मून के लिये क़सम खाई है उसका यह बयान है कि काफ़िरों के ऊपर अल्लाह का अ़ज़ाब ज़रूर वाक़े होगा।

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु का वाक़िआ

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक रोज़ सूरः तूर पढ़ी, जब इस आयत पर पहुँचे तो एक ठंडी आह भरी जिसके बाद बीस रोज़ तक बीमार रहे, लोग मिज़ाज पुर्सी के लिये आते मगर यह किसी को मालूम न हो सका कि बीमारी क्या है। (इब्ने कसीर)

हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैं मुसलमान होने से पहले एक मर्तबा मदीना तय्यिबा इसलिये आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बदर के क़ैदियों के मुताल्लिक़ गुफ़्तगू करूँ। मैं पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मग़रिब की नमाज़ में सूरः तूर पढ़ रहे थे और आवाज़ मस्जिद से बाहर तक पहुँच रही थी, जब यह आयत पढ़ीः

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ○ مَّا لَهٗ مِنْ دَافِعٍ○

अचानक मेरी यह हालत हुई कि गोया मेरा दिल ख़ौफ़ से फट जायेगा। मैंने फ़ौरन इस्लाम क़ुबूल किया। मुझे उस वक़्त यह महसूस हो रहा था कि मैं उस जगह से हट नहीं सकूँगा कि मुझ पर अ़ज़ाब आ जायेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

يَوْمَ تَمُوْرُ السَّمَآءُ مَوْرًا○

लुग़त में बेक़रारी की हरकत को मौर कहा जाता है। आसमान की बेक़रारी की हरकत जो क़ियामत के दिन होगी यह उसका बयान है।

बुज़ुर्गों के साथ नसबी ताल्लुक़ आख़िरत में भी नफ़ा देगा, लेकिन ईमान शर्त है

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

(यानी वे लोग जो ईमान लाये और उनकी औलाद भी ईमान में उनके ताबे रही यानी मोमिन हुई तो हम उनकी औलाद को भी जन्नत में उन्हीं के साथ मिला देंगे।)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला नेक मोमिनों की नस्ल व औलाद को भी उनके बुज़ुर्ग माँ-बाप के दर्जे में पहुँचा देंगे, अगरचे वे अ़मल के एतिबार से उस दर्जे के मुस्तहिक़ न हों, ताकि उन बुज़ुर्गों की आँखें ठण्डी हों। (तफ़सीरे मज़हरी, हाकिम, बैहक़ी, बज़्ज़ार, अबू नुऐम, इब्नुल-मुन्ज़िर, इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम के हवाले से)

और तबरानी ने हज़रत सईद बिन जुबैर रह. से रिवायत किया है, वह कहते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया और मेरा गुमान यह है कि उन्होंने इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रिवायत किया है कि जब कोई शख़्स जन्नत में दाख़िल होगा तो अपने माँ-बाप और बीवी और औलाद के मुताल्लिक़ पूछेगा (कि वे कहाँ हैं) उससे कहा जायेगा कि वे तुम्हारे दर्जे को नहीं पहुँचे (इसलिये उनका जन्नत में अलग मक़ाम है) यह शख़्स अ़र्ज़ करेगा ऐ मेरे परवर्दिगार! मैंने जो कुछ अ़मल किया वह अपने लिये और सब के लिये किया था तो हक़ तआ़ला शानुहू की तरफ़ से हुक्म होगा कि उनको भी जन्नत के इसी के दर्जे में इनके साथ रखा जाये। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

हाफ़िज़ इब्ने कसीर ने उक्त रिवायतें नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि इन रिवायतों से तो यह साबित हुआ कि आख़िरत में नेक माँ-बाप की बरकत से उनकी औलाद को फ़ायदा पहुँचेगा और अ़मल में उनका दर्जा कम होने के बावजूद अपने नेक माँ-बाप के दर्जे में पहुँचा दिये जायेंगे। इसका दूसरा रुख़ कि नेक औलाद की वजह से माँ-बाप को नफ़ा पहुँचे, यह भी हदीस से साबित है। मुस्नद अहमद में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला अपने बाज़े नेक बन्दे का दर्जा जन्नत में उसके अ़मल की मुनासबत से बहुत ऊँचा कर देंगे तो यह मालूम करेगा कि मेरे परवर्दिगार मुझे यह मक़ाम और दर्जा कहाँ से मिल गया (मेरा अ़मल तो इस क़ाबिल न था)? तो जवाब यह दिया जायेगा कि तुम्हारी औलाद ने तुम्हारे लिये इस्तिग़फ़ार व दुआ़ की यह उसका असर है (इमाम अहमद ने इसको नक़ल किया है। और इमाम इब्ने कसीर ने इसकी सनद को सही क़रार दिया है मगर बयान नहीं किया, लेकिन मुस्लिम शरीफ़ के अन्दर हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत इसकी शाहिद है)।

وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَیْءٍ

अलत् और ईलात के लफ़्ज़ी मायने कम करने के हैं (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) मायने आयत के यह हैं कि नेक लोगों की औलाद को उनके अ़मल के दर्जे से बढ़ाकर नेक लोगों के साथ मिलाने के लिये ऐसा नहीं किया गया कि नेक लोगों के अ़मल में से कुछ कम करके उनकी औलाद का अ़मल पूरा किया जाता है बल्कि अपने फ़ज़्ल से उनके बराबर कर दिया गया।

كُلُّ امْرِئٍۢ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ

यानी हर इनसान अपने अ़मल में गिरफ़्तार होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी दूसरे का गुनाह उसके सर डाल दिया जाये, यानी जिस तरह ऊपर गुज़री आयतों में नेक लोगों की औलाद का उन नेक लोगों की ख़ातिर दर्जा बढ़ा दिया गया, यह अ़मल हसनात (नेकियों) में तो होगा सय्यिआत (बुराईयों) में एक के गुनाह का कोई असर दूसरे पर न पड़ेगा। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

فَذَكِّرْ فَمَآ اَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَّلَا مَجْنُوْنٍ ﴿۲۹﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهٖ رَيْبَ الْمَنُوْنِ ﴿۳۰﴾ قُلْ تَرَبَّصُوْا فَاِنِّیْ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُتَرَبِّصِيْنَ ﴿۳۱﴾ اَمْ تَاْمُرُهُمْ اَحْلَامُهُمْ بِهٰذَآ اَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُوْنَ ﴿۳۲﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ تَقَوَّلَهٗ ۚ بَلْ لَّا يُؤْمِنُوْنَ ﴿۳۳﴾ فَلْيَاْتُوْا بِحَدِيْثٍ مِّثْلِهٖٓ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ﴿۳۴﴾ اَمْ خُلِقُوْا مِنْ غَيْرِ شَیْءٍ اَمْ هُمُ الْخٰلِقُوْنَ ﴿۳۵﴾ اَمْ خَلَقُوا السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ بَلْ لَّا يُوْقِنُوْنَ ﴿۳۶﴾ اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَآئِنُ رَبِّكَ اَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُوْنَ ﴿۳۷﴾ اَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَّسْتَمِعُوْنَ فِيْهِ ۚ فَلْيَاْتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ ﴿۳۸﴾ اَمْ لَهُ الْبَنٰتُ وَلَكُمُ الْبَنُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَمْ تَسْـَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ﴿۴۰﴾ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ﴿۴۱﴾ اَمْ يُرِيْدُوْنَ كَيْدًا ۚ فَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا هُمُ الْمَكِيْدُوْنَ ﴿۴۲﴾ اَمْ لَهُمْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ﴿۴۳﴾ وَاِنْ يَّرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَآءِ سَاقِطًا يَّقُوْلُوْا سَحَابٌ مَّرْكُوْمٌ ﴿۴۴﴾ فَذَرْهُمْ حَتّٰی يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِیْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ﴿۴۵﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِیْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْـًٔا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿۴۶﴾ وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۴۷﴾ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَاِنَّكَ بِاَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿۴۸﴾ وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ﴿۴۹﴾

फ़-ज़क्किर् फ़मा अन्-त बिनिअ़्मति रब्बि-क बिकाहिनिंव्-व ला मज्नून (29) अम् यक़ूलू-न शाअ़िरुन् न-तरब्बसु बिही रैबल्-मनून (30)	अब तू समझा दे कि तू अपने रब के फ़ज़्ल से न जिन्नात से ख़बर लेने वाला है और न दीवाना। (29) क्या कहते हैं यह शायर है हम मुन्तज़िर हैं इस पर ज़माने की गर्दिश के। (30)

क़ुल् त-रब्बसू फ़-इन्नी म-अ़कुम् मिनल्-मु-तरब्बिसीन (31) अम् तअ्मुरुहुम् अह़्लामुहुम् बिहाज़ा अम् हुम् क़ौमुन् ताग़ून (32) अम् यक़ूलू-न तक़व्व-लहू बल्-ला युअ्मिनून (33) फ़ल्यअ्तू बि-हदीसिम्-मिस्लिही इन् कानू सादिक़ीन (34) अम् ख़ुलिक़ू मिन् ग़ैरि शैइन् अम् हुमुल्-ख़ालिक़ून (35) अम् ख़-लक़ुस्समावाति वल्अर्-ज़ बल्-ला यूक़िनून (36) अम् अ़िन्दहुम् ख़ज़ा-इनु रब्बि-क अम् हुमुल्-मुसैतिरून (37) अम् लहुम् सुल्लमुंय्यस्तमिअ़ू-न फ़ीहि फ़ल्यअ्ति मुस्तमिअ़ुहुम् बिसुल्तानिम्-मुबीन (38) अम् लहुल्-बनातु व लकुमुल्-बनून (39) अम् तस्अलुहुम् अज्रन् फ़हुम् मिम्-मग़्-रमिम्-मुस्क़लून (40) अम् अ़िन्दहुमुल्-ग़ैबु फ़हुम् यक्तुबून (41) अम् युरीदू-न कैदन्, फ़ल्लज़ी-न क-फ़रू हुमुल्-मकीदून (42) अम् लहुम् इलाहुन् ग़ैरुल्लाहि, सुब्हानल्लाहि अ़म्मा युश्रिकून (43) व इंय्यरौ किस्फ़म्-मिनस्समा-इ साक़ितंय्-यक़ूलू सहाबुम्-मर्कूम (44) फ़-ज़रहुम् हत्ता युलाक़ू यौ-महुमुल्लज़ी फ़ीहि

तू कह- तुम मुन्तज़िर रहो कि मैं भी तुम्हारे साथ मुन्तज़िर हूँ। (31) क्या उनकी अ़क़्लें यही सिखलाती हैं उनको या ये लोग शरारत पर हैं। (32) या कहते हैं यह क़ुरआन ख़ुद बना लाया, कोई नहीं! पर वे यक़ीन नहीं करते। (33) फिर चाहिये कि ले आयें कोई बात इसी तरह की अगर वे सच्चे हैं। (34) क्या वे बन गये हैं आप ही आप या वही हैं बनाने वाले? (35) या उन्होंने बनाया आसमानों को और ज़मीन को? कोई नहीं, पर वे यक़ीन नहीं करते। (36) क्या उनके पास हैं ख़ज़ाने तेरे रब के या वही दरोग़ा हैं? (37) क्या उनके पास कोई सीढ़ी है जिस पर सुन आते हैं, तो चाहिये कि ले आये जो सुनता है उनमें एक सनद खुली हुई। (38) क्या उसके यहाँ बेटियाँ हैं और तुम्हारे लिये बेटे? (39) क्या तू माँगता है उनसे कुछ बदला सो उन पर तावान का बोझ है? (40) क्या उनको ख़बर है भेद की सो वे लिख रखते हैं? (41) क्या चाहते हैं कुछ दाव करना? सो जो मुन्किर हैं वही आते हैं दाव में। (42) क्या उनका कोई हाकिम है अल्लाह के सिवाय? वह अल्लाह पाक है उनके शरीक बनाने से। (43) और अगर देखें एक तख़्ता आसमान से गिरता हुआ कहें यह बादल है गाढ़ा। (44) सो तू छोड़ दे उनको यहाँ तक कि देख लें अपने उस

युस्अ़कून (45) यौ-म ला युग़्नी अ़न्हुम् कैदुहुम् शैअंव्-व ला हुम् युन्सरून (46) व इन्-न लिल्लज़ी-न ज़-लमू अ़ज़ाबन् दू-न ज़ालि-क व लाकिन्-न अक्स-रहुम् ला यअ़्लमून (47) वस्बिर् लिहुक्मि रब्बि-क फ़-इन्न-क बि-अअ़्युनिना व सब्बिह् बिहम्दि रब्बि-क ही-न तक़ूम (48) व मिनल्-लैलि फ़सब्बिह्हु व इद्बारन्-नुजूम (49) ✿	दिन को जिसमें उन पर पड़ेगी बिजली की कड़क (45) जिस दिन काम न आयेगा उनको उनका दाव ज़रा भी और न उनको मदद पहुँचेगी। (46) और उन गुनाहगारों के लिये एक अ़ज़ाब है उस से वरे, पर बहुत उनमें के नहीं जानते। (47) और तू ठहरा रह मुन्तज़िर अपने रब के हुक्म का, तू तो हमारी आँखों के सामने है, और पाकी बयान कर अपने रब की ख़ूबियाँ जिस वक़्त तू उठता है (48) और कुछ रात में बोल उसकी पाकी और पीठ फेरते वक़्त तारों के। (49) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर उन मज़ामीन की वही की जाती है जिनकी तब्लीग़ वाजिब है जैसे ऊपर ही जन्नत व दोज़ख़ के मुस्तहिक़ लोगों की तफ़सील बयान की गयी है) तो आप (उन मज़ामीन से लोगों को) समझाते रहिये क्योंकि आप अल्लाह के फ़ज़्ल से न तो काहिन हैं और न मजनूँ हैं (जैसा कि ये मुश्रिक लोग कहते हैं और सूरः वज़्ज़ुहा के शाने नुज़ूल में इसका बयान है कि 'तुमको तुम्हारे शैतान ने छोड़ दिया है' जिसको बुख़ारी शरीफ़ में नक़ल किया गया है। जिसका हासिल यह है कि आप काहिन नहीं हो सकते, क्योंकि काहिन शैतानों से ख़बरें हासिल करता है और आपका शैतान से कोई वास्ता नहीं, और एक आयत में काफ़िरों का क़ौल नक़ल किया है कि वे आपको मजनूँ कहते हैं, इसमें आप से जुनून की नफ़ी की गयी है। मतलब यह कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम नबी हैं और नबी का काम हमेशा नसीहत करते रहना है, चाहे लोग कुछ ही बकें)। हाँ क्या ये लोग (काहिन और मजनूँ कहने के अ़लावा आपके बारे में) यूँ (भी) कहते हैं कि यह शायर हैं (और) हम इनके बारे में मौत के हादसे का इन्तिज़ार कर रहे हैं (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है कि क़ुरैशी लोग अपने मश्विरे की मजलिस 'दारुन्नदवा' में इकट्ठे हुए और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में यह मश्विरा क़रार पाया कि जैसे और शायर मरकर ख़त्म हो गये आप भी उन ही में के एक हैं, इसी तरह आप भी हलाक हो जायेंगे तो इस्लाम का क़िस्सा ख़त्म हो जायेगा) आप फ़रमा दीजिये कि (ठीक है) तुम मुन्तज़िर रहो, सो मैं भी तुम्हारे साथ मुन्तज़िर हूँ (यानी तुम मेरा अन्जाम देखो मैं तुम्हारा अन्जाम देखता हूँ। इसमें इशारे में भविष्यवाणी है कि मेरा अन्जाम फ़लाह व कामयाबी है और

तुम्हारा अन्जाम मेहरूमी और नाकामी है, और यह मक़सूद नहीं कि तुम मरोगे मैं न मरूँगा, बल्कि उन लोगों का जो इससे मक़सद था कि इनका दीन चलेगा नहीं, यह मर जायेंगे तो दीन मिट जायेगा, जवाब में इसका रद्द करना मक़सद है, चुनाँचे यूँ ही हुआ)।

(और ये लोग जो ऐसी-ऐसी बातें करते हैं तो) क्या इनकी अ़क़्लें (जिसके ये बड़े मुद्दई हैं) इनको इन बातों की तालीम करती हैं? या यह है कि ये बुरे लोग हैं। (उनका अ़क़्ल व समझ का दावेदार होना उनके इस क़ौल से साबित है जो सूरः अहक़ाफ़ में है:

لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَآ اِلَيْهِ.

और तफ़सीर मआ़लिम की नक़ल से इसकी और ताईद होती है कि क़ुरैश के बड़े लोगों में बड़े अ़क़्लमन्द मशहूर थे, पस इस आयत में उनकी अ़क़्ल की हालत दिखलाई गयी है कि क्यों साहिब! बस यही अ़क़्ल है जो ऐसी तालीम दे रही है। और अगर यह अ़क़्ल की तालीम नहीं है तो निरी शरारत और ज़िद है)। हाँ क्या वे यह (भी) कहते हैं कि इन्होंने इस (क़ुरआन) को ख़ुद गढ़ लिया है (सो तहक़ीक़ी जवाब तो इसका यह है कि यह बात नहीं है) बल्कि (यह बात सिर्फ़ इस वजह से कहते हैं) ये लोग (अपनी दुश्मनी व मुख़ालफ़त की वजह से इसकी) तस्दीक़ नहीं करते (और क़ायदा है कि जिस चीज़ की आदमी तस्दीक़ नहीं करता वह हज़ार हक़ हो मगर उसकी हमेशा नफ़ी ही किया करता है। और दूसरा इल्ज़ामी जवाब यह है कि अच्छा अगर यह इनका बनाया हुआ है) तो ये लोग (भी अ़रबी हैं, अ़रबी भाषा के बड़े माहिर, उम्दा जानकार और उसमें कलाम करने पर पूरी तरह क़ादिर हैं) इस तरह का कोई कलाम (बनाकर) ले आएँ अगर ये (इस दावे में) सच्चे हैं।

(ये सब मज़ामीन रिसालत के मुताल्लिक़ हैं, आगे तौहीद के मुताल्लिक़ गुफ़्तगू है कि ये लोग जो तौहीद के इनकारी हैं तो) क्या ये लोग बग़ैर किसी पैदा करने वाले के ख़ुद-ब-ख़ुद पैदा हो गये हैं? या ये ख़ुद अपने पैदा करने वाले हैं? या (यह कि न अपने ख़ालिक़ हैं और न बिना ख़ालिक़ के पैदा हुए हैं लेकिन) इन्होंने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है (और अल्लाह तआ़ला की पैदा करने और बनाने की सिफ़त में शरीक हैं? हासिल यह कि जो शख़्स पैदा करने और बनाने की सिफ़त सिर्फ़ हक़ तआ़ला के साथ मख़्सूस होने और ख़ुद अपने बारे में भी किसी पैदा करने वाले का मोहताज होने का एतिक़ाद रखे तो अ़क़्लन उस पर लाज़िम है कि तौहीद का भी क़ायल हो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न क़रार दे। और तौहीद का इनकार वह शख़्स कर सकता है जो पैदा करने और बनाने की सिफ़त को अल्लाह तआ़ला के साथ मख़्सूस न जाने या अपने पैदा होने और बनाये जाने का इनकारी हो, और चूँकि ये लोग अपने सोच-विचार न करने की वजह से यह नहीं जानते थे कि ख़ालिक़ जब एक है तो माबूद भी एक ही होना लाज़िम है, इसलिये आगे उनके इस जहल और नादानी की तरफ़ इशारा है कि वास्तव में ऐसा नहीं) बल्कि ये लोग (अपनी जहालत की वजह से तौहीद का) यक़ीन नहीं लाते (वह जहल और नादानी यही है कि इसमें ग़ौर नहीं करते कि ख़ालिक़ होने और माबूद होने में एक लाज़िमी

रिश्ता है। यह गुफ़्तगू तौहीद के मुताल्लिक़ हुई आगे रिसालत के मुताल्लिक़ उनके दूसरे ख़्यालात, धारणाओं और गुमानों का रद्द है। चुनाँचे वे यह भी कहा करते थे कि अगर नुबुव्वत ही मिलनी थी तो फ़ुलाँ-फ़ुला मक्का व ताइफ़ के सरदारों को मिलती। हक़ तआ़ला इसका जवाब देते हैं कि) क्या इन लोगों के पास तुम्हारे रब (की नेमतों और रहमतों) के (जिनमें नुबुव्वत भी दाख़िल है) ख़ज़ाने हैं (कि जिसको चाहो नुबुव्वत दे दो? जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने एक जगह फ़रमाया- 'अ-हुम् यक़्सिमू-न रह्म-त रब्बि-क') या ये लोग (इस नुबुव्वत के महकमे के) हाकिम हैं? (कि जिसे चाहें नुबुव्वत दिलवा दें। यानी देने दिलाने की दो सूरतें हैं- एक तो यह कि मसलन ख़ज़ाना अपने क़ब्ज़े में हो, दूसरी यह कि क़ब्ज़े में न हो मगर ख़ज़ाना जिनके क़ब्ज़े में है वह उसके हुक्म के ताबे हों कि उसके दस्तख़त देखकर देते हों, यहाँ दोनों की नफ़ी फ़रमा दी, जिसका हासिल यह है कि ये लोग जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत के इनकारी हैं और मक्का व ताइफ़ के सरदारों को रिसालत का मुस्तहिक़ क़रार देते हैं, इनके पास इसकी कोई अ़क़्ली दलील तो है नहीं बल्कि ख़ुद इसके विपरीत पर अ़क़्ली दलीलें क़ायम हैं, और इसी लिये महज़ सवालिया अन्दाज़ के इनकार पर इक्तिफ़ा फ़रमाया।

(अब आगे किताबी व रिवायती दलील की नफ़ी फ़रमाते हैं, यानी) क्या उनके पास कोई सीढ़ी है कि उस पर (चढ़कर आसमान की) बातें सुन लिया करते हैं? (यानी नक़ली व किताबी दलील आसमानी वही है और उसके इल्म के दो तरीक़े हैं, या तो वही किसी शख़्स पर आसमान से नाज़िल हो, या वही वाला आसमान पर चढ़े, और दोनों का उन लोगों में न पाया जाना ज़ाहिर है। आगे इसके मुताल्लिक़ एक अ़क़्ली शुब्हे का बातिल होना बयान फ़रमाते हैं कि अगर फ़र्ज़ कर लो ये लोग यह दावा करने लगें कि हम आसमान पर चढ़ जाते और वहाँ की बातें सुनते हैं) तो उनमें से जो (वहाँ की) बातें सुन आता हो वह (इस दावे पर) कोई साफ़ दलील पेश करे (जिससे साबित हो कि यह शख़्स वही से सम्मानित हुआ है, जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी वही पर असाधारण और यक़ीनी दलीलें रखते हैं। आगे फिर तौहीद के बारे में एक ख़ास मज़मून के मुताल्लिक़ कलाम है, यानी तौहीद का इनकार करने वाले जो फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ क़रार देकर शिर्क करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि) क्या अल्लाह के लिए बेटियाँ (तजवीज़ की जायें) और तुम्हारे लिये बेटे (तजवीज़ हों? यानी अपने लिये तो वह चीज़ पसन्द करते हो जिसको आला दर्जे की समझते हो और ख़ुदा के लिये वह चीज़ तजवीज़ करते हो जिसको अदना दर्जे की समझते हो, जिसका बयान सूरः साफ़्फ़ात के आख़िर में विस्तार से और दलीलों के साथ गुज़रा है।

आगे फिर रिसालत के मुताल्लिक़ कलाम है कि उनको आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हक़्क़ानियत साबित हो जाने के बावजूद जो आपकी पैरवी करना इस क़द्र नागवार है तो) क्या आप उनसे (अहकाम के पहुँचाने का) कुछ बदला माँगते हैं कि वह तावान उन लोगों को भारी मालूम होता है? (जैसा कि इसी मज़मून को एक दूसरी आयत में 'अम् तस्अलुहुम्

ख़रज़न्............. के अलफ़ाज़ से बयान किया गया है। आगे क़ियामत और जज़ा के मुताल्लिक़ कलाम है कि वे लोग जो कहते हैं कि अव्वल तो क़ियामत होगी नहीं, और अगर मान लो होगी तो हम वहाँ भी अच्छे रहेंगे, जैसा कि उनका यह क़ौल एक दूसरी आयत में इस तरह बयान किया गया है:

وَمَآ اَظُنُّ السَّاعَةَ قَآئِمَةً وَّلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى.

तो हम उसके मुताल्लिक़ इनसे पूछते हैं कि) क्या इनके पास ग़ैब (का इल्म) है कि ये (उसको महफ़ूज़ रखने के वास्ते) लिख लिया करते हैं? (यह अहक़र के नज़दीक किनाया है 'यक्तुबू-न' से, क्योंकि लिखना भी किसी बात के सुरक्षित करने का एक तरीक़ा है। पस हासिल यह हुआ कि जिस मामले पर होने या न होने की कोई अक़्ली दलील क़ायम न हो वह पूरी तरह ग़ैब है, उसके होने या न होने का दावा वह करे जिसको किसी माध्यम और ज़रिये से उस ग़ैब पर मुत्तला किया जाये, और फिर मुत्तला होने के बाद वह उसको महफ़ूज़ भी रखे। इसलिये कि अगर मालूम होने के बाद महफ़ूज़ न हो तब भी हुक्म और दावा इल्म के बिना होगा, पस तुम जो क़ियामत की नफ़ी और अपने लिये बेहतरी और अच्छाई के क़ायल हो तो क्या तुमको ग़ैब पर किसी वास्ते से इत्तिला दी गयी है जैसा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को क़ियामत के आने और तुम्हारे बारे में अच्छी हालत की नफ़ी की ग़ैबी ख़बर वही के वास्ते और माध्यम से दे गयी है, और वह उसको महफ़ूज़ रखकर औरों को पहुँचा रहे हैं)।

(आगे रिसालत के मुताल्लिक़ एक और कलाम है वह यह कि) क्या ये लोग (नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ) कुछ बुराई करने का इरादा रखते हैं? (जिसका बयान एक दूसरी आयत में है:

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَ)

सो ये काफ़िर ख़ुद ही (उस) बुराई (के वबाल) में गिरफ़्तार होंगे। (चुनाँचे इस इरादे में नाकाम हुए और बदर में क़त्ल हुए। आगे फिर तौहीद के मुताल्लिक़ कलाम है कि) क्या उनका अल्लाह के सिवा कोई माबूद है? अल्लाह तआ़ला उनके शिर्क से पाक है। और (आगे फिर रिसालत के मुताल्लिक़ एक कलाम है वह यह कि ये लोग रिसालत से इनकार के लिये एक बात यह भी कहा करते हैं कि हम तो आपको उस वक़्त रसूल जानें जब हम पर एक आसमान का टुकड़ा गिरा दो, जैसा कि एक दूसरी आयत में उनकी इस बात को अल्लाह तआ़ला ने नक़ल फ़रमाया है:

وَقَالُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ ....اَوْ تُسْقِطَ السَّمَآءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا.

सो इसका जवाब यह है कि अव्वल तो दावे पर चाहे वह रसूल होने का दावा हो या और कुछ हो मुतलक़ दलील का बशर्ते कि सही हो क़ायम कर देना काफ़ी है जो कि रिसालत के दावे ही के वक़्त से बिना किसी एतिराज़ व जिरह के क़ायम है, और किसी ख़ास दलील का क़ायम होना ज़रूरी नहीं और न उससे नुबुव्वत के दावे में कोई नुक़्स और एतिराज़ लाज़िम आता है,

अगर किसी रियायत से और एहसान करते हुए कोई फ़रमाईशी दलील क़ायम की जाये तो यह उस वक़्त है जब उसमें कोई मस्लेहत हो, मसलन दरख़्वास्त करने वाला हक़ का तालिब हो तो यही समझा जाये कि ख़ैर इसी ज़रिये से इसको हिदायत हो जायेगी, और कोई क़ाबिले तवज्जोह और ख़ास हिक्मत हो, और यहाँ यह मस्लेहत भी नहीं क्योंकि उनकी यह फ़रमाईश हक़ के लिये नहीं बल्कि महज़ "बेतवज्जोही और मुख़ालफ़त व दुश्मनी" के तौर पर है। और वे ऐसे ज़िद्दी हैं कि) अगर (उनका यह फ़रमाईशी मोजिज़ा ज़ाहिर भी हो जाये और) वे आसमान के टुकड़े को देख (भी) लें कि गिरता हुआ आ रहा है तो (उसको भी) यूँ कह दें कि यह तो तह-ब-तह जमा हुआ बादल है। (जैसा कि एक जगह अल्लाह तआ़ला ने इरशाद फ़रमाया है:

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوْا فِيْهِ يَعْرُجُوْنَ ۝

पस जब मस्लेहत भी नहीं है और दूसरी मस्लेहतों की नफ़ी का भी हमको इल्म है बल्कि उन फ़रमाईशी मोजिज़ों का ज़ाहिर होना ख़िलाफ़े हिक्मत है, पस जब ज़रूरत नहीं मस्लेहत नहीं बल्कि ख़िलाफ़े मस्लेहत है फिर क्यों ज़ाहिर किया जाये, और न उसके ज़ाहिर न होने से नुबुव्वत की नफ़ी होती है। आगे उनके कुफ़्र में हद से ज़्यादा बढ़ जाने पर जो ऊपर की आयतों से और सख़्त मुख़ालफ़त व दुश्मनी पर जो कि आख़िर की आयत से मालूम होता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली दी गयी है। फ़रमाते हैं कि जब ये लोग ऐसे सरकश व नाफ़रमान और हद से गुज़रने वाले हैं) तो (इनसे ईमान की उम्मीद करके रंज में न पड़िये बल्कि) इनको (इन्हीं की हालत पर) रहने दीजिये यहाँ तक कि इनको अपने उस दिन से साबक़ा पड़ जाये जिसमें इनके होश उड़ जाएँगे (इससे मुराद क़ियामत का दिन है, और इस होश उड़ने की तफ़सील सूरः ज़ुमर की आयत 68 'व नुफ़ि-ख़.........' की तफ़सीर में गुज़री है, और हत्ता की मायने की तहक़ीक़ सूरः ज़ुख़रुफ़ के आख़िर में जहाँ 'हत्ता युलाक़ू' आया है गुज़री है)।

(आगे उस दिन का बयान है, यानी जिस दिन उनकी तदबीरें (जो दुनिया में इस्लाम की मुख़ालफ़त और अपनी कामयाबी के बारे में किया करते थे) उनके कुछ भी काम न आएँगी और न (कहीं से) उनको मदद मिलेगी। (न तो मख़्लूक़ की तरफ़ से कि इसकी संभावना ही नहीं, और न ख़ालिक़ की तरफ़ से कि वह वाक़े नहीं होगी, यानी उस रोज़ उनको हक़ीक़त मालूम हो जायेगी, बाक़ी उससे पहले ये ईमान लाने वाले नहीं) और (आख़िरत में तो यह मुसीबत उन पर आयेगी ही लेकिन) उन ज़ालिमों के लिये इस (अ़ज़ाब) से पहले भी अ़ज़ाब होने वाला है (जैसे सूखा पड़ना और बदर की लड़ाई में क़त्ल होना) लेकिन उनमें अक्सर को मालूम नहीं (अक्सर शायद इसलिये फ़रमाया हो कि बाज़ों के लिये ईमान मुक़द्दर था और उनकी बेइल्मी इस वजह से कि इल्म से बदल जाने वाली थी, इसलिये वह बेइल्मी क़रार नहीं दी गयी)।

और (जब आपको मालूम हो गया कि हम उनकी सज़ा के लिये एक वक़्त तय कर चुके हैं तो) आप अपने रब की (इस) तजवीज़ पर सब्र से बैठे रहिये (और उन लोगों के लिये अल्लाह के इन्तिक़ाम की जल्दी न कीजिये, जिसको आप मुसलमानों की इच्छा और उनकी इमदाद की

हैसियत से चाहते थे, और न इस ख़्याल से इन्तिक़ाम में जल्दी कीजिये कि ये लोग मोहलत की मुद्दत में आपको कोई नुक़सान पहुँचा सकेंगे, सो इसका भी अन्देशा न कीजिये क्यों) कि आप हमारी हिफ़ाज़त में हैं (फिर किस बात का डर। चुनाँचे यूँ ही ज़ाहिर हुआ)। और (अगर उनके कुफ़्र का ग़म दिल पर आये तो इसका इलाज यह है कि अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह रखा कीजिये, मसलन यह कि मजलिस से या सोने से) उठते वक़्त अपने रब की तस्बीह और तारीफ़ बयान किया कीजिये, और रात (के किसी हिस्से) में भी उसकी तस्बीह किया कीजिये (जैसे इशा की नमाज़) और सितारों (के ग़ुरूब होने) से पीछे "यानी उनके छुपने के बाद" भी, (मसलन सुबह की नमाज़, और आ़म ज़िक्र भी इसमें आ गया, और इन वक़्तों को ख़ास करने की वजह ख़ास तौर पर एहतिमाम व पाबन्दी के लिये है। हासिल यह कि अपने दिल को इधर मशग़ूल रखिये फिर फ़िक्र व ग़म का ग़लबा न होगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا.

दुश्मनों की दुश्मनी और मुख़ालफ़त व झुठलाने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली देने के लिये सूरत के आख़िर में पहले तो यह फ़रमाया कि "आप हमारी नज़रों में हैं" यानी हमारी हिफ़ाज़त में हैं, हम आपको उनके हर शर (बुराई) से बचायेंगे, आप उनकी किसी बात की परवाह न करें, जैसा कि एक दूसरी आयत में इरशाद है:

وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ.

अल्लाह तआ़ला लोगों से आपकी हिफ़ाज़त फ़रमायेंगे।

इसके बाद अल्लाह तआ़ला की तस्बीह व तारीफ़ में लग जाने का हुक्म फ़रमाया जो ज़िन्दगी का असली मक़सद भी है और हर मुसीबत से बचने का असली इलाज भी। फ़रमायाः

وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ○

यानी अल्लह की तारीफ़ की तस्बीह किया करें जबकि आप खड़े हों। खड़े होने से मुराद सोकर उठना भी हो सकता है, इमाम इब्ने जरीर ने इसी को इख़्तियार किया है, इसकी ताईद उस हदीस से होती है जिसको इमाम अहमद रह. ने हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- "जो शख़्स रात को नींद से जागा और उसने ये कलिमात पढ़े तो जो दुआ़ करेगा वह क़ुबूल की जायेगी। वो कलिमात ये हैं:

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ.

(ला इला-ह इल्लल्लाहु वस्दहू ला शरी-क लहू लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि

शैइन् क़दीर। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दु लिल्लाहि व ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु व ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि।)

फिर अगर उसने नमाज़ पढ़ने का इरादा किया और वुज़ू करके नमाज़ पढ़ी तो उसकी नमाज़ क़ुबूल की जायेगी। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

मजलिस का कफ़्फ़ारा

और हज़रत मुजाहिद और अबुल-अह्वस वग़ैरह तफ़सीर के इमामों ने फ़रमाया किः

حِيْنَ تَقُوْمُ.

से मुराद यह है कि जब आदमी अपनी किसी मजलिस से उठे तो यह कहे किः

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ.

(सुब्हानकल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क)

हज़रत अ़ता बिन अबी रबाह ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि जब तुम अपनी मजलिस से उठो तो अल्लाह की तस्बीह व तारीफ़ करो, अगर तुमने उस मजलिस में कोई नेक काम किया है तो उसकी नेकी में ज़्यादती और बरकत हासिल होगी, और अगर कोई ग़लत काम किया है तो ये कलिमात उसका कफ़्फ़ारा (बदला और मिटाने वाले) हो जायेंगे।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स किसी मजलिस में बैठे और उसमें अच्छी-बुरी बातें हों तो उस मजलिस से उठने से पहले अगर वह ये कलिमात पढ़ ले तो अल्लाह तआ़ला उसकी सब ख़ताओं को जो उस मजलिस में हुई हैं माफ़ फ़रमा देंगे। वो कलिमात ये हैं:

سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ (رواه الترمذی وهذا لفظهٗ والنسائی فی الیوم واللیلة وقال الترمذی حدیث حسن صحیح. از ابن کثیر)

(सुब्हानकल्लाहुम्-म व बि-हम्दि-क अश्हदु अल्ला इला-ह इल्ला अन्-त अस्तग़्फ़िरु-क व अतूबु इलै-क।)

وَمِنَ الَّيْلِ فَسَبِّحْهُ.

यानी रात में तस्बीह कीजिये। इसमें मग़रिब व इशा की नमाज़ भी दाख़िल है और आ़म तस्बीहात भी।

وَاِدْبَارَ النُّجُوْمِ ۝

यानी सितारों के ग़ायब होने के बाद। इससे मुराद फ़जर की नमाज़ और उस वक़्त की तस्बीहात हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः तूर की तफ़सीर आज दिनाँक 23 रबीउल-अव्वल सन् 1391 हिजरी बुध के दिन अ़सर के वक़्त पूरी हुई। अल्लाह तआ़ला बाक़ी बचे हिस्से की तफ़सीर को भी अपनी मदद से पूरा करने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

सूरः अन्नज्म

सूरः अन्नज्म मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 62 आयतें और 3 रुकूअ हैं।

اٰيَاتُهَا ٦٢ (٥٣) سُوْرَةُ النَّجْمِ مَكِّيَّةٌ (٢٣) رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ۙ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ۚ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى ۗ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى ۙ﴿٤﴾ عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰى ۙ﴿٥﴾ ذُوْ مِرَّةٍ ۚ فَاسْتَوٰى ۙ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ۗ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ۙ﴿٨﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ۚ﴿٩﴾ فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهٖ مَا أَوْحٰى ۗ﴿١٠﴾ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى ﴿١١﴾ أَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً أُخْرٰى ۙ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوٰى ۗ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى ۙ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى ﴿١٨﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वन्नज्मि इज़ा हवा (1) मा ज़ल्-ल साहिबुकुम् व मा ग़वा (2) व मा यन्तिक़ु अनिल्-हवा (3) इन् हु-व इल्ला वह़्युंय्यूहा (4) अ़ल्ल-महू शदीदुल्क़ुवा (5) ज़ू मिर्रतिन् फ़स्तवा (6) व हु-व बिल्-उफ़ुक़िल्-अअ्ला (7) सुम्-म दना फ़-तदल्ला (8) फ़का-न क़ा-ब क़ौसैनि औ अद्ना (9) फ़औहा इला अ़ब्दिही मा औहा (10) मा क-ज़बल्-फ़ुआदु मा	क़सम है तारे की जब गिरे (1) बहका नहीं तुम्हारा साथी और न बेराह चला। (2) और नहीं बोलता अपने नफ़्स की इच्छा से। (3) यह तो हुक्म है भेजा हुआ (4) उसको सिखलाया है सख़्त क़ुव्वतों वाले ने (5) ज़ोरावर ने, फिर सीधा बैठा (6) और वह था आसमान के ऊँचे किनारे पर (7) फिर नज़दीक हुआ और लटक आया (8) फिर रह गया फ़र्क़ दो कमान के बराबर या इससे भी नज़दीक (9) फिर हुक्म भेजा अल्लाह ने अपने बन्दे पर जो भेजा। (10) झूठ नहीं कहा

रआ (11) अ-फ़तुमारूनहू अ़ला मा यरा (12) व ल-क़द् रआहु नज़्ल-तन् उख़्रा (13) अ़िन्-द सिद्रतिल्-मुन्तहा (14) अ़िन्दहा जन्नतुल्-मअ्वा (15) इज़् यग़्शस्-सिद्र-त मा यग़्शा (16) मा ज़ाग़ल्-ब-सरु व मा तग़ा (17) ल-क़द् रआ मिन् आयाति रब्बिहिल्-कुब्रा (18)	रसूल के दिल ने जो देखा (11) अब क्या तुम उससे झगड़ते हो उस पर जो उसने देखा (12) और उसको उसने देखा है उतरते हुए एक बार और भी (13) सिद्रतुल-मुन्तहा के पास। (14) उसके पास है जन्नत आराम से रहने की। (15) जब छा रहा था उस बेरी पर जो कुछ छा रहा था (16) बहकी नहीं निगाह और न हद से बढ़ी (17) बेशक देखे उसने अपने रब के बड़े नमूने। (18)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है सितारे की जब वह छुपने लगे (यानी कोई भी सितारा हो, और इस क़सम में क़सम के जवाब के मज़मून 'मा ज़ल्-ल साहिबुकुम व मा ग़वा' के साथ एक ख़ास मुनासबत है, यानी जिस तरह सितारा निकलने से ग़ुरूब होने तक की इस सारी की सारी मुद्दत और सफ़र में अपनी बाक़ायदा रफ़्तार से इधर-उधर नहीं हुआ इसी तरह आप अपनी पूरी उम्र बहकने और बेराह चलने से महफ़ूज़ हैं, और साथ ही इशारा है इस तरफ़ कि जैसे सितारे से हिदायत व रहनुमाई होती है इसी तरह आप से भी न बहकने और ग़लत राह न चलने की वजह से हिदायत होती है। और चूँकि सितारों के आसमान के बीच में होने के वक़्त किसी दिशा का अन्दाज़ा नहीं होता इसलिये उस वक़्त सितारे से रास्ते का पता नहीं लगता, इसलिये इसमें क़ैद लगाई ग़ुरूब के वक़्त की, और अगरचे किनारे के क़रीब होना तुलूअ़ "उदय" के वक़्त भी होता है, लेकिन ग़ुरूब "छुपने व अस्त होने" में यह बात ज़्यादा है कि उस वक़्त हिदायत व रहनुमाई के इच्छुक उसको ग़नीमत समझते हैं इस ख़्याल से कि अगर दलील पकड़ने और फ़ैसला लेने में ज़रा देरी की तो फिर ग़ायब हो जायेगा, बख़िलाफ़ निकलने और उदय होने के कि उसमें बेफ़िक्री रहती है। पस इसमें इस तरफ़ भी इशारा हो गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हिदायत हासिल कर लेने को ग़नीमत समझो और शौक़ से दौड़ो। आगे क़सम का जवाब है कि) यह (हर वक़्त) तुम्हारे साथ (और सामने) रहने वाले (पैग़म्बर जिनके आ़म हालात व आमाल तुमको मालूम हैं जिनसे बशर्ते इन्साफ़ उनकी सच्चाई और हक़्क़ानियत पर दलील हासिल कर सकते हो, यह पैग़म्बर) न (हक़) राह से भटके (ज़लाल यह कि बिल्कुल रास्ता भूलकर खड़ा रह जाये, और ग़वायत यह कि ग़लत रास्ते को सही राह समझकर ग़लत दिशा में चलता रहे, जैसा कि यही मायने तफ़सीरे ख़ाज़िन में बयान किये गये हैं। यानी तुम जो उनको नुबुव्वत के दावे और इस्लाम की दावत में बेराह समझते हो यह बात नहीं है, बल्कि आप सच्चे नबी हैं) और न ग़लत रास्ते

पर गये और न आप अपनी नफ़्सानी इच्छा से बातें बनाते हैं (जैसा कि तुम लोग कहते हो, बल्कि) उनका इरशाद ख़ालिस वही है, जो उन पर भेजी जाती है। (चाहे अलफ़ाज़ की भी वही हो जो क़ुरआन कहलाता है चाहे सिर्फ़ मायने की हो जो सुन्नत कहलाती है, और चाहे वही जुज़ई "आंशिक" हो या किसी कुल्ली क़ायदे की वही हो जिस से इज्तिहाद फ़रमाते हों, पस इससे इज्तिहाद की नफ़ी नहीं होती और इस जगह असल मक़सद नफ़ी है काफ़िरों के इस ख़्याल की कि आप ख़ुदा की तरफ़ ग़लत बात की निस्बत फ़रमाते हैं। आगे वही आने का वास्ता बतलाते हैं कि) उनको एक फ़रिश्ता (इस वही की अल्लाह की तरफ़ से) तालीम करता है जो बड़ा ताक़तवर है (और वह अपनी कोशिश व मेहनत से ताक़तवर नहीं हुआ बल्कि) पैदाईशी ताक़तवर है (जैसा कि एक रिवायत में ख़ुद हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने अपनी ताक़त का बयान फ़रमाया कि मैंने क़ौमे लूत की बस्तियों को जड़ से उखाड़कर आसमान के क़रीब उनको लेजाकर छोड़ दिया। जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में सूरः तकवीर की तफ़सीर में इसको बयान किया गया है)।

मतलब यह कि यह कलाम किसी शैतान के ज़रिये से आप तक नहीं पहुँचा कि काहिन होने का शुब्हा व गुमान हो, बल्कि फ़रिश्ते के ज़रिये से आया है और शायद सख़्त क़ुव्वतों वाले का ज़िक्र फ़रमाने में यह मक़सूद हो कि इसका शुब्हा भी न किया जाये कि शायद असल में फ़रिश्ता ही लेकर चला हो मगर बीच में कोई शैतानी दख़ल अन्दाज़ी हो गयी हो। इसमें इशारा हो गया जवाब की तरफ़ कि वह निहायत सख़्त क़ुव्वतों वाले हैं, शैतान की मजाल नहीं कि उनके पास फटक सके। फिर वही के ख़त्म के बाद ख़ुद हक़ तआ़ला ने इसके बिल्कुल उसी हालत में अदा कर देने का वायदा फ़रमाया है। चुनाँचे सूरः क़ियामत में इरशाद है:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۝

आगे इस शुब्हे का जवाब है कि उस वही लाने वाले का फ़रिश्ता और जिब्रील होना उस वक़्त मालूम हो सकता है जब आप उनको पहचानते हों और पूरी सही पहचान मौक़ूफ़ है असली सूरत में देखने पर, तो क्या आपने जिब्रील अ़लैहिस्सलाम को अपनी असली सूरत पर देखा है? इसके बारे में फ़रमाते हैं कि हाँ यह भी हुआ है, जिसकी कैफ़ियत यह है कि चन्द बार तो दूसरी सूरत में देखा) फिर (एक बार ऐसा भी हुआ कि) वह फ़रिश्ता (अपनी) असली सूरत पर (आपके सामने) ज़ाहिर हुआ, ऐसी हालत में कि वह (आसमान के) बुलन्द किनारे पर था। (एक रिवायत में आसमान के पूर्वी किनारे से इसकी तफ़सीर आई है, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में है, और किनारे में दिखला देने की ग़ालिबन यह हिक्मत है कि आसमान के बीच में देखना मशक़्क़त व तकल्लुफ़ से ख़ाली नहीं। और बुलन्द किनारे में ग़ालिबन यह हिक्मत थी कि बिल्कुल नीचे उफ़ुक़ "किनारे" पर भी पूरी चीज़ नज़र नहीं आती, इसलिये ज़रा ऊँचे पर नज़र आये।

और इस देखने का क़िस्सा यह हुआ था कि एक बार हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिब्रील अ़लैहिस्सलाम से इच्छा जताई कि मुझको अपनी असली सूरत दिखला दो, उन्होंने हिरा के

पास और इमाम तिर्मिज़ी की रिवायत के मुताबिक़ मौहल्ला जियाद में वायदा ठहराया, आप वहाँ तशरीफ़ ले गये तो उनको आसमान के पूर्वी किनारे में देखा कि उनके छह सौ बाज़ू हैं और इस क़द्र फैले हुए हैं कि पश्चिमी किनारे तक घेर रखा है। आप बेहोश होकर गिर पड़े, उस वक़्त जिब्रील अ़लैहिस्सलाम इनसानी शक्ल में होकर आपके पास तसल्ली देने के लिये उतर आये जिसका आगे ज़िक्र है, जैसा कि जलालैन में है। हासिल यह कि वह फ़रिश्ता अव्वल असली सूरत में बुलन्द किनारे पर ज़ाहिर हुआ) फिर (जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बेहोश हो गये तो) वह फ़रिश्ता (आपके) नज़दीक आया, फिर और आया। सो (निकटता की वजह से) दो कमानों के बराबर फ़ासला रह गया बल्कि (बहुत ज़्यादा क़रीब होने की वजह से) और भी कम (फ़ासला रह गया। मतलब दो कमानों का यह है कि अ़रब वालों की आ़दत थी कि जब दो शख़्स आपस में बहुत ज़्यादा इत्तिफ़ाक़ व इत्तिहाद करना चाहते थे तो दोनों अपनी-अपनी कमानें लेकर उनके चिल्ले यानी ताँत को आपस में मिला देते और इस हालत में भी कुछ हिस्सों के एतिबार से कुछ फ़ासला ज़रूर ही रहता है, पस इस मुहावरे की वजह से यह इशारा हो गया निकटता व इत्तिहाद की तरफ़। और चूँकि यह महज़ शक्ल व सूरत के एतिबार से मिलाप की अ़लामत थी तो अगर रूहानी व दिली मिलाप भी हो तो वहाँ "औ अदना" भी सादिक़ आ सकता है। पस "औ अदना" के बढ़ा देने में इशारा हो गया कि ज़ाहिरी निकटता के अ़लावा आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और जिब्रील अ़लैहिस्सलाम में रूहानी मुनासबत भी थी जो मुख्य बुनियाद है मुकम्मल पहचान और सूरत को याद रखने की।

ग़र्ज़ यह कि उनकी तसल्ली से आपको सुकून हुआ) फिर (सुकून के बाद) अल्लाह पाक ने (उस फ़रिश्ते के ज़रिये से) अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर वही नाज़िल फ़रमाई जो कुछ नाज़िल फ़रमाई थी (जो निर्धारित तौर पर मालूम नहीं, और न मालूम होने की ज़रूरत, और इसके बावजूद कि असल मक़सद उस वक़्त वही नाज़िल करना नहीं बल्कि जिब्रील को उनकी असली सूरत में दिखलाकर उनकी पूरी पहचान आपको अ़ता करनी थी, मगर उस वक़्त और भी वही नाज़िल फ़रमाना शायद इसलिये हो कि यह पहचान में और ज़्यादा मददगार हो, क्योंकि उस वक़्त की वही को जिसका अल्लाह की तरफ़ से होना जिब्रील अ़लैहिस्सलाम की असली सूरत में होने की वजह से निश्चित और यक़ीनी है, और दूसरे वक़्तों की वही जो इनसानी सूरत के माध्यम से है जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उन दोनों को एक शान पर देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यक़ीन में मज़बूती होगी कि दोनों हालतों में वही लाने वाला वास्ता यानी फ़रिश्ता एक ही है, जैसा कि किसी शख़्स की आवाज़ के अन्दाज़ और बात करने के तरीक़े से ख़ूब आगाह हों तो अगर कभी वह सूरत बदलकर भी बोलता है तो साफ़ पहचाना जाता है।

आगे उस देखने के मुताल्लिक़ एक शुब्हे का जवाब है। वह शुब्हा यह है कि असली सूरत में देखने के बावजूद यह भी तो संभावना हो सकती है कि दिल के समझने और एहसास करने में ग़लती हो जाये जैसा कि महसूस करने में ग़लती हो जाना अक्सर देखा और अनुभव किया जाता

है। मजनूँ शख़्स अपने होश व हवास सही होने के बावजूद कभी-कभी पहचाने हुए लोगों को दूसरा शख़्स बतलाने लगता है। पस यह देखना सही तौर पर देखना था या नहीं, आगे इस शुब्हे का जवाब है। यानी वह देखना सही तौर पर देखना था कि उसके देखने के वक़्त) दिल ने देखी हुई चीज़ में कोई ग़लती नहीं की (रहा यह कि इसकी क्या दलील है कि दिल ने ग़लती नहीं की सो बात यह है कि अगर इस तरह के शुब्हात ख़्वाह-मख़्वाह के गुमान काबिले तवज्जोह हुआ करें तो महसूस की हुई चीज़ों का कभी एतिबार न रहे, फिर तो सारी दुनिया के मामलात ही बेएतिबार और संदिग्ध हो जायें। हाँ किसी के पास शुब्हे की कोई माक़ूल बुनियाद मौजूद हो तो उस पर ग़ौर किया जाता है। और दिल के ग़लती करने के शुब्हे का मन्शा यह हो सकता है कि समझने और महसूस करने वाले की अ़क्ल में ख़राबी हो, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सही अ़क्ल वाला, समझदार व ज़हीन और दूर-अन्देश होना सब के सामने और ज़ाहिर था।

चूँकि इस कामिल और पूरी तरह स्पष्ट रूप से तब्लीग़ करने के बावजूद दुश्मन व विरोधी फिर भी झगड़ा और मुख़ालफ़त करने से बाज़ न आते थे इसी लिये आगे तंबीह व डाँट और ताज्जुब के तौर पर इरशाद फ़रमाते हैं कि जब तुमने ऐसे संतुष्टि भरे और काफ़ी बयान से जिब्रील को पहचानने और देखने का सुबूत सुन लिया) तो क्या इन (पैग़म्बर) से इनकी देखी (भाली) हुई चीज़ में झगड़ा करते हो (यानी जिन चीज़ों का इल्म व एहसास इनसान को होता है उनमें महसूस व मालूम हुई जैसी चीज़ें शक व शुब्हे से ऊपर होती हैं। ग़ज़ब की बात है कि तुम महसूस और जानी-पहचानी चीज़ों में भी झगड़ा करते हो, फिर यूँ तो तुम्हारी मालूम व महसूस चीज़ों में भी हज़ारों शुब्हे और संदेह निकल सकते हैं)। और (अगर यह बेकार का शुब्हा व संदेह हो कि जिस चीज़ को एक ही बार देखा हो तो उसकी पहचान कैसे हो सकती है, तो जवाब यह है कि अव्वल तो यह ज़रूरी नहीं कि एक बार देखने से पहचान न हो, और अगर चलो थोड़ी देर के लिये मान लिया जाये कि शनाख़्त व पहचान के लिये बार-बार का देखना ही ज़रूरी है तो) इन्होंने (यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने) उस फ़रिश्ते को एक बार और भी (असली सूरत में) देखा है (पस अब तो वह शुब्हा व गुमान भी दूर हो गया, क्योंकि दो बार किसी सूरत के मुवाफ़िक़ व समान होने से पूरी तरह निर्धारण हो गया कि हाँ जिब्रील अ़लैहिस्सलाम यही हैं।

आगे उस दोबारा देखने की जगह बतलाते हैं कि कहाँ देखा यानी मेराज की रात में देखा है) 'सिद्रतुल-मुन्तहा' के पास। ('सिद्रह' कहते हैं बेरी के पेड़ को और 'मुन्तहा' के मायने हैं इन्तिहा की जगह। हदीस में आया है कि यह एक दरख़्त है बेरी का सातवें आसमान में, ऊपर के जहान से जो अहकाम व रोज़ी वग़ैरह आते हैं वो पहले सिदरतुल-मुन्तहा तक पहुँचते हैं फिर वहाँ से फ़रिश्ते ज़मीन पर लाते हैं। इसी तरह यहाँ से जो आमाल ऊपर चढ़ते हैं वो भी सिद्रतुल-मुन्तहा तक पहुँचते हैं फिर वहाँ से ऊपर उठा लिये जाते हैं। दुनिया में इसकी मसाल डाकख़ाने के जैसी है कि वहाँ से आने और जाने वाले पत्रों का लेना और पहुँचाना होता है, और:

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى

"सिद्रतुल-मुन्तहा के पास" में तो देखने की जगह को बतलाया था, आगे उस जगह और स्थान का सम्मान बतलाते हैं कि) उस (सिद्रतुल-मुन्तहा) के क़रीब जन्नतुल-मअ्वा है (मअ्वा के मायने हैं रहने की जगह, चूँकि जन्नत नेक बन्दों के रहने की जगह है इसलिये उसको जन्नतुल-मअ्वा कहते हैं। हासिल यह कि वह सिद्रतुल-मुन्तहा एक ख़ास और नुमायाँ मौके पर है। अब देखने के स्थान के निर्धारित होने के बाद देखने का वक़्त और ज़माना बतलाते हैं कि यह देखना कब हुआ। पस फ़रमाते हैं कि) जब उस सिद्रतुल-मुन्तहा को लिपट रही थीं जो चीज़ें लिपट रही थीं (एक रिवायत में है कि सोने के परवाने थे, यानी सूरत परवानों के जैसी थी और एक रिवायत में है कि वे फ़रिश्ते थे, यानी हक़ीक़त उनकी यह थी। और एक रिवायत में है कि फ़रिश्तों ने हक़ तआ़ला से इजाज़त चाही थी कि हम भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़ियारत करें, उनको इजाज़त हो गयी, वे इस सिद्रह पर जमा हो गये थे। ये तमाम रिवायतें तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हैं। इसमें भी इशारा हो सकता है हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इज़्ज़त व सम्मान वाला होने की तरफ़, और बाक़ी वही तक़रीर है जो ऊपर बयान हो चुकी।

अब एक शुब्हा व गुमान यह भी हो सकता है कि ऐसी हैरत-अंगेज़ चीज़ें देखकर निगाह चकरा जाती है, पूरी तरह देखने और समझने पर क़ुदरत नहीं रहती, पस उस सूरत में जिब्रील अ़लैहिस्सलाम की सूरत को क्या देखा और पहचाना होगा, जब यह दूसरी बार का देखना व महसूस करना मोतबर न हुआ तो फिर इस ज़िक्र हुए शुब्हे व खटक का जो जवाबः

لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰیO

से दिया गया है वह काफ़ी न हुआ। इस शुब्हे व खटक को दूर करने के लिये फ़रमाते हैं कि आप इन अ़जीब चीज़ों को देखकर ज़रा भी नहीं चकराये और बिल्कुल भी हैरान नहीं हुए। चुनाँचे जिन चीज़ों के देखने का हुक्म था उनकी तरफ़ नज़र करने से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की) निगाह न तो हटी (बल्कि उन चीज़ों को ख़ूब देखा) और (जिन चीज़ों के देखने का हुक्म जब तक न हुआ) न (उनकी तरफ़ देखने को आपकी निगाह) बढ़ी (यानी इजाज़त से पहले नहीं देखा, जैसा कि तफ़सीर मदारिक में इसकी वज़ाहत है। यह दलील है आपके हद से ज़्यादा जमाव और मज़बूती की, क्योंकि अ़जीब चीज़ों में आकर आदमी यही दो हरकतें किया करता है- जिन चीज़ों के देखने को कहा जाता है उनको तो देखता नहीं, और जिनके लिये नहीं कहा गया उनको तकता है, ग़र्ज़ कि उसमें उसूल की पाबन्दी नहीं रहती। आगे आपके जमाव और मज़बूती की क़ुव्वत बयान करने के लिये फ़रमाते हैं कि) उन्होंने (यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने) अपने परवर्दिगार (की क़ुदरत) के बड़े-बड़े अ़जूबे देखे हैं (मगर हर चीज़ के देखने में आपकी यही शान रहीः

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰیO

"न उनकी निगाह बहकी और हद से बढ़ी" यो अ़जायबात मेराज की हदीसों में बयान हुए हैं- नबियों को देखना, रूहों को देखना, जन्नत वग़ैरह को देखना। पस साबित हुआ कि आप में

आला दर्जे का जमाव और इस्तिक़लाल है, पस हैरान व अचम्भित हो जाने का शुब्हा व संभावना नहीं, पस शुब्हे व खटक का जो जवाब आयतः

لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ۝

में बयान हुआ था वह अपनी जगह क़ायम व सालिम रहा। ग़र्ज़ कि इस पूरी तक़रीर से जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के देखने और आपको पहचानने के मुताल्लिक़ शुब्हा दूर होकर रिसालत का मामला साबित और स्पष्ट हो गया और यही इस जगह बयान करना मक़सद था)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः नज्म की विशेषतायें

सूरः नज्म पहली सूरत है जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का मुकर्रमा में ऐलान फ़रमाया (जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से मन्क़ूल है) और यही सबसे पहली सूरत है जिसमें सज्दे की आयत नाज़िल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सज्दा-ए-तिलावत किया, और उस सज्दे में एक अ़जीब सूरत यह पेश आई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह सूरत आ़म मजमे में तिलावत फ़रमाई जिसमें मुसलमान और काफ़िर सब शरीक थे। जब आपने सज्दे की आयत पर सज्दा अदा किया तो मुसलमान तो आपकी पैरवी में सज्दा करते ही, सब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सज्दा किया, ताज्जुब की चीज़ यह पेश आई कि जितने काफ़िर व मुश्रिक मौजूद थे वे भी सब सज्दे में गिर गये, सिर्फ़ एक घमण्डी शख़्स जिसके नाम में मतभेद है, ऐसा रहा जिसने सज्दा नहीं किया, मगर ज़मीन से एक मुट्ठी मिट्टी की उठाकर पेशानी से लगा ली और कहने लगा कि बस यही काफ़ी है। हदीस की रिवायत करने वाले हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद फ़रमाते हैं कि मैंने उस शख़्स को कुफ़्र की हालत में मरा हुआ देखा है। (बुख़ारी व मुस्लिम व अस्हाबुस्सुनन, इब्ने कसीर संक्षिप्तता के साथ)

इस सूरत के शुरू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सच्चा और बरहक़ रसूल होने और आप पर नाज़िल होने वाली वही (अल्लाह के पैग़ाम) में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश न होने का बयान है।

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى ۝

लफ़्ज़ नज्म सितारे के मायने में आता है। हर एक सितारे को नज्म और जमा नुजूम बोली जाती है। और कभी यह लफ़्ज़ ख़ास तौर से सुरैया सितारे के लिये भी बोला जाता है जो चन्द सितारों का मजमूआ़ है। इस आयत में भी कुछ हज़रात ने नज्म की तफ़सीर सुरैया से की है, इमाम फ़र्रा और हज़रत हसन बसरी रह. ने पहली तफ़सीर में बिना किसी को ख़ास किये हुए सिर्फ़ सितारे को तरजीह दी है (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) इसी को ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इख़्तियार किया गया है।

'इज़ा हवा' लफ़्ज़ हवा पतन और गिरने के मायने में आता है। सितारे का गिरना उसका गुरूब होना है। इस आयत में हक़ तआ़ला ने सितारों की क़सम खाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वही का हक़ व सही और शक व शुब्हे से ऊपर होना बयान फ़रमाया है। सूरः साफ़्फ़ात में तफ़सील के साथ गुज़र चुका है कि हक़ तआ़ला को इख़्तियार है कि वह ख़ास मस्लेहतों और हिक्मतों के लिये अपनी ख़ास-ख़ास मख़्लूक़ात की क़सम खाते हैं, दूसरों को इसकी इजाज़त नहीं कि अल्लाह के सिवा किसी की क़सम खाये। यहाँ हक़ तआ़ला ने सितारों की क़सम खाई जिसमें एक हिक्मत यह भी है कि सितारे अंधेरी रात में दिशायें और रास्ते बताने के लिये इस्तेमाल किये जाते हैं और उनसे मतलूबा दिशा की तरफ़ रहनुमाई होती है। ऐसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अल्लाह के रास्ते की तरफ़ रहनुमाई होती है।

مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى○

यह क़सम का जवाब है, यानी वह मज़मून है जिसके लिये क़सम खाई गयी है। मायने इसके यह हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिस रास्ते की तरफ़ लोगों को दावत देते हैं वह सीधा व सही रास्ता और मन्ज़िले मक़सूद यानी अल्लाह की रज़ा का सही रास्ता है, न आप रास्ता भूले हैं और न ग़लत रास्ते पर चलते हैं।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को लफ़्ज़ 'साहिबुकुम' से ताबीर करने की हिक्मत

इस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम मुबारक या लफ़्ज़ रसूल व नबी ज़िक्र करने के बजाय आपकी ज़ात को लफ़्ज़ 'साहिबुकुम' से ताबीर करने में इशारा इस तरफ़ है कि मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम कहीं बाहर से नहीं आये, कोई अजनबी शख़्स नहीं हैं जिनके सच और झूठ में तुम्हें शक व धोखा रहे, बल्कि वह तुम्हारे हर वक़्त के साथी हैं, तुम्हारे वतन में पैदा हुए हैं, यहीं बचपन गुज़ारा, यहीं जवान हुए, उनकी ज़िन्दगी का कोई गोशा तुमसे छुपा नहीं, और तुमने तजुर्बा कर लिया है कि उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी ग़लत और बुरे काम में तुमने उनको बचपन में भी नहीं देखा, उनके अख़्लाक़ व आ़दात, उनकी अमानत व दियानत पर तुम सब को इतना एतिमाद और भरोसा था कि पूरे मक्का वाले आपको अमीन कहा करते थे, अब नुबुव्वत के दावे के वक़्त तुम उनकी तरफ़ झूठ की निस्बत करने लगे, जिसने इनसानों के मामले में कभी झूठ न बोला हो ग़ज़ब है कि उस पर यह इल्ज़ाम लगाने लगे कि उसने ख़ुदा तआ़ला के मामले में झूठ बोला है, इसलिये आगे फ़रमायाः

وَمَايَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى○ اِنْ هُوَاِلَّا وَحْيٌ يُّوْحٰى○

यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी तरफ़ से बातें बनाकर अल्लाह की तरफ़ मन्सूब करें इसका क़तई तौर पर कोई इमकान (संभावना) नहीं, बल्कि आप जो कुछ

फ़रमाते हैं वह सब अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वही किया हुआ होता है। वही की बहुत सी क़िस्में बुख़ारी शरीफ़ की हदीसों से साबित हैं, उनमें से एक क़िस्म वह है जिसके मायने और अलफ़ाज़ सब हक़ तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल होते हैं, जिसका नाम क़ुरआन है। दूसरी वह कि सिर्फ़ मायने अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से नाज़िल होते हैं, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस मायने को अपने अलफ़ाज़ में अदा फ़रमाते हैं, उसका नाम हदीस और सुन्नत है। फिर हदीस में जो मज़मून हक़ तआ़ला की तरफ़ से आता है कभी वह किसी मामले का साफ़ और स्पष्ट फ़ैसला और हुक्म होता है, कभी कोई क़ायदा कुल्लिया बतलाया जाता है जिस से अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने इज्तिहाद (ग़ौर व फ़िक्र और दिमाग़ी कोशिश व मेहनत) से निकालते और बयान करते हैं, उस इज्तिहाद में इसकी संभावना रहती है कि कोई ग़लती हो जाये, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और तमाम नबियों की यह ख़ुसूसियत है कि जो अहकाम वे अपने इज्तिहाद से बयान फ़रमाते हैं उनमें अगर कोई ग़लती हो जाती है तो अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वही के ज़रिये उसकी इस्लाह (सुधार) कर दी जाती है वे अपने ग़लत इज्तिहाद पर क़ायम नहीं रह सकते, बख़िलाफ़ दूसरे मुज्तहिद उलेमा के उनके इज्तिहाद (सोच-विचार और क़ुरआन व हदीस और इज्मा व क़ियास को मदार बनाकर उनसे अहकाम निकालने) में ख़ता हो जाये तो वे उस पर क़ायम रह सकते हैं और उनकी यह ख़ता भी अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ माफ़ ही नहीं बल्कि दीन के समझने में जो अपनी पूरी ताक़त व मेहनत वे ख़र्च करते हैं उस पर भी उनको एक सवाब मिलता है (जैसा कि मशहूर सही हदीसों में इसकी वज़ाहत है)।

इस तक़रीर से उक्त आयत पर इस शुब्हे का जवाब भी हो गया कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जो कुछ फ़रमाते हैं वह सब अल्लाह की तरफ़ से वही होता है तो इससे लाज़िम आता है कि आप अपनी राय और इज्तिहाद से कुछ नहीं फ़रमाते, हालाँकि सही हदीसों में अनेक वाक़िआ़त ऐसे ज़िक्र हुए हैं कि शुरू में आपने कोई हुक्म दिया फिर वही के ज़रिये उसको बदला गया, जो इस बात की निशानी है कि वह हुक्म अल्लाह की तरफ़ से नहीं था बल्कि आपकी राय और इज्तिहाद से था। जवाब ऊपर आ चुका है कि कभी-कभी वही किसी क़ायदा कुल्लिया की शक्ल में आती है, जिस से अहकाम को निकालने और समझने में पैग़म्बर को अपनी राय से इज्तिहाद (विचार) करना पड़ता है, चूँकि वह क़ायदा कुल्लिया अल्लाह की तरफ़ से आया है इसलिये उन सब आहकाम को भी अल्लाह की तरफ़ से वही कहा गया है, वल्लाहु आलम।

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰىo

यहाँ से सत्रहवीं आयतः

لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰىo

(यानी आयत नम्बर 5 से 17) तक तमाम आयतों में इसका बयान है कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वही में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं, यह अल्लाह का कलाम है जो आपको इस तरह दिया गया है कि इसमें किसी मिलावट और धोखे या ख़ता और ग़लती का कोई इमकान (संभावना) नहीं रहता।

सूरः नज्म की आयतों की तफ़सीर में तफ़सीर के इमामों का मतभेद

इन आयतों के बारे में तफ़सीर के इमामों से दो तफ़सीरें नक़ल की गयी हैं- एक का हासिल यह है कि इन सब आयतों को मेराज के वाक़िए का बयान क़रार देकर हक़ तआ़ला से बिना किसी माध्यम के तालीम और अल्लाह तआ़ला के दीदार व निकटता के ज़िक्र पर महमूल फ़रमाया और "सख़्त क़ुव्वतों वाले, ज़ोरावर, सीधा बैठना, और क़रीब होना" सब को हक़ तआ़ला की सिफ़ात व काम क़रार दिया, और आगे जो देखने और दीदार का ज़िक्र है उससे भी हक़ तआ़ला का दीदार और ज़ियारत मुराद ली। सहाबा-ए-किराम में हज़रत अनस और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से यह तफ़सीर मन्क़ूल है। तफ़सीरे मज़हरी में इसी को इख़्तियार किया है। और बहुत से हज़राते सहाबा व ताबिईन और तफ़सीर के इमामों ने इन आयतों को जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के उनकी असली सूरत में देखने का बयान क़रार दिया है, और सख़्त क़ुव्वतों वाला वग़ैरह जिब्रीले अमीन की सिफ़ात बतलाई हैं, इसकी बहुत सी वुजूहात हैं, तारीख़ी हैसियत से भी सूरः नज्म बिल्कुल शुरू की सूरतों में से है, और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की वज़ाहत के मुताबिक़ सबसे पहली सूरत जिसको आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का मुकर्रमा में ऐलानिया तौर पर पढ़ा है यही सूरत है, और ज़ाहिर यही है कि मेराज का वाक़िआ इससे बाद का है। लेकिन इसमें कलाम किया जा सकता है, असल वजह यह है कि हदीसे मरफ़ूअ़ में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इन आयतों की तफ़सीर जिब्रील अ़लैहिस्सलाम को देखने से नक़ल की गयी है, जिसके अलफ़ाज़ मुस्नद अहमद में ये हैं:

عَنِ الشَّعْبِی عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ کُنْتُ عِنْدَعَائِشَةَ فَقُلْتُ اَلَیْسَ اللّٰهُ یَقُوْلُ: وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِیْنِ ٥ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی ٥ فَقَالَتْ: اَنَا اَوَّلُ هٰذِهِ الْاُمَّةِ سَاَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَا فَقَالَ اِنَّمَا ذَاكَ جِبْرَئِیْلُ لَمْ یَرَهُ فِیْ صُوْرَتِهِ الَّتِیْ خُلِقَ عَلَیْهَا اِلَّا مَرَّتَیْنِ رَاٰهُ.... مُنْهَبِطًا مِّنَ السَّمَآءِ اِلَی الْاَرْضِ سَادًّا عِظَمُ خَلْقِهٖ مَابَیْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ. اَخْرَجَاهُ فِی الصَّحِیْحَیْنِ مِنْ حَدِیْثِ الشَّعْبِی. (ابن کثیر)

तर्जुमाः इमाम शअ़बी रह. हज़रत मसरूक़ रह. से नक़ल करते हैं कि वह एक दिन हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास थे (अल्लाह तआ़ला को देखने के मसले में गुफ़्तगू थी) मसरूक़ कहते हैं कि मैंने कहा- अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है:

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِیْنِ ٥ وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰی ٥

हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि पूरी उम्मत में सबसे पहले मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से इस आयत का मतलब मालूम किया है, आपने फ़रमाया कि जिसके देखने का आयत में ज़िक्र है वह जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने सिर्फ़ दो मर्तबा उनकी असली सूरत में देखा है। आयत में जिस देखने का ज़िक्र है उसका मतलब यह है कि आपने जिब्रीले अमीन को आसमान से ज़मीन की तरफ़ उतरते हुए देखा कि उनके जिस्म ने ज़मीन व आसमान के दरमियान की फ़िज़ा को भर दिया था।''

सही मुस्लिम में भी यह रिवायत तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ से मन्क़ूल है, और फ़त्हुल-बारी किताबुत्तफ़सीर में हाफ़िज़ ने इब्ने मर्दूया से यही रिवायत इसी सनद के साथ नक़ल की है, जिसमें सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलफ़ाज़ ये हैं:

اَنَا اَوَّلُ مَنْ سَاَلَ رَسُوْلَ اللّٰہِ صَلَّى اللّٰہُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ هٰذَا، فَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰہِ ﷺ هَلْ رَاَيْتَ رَبَّكَ؟ فَقَالَ لَا، اِنَّمَا رَاَيْتُ جِبْرَئِيْلَ مُنْهَبِطًا. (فتح الباری، ص ۴۹۳ ج ۸)

''यानी सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि इस आयत के मुताल्लिक़ सबसे पहले मैंने ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से मालूम किया कि क्या आपने अपने रब को देखा है? तो आपने फ़रमाया कि नहीं, बल्कि मैंने जिब्रील को उतरते हुए देखा है।''

और सही बुख़ारी में शैबानी से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत ज़ुर्र से इस आयत का मतलब पूछाः

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ۝ فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰى ۝

उन्होंने जवाब दिया कि हमसे हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हदीस बयान की कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिब्रीले अमीन को इस हालत में देखा कि उनके छह सौ बाज़ू थे, और इमाम इब्ने जरीर ने अपनी सनद के साथ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से आयतः

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى ۝

की तफ़सीर में यह नक़ल किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिब्रीले अमीन को देखा इस हालत में कि वह रफ़रफ़ के लिबास में थे और ज़मीन व आसमान के बीच की फ़िज़ा को उनके वजूद ने भर रखा था।

इमाम इब्ने कसीर की तहक़ीक़

हदीस की ये सब रिवायतें इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर में नक़ल करके फ़रमाया है कि सूरः नज्म की उक्त आयतों में दीदार और निकटता से मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखना और उनके क़रीब होना है, यह क़ौल सहाबा-ए-किराम में से उम्मुल-मोमिनीन हज़रत

आयशा, अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद, अबूज़र ग़िफ़ारी, अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का है, इसी लिये इमाम इब्ने कसीर ने उक्त आयतों की तफ़सीर में फ़रमाया किः

"इन आयतों में जिस देखने और क़रीब होने का ज़िक्र है वह देखना और क़रीब होना जिब्रीले अमीन के बारे में मुराद है जबकि उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पहली मर्तबा उनकी असली सूरत में देखा था। फिर दूसरी मर्तबा मेराज की रात में सिद्रतुल-मुन्तहा के क़रीब देखा, और यह पहली बार देखना नुबुव्वत के बिल्कुल शुरू के ज़माने में हुआ, जबकि जिब्रील अ़लैहिस्सलाम पहली मर्तबा सूरः इक़रा की शुरू की आयतों की वही लेकर आये, उसके बाद वही में "फ़त्रत" यानी अन्तराल पेश आया जिस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सख़्त ग़म और तकलीफ़ थी, कई बार यह ख़्यालात दिल में आये कि पहाड़ से गिरकर जान दे दें, मगर जब कभी ऐसी सूरत हुई तो जिब्रीले अमीन ग़ायबाना हवा से आवाज़ देते कि ऐ मुहम्मद! आप अल्लाह के रसूल हैं, बरहक़ हैं, और मैं जिब्रील हूँ। उनकी आवाज़ से आपका दिल ठहर जाता और सुकून हो जाता था। जब कभी ऐसा ख़्याल आया उसी वक़्त जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने इस आवाज़ के ज़रिये तसल्ली दी, मगर ये तसल्लियाँ ग़ायबाना थीं, यहाँ तक कि एक दिन जिब्रीले अमीन बतहा के खुले मैदान में अपनी असली सूरत में इस तरह ज़ाहिर हुए कि उनके छह सौ बाज़ू थे और पूरे आसमानी किनारे को घेर रखा था। फिर जिब्रीले अमीन आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़रीब आये और आपको अल्लाह की वही पहुँचाई, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जिब्रीले अमीन की बड़ाई और अल्लाह के नज़दीक उनके बड़े रुतबे की हक़ीक़त उजागर हुई।" (तफ़सीर इब्ने कसीर)

ख़ुलासा यह है कि इमाम इब्ने कसीर ने ख़ुद मरफ़ूअ़ हदीस और सहाबा-ए-किराम के क़ौलों की बिना पर सूरः नज्म की उक्त आयतों की तफ़सीर यही क़रार दी है कि इसमें जिब्रील अ़लैहिस्सलाम को देखना और उनके क़रीब होना मुराद है, और यह पहली बार का देखना है जो इसी जहान में मक्का मुकर्रमा के आसामनी किनारे पर हुआ। कुछ रिवायतों में इस देखने की यह तफ़सील आई है कि जिब्रीले अमीन को पहली मर्तबा उनकी असली सूरत में देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर बेहोशी तारी हो गयी, तो फिर जिब्रीले अमीन आदमी की सूरत में आपके क़रीब आये और बहुत क़रीब आ गये।

दूसरी बार के देखने का तज़किरा आगे सूरः नज्म ही की आयतः

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى○

में आया है, जो मेराज की रात में पेश आया। उपरोक्त वुजूहात की बिना पर तफ़सीर के ज़्यादातर इमामों ने इसी तफ़सीर को इख़्तियार किया है। इमाम इब्ने कसीर का मज़मून तो अभी ऊपर गुज़रा है, इमाम क़ुर्तुबी, इमाम अबू हय्यान, इमाम राज़ी वग़ैरह उमूमन इसी तफ़सीर को तरजीह दे रहे हैं, सय्यिदी हज़रत हकीमुल-उम्मत (मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी) रह. ने भी इसी

को इख़्तियार फ़रमाया है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर के उनवान में बयान हो चुका है, जिसका हासिल यह है कि सूरः नज्म की शुरू की आयतों में हक़ तआ़ला के देखने का ज़िक्र नहीं है बल्कि जिब्रील अ़लैहिस्सलाम का देखना बयान हुआ है। इमाम नववी रह. ने 'शरह मुस्लिम' में और हाफ़िज़ इब्ने हजर ने 'फ़त्हुल-बारी' में भी यही तफ़सीर इख़्तियार फ़रमाई है।

ذُوْ مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ○ وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰى ○

मिर्रतुन के मायने क़ुव्वत के हैं। यह भी जिब्रीले अमीन की ताक़त व क़ुव्वत की अधिकता की दूसरी सिफ़त को बयान करने के लिये है, ताकि किसी को यह वहम न हो कि वही लाने वाले फ़रिश्ते के काम में कोई शैतान दख़ल-अन्दाज़ी कर सकता है, क्योंकि हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम इतने ताक़तवर हैं कि शैतान उनके पास भी नहीं फटक सकता, और "फ़स्तवा" के मायने "बराबर हो गये" मुराद यह है कि अव्वल जब जिब्रीले अमीन को देखा तो वह आसमान से उतर रहे थे, उतरने के बाद ऊँचे किनारे पर बराबर होकर बैठ गये। किनारे के साथ ऊँचे और बुलन्द की क़ैद में यह हिक्मत है कि आसमानी किनारे का वह हिस्सा जो ज़मीन के साथ मिला हुआ नज़र आता है वह उमूमन नज़रों से छुपा रहता है इसलिये बुलन्द किनारे पर जिब्रीले अमीन को दिखलाया गया।

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ○

'दना' के मायने "क़रीब हो गया" और 'तदल्ला' के लफ़्ज़ी मायने "लटक गया" इससे मुराद झुकर क़रीब हो जाना है।

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى ○

कमान की लकड़ी जहाँ पकड़ने का दस्ता होता है, और उसके मुक़ाबिल कमान की डोर (ताँत) होती है, इन दोनों के बीच के फ़ासले को क़ाब कहा जाता है, जिसका अन्दाज़ा तक़रीबन एक हाथ से किया जाता है। 'क़ा-ब क़ौसैनि' यानी दो कमानों की क़ाब फ़रमाने की वजह अ़रब वालों की एक ख़ास आ़दत है कि दो आदमी अगर आपस में सुलह और दोस्ती का समझौता करना चाहते तो जैसे उसकी एक निशानी हाथ पर हाथ मारने की परिचित व मशहूर है इसी तरह दूसरी निशानी जिससे दोस्ती का इज़हार किया जाता था यह थी कि दोनों शख़्स अपनी अपनी कमानों की लकड़ी तो अपनी तरफ़ कर लेते और कमान की डोर दूसरे की तरफ़, इस तरह जब दोनों कमानों की डोरें आपस में मिल जातीं तो आपसी निकटता व दोस्ती का ऐलान समझा जाता था। इस निकटता के वक़्त उन दोनों शख़्सों के बीच दोनों कमानों की क़ाब का फ़ासला रहता था यानी तक़रीबन दो हाथ (या एक गज़), इसके बाद 'औ अदना' कहकर यह भी बतला दिया कि यह निकटता व मिलाप आ़म रस्मी मिलाप की तरह नहीं था बल्कि उससे भी ज़्यादा था।

उक्त आयतों में जिब्रील अ़लैहिस्सलाम का बहुत ज़्यादा क़रीब हो जाना इसलिये बयान फ़रमाया गया कि यह साबित हो जाये कि जो वही उन्होंने पहुँचाई है उसके सुनने में किसी शक

व शुब्हे की गुंजाईश नहीं, और यह कि इस निकटता व मिलाप की वजह से यह भी सन्देह नहीं रहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिब्रीले अमीन को न पहचानें और कोई शैतान दख़ल-अन्दाज़ी कर सके।

فَاَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى○

'औहा' में वही करने का इशारा हक् तआ़ला की तरफ़ है और 'अ़ब्दिही' में बन्दा होने की निस्बत भी उसी की तरफ़ है, मायने यह मैं कि जिब्रीले अमीन को सिखलाने और बतलाने वाले की हैसियत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बिल्कुल क़रीब भेजकर हक् तआ़ला ने आपकी तरफ़ वही नाज़िल फ़रमाई।

एक इल्मी इश्काल और उसका जवाब

यहाँ जो ज़ाहिरी शक्ल में एक इश्काल (शुब्हा) यह महसूस होता है कि ऊपर की आयतों में कामों और आमाल की निस्बतें अक्सर मुफ़स्सिरीन व मुहद्दिसीन ने जिब्रीले अमीन की तरफ़ की हैं, 'फ़स्तवा' से लेकर 'फ़-का-न क़ा-ब क़ौसैनि औ अद्ना' तक सब ज़मीरें जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ही की तरफ़ लौटी हैं, और अगली आयतों में भी बक़ौल मुफ़स्सिरीन की बड़ी जमाअ़त के जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ही का ज़िक्र है, तो सिर्फ़ इस आयत में 'औहा' और 'अ़ब्दिही' की ज़मीर (पोशीदा इशारा) अल्लाह तआ़ला की तरफ़ लौटाना इबारत की तरतीब व नज़्म के ख़िलाफ़ और ज़मीरों को अलग-अलग करने का सबब है।

इसका जवाब उस्ताज़े मोहतरम हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद अनवर शाह रह. ने यह दिया है कि न यहाँ कलाम की तरतीब में कोई ख़लल है न ज़मीरों (निस्बतों) को अलग-अलग करना और मुन्तशिर करना, बल्कि हक़ीक़त यह है कि सूरः नज्म की शुरू की आयत में 'इन् हु-व इल्ला वह्युंय्यूहा' का ज़िक्र फ़रमाकर जिस मज़मून की शुरूआ़त की गयी है उसी का निहायत मुरत्तब बयान इस तरह किया गया कि वही भेजने वाला तो ज़ाहिर है कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई नहीं, मगर इस वही को पहुँचाने में एक वास्ता, (माध्यम और सूत्र) जिब्रील का था, चन्द आयतों में उस वास्ते की ताईद व विश्वसनीयता पूरी तरह बयान करने के बाद फिरः

اَوْحٰۤى اِلٰى عَبْدِهٖ مَاۤ اَوْحٰى○

फ़रमाया। तो यह शुरू वाले कलाम का पूरक (पूरा करने वाला और आख़िरी हिस्सा) है, और इसमें ज़मीरों का मुन्तशिर होना इसलिये नहीं कह सकते कि 'औहा' और 'अ़ब्दिही' में इसके सिवा कोई संदेह व संभावना ही नहीं कि वह हक् तआ़ला की तरफ़ लौटे, इसलिये निस्बत व इशारे के लौटने का यह मक़ाम पहले से मुतैयन है, और "मा औहा" यानी "जो कुछ वही फ़रमाना था" इसको अस्पष्ट रखकर उसकी बड़ी शान की तरफ़ इशारा फ़रमाया गया है। 'सही बुख़ारी बाब बद्उल्-वही' की हदीस से मालूम होता है कि उस वक़्त जो वही की गयी वह सूरः मुद्दस्सिर की शुरू की आयतें हैं, वल्लाहु आलम।

कलाम की इस पूरी तरतीब से क़ुरआने करीम की हक़्क़ानियत और उसका ठीक अल्लाह का कलाम होना साबित होता है, कि जिस तरह मुहद्दिसीन हज़रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हदीसों की सनद अपने से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक मुकम्मल बयान करते हैं, इन आयतों में हक़ तआ़ला ने क़ुरआन की सनद इस तरह बयान फ़रमा दी कि वही करने वाला ख़ुद हक़ तआ़ला है और सिखाने व पहुँचाने वाला जो अल्लाह तआ़ला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बीच सनद का वास्ता है वह जिब्रीले अमीन अ़लैहिस्सलाम हैं। उक्त आयतों में जिब्रील अ़लैहिस्सलाम की बड़ी शान और सख़्त क़ुव्वतों वाला होना गोया इस सनद के वास्ते (माध्यम) के दुरुस्त व सही होने को बयान करना है।

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى○

फ़ुआद के मायने दिल, और मतलब आयत का यह है कि आँख ने जो कुछ देखा है दिल ने भी उसके समझने और उस तक पहुँचने में कोई ग़लती नहीं की, इसी ग़लती और ख़ता को आयत में लफ़्ज़ किज़्ब से ताबीर किया है कि देखी हुई चीज़ के समझने और उस तक पहुँचने में दिल ने झूठ नहीं बोला, यानी ग़लती और ख़ता नहीं की। और लफ़्ज़ 'मा रआ' के मायने हैं "जो कुछ देखा" क़ुरआन के अलफ़ाज़ ने यह मुतैयन नहीं किया कि क्या देखा, इसकी तफ़सीर में सहाबा व ताबिईन और तफ़सीर के इमामों के वही दो क़ौल हैं जो ऊपर तफ़सील से बयान किये गये हैं कि कुछ के नज़दीक ख़ुद हक़ तआ़ला को देखना मुराद है (और यह हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल है) और कुछ के नज़दीक जिब्रीले अमीन को उनकी असली सूरत में देखना मुराद है (और यह हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा, इब्ने मसऊद, अबू हुरैरह और अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का क़ौल है) इस तफ़सीर के मुताबिक़ लफ़्ज़ 'रआ' अपने असली मायने के मुताबिक़ आँख से देखने के लिये बोला गया और देखने के बाद जानना और समझना जो दिल का काम है वह दिल की तरफ़ मन्सूब हुआ है, देखने को एक मुहावरे के तौर पर दिल के देखने के मायने में लेने की ज़रूरत पेश नहीं आई। (जैसा कि क़ुर्तुबी में है)

रहा यह सवाल कि आयत में समझने और उसको पाने की निस्बत दिल की तरफ़ की है, हालाँकि मशहूर हकीमों (बुद्धिजीवियों) का क़ौल है कि समझने का ताल्लुक़ अ़क़्ल या नफ़्स-ए-नातिक़ा से है। इसका जवाब यह है कि क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों से मालूम होता है कि इल्म व समझ का असल केन्द्र दिल है, इसलिये कभी अ़क़्ल को भी लफ़्ज़ दिल से ताबीर कर दिया है, जैसे आयत 'लिमन् का-न लहू क़ल्बुन्' में क़ल्ब से मुराद अ़क़्ल ली गयी है, क्योंकि क़ल्ब (दिल) अ़क़्ल का केन्द्र है, क़ुरआनी आयतें:

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا.

वग़ैरह इस पर सुबूत व गवाह हैं।

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى○ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى○

यहाँ भी 'रआहु' की ज़मीर (यानी 'उसको देखा' में उस के बारे) में वही दो क़ौल हैं कि

हक़ तआ़ला मुराद हैं या जिब्रीले अमीन। 'नज़्लतन् उख़्रा' के मायने हैं दूसरी मर्तबा का नाज़िल होना। वरीयता प्राप्त तफ़सीर के मुताबिक़ यह नाज़िल होना भी जिब्रीले अमीन का है, और जैसा कि पहली बार के देखने का मक़ाम क़ुरआने करीम ने इसी आ़लमे दुनिया में मक्का मुकर्रमा का आसमानी बुलन्द किनारा बतलाया था इसी तरह इस दूसरी बार के देखने का मक़ाम सातवें आसमान में 'सिद्रतुल-मुन्तहा' बतलाया, और यह ज़ाहिर है कि सातवें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तशरीफ़ लेजाना मेराज की रात में हुआ है। इससे इस दूसरी बार के देखने का वक़्त भी कुल मिलाकर मुतैयन हो जाता है।

सिद्रह लुग़त में बेरी के पेड़ को कहते हैं, और मुन्तहा के मायने हैं इन्तिहा की जगह। सातवें आसमान पर रहमान के अ़र्श के नीचे यह बेरी का पेड़ है, मुस्लिम की रिवायत में इसको छठे आसमान पर बतलाया है, और दोनों रिवायतों की मुवाफ़क़त इस तरह हो सकती है कि उसकी जड़ छठे आसमान पर और शाख़ें सातवें आसमान पर फैली हुई हैं (क़ुर्तुबी) और आ़म फ़रिश्तों की पहुँच की यह आख़िरी हद है, इसी लिये इसको मुन्तहा कहते हैं। कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह के अहकाम पहले रहमान के अ़र्श से सिद्रतुल-मुन्तहा पर नाज़िल होते हैं, यहाँ से संबन्धित फ़रिश्तों के सुपुर्द होते हैं, और ज़मीन से आसमान पर जाने वाले आमाल नामे वग़ैरह भी फ़रिश्ते यहीं तक पहुँचाते हैं, वहाँ से हक़ तआ़ला के सामने पेशी की और सूरत होती है। मुस्नद अहमद में यह मज़मून हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है।

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى○

'मअ्वा' के मायने हैं ठिकाना और आराम की जगह। जन्नत को मअ्वा इसलिये फ़रमाया कि इनसान का असल ठिकाना और मक़ाम यही है, यहीं आदम व हव्वा अ़लैहिमस्सलाम की तख़्लीक़ हुई (यानी उनको बनाया गया) है, यहीं से उनको ज़मीन पर उतारा गया, और फिर यही जन्नत वालों का मक़ाम होगा।

जन्नत व दोज़ख़ का मौजूदा स्थान

इस आयत ने यह भी बतला दिया कि जन्नत इस वक़्त भी मौजूद है जैसा कि उम्मत की अक्सरियत का अ़क़ीदा यही है कि जन्नत व दोज़ख़ क़ियामत के बाद पैदा नहीं की जायेंगी, ये दोनों मक़ाम इस वक़्त भी मौजूद हैं। इस आयत ने जन्नत का स्थान भी बतला दिया कि वह सातवें आसमान के ऊपर, रहमान के अ़र्श के नीचे है, गोया सातवाँ आसमान जन्नत की ज़मीन और रहमान का अ़र्श उसकी छत है। दोज़ख़ का स्थान किसी क़ुरआनी आयत या हदीस की रिवायत में स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया, सूरः तूर की आयत 'वल्-बहरिल् मस्जूर' से कुछ मुफ़स्सिरीन ने यह मफ़्हूम निकाला है कि दोज़ख़ समन्दर के नीचे ज़मीन का निचला हिस्सा है, जिस पर इस वक़्त कोई भारी और सख़्त ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है, जो क़ियामत में फट जायेगा और उसकी आग फैलकर पूरे समन्दर को आग में तब्दील कर देगी।

मौजूदा ज़माने में यूरोप के बहुत से माहिरीन ने जो ज़मीन को बरमाकर एक तरफ़ से दूसरी तरफ़ जाने का रास्ता बनाने की कोशिश सालों साल जारी रखी, और बड़ी से बड़ी मशीनें इस काम के लिये ईजाद कीं, विभिन्न जमाअ़तों ने इस पर मेहनत ख़र्च की, सबसे ज़्यादा जो जमाअ़त कामयाब हुई वह मशीनों के ज़रिये ज़मीन की गहराई में छह मील तक पहुँच सकी, मगर छह मील के बाद सख़्त पत्थर ने उनको आ़जिज़ कर दिया, तो फिर दूसरी जगह से खुदाई शुरू की मगर वही छह मील के बाद सख़्त पत्थर से साबक़ा पड़ा, अनेक जगहों में इसका तजुर्बा करने के बाद उनकी तहक़ीक़ यह क़रार पाई कि छह मील की गहराई के बाद कोई पथरीला ग़िलाफ़ पूरी ज़मीन पर चढ़ा हुआ है जिसमें कोई मशीन काम नहीं कर सकती। ज़मीन का क़तर (किनारा, ख़त) जो हज़ारों मील का है उसमें से साईन्स के इस तरक़्क़ी के ज़माने में साईन्स की रसाई सिर्फ़ छह मील तक हो सकी, आगे पथरीले ग़िलाफ़ का इक़रार करके अपनी कोशिश छोड़नी पड़ी। इस वाक़िए से भी इसकी ताईद होती है कि पूरी ज़मीन किसी पथरीले ग़िलाफ़ से बन्द की हुई है, अगर किसी सही रिवायत से जहन्नम का स्थान इस ग़िलाफ़ के अन्दर होना साबित हो जाये तो कुछ बईद नहीं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

اِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشٰى٥

यानी जबकि ढाँप लिया था सिद्रह को ढाँपने वाली चीज़ ने। सही मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत है कि उस वक़्त सिद्रतुल-मुन्तहा पर सोने के बने हुए परवाने हर तरफ़ गिर रहे थे, ऐसा मालूम होता है कि उस रोज़ सिद्रतुल-मुन्तहा को ख़ास तौर से सजाया गया था, जिसमें आने वाले मेहमान हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सम्मान था।

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى٥

'ज़ा-ग़' ज़ैग़ से निकला है, जिसके मायने टेढ़ा या बेराह हो जाना और 'तग़ा' तुग़यान से निकला है जिसके मायने हद से बढ़ जाने के हैं, मुराद इन दोनों लफ़्ज़ों से यह बयान करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जो कुछ देखा उसमें नज़र ने कोई ख़ता या ग़लती नहीं की। यह इस शुब्हे का जवाब है कि कई बार इनसान की नज़र भी ख़ता कर जाती है, ख़ास तौर पर जबकि वह कोई अ़जीब और ग़ैर-मामूली (असाधारण) वाक़िआ़ देख रहा हो। इस शुब्हे के जवाब में क़ुरआने करीम ने दो लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाये, क्योंकि नज़र की ग़लती दो वजह से हो सकती है- एक यह कि जिस चीज़ को देखना चाहता था नज़र उससे हटकर दूसरी तरफ़ चली गयी, लफ़्ज़ 'मा ज़ा-ग़' से इस क़िस्म की ग़लती की नफ़ी की गयी है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नज़र किसी दूसरी चीज़ पर नहीं बल्कि जिसको देखना था ठीक उसी पर पड़ी। दूसरी वजह नज़र की ग़लती की यह हो सकती है कि नज़र पड़ी तो उसी चीज़ पर जिसको देखना मक़सूद था मगर उसके साथ वह इधर-उधर की दूसरी चीज़ों को भी देखती रही, इसमें भी कई बार धोखे और चीज़ों के ख़ल्त-मल्त हो जाने का ख़तरा होता है, इस क़िस्म की ग़लती को

दूर करने के लिये 'व मा तग़ा' फ़रमाया।

जिन हज़रात ने इनसे पहले की आयतों की तफ़सीर हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के देखने से की है, वे इस आयत का भी यही मफ़्हूम क़रार देते हैं कि जिब्रीले अमीन के देखने में आँख ने कोई ग़लती नहीं की, इसके बयान की ज़रूरत इस वजह से हुई कि जिब्रील अ़लैहिस्सलाम वही का वास्ता और माध्यम हैं, अगर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनको अच्छी तरह न देखें और न पहचानें तो वही शुब्हे से ख़ाली नहीं रहती।

और जिन हज़रात ने पहले गुज़री आयतों की तफ़सीर हक़ सुब्हानहू व तआ़ला के देखने से की है वे यहाँ भी यही फ़रमाते हैं कि हक़ तआ़ला सुब्हानहू के दीदार में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की आँखों ने कोई ग़लती नहीं की, बल्कि सही-सही देखा, अलबत्ता इस आयत ने इस बात को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया कि यह देखना इन ज़ाहिरी आँखों से हुआ जो बदन का हिस्सा हैं, सिर्फ़ दिल से नहीं देखा।

उक्त आयतों की तफ़सीर में एक और मुफ़ीद तहक़ीक़

पहले ज़माने के मुहद्दिसीन का नमूना हज़रत उस्ताज़ मौलाना सय्यिद मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी क़द्दसल्लाह सिर्रहू जो बिला शुब्हा इस ज़माने में अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी और ज़मीन में अल्लाह की हुज्जत थे, उनके उलूम निःसंदेह हाफ़िज़ इब्ने हजर और इमाम ज़हबी जैसे हदीस के इमामों के उलूम का नमूना थे, और 'मुश्किलातुल-क़ुरआन' पर आपकी एक मुस्तक़िल तस्नीफ़ बहुत ही गहरे उलूम व मआ़रिफ़ का ख़ज़ाना है। सूरः नज्म की आयतों में चूँकि सहाबा व ताबिईन से लेकर मुज्तहिद इमामों और मुहद्दिसीन व मुफ़स्सिरीन के विभिन्न व अनेक क़ौल और उनमें इल्मी इश्कालात जाने-पहचाने व मशहूर हैं, 'मुश्किलातुल-क़ुरआन' में आपने इन आयतों की तफ़सीर इस तरह फ़रमाई कि ज़्यादातर रिवायतों में मुवाफ़क़त हो जाये।

फिर अहक़र के दूसरे उस्ताज़ शैख़ुल-इस्लाम हज़रत मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रह. ने जब सही मुस्लिम की शरह 'फ़त्हुल-मुल्हिम' तहरीर फ़रमाई और मेराज के बयान में सूरः नज्म की इन आयतों का हवाला आया तो मसले की अहमियत के पेशे-नज़र इन आयतों की तफ़सीर ख़ुद हज़रत अ़ल्लामा अनवर शाह साहिब के क़लम से लिखवाकर उसको अपनी किताब 'फ़त्हुल-मुल्हिम' का हिस्सा बनाया और अपने 'फ़वाइदुल-क़ुरआन' में भी उसी को इख़्तियार फ़रमाया। इस तरह यह तहक़ीक़ अहक़र के दो बुज़ुर्ग उस्ताज़ों की मुत्तफ़क़ा तहक़ीक़ हो गयी, इसके पढ़ने से पहले चन्द बातें सामने रहनी चाहियें जो तक़रीबन सब उलेमा व इमामों के नज़दीक मुसल्लम और मानी हुई हैं। अव्वल यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिब्रीले अमीन को उनकी असली सूरत में दो मर्तबा देखा है, और उन दोनों मर्तबा देखने का ज़िक्र सूरः नज्म की उक्त आयतों में मौजूद है। दूसरी मर्तबा किस जगह किस ज़माने में देखा, इसको तो उन्हीं आयतों में मुतैयन करके बतला दिया है कि यह देखना सातवें आसमान पर सिद्रतुल-मुन्तहा के

पास हुआ है, और यह ज़ाहिर है कि सातवें आसमान पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तशरीफ़ लेजाना सिर्फ़ मेराज की रात में हुआ है, इससे इस देखने की जगह भी मालूम हो गयी और वक़्त भी, कि वह मेराज की रात में हुआ। पहली बार देखने के स्थान और वक़्त का निर्धारण इन आयतों में नहीं है, मगर सही बुख़ारी बाब 'बदउल्-वही' में हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह की इस हदीस से ये दोनों चीज़ें मुतैयन हो जाती हैं।

قَالَ وَهُوَ يُحَدِّثُ عَنْ فَتْرَةِ الْوَحْيِ فَقَالَ فِيْ حَدِيْثِهٖ بَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ اِذْ سَمِعْتُ صَوْتًا مِّنَ السَّمَآءِ فَرَفَعْتُ بَصَرِيْ فَاِذَا الْمَلَكُ الَّذِيْ جَآءَنِيْ بِحِرَاءٍ جَالِسٌ عَلٰى كُرْسِيٍّ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَرُعِبْتُ مِنْهُ فَرَجَعْتُ فَقُلْتُ زَمِّلُوْنِيْ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَاَنْذِرْ ...... اِلٰى قَوْلِهٖ .... وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ. فَحَمِيَ الْوَحْيُ وَ تَتَابَعَ.

"रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वही में फ़त्रत यानी अन्तराल का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि (एक दिन) जबकि मैं चल रहा था अचानक आसमान की तरफ़ से एक आवाज़ सुनी, मैंने नज़र उठाई तो देखा कि वही फ़रिश्ता जो हिरा में मेरे पास आया था आसमान व ज़मीन के बीच (ठहरा हुआ) एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उससे मरऊब होकर घर लौट आया और कहा कि मुझे ढाँप दो, उस वक़्त अल्लाह तआ़ला ने सूरः मुद्दस्सिर की आयतें 'वर्रुज्-ज़ फ़हजुर्' तक (यानी शुरू की 5 आयतें) नाज़िल फ़रमाईं, और उसके बाद आसमानी वही मुसलसल (लगातार) आने लगी।"

इस हदीस से मालूम हुआ कि जिब्रीले अमीन को उनकी असली सूरत में देखने का पहला वाक़िआ़ वही के अन्तराल (यानी बीच में कुछ वक़्त के लिये वही रुक जाने) के ज़माने में मक्का मुअ़ज़्ज़मा के अन्दर उस वक़्त पेश आया जबकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का शहर में कहीं जा रहे थे। इससे मालूम हुआ कि पहला वाक़िआ़ मेराज से पहले मक्का की ज़मीन पर और दूसरा वाक़िआ़ सातवें आसमान पर मेराज की रात में पेश आया है।

दूसरी बात यह भी सब के नज़दीक मुसल्लम (मानी हुई) है कि सूरः नज्म की शुरू की आयतों में कम से आयत 13 से 18 तक की सब आयतें मेराज के वाक़िए के मुताल्लिक़ हैं।

ऊपर ज़िक्र हुई बातों के पेशे-नज़र उस्ताज़े मोहतरम हुज्जतुल-इस्लाम हज़रत मौलाना सय्यिद मुहम्मद अनवर शाह कश्मीरी क़ुद्दि-स सिर्रुहू ने सूरः नज्म की शुरू की आयतों की तफ़सीर इस तरह फ़रमाई है किः

क़ुरआने करीम ने अपने आ़म अन्दाज़ के मुताबिक़ सूरः नज्म की शुरू की आयतों में दो वाक़िआ़त का ज़िक्र फ़रमाया है- एक वाक़िआ़ जिब्रील अ़लैहिस्सलाम को उनकी असली सूरत में उस वक़्त देखने का है जबकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वही में अन्तराल के ज़माने में मक्का मुकर्रमा में किसी जगह जा रहे थे, और यह वाक़िआ़ मेराज से पहले का है। दूसरा वाक़िआ़ मेराज की रात का है, जिसमें जिब्रीले अमीन को उनकी असली सूरत में दोबारा देखने से कहीं ज़्यादा दूसरी अ़जीब चीज़ों और अल्लाह तआ़ला की बड़ी निशानियों का देखना बयान हुआ है, उन बड़ी निशानियों में ख़ुद हक़ तआ़ला सुब्हानहू की

ज़ियारत व दीदार का शामिल होना भी संभव है।

सूरः नज्म की शुरू की आयतों का असल मज़मून रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत और आपकी वही में शुब्हात निकालने वालों का जवाब है कि सितारों की क़सम खाकर अल्लाह तआ़ला ने यह फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जो कुछ इरशादात उम्मत को देते हैं न उनमें किसी ग़ैर-इख़्तियारी ग़लती की संभावना है न इख़्तियारी ग़लती की, और यह आप जो कुछ फ़रमाते हैं अपनी किसी नफ़्सानी ग़र्ज़ से नहीं कहते बल्कि वह सब अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से भेजी हुई वही होती है। फिर चूँकि यह वही हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के वास्ते से भेजी जाती है वह सिखाने और तब्लीग़ करने वाले की हैसियत से वही पहुँचाते हैं इसलिये जिब्रीले अमीन की विशेष सिफ़ात और बड़ी शान वाला होना आयतों में बयान किया गया है। इसमें ज़्यादा तफ़सील के साथ बयान करने की वजह शायद यह भी हो कि मक्का के मुश्रिक लोग हज़रत इस्राफ़ील और हज़रत मीकाईल फ़रिश्तों से तो वाक़िफ़ थे, जिब्रील से वाक़िफ़ न थे, बहरहाल हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम की सिफ़ात बयान करने के बाद फिर वही के असल मज़मून को बयान फ़रमायाः

فَاَوْحٰٓى اِلٰى عَبْدِهٖ مَآ اَوْحٰىO

यहाँ तक ये सब ग्यारह आयतें हैं जिनमें वही व रिसालत की ताईद व मज़बूती के साथ ही जिब्रीले अमीन की सिफ़ात का ज़िक्र है, और ग़ौर किया जाये तो ये सब सिफ़ात जिब्रीले अमीन पर बेतकल्लुफ़ सादिक़ आती (फ़िट बैठती) हैं, इनको अगर अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात क़रार दिया जाये जैसा कि कुछ मुफ़स्सिरीन ने किया है तो तकल्लुफ़ व तावील (यानी खींच-तानकर फ़िट करने और दूर का मतलब बयान करने) से ख़ाली नहीं, मसलनः

شَدِيْدُ الْقُوٰى، ذُوْمِرَّةٍ، دَنٰى فَتَدَلّٰى، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى.

(सख़्त क़ुव्वतों वाला, ज़ोरावर, नज़दीक हुआ और लटक आया, फिर रह गया फ़र्क़ दो कमान के बराबर या इससे भी नज़दीक) इन कलिमात को तावील के साथ तो हक़ तआ़ला के लिये कहा जा सकता है मगर बिना किसी तावील व बेतकल्लुफ़ इसका मिस्दाक़ जिब्रीले अमीन ही हो सकते हैं, इसलिये इन शुरू की आयतों में जिस देखने और क़रीब होने व मिलने का ज़िक्र है वह सब हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के देखने से मुताल्लिक़ क़रार देना ही ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित मालूम होता है। अलबत्ता इसके बाद बारहवीं आयत से अट्ठारहवीं आयत तक जिनमें मेराज के वाक़िए का बयान हो रहा है, इसमें भी जिब्रीले अमीन का दोबारा असली सूरत में देखना अगरचे बयान हुआ है मगर दूसरी बड़ी निशानियों के तहत में है, जिनमें अल्लाह तआ़ला के दीदार के शामिल होने की संभावना भी है जिसकी ताईद सही हदीसों और सहाबा व ताबिईन के अक़वाल से होती है इसको नज़र-अन्दाज़ नहीं किया जा सकता, इसलियेः

مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰىO

(यानी आयत नम्बर 12) की तफ़सीर यह है कि जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने आँख से देखा आपके दिल मुबारक ने उसकी तस्दीक़ की कि सही देखा, इस तस्दीक़ में दिल मुबारक ने कोई ग़लती नहीं की, इसी को 'मा क-ज़-ब' के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया है, और इसमें "जो कुछ देखा" के अलफ़ाज़ आम हैं इनमें जिब्रीले अमीन का देखना भी शामिल है और जो कुछ मेराज की रात में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने देखा वह सब शामिल है, और इसमें सबसे अहम ख़ुद हक़ तआ़ला का दीदार व ज़ियारत है, इसकी ताईद इससे भी होती है कि अगली आयत में इरशाद है:

اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا يَرٰىO

जिसमें मक्का के मुश्रिकों को ख़िताब है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जो कुछ देखा या आईन्दा देखेंगे वह झगड़ा और मतभेद करने या शक व शुब्हे में पड़ने की चीज़ नहीं, पूरी तरह हक़ और हक़ीक़त है। इस आयत में यह नहीं फ़रमाया कि:

اَفَتُمٰرُوْنَهٗ عَلٰى مَا قَدْرَاى.

बल्कि:

عَلٰى مَا يَرٰىO

भविष्यकाल के कलिमे के साथ फ़रमाया, जिसमें अगली बार का देखना जो मेराज की रात में होने वाला था उसकी तरफ़ इशारा और इसके बाद की आयतः

وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰىO

में इसकी स्पष्टता और वज़ाहत है, और इस आयत में भी दोनों तरह के दीदार का गुमान व संभावना है, यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम का दीदार और हक़ तआ़ला का दीदार। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम का दीदार तो ज़ाहिर है, और हक़ तआ़ला के दीदार की तरफ़ इशारा इस तरह पाया जाता है कि देखने के लिये आ़दतन क़रीब होना ज़रूरी है जैसा कि हदीस में रात के आख़िरी हिस्से में हक़ तआ़ला का दुनिया वाले आसमान पर नाज़िल होना बयान किया गया है।

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰىO

इसका मफ़्हूम यह है कि जिस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सिद्रतुल-मुन्तहा के पास थे जो हक़ तआ़ला के साथ निकटता का मक़ाम है, उस वक़्त देखा। इसमें हक़ तआ़ला की ज़ियारत भी मुराद होने पर यह हदीस सुबूत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

وَاَتَيْتُ سِدْرَةَ الْمُنْتَهٰى فَغَشِيَتْنِىْ ضَبَابَةٌ خَرَرْتُ لَهَا سَاجِدًا وَّ هٰذِهِ الضَّبَابَةُ هِىَ الظُّلَلُ مِنَ الْغَمَامِ الَّتِىْ يَاْتِىْ فِيْهَا اللّٰهُ وَيَتَجَلّٰى.

"मैं सिद्रतुल-मुन्तहा के पास पहुँचा तो मुझे बादल की तरह की किसी चीज़ ने घेर लिया। मैं उसके लिये सज्दे में गिर पड़ा, क़ियामत के दिन मेहशर में हक़ तआ़ला का ज़हूर क़ुरआने करीम की एक आयत में इसी तरह बयान हुआ है कि बादलों के साये की तरह की

कोई चीज़ होगी उसमें हक़ तआ़ला अपनी शायाने-शान नाज़िल होंगे।"

इसी तरह अगली आयतः

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى٥

का मफ़्हूम भी दोनों दीदारों को शामिल है, और इसमें यह और अधिक साबित हुआ कि यह देखना जागने की हालत में आँखों से हुआ है।

ख़ुलासा यह है कि जिन आयतों में मेराज की रात का ज़िक्र है उनमें देखने के बारे में जितने अलफ़ाज़ आये हैं उन सब में हज़रत जिब्रील और हक़ सुब्हानहू व तआ़ला दोनों के देखने का गुमान व संभावना है, और भी हज़रात ने इनकी तफ़सीर हक़ तआ़ला के दीदार से की है, इसकी गुंजाईश क़ुरआन के अलफ़ाज़ में मौजूद है।

अल्लाह तआ़ला को देखने का मसला

तमाम सहाबा व ताबिईन और उम्मत की अक्सरियत इस पर एक राय हैं कि आख़िरत में जन्नत वाले व आ़म मोमिन हक़ तआ़ला की ज़ियारत करेंगे जैसा कि सही हदीसें इस पर शाहिद (सुबूत व प्रमाण) हैं। इससे इतना मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला का दीदार व ज़ियारत कोई मुहाल या नामुम्किन चीज़ नहीं, अलबत्ता इस दुनिया में इनसानी निगाह में इतनी क़ुव्वत नहीं जो उसको बरदाश्त कर सके इसलिये दुनिया में किसी को हक़ तआ़ला की ज़ियारत व दीदार नहीं हो सकता, आख़िरत के मामले में ख़ुद क़ुरआने करीम का इरशाद हैः

فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ٥

यानी आख़िरत में इनसान की निगाह तेज़ और ताक़तवर कर दी जायेगी और पर्दे हटा दिये जायेंगे। हज़रत इमाम मालिक रह. ने फ़रमाया कि दुनिया में कोई इनसान अल्लाह तआ़ला को नहीं देख सकता क्योंकि उसकी निगाह फ़ानी है और अल्लाह तआ़ला बाक़ी, फिर जब आख़िरत में इनसान को ग़ैर-फ़ानी निगाह अ़ता कर दी जायेगी तो हक़ तआ़ला की ज़ियारत में कोई चीज़ रुकावट न रहेगी, तक़रीबन यही मज़्मून क़ाज़ी अ़याज़ रह. से भी मन्क़ूल है, और सही मुस्लिम की एक हदीस में इसकी तक़रीबन वज़ाहत है जिसके अलफ़ाज़ ये हैं:

وَاعْلَمُوْآ اَنَّكُمْ لَنْ تَرَوْا رَبَّكُمْ حَتّٰى تَمُوْتُوْا. (فتح الباری ص ۴۹۳ ج ۸)

इससे मुम्किन व संभव होना तो इसका भी निकल आया कि इस दुनिया में भी किसी वक़्त ख़ुसूसी तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की निगाह में वह क़ुव्वत बख़्श दी जाये जिस से वह हक़ तआ़ला की ज़ियारत कर सकें, लेकिन इस आ़लम से बाहर निकलकर जबकि मेराज की रात में आपको आसमानों और जन्नत व दोज़ख़ और अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत की ख़ास निशानियाँ दिखलाने ही के लिये विशेष हैसियत से बुलाया गया, उस वक़्त तो हक़ तआ़ला की ज़ियारत इस आ़म उसूल से भी अलग है कि उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस आ़लमे दुनिया में नहीं हैं।

अल्लाह तआ़ला के दीदार के संभव होने के सुबूत के बाद मसला यह रह जाता है कि क्या दीदार हुआ या नहीं? इस मामले में हदीस की रिवायतें मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग और भिन्न) और क़ुरआनी आयतों से संभावना ज़ाहिर होती है। इसी लिये सहाबा व ताबिईन और दीन के इमामों में यह मसला हमेशा मतभेदी ही रहा। इमाम इब्ने कसीर ने इन आयतों की तफ़सीर में फ़रमाया कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये हक़ सुब्हानहू तआ़ला के दीदार को साबित फ़रमाते हैं, और पहले बुज़ुर्गों की एक जमाअ़त ने उनकी पैरवी की है, और सहाबा व ताबिईन की बहुत सी जमाअ़तों ने इससे मतभेद किया है, आगे दोनों जमाअ़तों की दलीलें वग़ैरह बयान की गयी हैं।

इसी तरह हाफ़िज़ इब्ने हजर रह. ने 'फ़त्हुल-बारी' तफ़सीर सूरः नज्म में सहाबा व ताबिईन के इस मतभेद को ज़िक्र करने के बाद कुछ अक़वाल ऐसे भी नक़ल किये जिनसे इन दोनों मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग और एक दूसरे से भिन्न) अक़वाल में मुवाफ़क़त हो सके, और फ़रमाया कि इमाम क़ुर्तुबी ने 'मुफ़्हिम' में इस बात को तरजीह दी है कि हम इस मामले में कोई फ़ैसला न करें बल्कि ख़ामोशी इख़्तियार करें और ज़बानों को बन्द रखें क्योंकि यह मसला कोई अ़मली मसला नहीं जिसके किसी एक रुख़ पर अ़मल करना लाज़िमी हो, बल्कि यह मसला अ़क़ीदे का है जिसमें जब तक यक़ीनी और निश्चित सुबूत वाली दलीलें न हों कोई फ़ैसला नहीं हो सकता, और जब तक किसी मामले में निश्चित और यक़ीनी बात मालूम न हो उसके साबित होने और उसके बारे में ख़ामोंशी इख़्तियार करने का हुक्म है। (फ़त्हुल-बारी पेज नम्बर 494 जिल्द 8)

अहक़र के नज़दीक यही ज़्यादा बेहतर और एहतियात की बात है, इसलिये इस मसले की दोनों जमाअ़तों की दलीलों और वुजूहात को ज़िक्र नहीं किया। वल्लाहु सुब्हानहू आलम

أَفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿١٩﴾ وَمَنٰوةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرٰى ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثٰى ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيْزٰى ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَآءٌ سَمَّيْتُمُوْهَآ أَنْتُمْ وَاٰبَآؤُكُمْ مَّآ أَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنْ رَّبِّهِمُ الْهُدٰى ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنْسَانِ مَا تَمَنّٰى ﴿٢٤﴾ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَالْأُوْلٰى ﴿٢٥﴾ وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِي السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾ إِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ۚ إِنْ يَّتَّبِعُوْنَ إِلَّا الظَّنَّ ۚ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِيْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

अ-फ़-रऐतुमुल्ला-त वल्-उ़ज़्ज़ा (19) व मनातस्सालि-सतल्-उख़्रा (20) अ-लकुमुज़्-ज़-करु व लहुल्-उन्सा (21)	भला तुम देखो तो लात और उ़ज़्ज़ा को (19) और मनात तीसरे पिछले को (20) क्या तुमको तो मिले बेटे और उसको

तिल्-क इज़न् क़िस्मतुन् ज़ीज़ा (22) इन् हि-य इल्ला अस्माउन् सम्मैतुमूहा अन्तुम् व आबाउकुम् मा अन्ज़लल्लाहु बिहा मिन् सुल्तानिन्, इंय्यत्तबिअ़ू-न इल्लज़्ज़न्-न व मा तह्वल्-अन्फ़ुसु व ल-क़द् जा-अहुम् मिर्रब्बिहिमुल्-हुदा (23) अम् लिल्-इन्सानि मा तमन्ना (24) फ़-लिल्लाहिल्-आख़ि-रतु वल्-ऊला (25) ✽

व कम् मिम्-म-लकिन् फ़िस्समावाति ला तुग़्नी शफ़ा-अ़तुहुम् शैअन् इल्ला मिम्बअ़्दि अंय्यअ्-ज़नल्लाहु लिमंय्यशा-उ व यर्ज़ा (26) इन्नल्लज़ी-न ला युअ्मिनू-न बिल्-आख़ि-रति ल-युसम्मूनल्-मलाइ-क-त तस्मि-यतल्-उन्सा (27) व मा लहुम् बिही मिन् अ़िल्मिन्, इंय्यत्तबिअ़ू-न इल्लज़्ज़न्-न व इन्नज़्ज़न्-न ला युग़्नी मिनल्-हक़्क़ि शैआ (28)

बेटियाँ (21) यह बाँटा (तक़सीम करना) तो बहुत भोंडा। (22) ये सब नाम हैं जो रख लिये हैं तुमने और तुम्हारे बाप-दादों ने, अल्लाह ने नहीं उतारी इनकी कोई सनद, महज़ अटकल पर चलते हैं और जो जियों (यानी नफ़्सों) की उमंग है, और पहुँची है उनको उनके रब से राह की सूझ। (23) कहीं आदमी को मिलता है जो कुछ चाहे? (24) सो अल्लाह के हाथ है सब भलाई पिछली और पहली। (25) ✽

और बहुत फ़रिश्ते हैं आसमानों में, कुछ काम नहीं आती उनकी सिफ़ारिश मगर जब हुक्म दे अल्लाह जिसके वास्ते चाहे और पसन्द करे। (26) जो लोग यक़ीन नहीं रखते आख़िरत का वे नाम रखते हैं फ़रिश्तों के ज़नाने नाम (27) और उनको उसकी कुछ ख़बर नहीं, महज़ अटकल पर चलते हैं, और अटकल कुछ काम न आये ठीक बात में। (28)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुश्रिको! इसके बाद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हक़ बात कहने वाला और अल्लाह की वही का पैरवी करने वाला होना साबित हो गया और आप उस वही से तौहीद का हुक्म फ़रमाते हैं जो कि अ़क़्ली दलीलों से भी साबित है, और तुम फिर भी बुतों की पूजा करते हो तो) भला तुमने (कभी उन बुतों के मसलन) लात और उज़्ज़ा और तीसरे मनात के

हाल में ग़ौर भी किया है (ताकि तुमको मालूम होता कि वो पूजने के क़ाबिल हैं या नहीं। पस कलिमा फ़ा से यह फ़ायदा हुआ कि आपके चेताने के बाद चेत जाना चाहिये था, और तौहीद के मुताल्लिक एक और बात क़ाबिले ग़ौर है कि तुम जो फ़रिश्तों को ख़ुदा की बेटियाँ क़रार देकर माबूद कहते हो तो) क्या तुम्हारे लिये तो बेटे (तजवीज़) हों और ख़ुदा के लिए बेटियाँ (तजवीज़ हों? यानी जिन लड़कियों को तुम शर्म व नफ़रत के क़ाबिल समझते हो वे ख़ुदा की तरफ़ मन्सूब की जायें) इस हालत में तो यह बहुत बेढंगी तक़सीम हुई (कि अच्छी चीज़ तुम्हारे हिस्से में और बुरी चीज़ ख़ुदा के हिस्से में, नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा। यह आ़म उर्फ़ के एतिबार से फ़रमाया वरना ख़ुदा तआ़ला के लिये बेटा तजवीज़ करना भी बेढंगी बात है)।

ये (ज़िक्र हुए माबूद बुत और फ़रिश्ते उक्त अ़क़ीदे के मुताबिक़) बस नाम-ही-नाम हैं (यानी यह ख़ुदा के साथ जुड़े और मन्सूब होने की हैसियत से कोई मौजूद चीज़ ही नहीं बल्कि उन नामों की तरह हैं जिनका कहीं कोई मिस्दाक़ न हो) जिनको तुमने और तुम्हारे बाप-दादाओं ने (ख़ुद ही) मुक़र्रर कर लिया है। ख़ुदा तआ़ला ने तो इन (के माबूद होने) की कोई दलील (अ़क़्ली या किताबी व रिवायती) नहीं भेजी (बल्कि) ये लोग (अल्लाह के अ़लावा दूसरों के माबूद होने के अ़क़ीदे में) सिर्फ़ बेअसल ख़्यालों पर और अपने नफ़्स की इच्छा पर (जो कि उन बेअसल ख़्यालात से पैदा होती है) चल रहे हैं। (दोनों में फ़र्क़ यह हुआ कि हर अ़मल से पहले एक अ़क़ीदा होता है और एक इरादा जो अ़मल के लिये उभारता है, पस दोनों से दोनों की तरफ़ इशारा है) हालाँकि उनके पास (रसूल के वास्ते से जो हक़ कहने वाले और अल्लाह की वही की पैरवी करने वाले हैं आप से असल बात की) हिदायत आ चुकी है (यानी ख़ुद अपने दावे पर तो कोई दलील नहीं रखते और उस दावे की तफ़सील पर रसूल के ज़रिये से दलील सुनते हैं और फिर नहीं मानते। यह तो गुफ़्तगू थी अल्लाह के सिवा किसी और के माबूद होने के बातिल होने में, आगे इसका बयान है कि तुमने जो बुतों को इस ग़र्ज़ से माबूद माना है कि ये अल्लाह के पास तुम्हारी शफ़ाअ़त करेंगे तुम्हारी यह ग़र्ज़ भी बिल्कुल धोखा और बातिल है, सोचो कि) क्या इनसान को उसकी हर तमन्ना मिल जाती है? (हक़ीक़त में ऐसा नहीं है, क्योंकि हर तमन्ना) तो ख़ुदा ही के इख़्तियार में है आख़िरत (की भी) और दुनिया (की भी, पस वह जिसको चाहें पूरा फ़रमा दें। और शरीअ़त के स्पष्ट बयान में यह बतला दिया गया है कि अल्लाह तआ़ला उनकी इस बातिल तमन्ना को पूरा करना नहीं चाहेंगे, न दुनिया में उनकी दुनियावी हाजतों में शफ़ाअ़त करें न आख़िरत में कि वहाँ अ़ज़ाब से निजात की शफ़ाअ़त करें, इसलिये यक़ीनन वह पूरी न होगी)।

और (बेचारे बुत तो क्या शफ़ाअ़त करते कि उनमें ख़ुद शफ़ाअ़त करने की अहलियत ही नहीं, उस दरबार में तो जो लोग अहल हैं उनकी भी अल्लाह तआ़ला की इजाज़त के बिना कुछ नहीं चलती, चुनाँचे) बहुत-से फ़रिश्ते आसमानों में मौजूद हैं (शायद इसमें इशारा हो उनकी बुलन्द शान की तरफ़ मगर बावजूद इस बुलन्द शान वाला होने के) उनकी सिफ़ारिश ज़रा भी काम नहीं आ सकती (बल्कि ख़ुद शफ़ाअ़त ही नहीं पाई जा सकती) मगर इसके बाद कि

अल्लाह जिसके लिये चाहें इजाज़त दें और (उसके लिये सिफ़ारिश करने से) राज़ी हों। (राज़ी होने की शर्त इसलिये बढ़ा दी ताकि कभी-कभी मख़्लूक़ की इजाज़त बिना रज़ा के भी किसी दबाव या मस्लेहत से हो जाती है, अल्लाह जल्ल शानुहू के मामले में इसका भी दूर का कोई शुब्हा व संभावना नहीं कि वह किसी दबाव से मजबूर होकर राज़ी हो जायें। आगे इसका बयान है कि फ़रिश्तों को अल्लाह तआ़ला की औलाद क़रार दे देना कुफ़्र है कि) जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं रखते (बल्कि उसके इनकार की वजह से काफ़िर हैं) वे फ़रिश्तों को (ख़ुदा की) बेटी के नाम से नामज़द करते हैं (उनके कुफ़्र वाला होने में आख़िरत के साथ ख़ास करने से शायद इस तरफ़ इशारा हो कि ये सब गुमराहियाँ आख़िरत की बेफ़िक्री से पैदा हुई हैं, वरना आख़िरत का यक़ीन व एतिक़ाद रखने वाले को अपनी निजात की ज़रूर फ़िक्र रहती है, और यहाँ 'उन्सा' लड़की के मायने में है, जैसा कि एक दूसरी आयत में इसी मायने में यह लफ़्ज़ इस्तेमाल किया गया है। फ़रमायाः

وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى

(कि जब उनको बेटी होने की ख़ुशख़बरी दी जाती है)

और जब फ़रिश्तों को ख़ुदा के साथ शरीक ठहराने के कुफ़्र होने की वज़ाहत फ़रमा दी तो बुतों के शरीक ठहराने का कुफ़्र होना और भी अच्छी तरह साबित हो गया, इसलिये सिर्फ़ इसी पर बस किया गया। आगे इसका बयान है कि फ़रिश्तों को अल्लाह तआ़ला की लड़कियाँ क़रार देने का अ़क़ीदा बातिल है) हालाँकि उनके पास इस पर कोई दलील नहीं, सिर्फ़ बेअसल ख़्यालों पर चल रहे हैं, और यक़ीनन बेअसल ख़्यालात हक़ बात (के साबित करने) में ज़रा भी फ़ायदेमन्द नहीं होते।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत और आपकी वही के महफ़ूज़ होने की दलीलों का तफ़सीली ज़िक्र था, इन आयतों में उसके मुक़ाबले में अ़रब के मुश्रिक लोगों के इस फ़ेल (काम और हरकत) की निंदा है कि उन्होंने बग़ैर किसी दलील के विभिन्न और अनेक बुतों को अपना माबूद व कारसाज़ बना रखा है, और फ़रिश्तों को ख़ुदा तआ़ला की बेटियाँ कहते हैं। और कुछ रिवायतों में है कि इन बुतों को भी वे ख़ुदा तआ़ला की बेटियाँ कहा करते थे।

अ़रब के मुश्रिक लोगों के बुत जिनकी वे पूजा करते थे बेशुमार हैं, मगर उनमें से तीन ज़्यादा मशहूर हैं और उनकी इबादत पर अ़रब के बड़े-बड़े क़बीले लगे हुए थे- लात, उज़्ज़ा, मनात। लात क़बीला सक़ीफ़ (ताइफ़ वालों) का बुत था, उज़्ज़ा क़ुरैश का और मनात बनू हिलाल का। इन बुतों के मक़ामात (स्थलों) पर मुश्रिक लोगों ने बड़े-बड़े शानदार मकानात बना रखे थे जिनको काबे की हैसियत देते थे। मक्का फ़तह होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि

व सल्लम ने उन सब को ध्वस्त करा दिया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, संक्षिप्तता के साथ)

قِسْمَةٌ ضِيْزٰى٥

'ज़ीज़ा' ज़ूज़ से निकला है, जिसके मायने ज़ुल्म करने और हक़-तल्फ़ी करने के हैं, इसलिये हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने 'क़िस्मतुन् ज़ीज़ा' के मायने ज़ालिमाना तक़सीम (बंटवारे) के किये हैं।

'ज़न' की अनेक क़िस्में और उनके अहकाम

اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا.

लफ़्ज़ 'ज़न' अ़रबी भाषा में अनेक मायनों के लिये बोला जाता है। एक मायने यह भी हैं कि बेबुनियाद ख़्यालात को ज़न कहा जाता है, आयत में यही मुराद है, और यही मक्का के मुश्रिकों की बुत-परस्ती (मूर्ति पूजा) का सबब था, इसी को दूर करने के लिये यह फ़रमाया गया है। दूसरे मायने ज़न के वह हैं जो यक़ीन के मुक़ाबले में आते हैं। यक़ीन कहा जाता है हक़ीक़त के मुताबिक़ उस निश्चित इल्म को जिसमें किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश न हो, जैसे क़ुरआने करीम या मुतवातिर हदीसों से हासिल होने वाला इल्म, इसके मुक़ाबले में ज़न उस इल्म को कहा जाता है जो बेबुनियाद ख़्यालात तो नहीं मगर दलील की बुनियाद पर क़ायम हो, मगर यह दलील उस दर्जा क़तई (निश्चित) नहीं जिसमें कोई दूसरा शुब्हा व संभावना ही न रहे, जैसे हदीस की आ़म रिवायतों से साबित होने वाले अहकाम। इसी लिये पहली क़िस्म के मसाईल को 'क़त्इय्यात' और 'यक़ीनिय्यात' कहा जाता है, और दूसरी क़िस्म को 'ज़न्नियात'। और यह ज़न शरीअ़त में मोतबर है, क़ुरआन व हदीस में इसके मोतबर होने के सुबूत व दलीलें मौजूद हैं, और तमाम उम्मत के नज़दीक वाजिबुल-अ़मल है। उक्त आयत में ज़न को जो नाक़ाबिले एतिबार क़रार दिया है इससे मुराद वह ज़न है जो बेबुनियाद और बेदलील ख़्यालात के मायने में है, इसलिये कोई इश्काल व शुब्हा नहीं।

فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۥ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۭ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ ۙ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ۝ وَلِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَسَاۗءُوْا بِمَا عَمِلُوْا وَيَجْزِيَ الَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا بِالْحُسْنٰى ۝ اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰۗىِٕرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ ۭ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِيْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۭ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

फ़-अअ़्रिज़् अ़म्-मन् तवल्ला अ़न् ज़िक्रिना व लम् युरिद् इल्लल्-	सो तू ध्यान न कर उस पर जो मुँह मोड़े हमारी याद से और कुछ न चाहे मगर

हयातद्दुन्या (29) ज़ालि-क मब्लगुहुम् मिनल्-अिल्मि, इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिमन् ज़ल्-ल अन् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बि-मनिह्तदा (30) ❖ व लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि लि-यज्ज़ि-यल्लज़ी-न असाऊ बिमा अ़मिलू व यज्ज़ि-यल्लज़ी-न अह्सनू बिल्-हुस्ना (31) अल्लज़ी-न यज्तनिबू-न कबाइरल्-इस्मि वल्-फ़वाहि-श इल्लल्-ल-मम्, इन्-न रब्ब-क वासिअुल्-मग़्फ़ि-रति, हु-व अअ्लमु बिकुम् इज़् अन्श-अकुम् मिनल्-अर्ज़ि व इज़् अन्तुम् अजिन्नतुन् फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम् फ़ला तुज़क्कू अन्फ़ु-सकुम्, हु-व अअ्लमु बि-मनित्तक़ा (32) ✿

दुनिया का जीना (29) बस यहीं तक पहुँची उनकी समझ, बेशक तेरा रब ही ख़ूब जाने उसको जो बहका उसकी राह से, और वही ख़ूब जाने उसको जो राह पर आया (30) ❖ और अल्लाह का है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में ताकि वह बदला दे बुराई वालों को उनके किये का और बदला दे भलाई वालों को भलाई से (31) जो कि बचते हैं बड़े गुनाहों से और बेहयाई के कामों से मगर कुछ आलूदगी (छोटे-मोटे गुनाह), बेशक तेरे रब की बख़्शिश में बड़ी समाई है, वह तुमको ख़ूब जानता है जब बना निकाला तुमको ज़मीन से और जब तुम बच्चे थे माँ के पेट में, सो मत बयान करो अपनी ख़ूबियाँ, वह ख़ूब जानता है उसको जो बचकर चला। (32) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जब 'काफ़िरों के अपनी अटकल की पैरवी करने' और 'अल्लाह की तरफ़ से उनके पास हिदायत के पहुँचने' से अ़रब के मुश्रिकों का मुख़ालिफ़ व विरोधी होना मालूम हो गया कि बावजूद क़ुरआन के नाज़िल होने और हिदायत के पहुँचने के ये अपने गुमान और इच्छा पर चलते हैं, और मुख़ालिफ़ व विरोधी से हक़ के क़ुबूल करने की उम्मीद नहीं होती) तो आप ऐसे शख़्स से अपना ख़्याल हटा लीजिये जो हमारी नसीहत का ख़्याल न करे और दुनियावी ज़िन्दगी के सिवा उसको कोई (आख़िरत का मतलब) मक़सूद न हो (जिसकी वजह आख़िरत पर ईमान न लाना है जो ऊपर गुज़री आयत 27 से भी समझ में आता है, और) उन लोगों की समझ की पहुँच यही (दुनियावी ज़िन्दगी) है (जब उनकी ग़लत समझ और बेफ़िक्री की नौबत यहाँ तक

पहुँची है तो उनकी फ़िक्र न कीजिये, उनका मामला अल्लाह के हवाले कीजिये, बस) तुम्हारा परवर्दिगार ख़ूब जानता है कि कौन उसके रास्ते से भटका हुआ है और वही उसको भी ख़ूब जानता है जो सही रास्ते पर है। (इससे तो उसका इल्म साबित हुआ) और (इससे क़ुदरत साबित है कि) जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वह सब अल्लाह ही के इख़्तियार में है, (जब वह इल्म और क़ुदरत दोनों में कामिल है और उसके क़ानून और अहकाम पर अ़मल करने के एतिबार से लोगों की दो किस्में हैं- 'गुमराह' और 'हिदायत पर अ़मल करने वाले' तो) अन्जामकार यह है कि बुरा काम करने वालों को उनके (बुरे) काम के बदले में (ख़ास अन्दाज़ की) जज़ा देगा, और नेक काम करने वालों को उनके नेक कामों के बदले में (ख़ास तौर पर) जज़ा देगा। (इसका तक़ाज़ा यह है कि उसी के हवाले कीजिए। आगे उन लोगों का बयान है जो नेक काम करने वाले हैं) वे लोग ऐसे हैं कि बड़े गुनाहों से और (उनमें) बेहयाई की बातों से (ख़ास तौर से ज़्यादा) बचते हैं, मगर हल्के-हल्के गुनाह (कभी-कभार हो जायें तो जिस नेक काम करने का यहाँ ज़िक्र है उसमें उनसे ख़लल नहीं आता।

ऊपर बयान हुए हुक्म से इस चीज़ को अलग करने का मतलब यह है कि जो लोग भले और नेक काम करते हैं, जिनकी इस आयत में तारीफ़ की गयी है और उनके अल्लाह के नज़दीक पसन्दीदा होने का इज़हार किया गया है इसका मिस्दाक़ बनने के लिये बड़े गुनाहों से बचना तो शर्त है कि उनकी आ़दत न डाल ले और उन पर जमा न रहे, कभी इत्तिफ़ाक़ी तौर पर हो जाये, वरना मुस्तक़िल करने और आ़दत बना लेने से छोटा गुनाह भी बड़ा हो जाता है, और अलग करने का यह मतलब नहीं कि छोटे गुनाहों की इजाज़त है, और बड़े गुनाहों से बचने की शर्त का यह मतलब है कि नेक काम करने वालों को उनके नेक अ़मल की अच्छी जज़ा मिलना बड़े गुनाहों से बचने पर मौक़ूफ़ (निर्भर) है, क्योंकि बड़े गुनाहों में मुलव्वस इनसान भी जो अच्छा अ़मल और नेकी करेगा उसकी जज़ा पायेगा, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗo

(कि जो छोटी से छोटी नेकी भी करेगा वह उसको देख लेगा) पस यह शर्त जज़ा देने के एतिबार से नहीं बल्कि उसको नेक और अल्लाह के नज़दीक महबूब व पसन्दीदा होने का लक़ब देने के एतिबार से है, जिस पर उनवान 'अह्सनू' इशारा करता है ख़ूब समझ लो। और ऊपर जो बदकारों को सज़ा देने का बयान आया इससे गुनाहगारों को नाउम्मीद करने का गुमान हो सकता है जिसका असर यह होता कि ईमान व तौबा से हिम्मत हार दें और नेकी करने वालों को अच्छी जज़ा देने के वायदे से उनके घमण्ड व ग़ुरूर में मुब्तला होने का वहम और ख़तरा था, आगे इन दोनों संदेह व वहमों को रद्द किया गया है) बेशक आपके रब की मग़फ़िरत बहुत बड़ी है (गुनाहगारों को गुनाह की तलाफ़ी से हिम्मत न हारनी चाहिये, वह अगर चाहे तो सिवाय कुफ़्र व शिर्क के और तमाम गुनाहों को महज़ अपने फ़ज़्ल से माफ़ कर देता है, तो तलाफ़ी करने से क्यों माफ़ न करेगा। और इसी तरह नेकी करने वालों को घमण्ड और फ़ख़्र न करना चाहिये, क्योंकि

नेकियों में बहुत सी बार ऐसी छुपी कमियाँ मिल जाती हैं जिसके सबब वो क़ाबिले क़ुबूल नहीं रहतीं और अ़मल करने वाले को उस तरफ़ तवज्जोह न होने से उनकी इत्तिला भी नहीं होती, और हक़ तआ़ला को तो इल्म होता है, जब वो नेकियाँ मक़बूल नहीं तो उनका करने वाला मोहसिन और महबूब नहीं, फिर फ़ख़्र व ग़ुरूर कैसा।

और यह बात कि तुम्हारी किसी हालत की ख़ुद तुमको इत्तिला न हो और अल्लाह तआ़ला को इत्तिला हो यह कोई ताज्जुब की बात नहीं है बल्कि शुरू ही से इसका ज़हूर हो रहा है, (चुनाँचे) वह तुमको (और तुम्हारे हालात को उस वक़्त से) ख़ूब जानता है जब तुमको (यानी तुम्हारे बाप आदम अ़लैहिस्सलाम को) ज़मीन (की ख़ाक) से पैदा किया था (जिनके ज़िमन में वास्ते से तुम भी मिट्टी से बनाये गये) और जब तुम अपनी माँओं के पेट में बच्चे थे (और इन दोनों हालतों में तुमको ख़ुद अपना कोई इल्म न था और हमको इल्म था। पस इसी तरह अब भी तुम्हारा ख़ुद अपने से नावाक़िफ़ होना और हमारा आ़लिम व वाक़िफ़ होना कोई ताज्जुब की बात नहीं, जब यह बात है) तो तुम अपने को नेक और पारसा मत समझा करो (बस) तक़्वे वालों को वही ख़ूब जानता है (कि फ़ुलाँ मुत्तक़ी व परहेज़गार है फ़ुलाँ नहीं, अगरचे देखने में नेकी व तक़्वे के आमाल दोनों से सादिर होते हों)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَاَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلّٰى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاo ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ.

यानी आप (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ऐसे लोगों से अपना ख़्याल हटा लीजिये जो हमारी याद से रुख़ फेर लें और दुनियावी ज़िन्दगी के सिवा उनका कोई मक़सद न हो, यही उनके इल्म व हुनर की आख़िरी हद है।

ज़रूरी तंबीह

क़ुरआने करीम ने यह उन काफ़िरों का हाल बयान किया है जो आख़िरत व क़ियामत के इनकारी हैं, अफ़सोस कि अंग्रेज़ों की तालीम और दुनिया की इच्छा व हवस ने आजकल हम मुसलमानों का यही हाल बना दिया है कि हमारे सारे उलूम व फ़ुनून और इल्मी तरक़्क़ी की सारी कोशिशें सिर्फ़ आर्थिक मामलों के गिर्द घूमने लगीं, आख़िरत के मामलात का भूलकर भी ध्यान नहीं आता। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम लेते हैं और आपकी शफ़ाअ़त की उम्मीद लगाये हुए हैं, मगर हालत यह हो गयी है कि अल्लाह तआ़ला अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ऐसी हालत वालों से रुख़ फेर लेने की हिदायत करता है। नऊ़ज़ु बिल्लाह

اَلَّذِيْنَ يَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓئِرَ الْاِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَ.

इस आयत में अल्लाह की तरफ़ से आई हिदायत की पैरवी करने वाले मोहसिनीन (नेक काम करने वाले लोगों) का ज़िक्र तारीफ़ के मक़ाम में फ़रमाकर उनकी पहचान यह बतलाई गयी

है कि वे बड़े गुनाहों से उमूमन और गन्दे व बेहयाई के कामों से ख़ास तौर पर दूर रहते हैं, इसमें 'लमम्' को अलग किया गया है (जिसकी वज़ाहत आगे आती है) और हासिल इस अलग करने का वही है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखा गया कि उन लोगों को जो मोहसिन यानी नेक काम करने वालों का ख़िताब दिया गया है, 'लमम्' में मुब्तला होना उनको इस ख़िताब से मेहरूम नहीं करता।

'लमम्' की तफ़सीर में सहाबा व ताबिईन से दो क़ौल मन्क़ूल हैं- एक यह कि इससे मुराद छोटे गुनाह हैं जिनको सूरः निसा की आयत में 'सय्यिआत' से ताबीर फ़रमाया है:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ

यह क़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से इमाम इब्ने कसीर ने नक़ल किया है, दूसरा क़ौल यह है कि इससे मुराद वह गुनाह है जो इनसान से इत्तिफ़ाक़ी तौर पर कभी सर्ज़द हो गया फिर उससे तौबा कर ली, और तौबा के बाद उसके पास नहीं गया, यह क़ौल भी इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने जरीर की रिवायत से अव्वल हज़रत मुजाहिद रह. से नक़ल किया है और फिर इब्ने जरीर ही की दूसरी रिवायतों में यह क़ौल अ़ता रह. के वास्ते से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से और हज़रत हसन बसरी की रिवायत से हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी नक़ल किया है। इसका भी हासिल यह है कि किसी नेक आदमी से कभी इत्तिफ़ाक़न बड़ा गुनाह भी सर्ज़द हो गया और उसने तौबा कर ली तो यह शख़्स भी नेक लोगों और मुत्तक़ी हज़रात की फ़ेहरिस्त से ख़ारिज नहीं होगा। सूरः आले इमरान की एक आयत में यही मज़मून बिल्कुल स्पष्ट और खुले लफ़्ज़ों में आया है, वह यह है कि मुत्तक़ी लोगों की सिफ़ात बयान करने के तहत में फ़रमाया:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ○

(यानी वे लोग भी मुत्तक़ी लोगों ही में दाख़िल हैं जिनसे कोई बेहयाई का काम और बड़ा गुनाह सर्ज़द हो गया या वे गुनाह करके अपनी जान पर ज़ुल्म कर बैठे तो फ़ौरन उनको अल्लाह की याद आई और अपने गुनाहों से मग़फ़िरत माँगी और अल्लाह तआ़ला के सिवा गुनाहों को माफ़ भी कौन कर सकता है, और जो कुछ गुनाह हो गया था उस पर जमे नहीं रहे) और यह भी जम्हूर उलेमा के नज़दीक इत्तिफ़ाक़ी बात है कि जिस छोटे गुनाह पर पाबन्दी और जमाव इख़्तियार किया जाये और उसकी आ़दत डाल ली जाये वह भी कबीरा (बड़ा) हो जाता है, इसलिये ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में 'लमम्' की तफ़सीर उन छोटे गुनाहों से की गयी है जिन पर जमा न गया हो।

सग़ीरा और कबीरा गुनाह की परिभाषा

यह मज़मून पूरी तफ़सील के साथ सूरः निसा की आयतः

اِنْ تَجْتَنِبُوْا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ.

(यानी आयत नम्बर 31) की तफ़सीर में मआरिफ़ुल-क़ुरआन की दूसरी जिल्द लिख दिया गया है, वहाँ मुलाहिज़ा फ़रमा लिया जाये।

هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَاِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِىْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ.

"अजिन्नतुन" जनीन की जमा (बहुवचन) है। बच्चा जब तक माँ के पेट में है उसको जनीन कहा जाता है, इस आयत में हक़ तआ़ला ने इनसान को इस पर मुतनब्बह फ़रमाया (यानी चेताया) है कि वह ख़ुद अपनी जान का भी इतना इल्म नहीं रखता जितना उसके ख़ालिक़ यानी अल्लाह तआ़ला को है, क्योंकि माँ के पेट में जो बनावट व पैदाईश के मुख़्तलिफ़ दौर उस पर गुज़रे हैं उस वक़्त वह कोई इल्म व शऊर ही न रखता था, मगर उसका बनाने वाला ख़ूब जानता था जिसकी हकीमाना कारीगरी उसको बना रही थी। इसमें इनसान के आ़जिज़ व कम-इल्म होने पर चेता करके यह हिदायत की गयी है कि वह जो भी कोई अच्छा और नेक काम करता है वह उसका ज़ाती कमाल नहीं, ख़ुदा तआ़ला का बख़्शा हुआ इनाम ही है कि काम करने के लिये बदनी अंग व हिस्से उसने बनाये, उनमें हरकत की क़ुव्वत उसने बख़्शी, फिर दिल में नेक काम करने का जज़्बा और तक़ाज़ा और फिर उस पर इरादा व अ़मल उसी की तौफ़ीक़ से हुआ, तो किसी बड़े से बड़े नेक, सालेह और मुत्तक़ी व परहेज़गार इनसान को भी यह हक़ नहीं पहुँचता कि अपने अ़मल पर फ़ख़्र करे, और उस अ़मल को अपना कमाल क़रार देकर ग़ुरूर में मुब्तला हो जाये। इसके अ़लावा सब चीज़ों का मदार ख़ात्मे और अन्जाम पर है, अभी उसका हाल मालूम नहीं कि ख़ात्मा किस हाल पर होता है, तो फ़ख़्र व ग़ुरूर करना किस बात पर! इस हिदायत को अगली आयत में इस तरह बयान फ़रमाया है:

فَلَا تُزَكُّوْٓا اَنْفُسَكُمْ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ۝

यानी तुम अपने नफ़्स की पाकी का दावा न करो, क्योंकि इसको सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही जानता है कि कौन कैसा है और किस दर्जे का है। क्योंकि फ़ज़ीलत की बुनियाद तक़्वे पर है, ज़ाहिरी आमाल पर नहीं, और तक़्वा भी वह मोतबर है जो मौत तक क़ायम रहे।

हज़रत ज़ैनब बिन्ते अबी सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा का नाम उनके माँ-बाप ने बर्रा रखा था, जिसके मायने हैं नेक काम करने वाली, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उपरोक्त आयत 'फ़ला तुज़क्कू अन्फ़ु-सकुम्' तिलावत फ़रमाकर इस नाम से मना किया, क्योंकि इसमें अपने नेक होने का दावा है, और नाम बदलकर ज़ैनब रख दिया। (मुस्लिम, इब्ने कसीर)

इमाम अहमद रह. ने अ़ब्दुर्रहमान बिन अबी बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने एक दूसरे आदमी की तारीफ़ की, आपने मना फ़रमाया और फ़रमाया कि तुम्हें किसी की तारीफ़ व प्रशंसा करनी ही हो तो इन अलफ़ाज़ से करो कि मेरे इल्म में यह शख़्स नेक मुत्तक़ी है:

وَلَآ اُزَكِّىْ عَلَى اللّٰهِ اَحَدًا.

यानी मैं यह नहीं कह सकता कि अल्लाह के नज़दीक भी वह ऐसा ही पाक-साफ़ है जैसा मैं समझ रहा हूँ।

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى ﴿٣٣﴾ وَاَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى ﴿٣٤﴾ اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى ﴿٣٥﴾ اَمْ لَمْ يُنَبَّاْ بِمَا فِىْ صُحُفِ مُوْسٰى ﴿٣٦﴾ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِىْ وَفّٰى ﴿٣٧﴾ اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ﴿٣٨﴾ وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى ﴿٣٩﴾ وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰى ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزٰىهُ الْجَزَآءَ الْاَوْفٰى ﴿٤١﴾ وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰى ﴿٤٢﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰى ﴿٤٣﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَمَاتَ وَاَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَاَنَّهٗ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ﴿٤٥﴾ مِنْ نُّطْفَةٍ اِذَا تُمْنٰى ﴿٤٦﴾ وَاَنَّ عَلَيْهِ النَّشْاَةَ الْاُخْرٰى ﴿٤٧﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰى ﴿٤٨﴾ وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰى ﴿٤٩﴾ وَاَنَّهٗۤ اَهْلَكَ عَادَا لْاُوْلٰى ﴿٥٠﴾ وَثَمُوْدَا۟ فَمَآ اَبْقٰى ﴿٥١﴾ وَقَوْمَ نُوْحٍ مِّنْ قَبْلُ اِنَّهُمْ كَانُوْا هُمْ اَظْلَمَ وَاَطْغٰى ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰى ﴿٥٣﴾ فَغَشّٰىهَا مَا غَشّٰى ﴿٥٤﴾ فَبِاَىِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰى ﴿٥٥﴾ هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿٥٦﴾ اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴿٦٢﴾

अ-फ़-रऐतल्लज़ी तवल्ला (33) व अअ्ता क़लीलंव्-व अक्दा (34) अ-अिन्दहू अिल्मुल्-ग़ैबि फ़हु-व यरा (35) अम् लम् युनब्बअ् बिमा फ़ी सुहुफ़ि मूसा (36) व इब्राहीमल्लज़ी वफ़्फ़ा (37) अल्ला तज़िरु वाज़ि-रतुंव्-विज़्-र उख़्रा (38) व अल्लै-स लिल्-इन्सानि इल्ला मा सआ़ (39) व अन्-न सअ्-यहू सौ-फ़ युरा (40) सुम्-म युज्ज़ाहुल्-जज़ाअल्-औफ़ा (41) व अन्-न इला रब्बिकल्-मुन्तहा (42) व

भला तूने देखा उसको जिसने मुँह फेर लिया (33) और लाया थोड़ा सा और सख़्त निकला। (34) क्या उसके पास ख़बर है ग़ैब की सो वह देखता है? (35) क्या उसको ख़बर नहीं पहुँची उसकी जो है वर्क़ों (पन्नों) में मूसा के (36) और इब्राहीम के जिसने कि अपना क़ौल पूरा उतारा (37) कि उठाता नहीं कोई उठाने वाला बोझ किसी दूसरे का (38) और यह कि आदमी को वही मिलता है जो उसने कमाया (39) और यह कि उसकी कमाई उसको दिखलानी ज़रूर है (40) फिर उसको बदला मिलता है पूरा बदला (41) और यह कि तेरे रब तक सब को पहुँचना है (42) और

अन्नहू हु-व अज़्ह-क व अब्का (43) व अन्नहू हु-व अमा-त व अह्या (44) व अन्नहू ख़-लक़ज़्-ज़ौजैनिज़्ज़-क-र वल्-उन्सा (45) मिन्-नुत्फ़तिन् इज़ा तुम्ना (46) व अन्-न अलैहिन्-नश-अतल्-उख़्रा (47) व अन्नहू हु-व अग़्ना व अक़्ना (48) व अन्नहू हु-व रब्बुश्-शिअ़्रा (49) व अन्नहू अह्ल-क आ-द-निल्ऊला (50) व समू-द फ़मा अब्क़ा (51) व क़ौ-म नूहिम्-मिन् क़ब्लु, इन्नहुम् कानू हुम् अज़्ल-म व अत्ग़ा (52) वल्-मुअ्तफ़ि-क-त अह्वा (53) फ़-ग़श्शाहा मा ग़श्शा (54) फ़बिअय्यि आला-इ रब्बि-क त-तमारा (55) हाज़ा नज़ीरुम् मिनन्-नुज़ुरिल्-ऊला (56) अज़ि-फ़तिल्-आज़िफ़ह् (57) लै-स लहा मिन् दूनिल्लाहि काशिफ़ह् (58) अ-फ़मिन् हाज़ल्-हदीसि तअ्जबून (59) व तज़्हकू-न व ला तब्कून (60) व अन्तुम् सामिदून (61) फ़स्जुदू लिल्लाहि वअ्बुदू (62) ❁ ○

यह कि वही है हंसाता और रुलाता (43) और यह कि वही है मारता और जिलाता (44) और यह कि उसने बनाया जोड़ा नर और मादा (45) एक बूँद से जब टपकाई जाये (46) और यह कि उसके ज़िम्मे है दूसरी दफ़ा उठाना (47) और यह कि उसने दौलत दी और ख़ज़ाना (48) और यह कि वही है रब शिअ़्रा का (49) और यह कि उसने ग़ारत किया पहले आद को (50) और समूद को, फिर किसी को बाक़ी न छोड़ा (51) और नूह की क़ौम को पहले उनसे, वे तो थे और भी ज़ालिम और शरीर (52) और उल्टी बस्ती को पटख़ दिया (53) फिर आ पड़ा उस पर जो कुछ कि आ पड़ा (54) अब तू अपने रब की क्या-क्या नेमतें झुठलायेगा। (55) यह एक डर सुनाने वाला है पहले डर सुनाने वालों में का (56) आ पहुँची आने वाली (57) कोई नहीं उसको अल्लाह के सिवाय खोलकर दिखाने वाला (58) क्या तुमको इस बात से ताज्जुब होता है (59) और हंसते हो और रोते नहीं (60) और तुम खिलाड़ियाँ करते हो। (61) सो सज्दा करो अल्लाह के आगे और बन्दगी। (62) ❁ ○

शाने नुज़ूल

तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में अ़ल्लामा इब्ने जरीर की रिवायत से यह नक़ल किया है कि कोई

शख़्स इस्लाम ले आया था, उसके किसी साथी ने उसको मलामत की कि तूने अपने बाप-दादा के दीन को क्यों छोड़ दिया? उसने कहा कि मैं अल्लाह के अ़ज़ाब से डरता हूँ। वह बोला कि तू मुझे कुछ दे दे तो मैं आख़िरत का तेरा अ़ज़ाब अपने सर पर रख लूँगा, तू अ़ज़ाब से बच जायेगा। चुनाँचे उसने कुछ दे दिया, उसने और माँगा तो कुछ खींचतान के बाद कुछ और भी दे दिया और बाक़ी की दस्तावेज़ मय गवाहों के लिख दी। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में उस शख़्स का नाम वलीद बिन मुग़ीरा लिखा है, जिसका इस्लाम की तरफ़ मैलान हो गया था, उसके दोस्त ने मलामत की (यानी उसको बुरा-भला कहा) और अ़ज़ाब की ज़िम्मेदारी अपने सर ले ली।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(आपने नेकों की सिफ़ात तो सुन लीं) तो भला आपने ऐसे शख़्स को भी देखा जिसने (हक़ दीन से) मुँह मोड़ लिया (यानी इस्लाम से हट गया) और थोड़ा माल दिया और (फिर) बन्द कर दिया (यानी जिस शख़्स से माल देने का वायदा अपने मतलब के वास्ते किया था वह भी पूरा न दिया, और इसी से समझ में आया कि ऐसा शख़्स दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के लिये क्या ख़र्च करेगा जब अपने ही मतलब के लिये पूरा ख़र्च न कर सका, जिसका हासिल उसका बख़ील होना है) क्या उस शख़्स के पास (किसी सही माध्यम से) ग़ैब का इल्म है कि उसको देख रहा है (जिसके ज़रिये से मालूम हो गया कि फ़ुलाँ शख़्स मेरी तरफ़ से मेरे गुनाहों का अ़ज़ाब अपने सर लेकर मुझे अ़ज़ाब से बचा देगा) क्या उसको उस मज़मून की ख़बर नहीं पहुँची जो मूसा (अ़लैहिस्सलाम) के सहीफ़ों में है और (सूरः अअ़्ला की तफ़सीर में दुर्रे मन्सूर की रिवायत के मुताबिक़ मूसा अ़लैहिस्सलाम के ये दस सहीफ़े तौरात के अ़लावा हैं) तथा इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) के (सहीफ़ों में हैं जो सूरः अअ़्ला की तफ़सीर में तीसवें पारे में आयेगा) जिन्होंने अहकाम पर पूरी तरह अ़मल किया, (और वह मज़मून) यह (है) कि कोई शख़्स किसी का गुनाह अपने ऊपर (ऐसे तौर से) नहीं ले सकता (कि गुनाह करने वाला बरी हो जाये, फिर यह शख़्स कैसे समझ गया कि मेरा सारा गुनाह यह शख़्स अपने सर रख लेगा)।

और यह (मज़मून है) कि इनसान को (ईमान के बारे में) सिर्फ़ अपनी ही कमाई मिलेगी (यानी किसी दूसरे का ईमान उसके काम न आयेगा। पस अगर इस मलामत करने वाले शख़्स के पास ईमान होता तब भी उस शख़्स के काम न आता, कहाँ यह कि वहाँ भी ईमान नहीं है), और यह (मज़मून है) कि इनसान की कोशिश बहुत जल्द देखी जायेगी, फिर उसको पूरा बदला दिया जायेगा (इसके बावजूद यह शख़्स अपनी बेहतरी व कामयाबी की कोशिश से कैसे ग़ाफ़िल हो गया), और यह (मज़मून है) कि (सब को) आपके रब ही के पास पहुँचना है (फिर वह शख़्स कैसे निडर हो गया)।

और यह (मज़मून है) कि वही हंसाता है और रुलाता है, और यह कि वही मारता है और जिलाता है, और यह कि वही दोनों किस्म यानी नर और मादा को बनाता है नुत्फ़े से, जब वह

(गर्भ में) डाला जाता है (यानी तमाम इख़्तियारात चलाने और उलट-फेर करने का मालिक ख़ुदा ही है, दूसरा नहीं, फिर वह शख़्स कैसे समझ गया कि क़ियामत के दिन यह इख़्तियार कि मुझको अ़ज़ाब से बचा ले किसी दूसरे के क़ब्ज़े में हो जायेगा), और यह (मज़मून है) कि (वायदे के मुताबिक़) दोबारा पैदा करना उसके ज़िम्मे है (यानी ऐसा ज़रूर होने वाला है जैसे किसी के ज़िम्मे हो, तो उस शख़्स के निडर होने की वजह यह भी न होनी चाहिये कि क़ियामत न आयेगी), और यह (मज़मून है) कि वही मालदार करता है (यानी सरमाया देता है) और सरमाया (देकर महफ़ूज़ और) बाक़ी रखता है, और यह कि वही मालिक है शिअ़्रा (सितारे) का भी (जिसकी इबादत जाहिलीयत में बाज़े लोग करते थे, यानी इन इख़्तियारात, हालात के उलट-फेर और चीज़ों का मालिक भी वही है जैसे पहले तमाम इख़्तियारात और कामों का मालिक वही है, और ऊपर के उलट-फेर और इख़्तियारात ख़ुद इनसान के वजूद में हैं और बाद के इख़्तियारात व आमाल इनसान से संबन्धित हैं, चुनाँचे माल और सितारा दोनों ख़ारिज हैं और शायद इन दो के ज़िक्र में इशारा हो कि जिसको तुम अपना मददगार समझते हो उसके रब भी हम ही हैं, फिर दूसरे को क़ियामत में इस शख़्स के गुमान के मुवाफ़िक़ अ़मल-दख़ल का क्या पहुँच सकता है)।

और यह (मज़मून है) कि उसने पुरानी आ़द क़ौम को (उसके कुफ़्र की वजह से) हलाक किया और समूद को भी, कि (उनमें से) किसी को बाक़ी न छोड़ा। और उनसे पहले नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम को (हलाक किया) बेशक वे सबसे बढ़कर ज़ालिम और शरीर थे (कि साढ़े नौ सौ बरस की दावत में भी राह पर न आये) और (क़ौमे लूत की) उल्टी हुई बस्तियों को भी फेंक दिया (और फिर उन बस्तियों को) घेर लिया, जिस चीज़ ने कि घेर लिया (यानी ऊपर से पत्थर बरसने शुरू हुए। पस यह शख़्स अगर इन क़िस्सों में ग़ौर करता तो कुफ़्र के अ़ज़ाब से डरता और बेफ़िक्र न होता। आगे इन सब मज़ामीन से नतीजा निकालते और दूसरी चीज़ें साबित करते हैं कि ऐ इनसान! जब ऐसे-ऐसे मज़ामीन से तुझको आगाह किया जाता है जो हिदायत होने की वजह से हर मज़मून अपनी जगह ख़ुद अल्लाह की एक नेमत है) सो तू अपने रब की कौन-कौनसी नेमत में शक (व इनकार) करता रहेगा (और इन मज़ामीन की तस्दीक़ करके फ़ायदा न उठायेगा)। यह (पैग़म्बर) भी पहले पैग़म्बरों की तरह एक पैग़म्बर हैं (इनको मान लो क्योंकि) वह जल्दी आने वाली चीज़ क़रीब आ पहुँची है (मुराद क़ियामत है, और जब वह आयेगी तो) अल्लाह तआ़ला के अ़लावा कोई उसका हटाने वाला नहीं (पस किसी के भरोसे बेफ़िक्री की गुंजाईश ही नहीं) सो क्या (ऐसी ख़ौफ़ की बातें सुनकर भी) तुम लोग (अल्लाह के) इस कलाम से ताज्जुब करते हो और (मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर) हंसते हो? और (अ़ज़ाब के ख़ौफ़ से) रोते नहीं हो? और तुम (इताअ़त से) तकब्बुर करते हो। सो (इस तकब्बुर व ग़फ़लत से बाज़ आओ और इन पैग़म्बर की तालीम के मुताबिक़) अल्लाह की इताअ़त करो और (किसी को उसका शरीक बनाये बग़ैर उसकी) इबादत करो (ताकि तुमको निजात हो)।

मआरिफ़ व मसाईल

اَفَرَءَيْتَ الَّذِىْ تَوَلّٰى○

'तवल्ला' के लफ़्ज़ी मायने मुँह फेर लेने के हैं। मुराद यह है कि अल्लाह की इताअ़त से मुँह फेरे।

اَعْطٰى قَلِيْلًا وَّاَكْدٰى○

'अक्दा' कुदयह् से निकला है, कुदयह् उस सख़्त पत्थर को कहा जाता है जो कोई कुआँ या बुनियाद खोदते हुए ज़मीन में निकल आये और खुदाई के लिये रुकावट बन जाये, इसलिये अक्दा के मायने यह हुए कि पहले कुछ दिया फिर देने से रुक गया। आयत के शाने नुज़ूल (उतरने के सबब और मौक़े) में जो एक वाक़िआ़ ऊपर बयान हो चुका है उसके मुताबिक़ तो मायने ज़ाहिर हैं, और उससे नज़र हटा ली जाये तो मायने ये होंगे कि वह शख़्स जिसने अल्लाह की राह में कुछ ख़र्च किया फिर छोड़ दिया, या शुरू में कुछ अल्लाह तआ़ला की इताअ़त की तरफ़ माईल हुआ कुछ करने लगा फिर छोड़ बैठा। इस लफ़्ज़ की यह तफ़सीर हज़रत मुजाहिद, सईद बिन जुबैर, इक्रिमा और क़तादा रह. वग़ैरह से मन्क़ूल है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

اَعِنْدَهٗ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرٰى○

शाने नुज़ूल में जो क़िस्सा बयान हुआ है उसके मुताबिक़ तो आयत का मतलब यह है कि जिस शख़्स ने इस्लाम को इसलिये छोड़ दिया कि उसके किसी साथी ने उससे कह दिया था कि आख़िरत का तेरा अ़ज़ाब मैं अपने सर लेकर तुझको बचा दूँगा, उस अहमक़ ने उसका यक़ीन कैसे कर लिया, क्या उसको इल्मे ग़ैब हासिल है? जिस से वह देख रहा है कि बेशक कुफ़्र की सूरत में वह जिस अ़ज़ाब का हक़दार होगा, वह अ़ज़ाब यह साथी अपने सर ले लेगा और मुझे बचा देगा, जो ज़ाहिर है कि सरासर धोखा है, न उसको इल्मे ग़ैब हासिल है न कोई दूसरा आदमी किसी का आख़िरत का अ़ज़ाब अपने सर लेकर उसको बचा सकता है। और अगर इस क़िस्से को छोड़ दें तो मायने आयत के ये होंगे कि वह शख़्स जो अल्लाह की राह में ख़र्च करता करता रुक गया है और ख़र्च करना छोड़ दिया है तो उसकी वजह यही हो सकती है कि उसको यह ख़्याल हुआ होगा कि मौजूदा माल ख़र्च कर दूँगा तो फिर कहाँ से आयेगा, इस ख़्याल के रद्द में फ़रमाया कि क्या उसको ग़ैब का इल्म है जिसके ज़रिये गोया वह यह देख रहा है कि यह माल ख़त्म हो जायेगा और इसके बजाय और माल उसको न मिल सकेगा, यह ग़लत है, क्योंकि न उसको ग़ैब का इल्म है और न यह बात सही है, क्योंकि क़ुरआने करीम में हक़ तआ़ला का इरशाद है:

مَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَىْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ○

यानी तुम जो कुछ ख़र्च करते हो अल्लाह तआ़ला उसका बदल तुम्हें दे देते हैं और वह सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाले हैं।

इनसान ग़ौर करे तो क़ुरआन का यह इरशाद सिर्फ़ माल और पैसे के मामले में नहीं बल्कि हर क़ुव्वत व ताक़त जो वह दुनिया में ख़र्च करता है अल्लाह तआ़ला उसके बदन में घुल-मिलकर अपनी जगह ले लेने वाला बदल पैदा करते रहते हैं, वरना इनसान के बदन का एक-एक हिस्सा (अंग) अगर लोहे का भी बना होता तो साठ-सत्तर साल काम लेने से कभी का घिस-घिसाकर बराबर हो जाता, जिस तरह अल्लाह तआ़ला इनसान के तमाम अंगों व हिस्सों में जो कुछ मेहनत से घुल जाता है ऑटोमेटिक मशीन की तरह उसका बदल अन्दर से पैदा कर देते हैं, इसी तरह माल का भी मामला यही है कि इनसान ख़र्च करता रहता है, उसका बदल आता रहता है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अ़न्हु को फ़रमायाः

اَنْفِقْ یَابِلَالُ وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِی الْعَرْشِ اِقْلَالًا.

"यानी ऐ बिलाल! अल्लाह की राह में ख़र्च करते रहो और अ़र्श वाले अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इसका ख़तरा न रखो कि वह तुम्हें मुफ़लिस (कंगाल) कर देगा।" (इब्ने कसीर)

اَمْ لَمْ یُنَبَّاْ بِمَا فِیْ صُحُفِ مُوْسٰیo وَاِبْرٰهِیْمَ الَّذِیْ وَفّٰیo

इस आयत में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की एक ख़ास सिफ़त 'वफ़्फ़ा' बयान फ़रमाई गयी। **वफ़्फ़ा** के मायने किसी वायदे या समझौते को पूरा कर देने के आते हैं।

हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम की ख़ास सिफ़त अ़हद व वायदे को पूरा करने की कुछ तफ़सील

मुराद यह है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जो अल्लाह तआ़ला से अ़हद किया था कि वह अल्लाह तआ़ला की इताअ़त करेंगे और उसका पैग़ाम मख़्लूक़ को पहुँचा देंगे, उन्होंने इस मुआ़हदे को हर हैसियत से पूरा कर दिखाया, जिसमें उनको बहुत सख़्त आज़माईशों से भी गुज़रना पड़ा, **वफ़्फ़ा** की यही तफ़सीर इब्ने जरीर और इब्ने कसीर वग़ैरह ने इख़्तियार की है।

हदीस की कुछ रिवायतों में हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के ख़ास-ख़ास आमाल को लफ़्ज़ वफ़्फ़ा का सबब बताया गया है वह इसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि असल अ़हद का वफ़ा (पूरा करना) आ़म है, अल्लाह के तमाम अहकाम की तामील व इताअ़त जिसमें अपने आमाल भी दाख़िल हैं और रिसालत व नुबुव्वत की ज़िम्मेदारियों के ज़रिये अल्लाह की आ़म मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) भी उन्हीं आमाल में ये अ़मल भी हैं जिनका ज़िक्र हदीस की इन रिवायतों में है।

मसलन इमाम इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाईः

وَاِبْرٰهِیْمَ الَّذِیْ وَفّٰیo

और फिर उनसे फ़रमाया कि तुम जानते हो कि **वफ़्फ़ा** का मतलब क्या है? अबू उमामा ने

अ़र्ज़ किया कि अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं, तो आपने फ़रमाया कि मुराद यह है कि:

وَفّٰی عَمَلَ یَوْمِہٖ بِاَرْبَعِ رَکْعَاتٍ فِیْ اَوَّلِ النَّھَارِ. (ابن کثیر)

"यानी उन्होंने अपने दिन के आमाल को इस तरह पूरा किया कि शुरू दिन में चार रक्अ़त (नमाज़ इशराक़ की) पढ़ लीं।" (तफ़सीर इब्ने कसीर)

इसकी ताईद उस हदीस से भी होती है जो तिर्मिज़ी ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اِبْنَ اٰدَمَ ارْکَعْ لِیْ اَرْبَعَ رَکْعَاتٍ مِّنْ اَوَّلِ النَّھَارِ اَکْفِکَ اٰخِرَہٗ. (ابن کثیر)

"यानी अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है कि ऐ आदम के बेटे! तो शुरू दिन में मेरे लिये चार रक्अ़तें पढ़ लिया कर तो मैं आख़िर दिन तक तेरे सब कामों की किफ़ालत करूँगा।"

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

और इब्ने अबी हातिम ही ने एक रिवायत हज़रत मुआ़ज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें बतलाऊँ कि अल्लाह तआ़ला ने हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम को 'अल्लज़ी वफ़्फ़ा' का ख़िताब क्यों दिया, फिर फ़रमाया कि वजह यह है कि वह रोज़ाना सुबह-शाम होने के वक़्त यह पढ़ा करते थेः

فَسُبْحٰنَ اللّٰہِ حِیْنَ تُمْسُوْنَ وَحِیْنَ تُصْبِحُوْنَo وَلَہُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعَشِیًّا وَّحِیْنَ تُظْھِرُوْنَo

फ़-सुब्हानल्लाहि ही-न तुम्सू-न व ही-न तुस्बिहून। व लहुल्-हम्दु फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व अ़शिय्यंव्-व ही-न तुज़्हिरून। (इब्ने कसीर)

मूसा और इब्राहीम अ़लैहिमस्सलाम के सहीफ़ों की ख़ास हिदायतें व तालीमात

पहले गुज़रे नबियों में से जब किसी का क़ौल या कोई तालीम क़ुरआन में ज़िक्र की जाती है तो उसका हासिल यह होता है कि इस उम्मत के लिये भी वह अ़मल करने के लिये ज़रूरी है जब तक उसके ख़िलाफ़ शरीअ़त की कोई स्पष्ट वज़ाहत न हो। आगे अट्ठारह आयतों में उन ख़ास तालीमात का ज़िक्र है जो हज़रत मूसा व इब्राहीम अ़लैहिमस्सलाम के सहीफ़ों (आसमान से उतरी छोटी-छोटी किताबों) में थीं, उनमें अ़मली अहकाम जिनका ताल्लुक़ इनसे पहले की आयतों के साथ है वो सिर्फ़ दो हैं, बाक़ी तालीमात इब्रत व नसीहत और हक़ तआ़ला की क़ुदरत की निशानियों से संबन्धित हैं, वे दो ये हैं:

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَۃٌ وِّزْرَ اُخْرٰیo

औरः

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى٥

(यानी ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 38 व 39) विज़्र के मायने दर असल बोझ के हैं और पहली आयत के मायने ये हैं कि कोई बोझ उठाने वाला अपने सिवा किसी दूसरे का बोझ न उठायेगा। बोझ से मुराद गुनाह का बोझ और उसका अ़ज़ाब है। मतलब यह है कि क़ियामत के रोज़ एक शख़्स का अ़ज़ाब दूसरे पर नहीं डाला जायेगा, न किसी को इसका इख़्तियार होगा कि वह दूसरे का अ़ज़ाब अपने सर ले ले। क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत में इसका बयान इस तरह आया है:

وَاِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ اِلٰى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ.

यानी अगर कोई गुनाहों के बोझ से लदा हुआ शख़्स लोगों से दरख़्वास्त करेगा कि मेरा कुछ बोझ तुम उठा लो तो किसी की मजाल नहीं होगी कि उसके बोझ का कोई हिस्सा उठा सके।

एक के गुनाह में दूसरा नहीं पकड़ा जायेगा

इस आयत में उस शख़्स के ख़्याल की भी तरदीद हो गयी जिसका ज़िक्र इस आयत के शाने नुज़ूल में आया है कि वह मुसलमान हो गया था या होने वाला था, उसके साथी ने मलामत की और इसकी ज़मानत ली कि क़ियामत में तुझ पर कोई अ़ज़ाब हुआ तो वह मैं अपने सर पर लेकर तुझे बचा दूँगा। इस आयत से मालूम हुआ कि ऐसे मामले का अल्लाह के यहाँ कोई इमकान (संभावना) नहीं कि किसी के गुनाह में किसी दूसरे को पकड़ लिया जाये।

और एक हदीस में यह आया है कि जिस मय्यित पर उसके घर वाले नाजायज़ रोना-पीटना करते हैं तो उनके इस फ़ेल से मय्यित को अ़ज़ाब होता है (जैसा कि हज़रत इब्ने उमर की रिवायत से बुख़ारी व मुस्लिम में आया है) तो यह उस शख़्स के बारे में है जो ख़ुद भी मय्यित पर नौहा करने और रोने-पीटने का आ़दी हो, या जिसने अपने वारिसों को इसकी वसीयत की हो कि मेरे बाद नौहे और रोने का इन्तिज़ाम किया जाये। (तफ़सीरे मज़हरी) इस सूरत में उस पर अ़ज़ाब ख़ुद उसके अपने अ़मल का हुआ, दूसरों के अ़मल का नहीं।

दूसरा हुक्म है:

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى٥

इसका हासिल यह है कि जिस तरह कोई दूसरे का अ़ज़ाब अपने सर नहीं ले सकता इसी तरह किसी को यह भी हक़ नहीं कि किसी दूसरे के अ़मल के बदले ख़ुद अ़मल कर ले और वह उस अ़मल से बरी और भारमुक्त (बरी) हो जाये। मसलन एक शख़्स दूसरे की तरफ़ से फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर दे या दूसरे की तरफ़ से फ़र्ज़ रोज़ा रख ले और वह दूसरा अपने फ़र्ज़ नमाज़ व रोज़े से बरी और मुक्त हो जाये, या यह कि एक शख़्स दूसरे की तरफ़ से ईमान क़ुबूल कर ले और उससे उसको मोमिन क़रार दिया जाये।

उक्त आयत की इस तफ़सीर पर कोई फ़िक़्ही इश्काल और शुब्हा आ़यद नहीं होता, क्योंकि

ज़्यादा से ज़्यादा शुब्हा हज और ज़कात के मसले में यह हो सकता है कि ज़रूरत के वक़्त शरअ़न एक शख़्स दूसरे की तरफ़ से हज्जे-बदल कर सकता है या दूसरे की ज़कात उसकी इजाज़त से अदा कर सकता है, मगर ग़ौर किया जाये तो यह इश्काल (शुब्हा व एतिराज़) इसलिये सही नहीं कि किसी को अपनी जगह हज्जे-बदल के लिये भेज देना और उसके ख़र्चे ख़ुद अदा करना, या किसी शख़्स को अपनी तरफ़ से ज़कात अदा कर देने के लिये लगा देना भी दर हक़ीक़त उसी शख़्स के अपने अ़मल और कोशिश का हिस्सा है, इसलिये 'लै-स लिल्इन्सानि इल्ला मा सआ़' के ख़िलाफ़ नहीं।

ईसाले सवाब का मसला

जबकि ऊपर यह मालूम हो चुका कि उपरोक्त आयत का मफ़्हूम यह है कि एक शख़्स दूसरे के ईमान व नमाज़ और रोज़े के फ़राईज़ को अदा करके दूसरे को ज़िम्मेदारी से बरी नहीं कर सकता, तो इससे यह लाज़िम नहीं आता कि एक शख़्स के नफ़्ली अ़मल का कोई फ़ायदा और सवाब दूसरे शख़्स को न पहुँच सके, एक शख़्स की दुआ़ और सदक़े का सवाब दूसरे शख़्स को पहुँचना शरई उसूल और स्पष्ट बयानात से साबित और तमाम उम्मत के नज़दीक मुत्तफ़क़ा मसला है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

सिर्फ़ इस मसले में इमाम शाफ़ई रह. का मतभेद है कि क़ुरआन की तिलावत का सवाब किसी दूसरे को बख़्शा और पहुँचाया जा सकता है या नहीं। इमाम शाफ़ई रह. इसका इनकार करते हैं और उक्त आयत का मफ़्हूम आ़म लेकर इससे दलील पेश फ़रमाते हैं, इमामों की अक्सरियत और इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक जिस तरह दुआ़ और सदक़े का सवाब दूसरे को पहुँचाया जा सकता है इसी तरह क़ुरआन की तिलावत और हर नफ़्ली इबादत का सवाब दूसरे शख़्स को बख़्शा जा सकता है और वह उसको मिलेगा। इमाम क़ुर्तुबी ने अपनी तफ़सीर में फ़रमाया कि बहुत सी हदीसें इस पर सुबूत हैं कि मोमिन को दूसरे शख़्स की तरफ़ से नेक अ़मल का सवाब पहुँचता है। तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह उन हदीसों को जमा कर दिया है जिनसे ईसाले सवाब का फ़ायदा दूसरे को पहुँचना साबित होता है।

ऊपर हज़रत मूसा व इब्राहीम अ़लैहिमस्सलाम के सहीफ़ों के हवाले से जो दो मसले बयान किये गये हैं- एक यह कि एक शख़्स के गुनाह का अ़ज़ाब किसी दूसरे को नहीं पहुँचेगा और एक के गुनाह में दूसरा कोई न पकड़ा जायेगा, दूसरा यह कि हर शख़्स पर जिन आमाल की शरई ज़िम्मेदारी है उससे बरी और भारमुक्त होना ख़ुद उसी के अपने अ़मल से होगा, दूसरे का अ़मल उसको बरी न करेगा।

ये दोनों हुक्म अगरचे दूसरे नबियों की शरीअ़तों में भी थे मगर हज़रत मूसा व इब्राहीम अ़लैहिमस्सलाम का बयान ख़ास तौर पर शायद इस बिना पर किया गया कि उनके ज़माने में यह जाहिलाना रस्म जारी हो गयी थी कि बाप के बदले में बेटे को और बेटे के बदले में बाप को या भाई बहन वग़ैरह को क़त्ल कर दिया जाता था, इन दोनों बुज़ुर्गों की शरीअ़तों ने इस जाहिलीयत

की रस्म को मिटाया था।

وَاَنَّ سَعْيَهٗ سَوْفَ يُرٰىo

यानी हर शख़्स की सिर्फ़ ज़ाहिरी कोशिश काफ़ी नहीं, अल्लाह तआ़ला के दरबार में कोशिश की असल हक़ीक़त भी देखी जायेगी कि वह इख़्लास के साथ अल्लाह के लिये की है या दूसरी दुनियावी ग़र्ज़ें उसमें शामिल हैं, जैसा कि हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

यानी सिर्फ़ अ़मल की सूरत काफ़ी नहीं, अ़मल में नीयत ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की रज़ा और हुक्म की तामील की होना ज़रूरी है।

وَاَنَّ اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰىo

मुराद यह है कि आख़िरकार सब को अल्लाह तआ़ला की तरफ़ लौटकर जाना है, और आमाल का हिसाब देना है।

मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने इस जुमले का यह मतलब क़रार दिया है कि इनसानी ग़ौर व फ़िक्र का सिलसिला अल्लाह तआ़ला की ज़ात पर पहुँचकर ख़त्म हो जाता है, उसकी ज़ात व सिफ़ात की हक़ीक़त किसी ग़ौर व फ़िक्र से न हासिल की जा सकती है और न उसमें ग़ौर व फ़िक्र की इजाज़त, जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि अल्लाह तआ़ला की नेमतों में ग़ौर व फ़िक्र करो उसकी ज़ात में ग़ौर व फ़िक्र न करो बल्कि उसको अल्लाह के इल्म के सुपुर्द कर दो, वह तुम्हारे बस का नहीं।

وَاَنَّهٗ هُوَ اَضْحَكَ وَاَبْكٰىo

यानी इनसानी नस्ल में ख़ुशी और ग़म और उसके नतीजे में हंसने और रोने का सिलसिला हर शख़्स देखता है, और इन दोनों चीज़ों को उनके ज़ाहिरी तौर पर पेश आने वाले असबाब की तरफ़ मन्सूब करके मामला ख़त्म कर देता है। यहाँ ग़ौर व फ़िक्र की जगह है, गहरी नज़र से जो देखेगा कि किसी की ख़ुशी या ग़म और हंसना या रोना ख़ुद उसके या किसी दूसरे के क़ब्ज़े में नहीं, ये दोनों चीज़ें अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से हैं, वह असबाब को पैदा करता है वही असबाब में तासीर देता है, वह जब चाहता है तो रोने वालों को एक लम्हे में हंसा देता है और हंसने वालों को एक मिनट में रुला देता है। किसी शायर ने ख़ूब कहा है:

बगोशे-गुल चे सुख़न गुफ़्ता-इ कि ख़न्दाँ अस्त
ब-इन्दलीब चे फ़रमूदा-इ कि नालाँ अस्त

कि फूल के कान में तूने क्या कह दिया व हंस रहा (यानी खिला हुआ) है और बुलबुल से क्या कह दिया जिसने उसे रुला दिया। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

وَاَنَّهٗ هُوَ اَغْنٰى وَاَقْنٰىo

'ग़िना' के मायने मालदारी के परिचित हैं, 'इग़ना' के मायने हैं दूसरे को मालदार बना देना, और 'अक़्ना' क़िनयह् से निकला है जिसके मायने महफ़ूज़ और सुरक्षित सरमाये के हैं। आयत की मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला ही लोगों को मालदार और ग़नी बनाता है, वही जिसको चाहे इतना सरमाया देता है कि उसको महफ़ूज़ रख सके।

وَاَنَّهٗ هُوَ رَبُّ الشِّعْرٰىo

'शिअ़्रा' एक सितारे का नाम है जो जौज़ा सितारे के पीछे है। अ़रब की कुछ क़ौमें इस सितारे की पूजा करती थीं इसलिये ख़ास तौर पर इसका नाम लेकर बतलाया कि इस सितारे का मालिक और परवर्दिगार भी अल्लाह तआ़ला ही है, अगरचे वह सारे ही सितारों, आसमानों, ज़मीनों का ख़ालिक़ व मालिक और परवर्दिगार है।

وَاَنَّهٗ اَهْلَكَ عَادَاً نِ الْاُوْلٰىo وَثَمُوْدَاْ فَمَآ اَبْقٰىo

क़ौमे आ़द दुनिया की ताक़तवर और बहुत सख़्त क़ौम है, इनके दो तबक़े एक के बाद दूसरे ऊला और उख़्रा के नाम से नामित हैं, इनकी तरफ़ हज़रत हूद अ़लैहिस्सलाम को रसूल बनाकर भेजा गया, नाफ़रमानी पर हवा के तूफ़ान का अ़ज़ाब आया, पूरी क़ौम हलाक हुई। क़ौमे नूह के बाद अ़ज़ाब से हलाक होने वाली यह पहली क़ौम है (तफ़सीरे मज़हरी) और समूद भी इन्हीं की नज़ीर दूसरी शाख़ है जिनकी तरफ़ हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम को भेजा गया, उनकी नाफ़रमानी करने वालों पर सख़्त आवाज़ का अ़ज़ाब आया, जिससे उनके कलेजे फटकर हलाक हो गये।

وَالْمُؤْتَفِكَةَ اَهْوٰىo

'मुअ्तफ़िका' के लफ़्ज़ी मायने 'मुअ्तलिफ़ा' के हैं। ये चन्द बस्तियाँ और शहर मिले हुए थे, हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम इनकी तरफ़ भेजे गये, नाफ़रमानी और बेहयाई के आमाल की सज़ा में इनकी बस्तियाँ जिब्रीले अमीन ने उलट दीं।

فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰىo

यानी ढाँप लिया उन बास्तियों को जिस चीज़ ने ढाँप लिया। मुराद वह पथराव है जो बस्तियाँ उलटने के बाद उन पर किया गया।

यहाँ तक हज़रत मूसा व इब्राहीम अ़लैहिमस्सलाम के सहीफ़ों के हवाले से जो तालीमात बयान करनी थीं वो ख़त्म हो गयीं।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكَ تَتَمَارٰىo

तमारा के मायने झगड़ा और मुख़ालफ़त करना है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह ख़िताब हर इनसान को है कि पहले गुज़री आयतों और हज़रत मूसा व इब्राहीम अ़लैहिमस्सलाम के सहीफ़ों में आई हुई अल्लाह की आयतों में कोई ज़रा भी ग़ौर व फ़िक्र करे तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपकी वही और तालीमात के हक़ होने में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं रहती, और पहली क़ौमों की हलाकत व अ़ज़ाब के

वाकिआत सुनकर मुख़ालफ़त से बाज़ आ जाने का अच्छा मौक़ा मिलता है जो हक़ तआ़ला की एक नेमत है, इसके बावजूद तुम अल्लाह तआ़ला की किस-किस नेमत में झगड़ा और मुख़ालफ़त करते रहोगे।

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى○

हाज़ा (यह) का इशारा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम या क़ुरआन की तरफ़ है कि यह भी पिछले रसूलों और पिछली किताबों की तरह अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से एक डराने वाले बनाकर भेजे गये हैं जो सिराते मुस्तक़ीम और दीन व दुनिया की फ़लाह पर आधारित हिदायतें लेकर आये हैं और इसकी मुख़ालफ़त करने वालों को अल्लाह के अ़ज़ाब से डराते हैं।

اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ○ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ○

अज़ि-फ़ नज़दीकी के मायने में आता है। मायने यह हैं कि क़रीब आने वाली चीज़ क़रीब आ पहुँची, जिसको ख़ुदा तआ़ला के सिवा कोई हटाने वाला नहीं। इससे मुराद क़ियामत है उसका क़रीब आ पहुँचना पूरी दुनिया की उम्र के एतिबार से है कि उम्मते मुहम्मदिया उसके बिल्कुल आख़िर में क़ियामत के क़रीब है।

اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ○ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ○

'हाज़ल्-हदीस' (इस बात) से मुराद क़ुरआने करीम है। आयत के मायने ये हैं कि क़ुरआने करीम जैसा अल्लाह का कलाम जो ख़ुद एक मोजिज़ा है तुम्हारे सामने आ चुका, क्या इस पर भी तुम ताज्जुब करते हो और मज़ाक़ उड़ाने के तौर पर हंसते हो, और अपनी नाफ़रमानी या अ़मल में कोताही पर रोते नहीं।

وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ○

समूद के लुग़वी मायने ग़फ़लत व बेफ़िक्री के हैं। सामिदून ग़ाफ़िलून के मायने में है। और समूद के एक मायने गाने बजाने के भी आते हैं, वह भी इस जगह मुराद हो सकते हैं (जैसा कि तफ़सीर के कुछ इमामों ने इसकी यह तफ़सीर की है)।

فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا○

यानी पिछली आयतें जो ग़ौर करने वाले इनसान को इब्रत न नसीहत का सबक़ देती हैं इसका तक़ाज़ा यह है कि तुम सब अल्लाह के सामने आ़जिज़ी व तवाज़ो के साथ झुको और सज्दा करो और सिर्फ़ उसी की इबादत करो।

सही बुख़ारी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सूरः नज्म की इस आयत पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सज्दा किया और आपके साथ सब मुसलमानों और मुश्रिकों ने और तमाम जिन्नात व इनसानों ने सज्दा किया। और बुख़ारी व मुस्लिम ही की दूसरी हदीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूरः नज्म की तिलावत फ़रमाई और इसमें सज्दा-ए-

तिलावत अदा किया, और आपके साथ मजलिस में मौजूद (मोमिनीन व मुश्रिकीन) सब लोगों ने सज्दा किया सिवाय एक क़ुरैशी बूढ़े के, जिसने ज़मीन से एक मुट्ठी ख़ाक उठाकर माथे से लगा ली और कहा कि मुझे यही काफ़ी है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि फिर मैंने उस शख़्स को कुफ़्र की हालत में मक़्तूल पड़ा हुआ देखा है। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि उस वक़्त आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैरवी में मुसलमानों को तो सज्दा करना था ही, जो मुश्रिक लोग उस वक़्त हाज़िर थे अल्लाह तआ़ला ने उन पर भी कुछ ऐसी हालत ग़ालिब कर दी कि सब सज्दा करने पर मजबूर हो गये, अगरचे उस वक़्त उनके कुफ़्र के कारण उनका सज्दा कुछ सवाब न रखता था मगर वह भी अपना एक असर यह छोड़ गया कि बाद में उन सब को इस्लाम व ईमान की तौफ़ीक़ हो गयी, सिर्फ़ एक आदमी कुफ़्र पर मरा जिसने सज्दे से गुरेज़ किया था।

और बुख़ारी व मुस्लिम की एक हदीस में जो हज़रत ज़ैद बिन साबित की रिवायत से है यह बयान हुआ है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने सूरः नज्म पूरी पढ़ी मगर आपने सज्दा नहीं किया, इससे यह लाज़िम नहीं आता कि सज्दा वाजिब या लाज़िम नहीं, क्योंकि इसमें यह शुब्हा व संभावना है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस वक़्त वुज़ू से न हों, या कोई दूसरा उज़्र सज्दा करने से रुकावट हो, ऐसी हालत में फ़ौरी सज्दा करना ज़रूरी नहीं, बाद में भी हो सकता है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः नज्म की तफ़सीर आज दिनाँक 1 रबीउस्सानी सन् 1391 हिजरी जुमा की रात में एक हफ़्ते के अन्दर पूरी हुई। इसके बाद सूरः क़मर आ रही है, उसकी भी तफ़सीर लिखने की अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अन्नज्म की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-क़मर

सूरः अल्-क़मर मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 55 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

آياتها ٥٥ (٥٤) سُوْرَةُ الْقَمَرِ مَكِّيَّةٌ (٣٧) رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ﴿٤﴾ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ﴿٥﴾ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ﴿٦﴾ خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ﴿٧﴾ مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ؕ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ﴿٨﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इक़्त-र-बतिस्सा-अ़तु वन्शक़्क़ल्-क़मर् (1) व इंय्यरौ आ-यतंय्-युअ्रिज़ू व यक़ूलू सिह्रुम्-मुस्तमिर्र (2) व कज़्ज़बू वत्त-बअ़ू अह्वा-अहुम् व कुल्लु अम्रिम्-मुस्तक़िर्र (3) व ल-क़द् जा-अहुम् मिनल्-अम्बा-इ मा फ़ीहि मुज़्दजर् (4) हिक्मतुम् बालि-ग़तुन् फ़मा तुग़्निन्-नुज़ुर (5) फ़-तवल्-ल अ़न्हुम्। यौ-म यद्अुद्-दाअि इला शैइन्-नुकुर (6)	पास आ लगी क़ियामत और फट गया चाँद। (1) और अगर वे देखें कोई निशानी तो टला जायें और कहें यह जादू है पहले से चला आता। (2) और झुठलाया और चले अपनी ख़ुशी पर और हर काम ठहरा रखा है वक़्त पर (3) और पहुँच चुके हैं उनके पास अहवाल (ख़बरें और हालात) जिनमें डाँट हो सकती है। (4) पूरी अ़क़्ल की बात है फिर उनमें काम नहीं करते डर सुनाने वाले (5) सो तू हट आ उनकी तरफ़ से जिस दिन पुकारे पुकारने वाला एक नागवार चीज़ की तरफ़। (6)

ख़ुश्श-अन् अब्सारुहुम् यख़्रुजू-न मिनल्-अज्दासि क-अन्नहुम् जरादुम्-मुन्तशिर (7) मुह़्तिअ़ी-न इलद्-दाअि, यक़ूलुल्-काफ़िरू-न हाज़ा यौमुन् असिर (8)	आँखें झुकाये निकल पड़ें क़ब्रों से जैसे टिड्डी फैली हुई (7) दौड़ते जायें उस पुकारने वाले के पास कहते जायें मुन्किर (लोग) यह मुश्किल दिन आया। (8)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(इन काफ़िरों के लिये ज़ाजिर यानी ग़लती पर चेताने और आगह करने वाली बात तो आला दर्जे की साबित है, चुनाँचे) क़ियामत नज़दीक आ पहुँची (जिसमें झुठलाने पर बड़ी मुसीबत आयेगी) और (उस क़ियामत के क़रीब होने का मिस्दाक़ भी ज़ाहिर हो गया चुनाँचे) चाँद फट गया (और इससे क़ियामत के क़रीब होने की तस्दीक़ इस तरह होती है कि चाँद का फटना मोजिज़ा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का, जिस से आपकी नुबुव्वत साबित होती है और नबी का हर क़ौल सच्चा है, इसलिये ज़रूरी है कि क़ियामत के क़रीब आने की ख़बर जो आपने दी है वह भी सच्ची है। इससे चेताने और आगाह करने वाले का सही होना मुतैयन हो गया) और (इसका तक़ाज़ा यह था कि) ये लोग (इससे चेतते और असर लेते, लेकिन इनकी यह हालत है कि) अगर कोई मोजिज़ा देखते हैं तो टाल देते हैं और कहते हैं कि यह जादू है जो अभी ख़त्म हो जायेगा। (यह इशारा है इस तरफ़ के वे उसको बातिल समझते हैं कि बातिल का असर देर तक क़ायम नहीं रहा करता जैसा कि हक़ तआ़ला का इरशाद है:

وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْدُ○

मतलब यह कि क़ियामत के क़रीब होने से नसीहत हासिल करना तो नुबुव्वते मुहम्मदिया पर यक़ीन लाने पर मौक़ूफ़ है, ये लोग ख़ुद उसकी दलील ही को ग़ौर करने की नज़र से नहीं देखते और उसको बातिल समझते हैं तो फिर उससे इन पर क्या असर होता) और (इस मुँह मोड़ने और मोजिज़े के बातिल होने के दावे में ख़ुद) इन लोगों ने (बातिल पर अड़कर हक़ को) झुठलाया और अपनी नफ़्सानी इच्छाओं की पैरवी की (यानी इनका मुँह मोड़ना और बेतवज्जोही बरतना किसी सही दलील की वजह से नहीं है बल्कि इस मुँह मोड़ने का सबब नफ़्सानी इच्छा की पैरवी और दुश्मनी व मुख़ालफ़त के तौर पर हक़ को झुठलाना है) और (ये जो मोजिज़ों को जादू कहते हैं जिसका असर जल्द ही ख़त्म हो जाया करता है सो क़ायदा है कि) हर बात को (कुछ वक़्त के बाद अपनी असली हालत पर आकर) क़रार आ जाता है (यानी हक़ का हक़ होना और बातिल का बातिल होना असबाब व आसार से आ़म तौर पर मुतैयन हो जाता है। मतलब यह कि अगरचे वास्तव में तो फ़िलहाल भी हक़ मुतैयन और स्पष्ट है मगर कम-समझों

की समझ में अगर अब नहीं आता तो कुछ वक़्त के बाद तो उन पर भी ज़ाहिर हो सकता है, बशर्ते कि ग़ौर से काम लें तो चन्द दिन के बाद तुमको मालूम हो जायेगा कि यह फ़ना होने वाला जादू है या बाक़ी रहने वाला हक़ है)।

और (इस उम्मत चेताने व आगाह करने वाले के अ़लावा) इन लोगों के पास (तो पहले गुज़री हुई उम्मतों की भी) ख़बरें इतनी पहुँच चुकी हैं कि उनमें (काफ़ी) इब्रत यानी आला दर्जे की समझ और अ़क़्लमन्दी (हासिल हो सकती) है। सो (इनकी कैफ़ियत यह है कि) ख़ौफ़ दिलाने वाली चीज़ें इनको कुछ फ़ायदा ही नहीं देतीं (और जब यह हाल है) तो आप इनकी तरफ़ से कुछ ख़्याल न कीजिये (जब वह वक़्त क़ियामत और अ़ज़ाब का जिससे उनको डराया जाता है आ जायेगा तो ख़ुद मालूम हो जायेगा। आगे उस दिन का बयान है, यानी) जिस दिन एक बुलाने वाला फ़रिश्ता (उनको) एक ना-पसन्दीदा चीज़ की तरफ़ बुलायेगा, उनकी आँखें (ज़िल्लत की वजह से) झुकी हुई होंगी (और) क़ब्रों से इस तरह निकल रहे होंगे जैसे टिड्डियाँ फैल जाती हैं। (और फिर निकलकर) बुलाने वाले की तरफ़ (यानी हिसाब की जगह की तरफ़ जहाँ जमा होने के लिये बुलाने वाले ने पुकारा है) दौड़े चले जा रहे होंगे (और वहाँ की सख़्तियाँ देखकर) काफ़िर कहते होंगे कि यह दिन बड़ा सख़्त है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पिछली सूरत (यानी सूरः नज्म) 'अज़िफ़तिल्-आज़िफ़ति.......' (आ पहुँची आने वाली.....) पर ख़त्म हुई है जिसमें क़ियामत के क़रीब आ जाने का ज़िक्र है। इस सूरत को इसी मज़मून से शुरू किया गया है 'इक़्त-र-बतिस्सा-अ़तु'। आगे क़ियामत के क़रीब होने की एक दलील 'चाँद फटने' के मोजिज़े का ज़िक्र फ़रमाया गया है, क्योंकि क़ियामत की निशानियाँ जिनकी बड़ी तफ़सील है उनमें से एक बड़ी निशानी तो ख़ुद हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया अ़लैहिस्सलाम का तशरीफ़ लाना है, जैसा कि हदीस में आपका इरशाद है कि मेरा आना और क़ियामत इस तरह मिले हुए हैं जैसे हाथ की दो उंगलियाँ। और भी हदीस की चन्द रिवायतों में आपका क़ियामत के क़रीब होना बयान फ़रमाया गया है। इसी तरह क़ियामत की एक बड़ी निशानी यह भी है कि आपके मोजिज़े के तौर पर चाँद के दो टुकड़े होकर अलग-अलग हो जायेंगे फिर आपस में जुड़ जायेंगे। साथ ही चाँद फटने का मोजिज़ा इस हैसियत से भी क़ियामत की निशानी है कि जिस तरह उस वक़्त चाँद के दो टुकड़े अल्लाह की क़ुदरत से हो गये इसी तरह क़ियामत में सारे ही सय्यारों (ग्रहों) और सितारों के टुकड़े-टुकड़े हो जाना कोई मुहाल बात नहीं।

चाँद के टुकड़े होने का मोजिज़ा

मक्का के काफ़िरों ने रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से आपकी नुबुव्वत व रिसालत के लिये कोई निशानी मोजिज़े की तलब की, हक़ तआ़ला ने आपकी हक़्क़ानियत (सच्चा रसूल होने) के सुबूत के लिये यह मोजिज़ा 'चाँद के टुकड़े होने का' ज़ाहिर फ़रमाया। इस

मोजिज़े का सुबूत क़ुरआने करीम की इस आयत में भी मौजूद है:

وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ٥

और सही हदीसें जो सहाबा-ए-किराम की एक जमाअ़त की रिवायत से आयी हैं जिनमें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत जुबैर बिन मुतअ़िम, हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हुम वग़ैरह शामिल हैं, और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ख़ुद अपना उस वक़्त में मौजूद होना और मोजिज़े को देखना भी बयान फ़रमाते हैं। इमाम तहावी और इमाम इब्ने कसीर रह. ने चाँद के टुकड़े होने के वाक़िए की रिवायतों को मुतवातिर (निरंतर) क़रार दिया है, इसलिये नबी करीम सल्ल. के इस मोजिज़े का ज़ाहिर होना क़तई (न कटने वाली) दलीलों से साबित है।

वाक़िए का ख़ुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का मुकर्रमा के मिना के मक़ाम में तशरीफ़ रखते थे, मक्का के मुश्रिकों ने आप से नुबुव्वत की निशानी तलब की। यह वाक़िआ एक चाँदनी रात का है, हक़ तआ़ला ने यह खुला हुआ मोजिज़ा दिखला दिया कि चाँद के दो टुकड़े होकर एक पूरब की तरफ़ दूसरा पश्चिम की तरफ़ चला गया, और दोनों टुकड़ों के बीच में पहाड़ रुकावट नज़र आने लगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सब हाज़िर लोगों से फ़रमाया कि देखो और गवाही दो। जब सब लोगों ने साफ़ तौर पर यह मोजिज़ा देख लिया तो ये दोनों टुकड़े फिर आपस में मिल गये। इस स्पष्ट मोजिज़े का इनकार तो किसी आँखों वाले से मुम्किन न हो सकता था मगर मुश्रिक लोग कहने लगे कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) सारे जहान पर जादू नहीं कर सकते, मुल्क के दूसरे इलाक़ों से आने वाले लोगों का इन्तिज़ार करो वे क्या कहते हैं। इमाम बैहक़ी और अबू दाऊद तियालसी की रिवायत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से है कि बाद में चारों तरफ़ से आने वाले मुसाफ़िरों से उन लोगों ने तहक़ीक़ की तो सबने ऐसे ही चाँद के दो टुकड़े देखने को माना और स्वीकार किया।

कुछ रिवायतों में है कि चाँद के टुकड़े होने का यह मोजिज़ा मक्का मुकर्रमा में दो मर्तबा पेश आया मगर सही रिवायतों से एक ही मर्तबा का सुबूत मिलता है। (बयानुल-क़ुरआन) इस मामले से मुताल्लिक़ हदीस की चन्द रिवायतें ये हैं (जो तफ़सीर इब्ने कसीर से ली गयी हैं)।

1. सही बुख़ारी में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि:

إِنَّ أَهْلَ مَكَّةَ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرِيَهُمْ آيَةً فَأَرَاهُمُ الْقَمَرَ شِقَّيْنِ حَتّٰى رَأَوْا حِرَاءَ بَيْنَهُمَا. (بخاری ومسلم)

"यानी मक्का वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि अपनी नुबुव्वत के लिये कोई निशानी (मोजिज़ा) दिखलायें, तो अल्लाह तआ़ला ने उनको चाँद के दो टुकड़े करके दिखला दिया, यहाँ तक कि उन्होंने हिरा पहाड़ को दोनों टुकड़ों के

दरमियान देखा।''

2. सही बुख़ारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है:

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِقَّيْنِ حَتّٰى نَظَرُوْا اِلَيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْهَدُوْا.

''रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माना-ए-मुबारक में चाँद फटा और दो टुकड़े हो गये जिसको सब ने साफ़ तौर से देखा और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लोगों से फ़रमाया कि देखो और गवाही दो।''

और इब्ने जरीर ने भी अपनी सनद से इस हदीस को नक़ल किया है, उसमें यह भी ज़िक्र हुआ है कि:

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى فَانْشَقَّ الْقَمَرُ فَاَخَذَتْ فِرْقَةٌ خَلْفَ الْجَبَلِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِشْهَدُوْا وَاشْهَدُوْا.

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि हम मिना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थे, अचानक चाँद के दो टुकड़े हो गये और एक टुकड़ा पहाड़ के पीछे चला गया, तो आपने फ़रमाया कि गवाही दो, गवाही दो।

3. हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ही की रिवायत से अबू दाऊद तियालसी ने और इमाम बैहक़ी ने यह भी नक़ल किया है:

اِنْشَقَّ الْقَمَرُ بِمَكَّةَ حَتّٰى صَارَ فِرْقَتَيْنِ فَقَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ اَهْلُ مَكَّةَ هٰذَا سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهِ ابْنُ اَبِىْ كَبْشَةَ اُنْظُرُوا السُّفَّارَ فَاِنْ كَانُوْا رَاَوْا مَا رَاَيْتُمْ فَقَدْ صَدَقَ وَاِنْ كَانُوْا لَمْ يَرَوْا مِثْلَ مَا رَاَيْتُمْ فَهُوَ سِحْرٌ سَحَرَكُمْ بِهٖ فَسُئِلَ السُّفَّارُ قَالَ وَقَدِمُوْا مِنْ كُلِّ جِهَةٍ فَقَالُوْا رَاَيْنَا. (ابن کثیر)

मक्का मुकर्रमा (में रहने के ज़माने) में चाँद फटकर दो टुकड़े हो गया। क़ुरैश के काफ़िर कहने लगे कि यह जादू है इब्ने अबी कबशा (यानी मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने तुम पर जादू कर दिया है, इसलिये तुम इन्तिज़ार करो बाहर से आने वाले मुसाफ़िरों का, अगर उन्होंने भी ये दो टुकड़े चाँद के देखे हैं तो इन्होंने सच कहा है, और अगर बाहर के लोगों ने ऐसा नहीं देखा तो फिर यह बेशक जादू ही होगा। फिर बाहर से आने वाले मुसाफ़िरों से तहक़ीक़ की जो हर तरफ़ से आये थे, सब ने इक़रार किया कि हमने भी ये दो टुकड़े देखे हैं।

चाँद के टुकड़े होने के वाक़िए पर कुछ शुब्हात और जवाब

इस पर एक शुब्हा तो यूनानी फ़ल्सफ़े के उसूल की बिना पर किया गया है जिसका हासिल यह है कि आसमान और ग्रहों में टूट-फूट और फिर जुड़ जाना मुम्किन नहीं, मगर यह महज़

उनका दावा है, इस पर जितनी दलीलें पेश की गयी हैं वो सब लचर और बेबुनियाद हैं, उनका बेकार व बातिल होना इस्लामी फ़लॉस्फ़रों ने बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया है, और आज तक किसी अ़क्ली दलील से चाँद के फटने का मुहाल और नामुम्किन होना साबित नहीं हो सका, हाँ नावाकिफ़ अ़वाम हर दूर की और मुश्किल चीज़ को नामुम्किन कहने लगते हैं, मगर यह ज़ाहिर है कि मोजिज़ा तो नाम ही उस फ़ेल (काम) का है जो आ़म आ़दत के ख़िलाफ़ और आ़म लोगों की ताक़त से बाहर, हैरत-अंगेज़ व दूर की चीज़ हो, वरना मामूली काम जो हर वक़्त हो सके उसे कौन मोजिज़ा कहेगा?

दूसरा एक आ़म सा शुब्हा यह किया जाता है कि अगर ऐसा अ़ज़ीमुश्शान वाक़िआ़ पेश आया होता तो पूरी दुनिया की तारीख़ों (इतिहासों) में इसका ज़िक्र होता। मगर सोचने की बात यह है कि यह वाक़िआ़ मक्का मुअ़ज़्ज़मा में रात के वक़्त पेश आया है, उस वक़्त बहुत से मुल्कों में तो दिन होगा वहाँ इस वाक़िए के नुमायाँ और ज़ाहिर होने का कोई सवाल ही नहीं होता, और कुछ देशों में आधी रात या उसके बाद का वक़्त होगा, जिस वक़्त आ़म दुनिया सोती है, और जागने वाले भी तो हर वक़्त चाँद को नहीं तकते रहते, ज़मीन पर फैली हुई चाँदनी में उसके दो टुकड़े होने से कोई ख़ास फ़र्क़ नहीं पड़ता, जिसकी वजह से किसी को इस तरफ़ तवज्जोह होती, फिर यह थोड़ी देर का क़िस्सा था। रोज़मर्रा देखा जाता है कि किसी मुल्क में चाँद ग्रहण होता है और आजकल तो पहले से उसके ऐलानात भी हो जाते हैं, इसके बावजूद हज़ारों लाखों आदमी उससे बिल्कुल बेख़बर रहते हैं, उनको कुछ पता नहीं चलता, तो क्या इसकी यह दलील बनाई जा सकती है कि चाँद ग्रहण हुआ ही नहीं? इसलिये दुनिया की आ़म तारीख़ों में इसका ज़िक्र न होने से इस वाक़िए को झुठलाया नहीं जा सकता।

इसके अ़लावा हिन्दुस्तान की मशहूर व मोतबर तारीख़ "तारीख़-ए-फ़रिश्ता" में इसका ज़िक्र भी मौजूद है कि हिन्दुस्तान में महाराजा मालेबार ने यह वाक़िआ़ अपनी आँख से देखा और अपने रोज़नामचे में लिखवाया, और यही वाक़िआ़ उनके मुसलमान होने का सबब बना। और ऊपर अबू दाऊद तियालसी और इमाम बैहक़ी की रिवायतों से भी यह साबित हो चुका है कि ख़ुद मक्का के मुश्रिक लोगों ने भी बाहर के लोगों से इसकी तहक़ीक़ की थी और विभिन्न दिशाओं से आने वालों ने यह वाक़िआ़ देखने की तस्दीक़ (पुष्टि) की थी। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ○

मुस्तमिर्र के मशहूर मायने जो फ़ारसी उर्दू में भी जाने-पहचाने हैं, वह देर तक और हमेशा रहने के हैं, मगर अ़रबी भाषा में यह लफ़्ज़ **मर्-र** और **इस्तमर्-र** कभी गुज़र जाने और ख़त्म हो जाने के मायने में भी आता है। तफ़सीर के इमामों में से मुजाहिद और क़तादा रह. ने इस जगह यही मायने बयान किये हैं, इस पर आयत का मतलब यह होगा कि यह जादू का असर है जो देर तक नहीं चला करता, ख़ुद ही गुज़र जायेगा और ख़त्म हो जायेगा। और एक मायने मुस्तमिर्र

के ताक़तवर और सख़्त होने के भी आते हैं, इमाम अबुल-आ़लिया और ज़ह्हाक रह. ने इस आयत में मुस्तमिर्र की यही तफ़सीर की है, इसके मुताबिक़ मुराद यह होगी कि यह बड़ा ताक़तवर और मज़बूत जादू है।

मक्का वाले जब इस नज़ारे और ख़ुद देखने को न झुठला सके तो इसको जादू या सख़्त जादू कहकर अपने दिलों को तसल्ली देने लगे।

وَكُلُّ أَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝

इस्तिक़रार के लुग़वी मायने क़रार पकड़ने के हैं। आयत का मतलब यह है कि हर काम और हर चीज़ अपनी हद पर पहुँचकर आख़िरकार साफ़ हो जाती है, किसी जालसाज़ी (धोखा देने) से जो पर्दा हक़ीक़त पर डाला जाता है वह आख़िरकार खुलकर रहता है, और हक़ का हक़ और बातिल का बातिल होना स्पष्ट हो जाता है।

مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ.

मुहतिअ़ी-न के लफ़्ज़ी मायने सर उठा होने के हैं। आयत के मायने ये हैं कि बुलाने वाले की आवाज़ की दिशा में देखते हुए मेहशर की तरफ़ दौड़ेंगे। और इससे पहले आयत में जो 'ख़ुश्श-अ़न् अब्सारुहुम्' आया है जिसके मायने हैं निगाह और सर झुकाने के, इन दोनों में जोड़ और मुवाफ़क़त यह है कि मेहशर में खड़े होने के स्थान अलग-अलग और अनेक होंगे, किसी जगह में ऐसा भी होगा कि सब के सर झुके हुए होंगे।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَّازْدُجِرَ ۝ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ۝
فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُّنْهَمِرٍ ۝ وَّفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ۝
وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ۝ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ۝ وَلَقَدْ تَّرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ
مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ۝

कज़्ज़बत् क़ब्लहुम् क़ौमु नूहिन् फ़-कज़्ज़बू अ़ब्दना व क़ालू मज्नूनुंव्-वज़्दुजिर (9) फ़-दआ़ रब्बहू अन्नी मग़्लूबुन् फ़न्तसिर (10) फ़-फ़तह्ना अब्वाबस्समा-इ बिमाइम्-मुन्हमिर (11) व फ़ज्जर्नल्-अर्-ज़ अ़ुयूनन् फ़ल्त-क़ल्मा-उ अ़ला अम्रिन् क़द्

झुठला चुकी है उनसे पहले नूह की क़ौम, फिर झूठा कहा हमारे बन्दे को और बोले दीवाना है और झिड़क लिया उसको। (9) फिर पुकारा अपने रब को कि मैं आ़जिज़ हो गया हूँ तू बदला ले। (10) फिर हमने खोल दिये दहाने आसमान के पानी टूट कर बरसने वाले से (11) और बहा दिये ज़मीन से चश्मे फिर मिल गया सब पानी एक काम पर जो ठहर चुका था। (12)

क़ुदिर (12) व हमल्नाहु अ़ला ज़ाति अल्वाहिंव्-व दुसुर (13) तज्री बि-अअ़्युनिना जज़ाअल्-लिमन् का-न कुफ़िर (14) व लक़त्त-रक्नाहा आ-यतन् फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर (15) फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी व नुज़ुर (16) व ल-क़द् यस्सर्नल्-क़ुरआ-न लिज़्ज़िक्रि फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर (17)	और हमने उसको सवार कर दिया एक तख़्तों और कीलों वाली पर (13) बहती थी हमारी आँखों के सामने, बदला लेने को उसकी तरफ़ से जिसकी क़द्र न जानी थी। (14) और उसको हमने रहने दिया निशानी के लिये, फिर कोई है सोचने वाला? (15) फिर कैसा था मेरा अ़ज़ाब और मेरा खड़खड़ाना। (16) और हमने आसान कर दिया क़ुरआन समझने को, फिर है कोई सोचने वाला? (17)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

उन लोगों से पहले नूह (अ़लैहिस्सलाम) की क़ौम ने झुठलाया, यानी हमारे (ख़ास) बन्दे (नूह अ़लैहिस्सलाम) को झुठलाया और कहा कि यह मजनूँ है और (महज़ इस बेहूदा क़ौल ही पर बस नहीं किया गया बल्कि उनसे एक बेहूदा हरकत भी सर्ज़द हुई यानी) नूह (अ़लैहिस्सलाम) को (उनकी तरफ़ से) धमकी (भी) दी गई (जिसका ज़िक्र सूरः शु-अ़रा में है, यानी):

لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ۝

तो नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने अपने रब से दुआ़ की कि मैं (बिल्कुल) आ़जिज़ हूँ (इन लोगों का मुक़ाबला नहीं कर सकता) सो आप (इनसे) इन्तिक़ाम लीजिये (यानी इनको हलाक कर दीजिये, जैसा कि उनके इस क़ौल को क़ुरआन में एक दूसरी जगह बयान किया गया है):

رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ دَيَّارًا۝

पस हमने कसरत से बरसने वाले पानी से आसमान के दरवाज़े खोल दिये और ज़मीन से चश्मे जारी कर दिये। फिर (आसमान और ज़मीन का) पानी उस काम के (पूरा होने के) लिये मिल गया जो (अल्लाह के इल्म में) तजवीज़ हो चुका था (उस काम से मुराद काफ़िरों की तबाही है, यानी दोनों पानी मिलकर तूफ़ान बढ़ा जिसमें सब ग़र्क़ हो गये)।

और हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को (मोमिनों के साथ) सवार किया तख़्तों और मेख़ों वाली कश्ती पर जो कि हमारी निगरानी में (पानी की सतह पर) चल रही थी। यह सब कुछ उस शख़्स का बदला लेने के लिये किया जिसकी बेक़द्री की गई थी (इससे मुराद नूह अ़लैहिस्सलाम हैं, और चूँकि रसूल और अल्लाह तआ़ला के हुक़ूक़ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इसमें अल्लाह के साथ कुफ़्र करना भी आ गया, पस यह शुब्हा न रहा कि यह ग़र्क़ करना अल्लाह के साथ कुफ़्र करने के सबब न हुआ था)। और हमने इस वाक़िए को इब्रत के वास्ते (क़िस्सों और तज़किरों में)

रहने दिया, क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है? (इससे नसीहत लेने की तरफ़ तवज्जोह दिलाना है) फिर (देखो) मेरा अ़ज़ाब और मेरा डराना कैसा हुआ (यानी जिस चीज़ से डराना वाक़े हुआ था वह कैसा पूरा होकर रहा, तो उस डराने का हासिल भी अ़ज़ाब ही हो गया। ग़र्ज़ कि अल्लाह के अ़ज़ाब के दो उनवान हो गये- एक ख़ुद अ़ज़ाब और दूसरा अल्लाह के वायदे का पूरा होना)। और हमने क़ुरआन को (जो कि मुश्तमिल है ऐसे उक्त क़िस्सों पर) नसीहत हासिल करने के लिये आसान कर दिया (उमूमन सब के लिये क्योंकि वह बयान के एतिबार से स्पष्ट है, और अ़रब वालों के लिये ख़ास तौर पर क्योंकि यह अ़रबी भाषा में है) सो क्या (इस क़ुरआन में नसीहत के ऐसे मज़ामीन देखकर) कोई नसीहत हासिल करने वाला है? (यानी मक्का के काफ़िरों को ख़ास तौर पर इन क़िस्सों से डर जाना चाहिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ٥

'वज़्दुजिर' के लफ़्ज़ी मायने हैं डाँट दिया गया (इसका ताल्लुक़ लफ़्ज़ 'क़ालू' से है, इसलिये) मुराद यह है कि उन लोगों ने हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को मजनूँ भी कहा और फिर उनको डाँट धमकाकर रिसालत की तब्लीग़ से रोकना भी चाहा, जैसा कि एक दूसरी आयत में है कि उन लोगों ने नूह अ़लैहिस्सलाम को यह धमकी दी कि अगर आप अपनी तब्लीग़ व दावत से बाज़ न आये तो हम आपको पथराव करके मार देंगे।

अ़ब्द बिन हुमैद रह. ने इमाम मुजाहिद रह. से नक़ल किया है कि नूह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम के बाज़े लोग जब हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को कहीं पाते तो कई बार उनका गला घोंट देते थे यहाँ तक कि वह बेहोश हो जाते, फिर जब सुकून होता तो अल्लाह से यह दुआ़ करते थे कि "या अल्लाह! मेरी क़ौम को माफ़ कर दे, वे हक़ीक़त से नावाक़िफ़ हैं। साढ़े नौ सौ (950) साल क़ौम की ऐसी तकलीफ़ें देने का जवाब दुआ़ओं से देकर गुज़ारने के बाद आख़िर में आ़जिज़ होकर बद्दुआ़ की, जिसका ज़िक्र अगली आयत में है, जिसके नतीजे में यह पूरी क़ौम ग़र्क़ की गयी।

فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰٓى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ٥

यानी ज़मीन से उबलने वाला पानी और आसमान से बरसने वाला पानी दोनों इस अन्दाज़ पर मिल गये जिससे अल्लाह तआ़ला का मुक़द्दर किया हुआ फ़ैसला कि पूरी क़ौम ग़र्क़ हो जाये नाफ़िज़ हो गया, कि पहाड़ों की चोटियों तक भी किसी को पनाह न मिली।

ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ٥

'अलवाह' लौह की जामा (बहुवचन) है जिसके मायने तख़्ती के हैं, और 'दुसुर' दसार की जमा है जिसके मायने मेख़ (बड़ी कील) और मिस्मार के भी आते हैं, और उस डोरे या तार को भी कहा जाता है जिससे कश्ती के तख़्ते जोड़े जाते हैं।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ○

ज़िक्र के मायने याद करने और हिफ़्ज़ करने के भी आते हैं और किसी कलाम से नसीहत व सबक़ हासिल करने के भी। ये दोनों मायने यहाँ मुराद हो सकते हैं, कि हक़ तआ़ला ने क़ुरआने करीम को हिफ़्ज़ करने के लिये आसान कर दिया, यह बात इससे पहले किसी किताब को हासिल नहीं हुई कि पूरी किताब तौरात या इन्जील या ज़बूर लोगों को ज़ुबाँ पर याद हो, और यह हक़ तआ़ला ही के आसान करने का असर है कि मुसलमानों के छोटे-छोटे बच्चे पूरे क़ुरआन को ऐसा हिफ़्ज़ कर लेते हैं कि एक ज़ेर-ज़बर का फ़र्क़ नहीं आता, चौदह सौ बरस से हर ज़माने हर तब्क़े हर ख़ित्ते में हज़ारों लाखों हाफ़िज़ों के सीनों में यह अल्लाह की किताब महफ़ूज़ है।

और ये मायने भी हो सकते हैं कि क़ुरआने करीम ने अपने इब्रत व नसीहत के मज़ामीन को ऐसा आसान करके बयान किया है कि जिस तरह बड़े से बड़ा आ़लिम व माहिर, फ़ल्सफ़ी और बुद्धिमान इससे फ़ायदा उठाता है इसी तरह हर आ़म आदमी जाहिल जिसको उलूम से कोई मुनासबत न हो वह भी इब्रत व नसीहत के क़ुरआनी मज़ामीन को समझकर इससे मुतास्सिर होता है।

हिफ़्ज़ करने के लिये क़ुरआन को आसान किया गया है न कि इज्तिहाद और इससे अहकाम को निकालने के लिये

इस आयत में 'यस्सरना' (हमने आसान कर दिया) के साथ 'लिज़्ज़िक्रि' (नसीहत हासिल करने के लिये) की क़ैद लगाकर यह भी बतला दिया गया है कि क़ुरआन को हिफ़्ज़ करने और इसके मज़ामीन से इब्रत व नसीहत हासिल करने की हद तक इसको आसान कर दिया गया है, जिससे हर आ़लिम व जाहिल, छोटा और बड़ा बराबर तौर पर फ़ायदा उठा सकता है। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि क़ुरआने करीम से मसाईल और अहकाम का निकालना और समझना भी ऐसा ही आसान हो, वह अपनी जगह एक मुस्तक़िल और मुश्किल फ़न है जिसमें उम्रें ख़र्च करने वाले माहिर उलेमा को ही हिस्सा मिलता है, वह हर एक का मैदान नहीं।

इससे उन लोगों की ग़लती स्पष्ट हो गयी जो क़ुरआने करीम के इस जुमले का सहारा लेकर क़ुरआन की मुकम्मल तालीम, उसके उसूल व क़वायद से हासिल किये बग़ैर मुज्तहिद बनना और अपनी राय से अहकाम व मसाईल को निकालना चाहते हैं कि यह खुली गुमराही का रास्ता है।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِ○ اِنَّآ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ

رِيْحًا صَرْصَرًا فِيْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ○ تَنْزِعُ النَّاسَ كَاَنَّهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ○ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَ

نُذُرِ○ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ○ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِالنُّذُرِ○ فَقَالُوْٓا اَبَشَرًا مِّنَّا

وَاحِدًا نَّتَّبِعُهٗٓ اِنَّآ اِذًا لَّفِيْ ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ○ ءَاُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْۢ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ○

سَيَعْلَمُوْنَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ۝ إِنَّا مُرْسِلُوا النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۝ وَنَبِّئْهُمْ
أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ۝ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۝ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَ
نُذُرِ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَّجَّيْنَاهُم
بِسَحَرٍ ۝ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ۝ وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ۝
وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ
مُّسْتَقِرٌّ ۝ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝ وَلَقَدْ
جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

कज़्ज़-बत् आदुन् फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी व नुज़ुर (18) इन्ना अर्सल्ना अ़लैहिम् रीहन् सर्-सरन् फ़ी यौमि नह़्सिम्-मुस्तमिर्र (19) तन्ज़िअ़ुन्ना-स क-अन्नहुम् अअ़्जाज़ु नख़्लिम्-मुन्क़अ़िर (20) फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी व नुज़ुर (21) व ल-क़द् यस्सर्नल्-क़ुर्आ-न लिज़्ज़िक्रि फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर (22) ✿

कज़्ज़बत् समूदु बिन्नुज़ुर (23) फ़क़ालू अ-ब-शरम् मिन्ना वाहिदन् नत्तबिअ़ुहू इन्ना इज़ल्-लफ़ी ज़लालिंव्- व सुअ़ुर (24) अ-उल्क़ियज़्ज़िक्रु अ़लैहि मिम्बैनिना बल् हु-व कज़्ज़ाबुन् अशिर (25)

झुठलाया आद ने फिर कैसा हुआ मेरा अ़ज़ाब और मेरा खड़खड़ाना। (18) हमने भेजी उन पर सख़्त हवा एक नहूसत के दिन जो चले गये (19) उखाड़ मारा लोगों को गोया वो जड़ें हैं खजूर की उखड़ी पड़ी। (20) फिर कैसा रहा मेरा अ़ज़ाब और मेरा खड़खड़ाना। (21) और हमने आसान कर दिया क़ुरआन समझने को, फिर है कोई सोचने वाला? (22) ✿

झुठलाया समूद ने डर सुनाने वालों को (23) फिर कहने लगे क्या एक आदमी हम में का अकेला हम उसके कहे पर चलेंगे तो तो हम ग़लती में पड़े और जुनून में। (24) क्या उतरी उसी पर नसीहत हम सब में से? कोई नहीं यह झूठा है, बड़ाई मारता है। (25)

स-यअ्लमू-न ग़दम्-मनिल्-कज़्ज़ाबुल्-अशिर (26) इन्ना मुर्सिलुन्ना-कति फ़ित्नतल्-लहुम् फ़र्तक़िब्हुम् वस्तबिर (27) व नब्बिअ्हुम् अन्नल्-मा-अ क़िस्मतुम्-बैनहुम् कुल्लु शिर्बिम्-मुह्त-ज़र (28) फ़नादौ साहि-बहुम् फ़-तआता फ़-अ़क़र (29) फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी व नुज़ुर (30) इन्ना अर्सल्ना अ़लैहिम् सै-हतंव्-वाहि-दतन् फ़कानू क-हशीमिल्-मुह्तज़िर (31) व ल-क़द् यस्सर्नल्-क़ुर्आ-न लिज़्ज़िक्रि फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर (32) कज़्ज़बत् क़ौमु लूतिम्-बिन्नुज़ुर (33) इन्ना अर्सल्ना अ़लैहिम् हासिबन् इल्ला आ-ल लूतिन्, नज्जैनाहुम् बि-स-हर् (34) निअ्-मतम् मिन् अ़िन्दिना, कज़ालि-क नज्ज़ी मन् शकर् (35) व ल-क़द् अन्ज़-रहुम् बत्श-तना फ़-तमारौ बिन्नुज़ुर (36) व ल-क़द् रा-वदूहु अ़न् ज़ैफ़िही फ़-तमस्ना अअ्यु-नहुम् फ़ज़ूक़ू अ़ज़ाबी व नुज़ुर (37) व ल-क़द् सब्ब-हहुम् बुक्र-तन् अ़ज़ाबुम् मुस्तक़िर्र (38) फ़ज़ूक़ू

अब जान लेंगे कल को कौन है झूठा बड़ाई मारने वाला (26) हम भेजते हैं ऊँटनी उनके जाँचने के वास्ते सो इन्तिज़ार कर उनका और सहता रह (27) और सुना दे उनको कि पानी का बाँटा (तक़सीम और बारी) है उनमें, हर बारी पर पहुँचना चाहिये (28) फिर पुकारा उन्होंने अपने साथी को फिर हाथ चलाया और काट डाला (29) फिर कैसा हुआ मेरा अ़ज़ाब और मेरा खड़खड़ाना। (30) हमने भेजी उन पर एक चिंघाड़ फिर रह गये जैसे रौंदी हुई बाढ़ काँटों की। (31) और हमने आसान कर दिया क़ुरआन समझने को, फिर है कोई सोचने वाला? (32) झुठलाया लूत की क़ौम ने डर सुनाने वालों को। (33) हमने भेजी उन पर आँधी पत्थर बरसाने वाली सिवाय लूत के घर के, उनको हमने बचा दिया पिछली रात से (34) फ़ज़्ल से अपनी तरफ़ के, हम यूँ बदला देते हैं उसको जो हक़ माने। (35) और वह डरा चुका था उनको हमारी पकड़ से फिर लगे मुकराने डराने को (36) और उससे लेने लगे उसके मेहमानों को, पस हमने मिटा दीं उनकी आँखें, अब चखो मेरा अ़ज़ाब और मेरा डराना। (37) और पड़ा उन पर सुबह को सवेरे अ़ज़ाब जो ठहर चुका था (38) अब चखो

अ़ज़ाबी व नुज़ुर (39) व ल-क़द् यस्सर्नल्-क़ुर्आ-न लिज़्ज़िक्रि फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर (40) ✿ व ल-क़द् जा-अ आ-ल फ़िर्औनन्-नुज़ुर (41) कज़्ज़बू बिआयातिना कुल्लिहा फ़-अख़ज़्नाहुम् अख़्-ज़ अ़ज़ीज़िम्-मुक़्तदिर (42)	मेरा अ़ज़ाब और मेरा डराना। (39) और हमने आसान कर दिया क़ुरआन समझने को, फिर है कोई सोचने वाला? (40) ✿ और पहुँचे फ़िरऔन वालों के पास डराने वाले (41) झुठलाया उन्होंने हमारी निशानियों को सब को, फिर पकड़ा हमने उनको पकड़ना ज़बरदस्त का क़ाबू में लेकर। (42)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आ़द (क़ौम) ने (भी अपने पैग़म्बर को) झुठलाया। सो (उसका क़िस्सा सुनो कि) मेरा अ़ज़ाब और डराना कैसा हुआ (और वह क़िस्सा यह है कि) हमने उन पर एक तेज़ हवा भेजी, एक हमेशा रहने वाले नहूसत के दिन में (यानी वह ज़माना उनके हक़ में हमेशा के लिये इसलिये मन्हूस रहा कि उस रोज़ जो अ़ज़ाब आया वह अ़ज़ाब बर्ज़ख़ से मुत्तसिल हो गया, फिर आख़िरत का अ़ज़ाब उससे मिल गया जो उनसे कभी न हटेगा, और) वह हवा लोगों को इस तरह (उनकी जगह से) उखाड़-उखाड़ फेंकती थी कि गोया वे उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं (इस मिसाल में उनके फेंके जाने के अ़लावा उनके क़द के लम्बा होने की तरफ़ भी इशारा है) सो (देखो) मेरा अ़ज़ाब और डराना कैसा (हौलनाक) हुआ। और हमने क़ुरआन को नसीहत हासिल करने के लिये आसान कर दिया है, सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है?

समूद ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया (क्योंकि एक पैग़म्बर को झुठलाना गोया सब पैग़म्बरों को झुठलाना है क्योंकि सब की तालीम एक ही है) और कहने लगे- क्या हम ऐसे शख़्स की पैरवी करेंगे जो हमारी जिन्स का आदमी है और (नौकर-चाकर और ख़ादिमों के एतिबार से) अकेला है (यानी या तो फ़रिश्ता होता तो हम दीन में पैरवी करते, या शान व शौकत और नौकरों-चाकरों वाला होता तो दुनियावी मामलात में पैरवी करते, अब जबकि इनसान है और वह भी अकेला, न तो दुनियावी मामलात में पैरवी का कोई सबब और न दीनी मामले में पैरवी का कोई कारण मौजूद है, और अगर हम इस हालत में पैरवी करें) तो इस सूरत में हम बड़ी ग़लती और (बल्कि) पागलपन में पड़ जाएँ। क्या हम सब में से (चुनकर) उस (शख़्स) पर वही नाज़िल हुई है? (हरगिज़ ऐसा नहीं) बल्कि यह बड़ा झूठा और बड़ा शैख़ीबाज़ है (शैख़ी यानी तकब्बुर के मारे ऐसी बड़ाई की बातें करता है कि लोग मुझको सरदार क़रार दे लें। हक़ तआ़ला ने सालेह अ़लैहिस्सलाम से फ़रमाया कि तुम उनके बकने पर रंज मत करो) उनको बहुत जल्दी (यानी मरते ही) मालूम हो जायेगा कि झूठा (और) शैख़ीबाज़ कौन था? (यानी यही लोग थे कि नुबुव्वत का

इनकार करने में झूठे थे, और अपनी शैख़ी व घमण्ड की वजह से नबी की पैरवी से शर्म करते थे, और ये लोग जो ऊँटनी का मोजिज़ा तलब करते थे तो) हम (इनकी दरख़्वास्त के मुवाफ़िक़ पत्थर में से) ऊँटनी को निकालने वाले हैं इनकी (ईमानी) आज़माईश के लिये, सो इन (की हरकतों) को देखते-भालते रहना और सब्र से बैठे रहना। और (जब ऊँटनी पैदा हो तो) उन लोगों को यह बतला देना कि (कुएँ का) पानी उनमें बाँट दिया गया है (यानी तुम्हारे मवेशी और ऊँटनी की बारी मुक़र्रर हो गयी है) हर एक बारी पर बारी वाला हाज़िर हुआ करेगा (यानी ऊँटनी अपनी बारी में पानी पिये और मवेशी अपनी बारी में। चुनाँचे ऊँटनी पैदा हुई और सालेह अ़लैहिस्सलाम ने इसी तरह फ़रमा दिया) सो (उस बारी से वे लोग तंग आ गये और) उन्होंने (उसके क़त्ल करने की ग़र्ज़ से) अपने साथी (क़ुदार) को बुलाया, सो उसने (ऊँटनी पर) वार किया और (उसको) मार डाला। सो (देखो) मेरा अ़ज़ाब और डराना कैसा हुआ (जिसका बयान आगे आता है, वह यह कि) हमने उन पर (फ़रिश्ते की) एक ही चीख़ को मुसल्लत किया, सो वे (उस से) ऐसे हो गये जैसे काँटों की बाढ़ लगाने वाले (की बाढ़) का चूरा (यानी खेत या मवेशी वग़ैरह की हिफ़ाज़त के लिये जैसे काँटों वग़ैरह की बाढ़ लगा देते हैं और चन्द दिन बाद सब चूरा चूरा हो जाता है, इसी तरह वे हलाक व तबाह हो गये। अ़रब के लोग इस खेत के गिर्द लगने वाली बाढ़ को रात-दिन देखते थे तो वे इस मिसाल को ख़ूब समझते थे) और हमने क़ुरआन को नसीहत हासिल करने के लिये आसान कर दिया है, सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है?

लूत की कौम ने (भी) पैग़म्बरों को झुठलाया (क्योंकि एक नबी को झुठलाने से तमाम नबियों को झुठलाना लाज़िम आता है) हमने उन पर पत्थरों की बारिश बरसाई, सिवाय लूत (अ़लैहिस्सलाम) के मुताल्लिक़ीन (यानी सिवाय मोमिन लोगों) के, कि उनको रात के आख़िरी हिस्से में (बस्ती से बाहर करके अ़ज़ाब से) बचा लिया गया अपनी ओर से फ़ज़्ल करके। जो शुक्र करता है (यानी ईमान लाता है) हम उसे ऐसा ही सिला दिया करते हैं (कि क़हर से बचा लेते हैं)। और (अ़ज़ाब आने से पहले) लूत (अ़लैहिस्सलाम) ने उनको हमारी पकड़ से डराया था, उन्होंने उस डराने में झगड़े पैदा किये (यानी यक़ीन न लाये) और (जब लूत अ़लैहिस्सलाम के पास हमारे फ़रिश्ते मेहमान की शक्ल में आये और उन लोगों को हसीन लड़कों का आना मालूम हुआ तो यहाँ आकर) उन लोगों ने लूत (अ़लैहिस्सलाम) से उनके मेहमानों को बुरे इरादे से लेना चाहा (जिस से लूत अ़लैहिस्सलाम पहले घबराये मगर वे फ़रिश्ते थे) सो हमने (उन फ़रिश्तों को हुक्म देकर) उनकी आँखें चौपट कर दीं (यानी जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने अपने पर उनकी आँखों पर फेर दिये जिस से अन्धे भट हो गये, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत क़तादा की रिवायत से बयान किया गया है, और ज़बान से या इशारे से उनसे कहा गया कि) कि लो मेरे अ़ज़ाब और डराने का मज़ा चखो (यह तो उस वक़्त वाक़िआ़ हुआ) और (फिर) सुबह सवेरे उन पर हमेशगी का अ़ज़ाब आ पहुँचा (और इरशाद हुआ) कि लो मेरे अ़ज़ाब और डराने का मज़ा चखो। (यही जुमला पहले अन्धे होने के अ़ज़ाब पर कहा गया था, यहाँ हलाकत के अ़ज़ाब पर है, इसलिये यह न कहेंगे कि एक ही बात को बार-बार कहा गया है) और हमने क़ुरआन को नसीहत हासिल

करने के लिये आसान कर दिया है, सो क्या कोई नसीहत हासिल करने वाला है?

और (फ़िरऔन और) फ़िरऔन वालों के पास भी डराने की बहुत-सी चीज़ें पहुँचीं (मुराद हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के इरशादात और मोजिज़े हैं, कि इरशादात से शरई हिदायत के तौर पर और मोजिज़ों से क़ुदरत की निशानियों के तौर पर उनको डराया गया मगर) उन लोगों ने हमारी (उन) तमाम निशानियों को (जो उनके पास आई थीं वो नौ आयतें मशहूर हैं) झुठलाया (यानी उनके तक़ाज़े और मुतालबे यानी अल्लाह तआ़ला की तौहीद और मूसा अ़लैहिस्सलाम की नुबुव्वत को झुठलाया, वरना वाक़िआ़त के पेश आने को झुठलाना तो हो नहीं सकता) सो हमने उनको ज़बरदस्त क़ुदरत वाले का पकड़ना पकड़ा (यानी जब हमने उनको क़हर और ग़लबे से पकड़ा तो उस पकड़ को कोई दूर नहीं कर सका, पस 'ज़बरदस्त' और 'क़ुदरत वाले' से मुराद अल्लाह तआ़ला है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

कुछ लुग़ात की तशरीह

सुअ़ुर यह लफ़्ज़ उक्त आयतों में दो जगह आया है- अव्वल क़ौमे समूद के ज़िक्र में उनका अपना क़ौल है, इसमें सुअ़ुर का लफ़्ज़ जुनून के मायने में आया है, दूसरी जगह यही लफ़्ज़ आगे आने वाली आयतों में हक़ तआ़ला की तरफ़ से मुजरिमों के अ़ज़ाब के ज़िक्र में आया है यानी 'फ़ी ज़लालिंव्-व सुअ़ुर' यहाँ सुअ़ुर के मायने जहन्नम की आग के हैं। लुग़त के माहिर उलेमा की वज़ाहत के मुताबिक़ लफ़्ज़ 'सुअ़ुर' इन दोनों मायने में इस्तेमाल होता है।

رَاوَدُوْهُ عَنْ ضَيْفِهٖ

मुरावदत के मायने किसी को अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करने के लिये बहलाना फुसलाना है, मुराद यह है कि क़ौमे लूत के लोग चूँकि अपनी ख़बासत की वजह से लड़कों के साथ बुरा काम (दुष्कर्म) करने के आ़दी थे, और अल्लाह तआ़ला ने उनके इम्तिहान ही के लिये फ़रिश्तों को हसीन नवउम्र लड़कों की सूरत में भेजा था। ये शैतान लोग उनको अपनी इच्छा का निशाना बनाने के लिये लूत अ़लैहिस्सलाम के मकान पर चढ़ आये। लूत अ़लैहिस्सलाम ने दरवाज़ा बन्द कर लिया तो ये दरवाज़ा तोड़कर या ऊपर से छलाँग लगाकर अन्दर आने लगे। हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम परेशान हुए तो उस वक़्त फ़रिश्तों ने अपना राज़ ज़ाहिर किया कि आप कुछ फ़िक्र न करें, ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हम अल्लाह के फ़रिश्ते हैं और इनको अ़ज़ाब देने ही के लिये आये हैं।

सूरः क़मर को क़ियामत के क़रीब होने के ज़िक्र से शुरू किया गया, ताकि काफ़िर व मुश्रिक लोग जो दुनिया की इच्छा व हवस में मुब्तला और आख़िरत से ग़ाफ़िल हैं वे होश में आयें। पहले क़ियामत के अ़ज़ाब का बयान किया गया, उसके बाद दुनिया में भी उनके बुरे अन्जाम को बतलाने के लिये दुनिया की पाँच मशहूर क़ौमों के हालात और अम्बिया

अलैहिमुस्सलाम की मुख़ालफ़त पर उनके बुरे अन्जाम और दुनिया में भी तरह-तरह के अ़ज़ाबों में मुब्तला होना बयान किया गया है।

सबसे पहले क़ौमे नूह का ज़िक्र किया गया, क्योंकि यही सबसे पहली दुनिया की क़ौम है जो अल्लाह के अ़ज़ाब में पकड़ी गयी। यह क़िस्सा इनसे पहले की आयतों में आ चुका है, उपरोक्त आयतों में चार क़ौमों का ज़िक्र है- आ़द, समूद, क़ौमे लूत, क़ौमे फ़िरऔ़न। इनके वाक़िआ़त और मुफ़स्सल क़िस्से क़ुरआने करीम के अनेक मक़ामात में बयान हुए हैं, यहाँ उनका संक्षिप्त ज़िक्र है।

ये पाँचों क़ौमें दुनिया की ताक़तवर, ग़लबे वाले और संपन्न क़ौमें थीं, जिनको किसी ताक़त से झुका लेना किसी के लिये आसान न था। ऊपर ज़िक्र हुई आयतों में उन पर अल्लाह का अ़ज़ाब आना दिखलाया गया, और हर एक क़ौम के अन्जाम पर क़ुरआने करीम ने एक जुमला इरशाद फ़रमायाः

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ○

यानी इतनी बड़ी ताक़तवर और भारी तायदाद वाली क़ौम पर जब अल्लाह का अ़ज़ाब आया तो देखो कि वे किस तरह उस अ़ज़ाब के सामने मक्खियों, मच्छरों की तरह मारे गये, और इसके साथ ही मोमिनों व काफ़िरों की आ़म नसीहत के लिये इस जुमले को बार-बार दोहराया गयाः

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ○

यानी अल्लाह के इस ज़बरदस्त अ़ज़ाब से बचने का रास्ता क़ुरआन है, और क़ुरआन को नसीहत व इब्रत हासिल करने की हद तक हमने बहुत आसान कर दिया है। बड़ा बदनसीब और मेहरूम है जो इससे फ़ायदा न उठाये। आगे आने वाली आयतों में ज़माना-ए-नुबुव्वत में मौजूद लोगों को ख़िताब करके यह बतलाया गया है कि इस ज़माने के इनकारी व काफ़िर माल व दौलत, संख्या, ताक़त व क़ुव्वत में आ़द व समूद और क़ौमे फ़िरऔ़न वग़ैरह से कुछ ज़्यादा नहीं हैं, फिर ये कैसे बेफ़िक्र बैठे हैं।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ
نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهٰى وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾
إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلٰى وُجُوهِهِمْ ۖ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا
كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ
مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَّكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنّٰتٍ وَّ
نَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

अ-कुफ़्फ़ारुकुम् ख़ैरुम्-मिन् उलाइकुम् अम् लकुम् बरा-अतुन् फ़िज़्ज़ुबुर (43) अम् यक़ूलू-न नह्नु जमीअुम्-मुन्तसिर (44) सयुह्ज़-मुल् जम्अु व युवल्लूनद्-दुबुर (45) बलिस्सा-अ़तु मौअ़िदुहुम् वस्सा-अ़तु अद्हा व अमर्र (46) इन्नल्-मुज्रिमी-न फ़ी ज़लालिंव्-व सुअ़ुर। (47) यौ-म युस्हबू-न फ़िन्नारि अ़ला वुजूहिहिम्, ज़ूक़ू मस्-स सक़र् (48) इन्ना कुल्-ल शैइन् ख़लक़्नाहु बि-क़-दर् (49) व मा अम्रुना इल्ला वाहि-दतुन् क-लम्हिम्-बिल्ब-सर (50) व ल-क़द् अह्लक्ना अश्या-अ़कुम् फ़-हल् मिम्-मुद्दकिर (51) व कुल्लु शैइन् फ़-अ़लूहु फ़िज़्ज़ुबुर (52) व कुल्लु सग़ीरिंव्-व कबीरिम्-मुस्त-तर (53) इन्नल्-मुत्तक़ी-न फ़ी जन्नातिंव्-व न-हर (54) फ़ी मक़्अ़दि सिद्क़िन् अ़िन्-द मलीकिम्-मुक़्तदिर (55) ✿

अब तुम में जो मुन्किर हैं क्या ये बेहतर हैं उन सबसे या तुम्हारे लिये माफ़ी नामा लिख दिया गया है वर्क़ों में (43) क्या कहते हैं हम सब का मजमा है बदला लेने वाला? (44) अब शिकस्त खायेगा यह मजमा और भागेगा पीठ फेरकर (45) बल्कि क़ियामत है उनके वायदे का वक़्त और वह घड़ी बड़ी आफ़त है और बहुत कड़वी। (46) जो लोग गुनाहगार हैं ग़लती में पड़े हैं और पागलपन में (47) उस दिन घसीटे जायेंगे आग में औंधे मुँह, चखो मज़ा आग का (48) हमने हर चीज़ बनाई पहले ठहराकर (49) और हमारा काम तो यही एक दम की बात है जैसे लपक निगाह की। (50) और हम बरबाद कर चुके हैं तुम्हारे साथ वालों को, फिर है कोई सोचने वाला (51) और जो चीज़ उन्होंने की है लिखी गयी वर्क़ों में (52) और हर छोटा और बड़ा लिखा जा चुका (53) जो लोग डरने वाले हैं बाग़ों में हैं और नहरों में (54) बैठे सच्ची बैठक में बादशाह के नज़दीक जिसका सब पर क़ब्ज़ा है। (55) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ये काफ़िरों के क़िस्से और कुफ़्र की वजह से उन पर अ़ज़ाब होने के वाक़िआत तो तुमने सुन लिये, अब जबकि तुम भी इसी कुफ़्र के जुर्म के करने वाले हो तो तुम्हारे अ़ज़ाब से बचने की कोई वजह नहीं) क्या तुम में जो काफ़िर हैं उनमें इन (ज़िक्र हुए) लोगों से कुछ फ़ज़ीलत है (जिसकी वजह से तुम बावजूद जुर्म करने के सज़ा न पाओ) या तुम्हारे लिये (आसमानी) किताबों में कोई माफ़ी (नामा लिख दिया) है? (अगरचे कोई ख़ास फ़ज़ीलत न हो) या (उनमें कोई ऐसी

क़ुव्वत है जो उनको अ़ज़ाब से बचा ले जैसा कि) ये लोग कहते हैं कि हमारी ऐसी जमाअ़त है जो ग़ालिब ही रहेंगे (और जबकि उनके मग़लूब होने की स्पष्ट दलीलें मौजूद हैं और ख़ुद भी अपने मग़लूब होने का उनको यक़ीन है तो फिर ऐसी बात कहने से यह लाज़िम आता है कि उनमें कोई ऐसी क़ुव्वत है जो अ़ज़ाब को रोक सकती है। ये तीन संभावनायें हैं अ़ज़ाब से बचने की, बताओ कि इनमें से हक़ीक़त में कौनसी सूरत है। पहली दो संभावनाओं का बातिल होना तो ज़ाहिर व स्पष्ट है, रहा तीसरी संभावना सो आ़दी असबाब के एतिबार से अगरचे अपने आप में वह मुम्किन है मगर दलीलों की रोशनी में वह भी वाक़े न होगी, बल्कि उसके उलट ज़ाहिर होगा, जिससे उनका झूठा होना ज़ाहिर हो जायेगा, और वह उलट स्थिति का ज़ाहिर होना इस तरह होगा कि) जल्द ही (उनकी) यह जमाअ़त शिकस्त खायेगी और पीठ फेरकर भागेंगे (और यह भविष्यवाणी जंगे बदर और जंगे अहज़ाब वग़ैरह में ज़ाहिर हुई। और यही नहीं कि इस दुनियावी अ़ज़ाब पर बस होकर रह जायेगा) बल्कि (बड़ा अ़ज़ाब) क़ियामत (में होगा कि) उनका (असल) वायदा (वही) है। और क़ियामत (को कोई हल्की चीज़ न समझो बल्कि वह) बड़ी सख़्त और नागवार चीज़ है (और यह वायदा किया गया सख़्ती और नागवार होना ज़रूर ज़ाहिर होने वाला है और इसके वाक़े होने के इनकार में) ये मुजरिम लोग (यानी काफ़िर) बड़ी ग़लती और बेअ़क़्ली में (पड़े) हैं (और यह ग़लती उनको बहुत जल्द जब यह हक़ीक़त आँखों से दिखेगी तो ज़ाहिर हो जायेगी, और वह इस तरह होगा कि) जिस दिन ये लोग अपने मुँहों के बल जहन्नम में घसीटे जाएँगे तो इनसे कहा जायेगा कि दोज़ख़ (की आग) के लगने का मज़ा चखो।

(और अगर इनको इससे शुब्हा हो कि क़ियामत अभी क्यों नहीं आती तो वजह इसकी यह है कि) हमने हर चीज़ को (ज़माने और वक़्त वग़ैरह के एतिबार से एक ख़ास) अन्दाज़े से पैदा किया है (जो हमारे इल्म में है, यानी उसका वक़्त वग़ैरह अपने इल्म में तय और निर्धारित किया है, इसी तरह क़ियामत के ज़ाहिर होने के लिये भी एक वक़्त निर्धारित है, उसका फ़िलहाल ज़ाहिर न होना उसका वक़्त न आने की वजह से है, यह धोखा न खाना चाहिये कि क़ियामत आयेगी ही नहीं)। और (जब उसका वक़्त आ जायेगा तो उस वक़्त) हमारा हुक्म (उसके ज़ाहिर होने के मुताल्लिक़) एक ही बार में ऐसा हो जायेगा जैसे आँख का झपकाना (ग़र्ज़ कि उसके आने का इनकार करना तो बातिल ठहरा) और (अगर तुमको यह शुब्हा हो कि हमारा तरीक़ा अल्लाह के नज़दीक नापसन्दीदा और बुरा नहीं है तो अगर क़ियामत आये तब भी हमको कोई फ़िक्र नहीं, तो इस बारे में सुन लो कि) हम तुम्हारे ही तरीक़े वाले जैसे लोगों को (अपने अ़ज़ाब से) हलाक कर चुके हैं (जो दलील है इस तरीक़े के बुरा और नापसन्दीदा होने की, और वही तुम्हारा तरीक़ा है इसलिये नापसन्दीदा है, और यह दलील पूरी तरह स्पष्ट है) सो क्या (इस दलील से) कोई नसीहत हासिल करने वाला है?

और (यह भी नहीं है कि उनके आमाल अल्लाह के इल्म से ग़ायब हो जायें, जिसकी वजह से अल्लाह के नज़दीक उनके तरीक़े के नापसन्दीदा और बुरा होने के बावजूद सज़ा से बच जाने का शुब्हा व संभावना हो, बल्कि) जो कुछ भी ये लोग करते हैं सब (हक़ तआ़ला को मालूम है)

आमाल नामों में (भी लिखा हुआ) है। और (यह नहीं कि कुछ लिख लिया गया हो कुछ रह गया हो बल्कि) हर छोटी-बड़ी बात (उसमें) लिखी हुई है (पस अ़ज़ाब के उन पर पड़ने में कोई शुब्हा न रहा। यह तो काफ़िरों का हाल हुआ और जो) परहेज़गार लोग (हैं वे जन्नत के) बाग़ों में और नहरों में होंगे, एक उम्दा मक़ाम में क़ुदरत वाले बादशाह के पास (यानी जन्नत के साथ-साथ अल्लाह तआ़ला की निकटता भी हासिल होगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

कुछ अलफ़ाज़ की वज़ाहत

ज़ुबुर ज़बूर की जमा (बहुवचन) है, लुग़त में हर लिखी हुई किताब को ज़बूर कहते हैं। और उस ख़ास किताब का नाम भी ज़बूर है जो हज़रत दाऊद अ़लैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई थी।

अद्हा व अमर्र। अद्हा के मायने ज़्यादा डरावना और अमर्र मुर्रु से निकला है जिसके असली मायने कड़वे के हैं, और हर सख़्त और तकलीफ़देह चीज़ को भी मुर्र और अमर्र कह दिया जाता है।

फ़ी ज़लालिंव् व सुअ़ुर। ज़लाल के जाने-पहचाने मायने गुमराही के हैं, और सुअ़ुर के मायने इस जगह जहन्नम की आग के हैं।

अशया-अ़कुम अशया शीआ़ की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने पैरवी करने वाले के हैं, मुराद वे लोग हैं जो अ़मल में उनके पैरोकार या उनके जैसे हैं।

मक़्अ़दि सिद्क़िन्। मक़्अ़द के मायने मजलिस और मक़ाम के हैं, और सिद्क़ हक़ के मायने में है। मुराद यह है कि यह मजलिस हक़ होगी जिसमें कोई बेकार व बेहूदा बात न होगी।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنٰهُ بِقَدَرٍ○

क़दर के लुग़वी मायने अन्दाज़ा करने और किसी चीज़ को हिक्मत व मस्लेहत के मुताबिक़ अन्दाज़े से बनाने के हैं। इस आयत में ये लुग़वी मायने भी मुराद हो सकते हैं कि हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू ने आ़लम (दुनिया) की तमाम मख़्लूक़ात को और उसकी हर क़िस्म और नस्ल व प्रजाति को एक हकीमाना अन्दाज़े से बड़ा-छोटा और मुख़्तलिफ़ (विभिन्न और अलग-अलग) शक्ल व सूरत और हालत में बनाया है। फिर हर क़िस्म व नस्ल और प्रजाति के हर फ़र्द की तख़्लीक़ (पैदाईश व बनावट) में भी हकीमाना अन्दाज़ बड़ी हिक्मत के साथ रखा है। उंगलियाँ सब एक सी नहीं बनाईं, लम्बाई में फ़र्क़ रखा, हाथों पाँवों की लम्बाई व चौड़ाई और उनके खुलने बन्द होने सिमटने और फैलने के लिये स्प्रिंग लगाये, एक-एक अंग के एक-एक हिस्से और पार्ट को देखो तो अल्लाह की क़ुदरत व हिक्मत के अ़जीब व ग़रीब दरवाज़े खुलते नज़र आने लगें।

और शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में लफ़्ज़ **क़दर** अल्लाह की तक़्दीर के मायने में भी इस्तेमाल होता है, और तफ़सीर के अक्सर इमामों ने हदीस की कुछ रिवायतों की बिना पर इस

आयत में क़दर से अल्लाह की तक़दीर (यानी उसका तय किया हुआ अन्दाज़ा) मुराद ली है।

मुस्नद अहमद, मुस्लिम और तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि क़ुरैश के मुश्रिक लोग एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से तक़दीर के मसले के बारे में झगड़ने लगे, तो इस पर क़ुरआन की यह आयत नाज़िल हुई। इस मायने के एतिबार से आयत का मतलब यह होगा कि हमने तमाम आ़लम की एक-एक चीज़ को अपनी अज़ली तक़दीर के मुताबिक़ बनाया है, यानी अज़ल (कायनात के पहले दिन) में पैदा होने वाली चीज़ और उसकी मात्रा, वक़्त और जगह और उसके बढ़ने घटने का पैमाना आ़लम के पैदा होने से पहले ही लिख दया गया था, जो कुछ आ़लम में पैदा होता है वह उसी पहले दिन की तक़दीर (तयशुदा मामले) के मुताबिक़ होता है।

तक़दीर का यह मसला इस्लाम का क़तई (निश्चित और यक़ीनी) अ़क़ीदा है, इसका इनकारी काफ़िर है, और जो फ़िर्क़े कोई दूसरा मतलब बयान करके इनकार करते हैं वे फ़ासिक़ हैं। इमाम अहमद, अबू दाऊद और तबरानी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर उम्मत में कुछ लोग मजूसी होते हैं, इस उम्मते मुहम्मदिया के मजूसी वे लोग हैं जो तक़दीर का इनकार करते हैं, ऐसे लोग बीमार पड़ें तो उनकी बीमार-पुरसी को न जाओ और मर जायें तो उनके कफ़न-दफ़न में शरीक न होओ। (रूहुल-मआ़नी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः क़मर की तफ़सीर आज दिनाँक 6 रबीउस्सानी सन् 1391 हिजरी दिन मंगलवार को पूरी हुई। इसके बाद सूरः रहमान आ रही है, उसकी भी तफ़सीर लिखने की अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-क़मर की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अर्-रहमान

सूरः अर्-रहमान मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 68 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ٧٨ (٥٥) سُوْرَةُ الرَّحْمٰنِ مَدَنِيَّةٌ (٩٧) رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلرَّحْمٰنُ ۙ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ۙ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۙ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۞ اَلشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۙ وَّالنَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ۞ وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ۙ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيْزَانِ ۞ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ۞ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۙ فِيْهَا فَاكِهَةٌ ۙ وَّالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۖ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَ الرَّيْحَانُ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۙ وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ۙ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۞

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अर्-रह्मानु (1) अ़ल्लमल्-क़ुरआन (2) ख़-लक़ल्-इन्सा-न (3) अ़ल्ल-महुल्-बयान (4) अश्शम्सु वल्क़-मरु बिहुस्बानिंव्-(5)-वन्-नज्मु वश्श-जरु यस्जुदान (6) वस्समा-अ र-फ़-अ़हा व व-ज़अ़ल्-मीज़ान (7) अल्ला ततग़ौ फ़िल्-मीज़ान (8) व अक़ीमुल्-वज़्-न	रहमान ने (1) सिखलाया क़ुरआन। (2) बनाया आदमी (3) फिर सिखलाया उसको बात करना। (4) सूरज और चाँद के लिये एक हिसाब है (5) और झाड़ और दरख़्त मशग़ूल हैं सज्दे में (6) और आसमान को ऊँचा किया और रखी तराज़ू (7) कि ज़्यादती न करो तराज़ू में (8) और सीधी

बिल्क़िस्ति व ला तुख़्सिरुल्-मीज़ान (9) वल्अर्-ज़ व-ज़-अहा लिल्-अनाम (10) फ़ीहा फ़ाकि-हतुंव्-वन्नख़्लु ज़ातुल्-अक्माम (11) वल्हब्बु ज़ुल्-अस्फ़ि वर्-रैहान (12) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (13) ख़-लक़ल्-इन्सा-न मिन् सल्सालिन् कल्-फ़ख़्ख़ार (14) व ख़-लक़ल्-जान्-न मिम्-मारिजिम्-मिन्-नार (15) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (16) रब्बुल्-मश्रिक़ैनि व रब्बुल्-मग़्रिबैन (17) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (18) म-रजल्-बह्रैनि यल्तक़ियान (19) बैनहुमा बर्-ज़ख़ुल्-ला यब्ग़ियान (20) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (21) यख़्रुजु मिन्हुमल्-लुअ्लुउ वल्-मर्जान (22) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (23) व लहुल्-जवारिल्- मुन्श-आतु फ़िल्बह्रि कल्-अअ्लाम (24) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (25) ✿ ●

तराज़ू तौलो इन्साफ़ से और मत घटाओ तौल को। (9) और ज़मीन को बिछाया मख़्लूक़ के वास्ते (10) इसमें मेवा है और खजूरें जिनके मेवे पर गिलाफ़ (11) और उसमें अनाज है जिसके साथ भुस है और ख़ुशबूदार फूल (12) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे तुम दोनों। (13) बनाया आदमी को खनखनाती मिट्टी से जैसे ठीकरा (14) और बनाया जिन्न को आग की लपट से (15) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे तुम दोनों। (16) मालिक दो पूरबों का और मालिक दो पश्चिमों का (17) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे। (18) चलाये दो दरिया मिलकर चलने वाले (19) उन दोनों में है एक पर्दा जो एक दूसरे पर ज़्यादती न करे। (20) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (21) निकलता है उन दोनों से मोती और मोंगा (22) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (23) और उसी के हैं जहाज़ ऊँचे खड़े दरिया में जैसे पहाड़ (24) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे। (25) ✿ ●

इस सूरत के मज़ामीन का पीछे से संबन्ध और जुमला 'फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान' को बार-बार लाने की हिक्मत

इससे पहली सूरत सूरः क़मर में ज़्यादातर मज़ामीन नाफ़रमान व सरकश क़ौमों पर अल्लाह का अ़ज़ाब आने के मुताल्लिक़ थे, इसी लिये हर एक अ़ज़ाब के बाद लोगों को चेताने के लिये एक ख़ास जुमला बार-बार इस्तेमाल फ़रमाया है, यानीः

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِيْ وَنُذُرِo

(फिर कैसा हुआ मेरा अ़ज़ाब और मेरा खड़खड़ाना।) और इसके क़रीब ही ईमान व इताअ़त की तरफ़ तवज्जोह और रुचि दिलाने के लिये दूसरा जुमलाः

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍo

(और हमने आसान कर दिया क़ुरआन समझने को, फिर है कोई सोचने वाला?) बार-बार लाया गया है।

सूरः रहमान में इसके मुक़ाबिल ज़्यादातर मज़ामीन हक़ तआ़ला की दुनियावी और आख़िरत की नेमतों के बयान में हैं, इसी लिये जब किसी ख़ास नेमत का ज़िक्र फ़रमाया तो एक जुमला लोगों को सचेत करने और नेमत का शुक्र अदा करने की तरग़ीब देने के लिये फ़रमायाः

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِo

(फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे तुम दोनों।) और पूरी सूरत में यह जुमला इकत्तीस मर्तबा लाया गया है, जो बज़ाहिर तकरार (एक ही बात को दोहराना) मालूम होता है, और किसी लफ़्ज़ या जुमले का तकरार भी ताकीद का फ़ायदा देता है, इसलिये वह भी कलाम की ख़ूबसूरती और उसके साहित्य के एतिबार से उच्चस्तरीय होने के ख़िलाफ़ नहीं, ख़ास तौर पर क़ुरआने करीम की इन दोनों सूरतों में जिस जुमले का तकरार हुआ (बार-बार लाया गया) है वह तो देखने के एतिबार से तकरार है हक़ीक़त के एतिबार से हर एक जुमला एक नये मज़मून से संबन्धित होने की वजह से सिर्फ़ दोहराया नहीं गया है, क्योंकि सूरः क़मर में हर नये अ़ज़ाब के बाद उसके मुताल्लिक़ 'फ़कै-फ़ का-न अ़ज़ाबी......' आया है, इसी तरह सूरः रहमान में हर नई नेमत के बयान के बाद 'फ़बि-अय्यि आला-इ........' को दोहराया गया है जो एक नये मज़मून के मुताल्लिक़ होने के सबब ख़ाली दोहराना नहीं। अ़ल्लामा सुयूती रह. ने इस क़िस्म के तकरार (बार-बार लाने) का नाम 'तरदीद' बतलाया है, वह अ़रबी भाषा के माहिरीन के कलाम में अच्छा और दिलचस्प समझा गया है। 'नसर' (गद्य) और 'नज़्म' (पद्य) दोनों में इस्तेमाल होता है। और सिर्फ़ अ़रबी नहीं, फ़ारसी और उर्दू वग़ैरह भाषाओं के माने हुए शायरों के कलाम में भी इसकी मिसालें पाई जाती हैं, यह मौक़ा उनको जमा करने का नहीं, तफ़सीर रूहुल-मआ़नी वग़ैरह में इस जगह अनेक मिसालें और नज़ीरें भी नक़ल की गयी हैं।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

रहमान (की बेशुमार नेमतें हैं उनमें से एक रूहानी नेमत यह है कि उसी) ने (अपने बन्दों को) क़ुरआन (के अहकाम) की तालीम दी (यानी क़ुरआन नाज़िल किया कि उसके बन्दे उसके ऊपर ईमान लायें और उसका इल्म हासिल करके उस पर अ़मल करें ताकि हमेशा के ऐश व राहत का सामान हासिल हो। और उसकी एक जिस्मानी नेमत है वह यह कि) उसी ने इनसान को पैदा किया (फिर) उसको बोलना सिखाया (जिस पर हज़ारों फ़ायदे निकलकर सामने आते हैं, उनमें से एक क़ुरआन का दूसरे की जुबान से पहुँचना और दूसरों को पहुँचाना है। और एक आ़लमगीर जिस्मानी नेमत यह है कि उसके हुक्म से) सूरज और चाँद हिसाब के साथ (चलते) हैं। और बग़ैर तने के पेड़ और तनेदार पेड़ (अल्लाह के) फ़रमाँबरदार हैं। (सूरज चाँद का चलना तो इसलिये नेमत है कि इस पर दिन-रात, सर्दी-गर्मी, महीनों और साला का हिसाब मुरत्तब होता है और इनके फ़ायदे ज़ाहिर हैं, और दरख़्तों का सज्दा इसलिये नेमत है कि अल्लाह तआ़ला ने उनमें इनसान के लिये बेशुमार फ़ायदे बनाये हैं)। और (एक नेमत यह है कि) उसी ने आसमान को ऊँचा किया (जिससे आसमान से संबन्धित दूसरे फ़ायदों के अ़लावा एक बड़ा फ़ायदा यह है कि उसको देखकर इनसान उसके बनाने वाले की बड़ी शान पर दलील हासिल करे, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का इरशाद है):

يَتَفَكَّرُوْنَ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ.................. الخ.

(सूरः आले इमरान आयत 191)

और (एक नेमत यह है कि) उसी ने (दुनिया में) तराज़ू रख दी ताकि तुम तौलने में कमी-बेशी न करो। और (जब यह ऐसे बड़े फ़ायदे के लिये बनाई और तैयार की गयी है कि यह आला "उपकरण" है हुक़ूक़ के लेन-देन को पूरा करने का, जिससे हज़ारों ज़ाहिरी व बातिनी ख़राबियाँ दूर हो जाती हैं, तो तुम इस नेमत का विशेष तौर पर शुक्र करो, और उस शुक्रिये में से यह भी है कि) इन्साफ़ (और हक़ पहुँचाने) के साथ वज़न को ठीक रखो और तौल को घटाओ मत।

और (एक नेमत यह है कि) उसी ने मख़्लूक़ के (फ़ायदे के) वास्ते ज़मीन को (उसकी जगह) रख दिया कि उसमें मेवे हैं और खजूर के पेड़ हैं जिन (के फल) पर ग़िलाफ़ (चढ़ा) होता है, और (उसमें) ग़ल्ला है जिसमें भूसा (भी) होता है और (उसमें) ग़िज़ा की चीज़ (भी) है (जैसे बहुत सी तरकारियाँ वग़ैरह) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (बावजूद नेमतों की इस अधिकता व अ़ज़मत के) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (यानी इनकारी होना बड़ी हठधर्मी और आसानी से समझ में आने वाली बल्कि महसूस चीज़ों का इनकार है। और एक नेमत यह है कि) उसी ने इनसान (की असल यानी आदम अ़लैहिस्सलाम) को ऐसी मिट्टी से पैदा किया जो ठीकरे की तरह (खनखन) बजती थी (जिसका ऊपर चन्द आयतों में संक्षिप्त रूप से ज़िक्र आया है) और जिन्नात (की पहली असल) को ख़ालिस आग से (जिसमें धुआँ न था)

पैदा किया (और फिर दोनों जातियों में फलने-फूलने और पैदाईश के ज़रिये से नस्ल चली। इसकी तफ़सील सूरः हिज्र के दूसरे रुकूअ़ में आ चुकी है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (बावजूद नेमतों की इस अधिकता व अ़ज़मत के) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (इसकी मुराद ऊपर गुज़र चुकी है। और) वह दोनों पूरब और दोनों पश्चिम का (असल) मालिक है (इससे मुराद सूरज और चाँद के निकलने और ग़ुरूब होने का आसमानी किनारा "उदय और अस्त होने का स्थान" है, इसमें भी नेमत का वजह होना ज़ाहिर है कि रात और दिन के शुरू व ख़त्म होने के साथ-साथ बहुत सी ज़रूरतें इससे जुड़ी हुई हैं) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (बावजूद नेमतों की इस अधिकता व अ़ज़मत के) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(और एक नेमत यह है कि) उसी ने दो दरियाओं को (देखने में) मिलाया कि (ज़ाहिर में) आपस में मिले हुए हैं (और हक़ीक़त में) उन दोनों के बीच में एक (क़ुदरती) पर्दा है कि (उसकी वजह से) दोनों (अपने-अपने स्थान से) बढ़ नहीं सकते (जिसकी वज़ाहत सूरः फ़ुरक़ान की आयत 53 की तफ़सीर में गुज़री है, और मीठे और नमकीले पानी के फ़ायदे भी ज़ाहिर हैं, और दोनों के मिलने में नेमत पर दलील लेना भी है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र अधिक और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (और दो दरियाओं के मुताल्लिक़ एक नेमत यह है कि) उन दोनों से मोती और मोंगा निकलता है (मोती मोंगे के फ़ायदों और नेमत का ज़रिया होना ज़ाहिर है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (बावजूद नेमतों की इस अधिकता व अ़ज़मत के) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? और (एक नेमत यह है कि) उसी के (इख़्तियार और मिल्क में) हैं जहाज़ जो पहाड़ों की तरह ऊँचे खड़े (नज़र आते) हैं। (उनका फ़ायदा भी पूरी तरह ज़ाहिर है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (बावजूद नेमतों की इस अधिकता व अ़ज़मत के) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः रहमान के मक्की या मदनी होने में मतभेद है। इमाम क़ुर्तुबी रह. ने हदीस की चन्द रिवायतों की वजह से मक्की होने को तरजीह दी है, तिर्मिज़ी शरीफ़ में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कुछ लोगों के सामने सूरः रहमान पूरी तिलावत फ़रमाई, ये लोग सुनकर ख़ामोश रहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैंने लैलतुल्-जिन्न (जिन्नात से मुलाक़ात वाली रात) में जिन्नात के सामने यह सूरत तिलावत की तो असर क़ुबूल करने के एतिबार से वे तुमसे बेहतर रहे, क्योंकि जब मैं क़ुरआन के इस जुमले पर पहुँचता था 'फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान' तो जिन्नात सब के सब बोल उठते थेः

لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ.

"यानी ऐ हमारे परवर्दिगार! हम आपकी किसी भी नेमत की नाशुक्री और झुठलाना न करेंगे, आप ही के लिये तारीफ़ है।"

इस हदीस से मालूम हुआ कि यह सूरत मक्की है, क्योंकि "लैलतुल्-जिन्न" वह रात जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जिन्नात को तब्लीग़ व तालीम फ़रमाई मक्का मुकर्रमा में हुई है।

इसी तरह की और भी चन्द रिवायतें इमाम क़ुर्तुबी ने नक़ल की हैं जिनसे इस सूरत का मक्की होना मालूम होता है। इस सूरत को लफ़्ज़ रहमान से शुरू किया गया, इसमें एक मस्लेहत यह भी है कि मक्का के काफ़िर अल्लाह तआ़ला के नामों में से रहमान से वाकिफ़ न थे, इसी लिये कहते थे "व मर्रहमानु" कि रहमान क्या चीज़ है? उन लोगों को वाकिफ़ कराने के लिये अल्लाह तआ़ला के नामों में से यहाँ रहमान का चयन किया गया।

दूसरी वजह यह भी है कि आगे जो काम रहमान का ज़िक्र किया गया है, यानी क़ुरआन की तालीम, उसमें यह भी बतला दिया गया कि इस क़ुरआन की तालीम का तकाज़ा करने वाली और असल सबब सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रहमत है, वरना उसके ज़िम्मे कोई काम वाजिब व ज़रूरी नहीं, जिसका उससे सवाल किया जा सके, और न वह किसी का मोहताज है।

आगे पूरी सूरत में हक़ तआ़ला की दुनियावी और दीनी नेमतों का लगातार ज़िक्र हुआ है। 'अ़ल्लमल्-क़ुरआ-न' में अल्लाह तआ़ला की नेमतों में जो सबसे बड़ी नेमत है उसके ज़िक्र से आग़ाज़ किया गया, और सबसे बड़ी नेमत क़ुरआन है क्योंकि क़ुरआने करीम इनसान के जीने-मरने और दीन व दुनिया दोनों की बेहतरियों और बरकतों को अपने अन्दर रखता है। जिन्होंने क़ुरआन को लिया और इसका हक़ अदा किया जैसे सहाबा-ए-किराम, हक़ तआ़ला ने उनको आख़िरत के दर्जों और नेमतों से तो नवाज़ा ही है दुनिया में भी वह दर्जा और मुक़ाम अ़ता फ़रमाया जो बड़े-बड़े बादशाहों को भी हासिल नहीं।

क़ायदे के मुताबिक़ लफ़्ज़ 'अ़ल्ल-म' के दो मफ़ऊल (कर्म) होते हैं- एक वह इल्म जो सिखाया जाये, दूसरे वह शख़्स जिसको सिखाया जाये। यहाँ आयत में वह चीज़ तो बतला दी गयी जो सिखाई गयी है यानी क़ुरआन, दूसरा मफ़ऊल यानी क़ुरआन जिसको सिखाया गया उसका ज़िक्र नहीं किया। कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि डायरेक्ट तौर पर हक़ तआ़ला ने जिनको तालीम दी यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वही मुराद हैं, फिर आपके वास्ते (माध्यम) से सारी मख़्लूक़ात इसमें दाख़िल है। और यह भी हो सकता है कि क़ुरआन को नाज़िल करने का मकसद अल्लाह की सारी ही मख़्लूक़ को हिदायत का रास्ता दिखाना और सब ही को अच्छे अख़्लाक़ व नेक आमाल का सिखाना है, इसलिये किसी ख़ास मफ़ऊल को विशेष नहीं किया गया, दूसरा मफ़ऊल ज़िक्र न करने से इशारा इसी आ़म होने की तरफ़ है।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ۝

इनसान की तख़्लीक़ (पैदाईश और बनाना) ख़ुद हक़ तआ़ला की एक बड़ी नेमत है, और

तबई तरतीब के एतिबार से वही सबसे आगे है, यहाँ तक कि क़ुरआन की तालीम जिसको पहले ज़िक्र किया गया है वह भी ज़ाहिर है कि तख़्लीक़ (इनसान की पैदाईश) के बाद ही हो सकती है, मगर क़ुरआने हकीम ने क़ुरआन को सिखाने की नेमत को पहले और इनसान की पैदाईश को बाद में ज़िक्र करके इस तरफ़ इशारा कर दिया कि इनसान की पैदाईश का असल मक़सद ही क़ुरआन की तालीम (सीखना) और इसके बताये हुए रास्ते पर चलना है, जैसा कि एक दूसरी आयत में इरशाद है:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنَ○

"यानी मैंने जिन्नात व इनसान को सिर्फ़ इसलिये पैदा किया है कि वे मेरी इबादत किया करें। और ज़ाहिर है कि इबादत बग़ैर अल्लाह की तालीम के नहीं हो सकती, इसी का ज़रिया क़ुरआन है, इसलिये इस हैसियत में क़ुरआन की तालीम इनसान की पैदाईश से आगे हो गयी।

इनसान की पैदाईश और बनाने के बाद जो नेमतें इनसान को अ़ता हुई वो बेशुमार हैं। उनमें ख़ास तौर पर बयान करने की तालीम को यहाँ ज़िक्र फ़रमाने की हिक्मत यह मालूम होती है कि जिन नेमतों का ताल्लुक़ इनसान के फलने-फूलने, तरक़्क़ी करने और वजूद व बक़ा से है मसलन खाना-पीना, सर्दी-गर्मी से बचने के सामान, रहने-बसने का इन्तिज़ाम वग़ैरह, उन नेमतों में तो इनसान और हैवान यानी हर जानदार शरीक है, वो नेमतें जो इनसान के साथ ख़ास हैं उनमें से पहले तो क़ुरआन की तालीम का ज़िक्र फ़रमाया उसके बाद बयान की तालीम का, क्योंकि क़ुरआन की तालीम से फ़ायदा उठाना और दूसरों को इसका फ़ायदा पहुँचाना बयान (अपनी बात कहने) पर मौक़ूफ़ है।

और बयान में ज़बानी बयान भी दाख़िल है, तहरीर व ख़त और समझने-समझाने के जितने तरीक़े और माध्यम हक़ तआ़ला ने पैदा फ़रमाये हैं वो बयान के मफ़्हूम में शामिल हैं, और फिर मुख़्तलिफ़ इलाक़ों, मुख़्तलिफ़ क़ौमों की मुख़्तलिफ़ भाषायें और उनके मुहावरे सब इसी बयान की तालीम के अंग और हिस्से हैं जो 'अ़ल्ल-म आदमल् अस्मा-अ कुल्लहा' की अ़मली तफ़सीर है। वाक़ई अल्लाह की ज़ात बड़ी बरकत वाली है जो सबसे बेहतर बनाने वाला है।

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ○

इनसान के लिये हक़ तआ़ला ने जो नेमतें ज़मीन व आसमान में पैदा फ़रमाई हैं इस आयत में ऊपर की चीज़ों में से सूरज व चाँद का ज़िक्र ख़ास तौर पर शायद इसलिये किया है कि इस दुनिया के कारख़ाने का सारा निज़ाम इन दोनों सय्यारों (ग्रहों) की हरकतों और इनकी किरणों से वाबस्ता है, और लफ़्ज़ हुस्बान के बारे में कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि हिसाब के मायने में है जैसे ग़ुफ़रान, सुब्हान, क़ुरआन, और कुछ ने फ़रमाया कि हिसाब की जमा (बहुवचन) है और आयत की मुराद यह है कि सूरज व चाँद की हरकतें जिन पर इनसानी ज़िन्दगी के तमाम कारोबार मौक़ूफ़ हैं, रात-दिन का अलग-अलग होना, मौसमों की तब्दीली, साल और महीनों का मुतैयन होना, उनकी तमाम हरकतों और दौरों का स्थिर निज़ाम एक ख़ास हिसाब और अन्दाज़े

के मुताबिक़ चल रहा है। और अगर हुस्बान को हिसाब की जमा क़रार दिया जाये तो मायने ये होंगे कि उनमें से हर एक के दौरे का अलग-अलग हिसाब है, मुख़्तलिफ़ किस्म के हिसाबों पर यह सूरज व चाँद का निज़ाम चल रहा है, और हिसाब भी ऐसा स्थिर व मज़बूत कि लाखों साल से उसमें एक मिनट, एक सैकिण्ड का फ़र्क़ नहीं आया।

यह ज़माना साईन्स की तरक़्क़ी और शिखर पर पहुँचने ज़माना कहा जाता है और उसकी हैरत-अंगेज़ नई-नई खोजों ने अ़क़्लमन्दों को हैरान कर रखा है, लेकिन इनसानी कारीगरी और अल्लाह की तख़्लीक़ व कारीगरी का खुला हुआ फ़र्क़ हर देखने वाला देखता है, कि इनसान की बनाई हुई चीज़ों में बिगाड़ और संवार का सिलसिला एक लाज़िमी बात है, मशीन कोई कितनी ही मज़बूत हो कुछ अ़रसे के बाद उसको मरम्मत की और कम से कम ग्रीस वग़ैरह की ज़रूरत होती है, और उस वक़्त तक के लिये वह मशीन बेकार रहती है, हक़ तआ़ला की जारी की हुई ये अ़ज़ीमुश्शान मख़्लूक़ात न कभी मरम्मत की मोहताज हैं न कभी इनकी रफ़्तार में कोई फ़र्क़ आता है।

وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ○

नज्म उस पेड़ को कहा जाता है जिसकी बेल फैलती है तना नहीं होता, और **शजर** तनेदार पेड़ को कहते हैं। यानी हर किस्म के दरख़्त चाहे बेल वाले हों या तने और शाख़ों वाले सब के सब अल्लाह तआ़ला के सामने सज्दा करते हैं, सज्दा करना चूँकि इन्तिहाई ताज़ीम और इताअ़त की निशानी है, इससे मुराद यहाँ यह है कि हर एक दरख़्त, पौधे और बेल और उसके पत्तों और फलों व फूलों को हक़ तआ़ला ने जिन ख़ास-ख़ास कामों और इनसान के फ़ायदों के लिये बनाया है, और गोया हर एक की एक ड्यूटी मुक़र्रर कर दी है कि वह फ़ुलाँ काम किया करे, उनमें से हर एक अपनी-अपनी ड्यूटी पर लगा हुआ है और हुक्मे रब्बानी के ताबे है, उसमें रखे हुए फ़ायदे और ख़ासियतों से लोगों को फ़ायदे पहुँचाता है, उसी पैदाईशी और ग़ैर-इख़्तियारी हक़ की इताअ़त को इस आयत में सज्दे से ताबीर किया गया है। (रूहुल-मआ़नी, मज़हरी)

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ○

रफ़अ़ और वज़अ़ दो मुतक़ाबिल (यानी एक दूसरे के विपरीत मायनों वाले) लफ़्ज़ हैं, रफ़अ़ के मायने ऊँचा और बुलन्द करने के हैं और वज़अ़ के मायने नीचे रखने और पस्त करने के आते हैं। इस आयत में पहले आसमान को बुलन्द करने और बुलन्दी देने का ज़िक्र है, जिसमें ज़ाहिरी बुलन्दी भी दाख़िल है और मानवी यानी दर्जे और रुतबे की बुलन्दी भी, कि आसमान का दर्जा ज़मीन के मुक़ाबले में बुलन्द व बरतर है। आसमान का मुक़ाबिल ज़मीन समझी जाती है, और पूरे क़ुरआन में इसी मुक़ाबले और तुलना के साथ आसमान व ज़मीन का ज़िक्र किया गया है। इस आयत में आसमान को बुलन्द करने का ज़िक्र करने के बाद तराज़ू रखने का ज़िक्र किया गया है जो आसमान के मुक़ाबले में नहीं आता। ग़ौर करने से मालूम होता है कि यहाँ भी दर हक़ीक़त आसमान के मुक़ाबले में ज़मीन को लाया गया है, जैसा कि तीन आयतों के बादः

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ○

आया है। तो दर असल मुक़ाबला व तुलना आसमान की बुलन्दी और ज़मीन के रखने की ही है, मगर इन दोनों के बीच एक तीसरी चीज़ यानी तराज़ू रखने का ज़िक्र किसी ख़ास हिक्मत से किया गया है। ऐसा मालूम होता है कि हिक्मत इसमें यह है कि तराज़ू रखने और फिर उसके बाद तराज़ू के सही-सही इस्तेमाल का हुक्म जो बाद की तीन आयतों में आया है उन सब का ख़ुलासा अ़दल व इन्साफ़ का क़ायम करना है, और किसी की हक़-तल्फ़ी और ज़ुल्म व ज़्यादती से बचाना है। यहाँ आसमान को ऊँचा करने और ज़मीन को नीचे रखने के बीच तराज़ू की आयतों के ज़िक्र में इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि आसमान व ज़मीन के बनाने का असली मक़सद व उद्देश्य भी आ़लम में अ़दल व इन्साफ़ का क़ायम करना है, और ज़मीन में अमन व अमान भी अ़दल व इन्साफ़ ही के साथ क़ायम रह सकता है, वरना फ़साद ही फ़साद होगा। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

लफ़्ज़ **मीज़ान** की तफ़सीर इस आयत में हज़रत क़तादा, हज़रत मुजाहिद, हज़रत सुद्दी रह. वग़ैरह ने अ़दल से की है, क्योंकि मीज़ान का असल मक़सद अ़दल ही है। और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने यहाँ मीज़ान को अपने मशहूर व परिचित मायने में लिया है, और हासिल इसका भी वही है कि हुक़ूक़ में अ़दल व इन्साफ़ से काम लिया जाये, और मीज़ान के मायने में हर वह आला (उपकरण व सामान) दाख़िल है जिससे किसी चीज़ की मात्रा निर्धारित की जाये, चाहे वह दो पल्ले वाली तराज़ू हो या नाप-तौल का कोई आधुनिक उपकरण।

اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ○

पहली आयत में जो **मीज़ान** को पैदा करने का ज़िक्र था इस जुमले में उसके मक़सद को स्पष्ट किया गया है। 'ततग़ौ' तुग़यान से निकला है जिसके मायने बेइन्साफ़ी और ज़ुल्म के हैं, मुराद यह है कि मीज़ान को अल्लाह तआ़ला ने इसलिये बनाया कि तुम वज़न में कमी-बेशी करके ज़ुल्म व ज़्यादती में मुब्तला न हो जाओ।

وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ.

क़िस्त के लफ़्ज़ी मायने इन्साफ़ के हैं। मुराद ज़ाहिर है कि वज़न को ठीक-ठीक क़ायम करो इन्साफ़ के साथ।

وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ○

ख़ुसर के मायने वज़न में कमी करने के हैं। जो बात पहले जुमले 'अक़ीमुल-वज़्-न' में सकारात्मक अन्दाज़ से बयान की गयी है यह उसी का नकारात्मक पहलू है कि वज़न में कम तौलना हराम है।

وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ○

अनाम सहाब के वज़न पर है, यह हर जानदार के लिये बोला जाता है जो ज़मीन पर रहता

चलता है। (क़ामूस) क़ाज़ी बैज़ावी ने हर रूह वाले (यानी जानदार) से इसका तर्जुमा किया है, और ज़ाहिर यह है कि इस आयत में अनाम से मुराद इनसान और जिन्नात हैं, क्योंकि तमाम रूहों और रूहों वालों में से यही दोनों शरई अहकाम के मुकल्लफ़ (पाबन्द) और मामूर हैं, और इस सूरत में बार-बार इन्हीं दोनों को ख़िताब भी किया गया है, जैसा कि 'फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान' में यही दोनों जिन्नात व इनसान मुख़ातब हैं।

فِيهَا فَاكِهَةٌ.

फ़ाकिहा हर ऐसे मेवे और फल को कहा जाता है जो आदतन ग़िज़ा के बाद तफ़रीह के तौर पर (यानी लज़्ज़त लेने के लिये) खाया जाता है।

وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ٥

अकमाम किम की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने उस ग़िलाफ़ के हैं जो खजूर वग़ैरह के फलों पर शुरू में चढ़ा होता है।

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ.

लफ़्ज़ **हब्ब** दाने यानी ग़ल्ले को कहा जाता है जैसे गन्दुम, चना, चावल, माश, मसूर वग़ैरह और **अस्फ़** उस भूसे को कहते हैं जिसके अन्दर पैक किया हुआ दाना अल्लाह की क़ुदरत और कामिल हिक्मत से पैदा किया जाता है। दाना अस्फ़ यानी भूसे के ग़िलाफ़ में पैक होकर ख़राब हवाओं और मक्खी मच्छर वग़ैरह से पाक व साफ़ रहता है। दाने की पैदाईश के साथ 'ज़ुल-अस्फ़ि' का लफ़्ज़ बढ़ाकर ग़ाफ़िल इनसान को इस तरफ़ भी मुतवज्जह किया गया है कि यह रोटी, दाल वग़ैरह जो वह दिन में कई-कई मर्तबा खाता है इसका एक-एक दाना मालिक व ख़ालिक़ ने कैसी-कैसी अजीब कारीगरी के साथ मिट्टी और पानी से पैदा किया, और फिर किस तरह उसको ज़मीनी कीड़ों-मकोड़ों से महफ़ूज़ रखने के लिये एक-एक दाने पर ग़िलाफ़ चढ़ाया, तब कहीं जाकर वह तुम्हारा तर लुक़्मा बना। इसके साथ शायद अस्फ़ को ज़िक्र करने से एक दूसरी नेमत की तरफ़ भी इशारा हो कि यह अस्फ़ (भूसा) तुम्हारे मवेशियों की ग़िज़ा बनता है जिनका तुम दूध पीते हो और सवारी व सामान ढोने की ख़िदमत उनसे लेते हो।

'वर्-रैहानु' रैहान के मशहूर मायने ख़ुशबू के हैं, और इब्ने ज़ैद ने यही मायने आयत में मुराद लिये हैं कि उसने ज़मीन से पैदा होने वाले दरख़्तों से तरह-तरह की ख़ुशबूयें और ख़ुशबूदार फूल पैदा फ़रमाये, और कभी लफ़्ज़ रैहान मग़ज़ और रिज़्क़ के मायने में भी इस्तेमाल किया जाता है जैसे अरबी का मक़ूला है:

خَرَجْتُ اَطْلُبُ رَيْحَانَ اللّٰهِ.

"यानी मैं निकला अल्लाह का रिज़्क़ तलाश करने के लिये।"

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि. ने इस आयत में रैहान की तफ़सीर रिज़्क़ ही से की है।

فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ٥

लफ़्ज़ आला-इ जमा (बहुवचन) है नेमतों के मायने में, और इसका मुख़ातब इनसान और जिन्नात हैं, जिसका इशारा सूरः रहमान की अनेक आयतों में जिन्नात का ज़िक्र है।

خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ٥

इनसान से मुराद इस जगह सब के नज़दीक आदम अ़लैहिस्सलाम हैं, जिनकी पैदाईश मिट्टी से की गयी है। सलसाल पानी में मिली हुई मिट्टी जबकि वह ख़ुश्क हो जाये, और फ़ख़्ख़ार वह पानी में मिलाई हुई मिट्टी जिसको आग पर पका लिया जाये।

وَخَلَقَ الْجَآنَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ٥

जान्न जिन्नात की जाति को कहा जाता है, और मारिज आग से उठने वाला शोला है। जिन्नात की पैदाईश का बड़ा तत्व आग का शोला है जैसा कि इनसान की पैदाईश में बड़ा भाग और हिस्सा मिट्टी है।

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ٥

सर्दी और गर्मी में सूरज का मतला (निकलने का स्थान) बदलता है, इसलिये सर्दी के ज़माने में पूरब यानी सूरज के निकलने की जगह और होती है और गर्मी के ज़माने में दूसरी। उन्हीं दोनों जगहों को आयत में मश्रिक़ैनि से ताबीर फ़रमाया है। इसी तरह इसके मुक़ाबले में मग़रिबैनि फ़रमाया कि सर्दी में सूरज के ग़ुरूब होने की जगह और होती है और गर्मी में दूसरी।

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

मरज के लुग़वी मायने आज़ाद और बेक़ैद छोड़ देने के हैं, और बहरैन से दो दरिया मीठे और नमकीन मुराद हैं। ज़मीन पर हक़ तआ़ला ने दोनों क़िस्म के दरिया पैदा फ़रमाये हैं, और कुछ जगहों पर ये दोनों मिल जाते हैं जिसके नमूने दुनिया के हर ख़ित्ते में पाये जाते हैं, मगर जहाँ दो दरिया मीठे और नमकीन मिलकर बहते हैं वहाँ काफ़ी दूर तक दोनों का पानी अलग-अलग नुमायाँ रहता है, एक तरफ़ मीठा दूसरी तरफ़ खारा। और कुछ जगह यह सूरत ऊपर नीचे भी होती है, जहाँ खारा दरिया किसी मीठे दरिया के ऊपर चढ़ा आता है वहाँ भी नीचे का पानी अपनी जगह मीठा होता है और ऊपर का नमकीन और खारी। पानी बावजूद पतला और लतीफ़ होने के कुछ दूरी तक एक दूसरे में ख़ल्त-मल्त नहीं होता, अलग-अलग अपने ज़ायके के साथ चलता है। हक़ तआ़ला की इसी क़ुदरत के बयान के लिये फ़रमायाः

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ٥ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ٥

यानी दोनों दरिया मिलते हैं मगर उनके दरमियान अल्लाह की क़ुदरत का एक पर्दा रुकावट रहता है जो दूर तक आपस में उनको मिलने नहीं देता।

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ٥

लुअ्लुअ् के मायने मोती और मरजान के मायने मोंगा। यह भी क़ीमती जवाहिरात में से है, इसमें दरख़्त की तरह शाख़ें होती हैं, ये दोनों चीज़ें दरिया से निकलती हैं मगर मशहूर यह है कि

मोती और जवाहिरात नमकीले दरिया से निकलते हैं, मीठे दरिया से नहीं। इस आयत में दोनों से निकलना बयान फ़रमाया है, इसकी वज़ाहत यह भी हो सकती है कि मोती दोनों ही दरियाओं में पैदा होते हैं मगर मीठे दरिया सब जारी होते हैं उनसे मोती का निकालना आसान नहीं, और मीठे दरिया सब जाकर नमकीले दरिया में गिर जाते हैं, वहीं से मोती निकाले जाते हैं, इसलिये मोतियों का स्रोत (निकलने की जगह) नमकीले दरिया को कहा जाता है।

وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ○

जवारी जारिया की जमा (बहुवचन) है, इसके एक मायने कश्ती के भी आते हैं वही यहाँ मुराद हैं। **मुन्शआत** न-श-अ से निकला है जिसके मायने उभरने और बुलन्द होने के हैं, मुराद कश्तियों के बादबान हैं जो झण्डों की तरह ऊँचे और बुलन्द बनाये जाते हैं, इसमें कश्ती की कारीगरी (बनाने) और उसके पानी के ऊपर चलने की हिक्मत का बयान है।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۚ وَّ يَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ يَسْئَلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۭ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّ نُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فَاِذَا انْشَقَّتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ○ هٰذِهٖ جَهَنَّمُ الَّتِيْ يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُوْنَ ○ يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ ۚ فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ۚ

कुल्लु मन् अ़लैहा फ़ानिंव्- (26) -व यब्क़ा वज्हु रब्बि-क ज़ुल्-जलालि वल्-इक्राम (27) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (28) यस्अलुहू मन् फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि, कुल्-ल यौमिन् हु-व फ़ी शअ्निन् (29) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा	जो कोई है ज़मीन पर फ़ना होने वाला है (26) और बाक़ी रहेगा मुँह तेरे रब का बुज़ुर्गी और अज़मत वाला। (27) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (28) उससे माँगते हैं जो कोई हैं आसमानों में और ज़मीन में हर रोज़ उस को एक धंधा है। (29) फिर क्या-क्या

तुकज़्ज़िबान (30) स-नफ़्रुग़ु लकुम् अय्युहस्-स-कलान (31) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (32) या मअ्-शरल्-जिन्नि वल्-इन्सि इनिस्त-तअ्तुम् अन् तन्फ़ुज़ू मिन् अक़्तारिस्समावाति वल्अर्ज़ि फ़न्फ़ुज़ू, ला तन्फ़ुज़ू-न इल्ला बिसुल्तान (33) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (34) युर्-सलु अ़लैकुमा शुवाज़ुम् मिन्-नारिंव्-व नुहासुन् फ़ला तन्तसिरान (35) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (36) फ़-इज़न्-शक़्क़तिस्समा-उ फ़-कानत् वर्-दतन् कद्दिहान (37) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (38) फ़यौमइज़िल्-ला युस्अलु अ़न् ज़म्बिही इन्सुंव्-व ला जान्न (39) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (40) युअ्रफ़ुल्-मुज्रिमू-न बिसीमाहुम् फ़युअ्-ख़ज़ु बिन्नवासी वल्-अक़्दाम (41) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (42) हाज़िही जहन्नमुल्लती युकज़्ज़िबु बिहल्-मुज्रिमून। (43) यतूफ़ू-न बैनहा व बै-न हमीमिन् आन (44)

नेमतें अपने रब की झुठलाओगे। (30) हम जल्द फ़ारिग़ होने वाले हैं तुम्हारी तरफ़ ऐ दो भारी क़ाफ़िलो (31) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (32) ऐ गिरोह जिन्नों के और इनसानों के! अगर तुमसे हो सके कि निकल भागो आसमानों और ज़मीन के किनारों से तो निकल भागो, नहीं निकल सकते बिना सनद के (33) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे। (34) छोड़े जायें तुम पर शोले आग के साफ़ और धुआँ मिले हुए, फिर तुम बदला नहीं ले सकते (35) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (36) फिर जब फट जाये आसमान तो हो जाये गुलाबी जैसे नरी (37) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (38) फिर उस दिन पूछ नहीं उसके गुनाह की किसी आदमी से और न जिन्न से (39) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (40) पहचाने पड़ेंगे गुनाहगार अपने चेहरे से, फिर पकड़ा जायेगा पेशानी के बाल से और पाँव से (41) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे। (42) यह दोज़ख़ है जिसको झूठ बताते थे गुनाहगार (43) फिरेंगे उसके और खौलते पानी के बीच (44)

फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (45) ❁	फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे। (45) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जितनी नेमतें तुम लोगों ने सुनी हैं तुमको तौहीद व नेक अ़मल से उनका शुक्र अदा करना चाहिये, और कुफ़्र पर जज़ा व सज़ा वाक़े होगी जिसका बयान आगे वाली आयतों के तहत में है। पस इरशाद है कि) जितने (जानदार) रू-ए-ज़मीन पर मौजूद हैं सब फ़ना हो जाएँगे और (सिर्फ़) आपके परवर्दिगार की ज़ात जो कि बड़ाई (वाली) और (बावजूद अ़ज़्मत के) एहसान वाली है बाक़ी रह जायेगी। (चूँकि मक़सद इनसानों और जिन्नात को तंबीह करना है और वे सब ज़मीन पर हैं, इसलिये फ़ना में ज़मीन वालों का ज़िक्र किया गया, इस ज़िक्र में ख़ास करने से दूसरी चीज़ों के फ़ना होने की नफ़ी लाज़िम नहीं आती। और इस जगह अल्लाह तआ़ला की दो सिफ़तें अज़्मत और एहसान इसलिये ज़िक्र की गयीं कि एक सिफ़त ज़ाती और दूसरी इज़ाफ़ी है। हासिल इसका यह है कि अक्सर बड़ाई वाले दूसरों के हाल पर तवज्जोह नहीं किया करते, मगर हक़ तआ़ला बावजूद इस अ़ज़्मत के वह अपने बन्दों पर रहमत व फ़ज़्ल फ़रमाते हैं। और चूँकि दुनिया का फ़ना होना और उसके बाद जज़ा व सज़ा की ख़बर देना इनसान को ईमान की दौलत बख़्शता है इसलिये यह मजमूआ़ भी एक बड़ी नेमत है, इसलिये फ़रमाया) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(आगे एक ख़ास अन्दाज़ पर उसकी अ़ज़्मत व बड़ाई के मुताल्लिक़ मज़मून है, यानी वह ऐसा अ़ज़्मत वाला है कि) उसी से (अपनी-अपनी ज़रूरतें) सब आसमान और ज़मीन वाले माँगते हैं। (ज़मीन वालों की हाजतें तो ज़ाहिर हैं और आसमान वाले अगरचे खाने-पीने के मोहताज न हों लेकिन रहमत व इनायत के तो सब मोहताज हैं। आगे अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल व एहसान को एक दूसरे उनवान से बयान किया गया है) वह हर वक़्त किसी न किसी काम में रहता है (यह मतलब नहीं कि कामों का उसकी ज़ात से होते रहना उसकी ज़ात का लाज़िमी हिस्सा है, वरना इस तरह तो एक फ़ानी चीज़ का ग़ैर-फ़ानी होना लाज़िम आयेगा, बल्कि मतलब यह है कि दुनिया में जितने तसर्रुफ़ात "उलट-फेर और कामों का होना" वाक़े हो रहे हैं वो उसी के तसर्रुफ़ात हैं, जिनमें उसके इनामात व एहसानात भी दाख़िल हैं, जैसे नई-नई चीज़ों को वजूद देना और बाक़ी रखना जो रहमत-ए-आ़म्मा है, और रिज़्क़ व औलाद अ़ता करना जो सब दुनियावी रहमतें हैं, और हिदायत व इल्म और अ़मल की तौफ़ीक़ देना जो दीनी रहमतें हैं, पस बावजूद अ़ज़्मत के ऐसा करम व एहसान का मामला फ़रमाना यह भी एक बड़ी नेमत है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(ख़ालिक़ के बाक़ी रहने और उसकी बड़ाई व अ़ज़मत का यह मज़मून बयान फ़रमाकर आगे फिर मख़्लूक़ के फ़ना होने के मुताल्लिक़ इरशाद है कि तुम लोग यह न समझना कि फिर वह फ़ना बराबर जारी रहेगी और अ़ज़ाब व सवाब न होगा, बल्कि हम तुमको दोबारा ज़िन्दा करेंगे और जज़ा व सज़ा देंगे, इसी को इस तरह फ़रमाते हैं कि) ऐ जिन्नात और इनसानो! हम जल्द ही तुम्हारे (हिसाब व किताब के) लिये ख़ाली हुए जाते हैं (यानी हिसाब व किताब लेने वाले हैं, इसकी अहमियत को ज़ाहिर करने के लिये मुहावरे के तौर पर 'ख़ाली होने' से ताबीर फ़रमा दिया, और अहमियत इस तरह है कि इनसान जब सब कामों से ख़ाली होकर किसी तरफ़ मुतवज्जह होता है तो पूरी तवज्जोह समझी जाती है। इनसानी समझ के मुताबिक़ यह उनवान इख़्तियार किया गया, वरना हक़ तआ़ला की असल शान यह है कि उसको एक मशग़ूलियत किसी दूसरी मशग़ूलियत से बाधा नहीं होती, और उसकी जिस तरफ़ जिस वक़्त तवज्जोह होती है पूरी और कामिल ही होती है, वहाँ नाक़िस तवज्जोह का शुब्हा व संभावना ही नहीं। और जैसा कि पहले गुज़रा आगे इरशाद है कि यह हिसाब-किताब की ख़बर देना भी एक बड़ी नेमत है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(आगे हिसाब के पेश आने की ताकीद के लिये यह बतलाते हैं कि उस वक़्त यह भी गुमान व संभावना नहीं कि कोई कहीं बचकर निकल जाये। चुनाँचे इरशाद है कि) ऐ जिन्नात और इनसानों के गिरोह! अगर तुमको यह क़ुदरत है कि आसमान और ज़मीन की हदों से कहीं बाहर निकल जाओ तो (हम भी देखें) निकलो, मगर बग़ैर ज़ोर के नहीं निकल सकते (और ज़ोर है नहीं, पस निकलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और बिल्कुल यही हालत क़ियामत में होगी बल्कि वहाँ तो यहाँ से भी ज़्यादा बेबसी होगी, ग़र्ज़ कि भाग निकलने का शुब्हा व संभावना न रही, और यह बात बतला देना भी हिदायत का सबब और बड़ी नेमत है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(आगे अ़ज़ाब के वक़्त इनसान के आ़जिज़ व बेबस होने का ज़िक्र फ़रमाते हैं जैसा कि ऊपर हिसाब के वक़्त उसके आ़जिज़ होने का ज़िक्र था, यानी ऐ जिन्नात व इनसानों में के मुजरिमो) तुम दोनों पर (क़ियामत के दिन) आग का शोला और धुआँ छोड़ा जायेगा, फिर तुम (उसको) हटा न सकोगे। (यह शोला और धुआँ ग़ालिबन वह है जिसका ज़िक्र सूरः वल्-मुर्सलात में है:

اِنْطَلِقُوْٓا اِلٰى ظِلٍّ ذِىْ ثَلٰثِ شُعَبٍ۝ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِىْ مِنَ اللَّهَبِ۝ اِنَّهَا تَرْمِىْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ۝

(यानी आयत नम्बर 30-31)

और इसका बतलाना भी हिदायत का ज़रिया बनने के सबब एक बड़ी नेमत है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की

कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? ग़र्ज़ कि (जब हमारा हिसाब लेना और तुम्हारा हिसाब व सज़ा के वक़्त आजिज़ होना मालूम हो गया तो इससे क़ियामत के दिन हिसाब व अज़ाब का वाक़े होना साबित हो गया, जिसका बयान यह है कि) जब (क़ियामत आयेगी जिसमें) आसमान फट जायेगा और ऐसा सुर्ख़ हो जायेगा जैसे सुर्ख़ नरी (यानी चमड़ा, शायद यह रंग इसलिये हो कि यह ग़ुस्से व नाराज़गी की निशानी है, कि ग़ज़ब में चेहरा सुर्ख़ हो जाता है और यह आसमान का फटना वह है जो उन्नीसवें पारे के शुरू में आया है। जैसा कि इरशाद है:

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا ٥

और यह ख़बर देना भी नेमत है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(यह तो हिसाब के पेश आने और उसके वक़्त को बतला गया, आगे हिसाब और फ़ैसले के तरीके को इरशाद फ़रमाते हैं, यानी जिस रोज़ ये शोला व धुआँ छोड़ने और आसमान के फटने वग़ैरह के वाक़िआत होंगे) तो उस दिन (अल्लाह के मालूम करने के लिये) किसी इनसान और जिन्न से उसके जुर्म के मुताल्लिक़ न पूछा जायेगा (क्योंकि अल्लाह तआ़ला को सब मालूम है, यानी हिसाब इस ग़र्ज़ से न होगा बल्कि ख़ुद उनको मालूम कराने और जतलाने के लिये सवाल और हिसाब होगा जैसा कि अल्लाह तआ़ला का एक दूसरी जगह इरशाद है 'फ़-वरब्बि-क लनस्अलन्नहुम् अज्मअ़ीन' और यह ख़बर देना भी एक नेमत है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(यह तो हिसाब की कैफ़ियत हुई कि वह तहक़ीक़ के लिये न होगा बल्कि डाँट-डपट के तौर पर होगा। आगे यह बतलाते हैं कि अल्लाह तआ़ला को तो तमाम जराईम और उनके करने वाले मुतैयन तौर पर मालूम हैं इसलिये तहक़ीक़ की ज़रूरत न होगी, लेकिन फ़रिश्तों को मुजरिम लोगों की पहचान कैसे होगी, पस इरशाद फ़रमाते हैं कि) मुजरिम लोग अपने हुलिये से (कि चेहरे के काला होने और आँखों के नीला होने की वजह से) जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

تَسْوَدُّ وُجُوْهٌ.

وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِيْنَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ٥

पहचाने जाएँगे। सो (उनके) सर और पाँव पकड़ लिये जाएँगे (और उनको घसीटकर जहन्नम में डाल दिया जायेगा। यानी किसी का सर किसी की टाँग आमाल के हिसाब से या कभी सर कभी टाँग, अज़ाब व सख़्ती की तमाम क़िस्मों को जमा करने के लिये। और यह ख़बर देना भी एक नेमत है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(आगे और अज़ाब के बारे में बतलाते हैं कि) यह है वह जहन्नम जिसको मुजरिम लोग

(यानी तुम) झुठलाते थे। वे लोग दोज़ख़ के इर्द-गिर्द खौलते हुए पानी के दरमियान घूमते होंगे। (यानी कभी आग का अ़ज़ाब होगा कभी खौलते हुए पानी का जिसकी तहकीक़ व तफ़सील सूरः मोमिन के आठवें रुकूअ़ में गुज़र चुकी है, और यह ख़बर देना भी नेमत है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

मआ़रिफ़ व मसाईल

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ٥ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ٥

मायने इसके यह हुए कि जो जिन्नात और इनसान ज़मीन पर हैं सब फ़ना होने वाले हैं, इसमें जिन्नात और इनसानों के ज़िक्र की तख़्सीस इसलिये की गयी है कि इस सूरत में मुख़ातब यही दोनों हैं, इससे यह लाज़िम नहीं आता कि आसमान और आसमान वाली मख़्लूक़ात फ़ानी नहीं हैं, क्योंकि एक दूसरी आयत में हक़ तआ़ला ने आ़म लफ़्ज़ों में पूरी मख़्लूक़ात का फ़ानी होना भी वाज़ेह फ़रमा दिया है। फ़रमायाः

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ.

(सूरः क़सस आयत 88)

वज्हु से मुराद अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला की ज़ात है, और **रब्बि-क** में ख़िताब की जो ज़मीर है यह हज़रत सय्यिदुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ख़ास सम्मान व इकराम है कि आपको ख़ास तारीफ़ के मकाम में कहीं तो 'अ़ब्दुहू' का ख़िताब हुआ है और कहीं अल्लाह पाक ने अपनी ज़ात की निस्बत हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ करके **रब्ब-क** से ख़िताब फ़रमाया है।

मशहूर तफ़सीर के मुताबिक़ आयत के मायने ये हो गये कि ज़मीन व आसमान में जो कुछ है जिनमें जिन्नात व इनसान भी दाख़िल हैं सब के सब फ़ानी हैं, बाक़ी रहने वाली एक ही ज़ात हक़ तअ़ला शानुहू की है।

फ़ानी होने से मुराद यह भी हो सकता है कि ये सब चीज़ें इस वक़्त भी अपनी ज़ात में फ़ानी हैं, इनमें हमेशा बाक़ी रहने की सलाहियत नहीं, और यह मायने भी हो सकते हैं कि क़ियामत के दिन ये सब चीज़ें फ़ना हो जायेंगी।

और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने 'वज्हु रब्बि-क' की तफ़सीर दिशा और रुख़ से की है, इस सूरत में आयत के मायने ये हो जायेंगे कि तमाम मौजूद चीज़ों में बक़ा सिर्फ़ उस चीज़ को है जो अल्लाह तआ़ला की जानिब (तरफ़ और दिशा) में है, इसमें उसकी ज़ात व सिफ़ात भी दाख़िल हैं और मख़्लूक़ात के आमाल व हालात में जिस चीज़ का ताल्लुक़ हक़ तआ़ला के साथ है वह भी शामिल है, जिसका हासिल यह होगा कि इनसान और जिन्न और फ़रिश्ते जो काम अल्लाह के लिये करते हैं वह काम भी बाक़ी है वह फ़ना नहीं होगा। (मज़हरी, क़ुर्तुबी, रूहुल-मआ़नी)

और इस मफ़्हूम की ताईद क़ुरआन मजीद की इस आयत से भी होती है:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ.

"यानी जो कुछ तुम्हारे पास है माल व दौलत हो या क़ुव्वत व ताक़त या राहत व मुसीबत या किसी की मुहब्बत व दुश्मनी ये सब चीज़ें फ़ना होने वाली हैं, और जो कुछ अल्लाह के पास है वह बाक़ी रहने वाला है।"

अल्लाह के पास इनसान के आमाल व अहवाल में से वह चीज़ है जिसका ताल्लुक़ हक़ तआ़ला से है कि उसको फ़ना नहीं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ○

यानी वह रब अ़ज़मत व जलाल वाला भी है और इकराम वाला भी। इकराम वाला होने का यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि दर हक़ीक़त हर इकराम व सम्मान का हक़दार तन्हा वही है, और यह मायने भी हो सकते हैं कि वह ख़ुद अ़ज़मत व जलाल वाला होने के बावजूद दुनिया के आ़म बादशाहों और अ़ज़मत वालों (बड़े लोगों) की तरह नहीं कि उनको दूसरों की और ग़रीबों की तरफ़ ध्यान व तवज्जोह न हो, बल्कि वह अ़ज़मत व जलाल के साथ अपनी मख़्लूक़ात का भी इकराम करता है, कि उनको वजूद अ़ता करने के बाद तरह-तरह की बेशुमार नेमतों से नवाज़ता है, और उनकी दरख़्वास्तें और दुआ़यें सुनता है। अगली आयत इसी दूसरे मायने की शहादत देती है, और यह लफ़्ज़:

ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ○

हक़ तआ़ला की उन ख़ास सिफ़तों में से है कि उनको ज़िक्र करके इनसान जो दुआ़ माँगता है क़ुबूल होती है। तिर्मिज़ी, नसाई और मुस्नद अहमद में रबीआ़ इब्ने आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

اَلِظُّوْا بِيَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

'अलिज़्ज़ू' इलज़ाज़ से निकला है जिसके मायने लाज़िम पकड़ने के हैं। हदीस की मुराद यह है कि अपनी दुआ़ओं में 'या ज़ल्‌जलालि वल्-इक्रामि' को याद रखो और इसके साथ दुआ़ किया करो (क्योंकि इससे दुआ़ क़ुबूल होने की ज़्यादा उम्मीद है)। (तफ़सीरे मज़हरी)

يَسْئَلُهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِيْ شَاْنٍ○

"यानी ज़मीन व आसमान की सारी मख़्लूक़ात हक़ तआ़ला की मोहताज हैं और उसी से अपनी हाजतें माँगती हैं। ज़मीन वाले अपने मुनासिब हाजतें- रिज़्क़, सेहत, आ़फ़ियत, आराम व राहत, फिर आख़िरत की मग़फ़िरत व रहमत और जन्नत माँगते हैं, आसमान वाले अगरचे खाते-पीते नहीं मगर अल्लाह तआ़ला की रहमत व इनायत के हर वक़्त मोहताज हैं, वे भी रहमत व मग़फ़िरत वग़ैरह अपनी ज़रूरतों के तलबगार रहते हैं। आगे 'कुल्-ल यौमिन्' इसी सवाल किये जाने से मुताल्लिक़ है, यानी उनके ये सवालात और दरख़्वास्तें हक़ तआ़ला से हर रोज़ रहती हैं,

और 'रोज़' से मुराद भी यह परिचित दिन नहीं बल्कि आम वक़्त मुराद है, जिसका हासिल यह है कि सारी मख़्लूक़ात विभिन्न इलाक़ों, विभिन्न भाषाओं में उससे अपनी-अपनी हाजतें हर वक़्त माँगती रहती हैं, और यह ज़ाहिर है कि पूरी ज़मीनी व आसमानी मख़्लूक़ात और उनके एक-एक फ़र्द की बेशुमार हाजतें और वह भी हर घड़ी हर आन सिवाय उस अ़ज़मत व जलाल वाले क़ादिरे मुतलक़ के कौन सुन सकता है, और कौन उनको पूरा कर सकता है, इसी लिये 'कुल्-ल यौमिन्' के साथ यह भी फ़रमाया 'हु-व फ़ी शअ्निन्' यानी हर वक़्त हर घड़ी हक़ तआ़ला की एक ख़ास शान होती है, वह किसी को ज़िन्दा करता है, किसी को मौत देता है, किसी को इज़्ज़त देता है, किसी को ज़िल्लत देता है, किसी तन्दुरुस्त को बीमार और किसी बीमार को तन्दुरुस्त करता है, किसी मुसीबत के मारे को मुसीबत से निजात देता है, किसी ग़मज़दा रोने वाले को हंसा देता है, किसी माँगने वाले को उसकी माँगी हुई चीज़ अ़ता कर देता है, किसी का गुनाह माफ़ करके जन्नत में दाख़िल होने का मुस्तहिक़ बना देता है, किसी क़ौम को बुलन्द और ताक़त व इख़्तियार वाला बना देता है किसी क़ौम को पस्त व ज़लील कर देता है, ग़र्ज़ कि हर आन हर लम्हा हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू की एक ख़ास शान होती है।

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ○

'स-क़लान' यह 'सिक़्ल' से बना है जिसके मायने बोझ के हैं, यह लफ़्ज़ दो के लिये बोला जाता है, इससे मुराद इनसान और जिन्नात हैं। लफ़्ज़ सिक़्ल अ़रबी भाषा में हर ऐसी चीज़ के लिये बोला जाता है जिसका वज़्न और क़द्र व क़ीमत परिचित हो, इसी लिये हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

اِنِّىْ تَارِكٌ فِيْكُمُ الثَّقَلَيْنِ.......... الخ.

यानी मैं अपने बाद दो वज़नदार क़ाबिले क़द्र चीज़ें छोड़ता हूँ जो तुम्हारी हिदायत व इस्लाह का काम देती रहेंगी। इन दोनों चीज़ों का बयान कुछ रिवायतों में 'किताबुल्लाहि व इत्‌रती' आया है, और कुछ रिवायतों में 'किताबुल्लाहि व सुन्नती' और हासिल दोनों का एक ही है, क्योंकि इतरत से मुराद अपनी औलाद है जिसमें नसबी और रूहानी दोनों क़िस्म की औलाद शामिल है, इसलिये तमाम सहाबा-ए-किराम मुराद हुए, और हदीस के मायने ये हुए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद दो चीज़ें मुसलमानों की हिदायत व इस्लाह का ज़रिया होंगी- एक अल्लाह की किताब दूसरे आपके सहाबा-ए-किराम और मामलात व अहकाम में उनका तरीक़ा व अ़मल। और जिस रिवायत में 'इत्‌रत' की जगह सुन्नत आया है उसका हासिल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीमात जो सहाबा-ए-किराम के वास्ते से मुसलमानों को पहुँची हैं।

बहरहाल इस हदीस में 'स-क़लैनि' से मुराद दो वज़नदार क़ाबिले क़द्र चीज़ें हैं, उक्त आयत में जिन्नात व इनसानों की दोनों नस्लों और जातियों को सक़लैनि इसी मफ़्हूम के एतिबार से कहा गया है कि ज़मीन पर बसने रहने वाली सब जानदार चीज़ों में जिन्नात व इनसात सबसे

ज़्यादा वज़नदार और क़ाबिले क़द्र हैं, और 'सनफ़्रुग़ु' फ़राग़ से निकला है, जिसके मायने किसी शग़ल (काम और धंधे) से फ़ारिग़ और ख़ाली होने के हैं। लुग़त में 'फ़राग़' के मुक़ाबले में 'शग़ल' आता है और लफ़्ज़ फ़राग़ दो चीज़ों की ख़बर देता है- अव्वल यह कि किसी शग़ल (धंधे और व्यस्तता) में मशग़ूल था, दूसरे यह कि अब उस शग़ल को ख़त्म करके फ़ारिग़ हो गया, ये दोनों बातें मख़्लूक़ात में तो जानी-पहचानी और मशहूर हैं, इनसान कभी एक शग़ल में लगा हुआ होता है फिर उससे फ़ारिग़ हो जाता है, मगर हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू इन दोनों से बरी हैं, न उनको एक शग़ल दूसरे शग़ल से रोक होता है न वह कभी इस तरह फ़ारिग़ होते हैं जिस तरह इनसान फ़ारिग़ हुआ करता है।

इसलिये उक्त आयत में 'सनफ़्रुग़ु' का लफ़्ज़ एक मिसाल और मुहावरे के तौर पर लाया गया है जो आ़म इनसानों में राइज है कि किसी काम की अहमियत बतलाने के लिये कहा जाता है कि हम इस काम के लिये फ़ारिग़ हो गये, यानी अब पूरी तवज्जोह इसी काम पर है। और जो आदमी किसी काम पर अपनी पूरी तवज्जोह लगाता है उसके लिये मुहावरे में कहा जाता है कि उसको तो उसके सिवा कोई काम नहीं।

इससे पहली आयत में जो यह ज़िक्र हुआ था कि आसमान व ज़मीन की सारी मख़्लूक़ात और उनका एक-एक फ़र्द हक़ तआ़ला से अपनी हाजतें माँगता रहता है, और अल्लाह तआ़ला हर वक़्त हर हाल में उनकी दरख़्वास्त पूरी करने के लिहाज़ से एक ख़ास शान में होते हैं, आयत 'सनफ़्रुग़ु लकुम् अय्युहस्स-क़लान' में यह बतलाया गया है क़ियामत के दिन दरख़्वास्तों और उनके क़ुबूल करने और उन पर अ़मल का सब सिलसिला बन्द हो जायेगा, उस वक़्त काम सिर्फ़ एक रह जायेगा और विभिन्न व अनेक शानों में से सिर्फ़ एक शान होगी, यानी हिसाब व किताब और अ़दल व इन्साफ़ के साथ फ़ैसला। (रूहुल-मआ़नी)

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا. لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ○

पिछली आयत में जिन्नात व इनसान को 'स-क़लानि' के लफ़्ज़ से मुख़ातब करके बतलाया गया था कि क़ियामत के रोज़ एक ही काम होगा कि सब जिन्नात व इनसानों के आमाल का जायज़ा लिया जायेगा, और उसके ज़र्रे-ज़र्रे पर जज़ा व सज़ा होगी। इस आयत में यह बतलाना मन्ज़ूर है कि क़ियामत के दिन की हाज़िरी और आमाल के हिसाब से कोई शख़्स बच नहीं सकता, किसी की मजाल नहीं जो मौत से या क़ियामत के दिन के हिसाब से कहीं भागकर बच निकले। इस आयत में 'स-क़लानि' के बजाय 'या मअ़्शरल्-जिन्नि वल्-इन्सि' फ़रमाकर स्पष्ट नाम ज़िक्र फ़रमाये, और जिन्न को इनसान से पहले रखा, शायद इसमें इशारा इस तरफ़ हो कि आसमान व ज़मीन के किनारों से पार निकल जाना बड़ी क़ुव्वत व क़ुदरत चाहता है, जिन्नात को हक़ तआ़ला ने ऐसे कामों की क़ुव्वत इनसान से ज़्यादा बख़्शी है, इसलिये जिन्न के ज़िक्र को पहले रखा गया। आयत का मतलब यह है कि ऐ जिन्नात और ऐ इनसानो! अगर तुम्हें यह गुमान हो कि हम कहीं भाग जायेंगे और इस तरह मलकुल-मौत के तसर्रुफ़ (अ़मल और

इख़्तियार चलाने) से बच जायेंगे या मैदाने हश्र से भागकर निकल जायेंगे और हिसाब-किताब से बच जायेंगे तो लो अपनी ताक़त आज़माकर देख लो, अगर तुम्हें इस पर क़ुदरत है कि आसमान व ज़मीन के दायरों से बाहर निकल जाओ तो निकलकर दिखलाओ, यह कोई आसान काम नहीं, इसके लिये तो बहुत बड़ी क़ुव्वत व क़ुदरत दरकार है जो जिन्नात व इनसान की दोनों क़ौमों को हासिल नहीं। इसका हासिल उनका आसमान व ज़मीन के किनारों से बाहर निकलने की संभावना व गुमान बतलाना नहीं बल्कि एक मुहाल व असंभव चीज़ को फ़र्ज़ करने के तौर पर उससे उनका आजिज़ होना ज़ाहिर करना है।

आयत में मुराद अगर मौत से फ़रार है तो यही दुनिया इसका मिस्दाक़ है, कि किसी के बस में नहीं कि ज़मीन से आसमानों तक की हदों को फलाँगकर बाहर निकल जाये और मौत से बच जाये, इन हदों को पार करने का ज़िक्र भी इनसानी ख़्याल के मुताबिक़ किया गया है, वरना मान लो अगर कोई आसमानों की हदों से बाहर निकल जाये तो अल्लाह तआला की क़ुदरत के घेरे से फिर भी बाहर नहीं। और अगर मुराद मेहशर के हिसाब व किताब और जवाबदेही से फ़रार का नामुम्किन होना बतलाना है तो इसकी अमली सूरत क़ुरआने करीम की दूसरी आयतों और हदीस की रिवायतों में यह है कि क़ियामत के दिन आसमान फटकर सब फ़रिश्ते ज़मीन के किनारों पर आ जायेंगे, और हर तरफ़ से घेराव होगा, जिन्नात व इनसान क़ियामत की हौलनाक चीज़ों को देखकर मुख़्तलिफ़ दिशाओं में भागेंगे, हर दिशा में फ़रिश्तों की घेराबन्दी देखकर फिर अपनी जगह लौट आयेंगे। (रूहुल-मआनी)

जो फ़िज़ाई सफ़र आजकल निर्मित उपग्रहों और रॉकेटों से हो रहे हैं उनका इस आयत से कोई जोड़ नहीं

इस ज़माने में जो ज़मीन की कशिश से बाहर निकलने और ख़ला में ग्रहों पर पहुँचने के तजुर्बे हो रहे हैं वह सब ज़ाहिर है कि आसमान की हदों से बाहर नहीं, बल्कि आसमान की सतह से बहुत नीचे हो रहे हैं, आसमान के किनारों से बाहर निकल जाने का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो आसमानों के किनारों के क़रीब भी नहीं पहुँच सकते बाहर निकलना तो कहाँ, इसलिये इस आयत के मफ़्हूम से उन ख़लाई सफ़रों और ग्रहों पर पहुँचने के वाक़िआत को कोई ताल्लुक़ नहीं। कुछ सीधे-सादे लोग इस आयत ही को ख़लाई सफ़रों की संभावना और जायज़ होने के लिये पेश करने लगे जो क़ुरआन के मायनों से बिल्कुल नावाक़फ़ियत की दलील है।

يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ۝

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और तफ़सीर के दूसरे इमामों ने फ़रमाया कि **शुवाज़** आग के उस शोले को कहा जाता है जिसमें धुआँ न हो, और **नुहास** उस धुएँ को कहा जाता है जिसमें आग की रोशनी न हो। इस आयत में भी जिन्नात व इनसान को ख़िताब करके उन पर

आग के शोले और धुआँ छोड़ने का बयान है। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि हिसाब किताब के बाद जो मुजरिम लोगों को जहन्नम में डाला जायेगा उसमें ये दो तरह के अ़ज़ाब होंगे, कहीं आग ही आग और शोले ही शोला धुएँ का नाम नहीं, और कहीं धुआँ ही धुआँ जिसमें आग की कोई रोशनी नहीं। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने इस आयत को पिछली आयत का पूरक क़रार देकर ये मायने किये हैं कि ऐ जिन्नात व इनसान! आसमानों के हदों से निकल जाना तुम्हारे बस की बात नहीं, अगर तुम ऐसा इरादा कर भी लो तो जिस तरफ़ भागकर जाओगे आग के शोले और धुएँ तुम्हें घेर लेंगे। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

'फ़ला तन्तसिरानि' तन्तसिरानि इन्तिसार से निकला है जिसके मायने किसी की मदद करके मुसीबत से निकालने के हैं। मतलब यह है कि अल्लाह के अ़ज़ाब से बचने के लिये तुम सब जिन्नात व इनसानों में से कोई किसी की मदद न कर सकेगा कि उसके ज़रिये अ़ज़ाब से छूट जाये।

فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْـَٔلُ عَنْ ذَنْۢبِهٖٓ اِنْسٌ وَّلَا جَآنٌّO

यानी उस दिन किसी इनसान या जिन्न से उसका गुनाह न पूछा जायेगा। इसका एक मफ़्हूम तो वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिया गया है कि उन लोगों से क़ियामत में यह न पूछा जायेगा कि तुमने फ़ुलाँ जुर्म किया है या नहीं, वह तो फ़रिश्तों के लिखे हुए आमाल नामों में महफ़ूज़ और अल्लाह तआ़ला के अज़ली इल्म में इससे पहले से मौजूद है, बल्कि सवाल यह होगा कि फ़ुलाँ जुर्म तुमने क्यों किया। यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की है, और मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि फ़रिश्ते जो मुजरिमों को अ़ज़ाब देने पर मामूर हैं उनको मुजरिम लोगों से पूछने की ज़रूरत न होगी कि तुमने यह जुर्म किया है या नहीं, बल्कि हर जुर्म की एक ख़ास निशानी मुजरिमों के चेहरों से ज़ाहिर होगी, फ़रिश्ते वह निशानी देखकर उनको जहन्नम में धकेल देंगे, अगली आयत में यही मज़मून आया है:

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ

इन दोनों तफ़सीरों का हासिल यह है कि यह वाक़िआ़ उस वक़्त का है जबकि मेहशर में हिसाब-किताब के बाद मुजरिमों के जहन्नम में डालने का फ़ैसला हो चुकेगा, तो अब उनसे उनके गुनाहों के बारे में कोई गुफ़्तगू न होगी, वे निशानी से पहचानकर जहन्नम में डाल दिये जायेंगे।

और हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि यह उस वक़्त का हाल है जब एक मर्तबा उनसे उनके जुर्मों की पूछगछ हो चुकेगी और वे इनकार कर देंगे, क़स्में उठा लेंगे, तो उनके मुँहों और ज़बानों पर मोहर कर दी जायेगी, हाथों-पाँवों की गवाही ली जायेगी। ये तीनों तफ़सीरें इमाम इब्ने कसीर ने नक़ल की हैं, तीनों एक दूसरे के क़रीब हैं कोई भिन्नता नहीं।

يُعْرَفُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيْمٰهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِيْ وَالْاَقْدَامِO

'सीमा' के मायने निशानी और पहचान के हैं। हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि उस रोज़ मुजरिम लोग जिनको जहन्नम में डालने का फ़ैसला होगा उनकी अ़लामत यह होगी कि

चेहरा सियाह और आँखें नीली होंगी, रंज व ग़म से चेहरे फ़क होंगे, फ़रिश्ते इसी अ़लामत के ज़रिये उनको पकड़ेंगे।

नवासी नासिया की जमा (बहुवचन) है, पेशानी के बालों को कहा जाता है, नवासी और अक़दाम (पेशानी के बालों और पैरों) से पकड़ने का यह मतलब भी हो सकता है कि किसी को सर के बाल पकड़कर घसीटा जायेगा, किसी को टाँगे पकड़कर या कभी इस तरह कभी उस तरह घसीटा जायेगा। और यह मायने भी हो सकते हैं कि पेशानी के बालों और टाँगों को एक जगह जकड़ दिया जायेगा। (जैसा कि इमाम ज़ह्हाक की रिवायत से रूहुल-मआ़नी में है) वल्लाहु आलम

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ فِیْهِمَا عَیْنٰنِ تَجْرِیٰنِ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا
تُکَذِّبٰنِ ۝ فِیْهِمَا مِنْ کُلِّ فَاکِهَةٍ زَوْجٰنِ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ مُتَّکِـِٕیْنَ عَلٰی فُرُشٍۢ
بَطَآئِنُهَا مِنْ اِسْتَبْرَقٍ ؕ وَجَنَا الْجَنَّتَیْنِ دَانٍ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ فِیْهِنَّ قٰصِرٰتُ
الطَّرْفِ ۙ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ کَاَنَّهُنَّ الْیَاقُوْتُ
وَالْمَرْجَانُ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ۝ فَبِاَیِّ
اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝
مُدْهَآمَّتٰنِ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ فِیْهِمَا عَیْنٰنِ نَضَّاخَتٰنِ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا
تُکَذِّبٰنِ ۝ فِیْهِمَا فَاکِهَةٌ وَّنَخْلٌ وَّرُمَّانٌ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ فِیْهِنَّ خَیْرٰتٌ
حِسَانٌ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِی الْخِیَامِ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا
تُکَذِّبٰنِ ۝ لَمْ یَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ مُتَّکِـِٕیْنَ عَلٰی
رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِیٍّ حِسَانٍ ۝ فَبِاَیِّ اٰلَآءِ رَبِّکُمَا تُکَذِّبٰنِ ۝ تَبٰرَکَ اسْمُ رَبِّکَ ذِی الْجَلٰلِ
وَالْاِکْرَامِ ۝

व लि-मन् ख़ा-फ़ मक़ा-म रब्बिही जन्नतान (46) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (47) ज़वाता अफ़्नान (48) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (49) फ़ीहिमा	और जो कोई डरा खड़े होने से अपने रब के आगे उसके लिये हैं दो बाग़ (46) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (47) जिनमें बहुत सी शाख़ें (48) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (49) उन दोनों में

ऐनानि तज्रियानि (50) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (51) फ़ीहिमा मिन् कुल्लि फ़ाकि-हतिन् ज़ौजान (52) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (53) मुत्तकिई-न अ़ला फ़ुरुशिम्-बता-इनुहा मिन् इस्तब्रक़िन्, व जनल्-जन्नतैनि दान (54) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (55) फ़ीहिन्-न क़ासिरातुत्तर्फ़ि लम् यत्मिस्हुन्-न इन्सुन् क़ब्लहुम् व ला जान्न (56) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (57) क-अन्न-हुन्नल्-याक़ूतु वल्-मर्जान (58) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (59) हल् जज़ाउल्-इह्सानि इल्लल्-इह्सान (60) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (61) व मिन् दूनिहिमा जन्नतान (62) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (63) मुद्हाम्मतानि (64) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (65) फ़ीहिमा ऐनानि नज़्ज़ा-ख़तानि (66) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा

दो चश्मे बहते हैं (50) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (51) उन दोनों में हर मेवा किस्म-किस्म का होगा (52) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (53) तकिया लगाये बैठे बिछौनों पर जिनके अस्तर ताफ़्ते के, और मेवा उन बाग़ों का झुक रहा (54) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (55) उनमें औरतें हैं नीची निगाह वालियाँ नहीं निकटता की उनसे (यानी नहीं छुआ उनको) किसी आदमी ने उनसे पहले और न किसी जिन्न ने (56) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (57) वे कैसी जैसे कि लअ़ल (क़ीमती मोती) और मोंगा (58) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (59) और क्या बदला है नेकी का मगर नेकी (60) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (61) और उन दो के सिवाय और दो बाग़ हैं (62) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (63) गहरे सब्ज़ जैसे स्याह (64) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (65) उनमें दो चश्मे हैं उबलते हुए (66) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब

तुकज़्ज़िबान (67) फ़ीहिमा फ़ाकि-हतुंव्-व नख़्लुंव्-व रुम्मान (68) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (69) फ़ीहिन्-न ख़ैरातुन् हिसान (70) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (71) हूरुम्-मक़्सूरातुन् फ़िल्-ख़ियाम (72) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (73) लम् यत्मिस्हुन्-न इन्सुन् क़ब्लहुम् व ला जान्न (74) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (75) मुत्तकिई-न अ़ला रफ़्रफ़िन् ख़ुज़्रिंव्-व अ़ब्क़रिय्यिन् हिसान (76) फ़बि-अय्यि आला-इ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान (77) तबा-रकस्मु रब्बि-क ज़िल्-जलालि वल्-इक्राम (78) ✿

की झुठलाओगे (67) उनमें मेवे हैं और खजूरें और अनार। (68) फिर क्या क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (69) उन सब बाग़ों में अच्छी औरतें हैं ख़ूबसूरत (70) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (71) हूरें हैं रुकी रहने वालियाँ ख़ेमों में (72) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (73) नहीं हाथ लगाया उनको किसी आदमी ने उनसे पहले और न किसी जिन्न ने (74) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (75) तकिया लगाये बैठे सब्ज़ मस्नदों पर और क़ीमती नफ़ीस बिछौने पर (76) फिर क्या-क्या नेमतें अपने रब की झुठलाओगे (77) बड़ी बरकत है नाम को तेरे रब के जो बड़ाई वाला और अ़ज़मत वाला है। (78) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(इन आयतों में दो बाग़ों का ज़िक्र आयत नम्बर 46 से शुरू हुआ है और दो बाग़ों का ज़िक्र आयत नम्बर 62 से। पहले दो बाग़ ख़ास और क़रीबी हज़रात के हैं और बाद के दो बाग़ आ़म मोमिनों के लिये। इस निर्धारण और तक़सीम की दलीलें आगे लिख दी जायेंगी, यहाँ सिर्फ़ तफ़सीर लिखी जाती है। पिछली आयतों में मुजरिमों की सज़ाओं का ज़िक्र था यहाँ से नेक मोमिनों की जज़ा का ज़िक्र शुरू होता है) और (जन्नत वालों का हाल यह है कि उनमें दो क़िस्म हैं- ख़ास हज़रात और आ़म लोग, पस) जो शख़्स (ख़ास हज़रात में से हो और) अपने रब के सामने खड़ा होने से (हर वक़्त) डरता रहता है (और डरकर बुराई व नाफ़रमानी और नफ़्सानी इच्छाओं से बचता रहता हो, और यह शान ख़ास लोगों ही की है क्योंकि अ़वाम पर तो

कभी-कभी ख़ौफ़ तारी हो जाता है और कभी उनसे गुनाह और नाफ़रमानी भी सर्ज़द हो जाती है अगरचे तौबा कर लें। ग़र्ज़ कि जो शख़्स ऐसा मुत्तक़ी हो) उसके लिये (जन्नत में) दो बाग़ होंगे (यानी हर मुत्तक़ी के लिये दो बाग़ और ग़ालिबन इस एक से ज़्यादा होने में हिक्मत उनके सम्मान व नेमत वाला होने का इज़हार होगा, जिस तरह दुनिया में मालदार और ऐश व आराम वाले लोगों के पास अक्सर चीज़ें चल और अचल में से एक से ज़्यादा होती हैं) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(और वे) दोनों बाग़ बहुत ज़्यादा शाख़ों वाले होंगे (कि इसमें साये के गुंजान होने और फलों की अधिकता की तरफ़ इशारा है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (और) उन दोनों बाग़ों में दो चश्मे होंगे कि (दूर तक) बहते चले जाएँगे। सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (और) उन दोनों बाग़ों में हर मेवे की दो-दो क़िस्में होंगी (कि इसमें ज़्यादा लज़्ज़त व मज़े की तरफ़ इशारा है, कभी एक क़िस्म का मज़ा ले लिया कभी दूसरी क़िस्म का) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(और) वे लोग तकिया लगाये ऐसे फ़र्शों पर बैठे होंगे जिनके अस्तर मोटे रेशम के होंगे, और उन दोनों बाग़ों का फल बहुत नज़दीक होगा (और क़ायदा है कि ऊपर का कपड़ा अस्तर के मुक़ाबले में ज़्यादा उम्दा होता है, पस जब अस्तर इस्तब्रक़ होगा तो ऊपर का कैसा कुछ होगा) और उन दोनों बाग़ों का फल बहुत नज़दीक होगा (कि खड़े, बैठे, लेटे हर तरह बिना किसी परेशानी के हाथ आ सकता है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (और) उन (बाग़ों के मकानात और महलों) में नीची निगाह वालियाँ (यानी हूरें) होंगी, कि उन (जन्नती) लोगों से पहले उन पर न तो किसी आदमी ने इख़्तियार चलाया होगा और न किसी जिन्न ने (यानी बिल्कुल महफ़ूज़ व बिना इस्तेमाल की हुई होंगी) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (और रंगत इस क़द्र साफ़-सुथरी होगी कि) गोया वे याक़ूत और मरजान हैं (और मुम्किन है कि उनके सुर्ख़ होने में भी यह मिसाल हो और मिसाल के लिये एक से ज़्यादा यानी दो चीज़ों का ज़िक्र ग़ालिबन एहतिमाम के लिये है) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(आगे इस ज़िक्र हुए मज़मून की ताकीद और मज़बूती है कि) भला हद से ज़्यादा नेकी करने का बदला इनायत के अलावा और भी कुछ हो सकता है? (उन्होंने बहुत ज़्यादा नेकी व

फ़रमाँबरदारी की इसलिये सिले में बहुत बड़ी इनायत से नवाज़ा गया) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (यह तो ख़ास हज़रात के बाग़ों की सिफ़त बयान हुई) और (आगे आ़म मोमिनों के बाग़ों का ज़िक्र है)।

इन (ऊपर ज़िक्र हुए) दोनों बाग़ों से कम दर्जे के दो बाग़ और हैं (जो आ़म मोमिनों के लिये हैं और हर एक को दो-दो मिलेंगे) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (और आगे उन बाग़ों की सिफ़त है कि) वे दोनों बाग़ गहरे सब्ज़ होंगे। सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? उन दोनों बाग़ों में दो चश्मे होंगे जो कि जोश मारते होंगे। सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (जोश मारना इस वजह से कि यह चश्मे की ख़ासियत है, ऊपर के चश्मों में भी यह सिफ़त बयान हुई है और वहाँ बहना भी है और यहाँ नहीं, पस यह इशारा है इसका कि ये चश्मे बहने की सिफ़त में पहले दो चश्मों से कम हैं, और ये बाग़ उन बाग़ों से कम हैं और) उन दोनों बाग़ों के अन्दर मेवे और खजूरें और अनार होंगे। सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(यहाँ पहले सिर्फ़ फल और फिर तफ़सील में खजूर और अनार पर इक्तिफ़ा फ़रमाना और वहाँ लफ़्ज़ 'कुल्ल' से हर क़िस्म के फलों की वज़ाहत और फिर लफ़्ज़ ज़ौजान से उनके अनेक होने का ज़िक्र जिससे फलों और मेवों की अधिकता मालूम होती है, ये सब इसके इशारे हैं कि पहले वाले दोनों बाग़ बाद वाले दोनों बाग़ों से अफ़ज़ल व आला हैं और) उन (बाग़ों के मकानात) में अच्छे गुणों वाली ख़ूबसूरत औ़रतें होंगी (यानी हूरें)। सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? वे औ़रतें गोरी रंगत की होंगी (और) ख़ेमों में महफ़ूज़ होंगी। सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (और) इन (जन्नती) लोगों से पहले उन पर न तो किसी आदमी ने तसर्रुफ़ किया होगा और न किसी जिन्न ने। (यानी उनको इस्तेमाल न किया गया होगा) सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे? (वहाँ 'याक़ूत व मरजान' यानी क़ीमती मोतियों से तश्बीह देना जो कि उनकी हद से ज़्यादा ख़ूबसूरती को बयान करना है और यहाँ सिर्फ़ हिसान यानी ख़ूबसूरती पर बस करना, यह भी इशारा है कि पहले दो बाग़ दूसरे दो बाग़ों से अफ़ज़ल हैं, और यहाँ की सब सिफ़तें वहाँ स्पष्ट रूप से या इशारे में बयान हुई हैं जैसे- अच्छी सीरत वाली होना नीची निगाह वाली होने से समझ में आता है, हूर

होना मक़ाम व जगह से मालूम होता है, रुकी रहने वालियों से ज़्यादा अ़स्मत व आबरू पर लफ़्ज़ 'नीची निगाह वाली होना' दलालत करता है, कि जो ऐसी होंगी वह ज़रूर ही घर में रहेंगी और) वे लोग हरे नक़्श वाले और अ़जीब ख़ूबसूरत कपड़ों (के फ़र्शों) पर तकिया लगाये बैठे होंगे। सो ऐ जिन्न और ऐ इनसान! (नेमतों के इस क़द्र ज़्यादा और अ़ज़ीम होने के बावजूद) तुम अपने रब की कौन-कौनसी नेमतों के इनकारी हो जाओगे?

(इसमें ग़ौर करने से मालूम होता है कि इन दो बाग़ों के फ़र्श पहले दो बाग़ों के मुक़ाबले में कम दर्जे के होंगे, क्योंकि वहाँ वज़ाहत है रेशमी होने की फिर दोहरे होने की, और यहाँ नहीं है। आगे समापन में हक़ तआ़ला की तारीफ़ व सना है जिसमें इन तमाम मज़ामीन की जो सूरः रहमान में विस्तार से बयान हुए हैं ताईद व ताकीद है कि) बड़ा बरकत वाला नाम है आपके रब का जो बड़ाई वाला और एहसान वाला है (नाम से मुराद सिफ़ात हैं जो कि ज़ात के अलग नहीं। पस इस जुमले का हासिल अल्लाह की ज़ात व सिफ़ात के कामिल होने की ख़ूबी बयान करना हुआ, और शायद लफ़्ज़ 'इस्म' बढ़ाने से मक़सद मुबालग़ा "ख़ूब ज़्यादती व अधिकता" हो कि नाम वाला तो कैसा कामिल और बरकत वाला होगा उसका तो 'इस्म' यानी नाम भी बरकत वाला और कामिल है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

जिस तरह इनसे पहले की आयतों में मुजरिमों की सख़्त सज़ाओं का ज़िक्र था इन आयतों में उनके मुक़ाबिल में नेक मोमिनों की उम्दा जज़ाओं और नेमतों का बयान है, जिनमें जन्नत वालों के पहले दो बाग़ों का ज़िक्र और उनमें जो नेमतें हैं उनका बयान है, उसके बाद दूसरे दो बाग़ों का और उनमें मुहैया की हुई नेमतों का ज़िक्र है।

पहले दो बाग़ जिन हज़रात के लिये ख़ास हैं उनको तो मुतैयन करके बतला दिया है:

لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ.

यानी उन दो बाग़ों के मुस्तहिक़ वे लोग हैं जो हर वक़्त हर हाल में अल्लाह तआ़ला के सामने क़ियामत के दिन की पेशी और हिसाब व किताब से डरते रहते हैं, जिसके नतीजे में वे किसी गुनाह के पास नहीं जाते। ज़ाहिर है कि ऐसे लोग आगे बढ़ने वाले और ख़ास लोग ही हो सकते हैं।

दूसरे दो बाग़ों के हक़दार कौन होंगे इसकी वज़ाहत उपरोक्त आयतों में नहीं की गयी, मगर यह बतला दिया गया है कि ये दोनों बाग़ पहले दो बाग़ों की तुलना में कम दर्जे के होंगे:

وَمِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِO

यानी पहले दो बाग़ों से कमतर और दो बाग़ हैं। इससे मौक़े और मक़ाम से मालूम हो गया कि इन दो बाग़ों के मुस्तहिक़ आ़म मोमिन हज़रात होंगे जो अल्लाह के ख़ास और क़रीबी हज़रात से दर्जे में कम हैं।

पहले और दूसरे दो बाग़ों की तफ़सीर में हज़राते मुफ़स्सिरीन ने और भी ख़ुलासे किये हैं, यहाँ जो तफ़सीर इख़्तियार की गयी है कि पहले दो बाग़ आला दर्जे वाले और ख़ास क़रीबी हज़रात के लिये हैं, और दूसरे दो बाग़ आम मोमिनों के लिये, और यह कि ये दूसरे दो बाग़ पहले दो बाग़ों से दर्जे में कम हैं, हदीस की रिवायतों से यही तफ़सीर ज़्यादा मुनासिब मालूम होती है जैसा कि तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में दुर्रे मन्सूर के हवाले से यह मरफ़ूअ़ हदीस नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आयतः

لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتٰنِ○

औरः

مِنْ دُوْنِهِمَا جَنَّتٰنِ○

की तफ़सीर में फ़रमायाः

جَنَّتَانِ مِنْ ذَهَبٍ لِلْمُقَرَّبِيْنَ وَجَنَّتَانِ مِنْ وَرِقٍ لِاَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ○

"यानी दो बाग़ सोने के बने हुए हैं मुक़र्रब और ख़ास लोगों के लिये और दो बाग़ चाँदी के अस्हाबे-यमीन यानी आ़म नेक मोमिनों के लिये। तथा दुर्रे मन्सूर में हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मौक़ूफ़न यह रिवायत किया हैः

اَلْعَيْنَانِ الَّتِيْ تَجْرِيَانِ خَيْرٌ مِّنَ النَّضَّاخَتَيْنِ○

यानी पहले दो बाग़ों के दो चश्मे जिनके बारे में 'तजरियानि' फ़रमाया है वो बेहतर हैं दूसरे दो बाग़ों के चश्मों से जिनके मुताल्लिक़ "नज़्ज़ा-ख़तानि" फ़रमाया है, क्योंकि "नज़्ज़ा-ख़तानि" के मायने हैं उबलने वाले दो चश्मे, तो यह सिफ़त हर चश्मे में होती है लेकिन जिनको "तजरियानि" के उनवान से बयान किया है उनमें उबलने के अ़लावा दूर तक ज़मीन की सतह पर जारी रहने की सिफ़त अतिरिक्त है।

यह मुख़्तसर बयान था उन चार चश्मों का जो जन्नत वालों को मिलेंगे अब आयत के अलफ़ाज़ के साथ उनके मायनों को देखिये।

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ

मक़ामे रब से मुराद अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक क़ियामत के दिन हक़ तआ़ला के सामने हिसाब के लिये पेशी है, और उससे ख़ौफ़ के मायने यह हैं कि तन्हाई व मजलिस और ज़ाहिर व बातिन के तमाम अहवाल में उसको यह ध्यान हमेशा रहता हो कि मुझे एक दिन हक़ तआ़ला के सामने पेश होना और आमाल का हिसाब देना है, और ज़ाहिर है कि जिसको ऐसा ध्यान और फ़िक्र हमेशा रहती हो वह गुनाह के पास नहीं जायेगा।

और इमाम क़ुर्तुबी वग़ैरह कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने मक़ामे रब की यह तफ़सीर भी की है कि अल्लाह तअ़ला हमारे हर क़ौल व फ़ेल और छुपे व खुले अ़मल पर निगराँ और क़ायम है, हमारी हर हरकत उसके सामने है। हासिल इसका भी वही होगा कि हक़ तआ़ला का यह ध्यान

व तवज्जोह उसको गुनाहों से बचा देगी।

ذَوَاتَآ اَفْنَانٍ ○

यह पहले दो बाग़ों की सिफ़त है कि बहुत शाख़ों वाले होंगे। जिसका यह असर लाज़िमी है कि उनका साया भी घना होगा और फल भी ज़्यादा होगा। दूसरे दो बाग़ जिनका ज़िक्र आगे आता है उनमें यह सिफ़त ज़िक्र नहीं हुई जिससे इस मामले में उनकी कमी की तरफ़ इशारा हो सकता है।

فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ○

पहले दो बाग़ों की सिफ़त में 'मिन् कुल्लि फ़ाकि-हतिन्' के अलफ़ाज़ से फलों और मेवों की तमाम क़िस्मों का होना बयान फ़रमाया है, इसके मुक़ाबले में दूसरे बाग़ों में 'मिन् कुल्लि फ़ाकि-हतिन्' के बजाय सिर्फ़ 'फ़ाकि-हतिन्' के अलफ़ाज़ हैं, और 'ज़ौजानि' के मायने ये हैं कि हर मेवे की दो-दो क़िस्में होंगी, ये दो क़िस्में यह भी हो सकता है कि ख़ुश्क व तर की हों और यह भी हो सकता है कि एक तो आम परिचित व मशहूर और मज़े की हो और दूसरी असाधारण अन्दाज़ की। (तफ़सीरे मज़हरी)

لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ○

लफ़्ज़ तमस कई मायने के लिये इस्तेमल होता है, हैज़ (माहवारी) के ख़ून को तमस कहते हैं और माहवारी वाली औरत को तामिस कहा जाता है, और कुंवारी लड़की से सोहबत करने को भी तमस के लफ़्ज़ से ताबीर किया जाता है, इस जगह यही मायने मुराद हैं, और इसमें जो इसकी नफ़ी की गई है कि जिन जन्नत वालों के लिये ये हूरें मुक़र्रर हैं उनसे पहले इनको किसी इनसान या जिन्न ने छुआ नहीं होगा, इसका मतलब वह भी हो सकता है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुआ है कि जो हूरें इनसानों के लिये मुक़र्रर हैं उनको किसी इनसान ने और जो मोमिन जिन्नात के लिये मुक़र्रर हैं उनको किसी जिन्न ने उनसे पहले छुआ नहीं होगा, और ये मायने भी हो सकते हैं कि जैसे दुनिया में इनसानी औरतों पर कभी जिन्नात भी मुसल्लत हो जाते हैं वहाँ इसकी भी कोई संभावना और गुमान नहीं होगा।

هَلْ جَزَآءُ الْاِحْسَانِ اِلَّا الْاِحْسَانُ ○

अल्लाह के ख़ास और क़रीबी हज़रात के दो बाग़ों की कुछ तफ़सील ज़िक्र करने के बाद यह इरशाद फ़रमाया कि अच्छे अ़मल का बदला अच्छा बदला ही हो सकता है इसके सिवा कोई शुब्हा व संभावना नहीं। इन हज़रात ने हमेशा नेक अ़मल करने की पाबन्दी की तो हक़ तआ़ला की तरफ़ से इनको उम्दा जज़ा ही का बदला दिया जाना चाहिये था जो इनको दिया गया।

مُدْهَآمَّتٰنِ ○

गहरा हरा रंग होने की वजह से जो सियाही झलकने लगती है उसको इदहिमाम कहा जाता है। मुराद यही है कि इन दोनों बाग़ों की हरियाली उनके सियाही माईल होने का सबब होगी, यह

सिफ़त अगरचे पहले दो बाग़ों में ज़िक्र नहीं की गई है मगर इससे यह लाज़िम नहीं आता कि उनमें यह सिफ़त न हो, बल्कि 'ज़वाता अफ़्नान' जो वहाँ की सिफ़त बतलाई है उसमें 'मुदहाम्मतान' की सिफ़त भी शामिल है।

فِيهِنَّ خَيْرٰتٌ حِسَانٌO

ख़ैरात से मुराद सीरत व किरदार की ख़ूबी और हिसान से मुराद शक्ल व सूरत की ख़ूबी है, और यह चीज़ भी दोनों बाग़ों की हूरों में संयुक्त रूप से होगी जिसकी तरफ़ इशारा पिछली आयतों में मौजूद है।

مُتَّكِـِٔيْـنَ عَلٰى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍO

लुग़त की किताब क़ामूस में है कि रफ़रफ़ हरे रंग का रेशमी कपड़ा है जिसके फ़र्श और तकिये और दूसरा सजावट का सामान बनाया जाता है, और हदीस की बड़ी किताबों में है कि उस पर नक़्श व निगार (कढ़ाई और फूल-बूटे) दरख़्तों और फूलों के होते हैं जिसको उर्दू में 'मुशज्जर' कहा जाता है। अ़ब्क़री हर उम्दा ख़ूबसूरत कपड़े को कहा जाता है, हिसान से उसी की ख़ूबसूरती की सिफ़त बयान की गयी है।

تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِى الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِO

सूरः रहमान में ज़्यादातर हक़ तआ़ला की नेमतों और इनसान पर एहसानात का ज़िक्र है, इसके ख़ात्मे (समापन) पर ख़ुलासे के तौर पर यह जुमला इरशाद हुआ कि उस पाक ज़ात का तो कहना क्या है उसका नाम भी बड़ा बरकत वाला है, उसके नाम ही से ये सारी नेमतें क़ायम हैं। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः रहमान की तफ़सीर आज दिनाँक 11 रबीउस्सानी सन् 1391 हिजरी दिन शनिवार को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अर्-रहमान की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-वाकिआ

सूरः अल्-वाकिआ मक्का में नाज़िल हुई। इसमें 96 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

آياتها ٩٦ (٥٦) سُورَةُ الْوَاقِعَةِ مَكِّيَّةٌ (٤٦) رُكُوعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾ وَأَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا أَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ﴿٩﴾ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ أُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِئِيْنَ عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِأَكْوَابٍ وَّأَبَارِيْقَ وَكَأْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾ وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾ وَحُوْرٌ عِيْنٌ ﴿٢٢﴾ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُوْنِ ﴿٢٣﴾ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿٢٤﴾ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَأْثِيْمًا ﴿٢٥﴾ إِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا ﴿٢٦﴾ وَأَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ مَا أَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ﴿٢٧﴾ فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ﴿٢٨﴾ وَّطَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ﴿٢٩﴾ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ﴿٣٠﴾ وَّمَاءٍ مَّسْكُوْبٍ ﴿٣١﴾ وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ ﴿٣٢﴾ لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ ﴿٣٣﴾ وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ ﴿٣٤﴾ إِنَّا أَنْشَأْنٰهُنَّ إِنْشَاءً ﴿٣٥﴾ فَجَعَلْنٰهُنَّ أَبْكَارًا ﴿٣٦﴾ عُرُبًا أَتْرَابًا ﴿٣٧﴾ لِّأَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ﴿٣٨﴾ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِيْنَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِيْنَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحٰبُ الشِّمَالِ مَا أَصْحٰبُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِيْ سَمُوْمٍ وَّحَمِيْمٍ ﴿٤٢﴾ وَّظِلٍّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَّلَا كَرِيْمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوْا يُصِرُّوْنَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيْمِ ﴿٤٦﴾ وَكَانُوْا يَقُوْلُوْنَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَّعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُوْنَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوْعُوْنَ إِلٰى مِيْقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّآلُّوْنَ الْمُكَذِّبُوْنَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ ﴿٥٣﴾ فَشٰرِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ ﴿٥٤﴾ فَشٰرِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ ﴿٥٥﴾ هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ ﴿٥٦﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इज़ा व-क़-अतिल्-वाक़ि-अ़तु (1) लै-स लिवक़्अ़तिहा काज़िबह्। (2) ख़ाफ़ि-ज़तुर्-राफ़ि-अ़ह् (3) इज़ा रुज्जतिल्-अर्ज़ु रज्जंव्- (4) -व बुस्सतिल्-जिबालु बस्सा (5) फ़-कानत् हबा-अम् मुम्-बस्संव- (6) -व कुन्तुम् अज़्वाजन् सलासह् (7) फ़-अस्हाबुल्-मैमनति मा अस्हाबुल्-मै-मनह् (8) व अस्हाबुल्-मश्-अ-मति मा अस्हाबुल्-मश्-अमह् (9) वस्साबिक़ूनस्-साबिक़ून (10) उलाइ-कल्-मुक़र्रबून (11) फ़ी जन्नातिन्-नअ़ीम (12) सुल्लतुम्-मिनल्-अव्वलीन (13) व क़लीलुम् मिनल्-आख़िरीन (14) अ़ला सुरुरिम्-मौज़ूनतिम्- (15) -मुत्तकिई-न अ़लैहा मु-तक़ाबिलीन (16) यतूफ़ु अ़लैहिम् विल्दानुम्-मु-ख़ल्लदून (17) बिअक्वाबिंव्-व अबारी-क़ व कअ्सिम्-मिम्-मअ़ीन (18) ला युसद्-दअ़ू-न अ़न्हा व ला युन्ज़िफ़ून (19) व फ़ाकि-हतिम्-मिम्मा य-तख़य्यरून (20) व लह्मि तैरिम्-मिम्मा यश्तहून (21) व हूरुन्

जब हो पड़े हो पड़ने वली (1) नहीं है उस के हो पड़ने में कुछ झूठ (2) पस्त करने वाली है बुलन्द करने वाली (3) जब लरज़े ज़मीन कपकपाकर (4) और रेज़ा-रेज़ा हों पहाड़ टूट-फूटकर (5) फिर हो जायें गुबार उड़ता हुआ (6) और तुम हो जाओ तीन क़िस्म पर (7) फिर दाहिने वाले, क्या ख़ूब हैं दाहिने वाले (8) और बायें वाले, क्या बुरे हैं बायें वाले (9) और अगाड़ी वाले तो अगाड़ी वाले (10) वे लोग हैं ख़ास और क़रीबी (11) बाग़ों में नेमत के (12) बड़ी जमाअ़त है पहलों में से (13) और थोड़े हैं पिछलों में से (14) बैठे हैं जड़े हुए तख़्तों पर (15) तकिया लगाये उन पर एक दूसरे के सामने (16) लिये फिरते हैं उनके पास लड़के सदा रहने वाले (17) आबख़ोरे और कूज़े और प्याला निथरी शराब का (18) जिस से न सर दुखे और न बकवास लगे (19) और मेवा जौनसा पसन्द कर लें (20) और गोश्त उड़ते जानवरों का जिस क़िस्म को जी चाहे (21) और औरतें गोरी बड़ी

ईन (22) क-अम्सालिल्-लुअ्लुइल्-मक्नून (23) जज़ा-अम् बिमा कानू यअ्मलून (24) ला यस्मअ़ू-न फ़ीहा लग्वंव्-व ला तअ्सीमा (25) इल्ला क़ीलन् सलामन् सलामा (26) व अस्हाबुल्-यमीनि मा अस्हाबुल्-यमीन (27) फ़ी सिद्रिम्-मख़्ज़ूदिंव्- (28) -व तल्हिम्-मन्ज़ूदिंव्- (29) -व ज़िल्लिम्-मम्दूदिंव्- (30) -व माइम्-मस्कूब (31) व फ़ाकि-हतिन् कसी-रतिल्- (32) -ला मक्तू-अ़तिंव्-व ला मम्नू-अ़तिंव्- (33) -व फ़ुरुशिम्-मर्फ़ूअ़ह् (34) इन्ना अन्शअ्नाहुन्-न इन्शा-अन् (35) फ़-जअ़ल्नाहुन्-न अब्कारा (36) अ़ुरुबन् अत्राबल्- (37) लिअस्हाबिल्-यमीन (38) ❁

आँखों वालियाँ (22) जैसे मोती के दाने अपने गिलाफ़ के अन्दर (23) बदला उन कामों का जो करते थे (24) नहीं सुनेंगे वहाँ बकवास और न गुनाह की बात (25) मगर एक बोलना सलाम सलाम (26) और दाहिने वाले क्या कहने दाहिने वालों के। (27) रहते हैं बेरी के दरख़्तों में जिनमें काँटा नहीं (28) और केले तह पर तह (29) और साया लम्बा (30) और पानी बहता हुआ (31) और मेवा बहुत (32) न उसमें से टूटा और न रोका हुआ (33) और बिछौने ऊँचे (34) हमने उठाया उन औरतों को एक अच्छे उठान पर (35) फिर किया उनको कुंवारियाँ (36) प्यार दिलाने वालियाँ हमउम्र (37) वास्ते दाहिने वालों के (38) ❁

सुल्लतुम्-मिनल्-अव्वलीन (39) व सुल्लतुम्-मिनल्-आख़िरीन (40) व अस्हाबुश्शिमालि मा अस्हाबुश्-शिमाल (41) फ़ी समूमिंव्-व हमीमिंव्- (42) -व ज़िल्लिम्-मिंय्यह्मूमिल्- (43) -ला बारिदिंव्-व ला करीम (44) इन्नहुम् कानू क़ब्-ल ज़ालि-क मुत्रफ़ीन (45) व कानू युसिर्रू-न

बड़ी जमाअ़त है पहलों में से (39) और एक बड़ी जमाअ़त है पिछलों में से (40) और बायें वाले कैसे बायें वाले (41) तेज़ भाप में और जलते पानी में (42) और साये में धुएँ के (43) न ठण्डा और न इज़्ज़त का (44) वे लोग थे इससे पहले ख़ुशहाल (45) और ज़िद करते थे इस

अ़लल्-हिन्सिल्-अ़ज़ीम (46) व कानू यक़ूलू-न अ-इज़ा मित्ना व कुन्ना तुराबंव्-व अ़िज़ामन् अ-इन्ना ल-मब्अूसून (47) अ-व आबाउनल्-अव्वलून (48) क़ुल् इन्नल्-अव्वली-न वल्-आख़िरीन (49) ल-मज्मूअू-न इला मीक़ाति यौमिम्-मअ़्लूम (50) सुम्-म इन्नकुम् अय्युहज़्ज़ाल्लूनल्-मुकज़्ज़िबून (51) ल-आकिलू-न मिन् श-जरिम्-मिन् ज़क़्क़ूम (52) फ़मालिऊ-न मिन्हल्-बुतून (53) फ़शारिबू-न अ़लैहि मिनल्-हमीम (54) फ़शारिबू-न शुर्बल्-हीम (54) हाज़ा नुज़ुलुहुम् यौमद्दीन (56)	बड़े गुनाह पर (46) और कहा करते थे- क्या जब हम मर गये और हो चुके मिट्टी और हड्डियाँ, क्या हम फिर उठाये जायेंगे? (47) क्या हमारे पहले बाप-दादा भी? (48) तू कह दे कि अगले और पिछले (49) सब इकट्ठे होने वाले हैं एक तयशुदा दिन के वक़्त पर (50) फिर तुम जो हो ऐ बहके हुओ झुठलाने वालो (51) ज़रूर खाओगे एक सींढ (नाग फनी) के पेड़ से (52) फिर भरोगे उससे पेट (53) फिर पियोगे उस पर एक जलता पानी (54) फिर पियोगे जैसे पियें ऊँट तोंसे हुए (55) यह मेहमानी है उनकी इन्साफ़ के दिन। (56)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जब क़ियामत क़ायम होगी जिसके क़ायम होने में कोई झूठ नहीं है (बल्कि उसका वाक़े होना बिल्कुल सही और हक़ है) तो वह (कुछ को) पस्त कर देगी (और कुछ को) बुलन्द कर देगी (यानी काफ़िरों की ज़िल्लत का और मोमिनों की बुलन्दी व इज़्ज़त का उस दिन इज़हार होगा) जबकि ज़मीन को सख़्त ज़लज़ला आयेगा और पहाड़ बिल्कुल टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे। फिर वो उड़ते हुए ग़ुबार (की तरह) हो जाएँगे। और तुम (सब आदमी जो इस वक़्त मौजूद हो या पहले गुज़र चुके हैं या आईन्दा आने वाले हैं) तीन क़िस्म के हो जाओगे (जिनकी तफ़सील आगे आती है- ख़्वास मोमिनीन, अ़वाम मोमिनीन और काफ़िर लोग, जैसा कि सूरः रहमान में भी यही तीन क़िस्में बयान हुई हैं और आगे आने वाली आयतों में 'ख़्वास' को क़रीबी और आगे बढ़ जाने वाले कहा है और अ़वाम मोमिनों को दायें वाले और काफ़िरों को बायें वाले और इस सूरत की शुरू की 38 आयतों में क़ियामत के दिन पहले सूर के फूँके जाने के वक़्त के कुछ वाक़िआ़त बयान फ़रमाये हैं जैसे ज़मीन का लरज़ना, जैसा कि सूरः हिज्र के शुरू में आया है और पहाड़ों का टूटकर बिखर जाना, और कुछ वाक़िआ़त दूसरी बार के सूर फूँके जाने के वक़्त के बयान

फ़रमाये हैं जैसे कुछ लोगों का पस्त व ज़लील और कुछ का सरबुलन्द और इज़्ज़त पाने वाला होना, और लोगों का तीन क़िस्मों में विभाजित हो जाना, और कुछ वाक़िआत ऐसे हैं दोनों वक़्त के सूर फूँके जाने के वक़्त में साझा हैं जैसे क़ियामत का हो पड़ना और उसके होने में किसी झूठ की गुंजाईश न होना। चूँकि पहली बार के सूर फूँके जाने से दूसरी बार के सूर फूँके जाने तक का तमाम वक़्त एक वक़्त के हुक्म में है इसलिये इस वक़्त के हर भाग को हर वाक़िए का वक़्त कहा जा सकता है।

आगे इन तीनों क़िस्मों में तक़सीम बयान करने के बाद तीनों के अहकाम अलग-अलग ज़िक्र किये हैं, पहले संक्षिप्त रूप से फिर तफ़सील के साथ, कि तीन क़िस्में जो बयान हुई हैं) सो (इनमें एक क़िस्म यानी) जो दाहिने वाले हैं वे दाहिने वाले कैसे अच्छे हैं (इससे मुराद वे हैं जिनके आमाल नामे दाहिने हाथ में दिये जायेंगे और अगरचे यह मतलब और हालत अल्लाह के क़रीबी और ख़ास हज़रात को भी शामिल है लेकिन इसी सिफ़त पर बस करने से इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि उनमें दायें वाले होने के अ़लावा निकटता की कोई और सिफ़त नहीं पाई जाती, इस तरह इससे मुराद आ़म मोमिन हज़रात हो गये और इसमें संक्षिप्त रूप से उनकी हालत का अच्छा होना बतला दिया। आगे आयत नम्बर 28 'फ़ी सिद्रिम् मख़्ज़ूदिंव्........' से इस संक्षिप्तता की तफ़सील बयान की गई है)।

और (दूसरी क़िस्म यानी) जो बाएँ वाले हैं वे बाएँ वाले कैसे बुरे हैं (इससे मुराद वे लोग हैं जिनके आमाल नामे बायें हाथ में दिये जायेंगे यानी काफ़िर लोग, और इसमें मुख़्तसर तौर पर उनकी हालत का बुरा होना बतला दिया। आगे आयत नम्बर 42 'फ़ी समूमिंव्.......' से इस संक्षिप्तता की तफ़सील की गई है)।

और (तीसरी क़िस्म यानी) जो आला दर्जे के हैं वे तो आला ही दर्जे के ही हैं (और) वे (अल्लाह के साथ) ख़ास निकटता रखने वाले हैं। (इसमें तमाम आला दर्जे के बन्दे दाख़िल हैं अम्बिया और औलिया व सिद्दीक़ीन और कामिल मुत्तक़ी, और इसमें संक्षिप्त रूप से उनकी हालत का अच्छा व आ़ला होना बतला दिया। आगे आयत नम्बर 12 'फ़ी जन्नातिन् नअ़ीम.....' से इस संक्षिप्तता की तफ़सील की जाती है, यानी) ये (अल्लाह से निकटता रखने वाले) लोग आराम के बाग़ों में होंगे (जिसकी मज़ीद तफ़सील 'बैठे हैं जड़े हुए तख़्तों पर' से आती है और दरमियान में इन ख़ास निकटता वालों में बहुत सी जमाअ़तों का शामिल होना बतलाते हैं कि) उन (क़रीबी और ख़ास लोगों) का एक बड़ा गिरोह तो अगले लोगों में से होगा और थोड़े पिछले लोगों में से होंगे (अगलों से मुराद पहले गुज़रे हज़रात हैं आदम अ़लैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से पहले तक, और पिछलों से मुराद हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वक़्त से लेकर क़ियामत तक, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न नक़ल किया गया है।

और आगे बढ़ने वालों में अधिकता पहलों में की और कम तायदाद पिछलों में से रहने की वजह यह है कि ख़्वास "विशेष और ख़ास दर्जा प्राप्त" हर ज़माने में कम होते हैं और पहले

गुज़रे यानी आदम अ़लैहिस्सलाम से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के समय तक का ज़माना बहुत लम्बा है, उम्मते मुहम्मदिया के मुक़ाबले में जो क़ियामत के क़रीब पैदा हुई है, तो वक़्त के बहुत लम्बा और ज़्यादा होने का तक़ाज़ा भी यही है कि उस लम्बे ज़माने के ख़्वास उम्मते मुहम्मदिया के मुक़ाबले में जिसका ज़माना मुख़्तसर है ज़्यादा होंगे, क्योंकि उस लम्बे ज़माने में लाख दो लाख तो नबी ही हैं और ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में कोई और नबी नहीं, इसलिये अल्लाह के ख़ास और क़रीबी हज़रात का बड़ा गिरोह पहले गुज़रे लोगों का होगा और बाद वाले यानी उम्मते मुहम्मदिया में उससे कम होगा।

आगे अल्लाह के ख़ास और क़रीबी हज़रात के लिये जो नेमतें मुक़र्रर हैं उनकी तफ़सील यह है कि) वे (नज़दीकी) लोग सोने के तारों से बुने हुए तख़्तों पर तकिया लगाये आमने-सामने बैठे होंगे (दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से लफ़्ज़ 'मौज़ूनतु' की यही तफ़सीर नक़ल की है, और) उनके आस-पास ऐसे लड़के होंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, ये चीज़ें लेकर आना-जाना किया करेंगे- आबख़ोरे और आफ़ताबे "यानी ढक्कनदार लोटे और डोंगे" और ऐसा शराब का जाम जो बहती हुई शराब से भरा जायेगा (इसकी तहक़ीक़ सूरः साफ़्फ़ात में गुज़र चुकी है), न उससे उनको सरदर्द होगा और न उससे अ़क़्ल में फ़तूर आयेगा (यह भी सूरः साफ़्फ़ात में गुज़र चुका है)। और मेवे जिनको वे पसन्द करें और परिन्दों का गोश्त जो उनको पसन्दीदा होगा, और उनके लिये गोरी-गोरी बड़ी-बड़ी आँखों वाली औरतें होंगी (मुराद हूरें हैं जिनकी रंगत ऐसी साफ़ और चमकदार होगी) जैसे (हिफ़ाज़त से) छुपाकर रखा हुआ मोती। यह उनके आमाल के बदले में मिलेगा।

(और) वहाँ न बक-बक सुनेंगे और न वे कोई और बेहूदा बात (सुनेंगे, यानी शराब पीकर या वैसे भी ऐसी चीज़ें न पाई जायेंगी जिनसे ऐश का मज़ा ख़राब होता है), बस (हर तरफ़ से) सलाम ही सलाम की आवाज़ आयेगी (जैसा कि इस सलाम के बारे में एक दूसरी आयत में अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَالْمَلٰٓئِكَةُ يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ.

एक और जगह अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

تَحِيَّتُهُمْ فِيْهَا سَلٰمٌ

जो कि इज़्ज़त व सम्मान की निशानी है। ग़र्ज़ कि रूहानी व जिस्मानी हर तरह की आला दर्जे की लज़्ज़त व ख़ुशी होगी। यह आगे बढ़ने यानी ख़ास दर्जा पाने वालों की जज़ा का बयान किया गया) और (आगे दायें वालों की जज़ा की तफ़सील है, यानी) जो दाहिने वाले हैं वे दाहिने वाले कैसे अच्छे हैं (आगे उनके अच्छे होने का बयान है कि) वे उन बाग़ों में होंगे जहाँ बग़ैर काँटों की बेरियाँ होंगी और तह-ब-तह केले होंगे, और लम्बा-लम्बा साया होगा, और चलता हुआ पानी होगा, और बहुत ज़्यादा मेवे होंगे, जो न ख़त्म होंगे (जैसे दुनिया के मेवे कि फ़सल पूरी होने से ख़त्म हो जाते हैं) और न उनकी रोक-टोक होगी (जैसे दुनिया में बाग़ वाले उसकी रोक-

थाम करते हैं)। और ऊँचे-ऊँचे फ़र्श (क्योंकि जिन दर्जों में वे बिछे हैं वे दर्जे बुलन्द) होंगे। (और चूँकि स्थान और मक़ाम ऐश व आराम और लुत्फ़ उठाने का है और लुत्फ़ उठाना बिना औरतों के कामिल नहीं होता इस तरीक़े पर उन ऐश व लुत्फ़ उठाने के सामानों के ज़िक्र ही से औरतों का होना मालूम हो गया लिहाज़ा आगे जन्नती औरतों की तरफ़ 'हमने उठाया उनको एक अच्छे उठान पर' से औरतों की तरफ़ इशारा करके उनका ज़िक्र फ़रमाया जाता है कि) हमने (वहाँ की) उन औरतों को (जिनमें जन्नत की हूरें भी शामिल हैं और दुनिया की औरतें भी जैसा कि रूहुल-मआ़नी में तिर्मिज़ी के हवाले से यह मरफ़ूअ़ हदीस नक़ल की है कि इस आयत में जिन औरतों के नई उठान पर बनाने का ज़िक्र है उनसे मुराद वे औरतें हैं जो दुनिया में बूढ़ी या बद-शक्ल थीं उनके मुताल्लिक़ फ़रमाया कि हमने उन औरतों को) ख़ास तौर पर बनाया है (जिनकी तफ़सील आगे आती है)। यानी हमने उनको ऐसा बनाया कि वे कुंवारियाँ हैं (यानी जब उनसे सोहबत की जायेगी उसके बाद वे फिर कुंवारी हो जायेंगी जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ि. की मरफ़ूअ़ हदीस से साबित है और) महबूबा हैं (यानी हरकतों व आ़दतों और नाज़ व अन्दाज़ और हुस्न व जमाल सब चीज़ें उनकी दिलकश हैं, और जन्नत वालों की) हम-उम्र हैं (इसकी तहक़ीक़ सूरः सॉद में गुज़र चुकी है)। ये सब चीज़ें दाहिने वालों के लिये हैं।

(आगे यह बतलाते हैं कि दाहिने वाले भी विभिन्न और अलग-अलग क़िस्म के लोग होंगे यानी) उन (दाहिने वालों) का एक बड़ा गिरोह अगले लोगों में से होगा और एक बड़ा गिरोह पिछले लोगों में से होगा (बल्कि बाद वालों में दायें वाले पहले वालों के मुक़ाबले में संख्या में ज़्यादा होंगे, चुनाँचे हदीसों में इसकी वज़ाहत है कि इस उम्मत के मोमिनों का मजमूआ़ "यानी कुल तायदाद" पिछली तमाम उम्मतों के मोमिनों के मजमूए से ज़्यादा होगा, और इसकी यही सूरत हो सकती है कि दायें वाले इस उम्मत में ज़्यादा हों क्योंकि विशेष दर्जा और निकटता पाने वालों की अक्सरियत तो पहले गुज़रे हज़रात में ख़ुद ऊपर की आयत से साबित हो चुकी है। और जब दाहिने वाले मर्तबे में ख़ास और क़रीबी हज़रात से कम हैं तो उनकी जज़ा भी कम होगी, सो इसका ख़ुलासा यह है कि मुक़र्रबीन "ख़ास और क़रीबी हज़रात" की जज़ा में ऐश के वो सामान ज़्यादा ज़िक्र हुए हैं जो शहर वालों को ज़्यादा पसन्दीदा हैं और दाहिने वालों की जज़ा में ऐश के वो सामान ज़्यादा ज़िक्र हुए हैं जो देहात व क़सबों वालों को पसन्द हैं। इसमें इस तरफ़ इशारा है कि इन दोनों में ऐसा फ़र्क़ होगा जैसा शहर वालों और देहात वालों में हुआ करता है। तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में यही तफ़सीर बयान की गयी है)।

और (आगे काफ़िरों का और उनकी सज़ा व अ़ज़ाब का ज़िक्र है, यानी) जो बाएँ वाले हैं वे बाएँ वाले कैसे बुरे हैं (और इसकी तफ़सील यह है कि) वे लोग आग में होंगे और खौलते हुए पानी में और काले धुएँ के साये में जो न ठन्डा होगा और न ख़ुशी व राहत देने वाला होगा (यानी साये से एक जिस्मानी नफ़ा होता है जिसका ज़िक्र ऊपर सूरः रहमान में नुहास के लफ़्ज़ से आया है। आगे इस अ़ज़ाब की वजह इरशाद है कि) वे लोग इससे पहले (यानी दुनिया में)

बड़ी ख़ुशहाली में रहते थे और (उस ख़ुशहाली के घमण्ड में) बड़े भारी गुनाह (यानी शिर्क व कुफ़्र) पर जमे और अड़े रहते थे (मतलब यह कि ईमान नहीं लाये थे)।

और (आगे उनके कुफ़्र का बयान है जिसको ज़्यादा दख़ल है हक़ की तलब न होने में, यानी वे) यूँ कहा करते थे कि जब हम मर गये और मिट्टी और हड्डियाँ (होकर) रह गये, तो क्या (उसके बाद) हम दोबारा ज़िन्दा किये जाएँगे, और क्या हमारे पहले गुज़रे बाप-दादा भी (ज़िन्दा होंगे? चूँकि क़ियामत के इनकारी लोगों में कुछ काफ़िर' पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में भी थे इसलिये इसके बारे में इरशाद है कि) आप कह दीजिये कि सब अगले और पिछले जमा किये जाएँगे एक मुक़र्रर की हुई तारीख़ के वक़्त पर, फिर (जमा होने के बाद) तुमको ऐ गुमराहो, झुठलाने वालो! ज़क़्क़ूम के "एक काँटेदार और सख़्त कड़वे" पेड़ से खाना होगा, फिर उससे पेट भरना होगा। फिर उस पर खौलता हुआ पानी पीना होगा, फिर पीना भी प्यासे ऊँटों के जैसा, (ग़र्ज़ कि) उन लोगों की क़ियामत के दिन यह दावत होगी।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः वाक़िआ़ की ख़ुसूसी फ़ज़ीलत, मौत की बीमारी में अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की सबक़ लेने वाली हिदायतें

इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने अ़साकिर, अबू ज़बीया के हवाले से यह वाक़िआ़ नक़ल किया है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की वफ़ात की बीमारी में हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु मिज़ाज-पुर्सी के लिये तशरीफ़ ले गये। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने पूछा- तुम्हें क्या तकलीफ़ है? तो फ़रमाया- अपने गुनाहों की तकलीफ़ है। फिर पूछा- आप क्या चाहते हैं? तो फ़रमाया- अपने रब की रहमत चाहता हूँ। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं आपके लिये किसी तबीब (इलाज करने वाले) को बुलाता हूँ तो फ़रमाया- मुझे तबीब ही ने बीमार किया है। फिर हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैं आपके लिये बैतुल-माल से कोई अ़तीया (इमदाद) भेज दूँ तो फ़रमाया- मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं।

हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अ़तीया ले लीजिये वह आपके बाद आपकी लड़कियों के काम आयेगा, तो फ़रमाया कि क्या आपको मेरी लड़कियों के बारे में यह फ़िक्र है कि वे तंगदस्ती व फ़ाक़े में मुब्तला हो जायेंगी? मगर मुझे यह फ़िक्र इसलिये नहीं कि मैंने अपनी लड़कियों को ताकीद कर रखी है कि हर रात सूरः वाक़िआ़ पढ़ा करें क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है:

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ كُلَّ لَيْلَةٍ لَمْ تُصِبْهُ فَاقَةٌ اَبَدًا. (ابن کثیر)

"जो शख़्स हर रात में सूरः वाक़िआ़ पढ़ा करे वह कभी फ़ाक़े में मुब्तला नहीं होगा।"

अ़ल्लामा इब्ने कसीर ने यह रिवायत इब्ने अ़साकिर की सनद से नक़ल करने के बाद इस

की ताईद दूसरी सनदों और दूसरी किताबों से भी पेश की है।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○

अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि वाक़िआ़ क़ियामत के नामों में से एक नाम है क्योंकि उसके आने और ज़ाहिर होने में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं।

لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○

काज़िबतु मस्दर है जैसे 'आ़फ़ियतु' और 'आ़क़िबतु' और मायने यह हैं कि उसके वाक़े होने में कोई झूठ नहीं हो सकता। कुछ हज़रात ने काज़िबा को झुठलाने के मायने में क़रार दिया है मायने ज़ाहिर हैं कि उसको झुठलाया नहीं जा सकता।

خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ○

यानी क़ियामत का वाक़िआ़ बहुत सी बुलन्द रुतबे वाली क़ौमों और अफ़राद को पस्त व ज़लील कर देगा और बहुत सी पस्त व हक़ीर क़ौमों और अफ़राद को सरबुलन्द कर देगा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस जुमले की यही तफ़सीर मन्क़ूल है, और मक़सद उसका हौलनाक होना और उसमें अ़जीब क़िस्म के इन्क़िलाबात पेश आने का बयान है जैसा कि सल्तनतों और हुकूमतों के इन्क़िलाब (बदलाव और पलटने) के वक़्त देखने में आया करता है कि ऊपर वाले नीचे और नीचे वाले ऊपर हो जाते हैं, फ़क़ीर मालदार हो जाते हैं मालदार फ़क़ीर हो जाते हैं। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

मैदाने हश्र में हाज़िर लोगों की तीन क़िस्में

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ○

अ़ल्लामा इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन तमाम लोग तीन गिरोहों में तक़सीम हो जायेंगे। एक जमाअ़त अ़र्श के दाहिनी जानिब होगी, ये वे होंगे जो आदम अ़लैहिस्सलाम की दाहिनी जानिब से पैदा हुए और उनके आमाल नामे उनके दाहिने हाथों में दिये जायेंगे और उनको अ़र्श की दाहिनी जानिब में जमा कर दिया जायेगा, ये सब लोग जन्नती हैं।

दूसरी जमाअ़त अ़र्श की बाईं जानिब में जमा होगी, जो आदम अ़लैहिस्सलाम के बाईं जानिब से पैदा हुई और जिनके आमाल नामे उनके बायें हाथों में दिये जायेंगे, इन सब को बाईं जानिब जमा कर दिया जायेगा और ये सब लोग जहन्नमी हैं (हम उनमें शामिल होने से अल्लाह की पनाह चाहते हैं)।

और तीसरी जमाअ़त वह होगी जो आगे बढ़ने और ख़ास दर्जा प्राप्त करने वाले होंगे, जो रब तआ़ला के अ़र्श के सामने ख़ुसूसी इम्तियाज़ और निकटता के मक़ाम में होंगे जिनमें नबी व रसूल, सिद्दीक़ीन व शहीद और औलिया-अल्लाह शामिल होंगे, दाईं जानिब वालों के मुक़ाबले में इनकी संख्या कम होगी।

सूरत के आख़िर में इन तीनों का ज़िक्र फिर इस सिलसिले में आयेगा कि इनसानों की मौत

के वक़्त से ही इसके आसार महसूस हो जायेंगे कि यह उन तीनों गिरोहों में से किस गिरोह में शामिल होने वाला है।

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ٥

इमाम अहमद रह. ने हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से सवाल किया कि तुम जानते हो कि कियामत के दिन अल्लाह के साये की तरफ़ सबक़त करने (आगे बढ़ने) वाले लोग कौन होंगे? सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया ये वे लोग हैं कि जिब उनको हक़ की तरफ़ दावत दी जाये तो उसको क़ुबूल करें और जब उनसे हक़ माँगा जाये तो अदा कर दें और लोगों के मामलात में वो फ़ैसला करें जो अपने हक़ में करते हैं।

मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि साबिक़ीन (आगे बढ़ने वालों) से मुराद अम्बिया हैं। इमाम इब्ने सीरीन ने फ़रमाया कि जिन लोगों ने दोनों क़िब्लों यानी बैतुल-मुक़द्दस और बैतुल्लाह की तरफ़ नमाज़ पढ़ी है वे साबिक़ीन हैं, और हज़रत हसन व क़तादा रह. ने फ़रमाया कि हर उम्मत में साबिक़ीन होंगे। कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि मस्जिद की तरफ़ सबसे पहले जाने वाले साबिक़ीन होंगे।

इमाम इब्ने कसीर रह. ने इन तमाम अक़वाल को नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि ये सब अक़वाल अपनी-अपनी जगह सही व दुरुस्त हैं, इनमें कोई टकराव नहीं, क्योंकि साबिक़ीन वही लोग होंगे जिन्होंने दुनिया में नेक कामों की तरफ़ दौड़ लगाई होगी, तो जो आदमी इस दुनिया में नेक आमाल के अन्दर दूसरों से आगे बढ़ा रहा वह आख़िरत में भी साबिक़ीन में से होगा, क्योंकि आख़िरत की जज़ा अ़मल के मुनासिब दी जायेगी।

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ٥ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ٥

लफ़्ज़ सुल्लतु जमाअ़त को कहते हैं और अ़ल्लामा ज़मख़्शरी ने कहा कि बड़ी जमाअ़त को सुल्लतु कहा जाता है। (रूहुल-मआ़नी)

'अव्वलीन' व 'आख़िरीन' से क्या मुराद है

यहाँ अव्वलीन व आख़िरीन की तक़सीम का दो जगह ज़िक्र आया है, अव्वल साबिक़ीन मुक़र्रबीन (यानी ख़ुसूसी दर्जा और निकटता पाने वालों) के सिलसिले में, दूसरा दाहिनी जानिब वालों यानी आ़म मोमिनों के सिलसिले में। पहली जगह यानी साबिक़ीन में तो यह फ़र्क़ किया गया है कि ये साबिक़ीन मुक़र्रबीन अव्वलीन में से बड़ी जमाअ़त होगी, और आख़िरीन में से कम होंगे जैसा कि उपरोक्त आयत में है, और दूसरी जगह दायें वालों के बयान में अव्वलीन व आख़िरीन दोनों में लफ़्ज़ सुल्लतु आया है जिसके मायने यह हुए कि दाईं जानिब वाले अव्वलीन में से बड़ी जमाअ़त होगी इसी तरह आख़िरीन में से भी बड़ी जमाअ़त होगी। जैसा कि फ़रमायाः

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ۝ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ۝

अब क़ाबिले ग़ौर यह चीज़ है कि अव्वलीन से मुराद कौन हैं और आख़िरीन से कौन, इसमें हज़राते मुफ़स्सिरीन के दो क़ौल हैं- एक यह कि आदम अ़लैहिस्सलाम से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने के क़रीब तक की तमाम मख़्लूक़ात अव्वलीन में दाख़िल हैं और ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से लेकर क़ियामत तक आने वाली मख़्लूक़ आख़िरीन में दाख़िल है। यह तफ़सीर इमाम मुजाहिद और हसन बसरी रह. से इब्ने अबी हातिम ने सनद के साथ नक़ल की है और इब्ने जरीर रह. ने भी इसी तफ़सीर को इख़्तियार किया है। तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन के ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में भी इसी को इख़्तियार किया गया है जो ऊपर बयान हो चुका है, और इसकी दलील में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मरफ़ूअ़ हदीस नक़ल की है, यह हदीस इब्ने अ़साकिर ने अपनी सनद के साथ इस तरह नक़ल की है कि जब पहली आयत जो साबिक़ीन और क़रीबी दर्जा हासिल करने वालों के सिलसिले में आई है, नाज़िल हुई यानीः

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ۝ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ۝

तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ताज्जुब के साथ अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! क्या पिछली उम्मतों में साबिक़ीन ज़्यादा होंगे और हम में कम होंगे? इसके बाद साल भर तक अगली आयत नाज़िल नहीं हुई। जब एक साल के बाद यह आयत नाज़िल हुईः

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ۝ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ۝

तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اِسْمَعْ يَا عُمَرُ مَا قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ اَلَا وَاِنَّ مِنْ اٰدَمَ اِلَيَّ ثُلَّةٌ وَّاُمَّتِيْ ثُلَّةٌ. الحديث

(ابن كثير)

"ऐ उमर! सुनो! जो अल्लाह ने नाज़िल फ़रमाया कि अव्वलीन में से भी सुल्लतुन् यानी बड़ी जमाअ़त होगी और आख़िरीन में से भी सुल्लतुन् यानी बड़ी जमाअ़त होगी, और याद रखो कि आदम अ़लैहिस्सलाम से मुझ तक एक सुल्लत (बड़ी जमाअ़त) है और मेरी उम्मत दूसरा सुल्लत (बड़ी जमाअ़त)।"

और इस मज़मून की ताईद उस हदीस से भी होती है जो इमाम अहमद और इब्ने अबी हातिम रह. ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है कि जब आयतः

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ۝ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ۝

नाज़िल हुई तो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर भारी गुज़रा कि हम पहली उम्मतों के मुक़ाबले में कम रहेंगे, उस वक़्त दूसरी आयत नाज़िल हुईः

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ۝ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ۝

उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे उम्मीद है कि तुम

यानी उम्मते मुहम्मदिया जन्नत में सारी मख़्लूक़ के मुक़ाबले में चौथाई, तिहाई बल्कि आधे जन्नत वाले होंगे, और बाक़ी आधे में भी तुम्हारा कुछ हिस्सा होगा। (इब्ने कसीर) जिसका नतीजा यह होगा कि मजमूई तौर पर जन्नत वालों में अक्सरियत उम्मते मुहम्मदिया की हो जायेगी, मगर इन दोनों हदीसों से दलील लेने में एक इश्काल यह है कि 'थोड़े बाद वालों में से" तो साबिक़ीने मुक़र्रबीन के बारे में आया है और दूसरी आयत में जो 'एक बड़ी जमाअत बाद वालों में से" आया है वह साबिक़ीन मुक़र्रबीन (आगे बढ़ने और ख़ास दर्जा हासिल करने) के मुताल्लिक़ नहीं बल्कि दायें वालों के बारे में है।

इसका जवाब तफ़सीर रूहुल-मआनी में यह दिया है कि सहाबा किराम और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जो पहली आयत से रंज व ग़म हुआ, इसकी वजह यह हो सकती है कि उन्होंने यह ख़्याल किया होगा कि जो निस्बत साबिक़ीन में है वही शायद दायें वालों और आम जन्नत वालों में होगी, जिसका नतीजा यह होगा कि तमाम जन्नत वालों में हमारी तादाद बहुत कम रहेगी। जब दायें वालों की वज़ाहत में अव्वलीन व आख़िरीन दोनों में लफ़्ज़ सुल्लतु (बड़ा गिरोह) नाज़िल हुआ तो इस शुब्हे का ख़ात्मा हो गया कि मजमूई एतिबार से जन्नत वालों में उम्मते मुहम्मदिया की अक्सरियत रहेगी, अगरचे साबिक़ीने अव्वलीन में उनकी तादाद दूसरी उम्मतों के मजमूए के मुक़ाबले में कम रहे, ख़ुसूसन इस वजह से कि पहली उम्मतों के मजमूए में एक भारी तादाद अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की है, उनके मुक़ाबले में उम्मते मुहम्मदिया के लोग कम रहें तो कोई ग़म की चीज़ नहीं।

लेकिन तफ़सीर इब्ने कसीर, अबू हय्यान, क़ुर्तुबी, रूहुल-मआनी और मज़हरी वग़ैरह सब तफ़सीरों में दूसरी तफ़सीर को तरजीह दी है जिसका हासिल यह है कि अव्वलीन व आख़िरीन दोनों तब्क़े इसी उम्मत के मुराद हैं, इस उम्मत के अव्वलीन पहले दौर यानी सहाबा व ताबिईन वग़ैरह हैं जिनको हदीस में ख़ैरुल-क़ुरून (बेहतरीन ज़माने वाले) फ़रमाया है और आख़िरीन आख़िर के दौर के बाद वाले हज़रात हैं।

इमाम इब्ने कसीर ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु की मरफ़ूअ़ हदीस जो पहली तफ़सीर की ताईद में ऊपर लिखी गई है इसकी सनद के मुताल्लिक़ कहा है कि इसकी सनद में कुछ सोच-विचार का मौक़ा है।

दूसरी तफ़सीर के लिये दलील में क़ुरआन की वो आयतें पेश की हैं जिनमें उम्मते मुहम्मदिया का तमाम उम्मतों में बेहतर होना ज़िक्र हुआ है, जैसे 'कुन्तुम् ख़ै-र उम्मतिन् उख़्रिजत् ....' वग़ैरह और फ़रमाया कि यह बात बहुत मुश्किल और दूर की है कि अल्लाह के यहाँ क़रीबी दर्जा पाने और आगे बढ़ने वालों की तादाद सबसे बेहतर उम्मत में दूसरी उम्मतों के मुक़ाबले में कम हो, इसलिये ज़्यादा सही यह है कि 'पहले वालों में से एक बड़ी जमाअ़त' से मुराद इसी उम्मत के शुरू के दौर के हज़रात हैं, और 'थोड़े बाद वालों में से' से मुराद बाद के लोग हैं कि उनमें आगे बढ़ने और अल्लाह की निकटता पाने वालों की तादाद कम होगी।

इस क़ौल की ताईद में इमाम इब्ने कसीर ने हज़रत हसन बसरी रह. का क़ौल इब्ने अबी

हातिम की रिवायत से यह पेश किया है कि हज़रत हसन बसरी रह. ने यह आयत 'अस्साबिक़ूनस्-साबिक़ून' तिलावत करके फ़रमाया कि साबिक़ीन तो हम से पहले गुज़र चुके लेकिन या अल्लाह! हमें दायें वालों में दाख़िल फ़रमा दीजिये, और हज़रत हसन रह. से दूसरी रिवायत में ये अलफ़ाज़ भी नक़ल किये गये हैं कि 'सुल्लतुम् मिनल् अव्वलीन' की तफ़सीर में फ़रमायाः

ثُلَّةٌ مِّمَّنْ مَضٰى مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ

यानी अव्वलीन से मुराद इसी उम्मत के साबिक़ीन (पहले गुज़रे हज़रात) हैं।

इसी तरह अ़ल्लामा मुहम्मद बिन सीरीन रह. ने फ़रमाया किः

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ٥ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ٥

के मुताल्लिक़ उलेमा यह कहते और उम्मीद करते थे कि ये अव्वलीन व आख़िरीन सब इसी उम्मत में से हों। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इस दूसरी तफ़सीर की ताईद में एक मरफ़ूअ़ हदीस उम्दा सनद के साथ हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की करिवायत से यह नक़ल की हैः

اَخْرَجَ مُسَدَّدٌ فِیْ مُسْنَدِهٖ وَابْنُ الْمُنْذِرِ وَالطَّبْرَانِیُّ وَابْنُ مَرْدُوْیَه بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ اَبِیْ بَكْرَةَ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیْ قَوْلِهٖ سُبْحَانَهٗ: ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِیْنَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِیْنَ. قَالَ هُمَا جَمِیْعًا مِّنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ.

"मुसद्दद ने अपनी मुस्नद में और इब्नुल-मुन्ज़िर, तबरानी और इब्ने मरदूया ने हसन सनद के साथ हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आयतः

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ٥ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ٥

की तफ़सीर में फ़रमाया कि ये दोनों जमाअ़तें इसी उम्मते मुहम्मदिया में से होंगी।"

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी ज़ईफ़ सनद के साथ एक मरफ़ूअ़ हदीस बहुत से हज़राते मुहद्दिसीन ने नक़ल की है जिसके अलफ़ाज़ ये हैंः

هُمَا جَمِيْعًا مِّنْ اُمَّتِيْ.

यानी ये दोनों 'अव्वलीन' व 'आख़िरीन' मेरी ही उम्मत में से होंगे।

इस तफ़सीर के मुताबिक़ आयत के शुरू में 'कुन्तुम् अज़्वाजन् सलासतन्' का मुख़ातब उम्मते मुहम्मदिया ही होगी, और ये तीनों क़िस्में उम्मते मुहम्मदिया ही की होंगी। (रूहुल-मआ़नी)

तफ़सीरे मज़हरी में पहली तफ़सीर को इसलिये बहुत दूर की क़रार दिया है कि क़ुरआन की आयतों का इस पर स्पष्ट इशारा है कि उम्मते मुहम्मदिया तमाम पिछली उम्मतों से अफ़ज़ल है, और ज़ाहिर यह है कि किसी उम्मत की फ़ज़ीलत उसके अन्दर आला तब्क़े की ज़्यादा तादाद ही से होती है, इसलिये यह बात बहुत दूर की है कि तमाम उम्मतों में उम्मत के अन्दर साबिक़ीने मुक़र्रबीन की तादाद कम हो। क़ुरआन की आयतेंः

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

और:

لِتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا.

से उम्मते मुहम्मदिया का सब उम्मतों पर अफ़ज़ल व बेहतर होना साबित है, और तिर्मिज़ी, इब्ने माजा व दारमी ने हज़रत बहज़ बिन हकीम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसकी सनद को हसन क़रार दिया है। हदीस के अलफ़ाज़ ये हैं:

اَنْتُمْ تُتِمُّوْنَ سَبْعِيْنَ اُمَّةً اَنْتُمْ اَخِيْرُهَا وَاَكْرَمُهَا عَلَى اللّٰهِ تَعَالٰى

"तुम पहले गुज़री सत्तर उम्मतों का पूरक होगे जिनमें तुम सब आख़िर में और अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा सम्मानित व अफ़ज़ल होगे।"

और इमाम बुख़ारी रह. ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क्या तुम इस पर राज़ी हो कि जन्नत वालों के चौथाई तुम लोग हो जाओगे? हमने अ़र्ज़ किया कि बेशक हम इस पर राज़ी हैं तो आपने फ़रमाया:

وَالَّذِیْ نَفْسِیْ بِيَدِهٖ اِنِّیْ لَاَرْجُوْ اَنْ تَكُوْنُوْا نِصْفَ اَهْلِ الْجَنَّةِ. (از مظهری)

"क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है मुझे यह उम्मीद है कि तुम (यानी उम्मते मुहम्मदिया) जन्नत वालों के आधे होगे।"

और तिर्मिज़ी, हाकिम व बैहक़ी ने हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है और तिर्मिज़ी ने इसकी सनद को हसन और हाकिम ने सही कहा है, अलफ़ाज़ हदीस के ये हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

اَهْلُ الْجَنَّةِ مِائَةٌ وَّعِشْرُوْنَ صَفًّا ثَمَانُوْنَ مِنْهَا مِنْ هٰذِهِ الْاُمَّةِ وَاَرْبَعُوْنَ مِنْ سَائِرِ الْاُمَمِ. (مظهری)

"जन्नत वाले कुल एक सौ बीस सफ़ों में होंगे जिनमें से अस्सी सफ़ें इस उम्मत की होंगी बाक़ी चालीस सफ़ों में सारी उम्मतें शरीक होंगी।"

ऊपर बयान हुई रिवायतों में इस उम्मत के जन्नत वालों की निस्बत दूसरी उम्मतों के जन्नत वालों से कहीं चौथाई कहीं आधी और इस आख़िरी रिवायत में दो तिहाई बयान हुई है, इसमें कोई टकराव और विरोधाभास इसलिये नहीं कि यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अन्दाज़ा बयान किया गया है, इस अन्दाज़े में विभिन्न समय में ज़्यादती होती रही। वल्लाहु तआ़ला आलम

عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍO

मौज़ूनतिन के मुताल्लिक़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इब्ने जरीर, इब्ने अबी हातिम और बैहक़ी वग़ैरह ने यह नक़ल किया है कि यह वह कपड़ा है जिस पर सोने के तारों से काम बनाया गया हो।

وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ٥

से मुराद यह है कि ये लड़के हमेशा उसी हालत में लड़के ही रहेंगे, इनमें कोई तब्दीली उम्र वग़ैरह की न होगी। इन जन्नत के ख़ादिमों के मुताल्लिक़ ज़्यादा सही बात यह है कि हूरों की तरह ये भी जन्नत ही में पैदा हुए होंगे और ये सब जन्नत वालों के ख़ादिम होंगे, हदीस की रिवायतों से साबित है कि एक-एक जन्नती के पास हज़ारों ख़ादिम होंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

بِاَكْوَابٍ وَّاَبَارِيْقَ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ٥

अक्वाब कूब की जमा (बहुवचन) है, पानी वग़ैरह पीने के ऐसे बर्तन को कहते हैं जैसे हमारे उर्फ़ में गिलास होते हैं, और **अबारिक़** इबरीक़ की जमा है, टोंटीदार लोटे को कहते हैं। **कअ्स** ख़ास शराब के प्याले को कहा जाता है, **मअ़ीन** से मुराद यह है कि यह शराब एक बहते चश्मे से लाई गई होगी।

لَا يُصَدَّعُوْنَ

सुदाअ़ से निकला है जिसके मायने सर के दर्द के हैं। दुनिया में शराब ज़्यादा पीने से सर में दर्द और चक्कर जैसे होते हैं, जन्नत की यह शराब इससे पाक होगी।

لَا يُنْزِفُوْنَ ٥

नज़्फ़ के असली मायने कुएँ का तमाम पानी सींच लेने के हैं, यहाँ मुराद अ़क़्ल से ख़ाली हो जाना है।

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ٥

यानी परिन्दों का गोश्त जैसी उनकी इच्छा हो। हदीस में है कि जन्नत वाले जिस वक़्त किसी परिन्दे के गोश्त की तरफ़ इच्छा जतायेंगे तो उसका गोश्त जिस तरह खाने की इच्छा दिल में आयेगी कि कबाब हो या दूसरी तरह का पका हुआ, उसी तरह का फ़ौरन तैयार होकर उसके सामने आ जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ٥ مَآ اَصْحٰبُ الْيَمِيْنِ ٥

अस्हाब-ए-यमीन दर असल मुत्तक़ी और परहेज़गार मोमिन और औलिया-अल्लाह हैं। गुनाहगार मुसलमान भी उनके साथ मिल जायेंगे, बाज़े तो महज़ अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल से बाज़े किसी नबी वली की सिफ़ारिश से मग़फ़िरत और माफ़ी हो जाने के बाद, और बाज़ों को अ़ज़ाब होगा मगर अपने गुनाह का अ़ज़ाब भुगतने के बाद वे भी गुनाह से पाक-साफ़ होकर अस्हाब-ए-यमीन (दायें वालों) के गिरोह में शामिल हो जायेंगे, क्योंकि गुनाहगार मोमिन के लिये जहन्नम की आग हक़ीक़त में अ़ज़ाब नहीं बल्कि खोट से पाक-साफ़ करने की एक तदबीर (तरीक़ा और उपाय) है। (तफ़सीरे मज़हरी)

فِيْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ ٥ وَّ طَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ ٥ وَّظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ ٥ وَّمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ ٥

जन्नत की नेमतें बेशुमार और बेमिसाल व बेअन्दाज़ा हैं, उनमें से जो नेमतें क़ुरआने करीम

ज़िक्र करता है वो मुख़ातब लोगों के सोचने के अन्दाज़ और उनकी महबूब व पसन्दीदा चीज़ों का ज़िक्र करता है, अ़रब के लोग जिन तफ़रीहों और जिन फलों के आ़दी थे, यहाँ उनमें से चन्द का ज़िक्र किया गया है।

فِىْ سِدْرٍ مَّخْضُوْدٍ○

सिद्र बेरी के दरख़्त को कहते हैं, **मख़्ज़ूद** वह बेरी जिसके काँटे काट दिये गये हों और फल के बोझ से शाख़ झुकी हुई हो। और यह जन्नत के बेर दुनिया के बेरों की तरह नहीं होंगे बल्कि ये बेर मटकों के बराबर बड़े और ज़ायक़े में भी दुनिया के बेर से उसकी कोई तुलना नहीं (जैसा कि हदीस में है)।

طَلْحٍ مَّنْضُوْدٍ○

तलह केले का दरख़्त, **मन्ज़ूद** जिसके फल तह-ब-तह हों, जैसे केले के चरख़ों में होते हैं।

ظِلٍّ مَّمْدُوْدٍ○

लम्बा साया। बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है कि जन्नत के बाज़े दरख़्तों का साया इतना लम्बा होगा कि घोड़े सवार आदमी उसको सौ साल में भी ख़त्म न कर सकेगा।

وَمَآءٍ مَّسْكُوْبٍ○

बहता पानी, जो ज़मीन की सतह पर बहता हो।

وَّفَاكِهَةٍ كَثِيْرَةٍ○

कसीरतुन के मायने में यह भी दाख़िल है कि फलों की तादाद बहुत होगी और यह भी कि उनकी क़िस्में और जिन्सें (प्रजातियाँ) बेशुमार होंगी।

لَّا مَقْطُوْعَةٍ وَّلَا مَمْنُوْعَةٍ○

मक़तूआ़ से मुराद जो फ़सल ख़त्म होने पर ख़त्म हो जायें जैसे दुनिया के आ़म फलों का यही हाल है, कोई गर्मी में होता है मौसम ख़त्म होने पर ख़त्म हो जाता है, कोई सर्दी या बरसात में होता है और मौसम के ख़त्म होने पर उसका नाम व निशान नहीं रहता, जन्नत का हर फल हमेशा के लिये हर वक़्त हर मौसम में मौजूद रहेगा। **मम्नूआ़** से मुराद यह भी है कि दुनिया में जिस तरह दरख़्तों पर लगे हुए फलों के निगराँ उनको तोड़ने से मना करते हैं जन्नत के फल इससे भी आज़ाद होंगे, उनको तोड़ने में कोई रुकावट न होगी।

وَّفُرُشٍ مَّرْفُوْعَةٍ○

फ़ुरुश फ़िराश की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं बिस्तरा या फ़र्श। फ़र्श की बुलन्दी अव्वल तो इसलिये है कि यह स्थान ख़ुद ही बुलन्द है दूसरे ख़ुद ये फ़र्श ज़मीन पर नहीं बल्कि तख़्तों और चारपाईयों के ऊपर होंगे, तीसरे ख़ुद फ़र्श भी मोटा गद्देदार होगा। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने इस जगह फ़िराश से मुराद औ़रत को क़रार दिया है क्योंकि औ़रत को भी लफ़्ज़ फ़िराश से ताबीर किया जाता है जैसे हदीस में है 'अल्-व-लदु लिल्-फ़िराशि' इसमें फ़िराश से

बीवी मुराद है, और अगली आयतों में जो जन्नती औरतों की सिफ़तें बयान हुई हैं वो भी इस मायने को मज़बूत बनाती हैं। (तफ़सीरे मज़हरी) इस सूरत में लफ़्ज़ मरफ़ूआ दर्जा बुलन्द करने के एतिबार से होगा 'बुलन्द मर्तबे' के मायने में।

إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً ○

इन्शाअन् के मायने पैदा करने के हैं, राजेह क़ौल के मुताबिक़ यहाँ मुराद जन्नत की औरतें हैं। अगरचे ऊपर क़रीब की आयतों में उनका ज़िक्र नहीं है मगर ज़रा फ़ासले से साबिक़ून के बयान में उनका ज़िक्र आ चुका है, इसलिये यह उनकी तरफ़ इशारा हो सकता है, और अगर उक्त आयत में फ़िराश से मुराद जन्नत की औरतें हैं तो उनकी तरफ़ इशारा होना ज़ाहिर है और फ़र्श व बिस्तर वग़ैरह ऐश की चीज़ों के ज़िक्र में ख़ुद एक इशारा औरत की तरफ़ पाया जाता है इसलिये भी यहाँ वे मुराद ली जा सकती हैं।

आयत के मायने ये हैं कि हमने जन्नत की औरतों की पैदाईश व उठान एक ख़ास अन्दाज़ से की है, यह ख़ास अन्दाज़ जन्नत की हूरों के लिये तो इस तरह है कि वे जन्नत ही में बग़ैर जन्म लिये पैदा की गई हैं और दुनिया की औरतें जो जन्नत में जायेंगी उनकी ख़ास बनावट व उठान से मतलब यह होगा कि जो दुनिया में बद-शक्ल काले रंग की या बूढ़ी थी अब उसको हसीन शक्ल व सूरत में जवान व दिलकश कर दिया जायेगा, जैसा कि तिर्मिज़ी और बैहक़ी में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने 'इन्ना अन्शअ्नाहुन्-न इन्शाअन्' की तफ़सीर में फ़रमाया कि जो औरतें दुनिया में बूढ़ी चूँधी, सफ़ेद बाल वाली और बद-शक्ल थीं उन्हें यह नई बनावट और उठान हसीन नौजवान बना देगी, और बैहक़ी ने हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से बयान किया है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम घर में तशरीफ़ लाये मेरे पास एक बुढ़िया बैठी हुई थी, आपने पूछा यह कौन है? मैंने अर्ज़ किया कि मेरी रिश्ते की एक ख़ाला है, आपने बतौर दिल्लगी के फ़रमायाः

لَا تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَجُوزٌ.

यानी जन्नत में कोई बुढ़िया न जायेगी। यह बेचारी सख़्त ग़मगीन हुई। कुछ रिवायतों में है कि रोने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उसको तसल्ली दी और अपनी बात की हक़ीक़त यह बयान फ़रमाई कि जिस वक़्त यह जन्नत में जायेगी तो बूढ़ी न होगी बल्कि जवान होकर दाख़िल होगी और यही आयत तिलावत फ़रमाई। (तफ़सीरे मज़हरी)

अब्कारा बिक्र की जमा (बहुवचन) है, कुंवारी लड़की को कहा जाता है। मुराद यह है कि जन्नत की औरतों की बनावट इस शान की होगी कि वे हर सोहबत व संभोग के बाद फिर कुंवारी जैसी हो जायेंगी।

अुरुबन् ऊरूबा की जमा (बहुवचन) है, उस औरत को कहते हैं जो अपने शौहर की आशिक़ और उसकी मनपसन्द महबूबा हो।

अतराब तिर्ब की जमा है, जिसके मायने हमउम्र के हैं। जो मिट्टी में साथ खेला हो, जन्नत में मर्द व औरत सब हमउम्र कर दिये जायेंगे। हदीस की कुछ रिवायतों में है कि सब की उम्र तैंतीस साल होगी। (तफ़सीरे मज़हरी)

ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ۝ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ۝

सुल्लतुन् के मायने बड़ी जमाअ़त और अव्वलीन व आख़िरीन की तफ़सीर में मुफ़स्सिरीन हज़रात के दो क़ौल ऊपर साबिक़ून के बयान में ज़िक्र हो चुके हैं, अगर अव्वलीन से मुराद हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने तक के हज़रात और आख़िरीन से आपकी क़ियामत तक की उम्मत है जैसा कि कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया, तो इस आयत का हासिल यह होगा कि दायें वाले यानी मुत्तक़ी व परहेज़गार मोमिनों की तादाद पिछली उम्मतों के मजमूए में एक बड़ी जमाअ़त होगी और तन्हा उम्मते मुहम्मदिया में एक बड़ी जमाअ़त होगी। इस सूरत में अव्वल तो उम्मते मुहम्मदिया की फ़ज़ीलत के लिये यह भी कुछ कम नहीं कि पिछले लाखों अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की उम्मतों के बराबर यह उम्मत हो जाये जिसका ज़माना बहुत मुख़्तसर है, इसके अ़लावा लफ़्ज़ सुल्लतुन् (एक बड़ी जमाअ़त) में इसकी भी गुंजाईश है कि यह आख़िर वालों की बड़ी जमाअ़त पहले वालों की तादाद से बढ़ जायेगी।

और अगर दूसरी तफ़सीर मुराद ली जाये कि अव्वलीन व आख़िरीन दोनों इसी उम्मत के मुराद हैं जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इमाम बग़वी ने और हज़रत अबू बकरा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मुसद्दद, तबरानी व इब्ने मरदूया ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि ये अव्वलीन व आख़िरीन (पहले और बाद के) मेरी उम्मत ही के दो तब्क़े हैं, इस मायने के लिहाज़ से साबित होता है कि साबिक़ीने अव्वलीन सहाबा व ताबिईन वग़ैरह जैसे हज़रात से भी यह उम्मत आख़िर तक बिल्कुल मेहरूम न होगी अगरचे आख़िरी दौर में ऐसे लोग कम होंगे, और नेक व परहेज़गार मोमिन व औलिया-अल्लाह तो इस पूरी उम्मत के अव्वल व आख़िर में भारी तादाद में रहेंगे, और उम्मते मुहम्मदिया का कोई दौर कोई तब्क़ा परहेज़गार मोमिनों से ख़ाली न रहेगा, इसका सुबूत उस हदीस से भी मिलता है जो सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत मुआ़विया रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में एक जमाअ़त हमेशा हक़ पर क़ायम रहेगी और हज़ारों मुख़ालफ़तों के घेरे में भी वे अपना नेकी व हिदायत का काम करती रहेगी, उसको किसी की मुख़ालफ़त नुक़सान न पहुँचा सकेगी यहाँ तक कि क़ियामत क़ायम होने तक यह जमाअ़त अपने काम में लगी रहेगी।

نَحْنُ خَلَقْنٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ
تَخْلُقُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ۝ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ۝ عَلٰٓى اَنْ
نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْاَةَ الْاُوْلٰى فَلَوْلَا تَذَكَّرُوْنَ ۝
اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ تَزْرَعُوْنَهٗٓ اَمْ نَحْنُ الزّٰرِعُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنٰهُ حُطَامًا
فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُوْنَ ۝ اِنَّا لَمُغْرَمُوْنَ ۝ بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ ۝ اَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِيْ تَشْرَبُوْنَ ۝
ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ۝ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ۝
اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِيْ تُوْرُوْنَ ۝ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِــُٔوْنَ ۝ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا
تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

नह्नु ख़लक़्नाकुम् फ़लौ ला तुसद्दिकून (57) अ-फ़-रऐतुम्-मा तुम्नून (58) अ-अन्तुम् तख़्लुक़ूनहू अम् नह्नुल्-ख़ालिक़ून (59) नह्नु क़द्दर्ना बैनकुमुल्-मौ-त व मा नह्नु बिमस्बूक़ीन (60) अ़ला अन्-नुबद्दि-ल अम्सा-लकुम् व नुन्शि-अकुम् फ़ी मा ला तअ़्लमून (61) व ल-क़द् अ़लिम्तुमुन्-नश्अ-तल्-ऊला फ़लौ ला तज़क्करून (62) अ-फ़-रऐतुम्-मा तह्रुसून (63) अ-अन्तुम् तज़्-रअ़ूनहू अम् नह्नुज़्-ज़ारिअ़ून (64) लौ नशा-उ ल-जअ़ल्नाहु हुतामन् फ़ज़ल्तुम् तफ़क्कहून (65) इन्ना ल-मुग़्-रमून (66) बल् नह्नु मह्रूमून (67)

हमने तुमको बनाया फिर क्यों नहीं सच मानते (57) भला देखो तो जो पानी तुम टपकाते हो (58) अब तुम उसको बनाते हो या हम हैं बनाने वाले (59) हम ठहरा चुके तुम में मरना और हम आ़जिज़ नहीं (60) इस बात से कि बदले में ले आयें तुम्हारी तरह के लोग और उठा खड़ा करें तुमको वहाँ जहाँ तुम नहीं जानते (61) और तुम जान चुके हो पहला उठान फिर क्यों नहीं याद करते (62) भला देखो तो जो तुम बोते हो (63) क्या तुम उसको करते हो खेती या हम हैं खेती कर देने वाले (64) अगर हम चाहें तो कर डालें उसको रौंदा हुआ घास फिर तुम सारे दिन रहो बातें बनाते- (65) हम तो क़र्ज़दार रह गये (66) बल्कि हम बेनसीब हो गये (67)

अ-फ़-रऐतुमुल् मा-अल्लज़ी तश्रबून (68) अ-अन्तुम् अन्ज़ल्तुमूहु मिनल्-मुज़्नि अम् नह्नुल्-मुन्ज़िलून (69) लौ नशा-उ जअ़ल्नाहु उजाजन् फ़लौ ला तश्कुरून (70) अ-फ़-रऐतुमुन्-नारल्लती तूरून (71) अ-अन्तुम् अन्शअ्तुम् श-ज-र-तहा अम् नह्नुल्-मुन्शिऊन (72) नह्नु जअ़ल्नाहा तज़्कि-रतंव्-व मताअ़ल्-लिल्मुक़्वीन (73) फ़-सब्बिह् बिस्मि रब्बिकल्-अ़ज़ीम (74) ✿ ▲	भला देखो तो पानी को जो तुम पीते हो (68) क्या तुमने उतारा उसको बादल से या हम हैं उतारने वाले (69) अगर हम चाहें कर दें उसको खारा फिर क्यों नहीं एहसान मानते (70) भला देखो तो आग जिसको तुम सुलगाते हो (71) क्या तुमने पैदा किया उसका दरख़्त या हम हैं पैदा करने वाले (72) हमने ही तो बनाया वह दरख़्त याद दिलाने को और बरतने को जंगल वालों के (73) सो बोल पाकी अपने रब के नाम की जो सबसे बड़ा है। (74) ✿ ▲

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हमने तुमको (पहली बार) पैदा किया है (जिसको तुम भी तस्लीम करते हो), तो फिर तुम (इसके नेमत होने के एतिबार से तौहीद की और इसके दोबारा ज़िन्दा करके लौटाने की क़ुदरत होने के एतिबार से क़ियामत की) तस्दीक़ क्यों नहीं करते। (आगे उस पैदा करने और बनाने की फिर उसके बाक़ी रखने के असबाब की तफ़सील व याददेहानी है, यानी) अच्छा फिर यह बतलाओ तुम जो (औरतों के गर्भ में) वीर्य पहुँचाते हो उसको तुम आदमी बनाते हो या हम बनाने वाले हैं? (और ज़ाहिर है कि हम ही बनाते हैं और) हम ही ने तुम्हारे दरमियान मौत को (मुतैयन वक़्त पर) तय कर रखा है। (मतलब यह कि बनाना और उस बनाये हुए को एक ख़ास वक़्त तक बाक़ी रखना यह सब हमारा ही काम है। आगे यह बतलाते हैं कि जैसे इनसान की ज़ात का पैदा करना और बाक़ी रखना हमारा काम है इसी तरह तुम्हारी मौजूदा सूरत को बाक़ी रखना भी हमारा ही काम है) और हम इससे आ़जिज़ नहीं हैं कि तुम्हारे जैसे और (आदमी) पैदा कर दें और तुमको ऐसी सूरत में बना दें जिनको तुम जानते भी नहीं (यानी मसलन आदमी से जानवर की सूरत में बदल दें जिसका गुमान भी नहीं)।

और (आगे तंबीह है इसकी दलील पर यानी) तुमको पहली पैदाईश का इल्म हासिल है (कि वह हमारी क़ुदरत से है) फिर तुम क्यों नहीं समझते (कि समझकर इस नेमत का शुक्र अदा करो और तौहीद का इक़रार करो और क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने पर भी दलील पकड़ो। आगे एक दूसरी चेतावनी है यानी) अच्छा फिर यह बतलाओ कि तुम जो कुछ (बीज वग़ैरह) बोते हो

उसको तुम उगाते हो या हम उगाने वाले हैं? (यानी ज़मीन में बीज डालने में तो तुमको कुछ दख़ल है भी लेकिन उसको ज़मीन से निकालना यह किसका काम है? आगे यह बतलाते हैं कि ज़मीन से दरख़्त उगाना जैसे हमारा काम है आगे उस दरख़्त से तुम्हारा फ़ायदा उठाना भी हमारी क़ुदरत व हिक्मत पर मौक़ूफ़ है जैसा कि ऊपर भी फ़रमाया था, यानी) अगर हम चाहें तो उस (पैदावार) को चूरा-चूरा कर दें (यानी दाना कुछ न पड़े, पत्ती ख़ुश्क होकर रेज़ा-रेज़ा हो जाये) फिर तुम हैरान होकर रह जाओगे कि (अब की बार तो) हम पर तावान ही पड़ गया (यानी सरमाये में नुक़सान आ गया और नुक़सान क्या) बल्कि हम बिल्कुल ही मेहरूम रह गये (यानी सारा ही सरमाया चला गया। आगे तीसरी तंबीह है यानी) अच्छा फिर यह बतलाओ कि जिस पानी को तुम पीते हो उसको बादल से तुम बरसाते हो या हम बरसाने वाले हैं? (फिर उस पानी को पीने के क़ाबिल बनाना हमारी दूसरी नेमत है कि) अगर हम चाहें तो उसको कड़वा कर डालें, सो तुम शुक्र क्यों नहीं करते? (और बड़ा शुक्र तौहीद "यानी अल्लाह को एक मानने" और कुफ़्र को छोड़ने का अ़क़ीदा है। आगे चौथी तंबीह है यानी) अच्छा फिर यह बतलाओ जिस आग को तुम सुलगाते हो उसके पेड़ को (जिसमें से यह आग झड़ती है जिसका बयान सूरः यासीन के आख़िर में आ चुका है, और इसी तरह जिन साधनों से यह आग पैदा होती है उन साधनों को) तुमने पैदा किया है या हम पैदा करने वाले हैं? हमने उसको (दोज़ख़ की आग या अपनी अ़जीब क़ुदरत की) याद दिलाने की चीज़ और मुसाफ़िरों के फ़ायदे की चीज़ बनाया है (याददेहानी एक दीनी फ़ायदा है और दूसरा दीनी फ़ायदा आग से खाना पकाने का है, और मुसाफ़िर का ख़ास तौर पर ज़िक्र सीमित करने के लिये नहीं बल्कि सफ़र में आग कमयाब होने के सबब एक अ़जीब चीज़ होती है और 'मताअ़न' में इस तरफ़ भी इशारा हो गया कि आग से फ़ायदा उठाना भी हमारी क़ुदरत से है)। सो (जिसकी ऐसी क़ुदरत है) आप (उस) बड़ी शान वाले परवर्दिगार के नाम की तस्बीह (व तारीफ़) कीजिये (क्योंकि जो अपनी ज़ात व सिफ़ात में कामिल हो वह इसका हक़दार है कि उसकी तारीफ़ व सना की जाये, और नाम की तस्बीह वग़ैरह की तहक़ीक़ सूरः रहमान की आख़िरी आयत में गुज़र चुकी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरत के शुरू से यहाँ तक मेहशर में इनसानों की तीन क़िस्में और तीनों क़िस्मों के अहकाम और जज़ा व सज़ा क बयान था, ऊपर दर्ज हुई आयतों में उन गुमराह लोगों को तंबीह है जो सिरे से क़ियामत क़ायम होने और दोबारा ज़िन्दा होने के क़ायल नहीं, या अल्लाह तआ़ला की इबादत में दूसरों को शरीक ठहराते हैं। इनसान की उस ग़फ़लत और जहालत का पर्दा चाक करना है जिसने उसको भूल में डाल रखा है। ख़ुलासा इसका यह है कि इस कायनात में जो कुछ मौजूद है या वजूद में आ रहा है, या आईन्दा आने वाला है उसकी पैदाईश फिर उसको बाक़ी रखना और फिर उसको इनसान के मुख़्तलिफ़ कामों में लगा देना ये सब दर हक़ीक़त हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू की क़ुदरत व हिक्मत के करिश्मे हैं, अगर असबाब के पर्दे दरमियान में न

हों और इनसान इन सब चीज़ों की तख़्लीक़ (बनाया जाना) असबाब के वास्ते के बग़ैर देख और जान ले तो ईमान लाने पर मजबूर हो जाये, मगर हक़ तआला ने दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है इसलिये यहाँ जो कुछ वजूद व ज़ुहूर में आता है वह असबाब के पर्दों में आता है।

और हक़ तआला ने अपनी कामिल क़ुदरत और हिक्मत से उन असबाब और उनके ज़रिये वजूद में आने वाली चीज़ों में एक ऐसा मज़बूत ताल्लुक़ संपर्क क़ायम फ़रमा दिया है कि जहाँ कहीं सबब मौजूद हो जाता है तो उसका परिणाम भी साथ-साथ वजूद में आ जाता है जिसको देखने वाला एक-दूसरे के साथ जुड़ी हुई चीज़ समझता है, और ज़ाहिर में देखने वाली नज़रें उसी असबाब के सिलसिले में उलझकर रह जाती हैं, और कायनात के बनाने को उन्हीं असबाब की तरफ़ मन्सूब करने लगती हैं, असल क़ुदरत और वास्तव में काम करने वाली ताक़त जो उन असबाब और उनके ज़रिये वजूद में आने वाली चीज़ों को गर्दिश देने वाली है उसकी तरफ़ ध्यान और तवज्जोह नहीं रहती।

उक्त आयतों में हक़ तआला ने अव्वल ख़ुद इनसान की पैदाईश की हक़ीक़त को स्पष्ट फ़रमाया फिर इनसानी ज़रूरतों के पैदा करने की हक़ीक़त से पर्दा उठाया। ख़ुद इनसान को मुख़ातब करके सवालात किये, उन सवालात के ज़रिये असल जवाब की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाई क्योंकि सवालात में उन असबाब की कमज़ोरी और उनका बनाने और पैदा करने का सबब न होना स्पष्ट फ़रमा दिया।

उपर्युक्त आयतों में से पहली आयत 'नह़्नु ख़लक़्नाकुम्..........' एक दावा है, और अगली आयतें उसकी दलीलें हैं। सबसे पहले ख़ुद इनसान की तख़्लीक़ (पैदाईश और वजूद में लाने) पर एक सवाल किया गया, क्योंकि ग़ाफ़िल इनसान चूँकि रोज़मर्रा इसको देखता और अनुभव करता रहता है कि मर्द व औरत के मिलाप से हमल (गर्भ) क़रार पाता है और फिर वह माँ के पेट में बढ़ता और तैयार होता रहता है, और नौ महीने के बाद एक मुकम्मल इनसान की सूरत में पैदा हो जाता है, इस रोज़मर्रा के देखने और अनुभव से ग़फ़लत में पड़े इनसान की नज़र बस यहीं तक रह जाती है कि मर्द व औरत के आपसी मिलाप ही को इनसान के पैदा होने की असल इल्लत (सबब) समझने लगता है इसलिये सवाल यह किया गयाः

أَفَرَءَيْتُمْ مَّا تُمْنُوْنَ ○ ءَأَنْتُمْ تَخْلُقُوْنَهٗٓ أَمْ نَحْنُ الْخٰلِقُوْنَ ○

यानी ऐ इनसानो! ज़रा ग़ौर तो करो कि बच्चे की पैदाईश में तुम्हारा दख़ल इसके सिवा क्या है कि तुमने मनी (वीर्य) का एक क़तरा एक ख़ास जगह में पहुँचा दिया, उसके बाद क्या तुम्हें कुछ ख़बर है कि उस नुत्फ़े पर क्या-क्या दौर गुज़रे, क्या-क्या बदलाव आये, किस-किस तरह उसमें हड्डियाँ और गोश्त-पोस्त पैदा हुए और किस-किस तरह इस छोटी सी कायनात के वजूद में कैसी-कैसी नाज़ुक-नाज़ुक मशीनें ग़िज़ा हासिल करने, ख़ून बनाने और हैवानी रूह पैदा करने की, फिर देखने, बोलने, सुनने, चखने और सोचने-समझने की ताक़त उसके वजूद में फ़िट फ़रमाईं कि एक इनसान का वजूद एक चलती-फिरती फ़ैक्ट्री बन गया। न बाप को ख़बर है न

माँ को जिसके पेट में यह सब कुछ हो रहा है, आख़िर अगर अक़्ल दुनिया में कोई चीज़ है तो वह क्यों नहीं समझती कि अजीब व ग़रीब हिक्मतों पर मुश्तमिल इनसानी वजूद क्या अपने आप बग़ैर किसी के बनाये बन गया? और अगर कोई बनाने वाला है तो वह कौन है? माँ-बाप को तो ख़बर भी नहीं कि क्या बना किस तरह बना? उनको तो बच्चे के पैदा होने तक यह भी मालूम नहीं होता कि हमल लड़का है या लड़की, फिर आख़िर वह कौनसी क़ुदरत है जिसने पेट की फिर गर्भ की फिर बच्चे के ऊपर पैक की हुई झिल्ली की तीन अंधेरियों में यह हसीन व ख़ूबसूरत, सुनने व देखने वाला, सोचने समझने वाला वजूद तैयार कर दिया। यहाँ जो यह बोल उठने पर मजबूर न हो जाये कि वाक़ई अल्लाह की ज़ात बड़ी बरकत वाली है जो सब बनाने वालों से बेहतर है, वह अक़्ल का अंधा ही हो सकता है।

इसके बाद की आयतों में यह भी बतला दिया कि ऐ इनसानो! तुम पैदा हो जाने और चलता-फिरता काम करता आदमी बन जाने के बाद भी अपने वजूद व बक़ा और तमाम कारोबार में हमारे ही मोहताज हो। हमने तुम्हारी मौत का भी अभी से वक़्त मुक़र्रर कर रखा है और उस तयशुदा वक़्त से पहले-पहले जो उम्र तुम्हें मिली उसमें तुम अपने आपको ख़ुदमुख़्तार पाते हो, यह भी तुम्हारा मुग़ालता ही है, हमें इस पर भी क़ुदरत है कि अभी-अभी तुम्हें फ़ना करके तुम्हारी जगह कोई दूसरी क़ौम पैदा कर दें, और यह भी क़ुदरत है कि तुम्हें फ़ना करने के बजाय किसी दूसरी जानदार या बेजान शक्ल व सूरत में तुम्हें तब्दील कर दें। यह मज़मून इन आयतों का है:

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ۝ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ اَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِيْمَا لَا تَعْلَمُوْنَ۝

मौत के मुक़द्दर और तयशुदा वक़्त पर आने में इस तरफ़ भी इशारा है कि तुम अपनी बक़ा (बाक़ी रहने) में आज़ाद व ख़ुदमुख़्तार नहीं बल्कि तुम्हारी बक़ा एक तयशुदा वक़्त तक है, तुम्हें हक़ तआ़ला ने एक ख़ास क़ुव्वत व क़ुदरत और अक़्ल व हिक्मत का मालिक बनाया है, उससे काम लेकर तुम बहुत कुछ कर सकते हो।

مَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ۝

इसका हासिल यह है कि हमारे इरादे से आगे बढ़ने वाला और हमारी मर्ज़ी पर ग़ालिब आने वाला कोई नहीं, हम इस वक़्त भी जो चाहें कर सकते हैं कि तुम्हारी जगह तुम्हारे जैसी कोई और क़ौम ले आयें और तुम्हारी वह शक्ल बना दें जिसको जानते भी नहीं। इसकी यह शक्ल भी हो सकती है कि मरकर मिट्टी हो जाओ, यह भी हो सकता है कि किसी जानवर की शक्ल में तब्दील हो जाओ जैसे पिछली उम्मतों पर सूरतें बिगड़कर बन्दर और ख़िन्ज़ीर बन जाने का अ़ज़ाब आ चुका है, और यह भी हो सकता है कि तुम्हें पत्थरों और बेजान चीज़ों की शक्ल में तब्दील कर दिया जाये।

اَفَرَءَيْتُمْ مَّا تَحْرُثُوْنَ۝

इनसान की पैदाईश और इसके बनाये जाने के मामले में इनसान की ग़फ़लत और तबई

असबाब के पर्दे में उलझकर असल ख़ालिक़ व मालिक से बेख़बर होने का पर्दा चाक करने के बाद इसकी गिज़ा जो इसकी ज़िन्दगी का मदार है उसकी हक़ीक़त इसी अन्दाज़ से ज़ाहिर फ़रमाई कि सवाल किया कि तुम जो कुछ ज़मीन में बीज बोते हो ज़रा ग़ौर तो करो कि उस बीज में से दरख़्त (पेड़-पौधा) पैदा करने में तुम्हारे अ़मल का क्या और कितना दख़ल है? ग़ौर करोगे तो जवाब इसके सिवा न मिलेगा कि काश्तकार का दख़ल उसमें इससे ज़्यादा नहीं कि उसने ज़मीन को हल चलाकर फिर खाद डालकर नर्म कर दिया कि जो कमज़ोर कोंपल उस दाने से पैदा होकर ऊपर आना चाहे उसकी राह में ज़मीन की सख़्ती रुकावट न बने, बीज बोने वाले इनसान की सारी कोशिश इसी एक बिन्दू के इर्द-गिर्द घूमती है। और जब पौधा ज़ाहिर हो जाये तो उसकी हिफ़ाज़त पर यह कोशिश लग जाती है लेकिन एक दाने के अन्दर से दरख़्त निकाल लाना न उसके बस का है, न यह दावा कर सकता है कि मैंने यह पौधा बनाया है, तो फिर वही सवाल आता है कि मनों मिट्टी के ढेर में पड़े हुए दाने के अन्दर से यह ख़ूबसूरत और हज़ारों फ़ायदों वाला पौधा किसने बनाया? तो जवाब इसके सिवा क्या है कि वही कायनात की मालिक व ख़ालिक़ की कामिल क़ुदरत और अ़जीब कारीगरी इसकी बनाने वाली है।

इसके बाद इसी तरह पानी जिसको पीकर इनसान ज़िन्दा रहता है, आग जिस पर अपना खाना पकाता है और अपने उद्योगों को उससे चलाता है, इन सब के बनाने और पैदा करने पर ऐसे ही सवाल व जवाब का ज़िक्र फ़रमाया और आख़िर में सब का ख़ुलासा यह बयान फ़रमायाः

نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ٥

मुक़्वीन इक़्वा से निकला है और वह क़िवा से जिसके मायने जंगल व बयाबान के हैं। मुक़्वी के मायने हुए जंगल व बयाबान में उतरने वाला, इससे मुराद मुसाफ़िर है जो जंगल में कहीं ठहरकर अपने खाने के इन्तिज़ाम में लगा हो, और आयत की मुराद यह है कि इन सब चीज़ों का बनाना हमारी ही क़ुदरत व हिक्मत का नतीजा है।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ٥

इसका लाज़िमी और अ़क़्ली नतीजा यह होना चाहिये कि इनसान हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और तौहीद (एक और अकेला माबूद होने) पर ईमान लाये और अपने रब्बे अ़ज़ीम के नाम की तस्बीह पढ़ा करे कि यही उसकी नेमतों का शुक्र है।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ۙ

وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ۙ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ۙ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ۙ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ۗ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ۙ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ۝ فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۙ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۙ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ ۝ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ۙ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ

صٰدِقِيْنَ ۝ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ۝ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ ۝ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ۝ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ۝ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ۝ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ۝ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ۝

फ़ला उक़्सिमु बि-मवाक़िअिन्-नुजूम (75) व इन्नहू ल-क़-समुल्-लौ तअ्लमू-न अ़ज़ीम (76) इन्नहू ल-क़ुरआनुन् करीम (77) फ़ी किताबिम्-मक्नून (78) ला य-मस्सुहू इल्लल्-मुतह्हरून (79) तन्ज़ीलुम् मिर्रब्बिल्-आ़लमीन (80) अ-फ़बिहाज़ल्-हदीसि अन्तुम् मुद्हिनून (81) व तज्अ़लू-न रिज़्-क़कुम् अन्नकुम् तुकज़्ज़िबून (82) फ़लौ ला इज़ा ब-ल-ग़तिल्-हुल्क़ूम (83) व अन्तुम् ही-न-इज़िन् तन्ज़ुरून (84) व नह्नु अक़्रबु इलैहि मिन्कुम् व लाकिल्-ला तुब्सिरून (85) फ़लौ ला इन् कुन्तुम् ग़ै-र मदीनीन (86) तर्जिअ़ूनहा इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (87) फ़-अम्मा इन् का-न मिनल्-मुक़र्रबीन (88) फ़रौहुंव्-व रैहानुंव्-व जन्नतु नअ़ीम (89) व अम्मा इन् का-न मिन् अस्हाबिल्-यमीन (90) फ़-सलामुल्-

सो मैं क़सम खाता हूँ तारों के डूबने की (75) और यह क़सम है अगर समझो तो बड़ी क़सम (76) बेशक यह क़ुरआन है इज़्ज़त वाला (77) लिखा हुआ है एक पोशीदा किताब में (78) उसको वही छूते हैं जो पाक बनाये गये हैं (79) उतारा हुआ है परवर्दिगारे आ़लम की तरफ़ से (80) अब क्या इस बात में तुम सुस्ती करते हो (81) और अपना हिस्सा तुम यही लेते हो कि इसको झुठलाते हो (82) फिर क्यों नहीं! जिस वक़्त जान पहुँचे हलक़ को (83) और तुम उस वक़्त देख रहे हो (84) और हम उसके पास हैं तुम से ज़्यादा पर तुम नहीं देखते (85) फिर क्यों नहीं! अगर तुम नहीं हो किसी के हुक्म में (86) तो क्यों नहीं फेर लेते उस रूह को अगर हो तुम सच्चे (87) सो जो अगर वह (मुर्दा) हुआ मुक़र्रब (नेक और अल्लाह के क़रीबी) लोगों में (88) तो राहत है और रोज़ी है और बाग़ नेमत का (89) और जो अगर वह हुआ दाहिने वालों में (90) तो सलामती पहुँचे तुझको

ल-क मिन् अस्हाबिल्-यमीन (91) व अम्मा इन् का-न मिनल् मुकज़्ज़िबीनज़्-ज़ाल्लीन (92) फ़-नुज़ुलुम्-मिन् हमीमिंव्- (93) -व तस्लि-यतु जहीम (94) इन्-न हाज़ा लहु-व हक़्क़ुल्-यक़ीन (95) फ़-सब्बिह् बिस्मि रब्बिकल्-अज़ीम (96) ✿	दाहिने वालों से। (91) और जो अगर वह हुआ झुठलाने वालों बहकने वालों में से (92) तो मेहमानी है जलता पानी (93) और डालना आग में (94) बेशक यह बात यही है लायक़ यक़ीन के (95) सो बोल पाकी अपने रब के नाम से जो सबसे बड़ा है। (96) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और अक़्ली दलीलों से बअ़स यानी मरकर ज़िन्दा होने का मुम्किन होना साबित होने के बाद क़ुरआन से जो इसका वाक़े व ज़ाहिर होना साबित है और तुम इस क़ुरआन को नहीं मानते) सो मैं क़सम खाता हूँ सितारों के छुपने की, और अगर तुम ग़ौर करो तो यह एक बड़ी क़सम है (और क़सम इस बात की खाता हूँ) कि यह (क़ुरआन जो पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नाज़िल होता है अल्लाह की तरफ़ से उतरने की वजह से) एक क़ाबिले एहतिराम क़ुरआन है। जो एक महफ़ूज़ किताब (यानी लौहे-महफ़ूज़) में (पहले से) दर्ज है (और वह लौहे-महफ़ूज़ ऐसी है) कि उसको पाक फ़रिश्तों के अ़लावा (कि गुनाहों से बिल्कुल पाक हैं) कोई (शैतान वग़ैरह) हाथ नहीं लगाने पाता (उसके मज़ामीन को जान लेना तो दूर की बात है। पस वहाँ से यहाँ ख़ास तौर पर आना फ़रिश्ते ही के ज़रिये से है, और यही नुबुव्वत है, और शैतान इसको ला ही नहीं सकते कि कहानत वग़ैरह के शुब्हे व संभावना से नुबुव्वत में कोई शक हो, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِیْنُ○

और एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّیٰطِیْنُ○

इससे साबित हुआ कि) यह रब्बुल-आ़लमीन की तरफ़ से भेजा हुआ है (जो कि 'करीम' लफ़्ज़ से भी इशारतन् मालूम हो रहा था। यहाँ सितारों के छुपने की क़सम अपने मफ़्हूम व मक़सद के एतिबार से ऐसी है जैसे सूरः वन्नज्म के शुरू में है जिसका वहाँ बयान हो चुका है, जिसमें सितारों का छुपने के एतिबार से हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नुबुव्वत वाला और हिदायत का मीनार होने की नज़ीर होना भी बयान हुआ है जो कि इस मक़ाम का मक़सूद है, और क़समें जितनी क़ुरआन में हैं वो अपने उद्देश्य और मतलब पर दलालत करने वाली होने

की वजह से सब ही अ़ज़ीम हैं लेकिन कहीं-कहीं मतलूब के ख़ास एहतिमाम और उस पर ज़्यादा चेताने व आगाह करने के लिये अ़ज़ीम होने की वज़ाहत भी फ़रमा दी है जैसा कि इस जगह और सूरः वल्-फ़ज्रि में। इस मक़ाम का हासिल संक्षिप्त रूप से वह है जो सूरः शु-अ़रा के आख़िरी रुकूअ़ में तफ़सील के साथ बयान हुआ है)।

सो (जब इसका अल्लाह की तरफ़ से उतरा हुआ होना साबित है तो) क्या तुम लोग इस कलाम को सरसरी बात समझते हो (यानी इसको तस्दीक़ व यक़ीन के लिये वाजिब नहीं जानते) और (इस लापरवाही व बेरुख़ी से बढ़कर यह कि) झुठलाने को अपनी ग़िज़ा बना रहे हो? (और इसलिये तौहीद "अल्लाह के एक होने" और क़ियामत के क़ायम होने का भी इनकार करते हो) सो (अगर यह इनकार हक़ है तो) जिस वक़्त (मरने के क़रीब किसी शख़्स की) रूह हलक़ तक आ पहुँचती है और तुम उस वक़्त (बैठे हसरत भरी निगाह से) तका करते हो और हम (उस वक़्त) उस (मरने वाले) शख़्स के तुमसे भी ज़्यादा नज़दीक होते हैं (यानी तुमसे भी ज़्यादा उस शख़्स के हाल से वाक़िफ़ होते हैं, क्योंकि तुम सिर्फ़ ज़ाहिरी हालत देखते हो और हम उसकी बातिनी हालत से भी बाख़बर होते हैं), लेकिन (हमारे जानकारी के एतिबार से क़रीब होने को अपने जहल व कुफ़्र की वजह से) तुम समझते नहीं हो। तो (हक़ीक़त में) अगर तुम्हारा हिसाब-किताब होने वाला नहीं है (जैसा कि तुम्हारा ख़्याल है) तो तुम उस रूह को (बदन की तरफ़) फिर क्यों नहीं लौटा लाते हो (जिसकी उस वक़्त तुमको तमन्ना भी हुआ करती है), अगर (इस क़ियामत व हिसाब के इनकार में) तुम सच्चे हो। (मतलब यह कि क़ुरआन सच्चा है और मरने के बाद ज़िन्दा होने को बतला रहा है, पस उसका वाक़े व ज़ाहिर होना उसका तक़ाज़ा करता है और रुकावट कोई चीज़ है नहीं, पस उसका वाक़े होना साबित हो गया, और इस पर भी तुम्हारा इनकार और नफ़ी किये चले जाना जैसा कि तुम्हारे हाल से ज़ाहिर है इसको लाज़िम करता है कि गोया तुम रूह को अपने बस में समझते हो कि अगरचे क़ियामत में ख़ुदा दोबारा रूह डालना चाहे जैसा कि क़ुरआन के बयान का तक़ाज़ा है मगर हम न डालने देंगे और दोबारा ज़िन्दा न होने देंगे, तब ही तो ऐसे ज़ोरदार अन्दाज़ से नफ़ी करते हो, वरना जो अपने को आजिज़ जाने वह दलीलों के सामने आने के बाद ऐसे ज़ोर की बात क्यों कहे। सो अगर तुम अपने बस में समझते हो तो ज़रा ज़ोर उसी वक़्त दिखला दो जबकि किसी मौत के क़रीब पहुँचने वाले इनसान की ज़िन्दगी के बाक़ी रहने के तमन्नाई भी होते हो और देख-देखकर रहम भी आता है, ग़मज़दा व दुखी भी होते हो, और वह ज़ोर दिखलाना यह कि उस रूह को निकलने न दो, बदन में लौटा दो। जब इसकी ताक़त नहीं कि रूह को बदन से निकलने न दो तो उसको दोबारा पैदा करने से रोकने पर कैसे तुम्हारा बस चलेगा। पस ऐसे बेबुनियाद दावे क्यों करते हो।

और चूँकि यहाँ मक़ाम है क़ुदरत की नफ़ी करने का और इल्म का न होना जुड़ा हुआ है इस बात से कि जब इल्म ही नहीं तो क़ुदरत कहाँ से होगी इसलिये बयान हो रहे मज़मून से अलग हटकर 'नह्नु अक़्रबु.......' का जुमला लाकर उनको पूरा इल्म होने की नफ़ी फ़रमा दी, और

चूँकि यह काफ़ी दलील भी उनके लिये तसल्ली-बख़्श न हुई इसलिये 'ला तुब्सिरून' से डाँट-डपट भी दिया, और चूँकि इस बात को मान लेने से क़ुदरत का सुबूत भी हुआ इसलिये मरने के बाद ज़िन्दा होने के साथ यह तौहीद की भी दलील है। आगे आमाल का बदला देने की कैफ़ियत इरशाद है, यानी यह तो साबित हो चुका है कि क़ियामत अपने वक़्त पर ज़रूर आयेगी) फिर (जब क़ियामत आयेगी तो) जो शख़्स अल्लाह के क़रीबी लोगों में से होगा (जिनका ज़िक्र ऊपर आया है 'वस्साबिक़ूनस्साबिक़ून...........' में) उसके लिये तो राहत है और (फ़रागत की) गिज़ाएँ हैं और आराम की जन्नत है। और जो शख़्स दाहिने वालों में से होगा (जिनका ज़िक्र ऊपर आया है 'व अस्हाबुल्-यमीनि..........' में) तो उससे कहा जायेगा कि तेरे लिये (हर आफ़त और ख़तरे से) अमन व अमान है कि तू दाहिने वालों में से है (और यह कहना चाहे शुरू में हो अगर फ़ज़्ल या तौबा के सबब शुरू ही में मग़फ़िरत हो जाये, या आख़िर में हो अगर सज़ा के बाद मग़फ़िरत हो। और यहाँ 'रौह व रैहान' का ज़िक्र न फ़रमाना नफ़ी के लिये नहीं बल्कि इशारा इस तरफ़ है कि यह 'साबिक़ीन' "ऊँचे और ख़ास दर्जे वालों" से इन चीज़ों में कम होगा)।

और जो शख़्स झुठलाने वालों (और) गुमराहों में से होगा तो खौलते हुए पानी से उसकी दावत होगी, और दोज़ख़ में दाख़िल होना होगा। बेशक यह (जो कुछ ज़िक्र हुआ) तहक़ीक़ी यक़ीनी बात है। सो (जिसके ये सब इख़्तियारात और काम हैं) अपने (उस) बड़ी शान वाले परवर्दिगार के नाम की तस्बीह (व तारीफ़) कीजिये।

मआरिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में अक़्ली दलीलों से क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने का सुबूत हक़ तआला की कामिल क़ुदरत और इस दुनिया के बनाने व पैदा करने के ज़रिये दिया गया था, आगे नक़ली (किताबी व रिवायती) दलील इसी पर हक़ तआला की तरफ़ से क़सम के साथ दी गई है।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ○

लफ़्ज़ ला क़सम के शुरू में एक आम मुहावरा है जैसे 'ला वल्लाहि' और जाहिलीयत की क़समों में 'ला व अबी-क' मशहूर है। कुछ हज़रात ने इस हर्फ़ ला को ज़ायद क़रार दिया है और कुछ ने इसका मतलब यह बयान किया है कि इस मौक़े में हर्फ़ ला मुख़ातब के गुमान की नफ़ी के लिये होता है यानी 'लै-स कमा तक़ूलु' यानी जैसा तुम कहते और समझते हो वह बात नहीं बल्कि हक़ीक़त वह है जो आगे क़सम खाकर बतलाई जाती है।

मवाक़िअ मौक़े की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने हैं सितारों के ग़ुरूब होने की जगह या वक़्त। इस आयत में सितारों की क़सम को ग़ुरूब के वक़्त के साथ मुक़ैयद किया गया है जैसे सूरः नज्म में भी 'वन्नज्मि इज़ा हवा' में भी ग़ुरूब होने (यानी छुपने) के वक़्त की क़ैद है, इस

क़ैद की हिक्मत यह है कि ग़ुरूब के वक़्त हर सितारे के अ़मल का उस उफ़ुक़ (आसमानी किनारे) से कटना और अलग होना नज़र आता है और उसके आसार का फ़ना होना स्पष्ट दिखाई देता है जिससे उनका हादिस (फ़ना होने वाला) और अल्लाह की क़ुदरत का मोहताज होना साबित होता है।

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ○ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ○ لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ○

पहले गुज़री आयतों में सितारों के मौक़ों (जगहों) की क़सम खाकर क़सम के जवाब में जो मज़मून बयान करना है वह इन आयतों में ज़िक्र हुआ है जिसका हासिल क़ुरआने करीम का मुकर्रम व महफ़ूज़ (सम्मानित व सुरक्षित) होना और मुश्रिकों के इस ख़्याल की तरदीद है कि यह किसी इनसान का बनाया हुआ या मआ़ज़ल्लाह शैतान का दिल में डाला हुआ कलाम है।

'किताबिम्-मक्नून' के लफ़्ज़ी मायने हैं छुपी हुई लिखित किताब। इससे मुराद लौह-ए-महफ़ूज़ है।

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ○

यहाँ दो मसले ग़ौर-तलब और तफ़सीर के इमामों में मतभेद का विषय हैं- पहला यह कि नहवी तरकीब (अ़रबी ग्रामर) के एतिबार से इस जुमले में दो संभावनायें हैं, एक यह कि जिस किताब की एक सिफ़त मकनून आई यह जुमला उसी किताब की दूसरी सिफ़त है और नहीं छूते हैं उसको में उस का इशारा उसी किताब की तरफ़ है, इस सूरत में आयत के मायने यह होते हैं कि किताबे मकनून यानी लौह-ए-महफ़ूज़ को सिवाय पाक लोगों के और कोई नहीं छू सकता। और यह भी ज़ाहिर है कि इस सूरत में पाक लोगों से मुराद सिर्फ़ फ़रिश्ते ही हो सकते हैं जिनकी रसाई लौह-ए-महफ़ूज़ तक हो सके, और यह भी ज़ाहिर है कि इस सूरत में छूने का लफ़्ज़ अपने असली मायने यानी हाथ से छूने के मायने में नहीं लिया जा सकता बल्कि छूने के मुहावरे वाले और संबन्धित मायने मुराद लेने होंगे, यानी लौह-ए-महफ़ूज़ में लिखे हुए मज़ामीन पर बाख़बर होना, क्योंकि लौह-ए-महफ़ूज़ को हाथ से छूना किसी मख़्लूक़ फ़रिश्ते वग़ैरह का काम नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन के ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में यही तरकीब और मफ़्हूम इख़्तियार करके तफ़सीर की गई है।

दूसरी संभावना इस जुमले की नहवी तरकीब में (यानी ग्रामर के एतिबार से) यह है कि इस को क़ुरआन की सिफ़त बनाया जाये जो ऊपर 'इन्नहू लक़ुरआनुन् करीम' में ज़िक्र हुई है, इस सूरत में 'उसको नहीं छूते हैं' में उस से मुराद क़ुरआन होगा और इससे मुराद वह सहीफ़ा होगा जिसमें क़ुरआन लिखा हुआ हो, और छूने का लफ़्ज़ अपने असली मायने यानी हाथ से छूने के मफ़्हूम में रहेगा, दूसरे मायने में लेने की ज़रूरत न होगी। इसी लिये इमाम क़ुर्तुबी वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने इसको तरजीह दी है और इमाम मालिक रह. ने फ़रमाया कि आयतः

لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ○

की तफ़सीर में जो कुछ मैंने सुना है उन सब में बेहतर यह क़ौल है कि इसका वही मफ़्हूम

है जो सूरः अ़-ब-स की आयत का है यानीः

فِیْ صُحُفٍ مُّکَرَّمَۃٍ ۙ مَّرْفُوْعَۃٍ مُّطَھَّرَۃٍ ۙ بِاَیْدِیْ سَفَرَۃٍ ۙ کِرَامٍۭ بَرَرَۃٍ ۙ (قرطبی وروح المعانی)

और इसका हासिल यह है कि यह जुमला किताबे मकनून की सिफ़त नहीं बल्कि क़ुरआन की सिफ़त है, और क़ुरआन से मुराद वो सहीफ़े हैं जो वही लाने वाले फ़रिश्तों के हाथ में दिये जाते हैं।

दूसरा मसला ग़ौर-तलब और जिसमें मतभेद है इस आयत में यह है कि **मुतह्हरून** (पाक लोगों) से कौन मुराद हैं, सहाबा व ताबिईन और मुफ़स्सिरीन की एक बड़ी जमाअ़त के नज़दीक पाक लोगों से मुराद फ़रिश्ते हैं जो गुनाह व नाफ़रमानी और बुरी ख़स्लतों से पाक व महफ़ूज़ हैं, यह क़ौल हज़रत अनस और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से मन्क़ूल है। (क़ुर्तुबी) हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का भी यही क़ौल है। (इब्ने कसीर) इमाम मालिक रह. ने भी इसी को इख़्तियार किया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि क़ुरआन से मुराद वह मुस्हफ़ (किताबी शक्ल का क़ुरआन) है जो हमारे हाथों में है, और मुतह्हरून से मुराद वे लोग हैं जो ज़ाहिरी और बातिनी नापाकी व गन्दगी यानी **हदस-ए-असग़र** व **हदस-ए-अकबर** से पाक हों। हदस-ए-असग़र के मायने बेवुज़ू होने के हैं, यह वुज़ू करने से दूर हो जाता है, और **हदस-ए-अकबर** जनाबत (नहाना वाजिब होने की हालत) और हैज़ व निफ़ास को कहा जाता है जिससे पाकी के लिये ग़ुस्ल ज़रूरी है। यह तफ़सीर हज़रत अ़ता, हज़रत ताऊस, हज़रत सालिम और हज़रत मुहम्मद बाक़र रह. से मन्क़ूल है। (रूहुल-मआ़नी) इस सूरत में जुमला 'ला यमस्सुहू' अगरचे एक ख़बर वाला जुमला है मगर इस ख़बर को मनाही के मायने में क़रार दिया जायेगा, और आयत का मतलब यह होगा कि क़ुरआनी मुस्हफ़ को छूना बग़ैर तहारत (पाकी) के जायज़ नहीं, और तहारत के मफ़्हूम में यह भी दाख़िल है कि ज़ाहिरी नापाकी से भी उसका हाथ पाक हो और बेवुज़ू भी न हो, और हदसे-अकबर यानी जनाबत (नापाकी, जिसमें नहाना वाजिब हो) भी न हो। इमाम क़ुर्तुबी ने इसी तफ़सीर को ज़्यादा स्पष्ट फ़रमाया है। तफ़सीरे मज़हरी में इसी की तरजीह पर ज़ोर दिया है।

हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के इस्लाम लाने के वाक़िए में जो ज़िक्र हुआ है कि उन्होंने अपनी बहन को क़ुरआन पढ़ते हुए पाया तो क़ुरआन के वरक़ (पन्ने) को देखना चाहा, उनकी बहन ने यही आयत पढ़कर क़ुरआन के पन्ने उनके हाथ में देने से इनकार किया कि इसको पाक लोगों के सिवा कोई नहीं छू सकता। फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने मजबूर होकर ग़ुस्ल किया, फिर वो पन्ने पढ़े। इस वाक़िए से भी इसी आख़िरी तफ़सीर की तरजीह मालूम होती है और हदीस की रिवायतें जिनमें ग़ैर-ताहिर (जो पाक न हो उस) को क़ुरआन के छूने से मना किया गया है उन रिवायतों को भी कुछ हज़रात ने इस आख़िरी तफ़सीर की तरजीह (ज़्यादा सही और वरीयता प्राप्त होने) के लिये पेश किया है।

मगर चूँकि इस मसले में हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा वग़ैरह का इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है जो ऊपर आ चुका है इसलिये बहुत से हज़रात ने बेवुज़ू क़ुरआन को हाथ लगाने की मनाही के मसले में उक्त आयत से दलील न लेकर सिर्फ़ हदीस की रिवायतों को पेश किया है। (रूहुल-मआ़नी) वो हदीसें ये हैं:

इमाम मालिक रह. ने अपनी किताब मुवत्ता में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का वह पत्र मुबारक नक़ल किया है जो आपने हज़रत अ़मर बिन हज़्म रज़ियल्लाहु अ़न्हु को लिखा था, जिसमें एक जुमला यह भी है:

لَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ

यानी क़ुरआन को वह शख़्स न छुए जो ताहिर (पाक) न हो। (इब्ने कसीर)

और रूहुल-मआ़नी में यह रिवायत मुस्नद अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़, इब्ने अबी दाऊद और इब्ने मुन्ज़िर से भी नक़ल की है, और तबरानी व इब्ने मरदूया ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لَا يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ اِلَّا طَاهِرٌ

यानी क़ुरआन को हाथ न लगाये सिवाय उस शख़्स के जो पाक हो। (रूहुल-मआ़नी)

मसलाः उपरोक्त रिवायतों की बिना पर उम्मत की अक्सरियत और चारों इमामों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि क़ुरआने करीम को हाथ लगाने के लिये तहारत शर्त है, इसके ख़िलाफ़ करना गुनाह है। ज़ाहिरी नजासत से हाथ का पाक होना, बावुज़ू होना, नापाकी की हालत में न होना सब इसमें दाख़िल है। हज़रत अ़ली मुर्तज़ा, हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास, हज़रत सईद इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हुम, हज़रत अ़ता, हज़रत ज़ोहरी, हज़रत नख़ई, हज़रत हम्माद, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ई, इमाम अबू हनीफ़ा रह. सब का यही मस्लक है। ऊपर जो अक़वाल का अलग-अलग और भिन्न होना नक़ल किया गया है वह सिर्फ़ इस बात में है कि यह मसला जो ऊपर ज़िक्र हुई हदीसों से साबित और उम्मत की अक्सरियत के नज़दीक मुसल्लम है, क्या यह बात क़ुरआन की मज़कूरा आयत से भी साबित है या नहीं? कुछ हज़रात ने इस आयत का मफ़्हूम और उक्त हदीसों का मफ़्हूम एक क़रार दिया और इस आयत और उक्त हदीसों के मजमूए से इस मसले को साबित किया, दूसरे हज़रात ने आयत को दलील में पेश करने से इसलिये एहतियात की कि इसमें सहाबा का मतभेद है, लेकिन उक्त हदीसों की बिना पर मस्लक (राय) सब ने यही इख़्तियार किया कि बेवुज़ू व बेतहारत क़ुरआन को हाथ लगाना जायज़ नहीं, इसलिये मतभेद मसले में नहीं बल्कि इसकी दलील में हुआ है।

मसलाः क़ुरआन मजीद का ग़िलाफ़ जो जिल्द के साथ सिला हुआ हो वह भी क़ुरआन के हुक्म में है, उसको भी बग़ैर वुज़ू व बग़ैर तहारत के हाथ लगाना चारों इमामों के नज़दीक जायज़ नहीं है, अलबत्ता क़ुरआन मजीद का जुज़दान जो अलग कपड़े का होता है अगर उसमें क़ुरआन बन्द है तो उस जुज़दान के साथ क़ुरआने करीम को हाथ लगाना बिना वुज़ू के इमाम अबू

हनीफ़ा रह. के नज़दीक जायज़ है, मगर इमाम मालिक और इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक यह भी नाजायज़ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसलाः जो कपड़ा आदमी ने पहना हुआ है उसकी आस्तीन या दामन से क़ुरआन को बिना वुज़ू छूना भी जायज़ नहीं, अलबत्ता अलग रूमाल या चादर से छुआ जा सकता है। (मज़हरी)

मसलाः उलेमा ने फ़रमाया कि इसी आयत से यह बात और अच्छी तरह साबित होती है कि जनाबत (ग़ुस्ल वाजिब होने) या हैज़ व निफ़ास (माहवारी या बच्चे की पैदाईश के बाद ख़ून आने) की हालत में क़ुरआन की तिलावत भी जायज़ नहीं जब तक ग़ुस्ल न करे, क्योंकि मुस्हफ़ में लिखे हुए हुरूफ़ व नुक़ूश की जब यह ताज़ीम (अदब व सम्मान) वाजिब है तो असली हुरूफ़ जो ज़बान से अदा होते हैं उनकी ताज़ीम इससे ज़्यादा अहम और वाजिब होनी चाहिये, इसका तक़ाज़ा तो यह था कि बेवुज़ू आदमी को भी क़ुरआन की तिलावत जायज़ न हो मगर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस जो बुख़ारी व मुस्लिम में है और हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू की हदीस जो मुस्नद अहमद में है उससे बग़ैर वुज़ू के क़ुरआन की तिलावत फ़रमाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से साबित है, इसलिये दीन के माहिर उलेमा ने बिना वुज़ू तिलावत की इजाज़त दी है। (तफ़सीरे मज़हरी)

اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ٥

मुद्हिनून इद्हान से निकला है जिसके लुग़वी मायने तेल की मालिश करने के हैं, और तेल की मालिश से बदनी अंग नर्म हो जाते हैं, इसलिये नर्म करने और नाजायज़ मौक़ों पर नर्मी बरतने के मायने और निफ़ाक़ के मफ़्हूम में इस्तेमाल होने लगा। मज़कूरा आयत में यह लफ़्ज़ अल्लाह की आयतों की तस्दीक़ में निफ़ाक़ या झुठलाने के मायने में इस्तेमाल है।

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ٥ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ٥ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ٥ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ٥ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ٥

इनसे पहले की आयतों में पहले अ़क़्ली दलीलों से फिर हक़ तआ़ला की तरफ़ से सितारों की क़सम खाकर और उनके क़हर का शिकार व मग़लूब होने की कैफ़ियत की तरफ़ इशारा करके दो बातें साबित की गई हैं- अव्वल यह कि क़ुरआन अल्लाह तआ़ला का कलाम है इसमें किसी शैतान व जिन्न वग़ैरह का कोई तसर्रुफ़ (अ़मल-दख़ल) नहीं हो सकता, जो कुछ इसमें है वह हक़ है। दूसरा मसला जो क़ुरआन के मसाईल में ख़ास अहमियत रखता है वह क़ियामत का आना और सब मुर्दों का ज़िन्दा होकर रब्बुल-इ़ज़्ज़त के सामने हिसाब के लिये पेश होना है, और इसके आख़िर में काफ़िरों व मुश्रिकों का इन सब खुली दलीलों के ख़िलाफ़ क़ुरआन की हक़्क़ानियत और क़ियामत में मुर्दों के ज़िन्दा होने से इनकार का ज़िक्र किया गया था।

क़ियामत और मरने के बाद ज़िन्दा होने से इनकार गोया उनकी तरफ़ से इसका दावा है कि उनकी जान और रूह ख़ुद उनके क़ब्ज़े में है और उनकी अपनी ज़िन्दगी में उनको भी कुछ दख़ल है, उनके इस बातिल और ग़लत ख़्याल की तरदीद (रद्द करने) के लिये ऊपर दर्ज हुई आयतों

में एक मौत के क़रीब पहुँच जाने वाले इनसान की मिसाल देकर बतलाया कि जब उसकी रूह हलक़ में पहुँचती है और तुम यानी मरने वाले के परिजन और यार-दोस्त सब उसके हाल को देख रहे होते हैं, और मुहब्बत व ताल्लुक़ के तक़ाज़े से यह भी चाहते हैं कि इसकी रूह न निकले यह ज़िन्दा रहे, मगर उस वक़्त सब को अपने आ़जिज़ और बेबस होने का एहसास व इक़रार होता है कि कोई उस मरने वाले की जान नहीं बचा सकता, इस पर हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि उस वक़्त अपने इल्म व क़ुदरत के लिहाज़ से हम तुम्हारी तुलना में उस मरने वाले से ज़्यादा क़रीब होते हैं। क़रीब होने से मुराद उसके अन्दरूनी और ज़ाहिरी हालात से वाक़फ़ियत और उस पर पूरी क़ुदरत है, और फ़रमाया कि मगर तुम हमारे इस क़रीब होने और मरने वाले के हमारे क़ब्ज़े व इख़्तियार में होने को आँखों से नहीं देखते।

ख़ुलासा यह है कि तुम सब मिलकर उसकी ज़िन्दगी और रूह की हिफ़ाज़त चाहते हो मगर तुम्हारी बात नहीं चलती, हम अपने इल्म व क़ुदरत के एतिबार से उसके ज़्यादा क़रीब हैं वह हमारे क़ब्ज़े में और मर्ज़ी व हुक्म के ताबे है, जिस लम्हे में उसकी रूह निकालना हम तय कर चुके हैं उसको कोई रोक नहीं सकता। इस मिसाल को सामने करके इरशाद होता है कि अगर तुम यह समझते हो कि मरने के बाद तुम्हें ज़िन्दा नहीं किया जा सकता और तुम इतने ताक़तवर और बहादुर हो कि ख़ुदा तआ़ला की पकड़ से बाहर हो तो ज़रा अपनी ताक़त व क़ुदरत का इम्तिहान यहीं करके देखो कि उस मरने वाले की रूह को निकलने से बचा लो, या निकलने के बाद उसमें लौटा दो। और जब तुमसे इतना भी नहीं हो सकता तो फिर अपने आपको ख़ुदा तआ़ला की पकड़ से बाहर समझना और मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने से इनकार करना किस क़द्र बेअ़क़्ली की निशानी है।

فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ○

इनसे पहले की आयतों में मुख़्तलिफ़ दलीलों और मुख़्तलिफ़ उनवानों से यह स्पष्ट कर दिया गया कि दुनिया की मौजूदा ज़िन्दगी का एक रोज़ ख़त्म हो जाना और मरने के वक़्त सब अ़ज़ीज़ों, दोस्तों, डाक्टरों का आ़जिज़ हो जाना रोज़ाना देखने में आता है, इसी तरह इसको भी यक़ीनी समझो कि मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होकर अपने आमाल का हिसाब भी देना है, और हिसाब के बाद जज़ा व सज़ा भी यक़ीनी है, और जज़ा व सज़ा में तमाम मख़्लूक़ का तीन गिरोहों में तक़सीम हो जना और हर एक की जज़ा अलग-अलग होना जो सूरत के शुरू में बयान हो चुका है उसको संक्षिप्त रूप से फिर यहाँ ज़िक्र कर दिया गया कि मरने के बाद अगर यह शख़्स मुक़र्रबीन यानी नेकियों में आगे बढ़ने वालों के गिरोह में से है तो राहत ही राहत, आराम ही आराम है, और अगर साबिक़ीन में नहीं मगर दाहिने वालों यानी आ़म नेक मोमिनों में से है तो भी जन्नत की नेमतें हासिल करने में कामयाब होगा, और अगर तीसरे गिरोह यानी बायें वालों यानी काफ़िरों व मुश्रिकों में से हुआ तो जहन्नम की आग और खौलते हुए पानी से इसका साबक़ा पड़ेगा। आख़िर में फ़रमायाः

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ۝

यानी यह जज़ा व सज़ा जिसका ज़िक्र ऊपर हुआ है हक् और बिल्कुल यक़ीनी बात है, इस में किसी शक व शुब्हे की गुन्जाईश नहीं।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۝

सूरत के ख़त्म पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब है कि आप अपने रब के नाम की तस्बीह पढ़ते रहिये, यानी उसकी पाकी उन तमाम चीज़ों से जो उसकी शान के लायक़ हैं बयान करते रहिये। इसमें नमाज़ की तस्बीहात भी दाख़िल हैं और नमाज़ से बाहर की तस्बीहात भी, और ख़ुद नमाज़ को भी कभी-कभी तस्बीह से ताबीर कर दिया जाता है, तो यह हुक्म नमाज़ के एहतिमाम (पाबन्दी) का भी हो गया। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः वाक़िआ़ की तफ़सीर आज दिनाँक 20 रबीउस्सानी सन् 1391 हिजरी मंगल की रात को पूरी हुई। अब इसके बाद सूरः हदीद की तफ़सीर आयेगी इन्शा-अल्लाह

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-वाक़िआ़ की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-हदीद

सूरः अल्-हदीद मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 29 आयतें और 4 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ٢٩ (٥٧) سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ (٩٤) رُكُوْعَاتُهَا ٤

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝ يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सब्ब-ह लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व हुवल्-अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (1) लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि युह्यी व युमीतु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (2) हुवल्-अव्वलु वल्-आख़िरु वज़्ज़ाहिरु वल्-बातिनु व हु-व बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (3) हुवल्लज़ी ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन् सुम्मस्तवा अ़लल्-

अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में और वही है ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (1) उसी के लिये है राज आसमानों का और ज़मीन का, जिलाता है और मारता है और वह सब कुछ कर सकता है। (2) वही है सबसे पहला और सबसे पिछला और बाहर और अन्दर, और वह सब कुछ जानता है। (3) वही है जिसने बनाये आसमान और ज़मीन छह दिन में फिर क़ायम हुआ तख़्त पर,

अ़र्शि, यअ़्लमु मा यलिजु फ़िल्अर्ज़ि व मा यख़्रुजु मिन्हा व मा यन्ज़िलु मिनस्समा-इ व मा यअ़्रुजु फ़ीहा, व हु-व म-अ़कुम् ऐ-नमा कुन्तुम्, वल्लाहु बिमा तअ़्मलू-न बसीर (4) लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, व इलल्लाहि तुर्जअ़ुल्-उमूर (5) यूलिजुल्लै-ल फ़िन्नहारि व यूलिजुन्नहा-र फ़िल्लैलि, व हु-व अ़लीमुम् बिज़ातिस्-सुदूर (6)	जानता है जो अन्दर जाता है ज़मीन के और जो उससे निकलता है और जो कुछ उतरता है आसमान से और जो कुछ उसमें चढ़ता है, और वह तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम हो, और अल्लाह जो तुम करते हो उसको देखता है। (4) उसी के लिये है राज आसमानों का और ज़मीन का और अल्लाह ही तक पहुँचते हैं सब काम। (5) दाख़िल करता है रात को दिन में और दाख़िल करता है दिन को रात में और उसको ख़बर है जियों की बात की। (6)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब जो कुछ आसमानों और ज़मीन में (मख़्लूक़ात) हैं (ज़बान से बोलकर या अपनी हालत से)। और वह ज़बरदस्त (और) हिक्मत वाला है। उसी की बादशाही है आसमानों की और ज़मीन की, वही ज़िन्दगी देता है और (वही) मौत देता है, और वही हर चीज़ पर क़ादिर है। वही (सब मख़्लूक़ से) पहले है और वही (सब के ज़ाती या सिफ़ाती तौर पर फ़ना होने से) पीछे (भी रहेगा, यानी उस पर न पहले कभी अ़दम तारी हुआ और न आईन्दा किसी दर्जे में उस पर अ़दम तारी होने की संभावना है, इसलिये सब से आख़िर में वही है) और वही (मुतलक़ वजूद के एतिबार से दलीलों के एतिबार से बहुत ही) ज़ाहिर है और वही (ज़ात की हक़ीक़त के एतिबार से निहायत) पोशीदा है (यानी कोई उसकी ज़ात को नहीं पा सकता), और (अगरचे वह ख़ुद तो ऐसा है कि मख़्लूक़ को एक हैसियत से मालूम है और एक हैसियत से ग़ैर-मालूम लेकिन सारी मख़्लूक़ हर एतिबार से पूरी तरह उसको मालूम है और) वह हर चीज़ को ख़ूब जानने वाला है।

(और) वह ऐसा (क़ादिर) है कि उसने आसमानों और ज़मीन को छह दिन (की मात्रा) में पैदा किया, फिर तख़्त पर (जो कि तख़्ते सल्तनत की तरह है, इस तरह) क़ायम (और जलवा फ़रमा) हुआ (जो उसकी शान के लायक़ है और) वह सब कुछ जानता है जो चीज़ ज़मीन के अन्दर दाख़िल होती है (जैसे बारिश) और जो चीज़ उसमें से निकलती है (जैसे पेड़-पौधे और घास वग़ैरह) और जो चीज़ आसमान से उतरती है और जो चीज़ उसमें चढ़ती है (जैसे फ़रिश्ते जो कि चढ़ते-उतरते हैं और जैसे अहकाम जो उतरते हैं और बन्दों के आमाल जो ऊपर चढ़ते

हैं) और (जिस तरह इन चीज़ों का उसको इल्म है इसी तरह तुम्हारे तमाम हालात का भी उसको इल्म है, चुनाँचे) वह (इल्म व इत्तिला के एतिबार से) तुम्हारे साथ रहता है चाहे तुम लोग कहीं भी हो (यानी तुम किसी जगह उससे छुपकर नहीं रह सकते) और वह तुम्हारे सब आमाल को भी देखता है। उसी की हुकूमत है आसमानों की और ज़मीन की, और अल्लाह ही की तरफ़ तमाम मामलात (वजूद व कैफ़ियत वाले) लौट जाएँगे (यानी क़ियामत में पेश हो जायेंगे, इसी में तौहीद के साथ ज़िमनी तौर पर क़ियामत का आना भी साबित हो गया)। वही रात (के हिस्सों) को दिन में दाख़िल करता है (जिससे दिन बड़ा हो जाता है) और वही दिन (के हिस्सों) को रात में दाख़िल करता है (जिससे रात बड़ी हो जाती है) और (इस क़ुदरत के साथ उसका इल्म ऐसा है कि) वह दिल की बातों (तक) को जानता है।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरः हदीद की कुछ ख़ुसूसियतें

पाँच सूरतों को हदीस में 'मुसब्बिहात' से ताबीर किया गया है जिनके शुरू में 'सब्ब-ह' या 'युसब्बिहु' आया है। उनमें से पहली सूरत यह सूरः हदीद है, दूसरी हश्र, तीसरी सफ़्फ़, चौथी जुमा, पाँचवीं तग़ाबुन। अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और नसाई में हज़रत इरबाज़ बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम रात को सोने से पहले ये मुसब्बिहात पढ़ा करते थे और आपने इरशाद फ़रमाया कि इनमें एक आयत ऐसी है जो हज़ार आयतों से अफ़ज़ल है। इमाम इब्ने कसीर ने यह रिवायत नक़ल करने के बाद फ़रमाया कि वह अफ़ज़ल आयत सूरः हदीद की यह आयत है:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ○

(यानी ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 3)

इन पाँच सूरतों में से तीन यानी हदीद, हश्र, सफ़्फ़ में तो लफ़्ज़ 'सब्ब-ह' (भूतकाल का कलिमा) आया है और आख़िरी दो यानी सूरः जुमा और तग़ाबुन में 'युसब्बिहु' मुज़ारेअ़ (वर्तमान व भविष्यकाल) का कलिमा, इसमें इशारा इस तरफ़ हो सकता है कि अल्लाह तआ़ला की तस्बीह और ज़िक्र हर ज़माने हर वक़्त भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में जारी रहना चाहिये। (मज़हरी)

शैतानी ख़्यालात का इलाज

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अगर कभी तुम्हारे दिल में अल्लाह तआ़ला और दीने हक़ के मामले में शैतान कोई वस्वसा डाले तो यह आयत आहिस्ता से पढ़ लिया करो:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ○

यानी यही ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर तीन। (इब्ने कसीर)

इस आयत की तफ़सीर और अव्वल व आख़िर ज़ाहिर व बातिन के मायने में मुफ़स्सिरीन हज़रात के कौल दस से ज़्यादा मन्क़ूल हैं जिनमें कोई टकराव नहीं, सभी की गुन्जाईश है। लफ़्ज़ अव्वल के मायने तो तक़रीबन मुतैयन हैं यानी वजूद के एतिबार से तमाम मौजूद चीज़ों व कायनात से मुक़द्दम और पहला है, क्योंकि सारी मौजूदात उसी की पैदा की हुई हैं, इसलिये वह सबसे अव्वल है, और आख़िर के मायने कुछ हज़रात ने यह किये हैं कि तमाम मौजूदात के फ़ना होने के बाद भी वह बाक़ी रहेगा जैसा कि सूरः क़सस की आयत नम्बर 88 'कुल्लु शैइन् हालिकुन् इल्ला वज्हहू' में इसकी वज़ाहत है। और फ़ना से मुराद आम है चाहे फ़ना व अ़दम (नेस्त व नाबूद होना) वाक़े हो जाये जैसा कि क़ियामत के दिन आम मख़्लूक़ात फ़ना हो जायेगी, या फ़ना न हो मगर उसका फ़ना व नाबूद होना मुम्किन हो और वह अपनी ज़ात में अ़दम के ख़तरे से ख़ाली न हो, उसको मौजूद होने के वक़्त भी फ़ानी कह सकते हैं। इसकी मिसाल जन्नत व दोज़ख़ और उनमें दाख़िल होने वाले अच्छे-बुरे इनसान हैं कि उनका वजूद फ़ना नहीं होगा मगर फ़ना की हालत पेश न आने के बावजूद फ़ना होने की संभावना व शुब्हे से फिर भी ख़ाली नहीं, सिर्फ़ हक़ तआ़ला की ज़ात है जिस पर किसी हैसियत और किसी मफ़्हूम से न पहले कभी अ़दम तारी हुआ और न आईन्दा कभी इसकी संभावना है, इसलिये उसको सबसे आख़िर कह सकते हैं।

और इमाम ग़ज़ाली रह. ने फ़रमाया कि हक़ तआ़ला को आख़िर मारिफ़त के एतिबार से कहा गया है कि सबसे आख़िर मारिफ़त उसकी है, इनसान इल्म व मारिफ़त में तरक़्क़ी करता रहता है मगर ये सब दर्जे जो उसको हासिल हुए रास्ते की मुख़्तलिफ़ मन्ज़िलें हैं उसकी इन्तिहा और आख़िरी हद हक़ तआ़ला की मारिफ़त है। (रूहुल-मआ़नी)

और ज़ाहिर से मुराद वह ज़ात जो अपने ज़हूर में सारी चीज़ों से ऊँची और बरतर हो, और ज़हूर चूँकि वजूद की शाखा और उससे निकलने वाली एक चीज़ है तो जब हक़ तआ़ला का वजूद सब मौजूदात पर बरतर और मुक़द्दम है उसका ज़हूर भी सब पर बरतर है कि उससे ज़्यादा इस आ़लम में कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं कि उसकी हिक्मत व क़ुदरत के मज़ाहिर (निशानात) दुनिया के हर-हर ज़र्रे में दिखाई दे रहे हैं।

और बातिन अपनी ज़ात की हक़ीक़त के एतिबार से है कि उसकी हक़ीक़त तक किसी अ़क़्ल व ख़्याल की रसाई (पहुँच) नहीं हो सकतीः

ऐ बरतर अज़ क़ियास व गुमान व ख़्याल व वहम
व-ज़ हरचे दीदाऐम व शुनीदेम व ख़्वानदाऐम
ऐ बिरों अज़ जुमला क़ाल व क़ीले मन
ख़ाक बर फ़र्के मन व तम्सीले मन

(वाक़ई वह ऐसी ज़ात है जो वहम व ख़्याल और अन्दाज़े व गुमान में नहीं आ सकती, न ही किसी हमारी देखी, सुनी और पढ़ी हुई चीज़ से उसकी मिसाल दी जा सकती है। ग़र्ज़ कि वह बेमिसाल है, किसी को उसकी हक़ीक़त तक रसाई नहीं। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**)

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

"यानी अल्लाह तुम्हारे साथ है तुम जहाँ कहीं भी हो।" इस साथ होने की हक़ीक़त और कैफ़ियत किसी मख़्लूक़ के इल्मी इहाते में नहीं आ सकती, मगर उसका वजूद यक़ीनी है, उसके बग़ैर इनसान का न वजूद क़ायम रह सकता है न कोई काम उससे हो सकता है, उसकी मर्ज़ी व चाहत और क़ुदरत ही से सब कुछ होता है, जो हर हाल, हर जगह और हर इनसान के साथ है। वल्लाहु आलम

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ۝ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝

आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही व अन्फ़िक़ू मिम्मा ज-अ-लकुम् मुस्तख़्ला-लफ़ी-न फ़ीहि, फ़ल्लज़ी-न आमनू मिन्कुम् व अन्फ़क़ू लहुम् अज्रुन् कबीर (7) व मा लकुम् ला तुअ्मिनू-न बिल्लाहि वर्रसूलु यद्अूकुम् लितुअ्मिनू बि-रब्बिकुम् व क़द् अ-ख़-ज़ मीसा-क़कुम् इन् कुन्तुम् मुअ्मिनीन (8) हुवल्लज़ी युनज़्ज़िलु अ़ला अ़ब्दिही आयातिम् बय्यिनातिल्-लियुख़्रि-जकुम् मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि, व इन्नल्ला-ह बिकुम्	यक़ीन लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और ख़र्च करो उसमें से जो तुम्हारे हाथ में दिया है अपना नायब करके, सो जो लोग तुम में यक़ीन लाये हैं और ख़र्च करते हैं उनको बड़ा सवाब है। (7) और तुमको क्या हुआ कि यक़ीन नहीं लाते अल्लाह पर और रसूल बुलाता है तुमको कि यक़ीन लाओ अपने रब पर और ले चुका है तुमसे पक्का अ़हद अगर हो तुम मानने वाले। (8) वही है जो उतारता है अपने बन्दे पर स्पष्ट आयतें कि निकाल लाये तुमको अंधेरों से उजाले में, और अल्लाह तुम पर नर्मी करने वाला है,

ल-रऊफ़ुर्रहीम (9) व मा लकुम् अल्ला तुन्फ़िक़ू फ़ी सबीलिल्लाहि व लिल्लाहि मीरासुस्समावाति वल्अर्ज़ि, ला यस्तवी मिन्कुम् मन् अन्फ़-क़ मिन् क़ब्लिल्-फ़त्हि व क़ात-ल, उलाइ-क अअ्-ज़मु द-र-जतम्-मिनल्लज़ी-न अन्फ़क़ू मिम्बअ्दु व क़ातलू, व कुल्लंव्- व-अ़दल्लाहुल्-हुस्ना, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर (10) ❁

मेहरबान। (9) और तुमको क्या हुआ है कि ख़र्च नहीं करते अल्लाह की राह में और अल्लाह ही को बच रहती है हर चीज़ आसमानों और ज़मीन में, बराबर नहीं तुम में जिसने कि ख़र्च किया (मक्का की) फ़तह से पहले और लड़ाई की, उन लोगों का दर्जा बड़ा है उनसे जो कि ख़र्च करें उसके बाद और लड़ाई करें, और सबसे वायदा किया है अल्लाह ने ख़ूबी का और अल्लाह को ख़बर है जो कुछ तुम करते हो। (10) ❁

मन् ज़ल्लज़ी युक़्रिज़ुल्ला-ह क़र्ज़न् ह-सनन् फ़-युज़ाअ़ि-फ़हू लहू व लहू अज्रुन् करीम (11)

कौन है ऐसा कि क़र्ज़ दे अल्लाह को अच्छी तरह फिर वह उसको दूना कर दे (यानी ख़ूब बढ़ा दे) उसके वास्ते और उसको मिले सवाब इज़्ज़त का। (11)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

तुम लोग अल्लाह तआ़ला पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ और (ईमान लाकर) जिस माल में तुमको उसने क़ायम-मक़ाम किया है उसमें से (उसकी राह में) ख़र्च करो (ख़लीफ़ा बनाने और क़ायम-मक़ाम करने के इस उनवान में इस तरफ़ इशारा है कि यह माल तुमसे पहले और किसी के पास था और इसी तरह तुम्हारे बाद किसी और के हाथ में चला जायेगा, बस जब यह हमेशा रहने वाली चीज़ नहीं तो इसको इस तरह जोड़-जोड़कर रखना कि ज़रूरी कामों में भी ख़र्च न किया जाये बेवक़ूफ़ी के सिवा क्या है) सो (इस हुक्म के मुवाफ़िक़) जो लोग तुम में से ईमान ले आएँ और (ईमान लाकर अल्लाह की राह में) ख़र्च करें, उनको बड़ा सवाब होगा। और (जो लोग ईमान न लायें उनसे हम पूछते हैं कि) तुम्हारे लिये इसका क्या सबब है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते (इसी में रसूलों पर ईमान लाना भी आ गया) हालाँकि (ईमान लाने की तरफ़ बुलाने वाली मज़बूत निशानियाँ मौजूद हैं वह यह कि) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिनकी रिसालत दलीलों से साबित है) तुमको इस बात की तरफ़ बुला रहे हैं कि तुम अपने रब पर (उसी की दी हुई तालीम के मुताबिक़) ईमान लाओ (एक दावत देने और अल्लाह की तरफ़ बुलाने का सामान तो यह हुआ) और (दूसरी दावत देने वाली चीज़ यह कि) ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने तुमसे (ईमान लाने का इक़रार 'अलस्तु बि-रब्बिकुम्' में) अ़हद लिया था

(जिसका संक्षिप्त असर तुम्हारी फ़ितरत में भी मौजूद है, और अल्लाह के रसूल जो मोजिज़े और दलीलें लेकर आये उन्होंने भी इसकी याददेहानी कराई सो) अगर तुमको ईमान लाना हो (तो दावत देने वाली ये चीज़ें काफ़ी हैं वरना फिर ईमान लाने के लिये किस दावत व तक़ाज़े वाली बात का इन्तिज़ार है, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ ۢ بَعْدَ اللّٰهِ وَاٰيٰتِهٖ يُؤْمِنُوْنَ ○

"सूरः जासिया आयत 6"

आगे इस मज़मून 'कि रसूल तुम्हें बुलाता है.........' की और वज़ाहत है कि) वह ऐसा (रहम करने वाला) है कि अपने (ख़ास) बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर साफ़-साफ़ आयतें भेजता है (जो अपनी इबारत की उम्दगी और बेनज़ीर होने की वजह से अपने उद्देश्य पर स्पष्ट रूप से दलालत करती हैं) ताकि वह (ख़ास बन्दा) तुमको (कुफ़्र और जहालत की) अंधेरियों से (ईमान और हक़ीक़तों के इल्म की) रोशनी की तरफ़ लाये (जैसा कि क़ुरआन पाक में एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِ رَبِّهِمْ

"कि तू निकाले लोगों को अंधेरों से उजालों की तरफ़ (सूरः इब्राहीम आयत 1)"

और बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे हाल पर बड़ा शफ़क़त करने वाला, बड़ा मेहरबान है (कि उसने ऐसा अंधेरियों से निकालने वाला तुम्हारी तरफ़ भेजा)। और (इस मज़मून में तो ईमान न लाने पर सवाल था अब अल्लाह की राह में ख़र्च न करने पर सवाल है कि हम पूछते हैं कि) तुम्हारे लिये इसका क्या कारण है कि तुम अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते? हालाँकि (इसका भी एक प्रबल तक़ाज़ा मौजूद है वह यह कि) सब आसमान और ज़मीन आख़िर में अल्लाह ही का रह जायेगा (जब सब मालिक मर जायेंगे और वही रह जायेगा, पस जब सब माल एक रोज़ छोड़ना है तो ख़ुशी से क्यों न दिया जाये कि सवाब भी हो। और आसमान का ज़िक्र करना इसके बावजूद कि कोई मख़्लूक़ उसकी मालिक नहीं शायद इस नुक्ते के लिये हो कि जैसे आसमान बिना किसी के साझे के उसकी मिल्क है इसी तरह ज़मीन भी हक़ीक़त के एतिबार से तो फ़िलहाल भी उसकी मिल्क है और आख़िरकार ज़ाहिरी तौर पर भी उसी की मिल्क रह जायेगी। यह मज़मून लफ़्ज़ 'मुस्तख़्लफ़ी-न' की वज़ाहत व शरह के तौर पर हो गया आगे ख़र्च करने वालों के दर्जों का एक दूसरे से कम-ज़्यादा होना बतलाते हैं कि अगरचे ख़र्च करना हर एक ईमान वाले के लिये अज्र व सवाब का ज़रिया है क्योंकि इसका हुक्म है लेकिन फिर भी फ़र्क़ है, वह यह कि) तुम में से जो लोग मक्का फ़तह होने से पहले (अल्लाह के रास्ते में) ख़र्च कर चुके और (अल्लाह के रास्ते में) लड़ चुके (और जो कि मक्का फ़तह होने के बाद लड़े और ख़र्च किया दोनों) बराबर नहीं, (बल्कि) वे लोग दर्जे में इन लोगों से बड़े हैं जिन्होंने (मक्का के फ़तह होने के) बाद में ख़र्च किया और लड़े। और (यूँ) अल्लाह तआ़ला ने भलाई (यानी सवाब) का वायदा सबसे कर रखा है, और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है

(इसलिये सवाब दोनों वक़्त के अमल पर देंगे। इसलिये जिन लोगों को मक्का फ़तह होने से पहले ख़र्च करने का मौक़ा नहीं मिला हम उनको भी तवज्जोह और शौक़ दिलाने के तौर पर कहते हैं कि) कोई शख़्स है जो अल्लाह तआ़ला को अच्छी तरह (यानी ख़ुलूस के साथ) क़र्ज़ के तौर पर दे? फिर ख़ुदा तआ़ला उस (दिये हुए के सवाब) को उस शख़्स के लिये बढ़ाता चला जाये और (कई गुना बढ़ोतरी के साथ) उसके लिये पसन्दीदा अज्र (तजवीज़ किया गया) है (कई गुना बढ़ाने से तो मात्रा बढ़ा देने को बयान किया गया और लफ़्ज़ करीम से उस जज़ा और बदले की कैफ़ियत बेहतर होने की तरफ़ इशारा है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ.

इससे कायनात के पहले दिन में लिया गया वह अ़हद भी मुराद हो सकता है जबकि हक़ तआ़ला ने मख़्लूक़ात के पैदा होने से पहले ही वजूद में आने वाली तमाम रूहों को जमा करके उनसे रबूबियत यानी अल्लाह तआ़ला के रब्बुल-आ़लमीन होने का इक़रार व अ़हद लिया था जिसका ज़िक्र क़ुरआन में 'अलस्तु बि-रब्बिकुम्' के अलफ़ाज़ से आया है और यह भी हो सकता है कि इस मीसाक़ से वह अ़हद व मुआ़हदा मुराद हो जो पिछले नबियों और उनकी उम्मतों से ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाने और उनकी मदद करने के बारे में लिया गया है, जिसका ज़िक्र क़ुरआने करीम की इस आयत में है:

ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهٖ وَلَتَنْصُرُنَّهٗ قَالَ ءَاَقْرَرْتُمْ وَاَخَذْتُمْ عَلٰى ذٰلِكُمْ اِصْرِىْ قَالُوْٓا اَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوْا وَاَنَا مَعَكُمْ مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ○

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ○

यानी अगर तुम मोमिन हो। यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि यह कलाम उन काफ़िरों से हो रहा है जिनको मोमिन न होने पर तंबीह इससे पहले इस आयत में आ चुकी है:

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

फिर उनको यह कहना कैसे दुरुस्त होगा कि "अगर तुम मोमिन हो।"

जवाब यह है कि काफ़िरों व मुश्रिकों में भी अल्लाह तआ़ला पर तो ईमान के दावेदार थे, बुतों के बारे में यह कहते थे कि हम इनकी पूजा इसलिये करते हैं कि ये अल्लाह तआ़ला के सामने हमारी सिफ़ारिश करेंगे।

مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُوْنَآ اِلَى اللّٰهِ زُلْفٰى.

तो आयत का मतलब यह हुआ कि तुम जो अल्लाह पर ईमान रखने के दावेदार हो अगर तुम्हारा यह दावा सच्चा है तो फिर अल्लाह पर ईमान लाने की सही और मोतबर सूरत इख़्तियार करो जो इसके बग़ैर नहीं हो सकती कि अल्लाह पर ईमान लाने के साथ उसके रसूल पर भी

ईमान लाओ।

وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

मीरास असल में उस मिल्कियत को कहा जाता है जो पिछले मालिक के इन्तिकाल के बाद उसके ज़िन्दा रहने वाले वारिसों को मिला करती है, और यह मिल्क ग़ैर-इख़्तियारी और जबरी होती है, मरने वाला चाहे या न चाहे जो वारिस होता है मिल्कियत उसकी तरफ़ मुन्तक़िल हो जाती है। यहाँ ज़मीन व आसमान को हक् तआ़ला की मिल्कियत मीरास के लफ़्ज़ से ताबीर करने में यह हिक्मत है कि तुम चाहो या न चाहो जिस-जिस चीज़ के मालिक आज तुम समझे जाते हो वह सब आख़िरकार हक् तआ़ला की ख़ास मिल्कियत में मुन्तक़िल हो जायेगी। मुराद यह है कि अगरचे असली मालिक तमाम दुनिया की चीज़ों का पहले भी हक् तआ़ला ही था मगर उसने अपने फ़ज़्ल से कुछ चीज़ों की मिल्कियत तुम्हारे नाम कर दी थी, और अब तुम्हारी वह ज़ाहिरी मिल्कियत भी बाक़ी नहीं रहेगी बल्कि हक़ीक़त में और ज़ाहिर में हर तरह अल्लाह तआ़ला ही की मिल्क हो जायेगी, इसलिये इस वक़्त जबकि तुम्हें ज़ाहिरी मिल्कियत हासिल है अगर तुम अल्लाह के नाम पर ख़र्च कर दोगे तो उसका बदल तुम्हें आख़िरत में मिल जायेगा। इस तरह गोया अल्लाह की राह में ख़र्च की हुई चीज़ की मिल्कियत तुम्हारे वास्ते हमेशा के लिये हो जायेगी।

तिर्मिज़ी शरीफ़ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि एक रोज़ हमने एक बकरी ज़िबह की जिसका ज़्यादातर हिस्सा तक़सीम कर दिया, सिर्फ़ एक दस्त (हाथ) घर के लिये रख लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझसे पूछा कि उस बकरी के गोश्त में से तक़सीम के बाद क्या बाक़ी रहा? मैंने अ़र्ज़ किया कि एक हाथ रह गया है, तो आपने फ़रमाया कि यह सारी बकरी बाक़ी रही सिर्फ़ यह हाथ बाक़ी नहीं रहा जिसको तुम बाक़ी समझ रही हो क्योंकि सारी बकरी अल्लाह की राह में ख़र्च कर दी गई, वह अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिये बाक़ी रहेगी और यह दस्त (हाथ) जो अपने खाने के लिये रखा है इसका आख़िरत में कोई मुआ़वज़ा नहीं, इसलिये यह यहीं फ़ना हो जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

पीछे गुज़री आयतों में अल्लाह की राह में ख़र्च करने की ताकीद बयान फ़रमाने के बाद अगली आयत में यह बतलाया गया है कि अल्लाह की राह में जो कुछ जिस वक़्त भी ख़र्च किया जाये सवाब तो हर एक पर हर एक हाल में मिलेगा लेकिन सवाब के दर्जों में ईमान व इख़्लास और नेकी में आगे बढ़ने के एतिबार से फ़र्क़ होगा। इसके लिये फ़रमायाः

لَا يَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ

यानी अल्लाह के रास्ते में माल ख़र्च करने वाले मुसलमानों में दो क़िस्म के लोग हैं- एक वे जो मक्का फ़तह होने से पहले ईमान ले आये और मोमिन होकर अल्लाह की राह में माल ख़र्च किया, दूसरे वे जो मक्का फ़तह होने के बाद जिहाद में शरीक हुए और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च किया, ये दोनों क़िस्में अल्लाह के नज़दीक बराबर नहीं बल्कि सवाब के दर्जों के एतिबार से इन

में कमी-ज़्यादती है। मक्का फ़तह होने से पहले ईमान लाने वाले और जिहाद करने वाले और ख़र्च करने वाले सवाब के दर्जे के एतिबार से बढ़े हुए हैं दूसरी किस्म से, यानी जिन लोगों ने मक्का फ़तह होने के बाद इस्लामी ख़िदमात में शिर्कत की।

फ़त्हे-मक्का को सहाबा किराम के दर्जे मुतैयन करने के लिये मेयार क़रार देने की हिक्मत

ऊपर बयान हुई आयतों में हक़ तआ़ला ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के दो तब्क़े (दर्जे और वर्ग) क़रार दिये हैं- एक वे जिन्होंने मक्का फ़तह होने से पहले मुसलमान होकर इस्लामी ख़िदमात में हिस्सा लिया, दूसरे वे लोग जिन्होंने मक्का फ़तह होने के बाद यह काम किया है। पहले लोगों का मक़ाम दूसरे लोगों के मुक़ाबले में अल्लाह तआ़ला के नज़दीक बुलन्द होने का ऐलान इस आयत में फ़रमाया गया है।

मक्का फ़तह होने में इन दोनों तब्क़ों में हद्दे-फ़ासिल (अलग-अलग करने वाली हद और मेयार) क़रार देने की एक बड़ी हिक्मत तो यह है कि मक्का मुकर्रमा फ़तह होने से पहले-पहले सियासी हालात और ज़ाहिरी असबाब के एतिबार से मुसलमानों की बाक़ी रहने या ख़त्म हो जाने और इस्लाम के आगे बढ़ने फैलने या बहुत सी तहरीकों (आंदोलनों) की तरह मुर्दा हो जाने के शुब्हात व संभावनायें ज़ाहिर पर निगाह रखने वाली नज़रों में बराबर अन्दाज़ से गर्दिश करती रहती थीं। दुनिया के होशियार लोग किसी ऐसी जमाअ़त या तहरीक में शिर्कत नहीं किया करते जिसके शिकस्त खा जाने या ख़त्म हो जाने का ख़तरा सामने हो, अन्जाम का इन्तिज़ार करते रहते हैं, जब कामयाबी की संभावनायें रोशन हो जायें तो शरीक हो जाते हैं। और बाज़े लोग अगरचे उसको हक़ व सही समझते हों लेकिन मुख़ालिफ़ों की तकलीफ़ों के ख़ौफ़ और अपनी कमज़ोरी के सबब शिर्कत करने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन हिम्मत व इरादे वाले लोग जो किसी नज़रिये और अ़क़ीदे को सही और हक़ समझकर क़ुबूल करते हैं वे हार-जीत और जमाअ़त के कम या ज़्यादा होने पर नज़र किये बग़ैर उसके क़ुबूल करने की तरफ़ दौड़ते हैं।

मक्का फ़तह होने से पहले जो लोग ईमान लाये उनके सामने मुसलमानों की क़िल्लत (कम संख्या में होने) और कमज़ोरी और उसकी वजह से मुश्रिकों की तकलीफ़ों का सिलसिला था, ख़ास तौर पर इस्लाम की शुरूआ़त के वक़्त कि इस्लाम व ईमान का इज़हार करना अपनी जान की बाज़ी लगाने और अपने घरबार को तबाही के लिये पेश कर देने के बराबर था, यह ज़ाहिर है कि उन हालात में जिन्होंने इस्लाम क़ुबूल करके अपनी जानों को ख़तरे में डाला और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद और दीन की ख़िदमत में अपने जान व माल को लगाया उनकी ईमानी ताक़त और अ़मल के इख़्लास को दूसरे लोग नहीं पहुँच सकते।

धीरे-धीरे हालात बदलते गये, मुसलमानों को ताक़त हासिल होती गई, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा फ़तह होकर पूरे अ़रब पर इस्लाम की हुकूमत क़ायम हो गई। उस वक़्त जैसा कि

क़ुरआने करीम में बयान हुआ है:

يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًاo

यानी लोग अल्लाह के दीन में फ़ौज दर फ़ौज होकर दाख़िल होंगे। इसका ज़ुहूर हुआ, क्योंकि बहुत से लोग इस्लाम के हक़ और सच्चा होने पर तो यक़ीन रखते थे मगर अपनी कमज़ोरी और इस्लाम के मुख़ालिफ़ों की ताक़त व दबदबे और उनकी तकलीफ़ों के ख़ौफ़ से इस्लाम व ईमान का इज़्हार करते हुए झिझकते थे, अब उनकी राह से यह रुकावट दूर हो गई तो फ़ौज दर फ़ौज (यानी बड़ी भारी संख्या में) होकर इस्लाम में दाख़िल हो गये। क़ुरआने करीम की इस आयत ने उनका भी इकराम व सम्मान किया है और उनके लिये भी मग़फ़िरत व रहमत का वादा किया है, लेकिन यह बतला दिया कि उनका दर्जा और मक़ाम उन लोगों के बराबर नहीं हो सकता जिन्होंने अपनी हिम्मत व बहादुरी और ईमानी ताक़त के सबब मुख़ालफ़तों और तकलीफ़ों के ख़ौफ़ व ख़तरे से ऊपर होकर इस्लाम का ऐलान किया और आड़े वक़्त में इस्लाम के काम आये।

ख़ुलासा यह है कि हिम्मत व बहादुरी और ईमानी क़ुव्वत के दर्जे मुतैयन करने के लिये मक्का फ़तह होने से पहले और बाद के हालात एक हद्दे-फ़ासिल की हैसियत रखते हैं, इसी लिये उक्त आयत में फ़रमाया कि ये दोनों तब्क़े बराबर नहीं हो सकते।

तमाम सहाबा किराम के लिये मग़फ़िरत व रहमत की ख़ुशख़बरी और सहाबा का बाक़ी उम्मत से इम्तियाज़

मज़कूरा आयतों में अगरचे सहाबा किराम में आपस में दर्जे कम-ज़्यादा होने का ज़िक्र किया गया है लेकिन आख़िर में फ़रमाया:

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى.

यानी आपस में दर्जों और मर्तबों में फ़र्क़ होने के बावजूद अल्लाह तआ़ला ने हुस्ना यानी जन्नत व मग़फ़िरत का वादा सब ही के लिये कर लिया है। यह वादा सहाबा किराम के उन दोनों तब्क़ों (वर्गों और जमाअ़तों) के लिये है जिन्होंने मक्का फ़तह होने से पहले या बाद में अल्लाह की राह में ख़र्च किया, क्योंकि ऐसे अफ़राद तो बहुत ही कम हो सकते हैं जिन्होंने मुसलमान हो जाने के बावजूद अल्लाह तआ़ला के लिये कुछ ख़र्च भी न किया हो, और इस्लाम के मुख़ालिफ़ों के मुक़ाबले व जंग में भी शरीक न हुए हों, इसलिये क़ुरआने करीम का मग़फ़िरत व रहमत का यह ऐलान सहाबा किराम की पूरी जमाअ़त के लिये आ़म और सबको शामिल है।

अ़ल्लामा इब्ने हज़्म रह. ने फ़रमाया कि इसके साथ क़ुरआन की सूरः अम्बिया की दूसरी आयत को मिलाओ जिसमें फ़रमाया है:

اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰىٓ اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ o لَا يَسْمَعُوْنَ حَسِيْسَهَا وَهُمْ فِىْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ

خٰلِدُوْنَ○

"यानी जिन लोगों के लिये हमने हुस्ना को मुक़र्रर कर दिया है वे जहन्नम से ऐसे दूर रहेंगे कि उसकी तकलीफ़देह आवाज़ें भी उनके कानों तक न पहुँचेंगी और अपनी दिल-पसन्द नेमतों में हमेशा-हमेशा रहेंगे।"

जिन आयतों की बहस चल रही है उनमें 'कुल्लंव्व-अ़दल्लाहुल्-हुस्ना' मज़कूर है और इस आयत में जिनके लिये हुस्ना का वादा हुआ उनके लिये जहन्नम की आग से बहुत दूर रहने का ऐलान है। इसका हासिल यह है कि क़ुरआने करीम ने इसकी ज़मानत दे दी कि पहले और बाद के तमाम ही सहाबा किराम में से किसी से भी अगर उम्र भर में कोई गुनाह सर्ज़द हो भी गया तो वह उस पर क़ायम न रहेगा तौबा कर लेगा, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत व मदद और दीन की अ़ज़ीम ख़िदमात और उनकी बेशुमार नेकियों की वजह से अल्लाह तआ़ला उनको माफ़ फ़रमा देगा और उनकी मौत इससे पहले न होगी कि उनका गुनाह माफ़ होकर वे साफ़ व बेबाक़ न हो जायें, या दुनिया की मुसीबतों व आफ़तों और ज़्यादा से ज़्यादा बर्ज़ख़ में कोई तकलीफ़ उनकी ख़ताओं का कफ़्फ़ारा हो जाये।

और जिन हदीसों में कुछ सहाबा किराम पर मरने के बाद अ़ज़ाब का ज़िक्र आया है वह आख़िरत व जहन्नम के अ़ज़ाब का ज़िक्र नहीं, बर्ज़ख़ी यानी क़ब्र का अ़ज़ाब है, यह कोई बईद नहीं है कि सहाबा किराम में से अगर किसी से कोई गुनाह सर्ज़द हुआ और इत्तिफ़ाक़ से तौबा करके उससे पाक हो जाने का भी मौक़ा नहीं हुआ तो उनको बर्ज़ख़ी अ़ज़ाब के ज़रिये पाक कर दिया जायेगा ताकि आख़िरत का अ़ज़ाब उन पर न रहे।

सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का मक़ाम क़ुरआन व हदीस से पहचाना जाता है तारीख़ी रिवायतों से नहीं

ख़ुलासा यह है कि हज़राते सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम आ़म उम्मत की तरह नहीं, वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उम्मत के बीच अल्लाह का बनाया हुआ एक वास्ता हैं, उनके बग़ैर न उम्मत को क़ुरआन पहुँचने का कोई रास्ता है और न क़ुरआन के मायने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तालीमात का, इसलिये इस्लाम में उनका एक ख़ास मक़ाम है, उनके मक़ामात तारीख़ की किताबों की मोतबर व नामोतबर रिवायतों से नहीं पहचाने जाते बल्कि क़ुरआन व सुन्नत के ज़रिये पहचाने जाते हैं।

उनमें से अगर किसी से कोई लग़ज़िश (ख़ता व चूक) और ग़लती होती भी है तो अक्सर वह इज्तिहादी (वैचारिक) ख़ता होती है जिस पर कोई गुनाह नहीं, बल्कि सही हदीसों की वज़ाहत के मुताबिक़ एक अज्र ही मिलता है, और अगर वास्तव में कोई गुनाह ही हो गया तो अव्वल वह उनकी उम्र भर के नेक आमाल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद व ख़िदमत

के मुक़ाबले में शून्य की हैसियत रखता है, फिर उनमें अल्लाह का डर और ख़ौफ़ का यह आ़लम था कि मामूली से गुनाह से भी लरज़ जाते और फ़ौरन तौबा करते और अपने नफ़्स पर उसकी सज़ा जारी करने के लिये कोशिश करते थे। कोई अपने आपको मस्जिद के सुतून से बाँध देता और जब तक तौबा क़ुबूल हो जाने का यक़ीन न हो जाये बंधा खड़ा रहता था, और फिर उनमें से हर एक की नेकियाँ इतनी हैं कि वो ख़ुद गुनाहों का कफ़्फ़ारा (यानी उनको मिटाने वाली) हो जाती हैं, इन सब पर अतिरिक्त यह है कि अल्लाह तआ़ला ने उनकी ख़ताओं की मग़फ़िरत का आ़म ऐलान इस आयत में और दूसरी आयतों में फ़रमा दिया, और सिर्फ़ मग़फ़िरत ही नहीं बल्कि सूरः बय्यिनह् में 'रज़ियल्लाहु अ़न्हुम् व रज़ू अ़न्हु' फ़रमाकर अपनी रज़ा की भी सनद दे दी, इसलिये उनके आपस में जो मतभेद व झगड़े पेश आये उनकी वजह से उनमें से किसी को बुरा कहना या उस पर ताने व तशने करना क़तई हराम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इरशाद के मुताबिक़ लानत का सबब और अपने ईमान को ख़तरे में डालना है। नऊ़ज़ु बिल्लाहि मिन्हु।

आजकल तारीख़ की झूठी-सच्ची मज़बूत व कमज़ोर रिवायतों की बिना पर जो कुछ लोगों ने बाज़े हज़राते सहाबा किराम को इल्ज़ाम व तानों का निशाना बनाया है अव्वल तो उसकी बुनियाद जो तारीख़ी रिवायतों पर है वह बुनियाद ही लड़खड़ाती हुई है, और अगर किसी दर्जे में उन रिवायतों को क़ाबिले तवज्जोह मान भी लिया जाये तो क़ुरआन व हदीस के खुले हुए इरशादात के ख़िलाफ़ उनकी कोई हैसियत नहीं रहती। उन सब हज़रात यानी सहाबा किराम की मग़फ़िरत हो चुकी है।

सहाबा किराम के बारे में पूरी उम्मत का इजमाई अ़क़ीदा

पूरी उम्मत का इजमाई (यानी सर्वसम्मति वाला) अ़क़ीदा यह है कि तमाम सहाबा किराम का अदब व सम्मान, उनसे मुहब्बत रखना, उनकी तारीफ़ व प्रशंसा करना वाजिब है, और उनके आपस में जो मतभेद और झगड़े पेश आये उनके मामले में ख़ामोशी इख़्तियार करना तथा किसी को इल्ज़ाम न देना लाज़िम है। इस्लामी अ़क़ीदों की तमाम किताबों में इस इजमाई अ़क़ीदे की वज़ाहतें मौजूद हैं। इमाम अहमद रह. का रिसाला जो अस्तख़री की रिवायत से मारूफ़ है उसके कुछ अलफ़ाज़ ये हैं:

لَا يَجُوْزُ لِاَحَدٍ اَنْ يَّذْكُرَ شَيْئًا مِّنْ مَّسَاوِيهِم وَلَا يَطْعَنُ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ بِعَيْبٍ وَّلَا نَقْصٍ فَمَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ وَجَبَ تَاْدِيْبُهٗ. (شرح العقيدة الواسطية معروف بالدرة المضية ص ٣٨٩)

"किसी के लिये जायज़ नहीं कि सहाबा किराम की किसी बुराई का ज़िक्र करे या उनमें से किसी पर ताने मारे या कोई ऐब या नुक़सान उनकी तरफ़ मन्सूब करे, और जो ऐसा करे उसको सज़ा देना वाजिब है।"

और इमाम इब्ने तैमिया रह. ने 'अस्सारिमुल-मस्लूल' में सहाबा किराम के मुताल्लिक़

फ़ज़ाईल व ख़ुसूसियात की बहुत सी आयतें और हदीस की रिवायतें लिखने के बाद लिखा है:

وَهٰذَا مِمَّا لَا نَعْلَمُ فِيْهِ خِلَافًا بَيْنَ اَهْلِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِيْنَ لَهُمْ بِاِحْسَانٍ وَسَائِرِ اَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ فَاِنَّهُمْ مُجْمِعُوْنَ عَلٰى اَنَّ الْوَاجِبَ الثَّنَاءُ عَلَيْهِمْ وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمْ وَالتَّرَحُّمُ عَلَيْهِمْ وَالتَّرَضِّيْ عَنْهُمْ وَاعْتِقَادُ مَحَبَّتِهِمْ وَمُوَالَاتِهِمْ وَعُقُوْبَةُ مَنْ اَسَاءَ فِيْهِمُ الْقَوْلَ.

“जहाँ तक हमारे इल्म में है हम इस मामले में उलेमा फ़ुक़हा सहाबा व ताबिईन और तमाम अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त के दरमियान कोई मतभेद नहीं पाते क्योंकि सब का इस पर इजमा (एक राय) है कि उम्मत पर वाजिब यह है कि सब सहाबा किराम की तारीफ़ व ख़ूबी बयान करे और उनके लिये इस्तिग़फ़ार करे और उनको अल्लाह की रहमत व रज़ा के साथ ज़िक्र करे, उनकी मुहब्बत और दोस्ती पर ईमान रखे। और जो उनके मामले में बेअदबी करे उसको सज़ा दे।”

और इमाम इब्ने तैमिया रह. ने 'शरह अ़क़ीदा-ए-वास्तिया' में तमाम उम्मते मुहम्मदिया अहले-सुन्नत वल्-जमाअ़त का अ़क़ीदा बयान करते हुए सहाबा किराम के इख़्तिलाफ़ात (झगड़ों और विवादों) के बारे में लिखा है:

وَيُمْسِكُوْنَ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَ الصَّحَابَةِ وَيَقُوْلُوْنَ هٰذِهِ الْاٰثَارُ الْمَرْوِيَّةُ فِيْ مَسَاوِيْهِمْ مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌ وَّ مِنْهَا مَا زِيْدَ فِيْهَا وَنُقِصَ وَغُيِّرَ وَجْهُهٗ وَالصَّحِيْحُ مِنْهُ هُمْ فِيْهِ مَعْذُوْرُوْنَ اِمَّا مُجْتَهِدُوْنَ مُصِيْبُوْنَ مَعَ ذٰلِكَ لَا يَعْتَقِدُوْنَ اَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ مَعْصُوْمٌ مِّنْ كَبَائِرِ الْاِثْمِ وَصَغَائِرِهٖ بَلْ يَجُوْزُ عَلَيْهِمُ الذُّنُوْبُ فِي الْجُمْلَةِ وَلَهُمْ مِّنَ الْفَضَائِلِ وَالسَّوَابِقِ مَا يُوْجِبُ مَغْفِرَةَ مَا يَصْدُرُ مِنْهُمْ حَتّٰى اَنَّهُمْ يُغْفَرُ لَهُمْ مِّنَ السَّيِّئَاتِ مَا لَا يُغْفَرُ لِمَنْ بَعْدَهُمْ.

“अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त ख़ामोशी इख़्तियार करते हैं उन इख़्तिलाफ़ी (झगड़ों वाले) मामलात के बारे में जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के बीच पेश आये, और कहते हैं कि जो रिवायतें उनमें से किसी पर ऐब लगाने वाली हैं उनकी हकीकत यह है कि कुछ तो बिल्कुल झूठ है और कुछ में कमी-बेशी और काट-छाँट करके उनकी असल हकीकत बिगाड़ दी गई है, और जो कुछ सही है वे उसमें माज़ूर हैं क्योंकि (उन्होंने जो कुछ किया अल्लाह के लिये किया, इज्तिहाद से किया) उस इज्तिहाद में या तो वे सही बात पर थे (तो माज़ूर और एक सवाब के मुस्तहिक़ थे) इन तमाम बातों के साथ वे इसके मोतक़िद नहीं कि हर सहाबी छोटे-बड़े गुनाहों से महफ़ूज़ व सुरक्षित है बल्कि उनसे गुनाह का होना मुम्किन है मगर उनके फ़ज़ाईल और इस्लाम की अ़ज़ीमुश्शान ख़िदमात ऐसी हैं जो उन सब की मग़फ़िरत को चाहती हैं यहाँ तक कि उनकी मग़फ़िरत व माफ़ी इतनी वसीअ़ होगी जो उम्मत में दूसरों के लिये न होगी।”

मक़ामे सहाबा और उनके दर्जों व फ़ज़ाईल पर मुफ़स्सल बहस सूरः फ़तह की आख़िरी आयत के तहत गुज़र चुकी है और अहक़र ने इस बहस पर एक तफ़सीली रिसाला (मक़ामे सहाबा) के नाम से लिख दिया है जो अलग से प्रकाशित हो चुका है जिसमें सहाबा के आ़दिल

होने, उनके मतभेद व झगड़ों और उनके बारे में तारीख़ी रिवायतों की हैसियत और दर्जे की मुकम्मल तहक़ीक़ है, उसको देख लिया जाये।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ
بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۚ﴿۱۲﴾ يَوْمَ
يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا
وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ
الْعَذَابُ ﴿۱۳﴾ يُنَادُوْنَهُمْ اَلَمْ نَكُنْ مَّعَكُمْ ؕ قَالُوْا بَلٰى وَلٰكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ اَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ
وَغَرَّتْكُمُ الْاَمَانِيُّ حَتّٰى جَآءَ اَمْرُ اللّٰهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ ﴿۱۴﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ
وَّلَا مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ؕ مَاْوٰىكُمُ النَّارُ ؕ هِيَ مَوْلٰىكُمْ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿۱۵﴾ اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ
اٰمَنُوْۤا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ ۙ وَلَا يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ
مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ ؕ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿۱۶﴾ اِعْلَمُوْۤا اَنَّ اللّٰهَ
يُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؕ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿۱۷﴾ اِنَّ الْمُصَّدِّقِيْنَ
وَالْمُصَّدِّقٰتِ وَاَقْرَضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖۤ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۖۗ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ؕ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ؕ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَاۤ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ﴿۱۹﴾

ع ۲ ۱۹ ۱۸

यौ-म तरल्-मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति यस्आ नूरुहुम् बै-न ऐदीहिम् व बि-ऐमानिहिम् बुश्राकुमुल्-यौ-म जन्नातुन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, ज़ालि-क हुवल् फ़ौज़ुल्-अ़ज़ीम (12) यौ-म यक़ूलुल्-मुनाफ़िक़ू-न वल्-मुनाफ़िक़ातु लिल्लज़ी-न आमनुन्ज़ुरूना नक़्तबिस्

जिस दिन तू देखे ईमान वाले मर्दों को और ईमान वाली औरतों को दौड़ती हुई चलती है उनकी रोशनी उनके आगे और उनके दाहिने, ख़ुशख़बरी है तुमको आज के दिन बाग़ हैं कि नीचे बहती हैं जिनके नहरें सदा रहो उनमें, यह जो है यही है बड़ी मुराद मिलनी। (12) जिस दिन कहेंगे दग़ाबाज़ मर्द और औरतें ईमान वालों को- राह देखो हमारी हम भी रोशनी ले

मिन्-नूरिकुम् कीलर्जिअू वरा-अकुम् फ़ल्तमिसू नूरन्, फ़ज़ुरि-ब बैनहुम् बिसूरिल्-लहू बाबुन्, बातिनुहू फ़ीहिर्रह्-मतु व ज़ाहिरुहू मिन् कि-बलिहिल्-अ़ज़ाब (13) युनादूनहुम् अलम् नकुम् म-अ़कुम्, क़ालू बला व लाकिन्नकुम् फ़तन्तुम् अन्फ़ु-सकुम् व तरब्बस्तुम् वर्तब्तुम् व ग़र्रत्कुमुल्-अमानिय्यु हत्ता जा-अ अम्रुल्लाहि व ग़र्रकुम् बिल्लाहिल्-ग़रूर (14) फ़ल्यौ-म ला युअ्-ख़ज़ु मिन्कुम् फ़िद्-यतुंव्-व ला मिनल्लज़ी-न क-फ़रू, मअ्वाकुमुन्नारु, हि-य मौलाकुम्, व बिअ्सल्-मसीर (15) अलम् यअ्नि लिल्लज़ी-न आमनू अन् तख़्श-अ़ क़ुलूबुहुम् लिज़िक्रिल्लाहि व मा न-ज़-ल मिनल्-हक़्क़ि व ला यकूनू कल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब मिन् क़ब्लु फ़ता-ल अ़लैहिमुल्-अ-मदु फ़-क़सत् क़ुलूबुहुम्, व कसीरुम्-मिन्हुम् फ़ासिक़ून (16) इअ्लमू अन्नल्ला-ह युह्यिल्-अर्-ज़ बअ्-द मौतिहा, क़द् बय्यन्ना लकुमुल्-आयाति लअ़ल्लकुम् तअ्क़िलून (17) इन्नल्-मुस्सद्दिक़ी-न

तें तुम्हारे नूर से, कोई कहेगा लौट जाओ पीछे, फिर ढूँढ लो रोशनी, फिर खड़ी कर दी जाये उनके बीच में एक दीवार जिसमें होगा दरवाज़ा, उसके अन्दर रहमत होगी और बाहर की तरफ़ अ़ज़ाब। (13) ये उनको पुकारेंगे- क्या हम न थे तुम्हारे साथ? कहेंगे क्यों नहीं लेकिन तुमने बिचला दिया अपने आपको और राह देखते रहे और धोखे में पड़े और बहक गये अपने ख़्यालों पर यहाँ तक कि आ पहुँचा हुक्म अल्लाह का और तुमको बहका दिया अल्लाह के नाम से उस दग़ाबाज़ ने। (14) सो आज तुमसे क़ुबूल न होगा फ़िदया देना और न मुन्किरों से, तुम सब का घर दोज़ख़ है, वही है तुम्हारी साथी, और बुरी जगह जा पहुँचे। (15) क्या वक़्त नहीं आया ईमान वालों को कि गिड़गिड़ायें उनके दिल अल्लाह की याद से और जो उतरा है सच्चा दीन और न हों उन जैसे जिनको किताब मिली थी इससे पहले फिर लम्बी गुज़री उनपर मुद्दत फिर सख़्त हो गये उनके दिल, और बहुत उनमें नाफ़रमान हैं। (16) अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह ज़िन्दा करता है ज़मीन को उसके मर जाने के बाद, हमने खोलकर सुना दिये तुमको पते अगर तुमको समझ है। (17) बेशक जो लोग ख़ैरात करने

वल्-मुस्सद्दिक़ाति व अक़्रज़ुल्ला-ह क़र्ज़न् ह-सनंय्-युज़ा-अफ़ु लहुम् व लहुम् अज्रुन् करीम (18) वल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही उलाइ-क हुमुस्-सिद्दीक़ू-न वश्शु-हदा-उ अ़िन्-द रब्बिहिम्, लहुम् अज्रुहुम् व नूरुहुम्, वल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुल्-जहीम (19) ✿	वाले हैं मर्द और औरतें और क़र्ज़ देते हैं अल्लाह को अच्छी तरह, उनको मिलता है दूना और उनको सवाब है इज़्ज़त का। (18) और जो लोग यक़ीन लाये अल्लाह पर और उसके सब रसूलों पर वही हैं सच्चे ईमान वाले और लोगों के अहवाल बतलाने वाले अपने रब के पास, उनके वास्ते है उनका सवाब और उनकी रोशनी, और जो लोग इनकारी हुए और झुठलाया हमारी बातों को वे हैं दोज़ख़ के लोग। (19) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(वह दिन भी याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन आप मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे और उनकी दाहिनी तरफ़ दौड़ता होगा (यह नूर पुलसिरात पर से गुज़रने के लिये उनके साथ होगा। और एक रिवायत में है कि बाईं तरफ़ भी होगा जैसा दुर्रे मन्सूर में है, तो दाहिनी तरफ़ को ख़ास करके बयान करना शायद इसलिये हो कि उस तरफ़ नूर ज़्यादा ताक़तवर हो, और नुक्ता इस ख़ास करने में शायद यह हो कि यह निशानी हो उनके नामा-ए-आमाल दाहिने हाथ में दिये जाने की, और सामने नूर होना तो ऐसे मौक़े पर आ़म आ़दत है। और उनसे कहा जायेगा कि) आज तुमको ख़ुशख़बरी है ऐसे बाग़ों की जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे (और) यह बड़ी कामयाबी है (ज़ाहिर यह है कि यह बात भी उसी वक़्त कही जायेगी, और इस वक़्त ख़बर देने के तौर पर कही जा रही है, और 'तुम्हारे लिये ख़ुशख़बरी है' कहने वाले ग़ालिबन फ़रिश्ते हैं, जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا....... الخ.

(यानी सूरः हा-मीम अस्सज्दा की आयत 30 में)

या हक़ तआ़ला ख़ुद इस ख़िताब से सम्मानित फ़रमा दें और यह वह दिन होगा) जिस दिन मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें मुसलमानों से (पुलसिरात पर) कहेंगे कि (ज़रा) हमारा इन्तिज़ार कर लो, हम भी तुम्हारे नूर से कुछ रोशनी हासिल कर लें (यह उस वक़्त होगा जबकि मुसलमान अपने आमाल व ईमान की बरकत से बहुत आगे बढ़ जायेंगे और मुनाफ़िक़ लोग जो कि पुलसिरात पर मुसलमानों के साथ चढ़ाये जायेंगे पीछे अन्धेरे में रह जायेंगे, चाहे उनके पास

पहले ही से नूर न हो, या जैसा कि दुर्रे मन्सूर की एक रिवायत में है कि उनके पास भी थोड़ा सा नूर हो और फिर वह बुझ जाये। और नूर के देने में हिक्मत यह हो कि दुनिया में ज़ाहिरी आमाल के एतिबार से वे मुसलमानों के साथ रहा करते थे मगर यक़ीन व एतिक़ाद के एतिबार से दिल से अलग थे, इसलिये उनको शुरू में उन ज़ाहिरी आमाल की वजह से नूर मिल जाये मगर फिर दिल में ईमान व तस्दीक़ न होने के सबब वह नूर उनसे गुम हो जाये। और साथ ही उनके धोखा व फ़रेब देने की जज़ा भी यही है कि अव्वल उनको नूर मिल गया फिर ख़िलाफ़े गुमान उनसे गुम हो गया, ग़र्ज़ कि वे मुसलमानों से ठहरने को कहेंगे) उनको जवाब दिया जायेगा (यह जवाब देने वाले चाहे फ़रिश्ते हों या मोमिन हज़रात हों) कि तुम अपने पीछे लौट जाओ फिर (वहाँ से) रोशनी तलाश करो (दुर्रे मन्सूर की रिवायत के मुताबिक़ इस पीछे से मुराद वह जगह है जहाँ सख़्त अंधेरे के बाद पुलसिरात पर चढ़ने के वक़्त नूर तक़सीम हुआ था, यानी नूर तक़सीम होने की जगह वह है वहाँ जाकर लो। चुनाँचे वे उधर जायेंगे, जब वहाँ भी कुछ न मिलेगा, फिर इधर ही आयेंगे) फिर (मुसलमानों के पास न पहुँच सकेंगे बल्कि) इन (दोनों फ़रीक़ों) के बीच में एक दीवार कायम कर दी जायेगी जिसमें एक दरवाज़ा (भी) होगा (जिसकी कैफ़ियत यह है कि) उसकी अन्दरूनी ओर में रहमत होगी और बाहरी ओर की तरफ़ अ़ज़ाब होगा।

(दुर्रे मन्सूर की रिवायत के मुताबिक़ यह दीवार आराफ़ है, और अन्दरूनी जानिब से मुराद मोमिनों की तरफ़ वाली जानिब और बाहरी जानिब से मुराद काफ़िरों की तरफ़ वाली जानिब है, और रहमत से मुराद जन्नत और अ़ज़ाब से मुराद दोज़ख़ है। और शायद यह दरवाज़ा बातचीत के लिये हो, या इसी दरवाज़े में से जन्नत का रास्ता हो। इसकी अधिक तहक़ीक़ सूरः आराफ़ के पाँचवें रुकूअ़ में गुज़री है। ग़र्ज़ कि जब उनमें और मुसलमानों में दीवार बाधा हो जायेगी और ये ख़ुद अंधेरे में रह जायेंगे तो उस वक़्त) ये (मुनाफ़िक़) उन (मुसलमानों) को पुकारेंगे कि क्या (दुनिया में) हम तुम्हारे साथ न थे? (यानी नेकी करने और अच्छे आमाल करने में तुम्हारे शरीक रहा करते थे, तो आज भी साथ रहना चाहिये) वे (मुसलमान) कहेंगे कि हाँ (थे तो सही) लेकिन (ऐसा होना किस काम का, क्योंकि महज़ ज़ाहिर में साथ थे और तुम्हारी दिल की हालत यह थी कि) तुमने अपने को गुमराही में फंसा रखा था और (वह गुमराही यह थी कि तुम पैग़म्बर और मुसलमानों से दुश्मनी रखते थे, और उन पर मुसीबत व परेशानी आ पड़ने के) तुम मुन्तज़िर (और इच्छुक) रहा करते थे, और (इस्लाम के हक़ होने में) तुम शक रखते थे, और तुमको तुम्हारी बेहूदा तमन्नाओं ने धोखे में डाल रखा था, यहाँ तक कि तुम पर ख़ुदा का हुक्म आ पहुँचा (बेहूदा तमन्नाओं से मुराद यह है कि इस्लाम मिट जायेगा और यह कि हमारा मज़हब हक़ है और यही निजात दिलाने वाला है। और ख़ुदा के हुक्म से मुराद मौत है, यानी उम्रभर इन्हीं कुफ़्रिया बातों और हरकतों पर जमे रहे, तौबा भी न की) और तुमको धोखा देने वाले (यानी शैतान) ने अल्लाह के साथ धोखे में डाल रखा था (वह यह कि अल्लाह तआ़ला हमारी पकड़ न करेगा। इन सब बातों का हासिल यह है कि इन कुफ़्रिया बातों और आमाल की वजह से तुम्हारा

ज़ाहिर में हमारे साथ रहना निजात के लिये काफ़ी नहीं) ग़र्ज़ कि आज न तुमसे कोई मुआ़वज़ा लिया जायेगा और न काफ़िरों से (यानी अव्वल तो मुआ़वज़ा देने के वास्ते तुम्हारे पास कोई चीज़ है नहीं, लेकिन मान लो अगर होती भी तब भी मक़बूल न होती, क्योंकि यह बदले की जगह है अ़मल की जगह नहीं, और) तुम सब का ठिकाना दोज़ख़ है, वही तुम्हारी (हमेशा के लिये) साथी है और वह (वाक़ई) बुरा ठिकाना है।

(यह क़ौल कि 'आज तुम्हारी तरफ़ से कोई मुआ़वज़ा क़ुबूल न होगा............' या तो मोमिनों का हो या हक़ तआ़ला का। इस सारे के सारे बयान से साबित हो गया कि जिस ईमान में लाज़िमी और ज़रूरी इबादतों व नेक आमाल की कमी हो वह अगरचे बेकार नहीं, लेकिन कामिल भी नहीं। इसलिये अगली आयतों में उसके पूरा व कामिल करने के लिये नाराज़गी के इज़हार के साथ मुसलमानों को हुक्म फ़रमाते हैं कि) क्या ईमान वालों (में से जो लोग ज़रूरी इबादतों व आमाल में कमी करते हैं जैसे गुनाहगार मुसलमानों की हालत होती है तो क्या उन) के लिये (अब भी) इस बात का वक़्त नहीं आया कि उनके दिल ख़ुदा की नसीहत के और जो हक़ दीन (अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से) नाज़िल हुआ है (कि वही अल्लाह की नसीहत है) उसके सामने झुक जाएँ? (यानी दिल से ज़रूरी आमाल व इबादत की पाबन्दी और गुनाहों से बचने का पुख़्ता इरादा कर लें और इसको ख़ुशूअ़ जिसके मायने सुकून के हैं इसलिये कहा कि दिल का मतलूबा हालत पर रहना सुकून है और नाफ़रमानी व गुनाहों की तरफ़ जाना अपनी हालत से हटने के जैसा है) और (इस दिल के सुकून के हासिल करने में देर करने से जिसका हासिल तौबा में देर करना है वे) उन लोगों की तरह न हो जाएँ जिनको उनसे पहले (आसमानी) किताब मिली थी (यानी यहूदी और ईसाई, कि उन्होंने भी अपनी किताबों की तालीम व तक़ाज़े के उलट गुनाहों और अपनी इच्छाओं में ख़ुद को फंसाना शुरू किया), फिर (उसी हालत में) उन पर एक लम्बा ज़माना गुज़र गया (और तौबा न की) फिर उस (तौबा न करने से) उनके दिल (ख़ूब ही) सख़्त हो गये (कि शर्मिन्दगी व मलामत का एहसास भी न होता था) और (उसकी नौबत यहाँ तक पहुँची कि उसी दिल की सख़्ती की बदौलत) बहुत-से आदमी उनमें के (आज) काफ़िर हैं (क्योंकि नाफ़रमानी व गुनाहों पर जमे रहना और उसको अच्छा समझना और सच्चे नबी से दुश्मनी रखना अक्सर कुफ़्र का सबब बन जाता है। मतलब यह कि मुसलमान को जल्दी तौबा कर लेनी चाहिये, क्योंकि कई बार फिर तौबा की तौफ़ीक़ नहीं रहती, और कई बार कुफ़्र तक नौबत पहुँच जाती है)।

(आगे फ़रमाते हैं कि अगर तुम लोगों के दिलों में नाफ़रमानी व गुनाहों से कोई ख़राबी कम व बेश पैदा हो गयी हो तो उसको इस वहम की बिना पर तौबा से रुकावट न समझो कि अब तौबा से क्या सुधार होगा, बल्कि) यह बात जान लो कि अल्लाह तआ़ला (की ऐसी शान है कि वह) ज़मीन को उसके सूख जाने के बाद ज़िन्दा कर देता है (पस इसी तरह तौबा करने पर अपनी रहमत से मुर्दा दिल को ज़िन्दा और दुरुस्त कर देता है। पस मायूस न होना चाहिये क्योंकि) हमने तुमसे (इसकी) नज़ीरें (यानी नमूने और मिसालें) बयान कर दी हैं ताकि तुम

समझो (नमूने से मुराद जैसा कि तफ़सीरे मदारिक में है 'ज़मीन का ज़िन्दा करना' है और आयात को बहुवचन के तौर पर लाना शायद इस वजह से हो कि ऐसा एक बार नहीं बल्कि बार-बार होता है)।

(आगे अल्लाह के रास्ते में उस ख़र्च करने की फ़ज़ीलत बयान हो रही है जिसका ऊपर ज़िक्र आ चुका है, यानी) बेशक सदक़ा देने वाले मर्द और सदक़ा देने वाली औरतें और ये (सदक़ा देने वाले) अल्लाह को नेक-नीयती के साथ क़र्ज़ दे रहे हैं, वह सदक़ा (सवाब के एतिबार से) उनके लिये बढ़ा दिया जायेगा, और (इस बढ़ाने के साथ) उनके लिये पसन्दीदा अज्र (मुक़र्रर किया गया) है (इसकी तफ़सीर अभी गुज़र चुकी है) और (आगे ऊपर बयान हुए ईमान की फ़ज़ीलत को इरशाद फ़रमाया है कि) जो लोग अल्लाह पर और उसके रसूलों पर (पूरा) ईमान रखते हैं (यानी जिनमें ईमान और तस्दीक़ और नेकी व फ़रमाँबरदारी की पाबन्दी मुकम्मल दर्जे में हो) ऐसे ही लोग अपने रब के नज़दीक सिद्दीक़ और शहीद हैं (जिसका बयान सूरः निसा के रुकूअ़ नौ में आ चुका है। यानी ऊँचे और कामिल मर्तबे कामिल ईमान ही की बदौलत नसीब होते हैं। और **शहीद** का हासिल है कि जो अपनी जान को अल्लाह की राह में पेश कर दे चाहे वह क़त्ल न हो, क्योंकि क़त्ल हो जाना तो अपने इख़्तियार में नहीं है) उनके लिये (जन्नत में) उनका (ख़ास) अज्र और (पुलसिरात पर) उनका (ख़ास) नूर होगा। और (आगे काफ़िरों का ज़िक्र फ़रमाते हैं कि) जो लोग काफ़िर हुए और हमारी आयतों को झुठलाया, यही लोग दोज़ख़ी हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ.

यानी वह दिन याद रखने के क़ाबिल है जिस दिन आप मोमिन मर्द और मोमिन औ़रतों को देखेंगे कि उनका नूर उनके आगे आगे और दाहिनी तरफ़ होगा.........।

उस दिन से मुराद क़ियामत का दिन है, और यह नूर अ़ता होने का मामला पुलसिरात पर चलने से कुछ पहले पेश आयेगा। इसकी तफ़सील एक हदीस में है जो हज़रत अबू उमामा बाहिली से मरवी है, इमाम इब्ने कसीर ने उसको इब्ने अबी हातिम के हवाले से नक़ल किया है, हदीस लम्बी है जिसमें अबू उमामा रज़ियल्लाहु अ़न्हु का दमिश्क़ में एक जनाज़े में शरीक होना और फ़ारिग़ होने के बाद लोगों को मौत और आख़िरत की याद दिलाने के लिये मौत और क़ब्र फिर हश्र के कुछ हालात बयान फ़रमाना मज़कूर है, उसके चन्द जुमलों का तर्जुमा यह है कि:

"फिर तुम क़ब्रों से मैदाने हश्र की तरफ़ मुन्तक़िल किये जाओगे, जिसमें मुख़्तलिफ़ मर्हले और खड़े होने और हिसाब के स्थान होंगे। एक मर्हला ऐसा आयेगा कि अल्लाह के हुक्म से कुछ चेहरे सफ़ेद और रोशन कर दिये जायेंगे और कुछ चेहरे काले सियाह कर दिये जायेंगे, फिर एक मर्हला ऐसा आयेगा कि मैदाने हश्र में जमा होने वाले सब लोगों पर जिनमें मोमिन व काफ़िर सब होंगे, एक सख़्त अंधेरा तारी हो जायेगा, किसी को कुछ नज़र न आयेगा, उसके बाद नूर

तक़सीम किया जायेगा, हर मोमिन को नूर अ़ता किया जायेगा (इब्ने अबी हातिम ही की दूसरी रिवायत में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि मोमिनों में यह नूर उनके आमाल के हिसाब से तक़सीम होगा, किसी का नूर पहाड़ के जैसा, किसी का खजूर के दरख़्त के जैसा, किसी का इनसान के क़द के बराबर होगा, सबसे कम नूर उस शख़्स का होगा जिसके सिर्फ़ अंगूठे में नूर होगा और वह भी कभी रोशन हो जायेगा कभी बुझ जायेगा।"

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

फिर हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मुनाफ़िक़ों और काफ़िरों को कोई नूर न दिया जायेगा, और फ़रमाया कि इसी वाक़िए को क़ुरआने करीम ने एक मिसाल के उनवान से सूरः नूर की इस आयत में बयान फ़रमाया है:

اَوْ كَظُلُمٰتٍ فِيْ بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَّغْشٰهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهٖ سَحَابٌ. ظُلُمٰتٌ ۢ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَآ اَخْرَجَ يَدَهٗ لَمْ يَكَدْ يَرٰهَا وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ ٥ (سورة النور)

और फ़रमाया कि मोमिनों को जो नूर अ़ता होगा (उसका हाल दुनिया के नूर की तरह नहीं होगा कि जहाँ कहीं नूर हो उसके पास वाले भी उससे फ़ायदा उठाते हैं) बल्कि जिस तरह कोई अंधा आदमी दूसरे देखने वाले आदमी की आँखों की रोशनी से नहीं देख सकता इसी तरह मोमिन हज़रात के इस नूर से कोई काफ़िर या फ़ासिक़ फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ियल्लाहु अ़न्हु की इस हदीस से मालूम हुआ कि क़ियामत के खड़े होने के जिस मक़ाम में सख़्त अंधेरे के बाद हक़ तआ़ला की तरफ़ से मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों में नूर तक़सीम होगा उसी वक़्त से काफ़िर और मुनाफ़िक़ उस नूर से मेहरूम रहेंगे, उनको किसी क़िस्म का नूर नहीं मिलेगा।

मगर तबरानी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से एक मरफ़ूअ़ रिवायत यह नक़ल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

"पुलसिरात के पास अल्लाह तआ़ला हर मोमिन को नूर अ़ता फ़रमा देंगे और हर मुनाफ़िक़ को भी, मगर जिस वक़्त ये पुलसिरात पर पहुँच जायेंगे तो मुनाफ़िक़ों का नूर छीन लिया जायेगा।

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

इससे मालूम हुआ कि मुनाफ़िक़ों को भी शुरू में नूर दिया जायेगा, मगर पुलसिरात पर पहुँचकर यह नूर उनसे छिन जायेगा। बहरहाल चाहे शुरू ही से उनको नूर न मिला हो या मिलकर बुझ गया हो, उस वक़्त वे मोमिनों से दरख़्वास्त करेंगे कि ज़रा ठहरो हम भी तुम्हारे नूर से कुछ फ़ायदा उठा लें क्योंकि हम दुनिया में भी नमाज़, ज़कात, हज, जिहाद सब चीज़ों में तुम्हारे शरीक रहा करते थे, तो उनको इस दरख़्वास्त का जवाब नामन्ज़ूरी की शक्ल में दिया जायेगा, जिसका बयान आगे आता है। और मुनाफ़िक़ों के हाल के मुनासिब तो यही है कि पहले उनको भी मुसमलानों की तरह नूर मिले फिर उसको छीन लिया जाये, जिस तरह वे दुनिया में ख़ुदा और रसूल को धोखा देने की ही कोशिश में लगे रहे थे, उनके साथ क़ियामत में मामला भी ऐसा ही किया जायेगा जैसे किसी को धोखा देने के

लिये कुछ रोशनी दिखलाकर बुझा दी जाये, जैसा कि उनके बारे में क़ुरआने करीम का यह इरशाद है:

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ.

"यानी मुनाफ़िक़ लोग अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं और अल्लाह उनको धोखा देने वाला है।" इमाम बग़वी रह. ने फ़रमाया कि इस धोखे से यही मुराद है कि पहले नूर दे दिया जायेगा मगर ऐन उस वक़्त जब नूर की ज़रूरत होगी छीन लिया जायेगा, और यही वह वक़्त होगा जबकि मोमिन लोगों को भी यह अन्देशा लग जायेगा कि कहीं हमारा नूर भी छिन न जाये, इसलिये वे अल्लाह तआ़ला से दुआ़ करेंगे कि हमारे नूर को आख़िर तक पूरा कर दीजिये, जिसका ज़िक्र इस आयत में है:

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا،

الاٰية. (مظهرى)

मुस्लिम, अहमद और दारे क़ुतनी में हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मरफ़ूअ़ हदीस में भी आया है कि शुरू में मोमिन व मुनाफ़िक़ दोनों को नूर दिया जायेगा फिर पुलसिरात पर पहुँचकर मुनाफ़िक़ों का नूर छिन जायेगा।

और तफ़सीरे मज़हरी में इन दोनों रिवायतों में मुवाफ़क़त इस तरह बयान की है कि असल मुनाफ़िक़ लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में थे उनको तो शुरू ही से काफ़िरों की तरह कोई नूर न मिलेगा, मगर वे मुनाफ़िक़ लोग जो इस उम्मत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद के होंगे, जिनको मुनाफ़िक़ का नाम तो इसलिये नहीं दिया जा सकेगा कि वही का सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ख़त्म हो चुका और किसी के बारे में बग़ैर वही के निश्चित तौर पर यह हुक्म नहीं लगाया जा सकता कि वह दिल से मोमिन नहीं, सिर्फ़ ज़बान का इक़रार है। इसलिये उम्मत में किसी को यह हक़ नहीं कि किसी को मुनाफ़िक़ कहे, लेकिन अल्लाह तआ़ला तो जानता है कि किसके दिल में ईमान है किसके दिल में नहीं, तो उनमें से जो लोग अल्लाह तआ़ला के इल्म में मुनाफ़िक़ हैं चाहे ज़ाहिर में उनकी मुनाफ़क़त (दिल से मुसलमान न होना) नहीं खुली, उनके साथ यह मामला होगा कि शुरू में उनको भी नूर दे दिया जायेगा बाद में उनसे वह नूर छीन लिया जायेगा।

इस क़िस्म के मुनाफ़िक़ लोग उम्मत के वे लोग हैं जो क़ुरआन व हदीस में तहरीफ़ (रद्दोबदल) करके उनके मायनों को बिगाड़ते और अपने मतलब के मुवाफ़िक़ बनाते हैं। नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा

मैदाने हश्र में नूर और अंधेरे के असबाब

इस जगह तफ़सीरे मज़हरी में क़ुरआन व हदीस से मेहशर के अंधेरे व नूर के असबाब (कारण) भी बयान कर दिये हैं जो इल्मी तहक़ीक़ात से ज़्यादा अहम हैं, वह नक़ल करता हूँ (उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला हमें भी अपने नूर से नवाज़ेगा)।

1. अबू दाऊद व तिर्मिज़ी ने हज़रत बरीदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु और इब्ने माजा ने हज़रत अनस

रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह मरफ़ूअ़ हदीस रिवायत की है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "ख़ुशख़बरी सुना दो उन लोगों को जो अंधेरी रातों में मस्जिद की तरफ़ जाते हैं क़ियामत के रोज़ मुकम्मल नूर की।" और इसी मज़मून की रिवायात हज़रत सहल बिन सअ़द, ज़ैद बिन हारिसा, इब्ने अ़ब्बास, इब्ने उमर, हारिसा इब्ने वहब, अबू उमामा, अबू दर्दा, अबू सईद, अबू मूसा, अबू हुरैरह और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम वग़ैरह सहाबा किराम से भी मन्क़ूल हैं। (मज़हरी)

2. मुस्नद अहमद और तबरानी में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا وَّبُرْهَانًا وَّنَجَاةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنْ لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهُ نُوْرًا وَّلَا بُرْهَانًا وَّلَا نَجَاةً وَّكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ.

"जो शख़्स पाँचों नमाज़ों की मुहाफ़ज़त करेगा (यानी उनके वक़्तों और आदाब को पाबन्दी के साथ उनको अदा करेगा) उसके लिये यह नमाज़ क़ियामत के रोज़ नूर और बुरहान और निजात बन जायेगी, और जो इस पर मुहाफ़ज़त न करेगा न उसके लिये नूर होगा न बुरहान और न निजात, और वह क़ारून और हामान और फ़िरऔन के साथ होगा।

3. और तबरानी ने हज़रत अबू सईद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो सूरः कहफ़ पढ़ेगा क़ियामत के रोज़ उसके लिये इतना नूर होगा जो उसकी जगह से मक्का मुकर्रमा तक फैलेगा। और एक रिवायत में है कि जो शख़्स जुमे के रोज़ सूरः कहफ़ पढ़ेगा क़ियामत के रोज़ उसके क़दमों से आसमान की बुलन्दी तक नूर चमकेगा।

4. इमाम अहमद रह. ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स क़ुरआन की एक आयत भी तिलावत करेगा वह आयत उसके लिये क़ियामत के रोज़ नूर होगी।

5. दैलमी ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न रिवायत किया है कि मुझ पर दुरूद भेजना पुलसिरात पर नूर का सबब बनेगा।

6. तबरानी ने हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह हदीस रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज के अहकाम बयान करते हुए फ़रमाया कि हज व उमरा के एहराम से फ़ारिग़ होने के लिये जो सर मुण्डाया जाता है तो उसमें जो बाल ज़मीन पर गिरता है वह क़ियामत के रोज़ नूर होगा।

7. मुस्नद बज़्ज़ार में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न रिवायत है कि मिना में जमरात की रमी करना क़ियामत के रोज़ नूर होगा।

8. तबरानी ने उम्दा सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न रिवायत किया है कि जिस शख़्स के बाल इस्लाम की हालत में सफ़ेद हो जायें वह उसके लिये क़ियामत के दिन नूर होगा।

9. बज़्ज़ार ने उम्दा सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न रिवायत किया

है कि जो शख़्स अल्लाह की राह में जिहाद में एक तीर भी फेंकेगा उसके लिये क़ियामत में नूर होगा।

10. बैहक़ी ने शुअ़बुल-ईमान में मुन्क़ता सनद के साथ हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न रिवायत किया है कि बाज़ार में अल्लाह का ज़िक्र करने वाले को उसके हर बाल के मुक़ाबले में क़ियामत के रोज़ एक नूर मिलेगा।

11. तबरानी ने हज़रत हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न नक़ल किया है कि जो शख़्स किसी मुसलमान की मुसीबत व तकलीफ़ को दूर कर दे तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये पुलसिरात पर नूर के दो शोबे (विभाग) बना देगा जिससे एक जहान रोशन हो जायेगा। जिसकी तायदाद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता।

12. बुख़ारी व मुस्लिम ने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से और मुस्लिम ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से और हाकिम ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से और तबरानी ने इब्ने ज़ियाद से रिवायत किया है कि इन सब ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ فَاِنَّهٗ هُوَ الظُّلُمٰتُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ.

यानी तुम ज़ुल्म से बहुत बचो क्योंकि ज़ुल्म ही क़ियामत के रोज़ ज़ुलुमात और अंधेरा होगा।

हम अल्लाह की पनाह माँगते हैं क़ियामत के अंधेरे से और अल्लाह से उस दिन कामिल नूर का सवाल व दरख़्वास्त करते हैं।

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ.

यानी उस रोज़ जब मुनाफ़िक़ मर्द और मुनाफ़िक़ औरतें मोमिनों से कहेंगे कि ज़रा हमारा इन्तिज़ार करो हम भी तुम्हारे नूर से फ़ायदा उठा लें।

قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا.

उनसे कहा जायेगा कि पीछे लौटो जहाँ यह नूर तक़सीम हुआ था वहीं नूर तलाश करो। यह बात या तो मोमिन हज़रात उनके जवाब में कहेंगे या फ़रिश्ते जवाब देंगे (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ि. और क़तादा रह. से मरवी है)।

فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ.

यानी मोमिन हज़रात या फ़रिश्तों का जवाब सुनकर मुनाफ़िक़ लोग उसी जगह की तरफ़ लौटेंगे जहाँ नूर तक़सीम हुआ था, वहाँ कुछ न पायेंगे तो फिर उस तरफ़ आयेंगे, उस वक़्त ये मोमिनों तक पहुँचने न पायेंगे बल्कि इनके और मोमिनों के बीच एक दीवार रुकावट कर दी जायेगी, जिसके दूसरी तरफ़ जहाँ मोमिन हज़रात होंगे रहमत होगी और इस तरफ़ जहाँ मुनाफ़िक़ लोग होंगे अ़ज़ाब होगा।

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल नक़ल किया है कि यह दीवारे आराफ़ होगी जो मोमिनों व काफ़िरों के बीच रोक और बाधा कर दी जायेगी, और कुछ दूसरे मुफ़स्सिरीन ने आराफ़ की दीवार के अ़लावा कोई दूसरी दीवार क़रार दी है और उस दीवार में जो दरवाज़ा रखा जायेगा या तो इसलिये कि उसके रास्ते से मोमिन व काफ़िर लोगों में आपस में बातचीत

हो सके, या मोमिनों को उसी दरवाज़े से गुज़ारने के बाद बन्द कर दिया जायेगा।

फ़ायदाः इस नूर के मामले में काफ़िरों का कहीं ज़िक्र नहीं आया, क्योंकि उनमें नूर का कोई एहतिमाल ही न था, मुनाफ़िक़ लोगों के नूर के बारे में दो रिवायतें आयी हैं कि शुरू ही से उनको नूर न मिलेगा, या मिलने के बाद पुलसिरात पर जाने के वक़्त बुझा दिया जायेगा, और उनके और मोमिनों के बीच एक दीवार रुकावट कर दी जायेगी, इस तमाम मज़मून से मालूम होता है कि पुलसिरात के ज़रिये जहन्नम को पार करना यह सिर्फ़ मोमिनों के लिये होगा काफ़िर व मुश्रिक लोग पुलसिरात पर नहीं पहुँचेंगे, वे जहन्नम के दरवाज़ों के रास्ते जहन्नम में डाल दिये जायेंगे, और मोमिन हज़रात पुलसिरात के रास्ते से गुज़रेंगे। फिर गुनाहगार मोमिन जिनके लिये उनके आमाल की सज़ा कुछ दिन जहन्नम में रहना है, वे उस पुल से गिरकर जहन्नम में पहुँचेंगे, बाक़ी मोमिन सही सालिम गुज़रकर जन्नत में दाख़िल होंगे। यही वज़ाहत हज़रत शाह अ़ब्दुल-क़ादिर रह. ने की है और इसी की ताईद तफ़सीर दुर्रे मन्सूर की रिवायत से होती है। वल्लाहु आलम

اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ

यानी क्या अब भी वक़्त नहीं आया ईमान वालों के लिये कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र के लिये झुक जायें और नर्म हो जायें, और इस क़ुरआन के लिये जो उन पर नाज़िल किया गया।

'दिल के ख़ुशूअ़' से मुराद दिल का नर्म होना और वअ़ज़ व नसीहत को क़ुबूल करना और उसकी इताअ़त करना है। (इब्ने कसीर) क़ुरआन के लिये ख़ुशूअ़ यह है कि उसके हुक्मों पर अ़मल और मना किये गये कामों से पूरी तरह परहेज़ करे, और इस सिलसिले में उसके अहकाम पर अ़मल के लिये तैयार हो जाये, और इस बारे में किसी सुस्ती और कमज़ोरी को राह न दे। (रूहुल-मआ़नी)

यह नाराज़गी व तंबीह मोमिनों के लिये है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि अल्लाह तआ़ला ने कुछ मोमिनों के दिल में अ़मल के एतिबार से कुछ सुस्ती मालूम की इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (इब्ने कसीर) इमाम आमश रह. ने फ़रमाया कि मदीना तय्यिबा पहुँचने के बाद सहाबा किराम को कुछ आर्थिक सहूलतें और आराम मिला तो कुछ हज़रात में अ़मल की जिद्दोजोहद जो उनकी आ़दत थी उसमें कुछ कमी और सुस्ती पाई गयी इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की उक्त रिवायत में यह भी है कि नाराज़गी के इज़हार वाली यह आयत क़ुरआन नाज़िल होने से तेरह साल बाद नाज़िल हुई (जैसा कि इब्ने अबी हातिम में है) और सही मुस्लिम में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि हमारे इस्लाम लाने के चार साल बाद इस आयत के ज़रिये हम पर नागवारी व तंबीह नाज़िल की गयी। वल्लाहु आलम

बहरहाल हासिल इस नाराज़गी व तंबीह का मोमिनों को मुकम्मल ख़ुशूअ़ और नेक अ़मल के लिये मुस्तैद रहने की तालीम है, और दिल के ख़ुशूअ़ ही पर तमाम आमाल का मदार है।

हज़रत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सबसे पहले जो चीज़ लोगों से उठा ली जायेगी वह ख़ुशूअ़ है। (इब्ने कसीर)

क्या हर मोमिन सिद्दीक़ व शहीद है?

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ.

इस आयत से मालूम हुआ कि सिद्दीक़ व शहीद हर मोमिन को कहा जा सकता है, और हज़रत क़तादा रह. और अ़मर बिन मैमून ने इस आयत की बिना पर फ़रमाया कि हर वह शख़्स जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाये वह सिद्दीक़ व शहीद है। इब्ने जरीर ने हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

مُؤْمِنُوْٓا اُمَّتِىْ شُهَدَآءُ.

यानी मेरी उम्मत के सब मोमिन शहीद हैं। और इसकी दलील में आपने उपरोक्त आयत तिलावत फ़रमाई। इमाम इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि एक रोज़ उनके पास कुछ सहाबा हज़रात जमा थे, उन्होंने फ़रमायाः

كُلُّكُمْ صِدِّيْقٌ وَّشَهِيْدٌ.

यानी तुम में से हर एक सिद्दीक़ भी है शहीद भी। लोगों ने ताज्जुब से कहा कि अबू हुरैरह यह आप क्या कह रहे हैं? तो हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मेरी बात का यक़ीन नहीं आता तो क़ुरआन की यह आयत पढ़ लोः

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ وَالشُّهَدَآءُ.

लेकिन क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत से बज़ाहिर यह समझ में आता है कि सिद्दीक़ व शहीद हर मोमिन नहीं, बल्कि मोमिनों में से एक आला तब्क़े के लोगों को सिद्दीक़ व शहीद कहा जाता है, आयत यह हैः

فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ.

क्योंकि इस आयत में नबियों के साथ आ़म मोमिनों में तीन तब्क़े ख़ुसूसियत से ज़िक्र किये गये हैं- सिद्दिक़ीन, शहीद और सालिहीन। और ज़ाहिर इससे यह है कि इन तीनों के मफ़्हूम और मिस्दाक़ में फ़र्क़ है, वरना तीनों को अलग-अलग कहने की ज़रूरत न होती, इसी लिये कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि सिद्दिक़ीन और शहीद लोग तो दर असल मोमिनों के मख़्सूस आला तब्क़ों के लोग हैं, जो बड़ी ऊँची सिफ़ात वाले हैं, यहाँ सब मोमिनों को सिद्दीक़ व शहीद फ़रमाने का हासिल यह है कि हर मोमिन भी एक हैसियत से सिद्दिक़ीन और शहीदों के हुक्म में है, और उनकी जमाअ़त से जुड़ा हुआ समझा जायेगा।

और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है कि मुनासिब यह है कि इस आयत में 'अल्लज़ी-न आमनू' से मुराद वे मोमिन लिये जायें जो कामिल ईमान रखते हैं और नेकियों व नेक आमाल के पाबन्द हैं, वरना वह मोमिन जो अपनी नफ़्सानी इच्छाओं और ग़फ़लत में फंसा हुआ हो उसको सिद्दीक़ व शहीद नहीं कहा जा सकता।

इसकी ताईद उस हदीस से होती है जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اَللَّعَّانُوْنَ لَا يَكُوْنُوْنَ شُهَدَآءَ.

यानी लोगों पर लानत करने वाले शहीदों में शामिल न होंगे। और हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक मर्तबा लोगों से फ़रमाया कि "तुम्हें क्या हो गया कि तुम देखते हो कि कोई आदमी लोगों की इज़्ज़त व आबरू से खिलवाड़ करता है और तुम उसको न रोकते हो, न कोई बुरा मानते हो। उन हज़रात ने अ़र्ज़ किया कि हम उसकी बदज़ुबानी से डरते हैं कि हम कुछ बोलेंगे तो वह हमारी भी इज़्ज़त व आबरू पर हमला करेगा, हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया अगर यह बात है तो तुम लोग शहीद नहीं हो सकते।" इब्ने असीर ने यह रिवायत नक़ल करके इसका मतलब यह बतलाया कि ऐसी सुस्ती और दीन में चश्म-पोशी बरतने वाले उन शहीदों में शामिल नहीं होंगे जो क़ियामत के दिन पहले नबियों की उम्मतों के मुक़ाबले में शहादत (गवाही) देंगे। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

तफ़सीरे मज़हरी में है कि इस आयत में "अल्लज़ी-न आमनू" से मुराद सिर्फ़ वे हज़रात हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में ईमान लाये और आपकी सोहबत से मुशर्रफ़ (सम्मानित) हुए।

और आयत में लफ़्ज़ 'हुमुस्सिद्दीक़ू-न' जो ख़ास और सीमित करने वाला कलिमा है यह इस पर दलालत करता है कि सिद्दीक़ होना सहाबा-ए-किराम में मुन्हसिर (सीमित) है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी रह. ने फ़रमाया कि सहाबा-ए-किराम सब के सब नुबुव्वत के कमालात अपने अन्दर रखने वाले थे, जिस शख़्स ने एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ईमान के साथ देख लिया वह नुबुव्वत के कमालात में डूब गया। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

इअ़्लमू अन्नमल्-हयातुद्दुन्या लअ़िबुंव्-व लह्वुंव्-व ज़ी-नतुंव्-व तफ़ाख़ुरुम्-बैनकुम् व तकासुरुन्	जान रखो कि दुनिया की ज़िन्दगानी यही है खेल और तमाशा और बनाव और बड़ाईयाँ करनी आपस में और बढ़ोतरी

फ़िल्-अम्वालि वल्-औलादि, क-म-सलि ग़ैसिन् अअ्-जबल्-कुफ़्फ़ा-र नबातुहू सुम्-म यहीजु फ़-तराहु मुस्फ़र्रन् सुम्-म यकूनु हुतामन्, व फ़िल्-आख़िरति अ़ज़ाबुन् शदीदुंव्-व मग़्फ़ि-रतुम्-मिनल्लाहि व रिज़्वानुन्, व मल्-हयातुद्दुन्या इल्ला मताअुल्-ग़ुरूर (20) साबिक़ू इला मग़्फ़ि-रतिम्-मिर्रब्बिकुम् व जन्नतिन् अ़र्ज़ुहा क-अ़र्ज़िस्समा-इ वल्अर्ज़ि उअ़िद्दत् लिल्लज़ी-न आमनू बिल्लाहि व रुसुलिही, ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु ज़ुल्-फ़ज़्लिल्-अ़ज़ीम (21)

ढूँढनी माल की और औलाद की, जैसे हालत एक बारिश की जो अच्छी लगी किसानों को उसका सब्ज़ा (हरियाली) फिर ज़ोर पर आता है फिर तू देखे ज़र्द हो गया फिर हो जाता है रौंदा हुआ घास, और आख़िरत में सख़्त अ़ज़ाब है और माफ़ी भी है अल्लाह (की तरफ़) से और रज़ामन्दी, और दुनिया की ज़िन्दगानी तो यही है माल दग़ा का। (20) दौड़ो अपने रब की माफ़ी की तरफ़ को और जन्नत (की तरफ़) को जिसका फैलाव है जैसे फैलाव आसमान और ज़मीन का, तैयार रखी है वास्ते उनके जो यक़ीन लाये अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, यह फ़ज़्ल अल्लाह का है दे उसको जिसको चाहे और अल्लाह का फ़ज़्ल बड़ा है। (21)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

तुम ख़ूब जान लो कि (आख़िरत के मुक़ाबले में) दुनियावी ज़िन्दगी (हरगिज़ मशग़ूल होने क़ाबिल चीज़ नहीं, क्योंकि) सिर्फ़ खेल-तमाशा और (एक ज़ाहिरी) ज़ीनत और आपस में एक-दूसरे पर (ताक़त व ख़ूबसूरती और दुनियावी हुनर व कमाल में) फ़ख़्र करना और मालों और औलाद में एक-दूसरे से अपने को ज़्यादा बतलाना है (यानी दुनिया के मक़ासिद ये हैं कि बचपन में खेल-तमाशे का ग़लबा रहता है और जवानी में बनने-संवरने और एक दूसरे पर फ़ख़्र जताने का और बुढ़ापे में माल व दौलत आल व औलाद को गिनवाना, और ये सब मक़ासिद फ़ानी और बिल्कुल ख़्वाब व ख़्याल हैं जिसकी मिसाल ऐसी है) जैसे बारिश (बरसती) है कि उसकी पैदावार (खेती) किसानों को अच्छी मालूम होती है, फिर वह (खेती) सूख जाती है सो उसको तू ज़र्द देखता है, फिर वह चूरा-चूरा हो जाती है (इसी तरह दुनिया चन्द रोज़ की बहार है फिर इसका पतन और फ़ना होना है। यह तो दुनिया की हालत हुई) और आख़िरत (की कैफ़ियत यह है कि उस) में (दो चीज़ें हैं एक तो काफ़िरों के लिये) सख़्त अ़ज़ाब है, और (दूसरी ईमान वालों के लिये) ख़ुदा की तरफ़ से मग़फ़िरत और रज़ामन्दी है (और ये दोनों बाक़ी हैं। पस आख़िरत तो

बाक़ी है) और दुनियावी ज़िन्दगी सिर्फ़ (फ़ानी है, जैसे फ़र्ज़ करो कि एक) धोखे का सामान है (सूरः आले इमरान के ख़त्म से कुछ पहले इसकी तफ़सीर गुज़र चुकी है)।

(पस जब दुनिया का सामान और माल व दौलत फ़ानी और आख़िरत की दौलत बाक़ी है जो ईमान की बदौलत नसीब होती है तो तुमको चाहिये कि) तुम अपने परवर्दिगार की मग़फ़िरत की तरफ़ दौड़ो और (साथ ही) ऐसी जन्नत की तरफ़ जिसकी लम्बाई-चौड़ाई आसमान और ज़मीन की वुस्अत के बराबर है (यानी इससे कम की नफ़ी है, ज़्यादा की नफ़ी नहीं, और) वह उन लोगों के वास्ते तैयार की गई है जो अल्लाह पर और उसके रसूलों पर ईमान रखते हैं, (और) यह (मग़फ़िरत और अल्लाह की रज़ा का परवाना) अल्लाह का फ़ज़्ल है वह अपना फ़ज़्ल जिसको चाहें इनायत करें, और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है (इसमें इशारा है कि अपने आमाल पर कोई इतराये नहीं, और अपने आमाल की वजह से जन्नत का हक़दार होने का दावेदार न हो, यह महज़ हमारा फ़ज़्ल है जिसका मदार हमारी चाहत और मर्ज़ी पर है, मगर हमने अपनी रहमत से इन अ़मलों के करने वालों के साथ अपनी चाहत को जोड़ दिया, अगर हम चाहते तो अपनी मर्ज़ी उनसे संबन्धित न करते, क्योंकि जिसको किसी चीज़ की क़ुदरत व ताक़त होती है वह किसी एक सूरत के इख़्तियार करने पर मजबूर नहीं होता बल्कि हर तरह के इख़्तियार का मालिक होता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में जन्नत और जहन्नम वालों के हाल का बयान था जो आख़िरत में पेश आयेगा और हमेशा रहने वाला होगा। और आख़िरत की नेमतों से मेहरूम और अ़ज़ाब में गिरफ़्तार होने का बड़ा सबब इनसान के लिये दुनिया की फ़ानी लज़्ज़तें और उनमें मशग़ूल व व्यस्त होकर आख़िरत से ग़फ़लत बरतना है, इसलिये इन आयतों में फ़ानी दुनिया का नाक़ाबिले भरोसा होना बयान किया गया है।

पहले उम्र के शुरू हिस्से से आख़िरी हिस्से तक जो कुछ दुनिया में होता है, और जिसमें दुनियादार व्यस्त व मशग़ूल और उस पर ख़ुश रहते हैं उसका बयान तरतीब के साथ यह है कि दुनिया की ज़िन्दगी का ख़ुलासा तरतीबवार चन्द चीज़ें और चन्द हालात हैं। पहले खेल-तमाशा और बेकार की चीज़ों में मशग़ूलियत, फिर बनने-संवरने और आपस में एक-दूसरे पर बड़ाई जताने का धंधा, फिर माल व औलाद की अधिकता पर नाज़ व फ़ख़्र।

लअ़िब वह खेल है जिसमें फ़ायदा बिल्कुल भी पेशे-नज़र न हो, जैसे बहुत छोटे बच्चों की हरकतें, और **लह्व** वह खेल है जिसका असल मक़सद तो तफ़रीह और दिल बहलाना और वक़्त गुज़ारी का मशग़ला होता है, ज़िमनी तौर पर कोई वर्ज़िश या दूसरा फ़ायदा भी उसमें हासिल हो जाता है, जैसे बड़े बच्चों के खेल, गेंद, तैराकी या निशानेबाज़ी वग़ैरह, हदीस में निशानेबाज़ी और तैरने की मश्क़ को अच्छा खेल फ़रमाया है। बदन और लिबास की ज़ीनत (सजना-संवरना) वग़ैरह सब जानते हैं, हर इनसान इस दौर से गुज़रता है कि उम्र का बिल्कुल शुरू का हिस्सा तो ख़ालिस खेल यानी

लअिब में गुज़रता है, उसके बाद लह्व शुरू होता है, उसके बाद उसको अपने तन-बदन और लिबास की ज़ीनत की फ़िक्र होने लगती है, उसके बाद हम-उम्रों और अपने ज़माने के लोगों से आगे बढ़ने और उन पर फ़ख़्र जतलाने का जज़्बा व तक़ाज़ा पैदा होता है।

और इनसान पर जितने दौर इस तरतीब से आते हैं ग़ौर करो तो हर दौर में वह अपने उसी हाल पर साबिर और उसी को सबसे बेहतर जानता है। जब एक दौर से दूसरे की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाता है तो पहले वाले दौर की कमज़ोरी और उसका बेफ़ायदा होना सामने आ जाता है। बच्चे शुरू के दौर में जिन खेलों को अपना सरमाया-ए-ज़िन्दगी और सबसे बड़ी दौलत जानते हैं, कोई उनसे छीन ले तो उनको ऐसा ही सदमा होता है जैसा कि किसी बड़े आदमी का माल व सामान और कोठी बंगला छीन लिया जाये, लेकिन उस दौर से आगे बढ़ने के बाद उनको हक़ीक़त मालूम हो जाती है कि जिन चीज़ों को हमने उस वक़्त ज़िन्दगी का मक़सद बनाया हुआ था वो कुछ न थीं, सब ख़ुराफ़ात थीं। बचपन में लअिब, फिर लह्व में मशग़ूलियत रही, जवानी में बनने-संवरने और एक-दूसरे पर बड़ाई जताने का मशग़ला एक मक़सद बना रहा, बुढ़ापा आया तो अब मशग़ला माल व औलाद की ज़्यादती का हो गया, कि अपने माल व दौलत के आँकड़ों और औलाद व नस्ल की ज़्यादती पर ख़ुश होता रहे और उनको गिनता-गिनाता रहे, मगर जैसे जवानी के ज़माने में बचपन की हरकतें बेहूदा और बेकार मालूम होने लगी थीं बुढ़ापे में पहुँचकर जवानी की हरकतें बेफ़ायदा और नाक़ाबिले तवज्जोह नज़र आने लगीं, अब बड़े मियाँ की आख़िरी मन्ज़िल बुढ़ापा है, उसमें माल की अधिकता, औलाद की कसरत व क़ुव्वत और उनके रुतबे व मक़ाम पर फ़ख़्र ज़िन्दगी का सरमाया और मुख्य मक़सद बना हुआ है। क़ुरआने करीम कहता है कि यह हाल भी गुज़र जाने वाला और फ़ानी है, अगला दौर बर्ज़ख़ फिर क़ियामत का है उसकी फ़िक्र करो कि वही असल है। क़ुरआने करीम ने इस तरतीब के साथ दुनिया के इन सब मशग़लों व मक़ासदों का फ़ानी, नाक़िस, नाक़ाबिले भरोसा होना बयान फ़रमा दिया, और आगे इसको एक खेती की मिसाल से वाज़ेह फ़रमायाः

كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا.

ग़ैस के मायने बारिश के हैं, और लफ़्ज़ **कुफ़्फ़ार** जो मोमिनों के मुक़ाबले में आता है उसके यह मायने तो सब को मालूम और मशहूर ही हैं, इसके एक दूसरे लुग़वी मायने काशतकार के भी आते हैं। इस आयत में कुछ हज़रात ने यही मायने मुराद लिये हैं, और आयत का मतलब यह क़रार दिया है कि जिस तरह बारिश से खेती और तरह-तरह की नबातात (पेड़-पौधे और घास व हरियाली) उगती हैं, और जब वो हरी-भरी होती हैं तो काश्तकार उनसे ख़ुश होता है। और कुछ दूसरे मुफ़स्सिरीन हज़रात ने लफ़्ज़ **कुफ़्फ़ार** को इस जगह भी परिचित मायने में लिया है कि काफ़िर लोग उससे ख़ुश होते हैं। इस पर जो यह शुब्हा है कि खेती हरी-भरी देखकर ख़ुश होना तो काफ़िर के साथ मख़्सूस नहीं, मुसलमान भी इससे ख़ुश होता है, इसका जवाब मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन पाक के व्याख्यापक) हज़रात ने यह दिया है कि मोमिन की ख़ुशी और काफ़िर की ख़ुशी में बड़ा फ़र्क़ है, मोमिन ख़ुश होता है तो उसकी सोच का रुख़ हक़ तआ़ला की तरफ़ फिर जाता है, वह यक़ीन करता है कि यह सब

कुछ उसकी क़ुदरत व हिक्मत और रहमत का नतीजा है, वह उस चीज़ को ज़िन्दगी का मक़सद नहीं बनाता, फिर उस ख़ुशी के साथ उसको आख़िरत की फ़िक्र भी हर वक़्त लगी रहती है, इसलिये जो मोमिन ईमान के तक़ाज़े को पूरा करता है दुनिया की बड़ी से बड़ी दौलत पर भी वह ऐसा ख़ुश, मगन और मस्त नहीं होता जैसा कि काफ़िर होता है, इसलिये यहाँ ख़ुशी का इज़हार काफ़िरों की तरफ़ मन्सूब है।

आगे इस मिसाल का ख़ुलासा यह है कि यह खेती और दूसरे पेड़-पौधे, फूल-फुलवारियाँ जब हरी भरी होती हैं तो सब देखने वाले ख़ास तौर पर काफ़िर लोग बड़े ख़ुश और मगन नज़र आते हैं, मगर आख़िरकार फिर वह ख़ुश्क होना शुरू होती है, पहले ज़र्द (पीली) पड़ जाती है फिर बिल्कुल ख़ुश्क होकर चूरा-चूरा हो जाती है। यही मिसाल इनसान की है कि शुरू में तरोताज़ा हसीन ख़ूबसूरत होता है, बचपन से जवानी तक के मर्हले इसी हाल में तय करता है, मगर आख़िरकार बुढ़ापा आ जाता है जो आहिस्ता-आहिस्ता बदन की ताज़गी और हुस्न व ख़ूबसूरती सब ख़त्म कर देता है, और आख़िर में मरकर मिट्टी हो जाता है, दुनिया के बाक़ी न रहने और फ़ानी होने का बयान फ़रमाने के बाद फिर असल मक़सूद यानी आख़िरत की फ़िक्र की तरफ़ तवज्जोह दिलाने के लिये आख़िरत के हाल का ज़िक्र फ़रमायाः

وَفِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ.

यानी आख़िरत में इनसान इन दोनों हालों में से किसी एक में ज़रूर पहुँचेगा। एक हाल काफ़िरों का है उनके लिये सख़्त अ़ज़ाब है, दूसरा हाल मोमिनों का है उनके लिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मग़फ़िरत और रहमत है।

यहाँ अ़ज़ाब का ज़िक्र पहले किया गया क्योंकि दुनिया में मस्त व मग़रूर होना जो पहली आयतों में मज़कूर है उसका नतीजा भी सख़्त अ़ज़ाब है, और सख़्त अ़ज़ाब के मुक़ाबले में दो चीज़ें इरशाद फ़रमाईं- मग़फ़िरत और रिज़्वान, जिसमें इशारा है कि गुनाहों और ख़ताओं की माफ़ी एक नेमत है जिसके नतीजे में आदमी अ़ज़ाब से बच जाता है, मगर यहाँ सिर्फ़ इतना ही नहीं बल्कि अ़ज़ाब से बचकर फिर जन्नत की हमेशा बाक़ी रहने वाली नेमतों से भी नवाज़ा जाता है, जिसका सबब रिज़्वान यानी हक़ तआ़ला की ख़ुशनूदी है।

इसके बाद दुनिया की हक़ीक़त को इन मुख़्तसर अलफ़ाज़ में बयान फ़रमायाः

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ٥

यानी इन सब बातों को देखने-समझने के बाद एक अ़क़्लमन्द व समझदार इनसान के लिये इसके सिवा कोई नतीजा दुनिया के बारे में नहीं रह सकता कि वह एक धोखे का सरमाया है, असली सरमाया नहीं जो आड़े वक़्त में काम आ सके। फिर आख़िरत के अ़ज़ाब व सवाब और दुनिया के बाक़ी न रहने को बयान फ़रमाने का लाज़िमी असर यह होना चाहिये कि इनसान दुनिया की लज़्ज़तों में मशग़ूल न हो, आख़िरत की नेमतों की फ़िक्र ज़्यादा करे, इसका बयान अगली आयतों में इस तरह आया हैः

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ

यानी आगे बढ़ो और दौड़ो अपने रब की मग़फ़िरत और उस जन्नत की तरफ़ जिसका अ़र्ज़ आसमान व ज़मीन के अ़र्ज़ (चौड़ाई) के बराबर है।

दौड़ने और आगे बढ़ने से यह मुराद भी हो सकती है कि उम्र और सेहत व ताक़त का कुछ भरोसा नहीं, नेक आमाल में सुस्ती और टाल-मटोल न करो, ऐसा न हो कि फिर कोई बीमारी या उज़्र आकर तुम्हें उस काम के क़ाबिल न छोड़े, या मौत ही आ जाये। तो आगे बढ़ने और दौड़ने का हासिल यह है कि मजबूरी, कमज़ोरी और मौत से आगे बढ़ो कि उनके आने से पहले-पहले ऐसे आमाल का ज़ख़ीरा कर लो जो जन्नत तक पहुँचाने का ज़रिया बन सकें।

और आगे बढ़ने व दौड़ने के मायने ये भी हो सकते हैं कि नेक आमाल में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश करो, जैसा कि हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपनी नसीहतों में फ़रमाया कि "तुम मस्जिद में सबसे पहले जाने वाले और सबसे आख़िर में निकलने वाला बनो।" हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिहाद की सफ़ों में से पहली सफ़ में रहने के लिये बढ़ो, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जनाज़े की नमाज़ में पहली तकबीर में हाज़िर रहने की कोशिश करो। (रूहुल-मआ़नी)

जन्नत की तारीफ़ में फ़रमाया कि उसका अ़र्ज़ आसमान व ज़मीन के बराबर होगा। सूरः आले इमरान में भी इसी मज़मून की आयत पहले आ चुकी है, उसमें लफ़्ज़ समावात जमा (बहुवचन) के साथ आया है, जिससे मालूम हुआ कि आसमान से मुराद सातों आसमान हैं और मायने ये हैं कि सातों आसमानों और ज़मीन की वुस्अ़त (लम्बाई-चौड़ाई) को एक जगह जमा कर लो तो वह जन्नत का अ़र्ज़ यानी चौड़ाई बने। और यह ज़ाहिर है हर चीज़ की लम्बाई उसके अ़र्ज़ (चौड़ाई) से ज़्यादा होती है, इससे साबित हुआ कि जन्नत की वुस्अ़त सातों आसमानों और ज़मीन की वुस्अ़त से बढ़ी हुई है। और लफ़्ज़ अ़र्ज़ कभी मुतलक़ वुस्अ़त (लम्बाई-चौड़ाई) के मायने में भी इस्तेमाल होता है, इसमें तूल (लम्बाई) की तुलना करना मक़सूद नहीं होता, दोनों सूरतों में जन्नत की अ़ज़ीमुश्शान वुस्अ़त का बयान हो गया।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ۝

इससे पहली आयत में जन्नत और उसकी नेमतों के लिये आगे बढ़ने, दौड़ लगाने और कोशिश का हुक्म था, इससे किसी को यह ख़्याल पैदा हो सकता था कि जन्नत और उसकी कभी फ़ना न होने वाली नेमतें हमारे अ़मल का फल और हमारा अ़मल उसके लिये काफ़ी है, इस आयत में हक़ तआ़ला ने यह इरशाद फ़रमाया कि तुम्हारे आमाल जन्नत के हासिल होने के लिये काफ़ी इल्लत (सबब व ज़रिया) नहीं हैं, जिन पर जन्नत के अ़ता किये जाने का फ़ैसला होना लाज़िमी ही हो, इनसान के उम्रभर के आमाल तो उन नेमतों का बदला भी नहीं हो सकते जो दुनिया में उसको मिल चुकी हैं, हमारे ये आमाल जन्नत की हमेशा बाक़ी रहने वाली नेमतों की क़ीमत नहीं बन सकते, जन्नत में जो भी दाख़िल होगा वह अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल व एहसान ही से दाख़िल होगा। जैसे

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की मरफ़ूअ़ हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम में किसी को सिर्फ़ उसका अ़मल निजात नहीं दिला सकता, सहाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने अ़र्ज़ किया कि क्या आप भी? आपने फ़रमाया कि हाँ मैं भी अपने अ़मल से जन्नत हासिल नहीं कर सकता सिवाय इसके कि अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल व रहमत हो जाये। (तफ़सीरे मज़हरी)

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝

मा असा-ब मिम्-मुसी-बतिन् फ़िल्अर्ज़ि व ला फ़ी अन्फ़ुसिकुम् इल्ला फ़ी किताबिम्-मिन् क़ब्लि अन्-नब्र-अहा, इन्-न ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर (22) लिकैला तअ्सौ अ़ला मा फ़ातकुम् व ला तफ़रहू बिमा आताकुम्, वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्-ल मुख़्तालिन् फ़ख़ूर (23) अल्लज़ी-न यब्ख़ालू-न व यअ्मुरूनन्ना-स बिल्-बुख़्लि, व मंय्य-तवल्-ल फ़-इन्नल्ला-ह हुवल् ग़निय्युल्-हमीद (24)	कोई आफ़त नहीं पड़ती मुल्क में और न तुम्हारी जानों में जो लिखी न हो एक किताब में इससे पहले कि पैदा करें हम उसको दुनिया में, बेशक यह अल्लाह पर आसान है (22) ताकि तुम ग़म न खाया करो उस पर जो हाथ न आया और न शैख़ी किया करो उस पर जो तुमको उसने दिया, और अल्लाह को पसन्द नहीं आता कोई इतराने वाला, बड़ाई मारने वाला। (23) वह जो कि ख़ुद न दें और सिखलायें लोगों को भी न देना, और जो कोई मुँह मोड़े तो अल्लाह ख़ुद है बेपरवाह सब ख़ूबियों के साथ मौसूफ़। (24)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

कोई मुसीबत न दुनिया में आती है और न ख़ास तुम्हारी जानों में मगर वह (सब) एक ख़ास किताब (यानी लौह-ए-महफ़ूज़) में लिखी है, इससे पहले कि हम उन जानों को पैदा करें (यानी तमाम मुसीबतें बाहरी हों या अन्दरूनी, वो सब पहले से तयशुदा हैं और) यह अल्लाह के

नज़दीक आसान काम है (कि उत्पन्न और ज़ाहिर होने से पहले लिख दिया, क्योंकि उसको ग़ैब का इल्म हासिल है, और हमने यह बात इस वास्ते बतला दी है) ताकि जो चीज़ तुमसे जाती रहे (तन्दुरुस्ती या औलाद या माल) तुम उस पर (इतना) ग़म न करो (जो हक़ तआ़ला की मर्ज़ी के तलब करने और आख़िरत के कामों में मशग़ूल होने में रुकावट हो जाये, और तबई तकलीफ़ होने में कोई हर्ज नहीं), और ताकि जो चीज़ तुमको अ़ता फ़रमाई है (उसके बारे में भी यही समझकर कि ख़ुदा तआ़ला ने अपनी रहमत व फ़ज़्ल से अ़ता फ़रमाना तजवीज़ कर दिया था और उसी ने हमको दी है) उस पर इतराओ नहीं, (क्योंकि इतराये तो वह जिसका हक़दार व पात्र होना ज़ाती हो, और जब दूसरे की मर्ज़ी व चाहत और हुक्म से एक चीज़ मिली है उस पर इतराने का क्या हक़ है) और (आगे इस इतराने पर डाँट व धमकी है कि) अल्लाह तआ़ला किसी इतराने वाले शैख़ीबाज़ को पसन्द नहीं करता (इख़्तियाल का लफ़्ज़ अक्सर अन्दरूनी ख़ूबियों व कमालात पर इतराने के लिये और फ़ख़्र अक्सर बाहरी चीज़ों माल व मर्तबे वग़ैरह पर इतराने के लिये इस्तेमाल होता है)।

(आगे कन्जूसी की निंदा और बुराई है कि) जो ऐसे हैं कि (दुनिया की मुहब्बत की वजह से) ख़ुद भी (ख़ुदा के नज़दीक पसन्दीदा हुक़ूक़ में ख़र्च करने से) बुख़्ल "यानी कन्जूसी" करते हैं (चाहे अपनी इच्छाओं और गुनाह के कामों में कितना ही बेजा ख़र्च करें) और (इस गुनाह के दोषी भी होते हैं कि) दूसरे लोगों को भी बुख़्ल की तालीम करते हैं (यहाँ यह मतलब नहीं कि सज़ा की यह धमकी उनके लिये जो इन सब कामों को करें, जिनके अन्दर ये सब न हों वे इस सज़ा की धमकी और अ़ज़ाब के वायदे में दाख़िल नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है कि हर बुरी ख़स्लत पर वईद है, बल्कि इशारा इस तरफ़ है कि दुनिया की मुहब्बत ऐसी है जिससे अक्सर बुरी सिफ़तें जमा हो ही जाती हैं, इतराना व शैख़ीबाज़ी भी और कन्जूसी भी, इसी तरह की और दूसरी चीज़ें) और (यही दुनिया की मुहब्बत कभी हक़ से मुँह मोड़ लेने और बेतवज्जोही बरतने तक पहुँचा देती है, जिसके हक़ में यह वईद और सज़ा की धमकी है कि) जो शख़्स (हक़ दीन से जिसका एक हुक्म और शाखा अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना भी है) मुँह मोड़ेगा तो अल्लाह तआ़ला (का कोई नुक़सान नहीं, क्योंकि वह सब की इबादत और मालों से) बेपरवाह हैं (और अपनी ज़ात व सिफ़ात में कामिल और) तारीफ़ के लायक़ हैं।

मआ़रिफ़ व मसाईल

दुनिया की दो चीज़ें इनसान को अल्लाह की याद और आख़िरत की फ़िक्र से ग़ाफ़िल करने वाली हैं- एक राहत व ऐश जिसमें मुब्तला होकर इनसान अल्लाह को भुला बैठता है, इससे बचने की हिदायत इनसे पहले की आयतों में आ चुकी है, दूसरी चीज़ मुसीबत व ग़म है, इसमें मुब्तला होकर भी कई बार इनसान मायूस और ख़ुदा तआ़ला की याद से ग़ाफ़िल हो जाता है, उक्त आयतों में इसका बयान है।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا.

यानी जो कोई मुसीबत तुमको ज़मीन में या अपनी जानों में पहुँचती है वह सब हमने किताब यानी लौह-ए-महफ़ूज़ में मख़्लूक़ात को पैदा करने से भी पहले लिख दिया था। ज़मीन की मुसीबत से मुराद कहत, ज़लज़ला, खेत और बाग़ में नुक़सान, तिजारत में घाटा, माल व दौलत का ज़ाया हो जाना, दोस्त अहबाब की मौत सब दाख़िल हैं, और अपनी जानों की मुसीबत में हर तरह के रोग और ज़ख़्म और चोट वग़ैरह शामिल हैं।

لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰكُمْ.

मतलब इस आयत का यह है कि दुनिया में जो कुछ मुसीबत या राहत, ख़ुशी या ग़म इनसान को पेश आता है वह सब हक़ तआ़ला ने लौह-ए-महफ़ूज़ में इनसान के पैदा होने से पहले ही लिख रखा है, इसकी इत्तिला तुम्हें इसलिये दी गयी ताकि तुम दुनिया के अच्छे-बुरे हालात पर ज़्यादा ध्यान न दो, न यहाँ की तकलीफ़ व मुसीबत या नुक़सान व अभाव कुछ ज़्यादा हसरत व अफ़सोस करने की चीज़ है और न यहाँ की राहत व ऐश या माल व मता इतना ज़्यादा ख़ुश और मस्त होने की चीज़ है जिसमें मशग़ूल होकर अल्लाह की याद और आख़िरत से ग़ाफ़िल हो जाये।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हर इनसान तबई तौर पर कुछ चीज़ों से ख़ुश होता है कुछ से ग़मगीन, लेकिन होना यह चाहिये कि जिसको कोई मुसीबत पेश आये वह उस पर सब्र करके आख़िरत का अज्र व सवाब कमाये, और जो कोई राहत व ख़ुशी पेश आये वह उस पर शुक्रगुज़ार होकर अज्र व सवाब हासिल करे। (हाकिम, रूहुल-मआ़नी)

अगली आयत में राहत व आराम या माल व दौलत पर इतराने और फ़ख़्र करने वालों की मज़म्मत (बुराई) बयान फ़रमाईः

وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍo

यानी अल्लाह तआ़ला पसन्द नहीं करता इतराने वाले, फ़ख़्र करने वाले को। और यह ज़ाहिर है जिसको पसन्द नहीं करता उससे बुग़ज़ व नफ़रत रखता है। मतलब यह है कि दुनिया की नेमतों पर इतराने और फ़ख़्र करने वाले अल्लाह तआ़ला के नज़दीक क़ाबिले नफ़रत और बुरे हैं, मगर ताबीर के उनवान में पसन्द न करना ज़िक्र करके शायद इस तरफ़ इशारा है कि अ़क़्लमन्द और अन्जाम पर नज़र रखने वाले इनसान का फ़र्ज़ यह होना चाहिये कि वह अपने हर काम में इसकी फ़िक्र करे कि वह अल्लाह के नज़दीक पसन्द है या नहीं, इसलिये यहाँ नापसन्द होने का ज़िक्र फ़रमाया गया।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ
وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ۝

ल-क़द् अर्सल्ना रुसु-लना बिल्-बय्यिनाति व अन्ज़ल्ना म-अ़हुमुल्-किता-ब वल्मीज़ा-न लियक़ूमन्नासु बिल्-क़िस्ति व अन्ज़ल्नल्-हदी-द फ़ीहि बअ्सुन् शदीदुंव्-व मनाफ़िअ़ु लिन्नासि व लि-यअ्-लमल्लाहु मंय्यन्सुरुहू व रुसु-लहू बिल्ग़ैबि, इन्नल्ला-ह क़विय्युन् अ़ज़ीज़ (25) ✿	हमने भेजे हैं अपने रसूल निशानियाँ देकर और उतारी उनके साथ किताब और तराज़ू ताकि लोग सीधे रहें इन्साफ़ पर, और हमने उतारा लोहा उसमें सख़्त लड़ाई है और लोगों के काम चलते हैं और ताकि मालूम करे अल्लाह कौन मदद करता है उसकी और उसके रसूलों की बिना देखे, बेशक अल्लाह ज़ोरावर है ज़बरदस्त। (25) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हमने (इसी आख़िरत का सुधार करने के लिये) अपने पैग़म्बरों को खुले-खुले अहकाम देकर भेजा, और हमने उनके साथ किताब को और (उस किताब में ख़ास तौर पर) इन्साफ़ करने (के हुक्म) को (जिसका ताल्लुक़ बन्दों के हुक़ूक़ से है) नाज़िल फ़रमाया ताकि लोग (अल्लाह के हुक़ूक़ और बन्दों के हुक़ूक़ में) सही राह पर क़ायम रहें (इसमें सारी शरीअ़त आ गयी जो मोतदिल यानी कमी-बेशी से हटकर एक बीच की राह है)। और हमने लोहे को पैदा किया जिसमें सख़्त हैबत (ख़ौफ़ और डर) है (ताकि उसके ज़रिये से आ़लम का इन्तिज़ाम रहे कि डर से बहुत सी बेइन्तिज़ामियाँ बन्द हो जाती हैं) और (इसके अ़लावा) लोगों के और भी तरह-तरह के फ़ायदे हैं (चुनाँचे अक्सर उपकरण और सामान लोहे से बनते हैं) और (इसलिये लोहा पैदा किया) ताकि अल्लाह तआ़ला (ज़ाहिरी तौर पर) जान ले कि बिना उसको (ख़ुदा को) देखे उसकी और उसके रसूलों की (यानी हक़ दीन की) कौन मदद करता है (क्योंकि जिहाद में भी काम आता है तो यह भी आख़िरत का नफ़ा हुआ और जिहाद का हुक्म इसलिये नहीं कि अल्लाह उसका मोहताज है, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला (ख़ुद) ताक़तवर और ज़बरदस्त है (बल्कि तुम्हारे सवाब के लिये है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

आसमानी किताबों और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को भेजने का असल मक़सद

आसमानी किताबों और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को भेजने का असल मक़सद लोगों को अ़दल व

इन्साफ़ के रास्ते पर क़ायम करना है। फ़रमाते हैं:

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ.......... الاٰية.

लफ़्ज़ बय्यिनात के लुग़वी मायने स्पष्ट और खुली हुई चीज़ों के हैं। इससे मुराद यह भी हो सकता है कि स्पष्ट अहकाम हों, जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में यही तर्जुमा लिया गया है, और यह भी हो सकता है कि इसमें मोजिज़े और नुबुव्वत व रिसालत पर खुली दलीलें मुराद हों (जैसा कि इमाम इब्ने कसीर और इब्ने हय्यान ने इसकी यही तफ़सीर बयान की है)। और बय्यिनात के बाद 'अन्ज़ल्ना म-अ़हुमुल् किता-ब' में किताब नाज़िल करने का अलग से ज़िक्र करना बज़ाहिर इसी तफ़सीर की ताईद करता है कि बय्यिनात से मुराद मोजिज़े व दलीलें हों, और अहकाम की तफ़सील के लिये किताब नाज़िल करने का ज़िक्र फ़रमाया गया।

किताब के साथ एक दूसरी चीज़ **मीज़ान** नाज़िल करने का भी ज़िक्र है। मीज़ान असल में उस आले (उपकरण) को कहा जाता है जिससे किसी चीज़ का वज़न किया जाये, जिसकी आ़म सूरत तराज़ू है, और प्रचलित तराज़ू के अ़लावा मुख़्तलिफ़ चीज़ों के वज़न तौलने के लिये जो दूसरे विभिन्न प्रकार के उपकरण ईजाद होते रहते हैं वो भी मीज़ान के मफ़्हूम में दाख़िल हैं, जैसे आजकल रोशनी, हवा वग़ैरह के नापने वाले आलात (उपकरण) हैं।

इस आयत में किताब की तरह मीज़ान के लिये भी नाज़िल करने का ज़िक्र फ़रमाया है, किताब का आसमान से नाज़िल होना और फ़रिश्तों के ज़रिये पैग़म्बर तक पहुँचना तो मालूम व परिचित है, मीज़ान के नाज़िल करने का क्या मतलब है इसके मुताल्लिक़ तफ़सीर रूहुल-मआ़नी और तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह में है कि मीज़ान को नाज़िल करने से मुराद उन अहकाम का उतारना और नाज़िल करना है जो तराज़ू इस्तेमाल करने और इन्साफ़ करने के मुताल्लिक़ नाज़िल हुए। और इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि दर असल उतारी तो किताब ही गयी है, तराज़ू के बनाने और ईजाद करने को उसके साथ लगा दिया गया है जैसा कि अ़रब के कलाम में इसकी नज़ीरें मौजूद हैं तो गोया कलाम का मफ़्हूम यह है कि:

اَنْزَلْنَا الْكِتٰبَ وَوَضَعْنَا الْمِيْزَانَ.

"यानी हमने उतारी किताब और ईजाद की तराज़ू" इसकी ताईद सूरः रहमान की आयतः

وَالسَّمَآءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ٥

से भी होती है कि उसमें मीज़ान के साथ वज़अ़् (बनाने और मुक़र्रर करने) का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है।

और कुछ रिवायतों में है कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम पर हक़ीक़त में ही आसमान से तराज़ू नाज़िल की गयी थी और हुक्म दिया गया था कि इससे वज़न करके हुक़ूक़ पूरे करने चाहियें। वल्लाहु आलम।

किताब और मीज़ान के बाद एक तीसरी चीज़ के नाज़िल करने का ज़िक्र है, यानी हदीद (लोहा)

इसके नाज़िल करने का मतलब भी इसको पैदा करना है जैसा कि क़ुरआने करीम की एक आयत में चौपाया जानवरों के मुताल्लिक़ भी नाज़िल करने का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया है, हालाँकि वो कहीं आसमान से नाज़िल नहीं होते, ज़मीन पर पैदा होते हैं। आयत यह है:

وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ

यहाँ सब के नज़दीक 'अन्ज़लना' से मुराद "ख़लक़्ना" है, यानी पैदा करने को नाज़िल करने और उतारने के लफ़्ज़ से ताबीर कर दिया है, जिसमें इशारा इस तरफ़ पाया जाता है कि दुनिया में जो कुछ है वह सब इस एतिबार से आसमान से नाज़िल शुदा है कि उसके पैदा हेने से भी बहुत पहले वह लोहे-महफ़ूज़ में लिखा हुआ था। (तफ़सीर रूहुल-मआनी)

हदीद यानी लोहे को नाज़िल करने की दो हिक्मतें आयत में बयान फ़रमाई हैं- अव्वल यह कि मुख़ालिफ़ों पर उसका रौब पड़ता है और सरकशों को उसके ज़रिये अल्लाह के अहकाम और अ़दल व इन्साफ़ के अहकाम का पाबन्द बनाया जा सकता है। दूसरे यह कि इसमें लोगों के लिये बहुत से फ़ायदे हक़ तआ़ला ने रखे हैं, कि जिस क़द्र कारीगरी, उद्योग, ईजादात और चीज़ें दुनिया में तैयार हुई या आईन्दा हो रही हैं उन सब में लोहे की ज़रूरत है, लोहे के बग़ैर कोई कारीगरी और उद्योग नहीं चल सकता।

फ़ायदा

यहाँ यह बात भी ग़ौर-तलब है कि इस आयत में असल मक़सद पैग़म्बरों और किताबों के भेजने और अ़दल की तराज़ू ईजाद करने और उसके इस्तेमाल करने का यह बयान किया है कि 'लोग इन्साफ़ पर क़ायम हो जायें' उसके बाद एक तीसरी चीज़ यानी लोहे के नाज़िल करने यानी ईजाद करने का भी ज़िक्र फ़रमाया गया है, यह भी दर हक़ीक़त उसी अ़दल व इन्साफ़ को पूरा करने के लिये है जो पैग़म्बर और किताब के नाज़िल करने से मक़सूद है, क्योंकि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबें अ़दल व इन्साफ़ क़ायम करने की स्पष्ट और खुली दलीलें देते हैं, और न करने की सूरत में आख़िरत के अ़ज़ाब से डराते हैं। मीज़ान उन हदों को बतलाती है जिनसे इन्साफ़ किया जाता है, मगर नाफ़रमान मुख़ालिफ़ जो न किसी दलील से मानता है न तराज़ू की तक़सीम के मुताबिक़ अ़मल करने को तैयार है अगर उसको आज़ाद छोड़ दिया जाये तो वह दुनिया में अ़दल व इन्साफ़ क़ायम न होने देगा, उसको पाबन्द करना लोहे और तलवार का काम है जो हुकूमत व सियासत करने वाले आख़िर में मजबूरी के दर्जे में इस्तेमाल करते हैं।

दूसरा फ़ायदा

यहाँ यह बात भी ग़ौर करने के क़ाबिल है कि क़ुरआने करीम ने दुनिया में अ़दल व इन्साफ़ करने के लिये दो चीज़ों को तो असल क़रार दिया- एक किताब, दूसरे मीज़ान। किताब से हुक़ूक़ की अदायेगी और उसमें कमी-बेशी की मनाही के अहकाम मालूम होते हैं, और मीज़ान से वो हिस्से और भाग मुतैयन होते हैं जो दूसरों के हुक़ूक़ हैं, इन्हीं दोनों चीज़ों के नाज़िल करने का मक़सद 'लोगों को

अ़दल व इन्साफ़ की राह पर क़ायम रहना क़रार दिया है। हदीद (लोहे) का ज़िक्र इसके बाद आख़िर में फ़रमाया जिसमें इशारा है कि अ़दल व इन्साफ़ को क़ायम करने के लिये लोहे का इस्तेमाल मजबूरी के दर्जे में है, वह अ़दल व इन्साफ़ के क़ायम करने का असल ज़रिया नहीं है।

इससे साबित हुआ कि अल्लाह की मख़्लूक़ की असल इस्लाह और उनका अ़दल व इन्साफ़ पर क़ायम करना दर हक़ीक़त ज़ेहनों की तरबियत और तालीम से होता है, हुकूमत का ज़ोर-ज़बरदस्ती करना असल में इस काम के लिये नहीं बल्कि रास्ते से रुकावट दूर करने के लिये मजबूरी के दर्जे में है, असल चीज़ ज़ेहनों की तरबियत और तालीम व हिदायत है।

وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ.

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी के मुताबिक़ यहाँ अ़रबी ग्रामर के हिसाब से आयत का मतलब यह है कि हमने लोहा इसलिये पैदा किया कि मुख़ालिफ़ों पर उसका रौब पड़े, और इसलिये कि लोग उससे उद्योग व कारीगरी और अपने हुनर में उससे फ़ायदा उठायें, और इसलिये कि क़ानूनी और ज़ाहिरी तौर पर अल्लाह तआ़ला यह जान लें कि कौन लोग लोहे के जंगी सामानों के ज़रिये अल्लाह और उसके रसूलों के मददगार बनते हैं और दीन के लिये जिहाद करते हैं। क़ानूनी और ज़ाहिरी तौर पर इसलिये कहा गया है कि ज़ाती तौर पर तो हक़ तआ़ला को सब कुछ पहले ही से मालूम है, मगर इनसान जब अ़मल कर लेता है तो वह नामा-ए-आमाल में लिखा जाता है, क़ानूनी ज़हूर उसका उसी से होता है।

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّ اِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ؕ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَآءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

ع ٢٠

व ल-क़द् अर्सल्ना नूहंव्-व इब्राही-म व जअ़ल्ना फ़ी ज़ुर्रिय्यतिहिमन्--नुबुव्व-त वल्किता-ब फ़मिन्हुम् मुह्तदिन् व कसीरुम्-मिन्हुम्	और हमने भेजा नूह को और इब्राहीम को और ठहरा दी दोनों की औलाद में पैग़म्बरी और किताब, फिर कोई उनमें राह पर है और बहुत उनमें

फ़ासिक़ून (26) सुम्-म क़फ़्फ़ैना अ़ला आसारिहिम् बिरुसुलिना व क़फ़्फ़ैना बि-ईसब्नि मर्-य-म व आतैनाहुल्-इन्जी-ल व जअ़ल्ना फ़ी क़ुलूबिल्-लज़ीनत्त-बअ़ूहु रअ़्-फ़तंव्-व रह्म-तन्, व रह्बानिय्य-त-निब्त-दअ़ूहा मा कतब्नाहा अ़लैहिम् इल्लब्तिग़ा-अ रिज़्वानिल्लाहि फ़मा रऔहा हक़्-क़ रिआ़-यतिहा फ़आतैनल्लज़ी-न आमनू मिन्हुम् अज्रहुम् व कसीरुम्-मिन्हुम् फ़ासिक़ून (27) या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तक़ुल्ला-ह व आमिनू बि-रसूलिही युअ्तिकुम् किफ़्लैनि मिर्रह्मतिही व यज्अ़ल्-लकुम् नूरन् तम्शू-न बिही व यग़्फ़िर् लकुम्, वल्लाहु ग़फ़ूरुर्रहीम (28) लि-अल्ला यअ़्ल-म अह्लुल्-किताबि अल्ला यक़्दिरू-न अ़ला शैइम्-मिन् फ़ज़्लिल्लाहि व अन्नल्-फ़ज़्-ल बि-यदिल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु ज़ुल्-फ़ज़्लिल्-अ़ज़ीम (29) ✿

नाफ़रमान हैं। (26) फिर पीछे भेज उनके क़दमों पर अपने रसूल और पीछे भेजा हमने ईसा मरीयम के बेटे को और उसको हमने दी इंजील और रख दी उसके साथ चलने वालों के दिल में नर्मी और मेहरबानी, और एक छोड़ देना दुनिया का जो उन्होंने नई बात निकाली थी हमने नहीं लिखा था यह उन पर मगर किया चाहने को अल्लाह की रज़ामन्दी फिर न निभाया उसको जैसा चाहिये था निभाना, फिर दिया हमने उन लोगों को जो ईमान वाले थे उनका बदला, और बहुत उनमें नाफ़रमान हैं। (27) ऐ इमान वालो! डरते रहो अल्लाह से और यक़ीन लाओ उसके रसूल पर देगा तुमको दो हिस्से अपनी रहमत से और रख देगा तुम में रोशनी जिसको लिये फिरो और तुमको माफ़ करेगा, और अल्लाह माफ़ करने वाला है मेहरबान (28) ताकि न जानें किताब वाले कि पा नहीं सकते कोई चीज़ अल्लाह के फ़ज़्ल में से और यह कि बुज़ुर्गी अल्लाह के हाथ है देता है जिसको चाहे, और अल्लाह का फ़ज़्ल बड़ा है। (29) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और हमने (मख़्लूक़ की इसी आख़िरत की भलाई और सुधार के लिये) नूह और इब्राहीम (अ़लैहिमस्सलाम) को पैग़म्बर बनाकर भेजा, और हमने उनकी औलाद में पैग़म्बरी और किताब जारी रखी (यानी उनकी औलाद में भी बाज़े पैग़म्बर और उनमें से बाज़े किताब वाले बनाये) सो

(जिन-जिन लोगों के पास ये पैग़म्बर आये) उन लोगों में बाज़े तो हिदायत पाने वाले हुए और बहुत-से उनमें नाफ़रमान थे (और यह पैग़म्बर जिनका ज़िक्र हुआ यह तो एक मुस्तकिल शरीअ़त वाले थे। उनमें बाज़े किताब वाले भी थे जैसे मूसा अ़लैहिस्सलाम, जो हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम और इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम दोनों की औलाद में थे, और बाज़े अगरचे किताब वाले नहीं थे जैसे हूद और सालेह अ़लैहिमस्सलाम कि उनका किताब वाला होना बयान नहीं किया गया मगर शरीअ़त उनकी मुस्तकिल थी। बहरहाल बहुत से नबी तो मुस्तकिल शरीअ़त वाले भेजे) फिर उनके बाद और रसूलों को (जो कि मुस्तकिल शरीअ़त रखने वाले न थे) एक के बाद एक भेजते रहे (जैसे मूसा अ़लैहिस्सलाम के बाद तौरात के अहकाम की तामील कराने के लिये बहुत से पैग़म्बर आये) और उनके बाद (फिर एक मुस्तकिल शरीअ़त वाले को यानी) ईसा इब्ने मरियम (अ़लैहिस्सलाम) को भेजा, और हमने उनको इन्जील दी, और (उनकी उम्मत में दो किस्म के लोग हुए- एक उनकी पैरवी करने और बात मानने वाले यानी उन पर ईमान लाने वाले और दूसरे इनकार करने वाले) और जिन लोगों ने उनकी पैरवी की थी (यानी पहली किस्म वाले) हमने उनके दिलों में शफ़क़त और रहम व तरस (एक दूसरे के साथ जो कि अच्छे अख़्लाक़ में से है) पैदा किया (जैसा कि सहाबा के बारे में अल्लाह तआ़ला का कौला है:

رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ

"वे आपस में नर्म-दिल हैं" और शायद इस वजह से कि उनकी शरीअ़त में जिहाद न था, उसके मुक़ाबले की सिफ़त यानी:

اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ

"काफ़िरों के मुक़ाबले में सख़्त और ज़ोरावर हैं" ज़िक्र नहीं फ़रमाई। ग़र्ज़ कि ग़ालिब उन पर शफ़क़त व रहमत थी) और (हमारी तरफ़ से तो उन लोगों को सिर्फ़ अहकाम में पैरवी करने का हुक्म हुआ था लेकिन उन पैरवी करने वालों में बाज़े वे हुए कि) उन्होंने रहबानियत "यानी दुनिया से बिल्कुल बेताल्लुक़ हो जाने" को ख़ुद ईजाद कर लिया (रहबानियत का हासिल निकाह और जायज़ लज़्ज़तों और मेलजोल का छोड़ना है, और उसके ईजाद का सबब यह हुआ था कि ईसा अ़लैहिस्सलाम के बाद जब लोगों ने अल्लाह के अहकाम को छोड़ना शुरू किया तो बाज़े अहले हक़ भी थे जो हक़ का इज़हार करते रहते थे, यह बात अपनी नफ़्सानी इच्छाओं पर चलने वालों को मुश्किल मालूम हुई और उन्होंने अपने बादशाहों से दरख़्वास्त की कि इन लोगों को मजबूर किया जाये कि हमारे जैसे तौर-तरीक़ों वाले बनकर रहें। जब उनको मजबूर किया गया तो उन्होंने दरख़्वास्त की कि हमको इजाज़त दी जाये कि हम उन लोगों से कोई ताल्लुक़ व ग़र्ज़ न रखें और आज़ादाना ज़िन्दगी बसर करें, चाहे कहीं एक तरफ़ बैठकर या घूमने फिरने में उम्र गुज़ारकर, चुनाँचे इसी पर वे छोड़ दिये गये (जैसा कि तफ़सीर दुर्रे-मन्सूर में है) इस मक़ाम पर यही ज़िक्र है कि उन्होंने रहबानियत को ईजाद कर लिया) हमने उसको उन पर वाजिब न किया था, लेकिन उन्होंने हक़ तआ़ला की रज़ा के वास्ते (अपने दीन को महफ़ूज़ रखने के लिये) उसको

इख़्तियार किया था, सो (फिर उन राहिबों में ज़्यादा वे हुए कि) उन्होंने उस (रहबानियत) की पूरी रियायत न की (यानी जिस ग़र्ज़ से उसको इख़्तियार किया था और वह ग़र्ज़ अल्लाह की रज़ा हासिल करना था उसका एहतिमाम नहीं किया, यानी असल अहकाम पर अ़मल न किया अगरचे ज़ाहिरी तौर पर अपनी रहबानियत और अहकाम पर अ़मल करने का इज़हार करते रहे। इस तरह रहबानियत इख़्तियार करने वालों में दो क़िस्म के लोग हो गये- अहकाम की रियायत करने वाले और रियायत न करने वाले। और उनमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने के लोग थे उनके हक़ में अहकाम की रियायत की एक शर्त यह भी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लायें, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में अहकाम की रियायत व एहतिमाम करने वाले वे लोग हुए जो आप पर ईमान लाये और जिन्होंने आप पर ईमान से गुरेज़ किया वे अहकाम की रियायत न करने वालों में शामिल हुए) सो उनमें से जो (हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर) ईमान लाये हमने उनको उनका (वायदा किया हुआ) अज्र दिया, (मगर ऐसे लोग कम थे) और ज़्यादा उनमें नाफ़रमान हैं (कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान नहीं लाये। और चूँकि अक्सरियत नाफ़रमानों की थी इसलिये सब ही की तरफ़ रियायत न करना मन्सूब कर दिया गया कि 'फ़मा रऔ़हा' फ़रमाया। मालूम हुआ कि यह नफ़ी अधिकता को सामने रखकर की गयी है और जो थोड़े से लोग ईमान लाये थे उनका ज़िक्र आयत के आख़िर में:

فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ

में बयान फ़रमाया।

यहाँ तक ईसाईयों में से ईमान लाने वालों और न लाने वालों की दो क़िस्मों का ज़िक्र था, आगे ईमान वालों का हुक्म है कि) ऐ (ईसा अ़लैहिस्सलाम पर) ईमान रखने वालो! तुम अल्लाह से डरो और (उस डर के तक़ाज़ों पर अ़मल करो, यानी) उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर ईमान लाओ, अल्लाह तआ़ला तुमको अपनी रहमत से (सवाब के) दो हिस्से देगा, (जैसे सूरः क़सस में "उलाइ-क युअ्तौ-न अज्रहुम् मर्रतैनि............" है) और तुमको ऐसा नूर इनायत करेगा कि तुम उसको लिये हुए चलते-फिरते होगे (यानी ऐसा ईमान देगा जो हर वक़्त साथी रहेगा यहाँ से पुलसिरात तक), और तुमको बख़्श देगा (क्योंकि इस्लाम से कुफ़्र के ज़माने के सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं) और अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला रहम करने वाला है। (और ये दौलतें तुमको इसलिये देगा) ताकि (जिस वक़्त इन नेमतों का ज़हूर हो यानी कियामत के दिन उस वक़्त) अहले किताब को (यानी जो ईमान नहीं लाये उनको) यह बात मालूम हो जाये कि उन लोगों को अल्लाह के फ़ज़्ल के किसी हिस्से पर (भी) (बग़ैर ईमान लाये) इख़्तियार नहीं, और यह (भी मालूम हो जाये) कि फ़ज़्ल अल्लाह के हाथ में है वह जिसको चाहे दे दे (चुनाँचे उसकी मर्ज़ी व चाहत उसके फ़ज़्ल के साथ मुसलमानों के साथ हुई तो उन्हीं को इनायत फ़रमा दिया) और अल्लाह बड़े फ़ज़्ल वाला है (मतलब यह कि उनका ग़ुरूर और गुमान टूट जाये कि वे

मौजूदा हालत में भी अपने को फ़ज़्ल और मग़फ़िरत किये जाने का हक़दार समझते हैं)।

मआरिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में इस आलम की हिदायत और इसमें अदल व इन्साफ़ क़ायम करने के लिये नबियों व रसूलों और उनके साथ किताब और तराज़ू नाज़िल करने का उमूमी ज़िक्र था, ऊपर दर्ज हुई आयतों में उनमें से ख़ास-ख़ास नबियों व रसूलों का ज़िक्र है। पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कि वह दूसरे आदम हैं, और तूफ़ाने नूह के बाद दुनिया में बाक़ी रहने वाली तमाम इनसानी मख़्लूक़ उनकी नस्ल से है। दूसरे हज़रत इब्राहीम ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम का जो अबुल-अम्बिया (नबियों के बाप व पूर्वज) और मख़्लूक़ में बरगुज़ीदा हैं। इन दोनों के ज़िक्र के साथ यह ऐलान फ़रमा दिया कि आईन्दा जितने नबी और आसमानी किताबें दुनिया में आयेंगी वो सब इन्हीं दोनों की नस्ल व औलाद में होंगी, यानी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वह शाख़ इस फ़ज़ीलत के लिये मख़्सूस कर दी गयी जिसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, यही वजह है कि बाद में जितने नबी भेजे गये और जितनी किताबें नाज़िल हुईं वे सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं।

इनके ख़ुसूसी ज़िक्र के बाद नबियों के पूरे सिलसिले को एक मुख़्तसर जुमले में बयान फ़रमायाः

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا.

आख़िर में ख़ुसूसियत के साथ बनी इस्राईल के आख़िरी नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करके हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और आपकी शरीअत का ज़िक्र फ़रमाया गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले उनके हवारियों की ख़ास सिफ़त यह बतलाई गयीः

وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً.

यानी जिन लोगों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम या इन्जील की पैरवी की हमने उनके दिलों में नर्मी और रहमत पैदा कर दी। यानी ये लोग आपस में एक दूसरे पर मेहरबान व रहम करने वाले हैं, या अल्लाह की पूरी मख़्लूक़ के साथ उनको शफ़क़त व रहमत का ताल्लुक़ है। रअ्फ़त व रहमत के दोनों लफ़्ज़ एक दूसरे के हम-मायने और मुरादिफ़ समझे जाते हैं, यहाँ मुक़ाबले की वजह से कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि रअ्फ़त रहमत की अधिकता को कहा जाता है गोया आम रहमत से इसमें ज़्यादा बढ़ोतरी है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि किसी शख़्स पर रहमत व शफ़क़त के दो तक़ाज़े आदतन होते हैं- एक यह कि वह अगर किसी तकलीफ़ व मुसीबत में मुब्तला है तो उसकी तकलीफ़ को दूर कर दिया जाये, इसको रअ्फ़त कहा जाता है, दूसरे यह कि उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह दे दी जाये, यह रहमत है। ग़र्ज़ कि रअ्फ़त का ताल्लुक़ नुक़सान व तकलीफ़ के दूर होने के साथ है और रहमत का फ़ायदा हासिल होने के साथ, और चूँकि नुक़सान व मुसीबत का दूर होना हर एतिबार से प्रथम और आगे समझा जाता है इसलिये उमूमन जब ये दोनों लफ़्ज़ एक साथ बोले जाते हैं तो रअ्फ़त को रहमत पर मुक़द्दम (पहले) बोला जाता है।

यहाँ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के सहाबा जिनको हवारिय्यीन कहा जाता है उनकी ख़ुसूसी सिफ़त **रअ्फ़त** व **रहमत** बयान फ़रमाई गयी है जैसा कि रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा-ए-किराम की चन्द सिफ़ात सूरः फ़तह में बयान फ़रमाई हैं, जिनमें से एक सिफ़त 'रु-हमाउ बैनहुम्' भी है, मगर वहाँ इस सिफ़त से पहले सहाबा-ए-किराम की ख़ास सिफ़त 'अशिद्दा-उ अ़लल् कुफ़्फ़ारि' भी बयान फ़रमाई है। फ़र्क़ की वजह यह मालूम होती है कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त में काफ़िरों से जंग व जिहाद के अहकाम न थे, इसलिये काफ़िरों के मुक़ाबले में शिद्दत ज़ाहिर करने का वहाँ कोई मौक़ा व महल न था। वल्लाहु आलम।

रहबानियत का मफ़्हूम और ज़रूरी वज़ाहत

وَرَهْبَانِيَّةَ دِابْتَدَعُوْهَا.

रहबानियत रोहबान की तरफ़ मन्सूब है, राहिब और रोहबान के मायने हैं डरने वाला। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बाद जब बनी इस्राईल में बुराई और बदकारी आ़म हो गयी, ख़ुसूसन बादशाहों और सरदारों ने इन्जील के अहकाम से खुली बग़ावत शुरू कर दी। उनमें जो कुछ उलेमा और नेक लोग थे उन्होंने इस बद-अ़मली से रोका तो उनको क़त्ल कर दिया गया, जो कुछ बच रहे उन्होंने देखा कि अब मना करने और मुक़ाबला करने की ताक़त नहीं, अगर हम इन लोगों में मिल-जुलकर रहे तो हमारा दीन भी बरबाद होगा, इसलिये उन लोगों ने अपने ऊपर यह बात लाज़िम कर ली कि अब दुनिया की सब जायज़ लज़्ज़तें और आराम भी छोड़ दें, निकाह न करें, खाने-पीने के सामान जमा करने की फ़िक्र न करें, रहने-सहने के लिये मकान और घर का एहतिमाम न करें, लोगों से दूर किसी जंगल पहाड़ में बसर करें, या फिर ख़ाना-बदोशों की तरह ज़िन्दगी घूमने-फिरने में गुज़ार दें, ताकि दीन के अहकाम पर आज़ादी से पूरा-पूरा अ़मल कर सकें। उनका यह अ़मल चूँकि ख़ुदा के ख़ौफ़ से था इसलिये ऐसे लोगों को **राहिब** या **रोहबान** कहा जाने लगा, उनकी तरफ़ निस्बत करके उनके तरीक़े को रहबानियत से ताबीर करने लगे।

उनका यह तरीक़ा चूँकि हालात से मजबूर होकर अपने दीन की हिफ़ाज़त के लिये था इसलिये बुनियादी तौर पर कोई बुरी चीज़ न थी, अलबत्ता एक चीज़ को अल्लाह के लिये अपने ऊपर लाज़िम कर लेने के बाद उसमें कोताही और ख़िलाफ़वर्ज़ी करना बड़ा गुनाह है, जैसे नज़्र और मन्नत का हुक्म है कि वह असल से तो किसी पर लाज़िम व वाजिब नहीं होती, ख़ुद कोई शख़्स अपने ऊपर किसी चीज़ को नज़्र करके हराम या वाजिब कर लेता है तो फिर शरअ़न उसकी पाबन्दी वाजिब और ख़िलाफ़वर्ज़ी गुनाह हो जाती है, मगर उनमें से बाज़ लोगों ने रहबानियत का नाम रखकर इसको दुनिया हासिल करने और ऐश व आराम का ज़रिये बना लिया, क्योंकि आ़म आदमी ऐसे लोगों के मोतक़िद हुए, तोहफ़े, उपहार और नज़्राने आने लगे, लोगों का उनकी तरफ़ रुजू हुआ तो बुराईयों और गन्दे कामों की नौबत आने लगी।

क़ुरआने करीम ने उक्त आयत में उनकी इसी बात पर नकीर (बुराई और कमी के तौर पर बयान) फ़रमाई, कि ख़ुद ही तो अपने ऊपर लज़्ज़तों को छोड़ना लाज़िम किया था, जो अल्लाह की

जानिब से उन पर लाज़िम न किया गया था, और जब लाज़िम कर लिया तो फिर उसकी पाबन्दी उनको करनी चाहिये थी, लेकिन उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी की।

उन लोगों का यह तरीक़ा असल से बुरा न था, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस इस पर सुबूत है। इमाम इब्ने कसीर रह. ने इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरीर की रिवायत से एक लम्बी हदीस नक़ल की है जिसमें है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बनी इस्राईल बहत्तर फ़िर्क़ों में तक़सीम हो गये थे, जिनमें से सिर्फ़ तीन फ़िर्क़ों को अ़ज़ाब से निजात मिली, जिन्होंने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के बाद ज़ालिम व जाबिर बादशाहों और दौलत व क़ुव्वत वाले बुरे व बदकार लोगों को उनकी बुराई व बदकारी से रोका, उनके मुक़ाबले में हक़ का कलिमा बुलन्द किया और ईसा अ़लैहिस्सलाम के दीन की तरफ़ दावत दी। उनमें से पहले फ़िर्क़े ने क़ुव्वत के साथ उनका मुक़ाबला किया, मगर उनके मुक़ाबले में मग़लूब होकर क़त्ल कर दिये गये। फिर उनकी जगह एक दूसरी जमाअ़त खड़ी हुई जिनको मुक़ाबले की इतनी भी क़ुव्वत व ताक़त नहीं थी, मगर हक़ का कलिमा पहुँचाने के लिये अपनी जानों की परवाह किये बग़ैर उनको हक़ की तरफ़ बुलाया, उन सब को भी क़त्ल कर दिया गया, कुछ को आरों से चीरा गया, कुछ को ज़िन्दा आग में जलाया गया, मगर उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिये इन सब मुसीबतों पर सब्र किया, ये भी निजात पा गये। फिर एक तीसरी जमाअ़त उनकी जगह खड़ी हुई, जिनमें न मुक़ाबले की क़ुव्वत थी न उनके साथ रहकर ख़ुद अपने दीन पर अ़मल करने की सूरत बनती थी, इसलिये उन लोगों ने जंगलों और पहाड़ों का रास्ता लिया और राहिब बन गये, यही वे लोग हैं जिनका अल्लाह तआ़ला ने इस आयत में ज़िक्र किया है:

وَرَهْبَانِيَّةَ نِ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ

इस हदीस से मालूम हुआ कि बनी इस्राईल में से असल रहबानियत इख़्तियार करने वाले जिन्होंने रहबानियत के तक़ाज़ों और इससे संबन्धित चीज़ों की रियायत की और मुसीबतों पर सब्र किया वे भी निजात पाने वाले लोगों में से हैं।

उक्त आयत की इस तफ़सीर का हासिल यह हुआ कि जिस तरह की रहबानियत शुरू में इख़्तियार करने वालों ने इख़्तियार की थी वह अपनी ज़ात से ग़लत और बुरी चीज़ न थी, अलबत्ता वह कोई शरई हुक्म भी नहीं था, उन लोगों ने अपनी मर्ज़ी व ख़ुशी से उसको अपने ऊपर लाज़िम कर लिया था, बुराई और ख़राबी का पहलू यहाँ से शुरू हुआ कि इस लाज़िम कर लेने के बाद कुछ लोगों ने उसको निभाया नहीं, और चूँकि तायदाद ऐसे ही लोगों की ज़्यादा हो गयी थी इसलिये अक्सरियत के अ़मल को कुल (तमाम) की तरफ़ मन्सूब कर देना आ़म मुहावरा है, इस क़ायदे के मुवाफ़िक़ क़ुरआन ने आ़म बनी इस्राईल की तरफ़ यह मन्सूब किया कि उन्होंने जिस रहबानियत को अपने ऊपर लाज़िम कर लिया था उसको निभाया नहीं, और उसकी शर्तों की रियायत नहीं की, इसी को फ़रमायाः

فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا.

इससे यह भी मालूम हुआ कि इस रहबानियत के मुताल्लिक़ जो क़ुरआन ने फ़रमायाः

اِبْتَدَعُوْهَا.

यानी इसको उन्होंने ईजाद कर लिया, इसमें लफ़्ज़ इब्तिदाअ़ जो बिद्अ़त से निकला है वह इस जगह अपने लुग़वी मायने यानी बनाने, गढ़ने और ईजाद करने के लिये बोला गया है, शरीअ़त की इस्तिलाही बिद्अ़त मुराद नहीं है जिसके बारे में हदीस में इरशाद हैः

كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ.

यानी हर बिद्अ़त गुमराही है।

क़ुरआने करीम के अन्दाज़े बयान और कलाम की तरतीब में ग़ौर करें तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। सबसे पहले तो इस जुमले पर नज़र डालियेः

وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَأْفَةً وَّرَحْمَةً وَّرَهْبَانِيَّةً.

जिसमें हक़ तआ़ला ने अपनी नेमत के इज़हार के सिलसिले में फ़रमाया कि हमने उनके दिलों में नरमी, मेहरबानी, रहबानियत (अल्लाह का डर) पैदा कर दी। कलाम की यह तरतीब व अन्दाज़ बतलाता है कि जिस तरह नरमी व मेहरबानी बुरी चीज़ नहीं इसी तरह उनकी इख़्तियार की हुई रहबानियत भी अपनी ज़ात से कोई बुरी चीज़ न थी, वरना इनाम व एहसान के मक़ाम में नरमी व मेहरबानी के साथ रहबानियत का ज़िक्र करने की कोई वजह नहीं थी, इसी लिये जिन हज़रात ने मुतलक़ तौर पर रहबानियत को बुरा और वर्जित क़रार दिया उनको इस जगह रहबानियत के अ़त्फ़ में ग़ैर-ज़रूरी मतलब बयान करना पड़ा, कि इसको रअ़फ़त व रहमत पर अ़त्फ़ नहीं माना (यानी इनके साथ नहीं जोड़ा) बल्कि एक मुस्तक़िल जुमला यहाँ पोशीदा क़रार दिया यानी इब्त-दऊ (जैसा कि इमाम क़ुर्तुबी रह. ने किया है) लेकिन मज़कूरा तफ़सीर पर इस तावील (दूर का मतलब बयान करने) की कोई ज़रूरत नहीं रहती, आगे भी क़ुरआने करीम ने उनके इस नये तरीक़े के निकालने पर कोई नकीर और रद्द नहीं फ़रमाया, बल्कि नकीर (कमी और बुराई) इस पर की गयी कि उन्होंने उस इख़्तियार की हुई रहबानियत को निभाया नहीं, उसके हुक़ूक़ व शर्तों की रियायत नहीं की, यह भी तब ही हो सकता है कि इब्तदाअ़ (किसी नई चीज़ को निकालने) को लुग़वी मायने में लिया जाये, शरई और पारिभाषिक मायने होते तो क़ुरआन ख़ुद इस पर भी नकीर करता, क्योंकि पारिभाषिक बिद्अ़त ख़ुद एक गुमराही है।

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मज़कूरा हदीस से और भी यह बात वाज़ेह हो गयी कि रहबानियत इख़्तियार करने वाली जमाअ़त को निजात पाने वाली जमाअ़तों में शुमार फ़रमाया, अगर ये पारिभाषिक बिद्अ़त के मुजरिम होते तो निजात पाने वाले शुमार न होते बल्कि गुमराहों में शुमार किये जाते।

क्या रहबानियत पूरी तरह बुरी व नाजायज़ है, या इसमें कुछ तफ़सील है?

सही बात यह है कि लफ़्ज़ रहबानियत का आ़म हुक्म लज़्ज़तों और जायज़ चीज़ों के छोड़ने के लिये होता है, इसके चन्द दर्जे हैं- एक यह कि किसी मुबाह व हलाल चीज़ को एतिक़ादी या अ़मली तौर पर हराम क़रार दे, यह तो दीन को बदलना और उसमें कमी-बेशी करना है, इस मायने के एतिबार से रहबानियत क़तई तौर पर हराम है। क़ुरआन की इस आयतः

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَآ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ.

और इसके जैसी दूसरी आयतों में इसी की मनाही व हुर्मत का बयान है। इस आयत का उनवान 'ला तुहर्रिमू' (मत हराम करो) ख़ुद यह बतला रहा है कि इसकी मनाही इसलिये है कि यह अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ को एतिक़ादी या अ़मली तौर पर हराम क़रार दे रहा है जो अल्लाह के अहकाम में कमी-बेशी और रद्दोबदल करने के बराबर है।

दूसरा दर्जा

दूसरा दर्जा यह है कि मुबाह (जायज़ व दुरुस्त काम) के करने को एतिक़ादी या अ़मली तौर पर हराम क़रार नहीं देता मगर किसी दुनियावी या दीनी ज़रूरत की वजह से उसको छोड़ने की पाबन्दी करता है। दुनियावी ज़रूरत जैसे किसी बीमारी के ख़तरे से किसी मुबाह चीज़ से परहेज़ करे, और दीनी ज़रूरत यह कि यह महसूस करे कि मैंने इस मुबाह को इख़्तियार किया तो अन्जामकार मैं किसी गुनाह में मुब्तला हो जाऊँगा, जैसे झूठ, ग़ीबत वग़ैरह से बचने के लिये कोई आदमी लोगों से मिलना-जुलना ही छोड़ दे, या किसी नफ़्सानी बुराई के इलाज के लिये चन्द रोज़ के लिये कुछ मुबाह (जायज़) चीज़ों को छोड़ दे और उस छोड़ने की पाबन्दी इलाज व दवा के तौर पर उस वक़्त तक करे जब तक वह बुराई दूर न हो जाये। जैसे सूफ़िया-ए-किराम तसव्वुफ़ के मैदान में शुरू में क़दम रखने वाले को कम खाने, कम सोने, कम मेलजोल की ताकीद करते हैं कि यह एक मुजाहदा होता है नफ़्स को एतिदाल (दरमियानी और सही राह) पर लाने का, जब नफ़्स पर क़ाबू हो जाता है कि नाजायज़ तक पहुँचने का ख़तरा न रहे तो यह परहेज़ छोड़ दिया जाता है, यह दर हक़ीक़त रहबानियत नहीं बल्कि तक़वा (परहेज़गारी) है जो दीन में पसन्दीदा और पहले बुज़ुर्गों, सहाबा किराम, ताबिईन और दीन के इमामों से साबित है।

तीसरा दर्जा

तीसरा दर्जा यह है कि किसी मुबाह (जायज़ व दुरुस्त काम) को हराम तो क़रार नहीं देता मगर उसका इस्तेमाल जिस तरह सुन्नत से साबित है उस तरह के इस्तेमाल को भी छोड़ना सवाब और अफ़ज़ल जानकर उससे परहेज़ करता है। यह एक किस्म का ग़ुलू (हद से बढ़ना) है, जिससे बहुत सी

हदीसों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया है, और जिस हदीस में:

لَا رَهْبَانِيَّةَ فِي الْإِسْلَامِ.

आया है "यानी इस्लाम में रहबानियत नहीं" उससे मुराद ऐसी ही जायज़ व हलाल चीज़ों को छोड़ना है कि उनके छोड़ने को अफ़ज़ल व सवाब समझे। बनी इस्राईल में जो रहबानियत शुरू में राईज हुई वह अगर दीन की हिफ़ाज़त की ज़रूरत से थी तो दूसरी क़िस्म यानी तक़वे में दाख़िल है, लेकिन अहले किताब में दीन के मामले में गुलू की आफ़त बहुत थी, वे इस गुलू में पहले दर्जे में हलाल को हराम करने तक पहुँचे तो हराम की दोषी हुए और तीसरे दर्जे तक रहे तो भी एक बुरे और नापसन्दीदा काम के मुजरिम बने। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ.

इस आयत में 'या अय्युहल्लज़ी-न आमनू' से मुराद अहले किताब हैं जो ईसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान लाये। क़ुरआने करीम की आ़म आ़दत यह है कि 'अल्लज़ी-न आमनू' का लफ़्ज़ मुसलमानों के लिये बोला जाता है, यहूदियों व ईसाईयों के लिये अहले किताब का लफ़्ज़ आता है, क्योंकि सिर्फ़ हज़रत मूसा व हज़रत ईसा अ़लैहिमस्सलाम पर उनका ईमान काफ़ी और मोतबर नहीं जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान न लायें, इसलिये वे 'अल्लज़ी-न आमनू' कहलाने के मुस्तहिक़ नहीं, मगर यहाँ इस आ़म आ़दत के ख़िलाफ़ यह लफ़्ज़ नसारा (ईसाईयों) के लिये बोला गया, शायद इसमें हिक्मत यह हो कि आगे उनको हुक्म किया गया है कि ईसा अ़लैहिस्सलाम पर सही ईमान लाने का तक़ाज़ा यह है कि ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर भी ईमान लाओ, और जब वे ऐसा कर लें तो 'अल्लज़ी-न आमनू' (वे जो कि ईमान लाये) के ख़िताब के हक़दार हो गये।

आगे इस ईमान के मुकम्मल करने पर उनसे यह वायदा किया गया है कि उनको दोहरा अज्र व सवाब मिलेगा- एक पहले नबी हज़रत मूसा या हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान लाने और उनकी शरीअ़त पर अ़मल करने का और दूसरा ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाने और आपकी शरीअ़त पर अ़मल करने का। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि अगरचे यहूदी व ईसाई नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान न लाने के वक़्त तक काफ़िर थे और काफ़िर की कोई इबादत मक़बूल नहीं होती, इसका तक़ाज़ा यह था कि पिछली शरीअ़त पर जो अ़मल किया वह सब बेकार हो गया, मगर इस आयत ने यह बतला दिया कि अहले किताब काफ़िर जब मुसलमान हो जाये तो ज़माना-ए-कुफ़्र के किये हुए नेक आमाल भी फिर उसके बहाल कर दिये जाते हैं, इसलिये दोहरा अज्र हो जाता है।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ.

इसमें ला ज़ायद है, मायनेः

لِيَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ

के हैं। और आयत का मतलब यह है कि ऊपर बयान हुए अहकाम इसलिये बयान किये गये

ताकि अहले किताब समझ लें कि वे अपनी मौजूदा हालत में 'कि सिर्फ़ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम पर तो ईमान है' रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर नहीं, इस हालत में वे अल्लाह के किसी फ़ज़्ल के मुस्तहिक़ नहीं जब तक ख़ातमुल-अम्बिया हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान न ले आयें। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अल्-हदीद की तफ़सीर आज दिनाँक 26 रबीउस्सानी सन् 1391 हिजरी दिन सोमवार को पूरी हुई। इसके बाद सूरः अल्-मुजादला आ रही है, उसकी भी तफ़सीर लिखने की अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-हदीद की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

अट्ठाईसवाँ पारह् (क़द् समिअ़ल्लाहु)

सूरः अल्-मुजादला

सूरः अल्-मुजादला मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 22 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

اٰیاتھا ۲۲ (۵۸) سُوْرَةُ الْمُجَادَلَةِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۵) رکوعاتھا ۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ قَوْلَ الَّتِىْ تُجَادِلُكَ فِىْ زَوْجِهَا وَتَشْتَكِىْٓ اِلَى اللّٰهِ ۖ وَاللّٰهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا ۗ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌۢ بَصِيْرٌ ۝ اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ مَّا هُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ ۗ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰٓـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ ۗ وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝ وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۗ ذٰلِكُمْ تُوْعَظُوْنَ بِهٖ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّتَمَآسَّا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا ۗ ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ۗ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يُحَآدُّوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ كُبِتُوْا كَمَا كُبِتَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ اَنْزَلْنَآ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ۗ اَحْصٰىهُ اللّٰهُ وَنَسُوْهُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝

ع ۱

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

क़द् समिअ़ल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलु-क फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाहि वल्लाहु यस्मअ़ु तहावु-रकुमा, इन्नल्ला-ह समीअ़ुम्-बसीर (1) अल्लज़ी-न युज़ाहिरू-न	सुन ली अल्लाह ने बात उस औरत की जो झगड़ती थी तुझसे अपने शौहर के हक़ में और झींकती थी अल्लाह के आगे, और अल्लाह सुनता था सवाल व जवाब तुम दोनों का, बेशक अल्लाह सुनता है देखता है। (1) जो लोग माँ कह बैठें तुम

मिन्कुम् मिन्-निसा-इहिम् मा हुन्-न उम्महातिहिम्, इन् उम्महातुहुम् इल्लल्लाई व-लद्नहुम्, व इन्नहुम् ल-यक़ूलू-न मुन्करम् मिनल्-क़ौलि व ज़ूरन्, व इन्नल्ला-ह ल-अफ़ुव्वुन् ग़फ़ूर (2) वल्लज़ी-न युज़ाहिरू-न मिन् निसा-इहिम् सुम्-म यअूदू-न लिमा क़ालू फ़-तह्रीरु र-क़-बतिम्-मिन् क़ब्लि अंय्य-तमास्सा, ज़ालिकुम् तू-अज़ू-न बिही, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर (3) फ़-मल्लम् यजिद् फ़सियामु शह्रैनि मु-तताबिअ़ैनि मिन् क़ब्लि अंय्य-तमास्सा, फ़-मल्लम् यस्ततिअ् फ़-इत्आमु सित्ती-न मिस्कीनन्, ज़ालि-क लितुअ्मिनू बिल्लाहि व रसूलिही, व तिल्-क हुदूदुल्लाहि, व लिल्काफ़िरी-न अ़ज़ाबुन् अलीम (4) इन्नल्लज़ी-न युहाद्दूनल्ला-ह व रसूलहू कुबितू कमा कुबितल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् व क़द् अन्ज़ल्ना आयातिम्-बय्यिनातिन्, व लिल्काफ़िरी-न अ़ज़ाबुम् मुहीन (5) यौ-म यब्अ़सुहुमुल्लाहु जमीअ़न्

में से अपनी औरतों को वे नहीं हो जातीं उनकी माँयें, उनकी माँयें तो वही हैं जिन्होंने उनको जना, और वे बोलते हैं एक नापसन्द बात और झूठी, और अल्लाह माफ़ करने वाला बख़्शने वाला है। (2) और जो लोग माँ कह बैठें अपनी औरतों को फिर करना चाहें वही काम जिसको कहा है तो आज़ाद करना चाहिये एक बर्दा (ग़ुलाम या बाँदी) इससे पहले कि आपस में हाथ लगायें, इससे तुमको नसीहत होगी और अल्लाह ख़बर रखता है जो कुछ तुम करते हो। (3) फिर जो कोई न पाये तो रोज़े हैं दो महीने के लगातार इससे पहले कि आपस में छुयें, फिर जो कोई यह न कर सके तो खाना देना है साठ मोहताजों का, यह (हुक्म) इस वास्ते कि ताबेदार हो जाओ अल्लाह के और उसके रसूल के और ये हदें बाँधी (हुई) हैं अल्लाह की, और मुन्किरों के वास्ते अ़ज़ाब है दर्दनाक। (4) जो लोग कि मुख़ालफ़त करते हैं अल्लाह की और उसके रसूल की वे ज़लील हुए हैं जैसे कि ज़लील हुए वे लोग जो उनसे पहले थे, और हमने उतारी हैं आयतें बहुत साफ़, और मुन्किरों के वास्ते अ़ज़ाब है ज़िल्लत का। (5) जिस दिन कि उठायेगा अल्लाह उन सब को

फ़-युनब्बिउहुम् बिमा अ़मिलू, अह्साहुल्लाहु व नसूहु, वल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् शहीद (6) ✿	फिर जतलायेगा उनको उनके किये काम, अल्लाह ने वो सब गिन रखे हैं और वे भूल गये, और अल्लाह के सामने है हर चीज़। (6) ✿

नाज़िल होने का सबब

इस सूरत की शुरू की आयतों के उतरने का सबब एक ख़ास वाक़िआ है कि हज़रत औस बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक मर्तबा अपनी बीवी ख़ौला को यह कह दिया किः

اَنْتِ عَلَیَّ کَظَھْرِ اُمِّیْ.

"तू मेरे हक़ में ऐसी है जैसे मेरी माँ की पुश्त, यानी हराम है" नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनने से पहले जाहिलीयत के ज़माने में यह लफ़्ज़ बीवी के शौहर पर हमेशा के लिये हराम करने के लिये बोले जाते थे, जो तलाक़े मुग़ल्लज़ा से भी ज़्यादा सख़्त है। हज़रत ख़ौला रज़ियल्लाहु अ़न्हा यह वाक़िआ पेश आने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में इसका शरई हुक्म मालूम करने के लिये हाज़िर हुई, उस वक़्त तक इस ख़ास मसले के मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर कोई वही नाज़िल न हुई थी, इसलिये आपने मशहूर क़ौल के मुवाफ़िक़ उनसे फ़रमा दियाः

مَا اَرَاكِ اِلَّا قَدْ حَرُمْتِ عَلَيْهِ.

यानी मेरी राय में तो तुम अपने शौहर पर हराम हो गयीं। वह यह सुनकर वावेला करने लगीं (यानी रोने-पीटने लगीं) कि मेरी सारी जवानी इस शौहर की ख़िदमत में ख़त्म हो गयी, अब बुढ़ापे में इन्होंने मुझसे यह मामला किया, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा और मेरे बच्चों का गुज़ारा कैसे होगा? और एक रिवायत में है कि ख़ौला ने यह अ़र्ज़ किया किः

مَا ذَكَرَ طَلَاقًا.

यानी मेरे शौहर ने तलाक़ का तो नाम भी नहीं लिया तो फिर तलाक़ कैसे हो गयी। और एक रिवायत में है कि ख़ौला रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अल्लाह तआ़ला से फ़रियाद कीः

اَللّٰھُمَّ اِنِّیْ اَشْکُوْ اِلَیْكَ.

और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ौला रज़ियल्लाहु अ़न्हा से यह फ़रमायाः

مَا اُمِرْتُ فِیْ شَانِكِ بِشَیْءٍ حَتّٰی الْاٰنَ.

यानी अभी तक तुम्हारे मसले के मुताल्लिक़ मुझ पर कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ (इन सब रिवायतों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं, सभी अक़वाल सही हो सकते हैं)। इस पर ये आयतें नाज़िल हुई (जैसा कि तफ़सीर दुर्रे-मन्सूर व इब्ने कसीर में है)। इसलिये इस सूरत की

शुरू की आयतों में इस ख़ास मसले का जिसका नाम ज़िहार है शरई हुक्म बयान फ़रमाया गया, जिसमें हक़ तआ़ला ने हज़रत ख़ौला रज़ियल्लाहु अ़न्हा की फ़रियाद सुनी और उनके लिये आसानी फ़रमा दी। उनकी वजह से हक़ तआ़ला ने क़ुरआन में ये मुस्तक़िल अहकाम नाज़िल फ़रमा दिये, इसी लिये हज़राते सहाबा उनका बड़ा एहतिराम करते थे। एक रोज़ हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु एक मजमे के साथ चले जा रहे थे, यह औ़रत हज़रत ख़ौला सामने आकर खड़ी हो गईं, कुछ कहना चाहती थीं, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रास्ते में ठहरकर इनकी बात सुनी, कुछ लोगों ने कहा कि आपने इस बुढ़िया की ख़ातिर इतने बड़े मजमे को रोके रखा तो आपने फ़रमाया कि ख़बर है यह कौन है? यह वह औ़रत है जिसकी बात अल्लाह तआ़ला ने सात आसमानों के ऊपर सुनी, मैं कौन था कि इनकी बात को टाल देता। अल्लाह की क़सम अगर यह ख़ुद ही रुख़्सत न हो जाती तो मैं रात तक इनके साथ यहीं खड़ा रहता।

(तफ़सीर इब्ने कसीर)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक अल्लाह तआ़ला ने उस औ़रत की बात सुन ली जो आप से अपने शौहर के मामले में झगड़ती थी (मसलन यह कहती थी:

مَا ذَكَرَ طَلَاقًا

यानी उसने तलाक़ का कलिमा तो ज़िक्र कर नहीं किया, फिर हुर्मत कैसे हो गयी) और (अपने रंज व ग़म की) अल्लाह तआ़ला से शिकायत करती थी (मसलन यह कहा था:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَشْكُوْا اِلَيْكَ

और अल्लाह तआ़ला तुम दोनों की गुफ़्तगू सुन रहा था (और) अल्लाह तआ़ला (तो) सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है (तो उसकी बात को कैसे न सुनता। और **क़द् समिअ़ल्लाहु** से ख़ुदा तआ़ला का मक़सद अपने लिये सुनने को साबित करना नहीं, बल्कि औ़रत की तकलीफ़ को ख़त्म करना और उसकी आ़जिज़ी को क़ुबूल करना है) तुम में जो लोग अपनी बीवियों से 'ज़िहार' करते हैं (जैसे यूँ कह देते हैं कि तू मुझ पर मेरी माँ की तरह है) वे (बीवियाँ) उनकी माँएँ नहीं हैं, उनकी माँएँ तो बस वही हैं जिन्होंने उनको जन्म दिया है (इसलिये ये अलफ़ाज़ कहने से ये औ़रतें उनकी माँयें नहीं हो गईं, कि हमेशा के लिये माँ की तरह उनका हराम होना साबित हो जाये, और कोई दूसरा सबब भी हमेशा के हराम होने का किसी दलील से साबित नहीं, मसलन नसब की वजह से हराम होना, दूध या ससुराली रिश्ते की वजह से हराम होना वग़ैरह, पस हमेशा के लिये हराम होने की नफ़ी हो गयी)।

और वे लोग (जो कि बीवियों को माँ कहते हैं) बेशक एक नामाक़ूल और झूठ बात कहते हैं (इसलिये गुनाह ज़रूर होगा) और (अगर उस गुनाह की तलाफ़ी कर दी जाये तो वह गुनाह माफ़ भी हो जायेगा, क्योंकि) यक़ीनन अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाले, बख़्श देने वाले हैं। और

(आगे इस तलाफ़ी व भरपाई का कुछ सूरतों के एतिबार से बयान है कि) जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं फिर अपनी कही हुई बात (के तक़ाज़े) की (जो बीवी का हराम होना है) तलाफ़ी करना चाहते हैं (यानी बीवियों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं) तो उनके ज़िम्मे एक गुलाम या बाँदी का आज़ाद करना है, इससे पहले कि दोनों (मियाँ-बीवी) आपस में मिलें (सोहबत से या सोहबत के असबाब से)। इस (कफ़्फ़ारे का हुक्म करने) से तुमको नसीहत की जाती है (कफ़्फ़ारे से बुराईयों और गुनाहों को मिटाने के अ़लावा यह भी फ़ायदा है कि इससे आईन्दा को तुम्हें तंबीह हो जायेगी) और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है (कि कफ़्फ़ारे से संबन्धित अहकाम की पूरी तामील करते हो या नहीं। पस कफ़्फ़ारे में दो हिक्मतें हो गईं- एक गुनाह की माफ़ी जिसकी तरफ़ इशारा है 'ल-अ़फ़ुव्वुन् ग़फ़ूर' में, दूसरी तंबीह व डाँट जिसका 'तू-अ़ज़ू-न' में बयान है। और यह दूसरी हिक्मत भी कफ़्फ़ारे की तीनों क़िस्मों में है लेकिन गुलाम या बाँदी आज़ाद करना चूँकि कफ़्फ़ारे के क़िस्मों में पहले ज़िक्र किया गया है इसलिये इसको इसके साथ ज़िक्र कर दिया गया) फिर जिसको (गुलाम-बाँदी) मयस्सर न हो तो उसके ज़िम्मे पै-दर-पै (यानी लगातार) दो महीने के रोज़े हैं, इससे पहले कि दोनों (मियाँ-बीवी) आपस में मिलें। फिर जिससे यह भी न हो सकें तो उसके ज़िम्मे साठ मिस्कीनों को खाना खिलाना है।

(आगे इस हुक्म का दूसरे अहकाम की तरह इन पर यक़ीन व तस्दीक़ का ज़रूरी होना इसलिये बयान फ़रमाते हैं कि इस हुक्म का मक़सद पुरानी रस्म और जाहिलीयत के हुक्म को तोड़ना है, इसलिये इसका ख़ास एहतिमाम मुनासिब हुआ। पस इरशाद हुआ कि) यह हुक्म इसलिये (बयान किया गया) है कि (इस हुक्म से मुताल्लिक़ मस्लेहतों के हासिल करने के अ़लावा) अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) पर ईमान (भी) ले आओ, (यानी उन अहकाम में उनकी तस्दीक़ भी करो कि ईमान से जुड़ी मस्लेहतें भी हासिल हों) और (आगे और अधिक ताकीद के लिये इरशाद है कि) ये अल्लाह की (मुक़र्रर की हुई) हदें हैं (यानी खुदाई क़ानून व नियम हैं) और काफ़िरों के लिये (जो कि इन अहकाम की तस्दीक़ नहीं करते ख़ास तौर पर) सख़्त दर्दनाक अ़ज़ाब होगा। (और आम अ़ज़ाब अ़मल में ख़लल डालने वाले को भी हो सकता है। और कुछ इसी हुक्म की विशेषता नहीं बल्कि) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त करते हैं (चाहे किसी हुक्म में करें जैसे मक्का के काफ़िर) वे (दुनिया में भी) ऐसे ज़लील होंगे जैसे उनसे पहले लोग ज़लील हुए (चुनाँचे कई इस्लामी जंगों में यह चीज़ सामने आई) और (सज़ा कैसे न हो क्योंकि) हमने खुले-खुले अहकाम (जिनका सही होना क़ुरआनी आयतों के बेनज़ीर व मोजिज़ा होने से साबित है) नाज़िल किये हैं (तो उनका इनकार लाज़िमी तौर पर सज़ा को वाजिब करने वाला होगा। यह सज़ा तो दुनिया में होगी) और काफ़िरों को (आख़िरत में भी) ज़िल्लत का अ़ज़ाब होगा (और आगे उस अ़ज़ाब का वक़्त बतलाते हैं कि उस रोज़ होगा) जिस दिन उन सब को अल्लाह दोबारा ज़िन्दा करेगा। फिर उनका सब किया हुआ उनको बतलायेगा (क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ने वह महफ़ूज़ कर रखा है, और ये लोग उसको भूल

गये, (चाहे हक़ीक़त में या बेफ़िक्री और बेतवज्जोही के एतिबार से) और अल्लाह हर चीज़ की ख़बर रखता है (चाहे उनके आमाल हों या और कुछ)।

मआरिफ़ व मसाईल

قَدْ سَمِعَ اللّٰهُ.............................الآية.

इन आयतों के नाज़िल होने का सबब जो ऊपर बयान हो चुका है उसमें यह बतलाया गया है कि यह औरत जिसका ज़िक्र इस आयत में है वह हज़रत औस बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ख़ौला बिन्ते सालबा रज़ियल्लाहु अन्हा हैं, जिनके शौहर ने उनसे ज़िहार कर लिया था, और यह उसकी शिकायत के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुईं।

हक़ तआ़ला ने उनको यह इज़्ज़त बख़्शी कि उनके जवाब में क़ुरआन की ये आयतें नाज़िल हुईं और इनमें सिर्फ़ ज़िहार का शरई हुक्म और उसकी तकलीफ़ दूर करने का इन्तिज़ाम ही नहीं फ़रमाया बल्कि उनका दिल रखने के लिये कलाम के शुरू में फ़रमा दिया कि हम उस औरत की बातें सुन रहे थे जो अपने शौहर के मामले में आप से मुजादला कर रही थी। मुजादला से मुराद वह झगड़ा जिससे मुराद एक मर्तबा जवाब दे देने के बाद अपनी तकलीफ़ को बार-बार बयान करके आपको मुतवज्जह करना है, और कुछ रिवायतों में यह भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जब उनको यह जवाब दिया कि तुम्हारे मामले में मुझ पर अल्लाह का कोई हुक्म नाज़िल नहीं हुआ तो इस पर ग़मज़दा की ज़बान से यह निकला कि यूँ तो आप पर हर चीज़ के हुक्म नाज़िल होते रहते हैं मेरे बारे में क्या हुआ कि वही भी रुक गयी? (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) और अल्लाह तआ़ला से फ़रियाद शुरू की:

وَتَشْتَكِيْٓ اِلَى اللّٰهِ.

इस पर हक़ तआ़ला ने यह आयत नाज़िल फ़रमाई।

हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं पाक है वह ज़ात जिसका सुनना तमाम आवाज़ों को मुहीत (अपने घेरे में लिये हुए) है, हर एक की आवाज़ सुनता है, मैं उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के पास मौजूद थी जब ख़ौला बिन्ते सालबा अपने शौहर की शिकायत बयान कर रही थीं, मगर इतने क़रीब होने के बावजूद उनकी बाज़ी बातें न सुन सकती थी, मगर हक़ तआ़ला ने उन सब को सुना और फ़रमाया 'क़द् समिअ़ल्लाहु'। (बुख़ारी, इब्ने कसीर)

اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ مِّنْ نِّسَآئِهِمْ.

युज़ाहिरू-न ज़िहार से निकला है जो बीवी को अपने ऊपर हराम कर लेने की एक ख़ास सूरत के लिये बोला जाता है, और इस्लाम आने के ज़माने से पहले प्रचलित व जाना-पहचाना है। वह सूरत यह है कि शौहर अपनी बीवी को यह कह दे:

اَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ اُمِّيْ.

यानी तू मुझ पर ऐसी हराम है जैसे मेरी माँ की पीठ। इस मौके पर पीठ का ज़िक्र शायद इशारे के तौर पर है कि असल मुराद तो पेट था ज़िक्र पीठ का कर दिया। (जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है)

ज़िहार का मतलब और शरई हुक्म

शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में ज़िहार का मतलब यह है कि अपनी बीवी को अपने ऊपर हमेशा के लिये हराम औरतों जैसे माँ, बहन, बेटी वग़ैरह के किसी ऐसे बदनी अंग से तशबीह देना जिसको देखना उसके लिये जायज़ नहीं। माँ की पीठ भी उसकी एक मिसाल है। जाहिलीयत (यानी इस्लाम से पहले) के ज़माने में यह लफ़्ज़ हमेशा के लिये हराम होने के लिये बोला जाता था, और तलाक़ के लफ़्ज़ से भी ज़्यादा सख़्त समझा जाता था, क्योंकि तलाक़ के बाद तो निकाह में वापस रखने या नया निकाह करने के बाद फिर बीवी बन सकती है मगर ज़िहार की सूरत में जाहिलीयत की रस्म के मुताबिक़ उनके आपस में मियाँ-बीवी होकर रहने की क़तई कोई सूरत न थी।

ऊपर दर्ज हुई आयतों के ज़रिये इस्लामी शरीअ़त ने इस रस्म की इस्लाह दो तरह फ़रमाई- अव्वल तो ख़ुद इस ज़िहार की रस्म को नाजायज़ व गुनाह क़रार दिया, कि जिसको बीवी से अ़लैहदगी इख़्तियार करनी है उसका तरीक़ा तलाक़ है, उसको इख़्तियार करे, ज़िहार को इस काम के लिये इस्तेमाल न करे, क्योंकि यह एक बेहूदा और झूठा कलाम है कि बीवी को माँ कह दिया। क़ुरआने करीम ने फ़रमायाः

مَاهُنَّ اُمَّهٰتِهِمْ اِنْ اُمَّهٰتُهُمْ اِلَّا الّٰۤـِٔىْ وَلَدْنَهُمْ.

यानी उनके इस बेहूदा कलाम की वजह से बीवी माँ नहीं बन जाती, माँ तो वही है जिसके पेट से पैदा हुआ है। फिर फ़रमायाः

وَاِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا.

यानी उनका यह क़ौल झूठ भी है कि हक़ीक़त के ख़िलाफ़ बीवी को माँ कह रहा है और मुन्कर यानी गुनाह भी है।

दूसरी इस्लाह (सुधार) यह फ़रमाई कि अगर कोई नावाक़िफ़ जाहिल या दीन के अहकाम से ग़ाफ़िल आदमी ऐसा कर ही बैठे तो इस लफ़्ज़ से हमेशा के लिये हराम होना इस्लामी शरीअ़त में नहीं होता, लेकिन उसको खुली छूट भी नहीं दी जाती कि ऐसा लफ़्ज़ कहने के बाद फिर बीवी से पहले की तरह मेल-मिलाप करता और फ़ायदा उठाता रहे, बल्कि उस पर एक जुर्माना कफ़्फ़ारे का लगाया गया कि अगर फिर यह अपनी बीवी की तरफ़ लौटना चाहता है और पहले की तरह बीवी से फ़ायदा उठाना चाहता है तो कफ़्फ़ारा अदा करके अपने गुनाह की तलाफ़ी करे, बग़ैर कफ़्फ़ारा अदा किये बीवी हलाल न होगी। अगली आयत मेंः

وَالَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَآئِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا.

का यही मतलब है। 'यऊ़दू-न लिमा क़ालू' में हर्फ़ लाम को अ़न के मायने में लिया गया, यानी रुजू करते हैं वे अपने क़ौल से। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु "यऊ़दू-न" की तफ़सीर 'यन्दमू-न' के लफ़्ज़ से भी मन्क़ूल है, जिसका मतलब यह है कि यह क़ौल कहने के बाद वे अपने क़ौल पर नादिम (पछताने वाले) हो जायें और फिर बीवी से मेल-मिलाप करना चाहें। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस आयत से यह भी मालूम हुआ कि कफ़्फ़ारे का वाजिब होना बीवी के साथ मेल-मिलाप हलाल होने की ग़र्ज़ से है, इसके बग़ैर हलाल नहीं। ख़ुद ज़िहार उस कफ़्फ़ारे की इल्लत (सबब और वजह) नहीं, बल्कि ज़िहार करना एक गुनाह है जिसका कफ़्फ़ारा तौबा व इस्तिग़फ़ार है, जिसकी तरफ़ आयत के आख़िर में 'व इन्नल्ला-ह ल-अ़फ़ुव्वुन् ग़फ़ूर' से इशारा कर दिया गया है। इसलिये अगर कोई शख़्स ज़िहार कर बैठे और अब बीवी से मिलाप (और सोहबत व हमबिस्तरी) नहीं रखना चाहता तो कोई कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं, अलबत्ता बीवी की हक़-तल्फ़ी नाजायज़ है, अगर वह मुतालबा करे तो कफ़्फ़ारा अदा करके मेल-मिलाप करना या फिर तलाक़ देकर आज़ाद करना वाजिब है। अगर यह शख़्स ख़ुद न करे तो बीवी मुस्लिम हाकिम की तरफ़ रुजू करके शौहर को उस पर मजबूर कर सकती है। ये सब मसले मसाईल की किताबों में विस्तार से लिखे गये हैं।

فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ.......................الاٰية.

यानी ज़िहार का कफ़्फ़ारा यह है कि एक ग़ुलाम या बाँदी आज़ाद करे, अगर इस पर क़ुदरत न हो तो दो महीने के लगातार मुसलसल रोज़े रखे, और किसी बीमारी या कमज़ोरी के सबब इतने रोज़ों पर भी ताक़त न हो तो साठ मिस्कीनों को खाना खिलाये, यानी दोनों वक़्त पेट भराई खाना साठ मिस्कीनों को खिलाये, और खाना खिलाने के क़ायम-मक़ाम यह भी हो सकता है कि साठ मिस्कीनों को प्रति व्यक्ति एक फ़ितरे की मात्रा में गेहूँ या उसकी क़ीमत दे दे। फ़ितरे की मात्रा हमारे मौजूदा वज़न के एतिबार से पौने दो सैर गेहूँ हैं, उसकी क़ीमत भी दी जा सकती है।

ज़िहार से संबन्धित अहकाम और उसके कफ़्फ़ारे के तफ़सीली मसाईल फ़िक़्ह की किताबों में देखे जा सकते हैं।

हदीस में है कि हज़रत ख़ौला बिन्ते सालबा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के वावेले और फ़रियाद पर जब ये आयतें और ज़िहार के कफ़्फ़ारे के अहकाम नाज़िल हुए और शौहर से हमेशा की जुदाई और हुर्मत से बचने का रास्ता निकल आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके शौहर को बुलाया, देखा कि कमज़ोर निगाह वाले बूढ़े आदमी हैं, आपने उसको नाज़िल हुई आयतें और कफ़्फ़ारे का हुक्म सुनाया कि एक ग़ुलाम या बाँदी आज़ाद कर दो, उन्होंने कहा कि यह मेरी ताक़त व गुंजाईश में नहीं कि ग़ुलाम ख़रीदकर आज़ाद करूँ। आपने फ़रमाया कि फिर दो महीने के लगातार रोज़े रखो, उन्होंने कहा कि क़सम है उस ज़ात की जिसने आपको सच्चा रसूल बनाया, मेरी हालत यह है कि अगर दिन में दो-तीन मर्तबा खाना न खाऊँ तो मेरी निगाह बिल्कुल ही जाती रहती है, आपने फ़रमाया कि फिर साठ मिस्कीनों को खाना खिलाओ। उन्होंने अ़र्ज़ किया कि यह भी मेरी गुंजाईश में नहीं सिवाय इसके कि आप ही कुछ मदद करें। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसको कुछ ग़ल्ला अ़ता फ़रमाया, फिर कुछ दूसरे लोगों ने जमा कर दिया, इस तरह साठ मिस्कीनों को फ़ितरे की मात्रा देकर कफ़्फ़ारा अदा हो गया। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

ذٰلِكَ لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ○

इस आयत में 'लितुअ्मिनू' फ़रमाया और मुराद ईमान से शरई बातों और अहकाम पर अ़मल

करना है। और फिर फ़रमाया कि यह कफ़्फ़ारा वग़ैरह के अहकाम अल्लाह की मुक़र्रर की हुई हदें हैं, इनसे बाहर निकलना हराम है। इशारा इस बात की तरफ़ है कि इस्लाम ने निकाह, तलाक़, ज़िहार और दूसरे सब मामलों में जाहिलीयत की रस्मों को मिटाकर उनकी जगह मोतदिल और सही तरीक़ों की तालीम दी है, तुम इस पर क़ायम रहो और जो लोग इन शरई हदों के इनकारी और काफ़िर हैं उनको दर्दनाक सज़ा मिलेगी।

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ.

पहले गुज़री आयतों में अल्लाह की हदों और इस्लामी शरीअ़त के अहकाम की पाबन्दी की ताकीद की थी, इसमें उन लोगों पर वईद (सज़ा की धमकी) है जो अल्लाह की हदों के मुख़ालिफ़ और इनकारी हैं। इस वईद में उनके लिये दुनिया में भी अन्जामकार ज़िल्लत व रुस्वाई और उनके कुफ़्रिया इरादों की नाकामी का बयान है और आख़िरत में दर्दनाक अ़ज़ाब का।

أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ.

आयत के इस हिस्से में इस पर तंबीह (चेतावनी) है कि ग़ाफ़िल इनसान दुनिया में गुनाह और बुरे काम करता रहता है जो उसको याद भी नहीं रहते और भूलने का सबब दर असल यह होता है कि वह उस काम को कोई अहमियत नहीं देता इसलिये ज़ेहन में भी नहीं रहता, वो सब अल्लाह तआ़ला के पास लिखे हुए हैं, ये तो करके भूल गये मगर अल्लाह तआ़ला को सब याद हैं, सब पर पूछताछ और अ़ज़ाब होगा।

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۞ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۞ إِنَّمَا النَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ ۚ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ

يٰٓاَيُّهَا ... يَدَىْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۭ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

अलम् त-र अन्नल्ला-ह यअ्लमु मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि, मा यकूनु मिन्-नज्वा सला-सतिन् इल्ला हु-व राबिअुहुम् व ला ख़ाम्सतिन् इल्ला हु-व सादिसुहुम् व ला अद्ना मिन् ज़ालि-क व ला अक्स-र इल्ला हु-व म-अहुम् ऐ-न मा कानू सुम्-म युनब्बिउहुम् बिमा अ़मिलू यौमल्-क़ियामति, इन्नल्ला-ह बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (7) अलम् त-र इलल्लज़ी-न नुहू अ़निन्-नज्वा सुम्-म यअूदू-न लिमा नुहू अ़न्हु व य-तनाजौ-न बिल्-इस्मि वल्-अुद्वानि व मअ्सि-यतिर्रसूलि व इज़ा जाऊ-क हय्यौ-क बिमा लम् युहय्यि-क बिहिल्लाहु व यकूलू-न फ़ी अन्फ़ुसिहिम् लौ ला युअ़ज़्ज़िबुनल्लाहु बिमा नक़ूलु, हस्बुहुम् जहन्नमु यस्लौनहा फ़-बिअ्सल्-मसीर (8) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा तनाजैतुम् फ़ला त-तनाजौ बिल्-इस्मि वल्-अुद्वानि व मअ्सि-यतिर्रसूलि व तनाजौ बिल्बिर्रि वत्तक़्वा,

तूने नहीं देखा कि अल्लाह को मालूम है जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, कहीं नहीं होता मश्विरा तीन का जहाँ वह नहीं होता उनमें चौथा, और न पाँच का जहाँ वह नहीं होता उनमें छठा, और न इससे कम और न ज़्यादा जहाँ वह नहीं होता उनके साथ जहाँ कहीं हों, फिर जतला देगा उनको जो कुछ उन्होंने किया क़ियामत के दिन, बेशक अल्लाह को मालूम है हर चीज़। (7) तूने न देखा उन लोगों को जिनको मना हुई कानाफूसी फिर भी वही करते हैं जो मना हो चुका है और कान में बातें करते हैं गुनाह की और ज़्यादती की और रसूल की नाफ़रमानी की, और जब आयें तेरे पास तुझको वह दुआ़ दें जो दुआ़ नहीं दी तुझको अल्लाह ने, और कहते हैं अपने दिल में क्यों नहीं अ़ज़ाब करता हमको अल्लाह इस पर जो हम कहते हैं, काफ़ी है उनको दोज़ख़, दाख़िल होंगे उसमें, सो बुरी जगह पहुँचे। (8) ऐ ईमान वालो जब तुम बात करो कान में तो मत करो बात गुनाह की और ज़्यादती की और रसूल की नाफ़रमानी की, और बात करो एहसान की और परहेज़गारी की,

वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी इलैहि तुह्शरून (9) इन्नमन्नज्वा मिनश्शैतानि लियह्ज़ुनल्लज़ी-न आमनू व लै-स बिज़ार्रिहिम् शैअन् इल्ला बि-इज़्निल्लाहि, व अ़लल्लाहि फ़ल्य-तवक्कलिल्-मुअ्मिनून (10) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा क़ी-ल लकुम् तफ़स्सहू फ़िल्-मजालिसि फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम् व इज़ा क़ीलन्शुज़ू फ़न्शुज़ू यर्फ़अिल्लाहुल्-लज़ी-न आमनू मिन्कुम् वल्लज़ी-न ऊतुल्‌अिल्-म द-रजातिन्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न ख़बीर (11) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा नाजैतुमुर्रसू-ल फ़-क़द्दिमू बै-न यदै नज्वाकुम् स-द-क़तन्, ज़ालि-क ख़ैरुल्-लकुम् व अत्हरु, फ़-इल्लम् तजिदू फ़-इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्-रहीम (12) अ-अश्फ़क़्तुम् अन् तुक़द्दिमू बै-न यदै नज्वाकुम् स-द-क़ातिन्, फ़-इज़् लम् तफ़्अलू व ताबल्लाहु अ़लैकुम् फ़-अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त व अतीअुल्ला-ह व रसूलहू, वल्लाहु ख़बीरुम्-बिमा तअ्मलून (13) ✿

और डरते रहो अल्लाह से जिसके पास तुमको जमा होना है। (9) यह जो है कानाफूसी सो शैतान का काम है ताकि दिलगीर (रंजीदा) करे ईमान वालों को, और वह उनका कुछ न बिगाड़ेगा बिना अल्लाह के हुक्म के, और अल्लाह पर चाहिये कि भरोसा करें ईमान वाले। (10) ऐ ईमान वालो! जब कोई तुमको कहे कि खुलकर बैठो मज्लिसों में तो खुल जाओ, अल्लाह कुशादगी दे तुमको, और जब कोई कहे कि उठ खड़े हो तो उठ खड़े हो, अल्लाह बुलन्द करेगा उनके लिये जो कि ईमान रखते हैं तुम में से और इल्म उनके दर्जे, और अल्लाह को ख़बर है जो कुछ तुम करते हो। (11) ऐ ईमान वालो! जब तुम कान में बात कहना चाहो रसूल से तो आगे भेजो अपनी बात कहने से पहले ख़ैरात, यह बेहतर है तुम्हारे हक़ में और बहुत सुथरा, फिर अगर न पाओ तो अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (12) क्या तुम डर गये कि आगे भेजा करो कान की बात से पहले ख़ैरातें, सो जब तुमने न किया और अल्लाह ने माफ़ कर दिया तुमको तो अब तुम क़ायम रखो नमाज़ और देते रहो ज़कात और हुक्म पर चलो अल्लाह और उसके रसूल के, और अल्लाह को ख़बर है जो कुछ तुम करते हो। (13) ✿

शाने नुज़ूल

इन आयतों के नाज़िल होने का मौक़ा और असबाब चन्द वाक़िआत हैं:-

1. यहूदियों और मुसलमानों में सुलह थी, लेकिन यहूदी जब किसी मुसलमान को देखते तो उसके ख़्यालात परेशान करने (यानी मानसिक तौर पर उसको भटकाने) के लिये आपस में सरगोशी (चुपके-चपके बातें) करने लगते, वह मुसलमान समझता कि मेरे ख़िलाफ़ कोई साज़िश कर रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यहूदियों को इससे मना फ़रमाया मगर वे बाज़ न आये, इस पर आयत नम्बर 8:

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى............ الخ.

नाज़िल हुई।

2. इसी तरह मुनाफ़िक़ लोग भी आपस में सरगोशी (कानाफूसी और चुपके-चुपके बातें) किया करते इस पर आयत नम्बर 9:

اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا.............. الخ.

और आयत नम्बर 10:

اِنَّمَا النَّجْوٰى................ الخ.

नाज़िल हुई।

3. यहूदी लोग आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आते तो शरारत के तौर पर बजाय 'अस्सलामु अ़लैकुम' कहने के 'अस्सामु अ़लैकुम' कहते। साम के मायने मौत के हैं।

4. मुनाफ़िक़ लोग भी इसी तरह कहते। इन दोनों वाक़िआत पर आयत नम्बर 8 का हिस्सा:

وَاِذَا جَآءُوْكَ حَيَّوْكَ........... الخ.

नाज़िल हुआ। और इमाम इब्ने कसीर ने इमाम अहमद की रिवायत से यह भी नक़ल किया है कि यहूदी इस तरह सलाम करके ख़ुफ़िया तौर पर कहते:

لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللّٰهُ بِمَا نَقُوْلُ.

"यानी अगर हमने यह गुनाह किया है तो हम पर अ़ज़ाब क्यों नहीं आता।"

5. एक बार आप सुफ़्फ़ा मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे और मज्लिस में मजमा ज़्यादा था, चन्द सहाबा जो जंगे बदर में शरीक होने वालों में से थे आये तो उनको कहीं जगह न मिली, और न मज्लिस वालों ने ऐसा किया कि मिल-मिलकर बैठ जाते जिससे जगह खुल जाती, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब देखा तो कुछ आदमियों को मज्लिस से उठने के लिये फ़रमा दिया। मुनाफ़िक़ों ने बुरा मनाया कि यह कौनसी इन्साफ़ की बात है, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह भी फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला उस शख़्स पर रहम करे जो अपने भाई के लिये जगह खोल दे, सो लोगों ने जगह खोल दी, इस पर आयत नम्बर 11:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا............ الخ.

नाज़िल हुई। (इब्ने कसीर, इब्ने अबी हातिम की रिवायत से) इन रिवायतों के तमाम हिस्सों से कुल मिलाकर यह मालूम होता है कि पहले आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जगह खोलने के लिये फ़रमाया होगा, कुछ लोगों ने तो जगह खोल दी, जो काफ़ी न हुई होगी, और कुछ ने जगह नहीं खोली, आपने अदब सिखाने के लिये जैसे मदरसों के तलबा में होता है उनको उठ जाने के लिये फ़रमाया जो कि मुनाफ़िक़ों को नागवार हुआ।

6. बाज़े मालदार लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर बड़ी देर तक आप से सरगोशी (चुपके-चुपके बातें) किया करते और ग़रीब लोगों को आप से फ़ायदा उठाने का वक़्त कम मिलता, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उन लोगों का देर तक बैठना और देर तक सरगोशी करना नागवार गुज़रता था इस पर आयत नम्बर 12:

اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ.............. الخ.

नाज़िल हुई। 'फ़तहुल-बयान' में ज़ैद बिन असलम से बिना सनद के नक़ल किया है कि यहूदी और मुनाफ़िक़ लोग बिना ज़रूरत के आप से कानाफूसी और तन्हाई में बातें किया करते थे, मुसलमानों को इस ख़्याल से कि शायद किसी नुक़सानदेह बात को चुपके-चुपके करते हों, नागवार गुज़रता, इस पर उनको मना किया गया, जिसका ज़िक्र आयत 7 के एक हिस्से:

نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى.

में है, मगर जब वे बाज़ न आये तो यह हुक्म नाज़िल हुआ:

اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ.............. الخ.

इसका नतीजा यह हुआ कि बातिल वाले (यानी जो सच्चे मुसलमान न थे) इस सरगोशी से रुक गये, क्योंकि माल की मुहब्बत की वजह से सदक़ा उनको गवारा न था।

7. जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सरगोशी (तन्हाई में बातें) करने से पहले सदक़ा देने का हुक्म हुआ तो बहुत से आदमी ज़रूरी बात करने से भी रुक गये, इस पर आयत नम्बर 13:

ءَاَشْفَقْتُمْ.........................

नाज़िल हुई। हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना अशरफ़ अ़ली थानवी रह. ने फ़रमाया कि सदक़ा देने के हुक्म में पहले से भी ग़रीबों और नादारों को छूट और रियायत दे दी गयी थी जैसा कि आयत 'फ़-इल्लम् तजिदू.................' से ज़ाहिर है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि न तो बिल्कुल ग़रीब होते हैं और न पूरे मालदार होते हैं अगरचे साहिब-ए-निसाब हों, ग़ालिबन ऐसे लोगों को तंगी पेश आई होगी कि कम गुंजाईश की वजह से तो ख़र्च करना बोझ हुआ और अपने ग़रीब होने में भी शुब्हा हुआ, इसलिये न सदक़ा दे सके और न अपने को छूट और रियायत वालों में समझा, और तन्हाई में बात करना कोई इबादत न थी कि उसका छोड़ना मलामत का सबब हो सके, इसलिये इससे रुक गये (ये तमाम रिवायतें तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में नक़ल की गयी हैं)। इन आयतों के उतरने के इन असबाब को जान लेने से तफ़सीर के समझने

में मदद और आसानी व सहूलियत होगी। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आपने इस पर नज़र नहीं फ़रमाई (मतलब औरों को सुनाना है जो मना होने के बावजूद सरगोशी से बाज़ न आते थे) कि अल्लाह तआला सब कुछ जानता है जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है (और इसी में उनकी सरगोशी भी दाख़िल है, पस) कोई सरगोशी ''यानी चुपके-चुपके और कानोंफूसी की बातें करना'' तीन आदमियों की ऐसी नहीं होती जिसमें चौथा वह (यानी अल्लाह) न हो, और न पाँच की (कानाफूसी) होती है जिसमें छठा वह न हो, और न इस (अंक) से कम (में) होती है (जैसे दो चार आदमियों में) और न इससे ज़्यादा (में होती है, जैसे छह सात या ज़्यादा आदमियों में) मगर वह (हर हालत में) उन लोगों के साथ होता है, चाहे वे लोग कहीं भी हों। फिर उन (सब) को क़ियामत के दिन उनके किये हुए काम बतला देगा, बेशक अल्लाह तआ़ला को हर बात की पूरी ख़बर है (इस आयत का मज़मून मजमूई तौर पर अगले कई हिस्सों में बयान हुए मज़ामीन की तम्हीद है। यानी मुसलमानों को तकलीफ़ देने के लिये ये ग़लत सरगोशी और कानाफूसी करने वाले ख़ुदा से डरते नहीं कि ख़ुदा को सब ख़बर है और इनको सज़ा देगा। आगे मज़मून के वो अलग-अलग हिस्से हैं, यानी) क्या आपने उन लोगों पर नज़र नहीं फ़रमाई जिनको सरगोशी ''चुपके-चुपके बातें करने'' से मना किया गया था, (मगर) फिर (भी) वे वही काम करते हैं जिससे उनको मना किया गया था, और गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफ़रमानी की सरगोशियाँ ''यानी कानाफूसी'' करते हैं (यानी ऐसी सरगोशी करते हैं जिसमें इस वजह से कि उनको मना किया गया है ख़ुद भी गुनाह है और मुसलमानों को ग़मगीन करने की वजह से ज़ुल्म भी है, और इस वजह से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मना फ़रमा चुके थे रसूल की नाफ़रमानी भी है जैसा कि ऊपर बयान हुए नम्बर एक और दो के वाक़िआ़त में बयान हुआ)। और वे लोग (ऐसे हैं कि) जब आपके पास आते हैं आपको ऐसे लफ़्ज़ से सलाम कहते हैं जिससे अल्लाह ने आपको सलाम नहीं फ़रमाया (यानी अल्लाह तआ़ला के अलफ़ाज़ तो ये हैं:

سَلٰمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ، سَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى، صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا○

और वे कहते हैं ''अस्सामु अ़लै-क'') और अपने जी में (या अपने आपस में) कहते हैं कि (अगर यह पैग़म्बर हैं तो) अल्लाह तआ़ला हमको हमारे इस कहने पर (जिसमें सरासर आपकी बेअदबी है फ़ौरन) सज़ा क्यों नहीं देता (जैसा कि वाक़िआ़ नम्बर तीन व चार में गुज़रा। आगे उनके इस फ़ेल की वईद और इस क़ौल का जवाब है कि जल्दी अ़ज़ाब कुछ हिक्मतों के सबब न आने से अ़ज़ाब का बिल्कुल ही न देना लाज़िम नहीं आता) उन (की सज़ा) के लिये जहन्नम काफ़ी है, उसमें ये लोग (ज़रूर) दाख़िल होंगे, सो वह बुरा ठिकाना है।

(आगे ईमान वालों को ख़िताब है जिससे मुनाफ़िक़ों के साथ मुशाबहत करने ''यानी उन

जैसा तौर-तरीक़ा अपनाने'' से उनको भी मनाही की गयी है और मुनाफ़िक़ों को भी सुनाना मन्ज़ूर है कि तुम तो ईमान का दावा करते हो तो ईमान के तक़ाज़ों पर अमल करो। पस इरशाद है कि) ऐ ईमान वालो! जब तुम (किसी ज़रूरत से) सरगोशी करो तो गुनाह और ज़्यादती और रसूल की नाफ़रमानी की सरगोशियाँ मत करो (इन अलफ़ाज़ की तफ़सीर अभी ऊपर गुज़री है) और नफ़ा पहुँचाने और परहेज़गारी की बातों की सरगोशियाँ करो (**बिर्र 'उदवान'** के मुक़ाबिल है, इससे मुराद वह नफ़ा है जो दूसरों तक पहुँचे, और **तक़्वा 'इस्म'** और **'मअ़सियतिर्रसूल'** यानी रसूल की नाफ़रमानी का मुक़ाबिल है) और अल्लाह से डरो जिसके पास तुम सब जमा किये जाओगे। ऐसी सरगोशी सिर्फ़ शैतान की तरफ़ से (यानी उसके बहकाने से) है ताकि मुसलमानों को रंज में डाले (जैसा कि वाक़िआ़ नम्बर एक में बयान हुआ) और (आगे उन मुसलमानों की तसल्ली है कि ग़मीन न हुआ करें, क्योंकि) वह (शैतान) बिना ख़ुदा के इरादे के उनको (यानी मुसलमानों को) कुछ नुक़सान नहीं पहुँचा सकता (मतलब यह कि अगर मान लो वे शैतान के बहकाने से तुम्हारे ख़िलाफ़ ही कोई तदबीर कर रहे हैं तब भी बिना अल्लाह की मर्ज़ी के तुमको कोई नुक़सान नहीं पहुँच सकता फिर क्यों फ़िक्र में पड़ते हो) और मुसलमानों को (हर मामले में) अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिये।

(आगे वाक़िआ़ नम्बर पाँच के बारे में हुक्म है। यानी मज्लिस में कुछ लोग बाद में आ जायें तो उनके लिये जगह खोलने का हुक्म है कि) ऐ ईमान वालो! जब तुमसे कहा जाये (यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमा दें या ज़िम्मेदार और पेशवा लोगों में से कोई कहे) कि मज्लिस में जगह खोल दो (जिसमें आने वाले को भी जगह मिल जाये) तो तुम जगह खोल दिया करो (और आने वाले को जगह दे दिया करो) अल्लाह तुमको (जन्नत में) खुली जगह देगा। और जब (किसी ज़रूरत से) यह कहा जाये कि (मज्लिस से) उठ खड़े हो तो उठ खड़े हुआ करो (चाहे उठने के लिये इस ग़र्ज़ से कहा जाये कि आने वाले के लिये जगह खुल जाये और चाहे इस वजह से कहा जाये कि मज्लिस के सदर व अध्यक्ष को उस वक़्त किसी मस्लेहत, ख़ास मश्विरे या आराम व इबादत वग़ैरह की किसी ज़रूरत से तन्हाई की ज़रूरत हो जो बग़ैर तन्हाई के पूरी तरह हासिल न हो सकें या पूरे तौर पर न हो सकें, बस मज्लिस के सदर के खड़े होने के हुक्म से उठ जाना चाहिये, और यह हुक्म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अ़लावा दूसरों लिये भी आ़म है, जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है। पस मज्लिस वाले को ज़रूरत के वक़्त इसकी इजाज़त है कि किसी शख़्स को उठ जाने के लिये कह दे, अलबत्ता आने वाले को न चाहिये कि किसी को उठाकर उसकी जगह बैठ जाये, जैसा कि हदीस में है (बुख़ारी व मुस्लिम) ग़र्ज़ कि हुक्म यह दिया गया कि मज्लिस के सदर के कहने से उठ जाया करो) अल्लाह तआ़ला (इस हुक्म के मानने से) तुम में ईमान वालों के और (ईमान वालों में) उन लोगों के (और ज़्यादा) जिनको (दीन का) इल्म अ़ता हुआ है (आख़िरत के) दर्जे बुलन्द कर देगा, (यानी इस हुक्म पर अ़मल करने वालों की तीन क़िस्में हैं- एक काफ़िर लोग जो किसी दुनियावी

मस्लेहत से मान लें जैसे मुनाफ़िक़ लोग, वे तो लफ़्ज़ मिन्कुम की बिना पर इस वायदे से ख़ारिज हैं, दूसरे ईमान वाले जो इल्म वाले न हों उनके लिये सिर्फ़ दर्जों की बुलन्दी है, तीसरे वे ईमान वाले जो इल्म वाले भी हों, चूँकि इल्म व मारिफ़त की वजह से उनके अ़मल का मन्शा अल्लाह के ख़ौफ़ और ख़ुलूस का ज़्यादा होना है, जिससे अ़मल का सवाब बढ़ जाता है उनके लिये और ज़्यादा दर्जों की बुलन्दी है) और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर है (कि किसका अ़मल ईमान के साथ है और किसका बग़ैर ईमान के। फिर उसमें किसके अ़मल में कम ख़ुलूस है और किसके अ़मल में ज़्यादा ख़लूस है, इसलिये हर एक की जज़ा व फल में फ़र्क़ रखा। आगे वाक़िआ़ नम्बर छह के मुताल्लिक़ हुक्म है जो वाक़िआ़ नम्बर एक और दो से जुड़ा हुआ है, यानी) ऐ ईमान वालो! जब तुम रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) से सरगोशी "यानी कान में और तन्हाई में बात" (करने का इरादा) किया करो तो अपनी उस सरगोशी से पहले (मिस्कीनों को) कुछ ख़ैरात दे दिया करो (जिसकी मात्रा आयत में स्पष्ट नहीं, और हदीस की रिवायतों में मुख़्तलिफ़ मिक़्दारें आयी हैं, ज़ाहिरन मिक़्दार ग़ैर-निर्धारति मालूम होती है, लेकिन ठीक-ठाक होना ज़रूरी है) यह तुम्हारे लिये (सवाब हासिल करने के वास्ते) बेहतर है और (गुनाहों से) पाक होने का अच्छा ज़रिया है (क्योंकि नेकियों से गुनाहों का कफ़्फ़ारा होता है, यह मस्लेहत मालदार मोमिनों के एतिबार से है, और ग़रीब मोमिनों के एतिबार से यह है कि उनको माली नफ़ा पहुँचेगा, जैसा कि लफ़्ज़ सदक़ा से मालूम होता है, क्योंकि सदक़े के ख़र्च करने की जगह ग़रीब और मिस्कीन लोग ही हैं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के एतिबार से यह है कि इसमें आपकी शान की बुलन्दी है, और मुनाफ़िक़ों की सरगोशी से आपको जो तकलीफ़ होती थी उससे निजात और आराम है, क्योंकि उनको ज़रूरत तो सरगोशी की थी नहीं, और बिना ज़रूरत सिर्फ़ इसलिये माल ख़र्च करना उनको बेहद भारी और नागवर था, और ग़ालिबन इस सदक़े में हुक्म यह होगा कि सब के सामने सदक़ा करें ताकि न करने वाला धोखा न दे सके)।

(आगे फ़रमाते हैं कि यह हुक्म तो गुंजाईश की हालत में है) फिर अगर तुमको (सदक़ा देने की) ताक़त न हो (और ज़रूरत पड़े सरगोशी की) तो अल्लाह तआ़ला माफ़ करने वाला, रहम करने वाला है (उस सूरत में उसने तुमको माफ़ कर दिया है। इससे ज़ाहिरन मालूम होता है कि सदक़े का यह हुक्म वाजिब था, मगर ग़ुर्बत और न होने की सूरत इस हुक्म से अलग थी। आगे वाक़िआ़ नम्बर सात के बारे में जो कि वाक़िआ़ नम्बर छह से जुड़ा है इरशाद है कि) क्या तुम (यानी तुम में के कुछ लोग जिनका बयान वाक़िआ़ नम्बर सात के तहत में हुआ है) अपनी सरगोशी "यानी चुपके-चुपके कान में और तन्हाई में बात करने" से पहले ख़ैरात देने से डर गये? सो (ख़ैर!) जब तुम (इसको) न कर सके और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे हाल पर इनायत फ़रमाई (कि इसको बिल्कुल निरस्त करके माफ़ फ़रमा दिया जिसकी हिक्मत ज़ाहिर है कि जिस

मस्लेहत के वास्ते यह हुक्म वाजिब हुआ था वह मस्लेहत हासिल हो गयी, क्योंकि मस्लेहत एक रास्ते और दरवाज़े को बन्द करना थी जो इस हुक्म के ख़त्म होने के बाद भी बाक़ी रही कि लोग एहतियात करने लगे। ग़र्ज़ कि इरशाद है कि जब अल्लाह तआ़ला ने इसको मन्सूख़ फ़रमा दिया) तो तुम (दूसरी इबादत के पाबन्द रहो यानी) नमाज़ के पाबन्द रहो और ज़कात दिया करो और अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल का कहना माना करो (मतलब यह है कि इसके निरस्त और ख़त्म होने के बाद तुम्हारे अल्लाह से नज़दीक होने और निजात हासिल करने के लिये बाक़ी अहकाम पर पाबन्दी से अ़मल और मज़बूती से क़ायम रहना ही काफ़ी है) और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब आमाल की (और उनकी ज़ाहिरी व अन्दरूनी हालत की) पूरी ख़बर है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

ऊपर दर्ज हुई आयतें अगरचे ख़ास वाक़िआ़त की बिना पर नाज़िल हुई हैं जिनका ज़िक्र ऊपर शाने नुज़ूल में आ चुका है, लेकिन यह ज़ाहिर है कि सबबे नुज़ूल कुछ भी हो क़ुरआनी हिदायतें आ़म होती हैं, उनमें अ़क़ाइद व इबादात और मामलात व ज़िन्दगी गुज़ारने के मुताल्लिक़ तमाम अहकाम होते हैं। इन आयतों में भी आपसी सरगोशी और मश्विरे के मुताल्लिक़ चन्द ऐसी ही हिदायतें हैं।

ख़ुफ़िया मश्विरों के मुताल्लिक़ एक हिदायत

ख़ुफ़िया मश्विरा उमूमन मख़्सूस राज़दार दोस्तों में होता है, जिन पर यह इत्मीनान किया जाता है कि उस राज़ को किसी पर ज़ाहिर न करेंगे, इसलिये ऐसे मौक़े पर ऐसे मन्सूबे भी बनाये जाते हैं जिनमें किसी पर ज़ुल्म करना है, किसी को क़त्ल करना है, किसी की मिल्कियतों पर क़ब्ज़ा कर लेना है इसी तरह और दूसरी चीज़ें। हक़ तआ़ला ने इन आयतों में इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला का इल्म सारी कायनात पर हावी है, तुम कहीं कैसा ही छुपकर मश्विरा करो अल्लाह तआ़ला अपने इल्म और देखने-सुनने के एतिबार से तुम्हारे पास मौजूद होता है, और तुम्हारी हर बात को देखता, सुनता और जानता है, अगर उसमें कोई गुनाह करोगे तो सज़ा से न बचोगे। इसमें बतलाना तो यह है कि तुम कितने ही कम या ज़्यादा आदमी मश्विरे और सरगोशी में शरीक हो हक़ तआ़ला उनमें मौजूद होता है, मिसाल के तौर पर दो अ़दद बतला दिये गये, तीन और पाँच, यानी अगर तुम तीन आदमी मश्विरा कर रहे हो तो समझो कि चौथा अल्लाह तआ़ला वहाँ मौजूद है, और पाँच आदमी मश्विरा कर रहे हो तो समझो कि छठा हक़ तआ़ला मौजूद है। तीन और पाँच के अ़दद को ख़ास करने में शायद इस तरफ़ इशारा हो कि जमाअ़त के लिये अल्लाह के नज़दीक ताक़ (बेजोड़) अ़दद पसन्द है:

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَّجْوٰى ثَلٰثَةٍ.............. الآية.

का यही हासिल है।

सरगोशी और मश्विरे के मुताल्लिक़ एक हिदायत

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نُهُوْا عَنِ النَّجْوٰى.

शाने नुज़ूल के वाक़िए में बतलाया गया है कि जिस ज़माने में यहूदियों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सुलह का समझौता हो गया था उस वक़्त वे खुलकर तो मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई काम न कर सकते थे मगर इस्लाम और मुसलमानों से दिल में भरा हुआ बुग़्ज़ (नफ़रत व कीना) निकालने का एक तरीक़ा यह इख़्तियार किया था कि जब सहाबा किराम में से किसी को अपने क़रीब आते देखते तो आपस में सरगोशी और ख़ुफ़िया मश्चिरे की शक्ल बना लेते, और आने वाले मुसलमानों की तरफ़ कुछ इशारे करते जिससे उनको यह ख़्याल पैदा होता कि हमारे ख़िलाफ़ कोई साज़िश कर रहे हैं और इससे परेशानी और रंज होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको ऐसी सरगोशी (चुपके-चुपके बातें करने) से मना फ़रमाया 'नुहू अ़निन्नजूवा' में इसी मनाही का बयान है।

इस मनाही से यह हुक्म मुसलमानों के लिये भी निकल आया कि वे भी आपस में कोई सरगोशी और मश्चिरा इस तरह न करें जिससे दूसरे किसी मुसलमान को तकलीफ़ पहुँचे। बुख़ारी व मुस्लिम वग़ैरह में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

إِذَا كُنْتُمْ ثَلٰثَةً فَلَا يَتَنَاجَى رَجُلَانِ دُوْنَ الْاٰخَرِ حَتّٰى يَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ فَإِنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهٗ.

"यानी जिस जगह तुम तीन आदमी जमा हो तो दो आदमी तीसरे को छोड़कर आपस में सरगोशी और ख़ुफ़िया बातें न किया करो जब तक दूसरे आदमी न आ जायें, क्योंकि इससे उसके दिल को तकलीफ़ होगी" (ग़ैर और अजनबी होने का एहसास होगा और मुम्किन है कि ऐसे शुब्हात पैदा हो जायें कि शायद ये दोनों कोई बात मेरे ख़िलाफ़ कर रहे हैं जो मुझसे छुपाते हैं)। (तफ़सीरे मज़हरी)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى.

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों को नाजायज़ सरगोशी पर तंबीह की गयी थी, इस आयत में मुसलमानों को हिदायत है कि अपनी सरगोशियों और मश्चिरों में इसका ध्यान रखें कि अल्लाह तआ़ला को हमारे सब हालात और गुफ़्तगू का इल्म है और इस ध्यान रखने के साथ यह कोशिश करें कि उनके मश्चिरे और सरगोशी में कोई बात अपनी ज़ात के एतिबार से गुनाह की या दूसरों पर ज़ुल्म करने की या किसी ख़िलाफ़े शरीअ़त काम की न हो, बल्कि जब भी आपस में मश्चिरा करो नेक कामों के लिये करो।

काफ़िरों की शरारत पर भी नर्मी और शरीफ़ाना तरदीद की हिदायत

इनसे पहली आयतों के तहत में यहूदियों और मुनाफ़िक़ों की एक शरारत यह भी ज़िक्र की गयी है कि वह जब वे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होते तो बजाय 'अस्सलामु अ़लैकुम' के 'अस्सामु अ़लैकुम' कहते थे। साम के मायने मौत के हैं, और लफ़्ज़ों में ज़्यादा

फ़र्क़ न होने के सबब मुसलमानों को इस तरफ़ तवज्जोह न होती थी। एक रोज़ ऐसा ही हुआ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने जवाब दियाः

اَلسَّامُ عَلَيْكُمْ وَلَعَنَكُمُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْكُمْ

"यानी हलाकत तुम पर हो और ख़ुदा की लानत व ग़ज़ब"। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को ऐसा कहने से रोका और फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला बुरी बात को पसन्द नहीं फ़रमाते, आपको सख़्ती व कड़वी बात कहने से बचना और नर्मी इख़्तियार करनी चाहिये। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! क्या आपने नहीं सुना कि उन लोगों ने आपको क्या कहा है, आपने फ़रमाया कि हाँ सुन भी लिया और उसका मुनासिब बदला भी ले लिया, कि मैंने जवाब में कह दिया 'व अ़लैकुम' "यानी हलाकत तुम पर हो" और यह ज़ाहिर है कि उनकी दुआ़ क़ुबूल होगी नहीं, मेरी दुआ़ क़ुबूल होगी, इसलिये उनकी शरारत का बदला हो गया। (बुख़ारी, तफ़सीरे मज़हरी)

मज्लिस के कुछ आदाब

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا............ الاٰية.

यह हुक्म आ़म मज्लिसों का है जहाँ मुसलमान जमा हों, कि जब मज्लिस में कुछ लोग बाद में आ जायें तो मुसलमान उनके लिये जगह देने की कोशिश करें और सिमटकर बैठ जायें, ऐसा करने पर अल्लाह तआ़ला ने वायदा फ़रमाया है कि उनके लिये अल्लाह तआ़ला वुस्अ़त पैदा फ़रमा देंगे। यह वुस्अ़त आख़िरत में तो ज़ाहिर ही है, कुछ बईद नहीं कि दुनियावी ज़िन्दगी गुज़ारने में भी यह वुस्अ़त हासिल हो।

इस आयत में दूसरा हुक्म मज्लिस के आदाब से संबन्धित है किः

اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا.

"यानी जब (तुम में से किसी से) कहा जाये कि मज्लिस से उठ जाओ तो उसे उठ जाना चाहिये।" इस आयत में लफ़्ज़ 'क़ी-ल' (कहा जाये) इस्तेमाल फ़रमाया है इसका ज़िक्र नहीं कि यह कहने वाला कौन हो, मगर सही हदीसों से मालूम होता है कि ख़ुद आने वाले शख़्स को अपने लिये जगह करने के वास्ते किसी को उसकी जगह से उठाना जायज़ नहीं।

बुख़ारी व मुस्लिम और मुस्नद अहमद में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَّجْلِسِهٖ فَيَجْلِسُ فِيْهِ وَلٰكِنْ تَفَسَّحُوْا وَتَوَسَّعُوْا.

"यानी कोई शख़्स किसी दूसरे शख़्स को उसकी जगह से उठाकर उसकी जगह न बैठे, बल्कि मज्लिस में कुशादगी पैदा करके आने वाले को जगह दे दिया करो।" (इब्ने कसीर)

इससे मालूम हुआ कि किसी को उसकी जगह से उठ जाने के लिये कहना आने वाले शख़्स के लिये तो जायज़ नहीं, इसलिये ज़ाहिर यह है कि उसका कहने वाला मज्लिस का अध्यक्ष या मज्लिस

का प्रबन्ध करने वाले अफ़राद हो सकते हैं, तो मतलब आयत का यह हुआ कि अगर मज्लिस का सदर या उसकी तरफ़ से मुक़र्रर किये हुए प्रबन्धक किसी को उसकी जगह से उठ जाने के लिये कहें तो मज्लिस का अदब यह है कि उनसे टकराव न करे, अपनी जगह से उठ जाये, क्योंकि कई बार ख़ुद मज्लिस वाला किसी ज़रूरत से तन्हाई और एकांत इख़्तियार करना चाहता है, या कुछ ख़ास लोगों से कोई राज़ की बात करना चाहता है, या बाद में आने वाले हज़रात के लिये इसके सिवा कोई इन्तिज़ाम नहीं पाता कि कुछ बेतकल्लुफ़ लोगों को मज्लिस से उठाये जिनके बारे में मालूम हो कि उनका कोई नुक़सान मज्लिस से उठने में नहीं होगा, यह दूसरे वक़्त में लाभ उठा सकेंगे।

अलबत्ता मज्लिस वाला या मज्लिस के ज़िम्मेदार व प्रबन्धकों के लिये यह लाज़िम है कि तरीक़ा ऐसा इख़्तियार करें कि उठने वाला अपना अपमान महसूस न करे, उसको तकलीफ़ न पहुँचे।

और जिस वाक़िए में यह आयत नाज़िल हुई है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सुफ़्फ़ा मस्जिद में तशरीफ़ रखते थे, यह जगह हाज़िर होने वालों से भर चुकी थी, बाद में कुछ बड़े सहाबा जो जंगे बदर में शरीक थे जिसकी वजह से वे क़ाबिले एहतिराम ज़्यादा थे, वे पहुँचे और जगह न होने के सबब खड़े रहे, उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पहले तो आ़म हुक्म यह दिया कि ज़रा खिसक कर मज्लिस में कुशादगी (यानी जगह) पैदा करो और इनको जगह दे दो, और कुछ सहाबा हज़रात को उठ जाने के लिये भी फ़रमाया, जिनको मज्लिस से उठाया उनमें यह भी संभावना है कि वे हर वक़्त के हाज़िर रहने वाले लोग हों जिनके उस वक़्त की मज्लिस से उठ जाने में कोई बड़ा नुक़सान नहीं था, और यह भी मुम्किन है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब मज्लिस में वुस्अ़त करने और सिमटकर बैठने का हुक्म दिया तो कुछ लोगों ने उस पर अ़मल नहीं किया, उनको तंबीह करने और अदब सिखाने के तौर पर मज्लिस से उठ जाने का हुक्म दिया हो।

बहरहाल इस आयत और रिवायत की गयी हदीसों से मज्लिस के आदाब के मुताल्लिक़ एक तो यह बात मालूम हुई कि मज्लिस वालों को चाहिये कि बाद में आने वालों को जगह देने की कोशिश करें, और दूसरी बात आने वालों के लिये यह साबित हुई कि वे किसी को उसकी जगह से न उठायें। तीसरी बात मज्लिस वाले के लिये यह साबित हुई कि वह ज़रूरत समझे तो कुछ लोगों को मज्लिस से उठा देने की भी उसको गुंजाईश है, और हदीस की कुछ दूसरी रिवायतों से साबित होता है कि आने वालों के लिये अदब यह है कि पहले से बैठे हुए लोगों में घुसने के बजाय किसी किनारे पर बैठ जायें जैसा कि सही बुख़ारी की एक हदीस में तीन आने वाले शख़्सों का ज़िक्र है उनमें एक वह भी है जो मज्लिस में जगह न पाने की वजह से एक कोने में बैठ गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसकी फिर तारीफ़ व प्रशंसा फ़रमाई।

मसलाः मज्लिस के आदाब में से एक यह भी है कि दो शख़्सों के बीच में बग़ैर उनकी इजाज़त के दाख़िल न हो, कि कई बार दोनों के एक साथ बैठने में उनकी कोई ख़ास मस्लेहत होती है। हज़रत उसामा बिन ज़ैद लैसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत अबू दाऊद व तिर्मिज़ी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ اَنْ يُّفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ اِلَّا بِاِذْنِهِمَا.

"यानी किसी शख़्स के लिये हलाल नहीं कि दो शख़्स जो मिले बैठे हैं उनके बीच जुदाई पैदा करे जब तक कि उनसे ही इजाज़त न मिले। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ............ الاٰية.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तालीम और मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार व भलाई) के काम में तो रात व दिन मश्ग़ूल रहते ही थे, आ़म मज्लिसों में सब हाज़िरीने मज्लिस आपके इरशादात से फ़ायदा उठाते थे। इस सिलसिले में एक सूरत यह भी थी कि कुछ लोग आपसे एकांत और तन्हाई में ख़ुफ़िया बात करना चाहते और आप वक़्त दे देते थे। यह ज़ाहिर है कि एक-एक शख़्स को अलग वक़्त देना बड़ा वक़्त भी चाहता है और मेहनत भी, इसमें कुछ मुनाफ़िक़ों की शरारत भी शामिल हो गयी कि मुख़्लिस मुसलमानों को तकलीफ़ पहुँचाने के लिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़लैहदगी और सरगोशी का वक़्त माँगते और उसमें मज्लिस को लम्बी कर देते थे, कुछ नावाक़िफ़ मुसलमान भी बात लम्बी करके मज्लिस लम्बी कर देते थे, हक़ तआ़ला ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से यह बोझ हल्का करने के लिये शुरू में यह हुक्म नाज़िल फ़रमाया कि जो आप से अ़लैहदगी में ख़ुफ़िया बात करना चाहे वह पहले कुछ सदक़ा कर दे, इस सदके की कोई मिक़्दार (मात्रा) क़ुरआन में नक़ल नहीं की गयी, मगर जब यह आयत नाज़िल हुई तो सबसे पहले हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने इस पर अ़मल फ़रमाया और एक दीनार सदक़ा करके आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़लैहदगी (अकेले) में बात करने का वक़्त लिया।

हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक ख़ुसूसियत

इस आयत पर सिर्फ़ हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़मल किया था फिर मन्सूख़ (इसका हुक्म रद्द) हो गयी और किसी को अ़मल की नौबत नहीं आई। और यह भी अ़जीब इत्तिफ़ाक़ है कि इस हुक्म से चूँकि बहुत से सहाबा-ए-किराम को तंगी पेश आई इसलिये बहुत जल्द ही मन्सूख़ कर दिया गया। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू फ़रमाया करते थे कि क़ुरआन में एक आयत ऐसी है जिस पर मेरे सिवा किसी ने अ़मल नहीं किया, न मुझसे पहले किसी ने अ़मल किया और न मेरे बाद कोई करेगा। पहले न करना तो ज़ाहिर है, बाद में न करना इसलिये कि मन्सूख़ हो गयी (यानी अब इस पर अ़मल करने का हुक्म नहीं रहा) वह आयत यही पहले सदक़ा करने की है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

यह हुक्म अगरचे मन्सूख़ (ख़त्म) हो गया मगर जिस मस्लेहत के लिये जारी किया गया था वह इस तरह हासिल हो गयी कि मुसलमान तो अपनी दिली मुहब्बत के तक़ाज़े से ऐसी मज्लिस लम्बी करने से बच गये और मुनाफ़िक़ लोग इसलिये कि आ़म मुसलमानों के तर्ज़ के ख़िलाफ़ हमने ऐसा किया तो हम पहचान लिये जायेंगे और निफ़ाक़ (दिल में छुपा कुफ़्र) खुल जायेगा, वल्लाहु आलम।

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۝ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝ لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۝ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ۝ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۝ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۝ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

ع ٣

अलम् त-र इलल्लज़ी-न तवल्लौ कौमन् ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम्, मा हुम्-मिन्कुम् व ला मिन्हुम् व यह्लिफ़ू-न अलल्-कज़िबि व हुम् यअ्लमून (14) अ-अद्दल्लाहु लहुम् अज़ाबन् शदीदन्, इन्नहुम् सा-अ मा कानू यअ्मलून (15) इत्त-ख़ज़ू ऐमा-नहुम् जुन्न-तन् फ़-सद्दू अन् सबीलिल्लाहि फ़-लहुम् अज़ाबुम्-मुहीन (16) लन् तुग़्नि-य अन्हुम् अम्वालुहुम् व ला औलादुहुम् मिनल्लाहि शैअन्, उलाइ-क अस्हाबुन्नारि, हुम् फ़ीहा ख़ालिदून (17)	क्या तूने न देखा उन लोगों को जो दोस्त हुए हैं उस कौम के जिन पर गुस्सा हुआ है अल्लाह, न वे तुम में हैं और न उनमें हैं, और कसमें खाते हैं झूठ बात पर और उनको ख़बर है। (14) तैयार रखा है अल्लाह ने उनके लिये सख़्त अज़ाब बेशक वो बुरे काम हैं जो वे करते हैं। (15) बना रखा है अपनी कसमों को ढाल फिर रोकते हैं अल्लाह की राह से तो उनको ज़िल्लत का अज़ाब है। (16) काम न आयेंगे उनको उनके माल और उनकी औलाद अल्लाह के हाथ से कुछ भी, वे लोग हैं दोज़ख़ के वे उसी में पड़े रहेंगे। (17)

यौ-म यब्अ़सुहुमुल्लाहु जमीअ़न् फ़-यह्लिफ़ू-न लहू कमा यह्लिफ़ू-न लकुम् व यह्सबू-न अन्नहुम् अ़ला शैइन्, अला इन्नहुम् हुमुल्-काज़िबून (18) इस्तह्-व-ज़ अ़लैहिमुश्शैतानु फ़-अन्साहुम् ज़िक्रल्लाहि, उलाइ-क हिज़्बुश्-शैतानि, अला इन्-न हिज़्बश्शैतानि हुमुल्-ख़ासिरून (19) इन्नल्लज़ी-न युहाद्दूनल्ला-ह व रसूलहू उलाइ-क फ़िल्-अज़ल्लीन (20) क-तबल्लाहु ल-अग़्लिबन्-न अ-न व रुसुली, इन्नल्ला-ह क़विय्युन् अ़ज़ीज़ (21) ला तजिदु क़ौमंय्-युअ्मिनू-न बिल्लाहि वल्यौमिल्-आख़िरि युवाद्दू-न मन् हाद्दल्ला-ह व रसूलहू व लौ कानू आबा-अहुम् औ अब्ना-अहुम् औ इख़्वा-नहुम् औ अ़शी-र-तहुम्, उलाइ-क क-त-ब फ़ी क़ुलूबिहिमुल्-ईमा-न व अय्य-दहुम् बिरूहिम्-मिन्हु, व युद्ख़िलुहुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा, रज़ियल्लाहु अ़न्हुम् व रज़ू अ़न्हु, उलाइ-क हिज़्बुल्लाहि, अला इन्-न हिज़्बल्लाहि हुमुल्-मुफ़्लिहून (22) ✿

जिस दिन जमा करेगा अल्लाह उन सब को फिर क़समें खायेंगे उसके आगे जैसे खाते हैं तुम्हारे आगे, और ख़्याल रखते हैं कि वे कुछ भली राह पर हैं, सुनता है! वही हैं असल झूठे। (18) क़ाबू कर लिया है उन पर शैतान ने फिर भुला दी उनको अल्लाह की सारी याद, वे लोग हैं गिरोह शैतान का, सुनता है! जो गिरोह है शैतान का वही ख़राब होते हैं। (19) जो लोग ख़िलाफ़ करते हैं अल्लाह और उसके रसूल का वे लोग हैं सबसे बेक़द्र लोगों में। (20) अल्लाह लिख चुका कि मैं ग़ालिब हूँगा और मेरे रसूल, बेशक अल्लाह ज़ोरावर है ज़बरदस्त। (21) तू न पायेगा किसी क़ौम को जो यक़ीन रखते हों अल्लाह पर और पिछले दिन पर कि दोस्ती करें ऐसों से जो मुख़ालिफ़ हुए अल्लाह के और उसके रसूल के चाहे वे अपने बाप हों या अपने बेटे या अपने भाई या अपने घराने के, उनके दिलों में अल्लाह ने लिख दिया है ईमान और उनकी मदद की है अपने ग़ैब के फ़ैज़ से, और दाख़िल करेगा उनको बाग़ों में जिनके नीचे बहती हैं नहरें, हमेशा रहें उनमें, अल्लाह उनसे राज़ी और वे उससे राज़ी, वे लोग हैं गिरोह अल्लाह का, सुनता है! जो गिरोह है अल्लाह का वही मुराद को पहुँचे। (22) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आपने उन लोगों पर नज़र नहीं फ़रमाई जो ऐसे लोगों से दोस्ती करते हैं जिन पर अल्लाह ने ग़ज़ब किया है (पहले लोगों से मुराद मुनाफ़िक़ लोग हैं और दूसरे लोगों से मुराद यहूदी और तमाम खुले काफ़िर, और मुनाफ़िक़ लोग चूँकि यहूदी थे इसलिये उनकी दोस्ती यहूद से और इसी तरह और काफ़िरों से भी मशहूर और मालूम है) ये (मुनाफ़िक़) लोग न तो (पूरे-पूरे) तुम में हैं और न (पूरे-पूरे) उन ही में हैं (बल्कि ज़ाहिर में तो तुमसे मिले हुए हैं, और अन्दर से और अक़ीदे के एतिबार से काफ़िरों के साथ हैं) और झूठी बात पर क़समें खा जाते हैं (वह झूठी बात यही है कि हम मुसलमानों में शामिल हैं जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला ने ख़ुद उनकी यह हालत बयान की है 'यह्लिफ़ू-न बिल्लाहि इन्नहुम् ल-मिन्कुम् व मा हुम् मिन्कुम्') और वे (ख़ुद भी) जानते हैं (कि हम झूठे हैं)।

(आगे उनके लिये सज़ा का वायदा और धमकी है कि) अल्लाह ने उन लोगों के लिये सख़्त अ़ज़ाब मुहैया कर रखा है (क्योंकि) बेशक वे बुरे-बुरे काम किया करते थे (चुनाँचे कुफ़्र व निफ़ाक़ से बदतर कौनसा काम होगा? और उन्हीं बुरे कामों में से एक बुरा काम यह है कि) उन्होंने अपनी (उन झूठी) क़समों को (अपने बचाव के लिये) ढाल बना रखा है (ताकि मुसलमान हमको मुसलमान समझकर हमारी जान व माल से रोक-टोक न करें) फिर (औरों को भी) ख़ुदा की राह (यानी दीन) से रोकते रहते हैं (यानी बहकाते रहते हैं) सो (इस वजह से) उनके लिये ज़िल्लत का अ़ज़ाब होने वाला है (यानी वह अ़ज़ाब जैसा सख़्त होगा ऐसा ही ज़लील करने वाला भी होगा, और जब वह अ़ज़ाब होने लगेगा तो) उनके माल और औलाद अल्लाह (के अ़ज़ाब) से उनको ज़रा भी न बचा सकेंगे (और) ये लोग दोज़ख़ी हैं (इसमें मुतैयन फ़रमा दिया उस सख़्त और ज़िल्लत वाले अ़ज़ाब को कि वह दोज़ख़ है, और) वे लोग उस (दोज़ख़) में हमेशा रहने वाले हैं (आगे अ़ज़ाब का वक़्त बतलाते हैं कि वह अ़ज़ाब उस रोज़ होगा) जिस दिन अल्लाह उन सब को (मय दूसरी मख़्लूक़ात के) दोबारा ज़िन्दा करेगा, सो ये उसके सामने भी (झूठी) क़समें खा जाएँगे जिस तरह तुम्हारे सामने क़समें खा जाते हैं (जैसा मुश्रिक लोगों की झूठी क़सम क़ियामत के दिन इस आयत में बयान हुई है: 'वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुश्रिकीन') और यूँ ख़्याल करेंगे कि हम किसी अच्छी हालत में हैं (कि इस झूठी क़सम की बदौलत बच जायेंगे) ख़ूब सुन लो कि ये लोग बड़े ही झूठे हैं (कि ख़ुदा के सामने भी झूठ बोलने से न चूके और उनकी जो हरकतें ऊपर ज़िक्र हुई हैं वजह इसकी यह है कि) उन पर शैतान ने पूरा क़ब्ज़ा जमा लिया है (कि उसके कहने पर अ़मल कर रहे हैं) सो उसने उनको ख़ुदा की याद भुला दी (यानी उसके अहकाम को छोड़ बैठे, वाक़ई) ये लोग शैतान का गिरोह है, ख़ूब सुन लो कि शैतान का गिरोह ज़रूर बरबाद होने वाला है (आख़िरत में तो ज़रूर और कभी-कभी दुनिया में भी)।

(और इनकी यह हालत क्यों न हो कि ये अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुख़ालिफ़ हैं, और क़ायदा कुल्लिया है कि) जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की मुख़ालफ़त

करते हैं ये लोग (अल्लाह के नज़दीक) इन्तिहाई ज़लील लोगों में हैं (जब अल्लाह के नज़दीक ज़लील हैं तो जो हालात बयान हुए उनके ज़ाहिर होने में क्या असंभावना है, और जिस तरह खुदा तआ़ला ने उनके लिये ज़िल्लत तजवीज़ फ़रमा रखी है इसी तरह नेकी और इताअ़त करने वालों के लिये इज़्ज़त, क्योंकि वे लोग अल्लाह और रसूल के ताबेदार व फ़रमाँबरदार हैं, और) अल्लाह तआ़ला ने यह बात (अपने क़दीमी हुक्म में) लिख दी है कि मैं और मेरे पैग़म्बर ग़ालिब रहेंगे (जो कि हक़ीक़त है इज़्ज़त की। यहाँ असल मक़सद ग़लबा बयान करना है नबियों का, अपना ज़िक्र नबियों के सम्मान व रुतबा बढ़ाने के लिये फ़रमा दिया। पस जब रसूल व अम्बिया इज़्ज़त वाले हैं तो उनके पैरोकार भी इज़्ज़त पायेंगे। और ग़लबे के मायने सूरः मायदा की आयत नम्बर 56 और सूरः मोमिन की आयत नम्बर 51 के तहत में गुज़र चुके हैं) बेशक अल्लाह तआ़ला क़ुव्वत वाला, ग़लबे वाला है (इसलिये वह जिसको चाहे ग़ालिब कर दे)।

(आगे काफ़िरों से दोस्ती रखने में मुनाफ़िक़ों के हाल के विपरीत ईमान वालों का हाल बयान फ़रमाते हैं कि) जो लोग अल्लाह पर और क़ियामत के दिन पर (पूरा-पूरा) ईमान रखते हैं, आप उनको न देखेंगे कि वे ऐसे शख़्सों से दोस्ती रखें जो अल्लाह और उसके रसूल के मुख़ालिफ़ हैं, अगरचे वे उनके बाप या बेटे या भाई या कुनबा ही क्यों न हों। उन लोगों के दिलों में अल्लाह तआ़ला ने ईमान जमा दिया है और उन (के दिलों) को अपने फ़ैज़ से क़ुव्वत दी है, (फ़ैज़ से मुराद नूर है, यानी हिदायत के तक़ाज़ों पर ज़ाहिरन अ़मल व अन्दरूनी तौर पर दिल का सुकून, और यही अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल में बयान हुआ है 'फ़-हु-व अ़ला नूरिम् मिर्रब्बिही। चूँकि यह नूर सबब है मानवी ज़िन्दगी के ज़्यादा होने का इसलिये इसको रूह से ताबीर फ़रमाया। यह दौलत तो उनको दुनिया में मिली जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'उलाइ-क अ़ला हुदम् मिर्रब्बिहिम्') और (आख़िरत में उनको यह नेमत मिलेगी कि) उनको ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, जिनमें वे हमेशा रहेंगे। अल्लाह तआ़ला उनसे राज़ी होगा और वे अल्लाह से राज़ी होंगे। ये लोग अल्लाह का गिरोह है। ख़ूब सुन लो कि अल्लाह ही का गिरोह कामयाबी पाने वाला है (जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने पहले पारे की आयत नम्बर 5 में 'उलाइ-क अ़ला हुदम् मिर्रब्बिहिम्' के बाद फ़रमाया 'व उलाइ-क हुमुल् मुफ़्लिहून')।

मआ़रिफ़ व मसाईल

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِم

इन आयतों में हक़ तआ़ला ने उन लोगों की बदहाली और अंजामकार सख़्त अ़ज़ाब का ज़िक्र फ़रमाया है जो अल्लाह के दुश्मनों काफ़िरों से दोस्ती रखें, काफ़िर चाहे मुश्रिक लोग हों या यहूदी व ईसाई या दूसरी क़िस्मों के काफ़िर, किसी मुसलमान के लिये दिली दोस्ती किसी से जायज़ नहीं, और वह अ़क़्लन हो भी नहीं सकती, क्योंकि मोमिन का असल सरमाया अल्लाह तआ़ला की मुहब्बत है,

काफ़िर अल्लाह तआ़ला के मुख़ालिफ़ और दुश्मन हैं, और जिस शख़्स के दिल में किसी शख़्स की सच्ची मुहब्बत और दोस्ती हो उससे यह मुम्किन ही नहीं हो सकता कि वह उसके दुश्मन से भी मुहब्बत और दोस्ती रखे, इसी लिये क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतों में काफ़िरों के साथ दिली दोस्ती की सख़्त हुर्मत और मनाही के अहकाम आये हैं, और जो मुसलमान किसी काफ़िर से दिली दोस्ती रखे तो उसको काफ़िरों ही की जमाअ़त में शामिल समझे जाने की वईद आयी है, लेकिन यह सब अहकाम दिली दोस्ती से संबन्धित हैं।

काफ़िरों के साथ अच्छा सुलूक, हमदर्दी, ख़ैरख़्वाही, उन पर एहसान, अच्छे अख़्लाक़ से पेश आना या तिजारती और आर्थिक मामलात उनसे करना, दोस्ती के मफ़्हूम में दाख़िल नहीं, यह सब मामलात काफ़िरों के साथ भी जायज़ हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम का खुला हुआ तरीक़ा व अ़मल इस पर सुबूत है, अलबत्ता इन सब चीज़ों में इसकी रियायत ज़रूरी है कि उनके साथ ऐसे मामलात रखना अपने दीन के लिये नुक़सानदेह और हानिकारक न हों, अपने ईमान और अ़मल में सुस्ती पैदा न करे और दूसरे मुसलमानों के लिये भी नुक़सानदेह न हो।

इस मसले में दिली दोस्ती, ग़मख़्वारी व हमदर्दी और मामलात के फ़र्क़ की पूरी तफ़सील सूरः आले इमरान की इस आयत नम्बर 28:

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُوْنَ الْكٰفِرِيْنَ اَوْلِيَآءَ.

के तहत मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की दूसरी जिल्द में गुज़र चुकी है वहाँ मुताला कर लिया जाये।

وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ.

कुछ रिवायतों में है कि यह आयत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई और अ़ब्दुल्लाह बिन नब्तल मुनाफ़िक़ के बारे में नाज़िल हुई, जिसका वाक़िआ़ यह है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा किराम के साथ तशरीफ़ रखते थे तो फ़रमाया कि अब तुम्हारे पास एक ऐसा शख़्स आने वाला है जिसका दिल सख़्त व ज़ालिम दिल है और जो शैतान की आँखों से देखता है, उसके बाद ही अ़ब्दुल्लाह बिन नब्तल मुनाफ़िक़ दाख़िल हुआ जो नीली आँखों वाला, गेहूँ के रंग का, छोटे क़द वाला, हल्की सी दाढ़ी वाला था। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उससे फ़रमाया कि तुम और तुम्हारे साथी मुझे क्यों गालियाँ देते हो? उसने हलफ़ करके (यानी क़सम खाकर) कहा कि मैंने ऐसा नहीं किया, फिर अपने साथियों को भी बुला लिया, उन्होंने भी यह झूठा हलफ़ उठा लिया, हक़ तआ़ला ने इस आयत में उनके झूठ की ख़बर दे दी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मुसलमान की दिली दोस्ती किसी काफ़िर से नहीं हो सकती

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُّؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ يُوَآدُّوْنَ مَنْ حَآدَّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَوْ كَانُوْٓا اٰبَآءَهُمْ ....الاٰية.

पहली आयतों में काफ़िरों व मुश्रिकों से दोस्ती करने वालों पर अल्लाह के ग़ज़ब और सख़्त अ़ज़ाब का ज़िक्र था, इस आयत में पक्के सच्चे मोमिनों का हाल उनके मुक़ाबिल बयान फ़रमाया कि वे किसी ऐसे शख़्स से दोस्ती और दिली ताल्लुक़ नहीं रखते जो अल्लाह का मुख़ालिफ़ यानी काफ़िर

है, अगरचे वह उनका बाप या औलाद या भाई या और क़रीबी रिश्तेदार ही क्यों न हो।

सहाबा-ए-किराम में सभी का हाल यह था, इस जगह मुफ़स्सिरीन ने बहुत से सहाबा-ए-किराम के वाक़िआत ऐसे बयान किये हैं जिनमें बाप बेटे, भाई वग़ैरह से जब कोई बात इस्लाम या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ सुनी तो सारे ताल्लुक़ात को भुलाकर उनको सज़ा दी, बाज़ों को क़त्ल किया।

अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ के बेटे हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सामने उनके मुनाफ़िक़ बाप ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान में गुस्ताख़ी का कलिमा बोला तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इजाज़त तलब की कि मैं अपने बाप को क़त्ल कर दूँ, आपने मना फ़रमा दिया। हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सामने उनके बाप अबू क़हाफ़ा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान में कुछ गुस्ताख़ी का कलिमा कह दिया तो उम्मत के सबसे ज़्यादा रहम-दिल हज़रत अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु को इतना गुस्सा आया कि ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया जिससे अबू क़हाफ़ा गिर पड़े, रसूलुल्लाह सल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसकी इत्तिला हुई तो फ़रमाया कि आईन्दा ऐसा न करना। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के वालिद जर्राह जंग-ए-उहुद में काफ़िरों के साथ मुसलमानों के मुक़ाबले के लिये आये तो मैदाने जिहाद में वह बार-बार हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु के सामने आते, वह उनके पीछे लगे हुए थे, यह सामने से टल जाते, जब इन्होंने मुसलसल यह सूरत इख़्तियार की तो अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इनको क़त्ल कर दिया, यह और इनके जैसे बहुत से वाक़िआत सहाबा-ए-किराम के पेश आये, उन पर ये ऊपर दर्ज हुई आयतें नाज़िल हुईं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

मसलाः बहुत से फ़ुक़हा हज़रात ने यही हुक्म बुरे आमाल वाले, बदकार और अ़मली तौर पर दीन से विमुख मुसलमानों का क़रार दिया है कि उनके साथ दिली दोस्ती किसी मुसलमान की नहीं हो सकती, काम-काज की ज़रूरतों में साझा या साथ रहना बक़द्रे ज़रूरत अलग चीज़ है, दिल में दोस्ती किसी फ़ासिक़ व फ़ाजिर (खुले तौर पर गुनाहगार व बदकार) की उसी वक़्त होगी जबकि बुराई और गुनाह के जरासीम ख़ुद उसके अन्दर मौजूद होंगे, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी दुआ़ओं में फ़रमाया करते थेः

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ لِفَاجِرٍ عَلَیَّ یَدًا.

यानी या अल्लाह! मुझ पर किसी फ़ाजिर (बुरे और बदकार) आदमी का एहसान न आने दीजिये, क्योंकि शरीफ़ व अच्छा इनसान अपने मोहसिन (एहसान करने वाले) की मुहब्बत पर तबई तौर पर मजबूर होता है इसलिये बुरे और बदकार आदमी का एहसान क़ुबूल करना जो ज़रिया उनकी मुहब्बत का बिने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इससे भी पनाह माँगी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَاَیَّدَھُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ.

यहाँ रूह की तफ़सीर कुछ हज़रात ने उस नूर से की है जो अल्लाह की तरफ़ से मोमिन को मिलता है और वही उसके नेक अ़मल का और दिल के सुकून व इत्मीनान का ज़रिया होता है, और

यह सुकून व इत्मीनान ही बड़ी क़ुव्वत है। और कुछ हज़रात ने रूह की तफ़सीर क़ुरआन और क़ुरआन की दलीलों से की है यही मोमिन की असल ताक़त व क़ुव्वत है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अल्-मुजादला की तफ़सीर आज दिनाँक 1 जुमादल-ऊला सन् 1391 हिजरी दिन जुमा को पूरी हुई। इसके बाद सूरः अल्-हश्र आ रही है, उसकी भी तफ़सीर लिखने की अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-मुजादला की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-हश्र

सूरः अल्-हश्र मदीना में नाज़िल हुई। इसकी 24 आयतें और 3 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ٢٤ سُوْرَةُ الْحَشْرِ مَدَنِيَّةٌ رُكُوْعَاتُهَا ٣

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ۭ مَا ظَنَنْتُمْ اَنْ يَّخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ۤ وَقَذَفَ فِيْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِي الْمُؤْمِنِيْنَ ۤ فَاعْتَبِرُوْا يٰٓاُولِي الْاَبْصَارِ ۝ وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاۗءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا ۭ وَلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَاۗقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَمَنْ يُّشَاۗقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَاۗىِٕمَةً عَلٰٓي اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِيَ الْفٰسِقِيْنَ ۝

وقف النبي صلى الله عليه وسلم

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सब्ब-ह लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (1) हुवल्लज़ी अख़्र-रजल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् अह़्लिल्-किताबि मिन् दियारिहिम् लि-अव्वलिल्-हश्रि, मा ज़नन्तुम् अंय्यख़्रुजू व ज़न्नू अन्नहुम् मानि-अ़तुहुम् हुसूनुहुम् मिनल्लाहि फ़-अताहुमुल्लाहु मिन् हैसु लम् यह़्तसिबू व क़-ज़-फ़ फ़ी	अल्लाह की पाकी बयान करता है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में, और वही है ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (1) वही है जिसने निकाल दिया उनको जो मुन्किर हैं किताब वालों में उनके घरों से पहले ही इज्तिमा पर लश्कर के, तुम न अटकल करते थे कि निकलेंगे वे और वे ख़्याल रखते कि उनको बचा लेंगे उनके क़िले अल्लाह के हाथ से, फिर पहुँचा उन पर अल्लाह जहाँ से उनको ख़्याल न था, और

क़ुलूबिहिमुर्रुअ्-ब युख़्रिबू-न बुयू-तहुम् बि-ऐदीहिम् व ऐदिल्-मुअ्मिनी-न, फ़अ्तबिरू या उलिल्-अब्सार (2) व लौ ला अन् क-तबल्लाहु अ़लैहिमुल्-जला-अ ल-अ़ज़्ज़-बहुम् फ़िद्दुन्या, व लहुम् फ़िल्-आख़िरति अ़ज़ाबुन्नार (3) ज़ालि-क बि-अन्नहुम् शाक़्क़ुल्ला-ह व रसूलहू व मंय्युशाक़िक़ल्ला-ह फ़-इन्नल्ला-ह शदीदुल्-अ़िक़ाब (4) मा क़-तअ़्तुम् मिल्लीनतिन् औ तरक्तुमूहा क़ाइ-मतन् अ़ला उसूलिहा फ़बि-इज़्निल्लाहि व लियुख़्ज़ियल्-फ़ासिक़ीन (5)	डाल दी उनके दिलों में धाक, उजाड़ने लगे अपने घर अपने हाथों और मुसलमानों के हाथों, सो इब्रत पकड़ो ऐ आँख वालो। (2) और अगर न होती यह बात कि लिख दिया था अल्लाह ने उन पर जिला-वतन होना तो उनको अ़ज़ाब देता दुनिया में, और आख़िरत में उनके लिये है आग का अ़ज़ाब। (3) यह इसलिये कि वे मुख़ालिफ़ हुए अल्लाह से और उसके रसूल से और जो कोई मुख़ालिफ़ हो अल्लाह से तो अल्लाह का अ़ज़ाब सख़्त है। (4) जो काट डाला तुमने खजूर का पेड़ या रहने दिया खड़ा अपनी जड़ पर सो अल्लाह के हुक्म से, और ताकि रुस्वा करे नाफ़रमानों को। (5)

इस सूरत के मज़ामीन का पीछे से संबन्ध और शाने नुज़ूल

पिछली सूरत में यहूदियों की दोस्ती जो मुनाफ़िक़ों ने इख़्तियार कर रखी थी उसकी मज़म्मत (बुराई और निंदा) का बयान था, इस सूरत में यहूदियों पर दुनिया में जिला-वतनी (देस-निकाले) की सज़ा और आख़िरत का अ़ज़ाब ज़िक्र हुआ है और क़िस्सा उन यहूदियों का यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब मदीना-ए-तय्यिबा में तशरीफ़ लाये तो यहूदियों से सुलह का समझौता हो चुका था, और उन यहूदियों के अनेक क़बीलों में से एक क़बीला बनू नज़ीर का था, वह भी सुलह के समझौते में दाख़िल था, और ये लोग मदीना तय्यिबा से दो मील दूरी पर रहते थे। एक मर्तबा यह वाक़िआ पेश आया कि अ़मर बिन उमैया ज़मरी के हाथ से दो क़त्ल हो गये थे जिसका ख़ूनबहा (ख़ून का माली बदला) सब को मिलकर अदा करना था, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने मुसलमानों से उसके लिये चन्दा हासिल किया, फिर यह इरादा हुआ कि यहूदी भी सुलह नामे के अनुसार मुसलमानों के साथ हैं ख़ूनबहा की रक़म में उनको भी शरीक किया जाये, इस काम के लिये हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम क़बीला बनू नज़ीर के पास तशरीफ़ ले गये, उन्होंने यह साज़िश की कि आपको क़त्ल कर देने का मौक़ा हमारे हाथ आ गया, इसलिये आपको एक जगह बैठा दिया और कहा कि हम ख़ूनबहा की रक़म

जमा करने का इन्तिज़ाम करते हैं, और ख़ुफ़िया मश्विरा करके यह तय किया कि जिस दीवार के नीचे आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ रखते हैं कोई शख़्स ऊपर चढ़कर कोई बड़ा भारी पत्थर आपके ऊपर छोड़ दे कि आपका काम तमाम हो जाये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को फ़ौरन वही के ज़रिये उनकी यह साज़िश मालूम हो गयी, आप वहाँ से उठकर वापस तशरीफ़ लाये और उनसे कहला भेजा कि तुमने अ़हद के ख़िलाफ़ करके सुलह तोड़ दी इसलिये अब तुम्हें दस रोज़ की मोहलत दी जाती है, इसमें तुम जहाँ चाहो चले जाओ। इस मुद्दत के बाद जो शख़्स यहाँ नज़र आयेगा उसकी गर्दन मार दी जायेगी। उन्होंने चले जाने का इरादा किया तो अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई मुनाफ़िक़ ने उनको रोका, कि कहीं न जाओ, मेरे पास दो हज़ार आदमियों की जमाअ़त है जो अपनी जान दे देंगे, तुम पर आँच न आने देंगे। और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इब्ने इस्हाक़ की रिवायत से इसमें अ़ब्दुल्लाह के साथ वदीआ़ बिन मालिक और सुवैद और राईस का शरीक होना भी लिखा है। ये लोग उनके कहने में आ गये और हुज़ूरे पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कहला भेजा कि हम कहीं नहीं जायेंगे, आप से जो कुछ हो सके कर लीजिये।

आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के साथ इस क़बीले पर हमलावर हुए। ये लोग क़िले के अन्दर बन्द हो गये और मुनाफ़िक़ लोग मुँह छुपाकर बैठ गये। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनका घेराव कर लिया और उनके पेड़ जलवा दिये, कुछ कटवा दिये, आख़िर तंग आकर उन्होंने जिला-वतन होना मन्ज़ूर कर लिया। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस हाल में भी उनके साथ यह रियायत की कि हुक्म दे दिया कि जितना सामान तुम साथ ले जा सकते हो ले जाओ सिवाय हथियार के, हथियार ज़ब्त कर लिये जायेंगे। ये लोग निकल कर कुछ मुल्क शाम में चले गये, कुछ ख़ैबर में, और दुनिया के लालच की वजह से अपने घरों की कड़ियाँ, तख़्ते, किवाड़ तक उखाड़कर ले गये, और यह क़िस्सा ग़ज़वा-ए-उहुद के बाद रबीउल-अव्वल सन् 4 हिजरी में पेश आया। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपनी ख़िलाफ़त के दौर में इनको दूसरे यहूदियों के साथ मुल्क शाम की तरफ़ निकाल दिया, ये दोनों जिला-वतनी (देस-निकाला देना) हश्र-ए-अव्वल और हश्र-ए-सानी कहलाती हैं, जैसा कि किताब 'ज़ादुल-मआ़द' में है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अल्लाह की पाकी बयान करते हैं सब जो कुछ कि आसमानों और ज़मीन में (मख़्लूक़ात) हैं (चाहे अपनी ज़बान से या अपने हाल से) और वह ज़बरदस्त (और) हिक्मत वाला है। (चुनाँचे उसकी बुलन्द शान, क़ुदरत और हिक्मत का एक असर यह है कि) वही है जिसने (इन) अहले किताब काफ़िरों (यानी बनू-नज़ीर) को इनके घरों से पहली ही बार इकट्ठा करके निकाल दिया (यानी बक़ौल इमाम ज़ोहरी उससे पहले उन पर यह मुसीबत पेश न आई थी। यह मुसीबत उन पर पहली बार ही आई है जो उनकी बुरी हरकतों का नतीजा है। और इसमें एक बारीक इशारा है एक भविष्यवाणी की तरफ़ कि उनके लिये फिर भी ऐसा इत्तिफ़ाक़ होगा, चुनाँचे दोबारा

हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने तमाम यहूदियों को अरब के जज़ीरे से निकाल दिया, जैसा कि तफ़सीरे ख़ाज़िन में है। और इशारे को बारीक इसलिये कहा गया कि लफ़्ज़ अव्वल हमेशा इसको नहीं चाहता कि उसका कोई सानी भी हो, चुँचे बोलते हैं फ़ुलाँ औरत के पहली ही बार बच्चा पैदा हुआ है। उनका घरों से निकाल देना मुसलमानों की ताक़त और ग़लबे का असर था)।

(आगे इसका बयान है कि ऐ मुसलमानो! उनका सामान व शौकत देखकर) तुम्हारा गुमान भी न था कि वे (कभी अपने घरों से) निकलेंगे, और (ख़ुद) उन्होंने यह गुमान कर रखा था कि उनके क़िले उनको अल्लाह (के इन्तिक़ाम) से बचा लेंगे (यानी अपने क़िलों की मज़बूती पर ऐसे मुत्मईन थे कि उनके दिल में ग़ैबी इन्तिक़ाम का ख़तरा भी न आता था, पस उनकी हालत उस शख़्स के जैसी थी जिसका यह गुमान हो कि उनके क़िले अल्लाह की गिरफ़्त से बचा लेंगे, और अगर ख़ास क़बीला बनू-नज़ीर के क़िले अनेक न हों तो 'उनके क़िलों' में उन से मुराद मुतलक़ यहूदी होंगे, और इन्नहुम में भी वे से यही मुराद होंगे, और सिर्फ़ ज़न्नू (उन्होंने गुमान किया) में उन से मुराद बनू-नज़ीर होंगे। यानी बनू-नज़ीर का यह ख़्याल था कि सब यहूदियों को उनके क़िले मुसीबतों से बचा लेंगे। उन सब यहूदियों में ये भी आ गये, कि अपने क़िले को अपना मुहाफ़िज़ समझते थे) सो उन पर ख़ुदा (का अ़ज़ाब) ऐसी जगह से पहुँचा कि उनको ख़्याल (और गुमान) भी न था (उस जगह से मुराद यह है कि मुसलमानों के हाथों निकाले गये जिनके ख़ाली हाथ और बेसरो-सामान होने पर नज़र करके इसका गुमान व संभावना भी न थी कि ये बेसामान लोग उन हथियार और सामानों से लैस लोगों पर ग़ालिब आ जायेंगे) और उनके दिलों में (अल्लाह तआ़ला ने मुसलमानों का) रौब डाल दिया कि (उस रौब की वजह से निकलने का इरादा किया और उस वक़्त यह हालत थी कि) अपने घरों को ख़ुद अपने हाथों से और मुसलमानों के हाथों से भी उजाड़ रहे थे (यानी ख़ुद भी कड़ी-तख़्ते ले जाने के वास्ते अपने मकानों को गिरा रहे थे और मुसलमान भी उनके दिल को सदमा पहुँचाने के वास्ते गिरा रहे थे, और मुसलमानों के गिराने को भी उनकी तरफ़ मन्सूब इसलिये किया कि इस गिराने और ध्वस्त करने का सबब वही लोग थे, क्योंकि उन्होंने अ़हद को तोड़ा और वह फ़ेल यहूदियों का है, पस सबब और वजह की तरफ़ निस्बत हो गयी। और मुसलमानों के हाथ एक सबब और माध्यम के तौर पर हो गया) सो ऐ समझ रखने वालो! (इस हालत को देखकर) इब्रत हासिल करो (कि ख़ुदा व रसूल की मुख़ालफ़त का अन्जाम कई बार दुनिया में भी निहायत बुरा होता है)।

और अगर अल्लाह तआ़ला उनकी क़िस्मत में वतन से निकाला जाना न लिख चुकता तो उनको दुनिया ही में (क़त्ल की) सज़ा देता (जिस तरह उनके बाद बनू-क़ुरैज़ा के साथ मामला किया गया) और (अगरचे दुनिया में क़त्ल होने के अ़ज़ाब से बच गये लेकिन) उनके लिये आख़िरत में दोज़ख़ का अ़ज़ाब (तैयार) है (और) यह (देस-निकाले की सज़ा दुनिया में और दोज़ख़ की सज़ा आख़िरत में) इस सबब से है कि उन लोगों ने अल्लाह की और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) की मुख़ालफ़त की है, और जो शख़्स अल्लाह की मुख़ालफ़त करता है (और वही मुख़ालफ़त रसूल की भी है) तो अल्लाह तआ़ला उसको सख़्त सज़ा देने वाला

है (यह मुख़ालफ़त दो तरह की हुई- एक अ़हद को तोड़ने से, जिससे कि देस-निकाले की सज़ा हुई और दूसरे ईमान न लाना जो आख़िरत के अ़ज़ाब का सबब है। आगे यहूदियों के एक ताने का जवाब है जो पेड़ों के काटने और जलाने के बारे में किया था कि ऐसा करना तो फ़साद है और फ़साद बुरी चीज़ है, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में इसका ज़िक्र है, और कुछ मुसलमानों ने बावजूद इजाज़त के यह समझकर कि जायज़ को न करने की गुंजाईश व इजाज़त है और आख़िर में ये पेड़ मुसलमानों ही के हो जायेंगे तो इनका रहना ही बेहतर है, नहीं काटे, और कुछ ने यह समझकर कि यहूदियों का दिल दुखेगा काट दिये, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में है। आगे जवाब के साथ इन दोनों कामों को सही और दुरुस्त क़रार देने का ज़िक्र है। पस इरशाद है कि) जो खजूरों के पेड़ के तने तुमने काट डाले (इसी तरह जो जला दिये) या उनको उनकी जड़ों पर (उनके हाल पर) खड़ा रहने दिया, सो (दोनों बातें) ख़ुदा ही के हुक्म (और रज़ा) के मुवाफ़िक़ हैं, और ताकि काफ़िरों को ज़लील करे (यानी दोनों कामों में मस्लेहत है, चुनाँचे न करने और छोड़ देने में भी मुसलमानों की एक कामयाबी और काफ़िरों को ग़ुस्सा दिलाना व जलाना है कि ये मुसलमान इसको बरतेंगे, और काटने और जला देने में भी मुसलमानों की दूसरी कामयाबी यानी ग़लबे के आसार का ज़ाहिर होना और काफ़िरों को रंज व ग़म में डालना है कि मुसलमान हमारी चीज़ों में कैसे अपना इख़्तियार चला रहे हैं। पस दोनों बातें जायज़ हैं, और हिक्मत पर आधारित होने के सबब इनमें कोई बुराई नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः हश्र की विशेषतायें और क़बीला बनू-नज़ीर का इतिहास

पूरी सूरः हश्र यहूदियों के क़बीले बनू-नज़ीर के बारे में नाज़िल हुई है (जैसा कि इमाम इब्ने इस्हाक़ की राय है) और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस सूरत का नाम ही सूरः बनी नज़ीर कहा करते थे। (इब्ने कसीर) बनू-नज़ीर यहूदियों का एक क़बीला है जो हज़रत हारून अ़लैहिस्सलाम की औलाद में है, उनके पूर्वज तौरात के आ़लिम थे, जिसमें हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़बर और आपका हुलिया और निशानियाँ बयान की गयी थीं, और यह कि उनकी हिजरत यसरिब (मदीना) की तरफ़ होगी। यह ख़ानदान इस तमन्ना व उम्मीद में कि ख़ातमुल-अम्बिया के साथ रहें मुल्क शाम से मदीना तय्यिबा मुन्तक़िल हुआ था, इनके मौजूदा लोगों में भी कुछ तौरात के आ़लिम थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मदीना तशरीफ़ लाने के बाद निशानियाँ देखकर पहचान भी लिया था कि यह वही ख़ातमुल-अम्बिया (आख़िरी नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) हैं, लेकिन उनका ख़्याल था कि वह आख़िरी नबी हारून अ़लैहिस्सलाम की औलाद में उनके ख़ानदान में होंगे, और ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बनी इस्राईल के बजाय बनू इस्माईल में तशरीफ़ लाये तो इस हसद (जलन) ने उन लोगों को ईमान लाने से रोक दिया, मगर दिल में उनके अक्सर लोग आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के आख़िरी नबी होने को जानते

पहचानते थे, और ग़ज़वा-ए-बदर में मुसलमानों की हैरत-अंगेज़ फ़तह और मुश्रिकों की शिकस्त देखकर उनका यह यक़ीन कुछ और बढ़ा भी था, इसका इक़रार उनकी ज़बानों से सुना भी गया, मगर इस ज़ाहिरी फ़तह व शिकस्त को हक़ व बातिल के पहचानने का मेयार बना लेना ही एक बोदी और कमज़ोर बुनियाद थी, नतीजा यह हुआ कि ग़ज़वा-ए-उहुद में जब शुरू में मुसलमानों को शिकस्त हुई, कुछ हज़राते सहाबा शहीद हुए तो उनका यक़ीन डगमगा गया, और उसके बाद से उन्होंने मक्का के मुश्रिकों के साथ साज़बाज़ शुरू कर दी।

इससे पहले यह वाक़िआ हो चुका था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मदीना तय्यिबा पहुँचकर हकीमाना सियासत के तक़ाज़ों पर सबसे पहला काम यह किया था कि मदीना तय्यिबा में और शहर के आस-पास जो कुछ यहूदी क़बीले आबाद थे उनसे सुलह का समझौता इस पर कर लिया था कि ये लोग न मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे और न किसी जंग करने वाले की इमदाद करेंगे, अगर इन पर कोई हमलावर हुआ तो मुसलमान इनकी इमदाद करेंगे। सुलह नामे में और भी बहुत सी धारायें थीं जिनकी तफ़सील सीरत इब्ने हिशाम वग़ैरह में मज़कूर है। इसी तरह यहूदियों के तमाम क़बीलों की जिनमें बनू नज़ीर भी दाख़िल थे, मदीना तय्यिबा से दो मील के फ़ासले पर बस्ती, मज़बूत क़िले और बाग़ात थे।

ग़ज़वा-ए-उहुद तक तो ये लोग बज़ाहिर इस सुलह नामे के पाबन्द नज़र आये, मगर उहुद के बाद इन्होंने ग़द्दारी की और ख़ुफ़िया ख़ियानत शुरू कर दी। इस धोखे व ख़ियानत की शुरूआत इससे हुई कि बनू नज़ीर का एक सरदार कअ़ब बिन अशरफ़ ग़ज़वा-ए-उहुद के बाद अपने यहूदियों के चालीस आदमियों के एक क़ाफ़िले के साथ मक्का मुअ़ज़्ज़मा पहुँचा और यहाँ के क़ुरैश काफ़िर जो ग़ज़वा-ए-बदर की शिकस्त का बदला लेने की नीयत से ग़ज़वा-ए-उहुद पर गये थे, और उसमें आख़िरकार शिकस्त खाकर वापस हो चुके थे उनसे मुलाक़ात की, और इन दोनों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करने का एक समझौता होना क़रार पाया, जिसको इस तरह पूरा किया गया कि कअ़ब बिन अशरफ़ अपने चालीस यहूदियों के साथ और उनके मुक़ाबले में अबू सुफ़ियान अपने चालीस क़ुरैशियों के साथ हरम बैतुल्लाह में दाख़िल हुए और बैतुल्लाह का पर्दा पकड़कर यह समझौता किया कि हम एक दूसरे का साथ देंगे और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे।

कअ़ब बिन अशरफ़ इस समझौते के बाद मदीना तय्यिबा वापस आया तो जिब्रीले अमीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह सारा वाक़िआ और समझौते की तफ़सील बतला दी, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कअ़ब बिन अशरफ़ के क़त्ल का हुक्म जारी फ़रमा दिया, चुनाँचे मुहम्मद बिन मस्लमा सहाबी ने उसको क़त्ल कर दिया।

उसके बाद बनू नज़ीर की मुख़्तलिफ़ ख़ियानतें और साज़िशें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मालूम होती रहीं जिनमें एक वह वाक़िआ है जो ऊपर शाने नुज़ूल के उनवान से लिखा गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़त्ल की साज़िश की, और अगर फ़ौरी तौर पर

आप वही के ज़रिये उस साज़िश पर मुत्तला न होते तो ये लोग अपनी क़त्ल की साज़िश में कामयाब हो जाते, क्योंकि जिस मकान के नीचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उन्होंने बैठाया था उसकी छत पर चढ़कर एक बड़ा भारी पत्थर आपके सर मुबारक पर छोड़ देने का मन्सूबा (योजना) तक़रीबन मुकम्मल हो चुका था, जो शख़्स इस मन्सूबे को अ़मली सूरत देने वाला था उसका नाम उमर बिन जह्हाश था। हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू ने आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाई और यह मन्सूबा फ़ेल हो गया।

एक इब्रत (नसीहत लेने की बात)

यह भी अ़जीब मामला है कि बाद के वाक़िए में सारे ही बनू नज़ीर जिला-वतन होकर मदीना से निकल गये, मगर उनमें से सिर्फ़ दो आदमी मुसलमान होकर महफ़ूज़ व सुरक्षित रहे, इन दो में एक यही उमर बिन जह्हाश थे दूसरे इनके चचा यामीन बिन अ़मर बिन कअ़ब थे। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

अ़मर बिन उमैया ज़मरी का वाक़िआ़

शाने नुज़ूल के वाक़िए में जो यह ज़िक्र आया है कि अ़मर बिन उमैया ज़मरी के हाथ से दो क़त्ल हो गये थे उनका ख़ूनबहा जमा करने की कोशिश रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़रमा रहे थे, उसी ख़ूनबहा के सिलसिले में बनू नज़ीर का चन्दा हासिल करने के लिये आप उनकी बस्ती में तशरीफ़ ले गये थे। इसका वाक़िआ़ इमाम इब्ने कसीर ने यह बयान किया है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ काफ़िरों की साज़िशें और ज़ुल्म व अत्याचारों की दास्तान तो बहुत लम्बी है, उनमें से एक वाक़िआ़ बीर-ए-मऊना का इस्लामी तारीख़ में मारूफ़ व मशहूर है, कि कुछ मुनाफ़िक़ों व काफ़िरों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अपनी बस्ती में इस्लाम की तब्लीग़ के लिये सहाबा-ए-किराम की एक जमाअ़त भेजने की दरख़्वास्त की, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सत्तर सहाबा-ए-किराम उनके साथ किये, बाद में हक़ीक़त यह खुली कि उन लोगों ने यह महज़ साज़िश की थी, उन सब को घेरकर क़त्ल करने का मन्सूबा बनाया था और वे उसमें कामयाब हो गये। उनमें से सिर्फ़ अ़मर बिन उमैया ज़मरी किसी तरह निकल कर भाग जाने में कामयाब हो गये। जो बुज़ुर्ग अभी काफ़िरों की यह ग़द्दारी और ख़ियानत और अपने उन्हत्तर भाईयों का बेदर्दी से क़त्ल देखकर आ रहे थे उनका जज़्बा काफ़िरों के मुक़ाबले में क्या होगा हर शख़्स ख़ुद अन्दाज़ा कर सकता है, इत्तिफ़ाक़ यह हुआ कि मदीना तय्यिबा वापस आने के वक़्त रास्ते में उनको दो काफ़िरों से साबक़ा पड़ा, उन्होंने दोनों को क़त्ल कर दिया, बाद में मालूम हुआ कि दोनों आदमी क़बीला बनू आ़मिर के थे जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सुलह का समझौता था।

मुसलमानों के मुआ़हदे (समझौते) आजकल के सियासी लोगों के मुआ़हदे तो होते नहीं कि पहले ही ख़िलाफ़वर्ज़ी और अ़हद तोड़ने की राहें तलाश कर ली जाती हैं, यहाँ तो जो कुछ ज़बान या क़लम से निकलता था दीन व मज़हब और ख़ुदा तआ़ला के हुक्म की हैसियत रखता था, और उसकी पाबन्दी लाज़िमी थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इस ग़लती का इल्म हुआ तो

आपने शरई उसूलों के मुताबिक़ इन दोनों मक़्तूलों की दियत (ख़ूनबहा) अदा करने का फ़ैसला फ़रमाया और उसके लिये मुसलमानों से चन्दा किया, इसमें बनू नज़ीर के पास भी चन्दे के सिलसिले में जाना हुआ। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

बनू नज़ीर के मामले में मुसलमानों का मिसाली रवैया

आजके बड़े हुक्मराँ और बड़ी हुकूमतें जो इनसानी हुक़ूक़ की रक्षा पर बड़े-बड़े लेक्चर देते हैं और उसके लिये संस्थायें क़ायम करते हैं और दुनिया में इनसानी हुक़ूक़ की हिफ़ाज़त व सुरक्षा के चौधरी कहलाते हैं, ज़रा इस वाक़िए पर नज़र डालें कि बनू नज़ीर की मुसलसल साज़िशें, ख़ियानतें, रसूले पाक को क़त्ल करने के मन्सूबे जो आपके सामने आते रहे अगर आजकल के किसी हुक्मराँ और किसी हुकूमत के मुखिया के सामने आये होते तो ज़रा दिल पर हाथ रखकर सोचिये कि वह उन लोगों के साथ क्या मामला करता। आजकल तो ज़िन्दा लोगों पर पैट्रोल छिड़क कर मैदान साफ़ कर देना किसी बड़ी ताक़त व हुकूमत का भी मोहताज नहीं, कुछ गुन्डे शरीर जमा हो जाते हैं और यह सब कुछ कर डालते हैं, शाहाना नाराज़गी व आक्रोश के करिश्मे कुछ इससे आगे ही होते हैं।

मगर यह हुकूमत ख़ुदा की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की है, जब ख़ियानतें और ग़द्दारियाँ इन्तिहा को पहुँच गयीं तो उस वक़्त भी उनके क़त्ले आ़म का इरादा नहीं फ़रमाया, उनके माल व सामान छीन लेने का कोई तसव्वुर नहीं था, बल्किः

1. अपना सब सामान साथ लेकर सिर्फ़ शहर ख़ाली कर देने का फ़ैसला किया।

2. और इसके लिये भी दस रोज़ की मोहलत दी कि आसानी से अपना सामान साथ लेकर इत्मीनान से किसी दूसरे स्थान पर मुन्तक़िल हो जायें, जब इसकी भी ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) की तो क़ौमी इक़दाम की ज़रूरत पेश आयी।

3. इसलिये कुछ दरख़्त तो जलाये गये, कुछ कांटे गये कि उन पर असर पड़े, मगर क़िले को आग लगा देने का या उनके क़त्ले आ़म का हुक्म उस वक़्त भी नहीं दिया गया।

4. फिर जब मजबूर होकर उन लोगों ने शहर ख़ाली कर देना मन्ज़ूर कर लिया तो इस फ़ौजी इक़दाम के बावजूद उनको यह इख़्तियार दिया गया कि एक ऊँट पर जिस क़द्र सामान एक आदमी ले जा सकता है ले जाये, इसी का नतीजा था कि उन्होंने अपने मकानों की कड़ियाँ, तख़्ते, दरवाज़े, किवाड़ तक उतारकर लाद लिये।

5. इस साज़ व सामान के साथ मुन्तक़िल होने वालों को किसी मुसलमान ने तिरछी नज़र से नहीं देखा, अमन व आ़फ़ियत और पूरे इत्मीनान के साथ सामान लेकर रुख़्सत हुए।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ये मामलात उस वक़्त के हैं जबकि आपको अपने दुश्मन से इन्तिक़ाम पूरा-पूरा ले लेने की मुकम्मल ताक़त हासिल थी, इन ग़द्दार, ख़ियानत करने वालों, साज़िशी दुश्मनों के साथ उस वक़्त आपका यह मामला उसी की नज़ीर है जो मक्का फ़तह होने के बाद आपने अपने पुराने दुश्मनों के साथ फ़रमाया।

لِاَوَّلِ الْحَشْرِ

बनू नज़ीर की इस जिला-वतनी (देस-निकाले) को क़ुरआने करीम ने 'अव्वले हश्र' फ़रमाया। हश्र के मायने उठ जाने, खड़े हो जाने के हैं। अव्वले हश्र कहने की एक वजह ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हो चुकी है कि ये लोग पुराने ज़माने में एक जगह आबाद थे, स्थान बदलने और जिला-वतनी का यह वाक़िआ उनको पहली बार पेश आया। और दूसरी वजह यह भी है कि इस्लाम का असल हुक्म आगे यह आने वाला था कि अ़रब के ख़ित्ते को ग़ैर-मुस्लिमों से ख़ाली कराया जाये, ताकि वह इस्लाम का एक मज़बूत किला (गढ़) बन सके, इसके नतीजे में एक दूसरा हश्र आगे जिला-वतनी की शक्ल में होने वाला था, जो अ़मलन हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु की ख़िलाफ़त के दौर में हुआ कि उनमें से जो लोग मुन्तक़िल होकर ख़ैबर में आबाद हो गये थे उनको अ़रब के इलाक़े से बाहर चले जाने का हुक्म दिया गया। इस लिहाज़ से बनू नज़ीर की यह जिला-वतनी पहला हश्र और दूसरी जिला-वतनी हज़रत उमर के दौर में दूसरा हश्र हुआ।

فَاَتٰىهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا.

इसका लफ़्ज़ी तर्जुमा तो यह है कि आ गया उनके पास अल्लाह तआ़ला इस अन्दाज़ से कि उनको उसका गुमान भी न था। अल्लाह के आने से मुराद उसके हुक्म और हुक्म लेकर आने वाले फ़रिश्तों का आना है।

يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ.

उनका अपने मकानात का अपने हाथों ख़राब करना तो इस तरह हुआ कि अपने दरवाज़े, किवाड़ साथ लेजाने के लिये उखाड़े, और मुसलमानों के हाथों इस तरह कि जब ये किले में बन्द थे तो किले से बाहर मुसलमानों ने उन पर असर डालने के लिये पेड़ों और मकानों को वीरान किया।

مَاقَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْتَرَكْتُمُوْهَا قَآئِمَةً عَلٰٓى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ۝

लफ़्ज़ लीनतु खजूर के हर पेड़ या अ़जवा के अ़लावा बाक़ी पेड़ों के लिये बोला जाता है। बनू नज़ीर के खजूर के बाग़ात थे, ये जब किले में बन्द हो गये तो कुछ सहाबा-ए-किराम ने इन लोगों को गुस्सा व आक्रोश दिलाने और उन पर रौब डालने के लिये उनकी खजूरों के चन्द पेड़ों को काटकर या जलाकर ख़त्म कर दिया, और कुछ दूसरे सहाबा-ए-किराम ने ख़्याल किया कि इन्शा-अल्लाह फ़तह हमारी होगी और ये पेड़ और बाग़ात मुसलमानों के हाथ आयेंगे तो क्यों इनको ज़ाया किया जाये, वे उनके काटने जलाने से बाज़ रहे। यह एक मतभेद था, बाद में जब आपस में बातचीत हुई तो जिन हज़रात ने कुछ पेड़ काटे या जलाये थे उनको यह फ़िक्र हुई कि शायद हम गुनाहगार हो गये कि जो माल मुसलमानों को मिलने वाला था उसको नुक़सान पहुँचाया, इस पर उक्त आयत नाज़िल हुई, जिसने दोनों फ़रीक़ के अ़मल को जायज़ व दुरुस्त क़रार दिया और दोनों को अल्लाह की तरफ़ से इजाज़त होने में दाख़िल करके हुक्मे इलाही की तामील क़रार दिया।

हदीस के इनकारियों के लिये एक तंबीह

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हुक्म दर हक़ीक़त अल्लाह ही का हुक्म होता है,

हदीस का इनकार करने वालों के लिये यह एक तंबीह है।

इस आयत में उन पेड़ों के काटने जलाने या उनको बाक़ी छोड़ने के दोनों अलग-अलग अ़मलों को अल्लाह की इजाज़त व हुक्म फ़रमाया है, हालाँकि क़ुरआन की किसी आयत में दोनों में से कोई भी हुक्म मज़कूर नहीं। ज़ाहिर तो यह है कि दोनों हज़रात ने जो अ़मल किया वह अपने इज्तिहाद (विचार और समझ) से किया, ज़्यादा से ज़्यादा यह हो सकता है कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इजाज़त ली हो मगर क़ुरआन ने इस इजाज़त को जो कि एक हदीस थी अल्लाह की इजाज़त क़रार देकर वाज़ेह कर दिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हक़ तआ़ला की तरफ़ से शरई क़ानून बनाने का इख़्तियार दिया गया है, और जो हुक्म आप जारी फ़रमा दें वह अल्लाह तआ़ला ही के हुक्म में दाख़िल है, उस पर अ़मल करना क़ुरआनी आयतों की तामील की तरह फ़र्ज़ है।

वैचारिक मतभेद की दोनों जानिबों में से किसी को गुनाह नहीं कह सकते

दूसरा अहम उसूल इस आयत से यह मालूम हुआ कि जो लोग शरई इज्तिहाद की सलाहियत रखते हैं अगर उनका इज्तिहाद (क़ुरआन व हदीस में विचार और ग़ौर व फ़िक्र) किसी मसले में मुख़्तलिफ़ (भिन्न और अलग-अलग) हो जाये, एक फ़रीक़ जायज़ क़रार दे और दूसरा नाजायज़, तो अल्लाह के यहाँ ये दोनों हुक्म दुरुस्त और जायज़ होते हैं। उनमें से किसी को गुनाह व नाफ़रमानी नहीं कह सकते, और इसी लिये इस पर 'नही अ़निल्-मुन्कर' (यानी बुराई से रोकने) का क़ानून जारी नहीं होता, क्योंकि उनमें से कोई जानिब भी 'मुन्करे शरई' (शरीअ़त के एतिबार से ग़लत) नहीं, और 'व लियुख़्ज़ियल्-फ़ासिक़ीन' में पेड़ों के काटने या जलाने वालों के अ़मल की तौजीह बयान की गयी है कि वह भी फ़साद (ख़राबी और बिगाड़) में दाख़िल नहीं बल्कि काफ़िरों को ज़लील करने के इरादे से सवाब का ज़रिया और सबब है।

मसलाः जंग की हालत में काफ़िरों के घरों को गिराना या जलाना, इसी तरह पेड़ों व खेतों को बरबाद करना जायज़ है या नहीं इसमें फ़क़ीह इमामों के अलग-अलग अक़वाल हैं। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. से जंग की हालत में इन सब कामों का जायज़ होना मन्क़ूल है, मगर शैख़ इब्ने हुम्माम रह. ने फ़रमाया कि यह जवाज़ उस वक़्त में है जबकि उसके बग़ैर काफ़िरों पर ग़लबा पाना मुश्किल हो, या उस सूरत में जबकि मुसलमानों की फ़तह का गुमान ग़ालिब न हो, तो ये सब काम इसलिये जायज़ हैं कि इनसे क़ाफ़िरों की ताक़त व शौकत को तोड़ना मक़सूद है, या फ़तह न होने की सूरत में उनके माल को ज़ाया (बरबाद) करना भी उनकी ताक़त को कमज़ोर कर देने के लिये इसमें दाख़िल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ۭ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةًۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ ۭ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ۤ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝ لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓي اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ڜ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَالَّذِيْنَ جَاۗءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِيْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝

الربع

व मा अफ़ा-अल्लाहु अ़ला रसूलिही मिन्हुम् फ़मा औजफ़्तुम् अ़लैहि मिन् ख़ैलिंव्-व ला रिकाबिंव्-व लाकिन्नल्ला-ह युसल्लितु रुसु-लहू अ़ला मंय्यशा-उ, वल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (6) मा अफ़ा-अल्लाहु अ़ला रसूलिही मिन् अह़्लिल्-क़ुरा फ़-लिल्लाहि व लिर्रसूलि व लिज़िल्-क़ुर्बा वल्यतामा वल्-मसाकीनि वब्निस्सबीलि कै ला यकू-न दू-लतम् -बैनल्-अग़्निया-इ मिन्कुम्, व मा आताकुमुर्रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम् अ़न्हु फ़न्तहू वत्तक़ुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह शदीदुल्-ि़क़ाब (7)

और जो माल कि लौटा दिया अल्लाह ने अपने रसूल पर उनसे सो तुमने नहीं दौड़ाये उस पर घोड़े और न ऊँट लेकिन अल्लाह ग़लबा देता है अपने रसूलों को जिस पर चाहे, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है। (6) जो माल लौटाया अल्लाह ने अपने रसूल पर बस्तियों वालों से सो अल्लाह के वास्ते और रसूल के और क़राबत वाले के और यतीमों के और मोहताजों के और मुसाफ़िर के, ताकि न आये लेने देने में दौलतमन्दों के तुम में से, और जो दे तुम को रसूल सो ले लो और जिस से मना करे सो छोड़ दो, और डरते रहो अल्लाह से बेशक अल्लाह का अ़ज़ाब सख़्त है। (7)

लिल्फ़ु-क़राइल्-मुहाजिरीनल्लज़ी-न उख़्रिजू मिन् दियारिहिम् व अम्वालिहिम् यब्तग़ू-न फ़ज़्लम्-मिनल्लाहि व रिज़्वानंव्-व यन्सुरूनल्ला-ह व रसूलहू, उलाइ-क हुमुस्सादिक़ून (8) वल्लज़ी-न त-बव्वउद्दा-र वल्ईमा-न मिन् क़ब्लिहिम् युहिब्बू-न मन् हाज-र इलैहिम् व ला यजिदू-न फ़ी सुदूरिहिम् हा-जतम्-मिम्मा ऊतू व युअ्सिरू-न अ़ला अन्फ़ुसिहिम् व लौ का-न बिहिम् ख़सा-सतुन्, व मंय्यू-क़ शुह्-ह नफ़्सिही फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुफ़्लिहून (9) वल्लज़ी-न जाऊ मिम्-बअ़्दिहिम् यक़ूलू-न रब्बनग़्फ़िर् लना व लि-इख़्वानि-नल्लज़ी-न स-बक़ूना बिल्-ईमानि व ला तज्अ़ल् फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लल्-लिल्लज़ी-न आमनू रब्बना इन्न-क रऊफ़ुर्-रहीम (10) ✪ ❖

वास्ते उन ग़रीबों वतन छोड़ने वालों के जो निकाले हुए आये हैं अपने घरों से और अपने मालों से ढूँढते आये हैं अल्लाह का फ़ज़्ल और उसकी रज़ामन्दी और मदद करने को अल्लाह की और उसके रसूल की, वे लोग वही हैं सच्चे। (8) और जो लोग जगह पकड़ रहे हैं उस घर में और ईमान में उनसे पहले से वे मुहब्बत करते हैं उससे जो वतन छोड़कर आये उनके पास और नहीं पाते अपने दिल में तंगी उस चीज़ से जो उन (मुहाजिरों) को दी जाये, और आगे रखते हैं उनको अपनी जान से और अगरचे हो अपने ऊपर फ़ाक़ा, और जो बचाया गया अपने जी के लालच से तो वही लोग हैं मुराद पाने वाले। (9) और वास्ते उन लोगों के जो आये उनके बाद कहते हुए ऐ रब! बख़्श हमको और हमारे भाईयों को जो हमसे पहले दाख़िल हुए ईमान में, और न रख हमारे दिलों में बैर ईमान वालों का, ऐ रब! तू ही है नर्मी वाला मेहरबान। (10) ✪ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऊपर जो बयान हुआ वह तो बनू क़ुरैज़ा की जानों के साथ मामला था) और (उनके मालों के साथ जो मामला हुआ उसका बयान यह है कि) जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को उनसे दिलवाया, सो (उसमें तुमको कोई मशक़्क़त नहीं पड़ी, चुनाँचे) तुमने उस पर (यानी उसके हासिल करने पर) न घोड़े दौड़ाये और न ऊँट (मतलब यह कि न सफ़र की मशक़्क़त हुई, क्योंकि मदीना से दो मील पर है, और न जंग की और मामूली सा जो

मुक़ाबला किया गया वह कोई ख़ास नहीं था, जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है, इसलिये उस माल में तुम्हारा मिल्कियत व हक़दारी का हक़ नहीं, जिस तरह माले ग़नीमत में होता है) लेकिन अल्लाह तआ़ला (की आ़दत है कि) अपने रसूलों को (अपने दुश्मनों में से) जिस पर चाहे (ख़ास तौर पर) मुसल्लत फ़रमा देता है (यानी सिर्फ़ रौब से मग़लूब कर देता है, जिसमें किसी को कुछ मशक़्क़त उठानी नहीं पड़ती, चुनाँचे उन रसूलों में से अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर बनू नज़ीर के मालों पर इसी तरह मुसल्लत फ़रमा दिया, इसलिये उसमें तुम्हारा कोई हक़ नहीं है बल्कि उसमें मालिकाना क़ब्ज़ा करने का मुकम्मल इख़्तियार आप को ही है) और अल्लाह तआ़ला को हर चीज़ पर पूरी क़ुदरत है (पस वह जिस तरह चाहे दुश्मनों को मग़लूब करे और जिस तरह चाहे अपने रसूल को इख़्तियार और क़ब्ज़ा दे)।

(और जैसे बनू नज़ीर के मालों का यह हुक्म है इसी तरह) जो कुछ अल्लाह तआ़ला (इस तौर पर) अपने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को दूसरी बस्तियों के (काफ़िर) लोगों से दिलवा दे (जैसे फ़िदक और एक हिस्सा ख़ैबर का इसी तरह हाथ आया) सो (उसमें भी तुम्हारा कोई मालिकाना हक़ नहीं, बल्कि) वह (भी) अल्लाह का हक़ है (यानी वह जिस तरह चाहे उसमें हुक्म दे जैसा कि और सब चीज़ों में उसका इसी तरह हक़ है। और ख़ास करना सीमित करने के लिये नहीं) और रसूल का (हक़ है कि अल्लाह तआ़ला ने उनको उस माल में अपनी मर्ज़ी से मालिकाना ख़र्च करने का इख़्तियार दे दिया है) और (आपके) रिश्तेदारों का (हक़ है) और यतीमों का (हक़ है) और ग़रीबों का (हक़ है) और मुसाफ़िरों का (हक़ है, यानी ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मर्ज़ी व बेहतर समझने के मुताबिक़ उस माल के ख़र्च होने के महल हैं, और इनमें भी सीमितता नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जिसको अपनी राय से देना चाहें वह भी उसमें शामिल है। और मज़कूरा क़िस्मों का ख़ास तौर पर ज़िक्र शायद इसलिये किया गया कि इनके बारे में यह शुब्हा हो सकता था कि जब जिहाद में शरीक लोगों का उस माल में लाज़िमी हक़ नहीं तो ये क़िस्में जो जिहाद में भी शरीक नहीं इनका भी हक़ नहीं होगा, मगर आयत में इनका ज़िक्र ख़ास सिफ़तों और हालतों जैसे यतीम, ग़रीब, मुसाफ़िर वग़ैरह होने के साथ करके इशारा कर दिया कि ये लोग अपनी इन हालतों व सिफ़तों की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इख़्तियार से इस माल के ख़र्च किये जाने का मौक़ा व महल हो सकते हैं, जिहाद में शरीक होने से इसका ताल्लुक़ नहीं। फिर इन सिफ़तों में से एक सिफ़त ज़विल्-क़ुर्बा यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़रीबी रिश्तेदारों का भी है, इनको इस माल में से इसलिये दिया जाता था कि ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मददगार थे, हर मुश्किल के वक़्त काम आते थे, यह हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद ख़त्म हो गया जैसा कि सूरः अनफ़ाल में इसका बयान आ चुका है)।

(और यह ज़िक्र हुआ हुक्म इसलिये मुक़र्रर कर दिया) ताकि वह (ग़नीमत का माल) तुम्हारे मालदारों के क़ब्ज़े में न आ जाये (जैसा कि जाहिलीयत के दौर में सब ग़नीमतें और जंग में

हासिल होने वाले माल ताक़त व सत्ता के मालिक लोग खा जाते थे और ग़रीब व ज़रूरत मन्द लोग बिल्कुल मेहरूम रह जाते थे, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की राय पर रखा और ख़र्च के महल व हक़दार भी बतला दिये कि आप बावजूद मालिक होने के फिर भी ज़रूरत मन्दों और आ़म मस्लेहत के मौक़ों में ख़र्च फ़रमा देंगे) और (जब यह मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की राय पर होने में हिक्मत है तो) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) तुमको जो कुछ दे दिया करें वह ले लिया करो, और जिस चीज़ (के लेने) से तुमको रोक दें (और अलफ़ाज़ के आ़म होने से यही हुक्म है तमाम कामों और अहकाम में भी) तुम रुक जाया करो, और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तआ़ला (मुख़ालफ़त करने पर) सख़्त सज़ा देने वाला है।

(और वैसे तो फ़ै के माल में बिना किसी शर्त के सब मिस्कीनों का हक़ है लेकिन) उन ज़रूरत मन्द मुहाजिरों का (ख़ास तौर पर) हक़ है जो अपने घरों से और अपने मालों से (ज़ुल्म व ज़बरदस्ती से) अलग कर दिये गये (यानी काफ़िरों ने उनको इस क़द्र तंग किया कि घर-बार छोड़कर हिजरत पर मजबूर हुए और उस हिजरत से) वे अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल (यानी जन्नत) और रज़ा के तालिब हैं (किसी दुनियावी ग़र्ज़ से हिजरत नहीं की) और वे (लोग) अल्लाह और उसके रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दीन) की मदद करते हैं (और) यही लोग (ईमान के) सच्चे हैं और (तथा) उन लोगों का (भी हक़ है) जो दारुल-इस्लाम (यानी मदीना) में उन (मुहाजिरों) के (आने से) पहले से क़रार पकड़े हुए हैं (मुराद इससे अन्सारी हज़रात हैं, और मदीना में उनका पहले क़रार पकड़ना तो ज़ाहिर है कि वे यहीं के नागरिक थे, और ईमान में पहले क़रार पकड़ने का यह मतलब नहीं कि सब अन्सार का ईमान सब मुहाजिरीन से मुक़द्दम और पहले है, बल्कि मुराद यह है कि मुहाजिरीन के मदीना में आने से पहले ही ये हज़रात इस्लाम ला चुके थे, चाहे उनका असल ईमान कुछ मुहाजिरीन के ईमान से बाद में ही हो) जो उनके पास हिजरत करके आता है उससे ये लोग मुहब्बत करते हैं। और मुहाजिरों को (माले ग़नीमत वग़ैरह में से) जो कुछ मिलता है उससे ये (अन्सार हज़रात मुहब्बत के सबब) अपने दिलों में कोई रश्क नहीं पाते, और (बल्कि इससे भी बढ़कर मुहब्बत करते हैं कि खाना खिलाने वग़ैरह में उनको) अपने से आगे रखते हैं अगरचे उन पर फ़ाक़ा ही हो (यानी बहुत सी बार ख़ुद फ़ाक़े से बैठ रहते हैं और मुहाजिरीन को खिला देते हैं) और (वाक़ई) जो शख़्स अपनी तबीयत की कन्जूसी से महफ़ूज़ रखा जाये (जैसे ये लोग हैं कि लालच और उसके तक़ाज़े पर अ़मल करने से अल्लाह तआ़ला ने इनको पाक रखा है) ऐसे ही लोग फ़लाह पाने वाले हैं।

और उन लोगों का (भी उस फ़ै के माल में हक़ है) जो (दारुल-इस्लाम में या हिजरत में या दुनिया में) इन (ज़िक्र हुए मुहाजिरीन व अन्सार) के बाद आये (या आयेंगे) जो (इन ज़िक्र हुए लोगों के हक़ में) दुआ़ करते हैं कि ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको बख़्श दे और हमारे भाईयों को (भी) जो हमसे पहले ईमान ला चुके हैं (चाहे सिर्फ़ ईमान या कामिल ईमान जो कि मौक़ूफ़ था हिजरत करने पर), और हमारे दिलों में ईमान वालों की तरफ़ से कीना न होने दीजिये (यह दुआ़

अपने से पहले हज़रात के अलावा अपने ज़माने वालों को भी शामिल है)। ऐ हमारे रब! आप बड़े शफ़क़त वाले (और) रहम करने वाले हैं।

मआरिफ़ व मसाईल

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ............... الاٰية.

लफ़्ज़ 'अफ़ा-अ' फ़ै से निकला है जिसके मायने लौटने के हैं, इसी लिये दोपहर के बाद जो चीज़ों का साया पूरब की तरफ़ लौटता है उसको भी फ़ै कहा जाता है। ग़नीमत के माल जो काफ़िरों से हासिल होते हैं उन सब की असल हक़ीक़त यह है कि उनके बाग़ी हो जाने की वजह से उनके माल सरकार के हक़ में ज़ब्त हो जाते हैं और उनकी मिल्कियत से निकलकर फिर असल मालिक यानी हक़ तआ़ला की तरफ़ लौट जाते हैं, इसलिये उनके हासिल होने को अफ़ा-अ के लफ़्ज़ से ताबीर किया गया। इसका तक़ाज़ा यह था कि काफ़िरों से हासिल होने वाले तमाम क़िस्म के माल को फ़ै ही कहा जाता, मगर जो माल जंग व जिहाद के ज़रिये हासिल हुआ उसमें इनसानी अ़मल और जिद्दोजोहद को भी एक क़िस्म का दख़ल है इसलिये उसको तो लफ़्ज़ ग़नीमत से ताबीर फ़रमाया गया, जैसा कि दसवें पारे की पहली आयत में इरशाद है:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَیْءٍ.

लेकिन जिसके हासिल होने में जंग व जिहाद की भी कोई ज़रूरत न पड़ी उसको लफ़्ज़ फ़ै से ताबीर फ़रमाया गया। इस आयत का हासिल यह हुआ कि जो माल बग़ैर जिहाद व क़िताल के हासिल हुआ है वह जिहाद में शरीक होने और जंग करने वालों में माले ग़नीमत के क़ानून के मुताबिक़ तक़सीम नहीं होगा, बल्कि उसमें कुल्ली इख़्तियार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ में होगा, जिसको जितना चाहें अ़ता फ़रमा दें या अपने लिये रखें। अलबत्ता यह पाबन्दी लगा दी गयी कि मुस्तहिक़ व हक़दार लोगों की चन्द क़िस्में मुतैयन कर दी गयीं कि उस माल की तक़सीम उन्हीं क़िस्मों में सीमित रहनी चाहिये। इसका बयान अगली आयत में इस तरह फ़रमायाः

مَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى.

इसमें 'अहले क़ुरा' से मुराद बनू नज़ीर और उन जैसे दूसरे क़बीले- बनू क़ुरैज़ा वग़ैरह हैं जिनके माल बग़ैर जंग व क़िताल के हासिल हुए। उसके बाद माल ख़र्च करने के मौक़ों व मुस्तहिक़ हज़रात की पाँच क़िस्में बतलाई गयीं हैं जिनका बयान आगे आता है।

उक्त आयतों में फ़ै के अहकाम, उसके मुस्तहिक़ लोगों और उनमें तक़सीम का तरीक़ा-ए-कार बयान फ़रमाया है। सूरः अनफ़ाल के शुरू में माले ग़नीमत और फ़ै का फ़र्क़ वाज़ेह तौर पर बयान हो चुका है, कि **ग़नीमत** उस माल को कहा जाता है जो काफ़िरों से जिहाद व क़िताल के नतीजे में मुसलमानों के हाथ आता है, और **फ़ै** वह माल है जो बग़ैर जिहाद व क़िताल (जंग) के उनसे हासिल हो, चाहे इस तरह कि वे अपना माल छोड़कर भाग गये, या रज़ामन्दी से जिज़या व ख़िराज या तिजारती ड्यूटी वग़ैरह के ज़रिये उनसे हासिल होता है।

इसकी कुछ तफ़सील सूरः अनफ़ाल के शुरू में मआरिफ़ुल-क़ुरआन की चौथी जिल्द में और मज़ीद तफ़सील इसी सूरः अनफ़ाल की आयत 41 के तहत मआरिफ़ुल-क़ुरआन की जिल्द चार में लिखी जा चुकी है।

यहाँ यह बात क़ाबिले ग़ौर है कि सूरः अनफ़ाल की आयत 41 में जो अलफ़ाज़ ग़नीमत के पाँचवे हिस्से के बारे में आये हैं तक़रीबन वही अलफ़ाज़ यहाँ फ़ै के माल के बारे में हैं। सूरः अनफ़ाल में है:

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِی الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

इन दोनों आयतों में माल के हक़दारों में छह नाम ज़िक्र किये गये- अल्लाह, रसूल, क़रीबी रिश्तेदार, यतीम, मिस्कीन, मुसाफ़िर। यह ज़ाहिर है कि अल्लाह जल्ल शानुहू तो दुनिया व आख़िरत और तमाम मख़्लूक़ात का असल मालिक है, उसका नाम मुबारक तो हिस्सों के बयान में महज़ बरकत के तौर पर इस फ़ायदे के लिये है कि इससे उस माल का उम्दा व फ़ज़ीलत वाला और हलाल व पाकीज़ा होने की तरफ़ इशारा हो जाये। हज़रत हसन बसरी, क़तादा, अ़ता, इब्राहीम, शाबी और आ़म मुफ़स्सिरीन का यही क़ौल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

अल्लाह जल्ल शानुहू का नाम ज़िक्र करने से उस माल की फ़ज़ीलत व शराफ़त की तरफ़ इशारा किस तरह हुआ इसका तफ़सीली बयान सूरः अनफ़ाल की तफ़सीर में हो चुका है, जिसका हासिल यह है कि अल्लाह तआ़ला ने अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के लिये सदक़े का माल जो मुसलमानों से हासिल होता है, वह भी हलाल नहीं फ़रमाया, ग़नीमत और फ़ै का माल जो काफ़िरों से हासिल हो उस पर यह शुब्हा हो सकता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये कैसे हलाल हुआ? इस शुब्हे को दूर करने के लिये अल्लाह जल्ल शानुहू का नाम इस जगह ज़िक्र किया गया कि दर हक़ीक़त हर चीज़ का मालिक अल्लाह तआ़ला है, उसने अपने फ़ज़्ल से एक ख़ास क़ानून के तहत इनसानों को मालिकाना हक़ दिया है, लेकिन जो इनसान बाग़ी हो जायें उनको सही रास्ते पर लाने के लिये अव्वल तो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और आसमानी हिदायतें भेजी गयीं जो उनसे भी मुतास्सिर नहीं हुए, उनको यह हक़ दिया गया कि कम से कम इस्लामी क़ानून की इताअ़त क़ुबूल कर लें और निर्धारित जिज़या व ख़िराज अपने माल में से हुकूमत को अदा किया करें, जिन लोगों ने इससे भी बग़ावत की उनके मुक़ाबले में जिहाद व क़िताल का हुक्म हो गया, जिसका हासिल यह है कि उनकी जान और माल एहतिराम व सम्मान के क़ाबिल नहीं, उनके माल ख़ुदाई हुकूमत के हक़ में ज़ब्त हो गये, और जंग व जिहाद के ज़रिये जो माल उनसे हासिल हुआ वह किसी इनसान की ज़ाती मिल्कियत नहीं रहा, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह तआ़ला की मिल्क में वापस हो गया। और लफ़्ज़ फ़ै में इस मफ़्हूम की तरफ़ इशारा भी है, कि इसके असली मायने लौटने ही के हैं, इस माल को फ़ै इसलिये कहा गया कि यह असल मालिके हक़ीक़ी अल्लाह तआ़ला की मिल्कियत की तरफ़ लौट गया, अब इसमें किसी इनसानी मिल्कियत का कोई दख़ल नहीं। इसके बाद जिन मुस्तहिक़ लोगों को इसमें से कोई हिस्सा दिया जायेगा यह डायरेक्ट अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से होगा, इसलिये ऐसा ही हलाल व पाक होगा जैसे पानी और ख़ुद उगने वाली घास जो डायरेक्ट हक़ तआ़ला का अ़तीया (इनायत) इनसान के लिये है

और हलाल व पाक है।

ख़ुलासा यह है कि अल्लाह तआ़ला का नाम इस जगह ज़िक्र करने से इशारा इस तरफ़ है कि यह सारा माल दर असल अल्लाह का है, उसकी तरफ़ से मुस्तहिक़ लोगों को दिया जाता है, यह किसी का सदक़ा व ख़ैरात नहीं।

अब मुस्तहिक़ (पात्र व हक़दार) और ख़र्च के महल व मौक़े कुल पाँच रह गये- (1) रसूल, (2) ज़विल्-क़ुरबा, (3) यतीम, (4) मुसाफ़िर, (5) मिस्कीन। यही पाँच मौक़े माले ग़नीमत के पाँचवे हिस्से के ख़र्च के हैं, जिसका बयान सूरः अनफ़ाल में आया है, और यही फ़ै के माल ख़र्च के मौक़े हैं, और दोनों का हुक्म यह है कि ये सब माल दर हक़ीक़त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके बाद आपके ख़लीफ़ाओं के मुकम्मल इख़्तियार में होते हैं, वे चाहें तो इन सब मालों को आ़म मुसलमानों की फ़लाह व बेहतरी के लिये रोक लें और बैतुल-माल में जमा कर दें, किसी को कुछ न दें और चाहें तक़सीम कर दें, अलबत्ता तक़सीम किये जायें तो इन पाँच क़िस्मों में सीमित रहें। (क़ुर्तुबी)

ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन रज़ियल्लाहु अ़न्हुम और दूसरे सहाबा-ए-किराम के तरीक़े व अ़मल से साबित हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में तो माले फ़ै आपके इख़्तियार में था, आपकी मर्ज़ी और राय के मुताबिक़ ख़र्च किया जाता था, आपके बाद आपके ख़लीफ़ाओं के इख़्तियार और मर्ज़ी व राय पर रहा।

फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का जो हिस्सा इस माल में रखा गया था वह आपकी वफ़ात के बाद ख़त्म हो गया, ज़विल्-क़ुर्बा (क़रीबी रिश्तेदारों) को इस माल में से देने की दो वजह थीं- एक रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद, यानी इस्लामी कामों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद करना, इस लिहाज़ से मालदार क़रीबी रिश्तेदारों को भी इसमें से हिस्सा दिया जाता था।

दूसरे यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के क़रीबी रिश्तेदारों पर सदक़े का माल हराम कर दिया गया तो उनमें के ग़रीब व ज़रूरत मन्द हज़रात को सदक़े के बदले में फ़ै के माल से हिस्सा दिया जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात के बाद नुसरत व इमदाद का सिलसिला ख़त्म हो गया तो यह वजह बाक़ी न रही, इसलिये आपके क़रीबी रिश्तेदारों के मालदार हज़रात का हिस्सा भी रसूले पाक सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हिस्से की तरह ख़त्म हो गया, अलबत्ता क़रीबी रिश्तेदारों में जो ग़रीब हज़रात थे उनका हिस्सा उनकी ग़रीबी व ज़रूरत मन्दी के हिसाब से इस माल में बाक़ी रहा, और वे इस माल में दूसरे ग़रीबों और ज़रूरत मन्दों के मुक़ाबले में मुक़द्दम (आगे और सर्वप्रथम) रखे जायेंगे। (जैसा कि हिदाया में है) इसकी पूरी तफ़सील सूरः अनफ़ाल में आ चुकी है।

كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً، بَيْنَ الْاَغْنِيَآءِ مِنْكُمْ.

दूलत उस माल को कहा जाता है जिसका आपस में लेन-देन किया जाये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) (आयत के मायने ये हैं कि फ़ै के माल के मुस्तहिक़ लोग इसलिये मुतैयन कर दिये) "ताकि यह माल

तुम्हारे मालदारों और सरमायेदारों में गर्दिश करने वाली दौलत न बन जाये।" इसमें जाहिलीयत के ज़माने की उस बुरी रस्म को मिटाने की तरफ़ इशारा है जिसमें इस तरह के तमाम मालों पर रईस (बड़ा आदमी और सरदार) ख़ुद क़ाबिज़ व मालिक हो जाता था, ग़रीबों, मिस्कीनों के हक़ का उसमें कोई हिस्सा न रहता था।

दौलत को जमा करने और रोकने पर इस्लामी क़ानून की प्रभावी चोट

हक़ तआ़ला रब्बुल-आ़लमीन (तमाम जहानों का पालने वाला) है, उसकी मख़्लूक़ होने की हैसियत से इनसानी ज़रूरतों में तमाम इनसानों का बराबर का हक़ है। इसमें मोमिन व काफ़िर का भी फ़र्क़ नहीं किया गया, ख़ानदानी और अमीर व ग़रीब तब्क़ों का क्या भेदभाव होता। अल्लाह तआ़ला ने दुनिया में दौलत की तक़सीम का बहुत बड़ा हिस्सा जो इनसान की फ़ितरी और असली ज़रूरतों पर मुश्तमिल है उसकी तक़सीम ख़ुद अपने क़ब्ज़े व इख़्तियार में रखकर इस तरह फ़रमाई है कि उससे हर तब्क़ा, हर ख़ित्ता, हर कमज़ोर व ताक़तवर बराबर तौर पर फ़ायदा उठा सके। ऐसी चीज़ों को अल्लाह जल्ल शानुहू ने अपनी कामिल व बेमिसाल हिक्मत से आ़म इनसानी पहुँच और क़ब्ज़े से ऊपर की चीज़ बना दिया है, किसी की मजाल नहीं कि उस पर ज़ाती क़ब्ज़ा जमा सके। हवा, फ़िज़ा, सूरज, चाँद और ग्रहों की रोशनी, फ़िज़ा में पैदा होने वाले बादल उनकी बारिश, ये चीज़ें ऐसी हैं कि इनके बग़ैर इनसान थोड़ी देर भी ज़िन्दा नहीं रह सकता, इन सब को हक़ तआ़ला शानुहू ने सब के लिये ऐसा आ़म और वक़्फ़ बना दिया कि कोई बड़ी से बड़ी हुकूमत व ताक़त इस पर क़ब्ज़ा नहीं जमा सकती, ये चीज़ें अल्लाह की मख़्लूक़ को हर जगह बराबर तौर पर मिलती हैं।

ज़रूरत की चीज़ों की दूसरी क़िस्त ज़मीन से निकलने वाले पानी और खाने की चीज़ें हैं, ये अगरचे इतनी आ़म नहीं मगर इस्लामी क़ानून में पहाड़ों, ग़ैर-आबाद जंगलों और क़ुदरती चश्मों को वक़्फ़े आ़म (सब के लिये फ़्री) छोड़कर एक ख़ास क़ानून के तहत ख़ास-ख़ास इनसानों को ज़मीन के कुछ हिस्सों पर मिल्कियत का जायज़ हक़ भी दिया जाता है और नाजायज़ क़ब्ज़ा व इख़्तियार जमाने वाले भी ज़मीन पर क़ब्ज़ा जमा लेते हैं, लेकिन क़ुदरती तौर पर ज़मीन के फ़ायदे कोई बड़ा सरमायेदार भी बग़ैर ग़रीबों, किसानों, मज़दूरों को साथ लिये हासिल नहीं कर सकता, इसलिये एक तरह से क़ब्ज़े के बावजूद उसमें दूसरे कमज़ोर ग़रीबों को हिस्सा देने पर मजबूर है।

तीसरी क़िस्त सोना-चाँदी, रुपया-पैसा है, जो असली और फ़ितरी ज़रूरतों में दाख़िल नहीं, मगर हक़ तआ़ला ने उसको तमाम ज़रूरतों के हासिल करने का ज़रिया बना दिया है, और ये खानों व ज़मीनी स्रोतों से निकालने के बाद ख़ास क़ानून के तहत निकालने वालों की मिल्कियत हो जाता है और उनसे उनकी मिल्कियत मुख़्तलिफ़ तरीक़ों पर दूसरों की तरफ़ मुन्तक़िल होती रहती है। और अगर उसकी गर्दिश पूरे इनसानों में सही तौर पर होती रहे तो कोई इनसान भूखा-नंगा नहीं रह सकता, मगर होता यह है कि माल से सिर्फ़ ख़ुद ही फ़ायदा उठाये, दूसरों तक उसका फ़ायदा न पहुँचे, इस

कन्जूसी व लालच ने दुनिया में दौलत को जमा करने और सरमाया परस्ती के पुराने और नये बहुत से तरीक़े ईजाद कराये, जिनके ज़रिये इस दौलत की गर्दिश सिर्फ़ सरमायेदारों और बड़े लोगों के हाथों तक सीमित होकर रह गयी, आम ग़रीब व ज़रूरत मन्द मेहरूम कर दिये गये, जिसके रद्दे-अमल (प्रतिक्रिया) ने दुनिया में कम्यूनिज़्म (साम्यवाद) और सोशलिज़्म (समाजवाद) जैसे नामाक़ूल तरीक़े ईजाद किये।

इस्लामी क़ानून ने एक तरफ़ तो व्यक्तिगत मिल्कियत का इतना सम्मान किया कि एक शख़्स के माल को उसकी जान के बराबर, जान को बैतुल्लाह की हुर्मत के बराबर क़रार दिया, उस पर किसी के नाजायज़ क़ब्ज़े व अमल-दख़ल को सख़्ती से रोका, दूसरी तरफ़ जो हाथ नाजायज़ तौर पर उसकी तरफ़ बढ़ा वह हाथ काट दिया गया, तीसरी तरफ़ ऐसे तमाम दरवाज़े बन्द कर दिये कि क़ुदरती स्रोतों व संसाधनों से हासिल होने वाली चीज़ों पर कोई ख़ास शख़्स या जमाअ़त क़ब्ज़ा करके बैठ जाये और अवाम को मेहरूम कर दे।

कमाने और माल हासिल करने के प्रचलित तरीक़ों में सूद, सट्टा, जुआ ऐसी चीज़ें हैं कि उनके ज़रिये दौलत सिमटकर चन्द अफ़राद व व्यक्तियों में घूमकर रह जाती है, इन सब को सख़्त हराम क़रार देकर तिजारत व किरायेदारी वग़ैरह के तमाम मामलात में उनकी जड़ काट दी, और जो दौलत किसी शख़्स के पास जायज़ तरीक़ों से जमा हुई उसमें भी ग़रीबों फ़क़ीरों के हुक़ूक़- ज़कात, उश्र, सदक़ा-ए-फ़ित्र, कफ़्फ़ारे वग़ैरह मुक़र्ररा फ़राईज़ की सूरत में और उससे ज़ायद रज़ाकाराना सूरत में क़ायम फ़रमा दिये, और इन सब ख़र्चों के बाद भी जो कुछ इनसान के मरने के वक़्त तक बाक़ी रह गया उसको एक ख़ास हकीमाना उसूल के मुताबिक़ तक़सीम कर दिया कि उसका हक़दार उसी मरने वाले के रिश्तेदारों को जो ज़्यादा क़रीब है फिर जो उनके बाद क़रीब है इस उसूल पर बना दिया, इसको आम ग़रीबों में तक़सीम करने का क़ानून इसलिये न बनाया कि ऐसा होता तो मरने वाला अपने मरने से पहले ही उसको सही-ग़लत जगह ख़र्च करके फ़ारिग़ होने की इच्छा तबई तौर पर रखता, अपने ही रिश्तेदारों व क़रीबी अफ़राद को मिलता देखकर यह जज़्बा व तक़ाज़ा उसके दिल में परवरिश न पायेगा।

यह तरीक़ा तो कमाने और माल हासिल करने के आम प्रचलित तरीक़ों में दौलत को एक सीमित दायरे में जमा होने से बचाने का इख़्तियार किया, दूसरा तरीक़ा दौलत हासिल होने का जंग व जिहाद है, इससे हासिल होने वाले मालों में वह शरई तक़सीम जारी फ़रमा दी जिसका कुछ ज़िक्र सूरः अनफ़ाल में गुज़रा है और कुछ इस सूरत में बयान हुआ है। कैसे अ़क़्ल के अन्धे हैं वे लोग जो इस्लाम के इस इन्साफ़ भरे, आदिलाना और हकीमाना निज़ाम को छोड़कर नये-नये तरीक़ों और व्यवस्थाओं को इख़्तियार करके दुनिया के अमन को बरबाद करते हैं।

مَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللّٰهَ.......... الاٰية.

यह आयत अगरचे फ़ै के माल की तक़सीम के सिलसिले में आई है और इस सिलसिले के मुनासिब इसका मफ़्हूम यह है कि फ़ै के माल में अगरचे अल्लाह तआ़ला ने हक़दार लोगों के दर्जे व

तब्क़े बयान कर दिये हैं मगर उनमें किसको और कितना दें इसको मुतैयन करना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मर्ज़ी व राय और बेहतर समझने पर रखा है, इसलिये मुसलमानों को इस आयत में हिदायत दी गयी कि आप जिसको जितना अ़ता फ़रमा दें उसको राज़ी होकर ले लें और जो न दें उसकी फ़िक्र में न पड़ें। आगे इसको 'इत्तक़ुल्ला-ह' (अल्लाह से डरो) के हुक्म से मज़बूत कर दिया, कि अगर इस मामले में कुछ ग़लत हीले-बहाने बनाकर ज़्यादा वसूल कर भी लिया तो अल्लाह तआ़ला को सब ख़बर है, वह उसकी सज़ा देगा।

क़ुरआन के हुक्म की तरह रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का हुक्म भी वाजिबुत्तामील है

आयत के अलफ़ाज़ आ़म हैं, सिर्फ़ मालों के साथ ख़ास नहीं, बल्कि अहकाम भी इसमें दाख़िल हैं, इसलिये आ़म अन्दाज़ में आयत का मफ़्हूम यह है कि जो कोई हुक्म या माल या और कोई चीज़ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी को अ़ता फ़रमा दें वह उसको ले लेना चाहिये और उसके मुताबिक़ अ़मल के लिये तैयार हो जाना चाहिये, और जिस चीज़ से रोक दें उससे रुकना चाहिये।

बहुत से सहाबा-ए-किराम ने इसी आ़म मफ़्हूम को इख़्तियार करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हर हुक्म को इस आयत की बिना पर क़ुरआन ही का हुक्म और वाजिबुत्तामील क़रार दिया है। इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि इस आयत में 'आता' (देने) के मुक़ाबिल 'नहा' (रोकने) का लफ़्ज़ आया है, इससे मालूम होता है कि अ़ता के मायने यहाँ हुक्म के हैं जो नहा का सही मुक़ाबिल है। और क़ुरआने करीम ने 'नहा' के मुक़ाबिल में 'अम्र' के लफ़्ज़ को छोड़कर आता का लफ़्ज़ इस्तेमाल शायद इसलिये फ़रमाया ताकि जिस मज़मून के तहत में यह आयत आई है यानी माले फ़ै की तक़सीम, उस पर भी आयत का मज़मून शामिल रहे।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक शख़्स को एहराम की हालत में सिले हुए कपड़े पहने देखा तो हुक्म दिया कि ये कपड़े उतार दो। उस शख़्स ने कहा कि आप इसके मुताल्लिक़ मुझे क़ुरआन की कोई आयत बता सकते हैं जिसमें सिले हुए कपड़ों की मनाही हो? हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया हाँ वह आयत मैं बताता हूँ, फिर यही उपरोक्त आयतः

مَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ..................

पढ़कर सुना दी। इमाम शाफ़ई रह. ने एक मर्तबा लोगों से कहा कि मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब क़ुरआन से दे सकता हूँ, पूछो जो कुछ पूछना है। एक शख़्स ने अ़र्ज़ किया कि एक एहराम की हालत वाले शख़्स ने ज़म्बूर (ततैया) मार डाला तो उसका क्या हुक्म है? इमाम शाफ़ई रह. ने यही आयत 'मा आताकुमुर्रसूलु...............' तिलावत करके हदीस से इसका हुक्म बयान फ़रमा दिया।

(तफ़सीर क़ुर्तुबी)

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ..............

इन चन्द आयतों में रुकूअ़ के आख़िर तक ग़रीब व ज़रूरत मन्द मुहाजिरीन व अन्सार और उनके बाद आने वाली आम उम्मत के अफ़राद का बयान है। नहवी तरकीब के एतिबार से 'लिल्फ़ुक़रा-इ' को 'लिज़िल्-क़ुरबा' का बदल क़रार दिया गया जो इससे पहली आयत में मज़कूर है (तफ़सीरे मज़हरी) और मतलब आयत का यह है कि पिछली आयत में जो आम यतीमों, मिस्कीनों और मुसाफ़िरों को उनकी ग़ुर्बत व तंगदस्ती और ज़रूरत मन्द होने की बिना पर फ़ै के माल के मुस्तहिक़ लोगों में शुमार किया गया है, इन आयतों में उसकी और अधिक वज़ाहत की गयी-है कि अगरचे हक़दार इस माल में तमाम ही ग़रीब व मिस्कीन लोग हैं लेकिन फिर उनमें ये हज़रात और सब लोगों से मुक़द्दम (पहले) हैं जिनकी दीनी ख़िदमात, ज़ाती ख़ूबियाँ और दीनी कमालात मारूफ़ (मशहूर और जाने-पहचाने) हैं।

सदक़े के मालों में नेक लोगों और दीनी ख़िदमात अन्जाम देने वाले ज़रूरत मन्द हज़रात को पहले रखा जाये

इससे मालूम हुआ कि सदक़ों के माल ख़ास तौर पर फ़ै के माल अगरचे आम मुसलमाना ग़रीबों की ज़रूरत व आवश्यकता पूरी करने के लिये हैं लेकिन उनमें भी नेक, सालेह, दीनदार ख़ुसूसन दीनी ख़िदमात अन्जाम देने वाले तलबा, उलेमा औरों से मुक़द्दम (आगे और पहले) रखे जायें, इसी लिये इस्लामी हुकूमतों में तालीम व तब्लीग़ और मख़्लूक़ की इस्लाह में मशग़ूल उलेमा और मुफ़्तियों, क़ाज़ियों को उनके गुज़ारे के ख़र्चे फ़ै के माल ही से देने का रिवाज था, क्योंकि इन आयतों में सहाबा-ए-किराम में भी अव्वल दो दर्जे क़ायम किये गये- एक मुहाजिरीन जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये बड़ी क़ुरबानियाँ पेश कीं, और इस्लाम के लिये बड़ी मुसीबतें झेलीं, आख़िरकार माल व जायदाद, वतन और तमाम अपनों व रिश्तेदारों को छोड़कर मदीना तय्यिबा की तरफ़ हिजरत की। दूसरे मदीना के अन्सार हज़रात हैं, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके साथ आने वाले मुहाजिरीन हज़रात को बुलाकर दुनिया को अपना मुख़ालिफ़ बनाया और उन हज़रात की ऐसी मेज़बानी की कि जिसकी नज़ीर दुनिया में नहीं मिलती। इन दोनों तब्क़ों के बाद तीसरा दर्जा उन मुसलमानों का क़रार दिया जो हज़राते सहाबा किराम के बाद इस्लाम लाये और उनके नक़्शे-क़दम पर चले जिसमें क़ियामत तक आने वाले सब मुसलमान शरीक हैं। आगे इन तीनों तब्क़ों के कुछ फ़ज़ाईल व कमालात और दीनी ख़िदमात का बयान है।

मुहाजिरीन सहाबा के फ़ज़ाईल

اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۞

इसमें मुहाजिरीन (हिजरत करने वाले सहाबा) का पहला वस्फ़ (ख़ूबी और सिफ़त) यह बयान फ़रमाया कि उनको उनके वतन और माल व जायदाद से निकाल दिया गया, यानी मक्का के काफ़िरों ने सिर्फ़ इस जुर्म में कि ये लोग मुसलमान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के हामी व मददगार हो गये थे उन पर तरह-तरह के अत्याचार और ज़ुल्म ढहाये यहाँ तक कि वे अपना वतन और माल व जायदाद छोड़कर हिजरत करने पर मजबूर हो गये। कुछ लोग भूख से मजबूर होकर पेट को पत्थर बाँध लेते थे और कुछ लोग सर्दी का सामान न होने के सबब ज़मीन में गढ़ा खोदकर उसमें सर्दी से बचते थे। (तफ़सीरे मज़हरी, क़ुर्तुबी)

एक अहम मसला

मुसलमानों के मालों पर काफ़िरों के क़ब्ज़े का हुक्म

इस आयत में हज़राते मुहाजिरीन को -'फ़ुक़रा' (ग़रीब व नादार) फ़रमाया, और फ़क़ीर वह शख़्स होता है जिसकी मिल्क में कुछ न हो या कम से कम शरई निसाब के बराबर कोई चीज़ न हो, हालाँकि हज़राते मुहाजिरीन में से अक्सर मक्का मुकर्रमा में माल व जायदाद वाले थे। अगर हिजरत के बाद भी वो माल उनकी मिल्कियत में होते तो उनको 'फ़ुक़रा' कहना दुरुस्त न होता। क़ुरआने करीम ने उनको फ़ुक़रा फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कर दिया कि हिजरत के बाद उनकी जायदाद और माल जो मक्का में छोड़कर आये और काफ़िरों ने उन पर क़ब्ज़ा कर लिया वो उनकी मिल्क से निकल गये। इसी लिये इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक रह. ने फ़रमाया कि अगर मुसलमान किसी जगह हिजरत करके चले आयें और उनके माल व जायदाद पर काफ़िर क़ाबिज़ हो जायें, या ख़ुदा न करे किसी दारुल-इस्लाम पर वे ग़ालिब आकर मुसलमानों के माल व जायदाद छीन लें तो ये माल व जायदाद काफ़िरों के मुकम्मल मालिकाना क़ब्ज़े के बाद उन्हीं की मिल्क हो जाते हैं, उन मुसलमानों के मालों में उनके चलाये हुए इख़्तियारात जैसे बेचना व ख़रीदना वग़ैरह नाफ़िज़ होते हैं, हदीस की रिवायतों से भी इसकी ताईद होती है। तफ़सीरे मज़हरी में इस जगह वो सब रिवायतें नक़ल की हैं।

मुहाजिरीन (हिजरत करने वालों की दूसरी सिफ़त इस आयत में यह ज़िक्र फ़रमाई है:

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا.

यानी उनके इस्लाम में दाख़िल होने और फिर हिजरत करके माल व वतन को छोड़ने की कोई दुनियावी ग़र्ज़ न थी, बल्कि सिर्फ़ अल्लाह का फ़ज़्ल व रज़ा मतलूब थी, जिससे उनका कामिल इख़्लास वाला होना मालूम हुआ। लफ़्ज़ **फ़ज़्ल** उमूमन दुनियावी नेमत के लिये और **रिज़वान** आख़िरत की नेमत के लिये बोला जाता है, इसलिये मफ़्हूम यह हुआ कि उन हज़रात ने अपने पहले के तमाम आराम व ऐश के सामान- मकान, जायदाद वग़ैरह को तो छोड़ दिया, अब दुनियावी ज़रूरतें भी और आख़िरत की नेमतें भी सिर्फ़ इस्लाम के साये में मतलूब थीं और दुनिया की ज़िन्दगी की ज़रूरतें भी

अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रज़ा के तहत हासिल करना मक़सद (उद्देश्य) था।

मुहाजिरीन हज़रात की तीसरी सिफ़त यह बयान फ़रमाईः

وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ.

यानी ये सब काम उन्होंने इसलिये इख़्तियार किये कि अल्लाह और उसके रसूल की मदद करें। अल्लाह की मदद से मुराद उसके दीन की मदद है, जिसमें उन्होंने हैरत-अंगेज़ क़ुरबानियाँ पेश कीं।

उनकी चौथी सिफ़त हैः

اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ ۝

यानी यही लोग क़ौल व अ़मल के सच्चे हैं। इस्लाम का कलिमा पढ़कर जो अ़हद अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बाँधा था उसमें बिल्कुल पूरे उतरे। इस आयत ने तमाम मुहाजिरीन सहाबा के सादिक़ (सच्चा) होने का आ़म ऐलान कर दिया, जो शख़्स उनमें से किसी को झूठा क़रार दे वह मुसलमान नहीं हो सकता, क्योंकि वह इस आयत का इनकारी है, मआ़ज़ल्लाह। राफ़ज़ी लोग जो उन हज़रात को मुनाफ़िक़ कहते हैं यह इस आयत को खुले तौर पर झुठलाना है, इन हज़राते मुहाजिरीन का अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नज़दीक यह मक़ाम था कि अपनी दुआ़ओं में अल्लाह तआ़ला से इन ग़रीब व नादार मुहाजिरीन का वसीला देकर दुआ़ फ़रमाते थे (जैसा कि इमाम बग़वी ने नक़ल किया है, तफ़सीरे मज़हरी)।

अन्सार सहाबा के फ़ज़ाईल, मदीना तय्यिबा की एक ख़ास फ़ज़ीलत

وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ.......... الاٰية.

'तबव्वउन्' के मायने ठिकाना बनाने के हैं, और दार से मुराद हिजरत का घर या ईमान का घर यानी मदीना तय्यिबा है। इसी लिये हज़रत इमाम मालिक रह. एक हैसियत से मदीना तय्यिबा को बाक़ी दुनिया के सब शहरों से अफ़ज़ल क़रार देते थे, फ़रमाते थे कि दुनिया के तमाम शहर और मुल्क जहाँ-जहाँ इस्लाम पहुँचा और फैला है सब जिहाद के ज़रिये फ़तह हुए हैं, यहाँ तक कि मक्का मुकर्रमा भी, सिवाय मदीना तय्यिबा के, यह सिर्फ़ ईमान से फ़तह हुआ है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इस आयत में तबव्वउ के तहत में दार के साथ ईमान का भी ज़िक्र फ़रमाया है, हालाँकि ठिकाना पकड़ने का ताल्लुक़ किसी मक़ाम और जगह से होता है, ईमान कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें ठिकाना पकड़ा जाये, इसलिये कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यहाँ एक लफ़्ज़ पोशीदा है यानी 'अख़्लसू' या 'तमक्कनू' मतलब यह होगा कि यही वे हज़रात हैं जिन्होंने दारुल-हिजरत में ठिकाना बनाया और ईमान में मुख़्लिस और मज़बूत हुए। और यह भी हो सकता है कि यहाँ मिसाल व मुहावरे के तौर पर ईमान को एक महफ़ूज़ मकान से तशबीह देकर उसमें पनाह लेने वाले हो जाने को बयान फ़रमाया हो, और लफ़्ज़ 'मिन् क़ब्लिहिम्' (यानी मुहाजिरीन से पहले) का मतलब यह है कि उन मदीना के अन्सार सहाबा की एक फ़ज़ीलत यह है कि जो शहर अल्लाह के नज़दीक दारुल-हिजरत और दारुल-ईमान बनने वाला था, उसमें इन लोगों का क़ियाम व क़रार मुहाजिरीन से पहले हो चुका था, और मुहाजिरीन

के यहाँ मुन्तक़िल होने से पहले ही ये हज़रात ईमान क़ुबूल करके इसमें पुख़्ता व मज़बूत हो चुके थे।

दूसरी सिफ़त

अन्सार हज़रात की इस आयत में दूसरी सिफ़त यह बयान की गयी है:

يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ.

यानी ये हज़रात उन लोगों से मुहब्बत रखते हैं जो हिजरत करके इनके शहर में चले आये हैं, जो आम दुनिया के इनसानों के मिज़ाज के ख़िलाफ़ है। ऐसे उजड़े हुए ख़स्ता हाल लोगों को अपनी बस्ती में जगह देना कौन पसन्द करता है, हर जगह मुल्की और ग़ैर-मुल्की के सवालात खड़े होते हैं, मगर इन हज़राते अन्सार ने सिर्फ़ यही नहीं किया कि उनको अपनी बस्ती में जगह दी बल्कि अपने मकानों में आबाद किया और अपने मालों में हिस्सेदार बनाया, और इस तरह इज़्ज़त व एहतिराम के साथ उनका स्वागत किया कि एक-एक मुहाजिर को अपने पास जगह देने के लिये कई-कई अन्सारी हज़रात ने दरख़्वास्त की, यहाँ तक कि क़ुरआ-अन्दाज़ी करनी (लॉटरी डालनी) पड़ी, क़ुरआ के ज़रिये मुहाजिर जिस अन्सारी के हिस्से में आया उसको सुपुर्द किया गया। (तफ़सीरे मज़हरी)

तीसरी सिफ़त

अन्सार हज़रात की तीसरी सिफ़त यह बयान फ़रमाई:

وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا.

इस जुमले का ताल्लुक़ उस ख़ास वाक़िए से है जो बनू नज़ीर के जिला-वतन होने और उनके बाग़ों व मकानों पर मुसलमानों का क़ब्ज़ा होने के वक़्त पेश आया।

बनू नज़ीर के मालों की तक़सीम का वाक़िआ

सूरत यह थी कि जब इस आयत में फ़ै के मालों की तक़सीम मुहाजिरीन व अन्सार वग़ैरह में करने का इख़्तियार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दे दिया गया, यह वह वक़्त था कि मुहाजिरीन के पास न अपना कोई मकान था न जायदाद, वे हज़राते अन्सार के मकानों में रहते और उन्हीं की जायदादों में मेहनत मज़दूरी करके गुज़ारा करते थे। जब बनू नज़ीर और बनू क़ैनुक़ाअ़ के माल फ़ै के तौर पर मुसलमानों को हासिल हुए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने मदीना के अन्सार के सरदार साबित बिन क़ैस बिन शम्मास रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फ़रमाया कि अपनी क़ौम अन्सार को मेरे पास बुला दो। उन्होंने पूछा या रसूलल्लाह! अन्सार के अपने क़बीले ख़ज़्रज को या सब अन्सार को? आपने फ़रमाया सब ही को बुलाना है। ये सब हज़रात जमा हो गये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने एक ख़ुतबा दिया, जिसमें अल्लाह की तारीफ़ व सना और दुरूद व सलाम के बाद मदीना के अन्सार की इस बात पर तारीफ़ व प्रशंसा फ़रमाई कि उन्होंने जो सुलूक अपने मुहाजिर भाईयों के साथ किया वह बड़े इरादे व हिम्मत का काम था, इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने बनू नज़ीर के माल आप लोगों को दे

दिये हैं, अगर आप चाहें तो मैं उन मालों को मुहाजिरीन व अन्सार सब में तकसीम कर दूँ और मुहाजिरीन पहले की तरह आपके मकानों में रहते रहें, और आप चाहें तो ऐसा किया जाये कि ये बेघर व बेसामान लोग हैं, ये माल सिर्फ़ इनमें तकसीम कर दिये जायें और ये लोग आपके घरों को छोड़कर अलग अपने-अपने घर बसा लें।

यह सुनकर मदीना के अन्सार हज़रात के दो बड़े सरदार हज़रत सअ़द बिन उबादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु और सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु खड़े हुए और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! हमारी राय यह है कि ये सब माल भी सिर्फ़ मुहाजिर भाईयों में तकसीम फ़रमा दीजिये और वे फिर भी हमारे मकानों में बदस्तूर मुक़ीम रहें। उनकी बात सुनकर तमाम हाज़िरीन अन्सार बोल उठे कि हम इस फ़ैसले पर राज़ी और ख़ुश हैं। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तमाम अन्सार और अन्सार की औलाद को दुआ़ दी, और उन मालों को सिर्फ़ मुहाजिरीन में तकसीम फ़रमा दिया। अन्सार में से सिर्फ़ दो हज़रात को जो बहुत ज़रूरत मन्द थे उसमें से हिस्सा अ़ता फ़रमाया, यानी सहल बिन हुनैफ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु और अबू दुजाना रज़ियल्लाहु अ़न्हु, और सअ़द बिन मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु को एक तलवार अ़ता फ़रमाई जो इब्ने अबिल-हुक़ैक़ की एक विशेष तलवार थी।

(तफ़सीरे मज़हरी, सबीलुर्रशाद मुहम्मद बिन यूसुफ़ सालिही)

आयते मज़्कूरा में जो यह इरशाद फ़रमायाः

لَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا.

इसमें हाजत से मुराद हर ज़रूरत की चीज़ है, और मिम्मा ऊतू की ज़मीर मुहाजिरीन की तरफ़ लौट रही है, आयत के मायने ये हैं कि इस तकसीम में जो कुछ मुहाजिरीन को दे दिया गया मदीना के अन्सार ने ख़ुशी से उसको इस तरह क़ुबूल किया कि गोया उनको उन चीज़ों की कोई हाजत ही नहीं, उनको देने से बुरा मानना या शिकायत करना इसकी तो दूर-दूर कोई संभावना ही न थी, इसके विपरीत जब बहरीन फ़तह हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने चाहा कि यह पूरा माल सिर्फ़ अन्सार में तकसीम कर दिया जाये मगर अन्सार ने उसको क़ुबूल न किया, बल्कि अ़र्ज़ किया हम उस वक़्त तक न लेंगे जब तक हमारे मुहाजिर भाईयों को भी उसमें से हिस्सा न दिया जाये।

(बुख़ारी, अनस बिन मालिक की रिवायत से, इब्ने कसीर)

चौथी सिफ़त

मदीना के अन्सार रज़ियल्लाहु अ़न्हुम की चौथी सिफ़त इस आयत में यह ज़िक्र फ़रमाई हैः

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ.

ख़सासतु के मायने तंगदस्ती व फ़ाक़े के हैं, और ईसार के मायने दूसरों की इच्छा और ज़रूरत को अपनी इच्छा व ज़रूरत पर आगे रखने के हैं। आयत के मायने ये हैं कि हज़राते अन्सार अपने ऊपर दूसरों को यानी मुहाजिरीन को तरजीह देते थे कि अपनी हाजत व ज़रूरत को पूरा करने से पहले उनकी हाजत को पूरा करते थे, अगरचे यह ख़ुद ज़रूरत मन्द और फ़क्र व फ़ाक़े में हों।

हज़राते सहाबा ख़ासकर अन्सार रज़ियल्लाहु अन्हुम के ईसार के चन्द वाक़िआत

अगरचे आयतों की तफ़सीर के लिये वाक़िआत के बयान करने की ज़रूरत नहीं मगर ये वाक़िआत हर इनसान को आला इनसानियत का सबक़ देने वाले और ज़िन्दगी में बदलाव लाने वाले हैं इसलिये मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस मौक़े पर इनको तफ़सील से लिखा है, ख़ास तौर पर तफ़सीरे क़ुर्तुबी के लेखक ने, उसी से चन्द वाक़िआत नक़ल किये जाते हैं।

तिर्मिज़ी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक अन्सारी के घर रात को कोई मेहमान आ गया, उनके पास सिर्फ़ इतना खाना था कि वह ख़ुद और उनके बच्चे खा सकें, उन्होंने अपनी बीवी से फ़रमाया कि बच्चों को तो किसी तरह सुला दो और घर का चिराग़ गुल कर दो, फिर मेहमान के सामने खाना रखकर बराबर में बैठ जाओ ताकि मेहमान समझे कि हम भी खा रहे हैं, मगर हम न खायें, ताकि मेहमान अच्छी तरह खाना खा सके, उस पर यह उक्त आयतः

يُؤْثِرُوْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ

(यानी ऊपर बयान हुई आयत नम्बर 9) नाज़िल हुई। (इमाम तिर्मिज़ी ने इसे हसन सही कहा है)

और तिर्मिज़ी ही में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से एक दूसरा वाक़िआ यह मन्क़ूल है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया कि मैं भूख से परेशान हूँ, आपने अपनी पाक बीवियों में से एक के पास इत्तिला भेजी तो उनका जवाब आया कि हमारे पास तो इस वक़्त सिवाय पानी के कुछ नहीं, दूसरी के पास पैग़ाम भेजा वहाँ से भी यही जवाब आया, फिर तीसरी चौथी यहाँ तक कि तमाम उम्महातुल-मोमिनीन के पास भेजा और सब का एक ही जवाब आया कि पानी के सिवा हमारे पास कुछ नहीं। अब आपने मज्लिस में हाज़िर हज़रात से ख़िताब फ़रमाया कि कौन है जो आज रात इस शख़्स की मेहमानी करे? एक अन्सारी ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! मैं करूँगा। उनको साथ ले गये और जाकर घर में पूछा कि खाने के लिये कुछ है? बीवी ने बतलाया कि सिर्फ़ इतना है कि हमारे बच्चे खा लें, अन्सारी बुज़ुर्ग ने बच्चों को सुला देने के लिये फ़रमाया और फ़रमाया कि मेहमान के सामने खाना रखने और ख़ुद साथ बैठ जाने के बाद उठकर चिराग़ गुल कर देना कि हमारे न खाने का मेहमान को एहसास न हो, मेहमान ने खाना खा लिया, जब यह सुबह को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए तो आपने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे उस मामले को जो तुमने गुज़री रात अपने मेहमान के साथ किया बहुत पसन्द फ़रमाया।

और मह्दवी ने एक ऐसा ही वाक़िआ एक अन्सारी बुज़ुर्ग का हज़रत साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ रात को चिराग़ गुल करके खाना खिलाने का ज़िक्र किया है, और तमाम वाक़िआत के साथ रिवायत में यह भी है कि उक्त आयत इस वाक़िए में नाज़िल हुई है।

और इमाम क़ुशैरी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल किया है कि

सहाबा-ए-किराम में से एक बुज़ुर्ग को किसी शख़्स ने एक बकरी का सर हदिये के तौर पर पेश किया, उस बुज़ुर्ग ने ख़्याल किया कि हमारा फ़ुलाँ भाई और उसके बाल-बच्चे हमसे ज़्यादा ज़रूरत मन्द हैं, यह सर उनके पास भेज दिया। उस दूसरे बुज़ुर्ग के पास पहुँचा तो इसी तरह उन्होंने तीसरे के पास और तीसरे ने चौथे के पास भेज दिया, यहाँ तक कि सात घरों में फिरने के बाद फिर पहले बुज़ुर्ग के पास वापस आ गया। इस वाक़िए पर उपरोक्त आयतें नाज़िल हुईं। यही वाक़िआ सालबी रह. ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से भी रिवायत किया है।

मुवत्ता इमाम मालिक में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि एक मिस्कीन ने उनसे सवाल किया, उनके घर में सिर्फ़ एक रोटी थी और उनका उस रोज़ रोज़ा था, आपने अपनी ख़ादिमा से फ़रमाया कि यह रोटी इसको दे दो, ख़ादिमा ने कहा कि अगर यह दे दी गयी तो शाम को आपके इफ़्तार करने के लिये कोई चीज़ न रहेगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि फिर भी दे दो। यह ख़ादिमा कहती हैं कि जब शाम हुई तो एक ऐसे शख़्स ने जिसकी तरफ़ से हदिया देने की कोई रस्म न थी एक पूरी बकरी भुनी हुई और उसके ऊपर आटे मैदे का ख़ोल चढ़ा हुआ पुख़्ता जो अरब में सबसे बेहतरीन खाना समझा जाता है, उनके पास हदिये के तौर पर भेज दिया, हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने ख़ादिमा को बुलाया कि आओ यह खाओ यह तुम्हारी उस रोटी से बेहतर है।

और इमाम नसाई ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का वाक़िआ नक़ल किया है कि वह बीमार थे और अंगूर को जी चाहा, उनके लिये एक दिरहम में अंगूरक का एक ख़ोशा (गुच्छा) ख़रीदकर लाया गया, इत्तिफ़ाक़ से एक मिस्कीन आ गया और सवाल किया, आपने फ़रमाया कि यह ख़ोशा इसको दे दो। मौजूद लोगों में से एक शख़्स ख़ुफ़िया तौर पर उसके पीछे गया और ख़ोशा उस मिस्कीन से ख़रीदकर फिर हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पेश कर दिया, मगर यह साईल फिर आया और सवाल किया तो हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फिर उसको दे दिया। फिर कोई साहिब ख़ुफ़िया तौर पर गये और उस मिस्कीन को एक दिरहम देकर ख़ोशा ख़रीद लाये, और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में पेश कर दिया, वह साईल फिर आना चाहता था लोगों ने मना कर दिया। अगर हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को यह मालूम होता कि यह वही ख़ोशा है जो उन्होंने सदक़े में दे दिया था तो हरगिज़ न खाते, मगर उनको यह ख़्याल हुआ कि लाने वाला बाज़ार से लाया है इसलिये इस्तेमाल फ़रमा लिया।

और इब्ने मुबारक ने अपनी सनद के साथ रिवायत किया है कि एक मर्तबा हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने चार सौ दीनार एक थैली में भरकर थैली गुलाम को सौंपी कि हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह के पास ले जाओ कि यह हदिया है, अपनी ज़रूरत में ख़र्च कर लें, और गुलाम को हिदायत कर दी कि हदिया देने के बाद कुछ देर घर में ठहर जाना और यह देखना कि अबू उबैदा इस रक़म को क्या करते हैं। गुलाम ने हिदायत के अनुसार यह थैली हज़रत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु अन्हु की ख़िदमत में पेश कर दी और ज़रा ठहर गया, हज़रत अबू उबैदा ने थैली लेकर कहा कि अल्लाह तआ़ला उनको यानी उमर बिन ख़त्ताब को इसका सिला दे और उन पर रहमत फ़रमाये, और उसी

वक़्त अपनी बाँदी को कहा कि लो ये सात फ़ुलाँ शख़्स को, पाँच फ़ुलाँ को दे आओ, यहाँ तक कि पूरे चार सौ दीनार उसी वक़्त तक़सीम कर दिये।

गुलाम ने वापस आकर वाक़िआ बयान कर दिया। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उसी तरह चार सौ दीनार की एक दूसरी थैली तैयार की हुई गुलाम को देकर हिदायत की कि मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु को दे आओ, और वहाँ भी देखो वह क्या करते हैं। यह गुलाम ले गया, उन्होंने थैली लेकर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु के हक़ में दुआ़ दी कि 'अल्लाह उन पर रहमत फ़रमाये और उनको सिला दे' और यह भी थैली लेकर फ़ौरन तक़सीम करने के लिये बैठ गये, और उसके बहुत से हिस्से करके मुख़्तलिफ़ घरों में भेजते रहे। हज़रत मुआ़ज़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु की बीवी यह सब माजरा देख रही थीं आख़िर में बोलीं कि ख़ुदा की क़सम हम भी तो मिस्कीन (ग़रीब और ज़रूरत मन्द) ही हैं, हमें भी कुछ मिलना चाहिये। उस वक़्त थैली में सिर्फ़ दो दीनार रह गये थे वो उनको दे दिये। गुलाम यह देखने के बाद लौटा और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से बयान किया तो आपने फ़रमाया कि ये सब भाई-भाई हैं, सब का मिज़ाज एक ही है।

और हुज़ैफ़ा अ़दवी रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैं जंगे यरमूक में अपने चचाज़ाद भाई की तलाश शहीदों की लाशों में करने के लिये निकला, और कुछ पानी साथ लिया कि अगर उनमें कुछ जान हुई तो पानी पिला दूँगा। उनके पास पहुँचा तो ज़िन्दगी की कुछ रमक़ बाक़ी थी, मैंने कहा कि क्या आपको पानी पिला दूँ? इशारे से कहा कि हाँ, मगर फ़ौरन ही क़रीब से एक दूसरे शहीद की आवाज़ आई तो मेरे भाई ने कहा कि यह पानी उनको दे दो। मैं उनके पास पहुँचा और पानी देना चाहा तो तीसरे आदमी की आवाज़ उनके कान में आई, उन्होंने भी उस तीसरे को देने के लिये कह दिया, इसी तरह एक के बाद एक सात शहीदों के साथ यही वाक़िआ पेश आया, जब सातवें शहीद के पास पहुँचा तो वह दम तोड़ चुके थे, यहाँ से अपने भाई के पास पहुँचा तो वह भी ख़त्म हो चुके थे।

ये चन्द वाक़िआ़त हैं जिनमें कुछ अन्सार के कुछ मुहाजिरीन के हैं, अक्सर के बारे में कहा गया है कि ईसार वाली आयत इस वाक़िए में नाज़िल हुई, मगर उनमें कोई टकराव व इख़्तिलाफ़ नहीं, क्योंकि जिस तरह के वाक़िए में एक आयत नाज़िल हो चुकी है अगर उसी तरह का कोई दूसरा वाक़िआ पेश आ जाये तो यह कह दिया जाता है कि इसमें यह आयत नाज़िल हुई, और हक़ीक़त यह है कि ये सब ही वाक़िआ़त इस आयत के नाज़िल होने का सबब या मिस्दाक़ हैं।

एक शुब्हे का जवाब

हज़राते सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम के ईसार (यानी अपने ऊपर दूसरे को तरजीह देने) के वाक़िआ़त जो ऊपर बयान हुए हैं इन पर एक शुब्हा हदीस की रिवायतों से यह होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना पूरा माल सदक़ा कर डालने से मना फ़रमाया है, जैसा कि एक हदीस में है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में एक अण्डे के बराबर सोने का टुकड़ा सदक़े के तौर पर पेश किया तो आपने उसको उसी की तरफ़ फेंककर इरशाद फ़रमाया कि तुम में से कुछ लोग अपना सारा माल सदक़ा करने को ले आते हैं फिर मोहताज होकर

लोगों से भीख माँगते हैं।

इस शुब्हे का जवाब उन्हीं रिवायतों से यह निकलता है कि लोगों के हालात अलग-अलग होते हैं, हर हाल का हुक्म अलग है। पूरा माल सदका कर डालने की मनाही उन लोगों के लिये है जो बाद में तंगदस्ती व फ़ाके पर सब्र न कर सकें, अपने सदका किये हुए पर पछतायें, या फिर लोगों से भीख माँगने पर मजबूर हो जायें। और वे लोग जिनके इरादे व हिम्मत और जमाव व मज़बूती का यह हाल हो कि सब कुछ ख़र्च कर डालने के बाद फ़क्र व फ़ाके पर उन्हें कोई परेशानी न हो बल्कि हिम्मत के साथ उस पर सब्र कर सकते हों, उनके लिये सारा माल अल्लाह की राह में ख़र्च कर डालना जायज़ है, जैसा कि हज़रत सिद्दीके अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक जिहाद में चन्दे में अपना सारा माल पेश कर दिया था। उसी की मिसालें ये वाकिआत हैं जो इस जगह बयान हुए हैं, ऐसे हज़रात ने अपने बाल-बच्चों और घर वालों को भी उसी सब्र व हिम्मत का आदी बना रखा था, इसलिये इसमें उनकी भी कोई हक़-तल्फ़ी न थी। अगर माल ख़ुद घर वालों और बाल-बच्चों के क़ब्ज़े में होता तो वे भी ऐसा ही करते। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, थोड़ा इज़ाफ़े के साथ)

मुहाजिरीन हज़रात की तरफ़ से अन्सार के ईसार का बदला

दुनिया में कोई सामूहिक काम एक तरफ़ा रवादारी व ईसार से कायम नहीं रहता जब तक दोनों तरफ़ से उसी तरह का मामला न हो, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने जैसे इसकी तरग़ीब दी कि मुसलमान आपस में एक दूसरे को हदिया देकर आपसी मुहब्बत बढ़ाया करें, इसी तरह जिनको हदिया दिया गया है उनको यह भी तालीम दी कि तुम भी हदिया देने वाले के एहसान का बदला अदा करो, अगर माली गुंजाईश अल्लाह तआला अता फ़रमा दे तो माल से वरना दुआ ही से उसका बदला दो। बेहिसी के साथ किसी के एहसानात का बोझ सर पर लेते रहना शराफ़त और अच्छे अख़्लाक के ख़िलाफ़ है।

हज़राते मुहाजिरीन के मामले में हज़राते अन्सार ने बड़े ईसार से काम लिया, अपने मकानों, दुकानों, कारोबार, ज़मीन और खेती-बाड़ी में उनको शरीक कर लिया, लेकिन जब अल्लाह तआला ने उन मुहाजिरीन को गुंजाईश अता फ़रमाई तो उन्होंने भी हज़राते अन्सार के एहसानात का बदला उतारने में कमी नहीं की।

इमाम क़ुर्तुबी ने बुख़ारी व मुस्लिम के हवाले से हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि जब मुहाजिरीन मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यिबा आये तो उनके हाथ में कुछ न था, और अन्सारे मदीना ज़मीन व जायदाद वाले थे, अन्सार ने उन हज़रात को हर चीज़ आधी-आधी तकसीम कर दी, अपने बाग़ों के आधे फल सालाना उनको देने लगे, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की वालिदा उम्मे सलीम रज़ियल्लाहु अन्हा ने खजूर के अपने चन्द पेड़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को दे दिये थे जो आपने उसामा बिन ज़ैद की वालिदा उम्मे ऐमन को अता फ़रमा दिये।

इमाम ज़ोहरी कहते हैं कि मुझे हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने ख़बर दी कि

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब ख़ैबर के जिहाद से कामयाबी के साथ फ़ारिग़ होकर मदीना तय्यिबा वापस आये (इस ग़ज़वे में मुसलमानों को ग़नीमत के माल काफ़ी मात्रा में हाथ आये) तो सब मुहाजिरीन ने हज़राते अन्सार की तरफ़ से दिये गये सब माल व सामान का हिसाब करके उनको वापस कर दिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मेरी वालिदा के पेड़ उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अ़न्हा से लेकर उनको वापस कर दिये, और उसकी जगह उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अ़न्हा को अपने बाग़ में से पेड़ अ़ता फ़रमाये।

وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ۝

हज़राते अन्सार के ईसार (क़ुरबानी) और अल्लाह की राह में सब कुछ क़ुरबान कर देने का ज़िक्र करने के बाद आ़म उसूल इरशाद फ़रमाया कि जो लोग अपने नफ़्स के बुख़्ल (कन्जूसी व लालच) से बच गये तो अल्लाह के नज़दीक वही फ़लाह व कामयाबी पाने वाले हैं। लफ़्ज़ शुह्ह और बुख़्ल तक़रीबन एक ही मायने वाले हैं, लफ़्ज़ शुह्ह अगर वाजिब हुक़ूक़ में इस्तेमाल किया जाये चाहे वो अल्लाह के हुक़ूक़ हों जैसे ज़कात, सदक़ा-ए-फ़ित्र, उश्र, क़ुरबानी वग़ैरह कि उनकी अदायेगी में बुख़्ल (कन्जूसी) की वजह से कोताही करे, या इनसानों के वाजिब हुक़ूक़ हों जैसे घर वालों और बाल-बच्चों का ज़रूरी ख़र्च या अपने ज़रूरत मन्द माँ-बाप और रिश्तेदारों का ज़रूरी ख़र्च जो बुख़्ल इन वाजिब हुक़ूक़ की अदायेगी से रुकावट हो वह क़तई हराम है, और जो मुस्तहब (अच्छे और पसन्दीदा) मामलों और ख़र्च करने के फ़ज़ाईल वाले मौक़ों में रुकावट बने वह मकरूह व मज़मूम (बुरा और नापसन्दीदा) है, और जो महज़ रस्मी चीज़ों में ख़र्च से रुकावट हो वह शरई एतिबार से बुख़्ल (कन्जूसी) नहीं।

बुख़्ल व शुह्ह और दूसरों पर हसद (जलना) ऐसी बुरी ख़स्लतें हैं कि क़ुरआन व हदीस में इनकी बड़ी बुराई और निंदा आई है, और जो इनसे बच जाये उसके लिये बड़ी ख़ुशख़बरी है। हज़राते अन्सार की जो अन्य सिफ़तें बयान हुई हैं उनमें उनका बुख़्ल व हसद से बुरी होना वाज़ेह (बिल्कुल स्पष्ट) है।

कीना और हसद से पाक होना जन्नती होने की निशानी है

इब्ने कसीर ने इमाम अहमद के हवाले से हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है:

"हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ बैठे हुए थे आपने फ़रमाया कि अभी तुम्हारे सामने एक शख़्स आने वाला है जो जन्नत वालों में से है। चुनाँचे एक साहिब अन्सार में से आये जिनकी दाढ़ी से ताज़ा वुज़ू के क़तरे टपक रहे थे, और बायें हाथ में अपने जूते लिये हुए थे। दूसरे दिन भी ऐसा ही वाक़िआ़ पेश आया और यही शख़्स उसी हालत के साथ सामने आया, तीसरे रोज़ भी यही वाक़िआ़ पेश आया और यही शख़्स अपनी मज़कूरा हालत में दाख़िल हुआ। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मज्लिस से उठ गये तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर बिन आ़स रज़ियल्लाहु अ़न्हु उसी शख़्स के पीछे लगे (ताकि उसके जन्नती होने का राज़ मालूम करें) और उनसे कहा कि मैंने किसी झगड़े में क़सम खा ली है कि मैं तीन रोज़ तक अपने घर न जाऊँगा, अगर आप मुनासिब समझें तो तीन रोज़ मुझे अपने यहाँ रहने की जगह दे दें। उन्होंने मन्ज़ूर फ़रमा लिया।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ये तीन रातें उनके साथ गुज़ारीं तो देखा कि रात को तहज्जुद के लिये नहीं उठते अलबत्ता जब सोने के लिये बिस्तर पर जाते तो कुछ अल्लाह का ज़िक्र करते थे फिर सुबह की नमाज़ के लिये उठ जाते थे, अलबत्ता इस पूरे समय में मैंने उनकी ज़ुबान से सिवाय अच्छी बात के कोई कलिमा नहीं सुना। जब तीन रातें गुज़र गयीं और क़रीब था कि मेरे दिल में उनके अ़मल की बेक़द्री आ जाये तो मैंने उन पर अपना राज़ खोल दिया, कि हमारे घर कोई झगड़ा नहीं था लेकिन मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से तीन रोज़ तक यह सुनता रहा कि तुम्हारे पास एक ऐसा शख़्स आने वाला है जो जन्नत वालों में से है और उसके बाद तीनों दिन आप ही आये, इसलिये मैंने चाहा कि मैं आपके साथ रहकर देखूँ कि आपका वह क्या अ़मल है जिसके सबब यह फ़ज़ीलत आपको हासिल हुई। मगर अ़जीब बात है कि मैंने आपको कोई बड़ा अ़मल करते नहीं देखा, तो वह क्या चीज़ है जिसने आपको इस दर्जे पर पहुँचाया। उन्होंने कहा मेरे पास तो सिवाय इसके कोई अ़मल नहीं जो आपने देखा है। मैं यह सुनकर वापस आने लगा तो मुझे बुलाकर कहा कि हाँ एक बात है कि "मैं अपने दिल में किसी मुसलमान की तरफ़ से कीना और बुराई नहीं पाता, और किसी पर हसद नहीं करता जिसको अल्लाह ने कोई ख़ैर की चीज़ अ़ता फ़रमाई हो। अ़ब्दुल्लाह बिन अ़मर ने कहा कि बस यही वह सिफ़त है जिसने आपको यह बुलन्द मक़ाम अ़ता किया है।"

इमाम इब्ने कसीर ने इसको नक़ल करके फ़रमाया कि इसको इमाम नसाई ने भी 'अ़मलुल-यौमि वल्लैलति' में नक़ल किया है और इसकी सनद इमाम बुख़ारी व मुस्लिम की शर्तों पर सही है।

मुहाजिरीन व अन्सार के बाद आ़म उम्मत के मुसलमान

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ............الآية.

इस आयत के मफ़्हूम में सहाबा-ए-किराम मुहाजिरीन व अन्सार के बाद पैदा होने वाले क़ियामत तक के मुसलमान शामिल हैं, और इस आयत ने उन सब को फ़ै के माल में हक़दार क़रार दिया है। यही सबब था कि हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने दुनिया के बड़े मुल्कों इराक़, शाम, मिस्र वग़ैरह फ़तह किये तो उनकी ज़मीनों को ग़नीमत वालों में तक़सीम नहीं फ़रमाया बल्कि उनको अगली आने वाली नस्लों के लिये आ़म वक़्फ़ रखा, कि उनकी आमदनी इस्लामी बैतुल-माल में आती रहे और उससे क़ियामत तक आने वाले मुसलमान फ़ायदा उठा सकें। कुछ सहाबा-ए-किराम ने जो उनसे फ़तह के ज़रिये हासिल हुई ज़मीनों की तक़सीम का सवाल किया तो उन्होंने इसी आयत का हवाला देकर फ़रमाया कि अगर मेरे सामने आईन्दा आने वाली नस्लों का मामला न होता तो मैं जो मुल्क फ़तह करता उसकी सब ज़मीनों को भी मुजाहिदीन में तक़सीम कर देता जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ैबर की ज़मीनों को तक़सीम फ़रमा दिया था, अगर ये सारी ज़मीनें मौजूदा मुसलमानों में तक़सीम हो गयीं तो आने वाले मुसलमानों के लिये क्या बाक़ी रहेगा। (मालिक, क़ुर्तुबी)

उम्मत के हक़ पर होने की पहचान सहाबा-ए-किराम की मुहब्बत व अज़्मत है

इस जगह में हक़ तआ़ला ने पूरी उम्मते मुहम्मदिया के तीन तब्क़े किये- मुहाजिरीन, अन्सार और बाक़ी तमाम उम्मत। मुहाजिरीन व अन्सार की ख़ास सिफ़तें, गुण, कमालात और फ़ज़ाईल भी इस जगह ज़िक्र फ़रमाये, मगर बाक़ी उम्मत के फ़ज़ाईल व कमालात और सिफ़तों में से सिर्फ़ एक चीज़ यह बतलाई कि वे सहाबा-ए-किराम के ईमान में आगे बढ़ने और ईमान के हम तक पहुँचाने का ज़रिया होने को पहचानें और सब के लिये दुआ-ए-मग़फ़िरत करें और अपने लिये यह दुआ करें कि हमारे दिलों में किसी मुसलमान से कीना व नफ़रत न रहे।

इससे मालूम हुआ कि सहाबा-ए-किराम के बाद वाले जितने मुसलमान हैं उनका ईमान व इस्लाम क़ुबूल होने और निजात पाने के लिये यह शर्त है कि वे सहाबा-ए-किराम की अज़्मत (बड़ाई व महानता) व मुहब्बत अपने दिलों में रखते हों और उनके लिये दुआ करते हों, जिसमें यह शर्त नहीं पाई जाती वह मुसलमान कहलाने के क़ाबिल नहीं, इसी लिये हज़रत मुस्अ़ब बिन सअ़द रह. ने फ़रमाया कि उम्मत के तमाम मुसलमान तीन दर्जों में हैं, जिनमें से दो दर्जे तो गुज़र चुके यानी मुहाजिरीन व अन्सार, अब सिर्फ़ एक दर्जा बाक़ी रह गया यानी वह जो सहाबा-ए-किराम से मुहब्बत रखे, उनकी अज़्मत (बड़ाई और शान) को पहचाने, अब अगर तुम्हें उम्मत में कोई जगह हासिल करनी है तो इसी तीसरे दर्जे में दाख़िल हो जाओ।

हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से किसी ने हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बारे में सवाल किया (जबकि उनकी शहादत का वाक़िआ़ पेश आ चुका था) तो उन्होंने सवाल करने वाले से पूछा कि तुम मुहाजिरीन में से हो? उसने इनकार किया, फिर पूछा कि अन्सार में से हो? उसने इसका भी इनकार किया तो फ़रमाया बस अब तीसरी जमाअ़तः

اَلَّذِیْنَ جَآءُوْ مِنْ م بَعْدِهِمْ

की रह गयी, अगर तुम उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की शान में शक व शुब्हा पैदा करना चाहते हो तो इस दर्जे से भी निकल जाओगे।

इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि यह आयत इसकी दलील है कि सहाबा-ए-किराम की मुहब्बत हम पर वाजिब है। हज़रत इमाम मालिक रह. ने फ़रमाया कि जो शख़्स किसी सहाबी को बुरा कहे या उसके मुताल्लिक़ बुराई का एतिक़ाद रखे उसका मुसलमानों के फ़ै के माल में कोई हिस्सा नहीं, फिर इसी आयत से दलील देते हुए फ़रमाया, और चूँकि फ़ै के माल में हिस्सा हर मुसलमान का है तो जिसका इसमें हिस्सा न रहा उसका इस्लाम व ईमान ही मशकूक (संदिग्ध) हो गया।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने सब मुसलमानों को मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सहाबा के लिये इस्तिग़फ़ार और दुआ़ करने का

हुक्म दिया, हालाँकि अल्लाह तआ़ला के इल्म में था कि उनमें आपस में जंग व झगड़े के फ़ितने भी पैदा होंगे (इसलिये किसी मुसलमान को सहाबा किराम के आपसी मतभेदों व झगड़ों की वजह से उनमें से किसी से बदगुमान होना जायज़ नहीं)।

हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि मैंने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि यह उम्मत उस वक़्त तक हलाक नहीं होगी जब तक इसके पिछले लोग अगलों पर लानत व मलामत न करेंगे।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जब तुम किसी को देखो कि किसी सहाबी को बुरा कहता है तो उससे कहो कि जो तुम में से ज़्यादा बुरा है उस पर अल्लाह तआ़ला की लानत, यह ज़ाहिर है कि ज़्यादा बुरे सहाबा तो हो नहीं सकते, यही होगा जो उनकी बुराई कर रहा है। ख़ुलासा यह है कि सहाबा-ए-किराम में से किसी को बुरा कहना लानत का सबब है।

और अ़व्वाम बिन हूशब रह. ने फ़रमाया कि मैंने इस उम्मत के पहले लोगों को इस बात पर अटल और मज़बूत पाया है कि वे लोगों को यह तालीम व हिदायत करते थे कि सहाबा-ए-किराम के फ़ज़ाईल और ख़ूबियाँ व कमालात बयान किया करो ताकि लोगों के दिलों में उनकी मुहब्बत पैदा हो, और वो आपसी झगड़े और इख़्तिलाफ़ात जो उनके बीच पेश आये हैं उनका ज़िक्र न किया करो जिस से उनकी जुर्रत बढ़े (और वह बेअदब हो जायें)। (ये सब रिवायतें तफ़सीरे क़ुर्तुबी से ली गयी हैं।)

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝ لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنْصَرُونَ ۝ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ۝ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ۝ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ۝ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ۝

अलम् त-र इलल्लज़ी-न नाफ़क़ू यक़ूलू-न लि-इख़्वानिहिमुल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् अह़्लिल्-किताबि ल-इन् उख़्रिज्तुम् ल-नख़्रुजन्-न म-अ़कुम्	क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जो दग़ाबाज़ हैं, कहते हैं अपने भाईयों को जो कि काफ़िर हैं अहले किताब में से- अगर तुमको कोई निकाल देगा तो हम भी निकलेंगे तुम्हारे साथ,

व ला नुतीअु फ़ीकुम् अ-हदन् अ-बदंव्-व इन् कूतिल्तुम् ल-नन्सुरन्नकुम्, वल्लाहु यश्हदु इन्नहुम् लकाज़िबून (11) ल-इन् उख़्रिजू ला यख़्रुजू-न म-अ़हुम् व ल-इन् क़ूतिलू ला यन्सुरूनहुम् व ल-इन्-न-सरूहुम् लयु-वल्लुन्नल्-अद्बा-र, सुम्-म ला युन्सरून (12) ल-अन्तुम् अशद्दु रह्-बतन् फ़ी सुदूरिहिम् मिनल्लाहि, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् क़ौमुल्-ला यफ़्क़हून (13) ला युक़ातिलूनकुम् जमीअ़न् इल्ला फ़ी क़ुरम्-मुहस्स-नतिन् औ मिंव्वरा-इ जुदुरिन्, बअ्सुहुम् बैनहुम् शदीदुन्, तह्सबुहुम् जमीअंव्-व क़ुलूबुहुम् शत्ता, ज़ालि-क बि-अन्नहुम् क़ौमुल्-ला यअ्क़िलून (14) क-म-सलिल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् क़रीबन् ज़ाक़ू व बा-ल अम्रिहिम् व लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम (15) क-म-सलिश्शैतानि इज़् क़ा-ल लिल्-इन्सानिक्फ़ुर् फ़-लम्मा क-फ़-र क़ा-ल इन्नी बरीउम्-मिन्-क इन्नी अख़ाफ़ुल्ला-ह रब्बल्-आलमीन (16) फ़का-न आक़ि-ब-तहुमा अन्नहुमा

और कहा न मानेंगे किसी का तुम्हारे मामले में कभी, और अगर तुमसे लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे, और अल्लाह गवाही देता है कि वे झूठे हैं। (11) अगर वे निकाले जायें ये न निकलेंगे उनके साथ, और अगर उनसे लड़ाई हुई ये न मदद करेंगे उनकी, और अगर मदद करेंगे तो भागेंगे पीठ फेरकर, फिर कहीं मदद न पायेंगे। (12) यक़ीनन तुम्हारा डर ज़्यादा है उनके दिलों में अल्लाह के डर से, यह इसलिये कि वे लोग समझ नहीं रखते। (13) लड़ न सकेंगे तुमसे सब मिलकर मगर बस्तियों के कोट में या दीवारों की ओट में, उनकी लड़ाई आपस में सख़्त है, तू समझे वे इकट्ठे हैं और उन के दिल जुदा-जुदा हो रहे हैं, यह इसलिये कि वे लोग अक़्ल नहीं रखते। (14) जैसे क़िस्सा उन लोगों का जो हो चुके हैं उनसे पहले क़रीब ही चखी उन्होंने सज़ा अपने काम की, और उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब है। (15) जैसे क़िस्सा शैतान का जब कहे इनसान को तू इनकार करने वाला हो जा, फिर जब वह मुन्किर हो गया कहे मैं अलग हूँ तुझसे, मैं डरता हूँ अल्लाह से जो रब है सारे जहान का। (16) फिर अन्जाम दोनों का यही कि वे

फ़िन्नारि ख़ालिदैनि फ़ीहा, व ज़ालि-क जज़ाउज़्ज़ालिमीन (17) ❁	दोनों हैं आग में, हमेशा रहें उसी में और यही है सज़ा गुनाहगारों की। (17) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आपने उन मुनाफ़िक़ों (यानी अ़ब्दुल्लाह बिन उबई वग़ैरह) की हालत नहीं देखी कि अपने (तरीक़े पर चलने वाले) भाईयों से जो कि अहले किताब काफ़िर हैं (यानी बनू नज़ीर से) कहते हैं (यानी कहते थे, क्योंकि यह सूरत बनू नज़ीर की जिला-वतनी के वाक़िए के बाद नाज़िल हुई है, जैसा कि हदीस व सीरत की किताबों से दलील देते हुए तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में नक़ल किया है) कि अल्लाह की क़सम! (हम हर हाल में तुम्हारे साथ हैं, पस) अगर तुम (अपने वतन से जबरन) निकाले गये तो हम (भी) तुम्हारे साथ (अपने वतन से) निकल जाएँगे और तुम्हारे मामले में हम किसी का कभी कहना नहीं मानेंगे (यानी हमको चाहे कोई कैसा ही समझाये कि निकलने और जंग करने में जो आगे आ रहा है तुम्हारा साथ न दें लेकिन हम न मानेंगे। पस 'हम न मानेंगे' का जुमला दोनों बातों से संबन्धित है) और अगर तुमसे किसी की लड़ाई हुई तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और अल्लाह गवाह है कि वे बिल्कुल झूठे हैं। (यह तो उनके झूठा होने का संक्षिप्त रूप से बयान हुआ, आगे विस्तार से फ़रमाते हैं कि) ख़ुदा की क़सम! अगर अहले किताब निकाले गये तो ये (मुनाफ़िक़ लोग) उनके साथ नहीं निकलेंगे, और अगर उनसे लड़ाई हुई तो ये उनकी मदद न करेंगे। और अगर (मान लो, अगरचे ऐसा होना असंभव है कि) उनकी मदद भी की (और लड़ाई में शरीक हुए) तो पीठ फेरकर भागेंगे फिर (इनके भाग जाने के बाद) उन (अहले किताब) की कोई मदद न होगी (यानी जो मददगार थे वे तो भाग गये और दूसरा भी कोई मददगार न होगा, पस लाज़िमी तौर पर वे पराजित और मुसीबत का शिकार होंगे। ग़र्ज़ कि मुनाफ़िक़ों की जो ग़र्ज़ है कि अपने इन भाईयों पर कोई आफ़त न आने दें इसमें हर तरह नाकामी रहेगी, चुनाँचे ऐसा ही हुआ कि जब आख़िर में बनू नज़ीर निकाले गये तो मुनाफ़िक़ लोग उनके साथ निकले नहीं और जब शुरू में उनकी घेराबन्दी की गयी जिसमें जंग व क़िताल की भी संभावना थी तो उसमें इन्होंने मदद नहीं की, और इस वाक़िए के पेश आने के बाद इस तरह फ़रमाया 'कि ये हरगिज़ न निकलेंगे.........' जो आगे सामने आने पर दलालत करता है या तो गुज़रे वाक़िए को ध्यान में रखने और मौजूद मानने पर आधारित है ताकि इनका अपने वायदे के ख़िलाफ़ करना और उनका नाकाम होना ख़ूब अच्छी तरह खुलकर सामने आ जाये और या आगे चलकर जो साथ देने का एक गुमान था उसकी नफ़ी कर दी। आगे इस साथ न देने का सबब बयान फ़रमाते हैं कि) बेशक तुम लोगों का ख़ौफ़ उन (मुनाफ़िक़ों) के दिलों में अल्लाह से ज़्यादा है (यानी ईमान के दावे से जो ये अपना डरना अल्लाह तआ़ला से बयान करते हैं वह तो ख़िलाफ़े हक़ीक़त है वरना कुफ़्र को क्यों न छोड़ देते, और तुम्हारा वास्तविक ख़ौफ़ है, पस उस ख़ौफ़ की वजह से ये लोग उन बनू नज़ीर का साथ

नहीं दे सकते और) यह (उनका तुमसे डरना और ख़ुदा से न डरना) इस सबब से है कि वे ऐसे लोग हैं कि (अपने कुफ़्र की वजह से ख़ुदा तआ़ला की अ़ज़मत को) समझते नहीं (और यह यहूद आ़म हैं बनू नज़ीर व ग़ैर-बनू नज़ीर सब इसमें शामिल हैं)।

(और मुनाफ़िक़ लोग अलग-अलग तो तुम्हारे मुक़ाबले का क्या हौसला करते) ये लोग (तो) सब मिलकर भी तुमसे न लड़ेंगे मगर सुरक्षित बस्तियों में या (क़िले व शहर-पनाह की) दीवार की आड़ में (हिफ़ाज़त से मुराद आ़म है खाई से हो या क़िला वग़ैरह से, और इससे यह लाज़िम नहीं आता कि कभी ऐसा वाक़िआ़ पेश आया हो कि मुनाफ़िक़ों ने मुसलमानों का मुक़ाबला किसी क़िले और सुरक्षित मक़ाम से किया हो, क्योंकि मक़सद यह है कि अगर कभी यहूदी या मुनाफ़िक़ लोग अकेले-अकेले या जमा होकर तुम्हारे मुक़ाबले में आये भी तो उनका मुक़ाबला महफ़ूज़ क़िलों में या शहर-पनाह की दीवार के पीछे से होगा। चुनाँचे बनू क़ुरैज़ा और ख़ैबर वाले यहूदी इसी तरह मुक़ाबले में पेश आये और मुनाफ़िक़ लोग न उनके साथ हुए और न उनका कभी इतना हौसला हुआ कि खुलकर मुसलमानों के मुक़ाबले पर आयें। इसमें मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाना भी है कि उनसे अन्देशा न रखें, और उनके बाज़े क़बीले जैसे औस व ख़ज़रज के जंग के वाक़िआ़त देखकर यह अन्देशा न किया जाये कि शायद इसी तरह मुसलमानों के मुक़ाबले में किसी वक़्त ये भी आ सकें। बात यह है कि) उनकी लड़ाई आपस (ही) में बड़ी तेज़ है (मगर मुसलमानों के मुक़ाबले में कोई चीज़ नहीं हैं। और इसी तरह यह एहतिमाल न किया जाये कि अगरचे मुसलमानों के मुक़ाबले में ये अकेले कमज़ोर हों मगर बहुत से कमज़ोर मिलकर ताक़तवर व मज़बूत हो जाते हैं शायद इस तरह ये सब जमा होकर मुसलमानों का मुक़ाबला कर सकें, यह एहतिमाल इसलिये क़ाबिले तवज्जोह नहीं कि) ऐ मुख़ातब! तू उनको (ज़ाहिर में) मुत्तफ़िक़ "यानी एकजुट" ख़्याल करता है हालाँकि उनके दिल ग़ैरमुत्तफ़िक़ "बिखरे हुए" हैं (यानी अगरचे हक़ वालों की दुश्मनी उनके एक जगह जमा व शरीक होने की एक वजह है मगर ख़ुद भी तो उनमें अ़क़ीदों व मान्यताओं का मतभेद व फ़र्क़ होने की वजह से बिखराव और दुश्मनी है जैसा कि सूरः मायदा (आयत नम्बर 64) में गुज़र चुका है:

وَاَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ .... الخ.

और उनके आपस में एकजुट व इकट्ठा होने की संभावना व गुमान की नफ़ी भी ज़्यादा ताकीद और मक़सद को मज़बूती से बयान करने के है वरना हक़ तआ़ला की मर्ज़ी व चाहत उनके पराजित व मुसीबत का शिकार होने का तय कर चुकी है तो अगर उनमें इत्तिफ़ाक़ हो भी जाता तो क्या काम आता। आगे इस नाइत्तिफ़ाक़ी की वजह बयान करते हैं कि) यह (दिलों का बिखराव) इस वजह से है कि वे ऐसे लोग हैं जो (दीन की) अ़क़्ल नहीं रखते (इसलिये हर एक अपने ख़्याल के ताबे है, और जब नज़रिये और मक़ासिद व ग़र्ज़ें अलग-अलग और भिन्न हों तो उसके लिये दिलों की हालत का अलग-अलग और भिन्न होना लाज़िम है, और इस पर यह शुब्हा न किया जाये कि बेदीनों में बहुत सी बार इत्तिफ़ाक़ देखा जाता है, बात यह है कि यहाँ मक़सद

क़ायदा-ए-कुल्लिया बयान करना नहीं बल्कि उनमें जो नाइत्तिफ़ाक़ी थी उसका सबब बयान करना मक़सद है कि उनके लिये यही चीज़ सबब हो गयी थी, चुनाँचे ज़ाहिर है)।

(आगे ख़ास तौर पर बनू नज़ीर और उन मुनाफ़िक़ों की जिन्होंने मदद का वायदा करके धोखे में डाला और ऐन वक़्त पर दग़ा दी, उनकी हालत का बयान है कि उनके मजमूए की दो मिसालें हैं- एक मिसाल ख़ास बनू नज़ीर की और दूसरी मुनाफ़िक़ों की। बनू नज़ीर की मिसाल तो) उन लोगों के जैसी है जो इनसे कुछ ही पहले हुए हैं जो (दुनिया में भी) अपने किरदार का मज़ा चख चुके हैं और (आख़िरत में भी) उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब (होने वाला) है। (इनसे मुराद बनू कैनुक़ाअ़ के यहूदी हैं जिनका क़िस्सा यह हुआ कि जंगे बदर के वाक़िए के बाद उन्होंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सन् 2 हिजरी में अ़हद तोड़कर जंग की, फिर पराजित और गुस्से का शिकार हुए, और क़िले से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़ैसले पर बाहर निकले, और सब की मुशकें बाँधी गयीं, फिर अ़ब्दुल्लाह बिन उबई के ज़्यादा कहने-सुनने और ख़ुशामद करने की वजह से उनकी इस शर्त पर जान बख़्शी की गयी कि मदीना से चले जायें। चुनाँचे वे शाम के मक़ाम 'अज़्रुआ़त' की तरफ़ निकल गये और उनके माल माले ग़नीमत की तरह तक़सीम किये गये, जैसा कि ज़ादुल-मआ़द में है। और इन मुनाफ़िक़ों की मिसाल) शैतान के जैसी है कि (पहले तो) इनसान से कहता है 'तू काफ़िर हो जा', फिर जब वह काफ़िर हो जाता है (और कुफ़्र के वबाल में गिरफ़्तार होता है चाहे दुनिया में चाहे आख़िरत में) तो (उस वक़्त साफ़ जवाब देता है और) कह देता है कि मेरा तुझसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन से डरता हूँ (दुनिया में ऐसे अपने बरी होने का क़िस्सा तो सूरः अनफ़ाल की आयत नम्बर अड़तालीसः

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ.................... الخ.

में गुज़र चुका है, और आख़िरत में गुमराह करने वालों का गुमराह होने वालों से अपने को बरी ज़ाहिर करना अनेक आयतों में ज़िक्र हुआ है) सो आख़िरी अन्जाम दोनों का यह हुआ कि दोनों दोज़ख़ में गये जहाँ हमेशा रहेंगे (एक गुमराह करने की वजह से दूसरा गुमराह होने की वजह से) और ज़ालिमों की यही सज़ा है। (पस जिस तरह उस शैतान ने उस इनसान को शुरू में बहकाया फिर वक़्त पर साथ न दिया और दोनों घाटे व नुक़सान में पड़े, इसी तरह इन मुनाफ़िक़ों ने पहले बनू नज़ीर को बुरी राय दी, कि तुम निकलो नहीं, फिर ऐन वक़्त पर उनको धोखा दिया और दोनों मुसीबत में फंसे, बनू नज़ीर तो जिला-वतनी की मुसीबत में और मुनाफ़िक़ लोग नाकामयाबी की ज़िल्लत में मुब्तला हुए)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

كَمَثَلِ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيْبًا............ الخ.

यह बनू नज़ीर की मिसाल का बयान है, और 'अल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम्' की तफ़सीर में हज़रत

मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि बदर वाले काफ़िर मुराद हैं, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया बनू कैनुक़ाअ़ (यहूदी क़बीले वाले) मुराद हैं, और दोनों का बुरा अन्जाम और पराजित व मक़्तूल और ज़लील व ख़्वार होना उस वक़्त वाज़ेह हो चुका था, क्योंकि बनू नज़ीर की जिला-वतनी का वाक़िआ़ जंगे-बदर व उहुद के बाद सामने आया है, और बनू कैनुक़ाअ़ का वाक़िआ़ भी बदर के बाद पेश आ चुका था, बदर में अ़रब के मुश्रिकों के सत्तर सरदार मारे गये और बाक़ी बड़ी ज़िल्लत व ख़्वारी के साथ वापस हुए, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के क़ौल के मुताबिक़ अगर ये मुराद हैं तो आयत का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि उनके बारे में जो आयत में फ़रमायाः

ذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ.

यानी उन्होंने अपने करतूत का बदला चख लिया। यह आख़िरत से पहले दुनिया ही में आँखों के सामने आ गया। इसी तरह अगरः

اَلَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ.

से मुराद यहूद ही का क़बीला बनू कैनुक़ाअ़ हो तो उनका वाक़िआ़ भी ऐसा ही सबक़ और सीख लेने वाला है।

बनू कैनुक़ाअ़ की जिला-वतनी

वाक़िआ़ यह था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हिजरत करके मदीना तय्यिबा तशरीफ़ लाये तो मदीना के आस-पास जितने क़बीले यहूदियों के थे सब के साथ सुलह का एक समझौता हो गया था, जिसकी शर्तों में यह दाख़िल था कि उनमें से कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुसलमानों के किसी मुख़ालिफ़ की इमदाद न करेगा। उन समझौता करने वालों में क़बीला बनू कैनुक़ाअ़ भी शामिल था, मगर उसने चन्द महीनों के बाद ही ग़द्दारी और समझौते का उल्लंघन करना शुरू कर दिया और जंगे-बदर के मौक़े पर मुश्रिकों के साथ ख़ुफ़िया साज़िश व इमदाद के कुछ वाक़िआ़त सामने आये, उस वक़्त क़ुरआन की यह आयत नाज़िल हुईः

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ.

"यानी अगर (समझौते और सुलह के बाद) किसी क़ौम की ख़ियानत का ख़तरा लाहिक़ हो तो आप उनका सुलह का समझौता ख़त्म कर सकते हैं।"

बनू कैनुक़ाअ़ इस समझौते को अपनी ग़द्दारी से ख़ुद तोड़ चुके थे, इसलिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनके ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान फ़रमाया और जिहाद का झण्डा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अ़ता फ़रमाया और मदीना तय्यिबा के शहर पर हज़रत अबू लबाबा रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अपना ख़लीफ़ा मुक़र्रर करके नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुद भी तशरीफ़ ले गये। ये लोग मुसलमानों का लश्कर देखकर अपने क़िले में बन्द हो गये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़िले का घेराव कर लिया, पन्द्रह दिन तक तो ये लोग घेरे में रहकर सब्र करते रहे, आख़िरकार अल्लाह ने उनके दिलों में रौब डाल दिया और ये समझ गये कि मुक़ाबले से काम न

चलेगा और किले का दरवाज़ा खोल दिया, और कहा कि हम रसलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़ैसले पर राज़ी हैं जो आप हमारे बारे में नाफ़िज़ करें।

आपका फ़ैसला उनके मर्दों के कत्ल का होने वाला था, कि अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर बेहद ज़ोर डाला और दरख़्वास्त व ख़ुशामद की कि उनकी जान बख़्श दी जाये, आख़िरकार आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह फ़ैसला फ़रमाया कि ये लोग बस्ती ख़ाली करके जिला-वतन हो जायें, और इनके माल मुसलमानों का माले ग़नीमत होंगे, इस तजवीज़ के मुताबिक़ ये लोग मदीना छोड़कर मुल्के शाम के इलाक़े 'अज़रुआ़त' में चले गये, और इनके मालों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने माले ग़नीमत के क़ानून के मुताबिक़ इस तरह तक़सीम फ़रमाया कि एक पाँचवाँ हिस्सा बैतुल-माल का रखकर बाक़ी चार पाँचवे हिस्से मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिये।

ग़ज़्वा-ए-बदर के बाद यह पहला पाँचवाँ हिस्सा था जो बैतुल-माल में दाख़िल हुआ। यह वाक़िआ शनिवार के दिन 15 शव्वाल सन् 2 हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हिजरत से बीस महीने के बाद पेश आया।

كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ......... الاٰية.

यह दूसरी मिसाल उन मुनाफ़िक़ों की है जिन्होंने बनू नज़ीर को जिला-वतनी का हुक्म न मानने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुक़ाबले पर जंग करने के लिये उभारा और उनकी मदद करने का वायदा किया, मगर जब मुसलमानों ने उनका घेराव किया तो कोई मुनाफ़िक़ इमदाद को न पहुँचा। उनकी मिसाल क़ुरआने करीम ने शैतान के एक वाक़िए से दी है कि शैतान ने इनसान को कुफ़्र पर आमादा किया और उससे तरह-तरह के वायदे किये, मगर जब वह कुफ़्र में मुब्तला हो गया तो सबसे मुकर गया।

शैतान के ऐसे वाक़िआ़त ख़ुदा जाने कितने हुए होंगे, उनमें से एक वाक़िआ़ तो ख़ुद क़ुरआन में ज़िक्र हुआ है जिसका बयान सूरः अनफ़ाल की इन आयतों में आया है:

وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّيْ جَارٌ لَّكُمْ فَلَمَّا تَرَآءَتِ الْفِئَتٰنِ نَكَصَ عَلٰى عَقِبَيْهِ وَقَالَ اِنِّيْ بَرِىْٓءٌ مِّنْكُمْ....... الاٰية.

यह वाक़िआ़ जंगे-बदर का है, जिसमें शैतान ने दिल में बात डालने के तौर पर या इनसानी शक्ल में सामने आकर मक्का के मुश्रिकों को मुसलमानों के मुक़ाबले पर उभारा और अपनी मदद का यक़ीन दिलाया, मगर जब मुसलमानों से मुक़ाबला हुआ तो मदद करने से साफ़ इनकार कर दिया। इस वाक़िए की पूरी वज़ाहत मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द चार में सूरः अनफ़ाल की आयत 48 के तहत में तफ़सील के साथ आ चुकी है।

अगर ऊपर बयान हुई आयत में इसी वाक़िए की तरफ़ इशारा है तो यह इरशाद कि शैतान इनसान से कुफ़्र करने को कहता है, और जब वह कर लेता है तो उससे बरी होकर अलग हो जाता

है। इस पर यह शुब्हा होता है कि इस वाकिए में बज़ाहिर शैतान ने उनको कुफ़्र करने के लिये नहीं कहा, काफ़िर तो वे पहले ही से थे, शैतान ने तो उनको मुक़ाबले पर जमा करने के लिये कहा था। जवाब ज़ाहिर है कि कुफ़्र पर जमे रहने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुक़ाबले पर जंग करने को कहना भी इसी हुक्म में है कि उनको कुफ़्र करने के लिये कहा जाये।

और तफ़सीरे मज़हरी व क़ुर्तुबी और इब्ने कसीर वग़ैरह में इस जगह शैतान की इस मिसाल के वाक़िआत बनी इस्राईल के अनेक राहिबों और इबादत-गुज़ारों को शैतान के बहकाकर कुफ़्र तक पहुँचा देने के मुताल्लिक़ नक़ल किये हैं, मसलन बनी इस्राईल का एक राहिब इबादत-गुज़ार जो अपने सूमआ़ (इबादत ख़ाने) में हमेशा इबादत में मशग़ूल रहता, और रोज़े इस तरह रखता था कि दस दिन में सिर्फ़ एक मर्तबा इफ़्तार करता था, सत्तर साल उसके इसी हाल में गुज़रे। शैतान मर्दूद उसके पीछे पड़ा और अपने सबसे ज़्यादा मक्कार होशियार शैतान को उसके पास राहिब इबादत-गुज़ार (यानी नेक आदमी और अल्लाह वाले) की सूरत में बनाकर भेजा, जिसने उसके पास जाकर उस राहिब से भी ज़्यादा इबादत-गुज़ारी का सुबूत दिया, यहाँ तक कि राहिब को उस पर एतिमाद हो गया।

आख़िरकार यह नक़ली राहिब शैतान इस बात में कामयाब हो गया कि उस राहिब को कुछ दुआयें ऐसी सिखलाये जिससे बीमारों को शिफ़ा हो जाये, फिर उसने बहुत से लोगों को अपने असर से बीमार करके उनको ख़ुद ही उस राहिब का पता दिया, जब यह राहिब उन पर दुआ़ पढ़ता तो यह शैतान अपना असर उससे हटा देता, वह सही और तन्दुरुस्त हो जाता था। लम्बे समय तक यह सिलसिला जारी रखने के बाद उसने एक इस्राईली सरदार की हसीन लड़की पर अपना यह अ़मल किया और उसको भी राहिब के पास जाने का मश्विरा दिया, यहाँ तक कि उसको राहिब के सूमआ़ तक पहुँचाने में कामयाब हो गया और धीरे-धीरे उसको उस लड़की के साथ ज़िना (बदकारी) में मुब्तला करने में कामयाब हुआ, जिसके नतीजे में उसको हमल (गर्भ) हो गया तो रुस्वाई से बचने के लिये उसको क़त्ल करने का मश्विरा दिया। क़त्ल करने के बाद शैतान ही ने सब को क़त्ल वग़ैरह का वाक़िआ़ बतलाकर राहिब के ख़िलाफ़ खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि लोगों ने उसका सूमआ़ ढहा दिया और उसको क़त्ल करके सूली देने का फ़ैसला किया। उस वक़्त शैतान उसके पास फिर पहुँचा कि अब तो तेरी जान बचने की कोई सूरत नहीं, हाँ अगर तू मुझे सज्दा कर ले तो मैं तुझे बचा सकता हूँ। राहिब सब कुछ गुनाह पहले कर चुका था, कुफ़्र का रास्ता हमवार हो चुका था उसने सज्दा भी कर लिया, उस वक़्त शैतान ने साफ़ कह दिया कि तू मेरे क़ब्ज़े में न आता था मैंने ये सब फ़रेब तेरे कुफ़्र में मुब्तला करने के लिये किये थे, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता।

यह वाक़िआ़ तफ़सीरे क़ुर्तुबी और तफ़सीरे मज़हरी में तफ़सील के साथ लिखा है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰىهُمْ اَنْفُسَهُمْ ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ۝ لَا يَسْتَوِيْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ۭ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَاۗىِٕزُوْنَ ۝ لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰي جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ۭ وَتِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ ۝ هُوَ اللّٰهُ الَّذِيْ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوْسُ السَّلٰمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۭ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ ۝ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاۗءُ الْحُسْنٰى ۭ يُسَبِّحُ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝

ع ٣

या अय्युहल्लज़ी-न आमनुत्तक़ुल्ला-ह वल्-तन्ज़ुर् नफ़्सुम्-मा क़द्द-मत् लि-ग़दिन् वत्तक़ुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ख़बीरुम्-बिमा तअ्मलून (18) व ला तकूनू कल्लज़ी-न नसुल्ला-ह फ़-अन्साहुम् अन्फ़ु-सहुम्, उलाइ-क हुमुल्-फ़ासिक़ून (19) ला यस्तवी अस्हाबुन्नारि व अस्हाबुल्-जन्नति, अस्हाबुल्-जन्नति हुमुल्-फ़ाइज़ून (20) लौ अन्ज़ल्ना हाज़ल्-क़ुरआ-न अ़ला ज-बलिल्-ल-रऐ-तहू ख़ाशिअ़म् मु-तसद्दिअ़म् मिन् ख़श्-यतिल्लाहि, व तिल्कल्-अम्सालु नज़्रिबुहा लिन्नासि लअ़ल्लहुम् य-तफ़क्करून (21) हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला	ऐ ईमान वालो! डरते रहो अल्लाह से और चाहिये कि देख ले हर एक जी क्या भेजता है कल के वास्ते, और डरते रहो अल्लाह से बेशक अल्लाह को ख़बर है जो तुम करते हो। (18) और मत हो उन जैसे जिन्होंने भुला दिया अल्लाह को फिर अल्लाह ने भुला दिये उनको उनके जी, वे लोग वही हैं नाफ़रमान। (19) बराबर नहीं दोज़ख़ वाले और जन्नत वाले, जन्नत वाले जो हैं वही हैं मुराद पाने वाले। (20) अगर हम उतारते यह क़ुरआन एक पहाड़ पर तो तू देख लेता कि वह दब जाता फट जाता अल्लाह के डर से, और ये मिसालें हम सुनाते हैं लोगों को ताकि वे ग़ौर करें। (21) वह अल्लाह है जिसके सिवाय बन्दगी

हु-व आलिमुल्-ग़ैबि वश्शहा-दति हुवर्-रह्मानुर्रहीम (22) हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हु-व अल्मलिकुल्-क़ुद्दूसुस्-सलामुल्-मुअ्मिनुल्-मुहैमिनुल्-अ़ज़ीज़ुल्-जब्बारुल्-मु-तकब्बिरु, सुब्हानल्लाहि अ़म्मा युश्रिकून (23) हुवल्लाहुल्-ख़ालिक़ुल्-बारिउल् मुसव्विरु लहुल् अस्मा-उल्-हुस्ना, युसब्बिहु लहू मा फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (24) ❁	नहीं किसी की, जानता है जो छुपा है और जो ज़ाहिर है, वह है बड़ा मेहरबान रहम वाला। (22) वह अल्लाह है जिसके सिवाय बन्दगी नहीं किसी की, वह बादशाह है पाक ज़ात सब ऐबों से सालिम अमान देने वाला, पनाह में लेने वाला, ज़बरदस्त दबाव वाला, बड़ाई वाला, पाक है अल्लाह उनके शरीक बतलाने से। (23) वह अल्लाह है बनाने वाला निकाल खड़ा करने वाला सूरत खींचने वाला, उसी के हैं सब नाम ख़ासे (यानी अच्छे-अच्छे), पाकी बोल रहा है उसकी जो कुछ है आसमान में और ज़मीन में, और वही है ज़बरदस्त हिक्मतों वाला। (24) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! (तुमने नाफ़रमानों का अन्जाम सुन लिया सो तुम) अल्लाह से डरते रहो और हर शख़्स देखभाल ले कि कल (क़ियामत) के वास्ते उसने क्या (ज़ख़ीरा) भेजा है (यानी नेक आमाल में कोशिश करो जो कि आख़िरत का ज़ख़ीरा हैं)। और (जिस तरह नेकियों के हासिल करने और नेक आमाल करने में परहेज़गारी का हुक्म है इसी तरह बुराईयों और नाफ़रमानी से बचने के बारे में तुमको हुक्म है कि) अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह को तुम्हारे आमाल की सब ख़बर है। (तो गुनाहों व नाफ़रमानी के करने से अ़ज़ाब का अन्देशा है, पस पहला 'इत्तक़ुल्ला-ह' "अल्लाह से डरो" नेकियों के मुताल्लिक़ है जिसका इशारा 'क़द्दमत् लि-ग़दिन्' है, और दूसरा गुनाहों और नाफ़रमानियों के मुताल्लिक़ है जिसका इशारा 'ख़बीरुम् बिमा तअ्मलून' है)।

और (आगे इन अहकाम की और अधिक ताकीद के लिये इरशाद है कि) तुम उन लोगों की तरह मत हो जिन्होंने अल्लाह (के अहकाम) से बेपरवाई की (यानी अहकाम पर अ़मल करने को छोड़ दिया, इस तरह कि जिन कामों के करने का हुक्म है उनके ख़िलाफ़ किया और जिन कामों के करने से रोका गया है उनको किया) सो (इसका असर यह हुआ कि) अल्लाह ने ख़ुद उनकी जान से उनको बेपरवाह बना दिया (यानी उनकी ऐसी अ़क़्ल मारी गयी कि ख़ुद अपने असली नफ़े को न समझा और न हासिल किया) यही लोग नाफ़रमान हैं (और नाफ़रमानी की सज़ा

भुगतेंगे)।

(और ऊपर दो किस्म के लोगों का ज़िक्र हुआ- यानी एक वे जो नेक व परहेज़गार हुए और दूसरे वे जो अहकाम को छोड़ने वाले हुए उनमें एक जन्नत वाले हैं दूसरे दोज़ख़ वाले, और) दोज़ख़ वाले और जन्नती आपस में बराबर नहीं (बल्कि) जो जन्नत वाले हैं वे कामयाब लोग हैं (और दोज़ख़ी नाकाम हैं जैसा ऊपर 'उलाइ-क हुमुल् फ़ासिक़ून' से मालूम हुआ। पस तुमको जन्नत वालों में से होना चाहिये, दोज़ख़ वालों में से न होना चाहिये। और ये चन्द नसीहतें जिस क़ुरआन के ज़रिये से तुमको सुनाई जाती हैं वह ऐसा है कि) अगर हम इस क़ुरआन को किसी पहाड़ पर नाज़िल करते (और उसमें समझने का माद्दा रख देते और इच्छाओं का माद्दा न रखते) तो (ऐ मुख़ातब!) तू उसको देखता कि ख़ुदा के ख़ौफ़ से दब जाता और फट जाता (यानी क़ुरआन अपने आप में ऐसा प्रभावी और ज़बरदस्त असर रखने वाला है, मगर इनसान में इच्छाओं के ग़लबे की वजह से क़ाबलियत फ़ासिद और ख़राब हो गयी जिसके सबब उस पर असर नहीं पड़ता, पस उनको चाहिये कि नेकियों के हासिल करने और गुनाहों के छोड़ने से अपनी इच्छा और हिर्स को दबायें ताकि क़ुरआन की नसीहतें और अच्छी-अच्छी बातों से उन पर असर पड़े और नेक कामों पर जमाव और पाबन्दी और ज़िक्र व फ़िक्र नसीब हो, जिसका ऊपर हुक्म हुआ है)। और इन अ़जीब मज़ामीन को हम लोगों के (नफ़े के) लिये बयान करते हैं ताकि वे सोचें (और लाभ उठायें, इसी लिये यह मज़मून यानी आयत नम्बर 20. का मज़मून यहाँ बयान किया गया)।

(आगे हक़ तआ़ला की कमाल वाली सिफ़ात बयान की जाती हैं जिससे हक़ तआ़ला की अ़ज़मत व बड़ाई दिल पर जमकर उसके अहकाम पर अ़मल करने में मददगार साबित हो। पस इरशाद है कि) वह ऐसा माबूद है कि उसके सिवा कोई और माबूद (बनने के लायक़) नहीं, वह जानने वाला है छुपी चीज़ों का और ज़ाहिर चीज़ों का, वही बड़ा मेहरबान, रहम वाला है। (और चूँकि तौहीद निहायत अहम और अ़ज़ीमुश्शन चीज़ है इसलिये उसकी ताकीद के लिये एक बार फिर फ़रमाया कि) वह ऐसा माबूद है कि उसके सिवा कोई और माबूद (बनने के लायक़) नहीं, वह बादशाह है (सब ऐबों से) पाक है, सालिम है (यानी न पहले कभी उसमें कोई ऐब हुआ जो हासिल है उसकी क़ुद्दूसी का और न आगे इसकी कोई संभावना है जो हासिल है सलामुन का "जैसा कि तफ़सीरे कबीर में है" अपने बन्दों को ख़ौफ़ की चीज़ों से) अमन देने वाला है, (अपने बन्दों की ख़ौफ़ की चीज़ों से) निगहबानी करने वाला है (यानी आफ़त भी नहीं आने देता और आई हुई को भी दूर कर देता है), ज़बरदस्त है, ख़राबी का दुरुस्त करने वाला है, बड़ी अ़ज़मत वाला है अल्लाह तआ़ला (जिसकी शान यह है कि) लोगों के शिर्क से पाक है। वह (सच्चा और बरहक़) माबूद है, पैदा करने वाला है, ठीक-ठीक बनाने वाला है (यानी हर चीज़ को हिक्मत के मुवाफ़िक़ बनाता है), सूरत (शक्ल) बनाने वाला है, उसके अच्छे-अच्छे नाम हैं (जो अच्छी-अच्छी सिफ़तों पर दलालत करते हैं)। सब चीज़ें उसकी तस्बीह (व पाकीज़गी बयान) करती हैं (अपने हाल से या अपनी ज़ुबान से) जो आसमानों में हैं और जो ज़मीन में हैं, और वही ज़बरदस्त,

हिक्मत वाला है (पस ऐसे अ़ज़मत वाले के अहकाम पर अ़मल और उनको पूरा करना ज़रूरी और निहायत ज़रूरी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः हश्र में शुरू से अहले किताब, मुश्रिकों व मुनाफ़िक़ों में के काफ़िरों के हालात व मामलात और उन पर दुनिया व आख़िरत के वबाल का बयान फ़रमाने के बाद अब सूरत के आख़िर तक मोमिनों को चेताने और नेक आमाल की पाबन्दी करने की हिदायत है।

ऊपर दर्ज हुई आयतों में से पहली आयत में एक उम्दा और दिल में उतर जाने वाले अन्दाज़ से आख़िरत की फ़िक्र और उसके लिये तैयारी का हुक्म है जिसमें पहले फ़रमायाः

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ.

यानी ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और तुम में से हर नफ़्स को इस पर ग़ौर करना चाहिये कि उसने आख़िरत के लिये क्या सामान भेजा है।

यहाँ चन्द बातें ग़ौर तलब हैं:

अव्वल यह कि इस आयत में क़ियामत को लफ़्ज़ ग़द से ताबीर किया जिसके मायने हैं आने वाली कल। इसमें तीन चीज़ों की तरफ़ इशारा है- अव्वल पूरी दुनिया का आख़िरत के मुक़ाबले में निहायत थोड़ी व मुख़्तसर होना, कि सारी दुनिया आख़िरत के मुक़ाबले में एक दिन के जैसी है, और हिसाब के एतिबार से तो यह निस्बत होना भी मुश्किल है, क्योंकि आख़िरत हमेशा रहने वाली है जिसकी कोई इन्तिहा और समापन नहीं, इनसानी दुनिया की उम्र तो चन्द हज़ार साल ही बतलाई जाती है, अगर ज़मीन व आसमान की तख़्लीक़ (पैदाईश) से हिसाब लगायें तो चन्द लाख साल हो जायेंगे, मगर फिर भी एक सीमित मुद्दत है, असीमित और जिसकी कोई इन्तिहा न हो उससे इसको कोई भी निस्बत नहीं होती।

हदीस की कुछ रिवायतों में है:

اَلدُّنْيَا يَوْمٌ وَّلَنَا فِيْهِ صَوْمٌ.

"सारी दुनिया एक दिन है और इस दिन में हमारा रोज़ा है।"

और ग़ौर करो तो इनसानी वजूद से शुरू करो या ज़मीन व आसमान के बनाये जाने से ये दोनों चीज़ें एक इनसानी फ़र्द के लिये क़ाबिले एहतिमाम नहीं, बल्कि हर फ़र्द की दुनिया तो उसकी उम्र के दिन व साल हैं, और वह आख़िरत के मुक़ाबले में कितनी मामूली मुद्दत है इसका हर शख़्स अन्दाज़ा कर सकता है।

दूसरा इशारा इसमें क़ियामत के यक़ीनी होने की तरफ़ है, जैसे आज के बाद कल का आना यक़ीनी चीज़ है, किसी को इसमें शुब्हा नहीं होता, इसी तरह दुनिया के बाद क़ियामत व आख़िरत का आना यक़ीनी है।

तीसरा इशारा इस तरफ़ है कि क़ियामत बहुत क़रीब है, जैसे आज के बाद कल कुछ दूर नहीं

बहुत क़रीब समझी जाती है, इसी तरह दुनिया के बाद क़ियामत भी क़रीब है।

और क़ियामत एक तो पूरे आलम की है जब ज़मीन व आसमान सब फ़ना हो जायेंगे, वह भी अगरचे हज़ारों लाखों साल के बाद हो मगर आख़िरत की मुद्दत के मुक़ाबले में बिल्कुल क़रीब ही है, दूसरी क़ियामत हर इनसान की अपनी है जो उसकी मौत के वक़्त आ जाती है जैसा कि कहा गया है:

مَنْ مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قِيَامَتُهٗ

"यानी जो शख़्स मर गया उसकी क़ियामत तो अभी क़ायम हो गयी।"

क्योंकि क़ब्र ही से आख़िरत के जहान के आसार शुरू हो जाते हैं और अ़ज़ाब व सवाब के नमूने सामने आ जाते हैं, क्योंकि क़ब्र का आ़लम जिसको आ़लमे बर्ज़ख़ भी कहा जाता है उसकी मिसाल दुनिया की इन्तिज़ारगाह (वैटिंग रूम) के जैसी है जो फ़र्स्ट क्लास से लेकर थर्ड क्लास तक के लोगों के लिये मुख़्तलिफ़ किस्म के होते हैं, और मुजरिमों का वैटिंग रूम हवालात या जेलख़ाना होता है, इसी इन्तिज़ारगाह ही से हर शख़्स अपना दर्जा और हैसियत मुतैयन कर सकता है। इसलिये मरने के साथ ही हर इनसान की अपनी क़ियामत आ जाती है, और इनसान का मरना अल्लाह तआ़ला ने एक ऐसी पहेली बनाया है कि कोई बड़े से बड़ा फ़ल्सफ़ी और वैज्ञानिक उसका यक़ीनी वक़्त मुक़र्रर नहीं कर सकता, बल्कि हर वक़्त हर आन इनसान इस ख़तरे से बाहर नहीं होता कि शायद अगला घन्टा ज़िन्दगी की हालत में न आये, ख़ुसूसन इस तेज़-रफ़्तार ज़माने में तो हार्ट फ़ैल होने के वाक़िआ़त ने इसको रोज़मर्रा की बात बना दिया है।

ख़ुलासा यह है कि इस आयत में क़ियामत को लफ़्ज़ ग़द (आने वाले कल) से ताबीर करके बेफ़िक्रे इनसान को चेता दिया कि क़ियामत को कुछ दूर न समझो वह आने वाली कल की तरह क़रीब है, और मुम्किन यह भी है कि कल से पहले ही आ जाये।

दूसरी ग़ौर-तलब बात

एक दूसरी ध्यान देने की बात इस आयत में यह है कि हक़ तआ़ला ने इसमें इनसान को इस पर ग़ौर व फ़िक्र करने की दावत दी कि क़ियामत जिसका आना यक़ीनी भी है और क़रीब भी उसके लिये तुमने क्या सामान भेजा है। इससे मालूम हुआ कि इनसान का असल वतन और मक़ाम आख़िरत है, दुनिया में इसका मक़ाम एक मुसाफ़िर की तरह है, वतन के हमेशा के ठिकाने के लिये यहीं से कुछ सामान भेजना ज़रूरी है, और इनसान के इस सफ़र का असल मक़सद ही यह है कि यहाँ रहकर कुछ कमाये और जमा करे, फिर उसको अपने आख़िरत के वतन की तरफ़ भेज दे, और यह भी ज़ाहिर है कि यहाँ से दुनिया का सामान, माल व दौलत कोई वहाँ साथ नहीं लेजा सकता, तो भेजने की एक ही सूरत है कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ़ माल मुन्तक़िल करने का जो तरीक़ा दुनिया में राईज है कि यहाँ की हुकूमत के बैंक में जमा करके दूसरे मुल्क की क़रन्सी हासिल कर ले जो वहाँ चलती है, यही सूरत आख़िरत के मामले में है कि जो कुछ यहाँ अल्लाह की राह में और अल्लाह के अहकाम की तामील में ख़र्च किया जाता है वह आसमानी हुकूमत के बैंक (स्टेट बैंक) में जमा हो जाता है, वहाँ की क़रंसी सवाब की सूरत में उसके लिये लिख दी जाती है, और वहाँ पहुँचकर बग़ैर किसी दावे

और मुतालबे के उसके हवाले कर दी जाती है।

और लफ़्ज़ 'मा क़द्दमत् लि-ग़दिन्' आ़म है नेक और बुरे आमाल दोनों के लिये, जिसने नेक आमाल आगे भेजे हैं उसको सवाब की सूरत में आख़िरत के नुक़ूद (मुद्रा और करन्सी) मिल जायेगी, और जिसने बुरे आमाल आगे भेजे हैं वहाँ उस पर जुर्म की धारा लगा दी जायेगी। इसके बाद लफ़्ज़ 'इत्तक़ुल्ला-ह' को दोहराया गया, यह ताकीद के लिये भी हो सकता है और वह मुराद भी हो सकती है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुई है कि पहले 'इत्तक़ुल्ला-ह' से वाजिबात व फ़राईज़ की अदायेगी का एहतिमाम सिखाया गया है और दूसरे 'इत्तक़ुल्ला-ह' से गुनाहों से बचने का एतिमाम बतलाया गया है।

और यह भी मुम्किन है कि पहले इत्तक़ुल्ला-ह (अल्लाह से डरो) से आमाल और अल्लाह के अहकाम की तामील करके आख़िरत के लिये कुछ सामान भेजने का हुक्म हो, और दूसरे इत्तक़ुल्ला-ह से इस तरफ़ हिदायत हो कि देखो जो सामान वहाँ भेजते हो उसको देख लो, कि वह कोई खोटा ख़राब सामान न हो जो वहाँ काम न आये, खोटा सामान वहाँ के लिये वह है कि जिसकी सूरत तो नेक अ़मल की हो मगर उसमें इख़्लास अल्लाह की रज़ा के लिये न हो बल्कि नाम व नमूद या और कोई नफ़्सानी ग़र्ज़ शामिल हो, या वह अ़मल जो सूरत में तो इबादत है मगर दीन में उसका कोई सुबूत न होने की वजह से बिद्अ़त व गुमराही है, तो इस दूसरे 'इत्तक़ुल्ला-ह' का ख़ुलासा यह हुआ कि आख़िरत के लिये महज़ सामान की सूरत बना देना काफ़ी नहीं, देखकर भेजो कि खोटा सामान न हो जो वहाँ न लिया जाये।

فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ.

यानी उन लोगों ने अल्लाह को भूल में क्या डाला दर हक़ीक़त ख़ुद अपने आपको इस भूल में डाल दिया कि अपने नफ़े-नुक़सान की ख़बर न रही।

لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ.

यह एक मिसाल है कि अगर क़ुरआन पहाड़ों जैसी सख़्त और भारी चीज़ पर उतारा गया होता और जिस तरह इनसान को समझ व शऊर दिया गया है उनको भी दे दिया जाता तो पहाड़ भी इस क़ुरआन की अ़ज़मत (बड़ी शान) के सामने झुक जाते, बल्कि रेज़ा-रेज़ा हो जाते। मगर इनसान अपनी इच्छा परस्ती और ख़ुदग़र्ज़ी में मुब्तला होकर अपने फ़ितरी शऊर को खो बैठा और वह अपने क़ुरआन से मुतास्सिर नहीं होता। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि पहाड़ों और दरख़्तों और दुनिया की तमाम चीज़ों में शऊर व एहसास होना अ़क्ल व नक़्ल से साबित है, इसलिये यह कोई फ़र्ज़ी मिसाल नहीं हक़ीक़त है। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु आलम।

इनसान को आख़िरत की फ़िक्र और क़ुरआन की अ़ज़मत (बड़ाई) बतलाने के बाद आख़िर में हक़ तआ़ला की चन्द कमाल वाली सिफ़ात का ज़िक्र करके इस सूरत को ख़त्म किया गया।

عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ.

यानी अल्लाह तआ़ला हर छुपी और खुली चीज़ और ग़ायब व हाज़िर का पूरी तरह जानने वाला

है। 'अल्-क़ुद्दूस' वह ज़ात जो हर ऐब से पाक और हर ऐसी चीज़ से बरी हो जो उसके शायाने शान नहीं। 'अल्-मुअ्मिन' यह लफ़्ज़ जब इनसान के लिये बोला जाता है तो इसके मायने ईमान लाने वाले और अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कलाम की तस्दीक़ करने वाले के आते हैं, और जब यह लफ़्ज़ अल्लाह तआ़ला के लिये बोला जाता है तो इसके मायने अमन देने वाले के होते हैं (जैसा कि इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल है), यानी वह अल्लाह व रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाने वालों को हर तरह के अ़ज़ाब व मुसीबत से अमन और सलामती देने वाला है।

'अल्-मुहैमिनु' इसके मायने हैं निगरानी करने वाला (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास, मुजाहिद और क़तादा रह. का क़ौल है) क़ामूस में है कि 'ह-म-न यहमिनु' के मायने देखभाल और निगरानी करने के आते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

'अल्-अ़ज़ीज़ु' के मायने हैं क़वी व ताक़तवर। 'अल्-जब्बारु' बड़ाई और जलाल व क़ुदरत वाला। और यह भी हो सकता है कि लफ़्ज़ जबर से निकला हो जिसके मायने टूटी हड्डी वग़ैरह को जोड़ने के आते हैं, इसी लिये जबीरा उस पट्टी को कहा जाता है जो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के बाद उस पर बाँधी जाती है, तो मायने इस लफ़्ज़ के यह होंगे कि वह हर टूटी हुई शिकस्ता व नाकारा चीज़ की इस्लाह करके दुरुस्त कर देने वाला है। (तफ़सीरे मज़हरी)

'अल्-मुतकब्बिरु' यह तकब्बुर से और वह किब्रिया-इ से निकला है, जिसके मायने बड़ाई के हैं और हर बड़ाई दर हक़ीक़त अल्लाह जल्ल शानुहू के लिये मख़्सूस है जो किसी चीज़ में किसी का मोहताज नहीं, और जो मोहताज हो वह बड़ा नहीं हो सकता, इसलिये अल्लाह तआ़ला के सिवा दूसरों के लिये यह लफ़्ज़ ऐब और गुनाह है, क्योंकि हक़ीक़त में बड़ाई हासिल न होने के बावजूद बड़ाई का दावा झूठा है और वह ज़ात जो हक़ीक़त में सबसे बड़ी और बेनियाज़ है उसकी ख़ास सिफ़त में शिर्कत का दावा है, इसलिये मुतकब्बिर का लफ़्ज़ अल्लाह तआ़ला के लिये कमाल वाली सिफ़त है और अल्लाह के अ़लावा दूसरों के लिये झूठा दावा।

'अल्-मुसव्विरु' के मायने सूरत बनाने वाला। मुराद यह है कि तमाम मख़्लूक़ात को हक़ तआ़ला ने ख़ास-ख़ास शक्ल व सूरत अ़ता फ़रमाई है जिसकी वजह से वह दूसरी चीज़ों से मुम्ताज़ (अलग और नुमायाँ) हुई और पहचानी जाती है। दुनिया की आ़म मख़्लूक़ात आसमानी और ज़मीनी ख़ास ख़ास सूरतों ही से पहचानी जाती हैं, फिर उनमें क़िस्मों और प्रजातियों की तक़सीम और हर क़िस्म व जाति की अलग और नुमायाँ शक्ल व सूरत, और एक ही जाति यानी इनसानों में मर्द व औ़रत की शक्ल व सूरत का फ़र्क़ फिर सब मर्दों सब औ़रतों की शक्लों में आपस में ऐसे फ़र्क़ व भेद और पहचान कि अरबों खरबों इनसान दुनिया में पैदा हुए एक की सूरत पूरी तरह दूसरे से नहीं मिलती कि बिल्कुल कोई फ़र्क़ व पहचान न हो सके, यह कमाले क़ुदरत सिर्फ़ एक ही ज़ात हक़ जल्ल शानुहू का है जिसमें उसका कोई शरीक नहीं। जिस तरह ग़ैरुल्लाह के लिये तकब्बुर जायज़ नहीं कि किब्रियाई सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शानुहू की सिफ़त है इसी तरह तस्वीर बनाना ग़ैरुल्लाह के लिये जायज़ नहीं कि वह भी अल्लाह तआ़ला की मख़्सूस सिफ़त में शिर्कत का अ़मली दावा है।

لَهُ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى.

'यानी अल्लाह तआ़ला के अच्छे-अच्छे नाम हैं। क़ुरआने करीम में उनकी तायदाद मुतैयन नहीं फ़रमाई, सही हदीसों में निन्नानवे तायदाद बतलाई है, तिर्मिज़ी की एक हदीस में ये सब एक जगह बयान हुए हैं, और बहुत से उलेमा ने अल्लाह के पाक नामों पर मुस्तकिल किताबें लिखी हैं, अहक़र का भी एक मुख़्तसर रिसाला अस्मा-ए-हुस्ना के नाम से मुनाजाते मक़बूल के शुरू में छपा है।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ.

यह तस्बीह ज़बाने हाल से होना तो ज़ाहिर ही है कि सारी मख़्लूक़ात और उनके अन्दर रखी हुई अ़जीब व ग़रीब कारीगरी और सूरतें ज़बाने हाल से अपने बनाने वाले की तारीफ़ व सना में मशग़ूल हैं, और हो सकता है कि वास्तविक तस्बीह मुराद हो, क्योंकि तहक़ीक़ यही है कि तमाम चीज़ों को आ़लम में अपनी-अपनी हैसियत का अ़क़्ल व शऊर है, और अ़क़्ल व शऊर का सबसे पहला तक़ाज़ा अपने बनाने वाले को पहचानना और उसका शुक्रगुज़ार होना है, इसलिये हर चीज़ हक़ीक़त में तस्बीह करती हो तो इसमें कोई मुहाल और दूर की बात नहीं, अगरचे हम उनकी तस्बीह को कानों से न सुन सकें। इसी लिये क़ुरआने करीम ने एक जगह फ़रमाया हैः

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ.

यानी तुम उनकी तस्बीह को सुनते समझते नहीं।

सूरः हश्र की आख़िरी आयतों के फ़ायदे व बरकतें

तिर्मिज़ी में हज़रत मअ़क़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो सुबह के वक़्त तीन मर्तबाः

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ.

"अऊज़ु बिल्लाहिस्समीअ़िल् अ़लीमि मिनश्शैतानिर्रजीम" और उसके बाद एक मर्तबा सूरः हश्र की आख़िरी तीन आयतें 'हुवल्लाहुल्लज़ी ला इला-ह इल्ला हु-व' से सूरत के आख़िर तक पढ़ ले (यानी ऊपर दर्ज हुई आयत नम्बर 22, 23 और 24) तो अल्लाह तआ़ला सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुक़र्रर फ़रमा देते हैं जो शाम तक उसके लिये रहमत की दुआ़ करते रहते हैं, अगर उस दिन में वह मर गया तो शहादत की मौत हासिल होगी। और जिसने शाम को यही कलिमात तीन मर्तबा पढ़ लिये तो यही दर्जा उसको हासिल होगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अल्-हश्र की तफ़सीर आज दिनाँक 10 जुमादल-ऊला सन् 1391 हिजरी दिन इतवार को पूरी हुई। इसके बाद सूरः अल्-मुम्तहिना आ रही है, उसकी भी तफ़सीर लिखने की अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-हश्र की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-मुम्तहिना

सूरः अल्-मुम्तहिना मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 13 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ١٣ (٦٠) سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَةِ مَدَنِيَّةٌ (٩١) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا
جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ ۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ ۭ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ
سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ ۖ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ ۖ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ ۭ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ
مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝١ اِنْ يَّثْقَفُوْكُمْ يَكُوْنُوْا لَكُمْ اَعْدَآءً وَّيَبْسُطُوْٓا اِلَيْكُمْ اَيْدِيَهُمْ
وَاَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوْۗءِ وَوَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ ۝٢ لَنْ تَنْفَعَكُمْ اَرْحَامُكُمْ وَلَآ اَوْلَادُكُمْ ۚ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۚ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ ۭ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝٣ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِيْٓ اِبْرٰهِيْمَ وَالَّذِيْنَ مَعَهٗ ۚ اِذْ قَالُوْا
لِقَوْمِهِمْ اِنَّا بُرَءٰۗؤُا مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۡ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَآءُ اَبَدًا حَتّٰى تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَحْدَهٗٓ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَآ
اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۭ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاِلَيْكَ اَنَبْنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ۝٤ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا
فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا ۚ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝٥ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْهِمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ۝٦

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तत्तख़िज़ू अ़दुव्वी व अ़दुव्वकुम् औलिया-अ तुल्क़ू-न इलैहिम् बिल्-म-वद्दति व क़द् क-फ़रू बिमा	ऐ ईमान वालो! न पकड़ो मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त, तुम उनको पैग़ाम भेजते हो दोस्ती से और वे मुन्किर हुए हैं उससे

जा-अकुम् मिनल्-हक़्क़ि युख़्रिजूनर्-रसू-ल व इय्याकुम् अन् तुअ्मिनू बिल्लाहि रब्बिकुम्, इन् कुन्तुम् ख़रज्तुम् जिहादन् फ़ी सबीली वब्तिग़ा-अ मर्ज़ाती तुसिर्रू-न इलैहिम् बिल्म-वद्दति व अ-न अअ्लमु बिमा अख़्फ़ैतुम् व मा अअ्लन्तुम्, व मंय्यफ़अ़ल्हु मिन्कुम् फ़-क़द् ज़ल्-ल सवा-अस्सबील (1) इंय्यस्क़फ़ूकुम् यकूनू लकुम् अअ्दा-अंव्-व यब्सुतू इलैकुम् ऐदि-यहुम् व अल्सि-न-तहुम् बिस्सू-इ व वद्दू लौ तक्फ़ुरून (2) लन् तन्फ़-अकुम् अर्हामुकुम् व ला औलादुकुम् यौमल्-क़ियामति यफ़्सिलु बैनकुम्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर (3) क़द् कानत् लकुम् उस्वतुन् ह-स-नतुन् फ़ी इब्राही-म वल्लज़ी-न म-अहू इज़् क़ालू लिक़ौमिहिम् इन्ना बु-रआ-उ मिन्कुम् व मिम्मा तअ्बुदू-न मिन् दूनिल्लाहि कफ़र्ना बिकुम् व बदा बैनना व बैनकुमुल् अ़दा-वतु वल्-बग़्ज़ा-उ अ-बदन् हत्ता तुअ्मिनू बिल्लाहि वह्-दहू इल्ला क़ौ-ल

जो तुम्हारे पास आया सच्चा दीन, निकालते हैं रसूल को और तुमको इस बात पर कि तुम मानते हो अल्लाह को जो रब है तुम्हारा, अगर तुम निकले हो लड़ने को मेरी राह में और तलब करने को मेरी रज़ामन्दी, तुम उनको छुपाकर भेजते हो दोस्ती के पैग़ाम, और मुझको ख़ूब मालूम है जो छुपाया तुमने और जो ज़ाहिर किया तुमने, और जो कोई करे तुम में यह काम तो वह भूल गया सीधी राह। (1) अगर तुम उनके हाथ आ जाओ हो जायें तुम्हारे दुश्मन और चलायें तुम पर अपने हाथ और अपनी ज़बानें बुराई के साथ, और चाहें कि किसी तरह तुम भी मुन्किर हो जाओ। (2) हरगिज़ काम न आयेंगे तुम्हारे कुनबे वाले और न तुम्हारी औलाद, क़ियामत के दिन वह फ़ैसला करेगा तुम में, और अल्लाह जो तुम करते हो (सब) देखता है। (3) तुमको चाल चलनी चाहिये अच्छी इब्राहीम की और जो उसके साथ थे, जब उन्होंने कहा अपनी कौम को- हम अलग हैं तुमसे और उनसे जिनको तुम पूजते हो अल्लाह के सिवा, हम मुन्किर हुए तुमसे और खुल पड़ी हम में और तुम में दुश्मनी और बैर हमेशा को, यहाँ तक कि तुम यक़ीन लाओ अल्लाह अकेले पर, मगर

इब्राही-मं लि-अबीहि ल-अस्तग़्फ़िरन्-न ल-क व मा अम्लिकु ल-क मिनल्लाहि मिन् शैइन्, रब्बना अ़लै-क तवक्कल्ना व इलै-क अनब्ना व इलैकल्-मसीर (4) रब्बना ला तज्अ़ल्ना फ़ित्नतल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रू वग़्फ़िर् लना रब्बना इन्न-क अन्तल्-अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (5) ल-क़द् का-न लकुम् फ़ीहिम् उस्वतुन् ह-स-नतुल्-लिमन् का-न यर्जुल्ला-ह वल्यौमल्-आख़ि-र, व मंय्य-तवल्-ल फ़-इन्नल्ला-ह हुवल् ग़निय्युल्-हमीद (6) ❁

एक कहना इब्राहीम का अपने बाप को कि मैं माँगूगा माफ़ी तेरे लिये और मालिक नहीं मैं तेरे नफ़े का अल्लाह के हाथ से किसी चीज़ का, ऐ हमारे रब! हमने तुझ पर भरोसा किया और तेरी तरफ़ रुजू हुए और तेरी तरफ़ है सब को फिर आना। (4) ऐ हमारे रब! मत जाँच हम पर काफ़िरों को और हमको माफ़ कर, ऐ हमारे रब! तू ही है ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (5) ज़रूर तुमको भली चाल चलनी चाहिये उनकी जो कोई उम्मीद रखता हो अल्लाह की और पिछले दिन की, और जो कोई मुँह फेरे तो अल्लाह वही है बेपरवाह सब तारीफ़ों वाला। (6) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि उनसे दोस्ती का इज़हार करने लगो (यानी चाहे दिल से दोस्ती न हो मगर ऐसा दोस्ताना बर्ताव भी मत करो) हालाँकि तुम्हारे पास जो हक़ दीन आ चुका है वे उसके इनकारी हैं (जिससे उनका ख़ुदा तआ़ला का दुश्मन होना मालूम हुआ जो आयत में अ़दुव्वी के लफ़्ज़ से बयान किया गया) रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को और तुमको इस बिना पर कि तुम अपने परवर्दिगार अल्लाह पर ईमान ले आये शहर से निकाल चुके हैं (यह बयान है अ़दुव्वकुम का, यानी वे सिर्फ़ अल्लाह के दुश्मन नहीं तुम्हारे भी दुश्मन हैं। ग़र्ज़ कि ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो) अगर तुम मेरे रास्ते पर जिहाद करने की ग़र्ज़ से और मेरी रज़ामन्दी ढूँढने की ग़र्ज़ से (अपने घरों से) निकले हो, (काफ़िरों की दोस्ती जिसका हासिल काफ़िरों की रज़ामन्दी की फ़िक्र है, और यह हक़ तआ़ला की रज़ा हासिल करने और उसके मुनासिब आमाल के ख़िलाफ़ है) तुम उनसे चुपके-चुपके दोस्ती की बातें करते हो (यानी अव्वल तो दोस्ती ही बुरी चीज़ है, फिर ख़ुफ़िया पैग़ाम भेजना जो ख़ुसूसी संपर्क व ताल्लुक़ की निशानी है यह और ज़्यादा बुरा है) हालाँकि मुझको सब चीज़ों का ख़ूब इल्म है, तुम जो कुछ छुपाकर करते हो और जो ज़ाहिर करते हो (यानी दूसरी रोकने वाली बातों के अ़लावा जिनका ऊपर ज़िक्र हुआ यह बात भी उनकी दोस्ती से रुकावट होनी चाहिये

कि अल्लाह तआ़ला को हर चीज़ की ख़बर है) और (आगे इस पर धमकी है कि) जो शख़्स तुम में से ऐसा करेगा वह सही रास्ते से भटकेगा (और अन्जाम गुमराहों का मालूम ही है)।

(आगे उनकी दुश्मनी का बयान है कि वे तुम्हारे ऐसे सख़्त दुश्मन हैं कि) अगर उनको तुम पर क़ब्ज़ा हासिल हो जाये तो (फ़ौरन) दुश्मनी का इज़हार करने लगें और (वह दुश्मनी का इज़हार यह कि) तुम पर बुराई (और नुक़सान पहुँचाने) के साथ हाथ और ज़बान चलाने लगें (यह दुनियावी नुक़सान पहुँचाना है) और (दीनी नुक़सान पहुँचाना यह कि) वे इस बात के इच्छुक हैं कि तुम काफ़िर (ही) हो जाओ (पस ऐसे लोग कब क़ाबिले दोस्ती हैं, और अगर तुमको दोस्ती के बारे में अपने घर वालों और बाल-बच्चों का ख़्याल हो तो ख़ूब समझ लो कि) तुम्हारे रिश्तेदार और औलाद क़ियामत के दिन तुम्हारे (कुछ) काम न आएँगे, ख़ुदा (ही) तुम्हारे दरमियान फ़ैसला करेगा, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे सब आमाल को ख़ूब देखता है (पस हर अ़मल का फ़ैसला ठीक-ठीक करेगा, पस अगर तुम्हारे आमाल सज़ा दिलाने वाले होंगे तो उस सज़ा से औलाद व रिश्तेदार बचा न सकेंगे, फिर उनकी रियायत में ख़ुदा के हुक्म के ख़िलाफ़ करना बहुत बुरी बात है, और इससे मालों का क़ाबिले रियायत न होना और ज़्यादा ज़ाहिर है)।

(आगे ऊपर ज़िक्र हुए हुक्म पर उभारने के लिये हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा इरशाद है कि) तुम्हारे लिये इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) में और उन लोगों में जो कि (ईमान और फ़रमाँबरदारी में) उनके शरीके हाल थे, एक उम्दा नमूना है (यानी इस बारे में काफ़िरों से ऐसा बर्ताव रखना चाहिये जैसे हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों ने किया) जबकि उन सब ने (विभिन्न समय में) अपनी क़ौम (के लोगों) से कह दिया कि हम तुमसे और जिनको तुम अल्लाह के सिवा माबूद समझते हो उनसे बेज़ार हैं (विभिन्न समय इसलिये कहा गया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम ने जिस वक़्त शुरू में यह बात अपनी क़ौम से कही थी उस वक़्त वह बिल्कुल तन्हा थे, फिर जो-जो आपके साथ होते गये काफ़िरों से क़ौली व अ़मली ताल्लुक़ ख़त्म करते गये। आगे इस बेज़ारी का बयान है कि) हम तुम्हारे (यानी काफ़िरों और उनके माबूदों के) मुन्किर हैं (यानी तुम्हारे अ़क़ीदों और माबूदों की इबादत के इनकारी हैं। यह तो अपने को बरी करना अ़क़ीदे के एतिबार से हुआ) और (मामले और बर्ताव के एतिबार से बरी व अलग करना यह है कि) हम में और तुम में हमेशा के लिये बैर, दुश्मनी और बुग़्ज़ (ज़्यादा) ज़ाहिर हो गया (क्योंकि दुश्मनी की बुनियाद अ़क़ीदों का अलग और भिन्न होना है, और अब इसका ज़्यादा ऐलान हो गया तो दुश्मनी का भी ज़्यादा इज़हार हो गया। दुश्मनी और नफ़रत मायने के एतिबार से क़रीब-क़रीब हैं और दोनों का जमा करना ताकीद के लिये है, और यह दुश्मनी हमको तुमसे हमेशा रहेगी) जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ (ग़र्ज़ कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वालों ने काफ़िरों से साफ़ तौर पर ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया) लेकिन इब्राहीम (अ़लैहिस्सलाम) की इतनी बात तो अपने बाप से हुई थी (जिससे बज़ाहिर उनके साथ मुहब्बत व दोस्ती का शुब्हा था) कि मैं तुम्हारे लिये इस्तिग़फ़ार ज़रूर करूँगा, और तुम्हारे लिये (इस्तिग़फ़ार से ज़्यादा) मुझको ख़ुदा के आगे किसी बात का इख़्तियार नहीं (कि दुआ़ को क़ुबूल

करा लूँ या ईमान न लाने के बावजूद तुमको अज़ाब से बचा लूँ। मतलब यह है कि इतनी बात तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कही थी जिसका मतलब तुम में से कुछ लोग मुतलक़ इस्तिग़फ़ार समझ गये हालाँकि यहाँ इस्तिग़फ़ार के दूसरे मायने हैं, यानी उनके लिये यह दुआ करना कि वह ईमान लाकर मग़फ़िरत के मुस्तहिक़ बन जायें जिसकी सब को इजाज़त है, और वास्तव में वह ताल्लुक़ तोड़ने और ख़त्म करने के ख़िलाफ़ भी नहीं, मगर ताल्लुक़ की ज़ाहिरी सूरत और इस्तिग़फ़ार के ज़ाहिरी मायने के एतिबार से देखने में इसको अलग किया जाता है)।

(यह गुफ़्तगू तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपनी क़ौम से हुई आगे उनकी दुआ का मज़मून है। यानी काफ़िरों से ताल्लुक़ ख़त्म करके उन्होंने इस बारे में हक़ तआला से अर्ज़ किया कि) ऐ हमारे परवर्दिगार! हम (काफ़िरों से बरी होने के ऐलान और दुश्मनी के मामले में) आप पर भरोसा करते हैं और (आप ही हमारी तमाम दुश्वारियों व मुश्किलों की कफ़ालत और दुश्मनों के तकलीफ़ें देने से हिफ़ाज़त फ़रमायेंगे, और साथ ही ईमान लाने में) आप ही की तरफ़ रुजू करते हैं और (एतिक़ाद रखते हैं कि) आप ही की तरफ़ (सब को) लौटना है (पस इस एतिक़ाद की वजह से हमने जो कुछ काफ़िरों से बरी होने का ऐलान किया है वह बिल्कुल सच्चे दिल से किया है, उसमें कोई दुनियावी ग़र्ज़ नहीं, और इससे अपनी बड़ाई जतलाना भी मक़सद नहीं बल्कि अपने हाल का यह बयान सवाल करने की ग़र्ज़ से है। और) ऐ हमारे परवर्दिगार! हमको काफ़िरों का तख़्ता-ए-मश्क़ "ज़ुल्म व सितम का निशाना" न बना (यानी हमारे इस तरह उनसे बेज़ारी और बराअत ज़ाहिर करने से ये काफ़िर हम पर ज़ुल्म न करने पायें) और ऐ हमारे परवर्दिगार! हमारे गुनाह माफ़ कर दीजिये, बेशक आप ज़बरदस्त, हिक्मत वाले हैं (और हर तरह की आपको क़ुदरत हासिल है)।

बेशक उन लोगों में (यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकारों में) तुम्हारे लिये यानी ऐसे शख़्स के लिये उम्दा नमूना है जो अल्लाह (के सामने जाने) का और क़ियामत के दिन (के आने) का एतिक़ाद रखता हो (यानी यह एतिक़ाद चाहता है इस बारे में इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पैरवी को), और (आगे दूसरे अन्दाज़ से वईद है जैसे इससे पहले 'व मंय्यफ़्अ़ल्हु' में वईद आ चुकी है, यानी) जो शख़्स (इस हुक्म से) मुँह मोड़ेगा सो (उसी का नुक़सान होगा, क्योंकि) अल्लाह तआला (तो) बिल्कुल बेनियाज़ और (तमाम कमालात वाला होने की वजह से) तारीफ़ का हक़दार है।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत का शुरू का हिस्सा काफ़िर व मुश्रिक लोगों से दिली दोस्ती और दोस्ताना ताल्लुक़ात रखने के हराम होने और मनाही में आया है, और इसके नाज़िल हाने का एक ख़ास वाक़िआ है।

शाने नुज़ूल

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में क़ुशैरी और सालबी के हवाले से बयान किया गया है कि जंगे-बदर के बाद

मक्का फ़तह होने से पहले मक्का मुकर्रमा की एक मुग़न्निया (गाने वाली) औरत जिसका नाम सारा था, पहले मदीना तय्यिबा आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उससे पूछा कि क्या तुम हिजरत करके आई हो तो कहा कि नहीं, आपने पूछा कि क्या फिर तुम मुसलमान होकर आई हो? उसने इसका भी इनकार किया, आपने फ़रमाया कि फिर यहाँ किस ग़र्ज़ से आई हो? उसने कहा कि आप लोग मक्का मुकर्रमा के आला ख़ानदान के लोग थे, आप ही में मेरा गुज़ारा था, अब मक्का के बड़े सरदार तो ग़ज़वा-ए-बदर में मारे गये और आप लोग यहाँ चले आये हैं, मेरा गुज़ारा मुश्किल हो गया, मैं सख़्त हाजत व ज़रूरत में मुब्तला होकर आपसे मदद लेने के लिये यहाँ आई हूँ। आपने फ़रमाया कि तुम तो मक्का मुकर्रमा की मानी हुई और मशहूर मुग़न्निया (गायिका) हो, वह मक्का के नौजवान क्या हुए (जो तुम पर रुपये-पैसे की बारिश किया करते थे)? उसने कहा कि वाकिआ-ए-बदर के बाद (उनकी मज्लिसें और उत्सव और ऐश व मस्ती के जश्न सब ख़त्म हो चुके हैं) उस वक़्त से किसी ने मुझे नहीं बुलाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बनू अ़ब्दुल-मुत्तलिब को उसकी इमदाद करने की तरग़ीब दी, उन्होंने उसको नक़द और कपड़े वग़ैरह देकर रुख़्सत किया।

यह ज़माना वह था जो सुलह हुदैबिया के समझौते को क़ुरैश के काफ़िरों ने तोड़ डाला था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का के काफ़िरों पर हमलावार होने का इरादा करके उसकी ख़ुफ़िया तैयारी शुरू कर रखी थी, और यह दुआ भी की थी कि हमारा राज़ मक्का वालों पर वक़्त से पहले न खुले, इधर शुरू में हिजरत करने वालों में के एक सहाबी हातिब बिन अबी बल्तआ रज़ियल्लाहु अ़न्हु थे जो बुनियादी तौर पर यमन के बाशिन्दे थे, मक्का मुकर्रमा में आकर मुक़ीम हो गये थे, वहाँ उनका कोई कुनबा-क़बीला न था, वहीं मुसलमान हो गये, फिर हिजरत करके मदीना तय्यिबा आ गये, उनके बाल-बच्चे और घर वाले भी मक्का ही में थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और बहुत से सहाबा-ए-किराम की हिजरत के बाद मक्का के मुश्रिक लोग उन मुसलमानों को जो मक्का मुकर्रमा में रह गये थे सताते और परेशान करते थे, जिन मुहाजिरीन के अ़ज़ीज़ व रिश्तेदार मक्का में मौजूद थे उनको तो किसी दर्जे में सुरक्षा हासिल थी, हातिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु को यह फ़िक्र थी कि मेरे घर वालों को दुश्मनों के सताने और तकलीफ़ें देने से बचाने वाला वहाँ कोई नहीं, उन्होंने अपने घर वालों की सुरक्षा का मौक़ा ग़नीमत जाना कि मक्का वालों पर कुछ एहसान कर दिया जाये तो वे उनके बच्चों पर ज़ुल्म न करेंगे।

उनको अपनी जगह यह यक़ीन था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तो हक़ तआ़ला फ़तह ही अ़ता फ़रमायेंगे, आपको या इस्लाम को यह राज़ फ़ाश कर देने से कोई नुक़सान नहीं पहुँचेगा, अगर मैंने उनको कोई ख़त लिखकर इसकी इत्तिला कर दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरादा तुम लोगों पर हमला करने का है तो मेरे बच्चों की हिफ़ाज़त हो जायेगी। यह ग़लती उनसे हो गयी कि एक ख़ुफ़िया ख़त मक्का वालों के नाम लिखकर उस जाने वाली औरत सारा के सुपुर्द कर दिया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व मज़हरी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हक़ तआ़ला ने वही के ज़रिये इस मामले की इत्तिला दे दी और यह भी आपको मालूम हो गया कि वह औरत इस वक़्त रौज़ा-ए-ख़ाख़ के मक़ाम तक

पहुँच चुकी है।

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे और अबू मुर्सद और ज़ुबैर बिन अ़व्वाम को हुक्म दिया कि घोड़ों पर सवार होकर उस औ़रत का पीछा करो, वह तुम्हें रौज़ा-ए-ख़ाख़ (एक स्थान का नाम) में मिलेगी, और उसके साथ हातिब बिन अबी बल्तआ़ का ख़त मक्का के मुश्रिकों के नाम है उसको पकड़कर वह ख़त वापस ले लो। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू फ़रमाते हैं कि हमने हुक्म के मुताबिक़ तेज़ी के साथ पीछा किया और ठीक उसी जगह जहाँ के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़बर दी थी उस औ़रत को ऊँट पर सवार जाते हुए पकड़ लिया, और हमने कहा कि वह ख़त निकालो जो तुम्हारे पास है। उसने कहा कि मेरे पास किसी का कोई ख़त नहीं। हमने उसके ऊँट को बैठा दिया उसकी तलाशी ली मगर ख़त हमें हाथ न आया, लेकिन हमने दिल में कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़बर ग़लत नहीं हो सकती, ज़रूर इसने ख़त को कहीं छुपाया है, तो अब हमने उसको कहा कि या तो ख़त निकाल दो वरना हम तुम्हारे कपड़े उतरवायेंगे।

जब उसने देखा कि अब इनके हाथ से निजात नहीं तो अपने इज़ार (कमरबन्द) में से वह ख़त निकाला। हम वह ख़त लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो गये, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने वाक़िआ़ सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि इस शख़्स ने अल्लाह और उसके रसूल और सब मुसलमानों से ख़ियानत की कि हमारा राज़ काफ़िरों को लिख दिया, मुझे इजाज़त दीजिये कि मैं इसकी गर्दन मार दूँ।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हातिब बिन अबी बल्तआ़ से पूछा कि तुम्हें किस चीज़ ने इस हरकत पर तैयार किया? हातिब इब्ने अबी बल्तआ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मेरे ईमान में अब भी ज़रा फ़र्क़ नहीं है, बात यह है कि मेरे दिल में यह ख़्याल आया कि मैं मक्का वालों पर कुछ एहसान कर दूँ ताकि वे मेरे बाल-बच्चों और घर वालों को कुछ न कहें, मेरे सिवा दूसरे मुहाजिर हज़रात में कोई ऐसा नहीं जिसका कुनबा-क़बीला वहाँ मौजूद न हो, जो उनके घर वालों की हिफ़ाज़त करे।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हातिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु का बयान सुनकर फ़रमाया कि इसने सच कहा है, इसके मामले में ख़ैर के सिवा कुछ न कहो। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने (अपनी ईमानी ग़ैरत से) फिर अपनी बात दोहराई और उनके क़त्ल की इजाज़त माँगी, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क्या यह बदर वालों (यानी ग़ज़वा-ए-बदर में शरीक होने वालों) में से नहीं हैं? अल्लाह तआ़ला ने ग़ज़वा-ए-बदर में शरीक होने वाले तमाम हज़रात की मग़फ़िरत का और उनके लिये जन्नत के वायदे का ऐलान फ़रमा दिया है, यह सुनकर हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु की आँखों में आँसू आ गये और अ़र्ज़ किया कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल ही हक़ीक़त का इल्म रखते हैं (यह बुख़ारी की रिवायत किताबुल-मग़ाज़ी ग़ज़वा-ए-बदर में है। इब्ने कसीर) और कुछ रिवायतों में हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह क़ौल भी है कि मैंने यह काम इस्लाम और मुसलमानों को नुक़सान पहुँचाने के लिये हरगिज़ नहीं किया, क्योंकि मेरा यक़ीन था

कि आपको फ़तह ही होगी, मक्का वालों को ख़बर भी हो गयी तो आपका कोई नुक़सान नहीं होगा।

इस वाक़िए की बिना पर सूरः मुम्तहिना की शुरू की आयतें नाज़िल हुईं जिनमें इस वाक़िए पर डाँट व तंबीह और मुसलमानों को काफ़िरों के साथ किसी क़िस्म के दोस्ताना ताल्लुक़ रखने को हराम क़रार दिया गया।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَآءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ.

"यानी ऐ ईमान वालो! मेरे दुश्मन और अपने दुश्मन को दोस्त न बनाओ कि तुम उनको दोस्ती के पैग़ाम दो।"

इसमें इसी ऊपर ज़िक्र हुए वाक़िए की तरफ़ इशारा है कि इस तरह का ख़त काफ़िरों को लिखना उनको दोस्ती का पैग़ाम देना है, और आयत में लफ़्ज़ काफ़िरों को छोड़कर 'अ़दुव्वी' और 'अ़दुव्वकुम' का उनवान इख़्तियार करने में अव्वल तो इस हुक्म की वजह और दलील की तरफ़ इशारा हो गया कि अपने और ख़ुदा के दुश्मनों से दोस्ती की उम्मीद व अपेक्षा रखना सख़्त धोखा है, इससे बचो। दूसरे इस तरफ़ भी इशारा हो गया कि काफ़िर जब तक काफ़िर है वह किसी मुसलमान का जब तक कि वह मुसलमान है दोस्त नहीं हो सकता, वह ख़ुदा का दुश्मन है तो मुसलमान जो ख़ुदा की मुहब्बत का दावेदार है उससे उसकी दोस्ती कैसे हो सकती है।

وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَآءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْ.

हक़ से मुराद क़ुरआन या इस्लाम है। इस आयत में उनका कुफ़्र जो असल सबब है दुश्मनी का उसका बयान करने के बाद उनकी ज़ाहिरी दुश्मनी को भी बतलाया कि उन्होंने तुमको और तुम्हारे रसूल को उनके प्यारे वतन से निकाला और उस निकालने की वजह कोई दुनियावी सबब न था बल्कि सिर्फ़ तुम्हारा ईमान उसका सबब था, तो यह बात खुल गयी कि जब तक तुम मोमिन हो वे तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। इशारा इस बात की तरफ़ है कि जैसे हातिब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ख़्याल किया था कि उन पर कुछ एहसान कर दूँगा तो वे मेरे बाल-बच्चों की हिफ़ाज़त करेंगे, यह ख़्याल ग़लत है, क्योंकि वे तुम्हारे दुश्मन ईमान की वजह से हैं, जब तक ख़ुदा न करे तुम्हारा ईमान तुमसे छिन न जाये उनसे किसी दोस्ती व ताल्लुक़ की उम्मीद रखना धोखा है।

اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَآءَ مَرْضَاتِيْ.

इसमें भी इशारा इस तरफ़ है कि अगर तुम्हारी हिजरत वाक़ई अल्लाह के लिये और उसकी रज़ा तलब करने के लिये थी तो किसी काफ़िर दुश्मने ख़ुदा से इसकी कैसे उम्मीद रखी जा सकती है कि वह तुम्हारी कोई रियायत करे।

تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْ.

इसमें यह भी बतला दिया कि जो लोग काफ़िरों से ख़ुफ़िया दोस्ती रखें वे यह न समझें कि उनकी यह हरकत पोशीदा रह जायेगी, अल्लाह तआ़ला को उनके छुपे और खुले हर हाल और अ़मल की ख़बर है, जैसा कि ऊपर बयान हुए वाक़िए में अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल को वही के ज़रिये

ख़बरदार करके साज़िश को पकड़वा दिया।

إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ

यानी उन लोगों से यह उम्मीद रखना कि वे मौक़ा पाने के बावजूद तुम्हारे साथ कोई रवादारी (अच्छा मामला) बरतेंगे इसकी कोई संभावना नहीं, उनको जब कभी तुम पर ग़लबा हासिल होगा तो उनके हाथ और ज़बान तुम्हारी बुराई और ख़राबी के सिवा किसी चीज़ की तरफ़ न उठेंगे।

وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ ۝

इसमें इशारा है कि जब तुम उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाओगे तो उनकी दोस्ती सिर्फ़ तुम्हारे ईमान की क़ीमत पर होगी, जब तक तुम कुफ़्र में मुब्तला न हो जाओ वे कभी तुमसे राज़ी न होंगे।

لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝

"यानी क़ियामत के दिन तुम्हारे रिश्ते-नाते और तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम न आयेंगे, अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन ये सब ताल्लुक़ात ख़त्म कर देंगे, औलाद माँ-बाप से और माँ-बाप औलाद से भागते फिरेंगे। इसमें हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु अन्हु के उज़्र की तरदीद है कि जिस औलाद की मुहब्बत में मुब्तला होकर यह काम किया था समझ लो कि क़ियामत के दिन वह औलाद तुम्हारे कुछ काम न आयेगी, और अल्लाह तआ़ला से कोई राज़ और ख़ुफ़िया चीज़ छुपने वाली नहीं।

अगली आयतों में काफ़िरों से दोस्ती का ताल्लुक़ ख़त्म करने की ताईद व ताकीद के लिये हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का वाक़िआ़ ज़िक्र किया गया है कि उनका तो सारा ख़ानदान मुश्रिकों का था, उन्होंने सबसे बेज़ारी और बराअत का ही नहीं बल्कि दुश्मनी व मुख़ालफ़त का ऐलान कर दिया, और बतला दिया कि जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओगे और अपने शिर्क से बाज़ न आओगे हमारे तुम्हारे दरमियान नफ़रत व दुश्मनी की दीवार बाधा रहेगी:

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّىٰ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

का यही मतलब है।

एक शुब्ह और उसका जवाब

ऊपर की आयत में मुसलमानों को हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के उम्दा नमूने और सुन्नत पर चलने की ताकीद फ़रमाई गयी है, और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम से अपने मुश्रिक वालिद के लिये इस्तिग़फ़ार करना साबित है, जिसका ज़िक्र सूरः तौबा वग़ैरह में आया है तो सुन्नते इब्राहीमी की पैरवी के हुक्म से किसी को यह शुब्हा हो सकता था कि अपने मुश्रिक माँ-बाप या प्यारों व रिश्तेदारों के लिये मग़फ़िरत व बख़्शिश की दुआ़ करना भी इसमें दाख़िल है, यह जायज़ होना चाहिये, इसलिये इस इब्राहीमी नमूने की पैरवी से इसको अलग करके फ़रमा दिया कि और सब चीज़ों में इब्राहीमी सुन्नत व नमूने की पैरवी लाज़िम है मगर उनके इस अ़मल की पैरवी मुसलमानों के लिये जायज़ नहीं कि मुश्रिक माँ-बाप और रिश्तेदारों के लिये दुआ़-ए-मग़फ़िरत करने लगें, आयतः

اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ لَاَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ

का यही मतलब है। और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का उज़्र सूरः तौबा में आ चुका है कि उन्होंने बाप के लिये इस्तिग़फ़ार का वादया मनाही के हुक्म से पहले कर लिया था, या इस गुमान पर कर लिया था कि उसके दिल में ईमान आ गया है, जब मालूम हुआ कि वह ख़ुदा का दुश्मन है तो उससे भी बराअत व बेज़ारी का ऐलान कर दियाः

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗٓ اَنَّهٗ عَدُوٌّ لِّلّٰهِ تَبَرَّاَ مِنْهُ............ الاية.

का यही मतलब है।

और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने 'इल्ला क़ौ-ल इब्राही-म' के अलग करने को एक विशेष दर्जे का अलग करना क़रार दिया है जिसका हासिल यह है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का अपने बाप के लिये इस्तिग़फ़ार उस इब्राहीमी सुन्नत व नमूने के विरुद्ध नहीं, क्योंकि उन्होंने इस बिना पर इस्तिग़फ़ार कर लिया था कि उन्होंने गुमान किया था कि वह मुसलमान हो गया, फिर जब हक़ीक़त मालूम हो गयी तो इस्तिग़फ़ार छोड़ दिया और बेताल्लुक़ी व बेज़ारी का ऐलान फ़रमा दिया, और ऐसा करना अब भी जायज़ है, कि जिस शख़्स को किसी काफ़िर के मुताल्लिक़ ग़ालिब गुमान यह हो जाये कि वह मुसलमान हो गया है उसके लिये इस्तिग़फ़ार करने में कोई हर्ज नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में भी इसी सूरत को इख़्तियार करके तफ़सीर की गयी है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ

بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةً ۭ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰٓي اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۗىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝

अ़सल्लाहु अंय्यज्अ़-ल बैनकुम् व बैनल्लज़ी-न आ़दैतुम् मिन्हुम् मवद्द-तन्, वल्लाहु क़दीरुन्, वल्लाहु ग़फ़ूरुर्-रहीम (7) ला यन्हाकुमुल्लाहु अ़निल्लज़ी-न लम् युक़ातिलूकुम् फ़िद्दीनि व लम् युख़्रिजूकुम् मिन्	उम्मीद है कि कर दे अल्लाह तुम में और जो दुश्मन हैं तुम्हारे उनमें दोस्ती, और अल्लाह सब कुछ कर सकता है और अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (7) अल्लाह तुमको मना नहीं करता उन लोगों से जो लड़े नहीं तुमसे दीन पर और निकाला नहीं तुमको तुम्हारे घरों से, कि

दियारिकुम् अन् तबर्रूहुम् व तुक़्सितू इलैहिम्, इन्नल्ला-ह युहिब्बुल्-मुक़्सितीन (8) इन्नमा यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ी-न क़ा-तलूकुम् फ़िद्दीनि व अख़्र-रजूकुम् मिन् दियारिकुम् व ज़ा-हरू अला इख़्राजिकुम् अन् तवल्लौहुम् व मंय्य-तवल्लहुम् फ़-उलाइ-क हुमुज़्ज़ालिमून (9)	उनसे करो भलाई और इन्साफ़ का सुलूक, बेशक अल्लाह चाहता है इन्साफ़ वालों को। (8) अल्लाह तो मना करता है तुम को उनसे जो लड़े तुमसे दीन पर और निकाला तुमको तुम्हारे घरों से और शरीक हुए तुम्हारे निकालने में कि उनसे करो दोस्ती, और जो कोई उनसे दोस्ती करे सो वे लोग वही हैं गुनाहगार। (9)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(और चूँकि उनकी दुश्मनी सुनकर मुसलमानों को फ़िक्र हो सकती थी कुछ ताल्लुक़ात तोड़ने से तबई तौर पर रंज हो सकता था, इसलिये ख़ुशख़बरी के तौर पर आगे पेशीनगोई फ़रमाते हैं कि) अल्लाह तआ़ला से उम्मीद है (यानी उधर से वायदा है) कि तुम में और उन लोगों में जिनसे तुम्हारी दुश्मनी है, दोस्ती कर दे (चाहे कुछ ही से सही, यानी उनको मुसलमान कर दे जिससे दुश्मनी दोस्ती से बदल जाये) और (इसको कुछ बईद न समझो क्योंकि) अल्लाह तआ़ला को बड़ी क़ुदरत है (चुनाँचे मक्का फ़तह होने के दिन बहुत आदमी ख़ुशी से मुसलमान हो गये, मतलब यह कि अव्वल तो अगर ताल्लुक़ ख़त्म करना हमेशा के लिये होता तब भी उसका हुक्म होने की वजह से वाजिबुल-अ़मल था, फिर ख़ासकर जबकि थोड़ी ही मुद्दत के लिये करना पड़े और फिर ईमान में शरीक होने की वजह से दोस्ती और ताल्लुक़ बदस्तूर वापस क़ायम हो जाये तो कोई फ़िक्र की बात नहीं) और (अब तक जो किसी से इस हुक्म के ख़िलाफ़ ख़ता हो गयी है जिससे अब वह तौबा कर चुका है तो) अल्लाह तआ़ला (उसके लिये) मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है।

(यहाँ तक तो दोस्ताना ताल्लुक़ात के बारे में हुक्म फ़रमाया था कि उनका ख़त्म करना वाजिब है आगे एहसान व रवादारी वाले ताल्लुक़ात के हुक्म की तफ़सील बयान फ़रमाते हैं वह यह कि) अल्लाह तआ़ला तुमको उन लोगों के साथ एहसान और इन्साफ़ का बर्ताव करने से मना नहीं करता जो तुमसे दीन के बारे में नहीं लड़े, और तुमको तुम्हारे घरों से नहीं निकाला (मुराद वे काफ़िर हैं जो ज़िम्मी या समझौते वाले हों, यानी उनके साथ एहसान का बर्ताव जायज़ है, बाक़ी रहा अ़दल व इन्साफ़ का मुन्सिफ़ाना बर्ताव तो उसमें ज़िम्मी या समझौते वाले की शर्त नहीं बल्कि वह तो हर काफ़िर बल्कि जानवर के साथ भी वाजिब है। इस आयत में अ़दल व इन्साफ़ से मुराद एहसान का बर्ताव करना है, इसलिये सुलह व समझौते वालों के साथ मख़्सूस

किया गया) अल्लाह तआला इन्साफ़ का बर्ताव करने वालों से मुहब्बत रखते हैं। (अलबत्ता) सिर्फ़ उन लोगों के साथ दोस्ती (यानी नेकी व एहसान) करने से अल्लाह तआला तुमको मना करता है जो तुमसे दीन के बारे में लड़े हों (चाहे सामने आकर या इरादे से) और तुमको तुम्हारे घरों से निकाला हो। और (अगर निकाला भी न हो लेकिन) तुम्हारे निकालने में (निकालने वालों की) मदद की हो (यानी उनके साथ शरीक हों चाहे उनके साथ अमली शिर्कत की हो या अ़ज़्म व इरादा इसका रखते हों, इसमें वे सब काफ़िर आ गये जिनसे मुसलमानों का कोई सुलह का समझौता या ज़िम्मेदारी का मामला और अ़हद नहीं था, उनके साथ नेकी व एहसान का मामला जायज़ नहीं बल्कि उनसे जंग और मुक़ाबला करना चाहिये) और जो शख़्स ऐसों से दोस्ती (का बर्ताव यानी नेकी व एहसान का बर्ताव) करेगा सो वे गुनाहगार होंगे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इनसे पहले की आयतों में काफ़िरों से दोस्ताना ताल्लुक़ रखने की सख़्त मनाही व हुर्मत (हराम होने) का बयान आया है अगरचे वे काफ़िर रिश्ते व ताल्लुक़ में कितने ही क़रीब हों। सहाबा-ए-किराम अल्लाह तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अहकाम के मामले में न ज़ाती इच्छा की परवाह करते थे न किसी अपने और रिश्तेदार की, इस पर अ़मल किया गया जिसके नतीजे में घर-घर यह सूरत पेश आई कि बाप मुसलमान बेटा काफ़िर, या इसके उलट है तो दोस्ताना ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया गया। ज़ाहिर है कि इनसानी फ़ितरत और तबीयत पर यह अ़मल आसान न था इसलिये उपरोक्त आयतों में हक़ तआला ने उनकी इस मुश्किल को बहुत जल्द आसान कर देने की ख़बर सुना दी है।

हदीस की कुछ रिवायतों में है कि कोई अल्लाह का बन्दा जब अल्लाह की रज़ा तलब करने के लिये अपनी किसी महबूब चीज़ को छोड़ता है तो कई बार अल्लाह तआला उसी चीज़ को हलाल करके उस तक पहुँचा देते हैं, और कई बार उससे बेहतर चीज़ अ़ता फ़रमा देते हैं।

इन आयतों में हक़ तआला ने इस तरफ़ इशारा फ़रमा दिया कि आज जो लोग कुफ़्र पर हैं और उसकी वजह से वे तुम्हारे दुश्मन और तुम उनके दुश्मन हो, क़रीब है कि अल्लाह तआला इस दुश्मनी को दोस्ती से बदल दे। मतलब यह है कि उनको ईमान की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाकर तुम्हारे आपसी ताल्लुक़ात को फिर नये सिरे से हमवार कर दे, इस पेशीनगोई (भविष्यवाणी) का ज़हूर मक्का फ़तह होने के वक़्त इस तरह हुआ कि सिवाय उन काफ़िरों के जो क़त्ल किये गये और सब मुसलमान हो गये। (तफ़सीरे मज़हरी) क़ुरआने करीम में इसका बयान सूरः नस्र में:

يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا ○

में किया गया है, कि ये लोग फ़ौज की फ़ौज बड़ी संख्या में अल्लाह के दीन इस्लाम में दाख़िल हो जायेंगे, और ऐसा ही हुआ।

सही बुख़ारी में हज़रत अस्मा बिन्ते अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि उनकी वालिदा

कुफ़ की हालत में मक्का मुकर्रमा से मदीना तय्यिबा पहुँचीं (मुस्नद अहमद की रिवायत में है कि यह वाकिआ उस वक़्त का है जबकि ग़ज़वा-ए-हुदैबिया के बाद मक्का के क़ुरैश से सुलह का समझौता हो गया था और उनकी वालिदा का नाम क़ुतैला है, यह अपनी बेटी अस्मा के लिये कुछ तोहफ़े हदिये लेकर मदीना पहुँचीं तो हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने उनके तोहफ़े क़ुबूल करने से इनकार कर दिया और अपने घर में आने की भी इजाज़त उस वक़्त तक न दी जब तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम न कर लिया)। ग़र्ज़ कि हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि मेरी वालिदा मुझसे मिलने के लिये आई हैं और वह काफ़िर हैं, मैं उनके साथ क्या सुलूक करूँ? आपने फ़रमाया कि अपनी वालिदा की सिला-रहमी करो यानी उनके साथ अच्छा सुलूक करो, इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं:

لَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ.

कुछ रिवायतों में है कि हज़रत अस्मा की वालिदा क़ुतैला को सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जाहिलीयत के ज़माने में तलाक़ दे दी थी, हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अ़न्हा उसके पेट से थीं और उनकी बहन उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की दूसरी बीवी उम्मे रोमान के पेट से थीं, यह मुसलमान हो गयी थीं। (इब्ने कसीर व मज़हरी)

इस आयत में ऐसे काफ़िर जिन्होंने मुसलमानों से जंग नहीं की और उनके घरों से निकालने में भी कोई हिस्सा नहीं लिया उनके साथ एहसान के मामले और अच्छे सुलूक और अ़दल व इन्साफ़ करने की हिदायत दी गयी है। अ़दल व इन्साफ़ तो हर काफ़िर के साथ ज़रूरी है, जिसमें काफ़िर ज़िम्मी और समझौते वाला और लड़ने वाला काफ़िर और दुश्मन सब बराबर हैं, बल्कि इस्लाम में तो अ़दल व इन्साफ़ जानवरों के साथ भी वाजिब है कि उनकी ताक़त से ज़्यादा बोझ उन पर न डाले और उनके चारे और आराम की निगरानी रखे, इस आयत में असली मक़सूद नेकी व एहसान करने की हिदायत है।

मसलाः इस आयत से साबित हुआ कि नफ़्ली सदक़ात ज़िम्मी और सुलह वाले काफ़िर को भी दिये जा सकते हैं, सिर्फ़ हरबी काफ़िर (यानी जिससे लड़ाई हो उस) को देना मना है।

اِنَّمَا يَنْهٰكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قٰتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظٰهَرُوْا عَلٰۤى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ.

इस आयत में उन काफ़िरों का बयान है जो मुसलमानों के मुक़ाबले में जंग व क़िताल कर रहे हों और मुसलमानों को उनके घरों से निकालने में कोई हिस्सा ले रहे हों, उनके बारे में इरशाद यह फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला उनके साथ दिली ताल्लुक़ और दोस्ती से मना फ़रमाता है। इसमें नेकी व एहसान का मामला करने की मनाही नहीं बल्कि सिर्फ़ दिली दोस्ती और दोस्ताना ताल्लुक़ात की मनाही है, और यह मनाही सिर्फ़ उन मुक़ाबले पर आये दुश्मनों के साथ नहीं बल्कि ज़िम्मी काफ़िरों और सुलह वाले काफ़िरों के साथ भी दिली ताल्लुक़ और दोस्ती जायज़ नहीं। इससे तफ़सीरे मज़हरी में यह मसला निकाला है कि हरबी (यानी मुसलमानों से जंग में मसरूफ़) काफ़िरों के साथ अ़दल व इन्साफ़ तो इस्लाम में ज़रूरी है ही, और मनाही सिर्फ़ मवालात यानी दोस्ती की की गयी, नेक सुलूक

व एहसान की मनाही नहीं की गयी। इससे मालूम होता है कि एहसान वाला सुलूक उन दुश्मनों के साथ भी जायज़ है जो मुक़ाबले में जंग लड़ रहे हों, अलबत्ता दूसरी शरई दलीलों की बिना पर यह शर्त है कि उनके साथ एहसान का मामला करने से मुसलमानों को किसी नुक़सान व तकलीफ़ का ख़तरा न हो, जहाँ यह ख़तरा हो वहाँ नेकी व एहसान उन पर जायज़ नहीं, हाँ अ़दल व इन्साफ़ हर हाल में हर शख़्स के लिये ज़रूरी और वाजिब है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ ؕ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ ۚ فَاِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُفَّارِ ؕ لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ ؕ وَاٰتُوْهُمْ مَّاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَاۤ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ ؕ وَلَا تُمْسِكُوْا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْـَٔلُوْا مَاۤ اَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوْا مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ ذٰلِكُمْ حُكْمُ اللّٰهِ ؕ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ؕ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ۝١٠ وَاِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَاۤ اَنْفَقُوْا ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْۤ اَنْتُمْ بِهٖ مُؤْمِنُوْنَ ۝١١ يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰۤى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَاْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝١٢ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَئِسُوْا مِنَ الْاٰخِرَةِ كَمَا يَئِسَ الْكُفَّارُ مِنْ اَصْحٰبِ الْقُبُوْرِ ۝١٣

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा जा-अकुमुल्-मुअ्मिनातु मुहाजिरातिन् फ़म्तहिनूहुन्-न, अल्लाहु अअ्लमु बिईमानिहिन्-न फ़-इन् अ़लिम्तुमूहुन्-न मुअ्मिनातिन् फ़ला तर्जिअूहुन्-न इलल्-कुफ़्फ़ारि, ला हुन्-न हिल्लुल्-लहुम् व ला हुम् यहिल्लू-न लहुन्-न, व आतूहुम् मा अन्फ़क़ू, व ला जुना-ह अ़लैकुम् अन् तन्किहूहुन्-न इज़ा आतैतुमूहुन्-न उजू-रहुन्-न, व ला

ऐ ईमान वालो! जब आयें तुम्हारे पास ईमान वाली औरतें वतन छोड़कर तो उनको जाँच लो, अल्लाह ख़ूब जानता है उनके ईमान को, फिर अगर जानो कि वे ईमान पर हैं तो मत फेरो उनको काफ़िरों की तरफ़, न ये औरतें हलाल हैं उन (काफ़िरों) को और न वे (काफ़िर) हलाल हैं इन औरतों को, और दे दो उन (काफ़िरों) को जो उनका ख़र्च हुआ हो, और गुनाह नहीं तुमको कि निकाह कर लो उन औरतों से जब उनको दो उनके मेहर,

तुम्सिकू बिअ़ि-समिल्-कवाफ़िरि वस्अलू मा अन्फ़क़्तुम् वल्यस्अलू मा अन्फ़क़ू, ज़ालिकुम् हुक्मुल्लाहि, यह्कुमु बैनकुम्, वल्लाहु अ़लीमुन् हकीम (10) व इन् फ़ा-तकुम् शैउम्-मिन् अज़्वाजिकुम् इलल्-कुफ़्फ़ारि फ़आक़ब्तुम् फ़-आतुल्लज़ी-न ज़-हबत् अज़्वाजुहुम् मिस्-ल मा अन्फ़क़ू, वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी अन्तुम् बिही मुअ्मिनून (11) या अय्युहन्-नबिय्यु इज़ा जा-अकल्-मुअ्मिनातु युबायिअ़्-न-क अ़ला अल्-ला युश्रिक्-न बिल्लाहि शैअंव्-व ला यस्रिक़्-न व ला यज़्नी-न व ला यक्तुल्-न औला-दहुन्-न व ला यअ्ती-न बिबुह्तानिंय्-यफ़्तरीनहू बै-न ऐदीहिन्-न व अर्जुलिहिन्-न व ला यअ़्सी-न-क फ़ी मअ़्रूफ़िन् फ़-बायिअ़्हुन्-न वस्तग़्फ़िर् लहुन्नल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्रहीम (12) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला त-तवल्लौ क़ौमन् ग़ज़िबल्लाहु अ़लैहिम् क़द् य-इसू मिनल्-आख़िरति कमा य-इसल्-कुफ़्फ़ारु मिन् अस्हाबिल्-क़ुबूर (13)

और न रखो अपने कब्ज़े में नामूस काफ़िर औरतों के और तुम माँग लो जो तुमने ख़र्च किया और वे काफ़िर माँग लें जो उन्होंने ख़र्च किया, यह अल्लाह का फ़ैसला है तुम में फ़ैसला करता है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला हिक्मत वाला है। (10) और अगर जाती रहें तुम्हारे हाथ से कुछ औरतें काफ़िरों की तरफ़ फिर तुम हाथ मारो तो दे दो उनको जिनकी औरतें जाती रही हैं जितना उन्होंने ख़र्च किया था, और डरते रहो अल्लाह से जिस पर तुमको यक़ीन है। (11) ऐ नबी! जब आयें तेरे पास मुसलमान औरतें बैअ़त करने को इस बात पर कि शरीक न ठहरायें अल्लाह का किसी को और चोरी न करें और बदकारी न करें और अपनी औलाद को न मार डालें, और तूफ़ान न लायें बाँधकर अपने हाथों और पाँव में और तेरी नाफ़रमानी न करें किसी भले काम में तो तू उनको बैअ़त कर ले और माफ़ी माँग उनके वास्ते अल्लाह से, बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (12) ऐ ईमान वालो! मत दोस्ती करो उन लोगों से कि ग़ुस्सा हुआ है अल्लाह उन पर, वे आस तोड़ चुके हैं पिछले घर से जैसे आस तोड़ी मुन्किरों लोगों ने क़ब्र वालों से। (13)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

इन आयतों के नाज़िल होने का वाक़िआ

(ये आयतें भी एक ख़ास मौक़े से संबन्धित हैं और वह मौक़ा सुलह हुदैबिया का है, जिसका बयान सूरः फ़तह के शुरू में हुआ है। उन शर्तों में से जो सुलह नामे में लिखी गयी थीं एक शर्त यह भी थी कि जो शख़्स मुसलमानों में से काफ़िरों की तरफ़ चला जाये वह वापस न दिया जाये, और जो शख़्स काफ़िरों में से मुसलमानों की तरफ़ चला जाये वह वापस दे दिया जाये, चुनाँचे बाज़े मुसलमान मर्द आये और वापस कर दिये गये, फिर बाज़ी औरतें मुसलमान होकर आईं और उनके परिजनों ने उनकी वापसी की दरख़्वास्त की, इस पर ये आयतें हुदैबिया में नाज़िल हुईं, जिसमें औरतों के वापस करने की मनाही की गयी। पस सुलह नामे का मज़मून जो आम था वह इससे ख़ास और निरस्त हो गया, और ऐसी औरतों के बारे में कुछ ख़ास अहकाम मुक़र्रर किये गये, और उनके साथ कुछ अहकाम ऐसी औरतों के बारे में मुक़र्रर हुए जो पहले मुसलमानों के निकाह में थीं मगर इस्लाम न लाईं और मक्का ही में रह गयीं, और चूँकि इन अहकाम का मदार उन औरतों का मुसलमान होना है इसलिये इम्तिहान का तरीक़ा भी बतलाया गया। पस एक आम ख़िताब के तौर पर इरशाद फ़रमाते हैं कि) ऐ ईमान वालो! जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें (ग़ैर-इस्लामी मुल्क से) हिजरत करके आएँ (चाहे मदीना में जो कि दारुल-इस्लाम है चाहे हुदैबिया में जो कि इस्लाम की लश्कर गाह होने की वजह से दारुल-इस्लाम के हुक्म में है, जैसा कि हिदाया की किताबुल-हुदूद में है) तो तुम उन (के मुसलमान होने) का इम्तिहान कर लिया करो (जिसका तरीक़ा आगे ख़ास ख़िताब 'या अय्युहन्नबिय्यु'' में आता है, और उस इम्तिहान में ज़ाहिरी इम्तिहान पर बस किया करो, क्योंकि) उनके (असल) ईमान को (तो) अल्लाह ही ख़ूब जानता है (तुमको तहक़ीक़ हो ही नहीं सकता) पस अगर उनको (उस इम्तिहान के हिसाब से) मुसलमान समझो तो उनको काफ़िरों की तरफ़ वापस मत करो (क्योंकि) न तो वे औरतें उन काफ़िरों के लिये हलाल हैं और न वे काफ़िर उन औरतों के लिये हलाल हैं (क्योंकि मुसलमान औरत का निकाह काफ़िर मर्द से बिल्कुल नहीं रहता) और (इस सूरत में) उन काफ़िरों ने जो कुछ (मेहर के सिलसिले में उन औरतों पर) ख़र्च किया हो वह उनको अदा कर दो। और तुमको उन औरतों से निकाह कर लेने में कुछ गुनाह न होगा जबकि तुम उनके मेहर उनको दे दो और (ऐ मुसलमानो!) तुम काफ़िर औरतों के ताल्लुक़ात को बाक़ी मत रखो (यानी जो तुम्हारी बीवियाँ दारुल-हरब ''काफ़िरों के मुल्क'' में कुफ़्र की हालत में रह गयीं उनका निकाह तुमसे ख़त्म हो गया, उनके ताल्लुक़ात का कोई असर बाक़ी मत समझो) और (इस सूरत में) जो कुछ तुमने (उन औरतों के मेहर में) ख़र्च किया हो (उन काफ़िरों से) माँग लो, और (इसी तरह) जो कुछ उन काफ़िरों ने (मेहर की मद में) ख़र्च किया हो वे (तुमसे) माँग लें (जैसा कि ऊपर इरशाद हुआ है:

اٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا۔

शायद यह दोबारा दूसरे उनवान से बयान करना इसलिये हो कि तुम्हारे ज़िम्मे जो दूसरों का हक़ हो उसको ज़्यादा ज़रूरी और लाज़िमी समझो), यह (जो कुछ कहा गया) अल्लाह का हुक्म है (इस पर अमल करो) वह तुम्हारे दरमियान (ऐसा ही मुनासिब) फ़ैसला करता है, और अल्लाह तआ़ला बड़ा इल्म वाला (और) हिक्मत वाला है (इल्म व हिक्मत के मुनासिब अहकाम मुक़र्रर फ़रमाता है)।

और अगर तुम्हारी बीवियों में से कोई बीवी काफ़िरों में रह जाने से (बिल्कुल ही) तुम्हारे हाथ न आये (यानी वह न मिले और न उसके मेहर का बदला मिले और) फिर (काफ़िरों को मेहर देने की) तुम्हारी बारी आये (यानी तुम्हारे ज़िम्मे किसी काफ़िर का मेहर का हक़ वाजिबुल-अदा हो) तो (तुम वह मेहर उन काफ़िरों को न दो, बल्कि) जिन (मुसलमानों) की बीवियाँ हाथ से निकल गईं (जिनका अभी ज़िक्र हुआ 'फ़ातकुम' में) जितना (मेहर) उन्होंने (उन बीवियों पर) ख़र्च किया था उसके बराबर (उस वाजिबुल-अदा यानी देय रक़म में से) तुम उनको दे दो, और अल्लाह से कि जिस पर तुम ईमान रखते हो डरते रहो (और वाजिब अहकाम में ख़लल मत डालो)।

(आगे ख़ास ख़िताब करके ईमान के इम्तिहान का तरीक़ा बयान फ़रमाते हैं कि) ऐ पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! जब मुसलमान औ़रतें आपके पास (इस ग़र्ज़ से) आएँ कि आप से इन बातों पर बैअ़त करें कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करेंगी, और न चोरी करेंगी, और न बदकारी करेंगी, और न अपने बच्चों को क़त्ल करेंगी और न बोहतान की औलाद लाएँगी जिसको अपने हाथों और पाँव के दरमियान (शौहर के नुत्फ़े से जन्म दी हुई औलाद होने का दावा करके) बना लें (जैसा कि जाहिलीयत के ज़माने में कुछ औ़रतों का दस्तूर था कि किसी ग़ैर का बच्चा उठा लाईं और कह दिया कि मेरे शौहर का है, और या किसी से बदकारी की और उस हराम के नुत्फ़े को अपने शौहर का बतला दिया कि इसमें ज़िना के गुनाह के अ़लावा अपने शौहर के साथ ग़ैर के बच्चे का संबन्ध जोड़ना भी है जिस पर हदीस में भी सज़ा की धमकी आई है, जैसा कि अबू दाऊद और नसाई की रिवायत में है) और जायज़ बातों में वे आपके ख़िलाफ़ न करेंगी (इसमें तमाम शरई अहकाम आ गये, पस वे औ़रतें अगर इन शर्तों को क़ुबूल कर लें जिनका एतिक़ाद ईमान की शर्त है और इन पर अ़मली पाबन्दी करना ईमान के कामिल होने की दलील है) तो आप उनको बैअ़त कर लिया कीजिये, और उनके लिये अल्लाह से (पिछले गुनाहों की) मग़फ़िरत तलब किया कीजिये, बेशक अल्लाह तआ़ला मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है (मतलब यह कि जब इन अहकाम के हक़ और वाजिबुल-अ़मल समझने का इज़हार करें तो उनको मुसलमान समझिये और अगरचे ख़ुद इस्लाम ही से पिछले गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाती है मगर यहाँ इस्तिग़फ़ार का हुक्म या तो मुकम्मल तौर पर मग़फ़िरत की निशानियाँ हासिल करने के लिये है और या इसका हासिल दुआ़ है ईमान के क़ुबूल होने की जिस पर मग़फ़िरत मुरत्तब होती है)।

ऐ ईमान वालो! उन लोगों से (भी) दोस्ती मत करो जिन पर अल्लाह तआ़ला ने ग़ज़ब

फ़रमाया है (इससे मुराद यहूदी लोग हैं जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल सूरः मायदा में है:

مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ............الآية.)

कि वे आख़िरत (की भलाई और सवाब) से ऐसे नाउम्मीद हो गये हैं जैसे काफ़िर लोग जो क़ब्रों में (दफ़न) हैं (ख़ैर और आख़िरत के सवाब से) नाउम्मीद हैं (जो काफ़िर मर जाता है इस वजह से कि आख़िरत उसकी आँखों के सामने आ जाती है और असल हक़ीक़त पर यक़ीन के साथ बाख़बर हो जाता है कि अब मेरी बख़्शिश हरगिज़ न होगी, चूँकि आयतः

يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ اَبْنَآءَهُمْ

के मुताबिक़ वे आपकी नुबुव्वत को और इसी तरह नबी के मुख़ालिफ़ के काफ़िर और निजात न पाने वाला होने को ख़ूब जानते हैं, अगरचे अपने तकब्बुर व जलने की वजह से पैरवी न करते थे, इसलिये उनको दिल से यक़ीन था कि हम निजात नहीं पायेंगे चाहे शेख़ी के मारे ज़ाहिर में इसके ख़िलाफ़ करते हों। पस हासिल यह हुआ कि जिनकी गुमराही ऐसी तय और मानी हुई है कि वे ख़ुद भी दिल से उसको तस्लीम करते हैं ऐसे गुमराहों से ताल्लुक़ रखना क्या ज़रूरी है? और यह न समझा जाये कि जो सख़्त दर्जे का गुमराह न हो उससे दोस्ती जायज़ है, दोस्ती के जायज़ होने से तो सिर्फ़ कुफ़्र ही रुकावट है, मगर इस सिफ़त से वह जायज़ न होना और ज़्यादा सख़्त हो जायेगा, और यहूदियों को यहाँ शायद इसलिये ख़ास किया गया हो कि मदीने में यहूदी ज़्यादा थे और फिर वे लोग शरीर व फ़सादी भी बहुत थे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सुलह हुदैबिया के समझौते की कुछ शर्तों की तहक़ीक़

सूरः फ़तह में हुदैबिया का वाक़िआ तफ़सील से आ चुका है, जिसमें आख़िरकार मक्का के क़ुरैश और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दरमियान सुलह का एक समझौता दस साल के लिये लिखा गया, उस समझौते की कुछ शर्तें ऐसी थीं जिनमें दबकर सुलह करने और मुसलमानों का बज़ाहिर झुकना महसूस होता था, इसी लिये सहाबा-ए-किराम में इस पर ग़म व ग़ुस्से का इज़हार हुआ, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुदावन्दी इशारात से यह महसूस फ़रमा रहे थे कि इस वक़्त की चन्द दिन की मग़लूबियत आख़िरकार हमेशा के लिये खुली फ़तह का सबब और शुरूआ़त बनने वाली है, इसलिये क़ुबूल फ़रमा लिया और फिर सब सहाबा किराम भी मुत्मईन हो गये।

इस सुलह नामे की एक शर्त यह भी थी कि अगर मक्का मुकर्रमा से कोई आदमी मदीना जायेगा तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसको वापस कर देंगे अरगरचे वह मुसलमान ही हो, और अगर मदीना तय्यिबा से कोई मक्का मुकर्रमा चला जायेगा तो मक्का के क़ुरैश उसको वापस न करेंगे। इस समझौते के अलफ़ाज़ आ़म थे जिसमें बज़ाहिर मर्द व औ़रत दोनों दाख़िल थे, यानी कोई मुसलमान मर्द या औ़रत जो भी मक्का मुकर्रमा से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास जाये उसको आप वापस कर देंगे।

जिस वक़्त यह समझौता मुकम्मल हो चुका और अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हुदैबिया के स्थान में तशरीफ़ फ़रमा थे, कई ऐसे वाक़िआ़त पेश आये जो मुसलमानों के लिये बहुत सब्र का इम्तिहान थे, जिनमें से एक वाक़िआ़ अबू जन्दल रज़ियल्लाहु अ़न्हु का है, जिनको मक्का के क़ुरैश ने क़ैद में डाला हुआ था, वह किसी तरह उनकी क़ैद से छूटकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँच गये, उनको देखकर सहाबा-ए-किराम में सख़्त बेचैनी फैली कि समझौते के मुताबिक़ उनको वापस किया जाना चाहिये, और हम अपने मज़लूम भाई को फिर ज़ालिमों के हाथ में दे दें, यह कैसे होगा? मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम समझौता लिख चुके थे और शरीअ़त के उसूल की हिफ़ाज़त और उन पर पुख़्तगी को एक फ़र्द की वजह से नहीं छोड़ सकते थे, और इसके साथ आपकी की समझ व अ़क़्ल की आँख बहुत जल्द उन सब मज़लूमों की फ़तह के साथ निजात को भी गोया देख रही थी। तबई रंज व तकलीफ़ तो अबू जन्दल की वापसी में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी यक़ीनन होगी मगर आपने समझौते की पाबन्दी की बिना पर उनको समझा-बुझाकर रुख़्सत कर दिया।

इसी के साथ एक दूसरा वाक़िआ़ यह पेश आया कि सईदा बिन्ते हारिस असलमिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा जो मुसलमान थीं मगर सैफ़ी बिन अन्सब के निकाह में थीं जो काफ़िर था, कुछ रिवायतों में इसका नाम मुसाफ़िर अल्-मख़्ज़ूमी बतलाया गया है (उस वक़्त तक मुसलमानों और काफ़िरों में निकाह का रिश्ता दोनों तरफ़ से हराम नहीं हुआ था), यह मुसलमान औ़रत मक्का से भागकर आपकी ख़िदमत में हाज़िर हो गयीं, साथ ही इनका शौहर हाज़िर हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मुतालबा किया कि मेरी औ़रत मुझे वापस की जाये, क्योंकि आपने यह शर्त क़ुबूल कर ली है और अभी तक उस समझौते की मुहर भी ख़ुश्क नहीं हुई।

इस वाक़िए पर ये उपरोक्त आयतें नाज़िल हुईं जिनमें दर असल मुसलमानों और मुश्रिकों के बीच निकाह के बन्धन व रिश्ते को हराम क़रार दिया गया है, और इसके नतीजे में यह भी कि जो मुसलमाना औ़रत चाहे उसका मुसलमान होना पहले से मालूम हो जैसे उक्त सईदा थीं, या हिजरत के वक़्त उसका मुसलमान होना सही तौर से साबित हो जाये, वह अगर हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँच जाये तो उसको काफ़िरों के क़ब्ज़े में वापस न दिया जाये, क्योंकि वह अपने काफ़िर शौहर के लिये हलाल नहीं रही (तफ़सीरे क़ुर्तुबी में यह वाक़िआ़ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है)।

ग़र्ज़ कि इन आयतों के नाज़िल होने ने यह वाज़ेह कर दिया कि सुलह नामे की यह शर्त कि जो भी मुसलमान आपके पास पहुँचे आप वापस करेंगे अपने लफ़्ज़ों के आ़म होने के साथ जिसमें मर्द व औ़रत दोनों दाख़िल हैं सही नहीं, यह शर्त सिर्फ़ मर्दों के हक़ में क़ुबूल की जा सकती है, औ़रतों के मामले में यह शर्त क़ाबिले क़ुबूल नहीं। उनके बारे में सिर्फ़ इतना किया जा सकता है कि जो औ़रत मुसलमान होकर हिजरत करे उसके काफ़िर शौहर ने जो कुछ उस पर मेहर की सूरत में ख़र्च किया है वह ख़र्च उसको वापस किया जायेगा। इन आयतों की बिना पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस शर्त के मफ़्हूम को स्पष्ट फ़रमा दिया, और इसके मुताबिक़ उक्त सईदा को वापस नहीं

किया।

कुछ रिवायतों में है कि उम्मे कुलसूम बिन्ते उतबा इब्ने अबी मुईत मक्का से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास पहुँच गयीं, उनके ख़ानदान के लोगों ने शर्त के आम होने की वजह से वापसी का मुतालबा किया इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं, और कुछ रिवायतों में है कि उम्मे कुलसूम अ़मर बिन आस के निकाह में थीं जो अभी तक मुसलमान नहीं हुए और साथ ही अ़मर बिन आस उम्मे कुलसूम के शौहर वग़ैरह ने आकर उनकी वापसी का मुतालबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से किया, आपने शर्त के मुताबिक़ उनके दोनों भाई अ़म्मारा और वलीद को तो वापस कर दिया मगर उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अ़न्हा को वापस नहीं फ़रमाया, और इरशाद फ़रमाया कि यह शर्त मर्दों के लिये थी औरतें इसमें शामिल नहीं, इस पर ये आयतें नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तस्दीक़ (ताईद) के लिये नाज़िल हुईं।

इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँचने वाली दूसरी औरतों के भी कुछ वाक़िआ़त रिवायतों में बयान हुए हैं, और यह ज़ाहिर है कि उनमें कोई टकराव नहीं, हो सकता है कि ये अनेक वाक़िआ़त सब ही पेश आये हों।

ज़िक्र हुई शर्त से औरतों का अलग करना अ़हद का तोड़ना नहीं बल्कि दोनों पक्षों के क़ुबूल करने के लिये एक शर्त की वज़ाहत है

ऊपर ज़िक्र हुई तफ़सीरे क़ुर्तुबी की रिवायत से तो मालूम हुआ कि सुलह की शर्त के अलफ़ाज़ अगरचे आ़म थे मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नज़दीक वो औरतों के लिये आ़म और शामिल नहीं थे, इसलिये आपने इसकी वज़ाहत वहीं हुदैबिया के मक़ाम पर फ़रमा दी और उसी की तस्दीक़ के लिये ये आयतें नाज़िल हुईं।

और कुछ रिवायतों से यह मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तो इस शर्त को आ़म होने के साथ क़ुबूल फ़रमा लिया था जिसमें औरतें भी शामिल थीं, इन आयतों के उतरने ने इसके आ़म होने को मन्सूख़ (निरस्त व रद्द) क़रार दिया, और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मक्का के क़ुरैश पर उसी वक़्त यह स्पष्ट कर दिया कि औरतें इस शर्त में दाख़िल न होंगी, चुनाँचे औरतों को आपने वापस नहीं फ़रमाया। इससे मालूम हुआ कि यह सूरत न अ़हद तोड़ने की थी जिसका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कोई इमकान (संभावना) ही न थी, और न यह समझौते को ख़त्म कर देने की सूरत थी, बल्कि एक शर्त की वज़ाहत का मामला था, चाहे ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुराद पहले ही से यह हो या आयत के नाज़िल होने के बाद आपने इस आ़म होने को सिर्फ़ मर्दों तक सीमित करने के लिये फ़रमा दिया हो। बहरहाल हुआ यह कि उस वज़ाहत व स्पष्टता के बाद भी सुलह के समझौते को दोनों पक्षों ने क़ुबूल किया और इस

पर एक मुद्दत तक दोनों तरफ़ से अ़मल होता रहा। इस सुलह के नतीजे में रास्ते शान्ति पूर्ण हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दुनिया के बादशाहों के नाम पत्र भेजे, और इसी के नतीजे में अबू सुफ़ियान का क़ाफ़िला बेफ़िक्री के साथ मुल्के शाम तक पहुँचा, जहाँ हिरक़्ल ने उनको अपने दरबार में बुलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हालात व वाक़िआ़त की तहक़ीक़ की।

ख़ुलासा यह है कि सुलह की इस शर्त के आ़म अलफ़ाज़ में औ़रतों का शामिल न होना चाहे पहले ही से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नज़र में था या आयत के नाज़िल होने के बाद आपने औ़रतों को इस आ़म होने से ख़ारिज किया, दोनों सूरतों में क़ुरैश के काफ़िर और मुसलमानों के बीच यह समझौता इस वज़ाहत के बाद भी मुकम्मल ही समझा गया, और एक अ़रसे तक इस पर अ़मल होता रहा, इसलिये इस शर्त की वज़ाहत को अ़हद तोड़ना या उसको ख़त्म करने में दाख़िल नहीं किया जा सकता, वल्लाहु आलम। आगे आयतों का मफ़्हूम उनके अलफ़ाज़ के तहत देखिये।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا جَآءَكُمُ الْمُؤْمِنٰتُ مُهٰجِرٰتٍ فَامْتَحِنُوْهُنَّ، اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ.

आयत की मुराद यह है कि औ़रतों के सुलह की शर्त से अलग होने की वजह उनका मुसलमान और मोमिन होना है, मक्का से मदीना आने वाली औ़रतों में इसका भी गुमान व संभावना थी कि उनमें से कोई इस्लाम व ईमान की ख़ातिर नहीं बल्कि अपने शौहर से नाराज़गी के सबब या मदीना के किसी शख़्स से मुहब्बत के सबब या किसी दूसरी दुनियावी ग़र्ज़ से हिजरत करके आ गयी हो, वह अल्लाह के नज़दीक इस शर्त से अलग और बाहर नहीं, बल्कि उसको वापस करना सुलह की शर्त के तहत ज़रूरी है, इसलिये मुसलमानों को हुक्म दिया गया कि हिजरत करके आने वाली औ़रतों के ईमान का इम्तिहान लो, इसके साथ ही यह जुमला फ़रमाया किः

اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِاِيْمَانِهِنَّ.

इसमें इशारा कर दिया कि वास्तविक और असल ईमान का ताल्लुक़ तो इनसान के दिल से है, जिस पर अल्लाह के सिवा किसी को इत्तिला नहीं, अलबत्ता आदमी के ज़बानी इक़रार और हालात के इशारात से ईमान का अन्दाज़ा लगाया जा सकता है, बस मुसलमानों का इसका पाबन्द बनाया गया और हुक्म दिया गया है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उनके इम्तिहान का तरीक़ा यह था कि मुहाजिर औ़रत से हलफ़ लिया जाता था कि वह अपने शौहर से बुग़ज़ व नफ़रत की वजह से नहीं आई, और न मदीना के किसी आदमी की मुहब्बत की वजह से और न किसी दूसरी दुनियावी ग़र्ज़ से, बल्कि उसका आना ख़ालिस अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुहब्बत व रज़ा हासिल करने के लिये है। जब वह यह हलफ़ कर लेती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसको मदीना में रहने की इजाज़त देते और उसका मेहर वग़ैरह जो उसने अपने काफ़िर शौहर से वसूल किया था वह उसके शौहर को वापस दे देती थे। (क़ुर्तुबी)

और हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से तिर्मिज़ी में रिवायत है जिसको इमाम तिर्मिज़ी

ने हसन सही कहा है, आपने फ़रमाया कि उनके इम्तिहान की सूरत वह बैअ़त थी जिसका ज़िक्र अगली आयतों में तफ़सील से आया है:

إِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ .... الاٰية.

गोया आने वाली मुहाजिर औरतों के ईमान के इम्तिहान का तरीक़ा ही यह था कि वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ मुबारक पर इन चीज़ों का अ़हद करें जो इस बैअ़त के बयान में आगे आई हैं, और यह भी कुछ मुश्किल और दूर की बात नहीं कि शुरू में पहले वो कलिमात उनसे कहलवाये जाते हों जो हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से ऊपर ज़िक्र किये गये हैं और उसकी तकमील उस बैअ़त से होती हो जिसका आगे ज़िक्र है। वल्लाहु आलम

فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنٰتٍ فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ.

यानी जब ऊपर ज़िक्र हुए तरीक़े को उन मुहाजिर औरतों के ईमान का इम्तिहान लेकर तुम उनको मोमिन क़रार दे दो तो फिर उनको काफ़िर की तरफ़ वापस करना जायज़ नहीं।

لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّوْنَ لَهُنَّ.

यानी न ये औरतें काफ़िर मर्दों पर हलाल हैं और न काफ़िर मर्द इनके लिये हलाल हो सकते हैं कि उनसे दोबारा निकाह कर सकें।

मसला: इस आयत ने यह वाज़ेह कर दिया कि जो औरत किसी काफ़िर के निकाह में थी और फिर वह मुसलमान हो गयी तो काफ़िर से उसका निकाह ख़ुद-बख़ुद टूट गया, यह उसके लिये और वह इसके लिये हराम हो गये, और यही वजह औरतों को सुलह की शर्त में वापसी से अलग करने की है कि अब वह उसके काफ़िर शौहर के लिये हलाल नहीं रही।

وَاٰتُوْهُمْ مَّآ اَنْفَقُوْا.

यानी हिजरत करने वाली मोमिन औरत के काफ़िर शौहर ने उसके निकाह में जो मेहर वग़ैरह उसको दिया है वह सब उसके शौहर को वापस दिया जाये, क्योंकि सुलह की शर्त से अलग सिर्फ़ औरतों की वापसी थी, जो उनके हराम हो जाने की वजह से नहीं हो सकती, मगर जो माल उन्होंने उनको दिया है वह शर्त के अनुसार वापस कर देना चाहिये, उस माल की वापसी का ख़िताब मुहाजिर औरतों को नहीं किया गया कि तुम वापस करो बल्कि आ़म मुसलमानों को हुक्म दिया गया है कि वे वापस करें, क्योंकि बहुत मुम्किन बल्कि ग़ालिब यह है कि जो माल उनके शौहर ने उनको दिया था वह ख़त्म हो चुका हो, अब उनसे वापस दिलाने की सूरत ही नहीं हो सकती, इसलिये यह फ़रीज़ा आ़म मुसलमानों पर डाल दिया गया कि सुलह के समझौते को पूरा करने के लिये उसकी तरफ़ से काफ़िर शौहरों का माल वापस कर दें। अगर बैतुल-माल से दिया जा सकता है तो वहाँ से वरना आ़म मुसलमानों के चन्दे से। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَنْكِحُوْهُنَّ اِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ.

पिछली आयत में यह स्पष्ट हो चुका है कि हिजरत करके आने वाली मुसलमान औरत का

निकाह उसके काफ़िर शौहर से ख़त्म हो चुका है और यह उस पर हराम हो चुकी है, इस आयत में इसी हुक्म का पूरक (आख़िरी हिस्सा) यह है कि अब मुसलमान मर्द से उसका निकाह हो सकता है अगरचे पहला काफ़िर शौहर ज़िन्दा भी है और उसने तलाक़ भी नहीं दी मगर शरई हुक्म से निकाह ख़त्म हो चुका है, इसलिये दूसरे मर्द से इसका निकाह हलाल हो गया।

काफ़िर मर्द की बीवी मुसलमान हो जाये तो निकाह टूट जाना उक्त आयत से मालूम हो चुका, लेकिन दूसरे किसी मुसलमान मर्द से उसका निकाह किस वक़्त जायज़ होगा इसके मुताल्लिक़ इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक असल क़ानून तो यह है कि जिस काफ़िर मर्द की औरत मुसलमान हो जाये तो मुसलमान हाकिम उसके शौहर को बुलाकर कहे कि अगर तुम भी मुसमलान हो जाओ तो निकाह बरक़रार रहेगा, वरना निकाह ख़त्म हो जायेगा। अगर वह इस पर भी इस्लाम लाने से इनकार करे तो अब उन दोनों में जुदाई की तकमील हो गयी, उस वक़्त वह किसी मुसलमान मर्द से निकाह कर सकती है। मगर यह ज़ाहिर है कि मुसलमान हाकिम का उसके पहले शौहर को हाज़िर करना वहीं हो सकता है जहाँ हुकूमत इस्लाम की हो, दारुल-कुफ़्र या दारुल-हरब में ऐसा वाक़िआ पेश आये तो शौहर से इस्लाम के लिये कहने और उसके इनकार की सूरत नहीं होगी जिससे दोनों में जुदाई और अलग होने का फ़ैसला किया जा सके, इसलिये उस सूरत में मियाँ-बीवी के बीच जुदाई की तकमील उस वक़्त होगी जब यह औरत हिजरत करके दारुल-इस्लाम में आ जाये या मुसलमानों के लश्कर में आ जाये। दारुल-इस्लाम में आने की सूरत ऊपर बयान हुए वाक़िआत में मदीना तय्यिबा पहुँचने के बाद हो सकती है, और इस्लामी लश्कर हुदैबिया में भी मैजूद था, उसमें पहुँचने से भी यह चीज़ साबित हो जाती है जिसको फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर और मसाईल के विशेषज्ञ उलेमा) की परिभाषा में 'इख़्तिलाफ़-ए-दारैन' से ताबीर किया गया है। यानी जब काफ़िर मर्द और उसकी मुसलमान बीवी के बीच 'दारैन' का फ़ासला हो जाये, यानी एक दारुल-कुफ़्र में है दूसरा दारुल-इस्लाम में तो यह जुदाई व अ़लैहदगी मुकम्मल होकर औरत दूसरे से निकाह के लिये आज़ाद हो जाती है। (हिदाया वग़ैरह)

और इस आयत में जोः

إِذَآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ.

को शर्त के तौर पर फ़रमाया कि तुम उनसे निकाह कर सकते हो बशर्ते कि उनके मेहर दे दो, यह दर हक़ीक़त निकाह की शर्त नहीं, क्योंकि तमाम उम्मत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि निकाह का बंधन और सही होना मेहर पर मौक़ूफ़ और मशरूत नहीं है, अलबत्ता निकाह पर मेहर की अदायेगी वाजिब व लाज़िम ज़रूर है, यहाँ इसको बतौर शर्त के शायद इसलिये ज़िक्र किया गया है कि अभी एक मेहर तो उसके काफ़िर शौहर को वापस कराया जा चुका है, ऐसा न हो कि अब उससे निकाह करने वाले मुसलमान यह समझ बैठें कि मेहर तो दिया जा चुका और नये मेहर की ज़रूरत नहीं, इसलिये फ़रमा दिया कि उस मेहर का ताल्लुक़ पिछले निकाह से था, यह दूसरा निकाह होगा तो इसका नया मेहर लाज़िम है।

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ

जिसम इस्मत की जमा है, जिसके असली मायने हिफ़ाज़त और मज़बूती के हैं। इससे मुराद वह निकाह का बन्धन वग़ैरह हैं जिनकी हिफ़ाज़त की जाती है।

कवाफ़िर जमा है काफ़िरा की, और मुराद इससे मुश्रिक औरत है, क्योंकि काफ़िरा किताबिया (यानी अहले किताब औरत) से निकाह की इजाज़त क़ुरआने करीम में स्पष्ट बयान हुई है। आयत की मुराद यह है कि अब तक जो मुसलमानों और मुश्रिकों के बीच निकाह कर लेने की इजाज़त थी वह ख़त्म कर दी गयी, अब किसी मुसलमान का निकाह मुश्रिक औरत से जायज़ नहीं, और जो निकाह पहले हो चुके हैं वो भी ख़त्म हो चुके, अब किसी मुश्रिक औरत को अपने निकाह में रोकना हलाल नहीं।

जिस वक़्त यह आयत नाज़िल हुई तो जिन सहाबा-ए-किराम के निकाह में कोई मुश्रिक औरत थी उन्होंने उसको छोड़ दिया। हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के निकाह में दो मुश्रिक औरतें उस वक़्त तक थीं जो हिजरत के वक़्त मक्का मुकर्रमा में रह गयी थीं, हज़रत फ़ारूके आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह आयत नाज़िल होने के बाद दोनों को तलाक़ दे दी। (बग़वी, ज़ोहरी की सनद से, तफ़सीरे मज़हरी) और तलाक़ से मुराद इस जगह छोड़ देना और ताल्लुक़ ख़त्म कर लेना है, परिचित तलाक़ की यहाँ ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इस आयत के ज़रिये निकाह टूट चुका है।

وَاسْئَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْئَلُوا مَا أَنْفَقُوا

यानी जब मामला यह ठहरा कि जो औरत मुसलमान होकर हिजरत करके मदीना तय्यिबा आ जाये तो वह वापस मक्का न भेजी जायेगी, अलबत्ता उसके शौहर ने जो मेहर वग़ैरह उसको दिया है वह उसके शौहर को वापस दिया जायेगा। इसी तरह अगर कोई मुसलमान औरत ख़ुदा न करे मुर्तद होकर (इस्लाम से फिर कर) मक्का मुअ़ज़्ज़मा चली जाये या पहले ही से काफ़िर हो मगर मुसलमान शौहर के क़ब्ज़े से निकल जाये (ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी सूरत को शायद इसलिये इख़्तियार किया गया है कि ऐसा कोई वाकिआ पेश ही नहीं आया कि कोई मुसलमान औरत मुर्तद होकर मक्का चली गयी हो, और फिर वहीं काफ़िर होकर रह गयी हो, हाँ ऐसे वाक़िआत पेश आये कि जो पहले ही से काफ़िर थीं वह अपने मुसलमान शौहर के क़ब्ज़े से निकलकर मक्का ही में रहें) मक्का के काफ़िर उसको वापस नहीं करेंगे, मगर उसके मुसलमान शौहर ने जो मेहर वग़ैरह उसको दिया है उसकी वापसी मक्का के काफ़िरों के ज़िम्मे होगी। इसलिये इन मामलात का तस्फ़िया आपसी हिसाब के समझ लेने से कर लिया जाये, दोनों तरफ़ से जो कुछ मेहर वग़ैरह में ख़र्च किया गया है वह मालूम करके उसके मुताबिक़ लेनदेन कर लिया जाये।

इस हुक्म पर मुसलमानों ने तो दिल की ख़ुशी से अ़मल किया कि क़ुरआन के अहकाम की पाबन्दी उनके नज़दीक फ़र्ज़ है इसलिये जितनी औरतें हिजरत करके आईं सब के मेहर वग़ैरह उनके काफ़िर शौहरों को वापस भेज दिये, मगर मक्का के काफ़िरों का क़ुरआन पर ईमान नहीं था, उन्होंने अ़मल न किया, इस पर अगली आयत नाज़िल हुई। (इमाम बग़वी ने इसको इमाम ज़ोहरी के हवाले

से नक़ल किया है। तफ़सीरे मज़हरी)

وَاِنْ فَاتَكُمْ شَیْءٌ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ اِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ............الاٰية.

आक़ब्तुम् मुआक़बा से निकला है जिसके एक मायने इन्तिक़ाम और बदला लेने के भी हैं, यहाँ यह मायने भी मुराद हो सकते हैं (जैसा कि हज़रत क़तादा व मुजाहिद की रिवायत से इमाम क़ुर्तुबी ने नक़ल किया है) इस सूरत में आयत का मतलब यह होगा कि मुसलमानों की कुछ औरतें अगर काफ़िरों के क़ब्ज़े में आ जायें तो सुलह की शर्त के मुताबिक़ औरों पर लाज़िम था कि उनके मुसलमान शौहरों को उनका दिया हुआ मेहर वग़ैरह वापस करें जैसा कि मुसलमानों की तरफ़ से मुहाजिर औरतों के काफ़िर शौहरों को उनका मेहर वापस किया गया, लेकिन जब काफ़िरों ने ऐसा न किया और मुसलमान औरतों के मेहर उनको अदा न किये तो उनके इस अमल का अगर तुम इन्तिक़ाम और बदला ले लो इस तरह कि मक्का के काफ़िरों को जो रक़म मुहाजिर औरतों के मेहर की अदा करनी थी तुम भी वह अपने हक़ के मुताबिक़ रोक लो तो इसका हुक्म यह है कि:

فَاٰتُوا الَّذِيْنَ ذَهَبَتْ اَزْوَاجُهُمْ مِّثْلَ مَآ اَنْفَقُوْا.

यानी तुम उस रक़म में से जो मुहाजिर औरतों के मेहर की रोक ली गयी है उन मुसलमान शौहरों के ख़र्च किये हुए मेहर वग़ैरह अदा कर दो जिनकी औरतें मक्का के काफ़िरों के क़ब्ज़े में आ गयी हैं।

दूसरे मायने 'आक़ब्तुम, अक़्क़ब्तुम, अक़ब्तुम्' के जंग में माले ग़नीमत हासिल करने के भी हैं, और इस आयत में लफ़्ज़ आक़ब्तुम की ये तीनों किराअतें भी मुख़्तलिफ़ क़ारियों से मन्क़ूल हैं, और हज़रत क़तादा व मुजाहिद रह. से इन तीनों लफ़्ज़ों के मायने ग़नीमत के भी मन्क़ूल हैं। इस सूरत में आयत के मायने ये होंगे कि जिन मुसलमान शौहरों की औरतें काफ़िरों के क़ब्ज़े में चली गयीं और सुलह की शर्त के मुताबिक़ काफ़िरों ने उनके मेहर मुसलमान शौहरों को अदा नहीं किये फिर मुसलमानों को माले ग़नीमत हासिल हुआ तो उन शौहरों का हक़ माले ग़नीमत में से उनको अदा कर दिया जाये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क्या मुसलमानों की कुछ औरतें मुर्तद होकर मक्का चली गयी थीं?

इस आयत में जिस मामले का हुक्म बयान किया गया है उसका वाक़िआ कुछ हज़रात के नज़दीक सिर्फ़ एक ही पेश आया था कि हज़रत अयाज़ बिन ग़नम क़ुरैशी की बीवी उम्मुल-हिकम पुत्री अबू सुफ़ियान मुर्तद (बेदीन) होकर मक्का मुकर्रमा चली गयी थी, और फिर यह भी इस्लाम की तरफ़ लौट आई।

और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कुल छह औरतों का इस्लाम से फिर जाना और काफ़िरों के साथ मिल जाना ज़िक्र फ़रमाया है, जिनमें से एक तो यही उम्मुल-हिकम पुत्री अबू सुफ़ियान थीं और बाक़ी पाँच औरतें वे थीं जो हिजरत के वक़्त ही मक्का मुकर्रमा में रुक गयीं और

पहले ही से काफ़िर थीं। जब क़ुरआन की यह आयत नाज़िल हुई जिसने मुस्लिम मर्द और काफ़िर औरत के निकाह को तोड़ दिया, उस वक़्त भी वे मुसलमान होने के लिये तैयार न हुई, इसके नतीजे में ये भी उन औरतों में शुमार की गयीं जिनका मेहर उनके मुसलमान शौहरों को मक्का के काफ़िरों की तरफ़ से वापस मिलना चाहिये था, जब उन्होंने नहीं दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने माले ग़नीमत में से उनका यह हक़ अदा किया।

इससे मालूम हुआ कि मदीना से मक्का चले जाने और मुर्तद होने (इस्लाम से फिर जाने) का तो सिर्फ़ एक ही वाक़िआ़ था बाक़ी पाँच औरतें पहले ही से कुफ़्र पर थीं, और कुफ़्र पर क़ायम रहने की वजह से वे मुसलमानों के निकाह से इस आयत की बिना पर निकल गयीं, इसलिये उनको भी इस दायरे में शुमार किया गया है, और एक औरत जिसका मुर्तद होकर मक्का चले जाना मज़कूर हुआ है यह भी बाद में फिर मुसलमान हो गयीं (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)। और इमाम बग़वी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है कि बाक़ी पाँच औरतें जो इसमें शुमार की गयी हैं वे भी बाद में मुसलमान हो गयीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

औरतों की बैअ़त

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَآءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ............... الاٰية.

इस आयत में मुसलमान औरतों से एक तफ़सीली बैअ़त लेने का ज़िक्र है जिसमें ईमान व अ़क़ीदों के साथ शरीअ़त के अहकाम की पाबन्दी का भी अ़हद व इक़रार है। इनसे पहली आयतें जिनके बाद यह बैअ़त की आयत आयी है वो अगरचे उन मुहाजिर औरतों के ईमान का इम्तिहान करने के सिलसिले में है, और यह बैअ़त उनके ईमान के इम्तिहान की तकमील है, लेकिन आयत के अलफ़ाज़ आ़म हैं, नौमुस्लिम मुहाजिर औरतों के साथ मख़्सूस नहीं, बल्कि सब मुसलमान औरतों के लिये आ़म हैं, और वाक़िआ़ भी इसी तरह पेश आया कि उक्त बैअ़त में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बैअ़त करने वाली सिर्फ़ नौमुस्लिम मुहाजिर औरतें ही नहीं दूसरी पुरानी मुस्लिम औरतें भी शरीक थीं, जैसा कि सही बुख़ारी में उम्मे अ़तीया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से और बग़वी के सनद से उमैमा बिन्ते रुक़ैया रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मन्क़ूल है। हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि मैंने चन्द दूसरी औरतों के साथ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से बैअ़त की तो आपने जिन शरई अहकाम की पाबन्दी का इक़रार उस बैअ़त में लिया उसके साथ ये कलिमात भी तल्क़ीन (हिदायत) फ़रमायेः

فِيْمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَاَطَقْتُنَّ.

यानी हम इन चीज़ों की पाबन्दी का अ़हद उसी हद तक करते हैं जहाँ तक हमारी हिम्मत व ताक़त और गुंजाईश में है। हज़रत उमैमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने इसको नक़ल करके फ़रमाया कि इससे मालूम हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रहमत व शफ़क़त हम पर ख़ुद हमारी ज़ात से भी ज़्यादा थी कि हमने तो बिना किसी क़ैद व शर्त के अ़हद करना चाहा था मगर आपने इस शर्त की तल्क़ीन फ़रमा दी, ताकि किसी मजबूरी की हालत में ख़िलाफ़वर्ज़ी हो जाये तो अ़हद व

इक़रार तोड़ने में दाख़िल न हो। (तफ़सीरे मज़हरी)

और सही बुख़ारी में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने औरतों की इस बैअ़त के मुताल्लिक़ फ़रमाया कि औरतों की यह बैअ़त सिर्फ़ गुफ़्तगू और कलाम के ज़रिये हुई, मर्दों की बैअ़त में जो हाथ पर हाथ रखने का दस्तूर है, औरतों की बैअ़त में ऐसा नहीं किया गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हाथ मुबारक ने कभी किसी ग़ैर-मेहरम के हाथ को नहीं छुआ। (मज़हरी)

और हदीस की रिवायतों से साबित है कि औरतों की यह बैअ़त सिर्फ़ इस हुदैबिया के वाक़िए के बाद ही नहीं बल्कि बार-बार होती रही, यहाँ तक कि मक्का फ़तह होने वाले दिन भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मर्दों की बैअ़त से फ़ारिग़ होने के बाद सफ़ा पहाड़ी पर औरतों से बैअ़त ली, और पहाड़ के दामन में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ से आपके अलफ़ाज़ को दोहराकर नीचे जमा होने वाली औरतों को पहुँचा रहे थे जो उस बैअ़त में शरीक थीं।

उस वक़्त बैअ़त होने वाली औरतों में अबू सुफ़ियान की बीवी हिन्द भी दाख़िल थीं, जो शुरू में हया (शर्म) के सबब अपने आपको छुपाना चाहती थीं, फिर बैअ़त में कुछ अहकाम की तफ़सील आई तो बोलने और मालूम करने पर मजबूर हो गयीं, कई सवालात किये। यह वाक़िआ़ तफ़सील से तफ़सीरे मज़हरी में बयान हुआ है।

मर्दों की बैअ़त में संक्षिप्तता और औरतों की बैअ़त में तफ़सील

मर्दों से जो बैअ़त ली गयी वह उमूमन इस्लाम और जिहाद पर ली गयी है, अ़मली अहकाम की तफ़सील उसमें नहीं है, बख़िलाफ़ औरतों की बैअ़त के कि उसमें वह तफ़सील है जो आगे आ रही है, वजह फ़र्क़ की यह है कि मर्दों से ईमान व फ़रमाँबरदारी की बैअ़त लेने में ये सब अहकाम दाख़िल थे, इसलिये तफ़सील की ज़रूरत नहीं समझी गयी, और औरतें उमूमन अ़क़्ल व समझ में मर्दों से कम होती हैं इसलिये उनकी बैअ़त में तफ़सील मुनासिब समझी गयी। यह उस बैअ़त की शुरूआ़त है जो औरतों से शुरू हुई मगर आगे यह औरतों के साथ मख़्सूस नहीं रही, मर्दों से भी इन्हीं चीज़ों की बैअ़त लेना हदीस की रिवायतों में साबित है (जैसा कि तफ़सीरे क़ुर्तुबी में हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से नक़ल किया गया है)। इसके अ़लावा जिन अहकाम की पाबन्दी का अ़हद औरतों से लिया गया उमूमन औरतें उनमें ग़लत राह इख़्तियार करने की आ़दी होती हैं, इसलिये भी ख़ास तौर पर उनकी बैअ़त में निम्नलिखित तफ़सील आई:

يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا......... الاية.

इसमें पहली बात तो वही ईमान की और शिर्क से बचने की है, जो मर्दों की आ़म बैअ़तों में भी आती है, दूसरी बात चोरी न करना है, बहुत सी औरतें अपने शौहर के माल में चोरी करने की आ़दी होती हैं इसलिये ज़िक्र किया गया, तीसरी बात ज़िना से परहेज़ करना है जिसमें औरतें पुख़्ता हो जायें तो मर्दों को भी निजात आसान हो जाये, चौथी बात यह है कि अपने बच्चों को क़त्ल न करें।

जाहिलीयत के ज़माने में लड़कियों को ज़िन्दा दफ़न करके हलाक कर देने का रिवाज था, इसको रोका गया, पाँचवीं बात यह है कि झूठा इल्ज़ाम और बोहतान न बाँधें, इस बोहतान की मनाही के साथ ये अलफ़ाज़ भी हैं:

بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ

यानी अपने हाथ-पाँव के बीच बोहतान न बाँधें। इनका ज़िक्र इसलिये किया गया कि क़ियामत के दिन इनसान के हाथ-पाँव ही उसके आमाल पर गवाही देंगे। मतलब यह हुआ कि ऐसे गुनाह के करने के वक़्त यह ख़्याल रहना चाहिये कि मैं चार गवाहों के बीच यह काम कर रहा हूँ जो मेरे ख़िलाफ़ गवाही देंगे।

यहाँ लफ़्ज़ बोहतान आ़म है अपने शौहर पर हो या किसी दूसरे पर, क्योंकि झूठ व बोहतान हर शख़्स पर यहाँ तक कि काफ़िर पर भी हराम है, ख़ास तौर पर अपने शौहर पर बोहतान और भी सख़्त गुनाह है। और शौहर पर बोहतान लगाने की एक सूरत यह भी है कि औ़रत किसी और शख़्स का बच्चा लेकर उसको अपने शौहर का बच्चा ज़ाहिर करे और उसके नसब (ख़ानदान) में दाख़िल कर दे, और यह भी कि मआ़ज़ल्लाह बदकारी करे और हमल (गर्भ) रह जाये जिसके नतीजे में यह बच्चा शौहर के नसब में दाख़िल समझा जाये।

छठी बात एक आ़म उसूल व क़ानून है कि:

وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ مَعْرُوْفٍ

यानी वे किसी नेक काम में आपके हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी न करेंगी। यहाँ "मारूफ़" यानी नेक काम की क़ैद लगाना जबकि यह यक़ीनी है कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का कोई हुक्म मारूफ़ और नेकी के सिवा हो ही नहीं सकता, या तो इसलिये है कि आ़म मुसलमान पूरी तरह समझ लें कि अल्लाह तआ़ला के हुक्म के ख़िलाफ़ किसी मख़्लूक़ की फ़रमाँबरदारी जायज़ नहीं, यहाँ तक कि रसूल की फ़रमाँबरदारी भी इस शर्त के साथ बाँध दी गयी।

और यह भी हो सकता है कि यहाँ मामला औ़रतों का है, उनसे आ़म इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) कि उनके किसी हुक्म के ख़िलाफ़ न करेंगी, किसी के दिल इसमें शैतान गुमराही के वस्वसे (बुरे ख़्याल) पैदा कर सकता है, इसका रास्ता बन्द करने के लिये यह क़ैद लगा दी, वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-मुम्तहिना की तफ़सीर आज दिनाँक 20 जुमादल-ऊला सन् 1391 हिजरी दिन मंगल को पूरी हुई। इसके बाद सूरः अस्-सफ़्फ़ आ रही है, उसकी भी तफ़सीर लिखने की अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-मुम्तहिना की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अस्-सफ़्फ़

सूरः अस्-सफ़्फ़ मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 14 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ۱۴ (۶۱) سُوْرَةُ الصَّفِّ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۹) رُكُوْعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا
تَفْعَلُوْنَ ۝ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ۝ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ
سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ ۝ وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖ يٰقَوْمِ لِمَ تُؤْذُوْنَنِيْ وَقَدْ تَّعْلَمُوْنَ
اَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ ۗ فَلَمَّا زَاغُوْۤا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ۝ وَاِذْ
قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ يٰبَنِيْۤ اِسْرَآءِيْلَ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ مُّصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرٰىةِ
وَمُبَشِّرًاۢ بِرَسُوْلٍ يَّاْتِيْ مِنْۢ بَعْدِي اسْمُهٗۤ اَحْمَدُ ۗ فَلَمَّا جَآءَهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ ۝ وَمَنْ
اَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعٰۤى اِلَى الْاِسْلَامِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝
يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ ۗ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝ هُوَ الَّذِيْۤ اَرْسَلَ
رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सब्ब-ह लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (1) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू लि-म तक़ूलू-न मा ला तफ़्अ़लून (2) कबु-र मक़्तन् अ़िन्दल्लाहि अन् तक़ूलू मा ला तफ़्अ़लून (3) इन्नल्ला-ह	अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ है आसमानों और जो कुछ है ज़मीन में, और वही है ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (1) ऐ ईमान वालो! क्यों कहते हो मुँह से जो नहीं करते। (2) बड़ी बेज़ारी की बात है अल्लाह के यहाँ कि कहो वह चीज़ जो न करो। (3) अल्लाह चाहता है उन लोगों को

युहिब्बुल्लज़ी-न युक़ातिलू-न फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न् क-अन्नहुम् बुन्यानुम्-मर्सूस (4) व इज़् क़ा-ल मूसा लिक़ौमिही या क़ौमि लि-म तुअ्ज़ू-ननी व क़त्तअ्लमू-न अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम्, फ़-लम्मा ज़ाग़ू अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम्, वल्लाहु ला यह्दिल्-क़ौमल्-फ़ासिक़ीन (5) व इज़् क़ा-ल ईसब्नु मर्य-म या बनी इस्राई-ल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम् मुसद्दिक़ल्-लिमा बै-न यदय्-य मिनत्तौराति व मुबश्शिरम् बि-रसूलिंय्-यअ्ती मिम्बअ्दिस्मुहू अह्मदु, फ़-लम्मा जा-अहुम् बिल्बय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम्-मुबीन (6) व मन् अज़्लमु मिम्-मनिफ़्तरा अ़लल्लाहिल्-कज़ि-ब व हु-व युद्आ इलल्-इस्लामि, वल्लाहु ला यह्दिल्-क़ौमज़्ज़ालिमीन (7) युरीदू-न लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बि-अफ़्वाहिहिम्, वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही व लौ करिहल्-काफ़िरून (8) हुवल्लज़ी अर्स-ल रसूलहू बिल्हुदा व दीनिल्-हक़्क़ि लियुज़्हि-रहू अ़लद्दीनि कुल्लिही व लौ करिहल्-मुश्रिकून (9) ✿

जो लड़ते हैं उसकी राह में क़तार बाँधकर गोया वे दीवार हैं सीसा पिलाई हुई। (4) और जब कहा मूसा ने अपनी क़ौम को ऐ मेरी क़ौम! क्यों सताते हो मुझको और तुमको मालूम है कि मैं अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ तुम्हारे पास, फिर जब वे फिर गये तो फेर दिये अल्लाह ने उनके दिल, और अल्लाह राह नहीं देता नाफ़रमान लोगों को। (5) और जब कहा ईसा मरियम के बेटे ने ऐ बनी इस्राईल! मैं भेजा हुआ आया हूँ अल्लाह का तुम्हारे पास यक़ीन करने वाला उस पर जो मुझसे आगे है तौरात और ख़ुशख़बरी सुनाने वाला एक रसूल की जो आयेगा मेरे बाद उसका नाम है अहमद, फिर जब आया उनके पास खुली निशानियाँ लेकर कहने लगे यह खुला जादू है। (6) और उससे ज़्यादा बेइन्साफ़ कौन जो बाँधे अल्लाह पर झूठ और उसको बुलाते हैं मुसलमान होने को, और अल्लाह राह नहीं देता बेइन्साफ़ लोगों को। (7) चाहते हैं कि बुझा दें अल्लाह की रोशनी अपने मुँह से, और अल्लाह को पूरी करनी है अपनी रोशनी और पड़े बुरा मानें इनकारी लोग। (8) वही है जिसने भेजा अपना रसूल राह की सूझ देकर और सच्चा दीन कि उसको ऊपर करे सब दीनों से, और पड़े बुरा मानें शिर्क करने वाले। (9) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सब चीज़ें अल्लाह ही की पाकी बयान करती हैं (अपनी ज़बान से या अपने हाल से) जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं, और वही ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है (पस जो ऐसा अज़मत व शान वाला हो उसकी इताअ़त हर हुक्म में ज़रूरी है, जिनमें से एक हुक्म जिहाद का है, जो इस सूरत में बयान हुआ है, जिसके नाज़िल होने का सबब यह है कि एक बार कुछ मुसमलानों ने आपस में तज़किरा किया कि अगर हमको कोई ऐसा अ़मल मालूम हो जो हक् तआ़ला के नज़दीक बहुत ज़्यादा प्यारा और पसन्दीदा है तो हम उसको अ़मल में लायें और उससे पहले जंगे उहुद में बाज़े जिहाद से भाग चुके थे जिसका क़िस्सा सूरः आले इमरान में है, और साथ ही जिहाद के हुक्म के नाज़िल होने के वक़्त बाज़ों को वह हुक्म भारी गुज़रा था जिसका क़िस्सा सूरः निसा में है। इस पर यह इरशाद नाज़िल हुआ) ऐ ईमान वालो! ऐसी बात क्यों कहते हो जो करते नहीं हो? ख़ुदा के नज़दीक यह बात बहुत नाराज़गी की है कि ऐसी बात कहो जो करो नहीं। अल्लाह तो उन लोगों को (ख़ास तौर पर) पसन्द करता है जो उसके रास्ते में इस तरह मिलकर लड़ते हैं कि गोया वह एक इमारत है कि जिसमें सीसा पिलाया गया है (यानी जिस तरह यह इमारत मज़बूत नाक़ाबिले शिकस्त होती है, इसी तरह वे मुजाहिदीन दुश्मन के मुक़ाबले से हटते नहीं। मतलब यह हुआ कि तुम जो कहते हो कि हमको वह काम मालूम होता जो अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब है तो यह अ़मल तो जिहाद है, फिर उसके नाज़िल होने के वक़्त भारी और नागवार क्यों होता था, और उहुद में क्यों भाग गये थे, बावजूद इन तमाम बातों के मद्दे नज़र होने के बहुत ही नामुनासिब बात और ख़ुदा को नापसन्द है, ऐसे दावे की बातें करना जिसका ग़लत होना मालूम भी हो चुका है तो उसमें हंसी उड़ाने और ग़लत दावे पर डाँट-फटकार की गयी, वह वअ़ज़ व नसीहत करने वाला जो बेअ़मल हो वह इसके मफ़्हूम से ख़ारिज है)।

और (आगे काफ़िरों के क़त्ल व जंग के मुस्तहिक़ होने की वजह यानी तकलीफ़ें देना, झुठलाना, रसूल की मुख़ालफ़त करना, इसका बयान फ़रमाना मक़सूद है, और इसी की मुनासबत से हज़रत मूसा व हज़रत ईसा अ़लैहिमस्सलाम का क़िस्सा ज़िक्र फ़रमाते हैं। पस इरशाद है कि वह वक़्त क़ाबिले ज़िक्र है) जबकि मूसा (अ़लैहिस्सलाम) ने अपनी क़ौम से फ़रमाया कि ऐ मेरी क़ौम! मुझको क्यों तकलीफ़ पहुँचाते हो हालाँकि तुमको मालूम है कि मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ (वो विभिन्न प्रकार की तकलीफ़ें थीं जिनमें से कुछ क़ुरआन मजीद में भी ख़ास तौर पर सूरः ब-क़रह में ज़िक्र हुई हैं और हासिल उन सब का सरकशी और मुख़ालफ़त है) फिर जब (इस तंबीह पर भी) वे लोग टेढ़े ही रहे (औ राह पर न आये) तो अल्लाह तआ़ला ने उनके दिलों को और (ज़्यादा) टेढ़ा कर दिया (यानी मुख़ालफ़त और नाफ़रमानी का माद्दा और ज़्यादा बढ़ गया जैसा कि क़ायदा है कि गुनाह पर पाबन्दी और जमाव इख़्तियार करने से अल्लाह तआ़ला की तरफ़ दिल का मैलान और उसकी इताअ़त का जज़्बा कम होता चला जाता है) और

अल्लाह तआ़ला (का नियम है कि वह) ऐसे नाफ़रमानों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं देता।

और (इसी तरह वह वक़्त भी ज़िक्र करने के क़ाबिल है) जबकि ईसा इब्ने मरियम (अ़लैहिस्सलाम) ने (इरशाद) फ़रमाया कि ऐ बनी इस्राईल! मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ कि मुझसे पहले जो तौरात (आ चुकी) है मैं उसकी तस्दीक़ करने वाला हूँ, और मेरे बाद जो एक रसूल आने वाले हैं जिनका (मुबारक) नाम अहमद होगा, मैं उनकी ख़ुशख़बरी देने वाला हूँ (और इस ख़ुशख़बरी का ईसा अ़लैहिस्सलाम से नक़ल किया जाना ख़ुद अहले किताब के बयान से हदीसों में साबित है, चुनाँचे तफ़सीरे ख़ाज़िन में अबू दाऊद की रिवायत से हब्शा के बादशाह नजाशी का जो कि ईसाईयत के आ़लिम भी थे, यह क़ौल आया है कि वाक़ई आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ही हैं जिनकी ख़ुशख़बरी ईसा अ़लैहिस्सलाम ने दी थी, और तफ़सीरे ख़ाज़िन ही में तिर्मिज़ी से अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल जो कि यहूद के उलेमा में से थे, आया है कि तौरात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सिफ़त लिखी है और यह कि ईसा अ़लैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ दफ़न होंगे। और चूँकि ईसा अ़लैहिस्सलाम तौरात के मुबल्लिग़ (तब्लीग़ करने और दावत देने वाले) थे इसलिये तौरात में इस ख़ुशख़बरी का होना तथा ईसा अ़लैहिस्सलाम से मन्क़ूल कहा जायेगा, और मौलाना रहमतुल्लाह साहिब ने 'इज़हारुल-हक़' में ख़ुद तौरात के मौजूदा नुस्ख़ों (प्रतियों) से अनेक ख़ुशख़बरियाँ नक़ल की हैं। देखिये भाग 2 पेज नम्बर 164 प्रकाशित क़ुस्तुन्तुनिया। और इन मज़ामीन का मौजूदा इन्जीलों में न होना इसलिये नुक़सान की या क़ाबिले एतिराज़ बात नहीं क्योंकि इन्जील के मुहक़्क़िक़ उलेमा की तहक़ीक़ के मुताबिक़ इन्जील के नुस्ख़े सुरक्षित नहीं रहे, मगर फिर भी जो कुछ मौजूद हैं उनमें भी इस क़िस्म का मज़मून मौजूद है। चुनाँचे यूहन्ना की इंजील जो अ़रबी भाषा में अनुवादित और 1831 व 1833 ई. में लंदन से प्रकाशित हुई उसके चौहदवें अध्याय में है कि तुम्हारे लिये मेरा जाना ही बेहतर है, क्योंकि अगर मैं न जाऊँ तो फ़ारक़लीत तुम्हारे पास न आये। पस अगर मैं जाऊँ तो उसको तुम्हारे पास भेज दूँगा। फ़ारक़लीत अहमद का तर्जुमा है। अहले किताब की आ़दत है कि वे नामों का भी तर्जुमा कर देते हैं, ईसा अ़लैहिस्सलाम ने इबरानी भाषा में अहमद फ़रमाया था, जब यूनानी में तर्जुमा हुआ तो बेरकलूतूस लिख दिया, जिसके मायने हैं अहमद यानी बहुत सराहा गया, बहुत तारीफ़ करने वाला, फिर जब यूनानी से इबरानी में तर्जुमा किया तो इसको फ़ारक़लीत कर दिया। और कुछ इबरानी नुस्ख़ों में अब तक नाम मुबारक अहमद मौजूद है। देखिये पादरी पारकहरस्त की यह इबारत 'दबाद हम्दा ख़ल हको टीम अज़ हिमायतुल् इस्लाम' प्राकाशित बरेली 1873 पेज 8481 अनुवाद गावफरी हैंगेस प्रकाशित लंदन 1829, और इस फ़ारक़लीत के बारे में इस इंजील यूहन्ना में ये अलफ़ाज़ हैं:

'वह तुम्हें सब चीज़ें सिखा देगा, इस जहान का सरदार आता है, वह आकर दुनिया को गुनाह पर और रास्ती और अ़दालत (के ख़िलाफ़) पर सज़ा देगा।'

ये हैं वो अलफ़ाज़ जो मुस्तकिल नबी होने पर दलालत करते हैं। इस मक़ाम की पूरी बहस तफ़सीरे हक़्क़ानी में है, उसका एक बहुत मामूली सा हिस्सा यहाँ नक़ल किया गया है। ग़र्ज़ कि ईसा अ़लैहिस्सलाम ने यह इरशाद फ़रमाया) फिर जब (ये तमाम मज़ामीन इरशाद फ़रमाकर अपनी नुबुव्वत को साबित करने के लिये) वह (यानी ईसा अ़लैहिस्सलाम) उन लोगों के पास खुली दलीलें लाये तो वे लोग (उन दलीलों यानी मोजिज़ों के बारे में) कहने लगे- यह खुला जादू है, और (जादू बताकर उनकी नुबुव्वत को झुठलाया जैसा कि सूरः मायदा में है:

وَاِذْ كَفَفْتُ بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ عَنْكَ اِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَیِّنٰتِ............ الخ.

इसी तरह ईसा अ़लैहिस्सलाम के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दौरे रिसालत में मौजूद काफ़िरों ने आपको झुठलाया और मुख़ालफ़त की और यह बड़ा भारी ज़ुल्म है, पस इस ज़ुल्म की ज़्यादती को मिटाने के लिये जंग व क़िताल का हुक्म देना मस्लेहत हुआ)।

और (वाक़ई) उस शख़्स से ज़्यादा कौन ज़ालिम होगा जो अल्लाह पर झूठ बाँधे हालाँकि वह इस्लाम की तरफ़ बुलाया जाता हो। और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं दिया करता। (अल्लाह पर झूठ बाँधना यह है कि नुबुव्वत को झुठलाया, जो चीज़ अल्लाह की तरफ़ से न हो उसको अल्लाह की तरफ़ मन्सूब करना और जो वास्तव में अल्लाह की तरफ़ से हो उसकी नफ़ी करना दोनों अल्लाह पर झूठ बाँधना हैं। और व हु-व युदअ़ा इसलिये बढ़ाया कि इससे उनका और ज़्यादा बुरा होना ज़ाहिर हो गया, यानी ख़ुद तो चेताने से भी न चेता। और वल्लाहु ला यहदी इसलिये बढ़ाया कि उनकी मौजूदा हालत इस्लाह से दूर हो गयी इसलिये क़त्ल करने की सज़ा ही तजवीज़ किया जाना मस्लेहत हुआ, चुनाँचे जिसको अब भी इस्लाम की ख़बर न पहुँची हो पहले उसको इस्लाम की दावत देनी चाहिये जब उससे इनकार करे जो कि ज़ाहिरन नाउम्मीदी की निशानी है तब जिहाद का हुक्म लागू होगा। आगे जिहाद की प्रेरना देने के लिये मदद का वायदा और हक़ के ग़ालिब होने और बातिल के मग़लूब व पराजित होने का बयान है कि) ये लोग चाहते हैं कि अल्लाह के नूर (यानी दीने इस्लाम) को अपने मुँह से (फूँक मारकर) बुझा दें (यानी अ़मली तदबीर के साथ मुँह से भी रद्द व एतिराज़ की बातें इस ग़र्ज़ से करते हैं कि दीने हक़ को बढ़ावा और तरक़्क़ी न हो, और बहुत सी बार ज़बान से किये शुब्हात असर कर जाते हैं, या यह एक मिसाल के अन्दाज़ में समझाना है कि उनकी ऐसी मिसाल है जैसे कोई मुँह से अल्लाह के नूर को बुझाना चाहता हो यानी ऐसे तरीक़े से बुझाये जिसमें नाकाम रहे) हालाँकि अल्लाह तआ़ला अपने (उक्त) नूर को कमाल तक पहुँचाकर रहेगा अगरचे काफ़िर लोग कैसे ही नाख़ुश हों। (चुनाँचे) वह (अल्लाह) ऐसा है जिसने (इस नूर के पूरा करने के लिये) अपने रसूल (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को हिदायत (का सामान यानी क़ुरआन) और सच्चा दीन (यानी इस्लाम) देकर (दुनिया में) भेजा है ताकि इस (दीन) को (कि वह उक्त नूर है, बाक़ी) तमाम दीनों पर ग़ालिब कर दे (कि यही पूरा करना है) अगरचे मुश्रिक कैसे ही नाख़ुश हों। (सूरः तौबा की आयत नम्बर 32 में इस नूर को पूरा करने और ज़ाहिर होने की तफ़सीर विस्तार से गुज़र चुकी है)।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरः अस्-सफ़्फ़ के नाज़िल होने का मौक़ा व सबब

इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है, और हाकिम ने इसको रिवायत करके सनद को सही क़रार दिया है, कि सहाबा-ए-किराम की एक जमाअ़त ने आपस में यह गुफ़्तगू की कि अगर हमें यह मालूम हो जाये कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा महबूब (प्यारा और पसन्दीदा) अ़मल कौनसा है तो हम उस पर अ़मल करें। इमाम बग़वी ने इसमें यह भी नक़ल किया है कि उन हज़रात में से कुछ ने कुछ ऐसे अलफ़ाज़ भी कहे कि अगर हमें अल्लाह के नज़दीक सबसे अच्छे अ़मल के बारे में मालूम हो जाये तो हम अपनी जान व माल सब उसके लिये क़ुरबान कर दें। (तफ़सीरे मज़हरी)

इमाम इब्ने कसीर ने मुस्नद अहमद के हवाले से नक़ल किया है कि उन चन्द हज़रात ने आपस में जमा होकर यह बात की, और चाहा कि कोई साहिब जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसका सवाल करें मगर किसी की हिम्मत न हुई। अभी ये लोग इसी हालत पर थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन सब लोगों को नाम बनाम अपने पास बुलाया (जिससे मालूम हुआ कि आपको वही के ज़रिये उनका जमा होना और उनकी बातचीत मालूम हो गयी थी) जब ये सब लोग हाज़िरे ख़िदमत हो गये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूरी सूरह सफ़्फ़ पढ़कर सुनाई जो उसी वक़्त आप पर नाज़िल हुई थी।

इस सूरत ने यह भी बतला दिया कि आमाल में सबसे पसन्दीदा जिसकी तलाश में ये हज़रात थे वह अल्लाह के रास्ते में जिहाद है और साथ ही उन हज़रात ने जो ऐसे कलिमात कहे थे कि अगर हमें मालूम हो जाये तो हम उस पर अ़मल करने में ऐसी-ऐसी जान की बाज़ी लगायें वग़ैरह, जिनमें एक क़िस्म का दावा है कि ऐसा कर सकते हैं, इस पर इन हज़रात को तंबीह की गयी कि किसी मोमिन के लिये ऐसे दावे करना दुरुस्त नहीं, उसे क्या मालूम है कि वक़्त पर वह अपने इरादे को पूरा कर भी सकेगा या नहीं, उसके असबाब का जमा होना और रुकावटों का दूर होना उसके इख़्तियार में नहीं, फिर ख़ुद उसके हाथ-पैर, बदनी ताक़त, जिस्म के हिस्से बल्कि दिली इरादा व हिम्मत इनमें से कोई चीज़ भी पूरी तरह उसके क़ब्ज़े में नहीं, इसलिये ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी क़ुरआने करीम में यह तालीम व हिदायत की गयी है कि जो काम आपको आईन्दा कल में करना हो अगर उसको बयान करना है तो इन्शा-अल्लाह की क़ैद के साथ बयान करो कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं कल फ़ुलाँ काम करूँगा। चुनाँचे सूरः कहफ़ में इरशाद है:

وَلَا تَقُولَنَّ لِشَایْءٍ اِنِّیْ فَاعِلٌ ذٰلِكَ غَدًا ۝ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ

सहाबा-ए-किराम की नीयत व इरादा चाहे दावे का न हो मगर सूरत दावे की थी वह अल्लाह के नज़दीक पसन्द नहीं कि कोई शख़्स किसी काम के करने का दावा करे सिवाय इसके कि उसको अल्लाह की मर्ज़ी व चाहत के हवाले करे, और इन्शा-अल्लाह साथ कहे। इस तंबीह के लिये ये आयतें

नाज़िल हुईं।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ○ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ○

'मा ला तफ़अ़लून' के ज़ाहिरी मायने तो यह हैं कि जो काम तुम्हें करना नहीं है उसका दावा क्यों करते हो। जिससे ऐसे काम के दावे की मनाही तो वाज़ेह हो ही गयी जिसको करने का इरादा ही इनसान के दिल में न हो, क्योंकि यह तो महज़ एक झूठा दावा है नाम व नमूद वग़ैरह के लिये हो सकता है, मगर ज़ाहिर है कि शाने नुज़ूल के वाक़िए में जिन सहाबा ने बातचीत की वे ऐसे न थे कि दिल में कुछ करने का इरादा ही न हो और दावा करें, इसलिये इसके मफ़्हूम में यह भी शामिल है कि अगरचे दिल में इरादा काम करने का हो फिर भी अपने नफ़्स पर भरोसा करके दावा करना कि हम फ़ुलाँ काम करेंगे बन्दगी की शान के ख़िलाफ़ है। अव्वल तो इसके कहने ही की क्या ज़रूरत है जब मौक़ा मिले कर गुज़रना चाहिये, और किसी मस्लेहत से कहना भी पड़े तो उसको इन्शा-अल्लाह के साथ बाँध दे तो फिर वह दावा नहीं रहेगा।

मसलाः इससे मालूम हुआ कि ऐसे काम का दावा करना जिसके करने का इरादा ही न हो और उसको करना ही न हो, यह तो कबीरा (बड़ा) गुनाह और अल्लाह की सख़्त नाराज़ी का सबब है:

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ

का मतलब यही है, और जहाँ यह सूरत न हो बल्कि इरादा करने का हो वहाँ भी अपनी क़ुव्वत व क्षमता पर भरोसा करके दावा करना मना और बुरा है।

दावा और दावत में फ़र्क़

ऊपर बयान हुई तफ़सीर से यह मालूम हो गया कि इन आयतों का ताल्लुक़ दावे से है कि जो काम आदमी को करना नहीं है उसका दावा करना अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी का सबब है। रहा मामला दावत व तब्लीग़ और वअ़ज़ व नसीहत का कि जो काम आदमी ख़ुद नहीं करता उसकी नसीहत दूसरों को करे और उसकी तरफ़ दूसरे मुसलमानों को दावत दे, वह इस आयत के मफ़्हूम में तो शामिल नहीं, उसके अहकाम दूसरी आयतों और हदीसों में बयान हुए हैं, मसलन क़ुरआने करीम में सूरः ब-क़रह की आयत नम्बर 44 में फ़रमायाः

اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ.

यानी तुम लोगों को तो नेक काम का हुक्म देते हो और ख़ुद अपने आपको भुला देते हो कि ख़ुद उस नेकी पर अ़मल नहीं करते।

इस आयत ने 'अम्र बिल्-मारूफ़' (नेकी का हुक्म करने) और वअ़ज़ व नसीहत करने वालों को इस बात पर शर्मिन्दा किया है कि लोगों को एक नेक काम की दावत दो और ख़ुद उस पर अ़मल न करो। और मक़सद यह है कि जब दूसरों को नसीहत करते हो तो ख़ुद अपने आपको नसीहत करना उससे पहले है, जिस काम की तरफ़ लोगों को बुलाते हो ख़ुद भी उस पर अ़मल करो।

लेकिन यह नहीं फ़रमाया कि जब ख़ुद नहीं करते तो दूसरों को कहना भी छोड़ दो। इससे मालूम

हुआ कि जिस नेक काम के ख़ुद करने की हिम्मत व तौफ़ीक़ नहीं है उसकी तरफ़ दूसरों को बुलाने और नसीहत करने का सिलसिला न छोड़े, उम्मीद है कि उस वअ़ज़ व नसीहत की बरकत से किसी वक़्त इसको भी अ़मल की तौफ़ीक़ हो जाये, जैसा कि ऐसा बहुत ज़्यादा तजुर्बे और देखने में आया है, अलबत्ता अगर वह अ़मल वाजिब या सुन्नते मुअक्कदा के दर्जे में हो तो उक्त आयतों पर नज़र करके अपने नफ़्स में नादिम व शर्मिन्दा होने का सिलसिला जारी रखना भी वाजिब है, और अगर मुस्तहब चीज़ों के मुताल्लिक़ है तो यह शर्मिन्दगी का सिलसिला भी मुस्तहब है।

अगली आयतों में उस असल मामले का ज़िक्र है जो इस सूरत के नाज़िल होने का सबब बना, यानी इसका बयान कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक कौनसा अ़मल ज़्यादा महबूब है, इसके मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमायाः

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُم بُنْيَانٌ مَّرْصُوصٌ ٥

यानी अल्लाह तआ़ला के नज़दीक महबूब जंग व क़िताल की वह सफ़ (क़तार) है जो अल्लाह के दुश्मनों के मुक़ाबले में अल्लाह का कलिमा बुलन्द करने के लिये क़ायम हो और मुजाहिदीन के हौसले व हिम्मत की वजह से एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हो, कि उनके क़दमों में कोई लड़खड़ाहट न आने पाये।

इसके बाद हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अ़लैहिमस्सलाम के अल्लाह के रास्ते में जिहाद और अल्लाह की राह में दुश्मनों की तकलीफ़ें सहने का ज़िक्र है, और इसके बाद फिर मुसलमानों को जिहाद की तालीम व हिदायत की गयी। हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अ़लैहिमस्सलाम के वाक़िआ़त जिनका ज़िक्र इस जगह आया है उनमें भी बहुत से इल्मी व अ़मली फ़ायदे और हिदायतें हैं। हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से में है कि उन्होंने जब बनी इस्राईल को अपनी नुबुव्वत के मानने और इताअ़त करने की दावत दी तो दो चीज़ों को ख़ास तौर पर ज़िक्र फ़रमाया- एक यह कि वह कोई अनोखे रसूल नहीं, अनोखी बातें लेकर नहीं आये, बल्कि वह बातें हैं जो पहले नबी कहते आये हैं, और पहली आसमानी किताबों में ज़िक्र हुई हैं, और बाद में भी जो आख़िरी पैग़म्बर आने वाले हैं वह भी इसी किस्म की हिदायतें लेकर आयेंगे।

यहाँ पहली किताबों में से तौरात का ख़ास तौर पर ज़िक्र ग़ालिबन इसलिये किया कि बनी इस्राईल पर नाज़िल होने वाली क़रीबी किताब वही थी, वरना अम्बिया की तस्दीक़ तो सब पिछली किताबों को शामिल और आ़म है, साथ ही इसमें इशारा इस तरफ़ भी है कि ईसा अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त अगरचे मुस्तक़िल शरीअ़त है मगर उसके अक्सर अहकाम मूसा अ़लैहिस्सलाम की शरीअ़त और तौरात के अहकाम ही के मुताबिक़ हैं, सिर्फ़ चन्द अहकाम हैं जो बदल गये हैं। यह तो पिछले नबियों और किताबों की तस्दीक़ का मज़मून था, दूसरी चीज़ यह कि बाद में आने वाले रसूल की ख़ुशख़बरी सुनाई, इसमें भी इस तरफ़ इशारा है कि उनकी हिदायतें भी इसी के मुताबिक़ होंगी, इसलिये इस पर ईमान लाना पूरी तरह अ़क़्ल व दियानत का तक़ाज़ा है।

साथ ही जिस आने वाले रसूल की ख़ुशख़बरी ईसा अ़लैहिस्सलाम ने बनी इस्राईल को सुनाई

उसका नाम पता भी इंजील में बतला दिया गया। इसमें बनी इस्राईल को इसकी हिदायत है कि जब वह रसूल तशरीफ़ लायें तो तुम्हारा फ़र्ज़ है कि उन पर ईमान लाओ, और उनकी फ़रमाँबरदारी करो:

مُبَشِّرًا م بِرَسُوْلٍ يَّاْتِىْ مِنْ بَعْدِى اسْمُهٗٓ اَحْمَدُ

में इसी का बयान है। इसमें आने वाले रसूल का नाम अहमद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) बताया गया है। हमारे नबी ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम मुहम्मद भी था और अहमद भी, और भी अनेक नाम थे मगर इंजील में आपका नाम अहमद बतलाने में शायद यह मस्लेहत हो कि मुहम्मद नाम रखने का अ़रब में पुराने ज़माने से दस्तूर था, इसलिये इस नाम के दूसरे आदमी भी अ़रब में थे, बख़िलाफ़ अहमद के, यह नाम अ़रब में परिचित नहीं था, वह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़ात ही के साथ मख़्सूस था।

इंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुशख़बरी

यह सब को मालूम है और ख़ुद यहूदियों व ईसाईयों को भी इसका इक़रार करना पड़ा है कि तौरात व इंजील में तहरीफ़ (रद्दोबदल और कमी-बेशी) हुई है, और हक़ीक़त तो यह है कि इन दोनों किताबों में तहरीफ़ इतनी हुई है कि असल कलाम का पहचानना भी आसान नहीं रहा, मौजूदा रद्दोबदल शुदा इंजील की बिना पर आजकल के ईसाई क़ुरआन की इस ख़बर को तस्लीम नहीं करते कि इंजील में कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नाम अहमद लेकर ख़ुशख़बरी दी गयी हो, इसका मुख़्तसर जवाब वह काफ़ी है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुका है, और तफ़सीली जवाब के लिये हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह कैरानवी रह. की किताब 'इज़्हारुल-हक़' का मुताला किया जाये जो ईसाई मज़हब की हक़ीक़त और इंजील में रद्दोबदल और कमी-बेशी और उस रद्दोबदल के बावजूद उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुशख़बरियाँ मौजूद होने के मुताल्लिक़ बेनज़ीर किताब है, ख़ुद बड़े ईसाईयों के क़ौल छपे हुए हैं कि अगर "दुनिया में यह किताब प्रकाशित होती रही तो ईसाईयत का कभी फ़रूग़ (तरक़्क़ी और बढ़ावा) नहीं हो सकता।"

यह किताब अ़रबी भाषा में लिखी गयी थी फिर तुर्की, अंग्रेज़ी में इसके तर्जुमे छपे, मगर इसके सुबूत मौजूद हैं कि ईसाई मिशन ने इस किताब को गुम कर देने में अपनी पूरी कोशिश ख़र्च की है, इसका उर्दू तर्जुमा अब तक नहीं हुआ था, हाल में इसका उर्दू तर्जुमा 'दारुल-उलूम' कराची के शिक्षक मौलाना अकबर अ़ली साहिब ने और नई व मुफ़ीद तहक़ीक़ात मौजूदा ज़माने की छपी इंजीलों से मौलाना मुहम्मद तक़ी साहिब उस्ताज़ दारुल-उलूम ने लिखी हैं, जो तीन जिल्दों में प्रकाशित हो चुकी है, इसकी तीसरी जिल्द में पेज नम्बर 182 से 362 तक इन्हीं ख़ुशख़बरियों की तफ़सील मौजूदा इंजीलों के हवाले से और शुब्हात के जवाबात बयान हुए हैं।

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۝ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَ تُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ۭ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَ مَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ۭ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا ۭ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ۭ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝ يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْٓا اَنْصَارَ اللّٰهِ كَمَا قَالَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيّٖنَ مَنْ اَنْصَارِيْٓ اِلَى اللّٰهِ ۭ قَالَ الْحَوَارِيُّوْنَ نَحْنُ اَنْصَارُ اللّٰهِ فَاٰمَنَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ مِّنْۢ بَنِيْٓ اِسْرَاۗءِيْلَ وَكَفَرَتْ طَّاۗىِٕفَةٌ ۚ فَاَيَّدْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلٰى عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِيْنَ ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू हल् अदुल्लुकुम् अ़ला तिजा-रतिन् तुन्जीकुम् मिन् अ़ज़ाबिन् अलीम (10) तुअ्मिनू-न बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदू-न फ़ी सबीलिल्लाहि बि-अम्वालिकुम् व अन्फ़ुसिकुम्, ज़ालिकुम् ख़ैरुल्-लकुम् इन् कुन्तुम् तअ्लमून (11) यग़्फ़िर् लकुम् ज़ुनू-बकुम् व युद्ख़िल्कुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु व मसाकि-न तय्यि-बतन् फ़ी जन्नाति अ़द्निन्, ज़ालिकल्-फ़ौज़ुल्-अ़ज़ीम (12) व उख़्रा तुहिब्बूनहा नस्रुम्-मिनल्लाहि व फ़त्हुन् क़रीबुन्, व बश्शिरिल्-मुअ्मिनीन (13) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू कूनू

ऐ ईमान वालो! मैं बतलाऊँ तुमको ऐसी सौदागरी (तिजारत) जो बचाये तुमको एक दर्दनाक अ़ज़ाब से। (10) ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और लड़ो अल्लाह की राह में अपने माल से और अपनी जान से, यह बेहतर है तुम्हारे हक़ में अगर तुम समझ रखते हो। (11) बख़्शेगा वह तुम्हारे गुनाह और दाख़िल करेगा तुमको बाग़ों में जिनके नीचे बहती हैं नहरें और सुथरे घरों में बसने के बाग़ों के अन्दर, यह है बड़ी मुराद मिलनी। (12) और एक और चीज़ दे जिसको तुम चाहते हो, मदद अल्लाह की तरफ़ से और फ़तह जल्दी, और ख़ुशी सुना दे ईमान वालों को। (13) ऐ ईमान वालो तुम हो जाओ

अन्सारल्लाहि कमा का-ल ओसब्नु मर्-य-म लिल्-हवारिय्यी-न मन् अन्सारी इलल्लाहि, कालल्-हवारिय्यू-न नह्नु अन्सारुल्लाहि फ़-आ-मनत् ताइ-फ़तुम् मिम्बनी इस्राई-ल व क-फ़रत् ताइ-फ़तुन् फ़-अय्यद्नल्-लज़ी-न आमनू अ़ला अ़दुव्विहिम् फ़-अस्बहू ज़ाहिरीन (14) ✿	मददगार अल्लाह के जैसे कहा ईसा मरियम के बेटे ने अपने यारों को- कौन है कि मदद करे मेरी अल्लाह की राह में? बोले यार हम हैं मददगार अल्लाह के, फिर ईमान लाया एक फ़िर्क़ा बनी इस्राईल में से और मुन्किर हुआ एक फ़िर्क़ा, फिर क़ुव्वत दी हमने उनको जो ईमान लाये थे उनके दुश्मनों पर फिर हो रहे ग़ालिब। (14) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(आगे पहले जिहाद से मिलने वाला आख़िरत का इनाम व फल फिर दुनिया के फल का वायदा करके तरग़ीब देते हैं कि) ऐ मोमिनो! क्या मैं तुमको ऐसी तिजारत बतलाऊँ जो तुमको एक दर्दनाक अ़ज़ाब से बचा ले? (वह यह है कि) तुम लोग अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान ले आओ, और अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करो, यह तुम्हारे लिये बहुत ही बेहतर है अगर तुम कुछ समझ रखते हो। (जब ऐसा करोगे तो) अल्लाह तआ़ला तुम्हारे गुनाह माफ़ करेगा और तुमको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, और उम्दा मकानों में (दाख़िल करेगा) जो हमेशा रहने के बाग़ों में (बने) होंगे, यह बड़ी कामयाबी है।

और (इस आख़िरत के असल फल के अ़लावा) एक और (दुनियावी फल) भी है कि तुम उसको (भी ख़ास तौर पर) पसन्द करते हो, (यानी) अल्लाह की तरफ़ से मदद और जल्दी फ़तह पाना (इसका ख़ास तौर पर पसन्दीदा होना इसलिये है कि इनसान तबई तौर पर जल्दी वाला नतीजा और फल भी चाहता है) और (ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप (इन तमाम बातों की) मोमिनों को ख़ुशख़बरी दे दीजिये। (चुनाँचे फ़तह व मदद की पेशीनगोई का ज़हूर इस्लामी फ़ुतूहात से ज़ाहिर है, आगे ईसा अ़लैहिस्सलाम के सहाबा का क़िस्सा याद दिलाकर दीन की मदद की तरग़ीब देते हैं कि) ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के (दीन के) मददगार हो जाओ (उस तरीक़े से जो तुम्हारे लिये शरीअ़त में है यानी जिहाद) जैसा कि (हवारी लोग अपनी शरीअ़त के तरीक़े के मुवाफ़िक़ दीन के मददगार हुए थे जबकि लोग कसरत से ईसा अ़लैहिस्सलाम के दुश्मन और मुख़ालिफ़ थे और जबकि) ईसा इब्ने मरियम (अ़लैहिस्सलाम) ने (उन) हवारियों से फ़रमाया कि अल्लाह के वास्ते मेरा कौन मददगार होता है? वे हवारी बोले- हम अल्लाह (के दीन) के मददगार हैं (चुनाँचे उन हवारियों ने दीन की यह मदद की कि उसके

प्रचार व प्रसार में कोशिश की) सो (उस कोशिश के बाद) बनी इस्राईल में से कुछ लोग ईमान लाये और कुछ लोग इनकारी रहे (फिर उनमें आपस में धार्मिक मतभेद व झगड़े से दुश्मनी और गृह्युद्ध हुए या मज़हबी गुफ़्तगू हुई) सो हमने ईमान वालों की उनके दुश्मनों के मुक़ाबले में ताईद की, सो वे ग़ालिब हो गये (इसी तरह तुम दीने मुहम्मदी के लिये कोशिश और जिहाद करो, और अगर उन गृहयुद्धों की शुरूआत काफ़िरों की तरफ़ से हो तो इससे दीने ईसवी में जिहाद का होना लाज़िम नहीं आता)।

मआरिफ़ व मसाईल

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ.

इस आयत में ईमान लाने और जान व माल से जिहाद (कोशिश व जिद्दोजोहद) को तिजारत फ़रमाया है, क्योंकि जिस तरह तिजारत में कुछ माल ख़र्च करने और मेहनत करने के सिले में मुनाफ़े हासिल होते हैं ईमान के साथ अल्लाह की राह में जान व माल ख़र्च करने के बदले में अल्लाह की रज़ा और आख़िरत की हमेशा की नेमतें हासिल होती हैं, जिसका ज़िक्र आयत में है कि जिसने यह तिजारत इख़्तियार की अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह माफ़ कर देगा और जन्नत में उसको पाकीज़ा व बेहतरीन ठिकाने व मकानात अ़ता फ़रमा देगा, जिनमें हर तरह के आराम व ऐश के सामान होंगे जैसा कि हदीस में 'मसाकिन-ए-तय्यिबा' की तफ़सीर में इसका बयान आया है। आगे आख़िरत की नेमतों के साथ कुछ दुनिया की नेमतों का भी वायदा फ़रमाते हैं।

وَاُخْرٰی تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِیْبٌ○

लफ़्ज़ 'उख़्रा' नेमत की सिफ़त है, मायने यह हैं कि आख़िरत की नेमतें और जन्नत के मकानात तो मिलेंगे ही जैसा कि वायदा किया गया है, एक नेमत नक़द दुनिया में भी मिलने वाली है वह है अल्लाह की मदद और उसके ज़रिये क़रीबी फ़तह यानी दुश्मनों के देशों का फ़तह होना। यहाँ क़रीब अगर आख़िरत के मुक़ाबले में लिया जाये तो बाद में आने वाली अ़रब व अ़जम की इस्लामी फ़ुतूहात (कामयाबियाँ और विजय) सब इसमें दाख़िल हैं और परिचित **करीब** मुराद लिया जाये तो इसका पहला मिस्दाक़ फ़तह-ए-ख़ैबर है, और इसके बाद फ़तह-ए-मक्का मुकर्रमा है, और इस क़रीबी फ़तह के मुताल्लिक़ **तुहिब्बूनहा** फ़रमाया यानी यह नक़द नेमत तुम्हारी पसन्दीदा और महबूब है, क्योंकि इनसान फ़ितरी तौर पर जल्दी को पसन्द करने वाला वाक़े हुआ है, क़ुरआने करीम में है:

وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلًا○

"यानी है इनसान जल्दबाज़" इसका यह मफ़्हूम नहीं कि आख़िरत की नेमतें उनको महबूब न थीं बल्कि मतलब यह है कि आख़िरत की नेमतों की तलब व मुहब्बत तो ज़ाहिर ही है मगर तबई तौर पर कुछ नक़द नेमत दुनिया में भी तुम्हें मतलूब व महबूब है, वह भी अ़ता की जायेगी।

كَمَا قَالَ عِیْسَی ابْنُ مَرْیَمَ لِلْحَوَارِیّٖنَ مَنْ اَنْصَارِیْۤ اِلَی اللّٰهِ.

हवारिय्यीन हवारी की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने मुख़्लिस दोस्त के हैं जो हर ऐब से पाक व साफ़ हो (रूहुल-मआनी, मज़हरी)। इसी लिये जो लोग ईसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान लाये उनको हवारी कहा जाता है, और वे बारह आदमी थे जैसा कि सूरः आले इमरान में गुज़र चुका है। इस आयत में ईसा अ़लैहिस्सलाम के ज़माने में एक वाक़िए का ज़िक्र करके मुसलमानों को इसकी तरग़ीब दी गयी है कि अल्लाह तआ़ला के दीन की मदद के लिये तैयार हो जायें, जैसा कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम जब दुश्मनों से तंग आये तो लोगों से कहाः

مَنْ اَنْصَارِیْٓ اِلَی اللّٰهِ

यानी अल्लाह के दीन की इशाअ़त (प्रचार व प्रसार) में कौन मेरा मददगार होता है, जिस पर बारह आदमियों ने वफ़ादारी का अ़हद किया और फिर ईसवी दीन के फैलाने में ख़िदमात अन्जाम दीं, तो मुसलमानों को भी चाहिये कि अल्लाह के दीन के सहयोगी व मददगार बनें।

सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इस हुक्म की तामील ऐसे की कि पिछली उम्मतों में इसकी नज़ीर नहीं मिलती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मदद और दीन की ख़ातिर सब अ़रब व अ़जम से दुश्मनी ख़रीदी, उनकी तकलीफ़ें सहीं, अपनी जान व माल और औलाद को इस पर क़ुरबान किया, और आख़िरकार अल्लाह तआ़ला ने अपनी फ़तह व नुसरत से नवाज़ा और सब दुश्मनों पर उनको ग़ालिब फ़रमाया, उनके मुल्क उनके हाथ आये और दुनिया की हुकूमत व सरदारी भी उनको नसीब हुई।

فَاٰمَنَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْ م بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ وَكَفَرَتْ طَّآئِفَةٌ فَاَیَّدْنَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا عَلٰی عَدُوِّهِمْ فَاَصْبَحُوْا ظٰهِرِیْنَ۝

ईसाईयों के तीन फ़िर्क़े

इमाम बग़वी ने इस आयत की तफ़सीर में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि जब हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम को आसमान में उठा लिया गया तो ईसाईयों में तीन फ़िर्क़े हो गये- एक फ़िर्क़े ने कहा कि वह ख़ुद ख़ुदा ही थे आसमान में चले गये। दूसरी फ़िर्क़े ने कहा कि वह ख़ुदा तो नहीं बल्कि ख़ुदा के बेटे थे अल्लाह ने उनको उठा लिया और दुश्मनों पर बरतरी दे दी। तीसरे फ़िर्क़े ने वह बात कही जो सही और हक़ है, कि वह न ख़ुदा थे न ख़ुदा के बेटे बल्कि अल्लाह के बन्दे और उसके रसूल थे, अल्लाह तआ़ला ने उनको दुश्मनों से हिफ़ाज़त और दर्जे बढ़ाने के लिये उठा लिया, ये लोग सही मोमिन थे। तीनों फ़िर्क़ों के साथ कुछ अ़वाम लग गये और आपसी झगड़े बढ़ते-बढ़ते आपस में जंग व लड़ाई की नौबत आ गयी। इत्तिफ़ाक़ से दोनों काफ़िर फ़िर्क़े मोमिनों पर ग़ालिब आ गये, यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दुनिया में नबी बनाकर भेज दिया, जिन्होंने उस मोमिन फ़िर्क़े की ताईद की, इस तरह अंजामकार वह मोमिन फ़िर्क़ा हुज्जत व दलील के हिसाब से ग़ालिब आ गया।

(तफ़सीरे मज़हरी)

इस तफ़सीर के मुताबिक़ 'अल्लज़ी-न आमनू' से ईसा अ़लैहिस्सलाम की ही उम्मत के मोमिन

हज़रात मुराद होंगे जो हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ताईद व हिमायत से कामयाब व मदद याफ़्ता होंगे (तफ़सीरे मज़हरी)। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि ईसा अ़लैहिस्सलाम के ऊपर उठाने के बाद ईसाईयों में दो फ़िर्क़े हो गये- एक ईसा अ़लैहिस्सलाम को ख़ुदा या ख़ुदा का बेटा क़रार देकर मुश्रिक हो गया, दूसरा सही दीन पर क़ायम रहा जो उनको अल्लाह का बन्दा और रसूल मानने वाला था। फिर उन मुश्रिकों व मोमिनों में आपस में जंग हुई तो अल्लाह तआ़ला ने ईसा अ़लैहिस्सलाम की उम्मत के मोमिनों को उस उम्मत के काफ़िरों पर ग़ालिब कर दिया, मगर मशहूर यह है कि हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के मज़हब में जिहाद व क़िताल का हुक्म नहीं था इसलिये मोमिनों का जंग व क़िताल करना मुश्किल और दूर की बात मालूम होती है (रूहुल-मआ़नी) मगर ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसके जवाब में इशारा कर दिया गया है कि इसकी संभावना है कि जंग की शुरूआ़त ईसाई काफ़िरों की तरफ़ से हुई हो और मोमिन हज़रात अपने बचाव और रक्षा पर मजबूर हो गये हों, तो यह जिहाद व क़िताल के हुक्म में नहीं आता, वल्लाहु आलम।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अस्-सफ़्फ़ की तफ़सीर आज दिनाँक 21 जुमादल-ऊला सन् 1391 हिजरी दिन जुमेरात को पूरी हुई। इसके बाद सूरः अल्-जुमुआ़ आ रही है, उसकी भी तफ़सीर लिखने की अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अस्-सफ़्फ़ की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-जुमुआ

सूरः अल्-जुमुआ मदीना में नाज़िल हुई। इसमें 11 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ١١ (٦٢) سُوْرَةُ الْجُمُعَةِ مَدَنِيَّةٌ (١١٠) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ۝ هُوَ الَّذِيْ بَعَثَ فِي الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ۗ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ۝ وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۝ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝ مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا ۗ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْۤا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَآءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ۝ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗۤ اَبَدًاۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ ۝ قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝ ع

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़िल्-मलिकिल्-क़ुद्दूसिल्-अ़ज़ीज़िल्-हकीम (1) हुवल्लज़ी ब-अ़-स फ़िल्-उम्मिय्यी-न रसूलम्-मिन्हुम् यत्लू अ़लैहिम् आयातिही व युज़क्कीहिम् व युअ़ल्लिमुहुमुल्-किता-ब वल्हिक्म-त व इन् कानू	अल्लाह की पाकी बोलता है जो कुछ कि है आसमानों में और जो कुछ कि है ज़मीन में, बादशाह पाक ज़ात ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (1) वही है जिसने उठाया अनपढ़ों में एक रसूल उन्हीं में का, पढ़कर सुनाता है उनको उसकी आयतें और उनको संवारता है और सिखलाता है उनको किताब और अ़क़्लमन्दी, और इससे पहले

मिन् कब्लु लफ़ी ज़लालिम्-मुबीन (2) व आ-ख़री-न मिन्हुम् लम्मा यल्हक़ू बिहिम्, व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (3) ज़ालि-क फ़ज़्लुल्लाहि युअ्तीहि मंय्यशा-उ, वल्लाहु ज़ुल्-फ़ज़्लिल्-अ़ज़ीम (4) म-सलुल्लज़ी-न हुम्मिलुत्-तौरा-त सुम्-म लम् यह्मिलूहा क-म-सलिल्-हिमारि यह्मिलु अस्फ़ारन्, बिअ्-स म-सलुल्-क़ौमिल्-लज़ी-न कज़्ज़बू बिआयातिल्लाहि, वल्लाहु ला यह्दिल्-क़ौमज़्ज़ालिमीन (5) क़ुल् या अय्युहल्लज़ी-न हादू इन ज़अ़म्तुम् अन्नकुम् औलिया-उ लिल्लाहि मिन् दूनिन्नासि फ़-तमन्नवुल्-मौ-त इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (6) व ला य-तमन्नौनहू अ-बदम्-बिमा क़द्द-मत् ऐदीहिम्, वल्लाहु अ़लीमुम्-बिज़्ज़ालिमीन (7) क़ुल् इन्नल्-मौतल्लज़ी तफ़िर्रू-न मिन्हु फ़-इन्नहू मुलाक़ीकुम् सुम्-म तुरद्दू-न इला आ़लिमिल्-ग़ैबि वश्शहा-दति फ़युनब्बिउकुम् बिमा कुन्तुम् तअ्मलून (8) ✿

वे पड़े हुए थे खुली भूल में (2) और (उठाया उस रसूल को एक) दूसरे लोगों के वास्ते भी उन्हीं में से जो अभी नहीं मिले उनमें, और वही है ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (3) यह बड़ाई अल्लाह की है देता है जिसको चाहे, और अल्लाह का फ़ज़्ल बड़ा है। (4) मिसाल उन लोगों की जिन पर लादी तौरात फिर न उठाई उन्होंने जैसे मिसाल गधे की कि पीठ पर ले चलता है किताबें, बुरी मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने झुठलाया अल्लाह की बातों को, और अल्लाह राह नहीं देता बेइन्साफ़ लोगों को। (5) तू कह ऐ यहूदी होने वालो अगर तुमको दावा है कि तुम दोस्त हो अल्लाह के सब लोगों के सिवाय तो मनाओ अपने मरने को अगर तुम सच्चे हो। (6) और वे कभी न मनायेंगे अपना मरना उन कामों की वजह से जिनको आगे भेज चुके हैं उनके हाथ, और अल्लाह को ख़ूब मालूम हैं सब गुनाहगार। (7) तू कह वह मौत जिससे तुम भागते हो सो वह तुमसे ज़रूर मिलने वाली है फिर तुम फेरे जाओगे उस छुपे और खुले जानने वाले के पास, फिर जतला देगा तुमको जो तुम करते थे। (8) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं (अपनी ज़ुबान से या अपने

हाल से) अल्लाह तआ़ला की पाकी बयान करती हैं जो कि बादशाह है (ऐबों से) पाक है, ज़बरदस्त है, हिक्मत वाला है। वही है जिसने (अ़रब के) अनपढ़ लोगों में उन्हीं (की क़ौम) में से (यानी अ़रब में से) एक पैग़म्बर भेजा जो उनको अल्लाह की आयतें पढ़-पढ़कर सुनाते हैं, और उनको (ग़लत अ़क़ीदों और बुरे अख़्लाक़ से) पाक करते हैं, और उनको किताब और समझदारी (की बातें जिसमें सब ज़रूरी दीनी उलूम आ गये) सिखलाते हैं, और ये लोग (आपके पैग़म्बर की हैसियत से तशरीफ़ लाने से) पहले से खुली गुमराही में थे (यानी शिर्क व कुफ़्र में। और मुराद अक्सर हैं क्योंकि जाहिलीयत के ज़माने में भी कुछ लोग तौहीद वाले थे, मगर फिर भी हिदायत के पूरा होने को वे भी चाहते थे)। और (इन मौजूदा लोगों के अ़लावा) दूसरों के लिये भी (आपको भेजा गया) जो (इस्लाम लाकर) उनमें से जो अभी उनमें शामिल नहीं हुए (चाहे इस वजह से कि मौजूद हैं मगर इस्लाम नहीं लाये या इस वजह से कि अभी पैदा ही नहीं हुए इसमें क़ियामत तक की तमाम उम्मत अ़रबी व ग़ैर-अ़रबी सब आ गये, और उनको मिन्हुम इसलिये फ़रमाया क्योंकि सब मुसलमान इस्लामी रिश्ते में बंधे हुए और एकजुट हैं जैसा कि तफ़सीरे ख़ाज़िन में है) और वह ज़बरदस्त, हिक्मत वाला है (कि अपनी क़ुदरत और हिक्मत से ऐसा नबी भेजा। और पहली आयत में अपने आप में इन सिफ़ात को साबित करना मक़सद था पस एक ही मायने के लिये अलफ़ाज़ का दोहराना न हुआ। और) यह (रसूल के ज़रिये से गुमराही से निकलकर किताब व हिक्मत और हिदायत की तरफ़ आना) ख़ुदा का फ़ज़्ल है, वह फ़ज़्ल जिसको चाहता है देता है, और अल्लाह तआ़ला बड़े फ़ज़्ल वाला है (अगर सब को भी इनायत करे तो वुस्अ़त है, मगर वह अपनी हिक्मत से जिसको चाहे ख़ास फ़रमाता है और जिसको चाहे मेहरूम रखता है, जैसा कि ऊपर अनपढ़ों के ईमान लाने से और आगे की आयत में यहूदियों के उलेमा के ईमान न लाने से यह चीज़ ज़ाहिर है)।

(आगे रिसालत के कुछ झुठलाने वालों की निंदा और बुराई बयान की गयी है कि) जिन लोगों को तौरात पर अ़मल करने का हुक्म दिया गया फिर उन्होंने उस पर अ़मल नहीं किया उनकी हालत उस गधे जैसी है जो बहुत-सी किताबें लादे हुए है (मगर उन किताबों के नफ़े से मेहरूम है। इसी तरह इल्म का असल मक़सद और नफ़ा अ़मल है, जब यह न हुआ और सिर्फ़ इल्म सीखने और याद करने में मेहनत उठायी तो बिल्कुल ऐसी ही मिसाल हो गयी, और गधे को मिसाल में ख़ास करने की वजह यह है कि वह जानवरों में में बेवक़ूफ़ मशहूर है तो इसमें ज़्यादा क़ाबिले नफ़रत बात हो गयी। ग़र्ज़ कि) उन लोगों की बुरी हालत है जिन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया (जैसे यहूदी हैं) और अल्लाह ऐसे ज़ालिमों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं दिया करता (क्योंकि जानकर दुश्मनी व मुख़ालफ़त करते हैं और अगर हिदायत होगी तो दुश्मनी व मुख़ालफ़त को छोड़ने के बाद होगी, और तौरात पर अ़मल करने में से एक लाज़िमी चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लाना है, जैसा कि इसमें हुक्म है। पस ईमान न लाने का मतलब है कि तौरात पर पूरी तरह अ़मल नहीं किया, और अगर ये लोग यह कहें कि हम बावजूद इस हालत के भी अल्लाह के मक़बूल हैं तो) आप (उनसे) कह दीजिये कि ऐ

यहूदियो! अगर तुम्हारा यह दावा है कि तुम किसी और की शिर्कत के बग़ैर अल्लाह के मक़बूल (और प्यारे) हो, तो तुम (इसकी तस्दीक़ के लिये) मौत की तमन्ना कर (के दिखा) दो अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो। और (हम साथ ही यह कह देते हैं कि) वे (ख़ास दावेदार लोग) कभी उसकी (मौत की) तमन्ना न करेंगे, उन (कुफ़्रिया) आमाल (के ख़ौफ़ और सज़ा) की वजह से जो अपने हाथों समेटते हैं, और अल्लाह को ख़ूब इत्तिला है उन ज़ालिमों (के हाल) की (जब मुक़द्दमे की तारीख़ आयेगी, जुर्म की क़रारदाद सुनाकर सज़ा का हुक्म कर दिया जायेगा, और उस सज़ा के वायदे की ताकीद के लिये) आप (उनसे यह भी) कह दीजिये कि जिस मौत से तुम भागते हो (और उसकी तमन्ना अल्लाह का प्यारा होने का दावा करने के बावजूद इसलिये नहीं करते हो कि सज़ा भुगतनी होगी) वह (मौत एक दिन) तुमको आ पकड़ेगी, फिर तुम पोशीदा और ज़ाहिर जानने वाले (यानी ख़ुदा तआ़ला) के पास ले जाये जाओगे। फिर वह तुमको तुम्हारे सब किये हुए काम बतला देगा (और सज़ा देगा)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ.

क़ुरआने करीम की जो सूरतें "सब्ब-ह" या "युसब्बिहु" से शुरू होती हैं उनको मुसब्बिहात कहा जाता है, उन सब में तमाम ज़मीन व आसमान और जो कुछ उनमें है सब के लिये अल्लाह तआ़ला की तस्बीह पढ़ना साबित किया गया है। यह तस्बीह हाली यानी ज़ुबाने हाल से तो हर शख़्स समझ सकता है कि अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ात का ज़र्रा-ज़र्रा अपने बनाने वाले हकीम की हिक्मत व क़ुदरत पर गवाही देता है यही उसकी तस्बीह है, और सही बात यह है कि हर चीज़ अपने अन्दाज़ में हक़ीक़ी तस्बीह करती है, क्योंकि हक़ीक़त यह है कि शऊर व समझ अल्लाह तआ़ला ने हर पेड़ व पत्थर और हर चीज़ में उसके हौसले के मुताबिक़ रखी है, उस अ़क़्ल व शऊर का लाज़िमी तक़ाज़ा तस्बीह है, मगर इन चीज़ों की तस्बीह को लोग सुनते नहीं, इसी लिये क़ुरआने करीम में फ़रमायाः

وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ.

अक्सर सूरतों के शुरू में सब्ब-ह माज़ी (भूतकाल) का कलिमा आया है, सिर्फ़ सूरः जुमा और सूरः तग़ाबुन में मुज़ारेअ़ का लफ़्ज़ 'युसब्बिहु' लाया गया है, उनवान के बदलने में कलाम की एक उम्दगी और लताफ़त भी इसका सबब हो गयी है, वह यह है कि भूतकाल का कलिमा किसी चीज़ के यक़ीनी व निश्चित होने पर दलालत करता है इसलिये अक्सर वही इस्तेमाल फ़रमाया, और मुज़ारेअ़ का कलिमा (जिसमें वर्तमान व भविष्यकाल दोनों मायने पाये जाते हैं) की दलालत किसी काम के निरंतर व हमेशा होने पर है, दो जगह इस फ़ायदे के लिये मुज़ारेअ़ का कलिमा इस्तेमाल फ़रमाया।

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ.

उम्मिय्यीन उम्मी की जमा (बहुवचन) है, अनपढ़ शख़्स को कहा जाता है। अ़रब के लोग इस लक़ब से मशहूर व परिचित हैं, क्योंकि उनमें लिखने-पढ़ने का रिवाज नहीं था, बहुत कम आदमी लिखे

पढ़े होते थे, इस आयत में हक़ तआ़ला की अ़ज़ीम क़ुदरत के इज़हार के लिये ख़ास तौर पर अ़रब वालों के लिये यह लक़ब इख़्तियार फ़रमाया, और यह भी कि जो रसूल भेजा गया वह भी उन्हीं में से है यानी उम्मी है। इसलिये यह मामला बड़ा हैरत-अंगेज़ है कि क़ौम सारी उम्मी और जो रसूल भेजा गया वह भी उम्मी, और जो फ़राईज़ उस रसूल के सुपुर्द किये गये जिनका ज़िक्र अगली आयत में आ रहा है वह सब इल्मी, तालीमी, इस्लाही ऐसे हैं कि न कोई उम्मी उनको सिखा सकता है और न उम्मी क़ौम उनको सीखने के क़ाबिल है।

यह सिर्फ़ हक़ तआ़ला शानुहू की कामिल क़ुदरत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का करिश्मा और मोजिज़ा ही हो सकता है कि आपने जब तालीम व इस्लाह का काम शुरू फ़रमाया तो उन्हीं उम्मी (अनपढ़) लोगों में वे उलेमा और विद्वान पैदा हो गये जिनके इल्म व हिक्मत, अ़क़्ल व दानिश और हर काम की उम्दा सलाहियत ने सारे जहान से अपना लोहा मनवा लिया।

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भेजने के तीन मक़सद

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

इस आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तीन ख़ास और नुमायाँ वस्फ़ (ख़ूबियाँ और विशेषतायें) अल्लाह की नेमतों के तहत में बतलाये गये हैं- एक क़ुरआन की आयतों की तिलावत, यानी क़ुरआन पढ़कर उम्मत को सुनाना। दूसरे उनको ज़ाहिरी और बातिनी हर तरह की गन्दगी और नापाकी से पाक करना, जिसमें बदन और लिबास वग़ैरह की ज़ाहिरी पाकी भी दाख़िल है और अ़क़ीदों व आमाल और अख़्लाक़ व आ़दात की पाकीज़गी भी। तीसरे किताब व हिक्मत की हिक्मत।

ये तीनों चीज़ें उम्मत के लिये हक़ तआ़ला के इनामात भी हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनाकर भेजे जाने के मक़ासिद भी।

يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ.

तिलावत के असल मायने इत्तिबा व पैरवी के हैं, इस्तिलाह में यह लफ़्ज़ कलामुल्लाह के पढ़ने के लिये इस्तेमाल होता है। और आयतों से क़ुरआने करीम की आयतें मुराद हैं। लफ़्ज़ **अ़लैहिम** से यह बतलाया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का एक मक़ाम व ज़िम्मेदारी और नुबुव्वत का मक़सद यह है कि क़ुरआन की आयतें लोगों को पढ़कर सुना दें।

उपरोक्त आयत में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के भेजे जाने का दूसरा मक़सद **युज़क्कीहिम** बतलाया है। यह तज़किया से निकला है जिसके मायने पाक करने के हैं, ज़्यादातर मानवी और बातिनी पाकी के लिये बोला जाता है, यानी कुफ़्र व शिर्क और बुरे अख़्लाक़ व आ़दतों से पाक होना, और कभी आ़म तरीक़े से ज़ाहिरी और बातिनी पाकी के लिये भी इस्तेमाल होता है, यहाँ बज़ाहिर यही आ़म मायने मुराद हैं।

तीसरा मक़सद है:

يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ.

किताब से मुराद क़ुरआने करीम और हिक्मत से मुराद वो तालीमात व हिदायतें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से क़ौली या अमली तौर पर साबित हैं, इसी लिये बहुत से हज़राते मुफ़स्सिरीन ने यहाँ हिक्मत की तफ़सीर सुन्नत से फ़रमाई है।

एक सवाल व जवाब

यहाँ यह सवाल पैदा होता है कि बज़ाहिर तरतीब का तक़ाज़ा यह था कि तिलावत के बाद तालीम का ज़िक्र किया जाता उसके बाद तज़किये का, क्योंकि इन तीनों कामों की तबई तरतीब यही है कि पहले तिलावत यानी अलफ़ाज़ की तालीम फिर मायनों की तालीम और इन दोनों के नतीजे में आमाल व अख़्लाक़ की दुरुस्ती जो तज़किये का मफ़्हूम है, मगर क़ुरआने करीम में यह आयत कई जगह आई है, अक्सर जगहों में तरतीब बदलकर तिलावत और तालीम के दरमियान तज़किये का ज़िक्र फ़रमाया है।

तफ़सीरे रूहुल-मआ़नी में इसकी यह कैफ़ियत बतलाई है कि अगर तबई तरतीब के मुताबिक़ रखा जाता तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक ही चीज़ होती, जैसे इलाज के नुस्ख़ों में कई दवायें मिलकर मजमूआ एक ही दवा कहलाती है, और यहाँ इसी हक़ीक़त को स्पष्ट करना है कि ये तीनों चीज़ें अलग-अलग मुस्तक़िल अल्लाह की नेमत हैं, और तीनों को अलग-अलग नुबुव्वत के फ़राईज़ क़रार दिया गया है, इस तरतीब के बदलने से इस तरफ़ इशारा हो सकता है।

इस आयत की मुकम्मल तफ़सीर व वज़ाहत बहुत से अहम मसाईल व फ़ायदों पर आधारित सूरः ब-क़रह में गुज़र चुकी है उसको देख लिया जाये, मआरिफ़ुल-क़ुरआन पहली जिल्द में रुकूअ़ नम्बर 12 की आख़िर की और रुकूअ़ नम्बर 13 की शुरू की आयतों की तफ़सीर में ये मज़ामीन आये हैं।

وَاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ○

आख़री-न के लफ़्ज़ी मायने हैं "दूसरे लोग"। "लम्मा यल्हक़ू बिहिम" के मायने जो अभी तक इन लोगों यानी उम्मिय्यीन (अनपढ़ों) के साथ नहीं मिले। इनसे मुराद वे तमाम मुसलमान हैं जो क़ियामत तक इस्लाम में दाख़िल होते रहेंगे (जैसा कि इब्ने ज़ैद व मुजाहिद वग़ैरह हज़रात की राय है) इसमें इशारा है कि क़ियामत तक आने वाले मुसलमान सब के सब शुरू के मोमिनों यानी सहाबा-ए-किराम ही के साथ जुड़े हुए समझे जायेंगे, यह बाद के मुसलमानों के लिये बड़ी ख़ुशख़बरी है। (रूह)

लफ़्ज़ आख़रीन के अ़त्फ़ (जोड़ और ताल्लुक़) में दो क़ौल हैं- कुछ हज़रात ने इसको "उम्मिय्यीन" पर अ़त्फ़ क़रार दिया है, जिसका हासिल यह होता है कि भेजा अल्लाह ने अपना रसूल उम्मी लोगों में और उन लोगों में जो अभी उनसे नहीं मिले। इस पर जो यह शुब्हा होता है कि उम्मी लोग यानी जो इस वक़्त मौजूद हैं उनमें रसूल भेजना तो ज़ाहिर है, जो लोग अभी आये ही नहीं उनमें भेजने का क्या मतलब होगा, इसका जवाब तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में यह दिया है कि उनमें भेजने से मुराद उनके लिये भेजना है, क्योंकि लफ़्ज़ 'फ़ी' अ़रबी भाषा में इस मायने के लिये भी आता है।

और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि "आख़रीन" का अ़त्फ़ "युअ़ल्लिमुहुम" की मन्सूब ज़मीर पर

है, जिसका मतलब यह होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तालीम देते हैं उम्मी लोगों को भी और उन लोगों को भी जो अभी उनके साथ मिले नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठे हुए थे कि सूरः जुमा आप पर नाज़िल हुई (और आपने हमें सुनाई) जब आपने यह आयत पढ़ीः

وَّاٰخَرِيْنَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوْا بِهِمْ

तो हमने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! ये कौन लोग हैं जिनका ज़िक्र आख़रीन के लफ़्ज़ से किया गया है। आपने उस वक़्त ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाई, दोबारा तिबारा सवाल किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपना हाथ मुबारक हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर रख दिया (जो उस वक़्त मज्लिस में मौजूद थे) और फ़रमाया कि अगर ईमान सुरैया सितारे की बुलन्दी पर भी होगा तो इनकी क़ौम के कुछ लोग वहाँ से भी ईमान को ले आयेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

इस रिवायत में भी फ़ारस वालों के ख़ास होने का कोई सुबूत नहीं बल्कि इतना साबित हुआ कि ये भी आख़रीन के मजमूए में दाख़िल हैं। इस हदीस में अ़जम वालों (यानी ग़ैर-अ़रबियों) की बड़ी फ़ज़ीलत है। (तफ़सीरे मज़हरी)

مَثَلُ الَّذِيْنَ حُمِّلُوا التَّوْرٰىةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ اَسْفَارًا.

'अस्फ़ार' सिफ़्र की जमा (बहुवचन) है, यह बड़ी किताब को कहा जाता है। इनसे पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के उम्मी (बिना पढ़े-लिखे) लोगों में भेजे जाने और नुबुव्वत के तीन मक़ासिद का ज़िक्र जिन अलफ़ाज़ में आया है पिछली आसमानी किताब तौरात में भी आपका ज़िक्र तक़रीबन इन्हीं अलफ़ाज़ व सिफ़ात के साथ आया है, जिसका तक़ाज़ा यह था कि यहूदी लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देखते ही आप पर ईमान ले आते, मगर उनको दुनिया के माल व सम्मान की चाहत ने तौरात के आहकाम से अंधा कर दिया और बावजूद तौरात का इल्म होने के अ़मल के एतिबार से ऐसे हो गये जैसे बिल्कुल जाहिल नावाक़िफ़ हों। उन लोगों की बुराई मज़कूरा आयत में इस तरह की गयी कि ये लोग जिन पर तौरात लाद दी गयी थी, यानी उनको बिना माँगे अल्लाह की यह नेमत दे दी गयी थी, मगर उन्होंने उसके उठाने का हक़ अदा न किया यानी तौरात के अहकाम की परवाह न की, उनकी मिसाल ऐसी है जैसे गधे की पीठ पर उलूम व फ़ुनून की बड़ी-बड़ी किताबें लाद दी जाती हैं, यह गधा उनका बोझ तो उठाता है मगर उनके मज़ामीन की न उसको कुछ ख़बर है न उनसे कोई फ़ायदा उसको पहुँचता है। यहूदियों का भी यही हाल है कि दुनिया कमाने के लिये तौरात तो लिये फिरते हैं और लोगों में उसके ज़रिये रुतबा और अपना मक़ाम भी पैदा करना चाहते हैं मगर उसकी हिदायत से कोई फ़ायदा नहीं उठाते।

बेअ़मल आ़लिम की मिसाल

हज़राते मुफ़स्सिरीन (यानी क़ुरआने करीम के व्याख्यापकों) ने फ़रमाया कि जो मिसाल यहूदियों की दी गयी है यही मिसाल उस आ़लिमे दीन की है जो अपने इल्म पर अ़मल न करे। इसी को एक

फ़ारसी के शे'र में इस तरह बयान किया गया हैः

न मुहक़्क़िक़ बुवद न दानिश मन्द   चारपाये बरो किताबे चन्द

यानी बेअ़मल शख़्स की मिसाल ऐसी है कि उसके इल्म ने उसे कोई फ़ायदा नहीं दिया न इल्म की हक़ीक़त ही को पहुँचा और कोई दानाई ही पा सका, बस वह तो जानवरों की तरह कुछ किताबें यानी मालूमात का एक ज़ख़ीरा उठाये फिरता है। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी।**

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ هَادُوْٓا اِنْ زَعَمْتُمْ اَنَّكُمْ اَوْلِيَاۤءُ لِلّٰهِ مِنْ دُوْنِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ۝

यहूदी लोग अपने कुफ़्र व शिर्क और सारी बद-अख़्लाक़ियों के बावजूद यह दावा भी रखते थे कि हम तो अल्लाह की औलाद और प्यारे हैं, और अपने सिवा किसी को जन्नत का मुस्तहिक़ न कहते थे बल्कि यहूँ कहा करते थेः

لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا۔

गोया वे आख़िरत के अ़ज़ाब से अपने आपको बिल्कुल महफ़ूज़ व सुरक्षित समझते और जन्नत की नेमतों को अपनी ज़ाती जागीर समझते थे। और यह ज़ाहिर है कि जिस शख़्स का यह ईमान हो कि आख़िरत की नेमतें दुनिया की नेमतों से हज़ारों दर्जे अफ़ज़ल व बेहतर हैं और दुनिया में हर वक़्त यह भी देखता रहता है कि यहाँ की ज़िन्दगी रंज व ग़म और तकलीफ़ों और मेहनतों से ख़ाली नहीं और बीमारियाँ भी आती ही रहती हैं, और उसको यह भी यक़ीन हो कि मौत आते ही मुझे वो अ़ज़ीम और हमेशा की नेमतें ज़रूर मिल ही जायेंगी, तो यह इस बात को चाहता है कि अगर उसमें ज़रा भी अ़क़्ल व समझ है तो उसके दिल में मौत की तमन्ना पैदा हो और वह दिल से चाहे कि मौत जल्द आ जाये ताकि दुनिया की बेमज़ा और रंज व ग़म से भरी हुई ज़िन्दगी से निकलकर ख़ालिस राहत और आराम की हमेशा वाली ज़िन्दगी में पहुँच जाये।

इसलिये उपरोक्त आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हिदायत की गयी कि आप यहूदियों से फ़रमायें कि अगर तुम्हारा यह दावा कि सारी मख़्लूक़ में तुम ही अल्लाह के महबूब और लाडले हो और तुम्हें यह ख़तरा बिल्कुल नहीं कि आख़िरत में तुम्हें कोई अ़ज़ाब हो सकता है तो फिर अ़क़्ल का तक़ाज़ा यह है कि तुम मौत की तमन्ना करो, और उसके इच्छुक रहो।

फिर क़ुरआन ने ख़ुद उनको झुठला दिया और फ़रमायाः

وَلَا يَتَمَنَّوْنَهٗٓ اَبَدًا ۢ بِمَا قَدَّمَتْ اَيْدِيْهِمْ۔

यानी ये लोग हरगिज़ मौत की तमन्ना न करेंगे इस वजह से कि इनके हाथों ने (आख़िरत के लिये कुफ़्र व शिर्क और बुरे आमाल) आगे भेज रखे हैं, वे ख़ूब जानते हैं कि आख़िरत में हमारे लिये जहन्नम के अ़ज़ाब के सिवा कुछ नहीं, और यह दावा अल्लाह के मक़बूल व महबूब होने का बिल्कुल झूठ होना ख़ुद उन पर भी वाज़ेह है, मगर दुनिया के कुछ फ़ायदे हासिल करने के लिये ऐसे दावे करते हैं, और वे यह भी जानते हैं कि अगर हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के फ़रमाने पर मौत की तमन्ना ज़ाहिर कर दी तो वह ज़रूर क़ुबूल हो जायेगी और हम मर जायेंगे, इसलिये फ़रमाया कि वे हरगिज़ ऐसी तमन्ना नहीं कर सकते।

एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर उस वक़्त उनमें कोई मौत की तमन्ना करता तो उसी वक़्त मर जाता। (रूहुल-मआ़नी)

मौत की तमन्ना जायज़ है या नहीं

यह बहस तफ़सील के साथ सूरः ब-क़रह में गुज़र चुकी है। हदीस में मौत की तमन्ना करने से मना फ़रमाया गया है, इसका बड़ा सबब यह है कि किसी शख़्स को दुनिया में यह यक़ीन करने का हक़ नहीं है कि वह मरते ही जन्नत में ज़रूर जायेगा, और किसी क़िस्म के अ़ज़ाब का उसको ख़तरा नहीं तो ऐसी हालत में मौत की तमन्ना करना अल्लाह तआ़ला के सामने अपनी बहादुरी जताने के जैसा है।

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِیْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِیْکُمْ

यानी यहूदी जो इस दावे के बावजूद मौत की तमन्ना से गुरेज़ करते हैं इसका हासिल मौत से गुरेज़ करना और भागना है, उनको आप फ़रमा दें कि जिस मौत से तुम भागते हो वह तो आकर रहेगी, इस वक़्त नहीं तो फिर कुछ दिन के बाद, इसलिये मौत से पूरी तरह फ़रार इख़्तियार करना किसी के बस ही में नहीं।

मौत के असबाब से फ़रार के अहकाम

जो चीज़ें आ़दतन मौत का सबब होती हैं उनसे फ़रार यानी बचना अ़क़्ल का तक़ाज़ा भी है और शरीअ़त का हुक्म भी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक झुकी हुई दीवार के नीचे से गुज़रे तो तेज़ी के साथ निकल गये, इसी तरह कहीं आग लग जाये वहाँ से न भागना, अ़क़्ल व शरीअ़त दोनों के ख़िलाफ़ है, मगर मौत से वह भागना जिसकी निंदा व बुराई उक्त आयत में आई है इसमें दाख़िल नहीं, जबकि अ़क़ीदा दुरुस्त हो, और यह जानता हो कि जिस वक़्त मौत आ जायेगी तो मेरा भागना मुझे बचा न सकेगा, मगर चूँकि उसको मालूम नहीं कि यह आग या ज़हर या कोई दूसरी हलाक करने वाली चीज़ निश्चित तौर पर मेरी मौत इसमें लिख दी गयी है, इसलिये उससे भागना मौत से भागने के हुक्म में दाख़िल नहीं जिसकी बुराई बयान हो रही है। बाक़ी रहा ताऊन (प्लेग) या वबा जिस बस्ती में आ जाये उससे भागना यह एक मुस्तक़िल मसला है, जिसकी तफ़सील मसाईल व हदीस की किताबों में मज़कूर है वहाँ देखी जा सकती है। और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इस आयत के तहत में भी इस पर काफ़ी बहस करके मसले को स्पष्ट कर दिया है, यहाँ उसके नक़्ल की गुंजाईश नहीं।

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ؕ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۞ فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞ وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَا انْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا ؕ قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ؕ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ ۞

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इज़ा नूदि-य लिस्सलाति मिंय्यौमिल्-जुमु-अति फ़स्औ इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल्-बै-अ, ज़ालिकुम् ख़ैरुल्-लकुम् इन् कुन्तुम् तअ्लमून (9) फ़-इज़ा क़ुज़ि-यतिस्सलातु फ़न्तशिरू फ़िल्अर्ज़ि वब्तग़ू मिन् फ़ज़्लिल्लाहि वज़्कुरुल्ला-ह कसीरल्-लअ़ल्लकुम् तुफ़्लिहून (10) व इज़ा रऔ तिजा-रतन् औ लह्-व-निन्फ़ज़्ज़ू इलैहा व त-रकू-क क़ाइमन्, क़ुल् मा अ़िन्दल्लाहि ख़ैरुम्-मिनल्-लह्वि व मिनत्तिजा-रति, वल्लाहु ख़ैरुर्-राज़िक़ीन (11) ●	ऐ ईमान वालो! जब अज़ान हो नमाज़ की जुमे के दिन तो दौड़ो अल्लाह की याद को और छोड़ दो ख़रीद व फ़रोख़्त, यह बेहतर है तुम्हारे हक़ में अगर तुमको समझ है। (9) फिर जब तमाम हो चुके नमाज़ तो फैल पड़ो ज़मीन में और ढूँढो फ़ज़्ल अल्लाह का और याद करो अल्लाह को बहुत सा ताकि तुम्हारा भला हो। (10) और जब देखें सौदा बिकता या कुछ तमाशा बिखर जायें उसकी तरफ़ और तुझको छोड़ जायें खड़ा, तू कह- जो अल्लाह के पास है सो बेहतर है तमाशे से और सौदागरी से, और अल्लाह बेहतर है रोज़ी देने वाला। (11) ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! जब जुमे के दिन (जुमे की) नमाज़ के लिये अज़ान कही जाया करे तो तुम अल्लाह की याद (यानी नमाज़ व ख़ुतबे) की तरफ़ (फ़ौरन) चल पड़ा करो, और ख़रीद व बेच (और इसी तरह दूसरे काम जो चलने से रुकावट हों) छोड़ दिया करो (और ख़रीद व फ़रोख़्त को ख़ास तौर से ज़िक्र करना इसलिये है कि उसको अहमियत दी जाती है कि उसके छोड़ने को नफ़े का हाथ से निकल जाना समझा जाता है), यह (ख़रीद व फ़रोख़्त के धंधों वग़ैरह को छोड़कर चल पड़ना) तुम्हारे लिये ज़्यादा बेहतर है अगर तुमको कुछ समझ हो (क्योंकि इसका नफ़ा बाक़ी है और ख़रीद व बेच वग़ैरह का नफ़ा फ़ना हो जाने वाला है)।

फिर जब (जुमे की) नमाज़ पूरी हो चुके (और अगर शुरू में ख़ुतबा अभी नहीं हुआ था तो नमाज़ पूरा होने से मुराद उसका मय उससे संबन्धित चीज़ों के पूरा होना है, जिसका हासिल नमाज़ और ख़ुतबे का पूरा हो चुकना है) तो (उस वक़्त तुमको इजाज़त है कि) तुम ज़मीन पर चलो-फिरो और ख़ुदा की रोज़ी तलाश करो (यानी उस वक़्त दुनिया के कामों के लिये चलने फिरने की इजाज़त है) और (उसमें भी) अल्लाह को कसरत से याद करते रहो (यानी दुनिया के धंधों में ऐसे व्यस्त व मशग़ूल मत हो जाओ कि ज़रूरी अहकाम व इबादतों से ग़ाफ़िल हो

जाओ) ताकि तुमको भलाई हासिल हो।

और (बाज़े लोगों का यह हाल है कि) वे लोग जब किसी तिजारत या मश्गूल होने वाली चीज़ को देखते हैं तो वे उसकी तरफ़ दौड़ने के लिये बिखर जाते हैं, और आपको खड़ा हुआ छोड़ जाते हैं। आप फ़रमा दीजिये कि जो चीज़ (अल्लाह की निकटता और सवाब की क़िस्म में से) ख़ुदा के पास है वह ऐसे मशग़ले और तिजारत से कहीं बेहतर है, और (अगर उससे रोज़ी में ज़्यादती की तमन्ना व लालच हो तो समझ लो कि) अल्लाह सबसे अच्छा रोज़ी पहुँचाने वाला है (उसकी ज़रूरी इबादतों व नेकियों में मशग़ूल रहने पर तयशुदा रिज़्क देता है, फिर क्यों उसके अहकाम को छोड़ा जाये)।

मआरिफ़ व मसाईल

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نُوْدِيَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ.

'यौमुल्-जुमुआ' इस दिन को जुमे का दिन इसलिये कहा जाता है कि यह मुसलमानों के जमा और इकट्ठा होने का दिन है, और आसमान व ज़मीन और तमाम कायनात का बनाना जो हक् तआ़ला ने छह दिन में फ़रमाया है उन छह में से आख़िरी दिन जुमा है, जिसमें कायनात की पैदाईश व बनाना मुकम्मल हुआ, इसी दिन में आदम अ़लैहिस्सलाम पैदा किये गये, इसी दिन में उनको जन्नत में दाख़िल किया गया, फिर इसी दिन में उनको ज़मीन की तरफ़ उतारा गया, इसी दिन में क़ियामत क़ायम होगी और इसी दिन में एक घड़ी (लम्हा) ऐसी आती है कि उसमें इनसान जो भी दुआ़ करे क़ुबूल हो जाती है। ये सब बातें सही हदीसों से साबित हैं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

अल्लाह तआ़ला ने लोगों के लिये जमा होना और ईद का हर हफ़्ते में यह दिन जुमे का रखा था मगर पिछली उम्मतों को इसकी तौफ़ीक़ न हुई। यहूदियों ने यौमुस्सब्त (शनिवार के दिन) को अपना जमा होने का दिन बना लिया, ईसाईयों ने इतवार को, अल्लाह तआ़ला ने इस उम्मत को इसकी तौफ़ीक़ बख़्शी कि इन्होंने जुमे के दिन को चुना (जैसा कि हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. की रिवायत से बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है। इब्ने कसीर) ज़माना-ए-जाहिलीयत में इस दिन को "यौमे अ़रूबा" कहा जाता था, सबसे पहले अ़रब में कअ़ब बिन लुई ने इसका नाम जुमा रखा, और क़ुरैश इस दिन जमा होते और कअ़ब बिन लुई ख़ुतबा देते (यानी संबोधन करते) थे, यह वाक़िआ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने से पाँच सौ साठ साल पहले का है।

कअ़ब बिन लुई नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पुर्खों में से हैं, उनको हक् तआ़ला ने ज़माना-ए-जाहिलीयत में भी बुत परस्ती से बचाया और तौहीद (अल्लाह को एक और अकेला माबूद मानने) की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाई थी, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने की ख़ुशख़बरी भी लोगों को सुनाई थी। क़ुरैश में उनकी अ़ज़मत (बड़ाई व सम्मान) का आ़लम यह था कि उनकी वफ़ात जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने से पाँच सौ साठ साल पहले हुई, उसी से अपनी तारीख़ शुमार करने लगे, अ़रब की तारीख़ शुरू में काबे की बिना

(बुनियाद रखे जाने) से ली जाती थी, कअ़ब बिन लुई की वफ़ात के बाद उससे तारीख़ जारी हो गयी। फिर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैदाईश से पहले वाकिआ़-ए-फ़ील (हाथी वालों की मक्का पर चढ़ाई की घटना) पेश आया तो इस वाकिए से अ़रब की तारीख़ का सिलसिला जारी हो गया। ख़ुलासा यह है कि जुमे का एहतिमाम अ़रब में इस्लाम से पहले भी कअ़ब बिन लुई के ज़माने में हो चुका था और इस दिन का नाम जुमा रखना भी उन्हीं की तरफ़ मन्सूब है। (मज़हरी)

कुछ रिवायतों में है कि मदीना के अन्सार ने हिजरत से पहले जुमे का फ़र्ज़ होना नाज़िल होने से पहले अपनी राय और विचार से जुमे के रोज़ जमा होने और इबादत करने का एहतिमाम कर रखा था (जैसा कि सही सनद के साथ मुहम्मद बिन सीरीन से अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ ने नक़ल किया है। तफ़सीरे मज़हरी)

نُوْدِیَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ.

नमाज़ के लिये आवाज़ दिये जाने से मुराद अज़ान है, और "मिंय्यौमिल्-जुमुअ़ति" "फ़ी यौमिल्-जुमुअ़ति" के मायने में है।

فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.

सई के मायने दौड़ने के भी आते हैं और किसी काम को एहतिमाम के साथ करने के भी। इस जगह यही दूसरे मायने मुराद हैं, क्योंकि नमाज़ के लिये दौड़ते हुए आने को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मना फ़रमाया, और यह इरशाद फ़रमाया है कि जब नमाज़ के लिये आओ तो सुकून और वक़ार के साथ आओ। आयत के मायने यह हैं कि जब जुमे के दिन जुमे की अज़ान दी जाये तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो, यानी नमाज़ व ख़ुतबे के लिये मस्जिद की तरफ़ चलने का एहतिमाम करो, जैसे दौड़ने वाला किसी दूसरे काम की तरफ़ तवज्जोह नहीं देता, अज़ान के बाद तुम भी सिवाय नमाज़ व ख़ुतबे के किसी और काम की तरफ़ तवज्जोह न दो (इब्ने कसीर) 'ज़िकरुल्लाहि' से मुराद जुमे की नमाज़ भी हो सकती है और जुमे का ख़ुतबा जो नमाज़े जुमा की शर्तों व फ़राईज़ में दाख़िल है वह भी, इसलिये दोनों का मजमूआ़ मुराद लिया जाये यह बेहतर है। (तफ़सीरे मज़हरी वग़ैरह)

وَذَرُوا الْبَيْعَ.

यानी छोड़ दो बै (फ़रोख़्त करने) को। सिर्फ़ बै कहने पर इक्तिफ़ा किया गया और मुराद बै व शिरा (यानी ख़रीद व फ़रोख़्त) दोनों हैं, वजह इस इक्तिफ़ा की यह है कि एक के छूटने से दूसरा ख़ुद बख़ुद छूट जायेगा। जब कोई फ़रोख़्त करने वाला फ़रोख़्त न करेगा तो ख़रीदने वाले के लिये ख़रीदने का रास्ता ही न रहेगा।

इसमें इशारा इस तरफ़ मालूम होता है कि जुमे की अज़ान के बाद जो ख़रीद व फ़रोख़्त को इस आयत ने हराम कर दिया है इस पर अ़मल करना तो बेचने वालों और ख़रीदारों सब पर फ़र्ज़ है, मगर इसका अ़मली इन्तिज़ाम इस तरह किया जाये कि दुकानें बन्द कर दी जायें तो ख़रीदारी ख़ुद-बख़ुद बन्द हो जायेगी। इसमें हिक्मत यह है कि ग्राहकों और ख़रीदारों की तो कोई हद व शुमार नहीं होती उन सब के रोकने का इन्तिज़ाम आसान नहीं, फ़रोख़्त करने वाले दुकानदार मुतैयन और सीमित होते हैं उनको बेचने से रोक दिया जाये तो बाक़ी सब ख़रीदने से ख़ुद रुक जायेंगे, इसलिये "ज़रुल्-बै-अ़"

में सिर्फ़ बै छोड़ देने के हुक्म पर इक्तिफ़ा (बस) किया गया।

फ़ायदाः जुमे की अज़ान के बाद सारे ही कामों और धंधों का वर्जित व मना करना मक़सद था जिनमें खेती-बाड़ी, तिजारत, मज़दूरी सभी दाख़िल हैं, मगर क़ुरआने करीम ने सिर्फ़ बै का ज़िक्र फ़रमाया, इससे इस तरफ़ भी इशारा हो सकता है कि जुमे की नमाज़ के मुख़ातब शहरों और क़स्बों वाले हैं, छोटे देहात और जंगलों में जुमा नहीं होगा इसलिये शहरों और क़स्बों में जो मशाग़िल (काम-धंधे) आ़म लोगों को पेश आते हैं उनकी मनाही फ़रमाई गयी वो ख़रीद व बेच के होते हैं, बख़िलाफ़ गाँव वालों के कि उनके मशाग़िल काश्तकारी और ज़मीन से संबन्धित होते हैं और उम्मत के तमाम फ़ुक़हा (क़ुरआन व हदीस के माहिर और मसाईल के विशेषज्ञ उलेमा) फ़रमाते हैं कि यहाँ बै से मुराद सिर्फ़ फ़रोख़्त करना नहीं बल्कि हर वह काम जो जुमे की तरफ़ जाने के एहतिमाम में ख़लल डालने वाला हो वह सब बै के मफ़्हूम में दाख़िल है, इसलिये जुमे की अज़ान के बाद खाना पीना, सोना, किसी से बात करना, यहाँ तक कि किताब का मुताला करना वग़ैरह सब मना हैं, सिर्फ़ जुमे की तैयारी के मुताल्लिक़ जो काम हों वो किये जा सकते हैं।

जुमे की अज़ान शुरू में सिर्फ़ एक ही थी जो ख़ुतबे के वक़्त इमाम के सामने कही जाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़माने में फिर सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु और फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़माने में इसी तरह रहा, हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़माने में जब मुसलमानों की संख्या ज़्यादा हो गयी और मदीना के आस-पास तक फैल गये, इमाम के सामने वाली ख़ुतबे की अज़ान दूर तक सुनाई न देती थी तो हज़रत उस्माने ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक और अज़ान मस्जिद से बाहर अपने मकान ज़ूरा पर शुरू करा दी, जिसकी आवाज़ पूरे मदीने में पहुँचने लगी। सहाबा-ए-किराम में से किसी ने इस पर एतिराज़ नहीं किया, इसलिये यह पहली अज़ान तमाम सहाबा के इत्तिफ़ाक़े राय से मशरू हो गयी, और जुमे की अज़ान के वक़्त ख़रीद व बेच वग़ैरह तमाम कामों के हराम हो जाने का हुक्म जो पहले ख़ुतबे की अज़ान के बाद होता था अब पहली अज़ान के बाद से शुरू हो गया, क्योंकि क़ुरआन के अलफ़ाज़ः

نُوْدِیَ لِلصَّلٰوۃِ مِنْ یَّوْمِ الْجُمُعَۃِ

इस पर भी सादिक़ (सही बैठते) हैं। ये तमाम बातें हदीस व तफ़सीर और फ़िक़्ह (मसाईल) की आ़म किताबों में बिना किसी मतभेद के बयान हुई हैं।

इस पर पूरी उम्मत का एकमत और इत्तिफ़ाक़ है कि जुमे के दिन ज़ोहर के बजाय नमाज़े जुमा फ़र्ज़ है, और इस पर भी सब की एक राय व इत्तिफ़ाक़ है कि नमाज़े जुमा आ़म पाँच नमाज़ों की तरह नहीं इसके लिये कुछ अतिरिक्त शर्तें हैं। पाँचों नमाज़ें तन्हा बिना जमाअ़त के भी पढ़ी जा सकती हैं, दो आदमियों की भी जमाअ़त से, और जुमा बग़ैर जमाअ़त के अदा नहीं होता, और जमाअ़त की तायदाद में फ़ुक़हा के क़ौल भिन्न हैं, इसी तरह पाँच वक़्तों की नमाज़ हर जगह दरिया, पहाड़, जंगल में अदा हो जाती है मगर जुमा जंगल, बयाबान में किसी के नज़दीक नहीं होता। औरतों, मरीज़ों मुसाफ़िरों पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, वे जुमे के बजाय ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें। जुमा किस क़िस्म की बस्ती

वालों पर फ़र्ज़ है इसमें फ़क़ीह इमामों के क़ौल अलग-अलग हैं- इमाम शाफ़ई रह. के नज़दीक जिस बस्ती में चालीस मर्द आज़ाद, आ़क़िल, बालिग़ बसते हों उसमें जुमा हो सकता है इससे कम में नहीं, इमाम मालिक रह. के नज़दीक ऐसी बस्ती का होना ज़रूरी है जिसके मकानात मिले हुए हों और उसमें बाज़ार भी हो, इमामे अ़ज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक जुमे के लिये यह शर्त है कि वह शहर या कसबा या बड़ा गाँव हो जिसमें गली-कूचे और बाज़ार हों और कोई क़ाज़ी हाकिम मामलात का फ़ैसला करने के लिये हो। मसला और इसकी दलीलों की तफ़सील का यह मौक़ा नहीं, हज़राते उलेमा ने इस विषय पर मुस्तकिल किताबें लिखकर सब कुछ स्पष्ट कर दिया है।

ख़ुलासा यह है कि 'या अय्युहल्लज़ी-न आमनू' और 'फ़स्औ़' तमाम उम्मत के नज़दीक कुछ ख़ास अफ़राद के लिये है बिना किसी शर्त व क़ैद के हर मुसलमान पर जुमा फ़र्ज़ नहीं, बल्कि कुछ क़ैदें व शर्तें सब के नज़दीक हैं, मतभेद सिर्फ़ शर्तों के मुतैयन करने में है, अलबत्ता जहाँ फ़र्ज़ है उनके लिये इस फ़र्ज़ की बड़ी अहमियत व ताकीद है, उन लोगों में बिना शरई उज़्र के कोई जुमा छोड़ दे तो सही हदीसों में उस पर सख़्त वईदें (सज़ा की धमकियाँ और अ़ज़ाब के वायदे) आई हैं, और नमाज़े जुमा उसकी शर्तों व आदाब के साथ अदा करने वालों के लिये ख़ास फ़ज़ाईल व बरकतों का वायदा है।

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

इनसे पहले की आयतों में जुमे की अज़ान के बाद ख़रीद व फ़रोख़्त वग़ैरह के तमाम दुनियावी मामलों को मना कर दिया गया था, इस आयत में इसकी इजाज़त दे दी गयी कि नमाज़े जुमा से फ़ारिग़ होने के बाद तिजारती कारोबार और अपना-अपना रिज़्क़ हासिल करने का एहतिमाम कर सकते हैं।

जुमे के बाद तिजारत व कमाई में बरकत

हज़रत अ़र्राक बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु जब नमाज़े जुमा से फ़ारिग़ होकर बाहर आते तो मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े होकर यह दुआ़ करते थे:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَّيْتُ فَرِيْضَتَكَ وَانْتَشَرْتُ كَمَا اَمَرْتَنِىْ فَارْزُقْنِىْ مِنْ فَضْلِكَ وَاَنْتَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (رواه ابن ابى حاتم، از ابن كثير)

"यानी या अल्लाह! मैंने तेरे हुक्म का पालन किया और तेरा फ़र्ज़ अदा किया और जैसा कि तूने हुक्म दिया है नमाज़ पढ़कर मैं बाहर जाता हूँ तू अपने फ़ज़्ल से मुझे रिज़्क़ अ़ता फ़रमा और तू तो सबसे बेहतर रिज़्क़ देने वाला है।"

और पहले कुछ बुज़ुर्गों से मन्क़ूल है कि जो शख़्स नमाज़े जुमा के बाद तिजारती कारोबार करता है अल्लाह तआ़ला उसके लिये सत्तर मर्तबा बरकतें नाज़िल फ़रमाते हैं। (इब्ने कसीर)

وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ○

यानी जुमे की नमाज़ से फ़ारिग़ होकर रोज़ी कमाने और तिजारत वग़ैरह में लगो, मगर काफ़िरों की तरह ख़ुदा से ग़ाफ़िल होकर न लगो, ख़रीद व फ़रोख़्त और मज़दूरी के वक़्त भी अल्लाह की याद

जारी रखो।

وَاِذَا رَاَوْا تِجَارَةً اَوْلَهْوَ نِ انْفَضُّوْۤا اِلَيْهَا وَتَرَكُوْكَ قَآئِمًا. قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ٥

इस आयत में उन लोगों को तंबीह की गयी है जो जुमे का ख़ुतबा छोड़कर तिजारती काम की तरफ़ मुतवज्जह हो गये थे। इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि यह वाक़िआ उस वक़्त का है जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जुमे का ख़ुतबा जुमे की नमाज़ के बाद दिया करते थे जैसा कि ईदैन में अब भी यही मामूल है। एक जुमे के दिन यह वाक़िआ पेश आया कि नमाज़े जुमा से फ़ारिग़ होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ुतबा दे रहे थे कि अचानक एक तिजारती क़ाफ़िला मदीना तय्यिबा के बाज़ार में पहुँचा और ढोल बाजे वग़ैरह से उसका ऐलान होने लगा, उस वक़्त जुमे की नमाज़ से फ़राग़त हो चुकी थी, ख़ुतबा हो रहा था, बहुत से हज़राते सहाबा बाज़ार चले गये और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ थोड़े से हज़रात रह गये, जिनकी तायदाद बारह बतलाई गयी है (यह रिवायत अबू दाऊद ने 'मरासील' में बयान फ़रमाई है)। हदीस की कुछ रिवायतों में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस वाक़िए पर फ़रमाया कि अगर तुम सब के सब चले जाते तो मदीने की सारी वादी अ़ज़ाब की आग से भर जाती। (अबू यअ़ला, इब्ने कसीर)

इमामे तफ़सीर मुक़ातिल का बयान है कि यह तिजारती क़ाफ़िला दिहया बिन ख़लफ़ कल्बी का था, जो मुल्के शाम से आया था, और मदीना के ताजिरों में इसका क़ाफ़िला उमूमन तमाम ज़रूरत की चीज़ें लेकर आया करता था, और जब मदीना के लोगों को उसके आने की ख़बर मिलती थी तो सब मर्द व औरत उसकी तरफ़ दौड़ते थे, यह दिहया बिन ख़लफ़ उस वक़्त तक मुसलमान न थे बाद में इस्लाम में दाख़िल हुए।

और हसन बसरी और अबू मालिक रह. ने फ़रमाया कि यह वह ज़माना था जबकि मदीना में ज़रूरत की चीज़ों की कमी और सख़्त महंगाई थी। (तफ़सीरे मज़हरी) ये असबाब था कि हज़राते सहाबा किराम की बड़ी जमाअ़त तिजारती क़ाफ़िले की आवाज़ पर मस्जिद से निकल गयी। अव्वल तो फ़र्ज़ नमाज़ अदा हो चुकी थी, ख़ुतबे के मुताल्लिक़ यह मालूम न था कि जुमे में वह भी फ़र्ज़ का हिस्सा है, दूसरे चीज़ों की महंगाई, तीसरे तिजारती क़ाफ़िले पर लोगों का टूट पड़ना, जिससे हर एक को यह ख़्याल हो सकता था कि देर करूँगा तो अपनी ज़रूरत की चीज़ें न पा सकूँगा।

बहरहाल इन असबाब के तहत सहाबा-ए-किराम से यह चूक और ख़ता हुई जिस पर उक्त हदीस में वईद के अलफ़ाज़ आये कि सब के सब चले जाते तो अल्लाह का अ़ज़ाब आ जाता, इसी पर शर्म दिलाने और तंबीह करने के लिये यह ऊपर दर्ज हुई आयत नाज़िल हुई। और इसी के सबब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुतबे के मामले में अपना तरीक़ा और अ़मल बदल दिया कि जुमा की नमाज़ से पहले ख़ुतबा देने का मामूल बना लिया और यही अब सुन्नत है। (इब्ने कसीर)

उपरोक्त आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हुक्म दिया गया है कि आप उन लोगों को बतला दें कि जो कुछ अल्लाह के पास है वह उस तिजारत और ढोल-ढमाके से बेहतर है

जिसमें आख़िरत का सवाब तो मुराद है ही यह भी बईद नहीं कि नमाज़ व ख़ुतबे की ख़ातिर तिजारत और रोज़ी कमाने को छोड़ने वालों के लिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से दुनिया में भी ख़ास बरकतें नाज़िल हों जैसा कि ऊपर कुछ पहले बुज़ुर्गों से तफ़सीर इब्ने कसीर के हवाले से नकल किया गया है।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अल्-जुमुआ़ की तफ़सीर आज दिनाँक 28 जुमादल-ऊला सन् 1391 हिजरी दिन जुमेरात को पूरी हुई। इसके बाद सूरः अल्-मुनाफ़िक़ून आ रही है, उसकी भी तफ़सीर लिखने की अल्लाह तआ़ला तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाये।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-जुमुआ़ की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-मुनाफ़िक़ून

सूरः अल्-मुनाफ़िक़ून मदीना में नाज़िल हुई। इसकी 11 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

ايَاتُهَا ١١ (٦٣) سُوْرَةُ الْمُنٰفِقُوْنَ مَدَنِيَّةٌ (١٠٤) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا جَآءَكَ الْمُنٰفِقُوْنَ قَالُوْا نَشْهَدُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُ اللّٰهِ ۘ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّكَ لَرَسُوْلُهٗ ؕ وَ اللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَكٰذِبُوْنَ ۚ﴿۱﴾ اِتَّخَذُوْۤا اَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهُمْ سَآءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۲﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۳﴾ وَ اِذَا رَاَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ؕ وَ اِنْ يَّقُوْلُوْا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ؕ كَاَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ ؕ يَحْسَبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ؕ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ ؕ قٰتَلَهُمُ اللّٰهُ ۫ اَنّٰى يُؤْفَكُوْنَ ﴿۴﴾ وَ اِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ لَوَّوْا رُءُوْسَهُمْ وَ رَاَيْتَهُمْ يَصُدُّوْنَ وَ هُمْ مُّسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۵﴾ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ اَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ اَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ ؕ لَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ ﴿۶﴾ هُمُ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ لَا تُنْفِقُوْا عَلٰى مَنْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ حَتّٰى يَنْفَضُّوْا ؕ وَ لِلّٰهِ خَزَآئِنُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَفْقَهُوْنَ ﴿۷﴾ يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَاۤ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ ؕ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ لٰكِنَّ الْمُنٰفِقِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۸﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इज़ा जा-अकल्-मुनाफ़िक़ू-न क़ालू नश्हदु इन्न-क ल-रसूलुल्लाहि। वल्लाहु यअ्लमु इन्न-क ल-रसूलुहू, वल्लाहु यश्हदु इन्नल्-मुनाफ़िक़ी-न लकाज़िबून (1) इत्त-ख़ज़ू ऐमानहुम् जुन्नतन्	जब आयें तेरे पास मुनाफ़िक़ कहें हम क़ायल हैं तू रसूल है अल्लाह का। और अल्लाह जानता है कि तू उसका रसूल है, और अल्लाह गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक़ झूठे हैं। (1) उन्होंने रखा है अपनी क़समों

फ़-सद्दू अन् सबीलिल्लाहि, इन्नहुम् सा-अ मा कानू यअ्मलून (2) ज़ालि-क बि-अन्नहुम् आमनू सुम्-म क-फ़रू फ़-तुबि-अ अ़ला क़ुलूबिहिम् फ़हुम् ला यफ़्क़हून (3) व इज़ा रऐ-तहुम् तुअ्जिबु-क अज्सामुहुम्, व इंय्यक़ूलू तस्मअ् लिक़ौलिहिम्, क-अन्नहुम् ख़ुशुबुम् मुसन्न-दतुन्, यह्सबू-न कुल्-ल सै-हतिन् अ़लैहिम्, हुमुल्-अ़दुव्वु फ़ह्ज़रहुम्, क़ा-त-लहुमुल्लाहु अन्ना युअ्फ़कून (4) व इज़ा क़ी-ल लहुम् तआ़लौ यस्तग़्फ़िर् लकुम् रसूलुल्लाहि लव्वौ रुऊ-सहुम् व रऐ-तहुम् यसुद्दू-न व हुम्-मुस्तक्बिरून (5) सवाउन् अ़लैहिम् अस्तग़्फ़र्-त लहुम् अम् लम् तस्तग़्फ़िर् लहुम्, लंय्यग़्फ़िरल्लाहु लहुम्, इन्नल्ला-ह ला यह्दिल् क़ौमल्-फ़ासिक़ीन (6) हुमुल्लज़ी-न यक़ूलू-न ला तुन्फ़िक़ू अ़ला मन् अ़िन्-द रसूलिल्लाहि हत्ता यन्फ़ज़्ज़ू, व लिल्लाहि ख़ज़ा-इनुस्समावाति वल्अर्ज़ि व लाकिन्नल्-मुनाफ़िक़ी-न ला यफ़्क़हून (7) यक़ूलू-न ल-इर्रजअ्ना इलल्-मदीनति लयुख़्रिजन्नल्-

को ढाल बनाकर फिर रोकते हैं अल्लाह की राह से, ये लोग बुरे काम हैं जो कर रहे हैं। (2) यह इसलिये कि वे ईमान लाये फिर मुन्किर हो गये, फिर मोहर लग गयी उनके दिल पर सो वे अब कुछ नहीं समझते। (3) और जब तू देखे उनको तो अच्छे लगें तुझको उनके डील (-डोल), और अगर बात कहें सुने तू उनकी बात, कैसे हैं जैसे कि लकड़ी लगा दी दीवार से, जो कोई चीख़ें जानें हम ही पर बला आई, वही हैं दुश्मन उनसे बचता रह, गर्दन मारे उनकी अल्लाह कहाँ से से फिरे जाते हैं। (4) और जब कहिये उनको आओ माफ़ करा दे तुमको अल्लाह का रसूल, मटकाते हैं अपने सर, और तू देखे कि वे रोकते हैं और वे ग़ुरूर करते हैं। (5) बराबर है उन पर तू माफ़ी चाहे उनकी या न माफ़ी चाहे, हरगिज़ न माफ़ करेगा उनको अल्लाह, बेशक अल्लाह राह नहीं देता नाफ़रमान लोगों को। (6) वही हैं जो कहते हैं- ख़र्च मत करो उन पर जो पास रहते हैं रसूलुल्लाह के यहाँ तक कि मुतफ़र्रिक़ (यानी बिखर जायें और इधर-उधर) हो जायें, और अल्लाह के हैं ख़ज़ाने आसमानों के और ज़मीन के लेकिन मुनाफ़िक़ नहीं समझते। (7) कहते हैं अलबत्ता अगर हम फिर गये मदीने को तो निकाल देगा

अ-अ़ज़्ज़ु मिन्हल्-अज़ल्-ल, व लिल्लाहिल्-अिज़्ज़तु व लि-रसूलिही व लिल्-मुअ्मिनी-न व लाकिन्नल्-मुनाफ़िक़ी-न ला यअ्लमून (8) ✿	जिसका ज़ोर है वहाँ से कमज़ोर लोगों को, और ज़ोर तो अल्लाह का है और उसके रसूल का और ईमान वालों का लेकिन मुनाफ़िक़ नहीं जानते। (8) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जब आपके पास ये मुनाफ़िक़ लोग आते हैं तो कहते हैं कि हम (दिल से) गवाही देते हैं कि आप बेशक अल्लाह के रसूल हैं। और यह तो अल्लाह को मालूम है कि आप अल्लाह के रसूल हैं (इसमें तो उनके क़ौल को झुठलाया नहीं जाता) और (इसके बावजूद) अल्लाह तआ़ला गवाही देता है कि ये मुनाफ़िक़ लोग (इस कहने में) झूठे हैं (कि हम दिल से गवाही देते हैं, क्योंकि वे गवाही सिर्फ़ ज़बानी है दिल के यक़ीन से नहीं), उन लोगों ने अपनी क़समों को (अपनी जान व माल बचाने के लिये) ढाल बना रखा है (क्योंकि कुफ़्र को ज़ाहिर करते तो उनकी हालत भी दूसरे काफ़िरों की तरह हो जाती कि जिहाद किया जाता और क़त्ल व ग़ारत होता)। फिर (इस अपनी ज़ात तक सीमित ख़राबी के साथ दूसरों तक फैलने वाली ख़राबी भी है कि) ये लोग (दूसरों को भी) अल्लाह की राह से रोकते हैं, बेशक इनके ये आमाल बहुत ही बुरे हैं। (और हमारा) यह (कहना कि उनके आमाल बहुत बुरे हैं) इस सबब से है कि ये लोग (पहले ज़ाहिर में) ईमान लाये फिर (अपने शैतानों के पास जाकर कुफ़्र के कलिमात 'कि हम तो तुम्हारे साथ हैं, बेशक हम तो उनका मज़ाक़ बना रहे थे' कहकर) काफ़िर हो गये। (मतलब यह कि उन पर बुरे आमाल का हुक्म करना उनके निफ़ाक़ के सबब से है कि वह बदतरीन कुफ़िया अ़मल है) सो (उस निफ़ाक़ की वजह से) उनके दिलों पर मोहर कर दी गई है, तो ये (हक़ बात को) नहीं समझते।

और (ज़ाहिर में ये ऐसे चिकने-चुपड़े हैं कि) जब आप उनको देखें तो (ज़ाहिरी शान व शौकत की वजह से) उनके डील-डोल आपको अच्छे मालूम हों और (बातों में ऐसे हैं कि) अगर ये बातें करने लगें तो आप उनकी बातें (अच्छे अन्दाज़ और मिठास की वजह से) सुन लें (लेकिन चूँकि अन्दर ख़ाक भी नहीं इसलिये ज़ाहिरी क़द व क़ामत के साथ अन्दरूनी कमालात से ख़ाली होने के सबब उनकी ऐसी मिसाल है कि) गोया कि ये लकड़ियाँ हैं जो (दीवार के) सहारे लगाई हुई (खड़ी) हैं (कि आकार में तो लम्बी-चौड़ी मोटी-मोटी मगर बिल्कुल बेजान, और आ़म आ़दत यह है कि अक्सर जो लकड़ी फ़िलहाल काम में नहीं लगती वह इस तरह रख दी जाती है, ऐसी लकड़ी बिल्कुल बेफ़ायदा भी है, इसी तरह ये लोग ज़ाहिरी देखने में तो शानदार हैं लेकिन अन्दर से बिल्कुल बेकार, और चूँकि इख़्लास व ईमान न होने की वजह से हर वक़्त उनको अन्देशा रहता है कि कभी मुसलमानों को हमारे हाल की ख़बर किसी अन्दाज़े व हालात से या वही के ज़रिये न हो जाये और दूसरे काफ़िरों की तरह हम पर भी जिहाद वग़ैरह न होने

लगे, इस ख़्याल से ऐसे डरे रहते हैं कि) हर शोर पुकार को (चाहे वह किसी वजह से हो) अपने ऊपर (पड़ने वाली) ख़्याल करने लगते हैं। (यानी जब कोई शोर व गुल होता है यही समझते हैं कि कहीं हमारे ऊपर भी मुसीबत व आफ़त पड़ने वाली न हो, हक़ीक़त में) यही लोग (तुम्हारे पूरे) दुश्मन हैं, आप इनसे होशियार रहिये (यानी इनकी किसी बात पर भरोसा न कीजिये) ख़ुदा उनको ग़ारत करे, (हक़ दीन से) कहाँ फिरे चले जाते हैं (यानी रोज़ाना दूर ही होते जाते हैं)।

और (उनके तकब्बुर और शरारत की यह कैफ़ियत है कि) जब उनसे कहा जाता है कि (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास) आओ तुम्हारे लिये रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) इस्तिग़फ़ार कर दें तो वे अपना सर फेर लेते हैं। और आप उनको देखेंगे कि (वे उस ख़ैरख़्वाही और इस्तिग़फ़ार से) तकब्बुर करते हुए बेरुख़ी करते हैं। (जब उनके कुफ़्र की यह हालत है तो) उनके हक़ में दोनों बातें बराबर हैं चाहे उनके लिये आप इस्तिग़फ़ार करें या उनके लिए इस्तिग़फ़ार न करें, अल्लाह तआ़ला उनको हरगिज़ न बख़्शेगा (मतलब यह कि अगर वे आपके पास आते भी और आप उनकी ज़ाहिरी हालत के एतिबार से इस्तिग़फ़ार भी फ़रमाते तब भी उनको कुछ नफ़ा न होता। यह तो गुज़रे वक़्त के एतिबार से उनकी हालत हुई और आईन्दा के लिये यह है कि) बेशक अल्लाह तआ़ला ऐसे नाफ़रमान लोगों को हिदायत (की तौफ़ीक़) नहीं देता।

ये वे हैं जो कहते हैं कि जो लोग रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के पास (जमा) हैं उन पर कुछ ख़र्च मत करो यहाँ तक कि ये आप ही बिखर जाएँगे। और (उनका यह कहना कोरी जहालत है, क्योंकि) अल्लाह ही के हैं सब ख़ज़ाने आसमानों के और ज़मीन के, और लेकिन मुनाफ़िक़ लोग समझते नहीं हैं (कि रिज़्क़ का मदार शहर वालों के ख़र्च करने को समझते हैं और) ये (लोग) यूँ कहते हैं कि अगर हम अब मदीना में लौटकर जाएँगे तो इज़्ज़त वाला वहाँ से ज़िल्लत वाले को बाहर निकाल देगा (यानी हम इन मुसाफ़िर परदेसियों को निकाल बाहर कर देंगे) और (इस कहने में जो अपने को इज़्ज़त वाला और मुसलमानों को ज़िल्लत वाला कहते हैं यह ख़ालिस जहालत है, बल्कि हक़ीक़त में ज़ाती तौर पर) अल्लाह ही की है इज़्ज़त और उसके रसूल की (अल्लाह के साथ ताल्लुक़ के वास्ते से), और मुसलमानों की (अल्लाह और उसके रसूल के साथ ताल्लुक़ के वास्ते से) और लेकिन मुनाफ़िक़ लोग जानते नहीं (बल्कि फ़ना हो जाने वाली चीज़ों को इज़्ज़त का मदार समझते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः मुनाफ़िक़ून के नाज़िल होने का तफ़सीली वाक़िआ़

यह वाक़िआ़ मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत के मुताबिक़ शाबान सन् 6 हिजरी में और क़तादा व उरवा की रिवायत के मुताबिक़ शाबान सन् 5 हिजरी में ग़ज़वा-ए-बनी मुस्तलिक़ के मौक़े पर पेश आया है। (तफ़सीरे मज़हरी) जो मुहम्मद बिन इस्हाक़ और मग़ाज़ी व सीरत के अक्सर उलेमा की

रिवायत के मुताबिक़ यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह ख़बर मिली कि बनू मुस्तलिक़ के सरदार हारिस बिन ज़िरार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ जंग की तैयारी कर रहे हैं, यह हारिस बिन ज़िरार जुवैरिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा के वालिद हैं जो बाद में मुसलमान होकर नबी करीम की पाक बीवियों में दाख़िल हुईं और ख़ुद हारिस बिन ज़िरार भी बाद में मुसलमान हो गये।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब उनकी जंगी तैयारी की ख़बर मिली तो आप मुसलमानों की एक जमाअ़त के साथ उनके मुक़ाबले के लिये निकले, इस जिहाद के लिये निकलने वाले मुसलमानों के साथ बहुत से मुनाफ़िक़ भी इस लालच में निकले कि हमें भी माले ग़नीमत में हिस्सा मिलेगा, क्योंकि ये लोग बावजूद दिल में काफ़िर व मुन्किर होने के यह यक़ीन रखते थे कि अल्लाह तआ़ला की मदद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ है और आप ही ग़ालिब और विजयी होंगे।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब बनू मुस्तलिक़ के मक़ाम पर पहुँचे तो हारिस बिन ज़िरार के लश्कर से सामना उस पानी के चश्मे या कुएँ पर हुआ जो मुरैसीअ़ के नाम से परिचित था, इसी लिये इस ग़ज़वे को ग़ज़वा-ए-मुरैसीअ़ भी कहा जाता है। दोनों तरफ़ से जंग की क़तारें बाँधकर तीरों के साथ मुक़ाबला हुआ, जिसमें बनू मुस्तलिक़ के बहुत से आदमी मारे गये बाक़ी भागने लगे, हक़ तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को फ़तह अ़ता फ़रमाई, उनके कुछ माले ग़नीमत और कुछ मर्द व औ़रत क़ैद होकर मुसलमानों के हाथ आये, इस जिहाद का क़ज़िया तो ख़त्म हुआ।

वतनी या नसबी क़ौमियत की बुनियाद पर सहयोग व मदद कुफ़्र व जाहिलीयत का नारा है

इसके बाद अभी मुसलमानों का लश्कर उसी मुरैसीअ़ के पानी पर जमा था कि एक नागवार वाक़िआ़ यह पेश आ गया कि एक मुहाजिर और एक अन्सारी में उसी पानी पर आपस में झगड़ा हो गया और नौबत आपस में क़त्ल व क़िताल की आ गयी। मुहाजिरीन ने अपनी मदद के लिये मुहाजिरों को पुकारा और अन्सारी ने अन्सार को, दोनों की मदद के लिये कुछ अफ़राद पहुँच गये और क़रीब था कि मुसलमानों में आपस का एक फ़ितना खड़ा हो जाये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इसकी इत्तिला हुई तो फ़ौरन मौक़े पर तशरीफ़ ले गये और सख़्त नाराज़ी के साथ फ़रमायाः

مَابَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ.

(यानी यह जाहिलीयत का नारा कैसा है) कि वतनी और नसबी क़ौमियत को बुनियाद बनाकर इमदाद व रक्षा का मामला होने लगा, और फ़रमायाः

دَعُوْهَا فَاِنَّهَا مُنْتِنَةٌ.

(इस नारे को छोड़ दो यह बदबूदार नारा है) और फ़रमाया कि हर मुसलमान को अपने हर

मुसलमान भाई की मदद करनी चाहिये चाहे वह ज़ालिम हो या मज़लूम, मज़लूम की मदद करना तो ज़ाहिर है कि उसको ज़ुल्म से बचाये और ज़ालिम की मदद करने का मतलब यह है कि उसको ज़ुल्म से रोके, क्योंकि उसकी असली मदद यही है। मुराद यह थी कि हर मामले में यह देखना चाहिये कि मज़लूम कौन है, ज़ालिम कौन, फिर हर मुसलमान को चाहे वह मुहाजिर हो या अन्सारी और किसी क़बीले व ख़ानदान का हो यह फ़र्ज़ हो जाता है कि मज़लूम को ज़ुल्म से छुड़ाये, और ज़ालिम का हाथ रोके, चाहे वह अपना सगा भाई और बाप ही क्यों न हो, यह नसबी और वतनी क़ौमियत जाहिलाना और बदबूदार नारा है जिससे गन्दगी के सिवा कुछ हाथ नहीं आता।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह इरशाद सुनते ही झगड़ा ख़त्म हो गया, इस मामले में ज़्यादती जह्जाह मुहाजिरी की साबित हुई, उसके मुक़ाबले में सिनान बिन वबरा जुहनी अन्सारी को ज़ख़्म आ गया था, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु के समझाने से सिनान बिन वबरा ने अपना हक़ माफ़ कर दिया और झगड़ने वाले ज़ालिम व मज़लूम फिर भाई-भाई बन गये।

मुनाफ़िक़ों की एक जमाअ़त जो माले ग़नीमत के लालच में मुसलमानों के साथ लगी हुई थी, उनका सरदार अ़ब्दुल्लाह बिन उबई था जो दिल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुसलमानों से दुश्मनी रखता था, मगर दुनियावी फ़ायदों की ख़ातिर अपने को मुसलमान कहता था, उसको जब मुहाजिरीन व अन्सार के आपसी टकराव की ख़बर मिली तो उसने मुसलमानों में फूट डालने का मौक़ा ग़नीमत पाया और अपनी मज्लिस में जिसमें मुनाफ़िक़ लोग जमा थे और मोमिनों में से सिर्फ़ ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु मौजूद थे उसने अन्सार को मुहाजिरीन के ख़िलाफ़ भड़काया और कहने लगा कि तुमने इनको अपने वतन में बुलाकर अपने सरों पर मुसल्लत किया, अपने माल व जायदाद इनको तक़सीम करके दे दिये, ये तुम्हारी रोटियों पर पले हुए अब तुम्हारे ही मुक़ाबले पर आये हैं, अगर तुमने अब भी अपने अन्जाम को न समझा तो आगे ये तुम्हारा जीना मुश्किल कर देंगे, इसलिये तुम्हें चाहिये कि आईन्दा माल से इनकी मदद न करो तो ख़ुद ही इधर-उधर भाग जायेंगे, और अब तुम्हें चाहिये कि जब मदीना पहुँच जाओ तो तुम में से जो इ़ज़्ज़त वाला है वह ज़लील को निकाल बाहर करे।

उसकी मुराद इ़ज़्ज़त वाले से ख़ुद अपनी जमाअ़त और अन्सार थे, और ज़लील से मुराद मआ़ज़ल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुहाजिरीन सहाबा थे। हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जब उसका यह कलाम सुना तो फ़ौरन बोले कि वल्लाह तू ही ज़लील व ख़्वार और क़ाबिले नफ़रत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अल्लाह की तरफ़ से दी हुई इ़ज़्ज़त और मुसलमानों की दिली मुहब्बत से कामयाब हैं।

अ़ब्दुल्लाह बिन उबई चूँकि अपने निफ़ाक़ पर पर्दा डालना चाहता था इसी लिये अलफ़ाज़ साफ़ न बोले थे, उस वक़्त ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु की नाराज़गी के इज़हार से उसको होश आया कि मेरा कुफ़्र ज़ाहिर हो जायेगा तो हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से उज़्र किया कि मैंने तो यह बात हंसी में कह दी थी, मेरा मतलब रसूलुल्लाह के ख़िलाफ़ कुछ करना नहीं था।

हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु इस मज्लिस से उठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और इब्ने उबई का यह सारा वाक़िआ़ कह सुनाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर यह ख़बर बहुत भारी हुई, चेहरा-ए-मुबारक पर बदलाव के आसार नज़र आने लगे (ज़ैद बिन अरक़म कम-उम्र सहाबी थे) आपने उनसे कहा कि लड़के तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो? ज़ैद बिन अरक़म ने क़सम खाकर कहा कि नहीं, मैंने अपने कानों से उसके ये अलफ़ाज़ सुने हैं। आपने फिर फ़रमाया कि तुम्हें कुछ शुब्हा तो नहीं हो गया, ज़ैद बिन अरक़म ने फिर वही जवाब दिया, और फिर इब्ने उबई की यह बात मुसलमानों के पूरे लश्कर में फैल गयी, और आपस में इस बात के सिवा कोई बात ही न रही। उधर हज़राते अन्सार सब ज़ैद बिन अरक़म को मलामत करने लगे कि तुमने क़ौम के सरदार पर तोहमत लगाई, और रिश्ते को तोड़ा। ज़ैद इब्ने अरक़म ने फ़रमाया कि ख़ुदा तआ़ला की क़सम पूरे क़बीला ख़ज़्रज में मुझे इब्ने उबई से ज़्यादा कोई महबूब नहीं (मगर जब उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ ये कलिमात कहे तो मैं उसे बरदाश्त नहीं कर सका) और अगर मेरा बाप भी ऐसी बात कहता तो मैं उसको भी ज़रूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक पहुँचाता।

दूसरी तरफ़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! मुझे इजाज़त दीजिये कि मैं इस मुनाफ़िक़ की गर्दन मार दूँ। और कुछ रिवायतों में है कि फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह अ़र्ज़ किया कि आप अ़ब्बाद बिन बिश्र को हुक्म दे दीजिये कि उसका सर क़लम करके आपके सामने पेश करें।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि ऐ उमर! इसका क्या होगा कि लोगों में यह शोहरत दी जायेगी कि मैं अपने साथियों को क़त्ल कर देता हूँ, इसलिये आपने इब्ने उबई के क़त्ल से रोक दिया। हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के इस कलाम की ख़बर अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ के बेटे को पहुँची, उनका नाम भी अ़ब्दुल्लाह था, और यह पक्के मुसलमान थे, यह फ़ौरन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अ़र्ज़ किया कि अगर आपका इरादा मेरे बाप को उनकी इस गुफ़्तगू के नतीजे में क़त्ल करने का है तो आप मुझे हुक्म दीजिए मैं अपने बाप का सर काटकर आपकी ख़िदमत में इससे पहले कि आप अपनी मज्लिस से उठें पेश कर दूँगा, और अ़र्ज़ किया कि पूरा क़बीला ख़ज़्रज इसका गवाह है कि उनमें कोई भी मुझसे ज़्यादा अपने माँ-बाप की ख़िदमत व इताअ़त करने वाला नहीं है, मगर अल्लाह व रसूल के ख़िलाफ़ उनकी भी कोई चीज़ बरदाश्त नहीं हो सकती, और मुझे ख़तरा है कि अगर आपने किसी और को मेरे बाप के क़त्ल का हुक्म दिया और उसने क़त्ल कर दिया तो ऐसा न हो कि जब मैं अपने बाप के क़ातिल को चलता फिरता देखूँ तो मुझ पर ग़ैरते नसबी ग़ालिब आ जाये और मैं उसे क़त्ल कर बैठूँ, जो मेरे लिये अ़ज़ाब का सबब बने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि न मेरा इरादा उसके क़त्ल का है न मैंने किसी को इसका हुक्म दिया है।

इस वाक़िए के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने आ़म आ़दत के ख़िलाफ़ बेवक़्त सफ़र करने का आ़म ऐलान फ़रमा दिया और ख़ुद क़सवा ऊँटनी पर सवार हो गये। जब आ़म हज़राते

सहाबा रवाना हो गये तो आपने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई को बुलाया और मालूम किया कि क्या तुमने ऐसा कहा है? यह कसमें खा गया कि मैंने हरगिज़ ऐसा नहीं कहा, यह लड़का (ज़ैद बिन अरक़म) झूठा है। अ़ब्दुल्लाह बिन उबई की अपनी क़ौम में इज़्ज़त थी सबने यह क़रार दिया कि शायद ज़ैद बिन अरक़म को कुछ मुग़ालता लग गया है, इब्ने उबई ने ऐसा नहीं कहा।

बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इब्ने उबई की क़सम और उज़्र को क़ुबूल कर लिया और लोगों में ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु पर गुस्से और उनकी मलामत और तेज़ हो गयी, और यह इस रुस्वाई के सबब लोगों से छुपे रहने लगे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूरे इस्लामी लश्कर के साथ पूरे दिन फिर पूरी रात सफ़र किया और अगले दिन सुबह को भी बराबर सफ़र करते रहे, यहाँ तक कि धूप तेज़ होने लगी, उस वक़्त आपने क़ाफ़िले को एक जगह ठहराया, पूरे एक दिन एक रात के लगातार सफ़र से थके हुए सहाबा-ए-किराम जब उस मन्ज़िल पर उतरे तो फ़ौरन सब सो गये।

रावी कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सफ़र करने की आ़म आ़दत के ख़िलाफ़ फ़ोरी तौर पर बेवक़्त सफ़र शुरू करने और फिर सफ़र को इतना लम्बा करने का मक़सद यह था कि इब्ने उबई के वाक़िए का चर्चा जो तमाम मुसलमानों में फैल गया था मुसलमानों को सफ़र के ऐसे शग़ल (काम और व्यस्तता) में लगा दे कि यह चर्चा ख़त्म हो जाये।

उसके बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सफ़र शुरू किया, उसी दौरान में जब तक इब्ने उबई के बारे में क़ुरआन की आयतें नाज़िल न हुई थीं तो उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने उसको नसीहत की कि तू ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अपने जुर्म का इक़रार कर ले तो रसूलुल्लाह तेरे लिये इस्तिग़फ़ार फ़रमा देंगे, तेरी निजात हो जायेगी। इब्ने उबई ने उनकी नसीहत सुनकर अपना सर उस तरफ़ से फेर लिया, हज़रत उबादा ने उसी वक़्त फ़रमाया कि ज़रूर तेरे इस मुँह फेरने के बारे में क़ुरआन नाज़िल होगा।

उधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सफ़र में थे और ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु बार-बार आपके क़रीब आते थे क्योंकि उनको अपनी जगह यक़ीन था कि उस मुनाफ़िक़ शख़्स ने मुझे पूरी क़ौम में झूठा क़रार देकर रुस्वा किया है ज़रूर मेरी तस्दीक़ और उस शख़्स के रद्द में क़ुरआन नाज़िल होगा। अचानक ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वह कैफ़ियत तारी हुई जो वही के वक़्त होती थी कि साँस फूलने लगा और पेशानी मुबारक पर पसीना बहने लगा और आपकी सवारी ऊँटनी बोझ से दबने लगी, तो उनको उम्मीद हुई कि अब कोई वही इस बारे में नाज़िल होगी, यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की यह कैफ़ियत ख़त्म हुई, मेरी सवारी चूँकि आपके क़रीब थी आपने अपनी सवारी ही पर से मेरा कान पकड़ा और फ़रमायाः

يَاغُلَامُ صَدَّقَ اللّٰهُ حَدِيْثَكَ وَنَزَلَتْ سُوْرَةُ الْمُنٰفِقِيْنَ فِىْ ابْنِ اُبَيٍّ مِنْ اَوَّلِهَا اِلٰى اٰخِرِهَا.

(यानी ऐ लड़के! अल्लाह ने तेरी बात की तस्दीक़ कर दी और पूरी सूरः मुनाफ़िक़ून इसी इब्ने

उबई के वाक़िए के मुताल्लिक़ नाज़िल हुई।)

इस रिवायत से मालूम हुआ कि सूरः मुनाफ़िक़ून सफ़र के दौरान ही में नाज़िल हो गयी थी मगर इमाम बग़वी की रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना तय्यिबा पहुँच गये और ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु रुस्वाई के ख़ौफ़ से घर में छुपकर बैठ रहे उस वक़्त यह सूरत नाज़िल हुई। वल्लाहु आलम।

एक रिवायत में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना तय्यिबा के क़रीब अ़क़ीक़ घाटी में पहुँचे तो अ़ब्दुल्लाह बिन उबई मुनाफ़िक़ के मोमिन बेटे अ़ब्दुल्लाह आगे बढ़े और तमाम सवारियों में तलाश करते हुए अपने बाप इब्ने उबई की सवारी के क़रीब पहुँचकर बाप की ऊँटनी को बैठा दिया, और उसके घुटने पर पाँव रखकर बाप से ख़िताब किया कि ख़ुदा की क़सम! तुम मदीना में दाख़िल नहीं हो सकोगे जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तुम्हें दाख़िल होने की इजाज़त न दें, और जब तक तुम यह बात स्पष्ट न करो कि तुमने जो बात कही है कि इज़्ज़त वाला ज़िल्लत वाले को निकाल देगा इसमें इज़्ज़त वाला कौन है, रसूलुल्लाह या तुम? अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई अपने बाप का रास्ता रोके हुए खड़े थे और पास से गुज़रने वाले लोग अ़ब्दुल्लाह को मलामत कर रहे थे कि बाप के साथ ऐसा मामला करता है, आख़िर में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सवारी उनके क़रीब आई तो मामले के मुताल्लिक़ मालूम किया, लोगों ने बतलाया कि अ़ब्दुल्लाह मोमिन ने अपने बाप का रास्ता इसलिये रोका हुआ है कि जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उसको मदीने में दाख़िल होने की इजाज़त नहीं देंगे यह मदीने में दाख़िल न हो सकेगा, और आपने देखा कि इब्ने उबई मुनाफ़िक़ बेटे से मजबूर होकर यह कह रहा है कि मैं तो बच्चों और औरतों से भी ज़्यादा ज़लील हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह सुनकर उसके बेटे से कहा कि इनका रास्ता छोड़ दो, मदीने में जाने दो, तब बेटे ने रास्ता छोड़ा।

सूरः मुनाफ़िक़ून के नाज़िल होने का क़िस्सा तो इतना ही था जो ऊपर लिखा गया, क़िस्से के शुरू में यह भी मुख़्तसर तौर पर ज़िक्र हुआ है कि ग़ज़वा-ए-बनू मुस्तलिक़ का असल ज़िम्मेदार उम्मुल-मोमिनीन हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा का वालिद हारिस बिन ज़िरार हुआ था, बाद में हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा को अल्लाह तआ़ला ने इस्लाम के सम्मान के साथ उम्महातुल-मोमिनीन (यानी नबी करीम की पाक बीवियों) में दाख़िल होने का गौरव अ़ता फ़रमाया और बाप भी मुसलमान हो गया।

इसका वाक़िआ़ मुस्नद अहमद, अबू दाऊद वग़ैरह में यह मन्क़ूल है कि जब बनू मुस्तलिक़ को शिकस्त हुई तो माले ग़नीमत के साथ उनके कुछ क़ैदी भी हाथ आये, इस्लामी क़ानून के मुताबिक़ सब क़ैदी और माले ग़नीमत मुजाहिदीन में तक़सीम कर दिये गये। क़ैदियों में हारिस बिन ज़िरार की बेटी जुवैरिया भी थीं, यह हज़रत साबित बिन क़ैस बिन शम्मास के हिस्से में आ गयीं, उन्होंने जुवैरिया को किताबत की सूरत में आज़ाद करने का इरादा फ़रमाया, जिसकी सूरत यह होती है कि ग़ुलाम या बाँदी पर कुछ रक़म मुक़र्रर कर दी जाये और उसको मेहनत मज़दूरी या तिजारत की इजाज़त दे दी जाये, वह तयशुदा रक़म कमाकर मालिक को अदा कर दे तो आज़ाद हो जाये।

हज़रत जुवैरिया रज़ियल्लाहु अन्हा पर जो रक़म मुक़र्रर की थी वह बड़ी रक़म थी जिसकी अदायेगी उनके लिये आसान न थी, वह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुईं और दरख़्वास्त की कि मैं मुसलमान हो चुकी हूँ, गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है उसके साथ कोई शरीक नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। फिर अपना वाक़िआ़ सुनाया कि साबित बिन कैस जिनके हिस्से में मैं आयी हूँ उन्होंने मुझे मुकातब बना दिया है, मगर किताबत की रक़म की अदायेगी मेरे बस में नहीं, आप उसमें मेरी कुछ मदद फ़रमा दें।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनकी दरख़्वास्त क़ुबूल फ़रमा ली और साथ ही उनको आज़ाद करके अपने निकाह में लेने का इरादा ज़ाहिर फ़रमाया। हज़रत जुवैरिया के लिये यह बहुत बड़ी नेमत थी वह कैसे क़ुबूल न करतीं, दिल की ख़ुशी के साथ क़ुबूल किया, और यह आपकी पाक बीवियों में दाख़िल हो गयीं। उम्मुल-मोमिनीन हज़रत जुवैरिया का बयान है कि ग़ज़्वा-ए-बनू मुस्तलिक़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने से तीन दिन पहले मैंने ख़्वाब में देखा था कि यसरिब (मदीने) की तरफ़ से चाँद चला और मेरी गोद में आकर गिर गया, उस वक़्त तो मैंने यह ख़्वाब किसी से ज़िक्र न किया था अब उसकी ताबीर आँखों से देख ली।

यह क़ौम के सरदार की बेटी थीं, इनके नबी पाक की बीवियों में दाख़िल होने से पूरे क़बीले पर भी अच्छे असरात पड़े और एक फ़ायदा उन तमाम औ़रतों को पहुँचा जो उनके साथ गिरफ़्तार हुई थीं और उनकी रिश्तेदार थीं, क्योंकि इनका उम्मुल-मोमिनीन हो जाना मालूम करने के बाद जिस-जिस मुसलमान के पास इनकी रिश्तेदार कोई बाँदी थी सब ने उनको आज़ाद कर दिया, कि उनकी अ़ज़ीज़ (रिश्तेदार) किसी औ़रत को बाँदी बनाकर अपने पास रखना अदब के ख़िलाफ़ समझा, इस तरह सौ बाँदियाँ इनके साथ आज़ाद हो गयीं और फिर इनके वालिद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का एक मोजिज़ा देखकर मुसलमान हो गये।

इस वाक़िए में अहम हिदायतें और फ़ायदे

सूरः मुनाफ़िक़ून के नाज़िल होने का वाक़िआ़ इसकी तफ़सीर के समझने में तो मददगार है ही, इसके तहत में बहुत अहम हिदायतें व मसाईल, अख़्लाक़, सियासत और सामाजिक मामलात के मुताल्लिक़ आ गये हैं, इसलिये अहक़र ने इस वाक़िए की पूरी तफ़सील यहाँ नक़ल की है, वह हिदायतें ये हैं:-

इस्लामी सियासत का असल मक़सद

इस्लामी सियासत का बुनियादी पत्थर ख़ालिस इस्लामी बिरादरी क़ायम करना है जिसमें रंग व नस्ल और भाषा तथा मुल्की व ग़ैर-मुल्की के सब फ़र्क़ और भेदभाव बिल्कुल ख़त्म कर दिये जायें।

ग़ज़्वा बनू मुस्तलिक़ में पेश आने वाला एक अन्सारी और एक मुहाजिर का झगड़ा और दोनों तरफ़ से अन्सार व मुहाजिरीन को अपनी-अपनी मदद के लिये पुकारना, यह वह जाहिलीयत का बुत था जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने तोड़ दिया था, और मुसलमान कहीं का रहने वाला हो किसी रंग व भाषा और किसी नस्ल व क़ौम का हो सब को आपस में भाई-भाई बना दिया।

अन्सार व मुहाजिरीन में बाक़ायदा फिर भाईचारा कराकर उनकी साझा इस्लामी बिरादरी बना दी थी, मगर शैतान का यह पुराना जाल है जिसमें लोगों को फंसाकर आपसी झगड़ों के वक़्त क़ौम व वतन और भाषा व रंग वग़ैरह को आपसी मदद व सहयोग की बुनियाद बना देता है, जिसका लाज़िमी नतीजा होता है कि मदद व सहयोग का इस्लामी मेयार हक़ व इन्साफ़ सब के ज़ेहनों से ओझल हो जाता है, सिर्फ़ बिरादरी और क़ौमियत की बुनियाद पर एक दूसरे की मदद करने का उसूल बन जाता है। इस तरह वह मुसलमानों को मुसलमानों से भिड़ा देता है, इस वाक़िए में भी कुछ ऐसी ही सूरत बन रही थी, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़ौरन मौक़े पर पहुँचकर इस फ़ितने को ख़त्म कर दिया और बतलाया कि यह जाहिलीयत व कुफ़्र का बदबूदार नारा है, इससे बचो, और फिर सब को मदद व सहयोग के क़ुरआनी उसूल पर क़ायम कर दिया जिसमें इरशाद है:

تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.

यानी मुसलमानों के लिये किसी की मदद करने या मदद हासिल करने का मेयार यह होना चाहिये कि जो शख़्स अ़दल व इन्साफ़ और नेकी पर है उसकी मदद करो, अगरचे वह नसब व ख़ानदान और भाषा व वतन में तुमसे अलग हो, और जो शख़्स किसी गुनाह और ज़ुल्म पर हो उसकी हरगिज़ मदद न करो अगरचे वह तुम्हारा बाप और भाई ही हो। यही वह माक़ूल और इन्साफ़ वाली बुनियाद है जिसको इस्लाम ने क़ायम फ़रमाया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हर क़दम पर इसकी ख़ुद रियायत फ़रमाई और सब को इसके ताबे रहने की तालीम व हिदायत फ़रमाई, और अपने आख़िरी हज के ख़ुतबे में ऐलान फ़रमाया कि जाहिलीयत की सब रस्में मेरे क़दमों के नीचे मसल दी गयी हैं, अब अ़रबी, अ़जमी, काले गोरे मुल्की ग़ैर-मुल्की के फ़र्क़ और भेदभाव के बुत टूट चुके हैं, आपसी मदद व सहयोग की इस्लामी बुनियाद सिर्फ़ हक़ व इन्साफ़ है, सब को इसके ताबे चलना है।

इस वाक़िए ने हमें यह भी सबक़ दिया है कि इस्लाम के दुश्मन आज से नहीं बल्कि हमेशा से मुसलमानों की एकजुटता को टुकड़े-टुकड़े करने के लिये यही बिरादरी और वतनी क़ौमियत का हथियार इस्तेमाल करते हैं, जब और जिस वक़्त मौक़ा मिल जाता है इसी से काम लेकर मुसलमानों में फूट डालते हैं।

अफ़सोस है कि लम्बे समय से फिर मुसलमान अपने इस सबक़ को भूल गये और ग़ैरों ने मुसलमान की इस्लामी वस्दत (एकता व एकजुटता) के टुकड़े करने में फिर वही शैतानी जाल फैला दिया, और दीन व उसूले दीन से ग़फ़लत की बिना पर दुनिया के आ़म मुसलमान इस जाल में फंस कर आपसी गृहयुद्ध के शिकार हो गये, और कुफ़्र व बेदीनी के मुक़ाबले के लिये उनकी एकजुट ताक़त टुकड़े-टुकड़े हो गयी, सिर्फ़ अ़रबी व अ़जमी ही नहीं अ़रबों में मिस्री, शामी, हिजाज़ी, यमनी एक दूसरे से एकजुट न रहे, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान में पंजाबी, बंगाली, सिंधीं, हिन्दी, पठान और बलूची आपस में टकराव का शिकार हो गये। अल्लाह के अ़लावा किस से फ़रियाद की जाये।

इस्लाम के दुश्मन हमारी लड़ाईयों और झगड़ों से खेल रहे हैं, इसके नतीजे में ये हर मैदान में हम पर ग़ालिब आते जाते हैं और हम हर जगह शिकस्त खाये हुए ग़ुलामाना ज़ेहनियत में मुब्तला उन्हीं की पनाह लेने पर मजबूर नज़र आते हैं, काश! आज भी मुसलमान अपने क़ुरआनी उसूल और

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की हिदायतों पर ग़ौर करें, ग़ैरों के सहारे जीने के बजाय ख़ुद इस्लामी बिरादरी को मज़बूत बना लें, रंग व नस्ल और भाषा व वतन के बुतों को फिर एक दफ़ा तोड़ डालें तो आज भी ख़ुदा तआ़ला की मदद व हिमायत को खुली आँखों से देखा जाने लगे।

सहाबा-ए-किराम की इस्लामी उसूल पर बेनज़ीर साबित-क़दमी और ऊँचा मक़ाम

इस वाक़िए ने यह भी बतलाया कि अगरचे वक़्ती तौर पर शैतान ने कुछ लोगों को जाहिलीयत के नारे में मुब्तला कर दिया था मगर दर हक़ीक़त सब के दिलों में ईमान रचा-बसा हुआ था, ज़रा सी तंबीह पर सबने उन ख़्यालात से तौबा कर ली और उनके दिलों पर अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुहब्बत व बड़ाई का ऐसा ग़लबा था जिसमें कोई रिश्ता-नाता, बिरादरी और क़ौमियत रुकावट न हुई। इसकी गवाही ख़ुद इसी वाक़िए में अव्वल ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के बयान से स्पष्ट हुई कि वह ख़ुद भी क़बीला ख़ज़्रज के आदमी हैं, और इब्ने उबई इस क़बीले का सरदार था, और ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु भी उसकी इज़्ज़त व सम्मान के क़ायल थे लेकिन जिस वक़्त उसकी ज़बान से मुहाजिर मोमिनों और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ अलफ़ाज़ सुने तो बरदाश्त न कर सके, उसी मज्लिस में इब्ने उबई को मुँह तोड़ जवाब दिया, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने शिकायत पेश कर दी। अगर आजकल की बिरादरी परस्ती होती तो अपनी बिरादरी के सरदार की यह बात वह कभी हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तक न पहुँचाते।

इस वाक़िए में ख़ुद इब्ने उबई के बेटे हज़रत अ़ब्दुल्लाह के वाक़िए ने इसको किस क़द्र रोशन कर दिया कि उनकी मुहब्बत व अ़ज़मत का असल ताल्लुक़ सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से था, जब अपने बाप से उनके ख़िलाफ़ बात सुनी तो आपकी ख़िदमत में हाज़िर होकर ख़ुद अपने बाप का सर क़लम करने की पेशकश कर दी और इजाज़त तलब की, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इससे रोक दिया तो मदीना के क़रीब पहुँचकर बाप की सवारी को बैठा दिया और मदीना जाने का रास्ता रोककर बाप को मजबूर किया कि वह यह इक़रार करे कि इ़ज़्ज़तदार सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं, वह ख़ुद ज़लील व ख़्वार है, फिर आपकी इजाज़त मिलने से पहले बाप का रास्ता नहीं खोला, जिसको देखकर बेसाख़्ता ज़बान पर आता है:

तू नख़्ले ख़ुश-समर कीस्ती कि सर्व व समन हमा ज़-ख़्वेश बुरीदंद व बा तू पेवस्तन्द

यानी तू कैसे अच्छे फल वाला पेड़ है कि दूसरे ख़ूबसूरत व ख़ुशबूदार पेड़ अपनों से कटकर तेरे साथ जुड़ गये हैं। मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

इसके अ़लावा बदर व उहुद और अहज़ाब की जंगों ने तो तलवार के ज़रिये इस क़ौम-परस्ती और वतन-परस्ती के बुत के टुकड़े उड़ाये हैं, जिसने साबित कर दिया कि मुसलमान किसी क़ौम व वतन और किसी रंग व भाषा का हो वे सब आपस में भाई-भाई हैं, और जो अल्लाह व रसूल को न

माने वह अगरचे सगा भाई और बाप ही क्यों न हो वह दुश्मन है:

हज़ार ख़्वेश कि बेगाना अज़ ख़ुदा बाशद
फ़िदा-ए-यक तने बेगाना कि आशना बाशद

हज़ारों अपने जो कि ख़ुदा तआ़ला से बेगाने हों उस एक जान पर निसार व क़ुरबान हैं जो कि अल्लाह तआ़ला की फ़रमाँबरदार है। मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

मुसलमानों की उमूमी मस्लेहतों की रियायत और उनको ग़लत-फ़हमी से बचाने का एहतिमाम

इस वाक़िए ने हमें एक सबक़ यह दिया कि जो काम अपने आप में जायज़ व दुरुस्त हो मगर उसके करने से यह ख़तरा हो कि किसी मुसलमान को ख़ुद ग़लत-फ़हमी पैदा होगी या दुश्मनों को ग़लत-फ़हमी फैलाने का मौक़ा मिलेगा तो वह काम न किया जाये, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुनाफ़िक़ों के सरदार इब्ने उबई का निफ़ाक़ खुल जाने के बाद भी फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के इस मश्चिरे को क़ुबूल नहीं फ़रमाया कि उसको क़त्ल किया जाये, क्योंकि इसमें ख़तरा यह था कि दुश्मनों को आ़म लोगों में यह ग़लत-फ़हमी फैलाने का मौक़ा मिल जायेगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने सहाबा को भी क़त्ल कर देते हैं।

मगर दूसरी रिवायतों से यह साबित है कि ग़लत-फ़हमी के ख़तरे से ऐसे कामों को छोड़ा जा सकता है जो शरई मक़ासिद में से न हों अगरचे मुस्तहब (पसन्दीदा) और सवाब के काम हों, किसी शरई मक़सद को ऐसे ख़तरे से नहीं छोड़ा जा सकता बल्कि ख़तरे को दूर करने की फ़िक्र की जायेगी और उस काम को किया जायेगा।

सूरत का तर्जुमा और ख़ुलासा-ए-तफ़सीर ऊपर लिखा जा चुका है, अब इसके ख़ास-ख़ास जुमलों की और अधिक वज़ाहत देखियेः

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ............ الاٰية

मुनाफ़िक़ों का सरदार अ़ब्दुल्लाह बिन उबई जिसके मामले में यह सूरत नाज़िल हुई है जिसमें उसकी क़समों का झूठा होना वाज़ेह कर दिया गया तो लोगों ने उसको ख़ैरख़्वाही के तौर पर यह कहा कि तुझे मालूम है कि तेरे बारे में क़ुरआन में क्या नाज़िल हुआ है, अब भी वक़्त नहीं गया तू रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो जा (और अपने जुर्म को स्वीकार कर ले) तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तेरे लिये इस्तिग़फ़ार फ़रमा देंगे। उसने जवाब में कहा कि तुम लोगों ने मुझे कहा कि ईमान ले आ मैंने ईमान इख़्तियार कर लिया, फिर तुमने मुझे अपने माल में से ज़कात देने को कहा वह देने लगा, अब इसके सिवा क्या रह गया है कि मैं मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को सज्दा किया करूँ। इस पर उपरोक्त आयतें नाज़िल हुईं, जिनमें वाज़ेह कर दिया कि जब उसके दिल में ईमान ही नहीं तो उसके लिये किसी का इस्तिग़फ़ार नाफ़े (लाभ देने वाला) नहीं हो सकता।

इब्ने उबई इस वाकिए के बाद मदीना तय्यिबा पहुँचकर कुछ दिन ही ज़िन्दा रहा, फिर जल्द ही मर गया। (तफ़सीरे मज़हरी)

هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُّوا.

यह वही कौल है जो जह्जाह मुहाजिर और सनान अन्सारी के झगड़े के वक्त इब्ने उबई ने कहा था, जिसका जवाब अल्लाह तआ़ला ने यह दे दिया कि ये बेवक़ूफ़ यूँ समझ रहे हैं कि मुहाजिर लोग हमारे देने दिलाने के मोहताज हैं, हम ही उनको देते हैं, हालाँकि तमाम आसमान व ज़मीन के ख़ज़ाने तो अल्लाह के हाथ में हैं, वह चाहें तो मुहाजिरीन को तुम्हारी किसी इमदाद के बग़ैर सब कुछ दे सकते हैं, उसका ऐसा समझना चूँकि बेअक़्ली और बेवक़ूफ़ी की दलील है इसलिये क़ुरआने हकीम ने इस जगह "ला यफ़्क़हून" का लफ़्ज़ इख़्तियार फ़रमाकर बतला दिया कि ऐसा ख़्याल करने वाला बेअक़्ल व बेसमझ है।

يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ.

यह भी उसी मुनाफ़िक़ अ़ब्दुल्लाह इब्ने उबई का कौल है जिसमें अगरचे अलफ़ाज़ साफ़ नहीं बोले मगर मतलब ज़ाहिर था कि उसने अपने आपको और मदीना के अन्सार को इज़्ज़त वाला और उनके मुक़ाबिले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुहाजिरीन सहाबा को मआ़ज़ल्लाह ज़लील क़रार दिया, और मदीना के अन्सार को इस पर भड़काना चाहा कि इन कमज़ोर और ज़लील लोगों को मदीना से निकाल बाहर करें, हक़ तआ़ला ने उसके जवाब में उसकी बात को उसी पर उलट दिया कि अगर इज़्ज़त वालों ने ज़िल्लत वालों को निकाला तो इसका ख़मियाज़ा तुम्हीं को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इज़्ज़त तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल और मोमिनों का हक़ है, मगर तुम अपनी जहालत की बिना पर इससे बेख़बर हो। यहाँ क़ुरआने करीम ने "ला यअ़्लमून" का लफ़्ज़ इस्तेमाल फ़रमाया और इससे पहले "ला यफ़्क़हून" फ़रमाया था, वजह फ़र्क़ की यह है कि कोई इनसान अपने आपको दूसरे इनसान का राज़िक़ (रोज़ी देने वाला) समझ बैठे तो यह सरासर अ़क़्ल के ख़िलाफ़ है, उसका यह समझना बेवक़ूफ़ी और बेअ़क़्ली की अ़लामत है, और इज़्ज़त व ज़िल्लत दुनिया में कभी किसी को कभी किसी को मिलती रहती है, इसलिये इसमें मुग़ालता हो तो ये वाक़िआ़त से बेख़बरी और नावाक़िफ़ी की दलील है, इसलिये यहाँ "ला यअ़्लमून" फ़रमाया।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
عَن ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ۝ وَأَنفِقُوا مِن مَّا رَزَقْنَاكُم مِّن
قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ
الصَّالِحِينَ ۝ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू ला तुल्हिकुम् अम्वालुकुम् व ला औलादुकुम् अन् ज़िक्रिल्लाहि व मंय्यफ़्अल् ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल्-ख़ासिरून (9) व अन्फ़िक़ू मिम्मा रज़क़्नाकुम् मिन् क़ब्लि अंय्यअ्ति-य अ-ह-दकुमुल्-मौतु फ़यक़ू-ल रब्बि लौ ला अख़्ख़र्तनी इला अ-जलिन् क़रीबिन् फ़-अस्सद्द-क़ व अकुम्-मिनस्सालिहीन (10) व लंय्यु-अख़्ख़िरल्लाहु नफ़्सन् इज़ा जा-अ अ-जलुहा, वल्लाहु ख़बीरुम्-बिमा तअ्मलून (11) ✿

ऐ ईमान वालो! ग़ाफ़िल न कर दें तुमको तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद अल्लाह की याद से, और जो कोई यह काम करे तो वही लोग हैं टोटे में। (9) और ख़र्च करो कुछ हमारा दिया हुआ इससे पहले कि आ पहुँचे तुम में किसी को मौत तब कहे ऐ रब! क्यों न ढील दी तूने मुझको एक थोड़ी-सी मुद्दत कि मैं ख़ैरात करता और हो जाता नेक लोगों में। (10) और हरगिज़ न ढील देगा अल्लाह किसी जी को जब आ पहुँचा उसका वायदा, और अल्लाह को ख़बर है जो तुम करते हो। (11) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! तुमको तुम्हारे माल और औलाद (इससे मुराद दुनिया की तमाम चीज़ें हैं) अल्लाह की याद (और इताअ़त) से (इससे मुराद दीन के तमाम अहकाम हैं) ग़ाफ़िल न करने पायें (यानी दुनिया में ऐसे मश्ग़ूल मत हो जाना कि दीन में ख़लल पड़ने लगे), और जो ऐसा करेगा तो ऐसे लोग नाकाम रहने वाले हैं (क्योंकि दुनिया का नफ़ा तो ख़त्म हो जायेगा और आख़िरत का नुक़सान व घाटा लम्बी मुद्दत तक या हमेशा के लिये रह जायेगा) और (इबादतों में से एक माली इबादत और नेकी का हुक्म किया जाता है जो कि 'ला तुल्हिकुम् अम्वालुकुम्' के आ़म मज़मून में से एक ख़ास फ़र्द है यानी) हमने जो कुछ तुमको दिया है उसमें से (वाजिब हुक़ूक़) इससे पहले-पहले ख़र्च कर लो कि तुम में से किसी की मौत आ खड़ी हो, फिर वह (तमन्ना व हसरत के तौर पर) कहने लगे कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मुझको और थोड़े दिनों क्यों मोहलत न दी गई कि मैं ख़ैर-ख़ैरात दे लेता और नेक काम करने वालों में शामिल हो जाता। (और उसकी यह तमन्ना व हसरत इसलिये ग़ैर-फ़ायदेमन्द है कि) अल्लाह तआ़ला किसी शख़्स को जबकि उसकी (उम्र की) मियाद (ख़त्म होने पर) आ जाती है हरगिज़ मोहलत नहीं देता। और अल्लाह तआ़ला को तुम्हारे सब कामों की पूरी ख़बर है (वैसे ही बदले के हक़दार होगे)।

मआरिफ़ व मसाईल

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ.

इस सूरत के पहले रुकूअ़ में मुनाफ़िक़ों की झूठी क़समों और उनकी साज़िशों का ज़िक्र था, और सब का ख़ुलासा दुनिया की मुहब्बत से मग़लूब होना था। इसी वजह से ज़ाहिर में इस्लाम का दावा करते थे कि मुसलमानों की मार और पकड़ से भी बचें और ग़नीमत वग़ैरह के मालों का हिस्सा भी मिले, इसी वजह से उनकी यह साज़िश थी कि मुहाजिरीन सहाबा पर ख़र्च करना बन्द कर दो। इस दूसरे रुकूअ़ में पक्के-सच्चे मोमिनों को ख़िताब है, जिसमें उनको इससे डराया गया है कि दुनिया की मुहब्बत में ऐसे मदहोश न हो जायें जैसे मुनाफ़िक़ लोग हो गये।

दुनिया की सबसे बड़ी दो चीज़ें हैं जो इनसान को अल्लाह से ग़ाफ़िल करती हैं- माल और औलाद। इसलिये इन दोनों का नाम लिया गया, वरना इससे मुराद दुनिया की पूरी दौलत और सामान है और इरशाद का हासिल यह है कि माल व औलाद से मुहब्बत एक दर्जे में बुरी नहीं, उनके साथ एक दर्जे तक मशग़ूलियत सिर्फ़ जायज़ नहीं बल्कि वाजिब भी हो जाती है, मगर उसकी यह हद्दे फ़ासिल हर वक़्त सामने रहनी चाहिये कि ये चीज़ें इनसान को अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र से ग़ाफ़िल न कर दें। यहाँ ज़िक्र से मुराद कुछ मुफ़स्सिरीन ने पाँच वक़्त की नमाज़, कुछ ने हज और ज़कात, कुछ ने क़ुरआन क़रार दिया है, हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि ज़िक्र से मुराद यहाँ तमाम नेक काम और इबादतें हैं, और यही क़ौल सब को अपने अन्दर समेटे हुए है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ख़ुलासा यह है कि इस दुनियावी गुज़ारे और ज़िन्दगी के सामान में इस क़द्र मशग़ूल रहने की तो इजाज़त है कि वह अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र यानी नेकियों से इनसान को ग़ाफ़िल न कर दे कि उनकी मुहब्बत में मुब्तला होकर फ़राईज़ व वाजिबात की अदायेगी में कोताही करने लगे, या हराम और मकरूह (बुरी और पसन्दीदा) चीज़ों में मुब्तला हो जाये, और जो ऐसा करे उनके बारे में है:

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ○

यानी यही लोग हैं ख़सारे में पड़ने वाले। क्योंकि उन्होंने आख़िरत की बड़ी और हमेशा बाक़ी रहने वाली नेमतों के बदले में दुनिया की मामूली और फ़ानी नेमतों को इख़्तियार कर लिया, इससे बड़ा ख़सारा (घाटा और नुक़सान) क्या होगा।

وَاَنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰكُمْ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ.

इस आयत में मौत के आ जाने से मुराद यह है कि मौत के आसार सामने आने से पहले सेहत व क़ुव्वत की हालत में अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करके आख़िरत के दर्जे हासिल कर लो, वरना मौत के बाद यह माल वग़ैरह तुम्हारे कुछ काम न आयेगा। ऊपर मालूम हो चुका है कि ज़िक्र से मुराद तमाम नेकियाँ और शरई अहकाम की पाबन्दी है जिसमें ज़रूरत के मौक़ों पर माल ख़र्च करना भी दाख़िल है, फिर यहाँ सिर्फ़ माल के ख़र्च करने को अलग से बयान करने की दो वजह हो सकती हैं- अव्वल यह कि अल्लाह और उसके अहकाम की तामील से इनसान को ग़फ़लत में डालने

वाली सबसे बड़ी चीज़ माल ही है, इसलिये जिन चीज़ों में माल ख़र्च करना होता है जैसे ज़कात, उश्र, हज वग़ैरह उनको मुस्तक़िल तौर पर बयान कर दिया। दूसरी वजह यह भी हो सकती है कि मौत के आसार को देखने के वक़्त यह तो न किसी के बस में है न किसी को इसका तसव्वुर हो सकता है कि उस वक़्त क़ज़ा हुई नमाज़ों को अदा करूँ या छूट जाने वाले फ़र्ज़ हज को अदा करूँ, या रमज़ान के छूटे हुए रोज़े रखूँ मगर माल सामने होता है और यह यक़ीन हो ही जाता है कि अब यह माल मेरे हाथ से चला, तो उस वक़्त यही तमन्ना हो सकती है कि जल्द से जल्द माल को ख़र्च करके माली इबादतों की कोताही से निजात हासिल कर लें, साथ ही यह कि सदक़ा तमाम दूसरी बलाओं और अ़ज़ाब को टला देने में भी अपना असर रखता है।

सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक शख़्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया कि कौनसा सदक़ा सबसे ज़्यादा अज्र व सवाब रखता है, आपने फ़रमाया कि ऐसे वक़्त अल्लाह की राह में ख़र्च करना जबकि इनसान तन्दुरुस्त हो और अपनी आगे की ज़रूरतों को देखते हुए यह ख़ौफ़ भी हो कि माल ख़र्च कर डाला तो कहीं बाद में ख़ुद मोहताज न हो जाऊँ। और फ़रमाया कि अल्लाह की राह में ख़र्च करने को उस वक़्त तक न टलाओ जब तक कि रूह तुम्हारे हलक़ में आ जाये और मरने लगो तो उस वक़्त कहो कि इतना माल फ़ुलाँ को दे दो इतना फ़ुलाँ काम में ख़र्च कर दो।

فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَآ اَخَّرْتَنِيْٓ اِلٰٓى اَجَلٍ قَرِيْبٍ.

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाया कि जिस शख़्स के ज़िम्मे ज़कात वाजिब थी और अदा नहीं की, या हज फ़र्ज़ था और अदा नहीं किया वह मौत सामने आ जाने के बाद अल्लाह तआ़ला से इसकी तमन्ना करेगा कि मैं फिर दुनिया की तरफ़ लौट जाऊँ, यानी मौत में और कुछ मोहलत मिल जाये ताकि मैं सदक़ा ख़ैरात कर लूँ और फ़राईज़ से भारमुक्त हो जाऊँ।

اَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ○

यानी वह मरने के वक़्त यह भी तमन्ना करेगा कि कुछ मोहलत मिल जाये तो ऐसे आमाल कर लूँ जिनकी वजह से नेक लोगों में दाख़िल हो जाऊँ। यानी जो फ़राईज़ व वाजिबात छूटे हैं उनको क़ज़ा कर लूँ, जिन हराम और बुरे कामों में मुब्तला हुआ हूँ उनसे तौबा व इस्तिग़फ़ार करके बेबाक़ हो जाऊँ, मगर हक़ तआ़ला ने अगली आयत में बतला दिया कि मौत के आ जाने के बाद किसी को मोहलत नहीं दी जाती, ये तमन्नायें बेकार और फ़ुज़ूल हैं।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अल्-मुनाफ़िक़ून की तफ़सीर आज दिनाँक 13 जुमादस्सानिया सन् 1391 हिजरी दिन जुमे को नमाज़े जुमा से पहले पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-मुनाफ़िक़ून की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अत्-तग़ाबुन

सूरः अत्-तग़ाबुन मदीना में नाज़िल हुई। इसकी 18 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیاتها ۱۸   (۶۴) سُوْرَةُ التَّغَابُنِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۸)   رکوعاتها ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يُسَبِّحُ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۚ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ ۖ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ هُوَ الَّذِيْ خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَاَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ۚ وَاِلَيْهِ الْمَصِيْرُ ۝ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ ۚ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَبَؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَبْلُ ۫ فَذَاقُوْا وَبَالَ اَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهٗ كَانَتْ تَّاْتِيْهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا ۫ فَكَفَرُوْا وَتَوَلَّوْا وَّاسْتَغْنَى اللّٰهُ ۚ وَاللّٰهُ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ۝ زَعَمَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَنْ لَّنْ يُّبْعَثُوْا ۚ قُلْ بَلٰى وَرَبِّيْ لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِيْٓ اَنْزَلْنَا ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۚ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُّكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۚ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۚ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल्अर्ज़ि लहुल्-मुल्कु व लहुल्-हम्दु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (1)	पाकी बोल रहा है अल्लाह की जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है ज़मीन में, उसी का राज है और उसी की तारीफ़ है और वही हर चीज़ कर सकता है। (1)

हुवल्लज़ी ख़-ल-क़कुम् फ़-मिन्कुम् काफ़िरुंव्-व मिन्कुम् मुअ्मिनुन्, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न बसीर (2) ख़-लक़स्समावाति वल्अर्-ज़ बिल्हक़्क़ि व सव्व-रकुम् फ़-अह्स-न सु-व-रकुम् व इलैहिल्-मसीर (3) यअ्लमु मा फ़िस्समावाति वल्अर्ज़ि व यअ्लमु मा तुसिर्रू-न व मा तुअ्लिनू-न, वल्लाहु अ़लीमुम्-बिज़ातिस्सुदूर (4) अलम् यअ्तिकुम् न-बउल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् क़ब्लु फ़ज़ाक़ू व बा-ल अम्रिहिम् व लहुम् अ़ज़ाबुन् अलीम (5) ज़ालि-क बि-अन्नहू कानत्-तअ्तीहिम् रुसुलुहुम् बिल्बय्यिनाति फ़क़ालू अ-ब-शरुंय्- यह्दूनना फ़-क-फ़रू व तवल्लौ वस्तग़्नल्लाहु, वल्लाहु ग़निय्युन् हमीद (6) ज़-अ़मल्लज़ी-न क-फ़रू अल्लंय्-युब्अ़सू, क़ुल् बला व रब्बी ल-तुब्अ़सुन्-न सुम्-म ल-तुनब्ब-उन्-न बिमा अ़मिल्तुम्, व ज़ालि-क अ़लल्लाहि यसीर (7) फ़आमिनू बिल्लाहि व रसूलिही वन्नूरिल्लज़ी अन्ज़ल्ना, वल्लाहु बिमा तअ्मलू-न

वही है जिसने तुमको बनाया फिर कोई तुम में मुन्किर है और कोई तुम में ईमान वाला और अल्लाह जो तुम करते हो देखता है। (2) बनाया आसमानों को और ज़मीन को तदबीर से और सूरत खींची तुम्हारी फिर अच्छी बनाई तुम्हारी सूरत, और उसकी तरफ़ सब को फिर जाना है। (3) जानता है जो कुछ है आसमानों में और ज़मीन में और जानता है जो तुम छुपाते हो और जो खोलकर करते हो, और अल्लाह को मालूम है जियों (दिलों) की बात। (4) क्या पहुँची नहीं तुमको ख़बर उन लोगों की जो मुन्किर हो चुके हैं पहले फिर उन्होंने चखी सज़ा अपने काम की, और उनको दर्दनाक अ़ज़ाब है। (5) यह इसलिये कि लाते थे उनके पास उनके रसूल निशानियाँ फिर कहते क्या आदमी हमको राह सुझायेंगे? फिर मुन्किर हुए और मुँह मोड़ लिया और अल्लाह ने बेपरवाई की, और अल्लाह बेपरवाह है सब तारीफ़ों वाला। (6) दावा करते हैं मुन्किर कि हरगिज़ उनको कोई न उठायेगा, तू कह क्यों नहीं! क़सम है मेरे रब की तुम को बेशक उठाना है फिर तुमको जतलाना है जो कुछ तुमने किया, और यह अल्लाह पर आसान है। (7) सो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर जो हमने उतारा, और अल्लाह को

ख़बीर (8) यौ-म यज्मअ़ुकुम् लियौमिल्-जम्अ़ि ज़ालि-क यौमुत्-तग़ाबुनि, व मंय्युअ्मिम्-बिल्लाहि व यअ्मल् सालिहंय्-युकफ़्फ़िर् अ़न्हु सय्यिआतिही व युद्ख़िल्हु जन्नातिन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, ज़ालिकल् फ़ौज़ुल्-अ़ज़ीम (9) वल्लज़ी-न क-फ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइ-क अस्हाबुन्नारि ख़ालिदी-न फ़ीहा, व बिअ्सल्-मसीर (10) ✿ ▲	तुम्हारे सब काम की ख़बर है। (8) जिस दिन तुमको इकट्ठा करेगा जमा होने के दिन वह दिन है हार-जीत का, और जो कोई यक़ीन लाये अल्लाह पर और करे काम भला उतार देगा उस पर से उसकी बुराईयाँ और दाख़िल करेगा उसको बाग़ों में जिनके नीचे बहती हैं नदियाँ, रहा करें उनमें हमेशा, यही है बड़ी मुराद मिलनी। (9) और जो लोग मुन्किर हुए और झुठलाईं उन्होंने हमारी आयतें वे लोग हैं दोज़ख़ वाले, रहा करें उसी में, और बुरी जगह जा पहुँचे। (10) ✿ ▲

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

सब चीज़ें जो कुछ आसमानों में हैं और जो कुछ ज़मीन में हैं अल्लाह की पाकी (अपनी ज़बान से या अपने हाल से) बयान करती हैं। उसी की बादशाही है और वही तारीफ़ के लायक़ है, और वह हर चीज़ पर क़ादिर है (यह भूमिका और प्रारम्भिका अगले बयान की है कि वह ऐसी कमाल वाली सिफ़ात वाला है तो उसकी फ़रमाँबरदारी वाजिब और नाफ़रमानी बुरी है)। वही है जिसने तुमको पैदा किया (जिसका तक़ाज़ा यह था कि सब ईमान लाते) सो (बावजूद इसके भी) तुम में बाज़े काफ़िर हैं और बाज़े मोमिन हैं। और अल्लाह तआ़ला तुम्हारे (ईमान व कुफ़्र वाले) आमाल को देख रहा है (पस हर एक के मुनासिब जज़ा देगा)। उसी ने आसमानों और ज़मीन को ठीक तौर पर (यानी हिक्मत व फ़ायदे से भरपूर) पैदा किया और तुम्हारा नक़्शा बनाया, सो उम्दा नक़्शा बनाया (क्योंकि इनसानी बदन के अंगों के बराबर किसी हैवान के अंगों में तालमेल और जोड़ नहीं) और उसी के पास (सब को) लौटना है।

(और) वह सब चीज़ों को जानता है जो आसमानों और ज़मीन में हैं, और सब चीज़ों को जानता है जो तुम छुपाकर करते हो और जो खुले तौर पर करते हो, और अल्लाह तआ़ला दिलों तक की बातों का जानने वाला है (और ये तमाम बातें इसको चाहती हैं कि तुम उसकी इताअ़त किया करो और इन बातों के अ़लावा) क्या तुमको उन लोगों की ख़बर नहीं पहुँची (कि वह ख़बर पहुँचाना भी इसका तक़ाज़ा करता है कि उसके हुक्मों का पालन किया जाये) जिन्होंने (तुम से) पहले कुफ़्र किया फिर उन्होंने अपने (उन) आमाल का वबाल (दुनिया में भी) चखा और

(उसके अलावा आख़िरत में भी) उनके लिये दर्दनाक अ़ज़ाब होने वाला है। यह (फ़ौरी वबाल और बाद का अ़ज़ाब) इस सबब से है कि उन लोगों के पास उनके पैग़म्बर खुली दलीलें लेकर आये तो उन लोगों ने (उन रसूलों के बारे में) कहा कि क्या आदमी हमको हिदायत करेंगे? (यानी बशर कहीं पैग़म्बर या हादी हो सकता है?) ग़र्ज़ कि उन्होंने कुफ़्र किया और मुँह मोड़ा और ख़ुदा ने (भी उनकी कुछ) परवाह न की (बल्कि क़हर व ग़ज़ब का शिकार कर दिया) और अल्लाह (सबसे) बेपरवाह (और) तारीफ़ के लायक़ है (उसको न किसी नाफ़रमानी से नुक़सान और न किसी की नेकी व फ़रमाँबरदारी से नफ़ा, ख़ुद फ़रमाँबरदारी व नाफ़रमानी करने वाले ही का नफ़ा व नुक़सान है, और) ये काफ़िर (आख़िरत के अ़ज़ाब का मज़मून सुनकर जैसा किः

لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ٥

में ज़िक्र हुआ है) यह दावा करते हैं कि वे हरगिज़-हरगिज़ दोबारा ज़िन्दा न किये जाएँगे (जिसके बाद दर्दनाक अ़ज़ाब का पेश आना बतलाया जाता है), आप कह दीजिये क्यों नहीं! ख़ुदा की क़सम! ज़रूर दोबारा ज़िन्दा किये जाओगे, फिर जो-जो कुछ तुमने किया है तुमको सब जतला दिया जायेगा (और उस पर सज़ा दी जायेगी) और यह (मरने के बाद ज़िन्दा करना और बदला देना) अल्लाह तआ़ला को (कामिल क़ुदरत वाला होने की वजह से) बिल्कुल आसान है।

सो (जब ये ईमान का तक़ाज़ा करने वाली चीज़ें इकट्ठी हैं तो तुमको चाहिये कि) तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर और उस नूर पर (यानी क़ुरआन पर) जो कि हमने नाज़िल किया है ईमान लाओ, और अल्लाह तुम्हारे सब आमाल की पूरी ख़बर रखता है। (और उस दिन को याद करो) जिस दिन तुम सब को एक जमा होने के दिन जमा करेगा, यही दिन है नफ़े और नुक़सान (के ज़ाहिर होने) का (यानी मुसलमानों का नफ़ा और काफ़िरों का नुक़सान उस रोज़ अ़मली तौर पर ज़ाहिर हो जायेगा), और (उसका बयान यह है कि) जो शख़्स अल्लाह पर ईमान रखता होगा और नेक काम करता होगा अल्लाह तआ़ला उसके गुनाह दूर कर देगा और उसको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे से नहरें जारी होंगी, जिसमें हमेशा-हमेशा के लिये रहेंगे (और) यह बड़ी कामयाबी है। और जिन लोगों ने कुफ़्र किया होगा और हमारी आयतों को झुठलाया होगा ये लोग दोज़ख़ी हैं, उसमें हमेशा रहेंगे और वह बुरा ठिकाना है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَّمِنْكُمْ مُّؤْمِنٌ.

यानी अल्लाह तआ़ला ने तुमको पैदा किया फिर तुम में बाज़े काफ़िर हो गये बाज़े मोमिन रहे। इसमें लफ़्ज़ 'फ़मिन्कुम' का हर्फ़ 'फ़ा' जो ताक़ीब (यानी एक चीज़ का दूसरे के बाद होने) पर दलालत करता है, इससे मालूम हुआ कि शुरू में पैदा किये जाने के वक़्त कोई काफ़िर नहीं था, यह काफ़िर व मोमिन की तक़सीम बाद में उस अ़मल करने व इख़्तियार की ताबे हुई जो अल्लाह तआ़ला ने हर इनसान को बख़्शा है, और उसी अ़मल व इख़्तियार की वजह से उस पर गुनाह व सवाब आ़यद

होता है। एक हदीस से भी इस मफ़्हूम की ताईद होती है, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है:

كُلُّ مَوْلُوْدٍ يُوْلَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهٖ وَيُنَصِّرَانِهٖ. الحديث.

"यानी हर पैदा होने वाला इनसान सलीम फ़ितरत पर पैदा होता है (जिसका तकाज़ा मोमिन होना है) मगर फिर उसके माँ-बाप उसको यहूदी या ईसाई वग़ैरह बना देते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

दो क़ौमी नज़रिये

क़ुरआने हकीम ने इस जगह इनसान को दो गिरोहों में तक़सीम किया है- काफ़िर, मोमिन। जिससे मालूम हुआ कि आदम की औलाद सब एक बिरादरी है, और दुनिया के पूरे इनसान इस बिरादरी के अफ़राद हैं। इस बिरादरी को काटने और एक अलग गिरोह बनाने वाली चीज़ सिर्फ़ कुफ़्र है, जो शख़्स काफ़िर हो गया उसने इनसानी बिरादरी का रिश्ता तोड़ दिया, इस तरह पूरी दुनिया में इनसानों में तक़सीम और गिरोह बन्दी सिर्फ़ ईमान व कुफ़्र की बिना पर हो सकती है, रंग और भाषा, नसब व ख़ानदान, वतन और मुल्क में से कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इनसानी बिरादरी को मुख़्तलिफ़ गिरोहों में बाँट दे। एक बाप की औलाद अगर मुख़्तलिफ़ शहरों में बसने लगे या मुख़्तलिफ़ भाषायें बोलने लगे या उनके रंग में फ़र्क़ हो तो वे अलग-अलग गिरोह नहीं हो जाते, रंग व भाषा और वतन व मुल्क के अलग होने के बावजूद वे सब आपस में भाई ही होते हैं, कोई समझदार इनसान उनको मुख़्तलिफ़ गिरोह क़रार नहीं दे सकता।

ज़माना-ए-जाहिलीयत (यानी इस्लाम से पहले दौर) में नसब और क़बीलों के अलग-अलग होने को क़ौमियत और गिरोह बन्दी की बुनियाद बना दिया गया, इसी तरह मुल्क व वतन की बुनियाद पर कुछ गिरोह बन्दी होने लगी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उन सब बुतों को तोड़ा, और मुसलमान चाहे किसी मुल्क और किसी ख़ित्ते का हो किसी रंग और ख़ानदान का हो, कोई भाषा बोलता हो, उन सब को एक बिरादरी क़रार दिया जैसा कि क़ुरआन पाक में इसकी वज़ाहत है:

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ.

(मोमिन सब के सब आपस में भाई-भाई हैं) इसी तरह काफ़िर किसी मुल्क व क़ौम के हों वे इस्लाम की नज़र में एक मिल्लत यानी एक क़ौम हैं।

क़ुरआने करीम की ऊपर दर्ज हुई आयत भी इस पर सुबूत है कि अल्लाह तआ़ला ने सारी इनसानी नस्ल को सिर्फ़ काफ़िर व मोमिन दो गिरोहों में तक़सीम फ़रमाया, रंग व भाषा के अलग-अलग होने को क़ुरआने करीम ने अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरत की निशानी और इनसान के लिये बहुत से आर्थिक व सामाजिक फ़ायदों पर मुश्तमिल होने की बिना पर एक अ़ज़ीम नेमत तो क़रार दिया है मगर इसको आदम की औलाद में गिरोह बन्दी का ज़रिया बनाने की इजाज़त नहीं दी।

और ईमान व कुफ़्र की बिना पर दो क़ौमों की तक़सीम यह एक इख़्तियारी मामले पर आधारित है, क्योंकि ईमान भी इख़्तियारी चीज़ है और कुफ़्र भी, अगर कोई शख़्स एक क़ौमियत छोड़कर दूसरी में शामिल होना चाहे तो बड़ी आसानी से अपने अ़क़ीदे बदलकर दूसरे में शामिल हो सकता है,

बख़िलाफ़ नसब व ख़ानदान, रंग और भाषा और मुल्क व वतन के कि किसी इनसान के इख़्तियार में नहीं कि अपना नसब बदल दे या रंग बदल दे, भाषा और वतन अगरचे बदले जा सकते हैं मगर भाषा व वतन की बुनियाद पर बनने वाली क़ौमें दूसरों को आदतन अपने अन्दर समू लेने पर कभी आमादा नहीं होतीं चाहे उनकी ही भाषा बोलने लगे और उनके वतन में आबाद हो जाये।

यही वह इस्लामी बिरादरी और ईमानी भाईचारा था जिसने थोड़े ही अरसे में पूरब व पश्चिम, उत्तर व दक्षिण, काले गोरे, अरब व अजम के बेशुमार अफ़राद को एक लड़ी में पिरो दिया था, जिसकी क़ुव्वत व ताक़त का मुक़ाबला दुनिया की क़ौमें न कर सकीं, तो उन्होंने फिर उन बुतों को ज़िन्दा किया जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और इस्लाम ने टुकड़े-टुकड़े कर दिया था। मुसलमानों की अज़ीम तरीन एक मिल्लत को मुल्क व वतन और भाषा व रंग और नसब व ख़ानदान के मुख़्तलिफ़ टुकड़ों में तक़सीम करके उनको आपस में टकरा दिया, इस तरह इस्लाम के दुश्मनों की यलग़ार (धावा बोलने) के लिये मैदान साफ़ हो गया, जिसका नतीजा आँखें आज देख रही हैं कि पूरब व पश्चिम के मुसलमान जो एक क़ौम, एक दिल थे अब छोटे-छोटे गिरोहों में तक़सीम व सीमित होकर एक दूसरे के मुक़ाबले पर हैं, और उनके मुक़ाबले पर कुफ़्र की शैतानी क़ुव्वतें आपस में झगड़ा व मतभेद रखने के बावजूद मुसलमानों के मुक़ाबले में एक क़ौम ही मालूम होती हैं।

وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ.

(उसने तुम्हारी सूरत बनाई, फिर तुम्हारी सूरतों को बेहतर बनाया) सूरत बनाना दर हक़ीक़त ख़ालिक़े कायनात की मख़्सूस सिफ़त है, इसी लिये अल्लाह के पाक नामों में अल्लाह तआ़ला का नाम मुसव्विर आया है, और ग़ौर करो कि कायनात में कितनी अलग-अलग और विभिन्न जिन्सें हैं और हर जिन्स में कितनी अलग-अलग जातियाँ, हर जाति में अनेक प्रजातियाँ और हर प्रजाति में लाखों करोड़ों विभिन्न अफ़राद पाये जाते हैं, एक की सूरत दूसरे से नहीं मिलती, एक इनसानी नस्ल में मुल्कों और ख़ित्तों के अलग-अलग होने से नस्लों और क़ौमों के अलग होने से शक्ल व सूरत में खुले हुए फ़र्क़ और भेद, फिर उनमें हर फ़र्द की शक्ल व सूरत का दूसरे सबसे अलग व नुमायाँ होना एक ऐसी हैरत अंगेज़ कारीगरी व चित्रकारी है कि अक़्ल हैरान रह जाती है।

इनसानी चेहरा जो छह-सात मुरब्बा इंच से ज़्यादा नहीं, अरबों, पदमों इनसानों में एक ही तरह का चेहरा होने के बावजूद एक की सूरत पूरी तरह दूसरे से नहीं मिलती कि पहचानना दुश्वार हो जाये, उक्त आयत में एक नेमत सूरत बनाना है इसका ज़िक्र फ़रमाया, इसके बाद फ़रमायाः

فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ.

यानी इनसानी शक्ल को हमने तमाम कायनात व मख़्लूक़ात की सूरतों से ज़्यादा हसीन और बेहतर बनाया है। कोई इनसान अपनी जमाअ़त में कितना ही बदशक्ल बदसूरत समझा जाता हो मगर बाक़ी तमाम हैवानों वग़ैरह की शक्लों के एतिबार से वह भी हसीन है, वाक़ई बरकत वाली है अल्लाह की ज़ात जो सबसे बेहतर बनाने वाली है।

فَقَالُوْٓا اَبَشَرٌ يَّهْدُوْنَنَا.

लफ़्ज़ बशर अगरचे मुफ़रद (अकेला और एक वचन) है मगर मायने में जमा (बहुवचन) के है, इसलिये यह्दू-न जमा का लफ़्ज़ इसके लिये इस्तेमाल फ़रमाया गया। बशरियत (इनसान होने) को नुबुव्वत व रिसालत के विरुद्ध समझना सभी काफ़िरों का बातिल ख़्याल था जिस पर क़ुरआन में जगह-जगह रद्द किया गया है, अफ़सोस है कि अब मुसलमानों में भी बाज़े लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के बशर होने के इनकारी पाये जाते हैं, उन्हें सोचना चाहिये कि वे किधर जा रहे हैं। बशर होना न नुबुव्वत के ख़िलाफ़ है न रिसालत के बुलन्द मक़ाम के ख़िलाफ़ है, और न रसूल के नूर होने के ख़िलाफ़ है, वह नूर भी हैं बशर भी, उनके नूर को चिराग़ और सूरज व चाँद के नूर पर क़ियास (अन्दाज़ा व तुलना) करना ग़लती है।

فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَالنُّوْرِ الَّذِیْٓ اَنْزَلْنَا.

(तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर, और उस नूर पर जो हमने नाज़िल किया है) नूर से मुराद इस जगह क़ुरआन है, क्योंकि नूर की हक़ीक़त यह है कि वह ख़ुद भी ज़ाहिर और रोशन हो और दूसरी चीज़ों को भी ज़ाहिर व रोशन कर दे। क़ुरआन का अपने बेमिसाल और मोजिज़ा होने की वजह से ख़ुद रोशन और ज़ाहिर होना खुली बात है और इसके ज़रिये अल्लाह तआ़ला के राज़ी होने और नाराज़ होने के असबाब और अहकाम व शरीअ़तों और आख़िरत के जहान की तमाम हक़ीक़तें (तथ्य) जिनके जानने की इनसान को ज़रूरत है वो रोशन हो जाते हैं।

क़ियामत को 'तग़ाबुन का दिन' कहने की वजह

يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ.

"जिस रोज़ तुमको अल्लाह तआ़ला जमा करेगा जमा करने के दिन में, यह दिन होगा तग़ाबुन का यानी ख़सारे का।"

'यौमुल-जमा' और 'यौमुत्तग़ाबुन' दोनों क़ियामत के नाम हैं। उस दिन का 'यौमुल-जमा' होना तो ज़ाहिर है कि पहली व बाद की तमाम मख़्लूक़ को उस दिन हिसाब-किताब और जज़ा व सज़ा के लिये जमा किया जायेगा, और 'यौमुत्तग़ाबुन' इसलिये कि तग़ाबुन ग़बन से निकला है जिसके मायने ख़सारे और नुक़सान के हैं, माली नुक़सान और ख़सारे को भी ग़बन कहा जाता है और राय और अ़क़्ल के नुक़सान को भी। इमाम राग़िब अस्फ़हानी ने 'मुफ़रदातुल-क़ुरआन' में फ़रमाया कि माली ख़सारे के लिये यह लफ़्ज़ मजहूल के सीग़े 'ग़ुबि-न फ़ुलानुन् फ़हु-व मग़बून' (यानी उसमें नुक़सान होने का तो ज़िक्र होता है मगर किसने किया इसका ज़िक्र नहीं होता) इस्तेमाल किया जाता है, और अ़क़्ल व राय के नुक़सान के लिये बाबे समि-अ़ से ग़बि-न इस्तेमाल किया जाता है, लफ़्ज़ तग़ाबुन असल के एतिबार से दो तरफ़ा काम के लिये बोला जाता है, कि एक आदमी दूसरे को और दूसरा उसको नुक़सान पहुँचाये, या उसके नुक़सान व ख़सारे को ज़ाहिर करे, यहाँ मुराद एक तरफ़ा ग़बन का इज़हार है जैसा कि एक तरफ़ा इस्तेमाल भी इस लफ़्ज़ का परिचित व मशहूर है।

क़ियामत को 'यौम-ए-तग़ाबुन' कहने की वजह यह है कि सही हदीसों में है कि अल्लाह तआ़ला ने हर इनसान के लिये आख़िरत में दो घर पैदा किये हैं, एक जहन्नम में दूसरा जन्नत में। जन्नत

वालों को जन्नत में दाख़िल करने से पहले उनका वह ठिकाना भी दिखलाया जायेगा जो ईमान और नेक अ़मल न होने की सूरत में उनके लिये मुक़र्रर था ताकि उसको देखने के बाद जन्नत के ठिकाने की और ज़्यादा क़द्र उनके दिल में पैदा हो, और अल्लाह तआ़ला के और ज़्यादा शुक्रगुज़ार हों। इसी तरह जहन्नम वालों को जहन्नम में दाख़िल करने से पहले उनका जन्नत का वह मक़ाम दिखलाया जायेगा जो ईमान और नेक अ़मल की सूरत में उनके लिये मुक़र्रर था ताकि उनको और ज़्यादा हसरत हो। इन रिवायतों में यह भी है कि फिर जन्नत में जो मक़ामात जहन्नम वालों के थे वो भी जन्नत वालों को मिल जायेंगे, और जहन्नम में जो मक़ामात जन्नत वालों के थे वो भी जहन्नम वालों के हिस्से में आ जायेंगे। हदीस की ये रिवायतें बुख़ारी व मुस्लिम और हदीस की दूसरी किताबों में मुख़्तलिफ़ अलफ़ाज़ से तफ़सील के साथ आई हैं, उस वक़्त जबकि काफ़िर व गुनाहगार और बदबख़्तों के जन्नती मक़ाम भी जन्नत वालों के क़ब्ज़े में आयेंगे तो उनको अपने ग़बन और ख़सारे का एहसास होगा कि क्या छोड़ा और क्या पाया।

सही मुस्लिम और तिर्मिज़ी वग़ैरह में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम से सवाल फ़रमाया कि तुम जानते हो मुफ़लिस कौन शख़्स है? सहाबा ने अ़र्ज़ किया कि जिस शख़्स के पास माल मता न हो उसको मुफ़लिस समझते हैं। आपने फ़रमाया कि मेरी उम्मत का मुफ़लिस वह शख़्स है जो क़ियामत में अपने नेक आमाल नमाज़, रोज़ा, ज़कात वग़ैरह का ज़ख़ीरा लेकर आयेगा मगर उसका हाल यह होगा कि दुनिया में किसी को गाली दी, किसी पर बोहतान बाँधा, किसी को मारा या क़त्ल किया, किसी का माल नाहक़ ले लिया (तो ये सब जमा होंगे और अपने हुक़ूक़ का मुतालबा करेंगे) कोई उसकी नमाज़ ले जायेगा, कोई रोज़ा, कोई ज़कात और दूसरी नेकियाँ, और जब नेकियाँ ख़त्म हो जायेंगी तो मज़लूमों के गुनाह उस ज़ालिम पर डालकर बदला चुकाया जायेगा, जिसका अन्जाम यह होगा कि यह जहन्नम में डाल दिया जायेगा।

और सही बुख़ारी में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स के ज़िम्मे किसी का कोई हक़ हो उसको चाहिये कि दुनिया ही में उसको अदा या माफ़ कराकर फ़ारिग़ हो जाये, वरना क़ियामत के दिन दिरहम व दीनार (रुपये-पैसे और माल व दौलत) तो होंगे नहीं जिसका मुतालबा होगा उसको उस शख़्स के नेक आमाल देकर बदला चुकाया जायेगा, नेक आमाल ख़त्म हो जायेंगे तो उसके हक़ के मुताबिक़ मज़लूम का गुनाह उस पर डाल दिया जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और दूसरे तफ़सीर के इमामों ने क़ियामत को यौमुत्तग़ाबुन कहने की यही वजह बयान की है, और तफ़सीर के बहुत से इमामों ने फ़रमाया कि उस दिन ग़बन और ख़सारे का एहसास सिर्फ़ काफ़िरों बदकारों और बदबख़्तों ही को नहीं बल्कि नेक मोमिनों को भी इस तरह होगा कि काश हम अ़मल और ज़्यादा करते ताकि जन्नत के और ज़्यादा दर्जे हासिल करते, उस दिन हर शख़्स को अपनी उम्र के उन लम्हात पर हसरत होगी जो फ़ुज़ूल ज़ाया किये, जैसा कि हदीस में है:

مَنْ جَلَسَ مَجْلِسًا لَّمْ یَذْکُرِ اللّٰهَ فِیْهِ کَانَ عَلَیْهِ ترة یَوْمَ الْقِیَامَةِ.

"जो शख़्स किसी मज्लिस में बैठा और पूरी मज्लिस में अल्लाह का ज़िक्र न किया तो यह मज्लिस क़ियामत के रोज़ उसके लिये हसरत बनेगी।"

तफ़सीरे क़ुर्तुबी में है कि हर मोमिन भी उस रोज़ अ़मल को अच्छी तरह करने में अपनी कोताही पर अपने ग़बन व ख़सारे का एहसास करेगा, क़ियामत का नाम यौमे तग़ाबुन रखना ऐसा ही है जैसा कि सूरः मरियम में उसका नाम यौमुल्-हसरत आया है।

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इस आयत की तफ़सीर यह लिखी है कि उस दिन ज़ालिम और बुरे अ़मल वाले लोग अपनी कोताहियों पर हसरत करेंगे, और नेक मोमिन हज़रात ने भी जो अ़मल में हुस्न पैदा करने में कोताही की है उस पर उनको हसरत होगी, इस तरह क़ियामत के रोज़ सभी अपनी अपनी कोताही पर शर्मिन्दा और अ़मल की कमी पर ग़बन व ख़सारे का एहसास करेंगे, इसलिये उसको 'यौमुत्तग़ाबुन' कहा गया।

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١١﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿١٢﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٤﴾ إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٥﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾

ع ٢ / ٨ / ١٨

मा असा-ब मिम्-मुसी-बतिन् इल्ला बि-इज़्निल्लाहि, व मंय्युअ्मिम्-बिल्लाहि यह्दि क़ल्बहू, वल्लाहु बिकुल्लि शैइन् अ़लीम (11) व अतीउल्ला-ह व अतीउर्रसू-ल फ़-इन् तवल्लैतुम् फ़-इन्नमा अ़ला रसूलिनल्-बलाग़ुल्-मुबीन (12) अल्लाहु ला	नहीं पहुँचती कोई तकलीफ़ बिना अल्लाह के हुक्म के और जो कोई यक़ीन लाये अल्लाह पर वह राह बतलाये उसके दिल को, और अल्लाह को हर चीज़ मालूम है। (11) और हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का, फिर अगर तुम मुँह मोड़ो तो तुम्हारे रसूल का तो यही काम है पहुँचा देना खोलकर। (12) अल्लाह उसके

इला-ह इल्ला हु-व, व अ़लल्लाहि फ़ल्य-तवक्कलिल्-मुअ्मिनून (13) या अय्युहल्लज़ी-न आमनू इन्-न मिन् अज़्वाजिकुम् व औलादिकुम् अ़दुव्वल्-लकुम् फ़ह्ज़रूहुम् व इन् तअ़्फ़ू व तस्फ़हू व तग़्फ़िरू फ़-इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्रहीम (14) इन्नमा अम्वालुकुम् व औलादुकुम् फ़ित्-नतुन्, वल्लाहु अ़िन्दहू अज्रुन् अ़ज़ीम (15) फ़त्तक़ुल्ला-ह मस्त-तअ़्तुम् वस्मअ़ू व अतीअ़ू व अन्फ़िक़ू ख़ैरल्-लिअन्फ़ुसिकुम्, व मंय्यू-क़ शुह्-ह नफ़्सिही फ़-उलाइ-क हुमुल्-मुफ़्लिहून (16) इन् तुक़्रिज़ुल्ला-ह क़र्ज़न् ह-सनंय्-युज़ाअ़िफ़्हु लकुम् व यग़्फ़िर् लकुम्, वल्लाहु शकूरुन् हलीम (17) आ़लिमुल्-ग़ैबि वश्शहा-दतिल्-अ़ज़ीज़ुल्-हकीम (18) ✿

सिवा किसी की बन्दगी नहीं और अल्लाह पर चाहिये भरोसा करें ईमान वाले। (13) ऐ ईमान वालो! तुम्हारी बाज़ी बीवियाँ और औलाद दुश्मन हैं तुम्हारे, सो उनसे बचते रहो और अगर माफ़ करो और दरगुज़र करो और बख़्शो तो अल्लाह है बख़्शने वाला मेहरबान। (14) तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद यही हैं जाँचने को और अल्लाह जो है उसके पास है सवाब बड़ा। (15) सो डरो अल्लाह से जहाँ तक हो सके और सुनो और मानो और ख़र्च करो अपने भले को, और जिसको बचा दिया अपने जी के लालच से सो वे लोग वही मुराद को पहुँचे। (16) अगर क़र्ज़ दो अल्लाह को अच्छी तरह पर क़र्ज़ देना वह दूना कर दे तुमको और तुमको बख़्शे, और अल्लाह क़द्रदान है बरदाश्त वाला। (17) जानने वाला पोशीदा और ज़ाहिर का, ज़बरदस्त हिक्मत वाला। (18) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(जिस तरह कुफ़्र आख़िरत की फ़लाह व कामयाबी से पूरी तरह रुकावट है इसी तरह माल व औलाद और बीवी वग़ैरह में मशग़ूल होकर ख़ुदा तआ़ला के अहकाम में कोताही करना भी एक दर्जे में आख़िरत की फ़लाह से रोक और बाधा है इसलिये मुसीबत में तो यह समझना चाहिये कि) कोई मुसीबत ख़ुदा के हुक्म के बग़ैर नहीं आती (और यह समझकर सब्र व रज़ा इख़्तियार करना चाहिये) और जो शख़्स अल्लाह पर (पूरा) ईमान रखता है अल्लाह तआ़ला उसके

दिल को (सब्र व रज़ा की) राह दिखा देता है, और अल्लाह हर चीज़ को ख़ूब जानता है (कि किसने सब्र व रज़ा इख़्तियार किया और किसने नहीं किया, और हर एक को अपनी हिक्मत के मुताबिक़ जज़ा व सज़ा देता है)। और (कलाम का ख़ुलासा यह है कि हर मामले में जिसमें मुसीबतें भी दाख़िल हैं) अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो, और अगर तुम (फ़रमाँबरदारी से) मुँह मोड़ोगे तो (याद रखो कि) हमारे रसूल के ज़िम्मे तो साफ़-साफ़ पहुँचा देना है (जिसको वह अच्छी तरह कर चुके हैं, इसलिये उनका तो कोई नुक़सान नहीं, तुम्हारा ही नुक़सान होगा। और चूँकि अल्लाह को नुक़सान होने का शुब्हा व संभावना ही नहीं इसलिये उसको यहाँ बयान नहीं किया और तुम लोगों को और ख़ास तौर पर मुसीबत वालों को यूँ समझना चाहिये कि) अल्लाह के सिवा कोई माबूद (बनने के क़ाबिल) नहीं और मुसलमानों को अल्लाह ही पर (मुसीबतों वग़ैरह में) भरोसा रखना चाहिए।

ऐ ईमान वालो! (जैसे मुसीबत में तुमको सब्र व रज़ा का हुक्म किया गया है इसी तरह नेमत के बारे में मशग़ूल व व्यस्त न होने का हुक्म किया जाता है, पस नेमत के बारे में यूँ समझना चाहिये कि) तुम्हारी बाज़ी बीवियाँ और औलाद तुम्हारे (दीन की) दुश्मन हैं (जबकि वे अपने दुनियावी फ़ायदे के वास्ते तुमको ऐसी बात का हुक्म करें जो तुम्हारे लिये आख़िरत के हिसाब से नुक़सानदेह हो) सो तुम उनसे (यानी ऐसों से) होशियार रहो (और उनकी ऐसी बात पर अमल मत करो), और अगर (तुमको ऐसी फ़रमाईशों पर ग़ुस्सा आये और तुम उन पर सख़्ती करने लगो और वे उस वक़्त माज़िरत और तौबा करें और) तुम (उस वक़्त उनकी वह ख़ता) माफ़ कर दो (यानी सज़ा न दो) और दरगुज़र कर जाओ (यानी ज़्यादा मलामत न करो) और बख़्श दो (यानी उसको दिल से और ज़बान से भुला दो) तो अल्लाह तआ़ला (तुम्हारे गुनाहों का) बख़्शने वाला (और तुम्हारे हाल पर) रहम करने वाला है (इसमें तवज्जोह दिलाई गयी है माफ़ करने की तरफ़, और यह कई बार वाजिब है जबकि सज़ा देने से सामने वाले का निडर हो जाने का अन्देशा हो, और कई बार मुस्तहब और अच्छा है)।

(आगे औलाद के साथ मालों के बारे में भी इसी क़िस्म का मज़मून है कि) तुम्हारे माल और औलाद बस तुम्हारे लिये एक आज़माईश की चीज़ है (कि देखें कौन उनमें पड़कर ख़ुदा के अहकाम को भूल जाता है और कौन याद रखता है) और (जो शख़्स उनमें पड़कर अल्लाह को याद रखेगा तो) अल्लाह के पास (उसके लिये) बड़ा अज्र है। तो (इन सब बातों को सुनकर) जहाँ तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और (उसके अहकाम को) सुनो और मानो, और (ख़ासकर हुक्म के मौक़ों में) ख़र्च (भी) किया करो, यह तुम्हारे लिये बेहतर होगा (ग़ालिबन ख़र्च करने को ख़ास तौर पर इसलिये ज़िक्र फ़रमाया कि यह नफ़्स पर ज़्यादा भारी है) और जो शख़्स अपने नफ़्स के लालच से महफ़ूज़ रहा ऐसे ही लोग (आख़िरत में) फ़लाह पाने वाले हैं।

(आगे इसके बेहतर और फ़लाह का सबब होने का बयान है कि) अगर तुम अल्लाह को अच्छी तरह (यानी नेक-नीयती के साथ) क़र्ज़ दोगे तो वह उसको तुम्हारे लिये बढ़ाता चला

जायेगा और तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा, और अल्लाह तआ़ला बड़ा क़द्र करने वाला है (कि नेक अ़मल को क़ुबूल फ़रमाता है और) बड़ा बुर्दबार है (कि नाफ़रमानी के अ़मल पर फ़ौरन पकड़ नहीं फ़रमाता, और) छुपे और ज़ाहिर (आमाल) का जानने वाला है (और) ज़बरदस्त है (और) हिक्मत वाला है (शकूरुन् से हकीमुन् तक की इबारत सूरत के तमाम मज़ामीन के लिये सबब व इल्लत के दर्जे में हैं कि सब मज़ामीन इन्हीं से निकल सकते और ख़ुलासा बन सकते हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ.

"यानी किसी को कोई मुसीबत अल्लाह के हुक्म के बग़ैर नहीं पहुँचती और जो शख़्स अल्लाह पर ईमान लाता है अल्लाह तआ़ला उसके दिल को हिदायत फ़रमा देता है।"

मतलब यह है कि यह बात तो अपनी जगह एक यक़ीनी हक़ीक़त है कि अल्लाह तआ़ला के हुक्म व मर्ज़ी के बग़ैर कहीं कोई ज़र्रा भी नहीं हिल सकता, अल्लाह के हुक्म के बग़ैर न कोई किसी को नुक़सान व तकलीफ़ पहुँचा सकता है न नफ़ा और राहत, मगर जिस शख़्स का अल्लाह पर और उसकी तक़दीर पर ईमान नहीं होता मुसीबत के वक़्त उसके लिये क़रार व सुकून का कोई सामान नहीं होता, वह मुसीबत को दूर करने के लिये हाथ-पैर मारता रहता है, बख़िलाफ़ मोमिन के जिसका अल्लाह की तक़दीर पर ईमान है, अल्लाह तआ़ला उसके दिल को इस पर मुत्मईन कर देता है कि जो कुछ हुआ अल्लाह तआ़ला के हुक्म व मर्ज़ी से हुआ, जो कुछ मुसीबत मुझे पहुँची वह पहुँचनी ही थी उसको कोई टला नहीं सकता, और जिस मुसीबत से निजात हुई वह निजात होनी ही थी, किसी की मजाल नहीं जो उस मुसीबत को मुझ पर डाल दे। इस ईमान व यक़ीन के नतीजे में उसको आख़िरत के सवाब का वायदा भी सामने होता है जिससे दुनिया की बड़ी से बड़ी मुसीबत आसान हो जाती है।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوْهُمْ.

"यानी ऐ मुसलमानो! तुम्हारी बाज़ी बीवियाँ और औलाद तुम्हारे दुश्मन हैं, उनके शर (बुराई) से बचते रहो।"

तिर्मिज़ी व हाकिम वग़ैरह ने सही सनद के साथ हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है कि यह आयत उन मुसलमानों के बारे में नाज़िल हुई जो मदीना की हिजरत के बाद मक्का मुकर्रमा में रहते हुए इस्लाम में दाख़िल हुए और इरादा किया कि हिजरत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो जायें, मगर उनके बाल-बच्चों और घर वालों ने उनको न छोड़ा कि हिजरत करके चले जायें। (रूहुल-मआ़नी)

(और यह ज़माना वह था कि मक्का से हिजरत करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ था) क़ुरआने करीम की उपरोक्त आयत में ऐसी बीवी और औलाद को इनसान का दुश्मन क़रार दिया, और उनके शर से बचते रहने की ताकीद फ़रमाई, क्योंकि उससे बड़ा दुश्मन इनसान का कौन हो सकता है जो उसको हमेशा-हमेशा के अ़ज़ाब और जहन्नम की आग में मुब्तला कर दे।

और हज़रत अ़ता बिन अबी रबाह की रिवायत यह है कि यह आयत औ़फ़ बिन मालिक अश्जई के बारे में नाज़िल हुई, जिनका वाक़िआ़ यह था कि यह मदीने में मौजूद थे और जब किसी जंग व जिहाद का मौक़ा आता तो जिहाद के लिये जाने का इरादा करते थे मगर उनके बीवी-बच्चे फ़रियाद करने लगते कि हमें किस पर छोड़कर जाते हो, यह उनकी फ़रियाद से प्रभावित होकर रुक जाते थे।

(तफ़सीर रूहुल-मआ़नी, इब्ने कसीर)

इन दोनों रिवायतों में कोई टकराव नहीं, दोनों ही आयत के उतरने का सबब हो सकती हैं, क्योंकि अल्लाह का फ़र्ज़ चाहे हिजरत हो या जिहाद जो बीवी और औलाद फ़र्ज़ की अदायेगी में रुकावट हों वे उसकी दुश्मन हैं।

وَاِنْ تَعْفُوْا وَتَصْفَحُوْا وَتَغْفِرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ۝

इससे पहले की आयत में जिनके बीवी-बच्चों को दुश्मन क़रार दिया है उनको जब अपनी ग़लती का एहसास व जानकारी हुई तो इरादा किया कि आईन्दा अपने बीव-बच्चों के साथ सख़्ती और कड़ाई का मामला करेंगे, इस पर आयत के इस हिस्से में यह इरशाद नाज़िल हुआ कि अगरचे उन बीवी बच्चों ने तुम्हारे लिये दुश्मन के जैसा काम किया कि तुम्हें फ़र्ज़ की अदायेगी से रुकावट हुए मगर इसके बावजूद उनके साथ सख़्ती और बेरहमी का मामला न करो बल्कि माफ़ी व दरगुज़र का बर्ताव करो तो यह तुम्हारे लिये बेहतर है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला की आ़दत भी मग़फ़िरत व रहमत की है।

गुनाहगार बीवी-बच्चों से बेज़ारी और नफ़रत नहीं रखनी चाहिये

मसलाः उलेमा ने इस आयत से दलील पकड़ी है कि बाल-बच्चों से कोई काम ख़िलाफ़े शरीअ़त भी हो जाये तो उनसे बेज़ार हो जाना और उनसे नफ़रत व दिली दुश्मनी रखना या उनके लिये बद्दुआ़ करना मुनासिब नहीं। (रूहुल-मआ़नी)

اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ

फ़ितने के मायने आज़माईश और इम्तिहान के हैं। आयत की मुराद यह है कि माल व औलाद के ज़रिये अल्लाह तआ़ला इनसान की आज़माईश करता है कि उनकी मुहब्बत में फंसकर अहकाम व फ़राईज़ से ग़फ़लत करता है या मुहब्बत को अपनी हद में रखकर अपने फ़राईज़ से ग़ाफ़िल नहीं होता।

माल व औलाद इनसान के लिये बड़ा फ़ितना हैं

हक़ीक़त यह है कि माल व औलाद की मुहब्बत इनसान के लिये बड़ा फ़ितना और आज़माईश हैं, इनसान अक्सर गुनाहों में ख़ुसूसन हराम कमाई में इन्हीं की मुहब्बत की वजह से मुब्तला होता है। एक हदीस में है कि क़ियामत के दिन कुछ व्यक्तियों को लाया जायेगा उनको देखकर लोग कहेंगेः

اَكَلَ عِيَالُهٗ حَسَنَاتِهٖ

"यानी उसकी नेकियों को उसके बाल-बच्चों ने खा लिया।" (रूहुल-मआ़नी)

एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने औलाद के बारे में फ़रमायाः

مَبْخَلَةٌ مَّجْبَنَةٌ.

"यानी ये कन्जूसी और नामर्दी व बुज़दिली के असबाब हैं।"

कि इनकी मुहब्बत की वजह से जिहाद में शिर्कत से रह जाता है। पहले दौर के कुछ बुज़ुर्गों का कौल है:

اَلْعِيَالُ سُوْسُ الطَّاعَاتِ.

"यानी अ़याल (बीवी-बच्चे) इनसान की नेकियों के लिये घुन है।"

जैसे घुन ग़ल्ले को खा जाता है ये उसकी नेकियों को खा जाते हैं।"

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

"यानी तक़वा इख़्तियार करो जितना संभव हो।"

जब आयत 'इत्तक़ुल्ला-ह हक़्-क़ तुक़ातिही' नाज़िल हुई जिसके मायने ये हैं कि "अल्लाह से ऐसा तक़वा (डर और परहेज़गारी) इख़्तियार करो जैसा कि अल्लाह का हक़ है।"

तो सहाबा-ए-किराम रज़ियल्लाहु अ़न्हुम पर बहुत भारी गुज़रा कि अल्लाह के हक़ के मुताबिक़ तक़वा किसके बस में है, इस पर यह आयत नाज़िल हुई जिसने बतला दिया कि अल्लाह तआ़ला ने इनसान को उसकी ताक़त और हिम्मत से ज़्यादा तकलीफ़ (ज़िम्मेदारी) नहीं दी, तक़वा भी अपनी ताक़त के मुताबिक़ वाजिब है। मक़सद यह है कि परहेज़गारी के हासिल करने में अपनी पूरी ताक़त व कोशिश कर ले तो उससे अल्लाह का हक़ अदा हो जायेगा। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी, संक्षिप्त रूप से)

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अत्-तग़ाबुन की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अत्-तग़ाबुन की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अत्-तलाक़

सूरः अत्-तलाक़ मदीना में नाज़िल हुई। इसकी 12 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ١٢ (٦٥) سُوْرَةُ الطَّلَاقِ مَدَنِيَّةٌ (٩٩) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ ۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ رَبَّكُمْ ۚ
لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَتِلْكَ
حُدُوْدُ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ ۚ لَا تَدْرِيْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ
بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ۝ فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ فَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ
وَّاَشْهِدُوْا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ ۚ ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ
يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ۚ اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ ۚ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ
قَدْرًا ۝ وَالّٰٓـِٔيْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ ۙ وَّالّٰٓـِٔيْ لَمْ
يَحِضْنَ ۚ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ
مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا ۝ ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗٓ اِلَيْكُمْ ۚ وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ
وَيُعْظِمْ لَهٗٓ اَجْرًا ۝ اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا
عَلَيْهِنَّ ۚ وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ
اُجُوْرَهُنَّ ۚ وَاْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ ۚ وَاِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ اُخْرٰى ۝ لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ
مِّنْ سَعَتِهٖ ۚ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰىهَا ۚ
سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहन्नबिय्यु इज़ा तल्लक़्तुमुन्-निसा-अ फ़-तल्लिक़ूहुन्-न लिअिद्दतिहिन्-न व अह्सुल्-अिद्द-त वत्तक़ुल्ला-ह रब्बकुम ला तुख़्रिजूहुन्-न मिम्-बुयूतिहिन्-न व ला यख़्रुज्-न इल्ला अंय्यअ्ती-न बिफ़ाहि-शतिम् मुबय्यि-नतिन्, व तिल्-क हुदूदुल्लाहि, व मंय्य-त-अद्-द हुदूदल्लाहि फ़-क़द् ज़-ल-म नफ़्सहू, ला तद्री लअ़ल्लल्ला-ह युह्दिसु बअ्-द ज़ालि-क अम्रा (1) फ़-इज़ा बलग़्-न अ-ज-लहुन्-न फ़-अम्सिकूहुन्-न बि-मअ्रूफ़िन् औ फ़ारिक़ूहुन्-न बि-मअ्रूफ़िंव्-व अश्हिदू ज़वै अद्लिम्-मिन्कुम् व अक़ीमुश्शहा-द-त लिल्लाहि, ज़ालिकुम् यू-अ़ज़ु बिही मन् का-न युअ्मिनु बिल्लाहि वल्यौमिल्-आख़िरि, व मंय्यत्तक़िल्ला-ह यज्अ़ल्-लहू मख़्रजा (2) व यर्ज़ुक़्हु मिन् हैसु ला यह्तसिबु, व मंय्य-तवक्कल् अ़लल्लाहि फ़हु-व हस्बुहू, इन्नल्ला-ह बालिग़ु अम्रिही, क़द् ज-अ़लल्लाहु लिकुल्लि शैइन् क़द्रा (3) वल्लाई य-इस्-न मिनल्-

ऐ नबी! जब तुम तलाक़ दो औरतों को तो उनको तलाक़ दो उनकी इद्दत पर और गिनते रहो इद्दत को, और डरो अल्लाह से जो रब है तुम्हारा, मत निकालो उनको उनके घरों से और वे भी न निकलें मगर जो करें खुली बेहयाई, और ये हदें हैं बाँधी हुई अल्लाह की और जो कोई बढ़े अल्लाह की हदों से तो उसने बुरा किया अपना, उसको ख़बर नहीं शायद अल्लाह पैदा कर दे उस तलाक़ के बाद नई सूरत। (1) फिर जब पहुँचें अपने वायदे को तो रख लो उनको दस्तूर के मुवाफ़िक़ या छोड़ दो उनको दस्तूर के मुवाफ़िक़ और गवाह कर लो दो मोतबर अपने में के और सीधी अदा करो गवाही अल्लाह के वास्ते, यह बात जो है इससे समझ जायेगा जो कोई यक़ीन रखता होगा अल्लाह पर और पिछले दिन पर, और जो कोई डरता है अल्लाह से वह कर दे उसका गुज़ारा (2) और रोज़ी दे उसको जहाँ से उसको ख़्याल भी न हो, और जो कोई भरोसा रखे अल्लाह पर तो वह उसको काफ़ी है, बेशक अल्लाह पूरा कर लेता है अपना काम, अल्लाह ने रखा है हर चीज़ का अन्दाज़ा। (3) और जो औरतें नाउम्मीद हो गईं हैज़ (माहवारी) से

महीज़ि मिन्-निसाइकुम् इनिर्तब्तुम् फ़-ज़िद्दतुहुन्-न सला-सतु अश्हुरिंव्-वल्लाई लम् यहिज़्न्-न, व उलातुल्-अह्मालि अ-जलुहुन्-न अंय्यज़अ्-न हम्-ल-हुन्-न, व मंय्यत्तकिल्ला-ह यज्अल्-लहू मिन् अम्रिही युस्रा (4) ज़ालि-क अम्रुल्लाहि अन्ज़-लहू इलैकुम्, व मंय्यत्तकिल्ला-ह युकफ़्फ़िर् अ़न्हु सय्यिआतिही व युअ्ज़िम् लहू अज्रा (5) अस्किनूहुन्-न मिन् हैसु स-कन्तुम् मिंव्वुज्दिकुम् व ला तुज़ार्रूहुन्-न लि-तुज़य्यिक़ू अ़लैहिन्-न, व इन् कुन्-न उलाति हम्लिन् फ़-अन्फ़िक़ू अ़लैहिन्-न हत्ता यज़अ्-न हम्लहुन्-न फ़-इन् अर्ज़अ्-न लकुम् फ़-आतूहुन्-न उजू-रहुन्-न वअ्तमिरू बैनकुम् बि-मअ्रूफ़िन् व इन् तआ़सर्तुम् फ़-सतुर्ज़िअु लहू उख़्रा (6) लियुन्फ़िक़् ज़ू स-अ़तिम्-मिन् स-अ़तिही, व मन् क़ुदि-र अ़लैहि रिज़्क़ुहू फ़ल्युन्फ़िक़् मिम्मा आताहुल्लाहु, ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन् इल्ला मा आताहा, स-यज्-अ़लुल्लाहु बअ्-द अ़ुस्रिंय्-युस्रा (7) ❁

तुम्हारी औरतों में, अगर तुमको शुब्हा रह गया तो उनकी इद्दत है तीन महीने, और ऐसे ही जिनको हैज़ नहीं आया और जिनके पेट में बच्चा है उनकी इद्दत यह कि जन्म दे लें पेट का बच्चा, और जो कोई डरता रहे अल्लाह से कर दे वह उसके काम में आसानी। (4) यह हुक्म है अल्लाह का जो उतारा तुम्हारी तरफ़, और जो कोई डरता रहे अल्लाह से उतार दे उस पर से उसकी बुराईयाँ और बढ़ा दे उसके लिये सवाब। (5) उनको घर दो रहने के वास्ते जहाँ तुम ख़ुद रहो अपनी गुंजाईश के मुवाफ़िक़ और तकलीफ़ देना न चाहो उनको ताकि तंग पकड़ो उनको, और अगर रखती हों पेट में बच्चा तो उन पर ख़र्च करो जब तक जन्म दें पेट का बच्चा, फिर अगर वे दूध पिलायें तुम्हारी ख़ातिर तो दो उनको उनका बदला, और सिखाओ आपस में नेकी, और अगर ज़िद करो आपस में तो दूध पिलायेगी उसकी ख़ातिर और कोई औरत। (6) चाहिये कि ख़र्च करे वुस्अ़त के मुवाफ़िक़, और जिसको नपी-तुली मिलती है उसकी रोज़ी तो ख़र्च करे जैसा कि दिया है उसको अल्लाह ने, अल्लाह किसी पर तकलीफ़ (ज़िम्मेदारी) नहीं रखता मगर उसी क़द्र जो उसको दिया, अब कर देगा अल्लाह सख़्ती के बाद कुछ आसानी। (7) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ पैग़म्बर! (आप लोगों से कह दीजिये कि) जब तुम लोग (अपनी) औरतों को तलाक़ देने लगो (जिनके साथ तन्हाई हो चुकी है, क्योंकि इद्दत का हुक्म ऐसी औरतों के बारे में है जैसा कि एक दूसरी आयत में है:

(ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ)

तो उनको इद्दत (के ज़माने यानी माहवारी) से पहले (अर्थात पाकी के ज़माने में) तलाक़ दो (और यह सही हदीसों से साबित है कि उस पाकी के ज़माने में सोहबत न हो जिसमें तलाक़ देनी है) और (तलाक़ देने के बाद) तुम इद्दत को याद रखो (यानी मर्द व औरत सब याद रखें, लेकिन मर्द को ख़ास तौर पर ख़िताब करने में इशारा इस तरफ़ है कि औरतों में ग़फ़लत ज़्यादा होती है तो मर्दों को भी इसका एहतिमाम रखना चाहिये, जैसा कि तफ़सीरे मदारिक में है) और अल्लाह तआ़ला से डरते रहो जो तुम्हारा रब है (यानी इन मामलात में जो उसके अहकाम हैं उनके ख़िलाफ़ न करो। मसलन यह कि तीन तलाक़ एक ही बार में मत दो और यह कि माहवारी की हालत में तलाक़ मत दो जैसा कि सही हदीसों में आया है, और यह कि इद्दत में) उन औरतों को उनके (रहने के) घरों से मत निकालो (क्योंकि तलाक़ वाली का रहने का ठिकाना निकाह वाली की तरह वाजिब है) और न वे औरतें ख़ुद निकलें (क्योंकि यह वहाँ रहना सिर्फ़ शौहर का हक़ नहीं है जो उसकी रज़ा से ख़त्म हो जाये बल्कि शरीअ़त का हक़ है) मगर हाँ! कोई खुली बेहयाई करें तो और बात है (यानी मसलन ज़िनाकारी या चोरी करें तो सज़ा के लिये निकाली जायें या बक़ौल बाज़े उलेमा ज़बान दराज़ी और हर वक़्त की तकरार रखती हों तो उनको निकाल देना जायज़ है)। और ये सब ख़ुदा के मुक़र्रर किए हुए अहकाम हैं, और जो शख़्स अल्लाह के अहकाम से बाहर निकलेगा (जैसे उस औरत को घर से निकाल दिया) उसने अपने ऊपर ज़ुल्म किया (यानी गुनाहगार हुआ)।

(आगे तलाक़ देने वाले को सही राह सुझाते हैं कि तलाक़ में तलाक़े-रजई बेहतर है। पस इरशाद है कि ऐ तलाक़ देने वाले!) तुझको ख़बर नहीं शायद अल्लाह तआ़ला इस तलाक़ देने के बाद कोई नई बात (तेरे दिल में) पैदा कर दे (जैसे तलाक़ पर शर्मिन्दगी हो तो रुजू करने में उसकी तलाफ़ी हो सकती है)। फिर जब वे (तलाक़ पाई हुई) औरतें (जबकि उनको तलाक़े-रजई दी हो) अपनी इद्दत गुज़र जाने के क़रीब पहुँच जाएँ (और इद्दत ख़त्म नहीं हुई) (तो तुमको दो इख़्तियार हैं- या तो) उनको क़ायदे के मुवाफ़िक़ (वापस लौटा करके) निकाह में रहने दो या क़ायदे के मुवाफ़िक़ उनको रिहाई दो (यानी इद्दत पूरी होने तक रजअ़त न करो, मतलब यह कि तीसरी बात मत करो कि रखना भी मक़सद न हो मगर इद्दत को लम्बा करके औरत को तकलीफ़ पहुँचाने की ग़र्ज़ से रजअ़त कर लो) और (जो कुछ भी करो साथ रखना या अलग करना उस पर) आपस में से दो मोतबर शख़्सों को गवाह कर लो (यह मुस्तहब है जैसा कि

हिदाया और निहाया में है। रजअ़त "वापस अपने पास रखने" में तो इसलिये कि इद्दत के मुद्दत पूरी होने के बाद कभी औरत झगड़ा न करने लगे और अलग करने में इसलिये कि कभी अपना नफ़्स शरारत न करने लगे कि झूठा दावा कर दे कि मैं रजअ़त कर चुका था) और (ऐ गवाहो! अगर गवाही की ज़रूरत पड़े तो) ठीक-ठीक अल्लाह के वास्ते (बिना किसी रियायत के) गवाही दो।

इस मज़मून से उस शख़्स को नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और कियामत के दिन पर यक़ीन रखता हो (मतलब यह कि ईमान रखने वाले ही नसीहतों से फ़ायदा उठाते हैं और यूँ तो नसीहतें सब के लिये आ़म हैं), और (ऊपर जो तक़्वे का हुक्म है अहकाम के बाद उसकी अनेक फ़ज़ीलतें इरशाद फ़रमाते हैं- पहली फ़ज़ीलत यह कि) जो शख़्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिये (परेशानियों से) निजात की शक्ल निकाल देता है और (फ़ायदे अ़ता फ़रमाता है। चुनाँचे एक बड़ा फ़ायदा रिज़्क़ है, सो) उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ पहुँचाता है जहाँ उसका गुमान भी नहीं होता। और (एक शोबा इस तक़्वे का तवक्कुल है, उसकी यह ख़ासियत है कि) जो शख़्स अल्लाह पर भरोसा करेगा तो अल्लाह तआ़ला उस (की ज़रूरतों को पूरा करने और उसके काम बनाने) के लिये काफ़ी है (यानी अपने काफ़ी होने का असर ख़ास अहम व मुश्किल मामलात में ज़ाहिर फ़रमाता है वरना उसकी किफ़ायत तो तमाम आ़लम के लिये आ़म है और यह अहम कामों को दुरुस्त करना भी आ़म है चाहे ज़ाहिर में महसूस तरीक़े पर हो या बातिनी और अन्दरूनी तरीक़े पर, क्योंकि) अल्लाह तआ़ला अपना काम (जिस तरह चाहे) पूरा करके रहता है (और इसी तरह भारी और मुश्किल कामों को आसान करने का वक़्त भी उसी के इरादे पर है क्योंकि) अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ का (अपने इल्म में) एक अन्दाज़ा मुक़र्रर कर रखा है (और उसी के मुवाफ़िक़ उसको ज़ाहिर करना हिक्मत के मुताबिक़ होता है)।

(आगे फिर अहकाम की तरफ़ वापस लौटते हैं यानी ऊपर इद्दत का मुख़्तसर तौर पर ज़िक्र था) और (तफ़सील यह है कि) तुम्हारी (तलाक़ दी हुई) बीवियों में से जो औरतें (ज़्यादा उम्र होने की वजह से) माहवारी आने से मायूस हो चुकी हैं, अगर तुमको (उनकी इद्दत के मुतैयन करने में) शुब्हा हो (जैसा कि वाक़िए में शुब्हा हुआ था और पूछा था) तो उनकी इद्दत तीन महीने हैं। और इसी तरह जिन औरतों को (अब तक उम्र कम होने की वजह से) माहवारी नहीं आई (उनकी इद्दत भी तीन महीने हैं) और गर्भवती औरतों की इद्दत उस गर्भ का पैदा हो जाना है (चाहे कामिल हो या नाक़िस, बशर्ते कि कोई बदनी अंग बन गया हो चाहे एक उंगली ही सही) और (चूँकि तक़्वा व परहेज़गारी ख़ुद भी एक बड़ी अ़ज़ीमुश्शान चीज़ है और ऊपर बयान हुए अहकाम में जो कि दुनियावी मामलात से संबन्धित हैं आम तबीयतों में ख़्याल हो सकता है कि इन दुनियावी मामलों को दीन से क्या ताल्लुक़, हम जिस तरह चाहें कर लें इसलिये आगे फिर तक़्वे "अल्लाह से डरने और सही रास्ता इख़्तियार करने" का मज़मून है, यानी) जो शख़्स अल्लाह से डरेगा अल्लाह तआ़ला उसके हर एक काम में आसानी कर देगा (आख़िरत की या दुनिया की, ज़ाहिर में या बातिन में)।

(आगे फिर अहकाम पर अमल करने की ताकीद करने के लिये इरशाद है कि) यह (जो कुछ ज़िक्र हुआ) अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारे पास भेजा है। और जो शख़्स (इन मामलात में और दूसरे मामलात में भी) अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह उसके गुनाहों को दूर कर देगा (जो कि बड़े नुक़सान का सबब हैं) और उसको बड़ा अज्र देगा (जो सबसे बड़े फ़ायदे का हासिल होना है। आगे फिर तलाक़ दी हुई औरतों के अहकाम का बयान है, यानी इद्दत में इद्दत को लम्बा न करने और रहने का हक़ देने के अलावा उनके कुछ और हुक़ूक़ भी हैं, वो यह कि) तुम उन (तलाक़ दी हुई) औरतों को अपनी गुन्जाईश के मुवाफ़िक़ रहने का मकान दो जहाँ तुम रहते हो (यानी इद्दत में रहने का ठिकाना देना भी तलाक़ पाने वाली औरत को वाजिब है अलबत्ता तलाक़-ए-बायना में एक मकान में तन्हाई के साथ दोनों का रहना जायज़ नहीं, बल्कि पर्दा बीच में आड़ होना ज़रूरी है) और उनको तंग करने के लिये (ठिकाना देने के बारे में) तकलीफ़ मत पहुँचाओ (मसलन कोई ऐसी बात करने लगो जिससे वे परेशान होकर निकल जायें) और अगर वे (तलाक़ दी हुई) औरतें गर्भ से हों तो गर्भ पैदा होने तक उनको (खाने-पीने का) ख़र्चा दो (बख़िलाफ़ उन औरतों के जिनको गर्भ न हो कि उनको ख़र्च देने की हद तीन हैज़ या तीन महीने हैं)।

(और ये अहकाम तो इद्दत के मुताल्लिक़ थे) फिर अगर (इद्दत के बाद) वे (तलाक़ दी हुई) औरतें (जबकि पहले ही से बच्चे वाली हों या बच्चा पैदा होने से ही उनकी इद्दत ख़त्म हुई हो) तुम्हारे लिये (बच्चे को उजरत पर) दूध पिला दें तो तुम उनको (तय की हुई) उजरत दो, और (उजरत के बारे में) आपस में मुनासिब तरीक़े पर मश्चिरा कर लिया करो। (यानी न तो औरत इस क़द्र ज़्यादा माँगे कि मर्द को दूसरी अन्ना "दूध पिलाने वाली" ढूँढनी पड़े और न मर्द इस क़द्र कम देना चाहे कि औरत का काम न चल सके, बल्कि जहाँ तक हो सके दोनों इसका ख़्याल रखें कि माँ ही दूध पिलाये कि बच्चे की इसमें ज़्यादा बेहतरी व भलाई है) और अगर तुम आपस में कश्मकश करोगे तो कोई दूसरी औरत दूध पिला देगी (यहाँ बात ख़बर देने के अन्दाज़ में है मगर मक़सद इस ख़बर से हुक्म देना है, यानी और किसी अन्ना को तलाश कर लिया जाये, न माँ को मजबूर किया जाये न बाप को, और ख़बर की सूरत में जो हुक्म बयान किया गया है इसमें यह नुक्ता है कि मर्द को कम उजरत तय करने पर तंबीह व फटकार है कि आख़िर कोई और औरत पिलायेगी और वह भी ग़ालिबन बहुत कम न लेगी, फिर यह कम देना माँ ही के लिये क्यों तजवीज़ की जाये, और औरत को ज़्यादा उजरत माँगने पर तंबीह व फटकार है कि तू न पिलायेगी तो और कोई उपलब्ध हो जायेगी, क्या दुनिया में एक तू ही है जो इस क़द्र ज़्यादा उजरत माँगती है)।

(आगे बच्चे के ख़र्चे के बारे में इरशाद है कि) गुन्जाईश वाले को अपनी गुन्जाईश के मुताबिक़ (बच्चे पर) ख़र्च करना चाहिये। और जिसकी आमदनी कम हो उसको चाहिये कि अल्लाह ने जितना उसको दिया है उसमें से ख़र्च करे (यानी अमीर आदमी अपनी हैसियत के मुवाफ़िक़ ख़र्च उठाये और ग़रीब आदमी अपनी हैसियत के मुवाफ़िक़, क्योंकि) ख़ुदा तआ़ला

किसी शख़्स को उससे ज़्यादा का पाबन्द नहीं बनाता जितना उसको दिया है (और तंगदस्त आदमी ख़र्च करता हुआ इससे न डरे कि ख़र्च करने से बिल्कुल ही कुछ न बचेगा जैसा कि बाज़े आदमी इस डर से औलाद को कत्ल कर डालते हैं। पस इरशाद है कि) ख़ुदा तआला तंगी के बाद जल्द ही फ़रागृत भी देगा (अगरचे आवश्यकता व ज़रूरत के पूरा करने के बराबर हो, और यही बात अल्लाह तआला के इस क़ौल में इरशाद फ़रमाई गयी है:

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ.

"और न मार डालो अपनी औलाद को तंगदस्ती व ग़ुर्बत के डर से, हम रोज़ी देते हैं उनको और तुमको।")

मआरिफ़ व मसाईल

निकाह व तलाक़ की शरई हैसियत और उनका हकीमाना निज़ाम

मआरिफ़ुल-क़ुरआन की पहली जिल्द में सूरः ब-क़रह की आयत नम्बर 229 व 230 की तफ़सीर में इसी ऊपर ज़िक्र हुए उनवान के तहत में पूरी तफ़सील लिखी जा चुकी है उसको मुलाहिज़ा फ़रमा लें जिसका ख़ुलासा यह है कि निकाह व तलाक़ का मामला हर मज़हब व क़ौम में ख़रीद व बेच और किराये व उजरत के आ़म मामलात की तरह नहीं कि दोनों पक्षों की रज़ामन्दी से जिस तरह चाहें कर लें बल्कि हर मज़हब व क़ौम के लोग हमेशा से इस पर सहमत हैं कि इन मामलात को एक ख़ास मज़हबी पाकीज़गी व पवित्रता हासिल है उसी की हिदायतों के तहत ये काम अन्जाम पाने चाहियें।

अहले किताब (यहूदी व ईसाई) तो बहरहाल एक आसमानी दीन और आसमानी किताब से निस्बत रखते हैं, उनमें सैकड़ों रद्दोबदल के बावजूद इतनी बात अभी भी साझा बाक़ी है कि इन मामलात में कुछ मज़हबी शर्तों और हदों के पाबन्द हैं। काफ़िर व मुश्रिक लोग जो कोई आसमानी किताब और मज़हब नहीं रखते मगर किसी न किसी सूरत में ख़ुदा तआ़ला के क़ायल हैं जैसे हिन्दू, आरिया, सिख, मजूसी, आग के पुजारी, सितारों के पुजारी लोग, वे भी निकाह व तलाक़ के मामलों को ख़रीद व बेच और किराये व उजरत के आ़म मामलों की तरह नहीं समझते, उनके यहाँ भी कुछ मज़हबी रस्में हैं जिनकी पाबन्दी इन मामलात में लाज़िम समझते हैं और उन्हें उसूल व रस्मों पर तमाम धर्मों व फ़िर्क़ों के ख़ानदानी क़ानून चलते हैं।

सिर्फ़ दहरिया और ला-मज़हब ख़ुदा के इनकारी लोगों का एक फ़िर्क़ा है जो ख़ुदा व मज़हब ही से बेज़ार है, वह इन चीज़ों को भी उजरत पर तय कर लेने की तरह आपसी रज़ामन्दी से तय हो जाने वाला एक मामला क़रार देते हैं जिसका मक़सद अपने जिन्सी जज़्बात की पूर्ति से आगे कुछ नहीं। अफ़सोस है कि आजकल दुनिया में यही नज़रिया आ़म होता जाता है जिसने इनसानों को जंगल के जानवरों की सफ़ में खड़ा कर दिया है। किसी से क्या शिकवा किया जाये बस अल्लाह ही से फ़रियाद की जा सकती है।

इस्लामी शरीअ़त एक मुकम्मल और ज़िन्दगी के पाकीज़ा निज़ाम नाम है, इसमें निकाह को सिर्फ़

एक मामला और समझौता नहीं बल्कि एक तरह से इबादत की हैसियत बख़्शी है जिसमें कायनात के ख़ालिक़ की तरफ़ से इनसानी फ़ितरत में रखे हुए जिन्सी जज़्बात को पूरा करने का बेहतरीन और पाकीज़ा सामान भी है और मर्द व औरत के मियाँ-बीवी वाले ताल्लुक़ात से जो आबादी के मसाईल नस्ल के बाक़ी रखने और औलाद की तरबियत से संबन्धित हैं उनका भी दरमियानी राह वाला और हकीमाना बेहतरीन निज़ाम मौजूद है।

और चूँकि निकाह के बन्धन के सही होने पर आम इनसानी नस्ल का दुरुस्त होना मौक़ूफ़ है इसलिये क़ुरआने करीम में इन ख़ानदानी और निकाह व तलाक़ के मसाईल को तमाम दूसरे मामलात से ज़्यादा अहमियत दी है। क़ुरआने करीम को ध्यान से पढ़ने वाला यह अ़जीब बात देखेगा कि दुनिया के आ़म आर्थिक मसाईल में सबसे अहम तिजारत, साझेदारी और उजरत वग़ैरह के मामलात हैं, क़ुरआने हकीम ने इनके तो सिर्फ़ उसूल बतलाने पर बस किया है, इनके ऊपर के अहकाम क़ुरआन में कहीं इत्तिफ़ाक़िया ही आये हैं, बख़िलाफ़ निकाह व तलाक़ के कि इनमें सिर्फ़ उसूल बतलाने पर बस नहीं फ़रमाया बल्कि इनके ज़्यादातर ऊपर के अहकाम और छोटे-छोटे मसाईल को भी डायरेक्ट हक़ तआ़ला ने क़ुरआने करीम में नाज़िल फ़रमाया है।

ये मसाईल क़ुरआन की अक्सर सूरतों में अलग-अलग और सूरः निसा में कुछ ज़्यादा तफ़सील से आये हैं। यह सूरत जो सूरः तलाक़ के नाम से नामित है इसमें विशेष रूप से तलाक़ और इद्दत वग़ैरह के अहकाम का ज़िक्र है, इसी लिये हदीस की कुछ रिवायतों में इसको छोटी सूरः निसा भी कहा गया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, बुख़ारी के हवाले से)

इस्लामी उसूल का रुख़ (मक़सद व रुझान) यह है कि जिन मर्द व औ़रत में इस्लामी उसूल के मुताबिक़ निकाह का ताल्लुक़ क़ायम हो वह पायेदार और उम्र भर का रिश्ता हो जिससे उन दोनों का दुनिया व दीन भी दुरुस्त हो और उनसे पैदा होने वाली औलाद के आमाल व अख़्लाक़ भी दुरुस्त हों। इसी लिये निकाह के मामले में शुरू से आख़िर तक हर क़दम पर इस्लाम की हिदायतें यह हैं कि इस ताल्लुक़ को कड़वाहटों और रंजिशों से पाक-साफ़ रखने की और अगर कभी पैदा हो जाये तो उनके दूर करने की पूरी कोशिश की गयी है। लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद बहुत सी बार दोनों पक्षों की ज़िन्दगी की फ़लाह (बेहतरी) इसी में मुन्हसिर हो जाती है कि यह ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया जाये। जिन धर्मों में तलाक़ का उसूल नहीं है उनमें ऐसे वक़्तों में सख़्त मुश्किलों का सामना होता है और कई बार बहुत ही बुरे परिणाम सामने आते हैं इसलिये इस्लाम ने निकाह के क़ानूनों की तरह तलाक़ के भी उसूल व क़ायदे मुक़र्रर फ़रमाये, मगर साथ ही ये हिदायतें भी दे दीं कि तलाक़ अल्लाह तआ़ला के नज़दीक बहुत ही नापसन्दीदा और बुरा काम है जहाँ तक मुम्किन हो इससे परहेज़ करना चाहिये। हदीस में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया- हलाल चीज़ों में सबसे ज़्यादा नापसन्दीदा चीज़ अल्लाह के नज़दीक तलाक़ है, और हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि:

تزوّجوا ولا تطلّقوا فانّ الطّلاق يهتزّ منه عرش الرّحمٰن.

यानी निकाह करो और तलाक़ न दो, क्योंकि तलाक़ से रहमान का अर्श हिल जाता है। और हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि औरतों को तलाक़ न दो बग़ैर किसी बदकारी के, क्योंकि अल्लाह तआ़ला उन मर्दों को पसन्द नहीं करता जो सिर्फ़ ज़ायका चखने वाले हैं, और उन औरतों को पसन्द नहीं करता जो सिर्फ़ ज़ायका चखने वाली हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, सालबी की रिवायत से) और दारे क़ुतनी ने हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने ज़मीन पर जो कुछ पैदा फ़रमाया है उन सब में अल्लाह के नज़दीक महबूब गुलामों को आज़ाद करना है, और जितनी चीज़ें ज़मीन पर पैदा की हैं उन सब में नापसन्दीदा और बुरी चीज़ तलाक़ है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

बहरहाल इस्लाम ने अगरचे तलाक़ की हौसला-अफ़ज़ाई नहीं की बल्कि जहाँ तक हो सके इससे रोका है, लेकिन ज़रूरत के कुछ मौक़ों में इजाज़त दी तो इसके लिये कुछ उसूल व क़ायदे बनाकर इजाज़त दी। जिनका हासिल यह है कि इस निकाह के रिश्ते को ख़त्म ही करना ज़रूरी हो जाये तो वह भी ख़ूबसूरती और अच्छे तरीक़े के साथ अन्जाम पाये, सिर्फ़ गुस्सा निकालने और इन्तिक़ामी जज़्बात का खेल बनाने की सूरत न बनने पाये। इस सूरत में तलाक़ के अहकाम को इस तरह शुरू किया गया कि पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को 'या अय्युहन्नबिय्यु' के उनवान से ख़िताब किया गया जो इमाम क़ुर्तुबी रह. के बयान के मुताबिक़ उन मौक़ों में इस्तेमाल होता है जहाँ हुक्म तमाम उम्मत के लिये आ़म हो, और जिस जगह कोई हुक्म रसूल की ज़ात से मुताल्लिक़ होता है तो वहाँ 'या अय्युहर्रसूलु' से ख़िताब किया जाता है।

इस जुमले 'या अय्युहन्नबिय्यु' का तक़ाज़ा यह था कि आगे भी एक वचन के कलिमे के साथ अहकाम का बयान होता मगर यहाँ इसके ख़िलाफ़ बहुवचन के कलिमे से ख़िताब फ़रमायाः

إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ.

(कि जब औरतों को तलाक़ दो) जो अगरचे प्रत्यक्ष रूप से ख़िताब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को है और बहुवचन के कलिमे से ख़िताब करने में आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ताज़ीम व सम्मान भी है, साथ ही इस तरफ़ इशारा भी कि यह हुक्म आपके लिये ख़ास नहीं, तमाम उम्मत इसमें शरीक है।

और कुछ हज़रात ने इस जगह एक जुमला (वाक्य) पोशीदा क़रार देकर आयत की तफ़सीर यह की है:

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ.

यानी ऐ नबी आप मुसलमानों को बतला दें कि जब वे तलाक़ दिया करें तो आगे बयान किये हुए क़ानून की पाबन्दी करें। ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को इख़्तियार किया गया है। आगे तलाक़ के कुछ अहकाम का बयान है।

पहला हुक्म

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

इद्दत के लफ़्ज़ी मायने अ़दद शुमार करने के हैं। शरई परिभाषा में उस मुद्दत को कहा जाता है जिसमें औरत एक शौहर के निकाह से निकलने के बाद दूसरे निकाह से रोकी और मना की हुई होती है, उस इन्तिज़ार की मुद्दत को इद्दत कहा जाता है। और किसी शौहर के निकाह से निकलने की सूरतें दो होती हैं- एक यह कि शौहर का इन्तिकाल हो जाये, उसकी इद्दत को इद्दत-ए-वफ़ात कहा जाता है जो बिना गर्भ वाली औरत के लिये चार महीने दस दिन मुक़र्रर है। दूसरी सूरत निकाह से निकलने की तलाक़ है। तलाक़ की इद्दत बिना गर्भ वाली औरत के लिये इमामे आज़म अबू हनीफ़ा के नज़दीक तीन तोहर (माहवारी से पाकी का ज़माना) तलाक़ की इद्दत है। बहरहाल उसके लिये कुछ दिन या महीने मुक़र्रर नहीं जितने महीनों में तीन हैज़ या तीन तोहर पूरे हो जायें वही तलाक़ की इद्दत होगी। और जिन औरतों को अभी कम-उम्री की वजह से हैज़ (माहवारी) नहीं आया या ज़्यादा उम्र हो जाने के सबब हैज़ बन्द हो चुका है उनका हुक्म आगे मुस्तक़िल तौर पर आ रहा है। और इसी तरह हमल वाली (गर्भवती) औरतों का हुक्म भी जो आ रहा है उसमें वफ़ात (मौत) की इद्दत और तलाक़ की इद्दत दोनों बराबर हैं।

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

और सही मुस्लिम की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसको 'फ़-तल्लिक़ूहुन्-न लिक़ि-बलि अ़िद्दतिहिन्-न' तिलावत फ़रमाया और हज़रत इब्ने उमर व इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की क़िराअत में भी एक रिवायत में 'लिक़ि-बलि अ़िद्दतिहिन्-न' और दूसरी एक रिवायत में 'फ़ी क़ुबलि अ़िद्दतिहिन्-न' नक़ल किया गया है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

और बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि उन्होंने अपनी औरत को माहवारी की हालत में तलाक़ दे दी थी, हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसका ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से किया तो आप सख़्त नाराज़ हुए फिर फ़रमायाः

ليراجعها ثم يمسكها حتّٰى تطهر ثم تحيض فتطهر فان بداله فليطلقها طاهرًا قبل ان يمسّها فتلك العدّة الّتى امرها الله تعالٰى ان يطلّق بها النّساء.

"उनको चाहिये कि माहवारी की हालत में दी हुई तलाक़ से रुजू कर लें, फिर अपने निकाह में रखें यहाँ तक कि माहवारी से पाकी हासिल हो जाये, और फिर उसके बाद माहवारी आये, उस माहवारी से पाकी हासिल हो जाये, उस वक़्त अगर तलाक़ देनी ही है तो उस तोहर (पाकी की हालत) में सोहबत व हमबिस्तरी किये बग़ैर तलाक़ दे दें। यही वह इद्दत है जिसका अल्लाह तआ़ला ने (ऊपर ज़िक्र हुई) आयत में हुक्म दिया है।" (बुख़ारी व मुस्लिम, तफ़सीरे मज़हरी)

इस हदीस से चन्द बातें साबित हुईं- अव्वल यह कि माहवारी की हालत में तलाक़ देना हराम है, दूसरे यह कि अगर किसी ने ऐसा कर लिया तो उस तलाक़ से रजअ़त कर लेना वाजिब है (बशर्ते कि

तलाक़ रुजू करने के क़ाबिल हो जैसा कि हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के वाक़िए में थी), तीसरे यह कि जिस तोहर (पाकी की हालत) में तलाक़ देनी है उसमें औरत से सोहबत व हमबिस्तरी न हो, चौथे यह कि क़ुरआन की आयतः

فَطَلِّقُوْهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ

की यही तफ़सीर है।

उक्त आयत की दोनों क़िराअतों से फिर हदीस की एक रिवायत में उक्त आयत का यह मफ़्हूम मुतैयन हो गया कि जब किसी औरत को तलाक़ देनी हो तो इद्दत शुरू होने से पहले तलाक़ दी जाये। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक चूँकि इद्दत माहवारी से शुरू होती है तो आयत के मायने यह क़रार दिये कि जिस तोहर (पाकी के ज़माने) में तलाक़ देने का इरादा हो उसमें औरत से हमबिस्तरी न करे और तोहर के आख़िर में माहवारी शुरू होने से पहले तलाक़ दे दे। और इमाम शाफ़ई रह. वग़ैरह के नज़दीक चूँकि इद्दत तोहर (पाकी के समय) ही से शुरू होती है इसलिये 'लिइ्क़ि-बलि अिद्दतिहिन्-न' का मफ़्हूम यह क़रार दिया कि बिल्कुल शुरू तोहर में तलाक़ दे दी जाये, और यह बहस कि इद्दत तीन हैज़ (माहवारी) हैं या तीन तोहर, इसका बयान सूरः ब-क़रह की आयत 228 की तफ़सीर में गुज़र चुका है।

बहरहाल तलाक़ के मुताल्लिक़ पहला हुक्म इस आयत से तमाम उम्मत के नज़दीक यह साबित हुआ कि माहवारी की हालत में तलाक़ देना भी हराम है और ऐसे तोहर (पाकी की हालत) में जिसमें औरत के साथ हमबिस्तरी व सोहबत कर ली हो उसमें भी तलाक़ देना हराम है, और हराम होने की वजह दोनों में यह है कि इन दोनों सूरतों में औरत की इद्दत लम्बी हो जायेगी जो उसके लिये तकलीफ़ व परेशानी का सबब है, क्योंकि जिस माहवारी में तलाक़ दी वह माहवारी तो इद्दत में शुमार नहीं होगी बल्कि माहवारी के दिन पूरे हों, और इमाम अबू हनीफ़ा के मज़हब के मुताबिक़ उसके बाद का तोहर (पाकी का ज़माना) भी ख़ाली गुज़रे, फिर जब दूसरी माहवारी आये तो उस वक़्त इद्दत शुरू होगी जिसमें बड़ा लम्बा समय लगता है, और इमाम शाफ़ई रह. के मज़हब के मुताबिक़ भी कम से कम माहवारी के बाक़ी बचे दिन जो इद्दत से पहले गुज़रेंगे वो ज़्यादा हो जायेंगे। तलाक़ का यह पहला हुक्म ही इस अहम हिदायत पर मुश्तमिल है कि तलाक़ कोई गुस्सा निकालने या इन्तिक़ाम की चीज़ नहीं बल्कि मजबूरी के दर्जे में दोनों पक्षों की राहत का इन्तिज़ाम है, इसलिये तलाक़ देने के वक़्त ही से इसका ख़्याल रखना ज़रूरी है कि औरत को लम्बी इद्दत की बिला वजह तकलीफ़ न पहुँचे।

और यह हुक्म सिर्फ़ उन औरतों के लिये है जिन पर इद्दत गुज़ारना माहवारी या तोहर से लाज़िम है और जिन औरतों पर इद्दत वाजिब ही नहीं मसलन वह औरत जिससे तन्हाई ही अभी तक नहीं हुई उस पर सिरे से इद्दत ही लाज़िम नहीं, उसको माहवारी की हालत में भी तलाक़ दे दी जाये तो जायज़ है। इसी तरह वह औरत जिसको कम-उम्री या उम्र के ज़्यादा होने के सबब माहवारी नहीं आती इसलिये उसकी इद्दत में माहवारी व तोहर का कोई एतिबार ही नहीं बल्कि उनकी इद्दत महीनों के हिसाब से तीन माह है उनको किसी भी हालत में तलाक़ दे दी जाये या सोहबत व हमबिस्तरी के बाद

तलाक़ दे दी जाये सब जायज़ है जैसा कि आगे आयतों में आ रहा है।

(अज़ तफ़सीरे मज़हरी, कुछ चीज़ों की वज़ाहतों के साथ)

दूसरा हुक्म

وَاَحْصُوا الْعِدَّةَ

दूसरा हुक्म है 'व अह्सुल्-अिद्द-त'। इहसा के मायने शुमार करने के हैं। आयत के मायने यह हैं कि इद्दत के दिनों को एहतिमाम के साथ याद रखना चाहिये, ऐसा न हो कि भूल में पड़कर इद्दत को ख़त्म होने से पहले ही उसको पूरा समझ ले। और यह ज़िम्मेदारी इद्दत के दिनों को महफ़ूज़ रखने की मर्द व औरत दोनों पर आयद है, मगर यहाँ पुल्लिंग का सीग़ा (कलिमा) इस्तेमाल किया गया क्योंकि आम तौर पर जो अहकाम मर्द व औरत में साझा हैं उनमें उमूमन ख़िताब पुल्लिंग के लफ़्ज़ ही से आता है, औरतें उनके ताबे होकर उसमें दाख़िल समझी जाती हैं, और इस ख़ास मसले में वह हिक्मत भी हो सकती है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखी गयी है कि औरतों में ग़फ़लत का शुब्हा व संभावना ज़्यादा है इसलिये डायरेक्ट ज़िम्मेदारी मर्दों पर डाली गयी।

तीसरा हुक्म

لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِنْۢ بُيُوْتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ

(न निकालो उनको उनके घरों से) इसमें लफ़्ज़ 'उनके घरों' फ़रमाकर इस तरफ़ इशारा कया कि जब तक उनका रहने का हक़ मर्द के ज़िम्मे है उस घर में उसका हक़ है, उसमें रहने और ठहरने को बहाल रखना कोई एहसान नहीं बल्कि एक वाजिब हक़ का अदा करना है, बीवी के हुक़ूक़ में से एक हक़ उसका रहने का ठिकाना देने का भी है। इस आयत ने बतला दिया कि यह हक़ सिर्फ़ तलाक़ दे देने से ख़त्म नहीं हो जाता बल्कि इद्दत के दिनों तक औरत को उसी जगह रहने का हक़ हासिल है। और उनका घर से निकाल देना इद्दत के पूरा होने से पहले ज़ुल्म व हराम है, इसी तरह ख़ुद उनके लिये अपने इख़्तियार से उन घरों से निकल जाना भी हराम है अगरचे शौहर भी इसकी इजाज़त दे दे क्योंकि इद्दत के दिन उसी मकान में गुज़ारना शौहर ही का हक़ नहीं बल्कि अल्लाह का भी हक़ है जो अल्लाह की जानिब से इद्दत करने वाली पर लाज़िम है (हनिफ़यों का यही मज़हब है)।

चौथा हुक्म

اِلَّآ اَنْ يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ

यानी इद्दत गुज़ारने वाली औरतों को उनके घरों से निकालना हराम है मगर इसमें से यह सूरत अलग है कि औरत किसी खुली बेहयाई में मुब्तला हो जाये। इस खुली बेहयाई से क्या मुराद है इसमें तफ़सीर के इमामों के तीन क़ौल नक़ल किये गये हैं।

अव्वल यह कि बेहयाई से मुराद ख़ुद यही घर से निकल जाना है, तो इस सूरत में यह अलग करना सिर्फ़ देखने में अलग होने को बयान करना है जिससे घर से निकलने की इजाज़त देना मक़सूद

नहीं बल्कि उसकी मनाही को और ज़्यादा ताकीद व मज़बूती से बयान करना है। इसकी मिसाल ऐसी है जैसे यह कहा जाये कि फ़ुलाँ काम किसी को नहीं करना चाहिये सिवाय इसके कि वह आदमियत ही से निकल जाये, या कि अपनी माँ को गाली न दो सिवाय इसके कि तुम माँ के बिल्कुल ही नाफ़रमान हो जाओ, तो यह ज़ाहिर है कि पहली मिसाल में इस अलग करने की सूरत से उस काम का जायज़ होना बतलाना मन्ज़ूर नहीं, और दूसरी मिसाल में माँ की नाफ़रमानी का जायज़ होना साबित करना नहीं बल्कि एक प्रभावी अन्दाज़ में इसकी और भी ज़्यादा मनाही व बुराई का बयान है, तो आयत के मज़मून का ख़ुलासा इस सूरत में यह हुआ कि तलाक़ पाने वाली औरतें अपने शौहरों के घरों से न निकलें मगर यह कि वे बेहयाई ही पर उतर आयें और निकल भागें, तो इसका मतलब निकल भागने का जायज़ होना नहीं बल्कि और ज़्यादा बुराई और मनाही को साबित करना है। 'फ़ाहिशा-ए-मुबय्यिना' की यह तफ़सीर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु, इमाम सुद्दी, इब्ने साईब, नख़ई वग़ैरह से मन्क़ूल है, और इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. ने इसी को इख़्तियार फ़रमाया है। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

दूसरा कौल यह है कि 'फ़ाहिशा-ए-मुबय्यिना' से मुराद ज़िना और बदकारी है। इस सूरत में हुक्म से अलग करना अपने मायने में है कि अगर तलाक़ पाने वाली औरत ने ज़िना किया और जुर्म उस पर साबित हो गया तो उसको शरई सज़ा जारी करने के लिये लाज़िमी तौर पर इद्दत वाले घर से निकाला जायेगा। यह तफ़सीर हज़रत क़तादा, हसन बसरी, शअ़बी, ज़ैद बिन असलम और ज़ह्हाक व इक्रिमा वग़ैरह से मन्क़ूल है, इमाम अबू यूसुफ़ रह. ने इसी कौल को इख़्तियार किया है।

तीसरा कौल यह है कि 'फ़ाहिशा-ए-मुबय्यिना' से मुराद ज़बान-दराज़ी और लड़ाई-झगड़ा है, तो आयत के मायने यह होंगे कि तलाक़ पाने वाली औरतों को उनके घरों से निकालना जायज़ नहीं सिवाय उस सूरत के कि औरत बदज़ुबान झगड़ालू हो, अपने शौहर और उसके संबन्धियों व घर वालों से बदज़ुबानी के साथ पेश आये तो ऐसी सूरत में उसको इद्दत के घर से निकाला जा सकता है। 'फ़ाहिशा-ए-मुबय्यिना' की यह तफ़सीर हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से अनेक रिवायतों से मन्क़ूल है, और उक्त आयत में हज़रत उबई बिन कअ़ब और अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद की क़िराअत इस तरह है (इल्ला अंय्यफ़्हु-श) इस लफ़्ज़ के ज़ाहिरी मायने गन्दा व बुरा कलाम और बदज़ुबानी के हैं। इस क़िराअत से भी आख़िरी तफ़सीर की ताईद होती है (रूहुल-मआ़नी) इस सूरत में भी हुक्म से अलग करने की यह सूरत अपनी हक़ीक़त पर रहेगी कि बदज़ुबानी और झगड़ा करने की सूरत में तलाक़ वाली औरत को इद्दत के मकान से निकाला जा सकता है।

यहाँ तक तलाक़ के मुताल्लिक़ चार अहकाम का बयान आया है और आगे मज़ीद अहकाम बयान होंगे, मगर इनके बीच में उक्त अहकाम की पाबन्दी की ताकीद और उसकी मुख़ालफ़त से बचने के लिये चन्द वअ़ज़ व नसीहत के जुमले बयान होते हैं। यह क़ुरआने हकीम का ख़ास अन्दाज़ है कि हर हुक्म के बाद ख़ुदा तआ़ला के ख़ौफ़ और आख़िरत की फ़िक्र याद दिलाकर उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन) को रोका गया है कि क्योंकि मियाँ-बीवी का रिश्ता और आपस के हुक़ूक़ की पूरी अदायेगी का इन्तिज़ाम किसी क़ानून के ज़रिये नहीं हो सकता इसके लिये ख़ुदा व आख़िरत का

ख़ौफ़ ही रोकने वाली चीज़ है।

وَتِلْكَ حُدُوْدُاللّٰهِ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ. لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○

'हुदूदुल्लाह' (अल्लाह की हदों) से मुराद शरीअ़त के मुक़र्रर किये हुए क़वानीन हैं।

'व मंय्य-तअ़द्द-द' यानी जो शख़्स अल्लाह की हदों से बढ़े यानी उन हदों व अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी करे।

فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ.

तो उसने अपनी जान पर ज़ुल्म किया। यानी अल्लाह का या इस्लामी शरीअ़त का कुछ नहीं बिगाड़ा अपना ही नुक़सान किया है, और यह नुक़सान आ़म है दीनी भी और दुनियावी भी। दीनी नुक़सान तो इसमें ख़िलाफ़े शरीअ़त करने का गुनाह और उसका आख़िरत का वबाल है, और दुनियावी नुक़सान यह है कि जो शख़्स शरई हिदायतों के बग़ैर तलाक़ दे बैठता है वह अक्सर तीन तलाक़ों तक पहुँच जाता है जिसके बाद आपस में रुजू (बीवी को वापस लाना) या नया निकाह भी नहीं हो सकता और आदमी अक्सर तलाक़ देने के बाद पछताता और मुसीबत झेलता है, ख़ास तौर पर जबकि औलाद वाला भी हो, इसलिये यह मुसीबत दुनिया ही में अपनी जान पर पड़ी। और बहुत से लोग जो बीवी को तकलीफ़ देने और नुक़सान पहुँचाने की नीयत से ज़ालिमाना तौर पर तलाक़ देते हैं अगरचे उसकी तकलीफ़ औरत को भी कुछ पहुँच जाये लेकिन उसके लिये ज़ुल्म पर ज़ुल्म और दोहरा वबाल हो जायेगा- एक अल्लाह की मुक़र्रर की हुई हदों को तोड़ने का, दूसरे औरत पर ज़ुल्म करने का जिसकी हक़ीक़त यह है किः

पिन्दाश्त सितमगर कि जफ़ा बर-मा कर्द
बर गर्दने वे ब-मानद् व बर-मा ब-गुज़िश्त

(यानी हम पर ज़ुल्म करने वाले सितमगर अच्छी तरह जान ले कि तेरे सितम का वार हम पर से तो गुज़र गया मगर तेरी गर्दन पर उसका वबाल पड़ना बाक़ी है। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**)

لَا تَدْرِىْ لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا ○

यानी तुम नहीं जानते शायद अल्लाह तआ़ला इस ग़ुस्से व नाराज़गी के बाद कोई दूसरी हालत पैदा फ़रमा दें कि बीवी से जो राहतें मिलती थीं और औलाद की परवरिश और घर के इन्तिज़ाम की सहूलियतें थीं उनका ख़्याल करके तुम फिर अपनी तलाक़ पर पछताओ और दोबारा उसको निकाह में रखने का इरादा करो तो दोबारा निकाह में रहने की सूरत तभी हो सकती है जबकि तुम तलाक़ के वक़्त शरई हदों की रियायत करो कि बिला वजह तलाक़ को **बायना** न करो बल्कि **रजई** रहने दो जिसमें रजअ़त करने (वापस रख लेने) का शौहर को इख़्तियार होता है, रजअ़त कर लेने से पहला निकाह बदस्तूर क़ायम रह जाता है। और यह कि तीन तलाक़ तक नौबत न पहुँचा दो जिसके बाद रजअ़त का हक़ नहीं रहता और दोनों की रज़ामन्दी के बावजूद आपस में दोबारा निकाह भी शरअ़न हलाल नहीं होता।

فَاِذَا بَلَغْنَ اَجَلَهُنَّ فَاَمْسِكُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ اَوْفَارِقُوْهُنَّ بِمَعْرُوْفٍ.

'अ-ज-लहुन्-न' में में लफ़्ज़ अजल इद्दत के मायने में है और 'बुलूग़े अजल' से मुराद इद्दत का ख़त्म होने के क़रीब होना है।

तलाक़ के मुताल्लिक़ पाँचवाँ हुक्म

इस आयत में यह इरशाद हुआ है कि जब तलाक़ पाने वाली बीवी की इद्दत ख़त्म होने के क़रीब पहुँचे तो अब निकाह से निकल जाने का वक़्त आ गया, उस वक़्त तक वक़्ती तास्सुरात और ग़म व ग़ुस्से की कैफ़ियत भी ख़त्म हो जानी चाहिये, उस वक़्त फिर संजीदगी के साथ ग़ौर कर लो कि निकाह रखना बेहतर है या उसका बिल्कुल ख़त्म देना। अगर निकाह में रखने की राय हो जाये तो उसको रोक लो जिसकी मस्नून सूरत अगली आयत के इशारे और हदीस के इरशाद के मुताबिक़ यह है कि ज़बान से कह दो कि मैंने अपनी तलाक़ से रुजू कर लिया और इस पर दो गवाह भी बना लो।

और अगर अब भी यही राय क़ायम हो कि निकाह ख़त्म करना है तो फिर उसको ख़ूबसूरती के साथ आज़ाद कर दो। यानी इद्दत ख़त्म हो जाने दो, इद्दत पूरी होते ही वह आज़ाद ख़ुद-मुख़्तार हो जायेगी।

छठा हुक्म

इद्दत के ख़त्म होने के वक़्त बीवी को रोकना और निकाह में रखना तय हो या आज़ाद कर देना, दोनों में क़ुरआने करीम ने 'बि-मअ़रूफ़िन्' की क़ैद लगा दी है। मारूफ़ के लफ़्ज़ी मायने पहचाना हुआ तरीक़ा, और इससे मुराद यह है कि जो तरीक़ा शरीअ़त व सुन्नत से साबित और इस्लाम और मुसलमानों में आ़म तौर पर परिचित व प्रचलित है वह इख़्तियार करो, वह यह है कि अगर निकाह में रखना और रजअ़त करना तय करो तो आगे उसको ज़बान या अ़मल से तकलीफ़ न पहुँचाओ और उस पर एहसान न जतलाओ, और उसकी जो अ़मली या अख़्लाक़ी कमज़ोरी तलाक़ का सबब बन रही थी आगे ख़ुद भी उस पर सब्र करने का पुख़्ता इरादा कर लो ताकि फिर वह तल्ख़ी पैदा न हो, और अगर आज़ाद करना तय हो तो उसमें अच्छा व मस्नून तरीक़ा यह है कि उसको ज़लील व रुस्वा करके या बुरा-भला कहकर घर से न निकालो बल्कि अच्छे अख़्लाक़ के साथ रुख़्सत करो। और जैसा कि क़ुरआने करीम की दूसरी आयतों से साबित है चलते वक़्त उसको कपड़े का कोई जोड़ा देकर रुख़्सत करना कम से कम मुस्तहब (अच्छा और बेहतर) ज़रूर है, बाज़ी सूरतों में वाजिब भी है जिसकी तफ़सील मसाईल की किताबों में है।

सातवाँ हुक्म

उक्त आयत में रोकने या आज़ाद करने के दो इख़्तियार देने से और इससे पहली आयत में:

لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا○

से ज़िमनी तौर पर यह समझ में आता है कि अल्लाह तआ़ला का मन्शा यह है कि तलाक़ देने की मजबूरी ही पेश आ जाये तो तलाक़ ऐसी दी जाये जिसमें रजअ़त करने का हक़ बाक़ी रहे, जिसकी मस्नून सूरत यह है कि साफ़ लफ़्ज़ों में में सिर्फ़ एक तलाक़ दे दे और उसके साथ ग़ुस्से व

नाराज़गी के इज़हार के लिये ऐसा कोई लफ़्ज़ न बोले जो निकाह के रिश्ते को पूरी तरह ख़त्म कर देने पर दलालत करता हो, मसलन कह दे कि मेरे घर से निकल जाओ, या कह दे तुम्हें बहुत सख़्त तलाक़ देता हूँ, या कह दे कि अब मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ निकाह का बाक़ी नहीं, ऐसे अलफ़ाज़ अगर स्पष्ट तलाक़ के साथ भी कह दिये जायें या ख़ुद यही अलफ़ाज़ तलाक़ की नीयत से कह दिये जायें तो इससे रजअ़त (निकाह में वापस लौटा लेने) का हक़ बातिल हो जाता है। यह शरीअ़त की इस्तिलाह में 'तलाक़-ए-बायना' हो जाती है जिससे निकाह फ़ौरन टूट जाता है और रजअ़त का हक़ बाक़ी नहीं रहता। और इससे ज़्यादा सख़्त यह है कि तलाक़ को तीन के अ़दद तक पहुँचा दे कि उसका नतीजा यह होगा कि शौहर का सिर्फ़ रजअ़त का हक़ ही नहीं छिन जायेगा बल्कि आईन्दा अगर मर्द व औ़रत दोनों राज़ी होकर आपस में निकाह भी करना चाहें तो नया निकाह भी न हो सकेगा जैसा कि सूरः ब-क़रह की इस आयत में है:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ م بَعْدُ حَتّٰى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ.

तीन तलाक़ एक ही वक़्त में देना हराम है, मगर किसी ने ऐसा किया तो तीनों तलाक़ पड़ जायेंगी, इस पर उम्मत एकमत है

आजकल दीन से बेपरवाही और उसके अहकाम से ग़फ़लत बुरी तरह आ़म होती जाती है, जाहिलों का तो कहना क्या है लिखे-पढ़े अर्ज़ी व दस्तावेज़ लिखने वाले भी तीन तलाक़ से कम को गोया तलाक़ ही नहीं समझते और रात-दिन यह देखा जाता है कि तीन तलाक़ें देने वाले बाद में पछताते हैं और इस फ़िक्र में रहते हैं कि किसी तरह बीवी हाथ से न जाये। सही हदीस में तीन तलाक़ एक ही बार में देने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सख़्त ग़ज़बनाक होना इमाम नसाई ने हज़रत महमूद बिन लबीद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है, इसी लिये एक वक़्त में तीन तलाक़ देना तमाम उम्मत की सर्वसम्मति से हराम व नाजायज़ है। और अगर कोई शख़्स तीन तोहर में अलग-अलग तीन तलाक़ों तक पहुँच जाये तो उसके नापसन्दीदा होने पर भी उम्मत का इजमा (एक राय होना) और ख़ुद क़ुरआन की आयतों के इशारे से साबित है, सिर्फ़ इसमें मतभेद है कि यह सूरत भी हराम व नाजायज़ और तलाक़े बिदअ़त में दाख़िल है या ऐसा नहीं। इमाम मालिक रह. के नज़दीक हराम है, इमामे आज़म अबू हनीफ़ा व इमाम शाफ़ई हराम तो नहीं कहते यानी इस सूरत को तलाक़े बिदअ़त में शुमार नहीं करते बल्कि तलाक़े सुन्नत में दाख़िल समझते हैं मगर नापसन्दीदा काम उनके नज़दीक भी है, इसकी तफ़सील सूरः ब-क़रह की आयत 229 व 230 की तफ़सीर में मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की पहली जिल्द में मज़कूर है।

मगर जिस तरह तीन तलाक़ एक ही वक़्त में देने के हराम होने पर पूरी उम्मत का इजमा (एक राय) है इसी तरह इस पर भी इजमा है (सब एकमत हैं) कि हराम होने के बावजूद कोई शख़्स ऐसा कर गुज़रे तो तीनों तलाक़ पड़कर आईन्दा आपस में नया निकाह भी हलाल नहीं होगा। पूरी उम्मत में कुछ अहले हदीस और शिया हज़रात के सिवा चारों मज़ाहिब इस पर मुत्तफ़िक़ हैं कि तीन तलाक़

एक वक़्त में भी दे दी गयीं तो तीनों वाके हो जायेंगी, क्योंकि किसी फ़ेल के हराम होने से उसके आसार का ज़ाहिर व वाके होना मुतास्सिर नहीं हुआ करता, जैसे कोई किसी को बेगुनाह क़त्ल कर दे तो यह फ़ेल हराम होने के बावजूद मक़्तूल तो बहरहाल मर ही जायेगा। इसी तरह तीन तलाक़ एक वक़्त में हराम होने के बावजूद तीनों का पड़ जाना लाज़िमी चीज़ है।

और सिर्फ़ चारों इमामों के मज़ाहिब का ही नहीं बल्कि इस पर सहाबा-ए-किराम का भी इजमा हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में मन्क़ूल व परिचित है, इसका भी मुकम्मल बयान मआरिफ़ुल-क़ुरआन पहली जिल्द में आयत 229 व 230 की तफ़सीर के अन्दर तफ़सील के साथ आ चुका है, उसको देख लिया जाये।

وَاَشْهِدُوْا ذَوَىْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ وَاَقِيْمُوا الشَّهَادَةَ لِلّٰهِ.

यानी गवाह बना लो अपने मुसलमानों में से दो मोतबर आदमियों को और क़ायम करो गवाही को ठीक-ठीक।

आठवाँ हुक्म

इस आयत से यह मालूम हुआ कि इद्दत ख़त्म होने के वक़्त चाहे रजअ़त करके बीवी को रोकना तय किया जाये या इद्दत पूरी करके आज़ाद करना तय किया जाये दोनों सूरतों में अपने इस रजअ़त के करने या न करने पर दो मोतबर गवाह बना लो। यह हुक्म अक्सर इमामों के नज़दीक मुस्तहब दर्जे का है, रजअ़त इस पर मौक़ूफ़ नहीं। और गवाह बनाने की हिक्मत रजअ़त करने की सूरत में तो यह है कि कहीं कल को औरत रजअ़त से इनकार करके उसके निकाह से निकल जाने का दावा न करने लगे, और रजअ़त न करने और निकाह का रिश्ता टूट जाने की सूरत में इसलिये कि कल को ख़ुद अपना नफ़्स ही कहीं शरारत या बीवी की मुहब्बत से मग़लूब होकर यह दावा न करने लगे कि इद्दत गुज़रने से पहले रजअ़त कर ली थी। उन दो गवाहों के लिये "ज़वै अ़दलिन्" फ़रमाकर बतला दिया कि शरई और पारिभाषिक मायने में अ़दल यानी भरोसेमन्द व मोतबर होना गवाहों का ज़रूरी है वरना उनकी गवाही पर क़ाज़ी कोई फ़ैसला नहीं देगा। और 'अक़ीमुश्शहा-द-त लिल्लाहि' में आ़म मुसलमानों को ख़िताब है कि अगर तुम किसी ऐसे रजअ़त या निकाह ख़त्म होने के वाक़िए के गवाह हो और क़ाज़ी की अ़दालत में गवाही देने की नौबत आये तो किसी का पक्ष या मुख़ालफ़त व दुश्मनी की वजह से सच्ची गवाही देने में ज़रा भी फ़र्क़ न करो।

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

यानी इस ज़िक्र हुए मज़मून से उस शख़्स को नसीहत की जाती है जो ईमान रखता हो अल्लाह पर और आख़िरी दिन यानी क़ियामत पर। इसमें आख़िरत का ख़ास तौर पर ज़िक्र इसलिये किया गया कि मियाँ-बीवी के आपसी हुक़ूक़ की अदायेगी बग़ैर तक़वे (अल्लाह के डर) और आख़िरत की फ़िक्र के किसी से नहीं कराई जा सकती।

जुर्म व सज़ा के क़ानूनों में क़ुरआने हकीम का अजीब व ग़रीब हकीमाना और मुरब्बियाना उसूल

दुनिया की हुकूमतों में क़ायदे-क़ानूनों के बनाने और अपराधों की सज़ा व तंबीह का पुराना दस्तूर है, हर क़ौम व मुल्क में क़ानून और सज़ाओं की किताबें लिखी गयी हैं। और यह भी ज़ाहिर है कि क़ुरआने करीम भी अल्लाह के क़ानून की किताब है मगर उसका तरीक़ा और अन्दाज़ दुनिया की तमाम क़ानूनी किताबों से निराला और अजीब है कि हर क़ानून के आगे-पीछे ख़ौफ़े ख़ुदा और आख़िरत की फ़िक्र को सामने कर दिया जाता है, ताकि हर इनसान क़ानून की पाबन्दी किसी पुलिस और निगराँ के ख़ौफ़ से नहीं बल्कि अल्लाह के ख़ौफ़ से करे, कोई देखे या न देखे, तन्हाई हो या सब के सामने हर सूरत में क़ानून की पाबन्दी को ज़रूरी समझे। सिर्फ़ यही सबब है कि क़ुरआन पर सही ईमान रखने वालों में किसी सख़्त से सख़्त क़ानून के लागू करना भी ज़्यादा दुश्वार नहीं होता, इसके लिये इस्लामी हुकूमत को पुलिस और उस पर स्पेशल पुलिस और उस पर ख़ुफ़िया पुलिस का जाल फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

क़ुरआने करीम का यह तरबियत भरा उसूल तमाम ही क़ानूनों में आम है, ख़ास तौर से मियाँ-बीवी के ताल्लुक़ात और आपसी हुक़ूक़ के क़ानूनों में इसका सबसे ज़्यादा एहतिमाम किया गया है क्योंकि ये ताल्लुक़ात ही ऐसे हैं कि इनमें न हर काम पर कोई गवाही मुहैया हो सकती है न अदालती तहक़ीक़ मियाँ-बीवी के आपस के हुक़ूक़ की कमी व कोताही का सही अन्दाज़ा लगा सकती है, उनका सारा का सारा मदार ख़ुद मियाँ-बीवी ही के दिलों और उनके आमाल व कामों पर है। यही वजह है कि निकाह के मस्नून ख़ुतबे में क़ुरआने करीम की जो तीन आयतें पढ़ना सुन्नत से साबित है ये तीनों आयतें तक़वे (अल्लाह के ख़ौफ़) के हुक्म से शुरू और उसी पर ख़त्म होती हैं जिनमें यह इशारा है कि निकाह करने वालों को अभी से यह समझ लेना है कि कोई देखे या न देखे मगर हक़ तआ़ला हमारे खुले और छुपे सब आमाल से बल्कि दिलों के पोशीदा ख़्यालात तक से वाक़िफ़ है, हमने आपस के हुक़ूक़ की अदायेगी में कोताही बरती, एक से दूसरे को तकलीफ़ पहुँची तो सब कुछ जानने वाले के सामने जवाबदेही करनी होगी। इसी तरह सूरः तलाक़ में जबकि तलाक़ के चन्द अहकाम बयान फ़रमाये गये तो पहले ही हुक्म के बाद 'वत्तक़ुल्ला-ह रब्बकुम्' फ़रमाकर तक़वे की हिदायत फ़रमाई फिर चार अहकाम का ज़िक्र करने के बाद यह वअ़ज़ व नसीहत की कि जो शख़्स इनकी ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है वह किसी और पर नहीं बल्कि अपनी ज़ात ही पर ज़ुल्म करता है, इसका वबाल उसी को तबाह कर देगा। चुनाँचे फ़रमायाः

وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهٗ

फिर और चार ज़िमनी अहकाम व क़ानूनों का ज़िक्र करने के बाद दोबारा इस हिदायत को दोहराया गयाः

ذٰلِكُمْ يُوْعَظُ بِهٖ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

आगे एक आयत में तक़्वे (परहेज़गारी और अल्लाह से ख़ौफ़) के फ़ज़ाईल और उसकी दीनी व दुनियावी बरकतों का बयान फ़रमाया, फिर इसी आयत के आख़िर में अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा रखने की बरकतें इरशाद फ़रमाई गयीं, उसके बाद फिर चन्द अहकाम इद्दत के बयान फ़रमाये और उसके बाद फिर दो आयतों में तक़्वे की मज़ीद बरकतों व फ़ायदों का बयान आया और उसके बाद फिर कुछ निकाह व तलाक़ से संबन्धित बीवी के ख़र्चे और औलाद के दूध पिलाने वग़ैरह के अहकाम बतलाये गये। तलाक़ व इद्दत और औरतों के ख़र्चे और दूध पिलाने वग़ैरह के अहकाम में बार-बार कहीं आख़िरत का ज़िक्र, कहीं तक़्वे की फ़ज़ीलत व बरकत और कहीं तवक्कुल की बरकतें और कुछ अहकाम बयान करके फिर तक़्वे के फ़ज़ाईल को कई बार बयान करना बज़ाहिर बेजोड़ मालूम होता है मगर क़ुरआने करीम के इस मुरब्बियाना उसूल की हिक्मत समझ लेने के बाद इसका जोड़ और गहरा ताल्लुक़ भी स्पष्ट हो गया। अब उपर्युक्त आयतों की तफ़सीर व वज़ाहत देखिये।

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ۝ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ.

यानी जो शख़्स अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह तआला उसके लिये हर मुश्किल व मुसीबत से निजात का रास्ता निकाल देंगे और उसको बेगुमान रिज़्क़ अता फ़रमा देंगे।

लफ़्ज़ तक़्वा के असली और लुग़वी मायने बचने के हैं। शरई परिभाषा में गुनाहों से बचने के लिये यह लफ़्ज़ बोला जाता है, और जब अल्लाह तआला की तरफ़ इसकी निस्बत होती है तो तर्जुमा अल्लाह से डरने का कर दिया जाता है, और मतलब यह होता है कि गुनाहों और अल्लाह की नाफ़रमानी से बचे और डरे।

इस आयत में तक़्वे की दो बरकतें बयान फ़रमाई हैं- अव्वल यह कि तक़्वा इख़्तियार करने वाले के लिये अल्लाह तआला बचने का रास्ता निकाल देते हैं, किस चीज़ से बचना, इसमें सही बात यह है कि यह आम है, दुनिया की सब मुश्किलों व मुसीबतों के लिये भी और आख़िरत की सब मुश्किलों व मुसीबतों के लिये भी, और आयत का मतलब यह है कि अल्लाह तआला मुत्तक़ी यानी गुनाहों से बचने वाले आदमी के लिये दुनिया व आख़िरत की हर मुश्किल व मुसीबत से निजात का रास्ता निकाल देते हैं। और दूसरी बरकत यह है कि उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फ़रमाते हैं जहाँ का उसको ख़्याल व गुमान भी नहीं होता। सही बात यही है कि रिज़्क़ से भी इस जगह हर ज़रूरत की चीज़ मुराद है चाहे दुनिया की हो या आख़िरत की, मोमिन मुत्तक़ी के लिये अल्लाह तआला का वायदा इस आयत में यह है कि उसकी हर मुश्किल को भी आसान कर देता है और उसकी ज़रूरतों को भी पूरा करता है, और ऐसे रास्तों से उसकी ज़रूरतें मुहैया कर देता है जिसका उसको वहम व गुमान भी नहीं होता। (तफ़सीर रूहुल-मआनी में भी यही मज़मून लिखा है)

मौक़े और मक़ाम की मुनासबत की वजह से कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस आयत की तफ़सीर में यह फ़रमाया है कि तलाक़ देने वाले शौहर और तलाक़ पाने वाली बीवी दोनों या उनमें से जो भी तक़्वा इख़्तियार करने वाला होगा, अल्लाह तआला उसको तलाक़ और निकाह का रिश्ता ख़त्म होने

के बाद पेश आने वाली हर मुश्किल व तकलीफ़ से निजात अता फ़रमायेंगे और मर्द को उसके मुनासिब बीवी और औरत को उसके मुनासिब शौहर अता फ़रमायेंगे, और ज़ाहिर है कि आयत का असल मफ़्हूम जो तमाम मुश्किलों और रिज़्क़ की हर किस्म के लिये आम और शामिल है इसमें मियाँ-बीवी की ये मुश्किलें व ज़रूरतें भी शामिल हैं। (रूहुल-मआनी)

उपरोक्त आयत का शाने नुज़ूल

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि औफ़ बिन मालिक अश्जई रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि मेरे लड़के सालिम को दुश्मन गिरफ़्तार करके ले गये, उसकी माँ सख़्त परेशान है, मुझे क्या करना चाहिये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुमको और लड़के की वालिदा को हुक्म देता हूँ कि तुम कसरत के साथ 'ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि' पढ़ा करो। उन दोनों ने हुक्म की तामील की, कसरत से यह कलिमा पढ़ने लगे, इसका यह असर हुआ कि जिन दुश्मनों ने लड़के को क़ैद कर रखा था वे किसी दिन ज़रा ग़ाफ़िल हुए लड़का किसी तरह उनकी क़ैद से निकल गया और उनकी कुछ बकरियाँ हंकाकर साथ लेकर अपने वालिद के पास पहुँच गया। कुछ रिवायतों में है कि उनका एक ऊँट उसको मिल गया उस पर सवार हुआ और दूसरे ऊँटों को साथ लगाया सब को लेकर वालिद के पास पहुँच गया। उनके वालिद यह ख़बर लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुए। और कुछ रिवायतों में है कि यह सवाल भी किया कि ये ऊँट बकरियाँ जो मेरा लड़का साथ ले आया है ये हमारे लिये जायज़ व हलाल हैं या नहीं? इस पर यह आयत नाज़िल हुई:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًا ○ وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ،

और कुछ रिवायतों में है कि औफ़ बिन मालिक अश्जई और उनकी बीवी को जब लड़के की जुदाई ने ज़्यादा बेचैन किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनको तक़वा इख़्तियार करने का हुक्म दिया, और इसमें कुछ दूर की बात नहीं कि तक़वे का भी हुक्म दिया हो और ख़ूब ज़्यादा "ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि" पढ़ने का भी (ये सब रिवायतें तफ़सीर रूहुल-मआनी में इब्ने मर्दूया से कल्बी बिन अबू सालेह के वास्ते से हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से नक़ल की गयी हैं)।

इस शाने नुज़ूल से भी यह मालूम हुआ कि अगरचे इस जगह पर यह आयत तलाक़ से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द व औरत के मुताल्लिक़ आई है मगर इसका मफ़्हूम आम है सब के लिये शामिल है।

मसला

इस हदीस से यह भी साबित हुआ कि कोई मुसलमान काफ़िरों की क़ैद में आ जाये और वह उनका कुछ माल लेकर वापस आ जाये तो वह माल माले ग़नीमत के हुक्म में आकर हलाल है और माले ग़नीमत के आम क़ायदे के मुताबिक़ उसका पाँचवाँ हिस्सा बैतुल-माल को देना भी उसके ज़िम्मे

नहीं जैसा कि हदीस में आये इस वाक़िए में उस माल में से पाँचवाँ हिस्सा नहीं लिया गया। फ़ुक़हा हज़रात (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) ने फ़रमाया कि कोई मुसलमान छुपकर बग़ैर अमान व इजाज़त लिये हुए दारुल-हरब (कुफ़्रिस्तान) में चला जाये और वहाँ से काफ़िरों का कुछ माल छीनकर या किसी तरह ले आये और दारुल्-इस्लाम (इस्लामी हुकूमत) में पहुँच जाये तो उसका भी यही हुक्म है। लेकिन जो शख़्स काफ़िरों से अमान और इजाज़त लेकर उनके मुल्क में जाये जैसा कि आजकल वीज़ा लेने का दस्तूर है तो उसके लिये जायज़ नहीं कि उनका कोई माल बग़ैर उनकी रज़ामन्दी के ले आये। इसी तरह जो शख़्स क़ैद होकर उनके मुल्क में चला जाये फिर काफ़िरों में से कोई आदमी उसके पास कोई अमानत रख दे तो उस अमानत का ले आना भी हलाल नहीं, पहली सूरत में तो इसलिये कि अमान लेकर जाने से एक समझौता उनके बीच हो गया, अब बग़ैर उनकी रज़ामन्दी के उनके जान व माल में कोई तसर्रुफ़ करना (यानी इख़्तियार चलाना और अ़मल-दख़ल) अ़हद के ख़िलाफ़ करने में दाख़िल है, और दूसरी सूरत में भी अमानत रखने वाले से अ़मली समझौता होता है कि जब वह माँगेगा अमानत उसको दे दी जायेगी, अब अमानत वापस न करना अ़हद के ख़िलाफ़ करना और उसको तोड़ना है जो शरई एतिबार से हराम है। (तफ़सीरे मज़हरी)

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास हिजरत से पहले बहुत से काफ़िर अपनी अमानतें रख देते थे, हिजरत के वक़्त आपके क़ब्ज़े में ऐसी कुछ अमानतें थीं उनको आप अपने साथ नहीं लाये बल्कि हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू को इसी काम के लिये अपने पीछे छोड़ा कि वह जिस-जिस की अमानत है उसको सुपुर्द कर दें।

मुसीबतों से निजात और उद्देश्यों के हासिल करने का आज़मूदा नुस्ख़ा

ऊपर बयान हुई हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने औ़फ़ बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु को मुसीबत से निजात और मक़सद के हासिल होने के लिये यह तालीम फ़रमाई कि कसरत के साथ "ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि" पढ़ा करें। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़े सानी रह. ने फ़रमाया कि दीनी और दुनियावी हर किस्म की मुसीबतों और नुक़सानात से बचने और फ़ायदों व मक़ासिद को हासिल करने के लिये इस कलिमे की कसरत बहुत मुजर्रब (तजुर्बा किया हुआ) अ़मल है और इस कसरत की मात्रा हज़रत मुजद्दिद रह. ने यह बतलाई है कि रोज़ाना पाँच सौ मर्तबा यह कलिमा "ला हौ-ल व ला क़ुव्व-त इल्ला बिल्लाहि" पढ़ा करे, और सौ-सौ मर्तबा दुरूद शरीफ़ इसके शुरू व आख़िर में पढ़कर अपने मक़सद के लिये दुआ़ किया करे। (तफ़सीरे मज़हरी) और इमाम अहमद और हाकिम, बैहक़ी, अबू नुऐम वग़ैरह ने हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है और हाकिम ने इसकी सनद को सही कहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम एक रोज़ इस आयतः

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مَخْرَجًاo وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ..................... الاٰية

की तिलावत बार-बार फ़रमाते रहे यहाँ तक कि मुझे नींद आने लगी, फिर फ़रमाया कि ऐ अबूज़र! अगर सब आदमी सिर्फ़ इस आयत को इख़्तियार कर लें तो सब के लिये काफ़ी है। (तफ़सीर रूहुल-मआनी) काफ़ी होने की मुराद ज़ाहिर है कि तमाम दीनी और दुनियावी मक़ासिद में कामयाबी के लिये काफ़ी है।

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ. اِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ اَمْرِهٖ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَىْءٍ قَدْرًا ٥

यानी जो शख़्स अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसा करेगा अल्लाह उसकी मुश्किलों और पेश आने वाले कामों के लिये काफ़ी है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला अपने काम को जिस तरह चाहे पूरा करके रहता है, उसने हर चीज़ का एक अन्दाज़ा मुक़र्रर कर दिया है उसी के मुताबिक़ सब काम होते हैं। इमाम तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لو انّكم توكّلتم على الله حقّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطّير تغدوا خماصًا وتروح بطانًا.

"अगर तुम अल्लाह पर तवक्कुल करते जैसा कि उसका हक़ है तो बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हें इस तरह रिज़्क़ देता जैसे परिन्दे जानवरों को देता है कि सुबह को अपने घौंसलों से भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरे हुए वापस होते हैं।"

और सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरी उम्मत में से सत्तर हज़ार आदमी बेहिसाब जन्नत में दाख़िल होंगे, उनकी सिफ़तों में एक यह भी है कि वे अल्लाह पर तवक्कुल करने वाले होंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

तवक्कुल के मायने यह नहीं कि अल्लाह के पैदा किये हुए असबाब व सामानों को छोड़ दे बल्कि मुराद यह है कि इख़्तियार करने वाले असबाब को ज़रूर इख़्तियार करे मगर भरोसा असबाब पर करने के बजाय अल्लाह तआ़ला पर करे कि जब तक उसकी मर्ज़ी व इरादा न हो जाये कोई काम नहीं हो सकता। उपरोक्त आयत में तक़वा और तवक्कुल के फ़ज़ाईल व बरकतें बयान करने के बाद तलाक़ व इद्दत के चन्द और अहकाम का बयान फ़रमाते हैं:

وَالّٰٓـِٔىْ يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنْ نِّسَآئِكُمْ اِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلٰثَةُ اَشْهُرٍ وَّالّٰٓـِٔىْ لَمْ يَحِضْنَ وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَّضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

इस आयत में तलाक़ पाने वाली औ़रतों की इद्दत की कुछ और तफ़सील है जिसमें तीन क़िस्म की औ़रतों की इद्दत का इद्दत के आ़म क़ायदे से अलग हुक्म बयान हुआ है।

तलाक़ की इद्दत से मुताल्लिक़ नवाँ हुक्म

तलाक़ की इद्दत आ़म हालात में तीन हैज़ (माहवारी) पूरे हैं जिसका बयान सूरः ब-क़रह में हो चुका है, लेकिन वे औ़रतें जिनको उम्र के ज़्यादा होने या किसी बीमारी वग़ैरह के सबब हैज़ आना बन्द हो चुका हो, इसी तरह वे औ़रतें जिनको कम-उम्री के सबब अभी तक हैज़ आना शुरू न हुआ

हो उनकी इद्दत उक्त आयत में तीन हैज़ के बजाय तीन महीने मुक़र्रर फ़रमा दी, और गर्भवती औरतों की इद्दत गर्भ को जन्म देना क़रार दी है चाहे वह कितने ही दिनों में हो।

إِنِ ارْتَبْتُمْ

यानी अगर तुम्हें शक हो, मुराद शक से यह है कि असल इद्दत हैज़ से शुमार होती है और इन औरतों का हैज़ तो बन्द है तो फिर इद्दत की गिनती कैसे होगी, यह शक होना मुराद है।

आगे फिर तक़वे की फ़ज़ीलत व बरकत का बयान है:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ اَمْرِهٖ يُسْرًا○

यानी जो शख़्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके काम में आसानी कर देता है, यानी दुनिया व आख़िरत के काम उसके लिये आसान हो जाते हैं। इसके बाद फिर तलाक़ व इद्दत के मज़कूरा अहकाम की पाबन्दी की ताकीद है:

ذٰلِكَ اَمْرُ اللّٰهِ اَنْزَلَهٗۤ اِلَيْكُمْ.

(यह हुक्म है अल्लाह का जो तुम्हारी तरफ़ नाज़िल किया गया है) इसके बाद फिर तक़वे की एक और फ़ज़ीलत बयान है:

وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّاٰتِهٖ وَيُعْظِمْ لَهٗۤ اَجْرًا○

यानी जो शख़्स अल्लाह से डरेगा तो अल्लाह तआ़ला उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा कर देंगे और उसका अज्र बढ़ा देंगे।

तक़वे की पाँच बरकतें

ऊपर बयान हुई आयतों में जो तक़वे के फ़ज़ाईल व बरकतों का बयान आया उसका ख़ुलासा पाँच चीज़ें हैं- एक यह कि अल्लाह तआ़ला मुत्तक़ी के लिये दुनिया व आख़िरत की मुसीबतों व मुश्किलों से निजात का रास्ता निकाल देते हैं। दूसरे यह कि उसके लिये रिज़्क़ के ऐसे दरवाज़े खोल देते हैं जिनकी तरफ़ उसका ध्यान भी नहीं जाता। तीसरे यह कि उसके सब कामों में आसानी पैदा फ़रमा देते हैं। चौथे यह कि उसके गुनाहों का कफ़्फ़ारा कर देते हैं। पाँचवें यह कि उसका अज्र बढ़ा देते हैं। और एक दूसरी जगह तक़वे की यह बरकत भी बतलाई गयी है कि इसकी वजह से उसको हक़ व बातिल की पहचान आसान हो जाती है। आयतः

اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا.

का यही मतलब है। आगे फिर तलाक़ पाने वाली औरतों की इद्दत और उनके ख़र्चे का बयान और औरतों के आ़म हुक़ूक़ की अदायेगी की ताकीद है। फ़रमाते हैं:

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ وَلَا تُضَآرُّوْهُنَّ لِتُضَيِّقُوْا عَلَيْهِنَّ.

इस आयत का ताल्लुक़ उस पहले हुक्म से है जो ऊपर आ चुका है कि तलाक़ पाने वाली औरतों को उनके घरों से न निकालो। इस आयत में इसका सकारात्मक और वाजिब पहलू ज़िक्र किया गया कि उनको इद्दत पूरी होने तक अपनी गुंजाईश व हिम्मत के मुताबिक़ रहने का मकान दो जहाँ तुम

ख़ुद रहते हो उसी मकान के किसी हिस्से में रखो। अगर तलाक़ पाने वाली औरत तलाक़े रजई वाली है तब तो आपस में किसी पर्दे की भी ज़रूरत नहीं, हाँ अगर तलाक़-ए-बायना दी है या तीन तलाक़ दे दी हैं तो अब निकाह का रिश्ता टूट चुका है उसको पहले शौहर से पर्दा करना चाहिये, इसलिये पर्दे के साथ उसी मकान में रहने का इन्तिज़ाम किया जाये।

दसवाँ हुक्म- तलाक़ पाने वाली औरतों को इद्दत के दिनों में परेशान न करो

لَا تُضَآرُّوْهُنَّ.

इसका मतलब यह है कि इद्दत के दिनों में जबकि तलाक़ वाली औरत तुम्हारे साथ रहे तो ताने तशने करके या उसकी ज़रूरतों में तंगी करके उसको परेशान न करो कि वह निकलने पर मजबूर हो जाये।

وَاِنْ كُنَّ اُولَاتِ حَمْلٍ فَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ حَتّٰى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.

यानी अगर तलाक़ पाने वाली औरतें हमल वालियाँ (गर्भवती) हों तो उन पर उस वक़्त तक ख़र्च करते रहो जब तक कि उनका हमल पैदा न हो जाये।

ग्यारहवाँ हुक्म- तलाक़ पाने वाली औरतों का इद्दत का ख़र्च

इस आयत में बतलाया गया है कि तलाक़ पाने वाली औरतें अगर गर्भवती हों तो उनका ख़र्चा उस वक़्त तक शौहर पर लाज़िम है जब तक कि हमल (गर्भ) पैदा हो, इसी लिये गर्भवती तलाक़ पाने वाली औरत के मुताल्लिक़ पूरी उम्मत का इजमा (एक राय) है कि उसका ख़र्चा उसकी इद्दत (जो हमल का पैदा होना है) पूरी होने तक शौहर पर वाजिब है। बाक़ी जो तलाक़ वाली औरत गर्भवती नहीं अगर उसको तलाक़े रजई दी गयी है तो उसका इद्दत का ख़र्च भी शौहर पर तमाम उम्मत के नज़दीक वाजिब है, बाक़ी वह तलाक़ पाने वाली औरत जिसको तलाक़े बायना या तीन तलाक़ दी गयी हैं या जिसने ख़ुला वग़ैरह के ज़रिये अपना निकाह ख़त्म कराया हो उसके मुताल्लिक़ इमाम शाफ़ई व इमाम अहमद रह. और कुछ दूसरे इमामों का क़ौल यह है कि उनका ज़रूरी ख़र्च शौहर पर वाजिब नहीं, और इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक उनका ख़र्चा भी शौहर पर लाज़िम है, उनके नज़दीक जैसे रहने का ठिकाना देने का हक़ तमाम तलाक़ वाली औरतों के लिये वाजिब है इसी तरह ख़र्चा भी हर क़िस्म की तलाक़ वाली औरतों के लिये वाजिब है, और दलील यही आयत है जिसमें आम तलाक़ वाली औरतों के लिये रहने की जगह का हक़ देने को लाज़िम किया गया है यानीः

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُّجْدِكُمْ.

क्योंकि इसी आयत में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की किराअत यह हैः

اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ وَاَنْفِقُوْا عَلَيْهِنَّ مِنْ وُّجْدِكُمْ.

और एक किराअत दूसरी किराअत के लिये मुफ़स्सिर (वज़ाहत व व्याख्या करने वाली) होती है। इससे मालूम हुआ कि उपरोक्त आयत की मशहूर किराअत जिसमें लफ़्ज़ अन्फ़िक़ू मज़कूर नहीं उसमें भी यह लफ़्ज़ पोशीदा है और उसने जिस तरह तमाम तलाक़ वाली औरतों का रहने व ठिकाने का हक़ शौहरों पर लाज़िम किया है इसी तरह ख़र्चे का हक़ भी इद्दत के दिनों तक वाजिब कर दिया है और इसकी ताईद हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु और दूसरे अनेक सहाबा-ए-किराम के इस कौल से होती कि उन्होंने फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु अन्हा (जिनको उनके शौहर ने तीन तलाक़ दे दी थीं) की इस रिवायत को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने उनका ख़र्च उनके शौहर पर लाज़िम नहीं किया यह कहकर रद्द फ़रमाया कि हम उनकी इस रिवायत की बिना पर किताबुल्लाह और सुन्नते रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ सकते जिसमें तमाम तलाक़ दी हुई औरतों का इद्दत का ख़र्च शौहरों पर वाजिब किया गया है। (मुस्लिम शरीफ़)

इसमें किताबुल्लाह के हवाले से बज़ाहिर यही आयत मुराद है और फ़ारूक़े आज़म के नज़दीक आयत के मफ़्हूम में ख़र्चा भी दाख़िल है, और सुन्नत से मुराद वह हदीस है जो ख़ुद उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु से तहावी, दारे क़ुतनी और तबरानी ने रिवायत की है, उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सुना है कि आपने तीन तलाक़ पाने वाली औरत के लिये भी ख़र्च और रहने के ठिकाने को वाजिब किया है।

ख़ुलासा यह है कि हमल वाली औरतों का इद्दत का ख़र्चा तो स्पष्ट रूप से इस आयत ने वाजिब करार दिया है, इसी लिये इस पर उम्मत का इजमा (एकमत) है। इसी तरह रजई तलाक़ पाने वाली औरत का चूँकि अभी तक निकाह टूटा नहीं है उसका ख़र्चा भी सबके नज़दीक वाजिब है, इसकी मुकम्मल तफ़सील इसी आयत की तफ़सीर में तफ़सीर-ए-मज़हरी में देखी जा सकती है।

فَاِنْ اَرْضَعْنَ لَكُمْ فَاٰتُوْهُنَّ اُجُوْرَهُنَّ.

यानी तलाक़ वाली औरतें अगर हामिला (गर्भवती) हों और फिर हमल से बच्चा पैदा हो गया तो उनकी इद्दत तो हमल पैदा होने की वजह से पूरी हो गयी, इसलिये उनका ख़र्चा तो शौहर पर लाज़िम नहीं रहा, मगर जो बच्चा पैदा हुआ है अगर यह तलाक़ पाने वाली माँ उसको दूध पिलाये तो दूध पिलाने का मुआवज़ा लेना और देना जायज़ है।

बारहवाँ हुक्म

रज़ाअत यानी बच्चे को दूध पिलाने की उजरत जब तक औरत शौहर के निकाह में है उस वक़्त तक बच्चों को दूध पिलाना ख़ुद माँ के ज़िम्मे क़ुरआन के हुक्म के मुताबिक़ वाजिब है:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ.

और जो काम किसी के ज़िम्मे ख़ुद वाजिब हो उस पर मुआवज़ा लेना रिश्वत के हुक्म में है जिसका लेना भी नाजायज़ है और देना भी। और इद्दत के दिन भी इस मामले में निकाह के हुक्म में हैं क्योंकि औरत का ख़र्च जिस तरह निकाह हालत में शौहर पर लाज़िम है इद्दत में भी वाजिब है, अलबत्ता जब हमल पैदा होने के ज़रिये इद्दत ख़त्म हो गयी और औरत आज़ाद हो गयी उसका ख़र्च

भी शौहर पर वाजिब नहीं रहा, अब अगर यह उस बच्चे को दूध पिलाये तो उक्त आयत ने इसका मुआवज़ा लेने और देने को जायज़ क़रार दे दिया।

तेरहवाँ हुक्म

وَأْتَمِرُوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوْفٍ

इअ्तिमार के लफ़्ज़ी मायने आपस में मश्विरा करने और एक दूसरे की बात क़ुबूल करने के हैं। मतलब यह है कि दूध पिलाने की उजरत में मियाँ-बीवी को इसकी हिदायत दी गयी है कि आपसी झगड़े की नौबत न आने दें। तलाक़ पाने वाली बीवी आम उजरत से ज़्यादा न माँग, शौहर आम उजरत के मुताबिक़ देने से इनकार न करे, एक दूसरे के साथ रवादारी का मामला करें।

चौदहवाँ हुक्म

وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهٗٓ أُخْرٰى ۝

यानी अगर दूध पिलाने का मामला आपसी मश्विरे से तय न हो पाये या तलाक़ पाने वाली औरत अगर अपने बच्चे को मुआवज़ा लेकर भी दूध पिलाने से इनकार कर दे तो उसको क़ानूनी तौर पर मजबूर नहीं किया जायेगा बल्कि यह समझा जायेगा कि माँ की शफ़क़त बच्चे पर सबसे ज़्यादा होने के बावजूद जब इनकार कर रही है तो कोई वास्तविक उज़्र होगा, लेकिन अगर वास्तव में उसको उज़्र नहीं महज़ गुस्से व नाराज़ी की वजह से इनकार करती है तो अल्लाह के यहाँ वह गुनाहगार होगी मगर क़ाज़ी की अदालत उसको दूध पिलाने पर मजबूर नहीं करेगी।

इसी तरह अगर शौहर को दूध पिलाने की उजरत देने की तंगदस्ती व ग़ुर्बत की वजह से गुंजाईश व ताक़त नहीं और कोई दूसरी औरत बिना मुआवज़े के या उस मुआवज़े से कम पर दूध पिलाने को तैयार हो जो मुआवज़ा तलाक़ पाने वाली औरत बच्चे की माँ माँगती है तो शौहर को मजबूर नहीं किया जायेगा कि वह माँ का मुतालबा मन्ज़ूर करके उसी से दूध पिलवाये, बल्कि दोनों सूरतों में दूसरी औरत से उसको दूध पिलवाया जा सकता है। हाँ अगर दूसरी दूध पिलाने वाली औरत भी उतना ही मुआवज़ा तलब करे जितना माँ कर रही है तो तमाम फ़ुक़हा के नज़दीक शौहर के लिये जायज़ नहीं कि माँ को छोड़कर दूसरी औरत से उसी मुआवज़े पर दूध पिलवाये।

मसला

अगर दूसरी औरत से दूध पिलवाना तय हो जाये तो यह ज़रूरी है कि दूध पिलाने वाली औरत उसकी माँ के पास रखकर दूध पिलाये, माँ से अलग करके दूध पिलवाना जायज़ नहीं, क्योंकि बच्चे को अपनी तरबियत और निगरानी में रखना सही हदीसों की रू से माँ का हक़ है, उससे यह हक़ छीनना जायज़ नहीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

पन्द्रहवाँ हुक्म

बीवी के नफ़क़े (ख़र्चे) की मिक़दार में शौहर की हालत का एतिबार होगाः

لِيُنْفِقْ ذُوْسَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ. وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰهُ اللّٰهُ.

यानी ख़र्च करे वुस्अ़त वाला आदमी अपनी वुस्अ़त के मुताबिक़, और जिस शख़्स पर रिज़्क़ तंग हो वह अपनी आमदनी के मुताबिक़ ख़र्च करे। इससे मालूम हुआ कि बीवी के ख़र्चे में बीवी की हालत का एतिबार नहीं किया जायेगा बल्कि शौहर की हालत के मुताबिक़ ख़र्चा देना वाजिब होगा। अगर शौहर मालदार है तो अमीरों जैसा ख़र्च देना वाजिब है अगरचे बीवी मालदार न हो बल्कि तंगदस्त व फ़क़ीर हो, और अगर शौहर ग़रीब है तो ग़रीबों जैसा ख़र्च उसकी गुंजाईश के मुताबिक़ वाजिब होगा अगरचे बीवी मालदार हो। इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. का यही मज़हब है। कुछ दूसरे फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) के अक़वाल इसके ख़िलाफ़ भी हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَآ اٰتٰهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا○

यह उसी पहले वाले जुमले की अधिक तशरीह है कि अल्लाह तआ़ला किसी को उसकी वुस्अ़त व ताक़त से ज़्यादा की तकलीफ़ नहीं देता, इसलिये नादार मुफ़लिस शौहर पर उसी हैसियत का ख़र्च वाजिब होगा जो हैसियत उसकी उस वक़्त है। आगे बीवी को ग़रीबों जैसा ख़र्च लेने पर क़नाअ़त और उस पर सब्र की तालीम व हिदायत के लिये फ़रमायाः

سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُّسْرًا○

यानी किसी को यह ख़्याल न करना चाहिये कि मौजूदा हालत में तंगी है तो यह तंगी हमेशा रहेगी, बल्कि तंगी और ख़ुशहाली अल्लाह के हाथ में है, वह तंगी के बाद फ़राख़ी भी दे सकता है।

फ़ायदाः- इस आयत में ऐसे शौहरों के लिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से फ़राख़ी (आसानी और ख़ुशहाली) मिलने की तरफ़ इशारा है जो अपनी हिम्मत व गुंजाईश के हिसाब से वाजिब ख़र्चों को पूरा करने की कोशिश में हैं, बीवी को तंग रखने की आ़दत न हो। (रूहुल-मआ़नी) वल्लाहु आलम

وَكَاَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا
شَدِيْدًا ۙ وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ۝ فَذَاقَتْ وَبَالَ اَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهَا خُسْرًا ۝
اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا ۙ فَاتَّقُوا اللّٰهَ يٰٓاُولِى الْاَلْبَابِ ۚ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ۚ
قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۝ رَّسُوْلًا يَّتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ اللّٰهِ مُبَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۗ وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ
صَالِحًا يُّدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗ قَدْ اَحْسَنَ
اللّٰهُ لَهٗ رِزْقًا ۝ اَللّٰهُ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ ۗ يَتَنَزَّلُ
الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عِلْمًا ۝

व क-अय्यिम् मिन् क़र्यतिन् अ़तत् अ़न् अम्रि रब्बिहा व रुसुलिही फ़-हासब्नाहा हिसाबन् शदीदंव्-व अ़ज़्ज़ब्नाहा अ़ज़ाबन्-नुक्रा (8) फ़ज़ाक़त् व बा-ल अम्रिहा व का-न आ़क़ि-बतु अम्रिहा ख़ुस्रा (9) अ-अ़द्दल्लाहु लहुम् अ़ज़ाबन् शदीदन् फ़त्तक़ुल्ला-ह या उलिल्-अल्बाबि-ल्लज़ी-न आमनू क़द् अन्ज़लल्लाहु इलैकुम् ज़िक्रा (10) रसूलंय्-यत्लू अ़लैकुम् आयातिल्लाहि मुबय्यिनातिल्-लियुख़्रिजल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूरि, व मंय्युअ्मिम् बिल्लाहि व यअ्मल् सालिहंय्-युद्ख़िल्हु जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, क़द् अह्सनल्लाहु लहू रिज़्क़ा (11) अल्लाहुल्लज़ी ख़-ल-क़ सब्-अ़ समावातिंव्-व मिनल्-अर्ज़ि मिस्लहुन्-न, य-तनज़्ज़लुल्-अम्रु बैनहुन्-न लितअ्लमू अन्नल्ला-ह अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीरुंव्-व अन्नल्ला-ह क़द् अहा-त बिकुल्लि शैइन् अ़िल्मा (12) ✿

और कितनी बस्तियाँ कि निकल चुकीं हुक्म से अपने रब के और उसके रसूलों के, फिर हमने हिसाब में पकड़ा उनको सख़्त हिसाब में, और आफ़त डाली उन पर बिन देखी आफ़त। (8) फिर चखी उन्होंने सज़ा अपने काम की और आख़िर को उनके काम में टोटा आ गया। (9) तैयार रखा है अल्लाह ने वास्ते उनके सख़्त अ़ज़ाब सो डरते रहो अल्लाह से ऐ अ़क्ल वालो! जिनको यक़ीन है, बेशक अल्लाह ने उतारी है तुम पर नसीहत (10) रसूल है जो पढ़कर सुनाता है तुमको अल्लाह की आयतें खोलकर सुनाने वाली, ताकि निकाले उन लोगों को जो कि यक़ीन लाये और किये भले काम अंधेरों से उजाले में, और जो कोई यक़ीन लाये अल्लाह पर और करे कुछ भलाई उसको दाख़िल करे बाग़ों में नीचे बहती हैं जिन के नहरें, सदा रहें उनमें हमेशा, यक़ीनन ख़ूब दी अल्लाह ने उसको रोज़ी। (11) अल्लाह वह है जिसने बनाये सात आसमान और ज़मीन भी उतनी ही, उतरता है उसका हुक्म उनके अन्दर ताकि तुम जानो कि अल्लाह हर चीज़ कर सकता है, और अल्लाह के इल्म में समाई है हर चीज़ की। (12) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

और बहुत-सी बस्तियाँ थीं जिन्होंने अपने रब के हुक्म (मानने) से और उसके रसूलों से सरकशी की, सो हमने उन (के आमाल) का सख़्त हिसाब किया (मतलब यह कि उनके कुफ़िया आमाल में से किसी अ़मल को माफ़ नहीं किया बल्कि सब पर सज़ा तजवीज़ की। यहाँ हिसाब से पूछगछ के तौर पर हिसाब मुराद नहीं)। और हमने उनको बड़ी भारी सज़ा दी (कि वह सज़ा अ़ज़ाब के ज़रिये हलाक करना है)। ग़र्ज़ कि उन्होंने अपने आमाल का वबाल चखा और उनका अन्जाम घाटा ही हुआ। (यह तो दुनिया में हुआ और आख़िरत में) अल्लाह ने उनके लिये एक सख़्त अ़ज़ाब तैयार कर रखा है।

(और जब नाफ़रमानी का अन्जाम यह है) तो ऐ समझदारो! जो कि ईमान लाये हो, ख़ुदा से डरो (कि ईमान भी इसी का तक़ाज़ा करता है और डरना यह कि इताअ़त करो, और उसी इताअ़त का तरीक़ा बतलाने के लिये) ख़ुदा ने तुम्हारे पास एक नसीहत नामा भेजा (और वह नसीहत नामा देकर) एक ऐसा रसूल (भेजा) जो तुमको अल्लाह के साफ़-साफ़ अहकाम पढ़-पढ़कर सुनाते हैं, ताकि ऐसे लोगों को जो ईमान लाएँ और अच्छे अ़मल करें (कुफ़्र व जहालत की) अंधेरियों से (ईमान, इल्म और अ़मल के) नूर की तरफ़ ले आएँ (मतलब यह कि जो नसीहत उस रसूल के ज़रिये से पहुँचे उस पर अ़मल करना भी इताअ़त व फ़रमाँबरदारी है)।

और (आगे ईमान वग़ैरह इबादतों पर वायदा है कि) जो शख़्स अल्लाह पर ईमान लायेगा और अच्छे अ़मल करेगा ख़ुदा उसको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, उनमें हमेशा-हमेशा के लिये रहेंगे। बेशक अल्लाह ने उनको (बहुत) अच्छी रोज़ी दी। (आगे अल्लाह की फ़रमाँबरदारी का वाजिब होना बयान किया जाता है, यानी) अल्लाह ऐसा है जिसने सात आसमान पैदा किये और उन्हीं की तरह ज़मीन भी (सात पैदा कीं जैसा कि तिर्मिज़ी वग़ैरह की हदीस में है कि एक ज़मीन के नीचे दूसरी ज़मीन है, उसके नीचे तीसरी ज़मीन इसी तरह सात ज़मीनें हैं, और) उन सब (आसमानों और ज़मीनों) में (अल्लाह तआ़ला के) अहकाम (तशरीई या तक्वीनी या दोनों) नाज़िल होते रहते हैं (और यह इसलिये बतलाया गया) कि तुमको मालूम हो जाये कि अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर क़ादिर है, और अल्लाह हर चीज़ को (अपने) इल्मी घेरे में लिये हुए है (इसलिये अल्लाह तआ़ला के हुक्मों को मानने का वाजिब होना ज़ाहिर है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

فَحَاسَبْنٰهَا حِسَابًا شَدِيْدًا وَّعَذَّبْنٰهَا عَذَابًا نُّكْرًا ○

आयत में उन क़ौमों के हिसाब व अ़ज़ाब का जो ज़िक्र है वह आख़िरत में होने वाला है मगर यहाँ उसको माज़ी (भूतकाल) के लफ़्ज़ "हासब्ना" और "अ़ज़्ज़ब्ना" से ताबीर कर देना या तो उसके

यक़ीनी होने की तरफ़ इशारा करने के लिये है कि गोया यह काम हो चुका (जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआनी में है) और यह भी हो सकता है कि हिसाब से मुराद इस जगह सवालात और पूछगछ न हो बल्कि उसकी सज़ा का निर्धारण हो जैसा कि ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में यही मतलब लिया गया, और यह भी हो सकता है कि सख़्त हिसाब अगरचे आख़िरत में होगा मगर आमाल नामों में उसको लिखा जा चुका है और लिखा जा रहा है इसको हिसाब कर देने से ताबीर किया गया, और अज़ाब से मुराद दुनिया का अज़ाब हो जो बहुत सी पहली क़ौमों पर नाज़िल हुआ है इस सूरत में बाद में आने वाला जुमलाः

اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًا.

सिर्फ़ यह आख़िरत के अज़ाब से संबन्धित रहेगा।

قَدْ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكُمْ ذِكْرًا ٥ رَّسُوْلًا.

इस आयत का आसान मतलब यह है कि यहाँ लफ़्ज़ 'अर्-स-ल' पोशीदा माना जाये तो मायने यह होंगे कि नाज़िल किया ज़िक्र यानी क़ुरआन को और भेजा रसूल को, ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को इख़्तियार करके तफ़सीर की गयी है। हज़राते मुफ़स्सिरीन ने दूसरे मतलब भी लिखे हैं मसलन यह कि ज़िक्र से मुराद ख़ुद रसूल हों कि अल्लाह के ज़िक्र की कसरत के सबब उनका वजूद गोया ख़ुद ज़िक्रुल्लाह बन गया, इसी तरह और भी कई मायने बयान किये गये हैं। (रूहुल-मआनी)

सात ज़मीनें कहाँ कहाँ और किस सूरत में हैं

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ وَّمِنَ الْاَرْضِ مِثْلَهُنَّ.

इस आयत से इतनी बात तो स्पष्ट तौर पर साबित है कि जिस तरह आसमान सात हैं ऐसे ही ज़मीनें भी सात हैं। फिर ये सात ज़मीनें कहाँ-कहाँ और किस शक्ल व सूरत में हैं, ऊपर नीचे तबक़ात की सूरत में एक-दूसरे के ऊपर हैं या हर एक ज़मीन का मक़ाम अलग-अलग है, अगर ऊपर-नीचे तबक़ात हैं तो क्या जिस तरह सात आसमानों में हर दो आसमान के बीच बड़ा फ़ासला है और हर आसमान में अलग-अलग फ़रिश्ते आबाद हैं इसी तरह एक ज़मीन और दूसरी ज़मीन के बीच भी फ़ासला और हवा फ़िज़ा वग़ैरह हैं और उसमें कोई मख़्लूक़ आबाद है, या ज़मीन के ये तबक़े एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क़ुरआने मजीद इस बारे में ख़ामोश है और हदीस की रिवायतें जो इस बारे में आई हैं उनमें अक्सर हदीसों में हदीस के इमामों का मतभेद है, कुछ ने उनको सही व साबित क़रार दिया है कुछ ने बेहक़ीक़त व मनगढ़त तक कह दिया है, और अक़्लन ये सब सूरतें मुम्किन हैं।

और हमारी कोई दीनी या दुनियावी ज़रूरत इसकी तहक़ीक़ पर मौक़ूफ़ नहीं, न हमसे क़ब्र में या हश्र में इसका सवाल होगा कि हम उन सात ज़मीनों की हालत व सूरत, स्थान और उसमें बसने वाली मख़्लूक़ात की तहक़ीक़ करें, इसलिये असल में सूरत यह है कि बस इस पर ईमान लायें और यक़ीन करें कि ज़मीनें भी आसमानों की तरह सात ही हैं, और सब को अल्लाह तआ़ला ने अपनी कामिल क़ुदरत से पैदा फ़रमाया है। इतनी ही बात क़ुरआन ने बयान की है, जिसको क़ुरआन ने बयान करना

ज़रूरी नहीं समझा हम भी उसकी फ़िक्र व खोज में क्यों पड़ें। पहले ज़माने के बुज़ुर्गों का ऐसी सूरतों में यही तरीक़ा-ए-अ़मल रहा है। उन्होंने फ़रमाया है:

أَبْهِمُوْا مَا أَبْهَمَهُ اللّٰهُ.

यानी जिस चीज़ को अल्लाह तआ़ला ने ग़ैर-वाज़ेह (अस्पष्ट) छोड़ा है तुम भी उसे ग़ैर-वाज़ेह रहने दो जबकि उसमें तुम्हारे लिये कोई अ़मली हुक्म नहीं, और तुम्हारी कोई दीनी या दुनियावी ज़रूरत उससे जुड़ी हुई नहीं। ख़ास तौर पर यह तफ़सीर अ़वाम के लिये लिखी गयी है ऐसे ख़ालिस इल्मी मतभेदी मज़ामीन व बहसें इसमें नहीं ली गयीं जिनकी अ़वाम को ज़रूरत नहीं है।

يَتَنَزَّلُ الْاَمْرُ بَيْنَهُنَّ.

यानी अल्लाह का हुक्म उन सातों आसमानों और सातों ज़मीनों के बीच नाज़िल होता रहता है और अल्लाह के हुक्म की दो क़िस्म हैं- एक तशरीई जो अल्लाह के मुकल्लफ़ बन्दों के लिये वही के ज़रिये नबियों के माध्यम से भेजा जाता है जैसे ज़मीन में इनसानों और जिन्नात के लिये आसमानों से फ़रिश्ते ये तशरीई अहकाम नबियों तक लेकर आते हैं जिनमें अ़क़ीदे, इबादात, अख़्लाक़, मामलात, रहन-सहन के तरीक़ों और ज़िन्दगी गुज़ारने के क़वानीन होते हैं, उनकी पाबन्दी पर सवाब और ख़िलाफ़वर्ज़ी (उल्लंघन करने) पर अ़ज़ाब होता है। दूसरी क़िस्म हुक्म की हुक्मे तक्वीनी है। यानी अल्लाह की तक़दीर को नाफ़िज़ करने से मुताल्लिक़ अहकाम जिसमें कायनात की पैदाईश और उसकी दर्जा-ब-दर्जा (धीरे-धीरे) तरक़्क़ी और उसमें कमी-बेशी और मौत व ज़िन्दगी दाख़िल हैं, ये अहकाम अल्लाह की तमाम मख़्लूक़ात को अपने घेरे में लिये हुए हैं इसलिये अगर हर दो ज़मीनों के बीच फ़िज़ा (ख़ाली जगह) और फ़ासला और उसमें किसी मख़्लूक़ का आबाद होना साबित हो जाये, चाहे वह मख़्लूक़ शरीअ़त के अहकाम की मुकल्लफ़ (पाबन्द) न हो तो उस पर भी 'हुक्म का उतरना' सादिक़ (सच साबित होता) है कि अल्लाह तआ़ला का तक्वीनी हुक्म उस पर भी हावी (यानी छाया हुआ) है। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अत्-तलाक़ की तफ़सीर आज जुमादस्सानिया की आख़िरी तारीख़ सन् 1391 हिजरी दिन इतवार को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अत्-तलाक़ की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अत्-तहरीम

सूरः अत्-तहरीम मदीना में नाज़िल हुई। इसकी 12 आयतें और 2 रुकूअ हैं।

آیاتھا ۱۲ (۶۶) سُوْرَةُ التَّحْرِيْمِ مَدَنِيَّةٌ (۱۰۷) رکوعاتھا ۲

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللهُ لَكَ ۚ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ ۗ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝ قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللهُ مَوْلٰىكُمْ ۚ وَهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ۝ وَاِذْ اَسَرَّ النَّبِيُّ اِلٰى بَعْضِ اَزْوَاجِهٖ حَدِيْثًا ۚ فَلَمَّا نَبَّاَتْ بِهٖ وَاَظْهَرَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهٗ وَاَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ ۚ فَلَمَّا نَبَّاَهَا بِهٖ قَالَتْ مَنْ اَنْۢبَاَكَ هٰذَا ۗ قَالَ نَبَّاَنِيَ الْعَلِيْمُ الْخَبِيْرُ ۝ اِنْ تَتُوْبَاۤ اِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوْبُكُمَا ۚ وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظَهِيْرٌ ۝ عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗۤ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ مُسْلِمٰتٍ مُّؤْمِنٰتٍ قٰنِتٰتٍ تٰٓئِبٰتٍ عٰبِدٰتٍ سٰٓئِحٰتٍ ثَيِّبٰتٍ وَّاَبْكَارًا ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहन्नबिय्यु लि-म तुहर्रिमु मा अ-हल्लल्लाहु ल-क तब्तग़ी मर्ज़ा-त अज़्वाजि-क, वल्लाहु ग़फ़ूरुर्-रहीम (1) क़द् फ़-रज़ल्लाहु लकुम् तहिल्ल-त ऐमानिकुम् वल्लाहु मौलाकुम् व हुवल् अ़लीमुल्-हकीम (2) व इज़् असर्रन्नबिय्यु इला बअ्ज़ि अज़्वाजिही	ऐ नबी! तू क्यों हराम करता है जो हलाल किया अल्लाह ने तुझ पर, चाहता है तू रज़ामन्दी अपनी औरतों की और अल्लाह बख़्शने वाला है मेहरबान। (1) मुक़र्रर कर दिया है अल्लाह ने तुम्हारे लिये खोल डालना तुम्हारी क़समों का, और अल्लाह मालिक है तुम्हारा और वही है सब कुछ जानता हिक्मत वाला। (2) और जब छुपाकर कही नबी ने अपनी किसी

हदीसन् फ़-लम्मा नब्बअत् बिही व अज़्ह-रहुल्लाहु अ़लैहि अ़र्र-फ़ बअ़्ज़हू व अअ़्र-ज़ अ़म्-बअ़्ज़िन् फ़-लम्मा नब्ब-अहा बिही क़ालत् मन् अम्ब-अ-क हाज़ा, क़ा-ल नब्ब-अनियल् अ़लीमुल्-ख़बीर (3) इन् ततूबा इलल्लाहि फ़-क़द् सग़त् क़ुलूबुकुमा व इन् तज़ा-हरा अ़लैहि फ़-इन्नल्ला-ह हु-व मौलाहु व जिब्रीलु व सालिहुल्-मुअ्मिनी-न वल्मलाइ-कतु बअ़्-द ज़ालि-क ज़हीर (4) अ़सा रब्बुहू इन् तल्ल-क़कुन्-न अंय्युब्दि लहू अज़्वाजन् ख़ैरम्-मिन्कुन्-न मुस्लिमातिम्-मुअ्मिनातिन् क़ानितातिन् ता-इबातिन् आ़बिदातिन् सा-इहातिन् सय्यिबातिंव्-व अब्कारा (5)	औरत से एक बात फिर जब उसने ख़बर कर दी उसकी और अल्लाह ने जतला दी नबी को वह बात तो जतलाई नबी ने उसमें से कुछ और टला दी कुछ, फिर जब वह जतलाई औरत को बोली आपको किसने बतला दी यह, कहा मुझको बताया उस ख़बर वाले वाक़िफ़ ने। (3) अगर तुम दोनों तौबा करती हो तो झुक पड़े हैं तुम्हारे दिल, और अगर तुम दोनों चढ़ाई करोगी उस पर तो अल्लाह है उसका रफ़ीक़ (साथी) और जिब्रील और नेक बख़्त ईमान वाले, और फ़रिश्ते उसके पीछे मददगार हैं। (4) अगर नबी छोड़ दे तुम सब को अभी उसका रब बदले में दे दे उसको औरतें तुमसे बेहतर हुक्म मानने वालियाँ यक़ीन रखने वालियाँ नमाज़ में खड़ी होने वालियाँ तौबा करने वालियाँ बन्दगी बजा लाने वालियाँ रोज़ा रखने वालियाँ ब्याहियाँ और कुंवारियाँ। (5)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ नबी! जिस चीज़ को अल्लाह नें आपके लिये हलाल किया है आप (क़सम खाकर) उसको (अपने ऊपर) क्यों हराम फ़रमाते हैं? (फिर वह भी) अपनी बीवियों की ख़ुशी हासिल करने के लिये (यानी अगरचे किसी मुबाह चीज़ का छोड़ देना जायज़ है और उस छोड़ने को क़सम के ज़रिये ताकीदी बनाना भी किसी मस्लेहत से जायज़ है लेकिन फिर भी अच्छा और बेहतर नहीं है, ख़ासकर जबकि उसका तक़ाज़ा भी कमज़ोर हो यानी बीवियों की ख़ुशी प्राप्त करना ऐसे मामले में जिसमें उनका राज़ी करना ज़रूरी न था) और अल्लाह तआ़ला बख़्शने वाला, मेहरबान है (कि गुनाह तक को माफ़ कर देता है और आपसे तो कोई गुनाह भी नहीं हुआ इसलिये यह नाराज़गी का इज़हार नहीं बल्कि शफ़क़त व मेहरबानी के तौर पर आप से कहा जाता है कि आपने एक जायज़ नफ़े को छोड़कर क्यों तकलीफ़ उठाई। और चूँकि आपने क़सम खा ली थी इसलिये आ़म

ख़िताब से क़सम का कफ़्फ़ारा देने के बारे में इरशाद फ़रमाते हैं कि) अल्लाह तआ़ला ने तुम लोगों के लिये तुम्हारी क़समों का खोलना (यानी क़सम तोड़ने के बाद उसके कफ़्फ़ारे का तरीक़ा) मुक़र्रर फ़रमा दिया है, और अल्लाह तआ़ला तुम्हारा कारसाज़ है। और वह बड़ा जानने वाला, बड़ी हिक्मत वाला है (इसलिये वह अपने इल्म व हिक्मत से तुम्हारी मस्लेहतों और ज़रूरतों को जानकर तुम्हारी बहुत सी दुश्वारियों को आसान कर देने के तरीक़े मुक़र्रर फ़रमा देता है, चुनाँचे कफ़्फ़ारे के ज़रिये क़सम की पाबन्दी की परेशानी का इलाज कर दिया)।

और (आगे बीवियों को सुनाते हैं कि वह वक़्त याद करने के क़ाबिल है) जबकि पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने अपनी किसी बीवी से एक बात चुपके से फ़रमाई (वह बात यही थी कि मैं फिर शहद न पियूँगा मगर किसी से कहना नहीं) फिर जब उस बीवी ने वह बात (दूसरी बीवी को) बतला दी और पैग़म्बर को अल्लाह तआ़ला ने (वही के ज़रिये से) उसकी ख़बर कर दी तो पैग़म्बर ने (उस ज़ाहिर कर देने वाली बीवी को) थोड़ी-सी बात तो जतला दी (कि तूने हमारी यह बात दूसरी से कह दी) और थोड़ी-सी बात को टाल गये (यानी आपका करम इस हद तक है कि अपने हुक्म के ख़िलाफ़ करने पर जो बीवी की शिकायत करने बैठे तो शिकायत के वक़्त भी उस कही हुई बात के पूरे हिस्सों और अंशों को आदा नहीं फ़रमाया कि तूने मेरी यह बात कह दी और यह भी कह दी बल्कि कुछ हिस्से का ज़िक्र किया और कुछ हिस्से का नहीं किया, ताकि जो बीवी मुख़ातब है उसको गुमान हो कि उनको इतनी ही बात कहने की ख़बर हुई है ज़ायद की नहीं हुई तो शर्मिन्दगी कम हो। तफ़सीरों में इस बारे में जो क़ौल नक़ल किये गये है उनमें ज़्यादा बेहतर यही है)। सो जब पैग़म्बर ने उस बीवी को वह बात जतलाई, वह कहने लगी कि आपको इसकी किसने ख़बर कर दी? आपने फ़रमाया कि मुझको बड़े जानने वाले, ख़बर रखने वाले (यानी ख़ुदा ने) ख़बर कर दी (यह बीवियों को शायद इसलिये सुनाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का पूरे राज़ पर बाख़बर होना सुनकर आपके करीमाना मामले से अपनी कार्रवाई पर ज़्यादा शर्मिन्दा हों और तौबा करें, चुनाँचे आगे ख़ुद बीवियों को तौबा वग़ैरह का ख़िताब है)।

ऐ (पैग़म्बर की) दोनों बीवियो! अगर तुम अल्लाह के सामने तौबा कर लो तो (बेहतर है क्योंकि तौबा का मौक़ा और तक़ाज़ा मौजूद है वह यह कि) तुम्हारे दिल (इस तरफ़) माईल हो रहे हैं (कि दूसरी बीवियों से हटाकर आपको अपना ही बना लें और अगरचे यह बात इस लिहाज़ से बुरी नहीं कि इससे रसूल से ज़्यादा मुहब्बत का इज़हार मक़सद है लेकिन चूँकि इसमें दूसरों के हुक़ूक़ की बरबादी और दिल टूटना लाज़िम आता है, और अगर कोई चीज़ बुराई से जुड़ी हुई हो तो वह भी बुरी होती है, इस एतिबार से यह बुरा और इससे तौबा करना वाजिब है) और अगर (इसी तरह) पैग़म्बर के मुक़ाबले में तुम दोनों कार्रवाइयाँ करती रहीं तो (याद रखो कि) पैग़म्बर का साथी अल्लाह है और जिब्राईल है और नेक मुसलमान हैं, और इनके अ़लावा फ़रिश्ते (आपके) मददगार हैं (मतलब यह कि तुम्हारी इन साज़िशों से आपका कोई नुक़सान नहीं

है बल्कि तुम्हारा ही नुक़सान है, क्योंकि जिस शख़्स के हिमायती व मददगार ऐसे हों उसके मिज़ाज के ख़िलाफ़ कार्रवाईयाँ करने का अन्जाम ज़ाहिर है कि बुरा ही बुरा है। और चूँकि इस सूरत के नाज़िल होने के जो असबाब हैं उनमें से कुछ में हज़रत आयशा व हज़रत हफ़्सा के अ़लावा और बीवियाँ भी शरीक थीं जैसे हज़रत सौदा व सफ़िया, इसलिये आगे बहुवचन के लफ़्ज़ से ख़िताब फ़रमाते हैं कि तुम यह वस्वसा दिल में न लाना कि आख़िरकार मर्द को बीवियों की ज़रूरत होती है और हमसे बेहतर औ़रतें कहाँ हैं इसलिये मजबूर होकर हमारी सब बातें बरदाश्त की जायेंगी, सो यह समझ लो कि) अगर पैग़म्बर तुम औ़रतों को तलाक़ दे दें तो उनका परवर्दिगार बहुत जल्द तुम्हारे बदले उनको तुमसे अच्छी बीवियाँ दे देगा, जो इस्लाम वाली, ईमान वाली, फ़रमाँबरदारी करने वाली, तौबा करने वाली, इबादत करने वाली, रोज़ा रखने वाली होंगी, कुछ बेवा और कुछ कुंवारियाँ (कुछ मस्लेहतें ऐसी होती हैं कि बेवा औ़रत भी दिल-पसन्द बन जाती है जैसे तजुर्बा सलीक़ा हम-उम्र होना वग़ैरह, इसलिये इसको "यानी बेवा होने को" भी दिलचस्पी व रग़बत की सिफ़तों में शुमार फ़रमाया)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः तहरीम की आयतों के नाज़िल होने का वाक़िआ़

सही बुख़ारी वग़ैरह में हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा वग़ैरह से नक़ल किया गया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का मामूल शरीफ़ था कि अ़सर के बाद खड़े-खड़े सब बीवियों के पास (ख़बरगीरी के लिये) तशरीफ़ लाते थे। एक रोज़ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास मामूल से ज़्यादा ठहरे और शहद पिया तो मुझको रश्क आया और मैंने हज़रत हफ़्सा से मश्विरा किया कि हम में से जिसके पास तशरीफ़ लायें वह यूँ कहे कि आपने मग़ाफ़ीर पिया है। मग़ाफ़ीर एक ख़ास क़िस्म का गोंद है जिसमें कुछ बदबू होती है, चुनाँचे ऐसा ही हुआ। आपने फ़रमाया कि मैंने शहद पिया है। उन बीवी ने कहा कि शायद कोई मक्खी मग़ाफ़ीर के पेड़ पर बैठी हो और उसका रस चूसा हो (इसी वजह से शहद में भी बदबू आने लगी)। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम बदबू की चीज़ों से बहुत परहेज़ फ़रमाते थे इसलिये आपने क़सम खा ली कि मैं फिर शहद न पियूँगा और इस ख़्याल से कि हज़रत ज़ैनब का जी बुरा न हो इस बात को छुपाने की ताकीद फ़रमाई मगर उन बीवी ने दूसरी से कह दिया। और कुछ रिवायतों में है कि हज़रत हफ़्सा शहद पिलाने वाली हैं और हज़रत आ़यशा व सौदा और सफ़िया सलाह-मश्विरा करने वाली, और कुछ रिवायतों में यह क़िस्सा दूसरी तरह भी आया है, मुम्किन है कि कई वाक़िए हों और उन सब के बाद ये आयतें नाज़िल हुई हों।

(तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

इन आयतों का ख़ुलासा यह है कि उस वाक़िए में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक हलाल चीज़ यानी शहद को क़सम के ज़रिये अपने ऊपर हराम कर लिया था यह फ़ेल (अ़मल) जबकि किसी ज़रूरत व मस्लेहत से हो तो जायज़ है, गुनाह नहीं। मगर इस वाक़िए में ज़रूरत ऐसी न

थी कि उसकी वजह से आप ख़ुद कोई तकलीफ़ उठायें और एक हलाल चीज़ को छोड़ दें, क्योंकि आपने यह काम अपनी बीवियों को राज़ी करने के लिये किया था और ऐसे मामले में उनका राज़ी करना आपके ज़िम्मे लाज़िम न था, इसलिये अल्लाह तआ़ला ने शफ़क़त व इनायत के तौर पर फ़रमायाः

يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ تَبْتَغِيْ مَرْضَاتَ اَزْوَاجِكَ. وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌo

इस आयत में भी क़ुरआने करीम के आम अन्दाज़ के मुताबिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को आपका नाम लेकर ख़िताब नहीं किया बल्कि 'या अय्युहन्नबिय्यु' के लक़ब से ख़िताब फ़रमाया जो आपका ख़ुसूसी सम्मान व इकराम है, और फिर फ़रमाया कि अपनी बीवियों की ख़ुशी तलब करने के लिये आप अपने ऊपर एक हलाल चीज़ को क्यों हराम करते हैं? यह कलाम अगरचे शफ़क़त के तौर पर हुआ मगर सूरत जवाब-तलबी की थी जिससे यह ख़्याल हो सकता था कि शायद आपसे कोई बड़ी ग़लती हो गयी, इसलिये साथ ही फ़रमाया 'वल्लाहु ग़फ़ूरुर्रहीम' यानी अगर गुनाह होता भी तो अल्लाह तआ़ला मग़फ़िरत और माफ़ करने वाले हैं।

मसलाः- किसी हलाल चीज़ को अपने ऊपर हराम करने की तीन सूरतें हैं जिनका विस्तार से ज़िक्र सूरः मायदा की आयतः

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحَرِّمُوْا طَيِّبٰتِ مَاۤ اَحَلَّ اللّٰهُ لَكُمْ.

के तहत मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन तीसरी जिल्द में आ चुका है, जिसका ख़ुलासा यह है कि अगर कोई शख़्स किसी यक़ीनी हलाल चीज़ को अ़क़ीदे के तौर पर जुर्म क़रार दे तो यह कुफ़्र और बड़ा भारी गुनाह है। और अगर अ़क़ीदे में हराम न समझे मगर बिना किसी ज़रूरत व मस्लेहत के क़सम खाकर अपने ऊपर हराम कर ले तो यह गुनाह है, उस क़सम को तोड़ना और कफ़्फ़ारा अदा करना उस पर वाजिब है, जिसका ज़िक्र आगे आता है। और कोई ज़रूरत व मस्लेहत हो तो जायज़ है मगर अच्छा और बेहतर नहीं है। और तीसरी सूरत यह है कि न अ़क़ीदे के तौर पर हराम समझे न क़सम खाकर अपने ऊपर हराम करे मगर अ़मली तौर पर उसको हमेशा के लिये छोड़ने का दिल में इरादा और अ़हद कर ले यह इरादा अगर इस नीयत से कर ले कि उसका हमेशा के लिये छोड़ना सवाब का ज़रिया है तब तो यह बिद्अ़त और रहबानियत है जो शरीअ़त में गुनाह और नापसन्दीदा है, और अगर हमेशा के लिये छोड़ने को सवाब समझकर नहीं बल्कि अपने किसी जिस्मानी या रूहानी रोग के इलाज के तौर पर करता है तो बिना किसी कराहत के जायज़ है। कुछ सूफ़िया-ए-किराम से जो लज़्ज़तों की चीज़ों के छोड़ देना के वाक़िआ़त नक़ल किये गये हैं वो इसी सूरत पर महमूल हैं।

ऊपर ज़िक्र हुए वाक़िए में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने क़सम खा ली थी, आयत के नाज़िल होने के बाद उस क़सम को तोड़ा और कफ़्फ़ारा अदा फ़रमाया जैसा कि दुर्रे मन्सूर की रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक गुलाम क़सम के कफ़्फ़ारे में आज़ाद किया। (तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

قَدْ فَرَضَ اللّٰهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ اَيْمَانِكُمْ.

यानी अल्लाह तआ़ला ने ऐसी सूरतों में जहाँ क़सम का तोड़ना ज़रूरी या अच्छा हो तुम्हारी क़समों से हलाल होने यानी क़सम तोड़कर कफ़्फ़ारा अदा कर देने का रास्ता निकाल दिया है जिसका ज़िक्र दूसरी आयतों में तफ़सील के साथ आया है।

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا.

यानी जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी किसी बीवी से एक राज़ की बात कही। वह राज़ की बात सही और अक्सर रिवायतों के मुताबिक़ यही थी कि आपने हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास जो शहद पिया और दूसरी बीवियों को नागवार मालूम हुआ, आपने उनको राज़ी करने के लिये शहद न पीने की क़सम खा ली, मगर यह फ़रमाया कि इसकी किसी को ख़बर न हो ताकि ज़ैनब को रंज न पहुँचे। मगर उस बीवी ने यह राज़ दूसरी पर ज़ाहिर कर दिया जिसका ज़िक्र अगली आयत में है। इस राज़ की बात के मुताल्लिक़ दूसरी रिवायतों में और भी चन्द चीज़ें मन्क़ूल हैं मगर अक्सर और सही रिवायतों में यही है जो लिखा गया।

فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ.

यानी जब उस बीवी ने वह राज़ की बात दूसरी बीवी से कह डाली और अल्लाह तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उसकी ख़बर कर दी कि उसने आपका राज़ फ़ाश कर दिया तो आपने उस बीवी से राज़ खोलने का शिकवा तो किया मगर पूरी बात नहीं खोली, यह आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का करम और अच्छे अख़्लाक़ की बात थी कि पूरी बात खोलने से उनको ज़्यादा शर्मिन्दगी होगी। जिस बीवी से राज़ की बात कही गयी थी वह कौन थीं और जिस पर राज़ ज़ाहिर किया वह कौन, क़ुरआने करीम ने इसको बयान नहीं किया, हदीस की अक्सर रिवायतों से मालूम होता है कि राज़ की बात हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से कही गयी थी उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से ज़िक्र कर दिया, जैसा कि सही बुख़ारी की हदीस में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसका बयान आगे आयेगा।

हदीस की कुछ रिवायतों में है कि हज़रत हफ़्सा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के राज़ फ़ाश करने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको तलाक़ देने का इरादा फ़रमाया मगर अल्लाह ने जिब्रीले अमीन को भेजकर उनको तलाक़ देने से रोक दिया और फ़रमाया कि बहुत नमाज़-गुज़ार और बहुत ज़्यादा रोज़े रखने वाली हैं और उनका नाम जन्नत में आपकी बीवियों में लिखा हुआ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا.

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक बीवियों में से जिन दो का मुख़्तसर ज़िक्र ऊपर आया है कि उन्होंने आपस में मश्विरा करके आपके शहद पीने पर ऐसा अन्दाज़ व तरीक़ा इख़्तियार किया जिससे आपने शहद पीने से क़सम खा ली और फिर आपने इसके छुपाने के लिये फ़रमाया था वह बात राज़ नहीं रही बल्कि एक ने दूसरी पर बात खोल दी, ये दो कौन हैं इनके बारे में सही बुख़ारी वग़ैरह में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक लम्बी रिवायत है जिसमें उन्होंने

फ़रमाया कि अरसे तक मेरे दिल में यह इच्छा थी कि मैं उन दो औरतों के मुताल्लिक़ उमर बिन ख़त्ताब से मालूम करूँ जिनके मुताल्लिक़ क़ुरआन में आया है 'इन् ततूबा इलल्लाहि........' यहाँ तक कि एक मौक़ा आया कि उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हज के लिये निकले और मैं भी सफ़र में शरीक हो गया। सफ़र के दौरान में एक रोज़ उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तिन्जे की हाजत के लिये जंगल की तरफ़ तशरीफ़ ले गये और वापस आये तो मैंने वुज़ू के लिये पानी का इन्तिज़ाम कर रखा था, मैंने आपके हाथों पर पानी डाला और वुज़ू कराते हुए मैंने सवाल किया कि ये दो औरतें जिनके मुताल्लिक़ क़ुरआन में 'इन् ततूबा इलल्लाहि........' आया है कौन हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया आप से ताज्जुब है कि आपको ख़बर नहीं, ये दोनों औरतें हफ़्सा और आयशा हैं। उसके बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपना एक लम्बा क़िस्सा इस वाक़िए से मुताल्लिक़ ज़िक्र फ़रमाया जिसमें इस वाक़िए के पेश आने से पहले के कुछ हालात भी बयान फ़रमाये जिनकी पूरी तफ़सील तफ़सीरे मज़हरी में है।

उपरोक्त आयत में उन दोनों पाक बीवियों को मुस्तक़िल ख़िताब करके इरशाद फ़रमाया कि अगर तुम तौबा करो जैसा कि इस वाक़िए का तक़ाज़ा है कि तुम्हारे दिल हक़ से माईल हो गये क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की मुहब्बत और आपकी ख़ुशी चाहना हर मोमिन का फ़र्ज़ है, मगर तुम दोनों ने आपस में मश्विरा करके ऐसी सूरत इख़्तियार की जिससे आपको तकलीफ़ पहुँची, यह ऐसा गुनाह है कि इससे तौबा करना ज़रूरी है, और आगे फ़रमायाः

وَاِنْ تَظٰهَرَا عَلَيْهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلٰىهُ وَجِبْرِيْلُ.......... الاٰية.

इसमें यह बतला दिया कि अगर तुमने तौबा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को राज़ी न किया तो यह न समझो कि आपको कोई नुक़सान पहुँचेगा, क्योंकि आपका तो अल्लाह मौला और कफ़ील है और जिब्रीले अमीन और सब नेक मुसलमान और उनके बाद सब फ़रिश्ते, जिसकी हिमायत व मदद पर सब लगे हों उसको कोई क्या नुक़सान पहुँचा सकता है, नुक़सान जो कुछ है तुम्हारा ही है। आगे उन्हीं के मुताल्लिक़ फ़रमायाः

عَسٰى رَبُّهٗٓ اِنْ طَلَّقَكُنَّ اَنْ يُّبْدِلَهٗٓ اَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكُنَّ........ الاٰية.

इसमें औरतों के इस ख़्याल का जवाब है कि अगर हमें तलाक़ दे दी तो हम जैसी दूसरी औरतें शायद आपको न मिलें। इरशाद का हासिल यह है कि अल्लाह तआला की क़ुदरत से क्या चीज़ बाहर है, अगर वह (यानी रसूले पाक) तुम्हें तलाक़ दे दें तो वह तुम जैसी ही नहीं बल्कि तुमसे बेहतर औरतें अता फ़रमा देगा। इससे यह लाज़िम नहीं आया कि उनसे बेहतर औरतें उस वक़्त मौजूद थीं, हो सकता है कि उस वक़्त न हों और जब ज़रूरत पड़े अल्लाह तआला दूसरी औरतों को उनसे बेहतर बना दें। इन आयतों में जैसा कि ख़ास नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की पाक बीवियों के आमाल व अख़्लाक़ की इस्लाह (सुधार व बेहतरी) और उनकी तरबियत व अदब सिखाने का बयान था आगे आम मोमिनों को इसका हुक्म दिया गया है।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ مَآ اَمَرَهُمْ وَ يَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ ۭ اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ۝

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू क़ू अन्फ़ु-सकुम् व अह्लीकुम् नारंव्-व क़ूदुहन्नासु वल्हिजारतु अ़लैहा मलाइ-कतुन् ग़िलाज़ुन् शिदादुल्-ला यअ़्सूनल्ला-ह मा अ-म-रहुम् व यफ़्अ़लू-न मा युअ्मरून (6) या अय्युहल्लज़ी-न क-फ़रू ला तअ़्तज़िरुल्-यौ-म, इन्नमा तुज्ज़ौ-न मा कुन्तुम् तअ़्मलून (7) ✿	ऐ ईमान वालो! बचाओ अपनी जान को और अपने घर वालों को उस आग से जिसकी छपटियाँ हैं आदमी और पत्थर, उस पर मुक़र्रर हैं फ़रिश्ते सख़्त मिज़ाज वाले, ज़बरदस्त, नाफ़रमानी नहीं करते अल्लाह की जो बात फ़रमाये उनको, और वही काम करते हैं जो उनको हुक्म हो। (6) ऐ मुन्किर होने वालो! मत बहाने बतलाओ आजके दिन, वही बदला पाओगे जो तुम करते थे। (7) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ ईमान वालो! (जब रसूल की बीवियों को भी नेक अ़मल और फ़रमाँबरदारी से चारा नहीं जैसा कि ऊपर मालूम हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को भी इसका हुक्म है कि अपनी बीवियों को नसीहत करके नेक अ़मल पर आमादा करें तो बाक़ी सब उम्मत पर भी यह फ़रीज़ा और ज़्यादा ताकीद के साथ आ़यद हो गया कि अपने घर वालों और बाल-बच्चों के आमाल व अख़्लाक़ के सुधार में ग़फ़लत न बरतें, इसलिये हुक्म दिया गया कि) तुम अपने को और अपने घर वालों को (दोज़ख़ की) उस आग से बचाओ जिसका ईंधन (और सोख़्ता) आदमी और पत्थर हैं (अपने को बचाना ख़ुद अहकाम पर अ़मल करना और घर वालों को बचाना उनको अल्लाह के अहकाम सिखाना और उन पर अ़मल कराने के लिये ज़बान से हाथ से जहाँ तक अपने इख़्तियार में हो कोशिश करना है। आगे उस आग की दूसरी हालत का बयान है कि) जिस पर सख़्त-मिज़ाज (और) मज़बूत फ़रिश्ते (मुतैयन) हैं, (कि न वे किसी पर रहम करें न कोई उनका मुक़ाबला करके बच सके) जो किसी बात में ख़ुदा की (ज़रा भी) नाफ़रमानी नहीं करते जो उनको हुक्म देता है। और जो कुछ उनको हुक्म दिया जाता है उसको (फ़ौरन) पूरा करते हैं। (ग़र्ज़ कि उस दोज़ख़ पर ऐसे फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं जो काफ़िरों को दोज़ख़ में दाख़िल करके छोड़ेंगे और काफ़िरों से कहा जायेगा कि) ऐ काफ़िरो! तुम आज उ़ज़्र (और बहाने पेश) मत करो

(इसका कोई फ़ायदा नहीं), बस तुमको तो उसकी सज़ा मिल रही है जो कुछ तुम (दुनिया में) किया करते थे।

मआ़रिफ़ व मसाईल

قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا...... الاٰية.

इस आयत में आ़म मुसलमानों को हुक्म है कि जहन्नम की आग से अपने आपको भी बचायें और अपने घर वालों को भी। फिर जहन्नम की आग की हौलानाक सख़्ती का ज़िक्र फ़रमाया और आख़िर में यह भी फ़रमाया कि जो इस जहन्नम का मुस्तहिक़ होगा वह किसी ज़ोर व ताक़त, जत्थे या ख़ुशामद व रिश्वत के ज़रिये उन फ़रिश्तों की गिरफ़्त से नहीं बच सकेगा जो जहन्नम पर मुसल्लत हैं, जिनका नाम ज़बानिया है।

लफ़्ज़ "अहलीकुम" में अहल व अ़याल सब दाख़िल हैं जिनमें बीवी, औलाद, ग़ुलाम, बाँदियाँ सब दाख़िल हैं, और कुछ मुश्किल और दूर की बात नहीं कि फ़ुल-टाईम वाले नौकर-चाकर भी ग़ुलाम बाँदियों के हुक्म में हों। एक रिवायत में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया- या रसूलल्लाह! अपने आपको जहन्नम से बचाने की फ़िक्र तो समझ में आ गयी (कि हम गुनाहों से बचें और अल्लाह के अहकाम की पाबन्दी करें) मगर अहल व अ़याल को हम किस तरह जहन्नम से बचायें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इसका तरीक़ा यह है कि अल्लाह तआ़ला ने तुमको जिन कामों से मना फ़रमाया है उन कामों से उन सब को मना करो, और जिन कामों के करने का तुमको हुक्म दिया है तुम उनके करने का अहल व अ़याल (यानी घर वालों) को भी हुक्म करो, तो यह अ़मल उनको जहन्नम की आग से बचा सकेगा।

(तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

बीवी और औलाद की तालीम व तरबियत हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है

फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) हज़रात ने फ़रमाया कि इस आयत से साबित हुआ कि हर शख़्स पर फ़र्ज़ है कि अपनी बीवी और औलाद को शरई फ़राईज़ और हलाल व हराम के अहकाम की तालीम दे और उस पर अ़मल कराने के लिये कोशिश करे। एक हदीस में है कि अल्लाह तआ़ला उस शख़्स पर अपनी रहमत नाज़िल करे जो कहता है कि ऐ मेरे बीवी बच्चो! तुम्हारी नमाज़, तुम्हारा रोज़ा, तुम्हारी ज़कात, तुम्हारा मिस्कीन, तुम्हारा यतीम, तुम्हारा पड़ोसी, उम्मीद है कि अल्लाह तआ़ला इन सब को उसके साथ जन्नत में जमा फ़रमायेंगे। तुम्हारी नमाज़, तुम्हारा रोज़ा वग़ैरह फ़रमाने का मतलब यह है कि इन चीज़ों का ख़्याल रखो, इसमें ग़फ़लत न होने पाये और तुम्हारा मिस्कीन, तुम्हारा यतीम वग़ैरह फ़रमाने का मतलब यह है कि उनके जो हुक़ूक़ तुम्हारे ज़िम्मे हैं उनको ख़ुशी और

पाबन्दी से अदा करो। और कुछ बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन सबसे ज़्यादा अ़ज़ाब में वह शख़्स होगा जिसके अहल व अ़याल (घर वाले और बाल-बच्चे) दीन से जाहिल व ग़ाफ़िल हों। (रूह)

आ़म मोमिनों को नसीहत करने के बाद काफ़िरों को ख़िताब है कि अब तुम्हारा किया हुआ तुम्हारे सामने आ रहा है, अब कोई उज़्र (बहाना और मजबूरी ज़ाहिर करना) किसी का क़ुबूल नहीं किया जा सकताः

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَعْتَذِرُوا الْيَوْمَ.

का यही मतलब है।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا ۭ عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۙ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ ۚ نُوْرُهُمْ يَسْعٰى بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَآ اَتْمِمْ لَنَا نُوْرَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ۚ اِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۭ وَمَاْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ۭ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝ وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ ۘ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِيْ مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهٖ وَنَجِّنِيْ مِنَ الْقَوْمِ الظّٰلِمِيْنَ ۝ۙ وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرٰنَ الَّتِيْٓ اَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهِ مِنْ رُّوْحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ وَكَانَتْ مِنَ الْقٰنِتِيْنَ ۝ۧ

या अय्युहल्लज़ी-न आमनू तूबू इलल्लाहि तौ-बतन्-नसूहन्, अ़सा रब्बुकुम् अंय्युकफ़्फ़ि-र अ़न्कुम् सय्यिआतिकुम् व युद्ख़ि-लकुम् जन्नातिन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु यौ-म ला युख़्ज़िल्लाहुन्-नबिय्-य वल्लज़ी-न आमनू म-अ़हू नूरुहुम् यस्आ़ बै-न ऐदीहिम् व	ऐ ईमान वालो! तौबा करो अल्लाह की तरफ़ साफ़ दिल की तौबा, उम्मीद है तुम्हारा रब उतार दे तुम पर से तुम्हारी बुराईयाँ और दाख़िल करे तुमको बाग़ों में जिनके नीचे बहती हैं नहरें, जिस दिन कि अल्लाह ज़लील न करेगा नबी को और उन लोगों को जो यक़ीन लाये हैं उसके साथ, उनकी रोशनी दौड़ती है उनके आगे

बि-ऐमानिहिम् यक़ूलू-न रब्बना अत्मिम् लना नू-रना वग़्फ़िर् लना इन्न-क अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (8) या अय्युहन्नबिय्यु जाहिदिल्-कुफ़्फ़ा-र वल्-मुनाफ़िक़ी-न वग़्लुज़् अ़लैहिम्, व मअ्वाहुम् जहन्नमु, व बिअ्सल्-मसीर (9) ज़-रबल्लाहु म-सलल्-लिल्लज़ी-न क-फ़रुम्-र-अ-त नूहिंव्-वम्-र-अ-त लूतिन्, का-नता तह्-त अ़ब्दैनि मिन् अ़िबादिना सालिहैनि फ़-ख़ानताहुमा फ़-लम् युग़्निया अ़न्हुमा मिनल्लाहि शैअंव्-व क़ीलद्ख़ुलन्ना-र मअ़द्-दाख़िलीन (10) व ज़-रबल्लाहु म-सलल्-लिल्लज़ी-न आमनुम्-र-अ-त फ़िर्औ़-न। इज़् क़ालत् रब्बिब्नि ली अ़िन्द-क बैतन् फ़िल्-जन्नति व नज्जिनी मिन् फ़िर्औ़-न व अ़-मलिही व नज्जिनी मिनल्-क़ौमिज़्ज़ालिमीन (11) व मर्य-मब्न-त अ़िम्रानल्लती अह्-सनत् फ़र्-जहा फ़-नफ़ख़्ना फ़ीहि मिर्रूहिना व सद्दक़त् बि-कलिमाति रब्बिहा व कुतुबिही व कानत् मिनल्-क़ानितीन (12) ✿	और उनके दाहिने, कहते हैं ऐ हमारे रब! पूरी कर दे हमको हमारी रोशनी और माफ़ कर हमको, बेशक तू सब कुछ कर सकता है। (8) ऐ नबी! लड़ाई कर मुन्किरों से और दग़ाबाज़ों से और सख़्ती कर उन पर और उनका घर दोज़ख़ है और बुरी जगह जा पहुँचे। (9) अल्लाह ने बतलाई एक मिसाल मुन्किरों के वास्ते औरत नूह की और औरत लूत की, घर में थीं दोनों दो नेक बन्दों के हमारे नेक बन्दों में से, फिर उन्होंने उनसे चोरी की फिर वह काम न आये उनके अल्लाह के हाथ से कुछ भी और हुक्म हुआ कि चली जाओ दोज़ख़ में जाने वालों के साथ। (10) और अल्लाह ने बतलाई एक मिसाल ईमान वालों के लिये औरत फ़िरऔन की, जब बोली ऐ रब! बना मेरे वास्ते अपने पास एक घर जन्नत में और बचा निकाल मुझको फ़िरऔन से और उसके काम से, और बचा निकाल मुझको ज़ालिम लोगों से। (11) और मरियम बेटी इमरान की जिसने रोके रखा अपनी शहवत (नफ़्सानी इच्छा) की जगह को, फिर हमने फूँक दी उसमें एक अपनी तरफ़ से जान और सच्चा जाना रब की बातों को और उसकी किताबों को, और वह थी बन्दगी करने वालों में। (12) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(इन आयतों में दोज़ख़ से बचने का तरीक़ा बतलाया गया है और वही अहल व अयाल को बतलाकर जहन्नम की आग से बचाने का तरीक़ा है, वह यह है) ऐ ईमान वालो! तुम अल्लाह के आगे सच्ची तौबा करो (यानी दिल में गुनाह पर पूरी शर्मिन्दगी हो और आईन्दा उसके न करने का पुख़्ता इरादा हो, इसमें दीन के तमाम अहकाम फ़राईज़ वाजिब भी दाख़िल हो गये कि उनको छोड़ना गुनाह है और तमाम नाजायज़ व मक्रूह चीज़ें भी आ गयीं कि उनका करना गुनाह है) उम्मीद (यानी वायदा) है कि तुम्हारा रब (उस तौबा की बदौलत) तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और तुमको (जन्नत के) ऐसे बाग़ों में दाख़िल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी होंगी। (और यह उस दिन होगा) जिस दिन कि अल्लाह तआ़ला नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को और जो मुसलमान (दीन की रू से) उनके साथ हैं उनको रुस्वा न करेगा। उनका नूर उनके दाहिने और उनके सामने दौड़ता होगा (जैसा कि सूरः हदीद में गुज़र चुका है और वे) यूँ दुआ़ करते होंगे कि ऐ हमारे रब! हमारे लिये इस नूर को आख़िर तक रखिये (यानी राह में बुझ न जाये), और हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिये, आप हर चीज़ पर क़ादिर हैं।

(और इस दुआ़ की वजह यह होगी कि क़ियामत में हर मोमिन को कुछ न कुछ नूर अ़ता होगा, जिस वक़्त पुलसिरात के पास पहुँचकर मुनाफ़िक़ लोगों का नूर बुझ जायेगा जिसका ज़िक्र सूरः हदीद में आ चुका है उस वक़्त मोमिन लोग यह दुआ़ करेंगे कि मुनाफ़िक़ों की तरह कहीं हमारा नूर भी न छिन जाये (यही तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास से नक़ल की गयी है)। ऐ नबी (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! काफ़िरों से (तलवारों से) और मुनाफ़िक़ों से (ज़ुबान और दलीलों के बयान के ज़रिये) जिहाद कीजिये और उन पर सख़्ती कीजिये। (दुनिया में तो ये इसके मुस्तहिक़ हैं) और (आख़िरत में) इनका ठिकाना दोज़ख़ है, और वह बुरी जगह है।

(आगे इसका बयान है कि आख़िरत में हर शख़्स को अपना ही ईमान काम आयेगा, काफ़िर को उसके किसी क़रीबी या रिश्तेदार का ईमान अ़ज़ाब से न बचायेगा। इसी तरह मोमिन के रिश्तेदार व क़रीबी लोग अगर काफ़िर हों तो मोमिन को उसका कोई नुक़सान नहीं पहुँचेगा) अल्लाह तआ़ला काफ़िरों (की इब्रत) के लिये नूह (अ़लैहिस्सलाम) की बीवी और लूत (अ़लैहिस्सलाम) की बीवी का हाल बयान फ़रमाता है। वे दोनों हमारे ख़ास बन्दों में से दो बन्दों के निकाह में थीं। सो उन औरतों ने उन दोनों बन्दों का हक़ ज़ाया किया (यानी उनके नबी होने की वजह से उनका हक़ यह भी था कि उन पर ईमान लातीं और दीनी अहकाम में उनकी फ़रमाँबरदारी करतीं जो उन्होंने नहीं की) तो वे दोनों नेक बन्दे अल्लाह के मुक़ाबले में उनके ज़रा भी काम न आ सके, और उन दोनों औरतों को (काफ़िर होने की वजह से) हुक्म हो गया कि दूसरे जाने वालों के साथ तुम दोनों भी दोज़ख़ में जाओ।

(यहाँ तक काफ़िरों की इब्रत और सीख लेने के लिये वाक़िआ़ बयान किया गया था, आगे मुसलमानों के इत्मीनान के लिये फ़रमाया) और अल्लाह तआ़ला मुसलमानों (की तसल्ली) के

लिये फ़िरऔन की बीवी (हज़रत आसिया रज़ियल्लाहु अ़न्हा) का हाल बयान फ़रमाता है जबकि इन बीबी ने दुआ़ की कि ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरे वास्ते जन्नत में अपने नज़दीक में मकान बनाईये और मुझको फ़िरऔन (की बुराई) से और उसके अ़मल (यानी कुफ़्र के नुक़सान और असर) से महफ़ूज़ रखिये, और मुझको तमाम ज़ालिम (यानी काफ़िर) लोगों (के ज़ाहिरी और बातिनी नुक़सान) से महफ़ूज़ रखिये। (और साथ ही मुसलमानों की तसल्ली के लिये) इमरान की बेटी (हज़रत) मरियम (अ़लैहस्सलाम) का हाल बयान करता है, जिन्होंने अपनी आबरू को (हराम और हलाल दोनों से) महफ़ूज़ रखा। सो हमने उनके दामन में (जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के माध्यम से) अपनी रूह फूँक दी और उन्होंने अपने परवर्दिगार के पैग़ामों की (जो उनको फ़रिश्तों के ज़रिये पहुँचे थे) और उसकी किताबों की (जिनमें तौरात व इन्जील भी हैं) तस्दीक़ की। (यह बयान है उनके अ़क़ीदों का) और वह फ़रमाँबरदारी करने वालों में से थीं (यह बयान है उनके आमाल का)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا.

तौबा के लफ़्ज़ी मायने लौटने और रुजू होने के हैं, मुराद गुनाहों से लौटना है। और क़ुरआन व सुन्नत की इस्तिलाह में तौबा इसका नाम है कि आदमी अपने पिछले गुनाह पर शर्मिन्दा हो और आईन्दा उसके पास न जाने का पुख़्ता इरादा करे। और नसूह को अगर मस्दर नसह और नसीहत से लिया जाये तो इसके मायने ख़ालिस करने के हैं, और मस्दर नसाहत से निकला क़रार दें तो इसके मायने कपड़े को सीने और जोड़ लगाने के हैं। पहले मायने के एतिबार से नसूह के मायने ये होंगे कि वह दिखावे और नमूद से ख़ालिस हो, महज़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा तलब करने और अ़ज़ाब के डर से गुनाह पर शर्मिन्दा होकर उसको छोड़ दे, और दूसरे मायने के ऐतिबार से नसूह इस मतलब के लिये होगा कि नेक आमाल का लिबास जो गुनाह की वजह से फट गया है तो यह उसके फटे हुए को जोड़ने वाली है। हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि तौबा-ए-नसूह यह है कि आदमी अपने पिछले अ़मल पर शर्मिन्दा हो और फिर उसकी तरफ़ न लौटने का पुख़्ता इरादा और अ़ज़्म रखता हो। और कल्बी ने फ़रमाया कि तौबा-ए-नसूह यह है कि ज़बान से इस्तिग़फ़ार करे और दिल में शर्मिन्दा हो और अपने बदन और जिस्मानी अंगों को आईन्दा उस गुनाह से रोके।

हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से सवाल किया गया कि तौबा क्या है? तो आपने फ़रमाया जिसमें छह चीज़ें जमा हों-

1. अपने गुज़रे और पिछले बुरे अ़मल पर शर्मिन्दगी।
2. जो फ़राईज़ व वाजिबात अल्लाह तआ़ला के छूटे हैं उनकी क़ज़ा।
3. किसी का माल वग़ैरह ज़ुल्मन लिया था तो उसकी वापसी।
4. किसी को हाथ या ज़बान से सताया और तकलीफ़ पहुँचाई थी तो उससे माफ़ी।

5. आईन्दा उस गुनाह के पास न जाने का पुख़्ता अ़ज़्म व इरादा।

6. और यह कि जिस तरह उसने अपने नफ़्स को अल्लाह की नाफ़रमानी करते हुए देखा है अब वह इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) करते हुए देख ले। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने तौबा की जो शर्तें बयान फ़रमाई हैं वो सभी के नज़दीक मुसल्लम (मानी हुई) हैं। कुछ हज़रात ने मुख़्तसर कुछ ने विस्तार से बयान कर दिया है।

عَسٰى رَبُّكُمْ اَنْ يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ............الآية.

लफ़्ज़ "अ़सा" का तर्जुमा है 'उम्मीद है' और यहाँ इससे मुराद वायदा है, मगर इस वायदे को उम्मीद के लफ़्ज़ से ताबीर करके इस तरफ़ इशारा कर दिया कि तौबा हो या इनसान के दूसरे नेक आमाल उनमें से कोई भी जन्नत व मग़फ़िरत की क़ीमत नहीं, और न अल्लाह के ज़िम्मे इन्साफ़ की रू से यह लाज़िम आता है कि जो नेक अ़मल करे उसको ज़रूर जन्नत ही में दाख़िल करे, क्योंकि नेक आमाल का एक बदला तो हर इनसान को दुनियावी ज़िन्दगी में अ़ता होने वाली नेमतों से मिल चुका है, उसके बदले में क़ानून व क़ायदे के हिसाब से जन्नत मिलना ज़रूरी नहीं, वह महज़ अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल व इनाम ही पर मौक़ूफ़ है जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम में किसी को सिर्फ़ उसका अ़मल निजात नहीं दिला सकता। सहाबा ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या आपको भी? आपने फ़रमाया हाँ मुझे भी जब तक कि अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल व रहमत का मामला न फ़रमायें। (बुख़ारी व मुस्लिम, अज़ तफ़सीरे मज़हरी)

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ.........الآية.

सूरत के आख़िर में हक़ तआ़ला ने चार औ़रतों की मिसालें बयान फ़रमाई हैं- पहली दो औ़रतें दो पैग़म्बरों की बीवियाँ हैं जिन्होंने दीन के मामले में अपने शौहरों की मुख़ालफ़त की, काफ़िरों व मुश्रिकों की इमदाद व मुवाफ़क़त ख़ुफ़िया तौर पर करती रहीं, उसके नतीजे में जहन्नम में गयीं। अल्लाह के मक़बूल व बरगुज़ीदा पैग़म्बरों के निकाह में होना भी उनको अ़ज़ाब से न बचा सका, उनमें से एक हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की बीवी है जिनका नाम वाग़िला बयान किया गया है, और दूसरी हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम की बीवी जिसका नाम वालिहा कहा गया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) इनके नामों में और भी मुख़्तलिफ़ अक़वाल हैं। तीसरी वह औ़रत है जो सबसे बड़े काफ़िर, ख़ुदाई के दावेदार फ़िरऔ़न की बीवी थी मगर मूसा अ़लैहिस्सलाम पर ईमान ले आई, उसको अल्लाह तआ़ला ने यह दर्जा दिया कि दुनिया ही में उसको जन्नत का मक़ाम दिखला दिया, शौहर की फ़िरऔ़नियत उसकी राह में कुछ रुकावट नहीं बन सकी। चौथी हज़रत मरियम हैं जो किसी की बीवी नहीं मगर ईमान और नेक आमाल की वजह से अल्लाह तआ़ला ने उनको यह दर्जा दिया कि उनको नुबुव्वत के कमालात अ़ता फ़रमाये, अगरचे उम्मत की अक्सरियत के नज़दीक वह नबी नहीं।

इन सब मिसालों से यह वाज़ेह कर दिया कि एक मोमिन का ईमान उसके किसी काफ़िर रिश्तेदार और क़रीबी शख़्स के काम नहीं आ सकता, और एक काफ़िर का कुफ़्र उसके किसी मोमिन अ़ज़ीज़ को नुक़सान नहीं पहुँचा सकता। इसलिये नबियों और वलियों की बीवियाँ इस पर बेफ़िक्र न

हों कि हमें हमारे शौहरों की वजह से निजात हो ही जायेगी, और किसी काफ़िर व बदकार की बीवी यह फ़िक्र न करे कि उसका कुफ़्र मेरे लिये किसी नुक़सान का सबब बन जायेगा, बल्कि हर एक मर्द व औरत को अपने ईमान व अमल की फ़िक्र ख़ुद करनी चाहिये।

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا امْرَاَتَ فِرْعَوْنَ اِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِيْ عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

यह मिसाल फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया बिन्ते मुज़ाहिम की है। जिस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम जादूगरों के मुक़ाबले में कामयाब हुए और जादूगर मुसलमान हो गये तो इस बीवी ने अपने ईमान का इज़हार कर दिया, फ़िरऔन ने इनको सख़्त सज़ा देनी तजवीज़ की। कुछ रिवायतों में है कि इनको चौमीख़ा करके (यानी हाथों-पैरों में बड़ी-बड़ी कीलें ठोक कर) सीने पर भारी पत्थर रख दिया यानी चारों हाथों-पैरों में मेख़ें गाड़ दीं कि हरकत न कर सकें। इस हालत में इन्होंने अल्लाह तआ़ला से यह दुआ़ की जो इस आयत में बयान हुई है। और कुछ रिवायतों में है कि यह तजवीज़ किया कि ऊपर से बहुत भारी पत्थर उनके सर पर डाल दिया जाये, अभी डालने नहीं पाये थे कि इन्होंने दुआ़ की और अल्लाह तआ़ला ने इनकी रूह क़ब्ज़ कर ली, पत्थर बेजान जिस्म पर गिरा। और दुआ़ में यह फ़रमाया कि ऐ मेरे रब! जन्नत में अपने पास मेरा घर बना दे, अल्लाह तआ़ला ने दुनिया ही में इनको जन्नत का घर दिखला दिया। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَصَدَّقَتْ بِكَلِمٰتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهٖ

रब के कलिमात से मुराद अल्लाह के नाज़िल किये हुए सहीफ़े (किताबें और अहकामात) हैं जो अम्बिया पर उतरते हैं। और कुतुब से मुराद परिचित आसमानी किताबें इन्जील, ज़बूर, तौरात हैं। 'व कानत् मिनल् क़ानितीन' में 'क़ानितीन' क़ानित की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने आ़बिद (इबादत करने वाले) के हैं जो अपनी इबादात व नेकी पर हमेशा पाबन्दी करता है। यह हज़रत मरियम की सिफ़त है। हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मर्दों में से बहुत लोग कामिल व मुकम्मल हुए हैं मगर औरतों में से सिर्फ़ हज़रत आसिया फ़िरऔन की बीवी और हज़रत मरियम इमरान की बेटी कामिल हुईं। (बुख़ारी व मुस्लिम, अज़ तफ़सीरे मज़हरी) ज़ाहिर यह है कि मुराद नुबुव्वत के कमालात हैं कि बावजूद औरत होने के उनको हासिल हुए। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु आलम

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अत्-तहरीम की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अत्-तहरीम की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

उन्तीसवाँ पारह् (तबा-रकल्लज़ी)

सूरः अल्-मुल्क

सूरः अल्-मुल्क मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 30 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیاتھا ٣٠ (٦٧) سُوْرَةُ الْمُلْكِ مَكِّيَّةٌ (٧٧) رکوعاتھا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبٰرَكَ الَّذِيْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۭ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ۝ الَّذِيْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ۭ مَا تَرٰى فِيْ خَلْقِ الرَّحْمٰنِ مِنْ تَفٰوُتٍ ۭ فَارْجِعِ الْبَصَرَ ۙ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ۝ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ اِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَّهُوَ حَسِيْرٌ ۝ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاۗءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ وَاَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيْرِ ۝ وَلِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ ۭ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ۝ اِذَآ اُلْقُوْا فِيْهَا سَمِعُوْا لَهَا شَهِيْقًا وَّهِىَ تَفُوْرُ ۝ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ ۭ كُلَّمَآ اُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَاَلَهُمْ خَزَنَتُهَآ اَلَمْ يَاْتِكُمْ نَذِيْرٌ ۝ قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاۗءَنَا نَذِيْرٌ ڏ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ ښ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ ۝ وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْٓ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝ فَاعْتَرَفُوْا بِذَنْۢبِهِمْ ۚ فَسُحْقًا لِّاَصْحٰبِ السَّعِيْرِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝ وَاَسِرُّوْا قَوْلَكُمْ اَوِ اجْهَرُوْا بِهٖ ۭ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝ اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۭ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ ۝ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا فَامْشُوْا فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ ۭ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ ۝ ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاۗءِ اَنْ يَّخْسِفَ بِكُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا هِيَ تَمُوْرُ ۝ اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِي السَّمَاۗءِ اَنْ يُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۭ فَسَتَعْلَمُوْنَ كَيْفَ نَذِيْرِ ۝ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِ ۝ اَوَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صٰۗفّٰتٍ وَّيَقْبِضْنَ ڤ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا الرَّحْمٰنُ ۭ اِنَّهٗ بِكُلِّ شَيْءٍۢ بَصِيْرٌ ۝ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ ۭ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِيْ غُرُوْرٍ ۝ اَمَّنْ هٰذَا الَّذِيْ

الجزء التاسع والعشرون ٢٩ ع ١

يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ ۚ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴿٢١﴾ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ
أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٢﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ
وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿٢٤﴾ وَيَقُولُونَ
مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٢٦﴾
فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَٰذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿٢٧﴾ قُلْ
أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٨﴾ قُلْ هُوَ
الرَّحْمَٰنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٢٩﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ
أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ ﴿٣٠﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तबा-रकल्लज़ी बि-यदिहिल्-मुल्कु व हु-व अ़ला कुल्लि शैइन् क़दीर (1) अल्लज़ी ख़-लक़ल्-मौ-त वल्हया-त लि-यब्लु-वकुम् अय्युकुम् अह्सनु अ़-मलन्, व हुवल् अ़ज़ीज़ुल्-ग़फ़ूर (2) अल्लज़ी ख़-ल-क़ सब्-अ़ समावातिन् तिबाक़न्, मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर्रह्मानि मिन् तफ़ावुतिन्, फ़र्जिअ़िल्-ब-स-र हल् तरा मिन् फ़ुतूर (3) सुम्मर्जिअ़िल्-ब-स-र कर्रतैनि यन्क़लिब् इलैकल्ब-सरु ख़ासिअंव्-व हु-व हसीर (4) व ल-क़द् ज़य्यन्नस्-समाअद्दुन्या बि-मसाबी-ह व ज-अ़ल्नाहा रुजूमल्-	बड़ी बरकत है उसकी जिसके हाथ में है राज और वह सब कुछ कर सकता है। (1) जिसने बनाया मरना और जीना ताकि तुमको जाँचे कौन तुम में अच्छा करता है काम और वह ज़बरदस्त है, बख़्शने वाला। (2) जिसने बनाये सात आसमान तह पर तह, क्या तू देखता है रहमान के बनाने में कुछ फ़र्क़, फिर दोबारा निगाह कर कहीं नज़र आती है तुझको दराड़? (3) फिर लौटाकर निगाह कर दो-दो बार, लौट आयेगी तेरे पास तेरी निगाह रद्द होकर थककर। (4) और हमने रौनक़ दी सबसे वरले आसमान को चिराग़ों से और उनसे कर रखी है हमने फेंक-मार शैतानों के

लिश्शयातीनि व अअ्तद्ना लहुम् अ़ज़ाबस्सअ़ीर (5) व लिल्लज़ी-न क-फ़रू बिरब्बिहिम् अ़ज़ाबु जहन्न-म, व बिअ्सल्-मसीर (6) इज़ा उल्कू फ़ीहा समिअ़ू लहा शहीक़ंव्-व हि-य तफ़ूर (7) तकादु त-मय्यज़ु मिनल्-ग़ैज़ि, कुल्लमा उल्कि-य फ़ीहा फ़ौजुन् स-अ-लहुम् ख़ा-ज़-नतुहा अलम् यअ्तिकुम् नज़ीर (8) क़ालू बला क़द् जा-अना नज़ीरुन्, फ़-कज़्ज़ब्ना व क़ुल्ना मा नज़्ज़लल्लाहु मिन् शैइन् इन् अन्तुम् इल्ला फ़ी ज़लालिन् कबीर (9) व क़ालू लौ कुन्ना नस्मअ़ु औ नअ्क़िलु मा कुन्ना फ़ी अस्हाबिस्सअ़ीर (10) फ़अ्त-रफ़ू बिज़म्बिहिम् फ़-सुह़्क़ल्-लि-अस्हाबिस्-सअ़ीर (11) इन्नल्लज़ी-न यख़्शौ-न रब्बहुम् बिल्-ग़ैबि लहुम् मग़्फ़ि-रतुंव्-व अज्रुन् कबीर (12) व असिर्रू क़ौलकुम् अविज्हरू बिही, इन्नहू अ़लीमुम्-बिज़ातिस्सुदूर (13) अला यअ्लमु मन् ख़-ल-क़, व हुवल्-लतीफ़ुल्-ख़बीर (14) ❁

वास्ते, और रखा है उनके वास्ते अज़ाब दहकती आग का। (5) और जो लोग मुन्किर हुए अपने रब से उनके वास्ते है अज़ाब दोज़ख़ का और बुरी जगह जा पहुँचे। (6) जब उसमें डाले जायेंगे सुनेंगे उसका दहाड़ना और वह उछल रही होगी (7) ऐसा लगता है कि फट पड़ेगी जोश से, जिस वक़्त पड़े उसमें एक गिरोह पूछें उनसे दोज़ख़ के दरोग़ा- क्या न पहुँचा था तुम्हारे पास कोई डर सुनाने वाला? (8) वे बोलें क्यों नहीं! हमारे पास पहुँचा था डर सुनाने वाला, फिर हमने झुठलाया और कहा नहीं उतारी अल्लाह ने कोई चीज़, तुम तो पड़े हुए हो बड़े बहकावे में। (9) और कहेंगे अगर हम होते सुनते या समझते तो न होते दोज़ख़ वालों में। (10) सो क़ायल हो गये अपने गुनाह के अब दफ़ा हो जायें दोज़ख़ वाले। (11) जो लोग डरते हैं अपने रब से बिना देखे उनके लिये माफ़ी है और बड़ा सवाब। (12) और तुम छुपाकर कहो अपनी बात या खोलकर वह ख़ूब जानता है दिलों के भेद। (13) भला वह न जाने जिसने बनाया, और वही है भेद जानने वाला ख़बर रखने वाला। (14) ❁

हुवल्लज़ी ज-अ-ल लकुमुल्-अर्-ज़ ज़लूलन् फ़म्शू फ़ी मनाकिबिहा व कुलू मिर्रिज़्क़िही, व इलैहिन्-नुशूर (15) अ-अमिन्तुम् मन् फ़िस्समा-इ अंय्यख़्सि-फ़ बिकुमुल्-अर्-ज़ फ़-इज़ा हि-य तमूर (16) अम् अमिन्तुम् मन् फ़िस्समा-इ अंय्युर्सि-ल अ़लैकुम् हासिबन्, फ़-सतअ़्लमू-न कै-फ़ नज़ीर (17) व लक़द् कज़्ज़-ब-ल्लज़ी-न मिन् क़ब्लिहिम् फ़कै-फ़ का-न नकीर (18) अ-वलम् यरौ इलत्तैरि फ़ौक़हुम् साफ़्फ़ातिंव्-व यक़्बिज़्-न। मा युम्सिकुहुन्-न इल्लर्रह्मानु, इन्नहू बिकुल्लि शैइम्-बसीर (19) अम्मन् हाज़ल्लज़ी हु-व जुन्दुल्-लकुम् यन्सुरुकुम् मिन् दूनिर्रह्मानि, इनिल्-काफ़िरू-न इल्ला फ़ी ग़ुरूर (20) अम्मन् हाज़ल्लज़ी यर्ज़ुक़ुकुम् इन् अम्स-क रिज़्क़हू बल्-लज्जू फ़ी अ़ुतुव्विंव्-व नुफ़ूर (21) अ-फ़मंय्यम्शी मुकिब्बन् अ़ला वज्हिही अह्दा अम्-मंय्यम्शी सविय्यन् अ़ला सिरातिम्-मुस्तक़ीम (22) क़ुल् हुवल्लज़ी अन्श-अकुम् व ज-अ़-ल लकुमुस्सम्-अ वल्-अब्सा-र वल्-

वही है जिसने किया तुम्हारे आगे ज़मीन को पस्त, अब चलो फिरो उसके कंधों पर और खाओ कुछ उसकी दी हुई रोज़ी, और उसी की तरफ़ जी उठना है। (15) क्या तुम निडर हो गये उससे जो आसमान में है इससे कि धंसा दे तुमको ज़मीन में फिर तभी वह लरज़ने लगे (16) या निडर हो गये हो उससे जो आसमान में है इस बात से कि बरसा दे तुम पर पत्थरों की बारिश, सो जान लोगे कैसा है मेरा डराना। (17) और झुठला चुके हैं जो उनसे पहले थे फिर कैसा हुआ मेरा इनकार। (18) और क्या नहीं देखते हो उड़ते जानवरों को अपने ऊपर पंख खोले हुए और पंख झपकते हुए, उनको कोई नहीं थाम रहा रहमान के सिवा, उसकी निगाह में है हर चीज़। (19) भला वह कौन है जो तुम्हारी फ़ौज है, मदद करे तुम्हारी रहमान के सिवा, मुन्किर पड़े हैं बुरे बहकावे में। (20) भला वह कौन है जो रोज़ी दे तुमको अगर वह रख छोड़े अपनी रोज़ी, कोई नहीं! पर अड़ रहे हैं शरारत और बिदकने पर। (21) भला एक जो चले औंधा अपने मुँह के बल वह सीधी राह पाये या वह शख़्स जो चले सीधा एक सीधी राह पर? (22) तू कह वही है जिसने तुमको बना खड़ा किया और बना दिये तुम्हारे वास्ते कान और

अफ़इ-द-त, क़लीलम्-मा तश्कुरून (23) क़ुल् हुवल्लज़ी ज़-र-अकुम् फ़िल्अर्ज़ि व इलैहि तुह्शरून (24) व यक़ूलू-न मता हाज़ल्-वअ्दु इन् कुन्तुम् सादिक़ीन (25) क़ुल् इन्नमल्-अिल्मु अिन्दल्लाहि व इन्नमा अ-न नज़ीरुम्-मुबीन (26) फ़-लम्मा र-औहु ज़ुल्फ़-तन् सी-अत् वुजूहुल्लज़ी-न क-फ़रू व क़ी-ल हाज़ल्लज़ी कुन्तुम् बिही तद्द-अून (27) क़ुल् अ-रऐतुम् इन् अह्ल-कनियल्लाहु व मम्मअि-य औ रहि-मना फ़-मंय्युजीरुल्-काफ़िरी-न मिन् अज़ाबिन् अलीम (28) क़ुल् हुवर्रह्मानु आमन्ना बिही व अलैहि तवक्कल्ना फ़-स-तअ्लमू-न मन् हु-व फ़ी ज़लालिम्-मुबीन (29) क़ुल् अ-रऐतुम् इन् अस्ब-ह मा-उकुम् ग़ौरन् फ़-मंय्यअ्तीकुम् बिमाइम्-मअ़ीन (30) ✿

आँखें और दिल, तुम बहुत थोड़ा हक़ मानते हो। (23) तू कह वही है जिसने बिखेर दिया तुमको ज़मीन में और उसी की तरफ़ इकट्ठे किये जाओगे। (24) और कहते हैं- कब होगा यह वायदा अगर तुम सच्चे हो। (25) तू कह- ख़बर तो है अल्लाह ही के पास और मेरा काम तो यही डर सुना देना है खोलकर (26) फिर जब देखेंगे कि वह पास आ लगा तो बिगड़ जायेंगे मुँह इनकार करने वालों के और कहेगा यही है जिसको तुम माँगते थे। (27) तू कह भला देखो तो अगर हलाक कर दे मुझको अल्लाह और मेरे साथ वालों को, या हम पर रहम करे फिर वह कौन है जो बचाये मुन्किरों को दर्दनाक अज़ाब से। (28) तू कह वही रहमान है हमने उसको माना और उसी पर भरोसा किया, सो अब तुम जान लोगे कौन पड़ा है खुले बहकावे में। (29) तू कह- भला देखो तो अगर हो जाये सुबह को तुम्हारा पानी ख़ुश्क फिर कौन है जो लाये तुम्हारे पास निथरा पानी। (30) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

वह (ख़ुदा) बड़ा बुलन्द शान वाला है जिसके क़ब्ज़े में तमाम बादशाही है और वह हर चीज़ पर क़ादिर है। जिसने मौत और ज़िन्दगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आज़माईश करे कि तुम में कौन शख़्स अ़मल में ज़्यादा अच्छा है (अच्छे अ़मल में मौत का तो दख़ल यह है कि मौत की फ़िक्र से इनसान दुनिया को फ़ानी और क़ियामत के यक़ीन से आख़िरत को बाक़ी समझकर वहाँ

के सवाब हासिल करने और वहाँ के अ़ज़ाब से बचने के लिये मुस्तैद हो सकता है, और ज़िन्दगी का दख़ल यह है कि अगर ज़िन्दगी न हो तो अ़मल किस वक़्त करे, पस अच्छे अ़मल के लिये मौत शर्त की जगह और ज़िन्दगी मकान और बरतन की तरह है, और चूँकि मौत बिल्कुल ख़त्म हो जाना नहीं है इसलिये उस पर मख़्लूक़ होने का हुक्म सही है) और वह ज़बरदस्त (और) बख़्शने वाला है (कि बुरे आमाल पर नाराज़गी व अ़ज़ाब और अच्छे आमाल पर मग़फ़िरत व सवाब मुरत्तब फ़रमाता है)।

जिसने सात आसमान ऊपर-नीचे पैदा किये (जैसे सही हदीस में है कि एक आसमान से ऊपर लम्बे फ़ासले पर दूसरा आसमान है, फिर इसी तरह उससे ऊपर तीसरे वाला और इसी तरह और अगले। आगे आसमान की मज़बूती का बयान फ़रमाते हैं कि ऐ देखने वाले) तू ख़ुदा की इस कारीगरी में कोई ख़लल न देखेगा, सो तू (अब की बार) फिर निगाह डालकर देख ले, कहीं तुझको कोई ख़लल नज़र आता है? (यानी बिना सोचे तूने बहुत बार देखा होगा अब की बार सोच-फ़िक्र से निगाह कर)। फिर बार-बार निगाह डालकर देख (आख़िरकार) निगाह ज़लील और आ़जिज़ होकर तेरी तरफ़ लौट आयेगी (और कोई कमी और छेद नज़र न आयेगा। यानी वह जिस चीज़ को जैसा चाहे बना सकता है, चुनाँचे आसमान को मज़बूत बनाना चाहा कि बावजूद लम्बा ज़माना गुज़र जाने के अब तक इसमें कोई ख़लल नहीं आया। और इसी तरह का अल्लाह का यह क़ौल है 'व मा लहा मिन् फ़ुरूज' इसी तरह किसी चीज़ को कमज़ोर और जल्द मुतास्सिर होने वाली बना दिया। ग़र्ज़ कि उसको हर तरह की क़ुदरत है) और (हमारी क़ुदरत की दलील यह है कि) हमने क़रीब के आसमान को चिराग़ों (यानी सितारों) से सजा रखा है, और हमने उन (सितारों) को शैतानों को मारने का साधन भी बना दिया है और हमने उन (शैतानों) के लिये (शिहाब की मार के अ़लावा जो कि दुनिया में होता है आख़िरत में उनके कुफ़्र की वजह से) दोज़ख़ का अ़ज़ाब (भी) तैयार कर रखा है।

और जो लोग अपने रब (की तौहीद) का इनकार करते हैं उनके लिये दोज़ख़ का अ़ज़ाब है, और वह बुरी जगह है। जब ये लोग उसमें डाले जाएँगे तो उसकी बड़े ज़ोर की आवाज़ सुनेंगे, और वह इस तरह जोश मारती होगी जैसे मालूम होता है कि (अभी) गुस्से के मारे फट पड़ेगी। (या तो अल्लाह तआ़ला उसमें एहसास व शऊर और गुस्सा पैदा कर देगा कि अल्लाह की नाराज़गी व गुस्से के शिकार लोगों पर उसको भी गुस्सा आयेगा और या इससे मक़सद मिसाल देना है, यानी जैसे कोई गुस्से से जोश में आता है इसी तरह वह अपने भड़कने व उत्तेजित होने से जोश में आयेगी और) जब उसमें (काफ़िरों का) कोई गिरोह डाला जायेगा तो उसके मुहाफ़िज़ उन लोगों से पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला (पैग़म्बर) नहीं आया था? (जिसने तुमको इस अ़ज़ाब से डराया हो जिसका तक़ाज़ा यह था कि इससे डरते और बचने का सामान करते। यह सवाल डाँट-फटकार के तौर पर है, यानी पैग़म्बर तो आये थे। और यह सवाल हर नये जाने वाले गिरोह से होगा क्योंकि दोज़ख़ में अपने कुफ़्र में फ़र्क़ और दर्जे के हिसाब से काफ़िरों के सब गिरोह एक के बाद एक जायेंगे)। वे काफ़िर (इक़रार के तौर पर) कहेंगे कि

वाकई हमारे पास डराने वाला (पैग़म्बर) आया था, सो (यह हमारी बदबख़्ती थी कि) हमने (उसको) झुठला दिया और कह दिया कि अल्लाह ने (अहकाम व किताबें) कुछ नाज़िल नहीं किया (और) तुम बड़ी ग़लती में पड़े हो।

और (काफ़िर लोग फ़रिश्तों से यह भी) कहेंगे कि हम अगर सुनते या समझते (यानी पैग़म्बरों के कहने को क़ुबूल करते और मानते) तो हम दोज़ख़ वालों में (शामिल) न होते। ग़र्ज़ कि अपने जुर्म का इक़रार करेंगे, सो दोज़ख़ियों पर लानत है। बेशक जो लोग अपने रब से बेदेखे डरते हैं (और ईमान व फ़रमाँबरदारी इख़्तियार करते हैं) उनके लिये मग़फ़िरत और बड़ा अज्र (मुक़र्रर) है। और तुम लोग चाहे छुपाकर बात कहो या पुकारकर कहो (उसको सब ख़बर है, क्योंकि) वह दिलों तक की बातों से ख़ूब वाक़िफ़ है। (और भला) क्या वह न जानेगा जिसने पैदा किया है? और वह बारीकी से देखने वाला (और) पूरी ख़बर रखने वाला है (इस दलील पकड़ने का हासिल यह है कि वह हर चीज़ का पैदा करने वाला और मुख़्तार है पस तुम्हारे हालात व बातों को भी वजूद देने वाला है और किसी चीज़ को पैदा करना और वजूद अ़ता करना उसके इल्म के बग़ैर नहीं हो सकता, इसलिये अल्लाह को हर चीज़ का इल्म ज़रूरी हुआ, और बातों को ख़ास करना मक़सद नहीं बल्कि हुक्म आ़म है, आमाल व काम भी इसमें दाख़िल हैं। और अक़वाल यानी बातों को ख़ास तौर पर ज़िक्र करना शायद इस बिना पर हो कि अक़वाल "बातें" ज़्यादा वजूद में आती हैं, ग़र्ज़ कि उसको सब इल्म है वह हर एक को मुनासिब जज़ा और बदला देगा)।

वह ऐसा (नेमत देने वाला) है जिसने तुम्हारे लिये ज़मीन को ताबे कर दिया (कि तुम उसमें हर तरह की तसर्रुफ़ात कर सकते "यानी अपनी मन-मर्ज़ी चला सकते" हो) सो तुम उसके रास्तों में चलो (फिरो) और ख़ुदा की रोज़ी में से (जो ज़मीन में पैदा की है) खाओ (पियो) और (खा-पीकर इसको भी याद रखना कि) उसी के पास दोबारा ज़िन्दा होकर जाना है (पस यह चीज़ इसका तक़ाज़ा करती है कि उसकी नेमतों का शुक्र अदा करो जो ईमान व इताअ़त है)। क्या तुम उससे बेख़ौफ़ हो गये हो जो कि आसमान में (भी अपना हुक्म व तसर्रुफ़ रखता है) कि वह तुमको (क़ारून की तरह) ज़मीन में धंसा दे, फिर वह ज़मीन थरथराने (कर उलट-पुलट होने) लगे (जिससे तुम और नीचे उतर जाओ, और ज़मीन के भाग व परत तुम्हारे ऊपर आकर मिल जायें) या तुम लोग उससे बेख़ौफ़ हो गये हो जो कि आसमान में (भी अपना हुक्म व तसर्रुफ़ रखता) है कि वह तुम पर (आ़द क़ौम की तरह) एक तेज़ हवा भेज दे (जिससे तुम हलाक हो जाओ, यानी तुम्हारे कुफ़्र का नतीजा व तक़ाज़ा यही है), सो (अगर किसी मस्लेहत से फ़ौरी अ़ज़ाब तुम पर से टल रहा है तो क्या हुआ) जल्द ही (यानी मरते ही) तुमको मालूम हो जायेगा कि मेरा (अ़ज़ाब से) डराना कैसा (हक़ीक़त और सही) था।

और (अगर बिना फ़ौरी अ़ज़ाब के कुफ़्र का बुरा और अल्लाह के यहाँ नापसन्दीदा होना उनकी समझ में न आये तो इसका नमूना भी मौजूद है, चुनाँचे) इनसे पहले जो लोग गुज़र चुके हैं उन्होंने (दीने हक़ को) झुठलाया था, सो (देख लो उन पर) मेरा अ़ज़ाब कैसा (पड़ा और

ज़ाहिर) हुआ (जिससे साफ़ मालूम हुआ कि कुफ़्र अल्लाह के यहाँ नामक़बूल व नापसन्दीदा है, पस अगर किसी मस्लेहत से यहाँ अ़ज़ाब टल गया तो दूसरे आ़लम में अ़ज़ाब के वायदे के मुताबिक़ वह पड़कर रहेगा। और ऊपर 'सात आसमानों के पैदा करने में.......' में तौहीद की वह दलीलें बयान हुईं जो आसमान के संबन्धित हैं फिर 'वही है जिसने तुम्हारे आगे ज़मीन को पस्त किया.......' में ज़मीन से संबन्धित चीज़ों का बयान हुआ। आगे आसमानी फ़िज़ा यानी अंतरिक्ष से संबन्धित निशानियों का बयान है) क्या उन लोगों ने अपने ऊपर परिन्दों की तरफ़ नज़र नहीं की कि पंख फैलाये हुए (उड़ते फिरते) हैं, और (कभी उसी हालत में) पंख समेट लेते हैं (और दोनों हालतों में बावजूद भारी और वज़नी होने के ज़मीन और आसमान के बीच फ़िज़ा में फिरते रहते हैं ज़मीन पर नहीं गिर जाते, और) सिवाय (ख़ुदा-ए-) रहमान के उनको कोई थामे हुए नहीं है। बेशक वह हर चीज़ को देख रहा है (और जिस तरह चाहे उसमें तसर्रुफ़ कर रहा है)।

हाँ! (ख़ुदा के तसर्रुफ़ात "इख़्तियारात और चीज़ों में मर्ज़ी के मुताबिक़ उलट-फेर करना" तो सुन लिये अब बतलाओ कि) रहमान के सिवा वह कौन है कि वह तुम्हारा लश्कर बनकर (आफ़तों से) तुम्हारी हिफ़ाज़त कर सके, (और) काफ़िर (जो अपने माबूदों के बारे में ऐसा ख़्याल रखते हैं) तो (वे) ख़ालिस धोखे में हैं। (और) हाँ (यह भी बतलाओ कि) वह कौन है जो तुमको रोज़ी पहुँचा दे अगर अल्लाह तआ़ला अपनी रोज़ी बन्द कर ले (मगर ये लोग इससे भी मुतास्सिर नहीं होते) बल्कि ये लोग सरकशी और (हक़ से) नफ़रत पर जम रहे हैं (ख़ुलासा यह है कि तुम्हारे बातिल व झूठे माबूद बुत वग़ैरह न किसी नुक़सान को दूर करने पर क़ादिर हैं और न किसी तरह का फ़ायदा पहुँचाने पर क़ादिर हैं, फिर उनकी इबादत ख़ालिस बेवक़ूफ़ी है। यानी जिस काफ़िर का हाल ऊपर सुना है जो बुरे बहकावे में पड़े और नफ़रत व शरारत पर अड़े हैं)।

सो (इसको सुनकर सोचो कि) क्या जो शख़्स (रास्ते के हमवार व बराबर न होने की वजह से ठोकरें खाता हो और) मुँह के बल गिरता हुआ चल रहा हो वह मन्ज़िले मक़सूद पर ज़्यादा पहुँचने वाला होगा या वह शख़्स (ज़्यादा मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचने वाला होगा) जो सीधा एक हमवार सड़क पर चला जा रहा हो (यही हाल है मोमिन व काफ़िर का, कि मोमिन के चलने का रास्ता भी सीधा रास्ता है और वह चलता भी है सीधा होकर, कमी-ज़्यादती से बचकर, और काफ़िर के चलने का रास्ता भी ग़लत और गुमराही का है और चलने में भी हर वक़्त तबाही व हलाकत के गड्ढ़ों में गिरता जाता है। पस ऐसी हालत में क्या मन्ज़िल पर पहुँचेगा)।

(ऊपर तौहीद की दलीलें आसमान और व कायनात से संबन्धित थी आगे जानों से मुताल्लिक़ इरशाद हैं) आप (उनसे) कहिये कि वही (ऐसा क़ादिर व नेमत देने वाला) है जिसने तुमको पैदा किया, और तुमको कान और आँखें और दिल दिये, (मगर) तुम लोग बहुत कम शुक्र करते हो। (और) आप (यह भी) कहिये कि वही है जिसने तुमको रू-ए-ज़मीन पर फैलाया, और तुम (क़ियामत के दिन) उसी के पास इकट्ठे किये जाओगे।

और ये लोग (जब क़ियामत का ज़िक्र सुनते हैं जैसा कि ऊपर दर्ज आयत 15 व आयत 24 में भी है तो) कहते हैं कि यह वायदा कब पूरा होगा? अगर तुम (यानी पैग़म्बर सल्लल्लाहु

अलैहि व सल्लम और आपकी पैरवी करने वाले मोमिन लोग) सच्चे हो (बतलाओ)। आप (जवाब में) कह दीजिये कि यह (उसके सही वक़्त का) इल्म तो ख़ुदा ही को है, और मैं तो सिर्फ़ (ख़ुलासे के तौर पर मगर) साफ़-साफ़ डराने वाला हूँ। फिर जब उस (वायदा किये गये अ़ज़ाब) को पास आता हुआ देखेंगे (पास आता हुआ देखना यह कि आमाल का हिसाब-किताब होगा और दोज़ख़ में जाने का हुक्म होगा जिससे यक़ीन हो जायेगा कि अब अ़ज़ाब सर पर आ गया, ग़र्ज़ कि जब उसको पास आता हुआ देखेंगे) तो (मारे ग़म के) उस वक़्त काफ़िरों के मुँह बिगड़ जाएँगे (सूरः अ़-ब-स की आयत 40, 41 में भी इसका ज़िक्र है) और (उनसे) कहा जायेगा कि यही है वह जिसको तुम माँगा करते थे (कि अ़ज़ाब लाओ, अ़ज़ाब लाओ)।

(और ये काफ़िर लोग तौहीद और मरने के बाद ज़िन्दा होने वग़ैरह के इन हक़ मज़ामीन को सुनकर जो ऐसी बातें करते हैं कि यह तो हमको हमारे माबूदों से भटका देते अगर हम पुख़्तगी से अपने मज़हब पर जमे न होते, या आपको शायर बताना और आप पर गर्दिश आने का इन्तिज़ार करना, या यह कहना कि 'इन्होंने तो हमको हमारे माबूदों से हटा ही दिया था' कहना, जिनका हासिल आपकी हलाकत का इन्तिज़ार और आपको नऊज़ु बिल्लाह गुमराही की तरफ़ मन्सूब करना है, आगे इसके जवाब की तालीम है जिसमें काफ़िरों के अ़ज़ाब का मज़मून व वज़ाहत और दूसरे मज़ामीन से उसकी ताईद व तकमील है, इरशाद होता है कि) आप (उनसे) कहिये कि तुम यह बतलाओ कि अगर ख़ुदा तआ़ला मुझको और मेरे साथ वालों को (तुम्हारी तमन्ना के अनुसार) हलाक कर दे या (हमारी उम्मीद और अपने वायदे के अनुसार) हम पर रहमत फ़रमाये तो (दोनों हालतों में अपनी ख़बर लो और यह बतलाओ कि) काफ़िरों को दर्दनाक अ़ज़ाब से कौन बचा लेगा? (यानी हमारी तो जो हालत होगी दुनिया में होगी और उसका अन्जाम हर हाल में अच्छा है जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है:

هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ .... الخ.

मगर अपनी कहो कि तुम पर जो बड़ी भारी मुसीबत आने वाली है उसको कौन रोकेगा? और हम पर आने वाले दुनियावी हादसों से तुम्हारी वह मुसीबत कैसे टल जायेगी, तो अपनी फ़िक्र छोड़कर हमारी मुसीबतों का इन्तिज़ार एक फ़ुज़ूल हरकत है। यह जवाब है 'न-तरब्बसु....' का और) आप (उनसे यह भी) कहिये कि वह बड़ा मेहरबान है, हम उस पर (उसके हुक्म के मुवाफ़िक़) ईमान लाये और हम उस पर भरोसा करते हैं (पस ईमान की बरकत से तो व हमको आख़िरत के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रखेगा और तवक्कुल व भरोसे की बरकत से दुनियावी हादसों और मुसीबतों को दूर या आसान कर देगा, यह भी 'न-तरब्बसु.....' के जवाब का पूरक और आख़िरी हिस्सा है) सो (जब तुम पर दर्दनाक अ़ज़ाब आने वाला है और हम इन्शा-अल्लाह तआ़ला ईमान की बरकत से उस अ़ज़ाब से महफ़ूज़ रहने वाले हैं तो) जल्द ही तुमको मालूम हो जायेगा (जब अपने आपको अ़ज़ाब में फंसा हुआ और हमको उससे महफ़ूज़ देखोगे) कि खुली गुमराही में कौन है (यानी तुम, जैसा कि हम कहते हैं, या हम जैसा कि तुम कहते हो। यह

जवाब है 'इन् का-द लयुज़िल्लुना..........' "यानी यह कहने का कि इन्होंने हमें हमारे माबूदों से हटाने का पूरा इन्तिज़ाम कर दिया था अगर हम मज़बूती से उस पर जमे न होते" का। आगे तक़रीर है ऊपर के मज़मून कि 'काफ़िरों को दर्दनाक अ़ज़ाब से कौन बचायेगा' की। यानी ऊपर जो कहा गया है कि तुमको दर्दनाक अ़ज़ाब से कोई नहीं बचा सकता, उनको अगर अपने झूठे और बातिल माबूदों का घमण्ड हो कि वे बचा लेंगे तो इस गुमान व घमण्ड के बातिल होने और इस गुमान को दूर करने के लिये उनसे) आप (यह भी) कह दीजिये कि अच्छा यह बतलाओ कि अगर तुम्हारा पानी (जो कुओं में है) नीचे को (उतरकर) ग़ायब हो जाये, सो वह कौन है जो तुम्हारे पास सोत का पानी ले आये (यानी कुएँ की सोत को जारी कर दे, और ज़मीन की गहरी रगों से ऊपर ले आये, और अगर किसी को खोद लेने पर नाज़ हो तो अल्लाह तआ़ला इस पर क़ादिर है कि उसको और नीचे ग़ायब कर दे, फिर कोई खोदे तो वह और नीचे कर दे। पस जब ख़ुदा के मुक़ाबले में किसी को इतनी भी क़ुदरत नहीं कि मामूली तबई वाक़िआ़त में तसर्रुफ़ कर (अपना इख़्तियार चला) सके तो आख़िरत के अ़ज़ाब से बचाने की क्या क़ुदरत होगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः मुल्क की फ़ज़ीलतें

इस सूरत को हदीस में **वाक़िया** और **मुन्जिया** भी फ़रमाया है। वाक़िया के मायने बचाने वाली और मुन्जिया के मायने निजात देने वाली। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

هى المانعة المنجية تنجيه من عذاب القبر.

यानी यह सूरत अ़ज़ाब को रोकने वाली और अ़ज़ाब से निजात देने वाली है। यह अपने पढ़ने वाले को क़ब्र के अ़ज़ाब से बचा लेगी। (तिर्मिज़ी, हदीस हसन ग़रीब, अज़ क़ुर्तुबी)

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेरा दिल चाहता है कि सूरः मुल्क हर मोमिन के दिल में हो (सालबी)। और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि किताबुल्लाह में एक ऐसी सूरत है जिसकी आयतें तो सिर्फ़ तीस हैं क़ियामत के दिन यह एक शख़्स की सिफ़ारिश करेगी यहाँ तक कि उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाख़िल कर देगी, और वह सूरः तबारकल्लज़ी है। (क़ुर्तुबी, तिर्मिज़ी)

تَبٰرَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ٥

लफ़्ज़ 'तबार-क' बरकत से निकला है जिसके लफ़्ज़ी मायने बढ़ने और ज़्यादा होने के हैं, यह लफ़्ज़ जब अल्लाह तआ़ला की शान में बोला जाता है तो सबसे बाला व बरतर होने के मायने में आता है, जैसे अल्लाहु अकबर।

بِيَدِهِ الْمُلْكُ

अल्लाह के हाथ में है मुल्क। अल्लाह जल्ल शानुहू के लिये क़ुरआने करीम में जगह-जगह लफ़्ज़ यद हाथ के मायने में इस्तेमाल हुआ है, अल्लाह तआ़ला जिस्म और बदनी अंगों से बाला व बरतर है इसलिये यह लफ़्ज़ मुतशाबिहात में से है जिसके हक़ होने पर ईमान लाना वाजिब है और उसकी कैफ़ियत व हक़ीक़त किसी को मालूम नहीं हो सकती, उसके पीछे पड़ना दुरुस्त नहीं। और मुल्क से मुराद आसमानों और ज़मीनों की और दुनिया व आख़िरत की हुकूमत है। इस आयत में हक़ तआ़ला के लिये चार सिफ़तों का दावा है- अव्वल उसका मौजूद होना, दूसरे इन्तिहाई दर्जे की कमाल वाली सिफ़ात का मालिक और सबसे बाला व बरतर होना, तीसरे आसमान व ज़मीन पर उसकी हुकूमत होना, चौथे हर चीज़ पर उसका क़ादिर होना। अगली आयतों में तमाम कायनात व मख़्लूक़ात की मुख़्तलिफ़ क़िस्मों, जातियों व प्रजातियों से अल्लाह तआ़ला के वजूद और तौहीद पर और उसके कमाले इल्म व क़ुदरत पर दलील ली गयी है, सबसे पहले अशरफ़ुल-मख़्लूक़ात यानी इनसान के अपने वजूद में जो क़ुदरत की दलीलें हैं उनकी तरफ़ मुतवज्जह फ़रमायाः

الَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ............ الخ.

में इसका बयान है इसके बाद कई आयतों में आसमानों की तख़्लीक़ (पैदा करने व बनाने) में ग़ौर व फ़िक्र करने से दलील पेश की गयी हैः

الَّذِیْ خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ.............. الآیة.

इसके बाद ज़मीन के बनाने और उससे संबन्धित फ़ायदों में ग़ौर व फ़िक्र का बयानः

هُوَ الَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا.

से दो आयतों में फ़रमाया। फिर आसमानी फ़िज़ा (यानी ज़मीन व आसमान के बीच) में रहने वाली मख़्लूक़ यानी परिन्दों का ज़िक्र फ़रमायाः

اَوَلَمْ یَرَوْا اِلَی الطَّیْرِ..................... الخ.

ग़र्ज़ कि इस पूरी सूरत में असल मज़मून कायनात को देखकर हक़ तआ़ला के वजूद और उसके इल्म व क़ुदरत के कामिल होने पर दलीलें पेश करना है। ज़िमनी तौर पर दूसरे मज़ामीन काफ़िरों की सज़ा और मोमिनों की जज़ा के भी आ गये हैं। ख़ुद इनसान के नफ़्स में जो दलीलें अल्लाह तआ़ला के कमाले इल्म व क़ुदरत की हैं, उनकी तरफ़ दो लफ़्ज़ों से हिदायत फ़रमाई।

मौत व ज़िन्दगी की हक़ीक़त

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوةَ.

यानी पैदा किया उसने मौत और ज़िन्दगी को। इनसानी हालात में से यहाँ सिर्फ़ दो चीज़ें मौत व ज़िन्दगी बयान की गयीं, क्योंकि यही दोनों इनसान के तमाम उम्र के हालात व आमाल

पर हावी हैं। ज़िन्दगी के लिये पैदा करने का लफ़्ज़ तो अपनी जगह ज़ाहिर है कि ज़िन्दगी एक वजूदी चीज़ है, बनाने व पैदा करने का उससे मुताल्लिक होना ज़ाहिर है, लेकिन मौत जो बज़ाहिर एक अदम (बेवजूद होने) का नाम है, उसके साथ बनाने व पैदा करने का ताल्लुक़ किस तरह हुआ? इसके जवाब में तफ़सीर के इमामों से अनेक क़ौल नक़ल किये गये हैं। सबसे ज़्यादा स्पष्ट बात यह है कि मौत बिल्कुल ख़त्म व नापैद हो जाने का नाम नहीं बल्कि रूह और बदन का ताल्लुक़ ख़त्म करके रूह को एक मकान से दूसरे मकान में मुन्तक़िल करने का नाम है, और यह एक वजूद वाली चीज़ है।

ग़र्ज़ कि जिस तरह ज़िन्दगी एक हाल है जो इनसानी जिस्म पर तारी होता है इसी तरह मौत भी एक ऐसा ही हाल है, और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और कुछ दूसरे तफ़सीर के इमामों से जो यह मन्क़ूल है कि मौत व ज़िन्दगी दो जिस्म रखने वाली मख़्लूक़ हैं, मौत एक मैंढे की शक्ल में और ज़िन्दगी एक घोड़ी की शक्ल में है। इससे मुराद बज़ाहिर उस सही हदीस का बयान है जिसमें यह इरशाद है कि जब क़ियामत में जन्नत वाले जन्नत में और दोज़ख़ वाले दोज़ख़ में दाख़िल हो चुकेंगे तो मौत को एक मैंढे की शक्ल में लाया जायेगा और पुलसिरात के पास उसको ज़िबह करके ऐलान कर दिया जायेगा कि अब जो जिस हालत में है वह हमेशा के लिये है, अब किसी को मौत नहीं आयेगी। मगर इस हदीस से यह लाज़िम नहीं आता कि दुनिया में मौत कोई जिस्म हो, बल्कि जिस तरह दुनिया के बहुत से अहवाल व आमाल क़ियामत में जिस्म और शक्ल व सूरत वाले बनकर ज़ाहिर हो जायेंगे जो बहुत सी सही हदीसों से साबित है इसी तरह मौत जो इनसान को पेश आने वाली एक हालत है वह भी क़ियामत में मुजस्सम (जिस्मानी वजूद) होकर मैंढे की शक्ल में ज़िबह कर दी जायेगी। (क़ुर्तुबी)

और तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि मौत अगरचे अ़दमी (वजूद ख़त्म करने वाली) चीज़ है मगर बिल्कुल पूरी तरह वजूद ख़त्म हो जाना भी नहीं, बल्कि ऐसी चीज़ का अ़दम है जिसको वजूद में किसी वक़्त आना है और ऐसी तमाम बेवजूद की शक्लें मिसाली आ़लम में जिस्मानी वजूद से पहले मौजूद होती हैं जिनको **अअ़्यान-ए-साबिता** कहा जाता है, उन शक्लों की वजह से उनको वजूद से पहले भी एक क़िस्म का वजूद हासिल है और मिसाली आ़लम के मौजूद होने पर हदीस की बहुत सी रिवायतों से दलील पेश की है, वल्लाहु आलम।

मौत व ज़िन्दगी के विभिन्न दर्जे

तफ़सीरे मज़हरी में है कि हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू ने अपनी क़ुदरत और कामिल हिक्मत से मख़्लूक़ात व संभावित चीज़ों को मुख़्तलिफ़ क़िस्मों में तक़सीम फ़रमाकर हर एक को ज़िन्दगी की एक क़िस्म अ़ता फ़रमाई है। सबसे ज़्यादा कामिल व मुकम्मल ज़िन्दगी इनसान को अ़ता फ़रमाई जिसमें यह सलाहियत भी रख दी कि वह हक़ तआ़ला की ज़ात व सिफ़ात की मारिफ़त (पहचान) एक ख़ास हद तक हासिल कर सके, और यह मारिफ़त ही इनसान के शरई अहकाम का मुकल्लफ़ व पाबन्द होने की बुनियाद और अमानत का वह भार है जिसके उठाने से

आसमान व ज़मीन और पहाड़ सब डर गये और इनसान ने अपनी इस ख़ुदादाद सलाहियत के सबब उठा लिया। इस ज़िन्दगी के मुक़ाबिल वह मौत है जिसका ज़िक्र क़ुरआन पाक की आयतः

اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَاَحْيَيْنٰهُ

में ज़िक्र फ़रमाया है, कि काफ़िर को मुर्दा और मोमिन को ज़िन्दा क़रार दिया गया, क्योंकि काफ़िर ने अपनी उस मारिफ़त को ज़ाया (बरबाद) कर दिया जो इनसान की विशेष ज़िन्दगी थी, और मख़्लूक़ात की कुछ क़िस्मों और जातियों में ज़िन्दगी का यह दर्जा तो नहीं मगर हिस व हरकत मौजूद है, उसके मुक़ाबिल वह मौत है जिसका ज़िक्र क़ुरआने करीम की आयतः

كُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ.

में आया है, कि इस जगह ज़िन्दगी से मुराद हिस व हरकत और मौत से मुराद उसका ख़त्म हो जाना है। और मुम्किन व संभावित चीज़ों की कुछ क़िस्मों व जातियों में यह हिस व हरकत भी नहीं, सिर्फ़ नमू (बढ़ने की सलाहियत) है जैसे आ़म दरख़्तों और पेड़-पौधों व घास वग़ैरह में, उसके मुक़ाबिल वह मौत है जिसका ज़िक्र क़ुरआन की आयतः

يُحْيِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا.

में आया है। ज़िन्दगी की ये तीन क़िस्में इनसान, हैवान, पेड़-पौधों में सीमित हैं, इनके अ़लावा और किसी चीज़ में ज़िन्दगी की ये क़िस्में नहीं हैं, इसी लिये हक़ तआ़ला ने पत्थरों से बने हुए बुतों के मुताल्लिक़ फ़रमायाः

اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَآءٍ.

लेकिन इसके बावजूद बेजान चीज़ों में भी एक ख़ास ज़िन्दगी मौजूद है जो वजूद के साथ लाज़िम है। उसी ज़िन्दगी का असर है जिसका ज़िक्र क़ुरआने करीम में हैः

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ.

यानी कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह की तारीफ़ की तस्बीह न पढ़ती हो। और आयत में मौत का ज़िक्र पहले करने की वजह भी इस बयान से स्पष्ट हो गयी कि असल के एतिबार से मौत ही पहले है, हर चीज़ जो वजूद में आई है पहले मौत के आ़लम में थी, बाद में उसको ज़िन्दगी अ़ता हुई है, इसलिये मौत का ज़िक्र पहले किया गया। और यह भी कहा जा सकता है कि आगे जो मौत व ज़िन्दगी के पैदा करने की वजह इनसान की आज़माईश व इम्तिहान को क़रार दिया है 'लियब्लुवकुम् अय्युकुम् अह्सनु अ़-मलन्' यह आज़माईश ज़िन्दगी के मुक़ाबले मौत में ज़्यादा है, क्योंकि जिस शख़्स को अपनी मौत का ध्यान व ख़्याल होगा वह अच्छे आमाल की पाबन्दी ज़्यादा से ज़्यादा करेगा। और अगरचे यह आज़माईश ज़िन्दगी में भी है कि ज़िन्दगी के क़दम-क़दम पर उसको अपने आ़जिज़ व बेबस होने और अल्लाह तआ़ला के क़ादिरे मुतलक़ होने का ध्यान होता रहा है जो अच्छे अ़मल की तरफ़ खींचता और दावत देता है, लेकिन मौत की फ़िक्र अ़मल में सुधार और उसको अच्छा बनाने में सबसे ज़्यादा प्रभाव रखती है।

हज़रत अम्मार बिन यासिर की मरफ़ूअ़ हदीस में है:

كفى بالموت واعظا وكفى باليقين غنى.

यानी मौत वअ़ज़ व नसीहत के लिये काफ़ी है और यक़ीन ग़िना के लिये। (तबरानी) मुराद यह है कि अपने दोस्तों अ़ज़ीज़ों की मौत को देखना सबसे बड़ी नसीहत हासिल करने की चीज़ है जो इससे मुतास्सिर नहीं होता उसका दूसरी चीज़ों से मुतास्सिर होना मुश्किल है, और जिसको अल्लाह ने ईमान व यक़ीन की दौलत अ़ता फ़रमाई उसके बराबर कोई ग़नी व बेनियाज़ नहीं। और रबीअ़ बिन अनस ने फ़रमाया कि मौत इनसान को दुनिया से बेज़ार करने और आख़िरत की तरफ़ रग़बत देने (तवज्जोह व रुचि दिलाने) के लिये काफ़ी है।

اَحْسَنُ عَمَلًا.

यहाँ यह बात क़ाबिले ग़ौर है कि इनसान की उस आज़माईश में जो उसकी मौत व ज़िन्दगी से जुड़ी हुई है हक़ तआ़ला ने यह फ़रमाया कि हम यह देखना चाहते हैं कि तुम में से किसका अ़मल अच्छा है। यह नहीं फ़रमाया कि किसका अ़मल ज़्यादा है। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह तआ़ला के नज़दीक किसी अ़मल की मात्रा का ज़्यादा होना क़ाबिले तवज्जोह नहीं बल्कि अ़मल का अच्छा और सही व मक़बूल होना मोतबर है, इसी लिये क़ियामत में इनसान के आमाल को गिना नहीं जायेगा बल्कि तौला जायेगा, जिसमें बाज़े एक ही अ़मल का वज़न हज़ारों आमाल से बढ़ जायेगा।

अ़मल का अच्छा होना क्या है?

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह आयत तिलावत फ़रमाई यहाँ तक कि 'अह्सनु अ़मलन्' तक पहुँचे तो फ़रमाया कि "अ़मल के एतिबार से अच्छा" वह शख़्स है जो अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से सबसे ज़्यादा परहेज़ करने वाला हो, और अल्लाह की इताअ़त में हर वक़्त मुस्तैद व तैयार हो। (क़ुर्तुबी)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرٰى مِنْ فُطُوْرٍ ○

इस आयत से ज़ाहिर में यह मालूम होता है कि दुनिया वाले आसमान को आँखों से देख सकते हैं और यह ज़रूरी नहीं कि नीले रंग से मिलती-जुलती फ़िज़ा जो दिखाई देती है यही आसमान हो, बल्कि हो सकता है आसमान इससे बहुत ऊपर हो और यह नीला रंग हवा और फ़िज़ा का हो जैसा कि फ़ल्सफ़ी हज़रात कहते हैं, मगर इससे यह भी लाज़िम नहीं आता कि आसमान इनसान को नज़र ही न आये, हो सकता है कि ये नीले रंग जैसी फ़िज़ा साफ़ व स्वच्छ होने के सबब असल आसमान को जो इससे बहुत ऊपर है देखने में रुकावट न हो। और अगर किसी दलील से यह साबित हो जाये कि दुनिया में रहते हुए आसमान को आँख से नहीं देखा जा सकता तो फिर इस आयत में देखने से मुराद अ़क़्ली तौर पर देखना यानी ग़ौर व फ़िक्र होगा।

(तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन)

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيْحَ وَجَعَلْنٰهَا رُجُوْمًا لِّلشَّيٰطِيْنِ

'मसाबीह' से मुराद सितारे हैं और नीचे के आमान को सितारों से सजाने के लिये यह ज़रूरी नहीं कि सितारे आसमान के अन्दर या उसके ऊपर लगे हुए हों, बल्कि यह सजाना उस सूरत में भी सादिक़ है जबकि सितारे आसमान से बहुत नीचे ख़ला में हों जैसा कि नई तहक़ीक़ से इसको देखा और महसूस किया जा रहा है, यह इसके ख़िलाफ़ नहीं। और सितारों को शैतानों के दफ़ा करने के लिये अंगारे बना देने का यह मतलब हो सकता है कि सितारों में से कोई आग वाला माद्दा उनकी तरफ़ छोड़ दिया जाता हो सितारे अपनी जगह रहते हों, अवाम की नज़र में चूँकि वह शोला सितारे की तरह हरकत करता हुआ नज़र आता है इसलिये उसको सितारा टूटना और अरबी में 'इन्क़िज़ाज़ुल-कौकब' कह देते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इससे यह भी मालूम हुआ कि शयातीन जो आसमानी ख़बरें चुराने के लिये चढ़ते हैं वे सितारों से नीचे ही दफ़ा कर दिये जाते हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

यहाँ तक मुख़्तलिफ़ मख़्लूक़ात में ग़ौर व फ़िक्र के ज़रिये हक़ तआ़ला के इल्म व क़ुदरत के कमाल की दलीलें बयान हुईं आगे इनकारी लोगों और काफ़िरों का अ़ज़ाब और फिर मोमिनों और फ़रमाँबरदार लोगों का सवाब बयान हुआ है। आयत नम्बर 6 से आयत 12 तक यह मज़मून चला है। आगे फिर वही इल्म व क़ुदरत का बयान है।

هُوَالَّذِیْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ ذَلُوْلًا

ज़लूल के लफ़्ज़ी मायने आज्ञाकारी व फ़रमाँबरदार के हैं। उस जानवर को ज़लूल कहा जाता है जो सवारी देने में शौख़ी न करे। मनाकिब के मायने हैं मोंढे। किसी भी जानवर का मोंढा सवारी की जगह नहीं होती बल्कि उसकी कमर या गर्दन होती है जो जानवर सवार होने वालों के लिये अपने मोंढे भी पेश कर दे वह बहुत ही फ़रमाँबरदार, ताबेदार और सधा हुआ हो सकता है इसलिये फ़रमाया कि ज़मीन को तुम्हारे लिये हमने ऐसा ताबे व फ़रमाँबरदार बना दिया है कि तुम उसके मोंढों पर चढ़ते फिरो। ज़मीन को हक़ तआ़ला ने एक ऐसा क़िवाम (मज़बूती और ठहराव) बख़्शा है कि न तो पानी की तरह बहने वाला है न रूई और कीचड़ की तरह दबने वाला, क्योंकि ज़मीन ऐसी होती तो इस पर किसी इनसान का रहना ठहरना मुम्किन न होता। इसी तरह ज़मीन को लोहे पत्थर की तरह सख़्त भी नहीं बनाया अगर ऐसा होता तो इसमें दरख़्त और खेती न बोई जा सकती, इसमें कुएँ और नहरें न खोदी जा सकतीं, उसको खोदकर ऊँची इमारतों की बुनियाद न रखी जा सकती। उस क़िवाम के साथ उसको ऐसा सुकून बख़्शा कि उस पर इमारतें ठहर सकें, चलने फिरने वाले डगमगायें नहीं।

وَكُلُوْا مِنْ رِّزْقِهٖ وَاِلَيْهِ النُّشُوْرُ○

पहले ज़मीन में हर तरफ़ चलने फिरने की हिदायत फ़रमाई उसके बाद फ़रमाया कि अल्लाह का रिज़्क़ खाओ। इसमें इशारा हो सकता है कि तिजारत के लिये सफ़र और माल का निर्यात व

आयात अल्लाह के रिज़्क़ का दरवाज़ा है। 'इलैहिन्नुशूर' में बतला दिया कि खाने पीने रहने सहने के फ़ायदे ज़मीन से हासिल करने की इजाज़त है मगर मौत और आख़िरत से बेफ़िक्र न रहो कि अन्जामकार इसी की तरफ़ लौटकर जाना है। ज़मीन पर रहते हुए आख़िरत की तैयारी में लगे रहो। इसमें तो इस बात से डराया गया था कि आख़िरकार क़ियामत में अल्लाह की तरफ़ लौटना है, आगे इस पर तंबीह की गयी है कि ज़मीन पर रहने बसने के वक़्त भी अल्लाह का अ़ज़ाब आ सकता है। इरशाद फ़रमायाः

ءَاَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ یَّخْسِفَ بِکُمُ الْاَرْضَ فَاِذَا ھِیَ تَمُوْرُo

क्या तुम इससे बेख़ौफ़ हो कि आसमान वाला तुम्हें ज़मीन के अन्दर खिसकन पैदा करके धंसा दे और ज़मीन तुम्हें निगल जाये, यानी अगरचे अल्लाह ने ज़मीन को ऐसा मोतदिल क़िवाम दिया है कि आदमी बग़ैर खोदे हुए उसके अन्दर नहीं उतर सकता, लेकिन वह इस पर भी क़ादिर है कि इसको ऐसा बना दे कि यही ज़मीन अपने ऊपर रहने वालों को निगल जाये। इसके बाद दुनिया में बसने वालों को एक और तरह के अ़ज़ाब से डराया कि अगर अल्लाह तआ़ला चाहे तो तुम्हारे ऊपर यानी आसमान से पत्थर भी बरसाकर तुम्हें हलाक किया जा सकता है, अल्लाह के इनकारी और नाफ़रमान लोग दुनिया में इससे बेफ़िक्र होकर न बैठें।

اَمْ اَمِنْتُمْ مَّنْ فِی السَّمَآءِ اَنْ یُّرْسِلَ عَلَیْکُمْ حَاصِبًا ط فَسَتَعْلَمُوْنَ کَیْفَ نَذِیْرِo

यानी क्या तुम इससे बेख़ौफ़ हो कि आसमान वाला तुम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, उस वक़्त तुम्हें इस डराने का अन्जाम मालूम होगा, मगर उस वक़्त मालूम होना बेफ़ायदा होगा। आज जबकि तुम सही-सालिम महफ़ूज़ व सुरक्षित हो इसकी फ़िक्र करो। इसके बाद पिछली उन क़ौमों के वाक़िआ़त की तरफ़ इशारा किया जिन पर दुनिया में अल्लाह का अ़ज़ाब नाज़िल हुआ है। मतलब यह है कि उनके हाल से नसीहत व सबक़ हासिल करोः

وَلَقَدْ کَذَّبَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِھِمْ فَکَیْفَ کَانَ نَکِیْرِo

का यही मतलब है। इसके बाद फिर सूरत के असल मज़मून की तरफ़ लौटते हैं कि मुम्किन चीज़ों और मख़्लूक़ात के हालात से हक़ तआ़ला की तौहीद (एक और अकेला माबूद होना) और इल्म व क़ुदरत पर दलील है, ख़ुद इनसानी अफ़राद, आसमान, सितारे, ज़मीन वग़ैरह के हालात का बयान पहले आ चुका है, आगे उन परिन्दों का ज़िक्र है जो आसमानी फ़िज़ा (यानी ज़मीन व आसमान के बीच वाले ख़ाली हिस्से) में उड़ते फिरते हैं।

اَوَلَمْ یَرَوْا اِلَی الطَّیْرِ............... الآیۃ.

यानी क्या वे परिन्दों को अपने सरों पर उड़ते हुए नहीं देखते जो कभी अपने बाज़ुओं को फैला देते हैं और कभी समेट लेते हैं। उनमें ग़ौर करो कि ये वज़नी जिस्म हैं, आ़म क़ायदे के हिसाब से वज़नी जिस्म जब ऊपर छोड़ा जाये तो उसे ज़मीन पर गिर जाना चाहिये, हवा उन वज़नी जिस्मों को आ़म तौर पर नहीं रोक सकती मगर अल्लाह तआ़ला ने अपनी कामिल क़ुदरत से उन परिन्दों जानवरों को ऐसे अन्दाज़ व शक्ल पर बनाया है कि वो हवा पर ठहर सकें और

हवा पर अपने जिस्मों का बोझ डालने और उसमें तैरते हुए फिरने के लिये हक़ तआ़ला ने इस बज़ाहिर बेअ़क़्ल व शऊर जानवर को यह सलीक़ा सिखा दिया है कि वह अपने परों को फैलाने और समेटने के ज़रिये हवा को अपने ताबे कर लेता है और ज़ाहिर है कि हवा में यह सलाहियत पैदा करना, परिन्दों के परों को इस अन्दाज़ पर बनाना, फिर उनको अपने परों के ज़रिये हवा पर कन्ट्रोल करने का सलीक़ा सिखाना यह सब हक़ तआ़ला ही की कामिल क़ुदरत से है।

यहाँ तक मुम्किन व मौजूद चीज़ों की मुख़्तलिफ़ क़िस्मों के हालात में ग़ौर व फ़िक्र के ज़रिये हक़ तआ़ला के वजूद व तौहीद और बेनज़ीर इल्म व क़ुदरत की दलीलें जमा फ़रमाई गयीं जिनमें ज़रा भी ग़ौर व फ़िक्र करने वाले को हक़ तआ़ला पर ईमान लाने के सिवा चारा नहीं रहता, आगे सूरत के ख़त्म तक काफ़िरों व बदकारों, मुन्किरों व बुरे अ़मल वाले लोगों को अल्लाह के अ़ज़ाब से डराया गया है। पहले इस पर तंबीह की गयी कि अगर अल्लाह तआ़ला किसी क़ौम पर अ़ज़ाब नाज़िल करना चाहे तो दुनिया की कोई ताक़त उसको नहीं रोकत सकती, तुम्हारे लश्कर और सिपाही उससे तुमको नहीं बचा सकते। चुनाँचे इरशाद फ़रमायाः

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ هُوَ جُنْدٌ لَّكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِّنْ دُوْنِ الرَّحْمٰنِ اِنِ الْكٰفِرُوْنَ اِلَّا فِیْ غُرُوْرٍ ۝

इसके बाद इससे डराया गया कि अल्लाह तआ़ला का जो रिज़्क़ तुमको आसमान से पानी बरसने और ज़मीन से पेड़-पौधे उगाने के ज़रिये मिल रहा है, यह कोई तुम्हारी ज़ाती जागीर नहीं बल्कि अल्लाह तआ़ला की अ़ता व बख़्शिश है, वह उसको रोक भी सकता है।

اَمَّنْ هٰذَا الَّذِیْ يَرْزُقُكُمْ اِنْ اَمْسَكَ رِزْقَهٗ.

का यही मतलब है। आगे काफ़िरों के हाल पर अफ़सोस है जो न क़ुदरत की निशानियों में ग़ौर करते हैं न दूसरे बताने वालों की बात सुनते हैं:

بَلْ لَّجُّوْا فِیْ عُتُوٍّ وَّنُفُوْرٍ ۝

यानी ये लोग बराबर अपनी सरकशी और हक़ से दूरी में बढ़ते ही जाते हैं। आगे क़ियामत के मैदान में काफ़िर व मोमिन का जो हाल होना है उसका ज़िक्र है कि क़ियामत के मैदान में काफ़िर इस तरह हाज़िर किये जायेंगे कि पाँव पर चलने के बजाय सर के बल चलेंगे। सही बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि सहाबा-ए-किराम ने सवाल किया कि काफ़िर चेहरे के बल कैसे चलेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस ज़ात ने उनको पैरों पर चलाया है क्या वह इस पर क़ादिर नहीं कि उनको चेहरों और सरों के बल चला दे। इसी को इस आयत में बयान फ़रमाया है:

اَفَمَنْ يَّمْشِیْ مُكِبًّا عَلٰی وَجْهِهٖۤ اَهْدٰۤی اَمَّنْ يَّمْشِیْ سَوِيًّا عَلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ۝

यानी क्या वह आदमी जो औंधा अपने चेहरे के बल चले ज़्यादा हिदायत पाने वाला है या वह जो सीधा चलने वाला है। सीधा चलने वाले से मुराद मोमिन है कि हिदायत याफ़्ता वही हो सकता है। आगे फिर इनसान के पैदा करने में हक़ तआ़ला की क़ुदरत व हिक्मत की चन्द निशानियों का बयान है।

قُلْ هُوَ الَّذِىٓ اَنْشَاَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۗ قَلِيْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ ○

यानी आप कह दीजिये कि अल्लाह ही वह ज़ात है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे कान, आँखें और दिल बनाये। मगर तुम लोग शुक्रगुज़ार नहीं होते।

सुनने, देखने और दिल को विशेष तौर पर ज़िक्र करने की वजह

इसमें इनसान के बदनी अंगों में से उन तीन हिस्सों और अंगों का ज़िक्र है जिन पर अ़मल व एहसास और शऊर मौक़ूफ़ है। फ़ल्सफ़ियों ने इल्म व एहसास के पाँच माध्यम बयान किये हैं जिनको 'हवास्स-ए-ख़मसा' कहा जाता है। यानी सुनना, देखना, सूँघना, चखना और छूना। सूँघने के लिये नाक और चखने के लिये ज़बान और छूने की क़ुव्वत सारे बदन में हक़ तआ़ला ने रखी है। सुनने के लिये कान और देखने के लिये आँख बनाई है, यहाँ हक़ तआ़ला ने इन पाँचों चीज़ों में से सिर्फ़ दो का ज़िक्र किया है यानी कान और आँख। वजह यह है कि सूँघने, चखने और छूने से बहुत कम चीज़ों का इल्म इनसान को हासिल होता है, इसकी मालूमात का बड़ा मदार सुनने और देखने पर है, और इनमें भी सुनने को पहले रखा गया, ग़ौर करो तो मालूम होगा कि इनसान को अपनी उम्र में जितनी मालूमात हुई हैं उनमें सुनी हुई चीज़ें देखी हुई चीज़ों के मुक़ाबले में कहीं ज़्यादा होती हैं, इसलिये इस जगह 'हवास्स-ए-ख़मसा' (पाँच महसूस करने वाली क़ुव्वतों) में से सिर्फ़ दो पर इक्तिफ़ा किया गया है कि ज़्यादातर इनसानी मालूमात इन्हें दो रास्तों से हासिल होती हैं, और तीसरी चीज़ दिल को बतलाया है कि वह असल बुनियाद और इल्म का केन्द्र है। कानों से सुनी हुई और आँखों से देखी हुई चीज़ों का इल्म भी दिल पर मौक़ूफ़ है। क़ुरआने करीम की बहुत सी आयतें इस पर सुबूत हैं कि दिल को इल्म का केन्द्र क़रार दिया है, बख़िलाफ़ फ़ल्सफ़ियों के कि वे दिमाग़ को इसका केन्द्र मानते हैं।

इसके बाद फिर काफ़िरों व मुन्किरों को तंबीह और अ़ज़ाब की वईद (धमकी) का बयान है। सूरत के आख़िर में फिर एक जुमले में यह इरशाद कि ज़मीन पर बसने वालो और उसको खोदकर कुएँ बनाने वालो और उसके पानी से अपने पीने पिलाने और पेड़-पौधे व सब्ज़ियाँ उगाने का काम लेने वालो इस बात को न भूलो कि ये सब चीज़ें कोई तुम्हारी ज़ाती जागीर नहीं सिर्फ़ हक़ तआ़ला का अ़तीया (दैन व इनायत) है, कि उसने पानी बरसाया और उस पानी को बर्फ़ की शक्ल में जमा हुआ समन्दर बनाकर पहाड़ों की चोटियों पर लाद दिया कि सड़ने और ख़राब होने से महफ़ूज़ रहे, फिर उस बर्फ़ को आहिस्ता-आहिस्ता पिघलाकर पहाड़ों की रगों के ज़रिये ज़मीन के अन्दर उतार दिया और बग़ैर किसी पाईप लाईन के पूरी ज़मीन में उसका ऐसा जाल फैला दिया कि जहाँ चाहो ज़मीन खोदकर पानी निकाल लो, मगर यह पानी जो उसने ज़मीन की ऊपर की सतह पर रख दिया है जिसको चन्द फ़ुट या चन्द गज़ ज़मीन खोदकर निकाला जा सकता है यह मालिक व ख़ालिक़ का अ़तीया है, अगर वह चाहे तो इस पानी को ज़मीन के नीचे की सतह पर उतार दे जहाँ तक तुम्हारी रसाई (पहुँच) मुम्किन न हो।

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَآؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَّاْتِيْكُمْ بِمَآءٍ مَّعِيْنٍ۝

यानी आप इन लोगों को बतला दीजिये कि इस बात पर ग़ौर करें कि जो पानी कुओं के ज़रिये आसानी से निकाल कर पी रहे हो अगर वह पानी ज़मीन की गहराई में उतर जाये तो तुम्हारी कौनसी ताक़त है जो इस जारी पानी को हासिल कर सके। हदीस में है कि जब आदमी यह आयत तिलावत करे तो उसको कहना चाहिये 'अल्लाहु रब्बुल-आ़लमीन' यानी अल्लाह रब्बुल्-आ़लमीन ही फिर उसको ला सकता है, हमारी किसी की ताक़त नहीं।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-मुल्क की तफ़सीर आज 3 रजब सन् 1391 हिजरी को जुमेरात के दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-मुल्क की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-क़लम

सूरः अल्-क़लम मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 52 आयतें और इसमें 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیاتھا ۵۲ (۶۸) سُوْرَةُ الْقَلَمِ مَكِّيَّةٌ (۲) رُكُوْعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ ۝١ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢ وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ ۝٣ وَ
اِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ ۝٤ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ۝٥ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ۝٦ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبِيْلِهٖ ۖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ۝٧ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ۝٨ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ۝٩ وَلَا
تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِيْنٍ ۝١٠ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍۢ بِنَمِيْمٍ ۝١١ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ اَثِيْمٍ ۝١٢ عُتُلٍّۢ بَعْدَ ذٰلِكَ
زَنِيْمٍ ۝١٣ اَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَّبَنِيْنَ ۝١٤ اِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ اَسَاطِيْرُ الْاَوَّلِيْنَ ۝١٥ سَنَسِمُهٗ عَلَى
الْخُرْطُوْمِ ۝١٦ اِنَّا بَلَوْنٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ ۚ اِذْ اَقْسَمُوْا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِيْنَ ۝١٧ وَلَا يَسْتَثْنُوْنَ ۝١٨
فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُوْنَ ۝١٩ فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ ۝٢٠ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ ۝٢١
اَنِ اغْدُوْا عَلٰى حَرْثِكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صٰرِمِيْنَ ۝٢٢ فَانْطَلَقُوْا وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ ۝٢٣ اَنْ لَّا يَدْخُلَنَّهَا
الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسْكِيْنٌ ۝٢٤ وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ ۝٢٥ فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ ۝٢٦ بَلْ نَحْنُ
مَحْرُوْمُوْنَ ۝٢٧ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ ۝٢٨ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝٢٩
فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ ۝٣٠ قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ ۝٣١ عَسٰى رَبُّنَآ اَنْ يُّبْدِلَنَا
خَيْرًا مِّنْهَآ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا رٰغِبُوْنَ ۝٣٢ كَذٰلِكَ الْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۘ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ۝٣٣ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ۝٣٤ اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ ۝٣٥
مَا لَكُمْ ۫ كَيْفَ تَحْكُمُوْنَ ۝٣٦ اَمْ لَكُمْ كِتٰبٌ فِيْهِ تَدْرُسُوْنَ ۝٣٧ اِنَّ لَكُمْ فِيْهِ لَمَا تَخَيَّرُوْنَ ۝٣٨ اَمْ لَكُمْ
اَيْمَانٌ عَلَيْنَا بَالِغَةٌ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۙ اِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُوْنَ ۝٣٩ سَلْهُمْ اَيُّهُمْ بِذٰلِكَ زَعِيْمٌ ۝٤٠
اَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ ۚ فَلْيَاْتُوْا بِشُرَكَآئِهِمْ اِنْ كَانُوْا صٰدِقِيْنَ ۝٤١ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَّيُدْعَوْنَ
اِلَى السُّجُوْدِ فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ۝٤٢ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ۗ وَقَدْ كَانُوْا يُدْعَوْنَ اِلَى السُّجُوْدِ

ع ١

وَهُمْ سٰلِمُوْنَ ۞ فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ ۗ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُوْنَ ۞ وَاُمْلِىْ لَهُمْ ۗ اِنَّ كَيْدِىْ مَتِيْنٌ ۞ اَمْ تَسْــَٔلُهُمْ اَجْرًا فَهُمْ مِّنْ مَّغْرَمٍ مُّثْقَلُوْنَ ۞ اَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُوْنَ ۞ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ ۘ اِذْ نَادٰى وَهُوَ مَكْظُوْمٌ ۞ لَوْلَآ اَنْ تَدٰرَكَهٗ نِعْمَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ لَنُبِذَ بِالْعَرَآءِ وَهُوَ مَذْمُوْمٌ ۞ فَاجْتَبٰهُ رَبُّهٗ فَجَعَلَهٗ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۞ وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّهٗ لَمَجْنُوْنٌ ۞ وَمَا هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۞

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

नून् वल्क़-लमि व मा यस्तुरून (1) मा अन्-त बिनिअ्मति रब्बि-क बिमज्नून (2) व इन्-न ल-क ल-अज्रन् ग़ै-र मम्नून (3) व इन्न-क ल-अ़ला ख़ुलुक़िन् अ़ज़ीम (4) फ़-सतुब्सिरु व युब्सिरून (5) बि-अय्यिकुमुल्-मफ़्तून (6) इन्-न रब्ब-क हु-व अअ्लमु बिमन् ज़ल्-ल अ़न् सबीलिही व हु-व अअ्लमु बिल्-मुह्तदीन (7) फ़ला तुतिअ़िल्-मुकज़्ज़िबीन (8) वद्दू लौ तुद्हिनु फ़युद्हिनून (9) व ला तुतिअ् कुल्-ल हल्लाफ़िम्-महीन (10) हम्माज़िम्-मश्शाइम् बि-नमीम (11) मन्नाअ़िल्-लिल्ख़ैरि मुअ्तदिन् असीम (12) अ़ुतुल्लिम् बअ्-द	नून। क़सम है क़लम की और जो कुछ लिखते हैं (1) तू नहीं अपने रब के फ़ज़्ल से दीवाना (2) और तेरे वास्ते बदला है बेइन्तिहा (3) और तू पैदा हुआ है बड़े अख़्लाक़ पर (4) सो अब तू भी देख लेगा और वे भी देख लेंगे (5) कि कौन है तुम में जो बिचल रहा है (6) बेशक तेरा रब वही ख़ूब जाने उसको जो बहका उसकी राह से, और वही ख़ूब जानता है राह पाने वालों को। (7) सो तू कहना मत मान झुठलाने वालों का (8) वे चाहते हैं किसी तरह तू ढीला हो तो वे भी ढीले हों (9) और तू कहा मत मान किसी क़समें खाने वाले बेक़द्र का (10) (जो) ताने दे चुग़ली खाता फिरे (11) भले काम से रोके हद से बढ़े बड़ा गुनाहगार (12) उजड़ उन सबके

ज़ालि-क ज़नीम (13) अन् का-न ज़ा मालिंव्-व बनीन (14) इज़ा तुत्ला अ़लैहि आयातुना क़ा-ल असातीरुल्-अव्वलीन (15) स-नसिमुहू अ़लल्-ख़ुरतूम (16) इन्ना बलौनाहुम् कमा बलौना अस्हाबल्-जन्नति इज़् अक़्समू ल-यस्रिमुन्नहा मुस्बिहीन (17) व ला यस्तस्नून (18) फ़ता-फ़ अ़लैहा ता-इफ़ुम्-मिर्रब्बि-क व हुम् ना-इमून (19) फ़-अस्बहत् कस्सरीम (20) फ़-तनादौ मुस्बिहीन (21) अनिग़्दू अ़ला हर्सिकुम् इन् कुन्तुम् सारिमीन (22) फ़न्त-लक़ू व हुम् य-तख़ा-फ़तून (23) अल्ला यद्ख़ुलन्नहल्-यौ-म अ़लैकुम्-मिस्कीन (24) व ग़दौ अ़ला हर्दिन् क़ादिरीन (25) फ़-लम्मा रऔहा क़ालू इन्ना ल-ज़ाल्लून (26) बल् नह्नु मह्रूमून (27) क़ा-ल औसतुहुम् अलम् अक़ुल्-लकुम् लौ ला तुसब्बिहून (28) क़ालू सुब्हा-न रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन (29) फ़-अक़्ब-ल बअ़्ज़ुहुम् अ़ला बअ़्ज़िंय्-य-तला-वमून (30) क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ताग़ीन (31) अ़सा

पीछे बदनाम (13) इस वास्ते कि रखता है माल और बेटे (14) जब सुनाये उसको हमारी बातें कहे ये नक़लें हैं पहलों की (15) अब दाग़ देंगे हम उसको सूँड पर (16) हमने उनको जाँचा है जैसे जाँचा था बाग़ वालों को, जब उन सब ने क़सम खाई कि उसका मेवा तोड़ेंगे सुबह होते (17) और इन्शा-अल्लाह न कहा (18) फिर फेरा कर गया उस पर कोई फेरे वाला तेरे रब की तरफ़ से और वे सोते ही रहे (19) फिर सुबह तक हो रहा जैसे टूट चुका (20) फिर आपस में बोले सुबह होते (21) कि सवेरे चलो अपने खेत पर अगर तुमको तोड़ना है (22) फिर चले और आपस में कहते थे चुपके-चुपके (23) कि अन्दर न आने पाये उसमें आज तुम्हारे पास कोई मोहताज (24) और सवेरे चले लपकते हुए ज़ोर के साथ (25) फिर जब उसको देखा बोले हम तो राह भूल आये (26) नहीं! हमारी तो क़िस्मत फूट गयी (27) बोला उनमें का बिचला- मैंने तुमको न कहा था कि क्यों नहीं पाकी बोलते अल्लाह की (28) बोले पाक ज़ात है हमारे रब की, हम ही क़ुसूरवार थे (29) फिर मुँह कर-कर एक दूसरे की तरफ़ लगे उलाहना देने (30) बोले हाय हमारी ख़राबी! हम ही थे हद से बढ़ने वाले (31) शायद

रब्बुना अंय्युब्दि लना ख़ैरम्-मिन्हा इन्ना इला रब्बिना राग़िबून (32) कज़ालिकल्-अ़ज़ाबु, व ल-अ़ज़ाबुल्-आख़िरति अक्बरु। लौ कानू यअ़्लमून (33) ❁

इन्-न लिल्-मुत्तक़ी-न अ़िन्-द रब्बिहिम् जन्नातिन्-नअ़ीम (34) अ-फ़नज्अ़लुल्-मुस्लिमी-न कल्-मुज्रिमीन (35) मा लकुम्, कै-फ़ तह्कुमून (36) अम् लकुम् किताबुन् फ़ीहि तद्रुसून (37) इन्-न लकुम् फ़ीहि लमा त-ख़य्यरून (38) अम् लकुम् ऐमानुन् अ़लैना बालि-ग़तुन् इला यौमिल्-क़ियामति इन्-न लकुम् लमा तह्कुमून (39) सल्हुम् अय्युहुम् बिज़ालि-क ज़अ़ीम (40) अम् लहुम् शु-रका-उ फ़ल्यअ्तू बिशु-रका-इहिम् इन् कानू सादिक़ीन (41) यौ-म युक्शफ़ु अ़न् साक़िंव्-व युद्औ-न इलस्सुजूदि फ़ला यस्ततीअ़ून (42) ख़ाशि-अ़तन् अब्सारुहुम् तर्हक़ुहुम् ज़िल्लतुन्, व क़द् कानू युद्औ-न इलस्सुजूदि व हुम् सालिमून (43) फ़-ज़र्नी व मंय्युकज़्ज़िबु बिहाज़ल्-हदीसि, स-नस्तद्रिजुहुम् मिन् हैसु

हमारा रब बदल दे हमको उससे बेहतर, हम अपने रब से आरज़ू रखते हैं (32) यूँ आती है आफ़त, और आख़िरत की आफ़त तो सबसे बड़ी है, अगर उनको समझ होती (33) ❁

बेशक डरने वालों के लिये उनके रब के पास बाग़ हैं नेमत के (34) क्या हम कर देंगे हुक्म मानने वालों (यानी नेकों) को बराबर गुनाहगारों के? (35) क्या हो गया तुमको कैसे ठहराते हो बात (36) क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें पढ़ लेते हो? (37) उसमें मिलता है तुमको जो तुम पसन्द कर लो? (38) क्या तुमने हम से क़समें ले ली हैं ठीक पहुँचने वाली क़ियामत के दिन तक कि तुमको मिलेगा जो कुछ तुम ठहराओगे? (39) पूछ उनसे कौनसा उनमें इसका ज़िम्मा लेता है? (40) क्या उनके वास्ते कोई शरीक हैं? फिर तो चाहिये कि ले आयें अपने-अपने शरीकों को अगर वे सच्चे हैं (41) जिस दिन कि खोली जाये पिंडली और वे बुलाये जायें सज्दा करने को फिर न कर सकें (42) झुकी पड़ती होंगी उनकी आँखें, चढ़ी आती होगी उन पर ज़िल्लत, और पहले उनको बुलाते रहे सज्दा करने को और वे थे अच्छे ख़ासे (यानी सही-सालिम थे, कोई मजबूरी भी न थी) (43) अब छोड़ दे मुझको और उनको जो कि झुठलायें इस बात को, अब हम सीढ़ी-सीढ़ी उतारेंगे उनको जहाँ से

ला यअ्लमून (44) व उम्ली लहुम्, इन्-न कैदी मतीन (45) अम् तस्अलुहुम् अज्रन् फ़हुम् मिम्-मग़्रमिम् मुस्क़लून (46) अम् अिन्दहुमुल्-ग़ैबु फ़हुम् यक्तुबून (47) फ़स्बिर् लिहुक्मि रब्बि-क व ला तकुन् क-साहिबिल्-हूति। इज़् नादा व हु-व मक्ज़ूम (48) लौ ला अन् तदार-कहू निअ्मतुम्-मिर्रब्बिही लनुबि-ज़ बिल्-अ़रा-इ व हु-व मज़्मूम (49) फ़ज्तबाहु रब्बुहू फ़-ज-अ़-लहू मिनस्सालिहीन (50) व इंय्यकादु-ल्लज़ी-न क-फ़रू लयुज़्लिक़ून-क बि-अब्सारिहिम् लम्मा समिअुज़्ज़िक्-र व यक़ूलू-न इन्नहू ल-मजनून। (51) व मा हु-व इल्ला ज़िक्रुल्-लिल्-आलमीन (52) ✿ ❖

उनको पता भी नहीं (44) और उनको ढील दिये जाता हूँ बेशक मेरा दाव पक्का है। (45) क्या तू माँगता है उनसे कुछ हक़ सो उन पर तावान का बोझ पड़ रहा है? (46) क्या उनके पास ख़बर है ग़ैब की सो वे लिख लाते हैं (47) अब तू इस्तिक़लाल (दिल के जमाव और सुकून) से राह देखता रह अपने रब के हुक्म की और मत हो जैसा वह मछली वाला, जब पुकारा उसने और वह गुस्से में भरा था (48) अगर न संभालता उसको एहसान तेरे रब का तो फेंका गया ही था चटियल मैदान में इल्ज़ाम खाकर (49) फिर नवाज़ा उसको उसके रब ने, फिर कर दिया उसको नेकों में (50) और मुन्किर तो लग ही रहे हैं कि फिसला दें तुझको अपनी निगाहों से, जब सुनते हैं क़ुरआन और कहते हैं- वह तो बावला है (51) और यह क़ुरआन तो यही नसीहत है सारे जहान वालों को। (52) ✿ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

नून (इसके मायने अल्लाह ही को मालूम हैं)। क़सम है क़लम की (जिससे मख़्लूक़ात की तक़दीरें लौह-ए-महफ़ूज़ पर लिखी गयीं) और (क़सम है) उन (फ़रिश्तों) के लिखने की (जो आमाल के लिखने वाले हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने क़लम और मा यस्तुरून की यही तफ़सीर फ़रमाई है। दुर्रे मन्सूर। आगे क़सम का जवाब है) कि आप अपने रब के फ़ज़्ल से मजनूँ नहीं हैं (जैसा कि नुबुव्वत के इनकारी लोग कहते हैं। यह तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में की गयी है इब्ने जुरैज की रिवायत से) मतलब यह है कि आप सच्चे नबी हैं और ये क़समें इस मुद्दआ के निहायत मुनासिब हैं, क्योंकि लौहे महफ़ूज़ पर लिखी गयी उन तक़दीरों से क़ुरआन का उतरना भी है, पस इस आयत में इशारा है कि आपकी नुबुव्वत अल्लाह के इल्म में पहले ही से साबित

व तयशुदा है, पस इसका सुबूत यक़ीनी हुआ, और आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते नुबुव्वत की तस्दीक़ करने वालों और झुठलाने वालों के आमाल को लिख रहे हैं, पस नुबुव्वत के इनकार पर सज़ा होगी, इससे डरकर ईमान लाना वाजिब है) और बेशक आपके लिये (इस अहकाम की तब्लीग़ पर) ऐसा अज्र (मिलने वाला) है जो (कभी) ख़त्म होने वाला नहीं (इसमें भी नुबुव्वत का बयान है जिससे लाज़िम आता है कि जो कोई इसका इनकार करेगा वह ग़लती पर और क़ाबिले मलामत है, और नुबुव्वत के इस बयान में साथ ही तसल्ली का एक सामान भी है कि आप चन्द रोज़ बरदाश्त कर लीजिये कि अन्जाम इसका बड़ा ज़बरदस्त अज्र है)।

और बेशक आप (उम्दा) अख़्लाक़ के आला पैमाने पर हैं (कि आपका हर काम और अमल एक उम्दा नमूना और अल्लाह की रज़ा का ज़रिया है, और मजनूँ आदमी में अख़्लाक़ का कमाल कहाँ होता है, यह भी जवाब है उस ताने का जो ऊपर ज़िक्र हुआ। आगे आपको तसल्ली है यानी ये लोग जो ऐसी बेकार की और बेहूदा बातें करते हैं) सो (इनकी बेहूदा बातों का ग़म न कीजिये क्योंकि) आप भी देख लेंगे और ये लोग भी देख लेंगे कि तुम में किसको (असली) जुनून "यानी पागलपन" था (यानी जुनून की हक़ीक़त है अक़्ल का ख़त्म हो जाना और अक़्ल की ग़र्ज़ व मक़सद है नफ़े व नुक़सान को समझना और एहसास करना, और असल और क़ाबिले तवज्जोह नुक़सान वह है जो हमेशा के लिये हो, पस क़ियामत में उनको भी मालूम हो जायेगा कि अक़्ल वाले अहले हक़ थे जिन्होंने इस नफ़े को हासिल किया और मजनूँ ये ख़ुद थे जो इस नफ़े से मेहरूम रहकर हमेशा के नुक़सान व घाटे में मुब्तला हुए। और चूँकि) आपका परवर्दिगार उसको भी ख़ूब जानता है जो उसकी राह से भटका हुआ है और वह (सही) राह पर चलने वालों को भी ख़ूब जनता है (इसलिये हर एक को उसके मुनासिब जज़ा व सज़ा देगा, और उस जज़ा व सज़ा के मुनासिब होने को यह इनकारी लोग भी उस वक़्त समझ लेंगे जब हक़ीक़त खुलकर सामने आ जायेगी कि अक़्लमन्द कौन था और मजनूँ कौन)।

(आगे इनकारी लोगों की निंदा व बुराई का मज़मून है कि जब आप हक़ पर हैं और ये लोग बातिल पर हैं) तो आप इन झुठलाने वालों का (कभी) कहना न मानिये (जैसा कि अब तक भी नहीं माना। और वह कहना वह है जो आगे समझ में आता है, यानी) ये लोग चाहते हैं कि आप (अपनी ज़िम्मेदारी यानी तब्लीग़ में) ढीले हो जाएँ तो ये लोग भी ढीले हो जाएँ (आपका ढीला होना यह कि बुत-परस्ती की बुराई व निंदा न करें, और उनका ढीला होना यह कि आपकी मुख़ालफ़त न करें। सूरः अल्-काफ़िरून की तफ़सीर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने ढीले होने का यही मतलब बयान फ़रमाया है। दुर्रे मन्सूर)।

और आप (ख़ास तौर से) किसी ऐसे शख़्स का कहना न मानें जो बहुत क़समें खाने वाला हो (मुराद झूठी क़समें खाने वाला है। आ़दतन अक्सर झूठे आदमी क़समें बहुत खाया करते हैं। और जो अपनी बुरी हरकतों की वजह से अल्लाह और मख़्लूक़ के नज़दीक) बेवक़्अ़त हो, (दिल दुखाने के लिये) ताना देने वाला हो, चुग़लियाँ लगाता फिरता हो, नेक काम से रोकने वाला हो, (एतिदाल की) हद से गुज़रने वाला हो, गुनाहों का करने वाला हो, और सख़्त-मिज़ाज हो, (और)

इन (सब) के अ़लावा हरामज़ादा (भी) हो (इससे मुराद ज़िना की औलाद है। मतलब यह है कि और अख़्लाक़ व हरकतें भी उसके बुरे और गन्दे हों, चूँकि अक्सर ज़िना की औलाद के अख़्लाक़ व आमाल अच्छे नहीं होते इसलिये मुहावरे के तौर पर इससे यह मुराद लिया गया। ख़ुलासा यह है कि अव्वल तो आम तौर पर झुठलाने वालों का फिर ख़ास तौर पर ऐसे झुठलाने वालों का जो अपने अन्दर ऐसी बुरी-बुरी सिफ़तें भी रखते हों जैसा कि आपको झुठलाने वालों में से कुछ बड़े-बड़े ऐसे ही थे, और इस दरख़्वास्त में शरीक बल्कि इसकी बुनियाद व शुरूआ़त करने वाले थे, ग़र्ज़ कि आप ऐसे शख़्स का कहना न मानिये और वह भी महज़) इस सबब से कि वह माल व औलाद वाला हो (यानी दुनिया के एतिबार से माल व मर्तबे वाला हो। और ऐसे शख़्स की बात मानने से इसलिये मना किया जाता है कि उस शख़्स की यह आ़दत है कि) जब हमारी आयतें उसके सामने पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वह कहता है कि ये बे-सनद बातें हैं जो अगलों से नक़ल होती हुई चली आती हैं (मतलब यह कि आयतों को झुठलाता है। ख़ुलासा यह कि उनकी बात मानने से मना करने की असल वजह व सबब उनका झुठलाना है, और इसी बिना पर पहले 'ला तुतिअ़िल् मुकज़्ज़िबीन' फ़रमाया गया, फिर एक आ़म हुक्म के बाद उसमें से ख़ास करके उन झुठलाने वालों में से ऐसे लोगों की बात और कहना मानने से मनाही की गयी जो झुठलाने के साथ-साथ और बुरी आ़दतें भी रखते हों, ऐसों की बात मानने से मनाही आ़म झुठलाने वालों की बात मानने की मनाही से और ज़्यादा सख़्त होगी, लेकिन असल इल्लत और वजह वही झुठलाना रहेगी)।

(आगे ऐसे शख़्स की सज़ा का बयान है कि) हम जल्द ही उसकी नाक पर दाग़ लगा देंगे (यानी क़ियामत में उसके चेहरे और नाक पर उसके कुफ़्र की वजह से ज़िल्लत की कोई निशानी और पहचान लगा देंगे जिससे वह ख़ूब रुस्वा हो। एक मरफ़ूअ़ हदीस में ऐसा ही आया है जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है। आगे मक्का वालों को एक क़िस्सा सुनाकर उनको वबाल से डराया गया है) हमने (जो इन मक्का वालों को ऐश व आराम का सामान दे रखा है जिस पर ये इतरा रहे हैं तो हमने) इनकी आज़माईश कर रखी है (कि देखें ये नेमतों के शुक्र में ईमान लाते हैं या नाशुक्री व बेक़द्री करके कुफ़्र करते हैं) जैसे (इनसे पहले नेमतें देकर) हमने बाग़ वालों की आज़माईश की थी। (यह बाग़ बक़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु मुल्क हब्शा में था और बक़ौल सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु यमन में, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है, और यह क़िस्सा मक्का वालों में मशहूर व परिचित था, और जिन बाग़ वालों का यह क़िस्सा है उनके बाप का अपने वक़्त में मामूल था कि एक बड़ा हिस्सा उस बाग़ के फल का ग़रीबों-मिस्कीनों में ख़र्च किया करता था, जब वह मर गया तो उन लोगों ने कहा कि हमारा बाप अहमक़ था कि इस क़द्र आमदनी मिस्कीनों को दे देता था, अगर यह सब आये किस क़द्र फ़राग़त हो। चुनाँचे इन आयतों में उनका बाक़ी का क़िस्सा बयान हुआ है, यानी यह आगे बयान हुआ वाक़िआ़ उस वक़्त हुआ) जबकि उन लोगों ने (यानी उनमें से अक्सर ने या कुछ ने अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'क़ा-ल औ-सतुहुम्' आपस में) क़सम खाई कि उस (बाग़) का फल ज़रूर सुबह चलकर तोड़ लेंगे। और

(ऐसा यकीन व एतिमाद हुआ कि) उन्होंने इन्शा-अल्लाह भी नहीं कहा।

सो उस बाग़ पर आपके रब की तरफ़ से एक फिरने वाला (अ़ज़ाब) फिर गया (और वह एक आग थी। जैसा कि दुर्रे मन्सूर में इब्ने जुरैज का क़ौल नक़ल किया है, चाहे ख़ालिस आग हो या हवा के साथ मिली हो जैसे लू) और वे सो रहे थे। फिर सुबह को वह बाग़ ऐसा रह गया जैसे कटा हुआ खेत (कि ख़ाली ज़मीन रह जाती है और कुछ जगह काटकर जला भी दिया जाता है मगर उनको इसकी कुछ ख़बर नहीं थी)।

सो सुबह के वक़्त (सोकर जो उठे तो) एक-दूसरे को पुकारकर कहने लगे कि अपने खेत पर सवेरे चलो अगर तुमको फल तोड़ना है। (खेत या तो आ़म बोलचाल के तौर पर कह दिया हो या उसमें ऐसी चीज़ें भी हों जो तनेदार नहीं होतीं जैसे अंगूर वग़ैरह, या उस बाग़ के साथ खेत भी लगा हुआ हो) फिर वे लोग आपस में चुपके-चुपके बातें करते चले कि आज तुम तक कोई मोहताज न आने पाये। और (अपने ख़्याल में) अपने को उसके न देने पर क़ादिर समझकर चले (कि सब फल घर ले आयेंगे और किसी को न देंगे, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है)। फिर जब (वहाँ पहुँचे और) उस बाग़ को (उस हालत में) देखा तो कहने लगे कि हम ज़रूर रास्ता भूल गये (और कहीं निकल आये, क्योंकि यहाँ तो बाग़ वग़ैरह कुछ भी नहीं, फिर जब स्थान और बाक़ी निशानियों को देखकर यक़ीन किया कि वही जगह है तो उस वक़्त कहने लगे कि भूले नहीं) बल्कि (जगह तो वही है लेकिन) हमारी क़िस्मत ही फूट गई (कि बाग़ यह हाल हो गया)।

उनमें जो (किसी क़द्र) अच्छा आदमी था वह कहने लगा कि क्या मैंने तुमको कहा न था (कि ऐसी नीयत मत करो, मिस्कीनों के देने से बरकत होती है, इसी लिये उस शख़्स को अल्लाह तआ़ला ने अच्छा कहा, मगर यह शख़्स उनके इस प्लान को दिल से बुरा समझने के बावजूद अ़मली तौर पर उन सब के साथ शरीक हो गया था, इसलिये मैंने लफ़्ज़ 'किसी क़द्र' बढ़ा दिया। फिर पहली बात को याद दिलाकर इस शख़्स ने कहा कि अपने बुरे आमाल की सज़ा तो भुगत ली मगर) अब (तौबा और) तस्बीह क्यों नहीं करते। सब (तौबा के तौर पर) कहने लगे कि हमारा परवर्दिगार पाक है (यह अल्लाह की पाकी बयान करना है जो इस्तिग़फ़ार की तम्हीद है) बेशक हम ख़तावार हैं (यह इस्तिग़फ़ार है)। फिर एक-दूसरे को मुख़ातब बनाकर आपस में इल्ज़ाम देने लगे (जैसा कि काम बिगड़ने के वक़्त अक्सर लोगों की आ़दत होती है कि हर शख़्स दूसरे को बुरी राय का ज़िम्मेदार बतलाया करता है, फिर सब मुत्तफ़िक़ होकर) कहने लगे बेशक हम (सब ही) हद से निकलने वाले थे (किसी एक की ख़ता न थी, एक दूसरे पर इल्ज़ाम बेकार है, सब मिलकर तौबा कर लो) शायद (तौबा की बरकत से) हमारा परवर्दिगार हमको उससे अच्छा बाग़ उसके बदले दे दे। (अब) हम अपने रब की तरफ़ रुजू होते हैं (यानी तौबा करते हैं और बदलना आ़म है चाहे दुनिया में उससे अच्छा बदल मिल जाये चाहे आख़िरत में, और ज़ाहिरन मालूम होता है कि ये लोग मोमिन थे, इनसे नाफ़रमानी और गुनाह हो गया था, और यह बात कहीं सनद के साथ नज़र से नहीं गुज़री कि आया उससे अच्छा बाग़ उनको मिला या

नहीं, अलबत्ता बिना सनद के तफ़सीर रूहुल-मआनी में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु का यह कौल नक़ल गिया गया है कि उससे अच्छा बाग़ उनको अ़ता किया गया। वल्लाहु आलम)।

(आगे किस्से की ग़र्ज़ व मक़सद यानी डराने और आगाह करने की वज़ाहत है कि ख़िलाफ़े हुक्म करने पर) इसी तरह अ़ज़ाब हुआ करता है (जब हुआ करता है, यानी ऐ मक्का वालो! तुम भी ऐसे अ़ज़ाब के हक़दार हो बल्कि इससे भी ज़्यादा के, क्योंकि उक्त अ़ज़ाब तो सिर्फ़ नाफ़रमानी पर था और तुम तो कुफ़्र करते हो) और आख़िरत का अ़ज़ाब इस (दुनियावी अ़ज़ाब) से भी बढ़कर है। क्या अच्छा होता कि ये लोग (इस बात को) जान लेते (ताकि ईमान ले आते। आगे इन सज़ाओं की तहक़ीक़ के लिये काफ़िरों के ख़्याल का बातिल और ग़लत होना बयान फ़रमाते हैं कि वे कहते थेः

لَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى٥

"सूरः हा-मीम अस्सज्दा आयत 50" यानी) इसमें कोई शक नहीं कि परहेज़गारों के लिये उनके रब के पास राहत व आराम की जन्नतें हैं (यानी जन्नत में दाख़िल होने का सबब और ज़रिया तक़्वा व परहेज़गारी है और इससे काफ़िर ख़ाली हैं तो उनको जन्नत कैसे मिल जायेगी) क्या हम फ़रमाँबरदारों को नाफ़रमानों के बराबर कर देंगे? (यानी अगर काफ़िरों को निजात हो तो फ़रमाँबरदारों और नाफ़रमानों में क्या फ़र्क़ व इम्तियाज़ रह जायेगा जिससे फ़रमाँबरदारों की फ़ज़ीलत साबित हो। इसी सिलसिले में सूरः सॉद के अन्दर अल्लाह तआ़ला का क़ौल हैः

اَمْ نَجْعَلُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَالْمُفْسِدِيْنَ............ الخ)

तुमको क्या हुआ, तुम कैसा फ़ैसला करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई (आसमानी) किताब है जिसमें पढ़ते हो कि उसमें तुम्हारे लिये वह चीज़ (लिखी) हो जिसको तुम पसन्द करते हो। (यानी उसमें लिखा हो कि तुमको आख़िरत में नेमत मिलेगी) क्या हमारे ज़िम्मे कुछ क़समें चढ़ी हुई हैं जो तुम्हारी ख़ातिर से खाई गई हों, और क़समें क़ियामत तक बाक़ी रहने वाली हों (जिनका मज़मून यह हो) कि तुमको वे चीज़ें मिलेंगी जो तुम फ़ैसला कर रहे हो (यानी सवाब व जन्नत)। उनसे पूछिये कि उनमें इसका कौन ज़िम्मेदार है? क्या उनके ठहराये हुए (ख़ुदाई में) कुछ शरीक हैं? (कि उन्होंने इनको सवाब देने का ज़िम्मा लिया है) सो इनको चाहिये कि ये अपने उन शरीकों को पेश करें अगर ये सच्चे हैं (ग़र्ज़ कि जब यह मज़मून किसी आसमानी किताब में नहीं, वैसे बिना किताब के वही के दूसरे तरीक़ों से हमारा वायदा नहीं जो क़सम की तरह होता है, फिर ऐसी हालत में कौन शख़्स उनमें से या उनके शरीकों में से ज़िम्मेदारी ले सकता है? हरगिज़ नहीं, फिर दावा किस बिना पर है)।

(आगे उन लोगों की क़ियामत की रुस्वाई का ज़िक्र है। वह दिन याद करने के क़ाबिल है) जिस दिन साक़ "यानी पिंडली" की तजल्ली फ़रमाई जायेगी और सज्दे की तरफ़ लोगों को बुलाया जायेगा (इसका क़िस्सा बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में मरफ़ूअ़न इस तरह आया है कि हक़ तआ़ला क़ियामत के मैदान में अपनी साक़ ज़ाहिर फ़रमायेगा। साक़ कहते हैं पिण्डली को,

और यह कोई ख़ास सिफ़त है जिसको किसी मुनासबत से साक़ फ़रमाया जैसे कि क़ुरआन में हाथ आया है और ऐसे मायने व मफ़्हूम मुतशाबिहात कहलाते हैं, और इसी हदीस में है कि उस तजल्ली को देखकर तमाम मोमिन मर्द व औरत सज्दे में गिर पड़ेंगे मगर जो शख़्स दिखावे के लिये सज्दा करता था उसकी कमर तख़्ते की तरह रह जायेगी, सज्दा न कर सकेगा। और सज्दे की तरफ़ बुलाये जाने से यह शुब्हा न किया जाये कि वह अ़मल का पाबन्द और मुकल्लफ़ बनाने का मक़ाम नहीं है क्योंकि बुलाये जाने से मुराद सज्दा करने का हुक्म नहीं है बल्कि उस तजल्ली में यह असर होगा कि सब बेइख़्तियार सज्दा करना चाहेंगे, जिनमें मोमिन इस बात पर क़ादिर हो जायेंगे और दिखावे के लिये और निफ़ाक़ से दुनिया में सज्दा करने वाले क़ादिर न होंगे और काफ़िरों का क़ादिर न होना इससे और भी अच्छी तरह समझ में आ जाता है जिसका आगे ज़िक्र है, यानी काफ़िर भी सज्दा करना चाहेंगे) सो ये (काफ़िर) लोग सज्दा न कर सकेंगे (और) उनकी आँखें (शर्मिन्दगी के मारे) झुकी होंगी (और) साथ ही उन पर ज़िल्लत छाई होगी। और (वजह इसकी यह है कि) ये लोग (दुनिया में) सज्दे की तरफ़ बुलाये जाया करते थे (इस तरह कि ईमान लाकर इबादत करें) और वे सही सालिम थे (यानी उस पर क़ादिर भी थे चुनाँचे ज़ाहिर है कि ईमान व इबादत एक इख़्तियारी काम है, बस दुनिया में हुक्म न मानने और फ़रमाँबरदारी न करने से आज उनको यह रुस्वाई व ज़िल्लत हुई, और दूसरी आयत में जो निगाह का ऊपर उठा रहना आया है वह इससे नहीं टकराता, क्योंकि कभी हैरत व आश्चर्य की अधिकता से ऐसा होगा और कभी शर्मिन्दगी के ग़लबे से ऐसा होगा)।

(आगे काफ़िरों के इस ख़्याल का रद्द है कि अ़ज़ाब में देर होने को अपने अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने की दलील समझते थे, और इसके साथ ही आपको तसल्ली भी दी गयी है, यानी जब उनका अ़ज़ाब का हक़दार होना ऊपर की आयतों से मालूम हो चुका) तो मुझको और जो इस कलाम को झुठलाते हैं उनको (इस मौजूदा हाल पर) रहने दीजिये। (यानी अ़ज़ाब में देर होने से रंज न कीजिये) हम उनको धीरे-धीरे (जहन्नम की तरफ़) लिये जा रहे हैं, इस तौर पर कि उनको ख़बर भी नहीं। और (दुनिया में अ़ज़ाब नाज़िल कर डालने से) उनको मोहलत देता हूँ, बेशक मेरी तदबीर बड़ी मज़बूत है।

(आगे उनके नुबुव्वत का इनकार करने पर ताज्जुब है) क्या आप उनसे कुछ बदला माँगते हैं कि वे उस तावान से दबे जाते हैं (इसलिये आपकी बात मानने से नफ़रत है, अल्लाह तआ़ला का कौल है:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا

या इनके पास ग़ैब (का इल्म) है कि ये (उसको महफ़ूज़ रखने के वास्ते) लिख लिया करते हैं। (यानी क्या उनको अल्लाह के अहकाम ख़ुद किसी तरीक़े से मालूम हो जाते हैं जिसकी वजह से वे पैग़म्बर की पैरवी करने के ज़रूरत मन्द नहीं हैं, और ज़ाहिर है कि दोनों बातें नहीं हैं फिर नुबुव्वत का इनकार अ़जीब बात है। आगे आपको तसल्ली दी जा रही है कि जब उनका अ़ज़ाब

का हक़दार और कुफ़ जो उनको अ़ज़ाब का हक़दार बनाने का सबब है, मालूम हो गया और यह कि उनकी मोहलत एक किस्म की ढील है और तयशुदा वक़्त पर अ़ज़ाब होगा) तो आप अपने रब की (इस) तजवीज़ पर सब्र से बैठे रहिये और (तंगदिली में) मछली (के पेट में जाने) वाले पैग़म्बर (यूनुस अ़लैहिस्सलाम) की तरह न होईये (कि वह अ़ज़ाब नाज़िल न होने से तंगदिल हुए और कहीं चले गये जिसका किस्सा कई जगह थोड़ा-थोड़ा आ चुका है। जिस मज़मून से मिसाल देना मक़सद था वह तो ख़त्म हो चुका, आगे क़िस्से के आख़िरी हिस्से को बयान करते हुए इरशाद फ़रमाते हैं कि वह वक़्त भी याद कीजिये) जबकि उन्होंने (यानी यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने अपने रब से) दुआ़ की और वह ग़म से घुट रहे थे। (यह ग़म मजमूआ़ था कई ग़मों का, एक क़ौम के ईमान न लाने का, एक अ़ज़ाब के टल जाने का, एक अल्लाह तआ़ला के बिना स्पष्ट हुक्म व इशारे के वहाँ से चले आने का, एक मछली के पेट में क़ैद होने का, और वह दुआ़ यह है:

لَآ اِلٰـهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ○

"ला इला-ह इल्ला अन्-त सुब्हान-क इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन" जिससे मक़सद माफ़ी और उस क़ैद से छुटकारा तलब करना है, चुनाँचे इस पर अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल हुआ और मछली के पेट से निजात हुई, इसी के बारे में इरशाद है कि) अगर अल्लाह का एहसान उनकी मदद न करता तो वह (जिस) मैदान में (मछली के पेट से निकालकर डाले गये थे उसी) बदहाली के साथ डाले जाते (मदद करने से मुराद तौबा का क़ुबूल करना है, और बदहाली से मुराद यह कि उनकी वैचारिक ग़लती पर अल्लाह की जानिब से उनको मलामत हुई, हासिल इसका और सूरः साफ़्फ़ात की आयत का यह है कि अगर यह तौबा व इस्तिग़फ़ार न करते तब तो मछली के पेट ही से निजात न होती जैसा कि एक दूसरे मक़ाम पर अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

فَلَوْلَآ اَنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ○

और अगर तौबा व इस्तिग़फ़ार करते मगर अल्लाह तआ़ला क़ुबूल न फ़रमाता तो उस तौबा व इस्तिग़फ़ार की इस क़द्र दुनियावी बरकत तो होती कि मछली के पेट से निजात हो जाती और मैदान में जिस तरह अब डाले गये इसी तरह डाले जाते लेकिन उस वक़्त वह डाला जाना बुरा होता, और अब का डाला जाना बुरा होने की हालत में नहीं हुआ क्योंकि तौबा के क़ुबूल होने के बाद ख़ता पर निंदा व मलामत नहीं हुआ करती) फिर उनके रब ने उनको (और ज़्यादा) मक़बूल कर लिया और उनको (ज़्यादा रुतबे वाले) नेक लोगों में से कर दिया।

(शायद इस क़िस्से को पूरा करने और इसके आख़िरी हिस्से को बयान करने से यह भी मक़सद हो कि अपने ग़ौर व फ़िक्र और सोच पर अ़मल करना उनको कैसा नुक़सानदेह हुआ और तवक्कुल कैसा नफ़ा देने वाला हुआ, इसी तरह अ़ज़ाब के बारे में आप भी अपनी राय से जल्दी न कीजिये बल्कि अल्लाह तआ़ला पर तवक्कुल व भरोसा कीजिए कि अन्जाम बेहतर होगा)। और (आगे आपकी शान में काफ़िरों के मजनूँ कहने का एक दूसरे अन्दाज़ में रद्द है, सूरत के शुरू में दूसरे अन्दाज़ से इसको बातिल "ग़लत साबित" किया गया था, यानी) ये

काफ़िर जब क़ुरआन सुनते हैं तो (अपने हद से बढ़े हुए बैर और दुश्मनी की वजह से) ऐसे मालूम होते हैं कि गोया आपको अपनी निगाहों से फिसलाकर गिरा देंगे। (यह एक मुहावरा है जैसे बोलते हैं कि फ़ुलाँ शख़्स इस तरह देखता है जैसे खा जायेगा, जैसा कि रूहुल-मआनी में है:

نظرالیّ نظرًا یکاد یصد عنی اویکادُ یاکلنی.

मतलब यह कि सख़्त दुश्मनी की वजह से आपको बुरी-बुरी निगाहों से देखते हैं) और (उसी दुश्मनी की वजह से आपके बारे में) कहते हैं कि (नऊज़ु बिल्लाह) यह मजनूँ हैं, हालाँकि यह क़ुरआन (जिसके साथ आप बात फ़रमाते हैं) तमाम जहान के वास्ते नसीहत है। (और मजनूँ आदमी "यानी जिसकी अ़क़्ल ख़राब हो गयी हो" को आम सुधार की ज़िम्मेदारी नहीं मिल सकती, इसमें तो जुनून व पागलपन का ताना देने का जवाब ज़ाहिर है, और दुश्मनी को बयान करने से भी इस ताने का कमज़ोर व बेहक़ीक़त होना साबित हो गया, क्योंकि जिस क़ौल का मन्शा सख़्त दुश्मनी हो वह क़ाबिले तवज्जोह नहीं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः मुल्क में अल्लाह तआ़ला के वजूद व तौहीद और इल्म व क़ुदरत की दलीलें कायनात को देखने से बयान हुई हैं और काफ़िर व मुन्किर लोगों पर सख़्त अ़ज़ाब का ज़िक्र है। सूरः नून में काफ़िरों के उन तानों का जवाब है जो वे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर किया करते थे। उनका सबसे पहला ताना यह था कि अल्लाह के भेजे हुए अ़क़्ल व इल्म और फ़ज़ाईल में कामिल रसूल को मआ़ज़ल्लाह मजनूँ कहते थे, या इस वजह से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जो वही फ़रिश्ते के ज़रिये नाज़िल होती थी वही के वक़्त उसके आसार आपके जिस्मे मुबारक पर देखे जाते थे, फिर आप वही से हासिल हुई आयतें पढ़कर सुनाते थे, यह मामला काफ़िरों की समझ व शऊर से बाहर था इसलिये इसको जुनून क़रार दे दिया। और या इस वजह से कि आपने अपनी क़ौम और पूरी दुनिया के मौजूदा अ़क़ीदों के ख़िलाफ़ यह दावा किया कि इबादत के क़ाबिल अल्लाह के सिवा कोई नहीं, जिन ख़ुद बनाये हुए बुतों को वे ख़ुदा समझते थे उनका बेइल्म व बेशऊर और नाक़ाबिले नफ़ा व नुक़सान होना बयान किया, आपके इस अ़क़ीदे का कोई साथी न था, आप अकेले यह दावा लेकर बग़ैर किसी ज़ाहिरी साज़ व सामान के सारी दुनिया के मुक़ाबले में खड़े हो गये। ज़ाहिरी हालात पर नज़र रखने वालों में इसकी कामयाबी की कोई संभावना नहीं थी, ऐसे दावे को लेकर खड़ा होना जुनून समझा गया, और हो सकता है कि बग़ैर किसी सबब के भी बाज़े लोग सिर्फ़ ताने के तौर पर मजनून कहते हों। सूरः नून की शुरू की आयतों में उनके इस बातिल ख़्याल की तरदीद क़सम के साथ मज़बूत करके बयान फ़रमाई है।

نٓ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُوْنَ٥ مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ٥

हर्फ़ नून हुरूफ़े मुक़त्तआ़त में से है जो क़ुरआने करीम की बहुत सी सूरतों के शुरू में लाये

गये हैं। इनके मायने अल्लाह तआ़ला ही को मालूम हैं, या उसके रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को, उम्मत को इसकी तहक़ीक़ (खोद-कुरेद) में पड़ने से रोक दिया गया है।

क़लम से क्या मुराद है और क़लम की फ़ज़ीलत

'वल्क़-लमि' में वाव क़सम का हर्फ़ है, और क़लम से मुराद आ़म कलम भी हो सकता है जिसमें तक़दीर का क़लम और फ़रिश्तों और इनसानों के सब क़लम जिनसे कुछ लिखा जाता है सब दाख़िल हैं (जैसा कि अबू हातिम बुस्ती का यही क़ौल है) और ख़ास तक़दीर का क़लम भी मुराद हो सकता है (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल है) और इस तक़दीर के क़लम के मुताल्लिक़ हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सबसे पहले अल्लाह तआ़ला ने क़लम पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिख, क़लम ने अ़र्ज़ किया- क्या लिखूँ? तो हुक्म दिया कि अल्लाह की तक़दीर को, क़लम ने (हुक्म के मुताबिक़) कायनात के आख़िरी दिन तक होने वाले तमाम वाक़िआ़त और हालात को लिख दिया। (तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस की सनद ग़रीब बताई है) और सही मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि "अल्लाह तआ़ला ने तमाम मख़्लूक़ात की तक़दीर को आसमान व ज़मीन के पैदा होने से पचास हज़ार साल पहले लिख दिया था।

और हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि क़लम अल्लाह तआ़ला की एक बड़ी नेमत है जो उसने अपने बन्दों को अ़ता फ़रमाई है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ल ने पहले एक क़लम, तक़दीर वाला क़लम पैदा फ़रमाया जिसने तमाम कायनात व मख़्लूक़ात की तक़दीरें लिख दीं। फिर दूसरा क़लम पैदा फ़रमाया जिससे ज़मीन पर बसने वाले लिखते हैं और लिखेंगे, इस दूसरे क़लम का ज़िक्र सूरः अ़लक़ में आया है 'अ़ल्ल-म बिल्क़-लमि'। वल्लाहु आलम।

आयत में अगर क़लम से मुराद तक़दीर का क़लम लिया जाये जो सबसे पहली मख़्लूक़ है तो उसकी बड़ाई व शान और तमाम चीज़ों पर एक बरतरी ज़ाहिर है, इसलिये उसकी क़सम खाना मुनासिब हुआ। और अगर क़लम से मुराद आ़म क़लम लिये जायें जिसमें तक़दीर का क़लम और फ़रिश्तों के क़लमों के अ़लावा इनसानों के क़लम भी दाख़िल हैं तो उसकी क़सम इसलिये खाई गयी कि दुनिया में बड़े-बड़े काम सब क़लम ही से होते हैं। मुल्कों के फ़तह करने में तलवार से ज़्यादा क़लम का असरदार होना सब को मालूम है। अबू हातिम बुस्ती ने इसी मज़मून को दो शे'रों में बयान फ़रमाया है:

اذا اقسم الابطال یوما بسیفهم — وعدّده ممّا یکسب المجد والکرم

کفٰی قلم الکتاب عزًّا و رفعةً — مدی الدهر انّ الله اقسم بالقلم

तर्जुमाः जबकि क़सम खायें बहादुर लोग किसी दिन अपनी तलवार की और उसको शुमार करें उन चीज़ों में जो इनसान को इज़्ज़त व सम्मान बख़्शती हैं, तो काफ़ी है लिखने

वालों का क़लम उनकी इज़्ज़त व बरतरी के लिये हमेशा-हमेशा के वास्ते क्योंकि अल्लाह ने क़सम खाई है क़लम की।

बहरहाल इस आयत में तक़दीर के क़लम या मख़्लूक़ के आम क़लम की और फिर लफ़्ज़ 'मा यस्तुरून' में जो कुछ इन क़लमों से लिखा गया या लिखा जायेगा उसकी क़सम खाकर हक़ तआला ने काफ़िरों के इस ग़लत और बातिल ताने का रद्द फ़रमाया कि आप मजनून हैं। इरशाद फ़रमायाः

مَآ اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُوْنٍ۝

यानी आप अपने रब की नेमत व फ़ज़्ल की वजह से हरगिज़ मजनून नहीं। इसमें 'बिनिअ़्मति रब्बि-क' बढ़ाकर दावे की दलील भी दे दी कि जिस शख़्स पर अल्लाह तआला की नेमत व रहमत मुकम्मल हो वह कैसे मजनून (पागल व बेअ़क़्ल) हो सकता है, उसको मजनून कहने वाला ख़ुद मजनून है।

फ़ायदा

उलेमा ने फ़रमाया है कि क़ुरआने करीम में हक़ तआला जिस चीज़ की क़सम खाते हैं वह क़सम के मज़मून पर एक गवाही होती है, यहाँ मा यस्तुरून के लफ़्ज़ से दुनिया की तारीख़ में जो कुछ लिखा गया और लिखा जा रहा है उसको बतौर गवाही पेश किया है कि दुनिया की तारीख़ को देखो, ऐसे बुलन्द अख़्लाक़ व आमाल वाले कहीं मजनून होते हैं? वह तो दूसरों की अ़क़्ल दुरुस्त करने वाले होते हैं। आगे उक्त मज़मून की मज़ीद ताईद के लिये फ़रमायाः

وَاِنَّ لَكَ لَاَجْرًا غَيْرَ مَمْنُوْنٍ۝

(और बेशक आपके लिये बड़ा अज्र है जो कभी ख़त्म और बन्द होने वाला नहीं) मतलब यह है कि आपके जिस काम को ये दीवाने जुनून कह रहे हैं वह तो अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा मक़बूल अ़मल है, इस पर आपको बड़ा अज्र मिलने वाला है और अज्र भी ऐसा जो हमेशा के लिये है, कभी बन्द और ख़त्म नहीं होगा। कहीं किसी मजनून के अ़मल पर भी मजनून को अज्र मिला करता है? आगे इसी मज़मून की और ज़्यादा ताईद व ताकीद इस जुमले से फ़रमा दीः

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ۝

इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के कामिल व ऊँचे अख़्लाक़ में ग़ौर करने की हिदायत फ़रमाई गयी है कि दीवानो! ज़रा देखो तो कहीं मजनूनों दीवानों के ऐसे अख़्लाक़ व आमाल हुआ करते हैं।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का आला और बुलन्द अख़्लाक़

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि बड़े व अ़ज़ीम अख़्लाक़ से मुराद

अ़ज़ीम दीन है, कि अल्लाह के नज़दीक इस दीने इस्लाम से ज़्यादा कोई महबूब दीन नहीं। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि आपका अख़्लाक़ ख़ुद क़ुरआन है, यानी क़ुरआने करीम जिन आला व बुलन्द आमाल व अख़्लाक़ की तालीम देता है आप उन सब का अ़मली नमूना हैं। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहू वज्हहू ने फ़रमाया कि ख़ुलुके-अ़ज़ीम से मुराद क़ुरआन के आदाब हैं, यानी वो आदाब जो क़ुरआन ने सिखाये हैं। हासिल सब का तक़रीबन एक ही है। रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बा-बरकत वजूद में हक़ तआ़ला ने तमाम ही ऊँचे व उम्दा अख़्लाक़ कामिल दर्जे में जमा फ़रमा दिये थे, ख़ुद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

بُعِثْتُ لِاُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَاقِ.

यानी मुझे इस काम के लिये भेजा गया है कि मैं आला अख़्लाक़ की तकमील करूँ।

(अबू हय्यान)

हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने दस साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत की, इस पूरी मुद्दत में जो काम मैंने किया आपने कभी यह नहीं फ़रमाया कि ऐसा क्यों किया, और जो काम नहीं किया उस पर कभी यह नहीं फ़रमाया कि यह काम क्यों नहीं किया (हालाँकि यह ज़ाहिर है कि दस साल की मुद्दत में ख़िदमत करने वाले के बहुत से काम ख़िलाफ़े तबीयत हुए होंगे)। (बुख़ारी व मुस्लिम)

यही हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि आपके बुलन्द अख़्लाक़ का यह हाल था कि मदीना की कोई लौंडी बाँदी भी आपका हाथ पकड़कर जहाँ ले जाना चाहे ले जा सकती थी।

(बुख़ारी शरीफ़)

हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कभी अपने हाथ से किसी को नहीं मारा सिवाय अल्लाह के रास्ते में जिहाद के, कि उसमें काफ़िरों को मारना और क़त्ल करना साबित है वरना आपने किसी ख़ादिम को न किसी औ़रत को कभी मारा, उनमें से किसी से ख़ता व ग़लती भी हुई तो उसका इन्तिक़ाम नहीं लिया सिवाय इसके कि अल्लाह के हुक्म की ख़िलाफ़वर्ज़ी की हो तो उस पर शरई सज़ा जारी फ़रमाई।

(मुस्लिम शरीफ़)

हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कभी किसी चीज़ का सवाल नहीं किया गया जिसके जवाब में आपने नहीं फ़रमाया हो।

(बुख़ारी व मुस्लिम)

और हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम न गन्दी व बेहूदा बात करने वाले थे न गन्दगी व बेहूदगी के पास जाते थे, न बाज़ारों में शोर व हंगामा करते थे, बुराई का बदला कभी बुराई से नहीं देते थे बल्कि माफ़ी और दरगुज़र का मामला फ़रमाते थे। और हज़रत अबूदर्दा रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अमल की तराज़ू में अच्छे अख़्लाक़ के बराबर किसी अमल का वज़न नहीं होगा, और अल्लाह तआला गाली-गलोज करने वाले बद-ज़ुबान से बुग़्ज़ (नफ़रत) रखते हैं। (तिर्मिज़ी, इमाम तिर्मिज़ी ने इस हदीस को हसन सही कहा है)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुसलमान अपने अच्छे अख़्लाक़ की बदौलत उस शख़्स का दर्जा हासिल कर लेता है जो हमेशा रात को इबादत में जागता और दिन भर रोज़ा रखता हो। (अबू दाऊद)

और हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मुझे यमन का आमिल (गवर्नर) मुक़र्रर करके भेजने के वक़्त आख़िरी वसीयत जो आपने मुझे उस वक़्त फ़रमाई जबकि मैं अपना एक पाँव रकाब में रख चुका था वह यह थीः

يَا مُعَاذُ اَحْسِنْ خُلُقَكَ لِلنَّاسِ.

(ऐ मुआज़! लोगों से अच्छे अख़्लाक़ का बर्ताव करो। मुवत्ता इमाम मालिक) हदीस की ये सब रिवायतें तफ़सीरे मज़हरी से नक़ल की गयी हैं।

فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُوْنَ ٥ بِاَيِّكُمُ الْمَفْتُوْنُ ٥

(जल्द ही आप भी देख लेंगे और ये काफ़िर भी देख लेंगे कि तुम में कौन मजनून है) मफ़्तून इस जगह मजनून के मायने में है। पिछली आयतों में आपको मजनून कहने वालों के ताने को दलीलों से रद्द किया गया था इस आयत ने भविष्यवाणी के तौर पर यह बतलाया कि यह बात यूँ ही ढकी-छुपी रहने वाली नहीं है, क़रीब आने वाले वक़्त में सब आँखों से देख लेंगे कि मआज़ल्लाह आप मजनून थे या आपको मजनून कहने वाले पागल दीवाने थे। चुनाँचे थोड़े ही अरसे में यह बात खुलकर दुनिया के सामने आ गयी और उन्हीं मजनून कहने वालों में से हज़ारों लोग इस्लाम के दायरे में दाख़िल होकर आपकी पैरवी व मुहब्बत को अपनी नेकबख़्ती का सरमाया समझने लगे। और बहुत से बदबख़्त जिनको तौफ़ीक़ नहीं हुई वे दुनिया में भी ज़लील व ख़्वार हुए।

فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِيْنَ ٥ وَدُّوْا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُوْنَ ٥

यानी आप इन झुठलाने वालों की बात न मानें ये तो यूँ चाहते हैं कि आप अहकाम की तब्लीग़ करने में कुछ नर्म पड़ जायें और शिर्क व बुत-परस्ती से उनको रोकना छोड़ दें तो ये भी नर्म पड़ जायें कि आप पर ताने मारने और आपको सताना छोड़ दें। (यह हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का क़ौल है। क़ुर्तुबी)

मसला

इस आयत से मालूम हुआ कि काफ़िर व बदकार और बुरे लोगों के साथ यह सौदा कर लेना कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहते तुम हमें कुछ न कहो, यह दीन के मामले में सुस्ती और बेजा चश्म पोशी है जो कि हराम है (तफ़सीरे मज़हरी)। यानी बिना किसी मूजबरी के ऐसा समझौता

जायज़ा नहीं।

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۝ هَمَّازٍ مَّشَّآءٍ بِنَمِيمٍ ۝ مَّنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۝ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَٰلِكَ زَنِيمٍ ۝

(आप बात न मानें हर ऐसे शख़्स की जो बहुत क़समें खाने वाला हो, ज़लील हो और लोगों पर ऐब लगाने वाला हो, ग़ीबत करने वाला हो, चुग़लख़ोरी करने वाला हो, नेक कामों से लोगों को रोकने वाला ज़ुल्म व ज़्यादती में हद से बढ़ने वाला हो, बहुत ज़्यादा गुनाह करने वाला और बहुत क़समें खाने वाला बुरे अख़्लाक़ वाला बख़ील हो, और इन सब घटिया सिफ़तों के साथ वह ज़नीम भी हो। ज़नीम के मायने वह शख़्स जिसका नसब किसी बाप से साबित न हो। जिस शख़्स के यह अवगुण बयान किये गये हैं वह ऐसा ही बेनसब (यानी हराम की औलाद) था।

पहली आयत में आ़म काफ़िरों की बात न मानने और दीन के मामले में उनकी वजह से कोई सुस्ती व ढील न करने का आ़म हुक्म था, इस आयत में एक ख़ास शरीर काफ़िर वलीद बिन मुग़ीरा की घटिया और बुरी सिफ़ात बयान करके उससे मुँह फेर लेने और उसकी बात न मानने का ख़ुसूसी हुक्म दिया गया है। (जैसा कि इब्ने जरीर ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल किया है)। आगे भी कई आयतों में इस शख़्स की बद-अख़्लाक़ी और सरकशी का ज़िक्र फ़रमाने के बाद फ़रमायाः

سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ ۝

यानी हम क़ियामत के दिन उसकी नाक पर दाग़ लगा देंगे जिससे शुरू व आख़िर के (यानी तमाम) इनसानों के सामाने उसकी रुस्वाई ज़ाहिर हो जायेगी, उसकी नाक को बुराई से मिसाल देते हुए ख़ुरतूम से ताबीर किया गया है जो हाथी या ख़िन्ज़ीर की नाक के लिये बोला जाता है।

إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ الْجَنَّةِ

यानी हमने आज़माईश में डाला इन (मक्का वालों) को जिस तरह आज़माईश में डाला था बाग़ वालों को। इनसे पहले की आयतों में मक्का के काफ़िरों के नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ताने व तश्ने का जवाब था, इन आयतों में हक़ तआ़ला ने पिछले ज़माने का एक क़िस्सा ज़िक्र करके मक्का वालों को तंबीह फ़रमाई और अ़ज़ाब से डराया। मक्का वालों को आज़माईश में डालने से यह मुराद भी हो सकती है कि जिस तरह आगे आने वाले क़िस्से में बाग़ वालों को अल्लाह तआ़ला ने अपनी नेमतों से नवाज़ा, उन्होंने नाशुक्री की जिसके नतीजे में अ़ज़ाब आ गया और उनकी नेमत छिन गयी, हक़ तआ़ला ने मक्का वालों पर अपना सबसे बड़ा इनाम तो यह फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उनके अन्दर पैदा फ़रमाया, इसके अ़लावा उनकी तिजारतों में बरकत अ़ता फ़रमाई और उनको ख़ुशहाल बना दिया, यह उनकी आज़माईश है कि अल्लाह तआ़ला की इन नेमतों के शुक्रगुज़ार होते हैं और अल्लाह व रसूल पर ईमान लाते हैं या अपने कुफ़्र व दुश्मनी पर जमे रहते हैं। दूसरी सूरत में उनको बाग़ वालों के क़िस्से से नसीहत व सबक़ हासिल करना चाहिये कि कहीं ऐसा न हो कि नेमत की नाशुक्री से उन पर भी ऐसा ही अ़ज़ाब न आ जाये। यह तफ़सीर उस सूरत में भी फ़िट बैठती है

जबकि इन आयतों को भी सूरत के अक्सर हिस्से की तरह मक्की क़रार दिया जाये, लेकिन बहुत से हज़राते मुफ़स्सिरीन ने इन आयतों को मदनी क़रार दिया है और जिस आज़माईश का यहाँ ज़िक्र है उससे मुराद वह कहत (सूखा और अकाल) का अ़ज़ाब है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बद्दुआ़ से उन लोगों पर मुसल्लत हुआ था, जिसमें वे भूख से मरने लगे और मुर्दार जानवर और पेड़ों के पत्ते खाने पर मजबूर हो गये थे। यह वाक़िआ़ हिजरत के बाद का है।

बाग़ वालों का क़िस्सा

यह बाग़ कुछ बुज़ुर्गों जैसे हज़रत इब्ने अ़ब्बास वग़ैरह के क़ौल पर यमन में था और हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत यह है कि सनआ़ जो यमन का मशहूर शहर और राजधानी है उससे छह मील के फ़ासले पर था, और कुछ हज़रात ने इसका स्थान हब्शा को बतलाया है। (इब्ने कसीर) ये लोग अहले किताब में से थे और यह वाक़िआ़ हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम के आसमान पर उठाये जाने के कुछ अ़रसे बाद का है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

उक्त आयत में उनको 'अस्हाबुल-जन्नति' यानी बाग़ वालों के नाम से ताबीर किया है, मगर आयतों के मज़मून से मालूम होता है कि उनके पास सिर्फ़ बाग़ ही नहीं बल्कि खेती की ज़मीनें भी थीं। हो सकता है कि बाग़ के साथ ही खेती की ज़मीन भी हो मगर बाग़ों की शोहरत के सबब बाग़ वाले कह दिया गया। इनका वाक़िआ़ मुहम्मद बिन मरवान ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इस तरह नक़ल किया है। सन्आ़ यमन से दो फ़र्सख़ के फ़ासले पर एक बाग़ था जिसको सरवान कहा जाता था। यह बाग़ एक नेक बन्दे ने लगाया था, उसका अ़मल यह था कि जब खेती काटता तो जो दरख़्त दराँती से बाक़ी रह जाते थे उनको ग़रीबों व मिस्कीनों के लिये छोड़ देता था, ये लोग उससे ग़ल्ला हासिल करके अपना गुज़ारा करते थे।

इसी तरह जब खेती को गाहकर ग़ल्ला निकालता तो जो दाना भूसे के साथ उड़कर अलग हो जाता उस दाने को भी फ़क़ीरों व मिस्कीनों के लिये छोड़ देता था। इसी तरह जब बाग़ के पेड़ों से फल तोड़ने के वक़्त जो फल नीचे गिर जाता वह भी फ़क़ीरों के लिये छोड़ देता था (यही वजह थी कि जब उसकी खेती कटने या फल तोड़ने का वक़्त आता तो बहुत से फ़क़ीर व मिस्कीन जमा हो जाते थे)। उस नेक आदमी का इन्तिक़ाल हो गया, उसके तीन बेटे बाग़ और ज़मीन के वारिस हुए। उन्होंने आपस में गुफ़्तगू की कि अब हमारा ख़ानदान बढ़ गया है और पैदावार उनकी ज़रूरत से कम है इसलिये अब उन फ़क़ीरों के लिये इतना ग़ल्ला और फल छोड़ देना हमारे बस की बात नहीं। और कुछ रिवायतों में है कि उन लड़कों ने आज़ाद नौजवानों की तरह यह कहा कि हमारा बाप तो बेवक़ूफ़ था, ग़ल्ले और फल की इतनी बड़ी मात्रा लोगों को लुटा देता था, हमें यह तरीक़ा बन्द करना चाहिये। आगे उनका क़िस्सा ख़ुद क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ में इस प्रकार है।

إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ۝ وَلَا يَسْتَثْنُونَ ۝

यानी उन्होंने आपस में हलफ़ व क़सम करके यह अहद किया कि अब की मर्तबा हम सुबह सवेरे ही जाकर खेती काट लेंगे ताकि मिस्कीनों व फ़क़ीरों को ख़बर न हो और वे साथ न लग लें, और अपने इस मन्सूबे पर उनको इतना यक़ीन था कि इन्शा-अल्लाह कहने की भी तौफ़ीक़ न हुई जैसा कि सुन्नत है कि कल जो काम करना है जब उसका ज़िक्र करे तो यूँ कहे कि हम इन्शा-अल्लाह कल यह काम करेंगे।

'ला यस्तस्नून' के मायने किसी चीज़ को अलग न करने के हैं, और मुराद इस अलग करने से इन्शा-अल्लाह कहना है, और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने अलग करने से मुराद यह लिया है कि हम पूरा-पूरा ग़ल्ला और फल ले आयेंगे, फ़क़ीरों का हिस्सा अलग न करेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّنْ رَّبِّكَ.

(फिर फिर गया उस खेत और बाग़ पर एक फिरने वाला आपके रब की तरफ़ से।) फिरने वाले से मुराद कोई बला और आफ़त है जिससे खेती और बाग़ तबाह हो जाये। कुछ रिवायतों में है कि वह एक आग थी जिसने सब खड़ी खेती को जलाकर ख़ाक सियाह कर दिया।

وَهُمْ نَآئِمُوْنَ○

यानी अज़ाब नाज़िल होने का यह वाक़िआ रात को उस वक़्त हुआ जबकि ये लोग सोये हुए थे।

فَاَصْبَحَتْ كَالصَّرِيْمِ○

सरम के मायने फल वग़ैरह काटने के हैं। सरीम मसरूम और कटे हुए के मायने में है, मतलब यह है कि आग ने उस खेती को ऐसा बना दिया कि जैसे खेती काट लेने के बाद साफ़ ज़मीन रह जाती है। और सरीम के मायने रात के भी आते हैं, इस मायने के लिहाज़ से मतलब यह होगा जैसे रात अंधेरी और सियाह होती है यह खेती भी ख़ाक सियाह हो गयी। (मज़हरी)

فَتَنَادَوْا مُصْبِحِيْنَ○

यानी सुबह अंधेरे से आपस में एक दूसरे को आवाज़ देकर जगाने लगे कि अगर खेती काटनी है तो सवेरे चलो।

وَهُمْ يَتَخَافَتُوْنَ○

यानी घर से निकलने के वक़्त आपस में आहिस्ता बात करते थे कि किसी फ़क़ीर व मिस्कीन को ख़बर न हो जाये कि वह साथ लग ले।

وَّغَدَوْا عَلٰى حَرْدٍ قٰدِرِيْنَ○

हर्द के मायने मना करने और ग़ुस्सा व नाराज़गी दिखाने के हैं। मतलब यह है कि ये लोग अपने ख़्याल में यह समझकर चले कि हमें इस पर क़ुदरत है कि हम किसी फ़क़ीर व मिस्कीन को कुछ न दें, कोई आ भी जाये तो उसको दफ़ा कर दें।

فَلَمَّا رَاَوْهَا قَالُوْٓا اِنَّا لَضَآلُّوْنَ○

मगर जब उस जगह खेत बाग़ कुछ न पाया तो पहले तो यह कहने लगे कि हम जगह को भूलकर कहीं और आ गये, यहाँ तो न बाग़ है न खेत। मगर फिर क़रीबी मक़ामात और निशानात पर ग़ौर किया तो मालूम हुआ जगह तो यही है और खेत जलकर ख़त्म हो चुका है तो कहने लगेः

بَلْ نَحْنُ مَحْرُوْمُوْنَ٥

यानी हम इस नेमत से मेहरूम कर दिये गये।

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُوْنَ٥

उनमें से जो दरमियाना आदमी था यानी बाप की तरह नेक सालेह अल्लाह की राह में ख़र्च करने पर ख़ुश होने वाला था, दूसरे भाईयों की तरह कन्जूस और सख़्त-दिल न था उसने कहा कि क्या मैंने तुम्हें पहले ही नहीं कहा था कि तुम अल्लाह के नाम की तस्बीह क्यों नहीं करते। तस्बीह के लफ़्ज़ी मायने पाकी बयान करने के हैं, मतलब यह है कि फ़क़ीरों व मिस्कीनों से अपना माल बचा लेने की तदबीर का मन्शा यह है कि आप यह समझते हैं कि अल्लाह तुमको इसके बजाय और न देगा, हालाँकि अल्लाह तआ़ला इससे पाक है, वह ख़र्च करने वालों को अपने पास से और ज़्यादा देता है। (तफ़सीरे मज़हरी)

قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَآ اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ٥

इस भाई की बात उस वक़्त तो किसी ने न सुनी मगर अब सब ने इक़रार किया कि अल्लाह तआ़ला पाक है हर नुक़्स व कमी से और हम ज़ालिम ठहरे कि हमने फ़क़ीरों के हिस्से को भी खा लेना चाहा।

तंबीह

यह दरमियाना आदमी जिसने सही बात कही थी अगरचे दूसरों से बेहतर था मगर फिर बहरहाल उन्हीं के साथ हो लिया और उन्हीं की ग़लत राय पर अ़मल के लिये तैयार हो गया था इसलिये इसका हश्र भी उन्हीं जैसा हुआ। इससे मालूम हुआ कि जो आदमी किसी गुनाह से लोगों को रोके मगर वे न रुकें, फिर ख़ुद भी उनके साथ लगा रहे और गुनाह में शरीक रहे तो वह भी उन्हीं के हुक्म में होता है, उसको चाहिये कि वे नहीं रुके तो ख़ुद अपने आपको उस गुनाह से बचाये।

فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى بَعْضٍ يَّتَلَاوَمُوْنَ٥

यानी उन लोगों ने अपने जुर्म का तो इक़रार कर लिया, लेकिन अब इल्ज़ाम एक दूसरे पर डालने लगे कि तूने ही पहले ऐसी ग़लत राय दी थी जिसके नतीजे में यह अ़ज़ाब आया। हालाँकि यह जुर्म उनमें से किसी का अकेले नहीं था बल्कि सब या अक्सर इसमें शरीक थे।

तंबीह

आजकल इस मामले में सब ही मुब्तला हैं कि बहुत सी जमाअ़तों के मजमूई अ़मल की

वजह से कोई नाकामी या मुसीबत पेश आ जाये तो उस वक़्त एक दूसरा अ़ज़ाब उन पर यह होता है कि उसका इल्ज़ाम एक दूसरे पर डालने में अपना वक़्त बरबाद करते हैं।

قَالُوْا يٰوَيْلَنَآ اِنَّا كُنَّا طٰغِيْنَ٥

यानी शुरू में एक दूसरे पर इल्ज़ाम डालने के बाद जब ग़ौर किया तो फिर सब ने इक़रार कर लिया कि हम सब ही नाफ़रमान व गुनाहगार हैं, यह इक़रार शर्मिन्दगी के साथ उनकी तौबा के क़ायम-मक़ाम था, इसी बिना पर उनको अल्लाह से यह उम्मीद हुई कि अल्लाह तआ़ला हमें इस बाग़ से बेहतर बाग़ अ़ता फ़रमा देंगे।

इमाम बग़वी रह. ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि मुझे यह ख़बर पहुँची है कि जब उन सब लोगों ने सच्चे दिल से तौबा कर ली तो अल्लाह तआ़ला ने उनको उससे बेहतर बाग़ अ़ता फ़मा दिया जिसके अंगूरों के ख़ोशे (गुच्छे) इतने बड़े थे कि एक ख़ोशा एक ख़च्चर पर लादा जाता था। (तफ़सीरे मज़हरी)

كَذٰلِكَ الْعَذَابُ.

मक्का वालों के सूखे के अ़ज़ाब का मुख़्तसर तौर पर और बाग़ वालों के खेत जल जाने का तफ़सीली ज़िक्र फ़रमाने के बाद आ़म उसूल इरशाद फ़माया कि जब अल्लाह का अ़ज़ाब आता है तो इसी तरह आया करता है, और दुनिया में अ़ज़ाब आ जाने से भी उनके आख़िरत के अ़ज़ाब का कफ़्फ़ारा (बदला) नहीं होता, बल्कि आख़िरत का अ़ज़ाब उसके अ़लावा और उससे ज़्यादा सख़्त होता है।

अगली आयतों में पहले नेक मुत्तक़ी बन्दों की जज़ा का ज़िक्र है और उसके बाद मक्का के मुश्रिकों के एक और बातिल दावे का रद्द है, वह यह कि मक्का के काफ़िर कहा करते थे कि अव्वल तो क़ियामत आने वाली नहीं और दोबारा ज़िन्दा होकर हिसाब-किताब का क़िस्सा सब अफ़साना है, और अगर मान लो ऐसा हो भी गया तो हमें वहाँ भी ऐसी ही नेमतें और माल व दौलत मिलेगा जैसा दुनिया में मिला हुआ है। इसका जवाब कई आयतों में दिया गया है कि क्या अल्लाह तआ़ला नेक बन्दों और मुजरिमों को बराबर कर देंगे? यह कैसा अ़जीब व ग़रीब फ़ैसला है जिस पर न कोई सनद न दलील न किसी आसमानी किताब से इसका सुबूत न अल्लाह की तरफ़ से कोई वायदा-वईद कि वहाँ भी तुम्हें नेमत देगा।

क़ियामत की एक अ़क़्ली दलील

इन उपरोक्त आयतों से साबित हुआ कि क़ियामत आना और हिसाब-किताब होना और नेक व बद की जज़ा व सज़ा यह सब अ़क़्लन ज़रूरी है, क्योंकि इसका तो दुनिया में हर शख़्स नज़ारा व अनुभव करता है और कोई इनकार नहीं कर सकता कि दुनिया में जो उमूमन बुरे, ग़लत और बदकार ज़ालिम चोर और डाकू हैं वे फ़ायदे में रहते और मज़े उड़ाते हैं। एक चोर और डाकू एक रात में कई बार इतना कमा लेता है कि शरीफ़ नेक आदमी उम्र भर में भी न कमा सके। फिर वह न ख़ौफ़े ख़ुदा व आख़िरत को जानता है न किसी शर्म व हया का पाबन्द है, अपने नफ़्स की

इच्छाओं को जिस तरह चाहे पूरा करता है। और नेक शरीफ़ आदमी अव्वल तो ख़ुदा से डरता है, वह भी न हो तो बिरादरी की शर्म व हया से मग़लूब होता है।

ख़ुलासा यह है कि दुनिया के कारख़ाने में तो बदकार व बदमाश कामयाब और नेक शरीफ़ आदमी नाकाम नज़र आता है, अब अगर आगे भी कोई ऐसा वक़्त न आये जिसमें हक़ व नाहक़ का सही इन्साफ़ हो, नेक को अच्छा बदला मिले बद को सज़ा मिले तो फिर अव्वल तो किसी बुराई को बुराई और गुनाह को गुनाह कहना बेकार व बेमायने हो जाता है कि वह एक इनसान को बिला वजह उसकी इच्छाओं से रोकना है, दूसरे फिर अ़दल व इन्साफ़ के कोई मायने बाक़ी नहीं रहते, जो लोग ख़ुदा के वजूद के क़ायल हैं वे इसका क्या जवाब देंगे कि ख़ुदा तआ़ला का इन्साफ़ कहाँ गया।

रहा यह शुब्हा कि दुनिया में बहुत सी बार मुजरिम पकड़ा जाता है, उसकी रुस्वाई होती है, सज़ा पाता है, शरीफ़ आदमी का फ़र्क़ उससे यहीं वाज़ेह हो जाता है और अ़दल व इन्साफ़ हुकूमतों के क़ानूनों से क़ायम हो जाता है। यह इसलिये ग़लत है कि अव्वल तो हर जगह और हर हाल में हुकूमत की निगरानी हो ही नहीं सकती, जहाँ हो जाये वहाँ अ़दालती सुबूत हर जगह मिल पाना आसान नहीं जिसके ज़रिये मुजरिम सज़ा पा सके, और जहाँ सुबूत भी मिल जाये तो ताक़त व माल, रिश्वत व सिफ़ारिश और दबाव के कितने चोर दरवाज़े हैं जिनसे मुजरिम निकल भागता है। और इस ज़माने की हुकूमती और अ़दालती जुर्म व सज़ा का जायज़ा लिया जाये तो इस वक़्त तो सज़ा सिर्फ़ वह बेवक़ूफ़ बेअ़क़्ल या बेसहारा आदमी पाता है जो होशियारी से कोई चोर दरवाज़ा न निकाल सके, और जिसके पास न रिश्वत के लिये पैसे हों न कोई बड़ा आदमी उसका मददगार हो, या फिर वह अपनी बेवक़ूफ़ी से इन चीज़ों को इस्तेमाल न कर सके। बाक़ी सब मुजरिम आज़ाद फिरते हैं। क़ुरआने करीम के इस लफ़्ज़ ने:

اَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِيْنَ كَالْمُجْرِمِيْنَ○

इस हक़ीक़त को वाज़ेह कर दिया कि अ़क़्लन यह होना ज़रूरी है कि कोई ऐसा वक़्त आये जहाँ सब का हिसाब हो और जहाँ मुजरिमों के लिये कोई चोर दरवाज़ा न हो, और जहाँ इन्साफ़ ही इन्साफ़ हो और नेक व बद का खुलकर फ़र्क़ वाज़ेह हो, और अगर यह नहीं है तो दुनिया में कोई बुरा काम बुरा नहीं और कोई जुर्म जुर्म नहीं, और फिर ख़ुदाई अ़दल व इन्साफ़ के कोई मायने नहीं रहते।

और जब क़ियामत आना और आमाल की जज़ा व सज़ा होना यक़ीनी हो गया तो आगे क़ियामत के कुछ हालात और मुजरिमों की सज़ा का ज़िक्र किया गया है, जिसमें क़ियामत के दिन पिण्डली के खुलने का करिश्मा बयान हुआ है, इसकी हक़ीक़त ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है।

فَذَرْنِيْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ.

यानी आप इस क़ियामत की बात झुठलाने वालों को और मुझे छोड़ दें फिर देखें कि हम

क्या करते हैं। यहाँ छोड़ देना एक मुहावरे के तौर पर फ़रमाया गया है, मुराद इससे अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करना है, और हासिल इस कलाम का यह है कि काफ़िरों की तरफ़ से यह मुतालबा भी बार-बार पेश हुआ करता था कि अगर हम वाक़ई अल्लाह के नज़दीक मुजरिम हैं और अल्लाह तआ़ला हमें अ़ज़ाब देने पर क़ादिर है तो फिर हमें अ़ज़ाब अभी क्यों नहीं दे डालता। उनके ऐसे दिल दुखाने वाले मुतालबों की वजह से कभी-कभी ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दिल मुबारक में भी यह ख़्याल पैदा होता होगा और मुम्किन है किसी वक़्त हुआ भी हो कि इन लोगों पर इसी वक़्त अ़ज़ाब आ जाये तो बाक़ी बचे लोगों की इस्लाह (सुधरने) की उम्मीद है, इस पर यह फ़रमाया गया कि अपनी हिक्मत को हम ही ख़ूब जानते हैं एक हद तक उनको मोहलत देते हैं, फ़ौरन अ़ज़ाब नहीं भेज देते, इसमें उनकी आज़माईश भी होती है और ईमान लाने की मोहलत भी।

आख़िर में हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम के वाक़िए का ज़िक्र फ़रमाकर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह नसीहत फ़रमाई गयी कि जिस तरह यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने लोगों के मुतालबे से तंग आकर अ़ज़ाब की दुआ़ कर दी और अ़ज़ाब के आसार सामने भी आ गये और यूनुस अ़लैहिस्सलाम उस अ़ज़ाब की जगह से दूसरी जगह मुन्तक़िल भी हो गये मगर फिर पूरी क़ौम ने रो-रोकर, गिड़गिड़ाकर और इख़्लास के साथ तौबा कर ली अल्लाह तआ़ला ने उनको माफ़ी दे दी और अ़ज़ाब हटा लिया तो अब यूनुस अ़लैहिस्सलाम ने यह शर्मिन्दगी महसूस की कि मैं इन लोगों में झूठा क़रार पाऊँगा, इस बदनामी के ख़ौफ़ से अल्लाह तआ़ला के स्पष्ट हुक्म व इजाज़त के बग़ैर अपने विचार और सोच से यह राह इख़्तियार कर ली कि अब उन लोगों में वापस न जायें, इस पर हक़ तआ़ला ने उनकी तंबीह के लिये दरिया के सफ़र, फिर मछली के निगल जाने का मामला फ़रमाया और फिर यूनुस अ़लैहिस्सलाम के सचेत होकर इस्तिग़फ़ार व माफ़ी की तरफ़ मुतवज्जह होने पर दोबारा उन पर अपने पहले इनामात के दरवाज़े खोल दिये। यह वाक़िआ़ सूरः यूनुस और दूसरी सूरतों में गुज़र चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह वाक़िआ़ याद दिलाकर इसकी नसीहत फ़रमाई कि आप इन लोगों के ऐसे मुतालबे से मग़लूब न हों और इन पर जल्दी अ़ज़ाब नाज़िल करने के इच्छुक न हों, अपनी हिक्मतों और आ़लम की मस्लेहतों को ही जानते हैं, हम पर भरोसा करें।

وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ.

यहाँ हज़रत यूनुस अ़लैहिस्सलाम को 'साहिब-ए-हूत' (मछली वाला) इसी मुनासबत से कहा गया कि वह कुछ मुद्दत मछली के पेट में रहे।

وَاِنْ يَّكَادُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَيُزْلِقُوْنَكَ بِاَبْصَارِهِمْ.................الاية

'लयुज़्लिकून-क' इज़्लाक़ से निकला है जिसके मायने फिसलाने और गिरा देने के हैं (राग़िब)। मतलब यह है कि मक्का के काफ़िर आपको ग़ुस्से वाली और तिरछी निगाहों से देखते हैं और चाहते हैं कि आपको अपनी जगह और मक़ाम से डगमगा दें जबकि वे अल्लाह का

कलाम सुनते हैं और कहने लगते हैं कि यह तो मजनून है:

وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ٥

हालाँकि यह कलाम तो तमाम जहान वालों के लिये ज़िक्र व नसीहत और उनकी कामयाबी व बेहतरी का ज़ामिन है। ऐसे कलाम वाला कहीं मजनून कहा जा सकता है? काफ़िरों के जिस ताने का इस सूरत के शुरू में जवाब दिया गया था सूरत के ख़त्म पर उसी का एक दूसरे अन्दाज़ से जवाब दे दिया गया।

और इमाम बग़वी वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने इन आयतों का एक ख़ास वाक़िआ नकल किया है कि इनसान को बुरी नज़र लग जाना और उससे किसी इनसान को नुक़सान और बीमारी बल्कि हलाकत तक पहुँच जाना, जैसा कि हक़ीक़त है और सही हदीसों में इसका हक़ होना बयान किया गया है, अरब में भी मशहूर व परिचित था, और मक्का में एक शख़्स नज़र लगाने में बड़ा मशहूर था, ऊँटों या जानवरों को नज़र लगा देता तो वो फ़ौरन मर जाते थे। मक्का के काफ़िरों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से दुश्मनी तो थी ही और हर तरह की कोशिश आपको क़त्ल करने और तकलीफ़ें पहुँचाने की किया करते थे, उनको यह सूझी कि उस शख़्स से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नज़र लगवाओ। उसको बुला लाये, उसने बुरी नज़र लगाने की अपनी पूरी कोशिश कर ली मगर अल्लाह तआला ने आपकी हिफ़ाज़त फ़रमाई, ये आयतें इसी सिलसिले में नाज़िल हुईं और 'लयुज़्लिक़ून-क बि-अब्सारिहिम्' में इसी बुरी नज़र लगाने को बयान फ़रमाया गया है।

फ़ायदा

हज़रत हसन बसरी रह. से मन्क़ूल है कि जिस शख़्स को बुरी नज़र किसी इनसान की लग गयी हो उस पर ये आयतें पढ़कर दम कर देना उसके असर को ख़त्म कर देता है। ये आयतें सूरः अल्-क़लम की आख़िरी दो आयतें हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अल्-क़लम की तफ़सीर आज रजब की 6 तारीख़ सन् 1391 हिजरी दिन इतवार को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-क़लम की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-हाक़्क़ह्

सूरः अल्-हाक़्क़ह् मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 52 आयतें और इसमें 2 रुकूअ़ हैं।

آيَاتُهَا ٥٢ (٦٩) سُوْرَةُ الْحَاقَّةِ مَكِّيَّةٌ (٧٨) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الْحَاقَّةُ ۝ مَا الْحَاقَّةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۝ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۝ فَأَمَّا ثَمُودُ
فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ ۝ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۝ سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ
أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۝ فَهَلْ تَرَىٰ لَهُمْ مِنْ
بَاقِيَةٍ ۝ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ ۝ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً
رَابِيَةً ۝ إِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ ۝
فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۝ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۝
فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۝ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۚ وَيَحْمِلُ
عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ ۝ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۝ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ
كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ ۝ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ ۝ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ
رَاضِيَةٍ ۝ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ۝ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ
الْخَالِيَةِ ۝ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ ۝ وَلَمْ أَدْرِ مَا
حِسَابِيَهْ ۝ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ ۝ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ ۝
خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۝
إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا
حَمِيمٌ ۝ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ ۝ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۝ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۝ وَمَا لَا
تُبْصِرُونَ ۝ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۝ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ ۚ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ ۝ وَلَا بِقَوْلِ

ع ١ ٥

كَاهِنٍ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿٤٢﴾ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ﴿٤٦﴾ فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ﴿٤٧﴾ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٤٨﴾ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ ﴿٤٩﴾ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٥٠﴾ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ ﴿٥١﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٥٢﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्-हाक़्क़तु (1) मल्-हाक़्क़ह् (2) व मा अद्रा-क मल्-हाक़्क़ह् (3) कज़्ज़बत् समूदु व आदुम्-बिल्-क़ारिअ़ह् (4) फ़-अम्मा समूदु फ़-उह्लिकू बित्तागियह् (5) व अम्मा आदुन् फ़-उह्लिकू बिरीहिन् सर्सरिन् आतियह् (6) सख़्ख़-रहा अ़लैहिम् सब्-अ़ लयालिंव्-व समानिय-त अय्यामिन् हुसूमन् फ़-तरल्-क़ौ-म फ़ीहा सर्आ क-अन्नहुम् अअ्जाज़ु नख़्लिन् ख़ावियह् (7) फ़-हल् तरा लहुम् मिम्-बाक़ियह् (8) व जा-अ फ़िर्औनु व मन् क़ब्लहू वल्-मुअ्तफ़िकातु बिल्-ख़ातिअह् (9) फ़-असौ रसू-ल रब्बिहिम् फ़-अ-ख़-ज़हुम् अख़्ज़-तर्-राबियह् (10) इन्ना लम्मा तग़ल्-

वह साबित हो चुकने वाली (1) क्या है वह साबित हो चुकने वाली (2) और तूने क्या सोचा, क्या है वह साबित हो चुकने वाली। (3) झुठलाया समूद और आद ने उस कूट डालने वाली को (4) सो वे जो समूद थे सो ग़ारत कर दिये गये उछाल कर (5) और वे जो आद थे सो बरबाद हुए ठंडी सन्नाटे की हवा से निकल जाये हाथों से (6) मुक़र्रर कर दिया उसको उन पर सात रात और आठ दिन तक लगातार फिर तू देखे कि वे लोग उसमें बिछड़ गये गोया वे ढुंड हैं खजूर के खोखले (7) फिर तू देखता है कोई उनमें का बचा? (8) और आया फ़िरऔन और जो उससे पहले थे और उलट जाने वाली बस्तियाँ ख़तायें करते हुए (9) फिर हुक्म न माना अपने रब के रसूल का फिर पकड़ा उनको सख़्त पकड़ना (10) हमने जिस वक़्त पानी

मा-उ हमल्नाकुम् फ़िल्-जारियह् (11) लिनज्अ-लहा लकुम् तज़्कि-रतंव्-व तअ़ि-यहा उज़ुनुंव्-वाअ़ियह् (12) फ़-इज़ा नुफ़ि-ख़ फ़िस्सूरि नफ़्ख़तुंव्-वाहि-दतुन् (13) व हुमि-लतिल्-अर्ज़ु वल्जिबालु फ़-दुक्कता दक्क-तंव्-वाहिदह् (14) फ़यौमइज़िंव्-व-क़-अ़तिल्-वाक़िअह् (15) वन्-शक़्क़तिस्-समा-उ फ़हि-य यौमइज़िंव्-वाहि-यतुंव्- (16) -वल्म-लकु अ़ला अर्जाइहा, व यह्मिलु अ़र्-श रब्बि-क फ़ौक़हुम् यौमइज़िन् समानियह् (17) यौमइज़िन् तुअ्रज़ू-न ला तख़्फ़ा मिन्कुम् ख़ाफ़ियह् (18) फ़-अम्मा मन् ऊति-य किताबहू बि-यमीनिही फ़-यक़ूलु हाउ-मुक्रऊ किताबियह् (19) इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाकिन् हिसाबियह् (20) फ़हु-व फ़ी अ़ी-शतिर्-राज़ियह् (21) फ़ी जन्नतिन् आ़लियह् (22) क़ुतूफ़ुहा दानियह् (23) कुलू वश्रबू हनीअम्-बिमा अस्लफ़्तुम् फ़िल्-अय्यामिल्-ख़ालियह् (24) व अम्मा मन् ऊति-य किताबहू बिशिमालिही फ़-यक़ूलु या लैतनी लम् ऊ-त

उबला लाद लिया तुमको चलती कश्ती में (11) ताकि रखें उसको तुम्हारी यादगारी के वास्ते और सींतकर रखे उसको कान सींतकर रखने वाला (12) फिर जब फूँका जाये सूर में एक बार फूँकना (13) और उठाई जाये ज़मीन और पहाड़ फिर कूट दिये जायें एक बार (14) फिर उस दिन हो पड़े वह हो पड़ने वाली (15) और फट जाये आसमान फिर वह उस दिन बिखर रहा है (16) और फ़रिश्ते होंगे उनके किनारों पर, और उठाएँगे तख़्त तेरे रब का अपने ऊपर उस दिन आठ शख़्स (17) उस दिन सामने किये जाओगे, छुपी न रहेगी तुम्हारी कोई छुपी बात (18) सो जिसको मिला उसका लिखा दाहिने हाथ में वह कहता है लो पढ़ लो मेरा लिखा (19) मैंने ख़्याल रखा इस बात का कि मुझको मिलेगा मेरा हिसाब (20) सो वे हैं मन मानते गुज़रान में (21) ऊँचे बाग़ में (22) जिसके मेवे झुके पड़े हैं (23) खाओ और पियो रचकर बदला उसका जो आगे भेज चुके हो तुम पहले दिनों में। (24) और जिसको मिला उसका लिखा बायें हाथ में वह कहता है क्या अच्छा होता जो मुझको न मिलता

किताबियह् (25) व लम् अद्रि मा हिसाबियह् (26) या लैतहा कानतिल्-क़ाज़ियह् (27) मा अग़्ना अ़न्नी मालियह् (28) ह-ल-क अ़न्नी सुल्तानियह् (29) ख़ुज़ूहु फ़-ग़ुल्लूहु (30) सुम्मल्-जही-म सल्लूहु (31) सुम्-म फ़ी सिल्सि-लतिन् ज़र्अुहा सब्अू-न ज़िराअ़न् फ़स्लुकूहु (32) इन्नहू का-न ला युअ्मिनु बिल्लाहिल्-अ़ज़ीम (33) व ला यहुज़्ज़ु अ़ला तआ़मिल्-मिस्कीन (34) फ़लै-स लहुल्-यौ-म हाहुना हमीम (35) व ला तआ़मुन् इल्ला मिन् ग़िस्लीन (36) ला यअ्कुलुहू इल्लल्-ख़ातिऊन (37) ✿

मेरा लिखा (25) और मुझको ख़बर न होती कि क्या है मेरा हिसाब (26) किसी तरह वही मौत ख़त्म कर जाती (27) कुछ काम न आया मुझको मेरा माल (28) बरबाद हुई मुझसे मेरी हुकूमत। (29) उसको पकड़ो फिर तौक़ डालो (30) फिर आग के ढेर में उसको डालो (31) फिर एक ज़न्जीर में जिसकी लम्बाई सत्तर गज़ है उसको जकड़ दो (32) वह था कि यक़ीन न लाता था अल्लाह पर जो (है) सबसे बड़ा (33) और ताकीद न करता था फ़क़ीर के खाने पर (34) सो कोई नहीं आज उसको यहाँ दोस्त रखने वाला (35) और न कुछ मिले खाना मगर ज़ख़्मों का धोवन (36) कोई न खाये उसको मगर वही गुनाहगार। (37) ✿

फ़ला उक़्सिमु बिमा तुब्सिरून (38) व मा ला तुब्सिरून (39) इन्नहू लक़ौलु रसूलिन् करीम (40) व मा हु-व बिक़ौलि शाअ़िर्, क़लीलम्-मा तुअ्मिनून (41) व ला बिक़ौलि काहिन्, क़लीलम्-मा तज़क्करून (42) तन्ज़ीलुम्-मिर्रब्बिल्-आ़लमीन (43) व लौ तक़व्व-ल अ़लैना बअ़्ज़ल्-अक़ावील (44) ल-अख़ज़्ना मिन्हु बिल्यमीन (45) सुम्-म

सो क़सम खाता हूँ उन चीज़ों की जो देखते हो (38) और जो चीज़ें कि तुम नहीं देखते (39) यह कहा (हुआ) है एक पैग़ाम लाने वाले सरदार का (40) और नहीं है यह कहा (हुआ) किसी शायर का, तुम थोड़ा यक़ीन करते हो (41) और नहीं है कहा (हुआ) परियों वाले का, तुम बहुत कम ध्यान करते हो (42) यह उतारा हुआ है जहान के रब का (43) और अगर यह बना लाता हम पर कोई बात (44) तो हम पकड़ लेते उसका दाहिना हाथ (45) फिर

ल-क़तअ्ना मिन्हुल्-वतीन (46) फ़मा मिन्कुम्-मिन् अ-हदिन् अ़न्हु हाजिज़ीन (47) व इन्नहू ल-तज़्किरतुल् लिल्-मुत्तक़ीन (48) व इन्ना ल-नअ्लमु अन्-न मिन्कुम् मुकज़्ज़िबीन (49) व इन्नहू ल-हस्रतुन् अ़लल्-काफ़िरीन (50) व इन्नहू ल-हक़्क़ुल्-यक़ीन (51) फ़-सब्बिह् बिस्मि-रब्बिकल्-अ़ज़ीम (52) ✿	काट डालते उसकी गर्दन (46) फिर तुम में कोई ऐसा नहीं जो उससे बचा ले (47) और यह नसीहत है डरने वालों को (48) और हमको मालूम है कि तुम में बाज़े झुठलाते हैं (49) और वह जो है पछतावा है इनकार करने वालों पर (50) और वह जो है यक़ीन करने के क़ाबिल है (51) अब बोल पाकी अपने रब के नाम की जो है सबसे बड़ा। (52) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

वह होने वाली चीज़ कैसी कुछ है वह होने वाली चीज़। और आपको कुछ ख़बर है कि कैसी कुछ है वह होने वाली चीज़ (यह बार-बार पूछना डराने और उसका हौलनाक होना बयान करने के लिये है)। समूद और आ़द ने उस खड़खड़ाने वाली चीज़ (यानी क़ियामत) को झुठलाया। सो समूद तो एक ज़ोरदार आवाज़ से हलाक कर दिये गये और आ़द जो थे सो वह एक तेज़ व सख़्त हवा से हलाक किये गये, जिसको अल्लाह तआ़ला ने उन पर सात रात और आठ दिन लगातार मुसल्लत कर दिया था। सो (ऐ मुख़ातब! अगर) तू (उस वक़्त मौजूद होता तो) उस क़ौम को इस तरह गिरा हुआ देखता कि गोया वो गिरी हुई खजूरों के तने (पड़े) हैं (क्योंकि वे बहुत लम्बे क़द वाले थे)। सो क्या तुझको उनमें का कोई बचा हुआ नज़र आता है? (यानी कोई नहीं बचा, जैसा कि सूरः मरियम की आख़िरी आयत में अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ اَحَدٍ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا۞

और (इसी तरह) फ़िरऔ़न ने और उससे पहले लोगों ने और (जिनमें क़ौमे नूह व क़ौमे लूत सब आ गये) और (क़ौमे लूत की) उल्टी हुई बस्तियों ने बड़े-बड़े क़सूर किये (यानी कुफ़्र व शिर्क, इस पर उनके पास रसूल भेजे गये) सो उन्होंने अपने रब के रसूल का (जो उनकी तरफ़ भेजा गया था) कहना न माना (और कुफ़्र व शिर्क से बाज़ न आये, जिसमें क़ियामत का झुठलाना भी दाख़िल है) तो अल्लाह ने उनको बहुत सख़्त पकड़ा (जिनमें से आ़द व समूद क़ौम का क़िस्सा तो अभी आ चुका है और क़ौमे लूत और क़ौमे फ़िरऔ़न की सज़ा बहुत सी आयतों में पहले आ चुकी है, और क़ौमे नूह की सज़ा आगे एहसान मानने के तहत में बयान हुई है। (यानी) हमने जबकि (नूह अ़लैहिस्सलाम के वक़्त में) पानी को तुग़्यानी "यानी हद से ज़्यादा

बढ़ोतरी और उफान" हुई तुमको (यानी तुम्हारे बुज़ुर्गों को जो मोमिन थे और उनकी निजात तुम्हारे वजूद का सबब हुई) कश्ती में सवार किया (और बाक़ी को ग़र्क़ कर दिया) ताकि हम इस मामले को तुम्हारे लिये यादगार (और नसीहत की चीज़) बनाएँ, और याद रखने वाले कान इसको याद रखें (कान को याद रखने वाला मुहावरे के तौर पर कह दिया। हासिल यह कि इसको याद रखकर सज़ा के असबाब और कारणों से बचें)।

(ये क़िस्से तो क़ियामत को झुठलाने वालों के हुए आगे क़ियामत के हौल व ख़ौफ़ का बयान है, यानी) फिर जब सूर में एक ही बार में फूँक मारी जायेगी (मुराद पहली बार का फूँक मारना है) और (उस वक़्त) ज़मीन और पहाड़ (अपनी जगह से) उठा लिये जाएँगे, (यान अपनी स्थित जगह और मक़ाम से हटा दिये जायेंगे) फिर दोनों एक ही दफ़ा में टुकड़े-टुकड़े कर दिये जाएँगे तो उस दिन होने वाली चीज़ हो पड़ेगी, और आसमान फट जायेगा, और वह (आसमान) उस दिन बिल्कुल बोदा होगा। (चुनाँचे फट जाना कमज़ोर होने की दलील है, यानी वह जैसा इस वक़्त मज़बूत है और इसमें कहीं कोई नुक़्स और फटन नहीं, उस रोज़ इसमें यह बात न रहेगी बल्कि कमज़ोरी व टूट-फूट हो जायेगी)।

और फ़रिश्ते (जो आसमान में फैले हुए हैं जिस वक़्त वह फटना शुरू होगा) उसके किनारे पर आ जाएँगे (इससे ज़ाहिरन मालूम होता है कि आसमान बीच में से फटकर चारों तरफ़ सिमटना शुरू हो होगा इसलिये फ़रिश्ते भी बीच में से किनारों पर आ जायेंगे। फिर आयतः

صَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ..................الخ

(यह सूरह ज़ुमर की आयत नम्बर 68 है) के मुताबिक़ उन फ़रिश्तों पर भी मौत मुसल्लत हो जायेगी जैसा कि तफ़सीरे कबीर में है। और ये सब वाक़िआत तो पहली बार के सूर फूँकने के वक़्त के हैं) और (आगे दूसरी बार के सूर फूँकने के वक़्त के वाक़िआत हैं कि) आपके परवर्दिगार के अ़र्श को उस दिन आठ फ़रिश्ते उठाये होंगे (हदीस में है कि अब अ़र्श को चार फ़रिश्ते उठाये हुए हैं क़ियामत के दिन आठ फ़रिश्ते उठायेंगे। यही तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में नक़ल की गयी है)।

ग़र्ज़ कि आठ फ़रिश्ते अ़र्श को उठाकर क़ियामत के मैदान में लायेंगे और हिसाब शुरू होगा जिसका आगे बयान है, यानी) जिस दिन (ख़ुदा के सामने हिसाब के वास्ते) तुम पेश किये जाओगे (और) तुम्हारी कोई बात (अल्लाह तआ़ला से) छुपी न होगी। (फिर आमाल नामे हाथ में दिए जाएँगे तो) जिस शख़्स का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में दिया जायेगा वह तो (ख़ुशी के मारे आस-पास वालों से) कहेगा कि लो मेरा आमाल नामा पढ़ो। मेरा (तो पहले ही से) यक़ीन व एतिक़ाद था कि मुझको मेरा हिसाब पेश आने वाला है (यानी मैं क़ियामत और हिसाब का यक़ीन रखता था। मतलब यह कि मैं ईमान और तस्दीक़ रखता था ख़ुदा तआ़ला ने उसकी बरकत से आज मुझको नवाज़ा)।

ग़र्ज़ कि वह शख़्स पसन्दीदा ऐश यानी आ़लीशान जन्नत में होगा। जिसके मेवे (इस क़द्र)

झुके होंगे (कि जिस हालत में चाहेंगे ले सकेंगे और हुक्म होगा कि) खाओ-पियो मज़े के साथ उन आमाल के सिले में जो तुमने गुज़रे दिनों (यानी दुनिया में रहने के दौरान) में किये हैं। और जिसका आमाल नामा उसके बाएँ हाथ में दिया जायेगा सो वह (बहुत ही अफ़सोस व मायूसी से) कहेगा- क्या अच्छा होता कि मुझको मेरा आमाल नामा ही न मिलता। और मुझको यह ख़बर ही न होती कि मेरा हिसाब क्या है। क्या अच्छा होता कि (पहली) मौत ही ख़ात्मा कर चुकती (और दोबारा ज़िन्दा न होते जिस पर यह हिसाब-किताब पेश आया। अफ़सोस) मेरा माल मेरे कुछ काम न आया, मेरा रुतबा और पद (भी) मुझसे गया गुज़रा (यानी माल व इज़्ज़त और रुतबा सब बेफ़ायदा ठहरे। ऐसे शख़्स के लिये फ़रिश्तों को हुक्म होगा कि) उस शख़्स को पकड़ लो और उसको तौक़ पहना दो, फिर उसको दोज़ख़ में दाख़िल कर दो। फिर एक ऐसी ज़न्जीर में जिसकी लम्बाई सत्तर गज़ है उसको जकड़ दो (इस गज़ की लम्बाई और पैमाईश ख़ुदा को मालूम है, क्योंकि यह गज़ वहाँ का होगा)।

(आगे इस अ़ज़ाब की वजह बतलाते हैं कि) यह शख़्स अल्लाह पर ईमान न रखता था (यानी जिस तरह ईमान लाना नबियों की तालीम के अनुसार ज़रूरी था वह ईमान न रखता था) और (वह ख़ुद तो किसी को क्या देता औरों को भी) ग़रीब आदमी के खिलाने की तरग़ीब न देता था (हासिल यह कि ख़ुदा की बड़ाई और मख़्लूक़ पर मेहरबानी जो अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ से संबन्धित इबादतों की जड़ हैं, ये दोनों का इनकारी और उनको छोड़ने वाला था इसलिये अ़ज़ाब का हक़दार बना)। सो आज उस शख़्स का न कोई दोस्त है और न उसको कोई खाने की चीज़ नसीब है, सिवाय ज़ख़्मों के धोवन के, जिसको बड़े गुनाहगारों के सिवा कोई न खायेगा (यानी सिवाय एक ऐसी चीज़ के जो बुरी व नापसन्दीदा और देखने में धोवन की तरह होगी जिससे ज़ख़्म धोये गये हों। और यह ख़ास व सीमित करना कि उनको सिर्फ़ धोवन मिलेगा एक अतिरिक्त बात है और असल मक़सद यह बताना है कि उनको अच्छे और पसन्दीदा खाने वहाँ नहीं मिलेंगे। वरना ज़क्क़ूम की ग़िज़ा वहाँ मिलना ख़ुद क़ुरआन की आयतों से साबित है। ग़र्ज़ कि उनका खाना धोवन होगा) जिसको सिवाय बड़े गुनाहगारों के कोई न खायेगा।

(आगे क़ुरआन का हक़ व सच्चा होना बयान किया जाता है जिसमें क़ियामत में जज़ा व सज़ा होने का बयान है, उसको झुठलाना ऊपर ज़िक्र हुए अ़ज़ाब का सबब है) फिर (बदला देने का मज़मून बयान करने के बाद) मैं क़सम खाता हूँ उन चीज़ों की भी जिनको तुम देखते हो और उन चीज़ों की भी जिनको तुम नहीं देखते (क्योंकि बाज़ी मख़्लूक़ात मौजूदा हालत में या अपनी शक्ति व क़ाबलियत के एतिबार से आँखों से देखने की सलाहियत रखती हैं और बाज़ी मख़्लूक़ात फ़िलहाल या अपनी क़ुव्वत व क़ाबिलयत के एतिबार से आँखों से देखने की सलाहियत नहीं रखतीं। इस क़सम को मक़सद से एक ख़ास मुनासबत है कि क़ुरआन मजीद का लाने वाला नज़र न आता था और जिन पर क़ुरआन आता था वह नज़र आते थे। मुराद यह है कि तमाम मख़्लूक़ की क़सम है) कि यह क़ुरआन (अल्लाह तआ़ला का) कलाम है एक इज़्ज़त वाले फ़रिश्ते का लाया हुआ है (पस जिस पर आया वह ज़रूर रसूल है)।

और यह किसी शायर का कलाम नहीं है जैसा कि काफ़िर लोग (आपको शायर कहते थे, मगर) तुम बहुत कम ईमान लाते हो (यहाँ कम से मुराद पूरी तरह नफ़ी है)। और न किसी काहिन "यानी अन्दाज़े से और जिन्नात से मालूम करके ग़ैब की बातें बताने वाले" का कलाम है (जैसा कि कुछ काफ़िर लोग आपको कहते थे), तुम बहुत कम समझते हो (यहाँ भी कम से मुराद बिल्कुल नफ़ी है। ग़र्ज़ कि यह न शे'र है न कहानत है, बल्कि) रब्बुल-आलमीन की तरफ़ से भेजा हुआ (कलाम) है।

और (आगे इसके हक़ होने की एक अक़्ली दलील इरशाद होती है कि) अगर यह (पैग़म्बर) हमारे ज़िम्मे कुछ (झूठी) बातें लगा देते (यानी जो कलाम हमारा न होता उसको हमारा कलाम कहते और झूठा दावा नुबुव्वत का करते) तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़ते फिर हम इनकी दिल की रग काट डालते। फिर तुम में कोई इनका इस सज़ा से बचाने वाला भी न होता (दिल की रग काटने से आदमी मर जाता है, इससे मुराद क़त्ल कर देना है)। और बिला शुब्हा यह क़ुरआन परहेज़गारों के लिये नसीहत है (यानी अपनी ज़ात के एतिबार से हक़ होना इसकी ज़ाती कमाली सिफ़त है और नसीहत का ज़रिया होना इसकी एक अतिरिक्त कमाली सिफ़त है)।

और (आगे झुठलाने वालों के लिये सज़ा का ऐलान है कि) हमको मालूम है कि तुम में बाज़े झुठलाने वाले भी हैं (पस हम उनको इसकी सज़ा देंगे)। और (इस एतिबार से) यह क़ुरआन काफ़िरों के हक़ में हसरत का सबब है (क्योंकि उनके लिये झुठलाने की वजह से अज़ाब का सबब हो गया) और यह क़ुरआन तहक़ीक़ी यक़ीनी बात है, सो (जिसका यह कलाम है) अपने (उस) अज़ीम शान वाले परवर्दिगार के नाम की तस्बीह (और तारीफ़) कीजिये।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत में क़ियामत के हौलनाक वाक़िआत और फिर वहाँ काफ़िरों व बदकारों की सज़ा और मोमिनीन व मुत्तक़ीन की जज़ा का ज़िक्र है। क़ुरआने करीम में क़ियामत के बहुत से नाम आये हैं। इस सूरत में क़ियामत को "हाक़्क़ह्" के लफ़्ज़ से फिर 'क़ारिआ' के, फिर 'वाक़िआ' के लफ़्ज़ से ताबीर किया है और ये सब क़ियामत के नाम हैं।

लफ़्ज़ 'हाक़्क़ह्' के मायने हक़ और साबित के भी आते हैं और दूसी चीज़ों को हक़ साबित करने वाली चीज़ को भी हाक़्क़ह् कहते हैं। क़ियामत पर यह लफ़्ज़ दोनों मायने के एतिबार से सादिक़ आता है, क्योंकि क़ियामत ख़ुद भी हक़ है और उसका आना साबित और यक़ीनी है, और क़ियामत मोमिनों के लिये जन्नत और काफ़िरों के लिये जहन्नम साबित और मुक़र्रर करने वाली भी है। यहाँ क़ियामत के इस नाम के साथ सवाल को दोहराकर उसके अन्दाज़े से ऊपर की और हैरत-अंगेज़ व हौलनाक होने की तरफ़ इशारा है।

'क़ारिआ' के लफ़्ज़ी मायने खड़खड़ाने वाली चीज़ के हैं। क़ियामत के लिये यह लफ़्ज़ इसलिये बोला गया कि वह सब लोगों को बेक़रार और बेचैन करने वाली और तमाम आसमान व ज़मीन के जिस्मों को बिखेर देने वाली है।

'ताग़ियह' तुग़यान से निकला है जिसके मायने हद से निकल जाने के हैं। मुराद ऐसी सख़्त आवाज़ है जो तमाम दुनिया की आवाज़ों की हद से बाहर और ज़्यादा है, जिसको इनसान का दिल व दिमाग़ बरदाश्त न कर सके। क़ौमे समूद की नाफ़रमानी जब हद से बढ़ गयी तो उन पर अल्लाह का अ़ज़ाब इसी सख़्त आवाज़ की सूरत में आया था जिसमें तमाम दुनिया की बिजलियों की कड़क और दुनिया भर की सब सख़्त आवाज़ों का मजमूआ़ था, जिससे उनके दिल फट गये।

'रीहिन् सर्सरिन्' उस सख़्त हवा को कहा जाता है जो बहुत ज़्यादा ठंडी भी हो।

سَبْعَ لَيَالٍ وَّثَمٰنِيَةَ اَيَّامٍ.

कुछ रिवायतों में है कि बुध की सुबह से यह आँधी का अ़ज़ाब शुरू होकर दूसरे बुध की शाम तक रहा, इस तरह दिन तो आठ हो गये और रातें सात आईं।

'हुसूमन' हासिम की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने काटने और ख़ात्मा करने यानी बिल्कुल फ़ना कर देने वाले के हैं।

'मुअ्तफ़िकातुन' के मायने आपस में मिश्रित और मिलेजुले के हैं। हज़रत लूत अ़लैहिस्सलाम की बस्तियों को मुअ्तफ़िकात या तो इसलिये कहा जाता है कि वो सब आपस में मिली हुई बस्तियाँ थीं, और या इसलिये कि अ़ज़ाब आने के वक़्त जब उनका तख़्ता उल्टा गया तो सब गड़मड़ हो गईं।

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ نَفْخَةٌ وَّاحِدَةٌ ۝

तिर्मिज़ी में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मरफ़ूअ़ हदीस है कि सूर सींग (की शक्ल की) कोई चीज़ है जिसमें क़ियामत के दिन फूँका जायेगा।

'नफ़्ख़तुंव्-वाहि-दतुन' से मुराद यह है कि एक ही बार में अचानक यह सूर की आवाज़ होगी और एक आवाज़ लगातार रहेगी यहाँ तक कि उस आवाज़ से सब मर जायेंगे। क़ुरआन व सुन्नत की वज़ाहतों से क़ियामत में सूर के दो नफ़्ख़े होना (यानी दो बार फूँका जाना) साबित हैं पहले नफ़्ख़े को 'नफ़्ख़ा-ए-सअ़क़' कहा जाता है जिसके मुताल्लिक़ क़ुरआने करीम में:

فَصَعِقَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ.

है, यानी इस नफ़्ख़े (सूर फूँके जाने) से तमाम आसमान वाले फ़रिश्ते और ज़मीन पर बसने वाले जिन्नात व इनसान और तमाम जानवर बेहोश हो जायेंगे (फिर उसी बेहोशी में सब को मौत आ जायेगी)। दूसरे नफ़्ख़े को 'नफ़्ख़ा-ए-बअ़स' कहा जाता है। बअ़स के मायने उठने के हैं इस नफ़्ख़े के ज़रिये सब मुर्दे फिर ज़िन्दा होकर खड़े हो जायेंगे जिसका ज़िक्र क़ुरआने करीम की इस आयत में है:

ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ اُخْرٰى فَاِذَاهُمْ قِيَامٌ يَّنْظُرُوْنَ ۝

यानी फिर सूर दोबारा फूँका जायेगा जिससे अचानक सब के सब मुर्दे ज़िन्दा होकर खड़े हो जायेंगे और देखने लगेंगे।

कुछ रिवायतों में जो इन दोनों नफ़्ख़ों से पहले एक तीसरे नफ़्ख़ का ज़िक्र है जिसका नाम 'नफ़्ख़ा-ए-फ़ज़अ़' बतलाया गया है। रिवायतों और क़ुरआन व हदीस की वज़ाहतों में कुल मिलाकर ग़ौर करने से मालूम होता है कि वह पहला नफ़्ख़ा (फूँकना) ही है, उसी की शुरूआत को 'नफ़्ख़ा-ए-फ़ज़अ़' कहा गया है और आख़िर में वही 'नफ़्ख़ा-ए-सअ़क़' हो जायेगा। (मज़हरी)

وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمٰنِيَةٌ○

यानी क़ियामत के दिन रहमान के अ़र्श को आठ फ़रिश्ते उठाये हुए होंगे। हदीस की कुछ रिवायतों में है कि क़ियामत से पहले तो यह काम चार फ़रिश्तों के सुपुर्द है क़ियामत के दिन उनके साथ और चार बढ़ा दिये जायेंगे।

रहा यह मामला कि रहमान का अ़र्श क्या चीज़ है, उसकी हक़ीक़त और वास्तविक शक्ल व सूरत क्या है और फ़रिश्तों का उसको उठाना किस अन्दाज़ से है, ये सब चीज़ें वो हैं कि न इनसानी अ़क़्ल इनको समझ सकती है न इन बहसों में उनको ग़ौर व फ़िक्र करने और सवालात करने की इजाज़त है। पहले बुज़ुर्गों सहाबा व ताबिईन का मस्लक (तरीक़ा व अ़मल) इस जैसे तमाम मामलों में यह है कि इस पर ईमान लाया जाये कि इससे जो कुछ अल्लाह जल्ल शानुहू की मुराद है वह हक़ है और इसकी हक़ीक़त व कैफ़ियत नामालूम है।

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ○

यानी उस दिन सब अपने रब के सामने पेश होंगे, कोई छुपने वाला छुप न सकेगा। अल्लाह तआ़ला के इल्म व निगाह से तो आज भी कोई नहीं छुप सकता उस रोज़ की ख़ुसूसियत शायद यह हो कि मैदाने हश्र में तमाम ज़मीन हमवार और एक बराबर की सतह हो जायेगी, न कोई गड्ढा रहेगा न पहाड़, न कोई तामीर व मकान न किसी पेड़ वग़ैरह की आड़, यही चीज़ें हैं जिनके पीछे दुनिया में छुपने वाले छुपा करते हैं, वहाँ इनमें से कोई चीज़ न होगी, किसी के छुपने की संभावना ही न रहेगी।

هَآؤُمُ اقْرَءُوْا كِتٰبِيَهْ.

लफ़्ज़ 'हाउम' ख़ुज़ू (लेने) के मायने में है, जमा के लिये बोला जाता है। मतलब यह है कि जिसका नामा-ए-आमाल दाहिने हाथ में आयेगा वह ख़ुशी के मारे आस-पास के लोगों से कहने लगेगा कि लो यह मेरा आमाल नामा पढ़ो।

هَلَكَ عَنِّيْ سُلْطٰنِيَهْ.

सुल्तान के लफ़्ज़ी मायने ग़लबे व व क़ब्ज़े के हैं, इसी लिये हुकूमत को सल्तनत और हाकिम को सुल्तान कहा जाता है। मतलब यह है कि दुनिया में जो मुझे दूसरे लोगों पर बड़ाई और ग़लबा हासिल था मैं सब में बड़ा माना जाता था, आज वह बड़ाई और ग़लबा भी कुछ काम न आया, और सुल्तान हुज्जत के मायने में भी लिया जा सकता है तो मायने ये होंगे कि अफ़सोस आज मेरे हाथ में कोई हुज्जत व सनद नहीं जिसके ज़रिये अ़ज़ाब से निजात हासिल हो सके।

خُذُوْهُ فَغُلُّوْهُ.

यह हुक्म फ़रिश्तों को होगा कि इस मुजरिम को पकड़ो और इसके गले में तौक़ डालो, लेकिन आयत के अलफ़ाज़ में इसका ज़िक्र नहीं कि कौन पकड़े और तौक़ डाले, इसी लिये कुछ रिवायतों में है कि यह हुक्म सादिर होगा तो हर दर व दीवार और हर चीज़ फ़रमाँबरदार नौकरों की तरह से उसके पकड़ने को दौड़ेगी।

ثُمَّ فِیْ سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُوْنَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوْهُ○

यानी फिर इसको एक ज़न्जीर में पिरो दो जिसकी लम्बाई सत्तर गज़ है। ज़न्जीर में पिरोने का मुहावरे के तौर पर वह मतलब भी लिया जा सकता है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखा गया है कि ज़न्जीर में जकड़ दो, लेकिन इसके असली मायने यह हैं कि ज़न्जीर उनके बदन के अन्दर डालकर दूसरी तरफ़ निकाल लो जैसे मोती या तस्बीह के दाने पिरोये जाते हैं। हदीस की कुछ रिवायतों से इसी असल मायने की ताईद भी होती है। (तफ़सीरे मज़हरी)

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هٰهُنَا حَمِيْمٌ○ وَّلَا طَعَامٌ اِلَّا مِنْ غِسْلِيْنٍ○

हमीम मुख़्लिस और गहरे दोस्त को कहा जाता है, और ग़िस्लीन वह पानी है जिसमें जहन्नमियों के ज़ख़्मों की पीप वग़ैरह धोई जायेगी। आयतों का मतलब यह है कि आज उसका कोई दोस्त अज़ीज़ उसकी हिमायत न कर सकेगा और उसको अ़ज़ाब से न बचा सकेगा, और उसके खाने के लिये सिवाय उस गन्दे पानी के जिसमें जहन्नम वालों की पीप और पस पड़ी होगी और कुछ न होगा। और कुछ न होने का मतलब ऊपर 'ख़ुलासा-ए-तफ़सीर' में यह बतलाया गया है कि पसन्दीदा और अच्छे खानों में से कुछ न होगा। ग़िस्लीन की तरह की कोई और बुरी बद-ज़ायका चीज़ की नफ़ी नहीं है, इसलिये दूसरी आयत में जो जहन्नम वालों का 'ज़क़्क़ूम' खाना आया है वह इसके ख़िलाफ़ नहीं।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُوْنَ○ وَمَا لَا تُبْصِرُوْنَ○

यानी क़सम है उन तमाम चीज़ों की जिनको तुम देखते हो या देख सकते हो, और जिनको तुम न देखते हो न देख सकते हो। इसमें तमाम मख़्लूक़ात आ गईं। कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह देखने की चीज़ों से मुराद हक़ तआ़ला की ज़ात व सिफ़ात हैं। कुछ ने फ़रमाया कि देखने की चीज़ों से मुराद दुनिया की चीज़ें हैं और न देखने की चीज़ों से मुराद आख़िरत की चीज़ें। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْاَقَاوِيْلِ.......................الخ

'तक़व्वुल' के मायने बात गढ़ने के हैं। और 'वतीन' दिल से निकलने वली वह रग है जिसमें रूह इनसानी जिस्म में फैलती है, उसके काट देने से मौत फ़ौरन वाक़े हो जाती है।

इनसे पहले की आयतों में मक्का के काफ़िरों के इस बेहूदा ख़्याल का रद्द किया गया था, कोई आपको शायर और आपके कलाम को शे'र कहता था, कोई आपको काहिन और कलाम

को कहानत कहता था। काहिन वह शख़्स होता है जो शयातीन से कुछ ख़बरें पाकर कुछ नजूम के असरात से मालूम करके आने वाले वाक़िआ़त में अटकल-पच्चू बातें किया करता था। ग़र्ज़ कि आपको शायर या काहिन कहने वालों के इल्ज़ाम का हासिल यह था कि आप जो कलाम सुनाते हैं यह अल्लाह की तरफ़ से नहीं, आपने ख़ुद अपने ख़्यालात से या काहिनों की तरह शैतानों से कुछ कलिमात जमा कर लिये हैं, उनको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ मन्सूब करते हैं। उक्त आयतों में हक़ तआ़ला ने उनके इस बातिल ख़्याल को एक दूसरी सूरत से बड़ी सख़्ती के साथ इस तरह रद्द किया है कि दीवानो! अगर यह रसूल मआ़ज़ल्लाह हमारी तरफ़ झूठी बातें मन्सूब करते और हम पर झूठ बाँधते तो क्या हम यूँ ही देखते रहते और इनको ढील दे देते कि अल्लाह की मख़्लूक़ को गुमराह करें? यह बात कोई अ़क्ल वाला यक़ीन नहीं कर सकता इसलिये इस आयत में बतौर फ़र्ज़ कर लेने के जबकि ऐसा होना असंभव है इरशाद फ़रमाया कि अगर यह रसूल कोई क़ौल भी अपनी तरफ़ से गढ़कर हमारी तरफ़ मन्सूब करते तो हम इनका दाहिना हाथ पकड़कर इनकी जान की रग काट डालते और फिर हमारी सज़ा से इनको कोई भी न बचा सकता। यहाँ यह सख़्ती के अलफ़ाज़ उन जाहिलों को सुनाने के लिये एक असंभव बात फ़र्ज़ कर लेने के तौर पर इस्तेमाल फ़रमाये हैं। दाहिना हाथ पकड़ने का विशेष रूप से ज़िक्र ग़ालिबन इसलिये है कि जब किसी मुजरिम को क़त्ल किया जाता है तो क़त्ल करने वाला उसके सामने खड़ा होता है, क़त्ल करने वाले के बायें हाथ के सामने मक़्तूल का दाहिना हाथ होता है उसको यह क़त्ल करने वाला अपने बायें हाथ में पकड़कर दाहिने हाथ से उस पर हमला करता है।

तंबीह

इस आयत में एक ख़ास वाक़िए के बारे में यह फ़रमाया है कि अगर ख़ुदा न करे अल्लाह की पनाह! रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी तरफ़ से कोई बात गढ़कर अल्लाह तआ़ला की तरफ़ मन्सूब कर देते तो आपके साथ यह मामला किया जाता, इसमें कोई आ़म उसूल बयान नहीं किया गया कि जो शख़्स भी नुबुव्वत का झूठा दावा करे हमेशा उसको हलाक ही कर दिया जायेगा, यही वजह है कि दुनिया में बहुत से लोगों ने नुबुव्वत का झूठा दावा किया उन पर कोई ऐसा अ़ज़ाब नहीं आया।

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ٥

इससे पहली आयतों में यह बतलाया गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपनी तरफ़ से कुछ नहीं फ़रमाते, जो कुछ है वह अल्लाह का कलाम है, और वह तक़्वा इख़्तियार करने वालों के लिये तज़किरा और नसीहत है। मगर हम यह भी जानते हैं कि इन सब निश्चित और यक़ीनी बातों को जानते हुए तुम में बहुत से आदमी इसको झुठलाते भी रहेंगे जिसका नतीजा आख़िरत में उनकी मायूसी व अफ़सोस और हमेशा का अ़ज़ाब होगा। आख़िर में फ़रमाया 'व इन्नहू ल-हक़्क़ुल-यक़ीन' यानी यह बात बिल्कुल हक़ और यक़ीनी है, इसमें किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं। सब के आख़िर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को

ख़िताब करके फ़रमाया 'फ़-सब्बिह् बिस्मि रब्बिकल् अज़ीम' जिसमें इशारा है कि आप इन दुश्मनी पर उतारू काफ़िरों की बातों पर ध्यान न दें और इनसे ग़मगीन न हों बल्कि अपने अज़ीम रब की तस्बीह व पाकीज़गी को अपना मशग़ला बना लें कि यही उन सब ग़मों से निजात का ज़रिया है और यह ऐसा है जैसे क़ुरआने करीम में सूरः हिज्र की आख़िर की आयतों में इरशाद फ़रमाया है:

وَلَقَدْ نَعْلَمُ اَنَّكَ يَضِيْقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ ○ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ ○

यानी हम जानते हैं कि आप उन काफ़िरों की बेहूदा गुफ़्तगू से दिल-तंग होते हैं, इसका इलाज यह है कि आप अपने रब की तारीफ़ में मशग़ूल हो जायें और सज्दा-गुज़ारों में शामिल हो जायें, उनकी बातों की तरफ़ ध्यान और तवज्जोह न करें।

अबू दाऊद में हज़रत उक़्बा इब्ने आ़मिर जोहनी की रिवायत है कि जब यह आयतः

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इसको अपने रुकूअ़ में रखो, और जब आयतः

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ○

नाज़िल हुई तो फ़रमाया कि इसको अपने सज्दे में रखो। इसी लिये तमाम उम्मत की मुत्तफ़िक़ा राय से रुकूअ़ और सज्दे में ये दोनों तस्बीहें पढ़ी जाती हैं। अक्सर उलेमा के नज़दीक इनका पढ़ना और तीन मर्तबा दोहराना सुन्नत है। कुछ हज़रात ने वाजिब भी कहा है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-हाक़्क़ह् की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-हाक़्क़ह् की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-मआरिज

सूरः अल्-मआरिज मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 44 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

آیاتها ٤٤ (٧٠) سُورَةُ الْمَعَارِجِ مَكِّيَّةٌ (٧٩) رکوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَاَلَ سَآئِلٌۢ بِعَذَابٍ وَّاقِعٍ ﴿١﴾ لِّلْكٰفِرِيْنَ لَيْسَ لَهٗ دَافِعٌ ﴿٢﴾ مِّنَ اللّٰهِ ذِى الْمَعَارِجِ ﴿٣﴾ تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ ﴿٤﴾ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيْلًا ﴿٥﴾ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا ﴿٦﴾ وَّنَرٰىهُ قَرِيْبًا ﴿٧﴾ يَوْمَ تَكُوْنُ السَّمَآءُ كَالْمُهْلِ ﴿٨﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ ﴿٩﴾ وَلَا يَسْـَٔلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا ﴿١٠﴾ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ ؕ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِىْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍۢ بِبَنِيْهِ ﴿١١﴾ وَصَاحِبَتِهٖ وَاَخِيْهِ ﴿١٢﴾ وَفَصِيْلَتِهِ الَّتِىْ تُـْٔوِيْهِ ﴿١٣﴾ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ۙ ثُمَّ يُنْجِيْهِ ﴿١٤﴾ كَلَّا ؕ اِنَّهَا لَظٰى ﴿١٥﴾ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ﴿١٦﴾ تَدْعُوْا مَنْ اَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ﴿١٧﴾ وَجَمَعَ فَاَوْعٰى ﴿١٨﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿١٩﴾ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ﴿٢٠﴾ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ﴿٢١﴾ اِلَّا الْمُصَلِّيْنَ ﴿٢٢﴾ الَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ﴿٢٣﴾ وَالَّذِيْنَ فِىْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ ﴿٢٤﴾ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِيْنَ يُصَدِّقُوْنَ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ مِّنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ ﴿٢٧﴾ اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَاْمُوْنٍ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُوْنَ ﴿٢٩﴾ اِلَّا عَلٰٓى اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ﴿٣٠﴾ فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿٣١﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ ﴿٣٢﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَآئِمُوْنَ ﴿٣٣﴾ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ﴿٣٤﴾ اُولٰٓئِكَ فِىْ جَنّٰتٍ مُّكْرَمُوْنَ ﴿٣٥﴾ فَمَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا قِبَلَكَ مُهْطِعِيْنَ ﴿٣٦﴾ عَنِ الْيَمِيْنِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِيْنَ ﴿٣٧﴾ اَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ اَنْ يُّدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيْمٍ ﴿٣٨﴾ كَلَّا ؕ اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُوْنَ ﴿٣٩﴾ فَلَآ اُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشٰرِقِ وَالْمَغٰرِبِ اِنَّا لَقٰدِرُوْنَ ﴿٤٠﴾ عَلٰٓى اَنْ نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ ۙ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوْقِيْنَ ﴿٤١﴾ فَذَرْهُمْ يَخُوْضُوْا وَيَلْعَبُوْا حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٢﴾ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ سِرَاعًا كَاَنَّهُمْ اِلٰى نُصُبٍ يُّوْفِضُوْنَ ﴿٤٣﴾ خَاشِعَةً اَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ؕ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِىْ كَانُوْا يُوْعَدُوْنَ ﴿٤٤﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

स-अ-ल साइलुम्-बि-अ़ज़ाबिंव्-वाक़िअ़िल्- (1) -लिल्-काफ़िरी-न लै-स लहू दाफ़िअ़ुम्- (2) -मिनल्लाहि ज़िल्-मआ़रिज (3) तअ़्रुजुल्-मलाइ-कतु वर्रूहु इलैहि फ़ी यौमिन् का-न मिक़्दारुहू ख़म्सी-न अल्-फ़ स-नतिन् (4) फ़स्बिर सब्रन् जमीला (5) इन्नहुम् यरौनहू बअ़ीदंव्- (6) व नराहु क़रीबा (7) यौ-म तकूनुस्समा-उ कल्मुह्लि (8) व तकूनुल्-जिबालु कल्अ़िह्नि (9) व ला यस्अलु हमीमुन् हमीमंय्- (10) -युबस्सरू-नहुम्, य-वद्दुल्-मुजूरिमु लौ यफ़्तदी मिन् अ़ज़ाबि यौमिइज़िम् बि-बनीहि (11) व साहि-बतिही व अख़ीहि (12) व फ़सी-लतिहिल्लती तुअ्वीहि (13) व मन् फ़िल्अर्ज़ि जमीअ़न् सुम्-म युन्जीहि (14) कल्ला, इन्नहा लज़ा (15) नज़्ज़ा-अ़तल्-लिश्शवा (16) तद्अू मन् अद्ब-र व त-वल्ला (17) व ज-म-अ़ फ़औआ (18) इन्नल्-इन्सा-न ख़ुलि-क़ हलूआ (19) इज़ा	माँगा एक माँगने वाले ने अ़ज़ाब पड़ने वाला (1) मुन्किरों के वास्ते कोई नहीं उसको हटाने वाला (2) आये अल्लाह की तरफ़ से जो चढ़ते दर्जों वाला है (3) चढ़ेंगे उसकी तरफ़ फ़रिश्ते और रूह उस दिन में जिसकी लम्बाई पचास हज़ार बरस है (4) सो तू सब्र कर भली तरह का सब्र करना (5) वे देखते हैं उसको दूर (6) और हम देखते हैं उसको नज़दीक (7) जिस दिन होगा आसमान जैसे ताँबा पिघला हुआ (8) और होंगे पहाड़ जैसे ऊन रंगी हुई (9) और न पूछेगा दोस्त रखने वाला दोस्त को (10) सब नज़र आ जायेंगे उनको, चाहेगा गुनाहगार किसी तरह छुड़वाने में देकर उस दिन के अ़ज़ाब से अपने बेटे को (11) और अपनी साथ वाली को और अपने भाई को (12) और अपने घराने को जिसमें रहता था (13) और जितने ज़मीन पर हैं सब को, फिर अपने आपको बचा ले (14) हरगिज़ नहीं, और वह तपती हुई आग है (15) खींच लेने वाली कलेजा (16) पुकारती है उसको जिसने पीठ फेर ली और फिरकर चला गया (17) और जोड़ा और सींतकर रखा (18) बेशक आदमी बना है जी का कच्चा (19) जब

मस्सहुश्शर्रु जज़ूआ (20) व इज़ा मस्सहुल्-ख़ैरु मनूआ (21) इल्लल्-मुसल्लीन (22) अल्लज़ी-न हुम् अ़ला सलातिहिम् दा-इमून (23) वल्लज़ी-न फ़ी अम्वालिहिम् हक़्क़ुम्-मअ्लूम (24) लिस्सा-इलि वल्-मह्रूम (25) वल्लज़ी-न युसद्दिक़ू-न बियौमिद्दीन (26) वल्लज़ी-न हुम् मिन् अ़ज़ाबि रब्बिहिम् मुश्फ़िक़ून (27) इन्-न अ़ज़ा-ब रब्बिहिम् ग़ैरु मअ्मून (28) वल्लज़ी-न हुम् लिफ़ुरूजिहिम् हाफ़िज़ून (29) इल्ला अ़ला अज़्वाजिहिम् औ मा म-लकत् ऐमानुहुम् फ़-इन्नहुम् ग़ैरु मलूमीन (30) फ़-मनिब्तग़ा वरा-अ ज़ालि-क फ़-उलाइ-क हुमुल्-आ़दून (31) वल्लज़ी-न हुम् लि-अमानातिहिम् व अ़ह्दिहिम् राअ़ून (32) वल्लज़ी-न हुम् बि-शहादातिहिम् क़ा-इमून (33) वल्लज़ी-न हुम् अ़ला सलातिहिम् युहाफ़िज़ून (34) उलाइ-क फ़ी जन्नातिम्-मुक्रमून (35) ✿ फ़मालिल्लज़ी-न क-फ़रू क़ि-ब-ल-क मुह्तिअ़ीन (36) अ़निल्-यमीनि व अ़निश्शिमालि अ़िज़ीन (37)	पहुँचे उसको बुराई तो बेसब्रा (20) और जब पहुँचे उसको भलाई तो बेतौफ़ीक़ा (21) मगर वे नमाज़ी (22) जो अपनी नमाज़ पर क़ायम हैं (23) और जिनके माल में हिस्सा मुक़र्रर है (24) माँगने वाले और हारे हुए का (25) और जो यक़ीन करते हैं इन्साफ़ के दिन पर (26) और जो लोग कि अपने रब के अ़ज़ाब से डरते हैं (27) बेशक उनके रब के अ़ज़ाब से किसी को निडर न होना चाहिए (28) और जो अपनी शहवत (जिन्सी इच्छा) की जगह को थामते हैं (29) मगर अपनी बीवियों से या अपने हाथ के माल से सो उन पर नहीं कुछ उलाहना (30) फिर जो कोई ढूँढे उसके अ़लाव सो वही हैं हद से बढ़ने वाले (31) और जो लोग कि अपनी अमानतों और अपने क़ौल को निभाते हैं (32) और जो अपनी गवाहियों पर सीधे हैं (33) और जो अपनी नमाज़ से ख़बरदार (यानी पाबन्दी करने वाले) हैं (34) वहीं लोग हैं बाग़ों में इ़ज़्ज़त से। (35) ✿ फिर क्या हुआ है मुन्किरों को तेरी तरफ़ दौड़ते हुए आते हैं (36) दाहिने से और बायें से झुण्ड के झुण्ड (37)

अ-यत्मअु कुल्लुम्‌रिइम्-मिन्हुम् अय्युद्ख़-ल जन्न-त नअीम (38) कल्ला, इन्ना ख़लक़्नाहुम् मिम्मा यअ्लमून (39) फ़ला उक़्सिमु बिरब्बिल्-मशारिक़ि वल्-मग़ारिबि इन्ना ल-क़ादिरून (40) अ़ला अन् नुबद्दि-ल ख़ैरम्-मिन्हुम् व मा नह्नु बिमस्बूक़ीन (41) फ़-ज़र्हुम् यख़ूज़ू व यल्अबू हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी यू-अ़दून (42) यौ-म यख़्रुजू-न मिनल्-अज्दासि सिराअ़न् क-अन्नहुम् इला नुसुबिंय्-यूफ़िज़ून (43) ख़ाशि-अ़तन् अब्सारुहुम् तर्-हक़ुहुम् ज़िल्लतुन्, ज़ालिकल्-यौमुल्लज़ी कानू यू-अ़दून (44) ✿	क्या लालच रखता है हर एक शख़्स उनमें कि दाख़िल हो जाये नेमत के बाग़ में? (38) हरगिज़ नहीं, हमने उनको बनाया है जिससे वे भी जानते हैं। (39) सो मैं कसम खाता हूँ पूरबों और पश्चिमों के मालिक की बेशक हम कर सकते हैं (40) कि बदलकर ले आयें उनसे बेहतर, और हमारे काबू से निकल न जायेंगे (41) सो छोड़ दे उनको कि बातें बनायें और खेला करें यहाँ तक कि मिल जायें अपने उस दिन से जिसका उनसे वायदा है (42) जिस दिन निकल पड़ेंगे क़ब्रों से दौड़ते हुए जैसे किसी निशानी पर दौड़ते जाते हैं (43) झुकी होंगी उनकी आँखें, चढ़ी आती होगी उन पर ज़िल्लत, यह है वह दिन जिसका उनसे वायदा था। (44) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

एक माँगने वाला (इनकार करने के तौर पर) वह अ़ज़ाब माँगता है जो काफ़िरों पर पड़ने वाला है (और) जिसका कोई दूर करने वाला नहीं। और जो कि अल्लाह की तरफ़ से वाक़े होगा जो कि सीढ़ियों का (यानी आसमानों का) मालिक है। (जिन सीढ़ियों से) फ़रिश्ते और (मोमिनों की) रूहें उसके पास चढ़कर जाती हैं (उसके पास से मुराद यह है कि ऊपर के आ़लम में जो मौक़ा उनके उरूज की आख़िरी हद मुक़र्रर की गयी है वहाँ जाती हैं, और चूँकि उस उरूज का रास्ता आसमान हैं इसलिये उनको मआ़रिज (यानी सीढ़ियाँ) फ़रमा दिया। और वह अ़ज़ाब) ऐसे दिन में (वाक़े) होगा जिसकी मिक़्दार (यानी मात्रा व लम्बाई दुनिया के) पचास हज़ार साल के (बराबर) है। (मुराद क़ियामत का दिन है जो कुछ तो वास्तविक लम्बाई से कुछ उसकी सख़्तियों से काफ़िरों को इस क़द्र लम्बा महसूस होगा, और चूँकि कुफ़्र व सरकशी के मरातिब के एतिबार से उसकी सख़्ती और लम्बाई भिन्न और अलग-अलग होगी, किसी के लिये बहुत ज़्यादा, किसी के लिये कुछ कम, इसलिये एक आयत में एक हज़ार साल आया है। और काफ़िरों को ख़ास

इसलिये किया कि हदीस में है कि मोमिन को वह दिन इस क़द्र हल्का मालूम होगा जैसे एक फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने का वक़्त। जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत अबू सईद की मरफ़ूअ़ रिवायत अहमद व बैहक़ी के हवाले से नक़ल की है)।

सो (जब अ़ज़ाब का आना साबित है तो) आप (उनकी मुख़ालफ़त पर) सब्र कीजिये और सब्र भी ऐसा जिसमें शिकायत का नाम न हो। (यानी उनके कुफ़्र व मुख़ालफ़त से ऐसे तंग न होजिये कि शिकायत व बयान ज़बान पर आ जाये, बल्कि यह समझकर बरदाश्त कीजिये कि इनको सज़ा होने वाली है और उस सज़ा के दिन का जो इनको इनकार है सो) ये लोग उस दिन को (इस वजह से कि ये उसके आने के इनकारी हैं) दूर देख रहे हैं, और हम उसको (ज़ाहिर होने के एतिबार से) क़रीब देख रहे हैं।

(वह अ़ज़ाब उस दिन वाक़े होगा) जिस दिन (कि आसमान रंग में) तेल की तलछट की तरह हो जायेगा (और एक आयत में "कद्दिहान" है जिसकी तफ़सीर सुर्ख़ चमड़े से की गयी है, तो जमा दोनों में यह है कि सुर्ख़ी की तेज़ी से भी सियाही से मिलता-जुलता रंग पैदा हो जाता है, पस सुर्ख़ और काला दोनों कहना सही है। या शुरू में एक रंग हो फिर दूसरा बदल जाये, जैसा कि इमाम इब्ने कसीर ने हज़रत हसन से रंग का बदलना रिवायत किया है। और अगर इसकी तफ़सीर भी ज़ैतून के तेल की तलछट से की जाये जैसा कि कुछ हज़रात का क़ौल है तो दोनों का मफ़्हूम एक हो जायेगा। ग़र्ज़ कि आसमान सियाह हो जायेगा और फट भी जायेगा) और (उस दिन) पहाड़ रंगीन ऊन की तरह (जो कि धुनी हुई होती है) हो जायेंगे (जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ○

यानी उड़ते फिरेंगे, और रंगीन से तशबीह इसलिये दी गयी कि पहाड़ भी मुख़्तलिफ़ रंगों के होते हैं, जैसा कि पहाड़ों की यह कैफ़ियत क़ुरआन में एक दूसरे मक़ाम पर बयान की गयी है:

وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ ۢ بِيْضٌ وَّحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُهَا وَغَرَابِيْبُ سُوْدٌ ○)

और (उस दिन) कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा (जैसा कि अल्लाह का क़ौल है 'ला य-तसा-अलून' इसके बावजूद कि एक-दूसरे को दिखा भी दिये जाएँगे। (यानी एक दूसरे को देखेंगे मगर कोई किसी की हमदर्दी न करेगा। और सूरः साफ़्फ़ात में जो आपस में सवाल करने का ज़िक्र है वह झगड़ने के तौर पर है, हमदर्दी के तौर पर नहीं, इसलिये वह इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं। उस दिन) मुजरिम (यानी काफ़िर) इस बात की तमन्ना करेगा कि उस दिन के अ़ज़ाब से छूटने के लिये अपने बेटों को और बीवी को और भाई को और कुनबे को जिनमें वह रहता था और तमाम ज़मीन पर रहने वालों को अपने फ़िदये में दे दे, फिर यह (फ़िदये में दे देना) उसको (अ़ज़ाब से) बचा ले, (यानी उस दिन ऐसी नफ़्सा-नफ़्सी होगी कि हर शख़्स को अपनी फ़िक्र पड़ जायेगी, और कल तक जिन पर जान देता था आज उनको अपने फ़ायदे के लिये अ़ज़ाब के सुपुर्द कर देने को तैयार होगा अगर उसके क़ाबू की बात हो, लेकिन) यह

हरगिज़ न होगा, (यानी अ़ज़ाब से बिल्कुल निजात न होगी, बल्कि) वह आग ऐसी भड़कती हुई है जो खाल (तक) उतार देगी (और) वह उस शख़्स को (ख़ुद) बुलायेगी जिसने (दुनिया में हक़ से) पीठ फेरी होगी और (अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने से) बेरुख़ी की होगी। और (दूसरों का हक़ मार-मारकर या लालच के तौर पर माल) जमा किया होगा, फिर उसको उठा-उठाकर रखा होगा। (मतलब यह कि अल्लाह और बन्दों के हुक़ूक़ ज़ाया किये होंगे। या इशारा है अ़क़ीदों व अख़्लाक़ के ख़राब व फ़ासिद होने की तरफ़, और बुलाना असल मायने पर भी महमूल हो सकता है। ख़ुलासा यह कि ऐसी सिफ़तें दोज़ख़ के अ़ज़ाब का हक़दार बनाने वाली हैं और इस मुजरिम में ये सिफ़तें पाई जाती हैं फिर अ़ज़ाब से निजात का कैसे सोचा जा सकता है, और जमा करने और सींतकर रखने से काफ़िरों का इस्लामी अहकाम का मुकल्लफ़ व पाबन्द होना लाज़िम नहीं आता, क्योंकि इन बुरी ख़स्लतों की वजह से काफ़िरों को असल अ़ज़ाब नहीं होगा बल्कि अ़ज़ाब में ज़्यादती होगी, और असल अ़ज़ाब कुफ़्र पर होगा, बख़िलाफ़ गुनाहगार मोमिनों के कि उनको गुनाहों व नाफ़रमानी पर ख़ाली अ़ज़ाब भी हो सकता है वल्लाहु आलम)।

(आगे दूसरी बुरी सिफ़तों और बुराईयों का ज़िक्र है जो अ़ज़ाब का सबब बनती हैं उनसे ईमान वालों को अलग रखने और फिर अलग रखने का नजीता बयान है, यानी) इनसान कम-हिम्मत पैदा हुआ है (इनसान से अलग करके काफ़िर इनसान मुराद है, और पैदा होने का यह मतलब नहीं कि पैदाईश के वक़्त ही से वह ऐसा है बल्कि मतलब यह है कि उसकी फ़ितरत में ऐसा माद्दा रखा गया है कि वह अपने वक़्त पर पहुँचकर यानी बालिग़ होने के बाद इन घटिया व बुरी सिफ़तों का आ़दी हो जायेगा। पस कम-हिम्मती से मुराद तबई कम-हिम्मती नहीं है बल्कि कम-हिम्मती के बुरे इख़्तियारी आसार मुराद हैं जिनको आगे बयान फ़रमाते हैं, यानी) जब उसको तकलीफ़ पहुँचती है तो (ज़रूरत से ज़्यादा) चीख़-पुकार करने लगता है, और जब उसको ख़ुशहाली और फ़राग़त होती है तो (अपने ज़िम्मे जो हुक़ूक़ वाजिब हैं उनसे) बुख़्ल करने लगता है (यह पूरक और आख़िरी सिफ़त हो गयी उन सिफ़ात में से जो अ़ज़ाब को उसके लिये वाजिब करती हैं, जो उसके पीठ फेरने से शुरू हुई हैं), मगर वे नमाज़ी (यानी मोमिन लोग इन अ़ज़ाब का सबब बनने वाली सिफ़ात से अलग हैं) जो अपनी नमाज़ पर बराबर तवज्जोह रखते हैं (यानी नमाज़ में ज़ाहिरी या बातिनी तौर पर दूसरी तरफ़ तवज्जोह नहीं करते जिसको पारा नम्बर 18 की शुरू की आयतों में 'ख़ाशिऊ़न' से ताबीर फ़रमाया है, जैसा कि तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत उक़्बा बिन आ़मिर से हमेशा पाबन्दी व जमाव और दुर्रे मन्सूर में दायें-बायें तवज्जोह न करने की रिवायत बयान की गयी है)।

और जिनके मालों में सवाली और बेसवाली सब का हक़ है (इससे संबन्धित मज़मून सूरः ज़ारियात में गुज़र चुका), और जो क़ियामत के दिन का एतिक़ाद रखते हैं और जो अपने परवर्दिगार के अ़ज़ाब से डरने वाले हैं। (और) वाक़ई उनके रब का अ़ज़ाब बेख़ौफ़ होने की चीज़ नहीं (यह ऊपर से बयान होते आ रहे मज़मून से हटकर अलग बात बयान फ़रमाई)। और जो

अपनी शर्मगाहों को (हराम से) महफ़ूज़ रखने वाले हैं, लेकिन अपनी बीवियों से या अपनी (शरई) बाँदियों से (हिफ़ाज़त नहीं करते), क्योंकि उन पर (इसमें) कोई इल्ज़ाम नहीं। हाँ! जो इसके अ़लावा (और जगह अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करने का) तलबगार हो, ऐसे लोग (शरई) हद से निकलने वाले हैं। और जो अपनी (सुपुर्दगी में ली हुई) अमानतों और अपने अ़हद का ख़्याल रखने वाले हैं, और जो अपनी गवाहियों को ठीक-ठीक अदा करते हैं (उनमें कमी-बेशी नहीं करते), और जो अपनी (फ़र्ज़) नमाज़ों की पाबन्दी करते हैं, (बस) ऐसे लोग जन्नतों में इज़्ज़त से दाख़िल होंगे (इन आयतों की तफ़सीर सूरः मोमिनून में देख ली जाये)।

(आगे काफ़िरों की हालत का अ़जीब होना और क़ियामत के आने का असंभव न होना बयान फ़रमाते हैं, यानी नेकबख़्ती व बदबख़्ती का सबब बनने वाली बातें और सिफ़तें तो ऊपर स्पष्ट रूप से मालूम हो चुकीं) तो (दलील से मालूम होने के बाद फिर) काफ़िरों को क्या हुआ कि (इन मज़ामीन के झुठलाने को) आपकी तरफ़ दौड़े आ रहे हैं (यानी चाहिये तो यह था कि इन मज़ामीन की तस्दीक़ करते लेकिन ये लोग एकजुट हो-होकर आपके पास इस ग़र्ज़ से आते हैं कि इन मज़ामीन को झुठलायें और इनका मज़ाक़ उड़ायें जैसा कि अ़रब के काफ़िर नुबुव्वत की ख़बरें सुन-सुनकर इसी ग़र्ज़ से आते थे और इस्लाम को बातिल समझने के साथ अपने को हक़ पर समझते थे, और हक़ पर होने का नतीजा व फल जन्नत में जाना है, इस बिना पर वे अपने को जन्नत का हक़दार भी समझते थे। अल्लाह तआ़ला उनके इस क़ौल को इस तरह नक़ल फ़रमाता है:

وَلَئِنْ رُّجِعْتُ اِلٰى رَبِّىْٓ اِنَّ لِىْ عِنْدَهٗ لَلْحُسْنٰى٥

"कि अगर मैं अपने रब के पास लौटाया भी गया तो वहाँ भी मेरे लिये बेहतरी ही है।"

इसलिये इसके मुताल्लिक़ इनकार के तौर पर फ़रमाते हैं कि) क्या उनमें हर शख़्स इसकी हवस रखता है कि वह राहत व आराम की जन्नत में दाख़िल होगा? यह हरगिज़ न होगा (क्योंकि जहन्नम को वाजिब करने वाले आमाल के होते हुए जन्नत कैसे मिल जायेगी? और ये लोग इन मज़ामीन के झुठलाने में क़ियामत के आने और उसके वजूद को भी झुठलाते और उसको असंभव समझते थे। आगे इसके मुताल्लिक़ इरशाद है कि उनका उसको मुहाल व असंभव समझना ख़ालिस बेवक़ूफ़ी है, क्योंकि) हमने उनको ऐसी चीज़ से पैदा किया है जिसकी उनको भी ख़बर है (पस जब उनको मालूम है कि नुत्फ़े से आदमी को बनाया है और ज़ाहिर है कि नुत्फ़े "वीर्य के क़तरे" से कि जिसमें कभी ज़िन्दगी नहीं आई आदमी बनने तक, जितनी मुहाल व मुश्किल यह चीज़ है उतनी मुहाल व मुश्किल बात मय्यित के हिस्सों व अंगों को दूसरी बार आदमी बनने तक नहीं है, क्योंकि इन हिस्सों व अंगों में एक बार ज़िन्दगी पहले आ चुकी है इसको मुहाल समझना उनकी बेवक़ूफ़ी है)।

फिर (एक दूसरे अन्दाज़ से क़ियामत के क़ायम होने को असंभव समझने वालों के शक व वहम को दूर करने के लिये) मैं क़सम खाता हूँ पूरबों और पश्चिमों के मालिक की (इसके मायने

सूरः साफ़्फ़ात के शुरू में गुज़रे हैं। आगे क़सम का जवाब है) कि हम इस पर क़ादिर हैं कि (दुनिया ही में) उनकी जगह उनसे बेहतर लोग ले आएँ (यानी पैदा कर दें) और हम (इससे) आजिज़ नहीं हैं। (पस जब नई मख़्लूक़ और वह भी ऐसी जिसमें कमाल व ख़ूबी वाली सिफ़ात ज़्यादा हों जिनमें ज़्यादा चीज़ें पैदा करनी पड़ें, हमको पैदा करना आसान है तो तुमको दोबारा पैदा करना कौनसा मुश्किल काम है। पहला इस्तिदलाल ख़ुद उन इनकारी लोगों की हालत के एतिबार से है और दूसरा इस्तिदलाल उनकी मिसालों व नज़ीरों के पैदा किये जाने की संभावना से। और जब दलीलों के साथ हक़ के वाज़ेह होने के बावजूद अपने इनकार व मुख़ालफ़त से बाज़ नहीं आते) तो आप उनको इसी धंधे और तफ़रीह में रहने दीजिये यहाँ तक कि उनको अपने उस दिन से साबक़ा पड़े जिसका उनसे वायदा किया जाता है, जिस दिन ये क़ब्रों से निकलकर इस तरह दौड़ेंगे जैसे किसी इबादतगाह की तरफ़ दौड़े जाते हैं (और) इनकी आँखें (शर्मिन्दगी की वजह से) नीचे को झुकी होंगी (और) इन पर ज़िल्लत छाई होगी। (बस) यह है उनका वह दिन जिसका उनसे वायदा किया जाता था (जो कि अब ज़ाहिर होकर सामने आ गया)।

मआरिफ़ व मसाईल

سَاَلَ سَآئِلٌ

सवाल कभी किसी चीज़ की तहक़ीक़ (तह और गहराई तक पहुँचने) के लिये होता है, उसके साथ अरबी भाषा में सिला हर्फ़ अ़न का इस्तेमाल किया जाता है, और कभी सवाल दरख़्वास्त करने और किसी चीज़ की तलब करने के मायने में होता है, यहाँ ऐसा ही है इसी लिये इसके सिले में बजाय अ़न के हर्फ़ बा आया बि-अ़ज़ाब, मायने यह हैं कि एक माँगने वाले न अ़ज़ाब माँगा। नसाई शरीफ़ में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि यह माँगने वाला नज़र बिन हारिस था जिसने क़ुरआन और रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के झुठलाने में इस जुर्रत से काम लिया कि कहने लगाः

اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ هٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَاَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَآءِ اَوِائْتِنَا بِعَذَابٍ اَلِيْمٍo

यानी यह दुआ की कि या अल्लाह! अगर यह क़ुरआन ही हक़ है और आपकी तरफ़ से है, तो हम पर आसमान से पत्थर बरसा दे, या कोई दूसरा दर्दनाक अ़ज़ाब भेज दे। (तफ़सीरे मज़हरी) अल्लाह तआ़ला ने उसको ग़ज़वा-ए-बदर में मुसलमानों के हाथों अ़ज़ाब दिया (तफ़सीरे मज़हरी इब्ने अबी हातिम की रिवायत से)। इस शख़्स ने अल्लाह तआ़ला का जो अ़ज़ाब अपने मुँह से माँगा था आगे उसकी कुछ हक़ीक़त का बयान है कि यह अ़ज़ाब काफ़िरों पर ज़रूर आकर रहेगा (चाहे दुनिया में या आख़िरत में, या दोनों में), उस अ़ज़ाब को दूर करना किसी के बस में नहीं। यह अ़ज़ाब अल्लाह की तरफ़ से है जो बुलन्द दर्जों वाला है। यह आख़िरी जुमला पहले जुमले की दलील भी है कि जो अ़ज़ाब अल्लाह बाला व बरतर की तरफ़ से हो उसको दूर करना और टालना किसी के लिये कैसे मुम्किन हो सकता है।

मआ़रिज मेराज की जमा (बहुवचन) है, उरूज से निकला है जिसके मायने ऊपर चढ़ने के हैं, और मेअ़्रज व मेअ़्राज उस सीढ़ी को कहा जाता है जिसमें नीचे से ऊपर चढ़ने के लिये बहुत से दर्जे होते हैं। अल्लाह तआ़ला की सिफ़त इस आयत में 'ज़ी मआ़रिज' इस एतिबार से है कि अल्लाह तआ़ला बुलन्द व ऊँचे दर्जों वाला है (यह क़ौल सईद बिन जुबैर का है) और यह बुलन्द दर्जे ऊपर नीचे सात आसमान हैं। हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि 'ज़िल-मआ़रिज' के मायने हैं 'ज़िस्समावात' यानी आसमानों का मालिक।

تَعْرُجُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ.

यानी ये दर्जे जो तह-ब-तह ऊपर-नीचे हैं, इन दर्जों के अन्दर चढ़ते हैं फ़रिश्ते और रूहुल-अमीन यानी जिब्रीले अमीन। जिब्रील अ़लैहिस्सलाम भी अगरचे फ़रिश्तों की जमाअ़त में शामिल हैं लेकिन उनके विशेष सम्मान के लिये उनका अलग नाम ज़िक्र फ़रमाया गया है।

فِیْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗ خَمْسِيْنَ اَلْفَ سَنَةٍ.

यह जुमला एक पोशीदा फ़ेल (क्रिया) से संबन्धित है यानी 'य-क़्-उ', मतलब यह है कि यह अ़ज़ाब जिसका ऊपर ज़िक्र आया है कि काफ़िरों पर ज़रूर पड़कर रहेगा। इसका आना और पड़ना उस दिन होगा जिसकी मात्रा (लम्बाई) पचास हज़ार साल की होगी। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि सहाबा-ए-किराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उस दिन के मुताल्लिक़ सवाल किया जिसकी मिक़्दार पचास हज़ार साल होगी कि यह दिन कितना लम्बा होगा। आपने फ़रमाया कि क़सम है उस ज़ात की जिसके क़ब्ज़े में मेरी जान है कि यह दिन मोमिन पर इतना हल्का होगा कि एक फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने के वक़्त से भी कम होगा। (तफ़सीरे मज़हरी, अहमद, अबू यअ़्ला, इब्ने हिब्बान और बैहक़ी के हवाले से)

और हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह हदीस रिवायत की गयी है कि:

يكون على المؤمنين كمقدار مابين الظهر والعصر اخرجه الحاكم والبيهقى مرفوعًا وموقوفًا. (مظهرى)

यानी यह दिन मोमिनों के लिये इतना होगा जितना ज़ोहर व अ़सर के बीच का वक़्त होता है। यह रिवायत हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न भी मन्क़ूल है मौक़ूफ़न भी।

हदीस की इन रिवायतों से मालूम हुआ कि उस दिन की यह लम्बाई कि पचास हज़ार साल का होगा एक इज़ाफ़ी चीज़ है काफ़िरों के लिये इतना लम्बा और मोमिनों के लिये इतना मुख़्तसर होगा।

क़ियामत का दिन एक हज़ार साल का होगा या पचास हज़ार साल का, एक तहक़ीक़

इस आयत में क़ियामत के दिन की लम्बाई पचास हज़ार साल बतलाई है, और सूरः अस्सज्दा की आयत में एक हज़ार साल आये हैं, आयत यह है:

يُدَبِّرُ الْاَمْرَ مِنَ السَّمَآءِ اِلَى الْاَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ اِلَيْهِ فِىْ يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهٗٓ اَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّوْنَ○

यानी तदबीर करते हैं अल्लाह के हुक्म की आसमान से ज़मीन तक फिर चढ़ते हैं उसकी तरफ़ एक ऐसे दिन में जिसकी मिक़्दार एक हज़ार साल है आम शुमार के एतिबार से।

बज़ाहिर इन दोनों आयतों के मज़मून में टकराव और विरोधाभास है, इसका जवाब हदीस की ऊपर बयान हुई रिवायतों से हो गया कि उस दिन की लम्बाई मुख़्तलिफ़ गिरोहों के एतिबार से अलग-अलग होगी, तमाम काफ़िरों के लिये पचास हज़ार साल का और नेक मोमिनों के लिये एक नमाज़ का वक़्त, इनके बीच काफ़िरों की अलग-अलग जमाअ़तें और गिरोह हैं मुम्किन है कि बाज़ों के लिये सिर्फ़ एक हज़ार साल के बराबर हो। और वक़्त का लम्बा और मुख़्तसर होना सख़्ती व बेचैनी और आराम व ऐश में मुख़्तलिफ़ होना मशहूर व परिचित है, कि बेचैनी और तकलीफ़ की सख़्ती का एक घन्टा कई बार इनसान को एक दिन बल्कि एक हफ़्ते व अ़शरे से ज़्यादा महसूस होता है, और आराम व ऐश का बड़े से बड़ा वक़्त मुख़्तसर मालूम होता है।

और सूरः अस्सज्दा की आयत जिसमें एक हज़ार साल का दिन बयान किया गया है उसका एक मतलब तो तफ़सीरे मज़हरी में यह बयान किया है कि इस आयत में जिस दिन का ज़िक्र है वह दुनिया ही के दिनों में का एक दिन है, उसमें जिब्रील अ़लैहिस्सलाम और फ़रिश्तों का आसमान से ज़मीन पर आना फिर ज़मीन से आसमान पर वापस जाना इतनी बड़ी दूरी को तय करना कि इनसान तय करता तो उसको एक हज़ार साल लगते, क्योंकि सही हदीसों में आया है आसमान से ज़मीन तक पाँच सौ साल की दूरी और सफ़र है, तो पाँच सौ साल ऊपर से नीचे आने के और पाँच सौ वापस जाने के, यह कुल एक हज़ार साल इनसानी चाल के एतिबार से हैं, कि मान लो इनसान इस सफ़र और दूरी को तय करता तो आने और जाने में एक हज़ार साल लगे जाते। अगरचे फ़रिश्ते इस दूरी व रास्ते को बहुत ही मुख़्तसर वक़्त में तय कर लेते हैं। तो सूरः अस्सज्दा की आयत में दुनिया ही के दिनों में से एक दिन का बयान हुआ और सूरः मआरिज में क़ियामत के दिन का बयान है जो दुनिया के दिनों से बहुत बड़ा होगा और उसका लम्बा व छोटा होना मुख़्तलिफ़ लोगों पर अपने हालात के ऐतिबार से मुख़्तलिफ़ महसूस होगा। (वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम)

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهٗ بَعِيْدًا○ وَّنَرٰهُ قَرِيْبًا○

यहाँ क़रीब व दूर रास्ते की दूरी या वक़्त के एतिबार से नहीं बल्कि संभावना से दूर या उसके आने से दूर होना मुराद है और आयत के मायने यह हैं कि ये लोग तो क़ियामत के क़ायम होने बल्कि उसकी संभावना को भी दूर की बात समझ रहे हैं और हम देख रहे हैं कि उसका आना और क़ायम होना यक़ीनी है।

وَلَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا○ يُّبَصَّرُوْنَهُمْ

हमीम के मायने गहरे और मुख़्लिस दोस्त के हैं, क़ियामत की सख़्ती का बयान है कि उस रोज़ कोई दोस्त किसी दोस्त को न पूछेगा, मदद करना तो दरकिनार। आगे यह भी बतला दिया

कि यह न पूछना इसलिये नहीं कि वह दोस्त सामने नहीं होगा बल्कि अल्लाह की क़ुदरत उन सब को एक दूसरे के सामने भी कर देगी मगर हर शख़्स नफ़्सी-नफ़्सी के आलम में होगा, कोई किसी दूसरे की तकलीफ़ व राहत की तरफ़ तवज्जोह व ध्यान न कर सकेगा।

كَلَّا إِنَّهَا لَظٰى ۝ نَزَّاعَةً لِّلشَّوٰى ۝

इन्नहा (बेशक वह) में वह से मुराद दोज़ख़ की आग है, और लज़ा के मायने हैं ख़ालिस शोला बग़ैर मिलावट के, और **शवा** शवात की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने सर की खाल के भी हैं और हाथों पाँव की खाल के भी, यानी जहन्नम की आग एक सख़्त भड़कने वाला शोला होगा जो दिमाग़ की या हाथों-पाँव की खाल उतार देगा।

تَدْعُوا مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلّٰى ۝ وَجَمَعَ فَأَوْعٰى ۝

ख़ुद बुलायेगी यह आग उस शख़्स को जिसने हक़ से पीठ मोड़ी और रुख़ फेरा, और माल जमा किया फिर उसको रोककर रखा। मुराद जमा करने से वह है कि ख़िलाफ़े शरीअ़त नाजायज़ तरीक़ों से जमा करे और रोकने से मुराद यह है कि माल पर आयद होने वाले फ़राईज़ व वाजिबात (यानी ज़कात वग़ैरह) अदा न करे जैसा कि सही हदीसों से साबित है।

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ۝

हलूअ़ के लफ़्ज़ी मायने लालची, बेसब्र, कम-हिम्मत आदमी के हैं हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि आयत में हलूअ़ से मुराद वह शख़्स है जो हराम माल की हिर्स में मुब्तला हो और हज़रत सईद बिन जुबैर रह. ने फ़रमाया कि इससे मुराद बख़ील आदमी है, और मुक़ातिल रह. ने फ़रमाया कि तंगदिल बेसब्र आदमी मुराद है। ये सब मायने एक दूसरे के क़रीब-क़रीब हैं, हलूअ़ के मफ़्हूम में सब दाख़िल हैं। इस हलूअ़ की वज़ाहत ख़ुद क़ुरआन के अलफ़ाज़ में आ रही है।

यहाँ यह शुब्हा न किया जाये कि जब इसको पैदा ही इस हाल में किया है और यह ऐब इसकी पैदाईश में रखे हैं तो फिर इसका क्या क़ुसूर हुआ? वह मुजरिम क्यों क़रार दिया गया? वजह यह है कि इससे मुराद इनसानी फ़ितरत और तबीयत में रखी हुई इस्तेदाद और माद्दा है, सो इसमें हक़ तआ़ला ने हर ख़ैर व बेहतरी का माद्दा और इस्तेदाद (सलाहियत व क्षमता) भी रखी है और बुराई व फ़साद की भी। और इसको अ़क़्ल व होश भी अ़ता फ़रमाया और अपनी किताबों और रसूलों के ज़रिये हर एक काम का अन्जाम भी बतला दिया, तो अपने इख़्तियार से बुराई व फ़साद के माद्दे को परवान चढ़ाया, अपने इख़्तियारी आमाल को उस रुख़ पर डाल दिया तो वह मुजरिम उन इख़्तियारी आमाल की वजह से क़रार पाया जो माद्दा उसकी पैदाईश में रखा गया था उसकी वजह से उसको मुजरिम नहीं क़रार दिया गया, जैसा कि आगे हलूअ़ के मायने की वज़ाहत ख़ुद क़ुरआने करीम ने की है। उनमें से सिर्फ़ इख़्तियारी कामों का ज़िक्र फ़रमाया है वो ये हैं।

اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا ۝ وَّاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا ۝

यानी इस इनसान की कम-हिम्मती और बेसब्री का यह आलम है कि जब इसको कोई तकलीफ़ व मुसीबत पेश आ जाती है तो सब्र से काम नहीं लेता, और जब कोई राहत व आराम और माल व दौलत मिल जाता है तो उसमें बुख़्ल (कन्जूसी) करता है। यहाँ बेसब्री और कम-हिम्मती से मुराद वह है जो शरई सीमाओं से बाहर हों, इसी तरह बुख़्ल से मुराद फ़राईज़ व वाजिबात की अदायेगी में कोताही है (जैसा कि पहले गुज़र चुका)। आगे आम इनसानों की इस ज़िक्र हुई ख़स्लत से नेक मोमिनों को अलग रखा गया है और उनके नेक आमाल और अच्छे अख़्लाक़ का ज़िक्र किया गया है जो आयत 22 और 23 में बयान किये गये हैं। यहाँ 'मुसल्लीन' के लफ़्ज़ से अलग किया गया है यानी नमाज़ी, और इससे मुराद मोमिन लोग हैं। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि नमाज़ मोमिन की पहली और सबसे बड़ी पहचान है। मोमिन कहलाने के मुस्तहिक़ वही लोग हो सकते हैं जो नमाज़ी हैं। आगे इन नमाज़ियों की यह सिफ़त बतलाई है:

اَلَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝

इससे मुराद यह है कि वे नमाज़ी जो पूरी नमाज़ में अपनी नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जह रहें इधर-उधर ध्यान न करें। इमाम बग़वी रह. ने अपनी सनद के साथ अबुल-ख़ैर से रिवायत किया है कि हमने हज़रत उक़्बा बिन आ़मिर रज़ियल्लाहु अन्हु से इस आयतः

عَلٰى صَلَاتِهِمْ دَآئِمُوْنَ ۝

का मतलब पूछा कि क्या इसकी मुराद यह है कि जो हमेशा-हमेशा नमाज़ पढ़ते हैं? उन्होंने फ़रमाया कि नहीं, यह मुराद नहीं, बल्कि मुराद यह है कि जो नमाज़ में शुरू से लेकर आख़िर तक अपनी नमाज़ की तरफ़ मुतवज्जह रहे, दायें-बायें आगे पीछे तवज्जोह न करे, इसके मतलब का हासिल वही हुआ जो सूरः मोमिनून में:

اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۝

का है, तो इस जुमले में नमाज़ के ख़ुशूअ़ (यानी आ़जिज़ी व पस्ती और अल्लाह की तरफ़ ध्यान) का ज़िक्र हुआ, और आगे जो जुमला:

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ ۝

आ रहा है उसमें नमाज़ और नमाज़ के आदाब पर पाबन्दी व हमेशगी का ज़िक्र है, इसलिये मज़मून में तकरार (यानी दोहराना) न हुआ। आगे नेक मोमिनों की जो सिफ़ात बयान की गयी हैं ये सब तक़रीबन वही हैं जो सूरः मोमिनून में बयान हुई हैं और उसी सूरत की तफ़सीर में इनके मायनों की पूरी वज़ाहत लिखी जा चुकी है उसको देख लिया जाये।

ज़कात की मिक्दारें अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर हैं उनमें कमी-बेशी का किसी को इख़्तियार नहीं

وَالَّذِيْنَ فِيْٓ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُوْمٌ○

इस आयत से मालूम हुआ कि ज़कात की मिक्दारें (कि कितनी है और किस माल व पैदावार में किस दर से है) अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मुतैयन और मालूम हैं जिनकी तफ़सील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सही हदीसों में मन्क़ूल है। इसलिये ज़कात की मिक्दारें चाहे ज़कात के निसाब से संबन्धित हों या वाजिब मिक्दार से दोनों अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से मुक़र्रर की हुई और तयशुदा हैं, ये ज़माने और हालात के बदलने से नहीं बदल सकतीं।

فَمَنِ ابْتَغٰى وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ○

इससे पहली आयत में नफ़्सानी इच्छाओं और ख़्वाहिशों का जायज़ मौक़ा व स्थान निकाह में मौजूद बीवी या शरई बाँदी बतलाया गया था, इस आयत में इन दो सूरतों के अ़लावा जिन्सी व नफ़्सानी इच्छा पूरी करने की हर सूरत को नाजायज़ व वर्जित क़रार दिया है, इसमें निकाह की वो सूरतें भी दाख़िल हैं जो शरअ़न हलाल नहीं जैसे उन औरतों से निकाह जिनसे शरई एतिबार से निकाह हराम है, इसी तरह मुता भी जो शरअ़न निकाह नहीं।

अपने हाथ से जिन्सी इच्छा पूरी करना हराम है

और दीनी मसाईल के अक्सर उलेमा व इमामों ने अपने हाथ से जिन्सी इच्छा पूरी कर लेने को भी इस हुक्म के आ़म होने में दाख़िल क़रार देकर हराम क़रार दिया है। इब्ने जुरैज फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत अ़ता से इसके मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने फ़रमाया मक्रूह है। मैंने सुना है मेहशर में कुछ ऐसे लोग आयेंगे जिनके हाथ हामिला (गर्भ लिये हुए) होंगे। मेरा गुमान यह है कि ये वही लोग हैं जो अपने हाथ से अपनी जिन्सी इच्छा पूरी करते हैं। और हज़रत सईद बिन जुबैर रह. ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने एक ऐसी क़ौम पर अ़ज़ाब नाज़िल फ़रमाया जो अपने हाथों से अपनी शर्मगाहों से खेलते हैं। एक हदीस में है- रसूलुलाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

مَلْعُوْنٌ مَنْ نَكَحَ يَدَهٗ.

यानी जो अपने हाथ से निकाह करे वह मलऊन है। इसकी सनद कमज़ोर है। (मज़हरी)

अल्लाह और बन्दों के तमाम हुक़ूक़ अमानत में दाख़िल हैं

وَالَّذِيْنَ هُمْ لِاَمٰنٰتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رٰعُوْنَ○

इस आयत में **अमानात** जमा (बहुवचन) का कलिमा इस्तेमाल फ़रमाया है जैसे क़ुरआन में एक दूसरी जगह भीः

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمٰنٰتِ إِلٰى أَهْلِهَا.

फ़रमाया है। दोनों जगह जमा का लफ़्ज़ लाने में इस तरफ़ इशारा है कि अमानत सिर्फ़ वह माल ही नहीं जो किसी ने आपके पास रख दिया हो बल्कि तमाम वाजिब हुक़ूक़ जिनका अदा करना आपके ज़िम्मे फ़र्ज़ है वो सब अमानतें हैं, उनमें कोताही करना ख़ियानत है, इसमें अल्लाह के तमाम हुक़ूक़ नमाज़ रोज़ा हज ज़कात भी दाख़िल हैं और बन्दों के वो तमाम हुक़ूक़ भी जो अल्लाह की तरफ़ से किसी पर वाजिब हैं या उसने ख़ुद किसी समझौते व मामले के ज़रिये अपने ऊपर लाज़िम कर लिये हैं, वो सब अमानत की फ़ेहरिस्त में दाख़िल और उनकी अदायेगी फ़र्ज़ है और उनमें कोताही ख़ियानत है। (तफ़सीरे मज़हरी, संक्षिप्त रूप से)

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِشَهٰدٰتِهِمْ قَائِمُوْنَ ٥

यहाँ भी लफ़्ज़ **शहादात** को जमा (बहुवचन) का लफ़्ज़ लाने में इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि शहादत (गवाही) की बहुत सी क़िस्में हैं और गवाही की हर क़िस्म को क़ायम रखना वाजिब है। इसमें ईमान व तौहीद और रिसालत की गवाही भी दाख़िल है, रमज़ान के चाँद और शरई हदों की गवाही भी, और लोगों के आपसी मामलात जो किसी के सामने हुए हों उनकी गवाही भी, कि इन शहादतों (गवाहियों) का छुपाना और इनमें कमी-बेशी करना हराम है, उनको सही-सही क़ायम करना इस आयत की रू से फ़र्ज़ है। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अल्-मआ़रिज की तफ़सीर आज रजब की 8 तारीख़ सन् 1391 हिजरी दिन मंगलवार को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-मआ़रिज की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः नूह

सूरः नूह मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 28 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

آیَاتُهَا ۲۸ (۷۱) سُوْرَةُ نُوْحٍ مَّكِّيَّةٌ (۷۱) رُكُوْعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا نُوْحًا اِلٰى قَوْمِهٖۤ اَنْ اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ یَّاْتِیَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ﴿۱﴾ قَالَ یٰقَوْمِ اِنِّیْ لَكُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیْنٌ ﴿۲﴾ اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوْهُ وَاَطِیْعُوْنِ ﴿۳﴾ یَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ وَیُؤَخِّرْكُمْ اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ؕ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَآءَ لَا یُؤَخَّرُ ۘ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿۴﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّیْ دَعَوْتُ قَوْمِیْ لَیْلًا وَّنَهَارًا ﴿۵﴾ فَلَمْ یَزِدْهُمْ دُعَآءِیْۤ اِلَّا فِرَارًا ﴿۶﴾ وَاِنِّیْ كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوْۤا اَصَابِعَهُمْ فِیْۤ اٰذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِیَابَهُمْ وَاَصَرُّوْا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ﴿۷﴾ ثُمَّ اِنِّیْ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴿۸﴾ ثُمَّ اِنِّیْۤ اَعْلَنْتُ لَهُمْ وَاَسْرَرْتُ لَهُمْ اِسْرَارًا ﴿۹﴾ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ؕ اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا ﴿۱۰﴾ یُّرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَیْكُمْ مِّدْرَارًا ﴿۱۱﴾ وَّیُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِیْنَ وَیَجْعَلْ لَّكُمْ جَنّٰتٍ وَّیَجْعَلْ لَّكُمْ اَنْهٰرًا ﴿۱۲﴾ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُوْنَ لِلّٰهِ وَقَارًا ﴿۱۳﴾ وَقَدْ خَلَقَكُمْ اَطْوَارًا ﴿۱۴﴾ اَلَمْ تَرَوْا كَیْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا ﴿۱۵﴾ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِیْهِنَّ نُوْرًا وَّجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا ﴿۱۶﴾ وَاللّٰهُ اَنْۢبَتَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ نَبَاتًا ﴿۱۷﴾ ثُمَّ یُعِیْدُكُمْ فِیْهَا وَیُخْرِجُكُمْ اِخْرَاجًا ﴿۱۸﴾ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ﴿۱۹﴾ لِّتَسْلُكُوْا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا ﴿۲۰﴾ قَالَ نُوْحٌ رَّبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِیْ وَاتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ یَزِدْهُ مَالُهٗ وَوَلَدُهٗۤ اِلَّا خَسَارًا ﴿۲۱﴾ وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ﴿۲۲﴾ وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا ۙ۬ وَّلَا یَغُوْثَ وَیَعُوْقَ وَنَسْرًا ﴿۲۳﴾ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِیْرًا ۚ۬ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ﴿۲۴﴾ مِمَّا خَطِیْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا ۙ۬ فَلَمْ یَجِدُوْا لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْصَارًا ﴿۲۵﴾ وَقَالَ نُوْحٌ رَّبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْاَرْضِ مِنَ الْكٰفِرِیْنَ دَیَّارًا ﴿۲۶﴾ اِنَّكَ اِنْ تَذَرْهُمْ یُضِلُّوْا عِبَادَكَ وَلَا یَلِدُوْۤا اِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿۲۷﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَلِوَالِدَیَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَیْتِیَ مُؤْمِنًا وَّلِلْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ؕ وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِیْنَ اِلَّا تَبَارًا ﴿۲۸﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इन्ना अर्सल्ना नूहन् इला कौमिही अन् अन्ज़िर् कौम-क मिन् कब्लि अंय्यअ्ति-यहुम् अज़ाबुन् अलीम (1) का-ल या कौमि इन्नी लकुम् नज़ीरुम्-मुबीन (2) अनिअ्बुदुल्ला-ह वत्तकूहु व अतीअून (3) यग्फ़िर् लकुम्- मिन् ज़ुनूबिकुम् व यु-अख़्ख़िर्कुम् इला अ-जलिम्-मुसम्मन्, इन्-न अ-जलल्लाहि इज़ा जा-अ ला यु-अख़्ख़रु। लौ कुन्तुम् तअ्लमून (4) का-ल रब्बि इन्नी दऔतु कौमी लैलंव्-व नहारा (5) फ़-लम् यज़िद्हुम् दुआई इल्ला फ़िरारा (6) व इन्नी कुल्लमा दऔतुहुम् लि-तग्फ़ि-र लहुम् ज-अलू असाबि-अहुम् फ़ी आज़ानिहिम् वस्तग्शौ सिया-बहुम् व असर्रू वस्तक्बरुस्तिक्बारा (7) सुम्-म इन्नी दऔतुहुम् जिहारा (8) सुम्-म इन्नी अअ्लन्तु लहुम् व असरर्तु लहुम् इस्रारा (9) फ़कुल्तुस्तग्फ़िरू रब्बकुम्, इन्नहू का-न ग़फ़्फ़ारा (10) युर्सिलिस्समा-अ

हमने भेजा नूह को उसकी कौम की तरफ़ कि डरा अपनी कौम को इससे पहले कि पहुँचे उन पर दर्दनाक अज़ाब। (1) बोला ऐ मेरी कौम! मैं तुमको डर सुनाता हूँ खोलकर (2) कि बन्दगी करो अल्लाह की और उससे डरो और मेरा कहना मानो (3) ताकि बख़्शे वह तुमको तुम्हारे कुछ गुनाह और ढील दे तुमको एक तयशुदा वायदे तक, वह जो वादा किया है अल्लाह ने जब आ पहुँचेगा उसको ढील न होगी, अगर तुमको समझ है। (4) बोला ऐ रब! मैं बुलाता रहा अपनी कौम को रात और दिन (5) फिर मेरे बुलाने से और ज़्यादा भागने लगे (6) और मैंने जब कभी उन को बुलाया ताकि तू उनको बख़्शे, डालने लगे उंगलियाँ अपने कानों में और लपेटने लगे अपने ऊपर कपड़े और ज़िद की और ग़ुरूर किया बड़ा ग़ुरूर। (7) फिर मैंने उनको बुलाया बुलन्द आवाज़ से (8) फिर मैंने उनको खोलकर कहा और छुपकर कहा चुपके से (9) तो मैंने कहा गुनाह बख़्शवाओ अपने रब से बेशक वह है बख़्शने वाला। (10) छोड़ देगा आसमान की

अ़लैकुम् मिद्रारंव्- (11) -व युम्दिद्कुम् बिअम्वालिंव्-व बनी-न व यज्अ़ल्-लकुम् जन्नातिंव्-व यज्अ़ल्-लकुम् अन्हारा (12) मा लकुम् ला तर्जू-न लिल्लाहि वक़ारा (13) व क़द् ख़-ल-क़कुम् अत्वारा (14) अलम् तरौ कै-फ ख़-लक़ल्लाहु सब्-अ़ समावातिन् तिबाक़ा (15) व ज-अ़लल् क़-म-र फ़ीहिन्-न नूरंव्-व ज-अ़लश्शम्-स सिराजा (16) वल्लाहु अम्ब-तकुम् मिनल्-अर्ज़ि नबाता (17) सुम्-म युअ़ीदुकुम् फ़ीहा व युख़्रिजुकुम् इख़्राजा (18) वल्लाहु ज-अ़-ल लकुमुल्-अर्-ज़ बिसातल्- (19) -लितस्लुकू मिन्हा सुबुलन् फ़िजाजा (20) ✿

क़ा-ल नूहुर्-रब्बि इन्नहुम् अ़सौनी वत्त-बअ़ू मल्-लम् यज़िद्हु मालुहू व व-लदुहू इल्ला ख़सारा (21) व म-करू मक्रन् कुब्बारा (22) व क़ालू ला त-ज़रुन्-न आलि-ह-तकुम् व ला त-ज़रुन्-न वद्दंव्-व ला सुवाअ़ंव्-व ला यग़ू-स व यअ़ू-क़ व नस्रा (23) व क़द् अज़ल्लू कसीरन्, व ला

तुम पर धारें (11) और बढ़ा देगा तुमको माल और बेटों से, और बना देगा तुम्हारे वास्ते बाग़ और बना देगा तुम्हारे लिये नहरें। (12) क्या हुआ है तुमको क्यों नहीं उम्मीद रखते अल्लाह से बड़ाई की (13) और उसी ने बनाया तुमको तरह-तरह से। (14) क्या तुमने नहीं देखा कैसे बनाये अल्लाह ने सात आसमान तह पर तह (15) और रखा चाँद को उनमें उजाला और रखा सूरज को चिराग़ जलता हुआ। (16) और अल्लाह ने उगाया तुमको ज़मीन से जमाकर (17) फिर दोबारा डालेगा तुम को उसमें और निकालेगा तुमको बाहर (18) और अल्लाह ने बना दिया तुम्हारे लिये ज़मीन को बिछौना (19) ताकि चलो उसमें कुशादा रस्ते। (20) ✿

कहा नूह ने ऐ मेरे रब! उन्होंने मेरा कहा न माना और माना ऐसे का जिसको उसके माल और औलाद से और ज़्यादा टोटा (घाटा) हो (21) और दाव किया है बड़ा दाव (22) और बोले हरगिज़ न छोड़ियो अपने माबूदों को और न छोड़ियो वद्द को और न सुवाअ़ को और न यग़ूस को और यऊक़ और नस्र को (23) और बहका दिया बहुतों को, और तू न ज़्यादा करना

तज़िदिज़्ज़ालिमी-न इल्ला ज़लाला (24) मिम्मा ख़तीआतिहिम् उग्रिक़ू फ़-उद्ख़िलू नारन् फ़-लम् यजिदू लहुम् मिन् दूनिल्लाहि अन्सारा (25) व क़ा-ल नूहुर्-रब्बि ला तज़र् अ़लल्-अर्ज़ि मिनल्-काफ़िरी-न दय्यारा (26) इन्न-क इन् तज़रहुम् युज़िल्लू ञिबा-द-क व ला यलिदू इल्ला फ़ाजिरन् कफ़्फ़ारा (27) रब्बिग़्फ़िर् ली व लिवालिदय्-य व लिमन् द-ख़-ल बैति-य मुअ्मिनंव्-व लिल्-मुअ्मिनी-न वल्मुअ्मिनाति, व ला तज़िदिज़्ज़ालिमी-न इल्ला तबारा (28) ✿ ●

बेइन्साफ़ों को मगर भटकना। (24) कुछ वे अपने गुनाहों से डुबाये गये फिर डाले गये आग में, फिर न पाये अपने वास्ते उन्होंने अल्लाह के सिवा कोई मददगार। (25) और कहा नूह ने ऐ रब! न छोड़ियो ज़मीन पर मुन्किरों का एक घर बसने वाला (26) यह तय है कि अगर तू छोड़ देगा उनको बहकायेंगे तेरे बन्दों को, और जिसको जन्म देंगे सो ढीट हक़ का इनकारी (27) ऐ रब! माफ़ कर मुझको और मेरे माँ बाप को और जो आये मेरे घर में ईमान वाला, और सब ईमान वाले मर्दों को और औरतों को, और गुनाहगारों पर बढ़ता रख यही बरबाद होना। (28) ✿ ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

हमने नूह (अ़लैहिस्सलाम) को उनकी क़ौम के पास (पैग़म्बर बनाकर) भेजा था कि तुम अपनी क़ौम को (कुफ़्र के वबाल से) डराओ, इससे पहले कि उन पर दर्दनाक अ़ज़ाब आये (यानी उनसे कहो कि अगर ईमान न लाओगे तो तुम पर दर्दनाक अ़ज़ाब आयेगा, चाहे दुनिया का यानी तूफ़ान या आख़िरत का यानी दोज़ख़, ग़र्ज़ कि) उन्होंने (अपनी क़ौम से) कहा कि ऐ मेरी क़ौम! मैं तुम्हारे लिये साफ़-साफ़ डराने वाला हूँ (और कहता हूँ) कि तुम अल्लाह की इबादत (यानी तौहीद इख़्तियार) करो और उससे डरो और मेरा कहना मानो तो वह तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा। 'मिन् ज़ुनूबिकुम्' की तहक़ीक़ सूरः अहक़ाफ़ में गुज़र चुकी) और तुमको मुक़र्ररा वक़्त (यानी मौत के वक़्त) तक (बिना सज़ा के) मोहलत देगा (यानी ईमान न लाने पर जिस अ़ज़ाब का मरने से पहले वायदा किया जाता है अगर ईमान ले आये तो वह अ़ज़ाब न आयेगा और बाक़ी मौत के लिये जो) अल्लाह का मुक़र्रर और तय किया हुआ वक़्त (है) जब (वह) आ जायेगा तो टलेगा नहीं। (यानी मौत का आना तो हर हाल में ज़रूरी है, ईमान में भी और कुफ़्र में भी, लेकिन दोनों हालतों में इतना फ़र्क़ है कि एक हालत में आख़िरत के अ़ज़ाब के अ़लावा

दुनिया में भी अ़ज़ाब होगा और एक हालत में दुनिया व आख़िरत दोनों के अ़ज़ाबों से महफ़ूज़ रहोगे) क्या ख़ूब होता अगर तुम (इन बातों को) समझते।

(जब लम्बी मुद्दत तक इन नसीहतों का कुछ असर क़ौम पर न हुआ तो हज़रत) नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने (हक़ तआ़ला से) दुआ़ की कि ऐ मेरे रब! मैंने अपनी क़ौम को रात को भी और दिन को भी (हक़ दीन की तरफ़) बुलाया। सो मेरे बुलाने पर (दीन से) और ज़्यादा भागते रहे, और (वह भागना यह हुआ कि) मैंने जब कभी उनको (हक़ दीन की तरफ़) बुलाया ताकि (ईमान के सबब) आप उनको बख़्श दें तो उन लोगों ने अपनी उंगलियाँ अपने कानों में दे लीं (ताकि हक़ बात को सुनें भी नहीं), और (यह कि हद दर्जे नफ़रत की वजह से) अपने कपड़े (अपने ऊपर) लपेट लिये (ताकि हक़ बात कहने वाले को देखें भी नहीं, और कहने वाला भी उनको न देखे) और (उन्होंने अपने कुफ़्र व इनकार पर) अड़ने का रुख़ इख़्तियार किया और (मेरी इताअ़त से) बहुत ज़्यादा तकब्बुर किया (मगर इस नफ़रत व भागने और तकब्बुर के बावजूद) फिर (भी मैं उनको विभिन्न तरीक़ों से नसीहत करता रहा चुनाँचे) मैंने उनको (दीने हक़ की तरफ़) बुलन्द आवाज़ से बुलाया (इससे मुराद आ़म और सार्वजनिक तौर पर ख़िताब व नसीहत करना है जिसमें आ़दतन आवाज़ बुलन्द होती है), फिर मैंने उनको (ख़ास ख़िताब के ज़रिये) ऐलानिया समझाया और उनको बिल्कुल ख़ुफ़िया भी समझाया। (यानी जितने तरीक़े नफ़े के हो सकते थे सब ही तरह समझाया, ग़र्ज़ कि वक़्तों में भी उमूमी तरीक़ा इख़्तियार किया गया जैसा कि फ़रमाया 'लैलंव्-व नहारन्' और हालत व कैफ़ियत में भी जैसा कि फ़रमाया 'दऔ़तुहुम् जिहारा.........') और (इस समझाने में) मैंने (उनसे यह) कहा कि तुम अपने रब से गुनाह बख़्शवाओ (यानी ईमान ले आओ ताकि गुनाह बख़्शे जायें) बेशक वह बड़ा बख़्शने वाला है।

(अगर तुम ईमान ले आओगे तो आख़िरत की नेमतों के अ़लावा जो) कि (मग़फ़िरत है दुनियावी नेमतें भी तुमको अ़ता करेगा, चुनाँचे) कसरत से तुम पर बारिश भेजेगा, और तुम्हारे माल और औलाद में तरक़्क़ी देगा, और तुम्हारे लिये बाग़ लगा देगा, और तुम्हारे लिये नहरें बहा देगा (इन नेमतों के ज़िक्र से शायद यह फ़ायदा हो कि अक्सर तबीयतों में नक़द और जल्द हासिल होने वाली चीज़ों की तलब ज़्यादा है। 'दुर्रे मन्सूर' में क़तादा रह. का क़ौल है कि वे लोग दुनिया के ज़्यादा लालची और शैदाई थे इसलिये यह फ़रमाया, और इस पर यह शुब्हा न किया जाये कि बहुत सी बार दुनिया की ये चीज़ें ईमान व इस्तिग़फ़ार पर हासिल नहीं होतीं। बात यह है कि या तो यह वायदा ख़ास उन्हीं लोगों के लिये होगा, और अगर आ़म हो तो क़ायदा है कि वायदा की गयी चीज़ से अफ़ज़ल कोई चीज़ मिल जाना भी वायदे का पूरा करना ही होता है बल्कि वायदे से ज़्यादा। पस कामिल ईमान पर रूहानी ख़ुशी व क़नाअ़त और तक़दीर पर राज़ी रहने की दौलत ज़रूर नसीब होती है जो इन चीज़ों से भी अफ़ज़ल व कामिल है, बल्कि सारी दुनिया की सारी दौलत और ऊपर ज़िक्र हुई तमाम चीज़ों का असली मक़सद भी तो दिल का सुकून व आराम ही है)।

(आगे नूह अ़लैहिस्सलाम के कलाम का आख़िरी हिस्सा है यानी मैंने उनसे यह भी कहा कि)

तुमको क्या हुआ कि तुम अल्लाह की बड़ाई के मोतक़िद नहीं हो (वरना शिर्क न करते)। हालाँकि (उसकी बड़ाई को मानने की निशानियाँ और तक़ाज़े मौजूद हैं कि) उसने तुमको तरह-तरह से बनाया (कि चार तत्वों से तुम्हारी ग़िज़ा, फिर ग़िज़ा से नुत्फ़ा और नुत्फ़े के बाद जमे हुए ख़ून और गोश्त के टुकड़े वग़ैरह की मुख़्तलिफ़ सूरतों से गुज़रकर मुकम्मल इनसान बना, यह दलील तो ख़ुद इनसान की ज़ात से संबन्धित थी, आगे बाहरी कायनात से संबन्धित दलील बयान फ़रमाते हैं कि) क्या तुमको मालूम नहीं कि अल्लाह तआ़ला ने किस तरह सात आसमान ऊपर-तले पैदा किये और उनमें चाँद को नूर (की चीज़) बनाया और सूरज को (एक रोशन) चिराग़ (की तरह) बनाया (और चाँद अगरचे सब आसमानों में नहीं है मगर 'उनमें' जमा का लफ़्ज़ मजमूए के एतिबार से फ़रमा दिया, और इसके मुताल्लिक़ कुछ बयान सूरः फ़ुरक़ान भी गुज़र चुका है)। और अल्लाह तआ़ला ने तुमको ज़मीन से एक ख़ास अन्दाज़ से पैदा किया (या तो इस तरह कि हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम मिट्टी से बनाये गये और या इस तरह कि इनसान नुत्फ़े "वीर्य के क़तरे" से बना और नुत्फ़ा ग़िज़ा से और ग़िज़ा तत्वों "आग, पानी, मिट्टी, हवा" से बनी और तत्वों में ग़ालिब हिस्सा मिट्टी का है) फिर तुमको (मौत के बाद) ज़मीन ही में ले जायेगा और (क़ियामत में फिर इसी ज़मीन से) तुमको बाहर ले आयेगा। और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये ज़मीन को फ़र्श (की तरह) बनाया ताकि तुम इसके खुले रास्तों में चलो।

(यह सारा का सारा कलाम है जिसको नूह अ़लैहिस्सलाम ने हक़ तआ़ला के सामने फ़रियाद के तौर पर अ़र्ज़ किया और यह सब सूरतेहाल अ़र्ज़ करके) नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने (यह) कहा कि ऐ मेरे परवर्दिगार! उन लोगों ने मेरा कहना नहीं माना और ऐसे शख़्सों की पैरवी की कि जिनके माल और औलाद ने उनको नुक़सान ही ज़्यादा पहुँचाया। (उन शख़्सों से मुराद क़ौम के सरदार लोग हैं जिनकी अ़वाम लोग पैरवी किया करते हैं, और उन सरदारों का माल व औलाद का नुक़सान पहुँचाना इस मायने में है कि माल व औलाद सरकशी व नाफ़रमानी का सबब बन गये)। और (उन्होंने जिनकी पैरवी की है वे ऐसे हैं कि) जिन्होंने (हक़ के मिटाने के लिये) बड़ी-बड़ी तदबीरें कीं। और जिन्होंने (अपने पैरोकारों से) कहा कि तुम अपने माबूदों को हरगिज़ न छोड़ना और (ख़ास तौर पर) 'वद्द' को और न 'सुवाअ़' को और न 'यग़ूस' को और "न" 'यऊक़' को और 'नस्र' को छोड़ना। (इनको ख़ास तौर पर इसलिये ज़िक्र फ़रमाया कि ये बुत ज़्यादा मशहूर थे)। और उन (सरदार) लोगों ने बहुतों को (बहका-बहकाकर) गुमराह कर दिया (वह बड़ा दाव यही गुमराह करना है)। और (चूँकि मुझको आपके इरशादः

لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ.

से मालूम हो गया कि ये अब ईमान न लायेंगे इसलिये यह भी दुआ़ करता हूँ कि अब आप) इन ज़ालिमों की गुमराही और बढ़ा दीजिये (ताकि ये लोग तबाही के हक़दार हो जायें। इससे मालूम हुआ कि असल मक़सद ज़्यादा गुमराह करने की दुआ़ करना नहीं बल्कि तबाही व हलाकत का मुस्तहिक़ होने की दुआ़ करना है, और तहक़ीक़ इस दुआ़ की सूरः यूनुस में मूसा

अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से में गुज़री है)।

(ग़र्ज़ कि उन लोगों का अन्जाम यह हुआ कि) अपने इन गुनाहों के सबब वे ग़र्क़ किये गये, फिर (ग़र्क़ होने के बाद बर्ज़ख़ की या आख़िरत की) दोज़ख़ में दाख़िल किये गये, और ख़ुदा के सिवा उनको कुछ हिमायती भी मयस्सर न हुए।

और नूह (अ़लैहिस्सलाम) ने (यह भी) कहा कि ऐ मेरे परवर्दिगार! काफ़िरों में से ज़मीन पर एक रहने वाला भी मत छोड़ (बल्कि सब को हलाक कर दे। आगे इस दुआ़ की वजह व सबब है, क्योंकि) अगर आप उनको रू-ए-ज़मीन पर रहने देंगे तो (जैसा कि आपका इरशाद है:

لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ.

ये लोग आपके बन्दों को गुमराह करेंगे, और (आगे भी) उनके महज़ बुरी और काफ़िर ही औलाद पैदा होगी।

(काफ़िरों के लिये बद्दुआ़ करने के बाद मोमिनों के लिये दुआ़ फ़रमाई कि) ऐ मेरे रब! मुझको और मेरे माँ-बाप को और जो मोमिन होने की हालत में मेरे घर में दाख़िल हैं उनको (यानी घर वालों और बाल-बच्चों को, बीवी और बेटे किनआ़न को छोड़कर) और तमाम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औ़रतों को बख़्श दीजिये, और (इस जगह असल मक़सद काफ़िरों के लिये बद्दुआ़ करना है और मोमिनों के लिये दुआ़ महज़ मुक़ाबले की मुनासबत से हो गयी थी इसलिये फिर बद्दुआ़ के मज़मून की तरफ़ वापसी है जिसमें:

لَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ٥

के मक़सद की वज़ाहत है, यानी) उन ज़ालिमों की हलाकत व तबाही और बढ़ाईये (यानी उनकी निजात की कोई सूरत न रहे, हलाक ही हो जायें, और यही मक़सद व उद्देश्य था इस दुआ़ से कि उनकी गुमराही बढ़ा दी जाये। और ज़ाहिर में मालूम होता है कि नूह अ़लैहिस्सलाम के माँ-बाप मोमिन थे और अगर इसके विपरीत साबित हो जाये तो माँ-बाप से मुराद दूर के बड़े और पूर्वज होंगे। पहले दुआ़ अपने नफ़्स के लिये की, फिर अपने माँ-बाप और पूर्वजों के लिये फिर बाल-बच्चों के लिये, फिर आ़म पैरोकारों और बात मानने वालों के लिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

يَغْفِرْ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوْبِكُمْ.

हर्फ़ 'मिन्' अक्सर तबईज़ यानी किसी चीज़ का कुछ हिस्सा और भाग बतलाने के लिये आता है, अगर यह मायने लिये जायें तो मतलब यह है कि ईमान लाने से तुम्हारे वो गुनाह माफ़ हो जायेंगे जिनका ताल्लुक़ अल्लाह के हुक़ूक़ से है, क्योंकि बन्दों के हुक़ूक़ की माफ़ी के लिये ईमान लाने के बाद भी यह शर्त है कि जो हुक़ूक़ अदायेगी के क़ाबिल हैं उनको अदा करे जैसे माली वाजिबात, और जो क़ाबिले अदायेगी नहीं जैसे किसी को ज़बान या हाथ से तकलीफ़ पहुँचाई हो तो उससे माफ़ कराये।

हदीस में जो यह आया है कि ईमान लाने से पिछले सब गुनाह माफ़ हो जाते हैं इसमें भी बन्दों के हुक़ूक़ की अदायेगी या माफ़ी शर्त है। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया कि हर्फ़ मिन इस जगह ज़ायद है और मुराद यह है कि ईमान लाने से तुम्हारे सब गुनाह माफ़ हो जायेंगे, मगर दूसरी शरई वज़ाहतों और दलीलों की बिना पर उक्त शर्त बहरहाल ज़रूरी है।

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى.

'अजल' के मायने मुद्दत और मुसम्मा से मुराद मुतैयन की हुई। मतलब यह है कि अगर तुम ईमान ले आये तो अल्लाह तआ़ला तुम्हें उस मुद्दत तक दुनिया में मोहलत देगा जो तुम्हारे लिये मुक़र्रर और मुतैयन है, यानी उम्र की तयशुदा मुद्दत से पहले तुम्हें किसी दुनियावी अ़ज़ाब में पकड़ कर हलाक न करेगा। इसका हासिल यह हुआ कि अगर ईमान न लाये तो यह भी मुम्किन है कि मुक़र्ररा मुद्दत से पहले ही तुम पर अ़ज़ाब लाकर हलाक कर दे। मालूम हुआ कि उम्र की मुक़र्ररा मुद्दत में कभी-कभी कोई शर्त होती है कि इसने फ़ुलाँ काम कर लिया तो इसकी उम्र मसलन अस्सी साल होगी और न किया तो साठ साल में मौत मुसल्लत कर दी जायेगी, या मनफ़ी (नकारात्मक) कामों में अल्लाह की नाशुक्री से उम्र घट जाना और शुक्रगुज़ारी से उम्र बढ़ जाना, इसी तरह कुछ आमाल मसलन माँ-बाप की फ़रमाँबरदारी व ख़िदमत से उम्र में तरक़्क़ी होना जो सही हदीसों से साबित है इसका भी यही मतलब है।

इनसान की उम्र में कमी-ज़्यादती की बहस

इसकी वज़ाहत तफ़सीर-ए-मज़हरी में यह है कि अल्लाह की बनाई हुई तक़दीर और क़ज़ा की दो क़िस्में हैं- एक मुब्रम यानी क़तई और निश्चित, दूसरी मुअ़ल्लक़ यानी जो किसी शर्त पर आधारित हो। यानी लौह-ए-महफ़ूज़ में इस तरह लिखा जाता है कि फ़ुलाँ शख़्स ने अगर अल्लाह की इताअ़त की तो उसकी उम्र मसलन सत्तर साल होगी और न की तो पचास साल में मार दिया जायेगा। तक़दीर की इस दूसरी क़िस्म में शर्त न पाये जाने पर तब्दीली हो सकती है। क़ुरआने करीम में इन दोनों क़िस्म की क़ज़ा व तक़दीर का ज़िक्र इस आयत में है:

يَمْحُو اللّٰهُ مَا يَشَآءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهٗٓ اُمُّ الْكِتٰبِ٥

यानी अल्लाह तआ़ला लौह-ए-महफ़ूज़ में मिटाता व लिखता यानी तरमीम व तब्दीली करता रहता है, और अल्लाह के पास है असल किताब। असल किताब से मुराद वह किताब है जिसमें तक़दीरे मुब्रम लिखी हुई है, क्योंकि तक़दीरे मुअ़ल्लक़ में जो शर्त लिखी गयी है अल्लाह तआ़ला को पहले ही से यह भी मालूम है कि वह शख़्स यह शर्त पूरी करेगा या नहीं, इसलिये तक़दीरे मुब्रम में क़तई और आख़िरी फ़ैसला लिखा जाता है।

हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

لا يردّ القضاء الّا الدّعاء ولا يزيد فی العمر الّا البرّ. (رواه الترمذی، تفسیر مظهری)

यानी अल्लाह की बनाई हुई क़ज़ा व तक़दीर को कोई चीज़ सिवाय दुआ के नहीं रोक सकती, और किसी की उम्र में ज़्यादती सिवाय माँ-बाप के साथ नेकी करने के नहीं हो सकती। बिर्र के मायने उनके साथ अच्छा सुलूक है, और मतलब इस हदीस का यही है कि तक़दीरे मुअ़ल्लक़ में इन आमाल की वजह से तब्दीली हो सकती है। ख़ुलासा यह है कि इस आयत में जो 'अ-जलिम् मुसम्मा' तक टालने को उनके ईमान लाने पर मौक़ूफ़ किया है यह उनकी उम्र के बारे में तक़दीरे मुअ़ल्लक़ का बयान है जिसका अल्लाह तआ़ला ने हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को इल्म अ़ता फ़रमा दिया होगा, उसके सबब से उन्होंने अपनी क़ौम को बतलाया कि तुम ईमान लाये तो जो असली उम्र तुम्हारे लिये अल्लाह ने मुक़र्रर फ़रमाई है वहाँ तक तुम्हें मोहलत मिलेगी और किसी दुनियावी अ़ज़ाब के ज़रिये हलाक न किये जाओगे, और अगर ईमान न लाये तो उस असली उम्र से पहले ही ख़ुदा तआ़ला का अ़ज़ाब तुम्हें हलाक कर देगा और आख़िरत का अ़ज़ाब इस सूरत में उसके अ़लावा होगा।

आगे यह भी बतला दिया कि ईमान लाने पर भी हमेशा के लिये मौत से निजात नहीं होगी बल्कि तक़दीरे मुब्रम में जो तुम्हारी उम्र लिखी हुई है उस पर मौत आना ज़रूरी है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने अपनी कामिल हिक्मत से दुनिया के इस जहान को हमेशा रहने वाला नहीं बनाया, यहाँ की हर चीज़ का फ़ना होना हिक्मत का तक़ाज़ा है, इसमें ईमान व इताअ़त और कुफ़्र व नाफ़रमानी से कुछ फ़र्क़ नहीं पड़ताः

إِنَّ أَجَلَ اللّٰهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ

में इसका बयान है। आगे हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम का अपनी क़ौम की इस्लाह व ईमान के लिये लगातार मुख़्तलिफ़ क़िस्म की कोशिशों में लगे रहने का और क़ौम की तरफ़ से उनकी मुख़ालफ़त व झुठलाने का बयान तफ़सील से आया है, और आख़िर में मायूस होकर बददुआ़ करने और पूरी क़ौम के डूबने के अ़ज़ाब में मुब्तला होने का बयान है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को चालीस साल की उम्र में नुबुव्वत अ़ता हुई और क़ुरआनी वज़ाहत के मुताबिक़ उनकी उम्र पचास कम एक हज़ार साल हुई, इस पूरी लम्बी मुद्दत में न कभी अपनी कोशिश को छोड़ा न कभी मायूस हुए, क़ौम की तरफ़ से तरह-तरह की तकलीफ़ें दी गयीं, सब पर सब्र करते रहे।

इमाम ज़ह्हाक की रिवायत से हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल नक़ल किया गया है कि उनकी क़ौम उनको इतना मारती कि वह गिर जाते तो उनको एक कम्बल में लपेटकर मकान में डाल देते थे और यह समझते थे यह मर गये, मगर फिर जब अगले दिन उनको होश आता तो उनको अल्लाह की तरफ़ बुलाते और तब्लीग़ के अ़मल में लग जाते। मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने उबैद बिन अ़मर लैसी से रिवायत किया है कि उनको यह ख़बर पहुँची है कि नूह अ़लैहिस्सलाम की क़ौम उनका गला घोंट देती थी जिससे वह बेहोश हो जाते और जब होश आता तो यह दुआ़ करते थेः

رَبِّ اغْفِرْلِقَوْمِي إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ٥

ऐ मेरे परवर्दिगार! मेरी क़ौम को माफ़ कर दे क्योंकि वे जानते नहीं। उनकी एक नस्ल के ईमान लने से मायूसी हुई तो यह उम्मीद रखते थे कि उनकी औलाद में कोई ईमान ले आयेगा, वह नस्ल भी गुज़र जाती तो तीसरी नस्ल से यही उम्मीद लगाकर अपने ओहदे की ज़िम्मेदारी में मशग़ूल रहते क्योंकि उन नस्लों की उम्रें इतनी लम्बी न थीं जितनी हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम को मोजिज़े के तौर पर अ़ता हुई थी। जब उनकी नस्ल पर नस्ल गुज़रती रही और हर आने वाली नस्ल पिछली से ज़्यादा शरीर और बदतर साबित हुई तो हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपना शिकवा पेश फ़रमाया जिसमें बतलाया कि मैंने उनको रात दिन सामूहिक और व्यक्तिगत, ऐलानिया और खुफ़िया जो-जो तरीक़ा किसी को रास्ते पर लाने का हो सकता है वह सब इख़्तियार किया, कभी अल्लाह के अ़ज़ाब से डराया, कभी जन्नतों की नेमतों की तरग़ीब दिलाई, और यह भी कि ईमान और नेक अ़मल की बरकत से तुम्हें दुनिया में भी फ़राख़ी और ख़ुशहाली नसीब होगी। कभी अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरत की निशानियों को पेश करके समझाया मगर उन्होंने एक न सुनी। दूसरी तरफ़ हक़ तआ़ला ने उनको यह भी बतला दिया कि आपकी पूरी क़ौम में जिसको ईमान लाना था ले आया आगे उनमें कोई ईमान क़ुबूल न करेगाः

اِنَّهٗ لَنْ يُّؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ

का यही मतलब है। उस वक़्त हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम की ज़बान पर बददुआ़ के अलफ़ाज़ आये जिसका आगे ज़िक्र किया गया, जिसके नतीजे में पूरी क़ौम ग़र्क़ व हलाक हो गयी सिवाय मोमिनों के, जिनको एक कश्ती में सवार कर लिया गया था।

क़ौम को समझाने और तंबीह करने के सिलसिले में नूह अ़लैहिस्सलाम ने उनको अल्लाह तआ़ला से इस्तिग़फ़ार करने यानी ईमान लाकर पिछले गुनाहों की माफ़ी माँगने की दावत दी और इसका दुनियावी नफ़ा यह बतलाया किः

يُرْسِلِ السَّمَآءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا وَّيُمْدِدْكُمْ بِاَمْوَالٍ وَّبَنِيْنَ.

इससे अक्सर उलेमा ने दलील पकड़ी है कि गुनाहों से तौबा व इस्तिग़फ़ार से अल्लाह तआ़ला ज़रूरत और मौक़े के मुताबिक़ बारिश बरसा देते हैं, सूखा नहीं पड़ने देते, और इस्तिग़फ़ार से माल व औलाद में बरकत होती है। कहीं अल्लाह की किसी हिक्मत के तक़ाज़े से इसके ख़िलाफ़ भी होता है मगर अल्लाह की आ़म आ़दत व नियम लोगों के साथ यही है कि तौबा व इस्तिग़फ़ार करने और गुनाह व नाफ़रमानी छोड़ने से दुनिया की बलायें भी टल जाती हैं। हदीस की रिवायतों से भी इसकी ताईद होती है।

اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللّٰهُ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا٥ وَّجَعَلَ الْقَمَرَ فِيْهِنَّ نُوْرًا.

इस आयत में तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) और अल्लाह की क़ुदरत की दलीलों के सिलसिले में सात आसमानों का एक दूसरे के ऊपर-तले होना और फिर उनमें

चाँद का नूर होना इरशाद हुआ है, जिसमें लफ़्ज़ फ़ीहिन्-न (उनमें) से ज़ाहिरन यह समझा जाता है कि चाँद आसमानों के जिस्म व ढाँचे के अन्दर दाख़िल है, आजकल की नई खोजों व अनुभवों से इसके ख़िलाफ़ यह समझ में आता है कि चाँद आसमानों से बहुत नीचे आसमानी फ़िज़ा में है जिसको आजकल ख़ला (स्पेस और अंतरिक्ष) कहा जाता है, इसकी तफ़सीली तहक़ीक़ सूरः फ़ुरक़ान की आयतः

جَعَلَ فِي السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ۝

की तफ़सीर में गुज़र चुकी है, उसको देख लिया जाये।

क़ौम के शिकवे के सिलसिले में फ़रमायाः

وَمَكَرُوْا مَكْرًا كُبَّارًا ۝

कुब्बार अकबर का मुबालग़ा है, जिसके मायने बहुत बड़े के हैं। मतलब यह है कि उन्होंने बहुत बड़ा मक्र व फ़रेब किया, वह यह था कि ख़ुद तो झुठलाकर तकलीफ़ें पहुँचाते ही थे, बस्ती के गुण्डों और शरीरों को भी उनके पीछे डाल देते थे। इसी शिकवे में काफ़िरों का यह क़ौल नक़ल फ़रमाया कि उन्होंने आपस में समझौता किया किः

لَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ۝

यानी अपने बुतों को ख़ास तौर पर इन पाँच बड़े बुतों की इबादत को न छोड़ो, ये पाँच नाम हैं पाँच बुतों के।

इमाम बग़वी रह. ने नक़ल किया है कि ये पाँचों दर असल अल्लाह के नेक व सालेह बन्दे थे जो आदम अ़लैहिस्सलाम और नूह अ़लैहिस्सलाम के बीच के ज़माने में गुज़रे थे, इनके बहुत से लोग मोतक़िद और पैरवी करने वाले थे, उन लोगों ने इनकी वफ़ात के बाद भी एक लम्बे समय तक इन्हीं के नक़्शे क़दम पर इबादत और अल्लाह के अहकाम की इताअ़त जारी रखी। कुछ अ़रसे के बाद शैतान ने उनको समझाया कि तुम अपने जिन बुज़ुर्गों के ताबे होकर इबादत करते हो अगर उनकी तसवीरें बनाकर सामने रखा करो तो तुम्हारी इबादत बड़ी मुकम्मल हो जायेगी, दिल का लगना और सुकून हासिल होगा। ये लोग इस फ़रेब में आ गये, उनके मुजस्समे (मूर्तियाँ) बनाकर इबादत की जगह में रखने और उनको देखकर बुज़ुर्गों की याद ताज़ा हो जाने से एक ख़ास कैफ़ियत महसूस करने लगे, यहाँ तक कि इसी हाल में ये सब लोग एक के बाद एक मर गये और बिल्कुल नई नस्ल ने उनकी जगह ले ली तो शैतान ने उनको यह पढ़ाया कि तुम्हारे बुज़ुर्गों के ख़ुदा और माबूद भी बुत थे, वे इन्हीं की इबादत किया करते थे, यहाँ से बुत परस्ती शुरू हो गयी और इन पाँच बुतों की बड़ाई उनके दिलों में चूँकि सबसे ज़्यादा बैठी हुई थी इसलिये आपस के अ़हद व समझौते में इनका नाम ख़ास तौर से लिया गया।

وَلَا تَزِدِ الظّٰلِمِيْنَ اِلَّا ضَلٰلًا ۝

यानी उन ज़ालिमों की गुमराही और बढ़ा दीजिये। यहाँ यह शुब्हा न किया जाये कि

अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का मक़ाम और मन्सबी फ़र्ज़ क़ौम को हिदायत करने का है, नूह अ़लैहिस्सलाम ने उनकी गुमराही की बददुआ़ कैसे की। क्योंकि हक़ीक़त यह है कि नूह अ़लैहिस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने इसकी तो ख़बर दे दी थी कि अब इनमें कोई मुसलमान नहीं होगा इसलिये उनका गुमराही और कुफ़्र पर मरना तो यक़ीनी था, हज़रत नूह अ़लैहिस्सलाम ने उनकी गुमराही बढ़ा देने की दुआ़ इसलिये फ़रमाई कि जल्द उनके गुनाहों का पैमाना भर जाये और हलाक कर दिये जायें।

مِمَّا خَطِيْٓـٰٔتِهِمْ اُغْرِقُوْا فَاُدْخِلُوْا نَارًا.

यानी ये लोग अपनी ख़ताओं यानी कुफ़्र व शिर्क की वजह से पानी में ग़र्क़ किये गये तो ये आग में दाख़िल हो गये। यह एक दूसरे के विपरीत अ़ज़ाब कि डूबे पाने में और निकले आग में, हक़ तआ़ला की क़ुदरत से क्या बईद और मुश्किल है, और ज़ाहिर है कि यहाँ जहन्नम की आग तो मुराद नहीं क्योंकि उसमें दाख़िला तो क़ियामत के हिसाब-किताब के बाद होगा, यह बर्ज़ख़ की आग है जिसमें दाख़िल होने की क़ुरआने करीम ने ख़बर दी है।

क़ब्र में अ़ज़ाब होना क़ुरआन से साबित है

इस आयत से मालूम हुआ कि आ़लमे बर्ज़ख़ यानी क़ब्र में रहने के ज़माने में भी मुर्दों पर अ़ज़ाब होगा। इससे यह भी ज़ाहिर है कि जब क़ब्र में बुरे आमाल वाले को अ़ज़ाब होगा तो नेक अ़मल वालों को सवाब और नेमत भी मिलेगी। सही और मुतवातिर हदीसों में क़ब्र के अन्दर अ़ज़ाब व सवाब होने का बयान इस कसरत और वज़ाहत से आया है कि इनकार नहीं किया जा सकता, इसलिये इस पर उम्मत का इजमा (इत्तिफ़ाक़ व सहमति) और इसका इक़रार अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त होने की निशानी है।

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः नूह की तफ़सीर आज रजब की 8 तारीख़ सन् 1391 हिजरी बुध की रात में पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः नूह की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-जिन्न

सूरः अल्-जिन्न मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 28 आयतें और 2 रुकूअ हैं।

اٰیَاتُهَا ۲۸ ﴿۷۲﴾ سُوْرَةُ الْجِنِّ مَكِّیَّةٌ ﴿۴۰﴾ رُكُوْعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قُلْ اُوْحِیَ اِلَیَّ اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْٓا اِنَّا سَمِعْنَا قُرْاٰنًا عَجَبًا ﴿۱﴾ یَّهْدِیْٓ اِلَی الرُّشْدِ
فَاٰمَنَّا بِهٖ ؕ وَلَنْ نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ اَحَدًا ﴿۲﴾ وَّاَنَّهٗ تَعٰلٰی جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَّلَا وَلَدًا ﴿۳﴾
وَّاَنَّهٗ كَانَ یَقُوْلُ سَفِیْهُنَا عَلَی اللّٰهِ شَطَطًا ﴿۴﴾ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَی اللّٰهِ
كَذِبًا ﴿۵﴾ وَّاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا ﴿۶﴾ وَّاَنَّهُمْ ظَنُّوْا
كَمَا ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ یَّبْعَثَ اللّٰهُ اَحَدًا ﴿۷﴾ وَّاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِیْدًا وَّشُهُبًا ﴿۸﴾
وَّاَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ؕ فَمَنْ یَّسْتَمِعِ الْاٰنَ یَجِدْ لَهٗ شِهَابًا رَّصَدًا ﴿۹﴾ وَّاَنَّا لَا
نَدْرِیْٓ اَشَرٌّ اُرِیْدَ بِمَنْ فِی الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ﴿۱۰﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الصّٰلِحُوْنَ وَمِنَّا دُوْنَ
ذٰلِكَ ؕ كُنَّا طَرَآئِقَ قِدَدًا ﴿۱۱﴾ وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ نُّعْجِزَ اللّٰهَ فِی الْاَرْضِ وَلَنْ نُّعْجِزَهٗ هَرَبًا ﴿۱۲﴾ وَّاَنَّا
لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدٰۤی اٰمَنَّا بِهٖ ؕ فَمَنْ یُّؤْمِنْۢ بِرَبِّهٖ فَلَا یَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ﴿۱۳﴾ وَّاَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُوْنَ
وَمِنَّا الْقٰسِطُوْنَ ؕ فَمَنْ اَسْلَمَ فَاُولٰٓئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ﴿۱۴﴾ وَاَمَّا الْقٰسِطُوْنَ فَكَانُوْا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿۱۵﴾
وَّاَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوْا عَلَی الطَّرِیْقَةِ لَاَسْقَیْنٰهُمْ مَّآءً غَدَقًا ﴿۱۶﴾ لِّنَفْتِنَهُمْ فِیْهِ ؕ وَمَنْ یُّعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهٖ
یَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا ﴿۱۷﴾ وَّاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ﴿۱۸﴾ وَّاَنَّهٗ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللّٰهِ
یَدْعُوْهُ كَادُوْا یَكُوْنُوْنَ عَلَیْهِ لِبَدًا ﴿۱۹﴾ قُلْ اِنَّمَآ اَدْعُوْا رَبِّیْ وَلَآ اُشْرِكُ بِهٖٓ اَحَدًا ﴿۲۰﴾ قُلْ اِنِّیْ
لَآ اَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَّلَا رَشَدًا ﴿۲۱﴾ قُلْ اِنِّیْ لَنْ یُّجِیْرَنِیْ مِنَ اللّٰهِ اَحَدٌ ۙ وَّلَنْ اَجِدَ مِنْ دُوْنِهٖ
مُلْتَحَدًا ﴿۲۲﴾ اِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِسٰلٰتِهٖ ؕ وَمَنْ یَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ
فِیْهَآ اَبَدًا ﴿۲۳﴾ حَتّٰۤی اِذَا رَاَوْا مَا یُوْعَدُوْنَ فَسَیَعْلَمُوْنَ مَنْ اَضْعَفُ نَاصِرًا وَّاَقَلُّ عَدَدًا ﴿۲۴﴾ قُلْ اِنْ
اَدْرِیْٓ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْٓ اَمَدًا ﴿۲۵﴾ عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖٓ

اَحَدًا ۝ اِلَّا مَنِ ارْتَضٰى مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْۢ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا ۝ لِّيَعْلَمَ اَنْ قَدْ اَبْلَغُوْا رِسٰلٰتِ رَبِّهِمْ وَاَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

क़ुल् ऊहि-य इलय्-य अन्नहुस्त-म-अ न-फ़रुम् मिनल्-जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समिअ्ना क़ुर्आनन् अ-जबा (1) यह्दी इलर्-रुश्दि फ़-आमन्ना बिही, व लन्नुश्रि-क बिरब्बिना अ-हदा (2) व अन्नहू तआला जद्दु रब्बिना मत्त-ख़-ज़ साहि-बतंव्-व ला व-लदा (3) व अन्नहू का-न यक़ूलु सफ़ीहुना अ़लल्लाहि श-तता (4) व अन्ना ज़नन्ना अल्-लन् तक़ूलल्-इन्सु वल्जिन्नु अ़लल्लाहि कज़िबा (5) व अन्नहू का-न रिजालुम् मिनल्-इन्सि यअ़ूज़ू-न बिरिजालिम् मिनल्-जिन्नि फ़ज़ादूहुम् र-हक़ा (6) व अन्नहुम् ज़न्नू कमा ज़नन्तुम् अल्लंय्यब्-अ़सल्लाहु अ-हदा (7) व अन्ना ल-मस्नस्समा-अ फ़-वजद्नाहा मुलिअत् ह-रसन् शदीदंव्-व शुहुबा (8) व अन्ना कुन्ना नक़्अुदु मिन्हा मक़ाअि-द लिस्सम्अि, फ़-मंय्-

तू कह मुझको हुक्म आया कि सुन गये कितने लोग जिन्नों के फिर कहने लगे हमने सुना है एक अ़जीब क़ुरआन (1) कि सुझाता है नेक राह, सो हम उस पर यक़ीन लाये और हरगिज़ न शरीक बतलायेंगे हम अपने रब का किसी को (2) और यह कि ऊँची है शान हमारे रब की, नहीं रखी उसने बीवी न बेटा (3) और यह कि हम में का बेवक़ूफ़ अल्लाह पर बढ़ाकर बातें कहा करता था (4) और यह कि हमको ख़्याल था कि हरगिज़ न बोलेंगे आदमी और जिन्न अल्लाह पर झूठ (5) और यह कि थे कितने मर्द आदमियों में के पनाह पकड़ते थे कितने मर्दों की जिन्नों में के, फिर तो वे और ज़्यादा सर चढ़ने लगे (6) और यह कि उनको भी ख़्याल था जैसे तुमको ख़्याल था कि हरगिज़ न उठायेगा अल्लाह किसी को (7) और यह कि हमने टटोल देखा आसमान को फिर पाया उसको भर रहे हैं उसमें सख़्त चौकीदार और अंगारे (8) और यह कि हम बैठा करते थे ठिकानों में सुनने

यस्तमिअिल्-आ-न यजिद् लहू शिहाबर्-र-सदा (9) व अन्ना ला नद्री अ-शर्रुन् उरी-द बिमन् फ़िल्अर्ज़ि अम् अरा-द बिहिम् रब्बुहुम् र-शदा (10) व अन्ना मिन्नस्सालिहू-न व मिन्ना दू-न ज़ालि-क कुन्ना तराइ-क़ कि़-ददा (11) व अन्ना ज़नन्ना अल्-लन् नुअ्जिज़ल्ला-ह फ़िल्अर्ज़ि व लन् नुअ्जि-ज़हू ह-रबा (12) व अन्ना लम्मा समिअ्नल्-हुदा आमन्ना बिही, फ़-मंय्युअ्मिम् बिरब्बिही फ़ला यख़ाफ़ु बख़्संव्-व ला र-हक़ा (13) व अन्ना मिन्नल्-मुस्लिमू-न व मिन्नल्-क़ासितू-न, फ़-मन् अस्ल-म फ़-उलाइ-क त-हर्रौ र-शदा (14) व अम्मल्-क़ासितू-न फ़कानू लि-जहन्न-म ह-तबा (15) व अल्लविस्तक़ामू अ़लत्तारी-क़ति ल-अस्क़ैनाहुम् माअन् ग़-दक़ा (16) लिनफ़्ति-नहुम् फ़ीहि, व मंय्युअ्रिज़् अ़न् ज़िक्रि रब्बिही यस्लुक्हु अ़ज़ाबन् स-अ़दा (17) व अन्नल्-मसाजि-द लिल्लाहि फ़ला तद्अ़ू मअ़ल्लाहि अ-हदा (18) व अन्नहू लम्मा क़ा-म

के वास्ते, फिर जो कोई अब सुनना चाहे वह पाये अपने वास्ते एक अंगारा घात में (9) और यह कि हम नहीं जानते कि बुरा इरादा ठहरा है ज़मीन के रहने वालों पर या चाहा है उनके हक़ में उनके रब ने राह पर लाना (10) और यह कि कोई हम में नेक हैं और कोई उसके सिवा, हम थे कई राह पर फटे हुए (11) और यह कि हमारे ख़्याल में आ गया कि हम छुप न जायेंगे अल्लाह से ज़मीन में और न थका देंगे उसको भागकर (12) और यह कि जब हमने सुन ली राह की बात तो हमने उसको मान लिया, फिर जो कोई यक़ीन लायेगा अपने रब पर सो वह न डरेगा नुक़सान से और न ज़बरदस्ती से (13) और यह कि कुछ हम में हुक्म मानने वाले हैं और कुछ हैं बेइन्साफ़, सो जो लोग हुक्म में आ गये सो उन्होंने अटकल कर लिया नेक राह को (14) और जो बेइन्साफ़ हैं वे हुए दोज़ख़ के ईंधन (15) और यह हुक्म आया कि अगर लोग सीधे रहते राह पर तो हम पिलाते उनको पानी भरकर (16) ताकि उनको जाँचें उसमें, और जो कोई मुँह मोड़े अपने रब की याद से वह डाल देगा उसको चढ़ते अ़ज़ाब में (17) और यह कि मस्जिदें अल्लाह की याद के वास्ते हैं सो मत पुकारो अल्लाह के साथ किसी को (18) और यह कि

अ़ब्दुल्लाहि यद्अूहु कादू यकूनू-न अ़लैहि लि-बदा (19) ❁ क़ुल् इन्नमा अद्अू रब्बी व ला उश्रिकु बिही अ-हदा (20) क़ुल् इन्नी ला अम्लिकु लकुम् ज़र्रंव्-व ला र-शदा (21) क़ुल् इन्नी लंय्युजी-रनी मिनल्लाहि अ-हदुंव्-व लन् अजि-द मिन् दूनिही मुल्त-हदा (22) इल्ला बलाग़म् मिनल्लाहि व रिसालातिही, व मंय्यअ़सिल्ला-ह व रसूलहू फ़-इन्-न लहू ना-र जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदा (23) हत्ता इज़ा रऔ मा यू-अ़दू-न फ़-सयअ़्लमू-न मन् अज़्अ़फ़ु नासिरंव्-व अक़ल्लु अ़-ददा (24) क़ुल् इन् अदूरी अ-क़रीबुम्-मा तू-अ़दू-न अम् यज्अ़लु लहू रब्बी अ-मदा (25) आ़लिमुल्-ग़ैबि फ़ला युज़्हिरु अ़ला ग़ैबिही अ-हदा (26) इल्ला मनिर्तज़ा मिर्रसूलिन् फ़-इन्नहू यस्लुकु मिम्-बैनि यदैहि व मिन् ख़ल्फ़िही र-सदा (27) लियअ़्ल-म अन् क़द् अब्लग़ू रिसालाति रब्बिहिम् व अहा-त बिमा लदैहिम् व अह्सा कुल्-ल शैइन् अ़-ददा (28) ❁

जब खड़ा हो अल्लाह का बन्दा कि उसको पुकारे, लोगों का बंधने लगता है उस पर ठठ (यानी जमघटा) (19) ❁ तू कह मैं तो पुकारता हूँ बस अपने रब को और शरीक नहीं करता उसका किसी को। (20) तू कह मेरे इख़्तियार में नहीं तुम्हारा बुरा और न राह पर लाना (21) तू कह मुझको न बचायेगा अल्लाह के हाथ से कोई और, न पाऊँगा उसके सिवा कहीं सरक रहने को जगह (22) मगर पहुँचाना है अल्लाह की तरफ़ से और उसके पैग़ाम लाने, और जो कोई हुक्म न माने अल्लाह का और उसके रसूल का सो उसके लिये आग है दोज़ख़ की, रहा करें उसमें हमेशा। (23) यहाँ तक कि जब देखेंगे जो कुछ उनसे वायदा हुआ तब जान लेंगे किसके मददगार कमज़ोर हैं और गिनती में थोड़े। (24) तू कह मैं नहीं जानता कि नज़दीक है जिस चीज़ का तुम से वायदा हुआ है या कर दे उसको मेरा रब एक मुद्दत के बाद (25) जानने वाला भेद का, सो नहीं ख़बर देता अपने भेद की किसी को (26) मगर जो पसन्द कर लिया किसी रसूल को तो वह चलाता है उसके आगे और पीछे चौकीदार (27) ताकि जाने कि उन्होंने पहुँचाये पैग़ाम अपने रब के और क़ाबू में रखा है जो उनके पास है, और गिन ली है हर चीज़ की गिनती। (28) ❁

इन आयतों के उतरने का मौक़ा व सबब

आयतों की तफ़सीर से पहले चन्द वाक़िआत जानने के क़ाबिल हैं जिनकी ज़रूरत तफ़सीर में पेश आयेगी।

पहला वाक़िआ

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने (यानी नुबुव्वत) से पहले शयातीन आसमान तक पहुँचकर फ़रिश्तों की बातें सुनते थे, आपकी नुबुव्वत के बाद उनको 'शिहाबे साक़िब' के ज़रिये इस सुनने से रोक दिया गया और इसी घटना की तहक़ीक़ के सिलसिले में ये जिन्नात आप तक पहुँचे जैसा कि सूरः अहक़ाफ़ में गुज़र चुका है।

दूसरा वाक़िआ

ज़माना-ए-जाहिलीयत (यानी इस्लाम से पहले ज़माने) में आ़दत थी कि जब किसी जंगल या वादी में सफ़र के दौरान ठहरने की नौबत आती तो इस एतिक़ाद से कि जिन्नात के सरदार हमारी हिफ़ाज़त करेंगे ये अलफ़ाज़ कहा करते थेः

اعوذ بعزیز ھذا الوادی من شر سفھاء قومه.

यानी मैं इस जंगल के सरदार की पनाह लेता हूँ उसकी क़ौम के बेवक़ूफ़ शरीर लोगों से।

तीसरा वाक़िआ

मक्का मुकर्रमा में आपकी बद्दुआ़ से सूखा पड़ा था और कई साल तक रहा।

चौथा वाक़िआ

जब आपने इस्लाम की दावत देनी शुरू की तो मुख़ालिफ़ काफ़िरों का आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ख़िलाफ़ हुजूम और घेरा हुआ करता था। पहले दो वाक़िए तफ़सीर दुर्रे मन्सूर से और आख़िरी दो तफ़सीर इब्ने कसीर से लिये गये हैं।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उन लोगों से) कहिये कि मेरे पास इस बात की वही आई है कि जिन्नात में से एक जमाअ़त ने क़ुरआन सुना, फिर (अपनी क़ौम में वापस जाकर) उन्होंने कहा कि हमने एक अ़जीब क़ुरआन सुना है जो सही रास्ता बतलाता है, सो हम तो उस पर ईमान ले आये। (क़ुरआन होना तो उसके मज़मून से मालूम हुआ और अ़जीब होना इससे कि इनसानों के कलाम जैसा नहीं) और हम (अब) अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएँगे। (यह बयान है आमन्ना बिही का) और (उन्होंने इन मज़ामीन का भी आपस में तज़किरा किया जो आगे आये हैं, और यह भी बयान किया कि) हमारे परवर्दिगार की बड़ी शान है, उसने न किसी को बीवी बनाया और न औलाद (क्योंकि ऐसा होना अ़क़्लन असंभव है। यह बयान है लन्-नुश्रि-क का)।

और हम में जो अहमक़ हुए हैं वे अल्लाह की शान में हद से बढ़ी हुई बातें कहते थे। और हमारा (पहले) यह ख़्याल था कि इनसान और जिन्नात कभी ख़ुदा की शान में झूठ बात न कहेंगे (क्योंकि बड़ी बेबाकी की बात है, इसमें अपने मुश्रिक होने की वजह बयान की, कि चूँकि अक्सर जिन्नात व इनसान शिर्क करते थे, हम समझे कि ख़ुदा की शान में इतने शख़्सों ने झूठ पर इत्तिफ़ाक़ न किया होगा, बस हमने भी उसी तरीक़े को इख़्तियार कर लिया हालाँकि सिर्फ़ लोगों का किसी बात पर इत्तिफ़ाक़ कर लेना न उसके हक़ होने की दलील है और न हर इत्तिफ़ाक़ की पैरवी करना कोई उज़्र और बहाना है, और जिस शिर्क का बयान हुआ यह तो आ़म और सब में पाया जाता था) और (एक शिर्क ख़ास था बाज़े आदमियों के साथ जिससे जिन्नात का कुफ़्र और बढ़ गया था, वह यह कि) बहुत-से लोग आदमियों में ऐसे थे कि वे जिन्नात में से बाज़े लोगों की पनाह लिया करते थे। सो उन आदमियों ने उन जिन्नात का दिमाग़ और ख़राब कर दिया (कि वे इस वहम में मुब्तला हो गये कि हम जिन्नात के सरदार तो पहले से थे अब आदमी भी हमको ऐसा बड़ा समझते हैं बस इससे बद-दिमाग़ी बढ़ी और कुफ़्र व दुश्मनी पर और ज़्यादा अड़ गये। यहाँ तक का मज़्मून तौहीद से मुताल्लिक़ था)।

और (आगे मरने के बाद ज़िन्दा होने यानी क़ियामत के मुताल्लिक़ है, यानी उन जिन्नात ने आपस में यह भी तज़किरा किया कि) जैसा कि तुमने ख़्याल कर रखा था वैसा ही आदमियों ने भी ख़्याल कर रखा था कि अल्लाह तआ़ला किसी को दोबारा ज़िन्दा न करेगा (मगर यह मज़्मून भी ग़लत साबित हुआ, और दोबारा ज़िन्दा होने का हक़ होना मालूम हुआ)। और (आगे रिसालत के मुताल्लिक़ मज़्मून है, यानी उन जिन्नात ने आपस में यह भी तज़किरा किया कि) हमने (अपनी पुरानी आ़दत के अनुसार) आसमान (की ख़बरों) की तलाशी लेना चाहा सो हमने उसको सख़्त पहरों (यानी मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों) और शोलों से (कि जिनके ज़रिये से हिफ़ाज़त की जाती है) भरा हुआ पाया। (यानी अब पहरा हो गया कि कोई जिन्न आसमानी ख़बर न ले जाने पाये, और जो जाये **शिहाब-ए-साक़िब** से मारा जाये) और (इससे पहले) हम आसमान (की ख़बरें सुनने) के मौक़ों में (ख़बर) सुनने के लिये जा बैठा करते थे (और ये मौक़े व स्थान चाहे आसमान के हिस्से ही के हों, या हवा के हिस्से या किसी और ख़ाली व भरी जगह के हों जो कि आसमान के क़रीब हों, और जिन्नात अपने जिस्मों के लतीफ़ होने और भारी न होने की वजह से उस पर जा बैठते हों जैसे बाज़े परिन्दे हवा में चलते-चलते ठहर जाते हैं) सो जो कोई अब सुनना चाहता है तो अपने लिये एक शोला तैयार पाता है।

(**शिहाब-ए-साक़िब** के बारे में जो तहक़ीक़ व बहस है वह सूरः हिज्र के रुकूअ़ नम्बर 2 में गुज़री है। यह मज़्मून रिसालत के मुताल्लिक़ है, मतलब यह कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अल्लाह तआ़ला ने रिसालत व पैग़म्बरी दी है और इस सिलसिले में शक व वहम को दूर करने के लिये कहानत के दरवाज़े को बन्द कर दिया है, और जिन्नात के ज़रिये इस ख़बरों के चोरी करने का बन्द होना ही सबब हुआ उन जिन्नात के आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँचने का, जैसा कि ऊपर वाक़िआ़ नम्बर एक में बयान हुआ है)।

और (आगे ऊपर ज़िक्र हुए मज़ामीन के पूरक और उनको मुकम्मल करने वाले आख़िरी हिस्से हैं, कि) हम नहीं जानते कि (इन नये पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के भेजने से) ज़मीन वालों को कोई तकलीफ़ पहुँचाना मक़सूद है या उनके रब ने उनको हिदायत देने का इरादा फ़रमाया है। (यानी रसूलों के भेजने का क़ुदरती मक़सद मालूम नहीं, क्योंकि रसूल की पैरवी करने से हिदायत व रहनुमाई हासिल होती है और मुख़ालफ़त से नुक़सान व सज़ा, और आगे की पैरवी और मुख़ालफ़त का हमको इल्म नहीं, इसलिये हम यह नहीं जानते कि उनके भेजने से क़ौम को सज़ा देना मक़सद है या हिदायत देना। यह शायद इसलिये कहा कि उनको अपनी क़ौम का अन्दाज़ा था कि ईमान लाने वाले कम होंगे और वे सज़ा के मुस्तहिक़ हो जायेंगे और साथ ही इल्म-ए-ग़ैब की नफ़ी से तौहीद के मज़मून को प्रबलता व मज़बूती देना, कि देखो बाज़े लोग इल्मे ग़ैब को जिन्नात की तरफ़ निस्बत करते हैं मगर उनको इतनी भी ख़बर नहीं) और हम में (पहले से भी) बाज़े नेक (होते आये) हैं और बाज़े और तरह के (होते आये) हैं, (ग़र्ज़ कि) हम विभिन्न और अलग-अलग तरीक़ों पर थे। (इसी तरह इन नबी की ख़बर सुनकर अब भी हम में दोनों तरीक़े के लोग मौजूद हैं) और (हमारा तरीक़ा तो यह है कि) हमने समझ लिया है कि हम ज़मीन (के किसी हिस्से) में (जाकर) अल्लाह तआ़ला को हरा नहीं सकते और न (और कहीं) भागकर उसको हरा सकते हैं (भागने से मुराद ज़मीन के अ़लावा आसमान वग़ैरह में भाग जाना है जो 'ज़मीन में' के मुक़ाबले से मालूम होता है जैसा कि एक दूसरी जगह पर इसी अन्दाज़ से अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

مَآ اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ.

शायद इससे भी मक़सद डराना हो, कि अगर कुफ़्र करेंगे तो ख़ुदा तआ़ला के अ़ज़ाब से बच नहीं सकते, और अपने पहले मुख़्तलिफ़ तरीक़ों के बयान करने से शायद यह मक़सद हो कि हक़ के खुलकर सामने आ जाने के बावजूद बाज़ों का ईमान न लाना हक़ के हक़ होने में कोई शुब्हा पैदा नहीं कर सकता, क्योंकि यह तो हमेशा से होता आया है) और हमने जब हिदायत की बात सुन ली तो हमने उसका यक़ीन कर लिया, सो (हमारी तरह) जो शख़्स अपने रब पर ईमान ले आयेगा तो उसको न किसी कमी का अन्देशा होगा और न ज़्यादती का (कमी यह कि उसकी कोई नेकी लिखने से रह जाये, और ज़्यादती यह कि कोई गुनाह ज़्यादा लिख लिया जाये, इससे मक़सद शायद ईमान लाने की तरफ़ रग़बत दिलाना हो)।

और हम में बाज़े तो (यही डराने और रुचि व तरग़ीब दिलाने के मज़ामीन को समझकर) मुसलमान (हो गये) हैं और बाज़े हम में (पहले की तरह बदस्तूर) बेराह हैं। सो जो शख़्स मुसलमान हो गया उन्होंने तो भलाई का रास्ता ढूँढ लिया (जिस पर सवाब मुरत्तब होगा) और जो बेराह हैं दोज़ख़ के ईंधन हैं। (यहाँ तक जिन्नात का कलाम ख़त्म हो गया) और (आगे "ऊहि-य इलय्-य" के दूसरे मामूलात हैं, यानी मुझ पर अल्लाह की तरफ़ से ये मज़ामीन भी नाज़िल हुए हैं कि) अगर ये (मक्का वाले) लोग (सीधे) रास्ते पर क़ायम हो जाते तो हम इनको

फ़राग़त के पानी से सैराब करते, ताकि उसमें इनका इम्तिहान करें (कि नेमत का शुक्र अदा करते हैं या नाशुक्री व नाफ़रमानी करते हैं। मतलब यह कि अगर मक्का वाले शिर्क न करते जिसकी बुराई ऊपर जिन्नात के कलाम के तहत में आ चुकी है तो उन पर क़हत "सूखा" मुसल्लत न होता जैसा कि ऊपर वाक़िआ नम्बर 3 में बयान हुआ है, मगर उन्होंने बजाय ईमान लाने के मुँह मोड़ा और विमुख हुए इसलिये सूखे के अज़ाब में मुब्तला हुए) और (कुफ़्र की सज़ा में मक्का वालों की ही कुछ तख़्सीस नहीं बल्कि) जो शख़्स अपने परवर्दिगार की याद (यानी ईमान व फ़रमाँबरदारी) से मुँह मोड़ेगा अल्लाह तआ़ला उसको सख़्त अज़ाब में मुब्तला करेगा।

और (उन वही के ज़रिये आये मज़मूनों में से एक यह है कि) जितने सज्दे हैं वो सब अल्लाह का हक़ हैं (यानी यह जायज़ नहीं कि कोई सज्दा अल्लाह को किया जाये और कोई सज्दा ग़ैरुल्लाह को जैसा कि मुश्रिक लोग करते थे) सो अल्लाह तआ़ला के साथ किसी की इबादत मत करो (इस मज़मून में भी तौहीद की तक़रीर है जिसका ऊपर ज़िक्र था)। और (उन वही के ज़रिये आये मज़ामीन में से एक यह है कि) जब ख़ुदा का ख़ास बन्दा (मुराद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं) ख़ुदा की इबादत करने खड़ा होता है तो ये (काफ़िर) लोग उस बन्दे पर भीड़ लगाने को हो जाते हैं।

(यानी ताज्जुब व दुश्मनी से हर शख़्स इस तरह देखता है जैसे अब हमला करने के लिये भीड़ लगने वाली है। यह भी तौहीद के मज़मून का पूरक है, क्योंकि इसमें मुश्रिक लोगों की निंदा है कि तौहीद "अल्लाह को एक मानने" से उनको दुश्मनी और नफ़रत है। आगे इस ताज्जुब और दुश्मनी के बारे में जवाब देने के लिये आपको इरशाद है, यानी) आप (उनसे) कह दीजिये कि मैं तो सिर्फ़ अपने परवर्दिगार की इबादत करता हूँ और उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता (सो यह कोई ताज्जुब और दुश्मनी की बात नहीं)।

(यह सारा मज़मून तौहीद से संबन्धित था, आगे रिसालत के मुताल्लिक़ मज़मून है कि) आप (यह भी) कह दीजिये कि मैं तुम्हारे न किसी नुक़सान का इख़्तियार रखता हूँ और न किसी भलाई का (यानी तुम जो ऐसी फ़रमाईश करते हो कि अगर आप रसूल हैं तो हम पर अज़ाब नाज़िल कर दें तो इसका जवाब यह है कि यह मेरे इख़्तियार में नहीं, और इसी तरह जो लोग यह कहते हैं कि एक तरह हम आपको रसूल मान लें कि आप तौहीद व क़ुरआन के मज़ामीन में कुछ रद्दोबदल और कमी-बेशी कर दें, तो इसके जवाब में) आप कह दीजिये कि (अगर ख़ुदा न करे मैं ऐसा करूँ तो) मुझको ख़ुदा (के ग़ज़ब) से कोई नहीं बचा सकता, और न मैं उसके सिवा कोई पनाह (की जगह) पा सकता हूँ। (मतलब यह कि न ख़ुद कोई मेरा बचाने वाला होगा और न मेरी तलाश से मिल सकेगा। काफ़िरों की ऐसी बातें जिनमें अ़ज़ाब के जल्दी व फ़ौरन लाने और क़ुरआन व दीने इस्लाम में रद्दोबदल करने का ज़िक्र है, क़ुरआन में अनेक जगह बयान हुई हैं)।

(ऊपर 'ला अम्लिकु लकुम् ज़र्रंव्-व ला र-शदा' में नफ़ा व नुक़सान पहुँचाने के इख़्तियार की नफ़ी फ़रमाई आगे अपना अल्लाह का रसूल होना साबित फ़रमाते हैं, कि नफ़े व नुक़सान का मालिक होना तो नुबुव्वत की शर्त और उसके लिये अनिवार्य चीज़ नहीं, इसका तो इनकार है)

लेकिन ख़ुदा की तरफ़ से पहुँचाना और उसके पैग़ामों का अदा करना यह मेरा काम है। (आगे तौहीद व रिसालत दोनों के मुताल्लिक़ मज़मून है कि) और जो लोग अल्लाह और उसके रसूल का कहना नहीं मानते तो यक़ीनन उन लोगों के लिये दोज़ख़ की आग है जिसमें वे हमेशा-हमेशा रहेंगे। (मगर काफ़िर लोग इस वक़्त इन मज़ामीन से मुतास्सिर नहीं होते बल्कि उल्टा मुसलमानों को ज़लील व हक़ीर समझते हैं और कहते हैं:

اَیُّ الْفَرِیْقَیْنِ خَیْرٌ مَّقَامًا وَّاَحْسَنُ نَدِیًّا

और यह अपनी इस जहालत से बाज़ न आयेंगे) यहाँ तक कि जब उस चीज़ को देख लेंगे जिसका इनसे वायदा किया जाता है उस वक़्त जानेंगे कि किसके मददगार कमज़ोर हैं और किसकी जमाअ़त कम है (यानी काफ़िर ही ऐसे होंगे जिनके कोई काम न आयेगा। पस जमाअ़त से मुराद फ़रमाँबरदार जमाअ़त है। 'नासिरन्' में बड़े नफ़ा देने वाले की नफ़ी हो गयी और 'अ़ददन्' में कम व मामूली नफ़ा देने वाले की)।

(आगे क़ियामत के मुताल्लिक़ कलाम है कि ये लोग क़ियामत का वक़्त इनकार के तौर पर मालूम करते हैं तो) आप (इनसे) कह दीजिये कि मुझको मालूम नहीं कि जिस चीज़ का तुमसे वायदा किया जाता है क्या वह जल्द ही (आने वाली) है या मेरे परवर्दिगार ने उसके लिये कोई दूर की मुद्दत मुक़र्रर कर रखी है, (लेकिन हर हाल में वह आयेगी ज़रूर। रहा निर्धारित तौर पर उसका इल्म सो वह पूरी तरह ग़ैब है, और) ग़ैब का जानने वाला वही है, सो (जिस ग़ैब पर किसी को मुत्तला करना मस्लेहत नहीं होता) वह अपने (ऐसे) ग़ैब पर किसी को मुत्तला "यानी बाख़बर" नहीं करता (और क़ियामत के आने का निर्धारित इल्म ऐसा ही है कि इस पर किसी को मुत्तला करने में कोई मस्लेहत नहीं, क्योंकि वह नुबुव्वत से संबन्धित उलूम का हिस्सा नहीं जिनके हासिल करने को अल्लाह की निकटता में दख़ल होता है, पस ऐसे ग़ैब पर किसी को मुत्तला नहीं करता) हाँ मगर अपने किसी मक़बूल और चुने हुए पैग़म्बर को (अगर किसी ऐसे इल्म पर मुत्तला करना चाहता है जो कि नुबुव्वत के उलूम में से हो, चाहे नुबुव्वत को साबित करने वाला हो जैसे भविष्यवाणियाँ चाहे नुबुव्वत से संबन्धित चीज़ों में से हो जैसे अहकाम का इल्म) तो (इस तरह इत्तिला देता है कि) उस पैग़म्बर के आगे और पीछे (यानी वही के वक़्त तमाम दिशाओं में) हिफ़ाज़त करने वाले फ़रिश्ते भेज देता है (ताकि वहाँ शयातीन का गुज़र न हो जो कि **वही** को फ़रिश्ते से सुनकर और किसी से जा कहें, या किसी वस्वसे वग़ैरह को दिल में डाल सकें, चुनाँचे हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये ऐसे पहरेदार फ़रिश्ते चार थे जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में इसका बयान है)।

(और यह इन्तिज़ाम इसलिये किया जाता है) ताकि (ज़ाहिरी तौर पर) अल्लाह तआ़ला को मालूम हो जाये कि उन फ़रिश्तों ने अपने परवर्दिगार के पैग़ाम (रसूल तक हिफ़ाज़त से) पहुँचा दिये (और इसमें किसी का दख़ल व तसर्रुफ़ नहीं हुआ। और पहुँचाने वाला तो सिर्फ़ वही वाला फ़रिश्ता है लेकिन साथ होने की वजह से रसद यानी मुहाफ़िज़ फ़रिश्तों की तरफ़ भी इस काम

की निस्बत कर दी)। और अल्लाह तआ़ला उन (पहरेदारों) के तमाम हालात का इहाता किए हुए है (इसलिये पहरेदार ऐसे मुक़र्रर किये गये हैं जो इस काम के पूरे-पूरे अहल हैं) और उसको हर चीज़ की गिनती मालूम है (पस वही के सब हिस्से व अंश एक-एक करके उसको मालूम हैं। और वह सब की पूरी हिफ़ाज़त करता है। मक़ाम का हासिल यह कि क़ियामत का निर्धारित इल्म नुबुव्वत के उलूम में से नहीं इसलिये इसका इल्म न होना नुबुव्वत के विरुद्ध नहीं, अलबत्ता नुबुव्वत के उलूम अ़ता किये जाते हैं और उनमें किसी शुब्हे और ख़ता का गुमान नहीं होता, तो ऐसे उलूम से तुम फ़ायदा उठाओ और बाक़ी की ज़ायद चीज़ों की खोद-कुरेद छोड़ दो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ.

लफ़्ज़ नफ़र तीन से दस तक अ़दद के लिये बोला जाता है। जिन जिन्नात का यहाँ ज़िक्र है रिवायत यह है कि ये नौ हज़रात थे नसीबीन के रहने वाले।

जिन्नात की हक़ीक़त

जिन्न अल्लाह की मख़्लूक़ात में एक ऐसी मख़्लूक़ का नाम है जो जिस्मों वाले भी हैं, रूह वाले भी और इनसान की तरह अ़क्ल व शऊर वाले भी, मगर लोगों की नज़रों से छुपे हुए हैं, इसी लिये इनका नाम जिन्न रखा गया, कि जिन्न के लफ़्ज़ी मायने छुपे हुए के हैं। उनकी तख़्लीक़ (पैदाईश) का ग़ालिब माद्दा आग है, जैसे इनसान की तख़्लीक़ का ग़ालिब माद्दा मिट्टी है। इस जाति में भी इनसान की तरह नर व मादा यानी मर्द व औरत हैं और इनसान ही की तरह इनमें बच्चों की पैदाईश और नस्ल आगे बढ़ने का सिलसिला भी है। और ज़ाहिर यह है कि क़ुरआन में जिनको शयातीन कहा गया है वह भी जिन्नात ही में से शरीर लोगों का नाम है। जिन्नात और फ़रिश्तों का वजूद क़ुरआन व सुन्नत की यक़ीनी व क़तई दलीलों से साबित है जिसका इनकार कुफ़्र है। (तफ़सीरे मज़हरी)

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ.

इससे मालूम हुआ कि जिन्नात के जिस वाक़िए का यहाँ ज़िक्र है उसमें आपने क़ुरआन सुनने वाले जिन्नात को देखा नहीं था, अल्लाह तआ़ला ने वही के ज़रिये आपको इत्तिला दी।

सूरः जिन्न नाज़िल होने के वाक़िए की तफ़सील

सही बुख़ारी, मुस्लिम और तिर्मिज़ी वग़ैरह में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि (इस वाक़िए में) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिन्नात को इरादा करके क़ुरआन सुनाया नहीं बल्कि उनको देखा भी नहीं, वाक़िआ़ यह पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने कुछ सहाबा किराम के साथ उकाज़ बाज़ार की तरफ़ जा रहे थे और यह वाक़िआ़ उस वक़्त का है जबकि शयातीन को आसमान की ख़बरें सुनने से शिहाबे

साक़िब (शैतानों का पीछा करने वाले तारे) के ज़रिये रोक दिया गया था। जिन्नात ने आपस में मश्विरा किया कि यह हादसा जो हम पर आसमानी ख़बरों से रोक दिये जाने का पेश आया है यह कोई इत्तिफ़ाक़ी बात मालूम नहीं होती, दुनिया में कोई नई चीज़ पेश आई है जो इसका सबब हुई, और यह तय किया कि ज़मीन के पूरब व पश्चिम और हर दिशा में जिन्नात के वफ़्द (जमाअ़तें और गिरोह) जायें और इसकी तहक़ीक़ करके आयें कि यह नई चीज़ क्या पेश आई है। उनका जो वफ़्द तिहामा हिजाज़ की तरफ़ भेजा गया था वे नख़ला के स्थान पर पहुँचे तो वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम अपने सहाबा-ए-किराम के साथ सुबह की नमाज़ जमाअ़त से अदा कर रहे थे।

जिन्नात के इस वफ़्द ने जब क़ुरआन सुना तो क़समें खाकर आपस में कहने लगे कि वल्लाह यही कलाम है जो हमारे और आसमानी ख़बरों के दरमियान रोक और बाधा बना है। ये लोग यहाँ से लौटे और जाकर अपनी क़ौम से यह क़िस्सा बयान किया जिसका ज़िक्र इन आयतों में है:

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا................ الآية.

अल्लाह तआ़ला ने इस सारे वाक़िए की ख़बर अपने रसूल को इन आयतों में दे दी।

अबू तालिब की वफ़ात और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का तायफ़ का सफ़र

अक्सर मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया है कि अबू तालिब की वफ़ात के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का मुकर्रमा में बेयार व मददगार (बेसहारा) रह गये तो आपने बिल्कुल तन्हा तायफ़ का सफ़र किया कि अपनी क़ौम के ज़ुल्मों व अत्याचरों के मुक़ाबले में वहाँ के क़बीला बनू सक़ीफ़ से कुछ मदद और सहयोग हासिल कर सकें। मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तायफ़ पहुँचे तो क़बीला सक़ीफ़ के तीन भाईयों के पास गये जो क़बीले के सरदार और शरीफ़ समझे जाते थे, ये तीन भाई उमैर के बेटे अ़ब्दे या-लैल, सऊद और हबीब थे। इनके घर में एक औ़रत क़ुरैश की थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको इस्लाम की दावत दी और अपनी क़ौम के अत्याचारों व ज़ुल्म ढहाने का ज़िक्र करके उनसे मदद के लिये फ़रमाया। मगर इन तीनों ने बड़ा सख़्त जवाब दिया और आप से और कुछ कलाम नहीं किया।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जब देखा कि क़बीला बनू सक़ीफ़ के यही तीन आदमी ऐसे शरीफ़ समझे जाते थे जिनसे किसी माक़ूल जवाब की उम्मीद थी, इनसे भी मायूसी हो गयी तो आपने उनसे फ़रमाया कि अच्छा अगर आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो कम से कम मेरे आने को मेरी क़ौम पर ज़ाहिर न करना। मक़सद यह था कि उनको ख़बर मिलेगी तो

और ज़्यादा सतायेंगे, मगर इन ज़ालिमों ने यह बात भी न मानी बल्कि अपने क़बीले के बेवक़ूफ़ लोगों और ग़ुलामों को आपके पीछे लगा दिया कि आपको गालियाँ दें और शोर मचायें। उनके शोर व शग़ब से बहुत से और शरीर जमा हो गये। आपने उनके शर से बचने के लिये एक बाग़ में जो उतबा और शैबा दो भाईयों का बाग़ था उसमें पनाह ली और ये दोनों भी उस बाग़ में मौजूद थे। उस वक़्त ये शरीर लोग आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को छोड़कर वापस हुए और आप अंगूरों के बाग़ के साये में बैठ गये। ये दोनों भाई आपको देख रहे थे और यह भी देखा था कि उनकी कौम के बेवक़ूफ़ों के हाथों आपको क्या तकलीफ़ देना और ज़ुल्म करना पेश आया। इसी दरमियान वह क़ुरैशी औरत भी आप से मिली जो उन ज़ालिमों के घर में थी। आपने उससे शिकायत की कि तुम्हारी ससुराल के लोगों ने हमारे साथ क्या मामला किया।

जब उस बाग़ में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कुछ इत्मीनान हासिल हुआ तो आपने अल्लाह जल्ल शानुहू की बारगाह में दुआ़ माँगनी शुरू की, उस दुआ़ के अलफ़ाज़ भी अ़जीब व ग़रीब हैं, किसी और मौक़े पर आप से दुआ़ के ऐसे अलफ़ाज़ मन्क़ूल नहीं। वह दुआ़ यह है:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْٓ اَشْكُوْٓا اِلَيْكَ ضُعْفَ قُوَّتِیْ وَقِلَّةَ حِيْلَتِیْ وَهَوَانِیْ عَلَى النَّاسِ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَاَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ فَاَنْتَ رَبِّیْٓ اِلٰى مَنْ تَكِلُنِیْٓ اِلٰى بَعِيْدٍ يَّتَجَهَّمُنِیْ اَوْ اِلٰى عَدُوٍّ مَّلَّكْتَهٗ اَمْرِیْ اِنْ لَّمْ تَكُنْ سَاخِطًا عَلَیَّ فَلَآ اُبَالِیْ وَلٰكِنْ عَافِيَتُكَ هِیَ اَوْسَعُ لِیْ. اَعُوْذُ بِنُوْرِ وَجْهِكَ الَّذِیْٓ اَشْرَقَتْ لَهُ الظُّلُمَاتُ وَصَلُحَ عَلَيْهِ اَمْرُ الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ مِنْ اَنْ تُنْزِلَ لِیْ غَضَبَكَ لَكَ الْعُتْبٰى حَتّٰى تَرْضٰى وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ. (مظهری باختصار)

"या अल्लाह मैं आप से शिकायत करता हूँ अपनी क़ुव्वत की कमज़ोरी और कमी की और अपनी तदबीर की नाकामी की और लोगों की नज़रों में अपने हल्का होने व बेक़द्री की, और आप तो सब रहम करने वालों से ज़्यादा रहम करने वाले हैं और आप कमज़ोरों की परवरिश फ़रमाने वाले हैं, आप ही मेरे रब हैं, आप मुझे किसके सुपुर्द करते हैं, क्या एक ग़ैर-आदमी के जो मुझ पर हमला करे या किसी दुश्मन के जिसको आपने मेरे मामले का मालिक बना दिया है (कि जो चाहे करे)। अगर आप मुझ पर नाराज़ न हों तो मुझे इन सब चीज़ों की भी परवाह नहीं लेकिन आपकी आ़फ़ियत मेरे लिये ज़्यादा बेहतर है (उसको तलब करता हूँ)। मैं आपकी मुबारक ज़ात के नूर की पनाह लेता हूँ जिससे तमाम अंधेरियाँ रोशन हो जाती हैं और उसकी बिना पर दुनिया व आख़िरत के सब काम दुरुस्त हो जाते हैं, इस बात से कि मुझ पर अपना ग़ज़ब नाज़िल फ़रमायें, हमारा काम ही यह है कि आपको राज़ी करने और मनाने में लगे रहें जब तक कि आप राज़ी न हो जायें, और हम तो किसी बुराई से बच सकते नहीं न किसी भलाई को हासिल कर सकते हैं सिवाय आपकी मदद के।

(तफ़सीरे मज़हरी, संक्षिप्तता के साथ)

जब रबीआ़ के दोनों बेटों उतबा और शैबा ने यह हाल देखा तो उनके दिल में रहम आया

और अ़द्दास नाम के अपने एक ईसाई ग़ुलाम को बुलाकर कहा कि अंगूर का एक ख़ोशा (गुच्छा) लो और एक तबाक़ में रखकर उस शख़्स के पास ले जाओ, और उनसे कहो यह खायें। अ़द्दास ने ऐसा ही किया, उसने जाकर अंगूर का यह तबाक़ आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने रख दिया। आपने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसकी तरफ़ हाथ बढ़ाया। अ़द्दास यह देख रहा था, कहने लगा वल्लाह यह कलाम यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो इस शहर के लोग नहीं बोलते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उससे पूछा अ़द्दास तुम कहाँ के रहने वाले हो और तुम्हारा क्या मज़हब है? उसने कहा मैं ईसाई हूँ और नेनवा का रहने वाला हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अच्छा तो अल्लाह के नेक बन्दे यूनुस बिन मत्ता अ़लैहिस्सलाम की बस्ती के रहने वाले हो। उसने कहा कि आपको यूनुस बिन मत्ता की क्या ख़बर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि वह मेरे भाई हैं क्योंकि वह भी अल्लाह के नबी थे मैं भी नबी हूँ।

यह सुनकर अ़द्दास आपके क़दमों पर गिर पड़ा और आपके सर मुबारक और हाथों पाँवों को चूम लिया। उतबा और शैबा यह माजरा देख रहे थे, एक ने दूसरे से कहा कि उसने हमारे ग़ुलाम को तो ख़राब कर दिया। जब अ़द्दास लौटकर उनके पास गया तो उन्होंने कहा कि अ़द्दास तुझे क्या हुआ कि उस शख़्स के हाथ-पाँव को बोसा देने लगा? उसने कहा कि मेरे सरदारो! इस वक़्त ज़मीन पर इससे बेहतर कोई आदमी नहीं। इसने मुझे एक ऐसी बात बतलाई जो नबी के सिवा कोई नहीं बतला सकता। उन्होंने कहा कमबख़्त ऐसा न हो कि यह आदमी तुझे तेरे मज़हब से फेर दे, क्योंकि तेरा दीन बहरहाल उसके दीन से बेहतर है।

इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तायफ़ से मक्का मुकर्रमा की तरफ़ लौट गये जबकि सक़ीफ़ की हर ख़ैर से मायूस हो गये। वापसी में आपने नख़ला के मक़ाम पर क़ियाम फ़रमाया और रात के आख़िरी हिस्से में तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने लगे तो मुल्क यमन नसीबीन के जिन्नात का यह वफ़्द भी वहाँ पहुँचा हुआ था, इसने क़ुरआन सुना और सुनकर ईमान ले आये और अपनी क़ौम की तरफ़ वापस जाकर वाक़िआ बतलाया जिसका ज़िक्र अल्लाह तआ़ला ने ऊपर दर्ज हुई आयतों में नाज़िल फ़रमाया।

एक जिन्न सहाबी का वाक़िआ

इमाम इब्ने जौज़ी रह. ने 'किताबुस्सफ़्वा' में अपनी सनद के साथ हज़रत सहल बिन अ़ब्दुल्लाह से नक़ल किया कि उन्होंने एक मक़ाम पर एक बूढ़े जिन्न को देखा कि बैतुल्लाह की तरफ़ नमाज़ पढ़ रहा है और ऊन का जुब्बा पहने हुए था जिस पर बड़ी रौनक़ मालूम होती थी। नमाज़ से फ़ारिग़ होने के बाद हज़रत सहल कहते हैं कि मैंने उनको सलाम किया और उन्होंने सलाम का जवाब देकर बतलाया कि तुम इस जुब्बे की रौनक़ से ताज्जुब कर रहे हो, यह जुब्बा सात सौ साल से मेरे बदन पर है, इसी जुब्बे में मैंने हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम से मुलाक़ात की, फिर इसी जुब्बे में मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ज़ियारत की और मैं उन

जिन्नात में से हूँ जिनके बारे में सूरः जिन्न नाज़िल हुई है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और हदीस की रिवायतों में जो लैलतुल-जिन्न का वाक़िआ बयान हुआ है जिसमें हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु आपके साथ थे उसमें आपका जिन्नात को तब्लीग़ व दावत के इरादे से मक्का मुकर्रमा के क़रीब जंगल में जाना और क़ुरआन सुनाना मन्क़ूल है, वह बज़ाहिर इस वाक़िए के बाद का क़िस्सा है जिसका ज़िक्र सूरः जिन्न में आया है।

और अ़ल्लामा ख़फ़ाजी रह. ने फ़रमाया कि मोतबर हदीसों से साबित होता है कि जिन्नात के वफ़्द (जमाअ़तें और गिरोह) नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में छह मर्तबा हाज़िर हुए हैं इसलिये इन दोनों बातों में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं कि सूरः जिन्न वाले वाक़िए में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जिन्नात के आने और क़ुरआन सुनने की ख़बर भी न थी जब तक वही के ज़रिये आपको बतलाया न गया, और यह कि यह वाक़िआ मक़ाम नख़्ला का और तायफ़ से वापसी के वक़्त का है। और दूसरी रिवायतें जिनसे मालूम होता है कि शहर मक्का के क़रीब ही के जंगल में आप इरादा करके इसी काम के लिये तशरीफ़ ले गये कि जिन्नात को इस्लाम की दावत दें और क़ुरआन सुनायें यह उसके बाद पेश आया। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاَنَّهٗ تَعٰلٰى جَدُّ رَبِّنَا.

जद्द के मायने शान के हैं, हक़ तआ़ला के लिये बोला जाता है- तआ़ला जद्दुहू यानी बुलन्द व बाला है उसकी शान। यहाँ जद्दुहू की ज़मीर लौटाने के बजाय लफ़्ज़ रब्ब इज़हार करने वाला रख दिया गया जिसमें इस शान के बुलन्द होने की दलील भी आ गयी, क्योंकि जो ज़ात मख़्लूक़ की परवर्दिगार है उसका सब मख़्लूक़ से बुलन्द शान वाला होना ज़ाहिर है।

وَاَنَّهٗ كَانَ يَقُوْلُ سَفِيْهُنَا عَلَى اللّٰهِ شَطَطًاO وَّاَنَّا ظَنَنَّآ اَنْ لَّنْ تَقُوْلَ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًاO

लफ़्ज़ **शतत्** के मायने ऐसे क़ौल के आते हैं जो अ़क़्ल से दूर हो, और ज़ुल्म व ज़्यादती के मायने भी आते हैं। मुराद यह है कि ईमान लाने वाले जिन्नात ने अब तक शिर्क व कुफ़्र में मुब्तला रहने का उज़्र यह बयान किया कि हमारी क़ौम के बेवक़ूफ़ लोग अल्लाह तआ़ला की शान में बिना सर पैर की बातें कहा करते और हमें यह गुमान न था कि कोई इनसान या जिन्न अल्लाह की तरफ़ झूठी बात की निस्बत कर सकता है, इसलिये उन बेवक़ूफ़ों की बातों में आकर आज तक हम कुफ़्र व शिर्क में मुब्तला थे, अब क़ुरआन सुना तो हक़ीक़त खुली।

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًاO

इस आयत में मोमिन जिन्नात ने यह बयान किया है कि जाहिलीयत के लोग जब किसी जंगल में ठहरा करते तो उस जंगल के जिन्नात की पनाह माँगते थे। इससे जिन्नात यह समझ बैठे कि हम तो इनसान से भी अफ़ज़ल हैं कि इनसान भी हमारी पनाह लेता है। इस बात ने जिन्नात की गुमराही में और इज़ाफ़ा कर दिया।

जिन्नात के हज़रत राफ़ेअ़ बिन उमैर का इस्लाम लाना

तफ़सीरे मज़हरी में है कि 'हवातिफ़ुल-जिन्न' में सनद के साथ हज़रत सईद बिन जुबैर रह. से यह नक़ल किया है कि हज़रत राफ़ेअ़ बिन उमैर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपने इस्लाम क़ुबूल करने का एक वाक़िआ़ यह बतलाया है कि मैं एक रात एक रेगिस्तान में सफ़र कर रहा था, अचानक मुझ पर नींद का ग़लबा हुआ, मैं अपनी ऊँटनी से उतरा और सो गया और सोने से पहले मैंने अपनी क़ौम की आ़दत के मुताबिक़ ये अलफ़ाज़ कह लियेः

انی اعوذ بعظم ھذا الوادی من الجنّ.

यानी मैं पनाह लेता हूँ इस जंगल के जिन्नात के सरदार की।

मैंने ख़्वाब में देखा कि एक शख़्स के हाथ में एक हथियार है, उसको वह मेरी ऊँटनी के सीने पर रखना चाहता है, मैं घबराकर उठा और दायें-बायें देखा कुछ न पाया तो मैंने दिल में कहा कि यह शैतानी ख़्याल है, ख़्वाब असली नहीं, और फिर सो गया और बिल्कुल ग़ाफ़िल हो गया तो फिर वही ख़्वाब देखा, फिर मैं उठा और अपनी ऊँटनी के चारों तरफ़ फिरा कुछ न पाया मगर ऊँटनी को देखा कि वह काँप रही है। मैं फिर जाकर अपनी जगह सो गया तो फिर वही ख़्वाब देखा, मैं जागा तो देखा कि मेरी ऊँटनी तड़प रही है और फिर देखा कि एक नौजवान है जिसके हाथ में हथियार है, यह वही शख़्स था जिसको ख़्वाब में ऊँटनी पर हमला करते देखा था, और साथ ही यह देखा कि एक बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ रखा है जो ऊँटनी पर हमला करने से उसको रोक रहा है। इसी अ़रसे में तीन गोरख़र (गधे) सामने आ गये तो बूढ़े ने उस नौजवान से कहा इन तीनों में से जिसको तो पसन्द करे वह ले ले और इस इनसान की ऊँटनी को छोड़ दे। वह जवान एक गोरख़र लेकर रुख़्सत हो गया। फिर उस बूढ़े ने मेरी तरफ़ देखकर कहा कि ऐ बेवक़ूफ़! जब तू किसी जंगल में ठहरे और वहाँ के जिन्नात व शयातीन से ख़तरा हो तो यह कहा करः

اعوذ باللہ رَبِّ محمّد من ھول ھذا الوادی.

यानी मैं पनाह पकड़ता हूँ रब्बे मुहम्मद की इस जंगल के ख़ौफ़ और शर से। और किसी जिन्न से पनाह न माँगा कर। क्योंकि वह ज़माना चला गया जब इनसान जिन्नों की पनाह लेता था। मैंने उससे पूछा कि वह कौन हैं। उसने कहा कि यह नबी-ए-अ़रबी सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हैं, न पूरबी न पश्चिमी, पीर के दिन यह भेजे गये हैं। मैंने पूछा कि यह कहाँ रहते हैं? उसने बतलाया कि वह यसरिब में रहते हैं जो खजूरों की बस्ती है। मैंने सुबह होते ही मदीने का रास्ता लिया और सवारी को तेज़ चलाया यहाँ तक कि मदीना-ए-तय्यिबा पहुँच गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने मुझे देखा तो मेरा सारा वाक़िआ़ मुझे सुना दिया इससे पहले कि मैं आपसे कुछ ज़िक्र करूँ और मुझे इस्लाम की दावत दी, मैं मुसलमान हो गया।

सईद बिन जुबैर रह. इस वाक़िए को नक़ल करके फ़रमाते थे कि हमारे नज़दीक इसी मामले के मुताल्लिक़ क़ुरआन में यह आयत नाज़िल हुई हैः

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ۔

وَاَنَّا لَمَسْنَا السَّمَآءَ فَوَجَدْنٰهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيْدًا وَّشُهُبًا۝

लफ़्ज़ समाउन् अ़रबी लुग़त में जिस तरह आसमान के लिये बोला जाता है इसी तरह बादल पर भी लफ़्ज़ समाउन का आ़म हुक्म होना परिचित है। यहाँ समाउन् से मुराद बज़ाहिर यही बादल है।

जिन्नात आसमानी ख़बरें सुनने के लिये सिर्फ़ बादलों तक जाते थे आसमान तक नहीं

जिन्नात व शयातीन का आसमानी ख़बरें सुनने के लिये आसमान तक जाने का मतलब यही है कि बादलों तक जाते थे और वहाँ से आसमानी ख़बरें सुनते थे। और दलील इसकी हज़रत सिद्दीका आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की हदीस है जो सही बुख़ारी में इन अलफ़ाज़ के साथ आई है:

قالت سمعتُ رسولَ الله صلّى الله عليه وسلّم يقول ان الملآئكة تنزل في العَنَان وهو السحاب فتذكر الامر الذى قضى فى السماء فَتَسْتَرِق الشّياطين السمع فتسمعه فتوجّه الى الكُهّان فيكذبون معها مائة كذبة من عند انفسهم. (مظهرى)

"हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि फ़रिश्ते अ़नाने समा में उतरते हैं जिसके मायने बादल के हैं, वहाँ वे उन फ़ैसलों का तज़किरा करते हैं जो अल्लाह तआ़ला ने आसमान में जारी फ़रमाये हैं। यहाँ से शयातीन ये ख़बरें चुराते हैं और सुनकर काहिनों के पास लाते हैं और उसमें अपनी तरफ़ से सौ झूठ मिलाकर उनको बताते हैं।" (तफ़सीरे मज़हरी)

और सही बुख़ारी ही में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से और मुस्लिम में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से जो यह मालूम होता है कि यह वाक़िआ़ असल आसमानों में पेश आता है कि जब अल्लाह तआ़ला कोई हुक्म आसमान में जारी फ़रमाते हैं तो सब फ़रिश्ते इताअ़त व फ़रमाँबरदारी की ग़र्ज़ से अपने पर मारते हैं और जब क़लाम ख़त्म हो जाता है तो आपस में तज़किरा करते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या फ़रमाया। उस तज़किरे को आसमानी ख़बरें चुराने वाले शयातीन सुन लेते हैं और काहिनों के पास उसमें बहुत से झूठ शामिल करके पहुँचाते हैं।

यह मज़मून हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की मज़कूरा हदीस के ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि इससे यह साबित नहीं होता कि शयातीन आसमानों में जाकर ये ख़बरें चुरा लाते हैं, बल्कि यह हो सकता है कि पहले ये ख़बरें दर्जा-ब-दर्जा (चरणबद्ध तरीक़े से) आसमानों में फ़रिश्तों के अन्दर फैलती हों, फिर फ़रिश्ते अ़नाने समा यानी बादल तक आते और उसका तज़किरा करते

हों, यहाँ से शयातीन ख़बरों की चोरी करते हों जैसा कि हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की हदीस में है। (तफ़सीरे मज़हरी)

बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने से पहले शयातीन का आसमानी ख़बरें सुनकर काहिनों तक पहुँचाने का सिलसिला बग़ैर किसी रुकावट के जारी था, शयातीन बादलों तक पहुँचकर फ़रिश्तों से सुन लिया करते थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के तशरीफ़ लाने (यानी नबी बनने) के वक़्त आपकी आसमानी वही की हिफ़ाज़त के लिये इस सिलसिले को इस तरह बन्द कर दिया गया कि जब कोई शैतान यह ख़बरें सुनने के लिये ऊपर आता तो उसकी तरफ़ शिहाबे साक़िब का अंगारा फेंककर उसको दफ़ा कर दिया जाता है। यही वह नया हादसा था जिसकी शयातीन व जिन्नात को फ़िक्र हुई और सूरतेहाल की तहक़ीक़ के लिये दुनिया के पूरब व पश्चिम में वफ़्द (प्रतिनिधिमण्डल) भेजे, फिर नख़ला के स्थान में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से जिन्नात के एक वफ़्द का क़ुरआन सुनकर ईमान लाना सूरः जिन्न में ज़िक्र फ़रमाया गया।

'शिहाबे साक़िब' हुज़ूरे पाक की नुबुव्वत से पहले भी थे मगर उनके ज़रिये शैतानों को दफ़ा करने का काम आपके ज़माने से हुआ

यहाँ यह शुब्हा हो सकता है कि 'शिहाबे साक़िब' जिसको उर्फ़ में 'सितारा टूटना' या अ़रबी में 'इन्क़िज़ाज़ुल-कौकब' कहते हैं, यह तो दुनिया में पुराने ज़माने से होता आया है, और इस आयत से मालूम होता है कि यह हुज़ूरे पाक के दौर की विशेषता है। जवाब यह है कि शिहाबे साक़िब (टूटने वाले सितारे) का वजूद तो पहले से था चाहे उसकी हक़ीक़त वह हो जो फ़ल्सफ़ी हज़रात बयान करते हैं कि ज़मीन से कुछ आग के माद्दे फ़िज़ा में पहुँचते हैं, वो किसी वक़्त भड़क उठते हैं। या यह हो कि ख़ुद किसी सितारे और सय्यारे (ग्रह) से यह आग का माद्दा निकलता हो, बहरहाल इसका वजूद अगरचे दुनिया की शुरूआ़त से है मगर इस आग के माद्दे से शैतानों को दफ़ा करने का काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से शुरू हुआ। और यह भी ज़रूरी नहीं कि जितने शिहाबे साक़िब नज़र आते हैं सबसे ही यह काम लिया जाता हो। इसकी पूरी तफ़सील सूरः हिज्र की तफ़सीर में गुज़र चुकी है।

اَنَّا لَا نَدْرِیْٓ اَشَرٌّ اُرِيْدَ بِمَنْ فِی الْاَرْضِ اَمْ اَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ٥

यानी जिन्नात व शयातीन को आसमानी ख़बरें सुनने से रोक देना बतौर सज़ा के भी हो सकता है कि ज़मीन वालों को आसमान की ख़बरें न मिला करें, और यह भी हो सकता है कि इससे अल्लाह तआ़ला ने उन लोगों के लिये यह हिदायत का सामान किया हो कि जिन्नात व शयातीन आसमानी वही में कोई ख़लल न डाल सकें।

فَمَنْ يُّؤْمِنْ م بِرَبِّهٖ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَّلَا رَهَقًا ٥

बख़्स के मायने हक़ से कम देने और कम करने के हैं, और रहक़ के मायने हैं ज़िल्लत व

रुस्वाई तारी होना। मुराद यह है कि जो अल्लाह पर ईमान लाता है न उसकी जज़ा में कोई कमी हो सकती है और न आख़िरत में उसको कोई ज़िल्लत व रुस्वाई पेश आ सकती है।

وَاَنَّ الْمَسٰجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا ○

मसाजिद जमा (बहुवचन) है मस्जिद की। यहाँ इसके परिचित व मशहूर मायने भी लिये जा सकते हैं यानी वो इबादत की जगहें जो नमाज़ के लिये वक़्फ़ की जाती हैं और मस्जिद कहलाती हैं, इस सूरत में आयत के मायने यह होंगे कि जब सब मस्जिदें सिर्फ़ अल्लाह की इबादत के लिये बनाई गयी हैं तो तुम मस्जिदों में जाकर अल्लाह के सिवा किसी और को मदद के लिये न पुकारो जिस तरह यहूदी व ईसाई अपनी इबादतगाहों में इस शिर्क का अपराध करते हैं। हासिल इसका मस्जिदों को बुरे अक़ीदों और बातिल आमाल से पाक रखना है।

और यह भी हो सकता है कि मसाजिद **मस्जद** की जमा (बहुवचन) हो जो मस्दरे मीमी है और सज्दे के मायने में आता है, तो आयत के मायने यह होंगे कि जब सज्दे सिर्फ़ अल्लाह के लिये मख़्सूस हैं और जो शख़्स ग़ैरुल्लाह को मदद के लिये पुकारता है गोया वह उसको सज्दा करता है, ग़ैरुल्लाह को सज्दा करने से बचो।

मसलाः- तमाम उम्मत का इस पर इजमा (यानी एक राय) है कि ग़ैरुल्लाह के लिये सज्दा हराम है और बाज़े उलेमा के नज़दीक कुफ़्र है।

قُلْ اِنْ اَدْرِیْٓ اَقَرِیْبٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ اَمْ یَجْعَلُ لَهٗ رَبِّیْٓ اَمَدًا ○ عٰلِمُ الْغَیْبِ.

इन आयतों में से पहली आयत में तो अल्लाह तआला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को यह हुक्म फ़रमाया कि आप इन इनकारी लोगों से जो आपको क़ियामत का निर्धारित वक़्त बतलाने पर मजबूर करते हैं और अड़े हुए हैं यह फ़रमा दीजिये कि क़ियामत का आना और वहाँ जज़ा व सज़ा होना तो यक़ीनी है, लेकिन उसके आने और क़ायम होने की सही तारीख़ और वक़्त को अल्लाह तआला ने किसी को नहीं बतलाया इसलिये मैं नहीं जानता कि वह क़ियामत का दिन क़रीब आ चुका है या मेरा रब उसके लिये कोई दूर की मुद्दत मुक़र्रर कर देगा। दूसरी आयत में इसकी दलील इरशाद फ़रमाईः

عٰلِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْهِرُ عَلٰی غَیْبِهٖٓ اَحَدًا ○

यानी क़ियामत के मुतैयन वक़्त से मेरी बेख़बरी इसलिये है कि मैं आ़लिमुल-ग़ैब नहीं, बल्कि आ़लिमुल-ग़ैब होना सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल-आलमीन की ख़ुसूसी सिफ़त है। इसलिये वह अपने ग़ैब पर किसी को भी ग़ालिब व क़ादिर नहीं बनाता। यहाँ आ़लिमुल-ग़ैब में अल्-ग़ैब का अलिफ़ लाम इस्तिग़राक़े जिन्स के लिये है (जैसा कि रूहुल-मआ़नी में है) यानी ग़ैब के हर फ़र्द और ग़ैब की हर जिन्स का आ़लिम। और 'अ़ला ग़ैबिही' में ग़ैब की निस्बत अल्लाह की तरफ़ करने से भी इसी इस्तिग़राक़ और जामिईयत का इज़्हार मक़सूद है, यानी ग़ैब के हर-हर फ़र्द व जिन्स का इल्म जो अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन की मख़्सूस सिफ़त है उस पर वह किसी को क़ादिर व ग़ालिब नहीं करता कि कोई जिस ग़ैब को चाहे मालूम कर ले।

इस कलाम से मक़सद मुकम्मल और कुल्ली इल्मे ग़ैब जिससे जहान का कोई ज़र्रा छुपा न हो, उसकी ग़ैरुल्लाह से नफ़ी करना और सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला के लिये उसको साबित करना है, लेकिन किसी बेवक़ूफ़ को इससे यह शुब्हा हो सकता था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को किसी भी ग़ैब की चीज़ की ख़बर नहीं तो फिर वह रसूल क्या हुए, क्योंकि रसूल के पास तो अल्लाह तआ़ला हज़ारों ग़ैब की ख़बरें वही के ज़रिये भेजते हैं, और जिसके पास अल्लाह की वही न आये वह नबी व रसूल नहीं कहला सकता। इसलिये आगे आयत में एक हालत व सूरत को अलग रखते हुए इस बेवक़ूफ़ी भरे शुब्हे का जवाब इरशाद फ़रमाया।

इल्मे ग़ैब और ग़ैबी ख़बरों में फ़र्क़

اِلَّا مَنِ ارْتَضٰی مِنْ رَّسُوْلٍ فَاِنَّهٗ یَسْلُكُ مِنْۢ بَیْنِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًاo

इल्मे ग़ैब कुल्ली की नफ़ी से हर ग़ैब की नफ़ी बिना किसी क़ैद के मुराद नहीं, बल्कि नुबुव्वत व रिसालत के मक़ाम के लिये जिस क़द्र इल्मे ग़ैब की ख़बरों और ग़ैब की चीज़ों का इल्म किसी रसूल को देना ज़रूरी है वह उनको अल्लाह की तरफ़ से वही के ज़रिये दे दिया जाता है, और वह ऐसे महफ़ूज़ तरीक़े से दिया जाता है कि जब उन पर अल्लाह की तरफ़ से कोई वही नाज़िल होती है तो उसके हर तरफ़ फ़रिश्तों का पहरा होता है ताकि शयातीन उसमें कोई दख़ल-अन्दाज़ी न कर सकें। इसमें अव्वल तो लफ़्ज़ रसूल से उस ग़ैब की नौईयत (तरीक़ा व अन्दाज़ और क़िस्म) मुतैयन कर दी गयी जिसका इल्म रसूल व नबी को दिया जाता है और वह ज़ाहिर है कि शरीअ़त व अहकाम का मुकम्मल इल्म और ग़ैब की ख़बरें वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक़। उसके बाद जो इल्मे ग़ैब रसूल व नबी को दिया जाता है उसकी नौईयत अगले जुमले से यूँ भी मुतैयन कर दी कि वह फ़रिश्तों के ज़रिये भेजा जाता है और वही लाने वाले फ़रिश्ते के हर तरफ़ दूसरे फ़रिश्तों का पहरा होता है। इससे यह बात वाज़ेह हो गयी कि इल्मे ग़ैब हासिल होने की जिस हालत को अलग करके जिस इल्मे ग़ैब को नबी व रसूल के लिये साबित किया गया है वह कुछ और ख़ास इल्मे ग़ैब है जिसकी ज़रूरत रिसालत के मक़ाम के लिये दरपेश हो।

इससे मालूम हुआ कि ग़ैरुल्लाह (यानी मख़्लूक़) से जिस कुल्ली इल्मे ग़ैब की नफ़ी की गयी, इस अलग की गयी चीज़ में उसको साबित नहीं किया गया बल्कि कुछ दूसरे मख़्सूस ग़ैबी उलूम का सुबूत है जिसको क़ुरआने करीम में जगह-जगह 'अम्बाइल्-ग़ैबि' के अलफ़ाज़ से ताबीर किया है। जैसा कि एक जगह इरशाद है:

تِلْكَ مِنْ اَنْۢبَآءِ الْغَیْبِ نُوْحِیْهَآ اِلَیْكَ.

कुछ नावाक़िफ़ लोग **ग़ैब और अम्बाउल-ग़ैब** (ग़ैब की ख़बरों) में फ़र्क़ नहीं समझते इसलिये वे अम्बिया और ख़ुसूसन ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये कुल्ली इल्मे ग़ैब साबित करते हैं और आपको बिल्कुल अल्लाह तआ़ला की तरह आ़लिमुल-ग़ैब, कायनात के हर-हर ज़र्रे का इल्म रखने वाला कहने लगते हैं जो खुला हुआ शिर्क और रसूल को ख़ुदाई का

दर्जा देना है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा। अगर कोई शख़्स अपना ख़ुफ़िया राज़ किसी अपने दोस्त को बतला दे जो और किसी के इल्म में न हो तो इससे दुनिया में कोई भी उस दोस्त को आ़लिमुल-ग़ैब नहीं कह सकता, इसी तरह अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को हज़ारों ग़ैब की चीज़ों का वही के ज़रिये बतला देना उनको आ़लिमुल-ग़ैब नहीं बना देता। ख़ूब समझ लिया जाये।

जाहिल अ़वाम जो इन दोनों बातों में फ़र्क़ नहीं करते, जब उनके सामने कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम आ़लिमुल-ग़ैब नहीं, वह इसका यह मतलब समझते हैं कि आपको मआ़ज़ल्लाह किसी ग़ैब की चीज़ की ख़बर नहीं जिसका दुनिया में कोई क़ायल नहीं और न हो सकता है, क्योंकि ऐसा होने से तो ख़ुद नुबुव्वत व रिसालत की नफ़ी हो जाती है जिसका किसी मोमिन से इमकान (संभावना) नहीं।

सूरत के आख़िर में फ़रमायाः

وَاَحْصٰى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا۠

यानी अल्लाह तआ़ला ही की ख़ास ज़ात है जिसके इल्म में हर चीज़ के आदाद व शुमार (आँकड़े) हैं। उसको पहाड़ों के अन्दर जितने ज़र्रे हैं उनका भी अ़दद मालूम है, सारी दुनिया के दरियाओं में जितने क़तरे हैं उनका शुमार उसके इल्म में है। हर बारिश के क़तरों और तमाम दुनिया के पेड़ों के पत्तों के आदाद व शुमार (संख्या व गिनती) का उसी को इल्म है। इसमें फिर मुकम्मल इल्मे ग़ैब का हक़ सुब्हानहू व तआ़ला की ज़ात के साथ ख़ास होना वाज़ेह कर दिया कि इल्मे ग़ैब की जिस क़िस्म, मिक़्दार और सूरत को रसूल व नबी के लिये साबित किया गया है उससे किसी को ग़लत-फ़हमी न हो जाये।

मसला इल्मे ग़ैब के मायने और इसके अहकाम सूरः नम्ल की आयतः

قُلْ لَّا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهُ

(सूरः नम्ल आयत 65) के तहत मैं पूरी तहक़ीक़ व तफ़सील के साथ गुज़र चुके हैं वहाँ देख लिया जाये। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह का शुक्र है कि सूरः अल्-जिन्न की तफ़सीर आज रजब की 10 तारीख़ सन् 1391 हिजरी जुमा की रात में पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-जिन्न की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-मुज़्ज़म्मिल

सूरः अल्-मुज़्ज़म्मिल मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 20 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیاتُها ٢٠ (٧٣) سُوْرَةُ الْمُزَّمِّلِ مَكِّيَّةٌ (٣) رُكوعاتُها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰٓاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ۝ قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝ نِّصْفَهٗٓ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ۝ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا ۝ اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا ۝ اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْاً وَّاَقْوَمُ قِيْلًا ۝ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًا ۝ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ۝ وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا ۝ وَذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا ۝ اِنَّ لَدَيْنَآ اَنْكَالًا وَّجَحِيْمًا ۝ وَّطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَّعَذَابًا اَلِيْمًا ۝ يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيْلًا ۝ اِنَّآ اَرْسَلْنَآ اِلَيْكُمْ رَسُوْلًا ۥ شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَآ اَرْسَلْنَآ اِلٰى فِرْعَوْنَ رَسُوْلًا ۝ فَعَصٰى فِرْعَوْنُ الرَّسُوْلَ فَاَخَذْنٰهُ اَخْذًا وَّبِيْلًا ۝ فَكَيْفَ تَتَّقُوْنَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَّجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبًا ۝ السَّمَآءُ مُنْفَطِرٌۢ بِهٖ ۭ كَانَ وَعْدُهٗ مَفْعُوْلًا ۝ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝ اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُوْمُ اَدْنٰى مِنْ ثُلُثَيِ الَّيْلِ وَنِصْفَهٗ وَثُلُثَهٗ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِيْنَ مَعَكَ ۭ وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۭ عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ۭ عَلِمَ اَنْ سَيَكُوْنُ مِنْكُمْ مَّرْضٰى ۙ وَاٰخَرُوْنَ يَضْرِبُوْنَ فِي الْاَرْضِ يَبْتَغُوْنَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ ۙ وَاٰخَرُوْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ڮ فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۙ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا ۭ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا ۭ وَاسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहल्-मुज़्ज़म्मिलु (1) क़ुमिल्लै-ल इल्ला क़लीला (2) निस्फ़हू अविन्क़ुस् मिन्हु क़लीला (3) औ ज़िद् अ़लैहि व रत्तिलिल्-क़ुर्आ-न तर्तीला (4) इन्ना सनुल्क़ी अ़लै-क क़ौलन् सक़ीला (5) इन्-न नाशि-अतल्-लैलि हि-य अशद्दु वत्अंव्-व अक़्वमु क़ीला (6) इन्-न ल-क फ़िन्नहारि सब्हन् तवीला (7) वज़्कुरिस्-म रब्बि-क व त-बत्तल् इलैहि तब्तीला (8) रब्बुल्-मश्रिक़ि वल्-मग़्रिबि ला इला-ह इल्ला हु-व फ़त्तख़िज़्हु वकीला (9) वस्बिर अ़ला मा यक़ूलू-न वह्जुर्हुम् हज्रन् जमीला (10) व ज़र्नी वल्-मुकज़्ज़िबी-न उलिन्नअ़्मति व मह्हिल्हुम् क़लीला (11) इन्-न लदैना अन्कालंव्-व जहीमा (12) व तआ़मन् ज़ा ग़ुस्सतिंव्-व अ़ज़ाबन् अलीमा (13) यौ-म तर्जुफ़ुल्-अर्ज़ु वल्-जिबालु व कानतिल्-जिबालु कसीबम्-महीला (14) इन्ना अर्सल्ना इलैकुम् रसूलन् शाहिदन् अ़लैकुम् कमा अर्सल्ना इला फ़िर्औ़-न रसूला (15) फ़-अ़सा फ़िर्औ़नुर्-रसू-ल फ़-अख़ज़्नाहु

ऐ कपड़े में लिपटने वाले (1) खड़ा रह रात को मगर किसी रात (2) आधी रात या उसमें से कम कर दे थोड़ा सा (3) या ज़्यादा कर उस पर, और खोल-खोलकर पढ़ क़ुरआन को साफ़। (4) हम डालने वाले हैं तुझ पर एक बात वज़न दार (5) अलबत्ता उठना रात को सख़्त रौंदता है और सीधी निकलती है बात (6) बेशक तुझको दिन में शग़ल (मस्रूफ़ियत और काम) रहता है लम्बा (7) और पढ़े जा नाम अपने रब का और छूटकर चला आ उसकी तरफ़ सबसे अलग होकर। (8) मालिक पूरब व पश्चिम का, उसके सिवा किसी की बन्दगी नहीं सो पकड़ ले उस को काम बनाने वाला (9) और सहता रह जो कुछ कहते रहें और छोड़ दे उनको भली तरह का छोड़ना। (10) और छोड़ दे मुझको और झुठलाने वालों को जो आराम में रहे हैं और ढील दे उनको थोड़ी सी (11) बेशक हमारे पास बेड़ियाँ हैं और आग का ढेर (12) और खाना गले में अटकने वाला और दर्दनाक अ़ज़ाब। (13) जिस दिन काँपेगी ज़मीन और पहाड़ और हो जायेंगे पहाड़ रेत के तोदे फिसलते (14) हमने भेजा तुम्हारी तरफ़ रसूल बतलाने वाला तुम्हारी बातों का जैसे भेजा फ़िरऔन के पास रसूल। (15) फिर कहा न माना फ़िरऔन ने रसूल का, फिर

अख़्ज़ंव्-वबीला (16) फ़कै-फ़ तत्तक़ू-न इन् क-फ़र्तुम् यौमंय्-यज्-अ़लुल्-विल्दा-न शीबा (17) अस्समा-उ मुन्फ़तिरुम् बिही, का-न वअ़्दुहू मफ़्अ़ूला (18) इन्-न हाज़िही तज़्कि-रतुन् फ़-मन् शाअत्त-ख़-ज़ इला रब्बिही सबीला (19) ✿

पकड़ी हमने उसको वबाल की पकड़ (16) फिर क्योंकर बचोगे अगर इनकारी हो गये उस दिन से जो कर डाले लड़कों को बूढ़ा (17) आसमान फट जायेगा उस दिन में, उसका वायदा होने वाला है (18) यह तो नसीहत है, फिर जो कोई चाहे बना ले अपने रब की तरफ़ राह। (19) ✿

इन्-न रब्ब-क यअ़्लमु अन्न-क तक़ूमु अद्ना मिन् सुलु-सयिल्लैलि व निस्फ़हू व सुलु-सहू व ताइ-फ़तुम् मिनल्लज़ी-न म-अ़-क, वल्लाहु युक़द्दिरुल्लै-ल वन्नहा-र, अ़लि-म अल्-लन् तुह्सूहु फ़ता-ब अ़लैकुम् फ़क़रऊ मा त-यस्स-र मिनल्-क़ुरआनि, अ़लि-म अन् स-यकूनु मिन्कुम् मर्ज़ा व आ-ख़रू-न यज़्रिबू-न फ़िल्अर्ज़ि यब्तग़ू-न मिन् फ़ज़्लिल्लाहि व आ-ख़रू-न युक़ातिलू-न फ़ी सबीलिल्लाहि फ़क़रऊ मा त-यस्स-र मिन्हु व अक़ीमुस्सला-त व आतुज़्ज़का-त व अक़्रिज़ुल्ला-ह क़र्ज़न् ह-सनन्, व मा तुक़द्दिमू लि-अन्फ़ुसिकुम् मिन् ख़ैरिन् तजिदूहु अ़िन्दल्लाहि हु-व

बेशक तेरा रब जानता है कि तू उठता है नज़दीक दो तिहाई रात के और आधी रात के और तिहाई रात के और कितने लोग तेरे साथ के, और अल्लाह मापता है रात को और दिन को, उसने जाना कि तुम इसको पूरा न कर सकोगे सो तुम पर माफ़ी भेज दी, अब पढ़ो जितना तुमको आसान हो क़ुरआन से, जाना कि कितने होंगे तुम में बीमार और कितने और लोग फिरेंगे मुल्क में ढूँढते अल्लाह के फ़ज़्ल को, और कितने लोग लड़ते होंगे अल्लाह की राह में, सो पढ़ लिया करो जितना आसान हो उसमें से और क़ायम रखो नमाज़ और देते रहो ज़कात, और क़र्ज़ दो अल्लाह को अच्छी तरह पर क़र्ज़ देना, और जो कुछ आगे भेजोगे अपने वास्ते कोई नेकी उसको पाओगे अल्लाह के पास

ख़ैरंव्-व अअ्ज़-म अज्रन्, वस्तग़्फ़िरुल्ला-ह, इन्नल्ला-ह ग़फ़ूरुर्-रहीम (20) ✿	बेहतर और सवाब में ज़्यादा, और माफ़ी माँगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है। (20) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ कपड़ों में लिपटने वाले! (वजह इस उनवान से ख़िताब करने की यह है कि नुबुव्वत के शुरू दौर में क़ुरैश ने दारुन्-नदवा में जमा होकर आपके बारे में मश्विरा किया कि आपकी हालत के मुनासिब कोई लक़ब ''उपनाम'' तजवीज़ करना चाहिये कि उस पर सब मुत्तफ़िक़ रहें। किसी ने कहा कि काहिन (जिन्नात वग़ैरह से मालूम करके ग़ैबी ख़बरे बताने वाले) हैं, इसको दूसरों ने रद्द कर दिया। किसी ने मजनूँ (अक़्ल में फ़ुतूर आ जाने वाला) कहा, फिर इसको भी सब ने ग़लत क़रार दिया। फिर साहिर (जादूगर) कहा, फिर कुछ ने इसको भी रद्द कर दिया लेकिन फिर यही कहने लगे कि साहिर इसलिये हैं कि दोस्त को दोस्त से जुदा कर देते हैं। आपको यह ख़बर पहुँचकर रंज हुआ और रंज की हालत में लिपट गये। अक्सर सोच और रंज में आदमी इस तरह कर लेता है इसलिये आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़ुश करने और लुत्फ़ का इज़्हार करने के लिये इस उनवान से ख़िताब फ़रमाया, जैसा कि हदीस में है कि आपने हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु को अबू तुराब फ़रमाया था। ग़र्ज़ कि आपको ख़िताब है कि इन बातों का रंज न करो बल्कि हक़ तआ़ला की तरफ़ पाबन्दी के साथ और ज़्यादा तवज्जोह रखो इस तरह से कि) रात को (नमाज़ में) खड़े रहा करो, मगर थोड़ी-सी रात (कि उसमें आराम करो) यानी आधी रात (कि उसमें खड़े न रहो बल्कि आराम करो और उस आधे से कम का मिस्दाक़ एक तिहाई है जैसा कि ख़ुद आयत नम्बर 20 में अल्लाह तआ़ला का क़ौल 'सुलु-सहू' इसकी तरफ़ इशारा कर रहा है) या उस आधी से किसी क़द्र कम कर दो या आधी से कुछ बढ़ा दो। (यानी आधी रात से ज़्यादा क़ियाम करो और आधी से कम आराम करो, और इस आधे से ज़्यादा का मिस्दाक़ क़रीब दो तिहाई है जैसा कि आयत नम्बर 20 में अल्लाह तआ़ला का क़ौल 'सुलु-सयिल्लैलि' इस पर दलालत कर रहा है, ग़र्ज़ कि रात में खड़े होना तो वाजिबी हुक्म होने से फ़र्ज़ हुआ मगर खड़ा होने के वक़्त की मिक़्दार में तीन सूरतों में इख़्तियार है- आधी रात, दो तिहाई रात, एक तिहाई रात), और (इस रात के खड़े होने में) क़ुरआन को ख़ूब साफ़-साफ़ पढ़ो (कि एक-एक हर्फ़ अलग-अलग हो, और यही हुक्म नमाज़ के अ़लावा क़ुरआन के पढ़ने में भी है, और यहाँ जो नमाज़ में पढ़ने के साथ ख़ास किया गया तो इसलिये कि यहाँ ज़िक्र नमाज़ का चल रहा है)।

(आगे रात में खड़े होने यानी नमाज़े तहज्जुद के हुक्म की वजह और मस्लेहत का बयान है कि) हम तुम पर एक भारी कलाम डालने को हैं (इससे मुराद क़ुरआन है जो नाज़िल होने के वक़्त भी आपकी हालत को बदल देता था जैसा कि हदीसों में है कि एक बार आप सल्लल्लाहु

अ़लैहि व सल्लम की रान हज़रत ज़ैद बिन साबित की रान पर रखी थी, उस वक़्त वही नाज़िल हुई तो हज़रत ज़ैद बिन साबित की रान फटने लगी। और जब आप वही नाज़िल होने के वक़्त ऊँटनी पर सवार होते तो ऊँटनी गर्दन डाल देती और हरकत न कर सकती, और सख़्त जाड़ों में आप पसीना-पसीना हो जाते। फिर इसके अ़लावा उसका महफ़ूज़ रखना फिर दूसरों तक पहुँचाने में परेशानियाँ बरदाश्त करना इन सब बातों के एतिबार से भारी कहा गया। मक़सद यह है कि रात के खड़े होने को भारी न समझना हम तो इससे भी भारी-भारी काम तुमसे लेने वाले हैं। रात में खड़े होने का हुक्म आपको इसी लिये दिया गया है कि आप मेहनत व मशक़्क़त के आ़दी हों जिससे नफ़्स को ज़्यादा कामिल व मज़बूत करने की तैयारी हो, क्योंकि हम आप पर भारी क़ौल नाज़िल करने वाले हैं तो उसके लिये अपनी इस्तेदाद व सलाहियत का मज़बूत व ताक़तवर करना ज़रूरी है)।

(आगे रात के खड़े होने की दूसरी मस्लेहत का बयान है कि) बेशक रात का उठना ख़ूब असरदार है (नफ़्स के) कुचलने में और (दुआ़ हो या क़ुरआन पढ़ना ज़ाहिरी व बातिनी तौर पर) बात ख़ूब ठीक निकलती है। (ज़ाहिर में तो इस तरह कि फ़ुर्सत का वक़्त होता है, दुआ़ व क़िराअत के अलफ़ाज़ ख़ूब इत्मीनान से अदा होते हैं, और बातिन में इस तरह कि जी ख़ूब लगता है और दिल व ज़बान के मुवाफ़िक़ होने का यही मतलब है, और इसका इल्लत व वजह होना ज़ाहिर है। आगे एक तीसरी वजह है जिसमें रात को ख़ास करने की हिक्मत का बयान है वह यह कि) बेशक तुमको दिन में बहुत काम रहता है (दुनियावी भी जैसे घरेलू कामों और मामलात के इन्तिज़ाम में लगे रहना, और दीनी भी जैसे तब्लीग़, इसलिये इन कामों के लिये रात तजवीज़ की गयी)।

और (रात को खड़े होने के अ़लावा जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ दूसरे वक़्तों में भी) अपने रब का नाम याद करते रहो और सबसे कट करके (यानी ताल्लुक़ ख़त्म करके) उसी की तरफ़ मुतवज्जह रहो (यानी अल्लाह का ज़िक्र व याद और उसकी तरफ़ ध्यान व तवज्जोह यह हर वक़्त का फ़र्ज़ है और ताल्लुक़ ख़त्म करने का मतलब यह है कि ख़ालिक़ का ताल्लुक़ मख़्लूक़ के सब ताल्लुक़ात पर ग़ालिब रहे। आगे तौहीद के साथ उसकी ताकीद और वज़ाहत है यानी) वह पूरब और पश्चिम का मालिक है, उसके सिवा कोई इबादत के क़ाबिल नहीं, तो उसी को अपने काम सुपुर्द कर देने के लिये क़रार दिये रहो। और ये लोग जो बातें करते हैं उन पर सब्र करो, और ख़ूबसूरती के साथ उनसे अलग हो जाओ (अलग होना यह कि कोई ताल्लुक़ न रखो और ख़ूबसूरती से यह कि उनकी शिकायत और बदला लेने की फ़िक्र में मत पड़ो)।

और (आगे उनके अ़ज़ाब की ख़बर देकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली दी गयी है) मुझको और उन झुठलाने वालों और ऐश व आराम में रहने वालों को (मौजूदा हालत पर) छोड़ दो (यानी रहने दो। जैसा कि इसकी तफ़सीर एक दूसरी आयतः

فَذَرْنِىْ وَمَنْ يُّكَذِّبُ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ

में गुज़र चुकी है) और उन लोगों को थोड़े दिनों की और मोहलत दे दो (इससे इशारा सब्र व इन्तिज़ार की तरफ़ है, यानी कुछ दिन और सब्र कर लीजिये जल्द ही उनको सज़ा होने वाली है, क्योंकि) हमारे यहाँ बेड़ियाँ हैं और दोज़ख़ है और गले में फंस जाने वाला खाना है (और इसी तरह का कौल इस आयत में आ चुका है:

يَتَجَرَّعُهٗ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهٗ

और दर्दनाक अज़ाब है (पस उन लोगों को इन चीज़ों से सज़ा दी जायेगी और यह सज़ा उस दिन होगी) जिस दिन कि ज़मीन और पहाड़ हिलने लगेंगे, और पहाड़ (चूरा-चूरा होकर) उड़ने वाली रेत हो जाएँगे (फिर उड़ते फिरेंगे)।

(आगे ऊपर बयान हुए झुठलाने वालों को तवज्जोह दिलाने के तौर पर ख़िताब है जिसमें रिसालत व नुबुव्वत का सुबूत और वईद का इज़हार भी है, यानी) बेशक हमने तुम्हारे पास एक ऐसा रसूल भेजा है जो तुम पर (कियामत के दिन) गवाही देंगे (कि इन लोगों ने तब्लीग़ के बाद क्या बर्ताव किया) जैसा कि हमने फ़िरऔन के पास एक रसूल भेजा था, फिर फ़िरऔन ने उस रसूल का कहना न माना तो हमने उसको बहुत सख़्ती के साथ पकड़ा। सो अगर तुम (भी रसूल के भेजने के बाद नाफ़रमानी और) कुफ़्र करोगे तो (इसी तरह एक दिन तुमको भी मुसीबत भुगतनी पड़ेगी, चुनाँचे वह मुसीबत का दिन आने वाला है, सो तुम) उस दिन (की मुसीबत) से कैसे बचोगे जो (बहुत ही ज़्यादा) सख़्ती और अपने बहुत बड़ा होने से बच्चों को भी बूढ़ा कर देगा, जिसमें आसमान फट जायेगा, बेशक उसका वायदा ज़रूर होकर रहेगा (यह भी गुमान व संभावना नहीं है कि वह वक़्त टल जाये)। यह (तमाम मज़मून) एक (बहुत ही उम्दा) नसीहत है, सो जिसका जी चाहे अपने परवर्दिगार की तरफ़ रास्ता इख़्तियार कर ले (यानी उस तक पहुँचने के लिये दीन का रास्ता क़ुबूल करे)।

(आगे रात के उस खड़े होने "यानी तहज्जुद की नमाज़" की फ़र्ज़ियत ख़त्म व निरस्त होने का बयान है जो सूरत के शुरू में ज़िक्र हुआ था, यानी) आपके रब को मालूम है कि आप और आपके साथ वालों में से बाज़े आदमी (कभी) दो तिहाई रात के क़रीब और (कभी) आधी रात और (कभी) तिहाई रात (नमाज़ में) खड़े रहते हैं, और रात और दिन का पूरा अन्दाज़ा अल्लाह ही कर सकता है, उसको मालूम है कि तुम इस (वक़्त के अन्दाज़े) को ज़ब्त "हिसाब व निगरानी" नहीं कर सकते (और इस वजह से तुमको सख़्त मशक़्क़त होती है, क्योंकि अन्दाज़ से तख़मीना करने में तो शक रहता है कमी का, और अन्दाज़ से ज़्यादा करने में तमाम रात के क़रीब लग जाता है ताकि तयशुदा वक़्त यक़ीनन पूरा हो जाये, और इन दोनों मामलों में सख़्त परेशानी व मशक़्क़त है रूहानी या जिस्मानी) तो (इन वजहों से) उसने तुम्हारे हाल पर इनायत की (और इससे पहले के हुक्म को ख़त्म व निरस्त फ़रमा दिया) सो (अब) तुम लोग जितना क़ुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो (इस क़ुरआन पढ़ने से मुराद तहज्जुद पढ़ना है कि उसमें क़ुरआन पढ़ा जाता है, और यह मामला मुस्तहब दर्जे का है। मतलब यह कि तहज्जुद

की फ़र्ज़ियत "फ़र्ज़ होना" तो ख़त्म हो गयी अब जिस क़द्र वक़्त तक आसान हो मुस्तहब हुक्म के तौर पर अगर चाहो पढ़ लिया करो और रद्द व मन्सूख़ होने की असल वजह व सबब मशक़्क़त है जिस पर 'अ़लि-म अल्लन् तुह्सूहु' का क़रीना है, और इससे पहले का मज़मून उसकी तम्हीद और शुरूआ़ती कलाम है)।

(आगे इसी नस्ख़ "तहज्जुद की फ़र्ज़ियत का हुक्म ख़त्म होने" की दूसरी वजह व सबब का बयान है कि) उसको (यह भी) मालूम है कि बाज़े आदमी तुम में बीमार होंगे और बाज़े आदमी रोज़ी की तलाश के लिये मुल्क में सफ़र करेंगे, और बाज़े अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे (इसलिये भी इस हुक्म को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इन हालतों में तहज्जुद और उसके वक़्तों की पाबन्दी मुश्किल थी) सो (इसलिये भी तुमको इजाज़त है कि अब) तुम लोग जितना क़ुरआन आसानी से पढ़ा जा सके पढ़ लिया करो। और (अगरचे तहज्जुद का हुक्म निरस्त व ख़त्म हो गया मगर ये अहकाम भी बाक़ी हैं, यानी यह कि फ़र्ज़) नमाज़ की पाबन्दी रखो और ज़कात देते रहो (सूरः अल्-मुअ्मिनून के शुरू में इसकी तफ़सीर गुज़र चुकी है)। और अल्लाह तआ़ला को अच्छी तरह (यानी इख़्लास से) क़र्ज़ दो और जो नेक अ़मल अपने लिये आगे (आख़िरत का ज़ख़ीरा बनाकर) भेज दोगे उसको अल्लाह के पास पहुँचकर उससे अच्छा और सवाब में बड़ा पाओगे (यानी दुनियावी मक़ासिद व अग़राज़ में ख़र्च करने से जो बदला और नफ़ा मिलता और सामने आता है उससे बेहतर और बड़ा फ़ायदा ख़ैर के कामों में ख़र्च करने पर मिलेगा), और अल्लाह से गुनाह माफ़ कराते रहो, बेशक अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला, रहम करने वाला है (इस्तिग़फ़ार भी उन्हीं बाक़ी रह जाने वाले अहकाम में से है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

يٰۤاَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ۝

'मुज़्ज़म्मिल' के लफ़्ज़ी मायने हैं अपने ऊपर कपड़े लपेटने वाला। तक़रीबन इसी के जैसे मायनों वाला लफ़्ज़ मुद्दस्सिर है जो अगली सूरत में आ रहा है। इन दोनों सूरतों में रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को एक वक़्ती हालत और मख़्सूस सिफ़त के साथ ख़िताब किया गया है, क्योंकि उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सख़्त ख़ौफ़ व घबराहट के सबब बहुत सर्दी महसूस कर रहे थे इसलिये अपने ऊपर कपड़े डालने के लिये फ़रमाया, ये कपड़े डाल दिये गये तो आप उनमें लिपट गये। इसका वाक़िआ़ बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम फ़तरत-ए-वही के ज़माने का ज़िक्र फ़रमा रहे थे फ़तरत के लफ़्ज़ी मायने सुस्त या बन्द हो जाने के हैं, वाक़िआ़ इसका यह पेश आया था कि सबसे पहले ग़ारे हिरा में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जिब्रीले अमीन नाज़िल हुए और सूरः इक़रा (यानी सूरः अ़लक़) की शुरू की आयतें आपको सुनाईं। यह फ़रिश्ते का उतरना और वही की सख़्ती पहले पहल थी जिसका असर तबई तौर पर

हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम उम्मुल-मोमिनीन हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास तशरीफ़ ले गये, सख़्त सर्दी महसूस कर रहे थे इसलिये फ़रमाया 'ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी' यानी ढाँपो मुझे ढाँपो। इसका लम्बा वाक़िआ विस्तार से सही बुख़ारी के पहले ही बाब में बयान हुआ है। इसके बाद कुछ दिनों तक वही का यह सिलसिला बन्द रहा, उस ज़माने को जिसमें वही का सिलसिला बन्द रहा ज़माना फ़तुरत-ए-वही कहा जाता है।

आपने इस ज़माना-ए-फ़तुरत का ज़िक्र करते हुए फ़रमाया कि एक रोज़ मैं चल रहा था कि अचानक मैंने आवाज़ सुनी तो नज़र आसमान की तरफ़ उठाई, देखता क्या हूँ कि वही फ़रिश्ता जो ग़ारे हिरा में मेरे पास आया था आसमान व ज़मीन के दरमियान रुकी हुई एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मुझे उसको इस हालत व शक्ल में देखकर फिर वही रौब व हैबत की कैफ़ियत तारी हो गयी जो पहली मुलाक़ात के वक़्त हो चुकी थी, मैं वापस अपने घर चला आया और घर वालों से कहा कि मुझे ढाँप दो, इस पर यह आयत नाज़िल हुई 'या अय्युहल् मुद्दस्सिरु'।

इस हदीस में आयत 'या अय्युहल् मुद्दस्सिरु' के नाज़िल होने का ज़िक्र है, हो सकता है कि इसी हालत को बयान करने के लिये 'या अय्युहल् मुज़्ज़म्मिलु' का ख़िताब भी आया हो, और यह भी हो सकता है कि लफ़्ज़ मुज़्ज़म्मिल के लक़ब का वाक़िआ अलग वह हो जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हुआ है।

इस उनवान से ख़िताब करने में एक ख़ास लुत्फ़ व इनायत की तरफ़ इशारा है जैसे मुहब्बत व शफ़क़त में किसी को उसकी वक़्ती हालत के उनवान से महज़ लुत्फ़ लेने के लिये ख़िताब किया जाता है। (तफ़सीर रूहुल-मआनी) इस ख़ास उनवान से ख़िताब फ़रमाकर आपको तहज्जुद की नमाज़ का हुक्म और उसकी कुछ तफ़सील बतलाई है।

तहज्जुद की नमाज़ के अहकाम और उनमें तब्दीली

लफ़्ज़ मुज़्ज़म्मिल और मुद्दस्सिर ख़ुद इसका पता देते हैं कि ये आयतें इस्लाम के बिल्कुल शुरू दौर और क़ुरआन उतरने के शुरूआती ज़माने में नाज़िल हुई हैं, जबकि उस वक़्त पाँच नमाज़ें उम्मत पर फ़र्ज़ नहीं हुई थीं, क्योंकि पाँच नमाज़ें तो मेराज की रात में फ़र्ज़ हुई हैं।

इमाम बग़वी रह. ने हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा वग़ैरह की हदीसों की बिना पर यह फ़रमाया है कि इस आयत के हिसाब से रात की नमाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और तमाम उम्मत पर फ़र्ज़ थी, और यह उस वक़्त का वाक़िआ है जब पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं थीं।

इस आयत में तहज्जुद की नमाज़ को सिर्फ़ फ़र्ज़ ही नहीं किया गया बल्कि उसमें कम से कम एक चौथाई रात से मशग़ूल रहना भी फ़र्ज़ क़रार दिया गया है, क्योंकि इन आयतों में असल हुक्म यह था कि थोड़े से हिस्से को छोड़कर तमाम रात नमाज़ में मशग़ूल रहें और उस थोड़े से हिस्से को छोड़ने का बयान और तफ़सील आगे आती है।

इमाम बग़वी रह. हदीस की रिवायतों की बिना पर फ़रमाते हैं कि इस हुक्म की तामील में

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम रात के अक्सर हिस्से को तहज्जुद की नमाज़ में ख़र्च फ़रमाते थे, यहाँ तक कि उनके क़दम वरम कर गये और यह हुक्म अच्छा-ख़ासा भारी मालूम हुआ। साल भर के बाद इसी सूरत का आख़िरी हिस्साः

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ.

नाज़िल हुआ जिसने इस लम्बे क़ियाम की पाबन्दी मन्सूख़ (ख़त्म व निरस्त) कर दी और इख़्तियार दे दिया कि जितनी देर किसी के लिये आसान हो सके उतना वक़्त ख़र्च करना नमाज़े तहज्जुद में काफ़ी है। यह मज़मून अबू दाऊद व नसाई में हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से मन्क़ूल है, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जब पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ियत मेराज की रात में नाज़िल हुई तो नमाज़े तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ हो गयी अलबत्ता सुन्नत फिर भी रही और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हमेशा इस पर पाबन्दी फ़रमाई। इसी तरह अक्सर सहाबा-ए-किराम बड़ी पाबन्दी से नमाज़े तहज्जुद अदा करते थे। (तफ़सीरे मज़हरी) अब आयत के अलफ़ाज़ की तफ़सीर देखिये, इरशाद फ़रमायाः

قُمِ الَّيْلَ اِلَّا قَلِيْلًاO

'अल्लैल' पर अलिफ़ लाम दाख़िल होने से इसने पूरी रात के मायने दिये तो मतलब आयत का यह हो गया कि आप सारी रात तहज्जुद की नमाज़ में मशग़ूल रहें सिवाय थोड़े से हिस्से के। मगर चूँकि यह लफ़्ज़ क़लील (थोड़ा) ग़ैर-वाज़ेह और अस्पष्ट था इसलिये आगे इसकी वज़ाहत इस तरह फ़रमा दीः

نِصْفَهٗ اَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًاO اَوْ زِدْ عَلَيْهِ.

यानी अब आप आधी रात क़ियाम फ़रमायें या आधी से कुछ कम कर दें, या आधी से कुछ बढ़ा दें। यह बयान 'इल्ला क़लीलन्' को अलग करने का है। इसलिये इस पर यह सवाल हो सकता है कि आधा तो क़लील (थोड़ा) नहीं कहलाता। जवाब यह है कि रात का शुरू का हिस्सा तो मग़रिब और इशा की नमाज़ वग़ैरह में गुज़र ही जाता है, अब आधे से मुराद बाक़ी बचे का आधा होगा, वह कुल रात को देखते हुए थोड़ा ही है। और इस आयत में चूँकि आधे से कम करने की भी इजाज़त है और आधे से ज़ायद करने की भी, इसलिये मजमूई तौर पर इसका यह हासिल हुआ कि कम से कम चौथाई रात से कुछ ज़्यादा रात के खड़े होने (यानी तहज्जुद की नमाज़) में मशग़ूल रहना फ़र्ज़ होगा।

क़ुरआन की तरतील का मतलब

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًاO

तरतील के लफ़्ज़ी मायने कलिमे को सहूलियत और मज़बूती के साथ मुँह से निकालने के हैं। (मुफ़रदात इमाम राग़िब) आयत का मतलब यह है कि क़ुरआन की तिलावत में जल्दी न करें, बल्कि तरतील व तस्हील के साथ अदा करें, और साथ ही उसके मायने में ग़ौर व फ़िक्र करें।

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी) 'व रत्तिल्' का अत्फ़ 'क़ुमिल्-लैल' पर है और इसमें इसका बयान है कि रात के क़ियाम (खड़े होने) में क्या करना है। इससे मालूम हुआ कि तहज्जुद की नमाज़ अगरचे क़िराअत व तस्बीह, रुकूअ व सज्दे नमाज़ के सभी रुक्न व हिस्सों पर मुश्तमिल है मगर उसमें असल मक़सूद क़ुरआन की क़िराअत है, इसी लिये सही हदीसें इस पर सुबूत हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तहज्जुद की नमाज़ बहुत लम्बी अदा फ़रमाते थे, यही आ़दत सहाबा व ताबिईन हज़रात में मारूफ़ (मशहूर व प्रचलित) रही है।

मसलाः इससे यह भी मालूम हुआ कि क़ुरआन का सिर्फ़ पढ़ना मतलूब नहीं बल्कि तरतील मतलूब है, जिसमें हर-हर कलिमा साफ़-साफ़ और सही अदा हो। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इसी तरह तरतील फ़रमाते थे। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से कुछ लोगों ने रात की नमाज़ में आपकी तिलावते क़ुरआन की कैफ़ियत मालूम की तो उन्होंने नक़ल करके बतलाया जिसमें एक-एक हर्फ़ स्पष्ट और वाज़ेह था (तिर्मिज़ी, अबू दाऊद, नसाई। मज़हरी)

मसलाः तरतील में 'तहसीन-ए-सौत' यानी अपने इख़्तियार के मुताबिक़ अच्छी आवाज़ बनाकर पढ़ना भी शामिल है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला किसी की क़िराअत व तिलावत को ऐसा नहीं सुनता जैसा उस नबी की तिलावत को सुनता है जो अच्छी आवाज़ के साथ ज़ाहिर करके तिलावत करे। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत अ़ल्क़मा रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक शख़्स को अच्छी आवाज़ के साथ तिलावत करते हुए देखा तो फ़रमायाः

لقد رتّل القران فداه ابی واُمّی.

यानी इस शख़्स ने क़ुरआन की तरतील की है मेरे माँ बाप इस पर क़ुरबान हों। (क़ुर्तुबी)

और असल तरतील वही है कि हुरूफ़ व अलफ़ाज़ की अदायेगी भी सही और साफ़ हो और पढ़ने वाला उसके मायने पर ग़ौर करके उससे मुतास्सिर भी हो रहा हो जैसा कि हसन बसरी रह. से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का गुज़र एक शख़्स पर हुआ जो क़ुरआन की एक आयत पढ़ रहा था और रो रहा था। आपने लोगों से फ़रमाया कि तुमने अल्लाह तआ़ला का यह हुक्म सुना हैः

وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًاo

बस यही तरतील है (जो यह शख़्स कर रहा है)। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًاo

सक़ील के मायने भारी के हैं और क़ौले सक़ील से मुराद क़ुरआन है, क्योंकि इसके बयान किये हुए हलाल व हराम और जायज़ व नाजायज़ की हदों की हमेशा पाबन्दी करना तबई तौर पर भारी है सिवाय उसके कि जिसके लिये अल्लाह तआ़ला इसको आसान बना दे। और क़ुरआन को क़ौले सक़ील (वज़न दार बात) इस वजह से भी कहा जा सकता है कि इसके नाज़िल होने के

वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम एक ख़ास वज़न और सख़्ती महसूस फ़रमाते थे जिससे सख़्त सर्दी के ज़माने में भी आपकी पेशानी पसीना-पसीना हो जाती थी, और अगर उस वक़्त किसी ऊँटनी पर सवार हैं तो वह उसके बोझ से अपनी गर्दन डाल देती थी जैसा कि सही हदीसें इस पर गवाह व सुबूत हैं। (सही बुख़ारी वग़ैरह)

इस आयत में इस तरफ़ इशारा पाया जाता है कि नमाज़े तहज्जुद का हुक्म इसलिये दिया गया कि इनसान मशक़्क़त उठाने का आदी बने। यह रात को नींद के ग़लबे और नफ़्स की राहत के ख़िलाफ़ एक जिहाद है इसके ज़रिये भारी बोझ वाले अहकाम का बरदाश्त करना आसान हो जायेगा जो क़ुरआन में नाज़िल होने वाले हैं।

اِنَّ نَاشِئَةَ الَّيْلِ.

लफ़्ज़ 'नाशिअत' आफ़ियत के वज़न पर मस्दर है जिसके मायने हैं रात की नमाज़ के लिये खड़ा होना। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि सोने के बाद रात की नमाज़ के लिये उठना 'नाशिअतुल्-लैल' है। इस मायने के लिहाज़ से लफ़्ज़ 'नाशिअतुल्-लैल' तहज्जुद के मायने में हो गया, क्योंकि तहज्जुद के लफ़्ज़ी मायने भी रात में सोकर उठने के बाद नमाज़ पढ़ने के हैं। इब्ने कीसान ने फ़रमाया कि आख़िर रात के खड़े होने को नाशिअतुल्-लैल कहा जाता है। इब्ने ज़ैद ने फ़रमाया कि रात के जिस हिस्से में भी कोई नमाज़ पढ़ी जाये वह नाशिअतुल्-लैल में दाख़िल है। और हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि इशा की नमाज़ के बाद हर नमाज़ नाशिअतुल्-लैल में दाख़िल है। इब्ने अबी मुलैका ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से नाशिअतुल्-लैल के मायने पूछे तो उन्होंने फ़रमायाः

اَلَّيْلُ كُلُّهَا نَاشِئَةٌ.

यानी रात के हर हिस्से की नमाज़ नाशिअतुल्-लैल में दाख़िल है। (तफ़सीरे मज़हरी)

कुल मिलाकर इन अक़वाल में कोई टकराव और विरोधाभास नहीं। हक़ीक़त यह है कि 'क़ियामुल्-लैल' और 'नाशिअतुल्-लैल' का मतलब असल में आ़म है रात के किसी भी हिस्से में जो नमाज़ पढ़ी जाये उस पर इन दोनों लफ़्ज़ों का हुक्म हो सकता है, ख़ास तौर पर जो नमाज़ इशा के बाद हो जैसा कि हसन बसरी रह. का क़ौल है, लेकिन जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम, सहाबा व ताबिईन और उम्मत के बुज़ुर्गों व नेक लोगों का हमेशा यह अ़मल रहा है कि इस नमाज़ को सोकर उठने के बाद रात के आख़िरी हिस्से में अदा करते थे, इसलिये वह अफ़ज़ल व आला और बरकतों वाली ज़्यादा है, और वैसे जहाँ तक रात में खड़े होने की सुन्नत पर अ़मल करने की बात है तो वह इशा की नमाज़ के बाद हर नफ़िल नमाज़ से अदा हो जाती है।

هِيَ اَشَدُّ وَطْاً.

वत्अन् में दो क़िराअतें हैं- मशहूर क़िराअत वत्अुन् 'ज़रबुन' के वज़न पर है, जिसके मायने रौंदने और कुचलने के आते हैं। इसके एतिबार से मतलब यह होगा कि रात की नमाज़ नफ़्स को

मारने और कुचलने में बहुत मददगार है, यानी नफ़्स को क़ाबू में रखने और नाजायज़ इच्छाओं पर अड़ने से रोकने में नमाज़े तहज्जुद से बड़ी मदद मिलती है, ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसी को इख़्तियार किया गया है। दूसरी क़िराअत में विताअुन 'किताबुन' के वज़न पर है, इस सूरत में यह मुवातात 'मुवाफ़क़त' के मायने में मस्दर है। क़ुरआने करीम की आयतः

لِّيُوَاطِئُوْا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ

में इसी मुवाफ़क़त के मायने हैं। तफ़सीर के इमामों में से हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा से इसके यही मायने मन्क़ूल हैं। इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मुराद यह है कि रात के वक़्त नमाज़ के लिये उठना दिल, निगाह, कान और ज़बान सब में आपसी मुवाफ़क़त पैदा करने में 'अशद्दु' यानी बहुत ज़्यादा प्रभावी और असरदार है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि 'अशद्दु वत्अन्' के मायने यह हैं कि कान और दिल में उस वक़्त ज़्यादा मुवाफ़क़त होती है, क्योंकि रात का वक़्त उमूमन कामों से फ़राग़त और शोर व शग़ब से निजात और सुकून का होता है, उस वक़्त जो अलफ़ाज़ ज़बान से निकलेंगे अपने कान भी उनको सुनेंगे और दिल भी हाज़िर होगा।

وَّاَقْوَمُ قِيْلًاo

'अक़्वम' के मायने ज़्यादा सीधे व दुरुस्त और ज़्यादा साबित के हैं। मुराद यह है कि रात के वक़्त में क़ुरआन की तिलावत ज़्यादा दुरुस्त और जमाव के साथ हो सकती है, क्योंकि मुख़्तलिफ़ क़िस्म की आवाज़ों और शोर व शग़ब से दिल और ज़ेहन तश्वीश में नहीं होता।

इस आयत का ख़ुलासा भी 'क़ियामे लैल' (यानी तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने) के हुक्म की हिक्मत बयान करना है, इससे पहली आयत में जो उसकी हिक्मत इरशाद फ़रमाई गयी थीः

اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًاo

यह तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पाक ज़ात के साथ ख़ास थी क्योंकि 'क़ौले सक़ील' यानी क़ुरआन के नाज़िल होने का ताल्लुक़ आप ही की ज़ात से है। इस दूसरी आयत में जो हिक्मत बयान हुई वह सारी उम्मत के लिये आ़म है कि रात की नमाज़ में दो वस्फ़ (ख़ूबियाँ) हैं- पहली दिल व ज़बान में मुवाफ़क़त, दूसरी क़ुरआन की तिलावत में सुकून की वजह से आसानी।

اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيْلًاo

लफ़्ज़ **सब्ह** के लफ़्ज़ी मायने जारी होने और घूमने फिरने के हैं, इसी से पानी में तैरने को भी सब्ह और सबाहत कहा जाता है, कि पानी में बग़ैर किसी रुकावट के घूमना फिरना तैराकी के साथ आसान है। यहाँ सब्ह से मुराद दिन भर के काम व धंधे हैं जिनमें तालीम व तब्लीग़ और मख़्लूक़ के सुधार व बेहतरी के लिये या अपनी आर्थिक व रोज़ी कमाने की मस्लेहतों के लिये चलना-फिरना सब दाख़िल हैं।

इस आयत में 'कियामुल्-लैल' के हुक्म की तीसरी हिक्मत व मस्लेहत का बयान है, यह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और पूरी उम्मत के लिये आम है, वह यह कि दिन में तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और इसी तरह दूसरे सभी हज़रात को बहुत से काम व धंधे चलने-फिरने के रहते हैं, सुकून व फ़राग़त से इबादत में तवज्जोह मुश्किल होती है, रात का वक़्त इस काम के लिये रहना चाहिये कि बक़द्रे ज़रूरत नींद और आराम भी हो जाये और रात में अल्लाह के सामने खड़े होने की इबादत भी।

फ़ायदा

फ़ुक़हा (दीनी मसाईल के माहिर उलेमा) हज़रात ने फ़रमाया कि इस आयत से साबित होता है कि उलेमा व बुज़ुर्ग हज़रात जो तालीम व तरबियत और मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) की ख़िदमतों में लगे रहते हैं उनको भी चाहिये कि यह काम दिन ही तक सीमित रहने चाहियें, रात का वक़्त अल्लाह तआ़ला की बारगाह में हाज़िरी और इबादत के लिये फ़ारिग़ रखना बेहतर है जैसा कि पहले ज़माने के उलेमा व बुज़ुर्गों का तरीक़ा व अ़मल इस पर सुबूत है, कोई वक़्ती ज़रूरत दीनी, तालीमी, तब्लीग़ी कभी इत्तिफ़ाक़न रात को भी उसमें मशग़ूल रखने की तक़ाज़ा करे तो वह बक़द्रे ज़रूरत इस हुक्म से बाहर है, इसका सुबूत भी बहुत से उलेमा व फ़ुक़हा हज़रात के अ़मल से साबित है।

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

'तबत्तुल' के लफ़्ज़ी मायने मख़्लूक़ से कटकर ख़ालिक़ की इबादत में लग जाने के हैं:

وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ

का अ़त्फ़ 'क़ुमिल्-लैल' पर है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को रात की नमाज़ का हुक्म दिया गया है, और इसके तहत में दिन की ख़ास-ख़ास इबादतों की तरफ़ भी इशारा कर दिया गया जैसा कि अल्लाह तआ़ला के क़ौलः

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا ۝

में है। इस आयत में एक ऐसी इबादत का हुक्म है जो रात या दिन के साथ मख़्सूस नहीं बल्कि हर वक़्त और हर हाल में जारी रहती है, वह है अल्लाह का ज़िक्र, और अल्लाह के ज़िक्र के हुक्म से मुराद उस पर पाबन्दी है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बारे में तो इसका तसव्वुर ही नहीं हो सकता कि आप बिल्कुल ज़िक्र न करते हों इसलिये इस हुक्म का मन्शा ज़िक्र के अ़मल को हमेशा और पाबन्दी से करना ही हो सकता है। (तफ़सीरे मज़हरी) और मुराद आयत की यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हुक्म दिया गया कि अल्लाह का ज़िक्र रात व दिन हर वक़्त जारी रखें, इसमें न कभी भूल होनी चाहिये न सुस्ती। और यह मुराद उसी वक़्त हो सकती है जबकि ज़िक्रुल्लाह से मुराद आ़म लिया जाये, चाहे ज़बान से हो या दिल से या बदन के अंगों को अल्लाह तआ़ला के अहकाम में मशग़ूल रखने से। और

एक हदीस में जो हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से यह आया है किः

كَانَ يذكر الله على كلّ حين.

यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर वक़्त अल्लाह का ज़िक्र फ़रमाते थे, यह भी इस आ़म मायने के एतिबार से सही हो सकता है, क्योंकि बैतुल-ख़ला (शौचालय) वग़ैरह में आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़बानी ज़िक्र न करना हदीस की रिवायतों से साबित है मगर दिली ज़िक्र हर वक़्त जारी रह सकता है, और दिल के ज़िक्र की दो सूरतें हैं- एक अलफ़ाज़ ख़्याल में लाकर उनके ज़रिये ज़िक्र करना, दूसरे अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात व कमालात में ग़ौर व फ़िक्र करना, जैसा कि हज़रत थानवी रह. ने यह तफ़सीर बयान की है।

दूसरा हुक्म इस आयत में यह दिया गया किः

تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيْلًا ۝

यानी आप तमाम मख़्लूक़ात से नज़र हटा करके सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा तलब करने और उसकी इबादत में लग जायें। इसके आ़म मफ़्हूम में अल्लाह की इबादत में ग़ैरुल्लाह को शरीक न करना बल्कि ख़ालिस अल्लाह के लिये इबादत करना भी दाख़िल है, और यह भी कि अपने तमाम आमाल व काम और चलत-फिरत में नज़र और भरोसा सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला पर रहे, किसी मख़्लूक़ को नफ़े व नुक़सान का मालिक या हाजत पूरी करने और मुश्किल को हल करने वाला न समझें। हज़रत इब्ने ज़ैद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि तबत्तुल के मायने यह हैं कि तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उसको छोड़ें और सिर्फ़ उस चीज़ की तरफ़ मुतवज्जह रहें जो अल्लाह के पास है। (तफ़सीरे मज़हरी) लेकिन तबत्तुल और मख़्लूक़ से बेताल्लुक़ हो जाने का जो हुक्म इस आयत में दिया गया है वह इस ताल्लुक़ात के ख़त्म करने और दुनिया से वास्ता ख़त्म कर लेने से बिल्कुल अलग और भिन्न है जिसको क़ुरआन में रहबानियत कहा है और उसकी निंदा व बुराई की तरफ़ इशारा किया है, यानी 'व रह्बानिय्य-त निब्त-दऊ़हा' और जिसके मुताल्लिक़ हदीस में है 'ला रह्बानिय्य-त फ़िल्-इस्लामि'। क्योंकि रहबानियत शरीअ़त की इस्तिलाह (परिभाषा) में उस दुनिया से किनारा करने और ताल्लुक़ात को छोड़ देने का नाम है जिसमें तमाम लज़्ज़तों वाली और हलाल पाक चीज़ों को इबादत की नीयत से छोड़ दिया जाये, यानी यह एतिक़ाद हो कि इन हलाल चीज़ों के छोड़े बग़ैर अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल नहीं हो सकती। या अ़मली तौर पर ताल्लुक़ात इस तरह ख़त्म करे कि लोगों के वाजिब हुक़ूक़ की रियायत न करे, उनमें ख़लल आये। और यहाँ जिस तबत्तुल और ताल्लुक़ के ख़त्म करने का हुक्म है वह यह है कि अल्लाह तआ़ला के ताल्लुक़ पर किसी दूसरी मख़्लूक़ का ताल्लुक़ ग़ालिब न आ जाये, चाहे यक़ीन व एतिक़ाद के तौर पर हो या अ़मली तौर पर, और ऐसा ताल्लुक़ ख़त्म करना दुनिया के तामम मामलात जैसे निकाह व दाम्पत्य जीवन और रिश्तेदारी के ताल्लुक़ात वग़ैरह के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि इन सब के साथ बाक़ी रह सकता है जैसा कि तमाम अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की सुन्नत है और ख़ास तौर पर सय्यिदुल-अम्बिया

अ़लैहिस्सलाम की पूरी ज़िन्दगी और आदात व अख़्लाक़ इस पर गवाह व सुबूत हैं। यहाँ जिस मफ़्हूम व मतलब को लफ़्ज़ तबत्तुल से ताबीर किया गया है उसी का दूसरा उनवान नेक लोगों और पहले बुज़ुर्गों की भाषा में इख़्लास है। (तफ़सीरे मज़हरी)

एक अहम फ़ायदा

ज़िक्रुल्लाह की अधिकता और दुनियावी ताल्लुक़ात के छोड़ देने के मामले में पहले व बाद के बुज़ुर्ग व सूफ़िया हज़रात सबसे आगे रहे हैं। उन्होंने फ़रमाया कि हम जिस रास्ते और दूरी को तय करने और रास्ता तय करने में दिन रात लगे हुए हैं दर हक़ीक़त उसके दो क़दम हैं- पहला क़दम मख़्लूक़ से कट जाना और ताल्लुक़ ख़त्म करना और दूसरा क़दम अल्लाह तक पहुँचना है, और ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए और एक दूसरे का अभिन्न अंग हैं। उपरोक्त आयत में इन्हें दो क़दमों को दो जुमलों में एक दूसरे के साथ जोड़कर बयान फ़रमाया गया है:

وَاذْكُرِاسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلًا۝

यहाँ अल्लाह के ज़िक्र से मुराद उस पर ऐसी पाबन्दी और हमेशगी है जिसमें कभी कोताही व नाग़ा न हो, और किसी वक़्त उससे बेतवज्जोही न हो। यही वह मक़ाम है जिसे सूफ़िया हज़रात की इस्तिलाह में **वसूल इलल्लाह** कहा जाता है। इस तरह पहले जुमले में आख़िरी क़दम का ज़िक्र फ़रमाया और दूसरे जुमले में पहले क़दम का। यह तरतीब शायद इसलिये बदल गयी कि अगरचे अ़मल में **तबत्तुल** यानी ताल्लुक़ात ख़त्म करना (उक्त मायनों में) पहले है और **वसूल इलल्लाह** उसके बाद उस पर मुरत्तब होता है, मगर चूँकि अल्लाह की तरफ़ चलने वाले का मक़सद यह दूसरा ही क़दम है और यही दर हक़ीक़त तमाम मक़सदों की जड़ और असल है इसकी अहमियत व अफ़ज़लियत बतलाने के लिये इनकी तबई व अ़मली तरतीब को बदलकर ज़िक्रुल्लाह को पहले बयान फ़रमाया गया। शैख़ सअ़दी रहमतुल्लाहि अ़लैहि ने इन्हीं दो क़दमों को ख़ूब बयान फ़रमाया है:

ताल्लुक़ हिजाब अस्त व बेहासिली चू पैवन्द-हा बुगसली वासिली

इस्मे ज़ात का ज़िक्र यानी अल्लाह अल्लाह को बार-बार दोहराना भी हुक्म शुदा ज़िक्र व इबादत है

इस आयत में अल्लाह के ज़िक्र के हुक्म को लफ़्ज़ इस्म (नाम) के साथ जोड़ करके 'वज़्कुरिस्-म रब्बि-क' फ़रमाया है 'वज़्कुर्-रब्ब-क' नहीं फ़रमाया। इसमें इशारा इस तरफ़ निकलता है कि रब का इस्म (नाम) यानी अल्लाह-अल्लाह का बार-बार दोहराना भी पसन्दीदा और हुक्म शुदा है। (तफ़सीरे मज़हरी) कुछ उलेमा ने जो सिर्फ़ इस्म-ए-ज़ात अल्लाह-अल्लाह के दोहराने को बिद्अ़त कह दिया है इस से मालूम हुआ कि इसको बिद्अ़त कहना सही नहीं। वल्लाहु आलम

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيْلًا ○

लुग़त में वकील उस शख़्स को कहा जाता है जिसको कोई काम सुपुर्द किया जाये। 'फ़त्तख़िज़्हु वकीला' का मतलब यह हुआ कि अपने सब कारोबार, मामलात और हालात को अल्लाह के सुपुर्द करो, इसी का नाम इस्तिलाह में तवक्कुल है। इस सूरत के अन्दर जो अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दिये गये हैं ये उनमें से पाँचवाँ हुक्म है। इमाम याक़ूब करख़ी रह. ने फ़रमाया कि सूरत के शुरू से इस आयत तक सुलूक (अल्लाह की तरफ़ क़दम बढ़ाने और इस रास्ते के सफ़र) के मक़ामात की तरफ़ इशारा है, यानी रात में अल्लाह तआ़ला की इबादत के लिये तन्हाई, क़ुरआने करीम में मशग़ूल होना, ज़िक्रुल्लाह पर हमेशगी व पाबन्दी करना, अल्लाह के अ़लावा सबसे ताल्लुक़ छोड़ देना और मुँह मोड़ लेना, अल्लाह तआ़ला पर तवक्कुल व भरोसा। तवक्कुल के आख़िरी हुक्म से पहले अल्लाह तआ़ला शानुहू की सिफ़त 'रब्बुल्-मश्रिकि वल्-मग़्रिबि' बयान करके इस तरफ़ इशारा कर दिया कि जो पाक ज़ात पूरब व पश्चिम यानी सारे जहान की पालने वाली और उनकी तमाम ज़रूरतें शुरू से आख़िर तक पूरा करने की ज़िम्मेदारी लिये हुए है, तवक्कुल और भरोसा करने के क़ाबिल सिर्फ़ वही ज़ात हो सकती है और उस पर भरोसा करने वाला कभी मेहरूम नहीं रह सकता, जैसा कि क़ुरआने करीम का इरशाद है:

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ.

यानी जो शख़्स अल्लाह पर तवक्कुल (भरोसा) करता है अल्लाह उसके (सब कामों व मुश्किलों के लिये) काफ़ी हो जाता है।

तवक्कुल के शरई मायने

अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे के यह मायने नहीं कि रोज़ी कमाने और मुसीबत के दूर करने के जो असबाब व तरीक़े हक़ तआ़ला ने आपको अ़ता फ़रमाये हैं उनको बेकार व बेअसर करके अल्लाह पर भरोसा करो, बल्कि तवक्कुल की हक़ीक़त यह है कि अपने मक़ासिद के लिये अल्लाह की दी हुई क़ुव्वत व ऊर्जा और जो असबाब मयस्सर हैं उन सब को पूरा इस्तेमाल करो मगर माद्दी असबाब में हद से आगे बढ़ना और ज़्यादा मशग़ूलियत इख़्तियार न करो, इख़्तियारी आमाल को कर लेने के बाद नतीजे को अल्लाह के सुपुर्द करके बेफ़िक्र हो जाओ।

तवक्कुल का यह मतलब ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इरशाद फ़रमाया है। इमाम बग़वी रह. ने 'शरहुस्सुन्नत' में और बैहक़ी ने 'शुअ़बुल-ईमान' में यह हदीस रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया:

ان نفسًا لن تموت حتّٰی تستکمل رزقها الا فاتقوا اللّٰه واجملوا فی الطلب.

यानी रूहुल-क़ुदुस (जिब्रीले अमीन) ने मेरे दिल में यह बात डाली है कि कोई शख़्स उस वक़्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वह अपने मुक़द्दर में लिखा हुआ अल्लाह का रिज़्क़ पूरा-पूरा

हासिल नहीं कर लेगा, इसलिये तुम ख़ुदा से डरो और अपने मक़सदों के तलब में मामलात को मुख़्तसर और छोटा करने से काम लो। (तफ़सीरे मज़हरी) ज़्यादा मशग़ूल न हो कि दिल की सारी तवज्जोह इन्हें माद्दी असबाब व सामानों में सीमित होकर और घिरकर रह जाये। और अल्लाह तआ़ला पर तवक्कुल करो। और तिर्मिज़ी में हज़रत अबूज़र गिफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि दुनिया छोड़ना इसका नाम नहीं कि तुम अपने ऊपर अल्लाह की हलाल की हुई चीज़ों को हराम कर लो या जो माल तुम्हारे पास हो उसे ख़्वाह-म-ख़्वाह उड़ा दो, बल्कि दुनिया छोड़ना इसका नाम है कि तुम्हारा भरोसा अल्लाह तआ़ला के हाथ में जो चीज़ है उस पर ज़्यादा हो उसके मुक़ाबले में जो तुम्हारे हाथ में है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَاصْبِرْ عَلٰى مَا يَقُوْلُوْنَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا٥

इमाम करख़ी रह. के बक़ौल यह छठा हुक्म है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दिया गया है, यानी लोगों की तकलीफ़ों और गालियों पर अच्छी तरह सब्र। यह सुलूक (अल्लाह की राह पर चलने) के मक़ामात में सबसे आला मक़ाम है कि दुश्मनों की जफ़ा और तकलीफ़ों पर सब्र किया जाये। यानी ये हज़रात जिन लोगों की ख़ैरख़्वाही और हमदर्दी में अपनी सारी क़ुव्वत व ऊर्जा और सारी उम्र ख़र्च करते हैं उन्हीं की तरफ़ से उसके बदले में गालियाँ, तकलीफ़ें, तरह-तरह के ज़ुल्म व सितम उनके मुक़ाबले में आते हैं उन पर अच्छी तरह सब्र करना, यानी बदला लेने का इरादा भी न करना, यह वह आला मक़ाम है जो सूफ़िया हज़रात की इस्तिलाह (परिभाषा और बोलचाल) में कामिल फ़ना के बग़ैर नसीब नहीं होता।

وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيْلًا٥

हजूर के लफ़्ज़ी मायने किसी चीज़ को रंज व मलाल और बेज़ारी के साथ छोड़ने के आते हैं। मायने यह हुए कि झुठलाने वाले काफ़िर जो कुछ आपको तकलीफ़देह कलिमात कहते हैं आप उसका इन्तिक़ाम तो उनसे न लें मगर उनसे ताल्लुक़ात भी न रखें। मगर ताल्लुक़ ख़त्म करने के वक़्त इनसान की तबई आ़दत यह है कि जिससे ताल्लुक़ छोड़ा जाये उसका शिकवा शिकायत और उसको बुरा-भला कहता है, इसलिये नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को काफ़िरों के हजूर यानी ताल्लुक़ छोड़ने का जो हुक्म दिया गया तो साथ में 'हजूरन् जमीला' की क़ैद लगा दी गयी कि आपके ऊँचे रुतबे और बड़े अख़्लाक़ का तक़ाज़ा यह है कि जिन काफ़िरों से ताल्लुक़ ख़त्म करें ज़बान भी उनको बुरा कहने से महफ़ूज़ रखें।

कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने फ़रमाया है कि जंग व जिहाद की जो आयतें बाद में नाज़िल हुईं उनसे इस आयत का हुक्म मन्सूख़ (रद्द व निरस्त) हो गया, लेकिन ग़ौर किया जाये तो मन्सूख़ कहने की ज़रूरत नहीं, इस आयत का हुक्म हर वक़्त हर हाल में है और जंग व जिहाद में जो धमकी व झिड़की और सज़ा है उसका हुक्म ख़ास-ख़ास वक़्तों में है और इस्लामी जंग व जिहाद दर हक़ीक़त कोई बदला लेना या अपना गुस्सा निकालना नहीं, जो सब्र और 'भली तरह

ताल्लुक़ात ख़त्म करने' के विरुद्ध हो, बल्कि ख़ालिस हुक्मे ख़ुदावन्दी की तामील है जिस तरह सब्र और 'हज्रे जमील' (अच्छी तरह ताल्लुक़ात ख़त्म कर लेना) आम हालात में इसकी तामील है। यहाँ तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को काफ़िरों के सताने व तकलीफ़ें देने पर सब्र और बदला लेने के इरादे को छोड़ देने की तालीम व हिदायत थी आगे आपकी तसल्ली के लिये उस अ़ज़ाब का बयान है जो उन काफ़िरों पर आख़िरत में आने वाला है। मक़सद यह है कि उनकी चन्द दिन की ये हरकतें और ज़ुल्म व ज़्यादती से आप ग़मगीन व परेशान न हों उनको तो अल्लाह तआ़ला सख़्त अ़ज़ाब में पकड़ने वाला है, हाँ अल्लाह की हिक्मत के तक़ाज़े से कुछ मोहलत दे रखी है, इसमें आप जल्दी की फ़िक्र न फ़रमायें, यही मफ़्हूम है बाद की आयतः

ذَرْنِيْ وَالْمُكَذِّبِيْنَ اُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيْلًا٥

का, इसमें झुठलाने वाले काफ़िरों को 'नअ़्मत वाला' फ़रमाया है। नअ़्मत के मायने ऐश व आराम और माल व औलाद की अधिकता के हैं, इसमें इशारा है कि दुनिया के माल व औलाद और नाज़ व नेमत में मस्त हो जाना उसी शख़्स से हो सकता है जो आख़िरत को झुठलाने वाला हो। मोमिन को भी ये चीज़ें बहुत सी बार नसीब होती हैं मगर वह इनमें ऐसा मस्त नहीं होता इसलिये दुनिया के हर ऐश व आराम के वक़्त भी उसका दिल आख़िरत की फ़िक्र से ख़ाली नहीं होता, ख़ालिस ऐश व मस्ती और बिल्कुल बेफ़िक्री इस दुनिया में काफ़िरों और आख़िरत के झुठलाने वालों ही का हिस्सा हो सकता है।

आगे आख़िरत के उस बहुत ज़्यादा सख़्त अ़ज़ाब का ज़िक्र है जिसमें पहले 'अनकाल' का ज़िक्र किया जिसके मायने क़ैद व बन्द और ज़न्जीरों के हैं, फिर जहन्नम की सख़्त आग का ज़िक्र फ़रमाया, फिर जहन्नम वालों के दर्दनाक खाने का ज़िक्र है:

طَعَامًا ذَا غُصَّةٍ

'ग़ुस्सा' के लफ़्ज़ी मायने गले में लग जाने वाले फन्दे के हैं कि कोई लुक़्मा गले में इस तरह फंस जाये कि न निगला जा सके न बाहर उगला जा सके। ज़रीअ़ और ज़क़्क़ूम जो जहन्नमी लोगों को खाने के लिये दिया जायेगा उनका यही हाल होगा।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इसमें आग के काँटे होंगे जो गले में फंस जायेंगे (नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा)

आख़िर में फ़रमायाः

وَعَذَابًا اَلِيْمًا٥

इन निर्धारित अ़ज़ाबों के ज़िक्र करने के बाद यह अस्पष्ट (ग़ैर-वाज़ेह) लफ़्ज़ लाकर इस तरफ़ इशारा किया गया कि और अ़ज़ाब इनसे भी ज़्यादा शदीद व सख़्त हैं जिनका कोई इनसान तसव्वुर (कल्पना) नहीं कर सकता। (या अल्लाह! हमारी उनसे हिफ़ाज़त फ़रमा।)

पहले बुज़ुर्गों का ख़ौफ़े आख़िरत

इमाम अहमद, इब्ने अबी दाऊद, इब्ने अ़दी और बैहक़ी की रिवायत है कि एक शख़्स ने क़ुरआन की यह आयत सुनी तो ख़ौफ़ से बेहोश हो गया। हज़रत हसन बसरी रह. एक दिन रोज़े से थे, इफ़्तार के वक़्त खाना सामने आया तो इस आयत का ध्यान आ गया, खाना न खा सके उठवा दिया। अगले रोज़ फिर शाम को ऐसा ही हुआ, खाना उठवा दिया। तीसरे रोज़ फिर ऐसा ही हुआ तो उनके बेटे हज़रत साबित बिनानी, यज़ीद ज़ब्बी और यहया बक्का के पास गये और हाल सुनाया, ये तीनों हज़रात आये और हज़रत हसन से खाने का बहुत इसरार करते रहे तब मजबूर होकर कुछ खाना खाया। (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी)

आगे क़ियामत के कुछ हौलनाक वाक़िआत का बयान फ़रमाया है:

يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ.............. الاٰية.

इसके बाद मक्का के काफ़िरों को फ़िरऔ़न और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा सुनाकर इससे डराया गया कि जिस तरह फ़िरऔ़न अपने रसूल हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को झुठलाकर अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हुआ, तुम भी इस पर जमे रहे तो समझ लो कि तुम पर भी ऐसा ही कोई अ़ज़ाब दुनिया में आ सकता है। आख़िर में फ़रमाया कि अगर दुनिया में कोई अ़ज़ाब न भी आया तो क़ियामत के उस दिन के अ़ज़ाब से तुम्हें कौन बचा सकेगा जिसके हौलनाक और लम्बा होने की वजह से बच्चे बूढ़े हो जायेंगे। ज़ाहिर यह है कि यह क़ियामत के दिन के सख़्त और हौलनाक होने का बयान है कि उसमें लोगों पर ऐसा ख़ौफ़ और हौल तारी होगा कि अगर कोई बच्चा भी हो तो बूढ़ा हो जाये। ग़र्ज़ कि इससे मक़्सद एक मिसाल देना है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि मुराद हक़ीक़त है और क़ियामत का दिन इस क़द्र लम्बा होगा कि उसमें एक बच्चा भी बुढ़ापे की उम्र को पहुँचा जायेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी व रूहुल-मआ़नी)

क़ियामुल्-लैल की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ हो गयी

सूरत के शुरू में 'क़ुमिल्-लै-ल' से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सब मुसलमानों पर 'क़ियामुल्-लैल' (रात की नमाज़) को फ़र्ज़ क़रार दिया गया था और उस क़ियाम का लम्बा होना भी फ़र्ज़ था, मगर उसके लम्बा करने में इख़्तियार दिया गया था कि आधी रात से कुछ कम या कुछ ज़्यादा और कम से कम एक तिहाई रात होना चाहिये, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और आपके साथ सहाबा-ए-किराम की एक जमाअ़त इस फ़र्ज़ की अदायेगी में अक्सर आला दर्जे पर अ़मल फ़रमाते और ज़्यादा से ज़्यादा रात का वक़्त इस नमाज़ में गुज़ारते थे, जो दो तिहाई रात के क़रीब होता था। हर रात में यह अ़मल फिर दिन में दीन की दावत व तब्लीग़ और ज़ाती ज़रूरतें ख़ुसूसन सहाबा-ए-किराम कि ज़्यादातर मेहनत मज़दूरी या तिजारत करते थे, इस लम्बी और भारी नमाज़ की पाबन्दी से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम के पाँव वरम कर आये। उनकी यह मशक़्क़त व मेहनत अल्लाह

तआ़ला के सामने थी, वे इससे बख़ूबी वाक़िफ़ थे मगर अल्लाह के इल्म में पहले ही से मुतैयन था कि इतनी मेहनत का फ़रीज़ा चन्द रोज़ ही रखा जायेगा ताकि आप और सहाबा-ए-किराम मेहनत व रियाज़त के आ़दी हो जायें जिसकी तरफ़ उपरोक्त आयतों में भीः

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝

में इशारा पाया जाता है कि आप से यह मेहनत व मशक़्क़त इसलिये ली जा रही है कि आपको क़ौले सक़ील यानी क़ुरआन की ख़िदमत सुपुर्द होने वाली थी जो इस मशक़्क़त से बड़ी मशक़्क़त है। बहरहाल पहले से मुतैयन अल्लाह के इल्म के मुताबिक़ जब ये रियाज़त व मेहनत के आ़दी बनाने की हिक्मत पूरी हो गयी तो यह 'क़ियामुल्लैल' का फ़र्ज़ मन्सूख़ (ख़त्म और रद्द) कर दिया गया। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत के मुताबिक़ यह भी हो सकता है कि उक्त आयतों से सिर्फ़ रात की नमाज़ में लम्बा वक़्त लगाने की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ हुई हो असल नमाज़े तहज्जुद का फ़र्ज़ बदस्तूर रहा हो, फिर मेराज की रात में पाँच नमाज़ों की फ़र्ज़ियत के वक़्त नमाज़े तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ हुई हो, वल्लाहु आलम।

और ज़ाहिर यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और तमाम उम्मत से यह फ़र्ज़ मन्सूख़ (ख़त्म और निरस्त) कर दिया गया, अलबत्ता इसका अल्लाह के नज़दीक मुस्तहब व पसन्दीदा होना फिर भी बाक़ी रहा, और इसमें भी यह आसानी कर दी गयी कि वक़्त की और क़ुरआन की तिलावत की कोई बापन्दी व हद नहीं रखी गयी, हर शख़्स अपनी-अपनी ताक़त व फ़ुर्सत के मुताबिक़ जितने वक़्त में अदा कर सके कर ले, और उसमें जितना क़ुरआन आसानी से पढ़ सके पढ़ ले।

शरई अहकाम के मन्सूख़ होने की हक़ीक़त

दुनिया की हुकूमतें या संस्थायें जो अपने क़वानीन में तरमीम व तन्सीख़ (संशोधन) करते रहते हैं उसकी ज़्यादातर वजह तो यह होती है कि तजुर्बे के बाद कोई नई सूरतेहाल सामने आती है जो पहले से मालूम न थी तो उस सूरतेहाल के मुताबिक़ पहले हुक्म को मन्सूख़ (निरस्त व रद्द) करके दूसरा हुक्म जारी कर दिया जाता है, मगर अल्लाह के अहकाम जिसमें इसका कोई तसव्वुर व शुब्हा ही नहीं हो सकता, क्योंकि अल्लाह तआ़ला के कामिल व मुकम्मल, हमेशा से और हमेशा तक रहने वाले और हर चीज़ को अपने घेरे में लेने वाले इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं।

कोई शरई हुक्म जारी होने के बाद लोगों के क्या हालात रहेंगे, क्या-क्या सूरतें पेश आयेंगी हक़ तआ़ला को पहले ही से मालूम है, लेकिन उसकी हिक्मत व मस्लेहत के तक़ाज़े से कोई हुक्म कुछ अ़रसे के लिये जारी किया जाता है, पहले ही से उसको हमेशा के लिये जारी रखना मक़सद नहीं होता बल्कि एक मुद्दत अल्लाह के इल्म में मुतैयन होती है कि उस मुद्दत तक यह हुक्म जारी रहेगा, मगर उस मुद्दत का इज़हार मख़्लूक़ पर किसी मस्लेहत से नहीं किया जाता, अलफ़ाज़ के आ़म होने से लोग यह समझते हैं कि यह हुक्म असीमित और हमेशा के लिये है,

अल्लाह के यहाँ उसकी जो मुद्दत मुक़र्रर है जब वह मुद्दत ख़त्म होकर हुक्म वापस लिया जाता है तो मख़्लूक़ की नज़र में वह हुक्म की मन्सूख़ी (निरस्तता) होती है और हक़ीक़त में वह मुद्दत का बयान करना होता है, यानी उस वक़्त मख़्लूक़ पर ज़ाहिर कर दिया जाता है कि हमने यह हुक्म हमेशा के लिये नहीं बल्कि सिर्फ़ इसी मुद्दत के लिये जारी किया था, अब वह मुद्दत ख़त्म हो गयी हुक्म बाक़ी नहीं रहा।

क़ुरआने करीम में बहुत सी आयतों के मन्सूख़ (हुक्म के ख़त्म व रद्द) होने पर जो आमियाना शुब्हा किया जाता है इस तक़रीर से वह शुब्हा दूर हो गया। क्या नमाज़े तहज्जुद ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर इस आयत के बाद भी फ़र्ज़ रही? तफ़सीर के कुछ इमामों ने इसी को इख़्तियार किया है, उनकी दलील सूरः बनी इस्राईल की आयतः

وَمِنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهٖ نَافِلَةً لَّكَ

से है जिसमें नमाज़े तहज्जुद को ख़ास आपके ज़िम्मे एक ज़ायद फ़र्ज़ की हैसियत से आयद किया गया है, क्योंकि **नाफ़िला** के लुग़वी मायने एक ज़ायद चीज़ के आते हैं, और इससे मुराद एक ज़ायद फ़रीज़ा है, मगर उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक सही यही है कि इस नमाज़ की फ़र्ज़ियत उम्मत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम दोनों से मन्सूख़ (ख़त्म) हो गयी अलबत्ता मुस्तहब के तौर पर इसकी अदायेगी सब के लिये बाक़ी रही और उक्त आयत में 'नाफ़िलतल् ल-क' आपने इस्तिलाही (परिचित व पारिभाषिक) मायने में नफ़िल के हुक्म में है, फिर इसकी ख़ुसूसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ जो आयत में लफ़्ज़ 'ल-क' (तेरे लिये) से समझ में आती है इसकी क्या वजह है, यह पूरी तफ़सील और नमाज़े तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ (ख़त्म) होने के बाद यह नमाज़ सिर्फ़ नफ़िल व मुस्तहब के दर्जे में रही या सुन्नते मुअक्कदा के दर्जे में, यह पूरी तहक़ीक़ सूरः बनी इस्राईल की ऊपर दर्ज हुई आयत के तहत में गुज़र चुकी है, वहाँ देख लिया जाये, वहाँ तहज्जुद के ख़ास फ़ज़ाईल और मसाईल का भी ज़िक्र कर दिया गया है।

यह आयत जिसके ज़रिये नमाज़े तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ (ख़त्म व निरस्त) हुई यानी 'इन्-न रब्ब-क यअ़्लमु..........................से शुरू होकर 'फ़क़्रऊ मा तयस्स-र मिन्हु' तक आई है, यह आयत सूरत के शुरू की आयतों से एक साल या आठ महीने बाद नाज़िल हुई है, साल भर के बाद 'क़ियामुल-लैल' (यानी तहज्जुद की नमाज़) की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ हुई। मुस्नद अहमद, मुस्लिम, अबू दाऊद, इब्ने माजा और नसाई में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत है कि अल्लाह तआ़ला ने इस सूरत के शुरू में 'क़ियामुल-लैल' को फ़र्ज़ किया था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम एक साल तक इसकी पाबन्दी करते रहे, सूरत का आख़िरी हिस्सा अल्लाह तआ़ला ने बारह महीने तक आसमान में रोके रखा, साल भर के बाद आख़िरी हिस्सा नाज़िल हुआ जिसमें 'क़ियामुल-लैल' (रात की नमाज़) की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ (ख़त्म) होकर आसानी हो गयी और उसके बाद रात की नमाज़ सिर्फ़ नफ़िल व

मुस्तहब रह गयी। (रूहुल-मआनी)

फिर इन आयतों में हुक्म के ख़त्म व रद्द होने की वजह यह बतलाई है किः

عَلِمَ اَنْ لَّنْ تُحْصُوْهُ.

यानी अल्लाह तआ़ला के इल्म में है कि तुम इसका एहसा न कर सकोगे। एहसा के लफ़्ज़ी मायने शुमार करने के हैं। आयत का मतलब कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने यह क़रार दिया है कि कि़यामुल-लैल (तहज्जुद की नमाज़) में अल्लाह तआ़ला ने अगरचे वक़्त की मात्रा का पूरा निर्धारण नहीं फ़रमाया बल्कि एक तिहाई रात से दो तिहाई रात तक के दरमियान का वक़्त मुक़र्रर फ़रमाया था, मगर सहाबा-ए-किराम जब इस नमाज़ में मशग़ूल होते तो नमाज़ में मशग़ूल होने के साथ यह मालूम होना दुश्वार था कि रात आधी हुई या कम व ज़्यादा, क्योंकि वक़्तों के मालूम करने के ऐसे उपकरण घड़ियाँ वग़ैरह उस ज़माने में मौजूद न थीं, और होतीं भी तब भी नमाज़ में मशग़ूल होने के साथ बार-बार घड़ियों को देखते रहना उन हज़रात के हालात और उनके ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ के साथ आसान न था। यह मायने हुए 'लन् तुहसूहु' के, और कुछ हज़रात ने यहाँ 'एहसा' से मुराद अ़मले-एहसा यानी इस लम्बे और नींद के वक़्त की नमाज़ पर पाबन्दी न कर सकना मुराद लिया है। लफ़्ज़ एहसा इस मायने के लिये भी इस्तेमाल होता है जैसा कि हदीस में अल्लाह के पाक नामों के बारे में आया हैः

من احصاها دخل الجنّة.

इसमें लफ़्ज़ एहसा का मफ़्हूम बहुत से उलेमा ने एहसा का अ़मल लिया है यानी अल्लाह के पाक नामों के तक़ाज़ों पर पूरा अ़मल होना, जैसा कि पारा 13 की सूरः इब्राहीम में इस आयतः

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا.

के तहत में इसकी तफ़सीर लिखी गयी है।

فَتَابَ عَلَيْكُمْ.

लफ़्ज़ **तौबा** के असली मायने रुजू करने के हैं। गुनाह से तौबा को भी इसी लिये तौबा कहा जाता है कि वह अपने पिछले जुर्म व गुनाह से रुजू होता है। इस जगह मुराद सिर्फ़ रुजू है यानी अल्लाह तआ़ला ने तहज्जुद की नमाज़ के फ़र्ज़ होने का यह हुक्म वापस ले लिया। आख़िर में फ़रमाया।

فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ.

यानी नमाज़े तहज्जुद जो अब बजाय फ़र्ज़ के मुस्तहब या सुन्नत बाक़ी रह गयी है उसमें जिस क़द्र क़ुरआन आसानी से कोई शख़्स पढ़ सके वह पढ़ लिया करे, किसी ख़ास मिक़्दार (मात्रा) का निर्धारण नहीं है। इस आयत से बहुत से फ़िक़्ही मसाईल निकलते हैं जो फ़िक़्ह (मसाईल व अहकाम) की किताबों में तफ़सील के साथ ज़िक्र हुए हैं वहाँ देखा जा सकता है।

وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا.

'अक़ीमुस्सला-त' में मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक फ़र्ज़ नमाज़ मुराद है, और यह ज़ाहिर है फ़र्ज़ नमाज़ें पाँच हैं जो मेराज की रात में फ़र्ज़ हुई हैं। इससे मालूम होता है कि तहज्जुद की नमाज़ की फ़र्ज़ियत जो एक साल तक जारी रही थी उसी अ़रसे में मेराज की रात का वाक़िआ़ पेश आया जिसमें पाँच नमाज़ें फ़र्ज़ की गयीं और उसके बाद उक्त आयतों के ज़रिये नमाज़े तहज्जुद की फ़र्ज़ियत मन्सूख़ (ख़त्म) हो गयी, और सूरत के आख़िर में जो नमाज़ के क़ायम करने का हुक्म आया है इससे मुराद पाँच फ़र्ज़ नमाज़ें हैं। (इब्ने कसीर, क़ुर्तुबी, बहरे मुहीत)

इसी तरह 'आतुज़्ज़का-त' में ज़कात से फ़र्ज़ ज़कात मुराद है, मगर मशहूर यह है कि ज़कात हिजरत के बाद दूसरे साल में फ़र्ज़ हुई और यह आयत मक्की है, इस्लाम के शुरू दौर में नाज़िल हुई है इसलिये कुछ मुफ़स्सिरीन ने ख़ास इस आयत को मदनी कहा है। मगर इमाम इब्ने कसीर फ़रमाते हैं कि मुम्किन है ज़कात तो मक्का मुकर्रमा में इस्लाम के शुरू दौर ही में फ़र्ज़ हो गयी हो मगर उसके निसाब और वाजिब होने की मिक़्दार की तफ़सीलात मदीना तय्यिबा में हिजरत के दूसरे साल में बयान की गयी हों, इस तरह आयत के मक्की होने की सूरत में भी इसको फ़र्ज़ ज़कात पर महमूल किया जा सकता है। 'तफ़सीर रूहुल-मआ़नी' में भी इसी को इख़्तियार किया है और इसकी पूरी तहक़ीक़ अहक़र के रिसाले 'निज़ामे ज़कात' में तफ़सील से आई है।

وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا.

अल्लाह तआ़ला की राह में ख़र्च करने को इस उनवान से ताबीर किया है कि गोया यह ख़र्च करने वाला अल्लाह को क़र्ज़ दे रहा है, इसमें उसके हाल पर लुत्फ़ व करम की तरफ़ इशारा भी है और इसका बयान भी कि अल्लाह तआ़ला तमाम मालदारों का मालदार है उसको दिया हुआ क़र्ज़ कभी मारा नहीं जा सकता, ज़रूर वसूल होगा। और चूँकि फ़र्ज़ ज़कात का हुक्म इससे पहले आ चुका है, इसलिये 'अक़्रिज़ुल्ला-ह' में जिस ख़ैरात और अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने का ज़िक्र है उसको अक्सर हज़रात ने नफ़्ली सदक़ात और एहसानात पर महमूल किया है, जैसे अपने परिजनों व रिश्तेदारों को कुछ देना या मेहमान की मेहमानी पर ख़र्च करना या उलेमा व नेक लोगों की ख़िदमत करना वग़ैरह, और कुछ हज़रात ने इसका मतलब यह क़रार दिया है कि ज़कात के अ़लावा भी बहुत से माली वाजिबात इनसान पर आ़यद होते हैं जैसे माँ-बाप, बीवी, औलाद का ज़रूरी व लाज़िमी ख़र्च या दूसरे शरई वाजिबात, तो 'आतुज़्ज़का-त' में ज़कात की अदायेगी का हुक्म देने के बाद दूसरे वाजिब का ज़िक्र 'अक़्रिज़ुल्ला-ह' से कर दिया गया।

وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ............... الآية.

'मा तुक़द्दिमू लि-अन्फ़ुसिकुम्' का मतलब यह है कि जो नेक काम अपनी ज़िन्दगी में कर गुज़रो वह बेहतर है इससे कि मरने के वक़्त वसीयत करो। इसमें माली इबादत सदक़ा व ख़ैरात भी दाख़िल है और नमाज़ रोज़ा वग़ैरह भी जो किसी के ज़िम्मे क़ज़ा हो, अपने हाथ से अपने सामने अल्लाह की राह में ख़र्च करके उससे बरी होना बेहतर है, बाद में तो वारिसों के इख़्तियार में बात रहती है वे करें या न करें।

हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम से सवाल किया कि तुम में ऐसा कौन है जो अपने माल के मुक़ाबले में अपने वारिस के माल से ज़्यादा मुहब्बत रखता हो। सहाबा-ए-किराम ने अ़र्ज़ किया कि हम में कोई भी ऐसा नहीं जो अपने वारिस के माल की मुहब्बत ख़ुद अपने माल से ज़्यादा रखे। आपने फ़रमाया सोच-समझकर बात करो। सहाबा ने अ़र्ज़ किया कि हमें तो इसके सिवा कोई दूसरी सूरत मालूम नहीं। आपने फ़रमाया (जब यह बात है तो समझ लो कि) तुम्हारा माल वह है जो तुमने अपने हाथ से अल्लाह की राह में ख़र्च कर दिया और जो रह गया वह तुम्हारा माल नहीं बल्कि तुम्हारे वारिस का माल है। (इस रिवायत को इमाम इब्ने कसीर ने अबी यअ़्ला मूसली की सनद से ज़िक्र किया है और फिर फ़रमाया कि इसको इमाम बुख़ारी ने भी हफ़्स बिन गियास की हदीस से रिवायत किया है.......।)

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-मुज़्ज़म्मिल की तफ़सीर आज रजब की 22 तारीख़ सन् 1391 हिजरी दिन मंगल को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-मुज़्ज़म्मिल की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-मुद्दस्सिर

सूरः अल्-मुद्दस्सिर मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 56 आयतें और इसमें 2 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ٥٦ (٧٤) سُوْرَةُ الْمُدَّثِّرِ مَكِّيَّةٌ (٤) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

يٰٓاَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَاَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ
تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝ فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ ۝ فَذٰلِكَ يَوْمَىِٕذٍ يَّوْمٌ عَسِيْرٌ ۝ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرُ
يَسِيْرٍ ۝ ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۝ وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۝ وَّبَنِيْنَ شُهُوْدًا ۝ وَّمَهَّدْتُّ لَهٗ
تَمْهِيْدًا ۝ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ ۝ كَلَّا ۭ اِنَّهٗ كَانَ لِاٰيٰتِنَا عَنِيْدًا ۝ سَاُرْهِقُهٗ صَعُوْدًا ۝ اِنَّهٗ
فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۝ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ نَظَرَ ۝ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۝ ثُمَّ اَدْبَرَ وَ
اسْتَكْبَرَ ۝ فَقَالَ اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ يُّؤْثَرُ ۝ اِنْ هٰذَآ اِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۝ سَاُصْلِيْهِ سَقَرَ ۝ وَمَآ
اَدْرٰىكَ مَا سَقَرُ ۝ لَا تُبْقِيْ وَلَا تَذَرُ ۝ لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ ۝ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ۝ وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ
النَّارِ اِلَّا مَلٰۗىِٕكَةً ۠ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا
الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ
فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۗءُ وَ
يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۗءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۝
وَالَّيْلِ اِذْ اَدْبَرَ ۝ وَالصُّبْحِ اِذَآ اَسْفَرَ ۝ اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِ ۝ نَذِيْرًا لِّلْبَشَرِ ۝ لِمَنْ شَاۗءَ مِنْكُمْ اَنْ
يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَ ۝ كُلُّ نَفْسٍۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ ۝ اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِ ۝ فِيْ جَنّٰتٍ ۛ يَتَسَاۗءَلُوْنَ ۝ عَنِ
الْمُجْرِمِيْنَ ۝ مَا سَلَكَكُمْ فِيْ سَقَرَ ۝ قَالُوْا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝
وَكُنَّا نَخُوْضُ مَعَ الْخَاۗىِٕضِيْنَ ۝ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّيْنِ ۝ حَتّٰٓى اَتٰىنَا الْيَقِيْنُ ۝ فَمَا
تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشّٰفِعِيْنَ ۝ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ ۝ كَاَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ ۝ فَرَّتْ

ع ١ / ٣١ / ١٥

مِنْ قَسْوَرَةٍ ۝ بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُّؤْتٰى صُحُفًا مُّنَشَّرَةً ۝ كَلَّا ۖ بَلْ لَّا يَخَافُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۝ كَلَّآ إِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝ فَمَنْ شَآءَ ذَكَرَهٗ ۝ وَمَا يَذْكُرُوْنَ إِلَّآ أَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۗ هُوَ أَهْلُ التَّقْوٰى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

या अय्युहल् मुद्दस्सिरु (1) क़ुम् फ़-अन्ज़िर् (2) व रब्ब-क फ़-कब्बिर (3) व सिया-ब-क फ़-तह्हिर् (4) वर्रुज्-ज़ फ़ह्जुर (5) व ला तम्नुन् तस्तक्सिर (6) व लि-रब्बि-क फ़स्बिर (7) फ़-इज़ा नुक़ि-र फ़िन्नाक़ूरि (8) फ़-ज़ालि-क यौमइज़िंय्-यौमुन् असीर (9) अलल्-काफ़िरी-न ग़ैरु यसीर (10) ज़र्नी व मन् ख़लक़्तु वहीदा (11) व जअ़ल्तु लहू मालम्-मम्दूदा (12) व बनी-न शुहूदा (13) व मह्हत्तु लहू तम्हीदा (14) सुम्-म यत्मअ़ु अन् अज़ी-द (15) कल्ला, इन्नहू का-न लिआयातिना अ़नीदा (16) स-उर्हिक़ुहू सअ़ूदा (17) इन्नहू फ़क्क-र व क़द्द-र (18) फ़क़ुति-ल कै-फ़ क़द्द-र (19) सुम्-म क़ुति-ल कै-फ़ क़द्द-र (20) सुम्-म न-ज़-र (21) सुम्-म अ़-ब-स व ब-स-र (22)

ऐ लिहाफ़ में लिपटने वाले (1) खड़ा हो फिर डर सुना दे (2) और अपने रब की बड़ाई बोल (3) और अपने कपड़े पाक रख (4) और गन्दगी से दूर रह (5) और ऐसा न कर कि एहसान करे और बदला बहुत चाहे (6) और अपने रब से उम्मीद रख (7) फिर जब बजने लगे वह खोखरी चीज़ (8) फिर वह उस दिन मुश्किल दिन है (9) मुन्किरों पर नहीं आसान (10) छोड़ दे मुझको और उसको जिसको मैंने बनाया इक्का (11) और दिया मैंने उसको माल फैलाकर (12) और बेटे मजलिस में बैठने वाले (13) और तैयारी कर दी उसके लिये ख़ूब तैयारी (14) फिर लालच रखता है कि और भी दूँ (15) हरगिज़ नहीं, वह है हमारी आयतों का मुख़ालिफ़ (16) अब उससे चढ़वाऊँगा बड़ी चढ़ाई (17) उसने फ़िक्र किया और दिल में ठहरा लिया (18) सो मारा जाईयो कैसा ठहराया (19) फिर मारा जाईयो कैसा ठहराया (20) फिर निगाह की (21) फिर तेवरी चढ़ाई और मुँह थुथाया (22)

सुम्-म अद्ब-र वस्तक्ब-र (23) फ़क़ा-ल इन् हाज़ा इल्ला सिह्रुंय्-युअ्सर (24) इन् हाज़ा इल्ला क़ौलुल्-ब-शर (25) स-उस्लीहि स-क़र (26) व मा अद्रा-क मा स-क़र (27) ला तुब्क़ी व ला त-ज़र (28) लव्वा-हतुल् लिल्ब-शर (29) अ़लैहा तिस्अ़-त अ़-शर (30) व मा जअ़ल्ना अस्हाबन्नारि इल्ला मलाइ-कतंव्-व मा जअ़ल्ना अ़िद्द-तहुम् इल्ला फ़ित्-नतल् लिल्लज़ी-न क-फ़रू लि-यस्तैक़िनल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब व यज़्दादल्लज़ी-न आमनू ईमानंव्-व ला यर्ताबल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब वल्-मुअ्मिनू-न व लि-यक़ूलल्लज़ी-न फ़ी क़ुलूबिहिम् म-रज़ुंव्-वल्-काफ़िरू-न माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा म-सलन्, क-ज़ालि-क युज़िल्लुल्लाहु मंय्यशा-उ व यह्दी मंय्यशा-उ, व मा यअ़्लमु जुनू-द रब्बि-क इल्ला हु-व, व मा हि-य इल्ला ज़िक्रा लिल्ब-शर (31) ✿

कल्ला वल्क़-मरि (32) वल्लैलि इज़् अद्ब-र (33) वस्सुब्हि इज़ा अस्फ़-र (34) इन्नहा ल-इह्दल्-कु-बरि (35)

फिर पीठ फेरी और ग़ुरूर किया (23) फिर बोला और कुछ नहीं यह जादू है चला आता (24) और कुछ नहीं यह कहा हुआ है आदमी का। (25) अब उसको डालूँगा आग में (26) और तू क्या समझा कैसी है वह आग (27) न बाक़ी रखे और न छोड़े (28) जला देने वाली है आदमियों को (29) उस पर मुक़र्रर हैं उन्नीस फ़रिश्ते (30) और हमने जो रखे हैं दोज़ख़ पर दारोग़ा वे फ़रिश्ते ही हैं और उनकी जो गिनती रखी है सो जाँचने को इनकारी लोगों के, ताकि यक़ीन कर लें वे लोग जिनको मिली है किताब और बढ़े ईमान वालों का ईमान, और धोखा न खायें जिनको मिली है किताब और मुसलमान, और ताकि कहें वे लोग कि जिनके दिल में रोग है और इनकारी- क्या ग़र्ज़ थी अल्लाह को इस मिसाल से? यूँ बिचलाता है अल्लाह जिसको चाहे और राह देता है जिसको चाहे, और कोई नहीं जानता तेरे रब के लश्कर को मगर ख़ुद वही, और वह तो समझाना है लोगों के वास्ते। (31) ✿

सच कहता हूँ और क़सम है चाँद की (32) और रात की जब पीठ फेरे (33) और सुबह की जब रोशन हो (34) वह एक है बड़ी चीज़ों में की (35)

नज़ीरल् लिल्ब-शर (36) लिमन् शा-अ मिन्कुम् अंय्य-तक़द्-द-म औ य-त-अख़्ख़-र (37) कुल्लु नफ़्सिम्-बिमा क-सबत् रहीनतुन् (38) इल्ला अस्हाबल्-यमीन (39) फ़ी जन्नातिन्, य-तसा-अलून (40) अ़निल्-मुज्रिमीन (41) मा स-ल-ककुम् फ़ी स-क़र (42) क़ालू लम् नकु मिनल्-मुसल्लीन (43) व लम् नकु नुत्अ़िमुल्-मिस्कीन (44) व कुन्ना नख़ूज़ु म-अ़ल्-ख़ा-इज़ीन (45) व कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन (46) हत्ता अतानल्-यक़ीन (47) फ़मा तन्फ़अ़ुहुम् शफ़ा-अ़तुश्शाफ़िअ़ीन (48) फ़मा लहुम् अ़नित्तज़्कि-रति मुअ़्रिज़ीन (49) क-अन्नहुम् हुमुरुम्-मुस्तन्फ़िरह् (50) फ़र्रत् मिन् क़स्वरह् (51) बल् युरीदु कुल्लुम्रिइम्-मिन्हुम् अंय्युअ़्ता सुहुफ़म् मुनश्श-रतन् (52) कल्ला, बल्-ला यख़ाफ़ूनल्-आख़िरह् (53) कल्ला इन्नहू तज़्कि-रतुन् (54) फ़-मन् शा-अ ज़-करह् (55) व मा यज़्कुरू-न इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु, हु-व अह्लुत्-तक़्वा व अह्लुल्-मग़्फ़िरह् (56) ✿ ▲

डराने वाली है लोगों को (36) जो कोई चाहे तुम में से कि आगे बढ़े या पीछे रहे (37) हर एक जी अपने किये कामों में फंसा हुआ है (38) मगर दाहिनी तरफ़ वाले (39) बाग़ों में हैं, मिलकर पूछते हैं (40) गुनाहगारों का हाल (41) तुम काहे से जा पड़े दोज़ख़ में? (42) वे बोले हम न थे नमाज़ पढ़ते (43) और न थे खाना खिलाते मोहताज को (44) और हम थे बातों में धंसते धंसने वालों के साथ (45) और हम थे झुठलाते इन्साफ़ के दिन को (46) यहाँ तक कि आ पहुँची हम पर वह यक़ीनी बात (47) फिर काम न आयेगी उनके सिफ़ारिश, सिफ़ारिश करने वालों की (48) फिर क्या हुआ है उनको कि नसीहत से मुँह मोड़ते हैं (49) गोया कि वे गधे हैं बिदकने वाले (50) भागे हैं ग़ुल मचाने से (51) बल्कि चाहता है हर एक मर्द उनमें का कि मिलें उसको पन्ने खुले हुए (52) हरगिज़ नहीं, पर वे डरते नहीं आख़िरत से (53) कोई नहीं, यह तो नसीहत है (54) फिर जो कोई चाहे उसको याद करे (55) और वे याद तभी करें कि चाहे अल्लाह, वही है जिससे डरना चाहिए, और वही है बख़्शने के लायक़। (56) ✿ ▲

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ऐ कपड़े में लिपटने वाले! उठो (यानी अपनी जगह से उठो, या यह कि तैयार हो) फिर (काफ़िरों को) डराओ (जो कि नुबुव्वत के मक़ाम व मन्सब का तक़ाज़ा व ज़िम्मेदारी है, और यहाँ तबशीर यानी जन्नत की ख़ुशख़बरी का इसलिये ज़िक्र नहीं फ़रमाया कि यह आयत नुबुव्वत के बिल्कुल शुरू दौर की है उस वक़्त एक-दो आदमियों को छोड़कर कोई मुसलमान नहीं था, तो इन्ज़ार यानी डराना ही ज़्यादा मुनासिब था), और अपने रब की बड़ाईयाँ बयान करो (कि तब्लीग़ में सबसे पहली चीज़ तौहीद है) और (आगे कुछ ज़रूरी आमाल व अ़क़ीदों और अख़्लाक़ की तालीम है जिस पर ख़ुद भी आ़मिल रहना चाहिये कि तब्लीग़ के साथ अपनी इस्लाह भी ज़रूरी है, यानी एक तो) अपने कपड़ों को पाक रखो (यह आमाल में से है और चूँकि बिल्कुल शुरू में नमाज़ न थी इसलिये उसका हुक्म नहीं हुआ) और (दूसरे यह कि) बुतों से अलग रहो (जिस तरह कि अब तक अलग हो, यह अ़क़ीदों में से है, यानी पहले ही की तरह तौहीद पर हमेशगी और पाबन्दी रखो, और इसके बावजूद कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से शिर्क में मुब्तला होने का कोई शुब्हा व संभावना ही न थी फिर भी यह हुक्म इसलिये दिया गया कि तौहीद के अ़क़ीदे की अहमियत मालूम हो कि मासूम "गुनाहों से सुरक्षित" को भी बावजूद ज़रूरत न होने के इसकी तालीम की जाती है) और किसी को इस ग़र्ज़ से मत दो कि (दूसरे वक़्त) ज़्यादा मुआ़वज़ा चाहो (यह अख़्लाक़ से संबन्धित है, और अगरचे औरों के लिये यह चीज़ जायज़ है मगर अच्छी नहीं जैसा कि सूरः रूम की आयतः

وَمَا اٰتَيْتُمْ مِّنْ رِّبًا.................. الخ

की तफ़सीर से मालूम हो सकता है, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान चूँकि बहुत ऊँची व बुलन्द है इसलिये आप पर इसको भी हराम कर दिया गया। जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है। और सही बात यह है कि यहाँ पर जो रोका गया है यह इसके हराम होने की वजह से है और यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की विशेषताओं में से है) और फिर (डराने व तब्लीग़ करने में जो तकलीफ़ व परेशानी पेश आये उस पर) अपने रब (को ख़ुश करने) के वास्ते सब्र कीजिये (यह तब्लीग़ से संबन्धित ख़ास अख़्लाक़ में से है, पस ये आयतें आमाल व अख़्लाक़ की इस्लाह को जमा करने वाली हो गयीं अपने लिये भी दूसरों के लिये भी)। फिर (इस डराने के बाद कोई ईमान न लाये तो उसके लिये यह वईद है कि) जिस वक़्त सूर फूँका जायेगा सो वह वक़्त यानी वह दिन एक सख़्त दिन होगा जिसमें काफ़िरों पर ज़रा भी आसानी न होगी।

(आगे कुछ ख़ास काफ़िरों का ज़िक्र है, यानी) मुझको और उस शख़्स को (अपने-अपने हाल पर) रहने दो (कि हम उससे निपट लेंगे) जिसको मैंने (माल व औलाद से ख़ाली और) अकेला पैदा किया (जैसा कि पैदा होने के वक़्त आदमी के पास न माल होता है और न औलाद, और

इससे मुराद वलीद बिन मुग़ीरा है जिसका किस्सा **मआरिफ़ व मसाईल** के तहत आगे आयेगा) और उसको कसरत से माल दिया और पास रहने वाले बेटे (दिये) और सब तरह का सामान उसके लिये मुहैया कर दिया। फिर भी (बावजूद इसके उस माल व औलाद का शुक्र अदा न किया कि ईमान ले आता, बल्कि उस भारी और बहुत ज़्यादा नेमत को नाशुक्री व बेक़द्री के तौर पर कम और मामूली समझकर) इस बात की हवस रखता है कि (उसको) और ज़्यादा दूँ। हरगिज़ (वह ज़्यादा देने के क़ाबिल) नहीं, (क्योंकि) वह हमारी आयतों का मुख़ालिफ़ है (और मुख़ालफ़त के साथ उसके अन्दर अहलियत व क़ाबलियत का न होना ज़ाहिर है। ढील और मोहलत देने का मामला इससे अलग है)।

(आयत नाज़िल होने के दिन से उस शख़्स की ज़ाहिरी तरक़्क़ी भी बन्द हो गयी चुनाँचे फिर न कोई औलाद हुई और न कोई माल बढ़ा। और यह सज़ा तो दुनिया में है और आख़िरत में) मैं उसको जल्द ही (यानी मरने के बाद) दोज़ख़ के पहाड़ पर चढ़ाऊँगा (तिर्मिज़ी की हदीस में मरफ़ूअन है कि सऊद दोज़ख़ में एक पहाड़ है सत्तर बरस में उसकी चोटी पर पहुँचेगा फिर वहाँ से गिर पड़ेगा, फिर इसी तरह हमेशा चढ़ेगा और गिरेगा, और वजह इस सज़ा की वही दुश्मनी व मुख़ालफ़त है जो ऊपर बयान हुई। और आगे भी इसकी कुछ तफ़सील है वह यह कि) उस शख़्स ने (इस बारे में) सोचा (कि क़ुरआन की शान में क्या बात तजवीज़ करूँ) फिर (सोचकर) एक बात तजवीज़ की (जिसका बयान आगे आता है) सो उस पर ख़ुदा तआ़ला की मार हो कैसी बात तजवीज़ की। (और) फिर (दोबारा) उस पर ख़ुदा की मार हो, कैसी बात तजवीज़ की (यह दोबारा ताज्जुब करना उसकी सख़्त निंदा और क़ाबिले ताज्जुब बात पर है, यानी कैसी बेजोड़ बात तजवीज़ की जिसका गुमान व संभावना ही नहीं हो सकती) फिर (हाज़िर लोगों के चेहरों को) देखा (कि वह तजवीज़ की हुई बात उनसे कहूँ) फिर मुँह बनाया (ताकि देखने वाले समझें कि इसको क़ुरआन से बहुत ज़्यादा नफ़रत है) और ज़्यादा मुँह बनाया। और फिर मुँह फेरा और तकब्बुर किया। फिर बोला कि बस यह जादू है (जो औरों से) मन्क़ूल (है)। बस यह तो आदमी का कलाम है (यह बयान है उस उक्त तजवीज़ का। मतलब यह कि अल्लाह का कलाम नहीं बल्कि इनसान का कलाम है जिसको आप सल्ल. किसी जादूगर से नक़ल कर देते हैं, या आप ख़ुद इसको बना लेते हैं लेकिन ये मज़ामीन नुबुव्वत के पहले गुज़रे दावेदारों से नक़ल होते चले आये हैं और इबारत का उस्लूब व अन्दाज़ नऊज़ु बिल्लाह आपके जादू का असर है)।

(आगे इस मुख़ालफ़त व दुश्मनी की सज़ा तफ़सील से बयान फ़रमाते हैं जैसा कि ऊपर 'स-उर्हिक़ुहू सऊदन्' में संक्षिप्त रूप से फ़रमाया था। पस 'अ़नीदन्' में जुर्म का ज़िक्र और 'स-उर्हिक़ुहू' में सज़ा का ज़िक्र संक्षिप्त रूप से और 'इन्नहू फ़क्क-र अ़नीदन्' की तफ़सील है, और 'स-उस्लीहि' 'सउर्हिक़ुहू' की तफ़सील है, यानी) मैं उसको जल्द ही दोज़ख़ में दाख़िल करूँगा। और तुमको कुछ ख़बर भी है कि दोज़ख़ कैसी चीज़ है? (इससे डराना और ख़ौफ़ दिलाना मक़सद है, वह ऐसी है कि) न तो (दाख़िल होने के बाद दाख़िल होने वाले की कोई

चीज़ जलाने से) बाक़ी रहने देगी और न (दाख़िल होने से पहले जो काफ़िर उस वक़्त बाहर होंगे न उनमें से किसी को बग़ैर अपने अन्दर लिये हुए) छोड़ेगी। (और) वह (जलाकर) बदन की हैसियत बिगाड़ देगी। (और) उस पर उन्नीस फ़रिश्ते (जो उसके निगराँ हैं जिनमें एक का नाम मालिक है, मुक़र्रर) होंगे (जो काफ़िरों को तरह-तरह के अ़ज़ाब देंगे। हासिल यह कि फ़रिश्ते जिनकी ताक़त व क़ुव्वत मालूम है इसके बावजूद कि उनमें का एक भी तमाम जहन्नम वालों को अ़ज़ाब देने के लिये काफ़ी है फिर उन्नीस फ़रिश्तों के मुक़र्रर होने से ज़ाहिर है कि अ़ज़ाब का बहुत ही एहतिमाम होगा, और उन्नीस की संख्या में ख़ास नुक्ता हक़ीक़त में अल्लाह ही को मालूम है लेकिन दूसरे हज़रात ने जो ज़िक्र किया है उन सब में ज़ेहन व समझ के ज़्यादा क़रीब वह है जो अल्लाह ने इस नाचीज़ के दिल में डाली है, वह यह कि काफ़िरों को अ़ज़ाब देना असल में हक़ और सच्चे अ़क़ीदों की मुख़ालफ़त और झुठलाने पर है और 'रिसाला फ़ुरूउल्-ईमान की तफ़सील के मुताबिक़ क़तई व निश्चित अ़क़ीदे जिनका ताल्लुक़ आमाल से नहीं नौ हैं:

1. ईमान लाना अल्लाह तआ़ला पर।
2. एतिक़ाद रखना कि आ़लम हादिस (फ़ना होने वाला) है।
3. ईमान लाना फ़रिश्तों पर।
4. ईमान लाना उसकी सब किताबों पर।
5. ईमान लाना पैग़म्बरों पर।
6. ईमान लाना तक़दीर पर।
7. ईमान लाना क़ियामत के दिन पर।
8. जन्नत का यक़ीन करना।
9. दोज़ख़ का यक़ीन करना।

बाक़ी सब अ़क़ीदे इन्हीं से जुड़े हुए या इनसे निकलने वाले हैं। और निश्चित व क़तई अ़क़ीदे जो अ़मली चीज़ों से संबन्धित हैं वो दस हैं- पाँच हुक्म की गयी चीज़ों के मुताल्लिक़, यानी इनके वाजिब होने का एतिक़ाद ज़रूरी है। वह पाँच हुक्म की गयी चीज़ें जो इस्लाम की निशानियाँ और सुतून हैं ये हैं- अल्लाह के एक होने और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के अल्लाह का रसूल होने की गवाही देना, नामज़ क़ायम करना, ज़कात देना, रमज़ान के रोज़े रखना, बैतुल्लाह का हज करना। और पाँच चीज़ें वो हैं जिनसे रोका गया है यानी उनके हराम होने का एतिक़ाद व यक़ीन वाजिब है, और वो पाँच मना की गयी चीज़ें जो कि आयते इम्तिहान वग़ैरह में बयान हुई हैं ये हैं- चोरी, ज़िना, क़त्ल, ख़ुसूसन औलाद का क़त्ल, बोहतान, नेक कामों में नाफ़रमानी से काम लेना जिसमें ग़ीबत व ज़ुल्म, यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाना वग़ैरह सब आ गया। पस ये सब अ़क़ीदे मिलाकर उन्नीस हुए। शायद एक-एक अ़क़ीदे के मुक़ाबले में एक-एक फ़रिश्ता मुक़र्रर हो, और चूँकि इन सब में एक अ़क़ीदा सबसे बड़ा है यानी तौहीद इसलिये उन फ़रिश्तों में भी एक फ़रिश्ता सबसे बड़ा मुक़र्रर हुआ हो यानी मालिक, बाक़ी अपने भेद अल्लाह की ख़ूब जानता है) और (इस आयत का मज़मून सुनकर जो काफ़िरों ने

मज़ाक़ उड़ाया जिसका बयान मआ़रिफ़ के तहत में आयेगा उस पर अगला मज़मून नाज़िल हुआ कि) हमने दोज़ख़ के कारकुन (आदमी नहीं बल्कि) सिर्फ़ फ़रिश्ते बनाये हैं (जिनमें से एक-एक फ़रिश्ते में तमाम जिन्नात व इनसानों के बराबर ताक़त है। तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में मरफ़ूअ़न यही मज़मून नक़ल किया गया है)।

और हमने जो उनकी तादाद (ज़िक्र व बयान करने में) सिर्फ़ ऐसी रखी है जो काफ़िरों की गुमराही का ज़रिया हो (मुराद इससे उन्नीस का अ़दद है) तो इसलिये (कि इस पर ये परिणाम निकलें यानी) ताकि अहले किताब (सुनने के साथ) यक़ीन कर लें और ईमान वालों का ईमान और बढ़ जाये, और अहले किताब और मोमिन लोग शक न करें। और ताकि जिन लोगों के दिलों में (शक की) बीमारी है वे और काफ़िर लोग कहने लगें कि इस अ़जीब मज़मून से अल्लाह तआ़ला का क्या मक़सद है? (अहले किताब के यक़ीन की दो वजह बयान की जा सकती हैं, एक यह कि उनकी किताब में भी यह अ़दद लिखा हो तो फ़ौरन मान लेंगे और अगर अब उनकी किताबों में यह अ़दद न हो तो मुम्किन है कि किताबों के ज़ाया और रद्दोबदल होने से ज़ाया हो गया हो। और दूसरा मतलब यह हो सकता है कि अ़दद उनकी किताब में न हो लेकिन वे फ़रिश्तों की ताक़त के क़ायल थे और बहुत से अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्ररा उमूर उनकी किताबों में मौजूद थे तो उनके पास इनकार की कोई बुनियाद न थी। पस यक़ीन से मुराद इनकार न करना और मज़ाक़ न उड़ाना होगा, लेकिन ज़ाहिर मतलब पहला है, और ईमान वालों के ईमान के ज़्यादा होने की भी दो तौजीह हो सकती हैं- एक यह कि अहले किताब के यक़ीन लाने को देखकर उनका ईमान कैफ़ियत के एतिबार से ज़्यादा व ताक़तवर हो जाये कि आप सल्ल. अहले किताब से मेलजोल और गहरे ताल्लुक़ न रखने के बावजूद अहले किताब के पास आई पहली वही के मुवाफ़िक़ ख़बर देते हैं, आप ज़रूर सच्चे नबी हैं।

दूसरी तौजीह यह कि जब कोई नया मज़मून नाज़िल होता था उस पर ईमान लाते थे पस तस्दीक़ की एक फ़र्द और बढ़ी, इससे मात्रा की हैसियत से ईमान में ज़्यादती हुई और 'यर्ता-ब' को ताकीद के लिये बढ़ाया कि यक़ीन के सुबूत और शक की नफ़ी दोनों की वज़ाहत हो जाये। और मर्ज़ ''रोग' में दो शक व संभावनायें हैं- एक तो शक क्योंकि हक़ ज़ाहिर होने के बाद बाज़े लोग इनकारी होते हैं बाज़े शक व दुविधा में होते हैं, तो मक्का वालों में भी ऐसे लोग होंगे। दूसरा रोग निफ़ाक़ के मायने में, तो इसमें भविष्यवाणी होगी कि मदीना में मुनाफ़िक़ होंगे और उनका यह कौल होगा और मोमिन हज़रात और अहले किताब के शक के होने और न होने को अलग-अलग इसलिये बयान फ़रमाया कि अहले किताब का यक़ीन और शक न होना लुग़वी है और मोमिनों का शरई। आगे दोनों फ़रीक़ों की इसी बात से नतीजा निकालते और बात को आगे बढ़ाते हुए फ़रमाते हैं कि जिस तरह इस ख़ास मामले में ख़ुदा तआ़ला ने काफ़िरों को गुमराह किया) इसी तरह अल्लाह तआ़ला जिसको चाहता है गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है हिदायत कर देता है। और (यह उन्नीस फ़रिश्तों का मुक़र्रर होना किसी हिक्मत से है वरना) तुम्हारे रब के लश्करों (यानी फ़रिश्तों की तादाद) को सिवाय रब के कोई नहीं जानता (अगर वह

चाहते तो बेइन्तिहा फ़रिश्तों को दारोग़ा व निगराँ बना देते, और अब भी अगरचे निगराँ उन्नीस हैं मगर उनके और मददगार व सहयोगी बहुत कसरत से हैं, चुनाँचे मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है कि जहन्नम को इस हाल में हाज़िर किया जायेगा कि उसकी सत्तर हज़ार बागें "लगामें" होंगी और हर बाग को सत्तर हज़ार फ़रिश्ते पकड़े होंगे) और (जो असल मक़सूद है जहन्नम का हाल बयान करने से वह संख्या की कमी या ज़्यादती या मुतैयन करने या ख़ास हिक्मत के ज़ाहिर करने या ज़ाहिर न करने पर मौक़ूफ़ नहीं, वह असल मक़सूद है) दोज़ख़ (का हाल बयान करना) सिर्फ़ आदमियों की नसीहत के लिये है (ताकि वहाँ के अ़ज़ाब को सुनकर डरें और ईमान लायें, और यह मक़सूद किसी ख़ास ख़ुसूसियात पर मौक़ूफ़ नहीं। पस अ़क़्ल का तक़ाज़ा भी यही है कि असल मक़सूद को याद और ध्यान में रखकर इन ऊपर बयान हुई बातों के पीछे न पड़ें)।

(आगे थोड़ा सा बयान जहन्नम की सज़ा का है जिसमें 'ज़िक्रा लिल्बशर्' में संक्षिप्त रूप से बयान हुई हालत की तफ़सील है। पस इरशाद है कि) क़सम है चाँद की और रात की जब वह जाने लगे और सुबह की जब वह रोशन हो जाये कि यक़ीनन दोज़ख़ बड़ी भारी चीज़ है। जो इनसान के लिये बड़ा डरावा है। (यानी) तुम में जो (ख़ैर की तरफ़) आगे बढ़े उसके लिये भी या जो (ख़ैर से) पीछे की तरफ़ हटे उसके लिये भी (मतलब यह कि तमाम मुकल्लफ़ और शरई अहकाम के पाबन्द लोगों के लिये डराना है, और चूँकि इस डराने के परिणाम क़ियामत में ज़ाहिर होंगे इसलिये क़सम ऐसी चीज़ों की खाई गयी जो क़ियामत के बहुत ही मुनासिब है, चुनाँचे चाँद का अव्वल बढ़ना फिर घटना इस आ़लम के बढ़ने व तरक़्क़ी करने और फिर बाद में पतन व फ़ना होने का नमूना है, यहाँ तक कि चाँद के बेनूर हो जाने की तरह यह भी बिल्कुल फ़ना हो जायेगा। इसी तरह इस दुनिया के जहान को उस आख़िरत के जहान के साथ हक़ीक़त व तथ्यों के छुपने व ज़ाहिर होने में ऐसी निस्बत है जैसे रात को दिन के साथ। पस इस आ़लम का ख़त्म हो जाना रात के गुज़र जाने की तरह है और उस आ़लम का ज़ाहिर होना सुबह के निकलने और रोशनी फैलने की तरह है)।

(आगे दुनिया और दुनिया वालों के कुछ हालात का बयान है यानी) हर शख़्स अपने (कुफ़्रिया) आमाल के बदले में (दोज़ख़ में) मुक़ैयद होगा, मगर वे दाहिने वाले (यानी मोमिन हज़रात, जिसकी तफ़सील सूरः वाक़िआ़ में गुज़री है। और चूँकि यहाँ दाहिने वाले मुक़ाबिल बायें वालों के हैं इसलिये यह ख़ास और क़रीबी बन्दों को भी शामिल है। हासिल यह कि मोमिन हज़रात इस क़ैद से अलग हैं), क्योंकि वे जन्नतों में होंगे (और) मुजरिमों (यानी काफ़िरों) का हाल (ख़ुद उन काफ़िरों ही से) पूछते होंगे "यानी मोमिन लोग काफ़िरों से पूछेंगे" (और उस दूरी के बावजूद जो जन्नत व जहन्नम में है आपस में बातचीत करने की कैफ़ियत सूरः आराफ़ की आयतोंः

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ اَصْحٰبَ النَّارِ...................... الخ.

की तफ़सीर में गुज़री है। और यह सवाल डाँट-डपट व तंबीह के लिये होगा। हासिल यह

कि मोमिन हज़रात काफ़िरों से पूछेंगे कि) तुमको दोज़ख़ में किस बात ने दाख़िल किया? वे कहेंगे- हम न तो नमाज़ पढ़ा करते थे और न ग़रीब को (जिसका हक़ वाजिब था) खाना खिलाया करते थे। और (जो लोग हक़ दीन को बातिल साबित करने के धंधे व मशग़ले में लगे रहते थे उन) मशग़ले में रहने वालों के साथ हम भी (उस दीन को बातिल करने के) मशग़ले में रहा करते थे, और क़ियामत के दिन को झुठलाया करते थे यहाँ तक कि (इसी हालत में) हमको मौत आ गई (और हम इन हरकतों से बाज़ न आये, यानी ख़ात्मा इसी नाफ़रमानी पर हुआ, इस वजह से हम दोज़ख़ में आये। इससे यह लाज़िम नहीं आता कि काफ़िर ऊपर के अहकाम के मुकल्लफ़ हों यानी नमाज़ रोज़ा व शरई अहकाम के पाबन्द हों, क्योंकि जहन्नम में दो चीज़ें होंगी एक अ़ज़ाब दूसरा सख़्त अ़ज़ाब। पस मुम्किन है कि उक्त तमाम आमाल का मजमूआ़ सबब हो अ़ज़ाब की तमाम हालतों और सख़्त अ़ज़ाब का, इस तरह कि कुफ़्र व शिर्क तो सबब हो अ़ज़ाब दिये जाने का और नमाज़ वग़ैरह का छोड़ना सबब हो अ़ज़ाब की ज़्यादती का, और काफ़िरों के अहकाम का ग़ैर-मुकल्लफ़ होने के मायने यह कहे जायेंगे कि इन ऊपर के अहकाम पर अ़ज़ाब देना न होगा, और ज़्यादा अ़ज़ाब दिया जाना इसलिये हो सकता है कि ताबे होकर उसूल के तहत में फ़ुरूअ़ "ऊपर के अहकाम" भी आ ही जाते हैं। इसलिये ज़िमनी तौर पर मुकल्लफ़ होना अ़ज़ाब की ज़्यादती का सबब हो सकता है)।

सो (जो हालत ज़िक्र हुई उसमें) उनको सिफ़ारिश करने वालों की सिफ़ारिश फ़ायदा न देगी (और इस फ़ायदा न देने का नतीजा शफ़ाअ़त न हो पाने के साथ निकलेगा, यानी कोई उन काफ़िरों की शफ़ाअ़त ही न कर सकेगा। उनकी इसी हालत को एक दूसरी जगह उन्हीं की ज़ुबानी अल्लाह तआ़ला इस तरह इरशाद फ़रमाते हैं:

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ۝

आगे उनके इसी मुँह मोड़ने पर यह फ़रमाते हैं कि जब कुफ़्र और हक़ से मुँह मोड़ने की बदौलत उनकी यह हालत बनने वाली है) तो उनको क्या हुआ कि इस (क़ुरआनी) नसीहत से मुँह फेरते हैं कि गोया वे जंगली गधे हैं जो शेर से भागे जा रहे हैं (इस मिसाल देने में कई बातों की रियायत है- अव्वल तो गधा बेवक़ूफ़ी और हिमाक़त में मशहूर है, दूसरे उसको वहशी फ़र्ज़ किया जिसको गोरख़र कहते हैं कि वह जो चीज़ें डरने की नहीं होतीं उनसे भी बिला वजह डरता और बिदककर भागता है, तीसरे शेर से उसका डरना फ़र्ज़ किया कि इस सूरत में इनका भागना आख़िरी दर्जे का होगा, और उस भागने के असबाब में एक सबब यह भी है कि ये लोग इस क़ुरआन को अपने गुमान में ख़ुद हुज्जत व दलील होने में काफ़ी नहीं समझते) बल्कि उनमें हर शख़्स यह चाहता है कि उसको खुले हुए (आसमानी) नविश्ते दिये जायें (जैसा कि दुर्रे मन्सूर में क़तादा रह. से रिवायत किया गया है कि बाज़े काफ़िरों ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से कहा कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पैरवी करें तो हमारे नाम आसमान से विशेष तौर पर ऐसे नविश्ते "पत्र और लिखित दस्तावेज़" आयें जिनमें आपकी बात मानने और पैरवी का

हुक्म लिखा हो। उनकी इसी हालत को अल्लाह तआ़ला ने भी एक जगह इरशाद फ़रमाया है:

حَتّٰى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتٰبًا نَّقْرَؤُهٗ.

'मुनश्शरह्' का बढ़ाना मक़सद की वज़ाहत के लिये है, यानी जैसे मामूली ख़त होते हैं कि खोले जाते हैं और पढ़े जाते हैं ऐसे ही लिखित पत्र हमारे पास आने चाहियें। आगे इस बेहूदा दरख़्वास्त का रद्द है कि यह) हरगिज़ नहीं (हो सकता, क्योंकि न इसकी ज़रूरत और न इन लोगों में इसकी क़ाबलियत, ख़ास तौर पर इस वजह से कि इस दरख़्वास्त का सबब यह नहीं है कि उनके दिल में इरादा हो कि अगर ऐसा होगा तो पैरवी कर लेंगे) बल्कि (सबब यह है कि) ये लोग आख़िरत (के अ़ज़ाब) से नहीं डरते (इसलिये हक़ की तलब नहीं है और ये दरख़्वास्तें महज़ ज़िद और हठधर्मी से हैं, यहाँ तक कि फ़र्ज़ कर लो अगर ये दरख़्वास्तें पूरी भी हो जायें तब भी ये लोग पैरवी न करें। इसी वजह से अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتٰبًا فِيْ قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوْهُ بِاَيْدِيْهِمْ لَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِنْ هٰذَآ اِلَّا سِحْرٌ مُّبِيْنٌo

आगे नतीजे के तौर पर इसका रद्द और इस पर तंबीह व डाँट है, कि जब इस दरख़्वास्त का बेहूदा होना साबित हो गया तो यह) हरगिज़ नहीं हो सकता बल्कि क़ुरआन (ही) नसीहत (के लिये काफ़ी) है (दूसरे सहीफ़ों की हाजत नहीं)। सो (इस हालत में) जिसका जी चाहे इससे नसीहत हासिल करे (और जिसका जी न करे जहन्नम में जाये, हमको कोई ज़रूरत नहीं कि उनके मुतालबा किये हुए लिखित पत्र नाज़िल करें), और (क़ुरआन के तज़किरा यानी हिदायत होने में इससे शुब्हा न किया जाये कि बाज़े लोगों को इससे तज़किरा व हिदायत नहीं होती, बात यह है कि क़ुरआन अगरचे अपने आप में तज़किरा है लेकिन) बग़ैर ख़ुदा के चाहे ये लोग नसीहत क़ुबूल नहीं करेंगे। (और इस न चाहने में कुछ हिक्मतें हैं लेकिन क़ुरआन अपनी ज़ात के एतिबार से तज़किरा "नसीहत" ज़रूर है, पस इससे नसीहत हासिल करो और ख़ुदा की इताअ़त करो क्योंकि) वही है जिस (के अ़ज़ाब) से डरना चाहिये और (वही है) जो (बन्दों के गुनाह) माफ़ करता है (जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌo

(बेशक तेरा रब जल्द अ़ज़ाब करने वाला है और वही बख़्शने वाला मेहरबान है।)

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः मुद्दस्सिर क़ुरआने करीम की उन सूरतों में से है जो क़ुरआन नाज़िल होने के बिल्कुल शुरूआ़ती दौर में नाज़िल हुई हैं, इसी लिये कुछ हज़रात ने इस सूरत को सबसे पहले नाज़िल होने वली सूरत भी कहा है। और मशहूर सही रिवायतों की रू से सबसे पहले सूरः इक़रा (सूरः अ़लक़) की शुरू की आयतें नाज़िल हुई, फिर कुछ मुद्दत तक क़ुरआन के नाज़िल होने का सिलसिला बन्द रहा जिसको **फ़त्रत-ए-वही** का ज़माना कहा जाता है, उसी फ़त्रत (गेप) के

ज़माने के आख़िर में यह वाक़िआ पेश आया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मक्का मुकर्रमा में किसी जगह तशरीफ़ ले जा रहे थे, ऊपर से कुछ आवाज़ सुनी तो आपने आसमान की तरफ़ नज़र उठाई, देखा कि वह फ़रिश्ता जो ग़ारे हिरा में सूरः इक़्रा की आयतें लेकर आया था वह आसमान के नीचे फ़िज़ा में लटकी हुई कुर्सी पर बैठा हुआ है।

उसको इस हाल में देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वही तबई रौब व हैबत की कैफ़ियत तारी हो गयी जो ग़ारे हिरा में सूरः अ़लक़ की शुरू की आयतों के नाज़िल होने के वक़्त हुई थी, सख़्त सर्दी और कपकपी के एहसास से आप घर में वापस तशरीफ़ ले गये और फ़रमाया 'ज़म्मिलूनी, ज़म्मिलूनी' यानी मुझे ढाँपो मुझे ढाँपो। आप कपड़ों में लिपटकर लेट गये, इस पर सूरः मुद्दस्सिर की शुरू की आयतें नाज़िल हुई जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में है। इसी लिये इस सूरत में आपको 'या अय्युहल्-मुद्दस्सिरु' के अलफ़ाज़ से ख़िताब किया गया। यह लफ़्ज़ दिसार से निकला है जो उन ज़ायद कपड़ों को कहा जाता है जो आदमी आ़म लिबास के ऊपर किसी सर्दी वग़ैरह को दूर करने के लिये इस्तेमाल किया जाता है, इस लफ़्ज़ से ख़िताब करना एक प्यार व शफ़क़त भरा ख़िताब है जैसा कि 'मुज़्ज़म्मिलु' में बयान हो चुका है। लफ़्ज़ 'मुज़्ज़म्मिल' के मायने भी इसी के क़रीब हैं।

तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में जाबिर बिन ज़ैद ताबिई से मन्क़ूल है, उन्होंने फ़रमाया कि सूरः मुद्दस्सिर, मुज़्ज़म्मिल के बाद नाज़िल हुई है, और कुछ हज़रात ने यह रिवायत हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी नक़ल की है मगर बुख़ारी व मुस्लिम की जो रिवायत ऊपर नक़ल की गयी है उसमें इसकी वज़ाहत है कि सबसे पहले सूरः मुद्दस्सिर नाज़िल हुई (और मुराद यह है कि वही की रुकावट के ज़माने के बाद सबसे पहले यह सूरत नाज़िल हुई) अगर मुज़्ज़म्मिल का नाज़िल होना इससे पहले हुआ होता तो हज़रत जाबिर इब्ने अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु जो इस हदीस के रावी हैं वह इसको बयान करते। और यह ज़ाहिर है कि लफ़्ज़ मुज़्ज़म्मिल और मुद्दस्सिर दोनों तक़रीबन हम-मायने हैं। हो सकता है कि एक ही वाक़िए में इन दोनों का नुज़ूल हो और वह वाक़िआ वही जिब्रीले अमीन को आसमान के नीचे कुर्सी पर बैठे देखने का और आपका घर में वापस होकर कपड़ों में लिपट जाने का हो जो ऊपर बयान हुआ है।

इससे कम से कम इतना तो साबित हो जाता है कि सूरः मुज़्ज़म्मिल और मुद्दस्सिर की शुरू की आयतें फ़त्रत-ए-वही (वही रुके रहने के ज़माने) के बाद सबसे पहले नाज़िल होने वली आयतें हैं, इन दोनों में कौन पहली और कौन बाद की है इसमें रिवायतें अलग-अलग हो गयीं, और सूरः इक़्रा की शुरू की आयतों का इन सबसे पहले नाज़िल होना तमाम सही रिवायतों से साबित है। और ये दोनों सूरतें अगरचे क़रीबी ज़माने में एक ही वाक़िए में नाज़िल हुई हैं मगर फ़र्क़ दोनों में यह है कि सूरः मुज़्ज़म्मिल के शुरू में जो अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को दिये गये हैं उनमें अपनी ज़ाती व्यक्तिगत इस्लाह से मुताल्लिक़ हैं, और सूरः मुद्दस्सिर के शुरू में जो अहकाम दिये गये हैं उनका ताल्लुक़ ज़्यादातर दावत व तब्लीग़ और

मख़्लूक़ की इस्लाह (सुधार) से है।

सूरः मुद्दस्सिर में सबसे पहला हुक्म आपको यह दिया गया है कि "क़ुम् फ़-अन्ज़िर्" यानी खड़े हो जाईये। इसके वास्तविक मायने खड़ा होना भी हो सकते हैं कि आप जो कपड़ों में लिपट कर लेट गये हैं इसको छोड़कर खड़े हो जाईये, और यह मायने भी दूर के नहीं कि खड़े होने से मुराद काम के लिये मुस्तैद और तैयार होना हो, और मतलब यह हो कि अब आप हिम्मत करके ख़ुदा की मख़्लूक़ की इस्लाह की ख़िदमत संभालिये। 'फ़-अन्ज़िर्' इन्ज़ार से निकला है जिसके मायने डराने के हैं मगर ऐसा डराना जो शफ़क़त व मुहब्बत पर आधारित होता है, जैसे बाप अपने बच्चे को साँप बिच्छू और आग से डराता है, अम्बिया की यही शान होती है इसलिये उनका लक़ब **नज़ीर** और **बशीर** होता है। नज़ीर के मायने शफ़क़त व हमदर्दी की बिना पर नुक़सानदेह चीज़ों से डराने वाला और बशीर के मायने ख़ुशख़बरी सुनाने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के भी दोनों ही लक़ब क़ुरआने करीम में जगह-जगह मज़कूर हैं, मगर इस जगह सिर्फ़ इन्ज़ार के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा इसलिये किया गया कि उस वक़्त मोमिन मुसलमान तो गिनेचुने चन्द ही थे बाक़ी सब इनकारी और काफ़िर लोग थे जो किसी ख़ुशख़बरी के मुस्तहिक़ नहीं बल्कि डराने ही के मुस्तहिक़ थे।

दूसरा हुक्म यह दिया गया 'व रब्ब-क फ़-कब्बिर्' यानी सिर्फ़ अपने रब की बड़ाई बयान कीजिये क़ौल से भी, अ़मल से भी। लफ़्ज़ **रब्ब** इस जगह इसलिये इख़्तियार किया गया कि यह ख़ुद इल्लत (सबब और वजह) उस हुक्म की है कि जो सारे जहान का पालने वाला है सिर्फ़ वही हर बड़ाई और किब्रियाई का मुस्तहिक़ है। **तकबीर** के लफ़्ज़ी मायने अल्लाहु अकबर कहने के भी आते हैं जिसमें नमाज़ की तकबीरे तहरीमा और दूसरी तकबीरें भी दाख़िल हैं और नमाज़ से बाहर भी अज़ान व तकबीर वग़ैरह की तकबीर इसमें शामिल है। इस हुक्म को नमाज़ की तकबीरे तहरीमा के साथ मख़्सूस क़रार देने का क़ुरआन के अलफ़ाज़ में कोई इशारा नहीं।

तीसरा हुक्म यह दिया गया 'व सियाब-क फ़-तह्हिर्'। सियाब **सौब** की जमा (बहुवचन) है इसके असली और वास्तविक मायने कपड़े के हैं और मुहावरे के तौर पर अ़मल को भी सौब और लिबास कहा जाता है, दिल और नफ़्स को भी और अख़्लाक़ और दीन को भी। इनसान के जिस्म को भी लिबास से ताबीर किया जाता है जिसके सुबूत क़ुरआन और अ़रब के मुहावरों में ख़ूब कसरत से मिलते हैं। इस आयत में हज़राते मुफ़स्सिरीन से सभी मायने मन्क़ूल हैं और ज़ाहिर यह है कि यह कोई टकराव, मतभेद और विरोधाभास नहीं। मुहावरे में आ़म इस्तेमाल के तौर पर अगर इन अलफ़ाज़ से सभी मायने मुराद लिये जायें तो कोई मुश्किल और दूर की बात नहीं, और मायने इस हुक्म के यह होंगे कि अपने कपड़ों और जिस्म को ज़ाहिरी नापाकियों से पाक रखिये, दिल और नफ़्स को बातिल अ़क़ीदों व ख़्यालात से और बुरे अख़्लाक़ से पाक रखिये। पायजामे या तहबन्द को टख़्नों से नीचे लटकाने की मनाही भी इससे साबित होती है क्योंकि नीचे लटके हुए कपड़ों का आलूदा (गन्दा व नापाक) हो जाना बईद नहीं तो कपड़े को

पाक करने के हुक्म में यह भी आ गया कि कपड़ों का इस्तेमाल इस तरह करो कि गन्दगी व नापाकी से दूर रहो। और कपड़ों के पाक रखने में यह भी दाख़िल है कि वो हराम माल से न बनाये जायें, किसी ऐसी शक्ल व बनावट के न बनाये जायें जो शरअ़न मना हैं, और आयत के ज़ाहिर से यह मालूम होता है कि यह कपड़े पाक करने का हुक्म नमाज़ के साथ ख़ास नहीं बल्कि तमाम हालात में आ़म है, इसी लिये फ़ुक़हा ने फ़रमाया है कि नमाज़ की हालत के अ़लावा में भी बग़ैर किसी ज़रूरत के जिस्म को नापाक रखना या नापाक पकड़े पहने रखना या नापाक जगह में बैठे रहना जायज़ नहीं। ज़रूरत के वक़्त और हालात इससे अलग हैं। (मज़हरी)

अल्लाह तआ़ला तहारत को पसन्द फ़रमाते हैं:

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ۝

और हदीस में तहारत को आधा ईमान क़रार दिया है इसलिये मुसलमान को हर हाल में अपने जिस्म, मकान (जगह) और लिबास की ज़ाहिरी पाकी का भी एहतिमाम रखना ज़रूरी है और दिल की अन्दरूनी तहारत का भी। वल्लाहु आलम

चौथा हुक्म यह दिया गया 'वर्रुज्-ज़ फ़ह्जुर्' 'रुजूज़' और 'रिजूज़' दोनों के एक ही मायने हैं। तफ़सीर के इमामों मुजाहिद, इक्रिमा, क़तादा, ज़ोहरी, इब्ने ज़ैद वग़ैरह ने इस जगह रुजूज़ के मायने बुतों के क़रार दिये हैं और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में इससे मुराद हर गुनाह और नाफ़रमानी नक़ल की गयी है। आयत के मायने यह हैं कि बुतों को या गुनाह व नाफ़रमानी को छोड़िये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तो पहले ही सब को छोड़े हुए थे आपको इसका हुक्म करने के मायने यह हैं कि आईन्दा भी इन चीज़ों से दूर रहें और दर हक़ीक़त यह हुक्म उम्मत के लिये एक तालीम है जो बहुत ज़्यादा ताकीद के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मुख़ातब करके दिया गया है ताकि वे समझें कि जब ख़ताओं से पाक व सुरक्षित (यानी मासूम) पैग़म्बर को भी इसका हुक्म है तो हमें इसका कैसा एहतिमाम करना चाहिये।

पाँचवा हुक्म यह दिया गया 'व ला तम्नुन् तस्तक्सिर्'। यानी किसी शख़्स पर एहसान इस नीयत से न कीजिये कि जो कुछ उसको दिया है उससे ज़्यादा वसूल हो जायेगा। इससे मालूम हुआ कि किसी शख़्स को हदिया तोहफ़ा इस नीयत से देना कि वह इसके बदले में इससे ज़्यादा देगा यह बुरा व नापसन्दीदा है। क़ुरआन की एक दूसरी आयत से अगरचे इसका आ़म लोगों के लिये जायज़ होना मालूम होता है मगर वह भी कराहत से ख़ाली नहीं, और शरीफ़ाना अख़्लाक़ के ख़िलाफ़ है, ख़ास तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये तो इसको हराम क़रार दिया गया (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल है)।

छठा हुक्म यह दिया गया 'व लि-रब्बि-क फ़स्बिर्'। सब्र के लफ़्ज़ी मायने अपने नफ़्स को रोकने और क़ाबू में रखने के हैं, इसलिये सब्र के मफ़्हूम में यह भी दाख़िल है कि अल्लाह तआ़ला के अहकाम की पाबन्दी पर अपने नफ़्स को क़ायम रखे, और यह भी दाख़िल है कि

अल्लाह की हराम की हुई चीज़ों से नफ़्स को रोके, और यह भी दाख़िल है कि मुसीबतों और तकलीफ़ों में अपने इख़्तियार की हद तक आह व फ़रियाद, रोने-पीटने और शिकायत से बचे, इसलिये यह हुक्म एक आम हुक्म है जो तक़रीबन पूरे दीन को शामिल है। यह भी मुम्किन है कि इस मौके पर इस हुक्म की ख़ुसूसियत इसलिये भी हो कि ऊपर की आयत में आपको हुक्म दिया गया है कि अल्लाह तआ़ला की आ़म मख़्लूक़ को दीने हक़ की तरफ़ दावत दें, कुफ़्र व शिर्क और गुनाहों से रोकें।

यह ज़ाहिर है कि इसके नतीजे में बहुत से लोग मुख़ालफ़त व दुश्मनी और तकलीफ़ पहुँचाने पर आमादा हो जायेंगे इसलिये हक़ की दावत देने वाले को सब्र व बरदाश्त का आ़दी होना चाहिये। ये चन्द अहकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को देने के बाद क़ियामत और उसके हौलनाक होने का ज़िक्र है। नाक़ूर के मायने सूर के हैं और नक़्र से मुराद सूर में फूँक मारकर आवाज़ निकालने के हैं। और क़ियामत के दिन का सभी काफ़िरों के लिये सख़्त व शदीद होना बयान फ़रमाने के बाद एक ख़ास शरीर काफ़िर के हालात और उसके सख़्त अ़ज़ाब का बयान है।

वलीद बिन मुग़ीरा की आमदनी एक करोड़ गिन्नियाँ सालाना

यह काफ़िर वलीद बिन मुग़ीरा है जिसको अल्लाह तआ़ला ने दुनिया की माल व दौलत और औलाद फ़रावानी के साथ दी थी, बक़ौल हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु इसकी ज़मीन जायदाद बाग़ात मक्का से तायफ़ तक फैले हुए थे, और बक़ौल इमाम सौरी रह. इसकी सालाना आमदनी एक करोड़ दीनार थी। कुछ लोगों ने इससे कम भी बतलाई है, इतना सब के नज़दीक माना हुआ है कि उसके खेत और बाग़ात की आमदनी और पैदावार साल भर सर्दी गर्मी के हर मौसम में लगातार रहती थी, क़ुरआने करीम में इसी को फ़रमाया है:

وَّجَعَلْتُ لَهٗ مَالًا مَّمْدُوْدًاo

और यह अ़रब का सरदार माना जाता था। लोगों में इसका लक़ब रेहाना-ए-क़ुरैश मशहूर था, यह ख़ुद अपने आपको बतौर फ़ख़्र व तकब्बुर के वहीद इब्नुल्-वहीद, यानी बेमिसाल का बेमिसाल बेटा कहा करता था, कि न क़ौम में मेरी कोई नज़ीर है न मेरे बाप मुग़ीरा की। (क़ुर्तुबी) मगर इस ज़ालिम ने अल्लाह तआ़ला की नेमतों की नाशुक्री की और क़ुरआन को कलामे इलाही यक़ीन कर लेने के बावजूद इसने झूठी बात बनाई और क़ुरआन को जादू और हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जादूगर कहा। इसका वाक़िआ़ तफ़सीरे क़ुर्तुबी में यह बयान किया है कि जब क़ुरआन की आयत:

حٰمٓo تَنْزِيْلُ الْكِتٰبِ مِنَ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِo غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ط لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ط اِلَيْهِ الْمَصِيْرُo

नाज़िल हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इसकी तिलावत कर रहे थे वलीद बिन मुग़ीरा ने यह किराअत सुनी तो बेसाख़्ता इसको अल्लाह का कलाम मानने और यह कहने पर मजबूर हो गया कि:

وَاللّٰہ لقد سمعتُ منه کلامًا ما هو من کلام الانس ولا من کلام الجنّ وان له لحلاوة وان علیه لطلاوة وان اعلاه لمُثمر وانّ اسفلهٗ لمغدق وانّهٗ لیعلو ولا یُعلٰی علیه وما یقول هذا بشر.

'अल्लाह की क़सम! मैंने मुहम्मद से ऐसा कलाम सुना है जो न किसी इनसान का कलाम हो सकता है न किसी जिन्न का, और उसमें बड़ी मिठास है और उस पर ख़ास रौनक़ है, उसका आला फल देने वाला और निचला हिस्सा पानी जारी करने वाला है, वह बिला शुब्हा सबसे बाला व बुलन्द होकर रहेगा, उस पर कोई ग़ालिब नहीं हो सकता, यह बशर का कलाम नहीं।'

अ़रब के सबसे बड़े मालदार सरदार का यह कहना था कि पूरे क़ुरैश में उसने एक ज़लज़ला डाल दिया और वे सब इस्लाम व ईमान की तरफ़ झुकने लगे। क़ुरैश के काफ़िर सरदारों को फ़िक्र हुई और जमा होकर मश्विरा करने लगे। अबू जहल ने कहा कि फ़िक्र न करो मैं अभी जाता हूँ उसको ठीक करूँगा।

अबू जहल और वलीद बिन मुग़ीरा का मुकालमा और नबी पाक के हक़ व सच्चा होने पर दोनों का इत्तिफ़ाक़

अबू जहल वलीद बिन मुग़ीरा के पास ग़मगीन सूरत बनाकर पहुँचा (और जान-बूझकर ऐसी बात बनाई जिस पर वलीद को गुस्सा आ जाये) वलीद ने उससे पूछा कि क्या बात तुम ग़मगीन नज़र आते हो? अबू जहल ने कहा कि ग़मगीन कैसे न हूँ ये सारे लोग आपस में चन्दा करके तुझे माल देते हैं कि तू अब बूढ़ा हो गया है, तेरी मदद करनी चाहिये, मगर अब उनको यह मालूम हुआ कि तुम मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) और इब्ने अबी क़हाफ़ा (अबू बक्र रज़ियल्लाहु अ़न्हु) के पास इसलिये जाते हो कि तुम्हें कुछ खाने पीने को मिल जाये और उनकी ख़ुशामद में उनके कलाम की तारीफ़ बयान करते हो (ज़ाहिर यह है कि क़ुरैश का चन्दा करके वलीद को माल देना भी झूठ था जो सिर्फ़ उसको गुस्सा दिलाने के लिये बोला गया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से खाने की चीज़ें लेना तो झूठ था ही) इस पर वलीद बिन मुग़ीरा के गुस्से की इन्तिहा न रही और उसके नतीजे में उस पर अपने तकब्बुर व घमण्ड का जुनून सवार हो गया। कहने लगा कि क्या मैं मुहम्मद और उनके साथियों के टुकड़ों का मोहताज हूँ? क्या तुमको मेरे माल व दौलत की कसरत मालूम नहीं। क़सम है लात और उज़्ज़ा की (दो बुतों के नाम हैं) मैं उसका हरगिज़ मोहताज नहीं। अलबत्ता तुम लोग जो यह कहते हो कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) मजनून हैं, यह बात ऐसी ग़लत है इसका कोई यकीन

नहीं कर सकता, क्या तुम में से किसी ने उनको कोई मजनुओं वाला काम करते देखा है? अबू जहल ने इक़रार किया कि नहीं ख़ुदा की क़सम हमने कोई ऐसा काम उनका नहीं देखा।

फिर वलीद ने कहा तुम लोग उनको शायर कहते हो क्या तुमने उनको कभी शे'र कहते हुए सुना है (ऐसी ग़लत बात कहना अपने आपको रुस्वा करना है)। अबू जहल ने इस पर भी यही कहा कि ख़ुदा की क़सम, नहीं। फिर वलीद ने कहा कि तुम लोग उनको झूठा कहते हो तो बतलाओ कि तुमने उम्र भर में कभी उनकी किसी बात को झूठा पाया है? इस पर भी अबू जहल को यही इक़रार करना पड़ा नहीं, ख़ुदा की क़सम। फिर वलीद ने कहा कि तुम लोग उनको काहिन "जिन्नों वग़ैरह से मालूम करके ग़ैब की ख़बरें बताने वाला, या ज्योतिषि" कहते हो तो क्या तुमने कभी उनके ऐसे हालात और कलिमात देखे सुने हैं जो काहिनों के हुआ करते हैं। हम काहिनों की बातों को अच्छी तरह पहचानते हैं, उनका कलाम कहानत नहीं हो सकता। इसपर भी अबू जहल को यही इक़रार करना पड़ा नहीं, ख़ुदा की क़सम। पूरे क़ुरैश में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम सादिक़ अमीन (सच्चे और अमानतदार) के लक़ब से मशहूर थे।

अब अबू जहल अपने इन सब बोहतानों से तो अलग हो गया, फ़िक्र यह पड़ी कि आख़िर फिर क्या कहकर लोगों को इस्लाम से रोका जाये, इसलिये ख़ुद वलीद ही को ख़िताब करके कहा कि फिर तुम ही बतलाओ कि उनको क्या कहा जाये। इस पर उसने पहले तो अपने दिल में सोचा फिर अबू जहल की तरफ़ नज़र उठाई, फिर मुँह बनाया जिससे नफ़रत का इज़हार हो और आख़िर में कहने लगा कि उनको यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मजनून, शायर, काहिन, झूठा तो कुछ नहीं कहा जा सकता, हाँ उनको साहिर (जादूगर) कहो तो बात चल जायेगी। यह कमबख़्त ख़ूब जानता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जादूगर भी नहीं और न आपके कलाम को जादूगरों का कलाम कहा जा सकता है, मगर इसने बात बनाने की यह सूरत तजवीज़ की कि आपके कलाम के आसार भी ऐसे होते हैं जैसे जादूगरों के, क्योंकि जैसे जादूगर अपने अ़मल से मियाँ-बीवी, भाई-भाई में फूट, जुदाई और नफ़रत डाल देते थे (मआ़ज़ल्लाह) आपके कलाम का भी यही असर है कि जो ईमान ले आता है अपने काफ़िर माँ बाप और अ़ज़ीज़ों से नफ़रत करने लग जाता है। उसके इस वाक़िए के आख़िरी हिस्सों ही को क़ुरआने करीम ने इन आयतों में बयान फ़रमाया है:

إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ○ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ○ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ○ ثُمَّ نَظَرَ ○ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ○ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ○ فَقَالَ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ ○ إِنْ هَٰذَآ إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ○

इसमें क़द्द-र तक़दीर से निकला है जिसके लफ़्ज़ी मायने तजवीज़ करने के हैं। मुराद इससे यह है कि इस कमबख़्त ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत पर यक़ीन कामिल हो जाने के बावजूद ग़ुस्से और ग़ैरत (ख़ानदानी व क़ौमी पक्षपात) से मग़लूब होकर मुख़ालफ़त करना तो तय कर लिया मगर साफ़ झूठ बोलने से परहेज़ करना चाहता था कि अपनी रुस्वाई न हो इसलिये बहुत ग़ौर व फ़िक्र करके यह तजवीज़ निकाली कि उनको साहिर

(जादूगर) इस बिना पर कहो कि आपके कलाम और तालीम व हिदायत से बाप-बेटे भाई-भाई में जुदाई हो जाती है जैसे जादू से होती है, इसी तक़दीर व तजवीज़ पर हक़ तआला ने उस पर लानत को दोहराया। यानीः

فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۝

झूठ से काफ़िर भी परहेज़ करते थे

ग़ौर कीजिये कि यह क़ुरैशी सरदार और सभी काफ़िर व फ़ाजिर लोग तरह-तरह के गुनाहों और बुराईयों में गिरफ़्तार थे मगर झूठ एक ऐसा ऐब है कि ये काफ़िर भी इससे भागते थे। इस्लाम लाने से पहले का हज़रत अबू सुफ़ियान का वाक़िआ जो रोम के बादशाह क़ैसर के दरबार में पेश आया, उससे भी यह मालूम हुआ कि ये लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की मुख़ालफ़त में अपनी जान और औलाद तक को क़ुरबान करने के लिये तैयार थे मगर ऐसा झूठ बोलने के लिये तैयार नहीं थे जिससे उनको दुनिया में झूठा कहा जाये। अफ़सोस है कि इस उल्टी तरक़्क़ी के ज़माने में यह ऐब ऐब ही नहीं रहा बल्कि सबसे बड़ा हुनर हो गया और काफ़िर व फ़ाजिर लोग ही नहीं नेक दीनदार मुसलमानों के दिलों से भी इसकी नफ़रत निकल गयी, बिना थके झूठ बोलने और बुलवाने को फ़ख़्र के साथ बयान करते हैं। (नऊ़ज़ु बिल्लाह मिन्हा।)

औलाद का अपने पास मौजूद होना एक मुस्तक़िल नेमत है

वलीद बिन मुग़ीरा पर अल्लाह तआ़ला ने जो दुनिया में इनामात फ़रमाये थे उनमें से एक यह भी फ़रमाया किः

بَنِيْنَ شُهُوْدًا ۝

यानी औलाद हाज़िर मौजूद। इससे मालूम हुआ कि जैसे औलाद का पैदा होना और उसका बाक़ी रहना अल्लाह तआ़ला के इनामात हैं इसी तरह औलाद का अपने पास हाज़िर मौजूद होना भी एक बड़ा इनाम है जो माँ-बाप के लिये आँखों की ठण्डक और दिल के सुकून का सबसे बड़ा ज़रिया है, उनकी हाज़िरी से अपनी ख़िदमत और कारोबार में इमदाद का फ़ायदा इसके अ़लावा है। इस उल्टी तरक़्क़ी ने जो यह ज़माना कर रहा है सिर्फ़ सोने चाँदी के सिक्कों बल्कि उन सिक्कों के इक़रार नामों (नोटों) का नाम ऐश व आराम रख लिया है जिसके लिये माँ-बाप बड़े फ़ख़्र से औलाद को दूसरे मुल्कों में फेंक देते हैं और इस पर ख़ुश होते हैं कि अगरचे सालों साल बल्कि उम्र भर औलाद की सूरत भी न देखें मगर उनकी बड़ी तन्ख़्वाह और आमदनी की ख़बर इनके कानों तक पहुँचती रहे और ये उस ख़बर के ज़रिये अपनी बिरादरी में अपनी बरतरी साबित करते रहें। मालूम होता है कि ये लोग आराम व राहत के मतलब से भी बेख़बर हो गये। और अल्लाह तआ़ला को भुलाने का यही नतीजा होना चाहिये कि वे ख़ुद अपने आपको यानी

अपने असली आराम व राहत को भी भूल जायें जैसा कि क़ुरआने करीम ने फ़रमायाः

نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسٰهُمْ اَنْفُسَهُمْ.

وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ.

तफ़सीर के इमामों में से मुक़ातिल रह. ने फ़रमाया कि यह जवाब अबू जहल के कलाम का है, उसने जब यह आयत सुनी कि जहन्नम के ख़ज़ानची और निगराँ उन्नीस फ़रिश्ते हैं तो क़ुरैशी जवानों को ख़िताब करके कहने लगा कि मुहम्मद के साथ तो केवल उन्नीस हैं, उसकी तुम्हें क्या फ़िक्र हो सकती है। और बैहक़ी ने सुद्दी से नक़ल किया है कि जब यह आयत नाज़िल हुईः

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَO

तो क़ुरैश के एक बेहूदा काफ़िर जिसको अबुल-असलैन कहा जाता था बोल उठा कि ऐ क़ुरैश की क़ौम! कुछ फ़िक्र न करो, उन उन्नीस के लिये तो मैं अकेला काफ़ी हूँ। मैं अपने दाहिने बाज़ू से दस को और बायें बाज़ू से नौ को दबा करके उन उन्नीस का ख़ात्मा कर दूँगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुई कि अहमक़ो! अव्वल तो फ़रिश्ता एक भी सब के लिये काफ़ी है और उन्नीस का अ़दद (संख्या) जो यहाँ बतलाया गया है यह उन फ़रिश्तों के मुखियाओं और ज़िम्मेदारों का अ़दद है, उनमें से हर एक के मातहत ख़ुदाई ख़िदमात और काफ़िर व फ़ाजिर लोगों को अ़ज़ाब देने के लिये बेशुमार फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं जिनका अ़दद अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। आगे क़ियामत और क़ियामत के अहवाल का ज़िक्र है, इसमें फ़रमायाः

اِنَّهَا لَاِحْدَى الْكُبَرِO

इन्नहा की ज़मीर सक़र की तरफ़ लौट रही है (यानी "बेशक वह" में वह से मुराद जहन्नम है) जिसका ज़िक्र ऊपर की आयतों में आया है। कुबर् कुबरा की जमा (बहुवचन) है, यह सिफ़त है दाहियतुन् या मुसीबतुन् की। आयत के मायने यह हुए कि यह सक़र यानी जहन्नम जिसमें उनको दाख़िल किया जायेगा बड़ी-बड़ी आफ़तों और मुसीबतों में से एक है, इसके अ़लावा और तरह-तरह के अ़ज़ाब हैं।

لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّتَقَدَّمَ اَوْ يَتَاَخَّرَO

यहाँ आगे बढ़ने से मुराद ईमान और नेक आमाल की तरफ़ आगे बढ़ना और पीछे रहने से मुराद ईमान व नेकी करने से पीछे हटना है। मतलब यह है कि जहन्नम के अ़ज़ाब से डराना जो ऊपर की आयत में है यह हर एक इनसान के लिये आ़म है, फिर कोई यह डर सुनकर ईमान व नेकी करने की तरफ़ क़दम बढ़ाता है, कोई बदनसीब इसके बावजूद पीछे रह जाता है।

كُلُّ نَفْسٍ ۢ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌO اِلَّآ اَصْحٰبَ الْيَمِيْنِO

रहीनतुन् मरहूनतुन् के मायने में है और मुराद इससे उसका बन्दी और क़ैद में होना है, जिस तरह कोई शख़्स क़र्ज़ के बदले में कोई चीज़ रहन (गिरवी) रख दे तो वह चीज़ क़र्ज़ देने

वाले के क़ब्ज़े में रहती है, मालिक उससे कोई फ़ायदा नहीं उठा सकता, इसी तरह क़ियामत के रोज़ हर एक नफ़्स अपने गुनाहों के बदले में बन्दी और घिरा हुआ रहेगा, मगर दाहिने वाले इस क़ैदी और बन्दी बनने से अलग होंगे।

यहाँ हब्स (क़ैद में होने) से मुराद जहन्नम में महबूस होना भी हो सकता है जैसा कि ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिया गया है, तो मायने यह होंगे कि हर शख़्स अपने-अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के लिये जहन्नम में महबूस (क़ैदी) रहेगा मगर दाहिनी तरफ़ वाले इससे अलग और बाहर होंगे। इस मज़मून से यह भी मालूम हो गया कि दाहिनी तरफ़ वालों से मुराद वे लोग हैं जिन्होंने अपना क़र्ज़ अदा कर दिया यानी अल्लाह तआ़ला और बन्दों के सब हुक़ूक़ दुनिया में अदा कर दिये थे, या अल्लाह तआ़ला और बन्दों ने माफ़ कर दिये, वे फ़र्ज़ और क़र्ज़ सब अदा कर चुके, उनके नफ़्सों के गिरवी होने की कोई वजह नहीं, यह तफ़सीर बज़ाहिर साफ़ व बेतकल्लुफ़ है।

और अगर हब्स (घिरने व बन्दी होने) से मुराद हिसाब-किताब और जन्नत-दोज़ख़ के दाख़िले से पहले किसी जगह बन्दी होना है तो उसका हासिल यह होगा कि तमाम नफ़्स अपने अपने हिसाब के लिये महबूस (बन्दी और घिरे हुए) होंगे, जब तक हिसाब न हो जाये कोई कहीं न जा सकेगा। इस सूरत में दाहिनी तरफ़ वाले जो अलग किये गये उनसे मुराद या तो वे गुनाहों से सुरक्षित हज़रात हो सकते हैं जिनके ज़िम्मे हिसाब नहीं, जैसे नाबालिग़ बच्चे जैसा कि हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू का यही क़ौल है, या फिर वे लोग जिनके बारे में हदीस में आया है कि इस उम्मत के बहुत से लोग हिसाब से अलग और बरी कर दिये जायेंगे, वे बग़ैर हिसाब के जन्नत में दाख़िल होंगे। और सूरः वाक़िआ़ में जो मेहशर में हाज़िर लोगों की तीन क़िस्में बतलाई हैं- एक साबिक़ीन व मुक़र्रबीन, दूसरे अस्हाबुल-यमीन, तीसरे अस्हाबुश्-शिमाल। यहाँ मुक़र्रबीन को भी अस्हाबुल-यमीन में शामिल करके सिर्फ़ अस्हाबुल-यमीन के ज़िक्र पर इक्तिफ़ा किया गया लेकिन इस मायने के एतिबार से तमाम अस्हाबुल-यमीन का हिसाब के लिये बन्दी होने से अलग रखना किसी शरई वज़ाहत व दलील से साबित नहीं, यह मायने पहली तफ़सीर यानी जहन्नम में क़ैद किये जाने के साथ ही दुरुस्त हो सकते हैं। वल्लाहु आलम

فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّٰفِعِينَ۝

'तन्फ़अुहुम' में जिन लोगों के नफ़े की तरफ़ इशारा है उनसे मुराद मुजरिम लोग हैं जिनका ज़िक्र इससे पहली आयत में आया है, कि उन्होंने अपने चार जुर्मों का इक़रार किया- एक यह कि वे नमाज़ नहीं पढ़ते थे, दूसरे यह कि वे किसी मिस्कीन ग़रीब को खाना नहीं खिलाते थे, मुराद यह है कि ग़रीबों की ज़रूरतों पर ख़र्च नहीं करते थे, तीसरे यह कि बातिल व ग़ैर-हक़ वाले लोग जो इस्लाम व ईमान के ख़िलाफ़ बातें करते या गुनाहों व बुराईयों में मुब्तला होते हैं ये भी उनके साथ लगे रहते थे, उनसे बेज़ारी का इज़हार नहीं करते थे। चौथे यह कि क़ियामत का इनकार करते थे।

इस आयत से साबित हुआ कि ऐसे मुजरिम जो इन सब गुनाहों के दोषी हों जिनमें क़ियामत का झुठलाना भी दाख़िल है जो पूरी तरह कुफ़्र है, ऐसे मुजरिमों के लिये किसी की शफ़ाअ़त लाभ देने वाली न होगी, क्योंकि ये काफ़िर हैं और किसी काफ़िर की शफ़ाअ़त करने की भी किसी को इजाज़त नहीं होगी, और अगर कोई करे तो क़ुबूल नहीं होगी चाहे सारे शफ़ाअ़त करने वाले जमा होकर शफ़ाअ़त का ज़ोर लगायें हरगिज़ नफ़ा नहीं देगी। इसकी तरफ़ इशारा करने के लिये शफ़ाअ़तुश्-शाफ़िईन बहुवचन का कलिमा लाया गया है।

काफ़िर के लिये किसी की शफ़ाअ़त नफ़ा न देगी, मोमिन के लिये नफ़ा देगी

इस आयत से यह भी समझ में आता है कि काफ़िरों के अ़लावा मुसलमानों के लिये चाहे वे गुनाहगार हों शफ़ाअ़त नफ़ा देगी जैसा कि बहुत सी सही हदीसों में अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और नेक व बुज़ुर्ग हज़रात बल्कि आ़म मोमिनों का दूसरों की शफ़ाअ़त करना और उसका क़ुबूल होना साबित है।

फ़ायदा

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि आख़िरत में अल्लाह के फ़रिश्ते और अम्बिया और शहीद हज़रात और नेक लोग गुनाहगारों की शफ़ाअ़त करेंगे और वे उनकी शफ़ाअ़त से जहन्नम से निकाल लिये जायेंगे सिवाय उन चार क़िस्म के मुजरिमों के जिनका ज़िक्र ऊपर आया है यानी जो नमाज़ व ज़कात के छोड़ने वाले हैं और जो बातिल वालों व काफ़िरों की ख़िलाफ़े इस्लाम बातों में शरीक रहते हैं और जो क़ियामत का इनकार करते हैं। इससे मालूम होता है कि बेनमाज़ी और ज़कात न देने वाले के लिये शफ़ाअ़त क़ुबूल नहीं होगी।

मगर दूसरी रिवायतों से सही यह मालूम होता है कि आयत में जिन लोगों की शफ़ाअ़त क़ुबूल न होना बयान हुआ है इससे वे मुराद हैं जो इन चारों जुर्मों के करने वाले हों, जिनमें क़ियामत को झुठलाना भी दाख़िल है। झुठलाने के अ़लावा अलग-अलग दूसरे जुर्म करने वाले की यह सज़ा होना ज़रूरी नहीं, मगर हदीस की कुछ रिवायतों में ख़ास-ख़ास गुनाहों के दोषी के मुताल्लिक़ भी यह आया है कि वह शफ़ाअ़त से मेहरूम रहेगा जैसे हदीस में है कि जो शख़्स शफ़ाअ़त के हक़ होने ही का इनकारी हो या हौज़-ए-कौसर के वजूद का मुन्किर हो उसका शफ़ाअ़त और हौज़-ए-कौसर में कोई हिस्सा नहीं।

فَمَالَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِيْنَ○

यहाँ तज़किरा से मुराद क़ुरआने हकीम है, क्योंकि तज़किरा के लफ़्ज़ी मायने याद दिलाने वाली चीज़ के हैं और क़ुरआन अल्लाह तआ़ला की कमाली सिफ़ात और उसकी रहमत व ग़ज़ब

और सवाब व अ़ज़ाब को याद दिलाने में बेनज़ीर है। और आख़िर में फ़रमायाः

كَلَّآ اِنَّهٗ تَذْكِرَةٌ ۝

यानी बेशक क़ुरआन तज़्किरा है जिसको तुमने छोड़ रखा है। 'क़स्वरतुन' के मायने शेर के भी आते हैं और तीर-अन्दाज़ शिकारी के भी, इस जगह सहाबा किराम से दोनों मायने नक़ल किये गये हैं।

هُوَ اَهْلُ التَّقْوٰى وَاَهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝

अल्लाह तआ़ला का तक़्वे वाला होना इस मायने में है कि सिर्फ़ वही इसका मुस्तहिक़ है कि उससे डरा जाये और उसकी नाफ़रमानी से बचा जाये। और मग़फ़िरत वाला होने का मतलब यह है कि वही ऐसी ज़ात है जो बड़े से बड़े मुजरिम गुनाहगार को उसके सब गुनाह जब चाहते हैं बख़्श देते हैं किसी और का यह हौसला नहीं हो सकता।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-मुद्दस्सिर की तफ़सीर आज रजब की 25 तारीख़ सन् 1391 हिजरी दिन जुमा को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-मुद्दस्सिर की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-क़ियामत

सूरः अल्-क़ियामत मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 40 आयतें और इसमें 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیَاتُهَا ۴۰ (۷۵) سُوْرَةُ الْقِیٰمَةِ مَكِّیَّةٌ (۳۱) رُكُوْعَاتُهَا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیٰمَةِ ۙ وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۭ اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ۭ بَلٰى قٰدِرِیْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّیَ بَنَانَهٗ ۝ بَلْ یُرِیْدُ الْاِنْسَانُ لِیَفْجُرَ اَمَامَهٗ ۚ یَسْـَٔلُ اَیَّانَ یَوْمُ الْقِیٰمَةِ ۭ فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ ۙ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۙ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۙ یَقُوْلُ الْاِنْسَانُ یَوْمَىِٕذٍ اَیْنَ الْمَفَرُّ ۚ كَلَّا لَا وَزَرَ ۭ اِلٰى رَبِّكَ یَوْمَىِٕذِ ࣙ الْمُسْتَقَرُّ ۭ یُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ یَوْمَىِٕذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ۭ بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِیْرَةٌ ۙ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِیْرَهٗ ۭ لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۭ اِنَّ عَلَیْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۚ فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۚ ثُمَّ اِنَّ عَلَیْنَا بَیَانَهٗ ۭ كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ ۙ وَتَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ ۭ وُجُوْهٌ یَّوْمَىِٕذٍ نَّاضِرَةٌ ۙ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۚ وَوُجُوْهٌ یَّوْمَىِٕذٍۭ بَاسِرَةٌ ۙ تَظُنُّ اَنْ یُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ ۭ كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِیَ ۙ وَقِیْلَ مَنْ ۜ رَاقٍ ۙ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ۙ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ۙ اِلٰى رَبِّكَ یَوْمَىِٕذِ ࣙ الْمَسَاقُ ۚ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلّٰى ۙ وَلٰكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۙ ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰٓى اَهْلِهٖ یَتَمَطّٰى ۭ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۙ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ۭ اَیَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ یُّتْرَكَ سُدًى ۭ اَلَمْ یَكُ نُطْفَةً مِّنْ مَّنِیٍّ یُّمْنٰى ۙ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى ۙ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَیْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰى ۭ اَلَیْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ یُّحْیِۦَ الْمَوْتٰى ۧ

ع ۱ / ۱۷ ع ۲ / ۱۸

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

ला उक़्सिमु बियौमिल्-क़ियामति (1) व ला उक़्सिमु बिन्नफ़्सिल्-लव्वामह् (2) अ-यह्सबुल्-इन्सानु अल्-लन्	क़सम खाता हूँ क़ियामत के दिन की (1) और क़सम खाता हूँ जी की कि जो मलामत करे बुराई पर (2) क्या ख़्याल रखता है आदमी कि जमा न करेंगे हम

नज्म-अ अ़िज़ामहू (3) बला क़ादिरी-न अ़ला अन्-नुसव्वि-य बनानहू (4) बल् युरीदुल्-इन्सानु लियफ़्जु-र अमामहू (5) यस्अलु अय्या-न यौमुल्-क़ियामह् (6) फ़-इज़ा बरिक़ल्-ब-सरु (7) व ख़-सफ़ल्-क़-मरु (8) व जुमिअ़श्शम्सु वल्क़-मरु (9) यक़ूलुल्-इन्सानु यौमइज़िन् ऐनल्-म-फ़र्रु (10) कल्ला ला व-ज़र (11) इला रब्बि-क यौमइज़ि-निल्-मुस्तक़र्र (12) युनब्बउल्-इन्सानु यौमइज़िम् बिमा क़द्द-म व अख़्ख़-र (13) बलिल्-इन्सानु अ़ला नफ़्सिही बसी-रतुंव्-(14)- व लौ अल्क़ा मआ़ज़ीरहू (15) ला तुहर्रिक् बिही लिसान-क लितअ्ज-ल बिह् (16) इन्-न अ़लैना जम्अ़हू व क़ुरआनहू (17) फ़-इज़ा क़रअ्नाहु फ़त्तबिअ् क़ुरआनह् (18) सुम्-म इन्-न अ़लैना बयानह् (19) कल्ला बल् तुहिब्बूनल्-आ़जि-ल-त (20) व त-ज़रूनल्-आख़िरह् (21) वुजूहुंय्-यौमइज़िन् नाज़ि-रतुन् (22) इला रब्बिहा नाज़िरह् (23) व वुजूहुंय्-यौमइज़िम् बासि-रतुन् (24)

उसकी हड्डियाँ? (3) क्यों नहीं! हम ठीक कर सकते हैं उसकी पोरियाँ (4) बल्कि चाहता है आदमी कि ढिटाई करे उसके सामने (5) पूछता है कब होगा दिन क़ियामत का। (6) फिर जब चुंधियाने लगे आँख (7) और गह जाये चाँद (8) और इकट्ठे हों सूरज और चाँद (9) कहेगा आदमी उस दिन कहाँ चला जाऊँ भागकर (10) कोई नहीं, कहीं नहीं है बचाव। (11) तेरे रब तक है उस दिन जा ठहरना (12) जतला देंगे इनसान को उस दिन जो उसने आगे भेजा और पीछे छोड़ा (13) बल्कि आदमी अपने वास्ते आप दलील है (14) और पड़ा ला डाले अपने बहाने (15) न चला तू उसके पढ़ने पर अपनी ज़ुबान ताकि जल्दी उसको सीख ले (16) वह तो हमारा ज़िम्मा है उसको जमा रखना तेरे सीने में और पढ़ना तेरी ज़ुबान से (17) फिर जब हम पढ़ने लगें फ़रिश्ते की ज़ुबानी तू साथ रह उसके पढ़ने के (18) फिर बेशक हमारा ज़िम्मा है उसको खोलकर बतलाना (19) कोई नहीं! पर तुम चाहते हो जो जल्द आये (20) और छोड़ते हो जो देर में आये (21) कितने मुँह उस दिन ताज़ा हैं (22) अपने रब की तरफ़ देखने वाले (23) और कितने मुँह उस दिन उदास हैं (24)

तज़ुन्नु अंय्युफ़्अ-ल बिहा फ़ाक़िरह् (25) कल्ला इज़ा ब-ल-ग़तित्-तराक़ि-य (26) व क़ी-ल मन्, राक़िंव- (27) -व ज़न्-न अन्नहुल् फ़िराक़ (28) वल्-तफ़्फ़तिस्साक़ु बिस्साक़ि (29) इला रब्बि-क यौमइज़िं-निल्-मसाक़ (30) ✿

फ़ला सद्-द-क़ व ला सल्ला (31) व लाकिन् कज़्ज़-ब व त-वल्ला (32) सुम्-म ज़-ह-ब इला अह्लिही य-तमत्ता (33) औला ल-क फ़-औला (34) सुम्-म औला ल-क फ़-औला (35) अ-यह्सबुल्-इन्सानु अंय्युत्-र-क सुदा (36) अलम् यकु नुत्फ़-तम् मिम्-मनिय्यिंय्-युम्ना (37) सुम्-म का-न अ-ल-क़तन् फ़-ख़-ल-क़ फ़-सव्वा (38) फ़-ज-अ-ल मिन्हुज़्-ज़ौजैनिज़्-ज़-क-र वल्उन्सा (39) अलै-स ज़ालि-क बिक़ादिरिन् अ़ला अंय्युह्यियल्-मौता (40) ✿

ख़्याल करते हैं कि उन पर वह आये जिस से टूटे कमर (25) हरगिज़ नहीं, जिस वक़्त जान पहुँचे हाँस तक (26) और लोग कहें कौन है झाड़ने वाला (27) और वह समझा कि अब आया वक़्त जुदाई का (28) और लिपट गई पिण्डली पर पिण्डली (29) तेरे रब की तरफ़ है उस दिन खिंचकर चला जाना। (30) ✿

फिर न यक़ीन लाया और न नमाज़ पढ़ी (31) फिर झुठलाया और मुँह मोड़ा (32) फिर गया अपने घर को अकड़ता हुआ (33) ख़राबी तेरी, ख़राबी पर ख़राबी तेरी (34) फिर ख़राबी तेरी, ख़राबी पर ख़राबी तेरी (35) क्या ख़्याल रखता है आदमी कि छूटा रहेगा बेक़ैद (36) भला न था वह एक बूँद मनी (वीर्य) की जो टपकी (37) फिर था लहू जमा हुआ, फिर उसने बनाया और ठीक कर उठाया (38) फिर किया उसमें जोड़ा नर और मादा (39) क्या यह (ख़ुदा) ज़िन्दा नहीं कर सकता मुर्दों को? (40) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

मैं क़सम खाता हूँ क़ियामत के दिन की और क़सम खाता हूँ ऐसे नफ़्स की जो अपने ऊपर मलामत करे (यानी नेकी करके यह कहे कि मैंने क्या किया है, इसमें इख़्लास न था, इसमें फ़ुलाँ ख़राबी रह गयी थी। और गुनाह हो जाये तो बहुत ही शर्मिन्दा हो। जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हसन से यही तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में नक़ल की गयी है। पस इस मायने के एतिबार से यह

नफ़्स-ए-मुत्मइन्ना को भी शामिल है और क़सम का जवाब यहाँ पोशीदा है, यानी तुम मरने के बाद ज़रूर ज़िन्दा किये जाओगे। और इन दोनों क़समों का मक़ाम के मुनासिब होना ज़ाहिर है, क़ियामत का तो इसलिये कि वह मौक़ा व मक़ाम है दोबारा ज़िन्दा होने का, और नफ़्सुल्-लव्वामा का इसलिये कि ऐसा नफ़्स क़ियामत की अ़मली तस्दीक़ करने वाला होता है।

आगे उन लोगों का रद्द है जो मरने के बाद ज़िन्दा होने का इनकार करते हैं, यानी) क्या इनसान ख़्याल करता है कि हम उसकी हड्डियाँ हरगिज़ जमा न करेंगे? (इनसान से मुराद काफ़िर और हड्डियों को ख़ास करना इसलिये कि बदन के असल सुतून यही हैं। आगे इस इनकार का जवाब है यानी) हम ज़रूर जमा करेंगे (और यह जमा करना हमको कुछ दुश्वार नहीं) क्योंकि हम इस पर क़ादिर हैं कि उसकी उंगलियों की पोरियों तक को दुरुस्त कर दें (पौरियों को ख़ास तौर पर ज़िक्र करना दो वजह से है- एक यह कि ये बदन के किनारे हैं, और हर चीज़ के बनने की तकमील उसके किनारों पर होती है। चुनाँचे हमारे मुहावरे में भी ऐसे मौक़े पर बोलते हैं कि मेरे पोर-पोर में दर्द है, यानी तमाम बदन में। दूसरे यह कि पोरियों में बावजूद छोटी होने के कारीगरी का कमाल ज़्यादा है और आ़दतन यह ज़्यादा दुश्वार है, पस जो इस पर क़ादिर होगा वह इससे आसान पर और भी ज़्यादा क़ादिर होगा, लेकिन बाज़ा आदमी अल्लाह की क़ुदरत में ग़ौर नहीं करता और क़ियामत का क़ायल नहीं होता) बल्कि (ऐसा) बाज़ा आदमी (क़ियामत का इनकारी होकर) यूँ चाहता है कि अपनी आने वाली ज़िन्दगी में भी (बेख़ौफ़ व ख़तर होकर) बुराईयाँ और गुनाह करता रहे (इसलिये इनकार करने के तौर पर) पूछता है कि क़ियामत का दिन कब आयेगा? (यानी चूँकि अपनी तमाम उम्र गुनाहों व इच्छाओं की पूर्ति में गुज़ारना तय कर चुका है इसलिये उसको हक़ के तलब करने की नौबत ही नहीं आती कि क़ियामत का होना उसको साबित हो इसलिये इनकार पर अड़ा हुआ है, और इनकार के तौर पर पूछता है कि कब आयेगी) सो जिस वक़्त (हैरत के मारे) आँखें फटी रह जाएँगी। (और वजह इस हैरत की यह होगी कि जिन चीज़ों को झुठलाता था वो चीज़ें अचानक नज़र आ जायेंगी, जैसा कि जलालैन शरीफ़ में यही तफ़सीर है), और चाँद बेनूर हो जायेगा और (चाँद की क्या विशेषता है बल्कि) सूरज और चाँद (दोनों) एक हालत के हो जाएँगे (यानी दोनों बेनूर हो जाएँगे, जैसा कि बुख़ारी की हदीस में आया है:

(تکوران و معنی کوّرت قال ابن عباس اظلمت، رواهما فی الدّر المنثور. سورۃ التکویر)

और चाँद को अलग बयान करना शायद इसलिये हो कि अ़रब वालों को इस वजह से कि वे चाँद का हिसाब रखते थे इसका हाल देखने का ज़्यादा एहतिमाम था) उस दिन इनसान कहेगा, अब किधर भागूँ? (इरशाद होता है) हरगिज़ (भागना मुम्किन) नहीं (होगा क्योंकि) कहीं पनाह की जगह नहीं (होगी), उस दिन सिर्फ़ आप ही के परवर्दिगार के पास (जाने का) ठिकाना है (फिर चाहे जन्नत में भेजें या दोज़ख़ में, और रब के सामने जाने के वक़्त) उस दिन इनसान को उसका सब अगला-पिछला किया हुआ जतला दिया जायेगा (और इनसान का अपने आमाल से

आगाह होना कुछ उस जतलाने पर मौक़ूफ़ न होगा) बल्कि इनसान ख़ुद अपनी हालत पर (इस वजह से कि सब कुछ खुल जायेगा) ख़ूब बाख़बर होगा अगरचे (तबीयत के तकाज़े की वजह से उस वक़्त भी) अपने हीले (बहाने) सामने लाये (जैसे काफ़िर कहेंगे 'अल्लाह की क़सम हम शिर्क करने वाले नहीं थे' मगर दिल में ख़ुद भी जानेंगे कि हम झूठे हैं। ग़र्ज़ कि इनसान अपने सब हाल को ख़ूब जानता होगा इसलिये जतलाना जानकारी में लाने के लिये न होगा बल्कि तंबीह व हुज्जत पूरी करने और जवाब को काटने के लिये होगा)।

(और) ऐ पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम)! ('युनब्ब-उ' और 'बलिल्-इनसानु' से दो मज़मून समझ में आते हैं- एक यह कि अल्लाह तआ़ला तमाम चीज़ों के जानने वाले और उनको घेरे में लिये हुए हैं। दूसरा यह कि हक़ तआ़ला की आ़दत है कि जब हिक्मत का तक़ाज़ा होता है तो बहुत से ग़ायब उलूम को मख़्लूक़ के ज़ेहन में हाज़िर कर देता है, अगरचे उन ग़ायब उलूम का हाज़िर होना तबई आ़दत के ख़िलाफ़ हो जैसा कि क़ियामत में इसका ज़ुहूर होगा। जब यह बात है तो आप वही नाज़िल होने के वक़्त जैसा कि अब तक आपकी आ़दत है इस क़द्र मशक़्क़त कि सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं, ध्यान भी रखते हैं सिर्फ़ इस शुब्हे व संभावना से क्यों बरदाश्त करते हैं कि शायद कुछ मज़मून मेरे ज़ेहन से निकल जाये, क्योंकि जब हमने आपको नबी बनाया है और आप से तब्लीग़ का काम लेना है तो यहाँ हिक्मत का तक़ाज़ा यही होगा कि वो मज़ामीन आपके ज़ेहन में हाज़िर रखे जायें और हमारा इस पर क़ादिर होना तो ज़ाहिर ही है, इसलिये आप यह मशक़्क़त बरदाश्त न किया कीजिये, और जब वही नाज़िल हुआ करे तो) आप (वही के ख़त्म हो चुकने से पहले) क़ुरआन पर अपनी ज़बान न हिलाया कीजिये ताकि आप उसको जल्दी-जल्दी लें (क्योंकि) हमारे ज़िम्मे है (आपके दिल में) उसका जमा कर देना (और आपकी ज़बान से) उसका पढ़वा देना। (जब यह हमारे ज़िम्मे है) तो जब हम उसको पढ़ने लगा करें (यानी हमारा फ़रिश्ता पढ़ने लगा करे) तो आप (अपने ज़ेहन से और फ़िक्र से पूरी तरह) उसके ताबे हो जाया कीजिये (यानी उधर ही मुतवज्जह हो जाया कीजिये और उसके दोहराने में मशग़ूल न हुआ कीजिये, अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْاٰنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُّقْضٰٓى اِلَيْكَ وَحْيُهٗ ....الخ)

फिर (आपकी ज़बान से लोगों के सामने) उसका बयान करा देना (भी) हमारे ज़िम्मे है (यानी आपको याद करा देना और आपकी ज़बान पर जारी करा देना, फिर तब्लीग़ के वक़्त भी उसका याद रखवाना और लोगों के सामने पढ़वा देना यह सब हमारे ज़िम्मे है, और यह मज़मून बीच में आई एक बात को समझाने के लिये आ गया था। आगे फिर इनकारी लोगों को ख़िताब करने की तरफ़ लौटते हैं, यानी) (ऐ इनकारियो! क़ियामत के बारे में जैसा कि तुम समझ रहे हो) हरगिज़ ऐसा नहीं (और न तुम्हारे पास इस इनकार की कोई दलील है) बल्कि (सिर्फ़ बात यह है) कि तुम दुनिया से मुहब्बत रखते हो और (उस मुहब्बत में फंसकर) आख़िरत (से ग़ाफ़िल हो, और ग़फ़लत के सबब उस) को छोड़ बैठे हो (पस तुम्हारे इस इनकार की बुनियाद बिल्कुल ग़लत

है, सो क़ियामत ज़रूर होगी और हर एक को उसके आमाल पर बाख़बर करके उन आमाल के मुनासिब जज़ा मिलेगी, जिसकी तफ़सील यह है कि) बहुत-से चेहरे उस दिन रौनक़ वाले होंगे, अपने परवर्दिगार की तरफ़ देख रहे होंगे (यह तो मोमिनों का हाल हुआ)। और बहुत-से चेहरे उस दिन बद्-रौनक़ होंगे (और वे लोग) ख़्याल कर रहे होंगे कि उनके साथ कमर तोड़ देने वाला मामला किया जायेगा (यानी उनको सख़्त अ़ज़ाब होगा)।

(आगे दुनिया की मुहब्बत पर तंबीह व डाँट है कि तुम जो दुनिया को महबूब और आख़िरत को छोड़ दिये जाने के क़ाबिल समझ रहे हो) हरगिज़ ऐसा नहीं (क्योंकि दुनिया से एक रोज़ जुदाई होने वाली है और आख़िरकार आख़िरत में जाना है जिसका बयान यह है कि) जब जान हंसली तक पहुँच जाती है और (उस वक़्त बहुत ही हसरत से) कहा जाता है (यानी तीमारदार कहते हैं) कि (अरे) कोई झाड़ (-फूँक कर) ने वाला है? (मुराद इलाज करने वाला है, चूँकि अ़रब में झाड़-फूँक का ज़्यादा चर्चा था इसलिये राक़िन् से ताबीर किया) और (उस वक़्त) वह (मरने वाला) यक़ीन कर लेता है कि यह (दुनिया से) जुदाई का वक़्त है और (मौत की सख़्तियों से) एक पिण्डली दूसरी पिण्डली से लिपट जाती है (इससे मुराद मौत की सख़्ती के आसार का ज़ाहिर होना है, पिण्डलियों के लिपट जाने ही की हालत कोई ज़रूरी नहीं, इसका ज़िक्र तो मिसाल देने के तौर पर है। जब ये हालतें पेश आती हैं तो ऐ शख़्स) उस दिन तेरे रब की तरफ़ जाना होता है (पस ऐसी हालत में दुनिया की मुहब्बत और आख़िरत को छोड़ना और उससे ग़फ़लत किस दर्जा नादानी है।

फिर ख़ुदा के पास पहुँचने के बाद अगर वह काफ़िर है) तो (उसका बुरा हाल होगा क्योंकि) उसने न तो (ख़ुदा और रसूल की) तस्दीक़ की थी और न नमाज़ पढ़ी थी, लेकिन (ख़ुदा और रसूल को) झुठलाया था और (अहकाम से) मुँह मोड़ा था। फिर (इससे भी बढ़कर यह कि हक़ की तरफ़ बुलाने वाले से मुँह मोड़कर इस पर इतराता और) नाज़ करता हुआ अपने घर चल देता था (मतलब यह कि अव्वल तो कुफ़्र व नाफ़रमानी फिर उस पर पछतावा नहीं बल्कि और उल्टा फ़ख़्र करता था, कि हमने इस तरह हक़ को रद्द किया और बातिल पर जमे रहे, और फिर उसके बाद हक़ की तलब नहीं बल्कि अपने नौकरों और घर के लोगों में जाकर और ज़्यादा घमण्डी और ग़ाफ़िल हो जाता)।

(आगे उस काफ़िर के बुरे हाल का बयान है कि ऐसे शख़्स से कहा जायेगा कि) तेरी कमबख़्ती पर कमबख़्ती आने वाली है। फिर (दोबारा सुन ले कि) तेरी कमबख़्ती पर कमबख़्ती आने वाली है। (इस जुमले को दोहराने से मुसीबत की ज़्यादती और बदतर हालत का इज़हार होता है, और जिस बदले और जज़ा का ज़िक्र हुआ है वो चूँकि दो बातों पर मौक़ूफ़ है- एक इनसान का मुकल्लफ़ "अल्लाह के अहकाम का पाबन्द" होना दूसरे उसका मरकर दोबारा ज़िन्दा होना, जिसके मुम्किन होने में उनको कलाम था इसलिये आगे ये दोनों मज़मून हैं, यानी) क्या इनसान यह ख़्याल करता है कि यूँ ही बेकार छोड़ दिया जायेगा? (न उस पर अहकाम आयद

किये जायेंगे और न उससे हिसाब-किताब होगा, बल्कि मुकल्लफ़ होना भी यक़ीनी है और उस पर पूछगछ होना भी यक़ीनी, और यह जो मरने के बाद ज़िन्दा होने यानी क़ियामत को मुहाल व असंभव समझता है यह भी उसकी बेवक़ूफ़ी है) क्या यह शख़्स (शुरू ही में सिर्फ़) एक मनी "यानी वीर्य" का क़तरा न था जो (औरत के रहम "बच्चेदानी" में) टपकाया गया था। फिर वह ख़ून का लोथड़ा हो गया, फिर अल्लाह तआ़ला ने (उसको इनसान) बनाया, फिर आज़ा "यानी जिस्मानी अंग व हिस्से" दुरुस्त किये। फिर उस (इनसान) की दो क़िस्में कर दीं- मर्द और औरत (तो) क्या वह (ख़ुदा जिसने शुरू में अपनी क़ुदरत से यह सब कुछ किया) इस बात पर क़ुदरत नहीं रखता कि (क़ियामत में) मुर्दों को ज़िन्दा कर दे (हालाँकि दोबारा पैदा करना पहले पैदा करने के मुक़ाबले में आसान है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

لَآ أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۝ وَلَآ أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۝

यहाँ क़सम से पहले हर्फ़ ला ज़ायद है। जब क़सम किसी मुख़ालिफ़ की बात रद्द करने के लिये खाई जाती है तो उसके शुरू में हर्फ़ ला उस शख़्स के ग़लत और बातिल ख़्याल की नफ़ी के लिये ज़ायद इस्तेमाल होता है और अ़रब के मुहावरों में यह इस्तेमाल परिचित व मशहूर है। हमारी भाषा में भी कई बार किसी ताकीद के क़ाबिल मज़मून के बयान से पहले कहा जाता है 'नहीं' आगे अपना मक़सद बयान किया जाता है।

इस सूरत में क़ियामत व आख़िरत के इनकारियों को तंबीह और उनके शक व शुब्हों का जवाब है। सूरत को पहले क़ियामत फिर नफ़्स-ए-लव्वामा की क़समों से शुरू फ़रमाया है और क़सम का जवाब मक़ाम के इशारे के मुताबिक़ पोशीदा है, यानी क़ियामत ज़रूर आकर रहेगी। क़ियामत की क़सम तो उसके महत्व को साबित करने के लिये मौक़े के मुनासिब होना ज़ाहिर है इसी तरह नफ़्स-ए-लव्वामा की क़सम में भी उसकी बड़ाई व शान और अल्लाह के यहाँ मक़बूलियत का इज़हार है। नफ़्स के मायने जान या रूह के परिचित हैं और लव्वामा लोम से निकला है जिसके मायने मलामत और डाँट-फटकार करने के हैं। नफ़्स-ए-लव्वामा से मुराद वह नफ़्स है जो ख़ुद अपने आमाल की जाँच-पड़ताल करके अपने आपको मलामत करता रहे, यानी जो गुनाह सर्ज़द हुआ या वाजिब अ़मल में कोताही हुई उस पर ख़ुद अपने आपको मलामत करता है कि तूने ऐसा क्यों किया, और नेक आमाल और अच्छे कामों के मुताल्लिक़ भी अपने आपको इस पर मलामत करे कि इससे ज़्यादा नेक काम करके आला दर्जे क्यों न हासिल किये। ग़र्ज़ कि मोमिने कामिल अपने हर अच्छे-बुरे अ़मल और नेकियों व बुराईयों में अपने आपको हमेशा मलामत ही करता है। गुनाह या वाजिब में कोताही पर मलामत तो ज़ाहिर है, अच्छाईयों और नेक कामों में मलामत की वजह यह है कि ऐ नफ़्स! तू यह नेकी इससे ज़्यादा भी तो कर सकता था, उस ज़्यादती से क्यों मेहरूम रहा। यह तफ़सीर हज़रात इब्ने अ़ब्बास और दूसरे

तफ़सीर के इमामों से मन्क़ूल है। (इब्ने कसीर वग़ैरह)

और इसी मफ़्हूम की वजह से हज़रत हसन बसरी रह. ने नफ़्स-ए-लव्वामा की तफ़सीर नफ़्से मोमिना से की है, और फ़रमाया कि अल्लाह की क़सम मोमिन तो हमेशा हर हाल में अपने नफ़्स को मलामत ही करता है। बुराईयों पर तो ज़ाहिर ही है, अपनी अच्छाईयों और नेक कामों में भी वह हक़ सुब्हानहू व तआ़ला की शान के मुक़ाबले में कमी और कोताही महसूस करता है क्योंकि इबादत के हक़ को पूरा अदा करना तो किसी के बस में नहीं इसलिये हक़ के अदा करने में कोताही उसके सामने रहती है, उस पर मलामत करता है।

नफ़्स-ए-लव्वामा की तफ़सीर

हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हसन बसरी वग़ैरह की इस तफ़सीर पर नफ़्स-ए-लव्वामा की क़सम खाना हक़ तआ़ला की तरफ़ से ऐसे मोमिन नफ़्सों के सम्मान व बड़ाई के इज़हार के लिये है जो ख़ुद अपने आमाल का मुहासबा (जाँच-पड़ताल और निगरानी) करके कोताही पर शर्मिन्दा होते और अपने को मलामत करते हैं।

नफ़्स-ए-लव्वामा व मुत्मइन्ना

और नफ़्स-ए-लव्वामा की इस तफ़सीर के मुताबिक़ यह नफ़्स-ए-मुत्मइन्ना को भी शामिल है। लव्वामा और मुत्मइन्ना दोनों मुत्तक़ी (अल्लाह से डरने वाले और परहेज़गार) नफ़्स के लक़ब (दूसरे नाम) हैं।

नफ़्स-ए-अम्मारा, लव्वामा, मुत्मइन्ना

हज़राते सूफ़िया-ए-किराम ने इसमें यह तफ़सील की है कि नफ़्स अपनी जिबिल्लत व फ़ितरत के एतिबार से इनसान को बुरे कामों की तरफ़ बुलाने और उसमें मुब्तला करने की दावत देता है मगर ईमान व नेक अ़मल और मेहनत व मुजाहदे से यह नफ़्स लव्वामा बन जाता है कि बुराई और कोताही पर शर्मिन्दा होने लगता है, मगर बुराई से यह पूरी तरह कट भी नहीं जाता। आगे नेक अ़मल में तरक़्क़ी और हक़ तआ़ला की निकटता के हासिल करने में कोशिश करते करते जब उसका यह हाल हो जाये कि शरीअ़त उसकी तबीयत बन जाये और ख़िलाफ़े शरीअ़त काम से तबई नफ़रत भी होने लगे तो उस नफ़्स का लक़ब मुत्मइन्ना हो जाता है। वल्लाहु आलम

आगे क़ियामत का इनकार करने वालों के इस आ़म से शुब्हे का जवाब है कि मरने के बाद जब इनसान मिट्टी हो गया, उसकी हड्डियाँ भी रेज़ा-रेज़ा होकर बिखर गयीं तो उनको दोबारा कैसे जमा करके ज़िन्दा किया जायेगा? इसके जवाब में फ़रमायाः

بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّيَ بَنَانَهٗ○

जिसका हासिल यह है कि तुम्हें तो इस पर ताज्जुब है कि मय्यित के बिखरे हुए ज़र्रों और बोसीदा हड्डियों को जमा कैसे किया जायेगा, और उनमें दोबारा ज़िन्दगी कैसे डाली जायेगी।

हालाँकि यह बात पहले एक मर्तबा देखने और अनुभव में आ चुकी है कि हर इनसान का वजूद जो दुनिया में पलता और बढ़ता है वह दुनिया भर के मुख़्तलिफ़ मुल्कों ख़ित्तों के हिस्सों और ज़र्रों का मुरक्कब (मिश्रण) होता है, तो जिस क़ुदरत वाली ज़ात ने पहली मर्तबा सारी दुनिया में बिखरे हुए ज़र्रों को एक इनसान के वजूद में जमा कर दिया था अब दोबारा जमा कर लेना उसके लिये क्यों मुश्किल होगा, और जिस तरह पहले उसके ढाँचे में रूह डालकर ज़िन्दा किया था दोबारा ऐसा करने में क्या हैरत की बात है?

जिस्मों को ज़िन्दा करके उठाने में हक़ तआ़ला की क़ुदरत का अ़जीब व ग़रीब अ़मल

ग़ौर इस पर करो कि एक इनसान जिस हालत व जसामत और शक्ल व सूरत पर पहले पैदा किया गया था हक़ तआ़ला की क़ुदरत दोबारा भी उसके वजूद में इन्हीं सारी चीज़ों को बग़ैर किसी मामूली फ़र्क़ के जमा कर देगी, हालाँकि ये अरबों पदमों इनसान दुनिया के पहले दिन से लेकर क़ियामत तक पैदा होते और फ़ना होते रहे, किसकी मजाल है कि उन सब की शक्लों सूरतों और क़द व क़ामत की कैफ़ियतों को अलग-अलग याद भी रख सके, उस जैसा दोबारा बनाना तो बड़ा काम है, मगर हक़ तआ़ला ने इस आयत में फ़रमाया कि हम सिर्फ़ इसी पर क़ादिर नहीं हैं कि मय्यित के सारे बड़े-बड़े बदनी अंगों व हिस्सों को दोबारा उसी तरह बना दें बल्कि इनसानी वजूद की छोटी से छोटी चीज़ को भी हम ठीक उसी तरह कर देंगे जिस तरह वह पहले थी। इसमें उंगलियों के पौरों का ख़ास तौर पर ज़िक्र फ़रमाया कि वो सबसे छोटे हिस्से और अंग हैं। जब इन छोटे अंगों की दोबारा बनावट में फ़र्क़ नहीं आया तो बड़े-बड़े हिस्सों व अंगों हाथ-पाँव वग़ैरह में तो क्या फ़र्क़ होता।

और अगर ग़ौर किया जाये तो शायद उंगलियों के पैारों को ख़ास तौर पर ज़िक्र करने में इसकी तरफ़ भी इशारा हो कि हक़ तआ़ल ने एक इनसान को दूसरे इनसान से अलग और नुमायाँ करने के लिये उसके सारे ही बदन में ऐसी विशेषतायें रखी हैं जिनसे वह पहचाना जाता है और एक दूसरे से अलग व ख़ास होता है, विशेष तौर पर इनसानी चेहरा जो चन्द इंच मुरब्बा से ज़ायद नहीं, इसके अन्दर क़ुदरते हक़ ने ऐसे निशानात व फ़र्क़ रखे हैं कि अरबों पदमों इनसानों में एक का चेहरा पूरी तरह दूसरे के साथ ऐसा नहीं मिलता कि फ़र्क़ व निशान बाक़ी न रहे। इनसान की ज़बान और हल्क़ूम बिल्कुल एक ही तरह के होने के बावजूद एक दूसरे से ऐसी अलग है कि बच्चे बूढ़े औरत मर्द की आवाज़ें अलग पहचानी जाती हैं, और हर इनसान की आवाज़ अलग-अलग पहचानी जाती है। इससे भी ज़्यादा हैरत-अंगेज़ इनसान के अंगूठे और उंगलियों क पौरवे हैं कि उनके ऊपर जो नक़्श व निगार लकीरों के जाल की सूरत में क़ुदरत ने बनाये हैं वो कभी एक इनसान के दूसरे इनसान के साथ नहीं मिलते। सिर्फ़ आधी इंच की जगह

में ऐसे निशानात और फ़र्क़ कि अरबों इनसानों में यह पौरवे संयुक्त रूप से होने के बावजूद एक की लकीरें दूसरे से नहीं मिलतीं। और नये व पुराने हर ज़माने में अंगूठे के निशान को एक अलग पहचान व फ़र्क़ वाली चीज़ क़रार देकर अदालती फ़ैसले इस पर होते हैं, और फ़न्नी तहक़ीक़ से मालूम हुआ कि यह बात सिर्फ़ अंगूठे ही में नहीं हर उंगली के पौरवे की लकीरें भी इसी तरह अलग और जुदा होती हैं।

यह समझ लेने के बाद पौरों को ख़ास तौर पर बयान करने की वजह ख़ुद-बख़ुद समझ में आ जाती है, और मतलब यह है कि तुम्हें तो इसी पर ताज्जुब है कि यह इनसान दोबारा कैसे ज़िन्दा हो गया, ज़रा इससे आगे सोचो और ग़ौर करो कि सिर्फ़ ज़िन्दा ही नहीं हो गया बल्कि अपनी पहली शक्ल व सूरत और उसकी हर विशेष और नुमायाँ ख़ूबी व सिफ़त के साथ ज़िन्दा हुआ है, यहाँ तक कि अंगूठे और उंगलियों के पौरवों के ख़ुतूत (लकीरें) पहली पैदाईश में जिस तरह थे इस दोबारा के पैदा होने और उठाये जाने में भी बिल्कुल वही होंगे। वाक़ई अल्लाह की ज़ात बड़ी बरकत वाली है जो सबसे बेहतर बनाने वाला है।

لِيَفْجُرَ اَمَامَهٗ.

लफ़्ज़ अमाम सामने और भविष्य के मायने में है, इसलिये आयत के मायने यह हुए कि काफ़िर और ग़ाफ़िल इनसान अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरत के इन निशानात और दिखाई देने वाली चीज़ों में ग़ौर नहीं करता कि अतीत के इनकार पर शर्मिन्दा होकर अपने भविष्य को दुरुस्त कर ले, बल्कि भविष्य में भी वह यही चाहता रहता है कि अपने कुफ़्र व शिर्क और इनकार व झुठलाने पर जमा (अड़ा) रहे।

فَاِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ○

यह क़ियामत के हालात का बयान है। बर्क़ के मायने आँख चुंधिया गयी कि देख न सकी। क़ियामत के दिन सब की निगाहें चुंधिया जायेंगी, निगाह जमाकर किसी चीज़ को न देख सकेंगी। 'ख़-सफ़ल्-क़मरु' ख़ुसूफ़ से निकला है जिसके मायने रोशनी ख़त्म होकर अंधेरा हो जाने के हैं। मायने यह हैं कि चाँद बेनूर हो जायेगा। आगे 'व जुमिअ़श्शमूसु वल्-क़-मरु' में यह बतलाया कि सिर्फ़ चाँद ही बेनूर नहीं होगा बल्कि सूरज भी बेनूर हो जायेगा जिसके मुताल्लिक़ दुनिया के वैज्ञानिकों का यह कहना है कि असल रोशनी सूरज में है, चाँद की रोशनी भी सूरज की किरणों से हासिल होती है। हक़ तआ़ला ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन यह चाँद और सूरज दोनों एक ही हाल में जमा कर दिये जायेंगे कि दोनों बेनूर होंगे, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि चाँद सूरज के जमा हो जाने का मतलब यह है कि उस दिन चाँद और सूरज दोनों निकलने की एक ही जगह (उदय-स्थल) से निकलेंगे जैसा कि कुछ रिवायतों में आया है। वल्लाहु आलम

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍۭ بِمَا قَدَّمَ وَاَخَّرَ ○

यानी उस दिन इनसान को जतला दिया जायेगा कि उसने क्या आगे भेजा क्या पीछे छोड़ा।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद और इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा ने फ़रमाया कि जो

नेक काम अपनी मौत से पहले कर लिया वह आगे भेज दिया, और जो नेक या बद, मुफ़ीद या नुक़सानदेह कोई तरीक़ा कोई रस्म ऐसी छोड़ी कि उसके बाद लोग उस पर अ़मल करें वह पीछे छोड़ा (उसका सवाब या अ़ज़ाब उसको मिलता रहेगा)। और हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि "मा क़द्द-म' से मुराद वह नेक अ़मल है जो अपनी ज़िन्दगी में कर गुज़रा और 'मा अख़्ख़-र' से मुराद वह नेक अ़मल है जिसको कर सकता था मगर न किया और फ़ुर्सत का मौक़ा बरबाद कर दिया।

بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰى نَفْسِهٖ بَصِيْرَةٌ ۝ وَّلَوْ اَلْقٰى مَعَاذِيْرَهٗ ۝

बसीर और बसीरत के मायने देखने वाले के भी आते हैं और बसीरत के मायने हुज्जत के भी आते हैं, जैसे क़ुरआने करीम में है:

قَدْ جَآءَكُمْ بَصَآئِرُ مِنْ رَّبِّكُمْ

इसमें बसाइर बसीरत की जमा (बहुवचन) है और इसके मायने हुज्जत के हैं, और मआज़ीर मेअ़ज़ार की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने उज़्र के हैं। आयत के मायने यह हैं कि अगरचे अ़दालत (इन्साफ़) के ज़ाब्ते की रू से इनसान के सारे आमाल मेहशर में उसको एक-एक करके बतलाये जायेंगे मगर हक़ीक़त में उसको इसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि वह आमाल को ख़ूब जानता है, ख़ुद उसको मालूम है कि उसने क्या-क्या काम किये। साथ ही यह कि मेहशर में अपने तमाम नेक व बद आमाल का नज़ारा भी उसके सामने हो जायेगा जैसा कि क़ुरआने करीम ने फ़रमायाः

وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا

यानी जो अ़मल उन्होंने दुनिया में किया था उसको मेहशर में हाज़िर मौजूद पायेंगे और आँखें से देख लेंगे। यहाँ जो इनसान को अपने नफ़्स पर बसीरतुन् (बाख़बर) फ़रमाया इसका यही हासिल है।

और अगर बसीरतुन के मायने हुज्जत के लिये जायें तो मायने यह हैं कि इनसान ख़ुद अपने नफ़्स पर हुज्जत व दलील होगा, वह इनकार भी करेगा तो उसके बदनी हिस्से इक़रार करेंगे, मगर इनसान अपने जुर्मों और कोताहियों को जानने के बावजूद बहाने बनाने न छोड़ेगा, अपने किये का उज़्र बयान करता ही रहेगा, यह मायने हैं 'व लौ अल्क़ा मआ़ज़ीरहू' के।

यहाँ तक क़ियामत के हालात और हौलनाक बातों का तज़किरा था और आगे भी यही आने वाला है। दरमियान में चार आयतों के अन्दर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को एक ख़ास हिदायत दी गयी है जो वही नाज़िल होने के वक़्त नाज़िल हुई आयतों के बारे में है, वह यह कि जब जिब्रीले अमीन क़ुरआने करीम की कुछ आयतें लेकर नाज़िल होते तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उनके पढ़ने के वक़्त एक तो यह फ़िक्र होती थी कि कहीं उसके सुनने और फिर उसके मुताबिक़ पढ़ने में कोई फ़र्क़ न आ जाये। दूसरी फ़िक्र यह होती थी कि कहीं उसका कोई हिस्सा कोई कलिमा ज़ेहन से निकल जाये और भूल जायें, इसलिये आपको जिस वक़्त जिब्रीले अमीन कोई आयत सुनाते तो आप साथ-साथ पढ़ते और ज़बान को जल्दी

जल्दी हरकत देने लगते थे, कि बार-बार पढ़कर उसको याद कर लें। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इस मेहनत व मशक़्क़त को दूर करने के लिये इन चार आयतों में अल्लाह तआ़ला ने क़ुरआन के सही-सही पढ़वाने, फिर याद करा देने और फिर इसको मुसलमानों के सामने उसी तरह पेश करा देने की ज़िम्मेदारी ख़ुद ले ली और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को फ़रमा दिया कि आप इस ग़र्ज़ के लिये ज़बान को जल्दी-जल्दी हरकत देने की तकलीफ़ न उठायें:

لَا تُحَرِّكْ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهٖ ۞

का यही मतलब है। फिर फ़रमायाः

اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهٗ وَقُرْاٰنَهٗ ۞

यानी इन तमाम आयतों को आपके दिल में जमा कर देना, फिर उसको उसी तरह आप से पढ़वा देना यह सब हमारे ज़िम्मे है, इसलिये आप इसकी फ़िक्र छोड़ दें। और फ़रमायाः

فَاِذَا قَرَاْنٰهُ فَاتَّبِعْ قُرْاٰنَهٗ ۞

क़ुरआन इस जगह क़िराअत (पढ़ने) के मायने में है, मायने यह हैं कि जब हम यानी हमारी तरफ़ से जिब्रीले अमीन क़ुरआन पढ़ें तो आप साथ-साथ न पढ़ा करें बल्कि हमारे पढ़ने के बाद पढ़ा करें और उस वक़्त ख़ामोश होकर सुना करें। यहाँ तमाम इमामों के नज़दीक पढ़ने का इत्तिबा करने से मुराद यह है कि जब जिब्रीले अमीन पढ़ें तो आप ख़ामोश रहकर सुनें।

इमाम के पीछे मुक़्तदी के क़िराअत न करने की एक दलील

सही हदीस में जो यह आया है कि इमाम को इक़्तिदा और इत्तिबा ही के लिये बनाया गया है इसलिये मुक़्तदियों को उसका इत्तिबा (पैरवी) करना चाहिये, जब वह रुकूअ़ करे तो सब मुक़्तदी रुकूअ़ कर लें, जब वह सज्दे में जाये तो सब सज्दे में जायें। सही मुस्लिम की रिवायत में इसी के साथ यह भी इरशाद है कि जब इमाम क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश रहकर सुनोः

اِذَا قَرَاَ فَاَنْصِتُوْا.

यह भी इसका बयान है कि मक़सद इमाम का इत्तिबा (पैरवी) है, रुकूअ़ सज्दे में तो इमाम की पैरवी की सूरत यह है कि उसके साथ-साथ वो रुकूअ़ सज्दे के अरकान अदा किये जायें मगर क़िराअत की पैरवी यह नहीं कि साथ-साथ पढ़ा जाये, बल्कि क़िराअत का इत्तिबा (पैरवी) यही है कि जब इमाम क़िराअत करे तो तुम ख़ामोश रहकर सुनो। यही दलील है इमामे आज़म अबू हनीफ़ा और कुछ दूसरे इमामों की इस मामले में कि इमाम के पीछे मुक़्तदी को क़िराअत नहीं करनी चाहिये। वल्लाहु आलम

आख़िर में फ़रमायाः

ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهٗ ۞

इसका मतलब यह है कि आप यह फ़िक्र भी अपने ऊपर न रखें कि नाज़िल हुई आयतों का सही मफ़्हूम और मुराद क्या है, उसका बतलाना, समझा देना भी हमारे ही ज़िम्मे है, हम क़ुरआन

के हर-हर लफ़्ज़ और उसकी मुराद को आप पर वाज़ेह कर देंगे। इन चार आयतों में क़ुरआन और उसकी तिलावत वग़ैरह से संबन्धित अहकाम बयान करने के बाद आगे फिर क़ियामत के हालात और हौलनाक मनाज़िर के ही बाक़ी हिस्से का तज़किरा आता है। यहाँ एक सवाल यह पैदा होता है कि इन चार आयतों का अगली पिछली आयतों से ताल्लुक़ और जोड़ क्या है? ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसका ताल्लुक़ यह बयान किया गया है कि चार आयतों से पहले जो क़ियामत के हालात में इसका बयान है कि अल्लाह तआ़ला का इल्म इतना बड़ा और विस्तृत है कि एक-एक इनसान को जिस कैफ़ियत जिस शक्ल व सूरत में वह पहले था उसी में दोबारा पैदा फ़रमा देंगे, यहाँ तक कि उसकी उंगलियों के पौरों को और उन पर बने हुए अलग और विशेष ख़ुतूत व निशानात को भी बिल्कुल पहले जैसा बना देंगे, उसमें बाल के बराबर फ़र्क़ न होगा, यह तभी हो सकता है कि हक़ तआ़ला का इल्म भी बेइन्तिहा है और उसका घेरे में लेना और महफ़ूज़ रखना भी बेमिसाल है। इसकी मुनासबत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इन चार आयतों में यह तसल्ली दी गयी कि आप तो भूल भी सकते हैं, नक़ल करने में ग़लती की भी संभावना हो सकती है मगर हक़ तआ़ला इन सबसे बाला व बरतर हैं, इन चीज़ों की ज़िम्मेदारी ख़ुद हक़ तआ़ल ने अपने ज़िम्मे ले ली है, इसलिये आप क़ुरआन के कलिमात को महफ़ूज़ रखने या उनके मायने समझने में ग़ौर करने की परेशानी उठाना छोड़ दें, यह सब काम हक़ तआ़ला ख़ुद अन्जाम देंगे। आगे फिर क़ियामत के हालात का बयान है।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ ٥ اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٥

नाज़िरा (ज़ॉद से) तरोताज़ा के मायने में है, यानी उस रोज़ कुछ चेहरे ख़ुश और हरेभरे होंगे।

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ٥

यानी ये चेहरे अपने रब को देख रहे होंगे। इससे साबित हुआ कि आख़िरत में जन्नत वालों को हक़ तआ़ला का दीदार ज़ाहिरी आँख से नसीब होगा, इस पर अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त और सब उलेमा व फ़ुक़हा का इजमा (सर्वसम्मति) है, सिर्फ़ मोतज़िला और ख़्वारिज इसका इनकार करते हैं। वजह इनकार की फ़ल्सफ़ियों वाले शुब्हात हैं कि आँख से देखने के लिये देखने वाले और जिसको देखा जाये उन दोनों के बीच दूरी और गेप के लिये जो शर्तें हैं ख़ालिक़ व मख़्लूक़ के दरमियान उनका सुबूत व वजूद नहीं हो सकता। अहले सुन्नत वल्-जमाअ़त का मस्लक यह है कि आख़िरत में हक़ तआ़ला का दीदार व ज़ियारत इन सब शर्तों से बेनियाज़ होगी, न किसी दिशा और रुख़ से उसका ताल्लुक़ होगा न किसी ख़ास शक्ल व सूरत और हालत व अन्दाज़ से। हदीस की रिवायतों से यह मज़मून और भी ज़्यादा वज़ाहत से साबित है, अलबत्ता इस देखने व ज़ियारत में जन्नत वालों के भिन्न और अलग-अलग दर्जे होंगे, बाज़ों को यह ज़ियारत हफ़्तेवार जुमा को हासिल होगी, बाज़ों को रोज़ाना सुबह शाम, और बाज़ों के लिये यह हर वक़्त हर हाल में रहेगी। (तफ़सीरे मज़हरी)

كَلَّآ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ٥ وَقِيْلَ مَنْ ، رَاقٍ ٥ وَّظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ ٥ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٥ اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ نِالْمَسَاقُ ٥

इनसे पहले की आयतों में क़ियामत के हिसाब-किताब और जन्नत व दोज़ख़ वालों का कुछ हाल बयान फ़रमाने के बाद इस आयत में इनसान को मुतवज्जह किया गया कि अपनी मौत को न भूले, मौत से पहले-पहले ईमान और नेक अ़मल की तरफ़ आ जाये, ताकि आख़िरत में निजात मिले। उपरोक्त आयत में मौत का नक़्शा इस तरह खींचा गया कि ग़फ़लत से भरा इनसान भूल में रहता है यहाँ तक कि मौत सर पर आ खड़ी हो और रूह गले की हंसली में आ फंसे, और तीमारदार लोग दवा व इलाज से आ़जिज़ होकर झाड़-फूँक करने वालों को तलाश करने लगें और एक पाँव की पिण्डली दूसरे पर लिपटने लगे तो यह वक़्त अल्लाह के पास जाने का आ गया, अब न तौबा क़ुबूल होती है न कोई अ़मल, इसलिये अ़क़्लमन्द पर लाज़िम है कि इस वक़्त से पहले इस्लाह (अपने सुधार) की फ़िक्र करे।

وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ ٥

में लफ़्ज़ साक़ के मशहूर मायने पाँव की पिण्डली के हैं और पिण्डली के एक दूसरे पर लिपटने का यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि उस वक़्त बेचैनी व बेक़रारी से एक पिण्डली दूसरी पर मारता है, और यह मायने भी हो सकते हैं कि उस वक़्त अगर एक पाँव दूसरे पर रखा हुआ है और उसको हरकत देकर हटाना चाहता है तो वह उसकी ताक़त में नहीं होता (जैसा कि इमाम शअ़बी और हसन का क़ौल यही है)।

और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यहाँ दो साक़ों (पिण्डलियों) से मुराद दुनिया व आख़िरत के दो आ़लम हैं, और आयत का मतलब यह है कि उस वक़्त दुनिया का आख़िरी दिन और आख़िरत का पहला दिन जमा हुआ है इसलिये दोहरी मुसीबत में गिरफ़्तार है, दुनिया से जुदाई का ग़म और आख़िरत के मामले की फ़िक्र। वल्लाहु आलम

اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ٥ ثُمَّ اَوْلٰى لَكَ فَاَوْلٰى ٥

लफ़्ज़ 'औला' वैल की उल्टी हुई शक्ल है। वैल के मायने हलाकत और बरबादी हैं, यहाँ उस शख़्स के लिये जिसने कुफ़्र व झुठलाने ही को अपना शिआ़र (तरीक़ा व आ़दत और चलन) बनाये रखा और दुनिया के माल व दौलत में मस्त रहा, फिर उसी हाल पर मर गया उसके लिये चार मर्तबा लफ़्ज़ हलाकत व बरबादी इस्तेमाल किया गया, कि मरने के वक़्त फिर मरने के बाद क़ब्र में फिर हश्र व नश्र के वक़्त फिर जहन्नम में दाख़िले के वक़्त यह मुसीबत व बरबादी तेरा हिस्सा है।

اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يُّحْيِيَ الْمَوْتٰى ٥

यानी क्या वह हक़ ज़ात जिसके क़ब्ज़ा-ए-क़ुदरत में मौत व ज़िन्दगी और सारा जहान है इस

पर क़ादिर नहीं कि मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा कर दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स सूरः क़ियामत की इस आयत की तिलावत करे तो उसको ये कलिमात कहने चाहियें:

بَلٰى وَاَنَا عَلٰى ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ ○

'बला व अ-न अ़ला ज़ालि-क मिनश्शाहिदीन'

यानी बेशक वह इस पर क़ादिर है और मैं भी उन लोगों में दाख़िल हूँ जो इसकी गवाही देते हैं। इस हदीस में यही अलफ़ाज़ सूरः वत्तीनि की आख़िरी आयतः

اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ○

पढ़ने के वक़्त भी कहने की तालीम दी गयी है, और उसी हदीस में यह भी फ़रमाया कि जो शख़्स सूरः मुर्सलात की इस आयत पर पहुँचेः

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ ۢ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

तो उसको 'आमन्ना बिल्लाहि' कहना चाहिये।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-क़ियामत की तफ़सीर आज रजब की 27 तारीख़ सन् 1391 हिजरी दिन इतवार को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-क़ियामत की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अद्-दहर

सूरः अद्-दहर मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 31 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

(٧٦) سُوْرَةُ الدَّهْرِ مَدَنِيَّةٌ (٩٨) — اٰيَاتُهَا ٣١ رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْـًٔا مَّذْكُوْرًا ۝١ اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ۝٢ اِنَّا هَدَيْنٰهُ السَّبِيْلَ اِمَّا شَاكِرًا وَّاِمَّا كَفُوْرًا ۝٣ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ سَلٰسِلَاۡ وَاَغْلٰلًا وَّسَعِيْرًا ۝٤ اِنَّ الْاَبْرَارَ يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا ۝٥ عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ يُفَجِّرُوْنَهَا تَفْجِيْرًا ۝٦ يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُوْنَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهٗ مُسْتَطِيْرًا ۝٧ وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨ اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّلَا شُكُوْرًا ۝٩ اِنَّا نَخَافُ مِنْ رَّبِّنَا يَوْمًا عَبُوْسًا قَمْطَرِيْرًا ۝١٠ فَوَقٰىهُمُ اللّٰهُ شَرَّ ذٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقّٰىهُمْ نَضْرَةً وَّسُرُوْرًا ۝١١ وَجَزٰىهُمْ بِمَا صَبَرُوْا جَنَّةً وَّحَرِيْرًا ۝١٢ مُّتَّكِـِٔيْنَ فِيْهَا عَلَى الْاَرَآئِكِ ۚ لَا يَرَوْنَ فِيْهَا شَمْسًا وَّلَا زَمْهَرِيْرًا ۝١٣ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلٰلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوْفُهَا تَذْلِيْلًا ۝١٤ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِاٰنِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَّاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيْرَا ۝١٥ قَوَارِيْرَاۡ مِنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوْهَا تَقْدِيْرًا ۝١٦ وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًا ۝١٧ عَيْنًا فِيْهَا تُسَمّٰى سَلْسَبِيْلًا ۝١٨ وَيَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ۚ اِذَا رَاَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنْثُوْرًا ۝١٩ وَاِذَا رَاَيْتَ ثَمَّ رَاَيْتَ نَعِيْمًا وَّمُلْكًا كَبِيْرًا ۝٢٠ عٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَّاِسْتَبْرَقٌ ۚ وَّحُلُّوْۤا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ ۚ وَسَقٰىهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُوْرًا ۝٢١ اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا ۝٢٢ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ تَنْزِيْلًا ۝٢٣ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اٰثِمًا اَوْ كَفُوْرًا ۝٢٤ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَّاَصِيْلًا ۝٢٥ وَمِنَ الَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهٗ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ۝٢٦ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ يُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيْلًا ۝٢٧ نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَاۤ اَسْرَهُمْ ۚ وَاِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاۤ اَمْثَالَهُمْ تَبْدِيْلًا ۝٢٨ اِنَّ هٰذِهٖ تَذْكِرَةٌ ۚ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ۝٢٩ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّاۤ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۝٣٠ يُّدْخِلُ مَنْ يَّشَآءُ فِيْ رَحْمَتِهٖ ۭ وَالظّٰلِمِيْنَ اَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝٣١

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हल् अता अलल्-इन्सानि हीनुम्-मिनद्-दहिर लम् यकुन् शैअम्-मज़्कूरा (1) इन्ना ख़लक़्नल्-इन्सा-न मिन्-नुत्फ़तिन् अम्शाजिन्-नब्तलीहि फ़-जअ़ल्नाहु समीअ़म्-बसीरा (2) इन्ना हदैनाहुस्सबी-ल इम्मा शाकिरंव्-व इम्मा कफ़ूरा (3) इन्ना अअ़्तद्ना लिल्-काफ़िरी-न सलासि-ल व अग़्लालंव्-व सअ़ीरा (4) इन्नल्-अब्रा-र यश्रबू-न मिन् कअ्सिन् का-न मिज़ाजुहा काफ़ूरा (5) अ़ैनंय्-यश्रबु बिहा अ़िबादुल्लाहि युफ़ज्जिरूनहा तफ़्जीरा (6) यूफ़ू-न बिन्नज़्रि व यख़ाफ़ू-न यौमन् का-न शर्रुहू मुस्ततीरा (7) व युत्अ़िमूनत्-तआ़-म अ़ला हुब्बिही मिस्कीनंव्-व यतीमंव्-व असीरा (8) इन्नमा नुत्अ़िमुकुम् लिवज्हिल्लाहि ला नुरीदु मिन्कुम् जज़ाअंव्-व ला शुकूरा (9) इन्ना नख़ाफ़ु मिर्रब्बिना यौमन् अ़बूसन् क़म्तरीरा (10) फ़-वक़ाहुमुल्लाहु शर्-र ज़ालिकल्-यौमि व लक़्क़ाहुम्

कभी गुज़रा है इनसान पर एक वक़्त ज़माने में कि न था कोई चीज़ जो ज़बान पर आती (1) हमने बनाया आदमी को एक दो-रंगी बूँद से, हम पलटते रहे उस को फिर कर दिया उसको हमने सुनने वाला देखने वाला (2) हमने उसको सुझाई राह, या हक़ मानता है और या नाशुक्री करता है। (3) हमने तैयार कर रखी हैं मुन्किरों के वास्ते ज़न्जीरें और तौक़ और दहकती आग (4) बेशक नेक लोग पीते हैं प्याला जिसमें मिला है काफ़ूर (5) एक चश्मा है जिससे पीते हैं बन्दे अल्लाह के चलाते हैं वे उसकी नालियाँ (6) पूरा करते हैं मन्नत को और डरते हैं उस दिन से कि उसकी बुराई फैल पड़ेगी (7) और खिलाते हैं खाना उसकी मुहब्बत पर मोहताज को और यतीम को और क़ैदी को (8) हम जो तुमको खिलाते हैं सो ख़ालिस अल्लाह की ख़ुशी चाहने को, न तुमसे हम चाहें बदला और न चाहें शुक्रगुज़ारी (9) हम डरते हैं अपने रब से एक उदासी वाले दिन की सख़्ती से (10) फिर बचा लिया उनको अल्लाह ने बुराई से उस दिन की और मिला दी उनको

नज़्रतंव्-व सुरूरा (11) व जज़ाहुम् बिमा स-बरू जन्नतंव्-व हरीरा (12) मुत्तकिई-न फ़ीहा अलल्-अरा-इकि ला यरौ-न फ़ीहा शम्संव्-व ला ज़म्हरीरा (13) व दानि-यतन् अलैहिम् ज़िलालुहा व ज़ुल्लिलत् क़ुतूफ़ुहा तज़्लीला (14) व युताफ़ु अलैहिम् बिआनि-यतिम्-मिन् फ़िज़्ज़तिंव्-व अक्वाबिन् कानत् क़वारी-र (15) क़वारी-र मिन् फ़िज़्ज़तिन् क़द्दरूहा तक़्दीरा (16) व युस्क़ौ-न फ़ीहा कअ्सन् का-न मिज़ाजुहा ज़न्जबीला (17) ऐनन् फ़ीहा तुसम्मा सल्सबीला (18) व यतूफ़ु अलैहिम् विल्दानुम्-मुख़ल्लदू-न इज़ा रऐ-तहुम् हसिब्तहुम् लुअ्लुअम्-मन्सूरा (19) व इज़ा रऐ-त सम्-म रऐ-त नअ़ीमंव्-व मुल्कन् कबीरा (20) आलि-यहुम् सियाबु सुन्दुसिन् ख़ुज़्रुंव्-व इस्तब्रक़ुंव्-व हुल्लू असावि-र मिन् फ़िज़्ज़तिन् व सक़ाहुम् रब्बुहुम् शराबन् तहूरा (21) इन्-न हाज़ा का-न लकुम् जज़ाअंव्-व का-न सअ्युकुम्-मश्कूरा (22) ❁

ताज़गी और ख़ुश-वक़्ती (11) और बदला दिया उनको उनके सब्र पर बाग़ और पोशाक रेशमी (12) तकिया लगाये बैठें उसमें तख़्तों के ऊपर, नहीं देखते वहाँ धूप और न ठिर (तेज़ सर्दी) (13) और झुक रहीं उन पर उसकी छायें और पस्त कर रखे हैं उसके गुच्छे लटकाकर (14) और लोग लिये फिरते हैं उनके पास बरतन चाँदी के और आबख़ोरे जो हो रहे हैं शीशे के (15) शीशे हैं चाँदी के, माप रखा है उनका माप (16) और उनको वहाँ पिलाते हैं प्याले जिसमें मिली हुई है सूँठ (17) एक चश्मा है उसमें उसका नाम कहते हैं सल्सबील (18) और फिरते हैं उनके पास लड़के सदा रहने वाले, जब तू उनको देखे ख़्याल करे कि मोती हैं बिखरे हुए (19) और जब तू देखे वहाँ तो देखे नेमत और सल्तनत बड़ी (20) ऊपर की पोशाक उनकी कपड़े हैं बारीक रेशम के सब्ज़ और गाढ़े, और उनको पहनाये जायेंगे कंगन चाँदी के, और पिलाये उनको उन का रब शराब जो पाक करे दिल को (21) यह है तुम्हारा बदला और तुम्हारी कमाई ठिकाने लगी। (22) ❁

इन्ना नह्नु नज़्ज़ल्ना अ़लैकल्-क़ुरुआ-न तन्ज़ीला (23) फ़स्बिर् लिहुक्मि रब्बि-क व ला तुतिअ् मिन्हुम् आसिमन् औ कफ़ूरा (24) वज़्कुरिस्-म रब्बि-क बुक्र-तंव्-व असीला (25) व मिनल्लैलि फ़स्जुद् लहू व सब्बिह्हु लैलन् तवीला (26) इन्-न हा-उला-इ युहिब्बूनल्-आ़जि-ल-त व य-ज़रू-न वरा-अहुम् यौमन् सक़ीला (27) नह्नु ख़लक़्नाहुम् व शदद्ना अस्रहुम् व इज़ा शिअ्ना बद्दल्ना अम्सालहुम् तब्दीला (28) इन्-न हाज़िही तज़्कि-रतुन् फ़-मन् शाअत्त-ख़ा-ज़ इला रब्बिही सबीला (29) व मा तशाऊ-न इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु, इन्नल्ला-ह का-न अ़लीमन् हकीमा (30) युद्ख़िलु मंय्यशा-उ फ़ी रह्मतिही, वज़्ज़ालिमी-न अ-अ़द्-द लहुम् अ़ज़ाबन् अलीमा (31) ✿

हमने उतारा तुझ पर क़ुरआन सहज-सहज (धीरे-धीरे) उतारना (23) सो तू इन्तिज़ार कर अपने रब के हुक्म का और कहना मत मान उनमें से किसी गुनाहगार या नाशुक्रे का (24) और लेता रह नाम अपने रब का सुबह और शाम (25) और किसी वक़्त रात को सज्दा कर उसको और पाकी बोल उसकी बड़ी (लम्बी) रात तक (26) ये लोग चाहते हैं जल्दी मिलने वाले को और छोड़ रखा है अपने पीछे एक भारी दिन को (27) हमने उनको बनाया और मज़बूत किया उनकी जोड़-बन्दी को, और जब हम चाहें बदल लायें उन जैसे लोग बदलकर (28) यह तो नसीहत है, फिर जो कोई चाहे कर रखे अपने रब तक राह (29) और तुम नहीं चाहोगे मगर जो चाहे अल्लाह, बेशक अल्लाह है सब कुछ जानने वाला, हिक्मतों वाला (30) दाख़िल कर ले जिसको चाहे अपनी रहमत में, और जो गुनाहगार हैं तैयार है उनके वास्ते दर्दनाक अ़ज़ाब। (31) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक इनसान पर ज़माने में एक ऐसा वक़्त भी आ चुका है जिसमें वह कोई क़ाबिले ज़िक्र चीज़ न था (यानी इनसान न था बल्कि नुत्फ़ा "वीर्य का क़तरा" था, और उससे पहले ग़िज़ा और उससे पहल तत्वों का हिस्सा था) हमने उसको मख़्लूत "मिश्रित" नुत्फ़े से पैदा किया (यानी मर्द और औरत दोनों के नुत्फ़े से, क्योंकि औरत की मनी भी अन्दर ही अन्दर औरत की

बच्चेदानी में गिरती है, फिर कभी बच्चेदानी के मुँह से बाहर निकलकर ज़ाया हो जाती है और कभी अन्दर रह जाती है, और मिश्रित के मायने यह भी हो सकते हैं कि वह विभिन्न हिस्सों से मुरक्कब है, चुनाँचे मनी "वीर्य" का विभिन्न हिस्सों से मिलकर तैयार होना ज़ाहिर है। ग़र्ज़ कि हमने उसको ऐसे नुत्फ़े से पैदा किया) इस तौर पर कि हम उसको मुकल्लफ़ बनाएँ तो (इसी वास्ते) हमने उसको सुनता-देखता (समझता) बनाया। (और चूँकि मुहावरे में सुनने और देखने वाले का इस्तेमाल आ़क़िल के साथ ख़ास है इसलिये अ़क़्ल देने की जो कि मदार है मुकल्लफ़ होने का, वज़ाहत नहीं फ़रमाई गयी, मगर मुराद वह भी है। मतलब यह कि हमने ऐसी शक्ल व सूरत और सिफ़ात के साथ पैदा किया कि उसमें शरई अहकाम का मुकल्लफ़ व पाबन्द बनने की क़ाबलियत हो। इसके बाद जब मुकल्लफ़ होने का वक़्त आ गया तो) हमने उसको (भलाई-बुराई पर बाख़बर करके) रास्ता बतलाया (यानी अहकाम का मुख़ातब बनाया, फिर) या तो वह शुक्रगुज़ार (और मोमिन) हो गया या नाशुक्रा (और काफ़िर) हो गया (यानी जिस रास्ते पर चलने को उसको कहा था जो उस पर चला वह मोमिन हो गया जो बिल्कुल न चला काफ़िर हो गया)।

(आगे दोनों फ़रीक़ों की जज़ा और बदले का ज़िक्र है कि) हमने काफ़िरों के लिये ज़न्जीरें और तौक़ और भड़कती हुई आग तैयार कर रखी है (और) जो नेक (लोग) हैं वे शराब के ऐसे जाम से (शराबें) पियेंगे जिसमें काफ़ूर की मिलावट होगी। यानी ऐसे चश्मे से (पियेंगे) जिससे अल्लाह तआ़ला के ख़ास बन्दे पियेंगे (और) जिसको वे (ख़ास बन्दे जहाँ चाहेंगे) बहाकर ले जाएँगे (और यह जन्नतियों की एक करामत होगी कि जन्नत की नहरें उनके ताबे होंगी जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने शौज़ब से मरवी है कि जन्नतियों के हाथ में सोने की छड़ियाँ होंगी, वे छड़ियों से जिस तरफ़ इशारा कर देंगे नहरें उसी तरफ़ चलने लगेंगी। और यह काफ़ूर दुनिया का काफ़ूर नहीं है बल्कि जन्नत का काफ़ूर है जो सफ़ेदी और ठण्डक और दिल व दिमाग़ को ताक़त व फ़रहत देने में इसका शरीक है। शराब में ख़ास कैफ़ियात हासिल करने के लिये कुछ मुनासिब चीज़ों के मिलाने की आ़दत है, पस वहाँ उस जाम में काफ़ूर मिलाया जायेगा और वह शराब का जाम ऐसे चश्मे से भरा जायेगा जिससे अल्लाह के ख़ास और क़रीबी बन्दे पियेंगे, तो ज़ाहिर है कि वह आला दर्जे का होगा, सो इससे नेक लोगों की ख़ुशख़बरियों में और इज़ाफ़ा हो गया, और अगर नेक लोगों और अल्लाह के बन्दों का मिस्दाक़ एक हो तो दो जगह बयान करने से अलग-अलग मक़सूद है, एक जगह उसकी मिलावट बतलाना है दूसरी जगह उसका ज़्यादा और ताबे होना, कि ऐश व आराम के सामान की अधिकता और तबीयत के ताबे होना ऐश व आराम की लज़्ज़त को बढ़ा देता है)।

(आगे उन नेक लोगों की सिफ़ात बयान हुई हैं कि) वे लोग वाजिबात को पूरा करते हैं और (अदा भी करते हैं ख़ुलूस से, क्योंकि वे) ऐसे दिन से डरते हैं जिसकी सख़्ती आ़म होगी (यानी कम व ज़्यादा सब पर उसकी सख़्ती का असर होगा, मुराद क़ियामत का दिन है, हाँ मगर यह कि जिसे अल्लाह ही उस सख़्ती से महफ़ूज़ रखे तो और बात है)।

और (वे लोग ऐसे मुख़्लिस हैं कि माली इबादतों में भी जिसमें ज़्यादातर इख़्लास कम होता है ऊँचे दर्जे का इख़्लास रखते हैं, चुनाँचे) वे लोग (सिर्फ़) ख़ुदा तआ़ला की मुहब्बत से ग़रीब और यतीम और क़ैदी को खाना खिलाते हैं (क़ैदी अगर मज़लूम है कि ज़ुल्मन क़ैद कर लिया गया तब तो उसकी मदद का अच्छा होना ज़ाहिर है, और अगर ज़ालिम है कि ज़ुल्म की सज़ा में क़ैद हुआ है तो सख़्त ज़रूरत के वक़्त उसको खाना खिलाना भी अच्छा और पसन्दीदा है। और वे लोग खाना खिलाकर ज़बान से या दिल से यूँ कहते हैं कि) हम तुमको सिर्फ़ ख़ुदा की रज़ामन्दी के लिये खाना खिलाते हैं, न हम तुमसे (इसका अ़मली) बदला चाहें और न (इसका ज़बान से) शुक्रिया (चाहें, और हम ख़ुदा की रज़ामन्दी के लिये इस वास्ते तुमको खाना खिलाते हैं कि) हम अपने रब की तरफ़ से एक सख़्त और कड़वे दिन का अन्देशा रखते हैं (तो उम्मीद रखते हैं कि इन इख़्लास वाले आमाल की बदौलत उस दिन की कड़वाहट और सख़्ती से महफ़ूज़ रहें। इससे मालूम हुआ कि आख़िरत के ख़ौफ़ से कोई काम करना इख़्लास और अल्लाह की रज़ा चाहने के ख़िलाफ़ नहीं) सो अल्लाह तआ़ला उनको (इस इताअ़त और इख़्लास की बरकत से) उस दिन की सख़्ती से महफ़ूज़ रखेगा और उनको ताज़गी और ख़ुशी अ़ता फ़रमायेगा (यानी चेहरों पर ताज़गी और दिलों में ख़ुशी देगा)।

और उनकी पुख़्तगी (यानी दीन पर जमे रहने) के बदले में उनको जन्नत और रेशमी लिबास देगा इस हालत में कि वे वहाँ (जन्नत में) मसेहरियों पर (आराम और इज़्ज़त से) तकिया लगाये होंगे। न वहाँ तपिश (और गर्मी) पाएँगे और न जाड़ा (बल्कि ख़ुशी बख़्शने वाली दरमियानी हालत होगी) और यह हालत होगी कि (वहाँ के यानी जन्नत के) पेड़ों के साये उन (जन्नतियों) पर झुके होंगे (यानी क़रीब होंगे, और साया नेमत व आराम की चीज़ों में से है। जन्नत में सूरज व चाँद नहीं होंगे तो फिर साये का क्या मतलब है? हो सकता है कि दूसरे नूरानी जिस्मों की रोशनी से साया मक़सूद हो, और फ़ायदा साये का ग़ालिबन यह है कि हालात बदलते रहें, एक हाल कितने भी आराम व लज़्ज़त का हो आख़िरकार उससे तबीयत उक्ता जाती है)। और उनके मेवे उनके इख़्तियार में होंगे (कि हर वक़्त हर तरह बिना मशक़्क़त ले सकेंगे) और उनके पास (खाने-पीने की चीज़ें पहुँचाने के लिये) चाँदी के बरतन लाये जाएँगे और आबख़ोरे "यानी पानी पीने के बरतन" जो शीशे के होंगे (और) वह शीशे चाँदी के होंगे जिनको भरने वालों ने मुनासिब अन्दाज़ से भरा होगा (यानी उसमें पीने की चीज़ ऐसे अन्दाज़ से भरी होगी कि न उस वक़्त की इच्छा में कमी रहे और न उससे बचे कि दोनों में बेलुत्फ़ी होती है, और चाँदी के शीशे के यह मायने हैं कि सफ़ेदी तो चाँदी जैसी होगी और स्वच्छता व चमक शीशे जैसी, और दुनिया की चाँदी में आर-पार नज़र नहीं आता और शीशे में यहाँ ऐसी सफ़ेदी नहीं होती, पस यह एक अ़जीब चीज़ होगी)।

और वहाँ उनको (शराब के उक्त जाम के अ़लावा जिसमें काफ़ूर की मिलावट थी और भी) शराब का ऐसा जाम पिलाया जायेगा जिसमें सोंठ की मिलावट होगी (कि बदन की हरारते

ग़रीज़ी में चुस्ती लाने और मुँह का ज़ायका बदलने के लिये शराब में इसको भी मिलाते थे) यानी ऐसे चश्मे से (उनको पिलाया जायेगा) जो वहाँ होगा, जिसका नाम (वहाँ) सल्सबील (मशहूर) होगा। (ऊपर बयान हुए मकाम और इस बाद के मकाम के मजमूए से मालूम होता है कि ऊपर बयान हुए चश्मे की शराब में काफ़ूर की मिलावट होगी और इस बाद में ज़िक्र हुए चश्मे की शराब में सोंठ की मिलावट होगी। बाक़ी अपने भेदों को अल्लाह ही ख़ूब जानता है) और उनके पास (ये चीज़ें लेकर) ऐसे लड़के आना-जाना करेंगे जो हमेशा लड़के ही रहेंगे (और इस क़द्र हसीन हैं कि) ऐ मुख़ातब! अगर तू उनको (चलते-फिरते) देखे तो यूँ समझे कि मोती हैं जो बिखर गये हैं (मोती से तो मिसाल सफ़ाई और चमक-दमक में और बिखरे हुए का वस्फ़ उनके चलने-फिरने के लिहाज़ से, जैसे बिखरे मोती मुन्तशिर होकर कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, और यह आला दर्जे की तशबीह व मिसाल है)।

और (इन ज़िक्र हुए ऐश व आराम के असबाब में ही सीमितता नहीं बल्कि वहाँ और भी हर सामान इस अधिकता और उम्दगी और आला क्वालिटी वाला होगा कि) ऐ मुख़ातब! अगर तू उस जगह को देखे तो तुझको बड़ी नेमत और बड़ी हुकूमत दिखाई दे (और) उन जन्नतियों पर बारीक रेशम के हरे रंग के कपड़े होंगे और दबीज़ रेशम के कपड़े भी (क्योंकि हर लिबास में अलग लुत्फ़ है), और उनको चाँदी के कंगन पहनाये जाएँगे।

(इस सूरत में तीन जगह चाँदी के सामान का ज़िक्र आया है और दूसरी आयतों में सोने का, मगर दोनों में कोई टराव नहीं, क्योंकि दोनों तरह का सामान होगा और हिक्मत इसकी वही अलग-अलग तरह का "यानी भिन्न और विविध" होना और तबीयतों व नेमतों में विविधता है, और यह शुब्हा कि मर्दों को ज़ेवर पहनना ऐब की बात है इसलिये दूर हो जाता है कि हर मकाम का तक़ाज़ा व माहौल अलग है, यहाँ ऐब होना वहाँ ऐब होने को लाज़िम नहीं)। और उनका रब (जो उनको शराब पीने को देगा जिसका ऊपर ज़िक्र आया है तो वह दुनिया की शराब की तरह नापाक, अक़्ल में फ़ुतूर डालने वाली और ख़ुमार व नशा लाने वाली न होगी बल्कि अल्लाह तआ़ला) उनको पाकीज़ा शराब पीने को देगा (जिसमें न नापाकी होगी न गदलापन, और यही मतलब है अल्लाह तआ़ला के इस क़ौल का:

لَا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ٥

और इस सूरत में जो तीन जगह शराब का ज़िक्र आया है हर जगह ग़र्ज़ व मकसद अलग है जैसा कि तर्जुमे की तकरीर से स्पष्ट है, फिर पहली जगह में **यश्रबू-न** है, दूसरी जगह **युस्क़ौ-न** जो इकराम व सम्मान बढ़ाने पर दलालत करता है, तीसरी जगह **सक़ाहुम् रब्बुहुम्** में बहुत ही ज़्यादा सम्मान व इज़्ज़त का इज़हार है। पस यह शुब्हा न रहा कि एक ही बात को बार-बार दोहराया गया है, और इन सब नेमतों को देकर जन्नत वालों की रूहानी ख़ुशी बढ़ाने के लिये उनसे कहा जायेगा कि) यह तुम्हारा सिला है, और तुम्हारी कोशिश (जो तुम दुनिया में करते थे) मक़बूल हुई।

(आगे दोनों फ़रीक़ों की जज़ा और बदले का ज़िक्र करने के बाद इसी से एक मज़मून पैदा करते हुए आपको तसल्ली देने का बयान है। यानी इन मुख़ालिफ़ों की सज़ा आपने सुन ली, पस आप इनकी मुख़ालफ़त से ग़म न कीजिये और अपनी इबादत और दावत व इस्लाह के काम में लगे रहिये, कि उसमें नेकी व ताअ़त होने के अ़लावा दिल की भी तो मज़बूती है, और बयान उस नेकी का यह है कि) हमने आप पर क़ुरआन थोड़ा-थोड़ा करके उतारा है (ताकि थोड़ा-थोड़ा लोगों को पहुँचाते रहें और उनको इससे फ़ायदा उठाने में आसानी हो, जैसा कि सूरः बनी इस्राईल के आख़िर में है 'व क़ुरआनन् फ़रक़्नाहु.....................') सो आप अपने रब के हुक्म पर (कि इसमें तब्लीग़ भी दाख़िल है) जमे रहिये और उनमें से किसी फ़ासिक़ या काफ़िर के कहने में न आईये (यानी ये जो तब्लीग़ से मना करते हैं उनकी मुवाफ़क़त न कीजिये। दुर्रे मन्सूर में यही तफ़सीर बयान की गयी है। इससे एहतिमामे शान का इज़हार मक़सद है वरना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से उनकी मुवाफ़क़त करने का कोई शुब्हा व संभावना ही नहीं थी। यह तो इबादत-ए-मोतदिया का हुक्म हुआ) और (आगे लाज़िमी इबादत का हुक्म है) यानी अपने परवर्दिगार का सुबह व शाम नाम लिया कीजिये (यानी फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ा कीजिये) और रात के किसी क़द्र हिस्से में भी उसकी तस्बीह (व पाकीज़गी) किया कीजिए (इससे मुराद तहज्जुद है। फ़राईज़ के अ़लावा और आगे दिल की मज़बूती व तसल्ली के लिये एक और मज़मून है जिसमें काफ़िरों की निंदा व बुराई भी है यानी उन लोगों की आपके साथ मुख़ालफ़त की असल वजह यह है कि) ये लोग दुनिया से मुहब्बत रखते हैं और अपने आगे (आने वाले) एक भारी दिन को छोड़ बैठे हैं (पस दुनिया की मुहब्बत ने अंधा कर रखा है इसलिये हक़ कहने से नफ़रत रखते हैं और भारी दिन का ज़िक्र सुनकर चूँकि गुमान व एहतिमाल उनके इनकार का था इसलिये आगे उस भारी दिन के मुहाल व असंभव समझने को रद्द फ़रमाते हैं यानी) हम ही ने उनको पैदा किया है और हम ही ने उनके जोड़-बन्द मज़बूत किये। और (साथ ही यह कि) जब हम चाहें उन्हीं जैसे लोग उनकी जगह बदल दें (पहली चीज़ यानी जोड़-बन्द मज़बूत बनाना तो ज़ाहिर और सब के सामने है, दूसरी बात भी थोड़े से ग़ौर व फ़िक्र से मालूम हो सकती है, पस दोनों मामलों से अल्लाह की क़ुदरत ज़ाहिर है, फिर मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा करने ही में कौनसी बात ज़्यादा दुश्वार है कि उस पर क़ुदरत न हो। आगे ऊपर बयान हुए इन तमाम मज़ामीन पर नतीजा निकालते हुए फ़रमाते हैं कि) यह (सब जो कुछ ज़िक्र हुआ, काफ़ी) नसीहत है, सो जो शख़्स चाहे अपने रब की तरफ़ रास्ता इख़्तियार कर ले (सूरः मुज़्ज़म्मिल में इसकी वज़ाहत गुज़र चुकी है)।

और (क़ुरआन के तज़किरा "नसीहत" होने में इससे शुब्हा न किया जाये कि कुछ लोगों को इससे हिदायत नहीं होती। बात यह है कि क़ुरआन अपने आप में नसीहत और हिदायत काफ़ी है लेकिन) बग़ैर ख़ुदा के चाहे तुम लोग कोई बात चाह नहीं सकते (और बाज़े लोगों के लिये ख़ुदा के न चाहने में कुछ हिक्मतें होती हैं, क्योंकि) ख़ुदा तआ़ला बड़ा इल्म और हिक्मत वाला है। वह जिसको चाहे अपनी रहमत में दाख़िल कर लेता है और (जिसको चाहे कुफ़्र और ज़ुल्म में मुब्तला रखता है। फिर) ज़ालिमों के लिये उसने दर्दनाक अ़ज़ाब तैयार कर रखा है।

मआरिफ़ व मसाईल

सूरः दहर का नाम सूरः इनसान और सूरः अबरार भी है। (रूहुल-मआ़नी) इसमें इनसान की पैदाईश की शुरूआ़त व इन्तिहा, आमाल पर जज़ा व सज़ा, क़ियामत और जन्नत व दोज़ख़ के ख़ास हालात बहुत ही वाज़ेह, आसान, असरदार और दिल में उतर जाने वाले अन्दाज़ में बयान हुए हैं।

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○

हर्फ़ 'हल' दर असल सवाल करने व पूछने के लिये आता है, और कई बार किसी आसान और खुली हुई चीज़ को सवाल के अन्दाज़ में इसलिये ताबीर किया जा सकता है कि उसका स्पष्ट होना और मज़बूत व ताकीदी हो जाये, कि जिससे पूछोगे यही जवाब देगा, दूसरा गुमान व शुब्हा ही नहीं। जैसे कोई शख़्स दोपहर के वक़्त कसी से कहे कि क्या यह दिन नहीं है? इसकी सूरत तो सवाल की है मगर दर हक़ीक़त दिन के पूरी तरह स्पष्ट व ज़ाहिर होने का बयान है। इसलिये ऐसे मौक़ों में कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इस जगह हर्फ़ हल 'क़द' के मायने में है, जो सामने आने वाली तहक़ीक़ के लिये बोला जाता है।

दोनों सूरतों में आयत का मतलब यह है कि इनसान पर एक लम्बा ज़माना ऐसा गुज़रा है कि दुनिया में कहीं उसका नाम व निशान यहाँ तक कि ज़िक्र व तज़किरा तक न था। लफ़्ज़ 'हीन' तनवीन के साथ ज़िक्र करने से उस वक़्त और ज़माने की लम्बाई की तरफ़ इशारा है, और इस आयत में यह लम्बा ज़माना इनसान पर गुज़रना बयान फ़रमाया है जिसमें उसका कुल मिलाकर किसी न किसी तरह का वजूद होना लाज़िमी है, बिल्कुल ही बेवजूद होने के ज़माने को तो इनसान पर गुज़रना नहीं कहा जा सकता, इसलिये अक्सर हज़राते मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि इस लम्बे ज़माने से जो इनसान पर गुज़रा वह ज़माना मुराद है जो हमल (गर्भ) ठहरने के बाद से पैदाईश तक का वक़्त है जो आ़दतन नौ महीने होते हैं कि उसमें इनसान की तख़्लीक़ (जिस्मानी व रूहानी बनावट) पर जितने दौर गुज़रते हैं नुत्फ़े से लेकर जिस्म और आज़ा और फिर उसमें ज़िन्दगी की रूह आने तक वो सब शामिल हैं। इस पूरे ज़माने में अगरचे इसका वजूद एक तरह से क़ायम हो चुका है मगर न कोई जानता है कि लड़का है या लड़की, न कोई उसका नाम है न किसी को उसकी शक्ल व सूरत मालूम है, इसलिये इसका कहीं ज़िक्र व तज़किरा तक नहीं है।

और अगर इसको और ज़्यादा विस्तृत मायने दिये जायें तो इनसानी पैदाईश व बनावट की शुरूआ़त जिस तरह नुत्फ़े से समझी गयी है वह नुत्फ़ा भी जिस ग़िज़ा से पैदा हुआ वह ग़िज़ा और ग़िज़ा से पहले उस ग़िज़ा का माद्दा किसी न किसी सूरत से दुनिया में था, अगर उस ज़माने को भी शामिल करें तो यह ज़माना हज़ारों साल लम्बा हो सकता है।

बहरहाल हक़ तआ़ला ने इस आयत में इनसान को एक ऐसे मामले की तरफ़ तवज्जोह दिलाई कि उसमें ज़रा भी शऊर हो और कुछ भी ग़ौर करे तो उसको अपनी हक़ीक़त के खुलने

के साथ अपने पैदा करने वाले और बनाने वाले के वजूद और इल्म व क़ुदरत पर मुकम्मल ईमान व यक़ीन के सिवा कोई चारा नहीं रहता। अगर एक सत्तर बरस का इनसान इसका ध्यान करे और इस पर ग़ौर करे कि अब से इकहत्तर साल पहले उसका कहीं नाम व निशान नहीं था और न उसका किसी उनवान से कोई ज़िक्र कर सकता था, माँ बाप और दादा दादी के दिल में भी उसके मख़्सूस वजूद का कोई वहम तक न था अगरचे मुतलक़ बच्चे का तसव्वुर हो। उस वक़्त क्या चीज़ उसको बनाने और वजूद में लाने की दाअ़ी (प्रेरक और तक़ाज़ा करने वाली) हुई और किस अ़क़्लों को हैरान कर देने वाली क़ुदरत ने दुनिया भर में फैले हुए ज़र्रों को उसके वजूद में समोकर उसको एक होशियार, अ़क़्लमन्द, सुनने और देखने वाला इनसान बना दिया तो वह बेसाख़्ता यह कहने पर मजबूर होगाः

मा नबूदेम व तक़ाज़ा-ए-मा न बूद
लुत्फ़े तू नागुफ़्ता-ए-मा मी शनवद

न हमारा कोई वजूद था और न हमारी कुछ माँग और तक़ाज़ा था। यह तेरा लुत्फ़ व करम है कि तू हमारी बिना माँगी ज़रूरत व तक़ाज़े सुन लेता और अपनी रहमत से उसे क़ुबूल फ़रमाता है। **मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी**

इसके बाद इनसानी पैदाईश की शुरूआ़त का बयान इस तरह फ़रमायाः

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

यानी हमने पैदा किया इनसान को एक मिलेजुले नुत्फ़े से। 'अमशाज' मशज या मशीज की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने मख़्लूत (मिलेजुले) के आते हैं, और यहाँ ज़ाहिर यह है कि मर्द व औ़रत का मिश्रित नुत्फ़ा (वीर्य का क़तरा) मुराद है जैसा कि अक्सर मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया, और तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में कुछ मुफ़स्सिरीन से नक़ल किया है कि 'अमशाज' से मुराद चारों ख़िलतें यानी ख़ून, बलग़म, सौदा, सफ़रा हैं, जिनसे नुत्फ़ा मुरक्कब होता है।

हर इनसान के बनने में दुनिया भर के भौतिक तत्वों और ज़र्रों का शामिल होना

अगर ग़ौर किया जाये तो ये मज़कूरा चारों अख़्लात भी ग़िज़ा की क़िस्मों से हासिल होते हैं और हर इनसान की ग़िज़ा में ग़ौर किया जाये तो उसमें दूर-दराज़ मुल्कों और ख़ित्तों के हिस्से (तत्व) आब व हवा वग़ैरह के ज़रिये शामिल होते हैं। इस तरह एक इनसान के मौजूदा जिस्म के हिस्से पुर्ज़े और जिस्म में मौजूद क़ुव्वतों को अलग-अलग किया जाये तो मालूम होगा कि वह ऐसे तत्वों और ज़र्रों का मजमूआ़ है जो दुनिया के कोने-कोने में बिखरे हुए थे। क़ुदरत के अ़जीब निज़ाम ने हैरत-अंगेज़ तरीक़े पर उनको उसके वजूद में समोया है। अगर 'अमशाज' का मतलब यह लिया जाये तो इस जगह लफ़्ज़ 'अमशाज' के ज़िक्र से क़ियामत का इनकार करने वालों के

सबसे बड़े शुब्हे का ख़ात्मा भी हो जायेगा, क्योंकि ख़ुदा न पहचानने वाले उन लोगों के नज़दीक क़ियामत क़ायम होने और मुर्दों के दोबारा ज़िन्दा होने में सबसे बड़ा इश्काल (शुब्हा व एतिराज़) यही है कि इनसान मरकर मिट्टी और फिर रेज़ा-रेज़ा होकर दुनिया में बिखर जाता है, उन ज़र्रों को दोबारा जमा करना फिर उनमें रूह डालना उनके नज़दीक गोया नामुम्किन है।

अमशाज को अख़्लात के मायने में लेकर जो तफ़सीर की गयी है उसमें उनके इस शुब्हे का एक स्पष्ट जवाब है कि इनसान के बनाने व पैदा करने के शुरूआत में भी तो दुनिया भर के हिस्से (तत्व) व ज़र्रे शामिल थे, जिसको यह शुरू की और पहली तख़्लीक़ (बनाना) मुश्किल न हुई उसके लिये इसका दोबारा पैदा करना क्यों मुश्किल हो गया। और इस तफ़सीर पर लफ़्ज़ अमशाज का इस जगह इज़ाफ़ा भी एक मुस्तक़िल फ़ायदे के लिये हो सकता है वल्लाहु आलम।

'नब्तलीहि' इब्तिला से निकला है जिसके मायने इम्तिहान और आज़माईश के हैं। यह इनसान की पैदाईश की ग़र्ज़ व हिक्मत का बयान है कि इनसान को इस शान के साथ पैदा करने का मक़सद इसकी आज़माईश है, जिसका बयान अगली आयतों में आया है कि हमने नबियों और आसमानी किताबों के ज़रिये इसको रास्ता दिखला दिया कि यह रास्ता जन्नत की तरफ़ और दूसरा दोज़ख़ की तरफ़ जाता है, और इसे इख़्तियार दे दिया कि इनमें से जिसको चाहे इख़्तियार करे, चुनाँचे उनमें दो गिरोह हो गये- एक गिरोह उन लोगों का हुआ जिन्होंने अपने पैदा करने वाले और नेमत देने वाले को पहचानकर उसका शुक्र अदा किया और उस पर ईमान लाया, दूसरा गिरोह वह हुआ जिसने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की और काफ़िर रहा। उसके बाद इन दोनों गिरोहें की जज़ा और अन्जाम का ज़िक्र फ़रमाया कि काफ़िरों के लिये ज़न्जीरें और तौक़ और जहन्नम है और अबरार यानी ईमान वालों और फ़रमाँबरदारी के पाबन्द लोगों के लिये बड़ी-बड़ी नेमतें हैं। सबसे पहले पीने की चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया कि उनको शराब का ऐसा जाम दिया जायेगा जिसमें काफ़ूर की मिलावट होगी:

(يَشْرَبُوْنَ مِنْ كَاْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُوْرًا)

कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि काफ़ूर जन्नत के एक चश्मे का नाम है, इस शराब में लज़्ज़त व सुरूर बढ़ाने के लिये उस चश्मे का पानी शामिल किया जायेगा, और काफ़ूर के मशहूर मायने लिये जायें तो यह ज़रूरी नहीं कि जन्नत का काफ़ूर भी दुनिया के काफ़ूर की तरह हो, खाने-पीने के क़ाबिल न हो, उस काफ़ूर की विशेषतायें अलग हो सकती हैं।

عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللّٰهِ.

लफ़्ज़ 'ऐनन्' तरकीबे नहवी में काफ़ूरन् का बदल भी हो सकता है। इस सूरत में यह मुतैयन हो जाता है कि उक्त आयत में काफ़ूर से मुराद जन्नत का चश्मा है और अ़िबादुल्लाह से मुराद वही अल्लाह के नेक बन्दे हैं जिनका ज़िक्र पहले **अबरार** के उनवान से किया गया है, और अगर ऐनन् को 'मिन् कअ्सिन्' से बदल क़रार दें तो यह किसी दूसरे चश्मे और पानी का बयान है और इस सूरत में अ़िबादुल्लाह से मुराद जन्नत वालों की कोई दूसरी जमाअ़त है जो अबरार से

कम दर्जे में हैं।

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ.

यह बयान इसका है कि अबरार (नेक लोगों) और अिबादुल्लाह (अल्लाह के बन्दों) को यह इनामात किस बिना पर मिलेंगे। मायने यह हैं कि ये लोग जिस काम की अल्लाह के लिये नज़्र (मन्नत) मान लेते हैं उसको पूरा करते हैं। नज़्र के लफ़्ज़ी मायने यह हैं कि आप अपने ऊपर कोई ऐसा काम वाजिब कर लें जो शरीअ़त से आपके ज़िम्मे वाजिब नहीं है। ऐसी नज़्र को पूरा करना शरअ़न् वाजिब होता है, जिसकी कुछ तफ़सील आगे आती है। यहाँ जन्नत वालों की बड़ी जज़ा और इनामात का सबब नज़्र को पूरा करना क़रार दिया है। इसमें इशारा इसकी तरफ़ है कि ये लोग जब अपनी तरफ़ से वाजिब की हुई चीज़ों की अदायेगी का एहतिमाम (पाबन्दी) करते हैं तो जो फ़राईज़ व वाजिबात उनके इख़्तियार से नहीं बल्कि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उन पर लाज़िम किये गये हैं उनका एहतिमाम तो और भी ज़्यादा करते होंगे। इस तरह लफ़्ज़ नज़्र के पूरा करने में दर हक़ीक़त तमाम शरई वाजिबात और फ़राईज़ की अदायेगी शामिल हो गयी और जन्नत के इनामों का सबब मुकम्मल इताअ़त और तमाम फ़राईज़ व वजिबात को अदा करना होगा। बहरहाल इस जुमले से नज़्र को पूरा करने की अहमियत और वजूब साबित हुआ।

मसलाः नज़्र (मन्नत) के बंधने और लागू होने के लिये चन्द शर्तें हैं- पहली यह कि जिस काम की नज़्र मानी जाये वह जायज़ व हलाल हो, गुनाह व नाफ़रमानी न हो। अगर किसी ने किसी गुनाह और नाजायज़ काम की नज़्र मान ली तो उस पर लाज़िम है कि वह नाजायज़ काम न करे, अपनी क़सम को तोड़ दे और क़सम का कफ़्फ़ारा अदा करे। दूसरी शर्त यह है कि वह अल्लाह की तरफ़ से वाजिब न हो, इसलिये अगर कोई शख़्स फ़र्ज़ नमाज़ या वाजिब वित्र की नज़्र मान ले तो यह नज़्र बेकार होगी, वह फ़र्ज़ या वाजिब पहले ही से उसपर वाजिबुल-अदा है।

इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक यह भी शर्त है कि जिस काम को नज़्र के ज़रिये अपने ऊपर वाजिब किया है उसकी जिन्स (क़िस्म) से कोई इबादत शरीअ़त में वाजिब की गयी हो, जैसे नमाज़ रोज़ा सदक़ा क़ुरबानी वग़ैरह, और जिसकी जिन्स से शरअ़न कोई इबादत मक़सूद नहीं है उसकी नज़्र मानने से नज़्र लाज़िम नहीं होती। जैसे किसी मरीज़ की अयादत (मिज़ाज पुर्सी) या जनाज़े के पीछे चलना वग़ैरह जो अगरचे इबादतें हैं मगर इबादते मक़सूदा नहीं। नज़्र व क़सम के अहकाम की तफ़सील मसाईल की किताबों में देखी जाये।

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا٥

यानी जन्नत वालों के ये इनामात इस सबब से भी हैं कि वे दुनिया में मिस्कीनों, यतीमों और क़ैदियों को खाना खिलाते थे।

'अ़ला हुब्बिही' में हर्फ़ 'अ़ला' मय (साथ) के मायने में है। मतलब यह है कि ये लोग ऐसी हालत में भी ग़रीबों को खाना खिलाते जबकि वह खाना ख़ुद अपने लिये भी उनको महबूब और पसन्द है। यही नहीं कि अपने से ज़ायद फ़ालतू खाना ग़रीबों को दे दें। मिस्कीन और यतीम को

खाना खिलाने का इबादत व सवाब होना तो ज़ाहिर है, क़ैदी से मुराद ज़ाहिर है कि वह क़ैदी है जिसको शरई उसूल के मुताबिक़ क़ैद में रखा गया है चाहे वह काफ़िर हो या मुजरिम मुसलमान, मगर बहरहाल उसको खाना खिलाना इस्लामी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, जो शख़्स उसको खाना खिलाता है वह गोया हुकूमत और बैतुलमाल की मदद करता है, इसलिये क़ैदी चाहे काफ़िर भी हो उसको खाना खिलाना सवाब होगा, ख़ास तौर पर इस्लाम के शुरू ज़माने में तो क़ैदियों का खाना पीना और उनकी हिफ़ाज़त आ़म मुसलमानों में तक़सीम करके उनके ज़िम्मे कर दी जाती थी, जैसे ग़ज़्वा-ए-बदर के क़ैदियों के साथ मामला किया गया।

قَوَارِيْرَا مِنْ فِضَّةٍ.

दुनिया में चाँदी का बरतन कसीफ़ (गाढ़ा) होता है आईने की तरह नहीं हो सकता, और जो काँच से तैयार किया जाता है वह चाँदी नहीं हो सकता, इन दोनों में टकराव है, मगर यह जन्नत की ख़ुसूसियत है कि वहाँ की चाँदी आईने की तरह साफ़ और चमकती हुई होगी। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जन्नत में जितनी चीज़ें मिलेंगी उन सब की नज़ीर और शक्ल दुनिया में मिलती हैं सिवाय उन गिलासों और बरतनों के जिनको चाँदी से बनाया गया है मगर आईने की तरह स्वच्छ और चमकदार हैं।

وَيُسْقَوْنَ فِيْهَا كَاْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيْلًاo

ज़न्जबील के मशहूर व परिचित मायने सौंठ के हैं, और अ़रब के लोग शराब में इसकी मिलावट को पसन्द करते थे, इसलिये इसको जन्नत में भी इख़्तियार किया गया। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि जन्नत की नेमतों और दुनिया की चीज़ों में नाम एक जैसे होने सिवा कोई चीज़ साझा और मुश्तरक नहीं, इसलिये वहाँ की ज़न्जबील को दुनिया की ज़न्जबील पर अन्दाज़ा और तुलना नहीं किया जा सकता।

وَحُلُّوْٓا اَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ.

'असाविर' सवार की जमा (बहुवचन) है, कंगन को कहा जाता है जो हाथों में पहनने का ज़ेवर है। इस आयत में चाँदी के कंगन का ज़िक्र है और एक दूसरी आयत मेंः

اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ.

आया है, यानी कंगन सोने के। इन दोनों में कोई टकराव नहीं, क्योंकि हो सकता है कि किसी वक़्त चाँदी के और किसी वक़्त सोने के कंगन इस्तेमाल किये जायें, या कुछ लोगों के कंगन सोने के हों कुछ के चाँदी के। मगर एक सवाल इस जगह बहरहाल है कि चाँदी के कंगन हों या सोने के बहरहाल ये ज़ेवर हैं जो औ़रतों के इस्तेमाल के लिये होते हैं, मर्दों के लिये ऐसे ज़ेवर पहनना ऐब समझा जाता है। जवाब यह है कि किसी चीज़ का औ़रतों या मर्दों के लिये ख़ास होना और उनके लिये अच्छा व पसन्दीदा या ऐब होना यह चीज़ उ़र्फ़ व आ़दत के ताबे होती है, कुछ मुल्कों या क़ौमों में एक चीज़ बड़ी ऐब और बुरी समझी जाती है दूसरी क़ौमों में

वह बड़ा हुस्न और अच्छाई समझी जाती है।

दुनिया में किसरा बादशाह हाथों में कंगन और सीने और ताज में ज़ेवरात इस्तेमाल करते थे और यह उनका ख़ास निशान, सम्मान और गौरव की चीज़ समझा जाता था। किसरा का मुल्क फ़तह होने के बाद जो किसरा के ख़ज़ाने मुसलमानों को हाथ आये उनमें किसरा के कंगन भी थे। जब दुनिया के मुख़्तलिफ़ मुल्कों और क़ौमों के मामूली भूगोलिक और क़ौमी फ़र्क़ से यह मामला अलग और भिन्न हो सकता है तो जन्नत को दुनिया पर क़ियास करने के कोई मायने नहीं, हो सकता है कि वहाँ ज़ेवर मर्दों के लिये भी अच्छा और पसन्दीदा समझा जाये।

اِنَّ هٰذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَّكَانَ سَعْيُكُمْ مَّشْكُوْرًا○

यानी जन्नत वालों को जन्नत में पहुँचने के बाद हक़ तआ़ला की तरफ़ से ख़िताब होगा कि जन्नत की ये अ़क़्लों को हैरान कर देने वाली नेमतें सब तुम्हारे उन आमाल की जज़ा है जो तुमने दुनिया में किये थे, और तुम्हारे अ़मल अल्लाह के नज़दीक मक़बूल हो गये। ये कलिमात उनको मुबारकबाद के तौर पर कहे जायेंगे। इश्क़ व मुहब्बत वालों से पूछिये तो जन्नत की सारी नेमतें एक तरफ़ और रब्बुल-आ़लमीन का यह फ़रमाना एक तरफ़ सब नेमतों से बढ़कर है कि इसमें हक़ तआ़ला उनको अपनी कामिल रज़ा की सनद दे रहे हैं। आ़म जन्नत वालों के इनामात का ज़िक्र करने के बाद ख़ास उन इनामात का ज़िक्र किया गया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अ़ता हुए, उनमें सबसे बड़ा इनाम क़ुरआन पाक का आप पर नाज़िल होना है। इस बड़े इनाम का ज़िक्र करने के बाद अव्वल तो आपको इसकी हिदायत की गयी कि मुख़ालिफ़ों व काफ़िरों की तरफ़ से जो ज़िद व इनकार और उनकी तरफ़ से तकलीफ़ें आपको पहुँचती हैं आप उन पर सब्र से काम लें। दूसरे अल्लाह की इबादत को दिन-रात का मश्ग़ला बनायें, इसी से काफ़िरों के सताने का भी ख़ात्मा होगा।

आख़िर में दुश्मन व मुख़ालिफ़ काफ़िरों के कुफ़्र पर जमे रहने की वजह बतलाई गयी कि ये जाहिल दुनिया की मामूली, सरसरी और फ़ानी लज़्ज़तों में ऐसे मस्त हो गये कि अन्जाम को यानी आख़िरत को भुला बैठे, हालाँकि हमने दुनिया में भी ख़ुद इनके वजूद में ऐसी चीज़ें रखी थीं कि उनमें ग़ौर करते तो अपने ख़ालिक़ व मालिक को पहचानते। मसलनः

نَحْنُ خَلَقْنٰهُمْ وَشَدَدْنَآ اَسْرَهُمْ.

यानी हमने ही उनको पैदा किया और उनके वजूद के बनाने में एक ख़ास कमाल यह रखा कि उसके जोड़-बन्द मज़बूत व टिकाऊ बनाये।

इनसानी जोड़-बन्द में क़ुदरत का करिश्मा

इसमें इशारा इस बात की तरफ़ है कि इनसान अपने एक-एक जोड़-बन्द पर नज़र डाले कि हिक्मत व राहत के तक़ाज़े से इनसानी जोड़ देखने में नर्म व नाज़ुक मालूम होते हैं और नर्म-नर्म पट्ठों के ज़रिये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं जिसका तबई तक़ाज़ा यह था कि साल दो साल ही में

ये जोड़ों के बंधन और पट्ठे घिस जाते और टूट जाते, ख़ासकर जबकि दिन-रात वो हरकत में रहते हैं, मोड़े तोड़े जाते हैं, इतनी रात दिन की हरकत के साथ तो लोहे के स्प्रिंग भी साल दो साल में घिसकर टूट जाते हैं, ये नर्म व नाज़ुक पट्ठे देखो किस तरह बदनी अंगों के जोड़ों को बाँधे हुए हैं, न घिसते हैं न टूटते हैं। इनसान अपने हाथ की उंगलियों के जोड़ों को देखे और हिसाब लगाये कि उम्र भर में इन जोड़ों ने कितनी हरकतें की हैं, कैसे-कैसे ज़ोर और दबाव इन पर डाले गये हैं कि अगर फ़ौलाद भी होता तो घिस गया होता, मगर ये जोड़ हैं जो सत्तर अस्सी साला चलने पर भी अपनी जगह क़ायम हैं। वाक़ई बड़ी बरकत वाली है अल्लाह की ज़ात जो सबसे बेहतर बनाने वाला है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अद्-दहर की तफ़सीर पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अद्-दहर की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-मुर्सलात

सूरः अल्-मुर्सलात मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 50 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیاتہا ۵۰ سُوْرَةُ الْمُرْسَلٰتِ مَكِّيَّةٌ (۷۷) (۳۳) رکوعاتہا ۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْمُرْسَلٰتِ عُرْفًا ۙ﴿۱﴾ فَالْعٰصِفٰتِ عَصْفًا ۙ﴿۲﴾ وَّالنّٰشِرٰتِ نَشْرًا ۙ﴿۳﴾ فَالْفٰرِقٰتِ فَرْقًا ۙ﴿۴﴾
فَالْمُلْقِيٰتِ ذِكْرًا ۙ﴿۵﴾ عُذْرًا اَوْ نُذْرًا ۙ﴿۶﴾ اِنَّمَا تُوْعَدُوْنَ لَوَاقِعٌ ؕ﴿۷﴾ فَاِذَا النُّجُوْمُ طُمِسَتْ ۙ﴿۸﴾
وَاِذَا السَّمَآءُ فُرِجَتْ ۙ﴿۹﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ ۙ﴿۱۰﴾ وَاِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ ؕ﴿۱۱﴾ لِاَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ ؕ﴿۱۲﴾
لِيَوْمِ الْفَصْلِ ۚ﴿۱۳﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ؕ﴿۱۴﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۱۵﴾ اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ؕ﴿۱۶﴾
ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ﴿۱۷﴾ كَذٰلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۱۸﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۱۹﴾ اَلَمْ
نَخْلُقْكُّمْ مِّنْ مَّآءٍ مَّهِيْنٍ ۙ﴿۲۰﴾ فَجَعَلْنٰهُ فِيْ قَرَارٍ مَّكِيْنٍ ۙ﴿۲۱﴾ اِلٰى قَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ ۙ﴿۲۲﴾ فَقَدَرْنَا ۖ فَنِعْمَ
الْقٰدِرُوْنَ ﴿۲۳﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۲۴﴾ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۙ﴿۲۵﴾ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۙ﴿۲۶﴾
وَّجَعَلْنَا فِيْهَا رَوَاسِيَ شٰمِخٰتٍ وَّاَسْقَيْنٰكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ؕ﴿۲۷﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۲۸﴾ اِنْطَلِقُوْا
اِلٰى مَا كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۚ﴿۲۹﴾ اِنْطَلِقُوْا اِلٰى ظِلٍّ ذِيْ ثَلٰثِ شُعَبٍ ۙ﴿۳۰﴾ لَّا ظَلِيْلٍ وَّلَا يُغْنِيْ
مِنَ اللَّهَبِ ؕ﴿۳۱﴾ اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۚ﴿۳۲﴾ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ؕ﴿۳۳﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۴﴾
هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ۙ﴿۳۵﴾ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۷﴾ هٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۚ
جَمَعْنٰكُمْ وَالْاَوَّلِيْنَ ﴿۳۸﴾ فَاِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيْدُوْنِ ﴿۳۹﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۴۰﴾ اِنَّ
الْمُتَّقِيْنَ فِيْ ظِلٰلٍ وَّعُيُوْنٍ ۙ﴿۴۱﴾ وَّفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُوْنَ ؕ﴿۴۲﴾ كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْٓـًٔا بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُوْنَ ﴿۴۳﴾ اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۴۴﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۴۵﴾ كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا
قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ﴿۴۶﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۴۷﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا
يَرْكَعُوْنَ ﴿۴۸﴾ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۴۹﴾ فَبِاَيِّ حَدِيْثٍۭ بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ﴿۵۰﴾

ع ۱ ۲۱

ع ۲ ۱۰ ۲۲

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वल्-मुर्सलाति अुर्फ़न् (1) फ़ल्-आसिफ़ाति अ़स्फ़न् (2) वन्नाशिराति नश्रन् (3) फ़ल्-फ़ारिक़ाति फ़र्क़न् (4) फ़ल्-मुल्क़ियाति ज़िक्रन् (5) अुज़्रन् औ नुज़्रन् (6) इन्नमा तू-अ़दू-न लवाकिअ़् (7) फ़-इज़न्नुजूमु तुमिसत् (8) व इज़स्समा-उ फ़ुरिजत् (9) व इज़ल्-जिबालु नुसिफ़त् (10) व इज़र्रुसुलु उक़्क़ितत् (11) लि-अय्यि यौमिन् उज्जिलत् (12) लियौमिल्-फ़स्लि (13) व मा अद्रा-क मा यौमुल्-फ़स्लि (14) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (15) अलम् नुह्लिकिल्-अव्वलीन (16) सुम्-म नुत्बिअ़ुहुमुल्-आख़िरीन (17) कज़ालि-क नफ़्अ़लु बिल्-मुज्रिमीन (18) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (19) अलम् नख़्लुक़्कुम् मिम्-माइम्-महीन (20) फ़-जअ़ल्नाहु फ़ी क़रारिम्-मकीन (21) इला क़-दरिम् मअ़्लूम (22) फ़-क़दर्ना फ़निअ़्मल्-क़ादिरून (23)

क़सम है चलती हवाओं की दिल को अच्छी लगती (1) फिर झोंका देने वालियों की ज़ोर से (2) फिर उभारने वालियों की उठाकर (3) फिर फाड़ने वालियों की बाँटकर (4) फिर फ़रिश्तों की जो उतारकर लायें वही (5) इल्ज़ाम उतारने को या डर सुनाने को (6) बेशक जो तुमसे वायदा हुआ वह ज़रूर होना है (7) फिर जब तारे मिटाये जायें (8) और जब आसमान में झरोंके पड़ जायें (9) और जब पहाड़ उड़ा दिये जायें (10) और जब रसूलों का वक़्त मुक़र्रर हो जाये (11) किस दिन के वास्ते उन चीज़ों में देर है। (12) उस फ़ैसले के दिन के वास्ते (13) और तूने क्या बूझा क्या है फ़ैसले का दिन? (14) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (15) क्या हमने नहीं मार खपाया पहलों को (16) फिर उनके पीछे भेजते हैं पिछलों को (17) हम ऐसा ही किया करते है गुनाहगारों के साथ (18) ख़राबी उस दिन झुठलाने वालों की। (19) क्या हमने नहीं बनाया तुमको एक बेक़द्र पानी से (20) फिर रखा उसको एक जमे हुए ठिकाने में (21) एक मुक़र्ररा वायदे तक (22) फिर हम उसको पूरा कर सके, सो हम क्या ख़ूब सकत वाले हैं (23)

वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (24) अलम् नज्अलिल्-अर्-ज़ किफ़ाता (25) अह्याअंव्-व अम्वाता (26) व जअल्ना फ़ीहा रवासि-य शामिख़ातिंव्-व अस्कैनाकुम्-माअन् फ़ुराता (27) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (28) इन्तलिक़ू इला मा कुन्तुम् बिही तुकज़्ज़िबून (29) इन्तलिक़ू इला ज़िल्लिन् ज़ी सलासि शु-अब् (30) ला ज़लीलिंव्-व ला युग्नी मिनल्-ल-हब् (31) इन्नहा तर्मी बि-श-ररिन् कल्-क़स्र (32) क-अन्नहू जिमा-लतुन् सुफ़्र (33) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्मुकज़्ज़िबीन (34) हाज़ा यौमु ला यन्तिक़ून (35) व ला युअ्-ज़नु लहुम् फ़-यअ्तज़िरून (36) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्मुकज़्ज़िबीन (37) हाज़ा यौमुल्-फ़स्लि जमअ्नाकुम् वल्-अव्वलीन (38) फ़-इन् का-न लकुम् कैदुन् फ़कीदून (39) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (40) ✿ इन्नल्-मुत्तकी-न फ़ी ज़िलालिंव्-व अ़ुयून (41) व फ़वाकि-ह मिम्मा यश्तहून (42) कुलू वश्रबू हनीअम्-

ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (24) क्या हमने नहीं बनाई ज़मीन समेटने वाली (25) ज़िन्दों को और मुर्दों को (26) और रखे हमने ज़मीन में बोझ के लिये ऊँचे पहाड़ और पिलाया हमने तुमको मीठा पानी प्यास बुझाने वाला। (27) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (28) चलकर देखो जिस चीज़ को तुम झुठलाते थे (29) चलो एक छाँव में जिसकी तीन फाँकें (शाख़ें) हैं (30) न गहरी छाँव और न कुछ काम आये तपिश में (31) वह आग फेंकती है चिंगारियाँ जैसे महल (32) गोया वो ऊँट हैं ज़र्द (33) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (34) यह वह दिन है कि न बोलेंगे (35) और न उनको हुक्म हो कि तौबा करें (36) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (37) यह है दिन फ़ैसले का जमा किया हमने तुमको और अगलों को (38) फिर अगर कुछ दाव है तुम्हारा तो चला लो मुझ पर (39) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (40) ✿ अलबत्ता जो डरने वाले हैं वे साये में हैं और नहरों में (41) और मेवे जिस क़िस्म के चाहें (42) खाओ और पियो मज़े से

बिमा कुन्तुम् तअ्मलून (43) इन्ना कज़ालि-क नज्ज़िल्-मुहसिनीन (44) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (45) कुलू व त-मत्तअू क़लीलन् इन्नकुम् मुज्रिमून (46) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (47) व इज़ा क़ी-ल लहुमुर्-कअू ला यर्कअून (48) वैलुंय्-यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (49) फ़बि-अय्यि हदीसिम् बअ्दहू युअ्मिनून (50) ✿	बदला उन कामों का जो तुमने किये थे (43) हम यूँ ही देते हैं बदला नेकी वालों को (44) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (45) खा लो और बरत लो थोड़े दिनों, बेशक तुम गुनाहगार हो (46) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (47) और जब कहिये उनको कि झुक जाओ नहीं झुकते (48) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की। (49) अब किस बात पर उसके बाद यक़ीन लायेंगे। (50) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है उन हवाओं की जो नफ़ा पहुँचाने के लिये भेजी जाती हैं। फिर उन हवाओं की जो तेज़ी से चलती हैं (जिससे ख़तरों का अन्देशा होता है)। और उन हवाओं की जो बादलों को (उठाकर) फैलाती हैं। फिर उन हवाओं की जो बादलों को फैला और बिखेर देती हैं (जैसा कि बारिश के बाद होता है)। फिर उन हवाओं की जो (दिल में) अल्लाह तआ़ला की याद डालती हैं (यानी तौबा का या डराने का जज़्बा दिल में डालती हैं। यानी ये उक्त हवायें हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत पर दलालत की वजह से ख़ालिक़े कायनात की तरफ़ मुतवज्जह हो जाने का सबब हो जाती हैं, और वह तवज्जोह दो तरीक़े से होती है- एक ख़ौफ़ से जबकि उन हवाओं से ख़ौफ़ के आसार नुमायाँ हों, और दूसरा तौबा व माज़िरत से और यह ख़ौफ़ व उम्मीद की दोनों सूरत में हो सकता है। अगर हवायें नफ़ा देने वाली हों तब तो ख़ुदा की नेमतों को याद करके उसका शुक्र और अपनी कोताहियों से उज़्र करते हैं, और अगर वो हवायें ख़ौफ़नाक हों तो ख़ुदा के अ़ज़ाब से डराकर अपने गुनाहों से तौबा करते हैं)।

(आगे क़सम का जवाब है) कि जिस चीज़ का तुमसे वायदा किया जाता है वह ज़रूर होने वाली है (मुराद क़ियामत है, और ये सब क़समें क़ियामत के बहुत ही मुनासिब हैं क्योंकि पहली बार के सूर फूँकने के बाद तमाम आ़लम के फ़ना होने का वाक़िआ तेज़ आँधियों के जैसा है और दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद के वाक़िआत मुर्दों का ज़िन्दा होना वग़ैरह फ़ायदेमन्द हवाओं की तरह है जिससे बारिश और बारिश से पेड़-पौधों की ज़िन्दगी उभरती है)।

(आगे उसके वाक़े व ज़ाहिर होने पर आगे की हालत बयान फ़रमाते हैं) सो जब सितारे

बेनूर हो जाएँगे और जब आसमान फट जायेगा और जब पहाड़ उड़ते फिरेंगे और जब सब पैग़म्बर मुक़र्ररा वक़्त पर जमा किये जाएँगे (उस वक़्त सब का फ़ैसला होगा। आगे उस दिन का हौलनाक होना मज़कूर है कि कुछ मालूम है) किस दिन के लिये पैग़म्बरों का मामला मुल्तवी रखा गया है? (आगे जवाब है) फ़ैसले के दिन के लिये (मुल्तवी रखा गया है। मतलब इस सवाल व जवाब का यह मालूम होता है कि काफ़िर जो रसूलों को झुठलाते आये हैं और अब भी इस उम्मत के काफ़िर लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को झुठला रहे हैं, और जब इस झुठलाने पर आख़िरत के अ़ज़ाब से डराये जाते हैं तो आख़िरत को भी झुठलाते हैं, और यह झुठलाना अपने आप में इसको चाहता है कि रसूलों का जो क़िस्सा काफ़िरों से पेश आ रहा है उसका फ़ैसला अभी हो जाये, उसमें देरी होने से काफ़िरों को और ज़्यादा इनकार व झुठलाने का मौक़ा मिलता है और मुसलमानों को तबई तौर पर उसके जल्द हो जाने की इच्छा व तमन्ना होती है। पस इस आयत में इसी जल्दी की ख़्वाहिश का जवाब है कि हक़ तआ़ला ने कुछ हिक्मतों से इसको लेट कर रखा है, लेकिन ज़ाहिर ज़रूर होगा)।

और (आगे उस फ़ैसले के दिन के हौलनाक होने का ज़िक्र है कि) आपको मालूम है कि वह फ़ैसले का दिन कैसा कुछ है? (यानी बहुत सख़्त है, और जो लोग इस हक़ बात यानी क़ियामत के क़ायम होने को झुठला रहे हैं वे समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। (आगे अ़ज़ाब से डराना है, यानी) क्या हम अगले (काफ़िर) लोगों को (अ़ज़ाब से) हलाक नहीं कर चुके? फिर पिछलों को भी (अ़ज़ाब में) उन (पहलों) ही के साथ-साथ कर देंगे (यानी आपकी उम्मत के काफ़िरों पर भी तबाही का वबाल नाज़िल करेंगे जैसा कि बदर वग़ैरह की जंगों में हुआ), हम मुजरिमों के साथ ऐसा ही किया करते हैं (यानी उनके कुफ़्र पर सज़ा देते हैं चाहे दोनों आ़लम में चाहे आख़िरत के आ़लम में, और जो इस हक़ बात यानी कुफ़्र और अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ होने को झुठला रहे हैं समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी।

(आगे मरने के बाद ज़िन्दा करने की क़ुदरत का बयान है, यानी) क्या हमने तुमको एक बेक़द्र पानी (यानी वीर्य के क़तरे) से नहीं बनाया? (यानी शुरू में तुम नुत्फ़ा थे) फिर हमने उसको एक मुक़र्ररा वक़्त तक एक सुरक्षित जगह (यानी औ़रत के गर्भ में) रखा, ग़र्ज़ कि हमने (इन तसर्रुफ़ात का) एक अन्दाज़ा ठहराया सो हम कैसे अच्छे अन्दाज़ा ठहराने वाले हैं। (इससे मुर्दों को दोबारा ज़िन्दा करने पर क़ुदरत साबित हुई, फिर जो लोग इस हक़ बात यानी दोबारा ज़िन्दा करने की क़ुदरत को झुठला रहे हैं वे समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी।

(आगे अपनी कुछ नेमतें जिनसे ईमान लाने और नेक काम करने तरफ़ रग़बत व दिलचस्पी हो, ज़िक्र फ़रमाते हैं यानी) क्या हमने ज़मीन को समेटने वाली नहीं बनाया (कि ज़िन्दगी इसी पर बसर होती है, मरने के बाद दफ़न और ग़र्क़ हो जाने और जल जाने की सूरत में आख़िरकार मिट्टी होकर ज़मीन के हिस्सों ही में खप जाते हैं। और इस मरने के बाद की हालत का नेमत

होना इस तरह है कि अगर मुर्दे ख़ाक न हो जाया करते तो ज़िन्दे परेशान होकर मुर्दों से बदतर हो जाते कि उनको अपने बसने बल्कि चलने फिरने की जगह न मिलती) और हमने इस (ज़मीन) में ऊँचे-ऊँचे पहाड़ बनाये (जिनसे बहुत-से फ़ायदे जुड़े हुए हैं) और हमने तुमको मीठा पानी पिलाया (इस नेमत को चाहे मुस्तक़िल कहा जाये या ज़मीन ही से संबन्धित कहा जाये, क्योंकि पानी का केन्द्र भी ज़मीन ही है, और इन नेमतों का तक़ाज़ा तौहीद का वाजिब होना है। पस जो लोग इस हक़ बात यानी तौहीद के वाजिब होने को झुठला रहे हैं वे समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी।

(आगे क़ियामत की कुछ सज़ाओं का बयान है, यानी क़ियामत के रोज़ काफ़िरों से कहा जायेगा कि) तुम उस अ़ज़ाब की तरफ़ चलो जिसको झुठलाते थे (जिसमें की एक सज़ा वह है जिसका बयान इस हुक्म में है कि) एक सायबान "यानी साया करने वाली चीज़" की तरफ़ चलो जिसकी तीन शाख़ें हैं जिसमें न (ठंडा) साया है और न वह गर्मी से बचाता है (मुराद इस सायबान से एक धुआँ है जो जहन्नम से निकलेगा, और चूँकि बहुत ज़्यादा होगा इसलिये बुलन्द होकर फटकर तीन टुकड़े हो जायेंगे जैसा कि इमाम तबरी ने क़तादा रह. से नक़ल किया है, और हिसाब से फ़ारिग़ होने तक काफ़िर उसी धुएँ के घेरे में रहेंगे जैसा कि अल्लाह के नेक व मक़बूल बन्दे अ़र्श के साये में होंगे, जैसा कि तफ़सीरे ख़ाज़िन में है)।

(आगे उस धुएँ का और हाल बयान हुआ है कि) वह अंगारे बरसायेगा जैसे बड़े-बड़े महल जैसे काले-काले ऊँट (क़ायदा है कि जब चिंगारी आग से झड़ती है तो बड़ी होती है, फिर बहुत से छोटे टुकड़े होकर ज़मीन पर गिरती है। पस पहली मिसाल उसकी शुरू की हालत के एतिबार से है और दूसरी मिसाल आख़िरी हालत के एतिबार से, जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है। फिर जो लोग इस हक़ बात यानी इस वाक़िए को झुठला रहे हैं वे समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों के लिये बड़ी ख़राबी होगी।

(आगे एक और वाक़िआ़ काफ़िरों के मुताल्लिक़ है यानी) यह वह दिन होगा जिसमें लोग बोल न सकेंगे और न उनको (उज़्र करने की) इजाज़त होगी, सो उज़्र भी न कर सकेंगे (क्योंकि वास्तव में कोई माक़ूल उज़्र होगा ही नहीं, और जो लोग इस हक़ वाक़िए को भी झुठला रहे हैं वे समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों के लिये बड़ी ख़राबी होगी। (आगे भी इसी दिन का बयान है कि उन लोगों से कहा जायेगा कि) यह है फ़ैसले का दिन (जिसको तुम झुठलाया करते थे), हमने (आज) तुमको और अगलों को (फ़ैसले के लिये) जमा कर लिया, सो अगर तुम्हारे पास (आज के फ़ैसले से बचने की) कोई तदबीर हो तो मुझ पर तदबीर चलाओ। (और ये काफ़िर इस हक़ वाक़िए को भी झुठलाते हैं सो समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी।

(आगे काफ़िरों के मुक़ाबले में ईमान वालों के सवाब का बयान है, यानी) परहेज़गार लोग सायों और चश्मों में और पसन्दीदा मेवों में होंगे (और उनसे कहा जायेगा कि) अपने नेक

आमाल के सिले में ख़ूब मज़े से खाओ-पियो। हम नेक लोगों को ऐसा ही सिला दिया करते हैं। (और ये काफ़िर लोग जन्नत की नेमतों को भी झुठलाते हैं, सो समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। (आगे फिर तंबीह और डाँट-डपट है काफ़िरों को, यानी ऐ काफ़िरो!) तुम (दुनिया में) थोड़े दिन और खा लो, बरत लो (जल्द ही कमबख़्ती आने वाली है), तुम बेशक मुजरिम हो, (और मुजरिम का यही हाल होने वाला है। और जो लोग जुर्म की सज़ा को झुठलाते हैं वे समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों के लिये बड़ी ख़राबी होगी।

और (उन काफ़िरों की सरकशी और जुर्म की यह हालत है कि) जब उनसे कहा जाता है कि (ख़ुदा की तरफ़) झुको (यानी ईमान और बन्दगी इख़्तियार करो) तो नहीं झुकते (इससे ज़्यादा क्या जुर्म होगा। और ये लोग इसके जुर्म होने को भी झुठलाते हैं सो समझ लें कि) उस दिन (हक़ के) झुठलाने वालों की बड़ी ख़राबी होगी। (और क़ुरआन की इस तंबीह व डराने और झंझोड़ने का तक़ाज़ा यह था कि सुनते ही डरकर ईमान ले आते मगर जब इस पर भी उनको असर नहीं) तो फिर इस (इस क़द्र स्पष्ट और प्रभावी अन्दाज़ में नसीहत करने और डराने वाले क़ुरआन) के बाद और फिर कौनसी बात पर ईमान लाएँगे? (इसमें काफ़िरों को डाँट-डपट व झिड़कना और उनके ईमान से आपको मायूस करना है)।

मआरिफ़ व मसाईल

बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ मिना के एक ग़ार में थे अचानक सूरः मुर्सलात नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इसको पढ़ते जाते थे और मैं आपके मुबारक मुँह से इसको सुनता और याद करता जाता था। आपका मुँह मुबारक इस सूरत की मिठास से तर (शादाब) हो रहा था, अचानक एक साँप ने हम पर हमला किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उसके क़त्ल का हुक्म दिया, हम उसकी तरफ़ झपटे, वह निकल भागा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस तरह तुम उसके शर से महफ़ूज़ रहे वह भी तुम्हारे शर से महफ़ूज़ हो गया। (इब्ने कसीर)

इस सूरत में हक़ तआ़ला ने चन्द चीज़ों की क़समें खाकर क़ियामत के यक़ीनी तौर पर आने का ज़िक्र फ़रमाया है, उन चीज़ों का नाम क़ुरआन में बयान नहीं किया गया अलबत्ता उनकी इस जगह पाँच सिफ़तें बयान फ़रमाई हैं। मुर्सलात, आ़सिफ़ात, नाशिरात, फ़ारिक़ात, मुल्क़ियातुज़्ज़िक्र। किसी मरफ़ूअ़ हदीस में इसको पूरे तौर पर मुतैयन नहीं किया गया कि इन सिफ़ात वाले कौन हैं, इसलिये सहाबा व ताबिईन की तफ़सीरें इस मामले में मुख़्तलिफ़ हो गयीं।

कुछ हज़रात ने इन पाँचों सिफ़ात का मौसूफ़ (सिफ़ात वाला) फ़रिश्तों को क़रार दिया है और यह कि हो सकता है कि फ़रिश्तों की विभिन्न जमाअ़तें इन मुख़्तलिफ़ सिफ़ात वाली हों। कुछ हज़रात ने इन सिफ़ात का मौसूफ़ हवाओं को क़रार दिया है, वो भी मुख़्तलिफ़ क़िस्मों और

विभिन्न अन्दाज़ की होती हैं, इसलिये ये मुख़्तलिफ़ सिफ़ात उनमें हो सकती हैं। कुछ हज़रात ने इनका मौसूफ़ ख़ुद नबियों व रसूलों को क़रार दिया है। इमाम इब्ने जरीर और इमाम तबरी ने इसी लिये इस मामले में ख़ामोशी को ज़्यादा बेहतर और सलामती की राह क़रार दिया कि एहतिमाल (गुमान व संभावना) दोनों हैं हम अपनी तरफ़ से किसी को मुतैयन नहीं करते।

और इसमें शुब्हा नहीं कि जो पाँच सिफ़ात इस जगह ज़िक्र की गयी हैं उनमें से कुछ तो अल्लाह के फ़रिश्तों पर ज़्यादा फ़िट बैठती और उनके मुनासिब हैं, इनको हवाओं की सिफ़त बनायें तो खींच-तान और दूर का मतलब लेना पड़ता है, और कुछ सिफ़ात ऐसी हैं जो हवाओं पर ज़्यादा फ़िट और स्पष्ट हैं उनको फ़रिश्तों की सिफ़त बनायें तो तावील के बग़ैर नहीं बनती। इसलिये इस मक़ाम में बेहतर फ़ैसला इमाम इब्ने कसीर रह. का मालूम होता है। उन्होंने फ़रमाया कि शुरू की तीन सिफ़तें हवाओं की सिफ़तें हैं, उन तीन में हवाओं की क़सम हो गयी, बाक़ी आख़िरी दो सिफ़तें ये फ़रिश्तों की सिफ़तें हैं तो यह फ़रिश्तों की क़सम हो गयी।

रियाह (हवाओं) की सिफ़त क़रार देने में आख़िरी दो सिफ़तों में जो तावील (मतलब बयान) की जाती है वह आप ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में देख चुके हैं क्योंकि उसमें इसी को इख़्तियार करके तफ़सीर की गयी है। इसी तरह जिन हज़रात ने इन सब सिफ़तों को फ़रिश्तों की सिफ़तें क़रार दिया है उनको पहली तीन सिफ़तें यानी मुर्सलात, आसिफ़ात और नाशिरात को फ़रिश्तों पर चस्पाँ करने के लिये इसी तरह की तावीलें (ग़ैर-मशहूर और दूर के मतलब बयान करने) से काम लेना पड़ा है। इमाम इब्ने कसीर के इख़्तियार किये हुए मायनों के मुताबिक़ इन आयतों के मायने यह हो गये कि क़सम है उन हवाओं की जो भेजी जाती हैं।

'उर्फ़न्' यहाँ उर्फ़न् का मफ़्हूम वह भी हो सकता है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऊपर मज़कूर हुआ यानी सख़ावत व इनायत और फ़ायदा पहुँचाना। जो हवायें बारिश लेकर आती हैं उनकी सख़ावत व इनायत और नफ़ा पहुँचाना ज़ाहिर है। और उर्फ़न् के दूसरे मायने पै-दर-पै (यानी लगातार एक दूसरे के पीछे आने) के भी आते हैं। यह मायने लिये जायें तो मुराद वो हवायें होंगी जो बादल और बारिश को लिये हुए मुसलसल और एक दूसरे के पीछे चलती हैं। और आसिफ़ात अस्फ़ से निकला है जिसके लुग़वी मायने हवा के तेज़ चलने के हैं, इससे मुराद वो आँधियाँ और तेज़ हवायें हैं जो कई बार दुनिया में आया करती हैं। और नाशिरात से मुराद वो हवायें हैं जो बारिश ख़त्म होने के बाद बादल को फाड़कर बिखेर और इधर-उधर कर देती हैं। और फ़ारिक़ात, यह सिफ़त फ़रिश्तों की है जो अल्लाह की वही नाज़िल करके हक़ व बातिल में फ़र्क़ स्पष्ट कर देते हैं, और मुल्क़ियाते ज़िक्रन् भी फ़रिश्तों की सिफ़त है, और ज़िक्र से मुराद क़ुरआन या आम वही है। और मतलब यह है कि क़सम है उन फ़रिश्तों की जो वही के ज़रिये हक़ व बातिल में फ़र्क़ और इम्तियाज़ वाज़ेह कर देते हैं और क़सम है उन फ़रिश्तों की जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पर ज़िक्र यानी वही और क़ुरआन को लाते हैं। इस तरह किसी सिफ़त में तावील (दूर का और ग़ैर-मशहूर मतलब लेने) और खींच-तान की ज़रूरत पेश नहीं आती।

रहा यह सवाल कि इस तफ़सीर की बिना पर पहले हवाओं की मुख़्तलिफ़ क़िस्मों की क़सम खाई गयी फिर फ़रिश्तों की, इन दोनों में ताल्लुक़ और जोड़ क्या है, सो अल्लाह के कलाम की हिक्मतों का इहाता तो कोई कर नहीं सकता, यह मुनासबत भी हो सकती है कि हवाओं की दोनों क़िस्में बारिश वाली, नफ़ा-बख़्श और सख़्त आँधियाँ नुक़सान पहुँचाने वाली ये सब महसूस की जाने वाली चीज़ों में से हैं, हर शख़्स इनको पहचानता है, पहले ग़ौर व फ़िक्र के लिये इनसान के सामने इनको लाया गया उसके बाद फ़रिश्तों और वही को पेश किया गया जो महसूस नहीं मगर ज़रा से ग़ौर व फ़िक्र करने पर उनका यक़ीन हो सकता है।

عُذۡرًا اَوۡ نُذۡرًا ○

यह 'फ़ल्मुल्क़ियाति ज़िक्रन्' से संबन्धित है कि यह ज़िक्र और वही अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पर इसलिये नाज़िल की जायेगी कि वह अहले हक़ मोमिनों के लिये उनकी कोताहियों से माज़िरत का सबब बने, और अहले-बातिल काफ़िरों के लिये नज़ीर और अ़ज़ाब से डराने वाला साबित हो।

हवाओं या फ़रिश्तों या दोनों की क़सम खाकर हक़ तआ़ला ने फ़रमायाः

اِنَّمَا تُوۡعَدُوۡنَ لَوَاقِعٌ ○

यानी तुमसे जिस क़ियामत, हिसाब-किताब और जज़ा व सज़ा का वायदा नबियों के ज़रिये किया जा रहा है वह ज़रूर पूरा और ज़ाहिर होकर रहेगा। आगे उसके सामने आने और ज़ाहिर होने के वक़्त के चन्द हालात का ज़िक्र है- अव्वल यह कि सब सितारे बेनूर हो जायेंगे, जिसकी यह सूरत भी हो सकती है कि ये पूरी तरह फ़ना ही हो जायें, या यह कि मौजूद रहें मगर इनका नूर ख़त्म हो जाये। इस तरह पूरी दुनिया एक इन्तिहाई सख़्त अंधेरे में ग़र्क़ हो जायेगी। दूसरा हाल यह बयान फ़रमाया कि आसमान फट जायेंगे। तीसरा यह कि पहाड़ रूई के गालों की तरह उड़ते फिरेंगे। चौथा हाल यह बतलाया गया 'व इज़र्रुसुलु उक़्क़ितत्'। 'उक़्क़ितत्' तौक़ीत से निकला है जिसके असली मायने वक़्त की हद बन्दी और निर्धारित करने के हैं, और बक़ौल अ़ल्लामा ज़मख़्शरी कभी इसके मायने किसी मुक़र्ररा वक़्त पर पहुँच जाने के भी आते हैं (जैसा कि रूहुल-मआ़नी में है)। इस जगह यही दूसरे मायने मुनासिब हैं, और आयत के मायने ये होंगे कि नबियों व रसूलों के लिये जो मियाद और वक़्त मुक़र्रर किया गया था कि उसमें अपनी-अपनी उम्मतों के मामले में गवाही के लिये हाज़िर हों वे उस मियाद को पहुँच गये और उनकी हाज़िरी का वक़्त आ गया। इसी लिये ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में इसका तर्जुमा नबियों के जमा करने के साथ किया गया। आगे क़ियामत के दिन के ज़बरदस्त और हौलनाक होने का बयान है कि वह फ़ैसले का दिन है जिसमें झुठलाने वालों और काफ़िरों के लिये तबाही व बरबादी के सिवा कुछ नहीं होगा।

وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ ○

के यही मयने हैं। 'वैल' के मायने हलाकत व बरबादी के हैं, और हदीस की कुछ रिवायतों में है कि वैल जहन्नम की एक वादी का नाम है जिसमें जहन्नम वालों के ज़ख़्मों की पीप जमा

होगी, यह जगह झुठलाने वालों के रहने की क़रार दी जायेगी। उसके बाद मौजूदा लोगों को पिछली उम्मतों के हालात से इबरत व सबक़ हासिल करने के लिये फ़रमायाः

اَلَمْ نُهْلِكِ الْاَوَّلِيْنَ ۝ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝

यानी क्या हमने पहले लोगों को उनके कुफ़्र व मुख़ालफ़त की वजह से हलाक नहीं कर दिया। आद व समूद की क़ौम, क़ौमे लूत और क़ौमे फ़िरऔन वग़ैरह की तरफ़ इशारा है, और 'सुम्-म नुत्बिअुहुमुल्-आख़िरीन' मशहूर व परिचित (1) क़िराअत के मुताबिक़ ऐन के सुकून के साथ अ़त्फ़ है 'नुह्लिक' पर जिसके मायने यह हैं कि हमने अव्वलीन (पहले वालों) के बाद आख़िरीन (बाद वालों) को भी उनके पीछे हलाक नहीं कर दिया, इसलिये आख़िरीन से मुराद भी पिछली उम्मतों ही के आख़िर के लोग होंगे जिनकी हलाकत क़ुरआन के नाज़िल होने से पहले वाक़े हो चुकी है, और दूसरी एक क़िराअत में 'नुत्बिअुहुम' ऐन के पेश के साथ भी आया है, इस क़िराअत पर यह जुमला अलग है, और आख़िरीन से मुराद उम्मते मुहम्मदिया के काफ़िर लोग हैं। पिछली उम्मतों की हलाकत और अ़ज़ाब की ख़बर देने के बाद मक्का के मौजूदा काफ़िरों को उन पर आईन्दा आने वाले अ़ज़ाब की ख़बर देना मक़सद है जैसा कि ग़ज़वा-ए-बदर वग़ैरह में मुसलमानों के हाथों उन पर हलाकत व तबाही का अ़ज़ाब नाज़िल हुआ।

फ़र्क़ यह है कि पिछली उम्मतों पर आसमानी अ़ज़ाब आता था जिससे पूरी बस्तियाँ तबाह हो जाती थीं, उम्मते मुहम्मदिया का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वजह से यह ख़ास सम्मान है कि उनके काफ़िरों पर आसमानी अ़ज़ाब नहीं आता बल्कि उनका अ़ज़ाब मुसलमानों की तलवार से आता है जिसमें हलाकत आ़म नहीं होती सिर्फ़ बड़े नाफ़रमान मुजरिम ही मारे जाते हैं।

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا ۝ اَحْيَآءً وَّاَمْوَاتًا ۝

यानी हमने ज़मीन को किफ़ात बनाया है ज़िन्दा और मुर्दा इनसानों के लिये। किफ़ात, किफ़्त से निकला है जिसके मायने मिलाने और जमा कर लेने के हैं, किफ़ात वह चीज़ जो बहुत सी चीज़ों को अपने अन्दर जमा करे। ज़मीन को हक़ तआ़ला ने ऐसा बनाया है कि ज़िन्दा इनसान उसकी पीठ पर सवार हैं और मुर्दे सब उसके पेट में जमा हैं।

اِنَّهَا تَرْمِيْ بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ ۝ كَاَنَّهٗ جِمٰلَتٌ صُفْرٌ ۝

क़स्र के मायने हैं बड़ा आ़लीशान महल, और जिमालतुन् जमल के मायने में है जो ऊँट को कहा जाता है। सुफ़्र अस्फ़र की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने ज़र्द (पीले) के हैं। आयत की मुराद यह है कि उस जहन्नम की आग से इतने बड़े-बड़े शरारे उठेंगे जो एक मुस्तक़िल आ़लीशान महल के बराबर होंगे, फिर वो बिखरकर छोटे-छोटे टुकड़ों में तक़सीम होंगे, वो टुकड़े

(1) इस जगह पर तफ़सीर के लेखक से चूक हुई है, क्योंकि मशहूर व परिचित क़िराअत ऐन के सुकून की नहीं बल्कि ऐन के पेश की है जैसा कि क़िराअत की किताबों के देखने से मालूम होता है। ऐन के सुकून की क़िराअत हक़ीक़त में शाज़ (अपरिचित और न होने के बराबर) है। मुहम्मद अ़ब्दुल्लाह

पीले ऊँटों के बराबर होंगे, और कुछ हज़रात ने इस जगह सुफ़्र का तर्जुमा सियाह किया है क्योंकि ज़र्द ऊँट की ज़र्दी सियाही माईल होती है। (रूहुल-मआ़नी)

هٰذَا يَوْمُ لَا يَنْطِقُوْنَ ○ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُوْنَ ○

यानी उस दिन में कोई बोल न सकेगा और न किसी को अपने किये हुए अ़मल का उ़ज़्र (बहाना और माज़िरत) पेश करने की इजाज़त होगी। और क़ुरआन की दूसरी आयतों में जो काफ़िरों का बोलना और उ़ज़्र पेश करना बयान हुआ है वह इसके ख़िलाफ़ नहीं, क्योंकि मेहशर में अनेक और विभिन्न मक़ामात और स्थान आयेंगे, किसी मक़ाम में कलाम और उ़ज़्र पेश करना वर्जित और मना होगा, किसी में इजाज़त होगी। (रूहुल-मआ़नी)

كُلُوْا وَتَمَتَّعُوْا قَلِيْلًا اِنَّكُمْ مُّجْرِمُوْنَ ○

यानी खाओ-पियो और आराम उठा लो थोड़े दिन क्योंकि तुम मुजरिम हो, आख़िरकार सख़्त अ़ज़ाब में जाना है। यह झुठलाने वालों को ख़िताब है दुनिया में, नबियों के ज़रिये उनको कहा गया है कि यह तुम्हारा ऐश व आराम चन्द दिन का है फिर अ़ज़ाब ही अ़ज़ाब है (अबू हय्यान ने इसकी यही तफ़सीर बयान की है)।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ ارْكَعُوْا لَا يَرْكَعُوْنَ ○

यहाँ अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक रुकूअ़ से मुराद इसके लुग़वी मायने यानी झुकना और इताअ़त करना है। मतलब यह है कि जब दुनिया में इनको अल्लाह के अहकाम के मानने के लिये कहा जाता था तो ये इताअ़त न करते थे। और कुछ हज़रात ने रुकूअ़ के इस्तिलाही मायने भी मुराद लिये हैं और मतलब आयत का यह है कि जब इनको नमाज़ की तरफ़ बुलाया जाता था तो ये नमाज़ न पढ़ते थे। रुकूअ़ बोलकर पूरी नमाज़ मुराद ली गयी है। (रूहुल-मआ़नी)

فَبِاَيِّ حَدِيْثٍ م بَعْدَهٗ يُؤْمِنُوْنَ ○

यानी जब ये लोग क़ुरआन जैसी अ़जीब व ग़रीब, स्पष्ट व आला और हिक्मतों से भरी हुई खुली दलीलों वाली किताब पर ईमान न लाये तो इसके बाद अब किस बात पर ईमान लायेंगे। मुराद उनके ईमान से मायूसी का इज़हार है। हदीस में है कि जब तिलावत करने वाला इस आयत पर पहुँचे तो उसको कहना चाहिये 'आमन्ना बिल्लाहि' यानी हम अल्लाह पर ईमान ले आये। नमाज़ से बाहर में और नवाफ़िल में ये अलफ़ाज़ कहने चाहियें, मगर फ़र्ज़ों व सुन्नतों में में इस ज़्यादती (अलफ़ाज़ के बढ़ाने) से बचना हदीस की रिवायतों से साबित है, इसलिये उसमें न कहा जाये। वल्लाहु आलम।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-मुर्सलात की तफ़सीर आज रजब की आख़िरी तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई, और इसी के साथ पारा नम्बर 29 भी मुकम्मल हुआ।

पारा नम्बर तीस (अ़म्-म य-तसा-अलून)

सूरः अन्-नबअ्

सूरः अन्-नबअ् मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 40 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰیاتها ٤٠ (٧٨) سُوْرَةُ النَّبَاِ مَكِّيَّةٌ (٨٠) رکوعاتها ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ ۝ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ ۝ الَّذِيْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۝ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝ اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهٰدًا ۝ وَّالْجِبَالَ اَوْتَادًا ۝ وَّخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا ۝ وَّجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝ وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا ۝ وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۝ وَّبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۝ وَّجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ۝ وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۝ لِّنُخْرِجَ بِهٖ حَبًّا وَّنَبَاتًا ۝ وَّجَنّٰتٍ اَلْفَافًا ۝ اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ۝ يَّوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ فَتَاْتُوْنَ اَفْوَاجًا ۝ وَّفُتِحَتِ السَّمَآءُ فَكَانَتْ اَبْوَابًا ۝ وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۝ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا ۝ لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا ۝ لَا يَذُوْقُوْنَ فِيْهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝ اِلَّا حَمِيْمًا وَّغَسَّاقًا ۝ جَزَآءً وِّفَاقًا ۝ اِنَّهُمْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ حِسَابًا ۝ وَّكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝ وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنٰهُ كِتٰبًا ۝ فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝ اِنَّ لِلْمُتَّقِيْنَ مَفَازًا ۝ حَدَآئِقَ وَاَعْنَابًا ۝ وَّكَوَاعِبَ اَتْرَابًا ۝ وَّكَاْسًا دِهَاقًا ۝ لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا كِذّٰبًا ۝ جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝ رَّبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمٰنِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِنْهُ خِطَابًا ۝ يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِكَةُ صَفًّا لَّا يَتَكَلَّمُوْنَ اِلَّا مَنْ اَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۝ ذٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَنْ شَآءَ اتَّخَذَ اِلٰى رَبِّهٖ مَاٰبًا ۝ اِنَّآ اَنْذَرْنٰكُمْ عَذَابًا قَرِيْبًا يَّوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدٰهُ وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अ़म्-मय-तसा-अलून (1) अ़निन्-न-बइल्-अ़ज़ीम (2) अल्लज़ी हुम् फ़ीहि मुख़्तलिफ़ून (3) कल्ला	क्या बात पूछते हैं लोग आपस में (1) पूछते हैं उस बड़ी ख़बर से (2) जिसमें वे इख़्तिलाफ़ करते हैं (3) हरगिज़ नहीं!

स-यअ्लमून (4) सुम्-म कल्ला स-यअ्लमून (5) अलम् नज्अलिल्-अर्-ज़ मिहादंव्- (6) -वल्-जिबा-ल औतादंव्- (7) -व ख़लक़्नाकुम् अज़्वाजंव्- (8) -व जअ़ल्ना नौमकुम् सुबातंव्- (9) -व जअ़ल्नल्लै-ल लिबासंव्- (10) -व जअ़ल्नन्नहा-र मआ़शा (11) व बनैना फ़ौ-क़कुम् सब्अ़न् शिदादंव्- (12) -व जअ़ल्ना सिराजंव्-वह्हाजा (13) व अन्ज़ल्ना मिनल्-मुअ़्सिराति मा-अन् सज्जाजल्- (14) -लिनुख़्रि-ज बिही हब्बंव्-व नबातंव्- (15) -व जन्नातिन् अल्फ़ाफ़ा (16) इन्-न यौमल्-फ़स्लि का-न मीक़ातंय्- (17) -यौ-म युन्फ़ख़ु फ़िस्सूरि फ़-तअ्तू-न अफ़्वाजा (18) व फ़ुति-हतिस्-समा-उ फ़-कानत् अब्वाबंव्- (19) -व सुय्यि-रतिल्-जिबालु फ़-कानत् सराबा (20) इन्-न जहन्न-म कानत् मिर्सादल्- (21) -लित्ताग़ी-न म-आबल्- (22) -लाबिसी-न फ़ीहा अह़्क़ाबा (23) ला यज़ूक़ू-न फ़ीहा बर्दंव्-व ला शराबा (24) इल्ला हमीमंव्-व ग़स्साक़न् (25)

अब जान लेंगे (4) फिर भी हरगिज़ नहीं, अब जान लेंगे (5) क्या हमने नहीं बनाया ज़मीन को बिछौना (6) और पहाड़ों को मेख़ें (7) और तुमको बनाया हमने जोड़े-जोड़े (8) और बनाया नींद को तुम्हारी थकान दूर करने के लिये (9) और बनाया रात को ओढ़ना (10) और बनाया दिन कमाई करने को (11) और चुनी हमने तुमसे ऊपर सात चुनाई मज़बूत (12) और बनाया एक चिराग़ चमकता हुआ (13) और उतारा निचुड़ने वाली बदलियों से पानी का रेला (14) ताकि हम निकालें उससे अनाज और सब्ज़ा (15) और बाग़ पत्तों में लिपटे हुए (16) बेशक दिन फ़ैसले का है एक वक़्त तयशुदा (17) जिस दिन फूँकी जाये सूर फिर तुम चले आओ जुट के जुट (18) और खोला जाये आसमान तो हो जायें उसमें दरवाज़े (19) और चलाये जायेंगे पहाड़ तो हो जायेंगे चमकता रेता (20) बेशक दोज़ख़ है ताक में (21) शरीरों का ठिकाना (22) रहा करें उसमें करनों (बेइन्तिहा ज़मानों) (23) न चखें वहाँ कुछ मज़ा ठंडक का और न पीना मिले कुछ (24) मगर गर्म पानी और बहती पीप (25)

जज़ाअंव्-विफ़ाक़ा (26) इन्नहुम् कानू ला यर्जू-न हिसाबा (27) व कज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा (28) व कुल्-ल शैइन् अह्सैनाहु किताबन् (29) फ़ज़ूक़ू फ़-लन्-नज़ी-दकुम् इल्ला अ़ज़ाबा (30) ✿

इन्-न लिल्मुत्तक़ी-न मफ़ाज़न् (31) हदाइ-क़ व अअ्नाबंव्- (32) -व कवाअि-ब अत्राबंव्- (33) -व कअ्सन् दिहाक़ा (34) ला यस्मअू-न फ़ीहा लग्वंव्-व ला किज़्ज़ाबा (35) जज़ाअम्-मिर्रब्बि-क अ़ताअन् हिसाबा (36) रब्बिस्समावाति वल्अर्ज़ि व मा बैनहुमर्रह्मानि ला यम्लिकू-न मिन्हु ख़िताबा (37) यौ-म यक़ूमुर्रूहु वल्-मलाइ-कतु सफ़्फ़ल् ला य-तकल्लमू-न इल्ला मन् अज़ि-न लहुर्रह्मानु व क़ा-ल सवाबा (38) ज़ालिकल् यौमुल्-हक़्क़ु फ़-मन् शाअत्त-ख़ा-ज़ इला रब्बिही मआबा (39) इन्ना अन्ज़र्नाकुम् अ़ज़ाबन् क़रीबंय्-यौ-म यन्ज़ुरुल्-मर्उ मा क़द्द-मत् यदाहु व यक़ूलुल्-काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा (40) ✿

बदला है पूरा (26) उनको उम्मीद न थी हिसाब की (27) और झुठलाते थे हमारी आयतों को मुकराकर (28) और हर चीज़ हमने गिन रखी है लिखकर (29) अब चखो कि हम न बढ़ाते जायेंगे तुम पर मगर अ़ज़ाब। (30) ✿

बेशक डर वालों को उनकी मुराद मिलनी है (31) बाग़ हैं और अंगूर (32) और नौजवान औरतें एक उम्र की सब (33) और प्याले छलकते हुए (34) न सुनेंगे वहाँ बक-बक और न मुकराना (35) बदला है तेरे रब का दिया हुआ हिसाब से (36) जो रब है आसमानों का और ज़मीन का और जो कुछ उनके बीच में है, बड़ी रहमत वाला, क़ुदरत नहीं कि कोई उससे बात करे (37) जिस दिन खड़ी हो रूह और फ़रिश्ते क़तार बाँधकर, कोई नहीं बोलता मगर जिसको हुक्म दिया रहमान ने और बोला बात ठीक (38) वह दिन है बरहक़, फिर जो कोई चाहे बना रखे अपने रब के पास ठिकाना (39) हमने ख़बर सुना दी तुमको एक नज़दीक आने वाली आफ़त की, जिस दिन देख लेगा आदमी जो आगे भेजा उसके हाथों ने और कहेगा काफ़िर- किसी तरह मैं मिट्टी होता। (40) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

ये (क़ियामत का इनकार करने वाले) लोग किस चीज़ का हाल पूछते हैं, उस बड़े वाक़िए का हाल पूछते हैं जिसमें ये लोग (हक़ वालों के साथ) झगड़ा कर रहे हैं (मुराद क़ियामत है, और मालूम करने से मुराद इनकार के तौर पर मालूम करना है, और मक़सद इस सवाल व जवाब से ज़ेहनों का उधर मुतवज्जह करना और पहले अस्पष्ट रूप से बयान करने के बाद फिर उसकी तफ़सीर व व्याख्या करने से इसका बहुत ज़्यादा अहम होना ज़ाहिर करना है। आगे उनके इख़्तिलाफ़ "झगड़ने" का बेवजह और बातिल होना बयान किया गया है कि जैसा ये लोग समझते हैं कि क़ियामत न आयेगी) हरगिज़ ऐसा नहीं (बल्कि क़ियामत आयेगी और) इनको अभी मालूम हुआ जाता है (यानी जब दुनिया से रुख़्सत होने के बाद इन पर अ़ज़ाब पड़ेगा तब हक़ीक़त और क़ियामत का हक़ व सही होना इन पर ज़ाहिर हो जायेगा, और हम) फिर (दोबारा कहते हैं कि जैसा ये लोग समझते हैं) हरगिज़ ऐसा नहीं (बल्कि आयेगी और) इनको अभी मालूम हुआ जाता है। (और चूँकि वे लोग इसको नामुम्किन या मुहाल समझते हैं, आगे उसके मुम्किन और वाक़े होने का बयान है कि उसको मुहाल समझने से हमारी क़ुदरत का इनकार लाज़िम आता है और हमारी क़ुदरत का इनकार बहुत ही अ़जीब बात है क्योंकि) क्या हमने ज़मीन को फ़र्श और पहाड़ों को (ज़मीन की) मेख़ें नहीं बनाया (यानी मेख़ों "बड़ी कीलों" के जैसा बनाया, जैसे किसी चीज़ में मेख़ें लगा देने से वह चीज़ अपनी जगह से नहीं हिलती इसी तरह ज़मीन को पहाड़ों से रोक और जमा दिया, इसकी तहक़ीक़ सूरः नहल में गुज़र चुकी है)।

और (इसके अ़लावा हमने और भी क़ुदरत ज़ाहिर फ़रमाई, चुनाँचे) हमने ही तुमको जोड़ा-जोड़ा (यानी मर्द व औरत) बनाया, और हम ही ने तुम्हारे सोने को राहत की चीज़ बनाया, और हम ही ने रात को पर्दे की चीज़ बनाया, और हम ही ने दिन को रोज़ी कमाने का वक़्त बनाया, और हम ही ने तुम्हारे ऊपर सात मज़बूत आसमान बनाये, और हम ही ने (आसमान में) एक रोशन चिराग़ बनाया (मुराद सूरज है जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने एक दूसरी जगह फ़रमाया 'व ज-अ़लश्शम्-स सिराजा'), और हम ही ने पानी भरे बादलों से कसरत से पानी बरसाया ताकि हम उस पानी के ज़रिये से पैदा करें ग़ल्ला और सब्ज़ी, और घने बाग़ (और इन सबसे हमारे कामिल क़ुदरत वाला होना ज़ाहिर है फिर क़ियामत पर हमारे क़ादिर होने का क्यों इनकार किया जाता है। यह बयान था उसके संभव और मुम्किन होने का)।

(आगे क़ियामत के आने का ज़िक्र है कि) बेशक फ़ैसले का दिन एक मुतैयन: वक़्त है, यानी जिस दिन सूर फूँका जायेगा, फिर तुम लोग गिरोह-गिरोह होकर आओगे (यानी हर उम्मत अलग अलग होगी, फिर मोमिन अलग, काफ़िर अलग, फिर अच्छे व नेक लोग अलग, बुरे लोग अलग, सब एक दूसरे से अलग और नुमायाँ होकर मैदाने क़ियामत में हाज़िर होंगे)। और आसमान खुल जायेगा, फिर उसमें दरवाज़े ही दरवाज़े हो जाएँगे (यानी इस क़द्र बहुत सारा खुल जायेगा जैसे बहुत से दरवाज़े मिलाकर बहुत बड़ी जगह खुल होती है, पस यह कलाम आधारित है मिसाल

और मुहावरे पर, अब यह शुब्हा नहीं हो सकता कि दरवाज़े तो आसमान में अब भी हैं फिर उस दिन दरवाज़े होने के क्या मायने। और यह खुलना फ़रिश्तों के उतरने के लिये होगा जिसे सूरः फ़ुरक़ान में 'तशक़्क़क़ुस्समा-उ' से ताबीर फ़रमाया है और इसकी वज़ाहत वहाँ गुज़री है)।

और पहाड़ (अपनी जगह से) हटा दिये जाएँगे, सो वे रेत की तरह हो जाएँगे (जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआला का क़ौल है 'कसीबम् महीलन्'। और ये वाक़िआत दूसरी बार के सूर फूँकने के वक़्त होंगे, अलबत्ता पहाड़ों के चलाये जाने में यहाँ भी और जहाँ-जहाँ यह आया है दोनों संभावनायें हैं, या तो दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद कि उससे आलम की सब चीज़ें अपनी असली हालत व शक्ल पर लौट आयेंगी। जब हिसाब का वक़्त आयेगा पहाड़ों को ज़मीन के बराबर कर दिया जायेगा ताकि ज़मीन पर कोई आड़ पहाड़ न रहे, सब एक ही मैदान में नज़र आयें। और या यह पहली बार के सूर फूँकने का वक़्त होगा जिससे ख़ुद फ़ना करना असल मक़सद होगा। फिर यह तफ़सीर मानने पर यौम "दिन" को इन सब वाक़िआत का ज़र्फ़ फ़रमाना इस बिना पर होगा कि पहले वाले सूर फूँकने से लेकर दूसरी बार के सूर फूँकने तक का मजमूआ एक दिन क़रार दे लिया गया। वल्लाहु आलम)।

(आगे उस फ़ैसले के दिन में जो फ़ैसला होगा उसका बयान है, यानी) बेशक दोज़ख़ एक घात की जगह है (यानी अ़ज़ाब के फ़रिश्ते इन्तिज़ार और ताक में हैं कि काफ़िर आयें तो उनको पकड़ते ही अ़ज़ाब देने लगें, और वह) सरकशों का ठिकाना (है) जिसमें वे बेइन्तिहा ज़मानों (तक पड़े) रहेंगे। (और) उसमें न तो वे किसी ठंडक (यानी राहत) का मज़ा चखेंगे (इससे ज़म्हरीर यानी सख़्त सर्दी की नफ़ी नहीं हुई) और न पीने की चीज़ का (जो कि प्यास को बुझाने वाली हो) सिवाय गर्म पानी और पीप के, और (उनको) पूरा-पूरा बदला मिलेगा। (और वे आमाल जिनका यह बदला है ये हैं कि) वे लोग (क़ियामत के) हिसाब का अन्देशा न रखते थे और हमारी (उन) आयतों को (जिनमें हिसाब और दूसरी हक़ बातों की ख़बर थी) ख़ूब झुठलाते थे और हमने (उनके आमाल में से) हर चीज़ को (उनके आमाल नामे में) लिखकर महफ़ूज़ कर रखा है, सो (उन आमाल पर उनको बाख़बर करके कहा जायेगा कि अब इन आमाल का) मज़ा चखो कि हम तुम्हारी सज़ा ही बढ़ाते चले जाएँगे।

(यह तो काफ़िरों का फ़ैसला हुआ, आगे ईमान वालों का फ़ैसला बयान हुआ है कि) ख़ुदा से डरने वालों के लिये बेशक कामयाबी है। यानी (खाने और सैर को) बाग़ (जिनमें तरह-तरह के मेवे होंगे) और अंगूर (मेवों यानी फलों का आ़म ज़िक्र करने के बाद फिर ख़ास तौर से अंगूर का ज़िक्र करना उनकी ख़ास शान बयान करने के लिये है), और (दिल बहलाने को) नौजवान हमउम्र औ़रतें और (पीने को) ऊपर तक भरे हुए शराब के जाम। (और) वहाँ न कोई बेहूदा बात सुनेंगे और न झूठ (क्योंकि ये बातें वहाँ बिल्कुल नापैद हैं) यह (उनको उनकी नेकियों का) बदला मिलेगा जो कि काफ़ी इनाम होगा (आपके) रब की तरफ़ से, जो मालिक है आसमानों का और ज़मीन का और उन चीज़ों का जो इन दोनों के बीच में हैं। (और जो) रहमान है, (और) किसी को उसकी तरफ़ से (मुस्तक़िल) इख़्तियार न होगा (कि उसके सामने कुछ कह-सुन सके) जिस

दिन तमाम रूहों वाले और फ़रिश्ते (ख़ुदा के सामने) सफ़ बाँधे हुए (आजिज़ी के साथ झुके हुए) खड़े होंगे, (उस दिन) कोई न बोल सकेगा सिवाय उसके जिसको रहमान (बोलने की) इजाज़त दे दे और वह शख़्स बात भी ठीक कहे। (ठीक बात से मुराद वह बात जिसकी इजाज़त दी गयी है यानी बोलना भी सीमित और पाबन्दियों के साथ होगा, यह नहीं कि जो चाहे बोलने लगे, और ऊपर मुस्तक़िल इख़्तियार से यही मुराद है)।

(आगे ऊपर के तमाम मज़ामीन का ख़ुलासा है कि) यह (दिन जिसका ऊपर ज़िक्र हुआ) यक़ीनी दिन है, सो जिसका जी चाहे (इसके हालात सुनकर) अपने रब के पास (अपना) ठिकाना बना ले (यानी नेक अ़मल करे कि वहाँ नेक ठिकाना मिले। आगे हुज्जत को पूरा करना है कि लोगो!) हमने तुमको एक नज़दीक आने वाले अ़ज़ाब से डरा दिया है (जो कि ऐसे दिन में होने वाला है) जिस दिन हर शख़्स उन आमाल को (अपने सामने हाज़िर) देख लेगा जो उसने अपने हाथों किये होंगे, और काफ़िर (अफ़सोस व मायूसी से) कहेगा कि काश! मैं मिट्टी हो जाता (ताकि सज़ा से बच जाता, और यह उस वक़्त कहेगा जब चौपाये जानवर मिट्टी कर दिये जायेंगे। दुर्रे मन्सूर में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से यही नक़ल किया गया है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

عَمَّ يَتَسَآءَلُوْنَ٥

लफ़्ज़ 'अ़म्-म' दो हर्फ़ों से मिलकर बना है 'अ़न्' और 'मा'। हर्फ़ मा कोई बात पूछने और सवाल करने के लिये आता है। इस तरकीब में हर्फ़ मा में से अलिफ़ गिरा दिया गया है मायने यह हुए कि ये लोग किस चीज़ के बारे में आपस में सवाल व जवाब कर रहे हैं? फिर ख़ुद ही इसका जवाब दिया गयाः

عَنِ النَّبَاِ الْعَظِيْمِ٥ الَّذِیْ هُمْ فِيْهِ مُخْتَلِفُوْنَ٥

लफ़्ज़ 'न-ब-अ' के मायने ख़बर के हैं मगर हर ख़बर को नबा नहीं बल्कि जब कोई अ़ज़ीमुश्शान ख़बर हो उसको नबा कहा जाता है, मुराद इस अ़ज़ीमुश्शान ख़बर से क़ियामत है और मायने आयत के यह हैं कि ये लोग मक्का वाले उस अ़ज़ीमुश्शान ख़बर यानी क़ियामत के बारे में बहस और सवाल-जवाब कर रहे हैं, जिसमें इनमें आपस में इख़्तिलाफ़ (मतभेद व झगड़ा) हो रहा है।

हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया गया है कि जब क़ुरआने करीम नाज़िल होना शुरू हुआ तो मक्का के काफ़िर अपनी मज्लिसों में बैठकर इसके मुताल्लिक़ राय व्यक्त करते और गपशप किया करते थे। क़ुरआन में क़ियामत का ज़िक्र अहमियत के साथ आया है और उनके नज़दीक गोया यह मुहाल चीज़ थी, इसलिये इसमें गुफ़्तगू ख़ूब ज़्यादा होती थी, कोई तस्दीक़ करता कोई इनकार, इसलिये इस सूरत के शुरू में उनका यह हाल ज़िक्र करके आगे क़ियामत का वाक़े होना मज़कूर है, और उनके नज़दीक जो उसके वाक़े (क़ायम व ज़ाहिर)

होने में शुब्हा व मुहाल समझना था उसका जवाब दिया गया। मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने फ़रमाया कि यह सवाल-जवाब कोई असल हक़ीक़त को जानने के लिये नहीं था बल्कि महज़ मज़ाक़ और हंसी उड़ाने के लिये था। वल्लाहु आलम

क़ुरआने करीम ने उनके जवाब में एक ही जुमले को ताकीद के लिये दो मर्तबा फ़रमायाः

كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُوْنَ ۝

'कल्ला' के मायने हैं 'हरगिज़ नहीं'। मुराद यह है कि यह सवाल व जवाब और बहस व तहक़ीक़ से समझ में आने वाली चीज़ नहीं, वह तो जब सामने आयेगी उस वक़्त हक़ीक़त मालूम होगी। यह एक ऐसी यक़ीनी चीज़ है जिसमें बहस व सवाल और इनकार की कोई गुंजाईश नहीं। फिर फ़रमाया कि इसकी हक़ीक़त ख़ुद उन लोगों पर जल्द ही खुल जायेगी यानी मरने के बाद उनको दूसरे आ़लम की चीज़ों का सामना होगा और वहाँ के हौलनाक मनाज़िर को आँखों से देख लेंगे उस वक़्त हक़ीक़त खुल जायेगी। इसके बाद हक़ तआ़ला ने अपनी कामिल क़ुदरत और हिक्मत व कारीगरी के चन्द मनाज़िर (दृश्यों) का ज़िक्र फ़रमाया है जिनसे वाज़ेह हो जाता है कि हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत से यह कोई बईद नहीं कि वह इस सारे आ़लम को एक मर्तबा फ़ना करके दोबारा फिर वैसा ही पैदा कर दे, इसमें ज़मीन और उसके पहाड़ों की तख़्लीक़ (बनाना) फिर इनसान की तख़्लीक़ मर्द व औ़रत के जोड़े की सूरत में बयान फ़रमाई, फिर इनसान की राहत, सेहत और कारोबार के लिये साज़गार (मुवाफ़िक़) हालात पैदा करने का ज़िक्र फ़रमाया। इसमें एक यह इरशाद हैः

وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ۝

'सुबात' सबत से निकला है जिसके मायने मूँडने और काटने के हैं, नींद को हक़ तआ़ला ने ऐसी चीज़ बनाया है कि वह इनसान के तमाम ग़मों, परेशानियों और फ़िक्रों को ख़त्म करके उसके दिल व दिमाग़ को ऐसी राहत देती है कि दुनिया की कोई राहत उसका बदल नहीं हो सकती। इसी लिये सुबात का तर्जुमा कुछ हज़रात ने राहत से भी किया है।

नींद बहुत बड़ी नेमत है

यहाँ हक़ तआ़ला ने इनसान को जोड़े-जोड़े बनाने का ज़िक्र फ़रमाने के बाद उसकी राहत के सब सामानों में से ख़ास तौर पर नींद का ज़िक्र फ़रमाया है। ग़ौर कीजिये तो यह एक ऐसी अ़ज़ीमुश्शान नेमत है कि इनसान की सारी राहतों का मदार यही है, और इस नेमत को हक़ तआ़ला ने पूरी मख़्लूक़ के लिये ऐसा आ़म फ़रमा दिया है कि अमीर-ग़रीब, आ़लिम-जाहिल, बादशाह और मज़दूर सब को यह दौलत बराबर तौर पर एक ही वक़्त में अ़ता होती है, बल्कि दुनिया के हालात का जायज़ा लें तो ग़रीबों और मेहनत करने वालों को यह नेमत जैसी हासिल होती है वह मालदारों और दुनिया के बड़ों को नसीब नहीं होती। उनके पास राहत के सामान, राहत का मकान, हवा और सर्दी गर्मी के सन्तुलन की जगह, नर्म गद्दे तकिये सब कुछ होते हैं

जो ग़रीबों को बहुत कम मिलते हैं, मगर नींद की नेमत उन गद्दों तकियों या कोठी बंगलों की फ़िज़ा के ताबे नहीं, वह तो हक़ तआ़ला की एक नेमत है जो डायरेक्ट उसकी तरफ़ से मिलती है। बहुत सी बार मुफ़लिस बेसामान को बग़ैर किसी बिस्तर तकिये के खुली ज़मीन पर यह नेमत फ़रावानी से दे दी जाती है, और कई बार साज़ व सामान वालों को नहीं दी जाती, उनको नींद लाने वाली गोलियाँ खाकर हासिल होती है, और कई बार वो गोलियाँ भी काम नहीं करतीं।

फिर ग़ौर करो कि इस नेमत को हक़ तआ़ला ने जैसे सारी मख़्लूक़ इनसानों और जानवरों वग़ैरह के लिये आ़म फ़रमाया है और मुफ़्त बिना किसी मेहनत के सब को दिया है इससे बड़ी नेमत यह है कि सिर्फ़ मुफ़्त बिना मेहनत ही नहीं बल्कि अपनी कामिल रहमत से इस नेमत को जबरी और ग़ैर-इख़्तियारी बना दिया है कि इनसान कई बार काम की अधिकता से मजबूर होकर चाहता है कि रात भर जागता ही रहे मगर अल्लाह तआ़ला की रहमत उस पर जबरन नींद मुसल्लत करके उसको सुला देती है कि दिन भर की थकान दूर हो जाये और उसकी ज़ेहनी व बदनी क़ुव्वतें मज़ीद काम के लिये तेज़ हो जायें।

आगे इसी नींद के अ़ज़ीम नेमत का पूरक (यानी आख़िरी हिस्सा) यह बयान फ़रमाया कि:

وَّجَعَلْنَا الَّيْلَ لِبَاسًا۝

यानी रात को हमने छुपाने की चीज़ बना दिया। इशारा इस तरफ़ है कि इनसान को फ़ितरी तौर पर नींद उस वक़्त आती है जब रोशनी ज़्यादा न हो, हर तरफ़ सुकून हो, शोर शग़ब न हो। हक़ तआ़ल ने रात को लिबास यानी ओढ़ने और छुपाने की चीज़ फ़माकर इशारा कर दिया कि क़ुदरत ने तुम्हें सिर्फ़ नींद की कैफ़ियत ही अ़ता नहीं फ़रमाई बल्कि सारे आ़लम में ऐसे हालात पैदा कर दिये जो नींद के लिये साज़गार (मुवाफ़िक़) हों। अव्वल रात की तारीकी, दूसरे पूरे इनसानों और जानवरों की दुनिया सब पर एक ही वक़्त में नींद का मुसल्लत होना कि जब सभी सो जायेंगे तो पूरे आ़लम में सुकून होगा, वरना दूसरे कामों की तरह अगर नींद के वक़्त भी मुख़्तलिफ़ लोगों के भिन्न और अलग-अलग हुआ करते तो किसी को भी नींद के वक़्त सुकून मयस्सर न आता। इसके बाद इरशाद फ़रमायाः

وَّجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۝

कि इनसान की राहत व सुकून के लिये यह भी ज़रूरी है कि उसको ग़िज़ा वग़ैरह की ज़रूरतें मिलें, वरना वह नींद मौत हो जायेगी। अगर हर वक़्त रात ही रहती और आदमी सोता ही रहता तो ये चीज़ें कैसे हासिल होतीं, इनके लिये जिद्दोजोहद और मेहनत व दौड़-धूप की ज़रूरत है जो रोशनी में हो सकती हैं, इसलिये फ़रमाया कि तुम्हारी राहत को मुकम्मल करने के लिये हमने सिर्फ़ रात और उसका अंधेरा ही नहीं बनाया बल्कि एक रोशन दिन भी दिया जिसमें तुम कारोबार करके अपनी आर्थिक और रोज़ी कमाने की ज़रूरतें हासिल कर सको। वाक़ई अल्लाह की ज़ात बड़ी बरकत वाली है जो सब बनाने और पैदा करने वालों से बेहतर बनाने और पैदा करने वाला है।

इसके बाद इनसान की राहत के उस सामान का ज़िक्र है जो आसमान से मुताल्लिक़ हैं उनमें सबसे बड़ी नफ़ा देने वाली चीज़ सूरज की रोशनी है, उसका ज़िक्र फ़रमायाः

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا ○

यानी हमने सूरज को एक रोशन भड़कने वाला चिराग़ बना दिया। फिर आसमान के नीचे जो चीज़ें इनसान की राहत के लिये पैदा फ़रमाईं उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ पानी बरसाने वाले बादल हैं, उनका ज़िक्र फ़रमायाः

وَّاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرٰتِ مَآءً ثَجَّاجًا ○

'मुअ्सिरात' 'मुअ्सिरतुन्' की जमा (बहुवचन) है जो पानी से भरे हुए ऐसे बादल को कहा जाता है जो बरसने ही वाला हो। इससे मालूम हुआ कि बारिश बादलों से नाज़िल होती है और जिन आयतों में आसमान से नाज़िल होने का ज़िक्र है या तो उनमें भी आसमान से मुराद आसमानी फ़िज़ा हो जैसे कि क़ुरआन में लफ़्ज़ समा (आसमान) बहुत ज़्यादा इस मायने के लिये आया है, और या यह कहा जाये कि किसी वक़्त डायरेक्ट आसमान से भी बारिश आ सकती है इसके इनकार की कोई वजह नहीं। क़ुदरत की इन तमाम कारीगरियों और अल्लाह के इनामात का ज़िक्र फ़रमाने के बाद फिर क़ियामत के असल मज़मून की तरफ़ वापस आते हैं:

اِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا ○

यानी फ़ैसले का दिन जिससे मुराद क़ियामत है वह एक तयशुदा वक़्त और मुतैयन हद है जिस पर यह दुनिया ख़त्म हो जायेगी जबकि सूर फूँका जायेगा। और दूसरी आयतों से मालूम होता है कि सूर फूँकना दो मर्तबा होगा- पहली बार के फूँकने से सारा आ़लम फ़ना हो जायेगा, दूसरी बार के फूँकने से फिर ज़िन्दा व क़ायम हो जायेगा। इससे दूसरी बार के फूँकने के वक़्त सारे आ़लम के अगले पिछले इनसान अपने रब के सामने गिरोह के गिरोह होकर हाज़िर होंगे।

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि लोग क़ियामत के दिन तीन फ़ौजों (जमाअ़तों व गिरोहों) में तक़सीम होंगे- एक फ़ौज उन लोगों की होगी जो पेट भरे हुए लिबास पहने हुए सवारियों पर सवार मैदाने हश्र में आयेंगे। दूसरी फ़ौज पैदल लोगों की होगी जो चलकर मैदान में आयेंगे। तीसरी फ़ौज उन लोगों की होगी जिनको चेहरों के बल घसीटकर मैदाने हश्र में लाया जायेगा (तफ़सीरे मज़हरी, नसाई, हाकिम और बैहक़ी के हवाले से)। कुछ रिवायतों में फ़ौजों की वज़ाहत दस क़िस्म की फ़ौजों से की गयी है, और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि मेहशर में हाज़िर लोगों की बेशुमार जमाअ़तें अपने-अपने आमाल व किरदार के एतिबार से होंगी, इन क़ौलों में कोई टकराव नहीं, सब जमा हो सकते हैं।

وَّسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ○

'सुय्यिरत्' से मुराद यह है कि पहाड़ जो आज अपने जमाव और मज़बूती में बतौर मिसाल

के पेश किये जाते हैं, ये सब अपनी-अपनी जगहों को छोड़कर रेज़ा-रेज़ा होकर उड़ते फिरने लगेंगे। सराब के लफ़्ज़ी मायने चले जाने के हैं। जंगल का वह रेत जो दूर से चमकता हुआ पानी की सूरत में नज़र आता है उसको भी सराब इसी बिना पर कहते हैं कि वह क़रीब पहुँचते ही नज़र से जाता रहता है। (जैसा कि सही हदीसों में है। रागिब)

اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا○

मिरसाद वह जगह जहाँ बैठकर किसी की निगरानी या इन्तिज़ार किया जाये। इस जगह जहन्नम से मुराद उसका पुल यानी पुलसिरात है। यहाँ सवाब देने वाले और अ़ज़ाब देने वाले दोनों फ़रिश्ते इन्तिज़ार करते होंगे, जहन्नम वालों को अ़ज़ाब के फ़रिश्ते पकड़ लेंगे और जन्नत वालों के साथ सवाब के फ़रिश्ते उनको उनके मक़ाम पर पहुँचा देंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि जहन्नम के पुल पर निगराँ फ़रिश्तों की चौकी होगी, जिसके पास जन्नत में जाने का परवाना होगा उसको गुज़रने दिया जायेगा, जिसके पास न होगा उसको रोक लिया जायेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

لِّلطّٰغِيْنَ مَاٰبًا○

ज़ाहिर यह है कि 'लित्ताग़ी-न' 'मआबा' से संबन्धित है और यह 'इन्-न जहन्न-म कानत्' की दूसरी ख़बर है। इस तरह मायने दोनों जुमलों के यह हुए कि जहन्नम का पुल तो हर नेक व बद के लिये इन्तिज़ार की जगह है, सभी को उसके ऊपर से गुज़रना है, और जहन्नम शरीर व बुरे लोगों के लिये ठिकाना है। ताग़ीन ताग़ी की जमा (बहुवचन) है, तुग़यान से निकला है जिसके मायने हैं सरकशी, और ताग़ी उस शख़्स को कहा जाता है जो सरकशी और नाफ़रमानी में हद से गुज़र जाये, और यह तभी हो सकता है जबकि वह ईमान ही से निकल जाये, इसलिये ताग़ीन से मुराद इस जगह काफ़िर होंगे। और यह भी हो सकता है कि इससे मुराद वे बुरे अ़क़ीदे वाले गुमराह मुसलमानों के फ़िर्क़े हों जो क़ुरआन व सुन्नत की हदों से निकले हुए हैं अगरचे खुले तौर पर कुफ़्र इख़्तियार नहीं किया जैसे रवाफ़िज़, ख़्वारिज, मोतज़िला वग़ैरह फ़िर्क़े। (मज़हरी)

لّٰبِثِيْنَ فِيْهَآ اَحْقَابًا○

'लाबिसीन' लाबिस की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने ठहरने वाले और क़ियाम करने वाले के हैं। अहक़ाब हिक़्बा की जमा है, लम्बे ज़माने को हिक़्बा कहा जाता है। इसकी मिक़्दार में क़ौल अलग-अलग हैं। इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू से इसकी मिक़्दार अस्सी साल नक़ल की और हर साल बारह महीने का और हर महीना तीस दिन का और हर दिन एक हज़ार साल का। इस तरह तक़रीबन दो करोड़ अठासी लाख साल का एक हिक़्बा। और हज़रत अबू हुरैरह, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर और हज़रत इब्ने अ़ब्बास वग़ैरह ने हिक़्बा की मिक़्दार अस्सी के बजाय सत्तर साल क़रार दी, बाक़ी हिसाब वही है। (इब्ने कसीर) मगर मुस्नद बज़्ज़ार में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मरफ़ूअ़न यह मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि:

لا يخرج احد كم من النّار حتّٰى يمكث فيه احقابًا والحقب بضع وثمانون سنة كل سنة للثمانة وستون يوما ممّا تعدّ ون. (از مظهرى)

'तुम में से जो लोग गुनाहों की सज़ा में जहन्नम में डाले जायेंगे कोई उस वक़्त तक जहन्नम से न निकलेगा जब तक उसमें चन्द हिक़्बे न रह ले, और हिक़्बा कुछ ऊपर अस्सी साल का, और हर साल तीन सौ साठ दिन का है, तुम्हारे मौजूदा दिनों के मुताबिक़।'

इस हदीस में अगरचे इस उपरोक्त आयत की तफ़सीर मज़कूर नहीं है मगर बहरहाल लफ़्ज़ **अह्क़ाब** के मायने का बयान है। चन्द सहाबा-ए-किराम से जो इसमें हर दिन एक हज़ार साल का मन्क़ूल है अगर वह भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना हुआ है तो हदीस की रिवायतों में टकराव हुआ, इस टकराव और विरोधाभास के वक़्त किसी एक पर पुख़्तगी से जमाव और यक़ीन तो नहीं हो सकता मगर इतनी बात दोनों ही रिवायतों में साझा है कि हिक़्बा या हिक़ब बहुत ही ज़्यादा लम्बे समय और ज़माने का नाम है, इसी लिये क़ाज़ी बैज़ावी ने **अह्क़ाबन्** की तफ़सीर 'दुहूर-ए-मुतताबिआ़' से की है, यानी लगातार बहुत से ज़माने।

जहन्नम के हमेशा बाक़ी रहने पर शुब्हा और उसका जवाब

हिक़्बा की मिक़्दार (मात्रा) कितनी भी लम्बी से लम्बी क़रार दी जाये बहरहाल वह एक हद के अन्दर और सीमित है। इससे यह समझ में आता है कि उस लम्बी मुद्दत के बाद जहन्नम वाले काफ़िर भी जहन्नम से निकल जायेंगे, हालाँकि यह क़ुरआन मजीद की दूसरी स्पष्ट वज़ाहतों और बयानों के ख़िलाफ़ है जिनमें 'ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदा' के अलफ़ाज़ आये हैं, और इसी लिये उम्मत का इस पर इजमा (सर्वसम्मति वाली राय) है कि न जहन्नम कभी फ़ना होगी, न काफ़िर कभी उससे निकाले जायेंगे।

इमाम सुद्दी ने हज़रत मुर्रा बिन अ़ब्दुल्लाह से नक़ल किया है कि जहन्नम वाले काफ़िरों को अगर यह ख़बर दी जाये कि उनका जहन्नम में रहना दुनिया भर में जितनी कंकरियाँ थीं उनके बराबर होगा तो वे इस पर भी ख़ुश होंगे कि आख़िरकार ये कंकरियाँ अरबों खरबों की तायदाद में सही फिर भी सीमित और एक हद में तो हैं, बहरहाल कभी न कभी इस अ़ज़ाब से छुटकारा हो जायेगा। और अगर जन्नत वालों को यही ख़बर दी जाये कि उनका ठहरना और रहना जन्नत में दुनिया भर की कंकरियों की संख्या के मुताबिक़ सालों रहेगा तो वे ग़मगीन होंगे कि कितनी ही लम्बी मुद्दत सही मगर बहरहाल उस मुद्दत के बाद जन्नत से निकाल दिये जायेंगे। (मज़हरी)

बहरहाल इस आयत में **अह्क़ाबन्** के लफ़्ज़ से जो यह समझ में आता है कि चन्द अह्क़ाब के बाद जहन्नम वाले काफ़िर भी जहन्नम से निकाल लिये जायेंगे, शरीअ़त की तमाम वज़ाहतों, स्पष्ट बयानात और उम्मत के इजमा (सर्वसम्मति) के ख़िलाफ़ होने की बिना पर यह मफ़्हूम मोतबर नहीं होगा, क्योंकि इस आयत में इसकी वज़ाहत तो है नहीं कि अह्क़ाब के बाद क्या होगा, सिर्फ़ इतना ज़िक्र है कि अह्क़ाब की मुद्दत उनको जहन्नम में रहना पड़ेगा। इससे यह

लाज़िम नहीं आता कि अहक़ाब के बाद जहन्नम नहीं रहेगी या ये लोग उससे निकाल लिये जायेंगे। इसी लिये हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने इसकी तफ़सीर में फ़रमाया कि इस आयत में हक़ तआ़ला ने जहन्नम वालों के लिये जहन्नम की कोई मियाद और मुद्दत मुक़र्रर नहीं फ़रमाई जिसके बाद उनका उससे निकल जाना समझा जाये, बल्कि मुराद यह है कि जब एक हिक़्बा ज़माने का गुज़र जायेगा तो दूसरा शुरू हो जायेगा, इसी तरह दूसरे के बाद तीसरा चौथा यहाँ तक कि हमेशा-हमेशा यही सिलसिला रहेगा। और सईद बिन जुबैर रह. ने क़तादा से भी यही तफ़सीर नक़ल की है कि अहक़ाब से मुराद वह ज़माना है जिसकी कोई इन्तिहा और ख़त्म नहीं, बल्कि एक हिक़्ब ख़त्म होगा तो दूसरा हिक़्ब आ जायेगा, और यही सिलसिला हमेशा रहेगा।

(इब्ने कसीर व मज़हरी)

यहाँ एक दूसरा एहतिमाल (शुब्हा व संभावना) और भी है जिसको इमाम इब्ने कसीर ने 'यह्तमिलु' के लफ़्ज़ से बयान किया है। और इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि यह बात भी मुम्किन है और तफ़सीरे मज़हरी के लेखक ने इसी को इख़्तियार किया है, वह एतिमाल यह है कि इस आयत में लफ़्ज़ ताग़ीन से मुराद काफ़िर न लिये जायें बल्कि वह ईमान वाले मुराद हों जो बातिल और ग़लत अ़क़ीदों के सबब इस्लाम के गुमराह फ़िर्क़ों में शुमार होते हैं जिनको मुहद्दिसीन की परिभाषा में 'अहले अहवा' कहा जाता है, तो आयत का हासिल यह होगा कि तौहीद वाले कलिमे को मानने और पढ़ने वाले ऐसे लोग जो बुरे और ग़लत अ़क़ीदे रखने के सबब कुफ़्र की हदों तक पहुँचे हुए थे मगर खुले काफ़िर न थे, वह अहक़ाब की मुद्दत जहन्नम में रहने के बाद आख़िरकार कलिमा-ए-तौहीद की बदौलत जहन्नम से निकाल लिये जायेंगे।

तफ़सीरे मज़हरी में इस एहतिमाल की ताईद में वह मरफ़ूअ़ हदीस भी पेश की गयी है जो ऊपर हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मुस्नद बज़्ज़ार के हवाले से नक़ल हो चुकी है, जिसमें आपने यही बयान फ़रमाया है कि अहक़ाब की मुद्दत गुज़रने के बाद ये लोग जहन्नम से निकाल लिये जायेंगे, मगर अबू हय्यान ने फ़रमाया कि बाद की आयतें:

إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۝ وَّكَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا كِذَّابًا ۝

इस एहतिमाल (शुब्हे व संभावना) के ख़िलाफ़ हैं कि इस जगह ताग़ीन से मुराद तौहीद वाले और गुमराह फ़िर्क़े हों, क्योंकि इन आख़िरी आयतों में क़ियामत के इनकार और रसूलों के झुठलाने की वज़ाहत है। इसी तरह अबू हय्यान ने मुक़ातिल के इस क़ौल को भी ग़लत और क़ाबिले रद्द क़रार दिया है कि इस आयत को मन्सूख़ (निरस्त) माना जाये।

और मुफ़स्सिरीन की एक जमाअ़त ने एक तीसरा एहतिमाल इस आयत की तफ़सीर में यह क़रार दिया है कि इस आयत के बाद का जुमलाः

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَّلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا وَّغَسَّاقًا ۝

यह 'अहक़ाबन्' से जुमला हालिया हो, और आयत के मायने यह हों कि अहक़ाब के लम्बे ज़माने तक ये लोग न ठण्डी लज़ीज़ हवा का ज़ायक़ा चखेंगे न किसी खाने और पीने की चीज़

का सिवाय 'हमीम' और 'ग़स्साक़'। फिर अहक़ाब गुज़रने के बाद हो सकता है कि यह हाल बदल जाये और अ़ज़ाब की दूसरी क़िस्में होने लगें। 'हमीम' वह खौलता हुआ गर्म पानी है कि जब चेहरे के क़रीब आयेगा तो उसका गोश्त जल जायेगा, और जब पेट में डाला जायेगा तो अन्दुरूनी अंगों के टुकड़े-टुकड़े हो जायेंगे, और 'ग़स्साक़' वह ख़ून और पीप वग़ैरह जो जहन्नम वालों के ज़ख़्मों से निकलेगी।

جَزَآءً وِّفَاقًا ۝

यानी जो सज़ा उनको जहन्नम में दी जायेगी वह उनके बातिल व बुरे अ़क़ीदों और बुरे आमाल के सबब अ़दल व इन्साफ़ के मुताबिक़ होगी, उसमें कोई ज़्यादती न होगीः

فَذُوْقُوْا فَلَنْ نَّزِيْدَكُمْ اِلَّا عَذَابًا ۝

यानी जिस तरह तुम दुनिया में अपने कुफ़्र व इनकार में ज़्यादती ही करते चले गये और अगर जबरन तुम्हें मौत न आ जाती तो और बढ़ते ही रहते, इसी तरह आज उसकी जज़ा यह है कि तुम्हारा अ़ज़ाब बढ़ता ही चला जाये। यहाँ तक काफ़िरों व बदकारों की सज़ा का बयान था आगे इसके मुक़ाबिल नेक व परहेज़गार मोमिनों के सवाब और जन्नत की नेमतों का तज़किरा है। उन नेमतों का ज़िक्र फ़रमाने के बाद इरशाद फ़रमायाः

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۝

यानी ऊपर जन्नत की जिन नेमतों का ज़िक्र आया है यह जज़ा है मोमिनों के लिये और अ़ता है उनके रब की तरफ़ से बहुत बड़ी अ़ता। यहाँ इन नेमतों को पहले आमाल की जज़ा (बदला) बतलाया फिर अल्लाह तआ़ला की अ़ता, बज़ाहिर इन दोनों में टकराव है क्योंकि जज़ा उस चीज़ को कहा जाता है जो किसी चीज़ के बदले में हो, और अ़ता वह है जो बिना किसी बदले के इनाम व एहसान के तौर पर हो। क़ुरआने करीम ने इन दोनों लफ़्ज़ों को एक जगह जमा करके इस तरफ़ इशारा कर दिया कि जन्नत में दाख़िल होना और उसकी नेमतें सिर्फ़ सूरत और ज़ाहिर के एतिबार से तो जन्नत वालों के आमाल की जज़ा है लेकिन हक़ीक़त के एतिबार से वह ख़ालिस अल्लाह की अ़ता है, क्योंकि इनसानी आमाल तो उन नेमतों का भी बदला नहीं बन सकते जो उनको दुनिया में दे दी गयी हैं, आख़िरत की नेमतों का हासिल होना तो सिर्फ़ हक़ तआ़ला का फ़ज़्ल व इनाम और महज़ अ़ता है जैसा कि हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया है कि कोई शख़्स अपने अ़मल से जन्नत में नहीं जा सकता जब तक हक़ तआ़ला का फ़ज़्ल न हो, सहाबा-ए-किराम ने अ़र्ज़ किया कि क्या आप भी? आपने फ़रमाया कि हाँ मैं भी अपने अ़मल से जन्नत में नहीं जा सकता। और लफ़्ज़ हिसाबन् के दो मायने हो सकते हैं, तफ़सीर के इमामों में कुछ हज़रात ने पहले और कुछ ने दूसरे मायने लिये हैं। पहले मायने 'हिसाबन् अ़ताअन् काफ़ियन् कसीरन्' के हैं, यानी ऐसी अ़ता जो उसकी तमाम ज़रूरतों के लिये काफ़ी वाफ़ी और बहुत हो। यह मायने इस मुहावरे से लिये गये हैं:

اَحْسَبْتُ فُلَانًا اَیْ اَعْطَیْتُہٗ مَا یَکْفِیْہِ حَتّٰی قَالَ حَسْبِیْ.

यानी 'अहसब्तु' का लफ़्ज़ इस मायने के लिये आता है कि मैंने उसको इतना दिया कि उसके लिये बिल्कुल काफ़ी हो गया, यहाँ तक कि वह बोल उठा 'हस्बी' यानी बस यह मेरे लिये बहुत है।

और दूसरे मायने हिसाब के तुलना और मुक़ाबले के भी आते हैं। हज़रत मुजाहिद ने इस जगह यही मायने लेकर आयत का मतलब यह क़रार दिया कि अल्लाह की यह अ़ता जन्नत वालों पर उनके आमाल के हिसाब से उतरेगी। इस अ़ता में अ़मल में इख़्लास और एहसान के एतिबार से दर्जे होंगे जैसा कि सही हदीसों में सहाबा-ए-किराम के आमाल का दर्जा बाक़ी उम्मत के आमाल के मुक़ाबले में यह क़रार दिया है कि सहाबी अगर अल्लाह की राह में एक मुद ख़र्च करे जो तक़रीबन एक सैर होता है, और ग़ैर-सहाबी उहुद पहाड़ के बराबर ख़र्च करे तो सहाबी का एक मुद उस पहाड़ से बढ़ा हुआ रहेगा। वल्लाहु आलम

لَا یَمْلِکُوْنَ مِنْہُ خِطَابًا ٥

इस जुमले का ताल्लुक़ पहले जुमलेः

جَزَآءً مِّنْ رَّبِّکَ عَطَآءً حِسَابًا ٥

से भी हो सकता है तो मायने ये होंगे कि हक़ तआ़ला जिसको जो दर्जा सवाब का अ़ता फ़रमायेंगे उसमें किसी को गुफ़्तगू करने की मजाल न होगी कि फ़ुलाँ को ज़्यादा फ़ुलाँ को कम क्यों दिया गया, और अगर इसको अलग जुमला (वाक्य) क़रार दिया जाये तो मतलब यह होगा कि मेहशर में किसी को हक़ तआ़ला की इजाज़त के बग़ैर ख़िताब करने का इख़्तियार न होगा और यह इजाज़त मेहशर के कुछ मवाक़िफ़ (मौक़ों और खड़े होने के स्थानों) में होगी कुछ में न होगी।

یَوْمَ یَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلٰٓئِکَۃُ صَفًّا.

रूह से मुराद तफ़सीर के कुछ इमामों के नज़दीक जिब्रीले अमीन हैं, इनका ज़िक्र आ़म फ़रिश्तों से पहले इनकी शान की बड़ाई के इज़हार के लिये है। और कुछ मरफ़ूअ़ रिवायतों में है कि रूह अल्लाह तआ़ला का एक अ़ज़ीमुश्शान लश्कर है जो फ़रिश्ते नहीं, उनके सर और हाथ पाँव हैं। इस तफ़सीर पर गोया दो सफ़ें होंगी- एक सफ़ (क़तार) रूह की दूसरी फ़रिश्तों की।

یَوْمَ یَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ یَدٰہُ.

ज़ाहिर यह है कि इसमें क़ियामत का दिन मुराद है, और मेहशर में हर शख़्स अपने आमाल को अपनी आँखों से देख लेगा, चाहे इस तरह कि नामा-ए-आमाल उसके हाथ में आ जायेगा उसको देखेगा, या इस तरह कि आमाल मेहशर में जिस्म व शक्ल वाले होकर सामने आ जायेंगे जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों से साबित है। और गुमान व संभावना यह भी है कि उस दिन से मुराद मौत का दिन हो और अपने आमाल का देखना क़ब्र व बर्ज़ख़ में मुराद हो। (मज़हरी)

وَيَقُوْلُ الْكٰفِرُ يٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ تُرٰبًا○

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि क़ियामत के दिन सारी ज़मीन एक बराबर सतह हो जायेगी जिसमें इनसान, जिन्नात, ज़मीन पर चलने वाले पालतू जानवर और जंगली जानवर सब जमा कर दिये जायेंगे, और जानवरों में से अगर किसी ने दूसरे पर दुनिया में ज़ुल्म किया था तो उससे उसका इन्तिक़ाम (बदला) दिलवाया जायेगा यहाँ तक कि अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग की बकरी को मारा था तो आज उसका भी बदला दिलवाया जायेगा। जब इससे फ़राग़त होगी तो सब जानवरों को हुक्म होगा कि मिट्टी हो जाओ, वो सब मिट्टी हो जायेंगे। उस वक़्त काफ़िर लोग यह तमन्ना करेंगे कि काश हम भी जानवर होते और इस वक़्त मिट्टी हो जाते, हिसाब-किताब और जहन्नम की सज़ा से बच जाते। नऊज़ु बिल्लाहि मिन्हा, वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अन्-नबअ् की तफ़सीर आज शाबान की 2 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को जुमे की रात में पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अन्-नबअ् की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अन्-नाज़िआ़त

सूरः अन्-नाज़िआ़त मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 46 आयतें और 2 रुकूअ़ हैं।

اٰيَاتُهَا ٤٦ (٧٩) سُوْرَةُ النّٰزِعٰتِ مَكِّيَّةٌ (٨١) رُكُوْعَاتُهَا ٢

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا ۙ وَّالنّٰشِطٰتِ نَشْطًا ۙ وَّالسّٰبِحٰتِ سَبْحًا ۙ فَالسّٰبِقٰتِ سَبْقًا ۙ فَالْمُدَبِّرٰتِ اَمْرًا ۘ يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۙ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ ۗ قُلُوْبٌ يَّوْمَئِذٍ وَّاجِفَةٌ ۙ اَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ۘ يَقُوْلُوْنَ ءَاِنَّا لَمَرْدُوْدُوْنَ فِى الْحَافِرَةِ ۗ ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ۗ قَالُوْا تِلْكَ اِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ۘ فَاِنَّمَا هِىَ زَجْرَةٌ وَّاحِدَةٌ ۙ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۗ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ مُوْسٰى ۘ اِذْ نَادٰىهُ رَبُّهٗ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۚ اِذْهَبْ اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهٗ طَغٰى ۖ فَقُلْ هَلْ لَّكَ اِلٰٓى اَنْ تَزَكّٰى ۙ وَاَهْدِيَكَ اِلٰى رَبِّكَ فَتَخْشٰى ۚ فَاَرٰىهُ الْاٰيَةَ الْكُبْرٰى ۖ فَكَذَّبَ وَعَصٰى ۖ ثُمَّ اَدْبَرَ يَسْعٰى ۖ فَحَشَرَ فَنَادٰى ۖ فَقَالَ اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى ۖ فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰى ۚ ءَاَنْتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَآءُ ۚ بَنٰىهَا ۚ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰىهَا ۙ وَاَغْطَشَ لَيْلَهَا وَاَخْرَجَ ضُحٰىهَا ۖ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحٰىهَا ۗ اَخْرَجَ مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعٰىهَا ۖ وَالْجِبَالَ اَرْسٰىهَا ۙ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ۗ فَاِذَا جَآءَتِ الطَّآمَّةُ الْكُبْرٰى ۖ يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ مَا سَعٰى ۙ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِمَنْ يَّرٰى ۚ فَاَمَّا مَنْ طَغٰى ۙ وَاٰثَرَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۙ فَاِنَّ الْجَحِيْمَ هِىَ الْمَاْوٰى ۗ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى ۙ فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى ۗ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسٰىهَا ۗ فِيْمَ اَنْتَ مِنْ ذِكْرٰىهَا ۗ اِلٰى رَبِّكَ مُنْتَهٰىهَا ۗ اِنَّمَآ اَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَّخْشٰىهَا ۗ كَاَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوْٓا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحٰىهَا

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वन्नाज़िआ़ति ग़र्क़न्- (1) -वन्नाशिताति नश्तन्- (2) -वस्साबिहाति सब्हन् (3)	कसम है घसीट लाने वालों की ग़ोता लगाकर (1) और बन्द छुड़ा देने वालों की खोलकर (2) और तैरने वालों की तेज़ी से (3)

फ़स्साबिक़ाति सब्क़न् (4) फ़ल्मुदब्बिराति अम्रा। (5) यौ-म तर्जुफ़ुर्राजि-फ़तु (6) तत्बअुहर्-रादिफ़ह् (7) क़ुलूबुंय्-यौमइज़िंव्-वाजि-फ़तुन् (8) अब्सारुहा ख़ाशिअह्। (9) यक़ूलू-न अ-इन्ना ल-मर्दूदू-न फ़िल्-हाफ़िरह् (10) अ-इज़ा कुन्ना अ़िज़ामन्-नख़िरह् (11) क़ालू तिल्-क इज़न् कर्रतुन् ख़ासिरह्। (12) फ़-इन्नमा हि-य ज़ज्-रतुंव्-वाहि-दतुन् (13) फ़-इज़ा हुम् बिस्साहिरह् (14) हल् अता-क हदीसु मूसा। (15) इज़् नादाहु रब्बुहू बिल्वादिल्-मुक़द्दसि तुवा (16) इज़्हब् इला फ़िर्औ़-न इन्नहू तग़ा (17) फ़क़ुल् हल्-ल-क इला अन् तज़क्का (18) व अह्दि-य-क इला रब्बि-क फ़-तख़्शा (19) फ़-अराहुल् आ-यतल्-कुब्रा (20) फ़-कज़्ज़-ब व अ़सा (21) सुम्-म अद्ब-र यस्आ़ (22) फ़-ह-श-र फ़नादा (23) फ़क़ा-ल अ-न रब्बुकुमुल्-अअ्ला (24) फ़-अ-ख़-ज़हुल्लाहु नकालल्-आख़िरति वल्-ऊला (25) इन्-न फ़ी ज़ालि-क ल-अ़िब्-रतल् लिमंय्यख़्शा (26) ❁

फिर आगे बढ़ने वालों की दौड़कर (4) फिर काम बनाने वालों की हुक्म से। (5) जिस दिन काँपे काँपने वाली (6) उसके पीछे आये दूसरी (7) कितने दिल उस दिन धड़कते हैं (8) उनकी आँखें झुक रही हैं (9) लोग कहते हैं क्या हम फिर आयेंगे उल्टे पाँव (10) क्या जब हम हो चुके हड्डियाँ खोखरी (11) बोले तो तो यह फिर आना है टोटे का (12) सो वह तो सिर्फ़ एक झिड़की है (13) फिर तभी वे आ रहें मैदान में (14) क्या पहुँची है तुझको बात मूसा की (15) जब पुकारा उसको उसके रब ने पाक मैदान में जिसका नाम तुवा है। (16) जा फ़िरऔ़न के पास उसने सर उठाया (17) फिर कह- (क्या) तेरा जी चाहता है कि तू संवर जाये (18) और राह बतलाऊँ तुझको तेरे रब की तरफ़ फिर तुझको डर हो (19) फिर दिखलाई उसको वह बड़ी निशानी (20) फिर झुठलाया उसने और न माना (21) फिर चला पीठ फेरकर तलाश करता हुआ (22) फिर सब को जमा किया, फिर पुकारा (23) तो कहा मैं हूँ तुम्हारा रब सबसे ऊपर (24) फिर पकड़ा उसको अल्लाह ने सज़ा में आख़िरत की और दुनिया की (25) बेशक इसमें सोचने की जगह है जिसके दिल में डर है। (26) ❁

अ-अन्तुम् अशद्दु ख़ल्क़न् अमिस्समा-उ बनाहा (27) र-फ़-अ सम्कहा फ़-सव्वाहा (28) व अग़्त-श लैलहा व अख़्र-ज ज़ुहाहा (29) वल्अर्-ज़ बअ्-द ज़ालि-क दहाहा (30) अख़्र-ज मिन्हा मा-अहा व मर्आहा (31) वल्-जिबा-ल अर्साहा (32) मताअ़ल्-लकुम् व लि-अन्आमिकुम् (33) फ़-इज़ा जा-अतित्-ताम्मतुल्-कुब्रा (34) यौ-म य-तज़क्करुल्-इन्सानु मा सआ (35) व बुर्रि-ज़तिल्-जहीमु लिमंय्यरा (36) फ़-अम्मा मन् तग़ा (37) व आ-सरल् हयातद्दुन्या (38) फ़-इन्नल्-जही-म हि-यल्-मअ्वा (39) व अम्मा मन् ख़ा-फ़ मक़ा-म रब्बिही व नहन्नफ़्-स अ़निल्-हवा (40) फ़-इन्नल् जन्न-त हि-यल्-मअ्वा (41) यस्अलून-क अ़निस्सा-अ़ति अय्या-न मुर्साहा (42) फ़ी-म अन्-त मिन् ज़िक्राहा (43) इला रब्बि-क मुन्तहाहा (44) इन्नमा अन्-त मुन्ज़िरु मंय्यख़्शाहा (45) क-अन्नहुम् यौ-म यरौनहा लम् यल्बसू इल्ला अ़शिय्य-तन् औ ज़ुहाहा (46) ✿

क्या तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? उसने उसको बना लिया (27) ऊँचा किया उसका उभार फिर उसको बराबर किया (28) और अंधेरी की रात उसकी और खोल निकाली उसकी धूप (29) और ज़मीन को उसके बाद साफ़ बिछा दिया (30) बाहर निकाला ज़मीन से उसका पानी और चारा (31) और पहाड़ों को कायम कर दिया (32) काम चलाने को तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के (33) फिर जब आये वह बड़ा हंगामा (34) जिस दिन कि याद करेगा अदमी जो उसने कमाया (35) और निकाल ज़ाहिर कर दें दोज़ख़ को, जो चाहे देखे (36) सो जिसने की हो शरारत (37) और बेहतर समझा हो दुनिया का जीना (38) सो दोज़ख़ है उसका ठिकाना (39) और जो कोई डरा हो अपने रब के सामने खड़े होने से और रोका हो उसने जी को इच्छा से (40) सो जन्नत ही है उसका ठिकाना (41) तुझसे पूछते हैं वह घड़ी कब होगा उसका कियाम (42) तुझको क्या काम उसके ज़िक्र से (43) तेरे रब की तरफ़ है पहुँच उसकी (44) तू तो डर सुनाने के वास्ते है उसको जो उससे डरता है। (45) ऐसा लगेगा जिस दिन देखेंगे उसको कि नहीं ठहरे थे दुनिया में मगर उसकी एक शाम या सुबह। ✿ (46)

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

कसम है उन फ़रिश्तों की जो (काफ़िरों की) जान सख़्ती से निकालते हैं, और जो (मुसलमानों की रूह आसानी से निकालते हैं, गोया उनका) बन्द खोल देते हैं। और जो (रूहों को लेकर ज़मीन से आसमान की तरफ़ इस तरह तेज़ी व सहूलियत से चलते हैं जैसे गोया) तैरते हुए चलते हैं। फिर (जब रूहों को लेकर पहुँचते हैं तो उन रूहों के बारे में ख़ुदा का जो हुक्म होता है उसके पालन के लिये) तेज़ी के साथ दौड़ते हैं। फिर (उन रूहों के बारे में सवाब का हुक्म हो या सज़ा का दोनों हुक्मों में से) हर मामले की तदबीर करते हैं (इन सब की कसमें खाकर कहते हैं कि कियामत ज़रूर आयेगी) जिस दिन हिला देने वाली चीज़ हिला डालेगी (इससे सूर का पहली बार फूँका जाना मुराद है) जिसके बाद एक पीछे आने वाली चीज़ आयेगी (इससे सूर का दूसरी बार फूँका जाना मुराद है)।

बहुत-से दिल उस दिन धड़क रहे होंगे, उनकी आँखें शर्म के मारे झुक रही होंगी (मगर ये लोग कियामत का इनकार कर रहे हैं और) कहते हैं- क्या हम पहली हालत में फिर वापस होंगे? (पहली से मुराद मौत से पहले की ज़िन्दगी है। मकसद उसको मुहाल बताना है कि यह कैसे हो सकता है) क्या जब हम बोसीदा हड्डियाँ हो जाएँगे फिर (ज़िन्दगी की तरफ़) वापस होंगे? (इसका मकसद मुहाल व मुश्किल होना ज़ाहिर करना है कि यह सख़्त दुश्वार है) कहने लगे कि (अगर ऐसा हुआ तो) उस सूरत में यह वापसी (हमारे लिये) बड़े घाटे की चीज़ होगी (क्योंकि हमने तो उसके लिये कुछ सामान नहीं किया, इससे मकसद अहले हक़ के अक़ीदे का मज़ाक़ उड़ाना था, यानी उनके अक़ीदे के मुताबिक़ हम बड़े ख़सारे में होंगे। जैसे कोई शख़्स किसी को हमदर्दी के तौर पर डराये कि इस रास्ते से मत जाना शेर मिलेगा और मुख़ातब झुठलाने के तौर पर किसी से कहे कि भाई उधर मत जाना शेर खा जायेगा। मतलब यह कि वहाँ शेर वग़ैरह कुछ भी नहीं है। आगे इनकारी लोगों के मुहाल व मुश्किल समझने का रद्द है कि ये लोग जो कियामत को दूर की चीज़ और मुश्किल कहते हैं) तो (यह समझ लें कि हमको कुछ मुश्किल नहीं, बल्कि) बस वह एक ही सख़्त आवाज़ होगी जिससे लोग फ़ौरन ही मैदान में आ मौजूद होंगे।

(आगे झुठलाने वालों के डराने और झुठलाने पर आपकी तसल्ली के लिये फ़िरऔन के साथ हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया जाता है, फ़रमाते हैं कि) क्या आपको मूसा (अ़लैहिस्सलाम) का किस्सा पहुँचा है? जबकि उनको उनके परवर्दिगार ने एक पाक मैदान यानी तुवा में (यह उसका नाम है) पुकारा कि तुम फ़िरऔन के पास जाओ, उसने बड़ी शरारत इख़्तियार की है। सो उससे (जाकर) कहो कि क्या तुझको इस बात की इच्छा व तमन्ना है कि तू दुरुस्त हो जाये? और (तेरी दुरुस्ती की ग़र्ज़ से) मैं तुझको तेरे रब की तरफ़ (ज़ात व सिफ़ात की) रहनुमाई करूँ तो तू (यह सुनकर उससे) डरने लगे? (और उस डर से दुरुस्ती हो जाये। ग़र्ज़ कि यह हुक्म सुनकर मूसा अ़लैहिस्सलाम उन लोगों के पास गये और जाकर पैग़ाम अदा किया) फिर (जब उसने नुबुव्वत की दलील तलब की तो) उसको (नुबुव्वत की) बड़ी निशानी दिखलाई

(इससे मुराद लाठी वाला मोजिज़ा है, या लाठी और चमते हाथ वाला दोनों मोजिज़े मुराद हैं) तो उस (फ़िरऔन) ने उनको झुठलाया और (उनका) कहना न माना। फिर (मूसा अ़लैहिस्सलाम से) अलग होकर (उनके ख़िलाफ़) कोशिश करने लगा और (लोगों को) जमा किया, फिर (उनके सामने) बुलन्द आवाज़ से तक़रीर की और कहा कि मैं तुम्हारा आला रब हूँ। (आला की क़ैद वास्तविक रूप से लगाई। पस असल मक़सूद 'अ-न रब्बुकुम' है और आला तारीफ़ की सिफ़त बढ़ा दी, इसका मतलब यह नहीं कि वह यह कहना चाहता हो कि कोई दूसरा रब भी है जो आला नहीं है) सो अल्लाह तआ़ला ने उसको आख़िरत और दुनिया के अ़ज़ाब में पकड़ा (दुनियावी अ़ज़ाब तो डूबना है और आख़िरत का अ़ज़ाब आग में जलना है) बेशक (इस वाक़िए में) ऐसे शख़्स के लिये बड़ी इब्रत व नसीहत है जो अल्लाह तआ़ला से डरे।

(आगे क़ियामत को दूर की चीज़ या मुश्किल समझने का अ़क़्ली जवाब है, यानी) भला तुम्हारा (दूसरी बार) पैदा करना (अपने आप में) ज़्यादा सख़्त है या आसमान का? (और 'अपने आप में' इसलिये कहा कि अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत के एतिबार से तो सब बराबर हैं और ज़ाहिर है कि आसमान ही का पैदा करना ज़्यादा सख़्त है। फिर जब उसको पैदा कर दिया तो तुम्हारा पैदा करना क्या मुश्किल है। आगे आसमान के पैदा करने की कैफ़ियत बयान फ़रमाते हैं कि) अल्लाह तआ़ला ने उसको बनाया (इस तरह से कि) उसकी छत को बुलन्द किया और उसको दुरुस्त बनाया (कि कहीं उसमें नुक़्स और दरार नहीं), और उसकी रात को अंधेरी बनाया और उसके दिन को ज़ाहिर किया (रात और दिन को आसमान की तरफ़ इसलिये मन्सूब किया कि रात और दिन सूरज के निकलने और छुपने से होते हैं, और सूरज आसमान से मुताल्लिक़ है) और उसके बाद ज़मीन को बिछाया (और बिछाकर) उससे उसका पानी और चारा निकाला। और पहाड़ों को (उस पर) क़ायम कर दिया तुम्हें और तुम्हारे मवेशियों को फ़ायदा पहुँचाने के लिये। (असल दलील देना आसमान के पैदा करने से था मगर ज़मीन का ज़िक्र शायद इसलिये कर दिया कि इसके हालात हर वक़्त आँखों के सामने हैं और अगरचे आसमान के बराबर न सही लेकिन अपने आप में इनसान के पैदा करने और बनाने से ज़मीन का बनाना और पैदा करना भी ज़्यादा मुश्किल व सख़्त है। पस दलील पेश करने का हासिल यह हुआ कि जब ऐसी-ऐसी चीज़ें हमने बना दीं तो तुम्हारा दोबारा ज़िन्दा करना क्या मुश्किल है)।

(आगे क़ियामत में ज़िन्दा होकर उठने के बाद जो वाक़िआ़त बदला और जज़ा व सज़ा मिलने के मुताल्लिक़ होंगे उनकी तफ़सील है। यानी क़ियामत का मुम्किन होना और उसके क़ायम होने का अ़क़ीदा तो सही साबित हो गया) सो जब वह बड़ा हंगामा आयेगा यानी जिस दिन इनसान अपने किये को याद करेगा और देखने वालों के सामने दोज़ख़ ज़ाहिर की जायेगी तो (उस दिन यह हालत होगी कि) जिस शख़्स ने (हक़ से) सरकशी की होगी और (आख़िरत का इनकारी होकर) दुनियावी ज़िन्दगी को तरजीह दी होगी सो दोज़ख़ (उसका) ठिकाना होगा। और जो शख़्स (दुनिया में) अपने परवर्दिगार के सामने खड़ा होने से डरा होगा (कि क़ियामत और आख़िरत और हिसाब-किताब पर उसका ईमान मुकम्मल हो) और नफ़्स को (हराम) इच्छा से

रोका (यानी सही एतिक़ाद के साथ नेक अमल भी किया) होगा सो जन्नत उसका ठिकाना होगा (और नेक अमल जन्नत का रास्ता है जन्नत का मिलना उस पर मौक़ूफ़ नहीं)।

(चूँकि काफ़िर क़ियामत का इनकार करने के इरादे से उसका वक़्त पूछा करते थे आगे उसका जवाब है, यानी) ये लोग आप से क़ियामत के बारे में पूछते हैं कि वह कब आयेगी? (सो) इसके बयान करने से आपका क्या ताल्लुक़ (क्योंकि किसी चीज़ का बयान करना उसका इल्म होने पर मौक़ूफ़ है और क़ियामत का निर्धारित वक़्त हमने किसी को बतलाया नहीं बल्कि) उस (के इल्म को मुतैयन करने) का मदार सिर्फ़ आपके परवर्दिगार की तरफ़ है, (और) आप तो सिर्फ़ (उसकी मुख़्तसर ख़बर देकर) ऐसे शख़्स को डराने वाले हैं जो उससे डरता हो (और डरकर ईमान लाने वाला हो, और ये लोग जो जल्दी मचा रहे हैं तो समझ लें कि) जिस दिन ये उसको देखेंगे तो (इनको) ऐसा मालूम होगा कि गोया (दुनिया में) सिर्फ़ एक दिन के आख़िरी हिस्से में या उसके शुरू के हिस्से में रहे हैं (और बस। यानी दुनिया की लम्बी मुद्दत बहुत थोड़ी मालूम होगी और समझेंगे कि अ़ज़ाब बड़ी जल्दी आ गया जिसकी ये तलब करते हैं। हासिल यह कि जल्दबाज़ी क्यों करते हो, जब वह सामने आयेगी उसको यही समझोगे कि बड़ी जल्द हो गया, जिस देर को अब देर समझ रहे हो यह देर मालूम न होगी)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًاۙ

नाज़िआ़त नज़अ़ से निकला है जिसके मायने किसी चीज़ को खींचकर निकालने के आते हैं। और ग़रक़न् इसकी ताकीद है, क्योंकि ग़र्क़ और इग़राक़ के मायने किसी काम में पूरी सख़्ती के साथ ताक़त ख़र्च करने के हैं। मुहावरे में कहा जाता है:

اَغْرَقَ النَّازِعُ فِی الْقَوْسِ.

यानी कमान खींचने वाले ने उसके खींचने में अपनी पूरी क़ुव्वत ख़र्च कर दी।

इस सूरत के शुरू में फ़रिश्तों की चन्द सिफ़तों और हालतों को बयान करके उनकी क़सम खाई गयी है, और क़सम का जवाब हालात से स्पष्ट होने के सबब बयान नहीं किया गया। मुराद इससे क़ियामत और मरने के बाद ज़िन्दा होने और क़ियामत में जमा होने का यक़ीनन ज़ाहिर होना और सामने आना है। फ़रिश्तों की क़सम शायद इस मुनासबत से खाई गयी है कि अगरचे फ़रिश्ते इस वक़्त भी तमाम आ़लम के इन्तिज़ाम व व्यवस्था में दख़ल रखते और अपनी अपनी ख़िदमत अन्जाम देते हैं लेकिन क़ियामत के दिन माद्दी असबाब के सब रिश्ते टूट जायेंगे, ग़ैर-मामूली (असाधारण) हालात व वाक़िआ़त पेश आयेंगे, उन वाक़िआ़त में फ़रिश्ते ही काम करेंगे।

फ़रिश्तों की इस जगह पाँच सिफ़तें वो बयान की गयी हैं जिनका ताल्लुक़ इनसान की मौत और रूह निकलने से है। मक़सद तो क़ियामत का हक़ होना बयान करना है, इसकी शुरूआत

इनसान की मौत से की गयी, कि हर इनसान की मौत खुद उसके लिये एक आंशिक क़ियामत है, और क़ियामत के एतिक़ाद (यक़ीन करने) में इसका बड़ा दख़ल है। इन पाँच सिफ़तों में से पहली सिफ़त है 'अन्नाज़िआति ग़र्क़न्' यानी सख़्ती के साथ खींचकर निकालने वाले। इससे मुराद वो अज़ाब के फ़रिश्ते हैं जो काफ़िर की रूह सख़्ती के साथ निकालते हैं, इस सख़्ती से रूहानी सख़्ती और तकलीफ़ मुराद है। यह ज़रूरी नहीं कि देखने वालों को भी उस सख़्ती का एहसास हो, इसी लिये बहुत सी बार यह भी देखा जाता है कि काफ़िर की रूह बज़ाहिर आसानी से निकलती है मगर यह आसानी हमारे देखने में है जो सख़्ती उसकी रूह पर हो रही है उसको कौन देख सकता है, वह तो अल्लाह तआ़ला ही के ख़बर देने से मालूम हो सकती है। इसलिये इस जुमले में यह ख़बर दे दी गयी है कि काफ़िरों की रूह को खींचकर सख़्ती से निकाला जाता है।

दूसरी सिफ़त है 'वन्नाशिताति नश्तन्'। 'नाशितात' नश्त से निकला है जिसके मायने बन्धन खोल देने के हैं। जिस चीज़ में पानी या हवा वग़ैरह भरी हो उसका बन्धन खोल देने से वह पानी वग़ैरह आसानी के साथ निकल जाता है। इसमें मोमिन की रूह निकलने को इससे मिसाल देकर बतलाया है कि जो फ़रिश्ते मोमिन की रूह क़ब्ज़ करने पर मुक़र्रर हैं वे आसानी से उसको क़ब्ज़ करते हैं, सख़्ती नहीं करते। यहाँ भी रूहानी आसानी मुराद है जिस्मानी नहीं, इसलिये किसी मुसलमान बल्कि नेक आदमी को मौत के वक़्त रूह निकलने में देर लगने से यह नहीं कहा जा सकता कि उस पर सख़्ती हो रही है, अगरचे जिस्मानी तौर पर यह सख़्ती देखी जाती है। असल वजह यह है कि काफ़िर को रूह निकलने के वक़्त ही से बर्ज़ख़ का अ़ज़ाब सामने आ जाता है, उसकी रूह उससे घबराकर बदन में छुपना चाहती है, फ़रिश्ते खींचकर निकालते हैं। और मोमिन की रूह के सामने बर्ज़ख़ के जहान का सवाब, नेमतें और खुशख़बरियाँ आती हैं तो उसकी रूह तेज़ी से उनकी तरफ़ जाना चाहती है।

फ़रिश्तों की तीसरी सिफ़त 'वस्साबिहाति सब्हन्' है। 'सब्ह' के लुग़वी मायने तैरने के आते हैं। इस जगह तेज़ी से चलना मुराद है, जैसे दरिया में कोई आड़ पहाड़ नहीं होता, तैरने वाला या कश्ती वग़ैरह में चलने वाला सीधा अपनी मन्ज़िले मक़सूद की तरफ़ जाता है, फ़रिश्तों की यह सिफ़त कि तेज़ जाने वाले हैं यह भी मौत के फ़रिश्तों से संबन्धित है, कि इनसान की रूह क़ब्ज़ करने के बाद उसको तेज़ी से आसमान की तरफ़ ले जाते हैं।

फ़रिश्तों की चौथी सिफ़त 'फ़स्साबिक़ाति सब्क़न्' है। मुराद यह है कि फिर यह रूह जो फ़रिश्तों के क़ब्ज़े में है इसको इसके अच्छे या बुरे ठिकाने पर पहुँचाने में तेज़ी और जल्दबाज़ी से काम लेते हैं। मोमिन की रूह को जन्नत की हवाओं और नेमतों की जगह में, काफ़िर की रूह को दोज़ख़ की हवाओं और अ़ज़ाबों की जगह में पहुँचा देते हैं।

फ़रिश्तों की पाँचवीं सिफ़त 'फ़ल्मुदब्बिराति अम्रन्' है। अल्लाह के हुक्म को लागू करने और उसका इन्तिज़ाम व व्यवस्था करने वाले, यानी इन मौत के फ़रिश्तों का आख़िरी काम यह होगा कि जिस रूह को सवाब और राहत देने का हुक्म होगा उसके लिये राहत के सामान जमा कर दें और जिसको अ़ज़ाब और तकलीफ़ में डालने का हुक्म होगा उसके लिये उसका इन्तिज़ाम

कर दें।

क़ब्र में सवाब व अ़ज़ाब

मौत के वक़्त फ़रिश्तों का आना और इनसान की रूह क़ब्ज़ करके आसमान की तरफ़ ले जाना, फिर उसके अच्छे या बुरे ठिकाने पर जल्दी से पहुँचा देना और वहाँ सवाब या अ़ज़ाब, तकलीफ़ या राहत के इन्तिज़ामात कर देना इन उपरोक्त आयतों से साबित हो गया। यह अ़ज़ाब व सवाब क़ब्र यानी बर्ज़ख़ में होगा। हश्र का अ़ज़ाब व सवाब इसके बाद है, सही हदीसों में इसकी बड़ी तफ़सीलात बयान हुई हैं। हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक लम्बी हदीस मिश्कात शरीफ़ में मुस्नद अहमद के हवाले से बयान हुई है।

नफ़्स और रूह के मुताल्लिक़ हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह रह. की मुफ़ीद तहक़ीक़

'तफ़सीरे मज़हरी' के हवाले से नफ़्स व रूह की हक़ीक़त पर कुछ कलाम सूरः हिज्र की आयत 29 के तहत गुज़र चुका है। इसी सिलसिले की और अधिक तहक़ीक़ व वज़ाहत अपने वक़्त के बहुत बड़े आ़लिम हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने इस जगह तहरीर फ़रमाई है, जिससे बहुत से शुब्हात हल हो जाते हैं। वह यह है कि उक्त हदीस से यह वाज़ेह होता है कि इनसानी नफ़्स एक लतीफ़ जिस्म है जो उसके कसीफ़ (गाढ़े यानी मिट्टी से बने इस) जिस्म के अन्दर समाया हुआ है, और वह इन्हीं चार माद्दी तत्वों (आग, पानी, मिट्टी, हवा) से बना है। फ़ल्सफ़ी और तबीब हज़रात उसी को रूह कहते हैं। मगर हक़ीक़त में इनसानी रूह एक अलग, माद्दे से पाक और लतीफ़ा-ए-रब्बानी है जो इस तबई रूह यानी नफ़्स के साथ एक ख़ास ताल्लुक़ रखती है, और तबई रूह यानी नफ़्स की ज़िन्दगी ख़ुद उस लतीफ़ा-ए-रब्बानी पर मौक़ूफ़ है। गोया उसको रूह की रूह कह सकते हैं, कि जिस्म की ज़िन्दगी नफ़्स से है और नफ़्स की ज़िन्दगी उस रूह से जुड़ी हुई है। उस अलग और माद्दे से पाक रूह और लतीफ़ा-ए-रब्बानी का ताल्लुक़ उसी लतीफ़ जिस्म यानी नफ़्स के साथ क्या और किस तरह का है, इसकी हक़ीक़त का इल्म उनके पैदा करने वाले के सिवा किसी को नहीं। और यह लतीफ़ जिस्म जिसका नाम नफ़्स है उसको हक़ तआ़ला ने अपनी क़ुदरत से एक आईने की तरह बनाया है जो सूरज के सामने रख दिया गया हो तो सूरज की रोशनी उसमें ऐसी आ जाती है कि वह ख़ुद सूरज की तरह रोशनी फैलाता है।

इनसानी नफ़्स अगर वही (अल्लाह के पैग़ाम यानी इस्लामी शरीअ़त) की तालीम के मुताबिक़ मेहनत व कोशिश कर लेता है तो वह भी रोशन हो जाता है वरना वह कसीफ़ जिस्म के ख़राब असरात में लिप्त होता है, यही लतीफ़ जिस्म है जिसको फ़रिश्ते ऊपर ले जाते हैं और फिर सम्मान के साथ नीचे लाते हैं जबकि वह रोशन और नूर वाला हो चुका हो, वरना आसमान

के दरवाज़े उसके लिये नहीं खुलते, ऊपर ही से नीचे पटख़ दिया जाता है। यही लतीफ़ जिस्म है जिसके बारे में ऊपर बयान हुई हदीस में है कि हमने उसको ज़मीन की मिट्टी से पैदा किया, फिर उसी में लौटायेंगे, फिर उसी से दोबारा पैदा करेंगे। यही लतीफ़ जिस्म नेक आमाल से मुनव्वर (रोशन) और ख़ुशबूदार बन जाता है और कुफ़्र व शिर्क से बदबूदार हो जाता है। बाक़ी रही रूह (जो अपना एक मुस्तक़िल वजूद रखती और माद्दे से पाक होती है) सो उसका ताल्लुक़ कसीफ़ जिस्म के साथ लतीफ़ जिस्म यानी नफ़्स के वास्ते और माध्यम से होता है, उस पर मौत तारी नहीं होती, क़ब्र का अ़ज़ाब व सवाब भी उसी लतीफ़ जिस्म यानी नफ़्स से जुड़ा हुआ है, और इस नफ़्स का ताल्लुक़ क़ब्र से ही रहता है, और मुजर्रद (माद्दे से पाक) रूह इल्लिय्यीन में होती है और मुजर्रद रूह उसके सवाब व अ़ज़ाब से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। इस तरह रूह का क़ब्र में होना नफ़्स ही के मायने में सही है और उसका रूहों के आ़लम या इल्लिय्यीन में रहना मुजर्रद (यानी माद्दे से पाक) रूह के मायने में सही है। इससे उन विभिन्न रिवायतों की एक दूसरी से मुवाफ़क़त और जोड़ भी पैदा हो जाता है, वल्लाहु आलम।

आगे क़ियामत के क़ायम होने और उसमें पहले सूर के फूँके जाने से सारे आ़लम का फ़ना होना फिर दूसरे बार के सूर से सारे आ़लम का दोबारा वजूद में आ जाना और उस पर काफ़िरों के मुहाल व नामुम्किन होने के शुब्हे का जवाब बयान हुआ है। इसके आख़िर में फ़रमायाः

فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۝

साहिरह् ज़मीन की सतह (ऊपर के हिस्से) को कहा जाता है। क़ियामत में जो ज़मीन दोबारा पैदा की जायेगी वह पूरी एक बराबर सतह की होगी। उसमें आड़ पहाड़ इमारत या ग़ार (गढ़ा) नहीं होगा, इसी को साहिरह् कहा गया है। इसके बाद क़ियामत का इनकार करने वाले काफ़िरों की ज़िद और दुश्मनी व मुख़ालफ़त से जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तकलीफ़ पहुँचती थी उसको फ़िरऔन और हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम का क़िस्सा बयान करके दूर किया गया है, कि मुख़ालिफ़ों से ऐसी तकलीफ़ें पहुँचना कुछ आपके लिये ख़ास नहीं आप से पहले नबियों को भी बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें उनसे पहुँची हैं, उन्होंने सब्र किया, आप भी सब्र से काम लें।

فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ۝

नकाल ऐसे अ़ज़ाब को कहा जाता है जिसको देखकर दूसरों को इब्रत (सबक़ और नसीहत हासिल) हो और सब सहम जायें। नकाले आख़िरत फ़िरऔन के लिये आख़िरत का अ़ज़ाब है, और नकाले ऊला से मुराद वह अ़ज़ाब है जो दुनिया में उसकी पूरी क़ौम के दरिया में ग़र्क़ हो जाने से उनको पहुँचा। आगे फिर मरने के बाद दोबारा ज़िन्दा होने और मैदाने क़ियामत में जमा किये जाने को मुहाल व नामुम्किन समझने और इसमें शुब्हा करने को दूर किया गया है कि मरने और मिट्टी हो जाने के बाद कैसे दोबारा ज़िन्दा किये जायेंगे, इसमें हक़ तआ़ला ने आसमान व ज़मीन और उनके अन्दर पैदा की हुई ज़बरदस्त मख़्लूक़ात का ज़िक्र करके ग़ाफ़िल इनसान को इस पर आगाह व सचेत किया है कि जिस ज़ात ने ऐसी अ़ज़ीमुश्शान मख़्लूक़ात को शुरू में बग़ैर

किसी माद्दे व असबाब के वजूद अ़ता फ़रमाया वह अगर इनको नेस्त व नाबूद करने के बाद दोबारा वजूद अ़ता फ़रमा दे तो इसमें तुम्हारे ताज्जुब करने की कौनसी बात है। आगे फिर क़ियामत के दिन की सख़्ती और उस दिन हर शख़्स के आमाल का सामने आ जाना और जन्नत व दोज़ख़ वालों के दोनों ठिकानों का बयान और आख़िर में जन्नत और दोज़ख़ वालों की ख़ास-ख़ास निशानियों का बयान है जिससे एक इनसान दुनिया ही में यह फ़ैसला कर सकता है कि ज़ाब्ते (नियम व क़ायदे के हिसाब) से मेरा ठिकाना जन्नत में है या दोज़ख़ में। ज़ाब्ता इसलिये कहा गया है कि किसी की शफ़ाअ़त या डायरेक्ट हक़ तआ़ला की रहमत से किसी जहन्नमी को उससे आज़ाद करके जन्नत में पहुँचा देना जैसा कि बहुत सी आयतें और हदीस की रिवायतें इस पर दलालत करती हैं वह एक अलग हुक्म है, और असल ज़ाब्ता जन्नत या दोज़ख़ में ठिकाने का वही है जो इन आयतों में बयान फ़रमाया है।

पहले जहन्नम वालों की ख़ास निशानियाँ बयान की गयीं, वो दो हैं:

فَاَمَّا مَنْ طَغٰیO وَاٰثَرَ الْحَیٰوۃَ الدُّنْیَاO

अव्वल **तुग़यान** यानी अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल के अहकाम की पाबन्दी के बजाय सरकशी करना। दूसरे दुनिया की ज़िन्दगी को आख़िरत पर तरजीह देना। यानी जब ऐसा कोई काम सामने आये कि उसके इख़्तियार करने से दुनिया में तो आराम या लज़्ज़त मिलती है मगर आख़िरत में उस पर अ़ज़ाब मुक़र्रर है उस वक़्त वह दुनिया की लज़्ज़त को तरजीह देकर आख़िरत की फ़िक्र को नज़र-अन्दाज़ कर दे। जो शख़्स दुनिया में इन दो बलाओं में मुब्तला है उसके लिये फ़रमा दिया:

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰیO

अव्वल यह कि जिस शख़्स को दुनिया में अपने हर अ़मल हर काम के वक़्त यह ख़ौफ़ लगा रहा कि मुझे एक दिन हक़ तआ़ला के सामने पेश होकर इन आमाल का हिसाब देना होगा। दूसरे जिसने अपने नफ़्स को क़ाबू में रखा, नाजायज़ इच्छाओं से उसको रोक दिया। जिसने दुनिया में ये दो वस्फ़ (गुण) हासिल कर लिये क़ुरआने करीम ने उसको यह ख़ुशख़बरी दे दी:

فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَاْوٰیO

यानी जन्नत ही उसका ठिकाना है।

नफ़्स की मुख़ालफ़त के तीन दर्जे

उपरोक्त आयत में जन्नत के ठिकाने की दो शर्तें बतलाई हैं, और ग़ौर किया जाये तो वह नतीजे के एतिबार से एक ही है। क्योंकि पहली शर्त ख़ुदा तआ़ला के सामने जवाबदेही का ख़ौफ़ है, दूसरी शर्त नफ़्स को ग़लत इच्छा से रोकना है। और हक़ीक़त यह है कि ख़ुदा का ख़ौफ़ ही नफ़्स को अपनी इच्छाओं की पैरवी से रोकने वाली चीज़ है। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तफ़सीरे मज़हरी में फ़रमाया कि नफ़्सानी इच्छा की मुख़ालफ़त के तीन दर्जे हैं:-

पहला दर्जा तो यह है कि आदमी उन बातिल और ग़लत अक़ीदों से बच जाये जो इस्लामी शरीअ़त के ज़ाहिर और स्पष्ट बयानात और उम्मत के उलेमा व बुज़ुर्गों के इजमा के ख़िलाफ़ हों, इस दर्जे में पहुँचकर वह सुन्नी मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक़ हो जाता है।

दरमियानी दर्जा यह है कि वह किसी नाफ़रमानी और गुनाह का इरादा करे, फिर उसको यह बात याद आ जाये कि मुझे अल्लाह के सामने हिसाब देना है। इस ख़्याल की बिना पर गुनाह को छोड़ दे। इसी दरमियानी दर्जे का पूरक (यानी आख़िरी हिस्सा) यह है कि आदमी शुब्हात (संदिग्ध चीज़ों और कामों) से भी परहेज़ करे, और जिस मुबाह व जायज़ काम में मशग़ूल होने से किसी नाजायज़ काम में मुब्तला हो जाने का ख़तरा हो उस जायज़ काम को भी छोड़ दे, जैसा कि हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिसने मुश्तबिहात (संदिग्ध चीज़ों और बातों) से परहेज़ कर लिया उसने अपनी आबरू और दीन को बचा लिया, और जो शख़्स मुश्तबिहात में मुब्तला हो गया वह आख़िरकार हराम कामों में मुब्तला हो जायेगा। मुश्तबिहात से मुराद वो काम हैं जिनमें जायज़ व नाजायज़ होने के दोनों एहतिमाल (शुब्हा व संभावना) हों, यानी अ़मल करने वाले को यह शुब्हा हो कि मेरे लिये यह काम जायज़ है या नाजायज़। मसलन एक शख़्स बीमार है, वुज़ू करने पर क़ादिर तो है और इसका यक़ीन पूरा नहीं कि मेरे लिये वुज़ू करना इस हालत में नुक़सानदेह है, तो तयम्मुम का जायज़ होना और नाजायज़ होना मुश्तबा (संदिग्ध) हो गया। इसी तरह खड़े होकर नमाज़ पढ़ तो सकता है मगर मशक़्क़त बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से यह शुब्हा हो गया कि बैठकर नमाज़ मेरे लिये दुरुस्त है या नहीं, ऐसे मौक़ों में मुश्तबा (संदिग्ध) चीज़ को छोड़कर यक़ीनी जायज़ चीज़ को इख़्तियार करना तक़वा (परहेज़गारी) है और मुख़ालफ़त का दरमियानी दर्जा यही है।

नफ़्स के फ़रेब

नफ़्स की मुख़ालफ़त उन चीज़ों में जो स्पष्ट तौर से गुनाह और बुराईयाँ हैं, यह तो अगर कोई कोशिश करे तो अपने इख़्तियार से भी इसमें कामयाबी हो जाती है, लेकिन एक नफ़्स की इच्छा और उसके तक़ाज़े पर चलना वह है जो इबादतों और नेक आमाल में शामिल हो जाता है, रिया व दिखावा, अपने को अच्छा समझना, ये ऐसे बारीक व गहरे गुनाह और नफ़्स की इच्छा व सख़्त फ़रेब हैं जिसमें इनसान अक्सर ख़ुद भी धोखा खाता है अपने अ़मल को दुरुस्त व सही समझता रहता है और यही वह नफ़्सानी इच्छायें व तक़ाज़े हैं जिनकी मुख़ालफ़त सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मगर इससे बचने का सही इलाज और आज़माया हुआ नुस्ख़ा इसके सिवा नहीं कि इनसान कोई ऐसा कामिल शैख़ (अल्लाह वाला) तलाश करे जो किसी माहिर शैख़ की ख़िदमत में रहकर मुजाहदे करके नफ़्स के ऐबों और उनके इलाज करने से वाक़िफ़ हो, अपने आपको उसके हवाले कर दे और उसके मश्विरे पर अ़मल करे।

शैख़े इमाम हज़रत याक़ूब करख़ी रह. फ़रमाते हैं कि मैं अपनी शुरू उम्र में नज्जार (बढ़ई)

था (लकड़ी का काम करता था)। मैंने अपने नफ़्स में सुस्ती और बातिन में एक किस्म की अंधेरी महसूस की तो इरादा किया कि चन्द रोज़ रोज़े रखूँ ताकि यह अंधेरी और सुस्ती दूर हो जाये। इत्तिफ़ाक़न उसी रोज़े की हालत में एक रोज़ में मशहूर बुज़ुर्ग इमाम बहाउद्दीन नक़्शबन्दी रह. की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। शैख़ ने मेहमानों के लिये खाना मंगाया और मुझे भी खाने का हुक्म दिया और फ़रमाया बहुत बुरा बन्दा है जो अपनी नफ़्सानी इच्छाओं का बन्दा हो जो उसको गुमराह करे, और फ़रमाया कि खाना खा लेना उस रोज़े से बेहतर है जो नफ़्सानी इच्छा के साथ हो। उस वक़्त मुझे एहसास हुआ कि मेरा नफ़्स तकब्बुर और ख़ुद को अच्छा समझने का शिकार हो रहा था जिसको शैख़ ने महसूस किया और मुझे साबित हो गया कि ज़िक्र व शग़्ल और नफ़्ली इबादतों में किसी कामिल शैख़ की इजाज़त व हिदायत दरकार है, क्योंकि वह नफ़्स के फ़रेबों से वाकिफ़ होता है। जिस नफ़्ली अमल में कोई नफ़्स का मक्र व फ़रेब होगा उसी से रोक देगा। उस वक़्त मैंने हज़रत शैख़ नक़्शबन्दी क़ुद्दि-स सिर्रुहू से अर्ज़ किया कि हज़रत! अगर ऐसा शख़्स जिसको इस्तिलाह में 'फ़ानी फ़िल्लाह' और 'बाक़ी बिल्लाह' (यानी सही मायनों में कामिल बुज़ुर्ग और अल्लाह वाला) कहा जाता है किसी को मयस्सर न हो तो वह क्या करे? शैख़ ने फ़रमाया कि उसको चाहिये कि इस्तिग़फ़ार की अधिकता करे और हर नमाज़ के बाद बीस मर्तबा इस्तिग़फ़ार करने की पाबन्दी करे ताकि पाँच वक़्त में सौ मर्तबा इस्तिग़फ़ार हो जाये क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि कभी-कभी मैं अपने दिल में कदूरत महसूस करता हूँ और मैं हर रोज़ अल्लाह तआ़ला से सौ मर्तबा इस्तिग़फ़ार यानी मग़फ़िरत तलब करता हूँ।

नफ़्स की इच्छाओं और तक़ाज़ों की मुख़ालफ़त का तीसरा और आला दर्जा यह है कि ज़िक्र की कसरत और मुजाहदों व मेहनतों के ज़रिये अपने नफ़्स को ऐसा साफ़-सुथरा बना ले कि उसमें वह नफ़्सानी इच्छा बाक़ी ही न रहे जो इनसान को बुराई की तरफ़ खींचती है। यह मक़ाम ख़ास विलायत का मक़ाम है और उसी शख़्स को हासिल होता है जिसको सूफ़िया की इस्तिलाह में 'फ़ानी फ़िल्लाह' और 'बाक़ी बिल्लाह' कहा जाता है। यही लोग क़ुरआन की इस आयत के मिस्दाक़ हैं जो शैतान को मुख़ातब करके कही गयी है:

اِنَّ عِبَادِیْ لَیْسَ لَکَ عَلَیْهِمْ سُلْطٰنٌ.

यानी मेरे ख़ास बन्दों पर तेरा क़ाबू नहीं चल सकेगा। और यही मिस्दाक़ (मुराद) हैं उस हदीस के जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया है:

لَا یُؤْمِنُ اَحَدُکُمْ حَتّٰی یَکُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ.

यानी तुम में कोई शख़्स उस वक़्त तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि उसकी नफ़्सानी इच्छायें मेरी तालीमात के ताबे न हो जायें (या अल्लाह! अपने फ़ज़्ल व करम से यह सिफ़त हमें भी इनायत फ़रमा)।

सूरत के आख़िर में काफ़िरों के इस मुख़ालफ़त भरे सवाल का जवाब दिया गया है कि वे

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से क़ियामत की निर्धारित तारीख़ और वक़्त बतलाने पर इसरार करते थे। जवाब का हासिल यह है कि उसको हक़ तआ़ला ने अपनी हिक्मते बालिग़ा से सिर्फ़ अपनी ज़ात के लिये मख़्सूस रखा है, उसकी इत्तिला किसी फ़रिश्ते या रसूल को भी नहीं दी गयी है, इसलिये यह मुतालबा बेहूदा व बेकार है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अन्-नाज़िआ़त की तफ़सीर आज शाबान की 6 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पीर के दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अन्-नाज़िआ़त की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अ-ब-स

सूरः अ-ब-स मक्का में नाज़िल हुई। इसकी 42 आयतें और एक रुकूअ़ है, और आगे की तमाम सूरतों में एक-एक ही रुकूअ़ है।

اٰیاتہا ۴۲ (۸۰) سُوْرَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ (۲۴) رکوعہا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ۙ﴿۱﴾ اَنْ جَاۗءَهُ الْاَعْمٰى ۭ﴿۲﴾ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ۙ﴿۳﴾ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ۭ﴿۴﴾ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى ۙ﴿۵﴾ فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى ۭ﴿۶﴾ وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى ۭ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ جَاۗءَكَ يَسْعٰى ۙ﴿۸﴾ وَهُوَ يَخْشٰى ۙ﴿۹﴾ فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى ﴿۱۰﴾ۚ كَلَّآ اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿۱۱﴾ۚ فَمَنْ شَاۗءَ ذَكَرَهٗ ۘ﴿۱۲﴾ فِيْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ ﴿۱۳﴾ۙ مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍۢ ﴿۱۴﴾ۙ بِاَيْدِيْ سَفَرَةٍ ﴿۱۵﴾ۙ كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ ﴿۱۶﴾ۭ قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَآ اَكْفَرَهٗ ﴿۱۷﴾ۭ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهٗ ﴿۱۸﴾ۭ مِنْ نُّطْفَةٍ ۭ خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ﴿۱۹﴾ۙ ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ﴿۲۰﴾ۙ ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ﴿۲۱﴾ۙ ثُمَّ اِذَا شَاۗءَ اَنْشَرَهٗ ﴿۲۲﴾ۭ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ﴿۲۳﴾ۭ فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلٰى طَعَامِهٖٓ ﴿۲۴﴾ۙ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاۗءَ صَبًّا ﴿۲۵﴾ۙ ثُمَّ شَقَقْنَا الْاَرْضَ شَقًّا ﴿۲۶﴾ۙ فَاَنْۢبَتْنَا فِيْهَا حَبًّا ﴿۲۷﴾ۙ وَّعِنَبًا وَّقَضْبًا ﴿۲۸﴾ۙ وَّزَيْتُوْنًا وَّنَخْلًا ﴿۲۹﴾ۙ وَّحَدَاۗىِٕقَ غُلْبًا ﴿۳۰﴾ۙ وَّفَاكِهَةً وَّاَبًّا ﴿۳۱﴾ۙ مَّتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ ﴿۳۲﴾ۭ فَاِذَا جَاۗءَتِ الصَّاۗخَّةُ ﴿۳۳﴾ۡ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيْهِ ﴿۳۴﴾ۙ وَاُمِّهٖ وَاَبِيْهِ ﴿۳۵﴾ۙ وَصَاحِبَتِهٖ وَبَنِيْهِ ﴿۳۶﴾ۭ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَىِٕذٍ شَاْنٌ يُّغْنِيْهِ ﴿۳۷﴾ۭ وُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ مُّسْفِرَةٌ ﴿۳۸﴾ۙ ضَاحِكَةٌ مُّسْتَبْشِرَةٌ ﴿۳۹﴾ۚ وَوُجُوْهٌ يَّوْمَىِٕذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ﴿۴۰﴾ۙ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ ﴿۴۱﴾ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ ﴿۴۲﴾ۧ

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अ-ब-स व तवल्ला (1) अन् जा-अहुल्-अअ़्मा (2) व मा युद्री-क ल-अ़ल्लहू यज़्ज़क्का (3) औ यज़्ज़क्करु फ़-तन्फ़-अ़हुज़्ज़िकरा (4) अम्मा मनिस्तग़्ना (5) फ़-अन्-त लहू तसद्दा (6) व मा अ़लै-क अल्ला	तेवरी चढ़ाई और मुँह मोड़ा (1) इस बात से कि आया उसके पास अन्धा (2) और तुझको क्या ख़बर है शायद कि वह संवरता (3) या सोचता, तो काम आता उसके समझाना (4) वह जो परवाह नहीं करता (5) सो तू उसकी फ़िक्र में है (6) और तुझ पर कुछ इल्ज़ाम नहीं कि वह

यज़्ज़क्का (7) व अम्मा मन् जा-अ-क यस्आ (8) व हु-व यख़्शा (9) फ़-अन्-त अन्हु त-लह्हा (10) कल्ला इन्नहा तज़्कि-रतुन् (11) फ़-मन् शा-अ ज़-करह्। (12) फ़ी सुहुफ़िम्- मुकर्र-मतिम्- (13) मर्फ़ूअ़तिम् मुतह्ह-रतिम् (14) बिऐदी स-फ़-रतिन् (15) किरामिम् ब-ररह् (16) क़ुतिलल्-इन्सानु मा अक्फ़रह् (17) मिन् अय्यि शैइन् ख़-लक़ह् (18) मिन् नुत्फ़तिन्, ख़-ल-क़हू फ़-क़द्द-रहू (19) सुम्मस्सबी-ल यस्स-रहू (20) सुम्-म अमातहू फ़-अक़्ब-रहू (21) सुम्-म इज़ा शा-अ अन्श-रह् (22) कल्ला लम्मा यक़्ज़ि मा अ-मरह् (23) फ़ल्यन्ज़ुरिल्-इन्सानु इला तआ़मिही (24) अन्ना स-बब्नल्-मा-अ सब्बा (25) सुम्-म शक़क़्नल्-अर्-ज़ शक़्क़ा (26) फ़-अम्बत्ना फ़ीहा हब्बंव्- (27) -व अ़ि-नबंव्-व क़ज़्बंव्- (28) -व ज़ैतूनंव्-व नख़्लंव्- (29) -व हदाइ-क़ ग़ुल्बंव्-(30) व फ़ाकि-हतंव्-व अब्बम्- (31) -मताअ़ल्-लकुम् व लि-अन्आ़मिकुम् (32) फ़-इज़ा

नहीं दुरुस्त होता (7) और वह जो आया तेरे पास दौड़ता (8) और वह डरता है (9) सो तू उससे बेतवज्जोही करता है (10) यूँ नहीं, यह तो नसीहत है (11) फिर जो कोई चाहे इसको पढ़े (12) लिखा है इज़्ज़त के पन्नों में (13) ऊँचे रखे हुए निहायत सुथरे (14) हाथों में लिखने वालों के (15) जो बड़े दर्जे वाले नेक-कार हैं (16) मारा जाईयो आदमी कैसा नाशुक्रा है (17) किस चीज़ से बनाया उसको (18) एक बूँद से, बनाया उसको फिर अन्दाज़े पर रखा उसको (19) फिर राह आसान कर दी उसको (20) फिर उसको मुर्दा किया फिर क़ब्र में रखवा दिया उसको (21) फिर जब चाहा उठा निकाला उसको (22) हरगिज़ नहीं, पूरा न किया जो उसको फ़रमाया (23) अब देख ले आदमी अपने खाने को (24) कि हमने डाला पानी ऊपर से गिरता हुआ (25) फिर चीरा ज़मीन को फाड़कर (26) फिर उगाया उसमें अनाज (27) और अंगूर और तरकारी (28) और ज़ैतून और खजूरें (29) और घने बाग़ (30) और मेवा और घास (31) काम चलाने को तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों के। (32) फिर जब

जा-अतिस्साख़्ख़ाह् (33) यौ-म यफ़िर्रुल्-मरुउ मिन् अख़ीहि (34) व उम्मिही व अबीहि (35) व साहि-बतिही व बनीह् (36) लि-कुल्लिम्-रिइम् मिन्हुम् यौमइज़िन् शअ्नुंय्-युग़्नीह् (37) वुजूहुंय्-यौमइज़िम् मुस्फ़ि-रतुन् (38) ज़ाहि-कतुम् मुस्तब्शि-रतुन् (39) व वुजूहुंय्-यौमइज़िन् अ़लैहा ग़-ब-रतुन् (40) तर्-हक़ुहा क़-तरह् (41) उलाइ-क हुमुल् क-फ़-रतुल् फ़-जरह् (42) ✽	आये वह कान फोड़ने वाली (33) जिस दिन कि भागे मर्द अपने भाई से (34) और अपनी माँ और अपने बाप से (35) और अपनी साथ वाली से और अपने बेटों से। (36) हर मर्द को उनमें से उस दिन एक फ़िक्र लगा हुआ है जो उसके लिये काफ़ी है (37) कितने मुँह उस दिन रोशन हैं (38) हंसते ख़ुशियाँ करते (39) और कितने मुँह उस दिन उन पर गर्द पड़ी है (40) चढ़ी आती है उन पर सियाही (41) ये लोग वही हैं जो मुन्किर हैं ढीट। (42) ✽

इन आयतों का शाने नुज़ूल

इन आयतों के नाज़िल होने (उतरने) का क़िस्सा यह है कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मुश्रिकों के कुछ सरदारों को समझा रहे थे, कुछ रिवायतों में उनमें से बाज़ों के नाम भी आये हैं- अबू जहल बिन हिशाम, उतबा बिन रबीआ़, उबई बिन ख़लफ़, उमैया बिन ख़लफ़, शैबा, कि इतने में हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी हाज़िर हुए और कुछ पूछा। यह बात का बीच में काटना आपको नागवार हुआ और आपने उनकी तरफ़ तवज्जोह नहीं फ़रमाई और नागवारी की वजह से आपकी पेशानी पर नाराज़गी के आसार ज़ाहिर हुए। जब उस मजलिस से उठकर घर जाने लगे तो वही नाज़िल होने के आसार ज़ाहिर हुए और ये आयतें 'अ-ब-स व तवल्ला........................' नाज़िल हुईं। उसके बाद जब वह आपके पास आते आप बड़ी ख़ातिर करते थे। ये तमाम रिवायतें तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हैं। ग़र्ज़ कि उक्त वाक़िए के मुताल्लिक़ इरशाद होता है कि-

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

पैग़म्बर (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) के चेहरे पर नागवारी के असरात ज़ाहिर हो गये और मुतवज्जह न हुए इस बात से कि उनके पास अन्धा आया (यहाँ तो ग़ायब के कलिमे से फ़रमाया और यह कलाम करने वाले के बहुत ही ज़्यादा लुत्फ़ व करम और मुख़ातब का सम्मान है कि

रू-दर-रू इस मामले की निस्बत नहीं फ़रमाई) और (आगे ख़िताब का कलिमा तवज्जोह के तौर पर इसलिये इख़्तियार किया कि नाराज़गी का शुब्हा न हो। इरशाद होता है कि) आपको क्या ख़बर शायद नाबीना 'यानी अंधा' (आपकी तालीम से पूरे तौर पर) संवर जाता, या (किसी ख़ास मामले में) नसीहत क़ुबूल करता, सो उसको नसीहत करना (कुछ न कुछ) फ़ायदा पहुँचाता। तो जो शख़्स (दीन से) बेपरवाई करता है आप उसकी तो फ़िक्र में पड़ते हैं हालाँकि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि वह न संवरे, (उसकी बेपरवाही ज़िक्र करके उसकी तरफ़ ज़्यादा तवज्जोह न देने की हिदायत है) और जो शख़्स आपके पास (दीन के शौक़ में) दौड़ता हुआ आता है और वह (ख़ुदा से) डरता है आप उससे बेतवज्जोही करते हैं।

(इन आयतों में आपकी वैचारिक चूक पर आपको मुत्तला किया गया है। मन्शा इस सोच-फ़िक्र का यह था कि यह मामला तो यक़ीनी और साबित है कि अहम काम को पहले करना चाहिये, आपने कुफ़्र के अशद और ज़्यादा सख़्त होने को अहमियत देना ज़रूरी समझा, जैसे दो बीमार हों एक को हैज़ा है और दूसरे को ज़ुकाम, तो हैज़े वाले मरीज़ का इलाज मुक़द्दम (पहले) होगा। और अल्लाह तआ़ला के इस इरशदा का हासिल यह है कि रोग की सख़्ती उस वक़्त अहमियत का सबब है जब दोनों मरीज़ इलाज के तालिब हों, लेकिन अगर बड़े और सख़्त रोग वाला इलाज का तालिब ही नहीं बल्कि मुख़ालिफ़ हो तो फिर मुक़द्दम वह होगा जो इलाज का तालिब है, अगरचे उसका रोग हल्का हो। आगे उन मुश्रिकों की तरफ़ इस क़द्र तवज्जोह ज़रूरी न होने के बारे में इरशाद फ़रमाते हैं कि आप आईन्दा) हरगिज़ ऐसा न कीजिये (क्योंकि) क़ुरआन (सिर्फ़ एक) नसीहत की चीज़ है (और आपके ज़िम्मे सिर्फ़ इसकी तब्लीग़ है) सो जिसका जी चाहे इसको क़ुबूल कर ले (और जो क़ुबूल न करे वह जाने, आपका कोई नुक़सान नहीं। फिर आप इस क़द्र एहतिमाम क्यों फ़रमाते हैं)।

(आगे क़ुरआन की सिफ़तें और ख़ूबियाँ बयान फ़रमाते हैं कि) वह (क़ुरआन लौहे-महफ़ूज़ के) ऐसे सहीफ़ों में (लिखा हुआ) है जो (अल्लाह के नज़दीक) मुकर्रम "सम्मानित" हैं (यानी पसन्दीदा व मक़बूल हैं, और) बुलन्द रुतबे वाले हैं (क्योंकि लौहे-महफ़ूज़ अ़र्श के नीचे है जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में सूरः बुरूज की तफ़सीर में है, और वे) पवित्र हैं (ख़बीस शैतानों की वहाँ तक पहुँच नहीं। जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۝

जो ऐसे लिखने वालों (यानी फ़रिश्तों) के हाथों में (रहते) हैं कि वे मुकर्रम (और) नेक हैं। (ये सब सिफ़तें उसके अल्लाह की जानिब से होने पर दलालत करती हैं जैसा कि सूरः वाक़िआ़ की आयतः

لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ۝

में बयान हुआ है। और लौहे-महफ़ूज़ अगरचे एक ही चीज़ है मगर उसके हिस्सों और भागों को सुहुफ़ से ताबीर फ़रमाया, और उन फ़रिश्तों को कातिब "लिखने वाला" इसलिये कहा कि

वे लौहे-महफ़ूज़ से अल्लाह के हुक्म से नक़ल करने वाले हैं। हासिल आयतों का यह हुआ कि क़ुरआन अल्लाह की जानिब से नसीहत के लिये है, आप नसीहत करके अपने फ़र्ज़ से फ़ारिग़ हो जायेंगे चाहे कोई ईमान लाये या न लाये। पस इस क़िस्म की आगे पीछे करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक तब्लीग़ व नसीहत के आदाब बयान हुए आगे काफ़िरों के उससे फ़ायदे न उठाने पर उनकी निंदा व बुराई है कि मुन्किर) आदमी पर (जो ऐसे तज़किरे से नसीहत हासिल न करे जैसे अबू जहल वग़ैरह जिनको आप समझाते थे और वे नहीं समझे तो ऐसे शख़्स पर) ख़ुदा की मार, वह कैसा नाशुक्रा है (वह देखता नहीं कि) अल्लाह ने उसको कैसी (बेवक़अ़त) चीज़ से पैदा किया। (आगे जवाब है कि) नुत्फ़े से (पैदा किया। आगे उसकी कैफ़ियत का ज़िक्र है कि बहुत सारी तब्दीलियों और उलट-फेर के बाद) उसकी सूरत बनाई, फिर उस (के जिस्मानी अंगों) को अन्दाज़े से बनाया (जैसा कि सूरः अल्-क़ियामत की आयत 'फ़-ख़-ल-क़ फ़-सव्वा' में गुज़र चुका है) फिर उसको (निकलने का) रास्ता आसान कर दिया (चुनाँचे ज़ाहिर है कि ऐसे तंग मौक़े और जगह से अच्छे ख़ासे सेहतमन्द बच्चे का सही सालिम निकल आना साफ़ दलील है अल्लाह के क़ादिर और बन्दे के उसके मातहत होने की), फिर (उम्र ख़त्म होने के बाद) उसको मौत दी, फिर उसको क़ब्र में ले गया (चाहे शुरू ही में ख़ाक में रख दिया जाये या कुछ वक़्त के बाद ख़ाक में मिल जाये)। फिर जब अल्लाह चाहेगा उसको दोबारा ज़िन्दा करेगा (मतलब यह कि सब तसर्रुफ़ात दलील हैं इनसान के अल्लाह की क़ुदरत के मातहत और क़ब्ज़े में होने की और नेमत भी हैं बाज़ी महसूस होने वाली और बाज़ी मानवी, जिसका तक़ाज़ा यह था ईमान व नेक अ़मल को लाज़िमी तौर पर इख़्तियार किया जाता मगर उसने) हरगिज़ (शुक्र नहीं अदा किया और) उसको जो हुक्म किया था उस पर अ़मल नहीं किया।

सो इनसान को चाहिये कि (अपनी पैदाईश और बनाये जाने के शुरू के हालात पर नज़र करने के बाद अपने बाक़ी रहने और ऐश व आराम के असबाब पर नज़र करे, मसलन) अपने खाने की तरफ़ नज़र करे (ताकि वह हक़ को पहचानने और ईमान व फ़रमाँबरदारी का सबब बने। आगे नज़र करने का तरीक़ा बताते हैं वह यह) कि हमने अ़जीब अन्दाज़ से पानी बरसाया, फिर अ़जीब तरीक़े पर ज़मीन को फाड़ा, फिर हमने पैदा किया उसमें ग़ल्ला और अंगूर और तरकारी और ज़ैतून और खजूर और घने बाग़ और मेवे और चारा, और (कुछ चीज़ें) तुम्हारे और (कुछ चीज़ें) तुम्हारे मवेशियों के फ़ायदे के लिये (और ये सब भी नेमत और क़ुदरत की दलील हैं, और इस मजमूए में हर हिस्सा इसको चाहता और वाजिब करता है कि ईमान लाकर उसका शुक्र अदा किया जाये। यहाँ तक निंदा और बुराई हो गयी नसीहत क़ुबूल न करने पर, आगे नसीहत क़ुबूल न करने पर सज़ा और नसीहत क़ुबूल करने पर आख़िरत का सवाब बयान होता है। यानी अब तो ये नाशुक्री और कुफ़्र करते हैं) फिर जिस वक़्त कानों को बहरा कर देने वाला शोर बर्पा होगा (यानी क़ियामत, उस वक़्त सारी नाशुक्री का मज़ा मालूम हो जायेगा)।

(आगे उस दिन का बयान है कि) जिस दिन (ऐसा) आदमी भागेगा (जिसका ऊपर बयान

हुआ) अपने भाई से और अपनी माँ से और अपने बाप से और अपनी बीवी से और अपनी औलाद से। (यानी कोई किसी की हमदर्दी न करेगा, जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

لَا يَسْئَلُ حَمِيْمٌ حَمِيْمًا○

वजह यह कि) उनमें हर शख़्स को (अपना ही) ऐसा मशग़ला होगा ''यानी मामला पेश आया होगा'' जो उसको दूसरी तरफ़ मुतवज्जह न होने देगा। (यह तो काफ़िरों का हाल हुआ, आगे मजमूई तौर पर मोमिनों और काफ़िरों की तफ़सील है कि) बहुत-से चेहरे उस दिन (ईमान की वजह से) रोशन (और ख़ुशी से) खिले हुए होंगे, और बहुत-से चेहरों पर उस दिन (कुफ़्र की वजह से) स्याही छाई होगी (और उस स्याही के साथ) उन पर (ग़म की) कदूरत ''यानी रंज व मलाल की कैफ़ियत'' छाई होगी। यही लोग काफ़िर-फ़ाजिर हैं (काफ़िर से इशारा है अक़ीदों के ख़राब होने की तरफ़ और फ़ाजिर से आमाल के बुरे और ख़राब होने की तरफ़)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

आयतों के शाने नुज़ूल में हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम नाबीना सहाबी का जो वाकिआ़ नकल किया गया है इसमें इमाम बग़वी ने यह मज़ीद रिवायत किया है कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु को नाबीना होने के सबब यह तो मालूम नहीं हो सका कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी दूसरे से गुफ़्तगू में मशग़ूल हैं, मजलिस में दाख़िल होकर आपको आवाज़ देनी शुरू की और बार-बार आवाज़ दी। (तफ़सीरे मज़हरी)

और तफ़सीर इब्ने कसीर की एक रिवायत में यह भी है कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से क़ुरआन की एक आयत पढ़वाने का सवाल किया और उस सवाल के फ़ौरी जवाब देने पर इसरार किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उस वक़्त मक्का के काफ़िर सरदारों को दीन की तब्लीग़ करने और समझाने में मसरूफ़ थे। यह सरदार उतबा बिन रबीआ़, अबू जहल इब्ने हिशाम और आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के चचा हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु थे, जो उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को इस मौक़े पर अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अ़न्हु का इस तरह ख़िताब करना और एक आयत के अलफ़ाज़ दुरुस्त करने के मामूली सवाल पर फ़ौरी जवाब के लिये इसरार करना नागवार हुआ, जिसकी बड़ी वजह यह थी कि अ़ब्दुल्लाह इब्ने मक्तूम रज़ियल्लाहु अ़न्हु पक्के मुसलमान और हर वक़्त के हाज़िर रहने वाले थे, दूसरे वक़्तों में भी सवाल कर सकते थे। उनके जवाब के लेट करने में किसी दीनी नुक़सान का ख़तरा न था, बख़िलाफ़ क़ुरैश के सरदारों के कि न ये लोग हर वक़्त आपकी ख़िदमत में आते हैं और न हर वक़्त उनको अल्लाह का कलिमा पहुँचाया जा सकता है, उस वक़्त ये लोग आपकी बात सुन रहे थे जिससे उनके ईमान लाने की उम्मीद की जा सकती थी, और उनकी बात काट दी जाती तो उनकी ईमान ही से मेहरूमी ज़ाहिर थी। इन तमाम हालात की वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व

सल्लम ने इब्ने उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु से रुख़ फेरकर अपनी नागवारी का इज़हार फ़रमाया और जो गुफ़्तगू हक़ की तब्लीग़ की क़ुरैश के सरदारों के साथ जारी थी उसको जारी रखा। इस पर मजलिस से फ़ारिग़ होने के वक़्त सूरः अ-ब-स की उपरोक्त आयतें नाज़िल हुईं जिनमें आपके इस तर्ज़े-अ़मल (व्यवहार) को नापसन्दीदा क़रार देकर आपको हिदायत की गयी।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का यह तर्ज़े-अ़मल (रवैया और व्यवहार) अपने सोच-विचार पर आधारित था कि जो मुसलमान मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ गुफ़्तगू का अन्दाज़ इख़्तियार करे उसको कुछ तंबीह होनी चाहिये ताकि आईन्दा वह मजलिस के आदाब की रियायत करे, इसके लिये तो आपने हज़रत इब्ने मक्तूम से रुख़ फेर लिया, और दूसरी बात यह थी कि बज़ाहिरे हाल कुफ़्र व शिर्क सबसे बड़े गुनाह हैं, उनके दूर करने की फ़िक्र मुक़द्दम (पहले) होनी चाहिये, दीन के ऊपर के अहकाम की तालीम के मुक़ाबले में जो अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम चाहते थे, मगर हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू ने आपके इस इज्तिहाद (विचार) को दुरुस्त क़रार नहीं दिया और इस पर सचेत फ़रमाया कि यहाँ क़ाबिले ग़ौर यह बात थी कि एक शख़्स जो आप से दीनी तालीम का तालिब होकर सवाल कर रहा है उसके जवाब का फ़ायदा तो यक़ीनी है, और जो आपका मुख़ालिफ़ है आपकी बात सुनना भी पसन्द नहीं करता उससे गुफ़्तगू का फ़ायदा सिर्फ़ ख़्याली और ग़ैर-यक़ीनी है, ग़ैर-यक़ीनी को यक़ीनी पर तरजीह न होनी चाहिये, और अ़ब्दुल्लाह इब्ने उम्मे मक्तूम से जो मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ बात हुई उनका उज़्र क़ुरआन ने लफ़्ज़ **अ़मा** (अन्धा) कहकर बतला दिया कि वह नाबीना थे इसलिये इसको न देख सकते थे कि आप इस वक़्त किस शग़ल (काम) में हैं, किन लोगों से गुफ़्तगू चल रही है, इसलिये वह माज़ूर थे, मुँह फेर लेने के मुस्तहिक़ नहीं थे। इससे मालूम हुआ कि किसी माज़ूर आदमी से बेख़बरी में कोई बात मजलिस के आदाब के ख़िलाफ़ हो जाये तो वह क़ाबिले नाराज़गी व गुस्सा नहीं होता।

عَبَسَ وَتَوَلّٰىٓ ○

'अ-ब-स' के मायने चेहरे से नागवारी का इज़हार करने और 'तवल्ला' के मायने रुख़ फेर लेने के हैं। इस जगह मौक़ा इसका था कि ये अलफ़ाज़ आपको डायरेक्ट ख़िताब करके कहे जाते कि आपने ऐसा किया, लेकिन क़ुरआने करीम ने ख़िताब के कलिमे के बजाय ग़ायब का कलिमा इख़्तियार किया, जिसमें तंबीह व नागवारी की हालत में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के इकराम (सम्मान) का लिहाज़ रखा गया और ग़ायब का कलिमा इख़्तियार करके यह शुब्हा व गुमान पैदा किया कि जैसे यह काम किसी और ने किया हो, इशारा इस तरफ़ है कि यह काम आपकी शान के मुनासिब नहीं। और दूसरे जुमले में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के उज़्र की तरफ़ इशारा फ़रमा दिया 'व मा युद्री-क' (यानी आपको क्या ख़बर) इसमें बतला दिया कि मुँह फेरने की वजह यह पेश आई है कि आपका ध्यान इस तरफ़ नहीं गया कि यह सहाबी जो कुछ मालूम कर रहे हैं उसका असर यक़ीनी है और ग़ैरों से गुफ़्तगू का असर शक

व वहम पर आधारित (यानी ग़ैर-यक़ीनी)। और इस दूसरे जुमले में ग़ायब का कलिमा छोड़कर ख़िताब का कलिमा इख़्तियार फ़रमाने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकरीम (इज़्ज़त अफ़ज़ाई) और दिलजोई है, कि अगर बिल्कुल ख़िताब का कलिमा इस्तेमाल न होता तो यह शुब्हा हो सकता था कि इस तर्ज़े-अ़मल की नापसन्दीदगी ख़िताब न करने का सबब बन गयी, जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये एक नाक़ाबिले बरदाश्त रंज व दुख होता, इसलिये जिस तरह पहले जुमले में ख़िताब के बजाय ग़ायब का कलिमा इस्तेमाल करना रसूलुल्लह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तकरीम (सम्मान व इज़्ज़त की बात) है इसी तरह दूसरे जुमले में ख़िताब करना भी आपकी तकरीम और दिलजोई है।

لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰىٓ ٥ اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى ٥

यानी आपको क्या मालूम कि यह सहाबी जो बात मालूम कर रहे थे उसका फ़ायदा यक़ीनी था कि आप इनको तालीम देते तो यह उसके ज़रिये अपने नफ़्स की सफ़ाई कर लेते और कमाल हासिल कर लेते, और यह भी न होता तो कम से इस ज़िक्रुल्लाह से वह शुरूआ़ती फ़ायदा उठाते कि इससे उनके दिल में अल्लाह तआ़ला की मुहब्बत और ख़ौफ़ की तरक़्क़ी हो जाती। लफ़्ज़ ज़िक्रा के मायने ज़िक्र की अधिकता के हैं (जैसा कि हदीस की बड़ी किताबों में है)।

यहाँ क़ुरआने करीम ने दो जुमले इख़्तियार फ़रमाये 'यज़्ज़क्का' और 'यज़्ज़क्क-र'। पहले के मायने पाक-साफ़ हो जाने के हैं और दूसरे के मायने नसीहत हासिल करने और ज़िक्र से मुतास्सिर होने के हैं। पहला मक़ाम नेक व परहेज़गार लोगों का है जो अपने नफ़्स को ज़ाहिरी और बातिनी हर क़िस्म की गन्दगियों से पाक-साफ़ कर लें और दूसरा मक़ाम दीन के तरीक़े पर चलने के शुरूआ़ती हाल का है, कि शुरू की मन्ज़िल वाले को अल्लाह की याद दिलाई जाती है जिससे अल्लाह तआ़ला की बड़ाई व ख़ौफ़ उसके दिल में हाज़िर व ताज़ा हो जाता है।

मतलब यह है कि उनको तालीम देना नफ़े से किसी हाल में ख़ाली नहीं था, चाहे पूरा नफ़ा हो जाता कि नफ़्स की मुकम्मल पाकीज़गी हासिल कर लेते या शुरूआ़ती नफ़ा हासिल होता कि अल्लाह की याद और बड़ाई व ख़ौफ़ उनके दिल में बढ़ जाता, और दोनों जुमले तरदीद के हर्फ़ यानी औ के साथ इस्तेमाल किये गये कि इन दोनों में से कोई एक हाल ज़रूर हासिल होता, इसमें सूरतेहाल यह थी कि दोनों फ़ायदे भी हासिल हो सकते थे कि शुरू में अल्लाह की बड़ाई व ख़ौफ़ दिल में हाज़िर होता और फिर यही हालत आगे बढ़कर नफ़्स को गन्दगियों को पाक-साफ़ करने का ज़रिया बन जाती, वरना एक तो ज़रूर ही हासिल होता, यहाँ दोनों फ़ायदों के जमा होने से मना व इनकार नहीं है, हाँ दोनों में से कोई भी हासिल न हो यह नहीं हो सकता।

(तफ़सीरे मज़हरी)

तब्लीग़ व तालीम के लिये एक अहम क़ुरआनी उसूल

इस जगह पर यह तो ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने दो काम एक ही वक़्त में आ गये- एक मुसलमान को तालीम और उसकी तकमील और दिलजोई,

दूसरे ग़ैर-मुस्लिमों की हिदायत के लिये उनकी तरफ़ तवज्जोह। क़ुरआने करीम के इस इरशाद ने यह वाज़ेह कर दिया कि पहला काम दूसरे काम पर मुक़द्दम (वरीयता रखता) है, दूसरे काम की वजह से पहले काम में देरी करना या कोई ख़लल डालना दुरुस्त नहीं। इससे मालूम हुआ कि मुसलमानों की तालीम और उनकी इस्लाह (सुधार व दरुस्ती) की फ़िक्र ग़ैर-मुस्लिमों को इस्लाम में दाख़िल करने की फ़िक्र से अहम और मुक़द्दम (पहले) है।

इसमें उन उलेमा के लिये एक अहम हिदायत है जो ग़ैर-मुस्लिमों के शुब्हात को दूर करने और उनको इस्लाम से क़रीब लाने की ख़ातिर कुछ ऐसे काम कर बैठते हैं जिनसे आम मुसलमानों के दिलों में शक व शुब्हात या शिकायतें पैदा हो जाती हैं, उनको इस क़ुरआनी हिदायत के मुताबिक़ मुसलमानों की हिफ़ाज़त और उनके हाल की इस्लाह को मुक़द्दम (आगे) रखना चाहिये, मशहूर शायर अकबर मरहूम ने ख़ूब फ़रमाया है:

बेवफ़ा समझें तुम्हें अहले हरम इससे बचो ☆ देर वाले कज-अदा कह दें यह बदनामी भली

बाद की आयतों में क़ुरआने करीम ने इसी बात को पूरी वज़ाहत से बयान फ़रमाया है कि:

اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰىo

यानी जो शख़्स आप से और आपके दीने से बेरुख़ी व बेतवज्जोही बरत रहा है आप उसके तो पीछे लगे हैं कि किसी तरह यह मुसलमान हो जाये, हालाँकि यह आपके ज़िम्मे नहीं, और अगर वह मुसलमान न हो तो आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं। और जो शख़्स दौड़ता हुआ इल्मे दीन की तलब के लिये आया वह ख़ुदा तआ़ला से डरने वाला भी है आप उसकी तरफ़ तवज्जोह नहीं देते। इसमें वाज़ेह तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को यह हिदायत दी गयी कि मुसलमानों की तालीम और इस्लाह व तरबियत करके उनको पक्का मुसलमान और मज़बूत मोमिन बनाना यह ग़ैर-मुस्लिमों को इस्लाम में दाख़िल करने की फ़िक्र से ज़्यादा अहम और मुक़द्दम (प्रथम) है, इसकी फ़िक्र ज़्यादा होनी चाहिये। वल्लाहु आलम।

इसके बाद क़ुरआन मजीद का अल्लाह की तरफ़ से तज़किरा व नसीहत होना और उसका सम्मान व इज़्ज़त वाला और बुलन्द शान वाला होना बयान फ़रमाया है।

فِیْ صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍo مَّرْفُوْعَةٍ مُّطَهَّرَةٍo

सुहुफ़ से मुराद लौह-ए-महफ़ूज़ है, वह अगरचे एक ही है मगर उसको जमा (बहुवचन) के लफ़्ज़ सुहुफ़ से ताबीर इसलिये किया गया कि उसमें तमाम आसमानी सहीफ़े लिखे होते हैं या इसलिये कि फ़रिश्ते अपने सहीफ़े उससे नक़ल करते हैं। मरफ़ूआ़ से मुराद उन सहीफ़ों का अल्लाह के नज़दीक बुलन्द शान वाला होना है। और मुतह्हरा से मुराद यह है कि जनाबत (यानी नापाकी की हालत) वाले आदमी और माहवारी व बच्चे की पैदाईश के बाद आने वाले ख़ून वाली औरत और बेवुज़ू के लिये उनका छूना जायज़ नहीं।

بِاَیْدِیْ سَفَرَةٍo كِرَامٍۭ بَرَرَةٍo

'स-फ़-रतिन्' साफ़िर की जमा (बहुवचन) भी हो सकती है जिसके मायने कातिब (लिखने

वाले) के हैं, इस सूरत में इससे मुराद फ़रिश्ते, किरामे कातिबीन या अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और उनकी वही को लिखने वाले हज़रात होंगे। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और मुजाहिद रह. से यही तफ़सीर मन्क़ूल है।

और लफ़्ज़ स-फ़-रतिन् सफ़ीर की जमा भी हो सकती है जिसके मायने क़ासिद (पैग़ाम लाने-लेजाने वाले) के होते हैं। इस सूरत में इससे मुराद पैग़ाम लाने वाले फ़रिश्ते और अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और वही को लिखने वाले सहाबा हज़रात होंगे, और उम्मत के उलेमा भी इसमें दाख़िल हैं क्योंकि वे भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और उम्मत के दरमियान सफ़ीर और क़ासिद हैं। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स क़ुरआन पढ़ता है और वह क़िराअत में माहिर है तो वह 'स-फ़-रतिन् किरामिम् ब-र-रतिन्' के साथ है। और जो शख़्स माहिर नहीं मगर तकल्लुफ़ के साथ मशक़्क़त उठाकर क़िराअत सही कर लेता है उसके लिये दोहरा अज्र है (बुख़ारी व मुस्लिम, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रिवायत से। मज़हरी)। इससे मालूम हुआ कि ग़ैर-माहिर को दो अज्र मिलते हैं- एक क़ुरआन पढ़ने का दूसरा मशक़्क़त उठाने का। इसी से यह भी मालूम हो गया कि माहिर को बेशुमार अज्र मिलेंगे। (तफ़सीरे मज़हरी)

इनसे पहले की आयतों में क़ुरआने करीम का बुलन्द शान वाला और वाजिबुल-ईमान होना बयान करने के बाद काफ़िर इनसान जो क़ुरआन के इनकारी हैं उन पर लानत और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री पर तंबीह है, और क़ुरआन का अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से एक बड़ी नेमत होना तो एक मानवी चीज़ है जिसको इल्म व समझ वाले ही समझ सकते हैं। आगे अल्लाह तआ़ला के उन इनामात का ज़िक्र है जो इनसान की पैदाईश से आख़िर तक इनसान पर होते रहते हैं। यह माद्दी और महसूस चीज़ है जिसको मामूली शऊर वाला इनसान भी समझ सकता है। इसी सिलसिले में इनसान की पैदाईश का ज़िक्र फ़रमायाः

مِنْ اَیِّ شَیْءٍ خَلَقَهٗ ٥ مِنْ نُّطْفَةٍ.

पहले तो इसमें एक सवाल किया गया कि ऐ इनसान! तू ग़ौर कर कि तुझे अल्लाह ने किस चीज़ से पैदा किया है, और चूँकि इसका जवाब मुतैयन है, इसके सिवा कोई दूसरा जवाब हो ही नहीं सकता इसलिये फिर ख़ुद ही फ़रमाया 'मिन् नुत्फ़तिन' यानी इनसान को नुत्फ़े से पैदा किया। फिर फ़रमायाः

خَلَقَهٗ فَقَدَّرَهٗ ٥

यानी यही नहीं कि नुत्फ़े (वीर्य के क़तरे) से एक जानदार का वजूद बना दिया बल्कि उसको एक ख़ास अन्दाज़े और बड़ी हिक्मत से बनाया। उसके क़द व क़ामत, बदन, शक्ल व सूरत और अंगों की लम्बाई-चौड़ाई और जोड़-बन्द और आँख नाक कान वग़ैरह के बनाने में ऐसा अन्दाज़ा क़ायम फ़रमाया कि ज़रा सा उसके ख़िलाफ़ हो जाये तो इनसान की सूरत बिगड़ जाये, और कामकाज मुसीबत बन जाये।

और लफ़्ज़ 'क़द्द-रहू' से यहाँ यह भी मुराद हो सकती है कि इनसान जिस वक़्त माँ के पेट में अपनी पैदाईश व बनावट के मर्हले में होता है उस वक़्त अल्लाह तआ़ला उसकी चार चीज़ों की मिक़्दार लिख देते हैं, वह यह कि वह क्या-क्या और कैसे-कैसे अ़मल करेगा, उसकी उम्र कितनी होगी, उसको रिज़्क़ कितना मिलेगा और वह अन्जामकार सईद व नेकबख़्त होगा या शक़ी व बदबख़्त (जैसा कि बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है)।

ثُمَّ السَّبِيْلَ يَسَّرَهٗ ۝

यानी हक़ तआ़ला ने अपनी हिक्मते बालिग़ा से इनसान की पैदाईश व बनावट माँ के पेट की तीन अन्धेरियों और ऐसे महफ़ूज़ मक़ाम में फ़रमाई कि जिसके पेट में यह सब कुछ हो रहा है उसको भी इस बनाने की तफ़सील की कुछ ख़बर नहीं। फिर यह ज़िन्दा, तमाम बदनी अंगों से मुकम्मल इनसान जिस जगह में बना है वहाँ से इस दुनिया में आने का रास्ता भी बावजूद तंग होने के हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत ही ने आसान फ़रमा दिया कि चार-पाँच पौंड का वज़नी जिस्म सही सालिम बाहर निकल आता है और माँ के वजूद को भी इससे कोई ख़ास नुक़सान नहीं पहुँचता। बेशक अल्लाह की ज़ात बड़ी बरकत वाली है जो तमाम बनाने वालों से बेहतर बनाने वाला है।

ثُمَّ اَمَاتَهٗ فَاَقْبَرَهٗ ۝

इनसानी पैदाईश और बनावट की शुरूआ़त बयान करने के बाद इसकी इन्तिहा मौत और क़ब्र पर है, इसका ज़िक्र इनामात के सिलसिले में फ़रमाया है। इससे मालूम हुआ कि इनसान की मौत दर हक़ीक़त कोई मुसीबत नहीं नेमत ही है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ الْمَوْتُ.

कि मोमिन का तोहफ़ा मौत है। और इसमें दुनिया के मजमूई हालात को सामने रखें तो बड़ी हिक्मतें हैं, और 'फ़-अक़्ब-रहू' के मायने हैं कि फिर उसको क़ब्र में दाख़िल किया, यह भी एक इनाम है कि इनसान को हक़ तआ़ला ने आ़म जानवरों की तरह नहीं रखा कि मर गया तो वहीं ज़मीन पर सड़ता और फूलता फटता है, बल्कि इसको यह इज़्ज़त व सम्मान दिया गया कि इसको नहलाकर नये और पाक-साफ़ कपड़ों में मलबूस करके एहतिराम के साथ क़ब्र में दफ़न कर दिया जाता है।

मसलाः इस आयत से मालूम हुआ कि मुर्दा इनसान को दफ़न करना वाजिब है।

كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَآ اَمَرَهٗ ۝

इसमें इनसान की पैदाईश (बनाने) की शुरूआ़त व इन्तिहा और उनमें हक़ तआ़ला की कामिल क़ुदरत और इनामात का ज़िक्र करने के बाद इनकारी इनसान को तंबीह की गयी कि

अल्लाह की इन निशानियों और इनामात का तक़ाज़ा था कि इनसान इनमें ग़ौर करके अल्लाह पर ईमान लाता और उसके अहकाम की तामील करता, मगर इस बदनसीब ने ऐसा नहीं किया। आगे फिर अल्लाह के उन इनामात का तज़किरा है जो इनसानी पैदाईश (बनाये जाने) की शुरूआत व इन्तिहा के दरमियानी ज़माने में इनसान पर होते हैं, कि इनसान का रिज़्क़ किस तरह पैदा किया जाता है कि आसमान से पानी बरसता है, बीज और दाना जो ज़मीन में दफ़न है यह बारिश उसमें एक नबाती ज़िन्दगी पैदा करती है जिसके ज़रिये एक कमज़ोर व ज़ईफ़ कौंपल ज़मीन को फाड़ करके ऊपर निकलती है और फिर उससे विभिन्न प्रकार के ग़ल्ले, मेवे और बाग़ात वजूद में आते हैं। अल्लाह के इन सब इनामात पर इनसान को बार-बार तंबीह के बाद सूरत के आख़िर में फिर क़ियामत का ज़िक्र है:

فَإِذَا جَآءَتِ الصَّآخَّةُ○

'साख़्ख़ह्' ऐसे शोर और सख़्त आवाज़ को कहते हैं जिससे इनसान के कान बहरे हो जायें, इससे मुराद क़ियामत यानी सूर फूँके जाने का शोर है।

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ○

यह मेहशर में सब के जमा होने के वक़्त का बयान है कि हर शख़्स अपनी-अपनी फ़िक्र में और नफ़्सी-नफ़्सी के आ़लम में होगा। दुनिया में जो रिश्ते-नाते ऐसे हैं कि लोग एक दूसरे पर अपनी जान तक क़ुरबान कर देते हैं उस आ़लम में हर शख़्स अपनी-अपनी ऐसी फ़िक्र में मुब्तला होगा कि कोई किसी की ख़बर न ले सकेगा, बल्कि सामने देखेगा तो भी गुरेज़ करेगा। इनसान अपने भाई से माँ बाप से बीवी और औलाद से मुँह छुपाता भागता फिरेगा। दुनिया में मदद व सहयोग और आपस में इमदाद करना भाईयों में होता है, इससे ज़्यादा माँ-बाप की मदद करने की फ़िक्र होती है, तबई तौर पर इनसे भी ज़्यादा बीवी और औलाद से ताल्लुक़ हो जाता है, इसमें कम से ज़्यादा ताल्लुक़ की तरफ़ तरतीब से बयान फ़रमाया है। आगे उस मैदाने हश्र में मोमिनों और काफ़िरों के अन्जाम का ज़िक्र करके सूरत ख़त्म की गयी है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अ-ब-स की तफ़सीर आज शाबान की 7 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को बुध की रात में पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अ-ब-स की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अत्-तक्वीर

सूरः अत्-तक्वीर मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 29 आयतें हैं।

اٰیَاتُهَا ٢٩ (٨١) سُوْرَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ (٧) رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝١ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۝٢ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ۝٣ وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝٤ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۝٥ وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝٦ وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۝٧ وَاِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۝٨ بِاَيِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۝٩ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۝١٠ وَاِذَا السَّمَآءُ كُشِطَتْ ۝١١ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِّرَتْ ۝١٢ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝١٣ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ ۝١٤ فَلَآ اُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ ۝١٥ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ ۝١٦ وَالَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ ۝١٧ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسَ ۝١٨ اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ۝١٩ ذِيْ قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِيْنٍ ۝٢٠ مُّطَاعٍ ثَمَّ اَمِيْنٍ ۝٢١ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ ۝٢٢ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ ۝٢٣ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنٍ ۝٢٤ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطٰنٍ رَّجِيْمٍ ۝٢٥ فَاَيْنَ تَذْهَبُوْنَ ۝٢٦ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝٢٧ لِمَنْ شَآءَ مِنْكُمْ اَنْ يَّسْتَقِيْمَ ۝٢٨ وَمَا تَشَآءُوْنَ اِلَّآ اَنْ يَّشَآءَ اللّٰهُ رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٢٩

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इज़श्शम्सु कुव्विरत् (1) व इज़न्नुजूमुन्-क-दरत् (2) व इज़ल्-जिबालु सुय्यिरत् (3) व इज़ल्-अ़िशारु अुत्तिलत् (4) व इज़ल्-वुहूशु हुशिरत् (5) व इज़ल्-बिहारु सुज्जिरत् (6) व इज़न्नुफ़ूसु ज़ुव्विजत् (7) व इज़ल्-मौऊ-दतु सुअिलत् (8) बिअय्यि ज़म्बिन्	जब सूरज की धूप तह हो जाये (1) और जब तारे मैले हो जायें (2) और जब पहाड़ चलाये जायें (3) और जब बियाती ऊँटनियाँ छुटी फिरें (4) और जब जंगल के जानवरों में रोल पड़ जाये (5) और जब दरिया झोंके जायें (6) और जब जियों के जोड़े बाँधे जायें (7) और जब ज़िन्दा बेटी गाड़ दी गई को पूछें (8) कि किस गुनाह पर

क़ुतिलत् (9) व इज़स्सुहुफ़ु नुशिरत् (10) व इज़स्समा-उ कुशितत् (11) व इज़ल्-जहीमु सुअ्अ़िरत् (12) व इज़ल्-जन्नतु उज़्लिफ़त् (13) अ़लिमत् नफ़्सुम्-मा अह्-ज़रत् (14) फ़ला उक़्सिमु बिल्ख़ुन्नसिल्- (15) -जवारिल्-कुन्नसि (16) वल्लैलि इज़ा अ़स्अ़-स (17) वस्सुब्हि इज़ा त-नफ़्फ़-स (18) इन्नहू ल-क़ौलु रसूलिन् करीम (19) ज़ी क़ुव्वतिन् अ़िन्-द ज़िल्-अ़र्शि मकीन (20) मुताअ़िन् सम्-म अमीन (21) व मा साहिबुकुम् बिमज्नून (22) व ल-क़द् रआहु बिल्-उफ़ुक़िल्-मुबीन (23) व मा हु-व अ़लल्-ग़ैबि बि-ज़नीन (24) व मा हु-व बिक़ौलि शैतानिर्-रजीम (25) फ़ऐ-न तज़्हबून (26) इन् हु-व इल्ला ज़िक्रुल् लिल्-आ़लमीन (27) लिमन् शा-अ मिन्कुम् अंय्यस्तक़ीम (28) व मा तशाऊ-न इल्ला अंय्यशा-अल्लाहु रब्बुल्-आ़लमीन (29) ✿

वह मारी गई (9) और जब आमाल नामे खोले जायें (10) और जब आसमान का पोस्त उतार लें (11) और जब दोज़ख़ दहकाई जाये (12) और जब जन्नत पास लाई जाये (13) जान लेगा हर एक जी जो लेकर आया। (14) सो क़सम खाता हूँ मैं पीछे हट जाने वालों (15) सीधे चलने वालों दुबक जाने वालों की (16) और रात की जब फैल जाये (17) और सुबह की जब दम भरे (18) बेशक यह कहा है एक भेजे हुए इ़ज़्ज़त वाले का (19) क़ुव्वत वाला, अ़र्श के मालिक के पास दर्जा पाने वाला (20) सब का माना हुआ, वहाँ का मोतबर है (21) और यह तुम्हारा साथी कुछ दीवाना नहीं (22) और इसने देखा है उस फ़रिश्ते को आसमान के खुले किनारे के पास (23) और यह ग़ैब की बात बताने में बख़ील नहीं (24) और यह कहा हुआ नहीं किसी शैतान मरदूद का (25) फिर तुम किधर चले जा रहे हो? (26) यह तो एक नसीहत है जहान भर के वास्ते (27) जो कोई चाहे तुम में से कि सीधा चले (28) और तुम जभी चाहो कि चाहे अल्लाह सारे जहान का मालिक। (29) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जब सूरज बेनूर हो जायेगा, और जब सितारे टूट-टूटकर गिर पड़ेंगे, और जब पहाड़ चलाये जाएँगे, और जब दस महीने की गाभन ऊँटनियाँ छुटी फिरेंगी, और जब जंगली जानवर (घबराहट के मारे) सब जमा हो जाएँगे, और जब दरिया भड़काये जाएँगे (ये छः वाक़िए तो पहली बार के

सूर फूँकने के वक़्त होंगे जबकि दुनिया आबाद होगी, और उस सूर फूँकने से ये तब्दीलियाँ उलट-फेर वाक़े होंगे, और उस वक़्त ऊँटनियाँ वग़ैरह भी अपनी-अपनी हालत पर होंगी जिनमें बाज़ी बच्चा पैदा करने के क़रीब होंगी जो कि अ़रब वालों के नज़दीक सबसे ज़्यादा क़ीमती माल है, जिसकी हर वक़्त देखभाल करते रहते हैं, मगर उस वक़्त हलचल में किसी को कहीं का होश न रहेगा, और जंगली जानवर भी मारे घबराहट के सब गड़मड़ हो जायेंगे "एक दूसरे में मिल जायेंगे" और दरियाओं में पहले उफान पैदा होगा और ज़मीन में फटन और दरार पैदा हो जायेंगी जिससे मीठे व नमकीले दरिया एक हो जायेंगे, जिसका ज़िक्र अगली सूरत में:

وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۝

में फ़रमाया है। फिर गर्मी की शिद्दत व तेज़ी से सब का पानी आग हो जायेगा। शायद पहले हवा हो जाये फिर हवा आग बन जाये। उसके बाद आ़लम फ़ना हो जायेगा) और (अगले छः वाक़िआत दूसरी बार का सूर फूँकने के बाद के होंगे जिनका बयान यह है कि) जब एक-एक क़िस्म के लोग इकट्ठे किये जाएँगे (काफ़िर अलग मुसलमान अलग, फिर उनमें एक-एक तरीक़े के अलग-अलग) और जब ज़िन्दा गाड़ी हुई लड़की से पूछा जायेगा कि वह किस गुनाह पर क़त्ल की गई थी (इस पूछने से मक़सद ज़िन्दा गाड़ने वाले ज़ालिमों के जुर्म का इज़्हार है)। और जब आमाल नामे खोले जाएँगे (ताकि सब अपने-अपने अ़मल देख लें, जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'यल्क़ाहु मन्शूरा') और जब आसमान खुल जायेगा (और उसके खुलने से आसमान के ऊपर की चीज़ें नज़र आने लगेंगी, और साथ ही उसके खुलने से ग़माम का नुज़ूल होगा जिसका ज़िक्र उन्नीसवें पारे की इस आयतः

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ.............................. الخ

में आया है) और जब दोज़ख़ (और ज़्यादा) दहकाई जायेगी और जब जन्नत क़रीब कर दी जायेगी (जैसा कि सूरः क़ाफ़ में है 'व उज़्लिफ़तिल्-जन्नतु लिल्मुत्तक़ीन' जब ये सब वाक़िआत पहले और दूसरे सूर फूँकने से ज़ाहिर हो जायेंगे तो उस वक़्त) हर शख़्स उन आमाल को जान लेगा जो लेकर आया है (और जब ऐसा हौलनाक वाक़िआ़ होने वाला है) तो (मैं इनकार करने वाले लोगों को उसकी हक़ीक़त बतलाता हूँ और तस्दीक़ करने वालों को उसके लिये आमादा करता हूँ। और ये दोनों बातें क़ुरआन की तस्दीक़ और उस पर अ़मल करने से हासिल होती हैं कि इसमें उसका सुबूत और निजात का तरीक़ा है, इसलिये) मैं क़सम खाता हूँ उन सितारों की जो (सीधे चलते-चलते) पीछे को हटने लगते हैं (और फिर पीछे ही को) चलते रहते हैं (और अपने निकलने की जगहों में) जा छुपते हैं। (ऐसा मामला पाँच ग्रहों को पेश आता है कि कभी सीधे चलते हैं कभी पीछे चलते हैं और उनको 'मुतहय्यरा ख़मसा' कहते हैं- ज़ोहल, मुश्तरी, अ़तारिद, मिर्रीख़, ज़ोहरा)। और क़सम है रात की जब वह जाने लगे, और क़सम है सुबह की जब वह आने लगे।

(आगे क़सम का जवाब है) कि यह क़ुरआन (अल्लाह तआ़ला का) कलाम है, एक इज़्ज़त

वाले फ़रिश्ते (यानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम का लाया हुआ जो क़ुव्वत वाला है, जैसा कि सूरः नज्म में हज़रत जिब्राईल के बारे में इरशाद है:

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰىO

और) अर्श के मालिक के नज़दीक रुतबे वाला है (और) वहाँ (यानी आसमानों में) उसका कहना माना जाता है (यानी फ़रिश्ते उसका कहना मानते हैं जैसा कि मेराज वाली हदीस से भी मालूम होता है कि उनके कहने से फ़रिश्तों ने आसमानों के दरवाज़े खोल दिये, और) अमानतदार हैं कि (वही को सही-सही पहुँचा देता है। पस वही लाने वाला तो ऐसा है) और (आगे जिन पर वही नाज़िल हुई उनके बारे में इरशाद है कि) यह तुम्हारे साथ के रहने वाले (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जिनका हाल तुमको अच्छी तरह मालूम है) मजनून नहीं हैं (जैसा कि नुबुव्वत के इनकारी लोग कहते थे) और इन्होंने उस फ़रिश्ते को (असली सूरत में आसमान के) साफ़ किनारे पर देखा भी है (साफ़ किनारे से मुराद बुलन्द किनारा है कि साफ़ नज़र आता है जैसा कि इसके बारे में सूरः नज्म में है:

وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰىO

और इसका तफ़सीली बयान सूरः नज्म में गुज़रा है) और यह पैग़म्बर पोशीदा (बतलाई हुई वही की) बातों पर कन्जूसी करने वाले भी नहीं (जैसा कि काहिनों की आ़दत थी कि रक़म लेकर कोई बात बतलाते थे, इससे आपके काहिन होने की भी नफ़ी हो गयी और इसकी भी कि आप अपने काम का किसी से मुआ़वज़ा लें)।

और यह क़ुरआन किसी शैतान मरदूद की कही हुई बात नहीं है (इससे काहिन होने की नफ़ी की और ताकीद हो गयी। हासिल यह कि न आप मजनून हैं न काहिन, न कोई ग़र्ज़ व स्वार्थ रखने वाले। और वही लाने वाले को पहचानते भी हैं और वही लाने वाला ऐसा-ऐसा है पस लाज़िमी बात है कि यह अल्लाह का कलाम और आप अल्लाह के रसूल हैं। और ये क़समें मौक़े के लिहाज़ से बहुत ही मुनासिब हैं, चुनाँचे सितारों का सीधा चलना और लौटना और छुप जाना फ़रिश्ते के आने, वापस जाने और मलकूत के आ़लम में जा छुपने की तरह है, और रात का गुज़रना और सुबह का आना क़ुरआन के सबब कुफ़्र की अंधेरी के दूर हो जाने और हिदायत के नूर के ज़ाहिर हो जाने के जैसा है। जब यह बात साबित है) तो तुम लोग (इस बारे में) किधर को चले जा रहे हो (कि नुबुव्वत के इनकारी हो रहे हो)? बस यह तो दुनिया जहान वालों के लिये (उमूमन) एक बड़ी नसीहत की किताब है (और ख़ास तौर से) ऐसे शख़्स के लिये जो तुम में से सीधा चलना चाहे। (आ़म लोगों के लिये हिदायत इस मायने में है कि उनको सीधा रास्ता बतला दिया और मुत्तक़ी व परहेज़गार मोमिनों के लिये इस मायने में कि उनको मन्ज़िले मक़सूद पर पहुँचा दिया)। और (कुछ लोगों के नसीहत क़ुबूल न करने से इसके नसीहत नामा होने में शुब्हा न किया जाये क्योंकि) तुम अल्लाह रब्बुल-आ़लमीन के चाहे बग़ैर कुछ नहीं चाह सकते (यानी यह अपने आप में तो नसीहत है लेकिन इसका असर दिखाना मौक़ूफ़ है अल्लाह

के चाहने और मर्ज़ी पर, जो बाज़े लोगों के लिये जुड़ जाती है और बाज़ों के लिये किसी हिक्मत से नहीं जुड़ती)।

मआरिफ़ व मसाईल

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ٥

कुव्विरत् 'तकवीर' से निकला है, इसके मायने बेनूर हो जाने के भी आते हैं। हसन बसरी रह. की यही तफ़सीर है और इसके मायने डाल देने फेंक देने के भी आते हैं। रबीअ़ इब्ने ख़ैसम ने इसकी यही तफ़सीर की है कि इससे मुराद यह है कि सूरज को समन्दर में डाल दिया जायेगा जिसकी गर्मी से सारा समन्दर आग बन जायेगा, और इन दोनों में कोई टकराव नहीं हो सकता है कि सूरज को पहले बेनूर कर दिया जाये फिर उसको समन्दर में डाल दिया जाये। सही बुख़ारी में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सूरज व चाँद क़ियामत के दिन दरिया में डाल दिये जायेंगे। मुस्नद बज़्ज़ार में इस के साथ यह भी है कि जहन्नम में डाल दिये जायेंगे। इब्ने अबी हातिम, इब्ने अबिद्दुन्या और अबुश्-शैख़ ने इन आयतों के बारे में यह नक़ल किया है कि क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला सूरज व चाँद और तमाम सितारों को समन्दर में डाल देंगे और फिर उस पर तेज़ हवा चलेगी जिससे सारा समन्दर आग हो जायेगा। इस तरह यह कहना भी सही हो गया कि सूरज व चाँद को दरिया में डाल दिया जायेगा, और यह कहना भी दुरुस्त रहा कि जहन्नम में डाल दिया जायेगा क्योंकि सारा समन्दर उस वक़्त जहन्नम बन जायेगा। (मज़हरी व क़ुर्तुबी)

وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ ٥

इन्क-दरत् 'इन्किदार' से निकला है इसके मायने ज़वाल और गिरने के हैं। पहले उलेमा से यही तफ़सीर मन्क़ूल है और मुराद यह है कि आसमान के सब सितारे समन्दर में गिर पड़ेंगे जैसा कि ऊपर बयान हुई रिवायतों में इसकी तफ़सील आ चुकी है।

وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ٥

यह अ़रब वालों की आ़दत के मुताबिक़ बतौर मिसाल के फ़रमाया है, क्योंकि इसके पहले मुख़ातब अ़रब के लोग थे, उनके नज़दीक दस महीने की गाभन ऊँटनी एक बड़ी दौलत समझी जाती थी कि उससे दूध और बच्चे का इन्तिज़ार होता था और वे उसकी दुम से लगे फिरते थे, किसी वक़्त उसको आज़ाद न छोड़ते थे।

وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ٥

'सुज्जिरत' तस्जीर से निकला है जिसके मायने आग लगाने और भड़काने के भी आते हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जगह यही मायने लिये हैं, और इसके मायने भर देने के भी आते हैं और गड़मड़ ख़ल्त-मल्त कर देने के भी। तफ़सीर के कुछ इमामों ने यही मायने

लिये हैं, और हक़ीक़त यह है कि इनमें कोई इख़्तिलाफ़ (टकराव और भिन्नता) नहीं। पहले समन्दर और मीठे दरियाओं को एक कर दिया जायेगा, बीच की रुकावटें ख़त्म कर दी जायेंगी जिससे नमकीले दरियाओं और मीठे दरियाओं के पानी आपस में मिल भी जायेंगे और ज़्यादा भी हो जायेंगे, फिर सूरज व चाँद और सितारों को उसमें डाल दिया जायेगा, फिर इस तमाम पानी को आग बना दिया जायेगा जो जहन्नम में शामिल हो जायेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ○

यानी जबकि मेहशर में हाज़िर लोगों के जोड़े-जोड़े और जत्थे बना दिये जायेंगे। ये जत्थे और जमाअतें ईमान व अमल के एतिबार से होंगे कि काफ़िर एक जगह मोमिन एक जगह। फिर काफ़िर व मोमिन में भी आमाल व आदतों का फ़र्क़ होता है, उनके एतिबार से काफ़िरों में भी विभिन्न किस्म के गिरोह हो जायेंगे। और मुसलमानों में भी ये गिरोह अक़ीदे और अमल में साझा होने की बिना पर होंगे जैसा कि इमाम बैहक़ी ने हज़रत नौमान बिन बशीर और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया है कि जो लोग एक जैसे आमाल करते होंगे वे एक जगह कर दिये जायेंगे, आमाल अच्छे हों या बुरे, मसलन अच्छे मुसलमानों में इल्मे दीन की ख़िदमत करने वाले उलेमा एक जगह, आबिद व ज़ाहिद हज़रात एक जगह, जिहाद करने वाले ग़ाज़ी एक जगह, सदके ख़ैरात में ख़ुसूसियत रखने वाले एक जगह। इसी तरह बुरे आमाल वाले लोगों में चोर-डाकू एक जगह, ज़िनाकार बुरे लोग एक जगह, दूसरे ख़ास ख़ास गुनाहों में आपस में शरीक रहने वाले एक जगह हो जायेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेहशर में हर शख़्स अपनी क़ौम के साथ होगा (मगर यह क़ौमियत नसबी या वतनी नहीं बल्कि अमल व अक़ीदे के एतिबार से होगी)। नेक अमल करने वाले एक जगह, बुरे अमल वाले दूसरी जगह होंगे, और इस पर क़ुरआन की इस आयत से दलील पेश की:

وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلٰثَةً ○

यानी मेहशर में लोगों के बड़े गिरोह तीन होंगे जैसा कि सूरः वाक़िआ की आयत में इसकी तफ़सील यह आई है कि एक गिरोह साबिक़ीने अव्वलीन का होगा, दूसरा अस्हाबुल-यमीन का, ये दोनों गिरोह निजात पाने वाले होंगे। तीसरा गिरोह अस्हाबुश्-शिमाल का होगा जो काफ़िर व बदकार लोगों पर मुश्तमिल होगा।

وَإِذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ○

'मौऊ-दतु' वह लड़की जिसको ज़िन्दा दफ़न कर दिया गया जैसा कि अरब के जाहिली दौर में यह रस्म थी कि लड़की को अपने लिये शर्मिन्दगी व ज़िल्लत का सबब समझते थे और ज़िन्दा ही उसको दफ़न कर देते थे, इस्लाम ने यह बुरी रस्म मिटाई। इस आयत में क़ियामत व मेहशर के हालात के बयान में इरशाद हुआ कि जब उस लड़की से सवाल किया जायेगा जिसको ज़िन्दा दरगोर करके मार दिया गया था। ज़ाहिर अलफ़ाज़ से यह मालूम होता है कि यह सवाल ख़ुद उस लड़की से होगा, उससे पूछा जायेगा कि तुझे किस जुर्म में क़त्ल किया गया, और यह भी

ज़ाहिर है कि उससे सवाल करने का मक़सद यह है कि वह अपनी बेगुनाही और मज़लूम होने की पूरी फ़रियाद अल्लाह की बारगाह में पेश करे ताकि उसके क़ातिलों से इन्तिक़ाम लिया जाये, और यह भी मुम्किन है कि मुराद यह हो कि ज़िन्दा दफ़न लड़की के बारे में उसके क़ातिलों से सवाल किया जायेगा कि इसको तुमने किस जुर्म में क़त्ल किया।

एक अहम फ़ायदा

यहाँ बहरहाल एक सवाल यह पैदा होता है कि क़ियामत का तो नाम ही यौमुल-हिसाब यौमुल-जज़ा यौमुद्दीन है, उसमें तो हर शख़्स से उसके सभी आमल का मुहासबा और सवाल होगा। इस जगह ख़ुसूसी हालात और क़ियामत के हौलनाक मनाज़िर के सिलसिले में ख़ास ज़िन्दा दफ़न की जाने वाली लड़की के मामले में उसके मुताल्लिक़ सवाल होने को इतनी अहमियत और ख़ुसूसियत के साथ ज़िक्र करने में क्या हिक्मत है? ग़ौर करने से मालूम होता है कि इसको ख़ास तौर पर बयान करने की वजह यह है कि यह मज़लूम लड़की जिसको ख़ुद उसके माँ-बाप ने क़त्ल किया है, उसके ख़ून का इन्तिक़ाम लेने के लिये उसकी तरफ़ से कोई दावा करने वाला तो है नहीं, ख़ास तौर पर जबकि उसको चुपके से दफ़न कर दिया हो तो किसी को उसकी ख़बर भी नहीं हुई कि गवाही दे सके, मेहशर के मैदान में अल्लाह की जो अ़दल व इन्साफ़ की अ़दालत क़ायम होगी वह ऐसे मज़ालिम को भी सामने लायेगी जिसके ज़ुल्म पर न कोई गवाह व सुबूत है न कोई उस मज़लूम का हाल पूछने वाला है। वल्लाहु आलम

चार महीने के बाद गर्भपात कराना क़त्ल के हुक्म में है

मसलाः बच्चों को ज़िन्दा दफ़न कर देना या क़त्ल कर देना बहुत बड़ा और सख़्त गुनाह तथा बड़ा भारी ज़ुल्म है, और चार महीने के बाद किसी हमल (गर्भ) को गिराना भी इसी हुक्म में है, क्योंकि चौथे महीने में हमल में रूह पड़ जाती है और वह ज़िन्दा इनसान के हुक्म में होता है। इसी तरह जो शख़्स किसी हामिला (गर्भवती) औरत के पेट पर चोट मारे और उससे बच्चा गिर जाये तो उम्मत की मुत्तफ़िक़ा राय है कि मारने वाले पर उसकी दियत में एक गुलाम या उसकी क़ीमत वाजिब होती है, और अगर पेट से बाहर आने के वक़्त वह ज़िन्दा था फिर मर गया तो पूरी दियत बड़े आदमी के बराबर वाजिब होती है, और चार माह से पहले हमल गिराना भी बिना सख़्त मजबूरी के हालात के हराम है, मगर पहली सूरत के मुक़ाबले में कम है, क्योंकि उसमें किसी ज़िन्दा इनसान का खुला क़त्ल नहीं है। (तफ़सीरे मज़हरी)

मसलाः कोई ऐसी सूरत इख़्तियार करना जिससे हमल क़रार न पाये जैसे आजकल दुनिया में बर्थ कन्ट्रोल के नाम से इसकी सैकड़ों सूरतें चल रही हैं इसको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'वअ़्दे ख़फ़ी' फ़रमाया है, यानी ख़ुफ़िया तौर से बच्चे को ज़िन्दा दरगोर कर देना (जैसा कि मुस्लिम में हिज़ामा बिन्ते वहब की रिवायत है)।

और कुछ दूसरी रिवायतों में जो अ़ज़्ल यानी ऐसी तदबीर करना कि नुत्फ़ा रहम (बच्चेदानी) में न जाये, इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तरफ़ से ख़ामोशी या मनाही न

होना नक़ल किया गया है, वह ज़रूरत के मौक़ों के साथ ख़ास है, वह भी इस तरह कि हमेशा के लिये नस्ल ख़त्म करने की सूरत न बने। (तफ़सीरे मज़हरी)

आजकल बर्थ कन्ट्रोल के नाम से जो दवायें या इलाज व उपाय इख़्तियार किये जाते हैं उनमें बाज़े ऐसे भी हैं कि नस्ल व औलाद का सिलसिला हमेशा के लिये ख़त्म हो जाये, शरीअ़त में इसकी किसी हाल में इजाज़त नहीं है। वल्लाहु आलम

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّآ اَحْضَرَتْ○

यानी जब क़ियामत के मज़कूरा हालात पेश आयेंगे उस वक़्त हर इनसान जान लेगा कि वह अपने साथ क्या सामान लाया है। सामान से मुराद उसका नेक या बुरा अ़मल है, कि वो सब आमाल उसके सामने आ जायेंगे जो दुनिया में किये थे, चाहे इस तरह कि आमाल की किताब में लिखे हुए उसके हाथ में आ जायें या इस तरह कि यह आमाल किसी ख़ास शक्ल व सूरत में उसके सामने आयें जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों से मालूम होता है। वल्लाहु आलम।

क़ियामत के हालात, हौलनाक मनाज़िर और वहाँ आमाल के हिसाब-किताब का ज़िक्र फ़रमाने के बाद हक़ तआ़ला ने चन्द सितारों की क़सम खाकर फ़रमाया कि यह क़ुरआन हक़ है अल्लाह की तरफ़ से बड़ी हिफ़ाज़त के साथ भेजा गया है, और जिस ज़ात पर नाज़िल हुआ है वह ज़ात एक बड़ी हस्ती है, वही लाने वाले फ़रिश्ते को वह पहले से जानते-पहचानते थे इसलिये इसके हक़ होने में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं।

जिन सितारों की क़सम यहाँ खाई गयी वो पाँच सितारे हैं जिनको इल्मे हैयत फ़लकियात (आकाशीय विज्ञान) में 'मुतहय्यरा ख़मसा' कहते हैं और मुतहय्यरा कहने की वजह यह है कि उन पाँचों सितारों की हरकत दुनिया में इस तरह देखी जाती है कि कभी पूरब से पश्चिम की तरफ़ चल रहे हैं, कभी फिर पीछे को पश्चिम से पूरब की तरफ़ चलने लगते हैं, इसकी वजह क्या है और दो अलग-अलग हरकतों का सबब क्या है, इसके बारे में यूनान के पुराने फ़ल्सफ़ियों के विभिन्न और अलग-अलग क़ौल हैं, और नये फ़ल्सफ़ियों (आधुनिक विज्ञान वालों) की तहक़ीक़ उनमें से कुछ के मुताबिक़ है कुछ के ख़िलाफ़, और हक़ीक़त का इल्म पैदा करने वाले के सिवा किसी को नहीं, सब तख़्मीने और अन्दाज़े ही हैं जो ग़लत भी हो सकते हैं सही भी। क़ुरआने हकीम ने उम्मत को इस फ़ुज़ूल बहस में नहीं उलझाया, जितनी बात उनके फ़ायदे की थी वह बतला दी कि वो रब्बुल-इज़्ज़त जल्ल शानुहू की कामिल क़ुदरत और हिक्मते बालिग़ा को इसमें देखें, अनुभव करें और ईमान लायें।

اِنَّهٗ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ○ ذِىْ قُوَّةٍ .... الخ.

सितारों की क़सम के बाद फ़रमाया कि यह क़ुरआन क़ौल है एक रसूले करीम का। आगे उस 'रसूले करीम' की सिफ़त एक तो यह बयान फ़रमाई कि वह क़ुव्वत वाला है, दूसरी यह कि अ़र्श के रब के पास वह माना हुआ है कि उसके अहकाम अ़र्श वाले मानते हैं, तीसरी यह कि वह अल्लाह के नज़दीक अमीन है उससे पैग़ाम लाने और पहुँचाने में किसी ख़ियानत और

कमी-बेशी की संभावना नहीं। इस जगह 'रसूले करीम' से मुराद बज़ाहिर जिब्रीले अमीन हैं क्योंकि लफ़्ज़ रसूल का जैसे नबियों पर हुक्म होता है ऐसे ही फ़रिश्तों के लिये भी यह लफ़्ज़ बोला जाता है, और आगे जितनी सिफ़ात रसूल की बयान की गयी हैं वो सब जिब्रीले अमीन पर बग़ैर किसी तकल्लुफ़ और तावील के फ़िट हैं, उनका क़ुव्वत वाला होना सूरः नज्म में स्पष्ट रूप से बयान हुआ है। फ़रमायाः

عَلَّمَهٗ شَدِيْدُ الْقُوٰىo

अ़र्श व आसमानों वालों में उनका मुताअ़ होना और उनके अहकाम की पैरवी करना मेराज की रात वाली हदीस से साबित है, कि जब जिब्रीले अमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को साथ लेकर आसमान पर पहुँचे और आसमानों के दरवाज़े खुलवाने का इरादा किया तो दरवाज़ों पर मुक़र्रर फ़रिश्तों ने उनके हुक्म का पालन किया, और अमीन होना जिब्रील अ़लैहिस्सलाम का ज़ाहिर है। और तफ़सीर के कुछ इमामों ने इस जगह रसूले करीम से मुराद मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को क़रार दिया है और उक्त सिफ़ात को किसी क़द्र तकल्लुफ़ से आपकी ज़ात पर फ़िट किया है, वल्लाहु आलम।

आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बड़ी शान और काफ़िरों के बेहूदा इल्ज़ामों का जवाब हैः

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍo

यह उन काफ़िरों के बेहूदा एतिराज़ का जवाब है, जो (अल्लाह की पनाह) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मजनून (पागलपन का शिकार) कहते थे।

وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِo

यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने जिब्रीले अमीन को आसमान के खुले किनारे पर देखा है जैसा कि सूरः नज्म में फ़रमायाः

فَاسْتَوٰى وَهُوَ بِالْاُفُقِ الْاَعْلٰىo

और इसके ज़िक्र करने से मक़सद यह है कि वही लाने वाले फ़रिश्ते जिब्रील अ़लैहिस्सलाम से रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ख़ूब वाक़िफ़ थे, उनको असली हालत व सूरत में भी देख चुके थे, इसलिये इस वही में किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं। आयतों का बाक़ी मज़मून ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में वाज़ेह हो चुका है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अत्-तक्वीर की तफ़सीर आज शाबान की 8 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को बुध के दिन पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अत्-तक्वीर की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-इन्फ़ितार

सूरः अल्-इन्फ़ितार मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 19 आयतें हैं।

(٨٢) سُوْرَةُ الْاِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ (٨٢)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ۙ وَاِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ ۙ وَاِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ ۙ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۙ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ ؕ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ۙ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰٮكَ فَعَدَلَكَ ۙ فِىْۤ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ؕ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُوْنَ بِالدِّيْنِ ۙ وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ ۙ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ ۙ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ‏ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ۚ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ۚ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ‏ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ؕ وَمَاۤ اَدْرٰٮكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ۙ ثُمَّ مَاۤ اَدْرٰٮكَ مَا يَوْمُ الدِّيْنِ ؕ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْـئًا ؕ وَالْاَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلّٰهِ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इज़स्समा-उन्फ़-तरत् (1) व इज़ल्-कवाकिबुन्-त-सरत् (2) व इज़ल्-बिहारु फ़ुज्जिरत् (3) व इज़ल्-क़ुबूरु बुअ्सिरत् (4) अ़लिमत् नफ़्सुम्-मा क़द्द-मत् व अख़्ख़-रत् (5) या अय्युहल्-इन्सानु मा ग़र्-र-क बिरब्बिकल्-करीम (6) अल्लज़ी ख़-ल-क़-क फ़सव्वा-क फ़-अ़-द-लक् (7) फ़ी अय्यि सू-रतिम् मा शा-अ रक्क-बक् (8) कल्ला बल् तुकज़्ज़िबू-न बिद्दीनि (9) व इन्-न अ़लैकुम्	जब आसमान चिर जाये (1) और जब तारे झड़ पड़ें (2) और जब दरिया उबल निकलें (3) और जब क़ब्रें ज़ेर व ज़बर (यानी उलट-पुलट) कर दी जायें (4) जान ले हर एक जी जो कुछ कि आगे भेजा और पीछे छोड़ा (5) ऐ आदमी! किस चीज़ से बहका तू अपने रब्बे करीम पर (6) जिसने तुझको बनाया फिर तुझको ठीक किया फिर तुझको बराबर किया (7) जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़ दिया (8) हरगिज़ नहीं, पर तुम झूठ जानते हो इन्साफ़ का होना (9) और तुम पर

लहाफ़िज़ीन (10) किरामन् कातिबीन (11) यअ्लमू-न मा तफ़्अलून (12) इन्नल्-अब्रा-र लफ़ी नअ़ीम (13) व इन्नल्-फ़ुज्जा-र लफ़ी जहीम (14) यस्लौनहा यौमद्दीन (15) व मा हुम् अ़न्हा बिग़ा-इबीन (16) व मा अद्रा-क मा यौमुद्दीन (17) सुम्-म मा अद्रा-क मा यौमुद्दीन (18) यौ-म ला तम्लिकु नफ़्सुल्-लिनफ़्सिन् शैआ, वल्अम्रु यौमइज़िल्-लिल्लाह् (19) ✿ ❖	निगहबान मुक़र्रर हैं इज़्ज़त वाले (10) अ़मल लिखने वाले (11) जानते हैं जो कुछ तुम करते हो (12) बेशक नेक लोग जन्नत में हैं (13) और बेशक गुनाहगार दोज़ख़ में हैं (14) डाले जायेंगे उसमें इन्साफ़ के दिन (15) और न होंगे उससे जुदा होने वाले (16) और तुझको क्या ख़बर है कैसा है इन्साफ़ का दिन (17) फिर भी तुझको क्या ख़बर है कैसा है इन्साफ़ का दिन (18) जिस दिन कि भला न कर सके कोई जी किसी जी का कुछ भी, और हुक्म उस दिन अल्लाह ही का है। (19) ✿ ❖

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जब आसमान फट जायेगा और जब सितारे (टूटकर) झड़ पड़ेंगे और सब दरिया (मीठे व नमकीले) बह पड़ेंगे (और बहकर एक हो जायेंगे, जैसा कि ऊपर की सूरत में सुज्जिरत की तफ़सीर में बयान हुआ है। ये तीनों वाक़िआ़त तो पहली बार के सूर फूँकने के वक़्त के हैं, आगे दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद का वाक़िआ़ है, यानी) और जब क़ब्रें उखाड़ी जाएँगी (यानी उनके मुर्दे निकल खड़े होंगे उस वक़्त) हर शख़्स अपने अगले और पिछले आमाल को जान लेगा (और इन वाक़िआ़त का तक़ाज़ा यह था कि इनसान ग़फ़लत की नींद से जागता, इसलिये आगे ग़फ़लत पर डाँट व तंबीह है कि) ऐ इनसान! तुझको किस चीज़ ने तेरे ऐसे रब्बे करीम के साथ भूल में डाल रखा है जिसने तुझको (इनसान) बनाया, फिर तेरे जिस्मानी अंगों को दुरुस्त किया, फिर तुझको (मुनासिब) एतिदाल पर बनाया (यानी बदनी अंगों में एक मुनासबत और संतुलन रखा और) जिस सूरत में चाहा तुझको तरकीब दे दिया (इन सब चीज़ों का तक़ाज़ा यह है कि तुमको) हरगिज़ (घमण्डी) नहीं (होना चाहिये, मगर तुम बाज़ नहीं आते) बल्कि तुम (इस वजह से धोखे में पड़ गये हो कि तुम) जज़ा व सज़ा (ही) को (जिससे यह ग़ुरूर और फ़रेब दूर हो सकता था) झुठलाते हो। और (और झुठलाना तुम्हारा ख़ाली न जायेगा बल्कि हमारी तरफ़ से) तुम पर (तुम्हारे सब आमाल) याद रखने वाले (जो हमारे नज़दीक) इज़्ज़त वाले (और तुम्हारे आमाल के) लिखने वाले मुक़र्रर हैं जो तुम्हारे सब कामों को जानते हैं (और लिखते हैं। पस क़ियामत में ये सब आमाल पेश होंगे जिनमें तुम्हारा यह झुठलाना और कुफ़्र भी है, और सब पर

मुनासिब जज़ा मिलेगी जिसकी तफ़सील आगे है कि) नेक लोग बेशक आराम में होंगे और बदकार (यानी काफ़िर) लोग बेशक दोज़ख़ में होंगे। बदले के दिन उसमें दाख़िल होंगे और (फिर दाख़िल होकर) उससे बाहर न होंगे (बल्कि उसमें हमेशा रहना होगा)। और आपको कुछ ख़बर है कि वह बदले का दिन कैसा है? (और हम) फिर (दोबारा कहते हैं कि) आपको कुछ ख़बर है कि वह बदले का दिन कैसा है? (इस सवाल के अन्दाज़ से उसकी हौलानाकी बयान करना है। आगे जवाब है कि) वह दिन ऐसा है जिसमें किसी शख़्स के नफ़े के लिये कुछ बस न चलेगा और पूरी की पूरी हुकूमत उस दिन अल्लाह ही की होगी।

मआ़रिफ़ व मसाईल

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّاقَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ○

यानी जब क़ियामत के वो हालात पेश आ चुकेंगे जिनका ज़िक्र सूरत के शुरू में किया गया है- आसमान का फटना, सितारों का झड़ जाना, सब मीठे और नमकीले दरियाओं का एक हो जाना, क़ब्रों से मुर्दों का उठना, उस वक़्त हर इनसान जान लेगा कि उसने क्या आगे भेजा, क्या पीछे छोड़ा। आगे भेजने से मुराद उस पर अ़मल कर लेना है और पीछे छोड़ने से मुराद अ़मल न करना है, तो क़ियामत के दिन हर शख़्स जान लेगा कि उसने नेक व बद क्या-क्या अ़मल कर लिये और नेकी या बदी में से क्या छोड़ दी थी। और यह मायने भी हो सकते हैं कि आगे भेजे हुए आमाल से मुराद वो अ़मल हों जो उसने ख़ुद किये, चाहे नेक हों या बुरे और पीछे छोड़ने से मुराद वो अ़मल हों जिनको उसने ख़ुद तो नहीं किया लेकिन उसकी रस्म (रिवाज व चलन) दुनिया में डाल गये। अगर वो नेक काम हैं तो उनका सवाब उनको मिलता रहेगा, और बुरे हैं तो उनकी बुराई उसके आमाल नामे में लिखी जाती रहेगी जैसा कि हदीस में है कि जिस शख़्स ने इस्लाम में कोई अच्छी सुन्नत और तरीक़ा जारी कराया उसका सवाब हमेशा उसको मिलता रहेगा, और जिसने कोई बुरी रस्म और गुनाह का काम दुनिया में जारी कर दिया तो जब तक लोग उस बुरे काम में मुब्तला होंगे उसका गुनाह उस शख़्स के लिये भी लिखा जाता रहेगा। यह मज़मून पहले भी सूरः अल्-क़ियामत की आयतः

يُنَبَّؤُا الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍم بِمَاقَدَّمَ وَاَخَّرَ○

के तहत में गुज़र चुका है।

يٰٓاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَاغَرَّكَ.

इससे पहली आयतों में आख़िरत और अन्जाम यानी क़ियामत के हौलनाक मामलात का ज़िक्र फ़रमाया। और इस आयत में इनसान की शुरूआ़त यानी पैदाईश के प्रारम्भिक मराहिल का ज़िक्र फ़रमाया। इस मजमूए का तक़ाज़ा यह था कि इनसान कुछ भी ग़ौर व फ़िक्र से काम लेता तो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाता और उनके अहकाम की बाल बराबर भी ख़िलाफ़वर्ज़ी न करता, मगर इनसान ग़फ़लत और भूल में पड़ गया, इस पर तंबीह व डाँट के

तौर पर यह सवाल फ़रमाया कि ऐ इनसान! तेरी इब्तिदा और इन्तिहा के ये हालात सामने होने के बावजूद तुझे किस चीज़ ने भूल और धोखे में डाला कि अल्लाह की नाफ़रमानी करने लगा।

यहाँ शुरूआत यानी इनसानी पैदाईश के शुरू के मराहिल (चरणों) के ज़िक्र में पहले फ़रमाया 'ख़-ल-क़-क फ़-सव्वा-क' यानी अल्लाह तआला ने तुझे पैदा किया, और सिर्फ़ पैदा ही नहीं कर दिया बल्कि तेरे वजूद और तमाम बदनी अंगों को एक ख़ास मुनासबत के साथ दुरुस्त करके बनाया, हर अंग को उसके मुनासिब जगह दी, हर अंग की जसामत और लम्बाई व चौड़ाई को एक सन्तुलित तरीक़े से बनाया कि ज़रा सा भी उससे अलग हो जाये तो इनसानी अंगों के वो लाभ बाक़ी न रहें जो उसकी मौजूदा सूरत में हैं। इसके बाद फ़रमाया 'फ़-अ़-द-ल-क' यानी तेरे वजूद को एक ख़ास एतिदाल बख़्शा जो दुनिया के किसी दूसरे जानदार में नहीं। अंगों व हिस्सों के सही मुनासिब होने के एतिबार से भी और मिज़ाज व तबीयत के एतिबार से भी, कि अगरचे इनसान की पैदाईश व बनावट में एक दूसरे से विपरीत और विभिन्न माद्दे शामिल हैं, ख़ून, बलग़म, सौदा, सफ़रा, कोई गर्म कोई ठण्डा मगर अल्लाह की हिक्मत ने उन एक दूसरे के विपरीत चीज़ों से एक मोतदिल (दरमियानी और नॉरमल) मिज़ाज तैयार कर दिया, उसके बाद एक तीसरी विशेषता बयान फ़रमाईः

فِیْٓ اَیِّ صُوْرَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ۝

यानी बावजूद इसके कि बनावट सब इनसानों की एक ख़ास अन्दाज़ व शक्ल और हैयत व मिज़ाज पर होने की वजह से सब में साझा है, इसका नतीजा बज़ाहिर यह होना चाहिये था कि सब एक ही शक्ल व सूरत के होते, आपस में फ़र्क़ व पहचान दुश्वार हो जाती, मगर हक़ तआला जल्ल शानुहू की कामिल क़ुदरत और हिक्मते बालिग़ा ने करोड़ों बल्कि अरबों पदमों इनसानों की शक्ल व सूरत में ऐसे फ़र्क़ और पहचान पैदा फ़रमा दी जो एक दूसरे से नहीं मिलते। साफ़ और नुमायाँ फ़र्क़ व पहचान रहती है।

इनसान की शुरू की बनावट (पैदा करने) के ये क़ुदरत के कमालात बयान फ़रमाकर इरशाद फ़रमायाः

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ۝

कि ऐ ग़ाफ़िल इनसान! जिस परवर्दिगार ने तेरे वजूद में ऐसे ऐसे कमालात रखे उसके मामले में तूने क्योंकर धोखा और फ़रेब खाया कि उसी को भूल बैठा, उसके अहकाम की नाफ़रमानी करने लगा। तुझे तो ख़ुद तेरे जिस्म का जोड़-जोड़ अल्लाह की याद दिलाने और उसकी इताअ़त पर मजबूर करने के लिये काफ़ी था, फिर यह भूल और ग़फ़लत यह ग़ुरूर और धोखा कैसे लगा। इस जगह रब की सिफ़त **करीम** ज़िक्र करके इसके जवाब की तरफ़ भी इशारा कर दिया कि इनसान के भूल और धोखे में पड़ने का सबब हक़ तआला का करीम होना है कि वह अपने लुत्फ़ व करम से इनसान के गुनाह पर फ़ौरन सज़ा नहीं देता बल्कि उसके रिज़्क़ और आफ़ियत और दुनियावी आराम व राहत में भी कोई कमी नहीं करता, यह लुत्फ़ व करम उसके

गुरूर और धोखे का सबब बन गया, हालाँकि ज़रा अ़क़्ल से काम लेता तो यह लुत्फ़ व करम गुरूर व ग़फ़लत का सबब बनने के बजाय और ज़्यादा अपने रब्बे करीम के एहसानात का आभारी होकर इताअ़त में लग जाने का सबब होना चाहिये था।

हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया किः

من مغرور تحت السّتروهولا يشعر.

यानी कितने ही इनसान ऐसे हैं कि अल्लाह तआ़ला ने उनके ऐबों और गुनाहों पर पर्दा डाला हुआ है, उनको रुस्वा नहीं किया, वे इस लुत्फ़ व करम से और ज़्यादा गुरूर और धोखे में मुब्तला हो गये।

اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ٥ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ٥

इसका ताल्लुक़ उस जुमले से है जो पहले गुज़र चुका यानीः

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاَخَّرَتْ٥

कि क़ियामत के दिन हर इनसान के सामने अपना-अपना अ़मल आ जायेगा। इस जुमले में उस अ़मल की सज़ा व जज़ा का ज़िक्र है कि फ़रमाँबरदार व नेक बन्दे तो उस रोज़ अल्लाह तआ़ला की नेमतों में खुश होंगे और सरकश व नाफ़रमान जहन्नम की आग में होंगे।

وَمَاهُمْ عَنْهَا بِغَآئِبِيْنَ ٥

यानी जहन्नमी लोग किसी वक़्त जहन्नम से ग़ायब न हो सकेंगे क्योंकि उनके लिये हमेशा वहाँ रहने और हमेशा के अ़ज़ाब का हुक्म है।

لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا.

यानी कोई शख़्स अपने इख़्तियार से किसी दूसरे को मेहशर में कोई नफ़ा न पहुँचा सकेगा, न किसी की तकलीफ़ को कम कर सकेगा। इससे शफ़ाअ़त की नफ़ी नहीं होती, क्योंकि शफ़ाअ़त किसी की अपने इख़्तियार से न होगी जब तक कि अल्लाह तआ़ला किसी को किसी की शफ़ाअ़त की इजाज़त न दें, इसलिये असल हुक्म का मालिक अल्लाह तआ़ला ही है, वही अपने फ़ज़्ल से किसी को शफ़ाअ़त की इजाज़त दे दे और फिर शफ़ाअ़त क़ुबूल फ़रमा ले तो वह भी उसी का हुक्म है। वल्लाहु आलम

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-इन्फ़ितार की तफ़सीर आज शाबान की 8 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को बुध की रात में पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-इन्फ़ितार की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अत्-तत्फ़ीफ़

सूरः अत्-तत्फ़ीफ़ मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 36 आयतें हैं।

اٰیاتھا ۳۶ (۸۳) سُوْرَۃُ الْمُطَفِّفِیْنَ مَکِّیَّۃٌ (۸۶) رکوعھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ ۝١ الَّذِيْنَ إِذَا اكْتَالُوْا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُوْنَ ۝٢ وَإِذَا كَالُوْهُمْ أَوْ وَّزَنُوْهُمْ يُخْسِرُوْنَ ۝٣
أَلَا يَظُنُّ أُولٰٓئِكَ أَنَّهُمْ مَّبْعُوْثُوْنَ ۝٤ لِيَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝٥ يَّوْمَ يَقُوْمُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝٦ كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ
الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝٧ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا سِجِّيْنٌ ۝٨ كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ ۝٩ وَيْلٌ يَّوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِيْنَ ۝١٠ الَّذِيْنَ يُكَذِّبُوْنَ بِيَوْمِ
الدِّيْنِ ۝١١ وَمَا يُكَذِّبُ بِهٖٓ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيْمٍ ۝١٢ إِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِ اٰيٰتُنَا قَالَ أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ ۝١٣ كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ
عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۝١٤ كَلَّآ إِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ۝١٥ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيْمِ ۝١٦ ثُمَّ
يُقَالُ هٰذَا الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ ۝١٧ كَلَّآ إِنَّ كِتٰبَ الْأَبْرَارِ لَفِيْ عِلِّيِّيْنَ ۝١٨ وَمَآ أَدْرٰىكَ مَا عِلِّيُّوْنَ ۝١٩ كِتٰبٌ
مَّرْقُوْمٌ ۝٢٠ يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢١ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِيْ نَعِيْمٍ ۝٢٢ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝٢٣ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِهِمْ نَضْرَةَ
النَّعِيْمِ ۝٢٤ يُسْقَوْنَ مِنْ رَّحِيْقٍ مَّخْتُوْمٍ ۝٢٥ خِتٰمُهٗ مِسْكٌ ۚ وَفِيْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُوْنَ ۝٢٦ وَمِزَاجُهٗ مِنْ تَسْنِيْمٍ ۝٢٧
عَيْنًا يَّشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُوْنَ ۝٢٨ إِنَّ الَّذِيْنَ أَجْرَمُوْا كَانُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يَضْحَكُوْنَ ۝٢٩ وَإِذَا مَرُّوْا بِهِمْ يَتَغَامَزُوْنَ ۝٣٠
وَإِذَا انْقَلَبُوْٓا إِلٰٓى أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوْا فَكِهِيْنَ ۝٣١ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوْٓا إِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَضَآلُّوْنَ ۝٣٢ وَمَآ أُرْسِلُوْا عَلَيْهِمْ حٰفِظِيْنَ ۝٣٣ فَالْيَوْمَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُوْنَ ۝٣٤ عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنْظُرُوْنَ ۝٣٥ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ۝٣٦

ع ۸

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वैलुल्-लिल्-मुतफ़्फ़िफ़ीन (1) अल्लज़ी-न इज़क्तालू अलन्नासि यस्तौफ़ून (2) व इज़ा कालूहुम् अव्-ज़नूहुम् युख़्सिरून (3) अ-ला	ख़राबी है घटाने वालों की (1) वे लोग कि जब माप कर लें लोगों से तो पूरा भर लें (2) और जब माप कर दें उनको या तौलकर तो घटा कर दें (3) क्या ख़्याल

यज़ुन्नु उलाइ-क अन्नहुम् मब्अूसून (4) लियौमिन् अ़ज़ीम (5) यौ-म यक़ूमुन्नासु लिरब्बिल्-आ़लमीन (6) कल्ला इन्-न किताबल्-फ़ुज्जारि लफ़ी सिज्जीन (7) व मा अद्रा-क मा सिज्जीन (8) किताबुम्-मर्क़ूम (9) वैलुंय्यौमइज़िल्-लिल्-मुकज़्ज़िबीन (10) अल्लज़ी-न युकज़्ज़िबू-न बियौमिद्दीन (11) व मा युकज़्ज़िबु बिही इल्ला कुल्लु मअ़्तदिन् असीम (12) इज़ा तुत्ला अ़लैहि आयातुना का-ल असातीरुल्-अव्वलीन (13) कल्ला बल्' रा-न अ़ला क़ुलूबिहिम्-मा कानू यक्सिबून (14) कल्ला इन्नहुम् अ़र्रब्बिहिम् यौमइज़िल्-लमह्जूबून (15) सुम्-म इन्नहुम् लसालुल्-जहीम (16) सुम्-म युक़ालु हाज़ल्लज़ी कुन्तुम् बिही तुकज़्ज़िबून (17) कल्ला इन्-न किताबल्-अब्रारि लफ़ी अ़िल्लिय्यीन (18) व मा अद्रा-क मा अ़िल्लिय्यून (19) किताबुम्-मर्क़ूम (20) यश्हदुहुल्-मुक़र्रबून (21) इन्नल्-अब्रा-र लफ़ी नअ़ीम (22) अ़लल् अरा-इकि यन्ज़ुरून (23) तअ़्रिफ़ु फ़ी

नहीं रखते वे लोग कि उनको उठना है (4) उस बड़े दिन के वास्ते (5) जिस दिन खड़े रहें लोग राह देखते जहान के मालिक की (6) हरगिज़ नहीं, बेशक आमाल नामा गुनाहगारों का सिज्जीन में है (7) और तुझको क्या ख़बर है क्या है सिज्जीन (8) एक दफ़्तर है लिखा हुआ (9) ख़राबी है उस दिन झुठलाने वालों की (10) जो झूठ जानते हैं इन्साफ़ के दिन को (11) और उसको झुठलाता है वही जो बढ़ निकलने वाला गुनाहगार है (12) जब सुनाये उसको हमारी आयतें कहे नक़्लें हैं पहलों की (13) कोई नहीं, पर ज़ंग पकड़ गया है उनके दिलों पर जो वे कमाते थे (14) कोई नहीं, वे अपने रब से उस दिन रोक दिये जायेंगे (15) फिर बेशक वे गिरने वाले हैं दोज़ख़ में (16) फिर कहा जायेगा यह वही है जिसको तुम झूठ जानते थे (17) हरगिज़ नहीं, बेशक नेक लोगों का आमाल नामा इल्लिय्यीन में है (18) और तुझको क्या ख़बर है क्या है इल्लिय्यीन (19) एक दफ़्तर है लिखा हुआ (20) उसको देखते हैं नज़दीक वाले यानी फ़रिश्ते (21) बेशक नेक लोग हैं आराम में (22) तख़्तों पर बैठे देखते होंगे (23) पहचान ले तू

वुजूहिहिम् नज़्-रतन्-नईम (24) युस्क़ौ-न मिर्रहीक़िम्-मख़्तूम (25) ख़ितामुहू मिस्क, व फ़ी ज़ालि-क फ़ल्य-तनाफ़सिल्-मु-तनाफ़िसून (26) व मिज़ाजुहू मिन् तस्नीम (27) अ़ैनंय्-यश्रबु बिहल्-मुक़र्रबून (28) इन्नल्लज़ी-न अज्रमू कानू मिनल्लज़ी-न आमनू यज़्हकून (29) व इज़ा मर्रू बिहिम् य-तग़ा-मज़ून (30) व इज़न्क़-लबू इला अह्लिहिमुन्क़-लबू फ़किहीन (31) व इज़ा रऔहुम् क़ालू इन्-न हा-उला-इ लज़ाल्लून (32) व मा उर्सिलू अ़लैहिम् हाफ़िज़ीन (33) फ़ल्यौमल्-लज़ी-न आमनू मिनल्-कुफ़्फ़ारि यज़्हकून (34) अ़लल्-अरा-इकि यन्ज़ुरून (35) हल् सुव्विबल्-कुफ़्फ़ारु मा कानू यफ़्अ़लून (36) ❁

उनके मुँह पर ताज़गी आराम की (24) उनको पिलाई जाती है शराब ख़ालिस मुहर लगी हुई (25) जिसकी मुहर जमती है मुश्क पर, और उस पर चाहिये कि ढकें ढकने वाले (26) और उसकी मिलावट है तस्नीम से (27) वह एक चश्मा है जिससे पीते हैं नज़दीक वाले (28) वे लोग जो गुनाहगार हैं ईमान वालों से हंसा करते थे (29) और जब होकर निकलते उनके पास को तो आपस में आँख मारते (30) और जब फिरकर जाते अपने घर फिर जाते बातें बनाते (31) और जब उनको देखते कहते- बेशक ये लोग बहक रहे हैं (32) और उनको भेजा नहीं उन पर निगहबान बनाकर (33) सो आज ईमान वाले इनकार करने वालों से हंसते हैं (34) तख़्तों पर बैठे देखते हैं (35) अब बदला पाया है इनकार करने वालों ने जैसा कुछ कि करते थे। (36) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बड़ी ख़राबी है नाप-तौल में कमी करने वालों की कि जब लोगों से (अपना हक़) नापकर लें तो पूरा लें और जब उनको नापकर या तौलकर दें तो घटा कर दें (अगरचे लोगों से अपना हक़ पूरा लेना बुरा नहीं है मगर इसके ज़िक्र करने से मक़सद ख़ुद इसकी बुराई करना नहीं है बल्कि कम देने पर बुराई की ताकीद व मज़बूती है, यानी कम देना अगरचे अपने आप में बुरी बात है लेकिन इसके साथ अगर दूसरों की ज़रा रियायत न की जाये तो और ज़्यादा बुरा है, बख़िलाफ़ रियायत करने वाले के कि अगर उसमें ऐब है तो एक हुनर भी है, इसलिये पहले शख़्स का ऐब ज़्यादा सख़्त है, और चूँकि असल मक़सद निंदा व बुराई है कम देने की इसलिये इसमें नाप और

तौल दोनों का ज़िक्र किया ताकि ख़ूब स्पष्ट हो जाये कि नापने में भी कम देते हैं और तौलने में भी कम देते हैं। और चूँकि पूरा लेना अपने आप में कोई बुराई की चीज़ नहीं इसलिये वहाँ नाप और तौल दोनों का ज़िक्र नहीं किया बल्कि एक ही का ज़िक्र किया। फिर इन दोनों में नापने का ख़ास तौर पर शायद इसलिये बयान किया हो कि अ़रब वालों में ज़्यादा दस्तूर नापने का था ख़ासकर अगर आयत मदनी हो जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में नसाई व इब्ने माजा व बैहक़ी की रिवायत से नक़ल किया है, इसका नाज़िल होना मदीना वालों के बारे में लिखा है तो उस वक़्त इस ख़ास करने की वजह ज़्यादा ज़ाहिर है क्योंकि मदीना में नापने का दस्तूर मक्का से भी ज़्याद था)।

(आगे नाप-तौल में कमी करने वालों को धमकाया और तंबीह की जा रही है कि) क्या उन लोगों को इसका यक़ीन नहीं है कि ज़िन्दा करके उठाये जाएँगे एक बड़े दिन में, जिस दिन तमाम आदमी रब्बुल-आ़लमीन के सामने खड़े होंगे (यानी उस दिन से डरना चाहिये। और तत्फ़ीफ़ यानी लोगों की हक़-तल्फ़ी से तौबा करनी चाहिये। इस दोबारा ज़िन्दा होकर उठने और जज़ा को सुनकर जो मोमिन थे वे डर गये और जो काफ़िर थे वे इनकार करने लगे, इसलिये आगे इनकार पर तंबीह फ़रमाकर दोनों फ़रीक़ों की जज़ा व बदले की तफ़सील बयान फ़रमाते हैं कि जैसे काफ़िर लोग जज़ा व सज़ा के इनकारी हैं) हरगिज़ (ऐसा) नहीं, (बल्कि जज़ा व सज़ा ज़रूर मिलेगी। जिन आमाल पर जज़ा व सज़ा होगी वो भी लिखे हुए और महफ़ूज़ हैं और इस मजमूए का बयान यह है कि) बदकार (यानी काफ़िर) लोगों का आमाल नामा 'सिज्जीन' में रहेगा (वह एक जगह है सातवीं ज़मीन में जो काफ़िरों की रूहों का ठिकाना है, जैसा कि तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत कअ़ब की रिवायत से और तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत इब्ने अ़ब्बास व मुजाहिद व फ़रक़द व क़तादा व अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़मर से मरफ़ूअ़न रिवायत नक़ल किया गया है, और काफ़िरों के आमाल का उस जगह पर रहना भी मुजाहिद व अ़ब्दुल्लाह और इब्ने अ़मर से दुर्रे मन्सूर में नक़ल किया गया है)।

(आगे डराने के लिये सवाल है कि) और आपको कुछ मालूम है कि 'सिज्जीन' में रखा हुआ आमाल नामा क्या चीज़ है? वह एक निशान किया हुआ दफ़्तर है (निशान से मुराद मुहर है जैसा कि दुर्रे मन्सूर में हज़रत कअ़बे अहबार से रिवायत है कि मरने के बाद उस पर मुहर लगाकर रख दी जाती है, और मक़सद यह होगा कि उसमें कोई कमी-बेशी और तब्दीली का कुछ शुब्हा व संभावना नहीं। पस इसका हासिल आमाल का महफ़ूज़ होना है जिससे जज़ा का सही व हक़ होना साबित हुआ)।

(आगे उन आमाल की जज़ा का बयान है कि) उस दिन (यानी क़ियामत के दिन) झुठलाने वालों को बड़ी ख़राबी होगी, जो जज़ा के दिन को झुठलाते हैं और उस (बदले के दिन को तो वही शख़्स झुठलाता है जो बन्दगी की हद) से गुज़रने वाला हो (और) मुजरिम हो। (और) जब उसके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाएँ तो यूँ कह देता हो कि बे-सनद बातें हैं, अगलों से नक़ल होती हुई चली आती हैं (मतलब यह बतलाना है कि जो शख़्स क़ियामत के दिन को झुठलाता है

वह हद से निकलने वाला, गुनाहगार और क़ुरआन को झुठलाने वाला है। आगे बदले के दिन को झुठलाने पर जो स्पष्ट रूप से मज़कूर है तंबीह की गयी है कि ये लोग उसको ग़लत समझ रहे हैं) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (और किसी को यह शुब्हा न हो कि शायद उनके पास इनकार की कोई दलील होगी जिससे ये दलील पकड़ते होंगे, हरगिज़ नहीं) बल्कि (इनके झुठलाने की असल वजह यह है कि) इनके दिलों पर इनके (बुरे) आमाल का ज़ंग बैठ गया है (उससे हक़ को क़ुबूल करने की सलाहियत ही ख़राब हो गयी, इसलिये दुश्मनी व मुख़ालफ़त के तौर पर इनकार करने लगे)।

(आगे फिर इनकार पर तंबीह व डाँट है कि जैसा ये लोग समझ रहे हैं) हरगिज़ (ऐसा) नहीं। (आगे वैल "ख़राबी" की कुछ तफ़सील है कि वह ख़राबी यह है कि) ये लोग उस दिन (एक तो) अपने रब (का दीदार करने) से रोक दिये जाएँगे। फिर (सिर्फ़ इसी पर बस न होगा बल्कि) ये दोज़ख़ में दाख़िल होंगे। फिर (इनसे) कहा जायेगा- यही है जिसको तुम झुठलाया करते थे (और चूँकि ये लोग बदले के दिन को झुठलाने में जिस तरह अपनी सज़ा को झुठलाते थे इसी तरह मोमिनों की जज़ा को भी झुठलाते थे, आगे इस पर तंबीह फ़रमाते हैं कि ये जो मोमिनों के अज्र व सवाब का इनकार करने वाले हैं) हरगिज़ (ऐसा) नहीं, (बल्कि उनका अज्र व सवाब ज़रूर होने वाला है, जिसका बयान यह है कि) नेक लोगों का आमाल नामा इल्लिय्यीन में रहेगा (वह एक स्थान है सातवें आसमान में जो ठिकाना है मोमिनों की रूहों का, जैसा कि तफ़सीर इब्ने कसीर में हज़रत कअ़ब की रिवायत है)।

और (आगे बड़ाई व रुतबा जताने के लिये सवाल है कि) आपको कुछ मालूम है कि इल्लिय्यीन में रखा हुआ आमाल नामा क्या चीज़ है? वह एक निशान किया हुआ दफ़्तर है जिसको मुक़र्रब फ़रिश्ते (शौक़ से) देखते हैं (और यह मोमिन का बहुत बड़ा सम्मान है जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में अ़ब्द बिन हुमैद के हवाले से हज़रत कअ़ब की रिवायत है कि जब फ़रिश्ते मोमिन की रूह को क़ब्ज़ करके ले जाते हैं तो हर आसमान के मुक़र्रब "अल्लाह के ख़ास और क़रीबी" फ़रिश्ते उसके साथ होते जाते हैं, यहाँ तक कि सातवें आसमान तक पहुँचकर उस रूह को रख देते हैं। फिर फ़रिश्ते अ़र्ज़ करते हैं कि हम इसका नामा-ए-आमाल देखना चाहते हैं चुनाँचे वह नामा-ए-अ़मल खोलकर दिखलाया जाता है)।

(आगे उनके आख़िरत के बदले का बयान है कि) नेक लोग बड़ी राहत व आराम में होंगे मसेहरियों पर (बैठे जन्नत की अ़जीब-अ़जीब चीज़ों को) देखते होंगे। ऐ मुख़ातब! तू उनके चेहरों में राहत व आराम की ख़ुशी व ताज़गी देखेगा (और) उनको पीने के लिये मुहर-बन्द ख़ालिस शराब मिलेगी जिस पर मुश्क की मुहर होगी, और हिर्स करने वालों को ऐसी चीज़ की हिर्स करनी चाहिये (कि हिर्स के लायक़ यही है, चाहे सिर्फ़ शराब मुराद ली जाये चाहे जन्नत की तमाम नेमतें। यानी शौक़ व दिलचस्पी की चीज़ ये नेमतें हैं, न कि दुनिया की नाक़िस और फ़ानी लज़्ज़तें, और इनके हासिल करने का रास्ता नेक आमाल हैं। पस उसमें कोशिश करनी चाहिये) और उस (शराब) की मिलावट तस्नीम (के पानी) की होगी (अ़रब वाले उमूमन शराब में पानी मिलाकर पीते थे तो उस शराब में मिलावट के लिये तस्नीम का पानी होगा। आगे तस्नीम

की वज़ाहत है) यानी एक ऐसा चश्मा जिससे मुक़र्रब बन्दे पियेंगे (मतलब यह है कि सबसे अव्वल दर्जे वालों यानी अल्लाह के ख़ास और क़रीबी बन्दों को तो उसका ख़ालिस पानी पीने को मिलेगा और दायें वालों यानी नेक लोगों को उसका पानी दूसरी शराब में मिलाकर मिलेगा, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हज़रत क़तादा, मालिक, इब्ने हारिस, इब्ने अ़ब्बास, इब्ने मसऊद और हुज़ैफ़ा की रिवायत है। और यह मुहर लगना निशानी है सम्मान की वरना वहाँ ऐसी हिफ़ाज़त की ज़रूरत नहीं, और मुश्क की मुहर का मतलब यह है कि जैसे क़ायदा है कि लाख वग़ैरह लगाकर उस पर मुहर करते हैं और ऐसी चीज़ को तीन-ए-ख़िताम कहते हैं, वहाँ शराब के बरतन के मुँह पर मुश्क लगाकर उस पर मुहर कर दी जायेगी)।

(यहाँ तक दोनों फ़रीक़ों की आख़िरत की जज़ा व बदले का अलग-अलग बयान था आगे मुसलमान और काफ़िर दोनों की दुनिया व आख़िरत का हाल मिलाजुला बयान किया गया है, यानी) जो लोग मुजरिम थे (यानी काफ़िर) वे ईमान वालों से (उनका अपमान करने के तौर पर दुनिया में) हंसा करते थे। और ये (ईमान वाले) जब उन (काफ़िरों) के सामने से होकर गुज़रते थे तो आपस में आँखों से इशारे करते थे (मतलब यह कि उनके साथ मज़ाक़ उड़ाने और अपमान से पेश आते थे)। और जब अपने घरों में जाते तो (वहाँ भी उनका तज़किरा करके) दिल्लगियाँ करते (और मज़ाक़ ठट्ठा) करते। (मतलब यह कि पीठ पीछे और सामने हर हालत में उनका अपमान करने और मज़ाक़ उड़ाने का मश्गला रहता, हाँ बस यह कि सामने इशारे चला करते और पीठ पीछे खुलकर तज़किरा करते) और जब उनको देखते तो यूँ कहा करते कि ये लोग यक़ीनन ग़लती में हैं (क्योंकि काफ़िर लोग इस्लाम को ग़लती समझते थे) हालाँकि ये (काफ़िर) उन (मुसलमानों) पर निगरानी करने वाले करके नहीं भेजे गये (यानी उनको अपनी फ़िक्र करनी चाहिये थी, इनके पीछे क्यों पड़ गये। पस उनसे दो ग़लतियाँ हुईं- अव्वल हक़ वालों का मज़ाक़ उड़ाना फिर अपने सुधार से ग़फ़लत बरतना) सो आज (क़ियामत के दिन) ईमान वाले काफ़िरों पर हंसते होंगे, मसेहरियों पर (बैठे उनका हाल) देख रहे होंगे (दुर्रे मन्सूर में हज़रत क़तादा से मन्क़ूल है कि कुछ दरीचे झरोखे ऐसे होंगे जिनसे जन्नत वाले जहन्नम वालों को देख सकेंगे। पस उनका बुरा हाल देखकर बदले और इन्तिक़ाम के तौर पर उन पर हंसेंगे। आगे इस सज़ा का बयान है, यानी) वाक़ई काफ़िरों को उनके किये का ख़ूब बदला मिला।

मआ़रिफ़ व मसाईल

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु के क़ौल के मुताबिक़ सूरः तत्फ़ीफ़ मक्की सूरत है। क़ुरआन के आ़म मुसाहिफ़ में इसी बिना पर इसको मक्की लिखा है। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास, क़तादा, मुक़ातिल, ज़हहाक के नज़दीक मदनी सूरत है मगर इसकी सिर्फ़ आठ आयतें मक्की हैं। इमाम नसाई ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मदीना तय्यिबा तशरीफ़ लाये तो देखा कि मदीना के लोग जिनके आ़म मामलात कैल यानी नाप के ज़रिये होते थे वे इस मामले में चोरी करने और

कम नापने के बहुत आदी थे, इस पर यह सूरत 'वैलुल्-लिल्मुतफ़्फ़िफ़ीन' नाज़िल हुई। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि यह पहली सूरत है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मदीना तय्यिबा पहुँचते ही नाज़िल हुई। वजह यह थी कि मदीना वालों में यह रिवाज उस वक़्त आ़म था कि जब ख़ुद किसी से सौदा लेते तो नाप-तौल पूरा-पूरा लेते थे और जब दूसरों को बेचते तो उसमें कमी और चोरी किया करते थे। इस सूरत के नाज़िल होने पर ये लोग इस बुरी रस्म से बाज़ आ गये और ऐसे बाज़ आये कि आज तक मदीना वाले नाप-तौल पूरा-पूरा करने में परिचित व मशहूर हैं। (हाकिम, नसाई, इब्ने मजा सही सनद से। मज़हरी)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِيْنَ○

'मुतफ़्फ़िफ़ीन' तत्फ़ीफ़ से निकला है जिसके मायने नाप-तौल में कमी करने के हैं, और ऐसा करने वाले को मुतफ़्फ़िफ़ कहा जाता है। क़ुरआने हकीम के इस इरशाद से साबित हुआ कि तत्फ़ीफ़ करना हराम है।

तत्फ़ीफ़ का मफ़्हूम बहुत विस्तृत है

तत्फ़ीफ़ सिर्फ़ नाप-तौल ही में नहीं बल्कि हक़दार को उसके हक़ से कम देना किसी चीज़ में हो तत्फ़ीफ़ में दाख़िल है।

क़ुरआन व हदीस में नाप-तौल में कमी करने को हराम क़रार दिया है क्योंकि आ़म तौर से मामलात का लेन-देन इन्हीं दो तरीक़े से होता है, इन्हीं के ज़रिये यह कहा जा सकता है कि हक़दार का हक़ अदा हो गया या नहीं। लेकिन यह मालूम है कि इससे मक़सद हर एक हक़दार का हक़ पूरा-पूरा देना है, उसमें कमी करना हराम है। तो मालूम हुआ कि यह सिर्फ़ नाप-तौल के साथ मख़्सूस नहीं बल्कि हर वह चीज़ जिससे किसी का हक़ पूरा करना या न करना जाँचा जाता है उसका यही हुक्म है, चाहे नाप-तौल से हो या अ़दद गिनने से या किसी और तरीक़े से, हर एक में हक़दार के हक़ से कम देना तत्फ़ीफ़ के हुक्म में है और हराम है।

मुवत्ता इमाम मालिक में है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने एक शख़्स को देखा कि वह नमाज़ के रुकूअ़-सज्दे वग़ैरह पूरे नहीं करता, जल्दी-जल्दी नमाज़ ख़त्म कर डालता है तो उसको फ़रमायाः

لَقَدْ طَفَّفْتَ.

यानी तूने अल्लाह के हक़ में तत्फ़ीफ़ कर दी। हज़रत फ़ारूक़े आज़म के इस क़ौल को नक़ल करके हज़रत इमाम मालिक रह. ने फ़रमायाः

لكلّ شيء وفاء وتطفيف.

यानी पूरा हक़ देना या कम करना हर चीज़ में है। यहाँ तक कि नमाज़, वुज़ू तहारत में भी और इसी तरह दूसरे बन्दों के हुक़ूक़ में जो शख़्स मुक़र्ररा हक़ से कम करता है वह भी तत्फ़ीफ़ के हुक्म में है। मज़दूर मुलाज़िम ने जितने वक़्त की ख़िदमत का मुआ़हदा किया है उसमें से

वक़्त चुराना और कम करना भी इसमें दाख़िल है। वक़्त के अन्दर जिस तरह मेहनत से काम करने का उर्फ़ में मामूल है उसमें सुस्ती करना भी तत्फ़ीफ़ है, इसमें आम लोगों में यहाँ तक कि इल्म रखने वालों में भी ग़फ़लत पाई जाती है। अपनी मुलाज़मत के फ़राईज़ में कमी करने को कोई गुनाह ही नहीं समझता 'अल्लाह तआ़ला इससे हमारी हिफ़ाज़त फ़रमाये'।

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि पाँच गुनाहों की सज़ा पाँच चीज़ें हैं:

1. जो शख़्स अ़हद तोड़ता है अल्लाह तआ़ला उस पर उसके दुश्मन को मुसल्लत और ग़ालिब कर देता है।

2. जो क़ौम अल्लाह के क़ानून को छोड़कर दूसरे क़ानूनों पर फ़ैसले करती है उनमें तंगदस्ती व ग़ुर्बत आम हो जाती है।

3. जिस क़ौम में बेहयाई और ज़िना आम हो जाये उस पर अल्लाह तआ़ला ताऊन (और दूसरे वबाई रोग) मुसल्लत कर देता है।

4. जो लोग नाप-तौल में कमी करने लगें अल्लाह तआ़ला उनको क़हत (सूखे और अकाल) में मुब्तला कर देता है।

5. जो लोग ज़कात अदा नहीं करते अल्लाह तआ़ला उनसे बारिश को रोक देता है। (क़ुर्तुबी, बज़्ज़ार के हवाले से। मालिक बिन अनस, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस से)

और तबरानी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस क़ौम में माले ग़नीमत की चोरी का चलन हो जाये अल्लाह तआ़ला उनके दिलों में दुश्मन का रौब और हैबत डाल देते हैं। और जिस क़ौम में सूदख़ोरी का रिवाज हो जाये उनमें मौत की कसरत हो जाती है, और जो क़ौम नाप-तौल में कमी करती है तो अल्लाह तआ़ला उनका रिज़्क़ काट देते हैं, और जो लोग हक़ के ख़िलाफ़ फ़ैसला करते हैं उनमें क़त्ल व ख़ून आम हो जाता है, और जो लोग मुआ़हदों में ग़द्दारी करते हैं अल्लाह तआ़ला उन पर उनके दुश्मन मुसल्लत कर देता है। (मालिक मौक़ूफ़न। मज़हरी)

फ़क्र व फ़ाक़े, सूखे और रिज़्क़ की कमी की मुख़्तलिफ़ सूरतें

हदीस में जिन लोगों का रिज़्क़ काट देने और कम कर देने का इरशाद है, उसकी यह सूरत भी हो सकती है कि उसको रिज़्क़ से बिल्कुल मेहरूम कर दिया जाये, और यह सूरत भी रिज़्क़ कम होने ही में दाख़िल है कि रिज़्क़ मौजूद होते हुए वह उसको खा न सके या इस्तेमाल न कर सके, जैसे बहुत सी बीमारियों में यह देखा जाता है और इस ज़माने में बहुत आम है। इसी तरह क़हत (सूखे और अकाल) की यह सूरत भी हो सकती है कि ज़रूरत की चीज़ें न मिलें, और यह भी हो सकती है कि मौजूद बल्कि बहुत ज़्यादा होने के बावजूद उनकी महंगाई इतनी बढ़ जाये कि ख़रीदारी मुश्किल हो जाये जैसा कि आजकल यह बात अक्सर चीज़ों में देखी जा रही है। और हदीस में ग़ुर्बत व तंगदस्ती मुसल्लत करने का इरशाद है इसके मायने सिर्फ़ यही नहीं कि

रुपया-पैसा और ज़रूरत की चीज़ें उसके पास न रहें बल्कि फ़क्र के असली मायने मोहताजी और हाजतमन्दी के हैं। हर शख़्स अपने कारोबार और ज़िन्दगी की ज़रूरतों में दूसरों का जितना मोहताज हो वह उतना ही फ़क़ीर है।

इस ज़माने के हालात पर ग़ौर किया जाये तो इनसान अपने रहन-सहन, चलत-फिरत और अपने इरादों के पूरा करने में ऐसे-ऐसे क़ानूनों में जकड़ा हुआ नज़र आता है कि उसके लुक़्मे और बोलने तक पर पाबन्दियाँ हैं, अपना माल मौजूद होते हुए ख़रीदारी में आज़ाद नहीं कि जहाँ से चाहे कुछ ख़रीदे, सफ़र में आज़ाद नहीं कि जब कहीं जाना चाहे चला जाये, ऐसी-ऐसी पाबन्दियों में इनसान जकड़ा गया है कि हर काम के लिये दफ़्तर के चक्कर काटने और अफ़सरों से लेकर चपरासियों तक की ख़ुशामद किये बग़ैर ज़िन्दगी गुज़ारना मुश्किल है, यह सब मोहताजी ही तो है जिसका दूसरा नाम फ़क्र है। इस तफ़सील से वह शुब्हात दूर हो गये जो हदीस के इरशाद के मुताल्लिक़ ज़ाहिरी हालात के एतिबार से हो सकते हैं।

सिज्जीन और इल्लिय्यीन

كَلَّآ اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِيْ سِجِّيْنٍ ۝

'सिज्जीन' सिक्कीन के वज़न पर सिज्न से निकला है जिसके मायने तंग जगह में क़ैद करने के हैं। क़ामूस में है कि सिज्जीन के मायने हमेशा की क़ैद के हैं और हदीसों व बुज़ुर्गों के अक़वाल से यह मालूम होता है कि सिज्जीन एक ख़ास जगह का नाम है, और काफ़िर व बदकार लोगों की रूहों का मक़ाम व ठिकाना यही है, और इसी मक़ाम में उनके आमाल नामे रहते हैं, जिसका मतलब यह भी हो सकता है कि उनके आमाल नामे इस जगह में महफ़ूज़ कर दिये जाते हैं, और यह भी मुम्किन है कि इस जगह कोई ऐसी जामे किताब हो जिसमें तमाम दुनिया के काफ़िरों और बुरे लोगों के आमाल लिख दिये जाते हों।

यह मक़ाम (स्थान) किस जगह है इसके बारे में हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक लम्बी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि सिज्जीन सातवीं ज़मीन के निचले तब्क़े में है और इल्लिय्यीन सातवें आसमान में अ़र्श के नीचे है।

(तफ़सीरे मज़हरी, बग़वी और अहमद वग़ैरह के हवाले से)

हदीस की कुछ रिवायतों में यह भी है कि सिज्जीन काफ़िरों व बदकार लोगों की रूहों का ठिकाना है, और इल्लिय्यीन नेक व परहेज़गार मोमिनों की रूहों की जगह है।

जन्नत और दोज़ख़ का मक़ाम

इमाम बैहक़ी ने 'दलाईलुन्नुबुव्वत' में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि जन्नत आसमान में है और जहन्नम ज़मीन में, और इब्ने जरीर ने अपनी तफ़सीर में हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया गया कि क़ुरआने करीम में जो यह आया है कि क़ियामत के रोज़ जहन्नम को लाया जायेगाः

وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍۭ بِجَهَنَّمَ

इसका मतलब क्या है, जहन्नम को कहाँ से लाया जायेगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जहन्नम को सातवीं ज़मीन से लाया जायेगा। इन रिवायतों से मालूम होता है कि जहन्नम सातवीं ज़मीन में है, वहीं से भड़ककर सारे समन्दर और दरिया उसकी आग में शामिल हो जायेंगे और सब के सामने आ जायेगी, जहन्नम के लाये जाने का यह भी मतलब हो सकता है। इस तरह जिन रिवायतों में यह आया है कि सिज्जीन जहन्नम के एक मक़ाम का नाम है वह भी इस पर सही बैठ गया। (तफ़सीरे मज़हरी) वल्लाहु आलम।

كِتٰبٌ مَّرْقُوْمٌ

मरक़ूम के मायने इस जगह मख़्तूम के हैं यानी मोहर लगी हुई। इमाम बग़वी और इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि यह जुमला सिज्जीन के मक़ाम की तफ़सीर नहीं, बल्कि इससे पहले जो 'किताबल्-फ़ुज्जारि' आया है उसका बयान है, मायने ये हैं कि काफ़िर व बदकार लोगों के आमाल नामे मुहर लगाकर महफ़ूज़ कर दिये जायेंगे कि उनमें किसी कमी-बेशी और तब्दीली की संभावना न रहेगी और उनके महफ़ूज़ करने की जगह सिज्जीन है यहीं काफ़िरों की रूहों को जमा कर दिया जायेगा।

كَلَّا بَلْ ۜ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ

'रा-न' रैन से निकला है जिसके मायने ज़ंग और मैल के हैं। मतलब यह है कि उनके दिलों पर उनके गुनाहों का ज़ंग लग गया है, और जिस तरह ज़ंग लोहे को खाकर मिट्टी बना देता है इसी तरह उन गुनाहों के ज़ंग ने उनके दिलों की उस सलाहियत को ख़त्म कर दिया जिससे भले-बुरे की तमीज़ होती है। हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मोमिन बन्दा जब कोई गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक सियाह नुक़्ता (धब्बा और बिन्दु) लग जाता है, अगर उसने तौबा कर ली और उस पर शर्मिन्दा होकर आगे अपने अमल को दुरुस्त कर लिया तो यह सियाह नुक़्ता मिट जाता है, और दिल अपनी असली हालत पर मुनव्वर (रोशन व साफ़) हो जाता है, और अगर उसने तौबा न की बल्कि अपने गुनाहों में ज़्यादती करता चला गया तो यह सियाही उसके सारे दिल पर छा जाती है, इसी का नाम रा-न है जो क़ुरआन की आयत 'बल् रा-न अला क़ुलूबिहिम्' में मज़कूर है। (बग़वी, अहमद, तिर्मिज़ी, नसाई, इब्ने माजा, इब्ने हिब्बान, हाकिम। मज़हरी)

लफ़्ज़ कल्ला जो आयत के शुरू में है इसको हर्फ़ 'रदअ़' कहते हैं जिसके मायने दफ़ा करने और तंबीह व डाँटने के हैं। पहली आयतों में काफ़िरों के झुठलाने का ज़िक्र था, वे क़ुरआन की आयतों को कहानियाँ कहकर झुठलाते हैं। इस आयत में लफ़्ज़ कल्ला से इस पर तंबीह व डाँट है कि इन जाहिलों ने अपने गुनाहों के अंबार में मुब्तला होकर अपने दिलों की उस नूरानियत और सलाहियत को ख़त्म कर दिया है जिससे हक़ व बातिल पहचाना जाता है, और यह सलाहियत हक़ तआ़ला हर इनसान की जिबिल्लत और फ़ितरत में रखते हैं। मतलब यह है कि

उनका यह झुठलाना किसी दलील या अ़क्ल व समझ की बिना पर नहीं बल्कि इसकी वजह यह है कि उनके दिल अन्धे हो चुके हैं, उन्हें भला-बुरा नज़र ही नहीं आता।

اِنَّهُمْ عَنْ رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوْبُوْنَ ○

यानी क़ियामत के दिन ये काफ़िर व बुरे आमाल वाले लोग अपने रब की ज़ियारत से मेहरूम पर्दे के पीछे रोक दिये जायेंगे, यह उनके इस अ़मल की सज़ा होगी कि उन्होंने दुनिया में हक़ को नहीं पहचाना तो अब अपने रब की ज़ियारत के क़ाबिल नहीं रहे। हज़रत इमाम मालिक रह. और इमाम शाफ़ई रह. ने फ़रमाया कि इस आयत से मालूम हुआ कि मोमिनों और औलिया-अल्लाह को हक़ तआ़ला की ज़ियारत होगी, वरना फिर काफ़िरों के पर्दे में रहने का कोई फ़ायदा ही न होता।

फ़ायदा

कुछ बड़े उलेमा और बुज़ुर्गों ने फ़रमाया कि यह आयत इसकी दलील है कि हर इनसान अपनी फ़ितरत से हक़ तआ़ला की मुहब्बत पर मजबूर है, इसी लिये दुनिया के आ़म काफ़िर व मुश्रिक लोग चाहे कितने ही कुफ़्र व शिर्क में मुब्तला हों और अल्लाह जल्ल शानुहू की ज़ात व सिफ़ात के मुताल्लिक़ बातिल अ़क़ीदे रखते हों मगर इतनी बात सब में साझा है कि अल्लाह तआ़ला की बड़ाई व मुहब्बत सब के दिलों में होती है, और अपने-अपने अ़क़ीदे के मुताबिक़ उसी की जुस्तजू और रज़ा तलब करने के लिये इबादतें करते हैं, रास्ता ग़लत होता है इसलिये मन्ज़िले मक़सूद पर नहीं पहुँचते, मगर तलब उसी हक़ मन्ज़िल की होती है। इस दलील लेने की वजह यह है कि अगर काफ़िरों में हक़ तआ़ला की ज़ियारत का शौक़ न होता तो उनकी सज़ा में यह न कहा जाता कि वे ज़ियारत से मेहरूम रहेंगे, क्योंकि जो शख़्स किसी की ज़ियारत का तालिब ही नहीं बल्कि उसको देखना ही नहीं चाहता उसके लिये यह कोई सज़ा नहीं कि उसको उसकी ज़ियारत से मेहरूम किया जाये।

اِنَّ كِتٰبَ الْاَبْرَارِ لَفِىْ عِلِّيِّيْنَ ○

'इल्लिय्यीन' कुछ हज़रात के नज़दीक उलुव्वु की जमा (बहुवचन) है और मुराद आला दर्जे का उलुव्वु और बुलन्दी है, और इमाम फ़र्रा के नज़दीक यह एक जगह का नाम है जमा के वज़न पर आया है जमा (बहुवचन) नहीं। और लफ़्ज़ **सिज्जीन** की तहक़ीक़ में ऊपर गुज़र चुका है कि हज़रत बरा बिन आ़ज़िब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मरफ़ूअ़ रिवायत से साबित है कि इल्लिय्यीन सातवें आसमान पर अ़र्श के नीचे एक मक़ाम है जिसमें मोमिन लोगों की रूहें और उनके आमाल नामे रखे जाते हैं, और आगे जो 'किताबुम् मरक़ूम' मज़कूर है यह भी इल्लिय्यीन की तफ़सीर नहीं बल्कि **अबरार** (नेक लोगों) के नामा-ए-आमाल का बयान है जिसका ज़िक्र ऊपर 'इन्-न किताबल् अबरारि' में आया है।

يَّشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُوْنَ ○

यश्हदु शुहूद से निकला है जिसके मायने हाज़िर होने और मुशाहदा करने के आते हैं। हज़राते मुफ़स्सिरीन में से कुछ ने फ़रमाया कि आयत की मुराद यह है कि अबरार व सालिहीन (यानी अल्लाह के नेक बन्दों) के आमाल नामों को 'मुक़र्रबीन' (अल्लाह के ख़ास और क़रीबी) देखते होंगे और मुराद मुक़र्रबीन से फ़रिश्ते हैं, और देखने से मुराद उसकी निगरानी और हिफ़ाज़त है। मतलब यह है कि नेक लोगों के आमाल नामे अल्लाह के क़रीबी फ़रिश्तों की निगरानी में होंगे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और शुहूद से मुराद हुज़ूर के मायने लिये जायें तो यश्हदुहू में जिसके मुशाहदे और देखने का ज़िक्र है उससे किताब के बजाय इल्लिय्यीन मुराद होगा और आयत के मायने ये होंगे कि अल्लाह की बारगाह के क़रीबी और ख़ास बन्दों की रूहें इसी इल्लिय्यीन के मक़ाम में हाज़िर होंगी, क्योंकि यही मक़ाम उनकी रूहों का ठिकाना बनाया गया है। जिस तरह सिज्जीन काफ़िरों की रूहों का ठिकाना है। इसकी दलील वह हदीस है जो सही मुस्लिम में हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की गयी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि शहीद हज़रात की रूहें अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सब्ज़ परिन्दों के पोटों में होंगी जो जन्नत के बाग़ों और नहरों की सैर करती होंगी, और उनके रहने की जगह क़िन्दील होंगे जो अ़र्श के नीचे लटके हुए हैं। इससे मालूम हुआ कि शहीदों की रूहें अ़र्श के नीचे रहेंगी और जन्नत की सैर कर सकेंगी। और सूरः यासीन में जो हबीब नज्जार के वाक़िए में यह आया है:

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ○ بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ.

इससे मालूम हुआ कि हबीब नज्जार मौत के साथ ही जन्नत में दाख़िल हो गये, और हदीस की कुछ रिवायतों से भी मोमिनों की रूहों का जन्नत में होना मालूम होता है। इन सब का हासिल एक ही है कि उन रूहों का ठिकाना सातवें आसमान पर अ़र्श के नीचे है और यही मक़ाम जन्नत का भी है, उन रूहों को जन्नत की सैर करने का इख़्तियार दिया गया है। और यहाँ अगरचे यह हाल सिर्फ़ मुक़र्रबीन (नेक और ख़ास बन्दों) का उनकी आला ख़ुसूसियत और फ़ज़ीलत की वजह से बयान किया गया है मगर दर हक़ीक़ यही ठिकाना तमाम मोमिनों की रूहों का भी है जैसा कि हज़रत कअ़ब बिन मालिक रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

انما نسمة المؤمن طائر يعلّق فى شجر الجنّة حتّٰى ترجع الٰى جسده يوم القيٰمة.

(رواه مالك والنّسائى بسند صحيح)

"मोमिन की रूह एक परिन्दे की शक्ल में जन्नत के दरख़्तों में लटकी रहेगी यहाँ तक कि क़ियामत के दिन वह अपने जिस्म में फिर लौट जाये।"

और इसी मज़मून की एक हदीस हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रिवायत में मुस्नद अहमद और तबरानी में आई है। (तफ़सीरे मज़हरी)

मौत के बाद इनसानी रूहों का मक़ाम कहाँ है

इस मामले में हदीस की रिवायतें बज़ाहिर मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग मज़मून वाली) हैं। सिज्जीन और इल्लिय्यीन की तफ़सीर में जो रिवायतें ऊपर मज़कूर हुईं उनसे मालूम होता है कि काफ़िरों रूहें सिज्जीन में रहती हैं जो सातवीं ज़मीन में है, और मोमिनों की रूहें इल्लिय्यीन में रहती हैं जो सातवें आसमान पर अ़र्श के नीचे है, और उपरोक्त रिवायतों में से कुछ से यह भी मालूम होता है कि काफ़िरों की रूहें जहन्नम में और मोमिनों की रूहें जन्नत में रहेंगी। और हदीस की कुछ रिवायतों से यह मालूम होता है कि मोमिन व काफ़िर दोनों की रूहें उनकी क़ब्रों में रहती हैं जैसा कि हज़रत बरा बिन आ़ज़िब की लम्बी हदीस में है कि जब मोमिन की रूह को आसमान में फ़रिश्ते ले जाते हैं तो हक़ तआ़ला फ़रमाते हैं कि मेरे इस बन्दे का आमाल नामा इल्लिय्यीन में लिख दो और इसको ज़मीन की तरफ़ लौटा दो, क्योंकि इसको मैंने ज़मीन ही से पैदा किया है और मरने के बाद उसी में लौटाऊँगा और फिर उसी ज़मीन से उनको दोबारा ज़िन्दा करके निकालूँगा। इस हुक्म पर फ़रिश्ते उसकी रूह को क़ब्र में लौटा देते हैं। इसी तरह काफ़िर की रूह के लिये आसमान के दरवाज़े न खोले जायेंगे और यही हुक्म होगा कि इसको इसकी क़ब्र में लौटा दो। इमाम इब्ने अ़ब्दुल-बर्र ने इसी को तरजीह दी है कि सब की रूहें मौत के बाद क़ब्र ही में रहती हैं। इनमें पहली और दूसरी रिवायतों में जो यह इख़्तिलाफ़ पाया जाता है कि कुछ से मोमिनों की रूहों का इल्लिय्यीन में रहना मालूम होता है और कुछ से जन्नत में रहना, ग़ौर किया जाये तो यह कोई इख़्तिलाफ़ (टकराव और विरोधाभास) नहीं, क्योंकि इल्लिय्यीन का मक़ाम भी सातवें आसमान पर अ़र्श के नीचे है और जन्नत का भी यही मक़ाम ख़ुद क़ुरआने करीम की वज़ाहत से साबित है:

عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى٥ عِنْدَ هَا جَنَّةُ الْمَاْوٰى٥

इसमें वज़ाहत व ख़ुलासा है कि जन्नत सिद्रतुल-मुन्तहा के पास है, और सिदरा का सातवें आसमान में होना हदीस से साबित है, इसलिये रूहों का मक़ाम जब इल्लिय्यीन हुआ तो वह जन्नत के मिला हुआ है, और उन रूहों को जन्नत के बाग़ों की सैर नसीब है इसलिये उनका मक़ाम व ठिकाना जन्नत भी कहा जा सकता है।

इसी तरह काफ़िरों की रूहें सिज्जीन में हैं और वह सातवीं ज़मीन में है। और हदीस से यह भी साबित है कि जहन्नम भी सातवीं ज़मीन में है और सिज्जीन वालों को जहन्नम की तपिश और तकलीफ़ें पहुँचती रहेंगी इसलिये उनका मक़ाम जहन्नम में कह देना भी सही है। अलबत्ता ऊपर जिस रिवायत में रूहों का क़ब्रों में रहना मालूम होता है बज़ाहिर पिछली दोनों रिवायतों से बहुत अलग और भिन्न है इसकी मुवाफ़क़त अपने ज़माने के ज़बरदस्त आ़लिम हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तफ़सीरे मज़हरी में यह बयान की है कि यह बात कुछ बईद नहीं कि असल रूहों का असल ठिकाना इल्लिय्यीन और सिज्जीन ही हो मगर उन रूहों का एक ख़ास

ताल्लुक़ व संपर्क क़ब्रों के साथ भी क़ायम हो, उस ताल्लुक़ की हक़ीक़त तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जान सकता मगर जिस तरह सूरज व चाँद आसमान में हैं और उनकी किरणें ज़मीन पर पड़कर उसको रोशन भी कर देती हैं गर्म भी, इसी तरह इल्लिय्यीन व सिज्जीन की रूहों का कोई अन्दरूनी ताल्लुक़ क़ब्रों से हो सकता है, और इन तमाम अक़वाल की मुवाफ़क़त में हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह रह. की तहक़ीक़ सूरः नाज़िआत की तफ़सीर में अभी गुज़र चुकी है जिसका हासिल यह है कि रूह की दो क़िस्में हैं- एक जिस्म-ए-लतीफ़ है जो इनसान के बदन में समा जाता और वह माद्दी और उन्सुरी जिस्म है, मगर लतीफ़ है नज़र नहीं आता, इसी को नफ़्स कहा जाता है। दूसरी रूह माद्दे से पाक जोहर है, माद्दी नहीं और वह माद्दे से पाक रूह ही पहली रूह की ज़िन्दगी है इसलिये उसको रूह की रूह कह सकते हैं। इनसान के जिस्म से ताल्लुक़ तो इन दोनों क़िस्म की रूहों का है मगर पहली क़िस्म इनसानी जिस्म के अन्दर रहती है उसके निकलने ही का नाम मौत है। दूसरी रूह का इस पहली रूह से ताल्लुक़ क़रीब तो है मगर उस ताल्लुक़ की हक़ीक़त अल्लाह के सिवा किसी को मालूम नहीं। मरने के बाद पहली रूह तो आसमानों में लेजाई जाती है फिर क़ब्र में लौटा दी जाती है, उसका ठिकाना क़ब्र ही है, उसी पर अ़ज़ाब व सवाब होता है, और बिना माद्दे वाली रूह इल्लिय्यीन या सिज्जीन में रहती है। इस तरह अक़वाल जमा हो गये, रूहों का ठिकाना जन्नत या इल्लिय्यीन में या उसके मुक़ाबिल जहन्नम या सिज्जीन में होना बिना माद्दे वाली रूह के एतिबार से है और उनका ठिकाना क़ब्र में होना रूह की पहली क़िस्म यानी नफ़्स के एतिबार से है जो जिस्मे लतीफ़ है और मरने के बाद क़ब्र में रहता है। वल्लाहु आलम

وَفِىْ ذٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنٰفِسُوْنَ ○

'तनाफ़ुस' के मायने है चन्द आदमियों का किसी ख़ास पसन्दीदा व महबूब चीज़ के हासिल करने के लिये झपटना दौड़ना ताकि दूसरों से पहले वे उसको हासिल कर लें। यहाँ जन्नत की नेमतों का ज़िक्र फ़रमाने के बाद हक़ तआ़ला ने ग़फ़लत में पड़े इनसान को इस तरफ़ मुतवज्जह किया है कि आज तुम लोग जिन चीज़ों को पसन्दीदा व मतलूब समझकर उनके हासिल करने में दूसरों से आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हो, ये नाक़िस और फ़ानी नेमतें इस क़ाबिल नहीं कि इनको ज़िन्दगी का मक़सद समझकर इनके लिये एक दूसरे से आगे दौड़ो, बल्कि इनमें तो अगर सब्र व क़ुरबानी से काम लेकर यह समझ लो कि ये चन्द दिन की राहत का सामान हाथ से निकल ही गया तो कुछ बड़े सदमे की बात नहीं, ऐसा घाटा व नुक़सान नहीं जिसकी तलाफ़ी न हो सके, अलबत्ता तनाफ़ुस और मुसाबक़त करने (यानी एक दूसरे से आगे बढ़ने और हासिल करने) की चीज़ ये जन्नत की नेमतें हैं जो हर हैसियत से मुकम्मल भी हैं और हमेशा रहने वाली भी। मशहूर शायर अकबर मरहूम ने ख़ूब फ़रमाया है:

यह कहाँ का फ़साना है सूद व ज़ियाँ, जो गया सो गया जो मिला सो मिला
कहो ज़ेहन से फ़ुर्सत-ए-उम्र है कम, जो दिला तो ख़ुदा ही की याद दिला

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ٥ ....الخ

इन आयतों में हक़ तआ़ला ने हक़ वालों के साथ बातिल वालों के रवैये और व्यवहार का पूरा नक़्शा खींच दिया है कि बातिल वाले काफ़िर लोग हक़ वाले मोमिनों पर हंसते, उनका मज़ाक़ उड़ाते और दिल्लगी करते हैं, और जब हक़ वाले उनके सामने आते हैं तो ये लोग आपस में एक दूसरे को आँख के इशारे करते हैं जिससे उनका मक़सद मज़ाक़ उड़ाना और तकलीफ़ देना ही होता है। फिर जब ये बातिल वाले यानी काफ़िर अपने-अपने ठिकानों पर लौटते हैं तो मोमिनों के साथ जो मज़ाक़ व अपमान का मामला किया है उसका आपस में तज़किरा मज़े लेकर करते हैं कि हमने ख़ूब उन लोगों को ज़लील किया। और जब ये काफ़िर मोमिनों को देखते हैं तो बज़ाहिर हमदर्दी के लहजे में और हक़ीक़त में मज़ाक़ उड़ाने के लिये यह कहते हैं कि ये बेचारे बड़े सीधे-सादे बेवक़ूफ़ हैं इनको मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) ने गुमराह कर दिया है।

आजकल के हालात का जायज़ा लिया जाये तो इस वक़्त वे लोग जो कुछ नई तालीम की नहूसत से दीन व आख़िरत से बेफ़िक्र हो चुके होते हैं ख़ुदा और रसूल पर ईमान नाम के लिये रह जाता है, उलेमा और नेक लोगों के साथ बिल्कुल इसी तरह का मामला करते हैं। हक़ तआ़ला मुसलमानों को इस दर्दनाक अ़ज़ाब से निजात अ़ता फ़रमा दे। नेक मोमिनों के लिये इस आयत में तसल्ली का काफ़ी सामान है कि उनके हंसने की परवाह न करें, किसी ने ख़ूब कहा है:

हंसे जाने से जब तक हम डरेंगे ज़माना हम पे हंसता ही रहेगा

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अत्-तत्फ़ीफ़ की तफ़सीर आज शाबान की 12 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पीर की रात में पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अत्-तत्फ़ीफ़ की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-इन्शिक़ाक़

सूरः अल्-इन्शिक़ाक़ मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 25 आयतें हैं।

اٰیاتُہا ۲۵ (۸۴) سُوْرَۃُ الْاِنْشِقَاقِ مَکِّیَّۃٌ (۸۳) رُکُوْعُہا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

اِذَا السَّمَآءُ انْشَقَّتْ ﴿١﴾ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٢﴾ وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ ﴿٣﴾ وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ ﴿٤﴾ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ﴿٥﴾ يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلٰقِيْهِ ﴿٦﴾ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ بِيَمِيْنِهٖ ﴿٧﴾ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ﴿٨﴾ وَّيَنْقَلِبُ اِلٰۤى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿٩﴾ وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهٗ وَرَآءَ ظَهْرِهٖ ﴿١٠﴾ فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ﴿١١﴾ وَّيَصْلٰى سَعِيْرًا ﴿١٢﴾ اِنَّهٗ كَانَ فِيْۤ اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ﴿١٣﴾ اِنَّهٗ ظَنَّ اَنْ لَّنْ يَّحُوْرَ ﴿١٤﴾ بَلٰۤى ۚ اِنَّ رَبَّهٗ كَانَ بِهٖ بَصِيْرًا ﴿١٥﴾ فَلَاۤ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ﴿١٦﴾ وَالَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴿١٧﴾ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقَ ﴿١٨﴾ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ ﴿١٩﴾ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَ ﴿٢١﴾ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يُكَذِّبُوْنَ ﴿٢٢﴾ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُوْعُوْنَ ﴿٢٣﴾ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ﴿٢٤﴾ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ﴿٢٥﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इज़स्समाउन्-शक़्क़त् (1) व अज़िनत् लिरब्बिहा व हुक़्क़त (2) व इज़ल्-अर्ज़ु मुद्दत् (3) व अल्क़त् मा फ़ीहा व त-ख़ल्लत् (4) व अज़िनत् लिरब्बिहा व हुक़्क़त् (5) या अय्युहल्-इन्सानु इन्न-क कादिहुन् इला रब्बि-क कद्हन् फ़मुलाक़ीहि (6) फ़-अम्मा मन् ऊति-य किताबहू	जब आसमान फ़ट जाये (1) और सुन ले हुक्म अपने रब का और वह आसमान इसी लायक़ है (2) और जब ज़मीन फैला दी जाये (3) और निकाल डाले जो कुछ उसमें है और ख़ाली हो जाये (4) और सुन ले हुक्म अपने रब का और वह ज़मीन इसी लायक़ है (5) ऐ आदमी! तुझको तकलीफ़ उठानी है अपने रब तक पहुँचने में सह-सहकर फिर उससे मिलना है (6) सो जिसको मिला उसका आमाल नामा

बि-यमीनिही (7) फ़सौ-फ़ युहा-सबु हिसाबंय्-यसीरा (8) व यन्क़लिबु इला अस्लिही मस्रूरा (9) व अम्मा मन् ऊति-य किताबहू वरा-अ ज़ह्रिही (10) फ़सौ-फ़ यद्अू सुबूरंव्- (11) व यस्ला सअ़ीरा (12) इन्नहू का-न फ़ी अह्लिही मस्रूरा (13) इन्नहू ज़न्-न अल्लंय्यहू-र (14) बला इन्-न रब्बहू का-न बिही बसीरा (15) फ़ला उक़्सिमु बिश्श-फ़क़ि (16) वल्लैलि व मा व-स-क़ (17) वल्क़-मरि इज़त्त-स-क़ (18) ल-तर्कबुन्-न त-बक़न् अ़न् त-बक़ (19) फ़मा लहुम् ला युअ्मिनून (20) व इज़ा क़ुरि-अ अ़लैहिमुल्-क़ुर्आनु ला यस्जुदून (21) ۞ बलिल्लज़ी-न क-फ़रू युकज़्ज़िबून (22) वल्लाहु अअ्लमु बिमा यूअ़ून (23) फ़-बश्शिर्हुम् बि-अ़ज़ाबिन् अलीम (24) इल्लल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति लहुम् अज्रुन् ग़ैरु मम्नून (25) ۞

दाहिने हाथ में (7) तो उससे हिसाब लेंगे आसान हिसाब (8) और फिरकर आयेगा अपने लोगों के पास ख़ुश होकर। (9) और जिसको मिला उसका आमाल नामा पीठ पीछे से (10) सो वह पुकारेगा मौत मौत (11) और पड़ेगा आग में (12) वह रहा था अपने घर में बेग़म। (13) उसने ख़्याल किया था कि फिरकर न जायेगा (14) क्यों नहीं! उसका रब उसको देखता था (15) सो क़सम खाता हूँ शाम की सुर्ख़ी की (16) और रात की और जो चीज़ें उसमें सिमट आती हैं (17) और चाँद की जब पूरा भर जाये (18) कि तुमको चढ़ना है सीढ़ी पर सीढ़ी (19) फिर क्या हुआ है उनको जो यक़ीन नहीं लाते (20) और जब पढ़िये उनके पास क़ुरआन वे सज्दा नहीं करते (21) ۞ ऊपर से और यह कि मुन्किर झुठलाते हैं (22) और अल्लाह ख़ूब जानता है जो अन्दर भर रखते हैं (23) सो ख़ुशी सुना दे उनको दर्दनाक अ़ज़ाब की (24) मगर जो लोग कि यक़ीन लाये और काम किये भले उनके लिये सवाब है बेइन्तिहा। (25) ۞

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जब (दूसरी बार सूर फूँकने के वक़्त) आसमान फट जायेगा (ताकि उसमें से बादल और

फ़रिश्ते नाज़िल हों जिसका ज़िक्र उन्नीसवें पारे की आयतः

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ............. الخ.

में है) और अपने रब का हुक्म सुन लेगा (और मान लेगा। यहाँ हुक्म से मुराद फटने का तक्वीनी हुक्म है और मानने से मुराद उसका ज़ाहिर व वाक़े होना है) और वह (आसमान क़ुदरत के हुक्म के ताबे होने की वजह से) इसी लायक़ है (कि जिस चीज़ का उसे हुक्म हो वह उसका पालन करे)। और जब ज़मीन खींचकर बढ़ा दी जायेगी (जिस तरह चमड़ा या रबड़ खींची जाती है, पस इस वक़्त की मिक़्दार से उस वक़्त मिक़्दार ज़्यादा हो जायेगी ताकि पहले और बाद के तमाम अफ़राद उसमें समा जायें जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में उम्दा सनद के साथ हाकिम की रिवायत से मरफ़ूअ़न नक़ल किया गया है कि क़ियामत के दिन यह ज़मीन खींचकर बहुत बढ़ा दी जायेगी।

पस आसमान का यह फटना और ज़मीन का खींचकर बढ़ाया जाना दोनों मेहशर के हिसाब की शुरूआती चीज़ों में से हैं) और (वह ज़मीन) अपने अन्दर की चीज़ों (यानी मुर्दों) को बाहर उगल देगी और (सब मुर्दों से) ख़ाली हो जायेगी। और (वह ज़मीन) अपने रब का हुक्म सुन लेगी, और वह इसी लायक़ है (कि उसको जब जो हुक्म हो उसको सुने और उस पर अ़मल करे। बस उस वक़्त इनसान अपने आमाल को देखेगा जैसा कि आगे इरशाद है कि) ऐ इनसान! तू अपने रब के पास पहुँचने तक (यानी मरने के वक़्त तक) काम में कोशिश कर रहा है (यानी कोई नेक काम में लगा हुआ है कोई बुरे काम में) फिर (क़ियामत में) उस (काम की जज़ा) से जा मिलेगा तो (उस दिन) जिस शख़्स का आमाल नामा उसके दाहिने हाथ में मिलेगा सो उससे आसान हिसाब लिया जायेगा और (वह उससे फ़ारिग़ होकर) अपने संबन्धियों और मिलने वालों के पास ख़ुश-ख़ुश आयेगा।

(आसान हिसाब के दर्जे अलग-अलग हैं- एक यह कि उस पर बिल्कुल अ़ज़ाब न हो, बाज़ों के लिये तो यह होगा, और हदीस में इसी की तफ़सीर यह आई है कि जिस हिसाब में बारीकी से जाँच-पड़ताल न हो सिर्फ़ पेशी हो जाये, और यह उनके लिये होगा जो बिना किसी अ़ज़ाब के निजात पायेंगे। दूसरा यह कि उस पर हमेशा का अ़ज़ाब न हो, और यह आ़म मोमिनों के लिये होगा। और इनको अगर कुछ अ़ज़ाब हो तो यह उसके ख़िलाफ़ नहीं)।

और जिस शख़्स का आमाल नामा (उसके बाएँ हाथ में) उसकी पीठ के पीछे से मिलेगा (इससे मुराद काफ़िर हैं, और पुश्त की तरफ़ से मिलने की दो सूरतें हो सकती हैं- एक यह कि उसकी मुश्कें कसी हुई होंगी तो बायाँ हाथ भी पुश्त की तरफ़ होगा, दूसरी सूरत इमाम मुजाहिद का क़ौल है कि उसका बायाँ हाथ पुश्त की तरफ़ निकाल दिया जायेगा, जैसा कि दुर्रे मन्सूर में है) सो वह मौत को पुकारेगा (जैसा कि मुसीबत में आ़दत है मौत की तमन्ना करने की) और जहन्नम में दाख़िल होगा। यह शख़्स (दुनिया में) अपने मिलने वालों और संबन्धियों (घर वालों और नौकरों-चाकरों) में ख़ुश-ख़ुश रहा करता था (यहाँ तक कि ख़ुशी की ज़्यादती में आख़िरत

को झुठलाया करता था जैसा कि आगे इरशाद है, कि) उसने ख़्याल कर रखा था कि उसको (ख़ुदा की तरफ़) लौटना नहीं है।

(आगे इस ख़्याल का रद्द है कि लौटना) क्यों न होता, (आगे लौटने के बाद जज़ा को साबित किया गया है कि) उसका रब उसको ख़ूब देखता था। (आगे उसके आमाल पर जज़ा देना अल्लाह की तरफ़ से तय हो चुका था इसलिये जज़ा का मिलना ज़रूरी था) सो (इस बिना पर) मैं क़सम खाकर कहता हूँ शफ़क़ की "यानी उस सुर्ख़ी की जो सुबह को सूरज के निकलने से पहले और शाम को सूरज के छुपने के बाद दिखाई देती है", और रात की और उन चीज़ों की जिनको रात समेट (कर जमा कर) लेती है (मुराद वो सब जानदार हैं जो रात को आराम करने के लिये अपने-अपने ठिकानों में आ जाते हैं) और चाँद की जब वह पूरा हो जाये (यानी कामिल हो जाये। इन सब चीज़ों की क़सम खाकर कहता हूँ) कि तुम लोगों को ज़रूर एक हालत के बाद दूसरी हालत पर पहुँचना है (यह तफ़सील है 'या अय्युहल्-इन्सानु .... मुलाक़ीहि' की। पस वहाँ जिन्स "जाति" को ख़िताब था यहाँ तमाम अफ़राद को ख़िताब है, वहाँ अ़मल से मिलने का ज़िक्र संक्षिप्त रूप से फ़रमाया, यहाँ उस चीज़ की तफ़सील है जिससे मेहशर के दिन मिलेगा या उसके सामने आयेगी, और वो हालतें एक मौत है, उसके बाद बर्ज़ख़ के हालात, उसके बाद क़ियामत के हालात, फिर ख़ुद उनमें भी अनेकता व अधिकता है। और इन क़समों के लिये मौक़े के मुनासिब होना इस तरह है कि रात के हालात का अलग होना कि पहले शफ़क़ ज़ाहिर होती है फिर ज़्यादा रात आती है तो सब सो जाते हैं, और फिर एक रात का दूसरी रात से चाँद की रोशनी में कम ज़्यादा होने में भिन्न और अलग होना, यह सब मिलता-जुलता है मौत के बाद आने वाले हालात के भिन्न और अलग होने से। साथ ही यह बात है कि मौत से आख़िरत का जहान शुरू होता है जैसे शफ़क़ से रात शुरू होती है, फिर बर्ज़ख़ के आ़लम में रहना ऐसा है जैसे लोग सो जाते हैं, और चाँद का पूरा होना उसके घटने और नज़र न आने के बाद ऐसा है जैसे दुनिया के फ़ना होने के बाद क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होना) सो (बावजूद इन चीज़ों के जो कि ख़ौफ़ और ईमान के जमा होने का तक़ाज़ा करती हैं) उन लोगों को क्या हुआ कि ईमान नहीं लाते। और (जब उनके बैर और दुश्मनी की यह हालत है कि) जब उनके सामने क़ुरआन पढ़ा जाता है तो उस वक़्त भी अल्लाह तआ़ला की तरफ़ नहीं झुकाते, बल्कि (बजाय झुकने के) ये काफ़िर (और उल्टा) झुठलाते हैं। और अल्लाह तआ़ला को सब ख़बर है जो कुछ ये लोग (बुरे आमाल का ज़ख़ीरा) जमा कर रहे हैं। सो (इन कुफ़्रिया आमाल के सबब) आप उन लोगों को एक दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर दे दीजिये। लेकिन जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे अ़मल किये, उनके लिये (आख़िरत में) ऐसा अज्र है जो कभी बन्द और ख़त्म होने वाला नहीं (नेक अ़मल की क़ैद शर्त के तौर पर नहीं सबब के तौर पर है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत में क़ियामत के हालात, हिसाब-किताब और नेक व बद की जज़ा व सज़ा का,

फिर ग़ाफ़िल इनसान को ख़ुद उसकी ज़ात और आस-पास के हालात में ग़ौर करने और उनसे अल्लाह और क़ुरआन पर ईमान लाने तक पहुँचने की हिदायत है। इसमें पहले आसमान के फटने का ज़िक्र है फिर ज़मीन का, कि जो कुछ उसके पेट में है चाहे वह ख़ज़ाने-दफ़ीने हों या इनसानों के मुर्दा जिस्म वह सब उगलकर निकाल देगी और मेहशर के लिये एक नई ज़मीन तैयार होगी जिसमें न कोई ग़ार, पहाड़ होगा न तामीर और दरख़्त, एक साफ़ बराबर सतह होगी उसको खींचकर बढ़ा दिया जायेगा ताकि पहले और बाद के तमाम अफ़राद उस पर जमा हो सकें। यह बयान दूसरी सूरतों में मुख़्तलिफ़ उनवानों से आया है, यहाँ एक नई अधिक बात यह है कि आसमान और ज़मीन दोनों पर जो तसर्रुफ़ हक़ तआ़ला की तरफ़ से क़ियामत के रोज़ होगा उसके मुताल्लिक़ फ़रमायाः

وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ ○

अज़ि-न के मायने हैं सुन लिया, और मुराद सुनने से सुनकर उस पर अ़मल करना है, और हुक़्क़त के मायने यह हैं कि हक़ वाजिब था कि वह अल्लाह के उस हुक्म की इताअ़त करे।

अल्लाह के अहकाम की दो क़िस्में

यहाँ आसमान व ज़मीन के इताअ़त और हुक्म की तामील करने के दो मायने हो सकते हैं क्योंकि अल्लाह के अहकाम दो तरह के होते हैं- एक तशरीई अहकाम जिनमें एक क़ानून बतलाया जाता है और उसकी ख़िलाफ़वर्ज़ी (हुक्म के ख़िलाफ़ करने) की सज़ा बतला दी जाती है मगर करने वाले को उसके किसी रुख़ और दिशा पर बिल्कुल मजबूर नहीं किया जाता बल्कि उसको एक दर्जे में इख़्तियार दिया जाता है, वह अपने इख़्तियार से उस क़ानून की पाबन्दी करे या ख़िलाफ़वर्ज़ी, और ऐसे अहकाम उमूमन उन मख़्लूक़ात पर आ़यद होते हैं जो अ़क़्ल वाले कहलाते हैं जैसे इनसान और जिन्नात, यहीं से उनमें मोमिन व काफ़िर और फ़रमाँबरदार व नाफ़रमान की दो क़िस्में पैदा हो जाती हैं। दूसरी क़िस्म अहकाम की तक्वीनी और तक़दीरी अहकाम हैं, उनको नाफ़िज़ करना जबरी (ग़ैर-इख़्तियारी) होती है, किसी की मजाल नहीं कि बाल बराबर उनके ख़िलाफ़ कर सके, उन अहकाम की तामील तमाम मख़्लूक़ात जबरन करती है, उनमें इनसान और जिन्नात भी दाख़िल हैं। तक्वीनी अहकाम में उनके लिये जो कुछ मुक़द्दर कर दिया गया है मोमिन हो या काफ़िर, मुतक़्क़ी हो या फ़ासिक़, सब के सब उसी तक़दीरी क़ानून के ताबे चलने पर मजबूर हैं।

ज़र्रा-ज़र्रा दह्र का पाबस्ता-ए-तक़दीर है ज़िन्दगी के ख़्वाब की जामी यही ताबीर है

इस जगह यह हो सकता है कि आसमान व ज़मीन को हक़ तआ़ला ख़ास शऊर व समझ अ़ता फ़रमा दें जो मुकल्लफ़ अफ़राद में होती है, और जब उनको कोई हुक्म हक़ तआ़ला की तरफ़ से मिला, उन्होंने अपने इख़्तियार से उसकी तामील और इताअ़त की। और यह भी हो सकता है कि उस हुक्म से मुराद तक्वीनी हुक्म लिया जाये जिसमें किसी के इरादे व इख़्तियार को दख़ल ही नहीं होताः

اَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۝

के अलफ़ाज़ पहले मायने के लिये ज़्यादा क़रीब हैं, दूसरे मायने भी मुहावरे के तौर पर और दूर के मानकर बन सकते हैं।

وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ۝

'मद्दुन' के मायने खींचने और लम्बा करने के हैं। हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के दिन ज़मीन को इस तरह खींचकर फैलाया जायेगा जैसे चमड़े (या रबड़) को खींचकर बड़ा कर दिया जाता है, मगर इसके बावजूद मैदाने हश्र जो उस ज़मीन पर होगा उसमें दुनिया की शुरूआ़त से लेकर क़ियामत तक के तमाम इनसान जमा होंगे, तो सूरत यह होगी कि एक आदमी के हिस्से में सिर्फ़ उतनी ज़मीन होगी जिस पर उसके पाँव हैं। (हाकिम उम्दा सनद के साथ, मज़हरी)

وَاَلْقَتْ مَا فِيْهَا وَتَخَلَّتْ۝

यानी उगल देगी ज़मीन हर उस चीज़ को जो उसके पेट (अन्दर) में है और बिल्कुल ख़ाली हो जायेगी। ज़मीन के पेट में ख़ज़ाने-दफ़ीने और खनिज पदार्थ भी हैं और दुनिया की शुरूआ़त से मरने वाले इनसानों के जिस्म व ज़र्रे भी, ज़मीन एक ज़लज़ले के साथ ये सब चीज़ें अपने अन्दर से बाहर निकाल देगी।

يٰۤاَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ

'कद्हुन' के मायने किसी काम में पूरी जिद्दोजोहद और अपनी ताक़त लगा देने के हैं, और 'इला रब्बि-क' से मुराद 'इला लिक़ा-इ रब्बि-क' है, यानी इनसान की हर कोशिश व जिद्दोजोहद की इन्तिहा उसके रब की तरफ़ होने वली है।

अल्लाह की तरफ़ रुजू

इस आयत में हक़ तआ़ला ने इनसानी नस्ल (मानव जाति) को ख़िताब फ़रमाकर उसके ग़ौर व फ़िक्र के लिये एक ऐसी राह दिखाई है कि उसमें कुछ भी अ़क्ल व शऊर हो तो वह अपनी जिद्दोजोहद का रुख़ सही दिशा की तरफ़ फेर सकता है जो उसको दुनिया व दीन में सलामती और आ़फ़ियत की ज़मानत दे। पहली बात तो यह इरशाद फ़रमाई कि इनसान नेक हो या बद, मोमिन हो या काफ़िर अपनी फ़ितरत से इसका आ़दी है कि कुछ न कुछ हरकत करे और किसी न किसी चीज़ को अपना मक़सद (लक्ष्य) बनाकर उसको हासिल करने के लिये जिद्दोजोहद और मेहनत बरदाश्त करे। जिस तरह एक शरीफ़ नेक आ़दत वाला इनसान अपनी रोज़ी और ज़िन्दगी की ज़रूरतों को हासिल करने में फ़ितरी और जायज़ तरीक़ों को इख़्तियार करता है और उनमें अपनी मेहनत व ऊर्जा ख़र्च करता है, बदकार व बुरी अ़दत वाला इनसान भी अपने मक़ासिद कहीं बिना मेहनत और बिना जिद्दोजोहद के हासिल नहीं कर सकता। चोर डाकू बदमाश धोखे फ़रेब से लूट-खसौट करने वालों को देखो कैसी-कैसी ज़ेहनी और जिस्मानी मेहनत बरदाश्त करते

हैं, तब उनको उनका मकसद हासिल होता है।

दूसरी बात यह बतलाई कि अ़क्लमन्द इनसान अगर ग़ौर करे तो उसकी तमाम चलत-फिरत और गतिविधि बल्कि एक जगह ठहरे रहना भी एक सफ़र की मन्ज़िलें हैं जिसको वह ग़ैर-शऊरी तौर पर पूरा कर रहा है, जिसकी इन्तिहा अल्लाह तआ़ला के सामने हाज़िरी यानी मौत है, इला रब्बि-क में इसी का बयान है। और यह इन्तिहा ऐसी हक़ीक़त है कि जिसका किसी को इनकार नहीं हो सकता कि इनसान की हर जिद्दोजोहद और मेहनत मौत पर ख़त्म होना यक़ीनी है।

तीसरी बात यह बतलाई कि मौत के बाद अपने रब के सामने हाज़िरी के वक़्त उसकी तमाम हरकतें व आमाल और हर जिद्दोजोहद का हिसाब होना अ़क्ल व इन्साफ़ की रू से ज़रूरी है ताकि नेक व बद का अन्जाम अलग-अलग मालूम हो सके, वरना दुनिया में तो इसका कोई फ़र्क़ व भेद नहीं होता। एक नेक आदमी एक महीना मेहनत मज़दूरी करके अपना रिज़्क़ और जो ज़रूरतें हासिल करता है, चोर डाकू उसको एक रात में हासिल कर लेते हैं। अगर कोई वक़्त हिसाब का और जज़ा सज़ा का न आये तो दोनों बराबर हो गये जो अ़क्ल व इन्साफ़ के ख़िलाफ़ है। आख़िर में फ़रमाया 'फ़मुलाक़ीहि' मुलाक़ीहि (उससे मिलना है) में उस से मुराद कदह भी हो सकता है तो मायने यह होंगे कि जो जिद्दोजोहद यहाँ इनसान कर रहा है आख़िरकार अपने रब के पास पहुँचकर अपनी उस कमाई से मिलेगा, और उसके अच्छे या बुरे परिणाम उसके सामने आ जायेंगे, और यह भी हो सकता है कि मुलाक़ीहि में जिससे मिलने की बात है उससे मुराद रब हो, और मायने यह होंगे कि हर इनसान आख़िरत में अपने रब से मिलने वाला और हिसाब के लिये उसके सामने पेश होने वाला है।

आगे नेक व बद और मोमिन व काफ़िर इनसानों के अलग-अलग अन्जाम का ज़िक्र है जिसकी शुरूआ़त आमाल नामे का दाहिने या बायें हाथ में आ जाना है। दाहिने वालों को जन्नत की हमेशा वाली नेमतों की ख़ुशख़बरी, और बायें वालों को दोज़ख़ के अ़ज़ाब की इत्तिला मिल जाती है। इस मजमूए पर अगर इनसान ग़ौर करे कि ज़िन्दगी की ज़रूरतें बल्कि अपने नफ़्स की ग़ैर-ज़रूरी पसन्दीदा चीज़ों को भी हासिल तो नेक व बद दोनों ही कर लेते हैं, इस तरह दुनिया की ज़िन्दगी दोनों की गुज़र जाती है मगर उन दोनों के अन्जाम में ज़मीन व आसमान का फ़र्क़ है, एक के नतीजे में हमेशा की, कभी न ख़त्म होने वाली राहत ही राहत है, दूसरे के नतीजे में हमेशा की मुसीबत व अ़ज़ाब है। फिर क्यों न इनसान इस अन्जाम को आज ही सोच-समझकर अपनी कोशिश व मेहनत और अ़मल का रुख़ उस तरफ़ फेर दे जो दुनिया में भी इसकी ज़रूरतों को पूरा कर दे और आख़िरत की हमेशा की नेमत भी इसको हासिल रहे।

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِیَ کِتٰبَهٗ بِیَمِیْنِهٖ فَسَوْفَ یُحَاسَبُ حِسَابًا یَّسِیْرًا ۝ وَّیَنْقَلِبُ اِلٰۤی اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ۝

इसमें मोमिनों का हाल बयान फ़रमाया है कि उनके नामा-ए-आमाल दाहिने हाथ में दिये जायेंगे और उनसे बहुत आसान हिसाब लेकर जन्नत की ख़ुशख़बरी दे दी जायेगी, और वह अपने घर वालों के पास ख़ुश-ख़ुश वापस होगा।

सही बुख़ारी की एक हदीस में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

مَنْ حُوْسِبَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ عُذِّبَ.

यानी क़ियामत के दिन जिससे हिसाब लिया जाये वह अज़ाब से न बचेगा। इस पर हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया कि क्या क़ुरआन में हक़ तआ़ला का यह इरशाद नहीं हैः

يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ○

नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इस आयत में जिसको आसान हिसाब फ़रमाया वह दर हक़ीक़त मुकम्मल हिसाब नहीं बल्कि सिर्फ़ रब्बुल-इ़ज़्ज़त के सामने पेशी है, और जिस शख़्स से उसके आमाल का पूरा-पूरा हिसाब लिया गया वह हरगिज़ अज़ाब से न बचेगा।

इस हदीस से मालूम हुआ कि मोमिनों के आमाल भी रब्बुल-इ़ज़्ज़त के सामने पेश तो सब होंगे मगर उनके ईमान की बरकत से उनके हर-हर अ़मल पर जिरह व बहस नहीं होगी, इसी का नाम हिसाबे यसीर (आसान हिसाब) है। और अपने घर वालों की तरफ़ ख़ुश-ख़ुश वापस होने के दो मायने हो सकते हैं- या तो घर वालों से मुराद जन्नत की हूरें हैं जो वहाँ उसके घर वालों में होंगी और यह भी मुम्किन है कि दुनिया में जो उसके अहल व अ़याल थे मेहशर के मैदान में जब हिसाब के बाद क़ामयाबी होगी तो दुनिया की आ़दत के मुताबिक़ उसकी ख़ुशख़बरी सुनाने उनके पास जाये, तफ़सीर के इमामों ने दोनों संभावनायें बयान फ़रमाई हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

فَسَوْفَ يَدْعُوْا ثُبُوْرًا ○

यानी जिसका आमाल नामा उसकी पुश्त की तरफ़ से उसके बायें हाथ में दिया जायेगा वह वहाँ इसकी तमन्ना करेगा कि काश वह भी मरकर मिट्टी हो जाये और अ़ज़ाब से बच जाये मगर वहाँ यह नामुम्किन होगा, बल्कि उसको जहन्नम में दाख़िल कर दिया जायेगा। इसकी एक वजह यहाँ यह इरशाद फ़रमाई कि वह दुनिया में अपने अहल व अ़याल (घर वालों और बाल-बच्चों) में आख़िरत से बेफ़िक्र होकर मगन और ख़ुश रहा करता था, बख़िलाफ़ मोमिनों के कि उनको दुनिया की ज़िन्दगी में कभी बेफ़िक्री नहीं होती, हर ऐश व राहत के वक़्त भी आख़िरत की फ़िक्र ज़रूर लगी रहती है जैसा कि क़ुरआने करीम ने उनका हाल बयान फ़रमाया हैः

اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِيْٓ اَهْلِنَا مُشْفِقِيْنَ ○

यानी हम तो अपने अहल व अ़याल (घर वालों) में रहते हुए भी आख़िरत का ख़ौफ़ रखते थे। इसलिये उन दोनों फ़रीक़ों का अन्जाम उनके मुनासिब हुआ। जो दुनिया में अपने अहल व अ़याल के साथ आख़िरत से बेफ़िक्र होकर ऐश व आराम और ख़ुशी व मुसर्रत में गुज़ारते थे आज उनके हिस्से में यह जहन्नम का अ़ज़ाब आयेगा, और जो लोग दुनिया में आख़िरत के हिसाब व अ़ज़ाब से डरते रहते थे उनको वहाँ मुसर्रत व ख़ुशी हासिल होगी, और अब वे अपने

अहल व अयाल में हमेशा बाक़ी रहने वाली ख़ुशी के साथ रहेंगे। इससे मालूम हुआ कि दुनिया की राहतों में मस्त व ख़ुश हो जाना मोमिन का काम नहीं, उसको किसी वक़्त किसी हाल में आख़िरत के हिसाब से बेफ़िक्री नहीं होती।

فَلَآ اُقْسِمُ بِالشَّفَقِo

इस आयत में हक़ तआ़ला ने चार चीज़ों की क़सम के साथ ताकीद करके इनसान को फिर उस चीज़ की तरफ़ मुतवज्जह किया है जिसका कुछ ज़िक्र पहलेः

اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا

में आ चुका है। ये चारों चीज़ें जिनकी क़सम खाई है अगर ग़ौर करो तो उस मज़मून की गवाह व सुबूत हैं जो क़सम के जवाब में आने वाला है, यानी इनसान को एक हाल पर क़रार नहीं, उसके हालात और दर्जे हर वक़्त बदलते रहते हैं। पहली चीज़ **शफ़क़** है यानी वह सुर्ख़ी जो सूरज ग़ुरूब होने के बाद आसामन के पश्चिमी किनारे में होती है, यह रात की शुरूआत है जो इनसानी हालात में एक बदलाव की शुरूआत है, कि रोशनी जा रही है और अंधेरे का सैलाब आ रहा है। उसके बाद ख़ुद रात की क़सम है जो इस तब्दीली को मुकम्मल करती है। उसके बाद उन तमाम चीज़ों की क़सम है जिनको रात का अंधेरा अपने अन्दर जमा कर लेता है। **वसक़** के असल मायने जमा कर लेने के हैं, इसके आ़म मायने मुराद लिये जायें तो उसमें तमाम दुनिया की कायनात दाख़िल हैं जो रात के अंधेरे में छुप जाती हैं, इसमें हैवानात, पेड़-पौधे, एक जगह जमी हुई बेजान चीज़ें, पहाड़ और दरिया सभी शामिल हैं। और जमा कर लेने की मुनासबत से यह मायने भी हो सकते हैं कि वो चीज़ें जो आ़दतन दिन की रोशनी में फैली और बिखरी हुई रहती हैं रात के वक़्त वो सब सिमटकर अपने-अपने ठिकानों में जमा हो जाती हैं, इनसान अपने घर में, हैवानात अपने-अपने घरों और घौंसलों में जमा हो जाते हैं, कारोबार में फैले हुए सामानों को समेटकर इकट्ठा कर दिया जाता है, यह एक बड़ा बदलाव ख़ुद इनसान और उससे संबन्धत चीज़ों में है। चौथी चीज़ जिसकी क़सम खाई गयी वह 'वल्-क़-मरि इज़त्त-स-क़' है। यह भी **वसक़** से निकला है जिसके मायने जमा कर लेने के हैं। चाँद के जमा कर लेने से मुराद यह है कि वह अपनी रोशनी को जमा करे और यह चौदहवीं रात में होता है जबकि चाँद बिल्कुल मुकम्मल होता है। 'इज़त्त-स-क़' का लफ़्ज़ चाँद के मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ और हालात की तरफ़ इशारा है कि पहले एक बहुत ही हल्का कमज़ोर कमान की शक्ल में होता है, फिर उसकी रोशनी रोज़ कुछ तरक़्क़ी करती है यहाँ तक कि बदर-ए-कामिल (चौदहवीं रात का चाँद) हो जाता है। निरंतर और एक के बाद एक हालात के बदलने पर गवाही व सुबूत देने वाली चार चीज़ों की क़सम खाकर हक़ तआ़ला ने फ़रमायाः

لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍo

जो चीज़ें तह पर तह (यानी एक के ऊपर एक) होती हैं उसकी एक तह को तबक़ या तब्क़ा कहते हैं, बहुवचन तबक़ात आती है। 'लतर्‌कबुन्‌-न' रकूब से निकला है जिसके मायने

सवार होने के हैं, मायने यह हैं कि ऐ इनसानो! तुम हमेशा एक तब्क़े से दूसरे तब्क़े पर सवार होते और चढ़ते चले जाओगे, यानी इनसान अपनी पैदाईश की इब्तिदा (शुरूआत) से इन्तिहा (आख़िर) तक किसी वक़्त एक हाल पर नहीं रहता बल्कि उसके वजूद पर दर्जा-ब-दर्जा (चरणबद्ध तरीक़े से) इन्क़िलाबात (बदलाव) आते रहते हैं।

इनसानी वजूद में बेशुमार इन्क़िलाबात, हमेशा का सफ़र और उसकी आख़िरी मन्ज़िल

नुत्फ़े (वीर्य के क़तरे) से जमा हुआ ख़ून बना, फिर उससे गोश्त का एक टुकड़ा बना, फिर उसमें हड्डियाँ पैदा हुई, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ा और अंगों की तकमील हुई, फिर उसमें रूह लाकर डाली गयी और वह एक ज़िन्दा इनसान बना जिसकी गिज़ा माँ के पेट के अन्दर रहम (बच्चेदानी) का गन्दा ख़ून था, नौ महीने के बाद अल्लाह ने उसके दुनिया में आने का रास्ता आसान कर दिया और गन्दी गिज़ा की जगह माँ का दूध मिलने लगा। दुनिया की खुली फ़िज़ा और हवा देखी, बढ़ने और फलने-फूलने लगा, दो बरस के अन्दर चलने-फिरने और बोलने की ताक़त भी हरकत में आई, माँ का दूध छूटकर उससे ज़्यादा मज़ेदार और तरह-तरह की गिज़ायें मिलीं, खेलकूद और बेकार की चीज़ें उसके दिन रात का मशगला बना। कुछ होश व शऊर बढ़ा तो तालीम व तरबियत के शिकन्जे में कसा गया, जवान हुआ तो पिछले सब काम छूटकर जवानी की इच्छाओं ने उनकी जगह ले ली और एक नया जहान शुरू हुआ। निकाह शादी, औलाद और घरेलू ज़िम्मेदारियाँ दिन-रात का मशगला न गये। आख़िर यह दौर भी ख़त्म होने लगा, बदनी ताक़तें कमज़ोर हुई और कमज़ोरी पैदा हुई, बीमारियाँ आये दिन रहने लगीं, बुढ़ापा आ गया और इस जहान की आख़िरी मन्ज़िल यानी क़ब्र तक पहुँचने के सामान होने लगे।

ये तमाम चीज़ें तो सब की आँखों के सामने होती हैं, किसी को इनकार की मजाल नहीं, मगर हक़ीक़त से नावाक़िफ़ इनसान समझता है कि यह मौत और क़ब्र उसकी आख़िरी मन्ज़िल है, आगे कुछ नहीं, अल्लाह तआ़ला जो ख़ालिक़े कायनात और अ़लीम व ख़बीर है उसने आगे आने वाले मर्हलों को अपने नबियों के ज़रिये ग़ाफ़िल इनसान तक पहुँचाया कि क़ब्र तेरी आख़िरी मन्ज़िल नहीं बल्कि यह सिर्फ़ एक इन्तिज़ार गाह (प्रतीक्षालय) है, आगे एक बड़ा जहान आने वाला है और उसमें एक बड़े इम्तिहान के बाद इनसान की आख़िरी मन्ज़िल मुक़र्रर हो जायेगी जो या तो हमेशा के राहत व आराम की होगी या फिर हमेशा के अ़ज़ाब व मुसीबत की। और इस आख़िरी मन्ज़िल पर ही इनसान अपने असल ठिकाने पर पहुँचकर इन्क़िलाबात (तब्दीलियों और अलट-फेर) के चक्कर से निकलेगा, क़ुरआने करीम नेः

إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ۝

औरः

اِلٰى رَبِّكَ الْمُنْتَهٰىo

और:

كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ

में यही मज़मून बयान फ़रमाकर ग़फ़लत में पड़े इनसान को हक़ीक़त और उसकी आख़िरी मन्ज़िल से आगाह और उस पर चेताया कि उम्र दुनिया के तमाम हालात और तब्दीलियाँ आख़िरी मन्ज़िल तक जाने का सफ़र और उसके दर्जे व चरण हैं और इनसान चलते फिरते सोते जागते खड़े बैठे हर हाल में उस सफ़र की मन्ज़िलें तय कर रहा है, और आख़िरकार अपने रब के पास पहुँचता है और उम्र भर के आमाल का हिसाब देकर आख़िरी मन्ज़िल में क़रार पाता है, जहाँ या तो राहत ही राहत और कभी ख़त्म न होने वाला आराम ही आराम है, या फिर अल्लाह अपनी पनाह में रखे, अ़ज़ाब ही अ़ज़ाब और कभी न ख़त्म होने वाली मुसीबतें हैं। तो अ़क़्लमन्द इनसान का काम यह है कि दुनिया में अपने आपको एक मुसाफ़िर समझे और अपने असली वतन के लिये सामान तैयार करने और भेजने की फ़िक्र ही को दुनिया का सबसे बड़ा मक़सद बनाये। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

كُنْ فِى الدُّنْيَا كَاَنَّكَ غَرِيْبٌ اَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.

यानी दुनिया में इस तरह रहो जैसे कोई मुसाफ़िर चन्द दिन के लिये कहीं ठहर गया हो, या किसी रहगुज़र में चलते-चलते कुछ देर आराम के लिये रुक गया हो।

'त-बक़न् अ़न त-बक़िन्' की तफ़सीर जो ऊपर बयान की गयी है अबू नुऐम ने हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इसी मज़मून की रिवायत की है, यह लम्बी हदीस इस जगह इमाम क़ुर्तुबी ने अबू नुऐम के हवाले से और इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने अबी हातिम के हवाले से तफ़सील से नक़ल की है। इन आयतों में ग़ाफ़िल इनसान को उसकी पैदाईश और दुनिया की उम्र में उसको पेश आने वाले हालात और तब्दीलियाँ सामने करके यह हिदायत दी कि ग़ाफ़िल अब भी वक़्त है कि अपने अन्जाम पर ग़ौर और आख़िरत की फ़िक्र कर, मगर इन तमाम रोशन हिदायतों के बावजूद बहुत से लोग अपनी ग़फ़लत से बाज़ नहीं आते, इसलिये आख़िर में इरशाद फ़रमायाः

فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَo

यानी इन ग़ाफ़िल व जाहिल इनसानों को क्या हो गया कि यह सब कुछ सुनने और जानने के बाद भी अल्लाह पर ईमान नहीं लातेः

وَاِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْاٰنُ لَا يَسْجُدُوْنَo

यानी जब उनके सामने इन स्पष्ट हिदायतों से भरा हुआ क़ुरआन पढ़ा जाता है उस वक़्त भी वे अल्लाह की तरफ़ नहीं झुकते।

सज्दा और सुजूद के मायने लुग़त में झुकने के हैं और यह बात मानने और फ़रमाँबरदारी

की एक हालत है। ज़ाहिर यह है कि इस जगह सज्दे से मुराद इस्तिलाही सज्दा नहीं बल्कि अल्लाह के सामने इताअ़त (फ़रमाँबरदारी) के साथ झुकना जिसको ख़ुशूअ़ व ख़ुज़ूअ़ कहते हैं वह मुराद है, और वजह इसकी यह खुली हुई है कि इस आयत में सज्दे का हुक्म किसी ख़ास आयत के मुताल्लिक़ नहीं बल्कि पूरे क़ुरआन के मुताल्लिक़ है, अगर इससे इस्तिलाही सज्दा मुराद लिया जाये तो यह लाज़िम आयेगा कि पूरे क़ुरआन की हर आयत पर सज्दा लाज़िम हो, और उम्मत इस पर सहमत है कि ऐसा नहीं। पहले और बाद के तमाम उलेमा में कोई इसका क़ायल नहीं।

अब रहा यह मसला कि इस आयत के पढ़ने और सुनने पर सज्दा वाजिब है या नहीं तो अगरचे किसी क़द्र तावील (ग़ैर-मशहूर मतलब) के साथ इस आयत से भी सज्दे के वाजिब होने पर दलील ली जा सकती है जैसा कि कुछ हनफ़ी फ़ुक़हा ने कहा है कि यहाँ 'अल्-क़ुरआन' से मुराद पूरा क़ुरआन नहीं बल्कि 'अलिफ़ लाम' अ़हद का है और इससे मुराद ख़ास यही आयत है, लेकिन यह एक क़िस्म की तावील ही है जो गुमान व संभावना के दर्जे में तो सही कही जा सकती है मगर इसका क़ुरआन की मुराद होना इबारत के ज़ाहिर से दूर की बात मालूम होता है वल्लाहु आलम। इसलिये सही बात यह है कि इसका फ़ैसला हदीस की रिवायतों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम के अ़मल व तरीक़े से हो सकता है, मगर हदीस की रिवायतें सज्दा-ए-तिलावत के मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ क़िस्म की आई हैं, कुछ से वाजिब होना मालूम होता है कुछ से रुख़्सत (छूट और रियायत), इसी लिये मुज्तहिद इमामों का इस मामले में इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है, इमामे आज़म अबू हनीफ़ा रह. के नज़दीक इस आयत पर भी सज्दा वाजिब है जैसा कि मुफ़स्सल की दूसरी आयतों पर वाजिब है। इमामे आज़म की दलील इसके वाजिब होन पर निम्नलिखित हदीसों से है-

सही बुख़ारी में है कि हज़रत अबू राफ़ेअ़ रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने एक रोज़ इशा की नमाज़ हज़रत अबू हुरैरह रज़ि. के पीछे पढ़ी, उन्होंने सूरः 'इज़स्समाउन्शक़्क़त्' की तिलावत नमाज़ में की और इस आयत पर सज्दा किया, मैंने अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से पूछा कि यह कैसा सज्दा है? उन्होंने फ़रमाया कि मैंने अबुल-क़ासिम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पीछे नमाज़ में इस आयत पर सज्दा किया है इसलिये मैं हमेशा इस आयत पर सज्दा करता रहूँगा जब तक कि मेहशर में आप से मुलाक़ात हो। और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के साथ सूरः 'इज़स्समाउन्शक़्क़त्' में और 'सूरः इक़्रअ् बिस्मि रब्बिकल्लज़ी' में सज्दा किया है। इमाम क़ुर्तुबी ने इब्ने अ़रबी से नक़ल किया है कि सही यही है कि यह आयत भी सज्दे की आयतों में से है इसके पढ़ने और सुनने वाले पर सज्दा वाजिब है। मगर इब्ने अ़रबी जिन लोगों में मुक़ीम थे उनमें इस आयत पर सज्दा करने का रिवाज नहीं था, वे किसी ऐसे इमाम के पैरो होंगे जिनके नज़दीक सज्दा वाजिब नहीं, तो इब्ने अ़रबी कहते हैं कि मैंने यह तरीक़ा इख़्तियार कर लिया कि जब कहीं इमामत करूँ तो सूरः इन्शिक़ाक़ नहीं पढ़ता क्योंकि मेरे नज़दीक इस पर सज्दा वाजिब है, अगर सज्दा नहीं करता तो गुनाहगार होता हूँ और अगर करता हूँ तो पूरी जमाअ़त मेरे इस

फ़ेल (अमल) को बुरा समझेगी, बिला वजह इख़्तिलाफ़ (झगड़ा) क्यों डाला जाये। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-इन्शिक़ाक़ की तफ़सीर आज शाबान की 16 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-इन्शिक़ाक़ की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-बुरूज

सूरः अल्-बुरूज मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 22 आयतें हैं।

آياتها ٢٢ (٨٥) سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ (٢٧) ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَاۤءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ ۝ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ ۝ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ ۝ قُتِلَ اَصْحٰبُ الْاُخْدُوْدِ ۝ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ ۝ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُوْدٌ ۝ وَّهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُوْنَ بِالْمُؤْمِنِيْنَ شُهُوْدٌ ۝ وَمَا نَقَمُوْا مِنْهُمْ اِلَّآ اَنْ يُّؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ ۝ الَّذِيْ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيْدٌ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ۗ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيْرُ ۝ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيْدٌ ۝ اِنَّهٗ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيْدُ ۝ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الْوَدُوْدُ ۝ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيْدُ ۝ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيْدُ ۝ هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْجُنُوْدِ ۝ فِرْعَوْنَ وَثَمُوْدَ ۝ بَلِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ تَكْذِيْبٍ ۝ وَّاللّٰهُ مِنْ وَّرَاۤىِٕهِمْ مُّحِيْطٌ ۝ بَلْ هُوَ قُرْاٰنٌ مَّجِيْدٌ ۝ فِيْ لَوْحٍ مَّحْفُوْظٍ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वस्समा-इ ज़ातिल्-बुरूजि (1) वल्यौमिल्-मौऊदि (2) व शाहिदिंव्-व मश्हूद (3) क़ुति-ल अस्हाबुल्	क़सम है आसमान की जिसमें बुर्ज हैं (1) और उस दिन की जिसका वायदा है (2) और उस दिन की जो हाज़िर होता है और उसकी कि जिसके पास हाज़िर होते हैं। (3) मारे गये ख़ाईयाँ खोदने वाले (4)

उख़्दूदि- (4) -न्नारि ज़ातिल्-वक़ूदि (5) इज़् हुम् अलैहा क़ुअूद (6) व हुम् अला मा यफ़्अलू-न बिल्-मुअ्मिनी-न शुहूद (7) व मा न-क़मू मिन्हुम् इल्ला अंय्युअ्मिनू बिल्लाहिल् अ़ज़ीज़िल्-हमीद (8) अल्लज़ी लहू मुल्कुस्समावाति वल्अर्ज़ि, वल्लाहु अ़ला कुल्लि शैइन् शहीद (9) इन्नल्लज़ी-न फ़-तनुल्-मुअ्मिनी-न वल्-मुअ्मिनाति सुम्-म लम् यतूबू फ़-लहुम् अ़ज़ाबु जहन्न-म व लहुम् अ़ज़ाबुल्-हरीक़ (10) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति लहुम् जन्नातुन् तज्री मिन् तह्तिहल्-अन्हारु, ज़ालिकल् फ़ौज़ुल्-कबीर (11) इन्-न बत्-श रब्बि-क ल-शदीद (12) इन्नहू हु-व युब्दिउ व युअ़ीद (13) व हुवल्-ग़फ़ूरुल्-वदूद (14) ज़ुल्-अ़र्शिल्-मजीद (15) फ़अ़्आलुल्-लिमा युरीद (16) हल् अता-क हदीसुल्-जुनूद (17) फ़िरऔ-न व समूद (18) बलिल्लज़ी-न क-फ़रू फ़ी तक्ज़ीबिंव- (19) -वल्लाहु मिंव्वरा-इहिम्-मुहीत (20) बल् हु-व क़ुरआनुम् मजीद (21) फ़ी लौहिम्-मह्फ़ूज़ (22) ✿

आग है बहुत ईंधन वाली (5) जब वे उस पर बैठे (6) और जो कुछ वे करते मुसलमानों के साथ अपनी आँखों से देखते। (7) और उनसे बदला न लेते थे मगर इसी बात का कि वे यक़ीन लाये अल्लाह पर जो ज़बरदस्त है तारीफ़ों वाला (8) जिसका राज है आसमानों में और ज़मीन में, और अल्लाह के सामने है हर चीज़। (9) तहक़ीक़ जो दीन से बिचलाये ईमान वाले मर्दों को और औरतों को फिर तौबा न की तो उनके लिये अ़ज़ाब है दोज़ख़ का और उनके लिये अ़ज़ाब है आग लगे का। (10) बेशक जो लोग यक़ीन लाये और कीं उन्होंने भलाईयाँ उनके लिये बाग़ हैं जिनके नीचे बहती हैं नहरें, यह है बड़ी मुराद मिलनी। (11) बेशक तेरे रब की पकड़ सख़्त है। (12) बेशक वही करता है पहली मर्तबा और दूसरी (13) और वही है बख़्शने वाला मुहब्बत करने वाला (14) मालिक अ़र्श का बड़ी शान वाला (15) कर डालने वाला जो चाहे। (16) क्या पहुँची तुझको बात उन लश्करों की (17) फ़िरऔन और समूद के। (18) कोई नहीं, बल्कि मुन्किर झुठलाते हैं (19) और अल्लाह ने उनको हर तरफ़ से घेर रखा है (20) कोई नहीं! यह क़ुरआन है बड़ी शान का लिखा हुआ (21) लौहे महफ़ूज़ में। (22) ✿

शाने नुज़ूल

इस सूरत में एक क़िस्से का संक्षिप्त रूप से ज़िक्र है जो सही मुस्लिम में बयान हुआ है। ख़ुलासा उसका यह है कि कोई काफ़िर बादशाह था, उसके पास एक काहिन था (काहिन उसको कहा जाता है जो शैतानों के ज़रिये या नजूम के आसार के ज़रिये भविष्य की कुछ ग़ैबी ख़बरें मालूम करके लोगों को बताये) उस काहिन ने बादशाह से कहा कि मुझको एक होशियार लड़का दिया जाये तो उसको अपना इल्म सिखा दूँ। चुनाँचे एक लड़का तजवीज़ किया गया, उसके रास्ते में एक राहिब यानी ईसाई पादरी रहता था और उस ज़माने में ईसा अ़लैहिस्सलाम का दीन ही हक़ दीन था, और यह राहिब उसी पर क़ायम इबादत-गुज़ार था। वह लड़का उसके पास आने जाने लगा और ख़ुफ़िया मुसलमान हो गया।

एक बार उस लड़के ने देखा कि किसी शेर ने रास्ता रोक रखा है और अल्लाह की मख़्लूक़ परेशान है तो उसने एक पत्थर हाथ में लेकर दुआ़ की कि ऐ अल्लाह! अगर राहिब का दीन सच्चा है तो यह जानवर मेरे पत्थर से मारा जाये, और अगर काहिन सच्चा है तो न मारा जाये, और यह कहकर वह पत्थर मारा तो शेर को लगा और वह हलाक हो गया। लोगों में शोर हो गया कि इस लड़के को कोई अ़जीब इल्म आता है, किसी अंधे ने सुना, आकर दरख़्वास्त की मेरी आँखें अच्छी हो जायें, लड़के ने कहा बशर्ते कि तू मुसलमान हो जाये चुनाँचे उसने क़ुबूल किया, लड़के ने दुआ़ की वह अच्छा हो गया और मुसलमान हो गया। बादशाह को ये ख़बरें पहुँचीं तो उस राहिब और उस लड़के और उस नाबीना को गिरफ़्तार करके बुलाया, उसने राहिब और अंधे को तो क़त्ल करा दिया और लड़के के लिये हुक्म दिया कि पहाड़ के ऊपर लेजाकर गिरा दिया जाये, मगर जो लोग उसको ले गये थे वे ख़ुद गिरकर हलाक हो गये और लड़का सही सालिम चला आया। फिर बादशाह ने समन्दर में ग़र्क़ करने का हुक्म दिया, वह उससे भी बच गया और जो लोग उसको ले गये थे वे सब डूब गये।

फिर ख़ुद लड़के ने बादशाह से कहा मुझको बिस्मिल्लाह कहकर तीर मारो तो मैं मर जाऊँगा, चुनाँचे ऐसा ही किया गया और लड़का मर गया। पस इस अ़जीब वाक़िए को देखकर एकदम आ़म लोगों की ज़बान से नारा बुलन्द हुआ कि हम सब अल्लाह पर ईमान लाते हैं। बादशाह बड़ा परेशान हुआ और हुकूमत के अहलकारों के मश्चिरे से बड़ी-बड़ी ख़न्दक़ें आग से भरवाकर ऐलान करा दिया कि जो शख़्स इस्लाम से न फिरेगा उसको आग में जला देंगे, चुनाँचे बहुत आदमी जलाये गये। इस सूरत में उन पर अल्लाह का ग़ज़ब नाज़िल होने का बयान क़सम के साथ फ़रमाया है।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है बुर्जों वाले आसमान की (बुर्जों से मुराद बड़े-बड़े सितारे हैं, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में मरफ़ूअ़न रिवायत है), और (क़सम) है वायदा किए हुए दिन (यानी क़ियामत के दिन)

की, और हाज़िर होने वाले की, और (क़सम है) उस (दिन) की जिसमें (लोगों की) हाज़िरी होती है (तिर्मिज़ी की हदीस में मरफ़ूअन है कि 'वायदा किया गया दिन' क़ियामत का दिन है, और 'हाज़िर होने वाला' जुमे का दिन है और 'जिस दिन में लोगों की हाज़िरी हो' वह अ़रफ़े का दिन है, और एक दिन को शाहिद और दूसरे को मशहूद शायद इसलिये फ़रमाया कि जुमे के दिन में तो सब अपनी-अपनी जगह रहते हैं तो गोया वह दिन ख़ुद आता है, और अ़रफ़े के दिन में हाजी हज़रात अपने-अपने मक़ामात से सफ़र करके अ़रफ़ात में उस दिन के इरादे से जमा हो जाते हैं तो गोया वह दिन मक़सूद व मशहूर और दूसरे लोग हाज़िरी का इरादा करने वाले हैं)।

(आगे क़सम का जवाब है कि) मलऊन हुए ख़न्दक़ वाले यानी बहुत-से ईंधन की आग वाले जिस वक़्त वे लोग उस (आग) के आस-पास बैठे हुए थे। और वे जो कुछ मुसलमानों के साथ (ज़ुल्म व सितम) कर रहे थे उसको देख रहे थे (उनके मलऊन होने की ख़बर देने से मोमिनों की तसल्ली होना ज़ाहिर है कि इसी तरह जो काफ़िर इस वक़्त मुसलमानों पर ज़ुल्म कर रहे हैं वे भी लानत में गिरफ़्तार होंगे जिसका असर चाहे दुनिया में भी सामने आये जैसे ग़ज़वा-ए-बदर वग़ैरह में मारे गये और ज़लील हुए या सिर्फ़ आख़िरत में जैसा कि आ़म काफ़िरों के लिये यक़ीनी है। और दुश्मन के अ़ज़ाब की ख़बर से तसल्ली होना एक तबई चीज़ है, और उन लोगों का बैठना उस ज़ुल्म व सितम के इन्तिज़ाम और निगरानी के लिये था। और लफ़्ज़ शुहूद में निगरानी के अ़लावा उन लोगों की संगदिली की तरफ़ भी इशारा है कि देखकर भी रहम न आता था, और इसको ख़ुदा तआ़ला की लानत में ख़ास दख़ल है कि यह संगदिली लानत का सबब है।)

और उन काफ़िरों ने उन मुसलमानों में कोई ऐब नहीं पाया सिवाय इसके कि वे ख़ुदा पर ईमान ले आये थे जो ज़बरदस्त (और) तारीफ़ के लायक़ है। ऐसा कि उसी की बादशाहत है आसमानों और ज़मीन की (यानी ईमान लाने पर यह मामला किया और ईमान लाना कोई ख़ता नहीं, पस बेख़ता उन पर ज़ुल्म किया, इसलिये वे लोग लानत के पात्र बने। आगे ज़ालिमों के लिये सज़ा की आ़म धमकी और मज़लूमों के लिये आ़म वायदा है) कि अल्लाह हर चीज़ से ख़ूब वाक़िफ़ है (मज़लूम की मज़लूमियत से भी, पस उसकी मदद करेगा और ज़ालिम की ज़ालिमीयत से भी तो उसको सज़ा देगा चाहे यहाँ चाहे वहाँ। चुनाँचे आगे यही मज़मून है कि) जिन्होंने मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को तकलीफ़ पहुँचाई और फिर तौबा नहीं की, तो उनके लिये जहन्नम का अ़ज़ाब है, और (ख़ास तौर पर जहन्नम में) उनके लिये जलने का अ़ज़ाब है। (अ़ज़ाब में हर तरह की तकलीफ़ दाख़िल है। साँप, बिच्छू, तौक़ ज़न्जीरें, गर्म पानी, ज़ख़्मों का धोवन और पीप वग़ैरह, और सबसे बढ़कर जलने का अ़ज़ाब है, इसलिये इसको विशेष तौर पर ज़िक्र फ़रमाया। यह तो ज़ालिम के हक़ में फ़रमाया, आगे मोमिनों के हक़ में जिनमें मज़लूम लोग भी आ गये इरशाद है कि) बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने नेक अ़मल किये उनके लिये (जन्नत के) बाग़ हैं, जिनके नीचे नहरें जारी होंगी (और) यह बड़ी कामयाबी है।

(ऊपर दो मज़मून थे- काफ़िरों के लिये जहन्नम होना और मोमिनों के लिये जन्नत होना, आगे इनके मुनासिब अपनी कुछ सिफ़ात व आमाल इन मज़मूनों की वज़ाहत के लिये इरशाद

फ़रमाते हैं कि) आपके रब की पकड़ बड़ी सख़्त है (पस काफ़िरों पर सख़्त सज़ा का पड़ना कोई मुहाल और दूर की बात नहीं, और यह कि) वही पहली बार भी पैदा करता है और वही दोबारा (क़ियामत में भी) पैदा करेगा (पस यह शुब्हा भी न रहा कि अगरचे सख़्त पकड़ है मगर क़ियामत ही न आयेगी जो कि पकड़ का वक़्त है, इससे वज़ाहत हो गयी काफ़िरों की वईद और सज़ा की धमकी की), और (आगे वज़ाहत व बयान है मोमिनों के वायदे का) वही बड़ा बख़्शने वाला (और) बड़ी मुहब्बत करने वाला (और) अ़र्श का मालिक (और) बड़ाई वाला है, (पस ईमान वालों के गुनाह माफ़ कर देगा और उनको अपना महबूब बना लेगा, और अ़र्श वाला और बड़ाई वाला अगरचे अ़ज़ाब व सवाब दोनों के देने के साथ मुताल्लिक़ हो सकता है क्योंकि जो सल्तनत का मालिक और कामिल सिफ़ात वाला हो ये चीज़ें उसके इख़्तियार में होती हैं, लेकिन यहाँ जैसा कि मुक़ाबले का मज़मून बयान हो रहा है इससे इशारा मिलता है कि इनको सवाब देने के साथ जोड़ना मक़सूद है, और आगे दोनों के सुबूत के लिये एक सिफ़त इरशाद है कि) वह जो चाहे सब कुछ कर गुज़रता है।

(आगे मोमिनों की और ज़्यादा तसल्ली और काफ़िरों को अधिक तंबीह के लिये अल्लाह के ग़ज़ब का शिकार हुए कुछ ख़ास लोगों का हाल बयान फ़रमाते हैं कि) क्या आपको उन लश्करों का क़िस्सा पहुँचा है यानी फ़िरऔ़न (और आले फ़िरऔ़न) और समूद का? (कि किस तरह कुफ़्र किया और क्योंकर अ़ज़ाब में गिरफ़्तार हुए। इससे मोमिनों को तसल्ली हासिल करनी चाहिये और काफ़िरों को डरना चाहिये, मगर काफ़िर बिल्कुल अ़ज़ाब से नहीं डरते) बल्कि ये काफ़िर (ख़ुद क़ुरआन को) झुठलाने में (लगे) हैं।

(पस झुठलाने के इस मज़मून को भी और दूसरे मज़ामीन को भी झुठलाते हैं) और (अन्जामकार इसकी सज़ा भुगतेंगे, क्योंकि अल्लाह उनको इधर-उधर से घेरे हुए है (उसके क़ब्ज़ा-ए-क़ुदरत और सज़ा से बच नहीं सकते। और उनका क़ुरआन को झुठलाना ख़ालिस बेवक़ूफ़ी है, क्योंकि क़ुरआन ऐसी चीज़ नहीं जो झुठलाने के क़ाबिल हो) बल्कि वह एक बड़ाई वाला क़ुरआन है जो लौहे-महफ़ूज़ में (लिखा हुआ) है, (जिसमें किसी तब्दीली और कमी-बेशी की संभावना व शुब्हा ही नहीं, वहाँ से बहुत ही हिफ़ाज़त के साथ पैग़म्बर के पास पहुँचाया जाता है जैसा कि अल्लाह तआ़ला ने सूरः अल्-जिन्न में फ़रमायाः

فَاِنَّهٗ يَسْلُكُ مِنْ م بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ رَصَدًا○

पस ऐसी सूरत में क़ुरआन को झुठलाना बिला शुब्हा जहालत की बात और सज़ा को वाजिब करने वाला है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ○

बुरूज बुर्ज की जमा (बहुवचन) है, यह बड़े महल या क़िले को कहा जाता है। क़ुरआने

करीम में है:

وَلَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ.

यहाँ बुरूज से मुराद महल और आलीशान मकान ही हैं, और माद्दे के लिहाज़ से बुर्ज के असल लुग़वी मायने ज़हूर (ज़ाहिर होने) के हैं। तबर्रुज के मायने बेपर्दा खुले फिरने के हैं जैसा कि क़ुरआने करीम में एक जगह इरशाद है:

وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُوْلٰى.

इस आयत में बुरूज से मुराद मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक बड़े-बड़े सितारे हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास, मुजाहिद, ज़ह्हाक, हसन बसरी, क़तादा, सुद्दी सब का यही क़ौल है और तफ़सीर के कुछ दूसरे इमामों ने इस जगह बुरूज से मुराद महल लिये हैं और इससे मुराद वो मकानात हैं जो आसमान में पहरेदारों और निगराँ फ़रिश्तों के लिये मुक़र्रर हैं। और बाद के कुछ हज़रात ने बुर्ज से मुराद वो बुर्ज बतलाये हैं जो फ़ल्सफ़ी लोगों की इस्तिलाह (परिभाषा) है कि तमाम आसमान को बारह हिस्सों में तक़सीम करके हर हिस्से को एक बुर्ज कहा जाता है। उनका ख़्याल यह है कि एक जगह जमे हुए सितारे उन्हीं बुर्जों में अपनी जगह मुक़ीम हैं और चलने-फिरने वाले सितारे आसमान की हरकत के साथ हरकत करते हैं और उन बुर्जों में सय्यारे (ग्रह) उतरते हैं। मगर यह सरासर ग़लत है, क़ुरआने करीम सय्यारों (चलने वाले सितारों) को आसमानों में केन्द्रित क़रार नहीं देता बल्कि हर सय्यारे को अपनी ज़ाती हरकत से हरकत करने वाला क़रार देता है जैसा कि सूरः यासीन की आयत में है:

وَكُلٌّ فِيْ فَلَكٍ يَّسْبَحُوْنَ○

इसमें फ़लक से मुराद आसमान नहीं बल्कि सय्यारे (ग्रह) के हरकत करने का दायरा है जिसमें वह हरकत करता है। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُوْدِ○ وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُوْدٍ○

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में तिर्मिज़ी की मरफ़ूअ़ हदीस के हवाले से इन अलफ़ाज़ की तफ़सीर लिख दी गयी है कि 'यौमे मौऊ़द' से मुराद क़ियामत का दिन और 'शाहिद' से मुराद जुमे का दिन और 'मशहूद' से मुराद अ़र्फ़े का दिन है। इस आयत में हक़ तआ़ला ने चार चीज़ों की क़सम खाई- अव्वल बुर्जों वाले आसमान की, फिर क़ियामत के दिन की, फिर जुमे और अ़र्फ़े के दिनों की। इन चीज़ों की क़सम का संबन्ध क़सम के जवाब के साथ यह है कि ये सब चीज़ें हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू की कामिल क़ुदरत पर और फिर क़ियामत के दिन हिसाब-किताब और जज़ा-सज़ा पर दलील हैं, और जुमे व अ़र्फ़े के दिन मोमिनों के लिये ज़ख़ीरा-ए-आख़िरत जमा करने के मुबारक दिन हैं। आगे क़सम के जवाब में उन काफ़िरों पर लानत आयी है जिन्होंने मुसलमानों को उनके ईमान की वजह से आग में जलाया। आगे फिर मोमिनों के आख़िरत के दर्जों का बयान फ़रमाया।

अस्हाब-ए-उख़्दूद के वाक़िए की कुछ तफ़सील

यही वाक़िआ़ इस सूरत के नाज़िल होने का सबब है, जिसका ख़ुलासा सही मुस्लिम की हदीस के हवाले से ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में बयान हो चुका है। यह शख़्स जिसको इस वाक़िए में काहिन कहा गया, कुछ रिवायतों में काहिन के बजाय साहिर आया है, और यह बादशाह जिसका ज़िक्र इस क़िस्से में है मुल्क यमन का बादशाह था जिसका नाम हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत में यूसुफ़ ज़ू-नवास था। इसका ज़माना नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के जन्म मुबारक से सत्तर साल पहले का ज़माना था, और यह लड़का जिसको काहिन या साहिर के पास उसका फ़न सीखने के लिये बादशाह ने लगाया था उसका नाम अ़ब्दुल्लाह बिन तामर है, और राहिब ईसाई मज़हब का आ़बिद ज़ाहिद है और उस ज़माने में चूँकि ईसा अ़लैहिस्सलाम का मज़हब ही दीने हक़ था इसलिये यह राहिब उस वक़्त का सच्चा मुसलमान था। यह लड़का अ़ब्दुल्लाह बिन तामर जिसको कहानत या जादू सीखने के लिये बादशाह ने लगया था और वह रास्ते में राहिब के पास जाता और उसका कलाम सुनकर मुतास्सिर होता और आख़िरकार मुसलमान हो गया था, अल्लाह तआ़ला ने उसको ईमान भी ऐसा पुख़्ता नसीब फ़रमाया कि ईमान की ख़ातिर लोगों की तकलीफ़ें बरदाश्त करता था, क्योंकि जब जाने के वक़्त रास्ते में राहिब के पास बैठता यहाँ कुछ वक़्त लगता तो जब साहिर या काहिन के पास देर से पहुँचता तो वह उसको मारता था और वापसी के वक़्त जब फिर राहिब के पास बैठता तो घर वापस जाने में देर होती इस पर घर वाले उसको मारते थे, मगर उसने किसी की परवाह किये बग़ैर राहिब की सोहबत और पास बैठना न छोड़ा, उसकी बरकत से अल्लाह तआ़ला ने उसको वह करामात (करिश्मे और बड़ाईयाँ) अ़ता फ़रमाईं जिनका ज़िक्र ऊपर आ चुका है।

उस ज़ालिम बादशाह ने ईमान लाने वालों को अ़ज़ाब देने के लिये ख़न्दक़ (खाई) खुदवाकर उसको आग के बड़े-बड़े शोलों से भर दिया, फिर ईमान लाने वालों में से एक-एक को हाज़िर करके कहा कि या तो ईमान को छोड़ दो या फिर इस ख़न्दक़ में गिर जाना पड़ेगा। अल्लाह तआ़ला ने उन मोमिनों को ऐसी पुख़्तगी और जमाव बख़्शा कि उनमें से एक भी ईमान छोड़ने पर राज़ी न हुआ और आग में गिर जाना क़ुबूल किया, सिर्फ़ एक औरत जिसकी गोद में एक बच्चा था उसको आग में गिरने से ज़रा झिझक हुई तो छोटा सा बच्चा बोला कि अम्माँ जान! सब्र करो, क्योंकि आप हक़ पर हैं। जो लोग इस तरह दहकती आग में जलाकर उस ज़ालिम ने क़त्ल किये उनकी तायदाद कुछ रिवायतों में बारह हज़ार, कुछ में इससे ज़्यादा मन्क़ूल है।

और यह लड़का जिसकी करामतों का ज़िक्र ऊपर आ चुका है और यह कि उसने ख़ुद बादशाह को अपने क़त्ल की यह सूरत बतलाई कि तुम मेरे तरकश का तीर लो और उस पर 'बिस्मिल्लाहि रब्बी' कहकर मेरे तीर मारो तो मैं मर जाऊँगा। इस तरकीब के साथ लड़के ने तो जान दे दी मगर इस वाक़िए को देखकर बादशाह की सारी क़ौम ने नारा लगाया और अपने

मुसलमान होने का ऐलान कर दिया, काफ़िर ज़ालिम को हक़ तआ़ला ने दुनिया में भी नाकाम व ज़लील बना दिया।

मुहम्मद बिन इस्हाक़ की रिवायत में है कि यह लड़का अ़ब्दुल्लाह इब्ने तामर जिस जगह दफ़न था इत्तिफ़ाक़न किसी ज़रूरत से वह ज़मीन हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ज़माने में खोदी गयी तो उसमें अ़ब्दुल्लाह बिन तामर की लाश सही सालिम इस तरह बरामद हुई कि वह बैठे हुए थे और उनका हाथ अपनी पुठपुड़ी पर रखा हुआ था, जहाँ तीर लगा था। किसी देखने वाले ने उनका हाथ उस जगह से हटाया तो ज़ख़्म से ख़ून जारी हो गया, फिर वैसे ही रख दिया तो बन्द हो गया। उनके हाथ में एक अंगूठी थी जिस पर लिखा हुआ था 'अल्लाहु रब्बी'। यमन के गवर्नर ने इस इस वाक़िए की इत्तिला हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अ़न्हु को दी तो आपने जवाब में लिखा कि उनको उनकी हालत पर अंगूठी समेत उसी तरह छुपा दो जैसे पहले थे। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

फ़ायदा

इमाम इब्ने कसीर ने इब्ने अबी हातिम के हवाले से नक़ल किया है कि आग की ख़न्दक़ का वाक़िआ़ दुनिया में एक ही नहीं मुख़्तलिफ़ मुल्कों और ज़मानों में बहुत से हुए हैं, फिर इब्ने अबी हातिम ने उन वाक़िआ़त में से तीन को ख़ास तौर पर ज़िक्र किया कि एक ख़न्दक़ यमन में थी (जिसका वाक़िआ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सत्तर साल पहले पेश आया है) दूसरी ख़न्दक़ शाम में, तीसरी फ़ारस में थी। मगर क़ुरआने करीम में जिस ख़न्दक़ का ज़िक्र इस सूरत में है वह ख़न्दक़ नजरान मुल्क यमन की ख़न्दक़ है क्योंकि यही अ़रब के मुल्क में थी।

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ

यह उन ज़ालिमों की सज़ा का बयान है जिन्होंने मुसलमानों को सिर्फ़ उनके ईमान की बिना पर आग की ख़न्दक़ (गढ़े और खाई) में डालकर जलाया था। और सज़ा में दो बातें इरशाद फ़रमाईः

فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ

यानी उनके लिये आख़िरत में जहन्नम का अ़ज़ाब है। दूसरीः

وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۝

यानी उनके लिये जलने का अ़ज़ाब है। हो सकता है कि दूसरा जुमला पहले ही जुमले का बयान और ताकीद हो और मायने यह हों कि जहन्नम में जाकर उसको हमेशा आग में जलते रहने का अ़ज़ाब मिलेगा, और यह भी मुम्किन है कि दूसरे जुमले में उनकी इसी दुनिया में सज़ा का ज़िक्र हो, जैसा कि कुछ रिवायतों में है कि जिन मोमिनों को उन लोगों ने आग की ख़न्दक़ में डाला था अल्लाह तआ़ला ने उनको तो तकलीफ़ से इस तरह बचा दिया कि आग के छूने से पहले ही उनकी रूहें कब्ज़ कर ली गयीं, आग में मुर्दा जिस्म पड़े, फिर यह आग इतनी भड़क

उठी कि ख़न्दक़ की सीमाओं से निकलकर शहर में फैल गयी और उन सब लोगों को जो मुसलमानों के जलने का तमाशा देख रहे थे इस आग ने जला दिया, सिर्फ़ बादशाह यूसुफ़ ज़ू-नवास भाग निकला और आग से बचने के लिये अपने आपको दरिया में डाल दिया, वह उसमें ग़र्क़ होकर मरा। (तफ़सीरे मज़हरी)

उन लोगों के लिये जहन्नम के और जलाने के अ़ज़ाब की ख़बर के साथ क़ुरआने करीम ने यह कैद भी लगा दी किः

ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا.

यानी यह अ़ज़ाब उन लोगों पर पड़ेगा जो अपने इस फ़ेल (काम) पर शर्मिन्दा होकर तौबा करने वाले नहीं हुए। इसमें उन लोगों को तौबा की तरफ़ दावत दी गयी है। हज़रत हसन बसरी रह. फ़रमाते हैं कि अल्लाह तआ़ला के इस मेहरबानी व करम को देखो कि उन लोगों ने अल्लाह के वलियों को ज़िन्दा जलाकर उनका तमाशा देखा और हक़ तआ़ला इस पर भी उनको तौबा और मग़फ़िरत की तरफ़ दावत दे रहा है। (इब्ने कसीर)

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-बुरूज की तफ़सीर आज शाबान की 16 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अल्-बुरूज की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अत्-तारिक़

सूरः अत्-तारिक़ मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 17 आयतें हैं।

آياتها ١٧ (٨٦) سُوْرَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ (٣٦) ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝١ وَمَا أَدْرٰىكَ مَا الطَّارِقُ ۝٢ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝٣ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝٤ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝٥ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝٦ يَّخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَآئِبِ ۝٧ إِنَّهُ عَلٰى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ ۝٨ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ ۝٩ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَّلَا نَاصِرٍ ۝١٠ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۝١١ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ ۝١٢ إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ۝١٣ وَّمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۝١٤ إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا ۝١٥ وَّأَكِيْدُ كَيْدًا ۝١٦ فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا ۝١٧

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वस्समा-इ वत्तारिकि (1) व मा अद्रा-क मत्तारिक़ु (2) अन्नज्मुस्-साक़िब (3) इन् कुल्लु नफ़्सिल्-लम्मा अ़लैहा हाफ़िज़ (4) फ़ल्यन्ज़ुरिल्-इन्सानु मिम्-म ख़ुलिक़ (5) ख़ुलि-क़ मिम्माइन् दाफ़िक़िंय्-(6) -यख़्रुजु मिम्-बैनिस्सुल्बि वत्तरा-इब (7) इन्नहू अ़ला रज्अ़िही लक़ादिर (8) यौ-म तुब्लस्सरा-इरु (9) फ़मा लहू मिन् क़ुव्वतिंव्-व ला नासिर (10) वस्समा-इ ज़ातिर्-रज्अ़ि (11) वल्अर्ज़ि ज़ातिस्सद्अ़ि (12) इन्नहू ल-क़ौलुन् फ़स्लुंव्- (13) -व मा हु-व बिल्-हज़्लि (14) इन्नहुम् यकीदू-न कैदंव्- (15) -व अकीदु कैदा (16) फ़-महहिलिल्-काफ़िरी-न अम्हिल्हुम् रुवैदा (17) ✿	क़सम है आसमान की और अंधेरे में आने वाले की (1) और तूने क्या समझा, क्या है अंधेरे में आने वाला (2) वह तारा चमकता हुआ (3) कोई जी नहीं जिस पर नहीं एक निगहबान (4) अब देख ले आदमी कि काहे से बना है (5) बना है एक उछलते हुए पानी से (6) जो निकलता है पीठ के बीच से और छाती के बीच से (7) बेशक वह उसको फेर ला सकता है (8) जिस दिन जाँचे जायें भेद (9) तो कुछ न होगा उसको ज़ोर और न कोई मदद करने वाला (10) क़सम है आसमान चक्कर मारने वाले की (11) और ज़मीन में फूट निकलने वाली की (12) बेशक यह बात है दोटूक (13) और नहीं यह बात हंसी की (14) अलबत्ता वे लगे हुए हैं एक दाव करने में (15) और मैं लगा हुआ हूँ एक दाव करने में (16) सो ढील दे मुन्किरों को, ढील दे उनको थोड़े दिनों की। (17) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है आसमान की और उस चीज़ की जो रात को ज़ाहिर होने वाली है। और आपको कुछ मालूम है कि वह रात को ज़ाहिर होने वाली चीज़ क्या है? वह चमकदार सितारा है (कोई सितारा हो जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'वन्नज्मि इज़ा हवा'। आगे क़सम का जवाब है कि) कोई शख़्स ऐसा नहीं जिस पर (आमाल का) याद रखने वाला कोई (फ़रिश्ता) मुक़र्रर न हो (जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَاِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ○ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ○ يَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ○

मतलब यह कि इन आमाल पर मुहासबा होने वाला है, और इस क़सम को मक़सूद से मुनासबत यह है कि जैसे आसमान पर सितारे हर वक़्त महफ़ूज़ हैं मगर उनका ज़हूर ख़ास रात

में होता है इसी तरह सब आमाल नामा-ए-आमाल में इस वक़्त भी महफ़ूज़ हैं मगर ज़हूर उनका ख़ास क़ियामत में होगा, जब यह बात है) तो इनसान को (क़ियामत की फ़िक्र करनी चाहिये और अगर उसके मुहाल व नामुम्किन होने का शुब्हा हो तो उसको) देखना चाहिये कि वह किस चीज़ से पैदा किया गया है। वह एक उछलते पानी से पैदा किया गया है जो पीठ और सीने (यानी पूरे बदन) के दरमियान से निकलता है (इस पानी से मुराद मनी "वीर्य" है, चाहे सिर्फ़ मर्द की या मर्द व औरत दोनों की, और औरत की मनी में उछलना मर्द की मनी की बराबर नहीं होता लेकिन कुछ उछलना ज़रूर होता है। और दूसरी बात तस्लीम करने पर यानी जबकि 'पानी' से मुराद मर्द व औरत दोनों का नुत्फ़ा हो तो लफ़्ज़ 'माउन' का मुफ़्रद लाना इस बिना पर है कि दोनों माद्दे मिलकर एक चीज़ की तरह हो जाते हैं, और पुश्त और सीना चूँकि बदन के दो तरफ़ के हिस्से हैं इसलिये यह तमाम बदन की तरफ़ इशारा हो सकता है।

हासिल यह है कि नुत्फ़े से इनसान बना देना ज़्यादा अजीब है उसको दोबारा बनाने के मुक़ाबले में, और जब इसकी क़ुदरत है जो ज़्यादा अजीब है तो इससे साबित हुआ कि) वह उसके दोबारा पैदा करने पर ज़रूर क़ादिर है (पस वह क़ियामत को मुहाल व असंभव समझने का गुमान व शुब्हा दूर हो गया। और यह दोबारा पैदा करना उस रोज़ होगा) जिस दिन सब की क़लई खुल जायेगी (यानी सब छुपी बातें, ग़लत अ़क़ीदे व बुरी नीयतें ज़ाहिर हो जायेंगी, और दुनिया में जिस तरह मौक़े पर जुर्म से मुकर जाते हैं, उसको छुपा लेते हैं, यह बात वहाँ मुम्किन न होगी) फिर इस इनसान को न तो ख़ुद (अपनी रक्षा की) क़ुव्वत होगी और न इसका कोई हिमायती होगा (कि अ़ज़ाब को इससे दूर कर दे। और अगर कहा जाये कि क़ियामत का मुम्किन होना अगरचे अ़क़्ली है मगर उसका वाक़े व ज़ाहिर होना नक़ली "किताबी व रिवायती" है, और नक़ली दलील क़ुरआन है और वह अभी तक इसका मोहताज है कि उसको हक़ माना जाये, तो उसके बारे में सुनो कि) क़सम है आसमान की जिससे बारिश होती है और ज़मीन की जो (बीज निकलते वक़्त) फट जाती है। (आगे क़सम का जवाब है) कि यह क़ुरआन (हक़ व बातिल में) एक फ़ैसला कर देने वाला कलाम है, कोई बेकार चीज़ नहीं है। (इससे क़ुरआन का अल्लाह की जानिब से और हक़ कलाम होना साबित हो गया, मगर बावजूद हक़ साबित हो जाने के इन लोगों का यह हाल है कि) ये लोग (हक़ के इनकार के लिये) तरह-तरह की तदबीरें कर रहे हैं और मैं भी (उनकी नाकामी और सज़ा के लिये) तरह-तरह की तदबीरें कर रहा हूँ (और ज़ाहिर है कि मेरी तदबीर ग़ालिब आयेगी। और जब मेरा तदबीर करना सुन लिया) तो आप उन काफ़िरों (की मुख़ालफ़त से घबराईये नहीं और उन पर जल्दी अ़ज़ाब आने की इच्छा व तमन्ना न कीजिये बल्कि उन) को यूँ ही रहने दीजिये, (और ज़्यादा दिन नहीं बल्कि) उनको थोड़े ही दिनों रहने दीजिये (फिर मैं उन पर अ़ज़ाब नाज़िल कर दूँगा, चाहे मौत से पहले या मौत के बाद। आख़िर की क़सम को आख़िर के मज़मून से यह ताल्लुक़ है कि क़ुरआन आसमान से आता है और जिसमें क़ाबलियत होती है उसको मालामाल करता है जैसे बारिश आसमान से आती है और उम्दा ज़मीन को फ़ैज़ व लाभ पहुँचाती है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत में हक़ तआ़ला ने आसमान और सितारों की क़सम खाकर यह इरशाद फ़रमाया है कि हर इनसान पर एक मुहाफ़िज़ निगराँ है जो उसके तमाम कामों, आमाल और हर हरकत व गतिविधि को देखता जानता है। इसका अ़क़्ली तक़ाज़ा यह है कि इनसान अपने अन्जाम पर ग़ौर करे कि दुनिया में वह जो कुछ कर रहा है वह अल्लाह के यहाँ महफ़ूज़ है और महफ़ूज़ रखना हिसाब के लिये है जो क़ियामत में होगा, इसलिये किसी वक़्त आख़िरत और क़ियामत की फ़िक्र से ग़ाफ़िल न हो। इसके बाद उस शुब्हे का जवाब है जो शैतान लोगों के दिलों में डालता है कि मरकर मिट्टी और ज़र्रा-ज़र्रा हो जाने के बाद फिर सब हिस्सों व अंगों का जमा होना और उसमें ज़िन्दगी पैदा होना एक वहमी ख़्याल बल्कि अ़वाम की नज़र में मुहाल व नामुम्किन है। जवाब में इनसान की शुरू की पैदाईश पर ग़ौर करने की हिदायत है कि वह किस तरह मुख़्तलिफ़ ज़र्रों और मुख़्तलिफ़ माद्दों से होती है, जैसे शुरू की पैदाईश में दुनिया भर के मुख़्तलिफ़ ज़र्रों को जमा करके एक ज़िन्दा सुनने व देखने वाला इनसान बना दिया, उसको इस पर भी क़ुदरत क्यों न होगी कि फिर उसको इसी तरह लौटाये। इसके बाद कुछ हाल क़ियामत का बयान फ़रमाकर दूसरी क़सम ज़मीन और आसमान की खाकर ग़ाफ़िल इनसान को यह जतलाया कि जो कुछ उसको आख़िरत की फ़िक्र की तल्क़ीन (तालीम व हिदायत) की गयी है उसको मज़ाक़ व दिल्लगी न समझे यह एक हक़ीक़त है जो सामने आकर रहेगी। आख़िर में काफ़िरों के इस शुब्हे का जवाब दिया गया कि कुफ़्र व शिर्क और नाफ़रमानी अगर अल्लाह तआ़ला को पसन्द नहीं तो फिर दुनिया ही में उन पर अ़ज़ाब क्यों नहीं आ जाता, इस पर सूरत ख़त्म की गयी है।

पहली क़सम में आसमान के साथ तारिक़ की क़सम है। तारिक़ के मायने रात को आने वाले के हैं, सितारे चूँकि दिन को छुपे रहते हैं इसलिये सितारे को तारिक़ फ़रमाया और ख़ुद क़ुरआन ने इसकी तफ़सीर (ख़ुलासा और वज़ाहत) कर दीः

وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ ○

यानी तुम्हें क्या ख़बर कि तारिक़ क्या चीज़ है। फिर फ़रमायाः

اَلنَّجْمُ الثَّاقِبُ ○

यानी सितारा रोशन। नजम के मायने सितारे के हैं, क़ुरआन ने कोई सितारा मुतैयन नहीं किया, इसलिये हर सितारा इसका मिस्दाक़ हो सकता है। मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने नजम से ख़ास सितारा सुरैया या ज़ोहल मुराद लिया है और अ़रब वालों के कलाम से लफ़्ज़ नजम का उसपर बोला जाना और हुक्म लगाना साबित किया है। साक़िब के मायने रोशन चमकदार के हैं।

اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ○

यह क़सम का जवाब है। इसमें शुरू का हर्फ़ 'इन्' नाफ़िया है और हर्फ़ 'लम्मा' इल्ला के मायने में है जो क़बीला हुज़ैल की लुग़त में किसी चीज़ को अलग रखने के मायने देता है, और

आयत के मायने यह हैं कि कोई नफ़्स ऐसा नहीं जिस पर हाफ़िज़ न हो। हाफ़िज़ के मायने निगराँ के भी आते हैं जो किसी के आमाल को नज़र में रखे ताकि उनका हिसाब ले, और हाफ़िज़ मुहाफ़िज़ व रक्षक के मायने में भी आता है जिसके मायने मुसीबतों व आफ़तों से हिफ़ाज़त करने वाले के हैं। पहले मायने के एतिबार से हाफ़िज़ से मुराद आमाल को लिखने वाला फ़रिश्ता है, और यहाँ अगरचे इसका एक वचन के लफ़्ज़ से जिन्स (जाति) के मायने में बयान किया है मगर उनका एक से ज़्यादा होना दूसरी आयत से साबित है। एक जगह फ़रमायाः

اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحٰفِظِيْنَ○ كِرَامًا كَاتِبِيْنَ○

और दूसरे मायने के एतिबार से वो फ़रिश्ते मुराद हैं जो अल्लाह तआ़ल ने हर इनसान की हिफ़ाज़त के लिये मुक़र्रर किये हैं, वे दिन-रात तमाम आफ़तों व मुसीबतों से इनसान की हिफ़ाज़त करते हैं सिवाय उस मुसीबत व आफ़त के जो अल्लाह तआ़ला ने उसके लिये मुक़र्रर कर दी है जैसा कि एक दूसरी आयत में इसका स्पष्ट रूप से बयान आया हैः

لَهٗ مُعَقِّبٰتٌ مِّنْ م بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهٖ يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ.

यानी इनसान के लिये बारी बारी आने वाले मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं जो अल्लाह के हुक्म से इसके आगे और पीछे से इसकी हिफ़ाज़त करते हैं।

एक हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर मोमिन पर अल्लाह तआ़ल की तरफ़ से एक सौ साठ फ़रिश्ते उसकी हिफ़ाज़त के लिये मुक़र्रर हैं जो इनसान के हर-हर अंग व हिस्से की हिफ़ाज़त करते हैं। उनमें से सात फ़रिश्ते सिर्फ़ इनसान की आँख की हिफ़ाज़त के लिये मुक़र्रर हैं, ये फ़रिश्ते इनसान से हर बला व मुसीबत जो उसके लिये मुक़द्दर नहीं इस तरह दफ़ा करते हैं जैसे शहद के बर्तन पर आने वाली मक्खियों को पंखे वग़ैरह से दफ़ा किया जाता है। और अगर इनसान पर यह हिफ़ाज़ती पहरा न हो तो शयातीन उसको उचक लें। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

خُلِقَ مِنْ مَّآءٍ دَافِقٍ○

यानी इनसान पैदा किया गया है एक उछलने वाले पानी से जो निकलता है पुश्त और सीने की हड्डियों के दरमियान से। आ़म तौर से हज़राते मुफ़स्सिरीन ने इसका यह मफ़्हूम क़रार दिया है कि नुत्फ़ा मर्द की पुश्त और औ़रत के सीने से निकलता है, मगर इनसानी अंगों के माहिर तबीबों व डॉक्टरों की तहक़ीक़ और तजुर्बा यह है कि नुत्फ़ा दर हक़ीक़त इनसान के हर-हर अंग से निकलता है और बच्चे का हर अंग उस अंग के नुत्फ़े से बनता है जो मर्द व औ़रत के उसी अंग से निकला है। अलबत्ता दिमाग़ को इस मामले में सबसे ज़्यादा दख़ल है, इसी लिये साफ़ नज़र आता है कि सोहबत व हमबिस्तरी की अधिकता करने वाले अक्सर दिमाग़ की कमज़ोरी में मुब्तला हो जाते हैं। इसी के साथ उनकी तहक़ीक़ यह भी है कि नुत्फ़ा बदन के तमाम अंगों से अलग होकर नुख़ाअ़ (दिमाग़ से मिली हुई रीढ़ की हड्डी के क़रीब एक पट्ठा जिसको हराम मग़ज़ भी कहते हैं) के ज़रिये दोनों ख़ुसियों (फ़ोतों) में जमा होता और फिर वहाँ से निकलता है।

अगर यह तहक़ीक़ सही है तो हज़राते मुफ़स्सिरीन ने जो नुत्फ़े का निकलना मर्द की पुश्त और औरत के सीने के मुताल्लिक़ क़रार दिया है उसका मतलब बयान करना भी कुछ बईद नहीं क्योंकि इस पर तबीबों व डॉक्टरों का इत्तिफ़ाक़ है कि नुत्फ़े के बनने में सबसे बड़ा दख़ल दिमाग़ को है और दिमाग़ का ख़लीफ़ा व क़ायम-मक़ाम नुख़ाअ़ है जो रीढ़ की हड्डी के अन्दर दिमाग़ से पुश्त और फिर दोनों फ़ोतों तक आया हुआ है, उसी के कुछ हिस्से व विभाग सीने की हड्डियों में आये हुए हैं। हो सकता है कि औरत के नुत्फ़े में सीने की हड्डियों से आने वाले नुत्फ़े का और मर्द के नुत्फ़े में पुश्त से आने वाले नुत्फ़े का दख़ल ज़्यादा हो। (बैज़ावी शरीफ़)

और अगर क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ पर ग़ौर किया जाये तो उनमें मर्द व औरत की कोई तख़्सीस नहीं, सिर्फ़ इतना है कि नुत्फ़ा पुश्त और सीने के दरमियान से निकलता है। इसका यह मतलब बेतकल्लुफ़ हो सकता है कि मर्द व औरत दोनों का नुत्फ़ा सारे बदन से निकलता है और सारे बदन की ताबीर आगे पीछे के अहम अंगों व हिस्सों से कर दी गयी, सामने के हिस्से में सीना और पीछे के हिस्से में पुश्त सबसे अहम हिस्से व अंग हैं। इन दोनों के अन्दर से निकलने का मतलब यह लिया जाये कि सारे बदन से निकलता है जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखा गया है।

اِنَّهٗ عَلٰى رَجْعِهٖ لَقَادِرٌ۝

'रजअ़' के मायने लौटा देने के हैं। मतलब यह है कि कायनात के जिस बनाने वाले (ख़ालिक़) ने शुरू में इनसान को नुत्फ़े से पैदा किया है वह उसको दोबारा लौटा देने यानी मरने के बाद ज़िन्दा कर देने पर कहीं ज़्यादा क़ादिर है।

يَوْمَ تُبْلَى السَّرَآئِرُ.

'तुबला' के लफ़्ज़ी मायने इम्तिहान लेने और आज़माने के हैं, और 'सराइर' के मायने हैं छुपी और पोशीदा बातें व मामलात। मतलब यह है कि क़ियामत के दिन इनसान के तमाम अ़क़ीदे व ख़्यालात और नीयत व इरादे जो दिल में छुपे थे, दुनिया में उनको कोई न जानता था, इसी तरह वो आमाल व हरकतें जो उसने छुपकर किये, दुनिया में किसी को उनकी ख़बर नहीं, मेहशर में सब का इम्तिहान लिया जायेगा, यानी सब को ज़ाहिर कर दिया जायेगा। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला क़ियामत के दिन इनसान के हर छुपे राज़ को खोल देगा, हर अच्छे बुरे अ़क़ीदे और अ़मल की निशानी व पहचान इनसान के चेहरे पर या तो रौनक़ व चमक बनकर या अंधेरी व सियाही की सूरत में ज़ाहिर कर दी जायेगी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الرَّجْعِ.

रजअ़ के मायने उस बारिश के हैं जो एक के बाद एक हो, कि एक मर्तबा बारिश होकर ख़त्म हो जाये और फिर लौटे।

اِنَّهٗ لَقَوْلٌ فَصْلٌ۝

यानी क़ुरआने करीम एक फ़ैसलाकुन (निर्णायक) कौल है जो हक़ व बातिल में फ़ैसला करता है और इसमें किसी शक व शुब्हे की गुंजाईश नहीं।

हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सुना है कि क़ुरआन के मुताल्लिक़ फ़रमाया:

كتاب فيه خبر ما قبلكم وحكم ما بعدكم وهو الفصل ليس بالهزل.

यानी यह एक ऐसी किताब है जिसमें तुमसे पहली उम्मतों के हालात व ख़बरें हैं, और तुम्हारे बाद आने वालों के लिये अहकाम हैं, वह फ़ैसलाकुन कौल है हंसी मज़ाक़ नहीं।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अत्-तारिक़ की तफ़सीर आज शव्वाल की 17 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः अत्-तारिक़ की तफ़सीर का हिन्दी तर्जुमा मुकम्मल हुआ।

सूरः अल्-अअ़्ला

सूरः अल्-अअ़्ला मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 19 आयतें हैं।

اٰیاتھا ۱۹ (۸۷) سُوْرَةُ الْاَعْلٰى مَكِّيَّةٌ (۸) رکوعھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَى ﴿١﴾ الَّذِي خَلَقَ فَسَوّٰى ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدٰى ﴿٣﴾ وَالَّذِيْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰى ﴿٤﴾ فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰى ﴿٥﴾ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰٓى ﴿٦﴾ اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ ۭ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفٰى ﴿٧﴾ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ﴿٨﴾ فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ﴿٩﴾ سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى ﴿١٠﴾ وَيَتَجَنَّبُهَا الْاَشْقَى ﴿١١﴾ الَّذِيْ يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرٰى ﴿١٢﴾ ثُمَّ لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى ﴿١٣﴾ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ﴿١٧﴾ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ﴿١٨﴾ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ﴿١٩﴾ ع ١

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

सब्बिहिस्-म रब्बिकल्-अअ़्ला (1) अल्लज़ी ख़-ल-क़ फ़-सव्वा (2) वल्लज़ी क़द्द-र फ़-हदा (3) वल्लज़ी	पाकी बयान कर अपने रब के नाम की जो सबसे ऊपर (1) जिसने बनाया फिर ठीक किया (2) और जिसने ठहरा दिया फिर

अख़्र-जल्-मर्आ (4) फ़-ज-अ-लहू गुसाअन् अह्वा (5) सनुक़्रिउ-क फ़ला तन्सा (6) इल्ला मा शा-अल्लाहु, इन्नहू यअ्लमुल्-जह्-र व मा यख़्फ़ा (7) व नुयस्सिरु-क लिल्युस्रा (8) फ़ज़क्किर् इन् न-फ़-अतिज़्-ज़िक्रा (9) स-यज़्ज़क्करु मंय्यख़्शा (10) व य-तजन्नबुहल्-अश्क़- (11) -ल्लज़ी यस्लन्-नारल्-कुब्रा (12) सुम्-म ला यमूतु फ़ीहा व ला यह्या (13) क़द् अफ़्ल-ह मन् तज़क्का (14) व ज़-करस्-म रब्बिही फ़-सल्ला (15) बल् तुअ्सिरूनल्-हयातद्-दुन्या (16) वल्-आख़िरतु ख़ैरुंव्-व अब्क़ा (17) इन्-न हाज़ा लफ़िस्-सुहुफ़िल्-ऊला (18) सुहुफ़ि इब्राही-म व मूसा (19) ✿

राह बतलाई (3) और जिसने निकाला चारा (4) फिर कर डाला उसको सियाह कूड़ा (5) ज़रूर पढ़ायेंगे तुझको फिर तू न भूलेगा (6) मगर जो चाहे अल्लाह, वह जानता है पुकारने को और जो छुपा हुआ है (7) और सहज-सहज पहुँचायेंगे हम तुझको आसानी तक (8) सो तू समझा दे अगर फ़ायदा करे समझाना (9) समझ जायेगा जिसको डर होगा (10) और यक्सू "एक तरफ़" रहेगा उससे बड़ा बद-क़िस्मत (11) वह जो दाख़िल होगा बड़ी आग में (12) फिर न मरेगा उसमें और न जियेगा (13) बेशक भला हुआ उसका जो संवरा (14) और लिया उसने नाम अपने रब का फिर नमाज़ पढ़ी (15) कोई नहीं! तुम बढ़ाते हो दुनिया के जीने को (16) और पिछला घर बेहतर है और बाक़ी रहने वाला (17) यह लिखा हुआ है पहले वरक़ों "पन्नों" में (18) सहीफ़ों में इब्राहीम के और मूसा के। (19) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप (और जो मोमिन आपके साथ हैं) अपने बुलन्द शान वाले रब के नाम की तस्बीह (व पाकीज़गी बयान) कीजिये जिसने (हर चीज़ को) बनाया, फिर (उसको) ठीक बनाया (यानी हर चीज़ को मुनासिब अन्दाज़ से बनाया) और जिसने (जानदारों के लिये उनके मुनासिब चीज़ों को) तजवीज़ किया फिर (उन जानदारों को उन चीज़ों की तरफ़) राह बतलाई (यानी उनकी तबीयतों में उन चीज़ों का तक़ाज़ा पैदा कर दिया) और जिसने (ज़मीन से) (सब्ज़ अच्छा दिखने वाला) चारा निकाला, फिर उसको स्याह कूड़ा कर दिया (पहले आ़म तसर्रुफ़ात बयान हुए हैं, फिर हैवानात के मुताल्लिक़ फिर पेड़-पौधों के मुताल्लिक़। मतलब यह है कि नेकियों के ज़रिये आख़िरत की तैयारी करनी चाहिये, जहाँ आमाल पर जज़ा व

सज़ा होने वाली है और उसी नेकी व फ़रमाँबरदारी का तरीक़ा बतलाने के लिये हमने क़ुरआन नाज़िल किया है और आपको इसकी तब्लीग़ के लिये पाबन्द किया है, सो इस क़ुरआन के बारे में हम वायदा करते हैं कि) हम (जितना) क़ुरआन (नाज़िल करते जाएँगे) आपको पढ़ा दिया करेंगे (यानी याद करा दिया करेंगे), फिर आप उसमें से कोई हिस्सा नहीं भूलेंगे, मगर जिस क़द्र (भुलाना) अल्लाह को मन्ज़ूर हो (कि मन्सूख़ व निरस्त करने का तरीक़ा यह भी है जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

مَا نَنسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنسِهَا.................. الخ.

सो वह ज़रूर आपके और सब के ज़ेहनों से भुला दिया जायेगा। और यह याद रखाना और भुला देना सब हिक्मत के मुताबिक़ होगा, क्योंकि) वह ज़ाहिर और छुपी हर चीज़ को जानता है (इसलिये उससे किसी चीज़ की मस्लेहत छुपी नहीं। तो जब किसी चीज़ का महफ़ूज़ रखना मस्लेहत होता है महफ़ूज़ रखते हैं, और जब भुला देना मस्लेहत होता है तो भुला देते हैं) और (जैसे हम आपके लिये क़ुरआन का याद होना आसान कर देंगे इसी तरह) हम इस शरीअ़त के लिये आपको सहूलत देंगे (यानी समझना भी आसान होगा और अ़मल भी आसान होगा और तब्लीग़ भी आसान हो जायेगी, और रुकावटों को दूर कर देंगे। और शरीअ़त की सिफ़त युसरा "आसानी" लाना तारीफ़ के तौर पर है या इसलिये कि वह सबब है आसानी का। और जब हम आपके लिये वही के मुताल्लिक़ हर काम आसान कर देने का वायदा करते हैं) तो आप (जिस तरह ख़ुद तस्बीह व पाकीज़गी बयान करते हैं उसी तरह दूसरों को भी) नसीहत किया कीजिये अगर नसीहत करना मुफ़ीद होता हो, (मगर जैसा कि ज़ाहिर और मालूम है कि नसीहत अपनी ज़ात में हमेशा मुफ़ीद ही होती है जैसा कि अल्लाह तआ़ला का फ़रमान है:

فَاِنَّ الذِّكْرٰى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ○

हासिल यह हुआ कि जब नसीहत नफ़े की चीज़ है तो आप नसीहत करने का एहतिमाम करें, मगर इसके बावजूद कि नसीहत अपनी ज़ात में नफ़ा देने वाली और मुफ़ीद है इससे यह न समझिये कि वह सब ही के लिये मुफ़ीद होगी और सब ही उसको मान लेंगे बल्कि) वही शख़्स नसीहत मानता है जो (ख़ुदा से) डरता है, और जो शख़्स बद-नसीब हो वह उससे गुरेज़ करता है जो (आख़िरकार) बड़ी आग में (यानी दोज़ख़ की आग में जो दुनिया की सब आगों से बड़ी है) दाख़िल होगा। फिर (उससे बढ़कर यह कि) न उसमें मर ही जायेगा और न (आराम की ज़िन्दगी) जियेगा। (यानी जिस जगह नसीहत क़ुबूल करने की शर्त मौजूद नहीं होती वहाँ अगरचे उसका असर ज़ाहिर न हो मगर नसीहत अपने आप में नफ़ा व फ़ायदा पहुँचाने वाली ही है, और आपके ज़िम्मे उसके वाजिब होने के लिये यही काफ़ी है।

ख़ुलासा सूरत के शुरू से यहाँ तक का यह हुआ कि आप अपनी भी तकमील कीजिये "यानी सम्पन्न बनिये" और दूसरों को भी इसकी तब्लीग़ कीजिये कि हम आपके मददगार हैं। आगे इसकी तफ़सील है कि अल्लाह से डरने वाले नसीहत से फ़ायदा उठाते हैं) मुराद पाने वाला

हुआ वह शख़्स जो (क़ुरआन सुनकर ग़लत अक़ीदों और बुरे अख़्लाक़ से) पाक हो गया और अपने रब का नाम लेता और नमाज़ पढ़ता रहा। (मगर ऐ इनकार करने वालो! तुम आख़िरत का सामान नहीं करते) बल्कि तुम दुनियावी ज़िन्दगी को मुक़द्दम "पहले और आगे" रखते हो हालाँकि आख़िरत (दुनिया से) कहीं बेहतर और पायदार है। (और यह मज़मून सिर्फ़ क़ुरआन ही का दावा नहीं बल्कि) यह मज़मून अगले सहीफ़ों में भी है यानी इब्राहीम और मूसा (अ़लैहिमस्सलाम) के सहीफ़ों में (तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में अ़ब्द बिन हुमैद की रिवायत से मरफ़ूअ़ हदीस बयान हुई है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम पर दस सहीफ़े नाज़िल हुए और मूसा अ़लैहिस्सलाम पर तौरात के नाज़िल होने से पहले दस सहीफ़े नाज़िल हुए)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

मसलाः उलेमा ने फ़रमाया है कि क़ारी (पढ़ने वाला) जबः

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىo

की तिलावत करे तो मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है कि यह कहेः

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰىo

सहाबा-ए-किराम- हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास, हज़रत इब्ने उमर, हज़रत इब्ने ज़ुबैर, हज़रत अबू मूसा और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हुम का यही मामूल था कि जब यह सूरत शुरू करते तो 'सुब्हा-न रब्बियल्-अअ़्ला' कहा करते थे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) यानी नमाज़ के अ़लावा जब तिलावत करें तो ऐसा कहना मुस्तहब है।

मसलाः हज़रत उक़्बा बिन आ़मिर जुहनी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि जब सूरः 'अल्-अअ़्ला' नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اجعلوها في سجودكم.

यानी यह कलिमा 'सुब्हा-न रब्बियल्-अअ़्ला' अपने सज्दे में कहा करो।

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلَىo

तस्बीह के मायने पाक रखने और पाकी बयान करने के हैं। 'सब्बिहिस्-म रब्बि-क' के मायने यह हैं कि अपने रब के नाम को पाक रखिये। मुराद यह है कि रब के नाम का अदब व सम्मान कीजिये और जब अल्लाह का नाम लें तो अदब और जिस्म व दिल से आ़जिज़ी का इज़हार कीजिये, और हर ऐसी चीज़ से उसके नाम को पाक रखिये जो उसके मुनासिब और शान के लायक़ नहीं। इसमें यह भी दाख़िल है कि अल्लाह तआ़ला को सिर्फ़ उन नामों से पुकारिये जो ख़ुद अल्लाह तआ़ला ने अपने लिये बयान फ़रमाये हैं या अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बतलाये हैं, उनके अ़लावा किसी और नाम से उसको पुकारना जायज़ नहीं।

मसलाः- इसी तरह इस हुक्म में यह भी दाख़िल है कि जो नाम अल्लाह तआला के साथ मख़्सूस है वह किसी मख़्लूक़ के लिये इस्तेमाल करना उसकी पाकीज़गी व अदब के ख़िलाफ़ है इसलिये जायज़ नहीं। (क़ुर्तुबी) जैसे 'रहमान, रज़्ज़ाक़, ग़फ़्फ़ार, क़ुद्दूस' वग़ैरह। आजकल इस मामले में ग़फ़लत बढ़ती जा रही है, लोगों को नामों के छोटा करने का शौक़ है, अ़ब्दुर्रहमान को रहमान, अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक़ को रज़्ज़ाक़, अ़ब्दुल-ग़फ़्फ़ार को ग़फ़्फ़ार बेतकल्लुफ़ कहते रहते हैं और यह नहीं समझते कि इसका कहने वाला और सुनने वाला दोनों गुनाहगार होते हैं, और यह गुनाहे बेलज़्ज़त रात-दिन बिना वजह होता रहता है। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस जगह **इस्म** (नाम) से मुराद ख़ुद **मुसम्मा** की ज़ात (यानी जिसका वह नाम है) मुराद ली है, और अ़रबी भाषा के एतिबार से इसकी गुंजाईश भी है, और क़ुरआने करीम में भी इस मायने के लिये इस्तेमाल हुआ है। और हदीस में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस कलिमे को नमाज़ के सज्दे में पढ़ने का हुक्म दिया इसकी तामील में जो कलिमा इख़्तियार किया गया वह 'सुब्हा-न इस्मि रब्बिकल्-अअ्ला' नहीं बल्कि 'सुब्हा-न रब्बियल्-अअ्ला' है। इससे भी मालूम होता है कि इस्म इस जगह मक़सूद नहीं ख़ुद मुसम्मा मुराद है। (क़ुर्तुबी) वल्लाहु आलम

कायनात के बनाने में बारीक और गहरी हिक्मतें

اَلَّذِیْ خَلَقَ فَسَوّٰیO وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدٰیO

यह सब **रब्बे अअ्ला** की सिफ़ात का ज़िक्र है जो कायनात के बनाने में उसकी कामिल क़ुदरत और हिक्मते बालिग़ा के नज़ारे से सम्बन्धित हैं। उनमें पहली सिफ़त 'ख़-ल-क़' है, ख़-ल-क़ के मायने सिर्फ़ कारीगरी के नहीं बल्कि अ़दम (नापैदी) से बग़ैर किसी पूर्व माद्दे के वजूद में लाना और यह काम किसी मख़्लूक़ के बस में नहीं सिर्फ़ हक़ तआ़ला शानुहू की कामिल क़ुदरत है कि बग़ैर किसी पूर्व माद्दे के जब चाहते हैं और जिस चीज़ को चाहते हैं अ़दम से वजूद में ले आते हैं। दूसरी सिफ़त इस बनाने और पैदा करने ही के साथ जुड़ी हुई **फ़सव्वा** है, जो तस्विया से निकली है और इसके लफ़्ज़ी मायने बराबर करने के हैं, बराबर करने से मुराद यह है कि हर चीज़ को जो वजूद अ़ता फ़रमाया उसका जिस्म, शक्ल व सूरत और अंग व हिस्सों की बनावट व अन्दाज़ और हालत व कैफ़ियत में एक ख़ास मुनासबत व सन्तुलन का लिहाज़ रखकर यह वजूद बख़्शा गया है। इनसान और हर जानवर को उसकी ज़रूरतों के मुनासिब जिस्मानी अंग दिये गये और उन अंगों की शक्ल व आकार और बनावट व हालत उसकी ज़रूरतों के मुनासिब बनाई गयी हैं। हाथ-पाँव और उनकी उंगलियों के पौरों में ऐसे जोड़ रखे और क़ुदरती स्प्रिंग लगाये कि वह हर तरफ़ मोड़े-तोड़े और तह किये जा सकते हैं, इसी तरह दूसरे एक-एक अंग को देखो यह हैरत-अंगेज़ तनासुब ख़ुद इनसान को कायनात के बनाने वाले की हिक्मत व क़ुदरत पर ईमान लाने के लिये काफ़ी है।

तीसरी चीज़ इसी सिलसिले में बयान फ़रमाई 'क़द्द-र'। तक़दीर के मायने किसी चीज़ को ख़ास अन्दाज़े पर बनाने और आपसी सन्तुलन के भी आते हैं और क़ज़ा व तक़दीर के मायने में

भी इस्तेमाल होता है जिसके मायने हर चीज़ के मुताल्लिक़ अल्लाह तआ़ला का फ़ैसला और ख़ास तजवीज़ के हैं। इस आयत में यही मायने मुराद हैं, और मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला ने दुनिया की चीज़ों को सिर्फ़ पैदा करके और बनाकर नहीं छोड़ दिया बल्कि हर चीज़ को किसी ख़ास काम के लिये पैदा किया और उसके मुनासिब उसको असबाब व साधन दिये और उसी काम में उसको लगा दिया। ग़ौर किया जाये तो यह बात मख़्लूक़ की किसी ख़ास जाति या क़िस्म के लिये ख़ास नहीं, सारी ही कायनात और मख़्लूक़ात ऐसी हैं कि उनको अल्लाह तआ़ला ने ख़ास-ख़ास कामों के लिये बनाया है, और उनको उसी काम में लगा दिया है, हर चीज़ अपने रब की मुक़र्रर की हुई ड्यूटी पर लगी हुई है। आसमान और उसके सितारे, बिजली व बारिश से लेकर इनसान व हैवान और पेड़-पौधों व बेजान चीज़ों सब में यह नज़र आता है कि जिसको जिस काम पर ख़ालिक़ ने लगा दिया है वह उस पर लगा हुआ है। कायनात की तमाम चीज़ें अपने-अपने काम में लगी हुई हैं। और मौलाना रूमी रह. ने फ़रमाया है:

ख़ाक व बाद व आब व आतिश बन्दा अन्द
बा मन् व तू मुर्दा बा-हक़ ज़िन्दा अन्द

"मिट्टी, हवा, पानी और आग फ़रमाँबरदार हैं। अगरचे हमें तुम्हें ये बेजान और मुर्दा मालूम होते हैं मगर अल्लाह तआ़ला के साथ इनका जो मामला है वह ज़िन्दों की तरह है, कि ज़िन्दों की तरह उसके हुक्म की तामील करते हैं।" मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

ख़ास तौर पर इनसान और हैवान की हर जाति व प्रजाति को हक़ तआ़ला ने जिन ख़ास ख़ास कामों के लिये पैदा फ़रमाया है वो क़ुदरती तौर पर उसी काम में लगे हुए हैं, उनकी रुचि व शौक़ सब उसी काम के गिर्द घूमता है:

हर यके रा बहरे कारे साख़्तन्द   मैले ऊ रा दर दिलश् अन्दाख़्तन्द

"हर (जानदार व बेजान) चीज़ को एक ख़ास काम और ड्यूटी के लिये पैदा फ़रमाया है और उस काम व ख़िदमत की उसके दिल में एक ख़ास दिलचस्पी व रुझान भी डाल दिया है। जिससे उसकी तबीयत उसी काम की तरफ़ चलती है।" मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी

चौथी चीज़ यह फ़रमाई 'फ़-हदा' यानी कायनात के ख़ालिक़ ने जिस चीज़ को जिस काम के लिये पैदा फ़रमाया उसको उसकी हिदायत भी फ़रमा दी कि वह किस-किस तरह उस काम को अन्जाम दे। हक़ीक़त तो यह है कि यह हिदायत तमाम कायनात व मख़्लूकाल को शामिल है आसमान और आसमानी मख़्लूक़ात हों या ज़मीन और उसकी मख़्लूक़ात, क्योंकि एक ख़ास क़िस्म का अ़क़्ल व शऊर अल्लाह तआ़ल ने उनको भी दिया अगरचे वह इनसान के अ़क़्ल व शऊर से कम हो, जैसा कि क़ुरआने करीम की एक दूसरी आयत में इरशाद है:

اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰیO

यानी अल्लाह तआ़ला ने हर चीज़ को पैदा करके एक वजूद बख़्शा, फिर उसको उसके संबन्धित काम की हिदायत कर दी, उसी आ़म हिदायत का असर है कि आसमान व ज़मीन

सितारे और सय्यारे, पहाड़ और दरिया सब के सब जिस ख़िदमत पर पैदा होने के शुरू दिन से लगा दिये गये उस ख़िदमत को ठीक-ठीक उसी तरह बग़ैर किसी कमी कोताही या सुस्ती के अन्जाम देते हैं, ख़ास तौर पर इनसान और हैवानात जिनका अ़क्ल व शऊर हर वक़्त देखने और अनुभव में आता है, उनमें भी ग़ौर किया जाये तो मालूम होता है कि उनमें से हर जाति व प्रजाति बल्कि हर-हर फ़र्द को हक़ तआ़ला ने अपनी-अपनी ज़िन्दगी की ज़रूरतें हासिल करने और अपनी मुख़ालिफ़ चीज़ों को दफ़ा करने के लिये कैसे-कैसे बारीक हुनर सिखाये हैं कि अ़क्ल हैरान रह जाती है। इनसान तो सबसे ज़्यादा अ़क्ल व शऊर वाला है, जंगल के जानवरों, दरिन्दों, परिन्दों और ज़मीन के कीड़े-मकोड़ों को देखो कि हर एक को ज़िन्दगी की अपनी ज़रूरतें हासिल करने, रहने-बसने और अपनी व्यक्तिगत और जातिगत ज़रूरतों को पूरा करने के लिये कैसे-कैसे हुनर सिखाये हैं, और यह सब डायरेक्ट ख़ालिक़े कायनात की तालीम की तरफ़ से है, उन्होंने किसी स्कूल कालिज में रहकर या किसी उस्ताद से ये चीज़ें नहीं सीखीं बल्कि यह सब उसी आ़म हिदायत और अल्लाह की तल्क़ीन के फल व परिणाम हैं जिसका ज़िक्र सूरः तॉ-हा की आयतः

اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى٥

और इस सूरत की 'क़द्द-र फ़-हदा' में फ़रमाया है।

इनसान को साईंसी तालीम भी हक़ीक़त में अल्लाह की अ़ता है

इनसान जिसको हक़ तआ़ला ने अ़क्ल व शऊर सबसे ज़्यादा मुकम्मल अ़ता फ़रमाया और उसको कायनात का मख़दूम बनाया है (यानी सब इसकी ख़िदमत में लगे हुए हैं), ज़मीन और पहाड़ और दरिया और उनमें पैदा होने वाली तमाम चीज़ें इनसान की ख़िदमत और उसके नफ़े के लिये पैदा हुई हैं मगर उनसे पूरा-पूरा फ़ायदा उठाना और मुख़्तलिफ़ क़िस्म के मुनाफ़े हासिल करना और मुख़्तलिफ़ चीज़ों को जोड़कर एक नई चीज़ पैदा कर लेना यह बड़े इल्म व हुनर को चाहता है, क़ुदरत ने इनसान के अन्दर फ़ितरी तौर पर यह अ़क्ल व समझ रखी है कि पहाड़ों को खोदकर दरियाओं में ग़ोता लगाकर सैकड़ों धातुएँ और पदार्थ और दरियाई चीज़ें हासिल कर लेता है, और फिर लकड़ी, लोहे, ताँबे, पीतल वग़ैरह को आपस में जोड़कर उनसे नई-नई चीज़ें अपनी ज़रूरत की बना लेता है, और यह इल्म व हुनर वैज्ञानिकों की तहक़ीक़ात और कालिजों की तालीमात पर मौक़ूफ़ (निर्भर) नहीं, दुनिया की शुरूआ़त से अनपढ़ जाहिल यह सब काम करते आये हैं, और यही फ़ितरी विज्ञान है जो हक़ तआ़ला ने इनसान को फ़ितरी तौर पर बख़्शा है। आगे फ़न्नी और इल्मी तहक़ीक़ात के ज़रिये इसमें तरक़्क़ी करने की सलाहियत भी उसी क़ुदरते रब्बानी का अ़तीया है।

यह सब जानते हैं कि साईंस (विज्ञान) किसी चीज़ को पैदा नहीं करती बल्कि क़ुदरत की पैदा की हुई चीज़ों का इस्तेमाल सिखाती है, और उस इस्तेमाल का अदना दर्जा तो हक़ तआ़ला ने इनसान को फ़ितरी तौर पर सिखा दिया है, आगे उसमें फ़न्नी तहक़ीक़ात और तरक़्क़ी का बड़ा विस्तृत मैदान रखा है, और इनसान की फ़ितरत में उसके समझने की क़ाबलियत व

सलाहियत रखी है जिसके नमूने इस साईंसी दौर में रोज़ नये-नये सामने आ रहे हैं, और मालूम नहीं आगे इससे भी ज़्यादा क्या-क्या सामने आयेगा। ग़ौर करो तो यह सब क़ुरआन के एक लफ़्ज़ 'फ़-हदा' की शरह (व्याख्या) है कि अल्लाह तआ़ला ने इनसान को इन सब कामों का रास्ता दिखाया, और उसमें इनके पूरा कर लेने की सलाहियत व क्षमता और दक्षता अ़ता फ़रमाई, मगर अफ़सोस है कि साईंस में तरक़्क़ी करने वाले इस हक़ीक़त से और ज़्यादा नावाक़िफ़ बल्कि अन्धे होते जा रहे हैं।

وَالَّذِیْٓ اَخْرَجَ الْمَرْعٰیo فَجَعَلَهٗ غُثَآءً اَحْوٰیo

'मरआ़' के मायने चरागाह के हैं, जहाँ चौपाये जानवर चरते हैं, और 'ग़ुसाअन्' उस कूड़े-करकट को कहते हैं जो पानी के सैलाब में ऊपर जाता है। 'अहवा' हव्वतुन् से निकला है, गहरी सब्ज़ी में जो एक क़िस्म की सियाही आ जाती है उसको हव्वत कहते हैं। इस आयत में हक़ तआ़ला ने नबातात (पेड़-पौधों) से मुताल्लिक़ अपनी क़ुदरत व हिक्मत का कुछ बयान फ़रमाया है कि ज़मीन से हरीभरी घास निकाली, फिर उसको ख़ुश्क करके सियाह रंग कर दिया, वह ताज़गी व सरसब्ज़ी जाती रही, इसमें इनसान के लिये उसके अन्जाम की तरफ़ भी इशारा है कि यह जिस्म की ताज़गी, ख़ूबसूरती और चुस्ती चालाकी हक़ तआ़ला का अ़तीया (इनाम व अ़ता) है मगर अन्जामकार फिर इस सब को ख़त्म होना है।

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسٰیٓo اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ.

इनसे पहले बयान हुई आयतों में हक़ तआ़ला ने अपनी क़ुदरत व हिक्मत के चन्द निशानात व नमूने बयान फ़रमाने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को उनके पैग़म्बरी के फ़रीज़े की तरफ़ चन्द हिदायतें दी हैं और हिदायात से पहले आपके काम को आसान कर देने की ख़ुशख़बरी सुनाई है, वह यह कि शुरू में जब आप पर क़ुरआन नाज़िल होता और जिब्रीले अमीन कोई क़ुरआनी आयत सुनाते तो आपको यह फ़िक्र होती थी कि ऐसा न हो कि आयत के अलफ़ाज़ ज़ेहन से निकल जायें इसलिये जिब्रीले अमीन के पढ़ने के साथ-साथ आप भी क़ुरआन के अलफ़ाज़ पढ़ते जाते थे। इस आयत में हक़ तआ़ला ने यह काम यानी क़ुरआन का याद करा देना अपने ज़िम्मे ले लिया और आपको बेफ़िक्र कर दिया कि जिब्रीले अमीन के चले जाने के बाद क़ुरआन की आयतों का आप से सही-सही पढ़वा देना फिर उनको याद में महफ़ूज़ करा देना हमारी ज़िम्मेदारी है, आप फ़िक्र न करें जिसका नतीजा यह होगा किः

فَلَا تَنْسٰیٓo اِلَّا مَا شَآءَ اللّٰهُ.

यानी आप क़ुरआन की कोई चीज़ भूलेंगे नहीं सिवाय इसके कि किसी चीज़ को अल्लाह तआ़ला ही अपनी हिक्मत व मस्लेहत की बिना पर आपके ज़ेहन से भुला देना और मिटा देना चाहें। मुराद यह है कि अल्लाह तआ़ला जो क़ुरआन की बाज़ी आयतों को मन्सूख़ (निरस्त) फ़रमाते हैं उसका एक तरीक़ा तो परिचित है कि कोई साफ़ हुक्म पहले हुक्म के ख़िलाफ़ आ गया, और एक सूरत मन्सूख़ (रद्द) करने की यह भी है कि उस आयत ही को रसूलुल्लाह

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सब मुसलमानों के ज़ेहनों से मिटा दिया और भुला दिया जाये जैसा कि क़ुरआनी आयतों के मन्सूख़ होने के बयान में सूरः ब-क़रह् के अन्दर फ़रमाया हैः

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا.

यानी हम जो आयत मन्सूख़ (यानी उसका हुक्म या तिलावत निरस्त और ख़त्म) करते हैं या आपके ज़ेहन से भुला देते हैं........। और कुछ हज़रात ने 'इल्ला मा शाअल्लाहु' के अलग करने का यह मफ़्हूम करार दिया है कि यह हो सकता है कि अल्लाह तआ़ला किसी मस्लेहत और हिक्मत की बिना पर आ़रज़ी (वक़्ती और अस्थायी) तौर से कोई आयत आपके ज़ेहन से भुला दें फिर याद आ जाये जैसा कि हदीस की कुछ रिवायतों में है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने कोई सूरत तिलावत फ़रमाई जिसमें एक आयत पढ़ने से रह गयी, हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु जो वही के कातिब (लिखने वाले) थे उन्होंने यह समझा कि शायद यह आयत मन्सूख़ हो गयी, मगर जब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया तो आपने फ़रमाया कि मन्सूख़ नहीं मुझसे भूले से छूट गयी। (क़ुर्तुबी) तो हासिल इस अलग करने का यह होगा कि वक़्ती और आ़रज़ी तौर पर किसी आयत का भूल जाना और फिर बदस्तूर याद आ जाना इस वायदे के ख़िलाफ़ नहीं। वल्लाहु आलम।

وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرٰى ○

लफ़्ज़ी तर्जुमा इसका यह है कि हम आपको 'तरीक़ा युस्रा' के लिये आसान कर देंगे। तरीक़ा युस्रा से मुराद इस्लामी शरीअ़त है, बज़ाहिर इस मक़ाम का तक़ाज़ा यह था कि यह फ़रमाया जाता कि हम इस तरीक़े और शरीअ़त को आपके लिये आसान कर देंगे, मगर क़ुरआने करीम ने इसको छोड़कर यह फ़रमाया कि हम आपको इस तरीक़े के लिये आसान कर देंगे। हिक्मत इसमें यह बतलाना है कि अल्लाह तआ़ला आपको तबई और माद्दी तौर पर ऐसा बना देंगे कि शरीअ़त आपकी तबीयत बन जाये और आप शरीअ़त के साँचे में ढल जायें।

فَذَكِّرْ اِنْ نَّفَعَتِ الذِّكْرٰى ○

पहले की आयतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को आपके फ़रीज़ा-ए-पैग़म्बरी के अदा करने में हक़ तआ़ला की तरफ़ से दी हुई सहूलतों का बयान था, इस आयत में आपको उस फ़रीज़े (ज़िम्मेदारी) की अदायेगी का हुक्म है और आयत के अलफ़ाज़ के मायने यह हैं कि आप लोगों को तब्लीग़ व नसीहत कीजिये अगर नसीहत नफ़ा देती हो। ये अलफ़ाज़ अगरचे शर्त के आये हैं मगर हक़ीक़त में कोई शर्त मक़सद नहीं बल्कि इसका ताकीदी हुक्म देना है, जिसकी मिसाल हमारे उर्फ़ में यह है कि किसी शख़्स को तंबीह के तौर पर कहा जाये कि अगर तू आदमी है तो फ़ुलाँ काम करना होगा, या अगर तू फ़ुलाँ का बेटा है तो तुझे ऐसा करना चाहिये। यहाँ मक़सद शर्त नहीं होती बल्कि इसका इज़्हार होता है कि जब तू आदमी ज़ाद है या जबकि तू फ़ुलाँ बुज़ुर्ग या शरीफ़ आदमी का बेटा है तो तुझ पर यह काम लाज़िम है। मतलब यह है कि नसीहत व तब्लीग़ का नाफ़े व मुफ़ीद होना तो मुतैयन और यक़ीनी है इसलिये इस नफ़ा देने

वाली चीज़ को आप किसी वक़्त न छोड़ें।

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى٥

'तज़क्का' ज़कात से निकला है जिसके असल मायने पाक कर देने के हैं। माल की ज़कात को भी इसलिये ज़कात कहते हैं कि वह बाक़ी माल को इनसान के लिये पाक कर देती है, यहाँ लफ़्ज़ तज़क्का का मफ़्हूम आम है जिसमें ईमानी और अख़्लाक़ी पाकीज़गी व तहारत भी दाख़िल है और माल की ज़कात देना भी है।

وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى٥

यानी अपने रब का नाम लेता और नमाज़ पढ़ता है। ज़ाहिर यह है कि इसमें हर क़िस्म की फ़र्ज़ व नफ़िल नमाज़ शामिल है। कुछ मुफ़स्सिरीन ने जो ख़ास ईद की नमाज़ से इसकी तफ़सीर की है वह भी इसमें दाख़िल है।

بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا٥

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद ने फ़रमाया कि आ़म लोगों में दुनिया को आख़िरत पर तरजीह देने की वजह यह है कि दुनिया की नेमत व राहत तो नक़द व हाज़िर है और आख़िरत की नेमत व राहत नज़रों से ग़ायब और उधार है। हक़ीक़त से नावाक़िफ़ लोगों ने हाज़िर को ग़ायब पर और नक़द को उधार पर तरजीह दे दी जो उनके लिये हमेशा के घाटे का सबब बनी, उसी घाटे से बचाने के लिये अल्लाह तआ़ला ने अपनी किताबों और रसूलों के ज़रिये आख़िरत की नेमतों, राहतों को ऐसा स्पष्ट कर दिया कि गोया वो हाज़िर व मौजूद हैं, और यह बतला दिया कि जिस चीज़ को तुम नक़द समझकर इख़्तियार करते हो यह घटिया व नाक़िस सामान और बहुत जल्द फ़ना हो जाने वाला है, अ़क़्लमन्द का काम नहीं कि ऐसी चीज़ पर अपना दिल डाले और उसके लिये अपनी ताक़त व ऊर्जा ख़र्च करे, इसी हक़ीक़त को स्पष्ट करने के लिये आगे इरशाद फ़रमायाः

وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى٥

दुनिया को आख़िरत पर तरजीह देने वालों को तंबीह है कि ज़रा अ़क़्ल से काम लो, किस चीज़ को इख़्तियार कर रहे और किसको छोड़ रहे हो, दुनिया जिस पर तुम फ़रेफ़्ता हो अव्वल तो इसकी बड़ी से बड़ी राहत व लज़्ज़त भी रंज व ग़म और परेशानी व मशक़्क़त की मिलावट से ख़ाली नहीं, दूसरे इसका कोई जमाव और पायेदारी नहीं, आज का बादशाह कल का फ़क़ीर, आज का ताक़तवर जवान कल का कमज़ोर व आ़जिज़ होना रात दिन देखते हो, बख़िलाफ़ आख़िरत के कि वह इन दोनों ऐबों से पाक है, उसकी हर नेमत व राहत ख़ैर ही ख़ैर है और दुनिया की नेमत व राहत से उसको कोई निस्बत नहीं, और इससे बड़ी बात यह है कि वह हमेशा रहने वाली है। इनसान ज़रा ग़ौर करे कि अगर उसको कहा जाये कि तुम्हारे सामने दो मकान हैं- एक आ़लीशान महल और बंगला तमाम साज़ व सामान से सजा हुआ है, और दूसरा एक मामूली कच्चा मकान है और यह सामान भी उसमें नहीं। तुम्हें हम इख़्तियार देते हैं कि या

तो यह बंगला ले लो मगर सिर्फ़ महीने दो महीने के लिये, उसके बाद इसे ख़ाली करना होगा, या यह कच्चा मकान ले लो जो तुम्हारी हमेशा की मिल्कियत होगी, तो अ़क्लमन्द इनसान उन दोनों में से किसको तरजीह देगा? इसका तक़ाज़ा तो यह है कि आख़रत की नेमतें अगर मान लो नाकिस और दुनिया से कम दर्जे की भी होतीं मगर उनके हमेशा वाली होने की वजह से वही क़ाबिले तरजीह थीं और जबकि वो नेमतें दुनिया की नेमतों के मुक़ाबले में ख़ैर और अफ़ज़ल और आला भी हैं और हमेशा रहने वाली भी तो कोई अहमक़ बदनसीब ही उनको छोड़कर दुनिया की नेमत को तरजीह (वरीयता) दे सकता है।

إِنَّ هٰذَا لَفِى الصُّحُفِ الْأُوْلٰى ٥ صُحُفِ إِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ٥

यानी इस सूरत के सब मज़ामीन या आख़िरी मज़मून यानी आख़िरत का दुनिया के मुक़ाबले में ख़ैर और हमेशा बाक़ी रहने वाली होना पिछले सहीफ़ों (आसमानी किताबों) में भी मौजूद था जिसका बयान आगे यह फ़रमाया कि हज़रत इब्राहीम और मूसा अ़लैहिमस्सलाम के सहीफ़ों में यह मज़मून था। हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम को तौरात से पहले कुछ सहीफ़े भी दिये गये थे वो मुराद हैं, और हो सकता है कि 'सुहुफ़े मूसा' से तौरात ही मुराद हो।

इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के सहीफ़ों के मज़ामीन

आजरी ने हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के सहीफ़े कैसे और क्या थे। आपने फ़रमाया कि उन सहीफ़ों में इब्रत (नसीहत व सीख भरी) मिसालों का बयान था। उनमें से एक मिसाल में ज़ालिम बादशाह को मुख़ातब करके फ़रमाया कि ऐ लोगों पर मुसल्लत हो जाने वाले घमण्डी! मैंने तुझे हुकूमत इसलिये नहीं दी थी कि तू दुनिया का माल पर माल जमा करता चला जाये, बल्कि मैंने तो तुझे हुकूमत व ताक़त इसलिये सौंपी थी कि तू मज़लूम की बद्दुआ़ मुझ तक न पहुँचने दे, क्योंकि मेरा क़ानून यह है कि मैं मज़लूम की दुआ़ को रद्द नहीं करता अगरचे वह काफ़िर की ज़ुबान से निकली हो।

और एक मिसाल में आ़म लोगों को ख़िताब करके फ़रमाया कि अ़क्लमन्द आदमी का काम यह है कि अपने वक़्तों के तीन हिस्से करे, एक हिस्सा अपने रब की इबादत और उससे मुनाजात (दुआ़ व फ़रियाद) का हो, दूसरा हिस्सा अपने आमाल के मुहासबे और जाँच का और अल्लाह तआ़ला की अ़ज़ीम क़ुदरत व कारीगरी में ग़ौर व फ़िक्र का, तीसरा हिस्सा कमाने और अपनी रोज़ी हासिल करने और तबई ज़रूरतें पूरा करने का।

और फ़रमाया कि अ़क्लमन्द आदमी पर लाज़िम है कि अपने ज़माने के हालात से वाक़िफ़ रहे और अपने मक़सद व काम में लगा रहे, अपनी ज़ुबान की हिफ़ाज़त करे। और जो शख़्स अपने कलाम को अपना अ़मल समझ लेगा उसका कलाम बहुत कम सिर्फ़ ज़रूरी कामों में रह जायेगा।

मूसा अ़लैहिस्सलाम के सहीफ़ों के मज़ामीन

हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया– मूसा अ़लैहिस्सलाम के सहीफ़ों में क्या था तो आपने फ़रमाया कि उनमें सब इब्रतें ही इब्रतें (नसीहत की बातें) थीं, जिनमें से चन्द कलिमात ये हैं–

मुझे ताज्जुब है उस शख़्स पर जिसको मरने का यक़ीन हो फिर वह कैसे ख़ुश रहता है। और मुझे ताज्जुब है उस शख़्स पर जो तक़दीर पर ईमान रखता हो फिर वह कैसे आ़जिज़ व लाचार और ग़मगीन हो। और मुझे ताज्जुब है उस शख़्स पर जो दुनिया और उसके इन्क़िलाबात (उलट-फेर और तब्दीलियों) और लोगों के उठने व गिरने को देखता है वह कैसे दुनिया पर मुत्मईन हो बैठता है। और मुझे ताज्जुब है उस शख़्स पर जिसको आख़िरत के हिसाब पर यक़ीन हो, वह कैसे अ़मल को छोड़ बैठता है। हज़रत अबूज़र रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैंने फिर यह सवाल किया कि क्या उन सहीफ़ों में से कोई चीज़ आपके पास आने वाली वही में भी है? आपने फ़रमाया ऐ अबूज़र! ये आयतें पढ़ोः

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكّٰى ۝ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهٖ فَصَلّٰى ۝ بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۝ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى ۝ اِنَّ هٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْاُوْلٰى ۝ صُحُفِ اِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى ۝

(तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-अअ्ला की तफ़सीर आज शाबान की 18 तारीख़ सन् 1391 हिजरी इतवार की रात में पूरी हुई।

सूरः अल्-ग़ाशियह्

सूरः अल्-ग़ाशियह् मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 26 आयतें हैं।

ایاتھا ۲۶ (۸۸) سُوْرَۃُ الْغَاشِیَۃِ مَکِّیَّۃٌ (۶۸) رکوعھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

هَلْ اَتٰىكَ حَدِيْثُ الْغَاشِيَةِ ۝ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۝ تَصْلٰى نَارًا حَامِيَةً ۝ تُسْقٰى مِنْ عَيْنٍ اٰنِيَةٍ ۝ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ ۝ لَّا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ ۝ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاعِمَةٌ ۝ لِّسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ۝ فِيْ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۝ لَّا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ۝ فِيْهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۝ فِيْهَا سُرُرٌ مَّرْفُوْعَةٌ ۝ وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ۝ وَّنَمَارِقُ مَصْفُوْفَةٌ ۝ وَّزَرَابِيُّ مَبْثُوْثَةٌ ۝ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ ۝ وَاِلَى السَّمَآءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۝ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ۝ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۝ فَذَكِّرْ اِنَّمَآ اَنْتَ مُذَكِّرٌ ۝ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ ۝ اِلَّا مَنْ تَوَلّٰى وَكَفَرَ ۝ فَيُعَذِّبُهُ اللّٰهُ الْعَذَابَ الْاَكْبَرَ ۝ اِنَّ اِلَيْنَآ اِيَابَهُمْ ۝ ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

हल् अता-क हदीसुल्-ग़ाशियह् (1) वुजूहुंय्-यौमइज़िन् ख़ाशिअह् (2) आमि-लतुन् नासि-बतुन् (3) तस्ला नारन् हामि-यतन् (4) तुस्क़ा मिन् ऐनिन् आनियह् (5) लै-स लहुम् तआमुन् इल्ला मिन् ज़रीअिल्- (6) -ला युस्मिनु व ला युग़्नी मिन् जूअ् (7) वुजूहुंय्-यौमइज़िन् नाअि-मतुल्- (8) -लिसअ्यिहा राज़ि-यतुन् (9)	कुछ पहुँची तुझको बात उस छुपा लेने वाली की (1) कितने मुँह उस दिन ज़लील होने वाले हैं (2) मेहनत करने वाले थके हुए (3) गिरेंगे दहकती हुई आग में (4) पानी मिलेगा एक खोलते हुए चश्मे का (5) नहीं उनके पास खाना मगर झाड़ काँटों वाला (6) न मोटा करे और न काम आये भूख में (7) कितने मुँह उस दिन तरोताज़ा हैं (8) अपनी कमाई से राज़ी (9)

फ़ी जन्नतिन् आ़लियह् (10) ला तस्मअ़ु फ़ीहा लाग़ियह् (11) फ़ीहा अ़ैनुन् जारियह्। (12) फ़ीहा सुरुरुम्-मरफ़ू-अ़तुंव्- (13) -व अक्वाबुम्-मौज़ू-अ़तुंव्- (14) -व नमारिक़ु मस्फ़ू-फ़तुंव्- (15) -व ज़राबिय्यु मब्सूसह् (16) अ-फ़ला यन्ज़ुरू-न इलल्-इबिलि कै-फ़ ख़ुलिक़त् (17) व इलस्समा-इ कै-फ़ रुफ़िअ़त् (18) व इलल्-जिबालि कै-फ़ नुसिबत् (19) व इलल्-अर्ज़ि कै-फ़ सुतिहत् (20) फ़ज़क्किर्, इन्नमा अन्-त मुज़क्किर (21) लस्-त अ़लैहिम् बिमुसैतिरिन् (22) इल्ला मन् तवल्ला व क-फ़र (23) फ़युअ़ज़्ज़िबुहुल्लाहुल्-अ़ज़ाबल्-अक्बर (24) इन्-न इलैना इया-बहुम् (25) सुम्-म इन्-न अ़लैना हिसा-बहुम (26) ✿ ●	ऊँचे बाग़ में (10) नहीं सुनते उसमें बकवास (11) उसमें एक चश्मा है बहता (12) उसमें तख़्त हैं ऊँचे बिछे हुए (13) और आबख़ोरे सामने चुने हुए (14) और ग़ालीचे बराबर बिछे हुए (15) और मख़मल के नहालचे जगह-जगह फैले हुए। (16) भला क्या नज़र नहीं करते ऊँटों पर कि कैसे बनाये हैं (17) और आसमान पर कि कैसा उसको बुलन्द किया है (18) और पहाड़ों पर कि कैसे खड़े कर दिये हैं (19) और ज़मीन पर कि कैसी साफ़ बिछाई है (20) सो तू समझाये जा, तेरा काम तो यही समझाना है (21) तू नहीं उन पर दरोग़ा (22) मगर जिसने मुँह मोड़ा और मुन्किर हो गया (23) तो अ़ज़ाब करेगा उस पर अल्लाह वह बड़ा अ़ज़ाब (24) बेशक हमारे पास है उनको फिर आना (25) फिर बेशक हमारा ज़िम्मा है उनसे हिसाब लेना। (26) ✿ ●

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आपको उस आ़म घेराव करने वाले वाक़िए की कुछ ख़बर पहुँची है? (मुराद इससे क़ियामत है कि तमाम आ़लम को उसका असर अपने घेरे में ले लेगा और इस सवाल करने व पूछने से मक़सद उसका शौक़ दिलाना है जिससे कलाम के सुनने का एहतिमाम पैदा हो। आगे जवाब की सूरत में इस ख़बर की तफ़सील है, यानी) बहुत-से चेहरे उस दिन ज़लील (और) मुसीबत झेलते ख़स्ता (मजबूर व परेशान) होंगे (और) भड़कती हुई आग में दाख़िल होंगे (और) खौलते हुए

चश्मे से पानी पिलाये जाएँगे (और) उनको सिवाय एक काँटेदार झाड़ के और कोई खाना नसीब न होगा, जो न (तो खाने वालों को) मोटा करेगा और न (उनकी) भूख को दूर करेगा (यानी न उसमें ग़िज़ा बनने की सलाहियत है न भूख दूर करने की। और मुसीबत झेलने से मुराद हश्र में परेशान फिरना और दोज़ख़ में बेड़ियों व तौक़ों को लादना, दोज़ख़ के पहाड़ों पर चढ़ना और उसके असर से ख़स्तगी ज़ाहिर है। और खौलता हुआ चश्मा वही जिसको दूसरी आयतों में हमीम फ़रमाया है, इस आयत से मालूम होता है कि वहाँ उसका भी चश्मा होगा। और यह फ़रमाना कि उसका खाना सिवाय ज़रीअ़ के और न होगा, इसका मतलब यह है कि कोई मज़ेदार खाना नहीं होगा, ज़रीअ़ ही की तरह ज़क़्क़ूम या ग़िस्लीन का उसके खाने में शामिल होना इसके ख़िलाफ़ नहीं। और चेहरों से मुराद चेहरे वाले हैं। यह तो दोज़ख़ियों का हाल हुआ, आगे जन्नत वालों का हाल है, यानी) बहुत-से चेहरे उस दिन रौनक़ वाले (और) अपने (नेक) कामों की बदौलत ख़ुश होंगे (और) आला दर्जे की जन्नत में होंगे जिसमें कोई बेहूदा बात न सुनेंगे, उस (जन्नत) में बहते हुए चश्मे होंगे (और) उस (जन्नत) में ऊँचे-ऊँचे तख़्त (बिछे) हैं और रखे हुए आबख़ोरे "पानी पीने के बरतन" (मौजूद) हैं (यानी यह सामान उसके सामने ही मौजूद होगा ताकि जब पानी को जी चाहे देर न लगे) और बराबर लगे हुए गद्दे (तकिये) हैं और सब तरफ़ क़ालीन (ही क़ालीन) फैले पड़े हैं (कि जहाँ चाहें आराम कर लें, एक जगह से दूसरी जगह जाना भी न पड़े, यह तफ़सील हो गयी जज़ा की)।

(और इन मज़ामीन को सुनकर जो बाज़े लोग क़ियामत का इनकार करते हैं जिसमें ये सब वाक़िआत होंगे तो उनकी ग़लती है, क्योंकि) क्या वे लोग ऊँट को नहीं देखते कि किस तरह (अ़जीब अन्दाज़ पर) पैदा किया गया है? (कि उसकी शक्ल व सूरत और ख़ासियत दोनों चीज़ें दूसरे जानवरों के मुक़ाबले में उसमें अ़जीब हैं) और आसमान को (नहीं देखते) कि किस तरह बुलन्द किया गया है? और पहाड़ों को (नहीं देखते) कि किस तरह खड़े किये गये हैं? और ज़मीन को (नहीं देखते) कि किस तरह बिछाई गई है? (यानी इन चीज़ों को देखकर अल्लाह की क़ुदरत पर दलील नहीं लेते ताकि उसका दोबारा ज़िन्दा करके उठाने यानी क़ियामत पर क़ादिर होना समझ लेते, और इन चार चीज़ों को ख़ास तौर से इसलिये बयान किया गया है कि अ़रब के लोग अक्सर जंगलों में चलते फिरते रहते थे, उस वक़्त उनके सामने ऊँट होते थे और ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन और आस-पास पहाड़, इसलिये इन निशानियों में ग़ौर करने के लिये इरशाद फ़रमाया गया। और जब ये लोग दलीलों के क़ायम होने के बावजूद ग़ौर नहीं करते) तो आप (भी उनकी फ़िक्र में न पड़िये बल्कि सिर्फ़) नसीहत कर दिया कीजिये, (क्योंकि) आप तो सिर्फ़ नसीहत करने वाले हैं (और) आप उन पर मुसल्लत नहीं हैं (जो ज़्यादा फ़िक्र में पड़ें), हाँ मगर जो मुँह फेरेगा और कुफ़्र करेगा तो ख़ुदा उसको (आख़िरत में) बड़ी सज़ा देगा, क्योंकि हमारे ही पास उनका आना होगा, फिर हमारा ही काम उनसे हिसाब लेना है (आप ज़्यादा ग़म में न पड़िये)।

मआरिफ़ व मसाईल

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۙ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ ۙ

क़ियामत में दो फ़रीक़ मोमिन व काफ़िर अलग-अलग हो जायेंगे। उनके चेहरे अलग-अलग पहचाने जायेंगे। इस आयत में काफ़िरों के चेहरों का एक हाल यह बतलाया है कि वे 'ख़ाशिआ' होंगे। ख़ुशूअ के मायने झुकने और ज़लील होने के हैं। नमाज़ में ख़ुशूअ का यही मतलब है कि अल्लाह तआला के सामने झुके और ज़िल्लत व पस्ती के आसार अपने वजूद पर तारी करे। जिन लोगों ने दुनिया में अल्लाह तआला के सामने ख़ुशूअ व पस्ती इख़्तियार नहीं की इसकी सज़ा उनको क़ियामत में यह मिलेगी कि वहाँ उनके चेहरों पर ज़िल्लत और रुस्वाई के आसार नुमायाँ (ज़ाहिर) होंगे।

दूसरा और तीसरा हाल उनके चेहरों का यह बयान फ़रमाया कि 'आमिला' 'नासिबा' होंगे। आमिला के लफ़्ज़ी मायने अमल और मेहनत करने वाले के हैं। मुहावरों में आमिल और आमिला उस शख़्स के लिये बोला जाता है जो लगातार अमल और मेहनत से थका-माँदा चूर हो गया हो। और 'नासिबा' नसब से निकला है इसके मायने भी थकने और परेशानी व मशक़्क़त में पड़ जाने के हैं। काफ़िरों व मुजरिमों के ये दो हाल कि अमल और मेहनत से थके व आजिज़ होंगे, ज़ाहिर यह है कि यह हाल उनकी दुनिया का है, क्योंकि आख़िरत में तो कोई अमल और मेहनत नहीं, इसी लिये इमाम क़ुर्तुबी वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने इसका यह मफ़्हूम क़रार दिया है कि पहला हाल यानी चेहरों पर ज़िल्लत व रुस्वाई यह तो आख़िरत में होगा और 'आमिला' 'नासिबा' के दोनों हाल उन लोगों के दुनिया ही में होते हैं, क्योंकि बहुत से काफ़िर और बुरे आमाल वाले मुश्रिकाना इबादत और बातिल तरीक़ों में मेहनत व जिद्दोजोहद दुनिया में करते रहते हैं। हिन्दुओं के जोगी, ईसाईयों के राहिब बहुत से ऐसे भी हैं जो इख़्लास के साथ अल्लाह तआला ही की रज़ा तलब करने के लिये दुनिया में इबादत व तपस्या करते हैं और उसमें भारी मेहनत बरदाश्त करते हैं मगर वह इबादत मुश्रिकाना और बातिल तरीक़े पर होने की वजह से अल्लाह तआला के नज़दीक कोई अज्र व सवाब नहीं रखती, तो उन लोगों के चेहरे दुनिया में भी आमिला नासिबा रहे और आख़िरत में उन पर ज़िल्लत व रुस्वाई की सियाही छाई होगी।

हज़रत हसन बसरी रह. ने रिवायत किया है कि हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु जब मुल्क शाम में तशरीफ़ ले गये तो एक ईसाई राहिब आपके पास आया जो बूढ़ा था और अपने मज़हब की इबादत व तपस्या और मुजाहदे व मेहनत में लगा हुआ था। मेहनत से उसका चेहरा बिगड़ा हुआ, बदन ख़ुश्क, लिबास ख़स्ता व भद्दा था। जब हज़रत फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसको देखा तो आप रो पड़े, लोगों ने रोने का सबब पूछा तो फ़ारूक़े आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मुझे इस बूढ़े के हाल पर रहम आया कि इस बेचारे ने एक मक़सद के लिये बड़ी मेहनत व कोशिश की मगर वह उस मक़सद यानी अल्लाह की रज़ा को नहीं पा सका

और इस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह आयत तिलावत फ़रमाई:

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ○ عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ○ (تفسیر قرطبی)

نَارًا حَامِيَةً○

'हामिया' के लफ़्ज़ी मायने गर्म के हैं, और आग का गर्म होना उसका तबई हाल है, फिर उसकी ख़ुसूसी सिफ़त बयान करना यह बतलाने के लिये है कि उस आग की गर्मी दुनिया की आग की तरह किसी वक़्त कम या ख़त्म होने वाली नहीं बल्कि यह हामिया हमेशा रहने वाली है।

لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ اِلَّا مِنْ ضَرِيْعٍ○

यानी जहन्नम वालों को खाने के लिये 'ज़रीअ़' के सिवा कुछ न मिलेगा। ज़रीअ़ दुनिया में एक ख़ास किस्म की काँटेदार घास है जो ज़मीन पर फैलती है, कोई जानवर उसके पास नहीं जाता, बदबूदार ज़हरीली काँटों वाली है। (हज़रत इक्रिमा व मुजाहिद ने इसकी यही तफ़सीर बयान की है। क़ुर्तुबी)

जहन्नम में घास और दरख़्त वग़ैरह कैसे?

यहाँ यह शुब्हा न किया जाये कि घास दरख़्त तो आग से जल जाने वाली चीज़ें हैं जहन्नम में ये कैसे रहेंगी, क्योंकि जिस ख़ालिक़ व मालिक ने इनको दुनिया में पानी और हवा से पाला है उसको यह भी क़ुदरत है कि जहन्नम में इन दरख़्तों की ग़िज़ा आग ही बना दे, वो उसी से फलें फूलें।

एक शुब्हे का जवाब

क़ुरआन में जहन्नम वालों की ग़िज़ा के बारे में मुख़्तलिफ़ चीज़ों का ज़िक्र आया है। यहाँ ज़रीअ़ उनकी ग़िज़ा बतलाई है। दूसरी जगह ज़क़्क़ूम और तीसरी जगह ग़िस्लीन, तो इस आयत में जो ख़ास करके यह बयान किया गया है कि जहन्नम वालों को कोई ग़िज़ा सिवाय ज़रीअ़ के न दी जायेगी, यह ख़ास और सीमित करना उस ग़िज़ा के मुक़ाबले में है जो खाने के लायक़, ख़ुशगवार और बदन का हिस्सा बनने वाली हो, और ज़रीअ़ मिसाल के तौर पर लाया गया है। मतलब यह है कि जहन्नम वालों को कोई खाने के लायक़ ग़िज़ा नहीं मिलेगी बल्कि ज़रीअ़ जैसी तकलीफ़देह नुक़सानदेह चीज़ें दी जायेंगी, इसलिये ज़रीअ़ में सीमित करना मक़सद नहीं बल्कि 'ज़क़्क़ूम' और 'ग़िस्लीन' भी 'ज़रीअ़' में शामिल हैं। और इमाम क़ुर्तुबी ने फ़रमाया कि हो सकता है कि जहन्नम के मुख़्तलिफ़ दर्जों और तब्क़ों में उनकी मुख़्तलिफ़ (अलग-अलग और विभिन्न) ग़िज़ायें हों। कहीं ज़रीअ़, कहीं ज़क़्क़ूम, कहीं ग़िस्लीन।

لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِيْ مِنْ جُوْعٍ○

पहले की आयत में जहन्नम वालों की ग़िज़ा ज़रीअ़ बतलाई गयी है। मक्का के कुछ काफ़िरों ने जब यह आयत सुनी तो कहने लगे कि हमारे ऊँट तो 'ज़रीअ़' खाकर ख़ूब फ़र्बा हो जाते हैं, उनके जवाब में फ़रमाया कि जहन्नम के 'ज़रीअ़' को दुनिया के 'ज़रीअ़' पर क़ियास

और तुलना न करो। वहाँ के ज़रीअ़ से न मोटापा पैदा होगा और न भूख से निजात मिलेगी।

لَا تَسْمَعُ فِيْهَا لَاغِيَةً ○

यानी जन्नत में कोई ऐसा कलाम ऐसी बात जन्नत वालों के कान में न पड़ेगी जो बेकार व बेहूदा और दिल को तकलीफ़ देने वाली हो। इसमें कुफ़्रिया और बातिल कलिमात भी आ गये और गाली-गलौज, तोहमत व बोहतान, इल्ज़ाम लगाना और ऐसे कलाम आ गये जिनको सुनकर इनसान को तकलीफ़ पहुँचती है। दूसरी जगह क़ुरआने करीम ने इसी को इस तरह बयान फ़रमाया है किः

لَا يَسْمَعُوْنَ فِيْهَا لَغْوًا وَّلَا تَاْثِيْمًا ○

यानी जन्नत वाले जन्नत में कोई बेहूदा बात या इल्ज़ाम लगाने की बात न सुनेंगे। इसके अ़लावा भी कई जगह यह मज़मून क़ुरआने करीम में बयान हुआ है।

इससे मालूम हुआ कि इल्ज़ाम लगाना और बेतुकी बेढंगी बातें बड़ी तकलीफ़देह चीज़ है, इसी लिये क़ुरआने करीम ने जन्नत वालों के हालात में ख़ास तौर से इसको बयान फ़रमाया कि जन्नत वालों के कानों में कभी कोई ऐसा कलिमा नहीं पड़ेगा जिससे उनका दिल बुरा और मैला हो।

रहन-सहन और ज़िन्दगी गुज़ारने के चन्द आदाब

وَّاَكْوَابٌ مَّوْضُوْعَةٌ ○

'अकवाब' 'कूब' की जमा (बहुवचन) है, पानी पीने के बरतन को कहा जाता है जैसे आबख़ोरे, गिलास वग़ैरह। इसकी सिफ़त में लफ़्ज़ **मौज़ूआ़** यानी अपनी मुक़र्ररा जगह पर पानी के क़रीब रखे हुए होंगे, यह फ़रमाकर रहन-सहन और ज़िन्दगी गुज़ारने के आदाब के एक अहम अध्याय की तालीम व हिदायत फ़रमाई गयी है, कि पानी पीने के बरतन पानी के क़रीब मुक़र्रर जगह पर रहने चाहियें, वहाँ से इधर-उधर हो जायें और पानी पीने के वक़्त तलाश करना पड़े यह तकलीफ़ व परेशानी की चीज़ है, इसलिये हर शख़्स को इसका एहतिमाम चाहिये कि ऐसी इस्तेमाली चीज़ें जो सब घर वालों के काम में आती हैं जैसे लोटे, गिलास, तौलिया वग़ैरह इनकी जगह मुक़र्रर रहनी चाहिये और इस्तेमाल करने के बाद उसको वहीं रखना चाहिये ताकि दूसरों को तकलीफ़ न पहुँचे। यह इशारा लफ़्ज़ **मौज़ूआ़** से इसलिये निकला कि हक़ तआ़ला ने जन्नत वालों की राहत व आराम के लिये इसके ज़िक्र का एहतिमाम फ़रमाया कि उनके पानी पीने के बरतन पानी के क़रीब रखे हुए मिलेंगे।

اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ................... الاٰية.

क़ियामत के हालात और उसमें मोमिन व काफ़िर की जज़ा व सज़ा का बयान फ़रमाने के बाद उन जाहिल दुश्मनों व मुख़ालिफ़ों की हिदायत की तरफ़ तवज्जोह फ़रमाई जो अपनी बेवक़ूफ़ी से क़ियामत का इनकार इस बिना पर करते हैं कि उन्हें मरने और मिट्टी हो जाने के बाद दोबारा ज़िन्दा होना बहुत दूर की बात बल्कि मुहाल नज़र आता है। उनकी हिदायत के लिये

हक् जल्ल शानुहू ने अपनी क़ुदरत की चन्द निशानियों में ग़ौर करने का इन आयतों में इरशाद फ़रमाया है, और अल्लाह की क़ुदरत की निशानियाँ तो आसमान व ज़मीन में बेशुमार हैं, यहाँ उनमें से ऐसी चार चीज़ों का ज़िक्र फ़रमाया जो जंगल व बयाबान में रहने वाले अ़रब के लोगों के हाल के मुनासिब हैं, कि वे ऊँटों पर सवार होकर बड़े-बड़े सफ़र तय करते हैं, उस वक़्त उनके सबसे ज़्यादा क़रीब ऊँट होता है, ऊपर आसमान और नीचे ज़मीन और दायें-बायें और आगे-पीछे पहाड़ों का सिलसिला होता है, इन्हीं चारों चीज़ों में उनको ग़ौर करने का हुक्म दिया गया कि क़ुदरत की दूसरी निशानियों को भी छोड़ो इन्हीं चार चीज़ों में ग़ौर करो तो हक् तआ़ला की हर चीज़ पर कामिल क़ुदरत का नज़ारा तुम्हें नज़र आ जायेगा।

और जानवरों में ऊँट की कुछ ऐसी विशेषतायें भी हैं जो ख़ास तौर से ग़ौर करने वाले के लिये हक् तआ़ला की हिक्मत व क़ुदरत का आईना बन सकती हैं। अव्वल तो अ़रब में सबसे ज़्यादा बड़ा जानवर अपने डीलडोल के एतिबार से ऊँट ही है, हाथी वहाँ होता नहीं, दूसरे हक् तआ़ला ने इस लम्बे-चौड़े जिस्म वाले जानवर को ऐसा बना दिया है कि अ़रब के बद्दू और ग़रीब से ग़रीब आदमी भी इस इतने बड़े जानवर के पालने और रखने में कोई मुश्किल महसूस न करें, क्योंकि इसको छोड़ दीजिये तो यह अपना पेट ख़ुद भर लेगा, ऊँचे दरख़्तों के पत्ते तोड़ने की तकलीफ़ भी आपको नहीं करनी पड़ती, यह ख़ुद दरख़्तों की शाख़ें खाकर गुज़ारा कर लेता है। हाथी और दूसरे जानवरों के जैसी इसकी ख़ुराक नहीं जो बड़ी महंगी पड़ती है।

अ़रब के जंगलों में पानी एक बहुत ही कम पाई जाने वाली चीज़ है, हर जगह हर वक़्त नहीं मिलता। क़ुदरत ने इसके पेट में एक रिज़र्व टंकी ऐसी लगा दी है कि सात आठ दिन का पानी पीकर यह उस टंकी में महफ़ूज़ कर लेता है, और धीरे-धीरे वह उससे अपनी पानी की ज़रूरत को पूरा कर लेता है। इतने ऊँचे जानवर पर सवार होने के लिये सीढ़ी लगानी पड़ती मगर क़ुदरत ने उसके पाँव को तीन तह में तक़सीम कर दिया, यानी हर पाँव में दो घुटने बना दिये कि वह तह करके बैठ जाता है तो उस पर चढ़ना और उतरना आसान हो जाता है। मेहनत उठाने वाला इतना है कि सब जानवरों से ज़्यादा बोझ उठा लेता है। अ़रब के मैदानों में दिन का सफ़र धूप की वजह से सख़्त मुश्किल है, क़ुदरत ने इस जानवर को रात भर चलने का आ़दी बना दिया है। तबीयत में सादगी और आ़जिज़ी ऐसी है कि एक छोटी सी बच्ची उसकी मुहार पकड़कर जहाँ चाहे ले जाये। इसके अ़लावा और बहुत सी ख़ुसूसियतें हैं जो इनसान को हक् तआ़ला की क़ुदरत व हिक्मत का सबक़ देती हैं।

सूरत के आख़िर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की तसल्ली के लिये फ़रमाया कि आपको हमने उन पर मुसल्लत नहीं किया कि सब को मोमिन ही बना दें:

لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ۝

बल्कि आपका काम तब्लीग़ करने और नसीहत करने का है, वह करके आप बेफ़िक्र हो जायें। उनका हिसाब किताब और जज़ा व सज़ा सब हमारा काम है।

सूरः अल्-ग़ाशियह् की तफ़सीर आज शाबान की 19 तारीख़ सन् 1391 हि. पीर की रात में पूरी हुई।

सूरः अल्-फ़ज्र

सूरः अल्-फ़ज्र मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 30 आयतें हैं।

ایاتها ۳۰ (۸۹) سُوْرَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ (۱۰) رکوعها ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالْفَجْرِ ﴿۱﴾ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ﴿۲﴾ وَّالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ﴿۳﴾ وَالَّيْلِ اِذَا يَسْرِ ﴿۴﴾ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِيْ حِجْرٍ ﴿۵﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ
فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ﴿۶﴾ اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿۷﴾ الَّتِيْ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ﴿۸﴾ وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ﴿۹﴾
وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ ﴿۱۰﴾ الَّذِيْنَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۱﴾ فَاَكْثَرُوْا فِيْهَا الْفَسَادَ ﴿۱۲﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ
عَذَابٍ ﴿۱۳﴾ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿۱۴﴾ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ رَبُّهٗ فَاَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ اَكْرَمَنِ ﴿۱۵﴾
وَاَمَّا اِذَا مَا ابْتَلٰىهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهٗ فَيَقُوْلُ رَبِّيْ اَهَانَنِ ﴿۱۶﴾ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرِمُوْنَ الْيَتِيْمَ ﴿۱۷﴾ وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ
عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ﴿۱۸﴾ وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ﴿۱۹﴾ وَّتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ﴿۲۰﴾ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا
دَكًّا ﴿۲۱﴾ وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ﴿۲۲﴾ وَجِايْٓءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَّتَذَكَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰى لَهُ الذِّكْرٰى ﴿۲۳﴾
يَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ قَدَّمْتُ لِحَيَاتِيْ ﴿۲۴﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُعَذِّبُ عَذَابَهٗٓ اَحَدٌ ﴿۲۵﴾ وَّلَا يُوْثِقُ وَثَاقَهٗٓ اَحَدٌ ﴿۲۶﴾ يٰٓاَيَّتُهَا
النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ﴿۲۷﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ﴿۲۸﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ ﴿۲۹﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ﴿۳۰﴾

ع ۱۴

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वल्-फ़ज्रि (1) व लयालिन् अश्रिंव्- (2) -वश्शफ़्अि वल्वत्रि (3) वल्लैलि इज़ा यस्रि (4) हल् फ़ी ज़ालि-क क़-समुल्लिज़ी हिज्र् (5) अलम् त-र कै-फ़ फ़-अ-ल रब्बु-क बिआ़द (6) इ-र-म ज़ातिल्-	क़सम है फ़जर की (1) और दस रातों की (2) और जुफ़्त और ताक़ की (3) और उस रात की जब रात को चले (4) है इन चीज़ों की क़सम पूरी अ़क़्लमन्दों के वास्ते। (5) तूने न देखा कैसा किया तेरे रब ने आ़द के साथ (6) वे जो इरम में थे बड़े

ज़िमादि- (7) -ल्लती लम् युख़्लक् मिस्लुहा फ़िल्-बिलाद (8) व समूदल्लज़ी-न जाबुस्सख़्-र बिल्वादि (9) व फ़िर्औ-न ज़िल्-औताद (10) अल्लज़ी-न तग़ौ फ़िल्-बिलाद (11) फ़-अक्सरू फ़ीहल्-फ़साद (12) फ़-सब्-ब अ़लैहिम् रब्बु-क सौ-त अ़ज़ाब (13) इन्-न रब्ब-क लबिल्-मिर्साद (14) फ़-अम्मल्-इन्सानु इज़ा मब्तलाहु रब्बुहू फ़-अक्र-महू व नअ़्अ़-महू फ़-यक़ूलु रब्बी अक्र-मन् (15) व अम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़-क़-द-र अ़लैहि रिज़्क़हू फ़-यक़ूलु रब्बी अहानन् (16) कल्ला बल्-ला तुक्रिमूनल्-यती-म (17) व ला तहाज़्ज़ू-न अ़ला तआ़मिल्-मिस्कीन (18) व तअ्कुलूनत्तुरा-स अक्लल् लम्मंव्- (19) -व तुहिब्बूनल्-मा-ल हुब्बन् जम्मा (20) कल्ला इज़ा दुक्कतिल्-अर्ज़ु दक्कन् दक्कंव्- (21) -व जा-अ रब्बु-क वल्म-लकु सफ़्फ़न् सफ़्फ़ा (22) व जी-अ यौमइज़िम् बि-जहन्न-म यौमइज़िंय् य-तज़क्करुल्-इन्सानु व अन्ना लहुज़्ज़िक्रा (23) यक़ूलु या लैतनी

सुतूनों वाले (7) कि बनी नहीं वैसी सारे शहरों में (8) और समूद के साथ जिन्होंने तराशा पत्थरों को वादी में (9) और फ़िरऔन के साथ वह मेख़ों वाला (10) ये सब थे जिन्होंने सर उठाया मुल्कों में (11) फिर बहुत डाली उनमें ख़राबी (12) फिर फेंका उनपर तेरे रब ने कोड़ा अ़ज़ाब का (13) बेशक तेरा रब लगा है घात में। (14) सो आदमी जो है जब जाँचे उसको उसका रब फिर उसको इज़्ज़त दे और उसको नेमत दे तो कहे- मेरे रब ने मुझको इज़्ज़त दी। (15) और वह जिस वक़्त उसको जाँचे फिर खींच करे उस पर रोज़ी की तो कहे- मेरे रब ने मुझे ज़लील किया (16) कोई नहीं! पर तुम इज़्ज़त से नहीं रखते यतीम को (17) और ताकीद नहीं करते आपस में मोहताज के खिलाने की (18) और खा जाते हो मुर्दे का माल समेटकर सारा (19) और प्यार करते हो माल को जी भरकर (20) कोई नहीं! जब पस्त कर दी जाये ज़मीन कूट-कूटकर (21) और आये तेरा रब, और फ़रिश्ते आयें क़तार-क़तार (22) और लाई जाये उस दिन दोज़ख़, उस दिन सोचेगा आदमी और कहाँ मिले उसको सोचना। (23) कहे- क्या अच्छा होता जो मैं कुछ आगे

क़द्दम्तु लि-हयाती (24) फ़यौमइज़िल्-ला युअ़ज़्ज़िबु अ़ज़ाबहू अ-हदुंव्- (25) -व ला यूसिक़ु व साक़हू अ-हद (26) या अय्यतुहन्-नफ़्सुल्-मुत्मइन्नतु- (27) -र्जिअ़ी इला रब्बिकि राज़ि-यतम् मर्ज़िय्यह् (28) फ़द्ख़ुली फ़ी अ़िबादी (29) वद्ख़ुली जन्नती (30) ❁	भेज देता अपनी ज़िन्दगी में (24) फिर उस दिन अ़ज़ाब न दे उसका सा कोई (25) और न बाँधकर रखे उसका सा बाँधना कोई (26) ऐ वह जी जिसने चैन पकड़ लिया (27) फिर चल अपने रब की तरफ़ तू उससे राज़ी वह तुझसे राज़ी (28) फिर शामिल हो मेरे बन्दों में (29) और दाख़िल हो मेरी जन्नत में। (30) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है (फ़जर के वक़्त की) और (ज़िलहिज्जा की) दस रातों (यानी दस तारीख़ों) की (कि वो बहुत ज़्यादा फ़ज़ीलत वाली हैं, इसकी हदीस में यही तफ़सीर बयान की गयी है) और जुफ़्त और ताक़ "यानी जोड़े और बेजोड़" की (जुफ़्त से ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ और ताक़ से नवीं तारीख़ मुराद है, जैसा कि हदीस में है। और एक हदीस में है कि इससे नमाज़ मुराद है कि किसी की ताक़ रक्अ़तें हैं किसी की जुफ़्त। और पहली हदीस को रिवायत के एतिबार से भी ज़्यादा सही कहा गया है, जैसा कि तफ़सीर रूहुल-मआ़नी में है, और दलील के एतिबार से भी वह ज़्यादा तरजीह के लायक़ है क्योंकि इस सूरत में जिन चीज़ों की क़सम खाई गयी वो सब ज़माने और वक़्तों की क़िस्म में से हैं, बीच में जुफ़्त और ताक़ भी वक़्तों ही की क़िस्म से हो तो मुनासबत स्पष्ट रहती है। और यह मुवाफ़क़त और जोड़ भी हो सकता है कि 'शफ़अ़' और 'वत्र' से मुराद हर वह जुफ़्त और ताक़ हों जो लायक़े सम्मान हैं, वक़्त और दिन भी इसमें दाख़िल हैं और नमाज़ की रक्अ़तों की तादाद भी)। और (क़सम है) रात की जब वह चलने लगे (यानी गुज़रने लगे, अल्लाह तआ़ला का क़ौल है 'वल्लैलि इज़् अद्बर'। आगे ऊपर से चले आ रहे मज़मून से हटकर एक नई बात ताकीद के लिये इस क़सम का बड़ा और अहम होना बयान फ़रमाते हैं कि) क्यों इस (ज़िक्र हुई क़सम) में अ़क़्लमन्द के वास्ते काफ़ी क़सम भी है (यह सवालिया अन्दाज़ मज़बूती व ताकीद के लिये है, यानी इन ज़िक्र हुई क़समों में से हर-हर क़सम कलाम की ताकीद के लिये काफ़ी है, और अगरचे सब क़समें जो क़ुरआन में ज़िक्र हुई हैं ऐसी ही हैं मगर एहतिमाम के लिये इसके काफ़ी होने की वज़ाहत फ़रमा दी, जैसा कि सूरः वाक़िआ़ के अन्दर अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ○

और क़सम का जवाब यहाँ पोशीदा है कि इनकारियों को ज़रूर सज़ा होगी, जैसा कि तफ़सीर की मशहूर किताब 'जलालैन' में है, जिसकी तरफ़ आगे का कलाम इशारा कर रहा है जिसमें पहले के इनकारी लोगों पर अ़ज़ाब होने का ज़िक्र है, यानी) क्या आपको मालूम नहीं कि आपके परवर्दिगार ने क़ौमे आ़द यानी क़ौमे इरम के साथ क्या मामला किया? जिनके डील-डोल सुतूनों (व स्तम्भों) के जैसे (लम्बे) थे (और) जिनके बराबर (ताक़त व क़ुव्वत में दुनिया भर के) शहरों में कोई शख़्स नहीं पैदा किया गया। (इस क़ौम के दो लक़ब हैं- आ़द और इरम, क्योंकि आ़द बेटा है आ़स का और वह इरम का और वह साम बिन नूह अ़लैहिस्सलाम का, पस कभी उनको बाप के नाम पर आ़द कहते हैं और कभी दादा के नाम पर इरम कहते हैं, और इस इरम का एक बेटा आ़बिर है और आ़बिर का बेटा समूद जिसके नाम से एक क़ौम मशहूर है। पस आ़द और समूद दोनों इरम में जा मिले हैं। आ़द आ़स के वास्ते से और समूद आ़बिर के वास्ते से, और यहाँ इरम इसलिये बढ़ा दिया कि इस क़ौमे आ़द में दो तब्क़े हैं- एक पहले लोगों का जिनको 'आ़द-ए-ऊला' कहते हैं दूसरा बाद के लोगों का जिनको 'आ़द-ए-उख़रा' कहते हैं। पस इरम बढ़ा देने से इशारा हो गया कि आ़दे ऊला मुराद है, क्योंकि नज़दीक और बीच के वास्तों के कम होने की वजह से इरम का हुक्म आ़दे ऊला पर होता है (जैसा कि रूहुल-मआ़नी में है, और मेरे नज़दीक यह तहक़ीक़ सूरः आराफ़ और सूरः नज्म में गुज़री तफ़सीर में फ़ैसले की हैसियत रखती है। वल्लाहु आलम)

और (आगे आ़द के बाद दूसरी हलाक होने वाली उम्मतों का बयान फ़रमाते हैं कि आपको मालूम है कि) क़ौमे समूद के (साथ क्या मामला किया गया) जो वादी-ए-क़ुरा में (पहाड़ के) पत्थरों को तराशा करते थे (और मकानात बनाया करते थे। वादी-ए-क़ुरा उनके शहरों में से एक शहर का नाम है जैसा कि एक का नाम हिज्र है, और यह सब हिजाज़ और शाम के दरमियान में हैं, और सब में समूद रहते थे जैसा कि कुछ तफ़सीरों में इसकी वज़ाहत है)। और मेख़ों वाले फ़िरऔ़न के साथ (दुर्रे मन्सूर में इब्ने मसऊद, सईद बिन जुबैर, मुजाहिद, हसन और सुद्दी से इसकी तफ़सीर में मन्क़ूल है कि वह जिसको सज़ा देता उसके चारों हाथ-पाँव चार मेख़ों "बड़ी कीलों" से बाँधकर सज़ा देता। और इसकी एक तफ़सीर सूरः सॉद में गुज़र चुकी, आगे सब की साझा सिफ़त बयान फ़रमाते हैं कि) जिन्होंने शहरों में सर उठा रखा था, और उनमें बहुत फ़साद मचा रखा था, सो आपके रब ने उन पर अ़ज़ाब का कोड़ा बरसाया (यानी अ़ज़ाब नाज़िल किया, पस अ़ज़ाब को कोड़े और उसके नाज़िल करने को बरसाने से ताबीर फ़रमाया। आगे उस अ़ज़ाब की इल्लत व सबब और मौजूद लोगों की इब्रत व नसीहत के लिये इरशाद है कि) बेशक आपका रब (नाफ़रमानों की) घात में है (जिनमें से उक्त लोगों को तो हलाक कर दिया और जो अब मौजूद हैं उनको अ़ज़ाब करने वाला है) सो (इसका तक़ाज़ा यह था कि इस वक़्त के मौजूद काफ़िर नसीहत व सबक़ लेते और उन आमाल से बचते जो अ़ज़ाब को वाजिब करने वाले हैं लेकिन काफ़िर) आदमी (का यह हाल है कि अ़ज़ाब वाले आमाल को इख़्तियार करता है और इन सब की असल और जड़ दुनिया की मुहब्बत है, चुनाँचे उस) को जब उसका परवर्दिगार

आज़माता है, यानी उसको (ज़ाहिरी तौर पर) इज़्ज़त व इनाम देता है (जैसे माल व रुतबा वग़ैरह जिससे मक़सद उसकी शुक्रगुज़ारी का देखना होता है, और इसी वजह से इसको आज़माने से ताबीर फ़रमाया) तो (उसको अपना लाज़िमी हक़ समझकर) वह (फ़ख़्र के तौर पर) कहता है कि मेरे रब ने मेरी क़द्र बढ़ा दी (यानी मैं उसके नज़दीक मक़बूल हूँ कि मुझको ऐसी-ऐसी नेमतें दें)।

और जब उसको (दूसरी तरह) आज़माता है, यानी उसकी रोज़ी उस पर तंग कर देता है (जिससे मक़सद उसके सब्र व रज़ा का देखना होता है और इसी वजह से इसको आज़माने से ताबीर फ़रमाया) तो वह (शिकायत के तौर पर) कहता है कि मेरे रब ने मेरी क़द्र घटा दी (यानी मुझको बावजूद इज़्ज़त व सम्मान का हक़दार होने के अपनी नज़र से आजकल गिरा रखा है कि दुनियावी नेमतें कम हो गयीं। मतलब यह कि काफ़िर दुनिया ही को असल मक़सद समझता है कि उसकी फ़राख़ी व ख़ुशहाली को अल्लाह के नज़दीक मक़बूलियत की दलील और अपने को उसका हक़दार, और तंगी को अल्लाह के यहाँ मरदूद होने की दलील और अपने को उसका ग़ैर-मुस्तहिक़ समझता है। पस इसमें दो ग़लतियाँ हैं- एक दुनिया को असल मक़सद समझना जिससे आख़िरत का इनकार और उससे मुँह मोड़ना पैदा होता है, और दूसरे अपने हक़दार व मुस्तहिक़ होने का दावा जिससे नेमत पर फ़ख़्र व घमण्ड और नाशुक्री और मुसीबत पर शिकवा और बेसब्री पैदा होती है, और ये सब आमाल अ़ज़ाब का सबब हैं।

आगे इस पर तंबीह व डाँट है कि) हरगिज़ ऐसा नहीं! (यानी न तो दुनिया असल मक़सद है और न इसका होना न होना अल्लाह के यहाँ मक़बूल या ज़लील व नामक़बूल होने की दलील है, और न कोई किसी इज़्ज़त व सम्मान का मुस्तहिक़ है और न कोई सब्र व शुक्र के वाजिब होने से अलग है। आगे तवज्जोह दिलाने के तौर पर ख़िताब के कलिमे से फ़रमाते हैं कि तुम लोगों में सिर्फ़ यही आमाल अ़ज़ाब का सबब नहीं) बल्कि तुम (में और दूसरे आमाल भी अ़ज़ाब का सबब हैं। चुनाँचे तुम) लोग यतीम की (कुछ) क़द्र (और ख़ातिर) नहीं करते हो (मतलब यह कि यतीम की तौहीन और उस पर ज़ुल्म करते हो कि उसका माल खा जाते हो) और दूसरों को भी मिस्कीन को खाना देने की तरग़ीब नहीं देते (यानी दूसरों के वाजिब हुक़ूक़ न ख़ुद अदा करते हो और न औरों को वाजिब हुक़ूक़ अदा करने को कहते हो, और अ़मली तौर पर इसके न करने वाले और एतिक़ाद के तौर पर इसके इनकारी हो, और किसी वाजिब चीज़ का छोड़ना और करना काफ़िर के लिये अ़ज़ाब की ज़्यादती का सबब होता है, और एतिक़ाद का ख़राब व फ़ासिद होना यानी कुफ़्र व शिर्क अ़ज़ाब की असल बुनियाद है)।

और (तुम) मीरास का माल समेटकर खा जाते हो (यानी दूसरों का हक़ भी खा जाते हो और मीरास के जो तफ़सीली अहकाम मौजूद हैं इस हिसाब से अगरचे यह मक्का मुकर्रमा में लागू न हुई थी मगर इब्राहीम व इस्माईल अ़लैहिमस्सलाम की शरीअ़त के हिसाब से मीरास का सिलसिला और तरीक़ा चला आता था, चुनाँचे इस्लाम से पलहे ज़माने में बच्चों और लड़कियों को मीरास का मुस्तहिक़ न समझना इसकी दलील है कि मीरास का हुक्म पहले से भी था जिसका बयान सूरः निसा के पहले रुकूअ़ की आयत नम्बर 32:

لِلرِّجَالِ نَصِيْبٌ............... الخ.

के तहत में गुज़र चुका है) और माल से तुम लोग बहुत ही मुहब्बत रखते हो (और ऊपर बयान हुए आमाल सब उसी से निकलने वाली चीज़ें हैं, क्योंकि दुनिया की मुहब्बत तमाम बुराईयों और गुनाहों की जड़ है। ग़र्ज़ कि ये सब काम, हालात और बातें अ़ज़ाब को वाजिब करने वाले आमाल हैं। पस इनकार का यह हाल है कि नसीहत व इब्रत के मज़ामीन सुनकर बजाय इसके कि सबक़ लेता ऐसे आमाल इख़्तियार करता है जो और ज़्यादा अ़ज़ाब का सबब हैं इसलिये अल्लाह तआ़ला उनको अ़ज़ाब देने वाला है जैसा कि अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِO

आगे इन कामों को अ़ज़ाब का सबब न समझने पर तंबीह है) कि हरगिज़ ऐसा नहीं (जैसा कि तुम समझते हो कि इन आमाल पर अ़ज़ाब न होगा, ज़रूर होगा। आगे जज़ा व सज़ा का वक़्त बतलाते हैं जिसमें उनको अ़ज़ाब और नेकी करने वालों को अज्र व सवाब मिलेगा पस इरशाद है कि) जिस वक़्त ज़मीन (के बुलन्द हिस्से पहाड़ वग़ैरह) को तोड़-तोड़कर (और) रेज़ा-रेज़ा (करके ज़मीन को बराबर) कर दिया जायेगा (जैसा कि एक दूसरी जगह सूरः तॉ-हा में अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

لَا تَرٰى فِيْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًاO)

और आपका रब और गिरोह के गिरोह फ़रिश्ते (मैदाने-महशर में) आएँगे। (यह हिसाब के वक़्त होगा और अल्लाह तआ़ला का आना मुतशाबिहात में से है जिसकी हक़ीक़त को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता) और उस दिन जहन्नम को लाया जायेगा (जैसा कि सूरः मुद्दस्सिर में 'व मा यअ़्लमु जुनू-द रब्बि-क' के मुताल्लिक़ बयान हो चुका है) उस दिन इनसान को समझ आयेगी, और अब समझ आने का मौक़ा कहाँ रहा (यानी अब समझ आने से क्या फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि वह जज़ा और बदले का जहान है अ़मल की जगह नहीं।

आगे समझ आने के बाद जो उसका क़ौल होगा उसका बयान है कि वह) कहेगा काश! मैं इस (आख़िरत की) ज़िन्दगी के लिये कोई (नेक) अ़मल आगे भेज लेता, पस उस दिन न तो ख़ुदा के अ़ज़ाब के बराबर कोई अ़ज़ाब देने वाला निकलेगा और न उसके जकड़ने के बराबर कोई जकड़ने वाला निकलेगा (यानी ऐसी सख़्त सज़ा और क़ैद करेगा कि दुनिया में कभी किसी ने किसी को न इतनी सख़्त सज़ा दी होगी न ऐसी सख़्त क़ैद की होगी। यह सज़ा तो उन लोगों की होगी जो अ़ज़ाब वाले आमाल को करने वाले हुए और जो अल्लाह के फ़रमाँबरदार थे उनको इरशाद होगा कि) ऐ इत्मीनान वाली रूह! (यानी जिसको हक़ बात में यक़ीन व एतिक़ाद था और किसी तरह का शक व इनकार न था, और रूह से ताबीर व ख़िताब करना इस लिहाज़ से है कि उसके पास जितनी चीज़ें हैं रूह उनमें सबसे आला व अशरफ़ चीज़ है) तू अपने परवर्दिगार (के क़रीब रहमत) की तरफ़ चल, इस तरह से कि तू उससे ख़ुश और वह तुझसे ख़ुश, फिर (उधर चलकर) तू मेरे (ख़ास) बन्दों में शामिल हो जा (यह भी रूहानी नेमत है कि सुकून व

अपनेपन के लिये दोस्तों से बढ़कर कोई चीज़ नहीं) और मेरी जन्नत में दाख़िल हो जा। (लफ़्ज़ मुत्मइन्नह् में उन लोगों के नेक आमाल की तरफ़ इशारा हो गया, और नेक आमाल की तरफ़ इशारा और अ़ज़ाब वाले आमाल की तफ़सील बयान फ़रमाना शायद इसलिये है कि ज़्यादा मक़सूद यहाँ मक्का वालों को सुनाना है और उस वक़्त वहाँ ऐसे आमाल के करने वाले ज़्यादा थे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत में पाँच चीज़ों की क़सम खाकर उस मज़मून की ताकीद की गयी है जो आगेः

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِo

में बयान हुआ है। यानी इस दुनिया में तुम जो कुछ कर रहे हो उस पर जज़ा व सज़ा होना लाज़िमी और यक़ीनी है, तुम्हारा रब तुम्हारे सब आमाल की निगरानी कर रहा है। चाहे इसी जुमले 'इन्-न रब्ब-क ल-बिल्मिर्सादि' को क़सम का जवाब कहा जाये या जवाब को हटा हुआ और पोशीदा क़रार दिया जाये।

जिन पाँच चीज़ों की क़सम खाई है उनमें से पहली चीज़ फ़जर यानी सुबह सादिक़ का वक़्त है। हो सकता है कि मुराद हर रोज़ की सुबह हो कि वह आ़लम (दुनिया जहान) में एक भारी इन्क़िलाब (तब्दीली) लाती है और हक़ तआ़ला शानुहू की कामिल क़ुदरत की तरफ़ रहनुमाई करती है, और यह भी मुम्किन है कि अल्-फ़ज्र की 'अलिफ़ लाम' को अ़हद का क़रार देकर इससे किसी ख़ास दिन की फ़जर मुराद हो। मुफ़स्सिरीन सहाबा हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत इब्ने ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम से पहले मायने यानी आ़म फ़जर का वक़्त चाहे वह किसी दिन का हो मन्क़ूल है, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में इससे मुराद मुहर्रम के महीने की पहली तारीख़ की फ़जर है जो इस्लामी (चाँद के) साल की शुरूआ़त है। हज़रत क़तादा ने भी यही तफ़सीर की है।

और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन ने ज़िलहिज्जा की दसवीं तारीख़ यानी क़ुरबानी के दिन की सुबह इसकी मुराद क़रार दी है। मुजाहिद व इक्रिमा का यही क़ौल है, और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से भी एक रिवायत में यह क़ौल मन्क़ूल है। वजह इस क़ुरबानी के दिन को ख़ास करने की यह है कि अल्लाह तआ़ला ने हर दिन के लिये एक रात साथ लगाई है जो इस्लामी उसूल के मुताबिक़ दिन से पहले होती है, सिर्फ़ क़ुरबानी का दिन ऐसा दिन है कि उसके साथ कोई रात नहीं, क्योंकि क़ुरबानी के दिन से पहले जो रात है वह क़ुरबानी के दिन की नहीं बल्कि शरई एतिबार से अ़र्फ़े ही की रात क़रार दी गयी है, यही वजह है कि अगर कोई हज करने वाला अ़र्फ़ा के दिन मैदाने अ़रफ़ात में न पहुँच सका, रात को सुबह सादिक़ से पहले किसी वक़्त भी अ़रफ़ात में पहुँच गया तो उसका वक़ूफ़ (अ़रफ़ात में ठहरने का रुक्न) मोतबर और हज सही हो जाता है। इससे मालूम हुआ कि अ़र्फ़े के दिन की दो रातें हैं एक उससे पहले दूसरी उसके बाद, और क़ुरबानी के दिन की कोई रात नहीं, इस लिहाज़ से क़ुरबानी के दिन की सुबह

दुनिया के तमाम दिनों में एक ख़ास शान रखती है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

दूसरी चीज़ जिसकी कसम है वह 'लयालिन् अ़श्र' यानी दस रातें हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, क़तादा, मुजाहिद, सुद्दी, ज़ह्हाक, कल्बी तफ़सीर के इमामों के नज़दीक ज़िलहिज्जा महीने की शुरू की दस रातें मुराद हैं, क्योंकि हदीस में इनकी बड़ी फ़ज़ीलत आई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इबादत करने के लिये अल्लाह के नज़दीक सब दिनों में अ़शरा-ए-ज़िलहिज्जा (यानी इस्लामी वर्ष के बारहवें महीने के पहले दस दिन) सबसे अफ़ज़ल है, उसके हर दिन का रोज़ा एक साल के रोज़ों के बराबर और हर रात की इबादत शबे कद्र के बराबर है। (तिर्मिज़ी व इब्ने माजा, ज़ईफ़ सनद के साथ हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से। मज़हरी)

और अबुज़्ज़ुबैर ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'वल्-फ़ज्रि व लयालिन् अ़श्रिन्' की तफ़सीर में फ़रमाया कि इससे मुराद ज़िलहिज्जा के पहले दस दिन हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि ये दस रातें वही हैं जो हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के क़िस्से में आई हैं 'व अत्मम्नाहा बि-अ़श्रिन्' क्योंकि यही दस रातें साल के दिनों में अफ़ज़ल हैं। इमाम क़ुर्तुबी रह. ने फ़रमाया कि हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की उक्त हदीस से ज़िलहिज्जा के पहले दस दिनों का तमाम दिनों से अफ़ज़ल होना मालूम हुआ, इससे पता चलता है कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के लिये भी ज़िलहिज्जा की यही दस रातें मुक़र्रर की गयी थीं।

وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِo

शफ़्अ़ के लुग़वी मायने जोड़ के हैं जिसको उर्दू में जुफ़्त कहते हैं, और वत्र के मायने ताक़ और एकल के हैं। क़ुरआने करीम के अलफ़ाज़ में यह मुतैयन नहीं कि इस जुफ़्त और ताक़ से क्या मुराद है, इसलिये तफ़सीर के इमामों के अक़वाल इसमें बेशुमार हैं मगर ख़ुद मरफ़ूअ़ हदीस जो अबुज़्ज़ुबैर ने हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत की है उसके अलफ़ाज़ ये हैं:

(وَالْفَجْرِo وَلَيَالٍ عَشْرٍo) هو الصّبح وعشر النحر والوتر يوم عرفه الشفع يوم النّحر.

'रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'वल्-फ़ज्रि व लयालिन् अ़श्रिन्' के मुताल्लिक फ़रमाया कि फ़जर से मुराद सुबह और अ़श्र से मुराद क़ुरबानी वाले महीने के दस दिन हैं (और ज़िलहिज्जा के दस दिनों से मुराद पहले दस दिन ही हो सकते हैं जिसमें क़ुरबानी का दिन शामिल है) और फ़रमाया कि वत्र से मुराद अ़र्फ़े का दिन और शफ़्अ़ से मुराद क़ुरबानी का दिन (दसवीं ज़िलहिज्जा) है।'

इमाम क़ुर्तुबी ने इस रिवायत को नक़ल करके फ़रमाया कि यह सनदों के एतिबार से ज़्यादा सही है दूसरी हदीस के मुक़ाबले में जो हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से नक़ल हुई है, जिसमें शफ़्अ़ और वत्र नमाज़ का ज़िक्र है। इसी लिये हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, हज़रत इक्रिमा और हज़रत नुहास ने इसी को इख़्तियार किया है कि शफ़्अ़ से

मुराद क़ुरबानी का दिन और वत्र से मुराद अ़र्फ़े का दिन है।

और तफ़सीर के कुछ इमामों- इब्ने सीरीन, मसरूक़, अबू सालेह, क़तादा ने फ़रमाया कि शफ़अ़ से मुराद तमाम मख़्लूक़ात हैं क्योंकि अल्लाह तआ़ला ने सब मख़्लूक़ात को जोड़ा-जोड़ा जुफ़्त पैदा किया है, और इरशाद फ़रमाया है:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

यानी हमने हर चीज़ का जोड़ा पैदा किया है। कुफ़्र व ईमान, बदबख़्ती व नेकबख़्ती, नूर व अंधेरा, रात व दिन, सर्दी व गर्मी, आसमान व ज़मीन, जिन्नात व इनसान, मर्द व औरत, और इन सब के बिल-मुक़ाबिल वत्र वह सिर्फ़ अल्लाह जल्ल शनुहू की ज़ात है। अल्लाह एक है, बेनियाज़ है कोई उसके बराबर का नहीं।

وَالَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ٥

यस्र सरा से निकला है जिसके मायने रात को चलने के हैं। यहाँ ख़ुद रात को कहा गया कि जब वह चलने लगे यानी ख़त्म होने लगे। ये पाँच क़समें ज़िक्र फ़रमाने के बाद हक़ तआ़ला ने ग़फ़लत में पड़े इनसान को एक ख़ास अन्दाज़ में सोचने समझने की दावत देने के लिये फ़रमायाः

هَلْ فِىْ ذٰلِكَ قَسَمٌ لِّذِىْ حِجْرٍ ٥

हिज्र के लफ़्ज़ी मायने रोकने के हैं। इनसान की अ़क़्ल उसको बुराई और नुक़सानदेह चीज़ों से रोकने वाली है इसलिये हिज्र अ़क़्ल के मायने में भी इस्तेमाल होता है, यहाँ यही मायने मुराद हैं। आयत के मायने यह हैं कि क्या अ़क़्ल वाले आदमी के लिये यह क़समें भी काफ़ी हैं या नहीं? यह अन्दाज़ तो सवाल करने का है मगर हक़ीक़त में इनसान को ग़फ़लत से जगाने की एक तदबीर है। मतलब यह है कि अल्लाह तआ़ला की अ़ज़ीम शान पर और उसके क़सम खाकर एक बात को बयान करने पर और ख़ुद उन चीज़ों की बड़ाई व महानता पर जिनकी क़सम खाई गयी है ज़रा सा ग़ौर करो तो जिस चीज़ के लिये यह क़सम खाई गयी उसका यक़ीनी होना साबित हो जायेगा, और वह चीज़ यही है कि इनसान के हर अ़मल का आख़िरत में हिसाब होना और उस पर जज़ा व सज़ा होना शक व शुब्हे से ऊपर है।

यह क़सम का जवाब अगरचे स्पष्ट रूप से बयान नहीं हुआ मगर पहले के कलाम से साबित है, और आगे जो काफ़िरों पर अ़ज़ाब आने का बयान हो रहा है वह भी इसी का बयान है कि कुफ़्र व नाफ़रमानी की सज़ा आख़िरत में तो मिलना तयशुदा ही है, कभी-कभी दुनिया में भी ऐसे लोगों पर अ़ज़ाब भेज दिया जाता है। इस सिलसिले में तीन क़ौमों के अ़ज़ाब का ज़िक्र फ़रमाया- अव्वल क़ौमे आ़द, दूसरे क़ौमे समूद, तीसरे क़ौमे फ़िरऔ़न। आ़द व समूद दो क़ौमें जिनका नसबी सिलसिला ऊपर जाकर 'इरम' में मिल जाता है इस तरह लफ़्ज़े इरम आ़द व समूद दोनों के लिये बोला जा सकता है। यहाँ सिर्फ़ आ़द के साथ इरम का ज़िक्र करने की वजह ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ़द व समूद दोनों क़ौमों के तहक़ीक़ी हालात के साथ गुज़र चुकी है।

اِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ۝

लफ़्ज़ इरम आद का अ़त्फ़े बयान या बदल है, और इससे मक़सद क़बीला आद की दो क़िस्मों (शाख़ों) से एक को मुतैयन करना है यानी आद-ए-ऊला (पहले वाली आद) जो उनके पहले वाले लोग हैं। उनको आदे इरम के लफ़्ज़ से इसलिये ताबीर किया कि ये लोग अपने पूर्वज इरम से बाद वाली आद के मुक़ाबले में ज़्यादा क़रीब हैं। इनको इस जगह क़ुरआने करीम आदे इरम के लफ़्ज़ से और सूरः नज्म में 'अह़्ल-क आ़-द निलूऊला' के उनवान से ताबीर फ़रमाता है। इनकी सिफ़त में क़ुरआने करीम ने 'ज़ातिल्-अ़िमादि' फ़रमाया। इमाद और उमूद सुतून को कहते हैं। क़ौमे आद को ज़ातिल्-अ़िमाद इसलिये कहा गया कि उनके क़द व क़ामत बड़े लम्बे थे और यह क़ौम अपने डीलडोल और क़ुव्वत व ताक़त में दूसरी तमाम क़ौमों से अलग और नुमायाँ थी, इनकी इस ख़ुसूसियत को ख़ुद क़ुरआने करीम ने बड़े स्पष्ट अलफ़ाज़ में फ़रमायाः

لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ۝

यानी ऐसी लम्बे क़द वाली ताक़तवर क़ौम दुनिया में इससे पहले पैदा नहीं की गयी थी। क़ुरआने करीम ने उनके लम्बे क़द और डीलडोल का दुनिया की सारी क़ौमों से ज़्यादा होना तो वाज़ेह फ़रमा दिया, मगर उनकी कोई पैमाईश (माप) ज़िक्र करना ज़रूरत से ज़ायद काम था उसको छोड़ दिया।

इस्राईली रिवायतों में उनके क़द व क़ामत (लम्बे क़द और डीलडोल) और ताक़त के मुताल्लिक़ अ़जीब-अ़जीब क़ौल ज़िक्र किये गये हैं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और मुक़ातिल से उनके क़दों की लम्बाई बारह हाथ यानी छह गज़ या अट्ठारह फ़ुट मन्क़ूल है, और ज़ाहिर यह है कि उनका यह क़ौल भी इस्राईली रिवायतों ही से लिया गया है, वल्लाहु आलम।

और मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इरम उस जन्नत का नाम है जो आद के बेटे शद्दाद ने बनाई थी और उसी की सिफ़त **ज़ातिल्-अ़िमादि** है कि वह एक अ़ज़ीमुश्शान इमारत बहुत से सुतूनों पर क़ायम होने, चाँदी और जवाहिरात से तामीर की थी, ताकि लोग आख़िरत की जन्नत के बदले इस नक़द जन्नत को इख़्तियार कर लें, मगर जब यह आलीशान महल तैयार हो गये और शद्दाद ने अपनी हुकूमत के सरदारों के साथ उसमें जाने का इरादा किया तो अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब नाज़िल हुआ, वे सब हलाक हो गये और वो महल भी मिस्मार (ध्वस्त) हो गये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इस एतिबार से इस आयत में क़ौमे आद के एक ख़ास अ़ज़ाब का ज़िक्र हुआ जो शद्दाद बिन आद और उसकी बनाई हुई जन्नत पर नाज़िल हुआ, और पहली तफ़सीर जिसको मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने इख़्तियार किया है उसमें क़ौमे आद पर जितने अ़ज़ाब आये हैं उन सब का बयान है।

وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۝

'औताद' वतद की जमा (बहुवचन) है, मेख़ (बड़ी कील) को कहते हैं। फ़िरऔन को ज़िल्-

औताद कहने की अनेक वुजूहात हज़राते मुफ़स्सिरीन ने बयान फ़रमाई हैं। अक्सर मुफ़स्सिरीन के नज़दीक मशहूर वही है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऊपर आ चुकी है कि इस लफ़्ज़ में उसके ज़ुल्म व ज़्यादती और वहशियाना सज़ाओं का ज़िक्र है, वह जिस पर ख़फ़ा होता उसके हाथ-पाँव चार मेख़ों में बाँधकर या ख़ुद उनमें मेख़ें गाड़कर उसको धूप में लिटा देता और उस पर साँप-बिच्छू छोड़ देता था। और कुछ मुफ़स्सिरीन ने उसकी अपनी बीवी हज़रत आसिया के मुताल्लिक़ एक लम्बा क़िस्सा उनके मोमिन होने और फिर फ़िरऔन के सामने ईमान के ज़ाहिर करने का और फिर फ़िरऔन के इसी किस्म की सज़ा के ज़रिये हलाक करने का ज़िक्र किया है। (मज़हरी)

فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ○

क़ौमे आद व समूद और क़ौमे फ़िरऔन की बुराई व फ़साद का तज़किरा फ़रमाते हुए जो अज़ाब उन पर नाज़िल हुआ उसको अज़ाब का कोड़ा बरसाने के उनवान से ताबीर किया है, इसमें इशारा इस तरफ़ है कि जिस तरह कोड़ा बदन पर हर तरफ़ से पड़ता है उन पर भी मुख़्तलिफ़ किस्म के अज़ाब नाज़िल किये गये।

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ○

'मिरसाद' और 'मर्सद' रसदगाह और इन्तिज़ार करने की जगह को कहा जाता है, जो किसी ऊँचे मक़ाम पर हो जहाँ बैठकर कोई शख़्स दूर-दूर तक के लोगों को देख सके और उनके कामों व गतिविधियों की निगरानी कर सके। मतलब आयत का यह है कि हक़ तआ़ला हर इनसान के तमाम आमाल, हरकतों और उठने-बैठने तक को देख रहा है और सब को उनकी जज़ा व सज़ा देने वाला है। कुछ मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि यह जुमला ही उन क़समों का जवाब है जो 'वल्-फ़ज्रि व लयालिन् अ़श्रिन्' में ज़िक्र हुई हैं।

दुनिया में रिज़्क़ की ज़्यादती और तंगी अल्लाह के नज़दीक मक़बूल या मर्दूद होने की निशानी नहीं

فَاَمَّا الْاِنْسَانُ.....................الآية.

यहाँ इनसान से मुराद असल में तो काफ़िर इनसान है जो अल्लाह तआ़ला के मुताल्लिक़ जो चाहे ख़्याल बाँध ले, मगर मफ़्हूम आ़म होने के एतिबार से वह मुसलमान भी इस ख़िताब में शरीक है जो उस जैसे ख़्याल में मुब्तला हो और वह ख़्याल यह है कि जब अल्लाह तआ़ला किसी को अपने रिज़्क़ में वुस्अ़त (ज़्यादती व बढ़ोतरी) और माल व दौलत सेहत व तंदुरुस्ती से नवाज़े तो शैतान उसको दो बातिल ख़्यालात में मुब्तला करता है- अव्वल यह कि वह समझने लगता है कि यह मेरी ज़ाती सलाहियत और अ़क़्ल व समझ और मेहनत व अ़मल का लाज़िमी नतीजा है जो मुझे मिलना ही चाहिये, मैं इसका मुस्तहिक़ हूँ। दूसरे यह कि उन चीज़ों के हासिल होने से यह क़रार दे कि मैं अल्लाह के नज़दीक भी मक़बूल हूँ अगर मर्दूद होता तो वह मुझे ये

नेमतें क्यों देता।

इसी तरह जब किसी इनसान पर रिज़्क़ में तंगी और फ़क्र व फ़ाक़ा आये तो उसको अल्लाह के नज़दीक मर्दूद होने की दलील समझे और इस पर इसलिये ख़फ़ा हो कि मैं तो इनाम व इकराम का हक़दार था मुझे बेवजह ज़लील व हक़ीर कर दिया। ऐसे ख़्यालात काफ़िरों व मुश्रिकों में तो होते ही थे और क़ुरआने करीम में कई जगह काफ़िरों के इन ख़्यालात का इज़हार बयान भी हुआ है, अफ़सोस हैं कि आजकल बहुत से मुसलमान भी इस गुमराही में मुब्तला हो जाते हैं। हक़ तआ़ला ने इन आयतों में ऐसे इनसानों का हाल ज़िक्र करके फ़रमाया 'कल्ला' यानी तुम्हारा यह ख़्याल बिल्कुल बातिल बेबुनियाद है, न दुनिया में रिज़्क़ की अधिकता नेक और अल्लाह के यहाँ मक़बूल होने की निशानी है और न रिज़्क़ की तंगी और फ़क़्र व फ़ाक़ा अल्लाह के नज़दीक मर्दूद या ज़लील होने की निशानी है, बल्कि अक्सर मामला इसके उलट होता है। फ़िरऔन को ख़ुदाई के दावे के साथ कभी सरदर्द भी न हुआ और बाज़े पैग़म्बरों को दुश्मनों ने आरे से चीरकर दो टुकड़े कर दिये, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हज़राते मुहाजिरीन में से जो फ़क़ीर व मुफ़लिस थे वो मालदार मुहाजिरीन से चालीस साल पहले जन्नत में दाख़िल होंगे (मुस्लिम, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से। मज़हरी) और एक हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला जिस बन्दे से मुहब्बत फ़रमाते हैं उसको दुनिया से ऐसा परहेज़ कराते हैं जैसे तुम लोग अपने बीमार को पानी से परहेज़ कराते हो। (अहमद, तिर्मिज़ी क़तादा बिन नौमान की रिवायत से, मज़हरी)

यतीम पर सिर्फ़ ख़र्च करना काफ़ी नहीं, उसकी इज़्ज़त करना भी ज़रूरी है

इसके बाद काफ़िरों को उनकी चन्द बुरी ख़स्लतों पर तंबीह है- अव्वलः

لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيْمَ.

यानी तुम यतीम बच्चे का आदर व इज़्ज़त नहीं करते। इसमें असल बतलाना तो यह है कि यतीम के हुक़ूक़ अदा नहीं करते, उस पर ज़रूरी ख़र्च नहीं करते, लेकिन इसको इज़्ज़त व आदर के उनवान बयान किया गया जिसमें इशारा है कि अ़क़्ल व इनसानियत का और अल्लाह ने जो माल तुम्हें दिया है उसके शुक्र का तक़ाज़ा तो यह है कि तुम यतीम को केवल यही नहीं कि उसका हक़ दो और उस पर ख़र्च करो, बल्कि वाजिब है कि उसका इकराम (सम्मान व आदर) भी करो, अपने बच्चों के मुक़ाबले में उसको ज़लील व हक़ीर न जानो। यह बज़ाहिर काफ़िरों के इस क़ौल का जवाब है कि दुनिया की फ़राख़ी (ख़ुशहाली) को इकराम और तंगी को तौहीन समझा करते थे, इस पर हर्फ़ बल् के साथ यह ज़िक्र फ़रमाया कि अगर तुम्हें कभी रिज़्क़ की तंगी पेश आती है तो वह इस वजह से कि तुम ऐसी बुरी आ़दतों में फंसे हुए हो कि यतीम जैसे

काबिले रहम बच्चों के हुक़ूक़ भी अदा नहीं करते। दूसरी बुरी ख़स्लत उनकी यह बतलाई:

وَلَا تَحٰٓضُّوْنَ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ ۝

यानी तुम ख़ुद तो किसी मिस्कीन ग़रीब को क्या देते दूसरों को भी इसकी तरग़ीब नहीं देते (यानी तवज्जोह और शौक़ नहीं दिलाते) कि वे भी यह काम कर लें। इस उनवान में भी उन काफ़िरों की बुरी आदत और निंदा के बयान के साथ इस तरफ़ इशारा है कि ग़रीबों व मिस्कीनों का हक़ जैसे मालदारों पर है कि उनको अपने पास से दें इसी तरह जो लोग ख़ुद देने की ताक़त व गुंजाईश नहीं रखते उनको भी इतना तो करना चाहिये कि दूसरों ही को इसके लिये तरग़ीब दें (प्रेरित करें)। तीसरी बुरी ख़स्लत (आदत) यह बयान फ़रमाई:

وَتَاْكُلُوْنَ التُّرَاثَ اَكْلًا لَّمًّا ۝

'लम्म' के मायने जमा करने के हैं। मतलब यह है कि तुम मीरास का माल हलाल व हराम सब को जमा करके खा जाते हो, अपने हिस्से के साथ दूसरों का हिस्सा भी ग़सब कर (दबा और छीन) लेते हो। यहाँ ख़ुसूसियत से मीरास के माल का ज़िक्र किया गया हालाँकि हर एक माल जिसमें हलाल व हराम को जमा किया गया हो नाजायज़ ही है। ख़ास तौर पर ज़िक्र करने की वजह शायद यह हो कि मीरास के माल पर ज़्यादा नज़र रखना और उसके पीछे लगना बड़ी कम-हिम्मती और कम-हौसला होने की दलील है, कि मुर्दार खाने वाले जानवरों की तरह तकते रहें कि कब हमारा मूरिस मरे और कब हमें यह माल तक़सीम करने का मौक़ा हाथ आये। हिम्मत वाले और बहादुर लोग अपनी कमाई पर ख़ुश होते हैं, मुर्दों के माल पर ऐसी लालच भरी नज़र नहीं डालते। चौथी बुरी ख़स्लत यह बतलाई:

وَتُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝

जम्म के मायने कसीर (अधिक) के हैं। मतलब यह है कि तुम माल की मुहब्बत बहुत करते हो। 'बहुत' के लफ़्ज़ से इस तरफ़ इशारा हो गया कि माल की एक दर्जे में मुहब्बत तो इनसान का फ़ितरी तक़ाज़ा है, वह बुराई का सबब नहीं, बल्कि उसकी मुहब्बत में हद से बढ़ना और फंसके रह जाना यह बुराई और निंदा का सबब है। काफ़िरों की इन बुरी ख़स्लतों के बयान के बाद फिर असल मज़मून की तरफ़ वापसी है जो सूरत के शुरू में पाँच क़समों के साथ मज़बूत किया गया है, यानी आख़िरत की जज़ा व सज़ा। इस सिलसिले में पहले क़ियामत के आने का ज़िक्र फ़रमाया:

اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا دَكًّا ۝

लफ़्ज़ दक्क के लफ़्ज़ी मायने किसी चीज़ को चोट मारकर तोड़ने के हैं, मुराद क़ियामत का ज़लज़ला है जो पहाड़ों को आपस में टकराकर रेज़ा-रेज़ा कर देगा और दक्कन दक्कन को दोहराने से इस तरफ़ इशारा है कि क़ियामत का ज़लज़ला एक के बाद एक लगातार रहेगा।

وَّجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۝

यानी आयेगा आपका रब और फ़रिश्ते क़तार दर क़तार। मुराद मैदाने हश्र में आना है। अल्लाह तआ़ला के आने की क्या शान होगी इसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, यह मुतशाबिहात में से है और फ़रिश्तों का क़तार की क़तार आना ज़ाहिर है।

وَجِایْٓءَ یَوْمَئِذٍۭ بِجَھَنَّمَ.

यानी लाया जायेगा उस दिन जहन्नम को। जहन्नम को लाये जाने का क्या मतलब है और किस तरह मैदाने हश्र में लाई जायेगी इसकी हक़ीक़त तो अल्लाह तआ़ला ही जानता है, ज़ाहिर यह है कि जहन्नम जो अब सातवीं ज़मीन की तह में है उस वक़्त वह भड़क उठेगी और समन्दर सब आग होकर उसमें शामिल हो जायेंगे, इस तरह जहन्नम हश्र के वक़्त में सब के सामने आ जायेगी।

یَوْمَئِذٍ یَّتَذَکَّرُ الْاِنْسَانُ وَاَنّٰی لَہُ الذِّکْرٰیo

इस जगह तज़क्कुर से मुराद समझ में आ जाना है। यानी काफ़िर को उस दिन समझ आयेगी कि मुझे दुनिया में क्या करना चाहिये था और मैंने क्या किया, मगर उस वक़्त यह समझ में आना बेफ़ायदा होगा कि अ़मल और हाल को सुधारने का ज़माना गुज़र चुका, आख़िरत अ़मल की जगह नहीं जज़ा और बदले की जगह है। आगे इस 'तज़क्कुर' का बयान है कि वह तमन्ना करेगा कि काश मैं दुनिया में कुछ नेक अ़मल कर लेता।

یٰلَیْتَنِیْ قَدَّمْتُ لِحَیَاتِیْo

फिर इस तमन्ना का बातिल और ग़ैर-मुफ़ीद होना बतलाया कि अब जबकि कुफ़्र व शिर्क की सज़ा सामने आ गयी अब इस तमन्ना से कुछ फ़ायदा नहीं, अब तो अ़ज़ाब और पकड़ का वक़्त है, और अल्लाह तआ़ला की पकड़ के बराबर कोई पकड़ नहीं हो सकती। काफ़िरों के अ़ज़ाब बयान करने के बाद आख़िर में मोमिन का सवाब और उनका जन्नत में दाख़िल किया जाना ज़िक्र फ़रमाया है।

یٰٓاَیَّتُھَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّۃُ................ الخ.

यहाँ मोमिन की रूह को **नफ़्स-ए-मुत्मइन्ना** के लक़ब से ख़िताब किया गया है। मुत्मइन्ना के लफ़्ज़ी मायने सुकून वाली के हैं। मुरद वह नफ़्स है जो अल्लाह तआ़ला के ज़िक्र और उसकी इताअ़त से सुकून व क़रार पाता है, उसके छोड़ने और न करने से बेचैनी महसूस करता है, और यह वही नफ़्स हो सकता है जो मेहनत व तपस्या करके अपनी बुरी आ़दतों और बुरे अख़्लाक़ को दूर कर चुका हो। अल्लाह की फ़रमाँबरदारी और उसका ज़िक्र उसका मिज़ाज और शरीअ़त उसकी तबीयत बन जाती है, उसको ख़िताब करके फ़रमाया गयाः

اِرْجِعِیْٓ اِلٰی رَبِّکِ.

यानी लौट जाओ अपने रब की तरफ़। लौटने के लफ़्ज़ से मालूम होता है कि उसका पहला मक़ाम भी रब के पास था, अब वहीं वापस जाने का हुक्म हो रहा है। इससे उस रिवायत को

मज़बूती मिलती है जिसमें यह है कि मोमिनों की रूहें उनके आमाल नामों के साथ इल्लिय्यीन में रहेंगी और इल्लिय्यीन सातवें आसमान पर रहमान के अ़र्श के साये में कोई मक़ाम है। तमाम रूहों का असली ठिकाना वही है, वहीं से रूह लाकर इनसान के जिस्म में डाली जाती है और फिर मौत के बाद वहीं वापस जाती है।

رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةًO

यानी यह नफ़्स अल्लाह तआ़ला से उसके तक्वीनी (तक़दीरी) और शरई अहकाम पर राज़ी है, और अल्लाह तआ़ला भी इससे राज़ी है। क्योंकि बन्दे का अल्लाह तआ़ला के तक़दीरी अहकाम पर राज़ी होना ही इसकी निशानी है कि अल्लाह तआ़ला उससे राज़ी है, अगर अल्लाह तआ़ला उससे राज़ी न होता तो उसको तक़दीर पर राज़ी रहने की तौफ़ीक़ ही न होती, यह नफ़्स अपनी मौत के वक़्त मौत पर भी राज़ी और ख़ुश होता है। हज़रत उबादा इब्ने सामित रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

من احبّ لقاء اللّٰهِ احبّ اللّٰہ لقائہٗ، ومن کرہ لقاء اللّٰهِ کرہ اللّٰہ لقائہٗ.

यानी जो शख़्स अल्लाह तआ़ला से मिलने को पसन्द करता है अल्लाह तआ़ला भी उससे मिलने को पसन्द करता है, और जो अल्लाह तआ़ला की मुलाक़ात को नापसन्द करता है अल्लाह भी उससे मिलने को नापसन्द करता है। यह हदीस सुनकर हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से सवाल किया कि अल्लाह से मिलना तो मौत ही के ज़रिये हो सकता है, लेकिन मौत तो हमें या किसी को भी पसन्द नहीं। आपने फ़रमाया यह बात नहीं, हक़ीक़त यह है कि मोमिन को मौत के वक़्त फ़रिश्तों के ज़रिये अल्लाह की रज़ा और जन्नत की ख़ुशख़बरी दी जाती है जिसको सुनकर उसको मौत ज़्यादा महबूब हो जाती है। इसी तरह काफ़िर को मौत के वक़्त अ़ज़ाब और सज़ा सामने कर दी जाती है इसलिये उसको उस वक़्त मौत से बढ़कर कोई चीज़ बुरी और नापसन्दीदा मालूम नहीं होती। (बुख़ारी व मुस्लिम)

ख़ुलासा यह है कि मौत की मुहब्बत या नापसन्दीदगी इस वक़्त की मोतबर नहीं बल्कि रूह निकलने के वक़्त जो मरने और अल्लाह से मिलने पर राज़ी है अल्लाह भी उससे राज़ी, यही मफ़्हूम है **राज़ियतन् मरज़िय्यतन्** का।

فَادْخُلِىْ فِىْ عِبٰدِىْO وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْO

नफ़्स-ए-मुत्मइन्ना को मुख़ातब करके यह हुक्म होगा कि मेरे ख़ास बन्दों में शामिल हो जा और मेरी जन्नत में दाख़िल हो जा। इसमें पहले अल्लाह के नेक और मुख़्लिस बन्दों में शामिल होने का हुक्म है फिर जन्नत में दाख़िल होने का। इसमें इशारा पाया जाता है कि जन्नत में दाख़िल होना इस पर मौक़ूफ़ है कि पहले अल्लाह के नेक व मुख़्लिस बन्दों की जमाअ़त में शामिल हो, उन सब के साथ ही जन्नत में दाख़िला होगा। इससे मालूम हुआ कि जो दुनिया में नेक लोगों की सोहबत व साथ इख़्तियार करता है यह निशानी इसकी है कि यह भी उनके साथ जन्नत में जायेगा, इसी लिये हज़रत सुलैमान अ़लैहिस्सलाम ने अपनी दुआ़ में फ़रमायाः

وَاَدْخِلْنِیْ بِرَحْمَتِكَ فِیْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِیْنَ○

और हज़रत यूसुफ़ अ़लैहिस्सलाम ने दुआ़ में फ़रमायाः

وَاَلْحِقْنِیْ بِالصّٰلِحِیْنَ○

मालूम हुआ कि नेक लोगों की सोहबत वह बड़ी नेमत है कि अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम भी इसकी दुआ़ से बेपरवाह (ग़ैर-ज़रूरत मन्द) नहीं।

وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ○

इसमें जन्नत को अल्लाह तआ़ला ने अपनी तरफ़ मन्सूब करके मेरी जन्नत फ़रमाया जो बड़ा इकराम व सम्मान है, और इसमें इशारा पाया जाता है कि जन्नत में सिर्फ़ यही नहीं कि हर तरह की राहतें जमा हैं और हमेशा रहने वाली हैं बल्कि सबसे बड़ी बात यह है कि वह अल्लाह तआ़ला की रज़ा का मक़ाम (स्थान) है।

उपरोक्त आयतों में मोमिनों की जज़ा व सवाब को इस तरह ज़िक्र किया गया कि उनकी रूहों को हक़ तआ़ला की तरफ़ से फ़रिश्तों के माध्यम से सम्मान व इकराम के साथ ख़िताब किया जायेगा जो इन आयतों में बयान हुआ है। यह ख़िताब किस वक़्त होगा इसमें तफ़सीर के कुछ इमामों ने फ़रमाया कि क़ियामत में हिसाब-किताब के बाद यह ख़िताब होगा और आयतों के शुरू के हिस्से से इसकी ताईद होती है कि ऊपर जो काफ़िरों के अ़ज़ाब का बयान हुआ है वह आख़िरत में क़ियामत के बाद ही होगा, इससे ज़ाहिर है कि मोमिनों को यह ख़िताब भी उसी वक़्त हो। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि यह ख़िताब मोमिनों को मौत के वक़्त दुनिया ही में होता है, बहुत सी सही हदीसें इस पर सुबूत हैं। इसी लिये इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि ज़ाहिर यह है कि दोनों वक़्तों में यह ख़िताब मोमिनों की रूहों को होगा, मौत के वक़्त भी, फिर क़ियामत में भी।

वो हदीसें जिनसे इस ख़िताब का मौत के वक़्त होना मालूम होता है एक तो वही हज़रत उबादा इब्ने सामित वाली हदीस है जो ऊपर गुज़र चुकी है, और एक लम्बी हदीस हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की मुस्नद अहमद, नसाई, इब्ने माजा में है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का इरशाद है कि जब मोमिन की मौत का वक़्त आता है तो रहमत के फ़रिश्ते सफ़ेद रेशमी कपड़ा सामने करके उसकी रूह को ख़िताब करते हैं:

اُخرجی راضیةً مرضیّةً الٰی روح اللّٰه وریحانه.

यानी इस बदन से निकलो इस हालत में कि तुम अल्लाह से राज़ी हो और अल्लाह तुमसे राज़ी, और यह निकलना अल्लाह तआ़ला की रहमत और जन्नत की हमेशा की राहतों की तरफ़ होगा। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मैंने एक रोज़ यह आयतः

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.

नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने पढ़ी तो सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु

अन्हु जो मज्लिस में मौजूद थे कहने लगे या रसूलुल्लाह! यह कितना अच्छा ख़िताब और सम्मान की बात है। आपने फ़रमाया कि सुन लो फ़रिश्ता मौत के बाद आपको यह ख़िताब करेगा। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

चन्द अ़जीब वाक़िआ़त

हज़रत सईद बिन जुबैर रह. फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का ताइफ़ में इन्तिक़ाल हुआ, जनाज़ा तैयार होने के बाद एक अ़जीब व ग़रीब परिन्दा जिसकी मिसाल पहले कभी न देखी गयी थी आया और जनाज़े की लाश में दाख़िल हो गया, फिर किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा। जिस वक़्त लाश क़ब्र में रखी जाने लगी तो क़ब्र के किनारे से एक ग़ैबी आवाज़ ने यह आयत पढ़ीः

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ.......................... الخ.

सबने तलाश किया कौन पढ़ रहा है किसी को मालूम न हो सका। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

और इमाम हाफ़िज़ तबरानी ने किताबुल-अ़जाइब में अपनी सनद से फ़त्तान बिन रज़ीन अबू हाशिम से उनका अपना वाक़िआ़ नक़ल किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि एक मर्तबा हमें मुल्क रूम में क़ैद कर लिया गया और वहाँ के बादशाह के सामने पेश किया गया, उस काफ़िर बादशाह ने हमें मजबूर किया कि हम उसका दीन इख़्तियार करें, और जो उससे इनकार करेगा उसकी गर्दन मार दी जायेगी। हम चन्द आदमी थे, उनमें से तीन आदमी जान के ख़ौफ़ से मुर्तद हो गये (यानी इस्लाम से फिर गये), बादशाह का दीन इख़्तियार कर लिया। चौथा आदमी पेश हुआ उसने कुफ़्र करने और उसके दीन को इख़्तियार करने से इनकार किया, उसकी गर्दन काटकर सर को एक क़रीबी नहर में डाल दिया गया। उस वक़्त तो वह सर पानी की तह में चला गया, उसके बाद पानी की सतह पर उभरा और उन लोगों की तरफ़ देखकर उनके नाम लेकर आवाज़ दी कि ओ फ़ुलाँ फ़ुलाँ! और फिर कहा कि अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया है:

يٰاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ٥ ارْجِعِیْٓ اِلٰی رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ٥ فَادْخُلِیْ فِیْ عِبٰدِیْ ٥ وَادْخُلِیْ جَنَّتِیْ ٥

उसके बाद फिर पानी में ग़ोता लगा दिया।

यह अ़जीब वाक़िआ़ वहाँ मौजूद लोगों ने देखा और सुना, और वहाँ के ईसाई यह देखकर तक़रीबन सब मुसलमान हो गये और बादशाह का तख़्त हिल गया। ये तीन आदमी जो मुर्तद हो गये थे ये सब फिर मुसलमान हो गये और फिर ख़लीफ़ा अबू जाफ़र मन्सूर ने हम सब को उनकी क़ैद से रिहा कराया। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

अल्हम्दु लिल्लाह सूरः वल्-फ़ज्रि की तफ़सीर आज 21 शाबान सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई जबकि इस नाकारा की उम्र का छहत्तरवाँ साल ख़त्म और सतत्तरवाँ शुरू हो रहा है। यूँ आधी सदी से ज़्यादा हक़ तआ़ला की दी हुई मोहलत को ग़फ़लतों और गुनाहों में बरबाद करने पर हसरत व अफ़सोस जितना भी हो कम ही है। मगर क़दम-क़दम पर हक़ तआ़ला शानुहू के

इनामात की बारिश और अपनी किताब की इस नाचीज़ ख़िदमत को ख़त्म के क़रीब पहुँचा देने का एहसाने अ़ज़ीम बख़्शिश व करम की उम्मीद दिला रहा है। या अल्लाह पाक! मुझे भी अपने उन बन्दों में शामिल फ़रमा जिनको यह ख़िताब हो कि ऐ इत्मीनान वाली रूह! तू अपने परवर्दिगार की तरफ़ चल, इस तरह कि वह तुझसे ख़ुश और तू उससे ख़ुश फिर तू मेरे ख़ास बन्दों में शामिल हो जा, और मेरी जन्नत में दाख़िल हो जा।

सूरः अल्-बलद्

सूरः अल्-बलद् मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 20 आयतें हैं।

اٰيَاتُهَا ٢٠ سُوْرَةُ الْبَلَدِ مَكِّيَّةٌ ٣٥ رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝ وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ۝ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ ۝ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّنْ يَّقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌ ۝ يَقُوْلُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُّبَدًا ۝ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗٓ اَحَدٌ ۝ اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِ ۝ وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِ ۝ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝ اَوْ اِطْعٰمٌ فِيْ يَوْمٍ ذِيْ مَسْغَبَةٍ ۝ يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۝ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِنَا هُمْ اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ۝ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

ला उक़्सिमु बिहाज़ल्-ब-लदि (1) व अन्-त हिल्लुम् बिहाज़ल्-ब-लदि (2) व वालिदिंव्-व मा व-लद् (3) ल-क़द् ख़लक़्नल्-इन्सा-न फ़ी क-बद् (4) अ-यह्सबु अल्लंय्यक़्दि-र अ़लैहि अ-हद्। (5) यक़ूलु अह्लक्तु मालल्-	क़सम खाता हूँ मैं इस शहर की (1) और तुझ पर क़ैद नहीं रहेगी इस शहर में (2) और क़सम है जनते की और जो उसने जना (3) तहक़ीक़ हमने बनाया आदमी को मेहनत में (4) क्या ख़्याल रखता है वह कि उस पर बस न चलेगा किसी का (5) कहता है मैंने ख़र्च कर डाला माल

लु-बदा (6) अ-यह्सबु अल्लम् य-रहू अ-हद् (7) अलम् नज्अ़ल्-लहू अ़ैनैनि (8) व लिसानंव्-व श-फ़तैनि (9) व हदैनाहुन्-नज्दैन (10) फ़-लक़्त-ह-मल् अ़-क़-ब-त (11) व मा अद्रा-क मल्अ़-क़-बह् (12) फ़क्कु र-क़-बतिन् (13) औ इत्आ़मुन् फ़ी यौमिन् ज़ी मस्ग़-बतिंय्- (14) -यतीमन् ज़ा मक़्र-बतिन् (15) औ मिस्कीनन् ज़ा मत्र-बह् (16) सुम्-म का-न मिनल्लज़ी-न आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल्मर्-ह-मह् (17) उलाइ-क अस्हाबुल्-मैम-नह् (18) वल्लज़ी-न क-फ़रू बिआयातिना हुम् अस्हाबुल् मश-अमह् (19) अ़लैहिम् नारुम् मुअ्स-दह् (20) ✿	ढेरों (6) क्या ख़्याल रखता है कि देखा नहीं उसको किसी ने। (7) भला हमने नहीं दीं उसको दो आँखें (8) और ज़बान और दो होंठ (9) और दिखला दीं उसको दो घाटियाँ (10) सो न धमक सका घाटी पर (11) और तू क्या समझा क्या है वह घाटी (12) छुड़ाना गर्दन का (13) या खिलाना भूख के दिन में (14) यतीम को जो क़रीबी रिश्ते वाला है (15) या मोहताज को जो ख़ाक में रुल रहा है (16) फिर होवे ईमान वालों में जो ताकीद करते हैं आपस में बरदाश्त (सब्र) की और ताकीद करते हैं रहम खाने की। (17) वे लोग हैं बड़े नसीब वाले (18) और जो इनकारी हुए हमारी आयतों से वे हैं कमबख़्ती वाले (19) उन्हीं को आग में मूँद दिया है। (20) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

मैं क़सम खाता हूँ इस शहर (यानी मक्का) की। (क़सम के जवाब से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हक़ में एक ख़ुशख़बरी दी गयी है कि) आपको इस शहर में लड़ाई हलाल होने वाली है (चुनाँचे मक्का फ़तह होने के दिन आपके लिये जंग जायज़ कर दी गयी थी, हरम के अहकाम बाक़ी नहीं रहे थे) और क़सम है बाप की औलाद की (सारी औलाद के बाप आदम अ़लैहिस्सलाम हैं पस आदम और आदम की औलाद सब की क़सम हुई। आगे क़सम का जवाब है) कि हमने इनसान को बड़ी मशक़्क़त में पैदा किया है (चुनाँचे उम्र भर कहीं बीमारी में, कहीं रंज में, कहीं फ़िक्र में अक्सर समय मुब्तला रहता है और इसका तक़ाज़ा यह था कि इसमें आ़जिज़ी व बेबसी पैदा होती और अपने को तक़दीर के हुक्म में बंधा हुआ समझकर

हुक्म का मानने वाला और और अल्लाह की रज़ा के ताबे होता लेकिन काफ़िर इनसान की यह हालत है कि बिल्कुल भूल में पड़ा है, तो) क्या वह यह ख़्याल करता है कि उस पर किसी का बस न चलेगा (यानी क्या अल्लाह की क़ुदरत से अपने को बाहर समझता है जो इस क़द्र भूल में पड़ा है और) कहता है कि मैंने इतना ज़्यादा माल ख़र्च कर डाला (यानी एक तो शैख़ी भगारता है फिर रसूल की दुश्मनी, इस्लाम की मुख़ालफ़त और गुनाहों व नाफ़रमानी में ख़र्च करने को हुनर समझता है, फिर झूठ भी बोलता है कि उसको बहुत माल बतलाता है) क्या वह यह ख़्याल करता है कि उसको किसी ने देखा नहीं (यानी अल्लाह तआ़ला ने तो देखा है और वह जानता है कि नाफ़रमानी में ख़र्च किया है, पस इस पर सज़ा देगा, साथ ही मिक़्दार भी देखी है कि इस क़द्र नहीं है जिस क़द्र लोगों को यक़ीन दिलाना चाहता है। यह हाल एक आ़म काफ़िर का है कि उस वक़्त आपके मुख़ालिफ़ों के यही बातें और हालात थे। ग़र्ज़ कि यह शख़्स न तो तकलीफ़ व रंज से मुतास्सिर हुआ और न इनामात व एहसानात से जिसका आगे बयान है)।

क्या हमने उसको दो आँखें और ज़बान और दो होंठ नहीं दिये और (फिर) हमने उसको (बुराई और भलाई के) दोनों रास्ते (ख़ैर व शर) बतला दिये (ताकि नुक़सान देने वाले तरीक़े से बचे और नफ़ा देने वाले पर चले, सो इसका भी तक़ाज़ा यह था कि अल्लाह के अहकाम का ताबेदार होता मगर) सो वह शख़्स (दीन की) घाटी में से होकर न निकला (दीन के कामों को इसलिये घाटी कहा कि नफ़्स पर भारी है) और आपको मालूम है कि घाटी (से) क्या (मुराद) है? वह किसी (की) गर्दन का ग़ुलामी से छुड़ा देना है या खाना खिलाना फ़ाक़े के दिन में किसी रिश्तेदार यतीम को, या किसी ख़ाकसार मोहताज को (यानी अल्लाह के इन अहकाम का पालन करना चाहिये था)। फिर (सबसे बढ़कर यह कि) उन लोगों में से न हुआ जो ईमान लाये और एक-दूसरे को (ईमान की) पाबन्दी की नसीहत व तंबीह की, और एक-दूसरे को (मख़्लूक़ पर) रहम करने की (यानी ज़ुल्म को छोड़ने की) तंबीह व नसीहत की। (ईमान तो सबसे पहले है, फिर ईमान पर जमना और क़ायम रहना बाक़ी सबसे अफ़ज़ल है, फिर लोगों को तकलीफ़ देने से बचना बाक़ी की चीज़ों से अहम है, फिर इन आमाल का दर्जा है जो आयत नम्बर 13 से 16 तक बयान हुए हैं।

पस यह सुम्-म शान व रुतबे के बड़ा होने को ज़ाहिर करने के लिये है। मतलब यह कि तमाम उसूल और छोटे-बड़े अहकाम में इताअ़त करनी चाहिये थी। आगे 'अल्लज़ी-न आमनू .....' की जज़ा और बदले का बयान है यानी) यही लोग दाहिने वाले हैं (जिनकी जज़ा की तफ़सील सूरः वाक़िआ़ में है, और यहाँ इसमें अ़वाम व ख़्वास तमाम ईमान वाले दाख़िल हैं)।

और (आगे उनके मुक़ाबिल वालों का बयान है कि) जो लोग हमारी आयतों के इनकारी हैं (ख़ुद उसूली बातों ही में मुख़ालिफ़ हैं ऊपर के अहकाम का तो कहना क्या) वे लोग बायें वाले हैं, उन पर घेरने वाली आग होगी जिसको बन्द कर दिया जायेगा (यानी दोज़ख़ियों को दोज़ख़ में भरकर आगे से दरवाज़ा बन्द कर देंगे क्योंकि हमेशा रहने की वजह से निकलना तो मिलेगा ही नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

हर्फ़ ला इस जगह ज़ायद है और क़समों में यह हर्फ़ ज़ायद लाना अ़रब के मुहावरों में परिचित व मशहूर है, और ज़्यादा सही यह है कि यह हर्फ़ ला मुख़ातब के बातिल ख़्याल की तरदीद (रद्द करने) के लिये क़सम के शुरू में लाया जाता है जिसके मायने यह होते हैं कि जो तुमने ख़्याल बाँध रखा है वह नहीं, बल्कि हम क़सम के साथ कहते हैं कि हक़ीक़त वह है जो हम बयान करते हैं। और अल्-बलद् से मक्का मुकर्रमा मुराद है जैसा कि सूरः वत्तीनि में शहर मक्का की क़सम खाई और उसके साथ उसकी सिफ़त **अमीन** (अमन वाला होना) भी बयान फ़रमाई। चुनाँचे फ़रमायाः 'व हाज़ल् ब-लदिल् अमीन'।

शहर मक्का की क़सम खाना इस शहर के दूसरे शहरों के मुक़ाबले में सम्मानित व अफ़ज़ल होने को बतलाना है। हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़दी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हिजरत के वक़्त शहर मक्का को ख़िताब करके फ़रमाया कि ख़ुदा तआ़ला की क़सम है कि तू सारी ज़मीन में अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा बेहतर और प्यारा है, और अगर मुझे यहाँ से निकलने पर मजबूर न कर दिया जाता तो मैं तेरी ज़मीन से न निकलता। (तिर्मिज़ी व इब्ने माजा। मज़हरी)

وَاَنْتَ حِلٌّ ۢ بِهٰذَا الْبَلَدِ ۝

लफ़्ज़ **हिल्ल** में दो एहतिमाल (संभावनायें) हैं- एक यह कि हुलूल से निकला हो जिसके मायने किसी चीज़ के अन्दर समाने, रहने और उतरने के आते हैं। इस एतिबार से हिल्ल के मायने उतरने वाले और रहने वाले के होंगे, और मुराद आयत की यह होगी कि शहर मक्का ख़ुद इज़्ज़त व सम्मान वाला और पवित्र है, ख़ुसूसन जबकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी इस शहर में रहते हैं तो रहने वाले की फ़ज़ीलत से भी मकान की फ़ज़ीलत बढ़ जाती है, इसलिये शहर की बड़ाई व सम्मान आपके उसमें रहने से डबल हो गयी। दूसरा एहतिमाल यह है कि लफ़्ज़ **हिल्ल** हिल्लत मस्दर से निकला हो जिसके मायने किसी चीज़ के हलाल होने के हैं। इस एतिबार से लफ़्ज़ हिल्ल के दो मायने हो सकते हैं- एक यह कि आपको मक्का के काफ़िरों ने हलाल समझ रखा है कि आपके क़त्ल के पीछे लगे हैं हालाँकि वे ख़ुद भी शहर मक्का में किसी शिकार को भी हलाल नहीं समझते, मगर उनका ज़ुल्म व सरकशी इस हद तक बढ़ गया है कि जिस पवित्र जगह पर किसी जानवर का क़त्ल भी जायज़ नहीं और ख़ुद उन लोगों का भी यही अ़क़ीदा है, वहाँ उन्होंने अल्लाह के रसूल का क़त्ल व ख़ून हलाल समझ लिया है। दूरे मायने हिल्ल के यह भी हो सकते हैं कि आपकी यह ख़ुसूसियत है कि आपके लिये हरमे मक्का में काफ़िरों का क़त्ल करना हलाल होने वाला है जैसा कि मक्का फ़तह होने में एक दिन के लिये आपसे हरम के अहकाम उठा लिये गये थे और काफ़िरों का क़त्ल हलाल कर दिया गया था।

ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में यही तीसरे मायने लेकर तफ़सीर की गयी है। तफ़सीरे मज़हरी में तीनों एहतिमाल (संभावनायें) बयान हुए हैं और तीनों मायने की गुंजाईश है।

وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ ○

वालिद से मुराद हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम हैं जो सब इनसानों के बाप हैं, और 'मा वलद्' से उनकी औलाद मुराद है जो दुनिया के पहले दिन से लेकर क़ियामत तक होगी। इस तरह इस लफ़्ज़ में हज़रत आदम और तमाम इनसानों की क़सम हो गयी। आगे क़सम का जवाब बयान हुआ है।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ كَبَدٍ ○

'कबद्' के लफ़्ज़ी मायने मेहनत व मशक़्क़त के हैं। मायने यह हैं कि इनसान अपनी फ़ितरत से ऐसा पैदा किया गया है कि उम्र के शुरू से आख़िर तक मेहनतों और मशक़्क़तों में रहता है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि गर्भ की शुरूआ़त से माँ के पेट में क़ैद रहा, फिर पैदाईश के वक़्त की मेहनत व मशक़्क़त बरदाश्त की, फिर माँ का दूध पीने फिर उसके छूटने की मेहनत, फिर अपनी रोज़ी-रोटी और ज़िन्दगी की ज़रूरतें मुहैया करने की मशक़्क़त, फिर बुढ़ापे की तकलीफ़ें, फिर मौत फिर क़ब्र, फिर हश्र और उसमें अल्लाह तआ़ला के सामने आमाल की जवाबदेही, फिर जज़ा व सज़ा। ये सब दौर उस पर मेहनतों ही के आते हैं, और यह मेहनत व मशक़्क़त अगरचे इनसान के साथ ख़ास नहीं सब जानवर भी इसमें शरीक हैं मगर इस हाल को इनसान के लिये ख़ास तौर पर इसलिये बयान फ़रमाया कि अव्वल तो वह सब जानवरों से ज़्यादा शऊर व समझ रखता है और मेहनत की तकलीफ़ भी शऊर व एहसास के मुताबिक़ ज़्यादा होती है, दूसरे आख़िरी और सबसे बड़ी मेहनत मेहशर में दोबारा ज़िन्दा होकर उम्र भर के आमाल का हिसाब देना है, वह दूसरे जानवरों में नहीं।

कुछ उलेमा ने फ़रमाया कि कोई मख़्लूक़ इतनी मशक़्क़तें नहीं झेलती जितनी इनसान बरदाश्त करता है इसके बावजूद कि वह जिस्म और अपने वजूद में अक्सर जानवरों के मुक़ाबले में ज़ईफ़ व कमज़ोर है। ज़ाहिर यह है कि इनसान की दिमाग़ी क़ुव्वत सबसे ज़्यादा है इसी लिये इसको ख़ास करके बयान किया गया। मक्का मुकर्रमा, आदम और आदम अ़लैहिस्सलाम की औलाद की क़सम खाकर हक़ तआ़ला ने इस हक़ीक़त को बयान फ़रमाया कि इनसान को हमने शिद्दत व मेहनत और मशक़्क़त ही में और उसी के लिये पैदा किया है, जो इसकी दलील है कि इनसान ख़ुद-बख़ुद पैदा नहीं हो गया या इसको किसी दूसरे इनसान ने जन्म नहीं दिया बल्कि इसका पैदा करने वाला एक क़ादिरे मुख़्तार है जिसने अपनी हिक्मत से हर मख़्लूक़ को ख़ास ख़ास मिज़ाज और ख़ास आमाल व कामों की इस्तेदाद (सलाहियत व प्रतिभा) देकर पैदा किया है, अगर इनसान के बनाने में ख़ुद इनसान को कुछ दख़ल होता तो वह अपने लिये ये मेहनतें मशक़्क़तें कभी तजवीज़ न करता। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

दुनिया में किसी को मुकम्मल राहत हासिल नहीं

दुनिया में मुकम्मल राहत जिसमें कोई तकलीफ़ न हो किसी को हासिल नहीं हो सकती, इसलिये इनसान को चाहिये कि मशक़्क़त के लिये तैयार रहे। इस क़सम और क़सम के जवाब में इनसान को इस पर आगाह और सचेत किया गया है कि तुम्हारी जो यह इच्छा है कि दुनिया में हमेशा राहत ही राहत मिले, किसी तकलीफ़ से साबक़ा न पड़े, यह ख़्याल ग़लत है जो कभी हासिल नहीं होगा। इसलिये ज़रूरी है कि हर शख़्स को दुनिया में मेहनत व मशक़्क़त और रंज व मुसीबत पेश आये, और जब मशक़्क़त व परेशानी पेश आनी ही है तो अ़क़्लमन्द का काम यह है कि यह मेहनत व मशक़्क़त उस चीज़ के लिये करे जो उसको हमेशा काम आये और हमेशा की राहत का सामान बने, और वह सिर्फ़ ईमान और अल्लाह की फ़रमाँबरदारी में पोशीदा और सीमित है। आगे ग़ाफ़िल और आख़िरत के इनकारी इनसान की चन्द जाहिलाना ख़स्लतों (आ़दतों) का ज़िक्र करके फ़रमायाः

اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَهٗۤ اَحَدٌo

यानी क्या यह बेवक़ूफ़ यह समझता है कि इसके बुरे आमाल को किसी ने देखा नहीं, इसको जानना चाहिये कि इसका ख़ालिक़ (पैदा करने वाला) इसके हर अ़मल को देख रहा है।

आँख और ज़बान के पैदा करने में चन्द हिक्मतें

اَلَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ عَيْنَيْنِo وَلِسَانًا وَّشَفَتَيْنِo وَهَدَيْنٰهُ النَّجْدَيْنِo

नजदैन नजूद का तस्निया (द्विवचन) है जिसके लफ़्ज़ी मायने उस रास्ते के हैं जो ऊपर ऊँचाई की तरफ़ जाता हो, मुराद इससे खुला वाज़ेह रास्ता है। और इन दो रास्तों में एक ख़ैर व कामयाबी का दूसरा बुराई व तबाही का रास्ता है।

इससे पहली आयत में इनसान की इस ग़फ़लत व जहालत पर तंबीह थी कि वह समझता है कि मेरे ऊपर अल्लाह तआ़ला को भी क़ुदरत नहीं, और यह कि उसके आमाल व कामों को कोई देखने वाला नहीं। इस आयत में चन्द उन नेमतों का ज़िक्र है जो अल्लाह तआ़ला ने इसके वजूद में ऐसी अ़ता फ़रमाई हैं कि ख़ुद उनकी कारीगरी व हिक्मत ही पर ग़ौर करे तो हक़ तआ़ला की बेमिसाल हिक्मत व क़ुदरत का नज़ारा उन्हीं चीज़ों में करे। उनमें पहले दो आँखों का ज़िक्र फ़रमाया कि आँख के नाज़ुक पर्दे, नाज़ुक रगें, उनमें क़ुदरती रोशनी, फिर आँख की बनावट व शक्ल कि यह बेहद नाज़ुक अंग है इसकी हिफ़ाज़त का क्या सामान ख़ुद इसके बनाने में किया गया कि इसके ऊपर ऐसे पर्दे डाल दिये जो ख़ुद काम करने वाली मशीन की तरह जब कोई तकलीफ़ व नुक़सान देने वाली चीज़ सामने से आती दिखाई दे ख़ुद-बख़ुद बग़ैर किसी इख़्तियार के बन्द हो जाते हैं, इन पर्दों के ऊपर पलकों के बाल खड़े कर दिये कि गर्द व ग़ुबार को रोक लें, उसके ऊपर भौंवों के बाल रखे कि ऊपर से आने वाली चीज़ सीधी आँख में न पहुँचे, इसको चेहरे के अन्दर इस तरह फ़िट किया गया कि ऊपर सख़्त हड्डी है, नीचे गालों की सख़्त हड्डी है

आदमी कहीं चेहरे के बल गिर जाये या उसके चेहरे पर कोई चीज़ आ पड़े तो ऊपर नीचे की हड्डियाँ आँख को बचा लेंगी।

दूसरी चीज़ ज़बान है। इसकी अ़जीब व ग़रीब बनावट और दिल की बातों की तर्जुमानी जो इस रहस्यमय और ख़ुद काम करने वाली मशीन के ज़रिये होती है, इसके काम करने के हैरत-अंगेज़ तरीक़े को देखो कि दिल में एक मज़मून आया, दिमाग़ ने उस पर ग़ौर किया, उसके लिये उनवान और अलफ़ाज़ तैयार किये, वो अलफ़ाज़ इस ज़बान की मशीन से निकलने लगे। यह इतना बड़ा काम कैसी तेज़ी के साथ हो रहा है कि सुनने वाले को यह एहसास भी नहीं हो सकता कि इन अलफ़ाज़ के ज़बान पर आने में उसके पीछे कितनी मशीनरी ने काम किया है तब ये कलिमात ज़बान पर आये हैं।

ज़बान के साथ **श-फ़तैन** यानी होंठों का ज़िक्र इसलिये भी फ़रमाया कि ज़बान के काम में होंठ बड़े मददगार हैं। आवाज़ व हुरूफ़ की ख़ास और अलग शक्लें वही बनाते हैं और शायद इसलिये भी कि क़ुदरत ने ज़बान को ऐसी तेज़ी से काम करने वाली मशीन बनाया है कि आधे मिनट में इससे ऐसा कलिमा भी बोला जा सकता है जो उसको जहन्नम से निकालकर जन्नत में पहुँचा दे जैसे ईमान का कलिमा, या दुनिया में दुश्मन की नज़र में भी उसको महबूब बना दे जैसे पिछले क़सूर की माफ़ी। और इसी ज़बान से इतने ही समय में ऐसा कलिमा भी बोला जा सकता है जो उसको जहन्नम में पहुँचा दे जैसे कुफ़्र का कलिमा या दुनिया में उसके बड़े से बड़े मेहरबान दोस्त को उसका दुश्मन बना दे जैसे गाली-गलौज वग़ैरह।

जिस तरह ज़बान के फ़ायदे बेशुमार हैं इसके तबाह करने की शक्लें भी इसी अन्दाज़ की हैं गोया यह एक तलवार है जो दुश्मन पर भी चल सकती है और ख़ुद अपना गला भी काट सकती है, इसलिये हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू ने इस तलवार को दो होंठों के ग़िलाफ़ में छुपा करके अ़ता फ़रमाया और इस जगह होंठों का ज़िक्र करना इस तरफ़ इशारा हो सकता है कि जिस मालिक ने इनसान को ज़बान दी उसने इसको रोकने बन्द करने के लिये होंठ भी दिये हैं, इसलिये इसके इस्तेमाल में सोच-समझ से काम ले, बेमौक़ा इसको होंठों की म्यान से न निकाले।

तीसरी चीज़ दो रास्तों की हिदायत है यानी अल्लाह तआ़ला ने इनसान को ख़ैर व शर और भले बुरे की पहचान के लिये एक सलाहियत व इस्तेदाद और माद्दा ख़ुद उसके वजूद में रख दिया है जैसा कि क़ुरआने करीम ने फ़रमायाः

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوٰهَا ○

यानी इनसानी नफ़्स के अन्दर अल्लाह तआ़ला ने बुराई और नेकी दोनों के माद्दे रख दिये हैं तो इस तरह एक शुरूआ़ती हिदायत इनसान को ख़ुद उसके ज़मीर से मिलती है, फिर उस हिदायत की ताईद के लिये अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम और आसमानी किताबें आती हैं जो उनको बिल्कुल वाज़ेह कर देती हैं। ख़ुलासा यह है कि जाहिल और ग़ाफ़िल इनसान अल्लाह की क़ुदरत का इनकारी ज़रा अपने ही वजूद की चन्द नुमायाँ चीज़ों में ग़ौर करे तो अल्लाह की क़ुदरत व

हिक्मत के कमाल को देख लेगा। आँखों से देखो, फिर ज़बान से इक़रार करो, फिर दो रास्तों में से ख़ैर के रास्ते को इख़्तियार करो।

आगे फिर इसके ग़फ़लत में पड़ने और बेफ़िक्री पर तंबीह है कि इन रोशन दलीलों से अल्लाह तआ़ला की कामिल क़ुदरत का और उसके ज़रिये क़ियामत में दोबारा ज़िन्दा होने और हिसाब देने का यक़ीन हो जाना चाहिये, इस यक़ीन का तक़ाज़ा यह था कि यह अल्लाह की मख़्लूक़ को नफ़ा और राहत पहुँचाता, उनको तकलीफ़ें देने से बचता और अल्लाह तआ़ला पर ईमान लाता और ख़ुद अपनी इस्लाह (सुधार) करता, और दूसरे लोगों की इस्लाह की फ़िक्र करता ताकि क़ियामत में वह दाईं जानिब वालों यानी जन्नत वालों में शामिल हो जाये, मगर इस बदनसीब ने ऐसा न किया बल्कि कुफ़्र पर क़ायम रहा जिसका अन्जाम जहन्नम की आग है। सूरत के आख़िर तक यह मज़मून बयान हुआ है, इसमें चन्द नेक आमाल के इख़्तियार न करने को एक ख़ास अन्दाज़ से बयान फ़रमाया है।

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْعَقَبَةُ ۝ فَكُّ رَقَبَةٍ ۝

'अ़क़बा' पहाड़ की बड़ी चट्टान को भी कहते हैं और दो पहाड़ों के बीच के रास्ते को यानी घाटी को भी, और दुश्मन से निजात हासिल करने में यह अ़क़बा इनसान की मदद करता है कि पहाड़ के ऊपर चढ़कर दुश्मन से अपने को बचा ले या फिर घाटी में दाख़िल होकर यहाँ से निकल जाये। इस जगह नेकियों और इबादतों को एक अ़क़बा से ताबीर फ़रमाया है कि जिस तरह अ़क़बा दुश्मन से निजात दिलाने का सबब होता है नेक आमाल आख़िरत के अ़ज़ाब से निजात का ज़रिया बनते हैं, फिर उन नेक आमाल में पहले 'फ़क्कु र-क़-बतिन्' फ़रमाया, यानी किसी ग़ुलाम को आज़ाद करना कि बहुत बड़ी इबादत और एक इनसान की ज़िन्दगी को बना देना है। दूसरी चीज़ 'औ इत्आ़मुन्' बयान फ़रमाई कि भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब है और खाना खिलाना किसी को भी हो सवाब से ख़ाली नहीं मगर बाज़े को खिलाना बहुत बड़ा सवाब बन जाता है, इसलिये इस बड़े सवाब के हासिल करने के लिये फ़रमायाः

يَّتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ ۝ اَوْ مِسْكِيْنًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۝

यानी ख़ास तौर पर जब खाना किसी ऐसे यतीम को खिलाया जाये जिसके साथ तुम्हारी निकटता व रिश्तेदारी भी है तो इसमें दोहरा सवाब हो गया, एक भूखे का पेट भरना दूसरे रिश्तेदार की सिला-रहमी और उसका हक़ अदा करना।

فِىْ يَوْمٍ ذِىْ مَسْغَبَةٍ ۝

यानी ख़ास तौर पर ऐसे दिन में उसको खाना खिलाना जिसमें वह भूखा हो और भी ज़्यादा सवाब का ज़रिया है। इसी तरह यतीम रिश्तेदार न हो तो ऐसा मिस्कीन हो जिसकी मिस्कीनी ने उसको ज़मीन पर ला दिया है, इससे मुराद बहुत ज़्यादा मुफ़लिस व मोहताज है जिस पर ख़र्च किया जाये, वह जितना ज़्यादा मोहताज होगा उतना ही ख़र्च करने वाले का सवाब बढ़ेगा।

ईमान का तक़ाज़ा है कि इनसान सिर्फ़ अपनी नेकी पर बस न करे, दूसरों को भी नेकी की हिदायत करता रहे

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ اٰمَنُوْا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ۝

इस आयत में ईमान के बाद मोमिन का यह फ़र्ज़ बतलाया गया कि वह दूसरे मुसलमान भाईयों को भी सब्र और रहमत की तल्क़ीन करता रहे। सब्र से मुराद नफ़्स को बुराईयों से रोकना और भलाईयों पर अ़मल करना है, और मर्हमत से मुराद दूसरों के हाल पर रहम खाना, उनकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ समझकर उनके सताने और उन पर ज़ुल्म करने से बचना। इसमें तक़रीबन दीन के सारे ही अहकाम आ गये।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-बलद् की तफ़सीर आज शाबान की 23 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

सूरः अश्-शम्स

सूरः अश्-शम्स मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 15 आयतें हैं।

اٰيَاتُهَا ١٥ (٩١) سُوْرَةُ الشَّمْسِ مَكِّيَّةٌ (٢٦) رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ۝ وَالْقَمَرِ اِذَا تَلٰهَا ۝ وَالنَّهَارِ اِذَا جَلّٰهَا ۝ وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَا ۝ وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَا ۝ وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَا ۝ وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا ۝ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَا ۝ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا ۝ كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ بِطَغْوٰهَآ ۝ اِذِ انْۢبَعَثَ اَشْقٰهَا ۝ فَقَالَ لَهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيٰهَا ۝ فَكَذَّبُوْهُ فَعَقَرُوْهَا ۙ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰىهَا ۝ وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वश्शम्सि व ज़ुहाहा (1) वल्क़-मरि इज़ा तलाहा (2) वन्नहारि इज़ा	क़सम सूरज की और उसके धूप चढ़ने की (1) और चाँद की जब आये सूरज के पीछे (2) और दिन की जब उसको रोशन

जल्लाहा (3) वल्लैलि इज़ा यग़्शाहा (4) वस्समा-इ व मा बनाहा (5) वल्अर्ज़ि व मा तहाहा (6) व नफ़्सिंव्-व मा सव्वाहा (7) फ़-अल्ह-महा फ़ुजूरहा व तक़्वाहा (8) क़द् अफ़्ल-ह मन् ज़क्काहा (9) व क़द् ख़ा-ब मन् दस्साहा (10) कज़्ज़बत् समूदु बितग़्वाहा (11) इज़िम् ब-अ़-स अश्क़ाहा (12) फ़क़ा-ल लहुम् रसूलुल्लाहि ना-क़तल्लाहि व सुक़्याहा (13) फ़-कज़्ज़बूहु फ़-अ़-क़रूहा फ़-दम्द-म अ़लैहिम् रब्बुहुम् बिज़म्बिहिम् फ़-सव्वाहा (14) व ला यख़ाफ़ु अुक़्बाहा (15) ❁	कर ले (3) और रात की जब उसको ढाँक ले (4) और आसमान की और जैसा कि उसको बनाया (5) और ज़मीन की और जैसा कि उसको फैलाया (6) और जी की और जैसा कि उसको ठीक बनाया (7) फिर समझ दी उसको ढिटाई की और बचकर चलने की (8) यक़ीनन मुराद को पहुँचा जिसने उसको संवार लिया (9) और नामुराद हुआ जिसने उसको ख़ाक में मिला छोड़ा (10) झुठलाया समूद ने अपनी शरारत से (11) जब उठ खड़ा हुआ उनमें का बड़ा बदबख़्त (12) फिर कहा उनको अल्लाह के रसूल ने ख़बरदार रहो अल्लाह की ऊँटनी से और उसकी पानी पीने की बारी से (13) फिर उन्होंने झुठलाया उसको फिर पाँव काट डाले उसके फिर उलट मारा उन पर उनके रब ने उनके गुनाहों के सबब, फिर बराबर कर दिया सब को (14) और वह नहीं डरता पीछा करने से। (15) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है सूरज की और उसकी रोशनी की, और चाँद की जब सूरज (के छुपने के) पीछे आये (यानी निकले, इससे मुराद महीने के बीच की कुछ रातों का चाँद है कि सूरज के छुपने के बाद निकलता है, और यह क़ैद शायद इसलिये हो कि वह वक़्त नूर के कामिल होने का होता है जैसा कि जुहाहा का इशारा है सूरज की रोशनी के कामिल होने की तरफ़, और या उस वक़्त क़ुदरत की दो निशानियाँ एक-दूसरे के साथ मिली हुई एक के बाद एक ज़ाहिर होती हैं, सूरज का छुपना और चाँद का निकलना)। और (क़सम है) दिन की जब वह उस (सूरज) को ख़ूब रोशन कर दे, और (क़सम है) रात की जब वह उस (सूरज) को (उसके निशानात व रोशनी को बिल्कुल) छुपा ले (यानी ख़ूब रात हो जाये कि दिन की रोशनी का कुछ असर न रहे। और चारों चीज़ें जिनकी क़सम खाई गयी है उनमें जो क़ैदें लगाई गयी हैं वो उनके पूरा और कामिल होने

के एतिबार से हैं, यानी हर एक की क़सम उसकी पूर्ण और कामिल हालत के एतिबार से है)।

और (क़सम है) आसमान की और उस (ज़ात) की जिसने उसको बनाया (मुराद अल्लाह तआ़ला है। इसी तरह मा तहाहा और मा सव्वाहा में भी दूसरी मख़्लूक़ की क़सम को ख़ालिक़ की क़सम से पहले रखना इसलिये हो सकता है कि इसमें ज़ेहन को दलील से मदलूल की तरफ़ मुन्तक़िल करना है, क्योंकि तैयार चीज़ दलील है उसके बनाने वाले के वजूद पर, तो इसमें तौहीद पर दलील हासिल करने की तरफ़ भी इशारा हो गया)। और (क़सम है) ज़मीन की और उस (ज़ात) की जिसने उसको बिछाया, और (क़सम है इनसान की) जान की और उस (ज़ात) की जिसने उसको (हर तरह सूरत-शक्ल और जिस्मानी अंगों वग़ैरह से) दुरुस्त बनाया। फिर उसकी बद-किरदारी और परहेज़गारी (दोनों बातों) को उसके दिल में डाला (यह निस्बत बनाने और पैदा करने के एतिबार से है, यानी दिल में जो नेकी का रुझान होता है या जो बदी की तरफ़ मैलान होता है दोनों का ख़ालिक़ अल्लाह तआ़ला है, अगरचे पहली चीज़ को दिल में डालने के लिये फ़रिश्ता वास्ता होता है और दूसरी चीज़ में शैतान, फिर वह रुझान व मैलान कभी पुख़्ता इरादे तक पहुँच जाता है जो कि इनसान के इरादे व इख़्तियार से सादिर होता है उसी इरादे व इख़्तियार पर अ़ज़ाब व सवाब मुरत्तब होता है, जिसके बाद उस काम का ज़ाहिर होना अल्लाह की तख़्लीक़ से होता है और कभी पुख़्ता इरादे तक नहीं पहुँचता वह माफ़ है।

आगे मज़मून को पूरा करने के लिये बुरे और अच्छे आमाल करने वालों का अन्जाम बतलाते हैं कि) यक़ीनन वह मुराद को पहुँचा जिसने इस (जान) को पाक कर लिया (यानी नफ़्स को बुराई से रोका और तक़्वा इख़्तियार कर लिया) और नामुराद हुआ जिसने इसको (गुनाहों और बुराईयों में) दबा दिया (और बुराई से मग़लूब कर दिया। इसके बाद क़सम का जवाब पोशीदा है यानी ऐ मक्का के काफ़िरो! जब तुम बुरे किरदार और बुरे आमाल वाले हो तो तुम ज़रूर अ़ज़ाब में मुब्तला और हलाक होगे, आख़िरत में तो यक़ीनन और कई बार दुनिया में भी, जैसा कि क़ौमे समूद इस अपने बुरे आमाल की वजह से अल्लाह के ग़ज़ब और अ़ज़ाब की पात्र और हक़दार बनी, जिनका क़िस्सा यह है कि) क़ौमे समूद ने अपनी शरारत के सबब (हज़रत सालेह अ़लैहिस्सलाम को) झुठलाया (और यह उस ज़माने का क़िस्सा है) जबकि उस क़ौम में जो सबसे ज़्यादा बदबख़्त था वह (ऊँटनी के क़त्ल करने के लिये) उठ खड़ा हुआ (यानी तैयार हो गया और उसके साथ और लोग भी शरीक थे) तो उन लोगों से अल्लाह के पैग़म्बर (सालेह अ़लैहिस्सलाम) ने (जब उनको इस क़त्ल के इरादे की इत्तिला हुई, जैसा कि तफ़सीरे ख़ाज़िन में है) फ़रमाया कि अल्लाह की (इस) ऊँटनी से और इसके पानी पीने से ख़बरदार रहना (यानी इसको क़त्ल मत करना और न इसका पानी बन्द करना। चूँकि क़त्ल के इरादे का असल सबब भी पानी की बारी थी, इसलिये इसकी वज़ाहत फ़रमाई, और अल्लाह की ऊँटनी इसलिये कहा कि ख़ुदा तआ़ला ने उसको मोजिज़े के तौर पर अ़जीब अन्दाज़ से पैदा करके नुबुव्वत की निशानी बना दिया और उसके सम्मान को वाजिब फ़रमाया)। सो उन्होंने पैग़म्बर को (यानी नुबुव्वत की निशानी को जो अल्लाह की ऊँटनी के ज़रिये ज़ाहिर हुई) झुठलाया (क्योंकि वे

उनको नबी न समझते थे) फिर उस ऊँटनी को मार डाला, तो उनके परवर्दिगार ने उनके गुनाहों के सबब उन पर हलाकत नाज़िल फ़रमाई। फिर उस (हलाकत) को (तमाम कौम के लिये) आम फ़रमाया। और अल्लाह तआ़ला को उस हलाकत के आख़िर में किसी ख़राबी (के निकलने) का (किसी से) अन्देशा नहीं हुआ (जैसे दुनिया के बादशाहों को बहुत सी बार किसी कौम को सज़ा देने के बाद शंका होती है कि इस पर कोई मुल्की हंगामा व बवाल जन्म न ले ले)।

कौमे समूद और ऊँटनी का तफ़सीली किस्सा सूरः आराफ़ में गुज़र चुका है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत के शुरू में सात चीज़ों की क़सम आई है और सातों चीज़ों के साथ उनकी उच्च और कमाल वाली हालत के एतिबार से कुछ सिफ़तें और शर्तें ज़िक्र की गयी हैं। पहली क़समः

وَالشَّمْسِ وَضُحٰهَا ○

है। यहाँ अगरचे ज़ुहा को अ़त्फ़ के वाव के साथ ज़िक्र किया गया है मगर बाद की चीज़ों के साथ ज़िक्र होने से मालूम होता है कि ज़ुहा का ज़िक्र सूरज की सिफ़त के तौर पर है, यानी क़सम है सूरज की जबकि वह ज़ुहा के वक़्त में हो। ज़ुहा उस वक़्त को कहा जाता है जब सूरज निकलकर कुछ ऊँचा हो जाये और उसकी रोशनी ज़मीन पर फैल जाये। उस वक़्त में वह इनसान को क़रीब नज़र आता है और धूप की गर्मी ज़्यादा न होने की वजह से उसको पूरी तरह देख भी सकते हैं। दूसरी क़सम हैः

وَالْقَمَرِ إِذَا تَلٰهَا ○

यानी चाँद की क़सम जबकि वह सूरज के पीछे आये। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि जब चाँद सूरज के ग़ुरूब होने के बाद निकले और यह महीने के दरमियान में होता है जबकि चाँद तक़रीबन मुकम्मल होता है, और पीछे आने का यह मतलब भी हो सकता है कि जिस तरह कि ज़ुहा के वक़्त में सूरज पूरा और अच्छी तरह नज़र आता है इसी तरह जबकि चाँद उसके पीछे आये यानी पूरा होने में सूरज के ताबे हो जाये। तीसरी क़सम हैः

وَالنَّهَارِ إِذَا جَلّٰهَا ○

इसमें जिस चीज़ के रोशन करने का ज़िक्र है उससे मुराद ज़मीन भी हो सकती है और दुनिया भी। अगरचे इससे पहले ज़मीन और दुनिया का ज़िक्र नहीं आया मगर अ़रब के मुहावरों में ऐसी चन्द चीज़ें जो उमूमन इनसानों के सामने रहती हैं उनकी तरफ़ बग़ैर उनका पहले ज़िक्र किये भी किसी चीज़ का इशारा कर देना मशहूर व मारूफ़ है, और क़ुरआने करीम में भी इसकी नज़ीरें मौजूद हैं। इस एतिबार से मायने यह हुए कि क़सम है दिन की और दुनिया की या ज़मीन की जिसको दिन ने रोशन कर दिया है। इसमें भी इशारा इस तरफ़ है कि दिन की क़सम उस हालत के एतिबार से है जबकि वह पूरी तरह रोशन हो जाये। और इबारत के एतिबार से ज़ाहिर यह है कि यह इशारा सूरज की तरफ़ हो, उस सूरत में मायने यह होंगे कि क़सम है दिन की

जबकि वह सूरज को रोशन कर दे। यह मुहावरे के तौर पर निस्बत होगी और मतलब यह होगा कि जब दिन निकल आने के सबब सूरज रोशन नज़र आने लगे। चौथी क़सम है:

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰهَاo

यानी क़सम है रात की जबकि वह सूरज पर छा जाये, यानी सूरज की रोशनी को छुपा दे। पाँचवीं क़सम है:

وَالسَّمَآءِ وَمَا بَنٰهَاo

इसमें इबारत की तरतीब के एतिबार से ज़्यादा स्पष्ट बात यह है कि 'मा बनाहा' में सिर्फ़ मा को मस्दरिया क़रार देकर मायने यह लिये जायें कि क़सम है आसमान और उसके बनाने की, जैसा कि क़ुरआने करीम में है:

بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ

इसी तरह छठी क़सम:

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَاo

में मस्दर के मायने में लेकर तर्जुमा यह हुआ कि क़सम है ज़मीन और उसके बिछाने फैलाने की। क्योंकि तह्व मस्दर के मायने बिछाने फैलाने के आते हैं। इसमें आसमान के साथ बनाने का और ज़मीन के साथ बिछाने फैलाने का ज़िक्र भी उसी कामिल और पूर्ण हालत को बतलाने के लिये है कि क़सम है आसमान की उस हालत में जबकि उसकी बनावट मुकम्मल हो गयी, और क़सम है ज़मीन की जबकि उसको फैलाकर उसका बनाना और निमार्ण मुकम्मल कर दिया गया। हज़रत क़तादा वग़ैरह से यही तफ़सीर मन्क़ूल है। कश्शाफ़ व बैज़ावी और क़ुर्तुबी ने इसी को इख़्तियार किया है। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस जगह हर्फ़ मा को मन के मायने में लेकर इससे हक़ तआ़ला की ज़ात मुराद ली है कि क़सम है आसमान की और उसके बनाने वाले की। इसी तरह:

وَالْاَرْضِ وَمَا طَحٰهَاo

का मफ़्हूम यह बयान किया गया कि क़सम है ज़मीन और उसके फैलाने वाले की। मगर यहाँ जितनी क़समें अब तक ज़िक्र हुईं और जो आगे आ रही हैं वो सब मख़्लूक़ात की क़समें हैं, दरमियान में अल्लाह की ज़ात की क़सम आ जाना इबारत के अन्दाज़ व तरतीब से बईद मालूम होता है और उस सूरत में जो ऊपर लिखी गयी है यह इश्काल (शुब्हा) भी नहीं लाज़िम आता कि मख़्लूक़ात की क़सम को ख़ालिक़ की ज़ात से पहले क्यों बयान किया गया। वल्लाहु आलम

सातवीं क़सम है:

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَاo

इसमें भी मा को मस्दरिया लिया जाये तो मायने यह हैं कि क़सम है इनसानी जान की और उसके दुरुस्त व सही अन्दाज़ पर करने की, और अगर मा को मन के मायने में लिया जाये तो

मायने यह होंगे कि क़सम है नफ़्स की और उसके बराबर दुरुस्त करने वाले की। तस्वियह् यानी दुरुस्त और बराबर करने का मफ़्हूम इससे पहली सूरतों में आ चुका है।

فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰهَاO

इल्हाम के मायने हैं दिल में डालना। फ़ुजूर के मायने खुला गुनाह और तक़्वा का मफ़्हूम परिचित व मशहूर है (यानी अल्लाह का डर और गुनाहों से बचना)। यह जुमला भी सातवीं क़सम 'व नफ़्सिंव्-व मा सव्वाहा' के साथ जुड़ा हुआ है, यनी अल्लाह तआ़ला ने इनसानी नफ़्स को बनाया, फिर उसके दिल में गुनाह व बुराई और नेकी व परहेज़गारी दोनों का इल्हाम कर दिया। मुराद यह है कि इनसानी नफ़्स की पैदाईश में हक़ तआ़ला ने गुनाह और नेकी दोनों के माद्दे और क़ाबलियत रख दी है, फिर इनसान को एक ख़ास किस्म का इख़्तियार और क़ुदरत दे दी कि वह अपने इरादे व इख़्तियार से गुनाह की राह इख़्तियार कर ले या नेकी की। जब वह अपने इरादे व इख़्तियार से उनमें से कोई राह इख़्तियार करता है तो उसी इरादे व इख़्तियार पर उसको सवाब या अ़ज़ाब मिलता है।

इस तफ़सीर से वह शुब्हा दूर हो गया कि गुनाह और नेकी जब ख़ुद इनसान की फ़ितरत में रख दी गयी तो वह उसके करने पर मजबूर हुआ, ऐसी सूरत में वह न किसी सवाब का मुस्तहिक़ है न अ़ज़ाब का। और यह तफ़सीर एक मरफ़ूअ़ हदीस से ली गयी है जो सही मुस्लिम में हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से आई है कि कुछ लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से तक़दीर के मसले के बारे में सवाल किया तो आपने जवाब में यह आयत तिलावत फ़रमाई। इस आयत से तक़दीर के मसले के शुब्हे का जवाब उसी सूरत में हो सकता है जबकि बुराई व नेकी के इल्हाम (दिल में डालने) से मुराद यह लिया जाये कि दोनों के माद्दे और इस्तेदादें हक़ तआ़ला ने इनसानी नफ़्स के अन्दर रख दिये हैं मगर उसको उनमें से किसी एक पर बिल्कुल मजबूर नहीं किया बल्कि उसको क़ुदरत व इख़्तियार दिया कि उनमें से जिसको जी चाहे इख़्तियार कर सकता है।

हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम जब यह आयत तिलावत फ़रमाते तो बुलन्द आवाज़ से यह दुआ पढ़ा करते थेः

اَللّٰهُمَّ اٰتِ نَفْسِیْ تَقْوٰهَا اَنْتَ وَلِیُّهَا وَمَوْلَاهَا وَاَنْتَ خَیْرُ مَنْ زَكّٰهَا.

यानी या अल्लाह! मेरे नफ़्स को तक़वे की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमा, आप ही मेरे नफ़्स के वली और मुरब्बी हैं।

इन सात क़समों के बाद क़सम के जवाब में फ़रमायाः

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَاO وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَاO

यानी मुराद को पहुँचा वह शख़्स जिसने अपने नफ़्स की सफ़ाई कर ली। तज़किया के असली मायने बातिनी पाकी के हैं। मुराद यह है कि जिसने अल्लाह की इताअ़त करके अपने

ज़ाहिर व बातिन को पाक कर लिया। और मेहरूम हुआ वह शख़्स जिसने अपने नफ़्स को गुनाहों की दलदल में धंसा दिया। लफ़्ज़ दस्सा दस्सुन से निकला है जिसके मायने ज़मीन में दफ़न कर देने के हैं जैसा कि क़ुरआन में एक दूसरी जगह इरशाद है:

اَمْ يَدُسُّهٗ فِى التُّرَابِ.

और कुछ मुफ़स्सिरीन ने यहाँ 'ज़क्का' और 'दस्सा' दोनों में फ़ेल (क्रिया) की निस्बत अल्लाह की तरफ़ करके मायने यह किये हैं कि बामुराद हुआ वह आदमी जिसको अल्लाह तआ़ला ने पाक कर दिया, और नामुराद व मेहरूम हुआ वह जिसको अल्लाह तआ़ला ने गुनाहों में धंसा दिया।

इस आयत ने तमाम इनसानों को दो जमाअ़तों (वर्गों) में तक़सीम कर दिया एक बामुराद (कामयाब) और दूसरा नामुराद (नाकामयाब)। आगे इस दूसरी किस्म के लोगों का एक वाक़िआ़ मिसाल के तौर पर पेश करके उनके बुरे अन्जाम से डराया गया है कि उन नामुरादों को आख़िरत में तो सख़्त सज़ा मिलेगी ही, कई बार दुनिया में भी उनको सज़ा की एक क़िस्त दे दी जाती है, जैसे क़ौमे समूद को पेश आया। उनका वाक़िआ़ तफ़सील के साथ सूरः आराफ़ में आ चुका है यहाँ उसकी तरफ़ संक्षिप्त रूप से इशारा फ़रमाकर उनके अ़ज़ाब का बयान फ़रमाया।

فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْۢبِهِمْ فَسَوّٰهَا۝

दमूद-म का लफ़्ज़ ऐसे सख़्त अ़ज़ाब के लिये बोला जाता है जो किसी शख़्स या क़ौम पर बार-बार आता है, यहाँ तक कि उनको बिल्कुल फ़ना कर दे। और फ़-सव्वाहा का मतलब यह है कि अ़ज़ाब ने पूरी क़ौम को अपने घेरे में ले लिया जिसमें मर्द व औरत बच्चा बूढ़ा सब बराबर हो गये। आख़िर में फ़रमायाः

وَلَا يَخَافُ عُقْبٰهَا۝

यानी हक़ तआ़ला का अ़ज़ाब और किसी क़ौम को तबाह कर देने के मामले को दुनिया के मामलात की तरह न समझ कि उसमें बड़े से बड़ा बादशाह, ताक़त व शान वाला भी जब किसी क़ौम के साथ ऐसा मामला करता है जिसमें पूरी क़ौम की हलाकत व तबाही हो तो उसको ख़ुद भी यह ख़तरा रहता है कि ऐसा न हो कि उनमें के बाक़ी बचे अफ़राद या उनके हामी लोग हमसे बदला लें और बग़ावत करने लगें।

ग़र्ज़ कि दुनिया में दूसरों को मारने वाला ख़ुद भी कभी बेख़ौफ़ नहीं रहता, जो दूसरों पर हमला करता है उसको अपने ऊपर हमले का ख़तरा भी लाज़िमी तौर पर बरदाश्त करना पड़ता है सिवाय हक़ तआ़ला के कि उसको किसी वक़्त किसी से कोई ख़तरा नहीं। वल्लाहु आलम

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अश्-शम्स की तफ़सीर आज शाबान की 24 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

सूरः अल्-लैल

सूरः अल्-लैल मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 21 आयतें हैं।

ايَاتُهَا ٢١ سُوْرَةُ الَّيْلِ مَكِّيَّةٌ (٩٢) رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالَّيْلِ اِذَا يَغْشٰى ۙ وَالنَّهَارِ اِذَا تَجَلّٰى ۙ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثٰٓى ۙ اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰى ۗ فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ۙ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى ۗ وَاَمَّا مَنْۢ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ۙ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ۙ فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى ۗ وَمَا يُغْنِىْ عَنْهُ مَالُهٗٓ اِذَا تَرَدّٰى ۗ اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدٰى ۖ وَاِنَّ لَنَا لَلْاٰخِرَةَ وَالْاُوْلٰى ۝ فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى ۚ لَا يَصْلٰىهَآ اِلَّا الْاَشْقَى ۙ الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ۗ وَسَيُجَنَّبُهَا الْاَتْقَى ۙ الَّذِىْ يُؤْتِىْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ۚ وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَهٗ مِنْ نِّعْمَةٍ تُجْزٰٓى ۙ اِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْاَعْلٰى ۚ وَلَسَوْفَ يَرْضٰى ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वल्लैलि इज़ा यग़्शा (1) वन्नहारि इज़ा त-जल्ला (2) व मा ख़-लक़ज़्-ज़-क-र वल्उन्सा (3) इन्-न सअ्-यकुम् लशत्ता (4) फ़-अम्मा मन् अअ्ता वत्तक़ा (5) व सद्द-क़ बिल्हुस्ना (6) फ़-सनुयस्सिरुहू लिल्युस्रा (7) व अम्मा मम्-बख़ि-ल वस्तग़्ना (8) व कज़्ज़-ब बिल्हुस्ना (9) फ़-सनुयस्सिरुहू लिल्-अुस्रा (10) व मा युग़्नी अ़न्हु मालुहू इज़ा	क़सम रात की जब छा जाये (1) और दिन की जब रोशन हो (2) और उसकी जो उसने पैदा किये नर और मादा (3) तुम्हारी कमाई तरह तरह पर है (4) सो जिसने दिया और डरता रहा (5) और सच जाना भली बात को (6) तो उसको हम सहज-सहज पहुँचा देंगे आसानी में (7) और जिसने न दिया और बेपरवाह रहा (8) और झूठ जाना भली बात को (9) सो उसको हम सहज-सहज पहुँचा देंगे सख़्ती में (10) और काम न आयेगा उसके माल

त-रद्दा (11) इन्-न अ़लैना लल्हुदा (12) व इन्-न लना लल्-आख़िर-त वलूऊला (13) फ़-अन्ज़र्तुकुम् नारन् त-लज़्ज़ा (14) ला यस्लाहा इल्लल् अश्क़- (15) -ल्लज़ी कज़्ज़-ब व त-वल्ला (16) व स-युजन्नबुहल् अत्क़- (17) -ल्लज़ी युअ्ती मा-लहू य-तज़क्का (18) व मा लि-अ-हदिन् अ़िन्दहू मिन्-निअ्मतिन् तुज्ज़ा (19) इल्लब्तिग़ा-अ वज्हि रब्बिहिल्-अअ्ला (20) व लसौ-फ़ यर्ज़ा (21) ❁

उसका जब गढ़े में गिरेगा (11) हमारा ज़िम्मा है राह सुझा देना (12) और हमारे हाथ में है आख़िरत और दुनिया (13) सो मैंने सुना दी तुमको ख़बर एक भड़कती हुई आग की (14) उसमें वही गिरेगा जो बड़ा बदबख़्त है (15) जिसने झुठलाया और मुँह फेरा (16) और बचा देंगे उससे बड़े डरने वाले को (17) जो देता है अपना माल दिल पाक करने को (18) और नहीं किसी का उस पर एहसान जिसका बदला दे (19) मगर वास्ते चाहने मर्ज़ी अपने रब की जो सबसे बरतर है (20) और आगे वह राज़ी होगा। (21) ❁

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है रात की जबकि वह (सूरज को और दिन को) छुपा ले, और (क़सम है) दिन की जबकि वह रोशन हो जाये, और (क़सम है) उस (पाक ज़ात) की जिसने नर और मादा को पैदा किया (मुराद अल्लाह तआ़ला है। आगे क़सम का जवाब है) कि बेशक तुम्हारी कोशिशें (यानी आमाल) मुख़्तलिफ़ हैं सो जिसने अल्लाह की राह में (माल) दिया और अल्लाह से डरा, और अच्छी बात (यानी दीने इस्लाम) को सच्चा समझा, तो हम उसको राहत की चीज़ के लिये सामान देंगे (राहत की चीज़ से नेक अ़मल और नेक अ़मल के वास्ते से जन्नत मुराद है, कि आसानी का सबब और महल है, इसी लिये युसरा कह दिया गया, वरना युसरा के मायने हैं आसान चीज़)। और जिसने (अपने ऊपर वाजिब हुक़ूक़ से) बुख़्ल किया और बजाय ख़ुदा से डरने के ख़ुदा से बेपरवाई इख़्तियार की और अच्छी बात (यानी दीन इस्लाम) को झुठलाया तो हम उसको तकलीफ़ की चीज़ के लिये सामान दे देंगे (तकलीफ़ की चीज़ से बुरा अ़मल और बुरे अ़मल के ज़रिये से दोज़ख़ मुराद है, कि तंगी का सबब और महल है, इसलिये उस अुस्र को अुसरा कह दिया गया, और सामान देने से मुराद दोनों जगह यह है कि अच्छे या बुरे काम उसके लिये आसान हो जायेंगे और बेतकल्लुफ़ उससे होने लगेंगे और वैसे ही असबाब जमा हो जायेंगे, फिर नेक आमाल का जन्नत का सामान होना और बुरे आमाल का दोज़ख़ का सामान होना ज़ाहिर ही है। हदीस में है:

اما من كان من اهل السعادة فييسّر لعمل اهل السّعادة وكذافي الشقاوة.

और (आगे तंगी वाले का हाल बयान हुआ है कि) उसका माल उसके कुछ काम न आयेगा जब वह बरबाद होने लगेगा (बरबादी से मुराद जहन्नम में जाना है)। वाक़ई हमारे ज़िम्मे (अपने वायदे के मुताबिक़) राह का बतला देना है (सो वह हमने पूरे तरीक़े से बतला दिया है फिर किसी ने ईमान व नेकी की राह इख़्तियार कर ली जिसका ज़िक्र 'मन् अअ़्ता वत्तक़ा व सद्द-क़ बिल्हुस्ना' में हुआ है, और किसी ने कुफ़्र व नाफ़रमानी की राह को इख़्तियार कर लिया जिसका ज़िक्र 'मम्-बख़ि-ल वस्तग़्ना व कज़्ज़-ब बिल्हुस्ना' में हुआ है) और (जैसी राह कोई शख़्स इख़्तियार करेगा वैसा ही फल उसको देंगे, क्योंकि) हमारे ही क़ब्ज़े में है आख़िरत और दुनिया (यानी दोनों में हमारी ही हुकूमत है, इसलिये दुनिया में हमने अहकाम मुक़र्रर किये और आख़िरत में मुख़ालफ़त और मुवाफ़क़त पर सज़ा व जज़ा देंगे जिसका बयान दो जगह 'फ़-सनुयस्सिरुहू' में हुआ है। आगे ख़ुलासे के तौर पर इरशाद है कि मैंने जो तुमको विभिन्न आमाल की विभिन्न जज़ायें बतला दी हैं) तो मैं तुमको एक भड़कती हुई आग से डरा चुका हूँ (जिस पर जुमलाः

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰی٥

दलालत करता है, ताकि ईमान व नेक काम जिनका ज़िक्र 'मन् अअ़्ता वत्तक़ा व सद्द-क़ बिल्हुस्ना' में है इख़्तियार करके उस आग से बचो, और कुफ़्र व नाफ़रमानी जिनका ज़िक्र 'मम्-बख़ि-ल वस्तग़्ना व कज़्ज़-ब बिल्हुस्ना' में है इख़्तियार करके दोज़ख़ में न जाओ, क्योंकि उसमें जाने और न जाने के यही असबाब हैं, चुनाँचे आगे इसकी वज़ाहत है कि) उसमें (हमेशा के लिये) वही बदबख़्त दाख़िल होगा जिसने (दीने हक़ को) झुठलाया और (उससे) मुँह फेरा। और उससे ऐसा शख़्स दूर रखा जायेगा जो बड़ा परहेज़गार है, जो अपना माल (सिर्फ़) इस ग़र्ज़ से देता है कि (गुनाहों से) पाक हो जाये (यानी सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा उसका मक़सद है)। और सिवाय अपने बड़ी शान वाले परवर्दिगार की रज़ा हासिल करने के (कि यही उसका मक़सद है) उसके ज़िम्मे किसी का एहसान न था कि (उस देने से) उसका बदला उतारना (मक़सद) हो। (इसमें इख़्लास के निहायत आला दर्जे को बयान किया गया है, क्योंकि किसी के एहसान का बदला उतारना भी अपने आप में अच्छा, अफ़ज़ल और सवाब का ज़रिया है मगर फ़ज़ीलत में किसी के साथ एहसान की शुरूआत करने के बराबर नहीं, पस जब उस शख़्स का अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना इससे भी पाक है तो दिखावे वग़ैरह के गुनाह की मिलावट से तो और भी ज़्यादा बरी होगा, और यह इख़्लास का आला दर्जा है)। और (ऐसे शख़्स के लिये ऊपर सिर्फ़ जहन्नम से बचना बयान हुआ था, आगे आख़िरत की नेमतों के हासिल होने को बयान फ़रमाते हैं कि) यह शख़्स जल्द ही ख़ुश हो जायेगा (यानी आख़िरत में ऐसी-ऐसी नेमतें मिलेंगी जिनसे इसको हमेशा की ख़ुशी नसीब होगी)।

मआरिफ़ व मसाईल

اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتّٰی٥

यह ऐसा जुमला है जैसे सूरः इन्शिक़ाक़ में ज़िक्र हुआ है:

اِنَّكَ كَادِحٌ اِلٰى رَبِّكَ كَدْحًا.

जिसकी तफ़सीर पहले गुज़र चुकी है। मतलब यह है कि इनसान अपनी फ़ितरत से किसी न किसी काम के लिये कोशिश व अ़मल और जिद्दोजोहद करने का आ़दी है मगर कुछ लोग अपनी जिद्दोजोहद और मेहनत से हमेशा की राहत का सामान कर लेते हैं और कुछ दूसरे अपनी इसी मेहनत से हमेशा का अ़ज़ाब ख़रीद लेते हैं जैसे हदीस में है कि हर इनसान जब सुबह को उठता है तो वह अपने नफ़्स को तिजारत पर लगा देता है, कोई तो उस तिजारत में कामयाब होता है और अपने आपको आख़िरत के अ़ज़ाब से आज़ाद कर लेता है और कोई ऐसा भी होता है कि उसकी मेहनत और कोशिश व अ़मल ही उसकी हलाकत का सबब बन जाते हैं। मगर अ़क़्ल का काम यह है कि पहले अपनी कोशिश व अ़मल के अन्जाम को सोचे, जिस अ़मल के अन्जाम में वक़्ती आराम व लज़्ज़त हो मगर हमेशा का अ़ज़ाब व रंज का सबब बने उसके पास न जाये।

कोशिश व अ़मल के एतिबार से इनसानों के दो गिरोह

आगे क़ुरआने हकीम ने कोशिश व अ़मल के एतिबार से इनसानों के दो गिरोह (वर्ग और तब्क़े) बतलाये और दोनों की तीन-तीन सिफ़तें ज़िक्र कीं। पहला गिरोह कामयाब लोगों का है उनके तीन अ़मल ये हैं:

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰى وَاتَّقٰى ٥ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰى ٥

यानी जिसने अल्लाह की राह में माल ख़र्च किया और अल्लाह से डरकर ज़िन्दगी के हर शोबे और मैदान में उसके अहकाम की ख़िलाफ़वर्ज़ी से बचता रहा, और जिसने अच्छी बात की तस्दीक़ की। अच्छी बात से मुराद ईमान का कलिमा 'ला इला-ह इल्लल्लाहु' है (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास, इमाम ज़ह्हाक और सुद्दी का क़ौल है)।

इस कलिमे की तस्दीक़ से मुराद ईमान ले आना है, और अगरचे ईमान सब आमाल की रूह और सबसे पहले है उसको यहाँ बाद में ज़िक्र करने की शायद यह वजह हो कि इस जगह ज़िक्र कोशिश व अ़मल और जिद्दोजोहद का हैं और वो आमाल ही हैं, ईमान तो एक दिली चीज़ है कि दिल में अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की तस्दीक़ करे, फिर ज़बान से भी उसका इक़रार कलिमा-ए-शहादत के ज़रिये कर ले, और ज़ाहिर है कि इन दोनों चीज़ों में कोई जिस्मानी मेहनत नहीं, न कोई इसको आमाल की फ़ेहरिस्त में शुमार करता है।

दूसरे गिरोह के भी तीन आमाल का ज़िक्र फ़रमायाः

وَاَمَّا مَنْ م بَخِلَ وَاسْتَغْنٰى ٥ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنٰى ٥

यानी जिसने अल्लाह की राह में माल ख़र्च करने से बुख़्ल (कन्जूसी) किया कि फ़र्ज़ ज़कात और वाजिब सदक़ात भी अदा करने से गुरेज़ किया और अल्लाह तआ़ला से डरने और उसकी

तरफ़ झुकने और इताअ़त इख़्तियार करने के बजाय उससे बेनियाज़ी और बेरुख़ी इख़्तियार की और अच्छी बात यानी ईमान के कलिमे को झुठलाया। इन दोनों गिरोहों में से पहले गिरोह के बारे में फ़रमायाः

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْيُسْرٰى٥

'युसरा' के लफ़्ज़ी मायने हैं आसान और आरामदेह चीज़ जिसमें मशक़्क़त न हो, इससे मुराद जन्नत है। इसी तरह इसके मुक़ाबिल दूसरे गिरोह के मुताल्लिक़ फ़रमायाः

فَسَنُيَسِّرُهٗ لِلْعُسْرٰى٥

'उसरा' के लफ़्ज़ी मायने मुश्किल और तकलीफ़देह चीज़ के हैं। इससे मुराद जहन्नम है। और मायने दोनों जुमलों के यह हैं कि जो लोग अपनी कोशिश व मेहनत पहले तीन कामों में लगाते हैं यानी अल्लाह की राह में ख़र्च और अल्लाह से डरना और ईमान की तस्दीक़, उन लोगों को हम युसरा यानी जन्नत के आमाल के लिये आसान कर देते हैं और जो लोग यह कोशिश व अ़मल दूसरे तीन कामों में लगाते हैं उनको हम उ़स्रा यानी जहन्नम के आमाल के लिये आसान कर देते हैं। यहाँ बज़ाहिर मौक़े का तक़ाज़ा यह कहने का था कि उनके लिये जन्नत के आमाल या दोज़ख़ के आमाल आसान कर दिये जायेंगे, क्योंकि आसान या मुश्किल होना आमाल ही की सिफ़त हो सकती है, तो ख़ुद शख़्सियतें और शख़्स न आसान होते हैं न मुश्किल, मगर क़ुरआने करीम ने इसकी ताबीर इस तरह फ़रमाई कि ख़ुद उन लोगों की ज़ात और वजूद उन आमाल के लिये आसान कर दिये जायेंगे। इसमें इशारा इस बात की तरफ़ है कि उनकी तबीयतों और मिज़ाजों को ऐसा बना दिया जायेगा कि पहले गिरोह के लिये जन्नत के आमाल उनकी तबीयत बन जायेंगे, उनके ख़िलाफ़ करने में वे तकलीफ़ महसूस करने लगेंगे। इसी तरह दूसरे गिरोह का मिज़ाज ऐसा बना दिया जायेगा कि उसको जहन्नम के आमाल ही पसन्द आयेंगे, उन्हीं में राहत मिलेगी, जन्नत के आमाल से नफ़रत होगी। इन दोनों गिरोहों के मिज़ाजों में यह कैफ़ियत पैदा कर देने को इससे ताबीर फ़रमाया कि ये ख़ुद उन कामों के लिये आसान हो गये। एक मरफ़ूअ़ हदीस में इसकी ताईद इस तरह आई है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اعملوا فکلّ میسر لما خلق له امّا من کان من اهل السّعادة فسییسّر لعمل السّعادة وامّا من کان من اهل الشّقاوة فسییسر لعمل اهل الشقاوة. (رواه البخاری ومسلم عن علیؓ)

यानी तुम जो अ़मल करते हो वह करते रहो क्योंकि हर एक आदमी के लिये वही काम आसान कर दिया गया है जिसके लिये वह पैदा किया गया, इसलिये जो नेकबख़्त ख़ुशनसीब हैं तो नेकबख़्तों ही के आमाल उनकी तबई दिलचस्पी बन जाते हैं, और जो बदनसीब व बदबख़्त यानी जहन्नम वाले हैं उनके लिये बदबख़्ती ही के आमाल करना मिज़ाज और तबीयत बन जाती है। मगर ये दोनों चीज़ें ख़ुदा के दिये हुए अपने इख़्तियार को इस्तेमाल करने के नतीजे में मिलती हैं इसलिये इन पर अ़ज़ाब व सवाब का मुरत्तब होना मुहाल व दूर की चीज़ नहीं कहा जा

सकता। इसके बाद बदनसीब गिरोह यानी जहन्नम वालों को तंबीह है:

وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهٗٓ إِذَا تَرَدّٰى ٥

यानी जिस माल की ख़ातिर यह कमबख़्त वाजिब हुक़ूक़ में भी बुख़्ल (कन्जूसी) किया करता था यह माल इस पर अ़ज़ाब आने के वक़्त कुछ काम न देगा। 'तरद्दा' के लफ़्ज़ी मायने गढ़े में गिर जाने और हलाक होने के हैं। मुराद यह है कि मौत के बाद क़ब्र में और फिर क़ियामत में जब वह जहन्नम के गढ़े में गिरता होगा तो यह माल उसको कुछ नफ़ा नहीं देगा।

لَا يَصْلٰهَآ إِلَّا الْأَشْقَى ٥ الَّذِىْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰى ٥

यह जहन्नम की आग के हाल का बयान है कि उसमें दाख़िल नहीं होगा मगर वही शख़्स जो बदनसीब है और जिसने अल्लाह व रसूल को झुठलाया और उनकी इताअ़त से मुँह मोड़ा और यह ज़ाहिर है कि अल्लाह व रसूल को झुठलाने वाला सिर्फ़ काफ़िर ही हो सकता है। इससे बज़ाहिर यह समझा जाता है कि गुनाहगार मोमिन जो झुठलाने का मुजरिम नहीं वह जहन्नम में नहीं जायेगा, हालाँकि क़ुरआन व हदीस की बेशुमार वज़ाहतें इससे भरी हुई हैं, कि मोमिन भी जो गुनाह करता है अगर उसने तौबा न कर ली या किसी की शफ़ाअ़त से या ख़ालिस अल्लाह की रहमत से उसको माफ़ न कर दिया गया तो वह भी जहन्नम में जायेगा और अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने तक जहन्नम में रहेगा, अलबत्ता सज़ा भुगतने के बाद जहन्नम से निकाल लिया जायेगा और फिर ईमान की बरकत से जन्नत में दाख़िल हो जायेगा। बज़ाहिर इस आयत के अलफ़ाज़ इसके ख़िलाफ़ हैं, इसलिये ज़रूरी है कि इस आयत की मुराद वह हो जो क़ुरआन की दूसरी आयतों और सही हदीसों के ख़िलाफ़ न हो, इसकी बहुत आसान तौजीह तो वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ली गयी है कि यहाँ जहन्नम में दाख़िल होने से मुराद वह दाख़िल होना है जो हमेशा के लिये हो, और ऐसा दाख़िल होना सिर्फ़ काफ़िर के साथ मख़्सूस है, मोमिन किसी न किसी वक़्त आख़िरकार अपने गुनाह की सज़ा पूरी करने के बाद जहन्नम से निकाल लिया जायेगा। तफ़सीर के उलेमा ने इसके अ़लावा दूसरी कुछ तौजीहात (मतलब) भी बयान फ़रमाई हैं वो भी अपनी जगह दुरुस्त हो सकती हैं। और तफ़सीरे मज़हरी में इसकी एक तौजीह (व्याख्या व मतलब) यह बयान की है कि इस आयत में 'अश्क़ा' और 'अत्क़ा' से मुराद आ़म नहीं, बल्कि वे लोग मुराद हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के मुबारक ज़माने में मौजूद थे, उन मौजूद लोगो में से कोई मुसलमान गुनाह हो जाने के बावजूद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत की बरकत से जहन्नम में नहीं जायेगा।

सहाबा-ए-किराम सब के सब जहन्नम से महफ़ूज़ हैं

वजह यह है कि अव्वल तो उन हज़रात में किसी से भी गुनाह का होना बहुत ही कम और न होने के बराबर है और आख़िरत के ख़ौफ़ की वजह से उनके हालात से यह लाज़िम मालूम होता है कि अगर किसी से कोई गुनाह हुआ भी है तो उसने तौबा कर ली होगी।

फिर उसके एक गुनाह के मुक़ाबले में उसके नेक आमाल इतने ज़्यादा हैं कि उनकी वजह

से भी वह गुनाह माफ़ हो सकता है जैसा कि क़ुरआने करीम में है:

إِنَّ الْحَسَنٰتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّاٰتِ.

यानी नेक आमाल बुरे आमाल का कफ़्फ़ारा (बदला और मिटाने वाले) बन जाते हैं और ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की सोहबत ऐसा अ़मल है जो तमाम नेक आमाल पर ग़ालिब है। हदीस में उम्मत के नेक लोगों के बारे में आया है:

قوم لا يشقى جليسهم ولا يخاب انيسهم. (صحيحين)

यानी ये वे लोग हैं जिनके साथ बैठने वाला बदबख़्त व नामुराद नहीं हो सकता, और जो उनसे मानूस हो वह मेहरूम नहीं रह सकता। तो जो शख़्स तमाम नबियों के सरदार हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास बैठने वाला और साथी हो वह कैसे बदबख़्त हो सकता है। इसी लिये सही हदीसों में इसकी वज़ाहतें मौजूद हैं कि सहाबा किराम सब के सब ही जहन्नम के अ़ज़ाब से बरी हैं। ख़ुद क़ुरआने करीम में सहाबा किराम के बारे में यह मौजूद है:

وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى.

यानी उनमें से हर एक के लिये अल्लाह ने हुस्ना यानी जन्नत का वायदा फ़रमाया है। और एक दूसरी आयत में है:

إِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى أُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُوْنَ ٥

यानी जिन लोगों के लिये हमारी तरफ़ से हुस्ना मुक़द्दर हो चुकी है वह जहन्नम की आग से दूर रहेंगे। और एक हदीस में इरशाद है कि जहन्नम की आग उस शख़्स को नहीं छुयेगी जिसने मुझे देखा है। (तिर्मिज़ी, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से)

وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ٥ الَّذِيْ يُؤْتِيْ مَالَهٗ يَتَزَكّٰى ٥

यह बदबख़्त और फूटी किस्मत वालों के मुक़ाबिल नेकबख़्त और मुत्तक़ी लोगों की जज़ा का बयान है कि जो आदमी अल्लाह की मुकम्मल इताअ़त व फ़रमाँबरदारी का आ़दी हो और वह अपना माल अल्लाह की राह में सिर्फ़ इसलिये ख़र्च करता है कि वह गुनाहों से पाक हो जाये, ऐसा शख़्स उस जहन्नम की आग से दूर रखा जायेगा।

आयत के अलफ़ाज़ तो आ़म हैं, जो शख़्स भी ईमान के साथ अल्लाह की राह में माल ख़र्च करता है उसके लिये यह ख़ुशख़बरी है, लेकिन शाने नुज़ूल के वाक़िए से मालूम होता है कि इस लफ़्ज़ 'इत्तक़ा' से असल मुराद हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु हैं। इब्ने अबी हातिम ने हज़रत उरवा से रिवायत किया है कि सात मुसलमान ऐसे थे जिनको मक्का के काफ़िरों ने अपना ग़ुलाम बनाया हुआ था, जब वे मुसलमान हो गये तो उनको तरह-तरह की तकलीफ़ें देते थे। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अपना बड़ा माल ख़र्च करके उनको काफ़िरों से ख़रीदकर आज़ाद कर दिया, इस पर यह आयत नाज़िल हुई। (तफ़सीरे मज़हरी)

इसी के मुनासिब आयत का आख़िरी जुमला है:

وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰٓ ○

यानी जिन गुलामों पर हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने यह भारी एहसान फ़रमाया कि भारी रक़म ख़र्च करके ख़रीदा और आज़ाद कर दिया, उनका कोई पहले का एहसान भी उनके ज़िम्मे नहीं था जिसके बदले में यह क़दम उठाया हो, बल्कि:

إِلَّا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ ○

यानी उनका मकसद बुलन्द शान वाले अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल करने के सिवा कुछ न था।

मुस्तद्रक हाकिम में हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु से मन्क़ूल है कि सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की यह आ़दत भी थी कि जिस मुसमलान को काफ़िरों के हाथ में क़ैदी देखते उसको ख़रीदकर आज़ाद कर देते थे, और ये लोग उमूमन कमज़ोर व बूढ़े होते थे, सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद हज़रत अबू क़हाफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनसे फ़रमाया कि जब तुम गुलामों को आज़ाद ही करते हो तो इतना काम कर लो कि ऐसे गुलामों को आज़ाद किया करो जो ताक़तवर व बहादुर हैं ताकि वे कल तुम्हारे दुश्मनों का मुक़ाबला और तुम्हारी हिफ़ाज़त कर सकें। हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि मेरा मकसद इन आज़ाद किये हुए हज़रात से कोई फ़ायदा उठाना नहीं बल्कि मैं तो सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा हासिल करने के लिये उनको आज़ाद करता हूँ। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ ○

यानी जिस शख़्स ने अपना माल ख़र्च करने में सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा को देखा अपना कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं देखा तो अल्लाह तआ़ला भी आख़िरत में उसको राज़ी ही कर देंगे कि जन्नत की अ़जीब और हमेशा बाक़ी रहने वाली नेमतें नसीब फ़रमा देंगे।

शाने नुज़ूल के वाक़िए से इन आयतों का सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की शान में नाज़िल होना साबित है, इसलिये यह आख़िरी कलिमा हज़रत सिद्दीक़े अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु के लिये एक बड़ी ख़ुशख़बरी और सम्मान की बात है कि उनको दुनिया में अल्लाह की तरफ़ से राज़ी कर दिये जाने की ख़ुशख़बरी सुना दी गयी।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-लैल की तफ़सीर आज शाबान की 25 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

सूरः अज़्-ज़ुहा

सूरः अज़्-ज़ुहा मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 11 आयतें हैं।

آياتها ١١ (٩٣) سُوْرَةُ الضُّحٰى مَكِّيَّةٌ (١١) ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالضُّحٰى ۝ وَالَّيْلِ اِذَا سَجٰى ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلٰى ۝ وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ۝ اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰى ۝ وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى ۝ وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰى ۝ فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝ وَاَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝ وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वज़्ज़ुहा (1) वल्लैलि इज़ा सजा (2) मा वद्द-अ-क रब्बु-क व मा क़ला (3) व ललू-आख़िरतु ख़ैरुल्-ल-क मिनल्-ऊला (4) व लसौ-फ युअ्ती-क रब्बु-क फ़-तर्ज़ा (5) अलम् यजिद्-क यतीमन् फ़-आवा (6) व व-ज-द-क ज़ाल्लन् फ़-हदा (7) व व-ज-द-क आ-इलन् फ़-अग़्ना (8) फ़-अम्मल्-यती-म फ़ला तक़्हर् (9) व अम्मस्-सा-इ-ल फ़ला तन्हर् (10) व अम्मा बिनिअ्-मति रब्बि-क फ़-हद्दिस् (11) ✿	क़सम धूप चढ़ते वक़्त की (1) और रात की जब छा जाये (2) न रुख़्सत कर दिया तुझको तेरे रब ने और न बेज़ार हुआ (3) और अलबत्ता पिछली बेहतर है तुझको पहली से (4) और देगा तुझको तेरा रब फिर तू राज़ी होगा (5) भला नहीं पाया तुझको यतीम फिर जगह दी (6) और पाया तुझको भटकता फिर राह सुझाई (7) और पाया तुझको मुफ़लिस फिर बेपरवाह कर दिया (8) सो जो यतीम हो उसको मत दबा (9) और जो माँगता हो उसको मत झिड़क (10) और जो एहसान है तेरे रब का सो बयान कर। (11) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है दिन की रोशनी की, और रात की जबकि वह क़रार पकड़े (क़रार पकड़ने के दो मायने हो सकते हैं- एक वास्तविक यानी उसके अंधेरे का कामिल हो जाना क्योंकि रात में अंधेरा रफ़्ता-रफ़्ता बढ़ता है, कुछ रात गुज़रने पर मुकम्मल हो जाता है। दूसरे असल मायने से हटकर यानी जानदारों का उसमें सो जाना और चलने फिरने और बोलने चालने की आवाज़ों का ख़ामोश हो जाना। आगे क़सम का जवाब है) कि आपके परवर्दिगार ने न आपको छोड़ा और न (आप से) दुश्मनी की (क्योंकि अव्वल तो आप से कोई बात ऐसी नहीं हुई, दूसरे हज़राते अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम को अल्लाह तआ़ला ने इससे महफ़ूज़ व सुरक्षित बनाया है। पस आप काफ़िरों की बेहूदा बातों और ख़ुराफ़ात से ग़मगीन न हों, जो चन्द दिन वही की ताख़ीर के सबब यह कहने लगे कि आपको आपके ख़ुदा ने छोड़ दिया है, आप 'वही' की नेमत से बराबर सम्मानित होंगे, और यह इ़ज़्ज़त व सम्मान तो आपके लिये दुनिया में है) और आख़िरत आपके लिये दुनिया से कहीं ज़्यादा बेहतर है (पस वहाँ आपको इससे ज़्यादा नेमतें मिलेंगी)।

और जल्द ही अल्लाह तआ़ला आपको (आख़िरत में बहुत ज़्यादा नेमतें) देगा, सो आप (उनके अ़ता होने से) ख़ुश हो जाएँगे। (और जिसकी क़सम खाई है उसको इस ख़ुशख़बरी से मुनासबत यह है कि जिस तरह अल्लाह तआ़ला ज़ाहिर में अपनी क़ुदरत व हिक्मत के मुख़्तलिफ़ निशान ज़ाहिर करता है दिन के बाद रात को और रात के बाद दिन को लाता है यही कैफ़ियत बातिनी हालात की समझो। अगर सूरज की धूप के बाद रात की अंधेरी का आना अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी की दलील नहीं और न इसका कोई सुबूत है कि उसके बाद दिन का उजाला कभी न होगा तो चन्द दिन वही के रुके रहने से यह क्योंकर समझ लिया जाये कि आजकल ख़ुदा अपने चुनिन्दा और ख़ास पैग़म्बर से ख़फ़ा और नाराज़ हो गया और हमेशा के लिये वही का दरवाज़ा बन्द कर दिया। ऐसा कहना तो ख़ुदा तआ़ला के इल्मे मुहीत और हिक्मते बालिग़ा पर एतिराज़ करना है, गोया उसको ख़बर न थी कि जिसको मैं नबी बना रहा हूँ वह आईन्दा चलकर इसका अहल साबित न होगा नऊ़ज़ु बिल्लाहि मिन्हा।

आगे कुछ नेमतों से उक्त मज़मून की ताईद है, यानी) क्या अल्लाह तआ़ला ने आपको यतीम नहीं पाया, फिर (आपको) ठिकाना दिया (कि माँ के पेट में होने के वक़्त ही आपके वालिद की वफ़ात हो गयी अल्लाह तआ़ला ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दादा से आपकी परवरिश कराई, फिर जब आप आठ बरस के हुए तो उनकी भी वफ़ात हो गयी तो आपके चचा से परवरिश कराई, ठिकाना देने का मतलब यही है) और अल्लाह ने आपको (शरीअ़त से) बेख़बर पाया सो (आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को शरीअ़त का) रास्ता बतला दिया (जैसा कि अल्लाह तआ़ला एक दूसरी जगह इरशाद फ़रमाते हैं:

مَا كُنْتَ تَدْرِىْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمَانُ............ الخ

और वही से पहले शरीअत की तफ़सील मालूम न होना कोई ऐब नहीं) और अल्लाह तआला ने आपको नादार पाया, सो मालदार बना दिया (इस तरह कि हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के माल में आपने एक पार्टनर के तौर तिजारत की, उसमें नफ़ा मिला, फिर हज़रत ख़दीजा ने आपसे निकाह कर लिया और अपना सारा माल हाज़िर कर दिया। मतलब यह कि आप पर शुरू से अल्लाह के इनामात बरसते रहे हैं आईन्दा भी बरसते रहेंगे। उन इनामात पर शुक्र के अदा करने का हुक्म है कि जब हमने आपको ये नेमतें दी हैं) तो आप (उसके शुक्रिए में) यतीम पर सख़्ती न कीजिये और माँगने वाले को मत झिड़किये (यह तो अ़मली शुक्र है), और अपने रब के (ज़िक्र हुए) इनामों का तज़किरा करते रहा कीजिये (यानी ज़बान से क़ौली शुक्र भी कीजिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

शाने नुज़ूल

इस सूरत के नाज़िल होने के सबब के बारे में बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत जुन्दुब बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से आया है और तिर्मिज़ी ने हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यह रिवायत किया है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की एक उंगली ज़ख़्मी हो गयी, उससे ख़ून जारी हुआ तो आपने फ़रमायाः

ان انت الا اصبع دميت   وفى سبيل الله مالقيت

यानी तू एक उंगली ही तो है जो ख़ून से भर गयी और जो कुछ तकलीफ़ तुझे पहुँची वह अल्लाह की राह में है (इसलिये क्या ग़म है)। हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने यह वाक़िआ ज़िक्र करके फ़रमाया कि इस वाक़िए के बाद (कुछ रोज़) जिब्रीले अमीन कोई वही लेकर नहीं आये तो मक्का के मुश्रिक लोगों ने यह ताना देना शुरू किया कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) को उनके ख़ुदा ने छोड़ दिया और नाराज़ हो गया, इस पर यह सूरः जुहा नाज़िल हुई।

हज़रत जुन्दुब रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत जो बुख़ारी में है उसमें एक दो रात तहज्जुद के लिये न उठने का ज़िक्र है, वही में देरी होने का ज़िक्र नहीं, और तिर्मिज़ी में तहज्जुद में एक दो रात न उठने का ज़िक्र नहीं सिर्फ़ वही में ताख़ीर (विलंभ) का ज़िक्र है। ज़ाहिर है कि इन दोनों में कोई टकराव नहीं, हो सकता है कि दोनों बातें पेश आई हों, हदीस बयान करने वाले ने कभी एक को बयान किया कभी दूसरी को। और यह औरत जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ताना दिया उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी जैसा कि दूसरी रिवायतों में है, और वही में देरी और बन्दिश के वाक़िआत अनेक मर्तबा पेश आये हैं- एक क़ुरआन नाज़िल होने के शुरू दौर में पेश आया जिसको 'ज़माना फ़तरत-ए-वही' कहा जाता है, यह सबसे ज़्यादा लम्बा था। वही में देरी और रुकने का एक वाक़िआ उस वक़्त पेश आया जबकि मुश्रिक या यहूदी लोगों ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से रूह की हक़ीक़त के मुताल्लिक़ सवाल फ़रमाया

और आपने बाद में जवाब देने का वायदा फ़रमा लिया, मगर इन्शा-अल्लाह न कहने के सबब कुछ दिन तक वही का सिलसिला बन्द रहा, इस पर मुश्रिक लोगों ने ये ताने देने शुरू किये कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का ख़ुदा उनसे नाराज़ हो गया और उनको छोड़ दिया, इसी तरह का यह वाक़िआ है जो सूरः अज़्ज़ुहा के उतरने का सबब हुआ, यह ज़रूरी नहीं कि ये सब वाक़िआत एक ही ज़माने में पेश आये हों बल्कि आगे पीछे भी हो सकते हैं।

وَلَلْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْاُوْلٰى ○

यहाँ आख़िरत को अपने मशहूर व परिचित मायने में और उसके मुक़ाबिल ऊला को दुनिया के मायने में लिया जाये तो तफ़सीर वह है जो ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऊपर आ चुकी है कि ये काफ़िर व मुश्रिक लोग जो ताने आपको दे रहे हैं ये दुनिया में तो देख ही लेंगे कि वो सरासर बेहूदा और ग़लत थे, हम इससे आगे आख़िरत के इनामात का भी आप से वायदा करते हैं कि आपको दुनिया से बहुत ज़्यादा इनामात से नवाज़ा जायेगा, और यह भी कुछ बईद नहीं कि इस जगह आख़िरत को उसके लफ़्ज़ी मायने में लिया जाये, यानी पिछली हालत, जैसा कि लफ़्ज़ ऊला के लफ़्ज़ी मायने पहली हालत के हैं, तो मतलब आयत का यह होगा कि आप पर अल्लाह तआला के इनामात बराबर ज़्यादा ही होते चले जायेंगे कि हर पहली हालत से पिछली हालत बेहतर और अफ़ज़ल होती चली जायेगी। इसमें उलूम व मआरिफ़ और अल्लाह की निकटता के दर्जों में तरक़्क़ी भी दाख़िल है और दुनिया के आर्थिक हालात और इज़्ज़त व हुकूमत भी।

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى ○

यानी आपका रब आपको इतना देगा कि आप राज़ी हो जायें। इसमें हक़ तआला ने यह मुतैयन करके नहीं बतलाया कि क्या देंगे, इसमें इशारा आम होने की तरफ़ है कि आपकी हर पसन्दीदा चीज़ आपको इतनी देंगे कि आप राज़ी हो जायें। आपकी पसन्दीदा चीज़ों में दीने इस्लाम की तरक़्क़ी, दीने इस्लाम का आम तौर पर दुनिया में फैलना, फिर उम्मत की हर ज़रूरत और ख़ुद आपका दुश्मनों पर ग़ालिब आना, उनके मुल्क में अल्लाह का कलिमा बुलन्द करना और दीने हक़ फैलाना सब दाख़िल हैं। हदीस में है कि जब यह आयत नाज़िल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اِذًا لَّا اَرْضٰى وَوَاحِدٌ مِّنْ اُمَّتِىْ فِى النَّارِ.

यानी जब यह बात है तो मैं उस वक़्त तक राज़ी न हूँगा जब तक मेरी उम्मत में से एक आदमी भी जहन्नम में रहेगा। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और हज़रत अली कर्रमल्लाहु वज्हहू की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआला मेरी उम्मत के बारे में मेरी शफ़ाअ़त क़ुबूल फ़रमायेंगे यहाँ तक कि हक़ तआला फ़रमा देंगे 'रज़ी-त या मुहम्मद' ऐ मुहम्मद अब भी आप राज़ी हैं? तो मैं अर्ज़ करूँगा 'या रब्बि रज़ीतु' यानी ऐ मेरे परवर्दिगार मैं राज़ी हूँ। और सही मुस्लिम में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि एक रोज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम

सल्लम ने वह आयत तिलावत फ़रमाई जो हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के बारे में है:

فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّهٗ مِنِّیْ وَمَنْ عَصَانِیْ فَاِنَّكَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌO

फिर दूसरी आयत तिलावत फ़रमाई जिसमें हज़रत ईसा अ़लैहिस्सलाम का क़ौल है:

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَ.

फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने दुआ़ के लिये दोनों हाथ उठाये और आह व फ़रियाद शुरू की और बार-बार फ़रमाते थे:

اَللّٰهُمَّ اُمَّتِیْ اُمَّتِیْ.

हक़ तआ़ला ने जिब्रीले अमीन को भेजा कि आप से मालूम करें कि आप क्यों रोते हैं (और यह भी फ़रमाया कि अगरचे हमें सब मालूम है) जिब्रीले अमीन आये और सवाल किया, आपने फ़रमाया कि मैं अपनी उम्मत की मग़फ़िरत चाहता हूँ। हक़ तआ़ला ने जिब्रीले अमीन से फ़रमाया कि फिर जाओ और कह दो कि अल्लाह तआ़ला आप से फ़रमाते हैं कि हम आपको आपकी उम्मत के बारे में राज़ी कर देंगे और आपको रंजीदा न करेंगे।

ऊपर काफ़िरों के ताने के जवाब में जो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर दुनिया व आख़िरत में अल्लाह के इनामात होने का संक्षिप्त रूप से ज़िक्र आया है इसमें उसकी थोड़ी तफ़सील तीन ख़ास नेमतों के ज़िक्र से फ़रमाई गयी है। अव्वलः

اَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيْمًا فَاٰوٰىO

यानी हमने आपको यतीम पाया कि वालिद का इन्तिक़ाल आपके पैदा होने से पहले ही हो चुका था और उन्होंने कोई माल व जायदाद भी न छोड़ी थी जिससे आपकी परवरिश हो सके, तो हमने आपका ठिकाना बना दिया, यानी आपके दादा अ़ब्दुल-मुत्तलिब और उनके बाद चचा अबू-तालिब के दिलों में आपकी ऐसी मुहब्बत डाल दी कि अपनी पीठ की औलाद से ज़्यादा आपकी तरबियत में कोशिश करते थे। दूसरी नेमतः

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰىO

लफ़्ज़ 'ज़ाल्ल' के मायने गुमराह के भी आते हैं और नावाक़िफ़ बेख़बर के भी, यहाँ दूसरे ही मायने मुराद हो सकते हैं कि नुबुव्वत से पहले आप अल्लाह की शरीअ़त के अहकाम और उलूम से बेख़बर थे, आपको नुबुव्वत का मर्तबा अ़ता करके आपकी रहनुमाई फ़रमाई। तीसरी नेमतः

وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَاَغْنٰىO

आ़इल ईला से निकला है जिसके मायने फ़क़ीर व मोहताज होने के हैं। आयत के मायने यह हुए कि आपको अल्लाह तआ़ला ने नादार और बिना दौलत वाला पाया तो आपको ग़नी व मालदार कर दिया, जिसकी शुरूआ़त हज़रत ख़दीजा कुबरा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के माल में साझीदार के तौर पर तिजारत करने से हुई फिर वह ख़ुद आपके निकाह में आकर उम्मुल-मोमिनीन हुईं तो उनका सारा माल ही आपकी ख़िदमत के लिये हो गया।

इन तीनों नेमतों का ज़िक्र फ़रमाने के बाद आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तीन चीज़ों का हुक्म दिया गया, अव्वलः

فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝

क़हर के मायने ग़लबे और ज़बरदस्ती के क़ब्ज़े के हैं। मुराद यह है कि आप किसी यतीम को कमज़ोर और लावारिस समझकर उसके मालों व हुक़ूक़ पर इस तरह मुसल्लत न हों कि उसका हक़ ज़ाया हो जाये, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यतीम के साथ शफ़क़त व मेहरबानी के मामले की ताकीद फ़रमाई और उसके साथ दिल दुखाने वाला बर्ताव करने से मना फ़रमाया। इरशाद है कि मुसलमानों के घरों में बेहतर घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ एहसान व मुहब्बत का सुलूक किया जाता हो, और सबसे बुरा घर वह है जिसमें कोई यतीम हो और उसके साथ बुरा सुलूक किया जाता हो। (बुख़ारी, अल्-अदबुल् मुफ़्रद, इब्ने माजा, बग़वी। मज़हरी) दूसरा हुक्मः

اَمَّا السَّآئِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝

तन्हर नहर से निकला है जिसके मायने डाँटने और झिड़कने के हैं, और साइल के मायने सवाल करने वाला। इसमें वह भी दाख़िल है जो किसी माल का सवाल करे और वह भी जो इल्मी तहक़ीक़ का सवाल करे, दोनों को झिड़कने डाँटने से नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मना फ़रमाया गया। बेहतर यह है कि साइल को कुछ देकर रुख़्सत करे और नहीं दे सकता तो नर्मी से उज़्र कर दे, इसी तरह कसी इल्मी मसले का सवाल करने वाले के जवाब में भी सख़्ती और बद-अख़्लाक़ी से पेश आना मना है, नर्मी और शफ़क़त से जवाब देना चाहिये सिवाय इसके कि साइल किसी तरह माने ही नहीं तो ज़रूरत के वक़्त डाँटना भी जायज़ है।

तीसरा हुक्मः

وَاَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

'हद्दिस' तहदीस से निकला है जिसके मायने बात करने के हैं। मुराद यह है कि आप अल्लाह तआ़ला की नेमतों का लोगों के सामने ज़िक्र किया करें कि यह भी शुक्रगुज़ारी का एक तरीक़ा है, यहाँ तक कि आदमी जो किसी आदमी पर एहसान करे उसका भी शुक्र अदा करने का हुक्म दिया गया है। हदीस में है जो शख़्स लोगों का एहसान पर उनका शुक्र नहीं करता वह अल्लाह का भी शुक्र नहीं करेगा। (अहमद, इसके रावी मोतबर हैं। मज़हरी)

एक हदीस में इरशाद है कि जो शख़्स तुम पर कोई एहसान करे तो चाहिये कि तुम भी उसके एहसान का बदला दो, और अगर माली बदला देने की गुंजाईश नहीं तो यही करो कि लोगों के सामने उसकी तारीफ़ करो, क्योंकि जिसने लोगों के मजमे में उसकी तारीफ़ व प्रशंसा की तो उसने शुक्रगुज़ारी का हक़ अदा कर दिया। (बग़वी, जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से। मज़हरी)

मसलाः- हर नेमत का शुक्र अदा करना वाजिब है, माली नेमत का शुक्र यह है कि उस

माल में से कुछ अल्लाह के लिये नीयत के इख़्लास के साथ ख़र्च करे, और बदन की नेमत का शुक्र यह है कि जिस्मानी ताकत को अल्लाह तआ़ला के वाजिबात अदा करने में ख़र्च करे, और इल्म व मारिफ़त की नेमत का शुक्र यह है कि दूसरों को उसकी तालीम दे। (मज़हरी)

मसला:- सूरः वज़्ज़ुहा से लेकर क़ुरआन के आख़िर तक हर सूरत के साथ तकबीर कहना सुन्नत है और इस तकबीर के अलफ़ाज़ शैख़ सालेह मिस्री ने:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ.

'ला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अक्बरु' बतलाये हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

इमाम इब्ने कसीर रह. ने हर सूरत के ख़त्म पर और इमाम बग़वी ने हर सूरत के शुरू में एक मर्तबा तकबीर कहने को सुन्नत कहा है। (तफ़सीरे मज़हरी) दोनों में से जो सूरत भी इख़्तियार करे सुन्नत अदा हो जायेगी। वल्लाहु आलम

फ़ायदा

सूरः अज़्ज़ुहा से क़ुरआने करीम के आख़िर तक ज़्यादातर सूरतों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर हक़ तआ़ला के ख़ास इनामात और आपके मख़्सूस फ़ज़ाईल का ज़िक्र है, और चन्द सूरतों में कियामत और उसके हालात का। क़ुरआने हकीम का शुरू ख़ुद क़ुरआन की बड़ाई और नाक़ाबिले शक व शुब्हा होने से किया गया और क़ुरआन का समापन उस ज़ात की बड़ाई और शान पर किया गया जिस पर क़ुरआन नाज़िल हुआ।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अज़्-ज़ुहा की तफ़सीर आज शाबान की 28 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

सूरः अल्-इन्शिराह

सूरः अल्-इन्शिराह मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 8 आयतें हैं।

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ ۙ الَّذِيْٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۗ فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۗ فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ ۠

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलम् नश्रह् ल-क सद्-र-क (1) व व-ज़अ्-ना अन्-क विज़्-र-क- (2) -ल्लज़ी अन्क़-ज़ ज़ह्-र-क (3) व र-फ़अ्-ना ल-क ज़िक्रक् (4) फ़-इन्-न मअ़ल्-अुस्रि युस्रन् (5) इन्-न मअ़ल्-अुस्रि युस्रा (6) फ़-इज़ा फ़रग़्-त फ़न्सब् (7) व इला रब्बि-क फ़र्ग़ब् (8) ✿	क्या हमने नहीं खोल दिया तेरा सीना (1) और उतार रखा हमने तुझ पर से तेरा बोझ (2) जिसने झुका दी थी तेरी पीठ (3) और बुलन्द किया हमने तेरा मज़्कूर (4) सो अलबत्ता मुश्किल के साथ आसानी है (5) अलबत्ता मुश्किल के साथ आसानी है (6) फिर जब तू फ़ारिग़ हो तो मेहनत कर (7) और अपने रब की तरफ़ दिल लगा। (8) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या हमने आपकी ख़ातिर आपका सीना (इल्म, नर्मी और बरदाश्त से) कुशादा नहीं कर दिया? (यानी इल्म भी बहुत अ़ता फ़रमाया और तब्लीग़ में जो मुख़ालिफ़ों के रुकावट बनने से तकलीफ़ पेश आती है उसमें सब्र व संयम भी दिया, दुर्रे मन्सूर में हसन रह. से यही तफ़सीर नक़ल की गयी है) और हमने आप से आपका वह बोझ उतार दिया जिसने आपकी कमर तोड़ रखी थी (विज़्र से मुराद वह मुबाह और जायज़ मामलात हैं जो कभी-कभी किसी हिक्मत व मस्लेहत के पेशे नज़र आपसे सादिर हो जाते थे और बाद में उनका ख़िलाफ़े हिक्मत और बेहतर न होना साबित होता था और आप अपनी बुलन्द शान और अल्लाह तआ़ला से बेहद निकटता के सबब उससे ऐसे ग़मगीन होते थे जिस तरह गुनाह से कोई ग़मगीन व परेशान होता है। इसमें ख़ुशख़बरी है ऐसे मामलों पर पकड़ न होने की, हज़रत मुजाहिद और शुरैह बिन उबैद हज़रमी से दुर्रे मन्सूर में यही तफ़सीर नक़ल की गयी है। पस इस बिना पर यह ख़ुशख़बरी आपको दोबारा हुई- पहले मक्का में इस सूरत के ज़रिये, दूसरे मदीना में सूरः फ़तह में इसकी मज़ीद व पूर्णता और नवीकरण व वज़ाहत के लिये) और हमने आपकी ख़ातिर आपका ज़िक्र बुलन्द किया (यानी शरीअ़त में अक्सर जगह में अल्लाह तआ़ला के नाम के साथ आपका नामे मुबारक जोड़ दिया गया, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में मरफ़ूअ़न नक़ल किया है:

قال الله تعالٰی اذا ذکرتُ ذکرتَ معی.

यानी अल्लाह तआ़ला ने फ़रमाया कि जहाँ मेरा ज़िक्र होगा आपका ज़िक्र भी मेरे साथ होगा (इब्ने जरीर व इब्ने अबी हातिम)। जैसे ख़ुतबे में, अत्तहिय्यात में, नमाज़ में, अज़ान में, तकबीर में। और अल्लाह के नाम की बुलन्दी और शोहरत ज़ाहिर है, पस जो उसके साथ और मिला हुआ होगा बुलन्दी व शोहरत में वह भी ताबे रहेगा, और चूँकि मक्का में आप और मोमिन

हज़रात तरह-तरह की तकलीफ़ों व सख़्तियों में गिरफ़्तार थे इसलिये आगे उनके दूर होने का पहले के हालात पर नतीजा मुरत्तब करते हुए वायदा फ़रमाते हैं कि जब हमने आपको रूहानी राहत दी और रूहानी तकलीफ़ दूर कर दी जैसा कि 'अलम् नश्रह्..........' से मालूम हुआ) सो (इससे दुनियावी राहत व मेहनत में भी हमारे फ़ज़्ल व करम का उम्मीदवार रहना चाहिये, चुनाँचे हम वायदा करते हैं कि) बेशक मौजूदा मुश्किलों के साथ (यानी बहुत जल्दी ही जो हुक्मन साथ होने के मायने में है) आसानी (होने वाली है) (और चूँकि मुश्किलें विभिन्न अन्दाज़ की और बहुत ज़्यादा थीं इसलिये इस वायदे को दोबारा ताकीद के लिये इरशाद फ़रमाते हैं कि) बेशक मौजूदा मुश्किलों के साथ आसानी (होने वाली) है। (चुनाँचे वो मुश्किलें एक-एक करके सब दूर हो गयीं जैसा कि हदीसें, सीरतें और इतिहास इस पर मुत्तफ़िक़ हैं, आगे इन नेमतों पर शुक्र अदा करने का हुक्म है कि जब हमने आपको ऐसी-ऐसी नेमतें दी हैं तो आप जब (अहकाम की तब्लीग़ से जो दूसरों को नफ़ा पहुँचाने की वजह से इबादत है) फ़ारिग़ हो जाया करें तो (अपनी ज़ात से संबन्धित दूसरी ख़ुसूसी इबादतों में) मेहनत किया कीजिये (मुराद इबादत व मेहनत में अधिकता से काम लेना है, कि आपकी शान के यही मुनासिब है) और (जो कुछ माँगना हो उसमें) अपने रब ही की तरफ़ तवज्जोह रखिये (यानी उसी से माँगिये, और इसमें भी एक हैसियत से ख़ुशख़बरी है तंगी के दूर होने की, कि दरख़्वास्त करने का ख़ुद हुक्म देना गोया दरख़्वास्त को पूरा करने का वायदा है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

जैसा कि सूरः वज़्ज़ुहा के आख़िर में बयान हो चुका है कि सूरः वज़्ज़ुहा से क़ुरआन के आख़िर तक बाईस सूरतों में ज़्यादातर ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर अल्लाह के इनामात और आपकी अ़ज़ीम शान से मुताल्लिक़ मज़ामीन हैं, सिर्फ़ चन्द सूरतें क़ियामत के हालात या कुछ दूसरे मज़ामीन से मुताल्लिक़ आई हैं। सूरः इन्शिराह में भी उन ख़ास-ख़ास नेमतों का ज़िक्र है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर हक़ तआ़ला ने फ़रमाईं और इसके बयान में उसी सवालिया अन्दाज़ को इख़्तियार फ़रमाया है जो सूरः वज़्ज़ुहा में 'अलम् यजिद्-क.....' में था। फ़रमायाः

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ٥

शरह के लफ़्ज़ी मायने खोलने के हैं, और सीने को खोल देना उसको उलूम व मआ़रिफ़ और अच्छे अख़्लाक़ के लिये बड़ा कर देने के मायने में इस्तेमाल होता है जैसा कि एक दूसरी आयत में हैः

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ.

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सीना-ए-मुबारक को हक़ तआ़ला ने उलूम व मआ़रिफ़ और उम्दा अख़्लाक़ के लिये ऐसा खोल दिया था कि आपके इल्म व हिक्मत को बड़े

बड़े अक़्लमन्द भी न पा सके और इसी शरह सदर (सीना खोलने) का नतीजा था कि आपको मख़्लूक़ की तरफ़ तवज्जोह करना हक़ तआ़ला की तरफ़ तवज्जोह में ख़लल और रुकावट डालने वाला न होता था, और कुछ सही हदीसों में यह आया है कि फ़रिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का सीना मुबारक ज़ाहिरी तौर पर भी चाक करके साफ़ किया, यानी हज़राते मुफ़स्सिरीन ने 'सीना खोलने' से इस जगह वही 'शक़्क़े सदर' का मोजिज़ा मुराद लिया है, जैसा कि तफ़सीर इब्ने कसीर वग़ैरह में है। वल्लाहु आलम।

وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِىٓ اَنْقَضَ ظَهْرَكَ٥

विज़्र के लफ़्ज़ी मायने बोझ के हैं, और 'नक़्ज़े ज़हर्' के लफ़्ज़ी मायने कमर तोड़ देने यानी कमर को झुका देने के हैं जैसा कोई बड़ा बोझ इनसान पर लाद दिया जाये तो उसकी कमर झुक जाती है। इस आयत में इरशाद यह है कि वह बोझ जिसने आपकी कमर झुका दी थी हमने उसको आप से हटा दिया।

वह बोझ क्या था इसकी एक तफ़सीर तो वह है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है कि इससे वह जायज़ और मुबाह काम हैं जिनको बाज़ी बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हिक्मत व मस्लेहत के मुताबिक़ समझकर इख़्तियार कर लिया, बाद में मालूम हुआ कि वह मस्लेहत के ख़िलाफ़ था या बेहतर न था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अपनी ऊँची शान और अल्लाह की निकटता का ख़ास मक़ाम हासिल होने की बिना पर ऐसी चीज़ों पर भी सख़्त रंज व मलाल और सदमा होता था। हक़ तआ़ला ने इस आयत में ख़ुशख़बरी सुनाकर वह बोझ आप से हटा दिया कि ऐसी चीज़ों पर आप से पूछगछ न होगी।

और मुफ़स्सिरीन में से कुछ हज़रात ने विज़्र यानी बोझ की मुराद इस जगह यह लिखी है कि नुबुव्वत के शुरू दौर में वही का असर भी आप पर सख़्त होता था और उसमें आप पर जो ज़िम्मेदारी सारी दुनिया में हक़ का कलिमा फैलाने और कुफ़्र व शिर्क को मिटाकर अल्लाह की मख़्लूक़ को तौहीद पर लाने की डाली गयी थी और इस सब काम में हुक्म यह था कि:

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ.

यानी आप अल्लाह के हुक्म के मुताबिक़ सीधे रास्ते पर मज़बूत और जमे रहें जिसमें किसी तरफ़ झुकाव न हो, इसका भारी बोझ (ज़िम्मेदारी) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम महसूस फ़रमाते थे, और हदीस की कुछ रिवायतों में आया है कि आपकी दाढ़ी मुबारक में कुछ सफ़ेद बाल आ गये तो आपने फ़रमाया कि इस आयतः

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ.

(सूरः हूद आयत 112) ने बूढ़ा कर दिया।

यह वह बोझ था जिसको आपके दिल से हटा देने की ख़ुशख़बरी इस आयत में दी गयी है और उसके हटा देने की सूरत अगली आयतों में यह आई है कि आपकी हर मुश्किल के बाद आसानी होने वाली है, हक़ तआ़ला ने सीना खोलने के ज़रिये आपका हौसला इतना बुलन्द फ़रमा

दिया कि ये सब मुश्किलें आसान नज़र आने लगीं और वह बोझ बोझ न रहा, वल्लाहु आलम।

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ○

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र बुलन्द करना यह है कि तमाम इस्लामी निशानात और ख़ास चीज़ों में अल्लाह तआ़ला के नाम के साथ आपका नाम मुबारक लिया जाता है जो सारी दुनिया में मिनारों और मिम्बरों पर 'अश्हदु अल्ला इला-ह इल्लल्लाहु' के साथ 'अश्हदु अन्-न मुहम्मदर्-रसूलुल्लाह' पुकारा जाता है और दुनिया में कोई समझदार इनसान आपका नाम बग़ैर ताज़ीम (सम्मान व आदर) के नहीं लेता अगरचे वह मुसलमान भी न हो।

फ़ायदा

यहाँ तीन नेमतों का ज़िक्र है 'सीना खोलना, 'बोझ दूर करना' 'ज़िक्र बुलन्द करना'। इन तीनों को तीन जुमलों में ज़िक्र फ़रमाया है और सब में फ़ेल (क्रिया) और मफ़ऊल (जिस पर क्रिया का असर हो) के दरमियान एक हर्फ़ ल-क या अ़न्-क लाया गया है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़ुसूसियत और ख़ास बड़ाई की तरफ़ इशारा है कि ये सब काम आपकी ख़ातिर किये गये हैं।

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا○ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا○

अ़रबी भाषा का क़ायदा यह है कि जिस कलिमे के शुरू में अलिफ़ लाम होता है जिसको इस्तिलाह में लामे तारीफ़ कहते हैं, अगर उसी कलिमे को अलिफ़ लाम ही के साथ दोबारा लाया जाये तो उसका मिस्दाक़ वही होता है जो पहले कलिमे का था, और अगर मारिफ़ा बनाये बग़ैर अलिफ़ लाम को दोबारा लाया जाये तो दोनों के मिस्दाक़ अलग-अलग होते हैं। इस आयत में 'अल्-अ़स्र' जब दोबारा आया तो मालूम हुआ कि इससे वह पहला ही 'उस्र' (तंगी व परेशानी) मुराद है कोई नया नहीं। और लफ़्ज़ 'युस्र' दोनों जगह बग़ैर अलिफ़ लाम के लाया गया, इससे मालूम हुआ कि यह दूसरा 'युस्र' पहले युस्र के अ़लावा है तो इस आयत में:

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا○

के दो बार लाने से यह नतीजा निकला कि एक ही 'उस्र' व मुश्किल के लिये दो आसानियों का वायदा है, और दो से मुराद भी ख़ास दो का अ़दद (संख्या) नहीं बल्कि इससे अनेक होना मुराद है। मतलब यह हुआ कि एक उस्र यानी तंगी और मुश्किल जो आपको पेश आई या आयेगी उसके साथ बहुत सी आसानियाँ आपको दी जायेंगी।

हज़रत हसन बसरी रह. से मुर्सलन् रिवायत है, वह फ़रमाते हैं कि हमसे बयान किया गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपने सहाबा-ए-किराम को इस आयत से ख़ुशख़बरी सुनाई और फ़रमायाः

لَنْ يَّغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ.

यानी एक 'उस्र' दो 'युस्रों' पर (यानी एक मुश्किल दो आसानियों पर) ग़ालिब नहीं आ

सकती। चुनाँचे तारीख़ व सीरत की सब किताबें जो अपनों और ग़ैरों, मुस्लिमों व ग़ैर-मुस्लिमों ने लिखी हैं वो इस पर गवाह हैं कि जो काम मुश्किल से मुश्किल बल्कि लोगों की नज़र में नामुम्किन नज़र आते थे आपके लिये वो सब आसान होते चले गये। उक्त रिवायत से यह भी मालूम हो गया कि इस आयत में 'अल्-उस्र' का अलिफ़ लाम अ़हद (यह एक अ़रबी ग्रामर की तरफ़ इशारा है) के लिये है और मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम का 'उस्र' है, यानी यह वायदा कि हर मुश्किल के साथ बहुत सी आसानियाँ दी जायेंगी, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम के लिये है जिसको हक़ तआ़ला ने ऐसा पूरा फ़रमाया कि दुनिया ने आँखों से देख लिया।

अब अगर दुनिया में किसी शख़्स को तंगी के बाद आसानी नसीब न हो तो वह इस आयत के ख़िलाफ़ नहीं, अलबत्ता अल्लाह की आ़दत व दस्तूर अब भी यही है कि जो शख़्स सख़्ती पर सब्र करे और सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा रखे और हर तरफ़ से टूटकर उससे लौ लगाये और उसी के फ़ज़्ल का उम्मीदवार रहे और कामयाबी में देर होने से आस न तोड़ बैठे तो ज़रूर अल्लाह तआ़ला उसके हक़ में आसानी कर देगा। (फ़वाइदे-उस्मानिया) हदीस की कुछ रिवायतों से भी इसकी ताईद होती है।

तालीम व तब्लीग़ करने वालों को तन्हाई में अल्लाह के ज़िक्र और उसकी तरफ़ तवज्जोह भी ज़रूरी है

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ○ وَاِلٰى رَبِّكَ فَارْغَبْ○

यानी जब आप एक मेहनत यानी हक़ की दावत और अहकाम की तब्लीग़ से फ़ारिग़ हों तो (दूसरी) मेहनत के लिये तैयार हो जाईये, वह यह कि नमाज़ और ज़िक्रुल्लाह और दुआ़ व इस्तिग़फ़ार में लग जायें। अक्सर हज़राते मुफ़स्सिरीन ने इस आयत की यही तफ़सीर की है। कुछ हज़रात ने दूसरी तफ़सीरें भी लिखी हैं मगर ज़्यादा क़रीब वही है जो ऊपर लिखी गयी। इसका हासिल यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की दावत व तब्लीग़, अल्लाह की मख़्लूक़ को रास्ता दिखाना, उनकी इस्लाह की फ़िक्र यह आपकी सबसे बड़ी इबादत थी, मगर यह इबादत मख़्लूक़ के वास्ते और माध्यम से है कि उनकी इस्लाह (सुधार) पर तवज्जोह दें और उसकी तदबीर करें। आयत का मक़सद यह है कि सिर्फ़ इस वास्ते वाली (प्रत्यक्ष रूप वाली) इबादत पर आप सब्र न करें बल्कि जब इससे फ़ुर्सत मिले तो डायरेक्ट वाली (अप्रत्यक्ष रूप वाली) इबादत यानी तन्हाई में हक़ तआ़ला की तरफ़ मुतवज्जह हों, उसी से हर काम में कामयाबी की दुआ़ करें कि असल मक़सूद जिसके लिये इनसान पैदा किया गया है वह अल्लाह का ज़िक्र और डायरेक्ट इबादत ही है, और शायद इसी लिये पहली किस्म यानी वास्ते वाली इबादत से फ़राग़त का ज़िक्र फ़रमाया कि वह काम एक ज़रूरत के लिये है उससे फ़राग़त हो

सकती है और दूसरा काम यानी अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह ऐसी चीज़ है कि उससे फ़रागत मोमिन को कभी नहीं हो सकती, बल्कि अपनी सारी उम्र और ताक़त को उसमें लगाना है।

फ़ायदा

इससे मालूम हुआ कि उलेमा जो तालीम व तब्लीग़ और मख़्लूक़ की इस्लाह का काम करने वाले हैं उनको इससे ग़फ़लत न होनी चाहिये, उनका कुछ वक़्त तन्हाई में अल्लाह की तरफ़ तवज्जोह और ज़िक्रुल्लाह के लिये भी ख़ास होना चाहिये जैसा कि पहले के उलेमा की सीरतें (जीवणियाँ) इस पर सुबूत हैं, इसके बग़ैर तालीम व तबलीग़ भी असरदार नहीं होतीं, उनमें नूर व बरकत नहीं होती।

फ़ायदा

लफ़्ज़ 'फ़न्सब्' नसब से निकला है जिसके असली मायने थकान के हैं, इसमें इशारा पाया जाता है कि इबादत और ज़िक्रुल्लाह इस हद तक जारी रखा जाये कि कुछ मशक़्क़त और थकान महसूस होने लगे, सिर्फ़ नफ़्स की राहत व ख़ुशी ही पर उसका मदार न रहे, और किसी वज़ीफ़े और मामूल की पाबन्दी ख़ुद एक मशक़्क़त और थकान है, चाहे काम थोड़ा ही हो।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अलम्-नश्रह की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अत्-तीन

सूरः अत्-तीन मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 8 आयतें हैं।

اٰيَاتُهَا ٨ (٩٥) سُوْرَةُ التِّيْنِ مَكِّيَّةٌ (٢٨) رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ۙ وَطُوْرِ سِيْنِيْنَ ۙ وَهٰذَا الْبَلَدِ الْاَمِيْنِ ۙ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِيْٓ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ۡ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ۙ اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ۭ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ ۭ اَلَيْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِيْنَ ۧ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि (1) व तूरि सीनी-न (2) व हाज़ल् ब-लदिल्-अमीन (3)	क़सम इंजीर की और ज़ैतून की (1) और तूरे सीनीन की (2) और इस अमन वाले

ल-क़द् ख़लक़्नल्-इन्सा-न फ़ी अह्सनि तक़्वीम (4) सुम्-म र-दद्नाहु अस्फ़-ल साफ़िलीन (5) इल्लल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति फ़-लहुम् अज्रुन् ग़ैरु मम्नून (6) फ़मा युकज़्ज़िबु-क बअ़्दु बिद्दीन (7) अलैसल्लाहु बि-अह्कमिल्-हाकिमीन (8) ✿	शहर की (3) हमने बनाया आदमी ख़ूब से अन्दाज़े पर (4) फिर फेंक दिया उसको नीचों से नीचे (5) मगर जो यक़ीन लाये और अ़मल किये अच्छे सो उनके लिये सवाब है बेइन्तिहा (6) फिर तू उसके पीछे (बाद) क्यों झुठलाये बदला मिलने को (7) क्या नहीं है अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम? (8) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है इन्जीर (के पेड़) की और ज़ैतून (के पेड़) की, और तूरे सीनीन की और इस अमन वाले शहर (मक्का शरीफ़) की कि हमने इनसान को बहुत ख़ूबसूरत साँचे में ढाला है, फिर (उनमें जो बूढ़ा हो जाता है) हम उसको पस्ती की हालत वालों से भी ज़्यादा पस्त कर देते हैं (यानी वह ख़ूबसूरती बदसूरती से और ताक़त कमज़ोरी से बदल जाती है, और बुरे से बुरा हो जाता है। इससे मक़सद उसके बुरा व बदसूरत होने की इन्तिहा को बयान करना है जिससे उनके दोबारा पैदा करने पर हक़ तआ़ला की क़ुदरत होना वाज़ेह होता है। जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का इरशाद है:

اَللّٰهُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ ضُعْفٍ............ الخ.

और इस सूरत का उद्देश्य यह मालूम होता है कि दोबारा पैदा करने और ज़िन्दा करने पर अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत साबित करना है जैसा कि:

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِo

के जुमले से इस तरफ़ इशारा पाया जाता है। और इस आयत के आ़म होने से चूँकि यह मालूम होता है कि बूढ़े सब के सब बदसूरत और बुरे हो जाते हैं इस शुब्हे को दूर करने के लिये आगे आयत में एक बात को इससे अलग करके बयान किया जाता है कि) लेकिन जो लोग ईमान लाये और अच्छे काम किये तो उनके लिये इस क़द्र सवाब है जो कभी मौक़ूफ़ न होगा (जिसमें बतला दिया कि नेक मोमिन बूढ़ा और कमज़ोर हो जाने के बावजूद अन्जाम के एतिबार से अच्छा ही रहता है बल्कि पहले से ज़्यादा उसकी इज़्ज़त बढ़ जाती है। आगे 'ख़लक़्ना' और 'रदद्ना' से नतीजा निकालते हुए फ़रमाते हैं कि जब अल्लाह तआ़ला पैदा करने और हालात को बदलने पर क़ादिर हैं) तो (ऐ इनसान!) फिर कौनसी चीज़ तुझको क़ियामत के बारे में इनकार

करने वाला बना रही है (यानी वह कौनसी दलील है जिसकी बिना पर तू इन दलीलों के होते हुए क़ियामत का इनकारी हो रहा है)? क्या अल्लाह तआ़ला सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं है? (दुनियावी इख़्तियारात में भी जिनमें इनसान के पैदा करने और फिर बुढ़ापे में उसमें तब्दीलियों का ज़िक्र ऊपर आया है, और आख़िरत के इख़्तियारात में भी जिनमें से क़ियामत का क़ायम करना और आमाल का बदला दिया जाना भी है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

وَالتِّيْنِ وَالزَّيْتُوْنِ ○

इस आयत में चार चीज़ों की क़सम खाई गयी है जिनमें दो पेड़ हैं एक तीन यानी इंजीर, दूसरे ज़ैतून, और एक पहाड़ यानी तूर और एक शहर यानी मक्का मुकर्रमा। इन चीज़ों को ख़ास करने की वजह यह हो सकती है कि ये दोनों पेड़ बहुत बरकत वाले और बड़े लाभदायक हैं, जिस तरह तूर पहाड़ और शहर मक्का बहुत बकरत वाले हैं। और यह भी हो सकता है कि यहाँ इंजीर और ज़ैतून के ज़िक्र से मुराद वह जगह हो जहाँ यह दरख़्त कसरत से पैदा होते हैं और वह मुल्क शाम (सीरिया) है जो अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम की खान (यानी उनके ज़ाहिर होने और क़ियाम करने की जगह) है, और हज़रत इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम भी इसी मुल्क में मुक़ीम थे उनको हिजरत कराकर मक्का मुअ़ज़्ज़मा लाया गया था। इस तरह इन क़समों में वो तमाम पवित्र मकामात शामिल हो गये जहाँ ख़ास-ख़ास अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम पैदा हुए और भेजे हुए। मुल्क शाम आ़म अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम का वतन और ठिकाना है। तूर पहाड़ हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम के हक़ तआ़ला के साथ गुफ़्तगू होने की जगह है, सीनीन या सीना उस मक़ाम का नाम है जहाँ यह पहाड़ स्थित है और 'बलदे अमीन' मक्का मुकर्रमा ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की जन्म की जगह और ठिकाना है।

इन चार चीज़ों की क़सम खाकर फ़रमाया गयाः

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْٓ اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ ○

तक़वीम के लफ़्ज़ी मायने किसी चीज़ के क़िवाम और बुनियाद को दुरुस्त करने के हैं। 'अह्सने तक़वीम' से मुराद यह है कि उसकी जिबिल्लत व फ़ितरत को भी दूसरी मख़्लूक़ात के एतिबार से अह्सन (उम्दा और अच्छा) बनाया गया और उसकी जिस्मानी शक्ल व सूरत और हालत को भी दुनिया के सब जानदारों से बेहतर और हसीन बनाया गया।

इनसान तमाम मख़्लूक़ात में सबसे ज़्यादा हसीन है

जिसका हासिल यह है कि इनसान को हक़ तआ़ला ने अपनी तमाम मख़्लूक़ात में सबसे ज़्यादा हसीन बनाया है। इब्ने अ़रबी रह. ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला की मख़्लूक़ात में कोई इनसान से ज़्यादा अच्छा और हसीन नहीं, क्योंकि इसको अल्लाह तआ़ला ने ज़िन्दगी के साथ

आलिम, क़ुदरत वाला, कलाम करने वाला, सुनने वाला, देखने वाला; इन्तिज़ाम व तदबीर करने वाला और सूझ-बूझ व शऊर वाला बनाया है, और ये सब सिफ़ात दर असल ख़ुद हक़ सुब्हानहू व तआ़ला की हैं। चुनाँचे बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत में आया है:

اِنَّ اللّٰهَ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهٖ.

यानी अल्लाह तआ़ला ने आदम अ़लैहिस्सलाम को अपनी सूरत पर पैदा फ़रमाया है। मुराद इससे यही हो सकती है कि अल्लाह तआ़ला की कुछ सिफ़ात का कोई दर्जा इसको भी दिया गया है वरना हक़ तआ़ला हर शक्ल व सूरत से बरी है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इनसानी हुस्न व ख़ूबसूरती का एक अ़जीब वाक़िआ़

अ़ल्लामा क़ुर्तुबी ने इस जगह नक़ल किया है कि ईसा बिन मूसा हाशमी जो ख़लीफ़ा अबू जाफ़र मन्सूर के दरबार के मख़्सूस लोगों में से थे, और अपनी बीवी से बहुत मुहब्बत रखते थे। एक रोज़ चाँदनी रात में बीवी के साथ बैठे हुए बोल उठे:

اَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا اِنْ لَّمْ تَكُوْنِیْ اَحْسَنَ مِنَ الْقَمَرِ.

यानी तुम पर तीन तलाक़ हैं अगर तुम चाँद से ज़्यादा हसीन न हो। यह कहते ही बीवी उठकर पर्दे में चली गयी कि आपने मुझे तलाक़ दे दी। बात हंसी दिल्लगी की थी मगर तलाक़ का हुक्म यही है कि किसी तरह भी तलाक़ का स्पष्ट लफ़्ज़ बीवी को कह दिया जाये तो तलाक़ हो जाती है चाहे हंसी दिल्लगी ही में कहा जाये। ईसा बिन मूसा ने रात बड़ी बेचैनी और रंज व ग़म में गुज़ारी, सुबह को ख़लीफ़ा-ए-वक़्त अबू जाफ़र मन्सूर के पास हाज़िर हुए और अपना क़िस्सा सुनाया और अपनी परेशानी का इज़हार किया। मन्सूर ने शहर के मुफ़्तियों और फ़क़ीह आ़लिमों को जमा करके सवाल किया, सब ने एक ही जवाब दिया कि तलाक़ हो गयी क्योंकि चाँद से ज़्यादा हसीन होने की किसी इनसान के लिये संभावना ही नहीं, मगर एक आ़लिम जो इमाम अबू हनीफ़ा रह. के शागिर्दों में से थे ख़ामोश बैठे रहे। मन्सूर ने पूछा कि आप क्यों ख़ामोश हैं? तब यह बोले और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरः वत्तीनि तिलावत की और फ़रमाया कि अमीरुल-मोमिनीन अल्लाह तआ़ला ने हर इनसान का सबसे बेहतरीन व हसीन साँचे में ढला हुआ होना बयान फ़रमा दिया है, कोई चीज़ इससे ज़्यादा हसीन नहीं। यह सुनकर सब उलेमा फ़ुक़हा हैरत में रह गये, कोई मुख़ालफ़त नहीं की और मन्सूर ने हुक्म दे दिया कि तलाक़ नहीं हुई।

इससे मालूम हुआ कि इनसान अल्लाह तआ़ला की सारी मख़्लूक़ में सबसे ज़्यादा हसीन है। ज़ाहिर के एतिबार से भी और बातिन के एतिबार से भी, हुस्न व ख़ूबसूरती के एतिबार से भी और बदनी बनावट के एतिबार से भी। इसके सर में कैसे-कैसे अंग (हिस्से और क़ुव्वतें) कैसे-कैसे अ़जीब काम कर रहे हैं कि एक मुस्तक़िल फ़ैक्ट्री मालूम होती है जिसमें बहुत सी नाज़ुक बारीक ऑटोमैटिक मशीनें चल रही हैं। यही हाल इसके सीने और पेट का है, इसी तरह इसके हाथ-पाँव की तैयारी और हालत व अन्दाज़ हज़ारों हिक्मतों पर आधारित है। इसी लिये

फ़ल्सफ़ी हज़रात (ज्ञानी-विज्ञानी लोगों) ने कहा है कि इनसान एक छोटी दुनिया यानी पूरे आ़लम का एक नमूना है। सारे आ़लम में जो चीज़ें बिखरी हुई हैं वो सब इसके वजूद में जमा हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

सूफ़िया-ए-किराम ने भी इसकी ताईद की और कुछ हज़रात ने इनसान के सर से पैर तक का सरापा लेकर दुनिया की चीज़ों के नमूने इसमें दिखलाये हैं।

ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ٥

पहले जुमले में सारी मख़्लूक़ात और कायनात से ज़्यादा हसीन बनाने का बयान था, इस जुमले में इसके उलट यह बतलाया गया है कि जिस तरह वह अपनी शुरूआ़ती और जवानी की हालत में सारी मख़्लूक़ात से ज़्यादा हसीन और सबसे बेहतर था आख़िर में उस पर यह हालत भी आती है कि वह बद से बदतर और बुरे से बुरा हो जाता है। ज़ाहिर यह है कि बदतरी और बुराई उसकी ज़ाहिरी जिस्मानी हालत के एतिबार से बतलाई गयी है कि जवानी ढलने के बाद शक्ल व सूरत बदलने लगती है, बुढ़ापा उसका रूप बिल्कुल बदल डालता है, बुरी शक्ल व हालत में नज़र आने लगता है, बेकार और दूसरों पर बोझ होकर रह जाता है। किसी के काम नहीं आता, बख़िलाफ़ दूसरे जानवरों के कि वो आख़िर तक अपने काम में लगे रहते हैं, इनसान उनसे दूध और सवारी बोझ ढोने के और दूसरी क़िस्म के सैकड़ों काम लेते हैं। वो ज़िबह कर दिये जायें या मर जायें तो भी उनकी खाल, बाल, हड्डी, ग़र्ज़ जिस्म का रेज़ा-रेज़ा इनसानों के काम में आता है बख़िलाफ़ इनसान के कि जब वह बीमारी और बुढ़ापे में आ़जिज़ व बेकार हो जाता है तो माद्दी और दुनियादारी के एतिबार से किसी काम का नहीं रहता, मरने के बाद भी उसके किसी अंग से किसी इनसान या जानवर को फ़ायदा नहीं पहुँचता। ख़ुलासा यह है कि उसके अस्फ़लुस्साफ़िलीन में पहुँच जाने से मुराद उसकी माद्दी और जिस्मानी कैफ़ियत है। यह तफ़सीर हज़रत ज़ह्हाक वग़ैरह तफ़सीर के इमामों से मन्क़ूल है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इस तफ़सीर पर अगली आयत में जो नेक मोमिनों को अलग रखने यानीः

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ٥

का ज़िक्र है, इसका यह मतलब नहीं कि उन पर बुढ़ापे के हालात और आ़जिज़ व बेबस होने की कैफ़ियत नहीं आती, बल्कि मतलब यह है कि इस जिस्मानी बेकारी और माद्दी ख़राबी का नुक़सान उनको नहीं पहुँचता बल्कि नुक़सान सिर्फ़ उन लोगों को पहुँचता है जिन्होंने अपनी सारी फ़िक्र और ताक़त इसी माद्दी दुरुस्ती (ज़ाहिरी टीप-टाप माद्दी चीज़ों के बनाने संवारने) पर ख़र्च की थी, वह अब ख़त्म हो गयी और आख़िरत में उनका कोई हिस्सा नहीं, बख़िलाफ़ नेक मोमिनों के कि उनका अज्र व सवाब कभी ख़त्म होने वाला नहीं। अगर दुनिया में बुढ़ापे, बीमारी, कमज़ोरी और आ़जिज़ होने से साबक़ा भी पड़ा तो आख़िरत में उनके लिये बुलन्द दर्जे और राहत ही राहत मौजूद है, और बुढ़ापे की बेकारी में भी अ़मल कम हो जाने के बावजूद उनके नामा-ए-आमाल में वो सब आमाल लिखे जाते हैं जो वह ताक़त व सेहत के ज़माने में किया

करता था। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब कोई मुसलमान किसी बीमारी में मुब्तला हो जाता है तो अल्लाह तआ़ला उसके आमाल लिखने वाले फ़रिश्ते को हुक्म दे देते हैं कि जो-जो नेक अ़मल यह अपनी तन्दुरुस्ती में किया करता था वो सब इसके आमाल नामे में लिखते रहो। (बग़वी, शरहुस्सुन्ना में, बुख़ारी हज़रत अबू मूसा की रिवायत से, मरीज़ व मुसाफ़िर के हालात के बयान में)

इसके अ़लावा इस मक़ाम पर नेक मोमिनों की जज़ा जन्नत और उसकी नेमतों को बयान करने के बजायः

لَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ٥

फ़रमाया है, यानी उनका अज्र कभी बन्द होने और ख़त्म होने वाला नहीं। इसमें इशारा इस तरफ़ भी हो सकता है कि उनका यह सिला दुनिया की माद्दी ज़िन्दगी ही से शुरू हो जाता है। हक़ तआ़ला अपने मक़बूल बन्दों के लिये बुढ़ापे और कमज़ोरी में ऐसे सच्चे हमदर्द और साथी मुहैया फ़रमा देते हैं जो उनके आख़िरी लम्हात तक उनसे रूहानी फ़ायदे उठाते हैं और उनकी हर तरह की ख़िदमत करते हैं। इसी तरह बुढ़ापे का वह वक़्त जब इनसान माद्दी और जिस्मानी तौर पर बेकार और लोगों पर बोझ समझा जता है, अल्लाह के ये बन्दे उस वक़्त भी बेकार नहीं होते। और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने इस आयत की तफ़सीर यह फ़रमाई है किः

رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ٥

आ़म इनसानों के लिये नहीं बल्कि काफ़िरों व बुरे लोगों के लिये है। जिन्होंने ख़ुदा की दी हुई 'बेहतरीन शक्ल व सूरत' और इनसानी कमालात व शराफ़त और अ़क्ल को माद्दी लज़्ज़तों के पीछे बरबाद कर दिया, तो इस नाशुक्री की सज़ा में उनको 'अस्फ़लुस्साफ़िलीन' (पस्ती वालों से भी ज़्यादा पस्त हालत) में पहुँचा दिया जायेगा। इस सूरत में 'मगर जो लोग ईमान लाये.......' को अलग करना अपने ज़ाहिरी मफ़्हूम पर रहता है कि 'हद से ज़्यादा पस्ती की हालत' में पहुँचने से वे लोग अलग और बाहर हैं जो ईमान लाये और नेक अ़मल के पाबन्द रहे, क्योंकि उनका अज्र हमेशा जारी रहेगा। (यही तफ़सीर 'तफ़सीरे मज़हरी' में बयान की गयी है)

فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّيْنِ٥

पिछली आयतों में इनसान की तख़्लीक़ (बनाने) के कमाल और उस पर हक़ तआ़ला के ख़ास इनाम का, फिर बुढ़ापे में हालात की तब्दीलियों का ज़िक्र फ़रमाकर इस आयत में क़ियामत का इनकार करने वालों को तंबीह की गयी है कि अल्लाह की क़ुदरत के ऐसे मनाज़िर (दृश्य) और इन्क़िलाब देखने के बाद भी क्या गुंजाईश है कि तुम आख़िरत और क़ियामत को झुठलाओ? क्या अल्लाह तआ़ला सब हुकूमत करने वालों पर हाकिम नहीं?

मसलाः- हज़रत अबू हुरैरह से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स सूरः वत्तीनि पढ़े और इस आयत पर पहुँचेः

اَلَیْسَ اللّٰهُ بِاَحْكَمِ الْحٰكِمِیْنَ ۝

तो उसको चाहिये कि यह कलिमा कहे:

بَلٰی وَاَنَا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِیْنَ ۝

इसलिये हज़राते फ़ुक़हा ने फ़रमाया कि यह कलिमा पढ़ना मुस्तहब (अच्छा और पसन्दीदा) है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अत्-तीन की तफ़सीर आज शाबान की 30 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

सूरः अल्-अ़लक़्

सूरः अल्-अ़लक़् मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 19 आयतें हैं।

اٰیَاتُهَا ١٩ (٩٦) سُوْرَةُ الْعَلَقِ مَكِّیَّةٌ (١) رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ۙ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۙ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ؕ كَلَّاۤ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَیَطْغٰۤی ۙ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰی ؕ اِنَّ اِلٰی رَبِّكَ الرُّجْعٰی ؕ اَرَءَیْتَ الَّذِیْ یَنْهٰی ۙ عَبْدًا اِذَا صَلّٰی ؕ اَرَءَیْتَ اِنْ كَانَ عَلَی الْهُدٰۤی ۙ اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوٰی ؕ اَرَءَیْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلّٰی ؕ اَلَمْ یَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ یَرٰی ؕ كَلَّا لَىِٕنْ لَّمْ یَنْتَهِ ۙ لَنَسْفَعًۢا بِالنَّاصِیَةِ ۙ نَاصِیَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۚ فَلْیَدْعُ نَادِیَهٗ ۙ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَةَ ۙ كَلَّا ؕ لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ۩

(السجدة) ع ١٩

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इक़्रअ् बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़-लक़ (1) ख़-लक़ल्-इन्सा-न मिन् अ़-लक़ (2) इक़्रअ् व रब्बुकल् अक्रमु- (3) -ल्लज़ी अ़ल्ल-म बिल्क़-लमि (4) अ़ल्लमल्-इन्सा-न मा लम् यअ़्लम् (5) कल्ला इन्नल्-इन्सा-न	पढ़ अपने रब के नाम से जो है सब का बनाने वाला (1) बनाया आदमी को जमे हुए लहू से (2) पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है (3) जिसने इल्म सिखाया कलम से (4) सिखलाया आदमी को जो वह न जानता था (5) कोई नहीं, आदमी

ल-यत्ग़ा (6) अर्-रआहुस्तग़्ना (7) इन्-न इला रब्बिकर्रुज़्आ (8) अ-रऐतल्लज़ी यन्हा (9) अब्दन् इज़ा सल्ला (10) अ-रऐ-त इन् का-न अ़लल्-हुदा (11) औ अ-म-र बित्तक़्वा (12) अ-रऐ-त इन् कज़्ज़-ब व तवल्ला (13) अलम् यअ़्लम् बिअन्नल्ला-ह यरा (14) कल्ला ल-इल्लम् यन्तहि ल-नस्फ़-अ़म् बिन्नासि-यति (15) नासि-यतिन् काज़ि-बतिन् ख़ातिअह् (16) फ़ल्यद्अु नादि-यहू (17) स-नद्अुज़्-ज़बानियह् (18) कल्ला, ला तुतिअ़्हु वस्जुद् वक़्तरिब् (19) ✿ ○	सर चढ़ता है इससे (6) कि देखे अपने आपको बेपरवाह। (7) बेशक तेरे रब की तरफ़ फिर जाना है (8) तूने देखा उसको जो मना करता है (9) एक बन्दे को जब वह नमाज़ पढ़े (10) भला देख तो अगर होता नेक राह पर (11) या सिखाता डर के काम (12) भला देख तो अगर झुठलाया और मुँह मोड़ा (13) यह न जाना कि अल्लाह देखता है (14) कोई नहीं, अगर बाज़ न आयेगा हम घसीटेंगे चोटी पकड़कर (15) कैसी चोटी झूठी गुनाहगार (16) अब बुला ले अपनी मजलिस वालों को (17) हम भी बुलाते हैं प्यादे सियासत करने को (18) कोई नहीं, मत मान उसका कहा और सज्दा कर और नज़दीक हो। (19) ✿ ○

इस सूरत के बारे में ज़रूरी वज़ाहत

'इक़रअ्' से 'मा लम् यअ़्लम्' तक (यानी इस सूरत की शुरू की पाँच आयतें) सब से पहली वही है जिसके नाज़िल होने से नुबुव्वत की शुरूआत हुई जिसका क़िस्सा बुख़ारी व मुस्लिम की हदीस में यह है कि नुबुव्वत मिलने के क़रीबी ज़माने में आपको ख़ुद ही तन्हाई पसन्द हो गयी, आप ग़ारे हिरा में तशरीफ़ लेजाकर कई-कई रात रहते। एक रोज़ अचानक हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम तशरीफ़ लाये और आप से कहा कि इक़रअ् यानी पढ़िये। आपने फ़रमाया कि 'मा अ-न बिक़ारी' यानी मैं कुछ पढ़ा हुआ नहीं। उन्होंने ख़ूब आपको ज़ोर से दबाया फिर छोड़ दिया और फिर कहा इक़रअ्, आपने फिर वही जवाब दिया, इसी तरह तीन बार किया फिर आख़िर में दबाने के बाद छोड़कर कहा "इक़रअ् बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़-लक़्। ख़-लक़ल्-इन्सा-न मिन् अ़-लक़्। इक़रअ् व रब्बुकल् अक्रमु, अल्लज़ी अ़ल्ल-म बिल्क़-लमि, अ़ल्लमल्-इन्सा-न मा लम् यअ़्लम्।

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ पैग़म्बर सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) आप (पर जो) क़ुरआन (नाज़िल हुआ करेगा जिसें इस वक़्त की नाज़िल होने वाली आयतें भी दाख़िल हैं) अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिये (यानी जब पढ़िये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर पढ़ा कीजिये जैसा कि इस आयत में:

اِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ............. الخ.

में क़ुरआन के साथ अऊज़ु बिल्लाह पढ़ने का हुक्म हुआ है और उन दोनों बातों और हुक्मों से जो असल मक़सूद है यानी तवक्कुल और अल्लाह से मदद माँगना वह तो वाजिब है और ज़बान से कह लेना मस्नून व अच्छा है। और अगरचे असल मक़सूद के एतिबार से इस आयत के नाज़िल होने के वक़्त बिस्मिल्लाह का आपको मालूम होना ज़रूरी नहीं लेकिन कुछ रिवायतों में इस सूरत के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का नाज़िल होना भी आया है:

اخرجه الواحدی عن عکرمة والحسن انهماقالا اول مانزل بسم اللّٰه الرحمٰن الرحیم واوّل سورة اقرأ واخرجه ابن جریر وغیره عن ابن عبّاس انّه قال اوّل مانزل جبریل علیه السلام علی النّبی صلی اللّٰه علیه وسلّم قال یا محمّد استعذ ثم قل بسم اللّٰه الرحمٰن الرحیم کذافی روح المعانی.

और इन आयतों में जो क़िराअत को अल्लाह के नाम के साथ शुरू करने का हुक्म हुआ है इस हुक्म में ख़ुद इन आयतों का दाख़िल होना ऐसा है कि जैसे कोई शख़्स दूसरे से कहे कि:

اِسْمَعْ مَا اَقُوْلُ لَكَ.

यानी मैं जो कुछ तुझसे कहूँ तो उसको सुन। तो ख़ुद इस जुमले के सुनने का हुक्म करना भी उसको मक़सूद है। पस हासिल यह होगा कि चाहे इन आयतों को पढ़ो या जो आयतें बाद में नाज़िल होंगी उनको पढ़ो सब की क़िराअत अल्लाह के नाम से होनी चाहिये, और आपको ज़रूरी इल्म से मालूम हो गया कि यह क़ुरआन और वही है। और हदीसों में जो आपका डर जाना और वरक़ा इब्ने नोफ़ल से बयान करना आया है वह शुब्हे की वजह से न था बल्कि वही के ख़ौफ़ व हैबत से बेक़रारी की हालत की वजह से था, और वरक़ा से बयान करना मज़ीद इत्मीनान व यक़ीन की पुख़्तगी के लिये था न कि यक़ीन न होने के सबब, और उस्ताज़ शागिर्द से अब्जद "इब्तिदाई हुरूफ़" शुरू कराने के वक़्त कहता है कि हाँ पढ़, पस इससे नाक़ाबिले बरदाश्त तकलीफ़ देना लाज़िम नहीं आता, और आपका उज़्र फ़रमाना या तो इस वजह से है कि आपको इस जुमले के मायने मुतैयन न हुए हों कि मुझसे क्या पढ़वाना चाहते हैं, और यह बात कोई ख़िलाफ़े शान नहीं है, या मुराद मुतैयन होने के बावजूद इस सबब से है कि क़िराअत "पढ़ने" का इस्तेमाल अक्सर लिखी हुई चीज़ को पढ़ने के मायने में आता है, तो आपने हर्फ़ों के पहचानने से नावाक़िफ़ होने की वजह से यह उज़्र फ़रमाया हो और हज़रत जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के आपको दबाने (बाँहों में लेने) की असल हक़ीक़त तो अल्लाह तआ़ला को मालूम है, जहाँ तक

ग़ालिब गुमान है तो इसलिये होगा कि आपके अन्दर वही की ज़िम्मेदारी व भार को बरदाश्त करने की इस्तेदाद पैदा कर दें, और लफ़्ज़ रब से इशारा इस तरफ़ है कि हम आपकी मुकम्मल तरबियत करेंगे और नुबुव्वत के आला दर्जों पर पहुँचा देंगे।

आगे रब की सिफ़त है यानी वह ऐसा रब है) जिसने (मख़्लूक़ात को) पैदा किया (इस ख़ूबी व सिफ़त को ख़ास करके बयान करने में यह नुक्ता है कि हक़ तआ़ला की नेमतों में से पहले इस नेमत का ज़हूर होता है तो याद दिलाने में इसका पहले लाना मुनासिब है और साथ ही पैदा करना दलील है ख़ालिक़ के वजूद पर, और सबसे अहम और प्रथम ख़ालिक़ को पहचानना है। आगे उमूमी बयान के बाद ख़ास करने के तौर पर इरशाद है कि) जिसने (सब मख़्लूक़ात में से ख़ास तौर पर) इनसान को ख़ून के लोथड़े से पैदा किया (उमूमी बयान के बाद इस ख़ास करने में इशारा है कि पैदा करने की नेमत में भी आ़म मख़्लूक़ात से ज़्यादा इनसान पर इनाम है कि इसको किस दर्जे तक तरक़्क़ी दी कि सूरत कैसी बनाई, अ़क़्ल व इल्म से सम्मान बख़्शा, पस इनसान को ज़्यादा शुक्र और ज़िक्र करना चाहिये। और 'अ़लक़' "जमे हुए ख़ून की हालत" को ख़ास करके बयान करना शायद इसलिये है कि यह एक दरमियानी हालत है कि उससे पहले नुत्फ़ा "मनी का क़तरा" और ग़िज़ा व भौतिक तत्व है और उसके बाद मुज़ग़ा "लोथड़ा बनने" और हड्डियों के बनने और रूह फूँके जाने का अ़मल है। पस गोया वह पहले और बाद के तमाम हालात के बीच है।

आगे क़िराअत "क़ुरआन पढ़ने" को अहम उद्देश्य क़रार देने के लिये इरशाद है कि) आप क़ुरआन पढ़ा कीजिये (हासिल यह कि पहले हुक्म यानी इक़्रअ् बिस्मि रब्बि-क से यह शुब्हा न किया जाये कि यहाँ असल मक़सद अल्लाह के नाम का ज़िक्र है बल्कि क़िराअत ख़ुद भी अपने आप में मक़सूद है क्योंकि तब्लीग़ का ज़रिया यही क़िराअत है और तब्लीग़ ही पैग़म्बर का असल काम है, पस इस दोहराने में आपकी नुबुव्वत और तब्लीग़ के हुक्म का पाबन्द होने का इज़हार भी हो गया) और (आगे उस उज़्र को दूर कर देने की तरफ़ इशारा है जो आपने पहले जिब्रील अ़लैहिस्सलाम से पेश किया था कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसके लिये इरशाद फ़रमाया कि) आपका रब बड़ा करीम है (जो चाहता है अ़ता फ़रमाता है) (और ऐसा है) जिसने (लिखे-पढ़ों को) क़लम से तालीम दी (और आ़म तौर पर) इनसान को (दूसरे साधनों से) उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वह न जानता था (मतलब यह कि अव्वल तो तालीम कुछ लिखने में सीमित नहीं क्योंकि दूसरे तरीक़ों से भी तामील का मुशाहदा किया जाता है, दूसरे यह कि असबाब अपनी ज़ात के एतिबार से असर नहीं रखते, असबाब के असल मालिक और इल्म देने वाले हम हैं, पस अगरचे आप लिखना नहीं जानते मगर हमने जब आपको क़िराअत का हुक्म किया है तो हम दूसरे ज़रिये से आपको क़िराअत और वही के उलूम के हिफ़्ज़ "याद करने" पर क़ुदरत दे देंगे, चुनाँचे ऐसा ही हुआ।

पस इन आयतों में आपकी नुबुव्वत और उसकी शुरू व आख़िर की तमाम बातों का पूरा

बयान हो गया। और चूँकि नबी की मुख़ालफ़त बहुत बड़ा जुर्म व गुनाह और बहुत बुरी बात है इसलिये आगे की आयतों में जो इन पहली आयतों के एक मुद्दत के बाद नाज़िल हुई हैं, आपके एक ख़ास मुख़ालिफ़ यानी अबू जहल की मज़म्मत "निंदा" आम अलफ़ाज़ से है जिसमें दूसरे मुख़ालिफ़ लोग भी शामिल हो जायें। इसके नाज़िल होने का सबब यह है कि एक बार अबू जहल ने आपको नमाज़ पढ़ते देखा, कहने लगा कि मैं आपको इससे बहुत बार मना कर चुका हूँ। आपने उसको झिड़क दिया तो कहने लगा कि मक्का में सबसे बड़ा मजमा मेरे साथ है, और यह भी कहा था कि अगर अब की बार नमाज़ पढ़ते देखूँगा तो नऊज़ु बिल्लाह आपकी गर्दन पर पाँव रख दूँगा। चुनाँचे एक बार इस इरादे से चला मगर क़रीब जाकर रुक गया और पीछे हटने लगा, लोगों ने वजह पूछी कहने लगा मुझको आग की एक खाई बाधा मालूम हुई और उसमें परदार "पंख वाली" चीज़ें नज़र आयीं। आपने फ़रमाया वे फ़रिश्ते थे अगर और आगे आता तो फ़रिश्ते उसको बोटी-बोटी करके नोच डालते, इस पर ये आयतें नाज़िल हुईं, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में हदीस की सिहाहे सित्ता वग़ैरह किताबों से नक़ल किया है। आगे इरशाद है कि) सचमुच बेशक (काफ़िर) आदमी (आदमियत की) हद से निकल जाता है इस वजह से कि अपने आपको (अपनी ही जाति के अफ़राद से) बेपरवाह देखता है (जैसा कि एक दूसरी जगह अल्लाह तआ़ला का क़ौल है:

وَلَوْ بَسَطَ اللّٰهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهٖ لَبَغَوْا فِى الْاَرْضِ................الخ.

हालाँकि इस बेपरवाही पर इतराना व घमण्ड करना बेवक़ूफ़ी है क्योंकि किसी को अगरचे एक दर्जे में मख़्लूक़ से बेपरवाही हासिल भी हो जाये "यानी किसी से उसकी ज़रूरत जुड़ी न हो, वह किसी का मोहताज न हो" लेकिन हक़ तआ़ला से बेपरवाह तो किसी हाल में नहीं हो सकता यहाँ तक कि आख़िर में) ऐ (आम) मुख़ातब! तेरे रब ही की तरफ़ सब को लौटना होगा (और उस वक़्त भी ज़िन्दगी की हालत की तरह उसकी क़ुदरत के घेरे में घिरा हुआ और उस हालत में जो उसको सरकशी की सज़ा होगी उससे भी कहीं न भाग सकेगा। पस ऐसा आ़जिज़ ऐसे क़ादिर से कब बेपरवाह और ग़ैर-ज़रूरत मन्द हो सकता है, तो अपने को बेपरवाह समझना और उसकी बिना पर सरकशी करना बड़ी बेवक़ूफ़ी है।

आगे सवाल के अन्दाज़ में ताज्जुब का इज़हार है उसकी सरकशी पर यानी) ऐ (आ़म) मुख़ातब! भला उस शख़्स का हाल तो बतला जो (हमारे) एक (ख़ास) बन्दे को मना करता है जब वह (बन्दा) नमाज़ पढ़ता है। (मतलब यह कि उस शख़्स का हाल देखकर तो बतला कि इससे ज़्यादा अ़जीब बात भी कोई है। हासिल यह कि नमाज़ी को नमाज़ से रोकना बहुत ही बुरी और अ़जीब बात है। आगे इसी अ़जीब होने की ताकीद व मज़बूती के लिये एक बार फिर फ़रमाते हैं कि) ऐ (आ़म) मुख़ातब! भला यह तो बतला कि अगर वह बन्दा (जिसको नमाज़ से रोका गया है) हिदायत पर हो (जो कि लाज़िमी कमाल है) या वह (दूसरों को भी) परहेज़गारी की तालीम देता हो (जो मुतअ़द्दी कमाल यानी दूसरों को नफ़ा पहुँचाना है, और शायद रद्द करने

का कलिमा लाने से इशारा इस तरफ़ हो कि अगर इनमें से एक सिफ़त भी होती तब भी मना करने वाले की निंदा के लिये काफ़ी थी कहाँ यह कि दोनों हों, और) ऐ (आम) मुख़ातब! भला यह तो बतला कि अगर वह शख़्स (नाहक़ दीन को) झुठलाता हो और (हक़ से) मुँह मोड़ता हो (यानी न अ़क़ीदा रखता हो और न अ़मल। यानी अव्वल तो यह देखो कि नमाज़ से मना करना कितना बुरा है, फिर ख़ास तौर पर यह देखा कि जब मना करने वाला एक गुमराह और जिसको मना कर रहा है वह हिदायत का आला नमूना है तो यह कितनी अ़जीब बात है।

आगे इस मना करने पर उसके लिये वईद और सज़ा की धमकी है, यानी) क्या उस शख़्स को यह ख़बर नहीं कि अल्लाह तआ़ला (उसकी सरकशी व शरारत और उससे पैदा होने वाले आमाल को) देख रहा है (और उस पर सज़ा देगा। आगे उस पर तंबीह व डाँट है यानी उसको) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (करना चाहिए। और) अगर यह शख़्स (अपनी इस हरकत से) बाज़ न आयेगा तो हम (उसको) पेशानी के बाल पकड़कर जो कि झूठ और ख़ता में लिप्त पेशानी के बाल हैं (जहन्नम की तरफ़) घसीटेंगे। (नासिया सर के अगले बालों को कहा जाता है जिनको उर्दू में पट्टे बोलते हैं, इसकी सिफ़त में झूठे और ख़ताकार असल मायनों से हटकर मुहावरे के तौर पर फ़रमाया, और उसको जो अपने मजमे पर घमण्ड है और हमारे पैग़म्बर को धमकाता है) सो यह अपने पास बैठने वाले लोगों को बुला ले (अगर उसने ऐसा किया तो) हम भी दोज़ख़ के प्यादों को बुला लेंगे (चूँकि उसने नहीं बुलाया इसलिये अल्लाह ने उन फ़रिश्तों को भी नहीं बुलाया जैसा कि तबरी में हज़रत क़तादा की रिवायत से मुर्सलन् रिवायत है:

قال النبی صلی اللّٰہ علیہ وسلم لو فعل ابو جھل لاخذتہ الملٰئکۃ الزبانیۃ عیاناً.

आगे फिर तंबीह व मलामत की जा रही है कि उसको) हरगिज़ (ऐसा) नहीं (करना चाहिए मगर) आप (इस नालायक़ की इन हरकतों की कुछ परवाह न कीजिये और) उसका कहना न मानिये (जैसा अब तक भी नहीं माना), और (बदस्तूर) नमाज़ पढ़ते रहिये और (ख़ुदा की) नज़दीकी हासिल करते रहिये। (इसमें एक लतीफ़ वायदा है कि हक़ तआ़ला आपको उन लोगों के नुक़सान पहुँचाने से महफ़ूज़ रखेगा क्योंकि नमाज़ से अल्लाह की निकटता हासिल होती है और अल्लाह की निकटता बड़ाई व इ़ज़्ज़त हासिल होने का ज़रिया है, हाँ अगर कोई हिक्मत हो तो और बात है। पस ऐसी बातों की तरफ़ ज़रा भी ध्यान न कीजिये, अपने काम में लगे रहिये)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

नुबुव्वत की वही की शुरूआ़त और सबसे पहली वही

बुख़ारी व मुस्लिम और दूसरी मोतबर रिवायतों से साबित और पहले व बाद के उलेमा की अक्सरियत का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वही की शुरूआ़त सूरः अ़लक़ यानी इक़्रअ् से हुई है और इस सूरत की शुरू की पाँच आयतें 'मा लम् यअ़्लम' तक सबसे पहले नाज़िल हुईं। कुछ

हज़रात ने सूरः मुद्दस्सिर को सबसे पहली सूरत करार दिया है और कुछ ने सूरः फ़ातिहा को। इमाम बग़वी ने फ़रमाया कि पहले व बाद के उलेमा की अक्सरियत के नज़दीक सही यही है कि सबसे पहले सूरः इक़्रअ् की पाँच आयतें नाज़िल हुईं (जैसा कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास, ज़ोहरी और अ़मर बिन दीनार से नक़ल किया गया है। दुर्रे मन्सूर)।

और जिन हज़रात ने सूरः मुद्दस्सिर को पहली सूरत फ़रमाया है उसकी वजह यह है कि सूरः अ़लक़ की पाँच आयतें नाज़िल होने के बाद क़ुरआन नाज़िल होने में एक मुद्दत तक ठहराव (अन्तराल) रहा जिसको ज़माना-ए-फ़तरत का कहा जाता है, और वही की देरी व रुकने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को सख़्त रंज व ग़म पेश आया, उसके बाद अचानक फिर हज़रत जिब्रीले अमीन सामने आये और सूरः मुद्दस्सिर की आयतें नाज़िल हुईं। उस वक़्त भी आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वही नाज़िल होने और जिब्रील से मुलाक़ात की वही कैफ़ियत तारी हुई जो सूरः अ़लक़ के नाज़िल होने के वक़्त पेश आई थी जिसका बयान आगे आ रहा है। इस तरह फ़तरत के बाद सबसे पहले सूरः मुद्दस्सिर की शुरू की आयतें नाज़िल हुईं इस लिहाज़ से उसको भी पहली सूरत कह सकते हैं। और सूरः फ़ातिहा (अल्हम्दु शरीफ़) को जिन हज़रात ने पहली सूरत फ़रमाया है उसकी भी एक वजह है, वह यह कि मुकम्मल सूरत सबसे पहले सूरः फ़ातिहा ही नाज़िल हुई, उससे पहले चन्द सूरतों की अलग-अलग आयतें ही उतरी थीं। (तफ़सीरे मज़हरी)

बुख़ारी व मुस्लिम की एक लम्बी हदीस में नुबुव्वत और वही की शुरूआ़त का वाक़िआ़ इस तरह बयान हुआ है कि उम्मुल-मोमिनीन हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर वही का सिलसिला सच्चे ख़्वाबों से शुरू हुआ जिसकी कैफ़ियत यह थी कि जो कुछ ख़्वाब में देखते बिल्कुल उसके मुताबिक़ वाक़िआ़ पेश आता, और उसमें किसी ताबीर की भी ज़रूरत न थी, सुबह की रोशनी की तरह स्पष्ट तौर पर ख़्वाब में देखा हुआ वाक़िआ़ सामने आ जाता था।

उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को मख़्लूक़ से यक्सूई और तन्हाई में इबादत करने का ज़ोरदार तक़ाज़ा पेश आया जिसके लिये आपने ग़ारे हिरा को चुना (यह ग़ार मक्का मुकर्रमा के क़ब्रिस्तान जन्नतुल-मुअ़ल्ला से कुछ आगे एक पहाड़ पर है जिसको **जबलुन्नूर** कहा जाता है, उसकी चोटी दूर से नज़र आती है)।

हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि आप इस ग़ार में जाकर रातों को रहते और इबादत करते थे, जब तक घर वालों की ख़बरगीरी की ज़रूरत पेश न आती वहीं मुक़ीम रहते थे और उस वक़्त के लिये आप खाने-पीने वग़ैरह का ज़रूरी सामान ले जाते थे, और फिर खाने-पीने का सामान ख़त्म होने के बाद उम्मुल-मोमिनीन हज़रत ख़दीजा के पास तशरीफ़ लाते और मज़ीद कुछ दिनों के लिये खाने-पीने का सामान ले जाते, यहाँ तक कि आप उसी ग़ारे हिरा में थे कि अचानक आपके पास हक़ यानी **वही** पहुँची।

ग़ारे हिरा में तन्हाई की ज़िन्दगी गुज़ारने की मुद्दत में उलेमा का मतभेद है। बुख़ारी व

मुस्लिम की रिवायत है कि आपने एक माह यानी रमज़ान का पूरा महीना उसमें क़ियाम फ़रमाया। इब्ने इस्हाक़ ने सीरत में और ज़ुरक़ानी ने शरह मवाहिब में फ़रमाया कि इससे ज़्यादा मुद्दत किसी सही रिवायत से साबित नहीं है, और यह इबादत जो आप ग़ारे हिरा में वही नाज़िल होने से पहले करते थे उस वक़्त नमाज़ वग़ैरह की तालीम तो हुई न थी, कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि हज़रत नूह और हज़रत इब्राहीम और हज़रत ईसा अ़लैहिमुस्सलाम की शरीअ़तों के मुताबिक़ इबादत करते थे, मगर न किसी रिवायत से इसका सुबूत है और न आपके उम्मी (बिना पढ़ा-लिखा) होने की वजह से यह गुमान व संभावना सही है, बल्कि ज़ाहिर यह है कि उस वक़्त आपकी इबादत महज़ मख़्लूक़ से अलग रहने और अल्लाह तआ़ला की तरफ़ ख़ास तवज्जोह और ग़ौर व फ़िक्र करने की थी। (तफ़सीरे मज़हरी)

हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा फ़रमाती हैं कि वही आने की सूरत यह हुई कि फ़रिश्ता यानी जिब्रीले अमीन आपके पास आया, और आपसे कहा 'इक़्रअ्' यानी पढ़िये। आपने फ़रमाया 'मा अ-न बिक़ारी' यानी मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ (क्योंकि आप उम्मी थे, और जिब्रीले अमीन के क़ौल 'इक़्रअ्' की मुराद आप पर उस वक़्त स्पष्ट न थी कि क्या और किस तरह पढ़वाना चाहते हैं, क्या कोई लिखी हुई तहरीर देंगे जिसको पढ़ना होगा इसलिये आपने अपने उम्मी होने का उज़्र कर दिया)।

हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रिवायत में है कि आपने फ़रमाया कि मेरे इस जवाब पर जिब्रीले अमीन ने मुझे आग़ोश में लेकर इतना दबाया कि मुझे उसकी तकलीफ़ महसूस होने लगी, उसके बाद मुझे छोड़ दिया और फिर वही बात कही 'इक़्रअ्' मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। तो फिर जिब्रीले अमीन ने दोबारा आग़ोश में लेकर इतना दबाया कि मुझे उसकी तकलीफ़ महसूस होने लगी, फिर छोड़ दिया और तीसरी मर्तबा फिर कहा 'इक़्रअ्' मैंने फिर वही जवाब दिया 'मा अ-न बिक़ारी' तो तीसरी मर्तबा फिर आग़ोश में दबाया फिर छोड़कर कहाः

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ ٥ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ٥ اِقْرَاْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ ٥ الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٥ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْ ٥

क़ुरआन की ये (सबसे पहली पाँच) आयतें लेकर आप घर वापस तशरीफ़ लाये, आपका दिल काँप रहा था। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा के पास आकर फ़रमायाः

زَمِّلُوْنِیْ زَمِّلُوْنِیْ.

मुझे ढाँपो मुझे ढाँपो। (हज़रत ख़दीजा ने आप पर कपड़े डाले) यहाँ तक कि यह हैबत की कैफ़ियत दूर हुई (यह कैफ़ियत और कपकपी जिब्रील अ़लैहिस्सलाम के ख़ौफ़ से नहीं थी क्योंकि आपकी शान इससे बहुत बुलन्द व ऊँची है, बल्कि उस वही के ज़रिये जो नुबुव्वत व रिसालत की ज़िम्मेदारी आपको सौंपी गयी उसका भारी बोझ महसूस फ़रमाने और एक फ़रिश्ते को उसकी असली हालत व शक्ल में देखने से तबई तौर पर यह हैबत व दहशत की कैफ़ियत पैदा हुई)।

हज़रत सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि सुकून होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को ग़ारे हिरा का पूरा वाक़िआ सुनाया और फ़रमाया कि उससे मुझ पर एक ऐसी कैफ़ियत तारी हुई कि मुझे अपनी जान का ख़ौफ़ हो गया। हज़रत ख़दीजा उम्मुल-मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा ने अ़र्ज़ किया कि यह हरगिज़ नहीं हो सकता अल्लाह तआ़ला आपको हरगिज़ नाकाम न होने देंगे, क्योंकि आप सिला-रहमी करते हैं, बोझ में दबे हुए लोगों का बोझ उठा लेते हैं, बेरोज़गार आदमी को रोज़गार पर लगा देते हैं, मेहमानों की मेहमान नवाज़ी करते हैं और मुसीबत के मारों की इमदाद करते हैं (हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अन्हा लिखी-पढ़ी ख़ातून थीं, उनको शायद पहली आसमानी किताबों तौरात व इंजील से या उनके उलेमा से यह बात मालूम हुई होगी कि जिस शख़्स के अख़्लाक़ व आ़दात ऐसे बुलन्द और अच्छे हों वह मेहरूम व नाकाम नहीं हुआ करता, इसलिये इस तरीक़े से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तसल्ली दी)।

उसके बाद हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वरक़ा इब्ने नोफ़ल के पास ले गयीं, यह जाहिलीयत (इस्लाम के ज़ाहिर होने से पहले) ज़माने ही में बुतपरस्ती से तौबा करके ईसाई हो गये थे (क्योंकि उस वक़्त का दीने हक़ यही था)। वरक़ा इब्ने नोफ़ल (लिखे-पढ़े आदमी थे, इबरानी भाषा भी जानते थे और अ़रबी तो उनकी मादरी भाषा थी) वह इबरानी भाषा में भी लिखते थे और इंजील को अ़रबी भाषा में लिखते थे और उस वक़्त वह बहुत बूढ़े थे, बुढ़ापे की वजह से आँखों की रोशनी जाती रही थी। हज़रत ख़दीजा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने उनसे कहा कि मेरे चचाज़ाद भाई! ज़रा अपने भतीजे की बात तो सुनो। वरक़ा इब्ने नोफ़ल ने आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से हाल मालूम किया तो आपने ग़ारे हिरा में जो कुछ देखा था बयान कर दिया। वरक़ा बिन नोफ़ल ने सुनते ही कहा कि यह वही नामूस यानी फ़रिश्ता है जिसको अल्लाह तआ़ला ने हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम पर उतारा था, काश मैं आपकी नुबुव्वत के ज़माने में ताक़तवर होता, और काश कि मैं उस वक़्त ज़िन्दा होता जबकि आपकी क़ौम आपको (वतन से) निकालेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने (ताज्जुब से पूछा) क्या मेरी क़ौम मुझे निकाल देगी? वरक़ा ने कहा कि बेशक निकालेगी, क्योंकि जब भी कोई आदमी वह पैग़ामे हक़ और दीने हक़ लेकर आया है जो आप लाये हैं तो उसकी क़ौम ने उसको सताया है, और अगर मैंने वह ज़माना पाया तो मैं आपकी भरपूर मदद करूँगा। मगर वरक़ा उसके चन्द ही रोज़ के बाद इन्तिक़ाल कर गये और इस वाक़िए के बाद क़ुरआन के नाज़िल होने का सिलसिला रुक गया। (बुख़ारी व मुस्लिम)

फ़तरत-ए-वही (वही का सिलसिला रुकने) की मुद्दत के मुताल्लिक़ सुहैली की रिवायत यह है कि ढाई साल तक रही, और कुछ रिवायतों में तीन साल की मुद्दत बयान की गयी है। (मज़हरी)

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ٥

'बिस्मि रब्बि-क' में लफ़्ज़ इस्म बढ़ाने से इस तरफ़ इशारा है कि क़ुरआन जब भी पढ़ें

अल्लाह का नाम लेकर यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करें जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में लिखा गया है। दूसरा इशारा इसमें उस उज़्र के जवाब का है जो आपने पेश किया था कि मैं क़ारी नहीं, **बिस्मि रब्बि-क** के लफ़्ज़ से इस तरफ़ इशारा किया गया कि अगरचे आप अपनी मौजूदा हालत के एतिबार से उम्मी हैं, लिखे-पढ़े नहीं मगर आपके रब को सब क़ुदरत है वह उम्मी शख़्स को आला उलूम और संबोधन का सलीक़ा और भाषा की उम्दगी और वह आला दर्जा दे सकता है कि जिसके सामने बड़े-बड़े लिखे-पढ़े आजिज़ हो जायें जैसा कि बाद में इसका ज़हूर हुआ। (तफ़सीरे मज़हरी) और इस जगह अल्लाह तआ़ला के अस्मा-ए-हुस्ना (पाक नामों) में से लफ़्ज़ रब्ब को ख़ुसूसियत से इख़्तियार करने में इस मज़मून की मज़ीद ताईद व ताकीद हो गयी कि अल्लाह तआ़ला आपका परवर्दिगार है, हर तरह की तरबियत करता है, वह उम्मी होने के बावजूद आप से पढ़वा भी सकता है।

'अल्लज़ी ख़-ल-क़'। अल्लाह की सिफ़ात में से इस जगह तख़्लीक़ (पैदा करने) की सिफ़त को ख़ास करके ज़िक्र करने में शायद यह हिक्मत हो कि मख़्लूक़ात पर जैसे इनामात व एहसानात हक़ तआ़ला के हैं उनमें सबसे पहला इनाम उसको वजूद अ़ता करना है जो अल्लाह की तख़्लीक़ के ज़रिये अ़ता होता है। और इस जगह ख़-ल-क़ का मफ़ऊल यानी जिस चीज़ को पैदा किया वह ज़िक्र नहीं की गयी, इसमें इशारा आ़म होने की तरफ़ है कि सारी ही कायनात उसकी मख़्लूक़ हैं।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ٥

'अल्लज़ी ख़-ल-क़' में पूरी कायनात की तख़्लीक़ (बनाने) का बयान हुआ था, 'ख़-लक़ल् इन्सा-न' में अशरफ़ुल-मख़्लूक़ात यानी इनसान के पैदा करने का ज़िक्र फ़रमाया कि ग़ौर से देखो तो पूरी कायनात व मख़्लूक़ात का ख़ुलासा इनसान है। जहान में जो कुछ है उसकी नज़ीरें इनसान के वजूद में मौजूद हैं, इसी लिये इनसान को छोटा आ़लम कहा जाता है। और ज़िक्र करने के लिये इनसान को ख़ास करने की एक वजह यह भी है कि नुबुव्वत व रिसालत और क़ुरआन के नाज़िल करने का मक़सद अल्लाह के अहकाम को नाफ़िज़ व लागू करना और उन पर अ़मल करना है, वह इनसान ही के साथ मख़्सूस है।

'अ़-ल-क़' के मायने जमे हुए ख़ून के हैं। इनसान के बनने पर मुख़्तलिफ़ दौर गुज़रे और गुज़रते हैं, इसकी इब्तिदा मिट्टी और भौतिक तत्वों से है, फिर नुत्फ़े से, उसके बाद 'अ़-लक़ा' यानी जमा हुआ ख़ून बनता है, फिर मुज़ग़ा गोश्त, फिर हड्डियाँ वग़ैरह पैदा की जाती हैं। अ़-लक़ा पैदा करने और बनाने के इन तमाम मराहिल (चरणों) में एक दरमियानी हालत है इसको इख़्तियार करके उसके अव्वल व आख़िर की तरफ़ इशारा हो गया।

اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ٥

यहाँ **लफ़्ज़ इक़रअ्** को दोबारा लाया गया है जिसकी वजह ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है, और यह भी कहा जा सकता है कि पहला इक़रअ् तो ख़ुद आपके पढ़ने के लिये फ़रमाया था

यह दूसरा तब्लीग़ व दावत और लोगों को पढ़ाने के लिये फ़रमाया, और अगर महज़ ताकीद के लिये दोहरा दिया हो तो वह भी कुछ बईद नहीं। और सिफ़त अक्रम में इस तरफ़ इशारा है कि दुनिया को बनाने और इनसान को पैदा करने में अल्लाह तआ़ला की अपनी कोई ग़र्ज़ और नफ़ा नहीं बल्कि यह सब उसके करम व एहसान का तक़ाज़ा है, कि बेमाँगे कायनात को वजूद की अज़ीम नेमत अ़ता फ़रमाई।

الَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِo

इनसान के पैदा करने के बाद उसकी तालीम का बयान है, क्योंकि तालीम ही वह चीज़ है जो इनसान को दूसरे तमाम हैवानात से अलग व नुमायाँ और तमाम मख़्लूक़ात से बेहतर व आला बनाती है, फिर तालीम की आ़म सूरतें दो हैं- एक ज़बानी तालीम दूसरे क़लम व तहरीर और ख़त से तालीम। सूरत के शुरू में लफ़्ज़ इक़रअ् में अगरचे ज़बानी तालीम ही की इब्तिदा है मगर इस आयत में जहाँ तालीम देने का बयान आया है इसमें क़लमी तालीम को आगे करके बयान फ़रमाया है।

तालीम का सबसे पहला और अहम ज़रिया क़लम और लिखाई है

एक सही हदीस हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

خلق اللّٰہ الخلق کتب فی کتابہ فھو عندہ فوق العرش، ان رحمتی غلبت غضبی.

यानी अल्लाह तआ़ला ने कायनात के पहले दिन में जब मख़्लूक़ को पैदा किया तो अपनी किताब में जो अ़र्श पर अल्लाह तआ़ला के पास है यह कलिमा लिखा कि "मेरी रहमत मेरे ग़ज़ब पर ग़ालिब रहेगी।"

और हदीस में यह भी साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اوّل ما خلق اللّٰہ القلم فقال لہ اکتب فکتب مایکون الٰی یوم القیٰمۃ فھو عندہ فی الذّکر فوق عرشہٖ.

यानी सबसे पहले अल्लाह तआ़ला ने क़लम को पैदा किया और उसको हुक्म दिया कि लिखे, उसने तमाम चीज़ें जो क़ियामत तक होने वाली थीं लिख दीं। यह किताब अल्लाह तआ़ला के पास अ़र्श पर है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

क़लम की तीन क़िस्में

उलेमा ने फ़रमाया है कि आ़लम में क़लम तीन हैं- एक सबसे पहला क़लम जिसको अल्लाह ने अपने हाथ से पैदा किया और कायनात की तक़दीर लिखने का उसको हुक्म दिया। दूसरे फ़रिश्तों के क़लम जिससे वे होने वाले तमाम वाक़िआ़त और उनकी मिक़्दारों को तथा इनसानों के आमाल को लिखते हैं। तीसरे आ़म इनसानों के क़लम जिनसे वे अपने कलाम लिखते और अपने मक़ासिद में काम लेते हैं, और लिखना दर हक़ीक़त बयान की एक क़िस्म है और बयान इनसान की मख़्सूस सिफ़त है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

तफ़सीर के इमाम मुजाहिद रह. ने अबू अ़मर से नकल किया है कि अल्लाह तआ़ला ने सारी कायनात में चार चीज़ें अपने क़ुदरत के हाथ से ख़ुद बनाईं और उनके सिवा बाक़ी मख़्लूक़ात के लिये हुक्म दिया- 'कुन' यानी हो जा, वो मौजूद हो गईं। वो चार चीज़ें ये हैं- क़लम, अ़र्श, जन्नते अ़दन, आदम अ़लैहिस्सलाम।

लिखने का इल्म सबसे पहले दुनिया में किसको दिया गया

कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि सबसे पहले लिखने का यह फ़न अबुल-बशर हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम को सिखाया गया था, और सबसे पहले उन्होंने लिखना शुरू किया। (कअ़बे अहबार) और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि सबसे पहले यह फ़न हज़रत इदरीस अ़लैहिस्सलाम को मिला है और सबसे पहले कातिब (लिखने वाले) दुनिया में वही हैं। (ज़स्हाक) और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि हर शख़्स जो लिखता है वह तालीम अल्लाह की जानिब से ही है।

'ख़त व किताबत' (पत्राचार) अल्लाह तआ़ला की बड़ी नेमत है

हज़रत क़तादा रह. ने फ़रमाया कि क़लम अल्लाह तआ़ला की बहुत बड़ी नेमत है, अगर यह न होता तो न कोई दीन क़ायम रहता न दुनिया के कारोबार दुरुस्त होते। हज़रत अ़ली कर्रमल्लाहु वज्हहू ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला का बहुत बड़ा करम है कि उसने अपने बन्दों को उन चीज़ों का इल्म दिया जिनको वे नहीं जानते थे और उनको जहल (आज्ञानता) की अंधेरी से इल्म के नूर की तरफ़ निकाला और लिखने के इल्म की तरग़ीब दी क्योंकि इसमें बेशुमार और बड़े फ़ायदे हैं जिनका अल्लाह के सिवा कोई इहाता नहीं कर सकता। तमाम उलूम व हिक्मतों का संकलन और पहले और बाद तमाम लोगों की तारीख़ उनके हालात व बातें और अल्लाह तआ़ला की नाज़िल की हुई किताबें सब क़लम ही के ज़रिये लिखी गयीं और रहती दुनिया तक बाक़ी रहेंगी, अगर क़लम न हो तो दुनिया व दीन के सारे ही काम उलट-पुलट हो जायें।

पहले और बाद के उलेमा ने हमेशा ख़त व किताबत का बहुत एहतिमाम किया है

शुरू ज़माने से लेकर आज तक के उलेमा ने हमेशा ख़त व किताबत (लिखने और पत्राचार) की तालीम का बड़ा एहतिमाम किया है, जिस पर उनकी किताबों के अ़ज़ीमुश्शान ज़ख़ीरे आज तक गवाह व सुबूत हैं। अफ़सोस है कि हमारे इस दौर में उलेमा व तालिब-इल्मों ने इस अहम ज़रूरत को ऐसा नज़र-अन्दाज़ किया है कि सैकड़ों में दो-चार आदमी मुश्किल से किताबत और लिखने को जानने वाले निकलते हैं। अल्लाह ही से फ़रियादा व शिकवा किया जा सकता है।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को लिखने की तालीम न देने का राज़

हक् तआ़ला जल्ल शानुहू ने ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान को लोगों के ख़्याल व सोच और अन्दाज़े से बालातर बनाने के लिये आपके जन्म के स्थान से लेकर आपके ज़ाती हालात तक सब ऐसे बनाये थे कि जिनमें कोई इनसान अपनी ज़ाती कोशिश व मेहनत से कोई कमाल हासिल नहीं कर सकता। पैदाईश की जगह के लिये अ़रब का रेगिस्तान तजवीज़ हुआ जो दुनियावी तरक़्क़ी और इल्म व हिक्मत के गहवारों से बिल्कुल कटा हुआ था, और रास्ते और संचार सिस्टम इतने दुश्वार गुज़ार थे कि शाम व इराक़ और मिस्र वग़ैरह के सभ्य व तरक़्क़ी याफ़्ता शहरों से यहाँ के लोगों का कोई जोड़ न था। इसी लिये अ़रब के लोग सब के सब ही उमिय्यीन कहलाते हैं। ऐसे मुल्क और ऐसे क़बीलों में आप पैदा हुए और फिर हक् तआ़ला ने ऐसे सामान किये कि अ़रब के लोगों में जो इक्का-दुक्का कोई इल्म व हिक्मत और लिखना सीख लेता था, आपको उसके सीखने का भी मौक़ा न दिया गया। इन हालात में पैदा होने वाले इनसान से इल्म व हिक्मत और बेहतरीन व आला अख़्लाक़ का किसको तसव्वुर हो सकता है। अचानक हक् तआ़ला ने नुबुव्वत से नवाज़ा और इल्म व हिक्मत का कभी न ख़त्म होने वाला सिलसिला आपकी ज़बान मुबारक पर जारी फ़रमा दिया, फ़साहत व बलाग़त (कलाम के उम्दा व उच्च स्तरीय होने) में अ़रब के बड़े-बड़े शायर और भाषा के माहिर आपके सामने आजिज़ हो गये, यह एक ऐसा खुला हुआ मोजिज़ा (चमत्कार) था कि हर आँखों वाला इसको देखकर यह यक़ीन किये बग़ैर नहीं रह सकता कि आपके इनसानी कमालात कोशिश व अ़मल का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह तआ़ला के ग़ैबी अ़तीयात हैं, लिखने की तालीम न देने में भी यही हिक्मत थी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَالَمْ يَعْلَمْO

इससे पहली आयत में तालीम के एक ख़ास ज़रिये (साधन और माध्यम) का ज़िक्र था जो आ़म तौर पर तालीम के लिये इस्तेमाल होता है यानी 'क़लमी तालीम'।

इल्म का ज़रिया सिर्फ़ क़लम नहीं बल्कि बेशुमार माध्यम व साधन हैं

इस आयत में इसका ज़िक्र है कि असल तालीम देने वाला अल्लाह तआ़ला है और उसके लिये तालीम के साधन व माध्यम बेशुमार हैं, कुछ क़लम ही के साथ मख़्सूस नहीं, इसलिये फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ल ने इनसान को वह इल्म दिया जिससे वह पहले नावाक़िफ़ था। इसमें

क़लम या इल्म के किसी दूसरे ज़रिये का ज़िक्र न फ़रमाने से इस तरफ़ इशारा है कि हक़ तआ़ला की यह तालीम इनसान की पैदाईश के पहले दिन से जारी है कि अव्वल इसमें अ़क्ल पैदा की जो इल्म का सबसे बड़ा ज़रिया (साधन व माध्यम) है, इनसान अपनी अ़क्ल से ख़ुद बग़ैर किसी तालीम के बहुत सी चीज़ें समझता है, फिर उसके आस-पास में अपनी कामिल क़ुदरत के ऐसे मनाज़िर और निशानियाँ रख दीं जिनको देखकर और उनसे सीख हासिल करके वह अपनी अ़क्ल से अपने पैदा करने वाले को पहचान सके। फिर वही और इल्हाम के ज़रिये बहुत सी चीज़ों का इल्म इनसान को अ़ता फ़रमाया और बहुत सी ज़रूरी चीज़ों का इल्म इनसान के ज़ेहन में ख़ुद-बख़ुद पैदा फ़रमा दिया जिसमें किसी भाषा या क़लम की तालीम का दख़ल नहीं। एक बेशऊर बच्चा माँ के पेट से पैदा होने के साथ ही अपनी ग़िज़ा के केन्द्र यानी माँ की छातियों को पहचान लेता है, फिर छाती से दूध उतारने के लिये मुँह को दबाना उसको किसने सिखाया और कौन सिखा सकता था।

फिर उसको एक हुनर यानी रोना अल्लाह तआ़ला ने पैदा होते वक़्त ही सिखा दिया, बच्चे का यह रोना उसकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करने का ज़रिया बनता है, उसको रोता हुआ देखकर माँ-बाप इस फ़िक्र में पड़ जाते हैं कि इसको क्या तकलीफ़ है। उसकी भूख, प्यास, सर्दी, गर्मी की सब ज़रूरतें इसी रो देने से ही पूरी होती हैं। यह रोने की तालीम उस नवजात को कौन कर सकता था और किस तरह करता था। यह सब ख़ुदा का दिया हुआ इल्म है जो अल्लाह तआ़ला हर जानदार और ख़ास तौर पर इनसान के ज़ेहन में पैदा फ़रमा देता है। इस ज़रूरी इल्म के बाद फिर ज़बानी तालीम फिर दिली तालीम के ज़रिये उसके उलूम में इज़ाफ़ा होता रहता है और 'मा लम् यअ़लम्' यानी जिसको वह नहीं जानता था इसके कहने की बज़ाहिर कोई ज़रूरत न थी क्योंकि आ़दतन तालीम तो उसी चीज़ की होती है जिसको इनसान नहीं जानता, इसके फ़रमाने में इशारा इस तरफ़ है कि उस ख़ुदा के दिये हुए इल्म व हुनर को इनसान अपना ज़ाती कमाल न समझ बैठे 'मा लम् यअ़लम्' से इशारा फ़रमा दिया कि इनसान पर एक ऐसा वक़्त भी आया है जब वह कुछ नहीं जानता था जैसा कि क़ुरआने करीम में एक दूसरी जगह इरशाद है:

اَخْرَجَكُمْ مِّنْ م بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْـئًا.

यानी अल्लाह ने तुमको तुम्हारी माँओं के पेट से ऐसी हालत में निकाला कि तुम कुछ न जानते थे। मालूम हुआ कि इनसान को जो भी इल्म व हुनर मिला है वह उसका ज़ाती नहीं बल्कि सब ख़ालिक़ व मालिक का दिया हुआ है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और मुफ़स्सिरीन हज़रात में से कुछ ने इस आयत में इनसान से हज़रत आदम या नबी करीम को मुराद क़रार दिया है क्योंकि आदम अ़लैहिस्सलाम सबसे पहले इनसान हैं जिनको तालीम दी गयी, जैसा कि सूरः ब-क़रह में है:

وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَآءَ كُلَّهَا.

और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम वह आख़िरी पैग़म्बर हैं जिनकी तालीम में

पिछले तमाम अम्बिया के उलूम और लौह व क़लम के उलूम शामिल हैं जैसा कि फ़रमायाः

ومن علومك علم اللوح والقلم.

यहाँ तक सूरः अ़लक़ की पाँच आयतें सबसे पहले नाज़िल हुईं। इसके बाद की आयतें काफ़ी अ़र्से के बाद नाज़िल हुई हैं क्योंकि बाक़ी आयतें सूरत के आख़िर तक अबू जहल के एक वाक़िए के संबन्धित हैं और नुबुव्वत की शुरू की वही में तो मक्का में कोई भी आपका मुख़ालिफ़ न था सब आपको **अमीन** के लक़ब से पुकारते थे और मुहब्बत व इज़्ज़त करते थे। अबू जहल की मुख़ालफ़त और दुश्मनी ख़ास तौर पर नमाज़ पढ़ने से रोकने का वाक़िआ जो आगे आने वाली आयतों में बयान हुआ है ज़ाहिर है कि उस वक़्त का है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने नुबुव्वत व दावत का ऐलान फ़रमाया और मेराज की रात में आपको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया गया।

كَلَّآ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَيَطْغٰىٓ ٥ اَنْ رَّاٰهُ اسْتَغْنٰى ٥

इस आयत का इशारा अगरचे एक ख़ास शख़्स यानी अबू जहल की तरफ़ है जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की शान में गुस्ताख़ी की थी मगर उनवान आ़म रखा है जिसमें आ़म इनसानों की एक कमज़ोरी बयान की गयी, वह यह है कि इनसान जब तक दूसरों का मोहताज रहता है तो सीधा चलता है और जब उसको यह गुमान हो जाये कि मैं किसी का मोहताज नहीं सबसे बेनियाज़ (बेपरवाह) हूँ तो उसके नफ़्स में सरकशी वग़ैरह और दूसरों पर ज़ुल्म व ज़्यादती के रुझानात पैदा हो जाते हैं, जैसा कि उमूमन मालदारों और हुकूमत व ताक़त वालों और औलाद व अहबाब या नौकरों व कर्मचारियों की कसरत रखने वालों में इसको अधिकतर देखा जाता है कि वे अपनी मालदारी और जमाअ़त जत्थे की ताक़त में मस्त होकर किसी को नज़र में नहीं लाते। चूँकि अबू जहल का भी यही हाल था कि मक्का मुकर्रमा के ख़ुशहाल लोगों में से था और उसके क़बीले बल्कि पूरे शहर के लोग उसकी इज़्ज़त व सम्मान करते और बात मानते थे वह भी इसी ग़ुरूर में मुब्तला हुआ यहाँ तक कि सय्यिदुल-अम्बिया और तमाम मख़्लूक़ में अशरफ़ ज़ात की शान में गुस्ताख़ी कर बैठा। अगली आयत में ऐसे सरकशों के बुरे अन्जाम पर तंबीह है।

اِنَّ اِلٰى رَبِّكَ الرُّجْعٰى ٥

'रुजआ़' बुशरा की तरह इस्मे मस्दर है। मायने यह हैं कि सब को अपने रब ही की तरफ़ लौटना है, इसके ज़ाहिरी मायने तो यही हैं कि मरने के बाद सब को अल्लाह के पास जाना और अच्छे-बुरे आमाल का हिसाब देना है, उस वक़्त इस तकब्बुर और सरकशी के बुरे अन्जाम को आँखों से देख लेगा, और यह भी बईद नहीं कि इस जुमले में घमण्डी इनसान के ग़ुरूर का इलाज बतलाया गया हो कि ऐ अहमक़! तू अपने आपको सबसे बेनियाज़ ख़ुद-मुख़्तार समझता है, अगर ग़ौर करेगा तो अपनी हर हालत बल्कि हर हरकत व सुकून में तू अपने आपको रब तआ़ला का मोहताज पायेगा। अगर उसने तुझे किसी इनसान का मोहताज बज़ाहिर नहीं बनाया तो कम से

कम इसको तो देख कि तू अल्लाह तआला का हर चीज़ में मोहताज है और इनसानों की मोहताजी से बेनियाज़ समझना भी सिर्फ़ ज़ाहिरी धोखा ही है वरना अल्लाह तआला ने इनसान को सब के साथ मिल-जुलकर ज़िन्दगी गुज़ारने वाला और सामाजिक तबीयत रखने वाला बनाया है, वह अकेला अपनी ज़रूरतों में से किसी एक ज़रूरत को भी पूरी नहीं कर सकता।

अपने एक लुक़्मे को देखे तो पता चलेगा कि हज़ारों इनसानों और जानवरों की ज़बरदस्त मेहनत और लम्बी मुद्दत तक काम में लगे रहने का नतीजा यह तर लुक़्मा है जो बेफ़िक्री के साथ निगल रहा है, और इतने हज़ारों इनसानों को अपनी ख़िदमत में लगा लेना किसी के बस की बात नहीं। यही हाल उसके लिबास और तमाम दूसरी ज़रूरतों का है कि उनके मुहैया करने में हज़ारों लाखों इनसानों और जानवरों की मेहनत का दख़ल है जो तेरे ग़ुलाम नहीं, अगर तू उन सब को तन्ख़्वाहें देकर भी चाहता कि अपने इस काम को पूरा करे तो हरगिज़ तेरे बस में न आता। इन बातों में ग़ौर व फ़िक्र करने से इनसान पर यह राज़ खुलता है कि उसकी तमाम ज़रूरतों के मुहैया करने का निज़ाम ख़ुद उसका बनाया हुआ नहीं बल्कि ख़ालिके कायनात ने अपनी बेमिसाल हिक्मत से बनाया और चलाया है, किसी दिल में डाल दिया कि ज़मीन में काश्त का काम करे, किसी के दिल में यह पैदा कर दिया कि वह लकड़ी तराशने और बढ़ई का काम करे, किसी के दिल में लुहार के काम की रग़बत डाल दी, किसी को मेहनत मज़दूरी करने ही में राज़ी कर दिया, किसी को तिजारत व कारीगरी की तरफ़ राग़िब करके इनसानी ज़रूरतों के बाज़ार लगा दिये। न कोई हुकूमत इसका इन्तिज़ाम क़ानून से कर सकती थी न कोई व्यक्ति, इसलिये इस ग़ौर व फ़िक्र का लाज़िमी नतीजा 'इला रब्बिकर्-रुजूआ' है, यानी आख़िरकार सब चीज़ों का हक़ तआला की क़ुदरत व हिक्मत के ताबे होना अच्छी तरह नज़र आ जाता है।

اَرَءَيْتَ الَّذِىْ يَنْهٰىo عَبْدًا اِذَا صَلّٰىo

इस आयत से सूरत के आख़िर तक एक वाक़िए की तरफ़ इशारा है कि जब अल्लाह तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और आपने नमाज़ पढ़नी शुरू की तो अबू जहल ने आपको नमाज़ पढ़ने से रोका और धमकी दी कि आईन्दा नमाज़ पढ़ेंगे और सज्दा करेंगे तो वह मआज़ल्लाह आपकी गर्दन को पाँव से कुचल देगा, उसके जवाब और उसको डाँट व तंबीह करने के लिये ये आयतें आई हैं, इनमें फ़रमायाः

اَلَمْ يَعْلَمْ بِاَنَّ اللّٰهَ يَرٰىo

यानी क्या वह यह नहीं जानता कि अल्लाह तआला देख रहा है। यहाँ यह ज़िक्र नहीं फ़रमाया कि किसको देख रहा है, इसलिये यह आ़म और इस बात को शामिल है कि नमाज़ पढ़ने वाली बुज़ुर्ग हस्ती को भी देख रहा है और उससे रोकने वाले बदबख़्त को भी, और यहाँ सिर्फ़ इस जुमले पर इक्तिफ़ा कया गया कि हम यह सब कुछ देख रहे हैं। आगे देखने के बाद क्या हश्र होगा इसके ज़िक्र न करने में इस तरफ़ इशारा है कि वह हौलनाक अन्जाम क़ाबिले तसव्वुर नहीं।

لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ○

'ल-नस्फ़अन्' सफ़अ़् मस्दर से निकला है जिसके मायने सख़्ती के साथ खींचने के हैं और 'नासियतुन' सर के उगले बालों को कहा जाता है जो पेशानी (माथे) के ऊपर होते हैं। जिस शख़्स के पेशानी के बाल किसी के हाथ में आ जायें वह उसके हाथ में मजबूर और पस्त होकर रह जाता है।

كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ○

यह नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को हिदायत है कि अबू जहल की बात पर कान न धरें और सज्दे और नमाज़ में मशग़ूल रहें कि यही अल्लाह तआ़ला की निकटता का रास्ता है।

सज्दे की हालत में दुआ़ की क़ुबूलियत

अबू दाऊद में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

اقرب مايكون العبد من ربّه وهو ساجد فا كثروا الدعاء.

यानी बन्दा अपने रब से ज़्यादा क़रीब उस वक़्त होता है जबकि वह सज्दे में हो, इसलिये सज्दे में बहुत दुआ़ किया करो। और एक दूसरी सही हदीस में ये लफ़्ज़ भी आये हैं:

فَانّهُ قمن ان يستجاب لكم.

यानी सज्दे की हालत में दुआ़ क़ुबूल होने के लायक़ है।

मसलाः- नफ़िल नमाज़ों के सज्दे में दुआ़ करना साबित है। हदीस की कुछ रिवायतों में इस दुआ़ के ख़ालिस अलफ़ाज़ भी आये हैं, वो मन्क़ूल अलफ़ाज़ पढ़े जायें तो बेहतर है। फ़र्ज़ नमाज़ों में इस तरह की दुआ़यें साबित नहीं, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज़ों में मुख़्तसर करना मतलूब है।

मसलाः- इस आयत को पढ़ने और सुनने वाले पर सज्दा-ए-तिलावत वाजिब है। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से इस आयत पर सज्दा-ए-तिलावत करना साबित है। वल्लाहु आलम

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-अ़लक़ की तफ़सीर आज रमज़ान की 5 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

सूरः अल्-क़द्र

सूरः अल्-क़द्र मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 5 आयतें हैं।

سُوْرَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۙ خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلٰۗىِٕكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِنْ كُلِّ اَمْرٍ ۝ سَلٰمٌ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इन्ना अन्ज़ल्नाहु फ़ी लैलतिल्-क़द्रि (1) व मा अद्रा-क मा लैलतुल्-क़द्र (2) लैलतुल्-क़द्रि ख़ैरुम्-मिन् अल्फ़ि शह्र् (3) तनज़्ज़लुल्-मलाइ-कतु वर्रूहु फ़ीहा बि-इज़्नि रब्बिहिम् मिन् कुल्लि अम्रिन् (4) सलामुन्, हि-य हत्ता मत्लअ़िल्-फ़ज्र (5) ✿ ▲	**हमने उसको उतारा शबे क़द्र में (1) और तूने क्या समझा कि क्या है शबे क़द्र (2) शबे क़द्र बेहतर है हज़ार महीने से (3) उतरते हैं फ़रिश्ते और रूह उसमें अपने रब के हुक्म से हर काम पर (4) अमान है, वह रात सुबह के निकलने तक। (5) ✿ ▲**

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक हमने क़ुरआन को शबे-क़द्र में उतारा है (शबे क़द्र में नाज़िल होने की तहक़ीक़ सूरः दुख़ान में गुज़री है) और (शौक़ बढ़ाने के लिये फ़रमाते हैं कि) आपको कुछ मालूम है कि शबे-क़द्र कैसी चीज़ है? (आगे जवाब है कि) शबे-क़द्र हज़ार महीने से बेहतर है (यानी हज़ार महीने तक इबादत करने का जिस क़द्र सवाब है उससे ज़्यादा शबे-क़द्र में इबादत करने का सवाब है, जैसा कि तफ़सीरे ख़ाज़िन में बयान किया है। और वह शबे-क़द्र ऐसी है कि) उस रात में फ़रिश्ते और रूहुल-क़ुदुस (यानी जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम) अपने परवर्दिगार के हुक्म से हर ख़ैर

के मामले को लेकर (ज़मीन की तरफ़) उतरते हैं (और वह रात) पूरी-की-पूरी सलाम है (जैसा कि बैहक़ी की हदीस में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से मरफ़ूअन् रिवायत है कि शबे-क़द्र में हज़रत जिब्राईल अ़लैहिस्सलाम फ़रिश्तों के एक गिरोह में आते हैं और जिस शख़्स को नमाज़ में खड़े बैठे या ज़िक्र में मशग़ूल देखते हैं तो उस पर सलात भेजते हैं यानी उसके लिये दुआ़-ए-रहमत करते हैं, और ख़ाज़िन ने इब्ने जौज़ी से इस रिवायत में 'युसल्लिमू-न' भी बढ़ाया है यानी सलामती की दुआ़ करते हैं। और 'युसल्लू-न' का ख़ुलासा भी यही है क्योंकि रहमत व सलामती एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, इसी को क़ुरआन में सलाम फ़रमाया है, और ख़ैर के मामले से मुराद यही है, और साथ ही रिवायतों में उसमें तौबा का क़ुबूल होना, आसमान के दरवाज़ों का खुलना और हर मोमिन पर फ़रिश्तों का सलाम करना आया है। जैसा कि तफ़सीर दुर्रे-मन्सूर में है। और इन बातों और कामों का फ़रिश्तों के वास्ते से होना और सलामती को वाजिब करने वाला होना ज़ाहिर है, या अम्र से मुराद वो बातें और काम हों जिनका उनवान सूरः दुख़ान में अम्रे-हकीम और इस रात में उनका तय होना ज़िक्र फ़रमाया है, और) वह रात (इसी सिफ़त व बरकत के साथ) फ़जर के निकलने के वक़्त तक रहती है (यह नहीं कि उस रात के किसी ख़ास हिस्से और भाग में यह बरकत हो और किसी में न हो)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

शाने नुज़ूल

इब्ने अबी हातिम ने मुजाहिद रह. से मुर्सलन् रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने बनी इस्राईल के एक मुजाहिद का हाल ज़िक्र किया जो एक हज़ार महीने तक लगातार जिहाद में मशग़ूल रहा, कभी हथियार नहीं उतारे। मुसलमानों को यह सुनकर ताज्जुब हुआ, इस पर सूरः क़द्र नाज़िल हुई जिसमें इस उम्मत के लिये सिर्फ़ एक रात की इबादत को उस मुजाहिद की उम्र भर की इबादत यानी एक हज़ार महीने से बेहतर क़रार दिया है। और इमाम इब्ने जरीर ने हज़रत मुजाहिद रह. की रिवायत से एक दूसरा वाक़िआ़ यह ज़िक्र किया है कि बनी इस्राईल में एक आ़बिद का यह हाल था कि सारी रात इबादत में मशग़ूल रहता और सुबह होते ही जिहाद के लिये निकल खड़ा होता, दिन भर जिहाद में मशग़ूल रहता, एक हज़ार महीने उसने इसी लगातार इबादत में गुज़ार दिये। इस पर अल्लाह तआ़ला ने सूरः क़द्र नाज़िल फ़रमाकर इस उम्मत की फ़ज़ीलत सब पर साबित फ़रमा दी। इससे यह भी मालूम होता है कि शबे-क़द्र उम्मते मुहम्मदिया की ख़ुसूसियात में से है। (तफ़सीरे मज़हरी)

इमाम इब्ने कसीर ने यही क़ौल इमाम मालिक का नक़ल किया है, और शाफ़ई मस्लक के कुछ इमामों ने इसको उलेमा की अक्सरियत का क़ौल लिखा है। ख़त्ताबी ने इस पर इजमा (सब के एक राय होने) का दावा किया है मगर कुछ मुहद्दिसीन ने इसमें मतभेद किया है। (इब्ने कसीर)

क़द्र के दूसरे मायने तक़दीर व हुक्म के भी आते हैं। इस मायने के एतिबार से शबे-क़द्र

कहने की वजह यह होगी कि इस रात में तमाम मख़्लूक़ात के लिये जो कुछ अल्लाह की लिखी हुई तक़दीर में लिखा है, उसका जो हिस्सा इस साल में रमज़ान से अगले रमज़ान तक पेश आने वाला है वह उन फ़रिश्तों के हवाले कर दिया जाता है जो कायनात के इन्तिज़ाम और अहकाम को लागू करने के लिये लगाये हुए हैं। इसमें हर इनसान की उम्र और मौत और रिज़्क़ और बारिश वग़ैरह की मिक़्दारें मुक़र्ररा फ़रिश्तों को लिखवा दी जाती हैं यहाँ तक कि जिस शख़्स को उस साल में हज नसीब होगा वह भी लिख दिया जाता है और यह फ़रिश्ते जिनको ये मामलात सुपुर्द किये जाते हैं बक़ौल इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु चार हैं-- इस्राफ़ील, मीकाईल, इ़ज़्राईल, जिब्राईल अ़लैहिमुस्सलाम। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

सूरः दुख़ान की आयतः

إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَٰرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۝ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۝ أَمْرًا مِّنْ عِندِنَآ.

में यह मज़मून ख़ूब स्पष्टता के साथ आ गया है कि इस मुबारक रात में तक़दीर के तमाम मामलात के फ़ैसले लिखे जाते हैं और इस आयत की तफ़सीर में गुज़र गया है कि मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत के नज़दीक मुबारक रात से मुराद भी शबे-क़द्र ही है, और कुछ हज़रात ने जो मुबारक रात से मध्य शाबान की रात यानी शबे-बराअत मुराद ली है तो वे इसकी मुवाफ़क़त इस तरह करते हैं कि तक़दीरी मामलात के शुरू के फ़ैसले संक्षिप्त तौर पर शबे-बराअत में हो होते हैं, फिर उनकी तफ़सीलात शबे-क़द्र में लिखी जाती हैं, इसकी ताईद हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के एक क़ौल से होती है जिसको इमाम बग़वी ने अबुज़्ज़ुहा की रिवायत से नक़ल किया है। उसमें फ़रमाया है कि अल्लाह तआ़ला साल भर के तक़दीरी मामलात का फ़ैसला तो शबे-बराअत यानी आधे शाबान की रात में कर लेते हैं फिर शबे-क़द्र में ये फ़ैसले संबन्धित फ़रिश्तों के सुपुर्द कर दिये जाते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

और यह पहले लिखा जा चुका है कि तक़दीर के मामलात के फ़ैसले इस रात में होने का मतलब यह है कि इस साल में तक़दीर के जो मामलात नाफ़िज़ होने हैं वो लौहे-महफ़ूज़ से नक़ल करके फ़रिश्तों के हवाले कर दिये जाते हैं और तक़दीर की असल तहरीर कायनात के पहले दिन (यानी शुरू में जिसकी शुरूआ़त की कोई समय-सीमा नहीं) में लिखा जा चुका है।

शबे-क़द्र का निर्धारण

इतनी बात तो क़ुरआने करीम की वज़ाहतों से साबित है कि शबे-क़द्र रमज़ान मुबारक के महीने में आती है मगर तारीख़ के निर्धारण (मुतैयन करने) में उलेमा के क़ौल अलग-अलग और भिन्न हैं जो चालीस तक पहुँचते हैं मगर तफ़सीरे मज़हरी में है कि उन सब क़ौलों में सही यह है कि शबे-क़द्र रमज़ान मुबारक के आख़िरे दस दिनों में होती है मगर आख़िरी दस दिनों की कोई ख़ास तारीख़ मुतैयन नहीं बल्कि उनमें से किसी भी रात में हो सकती है, वह हर रमज़ान में बदलती भी रहती है। और उन दस में से सही हदीसों के एतिबार से ख़ास ताक़ रातें यानी 21, 23, 25, 27, 29 में ज़्यादा गुमान व संभावना है। इस क़ौल में वो तमाम हदीसें जो शबे-क़द्र के

मुतैयन करने के बारे में आई हैं जमा हो जाती हैं, जिनमें 21, 23, 25, 27, 29वीं रातों में शबे-क़द्र होने का ज़िक्र आया है। अगर शबे-क़द्र को इन रातों में दायर और हर रमज़ान में मुन्तकिल होने वाला करार दिया जाये तो हदीस की ये सब रिवायतें अपनी-अपनी जगह दुरुस्त और साबित हो जाती हैं, किसी में तावील की ज़रूरत नहीं रहती। इसी लिये अक्सर फ़कीह इमामों ने उसको आख़िरी अशरे में मुन्तकिल होने वाली रात करार दिया है। अबू क़िलाबा, इमाम मालिक, अहमद बिन हंबल, सुफ़ियान सौरी, इस्हाक़ बिन राहवैह अबू सौर, मुज़नी, इब्ने ख़ुज़ैमा वग़ैरह सब ने यही फ़रमाया है, और एक रिवायत में इमाम शाफ़ई रह. से भी इसके मुवाफ़िक़ मन्क़ूल है, और दूसरी रिवायत इमाम शाफ़ई रह. की यह है कि यह रात मुन्तकिल होने वाली नहीं बल्कि निर्धारित और तयशुदा है। (इब्ने कसीर)

सही बुख़ारी में हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत से आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

تحرّوا الیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان.

यानी शबे-क़द्र को रमज़ान के आख़िरी अशरे (दस दिनों) में तलाश करो। और सही मुस्लिम में हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

فاطلبوھا فی الوتر منھا.

यानी शबे-क़द्र को रमज़ान के आख़िरी अशरे की ताक़ रातों में तलब करो। (मज़हरी)

शबे-क़द्र के कुछ फ़ज़ाईल और उस रात की ख़ास दुआ

उस रात की सबसे बड़ी फ़ज़ीलत तो वही है जो इस सूरत में बयान हुई है कि उस एक रात की इबादत एक हज़ार महीनों यानी तिरासी साल से ज़ायद की इबादत से भी बेहतर है। फिर बेहतर होने की कोई हद मुक़र्रर नहीं, कितनी बेहतर है कि दोगुनी चौगुनी सौ गुनी वग़ैरह सभी संभावनायें हैं।

और बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शबे-क़द्र में इबादत के लिये खड़ा रहा उसके पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो गये। और हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि शबे-क़द्र में वो तमाम फ़रिश्ते जिनका मक़ाम सिद्रतुल-मुन्तहा पर है जिब्रीले अमीन के साथ दुनिया में उतरते हैं और कोई मोमिन मर्द या औरत ऐसी नहीं जिसको वे सलाम न करते हों सिवाय उस आदमी के जो शराब पीता या सुअर का गोश्त खाता हो।

और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स शबे-क़द्र की ख़ैर व बरकत से मेहरूम रहा वह बिल्कुल ही मेहरूम व बदनसीब है। शबे-क़द्र में कुछ हज़रात को ख़ास अनवार का अनुभव, एहसास और नज़ारा भी होता है मगर न यह सब को

हासिल होता है न रात की बरकतें और सवाब हासिल होने में ऐसी चीज़ों के देखे जाने का कुछ दख़्ल है, इसलिये उसकी फ़िक्र में न पड़ना चाहिये।

हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से मालूम किया कि अगर मैं शबे-क़द्र को पाऊँ तो क्या दुआ़ करूँ? आपने फ़रमाया कि यह दुआ़ करोः

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ.

अल्लाहुम्-म इन्न-क अ़फ़ुव्वुन् तुहिब्बुल्-अ़फ़्-व फ़अ़्फ़ु अ़न्नी।

या अल्लाह! आप बहुत माफ़ करने वाले हैं और माफ़ी को पसन्द करते हैं, मेरी ख़तायें माफ़ फ़रमाईये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِیْ لَیْلَةِ الْقَدْرِ○

इस आयत में वज़ाहत है कि क़ुरआने करीम शबे-क़द्र में नाज़िल हुआ। इसका यह मफ़्हूम भी हो सकता है कि पूरा क़ुरआन लौहे-महफ़ूज़ से इस रात में उतारा गया फिर जिब्रीले अमीन उसको दर्जा-ब-दर्जा तेईस साल के अ़रसे में हिदायत के अनुसार थोड़ा-थोड़ा लाते रहे, और यह भी मुराद हो सकती है कि क़ुरआन के नाज़िल होने की शुरूआ़त इस रात में चन्द आयतों से हो गयी, बाक़ी बाद में नाज़िल होता रहा।

तमाम आसमानी किताबें रमज़ान ही में नाज़िल हुई हैं

हज़रत अबूज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के सहीफ़े रमज़ान की तीसरी तारीख़ में, और तौरात छठी तारीख़ में और इंजील तेरहवीं तारीख़ में और ज़बूर अट्ठारहवीं तारीख़ रमज़ान में नाज़िल हुई हैं, और क़ुरआन नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर चौबीसवीं तारीख़ रमज़ान में उतरा है। (तफ़सीरे मज़हरी)

تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ

रूह से मुराद जिब्रीले अमीन हैं। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जब शबे-क़द्र होती है तो जिब्रीले अमीन फ़रिश्तों की बड़ी जमाअ़त के साथ ज़मीन पर उतरते हैं, और जितने अल्लाह के बन्दे मर्द व औरत नमाज़ या अल्लाह के ज़िक्र में मशग़ूल होते हैं सब के लिये रहमत की दुआ़ करते हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

مِنْ كُلِّ اَمْرٍ

इसमें हर्फ़ 'मिन' बा के मायने में है जैसेः

يَحْفَظُوْنَهٗ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ..................... الاٰية.

में भी 'मिन्' बा के मायने में इस्तेमाल हुआ है। मायने यह हैं कि फ़रिश्ते शबे-क़द्र में

तमाम साल के अन्दर पेश आने वाले तक़दीरी वाक़िआत लेकर ज़मीन पर उतरते हैं। और कुछ हज़राते मुफ़स्सिरीन- इमाम मुजाहिद वग़ैरह ने 'मिन् कुल्लि अम्रिन्' को सलाम के साथ जोड़ करके यह मायने क़रार दिये हैं कि यह रात सलामती है हर शर व आफ़त और बुरी चीज़ से। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

'सलामुन' इबारत की असल 'हि-य सलामुन' है। लफ़्ज़ 'हि-य' पोशीदा कर दिया गया, मायने यह हैं कि यह रात सलाम और सलामती ही है और ख़ैर ही ख़ैर है, इसमें शर (बुराई) का नाम नहीं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और कुछ हज़रात ने तक़दीरे इबारत 'सलामुन् हु-व' क़रार देकर इसको 'मिन् कुल्लि अम्रिन्' की सिफ़त बनाया और मायने यह हुए कि ये फ़रिश्ते हर ऐसा हुक्म व मामला लेकर आते हैं जो ख़ैर व सलाम है। (तफ़सीरे मज़हरी)

هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ٥

यानी शबे-क़द्र की ये बरकतें रात के किसी ख़ास हिस्से के साथ ख़ास नहीं, शुरू रात से फ़जर निकलने तक एक ही हुक्म है।

फ़ायदा

इन आयतों में शबे-क़द्र को एक हज़ार महीनों से बेहतर क़रार दिया है, और ज़ाहिर है कि उन एक हज़ार महीनों के अन्दर भी हर साल एक शबे-क़द्र आयेगी तो हिसाब किस तरह बनेगा। तफ़सीर के इमामों ने फ़रमाया कि यहाँ एक हज़ार महीनों से वो मुराद हैं जिनमें शबे-क़द्र शामिल न हो, इसलिये कोई शुब्हा नहीं (जैसा कि इमाम इब्ने कसीर ने इमाम मुजाहिद से नक़ल किया है)।

सूरज निकलने के स्थानों (उदय-स्थलों) के भिन्न और अलग-अलग होने के सबब विभिन्न मुल्कों और शहरों में शबे-क़द्र मुख़्तलिफ़ दिनों में हो तो इसमें कोई इश्काल (शुब्हा व एतिराज़ की बात) नहीं, क्योंकि हर जगह के एतिबार से जो रात शबे-क़द्र क़रार पायेगी उस जगह उसी रात में शबे-क़द्र की बरकतें हासिल होंगी। वल्लाहु सुब्हानहू व तआला आलम

मसलाः- जिस शख़्स ने शबे-क़द्र में इशा और सुबह की नमाज़ जमाअत से पढ़ ली उसने भी उस रात का सवाब पा लिया, और जो शख़्स जितना ज़्यादा करेगा ज़्यादा सवाब पायेगा। सही मुस्लिम में हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने इशा की नमाज़ जमाअत के साथ अदा कर ली तो आधी रात के क़ियाम का सवाब पा लिया, और जिसने सुबह की नमाज़ भी जमाअत से अदा कर ली तो पूरी रात जागने और इबादत करने का सवाब हासिल कर लिया।

अल्लाह तआला का शुक्र है कि सूरः अल्-क़द्र की तफ़सीर आज रमज़ान की 7 तारीख़ सन् 1391 हिजरी को पूरी हुई।

सूरः अल्-बय्यिनह्

सूरः अल्-बय्यिनह् मदीना में नाज़िल हुई और इसकी 8 आयतें हैं।

آياتها ٨ (٩٨) سُوْرَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ (١٠٠) ركوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ حَتّٰى تَاْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ رَسُوْلٌ مِّنَ اللّٰهِ يَتْلُوْا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيْهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ۝ وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ۙ حُنَفَآءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۭ اُولٰۗىِٕكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۝ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ ۙ اُولٰۗىِٕكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۝ جَزَاۗؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتُ عَدْنٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۭ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ۭ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ ۝

بिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

लम् यकुनिल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् अस्लिल्-किताबि वल्मुश्रिकी-न मुन्फ़क्की-न हत्ता तअ्ति-यहुमुल्-बय्यिनह् (1) रसूलुम्-मिनल्लाहि यत्लू सुहुफ़म् मुतह्ह-रतन् (2) फ़ीहा कुतुबुन् क़य्यिमह् (3) व मा त-फ़र्रक़ल्लज़ी-न ऊतुल्-किता-ब इल्ला मिम्-बअ़्दि मा जाअत्हुमुल्-बय्यिनह् (4) व मा उमिरू इल्ला लियअ़्बुदुल्ला-ह मुख़्लिसी-न	न थे वे लोग जो इनकारी हैं अहले किताब और मुश्रिक बाज़ आने वाले यहाँ तक कि पहुँचे उनके पास खुली बात (1) एक रसूल अल्लाह का पढ़ता हुआ पाक पन्ना (2) उसमें लिखी हैं किताबें मज़बूत (3) और वह जो फूट पड़ी अहले किताब में, सो जबकि आ चुकी उनके पास खुली बात। (4) और उनको हुक्म यही हुआ कि बन्दगी करें अल्लाह की ख़ालिस करके

लहुद्दी-न हु-नफ़ा-अ व युक़ीमुस्सला-त व युअ्तुज़्ज़का-त व ज़ालि-क दीनुल्-क़य्यिमह् (5) इन्नल्लज़ी-न क-फ़रू मिन् अह़्लिल्-किताबि वल्मुश्रिकी-न फ़ी नारि जहन्न-म ख़ालिदी-न फ़ीहा, उलाइ-क हुम् शर्रुल्-बरिय्यह् (6) इन्नल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्सालिहाति उलाइ-क हुम् ख़ैरुल्-बरिय्यह् (7) जज़ाउहुम् अ़िन्-द रब्बिहिम् जन्नातु अ़द्निन् तज्री मिन् तह़्तिहल्-अन्हारु ख़ालिदी-न फ़ीहा अ-बदन्, रज़ियल्लाहु अ़न्हुम् व रज़ू अ़न्हु, ज़ालि-क लिमन् ख़शि-य रब्बह् (8) ✿	उसके वास्ते बन्दगी इब्राहीम की राह पर, और क़ायम रखें नमाज़ और दें ज़कात और यह है राह मज़बूत लोगों की (5) और जो इनकारी हुए अहले किताब और मुश्रिक होंगे दोज़ख़ की आग में सदा रहें उसमें, वे लोग हैं तमाम मख़्लूक़ से बदतर। (6) वे लोग जो यक़ीन लाये और किये भले काम वे लोग हैं सब मख़्लूक़ से बेहतर (7) बदला उनका उनके रब के यहाँ बाग़ हैं हमेशा रहने को, नीचे बहती हैं उनके नहरें सदा रहें उनमें हमेशा, अल्लाह उनसे राज़ी और वे उससे राज़ी, यह मिलता है उसको जो डरा अपने रब से। (8) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जो लोग अहले किताब और मुश्रिकों में से (आपको पैग़म्बर बनाकर भेजे जाने से पहले) काफ़िर थे, वे (अपने कुफ़्र से हरगिज़) बाज़ आने वाले न थे, जब तक कि उनके पास खुली दलील न आती (यानी) एक अल्लाह का रसूल जो (उनको) पाक सहीफ़े पढ़कर सुना दे जिनमें दुरुस्त मज़ामीन लिखे हों (मुराद क़ुरआन है। मतलब यह है कि उन काफ़िरों का कुफ़्र ऐसा सख़्त था और ऐसी जहालत में मुब्तला थे कि बिना किसी अ़ज़ीम रसूल के उनके राह पर आने की कोई उम्मीद न थी इसलिये अल्लाह तआ़ला ने उन पर अपनी हुज्जत पूरी करने के लिये आपको क़ुरआन देकर भेजा) और (उनको चाहिये था कि इसको ग़नीमत समझते और इस पर ईमान ले आते मगर) जो लोग अहले किताब थे (और ग़ैर-अहले किताब तो और भी ज़्यादा) वे इस खुली दलील के आने ही के बाद (दीन में) झगड़े निकालने वाले हो गये (यानी दीने हक़ से भी इख़्तिलाफ़ किया और आपस के जो झगड़े पहले से थे उनको भी दीने हक़ की पैरवी करके दूर न किया, और मुश्रिकों को और भी ज़्यादा इसलिये कहा कि उनके पास तो पहले से भी कोई आसमानी इल्म व हिदायत न थी) हालाँकि उन लोगों को (पहली आसमानी किताबों में) यही

हुक्म हुआ था कि (बातिल और शिर्क वाले दीनों से) एक तरफ़ होकर (बातिल और ग़ैर-हक़ दीन वालों की तरह किसी को अल्लाह का शरीक न बनायें) अल्लाह की इस तरह इबादत करें कि इबादत उसी के लिये ख़ालिस रखें, और नमाज़ की पाबन्दी रखें और ज़कात दिया करें, और यही तरीक़ा है इन (ज़िक्र हुए) दुरुस्त मज़ामीन का (बतलाया हुआ। हासिल तक़रीर का यह हुआ कि इन अहले किताब को इनकी किताबों में यह हुक्म हुआ था कि क़ुरआन और रसूले करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर ईमान लायें, और यही तालीम थी क़ुरआन की जिसको ऊपर 'क़ुतुबे क़य्यिमह्' से ताबीर फ़रमाया है, इसलिये इस क़ुरआन के न मानने से ख़ुद अपनी किताबों की मुख़ालफ़त भी लाज़िम आती है।

यह तो अहले किताब पर इल्ज़ाम हुआ और मुश्रिक लोग अगरचे पहली किताबों को नहीं मानते मगर इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम के तरीक़े का हक़ होना ये भी तस्लीम करते थे, और यह बात यक़ीनी तौर पर साबित है कि इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम शिर्क से बिल्कुल बरी थे, और क़ुतुबे क़य्यिमह् यानी क़ुरआन का उस तरीक़े के साथ मुवाफ़िक़ होना भी ज़ाहिर है, इसलिये उन पर भी हुज्जत पूरी हो गयी, और मुराद उन फूट का शिकार होने वालों और मुख़ालिफ़ों से बाज़े वे काफ़िर हैं जो ईमान न लाये थे, और मुक़ाबले के क़रीने से यह भी मालूम हो गया कि जिन लोगों ने फूट और मुख़ालफ़त का मामला नहीं किया वे ईमान वाले हैं। अ़मल के बयान करने के बाद आगे स्पष्ट रूप से काफ़िरों की दोनों क़िस्मों यानी 'अहले किताब' व 'मुश्रिकों' की और साथ ही 'मोमिनों' की सज़ा व जज़ा का मज़मून इरशाद फ़रमाते हैं, यानी) बेशक जो लोग अहले किताब और मुश्रिकों में से काफ़िर हुए वे दोज़ख़ की आग में जाएँगे जहाँ हमेशा-हमेशा रहेंगे, (और) ये लोग मख़्लूक़ में सबसे बदतर हैं।

(और) बेशक जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये वे लोग मख़्लूक़ में सबसे अच्छे हैं, उनका सिला उनके परवर्दिगार के यहाँ हमेशा रहने की जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी, जहाँ हमेशा-हमेशा रहेंगे, (और) अल्लाह उनसे ख़ुश रहेगा और वे अल्लाह से ख़ुश रहेंगे। (यानी न उनसे कोई नाफ़रमानी होगी और न उनको कोई बुरा व नापसन्दीदा मामला पेश आयेगा जिससे दोनों तरफ़ से किसी तरह की नाराज़ी का शुब्हा हो, और) यह (जन्नत और अल्लाह की रज़ा) उस शख़्स के लिये है जो अपने रब से डरता है (और अल्लाह से डरने ही पर ईमान व नेक अ़मल मुरत्तब होता है जिसको जन्नत में दाख़िल होने और अल्लाह की रज़ा हासिल होने का मदार फ़रमाया है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

पहली आयत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी बनकर तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया में कुफ़्र व शिर्क और जहालत के पूरी तरह फैलने और छा जाने को ज़िक्र करके फ़रमाया गया है कि कुफ़्र व शिर्क के ऐसे आ़लमी पैमाने के अंधेरे को दूर करने के लिये रब्बुल-आ़लमीन की हिक्मत व रहमत का तक़ाज़ा यह हुआ कि जैसे उनका रोग सख़्त और वबा

आ़लमी पैमाने की है उसके इलाज के लिये भी कोई सबसे बड़ा माहिर कामिल मुआ़लिज (इलाज करने वाला) भेजना चाहिये, इसके बग़ैर वे इस रोग से निजात न पा सकेंगे। आगे उस माहिर व कामिल हकीम की सिफ़त बयान की कि उसका वजूद एक बय्यिना यानी खुली हुज्जत हो, शिर्क व कुफ़्र के बातिल करने के लिये। आगे फ़रमाया कि इस मुआ़लिज (हकीम) से मुराद अल्लाह का वह सबसे बड़ा रसूल है जो क़ुरआन की खुली हुज्जत लेकर उनके पास आये। इस सारी सूरतेहाल में हुज़ूरे पाक के नबी बनने से पहले ज़माने की ज़बरदस्त ख़राबियों और हर तरफ़ जहालत व अंधेरा होना भी मालूम हुआ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की बड़ी शान का भी बयान हुआ। आगे क़ुरआन की चन्द अहम सिफ़तों का बयान फ़रमाया।

يَتْلُوا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِيهَا كُتُبٌ قَيِّمَةٌ ۝

'यतलू' तिलावत से निकला है जिसके मायने पढ़ने के हैं, मगर हर पढ़ने को तिलावत नहीं कहा जाता बल्कि वह पढ़ना जो पढ़ाने वाले की तालीम व हिदायत के बिल्कुल मुताबिक़ हो उसको तिलावत कहते हैं, इसी लिये उर्फ़ में उमूमन लफ़्ज़ तिलावत सिर्फ़ क़ुरआन पढ़ने के लिये बोला जाता है। सुहुफ़ सहीफ़े की जमा (बहुवचन) है, जिन काग़ज़ात में कोई मज़मून लिखा हो उनको सहीफ़ा कहते हैं। कुतुब किताब की जमा है इसके एक मायने तो लिखी हुई चीज़ के हैं इस एतिबार से किताब और सहीफ़ा तक़रीबन एक ही मायने के लफ़्ज़ हैं, और कभी लफ़्ज़ किताब हुक्म के मायने में भी बोला जाता है जैसा कि क़ुरआन की आयतः

لَوْلَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ.

में लफ़्ज़ किताब हुक्म ही के मायने में इस्तेमाल हुआ है। इस जगह भी यही दूसरे मायने मुराद हैं, क्योंकि परिचित मायने में लें तो कुतुब बिल्कुल सुहुफ़ हैं, फ़ीहा कहने के कोई मायने नहीं रहते।

'मुतह्ह-रतन्' यह सुहुफ़ की सिफ़त है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि इससे मुराद यह है कि ये सहीफ़े झूठ व शक और निफ़ाक़ व गुमराही से पाक हैं। 'क़य्यि-मतुन' मुस्तक़ीमतुन् के मायने में कुतुब की सिफ़त है, मायने यह हैं कि ये अहकाम मुस्तक़ीम (सही राह वाले) मुन्सिफ़ाना (अ़द्ल व इन्साफ़ वाले) व मोतदिल (दरमियानी दर्जे वाले) हैं और इसके मायने मज़बूत व स्थिर के भी हो सकते हैं, तो मतलब यह होगा कि अल्लाह के अहकाम जो क़ुरआन में आये हैं वो क़ियामत तक क़ायम और बाक़ी रहेंगे।

आयत का मतलब यह हो गया कि उस ज़माने के मुश्रिकों और अहले किताब की गुमराही इस दर्जे में पहुँची हुई थी कि उनको अपने बातिल और ग़लत अ़क़ीदों से हटना मुम्किन न था जब तक कि उनके पास अल्लाह तआ़ला की खुली निशानी और स्पष्ट हुज्जत न आ जाये इसलिये अल्लाह तआ़ला ने उनके वास्ते अपने रसूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को खुली हुज्जत बनाकर भेजा जिसका काम यह था कि वह उनको पाक सहीफ़े पढ़कर सुनाते थे। मुराद यह है कि वह अल्लाह की वही के अहकाम सुनाते थे जो बाद में सहीफ़ों के ज़रिये महफ़ूज़ किये

गये क्योंकि शुरू में तिलावत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम किसी सहीफ़े से नहीं बल्कि अपनी याददाश्त से पढ़कर सुनाते थे, और ये पाक सहीफ़े ऐसे हैं जिनमें अल्लाह के ऐसे अहकाम हैं जो अ़दल व एतिदाल के साथ दिये गये हैं। और हमेशा क़ायम रहने वाले हैं।

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ مَا جَآءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ ٥

'तफ़र्रुक़' से मुराद इस जगह इनकार व इख़्तिलाफ़ है। क़ुरआन और नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से जिस पर तमाम अहले किताब आपकी पैदाईश और नबी बनने से पहले मुत्तफ़िक़ थे क्योंकि उनकी आसमानी किताबों तौरात व इंजील में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की रिसालत व नुबुव्वत का और आपकी ख़ास-ख़ास सिफ़तों और आप पर क़ुरआन नाज़िल होने का स्पष्ट ज़िक्र मौजूद था, इसलिये किसी यहूदी ईसाई का इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) नहीं था कि आख़िरी ज़माने में मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लायेंगे, आप पर क़ुरआन नाज़िल होगा, आप ही की पैरवी सब पर लाज़िम होगी, जैसा कि क़ुरआने करीम में भी उनके इस इत्तिफ़ाक़ (एक राय होने) का ज़िक्र इस तरह किया गया है:

وَكَانُوْا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُوْنَ عَلَى الَّذِيْنَ كَفَرُوْا.

यानी ये अहले किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से पहले आपके आने का इन्तिज़ार कर रहे थे और जब कभी मुश्रिक लोगों से इनका मुक़ाबला होता तो आने वाले नबी के वास्ते से अपनी फ़तह माँगतेत थे, यानी अल्लाह से दुआ़ करते थे कि नबी-ए-आख़िरुज़्ज़माँ जो आने वाले हैं उनकी बरकत से हमें फ़तह नसीब फ़रमा दे, या यह कि ये लोग मुश्रिकों से कहा करते थे तुम लोग हमारे ख़िलाफ़ ज़ोर आज़माई करते हो मगर जल्द ही एक ऐसे रसूल आने वाले हैं जो तुम सब को ज़ेर (पस्त) कर देंगे और हम चूँकि उनके साथ होंगे तो हमारी फ़तह होगी।

ख़ुलासा यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत से पहले तो अहले किताब सब के सब आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत पर मुत्तफ़िक़ (एक राय) थे मगर जब आप तशरीफ़ ले आये तो मुन्किर हो गये। इसी मज़मून को क़ुरआन में एक जगह:

فَلَمَّا جَآءَهُمْ مَّا عَرَفُوْا كَفَرُوْا بِهٖ.

यानी जब उन लोगों के पास वह रसूल या दीने हक़ या क़ुरआन आ गया जिसको उन्होंने भी अपनी आसमानी किताबों की भविष्यवाणी के मुताबिक़ पहचान लिया तो लगे कुफ़्र करने। और उक्त आयत में इसी मज़मून को इस तरह ज़िक्र फ़रमाया कि:

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ.................. الآية.

यानी यह अ़जीब बात है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के आने और देखने से पहले तो उन लोगों को आप से कोई इख़्तिलाफ़ (झगड़ा व मुख़ालफ़त) नहीं था सब आपकी नुबुव्वत

के एतिक़ाद पर इकट्ठे थे, मगर जब यह अल्लाह की खुली दलील यानी रसूले आख़िरुज़्ज़माँ तशरीफ़ ले आये तो उनमें फूट पैदा हो गयी, कुछ लोग तो आप पर ईमान लाये और बहुत से इनकार करने लगे।

यह मामला चूँकि अहले किताब ही के साथ मख़्सूस था इसलिये इस आयत में सिर्फ़ अहले किताब ही का ज़िक्र फ़रमाया है, मुश्रिक लोगों को शामिल नहीं किया बल्कि फ़रमायाः

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ............ الاٰية.

और पहला मामला मुश्रिकों और अहले किताब दोनों को आम और साझा था इसलिये वहाँ फ़रमायाः

لَمْ يَكُنِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ مُنْفَكِّيْنَ.

और ऊपर बयान हुए ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में दूसरे मामले को भी मुश्रिक लोगों और अहले किताब दोनों में आम करार देकर उसके मुताबिक़ तक़रीर की गयी है, वल्लाहु आलम।

وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِo

यहाँ लफ़्ज़ 'क़य्यिमह्' बज़ाहिर कुतुब की सिफ़त है जिसका ज़िक्र ऊपर आया है, और कुछ हज़रात ने इसको **मिल्लत** की सिफ़त करार दिया है। हासिल आयत का यह है कि अहले किताब को उनकी किताबों में यही हुक्म दिया गया था कि अपनी इबादत और नेक आमाल को ख़ालिस अल्लाह के लिये रखें और नमाज़ क़ायम करें और ज़कात अदा करें, फिर फ़रमाया कि यह कुछ उनकी ही ख़ुसूसियत नहीं हर 'मिल्लते क़य्यिमह्' या तमाम 'कुतुबे क़य्यिमह' जो अल्लाह की तरफ़ से नाज़िल हुई उन सब का दीन और तरीक़ा यही है, और ज़ाहिर यह है कि क़य्यिमह् जो कुतुब की सिफ़त है उससे पहले बयान हुए मज़मून के इशारे से क़ुरआन के अहकाम मुराद लिये जायें तो आयत का मतलब यह होगा कि इस शरीअ़ते मुहम्मदिया ने भी जो अहकाम उनको दिये वो भी बिल्कुल पूरी तरह वही थे जो उनकी किताबों ने दिये थे, उनसे कुछ अलग और भिन्न अहकाम होते तो उनको मुख़ालफ़त का कुछ बहाना भी मिलता, अब वह भी नहीं।

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ. ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗo

इस आयत में जन्नत वालों की सबसे बड़ी नेमत का ज़िक्र है कि अल्लाह तआ़ला उनसे राज़ी है, अब नाराज़ी का कोई ख़तरा नहीं। हज़रत अबू सईद ख़ुदरी रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला जन्नत वालों से ख़िताब के लिये फ़रमायेंगे 'या अह्लल्-जन्नति' तो जन्नत वाले जवाब देंगेः

لَبَّيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِيْ يَدَيْكَ.

यानी ऐ हमारे रब! हम हाज़िर हैं और हुक्म की तामील के लिये तैयार हैं, और हर भलाई आप ही के हाथ में है। फिर हक़ तआ़ला फ़रमायेंगेः

هَلْ رَضِيْتُمْ.

यानी तुम लोग राज़ी और ख़ुश हो? वे जवाब देंगे- ऐ हमारे परवर्दिगार! अब भी राज़ी न होने का क्या शुब्हा है जबकि आपने हमें वह सब कुछ अ़ता फ़रमा दिया जो किसी मख़्लूक़ को नहीं मिला। अल्लाह तआ़ला फ़रमायेंगे कि क्या मैं तुमको इससे भी अफ़ज़ल और बेहतर नेमत दे दूँ? फिर फ़रमायेंगे कि मैंने अपनी रज़ा तुम्हारे ऊपर नाज़िल कर दी, अब कभी तुमसे नाराज़ न हूँगा। (बुख़ारी व मुस्लिम। मज़हरी)

इस हदीस में भी जन्नत वालों से पूछा गया कि आप राज़ी भी हो, और इस आयत में ख़बर दी गयी कि 'रज़ू अ़न्हु' यानी जन्नत वाले भी अल्लाह तआ़ला से राज़ी होंगे। यहाँ बज़ाहिर यह सवाल होता है कि अल्लाह से और उसके हर हुक्म और हर फ़ेल से राज़ी होना तो बन्दगी और अ़ब्दियत की लाज़िमी चीज़ और फ़रीज़े में से है, इसके बग़ैर तो कोई जन्नत में जा ही नहीं सकता, फिर यहाँ जन्नत वालों की रज़ामन्दी ज़िक्र करने का क्या मतलब है। जवाब यह है कि रज़ा के आ़म मफ़्हूम के एतिबार से तो यह सही है कि तक़दीर पर राज़ी रहना बन्दगी के वाजिबात व फ़राईज़ में से है लेकिन रज़ा का एक दर्जा और भी है जो इससे आगे है, वह यह कि अल्लाह तआ़ला किसी बन्दे को उसकी हर मुराद अ़ता कर दें और कोई तमन्ना व आरज़ू बाक़ी न छोड़ें, इस जगह रज़ा से यही मुराद है। जैसे सूरः अज़्ज़ुहा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के लिये आया है:

وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰىo

यानी बहुत जल्द अल्लाह तआ़ला आपको देंगे वह चीज़ जिससे आप राज़ी हो जायेंगे। यहाँ भी मुराद तमन्ना के आख़िरी दर्जे का पूरा कर देना है, इसी लिये इस आयत के नाज़िल होने पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि फिर तो मैं उस वक़्त तक राज़ी न हूँगा जब तक एक भी मोमिन जहन्नम में बाक़ी रहेगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗo

सूरत के आख़िर में तमाम दीनी कमालात और आख़िरत की नेमतों का जिस पर मदार है वह बतला दिया यानी 'अल्लाह की ख़शीयत' ख़शीयत उस ख़ौफ़ को नहीं कहा जाता जो किसी दुश्मन या दरिन्दे या तकलीफ़ देने वाली चीज़ से तबई तौर पर होता है, बल्कि ख़शीयत उस ख़ौफ़ को कहते हैं जो किसी की बहुत ही बड़ाई व जलाल की वजह से पैदा हो जिसका तक़ाज़ा यह होता है कि वह हर काम और हर हाल में उसकी रज़ा तलब करने की फ़िक्र करता है और नाराज़ी के शुब्हे से भी बचता है, यही वह चीज़ है जो इनसान को कामिल और मक़बूल बन्दा बनाने वाली है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-बय्यिनह् की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अज़्-ज़िल्ज़ाल

सूरः अज़्-ज़िल्ज़ाल मदीना में नाज़िल हुई और इसकी 8 आयतें हैं।

سُوْرَةُ الزِّلْزَالِ مَدَنِيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ وَاَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ۙ يَوْمَئِذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۙ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۙ وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۙ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इज़ा ज़ुल्ज़ि-लतिल्-अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा (1) व अख़्र-जतिल्-अर्ज़ु अस्क़ालहा (2) व क़ालल्-इन्सानु मा लहा (3) यौमइज़िन् तुहद्दिसु अख़्बारहा (4) बिअन्-न रब्ब-क औहा लहा (5) यौमइज़िंय्-यस्दुरुन्नासु अश्तातल्-लियुरौ अअ्मालहुम् (6) फ़-मंय्यअ्मल् मिस्क़ा-ल ज़र्रतिन् ख़ैरंय्-यरह् (7) व मंय्-यअ्मल् मिस्क़ा-ल ज़र्रतिन् शर्रंय्-यरह् (8) ✿

जब हिला डाले ज़मीन को उसके भूचाल से (1) और निकाल बाहर करे ज़मीन अपने अन्दर से बोझ (2) और कहे आदमी इसको क्या हो गया (3) उस दिन कह डालेगी वह अपनी बातें (4) इस वास्ते कि तेरे रब ने हुक्म भेजा उसको (5) उस दिन हो पड़ेंगे लोग तरह-तरह पर कि उनको दिखा दिये जायें उनके अमल (6) सो जिसने की ज़र्रा भर भलाई वह देख लेगा उसे (7) और जिसने की ज़र्रा भर बुराई वह देख लेगा उसे। (8) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

जब ज़मीन अपनी सख़्त जुम्बिश से हिलाई जायेगी। और ज़मीन अपने बोझ बाहर निकाल फेंकेगी। (बोझ से मुराद दफ़ीने और मुर्दे हैं। और अगरचे कुछ रिवायतों से उससे पहले ही

दफ़ीनों का बाहर आ जाना मालूम होता है लेकिन मुम्किन है कि क़ियामत से पहले जो दफ़ीने बाहर आ गये थे वक़्त गुज़रने से फिर उन पर मिट्टी आ गयी हो और वो छुप गये हों, और क़ियामत के दिन फिर निकलें और दफ़ीने "ज़मीन में दफ़न ख़ज़ाने और माल व दौलत" के ज़ाहिर हो जाने की शायद यह हिक्मत हो कि माल की बहुत मुहब्बत करने वाले अपनी आँखों से मालों का बेकार होना देख लें) और (उस हालत को देखकर काफ़िर) आदमी कहेगा कि इसको क्या हुआ (कि ज़मीन इस तरह हिल रही है और सब दफ़ीने बाहर आ रहे हैं)? उस दिन (ज़मीन) अपनी सब (अच्छी-बुरी) ख़बरें बयान करने लगेगी इस सबब से कि आपके रब का उसको यही हुक्म होगा (तिर्मिज़ी वग़ैरह में इसकी तफ़सीर में मरफ़ूअ़ हदीस आई है कि जिस शख़्स ने रू-ए-ज़मीन पर जैसा अ़मल किया होगा अच्छा या बुरा, ज़मीन सब कह देगी, यह उसकी गवाही होगी), उस दिन लोग मुख़्तलिफ़ जमाअ़तें होकर (हिसाब के मक़ाम से) वापस होंगे (यानी जो लोग मेहशर के हिसाब से फ़ारिग़ होकर लौटेंगे तो कुछ जमाअ़तें जन्नती कुछ दोज़ख़ी क़रार पाकर जन्नत व दोज़ख़ की तरफ़ चली जायेंगी) ताकि अपने आमाल (के फल) को देख लें सो जो शख़्स (दुनिया में) ज़र्रा बराबर नेकी करेगा वह (वहाँ) उसको देख लेगा, और जो शख़्स ज़र्रा बराबर बुराई करेगा वह उसको देख लेगा (बशर्ते कि उस वक़्त तक वह ख़ैर व शर बाक़ी रही हो, वरना अगर कुफ़्र के सबब वह चीज़ फ़ना हो चुकी हो या ईमान व तौबा के ज़रिये बदी माफ़ हो चुकी हो तो वह इसमें दाख़िल नहीं, क्योंकि वह बेकार व ख़त्म हो चुकी ख़ैर अब न ख़ैर है और न वह माफ़ किया हुआ गुनाह और शर अब शर है, इसलिये मेहशर में वह सामने न आयेंगे)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۝

इसमें इख़्तिलाफ़ (मतभेद) है कि इस आयत में जिस ज़लज़ले का ज़िक्र है यह वह ज़लज़ला है जो पहली बार के सूर फूँकने से पहले दुनिया में होगा जैसा कि क़ियामत की निशानियों में उस ज़लज़ले का ज़िक्र आया है, या इस ज़लज़ले से मुराद दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद जब मुर्दे ज़िन्दा होकर ज़मीन से उठेंगे उस वक़्त का ज़लज़ला है, मुफ़स्सिरीन हज़रात के अक़वाल और रिवायतें मुख़्तलिफ़ हैं, और यह भी कोई बईद नहीं कि ज़लज़ले एक से ज़्यादा हों, एक पहली बार सूर फूँके जाने से पहले, दूसरा दूसरी बार का सूर फूँके जाने के बाद मुर्दों के ज़िन्दा होने के वक़्त, और इस जगह यही दूसरा ज़लज़ला मुराद हो। और इस सूरत में जो आगे क़ियामत के हालात और हिसाब किताब का ज़िक्र है वह क़रीना इसी का है कि यह ज़लज़ला दूसरी बार के सूर फूँकने के बाद का है। वल्लाहु आलम। (तफ़सीरे मज़हरी)

وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۝

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस ज़लज़ले के मुताल्लिक़ इरशाद फ़रमाया कि

ज़मीन अपने जिगर के टुकड़े सोने की बड़ी चट्टानों की शक्ल में उगल देगी, उस वक़्त एक शख़्स जिसने माल के लिये किसी को क़त्ल किया था वह देखकर कहेगा कि यह वह चीज़ है जिसके लिये मैंने इतना बड़ा जुर्म किया था? जिस शख़्स ने अपने रिश्तेदारों से माल की वजह से ताल्लुक़ तोड़ लिया था वह कहेगा कि यह है वह चीज़ जिसके लिये मैंने यह हरकत की थी? चोर जिसका हाथ चोरी की सज़ा में काटा गया था उसको देखकर कहेगा कि इसके लिये मैंने अपना हाथ गंवाया था? फिर कोई भी उस सोने की तरफ़ ध्यान न करेगा। (मुस्लिम, हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से)

فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ○

आयत में ख़ैर से मुराद वह ख़ैर है जो शरअ़न मोतबर है, यानी जो ईमान के साथ हो, बग़ैर ईमान के अल्लाह के नज़दीक कोई नेक अ़मल नेक नहीं। यानी आख़िरत में ऐसे नेक अ़मल का जो कुफ़्र की हालत में किया है कोई एतिबार नहीं होगा चाहे दुनिया में उसको उसका बदला दिया जाये, इसी लिये इस आयत से इस पर दलील ली गयी है कि जिस शख़्स के दिल में एक ज़र्रा बराबर ईमान होगा वह आख़िरकार जहन्नम से निकाल लिया जायेगा, क्योंकि इस आयत के वायदे के मुताबिक़ उसको अपनी नेकी का फल भी आख़िरत में मिलना ज़रूरी है, और कोई भी नेकी न हो तो ख़ुद ईमान बहुत बड़ी नेकी है।

इसलिये कोई मोमिन कितना ही गुनाहगार हो हमेशा जहन्नम में न रहेगा। अलबत्ता काफ़िर ने अगर दुनिया में कुछ नेक अ़मल भी किये तो अ़मल की शर्त यानी ईमान के न होने की वजह से बेकार हैं इसलिये आख़िरत में उसकी कोई ख़ैर (नेकी) ख़ैर ही नहीं।

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ○

इससे मुराद वह शर है जिससे अपनी ज़िन्दगी में तौबा न कर ली हो, क्योंकि तौबा से गुनाहों का माफ़ होना क़ुरआन व सुन्नत में यक़ीनी तौर पर साबित है। अलबत्ता जिस गुनाह से तौबा न की हो वह छोटा हो या बड़ा आख़िरत में उसका नतीजा ज़रूर सामने आयेगा। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा को मुख़ातब करके फ़रमाया कि देखो ऐसे गुनाहों से बचने का पूरा एहतिमाम करो जिनको छोटा या मामूली समझा जाता है, क्योंकि अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से उस पर भी पकड़ होनी है। (नसाई व इब्ने माजा, हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा की रिवायत से)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि क़ुरआन की यह आयत सबसे ज़्यादा मज़बूत और जामे आयत है, और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक लम्बी हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इस आयत को मुन्फ़रिद, यक्ता (यानी बेमिसाल) और जामे फ़रमाया है।

और हज़रत अनस और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूरः 'इज़ा ज़ुलज़िलत्' को आधा क़ुरआन और 'क़ुल् हुवल्लाहु

अहद्' को तिहाई क़ुरआन और 'क़ुल या अय्युहल-काफ़िरून' को चौथाई क़ुरआन फ़रमाया है।

(तिर्मिज़ी, बग़वी। तफ़सीरे मज़हरी)

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अज़्-ज़िल्ज़ाल की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-आ़दियात

सूरः अल्-आ़दियात मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 11 आयतें हैं।

وَالْعٰدِيٰتِ ضَبْحًا ﴿۱﴾ فَالْمُوْرِيٰتِ قَدْحًا ﴿۲﴾ فَالْمُغِيْرٰتِ صُبْحًا ﴿۳﴾ فَاَثَرْنَ بِهٖ نَقْعًا ﴿۴﴾ فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ﴿۵﴾ اِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهٖ لَكَنُوْدٌ ﴿۶﴾ وَاِنَّهٗ عَلٰى ذٰلِكَ لَشَهِيْدٌ ﴿۷﴾ وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ ﴿۸﴾ اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِى الْقُبُوْرِ ﴿۹﴾ وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُوْرِ ﴿۱۰﴾ اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيْرٌ ﴿۱۱﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वल्-आ़दियाति ज़ब्हन् (1) फ़ल्-मूरियाति क़द्हन् (2) फ़ल्-मुग़ीराति सुब्हन् (3) फ़-असर्-न बिही नक़्अ़न् (4) फ़-वसत्-न बिही जमुअ़न् (5) इन्नल्-इन्सा-न लिरब्बिही ल-कनूद (6) व इन्नहू अ़ला ज़ालि-क ल-शहीद (7) व इन्नहू लिहुब्बिल्-ख़ैरि ल-शदीद (8) अ-फ़ला यअ़्लमु इज़ा बुअ़्सि-र मा फ़िल्क़ुबूरि (9)	क़सम है दौड़ने वाले घोड़ों की हाँपकर (1) फिर आग सुलगाने वाले झाड़कर (2) फिर ग़ारत डालने वाले सुबह को (3) फिर उठाने वाले उसमें गर्द (4) फिर घुस जाने वाले उस वक़्त फ़ौज में (5) बेशक आदमी अपने रब का नाशुक्रा है (6) और वह आदमी उस काम को सामने देखता है (7) और आदमी माल की मुहब्बत पर बहुत पक्का है। (8) क्या नहीं जानता वह वक़्त कि कुरेदा जाये जो कुछ क़ब्रों में है (9)

व हुस्सि-ल मा फ़िस्सुदूरि (10) इन्-न रब्बहुम् बिहिम् यौमइज़िल् ल-ख़बीर (11) ✿	और तहक़ीक़ होवे जो कुछ कि जियों में है (10) बेशक उनके रब को उनकी उस दिन सब ख़बर है। (11) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है उन घोड़ों की जो हाँपते हुए दौड़ते हैं, फिर (पत्थर पर) टाप मारकर आग झाड़ते हैं, फिर सुबह के वक़्त तहस-नहस करते हैं, फिर उस वक़्त गुबार उड़ाते हैं, फिर उस वक़्त (दुश्मनों की) जमाअ़त में जा घुसते हैं (इससे मुराद लड़ाई के घोड़े हैं, जिहाद हो या ग़ैर-जिहाद, अ़रब वाले चूँकि जंग व लड़ाई करने के आ़दी थे जिसके लिये घोड़े पालते थे उनकी मुनासबत से उन जंगी घोड़ों की क़सम खाई गयी। आगे क़सम का जवाब है कि) बेशक (काफ़िर) आदमी अपने परवर्दिगार का बड़ा नाशुक्रा है, और उसको ख़ुद भी इसकी ख़बर है (कभी पहली ही बार में कभी सोच-विचार के बाद अपनी नाशुक्री का एहसास कर लेता है)। और वह माल की मुहब्बत में बड़ा मज़बूत है (यही उसकी नाशुक्री का सबब है। आगे माल की मुहब्बत और नाशुक्री पर वईद है यानी) क्या उसको वह वक़्त मालूम नहीं जब ज़िन्दा किये जाएँगे जितने मुर्दे क़ब्रों में हैं, और ज़ाहिर हो जायेगा जो कुछ दिलों में है। बेशक उनका परवर्दिगार उनके हाल से उस दिन पूरा आगाह है (और मुनासिब जज़ा देगा। हासिल यह है कि इनसान को अगर उस वक़्त की पूरी ख़बर होती और आख़िरत का हाल ध्यान में रखता तो अपनी नाशुक्री और माल की मुहब्बत से बाज़ आ जाता)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः आ़दियात हज़रत इब्ने मसऊद, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा और हसन बसरी, इक्रिमा, अ़ता रह. के नज़दीक मक्की और हज़रत इब्ने अ़ब्बास, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा, इमाम मालिक और क़तादा रह. के नज़दीक मदनी सूरत है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इस सूरत में हक़ तआ़ला ने जंगी घोड़ों के कुछ ख़ास हालात और सिफ़तों का ज़िक्र फ़रमाया और उनकी क़सम खाकर यह इरशाद फ़रमाया कि इनसान अपने रब का बड़ा नाशुक्रा है। यह बात तो क़ुरआन में बार-बार मालूम हो चुकी है कि हक़ तआ़ला अपनी मख़्लूक़ात में से मुख़्तलिफ़ चीज़ों की क़सम खाकर ख़ास वाक़िआ़त और अहकाम बयान फ़रमाते हैं, यह हक़ तआ़ला की ख़ुसूसियत है, इनसान के लिये किसी मख़्लूक़ की क़सम खाना जायज़ नहीं है, और क़सम खाने का मक़सद आ़म क़समों की तरह अपनी बात को साबित और यक़ीनी बतलाना है। और यह बात भी पहले आ चुकी है कि क़ुरआने करीम जिस चीज़ की क़सम खाकर कोई मज़मून बयान फ़रमाता है तो उस चीज़ को उस मज़मून के सुबूत में दख़ल होता है, और वह

चीज़ गोया उस मज़मून की गवाही देती है।

यहाँ जंगी घोड़ों की सख़्त ख़िदमात का ज़िक्र गोया इसकी गवाही व सुबूत में लाया गया है कि इनसान बड़ा नाशुक्रा है। तफ़सील व वज़ाहत इसकी यह है कि घोड़ों के और ख़ासकर जंगी घोड़ों के हालात पर नज़र डालिये कि वो मैदाने जंग में अपनी जान को ख़तरे में डालकर कैसी कैसी सख़्त ख़िदमतें इनसान के हुक्म व इशारे के ताबे होकर अन्जाम देते हैं, हालाँकि इनसान ने उन घोड़ों को पैदा नहीं किया, उनको जो घास दाना इनसान देता है वह भी उसका पैदा किया हुआ नहीं, इसका काम सिर्फ़ इतना है कि खुदा तआ़ला के पैदा किये हुए रिज़्क़ को उन तक पहुँचाने का एक वास्ता बनता है।

अब घोड़े को देखिये कि वह इनसान के इतने से एहसान को कैसा पहचानता और मानता है कि उसके मामूली इशारे पर अपनी जान को ख़तरे में डाल देता है और सख़्त से सख़्त मशक़्क़त बरदाश्त करता है। इसके मुक़ाबले में इनसान को देखो जिसको एक मामूली क़तरे से अल्लाह तआ़ला ने पैदा किया और उसको मुख़्तलिफ़ कामों की क़ुव्वत बख़्शी, अ़क़्ल व शऊर दिया, उसके खाने पीने की हर चीज़ पैदा फ़रमाई और उसकी तमाम ज़रूरतों को किस क़द्र आसान करके उस तक पहुँचा दिया कि अ़क़्ल हैरान रह जाती है, मगर वह इन तमाम मुकम्मल व आला एहसानात का भी शुक्रगुज़ार नहीं होता। अब आयत के अलफ़ाज़ की वज़ाहत देखिये—

'आ़दियात' अ़द्व से निकला है जिसके मायने दौड़ने के हैं। 'ज़ब्हन्' ज़ब्ह वह ख़ास आवाज़ है जो घोड़े के दौड़ने के वक़्त उसके सीने से निकलती है जिसका तर्जुमा हाँपना किया गया है। 'मूरियाति' ईरा से निकला है जिसके मायने आग निकालने के हैं जैसे चक़माक़ को मारकर या दिया सलाई को रगड़कर निकाली जाती है। 'क़द्हन्' क़दह के मायने टाप मारने के हैं, पथरीली ज़मीन पर जब घोड़ा तेज़ी से दौड़े ख़ासकर जबकि उसके पाँव में लोहे की नअ़ल भी हो तो टकराव से आग की चिंगारियाँ निकलती हैं। 'मुग़ीरात' इग़ारा से निकला है जिसके मायने हमला करने और छापा मारने के हैं। 'सुब्हन्' सुबह के वक़्त को ख़ास करना आ़दत को बयान करने के तौर पर है, क्योंकि अ़रब के लोग बहादुरी के इज़हार के लिये रात के अंधेरे में छापा मारना बुरी और ऐब की बात समझते थे, हमला सुबह होने के बाद किया करते थे। 'असर्-न' इसारत से निकला है गुबार उड़ाने के मायने में, और 'नक़अ़' गुबार को कहा जाता है। मुराद यह है कि ये घोड़े मैदान में इस तेज़ी से दौड़ते हैं कि उनके सुमों से गुबार उड़कर छा जाता है, ख़ास तौर पर सुबह के वक़्त में गुबार उड़ना ज़्यादा तेज़ी की तरफ़ इशारा है, क्योंकि यह वक़्त आ़दतन गुबार उड़ने का नहीं, किसी सख़्त दौड़ ही से इस वक़्त गुबार उठ सकता है।

فَوَسَطْنَ بِهٖ جَمْعًا ۝

यानी ये दुश्मन की सफ़ों में बेख़ौफ़ व ख़तर घुस जाते हैं। 'कनूद' के मायने में हज़रत हसन बसरी रह. ने फ़रमाया कि वह शख़्स जो मुसीबतों को याद रखे और नेमतों को भूल जाये उसको 'कनूद' कहा जाता है।

अबू बक्र वासती रह. ने फ़रमाया जो अल्लाह की नेमतों को उसकी नाफ़रमानियों में ख़र्च करे वह कनूद है। और इमाम तिर्मिज़ी ने फ़रमाया कि जो शख़्स नेमत को देखे और नेमत देने वाले को न देखे वह कनूद है। इन सब अक़वाल का हासिल नेमत की नाशुक्री करना है, इसलिये कनूद का तर्जुमा नाशुक्रे का किया गया है।

وَاِنَّهٗ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيْدٌ۝

ख़ैर के लफ़्ज़ी मायने हर भलाई के हैं। अरब में माल को भी लफ़्ज़ ख़ैर से ताबीर करते थे, गोया माल भलाई ही भलाई और फ़ायदा ही फ़ायदा है, हालाँकि हक़ीक़त में बाज़े माल इनसान को हज़ारों मुसीबतों में भी मुब्तला कर देते हैं। आख़िरत में तो हर हराम माल का यही अन्जाम है, कभी-कभी दुनिया में भी माल इनसान के लिये वबाल बन जाता है मगर अरब के मुहावरे के मुताबिक़ इस आयत में माल को लफ़्ज़ ख़ैर से ताबीर कर दिया है जैसा कि एक दूसरी आयत में फ़रमायाः

اِنْ تَرَكَ خَيْرًا.

यहाँ भी ख़ैर से मुराद माल है।

उक्त आयत में घोड़ों की क़सम खाकर इनसान के मुताल्लिक़ दो बातें कही गयीं- एक यह कि वह नाशुक्रा है, मुसीबतों तकलीफ़ों को याद रखता है नेमतों और एहसानात को भूल जाता है। दूसरे यह कि वह माल की मुहब्बत में सख़्त और पक्का है। ये दोनों बातें शरअ़न व अ़क़्लन बुरी व नापसन्दीदा हैं, इनमें इनसान को इन बुरी ख़स्लतों पर सचेत व आगाह करना मक़सूद है। नाशुक्री का बुरा व नापसन्दीदा होना तो बिल्कुल ज़ाहिर है। माल की मुहब्बत को जो बुरा क़रार दिया हालाँकि वह इनसानी ज़रूरतों का मदार है, और उसके कमाने व हासिल करने को शरीअ़त ने सिर्फ़ हलाल ही नहीं बल्कि बक़द्रे ज़रूरत फ़र्ज़ क़रार दिया है, तो माल की मुहब्बत का बुरा होना या तो सख़्त और ज़्यादती की सिफ़त के एतिबार से है, कि माल की मुहब्बत में ऐसा मग़लूब हो जाये कि अल्लाह तआ़ला के अहकाम से भी ग़ाफ़िल हो जाये और हलाल व हराम की परवाह न रहे, और या इसलिये कि माल का कमाना व हासिल करना और बक़द्रे ज़रूरत जमा करना तो बुरा नहीं बल्कि फ़र्ज़ है, मगर मुहब्बत उसकी भी बुरी व नापसन्दीदा है, क्योंकि मुहब्बत का ताल्लुक़ दिल से है, उसका हासिल यह होगा कि माल को बक़द्रे ज़रूरत हासिल करना और उससे काम लेना तो एक फ़रीज़ा और अच्छी चीज़ है लेकिन दिल में उसकी मुहब्बत होना भी बुरा ही है। जैसे कि इनसान पेशाब-पाख़ाने की ज़रूरत को पूरा भी करता है, उसका एहतिमाम भी करता है मगर उसके दिल में उसकी मुहब्बत नहीं होती। बीमारी में दवा भी पीता है, ऑप्रेशन भी कराता है मगर दिल में इन चीज़ों की मुहब्बत नहीं होती बल्कि मजबूरी के दर्जे में करता है, इसी तरह अल्लाह के नज़दीक मोमिन को ऐसा होना चाहिये कि बक़द्रे ज़रूरत माल को हासिल भी करे, उसकी हिफ़ाज़त भी करे और ज़रूरत के मौक़े में उससे काम भी ले मगर दिल उसके साथ मशग़ूल न हो, जैसा कि मौलाना रूमी रह. ने बड़े ही असरदार अन्दाज़ में

फ़रमाया है:

आब अन्दर ज़ेरे कश्ती पुश्ती अस्त आब दर कश्ती हलाके कश्ती अस्त

यानी पानी जब तक कश्ती के नीचे रहे तो कश्ती का मददगार है मगर यही पानी जब कश्ती के अन्दर आ जाये तो कश्ती को ले डूबता है।

इसी तरह माल जब तक दिल की कश्ती के इर्द-गिर्द है तो मुफ़ीद है, जब दिल के अन्दर घुस गया तो हलाकत है। सूरत के आख़िर में इनसान की इन दोनों बुरी ख़स्लतों पर आख़िरत की वईद (सज़ा का वायदा और धमकी) सुनाई गयी।

اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَافِى الْقُبُوْرِ ....الاٰية.

क्या इस ग़ाफ़िल इनसान को इसकी ख़बर नहीं कि क़ियामत के दिन जबकि मुर्दे क़ब्रों से ज़िन्दा करके उठा लिये जायेंगे और दिलों में छुपी हुई बातें भी सब खुलकर सामने आ जायेंगी, और यह भी सब जानते हैं कि रब्बुल-आ़लमीन इन सब के सब हालात से बाख़बर हैं तो उसके मुताबिक़ जज़ा सज़ा देंगे, इसलिये अ़क़्लमन्द का काम यह है कि नाशुक्री से बाज़ आये और माल की मुहब्बत में ऐसा मग़लूब न हो कि अच्छे-बुरे की तमीज़ न रहे।

फ़ायदा

इस आयत में ये दो बुरी ख़स्लतें एक आ़म इनसान की बयान की गयी हैं हालाँकि इनसानों में अम्बिया व औलिया और बहुत से नेक बन्दे ऐसे हैं जो इन बुरी ख़स्लतों से पाक और शुक्रगुज़ार बन्दे होते हैं, माल को अल्लाह की राह में ख़र्च कर डालने के लिये तैयार रहते हैं, हराम माल से बचते हैं। वजह यह है कि आ़म इनसान की तरफ़ इन बुरी ख़स्लतों की निस्बत इसलिये कर दी गयी कि अक्सर इनसान ऐसे ही हैं, इससे सब का ऐसा होना लाज़िम नहीं आता। इसी लिये कुछ हज़रात ने इस आयत में इनसान से मुराद काफ़िर इनसान लिया है जैसा कि ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में ऐसा ही है। इसका हासिल यह होगा कि ये दोनों बुरी ख़स्लतें दर असल काफ़िर की हैं, किसी मुसलमान में भी ख़ुदा न करे पाई जायें तो उसे फ़िक्र करनी चाहिये। वल्लाहु आलम

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-आ़दियात की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-क़ारिअ़ह्

सूरः अल्-क़ारिअ़ह् मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 11 आयतें हैं।

(١) سُوْرَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ (٣٠)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْقَارِعَةُ ۙ﴿۱﴾ مَا الْقَارِعَةُ ۚ﴿۲﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا الْقَارِعَةُ ؕ﴿۳﴾ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۙ﴿۴﴾ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ؕ﴿۵﴾ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۶﴾ فَهُوَ فِيْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ؕ﴿۷﴾ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۙ﴿۸﴾ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ؕ﴿۹﴾ وَمَاۤ اَدْرٰىكَ مَا هِيَهْ ؕ﴿۱۰﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ ﴿۱۱﴾

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्क़ारि-अ़तु (1) मल्क़ारि-अ़तु (2) व मा अद्रा-क मल्क़ारिअ़ह् (3) यौ-म यकूनुन्नासु कल्फ़राशिल्-मब्सूसि (4) व तकूनुल्-जिबालु कल्-अ़िह्निल्-मन्फ़ूश (5) फ़-अम्मा मन् सक़ुलत् मवाज़ीनुहू (6) फ़हु-व फ़ी अ़ी-शतिर्-राज़ियह् (7) व अम्मा मन् ख़फ़्फ़त् मवाज़ीनुहू (8) फ़-उम्मुहू हावियह् (9) व मा अद्रा-क मा हियह् (10) नारुन् हामियह् (11) ✿	वह खड़खड़ा डालने वाली (1) क्या है वह खड़खड़ा डालने वाली (2) और तू क्या समझा क्या है वह खड़खड़ा डालने वाली (3) जिस दिन होवें लोग जैसे पतंगे बिखरे हुए (4) और होवें पहाड़ जैसे रंगी हुई ऊन धुनी हुई (5) सो जिसकी भारी हुईं तौलें (6) तो वह रहेगा मन-मानते गुज़रान में (7) और जिसकी हल्की हुईं तौलें (8) तो उसका ठिकाना गढ़ा है (9) और तू क्या समझा वह क्या है (10) आग है दहकती हुई। (11) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

वह खड़खड़ाने वाली चीज़, कैसी कुछ है वह खड़खड़ाने वाली चीज़, और आपको मालूम है कैसी कुछ है वह खड़खड़ाने वाली चीज़? (मुराद क़ियामत है जो दिलों को घबराहट से और कानों को सख़्त आवाज़ों से खड़खड़ायेगी, और यह उस रोज़ होगा) जिस दिन आदमी परेशान परवानों

की तरह हो जाएँगे (परवानों से मिसाल चन्द बातों की वजह से दी गयी- एक बहुत ज़्यादा होना कि पहले व बाद के सारे इनसान एक मैदान में जमा हो जायेंगे, दूसरे कमज़ोर होना कि सब इनसान उस वक़्त कमज़ोरी में परवाने जैसे कमज़ोर व आ़जिज़ होंगे, ये दोनों सिफ़तें तो तमाम मेहशर वाले इनसानों में आ़म होंगी। तीसरे बेताब और बेचैन इधर-उधर फिरना जो परवानों में नज़र आता है यह सूरत ख़ास मोमिनों में नहीं होगी वे अपनी क़ब्रों से मुत्मईन उठेंगे) और पहाड़ धुनकी हुई रंगीन ऊन की तरह हो जाएँगे (अ़िह्न रंगीन ऊन को कहा जाता है। पहाड़ों के रंग चूँकि मुख़्तलिफ़ और भिन्न हैं वो सब उड़ते फिरेंगे जिनकी मिसाल उस ऊन की होगी जिसमें विभिन्न रंग के बाल मिले हुए हों। उस दिन इनसानी आमाल तौले जायेंगे) फिर (आमाल के वज़न के बाद) जिस शख़्स का (ईमान का) पल्ला भारी होगा वह तो अपनी पसन्दीदा ऐश व आराम में होगा (यानी निजात पाकर जन्नत में जायेगा)। और जिस शख़्स का (ईमान का) पल्ला हल्का होगा (यानी काफ़िर) तो उसका ठिकाना हाविया होगा। और आपको कुछ मालूम है कि वह (हाविया) क्या चीज़ है? (वह) एक दहकती हुई आग है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत के अन्दर आमाल का वज़न होने और उनके हल्के-भारी होने पर दोज़ख़ या जन्नत मिलने का ज़िक्र है। आमाल का वज़न होने की पूरी तहक़ीक़ और शुब्हात का जवाब सूरः आराफ़ की आयत 8 व 9 में गुज़र चुका है (देखिये मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन जिल्द 3)। उसमें यह भी लिखा गया है कि हदीस की रिवायतों और आयतों को एक-दूसरे के साथ मिलाने और जोड़ पैदा करने से मालूम होता है कि आमाल का वज़न ग़ालिबन दो मर्तबा होगा, एक मर्तबा के वज़न से मोमिन और काफ़िर को अलग-अलग कर दिया जायेगा, हर मोमिन का पल्ला भारी और काफ़िर का हल्का रहेगा। फिर मोमिनों में अच्छे और बुरे आमाल का फ़र्क़ करने के लिये दूसरा वज़न होगा। इस सूरत में बज़ाहिर वह पहला वज़न मुराद है जिसमें हर मोमिन का पल्ला ईमान की वजह से भारी रहेगा चाहे उसका अ़मल कैसा भी हो, और काफ़िर का पल्ला ईमान न होने के सब हल्का रहेगा चाहे उसने कुछ नेक काम भी किये हों।

तफ़सीरे मज़हरी में है कि क़ुरआने करीम में आ़म तौर पर जज़ा व सज़ा में मुक़ाबला काफ़िरों का नेक मोमिनों के साथ किया गया कि असली कामिल मोमिन वही हैं, बाक़ी रहे वे मोमिन लोग जिन्होंने नेक और बुरे मिले-जुले आमाल किये हैं क़ुरआन में आ़म तौर पर उनसे ख़ामोशी इख़्तियार की गयी है। और इन सब आयतों में यह बात याद रखने के क़ाबिल है कि क़ियामत में इनसानों के आमाल तौले जायेंगे गिने नहीं जायेंगे, और अ़मल का वज़न इख़्लास और सुन्नत के मुताबिक़ होने के एतिबार से बढ़ता है, जिस शख़्स के आमाल में इख़्लास भी पूरा हो और वह पूरी तरह सुन्नत के मुताबिक़ भी हो अगरचे उसके आमाल तादाद में कम हों उसका वज़न उस शख़्स के मुक़ाबले में बढ़ जायेगा जिसने तादाद में तो नमाज़ रोज़े, सदक़ा ख़ैरात, हज उम्रे बहुत किये मगर इख़्लास में कमी रही या सुन्नत के मुताबिक़ होने में कमी रही। वल्लाहु आलम

****

सूरः अत्-तकासुर

सूरः अत्-तकासुर मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 8 आयतें हैं।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلْهٰىكُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ۝ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अल्हाकुमुत्-तकासुरु (1) हत्ता ज़ुर्तुमुल्-मक़ाबिर (2) कल्ला सौ-फ़ तअ्लमून (3) सुम्-म कल्ला सौ-फ़ तअ्लमून (4) कल्ला लौ तअ्लमू-न ज़िल्मल्-यक़ीन (5) ल-त-र-वुन्नल्-जहीम (6) सुम्-म ल-त-र-वुन्नहा ऐनल्-यक़ीन (7) सुम्-म लतुस्अलुन्-न यौमइज़िन् अनिन्-नअ़ीम (8) ✿	ग़फ़लत में रखा तुमको बहुत ज़्यादा होने की हिर्स ने (1) यहाँ तक कि जा देखीं क़ब्रें (2) कोई नहीं, आगे जान लोगे (3) फिर भी कोई नहीं, आगे जान लोगे (4) कोई नहीं, अगर जानो तुम यक़ीन करके (5) बेशक तुमको देखना है दोज़ख़ (6) फिर देखना है उसको यक़ीन की आँख से (7) फिर पूछेंगे तुमसे उस दिन आराम की हक़ीक़त। (8) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(दुनियावी साज़ व सामान पर) फ़ख़्र करना तुमको (आख़िरत से) ग़ाफ़िल रखता है। यहाँ तक कि तुम क़ब्रिस्तानों में पहुँच जाते हो (यानी मर जाते हो, जैसा कि तफ़सीर इब्ने कसीर में मरफ़ूअ़न यही तफ़सीर नक़ल की गयी है)। हरगिज़ नहीं! (यानी दुनियावी सामान क़ाबिले फ़ख़्र है और न आख़िरत क़ाबिले ग़फ़लत) तुमको बहुत जल्द (क़ब्र में जाते ही, यानी मरते ही) मालूम हो जायेगा। फिर (दोबारा तुमको सचेत किया जाता है कि) हरगिज़ (ये चीज़ें फ़ख़्र और तवज्जोह के क़ाबिल और आख़िरत ग़फ़लत व इनकार के क़ाबिल) नहीं, तुमको बहुत जल्द (क़ब्र से निकलते ही यानी हश्र में) मालूम हो जायेगा (जैसा कि तफ़सीर फ़त्हुल-बयान में मरफ़ूअ़न

रिवायत है। और तीसरी बार फिर तुमको मुतवज्जह किया जाता है कि) हरगिज़ (ये चीज़ें क़ाबिले फ़ख़्र व तवज्जोह और आख़िरत क़ाबिले ग़फ़लत व इनकार) नहीं, (और) अगर तुम यक़ीनी तौर पर जान लेते (यानी ऐसी सही दलीलों में ग़ौर व तवज्जोह से काम लेते और इसका यक़ीन आ जाता तो कभी इस सामान पर फ़ख़्र और और आख़िरत से ग़फ़लत में न पड़ते) अल्लाह की क़सम! तुम लोग ज़रूर दोज़ख़ को देखोगे। फिर (दोबारा ताकीद के लिये कहा जाता है कि) ख़ुदा की क़सम! तुम लोग उसको ऐसा देखना देखोगे जो कि ख़ुद यक़ीन है (क्योंकि यह देखना तर्क और दलीलों के ज़रिये नहीं होगा जिससे यक़ीन हासिल होने में कभी देर भी लगती है, आँखों का देखना होगा। ख़ुलासा यह है कि अपनी आँखों से देख लेने को 'ऐनुल-यक़ीन' से ताबीर फ़रमाया है)। फिर (और बात सुनो कि) उस दिन तुम सबसे नेमतों की पूछ होगी (कि अल्लाह की दी हुई नेमतों का हक़ ईमान व फ़रमाँबरदारी के साथ बजा लाये या नहीं)।

मआरिफ़ व मसाईल

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُo

तकासुर कसरत से निकला है मायने हैं कसरत (अधिकता) के साथ माल व दौलत जमा करना। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हसन बसरी रह. ने इस लफ़्ज़ की यही तफ़सीर की है, और यह लफ़्ज़ फ़ख़्र व गर्व करने के मायने में भी इस्तेमाल किया जाता है हज़रत क़तादा की यही तफ़सीर है। और हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु की एक रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'अल्हाकुमुत्तकासुरु' पढ़कर फ़रमाया कि इससे मुराद यह है कि माल को नाजायज़ तरीक़ों से हासिल किया जाये और माल पर जो फ़रीज़े अल्लाह के आ़यद होते हैं उनमें ख़र्च न करें। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَo

यहाँ क़ब्रों की ज़ियारत से मुराद मरकर क़ब्र में पहुँचना है जैसा कि एक मरफ़ूअ़ हदीस में ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने 'हत्ता ज़ुर्तुमुल्-मक़ाबिर' की तफ़सीर में फ़रमाया 'हत्ता यअ्तियकुमुल्-मौतु' (यानी यहाँ तक कि तुमको मौत आ जाये)।

(इब्ने कसीर, इब्ने अबी हातिम की रिवायत से)

इसलिये आयत का मतलब यह होगा कि तुम लोगों को माल व दौलत की बोहतात (अधिकता) या माल व औलाद और क़बीले व ख़ानदान पर इतराना व फ़ख़्र करना ग़फ़लत में डाले रहता है, अपने अन्जाम और आख़िरत के हिसाब की कोई फ़िक्र नहीं करते यहाँ तक कि इसी हाल में तुम्हें मौत आ जाती है और वहाँ अ़ज़ाब में पकड़े जाते हो। यह ख़िताब बज़ाहिर आ़म इनसानों को है जो माल व औलाद की मुहब्बत या दूसरों पर अपनी बरतरी और फ़ख़्र करने में ऐसे मस्त रहते हैं कि अपने अन्जाम को सोचने की तरफ़ तवज्जोह ही नहीं होती। हज़रत अ़ब्दुल्लाह इब्ने शिख़्ख़ीर रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि मैं एक रोज़ नबी करीम

सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में पहुँचा तो आप 'अल्हाकुमुत्तकासुरु.....' पढ़ रहे थे और यह फ़र्मा रहे थे किः

يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك من مالك الّا ما اكلت فافنيت اولبست فابليت اوتصدّقت فامضيت

وفي رواية لمسلم وما سوىٰ ذٰلك فذاهب وتاركه للناس. (ابن كثير و قرطبي بروايت مسلم. ترمذى احمد)

'आदमी कहता है कि मेरा माल मेरा माल हालाँकि उसमें तेरा हिस्सा तो उतना है जिसको तूने खाकर फ़ना कर दिया, या पहनकर बोसीदा कर दिया, या सदक़ा करके अपने लिये आगे भेज दिया और उसके सिवा जो कुछ है वह तेरे हाथ से जाने वाला है तू उसको लोगों के लिये छोड़ने वाला है।

इमाम बुख़ारी ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

لوكان لابن ادم واديًا من ذهب لاحبّ ان يكون له واديان ولم يملأُ فاه الّا التّراب و يتوب اللّٰه علٰى من تاب.

'अगर आदम-ज़ादे के लिये एक वादी (पहाड़ का दामन) सोने से भरी हुई मौजूद हो तो (वह उस पर सब्र नहीं करेगा बल्कि) चाहेगा कि ऐसी दो वादियाँ हो जायें, और उसके मुँह को तो (क़ब्र की) मिट्टी के सिवा कोई चीज़ भर नहीं सकती, और अल्लाह तआ़ला तौबा क़ुबूल करता है उस शख़्स की जो उसकी तरफ़ रुजू हो।'

हज़रत उबई बिन कअ़ब रज़ियल्लाहु अ़न्हु फ़रमाते हैं कि हम हदीस के ऊपर बयान हुए अलफ़ाज़ को क़ुरआन समझा करते थे यहाँ तक कि सूरः अल्हाकुमुत्तकासुरु नाज़िल हुई। ऐसा मालूम होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सूरः अल्हाकुमुत्तकासुरु पढ़कर उक्त अलफ़ाज़ उसकी तफ़सीर व वज़ाहत के तौर पर पढ़े थे, इससे कुछ सहाबा को शुब्हा हो गया कि यह भी क़ुरआन ही के अलफ़ाज़ हैं, बाद में जब पूरी सूरः अत्तकासुर सामने आई तो उसमें ये अलफ़ाज़ नहीं थे, इससे हक़ीक़त वाज़ेह हो गयी कि ये अलफ़ाज़ तफ़सीर के थे।

لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ○

हरफ़ **लौ** जो शर्त के लिये आता है इसके मुक़ाबिल कोई जज़ा होनी चाहिये वो मज़मून के अन्दाज़ व मुनासबत से इस जगह हटा दी गयी है यानी 'ल-मा अल्हाकुमुत्तकासुरु' कि अगर तुमको क़ियामत के हिसाब-किताब का यक़ीन होता तो तुम इस तकासुर (माल की अधिकता) और तग़ाफ़ुल (आख़िरत से ग़फ़लत बरतने) में न पड़ते।

ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ○

ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर से मालूम हो चुका है कि 'ऐनुल-यक़ीन' से मुराद वह यक़ीन है जो किसी चीज़ के देखने के बाद हासिल होता है, और यह यक़ीन का सबसे आला दर्जा है। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि हज़रत मूसा अ़लैहिस्सलाम जब तूर पहाड़ पर तशरीफ़ रखते थे और उनके पीछे उनकी क़ौम ने गौसाला परस्ती (गाय के बछड़े की पूजा) शुरू

कर दी तो अल्लाह तआ़ला ने उनको वहीं तूर पहाड़ पर ख़बर कर दी थी कि तुम्हारी क़ौम इस वबाल में मुब्तला हो गयी है, मगर मूसा अ़लैहिस्सलाम पर इस ख़बर से इतना असर नहीं हुआ जितना उस वक़्त हुआ जब वापस पहुँचकर उन्होंने बनी इस्राईल की गौसाला परस्ती आँखों से देखी, उसका असर यह हुआ कि बेइख़्तियार होकर तौरात की तख़्तियाँ हाथ से छोड़ दीं।

(अहमद व तबरानी सही सनद के साथ। तफ़सीरे मज़हरी)

ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ٥

यानी तुम सबसे क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला की दी हुई नेमतों के बारे में पूछगछ होगी कि तुमने उनका क्या शुक्र अदा किया और उनको गुनाहों में तो ख़र्च नहीं किया। उनमें से बाज़ी नेमतों के मुताल्लिक़ तो ख़ुद क़ुरआन में दूसरी जगह वज़ाहत आ गयी जैसा कि फ़रमायाः

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔوْلًا ٥

जिसमें इनसान की सुनने, देखने की क़ुव्वत और दिल से मुताल्लिक़ वो लाखों नेमतें आ गयीं जिनको इनसान हर लम्हा इस्तेमाल करता है।

हदीसः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि क़ियामत के रोज़ बन्दे से जिस चीज़ का सबसे पहले सवाल होगा (वह तन्दुरुस्ती है। उसको कहा जायेगा कि) क्या हमने तुम्हें तन्दुरुस्ती नहीं दी थी? और क्या हमने तुम्हें ठण्डा पानी नहीं पिलाया था? (तिर्मिज़ी, हज़रत अबू हुरैरह की रिवायत से। इब्ने हिब्बान। इब्ने कसीर)

हदीसः- रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मेहशर में कोई आदमी अपनी जगह से सरक न सकेगा जब तक पाँच सवालों का जवाब उससे न लिया जाये। एक यह कि उसने अपनी उम्र को किन कामों में फ़ना किया है। दूसरे यह कि उसने अपनी जवानी की ताक़त को किन कामों में ख़र्च किया है। तीसरे यह कि जो माल उसने हासिल किया वह किस किस तरीक़े जायज़ नाजायज़ से हासिल किया। चौथे यह कि उस माल को कहाँ-कहाँ ख़र्च किया। पाँचवे यह कि जो इल्म अल्लाह ने उसको दिया था उस पर कितना अ़मल किया।

(बुख़ारी शरीफ़)

और इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. ने फ़रमाया कि क़ियामत में यह सवाल दुनिया की हर लज़्ज़त के मुताल्लिक़ होगा (तफ़सीरे क़ुर्तुबी) चाहे उसका ताल्लुक़ खाने पीने से हो या लिबास और मकान से या बीवी और औलाद से या हुकूमत व इज़्ज़त से। इमाम क़ुर्तुबी ने इसको नक़ल करके फ़रमाया कि यह बिल्कुल दुरुस्त है, इस सवाल में किसी ख़ास नेमत की तख़्सीस नहीं है।

सूरह अत्तकासुर की ख़ास फ़ज़ीलत

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम से ख़िताब करके फ़रमाया कि क्या तुम में कोई आदमी इसकी ताक़त नहीं रखता कि हर रोज़ क़ुरआन की एक हज़ार आयतें पढ़ा करे? सहाबा-ए-किराम ने अ़र्ज़ किया कि रोज़ाना एक हज़ार आयतें कौन पढ़ सकता है। आपने फ़रमाया कि तुम में कोई सूरः अल्हाकुमुत्तकासुर नहीं पढ़ सकता? मतलब यह है कि सूरः

अल्हाकुमुत्तकासुर रोज़ाना पढ़ना एक हज़ार आयतों के पढ़ने के बराबर है। (तफ़सीरे मज़हरी, हाकिम व बैहक़ी के हवाले और हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत से)

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अत्-तकासुर की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-अस्र

सूरः अल्-अस्र मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 3 आयतें हैं।

وَالْعَصْرِ ۙ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۙ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वल्-अ़स्रि (1) इन्नल्-इन्सा-न लफ़ी ख़ुस्र (2) इल्लल्लज़ी-न आमनू व अ़मिलुस्-सालिहाति व तवासौ बिल्हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र (3) ✿	क़सम है अ़सर की (1) बेशक इनसान टोटे में है (2) मगर जो लोग कि यक़ीन लाये और किये भले काम और आपस में ताकीद करते रहे सच्चे दीन की, और आपस में ताकीद करते रहे (सब्र व) तहम्मुल की। (3) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क़सम है ज़माने की (जिसमें नफ़ा व नुक़सान ज़ाहिर होता है) कि इनसान (उम्र को ज़ाया करने की वजह से) बड़े घाटे में है, मगर जो लोग ईमान लाये और उन्होंने अच्छे काम किये (जो अपने नफ़्स का कमाल है) और एक-दूसरे को हक़ (पर क़ायम रहने) के एतिक़ाद (पर क़ायम रहने) की नसीहत व तंबीह करते रहे (जो दूसरों की तकमील है, तो जो लोग ख़ुद भी यह कमाल हासिल करें और दूसरों की भी तकमील करें ये लोग अलबत्ता घाटे में नहीं, बल्कि नफ़े में हैं)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

सूरः अस्र की ख़ास फ़ज़ीलत

हज़रत उबैदुल्लाह इब्ने हिसन फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के

सहाबा में से दो शख़्स ऐसे थे कि जब वे आपस में मिलते थे तो उस वक़्त तक जुदा न होते जब तक उनमें से एक दूसरे के सामने सूरः वल्-अस्र न पढ़ ले। (तबरानी) और इमाम शाफ़ई रह. ने फ़रमाया कि अगर लोग सिर्फ़ इसी सूरत में ग़ौर व फ़िक्र कर लेते तो यही उनके लिये काफ़ी थी। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

सूरः अस्र क़ुरआने करीम की बहुत मुख़्तसर सी सूरत है लेकिन ऐसी जामे है कि बक़ौल हज़रत इमाम शाफ़ई रह. अगर लोग इसी सूरत को ग़ौर व फ़िक्र के साथ पढ़ लें तो दीन व दुनिया की दुरुस्ती के लिये काफ़ी हो जाये। इस सूरत में हक़ तआ़ला ने ज़माने की क़सम खाकर फ़रमाया कि तमाम इनसान बड़े ख़सारे में हैं और इस ख़सारे से अलग और बचे हुए सिर्फ़ वे लोग हैं जो चार चीज़ों के पाबन्द हों- ईमान, नेक अ़मल, दूसरों को हक़ की नसीहत व वसीयत और सब्र की वसीयत, दीन व दुनिया के ख़सारे से बचने और बड़ा नफ़ा हासिल करने का यह क़ुरआनी नुस्ख़ा चार चीज़ों और हिस्सों से मुरक्कब है जिनमें पहले दो अंश व हिस्से अपनी ज़ात की इस्लाह (सुधार) के बारे में हैं और दूसरे दो हिस्से दूसरे मुसलमानों की हिदायत व इस्लाह के बारे में हैं।

यहाँ पहली बात यह ग़ौर-तलब है कि इस मज़मून के साथ ज़माने को क्या मुनासबत है जिसकी क़सम खाई गयी, क्योंकि क़सम और क़सम के जवाब में आपस में मुनासबत ज़रूरी होती है। आम हज़राते मुफ़स्सिरीन ने फ़रमाया कि इनसान के तमाम हालात उसका बढ़ना और फलना-फूलना, उसकी चलत-फिरत, रुकना व ठहरना, आमाल, अख़्लाक़ सब ज़माने ही के अन्दर होते हैं। जिन आमल की हिदायत इस सूरत में दी गयी है वो भी इसी ज़माने के रात व दिन में होंगे, इसकी मुनासबत से ज़माने की क़सम इख़्तियार की गयी।

ज़माने को इनसानी नस्ल के घाटे में क्या दख़ल है

वज़ाहत व तफ़सील इसकी यह है कि इनसान की उम्र का ज़माना उसके साल और महीने और दिन रात बल्कि घन्टे और मिनट अगर ग़ौर किया जाये तो यही उसका सरमाया है जिसके ज़रिये वह दुनिया व आख़िरत के बड़े और अ़जीब फ़ायदे भी हासिल कर सकता है और उम्र के वक़्त अगर ग़लत और बुरे कामों में लगा दिये तो यही उसके लिये वबाले जान भी बन जाते हैं। कुछ उलेमा ने फ़रमाया हैः

حَيَاتُكَ اَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا مَضٰى نَفَسٌ مِّنْهَا انْتَقَصْتَ بِهٖ جُزْءًا

यानी तेरी ज़िन्दगी चन्द गिने हुए साँसों का नाम है। जब उनमें से एक साँस गुज़र जाता है तो तेरी उम्र का एक हिस्सा कम हो जाता है।

हक़ तआ़ला ने हर इनसान को उसकी उम्र के प्यारे वक़्तों का क़ीमती सरमाया देकर एक तिजारत पर लगाया है कि वह अ़क़्ल व शऊर से काम ले और इस सरमाये को ख़ालिस नफ़ा देने वाले कामों में लगाये तो उसके मुनाफ़े की कोई हद नहीं रहती, और अगर इसके ख़िलाफ़ किसी नुक़सान पहुँचाने वाले काम में लगा दिया तो नफ़े की तो क्या उम्मीद होती यह असल

सरमाया भी ज़ाया हो जाता है, और सिर्फ़ इतना ही नहीं कि नफ़ा और असल पूँजी हाथ से जाती रही बल्कि उस पर सैकड़ों अपराधों की सज़ा आयद हो जाती है। और किसी ने इस सरमाये को न किसी नफ़ा देने वाले काम में लगाया न नुक़सानदेह में तो कम से कम यह ख़सारा तो लाज़िमी ही है कि उसका नफ़ा और असल सरमाया दोनों ज़ाया हो गये और यह कोई शायराना मिसाल ही नहीं बल्कि एक मरफ़ूअ़ हदीस से इसकी ताईद भी होती है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

كُلٌّ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهٗ فَمُعْتِقُهَا اَوْمُوْبِقُهَا.

'यानी हर शख़्स जब सुबह को उठता है तो अपनी जान का सरमाया तिजारत पर लगाता है। फिर कोई तो अपने इस सरमाये को ख़सारे से आज़ाद करा लेता है और कोई हलाक कर डालता है।'

ख़ुद क़ुरआने करीम ने भी ईमान व नेक अ़मल को इनसान की तिजारत के अलफ़ाज़ से ताबीर फ़रमाया है। जैसा कि सूरः मुनाफ़िक़ून में फ़रमायाः

هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ○

और जब ज़माना इनसान की उम्र का सरमाया हुआ और इनसान इसका ताजिर तो आम हालात में इस ताजिर का ख़सारे (घाटे) में होना इसलिये वाज़ेह है कि इस ग़रीब का सरमाया कोई ठोस और जमने वाली चीज़ नहीं जिसको कुछ दिन बेकार भी रखा तो अगले वक़्त में काम आ सके, बल्कि यह बहने और पिघलने वाला सरमाया है जो हर मिनट हर सैकिण्ड बह रहा है इसकी तिजारत करने वाला बड़ा होशियार मुस्तैद आदमी चाहिये जो बहती हुई चीज़ से नफ़ा हासिल करे। इसी लिये एक बुज़ुर्ग का क़ौल है वह बर्फ़ बेचने वाले की दुकान पर गये तो फ़रमाया कि इसकी तिजारत को देखकर सूरः वल्-अ़स्र की तफ़सीर समझ में आ गयी कि यह ज़रा भी ग़फ़लत से काम ले तो इसका सरमाया पानी बनकर ज़ाया हो जायेगा, इसलिये क़ुरआन के इस इरशाद में ज़माने की क़सम खाकर इनसान को इस पर मुतवज्जह किया है कि घाटे से बचने के लिये जो चार चीज़ों से मुरक्कब नुस्ख़ा बतलाया गया है उसके इस्तेमाल में ज़रा भी ग़फ़लत न बरते, उम्र के एक-एक मिनट की क़द्र पहचाने और इन चार कामों में उसको मशग़ूल कर दे।

ज़माने की क़सम की एक मुनासबत यह भी हो सकती है कि जिस चीज़ की क़सम खाई जाये वह एक हैसियत से उस मामले के गवाह के क़ायम-मक़ाम होती है, और ज़माना ऐसी चीज़ है कि अगर उसकी तारीख़ और उसमें क़ौमों के तरक़्क़ी व ज़वाल के भले-बुरे वाक़िआत पर नज़र करेगा तो ज़रूर इस यक़ीन पर पहुँच जायेगा कि सिर्फ़ ये चार काम हैं जिनमें इनसान की फ़लाह व कामयाबी सीमित व पोशीदा है, जिसने इनको छोड़ा वह ख़सारे में पड़ा दुनिया की तारीख़ (इतिहास) इसकी गवाह है।

आगे उन चारों हिस्सों की वज़ाहत यह है कि 'ईमान' और नेक अ़मल जो ख़ुद इनसान की

ज़ात से संबन्धित हैं उनका मामला वाज़ेह है, किसी स्पष्टता व ख़ुलासे का मोहताज नहीं, अलबत्ता आख़िरी दो हिस्से यानी 'तवासी बिल्-हक़्क़ि' और 'तवासी बिस्सब्रि' ये क़ाबिले ग़ौर हैं कि इनसे क्या मुराद है। लफ़्ज़ 'तवासी' वसीयत से निकला है, किसी शख़्स को ताकीद के साथ असरदार अन्दाज़ में नसीहत करने और नेक काम की हिदायत करने का नाम वसीयत है, इसी वजह से मरने वाला जो अपने बाद के लिये कुछ हिदायतें देता है उसको भी वसीयत कहा जाता है। ये दो हिस्से दर हक़ीक़त इसी वसीयत के दो अध्याय हैं। एक हक़ की वसीयत दूसरे सब्र की वसीयत। अब इन दोनों लफ़्ज़ों के मायने में कई संभावनायें हैं- एक यह कि हक़ से मुराद सही अ़क़ीदे और नेक आमाल का मजमूआ़ हो, और सब्र के मायने तमाम गुनाहों और बुरे कामों से बचना हो, तो पहले लफ़्ज़ का हासिल 'अम्र बिल्मारूफ़' हो गया यानी नेक कामों का हुक्म करना और दूसरे का हासिल 'नही अ़निल्-मुन्कर' हो गया यानी बुरे कामों से रोकना। इस मजमूए का हासिल फिर वही ईमान और नेक अ़मल है जिसको ख़ुद इख़्तियार किया है उसकी ताकीद व नसीहत दूसरों को करना हो गया, और एक संभावना यह है कि हक़ से मुराद हक़ एतिक़ादात लिये जायें और सब्र के मफ़्हूम में तमाम नेक आमाल की पाबन्दी भी हो और बुरे कामों से बचना भी, क्योंकि लफ़्ज़ सब्र के असल मायने अपने नफ़्स को रोकने और पाबन्द बनाने के हैं। इस पाबन्दी में नेक आमाल भी आ गये और गुनाहों से बचना भी।

और हाफ़िज़ इब्ने तैमिया ने अपने किसी रिसाले में फ़रमाया कि इनसान को ईमान और नेक अ़मल से रोकने वाली आ़दतन दो चीज़ें होती हैं- एक शुब्हात यानी उसको ईमान और नेक अ़मल में कुछ वैचारिक और फ़िक्री शुब्हात पैदा हो जायें जिनके सबब अ़क़ीदों ही में ख़लल आ जाये और अ़क़ीदे में ख़राबी आने से नेक अ़मल में ख़लल आना ख़ुद ज़ाहिर है। दूसरे शहवतें यानी नफ़्सानी इच्छायें इनसान को कई बार नेक अ़मल से रोक देती हैं, और कभी-कभी बुरे आमाल में मुब्तला कर देती हैं, अगरचे वह वैचारिक, फ़िक्री और एतिक़ादी तौर पर नेकी पर अ़मल और बुराई से बचने को ज़रूरी समझता हो मगर नफ़्सानी इच्छायें उसके ख़िलाफ़ हों और वह इच्छाओं से मग़लूब होकर सीधा रास्ता छोड़ बैठे। तो उक्त आयत में हक़ की वसीयत से मुराद यह है कि शुब्हात को दूर करे, और सब्र की वसीयत से मुराद यह कि नफ़्सानी इच्छा को छोड़कर अच्छे आमाल इख़्तियार करने की हिदायत करे। इसका ख़ुलासा यह है कि हक़ की वसीयत से मुराद दूसरे मुसलमानों को इल्मी इस्लाह (इल्मी सुधार) है और सब्र की वसीयत से अ़मली इस्लाह (अ़मली सुधार)।

निजात के लिये सिर्फ़ अपने अ़मल की इस्लाह काफ़ी नहीं बल्कि दूसरे मुसलमानों की फ़िक्र भी ज़रूरी है

इस सूरत ने मुसलमानों को एक बड़ी हिदायत यह दी कि उनका सिर्फ़ अपने अ़मल को क़ुरआन व सुन्नत के ताबे कर लेना जितना अहम और ज़रूरी है उतना ही अहम यह है कि दूसरे

मुसलमानों को भी ईमान और नेक अ़मल की तरफ़ बुलाने की अपनी हिम्मत भर कोशिश करे वरना सिर्फ़ अपना अ़मल निजात के लिये काफ़ी न होगा, ख़ास तौर पर अपने अहल व अ़याल (बाल-बच्चों व घर वालों) और यार-दोस्तों व संबन्धियों के बुरे आमाल से ग़फ़लत बरतना अपनी निजात का रास्ता बन्द करना है, अगरचे ख़ुद वह कैसे ही नेक आमाल का पाबन्द हो, इसी लिये क़ुरआन व हदीस में हर मुसलमान पर अपनी-अपनी ताक़त व हिम्मत के मुताबिक़ नेक कामों का हुक्म करना और बुरे कामों से रोकना फ़र्ज़ किया गया है। इस मामले में आ़म मुसलमान बल्कि बहुत से ख़्वास (नेक और इल्म रखने वाले हज़रात) तक ग़फ़लत में मुब्तला हैं, ख़ुद अ़मल करने को काफ़ी समझ बैठे हैं, औलाद व घर वाले कुछ भी करते रहें उसकी फ़िक्र नहीं करते। अल्लाह तआ़ला हम सब को इस आयत की हिदायत पर अ़मल की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमायें।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-अ़स्र की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-हु-मज़ह्

सूरः अल्-हु-मज़ह् मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 9 आयतें हैं।

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةِ ۙ﴿١﴾ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَّعَدَّدَهٗ ۙ﴿٢﴾ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهٗٓ اَخْلَدَهٗ ۚ﴿٣﴾ كَلَّا لَيُنْۢبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۖ﴿٤﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا الْحُطَمَةُ ۗ﴿٥﴾ نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ ۙ﴿٦﴾ الَّتِيْ تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْـِٕدَةِ ۗ﴿٧﴾ اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ ۙ﴿٨﴾ فِيْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ﴿٩﴾

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

वैलुल्-लिकुल्लि हु-म-ज़तिल् लु-मज़ह् (1) अल्लज़ी ज-म-अ़ मालंव्-व अ़द्द-दहू (2) यह्सबु अन्-न मालहू अख़्ल-दह् (3) कल्ला लयुम्ब-ज़न्-न फ़िल्-हु-त-मति (4) व मा अद्रा-क मल्हु-त-मह् (5) नारुल्लाहिल् मू-क़-दतु- (6) -ल्लती तत्तलिअ़ु	ख़राबी है हर ताना देने वाले ऐब चुनने वाले की (1) जिसने समेटा माल और गिन-गिनकर रखा (2) ख़्याल करता है कि उसका माल सदा को रहेगा उसके साथ (3) कोई नहीं, वह फेंका जायेगा उस रौंदने वाली में (4) और तू क्या समझा कौन है वह रौंदने वाली (5) एक आग है अल्लाह की सुलगाई हुई (6) वह झाँक

अलल्-अफ़्इदह् (7) इन्नहा अलैहिम् मुअ्स-दतुन् (8) फ़ी अ-मदिम् मुमद्द-दह् (9) ✿	लेती है दिल को (7) उनको उसमें मूँद दिया है (8) लम्बे-लम्बे सुतूनों में। (9) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बड़ी ख़राबी है हर ऐसे शख़्स के लिये जो पीठ पीछे ऐब निकालने वाला हो (और) रू-ब-रू ताना देने वाला हो। जो (हिर्स के ज़्यादा होने की वजह से) माल जमा करता हो, और (उसकी मुहब्बत और उस पर फ़ख़्र करने के सबब) उसको बार-बार गिनता हो। (उसके बर्ताव से मालूम होता है कि गोया) वह ख़्याल कर रहा है कि उसका माल उसके पास हमेशा रहेगा (यानी माल की मुहब्बत में ऐसा मशग़ूल रहता हो जैसे वह इसका यक़ीन रखता है कि वह ख़ुद भी हमेशा ज़िन्दा रहेगा और उसका माल भी हमेशा यूँ ही रहेगा, हालाँकि यह माल उसके पास) हरगिज़ नहीं (रहेगा। फिर आगे उस ख़राबी की तफ़सीर है कि) अल्लाह की क़सम! वह शख़्स ऐसी आग में डाला जायेगा जिसमें जो कुछ पड़े वह उसको तोड़-फोड़ दे। और आपको कुछ मालूम है कि वह तोड़-फोड़ करने वाली आग कैसी है? वह अल्लाह की आग है जो (अल्लाह के हुक्म से) सुलगाई गई है। (आग की निस्बत अल्लाह तआला की तरफ़ करने में उस आग के सख़्त और हौलनाक होने की तरफ़ इशारा है। और वह ऐसी है) जो (कि बदन को लगते ही) दिलों तक जा पहुँचेगी (और) वह (आग) उन पर बन्द कर दी जायेगी (इस तरह से कि) वे लोग आग के बड़े लम्बे-लम्बे सुतूनों में (घिरे होंगे जैसे किसी को आग के सन्दूक़ों में बन्द कर दिया जाये)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत में तीन सख़्त गुनाहों पर सख़्त अ़ज़ाब की वईद (वायदा और धमकी) और फिर उस अ़ज़ाब की सख़्ती का बयान है। वो तीन गुनाह यह हैं- 'हम-ज़, लम-ज़, जमुऐ-माल। हम-ज़ और लम-ज़ चन्द मायने के लिये इस्तेमाल होते हैं, अक्सर मुफ़स्सिरीन ने जिसको इख़्तियार किया है वह यह है कि हम-ज़ के मायने ग़ीबत यानी किसी की पीठ पीछे उसके ऐबों का तज़किरा करना है, और लम-ज़ के मायने आमने-सामने किसी को ताना देने और बुरा कहने के हैं, ये दोनों ही चीज़ें सख़्त गुनाह हैं। ग़ीबत की वईदें क़ुरआन व हदीस में ज़्यादा हैं जिसकी वजह यह हो सकती है कि इस गुनाह के मशग़ूल होने में कोई रुकावट सामने नहीं होती जो इसमें मशग़ूल हो तो बढ़ता चढ़ता ही चला जाता है, इसलिये गुनाह बड़े से बड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा होता जाता है, बख़िलाफ़ आमने-सामने कहने के कि वहाँ दूसरा भी अपने बचाव के लिये तैयार होता है इसलिये गुनाह में फैलने और आगे बढ़ने की सूरत नहीं पाई जाती। इसके अ़लावा किसी के पीछे उसके ऐबों का तज़किरा इसलिये भी बड़ा ज़ुल्म है कि उसको ख़बर भी नहीं कि मुझ पर क्या

इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि अपनी सफ़ाई पेश कर सके।

और एक हैसियत से लम-ज़ ज़्यादा सख़्त है, किसी के रू-ब-रू उसको बुरा कहना उसकी तौहीन व अपमान भी है, और उसको सताना और सख़्त तकलीफ़ देना भी है, इस एतिबार से उसका अ़ज़ाब भी ज़्यादा सख़्त है। हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

شِرَارُ عِبَادِ اللّٰهِ تَعَالٰى اَلْمَشَّاءُوْنَ بِالنَّمِيْمَةِ الْمُفَرِّقُوْنَ بَيْنَ الْاَحِبَّةِ الْبَاغُوْنَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ.

यानी अल्लाह के बन्दों में बदतरीन वे लोग हैं जो चुग़लख़ोरी करते हैं और दोस्तों के दरमियान फ़साद डलवाते हैं, और बेगुनाह लोगों के ऐब तलाश करते रहते हैं।

तीसरी ख़स्लत जिस पर अ़ज़ाब की वईद (वायदा और धमकी) इस सूरत में आई है वह माल की हिर्स और मुहब्बत है, इसी को आयत में इस तरह से ताबीर किया है कि माल की हिर्स व मुहब्बत की वजह से उसको बार-बार गिनता रहता है। चूँकि दूसरी आयतें और रिवायतें इस पर सुबूत हैं कि माल का जमा रखना कोई हराम व गुनाह नहीं इसलिये यहाँ भी मुराद वह जमा करना है जिसमें वाजिब हुक़ूक़ अदा न किये गये हों, या फ़ख़्र व घमण्ड मक़सूद हो, या उसकी मुहब्बत में मशग़ूल होकर दीन की ज़रूरी बातों और कामों से ग़फ़लत हो।

تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ۝

यानी यह जहन्नम की आग दिलों तक पहुँच जायेगी। यूँ तो हर आग की ख़ासियत यही है कि जो चीज़ उसमें पड़े उसके सभी हिस्सों को जला देती है, इनसान उसमें डाला जायेगा तो उसके सारे अंगों व हिस्सों के साथ दिल भी जल जायेगा। यहाँ जहन्नम की आग की यह ख़ुसूसियत इसलिये ज़िक्र की गयी कि दुनिया की आग जब इनसान के बदन को लगती है तो उसके दिल तक पहुँचने से पहले ही मौत वाक़े हो जाती है, बख़िलाफ़ जहन्नम के कि उसमें मौत तो आती नहीं तो दिल तक आग का पहुँचना ज़िन्दगी की हालत में होता है और दिल के जलने की तकलीफ़ अपनी ज़िन्दगी में इनसान महसूस करता है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-हु-मज़ह् की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-फ़ील

सूरः अल्-फ़ील मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 5 आयतें हैं।

اٰیَاتُهَا ٥ (١٠٥) سُوْرَةُ الْفِيْلِ مَكِّيَّةٌ (١٩) رُكُوْعُهَا ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ ۝ اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِيْ تَضْلِيْلٍ ۝ وَّاَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝ تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अलम् त-र कै-फ़ फ़-अ़-ल रब्बु-क बिअस्हाबिल्-फ़ील (1) अलम् यज्अ़ल् कै-दहुम् फ़ी तज़्लीलिंव- (2) -व अर्स-ल अ़लैहिम् तैरन् अबाबील (3) तर्मीहिम् बिहिजा-रतिम् मिन् सिज्जील (4) फ़-ज-अ़-लहुम् क-अ़स्फ़िम् मअ्कूल (5) ✽	क्या तूने न देखा कैसा किया तेरे रब ने हाथी वालों के साथ (1) क्या नहीं कर दिया उनका दाव ग़लत (2) और भेजे उन पर उड़ते जानवर टुकड़ियाँ-टुकड़ियाँ (3) फेंकते थे उन पर पथरियाँ कंकर की (4) फिर कर डाला उनको जैसे भुस खाया हुआ। (5) ✽

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आपको मालूम नहीं कि आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या मामला किया? (इस पूछने और सवाल करने से मक़सद इस वाकिए की बड़ाई व अहमियत और हौलनाक होने पर तंबीह करना है। आगे उस मामले का बयान है) क्या उनकी तदबीर को (जो कि काबा शरीफ़ को वीरान करने के बारे में थी) पूरी तरह ग़लत नहीं कर दिया? (यह पूछना व सवाल करना तक़रीरी है यानी वाकिए के सही होने को साबित करने के लिये) और उन पर गिरोह के गिरोह परिन्दे भेजे जो उन लोगों पर कंकर की पथरियाँ फेंकते थे। सो अल्लाह तआ़ला ने उनको खाये हुए भूसे की तरह (पामाल) कर दिया (हासिल यह कि अल्लाह के अहकाम की बेहुर्मती करने वालों को ऐसे अ़ज़ाब व सज़ा से बेफ़िक्र न रहना चाहिये, हो सकता है कि दुनिया ही में अ़ज़ाब आ जाये जैसे हाथी वालों पर आया, वरना आख़िरत का अ़ज़ाब तो यक़ीनी ही है)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत में अस्हाब-ए-फ़ील (हाथी वालों) के वाकिए का मुख़्तसर बयान है कि उन्होंने बैतुल्लाह को मिस्मार करने के इरादे से हाथियों की फौज लेकर मक्का मुकर्रमा पर चढ़ाई की थी, हक़ तआ़ला ने मामूली परिन्दों के ज़रिये उनकी फ़ौज को आसमानी अ़ज़ाब नाज़िल फ़रमाकर नेस्त व नाबूद करके उनके इरादों को ख़ाक में मिला दिया।

हाथी वालों का वाकिआ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैदाईश के साल में हुआ

यह वाकिआ़ उस साल में पेश आया जिस साल में हज़रत ख़ातमुल-अम्बिया सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की पैदाईश मुबारक मक्का मुकर्रमा में हुई। कुछ रिवायतों से भी इसकी ताईद होती है, और यही मशहूर क़ौल है। (तफ़सीर इब्ने कसीर) हज़राते मुहद्दिसीन ने इस वाकिए को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का एक क़िस्म का मोजिज़ा क़रार दिया है, मगर चूँकि मोजिज़ों का क़ानून यह है कि वह नबी की नुबुव्वत के दावे के साथ उनकी तस्दीक़ के लिये ज़ाहिर किये जाते हैं, नुबुव्वत के दावे से पहले बल्कि नबी की पैदाईश से भी पहले हक़ तआ़ला कई बार दुनिया में ऐसे वाकिआ़त और निशानियाँ ज़ाहिर फ़रमाते हैं जो असाधारण और ख़िलाफ़े आ़दत होने में मोजिज़े ही की तरह होते हैं। इस तरह की निशानियों को मुहद्दिसीन की परिभाषा में 'इरहास' कहा जाता है जो बुनियाद रखने और किसी चीज़ की प्रारम्भिका के मायने में इस्तेमाल होता है। रहस बुनियाद के पत्थर को कहते हैं। (क़ामूस) अम्बिया अ़लैहिमुस्सलाम के दुनिया में तशरीफ़ लाने से या उनके नुबुव्वत के दावे से पहले भी हक़ तआ़ला कुछ ऐसी निशानियाँ ज़ाहिर फ़रमाते हैं जो मोजिज़ों की क़िस्म से होती हैं, और ऐसी निशानियाँ चूँकि उनकी नुबुव्वत के सुबूत का मुक़द्दमा (शुरूआ़ती चीज़ें) और इस क़िस्म की तम्हीद व बुनियाद होती हैं इसलिये उनको इरहास कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत और विलादत से पहले भी इस क़िस्म के इरहासात अनेक क़िस्म के हुए हैं। अस्हाबे-फ़ील को आसमानी अ़ज़ाब के ज़रिये बैतुल्लाह पर हमले से रोक देना भी उन्हीं इरहासात में से है।

अस्हाब-ए-फ़ील का वाकिआ़

हदीस व तारीख़ के इमाम इब्ने कसीर रह. ने इस तरह नक़ल फ़रमाया है कि यमन पर हिमयर के बादशाहों का क़ब्ज़ा था, ये लोग मुश्रिक थे, इनका आख़िरी बादशाह ज़ू-नवास है जिसने उस ज़माने के अहले हक़ यानी ईसाईयों पर सख़्त ज़ुल्म व अत्याचार किये, उसी ने एक लम्बी-चौड़ी ख़न्दक़ खुदवाकर उसको आग से भरा और जितने ईसाई बुत-परस्ती के ख़िलाफ़ एक अल्लाह की इबादत करने वाले थे सब को उस आग की ख़न्दक़ (खाई) में डालकर जला दिया

जिनकी संख्या बीस हज़ार के क़रीब थी। यही वह ख़न्दक़ का वाक़िआ है जिसका ज़िक्र अस्हाबुल-उख़्दूद के नाम से सूरः बुरूज में गुज़रा है। उनमें से दो आदमी किसी तरह उसकी गिरफ़्त से निकल भागे और उन्होंने मुल्क शाम के बादशाह क़ैसर से जाकर फ़रियाद की कि हिमयर के बादशाह ज़ू-नवास ने ईसाईयों पर ऐसा ज़ुल्म किया है आप उनका इन्तिक़ाम लें। मुल्क शाम के क़ैसर ने हब्शा के बादशाह को ख़त लिखा, यह भी ईसाई था और यमन से क़रीब था कि आप उस ज़ालिम से ज़ुल्म का इन्तिक़ाम लो। उसने अपने भारी लश्कर दो कमाण्डरों (अमीरों) अरबात और अब्रहा के नेतृत्व में यमन के उस बादशाह के मुक़ाबले पर भेज दिया, लश्कर उसके मुल्क पर टूट पड़ा और पूरे यमन को हिमयर क़ौम के क़ब्ज़े से आज़ाद कराया। हिमयर का बादशाह ज़ू-नवास भाग निकला और दरिया में ग़र्क़ होकर मर गया। इस तरह अरबात व अब्रहा के ज़रिये यमन पर हब्शा के बादशाह का क़ब्ज़ा हो गया, फिर अरबात और अब्रहा में आपस में जंग होकर अरबात मारा गया और अब्रहा ग़ालिब आ गया और यही हब्शा के बादशाह नजाशी की तरफ़ से मुल्क यमन का हाकिम (गवर्नर) मुक़र्रर हो गया।

इसने यमन पर क़ब्ज़ा करने के बाद इरादा किया कि यमन में एक ऐसा शानदार कनीसा बनाये जिसकी नज़ीर दुनिया में न हो। इससे इसका मक़सद यह था कि यमन के अ़रब लोग जो हज करने के लिये मक्का मुकर्रमा जाते हैं और बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हैं ये लोग उस कनीसा (ईसाई गिरजा घर) की बड़ाई और शान व शौकत से मरऊब होकर काबा के बजाय उसी कनीसा में जाने लगेंगे। इस ख़्याल पर उसने बहुत बड़ा आ़लीशान कनीसा इतना ऊँचा तामीर किया कि उसकी बुलन्दी से नीचे खड़ा हुआ आदमी नज़र नहीं डाल सकता था और उसको सोने चाँदी और जवाहिरात से सुसज्जित किया और पूरी सल्तनत में ऐलान करा दिया कि अब यमन से कोई काबा के हज के लिये न जाये, इस कनीसा में इबादत करे।

अ़रब में अगरचे बुत-परस्ती ग़ालिब आ गयी थी मगर दीने इब्राहीम और काबे की अ़ज़मत व मुहब्बत उनके दिलों में जमी हुई थी इसलिये अदनान, क़हतान और क़ुरैश के क़बीलों में ग़म व गुस्से की लहर दौड़ गयी, यहाँ तक कि उनमें से किसी ने रात के वक़्त कनीसा में दाख़िल होकर उसको गन्दगी से ख़राब कर दिया और कुछ रिवायतों में है कि उनमें से मुसाफ़िर क़बीले ने कनीसा के क़रीब अपनी ज़रूरतों के लिये आग जलाई, उसकी आग कनीसा में लग गयी और उसको सख़्त नुक़सान पहुँच गया।

अब्रहा को जब इसकी इत्तिला हुई और बतलाया गया कि किसी क़ुरैशी ने यह काम किया है तो उसने क़सम खाई कि मैं उनके काबे की ईंट से ईंट बजाकर रहूँगा। अब्रहा ने इसकी तैयारी शुरू की और अपने बादशाह नजाशी से इजाज़त माँगी, उसने अपना ख़ास हाथी जिसका नाम महमूद था अब्रहा के लिये भेज दिया कि वह इस पर सवार होकर काबा पर हमला करे। कुछ रिवायतों में है कि यह सबसे बड़ा अ़ज़ीमुश्शान हाथी था जिसकी नज़ीर नहीं पाई जाती थी, और उसके साथ आठ हाथी दूसरे भी इस लश्कर के लिये हब्शा के बादशाह ने भेज दिये थे। हाथियों की यह तायदाद भेजने का मन्शा यह था कि बैतुल्लाह काबे को ढहाने में हाथियों से

काम लिया जाये। तजवीज़ यह थी कि बैतुल्लाह के सुतूनों में लोहे की मज़बूत और लम्बी ज़न्जीरें बाँधकर उन ज़न्जीरों को हाथियों के गले में बाँधें और उनको हंका दें तो सारा बैतुल्लाह (मआज़ल्लाह) फ़ौरन ही ज़मीन पर आ गिरेगा।

अ़रब में जब उसके हमले की ख़बर फैली तो सारा अ़रब मुक़ाबले के लिये तैयार हो गया। यमन के अ़रबों में एक शख़्स ज़ू-नफ़र नाम का था उसने अ़रबों का नेतृत्व किया और अ़रब लोग उसके गिर्द जमा होकर मुक़ाबले के लिये तैयार हो गये और अब्रहा के ख़िलाफ़ जंग की मगर अल्लाह तआ़ला को तो यह मन्ज़ूर था कि अब्रहा की शिकस्त और उसकी रुस्वाई नुमायाँ होकर दुनिया के सामने आये, इसलिये ये अ़रब वाले मुक़ाबले में कामयाब न हुए। अब्रहा ने उनको शिकस्त दे दी और ज़ू-नफ़र को क़ैद कर लिया और आगे रवाना हो गया। उसके बाद जब वह क़बीला ख़स्अ़म के मक़ाम पर पहुँचा तो इस क़बीले के सरदार नुफ़ैल बिन हबीब ने पूरे क़बीले के साथ अब्रहा का मुक़ाबला किया मगर अब्रहा के लश्कर ने इनको भी शिकस्त दे दी और नुफ़ैल बिन हबीब को भी क़ैद कर लिया और इरादा उनके क़त्ल का किया मगर फिर यह समझकर उनको ज़िन्दा रखा कि उनसे हम रास्तों का पता मालूम कर लेंगे। इसके बाद जब यह लश्कर तायफ़ के क़रीब पहुँचा तो तायफ़ के बाशिन्दे क़बीला सक़ीफ़ वाले पिछले क़बीलों की जंग और अब्रहा की फ़तह के वाक़िआ़त सुन चुके थे, उन्होंने अपनी ख़ैर मनाने का फ़ैसला किया और यह कि तायफ़ में जो हमने एक अ़ज़ीमुश्शान बुतख़ाना लात के नाम से बना रखा है यह उसको न छेड़े तो हम उसका मुक़ाबला न करें। उन्होंने अब्रहा से मिलकर यह भी तय कर लिया कि हम तुम्हारी इमदाद और रहनुमाई के लिये अपना एक सरदार अबू रिग़ाल तुम्हारे साथ भेज देते हैं, अब्रहा इस पर राज़ी होकर अबू रिग़ाल को साथ लेकर मक्का मुकर्रमा के क़रीब एक मक़ाम मग़्मस पर पहुँच गया जहाँ मक्का के क़ुरैशियों के ऊँट चर रहे थे। अब्रहा के लश्कर ने सबसे पहले उन प्रर हमला करके ऊँट गिरफ़्तार कर लिये जिनमें दो सौ ऊँट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के दादा साहिब अ़ब्दुल-मुत्तलिब क़ुरैश के सरदार के भी थे।

अब्रहा ने यहाँ पहुँचकर अपने एक दूत हनाता हिमयरी को शहर मक्का में भेजा कि वह क़ुरैश के सरदारों के पास जाकर इत्तिला कर दे कि हम तुमसे जंग के लिये नहीं आये, हमारा मक़सद काबे को ढहाना है, अगर तुमने इसमें रुकावट न डाली तो तुम्हें कोई नुक़सान न पहुँचेगा। हनाता जब मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुआ तो सब ने उसको अ़ब्दुल-मुत्तलिब का पता दिया कि वह क़ुरैश के सबसे बड़े सरदार हैं, हनाता ने अ़ब्दुल-मुत्तलिब से गुफ़्तगू की और अब्रहा का पैग़ाम पहुँचा दिया। इब्ने इस्हाक़ की रिवायत के मुताबिक़ अ़ब्दुल-मुत्तलिब ने यह जवाब दिया कि हम भी अब्रहा से जंग का कोई इरादा नहीं रखते, न हमारे पास इतनी ताक़त है कि उसका मुक़ाबला कर सकें। अलबत्ता मैं यह बताये देता हूँ कि यह अल्लाह का घर और उसके ख़लील इब्राहीम अ़लैहिस्सलाम का बनाया हुआ है, वह ख़ुद इसकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मेदार है, अल्लाह से जंग का इरादा है तो जो चाहे करे, फिर देखे कि अल्लाह तआ़ला क्या मामला करते हैं। हनाता ने अ़ब्दुल-मुत्तलिब से कहा कि तो फिर आप मेरे साथ चलें मैं आपको अब्रहा

से मिलाता हूँ।

अब्रहा ने जब अ़ब्दुल-मुत्तलिब को देखा कि बड़े रौब व दबदबे वाले आदमी हैं तो उनको देखकर अपने तख़्त से नीचे उतरकर बैठ गया और अ़ब्दुल-मुत्तलिब को अपने बराबर में बैठाया और अपने तर्जुमान (अनुवादक) से कहा कि अ़ब्दुल-मुत्तलिब से पूछे कि वह किस ग़र्ज़ से आये हैं। अ़ब्दुल-मुत्तलिब ने कहा कि मेरी ज़रूरत तो इतनी है कि मेरे ऊँट जो आपके लश्कर ने गिरफ़्तार कर लिये हैं उनको छोड़ दें। अब्रहा ने तर्जुमान के ज़रिये अ़ब्दुल-मुत्तलिब से कहा कि जब मैंने आपको पहली बार देखा तो मेरे दिल में आपकी बड़ी वक़्अ़त व इज़्ज़त हुई मगर आपकी गुफ़्तगू ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया, कि आप मुझसे सिर्फ़ अपने दो सौ ऊँटों की बात कर रहे हैं और यह मालूम है कि मैं आपका काबा जो आपका दीन है उसको ढहाने के लिये आया हूँ उसके मुताल्लिक़ आपने कोई गुफ़्तगू नहीं की।

अ़ब्दुल-मुत्तलिब ने जवाब दिया कि ऊँटों का मालिक तो मैं हूँ मुझे उनकी फ़िक्र हुई और बैतुल्लाह का मालिक मैं नहीं बल्कि उसका मालिक एक अ़ज़ीम हस्ती है वह अपने घर की हिफ़ाज़त करना जानता है। अब्रहा ने कहा कि तुम्हारा ख़ुदा उसको मेरे हाथ से न बचा सकेगा। अ़ब्दुल-मुत्तलिब ने कहा कि फिर तुम्हें इख़्तियार है जो चाहो करो। और कुछ रिवायतों में है कि अ़ब्दुल-मुत्तलिब के साथ और भी क़ुरैश के चन्द सरदार गये थे और उन्होंने अब्रहा के सामने यह पेशकश की कि अगर आप बैतुल्लाह पर हाथ न डालें और लौट जायें तो हम पूरे तिहामा की एक तिहाई पैदावार आपको बतौर ख़िराज अदा करते रहेंगे, मगर अब्रहा ने इसके मानने से इनकार कर दिया। अ़ब्दुल-मुत्तलिब के ऊँट अब्रहा ने वापस कर दिये, वह अपने ऊँट लेकर वापस आये तो बैतुल्लाह के दरवाज़े का हल्क़ा (कुण्डा) पकड़कर दुआ़ में मशग़ूल हुए और क़ुरैश की एक बड़ी जमाअ़त साथ थी सब ने अल्लाह तआ़ला से दुआ़यें कीं कि अब्रहा के भारी लश्कर का मुक़ाबला हमारे तो बस में नहीं, आप ही अपने घर की हिफ़ाज़त का इन्तिज़ाम फ़रमा दें। रोने और फ़रियाद करने के साथ दुआ़ करने के बाद अ़ब्दुल-मुत्तलिब मक्का मुकर्रमा के दूसरे लोगों को साथ लेकर मुख़्तलिफ़ पहाड़ों पर फैल गये, उनको यह यक़ीन था कि उसके लश्कर पर अल्लाह तआ़ला का अ़ज़ाब आयेगा, इसी यक़ीन की बिना पर उन्होंने अब्रहा से ख़ुद अपने ऊँटों का मुतालबा किया, बैतुल्लाह के मुताल्लिक़ गुफ़्तगू करना इसलिये पसन्द न किया कि ख़ुद तो उसके मुक़ाबले की ताक़त न थी और दूसरी तरफ़ यह भी यक़ीन रखते थे कि अल्लाह तआ़ला उनकी बेबसी पर रहम फ़रमाकर दुश्मन की क़ुव्वत और उसके इरादों को ख़ाक में मिला देंगे।

सुबह हुई तो अब्रहा ने बैतुल्लाह पर चढ़ाई की तैयारी की और महमूद नाम के अपने हाथी को आगे चलने के लिये तैयार किया। नुफ़ैल बिन हबीब जिनको रास्ते में अब्रहा ने गिरफ़्तार किया था उस वक़्त वह आगे बढ़े और हाथी का कान पकड़कर कहने लगे- तू जहाँ से आया है वहीं सही सालिम लौट जा, क्योंकि तू अल्लाह के 'बलदे अमीन' (अमन वाले शहर) में है। यह कहकर उसका कान छोड़ दिया। हाथी यह सुनते ही बैठ गया, हाथी बानों ने उसको उठाना चलाना चाहा लेकिन वह अपनी जगह से न हिला। उसको बड़े-बड़े लोहे के तबरों से मारा गया,

इसकी भी परवाह न की, उसकी नाक में लोहे का आँकड़ा डाल दिया फिर भी वह खड़ा न हुआ, उस वक़्त उन लोगों ने उसको यमन की तरफ़ लौटाना चाहा तो फ़ौरन खड़ा हो गया, फिर शाम की तरफ़ चलाना चाहा तो चलने लगा, फिर पूरब की तरफ़ चलाया तो चलने लगा, इन सब दिशाओं में चलाने के बाद फिर उसको मक्का मुकर्रमा की तरफ़ चलाने लगे तो फिर बैठ गया।

अल्लाह तआ़ला की क़ुदरत का यह करिश्मा तो यहाँ ज़ाहिर हुआ। दूसरी तरफ़ दरिया की तरफ़ से कुछ परिन्दों की कतारें आती दिखाई दीं जिनमें से हर एक के पास तीन कंकरियाँ चने या मसूर के बराबर थीं, एक चोंच में और दो पंजों में। अ़ल्लामा वाक़दी रह. की रिवायत में है कि परिन्दे अ़जीब तरह के थे जो उससे पहले नहीं देखे गये। बदन में कबूतर से छोटे थे, उनके पंजे सुर्ख़ थे, हर पंजे में एक कंकर और एक चोंच में लिये आते दिखाई देते और फ़ौरन ही अब्रहा के लश्कर के ऊपर छा गये। ये कंकरें जो हर एक के साथ थीं उनको अब्रहा के लश्कर पर गिराया। एक-एक कंकर ने वह काम किया जो रिवालवर की गोली भी नहीं कर सकती, कि जिस पर पड़ती उसके बदन को छेदती हुई ज़मीन में घुस जाती थी।

यह अ़ज़ाब देखकर सब हाथी भाग खड़े हुए, सिर्फ़ एक हाथी रह गया था जो उस कंकरी से हलाक हुआ, और लश्कर के सब आदमी उसी जगह पर हलाक नहीं हुए बल्कि मुख़्तलिफ़ दिशाओं में भागे, उन सब का यह हाल हुआ कि रास्ते में मर-मरकर गिर गये। अब्रहा को चूँकि सख़्त सज़ा देनी थी वह फ़ौरन हलाक नहीं हुआ मगर उसके जिस्म में ऐसा ज़हर घुस गया कि उसका एक-एक जोड़ गल-सड़कर गिरने लगा, उसी हाल में उसको वापस यमन लाया गया, राजधानी सनआ़ पहुँचकर उसका सारा बदन टुकड़े-टुकड़े होकर बह गया और मर गया।

अब्रहा के हाथी महमूद के साथ दो हाथीबान यहीं मक्का मुकर्रमा में रह गये मगर इस तरह कि दोनों अन्धे और अपाहिज हो गये थे। मुहम्मद बिन इस्हाक़ ने हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा से रिवायत किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि मैंने उन दोनों को इस हालत में देखा है कि वह अन्धे और अपाहिज थे, और हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा की बहन हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने फ़रमाया कि मैंने दोनों अपाहिज अंधों को भीख माँगते हुए देखा है। अस्हाबे-फ़ील (हाथी वालों) के इसी वाक़िए के मुताल्लिक़ इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को ख़िताब करके फ़रमाया हैः

اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحٰبِ الْفِيْلِ٥

यहाँ 'अलम् त-र' फ़रमाया जिसके मायने हैं 'क्या आपने नहीं देखा' हालाँकि यह वाक़िआ आपकी पैदाईश मुबारक से कुछ दिन पहले का है, आपके देखने का यहाँ बज़ाहिर कोई मौक़ा नहीं था, मगर जो वाक़िआ ऐसा यक़ीनी हो कि आ़म तौर पर देखने में आया हो उसके इल्म को भी देखने के लफ़्ज़ से ताबीर कर दिया जाता है कि गोया यह आँखों देखा वाक़िआ है। और एक हद तक देखना भी साबित है जैसा कि ऊपर गुज़रा है कि हज़रत सिद्दीक़ा आ़यशा और हज़रत असमा रज़ियल्लाहु अ़न्हा ने हाथीबानों को अंधा और अपाहिज भीख माँगते देखा है।

طَيْرًا اَبَابِيْلَ ۝

'अबाबील' जमा (बहुवचन) का लफ़्ज़ है मगर इसका कोई मुफ़्रद (एक वचन) इस्तेमाल नहीं होता, इसके मायने परिन्दों के ग़ौल (झुण्ड) के हैं, किसी ख़ास जानवर का नाम नहीं। उर्दू भाषा में जो एक ख़ास चिड़िया को अबाबील कहते हैं यहाँ वह मुराद नहीं जैसा कि ऊपर रिवायत में गुज़र चुका है। ये परिन्दे कबूतर से किसी क़द्र छोटे थे और कोई ऐसी जिन्स (प्रजाति) थी जो पहले कभी नहीं देखी गयी। (हज़रत सईद बिन जुबैर का यही क़ौल है। क़ुर्तुबी)

بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلٍ ۝

'सिज्जील' संगे-गिल को अ़रबी बनाया हुआ लफ़्ज़ है जिसके मायने हैं ऐसी कंकरें जो तर मिट्टी को आग में पकाने से बनती हैं। इसमें इशारा इस तरफ़ है कि ये कंकरें भी ख़ुद कोई ताक़त न रखती थीं, मामूली गारे और आग से बनी हुई थीं मगर अल्लाह की क़ुदरत से उन्होंने रिवालवर की गोलियों से ज़्यादा काम किया।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُوْلٍ ۝

'अस्फ़' भूसे को कहते हैं। अव्वल तो ख़ुद भूसा ही बिखरे हुए तिनके होते हैं, फिर जबकि उसको किसी जानवर ने चबा भी लिया हो तो वो तिनके भी अपने हाल पर नहीं रहते। अब्रहा के लश्कर में जिस पर यह कंकर पड़ी है उसका यही हाल हो गया है।

अस्हाबे-फ़ील के इस अ़जीब व ग़रीब वाक़िए ने पूरे अ़रब वालों के दिलों में क़ुरैश का सम्मान व इज़्ज़त बढ़ा दी और सब मानने लगे कि ये लोग अल्लाह वाले हैं, इनकी तरफ़ से ख़ुद हक़ तआ़ला जल्ल शानुहू ने इनके दुश्मन को हलाक कर दिया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इसी बड़ाई व सम्मान का यह असर था कि मक्का के क़ुरैश मुख़्तलिफ़ मुल्कों का सफ़र तिजारत की ग़र्ज़ से करते थे और रास्ते में कोई उनको नुक़सान न पहुँचाता था हालाँकि उस वक़्त दूसरों के लिये कोई सफ़र ऐसे ख़तरों से ख़ाली नहीं था। क़ुरैश के उन्हीं सफ़रों का ज़िक्र आगे अगली सूरत सूरः क़ुरैश में करके उनको इस नेमत पर शुक्र की तरफ़ दावत दी गयी है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-फ़ील की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-क़ुरैश

सूरः अल्-क़ुरैश मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 4 आयतें हैं।

آياتها ٤ (١٠٦) سُوْرَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ (٢٩) رکوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

لِاِيْلٰفِ قُرَيْشٍ ۙ﴿١﴾ اٖلٰفِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ ۚ﴿٢﴾ فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ ۙ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ﴿٤﴾

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

लि-ईलाफ़ि क़ुरैशिन् (1) ईलाफ़िहिम् रिह्लतश्शिता-इ वस्सैफ़ (2) फ़ल्-यअ्बुदू रब्-ब हाज़ल्-बैति- (3) -ल्लज़ी अत्अ-महुम् मिन् जूअिंव्-व अ-म-नहुम् मिन् ख़ौफ़ (4) ✿	इस वास्ते के मानूस रखा क़ुरैश को (1) मानूस रखना उनको सफ़र से जाड़े के और गर्मी के (2) तो चाहिए कि बन्दगी करें इस घर के रब की (3) जिसने उनको खाना दिया भूख में और अमन दिया डर में। (4) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

चूँकि क़ुरैश आ़दी हो गये हैं, यानी जाड़े और गर्मी के सफ़र के आ़दी हो गये हैं, तो (इस नेमत के शुक्रिये में) उनको चाहिये कि इस ख़ाना-ए-काबा के मालिक की इबादत करें जिसने उनको भूख में खाने को दिया और ख़ौफ़ से उनको अमन दिया।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस पर तो सब मुफ़स्सिरीन (क़ुरआन के व्याख्यापकों) का इत्तिफ़ाक़ है कि मायने और मज़मून के एतिबार से यह सूरत सूरः फ़ील ही से मुताल्लिक़ है, और शायद इस वजह से कुछ मुसाहिफ़ में इन दोनों को एक ही सूरत करके लिखा गया था, दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाह नहीं लिखी थी, मगर हज़रत उस्मान ग़नी रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने जब अपने ज़माने में तमाम क़ुरआनी मुसाहिफ़ को जमा करके एक नुस्ख़ा तैयार फ़रमाया और तमाम सहाबा-ए-किराम का उस पर इजमा (एक राय) हुआ। क़ुरआन के उसी नुस्ख़े को जमहूर के नज़दीक इमाम कहा

जाता है, उसमें इन दोनों को दो अलग-अलग सूरतें ही लिखा है, दोनों के दरमियान बिस्मिल्लाह लिखी गयी है।

لِاِیْلٰفِ قُرَیْشٍ٥

हर्फ़ लाम तरकीबे नहवी के एतिबार से यह चाहता है कि इसका ताल्लुक़ किसी पहले वाले मज़मून के साथ हो, इसी लिये यह किस से संबन्धित है इस बारे में अनेक अक़्वाल हैं, पिछली सूरत के साथ मानवी ताल्लुक़ की बिना पर कुछ हज़रात ने फ़रमाया है कि यहाँ यह इबारत पोशीदा है:

انّااهلكنا اصحٰب الفيل.

यानी हमने अस्हाबे-फ़ील (हाथी वालों) को इसलिये हलाक किया कि मक्का के क़ुरैश सर्दी गर्मी के दो सफ़रों के आ़दी थे, उनकी राह में कोई रुकावट न रहे सब के दिलों में उनकी इज़्ज़त व सम्मान पैदा हो जाये। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि पोशीद जुमला 'उअ़्जिबू' है, यानी ताज्जुब करो क़ुरैश के मामले से कि किस तरह सर्दी गर्मी के सफ़र आज़ादाना निडर होकर करते हैं। और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि इसका ताल्लुक़ उस जुमले से है जो आगे आयत में आ रहा है यानी 'फ़ल्यअ़्बुदू' मतलब यह हुआ कि क़ुरैश को इस नेमत के नतीजे में अल्लाह तआ़ला का शुक्रगुज़ार होना और उसकी इबादत में लग जाना चाहिये। इस सूरत में 'फ़ल्यअ़्बुदू' के ऊपर हर्फ़ फ़ा इसलिये है कि पहले जुमले में एक मायने शर्त के पाये जाते हैं।

बहरहाल इस सूरत में इरशाद यह है कि मक्का के क़ुरैश चूँकि दो सफ़रों के आ़दी थे, एक सर्दी में यमन की तरफ़, दूसरा गर्मी में शाम की तरफ़, और इन्हीं दो सफ़रों पर उनकी तिजारत और कारोबार का मदार था, और इसी तिजारत की बिना पर वह मालदार और ख़ुशहाल थे इस लिये अल्लाह तआ़ला ने उनके दुश्मन हाथी वालों को इब्रतनाक सज़ा देकर इनकी इज़्ज़त लोगों के दिलों में बढ़ा दी, ये सारे मुल्कों में जहाँ भी जायें लोग इनकी इज़्ज़त व सम्मान करते हैं।

क़ुरैश की अफ़ज़लियत सारे अ़रब पर

इस सूरत में इसकी तरफ़ भी इशारा है कि अ़रब के तमाम क़बीलों में क़ुरैश अल्लाह तआ़ला के नज़दीक सबसे ज़्यादा मक़बूल हैं जैसा कि हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने इस्माईल अ़लैहिस्सलाम की तमाम औलाद में से किनाना को और किनाना में से क़ुरैश को और क़ुरैश में से बनू हाशिम को और बनू हाशिम में से मुझको चुन लिया है। (बग़वी, वासिला बिन अस्क़ा की रिवायत से) और एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तमाम आदमी क़ुरैश के ताबे हैं अच्छाई व बुराई में। (मुस्लिम, जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की रिवायत से। मज़हरी)

और पहली हदीस में जिस ख़ुदावन्दी चयन का ज़िक्र है ग़ालिबन उसकी वजह इन क़बीलों के ख़ास गुण, ख़ूबियाँ, कमालात और इस्तेदादें हैं, कुफ़्र व शिर्क और जहालत के ज़माने में भी इनके कुछ अख़्लाक़ और गुण निहायत आला थे, इनमें हक़ के क़ुबूल करने की सलाहियत बहुत

कामिल थी, यही वजह है कि सहाबा-ए-किराम और औलिया-अल्लाह में ज़्यादातर लोग क़ुरैश में से हुए हैं। (तफ़सीरे मज़हरी)

رِحْلَةَ الشِّتَآءِ وَالصَّيْفِ٥

यह बात मालूम व परिचित है कि मक्का मुकर्रमा एक ऐसे मकाम में आबाद है जहाँ कोई खेती-बाड़ी नहीं होती, वहाँ बाग़ात नहीं जिनके फल मक्का वालों को मिल सकें। इसी लिये बैतुल्लाह के बानी (तामीर करने वाले) हज़रत ख़लीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने मक्का मुकर्रमा के आबाद होने के वक़्त अल्लाह तआ़ला से यह दुआ़ फ़रमाई थी कि इस शहर को अमन की जगह बना दे और मक्का वालों को फलों का रिज़्क़ अ़ता फ़रमाः

اُرْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ.

और बाहर से हर तरह के फल यहाँ लाये जाया करें।

يُجْبٰۤى اِلَيْهِ ثَمَرٰتُ كُلِّ شَيْءٍ.

इसलिये मक्का वालों के रोज़गार का मदार इस पर था कि वे तिजारत के लिये सफ़र करें और अपनी ज़रूरत की चीज़ें वहाँ से लायें। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि मक्का वाले बड़ी ग़ुर्बत और तकलीफ़ में थे यहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के परदादा हज़रत हाशिम ने क़ुरैश को इसके लिये आमादा किया कि दूसरे मुल्कों से तिजारत का काम करें। मुल्क शाम ठण्डा मुल्क था, गर्मी के ज़माने में वहाँ और यमन गर्म मुल्क है सर्दी के ज़माने में उस तरफ़ तिजारती सफ़र करते और मुनाफ़ा हासिल करते थे। और चूँकि ये लोग बैतुल्लाह के ख़ादिम होने की हैसियत से तमाम अ़रब में पवित्र व सम्मानित माने जाते थे तो ये रास्ते के हर ख़तरे से भी महफ़ूज़ रहते थे। और हाशिम चूँकि इन सब के सरदार माने जाते थे उनका तरीक़ा यह था कि इस तिजारत में जो मुनाफ़ा हासिल होता उसको क़ुरैश के अमीर व ग़रीब सब में तक़सीम कर देते थे यहाँ तक कि उनका ग़रीब आदमी भी मालदारों के बराबर समझा जाता था। फिर हक़ तआ़ला ने उन पर यह मज़ीद एहसान फ़रमाया कि हर साल के दो सफ़रों की तकलीफ़ व कष्ट से भी इस तरह बचा दिया कि मक्का मुकर्रमा से मिले हुए इलाक़े यमन, तबाला और हरश को इतना हराभरा और उपजाऊ बना दिया कि वहाँ का ग़ल्ला उनकी ज़रूरत से ज़ायद होने की बिना पर उनको इसकी ज़रूरत पड़ी कि ये ग़ल्ले वहाँ से लाकर जद्दा में फ़रोख़्त करें, चुनाँचे ज़िन्दगी की अक्सर ज़रूरतें जद्दा में मिलने लगीं, मक्का वाले उन दो लम्बे सफ़रों के बजाय सिर्फ़ दो मन्ज़िल पर जाकर जद्दा से सब सामान लाने लगे। उक्त आयत में हक़ तआ़ला ने मक्का वालों पर इसी एहसान व इनाम का ज़िक्र फ़रमाया है।

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ.

इनामात का ज़िक्र करने के बाद उनका शुक्र अदा करने के लिये क़ुरैश को ख़ुसूसी ख़िताब के साथ यह हिदायत फ़रमाई कि इस घर के मालिक की इबादत किया करो। इस जगह अल्लाह तआ़ला की सिफ़ात में से रब्बुल-बैत होने की सिफ़त को ख़ुसूसियत से इसलिये ज़िक्र फ़रमाया

कि यही बैत (घर) काबा उनके तमाम फ़ज़ाईल और बरकतों का स्रोत था।

الَّذِیْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ۙ٥ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ٥

इसमें मक्का के क़ुरैश के लिये दुनिया की उन तमाम बड़ी नेमतों को जमा फ़रमा दिया है जो इनसान के सुकून की ज़िन्दगी गुज़ारने के लिये ज़रूरी हैं:

اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ٥

में खाने-पीने की ज़रूरतें दाख़िल हैं और:

اٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ٥

में दुश्मनों डाकुओं के ख़ौफ़ से सुरक्षित व महफ़ूज़ होना भी शामिल है और आख़िरत के अ़ज़ाब से महफ़ूज़ होना भी।

फ़ायदा

इमाम इब्ने कसीर रह. ने फ़रमाया कि यही वजह है कि जो शख़्स इस आयत के हुक्म के मुताबिक़ अल्लाह तआ़ला की इबादत करे तो अल्लाह तआ़ला उसके लिये दुनिया में भी अमन और बेख़ौफ़ व ख़तर रहने का सामान फ़रमा देते हैं और आख़िरत में भी, और जो इससे मुँह मोड़े उससे ये दोनों क़िस्म के अमन छीन लिये जाते हैं जैसा कि क़ुरआने करीम में फ़रमायाः

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَّاْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ٥

यानी अल्लाह तआ़ला ने एक मिसाल बयान फ़रमाई कि एक बस्ती थी जो अमन वाली, महफ़ूज़ और हर ख़तरे से मुत्मईन थी, उसका रिज़्क़ हर जगह से भारी मात्रा में आ जाता था, फिर उस बस्ती वालों ने अल्लाह के इनामात की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनको भूख और ख़ौफ़ की परेशानी में मुब्तला कर दिया उनके करतूत की बिना पर।

एक बड़ा फ़ायदा

अबुल-हसन क़ज़वीनी ने फ़रमाया कि जिस शख़्स को किसी दुश्मन या और किसी मुसीबत का ख़ौफ़ हो उसके लिये सूरः क़ुरैश का पढ़ना अमान है। इसको इमाम जज़री ने नक़ल करके फ़रमाया कि यह अ़मल आज़माया और तजुर्बा किया हुआ है। हज़रत क़ाज़ी सनाउल्लाह पानीपती रह. ने तफ़सीरे मज़हरी में इसको नक़ल करके फ़रमाया कि मुझे मेरे शैख़ हज़रत मिर्ज़ा मज़हरी जाने जानाँ रह. ने ख़ौफ़ व ख़तर के वक़्त इस सूरत के पढ़ने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि हर बला व मुसीबत के दफ़ा करने के लिये इसका पढ़ना मुजर्रब है। हज़रत क़ाज़ी साहिब मौसूफ़ फ़रमाते हैं कि मैंने भी बहुत बार इसका तजुर्बा किया है।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-क़ुरैश की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-माऊ़न

सूरः अल्-माऊ़न मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 7 आयतें हैं।

أَرَءَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۝ فَذَٰلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ ۝ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ۝ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

अ-रऐतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन (1) फ़ज़ालिकल्लज़ी यदुअ़्अ़ुल्-यतीम (2) व ला यहुज़्ज़ु अ़ला तआ़मिल्-मिस्कीन (3) फ़वैलुल् लिल्-मुसल्लीन (4) अल्लज़ी-न हुम अ़न् सलातिहिम् साहून (5) अल्लज़ी-न हुम् युराऊ-न (6) व यम्नअ़ूनल्-माअ़ून (7) ✿	तूने देखा उसको जो झुठलाता है इन्साफ़ होने को (1) सो यह वही है जो धक्के देता है यतीम को (2) और नहीं ताकीद करता मोहताज के खाने पर (3) फिर ख़राबी है उन नमाज़ियों की (4) जो अपनी नमाज़ से बेख़बर हैं (5) वे जो दिखलावा करते हैं (6) और माँगी न देवें बरतने की चीज़। (7) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

क्या आपने उस शख़्स को नहीं देखा जो क़ियामत के दिन को झुठलाता है। सो (अगर आप उस शख़्स का हाल सुनना चाहें तो सुनिये कि) वह वह शख़्स है जो यतीम को धक्के देता है और मोहताज को खाना देने की (दूसरों को भी) तरग़ीब नहीं देता (यानी वह ऐसा संगदिल है कि ख़ुद तो वह किसी ग़रीब को क्या देता दूसरों को भी इस पर आमादा नहीं करता। और जब बन्दों का हक़ ज़ाया करना ऐसा बुरा है तो ख़ालिक़ का हक़ ज़ाया करना तो और ज़्यादा बुरा है) सो (इससे साबित हुआ कि) ऐसे नमाज़ियों के लिये बड़ी ख़राबी है जो अपनी नमाज़ को भुला बैठते हैं (यानी छोड़ देते हैं), जो ऐसे हैं कि (जब नमाज़ पढ़ते हैं तो) दिखावा करते हैं और ज़कात बिल्कुल नहीं देते (क्योंकि ज़कात के लिये शरअ़न यह ज़रूरी नहीं कि सब के सामने

ज़ाहिर करके दे इसलिये उसको बिल्कुल न देने से भी कोई एतिराज़ नहीं कर सकता बख़िलाफ़ नमाज़ के वह जमाअत के साथ सबके सामने अदा की जाती है उसको बिल्कुल छोड़ दे तो सब पर निफ़ाक़ ज़ाहिर हो जाये, इसलिये नमाज़ को महज़ दिखलावे के लिये पढ़ लेता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

इस सूरत में काफ़िरों व मुनफ़िक़ों के कुछ बुरे और ग़लत कामों का ज़िक्र और उन पर जहन्नम की वईद है। ये काम अगर किसी मोमिन से हों जायें जो (इनके ज़रूरी होने और क़ियामत के आने को) झुठलाता नहीं वो भी अगरचे शरअ़न बुरे और सख़्त गुनाह हैं मगर ऊपर बयान हुई अ़ज़ाब की वईद उन पर नहीं है, इसी लिये इन कामों व आमाल से पहले ज़िक्र उस शख़्स का फ़रमाया है जो दीन और क़ियामत का इनकारी है, उसको झुठलाता है। इसमें इशारा इस तरफ़ ज़रूर है कि ये आमाल जिनका ज़िक्र आगे रहा है मोमिन की शान से बईद हैं, वह कोई मुन्किर काफ़िर ही कर सकता है। वो बुरे आमाल जिनका इस जगह इस सूरत में ज़िक्र फ़रमाया है ये हैं- यतीम के साथ बदसुलूकी और उसकी तौहीन, मिस्कीन मोहताज को बावजूद गुंजाईश व ताक़त के खाना न देना और दूसरों को इसकी तरग़ीब न देना। नमाज़ पढ़ने में रियाकारी करना। ज़कात अदा न करना। ये सब काम अपनी ज़ात में भी बहुत बुरे और सख़्त गुनाह हैं और जब कुफ़्र प झुठलाने के नतीजे में ये काम किये जायें तो इनका वबाल हमेशा की जहन्नम है जैसा कि इस सूरत में इसको वैल के अलफ़ाज़ से बयान फ़रमाया है।

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ۝

यह हाल मुनाफ़िक़ों का बयान फ़रमाया है जो लोगों को दिखलाने और अपने मुसलमान होने के दावे को साबित करने के लिये नमाज़ तो पढ़ते हैं मगर चूँकि वे नमाज़ के फ़र्ज़ होने ही का एतिक़ाद व यक़ीन नहीं रखते इसलिये न वक़्तों की पाबन्दी करते हैं न असल नमाज़ की, जहाँ दिखलाने का मौक़ा हुआ पढ़ ली वरना छोड़ दी। 'अ़न् सलातिहिम्' में लफ़्ज़ 'अ़न्' का यही मफ़्हूम है कि असल नमाज़ ही से लापरवाई इख़्तियार करे जो मुनाफ़िक़ों की आ़दत है, और नमाज़ के अन्दर कुछ भूल-चूक हो जाना जिससे कोई मुसलमान यहाँ तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम भी ख़ाली नहीं, वह इस कलिमे की मुराद नहीं है, क्योंकि इस पर जहन्नम की ख़राबी की वईद नहीं हो सकती, और अगर यह मुराद होती तो 'अ़न् सलातिहिम्' के बजाय 'फ़ी सलातिहिम्' फ़रमाया जाता। सही हदीसों में अनेक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से नमाज़ में भूल वाक़े होना साबित है।

وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ۝

'माऊन' के असल लफ़्ज़ी मायने 'थोड़ी और मामूली सी चीज़' के हैं इसलिये माऊन इस्तेमाल की ऐसी चीज़ों को कहा जाता है जो आ़दतन एक दूसरे को माँगे के तौर पर दी जाती हैं, और जिनका आपस में लेनदेन आ़म इनसानियत का तक़ाज़ा समझा जाता है, जैसे कुल्हाड़ी

फावड़ा या खाने-पकाने के बर्तन जिनका ज़रूरत के वक़्त पड़ोसियों से माँग लेना कोई ऐब नहीं समझा जाता, और जो इसमें देने से बुख़्ल (कन्जूसी) करे वह बड़ा कन्जूस क़मीना समझा जाता है। मगर उक्त आयत में लफ़्ज़ माऊन से मुराद ज़कात है, और ज़कात को माऊन इसलिये कहा गया है कि वह मात्रा के एतिबार से बाक़ी बचे माल के मुक़ाबले में बहुत कम है यानी सिर्फ़ चालीसवाँ हिस्सा। हज़रत अ़ली, हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हुमा, हसन बसरी, क़तादा, ज़स्हाक रह. वग़ैरह मुफ़स्सिरीन की अक्सरियत ने इस आयत में माऊन की तफ़सीर ज़कात ही से की है। (तफ़सीरे मज़हरी)

और इसके न देने पर जो अ़ज़ाब जहन्नम की ख़राबी का मज़कूर है वह भी फ़र्ज़ के छोड़ने ही पर हो सकता है, इस्तेमाल की चीज़ों का दूसरों को देना बहुत बड़ा सवाब और इनसानियत व मुरव्वत के लिहाज़ से ज़रूरी सही मगर फ़र्ज़ व वाजिब नहीं, जिसके रोकने पर जहन्नम की वईद (सज़ा का वायदा व धमकी) हो। और हदीस की कुछ रिवायतों में जो इस जगह माऊन की तफ़सीर इस्तेमाली चीज़ों और बर्तनों से की गयी है उसका मतलब उन लोगों के हद से ज़्यादा कमीनेपन का इज़हार है कि वे ज़कात तो क्या देते इस्तेमाली चीज़ें जिनके देने में अपना कुछ ख़र्च नहीं होता उसमें भी कन्जूसी करते हैं। तो वईद सिर्फ़ उन चीज़ों के न देने पर नहीं बल्कि फ़र्ज़ ज़कात की अदायेगी न करने और उसके साथ मज़ीद सख़्त कन्जूसी पर है। वल्लाहु आलम

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-माऊ़न की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-कौसर

सूरः अल्-कौसर मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 3 आयतें हैं।

آياتها ۳ سُوْرَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ (١٥) ركوعها ١

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इन्ना अअ़्तैनाकल्-कौ-सर् (1) फ़-सल्लि लिरब्बि-क वन्हर् (2) इन्-न शानि-अ-क हुवल्-अब्तर् (3) ✿	बेशक हमने दी तुझको कौसर (1) सो नमाज़ पढ़ अपने रब के आगे और क़ुरबानी कर (2) बेशक जो दुश्मन है तेरा वही रह गया पीछा कटा। (3) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

बेशक हमने आपको कौसर (एक हौज़ का नाम है, और हर बड़ी भलाई भी इसमें दाख़िल है) अ़ता फ़रमाई है (जिसमें दुनिया व आख़िरत की हर ख़ैर व भलाई शामिल है। दुनिया में दीने इस्लाम की बक़ा व तरक़्क़ी और आख़िरत में जन्नत के बुलन्द दर्जे सब दाख़िल हैं) सो (इन नेमतों के शुक्रिये में) आप अपने परवर्दिगार की नमाज़ पढ़िये (क्योंकि सबसे बड़ी नेमत के शुक्र में सबसे बड़ी इबादत चाहिये और वह नमाज़ है) और (तकमील के लिये जिस्मानी इबादत के साथ माली इबादत यानी उसी के नाम की) क़ुरबानी कीजिये (जैसा कि दूसरी आयतों में उमूमन नमाज़ के साथ ज़कात का हुक्म है, इसमें ज़कात के बजाय क़ुरबानी का ज़िक्र शायद इसलिये इख़्तियार किया गया कि क़ुरबानी में माली इबादत होने के अ़लावा मुश्रिकों और शिर्क वाली रस्मों की अ़मली मुख़ालफ़त भी है, क्योंकि मुश्रिक लोग बुतों के नाम की क़ुरबानी किया करते थे। आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बेटे हज़रत क़ासिम की बचपन में वफ़ात पर कुछ मुश्रिकों ने जो यह ताना दिया था इनकी नस्ल न चलेगी और इनके दीन का सिलसिला जल्द ख़त्म हो जायेगा, इसका जवाब है कि आप अल्लाह तआ़ला के करम से बेनाम व निशान नहीं हैं बल्कि) यक़ीनन आपका दुश्मन ही बेनाम व निशान है (चाहे उस दुश्मन की ज़ाहिरी नस्ल चले या न चले लेकिन दुनिया में भलाई के साथ उसका ज़िक्र बाक़ी नहीं रहेगा, बख़िलाफ़ आपके कि आपकी उम्मत और आपकी याद नेकनामी, मुहब्बत व एतिक़ाद के साथ बाक़ी रहेगी, और ये सब नेमतें लफ़्ज़ कौसर के मफ़्हूम में दाख़िल हैं। अगर बेटे की औलाद की नस्ल न हो न सही, जो नस्ल से मक़सद है वह आपको हासिल है, यहाँ तक कि दुनिया से गुज़रकर आख़िरत तक भी, और दुश्मन इससे मेहरूम है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

शाने नुज़ूल

इब्ने अबी हातिम ने सुद्दी से और बैहक़ी ने 'दलाईले नुबुव्वत' में हज़रत मुहम्मद बिन अ़ली बिन हुसैन रज़ियल्लाहु अ़न्हु से नक़ल किया है कि जिस शख़्स की पुरुष औलाद (यानी लड़का) मर जाये उसको अ़रब के लोग 'अबतर' कहा करते थे यानी नस्ल कटा हुआ। जिस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बेटे हज़रत क़ासिम या इब्राहीम का बचपन ही में इन्तिक़ाल हो गया तो मक्का के काफ़िर आपको अब्तर कहकर ताना देने लगे, ऐसा कहने वालों में आ़स बिन वाईल का नाम ख़ास तौर पर ज़िक्र किया जाता है, उसके सामने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का ज़िक्र किया जाता तो कहता था कि उनकी बात छोड़ो यह कुछ फ़िक्र करने की चीज़ नहीं क्योंकि वह अब्तर (नस्ल कटे हुए) हैं, जब उनका इन्तिक़ाल हो

जायेगा उनका कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा, इस पर सूरः कौसर नाज़िल हुई।

(बग़वी। इब्ने कसीर व मज़हरी)

और कुछ रिवायतों में है कि कअ़ब बिन अशरफ़ यहूदी एक मर्तबा मक्का मुकर्रमा आया तो मक्का के क़ुरैश उसके पास गये और कहा कि आप उस नौजवान को नहीं देखते जो कहता है कि वह हम सबसे (दीन के एतिबार से) बेहतर है हालाँकि हम हाजियों की ख़िदमत करने वाले और बैतुल्लाह की हिफ़ाज़त करने वाले और लोगों को पानी पिलाने वाले हैं। कअ़ब ने यह सुनकर कहा कि नहीं, तुम लोग उससे बेहतर हो। इस पर यह सूरः कौसर नाज़िल हुई।

(इब्ने कसीर, बज़्ज़ार के हवाले से, सही सनद के साथ। मुस्लिम, मज़हरी)

ख़ुलासा यह है कि मक्का के काफ़िर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पिसरी औलाद न रहने के सबब अब्तर होने के ताने देते थे या दूसरी वजहों से आपकी शान में गुस्ताख़ी करते थे उनके जवाब में सूरः कौसर नाज़िल हुई है जिसमें उनके तानों का जवाब भी है कि सिर्फ़ बेटे के न रहने से आपको नस्ल मिट जाने या आपका ज़िक्र बाक़ी न रहने वाला कहने वाले हक़ीक़त से बेख़बर हैं। आपकी नसबी नस्ल भी इन्शा-अल्लाह दुनिया में क़ियामत तक बाक़ी रहेगी अगरचे दुख़्तरी औलाद (यानी लड़की) से हो, और मानवी नस्ल यानी आप पर ईमान लाने वाले मुसलमान जो हक़ीक़त में नबी की मानवी औलाद होते हैं वे तो इस कसरत से होंगे कि पिछले तमाम नबियों की उम्मतों से भी बढ़ जायेंगे। और इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का अल्लाह के नज़दीक मक़बूल और इज़्ज़त व सम्मान वाला होना भी बयान हुआ है जिससे कअ़ब बिन अशरफ़ के क़ौल की तरदीद हो जाती है। यह सारा मज़मून सूरत की तीसरी आयत में आया है।

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝

इमाम बुख़ारी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से इसकी तफ़सीर में रिवायत किया है कि उन्होंने फ़रमाया कि "कौसर वह ख़ैर-ए-कसीर है जो अल्लाह तआ़ला ने आपको अ़ता फ़रमाई है।" इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के ख़ास शागिर्द सईद बिन जुबैर रह. से किसी ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि कौसर जन्नत की एक नहर का नाम है तो सईद बिन जुबैर रह. ने जवाब दिया कि (इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु का क़ौल इसके ख़िलाफ़ नहीं बल्कि) जन्नत की वह नहर जिसका नाम कौसर है वह भी उस ख़ैर-ए-कसीर (बड़ी भलाई) में दाख़िल है, इसी लिये इमामे तफ़सीर मुजाहिद रह. ने कौसर की तफ़सीर में फ़रमाया कि वह दुनिया व आख़िरत दोनों की ख़ैर-ए-कसीर (बड़ी भलाई) है, इसमें जन्नत की ख़ास नहर कौसर भी दाख़िल है।

हौज़-ए-कौसर

बुख़ारी, मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है। मुस्लिम के अलफ़ाज़ ये हैं:

بينا رسول الله صلى الله عليه و سلم بين اظهرنا فى المسجد اذاغفى اغفاءة ثم رفع راسه متبسّمًا. قلنا ما اضحكك يا رسول الله قال لقد انزلت علىّ انفًا سورة فقرأ بسم الله الرّحمٰن الرحيم انّا اعطينٰك الكوثر..... الخ ثم قال اتدرون ما الكوثر قلنا الله و رسوله اعلم، قال فانّهٗ نهر وعدنيه ربّى عز وجل عليه خير كثير و هو حوض ترد عليه امّتى يوم القيامة انيته عدد نجوم فى السّماء فيختلج العبد منهم فاقول ربّ انّه من امّتى فيقول انّك لا تدرى ما احدث بعدك.

"एक रोज़ जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मजिस्द में हमारे दरमियान थे अचानक आप पर एक क़िस्म की नींद या बेहोशी जैसी कैफ़ियत तारी हुई, फिर हंसते हुए आपने सर मुबारक उठाया। हमने पूछा या रसूलुल्लाह! आपके हंसने का सबब क्या है? तो फ़रमाया कि मुझ पर इसी वक़्त एक सूरत नाज़िल हुई है फिर आपने बिस्मिल्लाह के साथ सूरः कौसर पढ़ी, फिर फ़रमाया तुम जानते हो कि कौसर क्या चीज़ है? हमने अ़र्ज़ किया अल्लाह और उसका रसूल ज़्यादा जानते हैं। आपने फ़रमाया यह जन्नत की एक नहर है जिसका मेरे रब ने मुझसे वायदा फ़रमाया है जिसमें ख़ैर-ए-कसीर है और वह हौज़ है जिस पर मेरी उम्मत क़ियामत के दिन पानी पीने के लिये आयेगी, उसके पानी पीने के बरतन आसमान के सितारों की तादाद में होंगे, उस वक़्त कुछ लोगों को फ़रिश्ते हौज़ से हटा देंगे तो मैं कहूँगा कि मेरे परवर्दिगार यह तो मेरी उम्मत में है, अल्लाह तआ़ला फ़रमायेगा कि आप नहीं जानते कि इसने आपके बाद क्या नया दीन इख़्तियार है।"

इमाम इब्ने कसीर ने इस रिवायत को नक़ल करके यह भी लिखा है:

وقد ورد فى صفة الحوض يوم القيٰمه انّه يشخب فيه ميزابان من السّماء من نهر الكوثر و ان انيته عدد نجوم السّماء.

"हौज़ की सिफ़त में हदीस की रिवायतों में आया है कि उसमें दो परनाले आसमान से गिरेंगे जो नहर कौसर के पानी से हौज़ को भर देंगे, उसके बरतन आसमान के सितारों की तादाद में होंगे।"

इस हदीस से सूरः कौसर के नाज़िल होने का सबब भी मालूम हुआ और लफ़्ज़ कौसर की सही तफ़सीर भी यानी ख़ैर-ए-कसीर। और यह भी कि इस ख़ैर-ए-कसीर में वह हौज़-ए-कौसर भी शामिल है जो क़ियामत में उम्मते मुहम्मदिया को सैराब करेगा। साथ ही इस रिवायत ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि असल नहर कौसर जन्नत में है और यह हौज़े कौसर मैदाने हश्र में होगी इसमें दो परनालों के ज़रिये नहरे कौसर का पानी डाला जायेगा। इसमें उन रिवायतों की भी मुवाफ़क़त हो गयी जिनसे मालूम होता है कि हौज़े कौसर पर उम्मत का आना जन्नत में दाख़िल होने से पहले होगा, और इस हदीस में कुछ लोगों को हौज़े कौसर से हटा देने का जो ज़िक्र है ये वे लोग हैं जो बाद में इस्लाम से फिर गये या पहले ही से मुसलमान नहीं थे मगर मुनाफ़िक़ाना तौर पर इस्लाम का इज़्हार करते थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के बाद उनका

निफ़ाक़ खुल गया। वल्लाहु आलम

सही हदीसों में हौज़े-कौसर के पानी की सफ़ाई और मिठास और उसके किनारों का जवाहिरात से जड़ा हुआ होने के मुताल्लिक़ ऐसी सिफ़तें बयान हुई हैं कि दुनिया में उनका किसी चीज़ पर तुलना व अन्दाज़ा नहीं किया जा सकता।

इस सूरत का नाज़िल होना अगर काफ़िरों के तानों के दिफ़ा (बचाव और दूर करने) में हो जैसा कि ऊपर बयान हुआ कि आपकी नरीना औलाद (यानी लड़के) के फ़ौत हो जाने की वजह से वे आपको अब्तर और नस्ल कट जाने वाला क़रार देकर कहा करते थे कि इनका काम चन्द दिन का है फिर कोई नाम लेने वाला भी न रहेगा, तो इस सूरत में आपको कौसर अ़ता फ़रमाने का ज़िक्र जिसमें हौज़े-कौसर भी शामिल है उन ताना देने वालों की मुकम्मल तरदीद है कि उनकी नस्ल व नसब सिर्फ़ यही नहीं कि दुनिया की उम्र तक चलेगी बल्कि उनकी रूहानी औलाद का रिश्ता मेहशर में भी महसूस होगा जहाँ वे तादाद (संख्या) में भी तमाम उम्मतों से ज़्यादा होंगे और उनकी इज़्ज़त व सम्मान भी सबसे ज़्यादा होगा।

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ○

'इन्हर' नहर से निकला है, ऊँट की क़ुरबानी को नहर कहा जाता है जिसका मस्नून तरीक़ा उसका पाँव बाँधकर हल्क़ूम में नेज़ा या छुरी माकर ख़ून बहा देना है जैसा कि गाय बकरी वग़ैरह की क़ुरबानी का तरीक़ा ज़िबह करना यानी जानवर को लिटाकर हल्क़ूम पर छुरी फेरना है। अ़रब में चूँकि आ़म तौर पर क़ुरबानी ऊँट की होती थी इसलिये क़ुरबानी करने के लिये यहाँ लफ़्ज़ 'वन्हर' इस्तेमाल किया गया। कभी-कभी लफ़्ज़ नहर सिर्फ़ क़ुरबानी के मायने में भी इस्तेमाल होता है। इस सूरत की पहली आयत में काफ़िरों के ग़लत और बेबुनियाद गुमान के ख़िलाफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कौसर यानी दुनिया व आख़िरत की हर ख़ैर और वह भी कसीर मिक़्दार (भारी मात्रा) में अ़ता फ़रमाने की ख़ुशख़बरी सुनाने के बाद उसके शुक्र के तौर पर आपको दो चीज़ों की हिदायत की गयी- एक नमाज़, दूसरे क़ुरबानी। नमाज़ बदनी और जिस्मानी इबादतों में सबसे बड़ी इबादत है और क़ुरबानी माली इबादतों में इस बिना पर ख़ास विशेषता और अहमियत रखती है कि अल्लाह के नाम पर क़ुरबानी करना बुत-परस्ती के चलन व तरीक़े के ख़िलाफ़ एक जिहाद भी है क्योंकि उनकी क़ुरबानियाँ बुतों के नाम पर होती थीं। इसी लिये क़ुरआने करीम की एक और आयत में भी नमाज़ के साथ क़ुरबानी का ज़िक्र फ़रमाया है:

إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعٰلَمِينَ○

इस आयत में 'वन्हर' के मायने क़ुरबानी होना हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु, अ़ता, मुजाहिद और हसन बसरी रह. वग़ैरह से मोतबर रिवायतों में साबित है। कुछ लोगों ने जो वन्हर के मायने नमाज़ में सीने पर हाथ बाँधने के तफ़सीर के कुछ इमामों की तरफ़ मन्सूब किये हैं इसके बारे में इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि वह रिवायत मुन्कर (नाक़ाबिले एतिबार) है।

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ○

लफ़्ज़ शानी के मायने बुग़ज़ रखने वाले, ऐब लगाने वाले के हैं। यह आयत उन काफ़िरों के बारे में नाज़िल हुई है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को अब्तर और नस्ल ख़त्म होने का ताना देते थे। अक्सर रिवायतों में आ़स बिन वाईल, कुछ में उक़्बा, कुछ में कअ़ब बिन अशरफ़ इसके मिस्दाक़ हैं। हक़ तआ़ला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को कौसर यानी ख़ैर-ए-कसीर (बहुत बड़ी भलाई) अ़ता की जिसमें बहुत औलाद होना भी दाख़िल है, आपके लिये औलाद की अधिकता इस लिहाज़ से है कि नसबी औलाद भी आपकी माशा-अल्लाह कुछ कम नहीं और पैग़म्बर चूँकि पूरी उम्मत का बाप होता है और पूरी उम्मत उसकी रूहानी औलाद, और आपकी उम्मत पिछले तमाम नबियों की उम्मतों से तायदाद में ज़्यादा होगी, एक तरफ़ तो उन दुश्मनों की बात को इस तरह ख़ाक में मिला दिया, दूसरी तरफ़ यह भी फ़रमा दिया कि जो लोग आपको अब्तर होने का ताना देते हैं वही अब्तर हैं (यानी उन्हीं की नस्ल ख़त्म हो जायेगी और कोई नाम लेने वाला न रहेगा)।

नसीहत लेने वाली बात

अब ग़ौर कीजिये कि रसूले मक़बूल सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के ज़िक्र को हक़ तआ़ला ने कैसी बुलन्दी और बड़ी शान अ़ता फ़रमाई कि आपके मुबारक दौर से आज तक पूरी दुनिया के चप्पे-चप्पे पर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का नामे मुबारक पाँच वक़्त अल्लाह के नाम के साथ मीनारों पर पुकारा जाता है, और आख़िरत में आपको शफ़ाअ़त-ए-कुबरा का मक़ामे महमूद हासिल होगा, इसके मुक़ाबले में दुनिया की तारीख़ से पूछिये कि आ़स बिन वाईल, उक़्बा और कअ़ब की औलाद कहाँ है और उनका ख़ानदान क्या हुआ, ख़ुद उनका नाम भी इस्लामी रिवायतों से आयतों की तफ़सीर के तहत में महफ़ूज़ हो गया वरना दुनिया में आज उनका नाम लेने वाला कोई बाक़ी नहीं है। अ़क़्ल रखने वालों को इससे सबक़ और नसीहत हासिल करनी चाहिये।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-कौसर की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-काफ़िरून

सूरः अल्-काफ़िरून मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 6 आयतें हैं।

ركوعها ١ (١٨) سُوْرَةُ الْكٰفِرُوْنَ مَكِّيَّةٌ (١٠٩) اٰياتها ٦

قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ ۙ لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۚ وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ ۙ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ ۭ لَكُمْ دِيْنُكُمْ وَلِيَ دِيْنِ ۧ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

क़ुल् या अय्युहल्-काफ़िरून (1) ला अअ्बुदु मा तअ्बुदून (2) व ला अन्तुम् आबिदू-न मा अअ्बुद (3) व ला अ-न आबिदुम्-मा अबत्तुम् (4) व ला अन्तुम् आबिदू-न मा अअ्बुद (5) लकुम् दीनुकुम् व लि-य दीन (6) ✿	तू कह ऐ मुन्किरो (इनकार करने वालो)! (1) मैं नहीं पूजता जिसको तुम पूजते हो (2) और न तुम पूजो जिसको मैं पूजूँ (3) और न मुझको पूजना है उसका जिसको तुमने पूजा (4) और न तुमको पूजना है उसका जिसको मैं पूजूँ (5) तुमको तुम्हारी राह और मुझको मेरी राह। (6) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (उन काफ़िरों से) कह दीजिये कि ऐ काफ़िरो! (मेरा और तुम्हारा तरीक़ा एक नहीं हो सकता और) न (तो फ़िलहाल) मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करता हूँ और न तुम मेरे माबूद की पूजा करते हो। और न (आईन्दा भविष्य में) मैं तुम्हारे माबूदों की पूजा करूँगा और न तुम मेरे माबूद की पूजा करोगे (मेरे नज़दीक मतलब यह है कि मैं तौहीद वाला होकर शिर्क नहीं कर सकता न अब न आईन्दा, और तुम मुश्रिक होकर तौहीद वाले नहीं क़रार दिये जा सकते न अब न आईन्दा, यानी तौहीद व शिर्क जमा नहीं हो सकते) तुमको तुम्हारा बदला मिलेगा और मुझको मेरा बदला मिलेगा (इसमें उनके शिर्क पर वईद "सज़ा की धमकी" भी सुना दी गयी)।

मआरिफ़ व मसाईल

इस सूरत के फ़ज़ाईल और विशेषतायें

हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का इरशाद है कि फ़जर की सुन्नतों में पढ़ने के लिये दो सूरतें बेहतर हैं- सूरः काफ़िरून और सूरः इख़्लास (इब्ने हिशाम, मज़हरी)। और तफ़सीर इब्ने कसीर में अनेक सहाबा से मन्क़ूल है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को सुबह की सुन्नतों में और मग़रिब के बाद की सुन्नतों में अधिकतर ये दो सूरतें पढ़ते हुए सुना है। कुछ सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से अर्ज़ किया कि हमें कोई दुआ बता दीजिये जो हम सोने से पहले पढ़ा करें, आपने 'क़ुल् या अय्युहल्-काफ़िरून' पढ़ने की तालीम फ़रमाई और फ़रमाया कि यह शिर्क से बराअत है। (तिर्मिज़ी व अबू दाऊद)

और हज़रत ज़ुबैर बिन मुत्इम रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनसे फ़रमाया कि क्या तुम यह चाहते हो कि जब सफ़र में जाओ तो वहाँ तुम अपने सब साथियों से ज़्यादा ख़ुशहाल और कामयाब हो और तुम्हारा सामान ज़्यादा हो जाये। उन्होंने अ़र्ज़ किया कि या रसूलल्लाह! बेशक मैं ऐसा चाहता हूँ। आपने फ़रमाया कि क़ुरआन के आख़िर की पाँच सूरतें- सूरः काफ़िरून, सूरः नस्र, सूरः इख़्लास, सूरः फ़लक़ और सूरः नास पढ़ा करो और हर सूरत को बिस्मिल्लाह से शुरू करो और बिस्मिल्लाह ही पर ख़त्म करो। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि उस वक़्त मेरा हाल यह था कि सफ़र में अपने दूसरे साथियों के मुक़ाबले में बहुत कम सामान वाला और ख़स्ताहाल होता था, जब से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की इस तालीम पर अ़मल किया मैं सबसे बेहतर हाल में रहने लगा।

(मज़हरी, अबू यअ़ला के हवाले से)

और हज़रत अ़ली रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को बिच्छू ने काट लिया तो आपने पानी और नमक मंगाया और यह पानी काटने की जगह लगाते जाते थे और 'क़ुल् या अय्युहल्-काफ़िरून' 'क़ुल् अऊज़ु बिरब्बिल्-फ़लक़' और 'क़ुल् अऊज़ु बिरब्बिन्नास' पढ़ते जाते थे। (तफ़सीरे मज़हरी)

शाने नुज़ूल

इब्ने इस्हाक़ की रिवायत हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह है कि वलीद बिन मुग़ीरा, आ़स बिन वाईल, अस्वद बिन अ़ब्दुल-मुत्तलिब और उमैया बिन ख़लफ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के पास आये और कहा कि आओ हम आपस में इस पर सुलह कर लें कि एक साल आप हमारे बुतों की इबादत किया करें और एक साल हम आपके माबूद की इबादत करें। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

और तबरानी की रिवायत हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह है कि मक्का के काफ़िरों ने पहले तो आपसी समझौते के लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के सामने यह सूरत पेश की कि हम आपको इतना माल देते हैं कि आप सारे मक्का में सबसे ज़्यादा मालदार हो जायें और जिस औ़रत से आप चाहें आपका निकाह कर दें, आप सिर्फ़ इतना करें कि हमारे माबूदों को बुरा न कहा करें, और अगर आप यह भी नहीं मानते तो ऐसा करें कि एक साल हम आपके माबूद की इबादत किया करें और एक साल आप हमारे माबूदों की इबादत किया करें। (तफ़सीरे मज़हरी)

और अबू सालेह की रिवायत हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से यह है कि मक्का के काफ़िरों ने आपस में समझौते के लिये यह सूरत पेश की थी कि आप हमारे बुतों में से कुछ को सिर्फ़ हाथ लगा दें तो हम आपकी तस्दीक़ करने लगेंगे, इस पर जिब्रीले अमीन सूरः काफ़िरून लेकर नाज़िल हुए जिसमें काफ़िरों के आमाल से बराअत और ख़ालिस अल्लाह तआ़ला की इबादत का हुक्म है। शाने नुज़ूल में जो अनेक वाक़िआ़त बयान हुए हैं इनमें कोई टकराव नहीं,

हो सकता है कि ये सारे ही वाक़िआत पेश आये हों और इन सब के जवाब में यह सूरत नाज़िल हुई हो जिसका हासिल ऐसी मुसालहत (समझौते और मुआहदे) से रोकना है।

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ.................الآية

इस सूरत में ये चन्द कलिमात मुकर्रर लाये गये हैं, इस मुकर्रर लाने (दोहराने) को रफ़ा करने के लिये एक तफ़सीर तो वह है जिसको बुख़ारी ने बहुत से मुफ़स्सिरीन से नक़ल किया है कि दो कलिमे एक मर्तबा वर्तमान काल के लिये, और दूसरी मर्तबा भविष्यकाल के मुताल्लिक़ आये हैं इसलिये कोई तकरार (दोहराना) नहीं। मतलब यह है कि न तो इस वक़्त ऐसा हो रहा है कि मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करूँ और तुम मेरे माबूद की इबादत करो, और न आईन्दा ऐसा हो सकता है कि मैं अपनी तौहीद पर तुम अपने शिर्क पर क़ायम रहते हुए एक दूसरे के माबूद की इबादत करें। इसी तफ़सीर को हज़रत हकीमुल-उम्मत मौलाना थानवी रह. ने तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में इख़्तियार फ़रमाया है जो ऊपर ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में आ चुकी है, मगर बुख़ारी की तफ़सीर में 'लकुम् दीनुकुम व लि-य दीन' की तफ़सीर दीन को मज़हबे इस्लाम व कुफ़्र के मायने में लेकर की है और मतलब यह क़रार दिया है कि समझौते की प्रायोजित सूरत क़ाबिले क़ुबूल नहीं, मैं तो अपने दीन पर क़ायम हूँ ही तुम भी अपने दीन पर अड़े हुए हो तो तुम जानो, इसका अन्जाम तुम्हें भुगतना है। और बयानुल-क़ुरआन में दीन को जज़ा और बदले के मायने में क़रार दिया है।

दूसरी तफ़सीर वह है जिसको इमाम इब्ने कसीर ने इख़्तियार फ़रमाया है कि हर्फ़ 'मा' अरब की लुग़त में जैसे इस्मे मौसूल 'अल्लज़ी' के मायने में आता है ऐसे ही कभी मस्दरी मायने के लिये भी इस्तेमाल होता है कि वह जिस फ़ेल (क्रिया) पर दाख़िल हो उसको मस्दर के मायने में कर देता है। इस सूरत में पहली जगह तो हर्फ़ 'मा' इस्मे मौसूल 'अल्लज़ी' के मायने में है और दूसरी जगह 'मा' मस्दरिया है, वज़ाहत इसकी यह है कि पहले जुमलेः

لَآ اَعْبُدُ مَا تَعْبُدُوْنَ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ۝

के मायने यह हुए कि जिन माबूदों की तुम इबादत करते हो मैं उनकी इबादत नहीं करता, और जिस माबूद की मैं इबादत करता हूँ उसकी तुम नहीं करते। और दूसरे जुमलेः

وَلَآ اَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُّمْ۝ وَلَآ اَنْتُمْ عٰبِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ۝

में हर्फ़ 'मा' मस्दरिया है और मायने यह हैं:

لا انا عابدٌ عبادتكم ولا انتم عابدون عبادتى.

यानी हमारी और तुम्हारी इबादत के तरीक़े ही अलग-अलग हैं, मैं तुम्हारे तर्ज़ की इबादत नहीं कर सकता और तुम जब तक ईमान न लाओ तो मेरे तर्ज़ की इबादत नहीं कर सकते। इस तरह पहले जुमले में माबूदों का अलग-अलग और भिन्न होना बतलाया और दूसरे जुमले में इबादत के तर्ज़ व तरीक़े के अलग-अलग होने को ज़ाहिर किया। हासिल यह हुआ कि न तुम्हारे

और हमारे माबूद में संयुक्तता और एक जैसा होने की सूरत है न इबादत के तरीक़े में। इस तरह एक ही बात को दो बार लाना न हुआ, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और मुसलमानों का इबादत का तरीक़ा वह है जो आपको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से वही के ज़रिये बतलाया गया, और मुश्रिक लोगों के तरीक़े ख़ुद अपने बनाये और गढ़े हुए हैं।

इमाम इब्ने कसीर ने इस तफ़सीर को ज़्यादा सही और वरीयता प्राप्त क़रार देते हुए फ़रमाया कि इस्लाम का कलिमा 'ला इला-ह इल्लल्लाहु मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह' से यही मफ़्हूम निकलता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और इबादत का तरीक़ा वह मोतबर है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के वास्ते (ज़रिये) से हम तक पहुँचा है। और 'लकुम् दीनुकुम् व लि-य दीन' की तफ़सीर में इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि यह जुमला ऐसा ही है जैसे दूसरी जगह क़ुरआने करीम का इरशाद है:

فَاِنْ كَذَّبُوْكَ فَقُلْ لِّيْ عَمَلِيْ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ.

और एक दूसरी जगह इरशाद है:

لَنَآ اَعْمَالُنَا اَعْمَالُكُمْ.

इसका हासिल यह है कि लफ़्ज़ 'दीन' को इमाम इब्ने कसीर ने भी दीन के आमाल के मायने में लिया है और फिर मक़सद इससे वही होगा जो तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में बयान किया गया कि हर एक को अपने-अपने अ़मल की जज़ा या सज़ा ख़ुद भुगतनी पड़ेगी।

और कुछ मुफ़स्सिरीन हज़रात ने एक तीसरी तफ़सीर यह इख़्तियार की कि हर्फ़ 'मा' दोनों जगह मौसूला ही है और वर्तमान व भविष्य का भी फ़र्क़ नहीं बल्कि ये दो जुमले मौक़े के लिहाज़ से दो बार लाये गये हैं, मगर हर दोहराना बुरा नहीं होता, बहुत जगह बात को दोहराना बात में असर पैदा करने के लिये होता है जैसा कि:

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝

में है। यहाँ इस तकरार (दोहराने और दो बार लाने) का मक़सद मज़मून की ताकीद भी है और यह भी कि काफ़िरों की तरफ़ से चूँकि ऐसे समझौते और मुआ़हदे की पेशकश अनेक मर्तबा की गयी तो अनेक जुमलों से उसको रद्द किया गया। (इब्ने जरीर, इब्ने कसीर)

काफ़िरों से सुलह के मुआ़हदे की बाज़ी सूरतें जायज़ हैं बाज़ी नाजायज़

सूरः काफ़िरून में काफ़िरों की तरफ़ से पेश की हुई मुसालहत (समझौते) की चन्द सूरतों को पूरी तरह रद्द करके उनसे बरी होने का ऐलान किया गया, मगर ख़ुद क़ुरआने करीम में यह इरशाद भी मौजूद है:

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا.

यानी काफ़िर अगर सुलह की तरफ़ झुकें तो आप भी झुक जाईये (यानी सुलह का समझौता कर लीजिये)। और मदीना तय्यिबा जब आप हिजरत करके तशरीफ़ ले गये तो मदीना के यहूदियों से आपका सुलह का समझौता मशहूर व परिचित है, इसलिये कुछ मुफ़स्सिरीन ने सूरः काफ़िरून को मन्सूख़ कह दिया (यानी अब इसका हुक्म बाक़ी नहीं रहा), और मन्सूख़ कहने की बड़ी वजह आयत 'लकुम् दीनुकुम् व लि-य दीनि' को क़रार दिया है, क्योंकि यह बज़ाहिर जिहाद के अहकाम के विरुद्ध है, मगर सही यह है कि यहाँ 'लकुम् दीनुकुम्' का यह मतलब नहीं कि काफ़िरों को कुफ़्र की इजाज़त या कुफ़्र पर बरक़रार रखने की ज़मानत दे दी गयी, बल्कि इसका हासिल वही है जोः

لَنَا اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ.

का है, जिसका मतलब यह है कि जैसा करोगे वैसा भुगतोगे। इसलिये वरीयता प्राप्त और सही कौल अक्सर हज़रात के नज़दीक यह है कि यह सूरत मन्सूख़ नहीं, जिस क़िस्म की सुलह सूरः काफ़िरून के नाज़िल होने का सबब बनी वह जैसे उस वक़्त हराम थी आज भी हराम है, और जिस सूरत की इजाज़त उक्त आयत में आई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के यहूदियों के समझौते से अ़मली तौर पर ज़ाहिर हुई, वह जैसे उस वक़्त जायज़ थी आज भी जायज़ है। बात सिर्फ़ मौक़े व महल को समझने और सुलह की शर्तों को देखने की है, जिसका फ़ैसला ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने एक हदीस में फ़रमा दिया है जिसमें काफ़िरों से समझौते को जायज़ क़रार देने के साथ एक सूरत को उससे अलग रखा है वह यह हैः

اِلَّا صُلْحًا اَحَلَّ حَرَامًا وَحَرَّمَ حَلَالًا.

यानी हर सुलह जायज़ है सिवाय उस सुलह के जिसके हिसाब से अल्लाह तआ़ला की हराम की हुई किसी चीज़ को हलाल या हलाल की हुई चीज़ को हराम क़रार दिया गया हो। अब ग़ौर कीजिये कि मक्का के काफ़िरों ने सुलह की जो सूरतें पेश की थीं, उन सब में कम से कम कुफ़्र व इस्लाम की हदों में धोखा होना और शुब्हे में पड़ना यक़ीनी है, और कुछ सूरतों में तो इस्लाम के उसूल के ख़िलाफ़ शिर्क का करना लाज़िम आता है, ऐसी सुलह से सूरः काफ़िरून ने बरी होने का ऐलान कर दिया। और दूसरी जगह जिस सुलह को जायज़ क़रार दिया और यहूदियों से समझौते से उसकी अ़मली सूरत मालूम हुई, उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसमें इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ किया गया हो, या कुफ़्र व इस्लाम की हदें आपस में शक के दायरे में आई हों। इस्लाम से ज़्यादा कोई मज़हब रवादारी, अच्छे सुलूक, सुलह व सालिमीयत की दावत देने वाला नहीं मगर सुलह अपने इनसानी हुक़ूक़ में होती है, ख़ुदा के क़ानून और दीन के उसूल में किसी सुलह-समझौते की कोई गुंजाईश नहीं। वल्लाहु आलम

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-काफ़िरून की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अन्-नस्र

सूरः अन्-नस्र मदीना में नाज़िल हुई और इसकी 3 आयतें हैं।

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۚ إِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

इज़ा जा-अ नस्रुल्लाहि वल्-फ़त्हु (1) व रऐतन्ना-स यद्ख़ुलू-न फ़ी दीनिल्लाहि अफ़्वाजा (2) फ़-सब्बिह् बिहम्दि रब्बि-क वस्तग़्फ़िर्हु, इन्नहू का-न तव्वाबा (3) ✿	जब पहुँच चुके अल्लाह की मदद और फ़ैसला (1) और तू देखे लोगों को दाख़िल होते दीन में ग़ौल के ग़ौल (2) तू पाकी बोल अपने रब की ख़ूबियाँ और गुनाह बख़्शवा उससे, बेशक वह माफ़ करने वाला है। (3) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम!) जब ख़ुदा की मदद और (मक्का की) फ़तह (अपनी निशानियों के साथ) आ पहुँचे (यानी ज़ाहिर हो जाये) और (उसकी निशानियाँ जो उस पर सामने आने वाली हैं, ये हैं कि) आप लोगों को अल्लाह के दीन (यानी इस्लाम) में गिरोह के गिरोह दाख़िल होता हुआ देख लें, तो (उस वक़्त समझिये कि दुनिया में रहने और आपकी नुबुव्वत का जो मक़सद यानी दीन को मुकम्मल करना था वह पूरा हो चुका, और अब आख़िरत का सफ़र क़रीब है, उसके लिये तैयारी कीजिये और) अपने रब की तस्बीह व तारीफ़ कीजिए और (उससे) इस्तिग़फ़ार की दरख़्वास्त कीजिये, (यानी ऐसे काम और बातें जो ख़िलाफ़े औला वाक़े हो गये उनसे मग़फ़िरत माँगिये) वह बड़ा तौबा क़ुबूल करने वाला है।

मआरिफ़ व मसाईल

यह सूरत सब के नज़दीक मदनी है और इसका नाम 'सूरतुत्तौदीअ़' भी है। तौदीअ़ के मायने किसी को रुख़्सत करने के हैं, इस सूरत में चूँकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात क़रीब होने की तरफ़ इशारा है इसलिये इसको सूरः अत्तौदीअ़ भी कहा गया।

क़ुरआन मजीद की आख़िरी सूरत और आख़िरी आयतें

सही मुस्लिम में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से मन्क़ूल है कि सूरः नस्र क़ुरआन की आख़िरी सूरत है (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)। मतलब यह है कि इसके बाद कोई मुकम्मल सूरत नाज़िल नहीं हुई, कुछ आयतों का इसके बाद नाज़िल होना जो कुछ रिवायतों में है वह इसके ख़िलाफ़ नहीं, जैसा कि सूरः अल्-फ़ातिहा (यानी अल्हम्दु शरीफ़) को क़ुरआन की सबसे पहली सूरत इसी मायने में कहा जाता है कि मुकम्मल सूरत सबसे पहले फ़ातिहा नाज़िल हुई है। सूरः अ़लक़ और सूर मुद्दस्सिर वग़ैरह की चन्द आयतों का उससे पहले नाज़िल होना इसके मनाफ़ी (ख़िलाफ़) नहीं।

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि यह सूरत हज्जतुल्-विदा में नाज़िल हुई इसके बाद आयतः

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ

(यानी सूर मायदा की आयत 3) नाज़िल हुई। इन दोनों के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस दुनिया में सिर्फ़ अस्सी रोज़ रहे (अस्सी दिन के बाद वफ़ात हो गयी)। इन दोनों के बाद 'कलाला' वाली आयत नाज़िल हुई जिसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की उम्र शरीफ़ के कुल पचास दिन रह गये थे, उसके बाद आयतः

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ .... الاٰية.

नाज़िल हुई, जिसके बाद उम्र शरीफ़ के कुल पैंतीस दिन बाक़ी थे, उसके बाद आयतः

اِتَّقُوْا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِيْهِ اِلَى اللّٰهِ.

नाज़िल हुई जिसके बाद सिर्फ़ इक्कीस दिन और मुक़ातिल रह. की रिवायत में सिर्फ़ सात दिन के बाद वफ़ात हो गयी। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इस पर सब का इत्तिफ़ाक़ है कि इस आयतः

اِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ.

में फ़तह से मक्का का फ़तह होना मुराद है, और इसमें मतभेद है कि यह सूरत मक्का फ़तह होने से पहले नाज़िल हुई है या बाद में। लफ़्ज़ इज़ा जा-अ से बज़ाहिर पहले नाज़िल होना मालूम होता है और तफ़सीर रूहुल-मआनी में 'बहरे-मुहीत' से एक रिवायत भी इसके मुवाफ़िक़ नक़ल की है जिसमें इस सूरत का ग़ज़वा-ए-ख़ैबर से लौटने के वक़्त नाज़िल होना बयान किया

गया, और ख़ैबर की फ़तह मक्का फ़तह होने से पहले होना मालूम व परिचित है, और रूहुल-मआनी में अ़ब्द इब्ने हुमैद की सनद से हज़रत क़तादा रज़ियल्लाहु अ़न्हु का यह क़ौल नक़ल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम इस सूरत के उतरने के बाद दो साल ज़िन्दा रहे। इसका हासिल भी यही है कि यह मक्का फ़तह होने से पहले नाज़िल हुई, क्योंकि मक्का फ़तह होने से वफ़ात तक दो साल से कम मुद्दत है। मक्का रमज़ान सन् 8 हिजरी में फ़तह हुआ और वफ़ात रबीउल-अव्वल सन् 11 हिजरी में। और जिन रिवायतों में इसका मक्का फ़तह होने के वक़्त या हज्जतुल-विदा में नाज़िल होना बयान किया गया है उनका मतलब यह हो सकता है कि उस मौक़े पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने यह सूरत पढ़ी होगी जिससे लोगों को यह ख़्याल हुआ कि यह अभी नाज़िल हुई है। इसकी अधिक तहक़ीक़ तफ़सीर बयानुल-क़ुरआन में बयान हुई है।

अनेक मरफ़ूअ़ हदीसों और सहाबा के अक़वाल में है कि इस सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की वफ़ात का वक़्त क़रीब आ जाने की तरफ़ इशारा है कि अब आपके भेजे जाने और दुनिया में क़ियाम का काम पूरा हो चुका, अब तस्बीह व इस्तिग़फ़ार में लग जाईये। मुक़ातिल रह. की रिवायत में है कि जब यह सूरत नाज़िल हुई तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने सहाबा-ए-किराम के मजमे के सामने इसकी तिलावत फ़रमाई जिनमें हज़रत अबू बक्र व उमर और हज़रत सअ़द बिन अबी वक़्क़ास रज़ियल्लाहु अ़न्हुम वग़ैरह मौजूद थे, सब इसको सुनकर ख़ुश हुए कि इसमें मक्का के फ़तह होने की ख़ुशख़बरी है मगर हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु रोने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने पूछा कि रोने का क्या सबब है? तो हज़रत अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने अ़र्ज़ किया कि इसमें तो आपकी वफ़ात की ख़बर छुपी हुई है, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इसकी तस्दीक़ फ़रमाई। सही बुख़ारी में हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से यही मज़मून रिवायत किया है और उसमें यह भी है कि जब इसको हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने सुना तो फ़रमाया कि इस सूरत के मफ़्हूम से मैं भी यही समझता हूँ। (तिर्मिज़ी, हदीस हसन सही। क़ुर्तुबी)

وَرَاَيْتَ النَّاسَ.

मक्का फ़तह होने से पहले बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की भी थी जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के नबी होने और इस्लाम के हक़ होने पर तक़रीबन यक़ीन हो चुका था मगर इस्लाम में दाख़िल होने से अभी तक क़ुरैश की मुख़ालफ़त के ख़ौफ़ से या किसी दुविधा व असमंजस में होने की वजह से रुके हुए थे। मक्का फ़तह होने ने वह रुकावट दूर कर दी तो फ़ौज-फ़ौज होकर ये लोग इस्लाम में दाख़िल होने लगे। यमन से सात सौ अफ़राद मुसलमान होकर पहुँचे जो रास्ते में अज़ानें देते और क़ुरआन पढ़ते हुए आये। इसी तरह आम अ़रब लोग फ़ौज की फ़ौज की शक्ल में इस्लाम के अन्दर दाख़िल हुए।

जब मौत क़रीब महसूस हो तो तस्बीह व इस्तिग़फ़ार की कसरत करनी चाहिये

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ.

हज़रत सिद्दीक़ा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि इस सूरत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम जब कोई नमाज़ पढ़ते तो यह दुआ करते थेः

سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ. (رواه البخاری)

'सुब्हान-क रब्बना व बि-हम्दि-क अल्लाहुम्मग़्फ़िर् ली'

हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा फ़रमाती हैं कि इस सूरत के नाज़िल होने के बाद उठते बैठते और जाते आते हर वक़्त में यह दुआ पढ़ते थेः

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهٖ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ.

'सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही अस्तग़्फ़िरुल्ला-ह व अतूबु इलैहि'

और फ़रमाते थे कि मुझे इसका हुक्म किया गया है और दलील में 'इज़ा जा-अ नस्रुल्लाहि....' की तिलावत फ़रमाते थे।

हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं कि इस सूरत के नाज़िल होने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने इबादत में बड़ी मेहनत व कोशिश फ़रमाई यहाँ तक कि आपके पाँव वरम कर गये। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

अल्लाह तआला का शुक्र है कि सूरः अन्-नस्र की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-लहब्

सूरः अल्-लहब् मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 5 आयतें हैं।

اٰیاتھا ٥ (١١١) سُوْرَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ (٦) رکوعها ١

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّ ۝ مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ ۝ سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَّامْرَاَتُهٗ ۭ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍ ۝

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

तब्बत् यदा अबी ल-हबिंव्-व तब्ब (1) मा अग़्ना अन्हु मालुहू व मा क-सब् (2) स-यस्ला नारन् ज़ा-त ल-हबिंव्- (3) -वम्र-अतुहू हम्मा-ल-तल् ह-तब् (4) फी जीदिहा हब्लुम् मिम्-म-सद् (5) ✽	टूट गये हाथ अबू लहब के और टूट गया वह आप (1) काम न आया उसको उसका माल और न जो उसने कमाया (2) अब पड़ेगा डीग मारती आग में (3) और उसकी बीवी जो सर पर लिये फिरती है ईंधन (4) उसकी गर्दन में रस्सी है मूँझ की। (5) ✽

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

अबू लहब के हाथ टूट जाएँ और वह बरबाद हो जाये। न उसका माल उसके काम आया और न उसकी कमाई। (माल से मुराद सरमाया और कमाई से मुराद उसका नफ़ा है। मतलब यह है कि कोई सामान उसको हलाकत से न बचायेगा, यह हालत तो उसकी दुनिया में हुई और आख़िरत में) वह जल्द ही (मरने के फ़ौरन बाद) एक भड़कती हुई अंगारों वाली आग में दाख़िल होगा। वह भी और उसकी बीवी भी जो लकड़ियाँ लादकर लाती है (मुराद काँटेदार लकड़ियाँ हैं, जिनका शाने नुज़ूल में ज़िक्र है जिनको वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के रास्ते में बिछा देती थी ताकि आपको तकलीफ़ पहुँचे, और दोज़ख़ में पहुँचकर) उसके गले में (दोज़ख़ की ज़न्जीर और तौक़ होगा कि गोया वह) रस्सी होगी ख़ूब बटी हुई (यह उसकी सख़्ती और मज़बूती बयान करना है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

अबू लहब का असली नाम अ़ब्दुल-उ़ज़्ज़ा था, यह अ़ब्दुल-मुत्तलिब की औलाद में से है। सुर्ख़ रंग होने की वजह से इसकी कुन्नियत (उपनाम) अबू-लहब मशहूर थी। क़ुरआने करीम ने इसका असली नाम इसलिये छोड़ा कि वह नाम भी मुश्रिकाना था और अबू लहब कुन्नियत में, लहब जहन्नम से एक मुनासबत भी थी। यह शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का बेहद दुश्मन और इस्लाम का सख़्त मुख़ालिफ़, आपको सख़्त तकलीफ़ें देने वाला था, जब आप लोगों को ईमान की दावत देते यह साथ लग जाता और आपको झुठलाता जाता था। (इब्ने कसीर)

शाने नुज़ूल

बुख़ारी व मुस्लिम में है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर आयतः

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ٥

(यानी सूरः शु-अ़रा की आयत 214) नाज़िल हुई तो आपने सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर अपने

क़बीले क़ुरैश के लोगों को आवाज़ दी। कुछ रिवायतों में है कि 'या सबाहाहु' कहकर 'या बनी अ़ब्दे मुनाफ़' और 'या बनी अ़ब्दुल-मुत्तलिब' वग़ैरह नामों के साथ आवाज़ दी। (इस तरह आवाज़ देना अ़रब में ख़तरे की निशानी समझा जाता था)। सब क़ुरैश जमा हो गये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि अगर मैं तुम्हें यह ख़बर दूँ कि दुश्मन (तुम पर चढ़ आया है और) सुबह शाम में तुम पर टूट पड़ने वाला है क्या आप लोग मेरी तस्दीक़ करोगे? सब ने एक ज़बान होकर कहा कि हाँ ज़रूर तस्दीक़ करेंगे। फिर आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुम्हें डराता हूँ एक सख़्त अ़ज़ाब से (जो शिर्क व कुफ़ पर अल्लाह की तरफ़ से मुक़र्रर है) यह सुनकर अबू लहब ने कहाः

تَبًّا لَكَ اَلِهٰذَا جَمَعْتَنَا.

'हलाकत हो तेरे लिये, क्या तूने हमें इसके लिये जमा किया था' और आपको मारने के लिये एक पत्थर उठा लिया, इस पर यह सूरत नाज़िल हुई।

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ وَّتَبَّo

यद के असली मायने हाथ के हैं, चूँकि इनसान के सब कामों में बड़ा दख़ल हाथों को है इसलिये किसी शख़्स की ज़ात और नफ़्स को यद से ताबीर कर देते हैं जैसे क़ुरआन में हैः

بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ.

और बैहक़ी ने इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि अबू लहब ने एक रोज़ लोगों से कहा कि मुहम्मद कहते हैं कि मरने के बाद फ़ुलाँ-फ़ुलाँ काम होंगे फिर अपने हाथों की तरफ़ इशारा करके कहने लगा कि इन हाथों में उन चीज़ों में से कुछ भी आया नहीं, फिर अपने हाथों को मुख़ातब करके कहने लगाः

تبًّا لكما ما ارىٰ فيكما شيئًا ممّا قال محمد.

यानी तुम बरबाद हो जाओ मैं तुम्हारे अन्दर उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं देखता जिनके होने की ख़बर मुहम्मद (सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम) देते हैं। इसकी मुनासबत से क़ुरआने करीम ने हलाकत को हाथों की तरफ़ मन्सूब किया।

तब्ब तबाब से निकला है, जिसके मायने हैं हलाक व बरबाद हो। इस आयत में पहला जुमलाः

تَبَّتْ يَدَآ اَبِىْ لَهَبٍ.

बद्दुआ़ के तौर पर है, यानी अबू लहब हलाक हो जाये। और दूसरा जुमला यानी 'व तब्ब' ख़बरिया जुमला है, गोया बद्दुआ़ के साथ उसका असर भी बतला दिया कि वह हलाक हो गया और बद्दुआ़ का जुमला मुसलमानों के गुस्से को ठण्डा करने के लिये इरशाद फ़रमाया गया क्योंकि जिस वक़्त अबू लहब ने आपकी शान में तब्बन् कहा तो मुसलमानों के दिल की इच्छा थी कि वे उसके लिये बद्दुआ़ करें, हक़ तआ़ला ने गोया उनके दिल की बात ख़ुद फ़रमा दी और

साथ ही यह ख़बर भी दे दी कि यह बद्दुआ उसको लग भी गयी और वह हलाक हो गया। क़ुरआन ने उसकी हलाकत व बरबादी की ख़बर जो पहले ही दे दी था उसका असर यह हुआ कि जंगे बदर के वाक़िए के सात दिन बाद उसके ताऊन की गिलटी निकली जिसको अ़रब के लोग 'अ़दसा' कहते हैं। रोग दूसरों को लग जाने के ख़ौफ़ से सब घर वालों ने उसको अलग डाल दिया यहाँ तक कि उसी बेकसी की हालत में मर गया और तीन दिन तक उसकी लाश यूँ ही पड़ी रही। जब सड़ने लगा तो मज़दूरों से उठवाकर दबवा दिया। उन्होंने एक गढ़ा खोदकर एक लकड़ी से उसकी लाश को गढ़े में डाल दिया, ऊपर से पत्थर भर दिये।

(बयानुल-क़ुरआन, रूहुल-मआ़नी के हवाले से)

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ○

'मा कसब्' के मायने हैं जो कुछ उसने कमाया। इससे मुराद तिजारत वग़ैरह के वो मुनाफ़े भी हो सकते हैं जो माल के ज़रिये हासिल किये जाते हैं जैसा कि ख़ुलासा-ए-तफ़सीर में कहा गया है, और औलाद भी मुराद हो सकती है क्योंकि औलाद को भी इनसान की कमाई कहा जाता है। हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमायाः

ان اطيب ما اكل الرّجل من كسبه وان ولده من كسبه.

यानी जो खाना आदमी खाता है उसमें सबसे ज़्यादा हलाल तय्यिब वह चीज़ है जो आदमी अपनी कमाई से हासिल करे, और आदमी की औलाद भी उसके कसब (कमाई) में दाख़िल है यानी औलाद की कमाई खाना भी अपनी ही कमाई से खाना है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

इसी लिये हज़रत आ़यशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा, मुजाहिद रह., अ़ता रह., इब्ने सीरीन रह. वग़ैरह ने इस जगह 'मा कसब्' की तफ़सीर औलाद से की है। अबू लहब को अल्लाह तआ़ला ने माल भी बहुत दिया था औलाद भी, यही दोनों चीज़ें नाशुक्री की वजह से उसके फ़ख़्र व घमण्ड और वबाल का सबब नहीं। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु ने फ़रमाया कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने अपनी क़ौम को अल्लाह के अ़ज़ाब से डराया तो अबू लहब ने यह भी कहा था कि जो कुछ यह मेरा भतीजा कहता है अगर वह हक़ ही हुआ तो मेरे पास माल व औलाद बहुत है, मैं उसको देकर अपनी जान बचा लूँगा। इस पर यह आयत नाज़िल हुईः

مَآ اَغْنٰى عَنْهُ مَالُهٗ وَمَا كَسَبَ○

यानी जब उसको ख़ुदा तआ़ला के अ़ज़ाब ने पकड़ा तो न उसको माल काम आया न औलाद। यह हाल तो उसका दुनिया में हुआ, आगे आख़िरत का ज़िक्र हैः

سَيَصْلٰى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ○

यानी क़ियामत के बाद या मरने के फ़ौरन बाद क़ब्र ही में यह एक शोले मारती हुई (यानी

बहुत भड़कती) आग में दाख़िल होगा। उसके नाम की मुनासबत से आग के साथ 'ज़ा-त लहब्' की सिफ़त में ख़ास बलाग़त (यानी कलाम की उम्दगी और असरदार होना) है।

وَامْرَاَتُهٗ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ○

जिस तरह अबू लहब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सख़्त नाराज़गी और दुश्मनी थी उसकी बीवी भी इस दुश्मनी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम को तकलीफ़ देने में उसकी मदद करती थी। यह अबू सुफ़ियान की बहन बिन्ते हरब बिन उमैया है जिसको उम्मे जमील कुन्नियत के एतिबार से कहा जाता है। क़ुरआने करीम की इस आयत ने बतलाया कि यह बदबख़्त भी अपने शौहर के साथ जहन्नम की आग में जायेगी, इसके साथ उसका एक हाल यह बतलाया कि वह 'हम्मालतल् हतब्' है, जिसके लफ़्ज़ी मायने हैं सोख़्ते की लकड़ियाँ लादने वाली, यानी आग लगाने वाली। अरब के मुहावरों में चुग़लख़ोरी करने वाले को 'हम्मालतुल्-हतब' कहा जाता था कि जैसे कोई सोख़्ते की लकड़ियाँ जमा करके आग लगाने का सामान करता है चुग़लख़ोर का अमल भी ऐसा ही है कि वह अपनी चुग़लख़ोरी के ज़रिये अफ़राद और ख़ानदानों में आग भड़का देता है। यह औरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम को सताने व तकलीफ़ देने के लिये चुग़लख़ोरी का काम भी करती थी।

इस आयत में अबू लहब की बीवी को हम्मालतल्-हतब कहने की तफ़सीर हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, मुजाहिद, इक्रिमा वग़ैरह मुफ़स्सिरीन की एक जमाअत ने यही की है कि यह चुग़लख़ोरी करने वाली थी। और इब्ने ज़ैद, ज़ह्हाक वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने इसको अपने असल मायने में रखा है जिसकी वजह यह बतलाई है कि यह औरत जंगल से काँटेदार लकड़ियाँ जमा करके लाती और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम के रास्ते में बिछा देती थी ताकि आपको तकलीफ़ पहुँचे, इसकी इस ज़लील व घटिया हरकत को क़ुरआन ने हम्मालतल्-हतब से ताबीर फ़रमाया है। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी, इब्ने कसीर)

और कुछ हज़रात ने फ़रमाया कि उसका यह हाल जहन्नम में होगा कि अपने शौहर पर जहन्नम के दरख़्तों ज़क़्क़ूम वग़ैरह की लकड़ियाँ लाकर डालेगी ताकि उसकी आग और भड़क जाये जिस तरह दुनिया में वह उसके कुफ़्र व ज़ुल्म को बढ़ाती थी आख़िरत में उसके अज़ाब को बढ़ायेगी। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

चुग़लख़ोरी सख़्त और बड़ा गुनाह है

सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जन्नत में चुग़लख़ोर दाख़िल न होगा, और हज़रत फ़ुज़ैल बिन अयाज़ रह. ने फ़रमाया कि तीन अमल ऐसे हैं जो इनसान के तमाम नेक आमाल को बरबाद कर देते हैं, रोज़ेदार का रोज़ा और वुज़ू वाले का वुज़ू ख़राब कर देते हैं, यानी ग़ीबत, चुग़लख़ोरी और झूठ। अता बिन साइब फ़रमाते हैं कि मैंने हज़रत शअ्बी रह. से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की उस हदीस का ज़िक्र किया जिसमें आपने फ़रमाया है कि:

لا يدخل الجنة سافك دم ولا مشاء بنميمة ولا تاجر يربي.

यानी तीन किस्म के आदमी जन्नत में दाख़िल न होंगे- नाहक़ ख़ून बहाने वाला, चुग़लख़ोरी करने वाला और वह ताजिर जो सूद का कारोबार करे। अ़ता रह. कहते हैं कि मैंने इस हदीस का ज़िक्र करके शअ़बी से ताज्जुब के तौर पर मालूम किया कि हदीस में चुग़लख़ोर को क़ातिल और सूदख़ोर के बराबर बयान फ़रमाया है, उन्होंने कहा कि हाँ चुग़लख़ोरी तो ऐसी चीज़ है कि इसकी वजह से नाहक़ क़त्ल करने और मालों के छीनने और दबाने की नौबत आ जाती है। (क़ुर्तुबी)

فِيْ جِيْدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَّسَدٍo

मस्द मस्दर है जिसके मायने रस्सी या डोर बटने या उसके तार पर तार चढ़ाकर मज़बूत करने के हैं, और मसद् उस रस्सी या डोर को कहा जाता है जो मज़बूत बनाई गयी हो, चाहे वह किसी चीज़ की हो, खजूर या नारियल वग़ैरह से या लोहे के तारों से हर तरह की मज़बूत रस्सी इसमें दाख़िल है (जैसा कि क़ामूस में यही मायने बयान किये हैं)।

कुछ हज़रात ने जो ख़ास खजूर की रस्सी इसका तर्जुमा किया है वह अ़रब वालों की आ़म आ़दत के मुताबिक़ किया गया है, असल मफ़्हूम आ़म है। इसी आ़म मफ़्हूम के एतिबार से हज़रत इब्ने अ़ब्बास और हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर वग़ैरह ने फ़रमाया कि यहाँ 'हब्लुम् मिम् मसद्' से मुराद लोहे के तारों से बटा हुआ रस्सा है, और यह उसका हाल जहन्नम में होगा कि लोहे के तारों से मज़बूत बटा हुआ तौक़ उसके गले में होगा। हज़रत मुजाहिद ने भी इसकी तफ़सीर में यही फ़रमाया है कि इससे लोहे का रस्सा मुराद है (तफ़सीरे मज़हरी) और शअ़बी और मुक़ातिल वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने इसको भी दुनिया का हाल क़रार देकर 'हब्लुम् मिम्-मसद्' से मुराद खजूर की रस्सी ली है, और फ़रमाया कि अगरचे अबू लहब और उसकी बीवी मालदार, दौलतमन्द और अपनी क़ौम के सरदार माने जाते थे मगर उसकी बीवी अपनी तबीयत के कमीनेपन और कन्जूसी के सबब जंगल से सोख़्ते की लकड़ियाँ जमा करके लाती और उसकी रस्सी को अपने गले में डाल लेती थी कि यह गट्ठा सर से गिर न जाये, और यही एक रोज़ उसकी हलाकत का सबब बना कि लकड़ियों का गट्ठा सर पर और रस्सी गले में थी, थककर कहीं बैठ गयी और फिर गिरकर उसका गला घुट गया और उसी में मर गयी। इस दूसरी तफ़सीर के एतिबार से यह हाल उसका उसकी तबीयत का घटियापन और उसका बुरा अन्जाम बयान करने के लिये है। (तफ़सीरे मज़हरी) मगर चूँकि अबू लहब के घराने में ख़ास तौर पर बीवी से ऐसा करना दूर की बात और मुहाल था इसलिये अक्सर हज़राते मुफ़स्सिरीन ने पहली ही तफ़सीर को इख़्तियार फ़रमाया है। वल्लाहु आलम

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-लहब् की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-इख़्लास

सूरः अल्-इख़्लास मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 4 आयतें हैं।

سُوْرَةُ الْاِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

कुल् हुवल्लाहु अ-हद् (1) अल्लाहुस्-समद् (2) लम् यलिद् व लम् यूलद् (3) व लम् यकुल्-लहू कुफ़ुवन् अ-हद् (4) ✿	तू कह वह अल्लाह एक है (1) अल्लाह बेनियाज़ है (2) न किसी को जना न किसी से जना (3) और नहीं उसके जोड़ का कोई। (4) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

(इसके नाज़िल होने का सबब यह है कि एक मर्तबा मुश्रिकों ने आप से कहा कि अपने रब की सिफ़ात और नसब बयान कीजिये, इस पर यह सूरत नाज़िल हुई, जैसा कि तफ़सीर दुर्रे मन्सूर में अनेक सनदों से नक़ल किया गया है)। आप (उन लोगों से) कह दीजिये कि वह यानी अल्लाह तआ़ला (अपनी ज़ात व सिफ़ात के कमाल में) एक है (ज़ात का कमाल यह है कि 'वाजिबुल-वजूद' है, यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और सिफ़ात का कमाल यह कि उसके इल्म व क़ुदरत वग़ैरह क़दीम और हर चीज़ को हावी हैं। और) अल्लाह (ऐसा) बेनियाज़ है (कि वह किसी का मोहताज नहीं और उसके सब मोहताज हैं)। उसके औलाद नहीं और न वह किसी की औलाद है। और न कोई उसके बराबर का है।

मआ़रिफ़ व मसाईल

शाने नुज़ूल

तिर्मिज़ी और हाकिम वग़ैरह की रिवायत में है कि मक्का के मुश्रिक लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अल्लाह तआ़ला का नसब (ख़ानदान) पूछा था उनके जवाब में

यह सूरत नाज़िल हुई। दूसरी कुछ रिवायतों में यह सवाल मदीना के यहूदियों की तरफ़ मन्सूब किया है इसी लिये इस सूरत के मक्की या मदनी होने में मतभेद है, हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद, हसन बसरी, अ़ता, इक्रिमा, जाबिर रज़ियल्लाहु अ़न्हुम ने इसको मक्की कहा है और क़तादा, ज़ह्हाक वग़ैरह ने मदनी। हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु के दो क़ौल मन्क़ूल हैं। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

कुछ रिवायतों में है कि मुश्रिक लोगों के सवाल में यह भी था कि अल्लाह तआ़ला किस चीज़ का बना हुआ है, सोना चाँदी या और कुछ? उनके जवाब में यह सूरत नाज़िल हुई।

इस सूरत के फ़ज़ाईल

इमाम अहमद रह. ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि एक शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अ़र्ज़ किया कि मुझे इस सूरत (यानी सूरः इख़्लास) से बड़ी मुहब्बत है, आपने फ़रमाया कि इसकी मुहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाख़िल कर दिया। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू हुरैरह रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने लोगों से फ़रमाया कि सब जमा हो जाओ मैं तुम्हें एक तिहाई क़ुरआन सुनाऊँगा, जो जमा हो सकते थे जमा हो गये तो आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम तशरीफ़ लाये और 'क़ुल् हुवल्लाहु अहद् (पूरी सूरत)' की क़िराअत फ़रमाई और इरशाद फ़रमाया कि यह सूरत एक तिहाई क़ुरआन के बराबर है। (मुस्लिम शरीफ़) अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, नसाई ने एक लम्बी हदीस में रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स सुबह और शाम सूरः इख़्लास, सूरः फ़लक़ और सूरः नास पढ़ लिया करे तो यह उसके लिये काफ़ी है। और एक रिवायत में है कि यह उसको हर बला से बचाने के लिये काफ़ी है। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

इमाम अहमद ने हज़रत उक़्बा इब्ने आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मैं तुमको ऐसी तीन सूरतें बताता हूँ कि जो तौरात, इन्जील, ज़बूर और क़ुरआन सब में नाज़िल हुई हैं और फ़रमाया कि रात को उस वक़्त तक न सोओ जब तक इन तीनों (यानी सूरः इख़्लास, सूरः फ़लक़ और सूरः नास) को न पढ़ लो। हज़रत उक़्बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु कहते हैं कि उस वक़्त से मैंने कभी इनको नहीं छोड़ा। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۝

लफ़्ज़ क़ुल् में इशारा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की नुबुव्वत व रिसालत की तरफ़ कि उनको अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से लोगों की हिदायत का हुक्म हो रहा है, और लफ़्ज़ अल्लाह उस ज़ात का नाम है जो वाजिबुल-वजूद है, और तमाम कमालात का जामे और तमाम कमियों और ऐबों से पाक है। अहद और वाहिद तर्जुमा तो दोनों का एक ही किया जाता है

मगर मफ़्हूम के एतिबार से लफ़्ज़ अहद के मायने में यह भी शामिल है कि वह तरकीब और तजज़ियै (यानी मिलकर तैयार होने और हिस्से व टुकड़े होने) से और तअ़द्दुद (अनेकता) से और किसी चीज़ की मुशाबहत और मुशाकलत (यानी किसी चीज़ के जैसा और शक्ल में मिलता-जुलता होने) से पाक है। यानी वह किसी एक या अनेक माद्दों से नहीं बना, न उसमें अनेकता का कोई इमकान है, न किसी के जैसा है। यह जवाब हो गया उन लोगों का जो अल्लाह तआ़ला के बारे में पूछते थे कि वह सोने चाँदी का है या किसी और माद्दे का। इस एक मुख़्तसर जुमले में ज़ात व सिफ़ात की सब बहसें और मज़ामीन आ गये और लफ़्ज़ क़ुल् में नुबुव्वत व रिसालत का मसला आ गया, इसमें ग़ौर करो तो यह एक मुख़्तसर जुमला उन अ़ज़ीमुश्शान बहसों और विषयों को शामिल है जो बड़ी-बड़ी किताबों में लिखे जाते हैं।

اَللّٰهُ الصَّمَدُ۝

लफ़्ज़ समद् के बहुत से मायने हो सकते हैं इसी लिये हज़राते मुफ़स्सिरीन के इसमें बहुत सारे अक़्वाल हैं, इमामे हदीस तबरानी ने 'किताबुस्सुन्नत' में उन तमाम अक़्वाल को जमा करने के बाद फ़रमाया कि ये सब सही हैं और इनमें जो सिफ़तें बयान की गयी हैं वो सब हमारे रब की सिफ़तें हैं, लेकिन असल मायने समद के यह हैं कि जिसकी तरफ़ लोग अपनी हाजतों और ज़रूरतों में रुजू करें, और जो बड़ाई और सरदारी में ऐसा हो कि उससे कोई बड़ा नहीं। ख़ुलासा यह है कि सब उसके मोहताज हों वह किसी का मोहताज न हो। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

لَمْ يَلِدْ، وَلَمْ يُوْلَدْ۝

यह उन लोगों का जवाब है जिन्होंने अल्लाह तआ़ला के नसब नामे का सवाल किया था, कि उसको मख़्लूक़ पर क़ियास (तुलना और अन्दाज़ा) नहीं किया जा सकता जो नस्ल व पैदाईश के ज़रिये वजूद में आती है, न वह किसी की औलाद है न कोई उसकी औलाद।

وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ۝

कुफ़ुवन् के लफ़्ज़ी मायने मिस्ल और बराबर का होने के हैं। मायने यह हैं कि न कोई उसके जैसा है न कोई उससे शक्ल व सूरत में समानता और मुशाबहत रखता है।

सूरः इख़्लास में मुकम्मल तौहीद और हर तरह के शिर्क की नफ़ी है

अल्लाह के साथ किसी को शरीक समझने वाले तौहीद (अल्लाह के एक और अकेला माबूद होने) के इनकारी लोगों की दुनिया में विभिन्न और अनेक क़िस्में हुई हैं, सूरः इख़्लास ने हर तरह के मुश्रिकाना ख़्यालात की नफ़ी करके मुकम्मल तौहीद का सबक़ दिया है, क्योंकि तौहीद के इनकारियों में एक गिरोह तो ख़ुद अल्लाह तआ़ला के वजूद ही का इनकारी है, बाज़े वजूद के तो क़ायल हैं मगर वजूद के वाजिब (यानी हमेशा से होने और हमेशा रहने) के इनकारी हैं, बाज़े

दोनों के क़ायल हैं मगर सिफ़ात के कमाल के मुन्किर हैं। बाज़े यह सब कुछ मानते हैं मगर फिर इबादत में ग़ैरुल्लाह को शरीक ठहराते हैं, और सब के बातिल ख़्यालात का रद्द 'अल्लाहु अहद' में हो गया। कुछ लोग इबादत में भी किसी को शरीक नहीं करते मगर हाजत पूरी करने वाला और कारसाज़ अल्लाह के सिवा दूसरों को भी समझते हैं, उनके ख़्याल को लफ़्ज़ समद से बातिल कर दिया गया। कुछ लोग अल्लाह के लिये औलाद के क़ायल हैं उनका रद्द 'लम् यलिद्' में हो गया। वल्लाहु सुब्हानहू व तआ़ला आलम

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-इख़्लास की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अल्-फ़लक़्

सूरः अल्-फ़लक़् मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 5 आयतें हैं।

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ ۝ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ ۝ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝

ع ٥ ٢٨

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

क़ुल् अऊज़ु बिरब्बिल् फ़-लक़ि (1) मिन् शर्रि मा ख़-ल-क़ (2) व मिन् शर्रि ग़ासिक़िन् इज़ा व-क़ब् (3) व मिन् शर्रिन्नफ़्फ़ासाति फ़िल्-उ़-क़दि (4) व मिन् शर्रि हासिदिन् इज़ा ह-सद् (5) ✿	तू कह मैं पनाह में आया सुबह के रब की (1) हर चीज़ की बदी से जो उसने बनाई (2) और बदी से अंधेरे की जब सिमट आये (3) और बदी से औरतों की जो गिरहों में फूँक मारें (4) और बदी से बुरा चाहने वाले की जब लगे टोक लगाने। (5) ✿

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप (अल्लाह से अपने लिये पनाह माँगने के लिये और दूसरों को भी यह पनाह माँगना सिखलाने के लिये जिसका हासिल अल्लाह पर तवक्कुल और मुकम्मल भरोसे की तालीम है, यूँ) कहिये कि मैं सुबह के मालिक की पनाह लेता हूँ तमाम मख़्लूक़ात की बुराई से और (ख़ास तौर

से) अंधेरी रात की बुराई से जब वह रात आ जाये (और रात में बुराईयों और फ़ितनों का अन्देशा ज़ाहिर है), और (ख़ास तौर से गण्डे की) गिरहों पर पढ़-पढ़कर फूँकने वालियों की बुराई से, और हसद करने वाले की बुराई से जब वह हसद करने लगे। (पहले तमाम मख़्लूक़ के शर से पनाह लेने का ज़िक्र करने के बाद ख़ास-ख़ास चीज़ों का ज़िक्र शायद मौके के लिहाज़ से यह हो कि अक्सर जादू की तरतीब और तरकीब रात को होती है (जैसा कि तफ़सीरे ख़ाज़िन में है) ताकि किसी को इत्तिला न हो, इत्मीनान से उसको पूरा कर सकें। और गण्डे पर दम करने वाली जानों या औरतों की मुनासबत इस जगह ज़ाहिर है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जादू इसी तरह हुआ था चाहे मर्द ने किया हो या औरतों ने, क्योंकि लफ़्ज़ 'नफ़्फ़ासात' के मुराद नुफ़ूस भी हो सकते हैं जो मर्द व औरत दोनों का शामिल हैं, और औरतें भी इससे मुराद हो सकती हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जो यहूदियों ने जादू किया था उसका असल मन्शा हसद (जलना) था। इस तरह जादू से संबन्धित जितनी चीज़ें थीं सबसे पनाह माँगना हो गया और बाक़ी बुराईयों व आफ़तों को शामिल करने के लिये 'मिन् शर्रि मा ख़-ल-क़' फ़रमा दिया। और आयत में जो अल्लाह की सिफ़त 'रब्बिल्-फ़लक़' यानी सुबह का मालिक ज़िक्र की गयी हालाँकि अल्लाह तो सुबह और शाम सभी चीज़ों का रब और मालिक है, इस ख़ास करने में शायद इशारा इस तरफ़ हो कि जैसे अल्लाह तआ़ला रात की अंधेरी को दूर करके सुबह की रोशनी निकाल देता है इसी तरह जादू को भी दूर कर सकता है)।

मआ़रिफ़ व मसाईल

यह सूरत 'सूरः अल्-फ़लक़' और इसके बाद की सूरत 'सूरः अन्नास' दोनों सूरतें एक साथ एक ही वाकिए में नाज़िल हुई हैं। हाफ़िज़ इब्ने कय्यिम रह. ने इन दोनों सूरतों की तफ़सीर एक जगह लिखी है, उसमें फ़रमाया है कि इन दोनों सूरतों के फ़ायदे और बरकतें और सब लोगों को इनकी हाजत व ज़रूरत ऐसी है कि कोई इनसान इनसे बेपरवाह नहीं हो सकता। इन दोनों सूरतों को जादू व बुरी नज़र और तमाम जिस्मानी व रूहानी आफ़तों के दूर करने में ज़बरदस्त तासीर है और हक़ीक़त को समझा जाये तो इनसान को इसकी ज़रूरत अपने साँस, खाने-पीने और लिबास सब चीज़ों से ज़्यादा है।

इसका वाक़िआ़ मुस्नद अहमद में इस तरह आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर एक यहूदी ने जादू कर दिया था जिसके असर से आप बीमार हो गये। जिब्रीले अमीन ने आकर आपको इत्तिला की कि आप पर एक यहूदी ने जादू किया है और जादू का अ़मल जिस चीज़ में किया गया है वह फ़ुलाँ कुएँ के अन्दर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने वहाँ आदमी भेजे, वे जादू की वह चीज़ कुएँ से निकाल लाये, उसमें गिरहें लगी हुई थीं, आपने उन गिरहों को खोल दिया उसी वक़्त आप बिल्कुल तन्दुरुस्त होकर खड़े हो गये। (और अगरचे जिब्रील अ़लैहिस्सलाम ने आपको उस यहूदी का नाम बतला दिया था और आप उसको जानते थे मगर अपने नफ़्स के मामले में किसी से बदला लेना आपकी आ़दत न थी

इसलिये) उम्र भर उस यहूदी से कुछ नहीं कहा और न कभी उसकी मौजूदगी में आपके चेहरा-ए-मुबारक से किसी शिकायत के आसार पाये गये (वह मुनाफ़िक़ होने की वजह से आपके पास हाज़िर रहता था)।

और सही बुख़ारी की रिवायत हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से यह है कि आप पर एक यहूदी ने जादू किया तो उसका असर आप पर यह था कि कभी-कभी आप महसूस करते थे कि फ़ुलाँ काम कर लिया है मगर वह नहीं किया होता था। फिर एक रोज़ आपने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फ़रमाया कि मुझे अल्लाह तआ़ला ने बतला दिया है कि मेरी बीमारी क्या है, और फ़रमाया कि (ख़्वाब में) दो शख़्स आये, एक मेरे सिरहाने बैठ गया, एक पाँव की तरफ़, सिरहाने वाले ने दूसरे से कहा कि इनको क्या तकलीफ़ है, दूसरे ने कहा कि यह जादू के असर में आये हुए हैं। उसने पूछा कि जादू इन पर किसने किया है? तो उसने जवाब दिया कि लबीद बिन आसम ने जो यहूदियों का साथी और मुनाफ़िक़ है। उसने पूछा कि किस चीज़ में जादू किया है, उसने बतलाया कि एक कंघे और उसके दंदानों में, फिर उसने पूछा कि वह कहाँ है तो उसने बतलाया कि खजूर के उस ग़िलाफ़ में जिसमें खजूर का फल पैदा होता है ज़रवान कुएँ (एक कुएँ का नाम है) में एक पत्थर के नीचे गड़ा हुआ है। आप उस कुएँ पर तशरीफ़ ले गये और उसको निकाल लिया, और फ़रमाया कि मुझे ख़्वाब में यही कुआँ दिखलाया गया था। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़रमाया कि आपने इसका ऐलान क्यों न कर दिया (कि फ़ुलाँ शख़्स ने यह हरकत की है। आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि मुझे अल्लाह ने शिफ़ा दे दी, और मुझे यह पसन्द नहीं कि मैं किसी शख़्स के लिये किसी तकलीफ़ का सबब बनूँ (मतलब यह था कि इसका ऐलान होता तो लोग उसको क़त्ल कर देते या तकलीफ़ पहुँचाते)। और मुस्नद अहमद की एक रिवायत में है कि आपका यह मर्ज़ छह महीने तक रहा और कुछ रिवायतों में यह भी है कि जिन सहाबा-ए-किराम को मालूम हो गया था कि यह काम लबीद बिन आसम ने किया है उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम से अ़र्ज़ किया कि हम उस ख़बीस को क्यों क़त्ल न कर दें? आपने वही जवाब दिया जो सिद्दीक़ा आ़यशा रज़ियल्लाहु अन्हा को दिया था।

और इमाम सालबी की रिवायत में है कि एक लड़का नबी करीम सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम की ख़िदमत करता था, उस मुनाफ़िक़ यहूदी ने उसको बहला-फुसलाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम का कंघा और उसके कुछ दनदाने उससे हासिल कर लिये और एक ताँत के तार में ग्यारह गिरहें लगायीं, हर गिरह में एक सूई लगाई, कंघे के साथ उसको खजूर के फल के ग़िलाफ़ में रखकर एक कुएँ में पत्थर के नीचे दबा दिया। अल्लाह तआ़ला ने ये दो सूरतें नाज़िल फ़रमायीं जिनमें ग्यारह आयतें हैं, आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम हर गिरह पर एक-एक आयत पढ़कर एक-एक खोलते रहे यहाँ तक कि सब गिरहें खुल गयीं, और आप से अचानक एक बोझ सा उतर गया (ये सब रिवायतें तफ़सीर इब्ने कसीर से ली गयी हैं)।

जादू के असर से प्रभावित हो जाना नुबुव्वत व रिसालत के ख़िलाफ़ नहीं

जो लोग जादू की हक़ीक़त से नावाक़िफ़ हैं उनको ताज्जुब होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम पर जादू का असर कैसे हो सकता है। जादू की हक़ीक़त और उसकी क़िस्में व अहकाम पूरी तफ़सील के साथ सूरः ब-क़रह की आयत नम्बर 102 की तफ़सीर के तहत मआरिफ़ुल-क़ुरआन की पहली जिल्द में बयान किये जा चुके हैं वहाँ देख लिये जायें। ख़ुलासा उसका जिसका जानना यहाँ ज़रूरी है इतना है कि जादू का असर भी तबई असबाब का असर होता है जैसे आग से जलना या गर्म होना, पानी से सर्द होना, बाज़े तबई असबाब से बुख़ार आ जाना या मुख़्तलिफ़ क़िस्म के दर्द व रोगों का पैदा हो जाना एक तबई चीज़ है जिससे पैग़म्बर व अम्बिया अलग नहीं होते, इसी तरह जादू का असर भी इसी क़िस्म से है इसलिये कोई बईद (मुहाल व दूर की बात) नहीं।

'मुअ़व्वज़तैन' हर क़िस्म की दुनियावी और दीनी आफ़तों से हिफ़ाज़त का क़िला हैं, इनके फ़ज़ाईल

यह तो हर मोमिन का अ़क़ीदा है कि दुनिया व आख़िरत का हर नफ़ा नुक़सान अल्लाह तआ़ला के हाथ में है, बग़ैर उसकी मर्ज़ी और चाहने के कोई किसी को एक ज़र्रे का नफ़ा या नुक़सान नहीं पहुँचा सकता। तो दुनिया व आख़िरत की तमाम आफ़तों से महफ़ूज़ रहने का असल ज़रिया एक ही है कि इनसान अपने आपको अल्लाह की पनाह में दे दे और अपने अ़मल से उसकी पनाह में आने के क़ाबिल बनने की कोशिश करे। इन दोनों सूरतों में पहली यानी सूरः 'अल्-फ़लक़' में तो दुनियावी आफ़तों से अल्लाह की पनाह माँगने की तालीम है और दूसरी सूरत यानी सूरः 'अन्-नास' में आख़िरत की आफ़तों से बचने के लिये अल्लाह की पनाह माँगी गयी है। मुस्तनद हदीसों में इन दोनों सूरतों के बड़े फ़ज़ाईल और बरकतें नक़ल हुई हैं। सही मुस्लिम में हज़रत उक़्बा इब्ने आ़मिर रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम्हें कुछ ख़बर है कि आजकी रात अल्लाह तआ़ला ने मुझ पर ऐसी आयतें नाज़िल फ़रमाई हैं कि उनके जैसी नहीं देखीं यानी सूरः 'क़ुल् अऊ़ज़ु बि-रब्बिल् फ़-लक़ि' और सूरः 'क़ुल् अऊ़ज़ु बि-रब्बिन्-नासि'। और एक रिवायत में है कि तौरात, इंजील और ज़बूर और क़ुरआन में भी उनके जैसी कोई दूसरी सूरत नहीं है। एक दूसरी रिवायत इन्हीं हज़रत उक़्बा रज़ियल्लाहु अ़न्हु से है कि एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने उनको 'मुअ़व्वज़तैन' (यानी सूरः फ़लक़ और सूरः नास) पढ़ाई और फिर मग़रिब की नमाज़ में इन्हीं दोनों सूरतों की तिलावत फ़रमाई और फिर फ़रमाया कि इन सूरतों को सोने के वक़्त भी पढ़ा

करो और फिर उठने के वक़्त भी। (नसाई) और एक रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने इन दोनों सूरतों को हर नमाज़ के बाद पढ़ने की हिदायत व तालीम फ़रमाई।

(अबू दाऊद, नसाई)

हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अ़न्हा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को जब कोई बीमारी पेश आती तो ये दोनों सूरतें पढ़कर अपने हाथों पर दम करके सारे बदन पर फेर लेते थे। फिर जब वफ़ात वाली बीमारी में आपकी तकलीफ़ बढ़ी तो मैं ये सूरतें पढ़कर आपके हाथों पर दम कर देती थी, आप अपने तमाम बदन पर फेर लेते थे। मैं यह काम इसलिये करती थी कि हज़रत के मुबारक हाथों का बदल मेरे हाथ न हो सकते थे।

(रिवायत किया इसको इमाम मालिक रह. ने। ये सब रिवायतें तफ़सीर इब्ने कसीर से नकल की गयी हैं।)

और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन हबीब रज़ियल्लाहु अ़न्हु से रिवायत है कि एक रात में बारिश और सख़्त अंधेरी थी, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम को तलाश करने के लिये निकले, जब आपको पा लिया तो आपने फ़रमाया कि कहो, मैंने अ़र्ज़ किया कि क्या कहूँ। आपने फ़रमाया- 'क़ुल् हुवल्लाहु अहद्' और 'मुअ़व्वज़तैन' पढ़ो जब सुबह हो और जब शाम हो तीन मर्तबा, यह पढ़ना तुम्हारे लिये हर तकलीफ़ से अमान होगा।

(तिर्मिज़ी, अबू दाऊद नसाई। तफ़सीरे मज़हरी)

ख़ुलासा यह है कि तमाम आफ़तों से महफ़ूज़ रहने के लिये ये दो सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम और सहाबा-ए-किराम का मामूल थीं। आगे सूरत के अलफ़ाज़ के साथ तफ़सीर देखिये।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِo

फ़लक़ के लफ़्ज़ी मायने फटने के हैं, मुराद रात की पौ फटना और सुबह का ज़ाहिर होना है जैसा कि एक दूसरी आयत में अल्लाह तआ़ला की सिफ़त 'फ़ालिक़ुल्-इस्बाहि' आई है। इस कलिमे में अल्लाह तआ़ला की तमाम सिफ़ात में से इसको इख़्तियार करने की हिक्मत यह भी हो सकती है कि रात की अंधेरी अक्सर बुराईयों व आफ़तों का सबब बनती है और सुबह की रोशनी उसको दूर कर देती है, अल्लाह तआ़ला की इस सिफ़त में यह इशारा है कि जो उसकी पनाह माँगेगा अल्लाह तआ़ला उसकी तमाम आफ़तों को दूर फ़रमा देगा। (तफ़सीरे मज़हरी)

लफ़्ज़ 'शर' के मायने अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम रह. के अनुसार

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَo

अ़ल्लामा इब्ने क़य्यिम रह. ने लिखा है कि लफ़्ज़ शर दो चीज़ों के लिये आ़म और शामिल है- एक दुख व आफ़तें, जिनसे इनसान को डायरेक्ट तौर पर रंज व तकलीफ़ पहुँचती है, दूसरे वह चीज़ जो दुखों व आफ़तों के लाने वाले और असबाब हैं। इस दूसरी क़िस्म में कुफ़्र व शिर्क और तमाम गुनाह व नाफ़रमानी भी लफ़्ज़ शर के मफ़्हूम में दाख़िल हैं। क़ुरआन व हदीस में

जिन चीज़ों से पनाह का ज़िक्र आया है वो इन दोनों क़िस्मों में से किसी एक में दाख़िल होती हैं कि या तो वो ख़ुद आफ़त या मुसीबत होती हैं या उसके लिये सबब और कारण बनने वाली होती हैं। नमाज़ के आख़िर में जो पनाह माँगने की दुआ मस्नून है उसमें चार चीज़ें मज़कूर हैं:

1. क़ब्र का अ़ज़ाब। 2. दोज़ख़ का अ़ज़ाब। 3. ज़िन्दगी के फ़ितने। 4. मौत के बाद के फ़ितने।

इनमें से पहली दो चीज़ें ख़ुद मुसीबत व अ़ज़ाब हैं और आख़िरी दो चीज़ें मुसीबत व अ़ज़ाब के असबाब हैं।

'मिन् शर्रि मा ख़-ल-क़' के लफ़्ज़ में सारी मख़्लूक़ात का शर दाख़िल है इसलिये यह कलिमा तमाम बुराईयों व आफ़तों से पनाह लेने के लिये काफ़ी था मगर इस जगह तीन चीज़ों को विशेष तौर पर और नुमायाँ करके उनके शर (बुराई) से पनाह माँगने का अलग से ज़िक्र फ़रमाया जो अक्सर आफ़तों व मुसीबतों का सबब बनती हैं। पहले फ़रमायाः

مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ○

इसमें लफ़्ज़ ग़ासिक़ ग़सक़ से निकला है जिसके मायने अंधेरे का फैल जाना और छा जाना है, इसलिये ग़ासिक़ के मायने हज़रत इब्ने अ़ब्बास रज़ियल्लाहु अ़न्हु और हसन व मुजाहिद रह. ने रात के लिये हैं, और व-क़-ब वक़ूब से निकला है जिसके मायने अंधेरे के पूरी तरह बढ़ जाने के हैं। मायने ये हैं कि मैं अल्लाह की पनाह माँगता हूँ रात से जबकि उसकी अंधेरी पूरी हो जाये, रात को ख़ास करने की वजह यह है कि यही वक़्त जिन्नात व शयातीन और तकलीफ़ देने वाले जानवरों और ज़मीनी कीड़े-मकोड़ों और चोरों डाकुओं के फैलने और दुश्मनों के हमला करने का होता है, और जादू की तासीर भी रात में ज़्यादा होती है। सुबह होते ही इन चीज़ों का क़ब्ज़ा ख़त्म हो जाता है। (इब्ने क़य्यिम) दूसरी चीज़ यह फ़रमाई किः

وَمِنْ شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِي الْعُقَدِ○

'नफ़्फ़ासाति' नफ़स से निकला है जिसके मायने फूँक मारने के हैं। और उक़द् उक़्दतुन् की जमा (बहुवचन) है जिसके मायने गिरह के हैं। जादू करने वाले डोरे वग़ैरह में गिरह लगाकर उस पर जादू के कलिमात पढ़कर फूँकते हैं। 'नफ़्फ़ासाति फ़िल्-उक़द्' के मायने हुए गिरहों पर फूँकने वालियाँ, मुराद जादू करने वालियाँ हैं। और लफ़्ज़ नफ़्फ़ासात का मौसूफ़ (यानी जिसके अन्दर यह सिफ़त पाई जाये) नुफ़ूस भी हो सकता है जिसमें मर्द व औ़रत दोनों दाख़िल हैं। इस सूरत में जादू करने वालियों से मुराद जादू करने वाली जानें होंगी, और ज़ाहिर यह है कि इसका मौसूफ़ (यानी इस काम को करने वाली) औ़रतें हैं। औ़रतों को ख़ास करना शायद इसलिये है कि जादू का काम उमूमन औ़रतें करती हैं और कुछ फ़ितरी तौर पर औ़रतों को इससे मुनासबत भी ज़्यादा है। और या इसलिये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जादू करने का जो वाक़िआ़ इन सूरतों के नाज़िल होने का सबब बना उसमें जादू करने वालियाँ वलीद बिन आसम की लड़कियाँ थीं जिन्होंने बाप के कहने से यह काम किया था। इसलिये इस जादू की निस्बत उनकी

तरफ़ कर दी गयी।

और जादू करने वालों से पनाह माँगने का ख़ुसूसियत के साथ ज़िक्र करने की यह वजह भी हो सकती है कि इनके नाज़िल होने का सबब यही जादू का वाक़िआ है, और यह भी कि इसका शर (बुराई) और नुक़सान इसलिये ज़्यादा है कि इनसान को इसकी ख़बर भी नहीं होती, बेख़बरी की वजह से इसको दूर करने की तरफ़ तवज्जोह नहीं होती, वह बीमारी समझकर दवा-दारू में लगा रहता है और तकलीफ़ बढ़ जाती है।

तीसरी चीज़ जो ख़ास तौर से ज़िक्र की गयी वह हासिद और हसद है, इसको ख़ास तौर से बयान करने की वजह भी यही दोनों हो सकती हैं क्योंकि आप सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम पर जादू करने का क़दम इसी हसद (जलन) के सबब उठाया गया। यहूदी और मुनाफ़िक़ लोग आपकी और मुसलमानों की तरक़्क़ी को देखकर जलते थे, और ज़ाहिरी जंग व क़िताल में आप पर ग़ालिब नहीं आ सके तो जादू के ज़रिये अपनी हसद की आग को बुझाना चाहा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम के हासिद दुनिया में बेशुमार थे इसलिये भी ख़ास तौर पर पनाह माँगी गयी। साथ ही यह कि हासिद का हसद उसको चैन से नहीं बैठने देता, वह हर वक़्त उसको नुक़सान पहुँचाने के पीछे लगा रहता है, इसलिये यह बड़ा और सख़्त नुक़सान भी है।

हसद कहते हैं किसी की नेमत व राहत को देखकर जलना और यह चाहना कि उससे वह नेमत ख़त्म हो जाये चाहे इसको भी हासिल न हो, यह हसद हराम और बड़ा गुनाह है, और यह सबसे पहला गुनाह है जो आसमान में किया गया और यह सबसे पहला गुनाह है जो ज़मीन में किया गया, क्योंकि आसमान में शैतान ने हज़रत आदम अ़लैहिस्सलाम से हसद किया और ज़मीन पर उनके बेटे क़ाबील ने अपने भाई हाबील से किया। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

हसद से मिलता-जुलता ग़िब्ता (रश्क) है जिसके मायने यह हैं कि किसी की नेमत को देखकर यह तमन्ना करना कि यह नेमत मुझे भी हासिल हो जाये, यह जायज़ बल्कि अच्छा है।

यहाँ तीन चीज़ों से ख़ास तौर पर पनाह माँगने का ज़िक्र है मगर पहली और तीसरी में तो एक-एक क़ैद (शर्त) का ज़िक्र किया गया। पहले 'ग़ासिक़' के साथ 'इज़ा व-क़-ब' फ़रमाया, और तीसरी में 'हासिद' के साथ 'इज़ा ह-स-द' फ़रमाया, और बीच की चीज़ यानी जादू करने वालों में कोई क़ैद ज़िक्र नहीं फ़रमाई। सबब यह है कि जादू का नुक़सान आ़म है और रात का नुक़सान उसी वक़्त होता है जब पूरा अंधेरा हो जाये, इसी तरह हासिद का हसद जब तक वह अपने हसद की वजह से किसी तकलीफ़ को पहुँचाने का क़दम न उठाये उस वक़्त तक तो उसका नुक़सान ख़ुद उसी की ज़ात को पहुँचता है कि दूसरे की नेमत को देखकर जलता-कुढ़ता है, अलबत्ता जिससे हसद किया जाये उसको इसका नुक़सान उस वक़्त पहुँचता है जबकि वह हसद के तक़ाज़े और जज़्बे पर अ़मल करके तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश करे, इसलिये पहली और दूसरी चीज़ में ये क़ैदें लगा दी गईं।

अल्लाह तआ़ला का शुक्र है कि सूरः अल्-फ़लक़ की तफ़सीर पूरी हुई।

सूरः अन्-नास

सूरः अन्-नास मक्का में नाज़िल हुई और इसकी 6 आयतें हैं।

سُوْرَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۙ مَلِكِ النَّاسِ ۙ اِلٰهِ النَّاسِ ۙ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ۙ الْخَنَّاسِ ۙ الَّذِيْ يُوَسْوِسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ ۙ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۧ

बिस्मिल्लाहिर्रह्मानिर्रहीम

शुरू अल्लाह के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत रहम वाला है।

क़ुल् अऊज़ु बिरब्बिन्नासि (1) मलिकिन्नासि (2) इलाहिन्नासि (3) मिन् शर्रिल् वस्वासिल्-ख़न्नास (4) अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नासि (5) मिनल्-जिन्नति वन्नास (6) ✽	तू कह मैं पनाह में आया लोगों के रब की (1) लोगों के बादशाह की (2) लोगों के माबूद की (3) बदी से उसकी जो फुसलाये और छुप जाये (4) वह जो ख़्याल डालता है लोगों के दिल में (5) जिन्नों में और आदमियों में। (6) ✽

ख़ुलासा-ए-तफ़सीर

आप कहिये कि मैं आदमियों के मालिक, आदमियों के बादशाह, आदमियों के माबूद की पनाह लेता हूँ वस्वसा डालने वाले पीछे हट जाने वाले (शैतान) की बुराई से (पीछे हटने का मतलब यह कि हदीस में है कि अल्लाह का नाम लेने से शैतान हट जाता है)। जो लोगों के दिलों में वस्वसा डालता है चाहे वह (वस्वसा डालने वाला) जिन्न हो या आदमी। (यानी जिस तरह मैं जिन्नात में के शैतानों से पनाह माँगता हूँ इसी तरह इनसानों में के शैतानों से भी पनाह माँगता हूँ जैसा कि एक दूसरी जगह क़ुरआने करीम में जिन्नात और इनसानों दोनों में शैतान होने का ज़िक्र है। फ़रमायाः

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيٰطِيْنَ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ

मआरिफ़ व मसाईल

सूरः फ़लक़ में दुनियावी आफ़तों व मुसीबतों से पनाह माँगने की तालीम है और इस सूरत

में आख़िरत की आफ़तों से पनाह माँगने की ताकीद है, और जैसा कि लफ़्ज़ शर का मफ़्हूम सूरः फ़लक़ में बयान किया गया कि दुखों व मुसीबतों और उनका सबब बनने वाले दोनों को शामिल है इस सूरत में उस शर से पनाह माँगी गयी है जो तमाम गुनाहों का सबब है, यानी शैतानी वस्वसे व असरात। और चूँकि आख़िरत का नुक़सान ज़्यादा सख़्त चीज़ है इसलिये इसकी ताकीद पर क़ुरआन को ख़त्म किया गया।

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ٥

रब के मायने पालने वाले और हर हाल की इस्लाह (सुधार व बेहतरी) करने वाले के हैं। इस जगह रब की इज़ाफ़त नास की तरफ़ की गयी और पहली सूरत में फ़लक़ की तरफ़, वजह यह है कि सूरः फ़लक़ में ज़ाहिरी और जिस्मानी आफ़तों से पनाह माँगना मक़सद है और वह इनसान के साथ मख़्सूस नहीं, जानवरों को भी बदनी आफ़तें व मुसीबतें पहुँचती हैं, बख़िलाफ़ शैतानी वस्वसों (ख़्यालात) के कि इसका नुक़सान इनसान के साथ मख़्सूस है और जिन्नात भी इसमें इनसान के ताबे होकर शामिल हैं इसलिये यहाँ रब की इज़ाफ़त (निस्बत) नास (इनसानों) की तरफ़ की गयी (तफ़सीरे मज़हरी, बैज़ावी के हवाले से)।

'मलिकिन्नासि' यानी लोगों का बादशाह। 'इलाहिन्नासि' लोगों का माबूद। इन दो सिफ़तों का इज़ाफ़ा इसलिये किया गया कि लफ़्ज़ रब जब किसी ख़ास चीज़ की तरफ़ मन्सूब हो तो अल्लाह तआ़ला के सिवा भी दूसरों के लिये बोला जाता है जैसा कि 'रब्बुद्दार' घर के मालिक को, 'रब्बुल-माल' माल के मालिक को कहा जाता है, और हर मालिक बादशाह नहीं होता इसलिये मलिक का इज़ाफ़ा किया कि वह रब यानी मालिक भी है और मलिक यानी बादशाह भी। फिर हर बादशाह माबूद नहीं होता इसलिये तीसरी सिफ़त ज़िक्र फ़रमाई 'इलाहिन्नासि' इन तीन सिफ़तों को जमा करने में हिक्मत यह है कि इनमें से हर सिफ़त हिफ़ाज़त की दावत देती है क्योंकि हर मालिक अपने मम्लूक (यानी जो कुछ उसकी मिल्कियत में हो उस) की हिफ़ाज़त करता है। इसी तरह हर बादशाह अपनी रिआ़या (प्रजा) की हिफ़ाज़त करता है और माबूद का अपने आ़बिद (इबादत करने वाले) के लिये मुहाफ़िज़ होना तो सबसे ज़्यादा स्पष्ट है। ये तीनों सिफ़तें सिर्फ़ हक़ तआ़ला में जमा हैं उसके सिवा कोई इन सिफ़तों का जामे नहीं, इसलिये उसकी पनाह हासिल करना सबसे बड़ी पनाह है, और अल्लाह तआ़ला से इन तीन सिफ़तों के साथ पनाह माँगना दुआ़ की क़ुबूलियत के लिये ज़्यादा क़रीब है कि या अल्लाह! आप ही इन सिफ़ात के जामे (यानी एक साथ इन सिफ़ात के मालिक) हैं, हम सिर्फ़ आप ही से पनाह माँगते हैं। यहाँ जबकि पहले जुमले में 'रब्बिन्नासि' आ चुका तो बज़ाहिर मौके का तक़ाज़ा यह था कि आगे उसकी तरफ़ ज़मीरें लौटाने से काम लिया जाता यानी 'मलिकिहिम् व इलाहिहिम्' फ़रमाया जाता मगर इस लफ़्ज़ को बार-बार इसलिये दोहराया गया है कि दुआ़ और तारीफ़ व प्रशंसा का मौक़ा है इसमें दोहराना और बार-बार लाना ही बेहतर है।

और कुछ हज़रात ने लफ़्ज़ नास के बार-बार लाने में यह लतीफ़ा बयान किया है कि इस

सूरत में यह लफ़्ज़ पाँच मर्तबा आया है। पहले लफ़्ज़ नास से मुराद बच्चे हैं और लफ़्ज़ रब्ब और रबूबियत इसका क़रीना (दलील व इशारा) है, क्योंकि परवरिश की ज़रूरत सबसे ज़्यादा बच्चों को होती है, और दूसरे लफ़्ज़ नास से जवान मुराद हैं, और लफ़्ज़ मलिक इसका क़रीना है जो एक सियासत के मायने रखता है वह जवानों के मुनासिब है, और तीसेर लफ़्ज़ नास से बूढ़े मुराद हैं जो दुनिया से कटकर इबादत में मशग़ूल हों और लफ़्ज़ इलाह इसका क़रीना है जो इबादत की तरफ़ इशारा करता है, और चौथे लफ़्ज़ नास से मुराद अल्लाह के नेक बन्दे हैं और लफ़्ज़ वस्वसा इसका क़रीना है, क्योंकि शैतान नेक बन्दों का दुश्मन है उनके दिलों में वस्वसे (बुरे ख़्यालात) डालना उसका मशग़ला है, और पाँचवें लफ़्ज़ नास से मुराद ख़राबी और फ़साद फैलाने वाले लोग हैं क्योंकि उनके शर (बुराई) से पनाह माँगी गयी है।

مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ۝

अल्लाह तआ़ला की तीन सिफ़तें ज़िक्र करके अब उसका बयान है जिससे पनाह माँगना मक़सद है, वह है 'वस्वासिल्-ख़न्नासि' वस्वास मस्दर दर असल वस्वसे के मायने में है, यहाँ शैतान को वस्वास मुबालग़े के तौर पर फ़रमाया, गोया कि वह पूरा का पूरा वस्वसा है, और वस्वसे के मायने शैतान का अपनी बात मानने की तरफ़ एक छुपे कलाम के ज़रिये बुलाना है जिसका मफ़्हूम इनसान के दिल में आ जाये और कोई आवाज़ सुनाई न दे। (तफ़सीरे क़ुर्तुबी)

ख़न्नास ख़नस से निकला है जिसके मायने पीछे लौटने के हैं। शैतान को ख़न्नास इसलिये कहा गया कि उसकी आ़दत यह है कि इनसान जब अल्लाह का नाम लेता है तो पीछे भागता है फिर जब ज़रा ग़फ़लत हुई फिर आ जाता है, फिर वह अल्लाह का नाम लेता है तो फिर पीछे लौट जाता है। यही अ़मल लगातार जारी रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि हर इनसान के दिल में दो घर हैं एक में फ़रिश्ता रहता है दूसरे में शैतान (फ़रिश्ता उसको नेक कामों की रुचि दिलाता रहता है और शैतान बुरे कामों की) फिर जब इनसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो शैतान पीछे हट जाता है और जब तक वह अल्लाह के ज़िक्र में मशग़ूल नहीं होता तो अपनी चोंच इनसान के दिल पर रखकर उसमें बुराईयों के वस्वसे डालता है। (अबू यअ़ला, हज़रत अनस की रिवायत से मरफ़ूअ़न। तफ़सीरे मज़हरी)

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

यह बयान है वस्वास का। यानी वस्वसा डालने वाले जिन्नात में से भी होते हैं और इनसानों में से भी। तो हासिल इसका यह हुआ कि अल्लाह तआ़ला ने अपने रसूल को इसकी तालीम व हिदायत फ़रमाई कि अल्लाह से पनाह माँगें जिन्नात शैतानों के शर से भी और इनसानी शैतानों के शर से भी। अगर यह शुब्हा हो कि वस्वसा जिन्नाती शैतानों की तरफ़ से होना तो ज़ाहिर है कि वे छुपे तौर पर इनसान के दिल में कोई छुपा कलाम डाल दें, मगर इनसानी शैतान तो खुल्लम-खुल्ला सामने आकर बात करते हैं उनका वस्वसे से क्या ताल्लुक़ है? तो जवाब यह है कि इनसानी शैतान भी अक्सर ऐसी बातें किसी के सामने करते हैं जिनसे उसके दिल में किसी

मामले के मुताल्लिक़ ऐसे शक व शुब्हात पैदा हो जाते हैं जिनको वे स्पष्ट रूप से नहीं कहते। और शैख़ इज़्ज़ुद्दीन बिन अब्दुस्सलाम ने अपनी किताब 'अल्-फ़वाइद फ़ी मुश्किलातिल्-क़ुरआन' में फ़रमाया कि इनसानी शैतानों के शर से मुराद ख़ुद अपने नफ़्स का वस्वसा है, क्योंकि जिस तरह जिन्नाती शैतान इनसान के दिल में बुरे कामों की तरफ़ रुचि व दिलचस्पी डालता है उसी तरह ख़ुद इनसान का अपना नफ़्स भी बुरे ही कामों की तरफ़ माईल होता है, इसी लिये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने ख़ुद अपने नफ़्स के शर से भी पनाह माँगना सिखलाया है। हदीस में है:

اللّٰھم اعوذ بك من شرّ نفسي وشرّ الشیطان وشرکه.

यानी या अल्लाह! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ अपने नफ़्स के शर से भी और शैतान के शर और शिर्क से भी।

शैतानी वस्वसों से पनाह माँगने की बड़ी अहमियत

इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने इस सूरत में इनसान को इसकी हिदायत फ़रमाई है कि अल्लाह तआ़ला की ये तीन सिफ़तें रब, मलिक, इलाह ज़िक्र करके उससे शैतानी वस्वसों और उसके बहकाने से पनाह माँगनी चाहिये, क्योंकि हर इनसान के साथ एक क़रीन (साथी) शैतान लगा हुआ है जो हर क़दम पर इस कोशिश में लगा रहता है कि इनसान को तबाह व बरबाद करे। अव्वल तो उसको गुनाहों की रग़बत देता (यानी रुचि व दिलचस्पी दिलाता) है, और तरह-तरह से उसको बहलाकर गुनाहों की तरफ़ लेजाता है, अगर इसमें कामयाब न हुआ तो इनसान जो नेकी व इबादत करता है उसको ख़राब और बरबाद करने के लिये दिखावे व नमूद और गुरूर व तकब्बुर के वस्वसे दिल में डालता है, इल्म वालों के दिलों में हक़ और सही अ़क़ीदों के मुताल्लिक़ शुब्हे पैदा करने की कोशिश करता है, उसके शर (बुराई) से वही बच सकता है जिसको अल्लाह ही बचाये।

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि तुम में कोई आदमी ऐसा नहीं जिस पर उसका क़रीन (साथी) शैतान मुसल्लत न हो, सहाबा ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह! क्या आपके साथ भी यह क़रीन है? फ़रमाया हाँ, मगर अल्लाह तआ़ला ने उसके मुक़ाबले में मेरी मदद फ़रमाई और उसको ऐसा कर दिया कि वह भी मुझे सिवाय ख़ैर के किसी बात को नहीं कहता।

बुख़ारी व मुस्लिम में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अ़न्हु की हदीस है कि एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम मस्जिद में एतिकाफ़ कर रहे थे, एक रात में उम्मुल-मोमिनीन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अ़न्हा आपकी ज़ियारत के लिये मस्जिद में गयीं, वापसी के वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम उनके साथ हुए। गली में दो अन्सारी सहाबी सामने आ गये तो आपने आवाज़ देकर फ़रमाया- ठहरो मेरे साथ सफ़िया बिन्ते हुयि्य हैं, उन दोनों ने बहुत ही अदब से अ़र्ज़ किया सुब्हानल्लाह! या रसूलल्लाह (यानी क्या आपने हमारे बारे में यह ख़्याल किया कि

हम कोई बदगुमानी करेंगे) रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ने फ़रमाया कि बेशक, क्योंकि शैतान इनसान के ख़ून के साथ उसकी रग व पै में असर-अन्दाज़ होता है, मुझे यह ख़तरा हुआ कि कहीं शैतान तुम्हारे दिलों में बदगुमानी का कोई वस्वसा पैदा न कर दे (इसलिये मैंने बतला दिया कि कोई ग़ैर औरत मेरे साथ नहीं)।

फ़ायदा

जैसा कि ख़ुद बुरे कामों से बचना इनसान के लिये ज़रूरी है इसी तरह मुसलमानों को अपने बारे में बदगुमानी का मौक़ा देना भी दुरुस्त नहीं, ऐसे मौक़ों से बचना चाहिये जिनसे लोगों के दिलों में बदगुमानी पैदा होती हो, और कोई ऐसा मौक़ा आ जाये तो बात को स्पष्ट करके तोहमत के मौक़ों को ख़त्म कर देना चाहिये। ख़ुलासा यह है कि इस हदीस ने शैतानी वस्वसे का बड़ा ख़तरनाक होना साबित किया है जिससे बचना आसान नहीं सिवाय ख़ुदा की पनाह के।

तंबीह

यहाँ जिस वस्वसे से डराया गया है उससे मुराद वह ख़्याल है जिसमें इनसान अपने इख़्तियार से मशग़ूल हो, और ग़ैर-इख़्तियारी वस्वसा व ख़्याल जो दिल में आया और गुज़र गया वह कुछ नुक़सानदेह नहीं, न उस पर कोई गुनाह है।

सूरः फ़लक़ और सूरः नास के 'तअव्वुज़ात' में एक फ़र्क़

सूरः फ़लक़ में तो जिसकी पनाह माँगी गयी है यानी अल्लाह तआला उसकी सिर्फ़ एक सिफ़त बयान करने को काफ़ी समझा गया यानी 'रब्बिल्-फ़लक़' और जिन चीज़ों से पनाह माँगी गयी वो बहुत हैं जिनको पहले 'मिन शर्रि मा ख़-ल-क़' में संक्षिप्त रूप से ज़िक्र किया, फिर उनमें से ख़ास तीन आफ़तों को अलग बयान फ़रमाया। और सूरः नास में जिस चीज़ से पनाह माँगी गयी है वह तो सिर्फ़ एक ही है यानी **वस्वास** और जिसकी पनाह माँगी है उसकी इस जगह तीन सिफ़तें बयान करके पनाह की दुआ की गयी है। इससे मालूम होता है कि शैतान का शर (बुराई) सब शुरूर व आफ़तों से बढ़ा हुआ है, अव्वल तो इसलिये कि और आफ़तों व मुसीबतों का असर तो इनसान के जिस्म और दुनियावी मामलात पर पड़ता है बख़िलाफ़ शैतान के कि यह इनसान की दुनिया व आख़िरत दोनों को और ख़ास तौर पर आख़िरत को तबाह करने की फ़िक्र में है, इसलिये इसका नुक़सान ज़्यादा सख़्त है। दूसरे यह कि दुनिया की आफ़तों का तो कुछ न कुछ माद्दी इलाज भी इनसान के क़ब्ज़े में है और वह करता रहता है बख़िलाफ़ शैतान के कि उसके मुक़ाबले की कोई माद्दी तदबीर इनसान के बस में नहीं, वह तो इनसान को देखता है इनसान उसको नहीं देखता, वह इनसान के बातिन में (अन्दर) ग़ैर-मालूम तरीक़े पर दख़ल-अन्दाज़ी करने की ताक़त रखता है, उसका इलाज सिर्फ़ अल्लाह का ज़िक्र और उसकी पनाह लेना है।

इनसान के दो दुश्मन, इनसान और शैतान और दोनों दुश्मनों के अलग-अलग इलाज

इनसान का दुश्मन इनसान भी होता है और शैतान भी इसका दुश्मन है, हक़ तआ़ला ने इनसानी दुश्मन को पहले तो अच्छे अख़्लाक़ और मुदारात और सब्र से और बदला न लेने के ज़रिये क़ाबू में करने की तालीम व हिदायत फ़रमाई है, और जो इन तदबीरों से बाज़ न आये उसके साथ जंग व जिहाद का हुक्म दिया है। बख़िलाफ़ शैतानी दुश्मन के, उसका मुक़ाबला सिर्फ़ अल्लाह की पनाह लेने से तालीम किया गया है। इमाम इब्ने कसीर ने अपनी तफ़सीर के मुक़द्दमे में क़ुरआने करीम की तीन आयतें इस मज़मून की लिखी हैं जिनमें इन दोनों दुश्मनों का ज़िक्र करके इनसानी दुश्मन से बचाव अच्छे अख़्लाक़ से काम लेना, एहसान का सुलूक करना और इन्तिक़ाम न लेना बतलाया, और उसके मुक़ाबले में शैतान को दूर करने के लिये अल्लाह की पनाह लेने की हिदायत फ़रमाई है। इमाम इब्ने कसीर ने फ़रमाया कि पूरे क़ुरआन में ये तीन ही आयतें इस मज़मून की आई हैं- एक आयत सूरः आराफ़ में है कि पहले फ़रमायाः

خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجٰهِلِيْنَ○

यह तो इनसानी दुश्मन के मुक़ाबले की तदबीर इरशाद फ़रमाई जिसका हासिल माफ़ी व दरगुज़र और उसको नेक काम की हिदायत और उसकी बुराई से चश्म-पोशी (निगाह बचा लेना) बतलाई। इसी आयत में आगे फ़रमायाः

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ. اِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ○

यह तालीम शैतानी दुश्मन के मुक़ाबले में फ़रमाई जिसका हासिल अल्लाह से पनाह माँगना है। दूसरी आयत सूरः 'मोमिनून' में पहले इनसानी दुश्मन के मुक़ाबले के इलाज में फ़रमायाः

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ السَّيِّئَةَ.

यानी बुराई को भलाई के ज़रिये दूर करो, फिर शैतानी दुश्मन के मुक़ाबले के लिये फ़रमायाः

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ○

यानी ऐ मेरे रब! मैं आपकी पनाह माँगता हूँ शैतानों की छेड़ से, और इससे कि वे मेरे पास आयें। और तीसरी आयत सूरः 'हा-मीम अस्सज्दा' की है जिसमें पहले इनसानी दुश्मन से बचाव और रक्षा के लिये इरशाद फ़रमायाः

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهٗ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهٗ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ○

यानी तुम बुराई को भलाई के ज़रिये दूर करो, अगर ऐसा कर लोगे तो देखो और तजुर्बा करोगे कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारा सच्चा दोस्त बन जायेगा। इसी आयत में दूसरा हिस्सा शैतानी दुश्मन के मुक़ाबले में यह फ़रमायाः

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ○

ये तक़रीबन वही अलफ़ाज़ हैं जो सूरः आराफ़ में शैतान के मुक़ाबले के लिये इरशाद फ़रमाये हैं, और हासिल इसका यह है कि उसका मुक़ाबला सिवाय अल्लाह की पनाह लेने के कुछ नहीं। (तफ़सीर इब्ने कसीर)

इन तीनों आयतों में इनसानी दुश्मन का इलाज माफ़ी व दरगुज़र और अच्छे सुलूक से बतलाया गया है क्योंकि इनसानी फ़ितरत यही है कि अच्छे अख़्लाक़ और एहसान से मग़लूब हो जाता है। और जो इनसान शरारतों से इतने भरे हों कि फ़ितरी इनसानी सलाहियत खो बैठे हों उनका इलाज दूसरी आयतों में जिहाद व क़िताल बतलाया गया है, क्योंकि ये खुले दुश्मन हैं, खुले साज़ व समान के साथ सामने आते हैं, उनकी ताक़त का मुक़ाबला ताक़त से किया जा सकता है, बख़िलाफ़ शैतान मर्दूद के कि वह अपनी फ़ितरत में शरीर है, एहसान और माफ़ी व दरगुज़र उस पर कोई अच्छा असर नहीं डालता है जिससे वह अपनी शरारत से बाज़ आ जाये और न ज़ाहिरी मुक़ाबला उसका जिहाद व क़िताल से हो सकता है, ये दोनों क़िस्म की नर्म व गर्म तदबीरें सिर्फ़ इनसानी दुश्मन के मुक़ाबले में चलती हैं, शैतान के मुक़ाबले में नहीं चलतीं इसलिये उसका इलाज सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की पनाह में आना और अल्लाह के ज़िक्र में मशग़ूल हो जाना है जो पूरे क़ुरआन में तालीम किया और बताया गया है, और इसी पर क़ुरआन को ख़त्म किया गया है।

इनसानी और शैतानी दुश्मन के मुक़ाबले में अन्जाम के एतिबार से बड़ा फ़र्क़ है

ऊपर क़ुरआनी तालीमात में इनसानी दुश्मन का दिफ़ा (दूर करना और उससे अपनी रक्षा) अव्वल एहसान और सब्रे जमील से बतलाया गया है, अगर इसमें कामयाबी न हो तो जिहाद व क़िताल से, और दोनों सूरतों में मुक़ाबला करने वाला मोमिन कामयाब ही कामयाब है, बिल्कुल नाकामी मोमिन के लिये मुम्किन ही नहीं। क्योंकि दुश्मन से मुक़ाबले में यह ग़ालिब आ गया तब तो इसकी कामयाबी खुली हुई है और अगर शिकस्त खा गया या मारा भी गया तो आख़िरत का अज्र व सवाब और शहादत के फ़ज़ाईल इसको इतने बड़े मिलेंगे जो दुनिया की कामयाबी से कहीं ज़्यादा होंगे। ग़र्ज़ कि इनसानी दुश्मन के मुक़ाबले में हार जाना भी मोमिन के लिये कोई नुक़सान की चीज़ नहीं, बख़िलाफ़ शैतान के कि उसकी ख़ुशामद और उसको राज़ी करना भी गुनाह है और उसके मुक़ाबले में हार जाना तो आख़िरत को तबाह कर लेना है। यही वजह है जिसके लिये शैतानी दुश्मन से बचाव के वास्ते हक़ तआ़ला ही की पनाह लेना इलाज है, उसकी पनाह के सामने शैतान की हर तदबीर कमज़ोर व बेअसर है।

शैतानी जाल व फंदा कमज़ोर है

ऊपर बयान हुई वुजूहात से किसी को यह ख़्याल न होना चाहिये कि शैतान की ताक़त बड़ी है, उसका मुक़ाबला मुश्किल है, इसी ख़्याल को दूर करने के लिये हक़ तआ़ला ने फ़रमायाः

اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا○

और सूरः नहल में जहाँ क़ुरआन पढ़ने के वक़्त अल्लाह की पनाह लेने का हुक्म दिया गया है उसके साथ ही यह भी फ़रमा दिया कि ईमान वालों और अल्लाह पर भरोसा रखने वालों पर यानी अल्लाह की पनाह लेने वालों पर शैतान का कोई क़ब्ज़ा व इख़्तियार नहीं चलता इरशाद हैः

فَاِذَا قَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ○ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ○ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ○

यानी जब तू क़ुरआन पढ़ने लगे तो पनाह ले अल्लाह की शैतान मर्दूद से। उसका ज़ोर नहीं चलता उन पर जो ईमान रखते हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। उसका ज़ोर तो उन्हीं पर है जो उसको रफ़ीक़ (साथी) समझते हैं और जो उसको शरीक मानते हैं।

सूरः नहल की इस आयत की पूरी तफ़सीर और 'इस्तिआ़ज़ा' यानी अल्लाह की पनाह लेने के मसाईल की वज़ाहत मआ़रिफ़ुल-क़ुरआन की जिल्द पाँच में गुज़र चुकी है उसको देख लिया जाये।

क़ुरआने करीम के आग़ाज़ और समापन में मुनासबत

क़ुरआने करीम को हक़ तआ़ला ने सूरः फ़ातिहा से शुरू फ़रमाया है जिसका ख़ुलासा अल्लाह तआ़ला की तारीफ़ व सना के बाद उसकी मदद हासिल करना और उससे सिराते मुस्तक़ीम की तौफ़ीक़ माँगना है। और अल्लाह तआ़ला की मदद और सिराते मुस्तक़ीम यही दो चीज़ें हैं जिनमें इनसान की दुनिया व दीन के सब मक़ासिद की कामयाबी छुपी है। लेकिन इन दोनों चीज़ों के हासिल करने में और हासिल करने के बाद इनके इस्तेमाल में हर क़दम पर शैतान मर्दूद के मक्र व फ़रेब और वस्वसों का जाल बिछा रहता है, इसलिये जाल को तार-तार करने की असरदार तदबीर यानी 'इस्तिआ़ज़े' (अल्लाह की पनाह तलब करने) पर क़ुरआन को ख़त्म किया गया।

وباختتامه تمّ بحمد الله وفضله وكرمه وعونه تفسير القران الكريم ولله الحمد اوّلهٗ وَاٰخرهٗ وظاهره وباطنهٗ فما كنّا لنهتدى اليه لولآ ان هدٰنا الله. وصلى الله تعالٰى علٰى خير خلقه وصفوة رسله امام انبيائه محمّد خاتم النبيّن وسيّد المرسلين عليه وعليهم صلوات الله وسلامه وعلٰى اله واصحابه اجمعين. ربّنا تقبّل منّاۤ انّك انت السّميع العليم. وذلك فى الحادى والعشرين من شعبان ١٣٩٢ ضحوة يوم السّبت ومن غريب الاتّفاق ان هذا اليوم هواليوم الّذى ولدتّ فيه ففى هذا اليوم تمّت من عمرهذا العبد الضعيف الجانى علٰى نفسه سبعة وسبعون سنة واخذت فى الثّامن والسبعين والله سبحانهٗ وتعالٰى ادعو وارجوان يجعل خيرعمرى

اخره وخير عملي خواتيمهٗ وخير ايّامي يوم القاه فيه ببركة كتابه المبين ونبيّه الامين وان يتقبل منّي جهد المقلّ الذى اتعبت فيه نفسي في امراضٍ وهمومٍ وضعف القوىٰ وما هو الّا بتوفيقه وعونه وان يغفر لي خطيئاتي وتقصيراتي في حقوق كتابهِ الكريم وان ينفع بهِ المسلمين الىٰ امد بعيد وان يجعله ذخرًا ليوم لا بيع فيه ولا خلال ولا يجدى فيهِ مالٌ وّلاالٌ. فسبحان الله وبحمدهٖ سبحان الله العظيم.

तर्जुमाः- अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्ल व करम और उसकी मदद व तौफ़ीक़ से अल्हम्दु लिल्लाह क़ुरआने करीम की यह तफ़सीर पूरी हुई। शुरू व आख़िर हर लम्हा उसी की तारीफ़ है और वही ज़ात है जो हिदायत की मालिक है वह अगर हिदायत न दे तो हम में से कोई रहनुमाई नहीं पा सकता। और दुरूद व सलाम हो उस मुबारक ज़ात पर जो तमाम मख़्लूक़ में बेहतर, अल्लाह की चुनिन्दा और तमाम अम्बिया व रसूलों की सरदार है यानी हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अ़लैहि व सल्लम, और उनकी आल और तमाम सहाबा पर अल्लाह की बेशुमार रहमतें नाज़िल हों। ऐ हमारे रब! तू हमारी तरफ़ से इसको क़ुबूल फ़रमा, बेशक तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है।

आज माह शाबान सन् 1392 हिजरी की 21 तारीख़ और शनिवार के दिन की चाश्त का वक़्त है और अ़जीब इत्तिफ़ाक़ देखिये कि यही तारीख़ मेरी पैदाईश की तारीख़ भी है, यह नाचीज़ व कमज़ोर बन्दा आज अपनी उम्र के 77 साल पूरे करके 78वें साल में प्रवेश कर रहा है। मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआ़ला से अपनी उम्र के इस आख़िरी हिस्से के लिये इस बात की दुआ़ करता हूँ कि वह अ़मल के एतिबार से इसे बेहतरीन हिस्सा बना दे, मुझे अपने पाक कलाम और अपने मुक़द्दस नबी की बरकतों से नवाज़े और मेरी इस मेहनत को क़ुबूल फ़रमाये जो कमज़ोरी, परेशानी और निरंतर बीमारियों के बावजूद उसकी तौफ़ीक़ व करम से अन्जाम पा गयी। और में अल्लाह से दुआ़ करता हूँ कि वह मेरे गुनाहों व ख़ताओं को माफ़ फ़रमाये और उन कोताहियों से भी दरगुज़र फ़रमाये जो इस पाक कलाम के सिलसिले में मुझ नाचीज़ से हुई हों। साथ ही मेरी यह दुआ़ भी है कि मेरी इस ख़िदमत व मेहनत से मुसलमानों को लम्बे अ़रसे तक फ़ायदा उठाना नसीब हो और यह कि मेरी यह ख़िदमत उस दिन मेरे लिये लाभदाय और ज़ख़ीरा साबित हो जिस दिन कोई माल व तिजारत और आल-औलाद अपनी ज़ात के एतिबार से कोई नफ़ा न दे सकेगी। फ़-सुब्हानल्लाहि व बि-हम्दिही व सुब्हानल्लाहिल् अ़ज़ीम। (मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी)

तफ़सीर की इस आठवीं जिल्द पर नज़रे-सानी का काम आज जुमा के दिन 10 शव्वाल सन् 1392 हिजरी को पूरा हुआ, जिसमें तक़रीबन चालीस दिन ख़र्च हुए। व लिल्लाहिल्-हम्द।

आख़िरी बात

इस तफ़सीर के हिन्दी अनुवादक के लिये आज का दिन बड़ा ही ख़ुशियों से भरा और

बारगाहे इलाही में सज्दा-रेज़ होने का है कि उसने महज़ अपनी मदद व तौफ़ीक़ से इस नाचीज़ व गुनाहगार बन्दे को अपने पाक कलाम की इतनी बड़ी ख़िदमत का मौक़ा नसीब फ़रमाया। अपनी गुनाहगार ज़िन्दगी पर नज़र करते हुए जहाँ बहुत ज़्यादा शर्मिन्दगी का एहसास है वहीं उसकी करीम ज़ात से यह उम्मीद भी कि जब उसने इस नालायक़ को इस अज़ीम ख़िदमत की तौफ़ीक़ नसीब फ़रमाई तो इन्शा-अल्लाह अपने फ़ज़्ल व करम से इसे क़ुबूल फ़रमाकर इसे मेरी मग़फ़िरत का ज़रिया और आख़िरत का ज़ख़ीरा भी बनायेगा। या अल्लाह! मेरी, मेरे माँ-बाप, मेरे असातिज़ा, मेरे रिश्तेदारों, सहयोगियों, दोस्त अहबाब और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फ़रमा और जिस तरह तूने दुनिया में सत्तारी और ग़फ़्फ़ारी का मामला फ़रमा रखा है इसी तरह आख़िरत में भी अपनी रहमतों में ढाँप लेना। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्न-क अन्तस्समीउल्-अ़लीम। बि-रह्मति-क या अर्‌हमर्राहिमीन।

तालिबे दुआ

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी (एम. ए. अलीग.)

79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001

रीडर अ़ल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कालेज, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.)

(23 अक्तूबर 2014) फ़ोनः- 09456095608, 09012122788

E-mail: imranqasmialig@yahoo.com, imranqasmi1985@gmail.com

इस तफ़सीर के अनुवादक

एक परिचय

✿ नाम	मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी
✿ वालिद साहिब का नाम	जनाब मुहम्मद दीन त्यागी मरहूम
✿ जन्म भूमि	ग्राम बिज्ञाना, डाकख़ाना बुढ़ाना, ज़िला मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.)
✿ जन्म तिथि	25 जनवरी 1967 (काग़ज़ात के मुताबिक़)

शैक्षिक प्रमाण-पत्र

✿ फ़ाज़िल	दारुल-उलूम देवबन्द 1985 ई.
✿ अदीब-ए-कामिल	जामिया उर्दू अ़लीगढ़ 1991 ई.
	बी. ए. फ़ाईनल (ब्रज कोर्स) सी. सी. एस. यूनिवर्सिटी मेरठ 1994 ई.
✿ मुअ़ल्लिम उर्दू	जामिया उर्दू अ़लीगढ़ 1995 ई.
✿ एम. ए. (अ़रबिक)	अ़लीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अ़लीगढ़ 1996 ई.

शिक्षा-सेवा

✿ लैक्चरर ऑफ़ अ़रबिक	जामिया तिब्बिया देवबन्द सितम्बर 1992- मई 1999
✿ लैक्चरर ऑफ़ अ़रबिक	अ़ल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कालेज मुज़फ़्फ़र नगर जनवरी 2001- दिसम्बर 2003 ई.
✿ सीनियर लैक्चरर ऑफ़ अ़रबिक	अ़ल्लामा इक़बाल यूनानी मैडिकल कालेज मुज़फ़्फ़र नगर मई 2006 ई. ता हाल।

तहरीर व तर्जुमे का काम

उर्दू भाषा में:-

(1) नुक़ूश उलेमा-ए-देवबन्द
(2) तज़किरा अ़ल्लामा मुहम्मद इब्राहीम बलियावी
(3) मालूमात का समन्दर
(4) मालूमात का ख़ज़ाना
(5) हयाते मियाँ असग़र हुसैन
(6) तज़किरा मौलाना ज़ुल्फ़क़ार अ़ली देवबन्दी
(7) तहक़ीक़ाते हकीमुल-इस्लाम
(8) तनक़ीहाते हकीमुल-इस्लाम
(9) तौज़ीहाते हकीमुल-इस्लाम
(10) तशरीहाते हकीमुल-इस्लाम

(11) तजल्लियाते हकीमुल-इस्लाम (12) कमालाते हकीमुल-इस्लाम
(13) तवारीख़ व शख़्सियाते हकीमुल-इस्लाम
(14) सीरते ख़ैरुल-अनाम बिनवादिरे हकीमुल-इस्लाम।

हिन्दी में अनुवादित किताबें:-

(1) तर्जुमा-ए-क़ुरआन मौलाना अशरफ़ अली थानवी रह.
(2) तफ़सीर इब्ने कसीर छह जिल्दें मुकम्मल
(3) तफ़सीर तौज़ीहुल-क़ुरआन तीन जिल्द मुकम्मल
(4) तफ़सीर मआरिफ़ुल-क़ुरआन आठ जिल्दें मुकम्मल।
(5) इस्लाही ख़ुतबात पन्द्रह जिल्दें
(6) तर्जुमा अल-क़ुरआनुल-मुबीन।
(7) फ़रिश्तों के अजीब हालात
(8) जन्नत के हसीन मनाज़िर
(9) जहन्नम के ख़ौफ़नाक मनाज़िर
(10) जिन्नात व शयातीन का इतिहास
(11) रूहों से मिलिये ख़्वाबों को समझिये
(12) तोहफ़ा-ए-दूल्हा
(13) तोहफ़ा-ए-दुल्हन
(14) मज़ामीने क़ुरआन हकीम
(15) जाटों की इस्लामी तारीख़
(16) हयातुल-मुस्लिमीन
(17) जज़ाउल-आमाल
(18) अग़लातुल-अवाम
(19) आदाबुल-मुआशरत
(20) क्लौंजी के चमत्कार
(21) ताबीर नामा ख़्वाब
(22) जिन्नात सैक्स और इनसान
(23) अहकामे मय्यित
(24) सुकूने दिल
(25) तमन्ना-ए-दिल
(26) आपके मसाईल और उनका हल तीन हिस्से
(27) तोहफ़ा-ए-ख़्वातीन
(28) औरतों के तरबियती बयानात
(29) मौत की याद
(30) क़ससुल-अम्बिया।

इनके अलावा कुछ छोटी-छोटी मुफ़ीद किताबों का भी हिन्दी में अनुवाद किया है जो फ़रीद बुक डिपो देहली से प्रकाशित हो चुकी हैं।

पता:-

मुहम्मद इमरान क़ासमी बिज्ञानवी, मकान नम्बर 79, महमूद नगर, गली नम्बर 6, मुज़फ़्फ़र नगर (उ. प्र.) 251001 फ़ोन 09456095608, 09012122788